

मय तर्जुमा व तपसीर

1 से 813 हिन्दी



(1)

लेखक

हज़रत मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (रह.)

अनुवादक

हज़रत मौलाना दाऊद राज़ (रह.) उर्दू

सलीम खिलजी हिन्दी

प्रकाशक

शोबा नशरो इशाअत

जमीअत अहले हदीस जोधपुर राजस्थान



<http://salfibooks.blogspot.com>



vol - 1

सहीह बुखारी

मय तर्जुमा व तफसीर

जिल्द अव्वल

हदीस नं. 1 से 813



मुरत्तिब (अरबी)

अमीरिल मोमिनीन फ़िल हदीष सय्यिदुल फुक़हा हज़रत अल्लामा

अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (रह.)



उर्दू तर्जुमा व तशीह

हज़रत मौलाना मुहम्मद दाऊद राज़ (रह.)



हिन्दी अनुवाद

सलीम खिलजी



प्रकाशक : जमीयत अहले हदीष, जोधपुर (राजस्थान)

<http://salfibooks.blogspot.com>

© सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित

अल्लामा मुहम्मद दाऊद राज़ (रह.) के ख़लीफ़ा नज़ीर अहमद बिन मुहम्मद दाऊद राज़ ने सहीह बुखारी की उर्दू शरह के हिन्दी अनुवाद सम्बंधित समस्त अधिकार जमीयत अहले हदीष जोधपुर (प्रकाशक) के नाम कर दिये हैं। इस किताब में प्रकाशित सामग्री के सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यक्ति/संस्था/समूह/प्रकाशन आदि इस पुस्तक की आंशिक अथवा पूरी सामग्री किसी भी रूप में मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके समस्त हर्जे-खर्चे के वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षेत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा।

नाम किताब	: सहीह बुखारी (हिन्दी तर्जुमा व तफ़्सीर)
मुर्त्तिब (अरबी)	: अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (रह.)
उर्दू तर्जुमा व शरह	: अल्लामा मुहम्मद दाऊद राज़ (रह.)
हिन्दी तर्जुमा व नज़रे-प्राणी	: सलीम ख़िलजी
तस्हीह (Proof Checking)	: जमशेद आलम सलफ़ी
कम्प्यूटराइज़ेशन, डिज़ाइनिंग	: ख़लीज मीडिया, जोधपुर (राज.)
एवं लेज़र टाइपसेटिंग	: aleejmedia78@yahoo.in #91-98293-46786
हिन्दी टाइपिंग	: मुहम्मद अकबर
ले-आउट व कवर डिज़ाइन	: मुहम्मद निसार ख़िलजी, बिलाल ख़िलजी
मार्केटिंग एक्ज़ीक्यूटिव	: फ़ैसल मोदी
ता'दाद पेज (जिल्द-1)	: 740 (+8 पेज परिशिष्ट)
प्रकाशन (प्रथम संस्करण)	: रजब 1432 हिजरी (जून 2011 ईस्वी)
ता'दाद (प्रथम संस्करण)	: 2400
कीमत (जिल्द-1)	: ₹ 500/-
प्रिण्टिंग	: अनमोल प्रिण्टर्स, जोधपुर (0291-2742426)
प्रकाशक	: जमीयत अहले हदीष जोधपुर (राज.)

मिलने के पते

मुहम्मदी एण्टरप्राइजेज़

तेलियों की मस्जिद के पीछे, सोजती गेट के अन्दर, जोधपुर-1
 (फ़ोन): 98293-46786, 99296-77000,
 92521-83249, 93523-63678, 90241-30861

अल किताब इण्टरनेशनल

जामिया नगर, नई दिल्ली-25
 (फ़ोन): 011-6986973
 93125-08762

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

मज़मून

सफ़ा नं.

मज़मून

सफ़ा नं.

हर्फ़े-आगाज़ (पेशे-लफ़्ज़/प्रस्तावना)	19	रसूले करीम (ﷺ) का एक इश्राद	200
अर्जे-नाशिर	21	बाब ईमान की एक रविश में	201
अर्जे-मुतर्जिम	23	अहले ईमान का आमाल में एक दूसरे से बढ़ जाना	203
जीवनी इमाम बुखारी (रह.)	25	हया भी ईमान में से है	205
शारेह के मुख्तसर हालात	40	आयत 'फ़इन ताबू' की तफ़्सीर	206
मुकद्दमा बुखारी	43	ईमान अमल का नाम है	208
हिन्दुस्तान में तहरीक अहले हदीष	134	जब कोई इस्लामे हक़ीक़ी पर न हो	210
		सलाम फैलाना भी इस्लाम में दाख़िल है	211
		एक कुफ़्र का दूसरे कुफ़्र से कम होने के बारे में	212
		गुनाह जाहिलियत के काम है	213
		जुल्म की कमी व बेशी के बारे में	215
		अलामाते मुनाफ़िक़ (मुनाफ़िक़ की निशानियाँ)	216
		क़यामे लैयलतुल क़द्र ईमान में से है	217
		जिहाद ईमान में से है	218
		रमज़ान की रातों का क़याम ईमान में से है	219
		रमज़ान के रोज़े भी ईमान में से है	219
		दीन आसान है	220
		नमाज़ भी ईमान में से है	220
		इन्सान के इस्लाम की ख़ुबी के बारे में	221
		अल्लाह को दीन का कौनसा अमल ज़्यादा पसन्द है	222
		ईमान की कमी व ज़्यादती के बारे में	223
		ज़कात देना इस्लाम में दाख़िल है	225
		जनाज़े के साथ जाना ईमान में दाख़िल है	226
		मोमिन को आ'माल की ज़ियाअ स डरना चाहिए	226
		ईमान-इस्लाम के बारे में हज़रत जिब्रईल के सवालात	229
		दीन को गुनाह से महफूज़ रखने वाले की फ़ज़ीलत	231
		माले ग़नीमत का पाँचवां हिस्सा अदा करना ईमान में से है	332

किताबुल वह्य

बाब वह्य की इब्तिदा के बारे में	149
हदीस नीयत की दुरुस्तगी में	149
हदीस वह्य की कैफ़ियत के बारे में	152
अबू सुफ़यान व हिरक्ल की बातचीत	159

किताबुल ईमान

इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर है	173
बाब उमूरे ईमान में	187
बाब मुसलमान की ता'रीफ़ में	190
कौन सा इस्लाम अफ़ज़ल है	191
खाना खिलाना भी इस्लाम है	191
अपने भाई के लिए वही पसन्द करे...	192
रसूले करीम (ﷺ) से मुहब्बत ईमान में दाख़िल है	193
ईमान की मिठास के बारे में	194
अन्सार की मुहब्बत ईमान की निशानी है	197
बाब तफ़्सीले मज़ीद	198
फ़िल्नों से दूर भागना दीर्घ है	199

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

मज़मून

सफ़ा नं.

मज़मून

सफ़ा नं.

बग़ैर ख़ालिस नीयत के अमल सहीह नहीं
दीन ख़ैरख़्वाही का नाम है

234

235

किताबुल इल्म

फ़ज़ीलते इल्म के बारे में 237
इस बयान में कि जिस शख्स ने..... 238
इल्मी मसाइल के लिए आवाज़ बलन्द करना 239
अल्फ़ाज़ 'हद़्थना, अख़्बरना व अम्बअना' के बारे में 239
इम्तहान लेने का बयान 241
शागिर्द का उस्ताद के सामने पढ़ना और उसको सुनाना 241
बाब मुनावला का बयान 246
वो शख्स जो मजलिस के आख़िर में बैठ जाए 248
एक इशादि-नबवी (ﷺ) की तफ़्सील 249
इल्म का दर्ज़ा क़ौल व अमल से पहले है 250
लोगों की रिआयत करते हुए ता'लीम देना 250
ता'लीम के लिए निज़ामुल अवकात बनाना 251
फुक्काहते दीन की फ़ज़ीलत 252
इल्म में समझदारी से काम लेने का बयान 252
इल्म व हिक्मत में रश्क करने का बयान 253
हज़रत मूसा (अलै.) और ख़िज़र के बयान में 255
कुर्आन के फ़हम के लिए नबी (ﷺ) की दुआ 255
बच्चे का हदी़्त सुनना किस उम्र में मो'तबर है 255
इल्म की तलाश में घर से निकलने का बयान 256
पढ़ने और पढ़ाने वाले की फ़ज़ीलत 257
इल्म के ज़वाल और जहल की इशाअत के बयान में 258
इल्म की फ़ज़ीलत के बयान में 259
सवारी पर भी फ़तवा देना जायज़ है 259
इशारे से सवाल का जवाब देना 260

अब्दुल कैस के वफ़द को नबी (ﷺ) की हिदायतें 261
मसाइल मालूम करने के लिए सफ़र करना 263
तलबा के लिए बारी मुकर्रर करना 263
उस्ताद के ख़फ़ा होने का बयान 265
शागिर्द का दो ज़ानू होकर अदब से बैठना 267
मुअल्लिम का तीन बार मसला को दोहराना 267
मर्द का अपनी बांदी और घरवालों को ता'लीम देना 269
औरतों को ता'लीम देना 270
इल्मे हदीस के लिए हिर्स का बयान 270
इल्म किस तरह उठा लिया जाएगा 271
औरतों की ता'लीम के लिए ख़ास दिन मुकर्रर करना 272
शागिर्द न समझ सके तो दोबारा पूछ ले 273
जो मौजूद है वो ग़ायब को पहुँचा दे 274
जो रसूलुल्लाह (ﷺ) पर झूठ बाँधे 275
उलूमे दीन को क़लमबन्द करने के बयान में 278
रात को ता'लीम देना और वा'ज़ करना 280
सोने से पहले इल्मी गुफ़्तगू करना 281
इल्म को महफूज़ रखने के बयान में 282
उलमा की बात ख़ामोशी से सुनना 284
जब किसी आलिम से पूछा जाये.... 285
खड़े-खड़े सवाल करना 288
रम्ये-जिमार के वक़्त भी मसला पूछना 289
फ़र्माने इलाही कि तुम को थोड़ा इल्म दिया गया है 290
बाज़ बातों को मसलिहतन छोड़ देना 291
मसलिहत से ता'लीम देना और न देना 292
तालिबे इल्म के लिए शर्माणा मुनासिब नहीं 294
शर्माने वाले किसी के ज़रिये मसला पूछ ले 295
मस्जिद में इल्मी मुज़ाकरा करना और फ़तवा देना 296

1

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

मज़मून

सफ़ा नं.

मज़मून

सफ़ा नं.

सवाल से ज़्यादा जवाब देना 297

किताबुल वुजू

आयते शरीफ़ा 'इज़ा कुन्तुम इलस्सलाति' की तफ़सीर	298
नमाज़ बग़ैर पाकी के कुबूल नहीं	299
वुजू की फ़ज़ीलत के बारे में	299
महज़ शक की वजह से नया वुजू न करें	300
मुख्तसर वुजू करने का बयान	300
पूरा वुजू करने के बयान में	301
हर हाल में बिस्मिल्लाह पढ़ना	303
हाजत को जाने की दुआ	305
पाख़ाना के करीब पानी रखना बेहतर है	306
पेशाब और पाख़ाना के वक़्त क़िब्ला रुख़ न होना	306
दो ईटो पर बैठ कर क़ज़ा-ए-हाजत करना	307
औरतों का क़ज़ा-ए-हाजत के लिए बाहर निकलना	308
घरों में क़ज़ा-ए-हाजत करना	309
पानी से त़हारत करना बेहतर है	310
त़हारत के लिए पानी साथ ले जाना	310
नेज़ा भी साथ ले जाना	311
दायें हाथ से त़हारत की मुमानअत	311
पत्थरों से इस्तिंजा करना प्राबित है	312
हड्डी और गोबर से इस्तिंजा न करें	312
अअज़ा-ए-वुजू को एक-एक बार धोना	313
अअज़ा-ए-वुजू दो-दो बार धोना	313
अअज़ा-ए-वुजू को तीन-तीन बार धोना	314
वुजू में नाक साफ़ करना ज़रूरी है	315
ताक़ डेलों से इस्तिंजा करना	315
वुजू में कुल्ली करना ज़रूरी है	316

एड़ियों के धोने के बारे में	317
जूतों के अन्दर पाँव धोना और मसह करना	317
वुजू और गुस्ल में दाईं जानिब से शुरू करना	318
पानी की तलाश ज़रूरी है	319
जिस पानी से बाल धोये जाएं	319
जब कुत्ता बर्तन में पी ले	320
वुजू तोड़ने वाली चीज़ों का बयान	323
उस शख्स के बारे में जो अपने साथी को वुजू कराए	326
बे वुजू तिलावते कुआँन वग़ैरह	327
बेहोशी के शदीद दौरों से वुजू टूटने के बारे में	328
पूरे सर का मसह करना ज़रूरी है	330
टख़नों तक पाँव धोना	330
वुजू के बचे हुए पानी के बयान में	331
एक ही चुल्लू से कुल्ली करना और नाक में पानी देना	332
सर का मसह करने के बयान में	333
खाविन्द का अपनी बीवी के साथ वुजू करना जायज़ है	334
बेहोश आदमी पर वुजू का पानी छिड़कने के बयान में	334
लगन प्याले वग़ैरह में वुजू करना	335
तश्त में पानी लेकर वुजू करना	337
एक मुद्द पानी से वुजू करना	338
मोज़ों पर मसह करना	339
वुजू करके मोज़े पहनना	342
बकरी का गोश्त और सत्तू खाकर वुजू करना ज़रूरी नहीं	342
सत्तू खाकर सिर्फ़ कुल्ली करना	343
दूध पीकर कुल्ली करना	344
सोने के बाद वुजू करने के बयान में	344
बग़ैर हदस के भी नया वुजू जायज़ है	345
पेशाब के छींटों से न बचना गुनाहे कबीरा है	346

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

मज़मून

सफ़ा नं.

मज़मून

सफ़ा नं.

पेशाब को धोने के बयान में	346
एक देहाती का मस्जिद में पेशाब करना	347
मस्जिद में पेशाब पर पानी बहाना	348
बाब बच्चों के पेशाब के बारे में	349
खड़े होकर और बैठ कर पेशाब करना	349
अपने किसी साथी से आड़ बना कर पेशाब करना	350
किसी क़ौम की कोड़ी पर पेशाब करना	350
हैज़ का खून धोना ज़रूरी है	350
इस्तिहाज़ा के बारे में	351
मनी के धोने के बारे में	351
अगर मनी वग़ैरह धोये और उसका असर न जाये	352
ऊँट-बकरी के रहने की जगह के बारे में	353
जब निजासत घी और पानी में गिर जाये	354
ठहरे हुए पानी में पेशाब करना मना है	356
जब नमाज़ी की पीठ पर कोई निजासत डाल दी जाये	357
कपड़े में थूक और रेन्ट वग़ैरह लग जाये	358
नशे वाली चीज़ों से वुजू जायज़ नहीं	359
औरत का अपने बाप के चेहरे से खून धोना	359
मिस्वाक के बयान में	360
बड़े आदमी को मिस्वाक देना	361
सोते वक़्त वुजू करने की फ़ज़ीलत	361

सिर्फ़ एक मर्तबा बदन पर पानी डालना	370
हिलाब या खुशबू लगा कर गुस्ल करना	370
गुस्ले जनाबत करते वक़्त कुल्ली करना	371
हाथ मिट्टी से मलना ताकि खूब साफ़ हो जाये	372
क्या जुनुबी अपने हाथों को धोने से पहले.....	372
उस शख़्स के बारे में जिसने गुस्ल में	374
गुस्ल और वुजू के दरमियान फ़रज़ करना	374
जिसने एक से ज़्यादा बार जिमाअ करके.....	375
मज़ी को धोना और उससे वुजू करना	376
गुस्ल के बाद खुशबू का असर बाक़ी रहना	377
बालों का खिलाल करना	377
गुस्ले जनाबत में अज़ज़ा-ए-वुजू को दोबारा न धोना	378
जब कोई शख़्स मस्जिद में हो और उसको	379
गुस्ले जनाबत के बाद हाथों से पानी झाड़ लेना	379
जिसने अपने सर के दाहिने हिस्से से गुस्ल शुरू करना	380
जिस ने तन्हाई में नंगे होकर गुस्ल किया	381
नहाते वक़्त पर्दा करना	382
औरत को एहतिलाम होना	383
जुनुबी का पसीना नापाक नहीं	383
जुनुबी घर से बाहर निकल सकता है	384
गुस्ल से पहले जुनुबी का घर में ठहरना	384
वग़ैर गुस्ल किये जुनुबी का सोना	385
जुनुबी पहले वुजू करे फिर सोये	385
जब दोनों शर्मगाहें मिल जाये तो गुस्ल वाजिब होगा	386
उस चीज़ का धोना जो औरत की शर्मगाह से मिल जाये	387

किताबुल गुस्ल

कुआने हकीम में गुस्ल के अहकाम	365
गुस्ल से पहले वुजू करने का बयान	366
मर्द का बीवी के साथ गुस्ल करना	367
एक साअ वज़न पानी से गुस्ल करना	367
सर पर तीन बार पानी बहाना	369

किताबुल हैज़

हैज़ की इब्तिदा कैसे हुई	389
--------------------------	-----

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

मज़मून

सफ़ा नं.

मज़मून

सफ़ा नं.

हाइज़ा औरत का अपने शौहर का सर धोना	390
मर्द का अपनी हाइज़ा बीवी की गोद में कुआन पढ़ना	391
निफ़ास का नाम हैज़ भी है	391
हाइज़ा के साथ उठना-बैठना	392
हाइज़ा औरत रोज़ा छोड़े	393
हाइज़ा बैतुल्लाह के तवाफ़ के अलावा.....	394
इस्तिहाज़ा का बयान	396
हैज़ का खून धोने का बयान	397
इस्तिहाज़ा की हालत में एतिकाफ़	397
क्या औरत हैज़ वाले कपड़े में नमाज़ पढ़ सकती है....	398
औरत हैज़ के गुस्ल में खुशबू इस्तेमाल करे	399
हैज़ से पाक होने के बाद गुस्ल कैसे किया जाये	399
हैज़ का गुस्ल क्यों कर हो	400
औरत का हैज़ के गुस्ल के बाद कंधी करना	401
हैज़ के गुस्ल के वक़्त बालों को खोलना	401
मुखल्लक़ा व ग़ैर मुखल्लक़ा की तप़सीर	402
हाइज़ा औरत हज व उमराह का एहराब किस तरह बांधे	403
हैज़ का आना और उसका ख़त्म होना	403
हाइज़ा औरत नमाज़ की क़ज़ा न करे	404
हाइज़ा औरत के साथ सोना	405
हैज़ के लिए अलग कपड़े	405
ईदन में हाइज़ा भी जाये	406
अगर किसी औरत को एक माह में तीन बार हैज़ हो	407
ज़र्द और पीला रंग अय्यामे हैज़ के अलावा हो तो....	409
इस्तिहाज़ा की रंग के बारे में	410
जो औरत तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद हाइज़ा हो	411
जब मुस्तहाज़ा अपने जिस्म में पाकी देखे तो क्या करे	412
निफ़ास में मरने वाली औरत की नमाज़े जनाज़ा	413

किताबुत्-तयम्मूम

जब पानी मिले न मिट्टी तो क्या करे	414
इक्रामत की हालत में तयम्मूम	417
क्या मिट्टी पर तयम्मूम के लिये हाथ मारने के बाद.....	418
तयम्मूम में सिर्फ़ मुँह और दोनों पहुँचों पर मसह करना ..	419
पाक मिट्टी मुसलमानों का वुजू है	421
जब जुनुबी को गुस्ल से ख़तरा हो	424
तयम्मूम में एक ही दफ़ा मिट्टी पर हाथ मारना काफ़ी है	426

2

किताबुस्सलात

शबे मेअराज में नमाज़ कैसे फ़र्ज़ हुई	428
कपड़े पहन कर नमाज़ पढ़ना वाजिब है	433
नमाज़ में गुद्दी पर तहबन्द बाँधना	434
सिर्फ़ एक कपड़ा बदन पर लपेट कर नमाज़ पढ़ना	435
जब एक कपड़े में कोई नमाज़ पढ़े	438
जब कपड़ा तंग हो तो क्या करे	438
ग़ैर मुस्लिमों के बुने हुए कपड़े में नमाज़ पढ़ना	439
बेज़रूरत नंगा होने की कराहत	440
क़मीस और पाजामा पहन कर नमाज़ पढ़ना	440
सतरे औरत का बयान	442
बग़ैर चादर ओढ़े एक कपड़े में नमाज़ पढ़ना	444
रान के मुता'ल्लिक़ रिवायात	444
औरत कितने कपड़ों में नमाज़ पढ़े	447
बेल लगे हुए कपड़ों में नमाज़ पढ़ना	448
ऐसा कपड़ा जिस पर सलीब या तस्वीरें हो	448
रेशम के कोट में नमाज़ पढ़ना	449
सुख़ रंग के कपड़े में नमाज़ पढ़ना	450
सजदे में आदमी का कपड़ा उसकी औरत से लग जाये	452

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

मज़मून

सफ़ा नं.

मज़मून

सफ़ा नं.

बोरे पर नमाज़ पढ़ने का बयान	453	दौरे जाहिलिय्यत के मुशिकों की कन्नों को खोद डालना	479
खजूर की चटाई पर नमाज़ पढ़ना	454	बकरियों के बाड़े में नमाज़ पढ़ना	481
बिछौने पर नमाज़ पढ़ने के बयान में	454	ऊँटों के रहने की जगह में नमाज़ पढ़ना	481
सख़्त गर्मी में कपड़े पर सजदा करना	455	अगर नमाज़ी के आगे आग हो	482
जूतों समेत नमाज़ पढ़ना	456	मक़बरों में नमाज़ की कराहत	482
मोज़े पहने हुए नमाज़ पढ़ना	456	अज़ाब की जगहों पर नमाज़	483
जब कोई पूरा सजदा न करे	457	गिरजा में नमाज़ पढ़ने का बयान	483
सजदे में बगलों को खुला रखना	457	मेरे लिये सारी ज़मीन पर नमाज़ पढ़ने.....	485
क्लिब्ला की तरफ़ मुँह करने की फ़ज़ीलत	458	औरत का मस्जिद में सोना	486
मदीना और शाम वालों का क्लिब्ला	459	मस्जिदों में मर्दों का सोना	487
मक़ामे इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ	460	सफ़र से वापसी पर नमाज़ पढ़ना	489
हर मक़ाम और हर मुल्क में रुख़ क्लिब्ला की तरफ़ हो	463	जब कोई मस्जिद में दाख़िल हो तो दो	
क्लिब्ला के बारे में और अहादीष	465	रक़अत नमाज़ पढ़े	489
अगर मस्जिद में थूक लगा हो तो खुरच दिया जाये	467	मस्जिद में हवा ख़ारिज करना	2 490
मस्जिद में से रेन्ट को खुरच डालना	468	मस्जिद की इमारत	491
नमाज़ में दाहिनी तरफ़ न थूकना	469	मस्जिद बनाने में मदद करना	492
बायीं तरफ़ या बायें पाँव की तरफ़ थूकना	469	मस्जिद की ता' मीर में कारीगरों से इमदाद लेना	493
मस्जिद में थूकने का कफ़ारा	470	मस्जिद बनाने का अज़ व स़वाब	494
बलग़म को मस्जिद के अन्दर मिट्टी के अन्दर छुपाना	470	मस्जिद में तीर वग़ैरह लेकर गुज़रना	495
जब (नमाज़ में) थूक का ग़लबा हो	471	मस्जिद में शे'र पढ़ना	495
नमाज़ पूरी तरह पढ़ना और क्लिब्ला का बयान	472	छोटे नेज़ों से मस्जिद में खेलना	496
क्या यूँ कहा जा सकता है कि यह मस्जिद फ़लाँ		मिम्बर पर मसाइले-ख़रीदो फ़रोख़्त का ज़िक्र करना	497
ख़ानदान की है	472	मस्जिद में क़र्ज़ का तक्ज़ा करना	498
मस्जिद में माल तक्सीम करना	473	मस्जिद में झाड़ू देना	498
जिसे मस्जिद में खाने की दा'वत दी जाये	475	मस्जिद में शराब की सौदागरी की हुरमत	
मस्जिद में फ़ैसले करना	475	का ऐलान करना	499
घरों में जाए-नमाज़ मुक़र्रर करना	476	मस्जिद के लिए ख़ादिम मुक़र्रर करना	499
मस्जिद में दाख़िल होने और दीगर कामों की इब्तिदा	479	क़ैदी या क़र्ज़दार मस्जिद में बाँधना	500

फेहरिस्ते-मज़ामीन

मज़मून	सफ़ा नं.	मज़मून	सफ़ा नं.
जब कोई शख्स इस्लाम लाए	501	इस बयान में कि क्या मर्द अपनी बीवी को.....	531
मस्जिद में मरीज़ों के लिये खेमा लगाना	501	औरत नमाज़ पढ़ने वाले से गन्दगी हटा दे	532
ज़रूरत से मस्जिद में ऊँट ले जाना	502		
मस्जिद में खिड़की और रास्ता	503	M 3 → मवाक़ीतुस्सलवात	
का'बा और मसाजिद में दरवाज़े	505	नमाज़ के अवक़ात और उसके मसाइल	535
मुशिक का मस्जिद में दाख़िल होना	506	आयत 'मुनीबीन इलैहि वक्तकूहु' की तफ़सीर	538
मस्जिद में आवाज़ बुलन्द करना	506	नमाज़ को दुरुस्त तरीक़े से पढ़ने पर बैअत करना	539
मस्जिद में हलक़ा बनाकर या यूँ ही बैठना	508	नमाज़ वक़्त पर पढ़ने की फ़ज़ीलत	540
मस्जिद में चित लेटना कैसा है	509	पाँचों वक़्त की नमाज़ें गुनाहों का कफ़फ़ारा हो जाती है	541
आम रास्तों पर मस्जिद बनाना	510	नमाज़ को बेवक़्त पढ़ना नमाज़ को ज़ाएअ करना है	542
बाज़ार की मस्जिद में नमाज़ पढ़ना	510	नमाज़ पढ़ने वाला नमाज़ में अपने रब से	
मस्जिद वग़ैरह में अंगुलियों का कैंची करना	511	कलाम करता है	3 543
मदीना के रास्ते की मसाजिद का बयान	513	सख़्त गर्मी में जुहर को ठण्डे वक़्त में पढ़ना	544
इमाम का सुतरा मुक़्तदियों को किफ़ायत करता है	518	ठण्डा करने का मतलब	544
नमाज़ी और सुतरा में कितना फ़ासला होना चाहिए	520	दोज़ख़ ने हकीक़त में शिकवा किया	545
बरछी और अतरा की तरफ़ नमाज़ पढ़ना	521	सफ़र में जुहर को ठण्डे वक़्त में पढ़ना	546
मक्का और दीगर मक़ामात पर सुतरा का हुक्म	522	जुहर का वक़्त सूरज ढलने पर है	547
सुतूनों की आड़ में नमाज़ पढ़ना	522	कभी जुहर की नमाज़ अ़स्र के वक़्त तक मुअख़्खर	
दो सुतूनों के बीच में अकेला नमाज़ी	523	की जा सकती है	548
ऊँट और दरख़्त या चारपाई वग़ैरह का सुतरा	525	नमाज़े अ़स्र के वक़्त का बयान	549
चाहिए कि नमाज़ पढ़ने वाला सामने से.....	525	नमाज़े अ़स्र के छूट जाने का कितना गुनाह है	553
नमाज़ी के आगे से गुज़रने का गुनाह	527	नमाज़े अ़स्र की फ़ज़ीलत का बयान	554
एक नमाज़ी का दूसरे की तरफ़ रख करना	527	जो शख्स नमाज़े अ़स्र की एक रक़अत सूरज डूबने...	555
सोते हुए शख्स के पीछे नमाज़ पढ़ना	528	मरिब की नमाज़ के वक़्त का बयान	558
औरत को बतौर सुतरा करके नफ़ल नमाज़ पढ़ना	528	जिसने मरिब को इशा कहना मकरूह जाना	559
नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़ती	529	इशा और अ़तमा का बयान	560
नमाज़ में अगर कोई गर्दन पर बच्ची उठा ले	530	नमाज़े इशा का वक़्त जब लोग जमा हो जाये	561
हाइज़ा औरत के बिस्तर की तरफ़ नमाज़	530	नमाज़े इशा के लिये इन्तिज़ार करने की फ़ज़ीलत	562

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

मज़मून

सफ़ा नं.

मज़मून

सफ़ा नं.

नमाज़े इशा से पहले सोना कैसा है	563
नमाज़े इशा का वक़्त आधी रात तक है	565
नमाज़े फ़ज़्र की फ़ज़ीलत	566
नमाज़े फ़ज़्र का वक़्त	567
फ़ज़्र की एक रक़अत पाने वाला	570
जो कोई किसी नमाज़ की एक रक़अत पा ले	571
सुबह की नमाज़ के बाद नमाज़ पढ़ना	571
सूरज छुपने से पहले जानबूझकर नमाज़ न पढ़ें	573
जिसने फ़क़त अस्त्र और फ़ज़्र के बाद	
नमाज़ को मकरूह जाना	574
अस्त्र के बाद क़ज़ा नमाज़ें	575
अन्न के दिनों में नमाज़ के लिये जल्दी करना	576
वक़्त निकल जाने के बाद नमाज़ पढ़ते	
वक़्त अज़ान देना	577
क़ज़ा नमाज़ जमाअत के साथ पढ़ना	577
जो शरूख़ कोई नमाज़ भूल जाये	579
अगर कई नमाज़ें क़ज़ा हो जाये	579
इशा के बाद दुनियावी बातें करना मकरूह है	580
इशा के बाद मसाइल की बातें करना	581
इशा के बाद अपनी बीवी या मेहमान से बातें करना	582
किताबुल अज़ान	
अज़ान क्यों कर शुरू हुई	584
अज़ान के कलिमात दो-दो मर्तबा	587
इक़ामत के कलिमात एक-एक मर्तबा	589
अज़ान देने की फ़ज़ीलत	590
अज़ान बुलन्द आवाज़ से हो	591
अज़ान की वजह से ख़ुरैजी का रुकना	592

अज़ान का जवाब किस तरह देना चाहिए	592
अज़ान की दुआ के बारे में	593
अज़ान के लिए कुर्आ-अन्दाज़ी का बयान	594
अज़ान के दौरान बात करना	594
नाबीना अज़ान दे सकता है	595
सुबह होने के बाद अज़ान देना	596
सुबह सादिक़ से पहले अज़ान देना	597
अज़ान और तकबीर के बीच कितना फ़ासला हो	599
अज़ान सुनकर जो घर में तकबीर का इन्तिज़ार करे	600
अज़ान और तकबीर के दरमियान नफ़्त पढ़ना	601
सफ़र में एक ही शरूख़ अज़ान दे	601
अगर कई मुसाफ़िर हों.....	602
क्या मुअज़्ज़िन अज़ान में अपना मुँह इधर-उधर घुमाये	604
यूँ कहना कैसा है कि नमाज़ ने हमें छोड़ दिया	605
नमाज़ का जो हिस्सा जमाअत के साथ पा सको	605
नमाज़ की तकबीर में किस वक़्त खड़े हों	606
नमाज़ के लिये जल्दी न उठें	606
क्या मस्जिद में किसी ज़रूरत की वजह से.....	607
आदमी यूँ कहे कि हमने नमाज़ नहीं पढ़ी.....	608
तकबीर के बाद अगर इमाम को कोई	
ज़रूरत पेश आ जाये	609
तकबीर हो चुकने के बाद बातें करना	609
जमाअत से नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है	610
नमाज़ बाजमाअत की फ़ज़ीलत	611
फ़ज़्र की नमाज़ बाजमाअत की फ़ज़ीलत	613
जुहर की नमाज़ के लिये सवेरे जाने की फ़ज़ीलत	614
जमाअत के लिए हर-हर क़दम पर सवाब	615
इशा की नमाज़ बाजमाअत	615

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

मज़मून

सफ़ा नं.

मज़मून

सफ़ा नं.

दो या ज़्यादा आदमी हो तो जमाअत हो सकती है	616	लोग शामिल हो जाये	648
नमाज़ का इन्तिज़ार करने की फ़ज़ीलत	616	अगर इमाम लम्बी सूत शुरू कर दे	648
मस्जिद में सुबह-शाम आने वालों की फ़ज़ीलत	618	इमाम को चाहिए कि क़याम हल्का करे	649
जब नमाज़ की तकबीर होने लगे	619	जब अकेला नमाज़ पढ़े तो जितनी चाहे	
बीमार को किस हद तक जमाअत में आना चाहिए	623	लम्बी कर सकता है	650
बारिश या किसी ड़ज़र से घर में नमाज़ पढ़ना	625	जिसने इमाम से नमाज़ के लम्बी होने की शिकायत की	650
बारिश में जो लोग मस्जिद में आ जायें	626	नमाज़ मुख़्तसर लेकिन पूरी पढ़ना	652
जब खाना हाज़िर हो और नमाज़ की तकबीर हो जाये	628	बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर नमाज़ मुख़्तसर कर दी	652
जब इमाम को नमाज़ के लिये बुलाया जाये	629	एक शख्स नमाज़ पढ़कर दूसरे लोगों की इमामत करे	653
उस आदमी के बारे में जो उमूरे खाना में मसरूफ़ हो...	630	उस शख्स के बारे में जो मुक्त्तदियों को	
तरीक़-ए-नबवी (ﷺ) की वज़ाहत के लिए		इमाम की तकबीर सुनाये	654
नमाज़ की अदायगी	630	एक शख्स इमाम की इक़्तिदा करे और लोग	
इमामत कराने का हक़दार कौन है?	632	उसकी इक़्तिदा करे	655
जो शख्स किसी ड़ज़र की वजह से इमाम के पहलू में		अगर इमाम को शक हो जाये	656
खड़ा हो जाये....	635	इमाम अगर नमाज़ में रोने लगे	657
एक शख्स ने इमामत शुरू कर दी.....	636	तकबीर के दौरान सफ़ों को बराबर करना	658
किरअत में अगर सब बराबर हों	637	सफ़ों को बराबर करते वक़्त इमाम का लोगों	
जब इमाम किसी क़ौम के यहाँ गया.....	638	की तरफ़ मुँह करना	3 659
इमाम की इक़्तिदा ज़रूरी है	3 638	सफ़ बराबर करना नमाज़ पूरा करना है	660
मुक्त्तदी कब सज़दा करे?	643	सफ़ बराबर न करने वालों का गुनाह	661
इमाम से पहले सर उठाने का गुनाह	643	कन्धे से कन्धा और क़दम से क़दम मिलाने के बारे में	661
गुलाम की इमामत का बयान	644	अगर कोई शख्स इमाम की बायीं तरफ़ खड़ा हो....	663
अगर इमाम अपनी नमाज़ को पूरा न करे और		अकेली औरत एक सफ़ का हुक्म रखती है	664
मुक्त्तदी पूरा करे.....	645	मस्जिद और इमाम की दाहिनी जानिब का बयान	664
→ बायीं और बिदअती की इमामत का बयान	— 646	जब इमाम और मुक्त्तदियों के दरमियान कोई	
जब सिर्फ़ दो ही नमाज़ी हों	647	दीवार हाइल हो जाये	665
कोई शख्स इमाम की बायीं तरफ़ खड़ा हो	647	रात की नमाज़ का बयान	666
अगर इमामत की नीयत न हो और		तकबीर तहरीमा का वाजिब होना	667

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

मज़ामून

सफ़्त नं.

मज़ामून

सफ़्त नं.

सिफ़तुस्सलात

तकबीरे तहरीमा के वक़्त दोनों हाथों का उठाना	668
तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़ड़ल्यदैन	669
हाथों को कहाँ तक उठाना चाहिए	670
क्रायद-ए-ऊला से उठने के बाद रफ़ड़ल्यदैन करना	670
नमाज़ में दायाँ हाथ बायें हाथ पर रखना	679
नमाज़ में खुशूअ का बयान	681
तकबीरे तहरीमा के बाद क्या पढ़ें?	682
नमाज़ में इमाम की तरफ़ देखना	684
नमाज़ में आसमान की तरफ़ नज़र उठाना कैसा है?	685
नमाज़ में इधर-उधर देखना कैसा है?	686
अगर नमाज़ी पर कोई हादसा हो	687
इमाम और मुक़्तदी के लिए क़िरअत का वाजिब होना	688
इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा पढ़ने का बयान	690
नमाज़े जुहर में क़िरअत का बयान	699
नमाज़े अ़सर में क़िरअत का बयान	700
नमाज़े मरिब में क़िरअत का बयान	701
नमाज़े मरिब में बुलन्द आवाज़ से क़िरअत	702
नमाज़े इशा में बुलन्द आवाज़ से क़िरअत	702
नमाज़े इशा में क़िरअत का बयान	703
इशा की पहली दो रक़अत लम्बी और	3 703
दूसरी दो रक़अत मुख़्तसर	703
नमाज़े फ़ज़्र में क़िरअते कुर्आन	704
फ़ज़्र की नमाज़ की बुलन्द आवाज़ से क़िरअत	705
एक रक़अत में दो सूरतें	706
पिछली दो रक़अतों में सूरह फ़ातिहा	708
जुहर व अ़सर में क़िरअत आहिस्ता	709
पहली रक़अत में क़िरअत लम्बी	709

जहरी नमाज़ों में इमाम का बुलन्द आवाज़	
से आमीन कहना	710
आमीन कहने की फ़ज़ीलत	710
मुक़्तदी का बुलन्द आवाज़ में आमीन कहना	711
सफ़ तक पहुँचने से पहले ही किसी ने रकूअ कर लिया	719
रकूअ करने के वक़्त भी तकबीर कहना	720
सजदे के वक़्त भी पूरे तौर पर तकबीर कहना	721
जब सजदा करके खड़ा हो तो तकबीर कहें	722
रकूअ में हाथ घुटनों पर रखना	723
अगर रकूअ इल्मीनान से न करे	723
रकूअ में पीठ को बराबर रखना	724
जिस ने रकूअ पूरी तरह नहीं किया	724
रकूअ की दुआ का बयान	725
रकूअ से सर उठाने पर दुआ	726
'अल्लाहुम्म रब्बना व लक़ल हम्द' की फ़ज़ीलत	726
रकूअ से सर उठाने के बाद क्या कहा जाए	728
सजदे के लिए 'अल्लाहु अक़बर' कहते हुए झुके	729
सजदा की फ़ज़ीलत का बयान	731
सजदे में दोनों बाजू खुले हो	735
सजदे में दोनों पाँवों की अंगुलियाँ क़िब्ला रुख़ हो	735
जब सजदा पूरी तरह न करे	735
सात हड्डियों पर सजदा करना	736
सजदे में नाक भी ज़मीन से लगाना	738
कीचड़ में भी नाक ज़मीन पर लगाना	738
मुनाजात (दुआएं)	739

3

फ़ेहरिस्त तशरीहे मज़ामीन

मज़मून

सफ़ा नं.

मज़मून

सफ़ा नं.

वह्य की तफ़्सीलात	150	आयते कुआनिया बाबत कमी व बेशी ईमान	173
हदीस 'इन्नमालु अअमालु बिन्निय्यात' की तशरीह	151	हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.)	174
मुन्किरीने हदीष के एक ख़याल की तरदीद	152	लफ़्जे ईमान की लुग्वी व इस्तेलाही तफ़्सील	175
हालात व शहादते हज़रत फ़ारूके आज़म (रज़ि.)	152	ईमान से मुता'ल्लिक़ मसलके मुहद्दिसीन	177
अक़सामे वह्य का बयान	153	फ़िर्क-ए-मुर्जिया के बारे में	177
फ़ज़ाइले मुहद्दिसीने किराम (रह.)	153	मज़ीद तफ़्सीलात ईमाने इस्तेलाही	178
ग़ारे हिरा और पहली वह्य	157	ईमान की कमी व बेशी के बारे में	181
नामूसे अकबर की ता'रीफ़	157	इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का सहीह मसलक	181
वरक़ा बिन नौफ़ल की तरफ़ से खुशख़बरी	158	ईमान की कमी व बेशी आयते कुआनिया की रोशनी में	182
बाबत रुकनियते सूरह फ़ातिहा हनफ़िया को एक जवाब	158	सुन्नते रसूल (ﷺ) से इस्तिदलाल	184
वह्ये-मतलू और वह्ये-ग़ैर मतलू का बयान	160	अअमाले-सालिहा दाख़िले ईमान हैं	185
आदाबे मुअल्लिलमीन व मुतअल्लिलमीन	160	फ़र्ज़िय्यते सियामो-हज्ज	186
बाज़ रावियाने हदीष के मुख़्तसर हालात	161	ईमान और नेक आ'माल	188
आगाजे वह्य रमज़ान शरीफ़ में	161	ईमान सूरह मूमिनीन की रोशनी में	188
मतलब तहवीले सनदे-हदीस	162	ईमान की सत्तर से कुछ ऊपर शाख़ें हैं	189
हदीसे हिरक़ल मअहु तफ़्सीलाते मुतअल्लिक़:	162	हिजरते ज़ाहिरी और हिजरते हक़ीकी	191
इमाम बुखारी (रह.) मुज्ताहिदे मुतलक़ थे	167	मकारिमे-मालिय्या और मकारिमे-बदनिय्या ही का नाम	
शाहाने आलम के नाम दा'वते इस्लाम का बयान	168	इस्लाम है	192
मशहूर मुअरिख़ गेबन का एक बयान	168	ईमान की हलफ़िया नफ़ी	193
मुकालमा अबू सुफ़यान व हिरक़ल	169	मुहब्बते तबई बराए रसूलुल्लाह (ﷺ)	194
नामा-ए-मुबारक औलादे हिरक़ल में महफूज़ रहा	170	नफ़ी और इषबात का बयान	195
बशाारते मुहम्मदी कुतुबे साबिक़ा में	171	मज़ाहिबे मअलूमा के मुक़ल्लिदीन हज़रात	195
नामा-ए-मुबारक में तरदीदे तक्लीदे शख़्सी	171	लफ़्ज़ते ईमान के लिए तीन ख़साइले हमीदा	196
हज़रत इमाम (रह.) की तरफ़ से एक		एक ख़तीब के मुता'ल्लिक़ इल्मी नुक्ता	196
ईमान अफ़रोज़ इशारा	172	फ़ज़ाइले-अन्सार (रज़िअल्लाहु तआला अन्हुम)	197
ग़ैर मुस्लिमों के साथ अख़्लाके फ़ाज़िला का बर्ताव	173	एक हदीस से पाँच मसाइल का इस्तिख़राज	198

फेहरिस्त तशरीहे-मजामीन

मजमून

सफा नं.

मजमून

सफा नं.

दीन बचाने के लिए एकसूई इख्तियार करने का बयान	200
मुर्जिया और करामिया की तरदीद	201
एक अजीम फित्ने का बयान	202
एक ख्वाबे-नबवी की ता'बीर	204
हया की हकीकत	205
तक्फ़ीरे अहले बिदात का बयान	207
हज्ज-ए-मबरूर की तअरीफ़	209
शाह वलीउल्लाह से एक नामनिहाद	
फ़कीह का मुनाज़रा	209
इमाम बुखारी सच्चे आरिफ़बिल्लाह थे	210
ईमान दिल का है	211
महज़ मअसियत से किसी मुसलमान को	
काफ़िर नहीं कहा जा सकता	212
कुफ़ की चार किस्मों का बयान	213
अमली निफ़ाक़ की अलामतों का बयान	216
लयलतुल क़द्र का बयान	218
तरावीह का बयान	219
इस्लाम आसान है	220
ईमान की कमी व ज़्यादाती आयाते कुआनी	
व अहादीषे नबवी से	223
अह्द नबवी में इस्लाम मुकम्मल हो चुका था	224
तक्दीली मज़ाहिब सब बाद की ईजादात है	224
ईमान से मुता'ल्लिक़ एक ग़लत ख़्याल की तरदीद	226
फ़ज़ाइले हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि)	228
ईमान, इस्लाम और एहसान की तफ़सीलात	
बजबाने नबवी (ﷺ)	230
हज़रत इमाम बुखारी (रह.) पर एक हमला	
और उसका जवाब	230
एक हदीषे नबवी (ﷺ) जिसे मदारे इस्लाम कहा जाता है	232

आ'माले-सालिहा दाख़िले ईमान है	
मुर्जिया की तरदीद	232
जुम्आ फ़िल्कुरा से मुता'ल्लिक़ एक नोट	234
किताबुल ईमान के इख़िताम पर	
ईमान अफ़रोज़ इशारात	237
अहले इल्म के दरज़ाते आलिया ग़ैर मुअय्यन है	238
इस्तिलाहाते-मुहद्दिसीन का माख़ज़	
कुआन मज़ीद और उस्वा-ए-नबवी (ﷺ) है	340
इसनाद दीन में दाख़िल है	240
मुनकिरीने हदीष की एक हफ़वात की तरदीद	241
लफ़ज़ 'अल्लाहुमा' की अहमियत	244
दौरे हाज़िर का एक फ़ित्ना	245
मरातब फ़राइज़ व सुननो नवाफ़िल	246
खुसरो परवेज़ की शाररत और उसका नतीजा	247
मजालिसे इल्मी के आदाब	248
शरई हक़ाइक़ को फ़ल्सफ़याना रंग में बयान करना	249
उसूले ता'लीम पर एक निशानदही	252
हक़ पर क़ाइम रहने वाली जमाअते हक्क़ा	253
क्या इमाम महदी हनफ़ी मज़हब के मुक़ल्लिद होंगे?	258
शुब्ह की चीज़ से बचना ही बेहतर है	263
त़लबे मआश का इहतिमाम भी ज़रूरी है	264
बेहूदा मुआमलात पर आलिम का गुस्सा करना बेजा है	266
शागिर्द के लिए उस्ताद का अदब बेहद ज़रूरी है	267
इल्म के साथ तर्बियत भी लाज़िमी है	268
अस्ताफ़े उम्मत और त़लबे हदीष	269
औरतों का ईदगाह में जाना ज़रूरी है	270
अहले हदीष की फ़ज़ीलत	271
राय और क़यास पर फ़त्वा देने वालों की मज़म्मत	272
शागिर्द का उस्ताद से बार-बार पूछना भी	

फ़ेहरिस्त तशरीहे-मज़ामीन

मज़मून	सफ़ा नं.	मज़मून	सफ़ा नं.
एक हद तक दुरुस्त है	274	रवाफ़िज़ के एक ग़लत फ़त्वे का बयान	316
अह्दादीषे नबवी का ज़ख़ीरा मुफ़सिद लोगों की दस्ते बुर्द से.....	275	हुज़ूर (ﷺ) के मू-ए-मुबारक के बारे में	320
इस्लाम की जड़ों को खोखला करने वाले कुछ कज़़ाब और मुफ़्तरी लोगो का बयान	277	हनफ़िया का एक ख़िलाफ़े जुम्हूर मसला	321
हदीषे किर्तास की वज़ाहत	279	कल्बे मुअल्लम की तारीफ़ ﷺ . ۴۰۵	323
बारिक कपड़े पहनने पर वईद	280	सुहबत के बाद गुस्ल वाज़िब है	326
हयाते ख़िज़र के बारे में इमाम बुखारी (रह) का फ़त्वा	281	इतिबाअ-ए-रसूल (ﷺ) अहले हदीष के लिये	328
मुक़ल्लिदीन की तरफ़ से हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की शान में गुस्ताख़ी	282	बाइसे फ़ख़्र है	330
हदीसे मूसा (अलै.) व ख़िज़र मज़ीद तफ़्सील के साथ	283	पूरे सर का मसह करना ज़रूरी है	332
अहनाफ़ का तअस्सुब	288	सुलहे-हुदैबिया का एक वाक़िआ	335
रूह के मुता'ल्लिक तफ़्सीलात	289	कलाला के मुता'ल्लिक एक नोट	337
किसी बड़ी मस्लहत के खातिर किसी मुस्तहब काम को मुल्तवी कर देना	291	तेज़ बुखार में ठण्डे पानी से गुस्ल करना मुफ़ीद है	338
लोगों से उनके फ़हम के मुताबिक़ बात करना	292	झांझे हिजाज़ी और झांझे इराक़ी की तफ़्सीलात	339
दा'वा-ए-ईमान के लिए अमले सालेह शर्त है	292	इमाम अबू यूसुफ़ (रह.) इमाम मालिक (रह.) की ख़िदमत में	340
नौ तकबीरों से नमाज़े जनाज़ा अदा फ़र्मायी	293	मौज़ों पर मसह करना सत्तर सहाबा से मरवी है	341
लफ़्जे वुजू की लुगवी और शरई तहक़ीक़	295	अमामा पर मसह करने की तफ़्सीलात	346
वुजू टूटने के मुता'ल्लिक एक क़ाइदा.....	298	कुछ गुनाहों का बयान जिनसे अज़ाबे-क़ब्र होता है	348
आबे ज़मज़म से वुजू करना जायज़ है	300	एक देहाती का मस्जिदे नबवी में पेशाब करना	349
बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े वुजू दुरुस्त नहीं	302	कोट पतलून में खड़े होकर पेशाब करना	351
मौलाना अनवर शाह मरहूम का एक इशादि गिरामी	303	मुन्किरीने-हदीष की एक हिमाकत	352
मुक़ल्लिदीन का इमाम बुखारी (रह.) पर एक और	304	नजासत का साफ़ करना अशद् ज़रूरी है	353
हमला और उसका जवाब	305	दारूल बरीद कूफ़ा में एक सरकारी जगह	354
बैतुलख़ला के वक़्त की दुआएं	306	कुछ मुरतदीन की सज़ाओं का बयान	356
मदीने वालों का क़िब्ला जानिबे शिमाल वाक़ेअ है	307	हाथी के दाँत की कंधियाँ और उनकी तिजारत	356
औरत मर्द की नमाज़ में कोई फ़र्क़ नहीं	308	मुश्क गो एक जमा हुआ खून है, वो पाक है	359
आदाबे त़हारत का बयान	312	नमाज़ के दौरान थूकना	359
		नबीज़ से वुजू नाजायज़ है	361
		फ़वाइदे-मिस्वाक	361
		सोते वक़्त की मसनून दुआ	362

फ़ेहरिस्त तशरीहे-मज़ामीन

मज़मून

सफ़्तानं.

मज़मून

सफ़्तानं.

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) की नज़रे-गायर का बयान	362
गुस्ले जनाबत की फ़र्ज़ियत	366
हज़रत आइशा (रज़ि.) का गुस्ल की ता'लीम देना	368
हदीष पर ए'तिराज़ करने की मज़म्मत	368
हिलाब की तशरीह	371
वुजू के बाद अज़ा का पोंछना	372
जनुबी का बरतन में हाथ डालना	372
नबी करीम (ﷺ) की अज़दवाजी ज़िन्दगी	376
बालों में ख़िलाल करना	368
सर पर पानी बहाना	380
नंगे नहाना	380
मोमिन की नजासत	384
तक्लीदी मज़ाहिब का नामुनासिब तरीक़ा	384
महज़ दुखूल के बाद गुस्ल करना	388
हैज़ की इब्तिदा	389
निफ़ास का मसला	392
मुन्किरीने-हदीष का रह	393
किस पर लअनत करना जायज़ है	394
हाइज़ा और जनुबी के लिए किरअते कुर्आनी	395
मुस्तहाज़ा के मसाइल	398
मक़ामे हैज़ पर खुशबू का इस्तेमाल	399
हैज़ के बाद गुस्ल	400
हाइज़ा का एहराम	401
हालते हमल में खून	402
मुद्दते हैज़	404
हाइज़ा पर नमाज़ माफ़	405
इज्तिमाअे इदैन में औरतों की शिरकत	407
हैज़ और मसाइले तलाक़	409
इस्तिहाज़ा वाली औरत के लिए गुस्ल	411

हदीषे नबवी की मौजूदगी में राय से रुजूअ करना	412
तयम्मूम की इब्तिदा कैसे हुई	415
तयम्मूम पाक मिट्टी से हो	416
अगर पानी और मिट्टी दोनों न मिले	417
हालते हज़र में तयम्मूम	418
हज़रत अम्मार (रज़ि.) का इज्तिहाद और रुजूअ	419
तयम्मूम के लिए मिट्टी ज़रूरी है	421
नबी करीम (ﷺ) का सूरज निकलने के बाद	
नमाज़े फ़ज़्र पढ़ना?	424
तयम्मूम में हाथ सिर्फ़ एक बार मिट्टी पर मारना है	427
नमाज़ के मसाइल	429
मेअराज का वाक़िया और नमाज़ की फ़र्ज़ियत	432
एक कपड़े में नमाज़ का मतलब?	433
ग़लत क़िस्म की ख़रीदो-फ़रोख़्त	442
सुलह हुदैबिया के बाद क्या हुआ?	443
रान शर्मगाह में दाख़िल है	445
माहिरे कुतुबे यहूद हज़रत ज़ैद बिन साबित (रज़ि.)	445
हज़रत सफ़िय्या बिनते हय्य (रज़ि.)	445
नमाज़ में औरत का लिबास	447
सजदा करने के लिए मिट्टी ही होने की शर्त नहीं	453
जूतों में नमाज़ बशर्ते कि वो पाक हों	456
जुराबों पर मोज़ों का बयान	457
मसनून नमाज़ जमाअते अहले हदीष	
का एक तुरए-इम्तियाज़	457
तहवीले क़िब्ला का बयान	458
इस्लाम की बुनियादी बातों का बयान	459
चार मुसल्लों की ईजाद	460
मौलाना अनवर शाह मरहूम का एक बेहतरीन बयान	461
इत्तेहादे मिल्लत का एक ज़बरदस्त मुज़ाहरा	463

फ़ेहरिस्त तथरीहे-मज़ामीन

मजमून

सफ़ा नं.

मजमून

सफ़ा नं.

मस्जिदे क़िब्लतैन का बयान	464	मस्जिद में क़ैद करना	501
निस्थान हर इन्सान से मुम्किन है	465	शहादत हज़रत सईद बिन मज़ाज़ (रज़ि.)	502
नमाज़ में भूल-चूक के मुता'ल्लिक़	467	हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का मक़ामे इज्तिहाद	503
मस्जिद के आदाब	471	फ़ज़ीलत सय्यदना अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.)	505
एक मुअज़ज़-ए-नबवी का बयान	472	मक़ामे खुल्लत का बयान	505
तफ़रीक़े बैनुल मुस्लिमीन का एक मुज़ाहरा	472	काश उम्मतें मुस्लिमा वसिय्यते नबवी को याद रखती	512
मश्क के लिए घुड़दौड़ कराना	473	हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) की तरफ़ एक	
मस्जिदे नबवी में एक ख़जाने की तक्सीम	474	ग़लत अक़ीदा की निस्बत	514
हज़रत अब्बास (रज़ि.) का एक अजीब वाक़िआ	474	सतर के मसाइल	519
लिआन किसे कहते हैं?	476	नमाज़ी के आगे से गुज़रना	527
फ़त्वा बाज़ी में जल्दी करना ठीक नहीं	477	हज़रत उमामा बिनते ज़ैनब (रज़ि.) नबी (ﷺ)	
एक हदीष से उन्नीस मसाइल का इज़्बात	478	की महबूब नवासी	530
क़ब्रपरस्ती की तर्दीद	480	कुफ़्रारे कुरैश के लिये नाम लेकर बद-दुआ करना	533
मस्जिदे नबवी की ता'मीर	481	मोमिन का आख़िरी हथियार दुआ है	533
हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (रह.) की		नमाज़ के अवक़ात की तहक़ीक़	536
एक क़ाबिले मुतालआ तहरीर	485	उम्मत का इफ़्तिराक़	540
क़ब्रों के मुता'ल्लिक़ इस्लाम की ता'लीमात	485	सहाबा किराम का नमाज़ के लिए इहतिमाम	542
चन्द ख़साइसे नबवी का बयान	486	जुहर को ठण्डा करने का मतलब	544
एक मज़लूमा की दुआ की कुबूलियत	487	दोज़ख़ का शिकवा	545
हज़रत अली (रज़ि.) की कुन्नियत अबू तुराब	488	इमाम बुखारी का उसलूबे तफ़्सीर	546
बवक़्ते खुत्बा भी तहिय्यतुल मस्जिद की दो रक़अत	490	दो नमाज़ों का जमा करना	549
मसाजिद की ग़ैरमामूली आराइश	491	नमाज़े अज़र का वक़्त	550
ता'मीरे मस्जिदे नबवी की एक और तफ़्सील	492	हज़रात अहनाफ़ की अजीब काविश	551
अह्ले इल्म व फ़ज़्ल और खेतीबाड़ी	493	नमाज़ की एक रक़अत पाना	555
अल्लाह वालों की ख़िदमत से तक़्रूब हासिल करना	494	यहूदी-नज़ारा और मुसलमानों की मिषाल	557
शाइरे दरबारे रिसालत का ज़िक़र करना	496	नमाज़े मशिब का वक़्त	558
मसाजिद में जंगी सलाहियतों की मश्क	497	नमाज़े इशा या	560
मसाजिद में मसाइले बैअ व शराअ	498	नमाज़े इशा में ताख़ीर	563
हज़रते मरयम और उनकी वालिदा का क़िस्सा	500	नमाज़े फ़ज़्र अंधेरे में पढ़ने का बयान	568

فہرست تشریحیہ مجاہدین

مجموع

صفحہ نم.

مجموع

صفحہ نم.

देवबन्द में नमाज़े फ़ज़्र ग़लस में	570	बिदअती की इक्तिदा दुरुस्त नहीं	646
क्रज़ा नमाज़ के लिये अज़ान देना	577	इमाम नफ़्ल पढ़ रहा हो और मुक्तदी फ़ज़्र	649
जो नमाज़ जिहाद की वजह से रह गई	578	नमाज़ में रोना	657
नमाज़े इशा के बाद दीन की बात करना	581	सफ़ों का बराबर करना	658
अज़ान की इब्तिदा	585	क्रदम से क्रदम मिलाना	662
इक्रामत यानी इकहरी तकबीर कहने का बयान	586	इमाम की दायीं जानिब खड़े होना	665
तरजीअ के साथ अज़ान	588	इमाम-मुक्तदी का 'समीअअल्लाहुलिमन हमीदा' कहना	668 ←
इस बारे में मौलाना अनवर शाह का मौकिफ़	588	मसला रफ़डल्यदैन	670 ↓
अहनाफ़ का रवैया	590	सहाबा किराम का रफ़डल्यदैन करना	675
अज़ान सुनकर शैतान का भागना	591	मुन्कीरीने रफ़डल्यदैन के दलाइल	
बारिश में अज़ान	595	और उनके जवाबात	677
सहरी की अज़ान	598	सीने पर हाथ बांधने का बयान	679
नमाज़े मरिब के पहले दो रकअत	600	बिस्मिल्लाह बुलन्द आवाज़ से या आहिस्ता	682
सफ़र में अज़ान	602	नमाज़ में इधर-उधर देखना	686
मुक्तदी नमाज़ के लिए कब खड़े हों?	606	इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा पढ़ना	690
अज़ान व तकबीर के बाद मस्जिद से बाहर जाना	607	अइम्मा किराम से सूरह फ़ातिहा का पुबूत	695
तारिकीने जमाअत के लिए वईद	609	मुख्तलिफ़ नमाज़ों में किरअते कुआनी	701
नमाज़ बाजमाअत का सवाब	610	बलन्द आवाज़ से आमीन कहना	711 ←
सात खुशानसीब जिनको अशें इलाही		बलन्द आवाज़ से आमीन और उलम-ए-अहनाफ़	712
का साया मयस्सर आयेगा	618	फ़ातिहा के बग़ैर रकूअ की रकअत	719
फ़ज़्र नमाज़ के होते हुए कोई नमाज़ नहीं	619	रकूअ व सुजूद में सुकून व इत्मिनान	724
हज़रत सय्यद नज़ीर हुसैन मुहदिस देहलवी का....	620	रकूअ सुजूद की तस्बीह	725
बीमार का सहारे के साथ मस्जिद में आना	625	दीदारे इलाही और कलामे इलाही	734
मअज़ूर अपने घर में नमाज़ पढ़ सकता है	628		
जल्स-ए-इस्तिराहत	631		
इमामत की शराइत	632		
हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) की इमामत	633		
इमाम बैठकर नमाज़ पढ़ाये और मुक्तदी खड़े हों	640		
कुआन से देखकर नमाज़ में किरअत करना	644		

हफ़-आग़ाज़

पेश-लफ़ज़ (प्रस्तावना)

सहीह बुख़ारी, कुतुबे-अहादीष की दुनिया में सबसे मो'तबर हैषियत रखती है। इमामे आली मक़ाम के कमालाते-इल्मिया, सिफ़ाते-आलिया और मसाइले शरिइय्या में आपकी शाने-फ़ुक़्ाहत व तराजिमे-अबवाब को बयान करने के लिये एक मुस्तक़िल किताब की ज़रूरत है। बाज़ अहले हिम्मत ने इस पर तवज्जह की है और आपकी बेनज़ीर फ़ुक़्ाहत को बयान किया है। हाफ़िज़ इब्ने हजर और दीगर शारेहीन ने जामेउससहीह की शरह बयान करते हुए हस्बे-मौक़्ा आपकी फ़ुक़्ाहत और उसकी बारीकियों पर रोशनी डाली है। तप्सीर व हदीष में तबद्दूर, निकाते हदीषिय्या, इलले हदीष, लताइफ़े-इस्नाद, अस्मा-ए-रिजाल, तारीख़े-फ़िक़्ह, अदब, अक़्ाइद, कलाम में से कौनसी ऐसी शिक है और कौनसा ऐसा गोशा व फ़न है जिसमें आप माहिरे-कामिल और बदरे-तमाम न दिखाई पड़ते हों। इलूमे-इस्लामिया में कौनसा ऐसा फ़न है जिसमें आपको कमाले-दस्तरस न हो। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि आपकी फ़ुक़्ाहत और शरई मसाइल में आपकी बसीरत को प्राबित करने के लिये न किसी मेहनत की ज़रूरत है और न किसी दूर-अज़कार तहरीर की। जिस तरह दिन में सूरज के वजूद पर किसी ख़ारज़ी शहादत (बाहरी गवाही) की ज़रूरत नहीं होती, ठीक उसी तरह इमामे-मौसूफ़ की जामेउससहीह बुख़ारी और उसके तराजिमे-अबवाब आपकी आला दर्जे की फ़ुक़्ाहत पर शाहिदे-अदल है।

अल्लाहु अकबर! सहीह बुख़ारी के तराजिमे-अबवाब देखकर अक़्ल हैरान रह जाती है कि कितनी बारीकबीनी के साथ फ़िक़्ही मसाइल को सादा इबारतों में बयान कर दिया गया है और एक ही हदीष से अनेक मसाइल का इस्तिख़राज और इस्तिबात किया गया है, जिसे कम पढ़ा-लिखा आदमी भी समझ सकता है। इख़्तलाफ़ी मसाइल में राजेह और मरजूह का बयान कुछ इस ढंग से हुआ है कि मुहक्किक़् को तसल्ली मिले। इमाम मौसूफ़ ने तराजिमे-अबवाब में ऐसी शाने-फ़ुक़्ाहत दिखाई है क़यामत तक आने वाले फ़ुक़्हा रोशनी हासिल करते रहेंगे। फ़र्ज़ व वुजूब, ताकीदो-इस्तिहबाब, मन्दूबो-जवाज़, हिल्लत व हुर्मत, कराहत व अदमे-जवाज़ को कैसी सादा ज़बान में समझा दिया है।

ये भी क़ाबिले-फ़ख़र बात है कि इमामे आली मक़ाम के फ़िक़्ह की बुनियाद किताबुल्लाह और सुन्नते रसूल (ﷺ) पर है जिसकी रहनुमाई हादी-ए-आज़म नबी-ए-बरहक़ (ﷺ) ने फ़र्माई है, जिस पर सहाबा किराम का तहम्मूल था। आप उस फ़िक़्ह व इस्तिख़राज से कोसों दूर हैं जिसकी बुनियाद क़ियास व राय पर है जिसके मनगढ़त क़वाइद व उसूल व ज़अ किये (गढ़ लिये गये) हैं। आप उस फ़िक़्ह के क़रीब भी नहीं जाते जिसमें हुदूदुल्लाह को पामाल किया जाता हो, जिसमें हलाल को हराम और हराम को हलाल किया जाता हो। बल्कि आप पुरज़ोर आवाज़ में उसकी तदीद फ़र्माते हैं। इख़्तिसार की तंगदामनी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि जामेउससहीह से आपकी इस्तिख़राज की मिषालें पेश की जाएं। सिर्फ़ एक जामेअ इक्तिबास सैयद सुलैमान नदवी की तहरीर से पेश कर रहा हूँ। आप लिखते हैं,

'एक बड़ी ख़ूबी यह है कि इमाम बुख़ारी (रह.) अहादीष से उस ज़माने की मुआशरत का पता लगाते हैं और मा'मूली वाक़ियात से निहायत मुफ़ीद नतीजे निकालकर हर नतीजे को अलग-अलग बाबों में दर्ज करते हैं।

मसलन एक हदीष है कि हज़रत बरीरा, जो कि हज़रत आइशा (रज़ि.) की लौण्डी थीं, किसी ने उनको कुछ गोश्त स़दक़े के तौर पर दिया। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने वो गोश्त आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में यह सोचकर पेश नहीं किया कि ये गोश्त स़दक़े का है और आप (ﷺ) स़दक़ा नहीं खाते। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, बेशक ये बरीरा के लिये स़दक़ा है लेकिन अगर बरीरा मुझे दे तो यह मेरे लिये हदिया है। इमाम मुस्लिम ने इस हदीष को बाबुस़दक़ा में दर्ज किया है, मगर इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस एक हदीष से अनेक नतीजे निकाले हैं और उनको अलग-अलग बाब में नक़ल किया है। एक मौक़े पर ये नतीजा निकाला कि जिन लोगों पर स़दक़ा हराम है उनके लौण्डी-गुलामों को स़दक़ा देना जाइज़ है क्योंकि अजवाज़े-रसूल (ﷺ) की लौण्डी ने स़दक़ा लिया है और आँहज़रत (ﷺ) ने मना नहीं किया। एक दूसरी जगह पर इसी हदीष से इस्तिदलाल करते हुए आपने लिखा है कि अगर किसी शख़्स को स़दक़ा दिया जाए और वो किसी ऐसे शख़्स को वो चीज़ हदिये के तौर पर दे, जिस पर स़दक़ा हराम है, तो उसको कुबूल करना जाइज़ है। (तज़िकरतुल मुहद्दिषीन, पेज नं. 217)

साहिबे सीरतुल बुख़ारी फ़र्माते हैं कि इमाम बुख़ारी पहले हदीष की तन्कीद करते हैं और उसकी सिहत हर तरह से जाँचते हैं। सिहत का यक़ीन होने पर भी एहतियातन इत्मीनान के लिये इस्तिख़ारा करते हैं। इत्मीनान होने पर हदीष को अक़््शर मसल-ए-फ़िक़्िहिया के तहत में ज़िक़र करते हैं, जिसका नाम तर्जुमतुल बाब है। कभी अहले ज़माना के मुख़्वाजा रसूमो-आदात को कुर्आन व हदीष के मे'अयार पर जाँचकर उसकी सिहत व ग़लती का अन्दाज़ा करते हैं। कभी सहीह हदीष की ताईद, कभी ज़ईफ़ हदीष की सिहत की शहादत में दूसरी सहीह हदीष पेश करते हैं। कभी दो मुतआरिज हदीष के दो महल दलील बताते हैं जिससे ज़ाहिरी तआरुज रफ़ा हो जाता है। (सीरतुल बुख़ारी पेज नं. 329-330)

इमाम बुख़ारी (रह.) की फुक़्ाहत और आपके तराजिमे-अबवाब पर ये एक सरसरी तब्ज़रा है। अगर तमाम मुहद्दिषीन के तब्ज़रे पेश किये जाएं तो बहुत तफ़्सील दरकार होगी। ये एक मुख़्तस़र जाइज़ा है, जिससे इमाम मौसूफ़ की फुक़्ाहत का अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। अल्लाह पाक अफ़रादे-उम्मत को तौफ़ीक़ बरख़्शे कि वो इमाम बुख़ारी (रह.) की फुक़्ाहत से इस्तिफ़ादा हासिल करे ताकि राहे हक़ व स़वाब या'नी स़हाबा व ताबेईन के मसलक व मज़हब पर ग़ामज़न हो सके।

अल्लाह तआला इस हुस्ने-अमल को तमाम अहबाबे-जमाअत के लिये नजात का ज़रिया बनाए। खुसूसन शहरी अमीर व सूबाई अमीर और तमाम अहले-ख़ैर के लिये; और इस किताब को आम व ख़ास सबके लिये मुफ़ीदे-आम बनाए, आमीन!! तक्ब्बल या रब्बल आलमीन.

अबुल कलाम घनाउल्लाह फ़ैज़ी

इमाम व ख़तीब, मुहम्मदी मस्जिद जोधपुर

अर्ज-नाथिर

(इस किताब के बारे में)

सहीह बुखारी कुतुबे अह्लादीष में कुआन के बाद सबसे ज्यादा सहीह किताब शुमार होती है। इमाम बुखारी ने सिर्फ सहीह अह्लादीष को ही जमा नहीं किया बल्कि उनसे मसाइल भी इस्तिम्बात किये हैं या'नी उन सहीह अह्लादीष से अनेक मसाइल का निष्कर्ष निकाला है। इस्तिम्बात में उन्होंने कुआनि पाक को अव्वल मक़ाम दिया है। वो तर्जुमतुल बाब में अव्वलन कुआन पाक की आयतों को बयान करते हैं, उसके बाद अह्लादीष को और उसके बाद अक़वाले सहाबा व ताबेईन को ज़िक्र करते हैं। फुक़हा के इत्फ़ाक़ व इख़ितलाफ़, क़ौले—मुख्तार (पसन्दीदा या मशहूर क़ौल) या तवक्कुफ़ और मसलकों की कमज़ोरी या ताईद की तरफ़ इशारे करते हैं। सलफ़-सालेहीन के अक़ाइद का इम्बात और बातिल फ़िक्रों के अक़ाइद व अफ़कार की तदीद करते हैं। मुर्जिया, करामिया, मो'तज़िला, जहीमिया और अहले हवा का पूरे ज़ोर-शोर से तआकुब करते हैं। किताबुल ईमान, किताबुल अख़बारुल आहाद, किताबुल ए'तिसाम बिल किताबो—सुन्नः, किताबु रद अला जहीमिया वग़ैरह में बतौर ख़ास इसका एहतिमाम किया है। जिन फ़िक्रही अक़वाल से शदीद इख़ितलाफ़ हो, उसके अब्ताल पर भी पूरी तरह कमरबस्ता हो जाते हैं। किताबुल हियल और क़ाल बअज़ुनास के इन्वान से ऐसे फ़िक्रही मज़ाहिब पर नकीर करते हैं।

इमाम बुखारी (रह.) जिस तरह कुआन व हदीष के हाफ़िज़ थे उसी तरह लुगत और तमाम इस्लामी व अरबी उलूम, फ़िक्रही मज़ाहिब, बातिल अदयान (झूठे धर्म) और गुमराह फ़िक्रों के नज़रियात और अक़ाइद से पूरी तरह वाकिफ़ थे। इमाम साहब (रह.) ने ये सारा काम तराजिमे अबवाब के ज़रिये किया है। इसीलिये कहा जाता है, 'फ़िक्रहुल बुखारी फ़ी तराजिमः' इमाम बुखारी (रह.) की फ़काहत, ज़हानत और, दूरबीनी, इल्मी वुस्अत, दिक्कते—नज़र का अन्दाज़ा उनके तराजुम से होता है। तर्जुमतुल बाब के ज़रिये मज़क़ूरा मक़ासिद और मा'नी के बयान के बाद मफ़ूअ, मुफ़स्सिल, सहीहुल इस्नाद अह्लादीष को ज़िक्र करके दा'वा को प्राबित करते हैं। एक हदीष से जितने मसले मुस्तंबित होते हैं, उन मसाइल को मुता'ल्लिक़ः किताब के तर्जुमतुल बाब में ज़िक्र करने के बाद हदीष को दोबारा लाते हैं। इस तरह हदीष दोबारा—तिबारा आ जाती है, मगर इस शर्त के साथ कि मतन या सनद में कुछ न कुछ फ़र्क़ भी हो। अगर मतन या सनद में कुछ भी इख़ितलाफ़ न हो लेकिन मसला मुस्तंबित होता हो तो तर्जुमतुल बाब में मसले को बयान करने के बाद हदीष का हवाला देने को काफ़ी समझते हैं।

सहीह बुखारी को इमाम बुखारी (रह.) से बराह—रास्त 90 हज़ार तलबा ने सुना। इसी वक़्त से सहीह बुखारी का दर्सों—तदरीस (पढ़ना—पढ़ाना) आलमे इस्लाम में जारी है। मस्जिदें और मदरसे इसकी खुशबुओं से मुअत्तर, महफ़िलें इसकी सदाओं से मुक़द्दस, असातिज़ा और तलबा इसके नूर से मुनव्वर हैं। इसकी बेशुमार शरहें लिखी गईं जो कि कुतुबख़ानों और उलमा की नज़र का मर्कज़ हैं। ये सब क़ाबिले क़द्र व इस्तिफ़ादा हैं। हर एक की अपनी खुसूसियात और इम्तियाज़ है। अरबी ज़बान में सहीह बुखारी की सैंकड़ों शरहें लिखी जा चुकी हैं। उर्दू ज़बान में भी सहीह बुखारी के अनेक तर्जुमे शाए हो चुके हैं, उनमें सबसे बेहतर व इम्दा शरह जो किताब व सुन्नत के ऐन मुताबिक़ है वो मौलाना मुहम्मद दाऊद राज़ (रह.) की शरह है; जो कि आठ ज़ख़ीम जिल्लदों में तक्ररीबन साढ़े पाँच हज़ार सफ़हात पर मुश्तमिल है। इस शरह की अफ़ादियत को देखते हुए

जमीयत अहले हदीष जोधपुर ने इसे हिन्दी में मुन्तक़िल करने का प्रोजेक्ट शुरू किया।

अल्लामा मुहम्मद दाऊद राज़ (रह.) का ता'ल्लुक़ जोधपुर से बहुत क़दीम (पुराना) है। आज से तक़रीबन 40-42 साल पहले जब मौलाना मौसूफ़ ने सहीह बुखारी के उर्दू तर्जुमा व तशरीह का काम शुरू किया था, तब वे जोधपुर तशरीफ़ लाए थे। उनके ऐ'जाज़ में जनाब (मरहूम) अल्लाहदीन जी घाटीवालों के मकान पर एक इज्तिमाअ रखा गया था, जिसके आगाज़ में तिलावते-कलामे पाक के बाद मौलाना दाऊद राज़ साहब ने बाक़ायदा दर्से-सहीह बुखारी का आगाज़ कुछ इस अन्दाज़ में किया जिस तरह किसी दारुल इलूम में त़लबा के सामने किया जाता है और एक घण्टे तक इफ़्तिताही तक़रीर के साथ जामेउससहीह बुखारी की पहली हदीष सिलसिल-ए-इस्नाद के साथ बयान फ़र्माई। उसके बाद जोधपुर में सहीह बुखारी हासिल करने वाले शाएक़ीन हज़रात को मेम्बर बनाया गया। उस वक़्त मौलाना (रह.) ने एक-एक पारा अलाहदा-अलाहदा शाए करने का प्रोग्राम बनाया था। उस इज्तिमाअ में जोधपुर के इलम-ए-वक़्त, जमीयत के क़ाबिले-ज़िक़्र अफ़राद के अलावा जोधपुर के दूसरे मो'जिज़ हज़रात भी शरीक थे।

मज़क़ूरा अज़ीमुशान शरह के हिन्दी वर्ज़न की इशाअत के मौक़े पर हम मुहतरम भाई नज़ीर अहमद बिन अल्लामा मुहम्मद दाऊद राज़ (रह.) के दिली तौर से मशकूर हैं जिन्होंने सहीह बुखारी के मज़क़ूरा नुस्खे के हिन्दी तर्जुमे के जुम्ला हुकूक़ जमीयत अहले हदीष जोधपुर के नाम कर दिये हैं। अल्लाह तआला उनको जज़ा-ए-ख़ैर अता फ़र्माए, आमीन!

हिन्दी ज़बान आज दुनिया की तीसरी बड़ी भाषा है। हिन्दी पढ़ने, लिखने और बोलने वाले न सिर्फ़ हिन्दुस्तान में रहते हैं बल्कि उनकी एक बड़ी ता'दाद ख़लीजे-अरब के मुल्कों, अफ़्रीकी देशों, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। सहीह इस्लामी अदब (साहित्य) को हिन्दी में नशरो-इशाअत (प्रकाशित व प्रसारित) करना वक़्त की एक अहम ज़रूरत है। जहाँ तक सहीह बुखारी के हिन्दी में तर्जुमानी का मामला है इसके लिये कोशिश की गई है कि तर्जुमा ज़्यादा से ज़्यादा मे'यारी हो। अल्हम्दुलिल्लाह! तीन साल की कड़ी मेहनत के बाद इस नुस्खे को तर्जुमे और मुफ़स्सल तशरीह के साथ हिन्दी ज़बान में मुन्तक़िल किया गया है। हमारा इरादा था कि इस तर्जुमे को सऊदी अरब के किसी मुस्तनद इदारे के ट्रॉसलेशन डिपार्टमेण्ट से नज़रे-घ़ानी कराएं। इसके लिये सऊदी अरब में मुक़ीम साथी हफ़ीज़ साहब के ज़रिये कोशिश की गई लेकिन मा'लूम हुआ कि वहाँ कई किताबें इशाअत के इन्तिज़ार में लाइन में लगी हुई हैं और कई साल बाद नज़रे-घ़ानी का नम्बर आ सकता है। इसीलिये इस इरादे को मुल्तवी किया गया और मक़ामी अमानतदार, मो'तमद (विश्वसनीय) और बा-सलाहियत अफ़राद की एक टीम की निगरानी में इस काम को अंजाम देने की कोशिश की गई।

किताब की प्रिण्टिंग का स्टेण्डर्ड आलातरिन मे'यार कारखा गया है। तस्हीह (प्रूफ़ रीडिंग) में भी बहुत तवज्जह, मेहनत और बारीकबीनी का एहतिमाम किया गया है। इन तमाम मरहलों में जमीयत अहले हदीष के अहबाब और कारकुनान की ख़िदमात क़ाबिले-क़द्र हैं। अल्लाह तआला उन सबको दुनिया व आख़िरत में अच्छा बदला अता फ़र्माए और जो कोताही, ग़लती या ख़ता हों उसको मुआफ़ फ़र्माए, आमीन!

मिनजानिब,

जमीयत अहले हदीष जोधपुर (राजस्थान)

अज्ञेय-मूर्ति

(अनुवादक की गुजारिशत)

करेईने किराम! तीन साल की कड़ी मेहनत के बाद अल्लाह रब्बुल-इज्जत के फ़ज़ल व एहसानो-करम से आपके हाथों में आठ जिल्दों के 5400 पेजों पर आधारित, वो किताब सौंपी जा रही है जिसे बेमिस्त्राल (अतुलनीय), नायाब (दुर्लभ) और बेशक्रीमती ख़ज़ाना कहना यक़ीनन दुरुस्त होगा। वैसे तो देश में सहीह बुखारी के अनेक हिन्दी तर्जुमे मौजूद हैं लेकिन इस नुस्खे में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसे दूसरों से अलग बनाती है।

सहीह बुखारी (हिन्दी) की इम्तियाज़ी ख़ासियतें (अनुपम विशेषताएं) :

01. अनुवाद करते समय इस हिन्दी नुस्खे की सेटिंग मूल उर्दू किताब के मुवाफ़िक़ (अनुरूप) की गई है। या'नी पेज टू पेज सेटिंग, मिस्त्राल के तौर पर जो मेटर उर्दू नुस्खे की पहली जिल्द के 150 नं. पेज पर है वही मेटर हिन्दी नुस्खे की पहली जिल्द के पेज नं. 150 पर मौजूद है। यही सेटिंग सभी आठों जिल्दों के 5400 पेजों पर की गई है। अल्लहुमुलिल्लाह! यह अपने आप में एक यूनीक काम है।
02. हर हदीष का अरबी मतन, उसका हिन्दी अनुवाद और उसकी तशरीह (व्याख्या) दी गई है, जिससे हदीष का मा'नी व मफ़हूम (अर्थ एवं भावार्थ) समझना आसान हो गया है।
03. आम तौर पर हदीष, सहाबी के नाम के साथ बयान करने को ही काफ़ी समझा जाता है लेकिन इस अज्ञेय नुस्खे में हर हदीष मुकम्मल इस्नाद के साथ बयान की गई है। या'नी विस्तारपूर्वक बताया गया है कि इमाम बुखारी (रह.) तक वो हदीष किन-किन रावियों से होकर पहुँची है।
04. बेहद सावधानी के साथ इसकी तज़हीह व नज़रे-घ़ानी की गई है ताकि शलती की कम से कम गुंजाइश रहे, इसके लिये अरबी के माहिर आलिम मौलाना जमशेद आलम सलफ़ी की ख़िदमात बेहद सराहनीय रही है।
05. हिन्दी में तर्जुमा करते वक़्त इस बात का ख़ास ख़याल रखा गया है कि हदीष व उसकी तशरीह की रूह, मजरूह न हो; या'नी उसका आला मे'यार कायम रहे। हर लफ़्ज़ की हिन्दी करने से भी गुरेज किया गया है, मिस्त्राल के तौर पर ज़्यादातर अनुवादक अल्लाह के लिये 'ख़ुदा' या 'ईश्वर' लफ़्ज़ का इस्ते'माल करते हैं लेकिन हमने ऐसे शाब्दिक अनुवाद से दूरी रखते हुए मूल शब्द 'अल्लाह' का ही प्रयोग किया है।
06. पूरी किताब में बाजारू शब्दों के प्रयोग से बचने की कोशिश की गई है। अक्सर अनुवादक अरबी लफ़्ज़ 'सुरीन' के लिये 'चूतड़' शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि इसके लिये 'कमर का निचला हिस्सा' या 'कूल्हा' शब्द उपयोग किया जाना चाहिये। इस तर्जुमे की मूल किताब में भी ऐसे कुछ लफ़्ज़ थे, तर्जुमा करते समय उनके स्थान पर उचित शब्दों का प्रयोग किया गया है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके शाब्दिक अनुवाद से पाठकों को असहजता महसूस होती है लेकिन अफ़सोस! ज़्यादातर अनुवादक इसका ख़याल नहीं रखते।

07. कुछ लोगों का ये कहना है कि दीनी किताबों के हिन्दी रूपान्तरण का ये सिलसिला अगर इसी तरह चलता रहा तो उर्दू बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हम अपने उन भाइयों के जज़्बात की क़द्र करते हुए बा-अदब गुजारिश करते हैं कि दीनी किताबों का हिन्दी में तर्जुमा किया जाना आज के दौर की एक अहमतरिनी ज़रूरत है क्योंकि मुसलमानों की एक बड़ी ता'दाद उर्दू से नावाकिफ़ है। हमने तर्जुमा करते वक़्त ज्यादातर उर्दू के अल्फ़ाज़ को हिन्दी लिपि में लिखा है और ब्रेकेट () में उसका मा'नी (अर्थ) दिया है। इस तरह हमने उर्दू को मतन (लिपि) के रूप में न सही, पर लफ़्ज़ों के रूप में ज़िन्दा रखने की कोशिश की है। नये पाठकों के लिये कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे भी हो सकते हैं जिनका मा'नी समझना दुश्वार हो, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो आठों जिल्दों के कठिन उर्दू अल्फ़ाज़ के मा'नी समझाने के लिये एक मीनिंग बुक भी अलग से छापी जा सकती है।
08. बयान की गई हदीष की तशरीह में जो कोई बात क़ाबिले-ग़ौर है, उसे बोल्ड अक्षरों में छापा गया है।
09. इस किताब की हिन्दी को उर्दू के मुवाफ़िक़ बनाने की भरपूर कोशिश की गई है इसके लिये उर्दू के कुछ ख़ास हफ़्ज़ों को अलग तरह से लिखा गया ह मिश्राल के तौर पर:— (ا) के लिये अ, (ع) के लिये अ; (ث) के लिये थ, (س) के लिये स, (ش) के लिये श, (ص) के लिये स; (ح) के लिये ह, (ه) के लिये ह, (خ) के लिये ख़, (غ) के लिये ग़, (ف) के लिये फ़, (ك) के लिये क, (ق) के लिये क़ लिखा गया है। (ج) के लिये ज का इस्तेमाल किया गया है लेकिन ज़ाल (ذ) ज़े (ز) ज़ाद (ض) ज़ोय (ظ) के लिये मजबूरी में एक ही हुरूफ़ ज़ का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इन हफ़्ज़ों के लिये सहीह विकल्प हमें नज़र नहीं आया। आपको यह बता देना मुनासिब होगा कि उर्दू ज़बान के कुछ हुरूफ़ ऐसे हैं कि अगर उनकी जगह कोई दूसरा हुरूफ़ लिख दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे एक लफ़्ज़ उर्दू में पाँच तरह से लिखा जाता है; असीर, अलिफ़ (ا) सीन (س) ये (ع) रे (ج) जिसका मतलब होता है क़ैदी। अषीर, अलिफ़ (ا) षे (ث) ये (ع) रे (ج) जिसका मतलब होता है ख़ालिफ़। असीर अैन (ع) सीन (س) ये (ع) रे (ج), जिसका मतलब होता है मुश्किल। असीर अैन (ع) साद (ص) ये (ع) रे (ج), जिसका मतलब होता है अंगूर की चाशनी (शीरा)। अषीर अैन (ع) षे (ث) ये (ع) रे (ج), जिसका मतलब होता है धूल। कहने का मतलब ये है कि इस किताब में सहीह तलफ़्फ़ुज़ (उच्चारण) के लिये हद-दर्जा कोशिश की गई है।
10. इसी के साथ यह जानकारी देना भी मुनासिब होगा कि यह किताब अल्लामा मुहम्मद दाऊद राज़ (रह.) की शरह का हिन्दी रूपान्तरण है। इसमें न कुछ घटाया गया है, न बढ़ाया गया है और न ही अनुवादक द्वारा किसी मैटर की एडीटिंग की गई है। लिहाज़ा हर तशरीह (व्याख्या) से अनुवादक सहमत हो, ये ज़रूरी नहीं है।

इस किताब को तर्तीब देते समय हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि कम से कम ग़लती हो। फिर भी अगर इस किताब की कम्पोज़िंग या अनुवाद में कोई ग़लती आपको नज़र आए तो बराए-करम उसकी तरफ़ हमारी तवज़्जह फ़र्माएं। कृपया इतना ख़याल ज़रूर रखें कि आपकी तन्क़ीद (आलोचना) हमारी इस्लाह के लिये हो। सिर्फ़ ख़ामियाँ तलाशने में अपनी सलाहियत (योग्यता) ख़र्च न करें। एक शेर मुलाहज़ा फ़र्माएं,

अच्छाइयों का मेरी किसी ने चर्चा नहीं किया, ऐबों पे मेरे अहले जहाँ की नज़र गई॥

इस किताब की कम्पोज़िंग, तस्हीह (त्रुटि संशोधन) और कवर डिज़ाइनिंग में मेरे जिन साथियों की मेहनत जुड़ी है, उन सब पर अल्लाह की रहमतें, बरकतें व सलामती नाज़िल हों। ऐ अल्लाह! मेरे वालिद-वालदा को अपने अर्श के साथे तले, अपनी रहमत की पनाह नसीब फ़र्मा जिनकी दुआओं के बदले तूने मुझे दीने-इस्लाम का फ़हम अता किया। ऐ अल्लाह! हमारी ख़ताओं और कोताहियों से दरगुज़र फ़र्माते हुए तू हमसे राज़ी हो जा और हमें रोज़े आख़िरत वो नेअमतें अता फ़र्मा, जिनका तूने अपने बन्दों से वा'दा फ़र्माया है। आमीन! तक्बल या रब्वल आलमीन!!

व सल्लल्लहु तआला अला नबिय्यिना व अला आलिही व अस्हाबिही व अत्बाइहि व बारिक व सल्लिम.

सलीम ख़िलजी.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम

जीवनी इमाम बुखारी (रह.)

इमामुल मुस्लिमीन, क़दवतुल मुवहिदीन, अमीरुल मुहदिप्पीन हज़रत इमाम अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (रह.) इस्लाम के उन माय-ए-नाज़ (क़ाबिले-फ़ख़) फ़र्ज़न्दों में से हैं जिनका नाम इस्लाम और कुर्आन के साथ-साथ (अह्लादीष के मज्मूए सहीह बुखारी के कारण) दुनिया में ज़िन्दा रहेगा। अह्लादीषे रसूले करीम (ﷺ) की जाँच-पड़ताल, फिर उनको जमा करके तर्तीब देने पर आपकी मसाई-ए-जमीला (ख़ूबसूरत कोशिशों) को आनेवाली तमाम मुसलमान नस्लें ख़िराजे तहसीन (श्रद्धाञ्जलि) पेश करती रहेंगी। आपका जुहूर पुरसूर ऐन उस कुर्आनी पेशगोई के मुताबिक़ हुआ जो बारी तअ़ाला ने सूरह जुम्आ में फ़र्माई थी। 'वआख़रीन मिन्हुम लम्मा यलहकू बिहिम व हुवल अज़ीजुल हकीम।' (सूरह जुम्आ : 3) या'नी ज़मान-ए-रिसालत के बाद कुछ और लोग भी वजूद में आएँगे जो इलूमे-किताब व हिकमत के हामिल (या'नी कुर्आन का ज्ञान और बारीकबीनी/तत्त्वदर्शिता रखने वाले) होंगे। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) यक़ीनन उन्हीं पाक नुफूस के सरख़ैल (सरदार) हैं। आहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया था कि आले फ़ारस में से कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे कि अगर दीनी इलूम (इस्लामी ज्ञान), धुरैय्या (सात तारों का समूह/सप्तऋषि) या सितारे पर होंगे तो वहाँ से भी वो उनको ढूँढ़ निकालेंगे।

मुबारक है वो फ़ारसी ख़ानदान जिसमें हज़रत अमीरुल मुहदिप्पीन इमाम बुखारी (रह.) ने जन्म लिया और आपने अपनी इल्मी काविशों से रिसालते मआब (ﷺ) की पेशीनगोई को हर्फ़ ब हर्फ़ सहीह करके दिखला दिया। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) की सीरते पाकीज़ा और हयाते तय्यिबा पर इन बारह सौ बरस में बहुत सी किताबें लिखी गई हैं जिनमें से आज बहुत सी नायाब (दुर्लभ) भी हो चुकी हैं और बहुत सी मौजूद भी हैं। अरबी व फ़ारसी के अलावा उर्दू में भी बहुत काफ़ी मवाद (मेटेरियल/सामग्री) मौजूद है। जिसकी रोशनी में अगर मुफ़स्सल (विस्तार के साथ) क़लम उठाया जाए तो एक मुस्ताक़िल ज़ख़ीम (भारी भरकम) किताब तैयार की जा सकती है चूँकि यहाँ त्रिवालत (विस्तार से वर्णन करने) का मौक़ा नहीं है लिहाज़ा इमाम बुखारी (रह.) की मुख़्तसर हालाते ज़िंदगी नाज़रीन की ख़िदमत में पेश किये जा रहे हैं।

नाम व नसब व पैदाइश :

अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीष हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का नाम मुहम्मद और कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह है। सिलसिल-ए-नसब ये है; मुहम्मद बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन मुगीरह बिन बर्दज़बा बिन बज़ज़बः अल जुअफ़ी अल बुखारी। हज़रत हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) ने बुर्दज़िबा के मुता'ल्लिक़ लिखा कि वो आतिशपरस्त (आग के पुजारी) थे। उससे आपका फ़ारसी अन्-नस्ल होना ज़ाहिर है। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) के परदादा मुगीरह ने यमान अल जुअफ़ी हाकिमे बुखारा के हाथ पर इस्लाम कुबूल किया और शहरे बुखारा ही में सकूनत पज़ीर (निवासी) हो गए। इसीलिये हज़रत इमाम को अल जुअफ़ी अल बुखारी कहा जाता है।

आपके वालिद माजिद हज़रतुल अल्लाम मौलाना इस्माईल (रह.) अकाबिरे मुहदिप्पीन में से हैं। कुन्नियत अबुल हसन है। हज़रत इमाम मालिक (रह.) के अख़स्से तलामिज़ा (खास शागिर्दों) में से हैं। और हज़रत इमाम मालिक (रह.) के अलावा हम्माद बिन ज़ैद (रह.) और अबू मुआविया (रह.), अब्दुल्लाह बिन मुबारक (रह.) वग़ैरह से आपने अह्लादीष रिवायत की हैं। अहमद बिन हफ़्स (रह.), नस्र बिन हुसैन (रह.) वग़ैरह आपके शागिर्द हैं। इस क़दर पाकबाज़, मुतदय्यन, मुहतात (एहतियात बरतने वाले) थे। ख़ास तौर पर अक्ले हलाल में कि आपके माल में एक दिरहम भी ऐसा न था जिसे मशकूक (संदिग्ध) या हराम (नाजाइज़) कहा जा सके। उनके शागिर्द अहमद बिन हफ़्स का बयान है कि मैं हज़रत मौलाना इस्माईल की वफ़ात के वक़्त हाज़िर

था। उस वक़्त आपने फ़र्माया कि मैं अपने कमाए हुए माल में से एक दिरहम भी मुश्तबह (संदिग्ध) छोड़कर नहीं चला हूँ।

इमाम बुखारी (रह.) क़दस सिरूहु शहर बुखारा में बतारीख़ 13 शव्वाल 194 हिजरी नमाज़े जुम्आ के बाद पैदा हुए थे। ये फ़ख़ उम्मत में कम ही लोगों को नसीब हुआ है कि बाप भी मुहद्दिष और बेटा भी मुहद्दिष बल्कि सय्यिदुल मुहद्दिषीन। अल्लाह तआला ने ये शर्फ़ हज़रत इमाम बुखारी (रह.) को नसीब फ़र्माया। जिस तरह हज़रत यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) को करीमुब्नुल करीमुब्नुल करीम कहा गया है। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) भी मुहद्दिषुब्नुमुहद्दिषु (मुहद्दिष का बेटा मुहद्दिष) करार पाए। मगर स़द अफ़सोस कि वालिदे माजिद ने अपने होनहार बच्चे का इल्मी ज़माना न देखा और आपको बचपन ही में दाग़े मुफ़ारक़त (जुदाई/वियोग) दे गए। हज़रत इमाम (रह.) की तर्बियत की पूरी ज़िम्मेदारी उनकी वालिदा पर आ गई जो निहायत ही खुद्दार, सय्यिदा, इबादतगुज़ार और शब-बेदार खातून थीं। वालिदेन की इल्मी शान व दीनदारी के पेशेनज़र अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हज़रत इमाम की ता'लीम व तर्बियत किस अंदाज़ के साथ हुई होगी।

अल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं, 'फ़ क़द रब्बा फ़ी हुज़रिल इल्मि हत्ता रब्बा व रतज़अ प्रदयल फ़ज़िल फ़कान फ़ितामुहु अला हाज़िल्लिबा' या'नी आपने इल्म की गोद में परवरिश पाई, यहाँ तक कि आप बूढ़े और इल्म की पिस्तान से शीर पाया (या'नी कि आप इल्मनुमा दूध से पलकर बड़े हुए) और उसी पर आपका फ़ताम या'नी दूध छुड़ाने का ज़माना ख़त्म हुआ।

अव्वलीन करामत :

फ़िन्ज़ार ने 'तारीख़े बुखारा' में और लासकार्ई ने 'शरहुस्सुन्ना बाब करामातुल औलिया' में नक़ल किया है कि बचपन में हज़रत इमाम बुखारी (रह.) की बस़ारत (देखने की ताक़त/नैत्र ज्योति) जाती रही थी। वालिदा माजिदा के लिये अपनी बेवगी का स़दमा कम न था कि अचानक ये सानिहा (दुर्घटना) पेश आई। अतिब्बा (सभी हकीम और वैद्य) इलाज से अज़िज़ आ गये। वालिदा माजिदा अपने यतीम बच्चे की इस हालत पर रातो-दिन रोतीं और दुआएँ करती थीं। आख़िर एक रात बाद नमाज़े इशा मुसल्ले ही पर रोते हुए और दुआ करते हुए उन्हें नींद आ गई। ख़्वाब में ख़लीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) तशरीफ़ लाए और बशारत (खुशख़बरी) दी कि तुम्हारे रोने और दुआ करने से अल्लाह पाक ने तुम्हारे बच्चे की बीनाई दुरुस्त कर दी है। सुबह हुई तो फ़िल वाक़ेअ (वास्तव में) आपकी आँखें दुरुस्त थीं। बाद में अल्लाह पाक ने आपको इस क़दर रोशनी अता फ़र्माई कि 'तारीख़े कबीर' का पूरा मसौदा आपने चाँदनी रात में तहरीर फ़र्माया।

ताजुद्दीन सबकी ने 'तब्काते-कुबरा' में लिखा है कि धूप और गर्मी की शिद्दत में हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने तलबे इल्म (ज्ञान प्राप्ति) के लिये सफ़र किया तो दोबारा आपकी बीनाई ख़त्म हो गई। ख़ुरासान पहुँचने पर आपने किसी हकीम हाज़िज़ के मशवरे से सर के बाल साफ़ करवाये और गुल ख़त्मी का ज़िमाद किया। इस नुस्खे से अल्लाह पाक ने आपको शिफ़ा-ए-कामिल: अता की। दस साल की उम्र थी कि आप मक्तबी ता'लीम से फ़ारिग़ (प्राथमिक शिक्षा से निवृत्त) हो गये। और इसी नन्हीं उम्र से ही आपको अहादीषे नबवी (ﷺ) याद करने का शौक दामनगीर हो गया और आप मुख्तलिफ़ हल्का हाए दर्स में शिर्कत फ़र्माने लगे।

70,000 अहादीषे नबवी (ﷺ) का हाफ़िज़ एक होनहार नौजवान :

उन दिनों शहर बुखारा में उलूमे कुर्आन व हदीष के बहुत से मराकिज़ (कुर्आन व हदीष के ज्ञान के बहुत से केन्द्र) थे जहाँ क़ालल्लाहु व क़ालरसूल (ﷺ) की स़दाएँ बुलन्द हो रही थीं। हज़रत इमाम उन मराकिज़ (केन्द्रों) से इस्तिफ़ादा फ़र्माने लगे। एक दिन मुहद्दिषे बुखारा हज़रत इमाम दाख़ली (रह.) के हल्क़-ए-दर्स में शरीक थे कि इमाम दाख़ली ने एक हदीष की सनद बयान करते वक़्त सुफ़यान अन अबिज़्जुबैर अन इब्राहीम फ़र्मा दिया। इमाम बुखारी बोले कि हज़रत ये सनद इस तरह नहीं है क्योंकि अबू अज़्जुबैर ने इब्राहीम से रिवायत नहीं की है। एक नौउम्र शागिर्द की इस गिरफ़्त (पकड़) से मुहद्दिषे बुखारा चौंक पड़े और ख़फ़ी (नाराज़गी) के लहज़े में आपसे मुखातिब हुए। आपने उस्तादे मुहतरम के अदब का पूरा लिहाज रखते हुए बड़ी आहिस्तगी से फ़र्माया कि अगर आपके पास असल किताब हो तो उसकी तरफ़ मुराजअत फ़र्मा लीजिए। अल्लामा ने घर जाकर असल किताब से मुलाहज़ा फ़र्माया

तो इमाम बुखारी (रह.) की गिरफ्त को मान लिया। और वापसी पर मुंसिफ़ मिजाज़ (न्यायपूर्ण स्वभाव वाले) उस्ताद ने इस सनद की तस्हीह के बारे में आपसे सवाल किया। इमाम बुखारी ने बरजस्ता जवाब दिया कि सहीह सनद यूँ है सुफ़यान अनिज़्जुबैरि वहुवब्नु अदी अन इब्राहीम। उस वक़्त हज़रत इमाम की उम्र सिर्फ़ 11 साल की थी। सच है,

'होनहार बरवा के चिकने चिकने पात।'

उन्हीं अय्याम (दिनों) में आपने बुखारा के 18 मुहद्दिषीन से फ़ैज़ हासिल करते हुए बेशतर ज़ख़ीर-ए-अह्लादीष महफूज़ फ़र्मा लिया था। इमाम वकीअ और इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक की किताबें आपको जुबान की नोक पर याद थीं। अल्लामा दाख़ली के साथ वाकिआ मज़क़ूरा से बुखारा के हर इल्मी मर्कज़ में आपका चर्चा होने लगा। नौबत यहाँ तक पहुँची कि बड़े-बड़े असातिज़ा-ए-किराम आपके हिफ़ज़ व जिहानत के काइल होने लगे। अल्लामा बैकन्दी (रह.) जो एक मशहूर मुहद्दिषे बुखारा हैं, फ़र्माया करते थे कि मेरे हल्क़-ए-दर्स में जब भी मुहम्मद बिन इस्माईल आ जाते हैं मुझ पर आलमे तहय्युर (तअज़्जुब का आलम) तारी हो जाता है। एक दिन उन अल्लामा की ख़िदमत में एक बुजुर्ग़ सलीम बिन मुजाहिद आए। आपने उनसे फ़र्माया कि अगर तुम ज़रा पहले आ जाते तो एक ऐसा होनहार नौजवान देखते जिसे सत्तर हजार हदीषें हिफ़ज़ हैं। सलीम बिन मुजाहिद ये सुनकर हैरतज़दा (आश्चर्यचकित) हो गए। और हज़रत इमाम की मुलाक़ात के इशतियाक़ (शौक़/चाहत) में निकले। मुलाक़ात हुई तो हज़रत इमाम ने फ़र्माया कि न सिर्फ़ 70000 बल्कि उससे भी ज़ाइद अह्लादीष मुझे याद हैं। बल्कि सिलसिल-ए-सनद, हालाते रिजाल से जैसा भी सवाल करेंगे जवाब दूँगा हत्ताकि अक्वाले सहाबा और ताबेईन के बारे में भी बतला सकता हूँ कि वो किन किन आयाते कुआनी व अह्लादीषे नबवी से माखूज़ हैं। (मुक़द्दमा फ़त्हुल बारी)

ये सब उसी ज़माने की बातें हैं कि अभी आप अपने वतने मालूफ़ बुखारा ही में सकूनत पज़ीर थे। अल्लामा बैकन्दी (रह.) फ़र्माया करते थे कि इस वक़्त मुहम्मद बिन इस्माईल हिफ़ज़ व जिहानत के ए'तिबार से लाषानी (अद्वितीय) शख़्सियत के मालिक हैं।

तलबे हदीष के लिये बिलादे इस्लामिया की रहलत (इस्लामी देश का सफ़र) :

लफ़ज़ रहलत के लख़ी मा'नी (शाब्दिक अर्थ) कूच करने के हैं मगर इस्तिलाहे मुहद्दिषीन में ये लफ़ज़ उस सफ़र के लिये इस्तिलाह बन गया है जो हदीष या हदीष की किसी सनदे आली के लिये किया जाए। सहाबा व ताबेईन ही के बाबरकत ज़मानों से अकाबिरे उम्मत में ये शौक़ पैदा हो गया था कि वो उलूम की तहसील (इल्म हासिल करने) के लिये दूर-दूर तक का सफ़र करने लगे। कुआन मजीद में बारी तआला का इशाद है कि 'फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिमिन्हुम ताइफ़तुल्लियतफ़क़हु फ़िद्दीन' (अत्तौबा : 122) तर्जुमा : मुसलमानों का एक गिरोह ज़रूर दीनी उलूम की तहसील व फ़ुक्राहत के लिये घर से बाहर निकलना चाहिये। उसी की ता'मील के लिये मुहद्दिषीने किराम रहिमहुल्लाहु अजमईन कमरबस्ता हुए और उन्होंने उस पाकीज़ा मक़सद के लिये ऐसे-ऐसे कठिन सफ़र तै किये कि वो दुनिया की तारीख़ में बेमिषाल बन गये।

सय्यिदुल मुहद्दिषीन अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीष इमाम बुखारी (रह.) अपनी उम्र के 16वें साल 210 हिजरी में अपनी वालिदा मुहतरमा और मुहतरम भाई अहमद के साथ सफ़रे हज्ज पर खाना हुए और मक़तुल मुक़रमा पहुँचे। आपने इस मर्कज़े इस्लाम में बड़े बड़े इलम-ए-किराम व मुहद्दिषीने इज़ाम से मुलाक़ात फ़र्माई। और हज्ज के बाद वालिदा मुहतरम की इजाज़त से तहसील उलूमे हदीष के लिये मक़ा ही में सकूनत (रिहाइश) इख़्तियार की। उस वक़्त मक़ा शरीफ़ के अरबाब इल्मो फ़ज़्ल में अब्दुल्लाह बिन यज़ीद, अबूबक्र अब्दुल्लाह बिन अज़्जुबैर, अबुल वलीद अहमद बिन अल अरज़क़ी और अल्लामा हुमैदी वग़ैरह मुमतज़ा शख़्सियतों के मालिक थे। आपने पूरे दो साल मक़तुल मुक़रमा में रहकर ज़ाहिरी व बातिनी कमालात भी हासिल फ़र्माए और 212 हिजरी में मदीना मुनव्वरा का सफ़र इख़्तियार किया और वहाँ के मशाहिर मुहद्दिषीने किराम मुत्तफ़ बिन अब्दुल्लाह, इब्राहीम बिन मुज़िर, अबू षाबित मुहम्मद बिन उबैदुल्लाह, इब्राहीम बिन हम्ज़ा वग़ैरह बुजुर्ग़ों से फ़ायदा हासिल किया। बिलादे हिजाज़ में आपकी इक़ामत छह साल रही। फिर आपने बसरा का रुख़ किया। उसके बाद कूफ़ा का क़स्द (इरादा) किया। हज़रत वराक़ बुखारी ने कूफ़ा और बग़दाद के बारे में आपका ये क़ौल नक़ल किया है। 'ला उहसी कम दख़लतु इलल कूफ़त व बग़दाद मअल मुहद्दिषीन' में शुमार नहीं कर सकता कि कूफ़ा व बग़दाद में मुहद्दिषीन के साथ कितनी बार दाख़िल हुआ हूँ।

बग़दाद चूँकि अब्बासी हुकूमत का पाय-ए-तख़्त (राजधानी) रहा है, इसलिये वो उलूम व फ़ूनून का मर्कज़ बन गया था। बड़े-बड़े अकाबिरे अस्र बग़दाद में जमा (एकत्रित) थे। इसीलिये इमाम (रह.) ने बार-बार बग़दाद का सफ़र फ़र्माया। वहाँ के मशाइख़े हदीष (हदीष के विद्वानों) में हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) का नामे-नामी खुसूसियत से क़ाबिले ज़िक्र है। 8वीं बार जब हज़रत इमाम बुखारी (रह.) बग़दाद से आख़री सफ़र करने लगे तो हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) ने बड़े पुरदद लहजे में फ़र्माया। 'अ ततरुक़ुन्नास वल अस्र वल इल्म व तसीरु इला ख़ुरासान' क्या आप लोगों को, बग़दाद के उस ज़माने को और यहाँ के उलूम व फ़ूनून के मराकिज़ को छोड़कर ख़ुरासान चले जाएँगे? बुख़ारा के इब्तिदाई दौर में जबकि वहाँ का हाकिम आपसे नाराज़ हो गया था, आप हज़रत इमाम अहमद (रह.) के इस मकूले को बहुत याद फ़र्माया करते थे।

इमाम बुख़ारी (रह.) खुद फ़र्माते हैं कि जब मेरी उम्र 18 साल की थी तो मैंने किताब 'क़ज़ाय-ए-सहाबा व ताबेईन' नामी तज़नीफ़ की (लिखी), फिर मैंने मदीना मुनव्वरा में रोज़-ए-मुनव्वरा के पास बैठकर तारीख़ तज़नीफ़ की जिसे मैं चाँदनी रातों में लिखा करता था। फिर मैंने शाम और मिस्र और जज़ीरह और बग़दाद व बसरा का सफ़र किया। हाशिद बिन इस्माईल आपके हम-अस्र (समकालीन) कहते हैं कि आप बसरा में हमारे साथ हाज़िरे दर्स हुआ करते थे। महज़ सुनते और कुछ न लिखते। आख़िर सोलह दिन इसी तरह निकल गए एक दिन मैंने आपको न लिखने पर मलामत की तो आप बोले कि इस अर्से में आपने जो कुछ लिखा है उसे हाज़िर करो और मुझे उन सबको बरजुबान सुन लो। चुनाँचे 15000 अहदादीष से ज़्यादा थीं जिसको इमाम बुख़ारी (रह.) ने सिर्फ़ अपनी याद्दाश्त से इस एहतिमाम से सुनाया कि बहुत से मक़ामात पर हमको अपनी किताबत में तस्हीह करने का मौक़ा मिला।

अबूबक्र बिन अबी इताब एक बुजुर्ग़ मुहद्दिष कहते हैं कि हमसे इमाम बुख़ारी ने हदीष लिखी और उस वक़्त तक उनकी दाढ़ी-मूँछ के बाल नहीं निकले थे। हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं कि मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़र्याबी ने 212 हिजरी में इतिक़ाल किया उस वक़्त इमाम बुख़ारी (रह.) की उम्र 18 बरस या इससे कम थी। मुहम्मद बिन अज़हर सख़ितयानी ने कहा कि मैं सुलैमान बिन हर्ब की मजलिस में था और इमाम बुख़ारी (रह.) हमारे दर्स में शरीक थे मगर अहदादीष को लिखते नहीं थे। लोगों ने इस पर तअज़ुब किया तो उन्होंने कहा कि वो बुख़ारा जाकर अपनी याद्दाश्त से इन सब अहदादीष को लिख लेंगे।

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के सफ़र के सिलसिले में मर्व, बल्ख, हिरात, नीशापुरी, वग़ैरह बहुत से दूरदराज़ शहरों के नाम आए हैं। आपने तलबे हदीष के लिये तकरीबन तमाम ही इस्लामी मुल्कों का सफ़र किया। जा'फ़र बिन मुहम्मद बिन ख़त्तान कहते हैं कि मैंने इमाम बुख़ारी से सुना है कि वो कहते थे कि मैंने एक हज़ार से ज़्यादा असातिज़ा से हदीषें सुनी हैं। और मेरे पास जिस क़दर भी अहदादीष हैं उनकी सनदें और रूवात के जमीअ-ए-अहवाल मुझे महफूज़ हैं।

यूसुफ़ बिन मूसा मरवज़ी कहते हैं कि मैं बसरा की जामा मस्जिद में था कि हज़रत इमामुल मुहद्दिषीन की तशरीफ़ आवरी का ऐलान किया गया। लोग जोक दर जोक लायक़े शान आपके इस्तिक्बाल को जाने लगे जिनमें मैं भी शामिल हुआ। उस वक़्त हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) आलमे शबाब में थे। बेहद हसीन, स्याह रीश। आपने पहले मस्जिद में नमाज़ अदा की फिर लोगों ने उनको दर्से हदीष के लिये घेर लिया। आपने दूसरे रोज़ के लिये ये दरख़वास्त मंज़ूर की। चुनाँचे दूसरे दिन बसरा के महद्दिषीन और हुफ़्फ़ाज़ (हाफ़िज़ लोग) जमा हुए। आपने फ़र्माया कि बसरा वालों! आज की मजलिस में तुमको अहले बसरा ही की रिवायतें पेश करूँगा जो तुम्हारे यहाँ नहीं है। फिर आपने इस हदीष को इम्ला करा दिया, 'हद्दषना अब्दुल्लाहिब्नु उम्मानब्नि जिब्लतिब्नि अबी रव्वाद अल अक़ली बिबलदिकुम क़ाल हद्दषनी अबी अन् शुअबत अन् मन्सूरिन व ग़ैरुहु अन् सालिमिब्नि अबिल जुअदि अन अनसिब्नि मालिकिन अन्न अअराबिय्यन जाअ इलन्नब्बय्यि (ﷺ) फ़ क़ाल या रसूलल्लाहु (ﷺ)! अरज़्लु युहिब्बुल क़ौम' (अल हदीष) हदीष लिखवाकर इर्शाद फ़र्माया कि ऐ अहले बसरा ये हदीष तुम्हारे पास मंसूर के वास्ते से नहीं है। और इसी शान के साथ आपने घंटों इस मजलिस को बहुत सी अहदादीष लिखवाई।

आपकी कुव्वते हाफ़िज़ा (स्मरण शक्ति) से मुत्ता'ल्लिक़ बहुत से वाकिआत मुअरिख़ीन (इतिहासकारों) ने नक़ल किये हैं। जिनको जमा किया जाए तो एक मुस्तक़िल किताब तैयार हो सकती है। 'व फ़ीहि किफ़ायतुन लि मन् लहु दिरायतुन.'

खानगी पाकीजा ज़िंदगी, इखलास व इत्तिबाअे सुन्नत :

सथ्यिदुल मुहदिनीन इमामुल मुत्तकीन फ़िदा-ए-सुनन सथ्यिदुल मुर्सलीन हज़रत इमाम बुखारी (रह.) को अपने वालिदे माजिद मौलाना मुहम्मद इस्माईल (रह.) के तर्के (विरासत) से काफ़ी दौलत हासिल हुई थी। आपने उस पाकीजा माल को बसूरते मुज़ारबत तिजारत में लगा दिया था। ताकि खुद तिजारती झमेलों से आज़ाद रहकर दिल के सुकून के साथ ख़िदमते हदीषे नबवी अलैहि फ़िदाहु अबी व उम्मी कर सकें।

मुज़ारबत की सूरत ये कि किसी शख्स को सरमाया (पैसा, नक़द रक़म) बराए तिजारत इस शर्त पर दे दिया जाए कि नफ़ा व नुक़सान में दोनों फ़रीक़ शरीक रहेंगे। एक फ़रीक़ का सरमाया होगा, दूसरे की मेहनत होगी।

अल्लाह पाक ने इस तिजारत के ज़रिये आपको फ़ारिगुल बाली अत्ता फ़र्माई थी। बावजूद इसके अय्यामे तालिबे इल्मी में आपने बेइतिहा तकलीफ़े बर्दाश्त कीं और किसी मरहले पर भी सज़ब व शुक्र को हाथ से न जाने दिया। वारिक़ बुखारी के बयान के मुताबिक़ एक बार हज़रत इमाम अपने उस्ताद आदम बिन अबी अय्यास के पास तलबे हदीष के लिये तशरीफ़ ले गये मगर तौशा (राशन/खाना) ख़त्म हो गया और उन्होंने सफ़र में तीन दिन लगातार घास और पत्तों पर गुज़ारा किया। आख़िर एक अजनबी इंसान मिला और उसने एक थैली दी जिसमें दीनार थे। हफ़्स बिन इमर अल अशकर आपके बसुरा के हमसबक़ (सहपाठी) बयान करते हैं कि एक बार आप कई दिन तक शरीके दर्सन हुए। बाद में मा'लूम हुआ कि ख़र्च ख़त्म हो गया था और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि आपको बदन के कपड़े भी बेचने पड़ गए थे। चुनाँचे हमने आपके लिये इम्दादी चंदा करके कपड़े तैयार कराये तब आप दर्स में हाज़िर हुए।

अबुल हसन यूसुफ़ बिन अबी ज़र बुखारी कहते हैं कि इसी फ़ाक़ाक़शी की वजह से एक बार हज़रत इमाम अलील (बीमार) हो गये। तबीबों (वैद्यों) ने आपका क़ारूर: (बीमार के पैशाब का सैम्पल) देखकर फ़ैसला किया कि ये क़ारूर: ऐसे दुरवेशों के क़ारूरों से मुशाबहत (समरूपता) रखता है जो रोटियों के साथ सालन का इस्ते'माल नहीं करते, जो सिर्फ़ सूखी रोटियाँ खाकर गुज़ारा किया करते हैं। पूछने पर मा'लूम हुआ कि कई साल से आपका यही अमल है कि सूखी रोटियाँ खाकर गुज़ारा करते रहे हैं। कहा गया कि तबीबों ने आपके इलाज में सालन खाना तजवीज़ किया है। आपने ये सुनकर इलाज से इंकार कर दिया। जब आपके शयूख़ (उस्तादों/आचार्यों) ने बहुत मजबूर किया तो रोटियों के साथ शकर-ख़वानी मंज़ूर फ़र्माई।

अबू हफ़्स नामी बुजुर्ग़ आपके वालिदे माजिद के ख़ास तलामिज़ा (शागिदों) में से हैं। उन्होंने एक बार कुछ माल आपकी ख़िदमत में पेश किया। इतिफ़ाक़े हसन कि शाम को बाज़ ताजिरों ने उसी माल पर पाँच हज़ार मुनाफ़ा देकर उसे ख़रीदना चाहा। आपने कहा कि सुबह बात पुख़्ता करूँगा। सुबह हुई तो दूसरे ताजिर पहुँचे और उन्होंने दस हज़ार मुनाफ़ा देकर वो माल ख़रीदना चाहा। आपने कहा कि मैं शाम को आने वाले और सिर्फ़ पाँच हज़ार मुनाफ़ा देने वाले ताजिर को ये माल दे देने की निय्यत कर ली थी। अब मैं अपनी निय्यत को तोड़ना पसंद नहीं करता। चुनाँचे आपने दस हज़ार के नफ़े को छोड़कर पहले वाले ताजिर ही के माल हवाले कर दिया।

मिज़ाज में इतिहा दर्जे की रहमदिली और नमी अल्लाह ने बख़शी थी। एक बार आपका एक मुज़ारब (शरीके तिजारत, पार्टनर) आपके 25,000 दिहम दबा बैठा। आपके कुछ शागिदों ने (मुहम्मद बिन अबी हातिम वग़ैरह) ने कहा कि वो क़र्ज़दार शहरे आमिल में आ गया है अब उससे रुपया वसूल करने में आसानी होगी। आपने कहा कि मैं क़र्ज़दार को परेशानी में नहीं डालना चाहता। क़र्ज़दार डर से ख़वारिज़्म चला गया। आपसे कहा गया कि गवर्नर की तरफ़ से एक ख़त हाकिमे ख़वारिज़्म को लिखवाकर गिरफ़्तार करा दीजिए। आपने फ़र्माया कि मैं हुकूमत से एक ख़त के लिये तमअ (लालच) करूँगा इसके बदले हुकूमत कल मेरे दीन में तमअ करेगी, मैं ये बोझ सहन करने के लिये तैयार नहीं। बिल आख़िर इमाम ने मक़रूज़ से इस बात पर मुसालहत (समझौता) कर ली कि वो हर माह एक मख़सूस रक़म हज़रत को अदा करेगा लेकिन वो तमाम रुपया बरबाद हो गया और वो इमाम का एक पैसा भी वापस न कर सका। मगर आपने हिल्म (बुर्दबारी) व अफ़व (नेकी) का दामन नहीं छोड़ा। सच है,

शुनीदम के मर्दाने राहे खुदा

दिले दुश्मनाँ हम न करदन्दे तंग

इमाम किर्मानि का बयान है कि इमाम बुखारी (रह.) कई कई दिन मुसलसल (लगातार) बगैर खाये-पिये रह जाते थे और कभी सिर्फ दो-तीन बादाम खा लेना ही उनके लिये काफी हो जाता था। लेकिन उसके साथ वो बहुत ही सखी और गुरबानवाज़ व मसाकीन-दोस्त इंसान थे। अपनी तिजारत से हासिलशुदा नफ़ा तलबा व मुहद्दिनीन पर खर्च कर देते थे। हर माह फुकरा व मसाकीन तलबा व मुहद्दिनीन के लिये पाँच सौ दिहम बांटा करते थे। बेनफ़सी का ये आलम कि एक बार एक लौंडी घर में उस तरफ़ से गुजरी जहाँ आप कागज़, दवात, क़लम वगैरह रखा करते थे। उस बांदी की ठोकर से आपकी दवात की सारी स्याही फ़र्श पर फैल गई। हज़रत इमाम बुखारी ने बांदी को इस हरकत के लिये टोका तो उसने जवाब दिया कि जब किसी तरफ़ रास्ता ही न हो तो क्या किया जाए? हज़रत इमाम उस नामाकूल जवाब से बरअंगेख़ता (नाराज़) नहीं हुए बल्कि हाथ दराज़ (लम्बे) करके कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद किया। इस पर आपसे पूछा गया कि उसने तो नाराज़गी वाला काम किया था और आपने उसे आज़ाद क्यों कर दिया? आपने कहा कि उसके इस काम से मैंने अपने इस नफ़्स की इस्लाह कर ली और इसी खुशी में उसे आज़ाद कर दिया।

एक बार आपने अबू मअशर एक नाबीना बुजुर्ग से फ़र्माया कि ऐ अबू मअशर! तुम मुझे मुआफ़ कर दो। उन्होंने हैरत व तअज्जुब के साथ कहा कि हज़रत ये मुआफ़ी किस बात की है? आपने बतलाया कि आप एक बार हदीष बयान करते हुए फ़र्ते मुसरत में (खुशी के मारे) अनोखे अंदाज़ से अपने सर और हाथों को हरकत दे रहे थे जिस पर मुझको हँसी आ गई। मैं आपकी शान में उसी गुस्ताखी के लिये आपसे मुआफ़ी माँग रहा हूँ। अबू मअशर ने जवाब में कहा कि ऐ हज़रत इमाम! आपसे किसी किस्म की बाज़पुर्स नहीं है।

खालिद बिन अहमद जुहली हाकिमे बुखारा ने एक बार आपकी ख़िदमत में दरख्वास्त भेजी कि आप दरबारे शाही में तशरीफ़ लाएँ और मुझे और मेरे शहज़ादों को सहीह बुखारी और तारीख़ का दर्स दिया करें। आपने क़ासिद की ज़बानी कहला भेजा कि मैं आपके दरबार में आकर शाही खुशामदियों की लिस्ट में इज़ाफ़ा नहीं करना चाहता और न मुझे इल्म की बेक़द्री ग़वारा है। हाकिम ने दोबारा कहलवा भेजा कि फिर शहज़ादों के लिये कोई वक़्त तै कर लीजिए। इमाम ने इस पर जवाब दिया कि मीराषे नबवी (ﷺ) में किसी अमीर-ग़रीब का कोई फ़र्क़ नहीं है, इसलिये मैं इससे भी मअज़ूर (असमर्थ) हूँ। अगर हाकिमे बुखारा को मेरा ये जवाब नागवार गुज़रे तो जबरन मेरा दर्से हदीष रोक सकते हैं ताकि मैं खुदावन्द कुद्दूस के दरबार में उज्र पेश कर सकूँ। इन जवाबात से हाकिमे बुखारा सख़्त बरहम (नाराज़) हुए और उसने हज़रत इमाम को बुखारा से निकालने की साज़िश की।

इबादत में आपका इस्तिग़ाराक़ (गहराई) इस दर्जे की था कि इमाम को एक बाग़ में मदऊ (आमंत्रित) किया गया। जब इमाम जुहर की नमाज़ से फ़ारिग़ हो गए तो नवाफ़िल की निय्यत बाँध ली। नमाज़ से फ़राग़त के बाद क़मीस का दामन उठाकर किसी से कहा कि देखना क़मीस में कोई मूज़ी (जहरीला) जानवर महसूस हो रहा है। देखा गया तो एक ज़ंबूर ने सत्तर जगह डंक लगाये थे और जिस्म के कुछ हिस्सों पर वरम (सूजन) आ रहा था। कहा गया कि आपने पहली बार ही क्यों न नमाज़ छोड़ दी। इमाम ने फ़र्माया कि मैंने एक ऐसी सूरह शुरू कर रखी थी कि बीच में उसका तोड़ना ग़वारा न हुआ।

आख़िर रात में 13 रकअतों का आप हमेशा सफ़र व हजर में मा' मूल रखते थे। उस्व-ए-हस्ना की पैरवी में तहज्जुद की नमाज़ कभी नहीं छोड़ते थे। रमज़ान में नमाज़े तरावीह से फ़ारिग़ होकर आधी रात से लेकर सहर तक ख़ल्वत में तिलावते कुआन पाक फ़र्माते थे और हर तीसरे दिन एक कुआन ख़त्म करते और दुआ करते और कहते हर ख़त्म पर एक दुआ ज़रूर कुबूल होती है।

इत्तिबाअे सुन्नत का इस क़दर ज़ब्बा था कि ख़ालिस उस्व-ए-हस्ना की पेशे नज़र तीरअंदाज़ी की मश्क (प्रेक्टिस) फ़र्माई। इस क़दर कि आपका निशाना कभी चूकता नहीं देखा गया। एक बार आपका तीर एक पुल की मेख़ पर जा लगा जिससे पुल का नुक़सान हो गया। आपने पुल के मालिक से दरख्वास्त की कि या तो पुल की मरम्मत की इजाज़त दे दी जाए या फिर उसका तावान (जुर्माना) ले लिया जाए ताकि हमारी ग़लती की तलाफ़ी हो सके। पुल के मालिक हुमैद बिन अल अख़ज़र ने जवाब में आपको बहुत बहुत सलाम कहला भेजा और कहा कि आप बहरहाल मौजूदा सूत में बेकुसूर हैं। मेरी तमाम दौलत आप पर कुर्बान है। पैग़ाम पहुँचने पर आपने 500 अहादीष बयान की और तीन सौ दिरहम बतौरै सदका फुकरा व मसाकीन

में बांट दिया। (मुकद्दमा फ़तहल बारी)

अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीष हज़रत इमाम बुखारी (रह.) बग़दाद में :

अब्बासी हुकूमत का पाय-ए-तख़्त (राजधानी) बग़दाद इस्लामी दुनिया का मर्कज़ और इस्लामी उलूम व फ़ून का बेशबहा मख़ज़न (अकूत ख़ज़ाना) रह चुका है। यही हज़रत सय्यिदुल मुहद्दिषीन इमाम बुखारी (रह.) की शोहरत व व इल्मी कुबूलियत का ज़माना था। मुतकल्लिमीन व मुहद्दिषीन व फ़ुक़हा व मुफ़स्सिरीन चारों ओर से सिमट-सिमटकर बग़दाद में जमा हो चुके थे। उस दौर में हज़रत इमाम बुखारी (रह.) बग़दाद में आए। पूरा बग़दाद आपकी शोहरत से गूँज उठा। हर मस्जिद, हर मदरसा, हर ख़ानकाह में आपके ज़हन व ह्मिफ़ज़ो-ज़िहानत व महारते हदीष के चर्चे होने लगे। आख़िर दारुल ख़ुलफ़ा के कुछ मुहद्दिषीन ने आपके इम्तिहान की तरकीब सोची, वो ये कि सौ अह्दादीषे नबवी (ﷺ) में से हर हदीष की सनद दूसरी हदीष के मतन में मिला दी और उसको दस आदमियों पर बराबर बांट दिया और मुकर्रर: तारीख़ पर मजमअे आम में (सार्वजनिक रूप से) आपके इम्तिहान का फ़ैसला किया गया। चुनाँचे मुकर्रर: वक़्त पर सारा शहर उमड़ आया। उन दस आदमियों ने नम्बरवार इख़ितालात (ख़लत-मलत/गड्डु-मड्डु) की हुई अह्दादीष इमाम साहब के सामने पढ़ना शुरू कीं और आपसे इस्तिस्वाब (ठीक-ठीक बात जानने की इच्छा/स्वीकृति) चाही। मगर आप हर शख़्स और हर हदीष के बारे में यही कहते रहे कि 'ला अज़रिफ़ुहु' (मैं इस हदीष को नहीं जानता) इस तरह जब सौ अह्दादीष ख़त्म हो चुकी तो लोगों में कानाफूसियाँ शुरू हो गईं। किसी का ख़याल था कि इमाम हकीक़ते हाल को पहचान चुके हैं और किसी का ख़याल था कि आपने मुहद्दिषीने बग़दाद के सामने सिपर डाल दी (घुटने टेक दिये) है।

इमामुल मुहद्दिषीन उसी वक़्त खड़े होकर पहले साइल की तरफ़ मुड़े और फ़र्माया 'अम्मा हदीषुकल अब्वलु फ़बिहाज़ल इस्नादि ख़ताउन व सबाबुहु क़ज़ा' या'नी तुमने पहली हदीष जिस सनद से बयान की थी वो ग़लत थी उसकी असल सनद ये है। इसी तरह आपने दसों लोगों की सुनाई सौ अह्दादीष को बिल्कुल सहीह दुरुस्त करके तर्तीबवार सवालात पढ़कर सुना दिया। इस ख़ुदादाद हाफ़िज़े व महारते फ़न्ने-हदीष को देखकर अहले बग़दाद हैरतज़दा हो गए और बिल इत्तिफ़ाक़ (सर्वसम्मत से) मान लिया गया कि फ़न्ने अह्दादीष में असे हाज़िर (इस दौर) में आपका कोई प़ानी नहीं है।

इल्मुल इस्नाद में इमाम बुखारी (रह.) की महारते ताम्मा :

मशहूर मक़ूला है 'अल इस्नादु मिनदीनि व लौलल्इस्नादु लक़ाला मन शाअ मा शाअ' या'नी इस्नाद का इल्म भी दीनी उलूम में शामिल है। अगर इस्नाद (सनदें) न होती तो जो शख़्स जो कुछ चाहता कह डालता। इसीलिये मुहद्दिषे कामिल के लिये ज़रूरी है कि वो मुतूने अह्दादीष (हदीषों के भावार्थ) के साथ तमाम रुवाते हदीष (हदीष रिवायत करने वालों) के बारे में उनकी पैदाइश और वफ़ात के अवक़ात की ख़बर रखता हो। उनके बाहमी मुलाक़ात के सिनीन याद हों। उनके अल्क़ाब और कुन्नियतें याद हों। और तमाम रावियों के अल्फ़ाज़े हदीष भी पूरी तरह याद हों। इमाम बुखारी (रह.) इस फ़न में महारते-ताम्मा रखते थे।

हाफ़िज़ अहमद बिन हम्दून का बयान है कि मैं इ़प्मान बिन अबू सईद बिन मरवान के जनाज़े में हाज़िर हुआ। इमाम बुखारी (रह.) भी आए हुए थे। उस मौक़े पर मुहम्मद बिन यह्या जुहली ने इमाम बुखारी से अस्माए रुवात और इलले अह्दादीष के सिलसिले में कुछ पूछा। इमाम बुखारी ने इस क़दर बर्जस्तगी से जवाबात इनायत फ़र्माए जैसे कोई 'कुल हुवल्लाहु अहद' तिलावत करता हो।

इस्तिलाहे हदीष में इल्लते-क़ादिहा उस पोशीदा सबब (छुपे हुए कारण) का नाम है जिससे हदीष की सिहत मशकूक (संदिग्ध) और मजरूह (आहत) हो जाती है। इल्मे हदीष में कमाल हासिल करने के लिये सिर्फ़ यही एक चीज़ ऐसी अहम है जिसके लिये बेपनाह कुव्वते हाफ़िज़े (असाधारण याददाश्त), ज़हन-रसा और नक़दो इत्तिफ़ाद (जाँच-परख/तन्क़ीद) की कामिल महारत दरकार है। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) को अल्लाह तआला ने इन सारे उलूम में महास्ते ताम्मा अता फ़र्माई थी।

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) जब नीशापुर में मुकीम थे। उस ज़माने का वाकिआ अबू अहमद अज़मश बयान करते हैं कि मैं इमाम बुखारी (रह.) की मजलिस में हाज़िर हुआ। इमाम मुस्लिम (रह.) तशरीफ़ लाए और एक मुअल्लक़ हदीष का दरम्यानी हिस्सा सुनाकर पूछा कि ये हदीष आपके पास हो तो उसे मुत्सिल फ़र्मा दीजिए। हदीष के अल्फ़ाज़ ये हैं,

‘उबैदुल्लाहिब्नु उमर अन अबिज्जुबैरि अन जाबिरिन क़ाल बअप्रना रसूलुल्लाहि (ﷺ) फ़ी सरीय्यतिन व मअना अबू उबैदत अल हदीष’ इमाम बुखारी (रह.) ने उस हदीष को उसी वक़्त मुतसिलुस्सनद पढ़कर सुना दिया कि ‘हद्वषनब्नु अबी उवैसिन क़ाल हद्वषनी अख़ी अन् सुलैमानब्नि बिलालिन अन उबैदिल्लाहि इला आख़िरिल हदीष.’

उसी मजलिस का किस्सा है कि किसी ने ये हदीष सनद के साथ पढ़ी, ‘हज्जाजुब्नु मुहम्मदुन अनिब्नि जुरैजिन अन मूसब्न अक्रबत अन सुहैलिब्नि अबी सालिहिन अन अबीहि अन अबी हुरैत अनिन नबिय्यी (ﷺ) कफ़फ़ारतुल मजलिसि इज़ा क़ामल अब्दु अय्यकूल सुब्हानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिका अस्तग़फ़िरुक व अतूबु इलैक’ सुनकर इमाम मुस्लिम बोले कि इस हदीष की इससे ऊँची सनद सारी दुनिया में नहीं है। इमाम बुखारी (रह.) ने कहा कि ठीक है मगर इसकी सनद मअलूल है। ये सुनकर इमाम मुस्लिम (रह.) हैरत में रह गये और कहने लगे कि इल्लत (कारण/वजह) से आगाही फ़र्माइये। हज़रत इमाम ने फ़र्माया रहने दीजिए जिस पर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया हो आपको भी उस पर पर्दा डालना चाहिये। मगर इमाम मुस्लिम (रह.) ने इसरार किया तो आपने फ़र्माया। अच्छा सुनो! ग़ैर मअलूल सिलसिल—ए—सनद यूँ है। ‘हद्वषना मूसब्नु इस्माईल हद्वषना वुहैबुन हद्वषना मूसब्नु उक्रबत अन औनिब्नि अब्दिल्लाहि क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि (ﷺ) कफ़फ़ारतुल मजलिसि इज़ल हदीष’ हदीष की इल्लत के सिलसिले में हज़रत इमाम ने बतलाया कि मूसा बिन इक्रबा कि कोई हदीष सुहैल से मफ़ूअ नहीं है। फिर उसके लिये हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने षुबूत पेश किया। जिसे सब हाज़िरीने मजलिस इलम—ए—हदीष ने तस्लीम किया। (फ़त्हुल बारी)

जरह व इंतिक़ाद (बहस व आलोचना) के लिये कुआनी हिदायत :

मुहद्विषीन किराम ने रूवाते—हदीष की जरह व इंतिक़ाद का तरीक़ा कुआन मजीद की आयते करीमा ‘या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा जाअकुम फ़ासिकुम बि नबइन फ़तबय्यनू’ (सूरह अल हुजरात) ‘ऐईमानवालों! अगर तुम्हारे पास कोई फ़ासिक इंसान कुछ ख़बर लेकर आए तो उसकी तहक़ीक़ कर लिया करो।’ और अइहाबे किराम (रज़ि.) के तर्जे अमल ही से अख़ज़ (हासिल/उद्धृत) किया था क्योंकि एक गिरोह हदीष गढ़नेवाला पैदा हो चुका था। अब्दुल करीम वज़्जाअ मशहूर हैं जिसने चार हज़ार अहादीष वज़अ कीं (गढ़ीं) और ख़वारिज़ और रवाफ़िज़ में मौजूआत का एक अंबार मौजूद हो रहा था। इन हालात में जरह इंतिक़ाद का दायरा वसीअतर होता चला गया। ऐसी जरह व तअदील वो ग़ीबत नहीं है जिसके लिये कुआन मजीद ने मना किया है। इस हक़ीक़ते बाहिरा के बावजूद हज़रत इमाम बुखारी (रह.) इस बारे में बड़ी एहतियात से काम लेते थे और आम इस्तिलाहे मुहद्विषीन की तरह वज़्जाअ, कज़्बाब के अल्फ़ाज़ की जगह (अल मतरूक) मुकिरुल हदीष वग़ैरह के अल्फ़ाज़ इस्ते’माल फ़र्माते थे। इसीलिये आपका इशाद है ‘कुल्ल मन कुलतु फ़ीहि मुन्करुल हदीषि ला यहिल्लुरिवायतु अन्हु’ या ‘नी जिस रावी के मुता’ल्लिक़ लपज़ मुकिरुल हदीष इस्ते’माल कर दूँ, उससे रिवायत करना हलाल नहीं है। ये सब एहतियात इसलिये कि आप ख़वाम ख़वाह किसी मुसलमान की ग़ीबत के गुनाह में मुलव्विष (लिप्त) न हो जाएँ आप कहते हैं कि ग़ीबत के बारे में क़यामत के दिन मुझसे कोई दाद ख़वाह न हो सकेगा। आपके एक शागिर्द ने कहा कि आपकी तारीख़ के बारे में लोग ग़ीबत का इल्जाम लगाते हैं। कहा कि तारीख़ में हमने सिर्फ़ मुतक़द्दिमीन (पहले के लोगों) के अक़वाल (कथन) नक़ल किये हैं। हमने अपनी तरफ़ से उसमें कुछ नहीं लिखा है।

इमाम बुखारी क़द्स सिरूहू की बेनज़ीर प्रक़ाहत :

अल्लामा इज़्लूनी ने आपकी प्रक़ाहत के बारे में ये अजीब वाक़िआ नक़ल किया है कि एक बार आप दरिया का सफ़र कर रहे थे और आपके पास एक हज़ार अशरफ़ियाँ थीं। एक रफ़ीके सफ़र (सफ़र के साथी) ने अक़ीदत—मंदाना राह व रस्म (श्रद्धाभरी जान—पहचान) बढ़ाकर अपना ए’तिमाद (भरोसा) क़ायम कर लिया। हज़रत इमाम ने अपनी अशरफ़ियों की उसे ख़बर दे दी। एक दिन आपका ये साथी सोकर उठा तो उसने बाआवाजे बुलन्द (ज़ोर—ज़ोर से) रोना शुरू कर दिया और कहने लगा कि मेरी एक हज़ार अशरफ़ियाँ कम हो गई हैं। चुनाँचे तमाम मुसाफ़िरी की तलाशी शुरू हो गई। हज़रत इमाम ने ये देखकर कि अशरफ़ियाँ मेरे पास हैं और वो एक हज़ार हैं। तलाशी में ज़रूर मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया जाएगा और यही उसका मक़सद था। इमाम ने ये देखकर वो थैली समुन्दर में डाल दी। इमाम बुखारी (रह.) की भी तलाशी ली गई। मगर वो अशरफ़ियाँ हाथ न आई और

जहाज़वालों ने खुद उस मक्कार रफ़ीक़ को मलामत की। सफ़र ख़त्म होने पर उसने हज़रत इमाम से अशरफ़ियों के बारे में पूछा तो आपने फ़र्माया कि मैंने उनको समुन्दर में डाल दिया। वो बोला इतनी बड़ी रक़म का नुक़सान आपने कैसे बर्दाश्त किया। आपने जवाब दिया जिस दौलते प्रकाहत को मैंने तमाम उम्रे अज़ीज़ गंवाकर हासिल किया है और मेरी प्रकाहत (बुजुर्गी/ विश्वसनीयता) जो तमाम दुनिया में मशहूर है क्या मैं उसको चोरी का इल्ज़ाम अपने ऊपर लेकर बर्बाद कर देता और उन अशरफ़ियों के बदले अपनी दयानत, व अमानत व प्रकाहत का सौदा कर लेता मेरे लिये हर्गिज़ ये मुनासिब न था।

हद दर्जा काबिले स़द अफ़सोस :

ये उस इमामुल अइम्मा के पाकीज़ा हालात हैं जिन पर उम्मत इस्लाम क्रयामत तक फ़ख़्र करती रहेगी। मगर दूसरी तरफ़ ये किस क़दर अफ़सोसनाक बात है कि आज बहुत से तक्लीदे-जामिद के फ़िदाई उलमा हज़रत इमामुल मुहदिप्पीन की प्रकाहत को मजरूह करने के लिये हाथ धोकर उनके पीछे पड़े हुए हैं। अन्वारुल बारी का मुक़द्दमा और सारी किताब जो सहीह बुखारी का तर्जुमा व शरह के नाम से वजूद में लाई गई है, पढ़ जाइए। एक सीधा-सादा व आम इंसान सहीह बुखारी और हज़रत इमाम बुखारी क़दस सिरूहू के बारे में बहुत ही ग़लत ताप्पुरात ले सकता है। साहिबे अन्वारुल बारी ने ये सारी काविश (फ़िक़्र) अपने मस्लक की हिमायत (समर्थन) में की है। मगर ये मस्लक की ता'मीरे ख़िदमत नहीं है। अगर जवाबी सिलसिला दर सिलसिला चल पड़ा तो तारीख़ की किताबों व रिजाल की रोशनी में वो तफ़्सीलात पब्लिक में लाई जा सकेंगी जिनसे आजकल के नौजवानाने इस्लाम की आँखें खुल जाएँगी और वो अस्लाफ़े उम्मत के मुता'ल्लिक़ आज़ादाना क्रयास आराइयाँ शुरू करके बहुत ही ख़तरनाक रास्ते पर जा सकेंगे। उम्मत की हज़ार साला बाहमी फ़िक़्रही चपकलिये को ताज़ा करके फिर उसके लिये रास्ता खोलना आज के हालात के तहत किसी तरह भी मुनासिब न था। मगर स़द अफ़सोस की तक्लीदे जामिद के शैदाई शायद फिर उन बोसीदा अखाड़ों की ता'मीरे जदीद चाहते हैं। सच है

दीन मिला फ़ी सबीलिल्लाह फ़साद

जिन हज़रात ने मज़क़ूरा बाला किताब का इंस़ाफ़ की नज़र से मुतालाआ किया है, वो हमें इन लाइनों के लिखने पर यक़ीनन मअज़ूर तसव्वुर फ़र्माएँगे।

अल जामेअ अस् सहीहुल बुखारी लिखने की वजह :

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने मुक़द्दमा फ़तहुल बारी में तफ़्सीलन (विस्तारपूर्वक) लिखा है कि रसूले करीम (ﷺ) और सहाबा किराम व ताबेईन के पाकीज़ा ज़मानों में अहादीष को जमा करने व तर्तीब देने का सिलसिला कमाहक़क़हू न था। एक तो इसलिये कि शुरू के ज़माने में इसकी मुमानअत (मनाही) थी जैसा कि सहीह मुस्लिम की रिवायत से प्राबित है। सिर्फ़ इस डर से कि कहीं कुआन मजीद और अहादीष के मुतून (भावार्थ) आपसी तौर पर गड्डु-मड्डु न हो जाएँ। दूसरे ये कि इन लोगों के हाफ़ज़े वसीअ थे, ज़हन साफ़ थे। किताबत से ज़्यादा उनको अपने हाफ़ज़े पर भरोसा था और अक़षर लोग फ़न्ने किताबत से वाक़िफ़ न थे। इसका ये मतलब नहीं है कि किताबते अहादीष का सिलसिला ज़मान-ए-रिसालत (ﷺ) में बिल्कुल न था। ये कहा जा सकता है कि ऊपर लिखी वजहों की बिना पर कमाहक़क़हू न था। फिर ताबेईन के आख़िर ज़माने में अहादीष की तर्तीब व तबवीब शुरू हुई। पाँचवें ख़लीफ़ा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने हदीष को एक फ़न की हैथियत से जमा कराने का एहतियाम किया। तारीख़ में रबीअ बिन स़बीह और सईद बिन अरूबा वग़ैरह वग़ैरह हज़रत के नाम आते हैं जिन्होंने इस फ़न्ने शरीफ़ पर बाज़ाबता क़लम उठाया। अब वो दौर हो चला था जिसमें ख़वारिज व रवाफ़िज़ व दीगर अहले बिदअत ने मनघडत अहादीष का एक ख़तरनाक सिलसिला शुरू कर दिया था। उन हालात के पेशे नज़र तीसरे तबक़े के लोग उठे और उन्होने अहक़ाम को जमा किया। हज़रत इमाम मालिक ने मुअत्ता तफ़्नीफ़ की जिसमें अहले हिजाज़ की क़वी रिवायतें जमा कीं, और अक़वाले सहाबा, फ़तावा ताबेईन को भी शरीक़ किया। अबू मुहम्मद अब्दुल मालिक बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन जुरैज ने मक़तूल मुकर्रमा में और अबू अम्र व अब्दुर्रहमान बिन उमर औज़ाई ने शाम में और अब्दुल्लाह सुफ़यान बिन सईद श़ौरी ने कूफ़ा में और अबू सलमा हम्माद बिन सलमा दीनार ने बस़रा में हदीष के जमा करने, तर्तीब देने व लिखवाने पर ध्यान दिया।

उनके बाद बहुत से लोगों ने अह्लादीष जमा करने की खिदमत अंजाम दी और दूसरी सदी के आखिर में बहुत सी मुस्नेदें वजूद में आ गईं जैसे मुस्नेद अहमद बिन हंबल, मुस्नेद इमाम इस्हाक बिन राहवैय, मुस्नेद इमाम उष्मान बिन अबी शैबा, मुस्नेद इमाम अबूबक्र बिन अबी शैबा वगैरह वगैरह। इन हालात में सय्यिदुल मुहद्दिषीन इमामुल अइम्मा हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का दौर आया। आपने इन जमा तज्ञानीफ़ (लेखनियों) को देखा, इनको रिवायत किया। इनसे उलूमे नबवी का काफ़ी मज़ा उठाया। उन्होंने देखा कि इन किताबों में सहीह, हसन और ज़ईफ़ सब किस्म की अह्लादीष मौजूद हैं।

एक मुबारक ख़वाब :

हदीषे रसूले पाक (ﷺ) के लिये आपके क़ल्बे मुबारक में एक ख़ासुल ख़ास ज़ब्बा था। एक रात आप देखते हैं कि हुज़ूर रसूले करीम (ﷺ) आराम फ़र्मा रहे हैं और आप रसूलुल्लाह (ﷺ) के सिरहाने खड़े होकर पंखा झूल रहे हैं और मक्खी वगैरह मूजी (हानिकारक) जानवरों को आपसे दूर कर रहे हैं। बेदार होकर मुअब्बिरीन (ख़वाब ताबीर करने वालों) से ता'बीर पूछी गई तो उन्होंने बतलाया कि आप रसूले करीम (ﷺ) की अह्लादीषे पाक की अज़ीम खिदमत अंजाम देंगे और झूठे लोगों ने जो अह्लादीषे खुद गढ़ ली हैं, सहीह अह्लादीषे को आप उनसे बिलकुल अलग छोट देंगे।

उसी दौरान आपके बुजुर्ग तरीन उस्ताद हज़रत इस्हाक़ बिन राहवैय ने एक दिन कहा कि 'लौ जमअतुम किताबन मुख्तसरन अस्सहीह सुन्नतु रसूलिल्लाहि (ﷺ)' काश! आप नबी करीम (ﷺ) की सहीह—सहीह अह्लादीषे पर मुशतमिल एक जामेअ मुख्तसर किताब तस्नीफ़ कर देते। हज़रत इमाम फ़र्माते हैं 'फ़वक़अ ज़ालिका फ़ी क़ल्बी' मेरे दिल में ये बात बैठ गई और मैंने उसी दिन से जामेअ सहीह की तदवीन का अज़म बिल जज़म (हढ़ निश्चय) कर लिया।

इसी सिलसिले में नज्म बिन फुज़ैल और वराक़ बुखारी का ख़वाब भी काबिले लिहाज़ है कि रसूले करीम (ﷺ) क़न्न से बाहर तशरीफ़ लाये और जब आप क़दम मुबारक उठाते हैं, इमाम बुखारी आपके क़दमे मुबारक की जगह पर अपना क़दम रख देते हैं। अबू ज़ैद मरवज़ी का ख़वाब हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) ने नक़ल किया है कि मैं रक्न और मक़ाम के बीच बैतुल्लाह के पास सो रहा था। ख़वाब में हुज़ूर (ﷺ) तशरीफ़ लाये और फ़र्माया कि ऐ अबू ज़ैद! कब तक शाफ़िई की किताब का दर्स देते रहोगे और हमारी किताब का दर्स न दोगे। अर्ज़ किया हुज़ूर (ﷺ) फ़िदाक अबी व उम्मी आपकी किताब कौनसी है? फ़र्माया जिसे मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी ने जमा किया है।

यही वो अज़ीमुश्शान तस्नीफ़ है जिसकी वजह से हज़रत इमाम बुखारी (रह.) को हयाते जादवाँ मिली और वो दुनिय—ए—इस्लाम में अमीरुल मुअमिनीन फ़िल हदीषे जैसे अज़ीम ख़िताब से नवाज़े गये।

तरीक़—ए—तालीफ़ :

इस बारे में कि खुद इमाम बुखारी (रह.) फ़र्माते हैं कि मैंने कोई हदीषे इस किताब में उस वक़्त तक दाख़िल नहीं की जब तक कि गुस्ल कर के दो रकअत नमाज़ अदा न कर ली हो। बैतुल्लाह शरीफ़ में उसे मैंने लिखा और दो रकअत नमाज़ पढ़कर हर हदीषे के लिये इस्तिख़ारा किया। मुझे जब हर तरह इस हदीषे की सिहत का यक़ीन हुआ, तब मैंने उसके इंदराज (लिखने) के लिये क़लम उठाया। इसको मैंने अपनी नजात के लिये हुज़त बनाया है और छह लाख हदीषों से छोट छोटकर मैंने उसे जमा किया है।

अल्लामा इब्ने अदी अपने शूयूख़ (उस्तादों) की एक जमात से नक़ल करते हैं कि इमाम बुखारी (रह.) अल जामेअससहीह के तमाम तराजिमे—अब्बाब को हुज़र—ए—नबवी (ﷺ) और मिम्बर के बीच बैठकर और हर तरजुमतुल बाब को दो रकअत नमाज़ पढ़कर और इस्तिख़ारा करके कामिल इत्मीनाने क़ल्ब (दिल को पूरी तसल्ली) हासिल होने पर साफ़ करते। वराक़ ने अपना एक वाक़िआ बयान किया है कि मैं इमाम बुखारी (रह.) के साथ था। मैंने आपको किताबुत्तप्सीर लिखने में देखा कि रात में 15, 20 बार उठते चकमाक से आग रोशन करते और चिराग़ जलाते और हदीषों पर निशान देकर सो रहते।

इससे पता चलता है कि इमाम साहब सफ़र व हज़र में हर जगह तालीफ़े किताब में मशगूल रहा करते थे। और जब भी जहाँ भी किसी हदीषे के सहीह होने का यक़ीन हो जाता, उस पर निशान लगा देते। इस तरह तीन बार आपने अपने ज़खीरे पर नज़र डाली। आख़िर तराजिमे अब्बाब (अनुवादित अध्यायों) की तर्तीब और तहज़ीब और हर बाब के तहत हदीषों का

दर्ज करना; इसको इमाम साहब ने एक बार हरमे मुहतरम में और दूसरी बार मदीना मुनव्वर: मस्जिदे नबवी के मिम्बर और मेहराबे नबवी के बीच बैठकर अंजाम दिया। उसी तराजिमे अब्बाब की तहजीब व तबवीब के वक्त जो हदीषें अबवाब के तहत लिखते पहले गुस्ल करके इस्तिखारा कर लेते। इस तरह पूरे सोलह साल की मुद्दत में इस अजीम किताब की तालीफ़ से फ़ारिग़ हुए।

आवाजे खल्क को नक्कार—ए—खुदा कहते हैं :

हज़रत इमामुल मुहद्दिषीन जबलुल हिफ़ज़ सय्यिदना इमाम बुखारी (रह.) और आपकी जामेउस्सहीह के बारे में इन बारह सौ बरस में अकाबिरे उम्मत ने जिन आरा—ए—मुबारका का इज़हार किया है, उन सबको जमा करने व तर्तीब देने के लिये भी एक मुस्तक़िल किताब दरकार है। उन सबका लिहाज रखते हुए बिला खौफ़े—तर्दीद कहा जा सकता है कि हज़रत इमाम बुखारी इन्दल्लाह मक्बूल और आपकी जामेउस्सहीह भी इन्दल्लाह मक्बूल और उम्मत के लिये बिला शक व शुब्हा कुर्आन मजीद के बाद सबसे ज़्यादा सहीहतर क़ाबिले अमल किताब है। जो शरूख़ भी हज़रत इमाम की शान में तन्कीस (गुस्ताख़ी) व तख़्फ़ीफ़ और आपकी जामेउस्सहीह के बारे में शुक्क व शुब्हात (संदेहों) की फ़िज़ा पैदा करता है वो इज्माअे उम्मत का मुखालिफ़ है, ख़ाती (ख़ताकार) है, नाकाबिले इल्तिफ़ात है बल्कि हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिष देहलवी क़द्स सिरूहु के लफ़्ज़ों में वो बिदअती है।

हम बहुत ही इख़्तिसार के पेशेनज़र सिर्फ़ चंद आरा—ए मुबारका नक़ल करते हैं, उम्मीद है कि साहिबाने सिद्क व सफ़ा के लिये ये काफ़ी होंगी और वो हर्गिज़ किसी मुतक़श्शिफ़ और नामाकूल नाक़िद के भरोसे और नामकूलात से मुताख़्बिर न होंगे।

जामेउस्सहीह के मुता'ल्लिक़ पहले खुद इमाम बुखारी (रह.) का बयान सुनिये। फ़र्माते हैं, 'लम उख़रिज फ़ी हाज़ल किताबि इल्ला सहीहन' मैंने अपनी इस किताब में सिर्फ़ सहीह अह्दादीष की तख़रीज की है। (मुक़द्दमा फ़त्हुल बारी)

और फ़र्माया कि मैंने तक्रीबन छह लाख तुरूक से जामेउस्सहीह की अह्दादीष का इत्तिख़ाब किया है।

हाफ़िज़ इब्नुस्सलाह फ़र्माते हैं कि सहीह बुखारी में तमाम मुस्नद अह्दादीष मुकऱरात समेत 7275 की ता'दाद में हैं और मुकऱरात को निकाल दिया जाए तो चार हज़ार हदीषें रह जाती हैं (मुक़द्दमा इब्नुस्सलाह पेज नं. : 8)

ये इख़्तिलाफ़े ता'दाद महज़ मुख्तलिफ़ अक्साम अह्दादीष की गिनती के ए'तिबार से है इसलिये दोनों बयान सहीह हैं।

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) की हयाते तय्यिबा में नब्बे हज़ार लोगों ने बराहे—रास्त (डायरेक्ट) आपसे इस अजीम किताब का दर्स लिया और बिला वास्ता उनकी सनद से रिवायत किया है। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) जब इसकी जमा व तालीफ़ से फ़ारिग़ हुए तो आपने इसे इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम यह्या बिन मुईन और इमाम अली बिन मदीनी वग़ैरह अकाबिरे उम्मत के सामने पेश किया। सबने मुतफ़क़ा (सर्वसम्मत) तौर पर इस किताब को मुस्तहसन करार दिया और उसकी सिहत की गवाही दी। कुछ हज़रत ने सिर्फ़ चार अह्दादीष से मुता'ल्लिक़ अपना ख़याल ज़ाहिर किया। मगर आख़िर में उनके मुता'ल्लिक़ भी हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ही का ख़याले शरीफ़ सहीह ष़ाबित हुआ (मुक़द्दमा फ़त्हुल बारी पेज नं. 578)

हाफ़िज़ इब्ने हज़र लिखते हैं कि हज़रत इमाम क़द्स सिरूहु ने अपनी जामेअ सहीह को मज़कूरा बुजुर्गों के अलावा वक्त के दीगर मशाइख़ व फ़ुक़हा व मुहद्दिषीन के सामने भी पेश किया। सबने मुतफ़क़ा तौर पर इस किताब की सिहत की तस्दीक व तौषीक़ फ़र्माई।

मुल्ला अली क़ारी ने मशाइख़े—अस् के ये लफ़्ज़ नक़ल किये हैं, 'अन्नहु ला नज़ीर लहु फ़ी बाबिहि' (मिरक़ात जिल्द अब्वल पेज नं. 15) या'नी जामेउस्सहीह अपने बाब में बे—नज़ीर किताब है।

इमाम निसाई फ़र्माते हैं, 'अजवदु हाज़िहिल कुतुबि किताबुल बुखारी वज्मअतिल उम्मतु अला सिहति हाज़ैनिल किताबैन' या'नी उम्मत का सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम दोनों किताबों की सिहत पर क़तई तौर पर इज्माअ हो चुका है और अह्दादीष की सारी किताबों में सहीह बुखारी सबसे अफ़ज़ल है।

अल्बिदाया वन्निहाया जिल्द यच्दहुम पेज नं. 28 पर इमाम फ़ज़ल बिन इस्माईल जुरजानी का एक क़सीदा बाबत मदह बुखारी शरीफ़ मनकूल है जिसका ख़ुलासा ये है कि सहीह बुखारी सनद और मतन के लिहाज़ से इस क़दर आला दर्जा

किताब है कि इसकी अफज़लियत पर तमाम अहले इल्म का इत्तिफ़ाक़ और इज्माअ (एक राय व सर्वसम्मति) है। नबी करीम (ﷺ) के दीन के लिये ये किताब वो कसौटी है जिसके आगे अरब व अजम सबने सरे तस्लीम खम किया है।

बिला शक़ सहीह बुखारी आबे ज़र (सोने के पानी) से लिखे जाने के क़ाबिल है।

सहीह बुखारी की किताबत आबे ज़र (सोने के पानी) से :

उम्मत में ऐसे भी क़द्रदान गुजरे हैं जिन्होंने कुआन मजीद और उसके बाद सहीह बुखारी को खालिफ़ आबे ज़र से लिखवा दिया। चुनाँचे एक आलिमे दीन अबू मुहम्मद मुज़्नी के तज़किरे में लिखा है कि उन्होंने किताबत करनेवालों को हुक़म दिया कि वो कुआन मजीद और सहीह बुखारी को आबे ज़र से लिखकर उनके सामने पेश करें। चुनाँचे ये दोनों किताबें तमाम व कमाल आबे ज़र से लिखकर उनके सामने पेश की गईं। (मिफ़तहुस्सआदा जिल्द अव्वल पेज नं. 7)

इमाम अबुल फ़तह अज़्ली फ़र्माते हैं कि सहीह बुखारी का मतने हदीष क़वी और रिजाले-इस्नाद आली मर्तबा हैं। सिह्त में इसको वो बुलन्द मर्तबा हासिल है गोया हर हदीष को इमाम बुखारी (रह.) ने आँहज़रत (ﷺ) से बराहे रास्त खुद हासिल किया और दर्ज़ फ़र्माया है।

शैख़ुल इस्लाम इमाम बल्क़ैनी फ़र्माते हैं कि सहीह बुखारी हाफ़िज़े अस्र हज़रत इमाम बुखारी की वो अहम तस्नीफ़ है जिसमें आपने नबी करीम (ﷺ) की सुनने सहीहा को जमा किया है। रिजाले बुखारी सब सद्क़ और षिक़ात हैं। इन फ़ज़ाइल व खुसूसियात की बिना पर उम्मत का इज्माअ है कि कुआन शरीफ़ के बाद दुनिय-ए-इस्लाम के हाथों में सबसे ज़्यादा सहीह किताब बुखारी शरीफ़ है। (इर्शादुस्सारी जिल्द अव्वल पेज नं. 44)

अल्लामा अ़ैनी (हनफ़ी) शारेह बुखारी लिखते हैं, 'इत्तफ़क़ उलामाउशशरक़ि वल ग़रबि अला अन्नहू लैसा बअद किताबिल्लाहि असहह मिन सहीहिल बुखारी फ़रज्जहल बअज़ु सहीह मुस्लिम अला सहीहिल बुखारी वल जम्हूर अला तरजीहिल बुखारी अला मुस्लिम.' (उम्दतुल क़ारी पेज नं. 5) या 'नी मस्किब व मस्बिब के तमाम उलम-ए-किराम का इस अमर पर इत्तिफ़ाक़ है कि किताबुल्लाह के बाद सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम से ज़्यादा सहीह कोई किताब नहीं है। कुछ अइम्मा ने मुस्लिम को बुखारी पर मुक़द्दम करार दिया है। लेकिन जुम्हूर उलम-ए-उम्मत (अधिकांश इस्लामी विद्वानों) ने सहीह बुखारी को सहीह मुस्लिम के मुक़ाबले में तर्जीह (प्राथमिकता) दी है और उसी को अफ़ज़ल (श्रेष्ठ) करार दिया है।

हुज्जतुल इस्लाम हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहदिष देहलवी मरहूम फ़र्माते हैं, 'व इन्नहू कुल्ल मयंहनु अम्महुमा फ़ हुव मुब्तदिउन मुत्तबिउ ग़ैर सबीलिल मुअमिनीन.' (हुज्जतुल्लाहिल बालिग़: जिल्द अव्वल पेज नं. 134) जो शख्स बुखारी व मुस्लिम की तख़फ़ीफ़ व तौहीन करता है, वो बिदअती है और उसने वो रास्ता इख़्तियार किया है जो ईमानवालों का रास्ता नहीं है। (जिसका नतीजा दोज़ख़ है)

हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहदिष देहलवी फ़र्माते हैं कि बुखारी व मुस्लिम व मुअत्ता इमाम मालिक (रह.) की अह्दादीष निहायत सहीह है। जामेअ सहीह बुखारी में ब-लिहाज़ अग़लब खुद मुअत्ता इमाम मालिक की भी मफूअ हदीषें मौजूद हैं, इस लिहाज़ से सहीह बुखारी सबसे ज़्यादा सहीह और जामेअ किताब है। (अजाला-ए-नाफ़ेआ पेज नं. 6)

हज़रत मौलाना अहमद अली सहारनपुरी (रह.) कहते हैं कि इलम-ए-उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है कि कुतुबे हदीष में सबसे ज़्यादा सहीह किताब बुखारी, फिर मुस्लिम है और इस पर भी इत्तिफ़ाक़ है कि इन दोनों में सहीह बुखारी सिह्त में बढ़कर है और ज़्यादा फ़वाइद की जामेअ है। (मुक़द्दमा हज़रत मौलाना सहारनपुरी मरहूम अलल बुखारी पेज नं. 4)

हज़रत मौलाना अनवर शाह साहब देवबन्दी (रह.) कहते हैं कि हाफ़िज़ इब्नुस्सलाह व हाफ़िज़ इब्ने हजर व अल्लामा इब्ने तैमिय: शम्सुल अइम्मा शरख़सी वग़ैरह अजिल्ल-ए-मुहदिषीन व फ़ुक़हा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम की सब हदीषें हुज्जत के लिये क़तई हैं। और उन अजिल्ल-ए-अस्हाबुल हदीष व मुहक़िक़ीन का फ़ैसला मेरे नज़दीक़ बिलकुल सहीह फ़ैसला है। (फ़ैजुल बारी)

अल्लामा शब्बीर अहमद इफ़्तानी देवबन्दी मरहूम फ़र्माते हैं कि सबसे पहले जिसने सिर्फ़ अह्दादीषे सहीहा को जमा

किया है, वो इमाम बुखारी हैं। फिर उनके नक़शे क़दम पर इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह को जमा किया है। ये दोनों किताबें मुसन्नफ़ाते हदीष में सबसे ज़्यादा सहीह हैं। (फ़तहूल मुल्हिम शरह मुस्लिम पेज नं. 54)

इस किस्म के हजारों इलमा व फ़ुज़ला—ए—अकाबिरे उम्मत मुतक़द्दिमीन व मुतअख़िख़रीन (पहले और बाद वालों) के बयानात कुतुबे तवारीख़ (इतिहास की किताबों) में मौजूद हैं। जिन सबका जमा करना इस मुख्तसर से मक़ाला में नामुम्किन है। इसलिये इन चंद बयानात पर इक्तिफ़ा किया जाता है। इन्हीं से नाज़िरीन को अंदाज़ा हो जाएगा कि उम्मत में इमाम बुखारी और उनकी जामेउस्सहीह का मक़ाम कितना बुलन्द है। वलहम्दु लिल्लाहि अला ज़ालिक

मुहद्दिषे आ'ज़म हज़रत इमाम बुखारी (रह.) और मसालिके मुर्व्वजा :

मसालिके मुर्व्वजा (प्रचलित मस्लकों) से मुराद मज़ाहिबे अर्बअ (चारों मज़हब) हैं जो अइम्म—ए—अर्बअ (चारों इमाम) हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, हज़रत इमाम शाफ़िई, हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल, हज़रत इमाम मालिक (रह.) की तरफ़ मनसूब हैं। इन मसालिके के पैरोकार अपने अपने इमाम की तक्लीद अलल इत्लाक़ अपने लिये वाजिब जानते हैं। और इस तक्लीदे शख़सी का तर्क (छोड़ना) उनके यहाँ किसी भी तरह जाइज़ नहीं। तक्लीद की ता'रीफ़ यूँ की गई है, 'अत् तक्लीदु इत्तबाउर्ज़ुलि ग़ैरुहू फ़ीमा समिअहु बि क़ौलिहि औ फ़ी फ़ेअलिही अला जअमिन अन्नहू मुहक्किकुन बिला नज़रिन फ़िददलील.' (हाशिया नूरुल अन्वार लख़नऊ पेज नं. 216) या'नी तक्लीद कहते हैं किसी का क़ौल सिर्फ़ इस हुस्ने ज़न (खुशफ़हमी) पर मान लेना कि ये दलील के मुवाफ़िक़ (अनुरूप) ही होगा और इससे दलील की तहक़ीक़ न करना।

साहिबे मुस्लिम अष्षुबूत लिखते हैं कि 'अत् तक्लीदु अल अमलु बि क़ौलिह ग़ैरि मिन ग़ैरि हुज्जतिन' (मुस्लिम पेज नं. 289) या'नी बग़ैर दलील किसी की बात को अमलन मान लेना तक्लीद है। आम तौर पर मुक़ल्लिदीने मज़ाहिबे अर्बअ का तरीक़ा है। इस रोशनी में हज़रत मुहद्दिषे-आ'ज़म, मुज्तहिदे मुअज्जम हज़रत इमाम बुखारी (रह.) को चारों मसलकों में से किसी एक मसलक का मुक़ल्लिद बताना ऐसा ही है जैसा कि चमकते हुए सूरज को रात से ता'बीर करना। ये हक़ीक़त है कि हज़रत इमाम बुखारी (रह.) किसी भी मज़हब के मुक़ल्लिद न थे। उनका इल्म व फ़ज़ल, उनका दर्जा—ए—इज्तिहाद व इस्तिबात इस हद तक पहुँचा हुआ है कि उनको मुक़ल्लिद कहना सरासर नासमझी व हिमाक़त है। अल्लाह ने उनको बुलन्दतरिन मक़ाम नसीब फ़र्माया था।

कुछ मुतक़द्दिमीन ने उनको तब्क़ाते शाफ़िआ में शुमार किया है मगर ये उनकी सिर्फ़ खुशफ़हमी है या ये मुराद है कि मसाइले ख़िलाफ़िया में वो ज़्यादातर इमाम शाफ़िई को मुवाफ़क़त करते हैं। इसलिये उनको शाफ़िई कह दिया गया था। वरना वाक़िआ ये है कि उन्होंने अपनी जामेउस्सहीह में जिस तरह मुक़ल्लिदीने अहनाफ़ से इख़ितलाफ़ किया है उसी तरह मालिकिया, शाफ़िइया, व हनाबिला से भी कुछ-कुछ मक़ामात पर इख़ितलाफ़ किया है।

हज़रत शाह वलीउल्लाह मरहूम फ़र्माते हैं 'व अम्मल बुखारिय्यु फ़हुव व इन काना मुन्तसिबन इलशशाफ़िइय्यि मुवाफ़क़ल लहु फ़ी क़षीरिम्मिनल फ़िक्किह फ़क़द ख़ालफ़हु अयज़न फ़ी क़षीरिन इला आख़िरिही' या'नी क़षरते मुवाफ़क़ात के सबब हज़रत इमाम बुखारी (रह.) को हज़रत इमाम शाफ़िई की तरफ़ मंसूब कर दिया गया है। मगर वाक़िआ ये है कि जिस क़षरत से मुवाफ़क़त है उसी क़षरत से इमाम शाफ़िई की मुख़ालफ़त भी मौजूद है। जिनकी बहुत सी मिषालें बुखारी शरीफ़ का मुतालआ करने वालों पर जाहिर होंगी।

हज़रत मौलाना सय्यद अनवर शाह साहब देवबन्दी (रह.) ने वाजेह तौर इशाद फ़र्माया है कि 'इन्नल बुखारी इन्दी सलक मस्लकल इज्तिहादि वलम युक़ल्लिद अहदन फ़ी किताबिही अल अख़' (फ़ैजुल बारी जिल्द अब्वल पेज नं. 335) या'नी इमाम बुखारी (रह.) ने एक मुज्तहिद की हैषियत से अपना मसलक बनाया है और अपनी किताब में हर्गिज़ उन्होंने किसी की तक्लीद नहीं की।

साहिबे ईज़ाहुल बुखारी देवबन्दी लिखते हैं,

लेकिन हक़ीक़त ये है कि किसी शाफ़िई या हंबली से शागिर्दी और इल्म हासिल करने के आधार पर किसी को शाफ़िई

या हंबली कहना मुनासिब नहीं बल्कि इमाम के तराजिमे बुखारी के गहरे मुतालाअ से मा'लूम हुआ है कि इमाम एक मुज्ताहिद है। उन्होंने जिस तरह अहनाफ़ रहिमहुमुल्लाह से इख्तिलाफ़ किया है वहाँ हज़रते शवाफ़ेअ से इख्तिलाफ़ की ता'दाद भी कुछ कम नहीं है। हाँ इतना ज़रूर है कि अहनाफ़ रहिमहुमुल्लाह के साथ इनका लबो-लहज़ा सख्त है और मशहूर मसाइल में उनकी राय हज़रते शवाफ़ेअ के मुवाफ़िक़ है..... इमाम के इज्तिहाद और तराजिमे अब्बाब में उनकी बालिग़ नज़री के पेशेनज़र उनको किसी फ़िक्ह का पाबन्द नहीं कहा जा सकता। (ईज़ाहुल बुखारी जुज़ अव्वल पेज नं. 30)

ख़ुलासतुल मराम ये है कि हज़रत सय्यिदुल मुहद्दिषीन इमाम बुखारी (रह.) एक मुज्ताहिदे आ'ज़म थे। वो कुर्आन व हदीष को बराहे रास्त अपना मदारे अमल करार देते थे। और सहीह मा'नों में वो न सिर्फ़ अहले हदीष बल्कि इमाम अहले हदीष थे। उनकी जामेअ अस्सहीह का एक एक पन्ना इस हकीक़त पर शाहिद है। अहदीषे नबवी ही उनका ओढ़ना-बिछोना था। हदीष की अदना सी मुखालफ़त भी उनके लिये नाक़ाबिले बर्दाश्त थी। वो सहीह मा'नों में फ़िदाए रसूल थे। वो दरहकीक़त मीनारे हिदायात थे।

दीगर तस्नीफ़ हज़रत इमाम बुखारी (रह.) :

आपकी अज़ीम तस्नीफ़ अल जामेअउस्सहीह पर जो कुछ लिखा गया वो महज़ मुश्ते नमूना अज़ ख़रवार है। ये वो अज़ीम किताब है जिसके एक-एक लफ़्ज़ की शरह व तफ़्सील के लिये दफ़ातिर (बहुत से रिकार्ड ऑफ़िस) दरकार हो सकते हैं। इसकी बहुत सी शुरुहात हैं। फ़त्हुल बारी को किसी कदर जामेअ कहा जा सकता है। मगर अज़रे हाज़िर (वर्तमान काल) में आज एक और फ़त्हुल बारी की ज़रूरत है जिसमें उलूमे जदीदा (आधुनिक ज्ञान) की रोशनी में अहदीषे नबवी के इस अज़ीम ख़जाने का मुतालाअ होना चाहिये। अल्लाह के लिये कोई मुश्किल नहीं है कि दुनिय-ए-इस्लाम का कोई मायानाज़ फ़रजन्द अल्लामा इब्ने हजर प़ानी (द्वितीय) की शक्ल में पैदा हो और ये ख़िदमत अंजाम दे।

आपने इसके अलावा और भी बहुत सी किताबें तस्नीफ़ फ़र्माई हैं। जिनमें क़ज़ाया अस्सहाबा वताबेईन आपने अपनी उम्रे अज़ीज़ के 18वीं साल में पहली तस्नीफ़ फ़र्माई थी। मगर अफ़सोस आज उसका कोई नुस्खा मौजूदा इल्म में न आ सका। उम्र के इसी दौरान आपने अत्तारीख़ुल कबीर लिखी जिसे दायरतुल मआरिफ़ हैदराबाद ने बसूरते अजज़ा शायी किया था।

अत्तारीख़ुल औसत और अत्तारीख़ुस्सगीर भी आपकी अहम तस्नीफ़ हैं। ख़ल्क अफ़आलुल इबाद, किताबुज्जुअफ़ा अस्सगीर, अल मुस्नदुल कबीर, अल अदबुल मुफ़रद भी आपकी शानदार यादगार हैं। ख़ुसूसन अल अदबुल मुफ़रद बड़ी जामेअ पाकीज़ा अख़लाक़ी किताब है। जिसे आपने बेहतरीन मुदल्लल तौर पर जमा फ़र्माया है। उसकी अरबी शरहें और उर्दू तजुमें काफ़ी शायी हो चुके हैं। (हज 1962 ई. में एक नुस्खा मअ शरह फ़ज़लुल्लाह अस्समद जद्दा से बतौर तोहफ़ा मिला था। (जज़ाहुल्लाहु ख़ैरलजज़ा), जुज़उलक़िरत ख़ल्फ़ल इमाम भी आपका मशहूर रिसाला है। जो क़िराते ख़ल्फ़ल इमाम के मुत्तअल्लिक़ एक फ़ैसलाकुन हैषियत रखता है। मिस्र में तबअ (प्रकाशित) हो चुका है। आपने इस रिसाले में अहदीष व सुनन की रोशनी में क़िराते फ़ातिहा ख़ल्फ़ल इमाम का इब्बात फ़र्माया है। और ख़िलाफ़े दलाइल पर भी रोशनी डाली है। इसी तरह दूसरा रिसाला आपका जुज़इरफ़इल्यदैन के नाम से मशहूर है। जिसमें आपने बतर्जे अहले हदीष रफ़उलयदैन का मुदल्लल इब्बात फ़र्माया है। इन दोनों अजज़ा के आपसे रिवायत करने वाले आपके शागिर्दें रशीद महमूद बिन इस्हाक़ ख़ुज़ाई हैं। आप हज़रत इमाम के वो शागिर्द हैं जिन्होंने बुखारा में सबसे आख़िर में आपसे शर्फ़े तलम्मुज़ हासिल किया।

उनके अलावा और भी बहुत सी आपकी क़लमी यादगारें हैं जिनमें से अक़बर नापैद हो चुकी हैं। कुछ के क़लमी नुस्खे दूसरी जंगे अज़ीम से क़ब्ल कुतुब ख़ाना दारुल उलूम जर्मन में पाये गये। अब नामा'लूम इंक़िलाबाते ज़माना ने उनको भी बाक़ी रखा है या नहीं। बहरहाल 'यमहुल्लाहु मा यशाउ व युषब्वितु व इन्दहू उम्मुल किताब' (अर रअद : 39)

वफ़ाते हसरत आयात हज़रत इमामुल मुहद्दिषीन मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (रह.) :

ख़ालिद बिन जुहली हाकिमे बुखारा की बाबत लिखा जा चुका है कि वो हज़रत सय्यिदुल मुहद्दिषीन से महज़ इस बिना पर कि आपने दर्से हदीष के लिये शाही दरबार मे जाने और उसके स़ाहबज़ादों के लिये वक़्त मख़सूस करने से इंकार कर दिया था, मुखालफ़त पर आमादा हो गया था। और चाहता था कि किसी बहाने से हज़रत इमाम को शहर बुखारा से निकाल दिया जाए।

जिसमें वो उस जमाने के इल्म-ए-सू के तआवुन (बुरे आलिमों की मदद) से कामयाब हो गया। उन्होंने हज़रत इमाम पर अक्राइद के बारे में इल्ज़ाम लगाया और फिर हिफ़जे अमन के बहाने से हज़रत इमाम को बुखारा से निकल जाने का हुक्म दे दिया। आप बादिले नखास्ता बुखारा से ये कहते हुए निकले कि खुदावन्दा! इन लोगों ने मेरे साथ जो इरादा किया था। वही सूरतेहाल उनको अपने और उनके अहलो अयाल के बारे में दिखला दे। मज़लूम इमाम की दुआ कुबूल हुई और एक माह भी न गुज़रा था कि जुहली, अमीर ताहिर के हुक्म से मअज़ूल (पद से हटा) करके गधे पर फिराया गया और कैद में डाल दिया गया और हुरेष् बिन अबी वरकाअ जो आपके निकलवाने में साज़िश थी, उसको और उसके घरवालों को सख़्त मुसीबत पेश आई और दूसरे मुखालिफ़ीन (विरोधी) भी उसी तरह ख़ाइब व ख़ासिर (नुक़सान उठाने वाले) हुए।

दुनिया का यही दस्तूर है एक दिन वो था कि हज़रत इमाम बुखारी (रह.) अपने इल्मी अस्फ़ार (यात्राओं) से बुखारा वापस लौटते तो शहर से तीन मील के फ़ासले पर उनके लिये ढेर लगाए गए और पूरा शहर उनके इस्तिक्बाल (स्वागत) के लिये उमड़ आया और उन पर रुपये और अशरफ़ियाँ तसद्क़ (न्यौछावर) किये गये। एक दिन आज है कि हज़रत इमाम को अपने वतने मालूफ़ से निकाला जा रहा है और वो दस्ते बहुआ, बेकसी की हालत में वतन से बेवतन हो रहे हैं। आप बुखारा से चलकर बेकन्द पहुँचे। वहाँ से समरकन्दवालों की दा' वत पर समरकन्द के लिये दा' वत कुबूल फ़र्माई। ख़तंग नामी एक गाँव में जो मुजाफ़ाते समरकन्द से था, आप पहुँचे ही थे कि तबीअत ख़राब हो गई और वहाँ अपने अकरबा (रिश्तेदारों) में उतर गए। एक रात आपने अल्लाह से दुआ की कि इलाहलआलमीन अब ज़मीन मेरे लिये तंग नज़र आ रही है, बेहतर है कि तू मुझे अपने पास बुला ले। आखिर 13 दिन कम 62 साल की उमर में ये आफ़ताबे हदीष ख़ुतंग की ज़मीन में ग़ायब हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रूह परवाज़ कर जाने के बाद भी बराबर जिस्म पर पसीना जारी रहा। यहाँ तक कि आपको गुस्ल देकर कफ़न में लपेट दिया गया। कुछ लोग समरकन्द ले जाने के ख़्वाहिशमंद हुए। मगर ख़ुतंग ही में तदफ़ीन (दफ़नाने) के लिये इत्तिफ़ाक़ हो गया। ईदुल फ़ित्र के दिन नमाज़े जुहर के बाद आपका जनाज़ा उठाया गया। एक ख़ल्के क़भ़ीर (लोगों की एक बड़ी ता' दाद) ने तदफ़ीन में शिक़त की। और आज वो अहादीष रसूले करीम (ﷺ) का आफ़ताब आलमताब, दुनिय-ए-इस्लाम का मुहसिने आ' जम ख़ाक में छुप गया और दुनिया में तारीकी हो गई। एक शायर ने आपके साले विलादत और साले वफ़ात दोनों को एक ही बंद में जमा कर दिया है। फ़र्माते हैं—

कानल बुखारी हाफ़िज़न व मुहदिषन

जमअस्महीह मुकम्मलतहरीरि

मीलादुहू सिदकुन व मुदतु इमिही

फ़ीहा हमीदुन्क़ज़ा फ़ी नूरि

ख़तीब अब्दुल वाहिद बिन आदम कहते हैं कि मैंने आँहज़रत (ﷺ) को ख़्वाब में चंद अस्हाबे किराम के साथ किसी का मुंतज़िर देखा। सलाम के बाद अर्ज़ किया हुज़ूर किसका इतिज़ार फ़र्मा रहे हैं? इर्शाद हुआ कि मैं आज मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी के इतिज़ार में खड़ा हुआ हूँ। बाद में जब हज़रत इमाम के इतिक़ाल की ख़बर पहुँची तो मैंने ख़्वाब के वक़्त के बारे में सोचा, इमाम के इतिक़ाल का ठीक वही वक़्त था। आपकी वफ़ाते हसरते आयात पर दुनिय-ए-इस्लाम में एक तहलका बर्पा हो गया। हर शहर व करया (गाँव) में मुसलमानों ने इन्हारे ग़म किया और आपके लिये दुआ-ए-मफ़िरत की। इल्म-ए-उम्मत और मशाहिरे इस्लाम ने उस सानिहा पर बहुत से मक़ाले जात और अश्आर लिखे जो कुतुबे तवारीख़ (इतिहास की किताबों) में लिखे हुए हैं।

शारेह के मुख्यतर हालात और चन्द अहम गुज़ारिशात

दिल्ली से 30-40 मील दूर दक्षिण-पश्चिमी इलाके को मेवात के नाम से पुकारा जाता है जो ज़िला गुड़गांव की तहसील नूह व फ़िरोज़पुर झिरका और रेवाड़ी व पलौल और जिला अलवर और भरतपुर राजस्थान के अकषर हिस्सों पर मुश्तमिल (आधारित) हैं। बाशिन्दे ज्यादातर मेव राजपूत मुसलमान हैं। जिनका आबाई पेशा काश्तकारी है। वही इलाका राकिमुल हुरूफ़ का वतने मालूफ़ है। ज़िला गुड़गांव की तहसील फ़िरोज़पुर झिरका में क़स्बा पंगवाँ के पास एक मौज़अ रहपुवा नामी नाचीज़ का मक़ामे सकूनत है। और यहाँ मुख्तसर सी बस्बेदारी है जो बच्चों के लिये ज़रिय-ए-मआश है। अल्लाहुम्म बारिकलना फ़ीमा अज़तैत। आमीन!

अगरचे तक्सीमे मुल्क की वजह से इस इलाके पर बहुत काफ़ी अषर पड़ा, ताहम आज भी यहाँ कि मुस्लिम आबादी कई लाख है। यहाँ तौहीद व सुन्नत की इशाअत व तब्लीग़ का अब्वलीन सहरा उन बुजुगानि क़ौम के सर पर है जो आज़ादी-ए-वतन के अब्वलीन अलमबरदार हज़रत मौलाना सय्यद अहमद साहब बरेलवी और हज़रत मौलाना इस्माईल शहीद देहलवी रहिमहुमुल्लाह जैसे पाकबाज़ बुजुगों के तर्बियतयाफ़ता थे। वो यहाँ आए और इस्लाह व सुधार के फ़राइज़ अंजाम दिये। बाद में हज़रत शैख़ुल कुल मौलाना सय्यद मुहम्मद नज़ीर हुसैन साहब मुहदिष देहलवी (रह.) के फ़ैजयाफ़ता हज़रत ने भी यहाँ काफ़ी काम किया। तक्रबबलल्लाहु हस्नातहुम आमीन।

राकिमुल हुरूफ़ (लेखक) का बचपन इब्तिदाई स्कूली ता'लीम से शुरू हुआ। वालिदे माजिद (रह.) पहले ही दागे मुफ़ारक़त दे चुके (या'नी इंतक़ाल कर चुके) थे। बड़े भाई मरहूम और वालिदा मरहूमा के ज़ेरे साया ग़ालिबन 1337 हिजरी में दारुल इलूम देहली जाकर मदरसा हमीदिया स़दर बाज़ार में दाख़िला की सआदत हासिल हुई। उस ज़माने में ये मदरसा मुसलमान बच्चों के लिये न सिर्फ़ ता'लीम बल्कि बेहतरीन तर्बियत व परवरिश की ख़िदमत अंजाम दे रहा था। लायक़तरिन असातिज़ा (काबिल मुदरिस) मुकरर थे। और बच्चों के जुम्ला मस़ारिफ़ खुद रईसे अज़म देहली हज़रत शैख़ हाफ़िज़ हमीदुल्लाह साहब (रह.) बर्दाश्त फ़र्माते थे। उसी दर्सगाह में कुआन मजीद और फ़ारसी व सर्फ़ व नहव व ग़ौरह की इब्तिदाई किताबें पढ़ीं। बाद में मदरसा दारुल किताब वस्सुन्नह स़दर देहली में हज़रत मौलाना शैख़ अब्दुल वहाब साहब स़द्री (रह.) के यहाँ तक्मील करके आप ही से सनदे फ़रागत हासिल की। ये ग़ालिबन 1346 हिजरी का ज़माना था। उन दिनों देहली फ़िल वाक़ेअ दारुल इलूम थी। बड़े-बड़े उलम-ए-इस्लाम यहाँ मौजूद थे और दीगर अकाबिर अतराफ़े हिन्द से आते भी रहते थे। अलहम्दुलिल्लाह अपने तहक़ीकी त्रबई रुज़्हान के तहत बेशतर उलम-ए-किराम की इल्मी मजालिस से इस्तिफ़ादा के मौक़े हासिल हुए। उन्हीं दिनों मदरसा सईदिया पुल बंगश भी उलमा व तलबा के लिये एक ज़बरदस्त इल्मी मर्कज़ था। जहाँ बैहक़ी दौराँ हज़रत मौलाना अबू सईद शर्फ़ुद्दीन साहब मुहदिष देहलवी (रह.) का सिलसिल-ए-दर्स जारी था। आपकी सुहबत में भी हाज़िरी का मौक़ा मिला। तक्सीमे मुल्क (बंटवारे) के बाद आप कराची तशरीफ़ ले गए थे मगर 1372 हिजरी में आप बम्बई तशरीफ़ लाए और तक्सीम दो माह यहाँ आपकी ख़िदमत करने का मौक़ा हासिल हुआ। उन्हीं दिनों आपने सनदे इजाज़त मरहमत फ़र्माई मौलान-ए-मरहूम की पाकीज़ा सुहबत से दिलो-दिमाग़ ने बहुत रोशनी पाई अल्लाह आपको करवट-करवट ज़न्नत नज़ीब फ़र्माए और जुम्ला असातिज़ा किराम को बेहतरीन जज़ाएँ अता करे खास तौर पर वालिदा मुहतरमा मरहूमा को ज़न्नतुल फ़िर्दौस में जगह दे जिन्होंने उस ज़माने की मुश्किलात के पेशेनज़र हर क़िस्म के मुसीबतों को सहते हुए पूरे इहिमाक के साथ मेरी दीनी ता'लीम के सिलसिले को जारी रखा और मेरे लिये बहुत सी तकलीफ़ों को खंदापेशानी के साथ बर्दाश्त फ़र्माया। अल्लाह पाक उनको करवट-करवट ज़न्नत नज़ीब करे और उनकी क़ब्र को मुनव्वर फ़र्माए। जब भी उस ज़माने के हालात और मरहूमा वालिदा

माजिदा गफ़रुल्लाह की मसाई याद करता हूँ आँखों से आँसू जारी हो जाते हैं रब्बनग़िअली वलि वालिदय्य वलिल मुअमिनीन यौमा यकूमल हिसाब।

कुछ क्रमरियों को याद है कुछ बुलबुलों को हिफ़ज़, आलम में टुकड़े टुकड़े मेरी दास्तों के हैं

अब कि उम्रे अज़ीज़ साठ साल को पहुँच रही है। सफ़रे आख़िरत क़रीब ही होता जा रहा है, दुआ है कि अल्लाह पाक इतनी मुहलत दे दे कि मैं बुखारी शरीफ़ की इस ख़िदमत को भी पूरा कर जाऊँ और अल्लाह तौफ़ीक़ दे कि अज़ीज़ान ख़लील अहमद व नज़ीर अहमद व सईद अहमद सल्लमहुमुल्लाहु तआला इस पाक सिलसिल-ए-तब्लीग़ व इशाअत को जारी रख सकें, आमिन या इलाहल आलमीन। मज़क़ूरा बाला चंद अल्फ़ाज़ की चन्दों ज़रूरत न थी मगर इस्लामी किताबों के लेखकों की चली आ रही पुरानी परम्परा के अनुसार ये छोटा सा तआरुफ़ कराना ज़रूरी था। व तशब्बह इल्लम तकूनू मिश्लहम, इन्नत्तशब्बुह बिल किरामि फ़लाहु

मुअज़ज़ नाज़िरीने किराम इस तफ़्सील से अंदाज़ा लगा सकेंगे कि मैं एक इल्म व अमल से तहीदस्त इंसान इस क़ाबिल न था कि असह्ल कुतुब बाद किताबिल्लाह अल जामेइस्सहीह अल बुखारी जैसी अहम मुक़द्दस किताब के उर्दू तर्जुमे के लिये क़लम उठाने की जुअत कर सकूँगा मगर मशियते-ऐज्दीने 'कुल्लु अमिन मरहूनून बि औकातिहा' के तहत इस ख़िदमत का आगाज़ करा ही दिया। जिसका मंसूबा आज से 15 साल पहले पनाई तर्जुमा वाले कुआन मजीद के पहले एडीशन के साथ ही बना लिया गया था। अपने मुअज़ज़ अकाबिर उलम-ए-जमाअत की दुआओं का सद्क़ा है कि आज मैं बुखारी शरीफ़ का पहला पारा मुतर्जम उर्दू क़द्रदानों के हाथों में दे रहा हूँ। मेरे ये 15 साल भी मुतफ़रिक् इल्मी मशाग़िल में गुज़रते चले गये और उनमें मजीद दर मजीद तजुर्बात हासिल हुए।

मशहूर मक़ूला है कि 'ज़रूरत ईजाद की माँ है (आवश्यकता आविष्कार की जननी है)' आज जब कि हमारे कुछ मुतअस्सिब मुकल्लिद हज़रात हदीष खुसूसन बुखारी शरीफ़ के तर्जुमे व शरह की ख़िदमत का नाम लेकर इस मुक़द्दस किताब के खुदादाद मक़ाम को गिराने की कोशिश में मसरूफ़ हैं बल्कि खुद इमामुदुनिया फ़िल हदीष हज़रत इमाम बुखारी क़द्दस सिरूहु की तख़्फ़ीफ़ व तन्कीस (निन्दा) करके अपने मज़मूआत की बरतरी प्राबित करने की धुन में लगे हुए हैं। ऐन मशा-ए-यज्दी और सख़्ततरीन ज़रूरत के तहत इस ख़िदमत का आगाज़ किया गया है जिसे तक्मील को पहुँचाना गुंबदे-ख़ज़रा के मकीन (ﷺ) के रब और सारी कायनात के परवरदिगार का काम है।

असल अरबी मतन को जिस ख़ूबी के साथ किताबत कराया गया है वो क़द्रदानों के सामने है। फिर बामुहावरा तर्जुमा और मुख्तसर तशरीही नोट लिखते हुए बहुत सी हदीष की शरहों और बहुत से नये-पुराने तर्जुमों को सामने रखकर मसलके मुहद्दिषीन की ज़िम्मेदारियों को महसूस करते हुए निहायत ही एहतियात से क़लम उठाया गया है। इख़ितलाफ़ी मक़ामात पर बेजा तअस्सुब से परहेज़ करते हुए बिला इम्तियाज़ फ़िक़ही मसालिक जुम्ला अइम्म-ए-दीन उलम-ए-इस्लाम के इस्लामी अदब व एहतिराम का हर जगह लिहाज रखा गया है। फिर भी एक हक़ीर इंसान हूँ अगर कोई लफ़ज़ कहीं भी किसी भाई को नागवार खातिर नज़र आए तो उसके लिये मुआफ़ी का तलबगार हूँ। तर्जुमा और शरह में जिन-जिन किताबों से इस्तिफ़ादा किया गया है उनकी तूलोतवील फ़हरिस्त पेश करके अपने मुअज़ज़ क़ारेईन किराम के क़ीमती वक़्त को ज़ाया करना मुनासिब नहीं जानता, न रस्मी नुमाइश मक़सूद है।

यहाँ इस हक़ीक़त का इज़हार भी ज़रूरी है कि बुखारी शरीफ़ जैसी अहम मुक़द्दस किताब की मुकम्मल उर्दू शरह का तसव्वुर एक कोहे हिमालिया (हिमालय पहाड़) जैसा तसव्वुर है। इस अज़ीम जामेअ किताब का लफ़ज़ बहुत कुछ तफ़्सील तलब है। साथ ही मुबाहिषाते तबवीब व अक़्सामे हदीष व तफ़ासिले रिजाल व इस्नाद और जवाबात ऐतिराजाते जदीदा और दक़ाइके बुखारी वग़ैरह वग़ैरह ऐसे उन्वानात हैं कि इन सब पर कमाहक़क़ू तफ़्सीलात के लिये आज एक और अज़ीम उर्दू फ़तुहल बारी शरह बुखारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा अंदाज़ा है कि अगर उलम-ए-इस्लाम की एक मुंतख़ब जमाअत इस ख़िदमत पर मामूर (नियुक्त) की जाए और इनके लिये हर क्रिस्म की आसानियाँ मुहय्या कर दी जाएँ और एक मुस्तक़िल इदारा सिर्फ़ उसी एक ख़िदमत के लिये कमर कस ले तो एक मुद्दते मदीद की दिन-रात की काविशों के बाद उर्दू फ़तुहल बारी तीस जिल्दों में मुस्तब हो सकेगी। जिसकी हर एक जिल्द कम से कम एक हज़ार सफ़हात पर फैली हुई होगी। अल्लाह पाक हर चीज़ पर क़ादिर

है। क्या मुश्किल है कि वो किसी भी वक़्त उस अज़ीम ख़िदमत के लिये अपने कुछ प्यारे बन्दों को पैदा फ़र्मा दे। मैं ये इसलिये कह रहा हूँ कि मैंने उर्दूदाँ तब्के और नई नस्लों के लिये बहुत ही मुख़्तसर पैमाने पर इस ख़िदमत को शुरू किया है। अपनी हर किस्म की कमज़ोरियों को देखते हुए भी मैं सिर्फ़ इस पहले ही पारे को सैंकड़ों सफ़हात पर फ़ैला सकता था। मगर देखा जा रहा है कि आज का ता'लीमयाफ़ता तब्का (शिक्षित वर्ग) मौजूदा कशाकिशे हयात की वजह से किसी तूलोतवील (लम्बी-चौड़ी/विस्तृत) किताब को पढ़ने के लिये वक़्त नहीं निकाल सकता। फिर इल्मी मबाहिष़ खुसूसन दीनियात से जो ज़हनी बुऊद (दूरी) पैदा हो रहा है उन सबका एहसास न करना मौजूदा इलम-ए-इस्लाम की एक ख़तरनाक ग़लती है।

बहरहाल ये हक़ीर ख़िदमत क़द्रदानों के सामने है। मुअज़्ज़ इलम-ए-किराम को उसमें बहुत सी ख़ामियाँ नज़र आ सकती हैं। मतन और तर्जुमा और तशरीहात में कुछ मुनासिब इस्लाहात भी दी जा सकती हैं जिनके लिये अपने मुअज़्ज़ इलम-ए-किराम का मशकूर होते हुए तबअ़े ष़ानी (री-प्रिण्ट) पर उनकी निगारशात से इस्तिफ़ादा कर सकूँगा।

शुक्रिया :

बड़ी नाक़द्री होगी अगर मैं यहाँ उन सारे इलम-ए-किराम का शुक्रिया अदा न करूँ जिनकी पाकीज़ा दुआओं से मेरी बड़ी हिम्मत अफ़ज़ाई हुई। ऐसे मुअज़्ज़ हज़रात में से बेशतर की दुआइया पैग़ामात जरीदा नूरुल इस्लाम में वक़तन फ़वक़तन शाए किए जा चुके हैं और बहुत से पैग़ामात इशाअत में लाये भी न जा सके हैं। कुछ हस्बे गुंजाइश इस इशाअत के साथ दिये जा रहे हैं उन सबका दिली शुक्रिया अदा करता हूँ, फिर उन सारे मुआविनीने किराम मुख़िलीस़ीने इज़ाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके मुख़िलस़ाना तआवुन से इस अज़ीम ख़िदमत को शुरू किया गया है जिनमें जरीदा नूरुल ईमान के अराकीन खुसूसी व मुअज़्ज़ सरपरस्त हज़रात और सारे क़द्रदान ख़रीददार हज़रात शामिल हैं। उम्मीद है कि अल्लाह पाक उनकी इस अज़ीम ख़िदमत को कुबूल फ़र्माकर ज़रूर ज़रूर उन सबके लिये ज़रिय-ए-नजात बनाएगा। और कितने सआदत मंद मर्द और औरतों और नौजवानों को इसके मुतालए से हिदायत फ़र्माकर जुम्ला मुआविनीने किराम के लिये स़दक़-ए-जारिया करेगा। वमा ज़ालिक अलल्लाहि बि अज़ीज

रब्बना तक्रब्बल मित्रा इन्नक अन्तस्समीइल अलीम व सल्लिल व सल्लिम अल्फ़ अल्फ़ सलातिन अला हबीबिकल करीम, आमीन या रब्बल आलमीन!

उम्मीदवारे मफ़िरत

नाशिरे कुर्आन व सुन्नह

मुहम्मद दाऊद राज़ अस्सल्फ़ी वल्द अब्दुल्लाह

सकूनत रहपुआ तहसील फ़िरोज़पुर झिरका जिला गुड़गांव हरियाणा

नोट : इन अल्फ़ाज़ का इज़हार मौलाना मुहम्मद दाऊद राज़ साहब ने आज से 43 बरस पहले किया था, तब उनकी उम्र 60 की हो चुकी थी। आज वो हमारे बीच मौजूद नहीं हैं; अल्लाह उनकी मफ़िरत फ़र्माए, उनकी काविशों का अच्छा बदला दे और उन्हें अपनी ख़ास रहमत से नवाज़कर जन्नतुल फ़िरदौस में मक़ाम नसीब फ़र्माए, आमीन! -अनुवादक

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
नहमदुहू वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम

मुकद्दमा सहीह बुखारी

(उर्दू नुस्खे का हिन्दी अनुवाद)

'रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईनु.' बाद हम्दो बारी तआला व तक्रहुसे दरूदो सलाम बरजाते सतूदा सिफाते रसूल अक़दस (ﷺ) अल्फ़-अल्फ़ मरतुन व सल्लम, हदीषे नबवी (ﷺ) का शौक रखनेवालों की खिदमत में बड़े अदब और एहतिराम के साथ अर्ज़गुज़ार हूँ कि बुखारी शरीफ़ पारा अब्वल के दीबाचे में आपने इमामुहुनिया फ़िल हदीष हज़रत इमाम बुखारी (रह.) के मुख्तसर हालाते जिन्दगी मुलाहज़ा फ़र्माएँ हैं। पारा दोम के साथ शौखुल हदीष हज़रत मौलाना मुहम्मद इस्माईल साहब ऑफ़ गूज़राँवाला ताबल्लाह सराहु व जअलल जन्नत मस्वाहु के क़लमे हक़ीक़त रक़म से मुकद्दमा सहीह बुखारी शरीफ़ मुतर्जम उर्दू शाए करने का ख़याल था। जिसके लिये हज़रत मरहूम सिहत की शर्त के साथ मेरी दरख्वास्त मंज़ूर भी फ़र्मा चुके थे। मगर मशिय्यते-ऐज़्दी के तहत इस खिदमत की अंजामदेही का मौक़ा आपको न मिल सका और आप अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह पाक आपको करवट करवट जन्नत नसीब फ़र्माएँ। मरहूम ने पूरे 50 साल मस्नदे दर्स व तदरीस पर गुज़ारे। इल्मे हदीष पर आपको जो गहरी बज़ीरत हासिल थी, दौरे हाज़िर में इसकी मिषालें बहुत कम मिलती है। मसलके अहले हदीष के लिये आपको इमामुल अस्र कहना मुबालग़ान होगा। मुझे अपनी हयाते मुस्तआर में जिन अकाबिर से दीन फ़हमी का थोड़ा शुऊर पैदा हुआ, उनमें आपकी ज्ञाते गिरामी मेरे लिये बड़ी अहमियत रखती थी। इल्मी व रूहानी शफ़क़त का ये हाल कि मेरी दरख्वास्त पर षनाई तर्जुमा वाले कुआन मजीद का तर्जुमा और हवाशी लफ़ज़न लफ़ज़न मुतालआ फ़र्माया और इस्लाहात से नवाज़ा। इस पर एक इल्मी मुकद्दमतुल कुआन तहरीर फ़र्माया और जरीदा नूरुल ईमान व बुखारी शरीफ़ मुतर्जम उर्दू के प्रोग्राम से इस क़दर खुश हुए कि हमेशा अपनी दुआओं और इल्मी मशवरों से नवाज़ते रहे। मुल्क के बंटवारे के बाद आपकी तमन्ना रही कि मैं हाज़िरे खिदमत होकर शफ़े नियाज़ हासिल करूँ मगर अल्लाह को मंज़ूर न हुआ। और ये आरज़ू पूरी न हो सकी। सोचता हूँ तो स़दमे से दिल काँप जाता है कि आप अगर बुखारी शरीफ़ का मुकद्दमा मौज़ूदा लिख जाते तो हम जैसे नाचीज़ मुतअल्लिमीन के लिये मा' लूमात का एक ख़ज़ाना होता मगर',

वही होता है जो मंज़ूरे ख़ुदा होता है

आज इस्लाम जिन नाजुक हालात से दो चार है कहने की बात नहीं। एक तरफ़ कुफ़ व सरकशी है जो सर उठाये हुए है और इस्लाम को दुनिया से नेस्तोनाबूद करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। दूसरी तरफ़ ख़ुद मुसलमान हैं जो उलूमे दीन कुआन व हदीष से दिन ब दिन दूर होते चले जा रहे हैं। कुछ मुतजद्दिदे दीन (मजहबी सुधारक) ऐसे भी हैं जो सिरे से इस्लाम की शक्लो सूत ही को बदल देना चाहते हैं और इस नापाक मक्क़सद की तक्मील के लिये वो हदीष जैसे अज़ीम इस्लामी ज़ख़ीरे की तक्ज़ीब (झुठलाने) ही के दरपे हैं। कुछ मसालिके मुरव्वजा (प्रचलित मसलकों) के मुतअस्सिबीन अहले इल्म हैं जो पूरी काविशों में मसरूफ़ हैं कि अहदीषे नबवी (ﷺ) व कुतुबे अहदीष को अपने मज़ऊमा मसालिक के क़ालिब में ढाल लें। ख़ास तौर पर

हाशिया 1 : हज़रत मौलाना मुहम्मद दाऊद राज़ साहब ने बुखारी शरीफ़ के तर्जुमे को अलग-अलग पारों की शुरूआत पर लिखा था चूँकि मौलाना बुखारी शरीफ़ के हर पारे को अलग-अलग शाए कर रहे थे, इसलिये हर पारे के शुरू में थोड़ा-थोड़ा मुकद्दमा लिखते गये लेकिन हमने मुख्तलिफ़ पारों के आशाज़ में मौजूद मुकद्दमे को यक़्जा (इकट्ठा) कर दिया है।

हज़रत इमाम बुखारी क़द्दस सिर्रुहु और आपकी जमा फ़र्मूदा सहीह बुखारी शरीफ़ उनकी कोताहबीन निगाहों में हमेशा ख़ार (काँटा) नज़र आती रही हैं। आजकल इस मुक़द्दस किताब के कई एक तज़ुमें हो रहे हैं मगर कुछ में हज़रत इमाम बुखारी (रह.) के ख़िलाफ़ तअस्सुब नुमाया नज़र आ रहा है।

अलग़र्ज़ ये हालात है जिनमें सहीह बुखारी शरीफ़ मुतर्जम उर्दू की इशाअत का ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। खुद मुद्इयाने अमल बिल हदीष तसाहुल और मुदाहनत के इस क़द्र शिकार हो रहे हैं जिन पर 'चुना ख़फ़त: (अन्दकि गोई मुर्दा अन्द)' का फ़िक्का सादिक़ आ रहा है। ऐसे मायूसकुन हालात और अपनी हर किस्म की तही दस्ती व इल्मी व अमली बेमाइगी के बावजूद सहीह बुखारी शरीफ़ मुतर्जम उर्दू के मुक़द्दमा के लिये सिर्फ़ तवक़लन अलल्लाह क़लम उठा रहा हूँ। ये मुक़द्दमा हदीष व अहमियते हदीष व फ़ज़ाइले अहले हदीष व हालाते मुहदिषीने किराम व तफ़्सीलाते कुतुबे अहदीष और फ़ज़ाइल हज़रत इमाम बुखारी (रह.) और खुसूसियाते बुखारी शरीफ़ जैसे अहम मज़ामीन पर मुश्तमिल होगा। जिसे बुखारी शरीफ़ मुतर्जम उर्दू के शाए होने वाले पारों के साथ किस्तवार शाए करने की सई (कोशिश) की जाएगी। अपना काम कोशिश है। कामयाबी बख़शनेवाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वही तौफ़ीक़ ख़ैर देने वाला और वही लज़ि़शों से बचाने वाला है और ग़लतियों को मुआफ़ करने वाला है। 'बि यदिहिन्सुत तहक़ीक़ व हुव ख़ैरुफ़ीक़ि व हुव हसबी अलैहि तवक़ल्लतु व इलैहि उनीबु.'

(नाचीज़ मुहम्मद दाऊद राज़ अज़ अफ़ा अन्ह)

तारीफ़े इल्मे हदीष

इल्मे हदीष की ता'रीफ़, इसका मौजूअ, इसकी गर्ज़ व ग़ायत क्या है? इन सबका जवाब अल्लामा किरमानी शारेह बुखारी ने इन अल्फ़ाज़ में दिया है,

'इअलम इन्ना इल्मल हदीषि मौजूउहु ज़ातु रसूलिल्लाहि (ﷺ) मिन हैषु अन्नहु रसूलुल्लाहि (ﷺ) वहदहू हुव इल्मुन युअरफु बिही अक्वालु रसूलिल्लाहि (ﷺ) व अफ़आलुहु व ग़ायतुहु हुवल फ़ौज़ु बि सआदतिदरैन.' (मुक़द्दमा तुहफ़तुल अहवज़ी) या'नी इल्मे हदीष का मौजूअ रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़ाते गिरामी है, इस हैषियत से कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और इस इल्म की ता'रीफ़ ये है कि वो ऐसा इल्म है जिसके ज़रिये से रसूले करीम (ﷺ) के इर्शादाते गिरामी, आपके अफ़आले पाकीज़ा और अहवाले शाइस्ता मा'लूम किये जाते हैं और इस इल्म की गर्ज़ व ग़ायत दुनिया व आख़िरत की सआदत हासिल करना है।

'व क़ालल बाजुरी फ़ीहाशिय्यतिही अलशशमाइलिल मुहम्मदिय्यति अन्नहुम अरफूइल्मल हदीषि रिवायतन बिअन्नहू इल्मुन यश्तमिलु अला नक़लिन मा इज़ीफ़ इलन्नबिय्यि (ﷺ) क़ीला औ इला सहाबिय्यिन औ इला दुनिही क़ौलन औ फ़ैअलन औ तक्रीरन औ सिफ़तन मौजूउहु ज़ातुन्नबिय्यि (ﷺ) मिन हैषु अन्नहू नबिय्युन ला मिन हैषु अन्नहू इन्सानुन मषलन व वाज़िउहु अन्हाबुहु (ﷺ) अल्लज़ीन तसदुज्जब्त अक्वालहु अफ़वालहु व तक्रीरातिही व सिफ़ातिही व ग़ायतहुल फ़ौज़ु बि सआदतिदरैन.' (मुक़द्दमा तुहफ़तुल अहवज़ी)

खुलासा इस इबारात का ये कि इल्मे हदीष उन मा'लूमात पर मुश्तमिल है जो नबी करीम (ﷺ) की तरफ़ मंसूब की गई हैं। वो आपके इर्शादात या पाकीज़ा अफ़आल हो या वो जो आपकी मौजूदगी में किये गए और आपने उन पर सुकूत फ़र्माया (खामोशी इख़्तियार की) या आपके सिफ़ाते-हसना। इल्मे हदीष का मौजूअ रसूले करीम (ﷺ) की ज़ाते गिरामी इंसान होने की हैषियत से नहीं बल्कि नबी व रसूले बरहक़ होने की हैषियत से है। इल्मे हदीष के अव्वलीन वाज़ेअ सहाबा किराम (रज़ि.) हैं जिन्होंने नबी करीम (ﷺ) की पूरी पाक जिंदगी, आपके इर्शादात व अफ़आल व तक्रीरात, आपके औसाफ़े हस्ना सबको इस तरह ज़ब्त किया कि दुनिया में किसी नबी व रसूल की तारीख़ में ऐसी मिषाल मिलनी मुश्किल है। इल्मे हदीष की गर्ज़ व

गायत दोनों जहाँ दुनिया व आखिरत की सज़ादत हासिल करना है।

मुहद्दिषे कबीर हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी क़दस सिरुहु इस सिलसिले की बहुत सी तफ़्सीलात के बारे में फ़र्माते हैं,

‘कुल्लु क़द ज़हर मिन हाज़िहिल इबारति अन्न इल्मल हदीषि युल्लकु अला षलाषति मज़ानिन अल अव्वलु अन्नहू इल्मुन युअरफु बिही अक्वालु रसूलिल्लाहि (ﷺ) व अफ़लालुहू व अहवालुहू व क़द क़्रीला लहुल इल्मु बि रिवायतिल हदीषि व ष़्शानी अन्नहू इल्मुन युबहषू फ़ीहि अन कैफ़िय्यति इत्तिसालिल अहादीषि बिर्सूलि (ﷺ) मिन हैषु अहवालु रुवातिहा ज़ब्तन व अदालतन व मिन हैषु कैफ़िय्यतुस्सनदि इत्तिसालन व इन्क़िताअन व ग़ैर ज़ालिक व इल्मुल हदीषि बि हाज़ल मअनिष़्शानी हुवल मअरुफु बिइल्मि उसूलिल हदीषि व क़द क़्रील लहु बि रिवायतिल हदीषि ऐज़न कमा फ़ी इबारतिल कश्फ़ि वल हित्ति व क़द क़्रीला लहुल इल्मु बि दिरायतिल हदीषि ऐज़न कमा फ़ी इबारति इब्निल अक्फ़ानी वल बअज़ूरि व ष़्शालिषु अन्नहू इल्मुन बाहिषुन अनिल मअनिल मफ़हूमि मिन अल्फ़ाज़िल हदीषि व अनिल मुरादि मिन्हा मुबनिय्यन अला क़वाइदिल अरबिय्यति व ज़वाबितिश़रइय्यति व मुताबिक़ल लि अहवालिलन्नबिय्य (ﷺ) कमा फ़ी इबारतिल कश्फ़ि फ़हफ़िज़ हाज़ा.’

ख़ुलास—ए—इबारत ये कि इल्मे हदीष का इत्लाक़ तीन मा'नी पर होता है। पहला वो ऐसा इल्म है जिसके ज़रिये रसूले करीम (ﷺ) के अक्वाल व अफ़ाल व अहवाल मा'लूम किये जाते हैं। इसको इल्मे रिवायतुल हदीष भी कहा गया है। दूसरा इस इल्म में रसूले करीम (ﷺ) तक अहादीष पहुँचाने के हालात से बहष की जाती है कि उसके रिवायत करने वालों के हालाते ज़ब्त व अदालत (इंसाफ़पसन्दी) कैसे हैं और उस हदीष की सनद मुत्तसिल (सिलसिलेवार) है या मुक़तअ (टूटी हुई) है वग़ैरह वग़ैरह। ये इल्मे उसूले हदीष के नाम से भी मौसूम (जाना जाता) है। तीसरा इल्मे हदीष वो है जिसमें इस मफ़हूम (भावार्थ) के बारे में बहष होती है जो अल्फ़ाज़े हदीष से ज़ाहिर होता है। वो बहष क़वाइदे अरबिय्या और ज़वाबिते शरइय्या के तहत हो सकती है और अहवाले रसूलुल्लाह (ﷺ) को मद्देनज़र रखते हुए उसकी तहक़ीक़ की जाती है।

इल्मे उसूल के माहिरीन ने हदीषे नबवी (ﷺ) को तीन और किस्मों में बांटा है,

- (1) हदीषे क़ौली : रसूले करीम (ﷺ) के इशादि गिरामी
- (2) हदीषे फ़ैअली : जो रसूलुल्लाह (ﷺ) के किरदार से मुता'ल्लिक़ हो और जिनमें आपके अफ़आले महमूदा को नक़ल किया गया है।
- (3) हदीषे तक्ररीरी : किसी हदीष में किसी भी स़हाबी का कोई ऐसा अमल मन्कूल हो जो आप (ﷺ) की मौजूदगी में किया गया हो और आप (ﷺ) ने उस पर ख़ामोशी इख़्तियार फ़र्माई हो।

अलगज़ हदीष ये तीनों हालाते नबवी को शामिल है और यही वो इल्म है जिसको कुआन मजीद की तफ़्सीर कहा जाए तो ऐन मुनासिब है और यही वो हिक़मत है जिसका जा-बजा कुआन पाक में ज़िक़्र हुआ है।

लफ़्जे हदीष कुआन मजीद में :

अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने कुआन को अपने हबीब रसूले करीम (ﷺ) पर नाज़िल फ़र्माया। वो जानता था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के इशादाते गिरामी को लफ़्जे हदीष के नाम से ता'बीर किया जाएगा, इसलिये ताकि ये लफ़्ज़ कुआन मजीद पर ईमान लाने वाले किसी भी इंसान को ग़ैर-मानूस (अपरिचित) न लगे, इसलिये खुद कुआन मजीद की बहुत सी आयात में इस मुबारक लफ़्ज़ हदीष का इस्ते'माल हुआ है। चंद आयात मुलाहज़ा हों,

- (1) फ़ल्यातु बिहदीषिम्मिल्लीही (सूरह तूर : 34) मुकिरीने कुआन अगर अपने दावे में सच्चे हैं तो कुआन मजीद जो बेहतरीन हदीष है उस जैसी कोई किताब वो भी बनाकर लाएँ। इस आयात में कुआन मजीद पर लफ़्ज़ हदीष का इत्लाक़ किया गया है।

- (2) अफमिन हाज़ल हदीषि तअजबून (सूरह अन्नज्म : 59) क्या तुम ये हदीष (कुआन) सुनकर तअज्जुब करते हो?
- (3) फ़मालि हा—उलाइल क़ौमि ला यकादून यफ़कहून हदीषन (अन् निसा : 78) इस क़ौमे काफ़िर को क्या हो गया जो इस हदीष या'नी कुआन मजीद को समझते ही नहीं ।
- (4) व मन असदकु मिनल्लाहि हदीषन (अन् निसा : 86) अल्लाह पाक की फ़र्माई हुई हदीष से बढ़कर किसकी हदीष सहीह और सच्ची हो सकती है ।
- (5) अल्लाहु नज़ल अहसनल हदीषि (जुमर : 23) अल्लाह पाक ही है जिसने बेहतरीन हदीष (कुआन) को नाज़िल फ़र्माया है।
- (6) अफ़बिहाज़ल हदीषि अन्तुम मुदहिनुन (अल वाक़िआ : 81) बस क्या तुम इस हदीष या'नी (कुआन मजीद) के मुआमले में मुदाहिनत सुस्ती बरतने वाले हो और ख़्वाह मख़्वाह इसकी तक्ज़ीब (झुठलाने) के दर पे हो ।
- (7) मा कान हदीषय्युंफ़तरा (यूसुफ़ : 111) ये हदीष (या'नी कुआन मजीद) मनघड़त नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ़ से है ।

इनके अलावा और भी बहुत सी आयात में कुआन मजीद को लफ़्जे हदीष से ता'बीर किया है । जिनसे मा'लूम होता है कि ये लफ़्जे हदीष जब अक़््वाले स़ादिका (सच्चे क़ौलों) पर बोला जाए तो ये इन्द्ल्लाह बहुत ही महबूब है । इसीलिये रसूले करीम (ﷺ) के इशादाते तय्यिबा के लिये लफ़्जे हदीष का इस्ते'माल करार पाया । और इल्मे हदीष अल्लाह के नज़दीक भी एक शरीफ़ तरीन इल्म ठहरा और इस इल्म के हामिलीने किराम लफ़्जे-मुहदिषीन से मौसूम हुए । रहिमहुमुल्लाह अज्मईन । सच है,

क्या तुझसे कहूँ हदीष क्या है दुरदाना—ए—दुर्जे मुस्तफ़ा है

हदीष क्या है?

मुहतरम मौलाना अब्दुरशीद नो'मानी देवबन्दी को कौन अहले इल्म है जो नहीं जानता? हदीष नबवी (ﷺ) की ता'रीफ़ (परिभाषा) और अहमियत पर आपके क़लम से एक तवील तब्स़रा आपकी मा'लूमात से भरी किताब इल्मे हदीष और इब्ने माजा से नक़ल किया जा रहा है ताकि नाज़िरीने किराम अंदाज़ा लगा सकें कि इल्मे हदीष क्या है और इसकी अहमियत के ए'तिराफ़ से किसी को इन्कार नहीं । जि़र्र किये गये इन्वान के तहत मौलाना मौसूफ़ फ़र्माते हैं :

'कुआने करीम दीने इलाही की आख़री और मुकम्मल किताब है जो हज़रत ख़ातिमुन्नबिय्यीन (ﷺ) पर नाज़िल की गई और आपको इसका मुबल्लिग़ (प्रचारक) और मुअल्लिम (ता'लीम देने वाला/अध्यापक) बनाकर दुनिया में भेजा गया । चुनाँचे आपने इस किताबे मुक़द्दस को अब्वल से आख़िर तक लोगों को सुनाया, लिखवाया और याद कराया और बख़ूबी समझाया । और ख़ुद इसके सारे अहकामात व ता'लीमात पर अमलपैरा होकर उम्मत को दिखाया । आँहज़रत (ﷺ) की हयाते तय्यिबा हक़ीक़त में कुआन मजीद की क़ौली, फ़ेअली और अमली तफ़सीर है आपके इन्हीं अक़््वाल, आमाल और अहवाल का नाम ही हदीष है ।'

लफ़्जे-हदीष अरबी जुबान में वही मफ़हूम रखता है जो हम उर्दू में गुफ़्तगू, कलाम या बात से मुराद लेते हैं । चूँकि नबी (ﷺ) गुफ़्तगू और बात के ज़रिये पयामे इलाही को लोगों तक पहुँचाने और अपनी तक्रीर और बयान से किताबुल्लाह की शरह करते और ख़ुद उस पर अमल करके लोगों को दिखलाते थे । इसी तरह जो चीज़ें आपके सामने होती थीं और आप उनको देखकर या सुनकर ख़ामोश रहते थे तो उसे भी दीन का हिस्सा समझा जाता था क्योंकि अगर वो उमूर मंश—ए—दीन के मनाफ़ी (विपरीत) होते तो आप यक़ीनन उनकी इस्लाह करते या मना कर देते । लिहाज़ा इन सबके मजमूअे का नाम हदीष करार पाया ।

नबी अलैहिस्सलाम के अक़््वाल, अअमाल और अफ़आल को लफ़्जे हदीष से ता'बीर करना ख़ुद साख़्ता इस्तिलाह (स्वरचित उपमा) नहीं बल्कि ख़ुद कुआन मजीद से ही मुस्तंबित है । कुआने करीम में दीन को नेअमत फ़र्माया है और इस नेअमत की नश्रो इशाअत को तहदीष से ता'बीर किया है । चुनाँचे इशाद है :-

'वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यइज़ुकुम बिही' (अल बक़रा : 231) और याद करो अपने ऊपर अल्लाह की नेअमत को और जो तुम पर किताब व हिकमत नाज़िल फ़र्माया कि तुमको इसके ज़रिये नसीहत फ़र्माए ।

और तक्मीले दीन के सिलसिले में फर्माया है :-

'अल यौम अक्मल्लु लकुम दीनकुम व अत्मन्तु अलैकुम निअमति' (अल माइदा : 3) आज के दिन तुम्हारे लिये तुम्हारे दीन को मैंने कामिल कर दिया और मैंने तुम पर अपनी नेअमत तमाम (पूरी) कर दी।

देखिए इन दोनों आयतों में कुआनि हकीम ने दीन को नेअमत कहा है और सूरह वज्जुहा में आँहज़रत (1) को इसी नेअमत के बयान करने का इन अल्फ़ाज़ में हुक्म दिया है,

'वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हदिष' (सूरह अज्जुहा : 11) और अपने रब की नेअमत को बयान कीजिए।

बस आँहज़रत (ﷺ) की इसी तहदीषे नेअमत को हदीष कहते हैं।

यही नहीं अंबिया (अलैहिमुस्सलाम) के अक्वाल, अअमाल और अहवाल के लिये खुद कुआन मजीद में अनेक मक़ामात पर हदीष ही का लफ़ज़ इस्ते'माल किया गया है चुनाँचे सूरह अज्ज़ारियात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़क़िरा इस तरह शुरू होता है, 'हल अताक हदीषु ज़ैफ़ि इब्राहीमल मुकरमीन' (अज्ज़ारियात : 24) और हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) के हालात में एक जगह नहीं दो जगह फ़र्माया है 'हल अताक हदीषु मूसा' (ताहा : 9)

खुद आँहज़रत (ﷺ) के क़ौले मुबारक के लिये भी कुआन मजीद में हदीष का लफ़ज़ मौजूद है 'वइज़ा असरन्नबिय्यु इला बअज़ि अज्वाजिही हदीषन' (अत्तहरीम : 3) और जब नबी ने छिपाकर कही अपनी किसी बीबी से एक बात।

हदीष की दीनी हैषियत :

हदीष शरीफ़ का दीन में क्या दर्जा है, इसको ज़हननशीन करने के लिये आँहज़रत (ﷺ) की नीचे लिखी हैषियतों को पेशे नज़र रखना ज़रूरी है जिनको कुआन पाक ने निहायत सराहत के साथ बयान फ़र्माया है,

(1) आप मुबल्लिग़ थे :

'याअय्युहर्सूलु बल्लिग़ मा अंज़िल इलैक मिररब्बिक' (अल माइदा : 67) ऐ रसूल पहुँचा दीजिए जो कुछ उतारा गया है आपकी तरफ़ आपके परवरदिगार की जानिब से।

(2) आप मुरादे इलाही के मुबय्यिन या'नी बयान करने वाले हैं :

'वअंज़लना इलैकज़िक्क़ लिनुबय्यिन लिन्नासि मानुज़िल इलैहिम' (अननुहल : 44) और आप पर भी मैंने ये याददाश्त नाज़िल की है ताकि जो कुछ उनकी तरफ़ उतारा गया है आप उसको खोलकर लोगों से बयान कर दें।

(3) आप मुअल्लिमे किताब व हिक्मत हैं :

'लक्क़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़् बअष फ़ीहिम रसूलम मिन् अन्फुसिहिम यत्लु अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल् हिक्मा' (आले इमरान : 164) बेशक अल्लाह ने ईमानवालों पर एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा, जो उन पर उसकी आयतें पढ़ता है और उनको संवारता है और उनको किताबुल्लाह और हिक्मत की ता'लीम देता है।

(4) तहलील व तहरीम या'नी अश्याअ को हलाल व हराम करना आपके मन्सब में दाख़िल था :

'वयुहिल्लु लहुमुत्तय्यिबाति व युहरिमु अलैहिमुल ख़बाइष' (अल अज़राफ़ : 157) और वो उनके लिये पाक चीजों को हलाल करता है और गंदी चीजों को उन पर हराम फ़र्माता है। 'क्रातिलुल्लज़ीना ला युअमिनुन बिल्लाहि वला बिल यौमिल आख़िरी व ला युहरिमुन मा हरमल्लाहु व रसूलुहु।' (सूरह तौबा : 29) लड़ो उन लोगों से जो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर यकीन नहीं रखते और हराम नहीं समझते उन चीजों को जिनको अल्लाह ने हराम किया और उसके रसूल (ﷺ) ने।

(5) आप उम्मत के तमाम मुआमलात और फ़ैसलों में क़ाज़ी है :

'व मा कान लिमुअमिनिव्वला मुअमिनतिन् इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमन् अय्यकुन लहुमुल ख़ियरतु मिन् अमिहिम. व मय्यैअसिल्लाह व रसूलुहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालम्मुबीना' (अल अहज़ाब : 36) और किसी ईमानवाले मर्द और किसी ईमानवालीर औरत के लिये इस बात की गुब्जाइश नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मुआमले का फ़ैसला कर दे उसके बाद उनको अपने उस मुआमले में इख़्तियार बाक़ी रहे और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की नाफ़रमांनी करे तो बेशक वो शरीह तौर पर गुमराह हो गया।

(6). आप उम्मत के तमाम झगड़ों और क़ज़ियों में हक़म हैं :

'फ़ला व रब्बिकला युअमिनून हत्ता युहक्किमूकफीमा शजर बैनहुमषुम्मा ला यजिदूफी अन्फुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा' (अन् निसा : 65) क़सम है तुम्हारे रब की ये मुअमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम्हें ही हक़म न बनाएँ उस झगड़े में जो उनके बीच हो फिर जो तुम फ़ैसला करो उससे ये अपने जी में नाराज़गी भी महसूस न करें और तस्लीम करके मान लें।

'इन्ना अन्ज़ल्लना इलैकल किताब बिल हक्कि लितहकुम बैनन्नासि बिमा अराक़ल्लाहु' (अन् निसा : 105) बेशक हमने ये किताब तुम्हारी तरफ़ हक़ के साथ नाज़िल की है ताकि तुम लोगों के बीच जो कुछ अल्लाह तुम्हें समझाए उससे फ़ैसला किया करा।

(7) आपकी ज़ाते कुदसी, सिफ़ात में हर मोमिन के लिये उस्व-ए-हसना है :

'ल क़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुल लिमन कान यर्जुल्लाह वल्यौमल आख़िर वज़करल्लाह क़रीरा' (अल अहज़ाब : 21) बेशक तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह की ज़ात उम्दा नमून-ए-अमल है उस शख़्स के लिये जो अल्लाह पर और आख़िरत के दिन से आस लगाए हुए हो और अल्लाह को बहुत याद करता हो।

(8) आपकी इत्तिबाअ सब पर फ़र्ज़ है :

'फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहिनबिद्यिल उम्मियिल्लज़ी युअमिनु बिल्लाहि कलिमातिही वत्तबिऱुहु।' (अल अअराफ़ : 158) सो ईमान ले आओ अल्लाह पर और उसके नबी-ए-उम्मी पर कि जो अल्लाह और उसकी बातों पर ईमान रखता है और उसके ताबेअ है।

'कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़क्तबिउनी युहिबिबकुमुल्लाहु व यफ़िरलकुम जुनुबकुम' (आले इमरान : 31) आप कह दीजिये अगर तुम अल्लाह से मुहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तिबाअ करो ताकि अल्लाह तुमसे मुहब्बत रखे और तुम्हारे गुनाह बख़्श दे।

(9) जो कुछ आप दें उसको ले लेना और जिससे आप मना करें उस से दूर रहना ज़रूरी है :

'वमा आताकुमर्सूलु फ़खुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहु' (सूरह हशर : 7) और जो रसूल तुमको दे उसे ले लो, और जिससे मनअ करे उसे छोड़ दो।

(10) आपकी इताअत तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है :

'या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्सूल' (मुहम्मद : 33) ऐ ईमानवालों! इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की।

(11) हिदायत आपकी इताअत से वाबस्ता (जुड़ी हुई) है :

'वइन तुती ऱुहु तहतदू' (सूर नूर : 54) और अगर तुमने उनकी इताअत की तो हिदायत पर आ जाओगे।

इन आयात से मा'लूम होता है कि आँहज़रत (ﷺ) ने जिस क़दर उम्मत को हिदायतें दीं। जो जो चीज़ें उनसे बयान

फर्माई और किताब व हिकमत की ता'लीम के ज़ेल में जो कुछ इश्राद फर्माया जिन चीजों को हलाल और जिन चीजों को हाराम ठहराया, आपसी मुआमलात व क़ज़ाया (झगड़ों) में जो कुछ फ़ैसला फर्माया, तनाज़ुआत (मतभेदों) व ख़ुसूमात को जिस तरह चुकाया उन सबकी हैषियत दीनी और तशरीही है। यही नहीं बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी उम्मत के लिये बेहतरीन नमून-ए-अमल है जिसकी इतिबाअ और पैरवी का हमको हुक्म दिया गया है आपकी इताअत हर उम्मती पर फ़र्ज़ है। जो आप हुक्म दें उसको बजा लाना और जिससे मना करे उससे रुक जाना हर मोमिन के लिये लाज़िम और ज़रूरी है। मुख्तसर ये है कि आपकी इताअत ही हक़ीक़त में हक़ तआला की इताअत करना है। चुनाँचे कुआनि करीम में साफ़ तसरीह है :-

'मय्युतिर्इसूल फ़क़द अताअल्लाह' (अन् निसा : 80) जिसने रसूल की इताअत की उसने बिना शुब्हा अल्लाह ही की इताअत की।

जाहिर है कि वुज़ू, गुस्ल, रोज़ा, ज़कात और हज़, दरूद, दुआ, जहाँ ज़िक्रे इलाही है, उसी तरह निकाह, तलाक़ बैअ व शिरा, फ़स्ले क़ज़ाया व ख़ुसूमात, अख़लाक़ व मुआशिरत, सियासियाते मिल्लत गर्ज़ सारे अहक़ाम-दीन के मुता'ल्लिक़ सारे अहक़ाम कुआनि मजीद में मौजूद हैं। लेकिन इन अहक़ाम की तशरीह, उनके जुज़इयात की तफ़्सील और उनकी अमली तश्कील आँहज़रत (ﷺ) के अक्वाल व अअमाल और आपके अहवाल के जाने बग़ैर बिलकुल नहीं हो सकती। इसलिये अल्लाह की इताअत बग़ैर रसूलुल्लाह (ﷺ) की इतिबाअ और इताअत के नामुम्किन और महाल है। (इब्ने माजा और इल्मे हदीष पेज नं. 128-129)

मुहतरम मौलाना ने हदीष का तआरुफ़ कराने के बाद हदीष की दीनी हैषियत पर कुआनि मजीद की जो आयात पेश फर्माई है उनके अलावा भी बहुत सी आयाते कुआनी हैं जिनकी रोशनी में हदीष की दीनी हैषियत को समझा जा सकता है। जैसा कि इशादि-बारी है,

'या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुक़द्हिमू बैन यदइल्लाहि व रसूलिहि वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीइल् अलीम' (अल हुजुरात : 1) ऐ ईमानवालों! अल्लाह और उसके रसूल से आगे पेशक़दमी न करो और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सुननेवाला और जानने वाला है।

इस आयत के तहत हाफ़िज़ इब्ने क़रीर रह फ़र्माते हैं,

'हाज़िही आदाबुन अहबल्लाहु तआला बिहा इबादहुल मोमिनीन फ़ीमा युआमिलून बिहिर्रसूल (ﷺ) मिन तौक़ीरि वल इहतियामि वत्तब्ज़ीली वल इअज़ामि फ़ क़ाल तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुक़द्हिमू बैना यदइल्लाहि व रसूलिही अय तसरऊ फ़िल अश्याइ बैन यदैहि अय क़ब्लहु बल कूनू तब्अल लहु फ़ी जमीइल उमूरि हत्ता यदख़ुल फ़ी उमूमि हाज़ल अदबिश्शरइय्यि हदीषु मआज़ (रज़ि.) हैषु क़ाल लहुन्नबिय्यु (ﷺ) हीन अब़्हु इलल यमनि बिमा तहकुमु क़ाल बि किताबिल्लाहि तआला क़ाल फ़इल्लम तजिद क़ाल बिसुन्नति रसूलिल्लाहि (ﷺ) क़ाल (ﷺ) फ़इल्लम तजिद क़ाल रज़िअल्लाहु अन्हु अज्तिहिदु राई फ़ज़रब फ़ी स़दरिही व क़ाल अल हम्दुल्लाहिल्लज़ी वप्फ़क़र रसूल रसूलि (ﷺ) लिमा यरज़ा रसूलुल्लाहि (ﷺ) व क़द रवाहु अहमदु व अबू दाऊद वत्तिर्मिज़ी वब्नु माजत फ़ल्ग़र्जु मिन्हु अन्नहू आख़िरु रायिही व नज़रिही वजतिहादिही इला मा अबदल किताबि वस्सुन्नति व लौ क़द्महू क़ब्लल बहषि अन्हुमा लकान मिन बाबि तक्दीमि बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही व क़ाल अलिय्यब्नु तलहत अनिब्नि अब्बासिन (रज़ि.) ला तुक़द्हिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही ला तकूलू ख़िलाफल किताबि वस्सुन्नति अल अरख़' (मुक़द्मा तुहफ़तुल अहवज़ी हज़रत मुबारकपुरी (मरहूम) पेज नं. 23)

या'नी इन आयात में अल्लाह ने ईमानवालों को अपने रसूल (ﷺ) की तौक़ीर व तअज़ीम के आदाब ता'लीम फर्माए हैं। जिनका मक़सद ये है कि हर काम में रसूले करीम (ﷺ) के फर्माबरदार बनकर रहो। इस अदबे शरई के ज़ेल हदीषे मुआज़ (रज़ि.) है जिनको आँहज़रत (ﷺ) ने यमन का हाक़िम बनाकर भेजा था। और आप (ﷺ) ने उनसे रवानगी के वक़्त पूछा था कि तुम किस चीज़ के साथ हुकूमत करोगे? उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह की किताब कुआनि मजीद के साथ। फिर आप (ﷺ) ने पूछा कि कुआनि मजीद में अगर कोई हुक्मे सरीह न पाओ फिर कौनसा क़ानून तलाश करोगे? उन्होंने कहा था कि इस सूत्र

में रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत पर फ़ैसला करूँगा। फिर आप (ﷺ) ने पूछा कि अगर सुन्नते रसूल (ﷺ) भी कहीं ज़ाहिर न हो तो क्या करोगे? उन्होंने बतलाया कि ऐसी सूत्र में खुद अपनी खुदादाद समझ के आधार पर फ़ैसला करूँगा। रसूले करीम (ﷺ) उनकी ये तक्ररीर सुनकर बेहद खुश हुए और आप (ﷺ) ने उनके हक़ में दुआ-ए-ख़ैर फ़र्माई। हज़रत मुआज़ (रज़ि.) ने अपनी राये क्रियास इज्तिहाद को किताबुल्लाह व सुन्नत के बाद रखा। अगर वो इनको किताब व सुन्नत से पहले करते तो ये अल्लाह और रसूल (ﷺ) पर पेशक़दमी हो जाती।

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) इस आयत के ज़ेल (अन्तर्गत) फ़र्माते हैं कि अल्लाह व रसूलुल्लाह (ﷺ) पर पेशक़दमी करने का मतलब ये है कि किताब व सुन्नत के खिलाफ़ न जाओ। बहरहाल कुआंन व सुन्नत के ताबेअ (अधीन) रहो।

इसादि नबवी (ﷺ) की हैषियत मा'लूम करने के लिये ये आयते करीमा भी एक अज़ीम रोशनी है जिसमें अल्लाह तआला ने फ़र्माया,

'ला तजअलू दुआअरसूलि बैनकुम कदुआइ बअज़िकुम बअज़न क़द यअलमहुल्लाहु लज़ीन यतसल्ललून मिन्कुम लिवाज़न फ़लयहज़रिल्लज़ीन युख़ालिफून अन अम्पिही अन तुसीबहुम फ़ित्तुन औ तुसीबहुम अज़ाबुन अलीम' (सूरह नूर : 63) या'नी जब भी किसी हुक़म के लिये रसूले करीम (ﷺ) तुमको बुलाएँ तो आपके बुलाने को ऐसा न समझा करो जैसा तुम आपस में एक-दूसरे को बुलाया करते हो (अल्लाह के रसूल की दा'वत असाधारण अहमियत रखती है, याद रखो) जो लोग (मेरे रसूल की दा'वत सुनकर भी) इधर-उधर खिसक जाते हैं। (उनका अंजाम अच्छा नहीं) बस उन लोगों को जो मेरे रसूल के हुक़म की मुख़ालफ़त करें उनको डरना चाहिये कि कहीं इस नाफ़रमानी की सजा में उनको कोई अज़ीम फ़ित्ना न पकड़ ले या कोई दुख़ देने वाला अज़ाब उनको लाहिक़ न हो जाए।

इस आयत के ज़ेल मुहदिषे कबीर हज़रत मौलाना अब्दुरहमान मुबारकपुरी फ़र्माते हैं कि :-

'फ़ीहि अन्नदुआरसूलि (ﷺ) लैस कदुआइ आहादिल उम्मति बल हुव अअजमु ख़तरन व अजल्लु क़दरन मिन दअवाति साइरिल ख़ल्कि फ़इज़ा दआ अहदन तअय्यिनु अलैहिल इजाबतु व ला रैब अन्ना (ﷺ) क़द दआ उम्मतहु इलत तमस्सुकि बि किताबिल्लाहि व सुन्नतिही फ़ी ग़ैरि मौजइम्मिन्हा फ़तुअय्यिनु अला जमीइल उम्मति अय्युजीबुहु व ला यक़उदुहु अन इस्तिजाबतिही व दुआइही (ﷺ) इय्याहुम बाकिन इला यौमि बक्राइल अहादीषि फ़िल उम्महातिस्सित्ति व ग़ैरहा बक्राइल कुआंनि फ़िहुन्या इला क्रियामिस्साअति ला यबरउ जिम्मतु अहदिम मिनल उम्मति मिन इजाबति दअवतिही फ़ी अय्यि असरिन व क़तरिन इन्द वुजूदि हाज़िहिल किताबि बैन ज़हरानिल उलमा मिन साइरि अस्नाफ़िहिम अला इख़ितलाफ़ि मज़ाहिबिहिम व तबायुनि मशारिबिहिम फ़मल्लम युजिब दाइयल्लाहि फ़हुव ख़ासिरुन फ़िहुन्या वल आख़िरति' (मुक़दमा तुहफ़तुल अहवज़ी)

इस आयते करीमा में से है कि रसूले करीम (ﷺ) की पुकार मामूली पुकारों की तरह नहीं हैं बल्कि इसको न सुनने की सूत्र में अज़ीम ख़तरा है और सारी मख़लूक की पुकारों से ये पुकार बड़ा ऊँचा मक़ाम रखती है। आप जैसे भी, बुलाएँ लम्बैक कहना उस पर फ़र्ज़ हो जाता है। और बिला शक़ व शुब्हा के आपने अपनी उम्मत को किताबो सुन्नत के साथ चंगुल मारने की दा'वत दी है पस उम्मत के लिये लाज़िम है कि आप (ﷺ) की इस दा'वत पर लम्बैक कहें और आप (ﷺ) की दा'वत, दा'वते हक़ा दुनिया मे उस वक़्त तक बाक़ी रहनेवाली है जब तक कुतुबे अहदादीषे सिहाह सित्ता (बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई तिर्मिज़ी, इब्ने माजा) बाक़ी हैं और जब तक दुनिया में कुबानी बाक़ी है आप (ﷺ) की दा'वत बाक़ी है। कुआंन व कुतुबे सिहाह की मौजूदगी में उम्मत का कोई भी शख़्स ख़वाह वो किसी भी मुल्क में रहता हो आँहज़रत (ﷺ) की दा'वते हक़ा की कुबूलियत से बरी उज़्मिमा नहीं हो सकता, ख़वाह इख़ितलाफ़े-मज़ाहिब व तबायुने मशारिब के लिहाज़ से वो कुछ भी हो। बस जो कोई भी अल्लाह और अल्लाह के दाई रसूले करीम (ﷺ) की पुकार को कुबूल न करे वो दुनिया और आख़िरत में सरासर ख़सारा नुक़सान उठाने वाला है।

इस बहष से मुता'ल्लिक़ अल्लाह ने खुद कुआंनि मजीद में आख़री फ़ैसला दे दिया है। 'वमा यन्तिकु अनिल हवा इन हुव इल्ला वहुय्यूहा' (अन् नज्म : 3,4) या'नी वो रसूल (ﷺ) अपनी ख़वाहिशे नफ़्सानी से नहीं बोलता। दीन के

बारे में वो जो कुछ भी मुँह से निकालते हैं वो सब अल्लाह की वह्य की बिना पर निकालते हैं। इसीलिये कुआन मजीद को वह्ये जली और हदीष नबवी को वह्य ख़फ़ी कहा गया है।

हाफ़िज़ इब्ने क़थ़ीम अपनी मशहूर किताब अस्सवाइकुल्मुर्सला में बज़ेल आयत करीमा 'इन्ना नहनु नज़्जलनज़्ज़िक्र वइन्ना लहू लहाफ़िज़ून' (अल हिज़र : 9) मैंने ही ये कुआन नाज़िल किया है और मैं ही इसकी हिफ़ाज़त करने वाला हूँ; के बारे में लिखते हैं, 'फ़इल्मुन अन्न कलामर्सूलि (ﷺ) फ़िद्दीनी कुल्लिही वह्युम भिन इन्दिल्लाहि फ़ हुव ज़िक्वन नज़्जलहुल्लाहु' (सियानतुल हदीष पेज नं. 39 ब-हवाला सवाइके-मुरसिला जिल्द दोम पेज नं. 371) या'नी दीनी उमूर में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जो भी फ़र्माया है वो सब अल्लाह की तरफ़ से है और वो सब ज़िक्र है जिसे अल्लाह ने नाज़िल किया है। अल्लाह पाक इसकी हिफ़ाज़त का भी ख़ुद ज़िम्मेदार है। चुनाँचे अल्लाह पाक ने इस अज़ीम ख़िदमत के लिये जमाअते मुहद्दिषीन को पैदा फ़र्माया। जिन्होंने अह्दादीषे नबवी की हिफ़ाज़त व ख़िदमत के सिलसिले में वो कारहाए नुमायाँ अंजाम दिये जिनकी मिषाल मिलनी महाल है। इस सिलसिले की दीगर तफ़्सीलात मौक़ा ब मौक़ा बयान होगी इंशाअल्लाह तआला।

फ़न्ने हदीष अहदे रिसालत व अहदे सहाबा व ताबेईन में :-

ऊपर की तफ़्सीलात पर मज़ीद वषूक हासिल करने के लिये ज़रूरी है कि ये मुआमला किया जाए कि जिस तरह कुआन मजीद की नुज़ूल की तारीख़ उसके ज़ब्त व हिफ़ाज़त का एहतिमाम, सहाबा किराम का इस सिलसिले में जोक़, अहदे रिसालत व अहदे सहाबा में नुमायाँ नज़र आता है। अहदादीषे के साथ भी सहाबा किराम का अहदे रिसालत और बाद के ज़मानों में यही मुआमला था। रसूले करीम (ﷺ) ने अगरचे कुछ मौक़ों पर ताकीद फ़र्माई थी कि कुआन मजीद की किताबत की जाए और अहदादीषे को इस डर से न लिखा जाए कि कहीं इसका कुआन मजीद में इख़ितालात (मिक्सिंग) न हो। फिर हस्बे मौक़ा आप (ﷺ) ने ख़ुद किताबते हदीष का हुक्म दिया और कुछ अहदादीषे आप (ﷺ) ने ख़ुद लिखवाईं।

इस लम्बी बहस के लिये हम निहायत ही शुक्रिया के साथ अपने मुहतरम मौलाना अब्दुरशीद नो' मानी का तब्स्रा पेश कर रहे हैं जो अगरचे लम्बा है मगर इसमें आपने बहुत से गोशों को रोशन कर दिया है। जिनके मुतालाअ से इस सिलसिले की बहुत सी मा'लूमात हमारे नाज़िरीन के सामने आ जाएंगी। किताबते हदीष के उन्वान के ज़ेल मौलाना मौसूफ़ लिखते हैं,

अरब की क़ौम आम तौर पर अनपढ़ क़ौम थी और उनमें किसी किस्म की मक्तूबी या ज़बानी ता'लीम का रिवाज न था। चुनाँचे कुआन करीम ने उनको उम्मिय्यीन ही फ़र्माया है। ख़ुद आँहज़रत (ﷺ) के मुता'ल्लिक़ भी कुआन पाक में नबिथ्यिल उम्मी वारिद है साथ ही ये भी तारीख़ शहादत देती है कि अहले अरब का हाफ़िज़ा निहायत ही क़वी था। वो अपने तमाम शजराहाए नसब, अहम तारीख़ी वाक़िआत, जंगी कारनामे, बड़े-बड़े ख़ुत्बे, लम्बे-लम्बे क़स़ीदे और नज़्मों सब जुबानी याद रखते थे। कुआन पाक नाज़िल हुआ तो अरब की आम आदत के मुताबिक़ ख़ुद आँहज़रत (ﷺ) और सहाबा किराम ने इसको जुबान की नोक पर याद रखा और इस सिलसिले को हमेशा के लिये जारी फ़र्मा दिया। इसीलिये इर्शाद है,

'बल हुव आयातुम बथ्यिनातुन्फ़ी सुदूरिल्लज़ीन ऊतुल इल्म' (अन्कबूत : 49) बल्कि ये कुआन खुली खुली आयतें हैं उन लोगों के सीने में जिनको इल्म दिया गया है।

ताहम चूँकि कुआन मजीद तमामतर मो' जिज़ : है और इसका लफ़ज़-लफ़ज़ वह्ये-इलाही है। जिसमें किसी एक लफ़ज़ की बजाय दूसरे उसके हममा'नी (पर्यायवाची) और मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ लाने की भी गुंजाइश नहीं है। इस आधार पर आँहज़रत (ﷺ) ने शुरू ही से उसकी किताबत का भी एहतिमाम फ़र्माया। चुनाँचे मा' मूले मुबारक था कि जिस वक़्त कोई आयत उतरती आप उसी वक़्त लोगों को याद करा देते और किसी कातिब को बुलाकर उसको लिखवा देते। मगर असल तवज़ुह इसको हिफ़ज़ व तिलावत पर मर्कूज़ (केन्द्रित) थी और किताबत मज़ीद बराँ थी।

हाशिया 1 : या'नी कुआन मजीद जैसा मोअजज़ा (चमत्कार) है, हदीष वैसा मोजज़ा नहीं थी। वर्ना 'उतीतु जवामेइल कलिम' के तहत हदीषे नबवी (ﷺ) भी अपनी हैषियत के अन्दर एक अज़ीम मोअजज़ा-ए-नबवी है। (दाऊद राज़)

इसके बरखिलाफ हदीष मो' जिज़: न थी, उसके अल्फ़ाज़ नहीं बल्कि मानी व मतालिब (मतलब और भावार्थ) आपके क़ल्बे मुबारक (पाक दिल) पर वारिद होते थे। और आप उसको अपने लफ़्ज़ों में अदा फ़र्माते थे और ये अल्फ़ाज़ भी हस्बे ज़रूरत मुख्तलिफ़ होते थे क्योंकि आपको अलग तबीयतों और अलग मज़ाज़ के लोगों को समझाना पड़ता था। इसी बिना पर उसके लफ़्ज़ों की बऐनिही तिलावत का हुक्म न था।

अलावा अज़ीं आपको अपनी क़ौम की कुव्वते हाफ़िज़ा और याद्दाश्त पर पूरा-पूरा विश्वास और वफ़ूक़ था क्योंकि वो जो कुछ सुनते थे उनके सफ़हे हाफ़िज़ा पर षबत (दर्ज) हो जाता था। इब्तिदा-ए-इस्लाम में किताबते हदीष की ज़रूरत नहीं समझी गई बल्कि सिर्फ़ जुबानी रिवायत का हुक्म दिया गया। और साथ ही ये ईर्द भी सुना दी गई। कि आपके बारे में अमदन (जान-बूझकर) किसी क्रिस्म की ग़लत बयान या दरोग़ज़नी का मतलब जहन्नम में अपना ठिकाना बनाना है। इतनी ही नहीं बल्कि सहीह मुस्लिम में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की जुबानी आँहज़रत (ﷺ) की ये हिदायत भी मन्कूल है कि :-
'ला तक्तुबू अन्नी व मन कतब अन्नी ग़ैरल कुआनि फ़लयमहहू व हदिषू अन्नी व ला हरज व मन कज़ज़ब अलय्य मुतअम्मिन फ़लयतबंव्व मक़अदहू मिनन्नारि.' (बाबुत तषब्बुति फ़िल हदीषि व हुक्मु किताबतिल इल्म)

मुझसे कुछ न लिखो और जिसने मुझे कुआन के अलावा कुछ लिख लिया है तो वो उसे मिटा दे और मुझसे हदीषें बयान करो इसमें कुछ हर्ज़ नहीं और जिस शख़्स ने मेरे मुता'ल्लिक़ क़स्दन (जान-बूझकर) झूठ बोला, उसे चाहिये कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले।

अगरचे इमाम बुखारी (रह.) और दीगर मुहद्दिषीन के पास ये रिवायत सहीह नहीं बल्कि मअलूल है और उनकी तहक़ीक़ में ये अल्फ़ाज़ आँहज़रत (ﷺ) के नहीं बल्कि ख़ुद अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) के हैं। जिनको ग़लती से रावी ने मफ़ूअन नक़ल किया है। लेकिन बिल फ़र्ज़ अगर इस रिवायत को मौक़ूफ़ नहीं बल्कि मफ़ूअ ही सहीह तस्लीम कर लिया जाए तब भी ये मुमानअत वक्त्रती और आरज़ी थी जो उस ज़माने में कुछ अर्से के लिये ख़ास तौर पर हिफ़ाज़ते कुआन के सिलसिले में कर दी गई थी। जिसकी वजह से बज़ाहिर ये मा'लूम होती है कि चूँकि हक़ तआला ने आपको कुआने करीम के अलावा जवामिडल कलिम: भी अता किया था जो अपने ऐजाज़ लफ़्ज़ी व मअनवी तौर पर अपनी नज़ीर आप थे। इसलिये अंदेशा था कि ये उम्मी लोग जो नए नए कुआन से आशना (परिचित) हुए हैं कहीं दोनों को खलत-मलत (मिक्स) न कर दें। इस बिना पर ग़ायत एहतियात के मद्देनज़र आपने कुआन मजीद के सिवा हर चीज़ के लिखने की मुमानअत (मनाही) कर दी और आम हुक्म दिया कि अगर आपसे कुआने मजीद के अलावा और कुछ लिख लिया गया है तो उसे मिटा दिया जाए।

अहादीषे फ़ेअलिया में तमाम अहकाम व इबादात का अमली नक़शा और उनकी तश्कील थी। अमली चीज़ें लिखवाने की बनिस्वत अमली तौर पर करके दिखलाने और फिर लोगों से उसके मुताबिक़ अमल करवाने से ज़्यादा ज़हननशीन होती हैं। इसलिये आप (ﷺ) ने उनके बारे में यही तरीक़ा इख़ितयार फ़र्माया और हिदायत कर दी कि :-

'सल्लू कमा राइतुमुनी उसल्ली' (सहीहैन) जिस तरह तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा उसी तरह तुम भी नमाज़ पढ़ा करो और हज़तुल विदाअ में रम्ये जिमार करते हुए फ़र्माया,

'ख़ुज़ू अन्नी मनासिककुम फ़ इन्नी ला अदरी लअल्ली ला अहुज़ु बअद हज़्जति हाज़िही' (सहीह मुस्लिम)
मुझसे तुम अपने हज़्ज के तरीक़े सीख लो क्योंकि पता नहीं शायद इस हज़्ज के बाद दूसरा हज़्ज न कर सकूँ।

बहुत सी चीज़ें जिनमें आपने किसी क्रिस्म की इस्लाह व तर्मीम (संशोधन) की ज़रूरत न समझी और उनको होते देखकर आप (ﷺ) ख़ामोश रहे और इस तरह अपने तर्ज़े अमल से आपने उनकी तक्रीर या'नी इब्बात फ़र्माया कि बावजूद इन चीज़ों के आपके इल्म में आ जाने के आपने उन पर किसी क्रिस्म का इंकार नहीं किया। ऐसी हदीषें तक्रीरी कहलाती हैं। अब ज़ाहिर है कि इस क्रिस्म की रोज़मर्रा की बातें अगर आप क़लमबंद करने का हुक्म देते तो एक लम्बी चौड़ी और ऊँटों पर लादने वाली ज़ख़ीम किताब बनती। जिसकी तक्लीफ़ उस वक्त्र के उम्मियों के लिये तक्लीफ़े मा ला यताक़ से कम न थी ख़ुसूसन जबकि उस वक्त्र पूरी क़ौम में लिखना जानने वालों की ता'दाद इतनी थोड़ी थी कि उँगलियों पर गिने जा सकते थे और काग़ज़

की किल्लत का ये आलम था कि लोग कुआन पाक को भी खजूर की शाखों, पेड़ों के पत्तों, ऊँट और बकरी के शानों की हड्डियों, जानवरों के चमड़ों और खालों, पालान की लकड़ियों और चौड़े-चकले और पतले-पतले पत्थरों पर लिखा करते थे।

गर्ज उस वक्त हिफाज़ते दीन के सिलसिले में वही आसान और सदा तरीका अपनाया गया जो उस अहद में अहले अरब का फ़ित्री और मुव्वज (प्रचलित) तरीका था। कुआन मजीद जो दीन की तमाम बुनियादी और बुनियादी ता'लीमात पर आधारित, और तमाम अक्राइद व अहकाम के मुता'ल्लिक कुल्ली हिदायात का हामिल है, इसका एक-एक लफ़्ज़ लोगों ने जुबानी याद किया। मजीद एहतियात के लिये मो'तबर कातिबों से खुद आँहज़रत (ﷺ) ने इसको लिखवा लिया। हदीष शरीफ़ में जो शरअ-ए-इस्लामी की तमाम ऐतकादी और अमली तफ़्सीलात पर हावी है, इसका कौली हिस्सा सहाबा किराम (रज़ि.) ने अपनी क़ौमी आदत और रिवाज के मुताबिक़ उससे भी ज़्यादा एहतिमाम के साथ अपने हाफ़्ज़े में महफूज़ रखा कि जिस एहतिमाम के साथ वो इससे पहले अपने ख़तीबों के ख़ुबे, शाइरों के क़सीदे और हाकिमा के मकूले याद रखा करते थे। और उसके अमली हिस्से पर फ़ौरन तआमुल और अमल दरआमद शुरू कर दिया गया। ज़ाहिर है कि उस वक्त में इससे ज़्यादा और क्या किया जा सकता था।

लेकिन बाद को जबकि कुआन मजीद का काफ़ी हिस्सा नाज़िल हो चुका और आम तौर पर लोग कुआन के ज़ोक्र आशना हो गए और इस बात का अंदेशा बिलकुल जाता रहा कि कलामे इलाही के साथ हदीष के अल्फ़ाज़ मिल जाएंगे। इधर ग़ज़व-ए-बद्र के बाद मदीने में बहुत से लोगों ने लिखना भी सीख लिया तो फिर किताबते-हदीष की इजाज़त दे दी गई। चुनौचे जामेअ तिमिज़ी में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से मरवी है कि :-

'कान रजुलुम मिनल अन्सारी यज़्लिसु इला रसूलिल्लाहि (ﷺ) फयस्मउ मिनन्नबिय्यी (ﷺ) अल हदीष फयअजिबुहू व ला यहफ़जुहू फ़शका ज़ालिक इला रसूलिल्लाही (ﷺ) फ़क़ाल या रसूलिल्लाह (ﷺ) इन्नी लअस्मउ मिन्कल हदीष फ़यअजिबुनी व ला अहफ़जुहू फ़क़ाल रसूलिल्लाहि (ﷺ) इस्तइना बि यमीनिक व औमा बियदिही लिल ख़त' (तिमिज़ी बाबु माजाअ फ़िरुख़सती फ़ी किताबतिल इल्मि)

एक सहाबी अंसारी आँहज़रत (ﷺ) के पास में बैठते, आपकी बातें सुनते और बहुत पसंद करते, मगर याद न रख पाते। आख़िर उन्होंने अपनी याददाश्त की खराबी की शिकायत आँहज़रत (ﷺ) से की कि या रसूलिल्लाह (ﷺ)! मैं आपसे हदीष सुनता हूँ, वो मुझे अच्छी लगती है मगर मैं उसे याद नहीं रख सकता। इस पर आपने ये इशाद फ़र्माते हुए कि अपने दाहिने हाथ से मदद लो, अपने दस्ते मुबारक से उनको लिखने की तरफ़ इशारा किया।

और हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) बयान फ़र्माते हैं कि मैंने ख़िदमत नबवी में गुज़ारिश की कि 'या रसूलिल्लाहि (ﷺ) इन्ना नस्मउ मिन्का अश्याअन् फ़नक्तुबुहा' या रसूलिल्लाह (ﷺ)! हम आपकी फ़र्मादा बातें सुनकर लिख लेते हैं।

तो आपने फ़र्माया, 'उक्तुबू व ला हरज़' लिख लिया करो कुछ हर्ज़ नहीं।

और सुनन अबी दाऊद और मुस्नद दारमी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) से रिवायत है :-

'कुन्तु अक्तुबु कुल्ल शैइन अस्मउहू मिन रसूलिल्लाहि (ﷺ) उरीदु हिफ़जुहू फ़नहतनी कुरैशुन व क़ालू तक्तुबु कुल्ल शैइन नस्मउहू व रसूलिल्लाह (ﷺ) बशरुन यतकल्लमु फ़िल ग़जबि वरिजा फ़अम्सकतु अनिल किताबति फ़ज़करतु ज़ालिक इला रसूलिल्लाही (ﷺ) फ़औमा बि इस्बिइही इला फ़ीहि फ़क़ाल उक्तुब फ़वल्लज़ी नफ़सी बियदिही मा यख़रुजु मिन्हु अल हक्क' (सुननु अबी दाऊद बाब किताबतिल इल्मि)

मैं रसूलिल्लाह (ﷺ) से जो कुछ सुनता था, हिफ़ज़ करने के लिये उसको लिख लिया करता था। फिर कुरैश ने मुझको मना कर दिया और कहने लगे कि तुम जो बात सुनते हो लिख लेते हो हालाँकि रसूलिल्लाह (ﷺ) बशर (इन्सान) हैं। गुस्से में भी कलाम फ़र्माते हैं और खुशी में भी। ये सुनकर मैंने लिखना छोड़ दिया और आँहज़रत (ﷺ) से इसका ज़िक्र किया तो आपने अपनी अंगुली से अपने दहने मुबारक की तरफ़ इशारा किया और फ़र्माने लगे कि तुम लिखो, क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़-ए-कुदरत में मेरी जान है इससे बजुज़ हक़ (हक़ के अलावा) के कुछ नहीं निकलता।

बल्कि हकीम, तिमिज़ी और समूवियह ने हज़रत अनस (रज़ि.) से और तिबरानी ने मुअजमे कबीर में और हाकिम ने मुस्तदरक में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) से आँहज़रत (ﷺ) का ये इर्शाद भी नक़ल किया है कि:—

‘क़य्यिदुल इल्म बिल किताबि’ इल्म को क़ैदे किताबत में ले आओ। (मुंतख़ब कंजुल् उम्माल जिल्द 4 पेज नं. 69)

आँहज़रत (ﷺ) की तरफ़ से लिखवाया जाना :

ख़ुद आँहज़रत (ﷺ) ने भी अनेक मौक़ों पर ज़रूरी अहक़ाम व हिदायात को क़लमबंद करवाया है।

(1) चुनाँचे सहीह बुखारी और सुनन तिमिज़ी में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से मन्कूल है कि फ़त्हे मक्का के साल क़बील-ए-ख़ुज़ाआ के लोगों ने बनी लैष के एक शख़्स को क़त्ल कर दिया था। जब इस वाक़िये की इत्तिला आप (ﷺ) को दी गई तो आप (ﷺ) ने अपनी सवारी पर सवार होकर ख़ुत्बा दिया। जिसमें हरमे मुहत्तरम की अज़मत और हुर्मत और उसके आदाब की तफ़्सील और क़त्ल के सिलसिले में क़ि़सास व दियत का बयान था। ख़ुत्बे से फ़रागत हुई तो यमन के एक सहाबी हज़रत अबू शाह (रज़ि.) ने उठकर दरख़्वास्त की कि ‘उक्तुबु ली या रसूलुल्लाहि (ﷺ)’ या रसूलुल्लाह (ﷺ)! ये ख़ुत्बा मेरे लिये लिखवा दीजिए। आप (ﷺ) ने उनकी इस दरख़्वास्त को मंज़ूर कर लिया हुक्म दिया कि ‘उक्तुबु ली अबी शाह’ अबू शाह के लिये ख़ुत्बा लिख दिया जाए। (बुख़ारी बाब किताबतुल इल्म)

(2) और हाफ़िज़ इब्ने अब्दुल बर्र जामेअ बयानिल इल्म व मुफ़ज़िला में लिखते हैं, ‘व कतब रसूलुल्लाहि (ﷺ) किताबस्सुदक़ाति वद दियात वल फ़राइज़ि वस्सुनन लि अम्रिब्नि हज़म वग़ैरह’ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अम्र बिन हज़म वग़ैरह के लिये सदक़ात, दियात, फ़राइज़ और सुनन के मुत्ता’ल्लिक़ एक किताब तहरीर करवाई थी।

अम्र बिन हज़म (रज़ि.) को आँहज़रत (ﷺ) ने 10 हिज़री में अहले नज़्रान पर आमिल बनाकर भेजा था। उस वक़्त उनकी उम्र 17 साल की थी। ये नविश्ता आप (ﷺ) ने इनको जब ये यमन जाने लगे तो हवाले किया था। सुनन निसाई में है:— ‘अन्न रसूलुल्लाही (ﷺ) कतब इला अहलिल यमनि किताबन फ़ीहिल फ़राइज़ु वस्सुननु वद दियातु बअस बिही मअ अम्रिब्नि हज़म कुरिअत अला अहलिल यमन’ (ज़कर हदीष अम्रिब्नि हज़मिन फ़िल उकूलि)

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अहले यमन की तरफ़ नविश्ता तहरीर किया था जिसमें फ़राइज़, सुनन और ख़ूँबहा के अहक़ाम थे और ये नविश्ता अम्र बिन हज़म (रज़ि.) के साथ रवाना किया था। चुनाँचे वो अहले यमन के सामने पढ़ा गया।

इस किताब का आगाज़ इस तरह होता है:— ‘मिन मुहम्मद अन्नबिय्यु (ﷺ) इला शरहबीलब्नि अब्दे किलाल व नईमब्नि अब्द किलाल वल हारिषब्नि अब्दे किलाल क़ील ज़ी रईन व मआफ़िर हमदान अम्मा बअद’ (सुनन निसाई)

और किताबुल जिराह की इब्तिदा में ये तहरीर था, ‘हाज़ा बयानुम मिल्लाहि व रसूलिही या अय्युहल्लज़ीना आमनु औफू बिल उकूदि’ फिर यहाँ से लेकर ‘इन्नल्लाह सरीउल हिसाब’ तक मुसलसल आयात दर्ज थीं। इसके बाद लिखा था ‘हाज़ा किताबुल जिराहि, फ़िन्नफ़िस्स मिउतुम्मिनल इबिलि अल अख़’ (सुनन निसाई)

इमाम इब्ने शिहाब जुहरी का बयान है कि ये किताब चमड़े पर तहरीर थी और अम्र बिन हज़म के पोते अबू बक्र बिन हज़म के पास मौजूद थी। वो ये किताब मेरे पास भी लेकर आए थे और मैं ने इसको पढ़ा था। (सुनन निसाई)

हाफ़िज़ इब्ने कषीर इस किताब के बारे में फ़र्माते हैं:—

‘फ़हाज़ल किताबु मुतदाविलुन बैन अइम्मतिल इस्लामि क़दीमन् व हदीषन यअतमिदून अलैहि व यफ़जऊन फ़ी मुहिम्माति हाज़ल बाबि इलैहि कमा क़ाल यअकुबुब्नु सुफ़यानु ला अअलमु फ़ी जमीइल कुतुबि किताबन अस्सहू मिन किताबि अम्रिब्नि हज़म कान अस्सहू रसूलुल्लाहि (ﷺ) यरजिऊन इलैहि व यदऊन अराअहुम’

ये किताब अहदे क़दीम (पुराने ज़माने) व अहदे जदीद (नये ज़माने) दोनों में अइम्म-ए-इस्लाम के बीच मुतदावल रही है जिस पर वो भरोसा करते और इस बाब के मुहिम मसाइल में रुजूअ करते रहे हैं। चुनाँचे यअकूब बिन सुफयान का बयान है कि मेरे इल्म में तमाम किताबों में कोई किताब अम्र बिन हज़म की किताब से ज़्यादा सहीह नहीं है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के अस्हाब उसकी तरफ़ रुजूअ करते और अपनी-अपनी राय को छोड़ देते।

चुनाँचे हस्बे तस्रीह हाफ़िज़ इब्ने क़षीर, सईद बिन अल मुसय्यिब से सिहत के साथ मन्कूल है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने उँगलियों की दियत के बारे में इसी किताब की तरफ़ रुजूअ किया था और दार कुत्नी ने अपनी सुनन में रिवायत किया है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब खलीफ़ा हुए तो उन्होंने ज़कात के मुता'ल्लिक आँहज़रत (ﷺ) की तहरीर को मा'लूम करने की गर्ज से मदीना मुनव्वरा में अपना आदमी रवाना किया था जिसको एक तहरीर तो आले अम्र बिन हज़म के पास मिली जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अम्र बिन हज़म को सदक़ात के बारे में लिखवाई थी। और दूसरी आले उमर बिन खत्ताब (रज़ि.) के पास दस्तयाब हुई जो हज़रत उमर (रज़ि.) ने इस सिलसिले में अपने उम्माल के नाम लिखी थी। इन दोनों नविशतों का मज़मून एक ही था। फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने तमाम उम्माल और विलात के नाम फ़र्मान ज़ारी कर दिया कि जो कुछ इन दोनों किताबों में तहरीर है उसी के मुताबिक़ अमल दरआमद किया जाए।

और हाफ़िज़ जमालुद्दीन ज़ेलई, नसबुराया में कुछ हुफ़फ़ाजे-हदीष से नक़ल करते हैं कि :-

'नुस्खतु किताबि अम्रिब्नि हज़म तलाक़काहल अइम्मतुल अरबअतु बिल कुबूलि व हिय मुतवारिषतन क नुस्खति अमरिब्नि शुऐबिन अन अबीहि अन जद्दिही' अम्र बिन हज़म (रज़ि.) की किताब को चारों अइम्मा ने कुबूल किया है और ये नुस्खा भी, नुस्ख-ए-अम्र बिन शुऐब अन अबिही अन जद्दिही की तरह मुतावारिष है।

हदीष की बेशतर किताबों में इस नुस्खे की जस्ता-जस्ता हदीषें मन्कूल हैं, हाफ़िज़ इब्ने क़षीर ने लिखा है कि :-

इसको मुस्नदन भी रिवायत किया गया है और मुसलन भी। चुनाँचे जिन हुफ़फ़ाज व अइम्म-ए-हदीष ने इसको मुस्नदन रिवायत किया है वो हस्बे ज़ेल हैं। इमाम निसाई ने अपनी सुनन में, इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में, इमाम अबू दाऊद ने किताबुल मरासील में, अबू मुहम्मद अब्दुल्लाह बिन अब्दुरहमान दारमी, अबू यअला मूसली, और यअकूब बिन सुफयान ने अपनी अपनी मुस्नदों में, नीज़ हसन बिन सुफयान नस्वी, इब्मान बिन सईद दारमी, अब्दुल्लाह अब्दुल अज़ीज़ बग़वी, अबू ज़र्ज़ा दमिश्की, अहमद बिन अल हसन बिन अब्दुल जब्बार अस्सूफ़िल्कबीर, हामिद बिन मुहम्मद बिन शुऐब बल्ख़ी, हाफ़िज़ त़िबरानी और अबू हातिम बिन हिब्बान बस्ती ने अपनी सहीह में रिवायत किया है। और बैहक़ी लिखते हैं कि 'हुव हदीषु मौसूलुल इस्नादि हसनुन।' रही मुसलात रिवायत सो वो तो बहुत से तरीकों से मन्कूल है।

मौता इमाम मालिक में भी इस नुस्खे से हदीषें मरवी हैं और इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरकु अलस्सहीहैन की सिर्फ़ किताबुज्जकात में इस नुस्खे से 63 हदीषें नक़ल की हैं, इसी तरह सुनन दारे कुत्नी और सुनन बैहक़ी वग़ैरह में भी मुख्तलिफ़ अबवाब में इसकी हदीषें मन्कूल हैं।

(3) सुनन दार कुत्नी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से मरवी है कि आँहज़रत (ﷺ) ने अहले यमन की तरफ़ हारिष बिन अब्दे कलाल और उनके साथ मुआफ़िर व हम्दान के दीगर अहले यमन के नाम एक तहरीर लिखी थी जिसमें ज़रई पैदा'वार की बाबत ज़कात के अहक़ाम दर्ज़ थे।

(4) अहले यमन के नाम अहक़ामे ज़कात के मुता'ल्लिक आँहज़रत (ﷺ) की एक तहरीर का ज़िक़र इमाम शुअबी ने भी किया है। चुनाँचे मुसन्नफ़ अबीबक्र बिन अबी शैबा की किताबुज्जकात में इस नविशते की अनेक हदीषें इमाम शुअबी की रिवायत से मन्कूल हैं।

(5) अबू दाऊद और तिर्मिज़ी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) ने किताबुस्सदक़ा तहरीर फ़र्माई और उसको आपने अभी अपने आमिलों की तरफ़ रवाना न किया था कि रहलत फ़र्मा गए। ये किताब आपकी तलवार के साथ रखी थी। फिर हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने इस पर अमल किया। जब वो भी वफ़ात पा गए तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने उसके मुताबिक़ अमल दरआमद किया। यहाँ तक कि उनकी भी वफ़ात हो गई। अबू दाऊद और तिर्मिज़ी ने

इस नविशते की हदीषें भी नक़ल की हैं और इमाम तिर्मिज़ी ने तो इसको रिवायत करके ये भी तसरीह कर दी है कि :-

‘वल अमलु अला हाज़ल हदीषि इन्द आम्मति अहलिल इल्मि’ आम उलमा का अमल इस हदीष पर है।

आँहज़रत (ﷺ) का ये नविशता उन दोनों किताबों के अलावा मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, सुनन दारमी और सुनन दारे कुल्नी वग़ैरह दीगर कुतुबे हदीष में भी मरवी है। हज़रत उमर (रज़ि.) की वफ़ात पर ये तहरीर आपके खानदान में महफूज़ रही। चुनाँचे इमाम जुहरी का बयान है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) का बयान है कि उसको हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) के दोनों सहाबजादों अब्दुल्लाह और सालिम से लेकर नक़ल कर लिया था। इमाम जुहरी कहते हैं कि मैंने इस नुस्खे को जुबानी याद कर लिया था।

(6) सुनन अबी दाऊद, जामेअ तिर्मिज़ी, सुनन निसाई और सुनन इब्ने माजा में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अलीम (रज़ि.) से मरवी है कि आँहज़रत (ﷺ) ने अपनी वफ़ात से एक माह पहले क़बील-ए-जुहैना की तरफ़ ये लिखवाकर भेजा था कि मुरदार की खाल और पुट्टों को काम में न लिया जाए। इमाम तिर्मिज़ी की रिवायत में ज़मान-ए-तहरीर वफ़ाते नबवी से दो माह पहले मज़कूर है।

(7) हाफ़िज़ इब्ने अब्दुल बर ने जामेअ बयानुल इल्म में इमाम अबू जा'फ़र मुहम्मद बिन अली (बाकिर) से ब-सनद नक़ल किया है कि आँहज़रत (ﷺ) की तलवार के दस्ते में एक सहीफ़ा रखा हुआ मिला जिसमें हदीषें लिखी हुई थीं। चुनाँचे जामेअ बयानुल इल्म में उसमें से कुछ अहदीष मन्कूल भी हैं।

ये तो मअदूदे चंद तहरीरों और कुछ नविशतों का ज़िक्र था। इनके अलावा मुख्तलिफ़ क़बाइलों को तहरीरी हिदायात, ख़ुतूत के जवाबात (पत्रों के जवाब), मदीना मुनव्वरा की मदम शुमारी (जनगणना) के कागज़ात, उस वक़्त के सुल्तानों और मशहूर फ़रमारवाओं के नाम इस्लाम के दा'वतनामे, इम्माल और विलात के नाम अहकाम, मुआहदात, सुलहनामे, अमाननामे और इस क्रिस्म की बहुत सी मुख्तलिफ़ तहरीरात थीं जो आँहज़रत (ﷺ) ने वक़्तन फ़ वक़्तन क़लमबंद करवाए। मुहदिषीन ने आपके नामे और मुआहिदात व वसाइक़ को मुस्तक़िल तज़ानीफ़ में अलग जमा किया है। चुनाँचे इसी मौज़ूअ पर हाफ़िज़ शम्सद्दीन मुहम्मद बिन अली बिन अहमद बिन तौलून दमिश्की हन्फ़ी मुतवफ़फ़ा 953 हिजरी की मशहूर तस्नीफ़ इअलामुस्साइलीन अन कुतुबि सय्यिदिल मुर्सलीन चंद साल पहले छपकर प्रकाशित हो चुकी है।

अहदे रिसालत में सहाबा के कुछ नविशते :-

साबिक़ में सुनन अबी दाऊद और दारमी के हवाले से हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन अल आस (रज़ि.) की ये तसरीह गुज़र चुकी है कि :-

मैं आँहज़रत (ﷺ) की जुबाने मुबारक से जो कुछ सुनता था हिफ़ज़ करने के इरादे से क़लमबंद कर लिया करता था।

इसी हदीष में आप ये भी पढ़ चुके हैं कि ये सब कुछ आँहज़रत (ﷺ) की इजाज़त और आपके हुक्म से था, सहीह बुखारी और जामेअ तिर्मिज़ी में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से मरवी है कि सहाबा में मुझसे ज़्यादा आँहज़रत (ﷺ) से हदीषें रिवायत करनेवाला कोई नहीं, मगर हाँ अब्दुल्लाह बिन उमर हो सकते हैं क्योंकि वो हदीषें लिखा करते थे और मैं नहीं लिखता था। इमाम अहमद ने अपनी मुन्नद में और बैहक़ी ने मुदख़ल में मुजाहिद और मुगीरह बिन अल हकीम से नक़ल किया है कि हम दोनों ने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को ये फ़मति हुए सुना है कि मुझसे ज़्यादा हदीषे रसूलुल्लाह (ﷺ) का कोई आलिम नहीं मगर अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का मुआमला अलग है क्योंकि वो अपने हाथ से लिखते और दिल से याद रखते थे और मैं सिर्फ़ याद रखता था, लिखता न था। उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से लिखने की इजाज़त माँगी थी, और आपने उनको इजाज़त दे दी थी।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस (रज़ि.) ने हदीषे नबवी (ﷺ) की किताबत का जो सिलसिला शुरू किया था उससे एक अच्छी खासी ज़ख़ीम किताब तैयार हो गई थी जिसका नाम उन्होंने ‘असू सादिक़्ा’ रखा था। ये किताब उन्हें इस क़दर प्यारी थी कि अक़़र फ़र्माया करते थे :-

‘मा यरगबुनि फ़िलहयातिहुन्या इल्लस्मादिक्रतु वल वहतु’ मुझे ज़िंदगी की यही दो चीज़ें ख्वाहिश दिलाती हैं, सादिका और वहत। फिर खुद ही उन दोनों चीज़ों की पहचान इन अल्फाज़ में कराते हैं :-

‘व अम्मस सादिक्रतु सहीफ़तुन क्रतब्तुहा मिन रसूलिल्लाहि (ﷺ) व अम्मल वहतु फअरज़ुन तसद्क़ बिहा अमरुब्नुल आसि कान यकूम अलैहा.’

सादिका तो वो सहीफ़ा है जिसको मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनकर लिखा है और वहत वो ज़मीन है जिसको (वालिद बुजुर्गवार) हज़रत अम्र बिन अल आस (रज़ि.) ने राहे खुदा में वक्फ़ किया था और वो उसकी देखभाल किया करते थे।

ये सहीफ़ा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) की वफ़ात पर उनके पोते शुऐब बिन मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह को मिला था और शुऐब से उस नुस्खे को उनके बेटे अम्र रिवायत करते हैं। चुनाँचे हदीष की किताबों में ‘अम्फ़ुनु शुऐबिन अन अबीहि अन जद्दिही’ के सिलसिले से जितनी भी रिवायतें मन्कूल हैं वो सब सहीफ़े सादिका ही की हदीषें हैं। साबिक़ में कुछ हुपफ़ाज़े हदीष की तस्रीह आप पढ़ चुके हैं कि ये नुस्खा मुतावारिष है। शुऐब के वालिद मुहम्मद का इतिक़ाल अपने बाप की ज़िंदगी में ही हो गया था। इसलिये पोते की तमाम तर्बियत दादा ही की ज़िल्ले आतिफ़त (छत्रछाया) में हुई थी। अलबत्ता मुहद्दिषीन का इसमें इख़िताफ़ है कि शुऐब ने सादिका का ये नुस्खा दादा से पढ़ा था या नहीं। कुछ सख़्तगीर मुहद्दिषीन ने इसी बिना पर उन रिवायत के इत्तिस्लाल पर भी कलाम किया है। चुनाँचे हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी ‘तहज़ीबुत्तहज़ीब’ में अम्र बिन शुऐब के तर्जुमें में यह्या बिन मुईन से नक़ल करते हैं कि:-

‘हुव षिक्रतुन फ़ी नफ़िसही व मा रवा अन अबीहि अन जद्दिही ला हुज्जतुन फ़ीहि व लैस बि मुत्तसिलिन व हुव ज़ईफ़ुन मिन क़बीलि अन्नहू मुर्सलुन वजद शुऐबुन कुतुब अब्दिल्लाहिब्नि अमरिन फ़ कान यरवीहा अन जद्दिही इसालिन व हिय सिहाहुन अन अब्दिल्लाहिब्नि अमरिन ग़ैर अन्नहू लम यसमअहा’

ये खुद तो षिका है और जो रिवायत ये अपने बाप शुऐब से और वो अपने दादा अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से करते हैं वो हुज्जत नहीं ग़ैर मुत्तसिल है और ब-सबब मुर्सल होने के ज़ईफ़ है। शुऐब को अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) की किताबें मिली थीं, चुनाँचे वो उनको अपने दादा से मुर्सलन रिवायत करते हैं। ये रिवायतें अगरचे अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से सहीह हैं। लेकिन इनको शुऐब ने नहीं सुना था। हाफ़िज़ इब्ने हजर इस इबारत को नक़ल करते हुए फ़र्माते हैं कि :-

‘कुल्लतु फ़इज़ा अशहद लहूब्नु मुईनुन अन्न अहादीषहु सिहाहुन ग़ैर अन्नहू लम यस्मअहा व सहह सिमाउहु लिबअज़िहा फ़गायतुल बाक़ी अन्प्यकून विजादतन सहीहतन व हुव अहदु वुजूहित तहम्मलि’

मैं कहता हूँ जबकि इब्ने मुईन इस अम्र की शहादत दे रहे हैं कि इसकी हदीषें तो सहीह है मगर उनको शुऐब ने नहीं सुना है और कुछ हदीषों को सिमाअे सेहत को पहुँच चुका है तो बक़िया हदीष की रिवायत ज़्यादा से ज़्यादा (विजाद-ए-सहीहा) से होगी और ये भी अख़ज़े इल्म का एक तरीक़ा है।

और इमाम तिर्मिज़ी अपनी जामेअ में फ़र्माते हैं कि:-

‘व मन तकल्लम फ़ी हदीषि अमरिब्नि शुऐबिन इन्नमा ज़अअफ़हु लिअन्नहू युहदिषु अन सहीफ़ति जद्दिही कअन्नहम रऔ अन्नहू लम यस्मअ हाज़िहिल अहादीष अन जद्दिही.’

और जिसने भी अम्र बिन शुऐब की हदीष में कलाम किया है, सो सिर्फ़ इस बिना पर उसकी तज़ईफ़ की है कि वो अपने दादा के सहीफ़े से हदीषें बयान करते थे। गोया उन लोगों की ये राय है कि उन्होंने इन हदीषों को अपने दादा से नहीं सुना था।

लेकिन अक़षर मुहद्दिषीन अम्र बिन शुऐब की इन हदीषों को हुज्जत मानते और सहीह समझते हैं। चुनाँचे इमाम तिर्मिज़ी इसी इबारत से ज़रा पहले इमाम बुखारी से नक़ल करते हैं कि:-

‘रअयतु अहमद व इस्हाक़ व ज़कर ग़ैरहुमा यहतज्ज़ून बिहदीषि अमरिब्नि शुऐबिन’ मैंने अहमद बिन हंबल,

इस्हाक बिन राहवै, और इन दोनों के अलावा मुहद्दिषीन (का भी जिक्र किया कि) इन सबको देखा कि वो अम्र बिन शुऐब की हदीषों को हुज्जत मानते थे।

और 'बाबु मा जाअ फ़ी ज़काति मालिल यतीमि' में लिखते हैं :-

'व अम्मा अक्फ़रुअहलिल हदीषि फयहतजून बि हदीषि अमरिबिनि शुऐबिन व युषबितूनहू' और अकफ़र मुहद्दिषीन अम्र बिन शुऐब की हदीषों को हुज्जत समझते और प्राबित मानते हैं।

इमाम बुखारी और इमाम तिर्मिज़ी ने इसकी भी तस्रीह की है कि शुऐब ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से हदीषें सुनी हैं। शुऐब को तो ये पूरा नुस्खा विरायत में मिला ही था। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से उनके दूसरे तलामिज़ा (शागिर्दाँ) ने जितनी हदीषें रिवायत की हैं, वो भी इसी सहीफ़-ए-सादिका की हैं।

(2) अह्ददे रिसालत के तहरीरी नविशतों में से एक हज़रत अली (रज़ि.) का भी सहीफ़ा था। जिसके मुता'ल्लिक़ खुद उनका बयान है कि :-

'मा कतबना अनिन्नबिय्यि (ﷺ) इल्लल कुआन व मा फ़ी हाज़िहिस्सहीफ़ति.'

हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) से बजुज कुआन के और जो कुछ इस सहीफ़े में दर्ज है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा। ये सहीफ़ा चमड़े के एक थैले में था जिसमें हज़रत अली (रज़ि.) की तलवार मज़ नियाम के रखी रहती थी, ये वही सहीफ़ा है जिसके मुता'ल्लिक़ सहीह बुखारी में आपके साहबज़ादे मुहम्मद बिन हनफ़िय्या से मज़कूर है कि :-

'अर्सलनी अबी खुज लिहाज़ल किताबि फ़जहब बिही इला उप्मान फ़इन्न फ़ीहि अमरुन्नबिय्यि (ﷺ) फ़िस्सदक़ति' मुझको मेरे वालिद ने भेजा कि इस किताब को लेकर हज़रत उप्मान (रज़ि.) के पास जाओ क्योंकि इसमें ज़कात के मुता'ल्लिक़ आँहज़रत (ﷺ) के अहकाम दर्ज हैं।

इस सहीफ़े में ज़कात के अलावा खूनबहा, असीरों की रिहाई, काफ़िर के बदले मुसलमान को क़त्ल न करना, हरमे मदीना के हुदूद और उसकी हुर्मत, ग़ैर की तरफ़ इतिसाब की मुमानअत, नक़्जे अहद की बुराई। ग़ैर के लिये जिब्ह करने पर वईद और ज़मीन के निशानात मिटाने की मज़म्मत वग़ैरह बहुत से अहकाम व मसाइल दर्ज थे। हदीष की अकफ़र किताबों में इस सहीफ़े की रिवायतें मौजूद हैं। खुद इमाम बुखारी (रह.) ने भी हस्बे ज़ेल अबवाब में इस सहीफ़े की मज़कूरा बाला रिवायात को नक़ल किया है। (1) बाबु किताबतिल इल्मि (2) बाबु हुरुमिल मदीनति (3) बाबु फ़िकाकिल असीरि (4) बाबु ज़िम्मतिल मुस्लिमीन व जवारिहिम वाहिदतुन यसआ बिहा अदनाहुम (5) बाबुन इप्मुम मन आहद शुम्म ग़दर (6) बाबुन इप्मुम मन तबर्अ मिम्मवालीहि (7) बाबुल आक़िलति (8) बाबुन लायुक्त्तलुल मुस्लिमु बिल काफ़िरि (9) बाबुन यकरहू मिनत तअम्मुक्रि वत्तनाज़ुइ फ़िल इल्मि वल गुलुव्वि फ़िहीनि। सहीह बुखारी में इसका भी जिक्र किया गया है कि हज़रत अली (रज़ि.) ने एक बार मिम्बर पर खुत्बा दिया तो आपकी तलवार के साथ ये सहीफ़ा आवेज़ाँ था फिर आपने फ़र्माया कि अल्लाह की क़सम! हमारे पास बजुज किताबुल्लाह के और जो कुछ इस सहीफ़े में लिखा हुआ है इसके अलावा कोई नविशता नहीं कि जो पढ़ा जा सके। उसके बाद आपने उस सहीफ़े को खोला और लोगों को उसके मसाइल पर इतिला हुई।

(3) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) के मुता'ल्लिक़ साबिक़ में गुज़र चुका है कि वो अह्ददे रिसालत में हदीषें लिखा करते थे जिसकी इजाज़त नबी करीम (ﷺ) ने खुद दी थी। चुनाँचे उनके पास भी आँहज़रत (ﷺ) की बहुत सी हदीषें तहरीरी शक़्ल में मौजूद थीं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मज़कूर है कि एक बार मरवान ने खुत्बा दिया जिसमें मक्का और उसकी हुर्मत का जिक्र था। तो हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) ने पुकारकर कहा कि अगर मक्का हरम है तो मदीना भी हरम है जिसका

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हरम करार दिया है और ये हुकम हमारे पास चमड़े पर लिखा हुआ है अगर तुम चाहो तो तुम्हें पढ़कर सुना दें। मरवान ने जवाब दिया हाँ! हमें भी आपका ये हुकम पहुँचा है।

सहाबा किराम के कुछ और नविशते :-

(1) सहीह बुखारी, सुनन अबी दाऊद (बाबुन फ्री जकातिस्साइमति), सुनन निसाई (बाबुन जकातिल इबिलि) में मज़कूर है कि हज़रत अबूबक्र सिदीक (रज़ि.) ने जब हज़रत अनस (रज़ि.) को बहरैन पर आमिल बनाकर भेजा तो ज़कात के मसाइल व अहकाम के मुता'ल्लिक एक मुफ़स्सिल तहरीर लिखकर उनके हवाले की, जो इन लफ़्ज़ों से शुरू होती है:-

'बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम. हाज़िही फ़रिज़तुस्सदकतिल्लति फ़रिज़ रसूलुल्लाहि (ﷺ) अलल मुस्लिमीन वल्लती अमरल्लाहु बिहा रसूलहू.... अल अख़' (सहीह बुखारी, बाबु जकातिल ग़नमि)

इमाम बुखारी ने इस नविशते की रिवायत को किताबुज्जकात के तीन मुख्तलिफ़ अबवाब में मुतफ़रि़क़ तौर पर दर्ज किया है और अपनी सहीह में 11 जगह इसको रिवायत किया है। छह: जगह किताबुज्जकात में और दो जगह किताबुल्लिबास में और एक एक जगह किताबुशिकरति अबवाबुल खुमुसि और किताबुल हियलि में। ये नविशता हज़रत अनस (रज़ि.) के खानदान में बराबर महफूज़ चला आता था। चुनाँचे इमाम बुखारी ने इसको मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन मुन्ना बिन अब्दुल्लाह बिन अनस (रज़ि.) जो हज़रत अनस (रज़ि.) के पोते हैं, से रिवायत करते हैं कि मुहम्मद इसको अपने वालिद अब्दुल्लाह से और अब्दुल्लाह अपने चचा धुमामा बिन अब्दुल्लाह बिन अनस से, और वो खुद हज़रत अनस (रज़ि.) से इसके रावी हैं। और इमाम अबू दाऊद इसको हदीष के मशहूर रावी हम्माद बिन सलमा से रिवायत करते हैं। जिनमें हम्माद की ये तस्रीह भी मौजूद है कि मैंने खुद धुमामा से इस नविशते को अख़ज़ किया है, उस पर आँहज़रत (ﷺ) की मुहरे मुबारक भी षबत (लगी हुई) थी।

(2) जामेअ तिर्मिज़ी में सुलैमान तैमी से मन्कूल है कि हसन बसरी और क़तादा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) के सहीफ़े से हदीषों रिवायत किया करते थे। हज़रत जाबिर (रज़ि.) के इस सहीफ़े का ज़िक्र बहुत से मुहद्दिषीन के तज़िकरे में आया है। हाफ़िज़ ज़हबी ने तज़किरतुल हुफ़फ़ाज़ में क़तादा के तर्जुमे में इमाम अहमद बिन हंबल से नक़ल किया है कि:-

'कान क़तादतु अहफ़ज़ु अहलिल बस्रति ला यसमउ शौअन इल्ला हफ़िज़हू कुरिअत अलैहि सहीफ़तु जाबिरिन मरतन फ़हफ़िज़हा'

क़तादा अहले बसरा में सबसे बड़े हाफ़िज़ थे, जो सुनता याद हो जाता। हज़रत जाबिर (रज़ि.) का सहीफ़ा सिर्फ़ एक बार उनके सामने पढ़ा गया था, बस उन्हें याद हो गया।

हाफ़िज़ इब्ने हज़र अस्कलानी ने तहज़ीबुतहज़ीब में इस्माईल बिन अब्दुल करीम सन्आनी (मुतवफ़फ़ा 210 हिजरी) के तर्जुमे में भी इस सहीफ़े का ज़िक्र किया है। ये इसको वहब बिन मुनब्बा से और वो इसको हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत करते थे और सुलैमान बिन क़ैस यश्करी के तर्जुमे में लिखते हैं कि:-

'क़ाल अबू हातिम जालस जाबिरिन व कतब अन्हु सहीफ़तन व तवफ़फ़ा व रवा अबुज्जुबैर व अबू सुफ़यान वशशुअबी अन जाबिरिन व हुम क़द समिउ मिन जाबिरिन व अक़षरहु मिनस्सहीफ़ति व कज़ालिक क़तादतु.'

अबू हातिम का बयान है कि सुलैमान ने हज़रत जाबिर (रज़ि.) की हमनशीनी इख़ितयार की और उनसे सहीफ़ा लिखा और वफ़ात पा गये और अबू अज्जुबैर, अबू सुफ़यान और शुअबा ने भी हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायतें की हैं और उन लोगों ने हज़रत जाबिर (रज़ि.) से हदीषों भी सुनी हैं जो अक़षर उसी सहीफ़े की हैं, और इसी तरह क़तादा ने भी।

और त़लहा बिन नाफ़ेअ अबू सुफ़यान वास्ती के तर्जुमे में सुफ़यान बिन उयैयना और शुअबा दोनों का मुत्तफ़का बयान नक़ल किया है कि:-

‘हदीषु अबी सुफ़यान अन जाबिरिन इन्नमा हिय सहीफ़तुन’ अबू सुफ़यान जाबिर (रज़ि.) से जो हदीष रिवायत करते हैं, वो सहीफ़े से होती है।

- (3) हाफ़िज़ इब्ने हज़र ने तहज़ीबुतहज़ीब में हज़रत हसन बज़री के तर्जुमे में लिखा है कि उन्होंने हज़रत समुरह बिन जुंदुब (रज़ि.) से हदीष का एक बहुत बड़ा नुस्खा रिवायत किया है जिसकी बेशतर हदीषें सुनने अर्बअ में मन्कूल हैं। अली बिन अल मदीनी और इमाम बुखारी दोनों ने तस्रीह की है कि इस नुस्खे की सब हदीषें उनकी मस्मूआ (सुनी हुई) थीं। लेकिन यहा बिन सईद अल क़त्तान और दीगर उलमा ये कहते हैं कि ये सब नविशते से रिवायत करते हैं। इस नुस्खे को इमाम हसन बज़री के अलावा खुद हज़रत समुरह बिन जुंदुब (रज़ि.) के साहबज़ादे सुलैमान बिन समुरह भी उनसे रिवायत करते हैं। चुनाँचे तहज़ीबुतहज़ीब में सुलैमान के तर्जुमे में मज़कूर है, रवा अन अबीहि नुसख़तन कबीरतन।
- (4) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) अगरचे अहदे रिसालत में हदीषें लिखते न थे लेकिन बाद में उन्होंने भी अपनी तमाम रिवायतों को तहरीरी शक़ल (लिखित रूप) में महफूज़ कर लिया था। चुनाँचे इब्ने वहब ने हसन बिन अम्र बिन उमय्या जम्पी का बयान नक़ल किया है कि मैंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से एक हदीष बयान की तो वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर पर ले गये और हदीषे नबवी (ﷺ) की किताबें दिखलाकर कहने लगे, देखो ये हदीष मेरे पास भी लिखी हुई है।
- (5) इमाम तिर्मिज़ी ने अपनी जामेअ में किताबुल इलल के अंदर इकरमा से रिवायत की है कि एक बार ताइफ़ के कुछ लोग हज़रत अब्बास (रज़ि.) की ख़िदमत में उनकी किताबों में से एक किताब लेकर आए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने उस किताब को लेकर पढ़ना शुरू किया, मगर अल्फ़ाज़ में तक्दीम व ताख़ीर होने लगी तो आपने उनसे फ़र्माया कि मैं तो इस मुसीबत (जुअफ़े बज़र) के सबब आज़िज़ हो चुका हूँ तुम खुद इसको मेरे सामने पढ़ो क्योंकि (जवाज़े रिवायत में) तुम्हारा मेरे सामने पढ़कर सुनाना और मेरा इकरार कर लेना ऐसा ही है जैसा कि मेरा खुद तुम्हारे सामने पढ़ना।
- (6) हाफ़िज़ इब्ने अब्दुल बर ने जामेअ बयानुल इल्म में अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के नबीरा मअन बिन अब्दुर्रहमान की जुबानी नक़ल किया है कि :-

‘अख़रज इलय्य अब्दुर्रहमानिब्नि अब्दिल्लाहिब्नि मसऊदिन किताबन व हलफ़ लि अन्नहु मिन ख़त्ति अबीहि बियदिही’

(वालिदे मुहरतम) अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन मसऊद एक किताब सामने निकालकर लाए और क़सम खाकर मुझसे कहने लगे कि ये अब्बाजान के अपने हाथ की लिखी हुई है।

हमने सहाबा कि सिर्फ़ उन चंद मशहूर नविशतों के ज़िक्र पर इक्तिफ़ा की है कि जो बहुत सी अहदीष पर मुश्तमिल (आधारित) थे या जो मुस्तक़िल सहीफ़े और किताब की हैषियत रखते थे। वरना अगर सहाबा की उन तमाम तहरीरात को यकजा जमा किया जाए कि जिसमें उन्होंने किसी हदीष का ज़िक्र किया है तो उसके लिये एक मुस्तक़िल किताब चाहिये। जिसके लिये काफ़ी फ़ुर्सत और वसीअ मुतालअ और ततब्बुअ व तलाश की ज़रूरत है।

अहदे सहाबा (रज़ि.) में ताबेईन के नविशते :-

- (1) सुनन दारमी में बशीर बिन नुहैक सदौसी से जो मशहूर ताबेई हैं, मन्कूल है कि :-

‘कुन्तु अवक्तुबू मा अस्मउ मिन अबी हुरैरत फलम्मा अरन्तु अन उफ़ारिक़हू अतैतुहू बि किताबिही फ़क्ररअतुहू अलैहि व कुल्ल्तु लहू हाज़ा मा समिअतु मिन्क क़ाल नअम.’ (बाबु मन रख़्ख़स फ़ी किताबतिल इल्मि) .

मैं हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से जो हदीषें सुनता था लिख लेता था। फिर जब मैंने उनसे रूख़सत होने का इरादा किया तो उस किताब को लेकर उनकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उसको उनके सामने पढ़कर सुनाया। और फिर उनसे कहा कि ये सब वही हदीषें हैं जो मैंने आपसे सुनी हैं। फ़र्माने लगे हॉ।

इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने भी किताबुल इलल में इस वाक़िअ को बिल इख़ित्सार नक़ल किया है।

(2) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की मर्वियात से एक सहीफ़ा ह़माम बिन मुंबा यमानी ने भी मुस्तब किया था। उसमें एक सौ चालीस के करीब अह्दादीष मज़कूर हैं। ये पूरा सहीफ़ा इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी मुस्नद में यक़्जा रिवायत किया है। सहीहैन में भी इस सहीफ़े की रिवायतें मुतफ़रि़क़ तौर पर मौजूद हैं। हाफ़िज़ इब्ने हज़र ने इस सहीफ़े के मुता'ल्लिक़ इब्ने ख़ुजेमा के ये अल्फ़ाज़ नक़ल किये हैं कि 'सहीफ़तु ह़म्माम अन अबी हुरैरत मशहूरतुन' ये सहीफ़ा आज भी जर्मनी के मशहूर शहर बर्लिन के कुतुबखाने (लाइब्रेरी) में मौजूद है।

(3) सुनन दारमी में सईद बिन जुबैर से जो मशहूर अइम्म-ए-ताबेईन में से हैं, मरवी है कि,

'कुन्तु अक्तुबु इन्दब्नि अब्बासिन फ़ी सहीफ़तिन' (बाबु मन रख़्बस फ़ी किताबतिल इल्मि) मैं इब्ने अब्बास (रज़ि.) के पास बैठा सहीफ़े में लिखता रहता था।

दारमी ही ने उनसे ये भी नक़ल किया है कि मैं रात को मक्का मुअज़्जमा की राह में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के हमरिकाब होता। वो मुझसे कोई हदीष बयान करते तो पालान की लकड़ी पर लिख लेता ताकि सुबह को फिर उसे नक़ल कर सकूँ। सुनन दारमी ही में है कि उनका बयान भी मज़कूर है कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रात को हदीष सुनता तो पालान की लकड़ी पर लिख लेता था।

(4) सुनन दारमी में सलम बिन क़ैस का बयान मज़कूर है कि मैं ने अबान को देखा कि वो हज़रत अनस (रज़ि.) के पास बैठे तख़्तियों पर लिखते रहते थे। (बाबु मज़कूर)

(5) हज़रत ज़ैद बिन प्राबित (रज़ि.) एक ज़माने तक किताबते हदीष के क़ाइल न थे। मरवान ने अपनी इमारते मदीना के ज़माने में उनसे ख़्वाहिश ज़ाहिर की कि वो कुछ हदीषों लिख दें मगर आपने मंज़ूर न फ़र्माया। आख़िर उसने ये तदबीर निकाली कि पदों के पीछे कातिब बिठाया और खुद हज़रत ज़ैद (रज़ि.) को अपने यहाँ बुलाने लगा। यहाँ मुख्तलिफ़ लोग आपसे मसाइल व अहक़ाम दरयाफ़्त करते, और आप जो कुछ फ़र्माते कातिब लिखता जाता।

हिफ़्जे हदीष :-

ये मअदूदे चंद वाक़िआत हैं जिनमें खुद सहाबा किराम या सहाबा के सामने हदीष के सहीफ़े और नविश्ते लिखे जाने का ज़िक्र है। दौरे ताबेईन में अगरचे अह्दादीष के क़लमबंद करने का सिलसिला पहले से बहुत ज़्यादा हो गया था। ताहम अब तक आम तौर पर लोग लिखने के आदी न थे और जो कुछ लिखते उससे मत्रसूद सिर्फ़ उसको अज़बर करना होता था उस ज़माने में हदीषों को सुनकर जुबानी याद करने का उसी तरह रिवाज था जिस तरह मुसलमान कुर्आन को याद करते हैं।

इमाम मालिक (रह.) फ़र्माते हैं:-

'लम यकुनिल क़ौमु यक्तुबून इन्नमा कानू यहफ़ज़ून फ़ मन कतब मिन्हुमुशयअ फ़ इन्नमा यक्तुबूहु लियहफ़ज़हु फ़इज़ा हफ़िज़हू महाहू.'

अगले लोग लिखते न थे बस हिफ़ज़ करते थे और जो कोई उनमें से कुछ लिख भी लेता तो हिफ़ज़ करने ही के लिये लिखता और जब हिफ़ज़ कर लेता तो उसे मिटा डालता।

तक़रीबन पहली सदी हिजरी तक अरब इलमा आम तौर पर किताबत को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अरबों का हाफ़ज़ा फ़ितरतन निहायत क़वी (मज़बूत) था। वो जो कुछ सुनते फ़ौरन याद कर लेते थे ऐसी सूरत में किसी चीज़ को लिखना तो दरकिनार उसका दोबारा पूछना भी तअज़्जुब से देखा जाता था। चुनाँचे सुनन दारमी में इब्ने शब्रमा की जुबानी मन्कूल है कि शुअबी कहा करते थे। ऐ शबाक (शुअबी के शागिर्द का नाम) मैं तुमसे दोबारा हदीष बयान कर रहा हूँ हालाँकि मैंने कभी किसी से हदीष के दोबारा इआदत की दरख्वास्त नहीं की।

उसी किताब में शुअबी का ये बयान भी मौजूद है कि 'मा कतबतु सवादन फ़ी बयाज़िन वलस्तअत्तु हदीषन मिन इन्सानिन.' मैंने न कभी सपैदी पर स्याही से लिखा और न कभी किसी इंसान से एक बार हदीष सुनकर दोबारा उससे इआदह करवाया।

सुनन दारमी ही में इमाम मालिक से ये भी मरवी है कि इमाम जुहरी ने एक बार एक हदीष बयान की फिर किसी रास्ते में मेरी जुहरी की मुलाक़ात हुई। तो मैंने उनकी लगाम थामकर कहा कि ऐ अबूबक्र (ये इमाम जुहरी की कुत्रियत है) जो हदीष आपने हमसे बयान की थी उसे ज़रा मुझे दोबारा बता दीजिए। जवाब दिया तुम हदीष को दोबारा पूछते हो? मैंने कहा क्या आप दोबारा नहीं पूछते थे? कहने लगे नहीं! मैंने कहा लिखते भी न थे? कहने लगे, नहीं!

हाफ़िज़ इब्ने अब्दुल बर्र, जामेअ बयानुल इल्म में उन तमाम उलमा के अक्वाल नक़ल करने के बाद कि जो किताबते इल्म को पसंदीदा नज़र से नहीं देखते थे, फ़र्माते हैं:—

'मिन ज़िक्विना क़ौलहू फ़ी हाज़ल बाबि फ़इन्नमा ज़हब फ़ी ज़ालिक मज़हबल अरबि लि अन्नहुम कानू मतबूईन अलल हिफ़िज़ मख़सूसीन बि ज़ालिक वल्लज़ीन करिहुल किताब कब्नि अब्बासिन वशशुअबी वब्नु शिहाबिन वन्नख़ई व क़तादत व मन ज़हब मज़हबहुम व जबल्ल ज़िबल्लतहुम कानू कत तबउ अलल हिफ़िज़ फ़ कान अहदुहुम यजतज़ी बिस्सुमअति अला तरा मा जाअ अनिब्नि शिहाबिन अन्नहू कान यकूलु इत्री लअमरु बिल बक़ीइ फ़असहुआज़ानी मखाफ़तुन अय्यदख़ुल फ़ीहा शैउम मिनलख़ना फ़वल्लाहि मा दख़ल उजनी शैउन क़त्तु फ़नसयतुह व जाअ अनिशशुअबी नहवहु व हा-उलाइ कुल्लुहुम अरब. व क़ालन्नबिय्यु (ﷺ) नह्तु उम्मतुन उम्मियतुन ला नक़तुबु व ला नहसबु हाज़ा मशहूरुन इन्नल अरब क़द ख़स्सत बिल हिफ़िज़ कान अहदुहुम यहफ़ज़ू अशआर बअज़िन फ़ी सुमअतिन वाहिदतिन व क़द जा—अन्नब्न अब्बासिन (रज़ि.) हफ़िज़ क़स्सीदत इमरब्नि रबीअत फ़ी सुमअतिन वाहिदतिन अला मा—ज़करु व लैस अहदुल यौम अला हाज़ा व लौलल किताबु लज़ाअ क़ज़ीरुम मिनल इल्मि व क़द रख़वस रसूल (ﷺ) फ़ी किताबिल इल्मि व रख़वस फ़ीहि जमाअतुम मिनल उलमा—इ व हमिदु ज़ालिक'

जिसका क़ौल भी हमने इस बात में ज़िक्र किया है वो इस बारे में अरब की रविश पर गया है क्योंकि वो फ़ितरी तौर पर कुव्वते हाफ़ज़ा रखते थे और इस सिलसिले में मुम्ताज़ थे। और जिन हज़रत ने भी किताबत को नापसंद फ़र्माया है जैसे हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.), इमाम शुअबी, इमाम इब्ने शिहाब, जुहरी, इमाम इब्राहीम नख़ई और क़तादा और वो हज़रत जो उन्हीं के तरीक़े पर चले और उन ही की फ़ितरत पर पैदा हुए, ये सबके सब वो हैं जो तबअी तौर पर कुव्वते हाफ़िज़ा रखते थे। चुनाँचे उनमें का एक—एक शख़्स सिर्फ़ एक बार सुन लेने पर इक्तिफ़ा किया करता था। देखते नहीं कि इब्ने शिहाब से मरवी है कि वो फ़र्माया करते थे मैं जब बक़ीअ से गुज़रता हूँ तो अपने कान इस डर से बंद कर लेता हूँ कि कहीं कोई फ़हश बात उसमें न पड़ जाए क्योंकि अल्लाह की क़सम! कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बात मेरे कान में पड़ी और मैं उसको भूल गया हूँ और शुअबी से भी इसी किस्म का बयान मन्कूल है। ये सब लोग अरब थे और आँहज़रत (ﷺ) का इशार्द है कि हम उम्मी लोग हैं न लिखना जानते हैं न हिसाब न करना।

और ये चीज़ तो मशहूर है कि अरब को जुबानी याद रखने में ख़ुसूसियात हासिल है, चुनाँचे उनमें का एक—एक शख़्स कुछ लोगों के अशआर को एक बार के सुनने में हिफ़िज़ कर लिया था। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के मुता'ल्लिक आता है कि उन्हीं उमर बिन अबी रबीआ के क़स्सीदे अम—न आलु नअम अन्ता गादिन फ़ मुबक्किरु को सिर्फ़ एक बार सुनकर याद कर लिया था। चुनाँचे उलमा ने इस वाक़िऐ का ज़िक्र किया है और आज एक शख़्स भी इस तरह की कुव्वते हाफ़ज़ा नहीं रखता बल्कि अगर तहरीर न हो तो इल्म का बड़ा हिस्सा ज़ाये (नष्ट) हो जाए। हालाँकि आँहज़रत (ﷺ) भी किताबते इल्म की इजाज़त मर्हमत फ़र्मा चुके हैं और उलमा की एक जमाअत ने भी इसकी रख़सत दी है और इसको फ़ेअले महमूद (बेहतरिन काम) क़रार दिया है।

और ये उन उलमा की बरकत है कि जिसकी बदीलत हम एक हजार साल तक हर दौर में हदीष शरीफ़ के हाफ़िज़ बड़ी ता'दाद में नज़र आते हैं और कुआनि करीम के हुफ़्फ़ाज़ तो अलहम्दुलिल्लाह आज भी दुनिया के चप्पे-चप्पे पर फैले हुए हैं। पिछली चंद सदियों में हिफ़्ज़े हदीष का सिलसिला बहुत ही कम हो गया, ताहम मताबेअ के वजूद में आने से पहले-पहले उलमा-ए-इस्लाम का ये आम दस्तूर था कि वो हर फ़न में एक मुख्तसर मतन तालिबे इल्म को हिफ़्ज़ याद करा दिया करते थे। मौजूदा सदी को छोड़कर किसी सदी के उलमा का तज़क़िरा उठा लीजिए और उनके हालात पढ़िए तो आपको मा'लूम हो जाएगा कि वो मुख्तलिफ़ उलूम व फ़ूनून (ज्ञान और विज्ञान) की कितनी किताबें जुबानी याद किया करते थे।

नाज़िरीन किराम ने तफ़्सीलाते मज़क़ूरा से अंदाज़ा लगाया होगा कि हिफ़्ज़ते हदीष के सिलसिले में मुसलमानों की ख़िदमात उनको अदयाने आलम के पैरोकारों (दुनिया के अन्य धर्मों के मानने वालों पर) पर नुमायाँ मक़ाम देती हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) के हर-हर मुक़द्दस इशाद की हिफ़्ज़त के लिये उन्होंने हर वो कोशिश की जो इंसानी दायर-ए-इम्कान के अंदर दाख़िल है। मुसलमानों के यहाँ लफ़्ज़ 'हाफ़िज़' अपनी जगह पर खुद एक मुअज़्ज़ज़ लक़ब बन गया। हुफ़्फ़ाज़े कुआन का तो ज़िक्र ही क्या है मगर हुफ़्फ़ाज़े हदीष भी इस क़रत के साथ होते चले आ रहे हैं कि उनकी तफ़्सीली तज़्किरों से इस्लामी तवारीख़ (इतिहास) की किताबें भरपूर हैं।

हुफ़्फ़ाज़े हदीष अहदे सहाबा (रज़ि.) में :-

सहाबा किराम (रज़ि.) को कुआन मजीद के साथ-साथ हिफ़्ज़े अहदीष का भी बेहद शौक़ था। कुछ तो वालिहाना अंदाज़ में हर लम्हा हर घड़ी इसी इंतज़ार में सरापा शौक़ बने रहते थे कि हुज़ूर (ﷺ) कुछ फ़र्माएँ और वो आप (ﷺ) के इशादि आली को जुबान की नोक पर याद करने की सआदत हासिल कर लें। इनमें हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का मक़ाम निहायत ही बुलंद है। आपको 5374 इशादाते नबवी बरजुबान याद थे। हाफ़िज़ सखावी (रह.) ने 5364 की ता'दाद बतलाई है। उन हदीषों में से सिर्फ़ सहीह बुखारी में 1486 अहदीष नक़ल की गई हैं। जबकि इस मुस्तनद व मो'तबर किताब में किसी और सहाबी से इस क़दर अहदीष मन्कूल नहीं हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की रिवायत की गई हदीषों की कुल ता'दाद 2630 बतलाई गई है। जिनमें से बुखारी शरीफ़ के अंदर 270 हदीषें नक़ल की गई हैं। हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) खादिमे रसूले पाक (ﷺ) 2286, अहदीषे नबवी के हाफ़िज़ थे। हज़रत आइशा (रज़ि.) को 2210 फ़रामीने रसूल (ﷺ) जुबान की नोक पर याद थे। जिसमें से हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने अपनी जामेउस्सहीह में 242 अहदीष को नक़ल फ़र्माया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) को 1660 हदीषें ज़बानी याद थीं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) 1540 हदीषों के हाफ़िज़ थे और हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि.) को 1170 अहदीषें याद थीं। ये चंद मिषालें नमूने के तौर पर दी गई हैं वरना सारे ही सहाबा किराम (रज़ि.) इस सआदत को हासिल करने के लिये हमेशा तैयार रहते थे।

ख़त़ीबुल इस्लाम हज़रत मौलाना अब्दुर्रुफ़ साहब रहमानी झण्डा नगरी ने अपनी काबिले क़द्र किताब सियानतुल हदीष में सहाबा किराम और हिफ़्ज़े हदीष के सिलसिले में एक नफ़ीसतरीन मक़ाला लिखा है। जिसे हम अपने कारेईने किराम के इज्दियादे इमान के लिये लफ़्ज़-ब-लफ़्ज़ नक़ल कर रहे हैं। जिससे अंदाज़ा हो सकेगा कि अहदे सहाबा में हदीषे नबवी (ﷺ) को हिफ़्ज़ करने का किस क़दर एहतिमाम था। मौलाना मौसूफ़ लिखते हैं :-

चंद वाक़िआत :-

चंद वाक़िआत सहाबा किराम (रज़ि.) के ज़बते अल्फ़ाज़ और हिफ़्ज़े हदीष के भी हम यहाँ नक़ल कर रहे हैं ताकि सहाबा किराम (रज़ि.) का अमली एहतिमाम मा'लूम हो कि वो किस तरह खुद भी याद करते हैं और अपने रफ़ीकों व तलामिज़ा (शागिर्दों) को भी किस तरह हिफ़्ज़े अहदीष के लिये ताकीदाते बलीगा फ़र्माते थे।

एक बार हज़रत उमर (रज़ि.) ने सहाबा (रज़ि.) की एक मजलिस में पूछा, 'अय्युकुम यहफ़्ज़ु क़ौल

रसूलिल्लाहि (ﷺ) फ़िल फ़ित्नति' या' नी फ़ित्नों के मुता' ल्लिक रसूलुल्लाह (ﷺ) की अह्दादीष किसको खूब याद है? हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने फौरन जवाब दिया कि अना कमा क़ाल (सहीह बुखारी जिल्द अब्वल पेज नं. 79)। मैं इस तरह याद रखता हूँ कि जिस तरह हुज़ुरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया था। सुब्हानल्लाह! कैसा हिफ़ज़ व ज़ब्त का कमाल है।

(2) एक मौक़े पर हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने एक पेश आमदा मुआमले में अह्दादीषे रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुता' ल्लिक़ सहाबा किराम की एक जमाअत से सवाल किया कि इस मुआमले में हल के लिये किसी को हदीष याद है? अनेक सहाबा किराम आगे बढ़े जिस पर हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने खुश होकर फ़र्माया। 'अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल फ़ीना मंय्यहफ़ज़ु अला नबिद्यिन' (हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, जिल्द अब्वल पेज नं. 149) कि उस मौला-ए-करीम की ता' रीफ़ है जिसने हममें उन लोगों को रखा है जो अह्दादीषे नबविया के हाफ़िज़ हैं। इससे अनेक सहाबा का हाफ़िज़े हदीष होना प्राबित हुआ।

(3) हज़रत अली (रज़ि.) ने अपने तर्जे अमल से सहाबा किराम को हिफ़ज़े हदीष का ख़ूबर और ज़बते अल्फ़ाज़ का पाबंद बनाया था। आपके मुता' ल्लिक़ अल्लामा ज़हबी (रह.) ने लिखा है, 'कान इमामन आलिमन मुतहरियन फ़िल अख़िज़ बिहयषु अन्नहू यस्तहलिफ़ु मंय्युहदिषह बिल हदीष' (तज़िकरतुल हुफ़फ़ाज़ जिल्द अब्वल पेज नं. 10) या' नी हज़रत अली (रज़ि.) इमाम जलीलुशशान और आलिमे मुतबद्दर थे और अख़ड़े हदीष में सख़्त तहर्रा व तहकीक़ और एहतियात फ़र्माते। हत्ताकि हदीष बयान करने वालों से हलफ़ लेते कि तुमको ठीक-ठीक अल्फ़ाज़े नबवी याद है? और अल्फ़ाज़े नबवी में कोई कमी बेशी तो नहीं हो रही है। जब रावी क़सम से बयान करते कि बिल्कुल इसी तरह अल्फ़ाज़े नबवी में ये हदीष है, तब कुबूल फ़र्माते।

वाज़ेह रहे कि हज़रत अली (रज़ि.) का मक़सद इससे अह्दादीष का ज़ब्त और तहफ़फ़ुज़ ही था।

(4) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) भी अह्दादीषे नबवी के बड़े ज़ाबित व हाफ़िज़ थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की वफ़ात के मौक़े पर उनके इस वस्फ़े हिफ़ज़े अह्दादीष को याद करके अफ़सोस व हषरत के लहजे में फ़र्माया 'यहफ़ज़ु अलल मुस्लिमीन हदीषन्नबिद्यि' (फ़त्हुल बारी जिल्द अब्वल पेज नं. 109) या' नी हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) अपने ज़माने के तमाम रावियाने हदीष में सबसे बढ़कर हाफ़िज़ुल हदीष थे।

इमाम अअमश (रह.) ने फ़र्माया, 'कान अबू हुरैरत मन अहफ़ज़ु अस्हाबि मुहम्मद (ﷺ)' या' नी हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) मुहम्मद (ﷺ) के अस्हाब में सबसे ज़्यादा अह्दादीष के हाफ़िज़ व ज़ाबित थे। (मुकद्दमा इब्ने सलाह जिल्द अब्वल पेज नं. 34 व 149)

(5) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं। हम लोग नबी (ﷺ) से अह्दादीष सुनकर याद कर लिया करते थे। उनके अल्फ़ाज़ ये हैं, 'कुन्ना नहफ़ज़ुल हदीष वल हदीषु यहफ़ज़ु अन रसूलिल्लाहि (ﷺ)' (सहीह मुस्लिम जिल्द अब्वल पेज नं. 10) इससे मा' लूम हुआ कि न सिर्फ़ अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) बल्कि जमाअते सहाबा में अह्दादीष के ज़ब्त व हिफ़ज़ का उमूम के साथ एहतियाम था।

(6) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) अह्दादीषे नबविया के त़लब व तलाश और एहतियात व ज़बते अल्फ़ाज़ की खुद भी बड़ी पाबन्दी फ़र्माते थे और अपने शागिदों को पाबन्द कराते। अल्लामा ज़हबी (रह.) लिखते हैं, 'कान मिमंय यतहर्रा फ़िल अदाइ व युशहिदू फ़िरिवायति व यरजू तलामिज़तहू अनितहावुनि फ़ी ज़बति अल्फ़ाज़िन' या' नी असल अल्फ़ाज़ को याद करने के लिये खुद भी बहुत एहतियात बरतते थे और अपने शागिदों को भी ज़बते अल्फ़ाज़ की ताकीद फ़र्माते। (तज़िकरतुल हुफ़फ़ाज़ जिल्द अब्वल पेज नं. 13)

(7) एक बार हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने (ग़ालिबन कूफ़ा के मुअल्लिमी के ज़माने में) अपने शागिदों और दोस्तों से पूछा कि तुम लोग अह्दादीष को सहीह तरीक़े से ज़ब्त रखने के लिये बाहम मुजाकरा और दौरा करते हो या कि सुस्ती कर जाते हो? शागिदों ने जवाब दिया कि हम लोग दौरा-ए-हदीष और ज़बते अल्फ़ाज़ और बाहम मुजाकरा के लिये इस क़दर एहतियाम रखते हैं कि हमारा हर साथी दूसरे को हदीषें सुनाता है। अगर कोई साथी कभी ग़ायब हो जाता है और किसी वजह से वो मुजाकरे में शरीक नहीं हो पाता है तो बाक़ी दोस्त लोग उससे वहीं जाकर मिलते हैं और इस तरह हम

मुजाकरा और दौरा ज़रूर कर लेते हैं। (सुनन दारमी पेज नं. 79)

- (8) इसी तरह हज़रत अबू अय्यूब अंसारी (रज़ि.) का वाकिआ है। अगरचे ये अह्लादीषे नबविया को पूरी सिहत के साथ याद रखते थे लेकिन एक बार उनको एक हदीष में कुछ इस्तिबाह पैदा हो गया तो इस शक को मिटाने के लिये अपने दूसरे साथी हज़रत उक्बा बिन आमिर (रज़ि.) के पास मिस्र पहुँचे। जब मदीना से सफ़र करके मिस्र पहुँचे तो सवारी से उतरते ही फ़र्माते हैं कि 'हद्वप्रना मा—समिअतु मिन रसूलिल्लाहि (ﷺ) फ़्री सतरिल मुस्लिमि लम यबक़ अहदुन ग़ैरि व ग़ैरुक' या'नी आप मुझे वो हदीष सुना दीजिए जो आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मुसलमानों के ऐबपोशी (खामी छुपाने) के बारे में सुनी थी और आपके पास इसीलिये आया हूँ कि मेरे बाद आपके अलावा और कोई दूसरा इस हदीष के सुननेवालों में से अब बाक़ी नहीं है। हज़रत उक्बा बिन आमिर (रज़ि.) ने मुअज़्ज़ज़ (सम्मानित) मेहमान की दिलदारी में सबसे पहले वही हदीष 'मन सतर मुस्लिमन ख़िजयहु सतरहुल्लाहु यौमल क्रियामति' सुना दी। आप सुनने के बाद खुश व ख़ुरम अपनी सवारी की तरफ़ पलटे और मदीने की तरफ़ उसी वक़्त रवाना हो गये। मिस्र में अपना कज़ावा भी न खोला क्योंकि बजुज़ इस हदीष के सुनने और शक दूर करने के अलावा और कोई मक़सद न था। इब्ने अब्दुल बर (रह.) के अल्फ़ाज़ इस मौक़े पर ये हैं:— 'फ अता अबू अय्यूब मुराहिलतहू फ़रक्रिबहा वन सरफ़ इलल मदीनति वमा हल्ल रिहलहू' (जामेअ बयानुल इल्म पेज नं. 64)

मेज़बान ने हर चंद उनको उठराना चाहा मगर उनका मक़सद सिर्फ़ हदीष का सुनना और सहीह तौर पर महफूज़ कर लेना ही था। जब उन्होंने हदीष को सुन लिया तो फिर बिना देर किये वापस लौट आए। इस रिवायत से ज़ाहिर हुआ कि सहाबा किराम (रज़ि.) किसी दूसरी ग़र्ज़ की आमैज़िश के बग़ैर (या'नी दीगर कोई काम शामिल किये बिना) सिर्फ़ तहफ़्फ़ुजे हदीष के लिये अपने रफ़क़ाए दर्स (दर्स के साथियों) के पास सफ़र करते और अस्फ़ार तवीला (लम्बे—लम्बे सफ़रों) को इस मुआमले में आसान समझते थे। जो लोग न सिर्फ़ हदीष बल्कि हदीष सुननेवाले अपने तमाम रफ़क़ा (साथियों) को भी जानते हों और बवक़्त ज़रूरत उनसे मुराजअत भी ज़रूर कर लेते हों उनकी सियानते—हदीष के मुआमले में अदना शुब्हा भी महज़ शैतानी वस्वसे हैं।

- (9) इसी तरह इमाम दारमी (रह.) ने एक और सहाबी (रज़ि.) का वाकिआ क़लमबंद फ़र्माया है कि वो सिर्फ़ एक हदीष को तस्हीह की ख़ातिर फ़ुज़ाला (रज़ि.) बिन उबैदुल्लाह के पास मिस्र पहुँचे। हज़रत फ़ुज़ाला (रज़ि.) ने आपको देखकर खुश आमदीद फ़र्माया और मरहबा कहा। सहाबी ने कहा, 'इन्नी लम आतिक ज़ाइन वला किन्नी समिअतु व अन्त हदीषम मिन रसूलिल्लाहि (ﷺ) रज़ौतु अन तकून इन्दक मिन्हु इल्मुन' या'नी मैं आपके पास बतौर मेहमान नहीं आया हूँ बल्कि मैंने और आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से एक हदीष सुनी थी। जो मुझे पूरी तरह महफूज़ नहीं रही (या'नी मुझे पूरी तरह से याद नहीं रही, इसलिये मैं आपके पास) इस ख़याल और इस उम्मीद को लेकर आपके पास आया हूँ कि वो आपको याद होगी। (सुनन दारमी पेज नं. 69)

इस वाकिआ से ज़ाहिर है कि सहाबा किराम ज़बते हदीष और कमाले सिहत मा'लूम करने और उसे याद रखने के लिये अपने दीगर रफ़क—ए-दर्स के पास लम्बे से लम्बे सफ़र इख़्तियार करके पहुँच जाते थे। क्या सच कहा है मौलाना हाली मरहूम ने,

सुना ख़ाज़िने इल्मे दीं जिस बशर को लिया उससे जाकर ख़बर और अषर को
इसी धुन में आसौ किया हर सफ़र को इसी शौक़ में किया तै बहरो बर को (मुसद्दस हाली)

- (10) इसी तरह हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी (रज़ि.) हाफ़िज़ुल हदीष होने के साथ अपने रफ़क़ाए दर्स से भी वाकिफ़ थे। चुनाँचे मक़ामे रब्ज़ा के गोश—ए—तन्हाई (एकान्त) में जब आपका इतिक़ाल होने लगा तो आपकी अहलिया मुहतरमा ये तन्हाई और बे—सरो सामानी देखकर रोने लगीं। पूछा क्यूँ रोती हो? उन्होंने कहा आपकी ये हालत है और कपड़े वग़ैरह भी नहीं है। दफ़न—कफ़न के आम फ़राइज़ से भी मैं अकेली सुबुकदोश नहीं हो सकती। फ़र्माया कि तुम न घबराओ, एक बार आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुममें से एक शख़्स एक गोश—ए—जंगल में इतिक़ाल करेगा और मेरे कुछ सहाबी बरवक़्त पहुँचकर उसके कफ़न दफ़न का इतिज़ाम करेंगे चूँकि उस दर्स के वक़्त के मेरे तमाम साथी शहरों और आबादियों में मुन्तक़िल (स्थानान्तरित) हो चुके हैं इसलिये इस हदीष का मिस्दाक़ सिर्फ़ मैं ही रह गया हूँ और मैं ही आबादी से बाहर इतिक़ाल

कर रहा हूँ, तो यकीनन अल्लाह के कुछ बन्दे आँहज़रत (ﷺ) की पेशगोई के मुताबिक मेरे कफ़न-दफ़न को पहुँचेंगे। चुनाँचे ऐसा ही हुआ और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) वग़ैरह का एक छोटा सा काफ़िला बरवक़्त कफ़न-दफ़न और नमाज़े जनाज़ा के लिये पहुँच गया। हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (रह.) नक़ल करते हैं कि हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी (रज़ि.) ने फ़र्माया, 'अबशरी वला तब्की फ़इत्री ममिअतु रसूलल्लाहि (ﷺ) यकूलु लिनफ़रि अना फ़ीहिम लयमुतत्रा रज़लुमिन्कुम बिफुलातिम मिनल अज़िं यशहदुहु अस्माबतुम मिनल मुस्लिमीन व लैष अहदुम मिन उलाइकन नफ़रि इल्ला क़द मा-त फ़ी क़रयतिव व जमाअतिन फ़अना ज़ालिकरज़ुलु इन्तहा.' (ज़ादुल मआद जिल्द अब्वल पेज नं. 460 वल किस्सतु बितुलिहा)

इस जगह मुझे सिर्फ़ ये कहना मक्सूद है कि उनको आँहज़रत (ﷺ) की हदीष भी याद थी और उसके साथ वो इस हदीष के तमाम रुफ़का को भी साथ उनके जाए सकूनत (रहने की जगह/निवास स्थान) और जाए वफ़ात वग़ैरह से भी वाकिफ़ थे। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) वग़ैरह बरवक़्त आये और कफ़न दफ़न का इतिज़ाम हो गया।

- (11) इस तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) भी अहादीषे नबविया को पूरी तरह ज़ब्त रखते थे। आपके कमाले ज़ब्त और ग़ायते एहतियात फ़िल हदीष के सिलसिले में अल्लामा ज़हबी नक़ल करते हैं कि 'लम यकुन अहदुम मिनस्सहाबति इज़ा ममिअ मिन रसूलिल्लाहि (ﷺ) हदीषन वाहिदन अहज़र अल ला यज़ीद वला यन्कुस मिन्हु वला वला मिन इब्नि उमर' या'नी सहाबा किराम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से बढ़कर रिवायते हदीष में कोई और एहतियात बरतने वाला न था। आप हदीष नबवी के अख़ज़ी-रिवायत में अदना दर्जा की कमी बेशी न होने देते थे। वला वला मन इब्ने उमर के अल्फ़ाज़ से मा'लूम होता है कि नबी करीम (ﷺ) के असल अल्फ़ाज़ की अदायगी और ज़ब्त व हिफ़ज़ के मुआमले में उनका कोई भी हम पल्ला व हमसर न था। अल्फ़ाज़ नबवी की सही तर्तीब भी उनके हाफ़ज़े (याददाश्त) में महफूज़ (सुरक्षित) रहती थी। नीचे लिखा वाकिआ मुलाहज़ा फ़र्माइए,
- (12) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने 'बुनियल इस्लामु अला खम्मिन व सियामु रमज़ान वल हज्ज' है। शागिदों व रुफ़का (साथियों) में से एक सहाब ने तकरारो हिफ़ज़ के लिये दोहराते हुए आखिरी लफ़ज़ों को पलटकर यूँ कह दिया वल हज्ज व सियामु रमज़ान। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने फ़ौरन टोका और कहा इस तरह नहीं! बल्कि व सियामु रमज़ान वल हज्ज पढ़ो। मैंने नबी करीम (ﷺ) से ऐसा ही सुना है। (सहीह मुस्लिम जिल्द अब्वल पेज नं. 32 व फ़तुहल मुगीष पेज नं. 298)

इफ़ादह :-

हाफ़िज़ सख़ावी (रह.) से इस जगह नक़ले रिवायत में ज़हूल व तसामुअ (भूल) वाक़ेअ हुआ है क्योंकि मुस्लिम शरीफ़ की तरफ़ मुराजअत के (या'नी रुजूअ किये) बग़ैर महज़ हाफ़िज़े के भरोसे पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की रिवायत को और इस मुमानअत को यूँ लिख दिया है। 'इज़अलिस्सियाम उख़राहुन्न' हालाँकि मुस्लिम शरीफ़ के हवाले मज़क़ूर से जाहिर है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) सिमाअे नबवी (ﷺ) के मुताबिक़ (नबी (ﷺ) से सुने हुए के अनुसार) आखिरी लफ़ज़ हज्ज को क़ार देते हैं सिवाय इसके कि हाफ़िज़ सख़ावी (रह.) की किसी और किताब पर नज़र हो।

- (13) हज़रत अनस (रज़ि.) अपने हिफ़ज़े रिवायत का वाकिआ इस तरह बयान करते हैं कि हम लोग हदीषों को मजलिसे नबवी (ﷺ) में सुनते थे, आँहज़रत (ﷺ) के तशरीफ़ ले जाने के बाद बाहम उन हदीषों का तकरार और दौरा करते। एक सहाबी अपनी बारी पर सब हदीषों को बयान कर जाते। फिर दूसरे सहाबी बयान करते, फिर तीसरे इसी तरह कई बार हम साठ आदमी होते तो पूरे साठों आदमी अपनी-अपनी बारी पर सुनाते। गर्ज़ पूरा दौरा कर लेने के बाद हम लोग मुंतशिर होते (बिखरते), इस तरह कि हिफ़ज़ व तकरार व मुजाकरा से अहादीषे रसूले करीम (ﷺ) पूरी तरह हमारे ज़हनो में बैठ जातीं। (मज्मउज़्ज़वाइद जिल्द अब्वल पेज नं. 64)

इफ़ादह :-

हज़रत अनस (रज़ि.) पहले तो उन हदीषों को ज़हन में महफूज़ करते। फिर उनको क़लमबंद करके बग़र्ज़ इस्लाह (सुधार के

इरादे से) नबी करीम (ﷺ) की खिदमत में पेश करते। इस तरह नज़रेपानी करके अह्लादीष को पूरी सिहत के साथ सीना व सफ़ीना में जमा फ़र्माते। (मुस्तदरक ह्याक़िम व फ़त्हूल मुगीष पेज नं. 331)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) और हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के बाद सबसे ज्यादा हदीषें हज़रत अनस (रज़ि.) से मरवी है। इब्नुल जौज़ी लिखते हैं कि उनसे 2286 अह्लादीषें मरवी हैं। (तल्कीह फ़ुहूम अहलिल अफ़र पेज नं. 184 व फ़त्हूल मुगीष)

(14) हज़रत हिशाम (रज़ि.) बिन आमिर भी बड़े ज़ाबित और अह्लादीषे नबविया के हाफ़िज़ थे। एक बार अपने साथियों से कहा, 'इन्नकुम मुतजाविज़ून इला रहतिम मिन अस्हाबिन्नबिय्यि (ﷺ) मा कानू अहसा व अहफ़ज़ू लिहदीषिही मिन्नी' (मुस्नद अहमद जिल्द 4 पेज नं. 19) या 'नी तुम लोग दर्से हदीष के लिये जिन सहाबा किराम के पास जाते हो वो अह्लादीषे नबविया (ﷺ) के हिफ़ज़ व ज़ब्त के मुआमले में मुझसे बढ़कर कोई नहीं हैं। या'नी तुम दूर दराज़ बिला वजह जाते हो जबकि अह्लादीषे नबविया (ﷺ) के हिफ़ज़ो-जब्त मैं किसी से कम नहीं हूँ।

(15) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं कि हम लोग हदीष को सुनकर हिफ़ज़ किया करते थे। सुनन दारमी में है कि अपने शागिर्दों से फ़र्माया कि जिस तरह हमने नबी करीम (ﷺ) से सुनकर हदीषों को हिफ़ज़ किया है। इसी तरह तुम लोग हमसे सुनकर हदीषों को हिफ़ज़ करो और उसके लिये बाहम मुज़ाकरा (आपस में चर्चा) और तकरार करते रहो। (सुनन दारमी पेज नं. 66)

इसी तरह इब्ने अब्दुल बर लिखते हैं, 'कान मिम्मन हाफ़िज़ अन रसूल्लिहाहि (ﷺ) सुननन क़शीरतन' (इस्तिआब जिल्द नं. 2 पेज नं. 567) या 'नी हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) की अह्लादीषे क़शीरा के हाफ़िज़ थे।

(16) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन अल आस (रज़ि.) भी अह्लादीष को हिफ़ज़ फ़र्माते और लिख भी लेते थे। मुस्नद अहमद में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का उनके मुता'ल्लिक़ ये ए'तिराफ़ मौजूद है कि अब्दुल्लाह बिन अमर (रज़ि.) हाथ से लिखते हैं और वैसे याद भी करते थे। अल्लामा इब्ने अब्दुल बर (रह.) ने लिखा है। 'फ़इन्नहू कान वाइयल क़ल्बि व कान यक्तुबू' (इस्तिआब जिल्द नं. 1 पेज नं. 370) या 'नी अब्दुल्लाह बिन अमर बिन अल आस जुबानी भी याद रखते थे और लिखते भी थे। मुस्नद अहमद में उनका बयान मन्कूल है कि मैं याद करने ही के लिये लिखता था। (मुस्नद अहमद जिल्द 2 पेज नं. 162)

(17) हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) भी हाफ़िज़ुल हदीष थे। एक बार हज़रत उमर (रज़ि.) ने उनकी एक हदीष पर मज़ीद शहादत त़लब की (गवाही माँगी गई)। हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) अंसार के एक मज्मअे में तशरीफ़ ले गये और इस हदीष के मुता'ल्लिक़ सवाल किया कि आप लोगों में किसी ने इस हदीष को नबी करीम (ﷺ) से सुना है। और आप लोगों को याद हो तो फ़र्माइए, पूरे मज्मअे ने जवाब दिया, हाँ! हम सबको ये हदीषे नबवी याद है और हम सबने सुना है। (तज़किरा अव्वल पेज नं. 6, हुज्जतुल्लाह अव्वल पेज नं. 141)

इससे मा'लूम हुआ कि सहाबा को अह्लादीष बहुत ही पुरखता तरीके से याद रहती थी।

(18) हज़रत उबय इब्ने कअब (रज़ि.) भी अह्लादीषे नबविया (ﷺ) के हाफ़िज़ थे। एक बार आपने हज़रत उमर (रज़ि.) के सामने एक हदीष बयान की। हज़रत उमर (रज़ि.) ने मज़ीद शहादत उनसे भी त़लब फ़र्माई। हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) और फ़ारूके आ'ज़म (रज़ि.) दोनों अंसार के मज्मअे में पहुँचे और ज़ेरे बहष हदीष के मुता'ल्लिक़ अहले मज्मअे से पूछा, सबने कहा 'क़द समिअना हाज़ मिन रसूल्लिहाहि (ﷺ)' या 'नी हम सबने इस हदीष को रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है। (तज़किरा जिल्द अव्वल पेज नं. 8 व मुंतख़ब कंजुल अम्माल जिल्द 3 पेज नं. 262)

इन दोनों रिवायतों से हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) और हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) के हिफ़ज़े हदीष की बकमाल दर्जे ताईद व तस्दीक़ भी प्राबित हुई और इज्माली तरीके से दीगर सहाबा किराम (रज़ि.) के हिफ़ज़े हदीष का हाल भी मा'लूम हुआ।

(19) हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) ने अपने सहाबज़ादे अबूबर्दा (रज़ि.) से फ़र्माया 'इहफ़ज़ कमा हाफ़िज़ना अन रसूल्लिहाहि (ﷺ)' या 'नी जिस तरह हमने आँहज़रत (ﷺ) की हदीषों को याद किया, उसी तरह तुम भी याद कर लो (मज्मअुज्जवाइद जिल्द अव्वल पेज नं. 60)

इस हदीष में हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) के हिफ़ज़े हदीष का षुबूत तो मिलता ही है। दीगर सहाबा (रज़ि.)

के हिफ्जे अहादीष का भी पता लगता है। जैसा कि कमा हफिज़ना अन रसूलिल्लाह (ﷺ) इस पर एक वाज़ेह दलील है। अल्लामा हैषमी इस रिवायत के मुता'ल्लिक लिखते हैं। व रिजालुहू रिजालुस्सहीहि।

(20) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह भी अ हादीषे शरीफ़ा के ज़ाबित्त व हाफिज़ थे। अल्लामा इब्ने अब्दुल बर (रह.) कहते हैं कि 'व कान मिनल मुक़्षिरीनल हुफ़फ़ाज़ि लिस्सुननि' या'नी हज़रत जाबिर (रज़ि.) सुनन नबविया (ﷺ) के हाफिज़ थे। (इस्तीआब जिल्द अव्वल पेज नं. 85)

(21) इन्हीं जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) के मुता'ल्लिक इमाम बुखारी (रह.) ने नक़ल किया है कि 'व रहल जाबिरुब्नु अब्दिल्लाहि मसीरत शहरिन इला अब्दिल्लाहि इब्ने अनीस फ़ी हदीषिन वाहिदिन' (सहीह बुखारी जिल्द अव्वल पेज नं. 17) या'नी हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने सिर्फ़ एक हदीष के लिये एक माह का सफ़र तै किया और अब्दुल्लाह बिन अनीस (रज़ि.) से मिलकर इस हदीष का सिमाअ किया (या'नी उस हदीष को सुना)। ये सफ़र जैसा कि शारेहीने हदीष ने लिखा है मदीने से शाम (वर्तमान में सीरिया) तक का था।

अल्लामा इब्ने अब्दुल बर (रह.) ने लिखा है कि जब इस हदीष को हासिल करने के लिये मल्लिकते शाम पहुँचने का इरादा किया तो उसी सफ़र के लिये एक ऊँट खरीदा। ये तमाम एहतिमाम सिर्फ़ एक हदीष के सुनने के लिये था। इससे मा'लूम हो सकता है कि अहादीषे नबविया (ﷺ) के सहीह तौर से याद रखने, उसे महफूज़ करने व जमा करने का किस क़दर एहतिमाम था।

(22) अबू शुरैह खुजाई (रज़ि.) भी हाफिज़े हदीष थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) के खिलाफ़ जब यज़ीद के हुकम से अमर बिन सईद ने फ़ौजकशी के लिये मक्का पर चढ़ाई की तैयारी की तो उन्होंने फ़र्माया कि आँहज़रत (ﷺ) ने हरमे मक्का में लड़ाई करने को हराम ठहराया है। इस मौक़े के अल्फ़ाज़ ये हैं, 'अय्युहल अमीरु उहदिषुक क़ौलन काम बिहिन्नबिय्यु (ﷺ) समिअतहू उज़नाय व वाहू क़ल्बी' या'नी मैं तुमको रसूलुल्लाह (ﷺ) की वो हदीष सुना रहा हूँ जिसको खुद मेरे कानों ने सुना और मेरे दिल ने याद रखा। (सहीह बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल इल्म)

इससे मा'लूम होता है ये हदीष उनके हाफ़्जे में पूरी सिहत के साथ फ़तहे-मक्का के वक़्त से लेकर यज़ीद बिन मुआविया (अमीर मुआविया रज़ि. के बेटे) के अहद तक तक्रीबन आधी सदी से ज़्यादा अर्से तक महफूज़ रही थी।

(23) समुरह बिन जुंदुब (रज़ि.) भी हाफिज़ुल हदीष थे। हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) हज़रत समुरह (रज़ि.) के मुता'ल्लिक कहते हैं, 'क़द सदक़ व हफिज़' या'नी वो सच्चे हैं और हाफिज़ुल हदीष हैं। (अल इस्तीआब दूसरी जिल्द पेज नं. : 546)

हाफिज़ सखावी (रह.) ने हज़रत समुरह बिन जुंदुब (रज़ि.) का बयान नक़ल किया है कि मैं आँहज़रत (ﷺ) की हदीषों को हिफ़्ज़ रखता था (फ़त्हुल मुगीष पेज नं. 311)

ग़र्ज़ सहाबा किराम (रज़ि.) इस हदीष को 'नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती फ़ौआहा व अहाहा कमा समिअ मित्री' के तहत बयान करते थे। जिनको उन्होंने अपने ज़मान-ए-इस्लाम में सुना था। लेकिन कमाल ये है कि उन हज़राते सहाबा (रज़ि.) ने अपने इस्लाम लाने से पहले भी जिन हदीषों को आँहज़रत (ﷺ) को बयान करते हुए सुना था उनको भी ख़ूब याद रखा। और बाद इस्लाम लाने के उनकी तर्वाज व रिवायत फ़र्माई। हाफिज़ सखावी (रह.) के अल्फ़ाज़ इस मौक़े पर ये हैं, 'क़द प्रब्वतत रिवायातुन क़षीरतुन लिग़ैरि वाहिदिमिन्सहाबति कानू हफिज़ुहा क़ब्ल इस्लामिहिम व अददुहा बअदहू।' (फ़त्हुल मुगीष पेज नं. 164)

इसी तरह सहाबा किराम (रज़ि.) के हिफ़्जे रिवायत के मुता'ल्लिक हाफिज़ इब्ने अब्दुल बर (रह.) कुर्तुबी लिखते हैं, 'अल्लज़ीन नकुलूहा अन नबिय्यिहिम (ﷺ) इलत्रासि काफ़तन व हफिज़ुहा अलैहि बल्लग़ू मा अन्हू व हुम सहाबतुव वल हवारियूनल लज़ीन व ऊहा व अहूहा हत्ता कम-ल बिमा नक़लूहुदीन' (खुत्बा इस्तीआब जिल्द अव्वल पेज नं. 2)

अगर फुर्सत और वक़्त मुसाअदत (मदद) करे तो ऐसी बहुत सारी मिषालें सुनन अर्बअ व सहीहैन व मुस्नदात व मुजामिअ के बुतून से निकालकर पेश की जा सकती हैं।

हाफिज़ इब्ने अब्दुल बर (रह.) ने बिल उमूम तमाम सहाबा (रज़ि.) के हिफ़्ज़े अह्लादीष का इज्माली तौर पर तज़क़िरा खुत्ब-ए-इस्तिआब में फ़र्माया है और अदा-ए-रिवायत व हिफ़्ज़े अह्लादीष व तब्लीगे सुनन में उनके एहतिमामे अज़ीम का ए'तिराफ़ किया है। इन ह़काइक़ की मौजूदगी में सहाबा किराम (रज़ि.) के हिफ़्ज़े रिवायात व तब्लीगे अह्लादीष कमा हियस में ग़लती का इम्कान करना इद्दिआए-बातिल है। सहाबा किराम (रज़ि.) खुद भी अह्लादीष को अज़बर करते और अपने शागिदों को भी हिफ़्ज़ व तकरार, मुदावमते नज़र की ताकीद करते। और नबी करीम (ﷺ) की दुआ 'नज़रल्लाहु इम्रअन' के तहत दारेन की सरफ़राज़ी व सुख़्ख़ई ह़ासिल करने के लिये सहाबा किराम (रज़ि.) व ताबेईन इज़ाम (रह.) हिफ़्ज़े अह्लादीष व तब्लीगे सुनन में ग़ैर मामूली एहतिमाम रखते थे। बस ऐसे वसीउल हाफिज़ अस्हाबे किराम (रज़ि.) और उनके तर्बियतयाफ़ता शागिदों के लिये अदमे ज़ब्त (संकलन नहीं करना) और अदमे हिफ़्ज़ (याद नहीं रखना) और निस्थान (भूल जाने) का वहम सरासर तवहहूम-परस्ती और ह़काइक़ से इद्दिराफ़ व इनाद है।

हिफ़्ज़ व ज़ब्त का तसलसुल (याद रखने की निरन्तरता) :-

आँहज़रत (ﷺ) ने ज़ब्त रिवायत व तब्लीगे अह्लादीष पर जो बशारत 'नज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालति फ़वआहा व अदाहा कमा समिअ मिन्नी' के तहत दिया था। उसका अषर सहाबा किराम (रज़ि.) पर ऐसा उम्दा हुआ कि सहाबा (रज़ि.) ने आँहज़रत (ﷺ) की हदीषों को खुद भी अच्छी तरह महफूज़ (सुरक्षित) किया और अह्लादीष का बाहम मुजाकरा दौरा भी किया और अपने शागिदों और ताबेईन तक हदीषों को पहुँचाया और अपने साथियों, दोस्तों व शागिदों को भी ख़ूब याद रखने के लिये शदीद ताकीद की। यहाँ चंद सहाबा किराम की इतिबाह और ताकीदात के वाकिआत इस सिलसिले में मुश्ते नमूना अज़ख़र वार के तौर पर अर्ज़ किये जाते हैं :-

- (1) हज़रत फ़ारूके आ'ज़म (रज़ि.) सहाबा किराम (रज़ि.) को ज़बते अह्लादीष की सख़्त ताकीद किया करते थे। (तज़क़िरा जिल्द अब्वल पेज नं. 7)
- (2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) अह्लादीषे नबविया को हर ज़्यादतो-नुक़सान (बढ़ाने-घटाने) से महफूज़ रखने में सख़्त एहतिमाम फ़र्माते थे। (तज़क़िरा जिल्द अब्वल पेज नं. 37)
- (3) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) अपने मशहूर शागिद इमाम नाफ़ेअ को जो हदीषें लिखवाई थीं, वो उनको अपने पास बिठाकर लिखवाई ताकि कमी-बेशी का अदना सा अन्देशा भी न वाक़ेअ हो सके। (सुनन दारमी पेज नं. 69)
ये रिवायात के हिफ़्ज़ो ज़ब्त का किस क़दर आला दर्जे का एहतिमाम है।
- (4) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने अपने शागिदों से ज़बते अह्लादीष के सिलसिले में दौरा और बाहम तकरार व मुजाकरा का हुक्म दिया। हाफिज़ सखावी (रह.) नक़ल करते हैं कि हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) ने फ़र्माया, 'तज़क़रुल हदीष फ़इन्न हयातहू मुजाकरतहू' (फ़त्हुल मुगीष पेज नं. 331 मारिफ़तु उल्लुमुल हदीष लिल हाकिमी पेज नं. 141) या'नी अह्लादीष का बाहम मुजाकरा किया करो। कि ये हदीष की बक़ा व हिफ़ाज़त का ज़ामिन है।
- (5) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने अपने शागिदों से पूछा। कि तुम लोग रोज़मर्रा अह्लादीष का दौरा और आपस में तकरार कर लिया करते हो या नहीं? शागिदों ने कहा हमारा ये रोज़मर्रा का मामूल है। हम अपने दर्स के दोस्तों के पास चाहे वो कूफ़ा के किसी दूर दराज मुहल्ले में हो जाकर मिलते हैं और तकरार और दौरा बाहम मिलकर करते हैं। (सुनन दारमी पेज नं. 79)
- (6) हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) के शागिदों में ज़्यादातर कूफ़ा में थे क्योंकि हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) कूफ़ा में अमीरुल मुअमिनीन हज़रत उमर (रज़ि.) की तरफ़ से मुअल्लिम बनाकर भेजे गए थे। तो अहले कूफ़ा जिन अह्लादीष को हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) से बरिवायते उमर (रज़ि.) सुनकर उनकी मज़ीद तस्दीक़ और ऊँची सनद के ख़याल से इब्ने मसऊद (रज़ि.) के शागिद कूफ़ा से मदीना आकर हज़रत उमर (रज़ि.) से सुना करते कि हदीषे नबवी अच्छी तरह से महफूज़ हो जाए और पूरी तरह रिवायत की सिहत व अल्फ़ाज़े नबवी का वुषूक़ हो जाए। (फ़त्हुल मुगीष पेज नं. 336)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के इन ताकीदात का ये नतीजा हुआ कि सब शागिद पुख़्ता हाफिज़ व शयूख़े वक़्त (अपने दौर के उस्ताद) बनकर निकले हज़रत अली (रज़ि.) व हज़रत सईद बिन जुबैर (रज़ि.) फ़र्माया करते थे कि 'अस्हाबु अब्दिल्लाहि सुरूजु हाज़िहिल क़राया' (तब्क़ाति इब्ने सअद जिल्द, छह पेज नं. 4) हज़रत अब्दुल्लाह के शागिद

इस बस्ती के मिस्बाह (चिराग) हैं। सुलैमान तमीमी (रह.) फ़र्माते हैं, 'कान फ़ीना सिचून शैख्मिन अस्हाबि अब्दिल्लाह' या'नी हमारे ज़माने में अब्दुल्लाह बिन मसऊद के शागिदों में से साठ शैख मौजूद थे।

(7) हज़रत अली (रज़ि.) ने अपने दोस्तों और शागिदों से फ़र्माया 'तज़ाकरू हाज़ल हदीष व इल्ला तफ़अलू युदरसू' (कंजुल उम्माल जिल्द नं. 5 पेज नं. 242 व जामेउ बयानिल इल्म जिल्द अब्वल पेज नं. 101)

या'नी अपने साथियों से आपस में मुलाक़ात करते रहो और हदीष का दौरा और मुजाकरा (विचार-विमर्श) जारी रखो और ग़फ़लत से छोड़े न रखो कि मिट जाए। जामेअ में तो मज़ीद ये अल्फ़ाज़ हैं। 'अक़षिरू ज़िकरल हदीषि फ़इन्नकुम इल्लम तफ़अलू यदरिसु इल्मुकुम' या'नी हदीष का मुजाकरा बक़रत जारी रखो। अगर इसमें ग़फ़लत करोगे तो तुम्हारा इल्म मिट जाएगा।

(8) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बिन अब्दुल्लाह के शागिद भी हज़रत जाबिर (रज़ि.) के हस्बे ताकीद आपस में दौरा व तकरार करते रहते थे। हज़रत जाबिर (रज़ि.) के शागिदों में मशहूर ताबिई अता बिन अबी रबाह का मक़ूला इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने नक़ल किया है। 'क़ाल कुत्रा इज़ा ख़रजना मिन इन्द जाबिरिन तज़ाकरना हदीषहू व कान अबुज्जुबैर अहफ़जुनल हदीष' (जामेअ तिर्मिज़ी किताबुल इलल जिल्द नं. 2 पेज नं. 246, तब्काते इब्नि सअद जिल्द नं. 5 पेज नं. 354)। या'नी हम लोग हज़रत जाबिर (रज़ि.) की मज्लिस से अहदीष को सुनने के बाद उठते तो उनसे हासिलकर्दा अहदीष का आपस में दौरा व तकरार करते थे और बारी-बारी आपस में सुनते सुनाते और तमाम साथियों में हमारे साथी अबुज्जुबैर का हाफ़ज़ा सबसे अच्छा षाबित होता।

(9) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) खुद भी अहदीषे करीमा को हिफ़ज़ रखते और अपने दोस्तों और शागिदों को हदीषों के हिफ़ज़ करने की ताकीद करते। कहते थे 'तज़ाकरू हाज़ल हदीष ला यंफ़लितुम्मिन्कुम' हदीषों का आपस में मुजाकरा व तकरार करते रहो ताकि ग़फ़लत के सबब ज़हन से निकल न जाए। (सुनन दारमी पेज नं. 78 व फ़त्हुल मुगीष पेज नं. 331)

(10) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) खुद भी हाफ़िज़ुल हदीष थे और जिन शागिदों को अहदीषे नबविया बताते थे उनसे भी आपस में तकरार व मुजाकरा और हिफ़जे हदीष की ताकीद फ़र्माते। (सुनन दारमी पेज नं. 62 व फ़त्हुल मुगीष पेज नं. 331)

अल ग़र्ज़ कुछ सहाबा किराम बिल उमूम अपने शागिदों को अहदीष के हिफ़ज़ो ज़ब्त की ताकीद करते थे चुनाँचे इब्ने अब्दुल बर (रह.) ने हज़रते सहाबा (रज़ि.) का क़ौल नक़ल किया है, 'इन्ननबिय्यकुम (ﷺ) युहदिषुना फ़नहफ़जु फ़हफ़जु कमा कुत्रा नहफ़जु' (जामेअ बयानुल इल्म पेज नं. 64)

इफ़ादा :-

हाफ़िज़ सखावी (रह.) ने चंद और हज़रत सहाबा (रज़ि.) का नाम क़लमबंद किया है। अल ग़र्ज़ आँहज़रत (ﷺ) के इन बड़े सहाबियों ने खुद भी अहदीषे नबविया को हिफ़ज़ रखा और अपने दोस्तों और शागिदों को भी हिफ़जे हदीष के लिये ताकीदात फ़र्माई चुनाँचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस, हज़रत ज़ैद बिन षाबित, हज़रत मूसा अशअरी, हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का नाम पेश करके उनके बारे में लिखा है, 'अमरू बिहिफ़ज़ ही कमा अख़जूहु हिफ़ज़न्' (फ़त्हुल मुगीष पेज नं. 237) या'नी जिस तरह इन हज़रत ने खुद याद रखा उसी तरह लोगों को भी जुबानी याद रखने की ताकीद फ़र्माई। इन चंद मिषालों के पेशे नज़र ये मा'लूम किया जा सकता है कि सहाबा किराम और उनके शागिद ताबेईने इज़ाम (रह.) और अइम्म-ए-हदीष में अहदीषे नबविया के ज़ब्त व तफ़्बुत का सिलसिला 'करनन् बअद करनिन' (ज़माने के बाद ज़माना) तसलसुल (लगातार चलने वाले सिलसिले) के साथ कायम रखा। इन हक़ाइक की मौजूदगी में अहदीषे नबविया के कमाले हिफ़ज़त और सीना व सफ़ीना में ज़ब्त व हिफ़ज़ का एहतियाम व इअतिना असाफ़ तौर से वाज़ेह हो रहा है। 'फ़रज़ियल्लाहु अन्हुम अज्मईन' (सियानतुल हदीष)

हुफ़फ़ाजे हदीष के तज़िकरे में यँ तो बहुत सी किताबों में लिखी गई है मगर हम बतौर नमूना चंद किताबों का ज़िक्र करते हैं।

तज़िकरतुल हुफ़फ़ाज :-

इस अजीम किताब के मुसन्निफ़ हाफ़िज़ शम्शुद्दीन जहबी हैं। जिनका सने वफ़ात 748 हिजरी है। ये किताब चार ज़खीम जिल्दों पर मुश्तमिल (आधारित) है और इसमें सहाबा के ज़माने से लेकर सातवीं सदी हिजरी के बाद तक के बहुत से हुफ़फ़ाजे हदीष का

तज़िकरा है। जिसमें खास अमर ये है कि आपने उन उलमा का तज़िकरा बिलकुल छोड़ दिया जो अहले इल्म में तो शुमार है मगर हाफ़िज़े हदीष में नहीं है।

इसी तरह उन हज़रात का तज़िकरा भी इस किताब में नहीं लिखा गया। जो बे-तहक़ीके मुहद्दिषीन, मत्सूरिवायत (जिसकी रिवायत को छोड़ दी जाए) करार दिये जाते हैं। मिषाल के तौर पर सिर्फ़ वाक़ेदी को पेश किया जा सकता है। हाफ़िज़ साहब लिखते हैं—

‘अल हाफ़िज़ु अल बहूरु लम असुक़ तरजमतहू हुना लि इत्तफ़ाक़िहिम अला तर्कि हदीषिही व हुव मिन औइय्यतिल इल्मिल कअबति ला यत्तकिनुल हदीष व हुव रासुन् फ़िल मग़ाज़ी वस्सियरि व यरवी अन कुल्लि ज़बिन्’ वाक़िदी हदीष के हाफ़िज़ और इल्मे समुंदर हैं। मगर मैं उनका तर्जुमा यहाँ नहीं लाया क्योंकि मुहद्दिषीने किराम ने बिल इत्तिफ़ाक़ उनको मत्सूरुल हदीष करार दिया है। ये इल्म का ख़ज़ाना है मगर हदीष में उनको पुख़्तगी हासिल नहीं थी और मग़ाज़ी और सियर में तो इमाम फ़न मुसल्लम है। मगर नुक्स ये है कि हर क्रिस्म के लोगों से रिवायत ले लेते हैं। अल ग़र्ज़ हुफ़ाज़े हदीष के तज़िकरा में ये किताब बहुत ही क़ाबिले क़द्र है। जिसमें ख़ालिसन उन्हीं उलमा का ज़िक्र किया गया है। जो हदीष के हाफ़िज़ थे जिनकी अदालत व सख़ावत पर उम्मत का इत्तेफ़ाक़ (सर्वसम्मति) रहा है।

तज़िकरातुल हुफ़ाज़ व तब्स्िरतुल ईकाज़ :—

अल्लामा यूसुफ़ बिन हसन बिन अब्दुल हादी हंबली अल मुतवफ़्फ़ा 909 हिज्री ने इस किताब को लिखा है। जिसमें हुफ़ाज़े हदीष के नाम बयान करके हर एक के साथ उसके हाफ़िज़े हदीष होने की तशरीह भी नक़ल की है जो ज़्यादातर अल्लामा ज़हबी (रह.) की तारीख़े कबीर और काशिफ़ से मन्कूल है। मुसन्निफ़ (रह.) लिखते हैं,

इस किताब के अंदर मैं उनके नामों का ज़िक्र करूँगा जो उम्मत में हदीषे नबवी के हाफ़िज़ गुज़रे हैं। इस किताब को मैंने हुरूफ़े मुअजम पर मुरत्तब किया है। दीगर इलमा-ए-फ़न की किताबें मैंने देखी है। जिनमें अक़षर हाफ़िज़ाने हदीष का ज़िक्र किया गया है क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ एक सौ के करीब हुफ़ाज़ का तज़िकरा किया है और फिर मुहद्दिषीने किराम (रह.) की इस्तिलाह में जिनको हाफ़िज़ कहा गया है, उसका लिहाज़ नहीं रखा है इसलिये मुझको ये किताब लिखने की ज़रूरत महसूस हुई।

इस किताब का एक क़लमी नुस्खा खुद मुसन्निफ़ (लेखक) के हाथ से लिखा हुआ कुतुबख़ाना ज़ाहिरया दमिशक़ में मौजूद है। जिस पर खुद मुसन्निफ़ ही की क़लम से तालीक़ात और इज़ाफ़े भी हैं। मुसन्निफ़ ने इसको 887 हिज्री में अपने घर में लिखा था जो मुहल्ला सालिहिय्या दमिशक़ में वाक़ेअ था। हल्ब के तकिया अख़लाक़िया के कुतुबखाने में भी इस किताब का एक क़लमी (हस्तलिखित) नुस्खा मौजूद है।

किताबु अर्बईनुत् तब्क़ात :—

इस अज़ीम किताब के मुअल्लिफ़ (सम्पादक/संकलन करने वाले) हाफ़िज़ शर्फ़ुद्दीन अबुल हसन बिन मुफ़ज़्ज़ल अल मुतवफ़्फ़ा 611 हिज्री हैं। हुफ़ाज़े हदीष के हालात में ये निहायत जामेअ और मुफ़र्रसल (विस्तारपूर्वक) किताब है जो 40 हिस्सों पर मुरत्तब है। और साहिबे कश्फ़ुज़्ज़ून ने निहायत शानदार लफ़्ज़ों में इस किताब का तअरुफ़ (परिचय) कराया है।

तब्क़ातुल हुफ़ाज़ :—

हाफ़िज़ जलालुद्दीन सियूती (रह.) अल मुतवफ़्फ़ा 911 हिज्री ने ज़हबी के तज़िकरातुल हुफ़ाज़ की तल्ख़ीस की है, इसी का नाम तब्क़ाते हुफ़ाज़ है। तराजिम (अनुवाद) में मुफ़ीद इज़ाफ़े भी किये हैं और यूरोप में शाए (प्रकाशित) हो चुकी है।

तब्क़ातुल हुफ़ाज़ ही के नाम से अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी (रह.) ने एक ज़ख़ीम किताब लिखी है जो दो जिल्दों में मुशतमिल है। अल्लामा ने इसमें सिर्फ़ उन हुफ़ाज़ को लिया है जिनका ज़िक्र हाफ़िज़ जलालुद्दीन मूजी की तहज़ीबुल्कलाम में नहीं आया है। एक तब्क़ातुल हुफ़ाज़ शैख़ुल इस्लाम तक्रीयुद्दीन बिन दक्कीकुल ईद (अल मुतवफ़्फ़ा 702 हिज्री) की तस्नीफ़ भी है इसमें भी सिर्फ़ हुफ़ाज़े हदीष का तज़िकरा है।

अखबारुल हुफ्फाज :-

अल्लामा इब्ने जौज़ी (अल मुतवप्फा 597 हिज्री) की क़ाबिले क़द्र किताब है जिसमें सौ के करीब उन हुफ्फाज का तज़्किरा है जो अपने फ़न्ने हिफ़्ज़ के ए'तिबार से अपने अपने ज़मानों में यक़्ताए ज़माना शुमार किये जाते थे, लेकिन ये सिर्फ़ हुफ्फाजे हदीष ही का तज़्किरा नहीं बल्कि कुछ दिगर इलूमों फ़ुनून के हुफ्फाज का ज़िक्र भी इसमें आ गया है।

ये चंद किताबों का ज़िक्र बतौर नमूना आ गया है वरना तफ़्सील से लिखा जाए तो एक दफ़्तर तैयार हो सकता है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि अस्लाफ़ को हिफ़्ज़े कुर्आन, हिफ़्ज़े हदीष व दिगर इलूमों-फ़ुनून का किस दर्जा शौक़ था। इस सिलसिले में वो किस तरह एक-दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश किया करते थे। इस कोशिश के तुफ़ैल आज तक कुर्आन शरीफ़ मौजूद रहा और क़यामत तक मौजूद रहेगा और इसी कोशिश के सदके में हज़ारों अह्दादीषे नबवी का ज़ख़ीरा हम तक पहुँचा और किताबों में मुदव्वन होकर क़यामत तक के लिये महफूज़ हो गया। अदयाने आलम में ऐसी फ़त्री इल्मी मिषालें मफ़कूद है और ये वो खुसूसियत है जो इस्लाम और पैग़म्बरे इस्लाम को इसलिये नसीब हुई कि उनका दीन उनकी शरीयत अब हमेशा के लिये बाक़ी रहने वाली है। जब तक दुनिया में इंसान बाक़ी रहेगा, इस्लाम बाक़ी रहेगा और इस्लाम के साथ साथ कुर्आनो हदीष बाक़ी रहेंगे।

इल्मे हदीष का फ़त्री हैषियत में मुदव्वन (संकलन) होना :

नाज़ेरीने किराम पिछले सफ़्हात में मा'लूम कर चुके हैं कि अगरचे ज़मान-ए-नबवी और ज़मान-ए-सह़ाबा में ज़्यादातर शौक़ हिफ़्ज़े कुर्आन व हिफ़्ज़े हदीष ही का था। फिर भी खुद रसूले करीम (ﷺ) के ज़मान-ए-मुकद्दस में आयात व कुर्आन की सूरतों का मुख्तलिफ़ काग़ज़ों, पत्तों, पत्थरों वग़ैरह पर लिखना लिखवाना मन्कूल है। इसी तरह अह्दादीष के लिये भी खुद हिदायाते नबवी मौजूद है कि मेरी अह्दादीष को लिखो, मगर न इस तौर पर कि कुर्आने मजीद से इनका इख़्तिलात (मिक्सिंग) हो सके। इस बारे में ख़ास तौर से ताकीद फ़र्माई गई कि अह्दादीष का ज़ख़ीरा कुर्आन मजीद से अलग रहना ज़रूरी है। बहरहाल बहुत से हदीषी नविशतों को अह्दे रिसालत में षुबूत मौजूद है। फिर अह्दे सह़ाबा में भी अह्दादीष के किताबी ज़ख़ीरे मिलते हैं। इन हक़ाइक के पेशे नज़र उम्मत में एक ऐसा वक़्त भी आया कि हदीषे नबवी को बज़ाब्ता फ़त्री हैषियत से मुदव्वन (इकट्ठा) करने का सिलसिला शुरू हुआ।

इस सिलसिले में अल मुहदिषुल कबीर हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं,

'इअलम अल्लमनियल्लाहु व इय्याक अन्ना आप्ररन्नबिय्यि (ﷺ) लम तकुन फ़ी अस्त्रिन्नबिय्यि (ﷺ) व अस्त्रि अस्त्रिन्नबिही त्त बबिअहुम मुदव्वनतुन फ़िल जवामिइ व ला मुरत्तबतुन लिवज्हेनि अहदुहुमा अन्नहुम कानू फ़ी इब्तिदाइल हालि क़द नुहू अन ज़ालिक कमा ष़बत फ़ी सहीहि मुस्लिमिन ख़श्यतुन अय्यंख़लित बअज़ु ज़ालिक बिल कुर्आनिल अज़ीमि वष़्पानी सिअतु हिफ़्ज़िहिम वसैलानु अज़हानिहिम लिअन्न अक़्षरुहुम कानू ला यअरिफ़ूनल किताबत षुम्म हदष़ फ़ी अवाख़िरी अस्त्रिन्नबिईन तदवीनुल आप्रारि तबवीबुल अख़बारि लम्म न तशरल इलमाउ बिलअम्मारि व कष़ुरल इब्तिदाउ मिनल ख़वारिजि वरवाफ़िज़ी वमुन्किरिल अक़्दारि' (मुकद्दमा तुहफ़तुल अहवज़ी पेज नं. 13)

या'नी रसूले करीम (ﷺ) के आप्रारे मुबारका आपके ज़माना और सह़ाबा व ताबेईन के ज़माने में किताबों में मुदव्वन न थे और न (बशक्ले मौजूदा) इनकी तर्तीब थी। जिसकी दो वजह है। पहली तो ये है कि इस्लाम की शुरूआती दौर में आप्रारे नबवी की किताबत से रोक दिये गए थे जैसा कि सहीह मुस्लिम में है इस ख़तरे की बिना पर कि आप्रार का कोई हिस्सा कुर्आन मजीद के साथ मख़्लूत (मिक्स) न होने पाए। और दूसरी वजह ये है कि इन हज़रते सह़ाबा व ताबेईन का हाफ़ज़ा बहुत वसीअ था और उनके ज़हन बड़े तेज़ और क़वी (मज़बूत) थे। उनकी अक़्षरियत फ़त्रे किताबत (लेखन कला) से वाक्फ़ि न थी इसलिये वो सिर्फ़ अपने हाफ़्ज़े पर भरोसा रखते थे। फिर ताबेईन के आख़िरी दौर में आप्रारे नबवी व अख़बारे रिसालत (रसूल ﷺ द्वारा दी गई ख़बरों) की तद्वीन व तब्वीब (संकलन व अध्यायबन्दी) का काम शुरू हुआ जबकि इलमा मुख्तलिफ़ शहरों में फैल गए और ख़वारिज, रवाफ़िज़ व मुंकिरीने तक्दीर वग़ैरह की बिदआत ने ज़ोर पकड़ा उस वक़्त ज़रूरी लगा कि अह्दादीषे नबवी को फ़त्री तौर पर मुदव्वन

व मुरत्तब करना (सकलन करना व तर्तीब देना/क्रमबद्ध) ज़रूरी है। बस जमा हदीष का फ़त्री तौर पर सबसे पहले जमा करने का शरफ़ हज़रत रबीअ बिन फ़सीअ और सअद बिन अबी अरूबा वग़ैरह को हासिल है। आगे अल्लामा मरहूम फ़र्माते हैं,

‘फ़कानू युसन्निफ़ून कुल्ला बाबिन अला हिदितिन इला इन क्राम किबारू अहलित्तबक्रतिष्शालिषति फ़ी मुंतसिफ़िल क्रनिष्शानि फ़दव्वनुल अहकाम फ़सन्नफ़ल इमामु मालिक अल मुअत्ता व तवख़्खा फ़ीहिल क्रविथ्यि मिन हदीषि अहलिल हिजाज़ि मज़जहू बिअक्वालिस्सहाबति वत्ताबिईन व मिम बअदिहिम व सन्नफ़ अब मुहम्मद अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन जुरैज बिमक्कत व अबू अमर अब्दुरहमान अल औज़ाई बिश्शामि व अबू अब्दुल्लाहि सुफ़यान अष्शोरी बिल कूफ़ति वल हम्मादुब्नु सलमतुब्नु दीनारिन बिल बस्रति व हुशैम बिवासित व मअमर बिलयम्नि वब्नु मुबारक बिख़ुरासान वजरीरुब्नु अब्दिल हमीदि बिरय व कान हा— उलाइ फ़ी अस्त्रिन वाहिदिन फ़ला युदरा अय्युहुम सबक्र’ (हवाला मज़कूर)

या’नी वो हज़रात अलग अलग अबवाब के तहत कुतबे हदीष तस्नीफ़ किया करते थे। यहाँ तक कि कर्ने शानी के निस्फ़ में तब्क—ए—शालिष (तीसरे तबके) के बड़े बड़े उलमा व फ़ाज़िल लोग खड़े हुए और उन्होंने अहकामो मसाइल को मुदव्वन फ़र्माया। बस इमाम मालिक (रह.) ने मुअत्ता तस्नीफ़ की और अहले हिजाज़ से सहीह अहदीष को नक़ल फ़र्माया और अक्वाले सहाबा व ताबेइन व तबअ ताबेईन से उनको मुअय्यिद फ़र्माया। हज़रत अबू मुहम्मद अब्दुल मालिक बिन जुरैज ने मक्का शरीफ़ में और अबी अबू अमर अब्दुरहमान औज़ाई ने मुल्के शाम में और अबू अब्दुल्लाह सुफ़यान शोरी ने कूफ़ा में और हम्माद बिन सलमा बिन दीनार ने बस्रा में और हशीम ने वासित में और मअमर ने यमन में और इब्ने मुबारक ने ख़ुरासान में और जरीर बिन अब्दुल हमीद ने रै में तदवीने अहदीष के फ़राइज़ को अंजाम दिया। रहिमहुमुल्लाहि अज्मईन। ये सब हज़रात एक ही ज़माने में थे लिहाज़ा नहीं कहा जा सकता कि उनमें अव्वलियत किसको हासिल है।

शाइकीने किराम को पिछली तपस्नीलात से मा’लूम हुआ होगा कि इल्मे हदीष का फ़त्री हैषियत में मुदव्वन होना कितना अहम काम था जिस पर पूरी उम्मत हमेशा नाज़ाँ रहेगी। उससे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि फ़रामीने रिसालत की हिफ़ाज़त के साथ साथ तहक्कीक व तदक्कीक, जरहो तादील के बहुत से फ़त्री उलूम वुजूद में आ गये। और तारीख़े इंसानियत की जाँच के लिये ये यकीन अफ़रोज़ रास्ता खुल गया। अल्लाह न करे ये काम न अंजाम दिया जाता तो आज इस्लाम भी फ़त्री हैषियत से ऐसा ही गुमनामी की नज़र होता जैसाकि दीगर अद्याने आलम का हाल है कि उनके मुता’ल्लिक सहीहतरीन मा’लूमात जुनून व शुक्क के दर्जे में है।

तदवीने अहदीष के बारे में अल्लामा इब्ने हजर (रह.) का बयान :-

अल्लामा मौसूफ़ मुकद्दमा फ़त्हुल बारी में फ़र्माते हैं,

‘इअलम अल्लमनियल्लाहु व इय्याक अन्ना आषारिन्नबिथ्यि (ﷺ) लम तकुन फ़ी अषरिन्नबिथ्यि (ﷺ) वलम तकुन फ़ी अषरिस्सहाबति व किबारि तबिअहुम मुदव्वनतन फ़िल जवामिइ व ला मुरत्तबतुन लिअमैनि अहदुहुमा अन्नहुम कानू फ़ी इब्तिदाइल हालि क्रद नुहू अन ज़ालिक कमा प्रबत फ़ी सहीहि मुस्लिमिन ख़श्यतन अय्यंख़तलित बअज़ु ज़ालिक बिल कुर्आनिल अज़ीम व शानियुहुमा लिसिअति हिफ़िजहुम व मैलानि अज्हाँनिहिम व लिअन्न अक्परहुम कानू ला यअरिफ़ूनल किताबत शुम्म हदष फ़ी अवाख़िरि असरित्ताबिईन तदवीनुल आषारि व तब्वीबुल अख़बारि लम्पन इन तशरल उलामाउ फ़िल अम्पारि व कषुरल इब्तिदाउ मिनल ख़वारिजि वरवाफ़िज़ि व मुंकिरिल अक्दारि फ़अव्वलु मन जमअ ज़ालिक अरबीउब्नु सबीह व सईदुब्नु अबी अरूबत व ग़ैरुहुमा व कानू युसन्निफ़ूना कुल्ल बाबिन अला हिदितिन इला अन क्राम किबारू अहलित्तबक्रतिष्शालाषति फ़दव्वनुल अहकाम इला आख़िरिही’

या’नी जान लो कि नबी करीम (ﷺ) के इर्शादाते—मुबारका आपके ज़माने में और बाद में आपके सहाबा के ज़माने में फिर किबारे ताबेईन के दौर में बशक्ले कुतुब जवामेअ मुदव्वन और मुरत्तब न थे (या’नी किताब की शक्ल में जमा, संकलित और क्रमबद्ध न थे) जिसकी दो वजह है; पहली ये कि इस्लाम के शुरूआती दौर में सहाबा किराम को इर्शादाते नबवी (ﷺ) की किताबत से इसलिये रोक दिया गया था ताकि वो कुर्आन मजीद के साथ ख़लत—मलत न होने पाएँ। और दूसरी वजह ये

कि सहाबा किराम का हाफ़ज़ा बेहद क़वी था और उनका ज़हनी रुज़ान ज़्यादातर हाफ़ज़े ही की तरफ़ था। इसीलिये उनमें अक्बर फ़ने किताबत से नावाक़िफ़ थे। फिर ताबेईन के आख़िरी दौर में जब इलम-ए-इस्लाम शहरों और दूर-दराज़ के इलाकों में फैल गए और ख़वारिज व रवाफ़िज़ और क़दरिया की बिदआत ने ज़ोर पकड़ा उस वक़्त ज़रूरत महसूस हुई और तद्वीने अह्लादीषे नबवी (ﷺ) का काम शुरू हुआ। बस अव्वल जिस बुजुर्ग ने ये काम अंजाम दिया वो रबीअ बिन स़बीह और सईद बिन अबी अरूबा वग़ैरह बुजुर्गाने इस्लाम हैं। अभी तक ये हज़रात हर बाब अलग अलग मुरत्तब फ़र्मा रहे थे। यहाँ तक कि तब्काए प़ालिषा के किबारे अइम्मा किराम व इलम-ए-इज़ाम खड़े हुए और उन्होंने अह्लादीष को बाज़ाब्ता मुदव्वन करना शुरू किया।

बस इमाम मालिक (रह.) ने मुअत्ता को मुदव्वन फ़र्माया और हिजाजियों की क़वीतरीन अह्लादीष को उन्होंने मुरत्तब फ़र्माकर उनको अक्वाले सहाबा से मौषिक़ किया। और अबू मुहम्मद अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन ज़रीह ने मक़तुल मुकर्रमा में इस काम को अंजाम दिया और अबू अम्र बिन अब्दुर्रहमान बिन औज़ाई ने शाम में और अबू अब्दुल्लाह सुफ़यान बिन सईद ने कूफ़ा में और अबू सलमा हम्माद बिन सलमा बिन दीनार ने बस़रा में। फिर उनके अज़र में बहुत से इलम-ए-किराम ने इस नहज (स्तर) पर इस अहम ख़िदमत की तरफ़ तवज्जुह की, बाद में मज़ीद फ़त्री तरक्कियाँ वजूद में आईं।

अह्लादीष और आप़ार को इस ताख़ीर के साथ मुदव्वन करने का काम उम्मत ने क्यों शुरू किया और अहदे रिसालत में अह्लादीष लिखने का सिलसिला न था। इस बारे में अज़रे हाज़िर के एक मशहूर फ़ाज़िल डॉक्टर शैख़ मुस्तफ़ा हुस्ना सबाई का एक तवील मक़ाला हमारे सामने है जिसमें आपने हदीष के बारे में क़ीमती मा' लूमात हवाले क़ितास (कागज़ पर लिखना, लिपिबद्ध) फ़र्माई हैं। मक़ाला अरबी में है। जिसका तर्जुमा मलिक गुलाम अली साहब ने किया है। जिसे हम 'तजल्ली देवबन्द' अप्रैल 1955 ई. के शुक्रिया से नाज़ेरीन की मा' लूमात के लिये नक़ल कर रहे हैं।

अहदे नबवी (ﷺ) में अह्लादीष क्यों मुरत्तब नहीं की गई? :-

मुअल्लिफ़ीने सीरत, इलम-ए-हदीष और जुम्हूरे मुस्लिमीन के माबैन इस बारे में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है कि रसूले करीम (ﷺ) और अस्हाबे किराम की अव्वलीन तवज्जुह हिफ़ाज़ते कुआन की तरफ़ मब्ज़ूल थी। (या'नी अल्लाह के रसूल ﷺ और आपके सहाब-ए-किराम की प्राथमिकता कुआने करीम की आयतों की हिफ़ाज़त करना थी। इस बात का पूरा ऐहतियात बरता गया था कि हदीष का कोई हिस्सा कुआन की आयतों के साथ मिक्स न हो जाए। -अनुवादक)

जब आप (ﷺ) की वफ़ात हुई उस वक़्त कुआन सीनो और सफ़ीनों में महफूज़ हो चुका था। सिर्फ़ उसे एक मुहफ़ (सहीफ़े या किताब) की शक़ल देने की कसर बाक़ी थी। हदीष व सुन्नत का मुआमला उससे अलग था। अगरचे उसके मस्दर तशरीह होने की ह़ैषियत मुसल्लम थी। लेकिन उसकी बाज़ाब्ता संकलन उस तरीके से नहीं किया गया जिस तरह कुआन का हुआ। इसकी वजह ये थी कि हदीष का मवाद कुआन की तरह मुख़्तसर नहीं था। अक्वाल, अअमाल और मुआमलात का ये अज़ीमुशान ज़ख़ीरा एक नबी की जामेअ और हमागीर 23 साला हयात (ज़िन्दगी) से जुड़ा हुआ था। जिसके देखने, सुनने और जानने वाले हज़ारों अफ़राद थे और बयक वक़्त सबको ही इससे वास्ता पेश न आता था बल्कि अलग-अलग वक़्तों में अलग अलग लोगों को पेश आता था। उस ज़माने में पढ़े-लिखे सहाबा उँगलियों में गिने जा सकते थे। सामाने किताबत का ये हाल था कि कुआन की किताबत के लिये भी कुछ खजूर के पत्ते, झिल्लियाँ और पत्थर की तख़्तियाँ बमुश्किल फ़राहम (उपलब्ध) थे। उस ज़माने के फ़ने तहरीर को भी आजकल की जूद-नवेसी (शाट्ट हैण्ड/जल्दी-जल्दी लिखना) से कोई निस्बत न थी। उन हालात में कैसे मुम्किन था कि हर सहाबी अपने साथ एक नोट बुक और पेंसिल रखता। और जो कुछ देखता या सुनता उसे लिखता जाता उनमें से जो लिखे पढ़े थे उनके लिये भी ये अमलन दुश्वार बल्कि नामुम्किन था कि वो कुआन की तरह कुआन लाने वाले के अक्वाल और अअमाल की किताबत को भी क़लमबंद कर लेते। इसके अलावा चूँकि कुआन शरीअत का अव्वलीन और असासी (बुनियादी) मम्बअ था। इसलिये कातिबीन सहाबा ने सबसे पहले कुआन को किताबत का एहतिमाम किया। ताकि उसे बिला कम व कास्त एक मुंज़बित तहरीरी शक़ल में अपने बाद की नस्लों को सौंप दें। मज़ीद बरां अरब उम्मी और अनपढ़ थे। अगर वो किसी चीज़ को महफूज़ करना चाहते तो इस मुआमले में उनका वाहिद ए'तिमाद (एकमात्र भरोसा) अपन हाफ़ज़े पर होता था। कुआन मज़ीद चूँकि नज्मन-नज्मन और शुरू में छोटी-छोटी सूरतों की शक़ल में नाज़िल हो

रहा था। इसलिये इसका अज़ब (पूरे तौर पर याद) कर लेना निस्बतन सहलतर (निहायत-आसान) था और तबाऐअ फ़ित्री तौर पर उसके द्विपत्र के लिये माइल और आमामा हो गई। बरअक्स इसके सुन्नत एक वसीअुल अतराफ़ ज़ख़ीरे का नाम था जो अहदे रिसालत के क़बीरतअदाद तशरीई अक्वाल व अअमाल पर मुशतमिल था। अगर इस पूरे मवाद की बकायदा तद्वीन भी कुआन के साथ साथ की जाती तो लाज़िमन सहाबा को कुआन के अलावा सुन्नत की मुहाफ़ज़त के लिये भी अपने हाफ़ज़े पर शदीद बोझ डालना पड़ता और इस बोझ का नाक़ाबिले बर्दाशत होना बिलकुल ज़ाहिर है। फिर उसके अलावा ये भी ख़दशा कहीं बिला इरादा जामेअ और मुख़्तसर कलिमाते नबवी और आयते कुआनी ख़लत-मलत न हो जाए। इससे अअदाए इस्लाम के लिये शक का और अहकामे इस्लामिया पर हमलों का दरवाज़ा खुलता था और सुतूते दीनी की पामाली का ख़तरा था। अदमे तद्वीने सुन्नत के और भी बहुत से वुजूह हैं जो इलमा ने तफ़्सीर से बयान किये हैं। सहीह मुस्लिम में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से जो क़ौले रसूल (ﷺ) से मरवी है कि कुआन के सिवा किसी चीज़ को मेरी तरफ़ से न लिखो और जिसने लिखी हो वो मिटा दे। वो इसी सूतेहाल से ता'ल्लुक रखती है।

क्या अहदे नबवी (ﷺ) में अहादीष लिखी ही न गई थी? :-

लेकिन अहदे नबवी में अगर कुआन की तरह हदीष की बाज़ाबता तद्वीन नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस अहदे मुबारक में कोई हदीष सिरे से लिखी ही नहीं गई। अनेकों सहीह अहादीष इस बात की दलील पेश करती है कि उस ज़माने में भी किताबते हदीष होती रही है। इमाम बुखारी (रह.) किताबुल इल्म में अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत की है कि फ़तहे मक्का के साल बनू खुज़ाआ ने अपने एक मक्नतूल के बदले बनू लैष का एक आदमी हरम में क़त्ल कर दिया था। नबी करीम (ﷺ) ये ख़बर पाकर सवार हुए और आप (ﷺ) ने एक तक्रीर फ़र्माई कि :-

अल्लाह तआला ने मक्का में क़िताल से रोक दिया है और यहाँ अपने रसूल (ﷺ) और मुअमिनो को ग़ालिब किया है यहाँ लड़ाई मुझसे पहले न किसी के लिये हलाल थी और न आइन्दा होगी। ये दिन की चंद घड़ियों के लिये मुझ पर हलाल की गई थी जो इस वक़्त गुज़र रही हैं। न यहाँ का कांटा तोड़ा जाए और न टहनी काटी जाए सिवाय इसके कि कोई हाज़तमंद गिरी-पड़ी चीज़ चुन ले। मक्नतूल के वारिष के लिये दो रास्ते हैं या तो उसे दियत (मुआवज़ा) दी जाए या क़िसास (बदला)।

तक्रीर के ख़ात्मे पर अहले यमन में से एक सहाब अबू शाह नामी ने कहा, 'या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे लिये ये खुत्बा लिखवा दीजिए। आप (ﷺ) ने कहा कि 'उक्तुबू लि अबी शाह' (अबू शाह को लिखकर दे दो)। इसी तरह आपने हमअस् (समकालीन) मुल्कों के बादशाहों और अमीरों के नाम खुतूत लिखवाए जिनमें दा'वते इस्लाम थी। और आप अपने उम्माल और सिपहसालारों के लिये भी हिदायात तहरीर कराते थे। और कहते थे कि जब फ़लाँ मक़ाम से गुज़र जाओ तो उन्हें पढ़ना। बअज़ पढ़े-लिखे सहाबा के पास सहीफ़े और याददाशतें भी होती थीं जिनमें वो इशादाते नबवी (ﷺ) को लिख लेते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस के पास एक नोटबुक थी जिसे वो सादिक़ा के नाम से याद करते थे। इमाम अहमद व बैहक़ी ने मुदख़ल में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के क़ौल नक़ल किया है कि अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) के सिवा मुझसे बढ़कर कोई आलिमे हदीष न था। वो लिख लेते थे, और मैं नहीं लिखता था। कुछ सहाबा की नज़र में हज़रत अब्दुल्लाह का काम खटका था और उन्होने कहा था कि आप रसूलल्लाह (ﷺ) की हर बात लिख लेते हैं। हालाकि कुछ वक्त्रों में हुज़ूर (ﷺ) नाराज़गी की हालत में होते हैं। और ऐसी बात कर सकते हैं जो मशरूअ न हो। इस पर हज़रत इब्ने अम्र (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से रुजूअ किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम मुझसे सुनकर लिख लिया करो उस ज़ात की क़सम! जिसके क़ब्जे में मेरी जान है मेरे मुँह से सिवाये हक़ के और कुछ नहीं निकलता।

हज़रत अली (रज़ि.) से भी षाबित है कि उनकी एक याददाशत में दियते आक़िल और कुछ दीगर अहकाम लिखे हुए थे। इसी तरह उसका षुबूत मौजूद है कि हुज़ूर (ﷺ) ने अपने गवर्नरों को फ़रामीन ईसाल फ़र्माए थे जिनमें मवाशी और दीगर अम्वाल ज़कात के निज़ाब और शरह ज़कात की तफ़्सील दर्ज थी।

किताबते हदीष के बारे में इजाज़त और मुमानअत पर दलालत करनेवाली जो दो तरह की अहादीष वारिद है। उनके

मुता'ल्लिक अक्षर अहले इल्म की राय ये है कि नह्य पहले थी और बाद में इजाज़त दे दी गई। कुछ का ख्याल ये है कि नह्य की असल गर्ज़ कुआनो-सुन्नत को गडमड होने से बचाना था। इसलिये जहाँ इस अम्र का ख़तरा मौजूद था। वहाँ आँहज़रत (ﷺ) ने किताबते हदीष की इजाज़त दे दी और जहाँ ख़तरे का डर था वहाँ रोक दिया।

हमारी तहक़ीक़ इस बारे में ये है कि जिस चीज़ से मना किया गया था, वो कुआन की तरह हदीष की बाक़ायदा व बाज़ाबता तद्वीन थी। बाक़ी ज़ाती याद्दाश्तों की मुमानअत नहीं की गई थी और ख़ास़ हालात और ज़रूरियात में इसकी इजाज़त थी। जुम्ला अह्दादीष पर गौर व तअम्मुल करने से भी इसी मफ़हूम की ताईद होती है। नह्य का एक उमूमी हुक्म देने के बाद जब नबी करीम (ﷺ) ने ख़ास़ अफ़राद को ख़ास़ हालात में इजाज़त दे दी तो उससे ये लाज़िम आता है कि हुर्मते किताबत का उमूमी हुक्म बाक़ी नहीं रहा था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) का अहदे नबवी के आख़िर तक इस्तिमरारे किताबत इस अम्र का षुबूत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के नज़दीक़ किताबते हदीष फ़ी नफ़िसही जाइज़ थी। बशर्ते कि वो इतने उमूमी और वसीअ एहतिमाम के साथ न हो जितना कि तद्वीने कुआन के बारे में इख़्तियार किया जा रहा था। बुखारी (रह.) ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से जो रिवायत आपके आख़िरी अय्यामे मर्ज़ से मुता'ल्लिक़ बयान की है वो भी इन्ने किताबत की ताइद करती है। उसमें है कि आप (ﷺ) ने शिद्दते तकलीफ़ में कहा था कि काग़ज़ लाओ, मैं तुम्हारे लिये एक तहरीर लिखवा दूँ ताकि तुम बाद में भटकने न पाओ। लेकिन हज़रत उमर ने आपके दर्दों-कुर्ब के पेशे-नज़र इस तच्चीज़ पर अमल दरआमद नहीं होने दिया। इस वाक़िअे से षाबित होता है कि इजाज़त नासिख़ और नह्य मंसूख़ है।

अहदे नबवी के बाद हदीष के बारे में सहाबा का मौक़िफ़ (नज़रिया) :-

हज़रत ज़ैद बिन षाबित से अबू दाऊद और तिर्मिज़ी की एक रिवायत पहले नक़ल की जा चुकी है कि अल्लाह उस आदमी को खुश और आसूदा रखे जिसने मेरी बात सुनी, उसे महफूज़ कर लिया। और फिर उसे जैसे सुना था वैसे ही दूसरों तक पहुँचा दिया। बसाओक़ात सुननेवाले से बढ़कर मुहाफ़िज़ वो शख़्स होता है जिस तक सुननेवाला पहुँचाता है और हदीष में इशाद फ़र्माया, 'देखो! तुममें से जो यहाँ मौजूद है वो उस तक मेरी बात पहुँचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं।' (जामेअ बयानुल इल्म अन् अबीबक्र जिल्द नं. 1 पेज नं. 241, मुस्लिम अन् अबी हुरैरह (रज़ि.)

इसी तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सहाबा को वसीयत फ़र्माई कि वो सुन्नत को सिहत व तहक़ीक़ के साथ अपनी आइन्दा नस्लों तक पहुँचाएं और फ़र्माया, 'एक आदमी के गुनहगार होने के लिये बस यही काफ़ी है कि जो सुने बिना तहक़ीक़ उसे दूसरों तक पहुँचा दे।'

इन इशादात के पेशे-नज़र सहाबा के लिये ज़रूरी था कि वो सुन्नत की इस अमानत को बिना कमो व कास्त दूसरों के हवाले करने का पूरा पूरा एहतिमाम करें। ख़ुसूसन जबकि वो दूर-दराज़ इलाकों में फैल गए थे और ताबेईन ने तरह-तरह की सज़्जबतें (तकलीफ़ें) झेलकर और लम्बी दूरियाँ तै करके उनके पास आना शुरू कर दिया था। हदीष के फैलाने और उसे जुम्हूरे मुस्लिमीन तक पहुँचाने में बयान किये गये इशादाते नबवी (ﷺ) ने एक ज़बरदस्त मुहरीक़ (आन्दोलनकारी) का काम किया। अल्बत्ता ये एक हक़ीक़त है कि रिवायत की क़षरत व क़िल्लत के ए'तिबार से सहाबा आपस में मुतफ़ावित थे।

मषलन हज़रत जुबैर ज़ैद बिन अरक़म और इम्रान बिन हुसैन (रज़ि.) से बहुत कम अह्दादीष मन्कूल हैं। इमाम बुखारी (रह.) किताबुल इल्म में रिवायत करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने अपने वालिद से कहा कि, 'आप फ़लाँ फ़लाँ सहाबी की तरह ज़्यादा अह्दादीष क्यों बयान नहीं करते? उन्होंने जवाब दिया कि मैं भी आप (ﷺ) के हर वक़्त साथ रहता था लेकिन मैंने आपको ये कहते हुए सुना था कि जिसने मुझ पर झूठ बाँधा वो आग में अपनी जगह बना ले। इसी तरह इब्ने माजा ने रिवायत की है कि ज़ैद बिन अरक़म से जब कहा जाता था कि कोई हदीष बयान कीजिए तो कहते थे कि—

'हम बूढ़े हो गए हैं। हमारा हाफ़ज़ा कमज़ोर हो गया और रसूलुल्लाह (ﷺ) से हदीष बयान करना एक बड़ा कठिन काम है।

साइब बिन यज़ीद कहते हैं कि मैंने सईद बिन मालिक (रज़ि.) के साथ मदीने से मक्के का सफ़र किया। इस अफ़ना में मैंने

उनसे एक हदीष भी न सुनी। हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) हदीष बयान करने के बाद कहा करते थे कि 'अब कमा क़ाल' आप (ﷺ) ने ये बात या तव़रीबन इस जैसी बात इशाद की थी। हज़रत अनस की ये इहतियात इस बिना पर थी कि कहीं कोई ग़लत चीज़ आप (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब न हो जाए। हज़रत जुबैर (रज़ि.) ज़ैद बिन अरकम (रज़ि.) और उनकी तरह दूसरे क़लीलुरियायत (कम रिवायत करने वाले) सहाबा ने ये सब कुछ इसलिये किया है कि मुबादा बिला इरादा या ग़ैर शज़री तौर पर ग़लत बयान का इर्तिकाब न कर बैठें। नीज़ उन्हें अपने हाफ़ज़े पर भी इस हद तक भरोसा नहीं था कि उन्हें इस अम्र का कुल्ली इत्मीनान होता कि वो अह्लादीष के अल्फ़ाज़ और अंदाज़े बयानों को पूरी सिह्त के साथ नक़ल कर सकेंगे। इसलिये इनके नज़दीक एहतियात का पहलू इसी में था कि वो कम रिवायत करें और सिर्फ़ वही हदीष रिवायत करें जिसकी सिह्त पर उन्हें पूरा भरोसा हो। (कहने का मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल ﷺ के कुछ सहाबी, जिनका ज़िक्र ऊपर आया है, ऐसे भी हैं जिनसे बहुत कम हदीषों की रिवायतें मिलती हैं। वे हदीष बयान करने में बहुत ऐहतियात बरतते थे, दूसरे लफ़्ज़ों में कहा जाए तो इस बात से डरते थे कि कहीं ऐसी कोई बात मुँह से न निकल जाए जो हू-ब-हू (शब्दशः) अल्लाह के रसूल ﷺ ने न कही हो। वो उस अजाब से इतना डरते थे जो झूठी बात अल्लाह के रसूल ﷺ की तरफ़ मन्सूब करनेवाले को दिया जाएगा।—अनुवादक)

इन सब एहतियातों पर मुस्तज़ाद हज़रत इमर (रज़ि.) की ये ख़्वाहिश थी कि हदीष में लोग ऐसे मुंहमिक (बहुत ज़्यादा मशगूल) न हो जाएँ कि कुर्आन से ग़फ़लत बरतने लगे। कुर्आन के नुज़ूल पर अभी ज़्यादा वक़्त न गुज़रा था और उसकी हिफ़ाज़त, मुतालआ और नक़लो-इशाअत की ज़रूरत मुक़द्दमतरनी थी। इमाम शुअबी कुर्जा बिन कअब (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि कुर्जा (रज़ि.) ने कहा हम इराक़ को जा रहे थे। हज़रत इमर (रज़ि.) हमारे साथ मक़ामे सिरार तक आए। यहाँ उन्होंने वुजू किया और कहा, 'क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्यों आया हूँ? हमने कहा, हाँ! इसलिये कि हम अस्हाबे रसूल हैं। हज़रत इमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, तुम ऐसे लोगों के पास जा रहे हो जो कुर्आन से ख़ुसूसी लगाव रखने में मशहूर हैं। इसलिये तुम लोग उन्हें हदीष सुना-सुनाकर कुर्आन से उनकी दिलचस्पी को कम न कर देना। कुर्आन की तच्चीद में कोशिश करना और रसूलुल्लाह (ﷺ) से कम रिवायत करना। जाओ मैं तुम्हारा शरीक हूँ। जब हज़रत कुर्जा इराक़ में पहुँचे। लोगों ने कहा, हमसे हदीषे रसूल (ﷺ) बयान कीजिए। उन्होंने जवाब दिया, हमें इमर (रज़ि.) ने रोक दिया है।

लेकिन सहाबा किराम में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से और जिनसे दूसरों ने क़भरत के साथ रिवायत किया है। मसलन हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बहुत हदीषें बयान किया करते थे। उनकी रिवायत कर्दा अह्लादीष से सहाबा की महफ़िलें गर्म रहती थीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस अपनी नोटबुक अस्सादिका से अक़भर हदीषें सुनाया करते था हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) किबारे सहाबा से अह्लादीष ह्रासिल करने में गो न गू तक्लीफ़े उठाते थे। और उनके पास जाकर फ़र्माने रसूलुल्लाह (ﷺ) सुना करते थे।

इब्ने अब्दुल बर इब्ने शिहाब से रिवायत करते हैं कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने एक बार कहा मुझे जब रसूलुल्लाह (ﷺ) के किसी सहाबी की हदीष की ख़बर मिलती थी तो मेरे लिये ये नामुम्किन नहीं होता था कि मैं किसी आदमी को भेजकर उन्हें अपने यहाँ बुलवा लेता और फिर उनसे हदीषे रसूल सुन लेता। लेकिन मैं खुद जाकर उनके दरवाज़े पर इतिज़ार में लेट जाया करता था। हत्ता कि सहाबी घर से बाहर निकलते और हदीष बयान करते।

गर्ज़ ये कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने हूसूले अह्लादीष के ख़ातिर बेहद व बे हिसाब सज़बतें बर्दाश्त कीं। और जितने सहाबा से भी आपकी मुलाक़ात मुम्किन थी उनसे मिलकर उनसे अह्लादीष को ये बतमाम व कमाल अख़ज़ किया। फिर उस पूरे ज़ख़ीरे की नश्रो-इशाअत का फ़रीज़ा भी अपने ज़िम्मे लिया। और उसकी अदायगी में किसी तरह का वक़ार या ग़ैर ज़रूरी इंकिसार आपकी राह में हाइल न हो सका। अल्बत्ता बाद में जब झूठी अह्लादीष वज़अ होनी (गढ़ी जानी) शुरू हुई तो इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने रिवायते हदीष में कमी कर दी। इमाम मुस्लिम अपनी सहीह के मुक़द्दमे में रिवायत करते हैं कि बशीर इब्ने कअब (रज़ि.) इब्ने अब्बास (रज़ि.) के पास आए और हदीषें बयान करना शुरू कीं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, फ़लाँ हदीष एक बार फिर सुनाइए। बशीर बिन कअब (रज़ि.) ने वो हदीष दोबारा सुनाई और साथ ही कहा, मा'लूम नहीं कि आपने मेरी सारी हदीषें मान ली हैं या सिर्फ़ इस एक को सही तस्लीम किया है? इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने जवाब दिया कि जब तक कि वज़अे हदीष का फ़िल्ना नमूदार नहीं हुआ था हम रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत करते थे लेकिन जब से लोगों

ने गैर-ज़िम्मेदाराना रविश इख़ितयार की है हमने भी रिवायत करना छोड़ दिया है।

क़षीररिवायत सहाबा भी हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) और हज़रत उमर (रज़ि.) के अहद (दौरे ख़िलाफ़त) में कम रिवायत करते थे क्योंकि ये दोनों खुलफा एक तरफ़ हदीष में तहक्कीक़ो-तन्कीद पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। और दूसरी तरफ़ इससे कहीं ज़्यादा कुअनि करीम से लोगों का ता'ल्लुक ठीक करने में कोशिश (प्रयासरत) रहते थे। एक बार हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कहा गया कि क्या आप हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माने में भी इसी तरह रिवायत करते थे। जिस तरह अब करते हैं? कहने लगे, अगर मैं हज़रत उमर के ज़माने में ऐसा करता तो वो डण्डे से मेरी ख़बर लेते। (जामेअ अहकामुल बयान 2/121)

क्या हज़रत उमर (रज़ि.) ने क़षरते रिवायत की बिना (ज़्यादा हदीषें बयान करने के आधार) पर किसी सहाबी को क़ैद किया था?

इस मुक़ाम पर हदीष के बारे में हज़रत उमर (रज़ि.) और दीगर सहाबा के मौक़िफ़ से मुता'ल्लिक़ नीचे लिखे दो सवालात का जवाब दे देना ज़रूरी है।

- (1) क्या हज़रत उमर (रज़ि.) ने क़षरते रिवायत की बिना पर किसी सहाबी को क़ैद किया था?
- (2) क्या सहाबा किराम (रज़ि) कुबूले हदीष के लिये कुछ शराइत आइद करते (शर्तें लगाते) थे?

ये मशहूर है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने क़िबारे सहाबा में से तीन अस्हाब या'नी हज़रत इब्ने मसऊद, अबूदर्दा और अबू ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि.) को क़षरते रिवायत की बिना पर क़ैद किया था। मैंने कोशिश की है कि किसी मो'तबर किताब में मुझे ये रिवायत मिल जाए, लेकिन मैं नाकाम रहा हूँ। इस रिवायत का मौजूअ होना वाज़ेह है। इब्ने मसऊद एक जलीलुलक़दर सहाबी और सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में से हैं। हज़रत उमर (रज़ि.) के दिल में उनकी बड़ी इज़्जत थी। हताकि जब इब्ने मसऊद (रज़ि.) को उन्होंने इराक़ भेजा था अपने इस काम का अहले इराक़ पर बतौर एक एहसान के ज़िक़्र किया। और उनसे कहा मैं अब्दुल्लाह बिन मसऊद को अपने पास रखने के बजाय तुम्हारे पास भेजने में बड़े इश्वार से काम ले रहा हूँ। हज़रत उमर (रज़ि.) के अहदे ख़िलाफ़त में इब्ने मसऊद (रज़ि.) का क़ियाम इराक़ में रहा। इनको हज़रत उमर ने भेजा ही इसलिये था कि अहले इराक़ को अहकामे किताबो-सुन्नत सिखाएँ। तो ये कैसे हो सकता है कि उन्हें क़षरते रिवायत की वजह से क़ैद किया गया हो? जहाँ तक हज़रत अबू ज़र और अबू दर्दा का ता'ल्लुक है इन दोनों अस्हाब से इतनी अहादीष मरवी ही नहीं है कि इन्हें मुक़ाष़िरीन (ज़्यादा रिवायत करने वालों) में शुमार किया जा सके। इसके अलावा अबू दर्दा भी इब्ने मसऊद की तरह शाम में मुसलमानों के मुअल्लिम थे। और जो सवाल आख़िरुज़िक़्र के बारे में पैदा होता है वही अब्वलुज़िक़्र के बारे में पैदा होता है। क्या हज़रत उमर (रज़ि.) ये चाहते थे कि दोनों रिवायत हदीष से इज्तिनाब (परहेज़) करें ताकि दीन के अहकाम छुपे हुए रह जाएँ? हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से जितनी अहादीष मन्कूल हैं वो हज़रत अबू हुरैरह की रिवायत कर्दा अहादीष का एक मामूली जुज (छोटा सा हिस्सा) बनती हैं। तो फिर अगर अबू ज़र (रज़ि.) को क़ैद किया गया था तो हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को क़ैद करना कहीं ज़्यादा ज़रूरी था। अगर ये कहा जाए कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) हज़रत उमर (रज़ि.) के डर से रिवायत नहीं करते थे इसलिये उन्हें क़ैद नहीं किया गया तो फिर हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) को क़ैद किया गया था तो हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को क़ैद करना कहीं ज़्यादा ज़रूरी था। अगर ये कहा जाए कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) हज़रत उमर (रज़ि.) के डर से रिवायत नहीं करते थे इसलिये उन्हें क़ैद नहीं किया गया तो फिर हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) को हज़रत उमर (रज़ि.) का डर क्यों नहीं था?

सहाबा किराम में से हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) इब्ने अब्बास (रज़ि.) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) और हज़रत आइशा (रज़ि.) को क़षीररिवायत तस्लीम किया जाता है। मगर उनमें से किसी एक की तरफ़ से भी कोई ऐसी बात मन्कूल नहीं है कि जिससे कि ये मा'लूम हो कि हज़रत उमर उन को रिवायते हदीष से रोकते थे। बल्कि हज़रत उमर (रज़ि.) से ये रिवायत बयान की गई है कि जब हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने लोगों से क़षरत से अहादीष बयान करना शुरू कर दिया तो हज़रत उमर ने एक बार उनसे कहा, क्या आप फ़लों जगह पर मौजूद थे जब रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे साथ मौजूद थे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ! और मैंने आप (ﷺ) से ये सुना था कि जिसने जान-बूझकर मेरी तरफ़ झूठ मन्सूब किया उसने आग में अपना ठिकाना बना लिया। हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, अगर आपको ये फ़र्माने रसूल याद है तो फिर

जाए और रिवायत की जाए। अब ये कैसे तस्लीम किया जा सकता है कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को छोड़ दिया गया हो जो क़ुर्रते रिवायत में जुम्ला सहाबा पर फ़ौक़ियत रखते थे और इब्ने मसऊद (रज़ि.) और अबू दर्दा जैसे सहाबा को क़ैद कर दिया जिनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) की बनिस्बत बहुत कम रिवायात मन्कूल हैं।

मैंने इस रिवायत पर बहुत ग़ौर किया। इसे अलग अलग तरीक़ों से जाँचा। हताकि इब्ने हज़म की किताब अल् अहक़ाम जिल्द नं. 2 पेज नं. 931 में इस पर ये तंकीद मेरी नज़र से गुज़री।

हज़रत उमर (रज़ि.) के मुता'ल्लिक़ कहा गया है कि उन्होंने इब्ने मसऊद (रज़ि.) अबू दर्दा (रज़ि.) और अबू ज़र (रज़ि.) को बर्बिनाए इक्शारे हदीष (हदीष ज़्यादा ता'दाद में रिवायत करने की बिना पर) क़ैद किया था ये रिवायत इंक़िताअ से मतऊन है क्योंकि इसके रावी इब्राहीम बिन अब्दुरहमान बिन औफ़ का हज़रत उमर (रज़ि.) से सुनना प्राबित नहीं है। इमाम बैहक़ी ने भी इस राय से इत्तिफ़ाक़ किया है। अगरचे यअकूब बिन शैबा और तबरी वग़ैरह ने सुनने को प्राबित किया है। लेकिन हक़ीक़त ये है कि सुनना प्राबित नहीं हो सकता। इसकी वजह ये है कि ये रावी 99वे या 95वें सन् हिज्री में फ़ौत हुए। उनकी उम्र 75 बरस थी। इस हिसाब से इनकी पैदाइश अवाख़िरे ख़िलाफ़ते उमर में 20 हिज्री में हुई। इस तरह उमर (रज़ि.) से इनके सुनने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इस बिना पर ये रिवायत हुज्जत व दलील नहीं बन सकती।

आगे चलकर इब्ने हज़म लिखते हैं कि :

'ये रिवायत बिनफ़िसही भी किज़ब (झूठ) व इख़्तिराअ का एक नमूना मा'लूम होती है क्योंकि इससे एक तरफ़ तो सहाबा किराम पर इत्तिहामे किज़ब (झूठ का बोहतान) प्राबित होता है और ये एक निहायत संगीन बात है। दूसरी तरफ़ इससे हज़रत उमर (रज़ि.) का तब्लीगी सुन्नत से किबारे सहाबा को रोकना और अहक़ामे दीन का इख़फ़ा व इंकार लाज़िम आता है जो इस्लाम से निकलने जैसा है। मअज़ल्लाह! अमीरुल मोमिनीन ये कैसे कर सकते थे? ये बात तो किसी मुसलमान के शायाने-शान नहीं हो सकती और अगर ज़िक़्र किये गए तीनों सहाबा पर इस सिलसिले में ग़लत बयान का इत्तिहाम (तोहमत लगाना, लांछन) न था तो फिर उन्हें नज़रबंद करना स़रीह जुल्म की ता'रीफ़ (परिभाषा) में आता है। बहरेहाल ये झूठी रिवायात हर्गिज़ क़ाबिले कुबूल नहीं। क्योंकि उसे मान लेने के बाद दो ज़लालत आमेज़ मफ़रूज़ों (गुमराह करने वाले वहम, भ्रामक कल्पनाओं) में से किसी एक को मान लेना नागुरैज़ (अनिवार्य) हो जाता है।

क्या सहाबा कुबूले हदीष के लिये कुछ शराइत रखते हैं?

इस सवाल का जवाब देने के लिये चंद नीचे लिखी अहदादीष का मुतालआ ज़रूरी है,

- (1) तज़िक़रातुल हुफ़फ़ाज़ में हाफ़िज़ जहबी हज़रत अबूबक्र सिदीक़ (रज़ि.) के बारे में लिखते हैं, आप हदीष कुबूल करने में सबसे ज़्यादा एहतियात बरतते थे। इब्ने शिहाब ने क़बीसा से रिवायत नक़ल की है कि एक बार एक मुतवफ़फ़ा (मृतक) की दादी अबूबक्र (रज़ि.) के पास आई कि उसे भी वरषा में से कुछ दिया जाए। आपने फ़र्माया कि किताबुल्लाह में तेरा हिस्सा मुकर्रर नहीं किया गया और मैं ये भी नहीं जानता कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस बारे में कुछ फ़र्माया है या नहीं? फिर आपने लोगों से पूछा तो हज़रत मुगीरह (रज़ि.) ने कहा कि आपने उसे सुलुस का हक़दार बनाया है। ख़लीफ़-ए-अव्वल ने पूछा कि कोई और भी इसका गवाह है? मुहम्मद बिन मुस्लिमा (रज़ि.) ने भी इसकी शहादत (गवाही) दी। तब हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने इसे नाफ़िज़ कर दिया।
- (2) हरीरी ने नज़रा से और उन्होंने अबू सईद (रज़ि.) से रिवायत किया है कि अबू मूसा (रज़ि.) ने हज़रत उमर (रज़ि.) के दरवाज़े के बाहर से उन्हें तीन बार सलाम कहा। लेकिन जब आपने जवाब नहीं दिया तो वापस चले गए। हज़रत उमर (रज़ि.) ने आदमी भेजकर उन्हें बुलवाया और पूछा कि क्यूँ लौट गए थे? हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है कि जब कोई तुममें से तीन बार सलाम कहे और उसका जवाब न मिले तो फिर उसे लौट जाना चाहिये। हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, इस पर कोई षुबूत पेश करो, वरना तुम्हारी ख़ैर नहीं। रावी कहता है कि अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) घबराये हुए हमारे पास आए, उनके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो रहा था (या'नी उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था)। कहने लगे, तुममें से किसी ने इस हदीष को आहज़रत (ﷺ) से सुना है? हमने कहा, हाँ! हम सबने सुना है।

फिर एक सहाबी ने उनके साथ जाकर गवाही दी। ये रिवायत मुस्लिम में भी मौजूद है।

- (3) हिशाम ने अपने बाप से और उन्होंने मुगीरह बिन शोअबा (रज़ि.) से रिवायत की है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने उनसे औरत के हमल साकित्त किये जाने के बारे में पूछा। तो मुगीरह (रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दियत लगाई है, हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा कि अगर ये सच है तो एक गवाह लाओ। मुगीरह (रज़ि.) कहते हैं कि मुहम्मद इब्ने सलमा (रज़ि.) ने आकर गवाही दी कि आप (ﷺ) ने ऐसे ही फैसला फ़र्माया था।
- (4) अस्माअ इब्ने हक़म अल फ़ज़ारी से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत अली (रज़ि.) से सुना कि जब आँहज़रत (ﷺ) से कोई बात सुनता तो उससे जितना फ़ायदा मेरे मुकद्दर में था, हासिल करता था। और जब किसी और से आप (ﷺ) की हदीष सुनता था तो उससे हलफ़ लेता था। जब वो हलफ़ उठा लेता था तब मैं उसे मान लेता था। मुझे अबूबक्र (रज़ि.) ने बताया और उन्होंने सच कहा कि उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) को ये फ़र्माते सुना कि जो भी गुनाहगार बन्दा वुजू करके दो रकअत पढ़ता है और बख़्शिश चाहता है तो अल्लाह उसे बख़्श देता है।

इल्मे हदीष से बहष करनेवालों ने मज़कूरा आषार से ये नतीजा अख़्ज किया है कि हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) और हज़रत उमर (रज़ि.) के नज़दीक किसी हदीष की कुबूलियत की शर्त ये थी कि उसके रावी दो या दो से ज़्यादा हों। और हज़रत अली (रज़ि.) का ये तरीक़ा था कि रावी से क़सम ली जाए। ये नज़रिया मुसल्लमा उसूल की हैषियत से तारीख़े तशरीअे-इस्लामी और तारीख़े इल्मे हदीष की अक़षर व बेश्तर किताबों में पाया जाता है, हमारे फ़ाज़िल असातिज़ा जिन्होंने तारीख़े तशरीअे-इस्लामी तालीफ़ की है, इसी नज़रिये के क़ाइल हैं। चुनाँचे उन्होंने 'शुरूतुल अइम्मा लिल अमलि बिल हदीष' के बाब में इसका इस तरह ज़िक़्र किया है गोया कि हज़रत अबूबक्र (रज़ि.), हज़रत उमर (रज़ि.) और हज़रत अली (रज़ि.) के नज़दीक अमल बिल हदीष के लिये यही शर्त लाज़िम थी।

लेकिन अमर वाक़ेअये है कि इन आषार से ये नज़रिया बाक़ायदा अख़्ज करना सहीह नहीं है। ये एक ऐसी इल्मी ग़लती है जिसकी दूसरे मन्कूला आषार तदीद करते हैं। और इस अमर के गवाह हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.), हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने बहुत सी बार ऐसी अह्दादीष को माना है जिनका रावी सिर्फ़ एक है और हज़रत अली (रज़ि.) ने क़सम लिये बग़ैर अह्दादीष को कुबूल किया है। इस बाब में चंद रिवायात दर्ज ज़ेल हैं—

- (1) इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इब्ने शिहाब से और वो अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबीआ से रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) शाम को जाते हुए जब 'सुरग' के मक़ाम पर पहुँचे तो उन्हें ख़बर मिली कि शाम में वबा (महामारी) फैल चुकी है। इस मौक़े पर हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ (रज़ि.) ने बताया कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया है कि तुम वहाँ मत जाओ जहाँ के बारे में तुमको ये मा'लूम हो कि वहाँ वबा फैल चुकी है लेकिन जब तुम किसी ऐसी जगह मुक़ोम हो जहाँ वबा फूट पड़े तो वहाँ भागो भी नहीं। हज़रत उमर (रज़ि.) ने जब ये हदीष सुनी तो सुरग से वापस लौट आए। इब्ने शिहाब कहते हैं कि मुझे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने बताया है कि हज़रत उमर (रज़ि.) सिर्फ़ हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ (रज़ि.) की ये रिवायत सुनकर लौटे थे।
- (2) अरिसाला (इमाम शाफ़िई, अहमद, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा और मालिक की रिवायत है कि हज़रत उमर (रज़ि.) कहा करते थे कि दियत सिर्फ़ आक़िला के लिये है और ये कि औरत अपने शौहर की दियत की वारिष नहीं है लेकिन जब उनको जिहाक़ बिन सुफ़यान ने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनको लिखा था कि अशीमुज्जबाबी की बीवी उसकी दियत की वारिष है। तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपने क़ौल से रुज़ूअ कर लिया।
- (3) अरिसाला पेज नं. 427 की एक और रिवायत में है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने एक बार कहा, क्या किसी ने हुनैन के मुता'ल्लिक नबी करीम (ﷺ) से सुना है? हमल बिन मालिक बिन नाबिग़ह ने कहा कि मेरी दो बीवियाँ थीं एक बार ऐसा हुआ कि एक ने दूसरी के डंडा मारा जिससे उसका हमल गिर गया। नबी करीम (ﷺ) ने गुलाम या लौण्डी को उसकी दियत क़रार दिया। हज़रत उमर (रज़ि.) ने ये सुनकर कहा कि अगर मैं ये न सुनता तो उसके ख़िलाफ़ फैसला दे देता।
- (4) रिवायत है कि एक बार हज़रत उमर (रज़ि.) मजूस (अग्निपूजक) का ज़िक़्र किया और कहने लगे कि मुझे मा'लूम नहीं कि उनके मुता'ल्लिक क्या हुक्म है? अब्दुरहमान बिन औफ़ (रज़ि.) ने कहा, मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना था आप (ﷺ) ने

- फर्माया कि उनके साथ अहले किताब वाला सुलूक करो। हज़रत उमर (रज़ि.) ने ये हदीष मान ली। (अरिंसाला पेज नं. 430)
- (5) इमाम बैहकी (रह.), हिशाम बिन यह्या मख़ज़ूमि से रिवायत करते हैं कि बनी सक्नीफ़ में से एक शख़्स ने हज़रत उमर (रज़ि.) से एक ऐसी औरत के बारे में पूछा जो बैतुल्लाह की ज़ियारत करते हुए हाइज़ा हो जाए, उसको तुहूर (पाकी) से पहले चले जाना चाहिये या नहीं? हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, नहीं! साइल ने कहा 'रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस बारे में आपके खिलाफ़ फ़त्वा दिया है। हज़रत उमर (रज़ि.) ने साइल को दूर से मारकर कहा तुम लोग मुझसे वो बात क्यों पूछते हो जिसके बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) फैसला कर चुके हैं। (मिफ़्ताहुल्जन्नित लिस्सियूति पेज नं. 31)
- (6) रिवायत है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने अँगूठे से लेकर के छुंगली (छोटी उंगली) तक कि पाँच उँगलियों तक के अलत्तर्तीब 15, 10, 9 और 6 ऊँट की दियत मुकर्रर की थी। लेकिन जब अम् बिन हज़म के ख़त की रिवायत उनसे बयान की गई कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हर उँगली के बदले में दस ऊँट की दियत का फैसला फ़र्माया है तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपने कौल से रज़ूअ कर लिया। कुछ उसूल की किताबों और अल्लामा शम्बीर अहमद उम्रानी की तस्नीफ़ फ़तहूल मुल्हिम पेज नं. 7 और अल अहकाम इब्ने हज़म जिल्द नं. 2 पेज नं. 13 में तो ये वाकिआ इस तरह मज़कूर है लेकिन 'अरिंसाला' मा'लूम होता है कि सहाबा किराम को इस तहरीर का इल्म हज़रत उमर (रज़ि.) की वफ़ात के बाद अम् बिन हज़म की औलाद के ज़रिये से हुआ था और उन्होंने हज़रत उमर (रज़ि.) के इस फैसले से रज़ूअ कर लिया था।
- (7) फ़तहूल मुल्हिम पेज नं. 7 ही में हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) के मोज़े का मसह का अमल भी सिर्फ़ सअद बिन अबी वक्रास (रज़ि.) की रिवायत के बिना (आधार) पर शुरू किया था।
- (8) अल अहकाम लि इब्ने हज़म जिल्द नं. 2 पेज नं. 13 में मरवी है कि हज़रत उमर (रज़ि.) मज्नुना ज़ानिया (पागल बदकार) पर हद जारी करनेवाले थे कि उनको नबी करीम (ﷺ) का ये फ़र्मान मा'लूम हुआ कि तीन अशखास (तक्लीफ़े शरई के लिहाज़ से) मफ़ूउल क़लम है, उन्हीं में से एक मज्नुन है। चुनाँचे हज़रत उमर (रज़ि.) ने रजम से मना कर दिया।
- (नोट: इस पसमंज़र में ये हदीष है कि आप ﷺ ने बयान फ़र्माया, 'कलम तीन लोगों पर से उठा लिया गया है: (1) बघा, जब तक कि समझदार न हो जाए, (2) सोया हुआ शख़्स, जब तक कि जाग न जाए और (3) मज्नुन (पागल)।—अनुवादक)

ये ऊपर लिखे आधार हर लिहाज़ से सहीह है जिनको अइम्म—ए—सिक्क़ाते हदीष ने नक़ल किया है। इन आधार से ये बात पूरी तरह वाज़ेह हो जाती है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने सिर्फ़ एक सहाबी की रिवायत को बिला तवक्कुफ़ व तरहुद कुबूल किया है। इस क्रिस्म की रिवायात उन रिवायात से बहुत ज़्यादा हैं (और सिह्त में उनसे कम नहीं है) जिनमें ये कहा गया है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने एक सहाबी की रिवायत की सिह्त के षुबूत में किसी दूसरे रावी को बतौर गवाह तलब किया है।

अब जब ये बात वाज़ेह हो गई कि सहाबा किराम अक़षर मुफ़रिद रावी की रिवायत को कुबूल कर लेते थे तो फिर हज़रत उमर (रज़ि.) से मुता'ल्लिक़ तलबे शहादत वाली उन रिवायात की तावील करनी पड़ेगी जो उनके अपने और दीगर सहाबा के अक़षर अमल के खिलाफ़ पड़ती है। उन रिवायात पर नज़र डालने से हमें मा'लूम होता है कि इस्काते हमल के बारे में मुगीरह बिन शुअबा की रिवायात हमल बिन मालिक से भी मरवी है और इसमें साफ़ तौर पर ये भी ज़िक्र किया गया है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने इस रिवायत को बग़ैर गवाह के बिला तअम्मुल (अविलम्ब) मान लिया था। अब सिर्फ़ अबू मूसा (रज़ि.) की सलाम वाली रिवायात बाकी रह जाती है। इस रिवायत को हज़रत उमर (रज़ि.) की अपनी इफ़िरादी मुहतात और मुहक्किक़ाना रविश पर और सहाबा किराम को इस पर कारबंद रहने की तल्कीन पर महमूल किया जाएगा। अबू मूसा (रज़ि.) (अगर ये मान लिया जाए उनकी रिवायत किसी और तरीक़े से मरवी नहीं है) और मुगीरह बिन शुअबा के साथ इस तर्ज़े अमल का मक़सद हकीक़त में सहाबा किराम को हदीषे रसूल (ﷺ) की इल्लत व तहक्कीक़ पर उभारना था। ऐसे जलीलुल क़द सहाबा से शहादत का मुतालाबा करके हज़रत उमर (रज़ि.) दरअसल जुम्हूरे मुस्लिमीन को ये ता'लीम देना चाहते थे कि दूसरे सहाबा व ताबेईन के मामले में भी रिवायत व कुबूले हदीष के वक़्त तहक्कीक़ी रविश को न छोड़ा जाए। यही बात करायने क्रियास से मा'लूम होती है। चुनाँचे हज़रत उमर (रज़ि.) ने अबू मूसा (रज़ि.) से कहा था। 'मैं आपको मुत्तहम करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि ये रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीष का मामला है।' एक रिवायत में है कि जब उबय बिन कअब (रज़ि.) ने हज़रत उमर (रज़ि.) से उनके इस तर्ज़े अमल की शिकायत की तो उन्होंने कहा कि मैं तहक्कीक़ चाहता हूँ।

इमाम शाफिई (रह.) ने हज़रत उमर (रज़ि.) के मुंफरिद सहाबी से रिवायत कुबूल करने की मुतअद्दिद मिशालें देने के बाद उनके इस रवैये के बारे में लिखा है कि अबी मूसा (रज़ि.) की रिवायत में तो सिर्फ़ एहतियात पेशे-नज़र थी क्योंकि इनके नज़दीक अबू मूसा (रज़ि.) के फ़िक्रह होने में शक नहीं था। अब अगर ये कहा जाए कि इसकी दलील क्या है? तो इसका जवाब अनस बिन मालिक (रज़ि.) की रबीआ से वो रिवायत है जो रबीआ ने अनेक उलमा से की है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने अबू मूसा (रज़ि.) से ये कहा था कि मैं आपको इस सिलसिले में मुत्तहम करना नहीं चाहता। लेकिन इससे डरता हूँ कि लोग नबी अकरम (ﷺ) से ग़लत-मलत हदीषें बयान करना न शुरू कर दें।

कुबूले हदीष के बारे में हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) से सिर्फ़ 'विराघते जद्द' वाली एक ऐसी रिवायत है जिसकी तस्दीक में उन्होंने गवाह त़लब किया है। लेकिन ये रिवायत इस बात की तस्दीक नहीं करती कि इनका मौक़िफ़ ही ये था कि जब तक रावी दो न हों हदीष कुबूल न की जाए। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को कई ऐसे मौक़े पेश आए जबकि उनको सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ रज़ूअ करना पड़ा। लेकिन इस एक रिवायत के अलावा ये कहीं नहीं मिलता कि उन्होंने किसी दूसरे रावी को बतौर गवाह के त़लब किया हो। बल्कि इमाम राज़ी महसूल में लिखते हैं कि हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने कोई फैसला दिया था। बाद में हज़रत बिलाल (रज़ि.) ने उनसे कहा कि इस बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके खिलाफ़ फैसला फ़र्माया था तो हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने अपने इस फैसले से रज़ूअ कर लिया। ये रिवायत हमारे ख़याल की ताईद करती है। अल्लामा इब्ने क़थ्थिम् ने 'इअलामुल मुक्किद्दीन' पेज नं. 51 में क़ज़ा के बारे में हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के तरीक़े का ज़िक्र करते हुए लिखा है कि 'हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को कोई फैसला देना होता तो वो किताबुल्लाह में उसको तलाश करते। अगर वहाँ न मिलता तो फिर सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) में तलाश करते। अगर उसमें से भी न मिलता तो फिर सहाबा किराम से पूछते थे कि क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस बारे में कोई फैसला फ़र्माया है या नहीं? अगर इससे भी पता न चलता तो फिर मुत्ताज़ सहाबा को इकट्ठा करके उनसे मश्विरा लेते और जब वो लोग किसी राय पर मुत्तफ़िक़ हो जाते तो फैसला कर दिया जाता।

हासिल ये कि हमें विराघते जद्द की रिवायत के अलावा और कोई रिवायत ऐसी नहीं मिलती जिसकी तस्दीक में हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने किसी और रावी को त़लब किया हो। इस रिवायत में ये एहतियामल मौजूद है कि उन्होंने तषब्बुत और तहक़ीक़ के लिये ऐसा किया है कि क्योंकि उन्हें एक ऐसा फैसला सादिर करना था और एक ऐसा क़ानून बनाना था जिसके बारे में कुआन चुप है। इससे ये नहीं समझा जा सकता है कि कुबूले हदीष में ये उनका कोई मुस्तक़िल मसलक था। इमाम ग़ज़ाली अल् मुस्तस्फ़ा में लिखते हैं कि मुगीरह की इस हदीष के बारे में हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के तवक्कुफ़ करने की वजह मुम्किन है हमें मा'लूम न हो सकी हो, हो सकता है कि हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ये देखना चाहते हों कि अया ये हुक्म बाक़ी है या उसे किसी दूसरे फैसले ने मंसूख़ कर दिया है। ये भी हो सकता है कि मुद्दआ ये हो कि अगर किसी और के पास इस हुक्म के हक़ में या खिलाफ़ कोई दलील हो तो पेश कर दे ताकि हुक्म मुअक्कद या मंसूख़ हो जाए। और ये भी मुम्किन है कि इससे उनका मक्सद रिवायत में तसाहुल से रोकना हो। बहरहाल उनमें से किसी न किसी वजह पर इस रिवायत को महमूल करना पड़ेगा क्योंकि ये ष़ाबित हो चुका है कि उन्होंने मुंफरिद सहाबी की रिवायत को खुद भी कुबूल किया है और दूसरे कुबूल करने वालों पर भी ए'तिराज़ किया।

हज़रत अली (रज़ि.) के बारे में भी ये रिवायत कि वो रावी से क़सम लिया करते थे मुझे अज़ीब मा'लूम होती है। अगर ये रिवायत सही है तो इसमें क़लाम नहीं। लेकिन अगर सही न हो तो फिर हज़रत अली (रज़ि.) का मसलक भी वही होगा जो दूसरे सहाबा का था। उनके बारे में मा'लूम है कि कुबूले हदीष के मामले में उनका तर्ज़े-अमल दूसरे सहाबा किराम से अलग न था। इमाम राज़ी ने महसूल जिल्द नं. 2 में उनसे ये क़ौल नक़ल किया है कि उन्होंने मज़ी के बारे में मिक्दाद बिन अस्वद की रिवायत को माना है (या'नी बग़ैर क़सम के) 'और ऊपर बयान हो चुका है कि एक रिवायत में उन्होंने हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) से क़सम नहीं ली। बल्कि कहा कि अबूबक्र (रज़ि.) सच कहते हैं' इससे ष़ाबित होता है कि क़सम लेना उनका आम मसलक नहीं था।

ख़ुलासा ये कि अबूबक्र, उमर और अली (रज़ि.) से मुंफरिद रावी की रिवायत कुबूल करना सही तौर पर ष़ाबित है और वो हालात और अस्बाब जिनके तहत दूसरा रावी त़लब किया गया या हलफ़ लिया गया है ये ष़ाबित नहीं करते कि इन

हज़रत का दाइमी मसलक और मुस्तक़िल तर्ज़े अमल थे था। इस बहस व तहक़ीक़ से ये प़ाबित और वाजेह हो गया है कि इन तीन किबारे सहाबा का अमल उन सहाबा किराम के मुवाफ़िक़ है जो सिर्फ़ एक रावी से रिवायत मान लिया करते थे।

नाज़िरीने किराम ने इस तफ़्सीली मक़ाला के मुतालअ से बहुत सी मा' लूमात के साथ ये भी अंदाज़ा लगाया होगा कि सहाबा किराम (रज़ि.) खुसूसन खुल्फ़-ए-राशिदीन अहादीषे रसूलुल्लाह (ﷺ) की सिहत के मुता'ल्लिक़ किस क़दर एहतियात मल्हूजे ख़ातिर रखते थे। उनको मा' लूम था कि हज़रत नबी करीम (ﷺ) पर कोई ग़लत बात थोपना इतना बड़ा गुनाह है जिसकी सज़ा दोज़ख़ ही है। 'मन क़ाल अलय्य मालम अकुल फ़लयत बव्वा मक़अदहू मिनन्नारि' जो मेरी तरफ़ ऐसी बात मन्सूख़ करे जो मैंने नहीं कही हो। वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। यही हदीष थी जिसकी तअमील में हज़रते सहाबा (रज़ि.) इतिहाई एहतियात बरतते थे। इस बारे में हमारे मुहतरम मौलाना अब्दुरऊफ़ साहब रहमानी नाज़िमे आला जामिआ सिराजुल इलूम झण्डानगर ने अपने क़ाबिले क़द्र किताब सियानतुल हदीष में एक तवील मक़ाला मा' लूमात से भरपूर लिखा है। जो नक़ल किया जा रहा है उसके मुतालअ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हदीषे नबवी को फ़त्री हैषियत से मुदव्वन करनेवालों को किस क़दर एहतियात का पहलू मद्देनज़र रखना ज़रूरी है बावजूद ये है कि फ़त्रे हदीष के लिये बहुत से क़ीमती उसूल और बेहतरीन फ़त्री जवाबित मुक़रर किये गए हैं। जिनका तफ़्सीली बयान अगले सफ़हात पर आप पढ़ेंगे फिर भी लफ़्जे एहतियात ऐसा है जो यहाँ क़दम क़दम पर सामने रखना ज़रूरी है। अल्लाह पाक ने कुआन मजीद में एक आम हिदायत फ़र्माई है कि 'व ला तक्रफू मा लैसा लक बिही इल्मुन इन्नस्समअ वल बस्र वल फुआद कुल्लु उलाइक कान अन्हु मसऊलन' (बनी इस्राईल : 36) या' नी ऐसी बात के पीछे बिलकुल न लगना जिसका तुझको इल्म न हो। इसलिये कि कान और आँख और दिल अल्लाह के यहाँ सबसे ही सबाल किया जाएगा।

मौलाना झण्डानगरी साहब (रह.) ने सहाबा किराम व खुल्फ़-ए-राशिदीन के इस पहलू पर तफ़्सीली क़लम उठाया है। गोया इन क़ीमती मा' लूमात को एक जगह जमा फ़र्माकर हम जैसे तालिबाने हदीष के लिये बेशुमार ज़ख़ीरा मुहय्या कर दिया है। जज़ाहुल्लाहु ख़ैरन। मौसूफ़ तहरीर फ़र्माते हैं।

एहतियाते सहाबा व ताबेईन व मुहदिषीन :-

सहाबा किराम और ताबेईन इज़ाम ज़बते रिवायत में इस्तिलाहन कमाले इअतिनाअ के साथ ही मुहतात भी इस दर्जा के थे कि दो मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ (पर्यायवाची शब्द) जो मानी एक होते हैं, रिवायत करते हुए ये बता देते थे कि आँहज़रत (ﷺ) का फ़र्लाँ रावी के बयान में ये है और फ़र्लाँ रावी के बयान में ये है। इसकी नज़ीरें कुतुबे अहादीष में खुसूसन मुस्नदे अहमद और मुस्लिम शरीफ़ में बक़रत हैं। चंद मिषालें देखिये :-

- (1) हज़रत अनस (रज़ि.) एक मौक़े पर फ़र्माते हैं 'व मअना उक्काज़तुन औ इमरुन सहीहुन' (सहीह बुखारी जिल्द अब्वल पेज नं. 71)। अदना फ़र्क़ के साथ दोनों के मा' नी लाठी के हैं। इसलिये ज़बते अल्फ़ाज़ में एहतियात के लिये औ के साथ दोनों लफ़्ज़ों को बयान कर दिया।
- (2) नबी करीम (ﷺ) से सुतह के बयान में जो हदीष सहाबा से मरवी है उसमें सिर्फ़ अर्बईन का लफ़्ज़ है। लेकिन इससे क्या मुराद है? 40 दिन, 40 माह या 40 साल? चूँकि कोई तअय्युन नहीं है। इसलिये आखिर तक तमाम मुहदिषीन ने इसी तरह इब्हाम के साथ रिवायत किया है। इमाम बुखारी (रह.) ने मुहदिष अबू अन नस्र का मक़ूला नक़ल किया है। 'क़ाल ला अदरी क़ाल अरबईन यौमन् औ शहरन औ सनतन' (सहीह बुखारी जिल्द नं. 1 पेज नं. 73)
- (3) हज़रत आइशा (रज़ि.) ने एक हदीष के बयान में इंशाअ या अत्मअ का लफ़्ज़ इस्ते' माल किया। अगरचे मा' नी दोनों एक से ही हैं लेकिन हज़रत आइशा की ता' बीर किन लफ़्ज़ों से थी, हज़रत आइशा (रज़ि.) के शागिर्द और दीगर अइम्म-ए-हदीष ने एहतियातन दोनों लफ़्ज़ों की रिवायत कर दी कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने इअतम्मन्नबिय्यु (ﷺ) बिल इन्शाइ फ़र्माया था या इअतम्मन्नबिय्यु (ﷺ) बिलअतमति फ़र्माया था। (सहीह बुखारी जिल्द नं. 1 पेज नं. 80)

- (4) ला तज़ामून वला तज़ाहून में मअना कुछ फ़र्क़ नहीं है। लेकिन नबी अकरम (ﷺ) ने इस मौक़े पर फ़र्माया था। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह ने एहतियातन दोनों लफ़्ज़ों की रिवायत कर दी। (सहीह बुखारी जिल्द अब्वल पेज नं. 81)
- (5) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के एहतियात का ये आलम था कि हदीषे मीक़ाते एहराम में सिर्फ़ एक जुम्ला आँहज़रत (ﷺ) से खुद न सुन सके बल्कि दूसरों से सुना तो ख़ाज़ तौर पर उसका इज़हार कर दिया कि हदीष 'व युहिल्लु अहलुल यमनि मिन यलमलम लम अफ़क़हु हाज़िही मिन रसूलिल्लाहि (ﷺ) व यज़अमून अन्न रसूलिल्लाहि (ﷺ) क़ाल व युहिल्लु अहलुल यमनि मिन यलमलम' (फ़तहुल मुगीष पेज नं. 290) या 'नी उन्होंने गायत दर्जा एहतियात करते हुए फ़र्माया कि हदीषे मीक़ात की पूरी तफ़्सील तो खुद मेरी सुनी हुई है। लेकिन अहले यमन के मीक़ात का टुकड़ा मैंने दूसरों से सुना। उन्होंने कमाल एहतियात से उनकी निस्बत उन दीगर अस्हाब की तरफ़ करके रिवायत की।
- (6) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) का एक वाक़िआ इस तरह का है फ़र्माते हैं, 'समिअतुन्नबिय्य (ﷺ) यकूलु यकूनु इषना अशर अमीरन फ़क़ाल कलिमतन लम अस्मअहा फ़-क़ाल अबी इन्नहू काल कुल्लुहुम मिन कुरैश' (फ़तहुल मुगीष पेज नं. 29) या 'नी मैंने नबी (ﷺ) से सुना है कि बारह अमीर होंगे। उसके बाद आप (ﷺ) ने कुछ और फ़र्माया। जिसे मैं नहीं सुन सका। तो मेरे वालिद (समुरह रज़ि.) ने मुझे बतलाया कि उसके बाद आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया था कि ये सारे अमीर क़बील-ए-कुरैश से होंगे।

देखिए! हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने गायत दर्जा एहतियात से ये वाज़ेह कर दिया कि इस क़दर तो मैंने खुद सुना और ये टुकड़ा मेरे वालिद ने मुझे बतलाया। मैं आँहज़रत (ﷺ) से बराहे रास्त उसे नहीं समझ सका था।

- (7) हज़रत अनस (रज़ि.), हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.), हज़रत अबूदर्दा (रज़ि.) वग़ैरह से मुता'ल्लिक़ हाफ़िज़ सखावी (रह.) नक़ल फ़र्माते हैं कि जब ये कोई रिवायत बयान करते हैं तो उसके साथ ब-नज़रे एहतियात 'औ कमा क़ाल' भी फ़र्माते थे। (फ़तहुल मुगीष)
- (8) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) अल्फ़ाज़े नबवी (ﷺ) को सिहत व ज़ब्त के साथ बयान करने के बावजूद एहतियातन ये भी फ़र्माते 'अम्मा फ़ौक़ ज़ालिक व दून ज़ालिक व अम्मा क़रीबुम्मिन ज़ालिक' (फ़तहुल मुगीष)
- (9) हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) बयाने हदीष के बाद फ़र्माते 'क़ाला हाज़ा औ नहवुन हाज़ा औ शिब्हु हाज़ा।' (फ़तहुल मुगीष पेज नं. 279) या 'नी आँहज़रत (ﷺ) के अल्फ़ाज़ यही थे या इसी की तरह या इसके क़रीब क़रीब थे। हालाँकि मफ़हूम व मअना बिला शुब्हा दुरुस्त होता। बल्कि अक़षर अल्फ़ाज़ भी वही होते लेकिन बख़ौफ़े हदीष 'मन कज़ज़ब अलय्य मुतअम्मिदन' बयान रिवायत के समय ज़बते अल्फ़ाज़ के मुआमले में पुर हज़र रहते।
- (10) मुहदिषीन ने अल्फ़ाज़ के तक्दीम व ताख़ीर में बर मौक़ा शक़ बयान कर दिया कि पहले लफ़ज़ था या वो लफ़ज़ था। मषलन एक हदीष में 'वल इन्सारु ऐबती व करशी' आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया था या 'करशी या ऐबती' फ़र्माया था। या हदीष 'असलम व ग़िफ़ार' में अस्लम व ग़िफ़ार था या ग़िफ़ार व अस्लम था। इसी तरह मुहदिष आसिम ने हदीष 'औसिऊ अला अन्फुसिकुम इज़ा वस्सअल्लाहु अलैकुम फ़ औसिऊ अला अन्फुसिकुम' के मुता'ल्लिक़ फ़र्माया था कि आँहज़रत (ﷺ) का इशाद इसी तर्तीब से था या इस तरह था, 'इज़ा वस्सअल्लाहु अलैकुम औसिऊ अला अन्फुसिकुम' (फ़तहुल मुगीष पेज नं. 298)

इन तमाम मौक़ों पर न अल्फ़ाज़ बदलते हैं, न मअना सिर्फ़ अल्फ़ाज़ की तक्दीम व ताख़ीर होती है और शक़ ये हो जाता है कि तर्तीब में कौनसा लफ़ज़ पहले था। इहतियातन मुहदिष ने दोनों तर्तीब का ज़िक़र कर दिया। ताकि अल्फ़ाज़े नबवी (ﷺ) की जो तर्तीब हो वो सहीह तौर पर सामने आ जाए।

- (11). इमाम शाफ़िई (रह.) ने इमाम मालिक (रह.) से एक रिवायत ली। उसमें एक ज़माने के बाद इमाम शाफ़िई को शक़ हो गया कि हदीष में लफ़ज़ 'हत्ता याती ख़ाजिनी मिनल्गाबति औ ज़ारयती मिनल्गाबा', शक़ की वजह से इमाम शाफ़िई किसी जानिब को तर्तीब न दे सके तो वाज़ेह तरीक़े से बता दिया कि ये शक़ मुझे हो गया। मेरे शैख़ इमाम मालिक (रह.) को शक़ न था। हाफ़िज़ सखावी (रह.) नक़ल करते हैं, 'क़ाल अना शक़कतु व क़द क़रअतुहु अला

मालिकिन सहीहन ला शक्क फ़ीहि मुम्म ताला अलज्जमानि व लम अहफ़ज़ हिफ़ज़न फ़शककतु' (फ़्तुहल मुगीष पेज नं. 290) या'नी मैंने अपने शैख़ इमाम मालिक (रह.) से बग़ैर शक के हासिल किया था, बाद में एक लम्बी मुद्दत गुजरने पर खुद मुझे सहीह तरीक़े से याद न रहा। तो ये अब शक मुझे आरिज़ हुआ है।

- (12). एक मुहदिष ने हदीष 'इश्तरन्नबिय्यु (ﷺ) हुल्लतुन बिसब्इन व इश्रीन नाक़तन' के मुता'ल्लिक़ फ़र्माया कि मेरे हाफ़ज़े में यहाँ लफ़ज़ 'हुल्ला' और मेरी किताब में 'हुल्ला' के बजाय 'घ़ौबैन' का लफ़ज़ है। हाफ़िज़ सखावी लिखते हैं कि हुल्ला व घ़ौबैनि में कोई फ़र्क़ नहीं है। लेकिन मुहदिष ने कमाल से इस फ़र्क़ को भी ज़ाहिर (उजागर) कर दिया। हालांकि मफ़ाद दोनों का एक है। (फ़्तुहल मुगीष पेज नं. 274)

हाफ़िज़ इब्ने सलाह भी हाफ़िज़ा और किताब के लफ़ज़ी फ़र्क़ के बयान कर देने को अहसन फ़र्माते हैं। (मुकद्दमा इब्नुस्सलाह पेज नं. 104)

- (13). एक बार इमाम शोअबा ने अपनी याददाश्त से एक मफ़ूअ हदीष सुनाई। और उसके बाद कहा, 'अन्नहु फ़ीहिफ़िज़ही कज़ालिक़ फ़ी ज़अमि फ़ुलालिन व फ़ुलालिन ख़िलाफ़ुहु' या'नी मेरे हाफ़ज़े में तो इसी तरह है लेकिन फ़लां-फ़लां मुहदिष के हाफ़ज़े में अल्फ़ाज़ इसके ख़िलाफ़ (विपरीत) हैं। तो हाज़िरीने दर्स में से एक साहब ने कहा, 'हद़्षना बिहिफ़िज़क़ व दअ अन फ़ुलानिन व फ़ुलानिन' या'नी आप हमें सिर्फ़ अपने हाफ़ज़े से हदीष सुनाइये और फ़लां-फ़लां के हाफ़ज़े का ज़िक़्र छोड़ दीजिये। इमाम शोअबा ने जवाब दिया, 'मा उहिब्बु अन्न उमरी फ़िहुन्या उमरू नूहिन व इन्नी हद़्षतु बि हाज़ा व सकतु अन हाज़ा' (फ़्तुहल मुगीष पेज नं. 275) या'नी अगर मेरी उम्र हज़रत नूह (अलैहिस्सलाम) के बराबर हो जाए तो भी मेरी ये ख़्वाहिश कभी न होगी कि मैं इस हदीष के बयान करने के बाद फ़लां-फ़लां के इख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ को न बयान करूं। मत्तलब यह कि जब वो वक़्त भी आ जाए कि सैंकड़ों बरस की उमर पाकर तमाम मुतक़द्दिमीन (पूर्वकालीन) व मुआसिरीन (समकालीन लोगों) के ख़ात्मे के बाद सिर्फ़ तन्तून ए इल्मी और जलालते शान बाक़ी रह जाए तो भी मैं ये नहीं करूंगा कि दूसरे हुफ़फ़ाज़े-मुतक़द्दिमीन के लफ़ज़ों को बयान न करूं।

हाफ़िज़ इब्नुस्सलाह लिखते हैं, 'इज़ा ख़ालफ़हु फ़ी मा यहफ़ज़ुहु बअज़ुल हुफ़फ़ाज़ि फ़लयकुल फ़ी हिफ़िज़ी कज़ा व कज़ा व क़ाल फ़ीहि फ़ुलानु कज़ा व कज़ा' (मुकद्दमा इब्नुस्सलाह पेज नं. 104) या'नी अपने और दूसरे इमाम के हाफ़ज़े में जो फ़र्क़ हुआ है, उसे वाज़ेह कर दिया जाए। यहाँ तक अल्फ़ाज़ का एहतियात बयान किया गया। अब दूसरी तरह के एहतियातों की मिशालें देखिये।

अख़्ब व सिमाअ और तरीक़-ए-रिवायत में एहतियात :

एक बार हाफ़िज़ सुहैल बिन अबी स़ालेह एक हदीष भूल गये और उनके शागिर्द इमाम रबीआ को वो रिवायत याद रही। (इमाम रबीआ, इमाम मालिक के मशहूर शैख़ों में से हैं) जब इमाम रबीआ ने याद दिलाया कि आप ही ने मुझसे इस हदीष को बयान किया है तो मुहदिष सुहैल इस रिवायत को बयान करने लगे, मगर कमाले इहतियात मुलाहज़ा हो कि वो इस रिवायत को अपने शागिर्द के वास्ते से इस तरह बयान करने लगे, 'अख़्बरनी रबीअतु व हुव इन्दी षिक़तुन इन्नी हद़्षतुहु इय्याहु व ला अहफ़ज़ुहु' (फ़्तुहल मुगीष पेज नं. 148, व मुकद्दमा इब्नुस्सलाह पेज नं 53) या'नी मुझे रबीआ ने ख़बर दी जो मेरे नज़दीक़ षिक़ा हैं कि मैंने उनको ये हदीष सुनाई थी। लेकिन खुद मुझे ये हदीष याद नहीं रही। इसीलिये मैंने हाफ़िज़े से नहीं एक क़ाबिले-ए'तिमाद (भरोसेमन्द / विश्वसनीय) षिक़ा शख़्स रबीआ के हाफ़ज़े के वास्ते से रिवायत करता हूँ।

इस वाक़िये के पेशेनज़र हमारे मुहदिषीने किराम का बयाने-हदीष में इन्तिहाई एहतियात का लिहाज़ रखना साफ़ ज़ाहिर है।

- (15). इमाम अबू दाऊद (रह.) को अपने शैख़ हारिष बिन मिस्कीन पर किरअत का मौक़ा नहीं मिला, इसलिये इमाम अबू दाऊद ने 'समीअतु या हद़्षनी' का लफ़ज़ इस्ते'माल नहीं किया बल्कि रिवायत के प्रति कमाले एहतियात बरतते हुए ऐसे मौक़े पर सनद में साफ़ बयान कर दिया। 'कुरिअ अला हारिषिब्नि मिस्कीनिन व अना शाहिदुन' (फ़्तुहल मुगीष पेज नं. 173 व ज़फ़रुल अमानी पेज नं. 291)

- (16). इसी तरह इमाम निसाई का भी वाक़िया है कि मुहदिष हारिष बिन मिस्कीन, मिस्र के क़ाज़ी इमाम निसाई से किसी मामले में नाराज़ थे इसलिये इमाम निसाई (रह.) उनकी दर्स की मजलिस में हाज़िर न हो सकते थे। पस वो उसी जगह छुपकर

बैठते थे कि हारिष बिन मिस्कीन की नज़र की इमाम निसाई (रह.) पर नहीं पड़ सकती थी और इमाम निसाई वहाँ बैठकर के साथ सुन लेते थे। लेकिन कमाले एहतियात बरतते हुए 'हद्वषनी व समिअतु' नहीं फ़र्माते थे बल्कि 'कुरिअ अला हारिषिबि मिस्कीनिन व अना अस्मउ' फ़र्माते। (फ़तहुल मुगीष पेज नं. 173 व ज़फरुल अमानी पंज नं. 291)

इफ़ादा : हाफ़िज़ इब्नुस्सलाह अइम्म-ए-सलफ़ के हवाले से लिखते हैं कि उस्ताद के बग़ैर, सिमाअ (सुनने) से जो इल्म हासिल हो वो जाइज़ है और उसकी रिवायत भी दुरुस्त है। (मुकद्दमा इब्नुस्सलाह पेज नं. 69)

- (17). हाफ़िज़ ख़तीब-बग़दादी के शैख़ हाफ़िज़ बुरक़ानी (रह.) 'समिअतु हीनत तहदीषि अन अबिल क़ासिमि' के अल्फ़ाज़ के साथ हाफ़िज़ अबू क़ासिम से रिवायत करते। एक मौक़े पर इमाम ख़तीब बग़दादी ने अपने शैख़ से सवाल किया कि आप सराहतन 'हद्वषनी अबुल क़ासिम' या 'समिअतु अन अबिल क़ासिम' क्यों नहीं फ़र्माते? तो उनके शैख़ बुरक़ानी ने कहा कि शैख़ अबुल क़ासिम प्रक़ाहत, जिहानत, सलाह, तक्रवा के बावजूद रिवायत बयान करने में बड़े मुतशह्दिद थे। हर शख़्स को हदीष के सुनने की इजाज़त न थी क्योंकि मुझे हज़ूरे-दर्स की इजाज़त न थी। इसलिये मैं ऐसी जगह पर बैठकर हदीष सुनता था कि वो मुझे न देख सकें। मैं वहाँ से छुपकर सुन लेता। पस चूँकि ये बयाने-हदीष मेरे लिये न होती थी इसलिये मैं 'समिअतु अन अबी क़ासिम' नहीं कह सकता। इसलिये मैं एहतियात की नज़र से इस तरह रिवायत करता हूँ। 'समिअतु हीनत तहदीषि अन अबिल क़ासिमि' या 'नी मैंने अबुल क़ासिम से बराहे-रास्त नहीं सुना बल्कि जब वो हदीष रिवायत फ़र्मा रहे थे तो मैंने सुन लिया था ताकि सूते हाल की सहीह तस्वीर सामने आ सके। (मुकद्दमा इब्नुस्सलाह पेज नं. 61 व कज़ा फ़तहुल मुगीष पेज नं. 173)

इफ़ादा : हाफ़िज़ इब्नेसलाह आगे यह भी फ़र्माते हैं कि इस किस्म से सुनना और रिवायत करना, दोनों ही जाइज़ हैं। उस्ताद अबू इस्हाक़, इस्फ़राईन वग़ैरह की यही राय है अलबत्ता सुनने के तरीक़े का खुलासा कर देना चाहिये। (मुकद्दमा इब्नुस्सलाह पेज नं. 69)

- (18). इमाम शोअबा फ़र्माते हैं कि जिन रिवायतों को मैं खुद किसी मुहदिष से नहीं सुनता तो उसकी ता'बीर 'क़ाल फ़लानुन' से करने को जिनाकारी की तरह हराम समझता हूँ। बल्कि उससे भी ज़्यादा शदीद जुल्म समझता हूँ। उनके अल्फ़ाज़ यह हैं, 'लिअन अज़निय अहब्बु इलय्य मिन अन अकूल क़ाल फ़लानुन व लम अस्मअहू मिन्हु' (फ़तहुल मुगीष पेज नं. 471)
- (19). बाज़ मुहदिषीन अपनी रिवायतों को अपने क़ाबिलतरीन शागिदों से बयान करने के लिये ये भी इंतज़ाम करते थे कि अपने लायक़ शागिदों को मजलिसे-दर्स के कमरे में महफूज़ बैठाकर बाहर दरबान मुकरर कर देते कि दूसरा शख़्स मजलिस के दर्स में शामिल न हो सके और बाज़ यह भी करते थे कि मजलिसे-दर्स के बाहर दर्से-हदीष की आवाज़ सुनी न जा सके इसके लिये किसी मज़दूर के ज़रिये दर्स के कमरे के बाहर लकड़ी का दस्ता कटवाने के काम पर लगा देते थे ताकि मुहदिष के दर्स और किरअत की आवाज़ लकड़ी के दस्ते की खटाखट की आवाज़ ग़ालिब (हावी) हो जाए और बाहर उसके पास बैठने वालों तक मुहदिष की आवाज़ न पहुँच सके और बाहरी लोग न सुन सकें जो मुहदिष के नज़दीक और रिवायत करने व हदीष याद करने में क़ाबिले इत्मीनान (संतोषप्रद) न हों। (फ़तहुल मुगीष : 173)
- (20). मुहदिषीन ने यहाँ तक एहतियात किया है कि ऐसे शैख़ की रिवायत और सिमाअ (सुनने) को कुबूल नहीं किया, जो मरीज़ हों या इतने ज़ईफ़ (कमज़ोर) हों कि अपने शागिदों की किरअत की तस्हीह (ग़लतियों की इस्लाह) न कर सकते हों बल्कि शागिदों के सवालों पर सिर्फ़ 'ला या नअम' कह सकते हों। ऐसे शैख़ों से रिवायत करना और सुनना मुहदिषीन के नज़दीक जाइज़ नहीं है। (फ़तहुल मुगीष पेज नं. 180)

(21). बयाने हदीष में एहतियात :

मुहदिषीने किराम ने इस तरह भी एहतियात किया है कि महज़ अपने हिफ़ज़ पर भरोसा न करते हुए शागिदों को हदीष नहीं लिखवाते

और न बयान करते बल्कि असल किताब भी अपने सामने रखते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) ने इसका मश्वरा हज़रत अली इब्ने मदीनी और यह्या इब्ने मुईन जैसे हाफ़िज़ों को दिया था। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फ़र्माया, 'ला तुहद्दिष इल्ला मिन किताबिन वला शक्क इन्नल हिफ़ज़ ख़व्वानुन।' (फ़त्हुल मुगीष पेज नं. 269) या'नी किताब सामने रखकर बयान करें क्योंकि हाफ़िज़ में कमज़ोरी भी वाक़ेअ हो सकती है।

हाफ़िज़ इब्ने सल्लाह लिखते हैं, 'व लि ज़ालिक इनतनअ जमाअतुहू मिन अइलामिल हुफ़फ़ाज़ि अन रिवायतिम मा यहफ़ज़ूनहू इल्ला मन कतबहुम' (मुक़द्दमा इब्नुस्सल्लाह पेज नं. 118) या'नी बग़ैर किताब के महज़ हाफ़िज़ के भरोसे पर बड़े-बड़े अइम्मा ने हदीष की रिवायत नहीं की।

(22). रिवायत नक़ल करने में एहतियात :

मुहद्दिषीन ने इस तरह भी एहतियात का लिहाज़ रखा है कि अपने शागिदों को उस वक़्त तक अपनी किताबों से नक़ल करने की इजाज़त नहीं दी जब तक शागिदों की नक़ल की हुई हदीष का अपनी असल किताब से मुकाबला और तइहीह न कर लिया। चुनाञ्चे इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने शागिदों को अजज़ा-ए-मन्कूला की रिवायत की इजाज़त मुकाबला और तइहीह (तुलना करने व ग़लतियाँ सुधारने) के बाद दी। (फ़त्हुल मुगीष पेज नं. 216 व क़ज़ा क़ालल हाफ़िज़ु इब्नुस्सल्लाह पंज नं. 78)

(23). इमाम औज़ाइन ने भी अपने शागिदों को नक़लकर्दा अहदीष की मुकाबला व तइहीह के बाद इजाज़त दी। (फ़त्हुल मुगीष पेज नं. 218)

हाफ़िज़ इब्नुस्सल्लाह ने लिखा है कि मुहद्दिष ने अपनी नक़ल की हुई किताब के रिवायत की इजाज़त बिला नज़र व मुकाबले के अगर किसी को दे दी तो ये इजाज़त सहीह नहीं होगी। (मुक़द्दमा इब्नुस्सल्लाह पेज नं. 79)

(24). इसी तरह हज़रत उर्वा ने (जो कि एक जलीलुकदर ताबई और हज़रत आइशा रज़ि के भतीजे हैं) अपने साहिबज़ादे हिशाम से फ़र्माया कि तुमने मेरी हदीषों को लिखा व असल से मुकाबला कर लिया या नहीं? उन्होंने कहा, नहीं! फ़र्माया, तो तुमने जो कुछ लिखा वो सब कल-अदम (रद्द, निरस्त) है। (फ़त्हुल मुगीष पेज नं. 218, अल ख़िफ़ाया बिल ख़तीब पेज नं. 237, मुक़द्दमा इब्नुस्सल्लाह पेज नं. 91)

(25). इसी तरह इमाम क़ानबी ने एक तालिबे इल्म से पूछा कि तुमने मेरी रिवायात को मेरी किताब से नक़ल किया, तो उसका मुकाबला किया या नहीं? तालिबे इल्म ने जवाब दिया कि मुकाबला तो अब तक नहीं हुआ। फ़र्माया, 'फ़लम तइन्नअ शौअन' तो फिर तुमने कुछ नहीं किया। (फ़त्हुल मुगीष पेज नं. 250)

इन रिवायतों से मुहद्दिषीन का कमाले एहतियात ज़ाहिर है। इन अइम्मा हज़रात ने हदीष की ग़ायत, सिहत और ज़ब्ते रिवायत के लिये उन तमाम उसूल व ज़वाबित को पेशेनज़र रखा कि हाफ़िज़े के बावजूद असल किताब से मुकाबला और तइहीह को लाज़िम करार दिया। तइहीह के बाद रिवायत की इजाज़त दी।

(26). हल्फ़िया बयान और ग़ायत एहतियात :

मुहद्दिषीने किराम ने इस तरह भी एहतियात किया है कि जब उनको शूयूख़ के किसी हदीष के मतन या सनद में कुछ शुब्हा गुज़रा, वह खुद हल न कर सके तो अपना शुब्हा ज़ाहिर करके कमाले सिहत मा'लूम करने के लिये अदब के साथ दख़्वास्त करते कि आप हल्फ़ से बयान करें कि आपने इस हदीष को फ़लां अन फ़लां से इसी तरह सुना है। चुनाञ्चे एक बार हाफ़िज़ुल हदीष यह्या बिन मुईन ने 20,000 हदीषों को परख-परखकर कुबूल किया। सिर्फ़ एक हदीष में उनको शुब्हा गुज़रा, शुब्हे की वजह ज़ाहिर करके इब्ने मुईन ने कामिल इत्मीनान हासिल करने के लिये अपने शौख़ से कहा कि अगर आप नाराज़ न हों तो मैं आपसे इस बारे में एक सवाल कर लूँ? जब शौख़ ने इजाज़त दे दी तो कहा, 'अतहलिफु ली इन्नक समितहू मिन हुम्माम' (फ़त्हुल मुगीष पेज नं. 266) या'नी क्या आप मेरी खातिर ये हल्फ़ उठा सकते हैं कि आपने क़तई तौर पर इस रिवायत को हुम्माम से सुना है। शौख़ ने बड़ी तफ़्सील से जवाब दिया। आख़िर कहा मेरी अहलिया बिनते आसिम को तीन तलाक़ें पड़ जाएं अगर मैंने इस रिवायत को बई तौर (इसी तरह से) हुम्माम से न सुना हो।

(27). इसी तरह एक मुहद्दिष ने अपने शौख़ से पूछा कि क्या आपने उसको फ़लां साहब से सुना है? शौख़ किब्ला-रू होकर बैठ गये और

- फ़र्माया, 'अय वल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुव' या'नी क़सम वहदहू ला शरीक लक की कि मैंने इसी तरह सुना है।
- (28). इसी तरह मुहद्विष ज़ैद बिन वहब (ताबिई) अपने शागिर्दों और दर्स में हाज़िर होने वालों के कामिल इत्मीनान के लिये हलफ़ उठाकर हदीषों को बयान करते थे। मसलन फ़र्माया करते थे, 'हद़षना वल्लाहि अबूज़र बिज़्जुबदति' (फ़तहुल मुगीष: 266)
- (29). अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू भी एहतियात की नज़र से हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के बाकी सब हदीष के रावियों से हलफ़ उठवाकर ही हदीष को कुबूल करते। इमाम ज़हबी हज़रत अली (रह.) से नक़ल करते हैं, 'फ़ इज़ा हलफ़ इदक़तन' कि जब हदीष का रावी हलफ़ उठा लेता कि मैंने आँहज़रत (ﷺ) को इसी तरह सुना और याद रखा है तो मैं ऐसी तस्दीक़शुदा हदीष को कुबूल कर लेता। (तज़िक़रतुल हुफ़फ़ाज़ जिल्द अक्वल व फ़तहुल मुगीष पेज नं. 266)

(30). शैखों के दर्स का तरीक़ा और एहतियात :

मुहद्विषीन ने अह्दादीष को सहीह तरीक़े से ज़हन-नशीं करने और हाफ़ज़े में महफूज़ रखने के खयाल से ये भी किया है कि उन्होंने अपने शैखों से दो-दो, चार-चार हदीषों को ही हासिल किया और इसको सीनों और सफ़ीनों में महफूज़ रखा और शैखों ने भी शागिर्दों को कमाले-ज़ब्त के खयाल से सिर्फ़ चन्द हदीषों को ही क़लमबन्द कराया। चुनाञ्चे इमाम मालिक (रह.) अपने शैख़ इमाम नाफ़ेअ से अख़्ज़े-हदीष का हाल बयान करते हैं कि मैं दोपहर की चिलचिलाती धूप में इमाम नाफ़ेअ (मोला बिन उमर) के मकान पर हाज़िर होता और उनके निकलने का इंतज़ार करता। जब वो खुद बाहर तशरीफ़ लाते और मस्जिद में जाकर सहन में इत्मीनान से बैठ जाते तो मैं उनसे ब-रिवायत अब्दुल्लाह बिन उमर चन्द रिवायतें हासिल करता और जल्दी सबक़ बन्द कर देता। (अहीबाजुल्मज़हब लि इब्नि फ़रहून पेज नं. 20)

- (31). इमाम मालिक (रह.) खुद भी हदीष बयान करने में एहतियात फ़र्माते। वे आने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा छह-सात अह्दादीष सुनाते। हाफ़िज़ सखावी लिखते हैं कि एक बार कूफ़ा से एक जमाअत इमाम मालिक की ख़िदमत में मदीना आई तो इमाम मालिक ने उन्हें सिर्फ़ सात हदीषें सुनाई। इस जमाअत ने सोचा कि हम कूफ़ा से मदीने का सफ़र करके आए हैं, कुछ और हासिल कर लें। इसलिये लोगों ने इमाम मालिक (रह.) से कुछ और हदीषें बयान करने की दरख़वास्त की। इमाम मालिक (रह.) ने इसको पसन्द नहीं फ़र्माया और सबको उठा दिया और सात हदीषों से ज़्यादा किसी को कुछ न सुनाया। (फ़तहुल मुगीष पेज नं. 324)

इससे मा'लूम हुआ कि मुहद्विषीने किराम और अइम्म-ए-हदीष ने हदीष का इल्म खुद भी थोड़ा-थोड़ा हासिल किया और थोड़ा-थोड़ा करके अपने शागिर्दों और दोस्तों को सुनाया, इसके पीछे उनका मक़सद कमाले-ज़ब्त और हिफ़्ज़े-हदीष था। इससे ज़्यादा हुसूले-ज़ब्त और ग़ायते-एहतियात क्या होगी?

- (32). इमाम शोअबा (रह.) मअमर बिन उतबा वग़ैरह के मुता'ल्लिक़ इमाम ख़तीब बग़दादी (रह.) अपनी किताब 'अल ज़ामिउल आदाबुराविय्यु अख़्लाकुस्सामेइ' में नक़ल करते हैं कि ये हज़रत अपने शैखों से सिर्फ़ चार-चार अह्दादीष सुनकर वापस आ जाते ताकि उन हदीषों को अच्छी तरह महफूज़ और ज़हननशीन कर लें। (फ़तहुल मुगीष पेज नं. 331 व मुक़द्दमा इब्नुस्सलाह पेज नं. 129)

- (33). जिस तरह इमाम शोअबा (रह.) ने खुद भी अपने उस्तादों से सिर्फ़ तीन-चार हदीषों को हासिल किया करते थे उसी तरह वो अपने तलबा को भी तीन-चार हदीषों की ही ता'लीम दिया करते थे। चुनाञ्चे यह्या बिन सईद क़तान जैसे हुफ़फ़ाजे-हदीष को तीन-चार से दस के बीच अह्दादीस की ता'लीम देते थे। इमाम ख़तीब बग़दादी (रह.) इमाम क़तान (रह.) का एक मक़ूला नक़ल करते हैं, 'लज़िम्तु शुअबत इशरीन सनतन फ़मा कुन्तु अरजिज़ मिन इन्दिही इल्ला बिषलाप्रति अह्दादीष व अशरत अवषरु मा कुन्तु अस्मउ मिन्हु' (तारीख़े ख़तीब जिल्द 14 पेज नं. 136) कि इमाम शोअबा तीन से दस हदीष के बीच ता'लीम देते थे, इसलिये मुझे वहाँ पर बीस बरस तक ठहरना पड़ा। आम तौर पर वो तीन अह्दादीष पढ़ाते, कभी-कभार उससे कुछ ज़्यादा भी पढ़ा देते।

इमाम ज़हबी ने यह्या बिन सईद क़तान का बयान नक़ल किया है कि उनसे किसी ने पूछा, 'कम सहिब्तुहू' या'नी

इमाम शोअबा के पास आपने कितना ज़माना गुजारा? उन्होंने कहा, 'इश्रीन सना' या' नी मैं बीस बरस तक उनके पास अह्लादीष हासिल करने में मस्ररूफ़ (व्यस्त) रहा। इससे मा' लूम हुआ कि इमाम शोअबा अह्लादीष की बहुत थोड़ी मिक्दार की ता' लीम देते थे। (तज़िकरतुल हुफ़फ़ाज़ जिल्द अब्वल पेज नं. 183)

- (34). इसी तरह इमाम गन्दर बसरी भी इल्मे-हदीष के सिलसिले में इमाम शोअबा के पास बीस बरस तक हाज़िर रहे। (हाशिया तज़िकरतुल हुफ़फ़ाज़ जिल्द अब्वल पेज नं. 276 व तारीखे स़गीर पेज नं. 218)
- (35). इसी तरह इमाम सुफ़यान स़ौरी फ़र्माते हैं कि मैं इमाम अअमश व इमाम मन्सूर से सिर्फ़ चार या पाँच हदीषों सुनकर वापस पलट आता था और इससे ज़्यादा अह्लादीष इस अन्देसे से हासिल नहीं करता था कि कहीं याददाश्त से बाहर न हो जाए। उनके अल्फ़ाज़ यह हैं, 'अस्मउ अरबअत अह्लादीष औ ख़म्सत घुम्मन स़रफ़ कराहियतुन अन तक़शरा व तफ़लत' (फ़त्हुल मुगीष पेज नं. 330) इसका हासिल यही है कि रोज़ाना चार या पाँच हदीषों से ज़्यादा नहीं सुनता।
- (36). इसी तरह इमाम सुफ़यान बिन उययना का भी यही दस्तूर था कि वो रोज़ाना सिर्फ़ पाँच हदीषों को पढ़ाया करते थे और इस दस्तूर से हटने और इससे ज़्यादा सुनाने के लिये कभी तैयार नहीं होते थे। (तारीख़ इब्ने असाकिर जिल्द दो पेज नं. 415)
- (37). यही दस्तूर और यही पाबन्दी सुलैमान तैमी भी फ़र्माते थे। इमाम सुलैमान तैमी पहले तो आने वाले तलबा का इम्तिहान लेते और उनमें से सलफ़ के मे' यार पर पूरा उतरने वाले तलबा को दर्से-हदीष में शिरकत की इजाज़त देते और सिर्फ़ पाँच हदीषों की ता' लीम देते।

हाफ़िज़ ज़हबी (रह.) ने लिखा है कि अगर तालिबे इल्म तक़दीर वग़ैरह उमूर का इन्कारी होता तो उसे मजलिसे-दर्स में शिरकत की इजाज़त ही नहीं देते और अगर ये उमूरे-तक़दीर का काइल होता तो उससे हलफ़ लेते, 'फ़इजा हलफ़ हद्दइहू ख़म्सत अह्लादीष' (तज़िकरा जिल्द अब्वल पेज नं. 135) या' नी जब हलफ़ उठा लेता तो उसे सिर्फ़ पाँच हदीषों सुनाते। मक़सद ये था कि वो हदीषों को अच्छी तरह महफूज़ और ज़हननशीन कर लें।

इमाम बुखारी (रह.) ने भी सुलैमान तैमी (रह.) के इस दस्तूर के मुता' ल्लिक लिखा है, 'व हुव युहद्दिषुशरीफ़ वल वज़ीअ ख़म्सतन ख़म्सतन' (तारीखे स़गीर पेज नं. 167) या' नी वो हर अज़ला व अदना को रोज़ाना पाँच हदीष ही सुनाया करते थे।

- (38). इमाम जुहरी जैसे मज़बूत हाफ़ज़े वाले शख़्स अपने शौख़ से सिर्फ़ दो-दो हदीषों हासिल करते और अपने साथियों और शागिदों से फ़र्माते, 'युदरकुल इल्मु हदीषुन औ हदीषानि' कि इल्मे-नबवी (ﷺ) एक-एक, दो-दो हदीष हासिल करने से ही क़ाबू में आ सकता है। यहाँ तक कि इमाम जुहरी ने क़षरत-तलबी से मना करते हुए फ़र्माया कि इल्मे-हदीष अगर तुम एक वक़्त में बहुत सारा हासिल करोगे तो तुम उस पर क़ाबू न पा सकोगे। (फ़त्हुल मुगीष पेज नं. 331 व मुक़द्दमा इब्नुस्सलाह पेज नं. 129)

इस तरह ग़ायत और एहतियात बरतने के बावजूद उन अइम्म-ए-दीन पर, मुन्किरीने हदीष द्वारा तहरीफ़ व तब्दील (फ़ेर बदल) व अदमे-हिफ़ज़ (यादन रख पाने) का इल्ज़ाम लगाना न सिर्फ़ उनकी हदीष-दुश्मनी है बल्कि तारीखे-हदीष, अक़ले सलीम और इन्साफ़ व दयानत से भी दुश्मनी है। अब हम स़हाबा किराम व अइम्म-ए-हदीष के हालात तफ़सील के साथ लिखना चाहते हैं ताकि बवज़ाहत मा' लूम हो सके कि अह्लादीषे-नबविया (ﷺ) की ता' लीम व तर्वीज के लिये उन बुजुर्गों की क्या मसाई थीं?

इस सिलसिले का आगाज़ हम ख़ुलफ़-ए-राशिदीन के तज़िकर-ए-जमील से करेंगे और चूँकि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) अफ़ज़लुल उम्मत हैं जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का एक क़ौल हाफ़िज़ स़खावी (रह.) ने नक़ल किया है और जिसे हुक्मन् मर्फ़ूअ ठहराया है कि, 'कुत्रा नक़ूलु व रसूलुल्लाहि ﷺ हय्युन अफ़ज़लु हाज़िहिल उम्मति बअद नबि्यिहा अबू बकिस्न व उमरु व उम्मानु व यस्मइ ज़ालिक रसूलुल्लाहि फ़ला युनकिरुहू' (फ़त्हुल मुगीष पेज नं. 47) या' नी हम आँहज़रत (ﷺ) के सामने कहा करते थे कि हज़रत अबू बक्र (रज़ि.), हज़रत उमर (रज़ि.) और हज़रत उम्मान (रज़ि.) उम्मत के सबसे अफ़ज़ल और बेहतरीन लोगों में से हैं। सुनकर आप (ﷺ) हम को रोकते नहीं थे।

लिहाजा इस हदीष की रोशनी में हम खुलफ़ा-ए-राशिदीन में सबसे पहले हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) का तज़िक़रा करते हैं।

हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) :

हज़रत अबू बक्र अहादीष-नबवी के जामेअ व हाफ़िज़ थे और हमेशा अहादीष और सुनन की तलाश में रहते थे। साथ ही अहादीष की तप़ब्बत और कमाले-ज़ब्त को भी निहायत ज़रूरी समझते थे। मुन्किरीने हदीष ने हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) को हदीष-दुश्मन ठहराने और अहादीष के एक मज्मूअे (संग्रह) को जलाने का एक निहायत ही ग़लत वाक़िया उनकी तरफ़ मन्सूब किया है। अगर हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) की नज़र सिर्फ़ कुआंनि पाक तक ही महदूद होती और अहादीष से उनको बैर होता तो अहादीष की किताबों में एक भी रिवायत उनसे मरवी न होती और वो खुद किसी हदीष को रिवायत करते हुए नज़र नहीं आते क्योंकि वह वक़्त के फ़र्माँवा और इक़्तितारे अज़ला के मालिक थे; वो खुद भी रिवायते-हदीष से एहतिराज़ करते और दूसरों को भी रोकते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुद भी मौक़ा-ब-मौक़ा अहादीष से मसाइल को अख़ज़ करते और सहाब-ए-किराम भी आपसे हदीषें रिवायत करते थे। हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने बहुत सी हदीषों को आप (ﷺ) की सोहबत में रहकर हासिल किया और बहुत सी हदीषें सहाब-ए-किराम से सुनकर हासिल की। यही नहीं बल्कि हदीषों को हिफ़ज़ करने वालों और रिवायत करने वालों को आपने ता'रीफ़ भी फ़र्माई। इस किस्म के बहुत से वाक़ियात हैं कि जब आपको किसी मुआमले में हदीष मा'लूम नहीं होती थी तो आप सहाब-ए-किराम के मजमे को मुखातब करके पूछते कि इस मसले के बारे में क्या किसी को कोई हदीष मा'लूम है? इसकी वजह यह थी कि हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) अपने ज़र्मीदाराना कारोबार में मसरूफ़ (व्यस्त) रहने की वजह से सारी अहादीष का इल्म हासिल नहीं कर सकते थे। इसलिये वो लोगों से मा'लूम फ़र्माते थे। अब चन्द वाक़ियात मुलाहज़ा फ़र्माएं :-

(1). फ़ैसले :

अल्लामा ज़हबी (रह.) ने लिखा है कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) की ख़िलाफ़त के दौर में एक शख़्स की दादी हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) की ख़िदमत में अपनी विराषत के बारे में दयाँफ़्त करने के लिये आई। दादी की विराषत के बारे में कुआंनि करीम में कोई तज़िक़रा नहीं और न उसके मुता'ल्लिक़ कोई हदीष उनके सामने थी। इसलिये उन्होंने हाज़िरीने मजलिस से पूछा कि जहा (दादी) की विराषत के बारे में किसी को कोई हदीष मा'लूम है? तो हज़रत मुगीरा बिन शोअबा (रज़ि.) ने फ़र्माया, 'समिअतु रसूलल्लाहि ﷺ युअतीहास्सुदुस' कि मैंने आँहज़रत (ﷺ) से सुना है कि आप दादी को छठा हिस्सा देते थे। हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने मज़ीद एहतियात के पेशेनज़र दोबारा पूछा कि किसी और को भी ये हदीष मा'लूम है? तो उसी वक़्त हज़रत मुहम्मद बिन सलमा (रज़ि.) ने गवाही दी कि मैंने भी यह हदीष नबी करीम (ﷺ) से सुनी है। तब हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने इस हदीष को तस्लीम (स्वीकार) किया और दादी को छठा हिस्सा दिलाया। (तज़िक़रा जिल्द अब्वल पेज नं. 2)

(2). तहदीषे-रिवायत :

हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने लोगों को हदीषें भी सुनाई। अज़ाँ जुम्ला हाफ़िज़ ज़हबी (रह.) एक वाक़िया नक़ल करते हैं, 'हद़ष यूनुसु अनिज़्जुहरी अन्न अब्बा बकरिन हद़ष रज़ुलन हदीषन फ़स्तफ़हमरज़ुलु इय्याहु फ़ क़ाल अबू बकरिन हुव कमा हद़षुका' (तज़िक़रा पेज नं. 4) या'नी हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने एक शख़्स को हदीष सुनाई। इसने आप से मज़ीद दयाँफ़्त किया, तो आपने फ़र्माया कि ये हदीष बिल्कुल ठीक है। जिस तरह मैंने रिवायत किया है, हदीष उसी तरह है।

(3). हज़रत फ़ातिमतुज़्जुहरा (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) के इर्तिहाल के बाद तर्क-ए-नबविय्या में से विराषत की तालिब हुई। तो हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने आँहज़रत (ﷺ) से सुना है, 'लानूरिषु मा तरक्ना स़दक़तन' (मुस्नद अहमद बिन हम्बल जिल्द अब्वल) या'नी मेरे तर्के का कोई वारिष नहीं होगा बल्कि वो स़दक़े के तौर पर फ़ी सबीलिल्लाह तक्रसीम होगा। (स़दक़ा आले नबी ﷺ पर हराम है)

अगर हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) दुश्मने-हदीष होते तो कभी भी अहादीष को हुज्जत और दलील के तौर पर कुबूल न

फ़र्माते। कुआने करीम में बेटी का हिस्सा मुकर्रर है लेकिन हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) को बाप के माल से सिर्फ़ एक हदीष की बिना (आधार) पर महरूम कर दिया गया।

(4). हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) सक्रीफ़ा बनी सअद में 'अन्सारी सहाबा' के आम इज्तिमाअ में उस वक़्त पहुँचे जबकि अन्सार हज़रत सअद बिन उबादा (रज़ि.) को अपना अमीर मुकर्रर करना चाहते थे और मुहाज़िरीन में से हज़रत उमर और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह (रज़ि.) इस इंतखाब के खिलाफ़ थे। बिल आख़िर ग़लगला उठा कि, 'मित्रा अमीरुन व मिन्कुम अमीरुन' एक अमीर अन्सार में से ले लिया जाए और एक अमीर मुहाज़िरीन में से।

इस शोरो-शागब का और झगड़े का ख़ात्मा सिर्फ़ एक हदीष के जरिये हो गया, जिसको हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने पेश किया। आपने खुसूसियत से हज़रत सअद बिन उबादा (रज़ि.) को मुखातब किया कि ऐ सअद! तुम आँहज़रत (ﷺ) के पास बैठे हुए थे और तुमने अपने कानों से रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़र्माते हुए सुना था, 'कुरैशुन विलातु हाज़ल अम्नि' कुरैश ही में सरदारी और खिलाफ़त रहेगी। तो हज़रत सअद (रज़ि.) ने 'सदक़त (सच कहा)' कहते हुए हदीषे-नबवी (ﷺ) को कुबूल कर लिया। (फ़तहल बारी पेज नं. 14 बाब मनाकिबुल मुहाज़िरीन)

ग़र्ज़ यह कि आनन-फ़ानन में सारी कश्मकश ख़त्म हो गई। चुनाञ्चे सबने कबील-ए-कुरैश के एक फ़र्द हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) के हाथ पर बैअत कर ली। इससे मा'लूम हुआ कि हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) अहादीष को याद भी रखते थे और मसाइल को प्राबित करने के लिये उनसे एहतियाज भी फ़र्माते थे और हदीषे रसूल (ﷺ) के अज़मतो-एहतिराम के लिये सबको पाबन्द बनाते थे।

(5). हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) सहाब-ए-किराम को अहादीष सुनाते भी थे। अल्लामा ज़हबी (रह.) ने हज़रत अली (रज़ि.) का वो मक़ूला नक़ल किया है जिसमें वो कहते हैं कि जब मैं किसी सहाबी से हदीष सुनता हूँ तो कमाले-इत्मीनान की ग़र्ज़ से हल्फ़ के साथ उस हदीष को कुबूल करता हूँ, मगर जब हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) हदीष सुनाते हैं तो मैं उसे बग़ैर हल्फ़ के कुबूल कर लेता हूँ क्योंकि वो सिद्दीक़ हैं। लिहाज़ा इमाम ज़हबी (रह.) के नक़लकर्दा वो अल्फ़ाज़ 'हद्वनी अबू बक्र' और 'सहदक़ अबू बकरिन' से मा'लूम हुआ कि हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) हदीष-दोस्त थे और वे हदीष की नशरो-इशाअत और तबलीग़ व बयान से दिलचस्पी रखते थे। (तज़किरा जिल्द अब्वल पेज नं. 10)

(6). तवक्कल अलल्लाह का एक बेहतरीन नमूना :

सहाब-ए-किराम हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) से हिज्रत के मुता'ल्लिक़ अहादीष को ख़ास तौर पर फ़र्माइश के साथ सुनते थे। इसी सन्दर्भ में एक वाक़िया सहीह बुखारी किताबुल मनाकिब में इस तरह मज़कूर है कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने एक कजावा (ऊँट का पालान) हज़रत आज़िब से 13 दिरहम में ख़रीदा और उनसे गुज़ारिश की कि आप अपने लड़के बराअ को इजाज़त दीजिये कि वो कजावे को मेरे घर तक पहुँचा दें। हज़रत आज़िब (रज़ि.) ने कहा, 'ला हत्ता तहद्वना' या'नी जब तक हम आपसे हिज्रत के बारे में हदीषें न सुन लें आपको जाने नहीं देंगे। तो हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने हिज्रत के वाक़िये के बारे में बतलाया कि जब हम दोनों ग़ार में छुपे हुए थे तो मुशिकीने मक्का ने बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की। चप्पा-चप्पा छान मारा। एक जमाअत ग़ार के दहाने तक पहुँच गई। मैंने कुछ ख़दशा ज़ाहिर किया तो नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मा ज़नुक़ या अबा बकरिन बिइज़्मैनि अल्लाहु प्रालिषुहुमा' ऐ अबू बक्र! तुम्हारा उन दो आदमियों के बारे में क्या गुमान है जिनके साथ तीसरा अल्लाह भी है। यहाँ तक कि जब सुराक़ा नामी एक शख़्स आँहज़रत (ﷺ) का पीछा करते हुए चन्द गज़ के फ़ासले पर आ पहुँचा तो मेरे दिल में आँहज़रत (ﷺ) के लिये फिर ख़दशा पैदा हुआ और मैंने घबराहट ज़ाहिर की। इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि, 'ला तहज़न इन्नल्लाह मअना' घबराओ नहीं! अल्लाह हमारे साथ है। (बुखारी जिल्द अब्वल पेज नं. 516)

अगर मुन्किरीने हदीष के क़ौल के मुताबिक़ हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) हदीषों के दुश्मन होते तो उनकी ज़बान से कोई सहाबी हदीष नहीं सुन सकता था और अगर किसी सहाबी की तरफ़ से फ़र्माइश होती तो वो उसको डाँटते और फिर किसी को इस क्रिस्म की जुरअत नहीं होती। लिहाज़ा मा'लूम हुआ कि हदीष दुश्मनी की कहानी बिल्कुल फ़र्ज़ी और खुदसाख़ता (गद्दी हुई) और सरासर फ़तूर है।

(7). हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) अहादीष याद रखने वालों की हौसला अफज़ाई फ़र्माते थे और अहादीष हिफ़ज़ करने पर सहाब-ए-किराम से खुशी का इज़हार फ़र्माते थे। इसकी वजह ये थी कि हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) अपनी कारोबारी मसरूफ़ियात और काशतकारी की वजह से हर वक़्त ख़िदमते-नबवी (ﷺ) में हाज़री नहीं दे सकते थे। इसलिये दूसरों को हदीषों का इल्म होता रहता था और फिर जब उनके ज़रिये से हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) को कोई हदीष मा'लूम होती तो आप बहुत खुश होते थे। आँहज़रत (ﷺ) के विसाल के वक़्त हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) आपके पास नहीं थे बल्कि अपने मोज़ा 'सख' में थे। इमाम बुखारी नक़ल करते हैं, 'अन्न रसूलल्लाहि (ﷺ) मा त व अबू बक्रिन फ़िस्सनहि' (बुखारी जिल्द अब्वल पेज नं. 517)

बेशक ज़र्मींदारी का काम बहुत मशगूल रखनेवाला काम है। अकबर इलाहाबादी मरहूम ने क्या खूब तर्जुमानी की है, ज़रें-ज़रें से लगावट की ज़रूरत है यहाँ, आफ़ियत चाहे जो इन्सान तो ज़र्मींदार न हो।

गरज़ ये कि कारोबारी मशग़लों की वजह से हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) और दीगर सहाबा की तरह हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) आम तौर पर ख़िदमते-अक़दस में हाज़िर नहीं रह सके और उनको ज़्यादा ता'दाद में अहादीष सुनने का मौक़ा नहीं मिल सका। इसलिये जब मन्ज़बे-ख़िलाफ़त पर फ़ाइज़ किये गये तो नये मुआमलात और मसाइल का फ़ैसला आप इस तरह करते थे कि पहले मसले को किताबुल्लाह में ढूँढ़ते, उसके बाद सुन्नते रसूल (ﷺ) में तलाश करते। आख़िर में सहाब-ए-किराम के मजमे के पास इन अल्फ़ाज़ में सवाल करते, 'अतानि क़जा व क़जा फ़हल अलिम्तुम अन्न रसूलल्लाहि (ﷺ) क़जा फ़ी ज़ालिक बि क़जाइन' या'नी ऐसा-ऐसा मुआमला पेश आ गया है, आप में से किसी को रसूलुल्लाह (ﷺ) का कोई फ़ैसला इस बारे में मा'लूम हो तो मुझे जानकारी दें।

हज़रत शाह वलीउल्लाह (रह.) लिखते हैं कि अनेक सहाबा उन मुआमलात के बारे में सुन्नते मुतहहरा बयान करने के लिये आगे बढ़ते। 'कुल्लुहुम यज़कुरु अन्न रसूलिल्लाहि (ﷺ) फ़ीहि क़जाउन' हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) खुश होकर फ़र्माते, 'अल्हम्दुलिल्लाहिल्लिज़ी ज़अल फ़ीना मय्यहफ़ज़ु अला नबिय्यिना' (हुज्जतुल्लाहिल बालिगा पेज नं. 149) या'नी अल्लाह का शुक्र है कि हम में ऐसे आदमी मौजूद हैं जो हमारे नबी (ﷺ) के सुनने मुतहहरा को हिफ़ज़ रखते हैं।

सहाबा से हदीषों मा'लूम करने के बाद हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) उनको याद भी रखते थे। और दूसरों तक पहुँचाते थे अस्माउर्रिजाल की मुस्तनद किताब 'खुलासतुनहज़ीब' में हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) से 142 मरवी हदीषें मौजूद हैं। इनमें वो हदीषें भी हैं जो आपने खुद नबी (ﷺ) सुनीं और वो हदीषें भी हैं जो सहाब-ए-किराम के तवस्सुत से आपको मिली थीं।

इमाम सियूती (रह.) की 'तारीख़ुल ख़ुलफ़ा' में 104 हदीषों का ज़िक्र मौजूद है। हज़रत शाह वलीउल्लाह (रह.) ने 'इज़ालतुल ख़ुलफ़ा' में लिखा है कि हज़रत अबू बक्र की रियायतकर्दा तक्ररीबन 150 हदीषें हदीष की किताबों में मौजूद हैं।

(9). इसी तरह अल्लामा इब्ने क़य्यिम (रह.) लिखते हैं कि शैख़ पहले किताबुल्लाह में ग़ौर करते। अगर इसमें मसले का हल मिल जाता तो उसके मुताबिक़ फ़ैसला करते और अगर किताब से कोई वाज़ेह बात न मिलती तो रसूले अकरम (ﷺ) की अहादीष में ग़ौर करते। अगर इन हज़रात को खुद अपने ग़ौरो-ख़ोज़ से कोई हदीष न मिलती तो लोगों से सवाल करते, 'हल अलिम्तुम अन्न रसूलल्लाहि (ﷺ) क़जा फ़ीहि बि क़जाइन' या'नी आप हज़रात को इस मसले से मुता'ल्लिक़ नबी अकरम (ﷺ) के किसी फ़ैसले का इल्म हो या आपके किसी क़ौली या फ़ेअली उस्व-ए-हसना पता हो तो पेश कीजिये। चुनाञ्चे ये हज़रात मुख्तलिफ़ मौक़ों की हदीषों को सुनाते और उस पर हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) और हज़रत इमर (रज़ि.) अमल दरामद करते। (इअलामुल मुक़िईन जिल्द अब्वल पेज नं. 22)

इससे मा'लूम हुआ कि हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) और हज़रत इमर (रज़ि.) किताबो-सुन्नत से इहतिजाज़ फ़र्माते और मसाइल व क़जाया के लिये अहादीषे नबविया को हमेशा पेशेनज़र रखते। तमस्सकु बि अहादीष और क़जाया बिस्मुनन के वाक़ियात को अल्लामा इब्ने हज़्म ने पेशेनज़र रखकर हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) का शुमारे वसीअुल्दफ़्तः सहाबा में किया है। और मुक़्षिरीन फ़िल फ़तावा के क़रीब आपको भी क़रार दिया है।

इज़ाल-ए-वहम :

अल्लामा ज़हबी (रह.) ने हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) के मुता'ल्लिक एक रिवायत नकल की है कि हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने कुछ हदीषों को नाकाबिले ए'तिबार (अविश्वसनीय) समझ कर जला दिया था। इस पर मुन्किरीने हदीष को बड़ा नाज़ है। हालाँकि यह रिवायत सही नहीं है। इसका रावी इब्राहीम बिन उमर मजहूल है। खुद हाफ़िज़ ज़हबी (रह.) ने इस मुर्सल रिवायत के आख़िर में लिख दिया है कि 'फ़हाज़ा ला यस्हिह' (या'नी ये दुरुस्त नहीं है)

इमाम ज़हबी (रह.) की यह आदत है कि वो अपना तबसरा बिल्कुल आख़िर में दो हफ़ में करते हैं। चुनाँचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद के मुता'ल्लिक एक हदीष नकल करके आख़िर में लिखते हैं, 'हाज़ा मुन्क़तिडन' (तज़्किरतुल हुफ़फ़ाज़, ज़िल्द अब्वल, पेज नं. 14) या'नी यह हदीष मुनक़तअ है।

इसी तरह जाफ़र बिन मुहम्मद बिन अली की रिवायत के आख़िर में लिखा है 'हाज़ा मुन्क़तिडल इस्नाद' (तज़्किरा ज़िल्द अब्वल, पेज नं. 158)

इसी तरह एक हदीष के बारे में लिखते हैं 'हाज़ा इस्नादुन सहीहुन' (तज़्किरा ज़िल्द अब्वल, पेज नं. 351) इसी तरह हाफ़िज़ सववी के मुता'ल्लिक एक रिवायत पर आख़िर में यह कह कर तन्कीद की 'वलम यस्हिह' (तज़्किरा ज़िल्द दोम, पेज नं. 146) इसी तरह उन्होंने हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) के मजकूरा वाकिअ के मुता'ल्लिक आख़िर में तबसरा करते हुए लिखा है, 'फ़ हाज़ा ला यस्हिह'

इसके अलावा मैं कहता हूँ कि इस हदीष में खुद मुन्किरीने हदीष के खिलाफ़ एक अन्दरूनी शहादत मौजूद है। हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने हदीष के जिस मजमूअे (संग्रह) को जला दिया था वो उनके नज़दीक काबिले ए'तिमाद नहीं था। चुनाँचे उन्होंने अपने इस फ़ेअल के जवाज़ में फ़र्माया था, 'वलम यकुन कमा हद़्थनी' या'नी मुझे अन्देशा है कि जो हदीषें मुझसे बयान की गई हैं वो वाकिअतन इस तरह न हों। इसी बिना पर इहतियात के पेशेनज़र मैंने इस मुशतबह मजमूअे को बाक़ी नहीं रखा। हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) का यह इशादि-मुबारक साफ़ तौर से यह बता रहा है कि आपने इस मजमूअे को नाकाबिले ए'तिमाद (अविश्वसनीय) समझ कर जला दिया था। इसलिये नहीं जलाया था कि अल्लाह न करे आप हदीषे नबवी के मुन्किर थे। लेकिन जैसा कि ज़हबी (रह.) ने तसरीह की है कि यह वाकिआ ही सही नहीं है।

वहाँ न हम थे और न बरक़ जो देख सकते कि मजमूअे में किस किस की हदीषें थीं और रिवायत करने वाले कौन थे? इन सब पर पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन जिस क़दर ज़ाहिर है वो सिर्फ़ यह कि सिद्दीके-अकबर (रज़ि.) के नज़दीक वो मजमूआ काबिले इत्मीनान (संतोषप्रद) न था।

इसी तरह हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने एक मौक़े पर फ़र्माया, 'क़द तरक्तु अशरत आलाफ़ हदीषिन लिरजुलिन फ़यन्ज़ुरु तरक्तु मिह्लहा औ अक्षर मिन्हा लि ग़ैरिही ली फ़ीही नज़रुन' (मुकद्दमा फ़तुल बारी, पेज नं. 568) या'नी एक शख़्स को मैंने काबिले ए'तिराज़ पाया तो दस हज़ार हदीषें जो मैंने उससे ली थी वो मैंने छोड़ दी और इसी तरह एक और शख़्स की रिवायतें (जो ता'दाद में इतनी ही थीं या इससे ज़्यादा) उसको भी छोड़ दी क्योंकि वह शख़्स नाकाबिले ए'तिमाद था। अब क्या कोई शख़्स इमाम बुखारी को इस एहतियात के पेशेनज़र दुश्मने-हदीष कह सकता है? हाशा व कल्ला

जिस तरह दस हज़ार को मतरूक़, नाकाबिले ए'तिमाद ठहराने से इमाम बुखारी पर हदीष दुश्मनी का इल्जाम आइद नहीं किया जा सकता उसी तरह हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) पर चन्द अहादीस को नाकाबिले ए'तिमाद करार देने और उनको जला देने से हदीष दुश्मनी का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता है। हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) का यह इक़दाम बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह तीसरे ख़लीफ़ा हज़रत उस्मान (रज़ि.) ने मुशतबह मुख्तलिफ़ किरअतों के साथ मख़लूते कुआन मजीद के मजमूअे को जलवा दिया था।

दूसरे ख़लीफ़ा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर (रज़ि.) :

हज़रत उमर (रज़ि.) भी अहादीस की इशाअत और रिवायत में हद दर्जा मुहतात थे। उन्हें इस बात का बहुत ख़याल रहता था कि आँहज़रत रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ कोई ग़लत बात मन्सूब न हो जाए। हमेशा इस अम्र का लिहाज़ रखते थे कि रसूलुल्लाह

(ﷺ) का जो भी क़ौल व फ़ैअल मरवी हो इसमें पूरी सिह्त और सदाक़त को पेशेनज़र रखा जाए। मुन्किरीने हदीष ने आपकी इस मुहतात रविश से यह नतीज़ा निकाला कि हज़रत उमर (रज़ि.) भी हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) की तरह दुश्मने-हदीष थे क्योंकि हज़रत उमर (रज़ि.) हदीषों को तलाश करके फ़ना करते रहते थे। (दवाउस्सलाम, पेज नं. 51)

हज़रत उमर (रज़ि.) के मुता'ल्लिक यह कहना कि वो अहादीस को फ़ना कर देते थे यह सरासर ग़लत है। किसी मुस्तनद तारीख़ से उसकी सिह्त का षुबूत नहीं मिलता। लेकिन अगर बफ़र्जे-महाल यह तस्लीम कर लिया जाए कि यह वाक़िआ दुरुस्त है तो यह कोई ऐसा मजमूआ रहा होगा जो उनके नज़दीक़ काबिले ए'तिमाद न था। पस अगर ऐसे किसी मजमूआ को हज़रत उमर (रज़ि.) बाकी रहने देते तो उम्मत में इख़ितलाफ़ व रंजिश का सबब होता। हज़रत उमर (रज़ि.) का मक़सद यह था कि ग़लत और मशकूक़ अहादीष आँहज़रत रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब न हो और बिला कमाले तहकीक़ और तफ़तीश कोई रिवायत शाए न हो। मुन्किरीने हदीष फ़ारूके आ'ज़म के हदीष-दुश्मन होने पर इस रिवायत से भी इस्तिदलाल करते हैं कि जिसे अल्लामा हैषमी (रह.) ने 'मजमउज़्जवाइद' में और अल्लामा ज़हबी (रह.) 'तज़िक़रतुल हुफ़फ़ाज़' में नकल किया है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने बक़रत हदीषों की रिवायत करने पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.), अबू दर्दा (रज़ि.), अबू मसऊद अन्सारी (रज़ि.) को मदीने में कैद कर दिया था। उनकी कैदो-बन्द का सिलसिला हज़रत उमर (रज़ि.) की शहादत तक जारी रहा।

लेकिन यह रिवायत मुन्क़ता है। अल्लामा हैषमी (रह.) 'मजमउज़्जवाइद' में लिखते हैं, 'कुल्लु हाज़ा अम्रुन मुन्क़तिज़न व इब्राहीमु व लदु सनत इश्रीन व लम युदरिक् मिन हयाति उमर इल्ला घ़लाष सिनीन वब्नु मसऊदिन कान बिल कूफ़ति वला यसिह्हु हाज़ा अन उमर' (मजमउज़्जवाइद, पेज नं. 59) या'नी इब्राहीम को (जो इस अप्र के रावी हैं) हज़रत उमर (रज़ि.) का ज़माना नहीं मिला क्योंकि हज़रत उमर की शहादत के वक़्त वो सिफ़तीन बरस के थे, इसलिये उनका हज़रत उमर (रज़ि.) से रिवायत करना नामुमकिन है। इसलिये यह रिवायत बिल्कुल ही नाक़ाबिले कुबूल है। इसके अलावा मअन बिन ईसा और ज़हबी के बीच कई स़दियों की दूरी है। दूसरे स़ईद बिन इब्राहीम भी जरह से ख़ाली नहीं। हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) साहिबे-इल्म स़हाबी अबू मसऊद अन्सारी (रज़ि.) साहिबे कमाल बद्री स़हाबी के सज़ा देने का वाक़िया भी ग़लत है।

दूसरी बात इस रिवायत में यह है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) को हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपनी शहादत तक मदीना में ही कैद रखा। उसकी ग़लती में इतना कह देना काफ़ी है कि तमाम स़हीह रिवायतों में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) का क़याम कूफ़ा में षाबित है। खुद हज़रत उमर (रज़ि.) ने उनको कूफ़ा का मुअल्लिम बनाकर भेजा था और वो कूफ़ा में ता'लीमे मुनन और हुकूमत की तरफ़ से आइदकर्दा फ़राइज़ की अदायगी में बराबर मशगूल रहे। (तज़िक़रा जिल्द अव्वल पेज नं. 13 व इस्तिआब जिल्द अव्वल पेज नं. 361)

लिहाज़ा जब वो कूफ़ा में थे तो मदीने में शहादते फ़ारूकी तक कैद में रहने की बात क्योंकर दुरुस्त करार दी जा सकती है? लिहाज़ा ब-क़रत हदीषें बयान करने के जुर्म में कैद हो जाना मज़क़ूर हक़ाइक़ की रोशनी में खुद ब खुद बातिल हो जाता है। इसी हक़ीक़त की तरफ़ अल्लामा हैषमी (रह.) ने यह कहकर, 'वला यसिह्हु हाज़ा अन उमर' इशारा किया है कि हज़रत उमर (रज़ि.) की तरफ़ इसका इन्तिसाब ग़लत है। लिहाज़ा मुन्किरीने हदीष का इस किस्म की रिवायतों के बलबूते पर हज़रत उमर (रज़ि.) को दुश्मने-हदीष ठहराना सरासर दज्लो-फ़रेब है।

अलबत्ता हाफ़िज़ सख़ावी (रह.) ने हज़रत उमर (रज़ि.) के इस इन्तिबाह का ज़िक़्र फ़र्माया है जिसमें फ़ारूके आ'ज़म ने हज़रत कअब अहबार (रज़ि.) और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) वग़ैरह स़हाबा को अहले किताब के वाक़ियात और इस्राईली रिवायतों के बयान करने पर सख़्त तन्बीह फ़र्माई थी। हाफ़िज़ सख़ावी (रह.) के अल्फ़ाज़ यह हैं, 'वक्रद मनअ उमरू कअबन मिन तहदीषि बिज़ालिक़ काइलल लहू लततरुक़न्नहू औ लअलहक़न्नक़ बिअरज़िल क़िरदति व क़ज़न्नह्यु अम्मिल्ली इब्न मसऊदिन व ग़ैरहू मिन स़हाबति।' (फ़तहुल मुगीष पेज नं. 82)

पस इस किस्म की रिवायत की तहदीष पर डाँट-डपट यारों ने अहादीषे-नबविया की मुमानिअत पर महमूल कर दिया। अल्लाह न करे अगर हज़रत उमर (रज़ि.) हस्बे बयान मुन्किरीने हदीष, दुश्मने हदीष होते तो वो खुद अहादीष की रिवायत क्यों करते? और लोगों से अहादीषे नबविया क्यों दर्याप्त फ़मति? और दीगर अस्हाबे रसूलुल्लाह (ﷺ) को रिवायते हदीष की इजाज़त

क्यों देते? हज़रत उमर (रज़ि.) का मंशा इन्जिबाते रिवायत और एहतियात फ़िल हदीष के सिवा और कुछ न था। अगर ऐसी कोशिशें मुन्किरीने हदीष के नज़दीक हदीष को मिटाने के बराबर हैं तो बयान का अपना इज्तिहाद है। इस आज़ादी के दौर में दुर्ग-ए-फ़ारूकी नहीं है, वना फ़ारूके आ'ज़म पर हदीष दुश्मनी का बोहतान का असली जवाब दुरा ही था। फिर हर मुन्किरे हदीष चन्द दुर्ग पर चिल्ला-चिल्लाकर ऐलान करता, 'ज़हबल्लज़ी कुन्तु अजिदुहू फ़ी रासी' फ़ारूके आ'ज़म (रज़ि.) का मक़सद इन एहतियाती बन्दिशों से सिर्फ़ यह था कि नबी (ﷺ) के तमाम इशादात असली हालत में, बग़ैर किसी इज़ाफ़े और किसी नुक़सान के दुनिया की रहबरी के लिये बाकी रहें और कोई सहाबी फ़र्मूदाते रसूल (ﷺ) में किसी ग़लती का इर्तिक़ाब न कर सके। किसी लफ़्ज़ को न घटा सके और न बढ़ा सके। 'कन्ज़ुल उम्माल' में लिखा है कि हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माने में अहादीष की रिवायत पर सख़्त क्रिस्म की शर्तें आइद थीं और इन सबका मंशा यह था कि लोग हर क्रिस्म की रिवायात बयान करने में आज़ाद न हो जाएं।

हज़रत उमर (रज़ि.) बयाने रिवायत में लोगों को अल्लाह का ख़ौफ़ व डर दिलाया करते थे ताकि नबी करीम (ﷺ) की तरफ़ कोई ऐसी बात मन्सूब न हो जाए जो वाक़ई आप (ﷺ) से षाबित न हो। (मुन्तख़ब कन्ज़ुल उम्माल जिल्द छह पेज नं. 61)

और इसी हकीकत की तरफ़ अल्लामा ज़हबी (रह.) ने ऐसे ही अल्फ़ाज़ से इशारा किया है। 'हुवल्लज़ी सन्नल मुहद्दिषीन त्तप्बुत फ़िन्नक्लिल व रुब्बमा कान यतवक्कफ़ु फ़ी ख़बरिल वाहिदि इज़रताब' (तज़्किरा जिल्द अव्वल पेज नं. 6) या'नी हज़रत उमर (रज़ि.) ने अहादीष के ज़ब्त व हिफ़्ज़ और रिवायतों के कमाले पुबूत का इस दर्जा लिहाज़ रखा कि तमाम मुहद्दिषीन के लिये आपका यह तर्ज़े-अमल एक बेहतरीन नमूना बन गया। हज़रत उमर (रज़ि.) के तज़्किरे में यह वाक़िया भी हमें नज़र आता है कि बसा औक़ात आप हदीष सुनकर दूसरे सहाबी की ताईद व तस्दीक़ का इंतज़ार फ़र्माते। जब इत्मीनानबख़्श तरीक़े पर पुबूत बहम पहुँच जाता तो कमाले शर्हे-सद्र के साथ उसको तस्लीम कर लेते।

सहीफ़-ए-उमर (रज़ि.) :

ख़तीब बग़दादी (रह.) ने किताबुल किफ़ाया में हज़रत उमर (रज़ि.) के एक ऐसे सहीफ़े का भी ज़िक्र किया है जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से हासिल हुआ था और जिसमें हदीषें दर्ज थीं। (फ़तहुल मुगीष पेज नं. 233)

हज़रत उमर (रज़ि.) के कमाले ज़ब्त व एहतियात का यह नतीजा निकला कि हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने फ़र्माया कि इन हदीषों को हर तरह महफूज़ कर लो, ये हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माने में मुरव्वज (प्रचलित) थीं क्योंकि हज़रत उमर (रज़ि.) रावियाने हदीष को कमाले एहतियात की तल्कीन फ़र्माया करते थे और उनको इस बात से ख़ौफ़ दिलाते थे कि कोई ग़लत चीज़ रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब न हो जाए।

अगर हज़रत उमर (रज़ि.) दुश्मने हदीष होते तो कोई हदीष इनसे मरवी नहीं होती। हालांकि इनसे बहुत सी हदीषें रिवायत की गई हैं। अल्लामा इब्ने जौज़ी (रह.) ने मरवियाते उमर (रज़ि.) की ता'दाद 537 बताई है। (तल्क़ीहु फ़ुहूमि अहलिल अषरि लि इब्निल जौज़ी पेज नं. 184) खुलासतुत्तहज़ीब के मुअल्लिफ़ ने हज़रत उमर की मरवियात को 539 लिखा है जब ख़ुद हज़रत उमर (रज़ि.) से इस क़दर शिद्दते एहतियात के बावजूद 500 से ज़ाएद अहादीष मरवी हैं तो मुन्किरीने हदीष का हज़रत उमर (रज़ि.) को दुश्मने हदीष करार देना सरापा जिहालत व ज़लालत है।

अल्लाह तबारक व तआला ने कुआन मजीद में अपने महबूब रसूल (ﷺ) की शाने अक़दस में फ़र्माया, 'हुवल्लज़ी बअष फ़िल उम्मिय्यीन रसूलम्मिन्हुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन.' (अल जुम्आ : 2) या'नी अल्लाह वो ज़ाते आली है जिसने अनपढ़ों में अपना एक रसूल उन्हीं की क़ौम से मबरूफ़ फ़र्माया, जो उन पर अल्लाह की आयतें पढ़ता और उनको बुराइयों से पाक करता है और उनको वो किताब व हिक्मत की ता'लीम देता है। और वो उनकी आमद से पहले खुली हुई गुमराही में मुब्तला थे।

इस आयते करीमा में जिस चीज़ को लफ़्ज़े 'हिक्मत' से ता'बीर किया गया है ये वही चीज़ है जिसको दूसरे लफ़्ज़ों में हदीषें-नबवी कहा जाता है। एक ज़र्रा बराबर भी शक व शुब्हा की गुञ्जाइश नहीं है कि हदीषें नबवी (ﷺ) हिक्मत का एक लाफ़ानी ख़ज़ाना (अमर सम्पत्ति) है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) कुआन मजीद के साथ-साथ अपनी उम्मत के हवाले फ़र्मा गये और जिसे उम्मत

ने पूरे जौक व शौक के साथ इस तरह महफूज रखा जिस तरह कि कुआन मजीद को महफूज रखा गया। इस बारे में नाज़िरीने किराम बहुत सी तफ़ासील पिछले बयानात में मुलाहज़ा फ़र्मा चुके हैं। नीज़ सहाब-ए-किराम (रज़ि.) का हाल मा'लूम कर चुके हैं कि वो अह्लादीषे-नबवी के किस क़दर दिलदादा, किस क़दर एहतियात बरतने वाले और कितने क़द्रदां थे। बाद के ज़मानों में अह्लादीष पर उम्मत ने जिस क़दर तवज़ुह दी है वो तारीख़े इस्लाम का एक सुनहरी बाब है। चूँकि तदवीने हदीष पर बयान चल रहा है इसलिये आज इसके मुता'ल्लिक मज़ीद तफ़सीलात पेश की जा रही हैं, उम्मीद है कि ब-ग़ौर मुतालाआ फ़र्माने वाले हज़रात इनसे ईमान व यकीन का बहुत सा सरमाया हासिल फ़र्मा सकेंगे। 'व हाज़ा हुवल मुरादु व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि'

तारीख़ तदवीने अह्लादीष :

आसानी के लिये हम हदीषों के मुस्तब होने के दौर को चार हिस्सों में बाँट लेते हैं ताकि मुफ़स्सल तौर पर मा'लूम हो सके कि हर दौर में अह्लादीषे-नबवी (ﷺ) को महफूज रखने के लिये मुसलमानों ने क्या कुछ मेहनतें और जाँफ़िशानी की है? (01). रिसालते नबी (ﷺ) का ज़माना (02). सहाब-ए-किराम रज़ि. का दौर (03). ताबेईन रह. का दौर (04). ताबेईन के बाद का ज़माना।

(01). रिसालते नबी (ﷺ) का ज़माना (बेअघ़त से 11 हिजरी तक मुहत्त 23 साल):

आलमे इन्सानियत की शबे दीज़ूर (अन्धेरी रात) की नूरानी सुबह कितनी पुर कैफ़ियत थी जब वो महेरे जहाँ अफ़रोज तुलूअ हुआ। उसकी हयात बख़श (ज़िन्दगी देने वाली) किरणों की ताषीर से बेहिस ज़रों में भी ज़िन्दगी करवटें लेने लगी। उसकी शौख़ तजल्लिलियों ने नशीब व फ़राज सहरा व कोहसार को बुक़अ-ए-नूर बना दिया। ख़र्जाँ ज़दा बागे-हस्ती में सरमदी बहारें फिर मस्तानावार झूमने लगी और इन्सान अपना खोया हुआ मक़ाम हासिल करने के लिये फिर मसरूफ़ तग व पू नज़र आने लगा। दुनिया हैरान है कि जिसकी पहली दा'वत पर सारा अरब आग बबूला हो गया; आँखों में गुस्से व नफ़रत के अंगारे नाचने लगे जिन्होंने इस नबी की आवाज सुनने से अपने कान बन्द कर लिये और उसकी तरफ़ देखने से आँखें बन्द कर ली; जो अपने पूरी इज्तिमाई ताक़त के साथ अपने घरों से कई बार तीर-कमान लेकर उसे मिटाने के लिये निकले थे, (वही लोग) किस तरह उसके इशारे पर जाने-अजीज तक निप्रार करने लगे। वह हस्ती जिसकी हर बात से उन्हें चिढ़ थी किस तरह उनकी आदतें बल्कि एहसास व तख़य्युल (फ़िक्र/कल्पना) की मुहासिब (रखवाला) बन गयी। सहाबा किराम (रज़ि.) को जो अक़ीदतो-न्याज़मन्दी, मुहब्बतो-शिगुफ़तगी इस पैकरे हुस्नो-रा'नाई व जामेअ सिफ़ाते-अम्बिया और रसूल (ﷺ) से थी इसकी मिप़ाल में उर्वा बिन मसऊद प्रक़फ़ी ने सहाबा की न्याज़मंदियों का जो नक़शा खींचा है, उससे आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं।

हुज़ुरे करीम (ﷺ) छह हिजरी में चौदह सौ सहाबा (रज़ि.) के साथ उमराह की निय्यत से आज़िमे मक्का हुए। हुदेबिया के मुकाम पर पहुँचे तो कुफ़ारे मक्का ने मुज़ाहमत की और आगे जाने से रोक दिया और मुसलमानों की कुव्वत का जाइज़ा लेने के लिये उरवा बिन मसऊद को मुसलमानों की क़यामगाह पर भेजा। उरवा ताइफ़ का रईस था और इसी के इशारे पर ताइफ़ की गलियों में नबी अकरम (ﷺ) की पिण्डलियों को बदमाशों ने पत्थर मार-मार कर लहुलुहान किया था वो अभी तक मुशरफ़ बा-इस्लाम भी नहीं हुआ था (यानी उसने इस्लाम कुबूल नहीं किया था), उसने वापस आकर कुफ़ारे मक्का से कहा,

उस शख़्स से सुलह कर लो उसके मुकाबला की तुम में ताब नहीं। मैं केसरे रूम, किसर-ए-ईरान और शाहे हबश के दरबारों में गया हूँ मैंने किसी रियाया को अपने बादशाह से वो वालेहाना मुहब्बत करता नहीं देखा जो मैंने अह्लाबे मुहम्मद में देखी है। उनकी जुबान से कोई हुक्म निकलता है तो सब बेताबानावार उसकी तामील पर कमरबस्ता नज़र आते हैं। अगर वो वुजू करते हैं तो पानी के कतरे ज़मीन पर गिरने नहीं देते बल्कि अपने चेहरे पर मल लेते हैं वो थूकते हैं तो उसे भी जिस्म पर मल लेते हैं। उनकी हज़ामत के बालों को भी वो महफूज़ रखते हैं जिस क़ौम को अपने पेशवा से इतनी मुहब्बत हो उस पर ग़ालिब आना मुमकिन नहीं।

ये राय किसी अक़ीदतमन्द, किसी ग़ैर-जानिबदार मुबस्सिर (निष्पक्ष टिप्पणीकार) की नहीं बल्कि उस दुश्मन की है जिसकी बेहतरीन तमन्ना यही थी के मुसलमान सफ़हे हस्ती से मिटा दिये जाएं।

अगरचे सहाबा की हर अदा मुहब्बते मुस्तफा (ﷺ) की निछावर थी लेकिन मुहब्बत की सरमस्तियों और खुद फ़रामोशियों (अपने आप को भुला देने) के जो मनाज़िर (दृश्य) मैदाने जंग मे देखने में आए व आज तक दानिशमन्दाने आलम (दुनिया के बुद्धिजीवियों) के लिये एक मुअम्मा है। मस्लन 17 रमज़ानुल मुबारक दो हिजरी को बद्र के मैदान में हक़ और बातिल की पहली टक्कर हुई। एक तरफ़ कुप्फ़ार का हथियाबंद लश्कर था जिसकी आतिशे ग़जब को तेज़तर करने के लिये दोशीजगाने अरब (अरब की औरतों) की शोला-नवाईयां, तेल का काम कर रही थीं। इधर सिर्फ़ 3 13 वो भी निहत्ये थे जिन्हें सिर्फ़ महबूबे दो आलम (ﷺ) की दुआओं का सहारा था। जंग से एक रोज़ पहले आप (ﷺ) ने मजलिसे मुशावरत तलब की और सहाबा (रजि.) की जंग के मुता'ल्लिक पूछा। मुहाज़िरीन ने अर्ज़ किया, ऐ रसूल (ﷺ) हम हाज़िर हैं। आप (ﷺ) ने दूसरी दफ़ा फिर पूछा मुहाज़िरीन ने फिर ये जवाब दिया। लेकिन तीसरी बार फिर लबे मुस्तफ़ा (ﷺ) पर यही सवाल था तो अब अंसार समझे के रूप-सुखन हमारी तरफ़ है। उस वक़्त हज़रत मिक्दाद ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! फ़िदाक अबी व इम्पी आप हमसे खिताब फरमा रहे हैं? हम कौमे मूसा नहीं कि जंग के वक़्त 'फ़ज़हब अन्त व रब्बुक फ़क्रातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून' कहकर टाल दें। हम तो हज़ूर (ﷺ) के फ़र्माबदार हैं। अगर आप पहाड़ से टकराने को कहे तो टकरा जाएं, आग में कूदने का हुक्म दें तो कूद जाएं और अगर समुन्द्र में छलांग लगाने का इशारा पाएं, तो छलांग लगा दें, जिससे आपकी सुलह उससे हमारी सुलह; जिससे आप (ﷺ) की जंग, उससे हमारी जंग।

अहादीषे नबवी याद रखने के बारे में सहाबा किराम (रजि.) का शदीद इहतिमाम

ये सुनकर आप (ﷺ) के होठों पर मुस्कराहट आ गयी। आप अन्दाजा फ़र्माएं के जहां अदबो एहतिराम और जाँबाज़ी व सरफ़रोशी का ये आलम हो, क्या ऐसे प्यारे पाक नबी के अल्फ़ाज फ़रामोश हो सकते हैं? सहाबा को हज़ूर (ﷺ) के इश्रादात की अहमियत का पूरा एहसास था। वह हर मुमकिन कोशिश करते के हज़ूर (ﷺ) का हुक्म, आप (ﷺ) की कोई हदीष ऐसी न हो जिसका उन्हें इल्म न हो सके। हज़रत उमर (रजि.) फ़र्माते हैं के मदीने से दो तीन मील बाहर एक जगह एक अंसारी भाई हज़रत अतबान बिन मालिक के साथ रहता था। हमने बारी मुकर्रर कर रखी थी, एक रोज़ मैं बरगाहे रिसालत में हाज़िर रहता और हज़ूर (ﷺ) के इश्रादात सुनता और शाम को वापस आकर उसे सुना देता। दूसरे रोज़ वो हाज़िर होते और मैं काम-धंधा करता। अक्सर सहाबा जो हर रोज़ हाज़िर न हो सकते उनका यही दस्तूर था। इसके अलावा सहाबा का एक खास गिरोह था जिन्हें अस्हाबे सुफ़्फ़ा के नाम से याद किया जाता है; उनका काम ता'लीम व तअल्लुम और बारगाहे अक़दस (ﷺ) में हाज़िरी के सिवा कुछ न था। वो फ़क्रो फ़ाक़ा (ग़रीबी व भूख) की सख्तियाँ खुशी से बर्दाश्त करते। फटे-पुराने कपड़े पहनते, उन्होंने दुनिया के ऐशो-आराम को राज़ी-खुशी छोड़ रखा था और वे दिन-रात मदीने की मस्जिद में रहते थे और हज़ूर की हदीष सुनते और उन्हें याद रखते। हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) उसी गिरोह में से थे। एक दफ़ा उन्होंने अपनी क़षरते-रिवायत (ज्यादा हदीषें बयान करने) की वजह बयान करते हुए फ़र्माया था,

तुम ख्याल करते हो कि अबू हुरैरह बहुत क़षरत से हदीषें हज़ूर (ﷺ) से बयान करता है। हम सबको बारगाहे इलाही में हाज़िर होना है (इसलिये मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ?) उसकी (ज्यादा हदीषें बयान करने की) वजह यह है कि मैं एक मिस्कीन आदमी था और जो कुछ खाने को मिल जाता उसी पर क़नाअत (सब्र) करता और हमेशा बरगाहे रिसालत में हाज़िर रहता। मुहाज़िरीन बाज़ारों में तिजारत की वजह से और अंसार अपने अम्वाल की हिफ़ाज़त की वजह से मशगूल रहते। एक दिन मैं रसूल (ﷺ) की खिदमत में हाज़िर था तो हज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो शख़्स जब तक मैं अपनी बात ख़त्म न कर लूं अपनी चादर बिछाये रखे और फिर उसे इकट्ठा करे तो उसके बाद जो कुछ वो मुझसे सुनेगा वो उसे नहीं भूलेगा।' पस मैंने अपनी चादर बिछायी जो मैं ओढ़े हुए था। मुझे उस अल्लाह की क़सम! जिसने मेरे नबी को हक़ के साथ मबरूष फ़र्माया, उसके बाद मैंने हज़ूर (ﷺ) की ज़बाने मुबारक से जो कुछ भी सुना वो मुझ से फ़रामोश नहीं हुआ। हज़रत उमर (रजि.) ने भी हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) से फ़र्माया, 'अन्त कुन्त अलज़मुना लिरसूलिल्लाहि ﷺ व अहफ़ज़ुना लिहदीषिही' ऐ अबू हुरैरह! तुझे हमसे ज्यादा रसूलुल्लाह (ﷺ) की सोहबत मयस्सर आई और तुझे हज़ूर (ﷺ) की हदीषें हमसे ज्यादा याद हैं। उनके अलावा सहाबा किराम की क़षीर ता'दाद ख़ास कोशिश से हदीषे नबवी (ﷺ) याद किया करती थी। चुनाँचे हज़रत आयशा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) का शुमार हुफ़फ़ाज़े सुन्नत में होता था।

सुन्नते नबवी को याद करने वालों के लिये दुआ-ए-नबवी (ﷺ) :

मज़ीद बरां नबी करीम (ﷺ) ने बारहा अपने सहाबा को ताकीद की और उन्हें शौक़ दिलाया कि वे आपके इर्शादात और खुत्वों को याद करें और फिर उन्हें दूसरे लोगों तक पहुँचायें। ऐसे लोगों के हक़ में आपने दुआ फ़र्माई जैसा कि हदीषे ज़ेल से जाहिर है 'क्राल रसूलुल्लाहि ﷺ नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मक्रालती फ़वआहा फ़आवाहा कमा समिअहा' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया अल्लाह तआला उस शख़्स के चेहरे को पुरनूर करे जिसने मेरी बात सुनी, फिर उसे खूब याद किया और उसके बाद जैसे सुना वैसे ही दूसरे लोगों तक पहुँचा दिया।

हज्जतुल विदा के मौके पर जब एक लाख से ज्यादा फ़र्ज़न्दाने तौहीद जमा थे, नबी अकरम (ﷺ) ने जो शहर-ए-आफ़ाक़ खुत्वा दिया उसके चन्द आख़िरी जुम्ले मुलाहज़ा हों,

'व क्राल फ़इन्न दिमाअकुम व अम्वालकुम व आराजकुम अलैकुम हरामुन कहअम्रति यौमिकुम हाज़ा फ़ी बलदिकुम हाज़ा फ़ी शहरिकुम हाज़ा व सलतक्रौन रब्बकुम फ़यस अलुकुम अन आमालिकुम अला फ़ला तरजिऊ बअदी ज़लालन यज़रिबु बअजुकुम रिकाब बअज़िन अला लियुबल्लिग़शहाहदिल गाइब फ़लअल्ल बअज़म्मयुब्लगुह अय्यकून औआ लहु मिम्बअजिम मन समिअहु' यानि हज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया बेशक तुम्हारी जानें, तुम्हारे माल और तुम्हारी आबरू एक दूसरे पर इस तरह हराम है जैसे इस मुबारक माह का, इस मुकद्दस शहर (मक्का) में ये मुबारक दिन (तुम) अपने रब से अन्क़रीब मिलोगे और वो जुलजलाल तुम्हारे अम्वाल के मुताबिक तुमसे सवाल करेगा। देखो ख़बरदार! कहीं मेरे पीछे फिर गुमराह न हो जाना और एक दूसरे की गर्दनों को न काटना। कान खोलकर सुनो! जो इस जगह मौजूद है, उन पर फ़र्ज़ है कि वे ये अहक़ाम उन लोगों तक पहुँचाएं जो इस वक़्त मौजूद नहीं। मुमकिन है जिन लोगों को ये अहक़ाम पहुँचाएं जाएं और सुनने वालों से ज़्यादा याद रखने वाले और समझदार हो।

हज़ूर (ﷺ) के इस इर्शाद 'अला लियुबल्लिग़शहाहदिल गाइब' से ये हक़क़ीत रोज़े-रोशन की तरह वाज़ेह हो गई कि हज़ूर (ﷺ) अपने इर्शादात को याद करवाने वाले और फिर उसे दूसरों तक पहुँचाने के लिये कितनी सख़्त ताकीद फ़र्माते थे क्योंकि कुआन व सुन्नते नबवी (ﷺ) का चोली-दामन का साथ है और दोनों को एक दूसरे से जुदा करना नामुमकिन है। दीन के मुताबिक़ हज़ूर करीम (ﷺ) ने जो कुछ ता'लीम दी उसमें अपनी ख़्वाहिश और इरादे का कोई दख़ल नहीं बल्कि सब अल्लाह तआला की हिदायत और रहनुमाई के मुताबिक़ है। इसीलिये हज़ूर (ﷺ) ने इस बात को जो कुआन ने बार-बार दोहराई है, अपने इस इर्शाद में वाज़ेह फ़र्मा दिया ताकि किसी को शक-शुबहा की गुंजाइश न रहे। 'क्राल रसूलुल्लाहि ﷺ इन्नी क्रद ख़लप्तु फ़ीकुम शयऐनि लन तज़िल्लू बअदहुमा किताबल्लाहि व सुन्नती व लय्यफ़तरिका हत्ता यरुद्दा अलल हौज़ि' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं तुम्हारे लिये अपने पीछे दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ अगर उन पर अमलपैरा रहे तो हर्गिज़ गुमराह नहीं होंगे। (वो दो चीज़ें हैं) अल्लाह की किताब (कुआन) और मेरी सुन्नत। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुदा नहीं होंगी यहां तक कि क़यामत के दिन हौज़ पर दोनो एक साथ वारिद हों। इस मज़मून की बेशुमार सहीह अहादीष मौजूद हैं जिनमें हज़ुरे अकरम (ﷺ) ने सहाब-ए-कराम को अपने अक्वाल व अहादीष को याद करने, उन पर अमल करने और आइन्दा आने वाली नस्लों तक इस अमानत को पहुँचाने पर बहुत ज़ोर दिया है।

अस्से-रिसालत (ﷺ) में हदीष की किताबत :

आप (ﷺ) के दौर में अगरचे अहादीषे नबवी (ﷺ) की हिफ़ाज़त का दारोमदार अक्षर कुव्वते याद व हिफ़ज़ पर था लेकिन इससे ये नतीजा अख़्ज करना (निकालना) भी क़तअन ग़लत है कि उस ज़माने में हज़ूर (ﷺ) के इर्शादात बिल्कुल कलमबद्ध किए ही नहीं गये। ऐसी शहादतें क़षरत से मिलती हैं कि अनेक बार आप (ﷺ) ने खुद कई मसाइल को अपनी निगरानी में लिखवाया और सहाबा को, जिनको लिखने की पूरी महारत थी, उन्हें हदीष को ज़ब्त (लिपिबद्ध) करने की इजाजत भी दी। चुनान्चे अल्लामा इब्ने क़य्यिम (रह.) अपनी किताब ज़ादुलमआद में उन वाला नामों का जो आप (ﷺ) ने अहले इस्लाम को तहरीर फरमाए, उनको ज़िक़र करते हुए लिखते हैं, 'फ़मिन्हा किताबुहू फ़िस्मदक्रातिल्लज़ी कान इन्द अबी बक्रिन

व कतबहू अबू बक्किन व कतबहू अबू बक्किन लिअनसिब्नि मालिक लम्मा वज्जहहु इल्लबहरैनि व अलैहि अमलुल जम्हूरि व मिन्हा किताबुहू इला अहलिल यमनि व हुवल किताबुल्लज़ी रवाहु अबू बक्किब्नि अम्बिब्नि हज़म अन अबीहि अन जद्दिही व हुव किताबुन अज़ीमुन फ़ीहि अनवाउन क़षीरुम्मिनल फ़िज़्हि फ़िज़्जकाति वहियाति वल अहकामि व ज़करल कबाइर वत्तलाक़ वल इताक व अहकामस्सलाति फ़िष्षौबिलवाहिदि वल इहतिबाअ फ़ीहि व मस्सल मुस्हफ़ि व ग़ैर ज़ालिक क़ालल इमामु अहमदु ला शक़ अन्न रसूलल्लाहि (ﷺ) कतबहू वहतज्जल फ़ुक़हाउ कुल्लहुम बिमा फ़ीहि मिम्मकादीरिहियाति व मिन्हा किताबुहू इला बनी जुहैर व मिन्हाकिताबुहूल्लज़ी कान इन्द उमरिब्निल ख़त्ताबि फ़ी निसाबिज़्जकाति व ग़ैरहुमा.' तर्जुमा : उन गिरामी नामों में से जो रहमते आलम (ﷺ) ने अहकामे शरई मुता'ल्लिक़ मुख़्तलिफ़ लोगो को इशाद फ़र्माए एक यह है,

- (1.) एक गिरामी नामा ज़कात के मुता'ल्लिक़ था जो ख़लीफ़ा हज़रत अबू बक्र (रजि.) के पास महफूज था। उसको आपके हुक़म से हज़रत अबू बक्र (रजि.) ने हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) के लिये लिखा था जब उन्हें बहरीन की तरफ़ ख़ाना किया। आज जुम्हूर उलमा का अमल उसी ख़त के मुताबिक़ है।
- (2.) एक गिरामी नामा अहले यमन की तरफ़ भेजा गया। ये वो ख़त है जिसे अबू बक्र (ताबेई हैं) ने अपने वालिद अम्र से और उन्होंने अपने वालिद हज़म से रिवायत किया और ये बहुत ही अज़ीमुशान ख़त है इसमें इस्लाम के क़षीरुता' दाद मसाइल दर्ज हैं; ज़कात, दिव्यत और अहकाम के अलावा कबीरा गुनाहों, तलाक़, गुलामों की आज़ादी, एक कपड़े में नमाज़ पढ़ने, एक ही कपड़ा ओढ़ने, मुस्हफ़ को छूने वग़ैरह के मसाइल मज़कूर हैं। इमाम अहमद (रह.) फ़र्माते हैं कि इसमें ज़र्रां भर शक़ की गुंजाइश नहीं क्योंकि ये खुद आपने लिखवाया है और तमाम औलमा इस ख़त में दर्ज़शुदा दिव्यत की मिक्दार पर अमलपैरा हैं
- (3.) एक गिरामी नामा वो है जो बनी जुहैर को भेजा गया
- (4.) और एक वो है जो ख़लीफ़-ए-शानी हज़रत उमर फारूके-आ'जम (रजि.) के पास था। इसमें ज़कात के निसाब और दूसरे उमूर के मुताबिक़ अहकाम थे। अहदे रिसालत में जो हज़रात अहदादीषे तय्यिबा को क़लमबंद किया करते थे उनमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस़ ख़ास तौर पर क़ाबिले ज़िक़र हैं। पहला ज़िक़र के मुता'ल्लिक़ तो हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) के इस क़ौल से वज़ाहत होती है। आपसे मरवी है 'मा मिन अम्हाबिन्नबिय्यि अहदन अक्शर हदीषा अन्हु मित्री इल्ला कान मिन अब्दिल्लाहिब्नि उमर फ़अन्नहु कान यक्तबु वला अक्तबु' (अल्इसाबतु फ़ी मअरिफ़तिस्सहाबा लि इब्नि हजर जिल्द 4 पेज नं. 203) तर्जुमा :- सहाबा किराम में से मुझे ज़्यादा नबी करीम (ﷺ) से किसी ने अहदादीष रिवायत नहीं की, सिवाय इब्ने उमर के, क्योंकि वह हदीष लिखा करते थे और मैं नहीं लिखा करता था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस़ के मुता'ल्लिक़ तो तस्रीह मिलती है नबी करीम (ﷺ) ने आपको अपने इशादात तहरीर करने की सिर्फ़ इजाजत ही नहीं बख़शी बल्कि उनकी हौसला अफ़जाई भी फ़र्माई थी। जैसा कि नीचे लिखी रिवायत से ज़ाहिर है,

'अन अब्दिल्लाहिब्नि अमरिन क़ाल कुन्तु अक्तबु कुल्ला शैइन अस्मउहू मिन रसूलिल्लाहि (ﷺ) उरीदु हिफ़्ज़हू फ़नहल्नी कुरैश फ़क़ालु इन्नक तक्तबु कुल्ला तस्मउहू मिन रसूलिल्लाहि (ﷺ) व रसूलुल्लाहि बशरुन यतकल्लमु फ़िल ग़ज़बि फ़अम्सक्तु अनिल किताबि फ़ज़करतु ज़ालिक लिरसूलिल्लाहि (ﷺ) फ़क़ाल उक्तबु फ़वल्लज़ी नप्सी बियदिही मा ख़रज मित्री इल्ललहक्क़ रवाहुल इमामु अहमदु' (तफ़सीर इब्ने क़षीर वन्नज्मि जिल्द 4 पेज नं. 247)

या'नी अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस़ ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़बाने पाक से जो लफ़ज़ सुनता था उसे लिख लिया करता था, इस इरादे से कि उसे याद करूंगा। लेकिन कुरैश ने मुझे मना किया और कहा कि तुम रसूलुल्लाह (ﷺ) से जो सुनते हो वो लिखते हो और रसूलुल्लाह (ﷺ) तो बशर हैं, कभी गुस्से में भी कुछ फ़र्मा देते हैं (उनकी इस बात से मुतास्सिर होकर) मैंने लिखना छोड़ दिया। फिर मैंने इस चीज़ का ज़िक़र बारगाहे रिसालत में किया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो मुझे सुनो जरूर लिखा करो उस जाते पाक की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है मेरी ज़बान से हक़ के सिवा कुछ नहीं निकलता।'

इस हदीष में दो कलिमे खास तौर पर काबिले गौर हैं; एक तो हज़रत अब्दुल्लाह का यह कहना कि मैं इसलिये लिखता था कि उसे याद करूं, जिससे वाज़ेह होता है कि सहाबा किराम में हदीषे नबवी को याद करने का आम वलवला था और उसके लिये वह अपनी तरफ से हर इन्सानी कोशिश करते थे और दूसरा नबी करीम (ﷺ) का यह सहीह हुक्म 'उक्तुब' कि जरूर लिखा करो और साथ ही इस हुक्म की वजह भी बयान फ़र्मा दी, 'व मा ख़रज मिन्नी इल्लल हक्क' कि मेरी ज़बान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता।

अगर ऊपर लिखी तस्रीहात को सिर्फ़ दीन की तारीख ही तस्लीम कर लिया जाये जिससे मुनकिरीने सुन्नत को भी इन्कार नहीं, तो क्या एक मुसन्निफ़ पर ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह अर्यों नहीं हो जाती कि नबी करीम (ﷺ) ने अपनी सुन्नत को लावारिस नहीं छोड़ा जैसा कि उन लोगों को ग़लतफ़हमी हो गई है, बल्कि उसकी हिफ़ाज़त, उसकी तब्लीग़, उस पर कारबन्द रहने के लिये सहाबा किराम और उनके बाद आने वाली उम्मत को निहायत वाज़ेह और सहीह अन्दाज़ से हुक्म फ़र्माया। और सहाबा किराम ने अपने आक्रा और हादी के तमाम इर्शादात को याद करने व महफूज़ करने के लिये अपनी इन्तिहाई कोशिशें सर्फ़ कीं। जिन अहदादीष में कुर्आन करीम के बग़ैर कुछ और लिखने से मना किया है, उससे मुखातब आम लोग हैं और उसकी वजह यह है कि अरब आम तौर पर लिखना-पढ़ना नहीं जानते थे। सबसे पहले इस्लाम ने उनको उसकी तरफ मुतवज्जह किया। फ़न्ने किताबत उनके लिये अनोखा फ़न था जिसमें मशशाफ़ और पुख़्ता होने के लिये काफ़ी मशक़ (प्रेक्टिस) और महारत की ज़रूरत थी। अगर सुन्नते नबवी (ﷺ) को लिखने की आम इजाज़त दी जाती तो इससे ये अन्देशा था कि कहीं नो-आमूजी (नव साक्षरता) के कारण आयते-कुर्आनी के साथ हदीष का इख़ितलात न हो जाए। इस ख़तरे से बचने के लिये अवामुन्नास (आम जनता) को (अहदादीष लिखने से) रोका गया लेकिन जो इस फ़न में महारत और कमाल हासिल कर चुके थे, उन्हें सिर्फ़ इजाज़त ही नहीं बल्कि हुक्म दिया गया कि 'उक्तुब मा ख़रज मिन्नी इल्लल हक्क' जरूर लिखो, जो मुज़से सुनो क्योंकि मैं हमेशा सच और हक़ बात ही कहता हूँ। सच है, 'व मा यन्तिकु अनिल हवा इन हुव इल्ला वहयुंय्यूहा.'

दौरे सहाबा किराम (रजि.) :

जब तक आफ़ताबे नबुव्वत खुद आलम अफ़रोज रहा उस वक़्त तक तो सदाक़त के साथ झूठ की मिलावट का इम्कान तक न था लेकिन हज़ूर के इन्तिक़ाल के बाद मुस्लिम मआशरा तीन अनासिर पर मुश्तमिल (तीन तरह के लोगों पर आधारित) था। एक तो वो खुशानसीब थे जो एक मुद्दत तक फ़ैजे सोहबत से बहरा-अन्दोज रहे, जिनकी आंखें मुशाहिद-ए-ज़माली से रोशन थीं और दिल ज़ब्बाते मुहब्बते नबवी (ﷺ) से मामूर। जिस तरह पानी का क़त्ला आगोशे स़दफ़ (सीप) में रहकर दुर्इयतीम (अनमोल मोती) बन जाया करता है इसी तरह रिसालते मआब की आगोशे तरबियत में रहने से उनके अन्दर ऐसा इन्क़िलाब पैदा हो गया था कि वो दुनिया में अदलो इन्साफ़ और हक़ व सदाक़त की जीती जागती तस्वीर थे। दूसरा उन्सर नव-मुस्लिमों का था, जो ज़्यादा तौर पर अरब के बादिया-नशीन आराब और हम साया ममालिक (अरब व आसपास के इलाकों) के बाशिन्दे थे, उन्हें फ़ैजे सोहबत से ज़्यादा फ़ैजयाब होने का मौक़ा नहीं मिला था इसलिये वे इस्लाम के उसूलों व क़ायदों की रूह से पूरे तौर पर मानूस (परिचित) न हुए थे; और तीसरा उन्सुर आस्तीन के साँप के मानिन्द मुनाफ़िकीन का था जो मुसलमानों की मुश्क़लात में इजाफ़ा करने के लिये कोई मौक़ा हाथ से नहीं जाने देते थे। कुर्आन करीम अहदे रिसालत में अक्बर सहाबा ने हिफ़ज़ भी कर लिया था और ख़ज़ूर के पत्तों और चमड़ों के टुकड़ों पर मुतफ़रिक् तौर पर लिख भी लिया गया था। लेकिन जंगे यमामा में जब बहुत से हुफ़फ़ाज़ सहाबा शहीद हो गए तो हज़रत उमर (रजि.) को फ़िक़्र लाहिक़ हुई कि अगर जंगों में हुफ़फ़ाज़े कुर्आन की शहादत की यही रफ़्तार रही तो कोई हाफ़िज़े कुर्आन बाकी न रहेगा। इसका जिक़्र उन्होंने ख़लीफ़-ए-वक़्त हज़रत सिद्दीके अक्बर (रजि.) से किया। आपसी मश्वरे के बाद कुर्आन करीम को यक़जा जमा करने का अहम काम हज़रत ज़ैद बिन साबित (रजि.) के सुपर्द किया गया। इस तरह फ़ारूक़ आ' ज़म के तदब्बुर ने कुर्आन को हमेशा के लिये तहरीफ़ व तब्दील (फेरबदल) से महफूज़ कर दिया।

अहदे ख़िलाफ़ते राशिदा में रिवायते हदीष में सख़्त इहतियात :

अहदादीष के मुता'ल्लिक़ भी ख़िलाफ़ते राशिदा में सख़्त इहतियाम था ताकि कोई मुनाफ़िक़ अपनी फ़िक़्री बदबातिनी या कोई नव मुस्लिम अपनी कम इल्मी में और नावाक़िफ़ होने के कारण ग़लत बात रसूले करीम (ﷺ) की तरफ मन्सूब न कर दे। इहतियात

का यह आलम था कि कई बार बड़े सहाबा (रजि.) से भी सख्ती से अहदीष की सिहत के लिये बाज़पुर्स की जाती। मफलन

01. हज़रत अबू बकर (रजि.) की खिदमत में एक औरत हाज़िर हुई और अपने पोते के वरषे की माँग की। आपने फ़र्माया कि मैं दादी का हिस्सा कुआँन में नहीं पाता और न मुझे इस बात का इल्म है कि नबी-ए-करीम (ﷺ) ने दादी का हिस्सा कुछ मुकर्रर फ़र्माया। फिर आपने लोगों से पूछा तो हज़रत मुगीरा (रजि.) उठे और कहने लगे, मुझे मा'लूम है कि हज़रत (ﷺ) दादी को छठा हिस्सा देते थे। आपने दरयाफ़्त किया कि कोई और भी है जिसने रसूले करीम (ﷺ) से ऐसा न सुना हो? हज़रत मुहम्मद बिन मुस्लिमा उठे और हज़रते मुगीरा की तस्दीक की तब सिद्दीके अकबर (रजि.) ने रसूले करीम (ﷺ) के हुक्म के मुताबिक उस औरत को उसके पोते की विराषत में हिस्सा दिया। (तज़किरातुल हुप्फ़ाज़)

02. एक दफ़ा हज़रत अबू मूसा अशअरी (रजि.) ने फ़ारूके-आ'ज़म (रजि.) को बाहर से तीन दफ़ा सलाम किया लेकिन जवाब न मिला और आप वापस लौट आए। हज़रत उमर (रजि.) ने उन्हें बुलवा भेजा और लौट जाने की वजह पूछी। अबू मूसा (रजि.) ने जवाब दिया कि हज़ूर (ﷺ) का इशार्द है कि जो शख्स तीन दफ़ा सलाम कहे और उसे साहिबे ख़ाना अन्दर आने की इजाज़त न दे तो वो ख़ामखा अन्दर जाने पर आमादा न हो बल्कि वापस लौट जाए। हज़रत उमर (रजि.) ने फ़र्माया कि तू इस हदीष की सिहत पर गवाही पेश कर वरना मैं तुम्हारी ख़बर लूंगा। वो सहाबा के पास वापस गए तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। सहाबा (रजि.) ने वजह पूछी तो सारा माजरा कह सुनाया। सहाबा ने कहा कि हमने भी आँहज़रत (ﷺ) से ये हदीष सुनी है। चुनाँचे एक शख्स उनके साथ गया और हज़रत उमर (रजि.) के सामने अबू मूसा अशअरी (रजि.) की तस्दीक की। हज़रत उमर (रजि.) ने उसकी वजह भी बयान फ़र्मा दी, 'क़ाल उमरु इन्नी लम अत्तहिम्क व ला किन्नी ख़शियतु अंथ्यतक़व्वलत्रासु अला रसूलिल्लाहि (ﷺ)' हज़रत उमर (रजि.) ने फ़र्माया ऐ अबू मूसा मेरा इशार्दा तुम्हें मुत्तहम करने का न था लेकिन मैंने इस ख़ौफ़ से इतनी सख्ती की ताकि लोग बे-सिर-पैर की बातें आँहज़रत (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब न करने लगें। इसी तरह बहुत सी दीगर रिवायात कुतुबे अहदीष में मौजूद हैं। खुलफ़-ए-राशिदीन कषरते रिवायत से लोगों को मना भी फ़र्माया करते थे। हज़रत अली (रजि.) के सामने अगर कोई ऐसी हदीष बयान की जाती जिसका आपको इल्म न होता तो आप रावी से क़सम लेते। ये सारी तदबीरें इसलिये अमल में लाई जाती ताकि किसी तरह हज़ूर (ﷺ) की अहदीष के साथ दीगर अक़वाल की आमैज़िश (मिलावट) न होने पाए। लेकिन इन इहतियाती तदबीरों से ये मतलब निकालना के खुलफ़ा को अहदीष की सिहत के मुत्तअल्लिक यक़ीन न था या वह हदीष पर अमल से ग़ुरैज करना चाहते थे, महज़ इफ़्तिरा और सर्रीह बुहतान है। उनकी सारी ज़िन्दगियाँ इताअते रसूले करीम (ﷺ) में बसर हुईं।

हज़रत सिद्दीके अकबर (रजि.) ने अपने एक ख़ुत्ब-ए-आम में नबी अकरम (ﷺ) की इताअत की अहमियत का जिक़र करते हुए यहां तक तसरीह फ़रमा दी, 'अत्तीऊनी मा अत्तअतुल्लाह व रसूलहू फ़इज़ा असयतुल्लाह व रसूलहू फ़ला त्ताअत ली' (बुखारी, मुस्लिम) तर्जुमा :- जब तक मैं अल्लाह तआला और रसूल अकरम (ﷺ) की इताअत करता रहूँ तुम भी इताअत करते रहो और जब मैं अल्लाह तआला और रसूले करीम (ﷺ) की नाफ़रमानी करने लगूँ तो उस वक़्त तुम मेरी इताअत के पाबन्द नहीं हो। इससे बय्यिन (खुली) और रोशन दलील और क्या होगी? हज़रत सिद्दीके अकबर (रजि.) तो खलीफ़तुल मुस्लिमीन होने के बाद अपनी इताअत को इताअते रसूल (ﷺ) से मशरूत (सशर्त सम्बद्ध) करते हैं। इनसे बेहतर और कौन है जिसके लिये हम अपने नबी पाक (ﷺ) की सुन्नत को तर्क करके उसके अहक़ाम की पाबन्दी करे और उसे ही कुआँन फ़हमी का तकाजा समझें क्या ये हज़रत हज़रत सिद्दीक (रजि.) से भी ज्यादा कुआँन को समझने के मुद्दई हैं?

अहदे फ़ारूकी में ता'लीमे सुन्नत का इन्तेज़ाम :

अहदे फ़ारूकी में तो अहदीषे नबवी (ﷺ) की नशरो-इशाअत का इस क़द्र इहतिमाम क्या गया, जिसके लिये सारी उम्मत उनकी शर्मिन्द-ए-एहसान है। ममलिकते इस्लामी के कोने-कोने में हदीष की ता'लीम के लिये ऐसे सहाबा (रजि.) को खाना किया जिनकी पुख्तगी, सीरत और बलन्द क़िरदार के अलावा उनकी जलालते इल्मी तमाम सहाबा (रजि.) में मुसल्लम (स्वीकार्य) थी। हज़रत शाह वलीउल्लाह (रह.) इज़ालतुल खुलफ़ा में तहरीर फ़र्माते हैं,

चुनाँके फ़ारूके आ' ज़म अब्दुल्लाह बिन मसऊद राबाजुमेबकौफ़ फ़रस्ताद मुग़फ़ल बिन यसार अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़ल व इमरान बिन हुसैन राबा बसरा व औबादा बिना सामित व अबू दरदा रा ब शाम और बे माबिया बिन सुफ़यान के अमीर शाम बुद्ध कदगंज तदगने बलिर नविस्ते के अज़ हदीषे ईशां तज़ाविज नाखू। तर्जुमा : तालीमुल कुआन व सुन्नत के लिये हज़रत फ़ारूके आ' ज़म अब्दुल्लाह बिन मसऊद को एक ज़माअत के साथ कूफ़ा भेजा और मुग़फ़ल बिन यसार व अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़र व इमरान बिन हुसैन को बसरा और उबादा बिन सामित और अबू दरदा को शाम भेजा और अमीर मुआविया को जो उस वक़्त शाम के गर्वनर थे, सख़्त ताक़ीदी हुक्म लिखा कि ये हज़रात जो अह्लादीष बयान करे उनसे हर्गिज़ तज़ावुज़ न किया जाए।

'रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन' हज़रत उमर (रजि.) ने अहले कूफ़ा को एक खत भेजा जिसमें तहरीर था। 'इन्नी क़द बअप्तु अलैकुम अम्मारब्न यासिरिन अमीरन व अब्दुल्लाहब्न मसऊदिन मुअल्लिमन व वज़ीरन व हुमा मिन अम्हाबि रसूलिल्लाहि (ﷺ) मिन अहलि बद्र बिहिमा वस्मऊ व क़द आषरतुकुम बि अब्दिल्लाहिब्नि मसऊदिन अला नफ़्सी' (तज़किरातुल हुम्फ़ाज) तर्जुमा : मैं तुम्हारी तरफ़ अम्मार बिन यासिर को अमीर बनाकर और इब्ने मसऊद को मुअल्लिम और वज़ीर बनाकर भेज रहा हूँ और ये दोनों हुजुरे करीम (ﷺ) के बुजुगतरीन सहाबा में से हैं और बद्रो है इनकी पैरवी करो और इनका हुक्म मानो। अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि.) को तुम्हारी तरफ़ भेजकर मैंने तुम्हें अपने नफ़्स पर तरजीह दी है।

अल्लामा ख़ज़री ने तारीख़ुत तशरीइल इस्लामी में ऊपर लिखी इबारत नक़ल करने के बाद लिखा है, 'व क़द क़ाम फिल कूफ़ति याख़ुजु अन्हु अहलुहा हदीष रसूलिल्लाहि (ﷺ) व हुव मुअल्लिमुहुम व क़ाज़ीहिम' या'नी उसके बाद हज़रत इब्ने मसऊद मुदत तक कूफ़ा में क़याम पज़ीर (ठहरे) रहे और वहाँ के बाशिन्दे उनसे अह्लादीषे नबवी (ﷺ) सीखते रहे। वह अहले कूफ़ा के उस्ताद भी थे और काज़ी भी। हज़रत फ़ारूक (रजि.) ने जब बसरा की इमारत पर हज़रत अबू मूसा अल अशअरी को मुक़र्र किया और वो वहाँ पहुंचे तो उन्होंने अपने आने की गर्ज़ व ग़ायत की इन अल्फ़ाज़ में बयान की, 'बअप्ननी उमरु इलैकुम लि अल्लिमकुम किताब रब्बिकुम व सुन्नत नबिय्यिकुम' (अद दारमी) तर्जुमा : मुझे हज़रत उमर (रजि.) ने तुम्हारी तरफ़ भेजा है ताकि मैं तुमको तुम्हारे रब की किताब और तुम्हारे नबी के सुन्नत की ता'लीम दूँ। उसके अलावा हज़रत उमर जब कभी मूबों के हुक्ाम (राज्यों के प्रधानों) और कुज़ात (न्यायाधीशों) और असाकिरे इस्लामिया के क़ाइदों को ख़त लिखते तो उन्हें किताब और सुन्नत नबवी (ﷺ) पर कारबन्द रहने की सख़्त ताक़ीद फ़र्माते। आपका एक तारीख़ी ख़त है जो आपने हज़रत अबू मूसा अशअरी (रजि.) को भेजा। उसमें काज़ी के वाज़िबात और मजलिसे क़ज़ा (अदालत, न्यायालय) के आदाब को जिस हुस्ने खूबी और तपसील से बयान किया कि अगर उसे इस्लाम का बदतरीन दुश्मन भी पढ़े तो झूम जाये। दीगर उमूर के अलावा आपने उन्हें ये भी तहरीर फ़र्माया, 'घुम्मल फ़हम अल फ़हम फ़ीमा ख़फ़ा इलैक मिम्मा वरद अलैक मा लैस फ़ी कुआनिन व ला सुन्नतिन घुम्म काइसिलउमूरि इन्द ज़ालिक' (इअलामुल मुकिईन जिल्द अब्वल पेज नं. 72) तर्जुमा : उन वाक़ियात जिनके लिये तुम्हें कोई हुक्म कुआन और सुन्नत में न मिले फ़ैसला करने के लिये अक्ल और समझ से काम लो और एक चीज़ को दूसरी पर क़यास किया करो। आपका एक और मक़तूब है जो काज़ी शूरैह को रवाना किया गया। इसमें आप उनके लिये एक सलाह मुक़र्र करते हुए लिखते हैं, 'इज़ा अताक अम्रुन फ़क्रिज़ बिमा फ़ी किताबिल्लाहि फ़क्रिज़ बिमा सन्न फ़ीहि रसूलुल्लाहि (ﷺ)' (अल मुवाफ़कात लिल इमाम शातिबी जिल्द 4 पेज नं. 7) तर्जुमा : जब तुम्हारे पास कोई मुक़द्दमा आए तो उसका फ़ैसला किताबुल्लाह के हुक्म के मुताबिक़ करो और अगर कोई ऐसा वाक़िया दर पेश हो जिसका हुक्म कुआन में न हो तो फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत के मुताबिक़ उसका फ़ैसला करो।

हज़रत फ़ारूके आ' ज़म (रजि.) अपने ख़िलाफ़त के ज़माने में जब हज़्ज करने के लिये गये तो इस्लामी मुल्कों के तमाम वालियों को हुक्म भेजा कि वो भी हज़्ज के मौक़े पर हाज़िर हों। जब वो सब जमा हो गए तो उस वक़्त हज़रत उमर (रजि.) ने एक तक्ररीर फ़र्माई जिसका तर्जुमा यह है, ऐ लोगो! मैंने तुम्हारी तरफ़ जो हाक़िम भेजे हैं वह इसलिये नहीं भेजे ताकि वो तुम्हारे साथ मारपीट करे और तुम्हारे माल व दौलत तुमसे छीने; मैंने उन्हें सिर्फ़ इसलिये तुम्हारी तरफ़ भेजा है ताकि वो तुम्हें तुम्हारा दीन और तुम्हारे नबी-ए-करीम (ﷺ) की सुन्नत सिखाएं। हाक़िमों में से अगर किसी ने तुम्हारे साथ ज़्यादती की हो तो पेश करो। उस ज़ाते पाक की क़सम! जिसके हाथ में उमर की जान है उस हाक़िम से क़िसास (बदला) लिये बग़ैर नहीं रहूंगा।

हज़रत उमर (रजि.) ने अपने महबूब रसूले करीम (ﷺ) की सुन्नत की नशरो-इशाअत और तमाम इस्लामी मम्लिकत में सख्ती से अमल कराने की जो कोशिशें की, ये उसका निहायत ही मुख्तस़र ख़ाका है। लेकिन कम अज़ कम इससे ये हक़ीक़त तो वाज़ेह हो जाती है कि हज़रत उमर (रजि.) को यक़ीन था कि रसूल अकरम (ﷺ) की इताअत उम्मत पर क़यामत तक फ़र्ज़ है और इसी में उनकी तरफ़्फ़ी, इज्जत और हैबत का राज़ जुड़ा हुआ है। इसीलिये तो आपने मुल्क के कोने-कोने में बड़े सहाबा (रजि.) को भेजा कि वे लोगों को उनके रसूल (ﷺ) की सुन्नत की ता'लीम दें और हाकिमों को बार-बार इत्तिबा-ए-सुन्नत के लिये ख़त व फ़र्मान रवाना किये।

मुन्किरीने-सुन्नत कहते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) की इताअत सिर्फ़ हुज़ूर (ﷺ) की ज़ाहिरी ज़िन्दगी तक फ़र्ज़ थी। उसके बाद उम्मत पर हुज़ूर की इताअत ज़रूरी नहीं। हैरत है कि इस अमर की तरफ न तो कुआन ने इशारा किया न अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने और ये राज़ न तो खुलफ़-ए-राशिदीन को समझ आया और न दूसरे सहाबा किराम को जिन्होंने एक लम्बा अर्सा नबी अकरम (ﷺ) की सोहबत में बसर किया और जिनकी मौजूदगी में सारा कुआन नाज़िल हुआ। आख़िर ये राज़, राज़े सरबस्ता चौदह सौ साल के बाद इन हज़रत पर कैसे ज़ाहिर हो गया ?

क्या हज़रत उमर (रजि.) ने कुछ सहाबा को क़षरते रिवायत की वजह से क़ैद किया था ?

मुन्किरीने सुन्नत सहीह और मुस्तनद अहदादीष को मानने से गुरैजां है लेकिन अगर कोई शलत और मौजूअ रिवायत ऐसी मिलती है जिससे उनके मस्लक को कुछ ताक़त पहुंचती हो तो उसे इस ए'तिबार से बयान करते हैं जैसे उन्होंने इतनी सदियों की दूरी तय करके इस रिवायत को खुद अपने कानों से सुना हो। ये इन्सान की कमज़ोरी और अपनी ख्वाहिश के बहुत जल्द मग़लूब (पराजित) होने की खुली निशानी है। चुनाँचे हज़रत उमर (रजि.) की तरफ वो ऐसी बे सिर-पैर की बातें मन्सूब करते हैं जिन्हें सुनकर इन्सान तस्वीरे हैरत बनकर रह जाता है। कहते हैं कि हज़रत उमर (रजि.) लोगों को अहदादीष बयान करने से रोका करते थे और जो लोग अहदादीष को बक़षरत बयान करते उनको आपने क़ैद भी कर दिया था। आइये ज़रा इस दावे का भी सुराग़ लगाएं कि इसमें कहां तक सच्चाई है ?

वो फ़र्माते हैं कि हज़रत उमर (रजि.) ने हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) को अहदादीष की रिवायत करने से मना कर दिया था। हालाँकि इस बात की इनके पास कोई क़ाबिले-ए'तिबार (विश्वसनीय) सनद नहीं। इसके बरअक्स सहीह रिवायत से यह प्राबित है कि 'रूविय अन्न उमर क़ाल लि अबी हुरैरत हीन बदअ यक्षुरु मिनल हदीषि अ कुन्त मअन हीन कान (ﷺ) फ़ी मकानि कज़ा क़ाल नअम समिअतुहू (ﷺ) यकूलु मन कज़ब अलय्य मुतअम्मिदन फ़लयतबव्वा मकअदहू मिनन्नारि. फ़ क़ाल लहू उमरु अम्मा इज़ा ज़करत ज़ालिक फ़जहब फ़हदिष' (तर्जुमा) : जब हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) ने क़षरत से अहदादीष बयान करनी शुरू की तो हज़रत उमर (रजि.) ने उनसे कहा क्या तुम हमारे साथ थे? जब आप (ﷺ) फ़लाँ मकान में तशरीफ़ फ़र्मा थे? तो हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) ने जवाब दिया, हाँ! मैंने हुज़ूर (ﷺ) को यह फ़र्माते सुना कि जिसने मुझ पर दानिस्ता (जान-बूझकर) झूठ बोला उसने अपना ठिकाना आग में बना लिया। यह सुनकर हज़रत उमर (रजि.) ने फ़र्माया, जब तुझे आँहज़रत (ﷺ) का यह इशार्द याद है तो जाओ और लोगों को अहदादीषे नबवी सुनाओ क्योंकि जिसे यह फ़र्माने-नबी याद हो वो कभी झूठी हदीष बयान करने की जुरअत नहीं कर सकता। दूसरा इल्ज़ाम जो हज़रत फ़ारूके-आ'ज़म पर लगाया जाता है वो यह है कि हज़रत उमर (रजि.) ने तीन बुजुर्ग़ सहाबा इब्ने मसऊद, अबू दर्दा और अबू ज़र (रजि.) को नज़रबन्द कर दिया क्योंकि वो अहदादीष बहुत क़षरत से बयान करते थे।

इस रिवायत को देखते ही पता चल जाता है कि यह रिवायत बेबुनियाद है क्योंकि अगर क़षरते-बयाने-हदीष से उनको क़ैद कर दिया तो और सहाब-ए-किराम जो उनसे भी ज़्यादा अहदादीष बयान करते थे, मसलन अबू हुरैरह, उनके अपने सहाबज़ादे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह बिन अब्बास वग़ैरह, उनको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया? दूसरा यह कि हज़रत अबू ज़र (रजि.) की गिनती तो उन सहाबा ही में नहीं जिनसे अहदादीष क़षरत से मरवी हैं और हज़रत इब्ने मसऊद व अबू दर्दा (रजि.) को तो खुद हज़रत उमर (रजि.) ने इराक़ और शाम के लिये रवाना किया ताकि लोगों को अहदादीषे नबवी (ﷺ) सुनाएं। फिर उन्होंने कौनसा कुसूर किया कि उनको क़ैद कर दिया गया? ये तमाम उमूर हज़रत उमर (रजि.) जैसी जलीलुल-क़द्र, रफ़ी-उल-मरतबत हस्ती से बिल्कुल बईद हैं जिनको आपकी ज़िन्दगी के अहवाल पर मा'मूली सी भी आगाही है वो अदना तअम्मुल किये बिना फ़ैसला

कर सकता है कि वो रिवायत जिसका सहारा उन हज़रत ने लिया है, बेजान और बेबुनियाद है। अगर आप उस पर इक्तिफ़ा (बस नहीं करते तो एक बेलागा नक्क़ाद का क़ौल सुनिये। इब्ने हज़्म फ़र्माते हैं, 'इज़्ज़ल ख़बर फ़ी नफ़िस ही जाहिरुलकिज़्बि वत्तौलीदि' इमाम हज़्म कहते हैं कि इस ख़बर का क़ाज़िब (झूठ) और बेबुनियाद होना बिल्कुल ज़ाहिर है।

अह्दादीष हासिल करने में आम सहाबा (रज़ि.) का शौक :

सहाब-ए-किराम को हुसूले हदीष का इस क़दर शौक और उसकी सिहत का इस क़दर एहतियाम था कि इल्म का शौक रखने वालों में उनकी नज़ीर नहीं मिलती। मिज़ाल के तौर पर दो वाक़िये पेश करता हूँ,

- (1) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) जिन्हें मदीना तय्यिबा में रसूले करीम (ﷺ) की पहली मेज़बानी का शर्फ़ (श्रेय) हासिल हुआ था। आपने एक हदीष अपने महबूबे-करीम से सुनी थी लेकिन एक वक़्त ऐसा आया कि उन्हें इस हदीष के सहीह अल्फ़ाज़ में कुछ शक़ सा हो गया। उस वक़्त उनके अलावा फ़क़त एक और सहाबी उक़्बा बिन आमिर जिन्दा थे, जिन्होंने यह हदीष आँहज़रत (ﷺ) से सुनी थी और वो मिस्र में थे। हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी ने मिस्र जाने का अज़्म (इरादा) किया। बियाबान रेगिस्तान और कठिन मज्ज़िलों को तय करते हुए एक माह बाद वे मिस्र पहुँचे। उन्हें हज़रत उक़्बा के रहने की जगह का पता नहीं था। इसलिये पहले अमीरे मिस्र मुस्लिमा बिन मुख़ल्लद अन्सारी के यहाँ तशरीफ़ ले गये और वहाँ पहुँचते ही उनसे कहा कि मेरे साथ एक आदमी भेजो जो मुझे उक़्बा के मकान तक पहुँचा दे। चुनाञ्चे वे उनके यहाँ पहुँचे, उन्हें ख़बर हुई तो वो दौड़े-दौड़े आए और खुशी के मारे गले लगा लिया और तशरीफ़ लाने की वजह पूछी। हज़रत अबू अय्यूब ने जवाब दिया कि मोमिन की पर्दादारी और ऐब छुपाने के मुता'ल्लिक़जो हदीष तुमने आप (ﷺ) से सुनी है, फ़क़त वो पूछने आया हूँ। उक़्बा कहने लगे 'समिअतु रसूलल्लाहि (ﷺ) यकूलु मन सतर मुमिनन फ़िहुनिया अला औरतिन सतरहुल्लाहु यौमल क़यामति' मैंने हुज़ूर (ﷺ) को फ़र्माते हुए सुना कि जिसने दुनिया में किसी मोमिन के ऐब को छुपाया, क़यामत के दिन अल्लाह तआला उसके ऐबों को छुपा देगा।

हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) ने सुनकर तस्दीक़ की और फ़र्माया, 'मुझे इस हदीष का पहले भी इल्म था लेकिन मुझे इसके अल्फ़ाज़ में वहम सा हो गया था और मैंने ग़वारा न किया कि तहक़ीक़ से पहले लोगों को ये हदीष सुनाऊँ।' सुब्हान अल्लाह! कमाले-एहतियात का क्या अनोखा नमूना है? एक हदीष में ज़रा सा वहम हो गया तो फ़क़त उसके इज़ाले (निवारण) के लिये इतना लम्बा सफ़र इख़्तियार किया और हदीष सुनने के बाद उसी दिन अपनी सवारी पर सवार होकर वापस मदीना लौट गये। (फ़तहल बारी ऐनी)

- (2). हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह को पता चला कि एक शख़्स के पास आँहज़रत (ﷺ) की हदीष है और वो आजकल शाम (सीरिया) में रहता है। उसी वक़्त उन्होंने एक ऊँट ख़रीदा और शाम की तरफ़ चल पड़े। एक महीने के सफ़र के बाद वे शाम पहुँचे और सहाबी, जिनका नाम अब्दुल्लाह बिन अनीस था, उनके मकान पर गये। हज़रत जाबिर का नाम सुनते ही वे बाहर आए, गले मिले। हज़रत जाबिर कहने लगे कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास हुज़ूरे करीम (ﷺ) की एक हदीष है जो मैंने सुनी नहीं है और मुझे अन्देशा हुआ कि कहीं उसके सुनने से पहले ही मर न जाऊँ। इसलिये जल्दी-जल्दी आया हूँ ताकि मैं आपसे वो हदीष हासिल करूँ।
- (3). हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) आँहज़रत (ﷺ) के चचाज़ाद भाई थे और हर वक़्त बारगाहे रिसालत में ख़िदमत करते हुए नज़र आते थे। हुज़ूर (ﷺ) ने बारहा उनके लिये ये दुआ फ़र्माई थी, 'अल्लाहुम्म फ़र्रिक़हहू फ़िद्दीनि' ऐ अल्लाह! इसे दीन की समझ अता फ़र्मा। आप (ﷺ) की वफ़ात के वक़्त उनकी उम्र 13 बरस थी। हज़रत अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने एक अन्सारी से कहा कि हुज़ूर तो इंतक़ाल फ़र्मा गये लेकिन सहाब-ए-किराम मौजूद हैं उन्हीं से इल्म हासिल करें। वो बोले इतने बड़े-बड़े सहाबा की मौजूदगी में किसे क्या पड़ी है कि वो आकर हमसे मसाइल पूछें? मैंने उनकी नसीहत को अनसुना कर दिया और इल्म हासिल करने के लिये कमर कस ली, जिसके बारे में मुझे इल्म होता कि उसने कोई हदीष रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है तो उसके पास जाकर वो हदीष सुनता और याद कर लेता। बाज़ लोगों के पास जाता तो वो सो रहे होते, अपनी चादर उनकी चौखट पर रखकर बैठ जाता और बसा-औक़ात गर्दों-गुबार से मेरा

चेहरा और जिस्म भर जाता। जब वो बेदार होते उस वक़्त उनसे वो हदीष सुनता। वो हज़रत कहते भी कि आप तो महबूबे-खुदा रसूले करीम (ﷺ) के चचाज़ाद भाई हैं। आपने यहाँ आने की ज़हमत क्यों उठाई? हमें याद किया होता, हम आपके घर आ जाते। लेकिन मैं कहता कि मैं इल्म हासिल करने वाला हूँ, इसलिये मैं ही हाज़िर होने का ज़्यादा मुस्तहिक़ (हक़दार) हूँ। बाज़ लोग पूछते थे कि कबसे बैठे हो? मैं कहता कि बहुत देर से। तो वो अफ़सोसज़दा होकर कहते कि आपने अपने आने की इतिला उसी वक़्त क्यों न भिजवा दी ताकि हम उसी वक़्त आ जाते और आपको इतना इंतज़ार न करना पड़ता। मैं कहता कि मेरे दिल ने न चाहा कि आप मेरी वजह से अपनी ज़रूरियात से फ़ारिग़ हुए बिना आ जाएं। इसी दिलो-जान और खून-पसीना एक करने का यह नतीजा था कि हज़रत उमर (रज़ि.) उनकी कम उम्री के बावजूद आला इलमा की सफ़ में जगह देते थे।

अह्लादीष के महफूज़ रहने की सबसे बड़ी वजह :

अह्लादीषे नबवी के महफूज़ रहने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि हुज़ूर (ﷺ) के इर्शादात, सहाबा (रिज़.) के लिये सिर्फ़ मुतबर्क जुम्ले न थे, जिन्हे तबर्क के लिये याद कर लिया जाता बल्कि उनकी ज़िन्दगी का हर पहलू उन्हीं इर्शादात के मुताबिक़ ढला हुआ था। उनके दिल के इन लतीफ़ एहसासात से लेकर जिन्हें अल्फ़ाज़ का पाबन्द नहीं किया जा सकता है, उनकी तबई ख़वाहिशात तक सब के सब सुन्नते-रसूलुल्लाह (ﷺ) के पाबन्द थे। उनकी ख़लवतों का सोज़ो-गदाज़ और ख़लवतों का ख़रोशे-अमल, उनकी शब बेदारियाँ (रातों का जागना), उनके कैलूले (दिन की नींद) सब फ़र्माने नबवी (ﷺ) के पाबन्द थे और जो क़ौलो-फ़ैअल से हर वक़्त हमकिनार रहे। वो भी कभी भुलाया जा सकता है और फ़र्माने जिसके बारे में यक़ीन हो कि उसी की तामील में हमारी दोनों ज़हान की कामयाबी है, उसकी याद के निशानात कभी धुँधले पड़ सकते हैं? सहाब-ए-किराम को रसूलुल्लाह (ﷺ) से जो मुहब्बत थी, उनके इर्शाद की तामील करने का जो जुनून था, इल्म हासिल करने का जो सौदा था, दीने-क़य्यिम की तबलीग़ का जो जज़्बा था उसके पेशेनज़र एक अजनबी भी पूरे धरोसे से कह सकता है कि सहाब-ए-किराम (रिज़.) ने आँहज़रत (ﷺ) का एक फ़र्मान भी फ़रामोश न होने दिया होगा।

इससे यह हक़ीक़त भी बख़ूबी वाज़ेह हो गई कि सहाब-ए-किराम का यह इमान था कि आँहज़रत (ﷺ) के बाद भी आप का हर फ़र्मान हुज़्जत है और वाजिबे-तस्लीम भी है, वना उसे हासिल करने और उसकी हिफ़ाज़त करने का एहतिमाम न करते और फ़ारूके-आ'ज़म जैसा मुदब्बिरे-सुन्नत की ता'लीम और इशाअत के लिये इतने बड़े-बड़े सहाबा को इस्लामी सल्लतनत के मुख्तलिफ़ मर्कज़ी मक़ामात पर न भेजते। सहाब-ए-किराम ने अह्लादीषे नबवी को सिर्फ़ उनकी तारीख़ी अहमियत की वजह से महफूज़ नहीं रखा बल्कि इसलिये महफूज़ रखा कि क़यामत तक आने वाली नस्लें इस चिरागे-हिदायत की रोशनी में ज़िन्दगी की दुश्वार गुज़ार (कठिनतम) घाटियाँ तय करके शाहिदे-मक़सूद से हमकिनार होंगी।

अहदे ताबेईन :

इस्तिलाहे-इल्मे-हदीष (हदीष ज्ञान की परिभाषा) में ताबेई उस शख्स को कहा जाता है कि जिसे नबी-ए-अकरम (ﷺ) के दीदार का शर्फ़ तो हासिल न हुआ हो लेकिन सहाब-ए-किराम की सोहबत का फ़ैज़ उन्हें नसीब हुआ हो।

ताबेईन के शुरुआती दौर में भी अह्लादीष के बारे में वही एहतिमाम रहा। हर जगह दसों-तदरीस के हल्के (सेण्टर) कायम थे और इल्मो-दानिश, दयानतो-तक्वा के ए'तिबार से नामी गिरामी हस्तियाँ हदीषे नबवी (ﷺ) की ता'लीम में मशगूल रहतीं। और करीब व दूर के इल्म के तलबगार उनकी ख़िदमत में हाज़िर होकर अह्लादीष सीखते। मिषाल के तौर पर इस्लामी सल्लतनत के चन्द मर्कज़ी शहरों में अह्लादीषे पाक के पढ़ने-पढ़ाने की ख़िदमत में मशगूल रहने वाले चन्द ताबेईन के अहवाल मुख्तसरन ज़िक़र किये जाते हैं।

(1). सईद बिन मुसय्यिब (रह.)

इनकी पैदाइश हज़रत उमर फ़ारूक़ की ख़िलाफ़त के दूसरे साल में हुई। उन्होंने हज़रत उमर (रज़ि.) को खुल्बा देते हुए सुना।

इल्मे हदीष उन्होंने हज़रत उष्मान, ज़ैद बिन षाबित, आइशा, अबू हुरैरह (रिज़.) से सीखा। ज़माने के बड़े-बड़े आलिमों-फ़ाज़िलों को उनके नूरानी इल्म का ए'तिराफ़ था। इब्ने उमर (रिज़.) उन्हें मुफ़्तियों के दर्जे में शुमार करते थे। क़तादा कहते हैं कि मैंने सईद बिन मुसय्यिब से ज़्यादा आलिम किसी को नहीं देखा। जुहरी और मक्हूल की भी यही राय थी। अली बिन मदीनी कहते हैं कि ताबेईन में से वुस्अते इल्म में सईद से ज़्यादा मैं किसी को नहीं जानता, मेरे नज़दीक वो बुजुर्गतरिन ताबई हैं। रियाज़तो-इबादतों का ये हाल था कि हमेशा रोज़ा रखते और उम्र में 40 हज़्ज किये। जमाअत के इस क़दर पाबन्द थे कि 50 साल तक कभी उनकी तक्बीरे-ऊला (पहली तक्बीर) क़ज़ा नहीं हुई और न ही उनसे पहले कोई मस्जिद में गया। एक दफ़ा उनकी आँख दुखने लगी, किसी हकीम ने कहा कि अगर अक़ीक़ (एक जगह का नाम) चले जाओ तो वहाँ हरियाली की तरफ़ देखने से और ताज़ा व सुथरी हवा से आँखें दुरुस्त हो जाएंगी। तो वे फ़र्माने लगे कि इशा और सुबह की नमाज़ का क्या करूँ? या'नी वो जमाअत से अदा न कर सकूँगा और सुन्नत छोड़ने का मुर्तकिब हो जाऊँगा। अपना इत्तिबाए-सुन्नते-नबवी (ﷺ) का ये जज़्बा और उस पर कभी न डिगने वाली इस्तक़ामत (मज़बूती) की यह कैफ़ियत थी। जो कोई एक इशादि-नबवी (ﷺ) की ख़िलाफ़वर्ज़ी करता तो वो सईद बिन मुसय्यिब को एक आँख न सुहाता। इब्ने रमला कहते हैं कि मैंने इब्ने मुसय्यिब को कभी किसी को बुरा-भला कहते हुए नहीं सुना। पहली बार मैंने उनको यह कहते हुए सुना कि अल्लाह फ़र्लाँ को हलाक करे, वो पहला शख्स है जिसने हुज़ूर (ﷺ) के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हुक़म दिया। हदीष बयान करते वक़्त अदबो-एहताराम का पूरा लिहाज़ रखते। एक दफ़ा जब आप बीमार थे और चारपाई पर लेटे हुए थे कि मुत्तलिब बिन हन्ज़ब उनके यहाँ आए और एक हदीष के बारे में पूछने लगे। फ़र्माने लगे, मुझे बैठा दो, मैं इस चीज़ को नापसन्द करता हूँ कि लेटे-लेटे हुज़ुरे नबी-ए-करीम (ﷺ) की हदीष बयान करूँ।

मालदारी और बेनियाज़ी का ये आ़लम था कि कभी भी किसी बादशाह का तोहफ़ा कुबूल नहीं किया। उनके पास 400 दीनार थे। उनसे ज़ैतून की तिजारत किया करते थे और जो कुछ नफ़ा होता उससे गुज़ारा करते। ईमान इन्सान को इस क़दर जरी व निडर कर देता है आप उसकी जीती जागती मिषाल थे। बनू उमैय्या के खलीफ़ाओं के फ़िस्को-फुज़ूर और मज़ालिम (अत्याचारों) पर हमेशा सदाएं बुलन्द करते रहे। अब्दुल मलिक ने उनको अपना मातहत बनाने के लिये तरह-तरह के हथकण्डे अपनाए लेकिन ये शाहीन उनके ज़ेरे दाम न आया।

एक बार अब्दुल मलिक ने उनकी ख़िदमत में 30,000 से ज़्यादा रुपया भेजा। आपने यह कहते हुए लौटा दिया, 'ला हाज़त ली फ़ीहा व ला फ़ी मरवान' या'नी न मुझे इस रुपये की ज़रूरत है और न ही मरवान की। उनकी एक साहबज़ादी थी जो हुस्ने सीरत व सूरत में क़ाबिले रश्क़ थी, कुअनि करीम की हाफ़िज़ा और उलूमे-सुन्नत की माहिर थीं। अब्दुल मलिक ने अपने वली अहद (युवराज) वलीद के लिये रिश्ता माँगा लेकिन आपने उसकी दरखास्त को नामंजूर फ़र्मा दिया और अबू वदाआ जो बिल्कुल तंगदस्त थे, लेकिन मुत्तक़ी व परहेज़गार थे, उनको अपना दामाद बनाया। अब्दुल मलिक ने जब वलीद को अपना वली अहद मुक़रर किया और तमाम लोगों से उसके मुता'ल्लिक बैअत ले ली और हज़रत सईद बिन मुसय्यिब अपने इन्कार पर अड़े रहे तो अब्दुल मलिक ने मदीना तय्यिबा के वाली की तरफ़ से हुक़म लिखा कि जिस तरह भी हो सके उनसे वलीद के लिये बैअत लो। और अगर वो राज़ी न हो तो उनको क़त्ल की धमकी दो। उसकी इत्तिला जब सुलैमान बिन यसार, उर्वा बिन जुबैर व सालिम बिन अब्दुल्लाह को हुई तो वो उनके पास आए और उनको आगाह किया और उस शक्ल से बचने के लिये उनके सामने मुख्तलिफ़ तच्चीजें पेश कीं। उन्होंने उनसे कहा कि जब वाली ख़त लेकर आपके पास आए और आपको सुनाए तो आप ख़ामोशी इख़ितयार फ़र्माएं और हाँ या ना कुछ न कहें। आपने फ़र्माया कि उससे तो लोग ये अन्दाज़ा लगा सकत हैं कि सईद ने बैअत कर ली और मैं बैअत करने के लिये हर्गिज़ तैयार नहीं। उन्होंने दूसरी तच्चीज यह पेश की कि आप चन्द रोज़ घर में ठहरे रहिये और बाहर न निकलिये ताकि ये जोश ख़त्म हो जाए। आपने फ़र्माया 'फ़अना अस्मउल अज़ान फ़ौक उज़नी हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह मा अना बिफ़ाइलिन ज़ालिक' मैं जब अज़ान का ये जुम्ला सुनूँगा कि 'हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह' आओ नमाज़ की तरफ़, आओ नमाज़ की तरफ़ तो मुझसे ये नहीं हो सकेगा कि मैं उसके बावजूद घर में बैठा रहूँ।

आख़री तच्चीज़ यह थी कि आप बैठने की जगह बदल लें और वाली जब आपको अपनी मुक़रर: जगह पर न पाएगा

तो उसी पर कानेअ हो जाएगा। ये सुनकर मोमिन की ज़बान से एक जुम्ला निकला जिससे फ़जा (माहौल) में सनसनी फैल गई, 'अफ़रका मिम मख़लूक' अल्लाह का बन्दा होकर मख़लूक से डरूँ? मुझसे ये नहीं होगा। चुनावे जुहर की नमाज़ के बाद उन्हें वाली ने बुलाया और वलीद के लिये बैअत तलब की तो हक़ व सदाक़त के इस मुजस्समे (सच्चाई की प्रतिमूर्ति) ने इन्कार कर दिया। उसने क़त्ल की धमकी दी लेकिन वो बे-फ़ायदा रही। आख़िर आप को 50 कोड़े लगाए गये और शहर के बाज़ारों व गली-कूचों में फिराया गया लेकिन जुनूने-इश्क़ के ये अन्दाज़ न छूटे। इस मोमिन पाकबाज़ और मर्दे सदाक़त शिआर ने अपनी कुव्वत व मज़बूती का आख़री क़तरे तक उलूमे नुबुव्वत की शमअ को फ़रोज़ाँ (रोशन) रखने के लिये ख़र्च कर दिया और उसी ख़िदमत गुज़ारी में सन् 105 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में अपनी जान, जाने-आफ़री की नज़र कर दी। रहमतुल्लाहि तआला व रहमतुन वासिअतुन।

(2). उर्वा बिन जुबैर बिन अवाम क़रशी असदी :

मदीना तय्यिबा के ओलमा एअलाम में शुमार हुए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) के भांजे थे। उन्हीं से ज़्यादा इल्म सीखा। उनके अलावा ज़ैद बिन साबित, उसामा बिन ज़ैद, सईद बिन ज़ैद, हकीम बिन हिज़ाम और अबू हुरैरह (रज़ि.) से इल्मे हदीष हासिल किया। इनके शागिदों में इनके लड़के हिशाम, मुहम्मद, उष्मान, यह्या, अब्दुल्लाह के नाम और इमाम जुहरी (अबू अज़िनाद), इब्नुल मुन्क़दिर, सालेह बिन क़ीसान के नाम बहुत मशहूर हैं। इमाम जुहरी कहते हैं कि मैंने उन्हें बहरे-बेकरा पाया। उनके बेटे हिशाम से मरवी है कि उनके वालिदे-मुकर्रम उर्वा हमेशा के रोज़ेदार थे, दिन को कुआनि करीम का चौथा हिस्सा तिलावत करते और रात की तन्हाइयों में नमाज़े-तहज़ुद अदा करते वक़्त उसकी तिलावत से लज़्ज़त-अन्दोज़ होते। एक बार उनके पाँव में एक फोड़ा निकल आया, हकीम ने कहा अगर उसे काटेंगे नहीं तो सारा जिस्म ख़राब हो जाएगा, काटने से पहले आपसे कहा गया कि शराब पी लीजिये ताकि दर्द महसूस न हो। वे फ़र्माने लगे, मैं उस चीज़ को इस्ते'माल नहीं करूँगा जिसे अल्लाह तआला ने हराम फ़र्माया है। फिर उन्हें कहा गया कि ख़्वाब-आवर (नींद की) दवाई पी लीजिये, वे कहने लगे कि अगर नींद की हालत में आपने मेरा पाँव काटा तो तकलीफ़ की शिद्दत महसूस करने से महरूम रह जाऊँगा। पाँव का गोश्त छुरी और फिर हड्डी आरी से काटी गई लेकिन उन्होंने उफ़ तक नहीं की। जब ये आलम हो कि छुरी से गोश्त और आरी से हड्डी कट रही हो, उस वक़्त अल्लाह तआला की इस आज़माइश पर सब्र में जो लुत्फ़ होता है उसे उलुल अज़म (दृढ़ निश्चय) हस्तियाँ महसूस कर सकती हैं। हम ऐसे वाक़ियात पढ़कर ही काँप उठते हैं। जब पाँव काट दिया गया और खून बन्द करने के लिये गर्म तेल में उसे रखा गया तो बेहोश हो गए। जब होश आया तो अपने कटे हुए पाँव को हाथ में लेकर फ़र्माने लगे, 'अम्मा वल्लज़ी हमलनी अलैक अन्नहू लयअलमु इन्नी मा मशयतु बिक इला मअसियतिन' उस पाक ज़ात की क़सम! जिसने मुझे आज तक तुझ पर उठाए रखा, वो जानता है कि मैं तेरे साथ चलकर गुनाह की तरफ़ कभी नहीं गया।

(3). सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन अमीरुल मो'मिनीन उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) :

आप मदीना तय्यिबा के सात फ़ुक्कहा (धर्मशास्त्रियों) में से हैं। उनकी गिनती ताबेईन के चोटी के उलमा में होता है। आपने अपने वालिद और दूसरे सहाबा से हदीषे नबवी सुनी और इमाम जुहरी और नाफ़ेअ और दीगर मुहद्दिषीन ने आपसे इल्मे-अह्दादीष हासिल किया।

एक बार हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने उन्हें लिखा कि उनकी तरफ़ हज़रत उमर (रज़ि.) के खुतूत (पत्रों) में से कोई ख़त खाना करें, तो उनकी तरफ़ नासिहाना (नसीहतों भरा) यह ख़त भेजा गया। तर्जुमा, 'ऐ उमर! उन बादशाहों को याद कर जिनकी वो आँखें, जिनसे वो हमेशा लुत्फ़ उठाते थे, फट चुकी है और उनके वो पेट जो कभी सैर हुए थे, फट चुके हैं और मिट्टी के टीलों के नीचे मुर्दार पड़े हैं और अगर उन्हें दफ़न न किया जाता और उनके जिस्मों को हमारे मकानों के नज़दीक डाल दिया जाता तो उनकी बदबू से हमें कड़ी तकलीफ़ पहुँचती। वे हमेशा ऊन का लिबास पहनते थे और अपने हाथों से अपने सारे काम करते। आप हज़्ज के लिये गये होते कि सुलैमान बिन अब्दुल मलिक ने आपको ख़ान-ए-का'बा में देखा तो आपसे कहने लगा, 'सल्लनी हवाइजक' या'नी अपनी ज़रूरियात के लिये मुझसे तलब करो, मैं पूरी करूँगा। वे फ़र्माने लगे, 'वल्लाहि ला सअलतु फ़ी

बयतिल्लाहि ग़ैरल्लाहि' अल्लाह की क़सम! मैं अल्लाह के घर में ग़ैरल्लाह से सवाल नहीं किया करता। इमाम मालिक (रह.) कहा करते थे कि सालिम से बढ़कर जुहदो-तक्रवा और मियानारवी (मध्यमार्गी होने) में सलफ़े-सालिहीन में उनके जैसा कोई नहीं। आप दो दिरहम का कपड़ा पहना करते, आप का इंतक़ाल माहे ज़िलहिज्जा के आखिर 106 हिजरी में मदीना तय्यिबा में हुआ।

(4). इमाम अलक़मा बिन क़ैस बिन अब्दुल्लाह कूफ़ी (रह.) :

उन्होंने इल्मे-हदीष हज़रत उमर, हज़रत उम्रान, हज़रत अली, अब्दुल्लाह बिन मसऊद और अबू दर्दा (रज़ि.) से सीखा। ये इब्ने मसऊद (रज़ि.) के नामी-गिरामी शागिदों में से थे। इब्ने मसऊद (रज़ि.) खुद उनकी वुस्अते-इल्म के बारे में फ़र्माया करते थे, 'मा अन्नउ शयअन व मा आलमु शयअन इल्ला व अलक़मतु यन्नउहु व यअलमुहु' या'नी जो कुछ मैं पढ़ सकता हूँ और जो कुछ मैं जानता हूँ, अलक़मा भी उसे पढ़ सकता है और जान सकता है। क़ौम की तरफ़ से उन्हें फ़कीहुल इराक़ का खिताब मिला था। कई सहाबा भी उनसे आकर मसाइल पूछा करते थे। क़नाअतो-सैर चश्मी का ये आलम था कि बकरियों का एक रेवड़ पाल रखा था, उसी पर वक़्त गुज़ारा करते थे। अपनी बकरियाँ खुद ही दुहते और खुद ही चारा-पानी देते थे। अपने शागिदों से कभी खिदमते-नफ़स (व्यक्तिगत सेवा) का काम नहीं लिया। अलक़मा फ़र्माया करते, 'इहयाउल इल्मि अल्मुजाकरत' या'नी बार-बार दोहराना इल्म को ज़िन्दा रखता है। वे अक्सर अपने शागिदों को नसीहत किया करते थे, 'तज़क़रुल हदीष फ़इन्न हयातहु ज़िक्कू' हदीष को बार-बार दोहराया करो क्योंकि दोहराना ही उसकी ज़िन्दगी है। इतने इल्मो-फ़ज़्ल और फ़हम व ज़क़ा (विद्वता) के मालिक ने अपनी सारी उमर हदीष का दर्स देने में गुज़ार दी। उनके हज़ारों शागिद थे जिनमें इब्राहीम नखई, अबुजुहा, मुस्लिम बिन सबीह और शअबो तआरुफ़ (परिचय) के मोहताज नहीं। उनका इंतक़ाल सन् 62 हिजरी में हुआ।

(5). मसरूक़ बिन अल अज्दा कूफ़ी :

ये मुजाहिदे-आ'ज़म अम्र बिन मअदी करब के भांजे हैं। उन्होंने हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत मुआज़, इब्ने मसऊद, हज़रत उबय (रज़ि.) जैसे बड़े सहाबा से इल्मे-हदीष हासिल किया। इतने क़ाबिले-तारीफ़ औसाफ़ (गुणों) के बावजूद उन्होंने उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) के नज़दीक इतनी मन्नबूलियत (लोकप्रियता) हासिल कर ली थी कि हज़रत सिदीक़ाने उन्हें अपना मुतबन्ना (मुँह बोला बेटा) बना लिया। उनके शागिद इमाम शा'बी उनके शौक़े-इल्म की कैफ़ियत बयान करते हुए कहते हैं, 'मा अलिम्तु अहदन कान अतलबुल इल्मि मिन्हु' या'नी मुझे कोई ऐसा आदमी मा'लूम नहीं जिसके दिल में इल्म हासिल करने की तड़प उनसे ज़्यादा हो। शा'बी कहते हैं कि सिर्फ़ एक आशित का मा'ना पूछने के लिये कूफ़ा से बसरा का सफ़र किया। वहाँ मक़सूद पूरा न हुआ, उन्हें बताया गया कि शाम (सीरिया) में एक फ़ाज़िल है जो आपके सवाल का जवाब दे सकता है। शौक़े-इल्म की बेकरारियाँ मुलाहज़ा हों कि इसी एक आयत का मा'ना जानने के लिये बसरा से शाम का रुख़ किया। जुहदो-तक्रवा का ये आलम था कि अबू इस्हाक़ कहते हैं कि मसरूक़ हज़्ज को गये, हज़्ज के दौरान में अगर सोये भी सज्दे में सर रखकर ही सोये। उनकी बीवी का बयान है कि नमाज़ पढ़ते-पढ़ते उनके पाँव सूज जाते थे। नमाज़ शुरू करते वक़्त अपने घरवालों के बीच पर्दा लटका देते, फिर महव्वियत (मशगूलियत) की यह कैफ़ियत तारी होती कि दुनिया व दुनिया के अलावा की ख़बर तक न रहती। आप का एक मक़ूला सुनहरे अल्फ़ाज़ में लिखने लायक़ है, 'कफ़ा बिल्मइ इल्मन अय्यख़शल्लाह व कफ़ा बिल्मइ जहलन अय्युअज़िब बिअमलिही' या'नी इन्सान के लिये इतना इल्म काफ़ी है कि वो अल्लाह तआला से डरने लगे और उसे डूबने के लिये इतनी जहालत काफ़ी है कि वो अपने अमल पर गुरूर (घमण्ड) करने लगे। ये भी एक लम्बे अर्से तक कूफ़ा में हदीष का दर्स देते रहे। आपकी वफ़ात 63 हिजरी में हुई।

(6). इमाम अबू अम्र नखई :

ये हज़रत अलक़मा बिन क़ैस के भतीजे हैं। उन्होंने इल्मे हदीष हज़रत मुआज़, इब्ने मसऊद, हुज़ैफ़ा, बिलाल (रज़ि.) और दीगर बड़े सहाब-ए-किराम व अपने चचा अलक़मा से हासिल किया। वे निहायत इबादतगुज़ार और परहेज़गार थे, अपनी उम्र में 80 हज़्ज-उमरे किये और हर रोज़ सात रक़अत नफ़ल पढ़ा करते थे। उनके आ'माले-हसना के पेशेनज़र लोग उनकी ज़िन्दगी में ही जन्नती कहा करते थे। रमज़ानुल मुबारक में हर दूसरे दिन ख़त्मे-कुर्आन किया करते थे, सिर्फ़ शाम व इशा के दरम्यान मुख़्तसर सी नींद

लेते थे। बाकी अक्सर रात यादे-इलाही में बीत जाती और रमज़ान के अलावा बाकी महीनों में छह दिन में कुआन पूरा किया करते अलक्रमा बिन मरषद कहते हैं कि आठ ताबई ने जुहदो-रियाज़त की इतिहा कर दी, उन्हीं में से एक नखई हैं।

जब मरने का वक़्त करीब आ पहुँचा तो बहुत रोये। किसी ने कहा कि ये घबराहट कैसी? कहने लगे, मैं क्यों न घबराऊँ, अगर बख़्श भी दिया गया तो अपने किये पर नदामत (शर्मिन्दगी) का एहसास क्या कम है? ये भी कूफ़ा में अह्लादीष का दर्स देने में मसरूफ़ रहे और 73 हिजरी में इतिकाल फ़र्माया।

(07). अबुल आलियतुरियाही (रह.) बसरा, इराक़ :

इन्होंने हज़रत सिद्दीके अकबर की ज़ियारत की और हज़रत उबय बिन क़अब से कुआन सीखा। हज़रत उमर, अली, आइशा, इब्ने मसऊद (रिज़.) वग़ैरह से अह्लादीष सुनी। मदीना तय्यिबा में कुआनो-सुन्नत का इल्म हासिल करने के बाद वापस बसरा आ गये और वहाँ इल्म का दर्स देने में लग गये। सैकड़ों मशहूर लोगों ने उनसे इल्मे-दीन सीखा। उनके शागिदों में से क़तादा, ख़ालिदुल हज़ा, दाऊद बिन अबी हिन्द, और रबी इब्ने अनस बहुत मशहूर हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (रिज़.) उन्हें अपने पास चारपाई पर बिठाते और कुरैशी ख़ानदान के लोग नीचे बैठे हुए होते। 'हाक़ज़ल इल्मु यज़ीदुशरीफ़ शफ़न' या 'नी इल्म यूँ शरीफ़ों के ऐजाज़ो-इकराम में इज़ाफ़ा (मान-सम्मान में बढ़ोतरी) करता है। इब्ने अबी दाऊद कहा करते कि सहाबा के बाद इनसे ज़्यादा कुआन के इल्म का कोई माहिर नहीं। इनके नीचे लिखे बयान से इनके शौक़े-इल्म और शरीअत की पाबन्दी का बख़ूबी अन्दाज़ा हो सकता है। फ़र्माते हैं,

'जिस वक़्त मुझे पता चलता है कि फ़लाँ शख़्स को हुज़ूर (ﷺ) की किसी हदीष का इल्म है तो कई दिनों की दूरी तय करने के बाद उसके पास पहुँचता हूँ। वहाँ जाकर सबसे पहले ये पूछता हूँ कि क्या पाबन्दी से नमाज़ पढ़ता है और नमाज़ के अरकान की अदायगी का पूरा-पूरा ख़याल रखता है। अगर इसका तसल्लीबख़्श जवाब पाता हूँ तो उसके यहाँ क़याम भी करता हूँ और उससे हदीष भी सुनता हूँ। लेकिन अगर नमाज़ के बारे में उसकी काहिली का पता चलता है तो वापस लौट आता हूँ और उससे हदीष नहीं सुनता हूँ और कहता हूँ कि 'हुव लि ग़ैरिस्मलाति अज़यज़' या 'नी जिसे नमाज़ का लिहाज व एहतियाम नहीं वो अगर किसी दूसरी बात में ग़फलत करे, ऐसा हो सकता है। अबुल आलिया (रह.) ने 93 हिजरी में इतिकाल फ़र्माया।

(08) अबू उम्मान अन् नहदी अल बसरी (रह.) :

इन्होंने ज़मान-ए-नुबुव्वत पाया लेकिन ज़ियारते नबी (ﷺ) का शरफ़ नहीं मिला। हज़रत उमर (रिज़.) के ज़माने में मदीना तय्यिबा में हाज़िर हुए और हज़रत उमर, इब्ने मसऊद, हुज़ैफ़ा बिन यमान और उसामा बिन ज़ैद (रिज़.) से अह्लादीष सुनी। फिर बसरा लौट आए और उमर भर नबी करीम (ﷺ) की सुन्नतों का दर्स देते रहे।

हज़रात क़तादा, ख़ालिद, हुमैद, दाऊद, सुलैमान अत् तैमी वग़ैरह ने इनसे इल्मे-हदीष हासिल किया। जंगे यरमूक में मुजाहिदीने इस्लाम के साथ बहादुरी की दादे-शुजाअत दी। बहुत बड़े आलिम, साइमुदहर (हमेशा के रोज़ेदार), काइमुल्लैल (रातों के इबादतगुज़ार) थे। उनकी नमाज़ में खुशूअ व ख़ुजूअ का ये आलम था कि कई मौक़ों पर बेहोश होकर गिर पड़ते थे उनके एक शागिद सुलैमान तैमी कहते हैं कि मेरा ख़याल है कि उनसे कभी कोई गुनाह सरज़द ही नहीं हुआ। उनकी वफ़ात 100 हिजरी में हुई।

(09). अबू रिजा इमरान बिन मल्हान अल अत्तारदी अल बसरी (रह.) :

फ़तहे मक्का के वक़्त में ईमान लाए लेकिन ज़ियारते नबी (ﷺ) नसीब नहीं हुई। बाद में मदीना तय्यिबा में हाज़िर हुए और हज़रात उमर, अली, इमरान बिन हुसैन, अबू मूसा अशअरी (रिज़.) से अह्लादीष सुनी। अबू मूसा अशअरी (रिज़.) से ही कुआनो-करीम पढ़ा और हज़रत इब्ने अब्बास (रिज़.) को कुआन सुनाया। इल्म हासिल करने के बाद बसरा चले गये और वहाँ कुआनो-सुन्नत की तदरीस में आखिरी दम तक लगे रहे। लोगों की बड़ी ता'दाद ने आपसे कुआनो-करीम पढ़ा और अबू अय्यूब इब्ने औन, जरीर बिन हाज़िम, सईद बिन अबी अरूबा और महदी बिन मैमून ने आप से अह्लादीषे नबीवा रिवायत कीं। इब्ने अअराबी

कहते हैं कि यह बहुत बुजुर्ग और इबादत गुज़ार थे और कुआन की तिलावत बहुत कषरत से करते थे। उनकी वफ़ात सन 107 हिजरी में हुई।

(10) अब्दुर्रहमान बिन ग़नमुल अशअरी (रह.) शामी :

उन्होंने हज़रत उमर, मुआज बिन जबल और बड़े-बड़े सहाबा से अह्लादीष रिवायत कीं। हज़रत उमर (रज़ि.) ने उन्हें शाम की तरफ़ रवाना किया।

पीछे बड़ी तफ़्सील से बतलाया गया है कि हदीष कुआन मजीद ही की तफ़्सीर का नाम है और हदीष भी वही इलाही है। फ़क्र इतना है कि कुआन मजीद को वही-मतलू कहा जाता है और हदीष को ग़ैर मतलू कहा जाता है। (वही-मतलू या 'नी वो कलामे इलाही जिसकी तिलावत की जाए और ग़ैर मतलू वो कलाम है जिसकी तिलावत नहीं की जाती) हदीष की तारीख़ी हैषियत भी बहुत ही तफ़्सील के साथ बयान की जा चुकी है। अहदे रिसालत, अहदे सहाबा में हदीष की किताबत पर भी तफ़्सीली तबसरा किया जा चुका है कि हदीष का इन्कार करने वाले अक्लो-खिरद से बिल्कुल ख़ाली और अपने हवा-ए-नफ़्स के बन्दे बन चुके हैं। मक़ामे रिसालत के समझने से उनको ज़रा बराबर भी वास्ता नहीं है।

दसवें पारे से हदीष की फ़न्नी हैषियत से तबसरा शुरू किया जा रहा है और उम्मीद की जानी चाहिये कि अल्लाह ने चाहा तो कुछ न कुछ हर पारा के साथ ये मुक़द्दमा दिया जाएगा ताकि नाज़िरीने-किराम और शाएक़ीने-इज़ाम के लिये इज़्दियादे बस़ीरत का ज़रिआ हो।

हदीष पर तबसिरा फ़त्री नुक्त्त-ए-नज़र से :

ज़मान-ए-क़दीम में हर मुल्क व क़ौम में खानदाह (पढ़े-लिखे) आदमी कम थे। असबाबे-किताबत भी कम थे। सामाने तबाअत (प्रिण्टिंग स्रोत) बिल्कुल न था। तमाम क़ौमी व मज़हबी रिवायात का ज़बानी याददाश्त पर इन्हिसार (अहाता) था।

एक मुहद्विष आख़िर उमर में नाबीना (अंधे) हो गए थे वो और एक उनका शागिर्द एक ऊँट पर सवार होकर सफ़र को चले। रास्ते में एक मौक़े पर मुहद्विष नीचे झुके। शागिर्द ने दरयाफ़्त किया कि आप क्यों झुके? मुहद्विष ने कहा यहाँ एक पेड़ है जिसकी एक शाख़ झुकी हुई है, मुम्किन है सर में लग जाए। शागिर्द ने कहा यहाँ कोई पेड़ नहीं है। मुहद्विष ने कहा रुको और तहक़ीक़ करो और मेरी यह याद ग़लत है तो आज से हदीष रिवायत न करूँगा। शागिर्द ने करीब के देहात के रहने वालों से दरयाफ़्त किया तो एक बूढ़े ने कहा कि यहाँ एक पेड़ था, उसकी एक शाख़ झुकी हुई थी। तब मुहद्विष को इत्मीनान हुआ।

तहरीर में आसानी से ज़अल (मिलावट) मुम्किन है। अगर तहरीरों पर भरोसा किया जाए तो ज़अल मुस्तक़िल सूरत इख़ितयार कर जाता है। फिर उससे इख़ितलाफ़ मुश्किल था। हज़रत अब्बास (रज़ि.) एक मर्तबा हज़रत अली (रज़ि.) के फ़ैसले की नक़ल कर रहे थे, बाज़ मक़ामात को छोड़ जाते और कहते जाते थे अली ने यह फ़ैसला हर्गिज़ नहीं किया होगा। (मुस्लिम)

यह ख़याल हो सकता है कि हिफ़ज़ में भूल मुम्किन है। लेकिन भूल से इस क़दर ख़तरा नहीं जितना ज़अल से है। भूल की इस्लाह दूसरे मौ'तबर रावी से मुम्किन है, उसकी नज़ीरें पहले लिखी जा चुकी हैं कि मुहद्विषीन ख़फ़ीफ़ शुब्हा पर तस्हीह के लिये महीनों का सफ़र करके पहुँचे।

इस्माईल बिन अब्दुल करीम इसलिये ज़ईफ़ समझे जाते थे कि वो वहब ताबेई के सहीफ़े से देखकर रिवायत करते थे। (तहज़ीब) इसलिये करने-अव्वल और करने प़ानी में तहरीर का रिवाज़ कम रहा। करने प़ालिष में जब लोगों के हाफ़ज़े कमज़ोर हो गए और तालीफ़ व तसनीफ़ का ज़ोर हुआ तो मुहद्विषीन तहरीर पर मजबूर हुए। कषरते तहरीर व तस्नीफ़ का यह नतीज़ा हुआ कि हुफ़फ़ाज़े हदीष की ता'दाद कम हो गई। यहाँ तक कि इमाम सियूति के बाद एक भी हाफ़िज़े हदीष न हुआ।

इख़ितलाफ़े हदीष :

हदीष की रिवायतें दो किस्म की हैं, एक रिवायत बिल मअना दूसरी रिवायत बिल लफ़ज़।

इख्तिलाफे अल्फाज़ :

रिवायत बिल मअना यह है कि रावी अपने अल्फाज़ में हुजूर (ﷺ) के क़ौल व फ़ेअल वग़ैरह को बयान करे। इसके अल्फाज़ व इबारत में तो इख्तिलाफ़ तो होना ही चाहिये क्योंकि हर शख्स अपने हस्बे फ़हम व इस्तेअदाद (अपनी समझ-बूझ के मुताबिक़) अल्फाज़ व इबारत बोलेगा, मतलब में फ़र्क़ नहीं आना चाहिये।

रिवायत बिल लफ़्ज़ यह है कि रावी वो अल्फाज़ बयान करे जो हुजूर (ﷺ) ने फ़र्माए हैं। इस किस्म की भी बाज़ रिवायतों की इबारत के अल्फाज़ में फ़र्क़ है। इसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ़ अवकात में हुजूर (ﷺ) ने एक ही काम के मुताबिक़ एक ही हुक्म दिया मगर कभी कुछ अल्फाज़ हुए कभी उसके मुतरादिफ़ अल्फाज़ (समान अर्थ वाले, पर्यायवाची शब्द) हुए, मतलब एक ही रहा।

इमाम इब्ने सीरीन (रह.) का क़ौल है कि मैंने एक हदीष को दस शौखों से सुना जिसको हर एक ने मुख्तलिफ़ लफ़्ज़ों में बयान किया मगर मअना एक सा था। (मुसन्नफ़ अब्दुरज़ाक़)

इख्तिलाफे मतलब :

बाज़ हदीषों के मतलब व मअना में भी फ़र्क़ है क्योंकि बा-मुक्ताज़ा-ए मस्लिहत व ज़रूरत हुजूर (ﷺ) ने एक ही काम के मुताबिक़ एक दफ़ा एक हुक्म दिया, दूसरी दफ़ा उसके खिलाफ़ हुक्म दिया जो मस्लिहत व तकाज़-ए-ज़रूरते शरई के तहत होता था। जैसे किरेशमी कपड़ा पहनने को हुजूर (ﷺ) ने नाजाइज़ करार दिया। मगर हज़रत अब्दुरहमान इब्ने औफ़ (रज़ि.) व हज़रत जुबैर बिन अवाम (रज़ि.) को इजाज़त दी जो इन हज़रत के ख़ास हालात के तहत थी।

एँठकर, अकड़कर, तकब्बुर (नाज़ व गुरूर) के साथ चलने की हुजूर (ﷺ) ने मुमानअत फ़र्माई, मगर जंगे उहद में अबू दुजाना (रज़ि.) हुजूर (ﷺ) की तलवार लेकर अकड़कर चले तो उनकी तारीफ़ फ़र्माई क्योंकि ये तकब्बुर अलाए कलिमतिल्लाह के लिये था। वाकिआत के मुताबिक़ दो मर्द गवाह या एक मर्द दो औरत बतौर गवाह की कायम की, लेकिन हज़रत खुज़ैमा (रज़ि.) तन्हा गवाही को काफ़ी करार दिया। नमाज़ की सख्त ताक़ीद फर्माते थे, मगर जंगे खन्दक में मजबूरन नमाज़ कज़ा हो गई। ऐसी ही मुख्तलिफ़ सूरतें और वाकिआत पेश आए कि मुख्तलिफ़ तरह के अहक़ाम और अमल हुए। जिसने जो देखा या जो सुना वो कुरा बांध लिया।

तस्हीहे अहादीष में इख्तिलाफे मुहद्दिषीन :

बाज़ अहादीष में मुहद्दिषीन के बीच जो इख्तिलाफ़ है उसकी चन्द वजहे हैं,

- (01). जिसने तज़ईफ़ की उसको वो हदीष ज़ईफ़ सनद के साथ पहुँची, जिसने तस्हीह की उसको क़वी (मज़बूत) सनद के साथ पहुँची, या दोनों को ब-सनद ज़ईफ़ पहुँची। मगर एक को उसके शवाहिदो-मुताबआत (समकक्ष दर्जे की) रिवायतें मिल गई, दूसरे को नहीं मिलीं। या दोनों को मिलीं, पर एक ने सनद के ए'तिबार से ख़ास व मतने ख़ास में तज़ईफ़ की। चुनाञ्चे तिमिज़ी में बाज़ जगह यूँ है, 'गरीबुन बिहाज़ल लफ़िज़' या'नी मतन के ए'तिबार से ख़ास वो हदीष गरीब है।
- (02). किसी रावी पर जिरह हुई हो लेकिन जिरह का सबब एक मुहद्दिष को मा'लूम न हुआ तो उसने तज़ईफ़ की, दूसरे को सबब मा'लूम हो गया और वो क़ाबिले इल्तिफ़ात न था, उसने तस्हीह कर दी।
- (03). बाज़ उमूर ऐसे हैं जिनको एक मुहद्दिष मौजिबे-जरह समझता है, दूसरा नहीं समझता। इस इख्तिलाफ़ से तस्हीह व तज़ईफ़ हुई।
- (04). किसी इमाम के किसी रावी पर जिरह देखकर तज़ईफ़ कर दी गई और जिरह करने वाले इमाम ने उस जरह को ग़लत पाकर रूजूअ कर लिया, रूजूअ करने की इत्तिला तज़ईफ़ करने वालों तक नहीं पहुँची, इसलिये वो उसकी तज़ईफ़ पर कायम रहे जिनको इत्तिला हो गई उन्होंने तस्हीह की।
- (05). किसी इमाम ने किसी रावी की तपतीश की और उसमें कोई अम्र क़ाबिले जरह न पाया, उसने उसकी तस्हीह की। कुछ

दिनों बाद उसकी हालत बदल गई। इस हालत को जिसने देखा उसकी तज़ईफ़ की। इस इख़िताफ़ का इतिफ़ाअ मुराजअते-कुतुब से सहूलत के साथ मुमकिन है।

तीन क्रिस्म के रावी और रिवायतें :

- (01). एक क्रिस्म के वो लोग थे जो रिवायत बिल लफ़ज़ (हूबहू, शब्दशः वैसी ही) को ज़रूरी और रिवायत बिल मा'नी (मा'नी व मफ़हूम वाली) को मुज़िर समझते थे। उनकी ता'दाद ज़्यादा है।
- (02). वो जो रिवायत बिल लफ़ज़ को बेहतर जानते थे और मजबूरन बिल मा'नी को भी रिवायत करते थे।
- (03). जो रिवायत बिल मा'नी के आदी थे और उसमें कुछ नुक़सान न समझते थे, ये ता'दाद में बहुत कम थे और उनमें से ख़ास-ख़ास षिक़ात व माहिरे उलूम की हदीषें ली गई हैं।
हदीष की तमाम किताबों में इन्हीं तीन क्रिस्मों से रिवायतें हैं।

मुहद्दिषीन की सई (कोशिश) का नतीजा :

दुनिया में हज़ारों हदीषें किताबों में दर्ज हैं। अगर मुहद्दिषीन सारी जमा हदीषों पर क़नाअत (सन्न, संतोष) कर लेते तो इससे भी कहीं ज़्यादा ज़ख़ीरा इकट्ठा हो जाता और हदीषों की दस्तयाबी (उपलब्धता) का सिलसिला क़यामत तक ख़त्म न होता। आज जो बिदअतियों, गुमराहों को इल्मे-हदीष की तरफ़ नज़र करके मायूसी होती है, वो न होती बल्कि उनकी हर ख़्वाहिश कामयाब होती। मुहद्दिषीन ने तलाश करके, सहाबा के तआमुल पर नज़र करके, रावियों को जाँचकर मज़मून को अक्ल की तराजू में तौलकर, किताबो-सुन्नत से मुकाबला (तुलना) करके हदीषों के रावियों के दर्जे और मर्तबे मुकर्रर कर दिये। अब किसी को ज़रअत नहीं हो सकती कि वो सहीह को ग़ैर-सहीह और ज़ईफ़ को क़वी बना दे। ये जाँच ऐसे सख़्त उसूलों से की गई है कि इससे ज़्यादा सख़्ती ऐसे काम में मुमकिन न थी। मौज़ूआत (गढ़ी हुई, झूठी अहदादीष) का ज़ख़ीरा अलग मुरत्तब है। मौज़ूआत की पहचान करने के क़ायदे मुकर्रर हैं। हदीष के दर्जे रावियों के दर्जात के ज़वाबित मुदव्वन (संकलित, इतिख़ाब व तर्तीब के साथ जमा किया हुआ) है। इल्मु अल्फ़ाज़िल हदीष के उसूल क़ायम हैं।

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की हदीष जिल्लिल अर्श में एक रावी से ज़रा सी लफ़ज़ी तक्दीम व ताख़ीर हो गई थी। मुहद्दिषीन ने तहक्कीक़ो-तफ़्तीश (खोज-बीन) करके बता दिया कि असल तर्तीब इस तरह है। (नुजहतुल फ़िक़्)

मुहद्दिषीन इस दर्जा तहक्कीक़ व तफ़्तीश करते थे कि रिवायत के सहीह-सहीह हालात खुल जाते थे और वफ़ज़ाअ (झूठी हदीष गढ़ने वाले) इकरार पर मजबूर हो जाते थे।

मवील बिन इस्माईल से एक शैख़ ने कुआन मजीद की सूरतों के फ़जाइल हज़रत उबय इब्ने कअब से मफ़ूअन रिवायत किये। मवील ने उनसे पूछा कि ये हदीष आप तक किससे पहुँची? उन्होंने कहा कि मदन के एक शैख़ से और वो अभी ज़िन्दा हैं। मवील मदन पहुँचकर उस शैख़ से मिले और पूछा। उसने एक और शैख़ का हवाला दिया। ये उसके पास पहुँच गये। उसने बसरा के एक शैख़ का हवाला दिया। ये बसरा गये। उसने अबादान के एक शैख़ का हवाला दिया। ये अबादान गये। इस शैख़ ने उनकी एक और शैख़ से मुलाक़ात करवाई। मवील ने उस शैख़ से दर्याप्त किया। तो उसने (इकरार करते हुए) कहा कि मैंने तर्तीब दिलाने के लिये ये हदीष गढ़ी है। (तदरीबुरावी)

इस तरह मौज़ूअ अहदादीष का एक बड़ा ज़ख़ीरा वजूद में आ गया। मगर मुहद्दिषीने किराम ने दूध का दूध और पानी का पानी अलग-अलग करके दिखला दिया। रहिमहुल्लाहु अज्मईन.

हदीष की क्रिस्में :

हदीष की बहुत सी क्रिस्में हैं। सबसे पहले दो क्रिस्में हैं, (1) मक्बूल (स्वीकार्य) (2) मर्दूद (रद्द की हुई, निरस्त) ख़बरे-मक्बूल : ये वो हदीषें हैं जिनको रिवायतो-दिरायत के ए'तिबार से अइम्मा ने हुज्जत के क़ाबिल करार दिया है। ख़बरे-मर्दूद : जिन रिवायतों को रिवायतो-दिरायत के ए'तिबार से नाक़ाबिले हुज्जत करार दिया है।
ये दोनों क्रिस्में तीन क्रिस्मों में बंटी हुई है। क़ौली, फ़ेअली, तक्ररीरी।

क्रौली : रसूले करीम (ﷺ) का क्रौल सहाबी इस तरह बयान करे कि रसूले करीम (ﷺ) ने यूँ फर्माया है।

फ़ेअली : रसूले करीम (ﷺ) के अफ़आल सहाबी इस तरह बयान करे कि रसूले करीम (ﷺ) ने ये काम इस तरह किया है।

तक्ररीरी : सहाबी यूँ बयान करे कि मैंने या फ़लाँ शख़्स ने रसूले करीम (ﷺ) के सामने ये काम इस तरह किया तो आप (ﷺ) ने मना नहीं फर्माया।

इन तीनों किस्मों की भी दो किस्में हैं, (1) सरीही (2) हुक्मी।

सरीही क्रौली : सहाबी हुज़ूर (ﷺ) के बयान फ़र्मूदा अल्फ़ाज़ को इस तरह बयान करे कि जिससे साफ़ मा' लूम हो कि उसने ये खुद हुज़ूर (ﷺ) से सुना है। जैसे, 'समिअतु रसूलल्लाहि (ﷺ)' या 'हद्वघना रसूलल्लाहि (ﷺ)' या 'अख़बानी/अख़बरना रसूलुल्लाहि (ﷺ)' या 'अम्बअनी/अम्बअना रसूलल्लाहि (ﷺ)' मगर अइम्मा ने 'क़ाल रसूलुल्लाहि (ﷺ)' व 'अन रसूलिल्लाहि (ﷺ)' को भी सरीही क्रौली में शुमार किया, क्योंकि बाज़ सहाबा ने दूसरे सहाबा से सुनकर रिवायतें की है।

सरीही फ़ेअली : सहाबी आँहज़रत (ﷺ) के फ़ेअल को इस तरह बयान करे कि उसने ये फ़ेअल आँहज़रत (ﷺ) को करते हुए खुद देखा है। जैसे, 'राइतु रसूलल्लाहि (ﷺ)' मगर मुहदिषीन ने 'क़ान रसूलुल्लाहि (ﷺ)' को इसमें शुमार किया है क्योंकि बाज़ सहाबा (रज़ि.) ने खुद वो फ़ेअल करते हुए नहीं देखा। दूसरे सहाबी से सुनकर रिवायत किया है।

सरीही तक्ररीरी : सहाबी ऐसे काम को जो आँहज़रत (ﷺ) के सामने हुआ और आप (ﷺ) ने उसे रोका नहीं, ऐसे अल्फ़ाज़ में बयान करे जिससे साफ़ मा' लूम हो कि ये काम उसने खुद किया या ये वाक़िया उसके सामने हुआ। जैसे, 'फ़अल्लु बिहज़रतिन्नबिद्यि (ﷺ)' मुहदिषीन ने 'फ़अल फ़ुलानुन बिहज़रतिन्नबिद्यि (ﷺ)' को भी इसमें शुमार किया है।

हुक्मी क्रौली : एक ऐसा सहाबी जो इत्साइलियात से कोई बात माख़ूज़ करने का आदी नहीं, वो ऐसी बात बयान करे जिसका ता'ल्लुक अक्लो-इज्तिहाद, बयाने लुगत और शरहे ग़रीब से न हो। जैसे, अहवाले क़यामत, क़ससे अंबिया वग़ैरह।

हुक्मी फ़ेअली : सहाबी ने ऐसा काम किया हो कि जिसमें इज्तिहाद का दख़ल न हो।

हुक्मी तक्ररीरी : सहाबा ने आँहज़रत (ﷺ) के ज़माने में आप (ﷺ) की ग़ैर-मौजूदगी में कोई ग़ैर-मन्मूअ काम किया हो।

ब-ए'तिबारे शोहरत, अदमे-शोहरत हदीष की दो किस्में हैं, (1) मुतवातिर (2) आह्दाद।

मुतवातिर : वो हदीष जिसको इस क़दर लोग बयान करें कि उनका झूठ पर जमा होना महाल हो। इलमा ने उनकी ता'दाद मुख्तलिफ़ करार दी है। 4, 5, 7, 10, 11, 12, 20, 40, 70, 300.

तवातुर की दो किस्में हैं, (1) तवातुरे फ़ेअली (2) तवातुरे क्रौली

तवातुरे फ़ेअली : रसूले करीम (ﷺ) ने कोई ऐसा काम किया जिसका ता'ल्लुक हर रोज़ या हर वक़्त या कुछ दिनों बाद पै-दर-पै दस्तूरुल अमल से है और तमाम मुसलमान उसको अमल में लाते हैं। जैसे, नमाज़, रोज़ा वग़ैरह से जुड़े मसाइल।

तवातुरे क्रौली : हुज़ूर (ﷺ) का जो इशाद तवातुर से प्राबित हो उसकी दो किस्में हैं, (1) तवातुरे लफ़ज़ी, (2) तवातुरे मा'नवी तवातुरे लफ़ज़ी : यह कि रावियों ने उसके अल्फ़ाज़ को महफूज़ रखा हो।

तवातुरे मा'नवी : यह कि रावियों ने उसके मा'ना और मतलब को महफूज़ रखा हो और अपने अल्फ़ाज़ व इबारत में बयान किया हो।

इन सारी मुतवातिरात की भी दो किस्में हैं, (1) तवातुरे सुकूती (2) तवातुरे ग़ैर सुकूती।

तावतुरे सुकूती : यह कि रावी ने रिवायत किया और किसी ने उस पर इन्कार नहीं किया।

तवातुरे ग़ैर सुकूती : यह कि लोगों ने उस पर इष्बात किया और अमल-दरामद करने लगे।

मुतवातिर चूँकि मुफ़ीद इल्मे—यक़ीनी होती है, इसलिये मक्बूल ही होती है, मर्दूद नहीं होती। ख़बरे मुतवातिर का ता'ल्लुक हिस्से से है। फ़ेअल का ता'ल्लुक हिस्से—बासिरा से है और क़ौल का हिस्से—सामिआ से है।

फ़ेअल के मुता'ल्लिक़ रावी बयान करे, 'राइतु रसूलल्लाहि (ﷺ)' या 'फ़अल कज़ा'

क़ौल के मुता'ल्लिक़ बयान करे, 'समिअतु रसूलल्लाहि (ﷺ)' या 'क़ाल कज़ा'

आह्वाद : जो मुतवातिर न हो। वो रिवायात कि उमूमन उनका ता'ल्लुक़ आम ख़लाइक़ से ऐसा नहीं कि हर घड़ी, हर वक़्त या कुछ दिनों बाद पै—दर—पै अमल में आती रही हों बल्कि किल्लतो—नुदरत के साथ उन पर अमल करने की ज़रूरत पेश आई हो।

ख़बरे वाहिद के रावी अगर अच्छे हैं तो मक्बूल होगी। अगर अच्छे नहीं तो मर्दूद होगी। इमाम नववी (रह.) ने शरह सहीह मुस्लिम में लिखा है कि वो अख़बारे—आह्वाद जो सहीहैन के अलावा हैं, उस वक़्त वाजिबुल अमल होंगे जब कि उनकी सनदें सिहत को पहुँच जाएं।

अख़बारे आह्वाद की तीन क्रिस्में हैं, (1) मशहूर (2) अज़ीज़ (3) ग़रीब.

मशहूर : जिस हदीषे सहीह के रावी हर तबक़े में कम अज़ कम तीन ज़रूर हों या जिसकी रिवायत अहददे सहाबा (रज़ि.) व ताबेईन में कम हुई हो और बाद को कुछ ज़्यादा हुई हो। इसमें यह ज़रूरी नहीं कि रिवायत का सिलसिला इब्तिदा से इन्तिहा (शुरू से आख़िर) तक यक्सां (एक समान) हो।

अगर मशहूर के ख़वात का सिलसिला इब्तिदा से इन्तिहा तक यक्सां है तो उसको मुस्तफ़ीज़ कहेंगे।

अज़ीज़ : वो हदीषे—सहीह जिसके सिलसिल—ए—रिवायत में हमेशा दो ही रावी पाए जाएं। वो कितने ही तुरुक़ से मरवी हो, हर तरीक़ में इन्हीं दो रावियों में से कोई एक रावी पाया जाए।

ग़रीब : वो हदीष जिसके इस्नाद में किसी जगह सिर्फ़ एक ही रावी हो। उसको फ़र्द भी कहते हैं। फ़र्द की दो क्रिस्में हैं, (1) फ़र्दे मुतलक़ (2) फ़र्दे नसबी.

फ़र्दे मुतलक़ : वो है जिसकी सनद में सहाबी से जो रिवायत करता है, वो मुतफ़र्द है। उसको ग़रीबे—मुतलक़ भी कहते हैं।

फ़र्दे नसबी : वो है जिसमें सहाबी से रिवायत करने वाले के बाद कोई रावी मुतफ़र्द नहीं।

ग़रीब बि—हाज़ल्लफ़ज़ : जो हदीष ख़ास़ मतन के ए'तिबार से ग़रीब हो।

ख़बरे मक्बूल की पहली तक्सीम :

सहीह : जिसके रावी मुतदव्यिन, मुतशरअ, जय्यिदुल हिफ़ज़, जाबित, आदिल हों। उसकी सनद लगातार हो। उसमें किसी क्रिस्म की इल्लत न हो।

हसन : मिज़्ले—सहीह की है, फ़र्क़ बस इतना है कि रावी, सहीह के रावियों से सिफ़ते ज़ब्त में कम हो।

इन दोनों क्रिस्मों की दो क्रिस्में हैं, (1) लिज़ातिही (2) लि ग़ैरिही.

सहीह लि ज़ातिही : जिसके रावी आला दर्जे के हों और मुअल्लल व शाज़ न हो।

सहीह लि ग़ैरिही : रावी सहीह लि ज़ातिही से कम दर्जे के हों, अनेक तरीकों से हो, इस्नाद मुतसिल (मिली हुई) हो, शाज़ न हों।

हसन लि ज़ातिही : जिसके रावी हदीषे सहीह के रावियों से सिफ़ते—ज़ब्त में कम हों, लेकिन बहुत सारे तरीकों से हों।

हसन लि ग़ैरिही : जिसके रावी हसन लि ज़ातिही से कम दर्जे के हों। मगर बहुत सारे तरीकों से हों।

क़वी : जिसके सब रावी अक़ील और क़विय्युल हाफ़ज़ा और षिका हों।

शाज़ व महफूज़ : अगर षिका रावी ने किसी ऐसे रावी के ख़िलाफ़ रिवायत की जो इससे राजेह है, तो इस हदीष को शाज़ कहेंगे। इसके मुकाबिल को महफूज़।

मुकरर व मा'रूफ़ : अगर जईफ़ रावी ने कवी रावी के खिलाफ़ रिवायत की उसकी हदीष को मुकरर और मुकाबिल वाली को मा'रूफ़ कहते हैं।

मुताबिअ : हदीषे-फ़र्द के जिस रावी के मुता'ल्लिक गुमान तफ़रूद था। अगर उसका कोई मुवाफ़िक़ मिल गया तो उस मुवाफ़िक़ को मुताबिअ और मुवाफ़िक़त को मुताबअत कहते हैं और अगर मुताबअते-नफ़्स मुन्फ़रिद रावी के लिये है तो उसको मुताबअते-ता'म्मा कहते हैं। और अगर उसके शैख़ या ऊपर के रावी के लिये है तो मुताबअते-क्रासिरा कहेंगे।

ख़बरे-मक्बूल की दूसरी तक्सीम :

मुहकम : जिस हदीष से मक्बूल की कोई हदीष मुआरिज़ न हो।

मुख्तलिफ़ुल हदीष : अगर किसी ख़बरे-मक्बूल के मुआरिज़ कोई ख़बरे-मक्बूल है और उन दोनों में ऐतदाल के तरीके से तताबुक मुमकिन है तो उसको मुख्तलिफ़ुल हदीष कहते हैं।

नासिख़ व मन्सूख़ : जिस ख़बरे-मक्बूल के मुआरिज़ कोई ख़बरे-मक्बूल हो और उनमें तताबुक मुमकिन हो तो जो हदीष मुक़द्दम षाबित होगी वो मन्सूख़ समझी जाएगी और दूसरी नासिख़।

मुतवक्कफ़ फ़ीह : जिन दो हदीषों में तआरुज़ हो और तत्बीक़ मुमकिन न हो और शाने-नुज़ूल के ज़रिये उसको नासिख़ व मन्सूख़ भी करार न दिया जा सके तो दोनों पर अमल करने में तवक्कुफ़ किया जाएगा।

तक्सीमे-ख़बरे-मर्दूद :

हदीष के मर्दूद होने की दो वजहें होती हैं, (1) यह कि उसकी इस्नाद से एक या कई रावी साकित हों (2) यह कि उसका कोई रावी दयानत व ज़ब्त के लिहाज़ से मजरूह हो।

ब-ए'तिबारे सनद :

सुकूते रावी के ए'तिबार से ख़बरे-मर्दूद की चार किस्में हैं, (1) मुअल्लक़ (2) मुर्सल (3) मुअज़ल (4) मुन्क़तअ।

मुअल्लक़ : जिस हदीष के इब्तिदा-ए-सनद से ब-तसरूफ़े रावी एक या अनेक रावी साकित हों या उसकी सनद हज़फ़ कर दी गई हो। या बयान करने वाला अपने शैख़ को छोड़कर शैख़शैख़ से रिवायत करे तो यह हदीष मुअल्लक़ कहलाएगी। अगर रावी मुदल्लिस है तो हदीष मुदल्लस कहलाएगी।

मुर्सल : रावी से ऊपर का रावी जिस हदीष का साकित हो, इस तरह रिवायत करने को ईसाल कहते हैं। अगर कोई ताबेई अपने ऐसे हम-असर (समकालीन) से ईसाल करता है कि जिससे उसकी मुलाक़ात षाबित नहीं तो उसको मुर्सले-ख़फ़ी कहते हैं।

मुअज़ल : जिस हदीष की सनद में दो या दो से ज़्यादा रावी लगातार साकित हों।

मुन्क़तअ : जिस हदीष की सनद से एक या कई रावी मुतफ़रिक़ मक़ामात से साकित हों, हदीषे मअनअन जिसमें अना अना फ़लां फ़लानुन से रिवायत हो या फ़लां रावी से मरवी है, बयान किया जाए। इसमें इमाम बुखारी (रह.) की यह शर्त है कि रावी से मरवी अन्हु की मुलाक़ात षाबित हो। इमाम मुस्लिम (रह.) की शर्त यह है कि दोनों हम-अस्र (समकालीन) हों। बाज़ ने रावी का मरवी अन्हु से रिवायत करना काफ़ी समझा है।

बा-लिहाज़े तअने रावी :

मौजूअ : जिसका रावी हदीषें बनाने वाला मशहूर हो।

मतरूक़ : जिसको झूठे रिवायत करने वाले रावी ने रिवायत किया हो।

मुन्कर : जिसका रावी क़षरत के साथ ग़लतियाँ करता हो।

मुअल्लल : जिस हदीष की सनद में ऐसी इल्लतें हों जो सनद की सिहत में ख़लल-अन्दाज़ होती हों।

मुदरज : इसकी दो किस्में हैं, (1) मुदरजुल इस्नाद (2) मुदरजुल मतन.

मुदरजुल इस्नाद : जिसकी सनद में तगय्युर किया गया हो।

मुदरजुल मतन : मतने हदीष में सहाबी या ताबेई का क़ौल मिला दिया गया हो।

मक्लूब : जिस हदीष की सनद में अस्मा मुक़द्दम, मुअख़्खर हो गये हों या मतन में अल्फ़ाज़ मुक़द्दम, मुअख़्खर हो गये हों।

अल मज़ीदु फ़ी मुत्तसिलिल इस्नाद : जिसकी सनद में कोई रावी ज़्यादा कर दिया गया हो।

मुज्तरिब : रावी में इस तरह तब्दीली कर दी गई हो कि एक रिवायत को दूसरे पर तर्ज़ीह देना मुमकिन न हो या रावी को सिलसिल-ए-रवात या इबारत मतने-हदीष मुसलसल या न रही हो।

मुसहफ़ व मुहरफ़ : अस्मा-ए-रवात में या अल्फ़ाज़ में बावजूदे बक्का-ए-सूरत हज़्बी तगय्युर कर दिया गया हो। जैसे, शुरैह को शुरैज कर दिया गया हो तो उसको मुसहफ़ कहते हैं और अगर अस्मा-ए-रवात में इस तरह तगय्युर हुआ कि जिसे हफ़्फ़ का जा'फ़र हो गया हो तो उसको मुहरफ़ कहते हैं।

रिवायत बिल मा'ना : रावी-ए-हदीष में इख़्तिसार कर ले या अल्फ़ाज़े हदीष को महफूज़ न रखा हो बल्कि मतलब याद रखकर अपनी इबारत में बयान किया। बाज़ अइम्मा ने रिवायत बिल मा'ना को जाइज़ नहीं रखा। बाज़ ने यह शर्त की है कि रिवायत बिल मा'ना अइम्मा के सिवा किसी को जाइज़ नहीं। बाज़ ने यह शर्त लगाई है कि अगर रिवायत बिल मा'ना करने वाला फ़कीह व फ़हीम है तो उसकी रिवायत ली जाएगी। और उसका इख़्तिसार जाइज़ समझा जाएगा। ताबेईन में से इमाम हसन बसरी (रह.), इमाम शोअबा, इमाम इब्राहीम नख़ई, इमाम सुफ़यान प्रौरी रिवायत बिल मा'ना को लेते थे। असल यह है कि जिन लोगों के दिमाग़ में तफ़्क़ुह-फ़िदीन (दीन की समझ) होता है उनको अल्फ़ाज़ का याद रखना मुश्किल होता है क्योंकि उनके दिमाग़ में मतालिब (अर्थों) का इस क़दर हुजूम होता है कि अल्फ़ाज़ के लिये मुश्किल से गुञ्जाइश होती है। मुत्तहिदीन की यही कैफ़ियत थी। इमाम सुफ़यान प्रौरी (रह.) का क़ौल है कि अगर हम एक हदीष को अपने सुने हुए के मुवाफ़िक़ बयान करना चाहें तो नहीं बयान कर सकते। (तज़्किरतुल हुफ़फ़ाज़)

इमाम इब्ने सीरीन (रह.) ने बयान किया कि मैंने एक हदीष को दस शौख़ों से सुना। हर एक ने मुख़्तलिफ़ लफ़्ज़ों में बयान किया मगर उनके मा'ना एक ही थे। (मुसन्नफ़ अब्दुरज़ाक़)

फ़कीह व फ़हीम का मा'ना या इख़्तिसार (संक्षेप) के साथ रिवायत करना नुक्सानदेह नहीं, हाँ! अवाम का ज़रूर मौज़िबे नुक्सान है। इसलिये ख़ास-ख़ास मुत्तहिदीन ने रिवायत बिल मा'ना को जाइज़ रखा। बाकी मुहद्दिषीन अक़््शर रिवायत बिल लफ़्ज़ ही के पाबन्द थे और उनको याद रहता था और वो याद रखते थे। अल्फ़ाज़े-रसूलुल्लाह (ﷺ) का बयान हदीषे-क़ौली ही में हो सकता है। फ़ेअली व तक़्रीरी का बयान तो बिल मा'ना ही होगा।

मुबहम : जिसके रावी का नाम ज़िक्र न किया गया हो या इस तरह ज़िक्र किया गया हो कि सहीह ख़याल क़ायम न हो सके।

मस्तूर : जिसको ऐसे रावी ने रिवायत किया हो कि जिसका हाफ़जा बदल गया हो और यह तहक़ीक़ न हो सके कि ये रिवायत उसके किस ज़माने की है। क़ब्ल अज़ आरिज़ा या बाद अज़ आरिज़ा।

शाज़ : जिसका रावी हमेशा बदहाफ़िज़ा रहा।

मुख़्तलत : जिसके रावी को किसी वजह से सह्व और निस्थान (भूल) का आरिज़ा लाहिक़ हो गया हो। ऐसे रावी की रिवायत जो क़ब्ल अज़ आरिज़ा होगी वो ली जाएगी, जो आरिज़ा के बाद होगी वो कुबूल न की जाएगी।

ज़ईफ़ : जिसके रावियों में कोई रावी कम फ़हम, बद हाफ़िज़ा वग़ैरह हो।

तक़्सीमे ख़बर इस्नाद के लिहाज़ से :

मफ़ूअ : जिस हदीष की सनद रसूलुल्लाह (ﷺ) पर मुन्तही (पहुँच रही) हो और सब रावी षिका हों।

मौकूफ : जिसमें रावी सहाबी के क़ौल, फ़ेअल व तक़रीर को बयान करे।

मक्त्तूअ : जिसमें रावी, ताबेई के क़ौल व फ़ेअल या तक़रीर को बयान करे।

मौकूफ व मक्त्तूअ को अषर भी कहते हैं।

मुस्नद : मर्फूअ सहाबी जो ऐसी इस्नाद से प्राबित हो कि ज़ाहिरी तौर पर मुत्तसिल है।

जिसके सिलसिल-ए-रवात में एक रावी भी बीच में साक़ित न हुआ हो।

नोट : बाज़ हदीषों के साथ **हसन ग़रीब** और **हसन सहीह** वग़ैरह लिखा है। इससे मुराद यह है कि यह हदीष दोनों तरीक़ों से रिवायत की गई है। **मुत्तफ़क़ुन अलैह** वो हदीष है जिस पर इमाम बुखारी (रह.) व इमाम मुस्लिम (रह.) दोनों का इत्तिफ़ाक़ हो। कुल मुत्तफ़क़ अलैह अहदादीष 2326 हैं।

हदीषे कुदसी : वो हदीष है जिसमें रसूले करीम (ﷺ) ने खुदावन्दे जुलजलाल की तरफ़ से बयान किया हो। या 'नी फ़र्माया हो कि अल्लाह तआला यूँ फ़र्माता है। (इक़ितबास अज़ किताबे हसनत अल अख़बार, तारीख़ुल हदीष काज़ी अब्दुस्समद सारिम सियूहारवी)

हदीष : पर फ़त्री नुक्त-ए-नज़र से तब्ज़रा आप मुतालाआ फ़र्मा रहे हैं। यहाँ तक हदीष के मुता'ल्लिक़ कुछ इस्तिलाहात आपने मुलाहज़ा फ़र्माई हैं, जिनकी तफ़सीलात के लिये मुस्तक़िल दफ़्तरों की ज़रूरत है। यहाँ ईजाज़ व इख़ितसार मद्देनज़र है। अब फ़त्रे-हदीष के मुता'ल्लिक़ एक बुनियादी चीज़ पर आपको तवज़ुह दिलाई जाएगी। वो बुनियादी चीज़ इस्नाद है। मुहद्दिषीने किराम ने मुत्तफ़क़ा तौर पर यह कहा है कि 'अल इस्नादु मिन हीनि व लौ लल इस्नादु लक़ाल मन शाअ मा शाअ' या 'नी इस्नाद दीन से है। अगर इस्नाद न होती तो जो शख़्स जो चाहता कह देता। इस्नाद से मुराद वो सनद है जो मुहद्दिषीने किराम अपने उस्तादों से नक़ल करते हुए हदीष को रसूले करीम (ﷺ) तक पहुँचा देते हैं। इस्नाद की जाँच के लिये इल्मे-अस्माउर्रिजाल वजूद में आया। जिसके मुता'ल्लिक़ एक ग़ैर-मुस्लिम फ़लसफ़ी डॉक्टर सिंगर लिखते हैं, 'न कोई क़ौम दुनिया में ऐसी गुज़री, न आज मौजूद है जिसने मुसलमानों की तरह अस्माउर्रिजाल का अज़ीमुश्शान फ़न ईजाद किया हो जिसकी बदौलत आज पाँच लाख शख़्सों का हाल मा'लूम हो सकता है।' इस्नाद की अहमियत पर अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हज़म (रह.) ने बहुत कुछ लिखा है जिसका बेहतरिीन खुलासा उस्तादुल हदीष हज़रत मौलाना बद्रे आलम मेरठी मरहूम ने अपनी क़ाबिले-क़द्र किताब 'तर्जिमानुस्सुन्नह' में पेश फ़र्माया है। चुनाञ्चे हज़रत मेरठी मरहूम अल्लामा इब्ने हज़म के इन मबाहिष को इस तरह नक़ल फ़र्माते हैं।

सनद सिर्फ़ इस्लाम की खासियत है :

हाफ़िज़ इब्ने हज़म (रह.) तहरीर फ़र्माते हैं कि पहले की उम्मतों में किसी को यह तौफ़ीक़ मयस्सर नहीं हुई कि अपने रसूल के कलिमात सहीह-सहीह षुबूत के साथ महफूज़ (सुरक्षित) कर सकें। ये सिर्फ़ इस उम्मत का तुराए-इम्तियाज़ है कि उसको अपने रसूल (ﷺ) के एक-एक कलिमे की सिहत और इत्तिसाल के साथ जमा करने की तौफ़ीक़ बख़्श दी गई है। आज इस ज़मीन पर कोई मज़हब ऐसा नहीं है जो अपने पेशवा के कलिमे की सनद की सहीह तरीक़ पर पेश कर सके। इसके बरख़िलाफ़ इस्लाम है जो अपने रसूल (ﷺ) की सीरत का एक-एक गोशा पूरी सिहतो-इत्तिसाल के साथ पेश कर सकता है।

दीन के षुबूत की छह सूरतें :

हमारे दीन की मो'तबर और ग़ैर-मोत'बर तौर पर मन्कूल होने की कुल छह सूरतें हैं,

(01). पहली सूरत में पूरब से लेकर पश्चिम तक मुस्लिम व काफ़िर सब शरीक हैं। यहाँ मुन्सिफ़ो-मुआनिद की भी कोई तफ़सील नहीं है। जैसा कुआनि करीम तमाम आलम इसका गवाह है कि जो कुआनि हमारे हाथों में मौजूद है, यह वही कुआनि है जो आप (ﷺ) पर नाज़िल हुआ था। इसी तरह पंज वक्ता नमाज़, रमज़ान के रोज़े, ज़कात, हज़्ज और इसी क्रिस्म के वो अहक़ाम जो कुआनि करीम में मन्कूल हैं। सब तवातुर (निरन्तरता) के साथ प्राबित हैं। यहूदो-नसारा के मज़हब में एक बात भी ऐसी नहीं है जिसके मुता'ल्लिक़ वो इतना अज़ीमुश्शान तवातुर पेश कर सकें। उनकी शरीअत का तमाम दारोमदार तौरात पर है जिसके खुद षुबूत ही में सौ तरह के शुब्हात हैं। यहूद को इसका ए'तिराफ़ है कि हज़रत मूसा (अलैहिमिस्सलाम) के बाद आम इर्तिदाद फैल गया था। लम्बे ज़माने तक बुतपरस्ती की जाती थी। अंबिया (अलैहिमिस्सलाम) को तकलीफ़ें दी जाती थीं। हत्ताकि बाज़ को क़त्ल कर दिया जाता था

शरो-फ़साद के इस दौर में भला तौरात की हिफ़ाज़त का क्या ख़याल किया जा सकता है। उसका तवातुर तो दरकिनार है।

नसारा का हाल यह है कि उनके कुल मज़हब की बुनियाद पाँच लोगों पर है। जिनका झूठ खुद उनके बयानात से प्राबित है। कुआनि करीम के तवातुर से भला उसका क्या मुकाबला किया जा सकता है?

(02). दूसरा तरीका भी मुतवातिर है। मगर उसका दायरा पहले से किसी क़दर तंग है। या'नी पहली सूत में अहले इल्म व बे-इल्म मुस्लिम और काफ़िर सब उसमें शरीक होते हैं। यहाँ सिर्फ़ एक महदूद दायरे को उसका इल्म होता है। अगरचे इसका इहाता भी हज़ारों की ता'दाद से मुतजाविज़ होता है जैसा कि आप (ﷺ) के मुअज़िज़ात, मनासिके-हज़्ज और ज़कात के बाज़ अहकाम, अहले ख़ैबर से आप (ﷺ) का मुआहदा वग़ैरह-वग़ैरह यहूदो-नसारा के पास इस जिन्स का षुबूत भी नदारद है।

(03). तीसरी सूत यह है कि उसके नक़ल करने वाले अगरचे हद्दे-तवातुर को न पहुँच मगर भरोसेमन्द लोग हों। फिर वो उसी क्रिस्म के दूसरे चन्द लोगों या एक शख़्स से नक़ल करें और इसी तरह ये नक़ल तबक़ा-ब-तबक़ा आँहज़रत (ﷺ) तक मुत्तसिल हो जाए यहूदो-नसारा के यहाँ इस क्रिस्म की भी कोई सनद नहीं है। यह इम्तियाज़ सिर्फ़ उम्मत-मुहम्मदिया (ﷺ) का है कि उसने अपने रसूल (ﷺ) का एक-एक कलिमा हर मुमकिन से मुमकिन तरीक़ से महफूज़ कर लिया है। और इस खिदमत के लिये पूरब व पश्चिम में इतने नुफ़्स मारे-मारे फिरे हैं कि उनकी सही ता'दाद अल्लाह तआला के सिवा किसी को मा'लूम नहीं। नतीजा यह है कि आज किसी फ़ासिक़ की यह मजाल नहीं रही कि वो दीन का एक शोशा भी अपनी जगह से हटा सके। इसके बरख़िलाफ़ यहूदो नसारा अपने दीन के किसी एक मसले के मुता'ल्लिक भी उसूक के साथ ये प्राबित नहीं कर सकते कि ये उनके दीन का जुज़ है।

(04). चौथी सूत मुसल है या'नी रसूल (ﷺ) और नक़ल करने वाले के बीच का वास्ता मज़कूर न हो। कोई ताबेई बराहे-रास्त आप (ﷺ) का क़ौलो-फ़ेअल नक़ल करे यहूदो-नसारा के पास ज़्यादा से ज़्यादा अपने दीन की कोई सनद है तो क्रिस्म की है। फिर इस तरीके में भी ज़मान-ए-नुबुव्वत से जो कुर्ब हमें हासिल है, उन्हें हासिल नहीं। इस पर उनके लिये अन्दरूनी और बाहरी हालात के नामुवाफ़क़त मज़ीद बरां है। इसलिये जितने तरहुद और शुब्हात के इम्कानात वहाँ पैदा हो सकते हैं, यहाँ नहीं हो सकते। हमारे इल्म में यहूदो-नसारा के पास सिर्फ़ एक ही मसला ऐसा है जिसको उनके किसी आलिम ने बनी इस्राईल के किसी आख़री नबी से बराहे-रास्त सुना है। इसके अलावा उनके तमाम दीन के षुबूत की दरम्यानी कड़ी ग़ायब है। हम इन तरीकों में से अपने तमाम दीन की बुनियाद सिर्फ़ पहले तीन तरीकों पर क़ायम करते हैं। मुसल के कुबूल व रद्द करने के मुता'ल्लिक उसूले हदीष में इख़ितलाफ़ नक़ल किया गया है। हर फ़रीक़ के दलाइल वहाँ मज़कूर हैं। यहाँ तिवालत (विस्तार) के ख़ौफ़ से उनको नक़ल नहीं किया गया।

सहाबी के क़ौलो-फ़ेअल के मुता'ल्लिक भी बड़ी तफ़्सील है। अगर हुक़मन मफ़ूअ है तो वो भी क़ाबिले हुज्जत है, इसकी बहष भी उसूले-हदीष की किताबों में देख ली जाए। (अल मिलल वन्नहर जिल्द नं. 3 पेज नं. 66 से 69)

(05). पाँचवीं सूत यह है कि सनद के बाज़ रावी मजरूह और ग़ैर-षिक़ा भी हों। हमारे नज़दीक ऐसी सनद का ए'तिबार करना हलाल नहीं।

(06). छठी सूत यह है कि वो आँहज़रत (ﷺ) का क़ौलो-फ़ेअल ही न हो बल्कि मज़कूर बाला (उपरोक्त) तरीक़ से किसी सहाबी का क़ौल हो। उसके तस्लीम करने, न करने में भी इख़ितलाफ़ है हम उसे वाजिबुत्तस्लीम नहीं समझते। (अल मिलल वन्नहल जिल्द 3 पेज नं. 66 से 69)

इब्ने हज़्म (रह.) के इस क़ौल से यह मा'लूम हो गया कि तवातुर के अलावा ख़बरे-वाहिद भी दीन में हुज्जत है। दीन की बुनियाद सिर्फ़ तवातुर पर क़ायम करना उसके बहुत बड़े हिस्से को जाए (नष्ट) कर देने के बराबर है क्योंकि तवातुर के साथ जितना हिस्सा प्राबित है वो तमाम दीन के मुकाबले में इतना क़लील (थोड़ा) है कि उसको न होने के बराबर कहा जा सकता है। आगे हज़रत उस्ताज़ुल हदीष ने ख़बरे-वाहिद मुता'ल्लिक ज़रा तफ़्सील से लिखा है, जिसे हम भी मौलाना मरहूम ही के अल्फ़ाज़ में अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं। मौलाना शैखुल हदीष लिखते हैं।

ख़बरे वाहिद की हुजियत :

उसूले हदीष की इस्तिहाह के लिहाज़ से इज्माली तौर पर हदीष की दो क्रिस्में हैं, (1) मुतवातिर (2) ख़बरे वाहिद. हर उस

खबर को जो मुतवातिर न हो, इस्तिलाही तौर पर खबरे वाहिद ही कहा जाता है।

लिहाजा खबरे वाहिद के लफ्ज़ से उसका जो मफहूम दिमाग में पैदा होता है उसी खबरे वाहिद का इन्हिसार न समझना चाहिये बल्कि तवातुर का अदद किसी एक तबक़े में भी फ़ौत हो जाए तो उसको खबरे वाहिद ही कहा जाता है। खवाह वो खबर कितने ही अफ़राद से रिवायत की गई हो। इसका सिर्फ़ यह मफहूम नहीं है कि इसका रिवायत करने वाला हर दौर में सिर्फ़ एक ही शख्स हो, जो लोग मुतवातिर के सिवा खबरे वाहिद को हुज्जत नहीं मानते उनको ज़रा इस बात पर भी ग़ौर करना चाहिये। अगर किसी हदीष के रावी सहाबा और ताबेईन के दौर में क़ुरत के साथ मौजूद हों। फिर किसी एक दौर में उस्तादों व शागिदों की नक़लो हरकत की किल्लता—क़ुरत, माहौल की मवाफ़कत या नामवाफ़कत किसी क़दर कम हो जाएं तो क्या ऐसी खबर को भी रद्द कर देना भी अवली तौर पर मुनासिब है। यही वजह है कि बाज़ मोअतज़िला जो खबरे वाहिद के सबसे पहले मुन्किर हैं, उस पर ग़ौर करते करते इस फ़ैसले के लिये मजबूर हो गये हैं कि अगर हर दौर में इसके रावी दो—दो मौजूद हैं तो फिर ऐसी खबर को हुज्जत कह दिया जाएगा। इसकी तर्दीद की अब कोई वजह नहीं रहती हालांकि सिर्फ़ दो रावियों से किसी खबर को मुतवातिर नहीं कहा जा सकता। वो खबरे वाहिद ही रहती है मगर उसको ऐसी कुव्वत ज़रूर हासिल हो जाती है कि उसको मुफ़ीदे यक़ीन कहा जा सकता है। फिर इस पर भी ग़ौर करना चाहिये कि ये तमाम तक्सीमें इस क़दर महदूद वक़्त के अन्दर—अन्दर हैं कि इसमें ज़ख़ीर—ए—हदीष को साक्रितुल ए' तिवार करार देना बहुत बड़ी ग़फलत है। तदवीने हदीष का दौर तीसरी सदी तक ख़त्म हो जाता है। पहली सदी तक आँहज़रत (ﷺ) के देखने वाले सहाबा (रिज़.) खुद मौजूद हैं और आप (ﷺ) की अहादीष का ज़ख़ीरा मुख्तलिफ़ तौर पर उनके पास मौजूद था। उसके बाद दूसरी सदी शुरू होने न पाई कि तदवीने हदीष का आगाज़ बाज़ाब्ता हो गया। इतने क़लील (थोड़े से) असें में तमाम ज़ख़ीर—ए—अहादीष का एक कलिमे—मश्कूक हो जाना बहुत बईद अज़ क़यास (कल्पना से परे) है।

अगर तदवीने अहादीष सहाबा व ताबेईन के दौर के बाद शुरू होती तो हदीष के षुबूत में शुब्हा करना मा'कूल होता, लेकिन जबकि फ़क़त अहादीष का सिलसिला खुद आप (ﷺ) के ज़माने से बराबर मुत्तसिल तौर पर चला आ रहा है तो अब इसमें शक व शुब्हा करने की कोई गुञ्जाइश बाक़ी नहीं है। इमाम शाफ़िई (रह.) ने अपने रिसाले में इस पर मुस्तक़िल एक मक़ाला लिखा है और आँहज़रत (ﷺ) के ज़माने ही के वाक़ियात से खबरे वाहिद की हुज्जियत ष़ाबित की है। हम यहाँ इसका मुख्तसर खुलासा नीचे दर्ज करते हैं।

पहला वाक़िया :

तहवीले क़िब्ला से पहले अहले कुबा का क़िब्ला भी बैतुल मक़दिस था। लेकिन जब आँहज़रत (ﷺ) का क़ासिद सुबह की नमाज़ में तहवीले क़िब्ला की खबर लेकर उनके पास पहुँचा तो सबने नमाज़ के अन्दर ही अपना रुख़ बैतुल्लाह की तरफ़ बदल लिया। इससे साफ़ ये नतीजा निकलता है कि इनके नज़दीक दीनी मसाइल में खबरे वाहिद हुज्जत थी और अगर बिल फ़र्ज़ इनका यह इक्दाम ग़लत होता तो यक़ीनन आँहज़रत (ﷺ) उनको तम्बीह फ़र्माते कि जब तुम एक क़तई क़िब्ला पर क़ायम थे तो तुमने सिर्फ़ एक शख्स के क़ौल पर एक फ़र्जे—क़तई को कैसे छोड़ दिया। बराहे रास्त मेरी हिदायत या खबरे मुतवातिर का इतज़ार क्यों न किया? मगर यहाँ ए' तिराज़ करना तो दरकिनार अपने जानिब से फ़र्दे वाहिद का भेजना इस बात की खुली हुई दलील है कि खुद साहिबे नुबुव्वत के नज़दीक भी दीन के बारे में एक षिका और सादिक शख्स का क़ौल काफ़ी है।

दूसरा वाक़िया :

यह है कि हज़रत अनस (रिज़.) फ़र्माते हैं कि मैं अबू उबैदा, अबू तलहा, उबई इब्ने क़अब (रिज़.) को शराब पिला रहा था कि एक शख्स आया और उसने खबर दी कि शराब हराम हो गई है। ये सुनकर फौरन अबू तलहा (रिज़.) ने कहा, अनस! उठो और शराब के मटके तोड़ डालो। मैं उठा और शराब के बर्तन तोड़ दिये।

ज़ाहिर है कि शराब पहले शरअन हलाल ही थी लेकिन यहाँ सिर्फ़ एक शख्स के बयान पर उसकी हुर्मत का यक़ीन कर लिया गया और शराब के बर्तन तोड़ डाले गये। हाज़िरीन में से किसी ने इतनी देरी भी नहीं की कि आँहज़रत (ﷺ) से रुबरू जाकर पूछ आता। न किसी ने ये ए' तिराज़ किया कि तहक़ीक़ के पहले माल को जाए (बर्बाद) और इस्पाफ़े—बेजा (फ़िज़ूलख़र्च) क्यों किया गया?

तीसरा वाक़िया :

खुद आँहज़रत (ﷺ) का फ़र्मान है कि आप (ﷺ) ने ज़िना के एक मुक़द्दमे में ज़ानी के इकरार पर उसको कोड़े लगाने का हुक्म दिया और जिस औरत के मुता'ल्लिक उस शख्स ने ज़िना का इकरार किया था उसके पास अनीस (रज़ि.) को भेजा और फ़र्माया कि उससे पूछो, अगर वो भी इकरार करे तो उसको रजम कर दो, वना उस शख्स को हद्दे-कज़फ़ (झूठ की सज़ा) लगाओ क्योंकि उसने बिला शर्इ़ घुबूत के एक औरत पर ज़िना की तोहमत कैसे लगाई? अनीस पहुँचे, उस औरत ने ज़िना का इकरार किया और वो भी रजम कर दी गई।

चौथा वाक़िया :

अमर बिन सुलैम ज़र्क़ी (रज़ि.) अपनी वालिदा से रिवायत करते हैं कि हम मिना में मुक़ीम थे क्या देखते हैं कि हज़रत अली (रज़ि.) ऊँट पर सवार होकर चीख-चीखकर ये कहते चले आ रहे हैं कि ये खाने-पीने के दिन हैं, कोई शख्स इनमें रोज़ा न रखे।

पाँचवां वाक़िया :

यज़ीद बिन शैबान कहते हैं कि हम मक़ामे अरफ़ात में थे, इत्तिफ़ाक़न हमारा मक़ाम आँहज़रत (ﷺ) की क़यामगाह से दूर था, इसी दरमियान में हमारे पास आँहज़रत (ﷺ) का क़ासिद ये पयाम लेकर पहुँचा कि हम जहाँ ठहरे हुए हैं, उसी जगह पर रहें वहाँ से मुन्तक़िल होने की ज़रूरत नहीं। मैदाने अरफ़ात में जहाँ भी क़याम हो जाए, फ़रीज़-ए-उक़ूफ़ हो जाता है।

छठा वाक़िया :

हिज़रत के नौवें साल आँहज़रत (ﷺ) ने हज़रत अबू बक्र सिदीक़ (रज़ि.) को हज़्ज का अमीर बनाकर भेजा ताकि फ़रीज़-ए-हज़्ज को अज़्जाम दें और उनके बाद हज़रत अली (रज़ि.) को रवाना किया कि वो कुफ़्फ़ार को सूरह बराअत की आयात सुनाकर होशियार कर दें कि उन्होंने खुद वा'दाख़िलाफ़ी की है अब अल्लाह का भी उनसे मुआहदा बाक़ी नहीं रहा।

इन तमाम अह्दादीष में आँहज़रत (ﷺ) का एक-एक शख्स को अपनी जानिब से भेजना, बावजूद यह कि आप (ﷺ) का खुद तशरीफ़ ले जाना भी मुमकिन था, इस बात की क़तई दलील है कि दीन में एक दीन में एक पिका और सादिक़ शख्स की ख़बर हुज्जत मानी गई है।

ख़बरे वाहिद की हुज्जियत का एक और घुबूत :

इसके सिवा आप (ﷺ) ने आमिल और क़ासिद जहाँ-जहाँ भी भेजे हैं, उनमें अदद का लिहाज कहीं नहीं किया। कैस बिन आसिम, ज़बरक़ान बिन बदर और इब्ने जुबैर (रज़ि.) को अपने-अपने क़बीलों की तरफ़ रवाना किया। वफ़्दे बहरैन के साथ इब्ने सईद बिन आस को भेजा और मज़ाज़ बिन जबल को यमन के मुकाबिल भेजा और जंग के बाद उनको शरीअत की ता'लीम देने का हुक्म दिया। लेकिन कहीं मन्कूल नहीं कि आप (ﷺ) के आमिलीन के साथ किसी ने यह मुनाक़शा किया हो कि चूँकि यह एक ही फ़र्द है इसलिये इसको सदक़ात व उशर नहीं दिये जाएंगे।

ख़बरे वाहिद की हुज्जियत का तीसरा घुबूत :

इसी तरह आप (ﷺ) ने दा'वते-इस्लाम के लिये मुख्तलिफ़ (विभिन्न) शहरों में 12 क़ासिद रवाना फ़र्माए और सिर्फ़ इस बात की रिआयत की कि हर सिम्त (दिशा) में ऐसा शख्स भेजा जाए जो उस इलाके में इतना मुतआरफ़ (परिचित/मशहूर) हो ताकि लोग उसके झूठा होने का अंदेशा न करें और उनको इसका इल्मीनान हो जाए कि वो आँहज़रत (ﷺ) का क़ासिद है। उसके अलावा आप (ﷺ) के आमिलों और क़ाज़ियों के पास जब भी आप (ﷺ) के खुतूत पहुँचे तो हमेशा उन्होंने फ़ौरन उनको नाफ़िज़ (लागू) किया और ख़्वाह-म-ख़्वाह के शुब्हात को कोई राह न दी। फिर आप (ﷺ) के बाद भी आप (ﷺ) के खुलफ़ा व उम्माल का यही दस्तूर रहा, यहाँ तक कि मुसलमानों में एक ही ख़लीफ़ा, एक ही इमाम, एक ही क़ाज़ी, एक ही अमीर होता। एक मुसल्लमा मसला था, जिसमें कोई इख़्तिलाफ़ न था।

इमाम शाफ़िई (रह.) फ़र्माते हैं कि खबरे वाहिद की हुज्जियत के लिये चन्द अह्दादीष नमूना के तौर पर काफ़ी है। ये वो अक्कीदा है जिस पर हमने उन लोगों को पाया है। जिनको कि हमने देखा और यही अक्कीदा उन्होंने अपने पहले वालों का हमसे बयान किया।

खबरे वाहिद की हुज्जियत का चौथा षुबूत :

हमने मदीना में हमेशा यही देखा है कि आँहज़रत (ﷺ) के सहाबी अबू सईद खुदरी (रज़ि.) एक हदीष नक़ल करते हैं और उससे दीन की एक सुन्नत प्राबित हो जाती है। अबू हुरैरह (रज़ि.) एक रिवायत करते हैं, उससे भी एक सुन्नत प्राबित हो जाती है। इसी तरह एक-एक सहाबी के बयान पर दीन की और सुन्नतें प्राबित होती चली जाती थीं। खबरे वाहिद और मुतवातिर होने का सवाल वहाँ नहीं किया जाता था। आख़िर में इमाम शाफ़िई (रह.) लिखते हैं कि मैंने मदीना व मक्का, यमन व शाम और कूफ़ा के ऊपर लिखे हज़रत को देखा कि वो आँहज़रत (ﷺ) के एक सहाबी से रिवायत करते थे और सिर्फ़ इस एक सहाबी की हदीष से एक सुन्नत प्राबित हो जाती थी। अहले मदीना के चन्द नाम यह हैं;

मुहम्मद बिन जुबैर, नाफ़ेअ बिन जुबैर, यज़ीद बिन तल्हा, मुहम्मद बिन तल्हा, नाफ़ेअ बिन उजैर, अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान, हमीद बिन अब्दुर्रहमान, खारिजा बिन ज़ैद, अब्दुर्रहमान बिन कअब, अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा, सुलैमान बिन यसार, अता बिन यसार वग़ैरह। और अहले मक्का के चन्द नाम हस्बे-ज़ैल (निम्नलिखित) हैं; अता, तारुस, मुजाहिद, इब्ने अबी मुलैका, इकरमा बिन ख़ालिद, उबैदुल्लाह बिन अबी यज़ीद, अब्दुल्लाह बिन बाबाह, इब्ने अबी अम्मार, मुहम्मद बिन मुन्कदिर वग़ैरह। और इसी तरह यमन में वहब बिन मुम्बह, और शाम में मक्हूल, और बसरा में अब्दुर्रहमान बिन ग़नम, हसन और मुहम्मद बिन सीरीन, कूफ़ा में अस्वद, अलक़मा, शाबी।

ग़र्ज़ यह कि तमाम इस्लामी शहर इसी अक्कीदे पर थे कि खबरे वाहिद हुज्जत है। अगर बिल फ़र्ज़ किसी ख़ास मस' ले के मुत'ल्लिक किसी के लिये यह कहना जाइज़ होता कि इस पर मुसलमानों का हमेशा इज्माअ रहा है, तो खबरे वाहिद की हुज्जियत के मुत'ल्लिक भी यह लफ़ज़ कह देता मगर एहतियात के ख़िलाफ़ समझकर इतना फिर भी कहता हूँ कि मेरे इल्म में फ़ुकह-ए-मुस्लिमीन में किसी का इसमें इख़तेलाफ़ नहीं है।

खबरे वाहिद पर अमल न करने की चन्द सूरतें :

हाँ! ये मुमकिन है कि अगर किसी के पास खबरे वाहिद पहुँची हो तो उसने उस पर इसलिये अमल न किया हो कि उसके नज़दीक वो खबर सिहत की हद को न पहुँची हो। या वो हदीष दो मा'नों पर मुहतमिल हो और उसने दूसरे मा'ने पर अमल कर लिया हो। या उसके मुआरिज़ इससे ज़्यादा सहीह हदीष उसके पास मौजूद हो। ग़र्ज़ जब तक तर्जीह की वजह या छोड़ने के अस्बाब में से कोई सबब उसके पास मौजूद न हो, हरिज़ किसी के लिये खबरे वाहिद का तर्क करना जाइज़ नहीं।

खबरे वाहिद के मरतबे (दर्जे) :

इसी के साथ वाज़ेह कर देना ज़रूरी है कि एक वो हदीष जिस पर सबका इत्तिफ़ाक़ हो और एक वो जो किसी ख़ास मस' ले के बारे में सिर्फ़ एक रावी से रिवायत की गई हो, उसमें मुख्तलिफ़ तावीलों की गुञ्जाइश न हो; दोनों बराबर नहीं हो सकतीं। पहली हदीष का तस्लीम (स्वीकार) करना बिला शुब्हा क़तई है अगर उसका कोई इन्कारी हो तो उससे तौबा कराई जाए। लेकिन दूसरी किस्म की हदीष इस दर्जा क़वी नहीं, अगर इस हदीष में कोई शक़ करे तो उससे तौबा का मुतालबा नहीं किया जाएगा, लेकिन उस पर अमल करना वाज़िब होगा जब तक कि अस्बाबे-तर्क में से कोई सबब न पाया जाए। जैसा कि शाहिदों (गवाहों) के बयान पर फ़ैसला कर दिया जाता है। हालांकि यहाँ भी ग़लती और शुक्क (सन्देहों) का एहतिमाल बाक़ी रहता है लेकिन फिर भी जब तक तहक़ीक़ न हो ज़ाहिर हाल पर अमल किया जाता है।

अह्दादीषे सहीहैन मुफ़ीदे यक्नीन हैं :

ह्राफ़िज़ इब्ने हज़म (रह.) से पूछा गया कि आपके नज़दीक हदीष के लिये कितने रावियों की ज़रूरत है जिसके बाद हदीष ज़ाहिरन इल्म को मुफ़ीद हो जाती है? उसके जवाब में ह्राफ़िज़ इब्ने हज़म (रह.) लिखते हैं कि उसके लिये कोई ख़ास अदद (गिनती) मुकरर

नहीं किया जा सकता। अगर दो शख्स भी कोई ख़बर दें जिनके बारे में हमें यह यकीन हो कि इससे पहले न वो कभी एक-दूसरे से मिले हैं और न इस ख़बर में उनके लालच या ख़ौफ़ का कोई मज़मून है। फिर एक-दूसरे की लाइलमी में इस तवील ख़बर को हमारे सामने बयान करें वो अज़ ख़ुद नहीं बल्कि एक-एक जमाअत के वास्ते से तो हमें उनके सिद्क का ज़ाहिरी तौर पर यकीन हासिल हो जाता है। हर वो शख्स जो दुनिया के मामलात में गुजरता है हमारे इस बयान की शहादत दे सकता है। किसी की मौत, विलादत, निकाह, अज़ल, विलायत और इस किसिम के तमाम वाक़ियात का ज़ाहिरी इल्म इन तरीक़ों से हासिल होता है। यहाँ वही शख्स शक व शुब्हा पैदा कर सकता है जो अपने उन दुनियवी मामलात की तरफ़ ग़ौर न करे और रोज़मर्रा के इन वाक़ियात से नज़र चुरा ले।

अगर आप किसी आदमी से एक झूठा अफ़साना (कहानी) तैयार करने के लिये कहें, तो वो यकीनन एक लम्बी कहानी गढ़ सकता है लेकिन अगर दो मकानों में दो शख्सों को अलग-अलग बन्द कर दें तो यह हर्गिज़ नहीं हो सकता कि वो कोई ऐसी हिकायत अपनी जानिब से तैयार कर लें जिनमें दोनों शुरू से आख़िर तक मुत्तहिद हों। हाँ! शाज़ो-नादिर कभी वाक़िया हो गया है कि दो शाइरों के ख़यालात एक-आध मिसरे में इतने मुताबिक हो गये हैं कि उनमें लफ़्ज़ी इत्तिहाद भी पैदा हो गया है। मगर हमें अब तक अपनी उमर में एक वाक़िया भी ऐसा देखने का इत्तेफ़ाक़ नहीं हुआ जिसमें दो शाइरों का किसी एक शेर में भी पूरा-पूरा इत्तिफ़ाक़ हो गया हो। अगरचे लोगों ने इस बारे में ऐसे कलाम की एक फ़हरिस्त पेश की है मगर हमारे नज़दीक वो अक्शर इल्मी बयानात हैं। जिनमें अपने ऐब छुपाने के लिये इत्तिहाद के दा'वे कर दिये हैं। पस कभी ख़बरे वाहिद में भी ऐसे क़यास करने वाले जमा हो जाते हैं कि वो भी ज़ाहिरी तौर पर यकीन को मुफ़ीद हो जाती है और कभी एक जमाअत की ख़बर भी यकीन का फ़ायदा नहीं देती। मज़लन; अगर किसी ख़बर से किसी शहर के बाशिन्दों का नफ़ा-नुक्सान जुड़ा हुआ हो तो अक्ल के नज़दीक पूरे शहर का झूठ पर मुत्तफ़िक्क (सहमत) हो जाना भी मुमकिन नहीं है। बहरहाल ख़बर के मुफ़ीदे यकीन होने का कोई एक ज़ाब्ता नहीं यह हालात और ज़माने के ताबेअ (अधीन) है।

ख़बरे वाहिद के मुफ़ीद यकीन होने पर कुआन से एक इस्तिदलाल :

इसके बाद इब्ने हज़म (रह.) लिखते हैं कि एक किसिम की हदीष वो है कि जिसकी ख़बर देने वाला एक ही शख्स है फिर जिससे वो नक़ल करता है वो भी एक ही शख्स है, इसी तरह एक ही एक (One by one), रावी के हवाले से यह ख़बर आँहज़रत (ﷺ) तक मुत्तसिल हो जाती है। अगर ये वास्ते हस्बे ज़ाब्ता सच्चे और आदिल लोग हैं तो उस पर अमल करना भी वाजिब है। हारिष बिन असद मुहासबी, हुसैन बिन अली अल्कराबैसी का यही मज़हब था। अबू सुलैमान का भी मुख्तार क़ौल यही था और इब्ने ख़ुवैज़ मिन्दा ने यही इमाम मालिक (रह.) से भी नक़ल किया है। कुआने करीम भी इसकी सिहत का शाहिद है, 'फ़ लौला नफ़-रमिन कुल्लि फ़िर्क़तिम मिन्हुम ता-इफ़तुल लियतफ़क़हू फ़िद्दीनि व लियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून.' ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हर जमाअत में से एक ताइफ़ा दीन की ता'लीम के लिये निकल खड़ा होता ताकि जब वो लौटकर अपनी क़ौम के पास आता तो उनको डराता। शायद वो भी बुरी बातों से बचने लगते। (सूरह तौबा : 122)

लुगत में ताइफ़ा किसी चीज़ के एक हिस्से को कहते हैं इसलिये इसका इत्लाक़ एक शख्स से लेकर जमाअत तक किया जा सकता है। लिहाज़ा ऊपर लिखी आयत की रोशनी में हर जमाअत का फ़ज़ है कि जब एक शख्स या कोई जमाअत उनको दीन की बातें पहुँचाए तो वो दीन को कुबूल करें और मानें। (तौजीहुन् नज़र : पेज नं. 40-44)

ह्राफ़िज़ इब्ने तैमिया (रह.) ने इस पर मुस्तक़िल दो मक़ाले (आर्टिकल) लिखे हैं। इनका खुलासा यह है कि जब एक वाक़िया, एक शख्स की ज़बानी हमारे सामने मन्कूल होता है, फिर मुख्तलिफ़ गोशों से, मुख्तलिफ़ तौर पर उसकी मुख्तलिफ़ शहादतें हमें मिल जाती हैं तो अगरचे हर एक शहादत अपनी जगह ख़बरे वाहिद होती है। लेकिन ख़बरों के मजमूआ (संग्रह) से हमें यह यकीन हासिल हो जाता है कि यह वाक़िया यकीनन सहीह है। अक्ल ये हर्गिज़ बावर (स्वीकार) नहीं कर सकती कि मुख्तलिफ़ लोग एक दूसरे की लाइलमी में कोई एक वाक़िया नक़ल करें और फिर वो शुरू से आख़िर तक किसी एक बयान पर मुत्तफ़िक्क (सहमत) हो जाएं। मज़लन; आँहज़रत (ﷺ) और हज़रत जाबिर (रज़ि.) का एक वाक़िया सहीहैन में मौजूद है कि एक सफ़र में आप (ﷺ) ने जाबिर (रज़ि.) से ऊँट ख़रीदा, हालांकि ऊँट की क़ीमत बयान करने में रावियों का इख़्तिलाफ़ है, लेकिन अनेक तरीक़ों से ये प्राबित है कि आप (ﷺ) ने जाबिर (रज़ि.) से ऊँट ख़रीदा था। पस जब मुख्तलिफ़ लोगों ने हमारे सामने इस एक वाक़िये को बयान किया

है, हालांकि हमारे पास इसका भी कोई करीना (कसौटी) नहीं है कि उन लोगों ने इससे पहले कहीं बैठकर इस खबर को बनाने में कोई मश्वरा किया था या इस खबर के बयान करने से उनकी कोई खास गरज जुड़ी हुई है तो इस वाकिये पर यकीन करने में हमें कोई तअम्मुल नहीं रहता। अगर इसके बाद भी हम इस वाकिये में महज अक्ली तौर पर शक व तरहुद करें तो उसका नाम 'तहकीक़े वाक़िया (वाक़िये की खोज-बीन)' नहीं बल्कि वहम-परस्ती है। अल्लामा जज़ाज़ी ने ज़िम्नी तौर पर (या'नी इस सन्दर्भ में) यहाँ एक और बात नक़ल की है। बहुत से नावाक़िफ़ लोगों को मुहद्दिषीन पर यह ए'तिराज़ है कि उन्होंने हदीष की किताबों में ज़ईफ़ हदीषों क्यों जमा कर दी हैं? उसके जवाब में वो लिखते हैं कि मुहद्दिषीन; मजहूल व कमज़ोर हाफ़िज़ा (याददाश्त) वाले लोगों की अहदादीष सिर्फ़ इसलिये जमा करते थे कि ये अहदादीष कम-अज़-कम एक मज़मून की तक़वियत और ताईद (मज़बूती और समर्थन) में कारआमद हो सकती है। 'क़ाल अहमदु क़द अक्तुबु हदीषरज़ुलि लिअ तबिरहू' इमाम अहमद (रह.) फ़र्माते हैं, मैं कभी एक शख़्स की हदीष इसलिये भी लिखता हूँ कि उसको मुताबअत और शवाहिद (गवाह) के तौर पर काम में ला सकूँ। (तौजीह पेज नं. 134)

ख़बरे वाहिद के मुफ़ीद यक़ीन होने पर कुअनि से दूसरा इस्तदलाल :

'या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन् जा-अकुम फ़ासिकुम्बि-नबइन फ़-त-बय्यनु अन तुसी-बु क़ौमम्बिजहालतिन् फ़ तुस्बिहु अला मा फ़अल्लतुम नादिमीन.' ऐ ईमानवालों! जब कोई फ़ासिक़ शख़्स तुम्हारे पास ख़बर लेकर आए तो उसकी तहकीक़ कर लिया करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम बिना तहकीक़ किसी क़ौम पर हमलावर हो जाओ, बाद में तुम्हें अपनी करनी पर नादिम (शर्मिन्दा) होना पड़े। (अल हुजुरात : 6)

इस आयत से यह मा'लूम होता है कि कुअनि करीम ने ख़बरे वाहिद को कुबूल किया है, अगर एक शख़्स की ख़बर क़ाबिले-कुबूल (स्वीकार करने योग्य) न होती तो वो उसको तहकीक़ की बजाय रद्द करने का हुक्म करता। अल्लाह तआला ने अपनी ओर से ख़बरें पहुँचाने के लिये भी जो ज़रिया इख़्तियार फ़र्माया है वो भी ख़बरे वाहिद ही है। या'नी अल्लाह का रसूल एक ही होता है। अगर दीन में उसूलि लिहाज से एक शख़्स की ख़बर क़ाबिले कुबूल न होती तो खुद रसूल (ﷺ) तन्हा अपनी ख़बर पर दूसरों पर ईमान लाने का हुक्म कैसे दे सकते थे? कुअनि करीम ने जहाँ भी ज़ोर दिया है वो रावी की अदालत (न्यायप्रियता) और उसकी सदाक़त (सच्चाई, सत्यता) पर ज़ोर दिया है। यहाँ तक कि सिर्फ़ ज़िना के एक मामले के सिवा, जान के मामले में भी दो लोगों के बयान पर ए'तिबार कर लिया है। और एक जगह भी ख़बरों की तस्दीक़ के लिये तवातुर को शर्त नहीं कहा। अगर दो शख़्सों के बयान पर एक मुसलमान को क़िसासन (बदले के तौर पर) क़त्ल किया जा सकता है या एक चोर का हाथ काटा जा सकता है या एक शख़्स पर हद्दे-क़ज़फ़ (झूठ बोलने की सज़ा) लगाई जा सकती है या लाखों-करोड़ों इन्सानों की मालियत (सम्पत्ति) बाँटी जा सकती है तो क्या ये इस बात का ज़ाहिरी षुबूत नहीं है कि शरीअत ने यक़ीन का मे'यार सिर्फ़ तवातुर पर नहीं रखा। क्या कोई यह कह सकता है कि शरीअत ने एक मुसलमान का क़त्ल, एक मासूम का हाथ काटा जाना, एक बेगुनाह पर क़ज़फ़ और लाखों की मालियत के बाँटे जाने के यक़ीन हुए बग़ैर महज गुमान की बिना (आधार) पर जाइज़ करार दे दी है?

वाक़िया तो यह है कि अगर ज़िना जैसे नाजुक मामले के लिये भी कुअनि करीम ने चार लोगों की गवाही ब-सराहत लाज़िम न की होती तो उम्मत मुहम्मदिया (ﷺ) यहाँ भी दो शख़्सों के बयान से रज्म करने का फ़ैसला कर देती। इलमा ने उसकी हिक्मतें अपनी जगह तफ़्सील के साथ बयान की है। मगर शायद उसकी एक हिक्मत यह भी हो कि ज़िना के एक ही मामले का ता'ल्लुक दो जानों के साथ होता है और यह भी मुमकिन है कि कभी दो लोगों को उस एक ही जुर्म के षुबूत में रज्म करने की नौबत आ जाए इसलिये यहाँ उस जुर्म के षुबूत के लिये वो शहादत शर्त कर दी गई हो जो तन्हा-तन्हा दो जुर्मों के लिये शर्त की गई थी। यहाँ यह बहाना करना कि दो लोगों का बयान एक मुसलमान के क़त्ल कर डालने के लिये तो काफ़ी हो सकता है मगर नमाज़ के एक वाक़िये, आप (ﷺ) के हज़्ज़ की एक सूत, आप (ﷺ) के रोज़े की एक सुन्नत के नक़ल करने के लिये काफ़ी नहीं हो सकता, क़तअन ग़ैर-मा'कूल है। मअतज़िला भी जो दरअसल मुन्किरीने हदीष के काफ़िले के अगुआ हैं, ये देखकर ख़बरे अज़ीज़ के तस्लीम करने पर मजबूर हो गये हैं। दीनी षुबूत के लिये यक़ीन की माँग करना तो मा'कूल हो सकता है मगर तवातुर की शर्त लगाना बिल्कुल बे-माना (निरर्थक) बात है। पस मुन्किरीने हदीष को दो बातों में एक बात साफ़ कर देना चाहिये, (1) यह कि शरीअत ने तवातुर के

अलावा यक्रीन को यक्रीन ही नहीं कहा या (2) खबरे वाहिद किसी हाल में मुफ्रीदे-यक्रीन होती ही नहीं। अगर खारजी कराएन को मिलाकर कभी खबरे वाहिद यक्रीन दे सकती है और अगर शरीअत के नज़दीक ये यक्रीन भी मो' तबर (भरोसेमन्द) है तो फिर ये तफरीक (विभाजन) किसलिये है कि इस क्रिस्म का यक्रीन तो दीन के मा' मले में मो' तबर है और उस क्रिस्म का यक्रीन मो' तबर नहीं है; ये सिर्फ एक वहमपरस्ती है और कुछ नहीं। आगे मौलाना मेरठी मरहूम फ़र्माते हैं,

इब्ने हज़म (रह.) जैसा वसीअ नज़र वाला मुअरिख (इतिहासकार) और आलिम फ़ने इस्नाद को इस उम्मत की ख़ासियतों में शुमार न करता लेकिन वो बड़े फ़ख़ से यह ऐलान करते हैं कि दीन की हिफ़ाज़त के जो चन्द तरीक़े इस उम्मत को मिले हैं उनमें से एक भी पहले की किसी उम्मत को नसीब नहीं हुआ। मुन्किरीने हदीष के क़ौल के मुताबिक़ अगर दीन की हिफ़ाज़त सिर्फ़ तवातुर की एक ही सूरत में मुन्हसिर (आधारित) हो तो फिर तमाम दीन की हिफ़ाज़त का दा'वा या तो सिर्फ़ एक बे-दलील खुश अक़ीदगी बन जाए या दीन के बहुत बड़े हिस्से से महरूम होना पड़े। कुअनि करीम अगरचे मुतवातिर है मगर बहुत से मक़ामात पर उसकी मुराद, उसके मा'ने का तवातुर प्राबित नहीं हो सकता। लुगत में इज्तिहाद प्राबित है, फिर हक़ीक़त व मजाज़, इस्तिआरात, किनायात का ऐसा वसीअ (विस्तृत) बाब है जिस पर मुअतज़िला ने अपने सारे मज़हब की बुनियाद ही रख दी है। उनके नज़दीक ज़ातो-सिफ़ात की आयतें अक्सर इसी बाब में दाख़िल हैं। इन एहतिमालों (संदेहों, शक-शुब्हों) के मौजूद होते हुए हर जगह तवातुर और क़तइयत का दा'वा कैसे किया जा सकता है? इस बिना (आधार) पर अह्दादीष तो दरकिनार कुअनी अहक़ाम के बहुत बड़े हिस्से को भी खोना पड़ेगा। और अगर हठधर्मी से यही दा'वा कर दिया जाए कि इसकी सारी तफ़्सीलात भी ठोस षुबूत और मुतवातिर हैं तो मज़हबी दुनिया में मौजूदा हालात से भी ज़्यादा बिखराव बरपा हो जाएगा। हर शख़्स अपनी अक़ल के अन्दाज़े के मुताबिक़ एक मा'ना तलाश लेगा और उस पर उस इरादे में मुब्तला (लिप्त/शामिल) रहेगा कि यही मा'ना मुतवातिर और क़तई है। मज़लन मुन्किरीने हदीष व हक़ की पैरवी की तमाम आयतों का मफ़हूम यही समझते हैं कि उनमें हदीष के इन्कार की बहुत बड़ी दलील मौजूद है और हदीष के कायल लोग इन्हीं आयतों को इस्बाते हदीष की बहुत बड़ी हुज्जत समझते हैं। अब सोचिये कि अगर ये दोनों मा'ने मुतवातिर हों तो एक-दूसरे से कहाँ तक टकराव की नौबत आ जाएगी? लेकिन अगर गुमानों पर आधारित मसाइल भी कुअन के मातहत रह सकते हैं तो फिर किसी फ़रीक़ को यक्रीनी तौर पर दूसरे को बात्रिल कहने का हक़ नहीं हो सकता। बहुत सी आयतों के मा'नी में सहाब-ए-किराम का इख़्तिलाफ़ प्राबित है, इसके बावजूद चूँकि क़तइयत का दा'वा किसी को न था इसलिये उनमें मुख़ालफ़त का कोई असर भी न था।

इन्कारे हदीष के नतीजे और उनका अज्जाम :

इन्कारे हदीष और यक्रीन हासिल करने के लिये तवातुर शर्त करने के लाज़मी नतीजे नीचे लिखे गये हैं :-

- (01). कुअनि करीम की मा'नवी हिफ़ाज़त और इस्लाम के मुहाफ़ज़त (संरक्षण करने के) इन्तियाज़ी तरीक़े का इन्कार।
- (02). कुअन की जामइयत का वो वसीअ मफ़हूम (विस्तृत भावार्थ) जो अह्दादीष-नबविया पर नज़र रखने से पैदा होता है, उससे महरूम हो जाना।
- (03). आँहज़रत (ﷺ) के बेशक़ीमती तशरीही कलिमात (व्याख्याओं) से महरूमी और आप (ﷺ) की पुरअसरार हालाते ज़िन्दगी से लापरवाही।
- (04). आप (ﷺ) की वफ़ात के बाद, आप (ﷺ) की इताअत से उसूली इन्कार।
- (05). कुअन करीम में जहाँ बीसियों जगह इताअते रसूल (ﷺ) का हुक्म मौजूद है, उन सबकी तावील बल्कि तहरीफ़ करना।
- (06). जिस दौर में कुअन पर अमलपैरा इमाम न हो उसमें 'अतीउल्लाह व अतीउरसूल' के तमाम निज़ाम को छोड़ देना।
- (07). रसूल (ﷺ) की ज़ात में बिना किसी शरई षुबूत के दो हैषियतों का ऐतकाद, फिर उनके अलग-अलग हुकूक की महज अपने दिमाग़ से तक्सीम।
- (08). उस्व-ए-रसूल (ﷺ) जो कुअन की जामइयत का मुफ़स्सल नक़शा था, उसकी ज़हनी तश्कील का कट जाना।
- (09). रसूले करीम (ﷺ) की ज़ात, जो शरई और फ़ितरी जाज़बियत (प्राकृतिक आकर्षण) है, उससे अलैहदगी (दूरी) करना।
- (10). मज़हबी आईनसाज़ी (धार्मिक संविधान के सम्बंध) में आम लोगों की अक़ल की उसूली दस्तअन्दाज़ी (हस्तक्षेप)।

हदीष का इन्कार करना तो आसान है लेकिन उसके इन्कार के जो अवाक़िब (नतीजे) हैं उनको सम्भालना ज़रा मुश्किल है। ये पहलू दीन की तख़रीब का पहलू है, उसकी ता'मीर का पहलू नहीं। मुन्किरीने हदीष को चाहिये कि पहले वो सिर्फ़ कुआन और अपनी अक़ल की मदद से दीन का एक मुकम्मल नक़शा तैयार कर लें। उसके बाद उस मुफ़स्सल (विस्तृत) नक़शे से उसकी तुलना करके देखें जो अह्लादीष की हिदायतों के अन्तर्गत मुरतब हो चुका है। उस वक़्त उनको फ़ैसला करना आसान होगा कि मम्लिकत, दीन की वुस्अत (फैलाव), मुहकमात और मुतशाबिहात के इलाके, हराम व हलाल की हदें, अक्लाइद व आ'माल की बारीकियाँ, मईशत (अर्थव्यवस्था) व तमहुन (संस्कृति) के शोशे, निज़ामो-सियासत (राजनीति और शासन व्यवस्था) की लाइनें किसमें नुमायां और स़ाफ़ नज़र आती हैं। हर मुश्किल को ग़ैर-ज़रूरी कहकर टाल देना हर मुत्लकुल अनानी को दीन के यस्म में दाख़िल समझ लेना, सलफ़ व ख़लफ़ की मा'रूफ़ शाहराह (जाने-माने राजमार्ग) को छोड़कर नये रास्ते की बुनियाद डालना, अपने खुद के तराशे हुए ख़यालात व मज़हमात को हक़ाइक़ (सत्य) और हक़ाइक़ को ख़यालात (कल्पनाएं) समझ लेना दीन नहीं बल्कि कोताह-नज़री, खुद-पसन्दी और वाजिबुतौक़ीर हस्तियों की तहक़ीर करना है। दरहक़ीक़त ये कुदरत की एक ता'ज़ीर है जो इन्कारे हदीष के कारण मिली है।

ये काम यकीनी है कि जो तबक़ा जिस क़दर साहिबे-नुबुव्वत के क़रीबतर है, उसी क़दर मज़हबी लिहाज़ से सहीहतर है। इसलिये मज़हब की झलक जितनी सही तौर पर उनमें नज़र आ सकती है, बाद के दौर में नज़र नहीं आ सकती। लिहाज़ा ज़हन को ख़ाली (निरपेक्ष, तटस्थ) करके आप बराहे-रास्त उनकी तारीख़ का मुतालआ कीजिये तो बिना किसी ग़ौरो-फ़िक़्र के जो बात आपके ज़हन में पैदा होगी, वो सिर्फ़ यही बात होगी कि उनके बीच आँहज़रत (ﷺ) की हैषियत अपनी 23 साला हयाते-तय्यिबा में रिसालत की ही हैषियत समझी गई है और एक लम्हे के लिये भी आप (ﷺ) को एक आम इमाम या अमीर की हैषियत में नहीं समझा गया। उनकी नज़रों में आप (ﷺ) पर ईमान लाना, आप (ﷺ) से मुहब्बत करना, आप (ﷺ) की इताअत करना और वो तमाम कुर्बानियाँ जो उनके बस में थीं, कर गुजरना सिर्फ़ रिसालत ही की एक हैषियत से जुड़ी हुई थीं। वो आप (ﷺ) की इताअत और आप (ﷺ) की फ़र्माबरदारी के लिये नाममात्र पसापेश किये बग़ैर हर वक़्त तैयार रहते थे। और ऐसा कहीं प्राबित नहीं होता कि कुआन के हुक्म या आप (ﷺ) के हुक्म को बजा लाने में उन्होंने कोई तफ़रीक़ (भेद या फ़र्क़) किया हो या आप (ﷺ) का हुक्म प्राबित हो जाने के बाद ज़िन्दगी और मौत का फ़र्क़ भी कभी उनके ज़हनों से गुज़रा हो। उनके नज़दीक आप (ﷺ) के अहक़ाम और आप (ﷺ) की जो हैषियत थी वो हर्गिज़ किसी हाकिम, किसी अमीर और किसी बादशाह के हुक्म की न थी। सलफ़ की तारीख़ का यही नक़शा इतना सच्चा है कि इसमें मुसलमान व काफ़िर दो राय नहीं रखते। यह गई बात सनद की तहक़ीक़ करने, शाहिदों (गवाहों) की तलाश, हर शख़्स को मा'ने समझे बग़ैर हदीष बयान करने की मुमानअत की, तो वो सिर्फ़ एहतियात की नज़र और आप (ﷺ) की तरफ़ ग़लत बातों के मन्सूब कर देने के सद्देबाब (निरस्ती) के लिये थी। अगरचे किसी दौर में कुआन की तरह लिखने और कुआन की तरह हदीष को अपना मशग़ला बनाए रखने की मुमानअत की गई तो सिर्फ़ इस मक़सद से की गई ताकि कुआनी आयात बिना कोई फेर-बदल के महफूज़ की जा सकें क्योंकि उनकी आँखों के सामने तौरात और इब्जील में की गई तहरीफ़ की मिषाल मौजूद थी। अल ग़र्ज सनद की जाँच-पड़ताल, शाहिदों का मुतालबा (गवाहों की माँग करना), किताबत (लिखने) की मुमानअत मगर याद रखने (हिफ़ज़) का एहतिमाम, हर शख़्स को ता'लीम की मनाही और हर क़िस्म की हदीष की रिवायत की रोकथाम, हदीष रिवायत करते वक़्त ख़ौफ़ व हिरास, ज़्यादा ता'दाद में रिवायत करने से एहतिराज़ व ग़ैरह-वग़ैरह; यही सद्देबा (रिज़.) और हदीष के इतिहास का खुलासा है। अब इसे चाहे तो हदीष की मुख़ालफ़त का प्रोग्राम कह ले या हदीष की हिफ़ाज़त, ता'लीमे-दीन की अहमियत, रिवायते हदीष में फ़हम (समझ-बूझ), मुखातबीन (जिनको सम्बोधित किया जा रहा है) की रिआयत, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास, हदीष में लापरवाही से बचना और इंतहाई तशहूद (कष्टरता) व एहतियात से ता'बीर कीजिये।

हर शख़्स की ज़िन्दगी में कुछ वाक़ियात ऐसे भी होते हैं जो ज़ाहिरी तौर पर उसके आम ज़ौक़ या ज़माने के आम (या'नी प्रचलित) ज़ौक़ से ख़िलाफ़ (विपरीत) हो सकते हैं। उनकी असली वजह वक़ती मस्लिहत या कोई और आरज़ी (अस्थायी) सबब भी हो सकता है, सिर्फ़ उन वाक़ियात की बिना (या'नी आधार) पर उसकी सारी ज़िन्दगी या ज़माने के सारे ज़ौक़ को बदल देना, उस दौर के इतिहास को बिगाड़ देने के समान है।

अफ़सोस है कि इस ज़माने में मज़हबी लिट्रेचर (साहित्य) अव्वल तो कोई देखता ही नहीं और अगर कोई देखता है

तो वो भी मुखालिफ़ (विरोधी) के नुक्त-ए-नज़र से ही देखता है। नतीजा यह हो गया कि इस्लाम के वाज़ेह और खुले हुए हक्काइक़ हर दिन नज़री मसाइल बनते चले जाते हैं। इस्लामी ज़हनियत बदल लेने का यह सबसे पहला नुक्सान है और हर नुक्सान जो उसके बाद है, वो उससे शदीदतर (सख्त) है।

'लि मिस्लि हाज़ा यज़ूबुल क़ल्बु मिन क़मद, इन कान फ़िल क़ल्बि इस्लामु व इमानु' (तर्जुमानुस्सुन्नह पेज नं. 218)

फ़त्री तौर पर मुख्तसर लफ़्ज़ों में इतनी वज़ाहत पेश की जा चुकी है कि क़ारेईने किराम (पाठकगण) उनके मुतालआ (अध्ययन) से बहुत सी इल्मी मा'लूमात हासिल कर सकेंगे। अब हमारे सामने हदीष व अहले हदीष के फ़ज़ाइल, अमीरुल मुहद्दिषीन इमाम बुखारी (रह.) व जामेअतुस्सहीह (सहीह अहदीष का संग्रह) जैसे अहम उन्वानात (शीर्षक) हैं। अल्लाह करे कि हम बक़ाया पारों के साथ मुख्तसर व जामेअ मवाद (सारांश) पेश करने में कामयाब हो सकें; चूँकि मुहद्दिषीन खुसूसन इमाम बुखारी (रह.) किसी मस्लकी या फ़िक्ही गिरोह से मुता'ल्लिक़ होने के बजाय खुद एक फ़िक़हुल हदीष के जामेअ मस्लक के दाईं हैं, जो सरासर किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) की पैरवी का नाम है। इसी मस्लक वालों को इस्तिलाहतन (पारिभाषिक तौर पर) अहले हदीष से ता'बीर किया गया है और खुद इमाम बुखारी (रह.) इसी मस्लक के दाईं हैं। लिहाज़ा ज़रूरत है कि पहले मस्लके अहले हदीष का तआरुफ़ (परिचय) कराया जाए; उम्मीद है कि क़ारेईने किराम ग़ौर के साथ मुतालआ करेंगे।

लफ़्ज़ अहले हदीष का मफ़हूम (भावार्थ) :

ये नाम दो लफ़्ज़ों से मिलकर बना है; पहला लफ़्ज़ 'अहल' है; दूसरा लफ़्ज़ 'हदीष' है। इसका तर्जुमा (अनुवाद) 'हदीष वाले' बनता है। हदीष अल्लाह के पाक कलाम कुआन मजीद फ़ुक़ाने हमीद का नाम है, फिर हदीष आख़री नबी-ए-अकरम (ﷺ) के अक़वाल व अफ़आल का नाम है। मतलब यह हुआ कि 'अहले हदीष' के मा'नी 'कुआनो-हदीष वाले' के हैं।

पस मस्लके अहले हदीष की बुनियाद सबसे पहले कुआन मजीद है और उसके बाद वे अहदीषे-सहीहा हैं, जिनको आम बोलचाल में 'सिहाहे सित्ता' के नाम से जाना जाता है। या'नी सहीह बुखारी शरीफ़, सहीह मुस्लिम शरीफ़, जामेअ तिर्मिज़ी, सुनने अबी दाऊद, सुनने निसाई और सुनने इब्ने माजा। हदीष की इन छह मज़बूत व मशहूरतररीन किताबों में बुखारी शरीफ़ को 'सहीहुल कुतुब बअद किताबिल्लाह' का दर्जा दिया गया है। या'नी अल्लाह की किताब कुआन मजीद के बाद ये किताब (बुखारी शरीफ़) इस्लामी दुनिया में सबसे ज़यादा सहीहतरीन किताब है। अहले इस्लाम में अहले हदीष के अलावा दूसरे बेशतर मज़ाहिब भी कुआनो-हदीष का दम भरते हैं मगर उन फ़िक्कों और मस्लके अहले हदीष के तर्ज़े-अमल में ज़मीन-आसमान का फ़र्क़ है। तक़लीदी मज़ाहिब में अव्वलीन बुनियाद अइम्मा के अक़वाल को क़रार दिया गया है, फिर कुआनो-हदीष को अइम्मा के उन अक़वाल और क़ायदों पर पेश किया जाता है। अगर कुआन व हदीष अइम्मा के अक़वाल और क़ायदों की मुवाफ़क़त करें तो उनको तस्लीम (स्वीकार) कर लिया जाता है और अगर वो अइम्मा के अक़वाल के खिलाफ़ वाक़ेअ हों तो उनकी तावील कर दी जाती है। मुलाहज़ा हो कि तावील का मतलब है किसी बात के असली अर्थ से हटकर दूसरा अर्थ बताना। अहदीष को सिर्फ़ तावीलों से रद्द नहीं किया जाता बल्कि उनके लिखने व तदीद करने के लिये दिमाग़ों की सारी काविशें ख़त्म की जाती हैं। मुक़ल्लिदीन ने जिस क़दर भी अहदीष की किताबों की शरह, या हाशिये या तर्जुमे शाए (प्रकाशित) किये हैं, उन सब में यही रविश नुमायां नज़र आती है। अधिक जानकारी के लिये शौक़ रखने वाले हज़रत हमारा मक़ाला 'अर्बाबे देवबन्द और अहले हदीष' का मुतालआ फ़र्माएं। अहले हदीष का उसूल यह है कि कुआनी आयतों और अल्लाह के रसूल (ﷺ) की हदीषों को अइम्मा के अक़वाल और क़ायदों पर मुक़द्दम (श्रेष्ठ) रखा जाए। अगर अइम्मा के अक़वाल कुआनो-हदीष के मुवाफ़क़ हों तो उनको तस्लीम कर लिया जाए और अगर खिलाफ़ नज़र आए तो उनको छोड़ दिया जाए। या'नी कुआनो हदीष को हर हाल में मुक़द्दम रखा जाए। इसलिये कि अइम्मा-ए-किराम अपनी तमाम ख़ूबियों के बावजूद ख़ताओं से मा'सूम नहीं थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) के अलावा सबसे ग़लती, सट्व, निस्नान (भूल) का इम्कान है इसीलिये तमाम अइम्मा-ए-किराम ने अपने शागिदों को ताकीद फ़र्माई कि हमारा जो भी क़ौल किताबो-सुन्नत के खिलाफ़ पाओ उसे छोड़ देना और किताबो-सुन्नत को हर हाल में मुक़द्दम रखना। (हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, अक़दुल जय्यिद वग़ैरह)

पस अहले हदीष का ये वो सहीहतरीन मस्लक है जो ऐन कुआन मजीद व अहदीषे-नबवी (ﷺ) के मुताबिक़ है। जैसा कि कुआन मजीद में इशादि बारी तआल्लम है, 'या अय्युहल्लज़ीन आमनु! अतीउल्लाह व अतीउरसूल व उलिल

अम्पि मिन्कुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुहुहु इलल्लाहि वरसूलि इन कुन्तुम तुअमिनुना बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि ज़ालिक़ ख़ैरुव व अहसनु तावीला.' ऐ ईमानवालों! इताअत करो अल्लाह की और रसूल की और उन लोगों की जो तुम में साहिबे इख़्तियार हों लेकिन तुम में किसी चीज़ को लेकर तनाज़आ (मतभेद) वाक़ेअ हो तो उसको सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ लौटा दो; अगर अल्लाह और आख़िरत के दिन पर तुम्हारा ईमान है और ये बेहतर व उम्दा है। (अन् निसा : 59)

तहक़ीक़ की रू से इस आयते करीमा में अल्लाह की इताअत (कुर्आन मजीद की पैरवी की सूत में) और रसूल (ﷺ) की इताअत (अहादीसे नबवी ﷺ की पैरवी की सूत में) मुअमिनों के लिये असल नस्बुल ऐन (परम लक्ष्य) बतलाया है। इसके बाद 'उलिल अम्' या' नी इन्सानों में साहिबे इख़्तियार लोगों की पैरवी सिर्फ़ वहाँ तक है जहाँ तक कि वो अल्लाह व रसूल (ﷺ) की इताअत से न टकराएँ। इसके विपरीत परिस्थिति होने पर कुर्आन व हदीष के ख़िलाफ़ उनकी बात को रद्द कर देने का हुक्म है क्योंकि 'ला ताअत लिल मख़्लूक़ि फ़ी मअम्रियतिल ख़ालिक़ि' या' नी जहाँ ख़ालिक़ की नाफ़र्मांनी होती हो वहाँ मख़्लूक़ की इताअत लाज़िम नहीं है। यही मस्लक अहले हदीष का है। पहले कुर्आने पाक, उसके बाद अहादीषे नबवी (ﷺ), फिर सहाब—ए—रसूल (ﷺ) के इर्शादात (या' नी आषार), फिर अइम्म—ए—किराम के अक़वाल; सिर्फ़ इसी मस्लके—हक़ की ताईद (समर्थन) में है। खुद सय्यिदिना इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का क़ौल है, 'इज़्जा म्दहल हदीषु फ़हुव मज़हबी' या' नी सही हदीष ही मेरा मज़हब है। नीज़ आपने यह भी फ़र्माया, 'मेरा जो भी क़ौल कुर्आन व हदीष के ख़िलाफ़ हो, उसको छोड़ दो और कुर्आन व हदीष पर अमल करो।' शायद बाज़ हज़रात को हमारे इस दा' वे से तअज्जुब हो कि लफ़ज़ 'हदीष' से अव्वलीन मिस्दाक़ कुर्आन मजीद फ़ुक्क़ाने हमीद है। इसलिये हम अपने दा' वे को मुदल्लल करने के लिये ज़रा सी तफ़्सील नाज़िरीने किराम के सामने रखते हैं।

अव्वलीन हदीष कुर्आन मजीद है :

कुर्आन मजीद में चौदह आयतें ऐसी हैं जिनमें कुर्आन मजीद फ़ुक्क़ाने हमीद के ऊपर लफ़ज़ 'हदीष' का इत्लाक़ (चरितार्थ/लागू) किया गया है। इनमें से कुछ तजुमें के साथ लिखी जा रही हैं,

- (01). 'फ़लयातु बिहदीषिमिज़्लिही' (अत्तूर : 34) मुन्किरीन अगर सच्चे हैं तो कुर्आन मजीद जैसी हदीष है वैसी हदीष वो भी बनाकर लाएँ।
- (02). 'अ फ़मिन हाज़ल हदीषि तअज्जुब' (अन् नज्म : 59) क्या तुम इस हदीष को सुनकर तअज्जुब करते हो?
- (03). 'फ़मालि हाउलाइल क़ौमि ला यकादून यफ़क़हून हदीषा' (अन् निसा : 78) इस क़ौम को क्या हो गया है जो इस हदीष या' नी कुर्आन को समझते ही नहीं?
- (04). 'फ़बिअय्यि हदीषिन बअदल्लाहि व आयातिही युमिनुन' (अल जाषिया : 6) पस अल्लाह पाक और इन आयतों, जो बेहतरीन हदीषें हैं और ये कौनसी हदीष पर ईमान लाएंगे?
- (05). 'व मन अइदकु मिनल्लाहि हदीषा' (अन् निसा : 87) अल्लाह की हदीष से बढ़कर कौनसी हदीष सहीह होगी?
- (06). 'फ़बिअय्यि हदीषिन बअदहु युमिनुन' (अल मुर्सलात : 50) कुर्आन मजीद के होते हुए और ये कौनसी हदीष पर ईमान लाएंगे?
- (07). 'मा कान हदीषय्युफ़तरा' (सूरह यूसुफ़ : 111) ये हदीष मनगढ़त नहीं बल्कि अल्लाह की जानिब से है।
- (08). 'लम युअमिनु बिहाज़ ल हदीषि असफ़ा' (अल कहफ़ : 6) ये लोग अगर इस हदीष (कुर्आन) पर ईमान नहीं लाते तो शायद तुम मारे ग़म के अपने नफ़स को हलाक़ करने वाले हो।
- (09). 'अफ़बिहाज़ल हदीषि अन्तुम मुदहिनुन' (अल वाक़िया : 81) पस क्या तुम इस हदीष के साथ सुस्ती करने वाले हो?
- (10). 'फ़ज़रीन व मय्युक़ज़िबु बिहाज़ल हदीषि' (अल क़लम : 44) इस हदीष के झुठलाने वालों को मेरे लिये छोड़ दो, मैं खुद उनसे निबट लूँगा।

(11). 'अल्लाहु नज्जल अहसनल हदीषि' (अज़् जुम् : 23) अल्लाह ने बेहतर हदीष को नाज़िल फ़र्माया है।

इन सारी आयात में कुआन मजीद पर लफ़्जे 'हदीष' का इल्लाक़ किया गया है। पस इन आयतों की रोशनी में लफ़्ज़ 'अहले हदीष' का मफ़हूम (भावार्थ) होगा, 'आमिलीने कुआन या'नी कुआन पर अमल करने वाले', जो कि हकीक़त की सहीह तर्जुमानी है। मशहूर हदीषे-नबवी (ﷺ) 'अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीषि किताबुल्लाहि व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन (ﷺ)' में इसी हकीक़त की ओर इशारा किया गया है। या'नी खुद अल्लाह के मुक़द्दस रसूल (ﷺ) फ़र्माते हैं कि बेहतरीन हदीष अल्लाह की किताब कुआन मजीद है, फिर बेहतरीन तरीक़ा हज़रत मुहम्मद (ﷺ) का तरीक़ा है।

हदीषे नबवी (ﷺ) भी ऐन वह्ये-इलाही है :

आयते करीमा 'व मा यन्तिकु अनिलहवा इन हुव इल्ला वहयुंय्यूहा' के तहत अह्लादीषे-रसूल (ﷺ) भी ऐन वह्ये-इलाही हैं। फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि उलम-ए-इस्लाम की इस्तिलाह (परिभाषा) में कुआन मजीद को वह्ये-मल्लू (तिलावत करने योग्य वह्य) और हदीष को वह्ये-ग़ैर मल्लू (तिलावत न करने योग्य) करार दिया गया है। हदीष की ता'रीफ़ ज़हननशीं करने के लिये उलम-ए-हदीष की नीचे लिखी तशरीहात मशअले-राह (मार्गदर्शक) प्राबित होंगी।

मुक़द्दमा 'मिश्कात शरीफ़' में है, 'अल हदीषु फ़ी इस्तिलाहिल मुहदिषीन युत्लकु अला क़ौलिन्नबिद्यि (ﷺ) व फ़िअलिही व तक्ररीरिही व मननत्क्ररीरि अन्नहू क़ाल अहदुन शैअन फ़ी हज़रतिही (ﷺ) व लम युन्किर व लम यन्ह अन्हु बल सकत व कररहू' या'नी ज़्यादातर मुहदिषीन की इस्तिलाह में लफ़्जे-हदीष आँहज़रत (ﷺ) के क़ौल, फ़ैअल और तक्ररीर पर बोला जाता है और तक्ररीर के मा'नी यह है कि किसी ने आँहज़रत के सामने कोई काम किया या कोई बात कही और आप (ﷺ) ने न तो उस पर बुरा माना और न उससे रोका बल्कि ख़ामोश रहे और उसे बरकरार रखा, ये भी हदीष में दाख़िल है।

हदीषे-नबवी (ﷺ) ही वो चीज़ है जिसको कुआन मजीद की अनेक आयतों में 'हिकमत' से ता'बीर किया गया हा चुनाञ्चे इशादे बारी तअआला है, 'हुवल्लज़ी बअप्र फ़िल उम्मिय्यीन रसूलम्मिन्हुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन' या'नी अल्लाह पाक वो है जिसने अनपदों में अपना रसूल भेजा जो उनको अल्लाह की आयतें पढ़-पढ़कर सुनाता है और अपनी मुक़द्दस ता'लीम से उनके नफ़्स का तज़किया (शुद्धिकरण) करता है और उनको किताब (या'नी कुआन मजीद) और हिकमत (या'नी अपनी पाकीज़ा हदीषें) सिखलाता है। बेशक उनके तशरीफ़ लाने से पहले ये लोग खुली हुई गुमराही में मुब्तला थे। (अल जुम्आ : 2) हदीषे-नबवी (ﷺ) की हुज्जियत के बारे में ये आयते करीमा ऐसी खुली हुई दलील है जिसका इन्कार वही लोग कर सकते हैं जिनके दिल ईमान के नूर से महरूम हैं। इससे भी वाज़ेह एक और आयते करीमा मुलाहज़ा हो; इशादे बारी तअआला है, 'इन्ना अन्ज़ल्ला इलैकल किताब बिल हक्कि लितहकुम बैनन्नसि बिमा आराकल्लाहु' ऐनबी! बेशक मैंने ये किताब (कुआन मजीद) आपकी तरफ़ हक़ के साथ उतारी है कि आप लोगों में उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला करें जो अल्लाह आपको दिखा दे या'नी समझा दे। (अन् निसा : 105) इस आयत के बारे में इमाम राजी फ़र्माते हैं, 'क़ालल मुहक्किकून हाज़िहिल आयतु तदुल्लु अला अन्नहू अलैहिस्सलामु मा कान यहकुम इल्ला बिल वहयि वन्नस्सि' तहकीक़ करने वालों ने कहा है कि ये आयते करीमा इस बात पर दलालत करती है कि आँहज़रत (ﷺ) वह्य और नस के सिवा फ़ैसला नहीं करते थे। (तफ़सीरे कबीर जिल्द तीन पेज नं. 327) इसीलिये आयते करीमा 'फ़ला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फ़ीमा शजर बैनहुम' (अन् निसा : 65) के तहत आपका फ़ैसला आख़री और क़तई है, जिसकी न तो कहीं अपील की जा सकती है और न उस पर नज़रे-प्राणी (पुनर्विचार) करने की कोई गुंजाइश है। आयते शरीफ़ा 'कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहबिब कुमुल्लाहु' (आले इमरान : 31) में इस हकीक़त को और भी ज़्यादा वाज़ेह कर दिया गया है कि ऐनबी! आप ऐलान कर दीजिये कि ऐ लोगों! अगर तुम अल्लाह को अपना महबूब बनाना चाहते हो तो मेरी फ़र्माबरदारी करो। इससे अल्लाह भी तुमको अपना महबूब बना लेगा। पस इससे मा'लूम हुआ कि नबी-ए-करीम (ﷺ) की पैरवी करना दीन के लिये पहली शर्त है।

और ये तब ही मुमकिन है कि आप (ﷺ) के अक़वाल और अफ़आल की पूरी पैरवी की जाए और याद रहे कि आप (ﷺ) के अक़वाल और अफ़आल का नाम हदीष है। 'क़ाल साहिबु कश्फिः जुनूनि इल्मुल हदीषि हुव इल्मुन युअरफु बिही अक़वालुन्नबिय्यि (ﷺ) व अफ़आलुहु' या'नी इल्मे हदीष वो इल्म है जिसके द्वारा जनाबे नबी करीम (ﷺ) के अक़वाल (कथन), आप (ﷺ) के अफ़आल (काम) और अहवाल (हालात) मा'लूम किये जाते हैं। 'क़ालस्सय्यिदुल यमानी इल्मुल हदीषि इल्मु रसूलिल्लाहि (ﷺ) अल्लज़ी ख़रज मिन्बैन शफ़यतयहि व मायन्तिकु अनिल हवा इन हुव इल्ला वहयुंय्यूहा' या'नी इल्मे हदीष रसूले पाक (ﷺ) का इल्म है जो आप (ﷺ) के दोनों मुबारक होठों के बीच या'नी आप (ﷺ) की ज़बाने मुबारक से ज़ाहिर हुआ आप (ﷺ) की शान ये थी कि दीने इलाही के बारे में आप (ﷺ) जो कुछ बोलते थे, वो ऐन वह्य-इलाही से बोलते थे। पस हदीष ऐन वह्य-ए-इलाही है और इस हक़ीक़त का इन्कार करना चमकते सूरज का इन्कार करने के समान है।

इमाम शौकानी (रह.) 'इशादुल फ़हुल' पेज नं. 29 में लिखते हैं, 'षुबूतु हुज्जियतिस्सुन्नतिल मुतहररति व इस्तिक्लालिहा बितशरीइल अहकामि ज़रूरिय्यतुन दीनिय्युन व ला युख़ालिफु फ़ी ज़ालिक इल्ला मन ला हज्ज लहु फ़ी दीनिल इस्लामि' सुन्नते मुतहहरा या हदीषे नबवी (ﷺ) का तशरीअ अहकाम में हुज्जत होना दीन का एक ज़रूरी मसला है। इसका इन्कार वही शख़्स कर सकता है जिसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। इमाम अय्यूब सख़ितयानी फ़र्माते हैं, 'इज़ा हदफ़्तरज़ुलु बिसुन्नतिन फ़क़ाल दअना अन हाज़ा व अजिब्ना अनिल कुर्आनि फ़अलम अन्नहु ज़ाल्लुन' (मआरिफ़त उलूमुल हदीष इमाम हाकिम पेज नं. 65) या'नी जब तुम किसी के सामने हदीषे रसूल (ﷺ) बयान करो और वो जवाब में हदीष को रद्द करके सिर्फ़ कुर्आन से जवाब माँगे तो जान लो कि ये शख़्स गुमराह है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती (रह.) 'मिफ़्ताहुल जन्नः' पेज नं. 6 पर लिखते हैं, 'इअलमू अन्न मन अनकर कौनल हदीषिन्नबिय्यि (ﷺ) क़ौलन कान औ फ़िअलन बिशर्तिहिल मअरूफ़ि फ़िल उमूलि हज्जतुन कफ़र व ख़रज अन दाइरतिल इस्लामि' या'नी जान लो कि जो शख़्स नबी करीम (ﷺ) की हदीष, ख़्वाह वो क़ौली हो या फ़ेअली और मुकर्रर शर्तों के तहत वो हदीष सहीह प्राबित हो; उसका इन्कार करे तो वो काफ़िर है और इस्लाम के दायरे से ख़ारिज (निष्कासित) है।

आजकल इन्कारे हदीष का तूफ़ान जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहा है वो नाज़िरीन से छुपा हुआ नहीं है। इस बात की सख़्त ज़रूरत है कि इस्लाम के हमदर्द इस फ़ित्ने का डटकर मुकाबला करें। इस्लामी इतिहास में ये कोई नई मुसीबत नहीं है बल्कि इस्लाम तक्ररीबन हर ज़माने में इससे भी बड़े-बड़े हमलों का मुकाबला कर चुका है, आख़िरकार जीत इस्लाम ही को मिली है और सैंकड़ों ज़िन्दीक़ व मुलाहिदा सिर्फ़ एक पुरानी दास्तान बनकर रह गये। आज के मुन्किरीने हदीष, दुश्मनाने सुन्नत का भी यकीनन यही अंजाम होगा।

रहे हैं और भी फ़िरऔन मेरी घात में अब तक
मगर क्या ग़म कि मेरी आस्तीं में है यदे बेज़ा

अहले हदीष कोई नया फ़िर्का नहीं है :

इन्साफ़-पसन्द नाज़िरीन ने ऊपर लिखी तशरीह को पढ़कर समझ लिया होगा कि कुर्आन मजीद और हदीषे-नबवी (ﷺ) सिर्फ़ यही दो चीज़ें मसलक अहले हदीष की बुनियाद हैं। ये दोनों कोई नई चीज़ नहीं बल्कि इस्लाम की इब्तिदाई बुनियाद ही इन दो चीज़ों पर रखी गई है। पस यह प्राबित हो गया कि अहले हदीष कोई नया फ़िर्का नहीं है। नबी करीम (ﷺ) के पाक ज़माने में जितने भी अहले इस्लाम थे वो सब कुर्आन व हदीष के ही मानने वालों की ही जमाअत थी। इसलिये अव्वलीन अहले हदीष सारे सहाब-ए-किराम थे। चन्द ऐसी ऐतिहासिक गवाहियाँ, जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता, नीचे दर्ज हैं :-

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) मशहूर सहाबी हैं जिन्होंने अपने आप को अहले हदीष कहा है। देखें इसाबा जिल्द चार पेज नं. 204, तफ़्किरतुल हुफ़फ़ाज़ जिल्द 1 पेज नं. 29, तारीख़े-बग़दाद जिल्द 9 पेज नं. 467. हज़रत अब्दुल्लाह बिन

अब्बास (रज़ि.) को अहले हदीष कहा गया है जो मशहूरतरीन सहाबी हैं। देखें तारीखे-बगदाद जिल्द तीन पंज नं. 228. हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि.) ने फ़र्माया, 'इन्नकुम खुलूफुना व अहलुल हदीषि बअदुन' (किताबुशफ़ लिल खतीबि पेज नं. 21) या 'नी हमारे बाद तुम ताबेई लोग अहले हदीष हो। पस ज़ाहिर है कि सहाबा व ताबेईन सब अहले हदीष के नाम से मशहूर व मा'रूफ़ थे। इमाम शोअबी (रह.) जो मशहूर अइम्म-ए-इस्लाम और ताबेई में से हैं, उन्होंने पाँच सौ सहाब-ए-रसूल (ﷺ) को देखा और सबको लफ़्ज़े अहले हदीष से याद किया है। (देखें तज़िकरतुल हुफ़फ़ाज़ जिल्द 1 पेज नं. 72)

ताइफ़ा अहले हदीष और मुसन्नफ़ाते कुदमाए इस्लाम :

बाज़ नावाकिफ़ या तअस्सुब रखने वाले लोग कह देते हैं कि जमाअत अहले हदीष की शुरूआत शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वहहाब नज्दी से हुई है जिसकी विलादत 1115 हिजरी और वफ़ात 1206 हिजरी में हुई, ये नया फ़िर्का है। ऐसे हज़रत के इस क़ौल की तदीद के लिये ये कहना काफ़ी है कि जमाअते अहले-हदीष का ज़िक्रे-ख़ैर उन किताबों में भी मौजूद है जो शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वहहाब से स़दियों पहले लिखी गई। पस अहले हदीष की मज़हबी निस्बत शैख़ मौसूफ़ की तरफ़ करना हर्गिज़ दुरुस्त नहीं क्योंकि कोई मंसूब शाने-निस्बत में अपने मन्सूब अलैह से पेशतर नहीं हो सकता। मज़हबे इस्लाम में कुदमाए मुसन्नफ़ीन (पुराने लेखकों) ने तफ़्सीरो-हदीष व फ़िक्ह व उसूल व कलाम व तारीख़ में जिस क़दर किताबें लिखी हैं उनमें से बेशतर में अहले हदीष का ज़िक्र इज़्जत से पाया जाता है।

हमारे मुहतरम हज़रत मौलाना इब्राहीम साहब मीर सियालकोटी क़द्स सिरुहु तारीखे अहले हदीष में इस मौक़े पर फ़र्माते हैं, 'इससे स़ाफ़ ज़ाहिर है कि उन लिखनेवालों की नज़र में ज़रूर एक गिरोह मौजूद था तहक़ीक़ात व तन्कीद की सबको ज़रूरत थी, बाज़ जगह तो उनका ज़िक्र लफ़्ज़ 'अहले हदीष' से हुआ है और बाज़ जगह अस्हाबे हदीष से। बाज़ जगह अहले अषर के नाम से और बाज़ जगह मुहदिषीन के नाम से। हर लफ़्ज़ का सार यही है कि चूँकि इस गिरोह को अहदीष व आपारे नबविया (ﷺ) से एक ख़ास लगाव है इसलिये इनको प्यारे अल्काब से याद करके सिर्फ़ आँहज़रत (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब किया गया और मक़ूला 'अज़ मुस्तफ़ा शुनीदन व अज़ दीगरान बुरीदन' और मिस्रा 'किसी का हो रहे कोई, नबी के हो रहे हैं हम' को स़ादिक़ कर दिखाया। इमाम शाफ़िई (रह.) फ़र्माते हैं, 'युलक़ानिरिज़ालु व अस्हाबुल हदीषि मिन्हुम अहमदुब्नु हम्बल व सुफ़यानुब्नु उयैयनत व औज़ाई' (रिहलतुशशाफ़िइ पेज नं. 14) मुझे आम लोग भी मिलते थे और अस्हाबे हदीष भी जिनमें से बाज़ ये हैं अहमद बिन हंबल और सुफ़यान बिन उयैयना व औज़ाई। इमाम शाफ़िई का सने-विलादत 150 हिजरी और साले वफ़ात 204 हिजरी है। मा'लूम हुआ कि दूसरी स़दी हिजरी में अस्हाबुल हदीष, इमाम शाफ़िई (रह.) के मुताबिक़ इसी नाम से मशहूर व मा'रूफ़ थे। इमाम अहमद (रह.) बगदाद के, इमाम सुफ़यान बिन उययना कूफ़ा के और इमाम औज़ाई शाम के रहने वाले थे। जुगराफ़िया (भूगोल) और एशिया के नक्शे पर नज़र रखने वाले लोग जान सकते हैं कि बगदाद, कूफ़ा और शाम में किस क़दर दूरी है। इससे मा'लूम हुआ हो सकता है कि इमाम शाफ़िई (रह.) के वक़्त में जमाअत अहले हदीष कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। इमाम अबू ईसा तिर्मिज़ी (रह.) 209 हिजरी में पैदा हुए और 279 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई। आपकी अल जामेअ तिर्मिज़ी अहले हदीष और अस्हाबुल हदीष के ज़िक्र से भरी पड़ी है। हनफ़ी फ़िक्ह की किताबों में भी अहले हदीष को एक 'फ़िर्का' करके लिखा है। चुनांचे शामी जिल्द तीन पेज नं. 293 से 294 पर लिखा हुआ है, 'हका अन्न रज़ुलमिन्न अस्हाबि अबी हनीफ़त ख़तब इला रज़ुलिमिन्न अस्हाबिल हदीषि इब्नतहू फ़ी अहदि अबी बक्विल जौजजाई फ़अबा इल्ला अंघ्यतरूक मज़हबहू फयक्राउ ख़ल्फ़त इमामि व यफ़उ यदयहि इन्दल अन्हनाइ व नहवु ज़ालिक फअजाबहू व ज़व्वज़हू' या 'नी रिवायत है कि क़ाज़ी अबू बक्र जोज़जानी के दौर में एक हनफ़ी ने एक अहले हदीष से उसकी बेटी का रिश्ता माँगा तो उस अहले हदीष ने इन्कार कर दिया, मगर इस सू़रत में कि वो हनफ़ी अपना मज़हब छोड़ दे और इमाम के पीछे सू़रह फ़ातिहा पढ़े और रकूअ में जाते वक़्त रफ़अयदैन करे।

और भी इसी तरह मसाइले अहले हदीष पर अमल करे। चुनांचे उस शख़्स ने मस्लके अहले हदीष इख़्तियार करके

आमीन व रफ़अयदैन के साथ नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी और उस अहले हदीष ने अपना वा'दा पूरा करते हुए अपनी लड़की उसके निकाह में दे दी। ये वाक़िया हनफ़ी मज़हब की मशहूर किताब शामी जिल्द तीन पेज नं. 293 से 294 पर साफ़ इसी तरह लिखा हुआ है। खुलासा यह है कि मस्लके अहले हदीष ख़ालिसन (शुद्ध रूप से) किताबो-सुन्नत पर अमल-दरामद करने का नाम है और यही वो चीज़ है जिसे सारी दुनिया चौदह सौ बरस से लफ़ज़ 'इस्लाम' से जानती चली आ रही है। अब हम इस बहस को यहाँ छोड़कर हज़रत इमाम बुखारी (रह.) और जामेउस्सहीह की तरफ़ मुतवज्जह होना ज़रूरी जानते हैं।

हिन्दुस्तान में मुआनिदीने (दुश्मनाने) इमाम बुखारी (रह.) :

हिन्दुस्तान के मुसलमानों में ऐसे लोग भी पाए गये हैं जो महज़ तअस्सुब की वजह से इमाम बुखारी (रह.) से बेवजह बुज़ रखते हैं और जामेउस्सहीह की अज़मत व वक़ार गिराने में कोशां (प्रयासरत) रहते हैं। ऐसे लोग हमारी नज़रों में हैं, उन पर नाम-बनाम हम तब्ज़रा कर सकते हैं मगर तवालत (विस्तार) बहुत हो जाएगा। इसलिये सरेदस्त हमारे सामने डॉक्टर उमर करीम हनफ़ी सालारी हैं। आप पटना के रहने वाले थे। अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह उनकी लज़िशों को माफ़ करे। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) और जामेउस्सहीह पर डॉक्टर साहब मरहूम ने बहुत बरस पहले एक किताब अल जिरह अलल बुखारी लिखी थी जिसमें उन्होंने दिल खोलकर हज़रत इमाम बुखारी और जामेउस्सहीह को मलामत का निशाना बनाया था। यही मैटर है जिसे बाद के असबियत पसन्द उलमा ने सामने रखकर उस मौजू पर ख़ामा-फ़र्साई (क़लम घिसाई) की है और आजकल भी करते रहते हैं। अक़्र के सामने डॉक्टर साहब का ही मैटर है। उसी ज़माने में जमाअत अहले हदीष के मशहूर आलिम मुनाज़िरे इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल क़ासिम साहब सैफ़ बनारसी (रह.) ने डॉक्टर साहब की ना-रवा तन्कीदों का मुदल्लल व मुहज्जब (ठोस व संयमित) जवाब बड़ी तफ़्सील से शाए फ़र्मा दिया था। ये फ़ाज़िलाना जवाब

अल कौषरुल जारी फ़ी जवाबिल जिरह अलल बुखारी

के नाम से मेरे सामने है जो कई जिल्लों में दलीलों के साथ विस्तारपूर्वक दर्ज है। हमारे क़ारेइने किराम ये सुनकर खुश होंगे कि हम हज़रत मौलाना सैफ़ बनारसी साहब की मज़हूर किताब ही से मुख्तलिफ़ इक़्तिबासात (उद्धरण) इमाम बुखारी से वैर-भाव रखने वाले लोगों के जवाब में अपने मुक़द्दमतुल बुखारी की ज़ीनत बना रहे हैं। इसके मुतालअे से क़ारेइने को इमाम बुखारी के उन विरोधियों, जो मर चुके हैं और जो मौजूद हैं, के बेजा ऐतराजात और उनके मुदल्लल जवाबों से आगाह हो सकेंगे। अहले इल्म के लिये हज़रत मौलाना सैफ़ बनारसी (रह.) का नाम जिस क़दर मुस्तनद और महबूब है, उस पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि इस सिलसिले के ये इक़्तिबासात (उद्धरण) तवज्जुह और ग़ौर से पढ़े जाएंगे और एक हद तक हज़रत इमाम बुखारी (रह.) और जामेउस्सहीह के बारे में बेहतर मा'लूमात का ज़रिया होंगे, व हुवल मुवफ़िफ़कु

पहला इक़्तिबास (उद्धरण) हम शुरू किताब ही से दे रहे हैं जो कौषरुल जारी का मुक़द्दमा है।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

हजौतु मुहम्मदन फअजिब्तु अन्हु

व इन्दल्लाहि फ़ी ज़ाकल जज़ाउ

अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल कुहूसिस्सलामिल मुमिनिल मुहैमिनिल अज़ीज़िल बारी- अल्लज़ी बअज़्र फ़िहुनिय़ा लिल इह्यायि सुननि नबिथ्यिहिल अक्रमि अब्बा अब्दिल्लाहि मुहम्मदन अल बुखारी वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदन साहिबुल कौषरिल जारी अल्लज़ी फाहत रवाइह अहादीथिही फ़ी अक्तारिल आलामि बिस्मिल्लाहि बुखारी- मन अख़जहू अख़ज़ बिहज्जिन वाफिरिन व अला कदरहू क उलुव्विल क़वाकिबिहुरारी- व मन हू रम अन दर्सिही व तदरीसिही हरम अनिल ख़ैरि कुल्लिही व लम यनल बिज़ियाइ सारी- अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद- व अला आलिही व सल्लिही मा समिअहू सामिउन व क़रअहुल क़ारी अम्मा बअदु फ़ या अय्युहल इख्वान.

इस ज़मान-ए-अख़ीर पुरआशोब में जो हमदोश हैं साअते कुबरा का, अहले फ़ितन ने हर तरह का गुल मचाया है,

क्रयामत का हंगामा उठाया है। जिधर देखो अहले बिदअत का ज़ोर है, अहले हवा का शोर है। सुन्नत की पैरवी करने वालों का तरीका ठण्डा और नरम है, बिदअत का बाज़ार गरम है। जनता तकलीद के नशे में मदमस्त है और सुन्नत से कोसों दूर है।

सहीह बुखारी, जिसका असहृहल कुतुब होना मुसल्लम है, इस पर इस तरह की ज़ोलीदा-ज़बानी (बेतुकी बातें) व जाज़खाई (बकवास) की जा रही है ताकि उसका नामोनिशान दुनिया के सफ़हे (पन्ने) से ग़लत हर्फ़ की तरह मिटाकर कलअदम (रद्द/निरस्त) कर दिया जाए लेकिन हरीफ़ों को ख़ूब याद रखना चाहिये कि :-

चिरागे—राह कि ईज़द बर फ़रोज़द हर आँकस तुफ़ ज़नद रीशश बसौज़द

इस नूरे—इलाही ज़िया यूँ ही रहेगी, अफ़वाह से मुमकिन नहीं इतफ़ा—ए—बुखारी

तप्सलील इस इज्माल की यह है कि उन दिनों एक रिसाला अल ज़िरह अलल बुखारी (जो मज्मूआ है अहले फ़िक़ह के अख़बार के मज़ामीन का) डॉक्टर उमर करीम हनफ़ी पटनवी ने शाए किया है जिसमें निहायत बेबाकी से सहीह बुखारी पर फ़र्ज़ी नुक्ताचीनियाँ और झूठे ए'तिराज़ात किये गये हैं और निहायत रकीक (तुच्छ, घटिया) व बेहूदा अल्फ़ाज़ इमाम आली मक़ाम की शान में इस्ते'माल करके तहज़ीब व हया का ख़ून किया गया है गोया दरपर्दा अपनी कम-मायगी और क़लीलुल बज़ाअती का धुबूत दिया गया है। ऊपर बयान किये गये उन कारणों की वजह से जवाब लिखने के लिये तबीयत नहीं चाहती थी। लेकिन हज़रत हस्सान बिन षाबित (रज़ि.) का यह मा'नून शे'र याद आया,

हज़ौतु मुहम्मदन फअजिब्तु अन्हु

व इन्दल्लाहि फ़ी ज़ाकल जज़ाउ

इस दूसरे मिसरे ने तबीयत को उभार दिया और अल्लाह की तौफ़ीक़ से क़लम हाथ में उठा लिया। अल्लाह से दुआ है कि इस कठिन बेड़े को पार लगा दे और मंज़िले मक्सूद तक पहुँचा दे।

व थरहमुल्लाहु अब्दन क़ाल आमीन

चूँकि इन ज़िरहों से अक्षर के जवाबात वक़तन-फ़वक़तन शाए हो चुके हैं लिहाज़ा उनमें इख़्तिसार से काम लिया जाएगा और बसा औक़ात हवाले पर ही बस करना काफ़ी होगा। अल्लाह ए'तिराज़ करने वाले साहब को ज़िन्दा रखे, उनके ए'तिराज़ की बदौलत सहीह बुखारी के मतलअ हक़ीक़त से इल्ज़ामात का गर्दो-गुबार दूर हो गया और उसके चेहरे का निखरा रंग अहले नज़र के सामने पेश हो गया।

माँगा करेंगे अब से दुआ हिजे यार की,

आख़िर तो दुश्मनी है अघ़र को दुआ के साथ

रिसाले का जवाब शुरू करने से पहले चन्द ज़रूरी और मुफ़ीद उमूर का तज़्किरा किया जा रहा है जिससे किताब पर रोशनी पड़ने की उम्मीद है। वल्लाहुल मुवफ़िफ़कु वल मुईन

इमाम बुखारी (रह.) :

हमारे जुल्मकश डॉक्टर उमर करीम ने अपनी हनफ़ियत की वजह से रिसाला ज़िरह में अक्षर मक़ामात पर यह इल्ज़ाम रखा है कि हनफ़िया के नज़दीक उनका इल्मो-फ़हम, इज्तिहादो-दिरायत व इफ़ान चूँकि ग़ैर मुसल्लम षाबित नहीं है लिहाज़ा हनफ़ी लोग उनके क़ाइल क़द्र नहीं हो सकते। इसलिये मुनासिब मा'लूम होता है कि इमाम बुखारी की निस्बत महज़ हनफ़िया के अक़वाल पेश कर दूँ ताकि असली हनफ़ी को सरताबी की गुंजाइश न हो। शामी (दुरै-मुख़्तार) के मुअल्लिफ़ (सम्पादक) को कौन नहीं जानता जिनका नामे नामी इब्ने आबिदीन है और मुसल्लम हनफ़ी हैं। अपनी किताब 'उक़दुल लाली' में फ़र्माते हैं,

'अल ज़ामिइल्मुस्नदुस्सहीह लिअमीरिल मुअमिनीन व सुल्तानिल मुहदिषीन अल हाफ़िज़ुशहीर वनाकिदल बसीर मन कान वुजूदुहू मिन्नअमिल कुबरा अललआलमि अल हाफ़िज़ु लिसुन्नति रसूलिल्लाहि (ﷺ) अत्तबतुल हुज्जतुल वाज़िहुल्मुहज्जतु मुहम्मद बिन इस्माईल अल बुखारी व क़द अज्मअष्षिकातु अला हिफ़िज़ही व इतकानिही व ज़लालति क़दरिही व तमीजिही अला मन अदाहू मिन अहलि अस्रिही व किताबुहू असहहल्लुकुतुबि बअद किताबिल्लाहि तआला व असहहल मिन सहीहि मुस्लिम व मनाकिबुहू ला तुस्तक़सा बिख़ुरुजिहा अन

अन तुहसा व हिय मुन्कसमतुन इला हिफ़िज़न व दिरायतिन व इज्तिहादिन फ़िक्तहसीलि वरिवायतिन व नुमुकिन व इफ़ादतिन व वरइन व जुहदतिन व तहक़ीफ़िन व इतक़ानिन व तमक्कुनिन व इरफ़ानिन व अहवालिन व करामातिन व हाज़िही इबारातुन लैसत बिक़प्रतिन व लाकिन मआनीहा ग़ज़ीरतुन व कद अफ़रद क़बीरुम्मिनल इलामाइ तर्जमतहू बितालीफ़ि व औदअहा फ़ी क़ालिबित्तसीफ़ि व जकर मिन करामातिही व मनाक्रिबिही व अहवालिही मिन इब्तिदाइ अमिही इला आख़िरि मा लहू व मख़तुम्स बिही सहीहहू मिनल ख़ुसूसिय्यातिल मुतकाप्रति व यअलमु बिहिस्सामिउ अन्न ज़ालिक़ फ़ज़लुल्लाहि तआला यूतीहि मय्यशाउ मिन इबादिही व यतयक्कुनु अन्नहू मुअजजतुन लिर्सूलि (ﷺ) हैषु वुजिद फ़ी उम्मतिही मिश्लु हाज़ल फ़रीदिल अदीमिन्नज़ीरि रहिमल्लाहु रूहहू व नूर मर्कदिही व ज़रीरिही व हशरूना फ़ी जुम्रतिही तहत लिवाइ सय्यिदिल मुर्सलीन इन्तिहा उक़दुल्लाली' (पेज नं. 102)

जामेअ मुस्नद सहीह के मुअल्लिफ़ अमीरूल मुअमिनीन, सुल्तानुल मुहदिषीन, हाफ़िज़, मशहूर, परखने वाले तजुबेकार, जिनका वजूद दुनिया में बहुत बड़ी ने' मतों में से था। रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नतों के हाफ़िज़, निहायत मो' तबर, राह के वाज़ेह करने वाले मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी, कि तमाम षिक़ा लोगों ने उनके हिफ़ज़ और इतक़ान और बुजुर्गी शान और उनके ज़माने वालों पर मुत्ताज़ होने पर इन्माअ किया है। उनकी किताब (सहीह बुख़ारी) अल्लाह तआला की किताब (कुर्आन मजीद) के बाद सबसे सहीह किताब है हत्ताकि मुस्लिम से भी ज़्यादा सहीह है और उनकी ता' रीफ़े बेहद हैं कि गिनी नहीं जा सकतीं। वो हिफ़ज़ो-दिरायत, इज्तिहादो-रिवायत, इबादत और इफ़ादा, परहेज़गारी और जुहद, तहक़ीफ़ और इतक़ान, तमक्कुन और इरफ़ान, और अहवाल व करामात पर मुन्कसिम हैं और ये इबादतें बहुत नहीं हैं लेकिन इनके मा' नी बहुत हैं। बहुत से उलमाने उनका तर्जुमा और हालात अलग से लिखे हैं और उसको क़ालिबे बयान में लाए हैं। उनकी करामतों और मन्क़बतों और हालतों को इब्तिदा से इन्तहा तक ज़िक़र किया है और उनकी (जामेअ) सहीह के अन्दर जो बहुत सी ख़ुसूसियात हैं उनको भी बयान किया है कि जिससे सुनने वाला मा' लूम कर लेगा। ये अल्लाह तआला का फ़ज़ल है कि अपने बन्दों में से जिसको चाहे अता करे। ये रसूलुल्लाह (ﷺ) का मो' जज़ा है कि आप (ﷺ) की उम्मत में ऐसे-ऐसे नादिर, नायाब और बे-मि़ल्ल लोग पाए गये हैं। अल्लाह तआला उनकी रूह पर रहम करे और उनकी ख़्वाबगाह क़ब्रों को मुनव्वर (रोशन, प्रकाशमान) करे। और हम लोगों को उनके जुमरे में दाख़िल करके सय्यिदुल मुर्सलीन के इण्डे के नीचे महषूर व मुज्तमअ (इक़ट्टा) करे, आमीन! इन्तहा

अल्लाहु अक्बर! कोई हनफ़ी तो इमाम बुख़ारी (रह.) के जुमरे में दाख़िल होने की तमन्ना करे, दुआएं माँगे और कोई इतना मुतनफ़िफ़र? सच है,

कुलाहे ख़ुसरवी व ताजे शाही, बहरे कल के रसद हाशा व कल्ला

सच पूछिये तो इसके बाद किसी हनफ़ी की इबारात पेश करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि अल्लामा शामी हनफ़ी ने तमाम झगड़ों का फ़ैसला कर दिया और इमाम बुख़ारी (रह.) की जामेअ सहीह की सच्ची हालत बयान करके हमें डिग्री दे दी। लेकिन हमारे मुअतरिज़ (आलोचक) डॉक्टर इमर करीम के नज़दीक ऐनी हनफ़ी का ज़्यादा ए' तिबार (विश्वास) है, इसलिये कि उन्होंने अपने रिसाले 'अल जरह' में ज़्यादातर इबारातें ऐनी हनफ़ी की पेश की हैं। लिहाज़ा मुनासिब है कि हम भी अल्लामा ऐनी हनफ़ी का क़ौल पेश करें कि उनके नज़दीक इमाम बुख़ारी (रह.) का क्या रुतबा था?

ऐनी हनफ़ी का क़ौल :

चनाश्चे फ़र्माते हैं,

'अल हाफ़िज़ुल हफ़ीज़ुशहीरुल मुमय्यिज़ुन्नाकिदुल बस़ीरुल्लज़ी शहिदत बिहिफ़िज़ही अल इलामाउष़िकातु वअतरफ़त बिज़बिहिही अल मशाइख़ु अलइष़बातु व लम युन्किर फ़ज़लहू इलामाउ हाज़श़ानि व ला तनाज़अ फ़ी सिहहति तनक़ीहिदही इष़नानि अल इमामुल हुमामु हुज्जतुल इस्लामि अबू अब्दुल्लाहि मुहम्मदुब्नु इस्माईल बुख़ारी असकनहुल्लाहु तआला बिजाबीह जन्नातिही बिअफ़विहिल जारी इन्तिहा' (उम्दतुल क़ारी जिल्द 1 पेज नं. 5)

‘हाफिज़, निगहबान, मशहूर, तमीज़ करने वाले, परखने वाले, तजुबेकार; जिनके हिफ़ज़ (याददाश्त) की गवाही मो’तबर उलमा ने दी है और उनके ज़ब्त का इकरार मोअतर मशाएख ने किया है। और इस शान के उलमा ने उनके फ़ज़ल का इन्कार नहीं किया और यहाँ तक कि उनकी परख के सहीह होने में दो शख्सों ने भी इख़ितलाफ़ (मतभेद) नहीं किया। इमाम बुजुर्ग हुज्जतुल इस्लाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (रह.); अल्लाह उनको उफ़वे-जारी के सदक़े में अपनी जन्नत के बीच में जगह दे।’

अल्लामा ऐनी का तो इमाम के साथ ये अक़ीदा है और आप का कुछ और ही ख़याल है। नामा’ लूम आपकी हनफ़ियत किस रंग की है। हालांकि बीते ज़माने के हनफ़िया के ख़याल और आपके तअस्सुब में आसमानो-ज़मीन का फ़र्क है। देखिये अल्लामा मुल्ला अली क़ारी हनफ़ी क्या लिखते हैं?

‘अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीषि व नासिरुल अहादीषिन्नबविय्यति व नाशिरुल मवारीषिल मुहम्मदिय्यति लम युरफ़ी जमानिही मिश्लुहु मिन जिहति हिफ़िज़ल हदीषि व इतक़ानिही व फ़हमि मअानी किताबिल्लाहि व सुन्नति रसूलिही मिन हैषिय्यति हिहति जिहनिही व दिक्क़ति नज़रिही व वुफ़ूरि फ़िकहिही व कमालि जुहदिही व ग़ायति वरइही व क़प्परति इत्तिलाइही अला तुरूकिल हदीषि व इललिही व कुव्वति इज्तिहादिही व इस्तिम्बातिही इन्तहा’ (मिरकात जिल्द 1 पेज नं. 12)

‘मो’मिनीन के अमीर हदीष में, मदद करने वाले नबवी हदीषों के, फैलाने वाले मुहम्मदी मीराषों के, नहीं देखा गया उनके ज़माने में मिश्ल उनका, जहत से हिफ़जे हदीष और इत्क़ाने हदीष और समझने मा’नी कुआनो-हदीष के और ब-हैषियत तेज़ी और जहनो-बारीकी नज़रो-ज़्यादती फ़िक़हो-कमाल, जुहदो-इनायत परहेज़गारी और बहुत इत्तिला सनदों पर हदीष और इल्लतों पर हदीष के और कुव्वतो-इज्तेहादो-इस्तिबात का।

सुब्हान अल्लाह! क्या कमाल था इमाम बुखारी (रह.) को, कि जिसके ज़िक्र से हनफ़ी मुहक़िक भी रतबुल लिसान है। ऐसे बाकमाल इमाम की शान में आजकल के हनफ़ी (जो दरअसल अपनी हनफ़ियत में भी धब्बा लगाते हैं), कैसी गुस्ताख़ियाँ करते हैं। अल्लाह उनको समझे।

शैख़ अब्दुल हक़ हनफ़ी व शैख़ नूरुल हक़ हनफ़ी के अक़वाल :

मुल्ला अली क़ारी हनफ़ी के समान बल्कि उन्हीं की इब़ारत का तर्जुमा शैख़ अब्दुल हक़ हनफ़ी देहलवी ने ‘अशअतुल लमआत जिल्द 1 पेज नं. 9’ पर और उनके साहबज़ादे शैख़ नूरुल हक़ हनफ़ी देहलवी ने ‘तैयसीरुल क़ारी जिल्द 1 पेज नं. 2’ में एक समान लफ़्ज़ों में किया है, ‘बुखारी, पेशवा व मुक्तदा-ए-फ़न्ने हदीष व अहल आबूदादा और दर्मियान मुहदिषान अमीरिल मोमिनीन फ़िल हदीष व नासिरुल अहादीषुल मुहम्मदिया अलक़ाब उस्तवे व दरज़मान खुद दर हिफ़ज़’

हिन्दुस्तान में तहरीके अहले हदीष :

अज़ क़लम उस्ताज़ुल असातिज़ा बहरुल उलूम हज़रत उस्ताज़ मौलाना नज़ीर अहमद साहब रहमानी अमलवी यके अज़ बानियान, मर्कज़ी दारुल उलूम बनारस यू.पी.

उर्दू अनुवादित इस बुखारी शरीफ़ की इशाअत का अज़ीम मक़सद आज की नई नस्लों और आइन्दा आने वाले इस्लाम के नौनिहालों को सहीह और ठीक-ठीक इस्लाम से मुतआरफ़ (परिचित) कराना है। इसी ठीक-ठीक इस्लाम का दूसरा फ़िक़ही नाम मस्लके अहले हदीष है, जिसकी बुनियाद किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) पर है और सुन्नते नबवी (ﷺ) का सहीह व जामेअ ज़ख़ीर-ए-मुबारक ये किताब बुखारी शरीफ़ है। इसलिये मुनासिब मा’ लूम हुआ कि क़ारेईने किराम को तहरीके

अहले हदीष से परिचित कराया जाए जिसके लिये हज़रत उस्ताज़ुल असातिज़ा मौलाना नज़ीर अहमद साहब (रह.) का ये मक़ाला मुक़द्दमा में दर्ज किया जा रहा है ताकि क़ारेईने किराम तहरीके अहले हदीष की हक़ीक़त से वाक़िफ़ हो जाएं।

उम्मीद है कि ये मक़ाला उस इज़्जत की निगाहों से ग़ौर के साथ (ध्यानपूर्वक) पढ़ा जाएगा, जिसका ये मुस्तहिक्क (हक़दार) है। (खादिम मुहम्मद दाऊद राज़)

इस तहरीक की इमरत उसूल के लिहाज़ से ठीक उन्हीं बुनियादों पर क़ाइम है जिन पर खुद इस्लाम की बुनियाद खड़ी है। इसलिये इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितनी कि खुद इस्लाम की तारीख़ है। लेकिन मेरा मौज़ूअ (विषय) महदूद (सीमित) है। मुझे सिर्फ़ बंटवारे से पहले के हिन्दुस्तान की तहरीके अहले हदीष पर (और वो भी सियासी खिदमतों के नुक़त-ए-नज़र से) एक सरसरी निगाह डालनी है। इसलिये इसकी उम्मी तारीख़ से क़तअ नज़र करते हुए मैं अपने मौज़ूअ की हदों में रहकर ही बातचीत करना चाहता हूँ।

तहरीक का इजमाली तआरुफ़ :

तहरीक अहले हदीष और इसकी दा'वत, उसके अष़रात और उसके कारनामों के मुता'ल्लिक़ हम अपनी तरफ़ से कुछ कहने के बजाय हिन्दुस्तान के एक ऐसे आलिम की तहरीरों के कुछ इक़्तिबासात (उद्धरण, अंश) पेश कर देना मुनासिब समझते हैं, जिनकी इल्मी जलालत और तारीख़ी बस़ीरत का लोहा दुनिया मान चुकी है। वो हैं मौलाना सैयद सुलैमान साहब नदवी मरहूम। सैयद साहब लिखते हैं, 'हिन्दुस्तान पर अल्लाह तआला की बड़ी रहमत हुई कि ऐन तनज़ुली (जवाल, पतन) और सकूत (चुप्पी) के आगाज़ में शाहवली उल्लाह साहब (रह.) के वजूद ने मुसलमानों की इस्लाह और दा'वत का नया निज़ाम तैयार कर दिया था और वो 'रुजूअ इला दोनिस्सलफ़िः सलालिहीन' (सलफ़े-सालेह के दीन की तरफ लौटना) है। इस दा'वत ने हिन्दुस्तान में फ़रोग हासिल किया। भले ही राजनीतिक हैषियत से ये नाकाम रहा लेकिन नज़री व मज़हबी व इल्मी हैषियत से इसकी जड़ें मज़बूत बुनियादों पर क़ाइम हैं, जिनको हिन्दुस्तान का सियासी इंक़लाब (राजनीतिक क्रान्ति) भी अपनी जगह से हिला न सकी।

इस तहरीक का अव्वलीन उसूल यह था कि इस्लाम को बिदअतों से पाक करके, इल्मो-अमल (ज्ञान व कर्म के क्षेत्र) में सलफ़ व सालेहीन की राह पर चलने की दा'वत मुसलमानों को दी जाए और फ़िक्ही मसाइल में फ़ुक्ह-ए-मुहद्दिषीन के तर्ज़ को इख़्तियार किया जाए। यहाँ से सैयद साहब ही की तरफ़ से एक हाशिया है, जिसमें वो फ़र्माते हैं, 'लोगों ने इसको भी मुख्तलफ़ फ़ीह मसला बना रखा है कि वो फ़िक्ह में क्या थे? हज़रत शाह साहब ने अपने सवानेह हयात (जीवनी) 'अल जुज उल लतीफ़' के आख़िर में अपने को खुद ही बता दिया है कि वो क्या थे? फ़र्माते हैं, 'व बअद मिलाख़ता कुतुबे मज़ाहिबे अर्बआ व उसूले फ़िक्ह ईशां व अहादीषे के मुतमस्सिके ईशां अस्त क़रारदारे ख़ातिर ब-मदद नूरे ग़ैबी रविश फ़ुक्ह-ए-मुहद्दिषीन अफ़ताद' या'नी चारों मज़हबों की फ़िक्ह और उनकी उसूले फ़िक्ह की मक्की किताबों और उन अहादीष के गाइर मुतलअ (गहन अध्ययन) के बाद जिनसे वो हज़रत अपने मसाइल में इस्तिनाद (सनदें) फ़र्माते हैं, नूरे ग़ैबी की मदद से फ़ुक्ह-ए-मुहद्दिषीन का त़रीक़ा दिल में नशीं हुआ।

उसी ज़माने में यमन और नज्द में ऐसी तहरीक की तज्दीद (नवीनीकरण) का ख़याल पैदा हुआ जिसको सातवीं सदी के आख़िर और आठवीं सदी के शुरू में अल्लामा इब्ने तैमिया (रह.) और इब्ने क़य्यिम (रह.) ने मिस और शाम (सीरिया) में शुरू किया था। जिसका मक़सद ये था कि मुसलमानों को अइम्म-ए-मुज्ताहिदीन की मुन्जमिद (रूढ़िवादी) तक्लीद और बे-दलील पैरवी से आज़ाद करके अक़ाइदो-आ'माल में असल किताबो-सुन्नत की इत्तेबाअ (पैरवी) की दा'वत दी जाए। मौलाना इस्माइल शहीद (रह.) के दौर में ये तहरीक हिन्दुस्तान तक भी पहुँची और ख़ालिस वलीउल्लाही तहरीक के साथ आकर मुनज्जम (संगठित) हो गई। इसी का नाम हिन्दुस्तान में अहले हदीष है। (मुक़द्दमा सिंधी : अफ़कार पर एक नज़र)

सैयद साहब के इस बयान के नीचे लिखे कुछ फ़ायदे ख़ास तौर पर क़ाबिले-तवज्जुह (विचारणीय) हैं।

- (1). हिन्दुस्तान में जिस दीनी तहरीक और दा'वतो-मस्लक का नाम 'अहले हदीष' है, वो 'ख़ालिस वलीउल्लाही' तहरीक है। दूसरे लफ़्ज़ों में हिन्दुस्तान में इस तहरीक के अव्वलीन दा'वी (पहले प्रवर्तक) शाह वली उल्लाह अलैहिरहमा हैं।

- (2). इस तहरीक का अव्वलीन उसूल और बुनियादी मकसद ये है कि इस्लाम को बिदअतों से पाक किया जाए और मुसलमानों को मुन्जमिद तकलीद और अइम्म-ए-मुज्ताहिदीन की बे-दलील पैरवी से आज़ाद करके अक्राइद व आ'माल में किताबो-सुन्नत की दा'वत दी जाए।
- (3). इस तहरीक को फ़रोग व उरूज मौलाना इस्माईल शहीद (रह.) के दौर में हासिल हुआ।

हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी अलैहिर्रहमा की पैदाइश 1114 हिजरी (1563 ईस्वी) और वफ़ात 1176 हिजरी (1624 ईस्वी) में हुई। इस लिहाज़ से आपकी विलादत हिन्दुस्तान के मशहूर व दीनदार बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर (रह.) की वफ़ात से चार साल पहले हुई। ये तो नहीं कहा जा सकता कि अब तक हिन्दुस्तान किताबो-सुन्नत की रोशनी से सिरे से ही महरूम था। ताहम ये ज़रूर है कि तकलीदे-जामिद के बंधनों से आज़ाद होकर फ़ुक़ह-ए-मुहदिप्पीन के तरीक़ पर बराहे-रास्त किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) को मुतमस्सक करार देना, इस ज़हनो-फ़िक़ की बुनियाद हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब ही ने डाली है। इसीलिये ये कहना बिल्कुल सहीह होगा कि हिन्दुस्तान में मस्लक के अहले हदीष और तहरीक के अहले हदीष के सबसे पहले दाअी हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी अलैहिर्रहमा ही हैं। शाह साहब मौसूफ़ ने अपनी तस्नानीफ़ (लेखनियों) में तकलीद और अमल बिल हदीष के मस्लक को ख़ूब निखारा है। ख़ास तौर पर हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में तो हुज्जत पूरी कर दी। इसीलिये बक़ौल मौलाना अब्दुल्लाह सिंधी (रह.), हज़रत शाह इस्माईल शहीद (रह.) ने ये किताब अपने चचा शाह अब्दुल अज़ीज़ अलैहिर्रहमा से पढ़ी तो उसका अमली नमूना बनकर मैदान में आ गये। मौलाना सिंधी फ़र्माते हैं,

'जब मौलाना मुहम्मद इस्माईल शहीद (रह.) हुज्जतुल्लाह इमाम अब्दुल अज़ीज़ से पढ़ी तो अपने जद्दे अमजद (पूर्वज) के तरीके पर अमल शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी एक ख़ास जमाअत भी तैयार की जो हुज्जतुल्लाहिल बालिगा पर अमल करे। ये लोग शाफ़िइया की तरह रफयदैत और आमीन बिल ज़हर करते थे, जैसा कि सुन्नत में मरवी है। इससे देहली के अवाम में शोरिश (बगावत) फैलती रही मगर हिज्जे वलीउल्लाह का कोई आलिम मौलाना इस्माईल शहीद (रह.) और उनकी जमाअत पर ए'तिराज़ नहीं कर सकता था।' (शाह वलीउल्लाह और उनकी सियासी तहरीक, दूसरा एडीशन पेज नं. 105)

ये उनकी शहादत है जो मौलाना इस्माईल शहीद (रह.) की 'ख़ास जमाअत' (अहले हदीष) से सख्त नाराज़ थे। इसलिये कहना चाहिये कि ये 'अल फ़ज़्लु मा शहिदत बिहिल अअदाउ' की मिस्दाक़ (चरितार्थ) है।

शाह वलीउल्लाह (रह.) की तहरीक से तकलीदे-जामिद से इन्कार और किताबो-सुन्नत के साथ बराहे रास्त तमस्सुक (ग्रहण करने) की ताकीद के मुता'ल्लिक बड़ी ता'दाद में इक्तिबासात (उद्धरण, हवालाजात) पेश किये जा सकते हैं। लेकिन इख्तिसार (संक्षेप) के खयाल से यहाँ सिर्फ़ एक इबारत नक़ल करने पर इक्तिफ़ा करता हूँ (पर्याप्त समझता हूँ)। शाह साहब फ़र्माते हैं,

'व रुब्ब इन्सानिम्मिन्कुम यबलुगुहू हदीषुम्मिन अहादीषि नबिद्यिकुम फ़ला यअमलू बिही व यकूलू इन्नमा अमली अला मज़हबि फ़ुलानिन ला अलल हदीषि शुम्महताला बिअन्न फ़हमल हदीषि वल क़ज़ाई बिही मिन शानिल कमालिल महारति व अन्नल अइम्मत लम यकूनू मिम्मय्युख़्फ़ी अलैहिम हाज़ल हदीष फ़मा तरकुहू इल्ला लिवजहिन ज़हर लहुम फ़िहीनि मिन नससिन औ मरज़ुहिय्यतिन इलमू अन्नहू लैसा मिहीनि फ़ी शैइन इन आमनतुम बिनबिद्यिकुम फ़क्तबिउहू ख़ालफ़ मज़हबन औ वाफ़क़हू कान मरज़ल हक्कि अन तशतग़िल्ल बिकिताबिल्लाहि व सुन्नति रसूलिही इब्तिदाअन फ़इन सहल अलैकुमुल अख़्जु बिहिमा फ़बिहा व निअमत व इन कसुरत अफ़हामुकुम फ़सतइनु बिराम्मिम्मनिम्मि लउलमाउ मा तरौहु अहक्क व असरहु व अवफ़कु बिस्सुन्नति इन्तिहा.' (तफ़हीमाति इलाहियह जिल्द अव्वल स. 214)

तर्जुमा: तुम में बहुत से ऐसे आदमी हैं, जिनके पास नबी (ﷺ) की हदीषों में से कोई हदीष पहुँचती है लेकिन वो उस पर अमल नहीं करते बल्कि कह देते हैं कि हमारा अमल फ़लां (इमाम) के मज़हब पर है, हदीष पर नहीं है। इसके लिये वो हीला (बहाना) बयान करते हैं कि हदीषों का समझना और उसके मुताबिक़ फ़ैसला करना माहिरीन और बा-कमाल (इमामों) का काम है। हमारे इमाम ऐसे न थे जिनको यह हदीषें मा'लूम न रही हो। इसलिये जब जान-बूझकर उन्होंने इस हदीष को छोड़ दिया है तो

ज़रूर इसकी कोई वजह है। या तो हदीष मन्सूख (रद्दशुदा) है या मरजूअ है (शाह साहब इस हीले/बहाने के जवाब में फ़र्माते हैं) ख़ूब जान लो (तुम्हारे) इस (हीले) का दीन से कुछ लगाव नहीं है। अगर तुम अपने नबी (ﷺ) पर ईमान लाए हो तो हर हाल में उनकी इत्तिबा करो। चाहे उनकी बात किसी इमाम के मज़हब से मुवाफ़िक़ (अनुकूल) हो या मुख़ालिफ़ (विपरीत)। (ये भी जान लो) कि अल्लाह तआला के नज़दीक पसन्दीदा बात ये है कि तुम अल्लाह तआला की किताब और उसके नबी (ﷺ) की सुन्नत के साथ सबसे पहले मशगूलियत (व्यस्तता) इख़्तियार करो। अगर कुआन और हदीष को ख़ुद समझ लो तो उससे बेहतर क्या है? और अगर तुम्हारी समझ इससे क़ासिर (नाकाम/असमर्थ) हो तो गुज़िश्ता उलमा की रायों से मदद लो उनमें से जिसकी बात को हक़ पाओ और उसे सुन्नत के मुताबिक़ देखो, उसे ले लो।

इस इक़्तिबास में शाह साहब ने किताबो—सुन्नत के साथ जिस तरह का इश्तिग़ाल इख़्तियार करने को अल्लाह तआला की 'पसन्दीदा बात' क़रार दिया है और उससे कुआनो—हदीष के साथ जिस तरीक़े—अमल को इख़्तियार करने की मुसलमानों को दा'वत दी है, अल्लाह तआला का शुक्र है कि अहले हदीष ठीक उसी बात के क़ाइल हैं और उसी को अपना मस्लक जानते हैं और दूसरों को भी उसकी दा'वत देते हैं। इसलिये बिला शुब्हा (निस्संदेह) शाह साहब अहले हदीष मस्लक के दाअी मुअस्सिस व मुक़्तदा (जिसका सब लोग अनुकरण करें/अग्रसर) थे। (माख़ूज़ अज़ किताब अहले हदीष और सियासत)

तहरीके अहले हदीष के नतीजे व प्रभाव

अज़ फ़ाज़िले दौरां हज़रत मौलाना सय्यद सुलैमान साहब नदवी (रह.)

इस तहरीक ने हिन्दुस्तान के मुसलमानों पर क्या अषर किया और उसकी बदौलत किस किस्म की इस्लाह हुई, उसका हाल जानने के लिये भी मौलाना सुलैमान नदवी मरहूम का ही नीचे लिखा हुआ बयान पढ़ें। सय्यद साहब फ़र्माते हैं, 'अहले हदीष' के नाम से मुल्क में इस वक़्त भी जो तहरीक जारी है, हकीकत की रू से वो क़दम नहीं सिर्फ़ नक़शे—क़दम है। मौलाना इस्माईल शहीद (रह.) जिस तहरीक को लेकर उठे थे, वो फ़िक़ह के चन्द मसाइल न थे बल्कि इमामते कुबरा, तौहीदे ख़ालिफ़ और इत्तिबा—ए—नबी (ﷺ) की बुनियादी ता'लीमात थीं। मगर अफ़सोस ये कि सैलाब निकल गया और बाक़ी जो रह गया है वो पानी की फ़क़त लकीर है। बहरहाल इस तहरीक के जो अषरात पैदा हुए और उस ज़माने से आज तक दूर—दराज की सतह में से जो जुंबिश हुई वो भी हमारे लिये बजाय ख़ुद मुफ़ीद और लाइक़े—शुक्र है। बहुत सी बिदअतों का इस्तिज़ाल (उन्मूलन, जड़ से ख़ात्मा) हुआ, तौहीद की हकीकत निखारी गई, कुआन की ता'लीम व तफ़हीम का आगाज़ हुआ। कुआन पाक से बराहे—रास्त हमारा रिश्ता दोबारा जोड़ा गया। हदीषे नबवी (ﷺ) की ता'लीम व तदरीस और तालीफ़ व इशाअत की कोशिशों कामयाब हुई और दा'वा किया जा सकता है कि पूरी इस्लामी दुनिया में सिर्फ़ हिन्दुस्तान ही को इस तहरीक के जरिये ये दौलत नसीब हुई। नीज़ फ़िक़ह के बहुत से मसलों की छान—बीन हुई (ये और बात है कि कुछ लोगों से ग़लतियां भी हुई हों) लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दिलों से इत्तिबा—ए—नबवी (ﷺ) का जो जज़्बा गुम हो गया था वो सालों—साल के लिये दोबारा पैदा हो गया मगर अफ़सोस है कि अब वो भी जा रहा है। (अल्लाह पाक अहले हदीष हज़रत को ये बयान ग़ौर से मुतालज़ा करने की तौफ़ीक़ अता फ़र्माए, आमीन)

इस तहरीक की हमागीर ताअीर ये भी थी कि वो 'जिहाद' जिसकी आग इस्लाम के मुजस्समे (पुतले) में ठण्डी पड़ गई थी, वो फिर भड़क उठी। यहाँ तक कि एक ज़माना ऐसा भी गुज़रा कि वहाबी और बागी मुतरादिफ़ (बराबर, समानार्थी) लफ़्ज़ समझे गये और कितनों के सर क़लम हो गये और कितनों को सूलियों पर लटकना पड़ा और कितने पाबजूलां दरिया—शोर उबूर कर दिये गये (पाँवों में बेड़ियाँ डालकर अण्डमान की जैल/काला पानी की सज़ा भुगतने वाले कैदी बना दिये गये) या तंग कोठरियों में उन्हें बन्द होना पड़ा। और अब पर्दा कैसा? स़ाफ़ कहना है कि मौलाना अब्दुल अज़ीज़ रहीमाबादी की जिन्दगी तक तहरीक के अलम्बरदारों में ये रूह काम कर रही थी। अफ़सोस कज़ क़बीला मजनु कसे नमानद।

अहले हदीष इलमा की तदरीसी और तसनीफी खिदमत (अध्यापन व लेखन की सेवा) भी कद्र किये जाने के काबिल है। पिछले दौर में नवाब सिद्दीक हसन खान मरहूम के कलम और मौलाना सय्यद नजीर हुसैन देहलवी (रह.) की तदरीस से बड़ा फ़ैज़ (लाभ) पहुँचा। भोपाल एक ज़माने तक इलम-ए-अहले हदीष का मर्कज़ रहा। क़त्रौज, सहवान और आजमगढ़ के बहुत से नामवर अहले इल्म इस इदारे में काम कर रहे थे। शौख हुसैन अरब यमनी उन सबके सरख़ैल (सरदार) थे और देहली में मौलाना सय्यद नजीर हुसैन साहब की मसनदे-दर्स बिछी हुई थी और झुण्ड के झुण्ड हदीष के तलबगार पूरब व पश्चिम से उनकी दर्सगाह का रुख कर रहे थे। उनकी दर्सगाह से जो नामवर उठे उनमें से एक मौलाना इब्राहीम साहब आरवी थे जिन्होंने सबसे पहले अरबी ता'लीम और अरबी मदरसों में इस्लाह का ख़याल कायम किया और मदरसा अहमदिया की बुनियाद डाली। इस दर्सगाह के दूसरे नामवर मौलाना शम्सुल हक़ साहब मरहूम (साहिबे औनुल मअबूद) हैं जिन्होंने अहदीष की किताबों के जमा करने और इशाअत (प्रकाशित) करने को अपनी दौलत और ज़िन्दगी का मक़सद करार दिया। इसमें वो कामयाब भी हुए और इस दर्सगाह के तीसरे नामवर हाफ़िज़ अब्दुल्लाह साहब गाज़ीपुरी हैं जिन्होंने दर्सों-तदरीस (पढ़ाने) के जरिये खिदमत की। कहा जा सकता है कि मौलाना सय्यद नजीर हुसैन साहब के बाद दर्स का इतना बड़ा हलक़ा (क्षेत्र) और शागिदों का मजमा उनके सिवा किसी और को उनके शागिदों में नहीं मिला। उस दर्सगाह से एक और नामवर तर्बियतयाफ़्ता हमारे ज़िला (आज़मगढ़) में मौलाना अब्दुरहमान साहब मुबारकपुरी (मरहूम) थे जिन्होंने तदरीसो-तहदीष के साथ जामेअ तिमिज़ी की शरह तुहफ़तुल अहवज़ी (अरबी) लिखी।

उलाइक़ आबाई फ़जिअनी बिमिज़्लिहिम व इज़ाजमअतना या जरीरल मजामिड

इस तहरीक का एक और फ़ायदा ये हुआ कि मुहत्त का जंग (मोर्चा/काट) तबियतों से दूर हुआ। जो ख़याल हो गया था कि अब तहक़ीक़ का दरवाज़ा बन्द और नये इज्तिहाद का रास्ता मस्दूद (अवरुद्ध/बन्द) हो चुका है, वो रफ़ा (दूर) हो गया और लोग फिर नये सिरे से तहक़ीक़ व काविश के आदी होने लगे। कुर्आन पाक और अहदीषे मुबारका से दलीलों की खू (प्रकृति/आदत) पैदा हुई और क़ीलो-क़ाल के मुकद्दर (किन्तु-परन्तु के मलिन/मैले) गड्डों की बजाय हिदायत के असली साफ़-सुथरे सरचश्मे (झरने) की तरफ़ वापसी हुई। (मुक़द्दमा तराजिम इलमा-ए-हदीष हिन्द)

सय्यद साहब का दूसरा बयान :

यही मौलाना सय्यद सुलैमान साहब नदवी मरहूम 'सीरत सय्यद अहमद शहीद' के मुक़द्दमे में लिखते हैं, 'तेरहवी सदी (हिजरी) में जब एक तरफ़ हिन्दुस्तान में मुसलमानों की सियासी ताक़त फ़ना हो रही थी और दूसरी तरफ़ उनमें मुश्रिकाना रस्मों और बिदअतों का ज़ोर था। मौलाना इस्माईल शहीद (रह.) और हज़रत सय्यद अहमद बरेलवी (रह.) की मुजाहिदाना कोशिशों ने तजदीदे-दीन की नई तहरीक शुरू की। ये वो वक़्त था जब सारे पंजाब पर सिखों का और बाक़ी हिन्दुस्तान पर अंग्रेज़ों का क़ब्ज़ा था। उन दोनों बुजुर्गों ने अपनी बलन्द हिम्मतों से इस्लाम का अलम (झण्डा) उठाया और मुसलमानों को इज्तिहाद की दा'वत दी, जिसकी आवाज़ हिमालय की चोटियों और नेपाल की तराइयों से लेकर ख़लीजे-बंगाल (बंगाल की खाड़ी) तक बराबर फैल गई। लोग झुण्ड दर झुण्ड इस झण्डे के नीचे जमा होने लगे। इस मुजहिदाना कारनामे की आम तारीख़ लोगों को यहीं तक मा'लूम है कि उन मुजाहिदों ने सरहद पार होकर सिखों से मुक़ाबला किया और शहीद हुए। हालांकि ये वाक़िया इसकी पूरी तारीख़ का एक बाब (पूरे इतिहास का एक अध्याय) है। इस तहरीक ने अपने पैरवी करने वालों में ख़ुलूस, इत्तेहाद, नज़म, सियासत का जो जौहर पैदा कर दिखाया था, उसको समझने के लिये किताब (सीरत अहमद शहीद) का चौथा बाब काफ़ी है। बंगाल की सरहद से लेकर पंजाब तक और नेपाल की तराई से लेकर दरिय-ए-शोर के साहिल (अण्डमान-निकोबार के किनारों) इस्लामी जोश व अमल का दरिया मौजें मार रहा था और हैरतअंगेज़ व हदत (एकता) का समां आखों को नज़र आ रहा था। सय्यद साहब के ख़ुलफ़ा (उत्तराधिकारी) हर सूबे और विलायत में पहुँच चुके थे और अपने-अपने दायरों में तजदीदे-इस्लाह और तंज़ीम का काम अंजाम दे रहे थे और मुश्रिकाना रस्मों को मिटाए जा रहे थे। बिदअतें छोड़ी जा रही थीं, नाम के मुसलमान काम के मुसलमान बन रहे थे। जो मुसलमान न थे वो भी इस्लाम का कलिमा पढ़ रहे थे (कहते हैं कि इस तहरीक से चालीस हज़ार ग़ैर-मुस्लिम, मुसलमान हुए), शराब की बोटलें तोड़ी जा रही थीं। आवारगी और फ़हृशाशी के बाज़ार

सर्द (ठण्डे) हो रहे थे। हक व सदाकत की बलन्दी के लिये इलमा हुज्रों से और अमीर लोग ऐवानों (महलों) से निकलकर मैदानों में आ रहे थे और हर क्रिस्म की नाचारी, मुफ्लिसी (गरीबी) के बावजूद तमाम मुल्क में इस तहरीक के सिपाही फैले हुए थे और मुजाहिद तब्लीग व दा'वत में लगे हुए थे।'

हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियाँ साहब नदवी (रह.) :

ऊपर बयान की गई तफ़्सील के साथ बीती सदी के मशहूर व मारुफ़ आलिमे—दीन हज़रत मौलाना अबुल हसन (अली मियाँ) नदवी साहब का तब्ज़रा भी क़ाबिले मुतालाआ (पढ़ने लायक़) है जो आप ने मदरसा दारुल उलूम अहमदिया सलफ़िया दरभंगा (बिहार) में तशरीफ़ ले जाने पर पेश फ़र्माया था। चुनाँचे हम्द व ना'त के बाद मौसूफ़ ने फ़र्माया, 'हिन्दुस्तान में तहरीक अहले हदीष जिन बुनियादों पर क़ायम हुई, वो बुनियादें चार थीं; अक़ीद—ए—तौहीद, इतिबा—ए—सुन्नत, ज़ब्ब—ए—जिहाद और इनाबत इलल्लाह। जिसकी तफ़्सील कुआन मजीद की आयत 'हुवल्लज़ी बअप्र फ़िल उम्मियिन रसूलमिन्हुम' में अल्लाह तआला ने फ़र्मा दी है। जमाअत अहले हदीष उन्हीं चार चीज़ों का मजमूआ थी। दूसरे लोगों में देखिये कि अगर तौहीद है तो इतिब—ए—सुन्नत में कोताही है। अगर इतिब—ए—सुन्नत का ज़ब्बा है तो ज़ब्बा—ए—जिहाद मफ़कूद (दुर्लभ, ग़ायब) है। अगर कहीं ज़िक्र व फ़िक्र है तो इतिब—ए—सुन्नत नहीं। गरज़ कि लोगों ने ख़ास—ख़ास चीज़ों को लेकर उन्हें अमल का दारोमदार बना लिया है। इसके विपरीत जमाअते अहले हदीष इन चारों चीज़ों ख़ुसूसियतों का इज्तिमा होकर शहीदैन की सूरत में नमूदार (प्रकट) हुआ और जिस जमाअत ने इन चारों चीज़ों का मुजाहरा एक साथ किया, वो जमाअते—सादिक़पुर है जिनका ख़ुलूस और जिनका ता'ल्लुक मअल्लाह हर शक व शुब्हा से बालातर (परे) है।' (अहले हदीष और सियासत पेज नं. 15)

इमाम बुखारी और सहीह बुखारी पर बाज़ ए' तिराज़ात और उनका जवाब :

अख़बारे अहले फ़िक्रह 17 फ़रवरी 1913 में बुखारी शरीफ़ के मुता'ल्लिक 18 सवालात शाए हुए थे, जिनके फ़ाज़िलाना जवाब नीचे दर्ज किये जा रहे हैं। (अज़ सुल्ताने क़लम, उस्ताज़ुल इलमा हज़रत मौलाना अबुल क़ासिम साहब सैफ़ बनारसी रह.)

सवाल (01) : सबसे पहले बुखारी को सहीहल कुतुब किसने कहा और किस ज़माने में और मज़कूरा किताब की तफ़्नीफ़ के कितने दिनों बाद कहा?

जवाब : इमाम बुखारी (रह.) जब इसकी तालीफ़ से फ़ारिा हुए तो उसी वक़्त उन्होंने अपने मशाइख़ इमाम अहमद बिन हम्बल, यह्या बिन मुईन, अली बिन मदीनी वग़ैरह पर इसको पेश किया। सबने इसकी सिह्त का इकरार किया और उसी वक़्त से ख़लक़ में इसका सहीहल कुतुब होना शाए हो गया। देखिये हुदस्सारी, मुकद्दमा मिरक़ात व तहज़ीबुतहज़ीब वग़ैरह।

सवाल (02) : जिस वक़्त तक बुखारी सहीहल कुतुब नहीं कही गई थी, उस वक़्त तक उसका कोई ऐसा लक़ब जिससे उसको दीगर कुतुबे अहादीष पर तवफ़फ़क़ हासिल हुआ था या नहीं? अगर कोई ऐसा लक़ब उसका था तो क्या था? और नहीं था तो क्यों नहीं था?

जवाब : उस वक़्त सहीह बुखारी इन जुम्लों से ज़्यादा ता'बीर की जाती, 'हुव अव्वलु मन वज़अ फ़िल इस्लामि किताबन सहीहन' (तहज़ीब जिल्द 9) 'व अन्नहू ला नज़ीर लहू फ़ी बाबिही' (मिरक़ात पंज नं. 15) वग़ैर ज़ालिक या'नी सिह्त में बेनज़ीर है और इस्लाम में अव्वल ये किताब सहीह तालीफ़ (संकलित) हुई है। यही अदीमुन्नज़ीर होना मा'नी है, असह्लुकुतुब का।

सवाल (03) : खुद बुखारी या किसी मुहदिष अह्लाबे रिवायत ने खुसूसन सिहाह वालों ने किताब बुखारी को सहीहल कुतुब कहा या नहीं?

जवाब : हाँ! खुद इमाम बुखारी (रह.) ने अपनी किताब को सहीह कहा है। देखिये तहज़ीब जिल्द 19 और उन मुहदिषों ने भी कहा जिनके नामों का ज़िक्र ऊपर हुआ और वो सिहाह वालों के मशाइख़ व असातिज़ा हैं।

सवाल (04) : अगर नहीं तो क्यों नहीं कहा?

जवाब : ये लफ़ज़ असह्लुकुतुब नहीं कहा। इसलिये कि उस वक़्त तक सिवाय मुअत्ता इमाम मालिक के कोई हदीष की किताब किसी के पास जमाशुदा मौजूद न थी। फ़न्ने हदीष में दूसरी किताब ये जामेअ सहीह तालीफ़ हुई है और कुतुब लफ़ज़ जमा

(बहुवचन) है, हालांकि इसके मुकाबिल एक मुअत्ता रहती है, इसलिये इसका फ़क़त सहीह कहना भी उस वक़्त इस दर्जे में था जो अह्लादीष की दीगर किताबों की तालीफ़ के वक़्त सहीह कुतुब का दर्जा था।

सवाल (05) : इमाम मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई व इब्ने माजा ने अपनी-अपनी सहीह में इमाम बुखारी से कोई रिवायत की है या नहीं?

जवाब : इमाम तिर्मिज़ी व इमाम निसाई ने अपनी किताब में इमाम बुखारी से रिवायतें की हैं।

सवाल (06) : अगर उन लोगों ने रिवायत की है तो किस मक़ाम में है और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? क्या ये लोग किताब बुखारी को इस क़ाबिल न समझते थे कि उससे रिवायत करें?

जवाब : इमाम तिर्मिज़ी ने तो बेहद मक़ामात पर इमाम बुखारी (रह.) से रिवायत की है जिसका ग़ालिबन आपको भी इल्म है तभी तो सवाल में तिर्मिज़ी का नाम नहीं लिया। हाँ! इमाम निसाई किताबुस्सियाम के बाब 'अल फ़ज़्लु वल ज़ुद फ़ी शहरि रमज़ान' की दूसरी हदीष को यूँ शुरू फ़र्माते हैं, 'अख़बरना मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी' (जिल्द अब्वल) इसके अलावा एक जगह और भी है जिसको हम अभी नहीं बतलाएंगे। बाक़ी रहे इमाम मुस्लिम, अबू दाऊद व इब्ने माजा उन्होंने सनद नाज़िल हो जाने के ख़ौफ़ से रिवायत नहीं की क्योंकि मुहद्विषीन सनदे-आली के होते हुए सनदे नाज़िल नहीं लेते जिसको हम बारहाँ लिख चुके हैं। (देखिये किताब अल अल कौषरुल जारी)

सवाल (07) : इमाम बुखारी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हदीष की तलाश में बहुत दूर का सफ़र किया और उनके ज़माने में चार इमाम ख़ानदाने रसूलुल्लाह (ﷺ) के मौजूद थे। अब्वल सय्यिदिना रज़ा अलैहिस्सलाम, दूसरे सय्यिदिना इमाम तक्वी अलैहिस्सलाम, तीसरे सय्यिदिना इमाम नक्वी अलैहिस्सलाम और चौथे सय्यिदिना इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम। अब सवाल ये है कि इमाम बुखारी हदीषों की तलाश में इन चारों अइम्म-ए-दीन, अहले बैत रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत शरीफ़ में पहुँचे या नहीं? अगर नहीं रिवायत की तो उसका क्या कारण था? क्या बुखारी को ये मा'लूम न था कि 'अहलुल बैति अदरी बिमा फ़ीहा?'

जवाब : इमाम बुखारी ने असल अहले बैत (हज़रत आइशा व जुम्ला अज़वाज उम्महातुल मुअमिनीन) से बेशुमार रिवायतें की हैं, इसी बिना पर कि 'अहलुल बैति अदरी बिमा फ़ीहा।' बाक़ी रहे मज़कूर अइम्मा, वे दीन पर तख़सीस (विशेष रूप से) अहले बैत नहीं है। इसके अलावा जिस शख़्स के पास अह्लादीषे रसूल (ﷺ) होतीं, उससे ज़रूर रिवायत लेते। सहीह बुखारी में अदमे ज़िक्र अदमे रिवायत को मुस्ताल्जिम (योग्य/पात्र) नहीं है। मुफ़स्सल (विस्तारपूर्वक) जवाब के लिये हिस्सा अब्वल में देखिये : पेज नं. 77 से 82 तक।

सवाल (08) : इमाम बुखारी ने कहा कि हमने बहुत सारी सहीह अह्लादीष को छोड़ दिया है और किताबे बुखारी में दर्ज नहीं किया। अब सवाल ये है कि उन्होंने जान-बूझकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीषें क्यों छोड़ी, जो कि मुसलमानों की रहनुमाई करतीं। कहा जाता है कि तवालत (विस्तार) के ख़ौफ़ से सब हदीषों को नहीं लिखा। ख़ैर रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीषें तो तवालत के ख़ौफ़ से छोड़ी गईं लेकिन बहुत सी हदीषों की जो पचासों जगह फ़ुज़ूल तौर पर तकरार किया तो क्या उससे किताब तवील नहीं हुई?

जवाब : इमाम बुखारी (रह.) ने जिस मौजूअ पर सहीह तालीफ़ की (लिखी) थी, उस दर्जे की वो बक़िया अह्लादीष न थीं। इसलिये उनको किताब में दर्ज नहीं किया गया। बाक़ी अपने शागिदों को सब बतला गये। खुद इमाम बुखारी के शैख़ हुमैदी ने उन अह्लादीष को 'किताबु जमा बैन सहीहैन' में जमा कर दिया। उन अह्लादीष के ज़िक्र न करने की वजह तवालत का ख़ौफ़ (विस्तृत हो जाने का डर) नहीं है बल्कि उन अह्लादीष की इस्नाद आली (श्रेष्ठ) न थीं।

सवाल (09) : अकाबिर मुहद्विषीन व अइम्म-ए-दीन मसलन दारे कुतनी, इब्ने जौज़ी, इब्ने बत्ताल, इब्ने अब्दुल बर, अल्लामा ऐनी, बाजी, इब्ने हुमाम, शैख़ अब्दुल हक़ देहलवी, मुल्ला अली क़ारी, सखावी, मुहिब्बुलाह बिहारी, बहरुल उलूम, अबू मस्ऊद हाफ़िज़, ग़स्सानी, इब्ने मन्दह, इब्ने सअद, अल्लामा ज़हबी, हाफ़िज़ शरफ़ुद्दीन, दिमयाती, ज़ारुल्लाह ज़मख़शरी, क़ाज़ी अबू बकर, बक़लानी, इमाम ग़ज़ाली (मौलवी उमर करीम) वग़ैरह वग़ैरह ने जो किताब बुखारी पर 'ए' तिराज़ात व जिरहें की हैं और उसकी बहुत सी हदीषों को ग़ैर सहीह समझा है तो उनका क्या मक़सूद (उद्देश्य) था?

जवाब : उनमें कुछ ने तशहद, कुछ ने तअस्सुब, कुछ ने बुज़ (ईर्ष्या-द्वेष) व कुछ ने नाफ़हमी (अज्ञानतावश) ए' तिराज़ किया है लेकिन बे-असल व बेबुनियाद है जैसा कि सहीह बुखारी बाबत हमारी तालीफ़ात से ख़ूब वाज़ेह है।

सवाल (10) : जिन रावियों को ख़ुद बुखारी ने ज़ईफ़ कहा तो फिर उनसे किताबे बुखारी में क्यों रिवायत की? क्या इससे क़वी रावी बुखारी को न मिल सके?

जवाब : उनसे बिल मुताबअत रिवायत की है न कि बिल इन्फ़ि़ाद। वला हरज फ़िहि कमा बय्यन्तुहू फ़ी बअज़ि तसानीफ़ी

सवाल (11) : किताबे बुखारी में तीस पारे किस वक़्त हुए और किसने किये?

जवाब : शारेहीन ने शरह की आसानी व मुहद्दिषीन ने दर्सो-तदरीस की आसानी के लिये एक मुद्दत बाद किये।

सवाल (12) : कुआन शरीफ़ के समान जो बुखारी के तीस पारे बनाए गये थे शिर्क हुआ या नहीं?

जवाब : नहीं! ये शिर्क नहीं हुआ क्योंकि शिर्क की ता'रीफ़ (परिभाषा) उस पर स़ादिक़ (सच्ची) नहीं। ख़ुद कलामुल्लाह (कुआन) के तीस पारे अल्लाह के यहाँ से होकर (बनकर) नहीं आए।

सवाल (13) : क्या इमाम अबू हनीफ़ा व इमाम मालिक (रह.) की शर्त पर बुखारी की सब हदीषें सहीह ठहरी हैं? और अगर सब सहीह नहीं ठहरी हैं तो किस क्रदर सहीह ठहरती हैं?

जवाब : सहीह की सनद के तौर पर इमाम अबू हनीफ़ा की शराइते-सिहत कहीं मन्कूल (वर्णित) नहीं। इमाम मालिक (रह.) की शर्त सिर्फ़ उनके दौर के लिये है। जुम्हूर (अधिकांश) की शर्त पर सहीह बुखारी की सब हदीषें सहीह हैं।

सवाल (14) : क्या बुखारी की सब हदीषों को हनफ़ी, शाफ़िई, मालिकी, हम्बली, चारों तरीके वालों ने कुबूल कर लिया? और अपना मा'मूल बिही ठहराया है?

जवाब : हाँ! चारों मज़हब वाले इससे इस्तिदलाल करते हैं। इसी आधार पर इमाम बुखारी (रह.) को हम्बलियों ने हम्बली, शाफ़िइयों ने शाफ़िई और मालिकियों ने मालिकी समझ लिया जो कि दरअसल बिल्कुल ग़लत था।

सवाल (15) : बुखारी में कोई हदीष मन्सूख भी है या नहीं?

जवाब : हाँ! जैसे कुआन मजीद में आयतें मन्सूख हैं।

सवाल (16) : शराइते-बुखारी अगर बहुत उम्दा व आला थीं तो दीगर मुहद्दिषीन अस्हाबे रिवायत ने उसकी पैरवी क्यों न की?

जवाब : बहुतों ने पैरवी की। अली बिन अल मदीनी व अबू बक्र सीरफ़ी वगैरह इमाम बुखारी के मुअय्यिद (ताइद करने वाले) थे।

सवाल (17) : बुखारी की शर्त पर जो हदीष सहीह हो तो क्या ये ज़रूरी है कि वो दीगर मुहद्दिषीन की शर्त पर भी सहीह ठहरे?

जवाब : हाँ जनाब! दीगर मुहद्दिषीन अपने रुवात की तौषीक़ (पुष्टि) इन अल्फ़ाज़ में किया करते हैं कि ये अला शर्ते बुखारी है। इस क्रदर उस पर ए'तिबार है।

सवाल (18) : कोई एक हदीष जो बुखारी की शर्त पर सहीह है और किसी दूसरे मुहद्दिष की शर्त पर सहीह नहीं है तो वो हदीष दूसरे मुहद्दिष पर जिसकी शर्त पर सहीह नहीं है उसके मुत्तबिईन पर हुज्जत हो सकती है या नहीं हो सकती? और अगर हो सकती है तो क्यों?

जवाब : हुज्जत हो सकती है, इसलिये कि जुम्हूर इसी तरफ़ हैं। अगर कोई हुज्जत न समझे तो उसका अपना इज्तिहाद है क्योंकि मुहद्दिषीन में तक्लीद तो सिरे से नहीं है। कमा हुव जाहिरुन फलहम्दुल्लिलाहिल्लजी बिनिअमतिही तम्मल जवाबु व हुव अअलमु बिस्सवाबि व इलैहिल मरज़उ वल मआब। (अल कौषरुल जारी द्विस्सा 3 पेज नं. 143-146)

हज़रत इमाम बुखारी से मुता'ल्लिक़ एक प्रनाई जवाबी मक़ाला :

(अज़ शैख़ुल इस्लाम मौलाना अबुल वफ़ा प्रनाउल्लाह साहब अमृतसरी रह.)

हमारे कुछ हनफ़ी भाई अहले हदीष के सामने अपने को कमज़ोर पाकर आम तौर पर मशहूर किया करते थे कि और अब भी कुछ हलक़ों में करते हैं कि ये लोग (ग़ैर मुक़ल्लिदीन) अइम्म-ए-किराम को बुरा-भला कहते और तौहीन करते हैं। हमें हैरत होती है

किये आवाज़ क्योकर किसी रास्तगो के सामने निकल सकती है और कोई रास्तगो क्योकर अइम्म-ए-दीन की तौहीन कर सकता है? आखिर बड़ी तलाश के बाद भी हमको कोई एक ऐसा ग़ैर-मुकल्लिद अहले हदीष न मिला जो अइम्म-ए-दीन की हतक-खा रखता हो। हाँ! अगर मिले भी तो यही हज़रात मिले जो अहले हदीष की निस्बत ऐसा एहतिमाम मशहूर करते थे। उन लोगों में मौलाना उमर करीम साहब हनफी पटनवी भी हैं, जिन्होंने 'अल जरह अलल बुखारी' लिखकर प्राबित कर दिया कि वो अइम्म-ए-दीन की तौहीन करने वालों में से हैं। हम जानते हैं और ख़ूब जानते हैं कि हनफियों के जुम्हूर (अधिकांश) उलमा, खुसूसन अहले इल्म हनफी तौहीने इमाम बुखारी (रह.) के बरख़िलाफ़ हैं। लेकिन फिर भी कुछ-कुछ इलाकों में ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जो इमाम बुखारी से बुज़ रखते हैं। बीते दिनों अमृतसर के एक स्थानीय अख़बार में साबिक एडीटर अल फ़िक्रह के क़लम से एक मज़मून छपा, जो हमारे दा'वे की कामिल शहादत है। जो लोग अहले हदीष पर एहतिमामे बदगोई लगाते हैं, दरहक़ीक़त वही अइम्मा के हक़ में बदगोई हैं वरना अहले हदीष बदगोई को जाइज़ नहीं जानते। अज़ाज़नल्लाह मिन्हु। हम अपना दा'वा बे-षुबूत छोड़ना नहीं चाहते इसलिये उन हज़रात की इबारत नक़ल करके दिखाते हैं और नाज़िरीन को ये तवज़ुह दिलाते हैं कि वो ग़ौर करें कि जो इल्ज़ाम मज़ाज़ अल्लाह बद-दयानती का इमाम बुखारी पर लगाया गया है वो किसी औला मुसलमान पर भी लग सकता है?'

इस मज़मून के लेखक ने ये बहस इसलिये उठाई है कि इमाम बुखारी, इमाम शाफ़िई के मुकल्लिद या'नी शाफ़िई मज़हब के मानने वाले थे। इस दा'वे का शुबूत देना चूँकि बहुत कठिन काम है जिसके लिये सारी दुनिया के मुकल्लिदीन भी कोशिश करें तो बेकार है। मज़मून लेखक ने इस कठिनाई को यूँ हल किया कि एक इमाम ताजुद्दीन सुबुकी की शहादत पेश की। दूसरे इमाम बुखारी का अपना फ़ेअल जिससे प्राबित करना चाहा कि इमाम मौसूफ़ शाफ़िई थे। चुनाँचे लेखक के अल्फ़ाज़ ये हैं,

'अव्वल तो ये दा'वा ही ग़लत है कि अइम्म-ए-मुहदिषीन मुकल्लिद न थे। इमाम बुखारी (रह.) जिनकी तकलीद तमाम मौजूदा अहले हदीष फ़िक़ा करता है और उनके मुक़ाबले में किसी दूसरे मुहदिष की हस्ती नहीं समझता, वही तअस्सुब रखने वाले शाफ़िई मज़हब के थे। इमाम ताजुद्दीन सुबुकी (रह.) ने तबक़ाते कुबरा में साफ़ बताया है कि इमाम बुखारी शाफ़िई थे।' (20 जुलाई पेज नं. 3 कॉलम नं. 2)

अहले हदीष : ताजुद्दीन सुबुकी की शहादत हमें मंज़ूर है लेकिन उसकी क़ैफ़ियत जब हम खोलेंगे तो हमारे दोस्त इस दा'वा-ए-मुकल्लिदियत बुखारी के मुद्दई खुद ही इस शहादत को छोड़ देंगे। लीजिए सुनिये! इमाम ताजुद्दीन ने एक किताब लिखी है, तबक़ाते शाफ़िइया जो छः जिल्दों में छपी है। उसमें उन्होंने उलम-ए-शाफ़िइया के नाम और काम लिखे हैं। उनमें इमाम बुखारी (रह.) को भी लिखा है। बस ये है शहादत इमाम बुखारी के शाफ़िई होने की। मगर हमें यक़ीन है कि ये राय उन लोगों की है जिन्होंने तबक़ाते सुबुकी को कभी न पढ़ा होगा, न सुना होगा। वरना वो ऐसा कभी न कहते। सूनिये ताजुद्दीन ने इमाम बुखारी (रह.) ही को इस किताब में नहीं लिखा बल्कि ऐसे लोगों को भी लिखा है, जो यक़ीनन मुकल्लिद न थे। चुनाँचे दाऊद ज़ाहिरी इमाम अहलुज्जाहिर को इस किताब में तबक़ाते शाफ़िइया में लिखा है। (जिल्द : 2 पेज नं. 42)

ख़ैर ये तो भला मशहूर ग़ैर मुकल्लिद है मैं कहता हूँ कि का'बा शरीफ़ के चौथे इमाम को सुबुकी ने शाफ़िइयों में लिखा है जिनका नाम-नामी इमाम अहमद बिन हंबल है। जो बिल इत्तिफ़ाक़ चौथे इमामे का'बा शरीफ़ की चौथाई पर क़ाबिज़, मुत्तहिदे मुस्तफ़िल, बहुत बड़ी जमाअत के मुस्तफ़िल इमाम मगर सुबुकी ने उनको भी तबक़ाते शाफ़िइया में लिख दिया है। (मुलाहज़ा हो जिल्द अव्वल पेज 199)

क्या हमारे दोस्त अपने दा'वे के मुताबिक़ मान जाएँगे कि इमाम अहमद (रह.) भी शाफ़िई मज़हब के मुकल्लिद थे? फिर तो चार इमाम और चार मुसल्ले न हुए, तीन ही रह गये और इमाम शाफ़िई (रह.) दोहरे हिस्से के मुस्तहिक़ हुए बल्कि इमामे आ'ज़म (रह.) से भी बढ़ गये कि उनका एक मुकल्लिद भी मुसल्ले का मालिक हो गया। हालाँकि इमामे आ'ज़म साहब के अनेक शागिर्द कामिल थे। मगर उनको का'बा शरीफ़ में मुसल्ला मिला न उनका मज़हब जारी हुआ। इत्रालिल्लाह।

रफ़उल यदैन : अगरचे हमारा फ़र्ज़ नहीं कि सुबुकी की इस्तिलाह बताएँ कि किस तरह उसने ऐसे-ऐसे इमामों को शाफ़िई लिखा है क्योकि बहैषियत फ़न्ने-मुनाज़रा, मुख़ालिफ़ की दलील पर इतना नक़ज़ कर देने से उसकी दलील ज़ाये (नष्ट) हो जाती है लेकिन बग़र्ज़ तपहमी मतलब हम असल इस्तिलाह सुबुकी बताते हैं ताकि आइन्दा को हमारे दोस्तों को ऐसी ख़ाम दलील

बयान करने से नदामत न हो।

जिन उलमा को इمام शाफ़िई से शागिर्दी का इलाक़ा है बिला वास्ता सुबुकी की इस्तिलाह में वो तब्काते शाफ़िइया में दाख़िल हैं। चुनाँचे पहले तब्के की बाबत वो यूँ लिखता है। अज़बक़तुल उला फ़िल्लज़ीन जाल सुश़ाफ़िइय्य (जिल्द अब्वल पेज नं 186) या'नी पहला वो तब्का शाफ़िइया का है जो इمام शाफ़िई की सुहबत (संगत) अपनाए बिना या'नी बिला वास्ता उन्होंने इमामे मौसूफ़ से इल्म पढ़ा।

उसकी मिषाल बिल्कुल ऐसी है जो आजकल कोई शख़्स शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब क़दस सिरूहु के शागिर्दों के तब्काते अज़ीज़िया लिखे तो वो सब उलमा को लिख देगा आम इससे कि मुकल्लिद हों या ग़ैर मुकल्लिद, राफ़ज़ी हो या ख़ारज़ी, उसे उन उलमा के मज़हब से गर्ज़ नहीं होगी बल्कि जो कोई भी शागिर्दी में शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब से मिलता होगा, उसे वो लिख दे। यही हक़ीक़त है सुबुकी के तब्काते शाफ़िइया की जिसे हमारे दोस्त शिद्दते तअस्सुब में समझते नहीं और झट से दलील में पेश कर देते हैं जिसका नतीजा वही होता है जो ऊपर मज़कूर हुआ।

मज़कूरा राक़िम (लेखक) ने दूसरी दलील, जिसको बड़ी ज़बरदस्त दलील जानता है, ये पेश की है कि इمام बुखारी की अपनी किताब से प्राबित होता है कि वो शाफ़िउल मज़हब थे क्योंकि शाफ़िइया के मुखालिफ़ हदीषों को छुपा जाते थे। यही फ़िक़्रा अहले इल्म और अहले दयानत के क़ाबिले ग़ौर है। क़बुरत क़लिमतन तख़रूजु मिन अफ़्वाहिहिम चुनाँचे लिखते हैं:

आओ हम खुद इمام बुखारी (रह) के अफ़आल से प्राबित करते हैं कि वो बड़े पक्के शाफ़िई थे। सहीह मुस्लिम और नसाई में हदीष है कि अन अताइब्नि यसारिन अन्नहू अख़बरहू अन्नहू सअल ज़ैदबन प्राबितिन अनिलकिराति मअल इमामि फ़क़ाल ला क़िरत मअल इमामि फ़ी शयइन व ज़अम अन्नहू कर: अला रसूलल्लाहि (ﷺ) वन्नजमि इज़ा हवा फ़लम यस्जुद अता बिन यसार से मरवी है कि उन्होंने ख़बर दी कि उन्होंने सवाल किया ज़ैद बिन प्राबित से निस्बते क़िरात साथ इمام के तो ज़ैद बिन प्राबित ने जवाब दिया कि इمام के साथ किसी हालत (यानी नमाज़ सिरी और जहरी) में क़िरात नहीं और ख़याल किया कि तहक़ीक़ पढ़ी उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने सूरह नज्म पढ़ी और सज्दा नहीं किया।

इमाम मुस्लिम (रह) ने इस हदीष को यह्या बिन यह्या और यह्या बिन अय्यूब व कुतैबा बिन सईद और इब्ने हज़र से सुना। और इमाम नसाई ने सिर्फ़ इब्ने हज़र से सुना उन सबने बयान किया कि हमने इस्माईल बिन जा'फ़र से सुना। उन्होंने यज़ीद बिन हज़िफ़या से उन्होंने कुसैत से उन्होंने अता बिन यसार से। इस तरह इस्माईल बिन जा'फ़र ने चार रावियों से सुना।

नाज़िरीन याद रखें कि चारों रावी बयान करते हैं कि हमने इस्माईल बिन जा'फ़र से जो सुना वो कहा है कि अता बिन यसार ने ज़ैद बिन प्राबित से कुछ पूछा, क्या पूछा इमाम के साथ पढ़ना चाहिए या नहीं? तो ज़ैद बिन प्राबित ने जवाब दिया कि इमाम के साथ क़िरात किसी हाल में यानी किसी नमाज़ में वो सिरी हो या जहरी जाइज़ नहीं। दूसरी बात ये कही कि सूरह नज्म पढ़ी गई और सज्दा नहीं किया।

इसी हदीष को इमाम बुखारी (रह) ने अपनी किताब सहीह बुखारी में सुलैमान बिन दाऊद से रिवायत किया और आगे वही सिलसिला है जो मुस्लिम और नसाई ने बयान किया यानी सुलैमान बिन दाऊद ने इस्माईल बिन जा'फ़र से सुना इमाम बुखारी ने क्या लिखा मुलाहिज़ा हो अन अताइब्नि यसारिन अन्नहू अख़बरहू अन्नहू सअल ज़ैदबन प्राबितिन फ़ज़अम अन्नहू करअ अलन्नबिद्यि (ﷺ) वन्नजमि फ़लम यस्जुद फ़ीहा अता बिन यसार से रिवायत है कि उन्होंने ख़बर दी उसकी कि उन्होंने ज़ैद बिन प्राबित से पूछा क्या पूछा? उसका पता नहीं। पस ज़अम किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पर सूरह नज्म पढ़ी गई और उसमें सज्दा न किया। ये तो नहीं हो सकता कि इस्माईल बिन जा'फ़र ने इमाम बुखारी के रावी को सिर्फ़ इतना सुनाया हो और मुस्लिम और नसाई के चार रावियों को इससे ज़्यादा सुनाया हो। बहरहाल ज़रूरी है कि अगर इस्माईल बिन जा'फ़र सादिक़ और शिक़ह हैं तो उन्होंने सबको एक ही बात सुनाई होगी। किसी को कम और किसी को ज़्यादा। अब दो सूरतें हैं या तो सुलैमान बिन दाऊद ने इमाम बुखारी को कम सुनाया और अज़ली अल्फ़ाज़ को छुपाया और ये तहरीफ़ (फेरबदल) और ख़यानत है। अगर ऐसा है तो ऐसे शख़्स की बयानकर्दा हदीष क़ाबिले ए'तिबार नहीं मगर ये सूरत नहीं हो सकती क्योंकि बयान किया जाता है कि इमाम बुखारी (रह) बड़ी तहक़ीक़ से हदीष की रिवायत को लिया। तो दूसरी सूरत ये होगी कि इमाम बुखारी

(रह) ने क़सदन (जान-बूझकर) इन अल्फ़ाज़ को छोड़ दिया जो क़िरात मज़ल इमाम के बारे में हैं और यही सहीह है।

सवाल ये है कि इमाम बुखारी (रह) ने ऐसा क्यों किया? स़ाफ़ बात है कि सिर्फ़ इसलिये कि ये अल्फ़ाज़ इमाम शाफ़िई के मज़हब के ख़िलाफ़ थे। इमाम शाफ़िई क़िरात ख़ल्फुल इमाम को वाजिब जानते थे मगर ये अल्फ़ाज़ जो इमाम बुखारी ने छोड़ दिये उसको नाजाइज़ बतलाते हैं।

पस ष़ाबित हुआ कि इमाम बुखारी (रह) शाफ़िई थे और शाफ़िई भी कैसे शाफ़िई कि मज़हबे शाफ़िई को कायम रखने के लिए हदीष क़े अल्फ़ाज़ को हज़फ़ करना (मिटा देना) जाइज़ करार दिया। ये कोई नहीं कह सकता कि इमाम बुखारी (रह) शाफ़िई के मुक़ल्लिद न थे और उनका मज़हब हदीषे सहीह है क्योंकि ये बिदाहतन ग़लत है। अगर ऐसा होता तो वो हदीष के अल्फ़ाज़ पूरे नक़ल करते और अपना मज़हब भी करार देते कि ख़ल्फुल इमाम जाइज़ नहीं मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया (20 जुलाई 1918 ईस्वी पेज नं. 4 कॉलम 1)

अहले हदीषियत :

आपकी तक्ररीर से इमाम बुखारी (रह) का शाफ़िज़ल मज़हब का मुक़ल्लिद होना ष़ाबित हो या न हो, ख़ाइन और बद-दयानत होना तो ष़ाबित होता है। ग़ालिबन यही आपकी मुराद है इन्ना लिल्लाह! क्या राक़िमे मज़मून (आर्टिकल लिखने वाला) मुसन्निफ़ुल जरह अली बिन अबी हनीफ़ा को इजाज़त देंगे कि वो भी इस क़िस्म की कोई रिवायत (अमर उनको मिल सके) अपने दा'वे पर बयान कर दें। सच तो ये है कि इस क़िस्म की मुतास्सिबाना तहरीरों ने अल जरह अला अबी हनीफ़ा जैसी तीरअंदाज़ किताब लिखाई थी जिसका हमें और दीगर मेम्बराने अहले हदीष और मुहक्किक्कीन हनफ़िया को स़दमा है मगर बहुक़म, ऐ बादे स़बा, ई हमा आवर्दा अस्त, ये सब वज़र मुसन्निफ़ीने जरह अलल बुखारी पर है। आह! किस क़दर जुल्म, किस क़दर इफ़्तिराअ है कि जिसने सहीह बुखारी जैसी अदक़ (गूढ़, इल्मी) किताब यकीनन उस्ताज़ से नहीं पढ़ी, अहले हदीष से तो क्या ही पढ़ी होती देवबन्द के मदरसे मे हनफ़ी उस्ताज़ों से भी नहीं पढ़ी। महज़ सुनी-सुनाई पटनवी और बरेलवी तहरीरों से अषर कुबूल करके इतनी बड़ी ख़यानत और तअस्सुब इमामुल मुहद्दिषीन की तरफ़ मन्सूब कर ले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजेऊन। कोई साहिबे दानिश व बीनश इस मज़मून के लेखक से पूछे, क्या मज़हबी तअस्सुब में किसी हदीष या रिवायत को छुपा जाना इसलिए कि मेरे ख़ुद साख़्ता मज़हब पर हर्फ़ न आए, किसी ईमानदार का काम है? क्या वो नहीं जानता कि मेरे छुपाने से ये रिवायत मनफ़ी तो नहीं हो जाएगी, आख़िर दुनिया में रहेगी। जब मौजूद रहेगी और है तो उसका हुक़म भी है और रहेगा। ऐसा करने वाला तो मुहरिफ़ीन (फेरबदल करने वाला) यहूद से भी बढ़कर है जो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ किसी रिवायत को पाकर खा जाता है। ऐसा फ़ेअल एक इमाम बल्कि इमामुल मुहद्दिषीन करे और फिर इमाम ही बना रहे। मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं जिनसे मैं उस फ़ेअल और उस फ़ाइल की तहक्कीर कर सकूँ। मज़मून लिखने वाला अपनी आदत के मुवाफ़िक़ हम मौजूदा उलमा को और खासकर जो चाहते हैं, कह लेते और अपना पेट भर लेते। मगर अफ़सोस उन्होंने अपनी पुरानी रविश के मुताबिक़ इमाम बुखारी (रह) को तख़्त-ए-मशक़ बनाया। आह! इस मौक़े पर मौलाना रोम मरहूम का शे'र याद आता है।

चूँ ख़ुदा ख़वाहिद कि पर्दा कस दर्द

मीलश अंदर तअना पाकाँ देहद

ख़ैर हमें इससे क्या? हमारा तो मज़हब है और हमारे बुजुर्ग उस्ताज़ हज़रत मौलाना शम्सुल उलमा सय्यद मुहम्मद नज़ीर हुसैन मुहद्दिष देहलवी मरहूम का फ़त्वा है कि स़हाबा किराम को बुरा जानने वाला बड़ा राफ़ज़ी है। अइम्म-ए-किराम की बदगोई करने वाला छोटा राफ़ज़ी। हम तो अपने उसूल के पाबन्द हैं।

नज़र अपनी-अपनी, पसंद अपनी अपनी

असल जवाब सुनिये :

हम मानते हैं कि ये दोनों रिवायतें, दोनों किताबों में हैं। मुस्लिम की रिवायत जिल्द अब्वल बाब सुजूदुत् तिलावत में और बुखारी की रिवायत जिल्द अब्वल बाब मन करअस्सज्दा वलम यस्जुद में है। इमाम बुखारी ने इस बाब में दा'वा किया है और उनका मज़हब है कि सज्द-ए-तिलावत फ़र्ज़ व वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है चुनाँचे उन्होंने इसी मज़मून का ये बाब तजवीज़ किया है लेकिन रिवायत के टुकड़े दो हैं। एक तो क़िरात ख़ल्फुल इमाम की बाबत ज़िक़्र है, दूसरे में सज्द-ए-तिलावत

न करने का मज़कूर है मगर इमाम बुखारी के बाब से अखीर टुकड़ा ता'ल्लुक रखता है। पहला टुकड़ा बावजूद ग़ैर मुता'ल्लिक होने के हदीष मफूअ नहीं, बल्कि सहाबी का मौकूफ़ है जो मुहदिषीन के नज़दीक हुज्जत और दलीले शरई नहीं। इसलिए इमामे मौसूफ़ ने पहला टुकड़ा हदीष का नक़ल नहीं किया कि वो बाब से ता'ल्लुक नहीं रखता है और रिवायत भी मौकूफ़ा है। हाँ ता'ल्लुक होता या मफूअ रिवायत का हिस्सा होता तो नक़ल कर देते।

भला (क़ौले ज़ैद बिन प्राबित) से इमाम बुखारी (रह) को ऐसा डर था कि बक़ौल नामानिगार (लेखक) इससे इमाम शाफ़िई का मज़हब ग़लत न हो जावे जबकि इमाम शाफ़िई (रह) और दीगर मुहदिषीन का मज़हब ही ये है कि क़ौलुस्सहाबति लैसा बिहुज्जतिन हुम रिजालुन व नहनु रिजालुन (मुलाहज़ा हो तौज़ीह तलवीह) फिर उनको क्या मुश्किल थी कि वो उसको मानकर अपने उसूल के मुताबिक़ कह देते कि मौकूफ़ क़ौल हुज्जत नहीं। हैरानी है कि इमाम बुखारी (रह) को उस मौकूफ़ क़ौल से क्या मुश्किल पड़ी थी कि बक़ौल लेखक वो ऐसी ख़यानत और बद दयानती के मुर्तकिब हुए। इज़ा लिह्लाह!

लतीफ़ा मिश्रालिया :

अर्सा हुआ मज्मअ-ए-अहले इल्म में एक बड़े हनफ़ी आलिम ने सुनी-सुनाई बात बयान की कि मौलवी नज़ीर हुसैन के पास कोई शख्स गया कि मैंने एक ही दफ़ा तीन तलाक़ें दी हैं, अब क्या करूँ? मौलवी साहब बड़े ख़फ़ा होकर बोले जाओ! जाओ!! मैं क्या करूँ? अब तो हराम हो गई। रात को वो शख्स एक उम्दा-सी लालटेन दो रूपया की नज़राना लेकर गया तो मौलवी साहब पूछते हैं, अरे तलाक़ (तौय से) कही थी या तलाक़ (ता से) कही थी? उसने कहा हज़ूर! मैंने तो तलाक़ तलाक़ कही थी। फ़र्माया जाओ। तलाक़ (त से) मा'नी मिलने के है, जाओ आपस में मिलियो। इस रिवायत के बयान करने से उनकी गुर्ज ये थी कि मौलवी नज़ीर हुसैन उस दर्जा छोटी रिश्तत खाते और मसाइले ग़लत बताते थे। मैं भी पास बैठा था, मैंने कहा कि हज़रत! मौलवी नज़ीर हुसैन का तो मज़हब ये था कि एक बार की तीन तलाक़ें एक ही रजअी होती हैं फिर उनको त और त में फ़र्क़ करने से क्या मतलब था? (मक़ाला फ़र्नाई)

मुंकिरीने हदीष के कुछ ए'तिराज़ात और उनके जवाबात :

जहाँ तक ग़ौर किया गया है मुंकिरीने हदीष के ख़ास ए'तिराज़ात ये दस हैं : (1) हदीष की रिवायत अहदे खुल्फ़-ए-राशिदीन में मम्मूअ थी। अहदे अब्बासिया से सिलसिल-ए-रिवायत शुरू हुआ। उनमें अक़षर बादशाहों की सियासी फ़ायदों का दख़ल है। (2) हदीष का लिखना और उस पर तालीफ़ात दूसरी सदी के बाद शुरू हुआ। (3) कुछ हदीषों से रसूले करीम (ﷺ) और इस्लाम पर ए'तिराज़ात क़ायम होते हैं। (4) कुछ हदीषों से नुज़ुले वह्य हस्बे ख़्वाहिशे रसूल (ﷺ) प्राबित होती है। (5) कुछ हदीषों से कुआन की मुख़ालफ़त प्राबित होती है। (6) अगर हदीषें अल्लाह और रसूल (ﷺ) के नज़दीक वाजिबुल अमल होतीं तो उनकी हिफ़ाज़त का सामान भी मिश्रले कुआन के होता। (7) कुछ मसाइल के बारे में मुख़तलिफ़ हदीषें हैं। (8) कुआन मजीद के बारे में खुद कुआन में इर्शाद है, तफ़्सीलन लिक्वुल्लि शैइन व तिबयानल लिक्वुल्लि शैइन फिर हदीषों की क्या ज़रूरत है? (9) हदीष को ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास की जानकारी के समान समझा जा सकता है। (10) बजुज़ मुतवातिर रिवायत के जो बहुत क़लील (थोड़ी) हैं, अक़षर अहदीष अख़बारे-आह़ाद हैं। अख़बारे-आह़ाद से इल्मे यक़ीन हासिल नहीं होता बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़न्ने ग़ालिब हासिल होता है। ज़न (विचार) पर मज़हब का आधार रखना, अक्ल व दानिश के खिलाफ़ है। (11) रसूले करीम (ﷺ) से कुछ उमूर में सहव व निस्थान (भूल जाना) प्राबित है। वह्ने-इलाही में सहव व निस्थान का दख़ल नहीं माना जा सकता। (12) कुआन करीम कामिल किताब है, वो किसी चीज़ का मुहताज नहीं। हदीष को मानना गोया कुआन को मुहताज करार देना।

जवाबात :

(1) गुज़िशता मज़ामीन में प्राबित हो चुका है कि रिवायते हदीष अहदे रिसालत से जारी थी। हज़ूर (ﷺ) ने और ख़लीफ़ा अब्दुल दोम ने क़षरते रिवायत को मना किया है और ग़ैर अहक़ामी हदीषों पर रोक टोक की है। ये दोनों ख़ुल्फ़ा (रज़ि) खुद हदीष के बड़े रावियों में से हैं।

अगर ये माना जाए कि हदीष की रिवायत और हदीष पर अमल अहदे अब्बासिया से शुरू हुआ और उससे पहले हदीष

कोई चीज़ नहीं थी तो लाज़िम आता है कि रसूले करीम (ﷺ) के बाद तमाम उम्मतें मरहूमा (रहमत वाली) गुमराह हो गईं और दुनिया में एक भी मुसलमान न रहा। ऐसी नाकामयाब नुबुव्वत तो अंबिया साबिकीन में से भी किसी की नहीं हुई। खतमुल मुर्सलीन (ﷺ) से ज़्यादा कामयाब वही शख्स रहा जिसने उम्मतें मरहूमा को अल्लाह का हुक्म और रसूल (ﷺ) के खिलाफ़ इतिबाअे हदीष पर कायम कर दिया। इस कामयाबी की नज़ीर दुनिया के किसी मुल्क, किसी क़ौम, किसी मज़हब में नहीं मिल सकती कि अरब से चीन तक सब एक ख़याल पर कायम हो गये। न इस कामयाब दुश्मने हदीष लीडर का किसी को नाम मालूम, न इतिहास के पन्नों में इस इंकिलाबे अज़ीम का ज़िक्र कि एक बूंद भी खून की न गिरी और सारी दुनिया के मुसलमान एक अम्र पर मुत्तफ़िक़ (सहमत) हो गये और एक भी सिराते मुस्तक़ीम पर कायम न रहा। हर मज़हब में, हर मुल्क में, हर क़ौम में जो-जो बदलाव हुए हैं, बिलखुसूस इस्लाम में उनका ज़रा-ज़रा सा तज़िक़रा भी तारीख़ में मौजूद है मगर इस इंकिलाबे अज़ीम का ज़िक्र नहीं वो कौनसी अज़ीमुशान हस्ती थी जिसने अज़ल मज़हब को इस तरह मिटाया कि उसका निशान इतिहास के पन्नों पर भी न छोड़ा और ये इंकिलाब किस ज़माने में हुआ? खुल्फ़ाए अब्बासिया ने मसला ख़ल्के कुआन राइज करना चाहा। हर किस्म के जबर व जुल्म किये गये मगर ये अक़ीदा तस्लीम न करा सके। नादिरशाह ने कोशिश की कि सिर्फ़ हनफ़ी, शाफ़िई, हम्बली, मालिकी मज़ाहिब के लोगों को एक अम्र पर मुत्तफ़िक़ कर दे मगर न कर सका। ये ऐसा इंकिलाब कि जिसका निशान बतौर आपार कुदैमा भी बाक़ी न रहा। किताबों में भी तज़िक़रा न रहा। किसने कराया, कब कराया, क्योंकर कराया? अगर दर हक़ीक़त ये इंकिलाब कराया गया है तो ये मुअजिज़ा है और तमाम अंबिया के मुअजिज़ों से बढ़कर है। ख़ातिमुन् नबिय्यीन (ﷺ) से बुलन्द मर्तबा कौन है जिसने उनके काम को एक मुअजिज़ा के तौर पर लौटा दिया। उनसे बुजुर्ग हस्ती तो जनाबे बारी अज़ इस्मुहू की है। बस ये इंकिलाब उन्होंने ही कराया है उनके सिवा और किसी से इस तरह मुम्किन ही न था और जब उन्होंने कराया है तो हक़ है। (मगर हक़ीक़त ये है कि ये क़ौल ही ग़लत है अहदे नबवी ﷺ और अहदे ख़िलाफ़त में हर क़दम पर हदीष को मशअले राह बनाया जाता था)

(2) इस ए'तिराज़ का जवाब साबिक़ा मज़ामीन में आ गया।

(3) कोई सहीह हदीष ऐसी नहीं जिससे हुज़ूर (ﷺ) या इस्लाम पर कोई मा'कूल ए'तिराज़ हो सकता हो। अगर कोई ग़ैर सहीह हदीष ऐसी है तो उसकी ज़िम्मेदारी अहले हदीष व मुहदिषीन पर नहीं क्योंकि जो चीज़ उनके उसूले रिवायत व दिरायत के ए'तिबार के दर्जे से गिर गई वो उन पर हुज़त नहीं। बाक़ी मुअतरिज़ और ए'तिराज़ात का रोकना किसी के बस की बात नहीं। पण्डित दयानंद सरस्वती ने बिस्मिल्लाहिरिहमानिररहीम जैसे मुतबरक व साफ़ जुम्ले पर भी ए'तिराज़ात किये हैं ऐसे मुअतरिज़ों और ए'तिराज़ों की तरफ़ मुतवज्जह होना अहले हक़ व अहले इल्म का काम नहीं। कुआन मजीद में क्रिस्स-ए-इफ़क़ है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब (रज़ि) के निकाह का ज़िक्र है। मुखालिफ़ीने हक़ ने उन वाक़ियात पर क़रर से ए'तिराज़ किये हैं। मुंकिरीने हदीष जो जवाब उन आयात के लिए तजवीज़ करें वही हदीष के लिये समझ लें।

(4) अगर वद्व का नुज़ूल मुवाफ़िक़ मंश-ए-हुज़ूर (ﷺ) हुआ तो उसमें क्या हर्ज है और ये क्या ए'तिराज़ है खुद कुआन मजीद की कुछ आयात से नुज़ूले वद्व हस्बे ख़वाहिश रसूले अकरम (ﷺ) षाबित है। हुज़ूर (ﷺ) दिल से चाहते थे कि का'बा की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ें आप (ﷺ) की ये आज़ू पूरी की गई नरा तक्रल्लुब वजहिक़ फ़िस्समाइ फ़लनुवल्लियन्नक़ क़िबलतन तरज़ाहा फ़वल्लि वजहक़ शतरलमस्जिदिलहरामि (अल बकर: : 144) मैं देखता हूँ फिर जाना आपका मुँह आसमान में सो मैं आपको फेरता हूँ जिस क़िबले की तरफ़ आप राज़ी है। अब अपना चेहरा मस्जिदुल ह़राम की तरफ़ कर लो।

रसूले करीम (ﷺ) के मकान में सहाबा (रज़ि) खाना खाने आए। खाना खाकर बातें करने लगे, आप (ﷺ) को ये अम्र गिराँ था। लेकिन आप (ﷺ) कहते हुए शर्माते थे इस पर वद्व नाज़िल हुई इन्न ज़ालिकुम कान युअजिन्नबिय्य फ़यसतहईमिन्कुम वल्लाहु ला यसतहई मिनलहक़ि (अल अहज़ाब : 53) (तुम्हारी इस बात से नबी ﷺ को तकलीफ़ थी और वो तुमसे शर्माते थे, अल्लाह हक़ बात बताने में शर्म नहीं करता)

हज़रत ज़ैद सहाबी ने अपनी बीवी हज़रत ज़ैनब (रज़ि) को तलाक़ दे दी। रसूले करीम (ﷺ) का इशारा हुआ कि वो ज़ैनब से निकाह कर लें लेकिन ये दस्तूर अरब के खिलाफ़ था। इसलिए आप (ﷺ) इस ख़याल को ज़ाहिर न करते थे जो चाहते थे। इस पर वद्व नाज़िल हुई। व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिक़ मल्लाहु मुब्दीहि व तख़शनास (अल अहज़ाब : 37) (तू अपने दिल में वो बात छुपाता है जिसको अल्लाह ज़ाहिर करना चाहता था और लोगों से डरता था)। गर्ज़ मामूर के मंशा के मुवाफ़िक़

अहकाम का नाफिज़ होना कोई क़ाबिले ए'तिराज़ अमर नहीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) तो मामूर मिनल्लाह थे। कुआन मजीद की कुछ आयतें सहाबा की राय के मुवाफ़िक़ भी नाज़िल हुई हैं। इलूमे कुआन के बारे में मुवाफ़िकात सहाबा एक मुस्तक़िल फ़न है और इस पर बहुत सी तसानीफ़ हैं।

ऐ बाग़ाबौ बसंत की तुझको ख़बर भी है

(5) हदीषें हर किस्म की हैं। मौजूअ भी हैं, ज़ईफ़ भी हैं सहीह भी हैं उनके रद्द व कुबूल का मदार उनके दर्जे पर है। कांटों के डर से फूलों को छोड़ा नहीं जा सकता। सहीह हदीष कोई ऐसी नहीं जिससे कुआन पाक के खिलाफ़ कोई ए'तिराज़ प्राबित हो।

(6) असल शरीअत कुआन मजीद है। जब वो महफूज़ है तो किसी किस्म का ख़तरा नहीं। इसकी शरह का इसी तरह महफूज़ रखना ज़रूरी है। आलिमुल ग़ैब जानता था कि उसके ऐसे भी बन्दे होंगे जो दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाएंगे। इलूमे हदीष की तारीख़ पर नज़र करने से इस क़ौल की तस्दीक़ होती है। कुआन एक मुशख़ख़स व मुअय्यन किताब है। इसके हर लफ़्ज़ की हिफ़ाज़त हो सकती है और हुई भी है। हदीष हज़रत (ﷺ) के ख़्वाब व ख़ूर, सफ़र व हज़र, ख़ल्वत व जल्वत के हालात का मज्मूआ है। उसकी वुस्अते लफ़्ज़-लफ़्ज़ को महफूज़ रखने में मज़ाहिम होती है। कुआन कलामे इलाही है जिसका लफ़्ज़-लफ़्ज़ हिवमत है। एक हर्फ़ बदलने से कुछ का कुछ हो जाता है। किसी के इम्कान में नहीं कि कुआन का एक लफ़्ज़ हटाकर उस मौक़े के लिहाज़ से इस मफ़हूम के मुवाफ़िक़ दूसरा लफ़्ज़ रख दे। हदीष में हम-मा'नी (पर्यायवाची) लफ़्ज़ आने से बहुत कम मफ़हूम बदलता है। कुआन की तरह हिफ़ाज़ते हदीष का सवाल कुआन पर इमान रखने वाला कोई अहले किताब नहीं कर सकता। सब जानते हैं कि वहो मतलू तौरात, ज़बूर, इंजील की हिफ़ाज़त भी अल्लाह ने कुआन के समान के नहीं कराई। फिर वहो ग़ैर मतलू के लिए इस किस्म का एहतिमाम क्यूँ किया जाता?

अल्लाह और रसूल के कलाम का फ़र्क़ भी उस हिफ़ाज़त के सवाल को हल करता है। अगर ग़ौर से देखा जाए तो हदीष की हिफ़ाज़त अगरचे कुआन की तरह नहीं हुई मगर ऐसे बेनज़ीर तरीक़ पर हुई है जो एक मुअजिज़ा है और रसूले करीम (ﷺ) के अहद में कुआन के हुफ़फ़ाज़ थे। सारा कुआन सबको याद न था। कुछ एक-एक, दो-दो सूरतों के हाफ़िज़ थे। हदीष के हुफ़फ़ाज़ भी थे। अबू हुरैरह (रज़ि) एक षुलुष शबे हिफ़ज़ हदीष में सफ़्र (ख़र्च) करते थे। उनसे 5374 हदीषें मरवी हैं। तीन हज़ार हदीषों पर मदारे अहकाम है उनमें से आधा उनकी रिवायात हैं। समुरह बिन जुन्दब हदीषें हिफ़ज़ करते थे। जिस तरह थोड़ा बहुत कुआन बहुत से सहाबा को हिफ़ज़ था। उसी तरह थोड़ी बहुत हदीषें भी सभी को याद थीं।

उन अस्हाब की ता'दाद ग्यारह हज़ार है जिन्होंने किसी न किसी तरह अक्वाल व अहवाल रसूले करीम (ﷺ) को उम्मत तक पहुँचाया है। हाँ तमाम हदीषों का कोई एक हाफ़िज़ न था।

जिस तरह कुआन की मुख्तलिफ़ सूरतें मुख्तलिफ़ अस्हाब के पास लिखी हुई थीं, उसी तरह हदीषें भी अस्हाब के पास लिखी हुई थीं जिस तरह अबूबक्र व इमर (रज़ि) ने कुआनी आयात को शहादत लेकर कुबूल किया, उसी तरह हदीषों को कुबूल किया।

जिस जुअत व हिम्मत व सदाक़त से सहाबा व ताबेईन व तबे ताबेईन ने हदीषों को आने वाली नस्लों तक पहुँचाया है, दुनिया की तारीख़ उसकी नज़ीर पेश नहीं कर सकती। हदीष की हिफ़ाज़त व तदवीन के लिये सौ के करीब फुनून ईजाद हुए लक़ व दक़ मैदान, बहर व बर, कोहे सह्रार छान मारे। एक-एक हदीष के लिए बेआब व गियाह मैदानों में महीनों का सफ़र किया। हदीष की जांच के लिये ऐसे सख़्त और मा'कूल शाराइत क़ायम किये कि जिससे ज़्यादा अुकूल बशरी तजवीज़ नहीं कर सकती। रावियों, अक्सामे हदीष, किताबों के तक्कात सब क़ायम कर दिये मौजूआत और वज़्जाओं को नाम बनाम गिना दिया। अगर किसी शख़्स का झूट बोलना प्राबित हो जाए और वो तौबा कर ले तो उसकी शहादत तो कुबूल है मगर हदीष क़बूल नहीं झूट बोलना तो एक तरफ़ मतहम बिल किज़्ब की हदीष भी कुबूल नहीं की जाती। इमाम बुखारी (रह) ने एक अदना शुब्हा पर एक शख़्स से बेशुमार हदीषें छोड़ दीं। रावियों के हालात को इस तरह खोल दिया है कि किसी शक व शुब्हा की गुंजाईश नहीं रहती। जिस रिवायत में अली बिन मदीनी, यह्या बिन मुईन, अब्दुल्लाह बिन मुबारक होंगे वो आला दर्जा की होगी। जिस रिवायत में मुहम्मद बिन इस्हाक़ होंगे वो ज़ईफ़ होगी। जिस रिवायत में इब्ने इकाशा किरमानी होगा वो मौजूअ होगी।

सबसे बेहतर बुखारी की हदीषें हैं फिर मुस्लिम की, उसके बाद दीगर कुतुबे सिहाह की उनके बाद और हदीष की किताबों की दर्जा ब दर्जा उसकी तफ्सील किसी जगह है, इसी तरह मौजूआत की तफ्सील भी लिखी गई है।

हदीष के हुफ्फाज़ भी क़रीब ता' दाद में हुए हैं। तज़्किरतुल हुफ्फाज़ वगैरह कुतुब में उनका मुफ़्फ़सल ज़िक्र है। इमाम अहमद बिन हंबल को दस लाख, हाफ़िज़ अबू ज़रअ को सात लाख, यह्या बिन मुईन को दस लाख, इमाम मुस्लिम को तीन लाख, इमाम अबू दाऊद को पाँच लाख, हाफ़िज़ अबूबक्र को एक लाख, हाफ़िज़ अबू अल अब्बास को तीन लाख से ज़ाईद, इस्हाक़ बिन राह्वैय को सत्तर हज़ार हदीषें याद थीं। ये हमने दो चार हज़ारात की तफ्सील लिख दी है। बाकी और बहुत से हुफ्फाज़े हदीष का इस किताब में ज़ि क्र होगा।

(7) ये पहले बयान किया जा चुका है कि हज़ूर (ﷺ) आदात व मुबाहात व सुनन में एक अम्र के पाबन्द न रहते थे और न ये पाबन्दी मुम्किन थी। अइम्मा ने अखीर ज़माना के अक्वाल व अफ़्फ़ाल को हुज्जत गरदाना है। एक मसला पर मुतअहिद रिवायात का होना मुज़िर नहीं मुफ़ीद है कि एक हुक्म पर अमल करने की चंद सूरतें पैदा हो गईं। अगर ये रिवायतें न होतीं तो तकलीफ़ का बाअिष होता।

(8) उसके बारे में अलग मज़मून है।

(9) हदीष व तारीख के बारे में अलग से मज़मून है। हदीष व तारीख में ये फ़र्क़ है कि इल्मे हदीष एक सहीह इल्म है। इल्मे तारीख़ मुश्तबह इल्म है। इन दोनों में कोई निस्बत ही नहीं।

(10) बहुत से मामलात अदालतों में अख़बार आहाद से पेश होते हैं और तस्लीम किये जाते हैं। अगर जज हर शाहिद को झूठा समझे और शहादत की तलाश हद्दे तवातुर तक करे तो दुनिया के काम दरहम बरहम हो जाएँ। हर शख़्स सिर्फ़ ख़बरे वाहिद यानी अपनी माँ के बयान से उस अम्र पर यक़ीन करता है कि वो फ़लाँ शख़्स की औलाद है।

अक़्फ़र ख़बरे वाहिद को क़वी क़रीना की बिना पर तरजीह देनी पड़ती है। कुआन मजीद का कलामे इलाही होना हमको सिर्फ़ ख़बरे वाहिद से मालूम हुआ। रसूले करीम (ﷺ) की सिद्क व रास्तबाज़ी पर नज़र करके तस्दीक़ को तक़्ज़ीब पर तरजीह दी गई। यही सूरत अहादीष में है।

वो शहादतें जिनकी बिना पर कुआन एक मुसलमान के ख़ून को मुबाह करता है, उन पर यक़ीन ज़न ही से हासिल होता है। मुशाहिदा ऐनी व तजुर्ब-ए-हिस्सी के सिवा दुनिया में कोई ज़रिया ऐसा नहीं है जो मुफ़ीद यक़ीन हो सकता है। तवातुर को भी महज़ इस क़यास की बिना पर यक़ीनी समझा जाता है कि बहुत से आदमियों का झूठ पर मुत्तफ़िक़ होना मुस्तबअद है।

ये ख़याल भी ग़लत है कि मुतवातिर हदीषें कम हैं। कुतुबे अहादीष जो इलम-ए-अस्र में मुतदाविल हैं उनका इतिसाब जिस मुसन्नफ़ी की तरफ़ किया जाता है वो एक यक़ीनी अम्र है। पस ये मुसन्नफ़ीन अगर उन्हीं किताबों में मुत्तफ़िक़ होकर एक हदीष को इस क़द्र रुवात से रिवायत करें कि आदतन उनका झूठ पर मुत्तफ़िक़ होना या इत्तिफ़ाक़न उनसे झूठ का सरज़द होना मुम्किन न हो तो ला रयब वो हदीष मुतवातिर होगी। और ज़रूर उसका इतिसाब क्राइल की तरफ़ बतौर इल्मे यक़ीनी के होगा ऐसी हदीषें कुतुबे हदीष में क़ररत से हैं।

1. किताबुल वह्य

किताब वह्य के बारे में

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

शैख इमाम हाफिज़ अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन मुगीरा बुखारी (रह.) ने फ़र्माया,

बाब 1 : इस बारे में कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) पर वह्य की इब्तिदा कैसे हुई और अल्लाह अज़्ज व जल्ल का ये फ़र्मान कि मैंने बिला शुब्हा (ऐ मुहम्मद!) आपकी तरफ वह्य का नुज़ूल उसी तरह किया है जिस तरह हज़रत नूह (अलैहिस्सलाम) और उनके बाद आने वाले तमाम नबियों की तरफ किया था

(1). हमको हुमैदी ने ये हदीष बयान की, उन्होंने कहा कि हमको सुफ़यान ने ये हदीष बयान की, वो कहते हैं हमको यहा बिन सईद अन्सारी ने ये हदीष बयान की, उन्होंने कहा मुझे ये हदीष मुहम्मद बिन इब्राहीम तैमी से हासिल हुई। उन्होंने इस हदीष को अलक़मा बिन वक्लास लैषी से सुना, उनका बयान है कि मैंने मस्जिदे नबवी

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُبَرِّقَةِ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى آمِينَ:

١- بَابٌ: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

وَقَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾

[النساء: ١٦٣]

١- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ

में मिम्बरे-रसूल (ﷺ) पर हज़रत इमर बिन खत्ताब (रज़ि.) की जुबान से सुना, वो फ़र्मा रहे थे कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना। आप (ﷺ) फ़र्मा रहे थे कि तमाम आ'माल का दारोमदार निय्यत पर है और हर अमल का नतीजा हर इन्सान को निय्यत के मुताबिक़ ही मिलेगा। पस जिसकी हिज़रत (तकें-वतन) दौलते दुनिया हासिल करने के लिये हो या किसी औरत से शादी की गरज़ से हो। पस उसकी हिज़रत उन्हीं चीज़ों के लिये होगी जिनको हासिल करने की निय्यत से उसने हिज़रत की।

(दीगर मक़ामात : 54, 2529, 3898, 5070, 6689, 6953)

وَقَامِيَ النَّبِيُّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ
يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ :
(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ
أَمْرٍ مِمَّا نَوْى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى
دُنْيَا يُغْرِبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَتَخَيَّرُهَا،
فِهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهَا) .

إطرافه في: ٥٤، ٢٥٢٩، ٣٨٩٨

[٦٩٥٣، ٦٦٨٩، ٥٠٧٠]

तशरीह:

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने अपनी जामेअ के इफ़्तिताह के लिये या तो सिर्फ़ बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम को ही काफ़ी समझा कि इसमें भी अल्लाह की हम्द कामिल तौर पर मौजूद है या आपने हम्द का तलफ़ुज़ जुबान से अदा फ़र्मा लिया कि इसके लिये लिखना ही ज़रूरी नहीं। या फिर आपने जनाबे नबी करीम (ﷺ) की सुन्नत का लिहाज रखा हो नबी करीम (ﷺ) की तहरीरों की शुरूआत सिर्फ़ बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम से ही हुआ करती थी जैसा कि तारीख़ और सीरत की किताबों से ज़ाहिर है। हज़रतुल इमामे-क़द्स सिर्हु ने पहले वह्य का ज़िक्र मुनासिब समझा, इसलिये कि कुर्आन व सुन्नत की सबसे पहली बुनियाद वह्य है। इसी पर आँहज़रत (ﷺ) की सदाक़त मौकूफ़ है। वह्य की तारीफ़ अल्लामा क़स्तलानी शारेह बुखारी के लफ़्ज़ों में यह है, वल वह्य अल इअलामु फ़ी ख़िफ़ाइन व फ़ी इस्तिलाहिशशरइ इअलामुल्लाहि तअला अम्बियाअहु अशशैया इम्मा बिकिताबिन औ बि रिसालति मलकिन औ मनामिन औ इल्हामिन (इशादुल सारी 1/48) यानी 'वह्य' लुगत (डिक्शनरी) में उसको कहते हैं कि छुपे हुए तौर पर कोई चीज़ जानकारी में आ जाए और शरअन् 'वह्य' ये है कि अल्लाह पाक अपने नबियों और रसूलों को बराहे रास्त किसी छुपी हुई चीज़ से आगाह फ़र्मा दे। इसकी भी कई सूत्रें हैं। या तो कोई किताब नाज़िल फ़र्माए या किसी फ़रिश्ते को भेजकर उसके ज़रिये से ख़बर दे या ख़्वाब में आगाह फ़र्मा दे या फिर दिल में डाल दे। वह्य मुहम्मदी की सदाक़त के लिये हज़रत इमाम ने आयते करीमा इन्ना औहेना इलयक कमा औहेना इला नूहिन (अन निसा : 123) दर्ज फ़र्माकर बहुत ही लतीफ़ इशारात फ़र्माए हैं, जिनकी तफ़्सील बहुत तवील (विस्तृत) है। मुख्तसरन ये कि आँहज़रत (ﷺ) पर नाज़िल होने वाली वह्य कोई नई चीज़ नहीं है बल्कि यह सिलसिल-ए-आलिया हज़रत आदम, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा व दीगर अंबिया व रसूल (अलैहिस्सलाम) से मरबूत है और इस सिलसिले की आखरी कड़ी हज़रत सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) है। इस तरह आप (ﷺ) की तस्दीक़ तमाम अंबिया और रसूलों की तस्दीक़ है और आप (ﷺ) का इन्कार तमाम अंबिया और रसूलों का इन्कार है। अल्लामा इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, मुनासबतुल आयति लित् तर्जुमति वाज़िहुन मिन जहति अन्न सिफ़तल वह्य इला नबिय्यिना (ﷺ) तुवाफ़िकु सिफ़तल वह्य इला मन तक़द्महू मिनन नबिय्यिन (फ़तुहल बारी 9/1) यानी बाब बदउल वह्य के इन्फ़ाद और आयत इन्ना औहेना इलैक अल आयत में मुनासबत इस तौर पर वाज़ेह (स्पष्ट) है कि नबी करीम (ﷺ) पर वह्य का नुज़ूल क़तई तौर पर उसी तरह है जिस तरह आप (ﷺ) से पहले तमाम नबियों और रसूलों पर वह्य नाज़िल होती रही है।

ज़िक्रे वह्य के बाद हज़रतुल इमाम ने हदीष 'इन्नमल आ'मालु बिन् निय्यात' को नक़ल फ़र्माया, इसकी बहुत सी वजहें हैं। इनमें से एक वजह यह ज़ाहिर करना भी है आँहज़रत (ﷺ) को ख़ज़ान-ए-वह्य से जो कुछ भी दौलत नसीब हुई है ये सब आप (ﷺ) की पाक निय्यत का फल है जो आप (ﷺ) को शुरूआती उम्र से ही हासिल थी। आपका बचपन, जवानी, यहाँ तक कि नुबूव्वत मिलने से पहले का पूरा अर्सा निहायत पाकीज़गी के साथ गुज़रा। आख़िर में आपने दुनिया से क़तई अलैहदगी (एकान्तवास) इख़्तियार फ़र्माकर गारे-हिरा में ख़लवत इख़्तियार फ़र्माई। आख़िर आप (ﷺ) की पाक निय्यत का फल आप (ﷺ) को हासिल हुआ और ख़लअते-रिसालत से आप (ﷺ) को नवाज़ा गया। रिवायत की गई हदीष के सिलसिल-

ए-आलिया में हजरतुल इमाम क़दस सिर्हु ने इमाम हुमैदी (रह.) से अपनी सनद का इफ़्तिताह फ़र्माया। हजरत इमाम हुमैदी (रह.) इल्मो-फ़न, हसबो-नसब हर लिहाज़ से इसके अहल (योग्य) थे, इसलिये कि उनकी इल्मी और अमली जलालते-शान के लिये यही काफ़ी है कि वो हजरत इमाम बुखारी (रह.) के उस्तादों में से हैं, हसब व नसब के लिहाज़ से कुरैशी हैं। उनका सिलसिल-ए-नसब नबी करीम (ﷺ) व हजरत ख़दीजा (रज़ि.) से जा मिलता है। उनकी कुन्नियत अबू बक्र, नाम अब्दुल्लाह बिन जुबैर बिन ईसा है। उनके अज्दाद (पूर्वजों) में कोई बुजुर्ग हुमैद बिन उसामा नामी गुजरे हैं, उनकी निस्बत से ये हुमैदी मशहूर हुए। इस हदीष को इमाम बुखारी (रह.) हुमैदी से जो कि मक्की हैं, लाकर यह इशारा फ़र्मा रहे हैं कि वहदा की इब्तिदा मक्का से हुई थी।

हदीष इन्नमल आ'माल बिन नय्यात की बाबत अल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं, वहाजल हदीस अहदुल अहादीसिल्लति अलैहा मदारुल इस्लाम वक़ालशशाफ़ेई व अहमद अन्नहू यदख़ुलू फ़ीहि धुलधुल इल्म (इशादि रिसालत 1/56-57) यानी ये हदीष उन अहादीष में से एक है जिन पर इस्लाम का दारोमदार है। इमाम शाफ़िई (रह.) और इमाम अहमद (रह.) जैसे अकाबिरे-उम्मत ने सिर्फ़ इस एक हदीष को इल्म व दीन का तिहाई या आधा हिस्सा करार दिया है। इसे हजरत उमर (रज़ि.) के अलावा तक्ररीबन बीस सहाब-ए-किराम (रज़ि.) ने आँहजरत (ﷺ) से नक़ल फ़र्माया है। बाज़ उलमा ने इसे हदीषे-मुतवातिर भी करार दिया है। इसके रावियों में सअद बिन अबी वक्रास, अली बिन अबी तालिब, अबू सईद ख़ुदरी, अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद, अनस, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अबू हुरैरह, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, मुआविया बिन अबी सुफ़यान, उबादा बिन सामित, उतबा बिन अब्दुस्सलमा, हिलाल बिन सुवैद, उक़बा बिन आमिर, अबू ज़र उक़बा बिन अल मुन्ज़िर, उक़बा बिन मुस्लिम और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) जैसे जलीलुल क़द्र सहाब-ए-किराम के नाम नक़ल किये गये हैं। (क़स्तलानी)

इमाम बुखारी (रह.) ने अपनी जामेअ सहीह को इस हदीष से इसलिये शुरू फ़र्माया कि हर नेक काम की तकमील के लिये खुलूसे-निय्यत ज़रूरी है। अहादीसे-नबवी (ﷺ) का जमा करना, उनका लिखना, उनका पढ़ना, ये भी एक नेकतरीन अमल है। पस इस फ़ने-शरीफ़ के हासिल करने वालों के लिये आदाबे-शरइय्या में से यह ज़रूरी है कि इस इल्म शरीफ़ को ख़ालिस दिल के साथ महज़ रज़ा-ए-इलाही व मा'लूमाते सुनन व रिसालत-पनाही के लिये हासिल करें। कोई फ़ासिद गरज़ हर्गिज़ बीच में नहीं होनी चाहिये। वना ये नेक अमल भी अज्रो-प्रवाब के लिहाज़ से उनके लिये फ़ायदेमन्द अमल प्राबित नहीं होगा। जैसा कि इस हदीष के शाने-रूद से ज़ाहिर है कि एक शख़्स ने उम्मे क़ैस नामी औरत को निकाह का पैग़ाम दिया था, उसने जवाब में यह ख़बर दी कि आप हिजरत करके मदीना आ जाएं तो शादी हो सकती है। चुनाञ्चे वो शख़्स इसी गरज़ से हिजरत करके मदीना पहुँचा और उसकी शादी हो गई। दूसरे सहाबा उसे मुहाजिरे उम्मे क़ैस कहा करते थे। इस हदीष के पसमज़र (बैकग्राउण्ड) में हम अपनी तुलना करें।

हजरत इमाम क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं, व अख़रजहुल मुअल्लिफु फ़िल ईमानि वल अित्के वल हिजरति वन् निकाहि वल ईमानि वनुज़ूरि वतरकिल हीयलि व मुस्लिम वतिर्मिजी व निसाई व इब्ने माजा व अहमद व दारुकुल्नी व इब्ने हिब्बान वल बैहक़ी यानी इमाम बुखारी (रह.) अपनी जामेअ सहीह में इस हदीष को यहाँ (यानी किताबुल वहदा) के अलावा किताबुल ईमान में भी लाए हैं और वहाँ आप ने ये बाब मुन्अकिद फ़र्माया है, बाबु माजाअ अन नल आ'माल बिन निय्यति वल हिसबति व वलिकुल्ली इमरिइन मानवा यहाँ आपने इस हदीष से इस्दलाल फ़र्माया है कि वुजू, ज़कात, हज्ज, रोज़ा समेत सभी आ'माल का अज्र उसी सूत्र में हासिल होगा कि खुलूसे-निय्यत से और प्रवाब की गरज़ से उनको किया जाए। यहाँ आपने इस्तिशहादे-मजीद (विस्तृत साक्ष्य/गवाही) के तौर पर कुआन की आयते करीमा कुल कुल्लूय्यअमलु अला शाकिलतिही को नक़ल करते हुए बतलाया है कि शाकिलतिही से निय्यत ही मुराद है। मिशाल के तौर पर अगर कोई शख़्स अपने अहलो-अयाल पर प्रवाब की निय्यत से ख़र्च करता है तो यकीनन उसे प्रवाब हासिल होगा। तीसरे इमाम बुखारी इस हदीष को किताबुल इन्क़ में लाए हैं। चौथे बाबुल हिजरत में, पाँचवे किताबुन् निकाह में, छठे नुज़ूर के बयान में, सातवें किताबुल हियल में। हर जगह इस हदीष को इस गरज़ से नक़ल किया गया है कि सिहते-आ'माल और प्रवाबे-आ'माल सब निय्यत ही पर आधारित हैं और इस हदीष का मफ़हूम (भावार्थ) आम तौर पर दोनों सूत्रों में शामिल है। इस हदीष के ज़ैल में फ़ुक्रह-ए-शवाफ़िअ (शाफ़िई धर्मशास्त्री) सिर्फ़ सिहते आ'माल की तख़्सीस करते (विशिष्टता बताते)

हैं और फुकह-ए-अहनाफ़ (हनफ़ी धर्मशास्त्री) सिर्फ़ प्रवाबे-आ'माल की। हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी साहब (रह.) ने इन दोनों की गलती बयान फ़र्माते हुए इमामुल मुहदिप्पीन बुखारी (रह.) के मौक़िफ़ (दृष्टिकोण) की ताईद की है कि ये हदीष दोनों सूरतों को शामिल है। (देखें अनवारुल बारी 1/16-17)

नियत से मुराद दिल का इरादा है। जो हर फ़ेअल इख़ितयार करने से पहले दिल में पैदा होता है। नमाज़, रोज़ा वग़ैरह के लिये ज़बान से नियत के अल्फ़ाज़ अदा करना ग़लत है। अल्लामा इब्ने तैमिया (रह.) और दीगर अकाबिरे-उम्मत ने तस्रीह की है कि ज़बान से नियत के अल्फ़ाज़ अदा करने का षुबूत न तो खुद रसूले करीम (ﷺ) से है, न सहाबा व ताबेईन से, लिहाज़ा ज़बान से नियत के अल्फ़ाज़ अदा करना महज़ बन्दों की ईजाद है, जिसकी शरअन कोई इजाज़त नहीं है।

आजकल एक जमाअत मुन्किरीने-हदीष की भी पैदा हो गई है जो अपनी हफ़्वात के सिलसिले में हज़रत उमर (रज़ि.) का नाम इस्ते'माल किया करते हैं और कहा करते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) अहादीस रिवायत करने के ख़िलाफ़ थे। इमाम बुखारी (रह.) ने अपनी जामेअ सहीह को हज़रत उमर (रज़ि.) की रिवायत से शुरू फ़र्माया है, जिससे रोज़े-रोशन (दिन के उजाले) की तरह वाज़ेह हो गया है कि मुन्किरीने हदीष का हज़रत उमर (रज़ि.) पर ये इल्ज़ाम बिल्कुल ग़लत है। हज़रत उमर (रज़ि.) खुद अहादीसे-नबवी (ﷺ) को रिवायत फ़र्माया करते थे। हाँ! सिहत के लिये आपकी तरफ़ से एहतियात ज़रूर मद्देनज़र रहता था जो कि हर आलिम, इमाम, मुहदिप्प के सामने होना ही चाहिये। मुन्किरीने हदीस को मा'लूम होना चाहिये कि सय्यिदिना हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपने अहदे-ख़िलाफ़त में अहादीसे-नबवी (ﷺ) की नश्रो-इशाअत का ग़ैर-मामूली (असाधारण) एहतिमाम फ़र्माया था और इस्लामी दुनिया के कोने-कोने में ऐसे जलिलुलक़दर सहाबा को इस गरज़ (उद्देश्य) के लिये भेजा था, जिनकी पुख्तगी सीरत और बुलन्दी-ए-किरदार के अलावा उनकी जलालते-इल्मी (ज्ञान की श्रेष्ठता) तमाम सहाबा में मुसल्लम (सर्वमान्य/काबिले कुबूल) थी। जैसा कि हज़रत शाह वलीउल्लाह (रह.) 'इज़ालतुल ख़िफ़ाअ' में तहरीर फ़र्माते हैं, जिसका तर्जुमा यह है, 'फ़ारूके-आज़म (रज़ि.) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्कूद (रज़ि.) को एक जमाअत के साथ कूफ़ा भेजा और मग़फ़ल बिन यसार, अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़ल, इमरान बिन हुसैन को बसरा में मुकर्रर फ़र्माया था और उबादा बिन स़ामित और अबू दर्दा को शाम (मौजूदा मुल्क सीरिया) भेजा। साथ ही वहाँ के इम्माल को लिखा कि इन हज़रात को तर्वीजे-अहादीष (हदीसों के प्रचार-प्रसार) के लिये मुकर्रर किया गया है, लिहाज़ा ये हज़रात जो अहादीस बयान करें उनसे हर्गिज़ तजावुज़ (हुक्म उदूली/अवज्ञा) न किया जाए। मुआविया बिन अबू सुफ़यान (रज़ि.) जो कि उस वक़्त शाम के गवर्नर थे, उनको खुसूसियत के साथ इसकी तवज़ुह दिलाई।'

हज़रत उमर (रज़ि.) सन् 7 नबवी में ईमान लाए और आपके मुस्लिम होने पर का'बा शरीफ़ में तमाम मुस्लिमों ने बाजमाअत नमाज़ अदा की, ये पहला मौक़ा था कि बातिल के मुक़ाबले पर हक़ सरबुलन्द हुआ। इसी वजह से रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनको 'फ़ारूक़' का लक़ब (उपाधि) अता फ़र्माई। आप बड़े नेक, आदिल (न्यायप्रिय) और स़ाइबुराय (ठोस राय वाले) थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) आप की तारीफ़ में फ़र्माया करते थे कि अल्लाह तआला ने हज़रत उमर की ज़बान और दिल पर हक़ जारी कर दिया है। सन् 13 नबवी में आपने मदीना की तरफ़ हिज़रत फ़र्माई। हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) के बाद ख़िलाफ़ते-इस्लामिया को सम्भाला और आपके दौर में फ़तूहाते इस्लामी (इस्लामी विजय) का दौर सैलाब की तरह दूर-दूर तक पहुँच गया। आप ऐसे मुफ़किर (चिन्तक) और माहिरे-सियासत (राजनीति विशेषज्ञ) थे कि आप का दौर इस्लामी हुक्मत का सुनहरा दौर कहा जाता है। मुगीरा बिन शोबा के एक पारसी गुलाम फ़िरोज़ ने आपके दरबार में अपने आक्रा की ग़लत शिकायत पेश की थी। चुनावें हज़रत उमर (रज़ि.) ने उस पर तवज़ुह नहीं दी। मगर वो पारसी गुलाम ऐसा असंतुष्ट हुआ कि सुबह की नमाज़ में ख़ञ्जर छुपाकर ले गया और नमाज़ की हालत में आप पर उस ज़ालिम ने हमला कर दिया। उसके तीन दिन बाद 1 मुहर्म्म 24 हिज़री में आपने शहादत पाई और नबी-ए-अकरम (ﷺ) और अपने मुख़्तस रफ़ीक़ (प्रिय दोस्त) अबूबक्र सिदीक़ (रज़ि.) के पहलू में क़यामत तक के लिये सो गये। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैही राजिऊन-अल्लाहुम्मग़िफ़िर लहुम अज्मईन-आमीन!

बाब 2 :

بَاب

(2). हमको अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने हदीस बयान की, उनको : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ :

मालिक ने हिशाम बिन उर्वा की रिवायत से खबर दी, उन्होंने अपने वालिद से नक़ल की, उन्होंने उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से नक़ल की। आपने फ़र्माया कि हारिष बिन हिशाम नामी एक शख़्स ने आँहज़रत (ﷺ) से सवाल किया था कि हुज़ूर आप पर वहा कैसे नाज़िल होती है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि वहा नाज़िल होते वक़्त कभी-कभी मुझे घंटी की सी आवाज़ महसूस होती है और वहा की यह कैफ़ियत मुझ पर बहुत शाक्र (नाक्राबिले बर्दाश्त/असहनीय) गुज़रती है। जब ये कैफ़ियत ख़त्म होती है तो मेरे दिलो-दिमाग़ पर (उस फ़रिश्ते) के ज़रिए नाज़िल शुदा वहा महफूज़ हो जाती है और किसी वक़्त ऐसा होता है कि फ़रिश्ता बशकले इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है। बस मैं उसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि मैंने सख़्त कड़ाके की सर्दियों में आँहज़रत (ﷺ) को देखा है कि आप (ﷺ) पर वहत्य नाज़िल हुई और जब उसका सिलसिला मौकूफ़ (मुलतवी/स्थगित) हुआ तो आप (ﷺ) की पेशानी पसीने से सरोबार थी। (दीगर मक़ामात : 3215)

तशरीह :

अंबिया (अलैहिमिस्सलाम) खुसूसन आख़री नबी हज़रत मुहम्मद (ﷺ) पर वहा नाज़िल होने के मुख़्तलिफ़ तरीक़े (विभिन्न प्रकार) रहे हैं। अंबिया (अलैहिमिस्सलाम) के ख़्वाब भी वहा होते हैं और उनके क़ल्ब (दिल) पर जो इल्हामात वारिद होते हैं, वो भी वहा हैं। कभी अल्लाह का भेजा हुआ फ़रिश्ता अपनी असली सूरत में उनसे हमकलाम होता है और कभी वो फ़रिश्ता इन्सान की सूरत में हाज़िर होकर अल्लाह का फ़र्मान सुनाता है। कभी बारी तआला व तक्रहुस बराहे रास्त ख़ुद (सीधे तौर पर) अपने रसूल से ख़िताब फ़र्माता है। नबी करीम (ﷺ) की हयाते तथ्यिबा में वक़तन-फ़वक़तन वहा की ये सभी क़िस्में पाई गईं। ऊपर बयान की गई हदीष में जिस घण्टी की आवाज़ की मुशाबहत का ज़िक्र आया है, हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) ने उससे मुराद वहा लेकर आने वाले फ़रिश्ते के पैरों की आवाज़ बतलाई है। बाज़ हज़रात ने इस आवाज़ से सौते-बारी को मुराद लिया है और कुआनी आयत 'व मा कान लि-बशरिन अय्युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहान औ मिव्वरा-इ हिजाब' तर्जुमा : 'और किसी आदमी के लिये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह उससे बात करे, मगर इल्हाम (के ज़रिये) से या पर्दे के पीछे से या कोई फ़रिश्ता भेज दे, तो वो अल्लाह के हुक़म से जो अल्लाह चाहे इल्का करे। बेशक वो बुलन्द मर्तबा (और) हिक्मत वाला है।' (सूरह शूरा 51) के तहत इसे वरा-ए-हिजाब वाली सूरत से ताबीर किया है। आजकल टेलीफ़ोन की ईजाद में भी हम देखते हैं कि फ़ोन करने वाला पहले नम्बर डायल करता है और जहाँ वो फ़ोन करता है, वहाँ घण्टी की आवाज़ सुनाई देती है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि ऊपर बयान की गई हदीष में कोई ऐसा ही इस्तिआरा (रूपक/मिज़ाल) है। हाँ! कुछ न कुछ मुशाबहत (समरूपता) ज़रूर है। वहा और इल्हाम भी अल्लाह पाक की तरफ़ से एक ग़ैबी रूहानी फ़ोन ही है जो आलमे-बाला से उसके मक़बूल बन्दों, अंबिया व रसूलों के मुबारक दिलों पर नाज़िल करता है। नबी करीम (ﷺ) पर वहा का नुज़ूल इतनी क़प्रत से हुआ कि उसकी तशबीह (उपमा) 'रहमतों की बरसात' से दी जा सकती है। कुआन मजीद वो वहा है जिसे वह्ये-मतलू कहा जाता है, यानी वो वहा जो ता-क़यामे-दुनिया मुस्लिमों की तिलावत में रहेगी और वह्ये-ग़ैर मतलू आप (ﷺ) की हदीषे-कुदसिया है जिनको कुआन मजीद में 'अल हिक्मह' से ताबीर किया गया है। इन दोनों क़िस्मों की वहा की हिफ़ाज़त अल्लाह पाक ने अपने ज़िम्मे ली हुई है और इस सवा चौदह सौ साल के असें में जिस तरह कुआन करीम की ख़िदमत और हिफ़ाज़त के लिये हाफ़िज़, क़ारी, उलमा, फ़ाज़िल, मुफ़स्सिरीन लोग पैदा होते रहे हैं, इसी तरह अहादीषे-

اخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
أَنَّ الْخَارِثَ بْنَ هِشَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ
كَيْفَ بَأْتِيكَ الْوَحْيُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ : ((أَحْتَا بِأَيْتِنِي وَقَدْ صَلَّيْتُ
الْحَجْرَسِ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ فَتَقَعُّمُ عَلَيَّ
وَلَقَدْ وَهَيْتُ هُنَا مَا قَالَ، وَأَحْتَا بِمَقْعَلِ لِي
الْمَلَكُ رَجُلًا فَيَكْتُمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ)).
قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ
يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ لِي فِي أَيَّامِ الشَّهِيدِ الْبَرْدِ
فَيَقَعُّمُ عَنْهُ وَإِنْ جَبِيته لَيَطْمَعِدُ عِرْقًا.

[أطرافه ن : ۳۲۱۵]

नबवी (ﷺ) की हिफ़ाज़त के लिये अल्लाह पाक ने इमाम बुखारी व मुस्लिम (रह.) जैसे मुहदिषीन की जमाअत को पैदा किया है। जिन्होंने उलूमे नबवी (ﷺ) की वो ख़िदमत की है कि क़यामत तक उम्मत उनके एहसान से बरी नहीं हो सकती। हदीषे नबवी (ﷺ) है कि अगर दीन धुरेय्या पर होगा तो आले फ़ारस से कुछ लोग पैदा होंगे जो वहाँ से भी इसे हासिल कर लेंगे। बिला शक व शुब्हा इससे यही मुहदिषीने किराम इमाम बुखारी व मुस्लिम वग़ैरह हैं, जिन्होंने अहादीषे-नबवी की तलब में हज़ारों मील पैदल सफ़र किया और बड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करके उनको जमा किया।

लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है कि आज के दौर में कुछ लोग खुल्लम खुला अहादीषे नबवी (ﷺ) का इन्कार करते हैं और मुहदिसीने किराम पर फ़ब्तियाँ कसते हैं और कुछ लोग ऐसे भी पैदा हुए हैं जो ज़ाहिरी तौर पर उनके एहतिराम का दम भरते हैं और पदों के पीछे उनको ग़ैर-षिका, महज़ रिवायत कुनिन्दा, दिरायत से आरी (ज़हानत/प्रतिभा/ज्ञान से ख़ाली) नाक़िसुल फ़हम (त्रुटिपूर्ण समझवाला) प्रभावित करने में अपनी ऐड़ी-चोटी का जोर लगाते रहते हैं। मगर अल्लाह पाक ने अपने मक्बूल बन्दों की अज़ीम ख़िदमत को जो दवाम (स्थायित्व) बरख़शा और उनको कुबूले आम अता फ़र्माया, वो ऐसी ग़लत कोशिशों से ज़ाइल (नष्ट) नहीं हो सकता। अल ग़रज़ वह्य की चार सूत्रें हैं, (1) अल्लाह पाक बराहे रास्त अपने रसूल से ख़िताब फ़र्माए; (2) कोई फ़रिश्ता अल्लाह का पैग़ाम लेकर आए; (3) ये कि दिल में बात डाल दी जाए; (4) सच्चे ख़्वाब दिखाई दें।

इस्तेलाही (पारिभाषिक) तौर पर वह्य का लफ़ज़ सिर्फ़ पैग़म्बर के लिये बोला जाता है और इल्हाम आम है जो दूसरे नेक बन्दों को भी होता रहता है। कुआन मज़ीद में जानवरों के लिये भी लफ़ज़ 'इल्हाम' इस्ते माल हुआ है। जैसा कि 'व औहा रब्बु - क इलन्नह्ल' (सूरह नह्ल : 68) में मज़कूर (वर्णित) है। वह्य की मज़ीद तफ़्सील (विस्तृत विवरण) के लिये हज़रत इमाम ने नीचे लिखी हदीष नक़ल फ़र्माई है।

(3) हमको यह्या बिन बुकैर ने ये हदीष बयान की, वो कहते हैं कि इस हदीष की हमको लैष ने ख़बर दी, लैष अक़ील से रिवायत करते हैं। अक़ील इब्ने शिहाब से, वो इवा बिन जुबैर से, वो उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि उन्होंने बतलाया कि आँहज़रत (ﷺ) पर वह्य का शुरूआती दौर अच्छे-सच्चे पाकीज़ा ख़्वाबों से शुरू हुआ। आप ख़्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा प्रभावित होता। फिर मिनजानिबे कुदरत आप (ﷺ) तन्हाईपसंद (एकान्त प्रिय) हो गए और आप (ﷺ) ने ग़ारे हिरा में ख़ल्वतनशीनी इख़ितयार फ़र्माई और कई-कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और यादे इलाही व ज़िक्रो-फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तौशा (खाना) साथ लिए वहाँ रहते। तौशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मुहतरमा हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) के पास आते और कुछ तौशा साथ लेकर फिर वहाँ जाकर ख़ल्वत गुर्जी हो जाते, यही तरीक़ा जारी रहा यहाँ तक कि जब आप (ﷺ) पर हक़ ज़ाहिर हो गया और आप (ﷺ) गारे हिरा ही में क़याम-पज़ीर (ठहरे हुए) थे कि अचानक एक रात हज़रत जिब्रइल (अलैहिस्सलाम) आपके पास हाज़िर हुए और कहने लगे कि ऐ मुहम्मद (ﷺ)! पढ़ो आप (ﷺ) फ़र्माते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, आप (ﷺ) फ़र्माते हैं कि फ़रिश्ते ने मुझे

۳- حَدَّثَنَا يَعْقِبُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
الْأَيْتُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ
الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِيَءَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ
لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِي
الصُّبْحِ. ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، وَكَانَ
يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّنُ فِيهِ - وَهُوَ
التَّعَدُّ - اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدْوِ، قَبْلَ أَنْ
يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَنْزَوُدَ لِلدَّلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ
إِلَى حَدِيثِهِ فَيَنْزَوُدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ
الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ
فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقَالَ: فَقُلْتُ: «مَا أَنَا
بِقَارِيءٍ». قَالَ: «فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى
بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي». فَقَالَ:
اقْرَأْ: «فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيءٍ. فَأَخَذَنِي

पकड़कर इतने ज़ोर से भींचा कि मेरी तारकत जवाब दे गई, फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो, मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उस फ़रिश्ते ने मुझको निहायत ही ज़ोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई, फिर उसने कहा कि पढ़! मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फ़रिश्ते ने मुझको पकड़ा और तीसरी बार फिर मुझको भींचा और कहने लगा कि पढ़ो! अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया, पढ़ो! और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) से सुनकर इस हाल में ग़ारे हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाकिये से कांप रहा था। आप हज़रत ख़दीजा के यहाँ तशरीफ़ ले गए और फ़र्माया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। उन्होंने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा। तो आपने अपनी जोड़ी मुहतरमा हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) को तफ़्सील के साथ यह वाकिया सुनाया और कहने लगे कि मुझको अब अपनी जान का ख़ौफ़ हो गया है। आपकी बीवी हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) ने आपको ढारस (हिम्मत) बंधाई और कहा कि आपका ख़याल सहीह नहीं है। अल्लाह की क़सम! आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा, आप तो अख़लाके-फ़ाज़िला (श्रेष्ठ चरित्र) के मालिक हैं, आप तो कुम्बा परवर हैं, बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मुफ़लिसों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान नवाज़ी में आप बेमिघाल हैं और मुश्किल वक़्त में आप हक़ बात का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ़े-हसना (अच्छे गुणों) वाला इंसान यूँ बेवक़्त ज़िल्लत व ख़वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) आप (ﷺ) को वक्रा बिन नौफ़ल के पास ले गईं, जो उनके चचाज़ाद भाई थे और ज़मान-ए-जाहिलिय्यत में ईसाई मज़हब इख़्तियार कर चुके थे और इब्रानी जुबान के कातिब थे, चुनाँचे इब्ज़ील को भी हस्बे मंश-ए-इलाही इब्रानी जुबान में लिखा करते थे। (इब्ज़ील सुरयानी जुबान में नाज़िल हुई थी फिर उसका तर्जुमा इब्रानी जुबान में हुआ, वक्रा उसी को लिखते थे) वो बहुत बूढ़े हो गए थे यहाँ तक कि उनकी बीनाई भी जा चुकी थी। हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ऐ चचाज़ाद भाई! अपने भतीजे (मुहम्मद ﷺ) की जुबानी ज़रा उनकी कैफ़ियत सुन

لَطْفِي الثَّانِيَةِ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي)) فَقَالَ: اقْرَأْ: ((فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيءٍ. فَأَخَذَنِي لَطْفِي الثَّالِثَةِ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿الْقُرْآنَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾)) فَوَجَّعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَرْجُفُ فَوَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ: ((زَمَلُونِي زَمَلُونِي)) فَرَمَلُونَهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرُّوعُ، فَقَالَ لِعَدِيَّةَ وَاخْبِرْهَا الْخَبِيرَ. ((لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي)). فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْرِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لِتَصِلَ الرَّحِمَ، وَتَخْمُلَ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الصَّيْفَ، وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. لَأَنْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى آتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى - ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ - وَكَانَ امْرَأً تَنْصَرُّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَثِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أُخِيكَ. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أُخِي مَاذَا تَرَى؟ ((فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَ مَا رَأَى)) فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ

लीजिए। वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा है, उसकी तफ़्सील सुनाओ। चुनाँचे आप (ﷺ) ने शुरू से आखिर तक पूरा वाक़िआ सुनाया, जिसे सुनकर वक़्रा बेइख़्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस (मुअज़ज़ राज़दौ फ़रिश्ता) है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) पर वह्य देकर भेजा था, काश! मैं आपके उस अहदे नुबुव्वत के शुरू होने पर जवान उग्र होता। काश! मैं उस वक़्त तक ज़िन्दा रहता जबकि आपकी क़ौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूले करीम (ﷺ) ने यह सुनकर तअज़ुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे? (हालाँकि मैं तो उनमें स़ादिक़ व अमीन व मकुबूल हूँ) वक़्रा बोला हौं! यह सबकुछ सच है। मगर जो शख्स भी आपकी तरह अम्पे हक़ लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नुबुव्वत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी-पूरी मदद करूँगा। मगर कुछ दिनों बाद वक़्रा बिन नौफ़ल का इंतिक़ाल हो गया। फिर कुछ वक़्त तक आप (ﷺ) पर वह्य का आना मौकूफ़ (स्थगित) रहा।

(दीगर मक़ामात : 3392, 4953, 4955, 4956, 4957, 6982)

(4) इब्ने शिहाब कहते हैं मुझको अबू सलमा बिन अब्दुरहमान ने हज़रत जाबिर (रज़ि.) बिन अब्दुल्लाह अंसारी से ये रिवायत नक़ल की कि आप (ﷺ) ने वह्य के रुक जाने के ज़माने के हालात बयान फ़र्माते हुए कहा कि एक रोज़ मैं चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ़ एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ़ उठाया क्या देखता हूँ कि वही फ़रिश्ता जो मेरे पास ग़ारे हिरा में आया था वो आसमान व ज़मीन के बीच एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं उससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख़्वाहिश ज़ाहिर की। उस वक़्त अल्लाह पाक की तरफ़ से ये आयतें नाज़िल हुईं। ऐकंबल ओढ़कर लेटने वाले! उठ खड़ा हो और लोगों को अज़ाबे इलाही से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ़ रख और गंदगी से दूर रह। इसके बाद वह्य तेज़ी के साथ पे दर पे आने लगी। इस हदीष को यह्या बिन बुक़ैर के अलावा लैष बिन सअद से अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ और अबू सालेह ने भी रिवायत किया है। और अक़ील के अलावा जुहरी से हिलाल बिन रव्वाद ने भी रिवायत किया है। यूनुस और मअमर ने अपनी

نَلَى مُوسَى، يَأْتِيَنِي فِيهَا جَدَعًا، لَيْتِي
كُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((أَوْ
نُخْرِجِي هُمْ ؟)) قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ
رَجُلٌ قَطُّ بِعَمَلٍ مَا جَنَّتْ بِهِ إِلَّا عُودِي،
وَإِنْ يُدْرِكُنِي يَوْمُكَ أَنْصُرَكَ نَصْرًا
مُؤَزَّرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْسَبْ وَرَقَّةً أَنْ تُوْفِّي،
وَقَرَّ الْوَحْيُ.

[أطرافه ي : ٣٣٩٢، ٤٩٥٣، ٤٩٥٥،

٤٩٥٦، ٤٩٥٧، ٦٩٨٢.]

٤- قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ قُرَّةِ
الْوَحْيِ - فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: ((بَيْنَا أَنَا
أَمْشِي، إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ،
فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلَكُ جَاءَنِي
بِحِرَاءٍ جَالِسٍ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ، فَرُعِنْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ:
رَمَلُونِي رَمَلُونِي: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَا
أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْزِلْ - إِلَى قَوْلِهِ -
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝. فَحَمِيَ الْوَحْيُ
وَتَابَعُ)). تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو
صَالِحٍ، وَتَابَعَهُ هِلَالٌ بْنُ رَوَادٍ عَنِ

रिवायत में लफ़्ज़ फ़वादह की जगह 'बवादिरह' नक़ल किया है।
(दीगर मक़ामात : 3238, 4122, 4123, 4124, 4125, 4126,
4156, 6214)

الرُّهْرِيُّ، وَقَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ ((بَوَادِرَهُ)).
[أطرافه في : ٤٩٢٣، ٤٩٢٢، ٣٢٣٨ :
٤٩٢٤، ٤٩٢٦، ٤٩٢٥، ٤٩٢٤]

तशीह :

बवादिर, बादिरह की जमा (बहुवचन) है, जो कि जिस्म के गर्दन और मोंढों के बीच वाले हिस्से के लिये बोला जाता है। किसी दहशत-अंगेज़ मंज़र (आतंकित करने वाले दृश्य) को देखकर कई बार जिस्म का यह हिस्सा भी फड़कने लगता है। मुराद यह है कि इस हैरत अंगेज़ वाकिये से आप (ﷺ) के कंधे का गोश्त तेज़ी से फड़कने लगा।

वह्य की इब्तिदा से मुता'ल्लिक इस हदीष से बहुत सारे उमूर पर रोशनी पड़ती है। पहला मनामाते-सादिका (सच्चे ख्वाबों) के ज़रिये आप (ﷺ) का राबिता आलमे-मिज़ाल से कायम कराया गया, साथ ही आप (ﷺ) ने गारे-हिरा में खलवत इख्तियार की। ये गार (गुफा) मक्का मुकर्रमा से करीब तीन मील के फासले पर है। आप (ﷺ) ने वहाँ पर 'तहनुष' इख्तियार फ़र्माया। लफ़्ज़े तहनुष ज़मान-ए-जाहिलिय्यत की इस्तिलाह है। उस ज़माने में इबादत का अहम तरीका यही समझा जाता था कि आदमी किसी गोशे में दुनिया व माफ़ीहा से अलग होकर कुछ रातें यादे-इलाही में बसर करे। चूँकि आप (ﷺ) के पास उस वक़्त तक वह्ये-इलाही नहीं आई थी, इसलिये आपने यह अमल इख्तियार फ़र्माया और यादे-इलाही, जिक्रो-फ़िक्र व मुराक़ब-ए-नफ़्स में वहाँ वक़्त गुजारा। हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने आप (ﷺ) को तीन मर्तबा अपने सीने से आपके सीने को मिलाकर ज़ोर से इसलिये भींचा कि अल्लाह के हुक्म से आप (ﷺ) का सीना खुल जाए और एक ख़ाकी व माद्दी (मिट्टी से बनी भौतिक) मख़लूक का नूरानी मख़लूक से फ़ौरी राबिता (तात्कालिक सम्पर्क) हासिल हो जाए। यही हुआ कि आप (ﷺ) बाद में वह्ये-इलाही 'इक्रर: बिस्मि रब्बिक' को आसानी से अदा करने लगे। पहली वह्य में ये सिलसिला उलूमे मअरिफ़ते-हक़ (हक़ की पहचान), ख़िलक़ते-इन्सानी (इन्सान की रचना), क़लम की अहमियत, तालीम के आदाब और इल्म व जहालत में फ़र्क के जो लतीफ़ इशारे किये गये हैं, उनकी तपसील का ये मौक़ा नहीं, न ही यहाँ गुज्जाइश है। वक़ां बिन नौफ़ल दौरै-जाहिलिय्यत में बुतपरस्ती (मूर्तिपूजा) से अलग होकर नसरानी हो गये थे और उनको सुरयानी और इज़नी इल्म पर महारत थी। आँहज़रत (ﷺ) ने उनकी वफ़ात पर उनको जन्नती लिबास में देखा, इसलिये कि ये शुरू ही में आप (ﷺ) पर ईमान ला चुके थे। हज़रत खदीजतुल कुबरा (रज़ि.) ने आप (ﷺ) की हिम्मत अफ़ज़ाई के लिये जो कुछ भी फ़र्माया वो आप (ﷺ) के अख़लाक़े-फ़ाज़िला (सद्चरित्र) की बेहतरीन तस्वीर है। हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) ने उफ़े-आम (प्रचलित नज़रिये) के पेशेनज़र फ़र्माया कि आप जैसे इन्सानियत के हमदर्द, अख़लाक़ वाले लोग हर्गिज़ ज़लीलो-ख़वार नहीं हुआ करते, बल्कि आपका मुस्तक़बिल तो बेहद शानदार है। वक़ां ने हालात सुनकर हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) को लफ़्ज़ 'नामूसे अक़बर' से याद फ़र्माया। अल्लामा क़स्तलानी (रह.) शरहे बुखारी में फ़र्माते हैं, 'हुव साहिबुस्सिर्ल वह्य वल मुरादु बिही जिब्रईल अलैहिस्सलामु व अहलुल किताब यसुम्मूनुहू अन्ना मूसुल अक़बर' यानी ये वह्य के राजदौ हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) हैं जिनको अहले किताब 'नामूसे अक़बर' के नाम से मौसूम किया करते थे। हज़रत वक़ां ने अपने नसरानी होने के बावजूद यहाँ हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) का नाम लिया इसलिये कि हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) ही साहिबे-शरीअत हैं। हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) शरीअते-मूसा के ही मुबल्लिग़ थे। इसके बाद तीन या ढाई साल तक वह्य का सिलसिला बन्द रहा कि अचानक सूरह मुद्स्सिर का नुज़ूल हुआ। फिर बराबर पै दर पै वह्य आने लगी।

हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने आप (ﷺ) को दबाया। इसके मुता'ल्लिक अल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं, 'व हाज़ल ग़त्तु लि यफ़रुग़हू अनिन्नज़ि इला उमूरिहुनिया व युक़बलु बि कुल्लियति इला मा युलक़ा इलैहि व कररहू लिल मुबालग़ति वसतदल्ल बिही अला अन्नल मुअद्हिब ला यज़रिबु म्बिद्यन अवधर मिन प्रलास जरबात व क़ील अल ग़त्तुल ऊला लियतख़ल्ला अनिहुनिया वप्रानियतु लियतफ़रग़ लिमा यूहा इलैहि वप्रालिषतु लिल मुवानसह' (इश्रादुल सारी 1/63) यानी ये दबाना इसलिये था कि आपको दुनियावी उमूर की तरफ़ नज़र डालने से फ़ारिग़ करके जो वह्य व रिसालत का भार आप (ﷺ) पर डाला जा रहा है, उसको पूरी तरह कुबूल करने के लिये आप (ﷺ) को तैयार कर दिया जाए। इस वाकिये से दलील पकड़ी गई है कि मुअल्लिम के लिये मुनासिब है कि अगर ज़रूरत के वक़्त तालिबे-इल्म को मारना ही हो ता

तीन दफा से ज्यादा न मारे। बाज़ लोगों ने इस वाकिये 'गत्तह' को आँहज़रत (ﷺ) के खासियतों में शुमार किया है, इसलिये कि दीगर अंबिया की इस्तिदा-ए-वह्य के वक़्त ऐसा वाकिया कहीं मन्कूल नहीं हुआ। हज़रत वर्का बिन नौफल ने आप (ﷺ) के हालात सुनकर जो कुछ खुशी का इज़हार किया, उसकी मज़ीद तफ़्सील अल्लामा क़स्तलानी (रह.) यूँ नक़ल फ़र्माते हैं, 'फ़क्रा-ल लहू वरक़तु अबशिर घुम्म अबशिर फ़अना अशहदु इन्नका अल्लज़ी बशशर बिही इब्नु मरयम व इन्नक अला मिषले नामूसे मूसा व इन्नका नबिय्युन मुर्सलून' यानी वर्का ने यह कहा, 'खुश हो जाइये, खुश हो जाइये, मैं यकीनन गवाही देता हूँ कि आप वही नबी व रसूल हैं जिनकी बशाऱत हज़रत इब्ने मरयम (अलैहिस्सलाम) ने दी थी और आप पर वही नामूस नाज़िल हुआ है जो हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) पर नाज़िल हुआ करता था और बेशक आप (ﷺ) अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने वर्का बिन नौफल को मरने के बाद जन्नती लिबास में देखा था। वो आप (ﷺ) पर ईमान लाया और आपकी तस्दीक की, इसलिये जन्नती हुआ। वर्का बिन नौफल के इस वाकिये से यह मसला प्राबित होता है कि अगर कोई शख़्स अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) पर ईमान लाए और उसको दूसरे इस्लामी फ़राइज़ अदा करने का मौक़ा न मिले, उससे पहले ही वो इतिक़ाल कर जाए, अल्लाह पाक ईमानी बरक़त से उसे जन्नत में दाख़िल करेगा।

हज़रत मौलाना फ़नाउल्लाह अमृतसरी (रह.) सूरह मुद्स्सिर की आयत 'व प्रियाबक फतहिह' की तफ़्सीर में फ़र्माते हैं कि अरब में शोअरा (शाइर हज़रात) प्रियाब से मुराद दिल लिया करते हैं। इम् उल क़ैस कहता है, 'व इन कुन्त साअतका मित्री ख़लीक़तन फ़ सुल्ली प्रियाबी मिन प्रियाबिकि तुनसिली' इस शेर में प्रियाब से मुराद दिल है। यहाँ मुनासिब यही है क्योंकि कपड़ों का पाक रखना सिहते-सलात (नमाज़) के लिये ज़रूरी है मगर दिल का पाक-साफ़ रखना हर हाल में लाज़मी है। हदीष शरीफ़ में वारिद है, 'इन्न फ़िल जसदि मुज़ातन इज़ा मलुहत मलुहल जसदु कुल्लुहू व इज़ा फ़सदत फ़सदल जसदु कुल्लुहू अला व हियल क़ल्बु' यानी इन्सान के जिस्म में एक टुकड़ा है जब वो दुरुस्त हो तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है और जब वो बिगड़ जाता है तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है, सुनो! वो दिल है। (अल्लाहुम्म असलिह क़ल्बी व क़ल्ब कुल्लि नाज़िर) (तफ़्सीर फ़नाई)

अजीब लतीफ़ा : कुआँन मज़ीद की कौनसी सूरह पहले नाज़िल हुई? इसके बारे में क़दरे-इख़ितलाफ़ ह मगर सूरह 'इक़रः बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी' पर अक्शर का इत्तेफ़ाक़ है, इसके बाद वह्य नाज़िल होने का ज़माना ढाई-तीन साल रहा और पहली सूरह 'या अय्युहल मुद्स्सिर' नाज़िल हुई। मस्लकी तअस्सुब का हाल मुलाहज़ा हो इस मुक़ाम पर एक साहब ने जो कि बुखारी शरीफ़ का तर्जुमा शरह के साथ शाए फ़र्मा रहे हैं, इससे सूरह फ़ातिहा की नमाज़ में अदम रुकनियत की दलील पकड़ी है। चुनाञ्चे उनके अल्फ़ाज़ हैं, 'सबसे पहले सूरह इक़रः नाज़िल हुई और सूरह फ़ातिहा का नुज़ूल बाद में हुआ तो जब तक उसका नुज़ूल नहीं हुआ था, उस ज़माने में नमाज़े किस तरह दुरुस्त हुई? जबकि फ़ातिहा रुकने नमाज़ है कि उसके बग़ैर नमाज़ दुरुस्त ही नहीं हो सकती, नमाज़ में सूरह फ़ातिहा की रुकनियत को मानने वाले जवाब दें।' (अनवारुल बारी जिल्द अक्वल पेज नं. 40)

नमाज़ में सूरह फ़ातिहा पढ़ना नमाज़ की सिहत के लिये ज़रूरी है, इस पर यहाँ तफ़्सील से लिखने का मौक़ा नहीं, न ही इस बहष का ये मौक़ा है। हाँ! हज़रत शाह अब्दुल कादिर जीलानी (रह.) के लफ़ज़ों में इतना अर्ज कर देना ज़रूरी है, 'फ़ इन्न क़िरअतहा फ़रीज़तुन व हिय रुकनुन तबतुलुस्सलातु बि तरकिहा' (गुनियतुत तालिबीन : पेज नं. 53) यानी नमाज़ में रुकने के तौर पर सूरह फ़ातिहा का पढ़ना फ़र्ज़ है, जिसके छोड़ने से नमाज़ बातिल हो जाती है। मौसूफ़ के जवाब में हम लगे हाथों इतना अर्ज कर देना काफ़ी समझते हैं कि जबकि सूरह फ़ातिहा का नुज़ूल ही नहीं हुआ था, जैसा कि मौसूफ़ ने भी लिखा है, तो उस मौक़े पर उसके रुकनियते-नमाज़ होने या उसकी फ़रज़ियत का सवाल ही क्या है? रिसालत के शुरूआती दौर में बहुत से इस्लामी अहकामात वजूद में नहीं आए थे जो बाद में बतलाए गये। फिर अगर कोई कहने लगे कि ये अहकाम रिसालत के शुरूआती ज़माने में नहीं थे तो उनका मानना ज़रूरी क्यों? शायद कोई भी अक्ल वाला इन्सान इस बात को सही नहीं समझेगा। पहले सिर्फ़ दो नमाज़ें थीं, बाद में पाँच नमाज़ों का तरीक़ा जारी हुआ। पहले अज़ान भी न थी, बाद में अज़ान का सिलसिला जारी हुआ। मक्की ज़िन्दगी में रोज़े फ़र्ज़ नहीं थे, मदीनी ज़िन्दगी में ये फ़र्ज़ आइद किया गया। फिर क्या मौसूफ़ की इस नाजुक दलील के आधार पर इन सारे उमूर का इन्कार किया जा सकता है? एक अदना तअम्मुल (सोच/विचार/गौर) से ये हकीक़त वाज़ेह हो सकती थी, मगर जहाँ क़दम-क़दम पर मस्लकी व फ़िक्ही जमूद (जड़ता Rigidity) काम कर रहा हो वहाँ वुस्अतनज़री की तलाश बेकार है। खुलासा यह कि जब भी सूरह फ़ातिहा का नुज़ूल हुआ और नमाज़े-फ़र्ज़ या बाजमाअत नमाज़ का तरीक़ा इस्लाम में राइज़ (प्रचलित) हुआ,

इस सूरह फ़ातिहा को नमाज़ का रुकन करार दिया गया। सूरह फ़ातिहा के नाज़िल होने से पहले बाजमाअत या फ़र्ज़ नमाज़ से पहले इन चीज़ों का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। बाकी मबाहिष अपने मक़ाम पर आएंगे, इशाअल्लाह!

हदीषे-कुद्सी में सूरह फ़ातिहा को 'सलात (नमाज़)' कहा गया है। शायद ऐतराज़ करने वाले साहब इस पर यूँ कहने लगे कि जब सूरह फ़ातिहा ही असल नमाज़ है तो इसके नाज़िल होने से पहले वाली नमाज़ों को नमाज़ कहना क्योंकर सहीह होगा? खुलासा यह कि सूरह फ़ातिहा नमाज़ का एक ज़रूरी रुकन है और ऐतराज़ करने वाले साहब का क़ौल सहीह नहीं। ये जवाब इस आधार पर है कि सूरह फ़ातिहा का नुज़ूल मक्का में न माना जाए, लेकिन अगर मान लिया जाए जैसा कि तफ़्सीर की किताबों से प्राबित है कि सूरह फ़ातिहा मक्का में नाज़िल हुई तो मक्का शरीफ़ ही में इसकी रुकनियत नमाज़ के लिये प्राबित होगी।

बाब 5 :

باب - ٥

(5) मूसा बिन इस्माईल ने हमसे हदीष बयान की, उनको अबू अवाना ने ख़बर दी, उनसे मूसा इब्ने अबी आयशा ने बयान की, उनसे सईद बिन जुबैर ने, उन्होंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से कलामे इलाही (ला तुहरिक) की तफ़्सीर के सिलसिले में सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नुज़ूले कुआन के वक़्त बहुत सख़ती महसूस किया करते थे और उसकी (अलामतों) में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होंठों को हिलाते थे। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा मैं अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह आप हिलाते थे। सईद कहते हैं मैं भी अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह इब्ने अब्बास (रज़ि.) को मैंने हिलाते हुए देखा। फिर उन्होंने अपने होंठ हिलाए। (इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा) फिर ये आयत उतरी, 'ऐ मुहम्मद! कुआन को जल्दी-जल्दी याद करने के लिए अपनी जुबान न हिलाओ। उसका जमा कर देना और पढ़ा देना मेरे ज़िम्मे है।

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि यानी कुआन आप (ﷺ) के दिल में जमा देना और पढ़ा देना अल्लाह के ज़िम्मे है। फिर जब हम पढ़ चुके तो उस पढ़े हुए की इत्तिबाअ करो। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं (इसका मतलब यह है) कि आप उसको ख़ामोशी के साथ सुनते रहो। उसके बाद मतलब समझा देना मेरे ज़िम्मे है। फिर यक़ीनन यह मेरी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ो (यानी इसको महफूज़ कर सको) चुनौचे उसके बाद जब आपके पास हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम (वह्य लेकर) आते तो आप (तवज्जुह से) सुनते। जब वो चले जाते तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उस (वह्य) को उसी तरह पढ़ते जिस तरह हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने उसे पढ़ा था। (दीगर मक़ामात : 4927, 4928, 4929, 5044, 7524)

٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَالِشَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا تُحْرَكُ بِهِ لِسَانُكَ لِتُعْجَلَ بِهِ﴾ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّزْوِيلِ شِدَّةً، وَكَانَ مِمَّا يُحْرَكُ شَفْتَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَنَا أُحْرَكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحْرَكُهُمَا. وَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أُحْرَكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحْرَكُهُمَا - لِحُرُوكِ شَفْتَيْهِ - فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا تُحْرَكُ بِهِ لِسَانُكَ لِتُعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ قَالَ: جَمَعَهُ لَكَ صَلْتُوكَ وَقُرْآنَهُ ﴿فَإِذَا قُرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ قَالَ: فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ﴿فَمِنْ إِنْ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا أَنْ نَقْرَأَهُ. فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَنَا جَبْرِيلُ اسْتَمَعَ، فَيَذَا أَنْطَلَقَ جَبْرِيلُ قُرْآنَهُ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا قَرَأَهُ.

[أطرافه في : ٤٩٢٧، ٤٩٢٨، ٤٩٢٩]

[٧٥٢٤، ١٥٠٤٤]

तशरीह :

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने वह्य की इब्तिदाई कैफ़ियत के बयान में इस हदीष को नक़ल करना भी मुनासिब

समझा जिससे वह्य की अज़मत और सदाकत पर भी रोशनी पड़ती है, इसलिये अल्लाह पाक ने इस आयते करीमा 'ला तुहरिक बिही लिसानक लि तअजल बिही' (अल क्रियामा : 16) में आपको पूरे तौर पर तसल्ली दिलाई कि वह्य का नाज़िल करना, फिर आप (ﷺ) के दिल में जमा देना, उसकी पूरी तपसीर आपको समझा देना, उसका हमेशा के लिये महफूज़ रखना ये सारी जिम्मेदारियाँ अल्लाह की है। इब्तिदा में आप (ﷺ) को खटका रहता था कि कहीं हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) के जाने के बाद नाज़िलशुदा कलाम भूल न जाऊँ। इसलिये आप (ﷺ) उनके पढ़ने के साथ-साथ और याद करने के लिये अपनी ज़बाने मुबारक हिलाते रहते थे, उससे आप (ﷺ) को रोका गया और कामिल तवज्जुह के साथ ग़ौर से सुनने की हिदायत की गई, जिसके बाद आप (ﷺ) का यही मामूल हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) आयते करीमा 'ला तुहरिक बिही' नुज़ूल के वक़्त मौजूद नहीं थे। मगर बाद के ज़माने में जब आप भी आँहज़रत (ﷺ) वह्य के इब्तिदाई हालात बयान फ़र्माते तब इब्तिदा-ए-नुबुव्वत की पूरी तपसील बयान फ़र्माया करते थे, होंट हिलाने का मामला भी ऐसा ही है। ऐसा ही हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने अपने अहद में देखा और फ़ेअले-नबवी (ﷺ) की इक्तदा में अपने होंट हिलाकर इस हदीष को नक़ल फ़र्माया। फिर हज़रत सअद बिन जुबैर (रज़ि.) ने भी अपने दौर में इसे रिवायत करते वक़्त अपने होंट हिलाए। इसीलिये इस हदीष को 'मुसलसल बि तहरीकिशफ़तैन' कहा गया है। यानी एक ऐसी हदीष जिसके रावियों में होंट हिलाने का तसलसुल पाया जाए। इसमें यह भी इशारा है कि वह्य की हिफ़ाज़त के लिये इसके नुज़ूल के वक़्त की हरकतों व सक्नाते नबविया (ﷺ) तक को बज़रिये नक़ल दर नक़ल महफूज़ रखा गया। आयत शरीफ़ा 'धुम्म इन्न अलैना बयानह' में हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का इशारा इस तरफ़ भी है कि कुआन मजीद की अमली तपसीर जो आँहज़रत (ﷺ) ने बयान फ़र्माई और अपने अमल से दिखलाई। ये भी सब अल्लाह की वह्य के तहत है, इससे हदीषे नबवी (ﷺ) की अज़मत ज़ाहिर होती है। जो लोग हदीषे नबवी (ﷺ) में शक व शुबहे पैदा करते हैं उनको ग़लत करार देने की मज़मूम (बेजा/निन्दित) कोशिश करते हैं उनके बातिल खयालात की भी यहाँ पूरी तर्दीद मौजूद है। सहीह मफूअ हदीष यक़ीनन वह्य है। फ़र्क सिफ़ इतना है कुआनी वह्य को वह्ये-मतलू और हदीष को वह्ये-ग़ैर मतलू करार दिया गया है। मज़कूर हदीष से मुअल्लिम (पढ़ाने वाले) और मुतअल्लिम (तालीम पाने वाले) के आदाब पर भी रोशनी पड़ती है कि आँहज़रत (ﷺ) को एक मुतअल्लिम की हैषियत में इस्तिमाअ (सुनने) और इन्सात की हिदायत फ़र्माई गई। इस्तिमाअ कानों का फ़ेअल है और इन्सात बक़ौल हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) आँखों से होता है। लिहाज़ा मुतअल्लिम के लिये ज़रूरी है कि दर्स के वक़्त अपने कानों और आँखों से मुअल्लिम पर पूरी तवज्जुह से काम ले। उसके चेहरे पर नज़र जमाए रखे, लबो-लहजे के इशारों को समझने के लिये निगाह उस्ताद की तरफ़ भी उठती हो। कुआन मजीद व हदीष शरीफ़ की अज़मत का यही तक्राज़ा है कि इन दोनों का दर्स लेते वक़्त मुतअल्लिम हमातनगोश (एकाग्रचित्त) हो जाए और पूरे तौर पर सुनने व समझने की कोशिश करे। हालते खुल्बा में सामेईन (श्रोताओं) के लिये इसी इस्तिमाअ व इन्सात की हिदायत है। नुज़ूले वह्य के वक़्त आप (ﷺ) पर सख़ती और शिद्दत का तारी होना, इसलिये था कि खुद अल्लाह पाक ने फ़र्माया है, 'इन्ना सनुल्की अलैक क़ौलन प्रकीला' बेशक मैं आप पर भारी व अज़मत वाला कलाम नाज़िल करने वाला हूँ। पिछली हदीष में गुज़र चुका है कि नुज़ूले वह्य के वक़्त सख़त सर्दी के मौसम में भी आप (ﷺ) पसीने-पसीने हो जाते थे। वही कैफ़ियत यहाँ बयान की गई है। आयते शरीफ़ा में ज़बान हिलाने से मना किया गया है और हदीषे हाज़ा में होंट हिलाने का ज़िक्र है। यहाँ रावी ने इख़ितसार (संक्षेप) से काम लिया है। किताबुतपसीर में हज़रत ज़रीर ने मूसा बिन अबी आइशा से इस वाक़िये की तपसील में होंटों के साथ ज़बान हिलाने का भी ज़िक्र फ़र्माया है। 'कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इज़ा नज़ल जिब्रईलु बिल वह्यि फ़ कान मिम्मा युहरिकु बिलिसानिही व शफ़तैहि' इस सूत में आयत व हदीस में कोई तआरुज़ (झगड़ा) नहीं रहता।

रावियाने हदीष : हज़रत मूसा बिन इस्माईल मुन्करी, मुन्कर बिन इबैद अल हाफ़िज़ की तरफ़ मन्सूब हैं जिनका इतिकाल बसरा में 223 हिजरी माहे रजब में हुआ। अबू अवाना वज़ाह बिन अब्दुल्लाह हैं जिनका 196 हिजरी में इतिकाल हुआ। मूसा बिन अबी आइशा अल कूफ़ी अल हम्दानी हैं। सईद बिन जुबैर बिन हिशाम अल कूफ़ी अल असदी हैं जिनको 92 हिजरी में मज़लूमाना हालत में हज़ाज बिन यूसुफ़ प्रक़फ़ी ने निहायत ही बेददी के साथ क़त्ल किया था जिनकी बद्दुआ से हज़ाज फिर जल्दी ही ग़ारत हो गया।

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) को तर्जमानुल कुर्आन कहा गया है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके लिये फ़हमे-कुर्आन की दुआ फ़र्माई थी। 68 हिजरी में ताइफ़ में उनका इतिक़ाल हुआ। सहीह बुखारी में उनकी रिवायत से दो सौ सत्रह (217) अहादीष नक़ल की गई हैं। (क़स्तलानी)

बाब 6 :

باب

(6) हमको अब्दान ने हदीष बयान की, उन्हें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उनको यूनुस ने, उन्होंने जुहरी से यह हदीष सुनी। (दूसरी सनद ये है कि) हमसे बिशर बिन मुहम्मद ने ये हदीष बयान की। उनसे अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने, उनसे यूनुस और मअमर दोनों ने, इन दोनों ने जुहरी से रिवायत की पहली सनद के मुताबिक़ जुहरी से अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने, उन्होंने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से ये रिवायत नक़ल की कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सब लोगों से ज़्यादा जव्वाद (सखी) थे और रमज़ान में (दूसरे औकात के मुक़ाबले में जब) जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) आप (ﷺ) से मिलते तो बहुत ही ज़्यादा जूदो-करम फ़र्माते। जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) रमज़ान की हर रात में आप (ﷺ) से मुलाक़ात करते और आप (ﷺ) के साथ कुर्आन का दौर करते, गर्ज आँहज़रत (ﷺ) लोगों को भलाई पहुँचाने में बारिश लाने वाली हवा से भी ज़्यादा जूदो-करम फ़र्माया करते थे।

(दीगर मक़ामात : 1902, 3220, 3554, 4997)

٦- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ لِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. فَلَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

[طرايه ن : ١٩٠٢، ٣٢٢٠، ٣٥٥٤]

[٤٩٩٧]

तशरीह : इस हदीष की मुनासबत बाब से ये है कि रमज़ान शरीफ़ में हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) आप (ﷺ) से कुर्आन मजीद का दौर किया करते थे तो मा'लूम हुआ कि कुर्आन यानी वह्य का नुज़ूल रमज़ान शरीफ़ में शुरू हुआ। जैसा कि आयते शरीफ़ा 'शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुर्आन' (अल बक़र : 185) में ज़िक़र किया गया है। ये नुज़ूल कुर्आन लौहे महफूज़ से बैतुल इज़त में समाउददुनिया की तरफ़ था। फिर वहाँ से आँहज़रत (ﷺ) पर नुज़ूल भी रमज़ान शरीफ़ ही में शुरू हुआ। इसीलिये रमज़ान शरीफ़ कुर्आन करीम के लिये सालाना यादगार महीना करार पाया और इसीलिये इस माहे मुबारक में आप (ﷺ) और हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) कुर्आन मजीद का बाक़ायदा दौर फ़र्माया करते थे। साथ ही आप (ﷺ) के 'जूद' का ज़िक़रे-ख़ैर भी किया गया। सख़ावत ख़ास माल की तक्सीम का नाम है और जूद के मा'ने 'इअताउ मा यम्बग्गी लिमन यम्बग्गी' के हैं जो बहुत ही ज़्यादा उमूमियत लिये हुए हैं। लिहाज़ा जूद माल ही पर मौकूफ़ (मुन्हसिर/निर्भर) नहीं बल्कि जो शय भी जिसके लिये मुनासिब हो दे दी जाए, इसलिये आप (ﷺ) जूदनास थे। हाज़तमन्दों के लिये माली सख़ावत, इल्म के प्यासों के लिये इल्मी सख़ावत, गुमराहों के लिये रूहानी फ़ैज़ की सख़ावत, अल गरज़ आप (ﷺ) हर लिहाज़ से तमाम बनी नोअे इन्सानी (सम्पूर्ण मानव जाति) में बेहतर सखी (दानी) थे। आपकी जुम्ला सख़ावत की तफ़्सीलात (विवरण) हदीष की किताबों और सीरत में नक़ल की गई है। आप (ﷺ) की जूदो-सख़ावत की तशबीह (उपमा) बारिश लाने वाली हवाओं से दी गई है जो कि बहुत ही मुनासिब है। बाराने-रहमत से ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब (हरी भरी व मनोरम) हो जाती है। आपकी जूदो-सख़ावत से बनी नोअे इन्सानी की उजड़ी हुई दुनिया आबाद हो गई। हर तरफ़ हिदायत के दरिया बहने लगे। खुदाशनासी और अख़लाक़े फ़ाज़िला (उच्च चरित्र) के समन्दर मौज़ों मारने लगे। आप (ﷺ) की सख़ावत और रूहानी कमालात से सारी दुनिया के इन्सानों ने फ़ैज़ हासिल किये और ये मुबारक सिलसिला दुनिया के क़ायम

रहने तक कायम रहेगा क्योंकि आप (ﷺ) पर नाज़िल होने वाला कुर्आन मजीद वच्चे-मतलू और और अहादीष शरीफ वच्चे-गैर मतलू तब तक कायम रहने वाली चीज़ें हैं जब तक दुनिया कायम रहेगी। लिहाज़ा दुनिया में आने वाली तमाम इन्सानियत उनसे फ़ैज़ हासिल करती रहेगी। इससे वच्चे की अज़मत भी ज़ाहिर होती है और यह भी कि कुर्आन व हदीष की तालीम देने वाले और तालीम हासिल करने वाले लोगों को, दूसरे लोगों के बनिस्बत ज़्यादा सखी, जूद व वसीइल क़ल्ब (सहृदय/बड़े दिलवाला) होना चाहिये कि उनकी शान का यही तक्राज़ा है। खुसूसन रमज़ान शरीफ़ का महीना जूदो सखावत का महीना है कि इसमें एक नेकी का प्रवाब कितने ही कितने ही (गुना ज़्यादा) दर्जात हासिल कर लेता है। जैसा कि नबी-ए- करीम (ﷺ) इस माह में खुसूसियत के साथ अपनी ज़ाहिरी व बातिनी सखावत के दरिया बहा देते थे।

सनदे-हदीष: पहला मौक़ा है कि इमाम बुखारी ने यहाँ सनदे हदीष में तहवील फ़र्माई है। यानी इमाम जुहरी तक सनद पहुँचा देने के बाद आप फिर दूसरी सनद की तरफ़ लौट आए हैं अब्दान पहले उस्ताद के साथ अपने दूसरे उस्ताद बिशर बिन मुहम्मद की रिवायत से भी इस हदीष को नक़ल फ़र्माया है और जुहरी पर दोनों सनदों को यक़्जा कर दिया। मुहद्दिषीन की इस्तलाह (परिभाषा) में लफ़्ज़ 'हे' से यही तहवील मुराद होती है। इससे तहवीले-सनद और सनद में इख़्तिसार (संक्षेप) मक़सूद होता है। आगे इस क्रिस्म के बहुत सारे मौक़े आते रहेंगे। बक़ौल अल्लामा क़स्तलानी (रह.) इस हदीष की सनद में रिवायते हदीष की मुख्तलिफ़ क्रिस्में तहदीष, अख़बार (खबरें), अनअना, तहवील सब जमा हो गई हैं। जिसकी तपसीलात मुक़द्दमा में बयान की जाएंगी, इशा अल्लाह!

(7) हमको अबुल यमान हकम बिन नाफ़ेअ ने यह हदीष बयान की, उन्हें इस हदीष की शुऐब ने ख़बर दी। उन्होंने जुहरी से ये हदीष सुनी। उन्हें अबैदुल्लाह इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने इत्बा बिन मसऊद ने ख़बर दी कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से अबू सुफ़यान बिन हर्ब ने वाक़िआ बयान किया कि हिरक्ल (शाहे रूम) ने उनके पास कुरैश के काफ़िले में एक आदमी बुलाने को भेजा और उस वक़्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्के शाम गए हुए थे और ये जमाना था जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुरैश और अबू सुफ़यान से एक वक़्ती अहद (सामयिक समझौता) किया हुआ था। जब अबू सुफ़यान और दूसरे लोग हिरक्ल के पास ऐलिया पहुँचे जहाँ हिरक्ल ने दरबार त़लब किया था। उसके आस-पास बड़े-बड़े लोग (इलमा, वज़ीर, उमरा) बैठे हुए थे। हिरक्ल ने उनको और अपने तर्जुमान (दुभाषिये) को बुलवाया। फिर उनसे पूछा कि तुममें से कौन शख़्स मुद्इये-रिसालत (रिसालत के दावेदार) के ज़्यादा करीबी अज़ीज़ है? अबू सुफ़यान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं उसका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। (ये सुनकर) हिरक्ल ने हुक्म दिया कि उसको (अबू सुफ़यान को) मेरे करीब लाकर बैठाओ और उसके साथियों को उसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं अबू

۷- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ لِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانُوا تِجَارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَادَ فِيهَا أَبُو سَفْيَانَ وَكَفَّارَ قُرَيْشٍ، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِأَنْبِيَاءَ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عِظَمَاءُ الرُّومِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا تَرْجُمَانَهُ فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟

فَقَالَ أَبُو سَفْيَانَ: فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا. فَقَالَ: أَذْنُوهُ مِنِّي، وَقَرَّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ. ثُمَّ قَالَ لِي تَرْجُمَانِي: قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَأَلْتُ عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، فَإِن

सुफयान से उस शख्स के (यानी हजरत मुहम्मद ﷺ के) हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम उसका झूठ जाहिर कर देना। (अबू सुफयान का क्रौल है कि) अल्लाह की क्रसम! अगर ये ग़ैरत न आती कि ये लोग मुझको झुठलाएँगे तो मैं आप (ﷺ) की निस्बत ज़रूर ग़लतगोई से काम लेता। ख़ैर पहली बात जो हिरक्ल ने मुझसे पूछी वो ये कि उस शख्स का खानदान तुम लोगों में कैसा है? मैंने कहा वो तो बड़े ऊँचे आली नसब वाले हैं। कहने लगा उससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी? मैंने कहा नहीं! वो कहने लगा, उसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है? मैंने कहा नहीं! फिर उसने कहा, बड़े लोगों ने उसकी पैरवी इख़्तियार की है या कमज़ोरों ने? मैंने कहा, कमज़ोरों ने। फिर कहने लगा, उसके मानने वाले रोज़ बढ़ते जाते हैं या फिर कोई साथी फिर भी जाता है? मैंने कहा नहीं! कहने लगा, क्या अपने इस दा'वा (ए-नुबुव्वत) से पहले कभी (किसी भी मौक़े पर) उसने झूठ बोला है? मैंने कहा नहीं! और अब हमारी उससे (सुलह की) एक मुकर्रर मुदत ठहरी हुई है मा'लूम नहीं कि वो इसमें क्या करने वाला है। (अबू सुफयान कहते हैं) मैं इस बात के सिवा और कोई (झूठ) उस बातचीत में शामिल न कर सका। हिरक्ल ने कहा। क्या तुम्हारी उससे कभी लड़ाई हुई है? हमने कहा, हाँ! फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है? मैंने कहा, लड़ाई डोल की तरह है। कभी वो हमसे (मैदाने जंग) जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हिरक्ल ने पूछा, वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है? मैंने कहा, वो कहता है कि सिर्फ़ एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसका किसी को शरीक न बनाओ और अपने बाप-दादा की (शिरक की) बातें छोड़ दो और हमें नमाज़ पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सिलह रहमी का हुक्म देता है। (ये सब सुनकर) फिर हिरक्ल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफयान से कह दे कि मैंने तुमसे उसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हममें आली नसब है और पैग़म्बर अपनी क्रौम में आली नसब ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि (दा'वा नुबुव्वत की) ये बात तुम्हारे अंदर इससे पहले भी किसी

كَذَّبَنِي فَكَذَّبُوهُ. فَوَاللَّهِ لَوْ لَا الْحَيَاءَ مِنْ
أَنْ يَأْتِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَّبْتُ عَنْهُ. ثُمَّ
كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ
نَسَبُهُ لِيكُمْ؟ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ.
قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ
قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ
مِنْ مَلِكٍ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَاشْرَافَ
النَّاسِ أَبْوَهُهُ أَمْ ضِعْفَاؤُهُمْ؟ قُلْتُ: بَلِ
ضِعْفَاؤُهُمْ. قَالَ: أَيْرِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟
قُلْتُ: بَلِ يَرِيدُونَ. قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ
مِنْهُمْ سَخَطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟
قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَهَمُونَ
بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا.
قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ
فِي مِدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا.

قَالَ: وَلَمْ تُمَكِّنِي كَلِمَةً أَدْخَلَ فِيهَا شَيْئًا
غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ. قَالَ: فَهَلْ فَاتَلْتُمُوهُ؟
قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ فِتَالِكُمْ إِيَّاهُ؟
قُلْتُ: الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ، يَنَالُ مِنَّا
وَيَنَالُ مِنْهُ. قَالَ: مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ:
يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ
شَيْئًا. وَاتْرَكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ: وَيَأْمُرُنَا
بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَقَابِ وَالصَّلَاةِ. فَقَالَ
لِلتَرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ
فَدَكَرْتَ أَنَّهُ لِيكُمْ ذُو نَسَبٍ، وَكَذَلِكَ
الرُّسُلُ تَبْعَتْ لِي نَسَبِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ
هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ؟ فَذَكَرْتَ

और ने कही थी, तो तुमने जवाब दिया कि नहीं! तब मैंने (अपने दिल में) कहा कि अगर ये बात उससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि उस शख्स ने भी उसी बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा था कि उसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुज़रा है, तुमने कहा कि नहीं! तो मैंने (दिल में) कहा कि उनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूँगा कि वो शख्स (इस बहाने) अपने आबा व अजदाद की बादशाहत और उनका मुल्क (दोबारा) हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने (यानी पैगम्बरी का दावा करने) से पहले तुमने कभी उसपर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया है, तो तुमने कहा कि नहीं! तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ झूठ बोलने से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग उसके पैरो होते हैं या कमज़ोर आदमी? तुमने कहा कमज़ोरों ने उसकी पैरवी की है, तो (दरअसल) यही लोग पैगम्बरों के मानने वाले होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि उसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफ़ियत यही होती है। यहाँ तक कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि क्या कोई शख्स उसके दीन से नाखुश होकर मुर्तद भी हो जाता है? तुमने कहा नहीं, तो ईमान की ख़ासियत भी यही है जिनके दिलों में इसकी मुसर्त रच बस जाए वो इससे लौटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि क्या वो कभी वा'दा-ख़िलाफ़ी करते हैं? तुमने कहा नहीं! पैगम्बरों का यही हाल होता है, वो अहद की ख़िलाफ़वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज़ के लिए कहते हैं? तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकते हैं। सच बोलने और परहेज़गारी का हुक्म देते हैं। लिहाज़ा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं तो अनक़रीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहाँ मेरे ये दोनों पांव हैं। मुझे मा'लूम था कि वो

أَنْ لَا، فَقُلْتُ : لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَهُ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَتَأَسَى بِقَوْلِ قَبْلِهِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ. فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، فَقَدْ اعْرِفُ أَنْهُ لَمْ يَكُنْ لِيَنْزِلَ الْكُذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ. وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضَعَفَاءُهُمْ ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ ضَعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ أَيُرْتَدُّ أَحَدٌ سَخَطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تَخَالِطُ بِشَاشَتِهِ الْقُلُوبَ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْيِرُ ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْيِرُ. وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَتَتَاهَكُمُ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَقَابِ، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُونَ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيْ هَاتَيْنِ. وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمْتُ أَنِّي أَخْلَصْتُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَفَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ. ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ

(पैग़म्बर) आने वाला है मगर मुझे ये मा'लूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि उस तक पहुँच सकूँगा तो उससे मिलने के लिए हर तकलीफ़ गवारा करता। अगर मैं उसके पास होता तो उसक पांव धोता। हिरक्ल ने रसूलुल्लाह (ﷺ) का वो ख़त मंगाया जो आपने दह्या कलबी (रज़ि.) के ज़रिये हाकिमे बस्रा के पास भेजा था और उसने वो हिरक्ल के पास भेज दिया था। फिर उसको पढ़ा तो उसमें (लिखा था),

अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और रहमवाला है। अल्लाह के बंदे और उसके पैग़म्बर मुहम्मद (ﷺ) की तरफ़ से ये ख़त है अज़ीमे-रूम के लिए। उस शख़्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। उसके बाद मैं आपके सामने दा'वते इस्लाम पेश करता हूँ। अगर इस्लाम ले आएँगे तो (दीनो दुनिया में) सलामती नसीब होगी। अल्लाह आपको दोहरा प्रवाब देगा और अगर आप (मेरी दा'वत से) रूगदानी करेंगे तो आपकी रिज़ाया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ऐ अहले किताब! एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे बीच एक जैसी है। वो यह कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी को उसका शरीक न बनाएँ और न हममें से कोई किसी को अल्लाह के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहले किताब (इस बात से) मुँह फेर लें तो (मुसलमानों!) तुम उनसे कह दो कि (तुम मानो या न मानो हम तो एक ख़ुदा के इत्ताअत गुज़ार हैं। अबू सुफ़यान कहते हैं, जब हिरक्ल ने जो कुछ कहना था कह दिया और पढ़कर फ़ारिग़ हुआ तो उसके आसपास शोरो-गुल हुआ। बहुत सी आवाज़ें उठीं और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कबशा के बेटे (आँहज़रत ﷺ) का मुआमला तो बहुत बढ़ गया। (देखो तो) उससे बनी असफ़र (रूम) का बादशाह भी डरता है। मुझे उस वक़्त से इस बात का यक़ीन हो गया कि हज़ूर (ﷺ) अनक़रीब ग़ालिब होकर रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान बना दिया। (रावी का बयान है कि) इब्ने नातूर ईलया का हाकिम हिरक्ल का मुसाहिब और शाम के नसारा का लाट पादरी बयान करता था कि हिरक्ल जब

الَّذِي بَعَثَ بِهِ مَعَ دِحَّةِ الْكَلْبِيِّ إِلَى عَظِيمِ بَصْرَى، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بَصْرَى إِلَى هِرَقْلَ، فَقَرَأَهُ، فِإِذَا فِيهِ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى
هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ.

سَلَامٌ عَلَيَّ مِنَ اتِّبَعِ الْهُدَى، أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ إِسْلَامٍ، أَسْلِمَ تَسْلِمٌ يُؤْتِيكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ. فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِن عَلَيْكَ إِلْمُ الْيَرِيْسِيِّنَ وَ ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.﴾

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَّغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ، كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ، وَأُخْرِجْنَا. فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا : لَقَدْ أَمَرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ يَخَالُفُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ. فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيُظْهِرُ حَتَّى ادْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ.

وَكَانَ ابْنُ النَّاطُورِ - صَاحِبُ إِبِلِيَاءَ وَهِرَقْلَ - أَسْقَفَ عَلَيَّ نَصَارَى الشَّامِ يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِبِلِيَاءَ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ، فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقِيهِ: قَدْ اسْتَكْرَمْنَا هَيْتَكَ. قَالَ ابْنُ النَّاطُورِ: وَكَانَ

ईलया आया। एक दिन सुबह को परेशान उठा तो उसके दरबारियों ने पूछा कि आज हम आपकी हालत बदली हुई पाते हैं (क्या वजह है?) इब्ने नातूर का बयान है कि हिरक्ल नुजूमि था, इल्मे नुजूम में वो पूरी तरह माहिर था। उसने अपने हमनशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नज़र डाली तो देखा कि ख़त्ना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर ग़ालिब आ गया है। (भला) इस ज़माने में कौन लोग ख़त्ना करते हैं? उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई ख़त्ना नहीं करता। सो उनकी वजह से परेशान न हों। सल्तनत के तमाम शहरों में ये हुक्म लिख भेजिये कि वहाँ जितने यहूदी हों सब क़त्ल कर दिए जाएँ वो लोग उन्हीं बातों में मशगूल थे कि हिरक्ल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाहे ग़स्सान ने भेजा था। उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) के हालात बयान किए। जब हिरक्ल ने (सारे हालात) सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो ख़त्ना किए हुए हैं या नहीं? उन्होंने उसे देखा तो बतलाया कि वो ख़त्ना किया हुआ है। हिरक्ल ने जब उस शख़्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वो ख़त्ना करते हैं। तब हिरक्ल ने कहा कि ये ही (मुहम्मद ﷺ) इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर उसने अपने एक दोस्त को रूमिया ख़त लिखा और वो भी इल्मे नुजूम में हिरक्ल की तरह माहिर था। फिर वहाँ से हिरक्ल हिम्स चला गया। अभी हिम्स से निकला नहीं था कि उसके दोस्त का ख़त (उसके जवाब में) आ गया। उसकी राय भी हुज़ूर (ﷺ) के जुहूर के बारे में हिरक्ल के मुवाफ़िक़ थी कि मुहम्मद (ﷺ) (वाक़ई) पैग़म्बर हैं। इसके बाद हिरक्ल ने रूम के बड़े आदमियों को अपने हिम्स के महल में बुलाया और उसके हुक्म से महल के दरवाज़े बंद कर लिए गए। फिर वो (अपने ख़ास महल से) बाहर आया। और कहा, 'ऐ रूमवालों! क्या हिदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है? अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर उस नबी (ﷺ) की बैअत कर लो और मुसलमान हो जाओ। (ये सुनना था कि) फिर वो लोग वहशी गधों की तरह दरवाज़ों की तरफ़ दौड़े (मगर) उन्हें बंद पाया। आख़िर जब हिरक्ल ने (इस बात से) उनकी ये नफ़रत देखी और उनके ईमान लाने से मायूस हो गया। तो कहने लगा कि उन लोगों को मेरे पास लाओ। (जब वो दोबारा आए) तो उसने कहा कि मैंने जो

هَرَقْلُ حَزَاءَ يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ، فَقَالَ لَهُمْ
حِينَ سَأَلُوهُ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ
فِي النُّجُومِ مَلِكَ النُّجْتَانِ قَدْ ظَهَرَ، فَمَنْ
يَخْتِنُ مِنْ هَذَا الْأُمَّةِ؟ قَالُوا: لَيْسَ
يَخْتِنُ إِلَّا الْيَهُودُ، فَلَا يُهْمُكَ شَأْنُهُمْ،
وَاصْبِرْ إِلَى مَدَائِنِ مُلْكِكَ فَلْيَقْتُلُوا مَنْ
فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ
أَتَى هَرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ
يُخْبِرُهُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَلَمَّا
اسْتَخْبَرَهُ هَرَقْلُ قَالَ: اذْهَبُوا فَانظُرُوا
أَمْخَنَ هُوَ أَمْ لَا؟ فَظَرُّوا إِلَيْهِ، فَحَدَّثُوهُ
أَنَّهُ مُخْتَنٌ، وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ: هُمْ
يَخْتِنُونَ. فَقَالَ هَرَقْلُ: هَذَا مَلِكٌ هَدِيَهُ
الْأُمَّةُ قَدْ ظَهَرَ. ثُمَّ كَتَبَ هَرَقْلُ إِلَى
صَاحِبِ لُدٍّ بِرُومِيَّةٍ، وَكَانَ نَظِيرُهُ فِي
الْعِلْمِ. وَسَارَ هَرَقْلُ إِلَى حِمصَ، فَلَمَّ يَرِمُ
حِمصَ حَتَّى آتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَالِقُ
رَأْيَ هَرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ
نَبِيٌّ فَأَذِنَ هَرَقْلُ لِعِظَمَاءِ الرُّومِ فِي ذَمِّكَرَةِ
لُدٍّ بِحِمصَ، ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَعُلِّقَتْ، ثُمَّ
الطَّلَعَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ، هَلْ لَكُمْ فِي
الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَثْبِتَ مُلْكُكُمْ
فَتَبَايَعُوا هَذَا النَّبِيَّ؟ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ
الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ
عُلِّقَتْ، فَلَمَّا رَأَى هَرَقْلُ نَفَرَتَهُمْ وَأَيْسَرَ
مِنَ الْإِيمَانِ قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ. وَقَالَ:
إِنِّي لَأَنَا أَيْضًا أُخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ

बात कही थी उससे तुम्हारे दीनी पुख्तगी की आजमाइश मक़सूद थी। सो वो मैंने देख ली। तब (ये बात सुनकर) वो सबके सब उसके सामने सज्दे में गिर पड़े और उससे ख़ुश हो गए। बिल आख़िर हिरक्ल की आख़िरी हालत यही रही। अबू अब्दुल्लाह कहते हैं कि इस हदीष को मालेह बिन कैसान, यूनुस और मुअमर ने भी जुहरी से रिवायत किया है। (दीगर मक़ामात: 51, 2681, 2804, 2941, 2978, 3174, 4553, 4980, 6260, 7196, 7541)

عَلَىٰ دِيكُمۡ، لَقَدْ رَأَيْتۡ. فَسَجَدُوا لَهُ
وَرَضُوا عَنۡهُ، فَكَانَ ذَٰلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ. رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ
وَيُونُسُ وَمَقَمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

[أطرافه في : ٥١، ٢٦٨١، ٢٨٠٤،
٢٩٤١، ٢٩٧٨، ٣١٧٤، ٤٥٥٣

. [٧٥٤١، ٧١٩٦، ٦٢٦٠، ٥٩٨٠.

तशरीह: वह्य, नुजूले वह्य, अक्रसामे वह्य (वह्य की क्रिस्में), ज़मान-ए-वह्य, मुक़ामे वह्य इन तमाम की तपस्सीलात के साथ-साथ ज़रूरत थी कि जिस मुक़दस शख्सियत पर वह्य का नुजूल हो रहा है उनकी ज़ाते गिरामी का तअरुफ़ (परिचय) कराते हुए उनके हालात पर भी कुछ रोशनी डाली जाए। मशहूर मक़ूला (कहावत) है, 'अल हक्कु मा शहिदत बिहिल अअदाउ' हक़ वो है जिसकी दुश्मन भी गवाही दें। इसी उसूल के पेशेनज़र हज़रत इमाम बुखारी (रह.) कुहस सिरुहु उल अज़ीज़ ने यहाँ तपस्सीली हदीष को नक़ल फ़र्माया जो दो अहमतररीन शख्सियतों यानी रूम के बादशाह हिरक्ल और कुफ़फ़ारे मक्का के सरदार अबू सुफ़यान के बीच मुक़ालमा (वार्तालाप) है। जिसका मौजूअ (विषय) आँहज़रत (ﷺ) की ज़ाते गिरामी और आपकी नुबुव्वत व रिसालत है। गौर करने की बात यह है कि मुक़ालमा करने वाली दोनों शख्सियतें उस वक़्त ग़ैर मुस्लिम थीं। बाहमी तौर पर दोनों के क़ौम व वतन (जाति और देश), तहज़ीब व तमहुन (सभ्यता और संस्कृति) में हर तरह से दो अलग-अलग दिशाओं जैसी हैं। अमानत व दयानत और अख़लाक़ के लिहाज़ से दोनों अपनी-अपनी जगह ज़िम्मेदार हस्तियाँ हैं। ज़ाहिर है कि उनका मुक़ालमा बहुत ही जंचा-तुला होगा और उनकी राय बहुत ही आला व अफ़अ होगी। चुनाञ्चे इस हदीष में पूरे तौर पर ये चीज़ मौजूद है। इसीलिये अल्लामा सिंधी (रह.) फ़र्माते हैं, 'लम्मा कानल मक़सूद बिज़्जात मिन ज़िक्रिल वह्य हु व तहक़ीकु नुबुव्वह व इषबातुहा व कान हदीषु हिरक्ल औफ़र तादियतुन लि ज़ालिकल मक़सूद अदरजहू फ़ी बाबिल वह्य वल्लाहु अअलम' इस इबारत का मफ़हूम (भावार्थ) वही है जिसका ज़िक्र ऊपर किया गया।

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने इस हदीष को इस मक़ाम के अलावा किताबुल जिहाद व किताबु तपस्सीर व किताबुल शहादात व किताबुल जिज़या व अदब व ईमान व इल्म व अहक़ाम व मगाज़ी व ग़ैरह-व ग़ैरह में भी नक़ल फ़र्माया है। कुछ तअस्सुब रखने वाले और विरोधी लोग कहते हैं कि मुहदिषीने किराम रहिमहुल्लाह अज्मईन महज़ रिवायतें नक़ल करने वाले थे, इज्तिहाद और इस्तिन्बाते मसाइल (मसाइल का निचोड़/निष्कर्ष निकालने) में उनको महारथ नहीं थी। ये महज़ झूठ और मुहदिषीने किराम की खुली हुई तौहीन है जो हर पहलू से लाइक़े-मज़म्मत (निन्दनीय) है।

बाज़ हज़रत मुहदिषीने किराम खुसूसन इमाम बुखारी (रह.) को मस्लके-शाफ़िई का मुक़ल्लिद बतलाया करते हैं। मगर इस बारे में मज़ीद तपस्सीलात (विस्तृत विवरणों) से अलग हटकर हम साहिबे-ईज़ाहुल बुखारी का एक बयान यहाँ नक़ल कर देते हैं जिससे मा'लूम हो जाएगा कि हज़रत इमाम बुखारी (रह.) मुक़ल्लिद हर्गिज़ न थे बल्कि आप को मुज्ताहिदे मुतलक़ का दर्जा हासिल था।

'लेकिन हक़ीक़त ये है कि किसी शाफ़िई या हंबली से तलम्मुज़ (शागिर्दी) और तहसीले इल्म (इल्म हासिल करने) की बिना पर किसी को शाफ़िई या हंबली कहना मुनासिब नहीं बल्कि इमाम के तर्जुमाशुदा बुखारी के अमीक़ मुतालअ (गहन अध्ययन) से मा'लूम होता है कि इमाम एक मुज्ताहिद हैं, उन्होंने जिस तरह अहनाफ़ (रह.) से इख़लाफ़ किया है हज़रते शाफ़िई की तादाद भी कुछ कम नहीं है। इमाम बुखारी (रह.) के इज्तिहाद और तराजिमे-अबवाब (अनुवादित अध्याय) में उनकी बालिग़ नज़री के पेशेनज़र उनको किसी फ़िक्ह का पाबन्द नहीं कहा जा सकता है। (ईज़ाहुल बुखारी हिस्सा अव्वल पेज नं. 30)

सहीह बुखारी शरीफ़ के अमीक़ मुतालअ (गहन/सूक्ष्म अध्ययन) से मा'लूम होगा कि हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने इस्तिन्बाते मसाइल व फ़िक्हुल हदीष के बारे में बहुत ही ग़ौर व ख़ोज़ से काम लिया है और एक-एक हदीष से बहुत से मसाइल

प्राबित किये हैं। जैसा कि अपने-अपने मक़ामात पर नाज़िरीन (पाठक गण) मुतालआ करेंगे।

अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) मुक़दमे की दूसरी फ़स्ल में फ़र्माते हैं,

'तक्रर अन्नहू इल्तज़म फ़ीहिस्मिहह व अन्नहू ला यूरेदु फ़ीहि इल्ला हदीषिन सहीहन (इला क़ौलिही) घुम्म राअ अल्ला युख़लीहि मिनल फ़वाएदिल फ़िक़हियह वन्निकति हिकमिय्यति फ़सतख़रज बि फ़हमिही मिनल मुतूनि मअनी क़षीरह फ़रक्रहा फ़ी अबवाबिल किताब बि हस्बे तुनासिबुहा (इला क़ौलिहा) क़ालश़ौख़ मुहिय्युदीन नफ़अल्लाहु बिही लैस मक्सूदुल बुख़ारी अल इक्रितसार अल्ल अहादीषि फ़क़त बल मुरादोहू अल इस्तिम्बातु मिन्हा वल इस्तिदलालु लि अबवाबि अरादिहा (इला क़ौलिही) व क़द इहअ बअज़ुहुम अन्नहू सनअ ज़ालिक अमादन' (हुदा उस्सारी पेज नं. 8 बैरूत)

ये बात प्राबित है कि इमाम ने इल्तिज़ाम किया है कि इसमें सिवाय सहीह अहादीष के और किसी किस्म की रिवायात नहीं ज़िक्र करेंगे और इस खयाल से है कि इसको फ़वाइदे-फ़िक़ही और हिकमत के नुकात से ख़ाली न रहना चाहिये, अपनी फ़हम से मतने हदीष से बहुत बहुत मा'नी इस्तिख़राज (आविष्कार करना/निकालना) किये गये हैं। जिनको मुनासबत के साथ अलग-अलग अबवाब (अध्यायों) में बयान कर दिया। शौख़ मुहियुदीन ने कहा कि इमाम का मक्सूद हदीष ही का ज़िक्र करना नहीं है बल्कि इससे इस्तिदलाल (दलील लेकर) व इस्तिबात करके बाब मुक़रर करना है (इन्हीं वुजूहात से) बाज़ ने दावा किया है कि इमाम ने ये सब-कुछ खुद और क़सदन (जान-बूझकर) किया है। (हल्ले मुश्किलाते बुख़ारी रह. हज़रत मौलाना सैफ़ बनारसी क़द्स सिरहु पेज नं. 16)

सन 7 हिजरी माहे मुहर्रम की पहली तारीख़ थी कि नबी करीम (ﷺ) ने शाहाने-आलम (विभिन्न देशों के बादशाहों) के नाम दा'वते-इस्लामी के खुतूते मुबारक (चिट्ठियाँ) अपने मुअज़्ज़ सुफ़रा (सम्माननीय संदेशवाहकों) के हाथों ख़ाना किये। जो सफ़ीर जिस क़ौम के पास भेजा गया वो वहाँ की ज़बान (भाषा) जानता था कि तब्लीग़ के फ़राइज़ को हुस्ने ख़ूबी के साथ अंजाम दे सके। ऐसी ही ज़रूरियात के लिये आप (ﷺ) के वास्ते चाँदी की मुहर तैयार की गई थी। तीन लाइनों में इस पर मुहम्मद रसूलुल्लाह नक्श किया गया था। हिरक्ल, कुस्तुनतुनिया (वर्तमान इस्ताम्बूल/तुर्की की राजधानी) का शाह या रूम की पूर्वी शाखे-सल्तनत का नामवर शहंशाह था, वो मज़हबी तौर पर ईसाई था। हज़रत दहिया कल्बी (रज़ि.) उसके पास नाम-ए-मुबारक लेकर गये। ये बादशाह से बैतुल मक़दिस के मुक़ाम पर मिले, जिसे यहाँ लफ़्जे ईलया से याद किया गया है, जिसके मा'ने बैतुल्लाह के हैं। हिरक्ल ने सफ़ीर के ऐजाज़ (सम्मान) में बड़ा ही शानदार दरबार मुन्अक़िद किया (सजाया) और सफ़ीर से आँहज़रत (ﷺ) के बारे में बहुत सी बातें दर्याप्त करता रहा। इसके बाद हिरक्ल ने मज़ीद तहक्कीक (विस्तृत खोजबीन) के लिये हुकम दिया कि अगर मुल्क में कोई आदमी मक्का से आया हुआ हो तो उसे पेश किया जाए। इत्तेफ़ाक़ से उन दिनों अबू सुफ़यान, मक्का के दीगर ताजिरी (व्यापारियों) के साथ मुल्के शाम (सीरिया) आए हुए थे, उनको बैतुल मक़दिस बुलाकर दरबार में पेश किया गया। उन दिनों अबू सुफ़यान नबी करीम (ﷺ) का जानी दुश्मन था। मगर कैसर के दरबार में उसकी ज़बान हक़ व सदाक़त (सच्चाई) के सिवा कुछ और न बोल सकी। हिरक्ल ने आँहज़रत (ﷺ) के मुतअल्लिक़ अबू सुफ़यान से दस सवाल किये जो अपने अन्दर बहुत गहरे हक़ाइक़ रखते थे। उनके जवाब में अबू सुफ़यान ने भी जिन हक़ाइक़ का इज़हार किया उनसे आप (ﷺ) की सदाक़त हिरक्ल के दिल में नक्श हो गई, मगर वह अपनी क़ौम और हुकूमत के ख़ौफ़ से ईमान न ला सका। आख़िरकार कुफ़्र की हालत ही में उसका ख़ात्मा हुआ। मगर उसने जो पेशगोई (भविष्यवाणी) की थी कि एक दिन आएगा कि अरब के मुसलमान हमारे मुल्क के तख़्त पर क़ाबिज़ हो जाएंगे वो हर्फ़ ब हर्फ़ सही प्राबित हुई और वो दिन आया कि मसीहियत (ईसाइयत) का सदर मुक़ाम और क़िब्ला व मर्कज़ ईसाई क़ौम के हाथ से निकलकर नई क़ौम के हाथों में चला गया।

मशहूर इतिहासकार गैबन के लफ़्ज़ों में तमाम मसीही दुनिया पर सकते की हालत तारी हो गई क्योंकि मसीहियत की एक सबसे बड़ी तौहीन को न तो मज़हब का कोई मौज़ज़ा (चमत्कार) रोक सका, जिसकी उन्हें उम्मीद थी, न ही ईसाई शहंशाह का भारी-भरकम लश्कर। फिर ये सिर्फ़ बैतुल मक़दिस ही को फ़तह न थी बल्कि तमाम एशिया व अफ़्रीका में मसीही फ़र्मारवाई का ख़ात्मा था। हिरक्ल के ये अल्फ़ाज़ जो उसने तख़्त-ए-जहाज़ पर लेबनान की चोटियों को मुखातब (सम्बोधित) करके कहे थे, वे आज तक मुवर्रिख़ीन (इतिहासकारों) की ज़बान पर हैं, अलविदा सरज़मीने शाम! हमेशा के लिये अलविदा!

फिदा-ए-रसूल हज़रत क़ाज़ी मुहम्मद सुलैमान झाहब (रह.) पटयालवी : मुनासिब होगा कि इस मुकालमे को मुख्तसरन फिदा-ए-रसूल हज़रत क़ाज़ी मुहम्मद सुलैमान झाहब मन्सूरपुरी (रह.) के लफ़्ज़ों में भी नक़ल कर दिया जाए, जिससे नाज़िरीन (पाठक) इस मुकालमे को पूरे तौर पर समझ सकेंगे।

कैसर : मुहम्मद का ख़ानदान व नसब क्या है?

अबू सुफ़यान : शरीफ़ व अज़ीम

कैसर : सच है नबी शरीफ़ घराने के होते हैं ताकि उनकी इताअत में किसी को आर (शर्म) न हो।

कैसर : मुहम्मद से पहले भी किसी ने अरब में या कुरैश में नबी होने का दा'वा किया है?

अबू सुफ़यान : नहीं!

ये जवाब सुनकर हिरक़ल ने कहा कि अगर ऐसा होता तो मैं समझ लेता कि अपने से पहले की तक्लीद और रेस करता है।

कैसर : नबी होने से पहले क्या ये शख़्स झूठ बोला करता था या उसे झूठ बोलने की कभी तोहमत दी गई थी?

अबू सुफ़यान : नहीं!

हिरक़ल ने इस जवाब पर कहा, ये नहीं हो सकता कि जिस शख़्स ने लोगों पर झूठ न बोला हो वो खुदा पर झूठ बाँधे।

कैसर : उसके बाप-दादा में कोई बादशाह भी हुआ है?

अबू सुफ़यान : नहीं!

हिरक़ल ने इस जवाब पर कहा, अगर ऐसा होता तो मैं समझ लेता कि वो नुबुव्वत के बहाने से बाप-दादा की सल्तनत हासिल करना चाहता है।

कैसर : मुहम्मद के मानने वाले मिस्कीन ग़रीब लोग ज़्यादा हैं या सरदार और क़वी (मज़बूत) लोग?

अबू सुफ़यान : मिस्कीन व हक़ीर लोग।

हिरक़ल ने इस जवाब पर कहा कि हर नबी के पहले मानने वाले मिस्कीन ग़रीब लोग ही होते रहे हैं।

कैसर : उन लोगों की तादाद रोज़-ब-रोज़ बढ़ रही है या कम हो रही है?

अबू सुफ़यान : बढ़ रही है।

हिरक़ल ने कहा, ईमान की यही ख़ासियत होती है कि आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता है और हद्द-कमाल तक पहुँच जाता है।

कैसर : कोई शख़्स उसके दीन से बेज़ार होकर फिर भी जाता है?

अबू सुफ़यान : नहीं!

हिरक़ल ने कहा, लज़्ज़ते-ईमानी की यही ताषीर होती है कि जब दिल में बैठ जाती है और रूह पर अपना अज़र क़ायम कर लेती है तब जुदा नहीं होती।

कैसर : ये शख़्स कभी अहदो-पैमां (वा'दों) को तोड़ भी देता है?

अबू सुफ़यान : नहीं! लेकिन इस साल हमारा मुआहदा उससे हुआ है देखें क्या अंजाम हो? अबू सुफ़यान कहते हैं कि मैंने जवाब में सिर्फ़ इतना फ़िक़रा ज़्यादा कर सका था। मगर कैसर ने उस पर कुछ तवज़ुह नहीं दी और यूँ कहा कि बेशक नबी अहद-शिकन (वा'दा तोड़ने वाले) नहीं होते, अहदशिकनी दुनियादार लोग किया करते हैं। नबी दुनिया के तलबगार नहीं होते।

कैसर : कभी उस शख़्स के साथ तुम्हारी लड़ाई भी हुई है?

अबू सुफ़यान : हाँ।

कैसर : जंग का नतीजा क्या रहा?

अबू सुफयान : कभी वो गालिब रहा (बद्र में) और कभी हम (उहद में)।

हिरक़ल ने कहा अल्लाह के नबियों का यही हाल होता है लेकिन आखिरकार अल्लाह की मदद और फ़तह उन्हीं को मिलती है।

कैसर : उसकी ता'लीम क्या है?

अबू सुफयान : एक अल्लाह की इबादत करो, बाप दादा के तरीक़ (यानी बुत-परस्ती को) छोड़ दो। नमाज़, रोज़ा, सच्चाई, पाक दामनी, और सिलह रहमी की पाबन्दी इख़्तियार करो।

हिरक़ल ने कहा सच्चे नबी की यही अलामतें (निशानियाँ) बताई गई हैं। मैं समझता था कि नबी का जुहूर होनेवाला है लेकिन ये नहीं समझता था कि वो अरब में से होगा। अबू सुफयान! अगर तुमने सच सच जवाब दिये हैं तो वो एक दिन इस जगह (यानी शाम और बैतुल मक़दिस) जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, का ज़रूर मालिक हो जाएगा। काश! मैं उनकी ख़िदमत में हाज़िर हो सकता और नबी के पांव धोया करता।

इसके बाद आँहज़रत (ﷺ) का नाम-ए-मुबारक पढ़ा गया। अराकीने दरबार उसे सुनकर चीखे-चिल्लाये और हमको दरबार से निकाल दिया गया। उसी दिन से अपनी ज़िल्लत का नक्श और आँहज़रत (ﷺ) की अज़मत का यक़ीन हो गया। (रहमतुल लिल आलमीन, जिल्द अब्वल पेज नं. : 152, 154)

अबू सुफयान ने आप (ﷺ) के लिए अबू कब्शा का लफ़ज़ इस्ते'माल किया था क्योंकि कुफ़ारे मक्का आँहज़रत (ﷺ) को तंज और तहक़ीर के तौर पर इब्ने अबू कब्शा के लक़ब से पुकारा करते थे। अबू कब्शा एक शख्स का नाम था जो बुतों की बजाए एक सितारा शुअरा की पूजा किया करता था।

कुछ लोग कहते हैं कि अबू कब्शा आँहज़रत (ﷺ) के रज़ाई (दूध शरीक) बाप थे।

हिरक़ल को जब ये अंदाज़ा हो गया कि ये लोग किसी तरह भी इस्लाम कुबूल नहीं करेंगे तो उसने भी अपना पैतरा बदल दिया और कहा कि इस बात से महज़ तुम्हारा इन्तिहान लेना मक़सूद था। तो सबके सब उसके सामने सज्दे में गिर गए, जो गोया तअज़ीम और इत्ताअत (सम्मान और फ़र्माबरदारी) के था।

हिरक़ल के बारे में कुछ लोग इस्लाम के भी क्राइल हैं। मगर सहीह बात यही है कि राबत (लगाव) होने के बावजूद वो इस्लाम कुबूल न कर सका।

अल्लामा क़स्तलानी (रह.) ने लिखा है कि उनके अहद यानी 11वीं सदी हिज्री तक आँहज़रत (ﷺ) का नामा मुबारक हिरक़ल की औलाद में महफूज़ था और उसको तबरूक समझकर बड़े एहतियाम से सोने के संदूक़े में रखा गया था। उनका ऐतिक़ाद था कि 'वअवज़ाना आबाअना मादाम हाज़ल किताब इन्दना ला यज़ालुल मलिकु फ़ीना फ़नहनु नहफ़िज़हू ग़ायतल हिफ़िज़ वनुअज़िमुहू वनकतुमुहू अनिन्नमारा लियदूमल मलिकु फ़ीना इन्तिहा।' (फ़तुल बारी)

अबू सुफयान आखिरी वक़्त में जबकि मक्का फ़तह हो चुका था। इस्लाम कुबूल करके फ़िदाइयाने इस्लाम में दाख़िल हो गये थे। उस वक़्त के चंद अशआर मुलाहज़ा हों।

ल अ मरुका इन्नी यौम अहमिलू रायतन / लि तग़लिब ख़ैलुल्लाति ख़ैला मुहम्मद
फ़कामा लि मुदलिजल हैरान अज़लम लैलतन / फ़हाज़ा अवानी हीन अहदी फ़हतदी
हदानी हादिन ग़ैर नफ़्सी व दल्लनी इल्लल्लाहि मन तरदतहु कुल्लु मुतरदिन

क़सम है कि जिन दिनों में निशाने जंग इसलिये उठाया करता था कि लात (बुत) का लश्कर मुहम्मद (ﷺ) के लश्कर पर ग़ालिब आ जाए उन दिनों में ख़ार पुशत जैसा था जो अँधेरी रात में टक़रें खाता हो। अब वो वक़्त आ गया कि मैं हिदायत पाऊँ और सीधी राह अपना लूँ, मुझे हादी ने, न कि मेरे नफ़्स ने हिदायत दी है और अल्लाह का रास्ता उस शख्स ने बतलाया है

जिसे मैं ने पूरे तौर पर धुत्कार दिया और छोड़ दिया था।

मुतफ़रि़कात : अबू सुफ़यान (रज़ि.) ने जिस मुदते सुलह का ज़िक्र किया था। उससे सुलह हुदैबिया के दस साला मुदत ज़िक्र है।

हिरक्ल ने कहा था वो आख़िरी नबी अरब में से होगा। ये इसलिये कि यहूद और नज़ारा यही गुमान किये हुए थे कि आख़िरी नबी भी बनी इस्राईल में से होगा। उन्होंने हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) के इस क़ौल को भुला दिया था कि तुम्हारे भाईयों में से अल्लाह एक पैग़म्बर मेरी तरह पैदा करेगा।

और नबी के करीबियों की इस बशारत (खुशख़बरी/शुभ सूचना) को भी फ़रामोश कर दिया (भुला दिया) था कि फ़ारान यानी मक्का के पहाड़ों से अल्लाह ज़ाहिर हुआ। नीज़ हज़रत मसीह (अलैहिस्सलाम) की इस बात को भी वो भूल गए थे कि जिस पत्थर को मुअम्मरों ने कोने में डाल दिया था, वही महल का स्रद्र नशीन हुआ।

नीज़ हज़रत सुलैमान (अलैहिस्सलाम) के इस मुक़द्दस गीत को भी वो फ़रामोश कर चुके थे कि वो तो ठीक मुहम्मद (ﷺ) हैं, मेरा ख़लील, मेरा हबीब भी यही है। वो दस हजार कुदूसियों के बीच झण्डे की तरह खड़ा होता है ऐ यरोशलम के बेटों!

ये जुम्ला बशारतें यकीनन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) के हक़ में थीं, मगर यहूद और नज़ारा उनको इनादन (कीना, दुश्मनी, वैरभाव की वजह से) भूल चुके थे। इसीलिए हिरक्ल ने ऐसा कहा।

आँहज़रत (ﷺ) ने अपने नाम—ए—मुबारक में आयते करीमा 'वला यत्तख़िज़ु बअज़ुना बअज़न अरबाबम मिन दूनील्लाहि' (आले इमरान : 64) का इस्ते'माल इसलिये किया कि यहूद और नज़ारा में और बहुत से अमराज़ के साथ तक्लीदे जामिद (अंधी पैरवी) का भी मर्ज़ बुरी तरह दाख़िल हो गया था। वो अपने मौलवियों और दुरवेशों की तक्लीद में इतने अँधे हो चुके थे कि उन्हीं का फ़त्वा उनके लिए आसमानी वह्य का दर्जा रखता था।

हमारे ज़माने में मुक़ल्लिदीने जामिदीन का भी यही हाल है कि उनको कितनी ही कुआनी आयात या अहादीष नबवी दिखलाओ क़ौले इमाम के मुक़ाबले में उन सबको रद्द कर देंगे। इसी तक्लीदे जामिद ने उम्मत का बेड़ा ग़र्क़ कर दिया। इन्ना लिल्लाहि घुम्मा इन्ना लिल्लाहि हनफ़ी, शाफ़िई नामों पर जंगो जिदाल इस तक्लीदे जामिद ही का नतीजा है।

अल्लामा क़स्तलानी (रह.) ने लिखा है कि हिरक्ल और उसके दोस्त ज़गातिर ने इस्लाम कुबूल करना चाहा था। मगर हिरक्ल अपनी क़ौम से डर गया था और ज़गातिर ने इस्लाम कुबूल कर लिया था और रूम वालों को इस्लाम की दा'वत दी मगर रूमियों ने उनको शहीद कर दिया।

अबू सुफ़यान (रज़ि) ने रोमियों के लिए बनू असफ़र (ज़र्द नस्ल) का लफ़ज़ इस्ते'माल किया था। कहते हैं कि रोम के ज़दे आला (पूर्वज), जो रूम बिन ऐस बिन इफ़हाक़ (अलैहिस्सलाम) थे, ने एक हब्शी शहजादी से शादी की थी। जिससे ज़र्द यानी गेहुआ रंगी नस्ल की औलाद पैदा हुई। इसीलिए उनको बनू अल असफ़र कहा गया। इस हदीष से और भी बहुत से मसाइल पर रोशनी पड़ती है।

आदाबे मुरासलत व त़रीके दा'वते इस्लाम के लिए नाम—ए—मुबारक में हमारे लिए बहुत से अस्बाक़ हैं। ये भी मा'लूम हुआ कि इस्लामी तब्लीग़ के लिए तहरीरी (लिखित/प्रिण्टेड) कोशिश करना भी नबी (ﷺ) की सुन्नत है।

दा'वते हक़ को मुनासिब तौर पर अकाबिरे अस के सामने रखना भी मुसलमानों का एक अहम फ़रीज़ा है। ये भी ज़ाहिर हुआ कि अलग ख़याल क़ौमों अगर मुश्तरक़ा (एक समान) मसलों में इतिहाद व अमल से काम लें तो ये भी इस्लाम की मंशा के मुताबिक़ है।

इशादि नबवी 'फ़इन्न अलैक इफ़्मुल यरीसीन' से मा'लूम हुआ कि बड़ों की जिम्मेदारियाँ भी बड़ी होती हैं। यरीसीन काशतकारों (किसानों) को कहते हैं। हिरक्ल की रिआया काशतकारों ही पर मुश्तमिल थी। इसलिये आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर आपने दा'वते इस्लाम कुबूल न की और आपकी मुताबअत में आपकी रिआया भी इस नेअमते उज़्मा से महरूम रह गई तो सारी रिआया का गुनाह आपके सर होगा।

उन तफ़्सीली मा'लूमात के बाद हिरक्ल ने आँहज़रत (ﷺ) का नाम—ए—मुबारक मंगवाया जो अजीमे बसरा की मअरिफ़त हिरक्ल के पास पहुँचा था। जिसका मज़मून इस तरह शुरू होता था,

'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भिन मुहम्मद रसूलिल्लाहि इला हिरक्ल अज़ीमिरूम' इसे सुनकर हिरक्ल का भतीजा बहुत नाराज़ हुआ और चाहा कि नाम—ए—मुबारक को चाक कर दिया जाए क्योंकि उसमें शहंशाहे—रूम के नाम पर मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) के नाम को फ़ौक़ियत (श्रेष्ठता) दी गई है और शहंशाह को भी सिर्फ़ अज़ीमिरूम लिखा गया है; हालाँकि आप मालिके रोम, सुल्ताने रोम हैं। हिरक्ल ने अपने भतीजे को डाँटते हुए कहा, जो ख़त में लिखा है वो सही है मैं मालिक नहीं हूँ, मालिक तो अल्लाह करीम है। रहा अपने नाम का तक्रहुम सो अगर वो वाक़िअतन नबी हैं तो उनके नाम को तक्रदीम हासिल है। इसके बाद नाम—ए—मुबारक पढ़ा गया।

इब्ने नातूर शाम में इसाई लाट पादरी और वहाँ का गवर्नर भी था। हिरक्ल जब हिम्स से ईलया आया तो इब्ने नातूर ने एक सुबह को उसकी हालत **मुतगय्यिर व मुतफ़क्किर** (बदली हुई और अलग) देखी। सवाल करने पर हिरक्ल ने बताया कि मैंने आज रात तारों पर नज़र की तो मा'लूम हुआ कि मेरे मुल्क पर **मलिकुल ख़ित्तान** (ख़तना करने वालों के बादशाह) का **ग़लबा** (प्रभुत्व) हो चुका है। हिरक्ल फ़ितरी तौर पर **काहिन** (ज्योतिषी) था और **इल्मे नुजूम** (ज्योतिष विद्या) में महारत रखता था। मुंजिमीन का अक़ीदा था कि बुर्जे अक़रब में क़िरानु अस्सादेन के वक़्त आख़री नबी का जुहूर होगा। बुर्जे अक़रब वो है जब उसमें चाँद और सूरज दोनों मिल जाते हैं तो ये वक़्त मुंजिमीन के पास क़िरानुस्सादेन कहलाता है और मुबारक समझा जाता है। ये क़िरान हर बीस साल के बाद होता है। चुनाँचे आँहज़रत (ﷺ) की औलाद बसआदत भी क़िराने अस्सअदेन में हुई और आप (ﷺ) के सरे मुबारक पर नुबुव्वत का ताज भी जिस वक़्त रखा गया वो क़िरानुस्सादेन का वक़्त था। फ़तहे मक्का के वक़्त अस्सअदेन बुर्जे अक़रब में जमा थे। ऐसे मौक़े पर हिरक्ल का जवाब उसके पास बड़ी अहमियत रखता था चुनाँचे उसने मुसाहिबीन से मा'लूम किया कि ख़तने का रिवाज किस मुल्क और किस क़ौम में है? चुनाँचे यहूदियों का नाम लिया गया और साथ ही उनके क़ल्ल का भी मश्वरा दिया गया कि हाकिमे ग़स्सान हारिष बिन अबी तामिर ने एक आदमी (ये शख्स खुद अरब का रहनेवाला था जो ग़स्सान के बादशाह के पास आँहज़रत (ﷺ) की ख़बर देने गया, उसने उसको हिरक्ल के पास भिजवा दिया, ये मख़तून था) की मअरिफ़त हिरक्ल को ख़बर दी कि अरब में एक नबी पैदा हुए हैं। जब ये मुअज़ज़ज़ क़ासिद हिरक्ल के पास पहुँचा तो हिरक्ल ने अपने ख़वाब की बिना पर मा'लूम किया कि आने वाला क़ासिद फ़िल वाक़ेअ मख़तून (ख़तना शुदा) है। हिरक्ल ने उसी को खुद के ख़वाब की ता'बीर करार देते हुए कहा कि ये रिसालत का दावेदार मेरी राजधानी तक जल्दी ही सल्तनत हासिल कर लेगा।

उसके बाद हिरक्ल ने बतौर मश्विरा ज़गातिर को इटली में ख़त लिखा और साथ में मक्तूबे नबवी भी भेजा। ये हिरक्ल का हम-सबक़ (सहपाठी) था। ज़गातिर के नामा मक्तूबे हज़रत दहया क़लबी (रज़ि.) ही लेकर गए थे और उनको हिदायत की गई थी कि ये ख़त ज़गातिर को अकेले में दिया जाए। चुनाँचे ऐसा ही किया गया। उसने नाम—ए—मुबारक को आँखों से लगाया और बोसा दिया और जवाब में हिरक्ल को लिखा कि मैं ईमान ला चुका हूँ। फ़िलवाक़ेअ हज़रत मुहम्मद (ﷺ) नबी व रसूले मौऊद हैं। दरबारी लोगों ने ज़गातिर का इस्लाम मा'लूम होने पर उनको क़ल्ल कर दिया। हज़रत दहया क़लबी (रज़ि.) वापिस हिरक्ल के दरबार में गए और माजरा बयान किया। जिससे हिरक्ल भी अपनी क़ौम से डर गया। इसलिये दरवाज़े को बंद करके दरबार मुनअक़िद किया ताकि ज़गातिर की तरह उसको भी क़ल्ल न कर दिया जाए। दरबारियों ने नामा ए मुबारक और हिरक्ल की राय सुनकर मुख़ालफ़त में शोरगुल बर्पा कर दिया। जिस पर हिरक्ल को अपनी राय बदलनी पड़ी और बिल आख़िर कुफ़्र ही पर दुनिया से रुख़सत हुआ।

इमाम बुखारी (रह.) ने अपनी जामेअ सहीह को हदीष '**इन्नमल आ'मालो बिन्नियात'** और आयते करीमा '**इन्ना औहैना इलैक'** से शुरू फ़र्माया था और इस बाब को हिरक्ल के क़िस्से और नाम—ए—नबवी पर ख़त्म फ़र्माया और हिरक्ल की बाबत लिखा कि **फ़काना ज़ालिक आख़िरू शानि हिरक्ल** यानी हिरक्ल का आख़री हाल ये हुआ।

इसमें हज़रत इमाम बुखारी (रह.) इशारतन फ़र्माते हैं कि हर शख्स का फ़र्ज़ है कि वो अपनी निय्यत की दुरुस्तगी के साथ अपनी आख़री हालत को दुरुस्त रखने की फ़िक्कने कि आ'माल का ए'तिबार निय्यत और ख़ातिमे पर है। शुरू की आयते शरीफ़ा '**इन्ना औहैना इलैक'** में हज़रत मुहम्मद (ﷺ) और आप से पहले के तमाम अंबिया व रसूल (अलैहिमिस्सलाम) की वहा का सिलसिल—ए—औलिया एक ही रहा है और सबकी दा'वत का खुलासा सिर्फ़ इक़ामते दीन व आपसी इतिफ़ाक़ है। उसी दा'वत को दोहराया गया और बतलाया गया कि अक़ीद—ए—तौहीद पर तमाम धर्मों को जमा होने की दा'वत पेश करना यही इस्लाम का अव्वलीन मक़्दद है और बनी नोअे इंसान को इंसानी गुलामी की जंजीरों से निकालकर सिर्फ़ एक ख़ालिक मालिक फ़ातिरस्समावाति वल अर्ज़ की गुलामी में दाख़िल होने का पैग़ाम

देना तालीमाते मुहम्मदी (ﷺ) का लब्बेलुबाब है। इक़ामते दीन ये कि सिर्फ़ खुदा-ए-वहदहू ला शरीक की इबादत, बंदगी, इत्ताअत, फ़र्माबरदारी की जाए और तमाम ज़ाहिरी व बातिनी मअबूदाने बातिला (झूठे उपास्यों) से मुँह मोड़ लिया जाए। इक़ामते दीन का सहीह मफ़हूम कलिमा तय्यिबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह में पेश किया गया है।

हिरक़ल काफ़िर था मगर आँहज़रत (ﷺ) ने अपने नाम-ए-मुबारक में उसको एक मुअज़्ज़ज़ लक़ब अजीमुर्क़म से मुखातब फ़र्माया। मा' लूम हुआ कि ग़ैर मुस्लिमों के साथ भी अख़लाक़े फ़ाज़िला व तहज़ीब के दायरे में ख़िताब करना सुन्नते नबवी (ﷺ) है।

अलहमदुलिल्लाह! बाब बदउल वहद के तर्जुमे व तशरीहात से फ़रागत हासिल हुई। वलहमदुलिल्लाहि अव्वलु व आख़िरु रब्बना ला तुआख़िज़्ना इन्नसीना औ अख़ताना, आमीन!

2. किताबुल ईमान

किताब ईमान के बयान में

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बाब 1 :

1- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ :

(رَبِّيَ الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ))

وَقَوْلُ قَوْلٍ وَفَعَلٍ. وَتَزِيدُ وَيَنْقُصُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾
﴿وَزَادَانَهُمْ هُدًى﴾. ﴿وَتَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَنَوْا هُدًى﴾. ﴿وَالَّذِينَ اهْتَنَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ ﴿وَتَزِيدُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَزَدْتُهُمْ إِيمَانًا ﴿وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : ﴿فَاخْشَوْهُمْ فَرَزَدْتُهُمْ إِيمَانًا﴾ ﴿وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾. وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبَعْضُ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ.
وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

नबी करीम (ﷺ) के उस फ़र्मान की तशरीह से मुता'ल्लिक़ है जिस में आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि इस्लाम की बुनियाद पाँच चीजों पर रखी गई है और ईमान का ता'ल्लुक़ क़ौल और फ़ैअल दोनों से है और वो बढ़ता और घटता है। जैसा कि अल्लाह तआला ने फ़र्माया, ताकि उनके पहले ईमान के साथ ईमान में और ज़्यादाती हो। (सूरह फ़त्ह : 4) और फ़र्माया, मैंने उनको हिदायत में और ज़्यादा बढ़ा दिया। (सूरह कहफ़ : 13) और फ़र्माया कि जो लोग सीधी राह पर हैं उनको अल्लाह और हिदायत देता है (सूरह मरयम : 76) और फ़र्माया कि जो लोग हिदायत पर है अल्लाह ने और ज़्यादा हिदायत दी और उनको परहेज़गारी अत्रा फ़र्माई। (सूर मुहम्मद : 17) और फ़र्माया कि जो लोग ईमानदार हैं उनका ईमान और ज़्यादा हुआ (सूरह मुद्षि़र : 31) और फ़र्माया कि इस सूरह ने तुम में से किसका ईमान और बढ़ा दिया? फ़िल्ल वाक़ेअ जो लोग ईमान लाए हैं उनका ईमान और ज़्यादा हो गया। (सूरह तौबा : 124) और फ़र्माया कि मुनाफ़िक्कों ने मोमिनो से कहा कि तुम्हारी बर्बादी के लिए लोग बक़र्रत जमा हो रहे हैं, उनका ख़ौफ़ करो।

बस यह बात सुनकर ईमानवालों का ईमान और बढ़ गया और उनके मुँह से यही निकला, हस्बुनल्लाहु व नेअमल वकील (सूरह आले इमरान : 173) और फ़र्माया कि उनका और कुछ नहीं बढ़ा, हाँ! ईमान और इत्ताअत का शैवा ज़रूर बढ़ गया। (सूरह अहज़ाब : 22) और हदीष में वारिद हुआ कि अल्लाह की राह में मुहब्बत रखना और अल्लाह ही के लिए किसी से दुश्मनी रखना ईमान में दाख़िल है (स्वाहु अबू दाऊद अन अबी उमामा) और ख़लीफ़ा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने अदी बिन अदी को लिखा था कि ईमान के अन्दर कितने ही फ़राइज़ और अक्राइद हैं।

عَدِي: أَنْ لِلْإِيمَانِ لَوَائِصَ وَشُرَائِعَ
وَخُلُودًا وَسُنَنًا، فَمَنْ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ
الْإِيمَانَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ
الْإِيمَانَ. فَإِنْ أَعْيَشَ فَسَأَيِّئُهَا لَكُمْ حَتَّى
تَمُوتُوا بِهَا، وَإِنْ أَمُتَ فَمَا أَنَا عَلَى
صِحَّتِكُمْ بِخَيْرٍ نَص.

तशरीह : हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन मरवान उमवी कुरैशी खुलफ़-ए-राशिदीन में से दसवें खलीफ़ा हैं, जिनको हदीष के मुताबिक़ मुजहिदे इस्लाम (इस्लामी सुधारकों) में पहला मुजहिद तस्लीम किया गया है। आप सन् 99 हिजरी में मसनदे-ख़िलाफ़त पर फ़ाइज हुए, जिन दिनों बनू उमय्या की ख़िलाफ़त ने चारों तरफ़ जुल्म व फ़साद का दरवाज़ा खोल रखा था। आपने गद्दीनशीन होते ही सारे जुल्मों का ख़ात्मा करके ऐसा माहौल बनाया जैसे शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे हों। अल्लामा इब्ने जोज़ी (रह.) ने लिखा है कि एक दिन चरवाहे ने शोर किया, उससे वजह पूछी गई तो उसने आह भरकर कहा कि ख़लीफ़-ए-वक़्त हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) का आज इतिक़ाल हो गया है, इसीलिये देख रहा हूँ कि भेड़िये ने बकरी पर हमला कर दिया। तहक्कीक़ की गई तो जो वक़्त भेड़िये का बकरी पर हमला करने का था, वही वक़्त दसवें ख़लीफ़ा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के इतिक़ाल का था।

आपकी वफ़ात सन् 101 हिजरी में हुई। आपने अपनी ख़िलाफ़त के छोटे से असें में इस्लाम और मिल्लत की वो ता'मीरी ख़िदमात (रचनात्मक सेवाएं) अंजाम दी कि रहती दुनिया तक यादगार रहेगी। अहादीषे नबवी (फ़िदाहु रूही) की जमा और तर्तीब के लिये आपने एक मुनज़्जम इक्रदाम (संगठित काम) फ़र्माया। बाद में जो कुछ इस फ़न में तरक्कियाँ हुईं वो सब आपकी मसाअी-ए-जमीला (सुन्दर प्रयासों) के नतीजे हैं। आपने अपने दौर-हुकूमत में बनू उमय्या की वो जायदादें बैतुलमाल में ज़ब्त (अधिगृहीत) कर लीं जो उन्होंने नाजाइज़ तरीक़े से हासिल की थीं और वो सारा माल भी बैतुलमाल में दाख़िल कर दिया जो लोगों ने जुल्म व जोर के ज़रिये जमा किया था। यहाँ तक कि एक दिन अपनी अहलिया मोहतरमा (बीवी) के गले में एक क़ीमती हार को देखकर फ़र्माया कि तुम भी इसे बैतुलमाल के हवाले कर दो, वो कहने लगीं कि ये तो मेरे बाप अब्दुल मलिक बिन मरवान ने दिया है। आपने फ़र्माया कि ये मेरा अटल फ़ैसला है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। चुनाञ्चे इताअतगुज़ार उस नेक औरत ने खुद ही अपना वो हार बैतुलमाल में दाख़िल कर दिया। (बैतुलमाल यानी क़ौमी ख़ज़ाना/सार्वजनिक या सरकारी सम्पत्ति)

एक दफ़ा एक शख़्स ने ख़्वाब में आपको नबी-ए-करीम (ﷺ) के बेहद करीब देखा, यहाँ तक सय्यिदिना हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) और हज़रत उमर (रज़ि.) से भी ज़्यादा करीब देखा। पूछने पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया (ख़्वाब में) कि सिद्दीक़ और फ़ारूक़ (रज़ि.) ने ऐसे वक़्तों में इन्साफ़ से हुकूमत की जबकि वो दौर इन्साफ़ का था और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने ऐसे वक़्त में इन्साफ़ से हुकूमत की जबकि इन्साफ़ का दौर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) अपने दौर ख़िलाफ़त में हर रात सज्दा-रेज़ रहते थे और रो-रो कर दुआएं करते थे कि ऐ खुदावन्दे कुहूस! ऐ क़ादिरे क़य्यूम मौला! जो ज़िम्मेदारी तू न मुझ पर डाली है उसको पूरा करने की भी ताक़त अता फ़र्मा। कहते हैं बनू उमय्या क़बीले में से किसी ज़ालिम ने आपको ज़हर खिला दिया था, यही आप की वफ़ात का सबब हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राज़िऊन!

और हुदूद हैं और मुस्तहब और मसनून बातें हैं जो सब ईमान में दाख़िल हैं। बस जो इन सबको पूरा करे उसने अपने ईमान को पूरा

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: ﴿وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنُّ قَلْبِي﴾
وَقَالَ مُعَاذُ: اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً.

कर लिया और जो पूरे तौर पर इनका लिहाज़ रखे न इनको पूरा करे उसने अपना इमान पूरा नहीं किया। बस अगर मैं ज़िन्दा रहा तो उन सबकी तपस्वीली मा' लूमात तुमको बतलाऊँगा ताकि तुम उन पर अमल करो और अगर मैं मर ही गया तो मुझको तुम्हारी सोहबत में ज़िन्दा रहने की खवाहिश भी नहीं। और हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) का क़ौल कुआन में वारिद हुआ है कि लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। और मुआज़ (रज़ि.) ने एक बार एक सहाबी अस्वद बिन बिलाल से कहा था कि हमारे पास बैठो ताकि एक घड़ी हम इमान की बातें कर लें। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) ने फ़र्माया था कि यक़ीन पूरा इमान है (और सब्र आधा इमान है। रवाहुत् तबरानी) और अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) का क़ौल है कि बन्दा तक्वे की असल हक़ीक़त यानी तहक़ीक़ को नहीं पहुँच सकता जब तक कि जो बात दिल में खटकती हो उसे बिलकुल छोड़ न दे। और मुजाहिद (रह.) ने आयते करीमा (शरअलकुम मिनदीन....) की तपस्वीर में फ़र्माया कि (उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता ठहराया जो हज़रत नूह (अलैहिस्सलाम) के लिए ठहराया था) इसका मतलब यह है कि ऐ मुहम्मद! मैंने तुमको और नूह को एक ही दीन के लिए वसियत की है और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने आयते करीमा (शिरअतव व मिन्हाजा.....) के बारे में फ़र्माया कि इससे सबील सीधा रास्ता और सुन्नत (नेक तरीक़ा) मुराद है। और सूरह फुक्रान की आयत में लफ़ज़ 'दुआउकुम' के बारे में फ़र्माया कि 'इमानुकुम' इससे तुम्हारा इमान मुराद है।

तशरीह: हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने अपनी जामेअ सहीह को वह्य और उसकी तपस्वील, उसकी अज़मत और सदाक़त के साथ शुरू फ़र्माया जिसके बाद ज़रूरी था कि दीन व शरीअत की अव्वलीन बुनियाद पर रोशनी डाली जाए जिसका नाम शरई इस्तिलाह (परिभाषा) में 'इमान' है। जो अल्लाह और बन्दे के बीच एक ऐसी कड़ी है कि उसको दीन का अव्वलीन और आख़िरी दर्जा दिया जा सकता है। इमान ही दोनों जहान में कामयाबी की कुञ्जी (चाबी) है और हक़ीक़ी इज़्जत और रिफ़अत (बुलन्दी) के साथ जुड़ी है।

साहिबे मिशक़ात ने भी अपनी किताब को किताबुल इमान से ही शुरू फ़र्माया है। इस पर हज़रत मौलाना शौखुल हदीप्र मुबारकपुरी महज़िल्लह फ़र्माते हैं, 'व क़द्महू लि अन्नहू अफ़ज़लुल उमूरि अलल इतलाक़ि व अशरफ़ुहा व लि अन्नहू अव्वलु वाजिबिन अलल मुकल्लफ़ि व लि अन्नहू शर्ततुल लिस्सिह्हतिल इबादातिल मुतक़द्मति अलल मुआमलाति' यानी 'ज़िक़े इमान को इसलिये मुक़द्म (सर्वोपरि) किया कि इमान सारे कामों पर मुत्लक़न फ़ज़ीलत का दर्जा रखता है और हर मुकल्लफ़ पर यह पहला वाजिब है और इबादत की सिह्हत और कुबूलियत के लिये इमान पहली शर्त है।'

इसलिये इमाम बुखारी (रह.) ने भी बाबुल वह्य के बाद किताबुल इमान से अपनी जामेअ सहीह का इफ़तेताह (शुरूआत) किया है। फ़त्हुल बारी में है, 'वलम यस्तफ़तिहिल मुसन्नफ़िफ़ु बदअल वह्यि बिकिताबिल इमानि लि अन्नल मुक़द्मत ला तस्तफ़तिहु बिमा यस्तफ़तिहु बिही ग़ैरुहा लि अन्नहा तन्तवी अला मा यतअल्लकु बिमा बअदहा'

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يَتَلَعُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ
التَّقْوَى حَتَّى يَدْعَ مَا حَاكَ لِي الصَّنَدِ.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ
مَا وَصَّا بِهِ نُوحًا أَوْحَيْنَاكَ.﴾ يَا مُحَمَّدُ
وَأَيَّاهُ دِينًا وَاحِدًا.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿شِرْعَةٌ وَمِنْهَا جَا﴾:
سَيِّلًا وَسُنَّةً.

यानी 'लफ़्ज़ ईमान अमन से मुश्तक़ से बनाया गया है, जिसके लुगवी मा'ने (शाब्दिक अर्थ) सुकून और ईमान के हैं। अमन लुगवी हैषियत से उसको कहा जाएगा कि लोग अपनी जानों, मालों और इज्जत-आबरू के बारे में सुकून व इत्मीनान महसूस करें जैसा कि हदीषे नबवी (ﷺ) है, 'अल मोमिनु मन अमिनहुन्नासु अला दिमाएहिम व अम्वालिहिम' मोमिन वो है जिससे लोग अपनी जान व माल के बारे में अमन में रहें। ईमान के लुगवी मा'ने तस्दीक़ (सत्यापन/पुष्टि) के भी हैं जैसा कि सूरह यूसुफ़ में हज़रत याकूब (अलैहिस्सलाम) के बेटों के ज़िक्र में वारिद हुआ है, 'व मा अन्त बि मुमिनिल्लना व लौ कुन्ना स्यादिक़ीन' (यूसुफ़ : 17) यानी ऐ अब्बाजान! हम जो कुछ भी (बिनयामीन) के बारे में अर्ज़ कर रहे हैं आप (अपने साबिक़ तजुबों की बिना पर) उसकी तस्दीक़ करने वाले नहीं है अगरचे हम कितने ही सच्चे क्यों न हों? यहाँ ईमान तस्दीक़ के लुगवी मा'ने में इस्ते'माल हुआ है। किसी की बात पर ईमान लाना, इसका मतलब यह है कि हम उसको अपनी तक़ज़ीब (झुठलाने) की तरफ़ से मुतमईन (संतुष्ट) कर देते हैं और उसकी अमानत व दयानत (दारी) पर पूरा इत्मीनान षाबित कर देते हैं।

अल्लामा इब्ने हजर (रह.) सहीह बुखारी की शरह 'फ़्तुहल बारी' में फ़र्माते हैं, 'वल ईमानु लुगतन अत्तस्दीकु व श'अन तस्दीक़ुरसूलि बिमा जाअ बिही अर-रब्बिही व हाज़ल मुक़द्दरु मुत्तफ़कुन अलैहि' यानी ईमान लुगत में मुतलक़ तस्दीक़ का नाम है और शरीअत में ईमान के मा'नी ये हैं कि रसूले करीम (ﷺ) जो कुछ भी अपने रब की तरफ़ से उसूल व अहक़ाम व अरकाने दीन लेकर आए हैं उन सबकी तस्दीक़ करना, सबकी सच्चाई दिल में बिठाना। यहाँ तक़ ईमान के लुगवी (शाब्दिक) और शरई मा'नी पर सबका इत्तेफ़ाक़ है। तफ़्सीलात में जो इख़ितलाफ़ात (मतभेद) पैदा हुए हैं उनकी तफ़्सील (डिटेल) मशहूर मुअरिख़े-इस्लाम (इस्लामी इतिहासकार) मुहम्मद अबू जुहरा, प्रोफ़ेसर लॉ कॉलेज फ़व्वाद यूनिवर्सिटी मिस्र के लफ़्ज़ों में यह है जिसका उर्दू तर्जुमा 'सीरत इमाम हंबल (रह.)' से दर्ज ज़ैल (निम्नलिखित) है,

ईमान की हक़ीक़त ऐसा मसला है जो अपने अन्दर अनेक इख़ितलाफ़ी पहलू रखता है और ये इख़ितलाफ़ इतना बढ़ गया है कि इस्ने अनेक फ़िक़े पैदा कर दिये हैं। जहमिया का ख़याल है कि ईमान मअरिफ़्त (पहचान) का नाम है, अगरचे वो अमल से हमआहंग (एक राय) न हो। उन्होंने ये तस्रीह (स्पष्ट) नहीं किया कि मअरिफ़्त के साथ इज़्आन (आज्ञापालन/हुक्मबरदारी) भी वाजिब है। मुअतज़िला का यह ख़याल है कि आ'माल, ईमान का जुच्च (हिस्सा) हैं। उनके नज़दीक़ जो शख़्स कबाइर (बड़े गुनाहों) का इर्तिकाब करता है वो मोमिन नहीं रहता, अगरचे वहदानियते खुदावन्दी (तौहीद/एकेश्वरवाद) पर अक़ीदा रखता हो और मुहम्मद (ﷺ) को अल्लाह का रसूल मानता हो। लेकिन वो काफ़िर भी नहीं होता यानी न पूरा मोमिन न पूरा काफ़िर बल्कि उन दोनों के बीच। ख़वारिज का ख़याल है कि गुनाहे कबीरा का इर्तिकाब करने वाला मोमिन नहीं रहता काफ़िर हो जाता है इसलिये कि अमल ईमान का जुच्च है। ज़रूरी था कि मुहद्विपीन और फ़ुक्क़हा (धर्मशास्त्री) अपने-अपने अन्दाज़ में इस मसले पर गुफ़्तगू करते और ज़ाहिर है कि उनकी रविश यही हो सकती थी कि वो अक्ल-मुजरद (सिर्फ़ अक्ल) पर ए'तिमाद (भरोसा) करने के बजाय किताबो-सुन्नत पर भरोसा करें, फिर इस बारे में उनकी रायें आपस में एक-दूसरे से गो ज़्यादा दूर नहीं हैं ताहम किसी न किसी हद तक़ मुख़ालिफ़ (विरोधी) ज़रूर हैं। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक़ इस ए'तिक़ाद (अक़ीदे) की अलामत (निशानी) सिर्फ़ इतनी है कि आदमी अल्लाह की वहदानियत (एक होने) और रसूल (ﷺ) की रिसालत का इक़्रार करे। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक़ अमल ईमान का हिस्सा नहीं है बल्कि उनके नज़दीक़ ईमान एक ऐसी अकेली हक़ीक़त है जो बजाते खुद कामिल होती है और कमी-बेशी को कुबूल नहीं करती। हज़रत अबू बक्र ((रज़ि.)) को जो फ़ज़ीलत हासिल है वो अमल की बिना (आधार) पर है (न कि ईमान की बिना पर) और इस बिना पर कि आँहज़रत (ﷺ) ने आपको मिनजुम्ला दस लोगों के लिये जन्नत की बशारत दी थी। अब इसके बाद मुसलमानों के अक़्दार के बाहमी तफ़ावुत (आपसी दूरी/अन्तर) सिर्फ़ अमल और हुक्मे-इलाही की तामील और गुनाहों के काम से रूकने की बिना (आधार) पर रह गया।

इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक़ ईमान, तस्दीक़ और इज़्आन (हुक्मबरदारी) का नाम है लेकिन उनके नज़दीक़ ईमान में ज़्यादाती मुमकिन है इसलिये कि कुर्आन में कुछ मुसलमानों के बारे में फ़र्माया गया है कि उनका ईमान बढ़ता है। जिस तरह इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक़ ईमान में बढ़ोतरी हो सकती है उसी तरह कभी वो इसकी कमी होने की सराहत भी कर देते थे। लेकिन ऐसा मा'लूम होता है कि वो कमी की सराहत करने से रुक गये क्योंकि उन्होंने इसका इज़्हार फ़र्माया है कि ईमान कौल व अमल का नाम है, वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। हाफ़िज़ इब्नुल जोज़ी (रह.) की किताबुल मनाकिब

में वारिद (आया) हुआ है कि इमाम अहमद (रह.) फर्माया करते थे कि ईमान क़ौल व अमल का नाम है, वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। नेकियों के सारे काम ईमान ही है और मज़ासी (गुनाहों के काम) से ईमान में कमी हो जाती है। नीज़ वो ये भी फर्माया करते थे कि अहले सुन्नत वल जमाअत मोमिन की सिफ़त (तारीफ़/गुण/ख़ुबी) यह है कि वो इस अम्र की शहादत देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद (पूजनीय) नहीं है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक (साझीदार) नहीं है। यह भी गवाही देता है कि हज़रत मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं। यहाँ तक कि वो उन सबका इकरार करे जो दूसरे अंबिया और रसूल लेकर आए और जो कुछ उनकी ज़बान से ज़ाहिर हुआ वो उस (मोमिन) के दिल से हमआहंग (सहमत) हो। लिहाज़ा ऐसे आदमी के ईमान में कोई शक नहीं। (हयाते इमाम अहमद बिन हंबल रह. पेज नं. 216, 217)

मसलके मुहद्दिषीन और जुम्हूर अइम्म-ए-अहले सुन्नत वल जमाअत : ईमान के बारे में जुम्हूर (अधिकांश) अइम्म-ए-अहले सुन्नत वल जमाअत और तमाम मुहद्दिषीने किराम सबका मसलक यही है जिसे अल्लामा ने इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) से नक़ल फर्माया है। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने भी ईमान, मुदल्लल तौर पर इसी को बयान फर्माया है। इमाम अब्दुल बर 'तहमीद' में फर्माते हैं, 'अजमअ अहलुल फ़िक्ह वल हदीषि अला अन्नल ईमान क़ौलुन व अमलुन, वला अमल इल्ला बिनिव्यतिन क़ाल वल ईमानु इन्दहुम यज़ीदु बिताअति व यन्कुसु बिल मअसिय्यति वताअतु कुल्लुहा इन्दहुम ईमानुन इल्ला मा जुकिर अन अबी हनीफ़त व अस्थाबिही फ़ इन्नहुम ज़हबू इला अन्नतआति ला तुसम्मा ईमानन क़ालू इन्नमल ईमानु तस्दीक़न वल इकरारु व मिन्हुम मन ज़ादल मअरिफ़त व जुकिर महतजू बिही इला अन क़ाल व अम्मा साइफल फ़ुक्कहाउ मन अक्मलिरायि वल आघारि बिल हिजाज़ि वल इराक़ि वशशामि व मिस्र मिन्हुम मालिक बिन अनस वल्लैष बिन सअद व सुफ़यान अश़रीरी वल औजाइ वशशाफ़िई व अहमद बिन हंबल व इस्थाक़ बिन राहवैय व अबू ओबैदिल क़ासिम बिन सलाम व दाऊद बिन अली व मन सलक सबीलहुम क़ालू अल ईमानु क़ौलुन व अमलुन क़ौलुम्बिल्लिसान व हुवल इकरारु व इताक़ादुम्बिल क़लिब व अमलुम्बिल जवारिहि मअल इख़लासि बिन् निव्यतिम्मादिक़त व क़ालू कुल्लुम्मा युताअल्लाहु बिही मिन फ़रीजतिन व नाफ़िलतिन फ़ हुव मिनल ईमानि क़ालू वल ईमानु यज़ीदु बिताअति व यन्कुसु बिल मअासी व हाज़ा मज़हबुल जमाअति मिन अहलिल हदीषि वल हम्दुलिल्लाहि'

अल्लामा इब्ने अब्दुल बर की इस जामेअ तक्ररीर का खुलासा ये है कि अहले फ़िक्ह और अहले हदीष सबका इम्माअ (सर्वसम्मति) है कि ईमान क़ौल व अमल (वचन व कर्म) पर मुश्तमिल (आधारित) है और अमल का ए'तिबार निय्यत पर है। ईमान नेकियों से बढ़ता है और गुनाहों से घटता है और नेकियाँ जिस क़दर भी हैं वो ईमान हैं। हाँ! इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और उनके साथियों का क़ौल यह है कि ईमान इताअत का नाम नहीं रखा जा सकता, ईमान सिर्फ़ तस्दीक़ और इकरार का नाम है, बाज़ ने मअरिफ़त को भी ज़्यादा किया है। उनके अलावा सारे फ़ुक़हा-ए-अहलुराय व अहले हदीष हिजाज़ी, इराक़ी, शामी व मिस्री हैं। सब यही कहते हैं (जिनमें से कुछ बुजुर्गों के नाम अल्लामा ने यहाँ नक़ल भी फर्माए हैं) कि ज़बान से इकरार करना और दिल में ऐतिक़ाद (अक़ीदा, भरोसा) रखना और ज़वारेह (जिस्म के सभी अंगों) से सच्ची निय्यत के साथ अमल करना ईमान है और तमाम इबादतें चाहे फ़र्ज़ हों या नफ़ल, वे सब ईमान (में दाख़िल) हैं। ईमान नेकियों से बढ़ता है और बुराइयों से घटता है। जमाअत अहले हदीष का भी यही मसलक है वल्लहम्दुलिल्लाह! सलफ़े-उम्मत इस किस्म की तसरीहात (वज़ाहतें, स्पष्टीकरण) इस क़दर नक़ल की गई हैं कि उन सब के लिये एक मुस्तक़िल (स्थाई) दफ़तर की ज़रूरत है। यहाँ मज़ीद तवालत (अधिक विवरण) की गुञ्जाइश नहीं।

फ़िक्क-ए-मुरजिया : ईमान के मुताल्लिक़त तमाम मुहद्दिषीने किराम व अइम्म-ए-श़लाषा अहले सुन्नत वल जमाअत से अगरचे फ़िक्क़ा ख़वारिज और मोअतज़िला ने काफ़ी इख़्तिलाफ़ात किये हैं, मगर सबसे बदतरीन इख़्तिलाक़ वो है जो फ़िक्क-ए- मुरजिया ने किया।

साहिबे इज़ाहुल बुखारी लिखते हैं, 'बसीत (ग़ैर मुरक़ब/अमिश्रित) मानने वालों की दो जमाअतें हैं, एक जमाअत कहती है कि ईमान की हकीक़त सिर्फ़ तस्दीक़ है, अमल और इकरार ईमान में दाख़िल नहीं। इमामे आजम और फ़ुक़ह- ए-अलौहिमुरहम: कहते हैं कि ईमान सिर्फ़ तस्दीक़ का नाम है। लेकिन आ'माल ईमान की तरक़ी के लिये ज़रूरी है। और मुरजिया कहते हैं कि आ'माल बिल्कुल ग़ैर-ज़रूरी है। ईमान लाने के बाद नमाज़ अदा करना और खाना खाना दोनों बराबर हैं। बसीत मानने वालों की दूसरी जमाअत मुरजिया और करामिया की है जो सिर्फ़ इकरार को ईमान की हकीक़त बतलाते हैं, तस्दीक़ और आ'माल इसका जुञ्च नहीं। सिर्फ़ ये शर्त कि इकरारे-लिसानी (ज़बान से इकरार) के साथ दिल में इन्कार नहीं होना चाहियो

(ईजाहुल बुखारी जिल्द 2 पेज नं. 132)

इसलिये अस्ताफे-उम्मत ने फ़िर्क-ए-मुरजिया के खिलाफ़ बड़े ही सख़्त बयानात दिये हैं। हज़रत इब्राहीम नख़ई फ़र्माते हैं, 'अल मुरजियतु अख़वफ़ु अला हाज़िहिल उम्मत मिन ख़वारिज' यानी उम्मत के लिये मुरजिया का फ़िल्ना, ख़वारिजियों के फ़िल्ने से भी बढ़कर ख़तरनाक है।

इमाम जुहरी (रह.) फ़र्माते हैं, 'मब्तादअ फ़िल इस्लामि बिदअतुन अजरु अला अहलिही मिनल इर्जाइ' यानी इस्लाम में मुरजिया फ़िर्के से बढ़कर नुक़सान पहुँचाने वाली कोई बिदअत पैदा नहीं हुई। यहा बिन अबी क़षीर और क़तादा फ़र्माते हैं, 'लैस शयउम्मिनल अहवाइ अशहु इन्दहुम अलल उम्मत मिनल इर्जाइ' यानी मुरजिया से बढ़कर ख़वाहिश परस्ती का कोई फ़िल्ना, जो इन्तिहाई ख़तरनाक हो, उम्मत में पैदा नहीं हुआ। क़ाज़ी शरीकने कहा, 'अल मुरजियतु अख़वफ़ु क़ौमिन हस्बुक बिर्रिफ़िज़ति व लाकिन्नल मुरजियत यकज़िबून अलल्लाहि' यानी फ़िर्क-ए-मुरजिया बहुत ही गन्दी क़ौम है जो राफ़ज़ियों से भी आगे बढ़ गये हैं। जो अल्लाह झूठ बाँधने में ज़रा भी ख़ौफ़ महसूस नहीं करते। इमाम सुफ़यान प्रौरी, इमाम वकीअ, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम क़तादा, इमाम अय्यूब सख़्तियानी और भी बहुत से अहले सुन्नत ने भी ऐसे ही ख़यालात का इज़हार किया है।

मुरजिया में जो बहुत से ग़ाली (अतिवादी/हद से आगे बढ़ जाने वाले) किस्म के लोग हैं उनका यहाँ तक कहना है कि जिस तरह कुफ़्र की हालत में कोई नेकी नफ़ा नहीं पहुँचाती, इसी तरह ईमान की हालत में कोई गुनाह नुक़सानदेह नहीं और यह वो बदतरीन क़ौल है जो इस्लाम में कहा गया है। लवामिअ अनवारुल बहिथ्या

ईमान के बसीत और मुरक़ब (मिश्रण/मिक्स्चर) की बहष में अल्लामा सिन्धी (रह.) का ये क़ौल सुनहरे लफ़्ज़ों में लिखने लायक़ है, आपने फ़र्माया, 'वस्सलफ़ु कानू यत्तबिऊनल वारिद ला यल्लतफ़ितून इला नहवि तिल्कल मबाहिषि इल्ला कलामुल कलामिय्यति इस्तख़रजहल मुतअख़िख़रून' यानी सलफ़-सालिहीन सिर्फ़ उन आयतों और हदीषों की पैरवी करने को काफ़ी समझते थे जो ईमान से मुता'ल्लिक़ वारिद हुई हैं और वो उन बहषों से क़तई इतेफ़ाक़ नहीं करते थे जिनको बाद वालों ने ईजाद किया है।

ईमान बहरहाल दिल से तस्दीक़ करने, ज़बान से इक़रार करने और बदन से अमल करने का नाम है और ये तीनों आपसी तौर पर इस क़दर लाज़िम व ज़रूरी है कि अगर इन तीनों में से किसी एक को भी अलग कर दिया जाए तो हक़ीक़ी ईमान, जिससे अल्लाह की तरफ़ से नजात मिलने वाली है, बाक़ी नहीं रह जाएगा।

हज़रत अल्लामा मौलाना शैख़ुल हदीष मुबारकपुरी (रह.) : हज़रत अल्लामा मौलाना उबैदुल्लाह साहब शैख़ुल हदीष मुबारकपुरी (रह.) ने ईमान के मुता'ल्लिक़ एक बेहतरीन जामेअ तब्सरा फ़र्माया जो दर्ज ज़ैल (निम्नलिखित) है,

फ़र्माते हैं, 'व इन्नमा उन्वानु बिही मअ ज़िक़िहिल इस्लामु अयज़न लि अन्नहुमा बि मअनन वाहिदिन फ़िश्शरइ' यानी किताबुल ईमान के उन्वान के तहत इस्लाम का भी ज़िक़ आया है, इसलिये कि ईमान और इस्लाम; शरीअत में एक ही मा'ने रखते हैं। 'इख़्तलफ़ू फ़ीहि अला अक़वाल' के तहत हज़रत शैख़ुल हदीष फ़र्माते हैं, 'फ़ क़ालल हनफ़िय्यतु अल ईमानु हुव मुजर्रदुन तस्दीकुन्नबिथ्यि (ﷺ) फ़ीमा इल्मुन मजीउहू बिही बिज्ज़ररति तफ़्सीलन फ़िल उमूरित्फ़्सीलिय्यति व इजमालन फ़िल उमूरिल इजमालिय्यति तस्दीक़न जाज़िमन व लौ बिग़ैरि दलीलिन फ़लईमानु बसीतुन इन्दहुम ग़ैर मुरक़बिन ला यक्बलुज्जियादत व लन्नक्सान मिन हैषिल कम्मियति' यानी हनफ़िय्या कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) की तस्दीक़े-मुजर्रद का नाम ईमान है। तफ़्सीली उमूर में तफ़्सीली तौर पर, इज्माली (मुख़्तसर/संक्षिप्त) उमूर में इज्माली तौर पर जो कुछ ज़रूरी अहक़ाम आप (ﷺ) लेकर आए, उन सबकी तहे दिल से तस्दीक़ करना ईमान है। हनफ़ियों के नज़दीक़ ईमान मुरक़ब (मिश्रण) नहीं बल्कि बसीत (ग़ैर मुरक़ब) है और वो कमियत के ए'तिबार से ज़्यादाती और कमी को कुबूल नहीं करता (यानी उनके नज़दीक़ ईमान घटता/बढ़ता नहीं है)। गुमराह मुरजिया फ़िर्के की ज़द से बचने के लिये वो भी अहले सुन्नत व जुम्ला मुहदिषीन की तरह आ'माल को तक्मीले-ईमान की शर्त क़रार देते हैं और कमाले-ईमान के लिये ज़रूरी अजज़ा (हिम्सा/अवयव) तस्लीम करते हैं और कहते हैं कि हमारे और दीगर अहले सुन्नत के बीच इस बारे में सिर्फ़ लफ़्ज़ी टकराव है। (रिसाला ईमानो-अमल मौलाना हुसैन अहमद मदनी रह. पेज नं. 23)

हज़रत शैख़ुल हदीष आगे मुरजिया के मुता'ल्लिक़ फ़र्माते हैं, 'व क़ालल मुरजियतु हुव इतिक़ादुन फ़क़त वल इक़रारु

बिल्लिसानि लैस बिरुकनिन फ़ीहि वला शर्तिन फजअलुल अमल ख़ारिजमिन हक़ीक़तिल ईमानि कल हनफ़िय्यति व अन्करु अजज़अतहू इल्ला अन्नल हनफ़िय्यत इहतम्मू बिही व हर्ज़ु अलैहि वजअलुहु सबबन सारियन फ़ी नुमाइल ईमानि व अम्मल मुरजियतु फहदरहु व क़ालू ला हाज़त इलल अमलि व मदारुन्नजात हुवत्तस्दीक़ु फ़क़त फ़ला यज़ुर्ल मअसिय्यतु इन्दहुम मअत्तस्दीक़ि' और गुमराह फ़िक़ मुरजिया ने कहा कि ईमान फ़क़त ए' तिकाद (यक़ीन) का नाम है। इसलिये कि जबानी इकरार न रुकन है न शर्त है। हनफ़िया ने भी अमल को हक़ीक़ते ईमान से ख़ारिज किया है और उसकी जुजइय्यत का इन्कार किया है। मगर हनफ़िया ने अमल की अहमियत को माना है और इसके लिये रग़बत दिलाई और ईमान की तरक़ी में अमल को एक मुअश्शिर सबब (प्रभावशाली कारण) तस्लीम किया है। मुरजिया ने अमल को बिल्कुल बातिल करार दिया और कहा कि अमल की कोई ज़रूरत नहीं है। नजात का दारोमदार फ़क़त तस्दीक़ पर है जिसके बाद कोई गुनाह मज़िर (हानिकारक) नहीं है। (शायद हज़रत मौलाना मदनी साहब मरहूम के ज़िक़रशुदा हवाले की भी यही मंशा है)। आगे करामिया के बारे में शैख़ुल हदीष फ़र्माते हैं, 'व क़ालल करामिय्यतु हुव नुतकुन फ़क़त फ़ल इकरारु बिल्लिसानि यक्फ़ी लिन्नजाति इन्दहुम सवाउन वुजिदत्तस्दीक़ु अमला' यानी मुरजिया के विपरीत करामिया कहते हैं कि ईमान फ़क़त ज़बान से इकरार कर लेने का नाम है जो नजात के लिये काफ़ी है, तस्दीक़ न की जाए।

आगे हज़रत शैख़ुल हदीष फ़र्माते हैं, 'व क़ालस्सलफ़ु मिन अइम्मतिः ख़लाति मालिक वशशाफ़िअ व अहमद वग़ैरहुम मिन अस्हाबिल हदीषि हुव इतिक़ादुन बिल क़ल्बि व नुत्कुम्बिल्लिसानि व अमलुम्बिल अक़ानि फ़ल ईमानु इन्दहुम मुक्कबुन ज़ु अजज़ाइन वल आमालु दाख़िलतुन फ़ी हक़ीक़तिल ईमानि व मिन हाहुना नशअलुहुमुल क़ौलु बिजियादति वन्नक़सानि बि हसबिल कम्मिय्यति' यानी सलफ़े-उम्मत, अइम्म-ए-प़लाघ़ा (तीनों इमाम) मालिक (रह.), शाफ़िई (रह.), अहमद बिन हंबल (रह.) और दीगर अस्हाबुल हदीष के नज़दीक़ ईमान दिल के ए' तिकाद और ज़बान के इकरार और अरक़ान के अमल का नाम है। इसलिये उनके नज़दीक़ ईमान मुक्कब है जिसके लिये बयान किये गये हिस्से ज़रूरी हैं और आ' माल हक़ीक़ते ईमान में दाख़िल हैं। इसी आधार पर उनके नज़दीक़ ईमान में कमी-बेशी होती है। इस दावे पर उनके यहाँ बहुत सी कुआनी आयतें और अहादीषे-नबवी दलील हैं। जिसको इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी जामेअ और अल्लामा इब्ने तैमिया (रह.) ने किताबुल ईमान में बयान फ़र्माया है और सही मज़हब यही है। (मिरआत जिल्द अब्वल पेज नं. 23)

इस तफ़्सील की रोशनी में हज़रत अल्लामा मुबारकपुरी दामत बरकातुहुम आगे फ़र्माते हैं, 'व क़द जहर मिन हाज़ा अन्नल इख़ितलाफ़ बैनल हनफ़िय्यति व अस्हाबिल हदीषि इख़ितलाफ़ुन मअनविद्युन हक़ीक़िय्युन ला लफ़िज्युन कमा तवहहम बअज़ुल हनफ़िय्यति' (मिरआत) यानी ईमान के बारे में हनफ़ियों और अहले हदीष का इख़ितलाफ़ मअनवी हक़ीक़ी है लफ़्ज़ी नहीं है जैसा कि कुछ हनफ़ियों को वहम हुआ है।

मुअतज़िला के नज़दीक़ ईमान अमल व क़ौल व ए' तिकाद का मज्मूआ है। उनके नज़दीक़ कबीरा गुनाह का मुर्तकिब (दोषी) न तो काफ़िर है और न ही मोमिन बल्कि ईमान और कुफ़्र के बीच एक दर्जा करार देते हैं और कहते हैं कि कबाइर का मुर्तकिब अगर बग़ैर तौबा मरेगा तो वो मुख़ल्लद फ़ित्रार यानी हमेशा के लिये दोज़ख़ी होगा। उनके बरख़िलाफ़ (विपरीत) ख़ारिजी कहते हैं कि कबीरा और झगीरा दोनों तरह के गुनाहों का दोषी काफ़िर हो जाता है, कुफ़्र और ईमान के बीच कोई दर्जा ही नहीं है। ये दोनों फ़िक़े गुमराह हैं। इसके बरख़िलाफ़ अहले सुन्नत जहाँ ईमान को चार हिस्सों का मुक्कब और कमी-ज्यादती के क़ाबिल मानते हैं वहाँ उनके नज़दीक़ आमाल को ईमान के कमाल (पूर्णता) के लिये शर्त भी करार देते हैं। लिहाज़ा उनके नज़दीक़ कबाइर का मुर्तकिब और फ़ज़ों का छोड़ने वाले मुतलक़ काफ़िर और ईमान से महरूम नहीं होंगे। (फ़तहुल बारी वग़ैरह)

मुनासिब होगा कि अपने मुहतरम क़ारेईने किराम की मज़ीद तफ़हीम (अधिक जानकारी) के लिये ईमान से मुता' ल्लिक़ एक मुख़तसर ख़ाका (संक्षिप्त रूपरेखा) पेश कर दें।

- (01) ईमान बसीत (ग़ैर मुक्कब/अमिश्रित) है। सिर्फ़ दिल से तस्दीक़ करना और ज़बान से इकरार करना काफ़ी है जिसके बाद कोई गुनाह मुज़िर (नुक़्सानदेह) नहीं और कोई नेकी मुफ़ीद (लाभप्रद) नहीं है। (बक़ौल मुरजिया)
- (02) ईमान फ़क़त ज़बान से इकरार कर लेने का नाम है, दिल से तस्दीक़ हो या न हो। ज़बानी इकरार नजात के लिये काफ़ी है। (बक़ौल करामिया)
- (03) ईमान बसीत (ग़ैर मुक्कब/अमिश्रित) है और सिर्फ़ तस्दीक़ का नाम है। आमाल इसमें दाख़िल नहीं हैं और न वो

- घटता बढ़ता है। हाँ! आमाल ईमान की तरक्की के लिये जरूरी हैं। (हनफिय्या) (देखें : ईजाहुल बुखारी पेज नं. 132)
- (04) ईमान; ए' तिक्राद (अक्रीदा), अमल और कौल का एक ऐसा मज्मूआ (संग्रह) है जिसे अलग-अलग नहीं किया जा सकता। इस सूत्र में कबीरा गुनाह का मुर्तकिब अगर तौबा किये बिना मरेगा तो वो हमेशा के लिये दोज़खी है। गोया अल्लाह पर मुतीअ (फ़र्माबरदार) का षवाब और आसी (नाफ़र्मान) का अज़ाब वाजिब है। (बक़ौल मुअतज़िला)
- (05) ईमान; ए' तिक्राद और अमल दोनों का मज्मूआ है, जिसके बाद सिर्फ़ कुफ़्र ही का दर्जा है। लिहाज़ा कबीरा और स़गीरा दोनों क्रिस्म के गुनाहों का मुर्तकिब, जो तौबा न करे, वो काफ़िर है। (बक़ौल ख़ारजी)
- (06) ईमान; कौल व अमल का एक मज्मूआ है जिसके लिये दिल से तस्दीक़, ज़बान से इक़रार और (दीनी) अरकान पर अमल जरूरी है और वो यानी ईमान इन तीनों अजज़ा (हिस्सों) से मुक्कब है। वो घटता है और बढ़ता है। कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब को अल्लाह चाहे तो उसके ईमान की सिट्हत (क्वालिटी) की शर्त पर बख़्श दे या दोज़ख में सज़ा देने के बाद जन्नत में दाख़िल कर दे। लिहाज़ा कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब हमेशा के लिये काफ़िर और ईमान से महरूम नहीं होगा। (अहले सुन्नत वल जमाअत) और यही मज़हब हक़ और साइब (सही/शुद्ध) है।

अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, 'वस्सलफु क़ालू हुव ऐतिक्रादुन बिल क़ल्बि व नुतकुम्बिल्लिस्सानि व अमलुम्बिल अक़ानि व अरादु बि ज़ालिक अन्नल आमाल शर्तुन फ़ी क़मालिही व मिन हुना नशा लहुमुल क़ौलु बिज़ियादति वन् नक्मि कमा सयाती वल मुर्जिअतु क़ालू हुव इतिक्रादुन व नुतकुन फ़क़त वल करामिय्यतु क़ालू हुव नुत्कुन फ़क़त वल मुअतज़िलतु क़ालू हुवल अमलु वन्नतकु वल इतिक्रादु वल फ़ारिकु बैनहुम व बैनस्सलफ़ि अन्नहुम ज़अलुल आमाल शर्तन फ़ी सिट्हातिही वस्सलफ़ु ज़अलूहा शर्तन फ़ी क़मालिही' (फ़त्हुल बारी) इस इबारत का खुलासा वही है जो ऊपर ज़िक्र किया गया है।

एक लतीफ़ मुकालमा : हमारे मुहतरम मौलाना फ़ाज़िले मुनाज़रा अब्दुल मुबीन मंज़री साहब बस्तवी ने शैख़ अबुल हसन अश्शरी (रह.) और उनके उस्ताद जबाई मुअतज़ली का वो दिलचस्प मुकालमा 'अक्राइदे इस्लाम' में दर्ज फ़र्माया है। ये मुकालमा बहुत सी हदीष की किताबों में ज़िक्र किया गया है, जिसका खुलासा यह है कि एक दिन शैख़ अबुल हसन अश्शरी ने जबाई से पूछा कि आप उन तीन भाइयों के बारे में क्या कहते हैं जिनमें से एक मुतीअ व ताबेअदार मरा, दूसरा आसी व नाफ़र्मान और तीसरा बचपन ही में मर गया। जबाई ने जवाब में कहा कि पहला शख़्स जन्नत में, दूसरा दोज़ख में और तीसरा दोनों से अलग। न जन्नत में न दोज़ख में। इस पर अबुल हसन ने पूछा कि अगर तीसरा शख़्स अल्लाह से अर्ज़ करे कि मुझे क्यों न जिन्दगी अता हुई कि मैं बड़ा होकर नेकी करता और जन्नत पाता, तो अल्लाह क्या जवाब देगा? जबाई साहब ने कहा कि अल्लाह फ़र्माएगा कि मैं जानता था कि तू बड़ा होकर नाफ़र्मानि करके जहन्नम में दाख़िल होगा, लिहाज़ा तेरे लिये बचपन में ही मर जाना बेहतर था। अबुल हसन अश्शरी ने कहा अगर दूसरा शख़्स अर्ज़ करे कि मेरे रब तूने मुझे बचपन ही में मौत क्यों न दे दी कि मैं तेरी नाफ़र्मानियों से बचकर दोज़ख से नजात पाता, तो आपके मज़हब के हिसाब से उसको अल्लाह पाक की तरफ से क्या जवाब मिलेगा?

इस सवाल के बाद अली जबाई (मुअतज़िला) लाजवाब हो गया यानी कोई जवाब न दे सका और अबुल हसन अश्शरी (रह.) ने अपने उस्ताद का मज़हब छोड़कर मुअतज़िला की तदीद और ज़ाहिर सुन्नत की ताईद में अपनी पूरी जिन्दगी खर्च कर दी। क्या ख़ूब कहा गया है,

तदीदो अश्शरी हमा ख़ूब लयक तौर सलफ़ बूद मरग़ूब

चीत दानी अक्राइद ईशाँ इन्तखाब फ़वाइद ईशाँ

पाए बरपाए मुस्तफ़ा रफ़तन बसर ख़विश ने ज़ पा रफ़तन

पुशत पा बरज़ून बफ़हम जमील बर क्रिया सात व ऐं हमा तावील

'नसअलुल्लाह त्रिजात यौमल मआदि व अय्युतहिहर कुलूबना अन क़बाइहिल इतिक्राद व नस्तफ़िरुल्लाह लना व लि काप्फ़तिल मुस्लिमीन मिन अहलिल हदीषि वल कुआनि व अस्हाबित्तौहीदि वल ईमान, आमीन!

चूँकि ऊपर बयान की गई तफ़्सीलात में कई जगह ईमान के बारे में 'हनफ़िया' का ज़िक्र आया है, इसलिये मुनासिब होगा कि कुछ तफ़्सीलात हम मौजूदा उलम-ए-अहनाफ़ ही से नक़ल कर दें जिससे नाज़िरीन को मुहदिषीने किराम के मसलक

और मौजूदा बड़े हनफ़ी उलमा के ख्यालात को समझने में मदद मिल सकेगी ।

देवबन्द से बुखारी शरीफ़ का एक तर्जुमा मअहू शरह ईज़ाहुल बुखारी के नाम से भी शाए (प्रकाशित) हो रहा है जो हज़रत मौलाना फ़ख़रूद्दीन साहब शैख़ुल हदीष, दारुल उलूम देवबन्द व सदरे जमइय्यत उलम-ए-हिन्द के इफ़ादात (बहुत सारे फ़ायदों) पर मुशतमिल हैं। ज़ाहिर है कि इससे ज़्यादा मुस्तनद बयान और नहीं हो सकता। नीचे लिखे तफ़्सीलात हम लफ़्ज़-ब-लफ़्ज़ इसी ईज़ाहुल बुखारी से नक़ल कर रहे हैं :-

ईमान में कमी-ज़्यादती का बयान : इमाम बुखारी (रह.) ने जिस अन्दाज़ से मसला शुरू फ़र्माया है, उसके नतीजे में ये बात षाबित हो रही है कि ईमान तीन चीज़ों से मुरक़ब है; ए' तिक़ादे-क़ल्बी (दिल से अक़्रीदा), क़ौले-लिसानी (जुबान से इक़रार), अफ़आले ज़वारेह (जाहिरी आ'माल) क्योंकि तमाम 'व हुव क़ौलुन व फ़ेअलुन' में क़ौल व फ़ेअल दोनों में तामीम (आम) हो सकती है। या तो क़ौल को क़ौले लिसानी और क़ौले क़ल्बी दोनों पर आम कर दिया जाए, मगर उफ़े-आम (प्रचलन) में क़ौल का लफ़्ज़ सिर्फ़ क़ौले लिसानी पर ही बोला जाता है। लेकिन उसको इस मा'न में क़ौले क़ल्बी पर भी आम किया जा सकता है कि दिल में तस्दीक़ का पैदा हो जाना ईमान नहीं है बल्कि पैदा करना ईमान है और जब क़ौल-दिल और ज़बान दोनों पर आम हो गया तो फ़ेअल से मुराद फ़ेअले-ज़वारेह हो ही जाएगा। वर्ना अगर क़ौल को सिर्फ़ क़ौले लिसानी पर महदूद कर दिया जाए तो लफ़्ज़े फ़ेअल में तामीम कर दी जाएगी जो फ़ेअले क़ल्बी और फ़ेअले ज़वारेह पर आम हो जाएगा।

और बाज़ हज़रात ने कहा कि तस्दीक़ व ए' तिक़ाद का मसला तो अहले फ़न के नज़दीक़ मुसल्लम (स्वीकृत) था, इख़िताफ़ सिर्फ़ जबान और जिस्म के हिस्सों के सिलसिले में था। इसलिये इमाम बुखारी (रह.) ने इधर ही तवज्जुह रूजूअ (आकृष्ट) की और जब ये बात षाबित हो गई कि ईमान में तीन चीज़ें दाख़िल हैं तो उसके नतीजे में ईमान में कमी-ज़्यादती मुमकिन होगी। ये कमी व बेशी बज़ाहिर इमाम बुखारी (रह.) की क़ायमक़र्दा तर्तीब के मुताबिक़ ऐसा मा'लूम होता है कि अजज़ा (अंगों) के ए' तिवार से है। यानी चूँकि ईमान एक ज़ी-अजज़ा चीज़ है और तीन चीज़ों से मुरक़ब है इसलिये ज़रूरी कमी-ज़्यादती की क़ाबिलियत होनी चाहिये और इमाम बुखारी (रह.) के दा'वे के मुताबिक़ सलफ़ का भी मज़हब यही है क्योंकि इमाम बुखारी (रह.) ने तमाम उस्तादों से 'यज़ीदु व यन्कुसु' ही नक़ल किया है। और अगर इस सिलसिले में कुछ इख़िताफ़ नज़र आता है तो वो इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का है क्योंकि सिर्फ़ इमाम ही की तरफ़ 'ला यज़ीदु व ला यन्कुसु' की निस्बत की गई है और जुम्हूर (अधिकांश) 'यज़ीदु व यन्कुसु' (कमी-बेशी) के क़ायल हैं। गोया इमाम बसातते-ईमान के क़ायल हैं और जुम्हूर तरकीब के। इसलिये बज़ाहिर तर्दीद इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ही की मा'लूम होती है लेकिन इन क़ाइलीने-तर्दीद (रद्द करने के समर्थकों) ने इस पर ग़ौर नहीं किया कि इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का 'ला यज़ीदु व ला यन्कुसु' जुम्हूर के यज़ीदु व यन्कुसु से मुतअरिज (विरोधाभासी) भी है या नहीं। अगर ये हज़रात इस हक़ीक़त को समझ लेते तो इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) को हदफ़ (निशाना) बनाने की नौबत नहीं आती लेकिन क्या किया जाए कि होता ही ऐसा आया है।

इसलिये असल तो यह है कि इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) से 'ला यज़ीदु व ला यन्कुसु' का षुबूत ही दुश्वार है। क्योंकि जिन तसानीफ़ (किताबों) पर भरोसा करके इस क़ौल की निस्बत इमाम (रह.) की तरफ़ की गई है, तहक़ीक़ की रोशनी में इमाम अलैहिर्रहमा की जानिब ग़लत है। मसलन फ़िक्वे-अकबर इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) की तरफ़ मन्सूब है लेकिन सच है कि इमाम की तिल्मीज़ (छात्र, स्टुडेण्ट) अबू मुतीअ अल बल्ख़ी की तसनीफ़ (लेखनी) है, जो फ़ुक़हा की नज़र में बुलन्द मर्तबत सहीह है मगर मुहदिषीन की निगाह में कमज़ोर हैं। इसी तरह 'अल आलिमु वल मुतअल्लिमु अल वसिथ्यतु' और वस्तैन इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) की तरफ़ मन्सूब हैं लेकिन सहीह ये है कि इमाम (रह.) तक उनकी निस्बत की सिहहत में कलाम है और हज़रत अल्लामा कश्मीरी (रह.) की तहक़ीक़ (खोज, रिसर्च) के मुताबिक़ इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के मज़हब का रुख़ ही ये नहीं है कि जिसको इमाम बुखारी (रह.) समझ रहे हैं। यहाँ तक कि इब्राहीम बिन यूसुफ़ (इमाम अबू यूसुफ़ के स्टुडेण्ट) और अहमद बिन इमरान का क़ौल 'तबक़ातुल हनफ़िय्या' में मौजूद है कि वो ईमान की कमी-बेशी के क़ाइल थे। अल आख़िर (ईज़ाहुल बुखारी पेज नं. 147-148)

आगे इस अमर की वज़ाहत की गई है कि बिल फ़र्ज़ (मान लिया जाए) 'ला यज़ीदु व ला यन्कुसु' इमाम अलैहिर्रहमा ही का क़ौल मान लिया जाए तो उसकी सहीह तौजीह (व्याख्या) क्या है? इस तफ़्सील से चन्द उमूर रोशनी में आ जाते हैं।

- (01). ईमान की कमी-ज्यादती के मुता'ल्लिक 'यज़ीदु व यन्कुसु' ही का नज़रिया जुम्हूर का नज़रिया है और यही सहीह है।
 (02). हज़रत अबू हनीफ़ा (रह.) की बाबत 'ला यज़ीदु व ला यन्कुसु' जिन किताबों में नक़ल है वो किताबें इमाम साहब की तसनीफ़ (लिखी हुई) नहीं है और उनको हज़रत इमाम की तरफ़ मन्सूब करना ही ग़लत है। जैसे फ़िक्हे-अकबर वग़ैरह।
 (03). इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) भी ईमान में कमी और ज्यादती के क़ायल थे। 'फ़ निअमल विफ़ाक़ व हब्बज़ल इत्तिफ़ाक़'

इस तफ़्सील के बाद मस्लके-मुहदिप्पीन की तग़लीत में अगर कोई साहब लब-कुशाई करते (ज़बान खोलते) हैं तो यह खुद उनकी अपनी जिम्मेदारी है। जुम्हूरे-सलफ़ और खुद इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के मुता'ल्लिक सहीह मौक़िफ़ यही है जो ऊपर तफ़्सील में पेश किया गया है। अल्लाह पाक सब मुसलमानों को मस्लके हक़ मुहदिप्पीने किराम पर ज़िन्दा रखे और उस पर मौत नज़ीब करे और उस पर हशर फ़र्माए ताकि क़यामत के दिन शफ़ाअते नबवी (ﷺ) से बहुत ज्यादा हिस्सा नज़ीब हो, आमीन! या रब्बल आलमीन!!

तजुमें का मक़सद : हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने किताबुल ईमान को आँहज़रत (ﷺ) की हदीष 'बुनियल इस्लामु अला ख़म्मिन' से शुरू फ़र्माया, जिसमें इशारा है कि अगरचे ईमान दिल से तस्दीक़ का नाम है और इस्लाम जिस्म से अमल करने का, मगर बतौर-उमूम, खुसूस-मुत्लक़ हक़ीक़त में दोनों एक ही है। और आख़िरत में नजात के लिये आपसी तौर सख़्त ज़रूरी हैं। इसीलिये आपने दूसरा जुम्ला ईमान के लिये ये इस्ते'माल फ़र्माया, 'व हुब क़ौलुन व फ़ेअलुन' यानी वो क़ौल (ज़बान से इक़रार) और फ़ेअल (यानी आ'माले सालेहा) है। तीसरा जुम्ला फ़र्माया, 'व यज़ीदु व यन्कुसु' यानी वो ज्यादा भी होता है और कम भी होता है। इन तीनों जुम्लों में हर पहला जुम्ला दूसरे के लिये ब-मब्जिले सबब या हर दूसरा जुम्ला पहले के लिये ब-मब्जिला नतीजे के है। जिसका मतलब ये हुआ कि ईमान, क़ौल व फ़ेअल का नाम है जिसे दूसरे लफ़्ज़ों में इस्लाम कहना चाहिये और उसमें कमी व ज्यादती की सलाहियत (योग्यता) है।

किताबुल ईमान वल इस्लाम में शैख़ुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया (रह.) फ़र्माते हैं, 'अल ईमानु वल इस्लामु अहदुहुमा मुर्तबिततुन बिल आख़िरि फ़हुमा क़शैइन वाहिदिन ला ईमान लिमन ला इस्लाम लहू व ला इस्लाम लिमन ला ईमान लहू इज़ ला यख़लुल मुस्लिमु मिन ईमानिन बिही युसहिहू इस्लामहू वला यख़लुल मुमिनु मिन इस्लामिन बिही युहक्कि कु ईमानहू' यानी ईमान व इस्लाम आपस में जुड़े हुए हैं और वो एक ही चीज़ की तरह हैं। क्योंकि जो इस्लाम का पाबन्द नहीं उसका ईमान का दा'वा ग़लत है और जिसके पास ईमान नहीं उसका इस्लाम ग़लत है। मुसलमान जो हक़ीक़ी मा'नों में मुसलमान होगा वो कभी भी ईमान से ख़ाली नहीं हो सकता और मोमिन जो हक़ीक़ी मोमिन होगा उसको इस्लाम के बग़ैर चारा नहीं। इसलिये कि इसी से उसका ईमान मुतहक्क़ (वास्तविक) होगा। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) के मक़सिद (उद्देश्यों) को इस तौर पर मुतय्यन (निर्धारित) किया जा सकता है।

- (01). ईमान व इस्लाम आपस में मरबूत (जुड़े हुए) हैं।
 (02). ईमान में क़ौल व फ़ेअल दोनों दाख़िल (शामिल/सम्मिलित) हैं।
 (03). ईमान में कमी व ज्यादती हो सकती है।

इमामे बरहक़ ने जो कुछ फ़र्माया है, यही जुम्ला सलफ़े-उम्मत का मस्लक़ है। सहाबा व ताबेईन व तबअ ताबेईन व जुम्ला इमामाने-इस्लाम सब उन पर बिल इत्तेफ़ाक़ अक़ीदा (सर्वसम्मत आस्था) रखते हैं। हाँ! मुरजिया व करामिया व जहमिया व मोअतज़िला व ख़वारिज व रवाफ़िज़ को इनसे इख़तेलाफ़ ज़रूर है और इन्ही की तर्दीद (खण्डन/रद्द करना) हज़रते इमाम (रह.) का मक़सद है।

ज़रूरत थी कि अपने दा'वे को पहले किताबुल्लाहिल मजीद से प्राबित किया जाए। चुनावे आपने इस मक़ाम पर कुर्आन शरीफ़ से इस्तिदलाल (दलीलों के ज़रिये प्राबित) करने के लिये नीचे दी हुई आयत को नक़ल फ़र्माया है। जिनमें ईमान को हिदायत व दुआ वग़ैरह से ता'बीर करते हुए इसके बढ़ने और ज्यादा होने का सराहतन ज़िक़ (खुलासा बयान) मौजूद है।

- (01) 'हुवल्लज़ी अन्ज़लस्सकीनत फ़ी कुलूबिल मूमिनीन लियज़दादु ईमानम्मअ ईमानिहिम व लिಲ್ಲाहि जुनुदुस्समावाति वल अज़ि व कानल्लाहु अलीमन हकीमा'. (अल फ़त्ह : 4)

वो अल्लाह ही है जिसने ईमानवालों के दिलों में (सुलहे हुदैबिया के मौके पर) तस्कीन नाज़िल फ़र्माई। ताकि वो अपने साबिका ईमान में और ज़्यादती हासिल कर लें और ज़मीन व आसमानों के सारे लश्कर अल्लाह ही के क़ब्ज़े में है और वो जानने वाला और हिकमत वाला है।

इस आयत में वाज़ेह तौर पर ईमान की ज़्यादती का ज़िक्र है।

- (02) 'नहनु नकुस्सु अलैक नबअहुम बिल हक्कि इन्नहुम फ़ितयतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा' (अल कहफ़: 13)
अस्हाबे-कहफ़ की मैं सहीह-सहीह खबरें आपको सुनाता हूँ बिला शक वो चन्द नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे मैंने उनको हिदायत में ज़्यादती अता फ़र्माई।

ये आयते करीमा भी साफ़ बतला रही है कि ईमान व हिदायत में अल्लाह के फ़ज़ल से ज़्यादती हुआ करती है।

- (03) 'व यज़ीदुल्लाहुल्लज़ीनह तदौ हुदन वल बाक्रियातुस्सालिहातु ख़ैरुन इन्दरब्बिक प्रवाबं व ख़ैरुम्मरहा'
(मरयम: 76)

जो लोग हिदायत पर हैं, अल्लाह उनको हिदायत में और ज़्यादती अता फ़र्माता है और नेक आ'माल (मौत के बाद) पीछे रहने वाले हैं, तुम्हारे रब के नज़दीक प्रवाब और अज़्जाम के लिहाज से वही अच्छे हैं।

यहाँ भी हिदायत में ज़्यादती का ज़िक्र है, जिससे ईमान की ज़्यादती मुराद है।

- (04) 'वल्लज़ीनह तदौ ज़ादहुम हुदं व आ-ताहुम तक्वाहुम' (मुहम्मद: 17)

और जो लोग हिदायतयाब हैं अल्लाह उनको हिदायत और ज़्यादा देता है और उनको तक्वा परहेज़गारी की तौफ़ीक़ बरख़शाता है।

इस आयते शरीफ़ा में भी हिदायत (ईमान) की ज़्यादती का ज़िक्र है और यही मक़सूद है कि ईमान की ज़्यादती होती है।

- (05) 'व मा जअल्ना अस्हाबन्नारि इल्ला मला-इकतं व मा जअल्ना इहतहुम इल्ला फ़ित्ततल्लज़ीन कफरु लियस्तैक्निनल लज़ीन ऊतुल किताब व यज़्दादुल्लज़ीन आमनू ईमानन.' (अल मुद्ब़ि़र: 31)

मैंने दोज़ख़ के मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते ही बनाए हैं और मैंने उनकी गिनती इतनी मुक़रर की है कि वो काफ़ि़रों के लिये फित्ना हो और अहले किताब इस पर यक़ीन कर लें। और जो ईमानदार मुसलमान हैं वो अपने ईमान में ज़्यादती और तरक्की करें।

इस आयते शरीफ़ा में भी ईमानवालों के ईमान की ज़्यादती का ज़िक्र फ़र्माया गया है।

- (06) 'व इज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन फ़मिन्हुम मय्यकूलु अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना फ़अम्मल्लज़ीन आमनू फ़ज़ादतहुम ईमानं व हुम यस्तबशिरुन.' (अत तौबा: 124)

यानी जब कोई सूरह-ए-शरीफ़ा कुआने करीम में नाज़िल होती है तो मुनाफ़िक़ लोग आपस में कहते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किसका ईमान ताज़ा कर दिया है? हाँ! जो लोग ईमानदार हैं उनका ईमान यक़ीनन ज़्यादा हो जाता है और वो उससे खुश होते हैं।

इस आयते शरीफ़ा में निहायत ही सराहत (खुलासे) के साथ ईमान की ज़्यादती का ज़िक्र है।

- (07) 'अल्लज़ीन क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन नास क़द जमऊ लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वक़ील.' (आले इमरान: 173)

वो मज़बूत ईमानवाले लोग (अन्सार व मुहाजिरीन) जिनको लोगों ने डराते हुए कहा कि लोग ब'क़प्रत तुम्हारे खिलाफ़ जमा हो गये हैं। तुम इससे डरो तो उनका ईमान बढ़ गया और उन्होंने फ़ौरन कहा कि हमको अल्लाह ही काफी वाफ़ी है और बेहतरीन कारसाज़ है।

इस आयते शरीफ़ा में भी ईमान की ज़्यादती का ज़िक्र वाज़ेह लफ़ज़ों में मौजूद है।

- (08) 'व लम्मा राअल मूमिनूनल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा व अदनल्लाहु व रसूलुहु व सद्क़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानं व तस्लीमा.' (अल अहज़ाब: 22)

ईमानदारों ने (जंगे ख़ंदक में) जब कुफ़्रार की फ़ौजों को देखा तो कहा ये तो वही वाफ़ि़आ है जिसका वा'दा अल्लाह और रसूल (ﷺ) ने हमसे पहले ही से किया हुआ है और अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) ने सच फ़र्माया और इससे भी उनके

ईमान व तस्लीम में ज़्यादती ही हुई। इस आयत में भी ईमान की ज़्यादती का साफ़ ज़िक्र मौजूद है।

कुआने शरीफ़ के बाद सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस्तिदलाल करने के लिए आपने मशहूर हदीष (अल हुब्बू फ़िल्लाह) अल अख़ को ज़िक्र फ़र्माया कि अल्लाह के लिए मुहब्बत रखना और अल्लाह ही के लिए किसी से बुग़्ज रखना ये भी दाख़िले ईमान है। मुहब्बत और दुश्मनी दोनों घटने और बढ़ने वाली चीज़ें हैं। इसलिये ईमान भी हस्बे मरातिब घटता और बढ़ता रहता है। पांचवे ख़लीफ़ा हज़रते उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का फ़र्मान भी आपने इस्तिदलालन नक़ल फ़र्माया जिससे ज़ाहिर है कि ख़ैरुल कुरून (रसूल ﷺ और सहाबा किराम के ज़माने में) फ़राइज़ और शराए और हुदूद और सुनन सब दाख़िले ईमान समझे जाते थे और ईमान के कामिल या नाक़िस होने का तसव्वुर मिन जुम्ला उमूर की अदायगी व अदमे अदायगी पर मौकूफ़ समझा जाता था और मुसलमानों में आम तौर पर ईमान की कमी व ज़्यादती की इस्तिलाहात मुरव्वज (परिभाषाएं प्रचलित) थीं। हज़रत सय्यिदना ख़लीलुल्लाह अलौहिस्सलाम का क़ौल (लियत्म इन्ना क़ल्बी) भी इसीलिए नक़ल फ़र्माया कि ईमान की कमी व ज़्यादती का ता'ल्लुक दिल के साथ है। अल्लाह के हुक्मों पर जिस क़दर भी दिल का इत्मीनान हासिल होगा, ईमान में तरक्की होगी। इल्मुल यक़ीन ऐनुल यक़ीन के साथ हक़ुल यक़ीन के लिए आपने ये दरख़्वास्त की थी जैसाकि शहद की मिठास सिर्फ़ ख़बर सुननेवाला और दूसरा उसको आँखों से देखनेवाला और तीसरा उसे देखनेवाला और फिर चखनेवाला। ज़ाहिर है कि इन तीनों में काफ़ी फ़र्क़ है; हक़ुल यक़ीन इसी आख़िरी मुक़ाम का नाम है। हज़रत मुआज़ ने अपने साथी से जो कुछ फ़र्माया जिसे हज़रत इमाम ने यहाँ नक़ल फ़र्माया है इससे भी ईमान की तरक्की मुराद है। बक़ौल हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) पूरा यक़ीन (अपनी सारी किस्मों के साथ) ईमान ही में दाख़िल है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) हक़ीक़ते तक्वा के बारे में जो फ़र्माया उससे भी ईमान की कमी व ज़्यादती पर रोशनी पड़ती है। मशहूर मुफ़स्सिर-कुआन मजीद हज़रत मुजाहिद (रह.) ने आयते शरीफ़ा (शरअ लकुम मिन हीनि) अलअख़ के बारे में जो फ़र्माया। वो वज़ाहत से बतला रहा है कि ईमान और दीन के बारे में तमाम अंबिया-ए-किराम का उस्लून इतिहाद रहा है।

आयते करीमा (लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिअतवं व मिन हाज़ा अल माइदा आयत : 48) की तफ़्सीर में हज़रत अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया शिअतन से मुराद हिदायत (सुन्नत तरीक़ा) और मिन हाज़ा से मुराद (सबील) यानी दीनी रास्ता मुराद है। मक़सद ये है कि ईमान उन सबको शामिल है। इसी तरह आयते करीमा (कुल मा यअबउ बिकुम रब्बी लौला दुआइकुम फ़क़द कज्जबुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा अल फ़ुर्क़ान : 77) यानी कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह की इबादत नहीं करते तो अल्लाह को भी तुम्हारी परवाह नहीं। सो तुमने तक्ज़ीब पर क़मर बाँधी हुई है। बस बहुत जल्द वो (अज़ाबे इलाही) भी तुमको चिमटने वाला है। यहाँ दुआउकुम में हक़ीक़तन ईमान बिल्लाह और ईमान बिरसूल मुराद है। वरना ज़ाहिर है कि अहले मक्का अपने तौर-तरीक़ पर इबादत भी करते थे। पस ईमान ही असल बुनियादे-नजात है और इबादात और तमाम आ'माले सालिहा इसके अंदर दाख़िल हैं। आयते करीमा 'वमा कानल्लाहु लियुजीअ ईमानकुम' (अल बक़र : 143) में अल्लाह पाक ने खुद नमाज़ को लफ़्ज़े ईमान से ता'बीर फ़र्माया है। इन सारी ठोस दलीलों के बाद भी आ'माले नमाज़, रोज़ा वग़ैरह को ईमान से अलग कहना सरीहन ग़लती है अल्लाह नेक समझ दे, आमीन!

इमाम बुखारी (रह.) और सारे मुहद्दिषीने किराम व इमामाने हुदा का भी यही मसलक है। 'व नक़लशशाफ़िइय्यु अला ज़ालिक अल इज्माअ व क़ालल बुखारी लक़ीतु अक्शर मिन अल्फ़ि रजुलिम्मिनल उलमाइ बिल अम्मारि फ़मा रअयतु अहदम्मिन्हुम यख़्तलिफ़ुहू फ़ी अन्नल ईमान क़ौलुन व अमलुन व यज़ीदु व यन्कुसु' (लवामिज़ल अन्वारिल बहिथ्यति, पेज नं. 431) यानी इमामे शाफ़ई (रह.) ने इस मसलक पर इज्मा नक़ल किया है और इमाम बुखारी रह. फ़र्माते हैं कि इस्लामी ममालिक के मुख्तलिफ़ शहरो में एक हज़ार से ज़्यादा अहले इल्म व फ़ज़्लो क़माल से मिला। इनमें से मैंने किसी को इस बारे में मुख्तलिफ़ नहीं पाया कि ईमान क़ौल व अमल का नाम है और वो बढ़ता भी है और घटता भी है।

इशदि बारी तअाला है 'धुम्मा औरज़नल किताबल्लज़ीन इत्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिन्हुम ज़ालिमुल्लिनप्सिही व मिन्हुम मुक़्तसिदुन व मिन्हुम साबिकुन बिल ख़ैराति बिइज़्मिल्लाहि ज़ालिक हुवल फ़ज़लुल कबीर' (फ़ातिर, 32) यानी (अहले किताब के बाद) मैंने अपनी किताब कुआने पाक का वारिष उन लोगों को बनाया जिनको मैंने उसके लिये चुन लिया था बस कुछ उनमें से जुल्म करनेवाले हैं, कुछ बीच का रास्ता चलनेवाले हैं और कुछ नेकियों के लिए सबक़त करनेवाले हैं अल्लाह

के हुक्म से और यही बड़ा फ़ज़ल है।

इस आयते करीमा में अव्वल नम्बर पर वो मुसलमान मुराद है जो मुसलमान तो है मगर उसने ईमानी इस्लामी फ़राइज़ को पूरे तौर पर अदान न करके अपनी नफ़्स पर जुल्म किया और दूसरे नम्बर पर वो है जिसने दीनी वाजिबात को अदा किया और मुहरमात से बचा वो मोमिने-मुत्लक़ है और तीसरा साबिक़ बिल ख़ैरात वो मुहसिन है जिसने अल्लाह की इबादत इस तौर पर की गोया वो उसको देख रहा है। हासिल ये दीन के यही तीन दर्जे हैं पहला इस्लाम, औसत ईमान, आला एहसान। इस्लाम इन्क़ियादे-ज़ाहिरी और ईमान तस्दीके अल्लाह और रसूल (ﷺ) के साथ इन्क़ियादे-बातिन का नाम है। इस लिहाज़ से इस्लाम व ईमान में जो फ़र्क़ है वो भी जाहिर है कि ईमाने मुजमल तो ये है कि अल्लाह और रसूल (ﷺ) की तस्दीक़ की जाए और क़ायमत व तददीर और तमाम रसूलों व नबियों और फ़रिश्तों पर ईमान लाया जाए ईमाने मुफ़सल की साठ या सत्तर से कुछ ऊपर शाख़ें हैं जिनमें से कुछ के मुता'ल्लिक़ वो अहादीष हैं जिनको हज़रत इमाम बुखारी (रह.) किताबुल ईमान में रिवायत फ़र्मा रहे हैं; हर हदीष के मुतालअ के साथ इस हक़ीक़त को सामने रखने से बहुत से इल्मी और रूहानी फ़वाइद हासिल होंगे, वबिल्लाहितौफ़ीक़!

(8) हमसे अबैदुल्लाह बिन मूसा ने यह हदीष बयान की। उन्होंने कहा कि हमें इसकी बाबत हंज़ला बिन अबू सुफ़यान ने ख़बर दी। उन्होंने इकरमा बिन ख़ालिद से रिवायत की। उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमर से रिवायत की कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर क़ायम की गई है। अव्वल गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक हज़रत मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और नमाज़ क़ायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। (दीगर मक़ामात : 4515)

۸ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ :
أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ
بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((بُنِيَ الْإِسْلَامُ
عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَالْحَجُّ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ)).
[طرفه في : ۴۰۱۰]

तशरीह : हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने इस मफ़ूअ हदीष को यहाँ इस मक़सद के तहत बयान फ़र्माया कि ईमान में कमी व ज़्यादती होती है और तमाम आ'माले सालेहा व अर्काने इस्लाम ईमान में दाख़िल है। हज़रत इमाम के दा'वे इस तौर पर प्राबित है कि यहाँ इस्लाम में पाँच अर्कान को बुनियाद बतलाया गया और ये पाँचों चीज़ें एक ही वक़्त में हर एक मुसलमान मर्द-औरत में जमा नहीं होती है। इसी ए'तिबार से मरातिबे ईमान में फ़र्क़ आ जाता है औरतों को नाक़िसुल अव्वल वदीन इसलिये फ़र्माया गया कि वो एक माह में चंद दिनों बग़ैर नमाज़ के गुज़ारती हैं। रमज़ान में चंद रोज़े वक़्त पर नहीं रख पाती। इसी तरह कितने मुसलमान नमाज़ी भी हैं जिनके हक़ में 'वइज़ा क़ामू इलमालाति क़ामू कुसाला' (अन् निसा : 142) कहा गया है कि वो जब नमाज़ के लिए खड़े होते हैं तो बहुत ही काहिली के साथ खड़े होते हैं बस ईमान की कमी व ज़्यादती प्राबित है।

इस हदीष में इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों को बतलाया गया। जिनमें अव्वलीन बुनियाद तौहीद और रिसालत की शहादत है और इमारते-इस्लाम के लिए यही असल सुतून है जिस पर पूरी इमारत क़ायम है। इसकी हैषियत कुतुब की है जिस पर ख़ैम-ए-इस्लाम क़ायम है बाक़ी नमाज़, रोज़ा, हज्ज, ज़कात बमज़िला-ए-औताद (खूंटियों) के हैं। जिनसे ख़ैमे की रस्सियाँ बाँधकर उसको मज़बूत व मुस्तहक़म (दढ़) बनाया जाता है, उन सब मज्मूए का नाम ख़ैमा है जिसमें दरम्यानी (बीच का) असल सुतून व दीगर रस्सियाँ व औताद, छत सभी शामिल हैं। हूबहू यही मिषाल इस्लाम की है जिनमें कलिम-ए-शहादत कुतुब है, बाक़ी औताद अर्कान है जिनके मज्मूअे का नाम इस्लाम है।

इस हदीष में ज़िक़े हज्ज को ज़िक़े सौमे रमज़ान पर मुक़द्दम किया गया है। मुस्लिम शरीफ़ में एक दूसरे तरीक़े से सौमे

रमज़ान, हज्ज पर मुक़द्दम किया गया है। यही रिवायत हज़रत सईद बिन उबैदा (रज़ि.) ने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से ज़िक्र की है, उसमें भी सौमै रमज़ान का ज़िक्र हज्ज से पहले है और उन्हें हंज़ला से इमाम मुस्लिम ने ज़िक्रे सौम को हज्ज पर मुक़द्दम किया है गोया हंज़ला से दोनों तरीक़ मन्कूल हैं। इससे मा'लूम होता है कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने आँहज़रत (ﷺ) से दोनों तरह सुना है। किसी मौक़े पर आपने हज्ज का ज़िक्र पहले फ़र्माया और किसी मौक़े पर सौमै रमज़ान का ज़िक्र मुक़द्दम फ़र्माया।

इसी तरह मुस्लिम शरीफ़ की रिवायत के मुताबिक़ वो बयान भी सही है जिसमें ज़िक्र है कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने जब वल् हज्जु व सौमु रमज़ान फ़र्माया तो रावी ने आपको टोका और सौमु रमज़ान वल हज्ज के लफ़्ज़ों में आपको लुक़्मा दिया। इस पर आपने फ़र्माया कि 'हाक़ज़ा समिअतु रसूलुल्लाहि (ﷺ)' यानी मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से वल हज्जु व सौमु रमज़ान सुना है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने मुस्लिम शरीफ़ वाले बयान को असल करार दिया है और बुखारी शरीफ़ की इस रिवायत को बिल मअना करार दिया है। लेकिन खुद इमाम बुखारी (रह.) ने अपनी जामेअ तस्नीफ़ में अबवाबे हज्ज को अबवाबे सौम पर मुक़द्दम किया है। इस तर्तीब से मा'लूम होता है कि हज़रत इमाम बुखारी (रह.) के नज़दीक यही रिवायत असल है जिसमें सौमै रमज़ान से हज्ज का ज़िक्र मुक़द्दम किया गया है।

रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत दो हिजरी में नाज़िल हुई और हज्ज छः हिजरी में फ़र्ज़ करार दिया गया। जो बदनी व माली दोनों किस्म की इबादतों का मज्मूआ है। इकरारे तौहीद और रिसालत के बाद पहला रुकन नमाज़ और दूसरा रुकन ज़कात करार पाया जो अलग अलग बदनी और माली इबादात हैं। फिर इनका मज्मूआ हज्ज करार पाया। इन मंज़िलों के बाद रोज़ा करार पाया जिसकी शान ये है - अस्मियामु ली व अना अज्जी बिही (बुखारी किताबुससौम) यानी रोज़ा खास मेरे लिए है और उसकी ज़ज़ा मैं ही दे सकता हूँ। फ़रिश्तों को ताब नहीं कि उसके अज्रो-षवाब को वो क़लमबंद कर सकें। इस लिहाज़ से रोज़े का ज़िक्र अख़ीर में लाया गया। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने शायद ऐसे ही पाकीज़ा मक़ासिद के पेशेनज़र अबवाबे सियाम को नमाज़, ज़कात, हज्ज के बाद क़लमबंद फ़र्माया है। हकीक़त ये है कि इस्लाम के उन अर्कानि ख़म्सा को अपनी अपनी जगह पर ऐसे मुक़ाम हासिल है जिसकी अहमियत से इंकार नहीं किया जा सकता। सबकी तफ़्सीलात अगर क़लमबंद की जाएँ तो एक दफ़्तर हो जाएगा। ये सब हस्बे मरातिब आपस में एक दूसरे को बाँधे रखते हैं। हाँ ज़कात व हज्ज ऐसे अर्कान हैं जिनसे ग़ैर मुस्ततज़िअ (बिना माल वाले) मुसलमान मुस्तफ़्ना (शर्त से आज़ाद या अपवाद) हो जाते हैं जो (ला युकल्लिफुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा) के तहत उज़ूले कुआन के तहत हैं।

हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं कि यहाँ अर्कानि ख़म्सा (पाँच अर्कान) में जिहाद का ज़िक्र इसलिये नहीं आया कि वो फ़र्ज़े किफ़ाया है जो कुछ मख़सूस अक़वाल के साथ मुतअय्यन (निर्धारित) है। नीज़ कलिम-ए-शहादत के साथ दीगर नबियों और मलाइका पर ईमान लाने का ज़िक्र इसलिये नहीं हुआ कि हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की तस्दीक़ ही इन सबकी तस्दीक़ है। 'फ़यस्तलज़िमु जमीउ मा जुकिर मिनल मुअतकिदाति इक्रामतिस्सलाति' से उठर उठरकर नमाज़ अदा करना और मुदावमत मुहाफ़ज़त मुराद है 'ईताइज़कात' से मख़सूस तरीक़ पर माल का एक हिस्सा निकाल देना मक़सूद है।

अल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं :- 'व मिन लताइफ़ि इस्नादि हाज़ल हदीषि जमअहु लित्तहदीषि वल अख़बारि वल अन्अनति व कुल्लु रिजालिही मक्कियून इल्ला उबैदुल्लाहि फ़इन्नहू कूफी व हुव मिनरुबाइय्याति व अख़ज मतनहुल मुअल्लिफु अयज़न फ़ित्तप्सीरि व मुस्लिमुन फ़िल ईमानि ख़ुमासिल इस्नाद।' यानी इस हदीष की सनद के लताइफ़ में से ये है कि इसमें रिवायते हदीष के मुख्तलिफ़ तरीक़े तहदीष व अख़बार व अन्अना सब जमा हो गए हैं। (जिनकी तफ़्सीलात मुक़द्दमा बुखारी में हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह!) और इसके जुम्ला रावी सिवाय उबैदुल्लाह के, सब मक्की हैं, ये कूफी हैं और ये रुबाइयात में से हैं (उसके सिर्फ़ चार रावी हैं जो इमाम बुखारी और आँहज़रत (ﷺ) के बीच वाक़ेअ हुए हैं) इस रिवायत के मतन को हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने किताबुतफ़्सीर में भी ज़िक्र किया है। और इमाम मुस्लिम (रह.) ने किताबुल ईमान में इसे ज़िक्र किया है। मगर वहाँ सनद में पाँच रावी हैं।

बाब 3 : ईमान के कामों का बयान और अल्लामा

— 3 — بَابُ أُمُورِ الْإِيمَانِ

के इस फ़र्मान की तशरीह कि

नेकी यही नहीं है कि तुम (नमाज़ में) अपना मुँह पूरब या पश्चिम की तरफ़ कर लो। असली नेकी तो उस इंसान की है जो अल्लाह (की ज़ात व सिफ़ात) पर यक़ीन रखे और क्रियामत को बरहक़ माने और फ़रिश्तों के वजूद पर ईमान लाए और आसमान से नाज़िल होने वाली किताब को सच्चा समझे और जिस क़दर नबी रसूल दुनिया में तशरीफ़ लाए उन सबको सच्चा माने। और वो शख्स माल देता हो अल्लाह की मुहब्बत में अपने (हाजतमंद) रिश्तेदारों और (नादार) यतीमों को और दूसरे मुहताज लोगों को और (तंगदस्त) मुसाफ़िरों को और (लाचारी में) सवाल करने वालों को और (क़ैदी और गुलामों की) गर्दन छुड़ाने में और नमाज़ की पाबन्दी करता हो और ज़कात अदा करता हो और अपने वा'दों का पूरा करनेवाले जब किसी अम्र की बाबत वा'दा करें। और वो लोग जो सब्र व शुक्र करने वाले हैं तंगदस्ती में और बीमारी में और जिहाद (मोर्चे) में। यही लोग वो हैं जिनको सच्चा मोमिन कहा जा सकता है और यही लोग दरहक़ीक़त परहेज़गार हैं। यक़ीनन ईमान वाले कामयाब हो गए। जो अपनी नमाज़ों में खुशूअ व खुजूअ करनेवाले हैं। और जो लज़ब बातों से दरकिनार रहनेवाले हैं। और वो जो ज़कात से पाकीज़गी हासिल करनेवाले हैं। और जो अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करने वाले हैं सिवाय अपनी बीवियों और लौंडियों से क्योंकि उनके साथ सुहबत करने में उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं। हाँ जो इनके अलावा (ज़िना या समलैंगिता या मुश्रत ज़िना/हस्तमैथुन वग़ैरह से) शहवतरानी करें ऐसे लोग हद से निकलनेवाले हैं। और जो लोग अपनी अमानत व अहद का खयाल रखनेवाले हैं और जो अपनी नमाज़ों की कामिल तौर पर हिफ़ाज़त करते हैं यही लोग जन्नतुल फ़िरदौस की वराज़त हासिल कर लेंगे फिर वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे।

(9) हमसे बयान किया अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद जुअफ़ी ने, उन्होंने कहा हमसे बयान किया अबू आमिर अक़दी ने, उन्होंने कहा हमसे

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ - ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ لَمَنْ ابْتغىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا

बयान किया सुलैमान बिन बिलाल ने, उन्होंने अब्दुल्लाह दीनार से, उन्होंने रिवायत किया अबू सलालेह से, उन्होंने नक़ल किया हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से, उन्होंने नक़ल फ़र्माया जनाब नबी करीम (ﷺ) से। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया (शर्म) भी ईमान की एक शाख है।

سَلَّمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
عَنْ أَبِي سَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْإِيمَانُ بِضْعٌ
وَمِئَتُونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ
الْإِيمَانِ))

तरीह: अमीरुल मुहदिषीन हज़रत इमाम बुखारी (रह.) साबिक में बुनियादी चीज़ें बयान फ़र्मा चुके अब फुरूअ की तफ़्सील पेश करना चाहते हैं। इसीलिए बाब में उमूरुल ईमान (ईमान के कामों) का लफ़्ज़ इस्ते'माल किया गया है। मुर्जिया की तर्दीद करना भी मक़सूद है क्योंकि पेशकर्दा कुआनी आयाते करीमा में से पहली आयत में कुछ उमूरे ईमान गिनाए गए हैं और दूसरी आयतों में ईमानवालों की चंद सिफ़ात का ज़िक्र है। पहली आयत सूरह बक़र की है जिसमें दरअसल अहले किताब की तर्दीद मक़सूद है। जिन्होंने तहवीले क़िब्ला के वक़्त मुख़्तलिफ़ क़िस्म की आवाज़ें उठाई थीं। नज़ारा का क़िब्ला मश्रिक (पूरब) था और यहूद का मश्रिब (पश्चिम)। आप (ﷺ) ने मदीना मुनव्वरा में सोलह या सत्रह माह बैतुल मक़दिस को क़िब्ला क़रार दिया। फिर मस्जिदुल ह़राम को आप (ﷺ) का क़िब्ला क़रार दिया गया और आपने इधर मुँह फेर लिया। इस पर मुख़ालिफ़ीन (विरोधियों) ने ऐतराज़ात शुरू किये। जिनके जवाब में अल्लाह ने ये आयते शरीफ़ा नाज़िल फ़र्माई और बतलाया कि मश्रिक या मश्रिब की तरफ़ मुँह करके इबादत करना ही बिज़्जात कोई नेकी नहीं है। असल नेकियाँ तो ईमाने रासिख (मुकम्मल ईमान) व अक़ाइदे सहीहा (दुरुस्त अक़ीदा) और आ'माले सालेहा (नेक अमल), मुआशरती पाक जिन्दगी और अख़लाक़े फ़ाज़िला हैं। हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) ने अब्दुरज़ाक़ से बरिवायत मुजाहिद हज़रते अबू ज़र (रज़ि.) ये नक़ल किया है कि उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से ईमान के बारे में सवाल किया था आपने जवाब में आयते शरीफ़ा 'लैसल बिर'अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मश्रिकी वल मश्रिबी वला किन्नल मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरी वल मलाइक़ति वल किताबि वन्नबिय्यीन वआतल् माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वबनस्सबील वस्साइलीन वफ़िरिक़ाब वअक्रामस्सलात व आतज़कात वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन बिल बाअ साई वज़र्राइ व हीनल बअग्नि उलाइक़लज़ीन सदक़ वउलाइक़ हुमुल मुत्तकून' (अल बक़र : 177) तर्जुमा ऊपर बाब में लिखा जा चुका है।

आयात में अक़ाइदे सहीहा व ईमाने-रासिख के बाद ईसार, माली कुर्बानी, सिलह रहमी, हुस्ने मुआशरत, रिफ़ाहे आम को जगह दी गई है। आ'माले इस्लाम नमाज़, ज़कात का ज़िक्र है। फिर अख़लाक़े फ़ाज़िला की तर्गीब है। उसके बाद सब्रो-इस्तिक़्लाल की तल्कीन है। ये सब-कुछ 'बिर' की तफ़्सीर है। मा'लूम हुआ कि तमाम आ'माले सालेहा व अख़लाक़े फ़ाज़िला अकाने इस्लाम में दाख़िल हैं। और ईमान की कमी-बेशी बहरहाल व बहर सूत कुर्आन व हदीष से प़ाबित है। मुर्जिया जो आ'माले सालेहा को ईमान से अलग और बेकारे महज़ क़रार देते हैं और नजात के लिए सिर्फ़ 'ईमान' को काफ़ी जानते हैं। उनका ये कौल सरासर कुर्आन व सुन्नत के खिलाफ़ है।

सूरह मोमिनून की आयाते करीमा ये हैं 'बिस्मिल्लाहिरिहमानिरिहीम क़द अफ़्लहल मूअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीन हुम अनिल लॉवी मुअरिज़ून वल्लज़ीन हुम लिज्जकाति फ़ाइलून वल्लज़ीन हुम लि फुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़्वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरू मलूमीन फ़मनिब्तगा वराअ ज़ालिक़ फ़उलाइक़ हुमुल आदून वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम रॉऊन वल्लज़ीन हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइक़ हुमुल वारिषून अल्लज़ीना यरिषूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून (अल मुअमिनून : 1-11)। इन आयात का तर्जुमा भी ऊपर लिखा जा चुका है।

इस पिराया में ये बयान दूसरा इख़्तियार किया गया है। मक़सूद दोनों आयात का एक ही है। हाँ! इसमें बज़ेल अख़लाक़े फ़ाज़िला, इफ़्तत, इस्मत, शर्मों - हया को भी ख़ास जगह दी गई है। इसी जगह से इस आयत का इर्तिबात अगली हदीष से हो रहा है जिसमें हया को भी ईमान की एक शाख़ क़रार दिया गया है।

हज़रत इमाम ने यहाँ दोनों आयात के दरम्यान वाव आतिफ़ा का इस्ते'माल नहीं किया। मगर कुछ नुस्खों में वाव आतिफ़ा और कुछ में व क़ौलुल्लाह का इज़ाफ़ा भी मिलता है। अगर उन नुस्खों को न लिया जाए तो हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने ये वजह बयान फ़र्माई कि हज़रातुल इमाम पहली आयत की तफ़्सीर में अल् मुत्तकून के बाद इस आयत को बिला फ़स्ल इसलिये नक़ल कर रहे हैं। ताकि 'मुत्तकून' की तफ़्सीर इस आयत को करार दिया जाए। मगर तर्जीह वाव आतिफ़ह और वक़ौलुल्लाह के नुस्खों को हासिल है।

आयते कुआनी के बाद हज़रत इमाम ने हदीषे नबवी (ﷺ) को नक़ल फ़र्माया और इशारतन बतलाया कि उमूरे ईमान (ईमान के काम) उन्हीं को कहा जाना चाहिए जो पहले किताबुल्लाह से और फिर सुन्नते रसूल से षाबित हों। हदीष में ईमान को एक दरख़्त से तश्बीह देकर उसकी साठ से कुछ ऊपर शाख़ें बतलाई गई हैं। इसमें भी मुर्जिया की साफ़ रह मन्सूद है जो ईमान से आ'माले सालेहा को बेजोड़ करार देते हैं। हालाँकि दरख़्त की जड़ में और उसकी डालियों में एक ऐसा कुदरती रब्त है कि उनको बाहमी तौर पर एक जोड़ बिलकुल नहीं कहा जा सकता। जड़ कायम है तो डालियाँ और पत्ते कायम हैं। जड़ सूख रही है तो डालियाँ और पत्ते भी सूख रहे हैं। हूबहू ईमान की यही शान है। जिसकी जड़ कलिमा तय्यिबा ला इलाहा इल्लल्लाह है और तमाम आ'माले सालेहा व अख़्लाके फ़ाज़िला व अक्राइदे रासिखा इसकी डालियाँ हैं। उससे ईमान व अमले सालेहा का बाहमी लाज़िम मल्जूम (एक-दूसरे से जुड़ा हुआ) होना और ईमान का घटना और बढ़ना दोनों उमूर षाबित हैं।

कुछ रिवायात में 'बिज़्ज़ुव्वंसित्तून की जगह बिज़्ज़ुव्वसबऊन' है और एक रिवायत में 'अबडै व सित्तून' है। अहले लुगत ने 'बिज़्ज़ुन' का इत्लाक़ तीन और नौ के दरम्यान अदद पर किया है। किसी ने उसका इत्लाक़ एक और चार तक किया है, रिवायात में ईमान की शाख़ों की तहदीद (हदबंदी) मुराद नहीं बल्कि क़पीर मुराद है। अल्लामा तीबी (रह.) का यही क़ौल है। कुछ उलमा तहदीद मुराद लेते हैं। फिर सित्तून (60) और सबऊन (70) में ज़ाइद 'सबऊन' को तर्जीह देते हैं। क्योंकि ज़ाइद में नाक़िस भी शामिल हो जाता है। कुछ हज़रात के नज़दीक सित्तून (60) ही मुतयक्कून (काबिले-यक़ीन) है। क्योंकि मुस्लिम शरीफ़ में अब्दुल्लाह बिन दीनार की रिवायत से जहाँ सबऊन का लफ़ज़ आया है वहाँ बतरीके शक वाक़ेअ हुआ है 'बल् हयाउ शुअबतुम्मिनल ईमान' में तन्वीन ता'ज़ीम के लिए है। हया तबीअत के इन्फ़ेआल को कहते हैं। जो किसी ऐसे काम के नतीजे में पैदा हो जो काम इफ़न य शरअन मज़ूम, बुरा, बेहयाई से मुता'ल्लिक़ समझा जाता हो। हया व शर्म ईमान का अहम तरीन दर्जा है। बल्कि तमाम आ'माले ख़ैरात का मख़ज़न है। इसीलिए फ़र्माया गया 'इज़ा लम तस्तहि फ़ इनअ माशित' जब तुम शर्मो -हया को उठाकर त़ाक़ पर रख दो फिर जो चाहो करो, कोई पाबन्दी बाक़ी नहीं रह सकती।

इमाम बैहक़ी (रह.) ने इस हदीष की तशरीह में मुस्तक़िल एक किताब शोअबुल ईमान के नाम से मुरतिब फ़र्माई है। जिसमें सत्तर से कुछ ज़ाइद उमूरे ईमान को मुदल्लल और मुफ़स्सल (विस्तारपूर्वक) बयान किया है। उनके अलावा इमाम अबू अब्दुल्लाह हलीमी ने फ़वाइदुल मिन्हाज में और इस्हाक़ बिन कुर्तुबी ने किताबुन्नसाइह में और अबू हातिम ने वस्फ़ुल ईमान व शुअबा में और दीगर हज़रात ने भी अपनी तस्नीफ़ात में उन शाख़ों को मामूली फ़र्क़ के साथ बयान किया है।

अल्लामा इब्ने हजर (रह.) ने इन सबको आ'माले क़ल्ब (दिल के काम) आ'माले लिसान (जुबान के काम) आ'माले बदन (बदन के काम) पर तफ़्सीम करके आ'माले क़ल्ब की 24 शाख़ें और आ'माले लिसान की 7 शाख़ें और आ'माले बदन की 38 शाख़ें तफ़्सील के साथ ज़िक़र की है। जिनका मज्मूआ 69 बन जाता है। रिवायते-मुस्लिम में ईमान की आला शाख़ कलिमा तय्यिबा ला इलाहा इल्लल्लाह और अदना शाख़ ईमाततुल अज़ा अनित्तरीक़ (रास्ते से तक्लीफ़देह चीज़ों को हटा देना) बतलाई गई है। इसमें ता'ल्लुक़ बिल्लाह (अल्लाह से रिश्ता) और ख़िदमते ख़ल्क़ (लोगों की भलाई) का एक लतीफ़ इशारा है। गोया दोनों लाज़िम मल्जूम हैं। तब ईमाने कामिल हासिल होता है। ख़िदमते ख़ल्क़ में रास्तों की सफ़ाई, सड़कों की दुरुस्तगी को लफ़ज़े अदना से ता'बीर किया गया। जिसका मतलब ये है कि ख़िदमते ख़ल्क़ का मज्मून बहुत ही वज़ीअ है। ये तो एक मामूली काम है जिस पर इशारा किया गया है। ईमान बिल्लाह, अल्लाह तआला की वहदानियात से शुरू होकर उसकी मख़लूक़ पर रहम करने और मख़लूक़ की हर मुम्किन ख़िदमत करने पर जाकर पूरा होता है। आगे लिखे शेर का भी यही मतलब है :-

खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर
करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर

न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर
खुदा मेहरबाँ होगा अशें बरी पर

बाब 4 : इस बयान में कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान बचे रहें (कोई तकलीफ न पाएँ)

(10) हमसे आदम बिन अबी अयास ने यह हदीष बयान की, उनको शैबा ने वो अब्दुल्लाह बिन अबी अस्सफ़र और इस्माईल से रिवायत करते हैं वो दोनों शअबी से नक़ल करते हैं, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस, वो नबी करीम (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से मुसलमान बचे रहें और मुहाजिर वो है जो उन कामों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ने मना फ़र्माया।

अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी ने फ़र्माया और अबू मुआविया ने कि हमको हदीष बयान की दाऊद बिन अबी हिंद ने, उन्होंने रिवायत की आमिर शअबी से, उन्होंने कहा कि मैंने सुना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस से, वो हदीष बयान करते हैं जनाब नबी करीम (ﷺ) से (वही मज़क़ूरा हदीष) और कहा कि अब्दुल आला ने रिवायत किया दाऊद से, उन्होंने आमिर से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस से, उन्होंने नबी (ﷺ) से।

(दीगर मक़ामात : 6484)

तश्रीह :

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने यहाँ ये बात प्राबित की है कि इस्लाम की बुनियाद अगरचे पाँच चीज़ों पर कायम की गई है। मगर उससे आगे कुछ नेक आदतें, पाकीज़ा ख़सलतें, भी ऐसे हैं जो अगर हासिल न हों तो इंसान हकीकी मुसलमान नहीं हो सकता। न पूरे तौर पर साहिबे ईमान हो सकता है और इसकी तपस्वील से ईमान की कमी व बेशी व पाकीज़ा आ'माल और नेक ख़सलतों का दाखिले ईमान होना प्राबित है। जिससे मुर्जिया वग़ैरह की तदीद होती है। जो ईमान की कमी बेशी के कायल नहीं। वे आ'माले सालेहा व अख़लाके हसना को दाखिले ईमान नहीं मानते हैं। ज़ाहिर है कि उनका क़ौल नुसूसे सरीहा के क़त्अन ख़िलाफ़ है। जुबान को हाथ पर इसलिये मुक़द्दम किया गया कि ये हर वक़्त कैची की तरह चल सकती है और पहले इसी के वार होते हैं। हाथ की नौबत बाद में आती है जैसाकि कहा गया कि

'जराहातुस्सिनानि लहत्तयामु वला यल्तामु मा जरहल्लिसानु'

(यानी नेज़ों के ज़ख़म भर जाते हैं और जुबानों के ज़ख़म असें तक नहीं भर सकते)

'मन सलिमल मुस्लिमून' की क़ैद का ये मतलब नहीं है कि ग़ैर मुसलमानों को जुबान या हाथ से ईज़ारसानी जाइज़ है। इस शुबा को रफ़अ (शक को दूर) करने के लिए दूसरी रिवायत में 'मन अमिनहुन्नासु' के अल्फ़ाज़ आए हैं। जहाँ हर इंसान के साथ सिर्फ़ इंसानी रिश्ता की बिना पर नेक मुआमलात अख़लाके हसना की ता'लीम दी गई है। इस्लाम का माख़ज़ (उत्पत्ति) ही सलम है जिसके मा'नी सुलहज़ूई, ख़ैर-ख़वाही, मुसालहत के हैं। जुबान से ईज़ारसानी में ग़ीबत, गाली-गलौच, चुगली,

٤- بَابُ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ
مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

١٠- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ
وَإِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ
قَالَ: ((الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ
لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى
اللَّهُ عَنْهُ)).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا
دَاوُدُ بْنُ هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[طرفه بي : ٦٤٨٤.]

बदगोई वगैरह तमाम बुरी आदतें दाखिल हैं और हाथ की ईज़ारसानी में चोरी, डाका, मारपीट, कत्लो-ग़ारत वगैरह वगैरह। बस कामिल इंसान वो है जो अपनी जुबान पर, अपने हाथ पर पूरा-पूरा कंट्रोल रखे और किसी इन्सान की ईज़ारसानी के लिए उसकी जुबान न खुले, उसका हाथ न उठे। इस मेअयार पर आज तलाश किया जाए तो कितने मुसलमान मिलेंगे जो हक्कीकी मुसलमान कहलाने के हक्कदार होंगे। ग़ीबत, बदगोई, गाली-गलौच तो अ़वाम का ऐसा रिवाज़ बन गया है गोया ये कोई ऐब ही नहीं है, अस्तफ़िरुल्लाह! शरअन मुहाजिर वो जो दारुल हरब से निकलकर दारुस्सलाम में आए। ये हिज़रत ज़ाहिरी है। हिज़रते बातिनी ये है जो यहाँ हदीष में बयान हुई और यही हक्कीकी हिज़रत है जो क़यामत तक हर हाल में हर जगह जारी रहेगी।

हज़रत इमाम क़दस सिरूहू ने दो तअलीक़ात ज़िक्र फ़र्माई है। पहले का मक्सद ये बतलाना है कि आमिर और शअबी दोनों से एक ही रावी मुराद है। जिसका नाम आमिर और लक़ब शअबी है। दूसरा मक्सद ये है कि इब्ने हिन्दा की रिवायत से शुब्हा होता था कि अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस से शअबी ने बराहे रास्त इस रिवायत को नहीं सुना। इस शुब्हा के दफ़अ के लिए 'अन आमिरिन क़ाल समिअतु अब्दुल्लाह बिन अम्र' के अल्फ़ाज़ नक़ल किये गये। जिनसे बराहे रास्त शअबी का अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस से सुनना ष़ाबित हो गया।

दूसरी तअलीक़ का मक्सद ये है कि अब्दुल आला के तरीक़ में अब्दुल्लाह को ग़ैर मुंतसिब ज़िक्र किया गया जिससे शुब्हा होता था कि कहीं अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) मुराद न हो। जैसा कि तब्क़ाए सहाबा में ये इस्तिलाह है। इसलिये दूसरी तअलीक़ में अन् अब्दिल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) की सराहत कर दी गई। जिससे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) बिन आस मुराद हैं।

बाब 5 : इस बयान में कि कौनसा इस्लाम अफ़ज़ल है

(11) हमको सईद बिन यहाा बिन सईद उमवी कुरैशी ने यह हदीष सुनाई, उन्होंने इस हदीष को अपने वालिद से नक़ल किया, उन्होंने अबू बुर्दा बिन अब्दुल्लाह बिन अबी बुर्दा से, उन्होंने अबी बुर्दा से, उन्होंने अबू मूसा से, वो कहते हैं कि लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! कौनसा इस्लाम अफ़ज़ल है? तो नबी (ﷺ) ने फ़र्माया वो जिसके मानने वाले की जुबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहें।

5- باب: أي الإسلام أفضل؟

١١- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ)).

तशरीह: चूँकि हक्कीक़त के लिहाज से ईमान और इस्लाम एक ही हैं, इसलिये 'अय्युल इस्लामु अफ़ज़ल' के सवाल से मा'लूम हुआ कि ईमान कम-ज़्यादा होता है। अफ़ज़ल के मुकाबले पर अदना है। पस इस्लाम, ईमान, आ'माले मालिहा (नेक अमल) व पाकीज़ा अख़लाक़ के लिहाज से कम व ज़्यादा होता रहता है। यही हज़रत इमाम का यहाँ मक्सद है।

बाब 6 : इस बयान में कि (भूखे नादारों को) खाना खिलाना भी इस्लाम में दाख़िल है

(12) हमसे हदीष बयान की अम्र बिन खालिद ने, उनको लैष ने, वो रिवायत करते हैं यज़ीद से, वो अबुल ख़ैर से, वो हज़रत

6- باب: إطعام الطعام من الإسلام

١٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ

अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि एक दिन एक आदमी ने आँहज़रत (ﷺ) से पूछा कि कौनसा इस्लाम बेहतर है? फ़र्माया यह कि तुम खाना खिलाओ और जिसको पहचानो उसको भी और जिसको न पहचानो उसको भी, अलगरज़ सबको सलाम करो। (दीगर मक़ामात : 28, 6236)

اللّٰهُ بْنُ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: ((تَطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ)).

[طرفاه في: 28، 6236]

तशीह: आप (ﷺ) 'तूकिलुत्ताअम' के बजाय 'तुतइमुत्ताअम' फ़र्माया। इसलिये कि इतआम में खाना खिलाना, पानी पिलाना, किसी चीज़ का चखाना और किसी चीज़ की ज़ियाफ़त (आवभगत) करना और इसके अलावा बख़्शिश के तौर पर कुछ अता करना वगैरह शामिल हैं। हर मुसलमान को सलाम करना चाहे आशना (परिचित) हो या बेगाना (अपरिचित), ये इसलिये कि सारे मूमिनीन आपसी तौर पर भाई-भाई हैं। वो कहीं के भी बाशिन्दे (निवासी) हों, किसी क़ौम से उनका ता'ल्लुक हो, मगर इस्लामी रिश्ते और कलिम-ए-तौहीद के ता'ल्लुक से सब भाई-भाई हैं। इतआम, तआम मकारिमे मालिया से और इस्लाम मकारिमे बदनिया से मुता'ल्लिक (सम्बन्धित) हैं। गोया माली और बदनी तौर पर जिस क़दर भी मकारिमे अख़लाक हैं, उन सबके मजमूअे (संग्रह) का नाम इस्लाम है। इसलिये ये भी प्ण़ाबित हुआ कि सारी इबादतें इमान में दाख़िल हैं और इस्लाम व इमान नताइज (परिणामों) के ए'तिबार से एक ही चीज़ है और ये कि जिसमें जिस क़दर भी मकारिमे अख़लाक बदनी व माली होंगे, उसका इमान व इस्लाम उतना ही तरक़ीयाफ़ता होगा। पस जो लोग कहते हैं कि इमान घटता व बढ़ता नहीं, उनका ये क़ौल सरासर नाक़ाबिले इल्तिफ़ात यानी तवज्जुह देने लायक नहीं है।

इस रिवायत की सनद में जिस क़दर रावी वाक़ेअ हुए हैं वो सब मिस्त्री हैं और सब जलीलुलक़दर अइम्म-ए-इस्लाम हैं। इस हदीस को हज़रत इमाम बुखारी (रह.) इसी किताबुल इमान में आगे चलकर एक और जगह लाए हैं और 'बाबुल इस्तीज़ान' में भी इसको नक़ल किया है। इमाम मुस्लिम (रह.) और इमाम नसई (रह.) ने किताबुल इमान में नक़ल किया है और इमाम अबू दाऊद (रह.) ने बाबुल अदब में और इमाम इब्ने माजा (रह.) ने बाबुल इतआम में नक़ल किया है।

ग़रीबों व मिस्कीनों को खाना खिलाना इस्लाम में एक ऊँचे दर्जे की नेकी क़रार दिया गया है। कुआन में जन्नती लोगों के ज़िक्र में है, 'व युतइमूनत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनं व यतीमं व असीरा' (अद दहर : 8) नेक बन्दे वो हैं जो अल्लाह की मुहब्बत के लिये मिस्कीनों, यतीमों और कैदियों को खाना खिलाते हैं। इस हदीस से ये भी ज़ाहिर है कि इस्लाम का मंशा ये है कि बनी नोए-इन्सानी (मानव जाति) में भूख व तंगदस्ती का इतना मुकाबला किया जाए कि कोई भी इन्सान भूख का शिकार न हो सके और अमन व सलामती को इतना वसीअ (विस्तृत) किया जाए कि बदअमनी (अव्यवस्था) का एक मामूली सा अन्देशा भी बाक़ी न रह जाए। इस्लाम का यह मिशन खुलफ़-ए-राशिदीन के ज़मान-ए-खैर पूरा हुआ और अब भी जब अल्लाह को मंज़ूर होगा, ये मिशन पूरा होगा। ताहम जुज्वी (औंशिक/थोड़े-बहुत हिस्से) के तौर पर हर मुसलमान के मज़हबी फ़राइज़ में से है कि भूखों की ख़बर ले और बदअमनी (अशान्ति) के ख़िलाफ़ हर वक़्त जिहाद करता रहे। यही इस्लाम की हक़ीक़ी ग़र्ज़ों-गायत (वास्तविक उद्देश्य) है।

उखुव्वत की जहाँगीरी मुहब्बत की फ़रावानी, यही मक़सूदे फ़ितरत है यही रम्ज़े मुसलमानी

बाब 7 : इस बारे में कि इमान में दाख़िल है कि मुसलमान जो अपने लिए दुरुस्त रखता है वही चीज़ अपने भाई के लिए दुरुस्त रखे

۷- باب: مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

(13) हमसे हदीस बयान की मुसहद ने, उनको यह्या ने, उन्होंने शुअबा से नक़ल किया, उन्होंने क़तादा से, उन्होंने हज़रत अनस

۱۳- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ

(रज़ि.) खादिमे रसूले करीम (ﷺ) से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया। और शुअबा ने हुसैन मुअल्लिम से भी रिवायत किया, उन्होंने क़तादा से, उन्होंने हज़रत अनस (रज़ि.) से, उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से नक़ल फ़र्माया कि तुममें से कोई शख्स ईमान वाला न होगा जब तक कि अपने भाई के लिए वो न चाहे जो अपनी नफ़्स के लिए चाहता है।

बाब 8 : इस बयान में कि नबी करीम (ﷺ) से मुहब्बत रखना भी ईमान में दाख़िल है

(14) हमसे अबुल यमान ने हदीष बयान की, उनको शुऐब ने, उनको अबुज़िनाद ने अअरज से, उन्होंने हज़रत अबु हुरैरह (रज़ि.) से नक़ल की कि बेशक रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, कसम है उस ज़ात की कि जिसके हाथ में मेरी जान है। तुममें से कोई ईमान वाला न होगा जब तक मैं उसके वालिद और औलाद से भी ज़्यादा उसका महबूब न बन जाऊँ।

तशरीह: पिछले अबवाब (अध्यायों) में मिनल ईमान का जुम्ला मुक़द्म था और यहाँ ईमान पर हुब्बे-रसूल (ﷺ) को मुक़द्म (सर्वोपरि) किया गया है। जिसमें अदब मक़सूद है और ये बतलाना भी कि मुहब्बते-रसूल (ﷺ) से ही ईमान की अब्वल व आख़िर तकमील (प्रारम्भिक व अंतिम पूर्णता) होती है। ये (मुहब्बते रसूल) है तो ईमान है और ये नहीं तो कुछ नहीं। इससे भी ईमान की कमी-बेशी पर रोशनी पड़ती है और ये कि आ'माले सालेहा (नेक काम), अख़लाके फ़ाज़िला (श्रेष्ठ चरित्र) और ख़साइले-हमीदा (काबिले-ता'रीफ़ आदतें) सब ईमान में दाख़िल (सम्मिलित) हैं क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) ने उस शख्स के ईमान की कसम खाकर नफ़ी फ़र्माई है (यानी अस्वीकार है) जिसके दिल में आँहज़रत (ﷺ) की मुहब्बत पर उसके वालिद या औलाद की मुहब्बत ग़ालिब हो। रिवायत में वालिद को इसलिये मुक़द्म किया गया है कि औलाद से ज़्यादा वालिदैन का हक़ है और लफ़ज़ वालिद में माँ भी दाख़िल है।

(15) हमें हदीष बयान की यअक़ूब बिन इब्राहीम ने, उनको इब्ने उलय्या ने, वो अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब से रिवायत करते हैं, वो हज़रत अनस (रज़ि.) से वो नबी करीम (ﷺ) से नक़ल करते हैं और हमको आदम बिन अबी अयास ने हदीष बयान की, उनको शुअबा ने, वो क़तादा से नक़ल करते हैं, वो हज़रत अनस (रज़ि.) से कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया तुममें से कोई शख्स ईमान वाला न होगा जब तक कि उसके वालिद और उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा उसके दिल में मेरी मुहब्बत न हो जाए।

तशरीह: इस रिवायत में दो सनदें हैं। पहली सनद में हज़रत इमाम के उस्ताद या'क़ूब बिन इब्राहीम हैं और दूसरी सनद में आदम बिन अबी अयास हैं। तहवील की सूत्र इसलिये इख़्तियार नहीं की गई कि दोनों सनदें हज़रत अनस (रज़ि.) पर जाकर ख़त्म हो जाती हैं।

عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)).

۸- بَاب: حُبِّ الرَّسُولِ ﷺ مِنَ

الْإِيمَانِ

۱۴- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: قَتَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((وَأَلَيْحُ نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ)).

۱۵- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَحَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي آيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)).

आँहज़रत (ﷺ) के लिये इन रिवायतों में जिस मुहब्बत का मुतालबा किया गया है वो मुहब्बते-तबई मुराद है क्योंकि हदीष में वालिद और बलद (औलाद) से मुकाबला (तुलना) है और उनसे इन्सान को मुहब्बते तबई ही होती है। पस आँहज़रत (ﷺ) से मुहब्बते तबई इस दर्जे में मतलूब (वांछित) है कि वहाँ तक किसी की भी मुहब्बत की रसाई (पहुँच) न हो, यहाँ तक कि अपने नफ़्स तक की भी मुहब्बत (इस दर्जे की) न हो।

बाब 9 : ईमान की मिठास के बयान में

(16) हमें मुहम्मद बिन मुब्रन्ना ने यह हदीष बयान की, उनको अब्दुल वहाब बक्फ़ी ने, उनको अय्यूब ने, वो अबू क़िलाबा से रिवायत करते हैं, वो हज़रत अनस (रज़ि.) से नक़ल करते हैं। वो नबी करीम (ﷺ) से; आपने फ़र्माया तीन ख़सलतें ऐसी है कि जिसमें यह पैदा हो जाए उसने ईमान की मिठास को पा लिया। पहला यह कि अल्लाह और उसका रसूल (ﷺ) उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएँ, दूसरे यह कि वो किसी इंसान से महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए मुहब्बत रखे। तीसरा यह कि वो कुफ़्र में वापस लौटने को इस तरह बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। (दीगर मक़ामात : 21, 41, 60, 6941)

तशरीह: यहाँ भी हज़रत इमामुल मुहदिषीन (रह.) ने मुर्जिया और उनके कुल्ली व जुजई हमनवाओं (पूरे व आँशिक समर्थकों) के फ़ासिद अक़ीदों पर एक करारी चोट लगाई है और ईमान की कमी व ज़्यादती और ईमान पर आ'माल के अप्ररअन्दाज़ (प्रभावी) होने के सिलसिले में इस्तिदलाल किया है और बतलाया है कि ईमान की मिठास के लिये अल्लाह व रसूल (ﷺ) की हक़ीकी मुहब्बत, अल्लाह वालों की मुहब्बत और ईमान में इस्तिक़्ामत (मज़बूती/दृढता) लाज़िम है।

अल्लामा इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं, 'व फ़ी क़ौलिही हलावतुल ईमानी इस्तिआरूह तख़ियलतुन शुब्बिह राबतुल ईमानी बिशैइन हुलुब्बिन व उब्बित लहू लाज़िमुन ज़ालिकशशय व इजाफ़ूहू इलैहि व फ़ीहि तल्मीहुन इला किस्सतिल मरीज़ि वस्सहीहु लिअन्नल मरीज़स्सरावी यजिदु तुअमल असलि मुर्न नक़सतिस्सिहहतु शयअन मा नक़स जौकुहू बिक्द्रि ज़ालिक फ़कानत हाज़िहिल इस्तिआरतु मिन औजहिम्मा यक्वी इस्तिदलालुल मुसन्निफ़ि अलज़िजादति वन्नक्सि' या'नी ईमान की मिठास के लिये लफ़ज़ 'हलावत' बतौर इस्तिआरा (रूपक या प्रतीक के रूप में) इस्ते'माल फ़र्माकर मोमिन की ईमानी राबत को मीठी चीज़ के साथ तशबीह (उपमा) दी गई है और इसके लाज़िमा (अनिवार्यता) को प्राबित किया गया है और उसे इसकी तरफ़ मन्सूब किया, उसमें मरीज़ और तन्दुरुस्त की तशबीह पर भी इशारा किया गया है कि सफ़ावी (पित्त की बीमारी का) मरीज़ शहद को भी चखेगा तो उसे कड़वा बतलाएगा और तन्दुरुस्त उसकी मिठास की लज़्जत हासिल करेगा। गोया जिस तरह सेहत ख़राब होने से शहद का मज़ा ख़राब मा'लूम होने लगता है, उसी तरह मआसी (नाफ़रमानी) का सफ़रा (ख़ारापन) जिसके मिज़ाज पर ग़ालिब (हावी) है, उसे ईमान की हलावत (मिठास) नसीब न होगी। ईमान की कमी व ज़्यादती को प्राबित करने के लिये मुसन्निफ़ (लेखक) का ये निहायत वाज़ेह और क़वीतर (स्पष्ट और ठोस) इस्तदलाल है।

मज्कूरा (वर्णित) हदीष हलावते ईमान के लिये तीन ख़सलतें पेश की गई हैं। शैख़ मुहीउद्दीन (रह.) फ़र्माते हैं कि ये हदीष दीन की एक असले-अज़ीम है। इसमें पहली चीज़ अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की मुहब्बत को करार दिया गया है, जिससे ईमानी मुहब्बत मुराद है। अल्लाह की मुहब्बत का मतलब यह है कि तौहीदे-उलूहियत में उसे वहदहू ला-शरीक ला-यक्नीन करके इबादत की सारी क़िस्में सिर्फ़ उस अकेले के लिये अमल में लाई जाएँ और किसी भी नबी, वली, फ़रिश्ते, जिन्न, भूत, देवी, देवता, इन्सान वग़ैरह-वग़ैरह को उसकी इबादत के कामों में शरीक न किया जाए क्योंकि कलिमा 'ला इलाहा इल्लल्लाह' का यही तकाज़ा है। जिसके मुता'ल्लिक हज़रत अल्लामा सिद्दीक़ हसन ख़ान (रह.) अपनी किताब 'अददीनुल

9- باب: حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ

١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَفُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يَفُودَ فِي النَّارِ)).

[اطرافه في: ٢١، ٦٠٤١، ٦٩٤١].

खालिस' में फर्माते हैं, 'व फ़ी हाज़िहिल कलिमति नफ़्युन व इब्बातुन नफ़्युल उलूहिय्यति अम्मा सिवल्लाहि तअ़ाला मिनल मुर्सलीन हत्ता मुहम्मद (ﷺ) वल मलाइकतु हत्ता जिब्रीलु (अलैहि.) फ़ज़्लन अन ग़ैरिहिम मिनल औलियाइ वस्सालिहीन व इब्बातुहा लहू वहुदुहा हक़्क़ फ़ी ज़ालिक लिअहदिम्मिनल मुक़र्रबीन इज़्ज़ा फ़हिम्त ज़ालिक फ़तअम्मल हाज़िहिल उलूहिय्यतुल्लती अफ़्बतहा कुल्लहा लिनफ़िसहिल मुक़दसति व नफ़ा अन मुहम्मदिं व जिब्रील व ग़ैरहुमा अलैहिमिस्सलाम अंच्यकून लहुम मिफ़्काल हब्बति ख़र्दमिम्मिन्हा' (अद् दीनुल ख़ालिस जिल्द 1 पेज नं. 182)

या'नी इस कलिमा तय्यिबा में नफ़ी (नामंजूरी) व इब्बात (प्रमाणीकरण) है। अल्लाह पाक की ज़ात के सिवा हर चीज़ के लिये उलूहिय्यत की नफ़ी (इन्कार) है, यहाँ तक कि हज़रत मुहम्मद (ﷺ) और हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) के लिये भी नफ़ी है। फिर दीगर औलिया व सहाबा का तो जिन्न ही क्या है? उलूहिय्यत ख़ालिस अल्लाह के लिये प्राबित है और उसके करीबियों में से किसी के लिये कोई हिस्सा नहीं है। जब तुमने ये समझ लिया तो ग़ौर करो कि ये उलूहिय्यत वो है जिसको अल्लाह पाक ने ख़ालिस अपनी ही ज़ाते-मुक़दसा (पवित्र हस्ती) के लिये ख़ास किया है और अपने हर ग़ैर हत्ताकि मुहम्मद (ﷺ) और जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) तक से इसकी नफ़ी की है, उनके लिये एक राई के दाने के बराबर भी उलूहिय्यत में कोई हिस्सा हासिल नहीं। पस हक़्कीकी मुहब्बते इलाही का यही मक़ाम है जो लोग अल्लाह की उलूहिय्यत में, उसकी इबादत के कामों में औलिया, सलहा (नेक लोग) या अंबिया व मलाइका (फ़रिश्तों) को शरीक करते हैं। 'व यज़ुन्नू अल्लाहु जअल नहवम्मिनल ख़ल्कि मंज़िलतन यरज़ा अन्नल आमी यल्लतजिउ इलैहिम व यरज़ुहुम व युख़ालिफुहुम व यस्तग़ीषु बिहिम व यस्तईनु मिन्हुम बिक़ज़ाइ हवाइजिही व अस्आफ़ि मरामिही वन्जाहि मक़ामिही व यजअलुहुम वसाइत बैनिही व बैनल्लाहि तअ़ाला हियश्शिकुल जली अल्लज़ी ला यग़फ़िरुल्लाहु तअ़ाला अबदन' (हवाला मफ़्कूर)

और गुमान करते हैं कि अल्लाह ने अपने ख़ास बन्दों को ऐसा मक़ाम दे रखा है कि अ़वाम (जनता) उनकी तरफ़ पनाह ढूँढ़ें, उनसे अपनी मुरादें माँगें, उनसे मदद तलब करें और क़ज़ा-ए-हाज़त (ज़रूरत पूरी करने के लिये) के लिये उनको अल्लाह के दरमियान वसीला ठहरा दें। ये वो शिके-जली है जिसको अल्लाह पाक हर्गिज़ नहीं बख़शेगा, 'इन्नलल्लाह ला यग़फ़िरु अंच्युशरिक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक लिमंच्यशा' (अन निसा : 48) या'नी बेशक अल्लाह शिके को नहीं बख़शेगा और उसके अलावा जिस गुनाह को चाहे बख़श देगा।

'रसूल' मुहब्बत से उनकी इताअत और फ़र्माबरदारी मुराद है, इसके बग़ैर मुहब्बत का अज़ल दा'वा ग़लत है। नीज़ मुहब्बते-रसूल (ﷺ) का तकाज़ा है कि आपका हर फ़र्मान बलन्द व बाला तस्लीम किया जाए और उसके मुकाबले में किसी का कोई हुक्म न माना जाए। पस जो लोग सहीह अहादीसे मफ़ूआ की मौजूदगी में अपने मज़रूमा इमामों के अक़वाल को मुक़दम (सर्वोपरि) रखते हैं और अल्लाह के रसूल (ﷺ) के फ़र्मान को ठुकरा देते हैं, उनके बारे में सय्यिदुल अल्लामा हज़रत नवाब सिदीक़ हसन ख़ान साहब (रह.) फ़र्माते हैं, 'तअम्मल फ़ी मुक़ल्लिदतिल मज़ाहिबि कयफ़ा अकरू अला अन्फुसिहिम बितक्लीदिल अम्वाति मिनल उलमाइ वल औलियाइ वअतरफ़ु बिअन्न फ़हमल किताबि वस्सुन्नति कान ख़ास्सन लहुम वस्तदल्लू लिइश्राकिहिम फ़िस्सुलहाइ बिइबारातिल क़ौमि व मुकाशफ़ातुशशुख़ि फ़िन्नौमि व रजहू कलामलउम्मति वल अइम्मति अला कलामिल्लाहि तअ़ाला व रसूलिही अला बस़ीरातिमिन्हुम व अला इल्मिन फ़मा नदरी मा इज़रूहुम अन ज़ालिक ग़दन यौमल हिसाबि वल किताबि व मा युग़नीहिम मिन ज़ालिकल अज़ाबि वल इक़ाबि' (अद् दीनुल ख़ालिस जिल्द नपेज नं. 196)

या'नी मज़ाहिबे मा'लूमा के मुक़ल्लिदीन में ग़ौर करो कि उलमा व औलिया जो दुनिया से रुख़सत हो चुके, उनकी तक़लीद में किस तौर पर गिरफ़्तार हैं और कहते हैं कि कुआन व हदीष को समझना उन ही इमामों पर ख़त्म हो चुका, ये ख़ास उनका ही काम था। सलहा (नेक लोगों) को इबादते इलाही में शरीक करने के लिये इबाराते-क़ौम से काँट-छाँट कर दलील पकड़ते हैं और शैख़ों के मुकाशिफ़ात से जो कि उनके ख़वाबों से मुता'ल्लिक होते हैं और उम्मत और अइम्मा के कलाम को अल्लाह व रसूल (ﷺ) के कलाम पर तरजीह देते हैं। हालांकि वो जानते हैं कि ये रविश सहीह नहीं है। हम नहीं जान सकते कि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने ये लोग क्या उज्र बयान करेंगे और उस दिन के अज़ाब से उनको कौनसी चीज़ नजात दिला सकेगी अल ग़रज़ अल्लाह और रसूल (ﷺ) की मुहब्बत का तकाज़ा यही है जो ऊपर बयान हुआ, वर्ना सच होगा कि,

तअसिर्सूल व अन्त तज़हरु हुब्बहु, हाज़ा लि उमरी फ़िल्क़ियासि बदीउ

लौ कान हुब्बुक मादिक्न लअतअतह, इन्नल मुहिब्ब लिमंय्युहिब्बु मुतीउ

इस हदीष में दूसरी खसलत भी बहुत अहम बयान की गई है कि कामिल मोमिन वो है, जिसकी लोगों से मुहब्बत खालिस अल्लाह के लिये हो और दुश्मनी भी खालिस अल्लाह के लिये हो, थोड़ा-बहुत भी नफ़सानी अग़राज़ (व्यक्तिगत स्वार्थ) न हो। जैसा कि हज़रत अली मुर्तज़ा (रज़ि.) के बाबत मरवी है कि एक काफ़िर ने जिसकी छाती पर आप चढ़े हुए थे, उसने आप के मुँह पर थूक दिया, तो आपने फौरन हटकर उसके क़त्ल से रुक गये और ये फ़र्माया कि अब मेरा ये क़त्ल करना खालिस अल्लाह के लिये न होता बल्कि उसके थूकने की वजह से अपने नफ़स के लिये होता और सच्चे मोमिन का शैवा नहीं कि अपने नफ़स के लिये किसी से मुहब्बत या अदावत रखे।

तीसरी खसलत में इस्लाम व ईमान पर इस्तिक़्ामत (दृढ़ता) मुराद है। हालात कितने भी नासाज़गार हों, एक सच्चा मोमिन ईमान की दौलत को हाथ से नहीं जाने देता। बिना शक (निस्संदेह) जिसमें ये तीनों खसलतें जमा होंगी, उसने दरहकीक़त ईमान की लज़्जत हासिल की, फिर वो किसी हाल में भी ईमान से महरूमी पसन्द नहीं करेगा और मुर्तद (विधर्मी) होने के लिये कभी तैयार नहीं हो सकेगा, ख्वाह वो शहीद कर दिया जाए। इस्लामी तारीख़ (इतिहास) के माज़ी (भूतकाल) और हाल (वर्तमान) की ऐसी बहुत सी मिषालें मौजूद हैं कि बहुत से मुख़्लिस मुस्लिम बन्दों ने जामे-शहादत पी लिया मगर इर्तिदाद (धर्म परिवर्तन) के लिये तैयार न हुए। अल्लाह पाक हर मुस्लिम मर्द-औरत के अन्दर ऐसी ही इस्तिक़्ामत पैदा फ़र्माए, आमीन!

अबू नुएैम ने मुस्तख़रिज में हसन बिन सुफ़यान अन् मुहम्मद बिन अल मशनी की रिवायत से 'व यकरहु अंग्यउद फिल कुफ़्रि' के आगे 'बअ द इज़ अन्क़ज़हुल्लाहु' के अल्फ़ाज़ ज़्यादा किये हैं। खुद इमाम बुखारी क़द्स सिर्रुहु ने दूसरी सनद से इन लफ़्ज़ों का इज़ाफ़ा नक़ल फ़र्माया है, जैसा कि आगे आ रहा है। इन लफ़्ज़ों का तर्जुमा ये है कि वो कुफ़्र में वापस जाना मकरूह (नापसंद) समझते, बाद उसके कि अल्लाह ने उसे उस (कुफ़्र) से निकाला, इससे मुराद वो लोग हैं जो पहले काफ़िर थे बाद में अल्लाह ने उनको ईमान व इस्लाम नसीब फ़र्माया। अल्लामा इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, 'हाज़ल इस्नादु कुल्लुहु बस्मिय्यून' यानी इसकी सनद में सबसे ज़्यादा बसरी रावी वाक़ेअ हुए हैं।

एक इश्काल (कठिनाई/दुश्वारी) और उसका जवाब : मज़क़ूरा हदीस में 'अंग्यकूनल्लाहु व रसूलहु फ़क़द रशद व मंग्यसिहिमा मिम्मा सिवाहुमा' फ़र्माया गया है। जिसमें ज़मीर-तज़्निया 'हुमा' में अल्लाह और रसूल (ﷺ) दोनों को जमा (इकट्ठा) कर दिया गया है। ये जमा करना उस हदीष से टकराता है जिसमें ज़िक़र है कि किसी ख़तीब ने आप (ﷺ) की मौजूदगी में बई अल्फ़ाज़ में एक खुत्बा दिया था, 'मंग्युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मंग्यसिहिमा' आप (ﷺ) ने ये सुनकर नाराज़गी के इज़हार के लिये फ़र्माया, 'बिअसल ख़तीबु अन्त' या 'नी तुम अच्छे ख़तीब नहीं हो। आपकी यह नाराज़गी यहाँ ज़मीर (हुमा) पर थी जबकि ख़तीब ने 'यअसिहिमा' कह दिया था। अहले इल्म ने इस इश्काल के कई जवाब दिये हैं। कुछ कहते हैं कि ता'लीम और खुत्बे के मौक़े अलग-अलग हैं। इस हदीष में आप (ﷺ) ने बतौर इख़्तिसार (संक्षेप) और जामेइयत के पेशेनज़र यहाँ 'हुमा' ज़मीर इस्ते'माल फ़र्माई और ख़तीब ने खुत्बे के मौक़े पर जबकि तफ़्फ़ील व तवील (विस्तार) का मौक़ा था, वहाँ इख़्तिसार के लिये 'हुमा' ज़मीर इस्ते'माल की जो कि बेहतर न थी। इसलिये आप (ﷺ) ने नाराज़गी ज़ाहिर फ़र्माई। कुछ अहले इल्म कहते हैं कि मज़क़ूरा हदीष में मक़ामे-मुहब्बत में दोनों को जमा किया गया है जो कि बिल्कुल दुस्त है क्योंकि अल्लाह व रसूल (ﷺ) की मुहब्बत लाज़िम व मलज़ूम (अनिवार्यतः) दोनों की मुहब्बत जमा हो गई तो नजात हो गई और ईमान का मदर दोनों की मुहब्बत पर है और ख़तीब ने मअसियत (नाफ़रमानी) के मामले में दोनों को जमा कर दिया था, जिससे वहम पैदा हो सकता था कि दोनों की मअसियत नुक़सान का कारण है और अगर किसी एक की इताअत की और दूसरे की नाफ़रमानी की तो ये नुक़सान का कारक नहीं, हालांकि ऐसा ख़याल बिल्कुल ग़लत है। इसलिये कि अल्लाह की इताअत न करना भी गुमराही है और रसूल (ﷺ) की नाफ़रमानी भी गुमराही है। इसलिये वहाँ अलग-अलग बयान ज़रूरी था, इसी वजह से आप (ﷺ) ने तंबीह फ़र्माई कि तुमको खुत्बा देना नहीं आता।

इमाम तहावी (रह.) ने मुश्किलुल आषार में यूँ लिखा है कि ख़तीबे-मज़क़ूर ने लफ़्ज़ 'व मन यअसिहिमा' पर सकता कर दिया था और ठहरकर बाद में कहा, 'फ़क़द ग़वा' इससे तर्जुमा ये हो गया कि जो अल्लाह और रसूल (ﷺ) की इताअत करे वो नेक है और जो नाफ़रमानी करे वो भी; इस तर्ज़े-अदा (उच्चारण) से बड़ी भारी ग़लती की सम्भावना थी, इसलिये

आप (ﷺ) ने खतीब को तंबीह फ़र्माई (यानी टोका)।

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़तहल बारी में फ़र्माते हैं कि इस मज़क़ूरा हदीष में 'मिम्मा सिवाहुमा' के अल्फ़ाज़ इस्ते'माल किये गये, 'मिम्न सिवाहुमा' नहीं फ़र्माया गया। इसलिये कि पिछले लफ़्ज़ों में बतौर उमूम अक्लवाले और ग़ैर-अक्लवाले यानी इन्सान, हैवान, जानवर, नबातात, जमादात सब दाख़िल हैं। 'मिम्न सिवाहुमा' कहने में ख़ास अक्ल रखने वाले मुराद होते, इसलिये 'मिम्मा सिवाहुमा' के अल्फ़ाज़ इस्ते'माल किये गये और इसमें इस पर भी दलील है कि इस तंबीह के इस्ते'माल में कोई बुराई नहीं। मज़क़ूरा हदीष में इस अम्पर भी इशारा है कि नेकियों से आरास्ता (सुसज्जित) होना और बुराइयों से दूर रहना ईमान की तकमील (पूर्णाता) के लिये ज़रूरी है।

बाब 10 : इस बयान में कि अंसार की मुहब्बत ईमान की निशानी है

(17) हमसे इस हदीष को अबुल वलीद ने बयान किया, उनसे शुअबा ने, उन्हें अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने ख़बर दी, वो कहते हैं कि हमने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से इसको सुना, वो रसूल अल्लाह (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़र्माया अंसार से मुहब्बत रखना ईमान की निशानी है और अंसार से कीना रखना निफ़ाक़ की निशानी है। (दीगर मक़ाम : 3784)

۱۰- بَابُ: عَلَامَةُ الْإِيمَانِ حُبِّ

الْأَنْصَارِ

۱۷- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((آيَةُ الْإِيمَانِ

حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ))

[أطرافه في: ۳۷۸۴]

तरीह:

इमामे आली मक़ाम ने यहाँ भी मुर्जिया की तर्दीद (खण्डन) के लिये इस रिवायत को नक़ल फ़र्माया है। अन्सार अहले मदीना का लक़ब है जो उन्हें मक्का से हिजरत करके आने वाले मुसलमानों की इम्दाद और इआनत (सहयोग) के बदले में दिया गया। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना मुनव्वरा की तरफ़ हिजरत फ़र्माई और आपके साथ मुसलमानों की एक बड़ी ता'दाद मदीना आ गई तो उस वक़्त मदीना के मुसलमानों ने आप (ﷺ) की और दीगर मुसलमानों की जिस तरह मदद फ़र्माई, तारीख़ (इतिहास) उसकी नज़ीर पेश करने में आजिज़ (असमर्थ) है। उनका ये बहुत बड़ा कारनामा था जिसको अल्लाह की तरफ़ से इस तरह कुबूल किया गया कि क़यामत तक मुसलमान उनका ज़िक़्र अन्सार के मुअज़ज़ज़ (सम्मानजनक) नाम से करते रहेंगे। उस नाजुक वक़्त में अगर अहले मदीना इस्लाम की मदद के लिये न खड़े होते तो अरब में इस्लाम के उभरने का कोई मौक़ा न था। इसीलिये अन्सार से मुहब्बत ईमान का जुज्व (हिस्सा) करार पाई। कुआने पाक में भी जा-बजा अन्सार व मुहाजिरीन का ज़िक़्र हुआ है और 'रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु' (यानी अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वे अल्लाह से राज़ी हुए) से उनको याद किया गया है।

अन्सार के मनाक़िब व फ़ज़ाइल में और भी बहुत सी अह्दादीष मरवी हैं, जिनका ज़िक़्र मूजिबे-तवालत (विस्तार का कारक) होगा। उनके बाहमी जंगो-जिदाल के मुता'ल्लिक़ अल्लामा इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, 'व इन्नमा कान हालुहुम फ़ी ज़ालिक़ हालुलमुज्तहिदीन फ़िल अहकामि लिल मुस्लीबि अज़रानि व लिलमुखती अज़्ज़न वाहिदुन वल्लाहु आलमु' यानी इस बारे में कि उनको मुज्तहिदीन के हाल पर क्रियास किया जाएगर जिनका इज्तिहाद दुरुस्त हो तो उनको दोगुना प्रवाब मिलता है और अगर उनसे ख़ता हो जाए तो भी वो एक प्रवाब से महरूम नहीं रहते। 'अल मुज्तहिदु क़द युख़ती व युस्बी' हमारे लिये यही बेहतर होगा कि इस बारे में ज़बान बन्द रखते हुए उन सबको इज्जत से याद करें।

अन्सार के फ़ज़ा इल के लिये इतना ही काफ़ी है कि आँहज़रत (ﷺ) ने खुद अपने बारे में फ़र्माया, 'लौलल हिज्जतु लकुन्तु इम्अम्मिनल अन्सारि' (बुखारी शरीफ़) अगर हिजरत की फ़ज़ीलत न होती तो मैं भी अपना शुमार अन्सार में कराता। अल्लाह पाक ने अन्सार को ये इज्जत अता फ़र्माई कि क़यामत तक के लिये आँहज़रत (ﷺ) उनके शहर मदीना में उनके

साथ आराम फ़र्मा रहे हैं। (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)

एक बार आप (ﷺ) ने ये भी फ़र्माया था कि अगर सब लोग एक वादी में चलें और अन्सार दूसरी वादी में तो मैं अन्सार की वादी को इख़्तियार करूंगा। इससे भी अन्सार की शान व मर्तबे का इज़हार मक्सूद है।

बाब 11 :

(18) हमसे इस हदीष को अबुल यमान ने बयान किया, उनको शुअैब ने ख़बर दी, वो जुहरी से नक़ल करते हैं, उन्हें अबू इदरीस अइज़ुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने ख़बर दी कि उबादा बिन सामित (रज़ि.) जो बद्र की जंग में शरीक थे और लैलतुल उक्बा के 12 नक़ीबों में से थे। फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस वक़्त, जब आपके गिर्द (चारों ओर) सहाबा की एक जमाअत बैठी थी, आपने फ़र्माया कि मुझसे बैअत करो इस बात पर कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करोगे, चोरी न करोगे, ज़िना न करोगे, अपनी औलाद को क़त्ल न करोगे और अम्दन (जान-बूझकर) किसी पर कोई नाहक बोहतान न बाँधोगे और किसी भी अच्छी बात में (अल्लाह की) नाफ़रमानी न करोगे। जो कोई तुममें (इस अहद को) पूरा करेगा तो उसका प्रवाब अल्लाह के ज़िम्मे है और जो कोई उन (बुरी बातों) में से किसी का इर्तिकाब करे और उसे दुनिया में (इस्लामी कानून के तहत) सज़ा दे दी गई तो यह सज़ा उसके (गुनाहों के) लिए बदला हो जाएगी और जो कोई इनमें से किसी बात में मुब्तला हो गया और अल्लाह ने उसके (गुनाह) को छुपा लिया तो फिर उसका (मुआमला) अल्लाह के हवाले है, अगर चाहे मुआफ़ करे और अगर चाहे सज़ा दे दे। (उबादा कहते हैं कि) फिर हम सबने उन (सब बातों) पर आप (ﷺ) से बैअत कर ली।

(दीगर मक़ामात : 3892, 3893, 3999, 4894, 6784, 6801, 6873, 7055, 7199, 7213, 7468)

باب - 11

18- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِدْرِيسَ عَالِدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَانَ شَهِيدًا بَدْرًا، وَهُوَ أَحَدُ النَّبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: ((بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَقْضُوا لِي مَعْرُوفٍ. فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَيَّ اللَّهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ)) قَبَائِعُهُ عَلَى ذَلِكَ.

أطرافه في : 3892, 3893, 3999, 4894, 6784, 6801,

6873, 7055, 7199, 7213, 7468

٢٧٤٦٨, ٧٢١٣, ٧١٩٩, ٧٠٠٠

तशरीह : इस हदीष के रावी उबादा बिन सामित ख़ज़रज़ी (रज़ि.) उन लोगों में से हैं जिन्होंने मक्का आकर मकामे-उक्बा में आँहज़रत (ﷺ) से बैअत की और अहले मदीना की ता'लीम व तर्बियत के लिये आप (ﷺ) ने जिन बारह आदमियों को अपना नाइब मुक़र्रर किया था, ये उनमें से एक हैं और जंगे बद्र के मुजाहिदीन में से हैं। 34 हिजरी में 72 साल की उम्र पाकर इतिक़ाल किया और रमला में दफ़न हुए। सहीह बुखारी में उनसे नौ (9) अहदादीष मरवी हैं।

अन्सार के तस्मिय: (नामकरण) की वजह ये है कि मदीना के लोगों ने जब इस्लाम की इआनत (सहयोग) के लिये मक्का आकर रसूलुल्लाह (ﷺ) से बैअत की तो उसी आधार पर उनका नाम 'अन्सार' हुआ। 'अन्सार', 'नासिर' की जमा (बहुवचन) है और नासिर, मददगार को कहते हैं। अन्सार जाहिलिय्यत के दौर में बन्ू क़ीला के नाम से जाने जाते थे। क़ीला उस माँ को कहते हैं जो

दो कबीले की जामिआ हो। जिनसे औस व खज़रज दोनों कबीले मुराद हैं, उन्हीं के मज्मूअे को 'अन्सार' कहा गया।

इस हदीष से मा'लूम हुआ कि इन्सामी कानूनों के तहत जब एक मुजरिम को उसके जुर्म की सज़ा मिल जाए तो आखिरत में उसके लिये ये सज़ा कफ़रारा बन जाती है।

दूसरा मसला ये भी मा'लूम हुआ कि जिस तरह ये ज़रूरी नहीं कि अल्लाह हर गुनाह की सज़ा दे, उसी तरह अल्लाह पर किसी नेकी का प्रवाब देना भी ज़रूरी नहीं। अगर वो किसी गुनाहगार को सज़ा दे तो ये उसका ऐन इन्साफ़ है और अगर गुनाह माफ़ कर दे तो ये उसकी ऐन रहमत है। नेकी पर अगर प्रवाब न दे तो ये उसकी शाने-बेनियाज़ी है और प्रवाब अता फ़र्मा दे तो ये उसका ऐन करम है।

तीसरा मसला ये प्राबित हुआ कि कबीरा गुनाह का मुर्तकिब (महापाप का भागी) अगर बग़ैर तौबा किये मर जाए तो वो अल्लाह की मर्ज़ी पर मौकूफ़ है, चाहे तो उसके ईमान की बरकत से बग़ैर सज़ा दिये जन्नत में दाख़िल कर दे और चाहे तो सज़ा देकर फिर जन्नत में दाख़िल करे। मगर शिर्क उससे अलग है क्योंकि उसके बारे में कानूने-इलाही ये है, 'इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अय्युश्रिक बिही' जो शरूख़ शिर्क की हालत में इंतिकाल कर जाए तो अल्लाह पाक उसे हर्गिज़ नहीं बख़्शेगा और वो हमेशा दोज़ख़ में रहेगा। किसी मोमिन का ख़ूने-नाहक़ (अकारण हत्या) भी नस्से-कुआनी से यही हुक़म रखता है और हुकूक़ुल इबाद का मा'मला भी ऐसा ही है कि जब तक वो बन्दे ही माफ़ न कर दें, माफ़ी नहीं मिलेगी।

चौथी बात ये मा'लूम हुई कि किसी आम आदमी के बारे में क़तई जन्नती या जहन्नमी कहना जाइज़ नहीं।

पाँचवीं बात ये मा'लूम हुई कि अगर ईमान दिल में है तो महज़ गुनाहों के इर्तिकाब से इन्सान काफ़िर नहीं होता। मगर ईमाने-क़ल्बी के लिये ज़बान से इकरार करना और अमल से ईमान का षुबूत देना भी ज़रूरी है। इस हदीष में ईमान, इस्लाम, अख़लाक़, हुकूक़ुल इबाद के वो ज़्यादातर मसाइल आ गये हैं जिनको दीन व ईमान की बुनियाद कहा जा सकता है। इससे साफ़ वाज़ेह हो गया कि नेकी व बदी यक़ीनन ईमान की कमी व बेशी पर अफ़र-अन्दाज़ (प्रभावित) होती हैं और सारे आ'माले-मालेहा (नेक काम) ईमान में दाख़िल हैं। इन अह्दादीष की रिवायत से हज़रत अमीरुल मुहदिप्पीन का यही मक़सद है। पस जो लोग ईमान में कमी-बेशी के काइल नहीं वो यक़ीनन ख़ता (ग़लती) पर हैं। इस हदीष में उन लोगों की भी तर्दीद है जो गुनाहे-कबीरा के मुर्तकिब को काफ़िर या हमेशा के लिये दोज़ख़ी बतलाते हैं।

अल्लामा इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं कि हमारी रिवायत के मुताबिक़ यहाँ लफ़ज़ बाब बग़ैर तर्जुमा के है और ये तर्जुमा साबिक़ (पिछले) ही से मुता'ल्लिक़ है। 'ववजहुत्तअल्लुकि अन्नहू लिमा जुकिरल अन्सारु फ़िल हदीषि अव्वलि अशार फ़ी हाज़ा इला इब्तिदाइस्सबबि फ़ी तलक्कीहिम बिल अन्सारि लिअन्न अव्वल ज़ालिक कान लैलतल अकबति लि तवाफ़कूम अन्नबिय्यि (ﷺ) इन्दअकबति मिना फ़िल मूसमि कमा सयाती शर्हु ज़ालिक इन्शाअल्लाहु तआला फ़िस्सीरतिन्नबविय्यति मिन हाज़ल किताब' यानी इस ता'ल्लुक़ की वजह ये है कि पहली हदीष में अन्सार का ज़िक़ किया गया था, यहाँ ये बतलाया गया कि ये लक़ब उनको क्योंकर मिला? इसकी इब्तिदा उस वक़्त हुई जब उन लोगों ने उक़बा में मिना के क़रीब आँहज़रत (ﷺ) की मुवाफ़क़त (अनुकूलता) व मदद के लिये पूरे तौर पर वा'दा किया।

लफ़ज़ 'असाबा' का इतलाक़ ज़्यादा से ज़्यादा चालीस पर हो सकता है। ये बैअते-इस्लाम थी जिसमें आप (ﷺ) ने शिर्क बिल्लाह से तौबा करने का अहद लिया। फिर दीगर अख़लाक़ी बुराइयों से बचने और औलाद को क़त्ल न करने वा'दा लिया। जबकि अरब में ये बुराइयाँ आम थीं। बुहतान से बचने का वा'दा लिया, ये वो झूठ है जिसकी कोई अफ़लियत न हो। लफ़ज़ 'बैन अयदीकुम व अर्जुलिकुम' में दिल से किनाया (दिल की ओर इशारा) है, यानी दिल ने एक बे-हक़ीक़त (अवास्तविक) बात गढ़ ली। आगे आप (ﷺ) ने उसूली बात पर अहद लिया कि हर नेक काम में हमेशा इताअत करनी होगी। मा'रूफ़ हर वो चीज़ है जो शरीअत की निगाह में जानी हुई हो, इसी की ज़िद (विलोम) मुन्कर (इन्कार करना) है जो शरीअत की निगाह में नफ़रत से देखी जाए।

बाब 12 : इस बयान में कि फ़ित्नों से दूर भागना

۱۲- بَابُ مِنَ الدِّينِ الْفِرَارُ مِنَ

(भी) दीन (है) में शामिल है

الْفِتَنِ

(19) हमसे (इस हदीष को) अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उन्होंने उसे मालिक (रह.) से नक़ल किया, उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन अबी सअसा से, उन्होंने अपने बाप (अब्दुल्लाह रह.) से, वो अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि रसूल अल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया वो वक़्त करीब है जब मुसलमान का (सबसे) उम्दा माल (उसकी) बकरियाँ होंगी। जिनके पीछे वो पहाड़ों की चोटियों और बरसाती वादियों में अपने दीन को बचाने के लिए भाग जाएगा।

(दीगर मक़ामात : 3300, 3600, 6495, 7088)

١٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَعْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ)).

[أطرافه في : ٣٣٠٠، ٣٦٠٠، ٦٤٩٥]

[٧٠٨٨]

तशरीह: हदीष का मक़सद ये है कि जब फ़िल्ना व फ़साद इतना बढ़ जाएगा कि उसकी इस्लाह बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आने लगेगी, तो ऐसे वक़्त में सबसे यक्सूई (एकांतवास) बेहतर है। फ़िल्ने में फ़िस्को-फ़ुज़ूर की ज़्यादती, राजनीतिक हालात और मुल्क (देश) के हालात की बद-उन्वानी (अराजकता) ये सब चीज़ें दाख़िल हैं, जिनकी वजह से मर्दे-मोमिन के लिये अपने दीन और ईमान की हिफ़ाज़त दुश्वार हो जाती है। इन हालात में अगर महज़ दीन की हिफ़ाज़त के ज़बे से आदमी किसी तन्हाई (एकांत) की जगह में चला जाए; जहाँ फ़िल्ने व फ़साद से बच सके तो ये दीन ही की बात है और उस पर भी आदमी को ष्वाब मिलेगा।

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का मक़सद यही है कि अपने दीन को बचाने के लिये सबसे यक्सूई इख़्तियार करने का अमल भी ईमान में दाख़िल है। जो लोग आ'माले-सालेहा को ईमान से जुदा करार देते हैं उनका क़ौल सहीह नहीं है।

बकरियों का ज़िक्र इसलिये किया गया कि उस पर इन्सान आसानी से काबू पा लेता है और ये इन्सान के लिये मुज़ाहिमत (मनाही) भी नहीं करती। ये बहुत ही ग़रीब और मिस्कीन जानवर है। इसको जन्नत के चौपायों में से कहा गया है। इससे इन्सान को नफ़ा भी बहुत है। इसका दूध बहुत मुफ़ीद है, जिसके इस्ते'माल से तबीयत हल्की रहती है। नीज़ इसकी नस्ल भी बहुत बढ़ती है। इसकी ख़ुराक के लिये भी ज़्यादा एहतिमाम करने की ज़रूरत नहीं होती। जंगलों में अपना पेट ख़ुद भर लेती है। आसानी के साथ पहाड़ों पर चढ़ जाती है। इसलिये फ़िल्ने-फ़साद के वक़्त पहाड़ों-जंगलों में तन्हाई इख़्तियार करके इस मुफ़ीदतरीन (सर्वाधिक लाभदायक) जानवर की परवरिश से ज़िन्दगी का गुज़ारा करना मुनासिब है। आँहज़रत (ﷺ) ये पेशीनगोई (भविष्यवाणी) के तौर पर फ़र्माया था। चुनाँचे इतिहास में बहुत से पुरफ़ितन ज़माने आए और कितने ही अल्लाह के बन्दों ने अपने दीन और ईमान की हिफ़ाज़त के लिये आबादी से वीरानों को इख़्तियार किया। इसलिये अमल ईमान में दाख़िल है क्योंकि इससे ईमान व इस्लाम की हिफ़ाज़त मक़सूद है।

बाब 13 : रसूलुल्लाह (ﷺ) के उस इर्शाद की तफ़्सील कि मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह तआला को जानता हूँ और इस बात का षुबूत कि मअरिफ़त दिल का फ़ेअल है। इसलिये अल्लाह तआला ने फ़र्माया है, 'लेकिन (अल्लाह) गिरफ़्त करेगा उस पर जो तुम्हारे दिलों ने किया होगा।'

١٣- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ)) وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فَعَلُ الْقَلْبِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلَكِنْ يُؤْخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾

(20) यह हदीष हमसे मुहम्मद बिन सलाम ने बयान की, वो कहते हैं कि उन्हें उसकी उबादा ने खबर दी, वो हिशाम से नक़ल करते हैं, हिशाम हज़रत आइशा (रज़ि.) से, वो फ़र्माती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) लोगों को किसी काम का हुक्म देते तो वो ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताक़त होती (इस पर) सहाबा किराम (रज़ि.) ने अज़ा किया कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! हम लोग तो आप जैसे नहीं हैं (आप तो मासूम हैं) और आपके अल्लाह पाक ने अगले-पिछले सब गुनाह मुआफ़ कर दिये हैं। (इसलिये हमें अपने से कुछ ज़्यादा इबादत करने का हुक्म फ़र्माइये, यह सुनकर) आप नाराज़ हुए यहाँ तक कि नाराज़गी आपके मुबारक चेहरे से ज़ाहिर होने लगी। फिर फ़र्माया कि बेशक मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ और तुम सबसे ज़्यादा उसे जानता हूँ (बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते)।

۲۰- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَهُمْ مِنَ الْأَهْوَاجِ بِمَا يُعْطُونَ. قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ اللَّهُ لَذُو فَهْرٍ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَيُفَضِّلُ حَتَّى يَغُزَّ الْقَضْبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ: ((إِنْ أَنْفَأَكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَتَى)).

तशीह : इस बाब के तहत इमाम बुखारी (रह.) ये प्राबित करना चाहते हैं कि इमान का ता'ल्लुक दिल से है और दिल का काम हर जगह एक सा नहीं होता। रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़ल्ब (दिल) की ईमानी कैफ़ियत तमाम सहाबा और तमाम मख़लूक़ात से बढ़कर थी। यहाँ हज़रत इमाम बुखारी (रह.) मुर्जिया के साथ-साथ करामिया के क़ौल का बुतलान भी प्राबित करना चाहते हैं, जो कहते हैं कि इमान सिर्फ़ क़ौल का नाम है और ये हदीष इमान की कमी व ज़्यादाती के लिये भी दलील है। आँहज़रत (ﷺ) के फ़र्मान 'अना इमामु कुम बिल्लाहि' से ज़ाहिर है कि इल्म बिल्लाह के दर्जे हैं और इस बारे में लोग एक-दूसरे से कम-ज़्यादा हो सकते हैं और आँहज़रत (ﷺ) इस मामले में तमाम सहाबा बल्कि तमाम इन्सानों से बढ़-चढ़कर हैषियत रखते हैं। बाज़ सहाबी आप (ﷺ) से बढ़कर इबादत करना चाहते थे। आप (ﷺ) ने इस खयाल की तग़लीत (भूल-सुधार) में फ़र्माया कि तुम्हारा ये खयाल सहीह नहीं; (और यह भी कि) तुम कितनी ही इबादत करो मगर मुझसे (आगे) नहीं बढ़ सकते हो, (यह) इसलिये कि मअरिफ़ते-इलाही तुम सबसे ज़्यादा मुझी को हासिल है।

इस हदीष से मा'लूम हुआ कि इबादत में मियाना-रवी (मध्यमार्ग) ही अल्लाह को पसन्द है। ऐसी इबादत जो ताक़त से ज़्यादा हो, इस्लाम में पसंदीदा नहीं है और ये भी मा'लूम हुआ कि इमान मअरिफ़ते-रब (रब की पहचान) का नाम है और मअरिफ़त का ता'ल्लुक दिल से है। इसलिये इमान महज़ ज़बानी इक़रार को नहीं कहा जा सकता। इसके लिये मअरिफ़ते-क़ल्ब भी ज़रूरी है और इमान की कमी-बेशी भी प्राबित हुई।

बाब 14 : इस बयान में कि जो आदमी कुफ़र की तरफ़ वापसी को आग में गिरने के बराबर समझे, तो उसकी यह रविश भी ईमान में दाख़िल है

(21) इस हदीष को हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, उनसे शुअबा ने, वो क़तादा से रिवायत करते हैं, वो हज़रत अनस (रज़ि.) से और वो नबी करीम (ﷺ) से नक़ल करते हैं कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स में यह तीन बातें होंगी वो ईमान का

۱۴- بَابُ مِنْ كَرِهٍ أَنْ يَعُودَ فِي

الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ

مِنَ الْإِيمَانِ

۲۱- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ :

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ

मज़ा चख लेगा, एक यह कि वो शख्स जिसे अल्लाह और उसका रसूल उनके मासिवा (तमाम दुनियावी चीज़ों) से ज़्यादा अज़ीज़ हों और दूसरे यह कि जो किसी बन्दे से महज़ अल्लाह के लिए मुहब्बत करे और तीसरी बात यह कि अल्लाह ने जिसे कुफ़्र से नजात दी हो, फिर दोबारा कुफ़्र इख़्तियार करने को वो ऐसा बुरा समझे जैसा आग में गिर जाने को बुरा जानता है।

لِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ
أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ يَكْفُرْ أَنْ
يَتَوَدَّ لِي الْكُفْرَ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا
يَكْفُرُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ).

तशरीह : ज़ाहिर है कि जिस शख्स के दिल में अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की मुहब्बत फ़िल हकीकत बैठ जाए वो (फिर) कुफ़्र को किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन इस मुहब्बत का इज़हार महज़ इकरार से नहीं बल्कि अहकामात की इताअत और नपस की कोशिश से हो सकता है और ऐसा ही आदमी दरहकीकत इस्लाम की राह में मुसीबतें झेलकर भी खुश रह सकता है। इस हदीष से यह भी प्भावित हुआ कि सारी पाकीज़ा आदतें और इस्तिक़्ामत (हद़ता) ये सब ईमान में दाख़िल हैं। अभी पीछे यही हदीष ज़िक्र हो चुकी है, जिसमें 'बअद इज़ अन्क़ज़हुल्लाहु' के लफ़ज़ नहीं थे। मज़ीद तफ़्सीलात (विस्तृत विवरण) के लिये पिछले पेजों का मुतालाआ (अध्ययन) कीजिये।

हज़रत नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान (रह.) फ़र्माते हैं, 'व हाज़ल हदीषु बिमअन हदीषि ज़ाक़र तुअमल ईमानि मन रज़िय बिल्लाहि रब्बन व बिस्लामि दीनन व बिमुहम्मद (ﷺ) रसूलन व ज़ालिक अन्नहू ला यसिह्लु महब्बतु लिल्लाहि व रसूलिही हकीकतन व हुब्बुल आदमी फ़िल्लाहि व रसूलिही व कराहतुर्जुइ इलल कुफ़्रि ला यकूनु इल्ला लिमन क़विय्युल इमानि यक़ीनुहू वत्मअन्नत बिही नफ़्सुहू वन्शरह लहू सदरुहू व ख़ालत लहमुहू व दमुह व हाज़ा हुवल्लज़ी वजद हलावतहू वलहुब्बु फ़िल्लाहि मिन प्रमराति हुब्बिल्लाहि' (सिराजुल वतहाज़ : 36) यानी ये हदीष दूसरी हदीष 'ज़ाक़र तुअमल ईमानि' के ही मा'ने में है, जिसमें वारिद है कि ईमान का मज़ा उसने चख लिया जो अल्लाह के रब (पालनहार) होने पर राज़ी हो गया और जिसने इस्लाम को दीन की हैषियत से पसन्द कर लिया और हज़रत मुहम्मद (ﷺ) को अल्लाह के रसूल की हैषियत से मान लिया, उसने ईमान का मज़ा हासिल कर लिया। और ये ने'मत उसी खुशनसीब इन्सान को हासिल होती है जिसके ईमान ने उसके यक़ीन को ताक़तवर कर दिया हो और उसका नपस मुतमईन (संतुष्ट) हो गया और उसका सीना खुल गया और ईमान व यक़ीन उसके गोश्त-पोस्त व खून में दाख़िल हो गया। यही वो खुशनसीब है जिसने ईमान की हलावत (मिठास) पाई और अल्लाह के लिये उसके नेक बन्दों की मुहब्बत अल्लाह ही की मुहब्बत का फल है। फिर आगे हज़रत नवाब सिद्दीक़ साहब मरहूम फ़र्माते हैं कि मुहब्बत दिली मेलान (झुकाव) का नाम है। कभी ये हसीनो-जमील सूरतों की तरफ़ होता है, कभी अच्छी आवाज़ या अच्छे खाने की तरफ़, कभी लज़्ज़ते-मेलान बातिनी मा'नी (गूढ़ अर्थ) से मुता'ल्लिक़ होती है। जैसे सालिहीन व इलमा व अहले फ़ज़्ल से उनके मरातिबे-कमाल की बिना (आधार) पर मुहब्बत रखना। कभी मुहब्बत ऐसे लोगों से पैदा हो जाती है जो साहिबे-इहसान हैं, जिन्होंने तकलीफ़ों और मुसीबतों के वक़्त मदद की है। ऐसे लोगों की मुहब्बत भी (उम्दा) है इस किस्म की सारी खूबियाँ अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की ज़ाते-गिरामी में जमा हैं। आपका जमाल (सौन्दर्य) ज़ाहिर व बातिन और आपके ख़िसाले हमीदा (प्रशंसनीय आदतें) और फ़ज़ाइल और जमीउल मुस्लिमीन पर आप (ﷺ) के एहसानात ज़ाहिर हैं, इसलिये आप (ﷺ) की मुहब्बत ईमान का ऐन तकाज़ा है।

आगे हज़रत नवाब मरहूम ने इश्क़े-मजाज़ी (दुनियावी मुहब्बत) पर एक तवील तब्सरा फ़र्माते हुए बतलाया है कि 'व मिन आज़ामि मकाइदिशैतानि मा फ़त्तन बिही उश्शाकुन सुवरुल मर्दि वन्निस्वानि व तिल्क़ लिअमरिल्लाहि फ़ितनतुन कुब्रा व बलियतुन उज़्मा' यानी शैतान के अज़ीमतरीन जालों में से एक जाल यह है जिसमें बहुत से आशिक़ मुब्तला रहते चले आए हैं और इस वक़्त भी मौजूद हैं जो लड़कों और औरतों की सूरतों पर आशिक़ होकर अपनी दुनिया व आख़िरत तबाह कर लेते हैं और क़सम अल्लाह की ये बहुत ही बड़ा फ़ित्ना और बहुत ही बड़ी मुसीबत है। अल्लाह तमाम मुसलमानों को इससे महफूज़ रखे, आमीन!

हज़रत इमामुल मुफ़स्सिरिन नासिरुल मुहदिषीन नवाब साहब मरहूम दूसरी जगह अपने मशहूर मक़ाला तहरीमुल

ख़म्र में फ़र्माते हैं, 'मर्जे-इश्क़ को शराब व जिना के साथ मिश्रित-गिना के एक मुनासबते-खास है। ये मर्जे-शहवत फ़रज (शर्मगाह) से पैदा होता है, जिस किसी के मिजाज़ पर शहवत (वासना) हावी हो जाती है ये बीमारी उस शहवत-परस्त को पकड़ लेती है, जब विसाले-मा' शूक़ (प्रेमी/प्रेमिका का मिलन) महाल होता है या मयस्सर नहीं आता तो इश्क़ से हरकाते-बेअक्ली (मूर्खतापूर्ण हरकतें) जाहिर होने लगती हैं। लिहाज़ा दीनी किताबों में इश्क़ की मज़मूत आई है और इसका अंजाम शिक़ उहराया है। कुआनो-हदीष में किसी जगह इस मनहूस लफ़ज़ का इस्ते'माल नहीं हुआ। क़िस्स-ए-जुलैखा में इफ़राते-मुहब्बत को 'शग़फ़े हुब्ब' के लफ़ज़ से ता'बीर किया गया है। ये हरकत जुलैखा से हालते-कुफ़र में स़ादिर हुई थी। हिन्दुओं में भी जुहूरे-इश्क़ (इज़हारे-इश्क़) औरतों की तरफ़ से होता है। इसके विपरीत अरब में मर्द आशिकी में गिरफ़्तार होते हैं, जिस तरह क्रैस (मजनू) लैला पर फ़रेफ़ता (दीवाना) था। इससे बदतर इश्क़ अहले फ़ारस का है कि वो मर्द पर रीझते हैं। ये एक क्रिस्म की इग़लाम (समलैंगिकता) है। इसी तरह औरत की तरफ़ से इश्क़ का जाहिर होना जिना की पेशक़दमी है, जो कोई इस मर्ज़ का मरीज़ होता है, वो शराबी ज़ानी हो जाता है। अहले इल्म ने लिखा है कि इश्क़ बन्दे को तौहीदे-ख़ुदावन्दी से रोक कर शिक़ व बुतपरस्ती में गिरफ़्तार कर देता है। इसलिये कि आशिक़, मा' शूक़ का बन्दा हो जाता है; उसकी रज़ामन्दी को ख़ालिक़ की रज़ामन्दी पर मुक़द्दम (सर्वोपरि) रखता है, यही उसकी स़नम-परस्ती है। किताबु इग़ा़तिल लफ़हानि व किताबु हुदाइल काफ़ी' और दीगर रिसालों में इश्क़ की आफ़तों और मुसीबतों को तफ़्सीलवार (विस्तारपूर्वक) लिखा है। अल्लाह तआला इस शिक़े-शीरीं और कुफ़रे नमकीन से बचाकर अपनी मुहब्बत बख़्शे और मजाज़ (भ्रम) से हकीक़त की तरफ़ लाए। हदीष में आया है कि 'हुब्बु क़श़ैआ यअमा व यसुम्मु' यानी किसी चीज़ की मुहब्बत तुझको अंधा-बहरा बना देती है।

लेखक कहता है कि यही हाल मुक़ल्लिदीने-जामिद का है जिनका तौर-तरीक़ा बिल्कुल उन लोगों के मुताबिक़ है, जिनका हाल अल्लाह पाक ने यूँ बयान फ़र्माया है, 'इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम्मिनदूनिल्लाहि' (तौबा : 31) उन्होंने अपने इलमा व मशाइख़ को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया है। अइम्म-ए-मुज्ताहिदीन का एहतिराम अपनी जगह पर है मगर उनके हर फ़तवे या हर इश़ाद को आसमानी व ह्य़ जैसा दर्जा देना किसी तरह मुनासिब नहीं कहा जा सकता अल्लाह पाक हर मुसलमान को इफ़रातो-तफ़रीत से बचाए, आमीन!

बाब 15 : (इस बयान में कि) ईमानवालों का अमल में एक-दूसरे से बढ़ जाना (ऐन मुक्किन है)

(22) हमसे इस्माइल ने यह हदीष बयान की, वो कहते हैं उनसे मालिक ने, वो अम्र बिन यह्या अल माज़िनी से नक़ल करते हैं, वो अपने बाप से रिवायत करते हैं और वो हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से और वो नबी करीम (ﷺ) से नक़ल करते हैं कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जब जन्नती जन्नत में दाख़िल और जहन्नमी जहन्नम में दाख़िल हो जाएँगे। अल्लाह पाक फ़र्माएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर (भी) ईमान हो, उसको भी जहन्नम से निकाल लो। तब (ऐसे लोग) जहन्नम से निकाल लिए जाएँगे और वो जलकर कोयले की तरह स्याह (काले) हो चुके होंगे। फिर आबे-हयात में या बारिश के पानी में डाले जाएँगे। (यहाँ रावी को शक़ हो गया है कि ऊपर के रावी ने कौनसा लफ़ज़ इस्ते'माल किया) उस वक़्त वो दाने की तरह उग आएँगे, जिस

۱۵ - بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِي الْأَعْمَالِ

۲۲ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْرَجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ، فَيَخْرُجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَا - أَوْ الْحَيَاةِ، شَكَ مَالِكٌ - فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْجَبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ

तरह नदी के किनारे दाने उग आते हैं। क्या तुमने नहीं देखा दाना जर्दी माइल पेच दरपेच निकलता है। वुहैब ने कहा कि हमसे अम्र ने (हया की बजाए) हयात, और (खर्दलिम मिन ईमान) की बजाय (खर्दलिम मिन खैर) का लफ़्ज़ बयान किया। (दीगर मक़ामात : 6560, 6574, 7438, 7439)

صَفْرَاءَ مُلَوَّبَةٍ؟ قَالَ وَهَيْبٌ: حَدَّثَنَا
عُمَرُو ((الْحَمَّامَةُ)). وَقَالَ: ((خَرَّوْذِلٍ مِّنْ
عَيْنٍ)). [أَطْرَافِهِ فِي : ٤٥٨١, ٤٩١٩,
٧٤٣٩, ٧٤٣٨, ٦٥٧٤, ٦٥٦٠.]

तस्रीह: इस हदीष से साफ़ ज़ाहिर हुआ कि जिस किसी के दिल में ईमान कम से कम होगा, किसी न किसी दिन वो मशिय्यते-एज्दी के तहत अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद दोज़ख़ से निकालकर जन्नत में दाख़िल कर दिया जाएगा। इससे यह भी मा'लूम हुआ कि ईमान पर नजात का दारोमदार तो है, मगर अल्लाह के यहाँ दर्जे आ'माल से ही मिलेंगे जिस क़दर आ'माल उम्दा और नेक होंगे, उसी क़दर उसकी इज़्जत होगी।

इससे ज़ाहिर हुआ कि आ'माल ईमान में दाख़िल हैं और कुछ लोग ईमान में तरक़ीयाफ़्ता होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनका ईमान कमज़ोर होता है, यहाँ तक कि कुछ लोगों के दिल में ईमान महज़ एक राई के दाने के बराबर होता है। हदीषे-नबवी में इस क़दर वज़ाहत के बाद भी जो लोग सारे ईमानवालों का ईमान यक्सौं (समान) मानते हैं और (ईमान में) कमी-बेशी के क़ाइल नहीं, उनके इस क़ौल का खुद अन्दाज़ा कर लेना चाहिये। अल्लामा इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं, 'व वजह मुताबक़ति हाज़ल हदीषि लिच्चर्जुमति ज़ाहिरुन व अरदा बिईरादिही अर्हु अलल मुर्जिअति लिमा फ़ीहि मिन ज़ररिल मआसी मअल इमानी व अलल मुअतज़िलति फ़ी अन्नल मआसी मूजिबतुन लिल ख़ुलूदि' यानी इस हदीष की बाब से मुताबक़त (समरूपता) ज़ाहिर है और हज़रत मुसन्निफ़ (इमाम बुखारी रह.) का यहाँ इस हदीष को लाने का मक़सद मुर्जिया की तर्दीद (खण्डन) करना है। इसलिये कि इसमें ईमान के बावजूद मआसी (नाफ़रमांनी) का ज़रर व नुक़सान बतलाया गया है और मुअतज़िला पर रद्द है जो कहते हैं कि गुनाहगार लोग दोज़ख़ में हमेशा रहेंगे।

(23) हमसे मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने यह हदीष बयान की, उनसे इब्राहीम बिन सअद ने, वो स़ालेह से रिवायत करते हैं, वो इब्ने शिहाब से, वो अबू उमामा इब्ने सहल बिन हनीफ़ से रावी हैं, वो हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से, कहते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं एक वक़्त सो रहा था, मैंने ख़वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो कुर्ते पहने हुए हैं। किसी का कुर्ता सीने तक है और किसी का उससे नीचा है। (फिर) मेरे सामने उमर बिन ख़त्ताब लाए गए। उनके (बदन) पर (जो) कुर्ता था। उसे वो घसीट रहे थे। (यानी उनका कुर्ता ज़मीन तक नीचा था) स़हाबा (रज़ि.) ने पूछा कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! उसकी क्या ता'बीर है? आपने फ़र्माया कि (इससे) दीन मुराद है।

(दीगर मक़ाम : 3691, 7008, 7009)

٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ
شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: ((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ
يُقَرِّضُونَ عَلِيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمْصٌ، مِنْهَا مَا
يَبْلُغُ الْبَدْيِ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ. وَغَرَضٌ
عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ
يَجْرُؤُ. قَالُوا: فَمَا أَوْلَتْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ؟ قَالَ: ((اللَّيْنُ)).

[أَطْرَافِهِ فِي : ٧٠٠٩, ٧٠٠٨, ٣٦٩١.]

तस्रीह: मतलब ये है कि दीन हज़रत उमर (रज़ि.) की ज़ात में इस तरह जमा हो गया कि किसी और को ये शरफ़ (श्रेय) हासिल नहीं हुआ। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) की शख़्सियत अपनी फ़िदाकारी व जाँनिषारी और दीनी अज़मत व अहलियत के लिहाज़ से हज़रत उमर (रज़ि.) से भी बढ़कर है और बुजुर्गी व अज़मत में वो सबसे बढ़कर हुए हैं। मगर इस्लाम को जो तरक़ी और दीन की हैषियत से जो (शानो-शौकत हज़रत उमर (रज़ि.) की ज़ात से हुई वो बढ़-चढ़कर

है। इससे ये भी मा'लूम हुआ कि उनका कुर्ता सबसे बढ़ा हुआ था, इसलिये उनकी दीनी फ़हम (समझ-बूझ) भी औरों से बढ़कर थी। दीन की इसी कमी-बेशी में उन लोगों की तर्दीद (खण्डन) है जो कहते हैं कि इमान कम व ज़्यादा नहीं होता। इस रिवायत के नक़ल करने से हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का यही मक़सद है।

'व मुताबकतुहू लित्तर्जुमति ज़ाहिरतुन मिन जिहति तावीलिल कुमुसि बिदीनि व क्रद जुकिर अन्नहुम मुतफ़ाज़िलून फ़ी लुब्सिहा फ़दल ल अला अन्नहुम मुतफ़ाज़िलून फ़िलईमानी' यानी हदीष व बाब की मुताबकत (समानता) साफ़ तौर पर ज़ाहिर है कि क़मीसों से दीन मुराद है और मज़कूर हुआ कि लोग उनके पहनने में कमी-बेशी की हालत में हैं। यही दलील है कि वो इमान में भी कम व ज़्यादा हैं।

अल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़मति हैं, 'व फ़ी हाज़ल हदीषि अत्तशबीहुल बलीगु व हुव तशबीहुदीनि बिल क़मीसि लिअन्नहू लियस्तिर औरतल इन्सानि व कज़ालिकहीन यस्तिरूहू मिनन्नारि व फ़ीहिदलालतु अलत्तफ़ाज़ुलि फ़िल ईमानी कमा हुव मफ़हुमु तावीलिल क़मीसि बिदीनि मअ मा ज़िक्विही मिन अन्नल्लाबिसीन यतफ़ाज़लून फ़ी लुब्सिही' यानी इस हदीष में एक गहरी बलीग़ तशबीह (अलंकारपूर्ण उपमा) है जो क़मीस के साथ दी गई है, क़मीस इन्सान के शरीर को छुपाने वाली है, इस तरह दीन दोज़ख़ की आग से छुपा लेगा। इसमें इमान की कमी-बेशी पर भी दलील है जैसा कि क़मीस के साथ दीन की ता'बीर का मफ़हूम है। जिस तरह क़मीस पहनने वाले उसके पहनने में कम व ज़्यादा हैं उसी तरह दीन में भी लोग कम व ज़्यादा दर्जे रखते हैं। पस इमान की कमी व ज़्यादती प्राबित हुई। इस हदीष के सारे रावी मदनी हैं। हज़रत इमामुल मुहद्दिषीन आगे उन चीज़ों का बयान शुरू फ़र्मा रहे हैं जिनके न होने से इमान में नुक़स (कमी/त्रुटि) लाज़िम आती है।

चुनाँचे अगला बाब इस मज़मून से मुता'ल्लिक है।

बाब 16 : शर्म व हया भी इमान से है

(24) अब्दुल्लाह इब्ने युसुफ़ ने हमसे बयान किया, वो कहते हैं कि हमें मालिक इब्ने अनस ने इब्ने शिहाब से ख़बर दी, वो सालिम बिन अब्दुल्लाह से नक़ल करते हैं, वो अपने बाप (अब्दुल्लाह बिन ड़मर (रज़ि.) से कि एक दफ़ा रसूले करीम (ﷺ) एक अंसारी शख़्स के पास से गुज़रे इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। आपने उस अंसारी से फ़र्माया कि उसको उस हाल पर रहने दो क्योंकि हया भी इमान ही का एक हिस्सा है। (दीगर मक़ाम : 6118)

١٦ - بَابُ الْحَيَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ

٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ - وَهُوَ يَعْطُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((دَعَهُ، لِإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ)).

إطرافه في : ٦١١٨.

तशरीह: बुखारी किताबुल अदब में यही रिवायत इब्ने शिहाब से आई है। इसमें लफ़ज़ यज़ु की जगह युआतिबु है जिससे ज़ाहिर है कि वो अन्सारी उसको इस बारे में इताब (गुस्सा/क्रोध) कर रहे थे। आँहज़रत (ﷺ) ने अन्सारी से फ़र्माया, 'इसे इसकी हालत पर रहने दो; हया इमान का ही हिस्सा है।'

हया कि हक्कीकत ये है कि इन्सान बुराई की निस्बत अपने नाम होने से डरे। हुराम कामों में हया करना वाज़िब है और मकरूहात (नापसन्दीदा कामों) में भी हया को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। 'अल हयाउ ला याती इल्ला बिख़ैर' का यही मतलब है कि हया ख़ैर ही लाती है। बाज़ सलफ़ का क़ौल है, 'ख़ुफ़िल्लाह अला कुदरतिही अलैक वस्तही मिन्हु अला कुदरतिही कुर्बुहु मिन्क' अल्लाह का ख़ौफ़ पैदा करो, इस अन्दाज़े के मुताबिक़ कि वो तुम्हारे ऊपर कितनी ज़बरदस्त कुदरत रखता है और उससे शर्म रखो, ये अन्दाज़ा करते हुए कि वो तुमसे किस क़दर करीब है। मक़सद ये है कि अल्लाह का ख़ौफ़ पूरे

तौर पर हो कि वो तुम्हारे ऊपर अपनी कामिल कुदरत रखता है; जब वो चाहे, जिस तरह चाहे तुमको पकड़े और उससे शर्मो-हया भी इस खयाल से होनी चाहिये कि वो तुम्हारी शहे राग से भी ज्यादा करीब है।

अल गरज़ हया और शर्म इन्सान का एक फ़ितरी नेक जज़्बा है जो उसे बेहयाई से रोक देता है और उसके तुफ़ैल (ज़रिये) वो बहुत से गुनाहों के करने से बच जाता है। ये ज़रूरी है कि हया से मुराद बेजा शर्म नहीं है जिसकी वजह से इन्सान की ज़ुरअते अमल (अमल करने का हौसला) ही मफ़कूद (गुम/गायब) हो जाए। वो अपने ज़रूरी फ़राइज़ की अदायगी में भी शर्मो-हया का बहाना तलाश करने लगे। हज़रत इमामुल मुहदिप्पीन इस हदीष की नक़ल से भी मुर्जिया की तर्दीद करना चाहते हैं जो ईमान को सिर्फ़ क़ौल, बिना अमल मानते हैं। हालांकि किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) में सारे आ'माले सालेहा वनेक आदतों को ईमान का ही अजज़ा (अंग) करार दिया गया है, जैसा कि ऊपर की हदीष से ज़ाहिर है कि हया जैसी पाकीज़ा आदत भी ईमान में दाख़िल है।

बाब 17 : अल्लाह तआला के इस फ़र्मान की तपस़ीर में कि अगर वो (काफ़िर) तौबा कर लें और नमाज़ कायम करें और ज़कात अदा करें तो उनका रास्ता छोड़ दो (यानी उनसे जंग न करो)

(25) इस हदीष को अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, उनसे अबूहमी बिन अम्मराने, उनसे शुअबाने, वो वाफ़िद बिन मुहम्मद से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं मैंने यह हदीष अपने बाप से सुनी, वो इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं किरसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया मुझे अल्लाह की तरफ़ से हुक्म दिया गया है किलोगों से जंग करो उस वक़्त तक कि वो इस बात का इकरार कर ले कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं है और यह कि मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और नमाज़ अदा करने लगें और ज़कात दें, जिस वक़्त वो यह करने लगेंगे तो मुझसे अपने जान व माल को महफूज़ कर लेंगे, सिवाए इस्लाम के हक़ के (रहा उनके दिल का हाल तो) उनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है।

۱۷- بَابُ ۱۷ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا

الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا

سَبِيلَهُمْ

۲۵- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَزْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ وَقِيدٍ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ:

سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((أَمِرْتُ أَنْ أَقْبِلَ

النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،

وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ

، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا

بَنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ،

وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ)).

तप़्शीह: अल्लामा इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं कि इस हदीष को ईमान के बाब में लाने से फ़िक्र-ए-ज़ाल्ला (गुमराह फिक्रा) मुर्जिया की तर्दीद (खण्डन) करना मफ़सूद (अभीष्ट) है। जिनका गुमान है कि ईमान के लिये अमल की हाज़त (कर्म की आवश्यकता) नहीं। आयत और हदीष में मुताबक़त (समानता) ज़ाहिर है; तौबा करने और नमाज़ व ज़कात की अदायगी पर आयत में हुक्म दिया गया है कि उनका रास्ता छोड़ दो यानी जंग न करो। और हदीष में उसकी मज़ीद तप़्सीर (विस्तृत व्याख्या) के तौर पर नमाज़ व ज़कात के साथ कलिम-ए-शहादत का भी ज़िक्र किया गया और बतलाया गया कि जो लोग उन ज़ाहिरी आ'माल को बजा लाएंगे उनको यक़ीनन मुसलमान ही तसव्वुर किया (यानो समझा) जाएगा और वे सारे इस्लामी हुकूक के हक़दार होंगे। रहा उनके दिल के हाल का सवाल, तो वो अल्लाह के हवाले है कि दिलों के भेदों का जानने वाला वही है।

'इल्ला बिहक्किरल इस्लाम' का मतलब ये है कि इस्लामी क़वानीन के तहत अगर वो किसी सज़ा या हद के मुस्तहिक्क होंगे तो उस वक़्त उनका ज़ाहिरी इस्लाम इस बारे में रुकावट न बन सकेगा और शरई सज़ा बिज़ज़रूर (अनिवार्यतः) उन पर लागू होगी। जैसे ज़ानी (ज़िना/बदकारी करने वाले) के लिये रजम (संगसार कर देना) है, नाहक़ ख़ूरज़ी (अकारण हत्या)

करने वाले के लिये क्रिसास (बदला) है। जैसे वो लोग जिन्होंने आँहज़रत (ﷺ) के विसाल के बाद ज़कात (अदा करने) से इन्कार कर दिया था, जिस पर हज़रत अबू बक्र सिदीक (रज़ि.) ने साफ़-साफ़ फ़र्मा दिया था कि 'लअत्रतुलत्रक मन फ़रक़ बैन इस्मलात वज़क़ात' जो लोग नमाज़ की फ़रज़ियत के काइल हैं मगर ज़कात की फ़रज़ियत और अदायगी से इन्कार कर रहे हैं उनसे मैं ज़रूर मुक़ातल: (युद्ध) करूंगा, 'इल्ला बिहक्रिल इस्लाम' में ऐसे सारे काम दाख़िल हैं।

मज़क़ूरा आयते शरीफ़ा सूरह तौबा में है जो पूरी यह है, 'फ़इज़न-स-ल ख़ल-अश़ुरुल-हरुमु फ़क्रतुलुल मुश्रिकीन हैसु वजत्तुमूहुम व ख़ुज़हुम वट्टुमूहुम वक्रइदू लहुम कुल- ल मर्दिन फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़क़ात फ़ख़ल्लू सबीलहुम इन्नल्लाह ग़फ़ूरुहूम' (तौबा : 5) यानी हुर्मत के महीने गुज़र जाने के बाद (मुदाफ़िआना तौर पर) मुश्रिकीन से जंग करो और जहाँ भी तुम्हारा दाँव लगे उनको मारो, पकड़ो, कैद कर लो और उनके पकड़ने या ज़ेर (अधीन) करने के लिये हर घात में बैठो। फिर अगर वो शरारत से तौबा करें और नमाज़ पढ़ने लगे और ज़कात देने लगे तो उनका रास्ता छोड़ दो क्योंकि अल्लाह पाक बख़शने वाला मेहरबान है।

आयते शरीफ़ा का ता'ल्लुक़ उन मुश्रिकीने अरब के साथ है जिन्होंने मुसलमानों को एक लम्हे के लिये भी सुकून से नहीं बैठने दिया और हर वक़्त वे मदीना की ईट से ईट बजाने की फ़िक्र में रहे और 'ख़ुद जियो और दूसरों को भी जीने दो' का फ़ितरी उज़ूल क़तअन भुला दिया। आख़िर मुसलमानों को मजबूरन मुदाफ़अत (हमले की रोक/बचाव) के लिये क़दम उठाना पड़ा। आयत का ता'ल्लुक़ उन्हीं लोगों से है, इस पर भी उन लोगों को आज़ादी दी गई कि अगर वो ज़ारिहाना इक़दाम से बाज़ आ जाएं और जंग बंद करके जिज़्या अदा करें तो उनको अमन दिया जाएगा और अगर इस्लाम कुबूल कर लें तो फिर वो इस्लामी बिरादरी के फ़र्द बन जाएंगे और उन्हें सारे इस्लामी हुकूक़ ह़ासिल होंगे।

अल्लामा क़स्तलानी फ़र्माते हैं, 'व यूख़ज़ू मिन हाज़ल हदीषि कुबूलुल आमालिज़ाहिरति वलहुक्मु बिमा यक़्तज़ीहिज़ाहिरु वल इक्तिफ़ाउ फ़ी कुबूलिल ईमानी बिलइतिक़ादिल जाज़िमि' यानी इस हदीष से मा'लूम हुआ कि ज़ाहिरी आ'माल को कुबूल किया जाएगा और ज़ाहिरी ह़ाल ही पर हुक्म लगाया जाएगा और पुख़ता ऐ'तिक़ाद (मज़बूत अक़ीदा/ठोस आस्था) को कुबूलियते ईमान के लिये काफ़ी समझा जाएगा।

अल्लामा इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं, 'व यूख़ज़ू मिनहु तर्कु त क़फ़ीरिन अहलुलबिदइल मुकर्रबीन बिताहीदिल मुलतज़िमीन लिशशराएइ व कुबूलि तौबतिल काफ़िरि मिन कुफ़िरी मिन ग़ैरि तफ़्सीलिन बैन कुफ़िन ज़ाहिरिन औ बातिनिन' यानी इस हदीष से ये भी लिया जाएगा कि जो अहले बिदअत तौहीद के इकरारी और शराएअ का इल्लिज़ाम (शरीअत को अपने ऊपर लाज़िम) करने वाले हैं उनकी तकफ़ीर न की जाएगी (यानी उनको काफ़िर नहीं कहा जाएगा) और ये कि काफ़िर की तौबा कुबूल की जाएगी और इसकी तफ़्सील में न जाएंगे कि वो तौबा ज़ाहिरी कर रहा है या उसके दिल से भी इसका ता'ल्लुक़ है क्योंकि ये मामला अल्लाह के हवाले है। हाँ! जो लोग बिदअत की मुहब्बत में गिरफ़्तार होकर ऐलानिया तौहीन व इन्कारे सुन्नत करेंगे वो ज़रूर आयते करीमा 'फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिव्वुल काफ़ीरिन' (आले इमरान : 32) के मिस्दाक़ होंगे।

हज़रत इमामुल मुहदिषीन (रह.) मुर्जिया की तर्दीद करते हुए और ये बतलाते हुए कि आ'माल भी ईमान ही में दाख़िल हैं, मज़ीद तफ़्सील (विस्तृत विवरण) के तौर पर आगे बतलाना चाहते हैं कि बहुत सी कुर्आनी आयात और अहदादीषे नबवी में लफ़्जे 'अमल' इस्ते'माल हुआ है, वहाँ उससे मुराद ईमान है। पस मुर्जिया का ये क़ौल कि ईमान क़ौल बिला अमल (मात्र वचन, कर्म रहित) का नाम है, बातिल (असत्य/झूठ) है।

हज़रत अल्लामा मौलाना उब्बैदुल्लाह साहब शैखुल हदीष (रह.) फ़र्माते हैं, 'व फ़िल हदीषि रहुन अलल मुर्जिअति फ़ी क़ौलिहिम अन्नल ईमान ग़ैर मुफ़्तकिरिन इलल आमालि व फ़ीहि तम्बीहुन अला अन्नल आ'माल मिनल ईमानी वल हदीषु मुवाफ़िकुन लि क़ौलिही तआला फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात फ़ख़ल्लौव सबीलहुम मुत्तफ़कुन अलैहि अख़जहुल बुख़ारी फ़िल ईमानी वस्सलाति मुस्लिमुन फ़िल ईमानी इल्ला अन्न मुस्लिमन लम यज़कुर इल्ला बिहक्रिल इस्लामि लाकिन्नहू मुरादुन वल हदीषु अख़जहु अयजन अश़ौख़ानि मिन हदीषि अबी हुरैरत वल बुख़ारी मिन हदीषि अनस व मुस्लिम मिन हदीषि जाबिर' (मिआत जिल्द अब्वल पेज नं. 36) मुराद वही है जो ऊपर बयान हुआ है। इस हदीष को इमाम बुख़ारी ने किताबुल ईमान और किताबुस्सलात में नक़ल किया है और इमाम मुस्लिम ने सिर्फ़ ईमान में और वहाँ लफ़्ज़ इल्ला बिहक्रिल इस्लाम ज़िक़र नहीं हुआ लेकिन मुराद वही है नीज़ इस हदीष को शौख़ान ने हदीषे अबू हुरैरह से और बुख़ारी ने हदीषे अनस से और मुस्लिम ने हदीषे जाबिर से भी रिवायत किया है।

बाब 18 : उस शख्स के क़ौल की तस्दीक़ में जिसने कहा कि ईमान अमल (का नाम) है

क्योंकि अल्लाह तआला का इर्शाद है 'और यह जन्नत है अपने अमल के बदले में तुम जिसके मालिक हुए हो' और बहुत से अहले इल्म हज़रत इर्शादे बारी (फ़ व रब्बिक ...) की तस्मीर में कहते हैं कि यहाँ अमल से मुराद 'ला इलाहा इल्लल्लाह' कहना है और अल्लाह तआला ने फ़र्माया है कि अमल करने वालों को उसी जैसा अमल करना चाहिए।

(26) हमसे अहमद बिन यूनुस और मूसा बिन इस्माईल दोनों ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, वो सईद बिन अल मुसय्यिब (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, वो हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा गया कि कौनसा अमल सबसे अफ़ज़ल है? फ़र्माया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना; कहा गया, उसके बाद कौनसा? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना; कहा गया, फिर क्या है? आपने फ़र्माया हज्जे मबरूर।

(दीगर मक़ाम : 1519)

۱۸- بَابُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى :

﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾. وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَوَرَبُّكَ لَنَسَأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ عَنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَالَ ﴿لِيُثَلَّ هَذَا فَلْيَعْمَلَ الْعَامِلُونَ﴾ ۲۶- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: ((إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ)) قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ((الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)). قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ((حَجٌّ مَبْرُورٌ)).

[ظرفه فی : ۱۰۱۹].

तशरीह : हज़रत इमाम क़द्दससिर्रुहु यहाँ भी प्राबित फ़र्मा रहे हैं कि ईमान और अमल दोनों चीज़ें दरहकीक़त एक ही हैं और कुआनी आयते जो यहाँ मज़कूर हैं, (उनमें) लफ़्ज़े अमल इस्ते' माल करके ईमान मुराद लिया गया है। जैसा कि आयते करीमा 'व तिल्कल जन्नतुल्लती औरप्रतुमुहा बिमा कुन्तुम तअमलून' (अज़ जुखरुफ़ : 72) में है और बहुत से अहले इल्म जैसे अनस बिन मालिक, मुजाहिद और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने बिलइत्तिफ़ाक़ (सर्वसम्मति) से कहा है कि आयते करीमा 'फ़ व रब्बिक' में 'अम्मा कानू यअमलून' (अल हिज़र : 93) ये कलिमा तय्यिबा 'ला इलाहा इल्लल्लाह' पढ़ना और इस पर अमल करना मुराद है कि क़यामत के दिन इसी के बारे में पूछा जाएगा। आयते शरीफ़ा 'लिमिज़िलि हाज़्ज़ा फ़लयअमलिल आमिलून' (अस स़ाफ़फ़ात : 61) में भी ईमान मुराद है। मक़सद ये कि किताबुल्लाह की इसी किस्म की सारी आयतों में अमल का लफ़्ज़ इस्ते' माल में लाकर ईमान मुराद लिया गया है। फिर मज़कूर हदीष में निहायत स़ाफ़ लफ़्ज़ों में मौजूद है, 'अय्युल अमलि अफ़ज़लु' कौनसा अमल बेहतर है? जवाब में फ़र्माया, 'ईमान बिल्लाहि व रसूलिही' अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) पर ईमान लाना। यहाँ इस बारे की ऐसी सराहत (स्पष्टीकरण) मौजूद है, जिसमें किसी तावील की गुंजाइश ही नहीं। बाब का मतलब भी यहीं से निकलता है क्योंकि यहाँ ईमान को स़ाफ़-स़ाफ़ लफ़्ज़ों में खुद आँहज़रत (ﷺ) ने लफ़्ज़ अमल से ता' बीर फ़र्माया है और दूसरे आ' माल को इसलिये जि़क़्र फ़र्माया कि ईमान से यहाँ अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) पर यक़ीन रखना मुराद है। इसी ईमानी ताक़त के साथ मर्दे-मोमिन जिहाद के मैदान में गामज़न होता है। हज्जे-मबरूर से ख़ालि़स हज्ज मुराद है जिसमें रिया व नुमूद (दिखावे) का शाइबा न हो। उसकी निशानी ये है कि हज्ज के बाद आदमी गुनाहों से तौबा करे, फिर गुनाहों में मुब्तला (लिप्त) न हो।

अल्लामा सिंधी फ़र्माते हैं, 'फ़मा वक्रअ फ़िल कुआनि मिन अतफ़िल अमलि अलल इमानी फ़ी मवाज़िअ फ़हुव मिन अतफ़िल आमि अलल ख़ासि लि मज़ीदिल इहतिमामि बिल ख़ासि वल्लाहु अअलमु' यानी कुआनि पाक के बाज़ मक़ामात पर अमल का अतफ़ ईमान पर वाक़ेअ हुआ है और ये ईमाने ख़ास के पेशेनज़र आम का अतफ़े-ख़ास पर है। खुलासा ये है कि जो लोग ईमान क़ौल बिला अमल का ए' तिक़ाद (यकीन) रखते हैं वो सरासर ख़ता पर हैं और किताबो-सुन्नत से उनका ये अक़ीदा बातिल, ज़ाहिर व बाहिर है।

अल्लामा इब्ने हज़र (रह) फ़तुहल बारी में फ़र्माते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) से पूछने वाले हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि) थे।

इमाम नववी (रह) फ़र्माते हैं कि इस हदीष में ईमान बिल्लाह के बाद जिहाद का फिर हज़्ज का ज़िक्र है। हदीषे अबू ज़र में हज़्ज का ज़िक्र छोड़कर इत्क़ यानी गुलाम आज़ाद करने का ज़िक्र है। हदीष इब्ने मसऊद (रज़ि) में नमाज़ फिर बिर (नेकी) फिर जिहाद का ज़िक्र है। कुछ जगह पहले उस शख़्स का ज़िक्र है कि जिसकी जुबान और हाथ से लोग सलामती में रहें। ये जुम्ला इख़ितलाफ़ात अहवाले मुख्तलिफ़ा की बिना पर और अहले ख़िताब की ज़रूरियात की बिना पर हैं। कुछ जगह सामेईन को जो चीज़ मा' लूम थीं उनका ज़िक्र नहीं किया गया और जो मा' लूम कराना था उसे ज़िक्र कर दिया गया। इस रिवायत में जिहाद को मुक़द्दम किया जो अरकाने ख़म्सा (पाँच बुनियादी अरकान) में से नहीं है और हज़्ज को मुअख़्ख़र किया जो अरकाने ख़म्सा में से है। ये इसलिये कि जिहाद का नफ़ा मुतअद्दी है यानी पूरी मिल्लत को हासिल हो सकता है और हज़्ज का नफ़ा एक हाज़ी की ज़ात तक मुन्हसिर है। आयते शरीफ़ा व तिल्कल जन्नत..... अल्अख़ सूरह जुख़रफ़ में है और आयते शरीफ़ा फ़व रब्बिका.... अल्अख़ सूरह हिज़्र में है और आयते शरीफ़ा लिमिस्लि हाज़ा..... अल्अख़ सूरह साफ़फ़ात में है।

तम्बीह (ताकीद) : हज़रत इमामुदुनिया फ़िल हदीष इमाम बुखारी (रह) के जुम्ला तराजिमे-अब्बाव पर गहरी नज़र डालने से आपकी दिक्कते नज़र व वुस्अते मा' लूमात, मुत्तहिदाना बसीरत, खुदादाद काबिलियत रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह होती है। मगर तअस्सुब का बुरा हो आजकल एक जमाअत ने उसी को खिदमते हदीष करार दिया है कि आपकी इल्मी शान पर जा व बेजा हमले करके आपके खुदादाद मुक़ाम को गिराया जाए और सहीह बुखारी शरीफ़ को अल्लाह ने जो क़बूलियते-आम अत्ता की है, जिस तौर पर भी मुम्किन हो उसे अदमे क़बूलियत में तब्दील किया जाए। अगरचे उन हज़रत की ये ग़लत कोशिश बिलकुल बेसूद (निरर्थक) है। फिर भी कुछ सीधे-सादे मुसलमान उनकी ऐसी नामुबारक कोशिशों से मुताफ़्फ़िर (प्रभावित) हो सकते हैं। उन हज़रत की एक नई अपच ये भी है कि हज़रत इमाम बुखारी (रह) हदीषे नबवी सिर्फ़ नक़ल किया करते थे मुत्तहिदाना बसीरत उनके हिस्से में नहीं आई थी। ये क़ौल इतना बातिल और बेहूदा है कि इसकी तदीद (खण्डन) में दस्तावेज़ लिखे जा सकते हैं। मगर विस्तार के डर से हम लगे हाथों सिर्फ़ हुज्जतुल हिन्द हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिष देहलवी (रह) का एक मुख्तस़र तब्स़रा नक़ल करते हैं जिससे वाज़ेह हो जाएगा कि हज़रत इमाम बुखारी (रह) की शान में ऐसी हरकतें करने वालों की दयानत व अमानत किस दर्जे में है। ये तब्स़रा हज़रतुल अल्लाम मौलाना वहीदुज्जमाँ (रह) के लफ़्ज़ों में ये है।

शाह वलीउल्लाह मुहद्दिष देहलवी (रह) ने अपनी कुछ तालीफ़ात (लेखनियों) में लिखा है कि एक दिन हम इस हदीष में बहष कर रहे थे, 'लौ कानल ईमानु इन्दुषुरय्या लना लहू रिजालुन औव रजुलुम्मिन हाउलाइ यअनी अहलु फ़ारस व फ़ी रिवायतिन लना लहू रिजालुन मिन हा उलाइ।' मैंने कहा इमाम बुखारी (रह) उन लोगों में दाखिल हैं इसलिये कि खुदा-ए-मन्नान ने हदीष का इल्म उन्हीं के हाथों मशहूर किया है और हमारे ज़माने तक हदीष इस्नाद के साथ सहीह मुत्तसिल उसी मर्द की हिम्मत-मर्दाना से बाक़ी रही। (जिस शख़्स के साथ बहष हो रही थी) वो शख़्स अहले हदीष से एक किस्म का बुज़्ज़ रखता था जैसे हमारे ज़माने के अक़़र फ़कीहों का हाल है। अल्लाह उनको हिदायत करे उसने मेरी बात को पसंद न किया और कहा कि इमाम बुखारी हदीष के हाफ़िज़ थे न आलिम। उनको ज़ईफ़ और हदीषे सहीह की पहचान थी लेकिन फ़िक्ह और फ़हम में कामिल न थे (ऐ जाहिल! तू ने इमाम बुखारी रह. की तस्नीफ़ात पर ग़ौर नहीं किया वना ऐसी बात उनके हक़ में नहीं निकालता। वो तो फ़िक्ह व फ़हम और बारीकी इस्तिम्बाज़ में त़ाक़ हैं और मुत्तहिदे मुत्लक़ हैं और उसके साथ हाफ़िज़े-हदीष भी थे, ये फ़ज़ीलत किसी मुत्तहिद को बहुत कम नज़ीब होती है) शाह साहब ने फ़र्माया कि मैंने उस शख़्स की तरफ़ से चेहरा फेर लिया। (क्योंकि जवाबे जाहिलाना बाशद ख़मूशी) और अपने लोगों की तरफ़ मुतवज्जह हुआ और मैंने कहा कि

हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह) तक्रीब में लिखते हैं, 'मुहम्मद बिन इस्माईल इमामुदुनिया फ़ी फ़िक्हिल हदीष' यानी इमाम बुखारी (रह) फ़िक्ह और हदीष में सारी दुनिया के इमाम हैं और ये अमर उस शख्स के नज़दीक जिसने फ़न्ने हदीष का ततब्बोअ किया हो, बदीही है। बाद उसके मैंने इमाम बुखारी (रह) की चंद तहक़ीकाते इल्मिया जो सिवा उनके किसी ने नहीं की हैं, बयान कीं और जो कुछ अल्लाह ने चाहा वो मेरी जुबान से निकला। (मुक़दमा तैसिरुल बारी, पेज नं. 27, 28)

साहिबे-ईज़ाहुल बुखारी (देवबन्द) ने भी हज़रत इमाम बुखारी (रह) को एक मुज्तहिद तस्लीम (स्वीकार) किया है जैसा कि इसी किताब के पेज नं. 20 पर लिखा हुआ है। मगर दूसरी तरफ़ कुछ ऐसे तअस्सुबी लोग भी मौजूद हैं जिनका मिशन ही ये है कि जिस तौर भी मुम्किन हो हज़रत इमाम बुखारी (रह) के रुतबे को कम किया जाए और उनका अपमान किया जाए।

ऐसे हज़रत को ये हदीष कुदसी याद रखनी चाहिए 'मन आदा ली वलिय्यन फ़क्रद अजिन्तहू बिल्हबि' अल्लाह के प्यारे बन्दों से अदावत रखने वाले, अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाएँ और नतीजा देख लें कि इस जंग में उनको क्या हासिल होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हज़रत इमाम बुखारी (रह) अल्लाह के प्यारे और रसूले करीम (ﷺ) के सच्चे फ़िदाई थे।

ये अर्ज़ कर देना भी ज़रूरी है कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह) भी अपनी जगह पर उम्मत के लिए बाअिषे स़द फ़ख़र हैं। उनकी मुज्तहिदाना कोशिशों के शुक्रिया से उम्मत किसी सूत में भी ओहदाबर (ज़िम्मेदारी से बरी) नहीं हो सकती। मगर उनकी ता'रीफ़ और तौसीफ़ में हम इमाम बुखारी (रह) की तन्कीस व तच्हील (नुक़स निकालना और अपमान) करना शुरू कर दें, ये इतिहाई ग़लत क़दम होगा। अल्लाह हम सबको नेक समझ अता फ़र्माए, आमीन!

हज़रत इमाम बुखारी (रह) क़दस सिर्रहु के मनाक़िब के लिए यही काफ़ी है कि वो न सिर्फ़ मुहदिष, फ़कीह, मुफ़स्सिर बल्कि वली-ए-कामिल भी थे। अल्लाहपरस्ती में मगन हो जाने का ये आलम था कि एक मर्तबा नमाज़ की हालत में आपको ज़ंबूर ने सत्रह बार काटा और आपने नमाज़ में उफ़ तक न की। नमाज़ के बाद लोगों ने देखा कि सत्रह जगह ज़ंबूर का डंक लगा और जिस्म का ज़्यादातर हिस्सा सूज गया है। आपकी सखावत का हर तरफ़ चर्चा था खुसूसन तलब-ए-इस्लाम का बहुत ज़्यादा खयाल रखा करते थे, इसीलिए उलम-ए-मुआसिरीन में से बहुत बड़ी ता'दाद का ये मुतफ़क़ा क़ौल (सर्वसम्मत कथन) है कि इमाम बुखारी (रह) को उलमा पर ऐसी फ़ज़ीलत हासिल है जैसी कि मदीं को औरतों पर हासिल है, वो अल्लाह पाक की आयाते कुदरत में से ज़मीन पर चलने फिरने वाली एक ज़िंदा निशानी थे, (रहमहुल्लाह)।

हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह) फ़र्माते हैं कि ये मनाक़िब हज़रत इमाम बुखारी (रह) के मशाइख़ और उनके ज़माने के उलमा के बयानकर्दा हैं अगर हम बाद वालों के भी अक्वाल नक़ल करें तो कागज़ ख़त्म हो जाएँगे और उम्र तमाम हो जाएगी मगर हम उन सबको न लिख सकेंगे। मतलब ये कि बेशुमार उलमा ने उनकी ता'रीफ़ की है।

बाब 19 : जब हक़ीक़ी इस्लाम पर कोई न हो

बल्कि महज़ ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान बन गया हो या क़त्ल के ख़ौफ़ से तो (लःवी हैथियत से उस पर) मुसलमान का इत्लाक़ दुरुस्त है। जैसाकि इशादे बारी है, जब देहातियों ने कहा कि हम ईमान ले आए आप कह दीजिए कि तुम ईमान नहीं लाए बल्कि यह कहो कि ज़ाहिर तौर पर मुसलमान हो गए। लेकिन अगर ईमान हक़ीक़तन हासिल हो तो वो बारी तआला के इशाद (बेशक़ दीन अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ इस्लाम ही है) का मिस्दाक़ है। आयते शरीफ़ा में लफ़ज़ ईमान और इस्लाम एक ही मा'नी में इस्ते'माल किया गया है।

١٩-بَابُ: إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ
وَكَانَ عَلَى الْإِسْتِسْلَامِ أَوْ الْخَوْفِ مِنْ
الْقَتْلِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ
أَمَّا. فَلَنْ نَمُتُ تَوَمِنُوا، وَلَكِنْ قَوْلُوا
أَسْلَمْنَا﴾ فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ لَهُوَ
عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ
اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾

(27) हमसे अबुल यमान ने बयान किया वो कहते हैं कि हमें शुऐब ने जुहरी से खबर दी, उन्हें आमिर सअद बिन अबी वक्रास ने अपने वालिद सअद (रज़ि.) से सुनकर यह खबर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चंद लोगों को कुछ अत्रिया दिया और सअद यहाँ मौजूद थे। (वो कहते हैं कि) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनमें से एक शख्स को कुछ न दिया। हालाँकि उनमें मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद था। मैंने कहा हुजूर आपने फ़लों को कुछ न दिया हालाँकि मैं उसे मोमिन गुमान करता हूँ। आपने फ़र्माया मोमिन या मुस्लिम? मैं थोड़ी देर चुप रहकर फिर पहली वाली बात दुहराने लगा। हुजूर (ﷺ) ने भी दुबारा वही सवाल किया। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ऐ सअद! बावजूद यह कि एक शख्स मुझे ज्यादा अज़ीज़ है (फिर भी मैं उसे नज़रअंदाज़ करके) किसी और दूसरे को इस ख़ौफ़ की वजह से यह माल दे देता हूँ कि (वो अपनी कमजोरी की वजह से इस्लाम से फिर जाए और) अल्लाह उसे आग में औंधा डाल दे। इस हदीष को यूनुस मालेह मअमर और जुहरी के भतीजे अब्दुल्लाह ने जुहरी से रिवायत किया।

(दीगर मक़ाम : 1478)

٢٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: شَعِبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ عَنِ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى رِفْطًا - وَسَعْدُ جَالِسٌ - فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ فَوَا اللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا. فَقَالَ: ((أَوْ مُسْلِمًا)) فَسَكَتُ قَلِيلًا. ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَا اللَّهِ لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ الْمَقَالَتِي. وَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ قَالَ: ((يَا سَعْدُ، إِنِّي لِأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيَةً أَنْ يَكْبَهُ اللَّهُ لِي النَّارَ)). وَرَوَاهُ يُونُسُ وَصَالِحٌ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

[أطرفه في : ١٤٧٨]

तशरीह : आयाते करीमा में बनू असद के कुछ देहातियों का ज़िक्र है जो मदीना में आकर अपने इस्लाम का इज़हार बतौर एहसान कर रहे थे, अल्लाह ने बताया कि ये मेरा एहसान है न कि तुम्हारा। हज़रत सअद ने उस शख्स के बारे में क़सम खाकर मोमिन होने का बयान दिया था। इस पर आपने तम्बीह फ़र्माई कि ईमान दिल का फ़ेअल है किसी को किसी के बातनि (छुपे हुए) की क्या खबर? ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान होने का हुकम लगा सकते हो। इस बाब और इसके अन्तर्गत ये हदीष लाकर इमाम बुखारी (रह) ये बतलाना चाहते हैं कि इस्लाम अल्लाह के नज़दीक वही कुबूल है जो दिल से हो। वैसे दुनियावी उमूर में ज़ाहिरी इस्लाम भी मुफ़ीद हो सकता है। इस मक़सद के पेशे नज़र हज़रत इमाम बुखारी (रह) ईमान और इस्लामे शरई में इतिहाद प्राबित कर रहे हैं और ये उसी मुज्तहिदाना बसीरत की बिना पर है जो अल्लाह ने आपकी फ़ितरत में अता फ़र्माई थी।

बाब 20: सलाम फैलाना भी इस्लाम में दाख़िल है

अम्मार ने कहा कि जिसने तीन चीज़ों को जमा कर लिया उसने सारा ईमान हासिल कर लिया। अपने नफ़्स से इंसाफ़ करना, सलाम को आलम में फैलाना और तंगदस्ती के बावजूद अल्लाह

٢٠- بَابُ إِفْشَاءِ السَّلَامِ مِنَ

الإسلام

وَقَالَ عَمْرٌو: ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ: الْإِنصَافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَبَدَلُ

की राह में खर्च करना।

(28) हमसे कुतैबा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष ने बयान किया, उन्होंने यज़ीद बिन अबी हबीब से, उन्होंने अबुल खैर से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अमर (रज़ि.) से; एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कौनसा इस्लाम बेहतर है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तू (भूखे को) खाना खिलाए और हर शख्स को सलाम करे खवाह तू उसको जानता हो या न जानता हो। (राजेअ : 12)

तशरीह : इमाम बुखारी (रह.) यहाँ भी मुर्जिया की तर्दीद फ़र्मा रहे हैं कि इस्लाम के मामूली आ'माले सालिहा (नेक कामों) को भी ईमान में शुमार किया (गिना) गया है। लिहाज़ा मुर्जिया का मज़हब बातिल है। खाना खिलाना और अहले इस्लाम को आम तौर पर सलाम करना अल ग़र्ज़ जुम्ला आ'माले सालिहा (सारे नेक कामों) को ईमान कहा गया है और हकीक़ी इस्लाम भी यही है। इन आ'माले सालिहा के कम व ज़्यादा होने पर ईमान की कमी व ज़्यादाती आधारित है।

अपने नफ़स से इंसफ़ करना यानी उसके आ'माल का जायज़ा लेते रहना और हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के बारे में इसका मुहासबा (हिसाब-किताब) करते रहना मुराद है और अल्लाह की इनायात का शुक्र अदा करना और उसकी इत्ताअत व इबादत में कोताही न करना भी नफ़स से इंसफ़ करने में दाख़िल है। यहाँ तक कि हर वक़्त, हर हाल में इंसफ़ को मदेनज़र रखना भी इसी ज़िम्न में शामिल है।

बाब 21 : खाविन्द की नाशुक्री के बयान में और एक कुफ़्र का (अपने दर्जे में)

दूसरे कुफ़्र से कम होने के बयान में। इस बारे में वो हदीष जिसे अबू सईद खुदरी ने आँहज़रत (ﷺ) से रिवायत किया है

(29) इस हदीष को हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, वो इमाम मालिक से, वो ज़ैद बिन असलम से, वो अत्ता बिन यसार से, वो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया मुझे जहन्नम दिखलाई गई तो उसमें ज़्यादातर औरतें थीं जो कुफ़्र करती हैं। कहा गया हुज़ूर क्या वो अल्लाह के साथ कुफ़्र करती हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि शौहर की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उग्र भर उनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो। फिर तुम्हारी तरफ़ से कभी कोई उनके खयाल में नागवारी की बात हो जाए तो फ़ौरन कह उठेगी कि मैंने कभी भी तुझसे कोई भलाई नहीं देखी।

(दीगर मक़ाम : 431, 748, 848, 1052, 3202, 5197)

السَّلَامِ لِلْعَالَمِ، وَالْإِنْفَاقِ مِنَ الْإِقْبَارِ.
٢٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَسَدُ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ : أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ : ((تَطْعِمُ
الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ
لَمْ تَعْرِفْ)). [راجع: ١٢]

٢٩- بَابُ كُفْرَانِ الْعَشِيرِ، وَكُفْرِ

دُونِ كُفْرِ.

فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

٢٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((أُرِيْتُ
النَّارَ، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ)).
قِيلَ : أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ : ((يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ،
وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى
إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ : مَا
رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ)).

[اطرافه في : ٤٣١، ٧٤٨، ١٠٥٢]

[٥١٩٧، ٣٢٠٢]

तशरीह:

हज़रत इमामुल मुहदिप्पीन ऋदस सिर्रहु ये बतलाना चाहते हैं कि कुफ़र दो तरह का होता है एक तो कुफ़र हकीकी है जिसकी वजह से आदमी इस्लाम से निकल जाता है। दूसरे कुछ गुनाहों के इर्तीकाब पर भी कुफ़र का लफ़्ज़ बोला गया है। मगर ये कुफ़र हकीकी कुफ़र से कम है। (अबू सईद वाली हदीष किताबुल हैज़ में है। इसमें ये है कि आपने औरतों को सद्के का हुक्म दिया और फ़र्माया कि मैंने दोज़ख में ज़्यादातर तुमको देखा है। उन्होंने पूछा क्यों? आपने फ़र्माया कि तुम लअनत बहुत करती हो और शौहर का कुफ़र यानी नाशुकी करती हो। इब्ने अब्बास (रज़ि) की ये हदीष बड़ी लम्बी है। जो बुखारी की किताबुल कुसूफ़ में है, यहाँ इस्तिदलाल के लिए हज़रत इमाम ने उसका एक टुकड़ा ज़िक्र कर दिया है।

इमाम कस्तलानी (रह) फ़र्माते हैं, 'व फ़ी हाज़ल हदीषि वअर्ज़ईसुल मरूस' अलअख़ यानी इस हदीष के तहत ज़रूरी हुआ कि सरदार अपने मातहतों को वअज़ व नसीहत करे और नेकी के लिए उनको रबत दिलाए और इससे ये भी निकला कि शागिर्द अगर उस्ताद की बात पूरे तौर पर न समझ पाए तो उस्ताद से दोबारा पूछ ले और इस हदीष से नाशुकी पर भी कुफ़र का इत्लाक़ प्राबित हुआ और ये भी मा'लूम हुआ कि मआसी (नाफ़रमानी) से ईमान घट जाता है। इसलिये कि मआसी को भी कुफ़र करार दिया गया है मगर ये वो कुफ़र नहीं है जिसके इर्तीकाब से दोज़ख में हमेशा रहना लाज़िम आता है। और ये भी प्राबित हुआ कि औरतों का ईमान जैसे शौहर की नाशुकी से घट जाता है, वैसे ही उनकी शुक्रगुजारी से बढ़ भी जाता है और ये भी प्राबित हुआ कि आ'माल ईमान में दाख़िल हैं।

हज़रत इमाम ने कुफ़रुन दूना कुफ़रिन का टुकड़ा हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि) के इस क़ौल से लिया है जो आपने आयते करीमा 'वमल् लम् यहकुम् बिमा अन्ज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून' (अल माइदा : 44) की तफ़सीर में फ़र्माया है। 'और जो शख़्स अल्लाह के उतारे हुए क़ानून के मुताबिक़ फ़ैसला न करे सो ऐसे लोग काफ़िर हैं।' हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि) फ़र्माते हैं कि आयते करीमा में वो कुफ़र मुराद नहीं है जिसकी सज़ा जहन्नम की आग है। इसलिये उलम-ए-मुहकिक्कीन ने कुफ़र को चार किस्मों पर बाँटा है (1) कुफ़र बिल्कुल इंकार के मा'नी मे है, यानी अल्लाह पाक का बिल्कुल इंकार करना उसका वजूद ही न तस्लीम करना, कुआन मजीद में ज़्यादातर ऐसे ही काफ़िरों से ख़िताब किया गया है (2) कुफ़रे जुहूद है यानी अल्लाह को दिल से इक़ जानना मगर अपने दुनियावी मफ़ाद के लिए जुबान से इक़रार न करना, मुशिकीने-मक्का में से कुछ का ऐसा ही कुफ़र था, आज भी ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं (3) कुफ़रे इनाद है यानी दिल में तस्दीक़ करना जुबान से इक़रार भी करना मगर अहकामे इलाही को तस्लीम न करना और तौहीद व रिसालत के इस्लामी अक़ीदे को मानने के लिये तैयार न होना, अतीत और वर्तमान में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं। (4) कुफ़रे निफ़ाक़ है यानी जुबान से इक़रार करना मगर दिल में यक़ीन न करना जैसा कि आयत शरीफ़ 'व इज़ा कीला लहुम आमिनु कमा आमनन्नासु कालू अनुअमिनु कमा आमनस्सुफ़हा' (अल बक़र : 13) में मज़कूर है। 'यानी कुछ लोग ऐसे हैं कि) जब उनसे कहा जाए कि तुम ऐसा पुख़ता ईमान लाओ जैसा कि दूसरे लोग (अंसार व मुहाजिरीन) लाए हुए हैं तो जवाब में कहने लग जाते हैं कि क्या हम भी बेवकूफ़ों जैसा ईमान ले आएँ। याद रखो यही (मुनाफ़िक़) बेवकूफ़ हैं लेकिन उनको इल्म नहीं है।'

बाब 22 : गुनाह जाहिलियत के काम हैं

और गुनाह करनेवाला गुनाह से काफ़िर नहीं होता। हाँ! अगर शिर्क करे तो काफ़िर हो जाएगा क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) ने हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से फ़र्माया था तू ऐसा आदमी है जिसमें जाहिलियत की बू आती है। (इस बुराई के बावजूद आप ﷺ ने उन्हें काफ़िर नहीं कहा) और अल्लाह ने सूरह निसा में फ़र्माया है बेशक अल्लाह

۲۲- بَابُ الْمَعَاصِي مِنَ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ.

وَلَا يَكْفُرُ صَاحِبُهَا بِأَرْكَانِهَا إِلَّا بِالشُّرْكِ
لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِنَّكَ أَمْرٌ مِنْكَ
جَاهِلِيَّةٌ)).

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: هُوَ اللَّهُ لَا يُفْرَقُ إِنْ

शिरक को नहीं बख्शेगा और उसके अलावा जिस गुनाह को चाहे वो बख्श दे। (सूरह हुजुरात में फ़र्माया) और अगर ईमानदारों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़ें तो उनमें सुलह करा दो (इस आयत में अल्लाह ने उस गुनाहे-कबीरा (यानी) क़त्ल व शारत के बावजूद भी उन लड़नेवालों को मोमिन ही कहा है)

(30) हमसे बयान किया अब्दुर्रहमान बिन मुबारक ने, कहा हमसे बयान किया हम्मदा बिन ज़ैद ने, कहा हमसे बयान किया अय्यूब और यूनस ने, उन्होंने हसन से, उन्होंने अहनफ़ बिन कैस से, कहा कि मैं उस शख्स (हज़रत अली रज़ि.) की मदद करने चला। रास्ते में मुझको अबूबक्र (रज़ि.) मिले। पूछा कहाँ जाते हो? मैंने कहा, उस शख्स (हज़रत अली) की मदद करने जाता हूँ। अबूबक्र (रज़ि.) ने कहा कि अपने घर को लौट जाओ। मैंने आँहज़रत (ﷺ) से सुना है आप (ﷺ) फ़र्माते थे जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारें लेकर भिड़ जाएँ तो क़ातिल और मक्त्तूल दोनों जहन्नमी हैं। मैंने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़ातिल तो ख़ैर (ज़रूर जहन्नमी होना चाहिए) मक्त्तूल क्यों? फ़र्माया वो भी अपने साथी को मार डालने की हिंस रखता था। (मौक़ा पाता तो वो उसे ज़रूर क़त्ल कर देता दिल के अज़मे स़मीम या'नी दिल से अज़म करने पर वो जहन्नमी हुआ)

(दीगर मक़ाम : 2875, 7083)

तशरीह : इस बात का मक़सद ख़वारिज और मुअतज़िला की तर्दीद है जो कबीरा गुनाह के मुर्तकिब को काफ़िर करार देते हैं। अहनफ़ बिन कैस जंगे-जमल में हज़रत अली (रज़ि.) के मददगारों में थे। जब अबूबक्र (रज़ि.) ने उनको ये हदीष सुनाई तो वो लौट गये।

हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं कि अबूबक्र (रज़ि.) ने इस हदीष को मुत्लक़ रखा। हालाँकि हदीष का मतलब ये है कि जब शरई वजह के बग़ैर दो मुसलमान नाहक़ लड़ें और हक़ पर लड़ने की कुआन में खुद इजाज़त है। जैसा कि आयत 'फ़इन् बग़त् इहदाहुमा अलल् उख़्रा' (अल् हुजुरात : 9) से ज़ाहिर है इसलिये अहनफ़ उसके बाद हज़रत अली (रज़ि.) के साथ रहे और उन्होंने अबूबक्र की राय पर अमल नहीं किया। इससे ये भी मा'लूम हुआ कि हदीषे नबवी (ﷺ) को पेश करते वक़्त उसका मौक़ा महल भी ज़रूरी मद्देनज़र रखना चाहिए।

(31) हमसे सुलैमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने वासिल अहदब से, उन्होंने मज़स्तर से, कहा मैं अबूज़र से ख़बज़ा में मिला। वो एक जोड़ा पहने हुए था। मैंने उसका सबब पूछा तो कहने लगे कि मैंने एक शख्स यानी गुलाम को बुरा-भला कहा था और उसकी माँ की ग़ैरत दिलाई (यानी गाली दी) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने यह मा'लूम करके मुझसे फ़र्माया ऐ अबूज़र! तूने उसे माँ के नाम से ग़ैरत दिलाई है,

يُشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ.

۳- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ
حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ
وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ
قَالَ: ذَمَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي
أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ
هَذَا الرَّجُلَ. قَالَ: ارْجِعْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ((إِذَا اتَّقَى
الْمُسْلِمَانِ بَسْتَيْفِيهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ
فِي النَّارِ)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا
الْقَاتِلُ، لِمَا بَأَلَ الْمَقْتُولُ؟ قَالَ: ((إِنَّهُ كَانَ
خَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ)).

[طرفاه في : ٦٨٧٥ ، ٧٠٨٣.]

۳۱- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ :
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الْأَخْذَبِيِّ عَنِ
الْمَعْرُورِ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ
حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ
فَقَالَ: إِنِّي سَأَيْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ،

बेशक तुझमें अभी कुछ ज़मान-ए-जाहिलियत का अषर बाक़ी है। (याद रखो) मातहत लोग तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ने (अपनी किसी मस्लिहत के आधार पर) उन्हें तुम्हारे क़ब्ज़े में दे रखा है तो जिसके मातहत उसका कोई भाई हो तो उसको भी वही खिलाए जो खुद खाता है और वही कपड़ा उसे पहनाए जो आप पहनता है और उनको उतने काम की तकलीफ़ न दो कि उनके लिए मुश्किल हो जाए और अगर कोई सख़्त काम डालो तो तुम खुद भी उनकी मदद करो। (दीगर मक़ाम : 2545, 6050)

فَقَالَ لِي النَّبِيُّ : (يَا أَبَا ذَرٍّ، أَعَيَّرْتَهُ بِأُمَّهِ ؟ إِنَّكَ أَمَرْتُ فِينِكَ جَاهِلِيَّةً. إِنْ خَوَّانَكُمْ خَوَّانَكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ. فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيَطْعَمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَيَلْبَسُهُ ثَمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تَكْفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ.))

[طرفاه ن: ٢٥٤٥، ٦٠٥٠]

तशरीह: हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी (रज़ि) क़दीमुल इस्लाम (शुरूआती लोगों में से ईमान लाने वालों में) हैं, बहुत ही बड़े ज़ाहिद व आबिद है। रब्ज़ा मदीना से तीन मंज़िलों के फ़ासले पर एक मुक़ाम है, वहाँ उनका क़याम था। बुखारी शरीफ़ में उनसे चौदह अहादीष मरवी हैं। जिस शख़्स को उन्होंने आर (ग़ैरत) दिलाई थी वो हज़रत बिलाल (रज़ि) थे और उनको उन्होंने उनकी वालिदा के स्याह फ़ाम (काली-कलूटी) होने का ताना दिया था। जिस पर आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि अबू ज़र अभी तुममें जाहिलियत का फ़ख़र बाक़ी रह गया। ये सुनकर हज़रत अबू ज़र अपने रुख़सार के बल ख़ाक पर लेट गये और कहने लगे कि जब तक बिलाल मेरे रुख़सार पर अपना क़दम न रखेंगे, मैं मिट्टी से न उठूँगा।

हुल्ला दो चादरों को कहते हैं। जो एक तहबंद की जगह और दूसरी जिस्म के ऊपरी हिस्से इस्ते'माल हो।

हज़रत इमाम बुखारी (रह) का मक़सद ये है कि हज़रत अबू ज़र (रज़ि) को आपने तम्बीह फ़र्माई लेकिन ईमान से ख़ारिज नहीं बतलाया। श़ाबित हुआ कि मअसियत (नाफ़रमानी) बड़ी हो या छोटी, महज़ उसके इर्तिक़ाब (यानी करने) से मुसलमान काफ़िर नहीं होता। पस मुअतज़िला व ख़वारिज का मज़हब बातिल है। हाँ! अगर कोई शख़्स मअसियत का इर्तिक़ाब करे और उसे हलाल जानकर करे तो उसके कुफ़्र में कोई शक भी नहीं है क्योंकि ये हुदूदे इलाही का तोड़ना है, जिसके लिये इश़ादि बारी है, 'व मंयतअद् हुदूदल्लाहि फ़ उलाइक हुमुज़्ज़ालिमून' (अल बक़र : 229) 'जो शख़्स हुदूदे इलाही को तोड़े वो लोग यक़्रीनन ज़ालिम हैं।' शैतान को इस ज़ेल में मिषाल के तौर पर पेश किया जा सकता है, जिसने अल्लाह की नाफ़रमानी की और उस पर ज़िद् और हठधर्मी करने लगा अल्लाह ने उसी की वजह से उसे मर्दूद करार दिया।

पस गुनाहगारों के बारे में इस फ़र्क़ का लिहाज़ रखना ज़रूरी है।

बाब 23 : इस बयान में कि बाज़ ज़ुल्म बाज़ से छोटे है

(32) हमारे सामने अबुल वलीद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअबा ने बयान किया (दूसरी सनद) और इमाम बुखारी (रह.) ने कहा कि हमसे (इसी हदीष को) बिशर ने बयान किया, उनसे मुहम्मद ने, उनसे शुअबा ने, उन्होंने सुलैमान से, उन्होंने अलक़मा से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसऊद से जब सूरह अनआम की यह आयत उतरी जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में गुनाहों की मिलावट नहीं की तो आप (ﷺ) के

٢٣- بَابُ ظَلَمَ دُونَ ظَلَمٍ

٣٢- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح. قَالَ: وَحَدَّثَنِي بَشَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَيُّنَا

असहाब ने कहा या रसूलुल्लाह (ﷺ)! यह तो बहुत ही मुश्किल है, हममें कौन ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया? तो अल्लाह पाक ने सूरह लुकमान की यह आयत उतारी कि बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। (दीगर मक़ाम: 3360, 3428, 3429, 4629, 4776, 6918, 6938)

तशरीह:

पूरी आयत में बिजुल्मिन के आगे उलाइक लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून के अल्फ़ाज़ और हैं या'नी अमन उन ही के लिए है और यही लोग हिदायतयाफ़ता हैं। मा'लूम हुआ कि जो मुवत्तिहद होगा उसे ज़रूर अमन मिलेगा चाहे कितना ही गुनाहगार हो। इसका ये मतलब नहीं है कि गुनाहों पर बिलकुल अज़ाब न होगा जैसा कि मुर्जिया कहते हैं। हदीष और आयत से बाब का तर्जुमा निकल आया कि एक गुनाह दूसरे गुनाह से कम होता है। हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह) फ़र्माते हैं कि सहाबा किराम में ज़ालिम का लफ़्ज़ शिर्क व कुफ़्र व मअसी (नाफ़रमानी) सब ही पर आम था। इसीलिए उनको इश्काल पैदा हुआ जिस पर आयत करीमा सूरह लुकमान वाली नाज़िल हुई और बतलाया गया कि पिछली आयत में जुल्म से शिर्क मुराद है। मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने ईमान के साथ जुल्मे अज़ीम यानी शिर्क का इख़ितलात्त न किया। उनके लिए अमन है। यहाँ ईमान की कमी व बेशी भी प्राबित हुई।

बाब 24 : मुनाफ़िक़ की निशानियों के बयान में

(33) हमसे सुलैमान अबुर रबीअ ने बयान किया, उनसे इस्माईल बिन जा'फ़र ने, उनसे नाफ़ेअ बिन अबी आमिर अबू सुहैल ने, वो अपने बाप से, वो हज़रत अबू हुदैरह (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से नक़ल करते हैं कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मुनाफ़िक़ की अलामतें (निशानियाँ) तीन हैं, जब बात करे झूठ बोले, जब वा'दा करे उसके ख़िलाफ़ करे और जब उसको अमीन बनाया जाए तो ख़यानत करे।

(दीगर मक़ाम: 2682, 2749, 6090)

तशरीह:

एक रिवायत में चार निशानियाँ ज़िक़र की गई हैं, चौथी ये कि इक़रार करके दगा करना, एक रिवायत में पाँचवी निशानी ये बतलाई गई है कि तकरार में गाली-गलौच बकना, अल्फ़ाज़ ये तमाम निशानियाँ निफ़ाक़ से ता'ल्लुक रखती हैं जिसमे ये सब जमा हो जाएँ उसका ईमान यक़ीनन महल्ले-नज़र (संदिग्ध) है मगर एहतियातन उसको अमली निफ़ाक़ करार दिया गया है जो कुफ़्र नहीं है। कुआन मजीद में 'ए' तिक़ादी मुनाफ़िक़ीन की मजम्मत है जिनके लिए कहा गया 'इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़िहरकिल अस्फ़लि मिनन्नारि' यानी मुनाफ़िक़ीन दोज़ख़ के सबसे नीचे तबके में दाख़िल होंगे।

(34) हमसे कुबैसा बिन उक़्बा ने यह हदीष बयान की, उनसे सुफ़यान ने, वो अअमश बिन अब्दुल्लाह बिन मुरह से नक़ल करते हैं, वो मसरूक़ से, वो अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि चार आदतें जिस किसी में हो तो वो ख़ालिस मुनाफ़िक़ है और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो (भी) मुनाफ़िक़ ही है, जब तक कि उसे छोड़ न दे, (वो यह हैं) जब उसे अमीन बनाया जाए तो वो

لَمْ يَظْلِمُوا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّ الشُّرَكَاءَ لَأَظْلَمَ عَظِيمًا﴾

[أطرافه في: ٣٣٦٠، ٣٤٢٨، ٣٤٢٩]

[٤٦٢٩، ٤٧٧٦، ٦٩١٨، ٦٩٣٧]

٢٤- بَابُ عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ

٣٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سَهْلٍ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

((آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ،

وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اتَّعِنَ خَانَ))

[أطرافه في: ٢٦٨٢، ٢٧٤٩، ٦٠٩٥]

٣٤- حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ بْنِ عَقْبَةَ اللَّهِ بْنِ مَرَّةَ

عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ

النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَتْ

مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خِصْلَةٌ

مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خِصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى

ख़यानत करे और बात करते वक़्त झूठ बोले और जब (किसी से) वा'दा करे तो उसे पूरा न करे और जब (किसी से) लड़े तो गालियों पर उतर आए। इस हदीष को शुअबा ने (भी) सुफ़यान के साथ अअमश से रिवायत किया है। (दीगर मक़ाम : 2459, 3178)

يَدْعَهَا: إِذَا اتَّعَمَنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا عَاصَمَ فَجَرَ). تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ.

[طرفاه في : ٢٤٥٩، ٣١٧٨]

तशीह : पहली हदीष में और दूसरी में कोई तआरुज़ नहीं; इसलिये कि इस हदीष में मुनाफ़िके-ख़ालिस (शुद्ध कपटी, एकदम दोगला इन्सान) के अल्फ़ाज़ हैं, मतलब ये है कि जिसमें चौथी आदत भी हो कि लड़ाई के वक़्त गालियाँ बकना शुरू करे तो उसका निफ़ाक़ हर तरह से मुक़म्मल है और उसकी अमली ज़िंदगी सरासर निफ़ाक़ की ज़िंदगी है और जिसमें सिर्फ़ एक आदत हो, तो बहरहाल निफ़ाक़ तो वो भी है, मगर कम दर्जे का है।

हज़रत इमाम बुखारी (रह) का मक़सद ईमान की कमी व बेशी प्राबित करना है जो इन अह्लादीष से ज़ाहिर है नीज़ ये बतलाना भी कि मअज़्नी (नाफ़रमानी) से ईमान में नुक़सान आ जाता है।

इन अह्लादीष में निफ़ाक़ की जितनी अलामतें ज़िक्र हुई हैं वो सब अमल से ता'ल्लुक़ रखती हैं। यानी मुसलमान होने के बाद फिर अमल में निफ़ाक़ का मुजाहि़रा (प्रदर्शन) हो और अगर निफ़ाक़ क़ल्ब (दिल) ही में है यानी सिरे से ईमान ही मौजूद नहीं और महज़ जुबान से अपने आपको मुसलमान ज़ाहिर कर रहा है तो वो निफ़ाक़ तो यक़ीनन कुफ़्र व शिर्क ही के बराबर है, बल्कि उनसे बढ़कर। आयते शरीफ़ा 'इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़िहरकिल अस्फ़लि मिनन्नारि' (अन् निसा : 145) 'यानी मुनाफ़िक़ीन दोज़ख़ के नीचे वाले दर्जे में होंगे।' ये ऐसे ही ए' तिकाद मुनाफ़िक़ों के बारे में है। अल्बत्ता निफ़ाक़ की जो अलामतें अमल में पाई जाएँ, उनका मतलब भी ये ही है कि क़ल्ब का ए' तिकाद और ईमान का पौधा कमज़ोर है और उसमें निफ़ाक़ का धुन लगा हुआ हो ख्वाह वो ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान बना हुआ हो, उसको अमली निफ़ाक़ कहते हैं। निफ़ाक़ के मा'नी ज़ाहिर व बातिन के इख़्तिलाफ़ के हैं। शरअ में मुनाफ़िक़ उसको कहते हैं जिसका बातिन कुफ़्र से भरपूर हो और ज़ाहिर में वो मुसलमान बना हुआ हो रहा ज़ाहिरी ज़िक़ की गई आदतों का अप्र सो ये बात मुतफ़क़ अलैह (सर्वसम्मत) है कि महज़ उन ख़साइले-ज़मीमा (बुरी आदतों) से मोमिन मुनाफ़िक़ नहीं बन सकता, वो मोमिन ही रहता है। अमानत से मुराद अमानते-इलाही यानी हूदूद इस्लामी हैं। अल्लाह ने कुआन पाक में इसी के बारे में फ़र्माया है। 'इन्ना अरज़नल् अमानत अलस्समावाति वल् अर्ज़ि वल जिबाल' (अल् अहज़ाब : 72) यानी 'मैंने अपनी अमानत को आसमान व ज़मीन और पहाड़ों पर पेश किया मगर उन्होंने अपनी कमज़ोरियों को देखकर इस बारे-अमानत के उठाने से इन्कार कर दिया। मगर इंसान ने इसके लिए इक़्रार कर लिया।' इसके मा'लूम न था कि ये कितना बड़ा बोझ है उसके बाद बाहमी तौर पर हर किस्म की अमानत मुराद हैं, वो माली हों या जानी या क़ौली, उन सबका लिहाज़ रखना और पूरे तौर पर उनकी हिफ़ाज़त करना ईमान की पुख्तगी की दलील है। बात बात में झूठ बोलना भी बड़ी मज़मूम आदत है। अल्लाह हर मुसलमान को बचाए, आमीन!

बाब 25 : शबे क़द्र की बेदारी (और इबादत

गुज़ारी) भी ईमान (ही में दाख़िल) है

(35) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्हें शुऐब ने ख़बर दी, कहा उनसे अबुज़्ज़िनाद ने अअरज़ के वास्ते से बयान किया, अअरज़ ने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से नक़ल किया, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख्स शबे क़द्र ईमान के साथ महज़ षवाबे आख़िरत के लिए ज़िक़ो इबादत में गुज़ारे, उसके पीछे के गुनाह बख़्श दिए जाते हैं।

٢٥- باب يَإِمْ اللّيلةِ الْقَدْرِ مِنَ

الإيمان

٣٥- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ يَأْتِيَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).

(दीगर मक़ाम : 37, 38, 1901, 2008, 2014)

الطراة ن : ٣٧ ، ٣٨ ، ١٩٠١ ، ٢٠٠٨ ، ٢٠١٤

बाब 26 : जिहाद भी जुज्वे-ईमान है

(36) हमसे हरमी बिन हफ़्स ने बयान किया, उनसे अब्दुल वाहिद ने, उनसे उमारा ने, उनसे अबू ज़रअ बिन अमर बिन ज़ुरै ने, वो कहते हैं मैंने हज़रत अबू हुरैरह से सुना, वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से नक़ल करते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख़्स अल्लाह की राह में (जिहाद के लिए) निकला, अल्लाह उसका ज़ामिन हो गया। (अल्लाह तआला फ़र्माता है) उसको मेरी ज़ात पर यक़ीन और मेरे पैग़म्बरों की तस्दीक़ ने (उस सरफ़रोशी के लिये घर से) निकाला है। (मैं इस बात का ज़ामिन हूँ) या तो उसको वापस कर दूँ प्रवाब और माले ग़नीमत के साथ, या (शहीद होने के बाद) जन्नत में दाख़िल कर दूँ (रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़र्माया) और अगर मैं अपनी उम्मत पर इस काम को दुश्वार न समझता तो लश्कर का साथ न छोड़ता और मेरी ख़्वाहिश है कि अल्लाह की राह में मारा जाऊँ, फिर ज़िन्दा किया जाऊँ, फिर मारा जाऊँ, फिर ज़िन्दा किया जाऊँ, फिर मारा जाऊँ।

(दीगर मक़ाम : 2787, 2797, 2972, 3123, 7226, 7227, 7457, 7463)

٢٦- بَابُ الْجِهَادِ مِنَ الْإِيمَانِ

٣٦- حَدَّثَنَا حُرَيْمِيُّ بْنُ عُلْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هَذَا الْوَالِدُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَارَةُ حَدَّثَنَا أَبُو رُوَيْحَةَ بْنُ عَمْرٍو بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((اتَّعَدَبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِمَنْ عَزَجَ فِي سَبِيلِهِ - لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيْمَانٌ بَيْنَ أَوْتَانَيْنِ بَرَسَلِي - أَنْ أُرْجَفَ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ حَيْبَةٍ، أَوْ أَدْبَلَهُ الْجَنَّةَ. وَلَوْ لَا أَنْ أَشَقَّ عَلَيَّ أَنْبِيَّ مَا لَقَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوْ دِدْتُ إِلَى الْقَلْبِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَشَأْ، ثُمَّ الْقَلْبُ ثُمَّ أَشَأْ، ثُمَّ الْقَلْبُ))

الطراة ن : ٢٧٨٧ ، ٢٧٩٧ ، ٢٩٧٢ ، ٣١٢٣ ، ٧٢٢٦ ، ٧٢٢٧ ، ٧٤٥٧ ، ٧٤٦٣

तशरीह: हज़रत इमाम (रह) ने पिछले अब्बाब (अध्यायों) में निफ़ाक़ की निशानियों का ज़िक्र किया था, अब ईमान की निशानियों को शुरू कर रहे हैं। चुनाँचे लैलतुल क़द्र का क़याम जो ख़ालिस अल्लाह की रज़ा के लिये हो, बतलाया गया कि वो भी ईमान का एक हिस्सा है। इससे हज़रत इमाम का मक़सद प्राबित हुआ कि आ'माले सालेहा ईमान में दाख़िल हैं और उनकी कमी व बेशी पर ईमान की कमी व बेशी मुन्हसिर (आधारित) है। पस मुर्जिया व करामिया जो अक़ाइद रखते हैं वो सरासर बातिल हैं। लैलतुल क़द्र तक्दीर से है यानी इस साल में जो हादसे पेश आने वाले हैं उनकी तक्दीरात का इल्म फ़रिशतों को दिया जाता है। क़द्र के मा'नी हुर्मत के भी हैं और इस रात की इज़्त कुआन मजीद ही से ज़ाहिर है। शबे क़द्र रमज़ान शरीफ़ की त़ाक़ रातों में से एक रात है जो हर साल अदलती बदलती रहती है। क़याम रमज़ान और क़यामे-लैलतुल क़द्र मिनहीन के दरम्यान हज़रत इमाम ने जिहाद का ज़िक्र फ़र्माया कि ये भी ईमान का एक जुज्वे-आज़म (सबसे बड़ा हिस्सा) है। हज़रत इमाम ने अपनी गहरी नज़र की बिना पर जहाँ इशाद फ़र्माया कि जिहाद मअन नफ़्स हो (यानी नफ़्स के साथ जिहाद हो) जैसा कि रमज़ान शरीफ़ के रोज़े और क़यामे-लैलतुल क़द्र वग़ैरह हैं। ये भी ईमान में दाख़िल हैं और जिहाद बिल कुफ़्फ़ार हो तो ये भी ईमान का हिस्सा है। नीज़ उस तरफ़ भी इशारा करना है कि जिहाद अगर रमज़ान शरीफ़ में वाक़ेअ हो तो और ज़्यादा प्रवाब है फिर अगर शहादत फ़ी सबीलिल्लाह भी नज़ीब हो जाए तो नूरुन अला नूर है।

हदीसे- जिहाद का मफ़हूम ज़ाहिर है कि मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह सिर्फ़ वही है जिसका ख़रूज ख़ालिस अल्लाह की

रजा के लिए हो। रसूलों की तस्दीक से मुराद उन सारी बशारतों पर ईमान लाना और उनकी तस्दीक करना है जो अल्लाह के रसूलों ने जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के बारे में फ़र्माई हैं। मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह के लिये अल्लाह पाक ने दो ज़िम्मेदारियाँ ली हैं। अगर उसे शहादत का दर्जा मिल गया तो वो सीधा जन्नत में दाखिल हुआ, हूरों की गोद में पहुँचा और हिसाब व किताब सबसे मुस्तफ़्ना (अलग व बरी) हो गया। वो जन्नत के मेवे खाता है और मुअल्लक़ किन्दीलों में बसेरा करता है और अगर वो सलामती के साथ घर वापस आ गया तो वो पूरे-पूरे प्रवाब के साथ और मुम्किन है कि माले गनीमत के साथ भी वापस हुआ हो।

इस हदीष में आँहज़रत (ﷺ) ने खुद भी शहादत की तमन्ना फ़र्माई, जिससे आप (ﷺ) उम्मत को शहादत का रुतबा व मर्तबा बतलाना चाहते हैं। कुआन मजीद में अल्लाह ने मोमिनो से उनकी जानों और मालों के बदले में जन्नत का सौदा कर लिया है जो बेहतरीन सौदा है।

हदीष शरीफ़ में जिहाद को क़यामत तक जारी रहने की ख़बर दी गई है, हाँ! तरीक़े-कार ह्यालात के तहत बदलता रहेगा। आजकल क़लमी जिहाद भी बड़ी अहमियत रखता है।

बाब 27 : इस बारे में कि रमज़ान शरीफ़ की रातों में नफ़ली क़याम करना भी ईमान ही में से है

(37) हमसे इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया, उन्होंने इब्ने शिहाब से नक़ल किया, उन्होंने हुमैद बिन अब्दुर्रहमान से, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया जो कोई रमज़ान में (रातों को) ईमान रखकर और प्रवाब की निय्यत से इबादत करे उसके अगले गुनाह बख़्श दिए जाते हैं।

(राजेअ: 35)

तशरीह: बाब के तर्जुमे का मक़सद क़यामे रमज़ान को भी ईमान का एक जुज़ प्राबित करना और मुर्जिया की तर्दीद करना है जो आ'माले सालेहा को ईमान से जुदा करार देते हैं। क़यामे रमज़ान से तरावीह की नमाज़ मुराद है। जिसमें आठ रक़आत तरावीह और तीन वित्र हैं। हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपने अहदे ख़िलाफ़त में तरावीह की आठ रक़आत को बाजमाअत अदा करने का तरीक़ा राइज़ फ़र्माया था। (मौता इमाम मालिक)

आजकल जो लोग आठ रक़आत तरावीह को नाजाइज़ और बिदअत करार दे रहे हैं वो सख़्त ग़लती पर हैं। अल्लाह उनको नेक समझ बख़्शे। आमीन

बाब 28 : इस बयान में कि ख़ालिस़ निय्यत के साथ रमज़ान के रोज़े रखना ईमान का हिस्सा है

(38) हमसे इब्ने सलाम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें मुहम्मद बिन फुज़ैल ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमसे यहाब बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने अबू सलमा से रिवायत की, वो हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और ख़ालिस़ निय्यत के साथ रखे उसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए गए।

۲۷- بَابُ تَطَوُّعِ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنَ

الْإِيمَانِ

۳۷- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).

[راجع: ۳۵]

۲۸- بَابُ صَوْمِ رَمَضَانَ احْتِسَابًا

مِنَ الْإِيمَانِ

۳۸- حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

(राजअ : 35)

→ बाब 29 : इस बयान में कि दीन आसान है

जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का इर्शाद है कि अल्लाह को सबसे ज्यादा वो दीन पसंद है जो सीधा और सच्चा हो। (और वो यक्नीन दीने इस्लाम है जो सच है)

(39) हमसे अब्दुस्सलाम बिन मुतह्मिर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको उमर बिन अली ने मअन बिन मुहम्मद गिफारी से खबर दी, वो सईद बिन अबू सईद मक्कबरी से, वो अबू हुरैरह (रजि.) से कि आँहजरत (ﷺ) ने फर्माया बेशक दीन आसान है और जो शख्स दीन में सख्ती इख्तियार करेगा तो उस पर दीन गालिब आ जाएगा (और उसकी सख्ती न चलेगी) बस (इसलिये) अपने अमल में पुख्तगी इख्तियार करो और जहाँ मुम्किन हो मियानारवी (मध्यमार्ग) बरतो और खुश हो जाओ (कि इस तर्जे अमल से तुमको दोनों जहाँ के फ़वाइद हासिल होंगे) और सुबह और दोपहर और शाम और किसी क़द्र रात में (इबादत से) मदद हासिल करो। (पंज वक़्ता नमाज़ कभी मुराद हो सकती है कि पाबन्दी से अदा करो) (दीगर मक़ाम : 5673, 6463, 7235)

तशीह : सूरह हज्ज में अल्लाह पाक ने फर्माया है 'मा जअल अलैकुम फ़िहीनि मिन हरजिन मिल्लत अबीकुम इब्राहीम' (अल हज्ज : 78) यानी 'अल्लाह ने दुनिया में तुम पर कोई सख्ती नहीं रखी बल्कि ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की मिल्लत है।' आयतें और अह्दादीष से रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि इस्लाम हर तरह से आसान है। उसके उसूलों और फ़रूइ अहकाम और जिस क़द्र अवामिर व नवाही हैं सब में इसी हक़ीक़त को मलहूज (दृष्टिगत) रखा गया है मगर सद अफ़सोस कि बाद के ज़मानों में खुद साख्ता ईजादात से इस्लाम को इस क़द्र मुश्किल बना लिया गया है कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह नेक समझ दे। आमीन!!

बाब 30 : इस बारे में कि नमाज़ ईमान का हिस्सा है और अल्लाह तआला ने फर्माया है कि अल्लाह तआला तुम्हारे ईमान को ज़ाया करनेवाला नहीं, यानी तुम्हारी वो नमाज़ें जो तुमने बैतुल मक्दिस् की तरफ़ मुँह करके पढ़ी हैं, कुबूल हैं

(40) हमसे अमर बिन ख़ालिद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे जुहैर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अबू इस्हाक़ ने बयान किया, उनको हजरत बराअ बिन आज़िब ने खबर दी कि

[راجع : 30]

۲۹- بَابُ الدِّينِ يُسْرًا،

وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: ((أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَبِيبِيَّةُ السَّمْحَةُ))

۳۹- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغَفَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْقُبَيْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ((إِنَّ الدِّينَ يُسْرًا، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدًا إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْقَدْوَةِ وَالرُّوحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْحَةِ)).

[أطرافه ن : ۵۶۷۳، ۶۴۶۳، ۷۲۳۵]

۳۰- بَابُ: الصَّلَاةِ مِنَ الْإِيمَانِ،

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ يَعْنِي صَلَاتِكُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ

۴۰- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَوَّلَ مَا قَلِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ

रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मदीना तशरीफ लाए तो पहले अपनी ननिहाल में उतरे, जो अंसार थे और वहाँ आपने 16 से 17 माह बैतुल मक्दिस् की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी और आपकी इवाहिश थी कि आपका क़िब्ला बैतुल्लाह की तरफ हो (जब बैतुल्लाह की तरफ नमाज़ पढ़ने का हुक्म हो गया) तो सबसे पहली नमाज़ जो आपने बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके पढ़ी वो अम्र की नमाज़ थी। वहाँ आप (ﷺ) के साथ लोगों ने भी नमाज़ पढ़ी, फिर आपके साथ नमाज़ पढ़ने वालों में से एक आदमी निकला और उसका मस्जिदे (बनी हारिषा) की तरफ गुज़र हुआ तो वो लोग रुकूअ में थे। वो बोला कि मैं अल्लाह की गवाही देता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मक्का की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी है। (यह सुनकर) वो लोग उसी हालत में बैतुल्लाह की तरफ घूम गए और जब रसूलुल्लाह (ﷺ) बैतुल मक्दिस् की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते थे यहूद और ईसाई खुश हुआ करते थे मगर जब आप (ﷺ) ने बैतुल्लाह की तरफ मुँह कर लिया तो उन्हें यह अम्र नागवार हुआ।

जुहैर (एक रावी) कहते हैं कि हमसे अबू इस्हाक़ ने बराअ से यह हदीष भी नक़ल की है कि क़िब्ला की तब्दीली से पहले कुछ मुसलमान इतिक़ाल कर चुके थे। तो हमें यह मा'लूम न हो सका कि उनकी नमाज़ों के बारे में क्या कहें? तब अल्लाह ने यह आयत नाज़िल की 'व मा कानल्लाहु लियुज़ीअ' (सूरह बक्रर : 143) (दीगर मक़ाम : 399, 4486, 4492, 7252)

عَلَىٰ أَجْدَادِهِ - أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ - مِنَ
الْأَنْصَارِ، وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِئَةَ
عَشْرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ
يُنَجِّهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَأَنَّهُ
صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ،
وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى
مَعَهُ فَمَرَّ عَلَىٰ أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ
فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ قِبَلَ مَكَّةَ، فَذَارُوا - كَمَا هُمْ -
قِبَلَ الْبَيْتِ. وَكَانَتْ الْيَهُودُ قَدْ أَغْضَبَهُمْ إِذْ
كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَهْلُ
الْكِتَابِ، فَلَمَّا وَتَىٰ وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ
انْتَكَرُوا ذَلِكَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ
عَنِ الْبَرَاءِ فِي حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَىٰ
الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ رِجَالٌ وَقِيلُوا، فَلَمْ
نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:
﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ﴾

إطرافه في: 399, 4486, 4492

[7202]

मुबारक ख़्वाब : इमान में आ'माले सालेहा भी दाखिल हैं, ये बहष पीछे भी मुफ़र्रसल (विस्तारपूर्वक) आ चुकी है मगर वहाँ ये आयत न थी। अल्हम्दुलिल्लाह एक रात तहज्जुद के वक़्त ख़्वाब में मुझको बार-बार ताकीद के साथ ये आयत पढ़कर कहा गया कि इसको यहाँ भी लिखो चुनाँचे हदीष 39 मे ये आयत मैंने इसी ख़्वाब की बिना पर नक़ल की है.... 'व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा' (दाऊद राज़)

बाब 31 : आदमी के इस्लाम की ख़ूबी (के दर्जे)

(41) इमाम मालिक रह. कहते हैं कि मुझे ज़ैद बिन असलम ने ख़बर दी, उन्हें अत्रा बिन यसार ने, उनको अबू सईद ख़ुदरी ने

31 - بَابُ: حُسْنُ إِسْلَامِ الْمَرْءِ

41 - حَدَّثَنَا قَالَ مَالِكٌ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ
أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا

बताया कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को यह इर्शाद फ़र्माते हुए सुना कि जब (एक) बन्दा मुसलमान हो जाए और उसका इस्लाम उम्दा हो (यक़ीन व ख़लूस के साथ हो) तो अल्लाह उसके गुनाह को जो उसने उस (इस्लाम लाने) से पहले किये थे, मुआफ़ फ़र्मा देता है और अब उसके बाद के लिए बदला शुरू हो जाता है (यानी) एक नेकी का बदला दस गुना से लेकर सात सौ गुना तक (प्रवाब) और एक बुराई का उसी बुराई के मुताबिक़ (बदला दिया जाता है) मगर यह कि अल्लाह तआला उस बुराई से भी दरगुजर करे। (और उसे भी मुआफ़ फ़र्मा दे। यह भी उसके लिए आसान है)

(42) हमसे इस्हाक़ बिन मंसूर ने बयान किया, उनसे अब्दुरज़ाक़ ने, उन्हें मुअमर ने हम्माम से ख़बर दी, वो हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुममें से कोई शख़्स जब अपने इस्लाम को उम्दा बना ले (यानी निफ़ाक़ और रिया से पाक कर ले) तो हर नेक काम जो वो करता है उसके बदले दस से लेकर सात सौ गुना तक नेकियाँ लिखी जाती हैं और हर बुरा काम जो करता है तो वो उतना ही लिखा जाता है (जितना कि उसने किया है)

तशरीह:

हज़रत इमामुल मुहद्दिषीन (रह) ने अपनी ख़ुदादाद बस़ीरत की बिना पर यहाँ भी इस्लाम व ईमान के एक होने और उनमें कमी व बेशी के सहीह होने के अक़ीदे का इल्बात (प्रमाण, पुबूत) फ़र्माया है और बतौर दलील उन अह्दादीषे पाक को नक़ल फ़र्माया है जिनसे साफ़ ज़ाहिर है कि एक नेकी का प्रवाब जब सात सौ गुना तक लिखा जा सकता है तो यक़ीनन इससे ईमान में ज़्यादाती होती है और किताब व सुन्नत की रू से यही अक़ीदा दुरुस्त है जो लोग ईमान की कमी व बेशी के क़ाइल नहीं हैं अगर वो बनज़रे अमीक़ (सूक्ष्म दृष्टि, गहरी नज़र) से किताब व सुन्नत का मुतालआ करेंगे तो ज़रूर उनको अपनी ग़लती का एहसास हो जाएगा। इस्लाम के बेहतर होने का मतलब ये कि अवामिर व नवाही को हर वक़्त सामने रखा जाए। इलाल व हराम में पूरे तौर पर तमीज़ की जाए, अल्लाह का डर, आख़िरत की तलाब, दोज़ख़ से पनाह हर वक़्त मांगी जाए और अपने ए'तिकाद व अमल व अख़लाक़ से इस्लाम का सच्चा नमूना पेश किया जाए इस हालत में यक़ीनन जो भी नेकी होगी उसका प्रवाब सात सौ गुने तक ज़्यादा किया जाएगा।

बाब 32 : अल्लाह को दीन (का) वो (अमल) सबसे ज़्यादा पसंद है जिसको पाबन्दी से किया जाए

(43) हमसे मुहम्मद बिन अल मुषन्नाने बयान किया, उनसे यह्या ने हिशाम के वास्ते से नक़ल किया, वो कहते हैं कि मुझे मेरे बाप

سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسَنَ إِسْلَامَهُ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا)).

٤٢- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ لِكُلِّ حَسَنَةٍ يَفْعَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَكُلِّ سَيِّئَةٍ يَفْعَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا)).

٣٢- بَابُ أَحَبِّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَدْوَمُهُ

٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ

(उर्वा) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत नक़ल की कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (एक दिन) उनके पास आए, उस वक़्त एक औरत मेरे पास बैठी थी, आपने पूछा यह कौन है? मैंने कहा फ़लाँ औरत और उसकी नमाज़ (के इशतियाक़ और पाबन्दी) का ज़िक्र किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया ठहर जाओ (सुन लो कि) तुम पर उतना ही अमल वजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर त़ाक़त है। अल्लाह की क़सम (प्रवाब देने से) अल्लाह नहीं उकताता, मगर तुम (अमल करते) उकता जाओगे, और अल्लाह को दीन (का) वही अमल ज़्यादा पसंद है जिसकी हमेशा पाबन्दी की जा सके (और इंसान बग़ैर उकताए उसे अंजाम दे) (दीगर: 1151)

बाब 33 : इमान की कमी और ज़्यादती के बयान में और अल्लाह तआला के इस क़ौल की (तप्सीर) का बयान

और मैंने उन्हें हिदायत में ज़्यादती दी- और दूसरी आयत की तप्सीर में कि और अहले इमान का इमान ज़्यादा हो जाए- फिर यह भी फ़र्माया, आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया क्योंकि जब कमाल में से कुछ बाक़ी रह जाए तो उसी को कमी कहते हैं।

(44) हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, उनसे हिशाम ने, उनसे क़तादा ने हज़रत अनस (रज़ि.) से बयान किया, वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया और उसके दिल में जौ बराबर भी (इमान) है तो वो (एक न एक दिन) दोज़ख़ से ज़रूर निकलेगा और दोज़ख़ से वो शख़्स (भी) ज़रूर निकलेगा जिसने कलिमा पढ़ा और उसके दिल में गेंहू के दाना बराबर ख़ैर है और दोज़ख़ से वो (भी) निकलेगा जिसने कलिमा पढ़ा और उसके दिल में एक ज़रा बराबर भी ख़ैर है।

हज़रत इमाम अबू अब्दुल्लाह बुखारी (रह.) फ़र्माते हैं कि अबान ने बरिवायत क़तादा बवास्ता हज़रत अनस (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) से ख़ैर की जगह इमान का लफ़्ज़ नक़ल किया है।

عَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعَبْدَهَا امْرَأَةً. قَالَتْ: مَنْ هِيَ؟ قَالَتْ: فُلَانَةٌ - تَذُكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا - قَالَ: ((مَنْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تَطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا)). وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

[طرفه بی: ۱۱۵۱].

۳۳- بَابُ زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَتَقْصَانِهِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ ﴿وَيَزِدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا﴾ وَقَالَ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ.

۴۴- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلِي قَلْبِهِ وَزَنَ شَيْئَةً مِنْ خَيْرٍ. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلِي قَلْبِهِ وَزَنَ بُرَّةً مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلِي قَلْبِهِ وَزَنَ ذَرَّةً مِنْ خَيْرٍ)).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ أَبَانٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((مِنْ الْإِيمَانِ)) مَكَانَ ((مِنْ خَيْرٍ)).

(दीगर मक़ाम : 4476, 6565, 7410, 7440, 7509, 7510, 4716)

[أطرافه في : ٤٤٧٦ ، ٦٥٦٥ ، ٧٤١٠]

[٧٥١٦ ، ٧٥١٠ ، ٧٥٠٩ ، ٧٤٤٠]

(45) हमसे इस हदीष को हसन बिन सबाह ने बयान किया, उन्होंने ने जा'फ़र बिन औन से सुना, वो अबुल इमैस से बयान करते हैं, उन्हें कैस बिन मुस्लिम ने तारिक बिन शिहाब के वास्ते से ख़बर दी। वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि एक यहूदी ने उनसे कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन! तुम्हारी किताब (कुआन) में एक आयत है जिसे तुम पढ़ते हो। अगर वो हम यहूदियों पर नाज़िल होती तो हम उस (के नुज़ूल के) दिन को यौमे ईद बना लेते। आपने पूछा वो कौनसी आयत है? उसने जवाब दिया (सूरह माइदा की यह आयत कि) 'आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेअमत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीने इस्लाम को पसंद किया।'

हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हम उस दिन और उस मुक़ाम को (ख़ूब) जानते हैं जब यह आयत रसूलुल्लाह (ﷺ) पर नाज़िल हुई थी (उस वक़्त) आप (ﷺ) अरफ़ात में जुमे के दिन खड़े हुए थे।

(दीगर मक़ाम : 4407, 4606, 4268)

٤٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّاحِ سَمِعَ جُفْرَةَ بْنَ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَمَّاسِ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَه: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَوْنَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَغْشَرُ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا: قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ الْمَائِدَةَ: ٣.

قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ، يَوْمَ جُمُعَةٍ.

[أطرافه في : ٤٤٠٧ ، ٤٦٠٦ ، ٧٢٦٨]

तशरीह : हज़रत उमर (रज़ि.) के जवाब का मतलब ये था कि जुम्आ का दिन और अरफ़ा का दिन हमारे यहाँ ईद ही माना जाता है इसलिये हम भी इस मुबारक दिन में इस आयत के नुज़ूल पर अपनी खुशी का इज़हार करते हैं, फिर अरफ़ा के बाद वाला दिन ईदुल अज़हा है, इसलिये जिस क़दर खुशी और मुसरत हमको इन दिनों में होती है उसका तुम लोग अंदाज़ा इसलिये नहीं कर सकते कि तुम्हारे यहाँ ईद का दिन खेल तमाशे और लह्वो-लइब (मौज-मजे) का दिन माना गया है, इस्लाम में हर ईद बेहतरीन रूहानी और ईमानी पैग़ाम लेकर आती है। आयते करीमा 'अल यौम अक्मल्लु लकुम दीनकुम' (अल माइदा : 3) में दीन के पूरे होने का ऐलान किया गया है, ज़ाहिर है कि कामिल सिर्फ़ वही चीज़ है जिसमें कोई नुक़स बाक़ी न रहा गया हो, पस इस्लाम आँहज़रत (ﷺ) के अहदे मुबारक में कामिल मुकम्मल हो चुका है जिसमें किसी तक्लीदी मज़हब का वजूद न किसी ख़ास इमाम के मुताअे-मुत्लक़ का तसव्वुर था। कोई तीजा, फ़ातिहा, चहलुम के नाम से रस्म न थी। हनफ़ी, शाफ़ई, मालिकी, हंबली निस्बतों से कोई आशना (परिचित) न था क्योंकि ये बुजुर्ग लम्बे अर्स के बाद पैदा हुए और तक्लीदी मज़ाहिब का इस्लाम की चार स़दियों तक पता न था, अब इन चीज़ों को दीन में दाख़िल करना, किसी इमाम बुजुर्ग की तक्लीदे मुत्लक़ वाजिब करार देना और उन बुजुर्गों से ये तक्लीदी निस्बत अपने लिए लाज़िम समझ लेना ये वो उमूर हैं जिनको हर बसरीत (समझ) वाला मुसलमान दीन में इज़ाफ़ा ही कहेगा। मगर स़द अफ़सोस कि उम्मत मुस्लिमा का एक जम्मे ग़फ़ीर इन इज़ादात पर इस क़दर पुख्तगी के साथ ए' तिक़ाद रखता है कि इसके ख़िलाफ़ वो एक हर्फ़ सुनने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ़ यही नहीं बल्कि इन इज़ादात ने मुसलमानों को इस क़दर फ़िक्रों में तक्सीम कर दिया है कि अब उनका मर्कज़े-वाहिद (एक केन्द्र) पर जमा होना

तक्लीबन नामुक्किन नज़र आ रहा है। मसलके मुहद्दिषीन बिहम्दिही तआला इस जुमूद और इस अंधी तक्लीद के खिलाफ़ ख़ालिस उस इस्लाम की तर्जुमानी करता है जो आयते शरीफ़ा 'अल यौम अक्मलतु लकुम दीनकुम' (अल माइदा : 3) में बताया गया है। तक्लीदी मज़ाहिब के बारे में किसी साहब बसरीत ने ख़ूब कहा है :

दीने हक़ रा चार मज़हब साख़तंद रखना दर दीने नबी अन्दाख़तंद

यानी लोगों ने दीने हक़ जो एक था, उसके चार मज़हब बना डाले, इस तरह नबी करीम (ﷺ) के दीन में रखना डाल दिया।

बाब 34 : ज़कात देना इस्लाम में दाख़िल है

और अल्लाह पाक ने फ़र्माया, हालाँकि उन काफ़िरों को यही हुक्म दिया गया है कि ख़ालिस अल्लाह ही की बंदगी की निच्यत से एक तरफ़ होकर उसी अल्लाह की इबादत करें और नमाज़ कायम करें और ज़कात दें यही पुख़ता दीन है।

(46) हमसे इस्माईल ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया, उन्होंने अपने चचा अबू सुहैल इब्ने मालिक से, उन्होंने अपने बाप (मालिक बिन अबी आमिर) से, उन्होंने तलहा बिन अब्दुल्लाह से वो कहते थे नजद वालों में से एक शख़्स आँहज़रत (ﷺ) के पास आया, सर परेशान यानी बाल बिखरे हुए थे, हम उसकी आवाज़ की भिनभिनाहट सुनते थे और हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कह रहा है। यहाँ तक कि वो नज़दीक आ पहुँचा, जब मा'लूम हुआ कि वो इस्लाम के बारे में पूछ रहा है। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया इस्लाम दिन-रात में पाँच नमाज़ें पढ़ना है, उसने कहा बस इसके सिवा और कोई नमाज़ तो मुझ पर नहीं। आपने फ़र्माया नहीं! मगर तू नफ़्ल पढ़े (तो और बात है) आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया और रमज़ान के रोज़े रखना। उसने कहा और तो कोई रोज़ा मुझ पर नहीं है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया नहीं मगर तू नफ़्ल रोज़े रखे (तो और बात है) तलहा ने कहा और आँहज़रत (ﷺ) ने उससे ज़कात के बारे में बयान किया। वो कहने लगा कि बस और कोई स़दक़ा तो मुझ पर नहीं है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया मगर यह कि तू नफ़्ल स़दक़ा करे (तो और बात है) रावी ने कहा फिर वो शख़्स पीठ मोड़कर चला। यूँ कहता जाता था, क़सम अल्लाह की! मैं न इससे बढ़ाऊँगा न घटाऊँगा, आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया अगर यह सच्चा है तो अपनी मुराद को पहुँच गया।

۳۴- بَابُ: الزَّكَاةُ مِنَ الْإِسْلَامِ،

وَقَوْلُهُ تَعَالَى :

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الَّذِينَ حَفِظُوا، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ، وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ البينة : ٥

٤٦- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ
بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سَهْلٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ
أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ
نَجْدٍ لَابِرُ الرَّأْسِ نَسَمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا
نَفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، لِإِذَا هُوَ يَسْأَلُ
عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

((حَمَسُ صَلَوَاتِي لِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ)).

فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: ((لَا، إِلَّا أَنْ
تَطُوعًا)). قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((وَصِيَامُ

رَمَضَانَ)). قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ:

((لَا، إِلَّا أَنْ تَطُوعًا)). قَالَ وَذَكَرَ لَهُ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (زَكَاةً) قَالَ: هَلْ عَلَيَّ

غَيْرُهَا؟ قَالَ: ((لَا، إِلَّا أَنْ تَطُوعًا)). قَالَ

فَادْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَرِيدُ

عَلَيَّ هَذَا وَلَا أَنْقُصُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

((أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ)).

था, उनमें कोई यूँ नहीं कहता था कि मेरा ईमान जिब्रईल व मीकाईल के ईमान के जैसा है और हसन बसरी से मनकूल है, निफ़ाक़ से वही डरता है जो ईमानदार होता है और इससे निडर वही होता है जो मुनाफ़िक़ है। इस बाब में आपस की लड़ाई और गुनाहों पर अड़े रहने और तौबा न करने से भी डराया गया है। क्योंकि अल्लाह पाक ने सूरह आले इमरान में फ़र्माया, 'और अपने बुरे कामों पर वो जान-बूझकर अड़ा नहीं करते।'

عَلَى نَفْسِهِ. مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى
إِيمَانٍ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ. وَيَذَكَّرُ عَنِ
الْحَسَنِ: مَا خَالَهَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا أَمِنَهُ إِلَّا
مُنَافِقٌ. وَمَا يُحْتَلَزُ مِنَ الْإِصْرَارِ عَلَى
النَّفَاقِ وَالْمِصْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ، لِقَوْلِ اللَّهِ
تَعَالَى: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ
يَعْلَمُونَ﴾.

(48) हमसे मुहम्मद बिन अरअरह ने बयान किया, वो कहते हैं कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने जुबैद बिन हारिष से, कहा मैंने अबू वाइल से मुर्जिया के बारे में सवाल किया, (वो कहते हैं गुनाह से आदमी फ़ासिक़ नहीं होता) उन्होंने कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने बयान किया कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुसलमान को गाली देने से आदमी फ़ासिक़ हो जाता है और मुसलमान से लड़ना कुफ़्र है।

٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْوَةَ قَالَ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي
وَإِلٍ عَنِ الْمُزَنِيِّ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((سِيَابُ الْمُسْلِمِ لُسُوقٌ
وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)).

(दीगर मक़ाम : 6044, 7076)

[طرفاه في : ٦٠٤٤, ٧٠٧٦].

(49) हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे इस्माईल बिन जा'फ़र ने बयान किया, उन्होंने ने हुमैद से, उन्होंने अनस (रज़ि.) से, कहा मुझको उबादा बिन सामित ने ख़बर दी कि आँहज़रत (ﷺ) अपने हुजे से निकले, लोगों को शबे क़द्र बताना चाहते थे (वो कौनसी रात है) इतने में दो मुसलमान आपस में लड़ पड़े, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं तो इसलिये बाहर निकला था कि तुमको शबे क़द्र बताऊँ और फ़लाँ-फ़लाँ आदमी लड़ पड़े तो वो मेरे दिल से उठा ली गई और शायद इसी में कुछ तुम्हारी बेहतरी हो। (तो अब ऐसा करो कि) शबे क़द्र को रमज़ान की 27वीं, 29वीं व 25वीं रात में ढूँढा करो।

٤٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُبَيْدِ بْنِ أَنَسٍ
قَالَ: أَخْبَرَنِي عِبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ،
فَتَلَاخَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ:
«إِنِّي خَرَجْتُ لِأَخْبِرْكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ
تَلَاخَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ
يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ التَّمَسُّوهُمَا فِي السَّبْعِ
وَالْتَسَعِ وَالْخَمْسِ».

(दीगर मक़ाम : 2023, 6049)

[طرفاه في : ٦٠٤٩, ٢٠٢٣].

तशरीह: इस हदीष से भी हज़रत इमाम बुखारी (रह) का मक़सूद (उद्देश्य) मुर्जिया की तर्दीद करते हुए ये बतलाना है कि नेक आ'माल से ईमान बढ़ता है और गुनाहों से घटता है।

शबे क़द्र के बारे में आप (ﷺ) ने फ़र्माया है कि वो रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों में से एक पोशिदा (छुपी हुई एक) रात है और वो हर साल उन तारीख़ों में घूमती रहती है, जो लोग शबे क़द्र को सत्ताईसवीं रात के साथ मख़सूस समझते हैं, उनका ख़याल सहीह नहीं।

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) : हदीष 45 में और इसी तरह बहुत सी मरवियात में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) का नाम बार बार आता है लिहाज़ा उनके मुख़्तस़र हालात जानने के लिए ये काफ़ी है कि आप इल्मे हदीष के सबसे बड़े हाफ़िज़ और असातीन में शुमार हैं, साहिबे फ़त्वा अइम्मा की जमाअत में बुलंद मर्तबा रखते थे। इल्मी शौक़ में सारा वक़्त नबी (ﷺ) की खिदमत में गुज़ारते थे, दुआएँ भी इल्म में बढ़ोतरी की ही की मांगते थे, नशरे-हदीष में दस्तरस (योग्यता/महारथ) हासिल थी। अरबी के अलावा फ़ारसी व इब्रानी भी जानते थे, तौरात के मसाइल से भी पूरी वाक़फ़ियत थी।

ख़शियते रब्बानी (ख़ौफ़े-इलाही) का ये आलम था कि इहतिसाबे क़यामत के ज़िक़र पर चीख़ मारकर बेहोश हो जाते थे, एक मर्तबा मख़सूस तौर पर ये हदीष सुनाई जिसके दौरान में कई मर्तबा बेहोश हुए।

हुज़ूर (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया कि बरोज़े क़यामत सबसे पहले आलिमे कुर्आन, शहीद और दौलतमंद फ़ैसले के लिये त़लब होंगे, अब्वल अज़्ज़िक़र से पूछा जाएगा कि मैंने तुझे इल्मे कुर्आन अज़्ज़ा किया, उस पर तूने अमल भी किया? जवाब देगा रात-दिन तिलावत करता रहता था। (अल्लाह) फ़र्माएगा, झूठ बोलता है, तू इसलिये तिलावत करता था कि क़ारी का ख़िताब मिल जाए, मिल गया। दौलतमंद से सवाल होगा कि मैंने तुझे दौलतमंद बनाकर दूसरों की दस्तगीरी से बेनियाज़ नहीं किया था? उसका बदला क्या दिया? (वो) अर्ज़ करेगा सिलहरहमी करता था, स़दक़ा देता था। (अल्लाह की तरफ़ से) इर्शाद होगा, झूठ बोलता है मक़्स़द तो ये था कि सख़ी मशहूर हो जाए, वो हो गया। शहीद से सवाल होगा। वो कहेगा इलाहुल आलमीन! मैं तो तेरे हुक्मे जिहादी के तहत लड़ा, यहाँ तक कि तेरी राह में मारा गया। (अल्लाह का) हुक्म होगा ग़लत है, तेरी निव्यत तो ये थी कि दुनिया में शुजाअ (बहादुर के तौर पर) मशहूर हो जाए, वो मक़्स़द हासिल हो गया। मेरे लिए क्या किया? ये हदीष बयान करके हुज़ूर (ﷺ) ने मेरे जानू पर हाथ मारकर इर्शाद फ़र्माया कि सबसे पहले इन्हीं तीनों से जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। (तिर्मिज़ी अब्बाबुज जुहद)

उन्हें इबादत से मुहब्बत थी, घर में एक बीवी और एक खादिम था, तीनों बारी-बारी तिहाई तिहाई रात इबादत में मस्रूफ़ (व्यस्त) रहते थे। कुछ औक़ात पूरी-पूरी रातें नमाज़ में गुज़ार देते। महीने के शुरू में तीन रोज़े इत्तिज़ाम के साथ रखते, एक रोज़ तक्बीर की आवाज़ सुनकर एक साहब ने पूछा तो फ़र्माया कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि एक दिन वो था कि मैं बर्ह बिन्ते ग़ज्वान के पास महज़ रोटी पर मुलाज़िम था, उसके बाद वो दिन भी अल्लाह ने दिखाया कि वो मेरे अक़्द (निकाह) में आ गई।

हुज़ूर (ﷺ) से बेहद मुहब्बत थी, रसूल (ﷺ) के उस्वे पर सख़ती से पाबन्द थे, अहले बैते-अत्हर से वालिहाना मुहब्बत रखते थे और जब हज़रत हसन (रज़ि) को देखते तो आबदीदा हो जाते थे। वालदेन की इताअत का ये कितना शानदार मुजाहरा था कि शौक़े इबादत के बावजूद महज़ माँ की तन्हाई के खयाल से उनकी ज़िंदगी में हज़्ज नहीं किया। (मुस्लिम जिल्द : 2)

काबिले फ़ख़र खुसूसियत ये है कि वैसे तो आपके अख़लाक़ बहुत बुलंद थे और हक़गोई के जोश में बड़े से बड़े शख़्स को फ़ौरन रोक देते थे, चुनाँचे जब मदीना में हुण्डी या चक का रिवाज हुआ तो आपने मरवान से जाकर कहा कि तू ने रिबा (ब्याज) हलाल कर दिया क्योंकि हुज़ूर (ﷺ) का इर्शाद है कि खाने की चीज़ों की बेअ उस वक़्त जाइज़ नहीं जब तक कि बायेअ उसे नाप-तौल न ले, उसी तरह उसके यहाँ तस्वीरें लटकी देखकर उसे टोका और उसे सर झुकाकर तस्लीम करना पड़ा। एक दफ़ा मरवान की मौजूदगी में फ़र्माया कि हुज़ूर (ﷺ) ने सहीह फ़र्माया है कि मेरी उम्मत की हलाकत कु रेश के लौण्डों के हाथों में होगी।

लेकिन सबसे नुमायाँ चीज़ ये थी कि मंसूबे-इमारत पर पहुँचकर अपने फ़क़्र (ग़रीबी) को न भूले। ये हालात थी कि रोटी के लिए घोड़े के पीछे दौड़ते, मुसलसल फ़ाकों से ग़श पे ग़श आते, हुज़ूर (ﷺ) के सिवा कोई पूछने वाला न था। अइहाबे सुफ़फ़ा में थे किसी से सवाल न करते, लकड़ियाँ जंगल से काट लाते, इससे भी काम न चलता, रहगुज़र पर बैठ जाते कि कोई खिलाने के लिये ले जाए उसके बाद ये आलम हुआ कि गवर्नरी पर पहुँच गये, सब कुछ हासिल हो गया, लेकिन फ़क़ीराना सादगी बराबर क़ायम रखी, वैसे अच्छे से अच्छा पहना, कताँ के बने हुए कपड़े पहने और एक से नाक साफ़ करके कहा, वाह वाह! अबू हुरैरह (रज़ि) आज तुम कताँ से नाक साफ़ करते हो, हालाँकि कल फ़ाक़ा की शिद्दत (भूख की तीव्रता) से मस्जिदे

नबवी में ग़श खाकर गिर पड़ा करते थे। शहर से निकलते तो सवारी में गधा होता, जिस पर मामूली नमदह कसा होता है। छाल की रस्सी की लगाम होती। जब सामने कोई आ जाता तो मज़ाक़न ख़ुद कहते, रास्ता छोड़ो अमीर की सवारी आ रही है।

बड़े मेहमान-नवाज़ थे, अल्लाह तआला आज किसी को मामूली फ़ारिगुलबाली (बेनियाज़ी) भी अत्ता करता है तो गुरूर से हालत कुछ और हो जाती है मगर अल्लाह ने आपको ज़मीन से उठाकर अर्श पर बिठा दिया, लेकिन सादगी का वही आलम रहा।

बाब 37: हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम का आँहज़रत (ﷺ) से ईमान, इस्लाम और एहसान और क़यामत के इल्म के बारे में पूछना

और उसके जवाब में नबी करीम (ﷺ) का बयान फ़र्मांना फिर आख़िर में आपने फ़र्माया कि यह जिब्रईल अलैहिस्सलाम थे जो तुमको दीन की ता'लीम देने आए थे। यहाँ आपने उन तमाम बातों को (जो जिब्रईल अलैहिस्सलाम के सामने बयान की गई थीं) दीन ही करार दिया और उन बातों के बयान में जो आँहज़रत (ﷺ) ने ईमान से मुता'ल्लिक़ अब्दुल क़ैस के वफ़द के सामने बयान की थी और अल्लाह पाक के इस इश्राद की तफ़्सील में कि जो कोई इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन इख़्तियार करेगा वो हर्गिज़ कुबूल न किया जाएगा।

इस आयते-शरीफ़ा में भी इस्लाम को लफ़्ज़े-दीन से ता'बीर किया गया है।

(50) हमसे मुसद्दह ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इस्माईल बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको अबू हय्यान तैमी ने अबू जुरआ से ख़बर दी, उन्होंने हज़रत अबू हु़रैरह (रज़ि.) से नक़ल किया कि एक दिन आँहज़रत (ﷺ) लोगों में तशरीफ़ फ़र्मा थे कि आपके पास एक शख़्स आया और पूछने लगा कि ईमान किसे कहते हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ईमान यह है कि तुम अल्लाह पाक के वजूद और उसकी वहदानियत पर ईमान लाओ और उसके फ़रिश्तों के वजूद पर और उस (अल्लाह) की मुलाक़ात के बरहक़ होने पर और उसके रसूलों के बरहक़ होने पर और मरने के बाद दोबारा उठने पर पर ईमान लाओ। फिर उसने पूछा कि इस्लाम क्या है? आप (ﷺ) ने फिर जवाब दिया कि इस्लाम यह है कि तुम ख़ालि़स अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और नमाज़ क़ायम करो और ज़काते फ़र्ज़ अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। फिर उसने एहसान के बारे में पूछा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया एहसान यह है कि

۷- بَابُ سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيِّ ﷺ
عَنِ الْإِيمَانِ، وَالْإِسْلَامِ، وَالْإِحْسَانِ،
وَعِلْمِ السَّاعَةِ، وَبَيَانِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ.
ثُمَّ قَالَ: ((جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ)) فَجَمَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دِينًا.
وَمَا بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ لَوْفِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ مِنَ
الْإِيمَانِ. وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ
الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾.

۵۰- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو
حَيَّانَ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ
فَقَالَ: مَا الْإِيمَانُ؟)) قَالَ: ((الْإِيمَانُ أَنْ
تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَبِلِقَائِهِ،
وَبِرَسُولِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَيْتِ)). قَالَ: مَا
الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: ((الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ
وَلَا تُشْرِكَ بِهِ، وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤَدِيَ
الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ)).
قَالَ: مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: ((أَنْ تَعْبُدُوا

तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो अगर यह दर्जा न हासिल हो तो यह तो समझो कि वो तुमको देख रहा है। फिर उसने पूछा कि क्रयामत कब आएगी? आप (ﷺ) ने फ़र्माया इस बारे में जवाब देने वाला पूछनेवाले से कुछ ज्यादा नहीं जानता (अलबत्ता) मैं तुम्हें उसकी निशानियाँ बतला सकता हूँ। वो यह कि जब लौंडी अपने आक्रा को जनेगी और जब स्याह कूटों के चरानेवाले (देहाती लोग तरक्की करते-करते) मकानात बनाने में एक-दूसरे से बाज़ी ले जाने की कोशिश करेंगे (याद रखो) क्रयामत का इल्म उन पाँच चीज़ों में है जिनको अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। फिर आप (ﷺ) ने यह आयत पढ़ी, 'अल्लाह ही को क्रयामत का इल्म है कि वो कब क्रायम होगी (आखिर आयत तक)' फिर वो पूछनेवाला पीठ फेरकर जाने लगा। आपने फ़र्माया कि उसे वापस बुलाकर लाओ। लोग दौड़ पड़े मगर वो कहीं नज़र नहीं आया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया यह जिब्रईल अलैहिस्सलाम थे जो लोगों को उनका दीन सिखाने आए थे। इमाम अबू अब्दुल्लाह बुखारी फ़र्माते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) ने इन तमाम बातों को ईमान ही करार दिया है।

(दीगर मुक़ाम : 4777)

اللّٰهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ
يُرَاكَ)). قَالَ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: ((مَا
الْمَسْئُورُونَ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ
وَسَأَخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَكَلَّتِ
الْأُمَّةُ رِبَّهَا؛ وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاةُ الْإِبِلِ
الْبُهْمُ لِي الثِّيَابِ، لِي حَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ
إِلَّا اللَّهُ. ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾
ثُمَّ أَدْبَرَ. فَقَالَ: ((رُدُّوهُ)). فَلَمْ يَرَوْا
شَيْئًا. فَقَالَ: ((هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ
النَّاسَ دِينَهُمْ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: جَعَلَ
ذَلِكَ كُلَّهُ مِنَ الْإِيمَانِ.
[طرفة في : ٤٧٧٧]

तशरीह : शारेहीने बुखारी लिखते हैं 'मक्सूदुल बुखारी मिन अक्दि ज़ालिकल बाबि इन्नहीन वल इस्लाम वल ईमान वाहिदुन लखितलाफ़ फ़ी मफ़हुमिहिमा वल वाव फ़ी वमा बैन व क़ौलिही तअला बिमअना मअ' यानी हज़रत इमाम बुखारी (रह) का इस बाब के मुनअक्रिद करने से उस अमर का बयान मक्सूद है कि दीन और इस्लाम और ईमान एक हैं, उसके मफ़हूम (भावार्थ) में कोई इख़ितलाफ़ नहीं है। और वमा बैन में और व क़ौलुहू तअला में हर दो जगह वाव साथ के मा'नी में हैं जिसका मतलब ये कि बाब मे पहला तर्जुमा सवाले-जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) के बारे में है जिसके मक्सूद को आपने फ़जअल ज़ालिक कुल्लहू मिनल् ईमान से वाज़ेह कर दिया। यानी दीन ईमान, इस्लाम, एहसान और ए'तिकाद क्रयामत सब पर मुश्तमिल (आधारित) है। दूसरा तर्जुमा वमा बैन लिवफ़िद अब्दुल क़ैस है यानी आप (ﷺ) वफ़दे अब्दुल क़ैस के लिए ईमान की जो तफ़सील बयान की थी उसमें आ'माल बयान करके उन सबको दाखिले ईमान करार दिया गया था ख़्वाह वो अवामिर से हों या नवाही से। तीसरा तर्जुमा यहाँ आयते करीमा व मंच्यब्तगि गैरल इस्लामि दीना है जिससे ज़ाहिर है कि असल दीन, दीने-इस्लाम है और दीन और इस्लाम एक ही चीज़ के दो नाम हैं क्योंकि अगर दीन इस्लाम से अलग होता तो आयते शरीफ़ा में इस्लाम का तलाश करने वाला शरीअत में मुअतबर है। यहाँ उनके लगवी मअानी (शाब्दिक अर्थ) से कोई बहस नहीं है। हज़रत इमाम का मक्सूद यहाँ भी मुर्जिया की तदीद है जो ईमान के लिए आ'माल को ग़ैर ज़रूरी बतलाते हैं।

तअस्सुब का बुरा हो : फ़िर्क-ए-मुर्जिया की जलालत (गुमराही) पर तमाम अहले सुन्नत का इत्तिफ़ाक़ है और इमाम बुखारी क़द्दस सिर्हु भी ऐसे ही गुमराह फ़िर्कों की तदीद (खण्डन) के लिये ये सारी तफ़सीलात पेश कर रहे हैं। मगर तअस्सुब का बुरा हो अग़रे हाज़िर (वर्तमान काल) के कुछ मुतर्जेमीन (अनुवादकों) व शारेहीने बुखारी (बुखारी की शरह/मीमांसा लिखने वालों) को यहाँ भी ख़ालिसन हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह) पर तअरीज़ नज़र आई है और इस ख़याल के पेशेनज़र

उन्होंने यहाँ हज़रत इमाम बुखारी को ग़ैर फ़कीह करार देकर दिल की भड़ास निकाली है साहिबे अनवारुल बारी के लफ़्ज़ हैं :

इमाम बुखारी (रह) में ताष्पूर का मादा ज़्यादा था वो अपने असातिज़ा हुमैदी, नईम बिन हम्माद, खुरामी, इस्हाक बिन राह्वै, इस्माईल, उर्वा से ज़्यादा मुताप्पिर हो गये। जिनको इमाम साहब वग़ैरह से लिल्लाही बुज़्र था दूसरे वो ज़ूदे रंज थो फ़न्ने हदीष के इमामे बेमिषाल थे मगर फ़िक़ह में वो पाया न था। इसीलिए उनका कोई मज़हब न बन सका, इमामे आज़म (रह) की फ़िक़ही बारीकियों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ऊँचे दर्जे की तफ़्काको की ज़रूरत थी। जो न समझा वो उनका मुखालिफ़ हो गया। (अनवारुल बारी, जिल्द दोम/ पेज नं. 168)

इस बयान पर तफ़्सीली तब्सरा के लिए दफ़ातिर भी नाकाफ़ी हैं। मगर आज के दौर में उन फ़रसूदा मबाहिष (प्रचलित बहर्षों) में जाकर उलम-ए-सलफ़ का बाहमी हसद व बुज़्र प्राबित करके तारीख़े इस्लाम को मज़रूह करना ये ख़िदमत ऐसे मुतअस्सिबीन हज़रात ही को मुबारक हो हमारा तो सबके लिए ये अक़ीदा है 'तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत' (अल बकर : 134) रहमतुल्लाहि अलैहिम अज्मईन, आमीन! हज़रत इमाम बुखारी (रह) को ज़ूदे रंज और ग़ैर फ़कीह करार देना ख़ुद उन लिखने वालों के ज़ूद रंज और कम फ़हम होने की दलील है।

बाब 38 :

باب - ۳۸

(51) हमसे इब्राहीम बिन हम्ज़ा ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहीम बिन सअद ने बयान किया, उन्होंने झालेह बिन कैसान से, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने अबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से, उनको अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने खबर दी, उनको अबू सुफ़यान बिन हर्ब ने कि हिरक्ल (रूम का बादशाह) ने उनसे कहा मैंने तुमसे पूछा था कि उस रसूल के माननेवाले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? तूने जवाब दिया कि वो बढ़ रहे हैं। (ठीक है) इमाम का यही हाल रहता है यहाँ तक कि वो पूरा हो जाए और जब मैंने तुझसे पूछा था कि कोई उसके दिन में आकर उसको बुरा जानकर फिर जाता है? तूने कहा नहीं! और इमाम का यही हाल है। जब उसकी खुशी दिल में समा जाती है तो फिर उसको कोई बुरा नहीं समझ सकता।

(राजेअ: 7)

۵۱- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَفْيَانَ أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لِي: سَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَرَعَمْتُ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانَ حَتَّى يُتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُ أَحَدٌ سَخَطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ فَرَعَمْتُ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانَ حِينَ تَخَالِطُ بِشَاوِئَةِ الْقُلُوبِ لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ.

[راجع: ۷.]

ये बाब भी पिछले बाब ही के बारे में है और उससे भी इमाम की कमी ज़्यादती प्राबित करना मत्सूद है।

बाब 39 : उस शख्स की फ़ज़ीलत के बयान में जो अपना दीन क़ायम रखने के लिए गुनाह से बच गया

باب فضل من

استبْرأ لدينه

(52) हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे ज़करिया ने, उन्होंने आमिर से, कहा मैंने नोअमान बिन बशीर (रज़ि.) से सुना, वो कहते थे मैंने आँ हज़रत (ﷺ) से सुना आप (ﷺ) फ़र्माते थे हलाल खुला हुआ है और हराम भी खुला हुआ है और इनके बीच

۵۲- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

कुछ चीजें शक की है जिनको बहुत लोग नहीं जानते हैं (कि हलाल है या हुराम) फिर जो कोई शक की चीजों से भी बच गया उसने अपने दीन और इज्जत को बचा लिया और जो कोई शक की चीजों में पड़ गया उसकी मिशाल उस चरवाहे की सी है जो (शाही महफूज़) चारागाह के आसपास अपने जानवरों को चराए। वो क़रीब है कि कभी उस चारागाह के अंदर घुस जाए (और शाही मुजरिम करार पाए) सुन लो हर बादशाह की एक चारागाह होती है। अल्लाह की चारागाह इस ज़मीन पर हुराम चीजें हैं। (बस उनसे बचो और) सुन लो बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है जब वो दुरुस्त होगा तो सारा बदन दुरुस्त होगा और जहाँ बिगड़ा सारा बदन बिगड़ गया। सुन लो वो टुकड़ा आदमी का दिल है।

(दीगर मक़ाम : 2051)

तशरीह : बाब के मुनअक़िद करने से हज़रत इमाम का मक़सद ये है कि वरअ परहेज़गारी भी ईमान को कामिल करने वाले अमलों में से है। अल्लामा क़स्तालानी (रह) फ़र्माते हैं कि इस हदीष की बिना पर हमारा मज़हब यही है कि क़ल्ब ही अक़ल का मक़ाम है और फ़र्माते हैं, 'क़द अजमअल उलमाउ अला अज़िम मौक़इहाज़ल हदीषि व अन्नहू अहदुल अहादीषिल अरबअतिल्लती अलैहा मदारुल इस्लामिल मन्ज़ूमति फ़ी क़ौलिही'

उमदतुद्दीनि इन्दना कलिमातुन

इत्तकिशुशुब्ह वजहुदन्न वदअमा

मुस्नदातुन मिन क़ौलि ख़ैरिलबरिय्यति

लैस युईनुक वअमलन्न बिनिय्यति

यानी इस हदीष की अज़मत पर इलमा का इतिफ़ाक़ है और ये उन चार अहादीष में से एक है जिन पर इस्लाम का दारोमदार है जैसा कि इस ख़बाई में है कि दीन के बारे में इशादाते नबवी (ﷺ) के ये चंद कलिमात हमारे नज़दीक दीन की बुनियाद हैं। शुब्हा की चीजों से बचो, दुनिया से बेरबती इख़ितयार करो, फ़िज़ूलियात से बचो और निय्यत के मुताबिक़ अमल करो।

बाब 40 : इस बारे में कि माले ग़नीमत से पाँचवाँ हिस्सा अदा करना भी ईमान से है

(53) हमसे अली बिन ज़अद ने बयान किया, कहा हमको शुअबा ने ख़बर दी, उन्होंने अबू जमरा से नक़ल किया कि मैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) के पास बैठा करता था वो मुझको ख़ास अपने तख़्त पर बैठाते (एक बार) कहने लगे कि तुम मेरे पास मुस्तक़िल तौर पर रह जाओ मैं अपने माल में से तुम्हारा हिस्सा मुकरर कर दूँगा। तो मैं दो माह तक उनकी ख़िदमत में रह गया। फिर कहने लगे अब्दुल क़ैस का वफ़द जब आँहज़रत (ﷺ) के पास आया तो आपने पूछा कि यह कौनसी क़ौम के लोग हैं या यह वफ़द कहाँ का है? उन्होंने कहा कि रबीआ ख़ानदान के लोग

((الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. لَمَنْ اتَّقَى الْمُشْتَهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرعى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُؤَاقِعَهُ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ. أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ)). [طرفه في : 2051].

٤٠ - بَابُ أَذَاءِ الْخُمْسِ

مِنَ الْإِيمَانِ

٥٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ، فَقَالَ: أَوِمُّ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي. فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مِنَ الْقَوْمِ - أَوْ مِنَ الْوَفْدِ؟

हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मरहबा इस क़ौम को या इस वफ़द को न ज़लील होनेवाले न शर्मिदा होनेवाले (यानी उनका आना बहुत ख़ूब है) वो कहने लगे ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! हम आपकी ख़िदमत में सिर्फ़ इन हुर्मत वाले महीनों में आ सकते हैं क्योंकि हमारे और आपके बीच मुज़र के काफ़िरों का क़बीला आबाद है, बस आप हमको ऐसी क़त्तअी बात बतला दीजिए जिसकी ख़बर हम अपने पिछले लोगों को भी कर दें जो यहाँ नहीं आए और उस पर अमल दरामद करके हम जन्नत में दाख़िल हो जाएँ और उन्होंने आपसे अपने बर्तनों के बारे में भी पूछा। आप (ﷺ) ने उनको चार बातों का हुक्म दिया और चार क्रिस्म के बर्तनों को इस्ते'माल में लाने से मना फ़र्माया। उनको हुक्म दिया कि एक अकेले अल्लाह पर ईमान लाओ। फिर आप (ﷺ) ने पूछा कि जानते हो एक अकेले अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ही को मा'लूम है। आपने फ़र्माया इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और यह कि हज़रत मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और नमाज़ क़ायम करना और ज़कात देना और रमज़ान के रोज़े रखना और माले ग़नीमत में से जो मिले उसका 5वाँ हिस्सा (मुसलमानों के बैतुलमाल में) दाख़िल करना और चार बर्तनों के इस्ते'माल से आप (ﷺ) ने उनको मना फ़र्माया। सब्ज़ लाख़ी मर्तबान से और कढ़ू के बनाए हुए बर्तन, लकड़ी के खोदे हुए बर्तन से, और रोगनी बर्तन से, और फ़र्माया कि इन बातों को हिफ़ज़ (याद) कर लो और उन लोगों को भी बतला देना जो तुमसे पीछे हैं और यहाँ तक नहीं आए हैं।

(दीगर मक़ाम: 87, 523, 1398, 3095, 4368, 4269, 6176, 7266, 7556)

((قَالَوَا: رَبِيعَةُ. قَالَ: ((مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ -
أَوْ بِالْوَلَدِ - غَيْرِ خَوَايَا وَلَا نَدَامَى))
فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ
نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ
هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارٍ مُضَرٍّ، فَمَرْنَا بِأَمْرِ
فَصَلَّيْ نَغِيْرَ بِهِ مِنْ وَرَاءَنَا، وَتَدَخَّلَ بِهِ
الْجَنَّةَ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ
وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ وَحَدَّةِ،
قَالَ: ((أَتَذَرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحَدَّةُ؟))
فَقَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَكْبَرُ، قَالَ: ((شَهَادَةُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَإِيَاءَ الزَّكَاةِ، وَصِيَامَ
رَمَضَانَ، وَأَنْ تَعْطُوا مِنَ الْمَقِيْمِ الْخُمْسَ))
وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: ((عَنِ الْخَنْتَمِ، وَالذَّبَابِ
وَالْقَيْْرِ، وَالزُّوْفَتِ)) - وَرَبَّمَا قَالَ: الْمَقِيْرُ
- وَقَالَ: ((أَحْفَظُوهُمْ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ
وَرَاءَكُمْ)).

[أطرافه في: ٨٧، ٥٢٣، ١٣٩٨

٣٠٩٥، ٤٣٦٨، ٤٢٦٩، ٦١٧٦

[٧٥٥٦، ٧٢٦٦

तपशीह: यहाँ भी मुर्जिया की तदीद मक्सूद है। शैखुल हदीष हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह मुबारकपुरी (रह) फ़र्माते हैं, 'व मजहबुस्सलफ़ि फिल ईमानि मिन कौनिल आमालि दाख़िलतुन फ़ी हक्कीक़तिही फइन्नहू क़द फस्सरल इस्लाम फ़ी हदीषि जिब्रील बिमा फ़स्सर बिहिल इमान फ़ी क्रिस्सति वफ़दिल क़ैसि फ़दल्ल हाज़ा अला अन्नल अश्याअल मज़कूरत व फ़ीहा अदाउल खुम्मि मिन अज़्जाइल ईमानि व अन्नहू ला बुद् फ़िल ईमानि मिनल आमालि ख़िलाफ़ल लिल मुर्जिअति' (मिरआत जिल्द नं. अब्वल पेज नं. 45) यानी सलफ़ का मज़हब यही है कि आ'माल ईमान की हक्कीक़त में दाख़िल हैं आँहज़रत (ﷺ) ने (पीछे बयान की गई) हदीषे जिब्रैल (अलौहिस्सलाम) में इस्लाम की जो तपसीर बयान की वही तपसीर आपने अब्दुल क़ैस के वफ़द के सामने ईमान की फ़र्माई। पस ये दलील है कि बयान की गई चीज़ें जिनमें माले ग़नीमत से ख़ुम्स अदा करना भी है ये सब ईमान के हिस्सों से हैं और ये कि ईमान के लिए आ'माल का होना ज़रूरी है। मुर्जिया उसके ख़िलाफ़ हैं। (जो उनकी ज़लालत व जिहालत की दलील है)

जिन बर्तनों के इस्ते' माल से आपने मना फ़र्माया उनमें अरब के लोग शराब रखा करते थे। जब शराब पीना हुराम करार पाया तो चंद रोज तक आँहज़रत (ﷺ) ने उन बर्तनों के इस्ते' माल की भी मुमानअत फ़र्मा दी।

याद रखने के क़ाबिल : यहाँ हज़रत मौलाना मुबारकपुरी मुद्दज़िल्लहु ने एक याद रखने के क़ाबिल बात फ़र्माई है। चुनाँचे फ़र्माते हैं, 'क़ालल हाफ़िज़ु व फ़ीहि दलीलुन अला तक़हुमि इस्लामि अब्दिल कैसि अला क़बाइलि मुजर अल्लज़ीन कानू बैनहुम व बैनल मदीनति व यदुल्लु अला सबकिहिम इलल इस्लामि अयजन मा रवाहुल बुख़ारी फ़िल जुम्अति अनिबिन् अब्बासिन क़ाल इन्न अब्वल जुम्अतिन जुमिअत बअद जुम्अति फ़ी मस्जिदि रसूलिल्लाहि (ﷺ) फ़ी मस्जिदि अब्दिल कैसि बिजवाषी मिलन बहरैनि व इन्नमा जमऊ बअद रुजूइ वफ़दिहिम इलैहिम फदल्ल अला अन्नहुम सबकू जमीअल कुरा इलल इस्लामि इन्तहा वहफ़जहु फ़इन्नहू यन्फ़उक फ़ी मस्अलतिल जुम्अति फ़िल कुरा' (मिरआत जिल्द अब्वल पेज नं. 44)

यानी हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह) ने कहा कि इस हदीष में दलील है कि अब्दुल कैस का क़बीला मुजर से पहले इस्लाम कुबूल कर चुका था जो उनके और मदीना के बीच में रहते थे। इस्लाम में उनकी सबक़त पर बुख़ारी की वो हदीष भी दलील है जो नमाज़े जुम्आ के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि) से मन्कूल है कि मस्जिदे नबवी में इक़ामते जुम्आ के बाद पहला जुम्आ जवाषी नामी गाँव में जो बहरीन में वाक़ेअ था, अब्दुल कैस की मस्जिद में क़ायम किया गया। ये जुम्आ उन्होंने मदीना से वापसी के बाद क़ायम किया था। पस प्राबित हुआ कि वो देहात में सबसे पहले इस्लाम कुबूल करने वाले हैं। इसे याद रखो ये गाँव में जुम्आ अदा होने के षुबूत में तुमको नफ़ा देगी।

➔ **बाब 41 : इस बात के बयान में कि अमल बग़ैर निय्यत और ख़ुलूस के सहीह नहीं होते और हर आदमी को वही मिलेगा जो वो निय्यत करे**

तो अमल में इमान, वुजू, नमाज़, ज़कात, रोज़ा और हज़्ज सारे अहक़ाम आ गए, और (सूरह बनी इस्राईल में) अल्लाह ने फ़र्माया ऐ पैग़म्बर! कह दीजिए कि हर कोई अपने तरीक़ा यानी अपनी निय्यत पर अमल करता है और (उसी वजह से) आदमी अगर ष़वाब की निय्यत से अल्लाह का हुक्म समझकर अपने घरवालों पर ख़र्च कर दे तो उसमें भी उसको स़दक़े का ष़वाब मिलता है और जब मक्का फ़तह हो गया तो आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया था कि अब हिज़रत का सिलसिला ख़त्म हो गया लेकिन जिहाद और निय्यत का सिलसिला बाक़ी है।

(54) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्होंने यह्या बिन सईद से, उन्होंने मुहम्मद बिन इब्राहीम से, उन्होंने अलक्रमा बिन वक्रास से, उन्होंने हज़रत उमर (रज़ि.) से कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया अमल निय्यत ही से सहीह होते हैं (या निय्यत ही के मुताबिक़ उनका बदला मिलता है) और हर आदमी को वही मिलेगा जो निय्यत करेगा। बस जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हिज़रत करे उसकी हिज़रत अल्लाह और उसके

٤١- بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَعْمَانَ

بِالنِّيَّةِ وَالْحَسْبَةِ، وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى
لَدْخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ
وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصُّوْمُ وَالْأَحْكَامُ. وَقَالَ
اللَّهُ تَعَالَى: هَلْ كُنَّ كُلُّ يَمْعَلٍ عَلَى
شَاكِلِيهِ عَلَى نِيَّتِهِ. وَتَفَقَّ الرَّجُلُ عَلَى
أَهْلِهِ - يَخْتَصِبُهَا - صَدَقَةً. وَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: ((وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ)).

٥٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ :
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قُلَاصٍ
عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(الْأَعْمَانُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى،
فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

रसूल (ﷺ) की तरफ होगी और जो कोई दुनिया कमाने के लिए या किसी से शादी करने के लिए हिजरत करेगा तो उसकी हिजरत उन्हीं कामों के लिए होगी। (राजेअ: 1)

(55) हमसे हज्जाज बिन मिन्हाल ने बयान किया, वो कहते हैं कि हमसे शुअबा ने बयान किया, वो कहते हैं मुझको अदी बिन प्राबित ने खबर दी, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन यजीद से सुना, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसऊद से नक़ल किया, उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से कि आपने फ़र्माया जब आदमी प्रवाब की निधयत से अपने अहलो-अयाल पर खर्च करे बस वो भी उसके लिए स़दका है।

(56) हमसे हकम बिन नाफ़ेअ ने बयान किया, कहा हमको शुऐब ने जुहरी से खबर दी, उन्होंने कहा मुझसे आमिर बिन सअद ने सअद बिन अबी वक्रास से बयान किया, उन्होंने उनको खबर दी कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया बेशक तू जो कुछ खर्च करे और उससे तेरी निधयत अल्लाह की रज़ा हासिल करना है तो तुझको उसका प्रवाब मिलेगा। यहाँ तक कि उस पर भी जो तू अपनी बीवी के मुँह में डाले।

(दीगर मक़ाम : 1295, 2742, 2744, 3936, 4409, 5354, 5659, 5668, 6373, 6733)

तशरीह:

इन सारी अह्दादीष में सारे आ'माल का दारोमदार निधयत पर बतलाया गया। इमाम नववी (रह) कहते हैं कि उनकी बिना पर हज़्जे-नफ़स (शारीरिक ज़रूरतें) भी जब शरीअत के मुवाफ़िक़ (अनुकूल) हो तो उसमें भी प्रवाब है।

बाब 42 : आँहज़रत (ﷺ) का यह फ़र्माना कि दीन सच्चे दिल से अल्लाह की फ़र्माबरदारी और उसके सच्चे रसूल और मुसलमानों की ख़ैर-ख़वाही का नाम है और अल्लाह ने (सूरह तौबा में) फ़र्माया जब वो अल्लाह और उसके रसूल की ख़ैर-ख़वाही में रहें

(57) हमसे मुसहद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यह्या बिन सईद बिन क़त्तान ने बयान किया, उन्होंने इस्माईल से, उन्होंने

فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوُّهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)). [راجع: 1].

٥٥ - حَدَّثَنَا حَبَّاحُ بْنُ مِهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا انْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ)). [طرفاه في: ٤٠٠٦، ٥٣٥١].

٥٦ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّكَ لَنْ تَنْفِقَ نَفَقَةً تَبْغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلَ لِي فَمِ امْرَأَتِكَ)).

[أطرافه في: ١٢٩٥، ٢٧٤٢، ٢٧٤٤، ٣٩٣٦، ٤٤٠٩، ٥٣٥٤، ٥٦٥٩].

[١٧٣٣، ١٣٧٣، ٥٦٦٨].

٤٢ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ

((الَّذِينَ النَّصِيحَةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ))، وَقَوْلُهُ

تَعَالَى: ﴿وَإِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

٥٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي

कहा मुझसे कैस बिन अबी हाज़िम ने बयान किया, उन्होंने जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा आँहज़रत (ﷺ) से मैंने नमाज़ कायम करने और ज़कात अदा करने और हर मुसलमान की ख़ैरख्वाही करने पर बैअत की।

(दीगर मक़ाम : 524, 1401, 2157, 2714, 2705, 7206)

(58) हमसे अबू नोअमान ने बयान किया, कहा हमसे अबू अवाना ने बयान किया, उन्होंने ज़ियाद से, उन्होंने इलाक़ह से, कहा मैंने जरीर बिन अब्दुल्लाह से सुना जिस दिन मुगीरह बिन शुअबा (हाकिमे कूफ़ा) का इंतिक़ाल हुआ तो वो ख़ुत्बे के लिये खड़े हुए और अल्लाह की तारीफ़ और ख़ूबी बयान की और कहा तुमको अकेले अल्लाह का डर रखना चाहिए उसका कोई शरीक नहीं और तहम्मूल और इत्मीनान से रहना चाहिए उस वक़्त तक कि कोई दूसरा हाकिम तुम्हारे ऊपर आए और वो अभी आनेवाला है। फिर फ़र्माया कि अपने मरनेवाले हाकिम के लिए दुआ-ए-मग़्फ़िरत करो क्योंकि वो (मुगीरह) भी मुआफ़ी को पसंद करता था फिर कहा कि इसके बाद तुमको मा'लूम होना चाहिए कि मैं एक बार आँहज़रत (ﷺ) के पास आया और मैंने कहा कि मैं आपसे इस्लाम पर बैअत करता हूँ आपने मुझसे हर मुसलमान की ख़ैरख्वाही के लिए शर्त की। बस मैंने इस शर्त पर आपसे बैअत कर ली (बस) इस मस्जिद के रब की क़सम! मैं तुम्हारा ख़ैरख्वाह हूँ फिर इस्तिफ़ार किया और मिम्बर से उतर आए।

حَارِمٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيِّ قَالَ:
بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ،
وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

[أطرافه في : ٥٢٤، ١٤٠١، ٢١٥٧،

٢٧١٤، ٢٧٠٥، ٧٢٠٤.]

٥٨- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
عَوَّانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَّالَةَ قَالَ: سَمِعْتُ
جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيرَةَ
بْنُ شُعْبَةَ، قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَتَى عَلِيًّا
وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَخِدَّةِ لَا شَرِيكَ
لَهُ، وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ، حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ،
فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمْ الْآنَ. ثُمَّ قَالَ : اسْتَغْفِرُوا
لَأَمِيرِكُمْ، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْغُفْرَ. ثُمَّ قَالَ:
أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قُلْتُ: أَبَايَمُكَ
عَلَى الْإِسْلَامِ. فَشَرَطَ عَلِيٌّ ((وَالنُّصْحِ
لِكُلِّ مُسْلِمٍ))، فَبَايَعْتُهُ عَلَى هَذَا، وَرَبُّ
هَذَا الْمَسْجِدِ إِنِّي لَنَاصِحٌ لَكُمْ. ثُمَّ
اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ.

तरीह: अल्लाह और रसूल की ख़ैरख्वाही ये है कि उनकी तअज़ीम (सम्मान) करो। जिंदगी भर उनकी फ़र्माबरदारी से मुँह न मोड़े, अल्लाह की किताब की इशाअत करो (लोगों के बीच आम करो), हदीषे नबवी (ﷺ) को फैलाए, उनकी इशाअत करो और अल्लाह और रसूल (ﷺ) के खिलाफ़ किसी पीर व मुर्शिद मुज्ताहिद इमाम मौलवी की बात हर्गिज़ न माने।

होते हुए मुस्तुफ़ा की गुफ़्तार
जब असल है तो नक़ल क्या है

मत देख किसी का क़ौल व किरदार
याँ वहम व ख़ता का दख़ल क्या है।

हज़रत मुगीरह, अमीर मुआविया (रज़ि) की तरफ़ से कूफ़ा के हाकिम थे। उन्होंने इंतिक़ाल के वक़्त हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह को अपना नाइब बना दिया था, इसलिये हज़रत जरीर ने उनकी वफ़ात पर ये ख़ुत्बा दिया और लोगों को नसूीहत की कि दूसरा हाकिम आने तक कोई शर व फ़साद न करो बल्कि सब्र से उनका इंतज़ार करो। शर व फ़साद कूफ़ा वालों की फ़ितरत (आदत) में था, इसलिये आपने उनको तम्बीह फ़र्माई। कहते हैं कि अमीर मुआविया (रज़ि) ने हज़रत मुगीरह के बाद ज़ियाद को कूफ़े का हाकिम मुकरर किया जो पहले बसरा के गवर्नर थे।

हजरत इमाम बुखारी (रह) ने किताबुल ईमान को इस हदीष पर खत्म किया जिसमें इशारा है कि हजरत जरीर (रज़ि) की तरह मैंने जो कुछ यहाँ लिखा है महज़ मुसलमानों की ख़ैरख़्वाही और भलाई मक़सूद है हर्गिज़ किसी से इनाद और तअस्सुब नहीं है जैसा कि कुछ लोग ख़याल करते चले आ रहे हैं और आज भी मौजूद हैं। साथ ही इमाम क़द्दस सिरूहु ने ये भी इशारा किया है मैंने हमेशा सन्न व तहम्मूल से काम लेते हुए मुआफ़ी को पसंद किया है पस आने वाले मुसलमान भी क़यामत तक मेरी मग़्फ़िरत के लिए दुआ करते रहा करें। ग़फ़रल्लाहु लहू आमीन!

साहिबे ईज़ाहुल बुखारी ने क्या ख़ूब फ़र्माया है कि इमाम हमें ये बतला रहे हैं कि हमने अब्बाबे साबिक़ा में मुर्जिया, ख़ारजिया और कहीं कुछ अहले सुन्नत पर तअरीज़ात की हैं लेकिन हमारी निय्यत में इख़लास है। ख़्वाह मख़्वाह की छेड़छाड़ हमारा मक़सूद नहीं और न हमें शोहरत की हवस है बल्कि ये एक ख़ैरख़्वाही के ज़ब्बे से हमने किया और जहाँ कोई फ़िर्का भटक गया या किसी इंसान की राय हमें दुरुस्त नज़र न आई वहाँ हमने बनिय्यते फ़्वाब सहीह बात वज़ाहत से बयान कर दी। (ईज़ाहुल बुखारी पेज नं. 428)

इमाम क़स्तलानी (रह) फ़र्माते हैं, 'वन्नसीहतु मिन नुस्हतिल अस्लि इज़ा सफ़फ़ैतहू मिनशमइ औ मिननुस्हि व हुवल ख़ियाततु बिनुस्हतित्' यानी लफ़्जे नसीहत नुस्हा से माख़ूज़ (निकला) है जब शहद मोम से अलग कर लिया गया हो या नसीहत सूई से सीने के मा'नी में है जिससे कपड़े के मुख्तलिफ़ टुकड़े जोड़-जोड़कर एक कर दिये जाते हैं। इसी तरह नसीहते ख़ैरख़्वाही के मा'नी से मुसलमानों का बाहमी इतिहाद मत्लूब है। (अल्हम्दुलिल्लाह कि किताबुल ईमान आज अवाख़िर ज़िल्हिज्ज 1386 हिजरी को बरोज़ इतवार ख़त्म हुई, -दारुद राज़)

3. किताबुल इल्म

किताब इल्म के बयान में

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

हजरत इमाम बुखारी क़द्दस सिरूहु किताबुल ईमान के बाद किताबुल इल्म को इसलिये लाए कि ईमान और इल्म में एक ज़बरदस्त राबता है और ईमान के बाद दूसरी अहम चीज़ इल्म है। जिसका ख़ज़ाना कुर्आन व हदीष है। कुर्आन व हदीष के खिलाफ़ जो कुछ हुआ इल्म नहीं बल्कि जहल कहना ज़्यादा मुनासिब है। आम बोलचाल में इल्म के मा'नी जानने के हैं और जहल न जानना उसकी ज़द (विलोम) है। पस दीन की तकमील के लिए ईमान और इस्लाम की तफ़्सीलात का जानना बेहद ज़रूरी है। इसीलिये कुर्आन मजीद में अल्लाह ने फ़र्माया, 'इन्नमा यख़शाह मिन इबादिहिल उलमाइ' (फ़ातिर: 28) अल्लाह के जानने वाले बन्दे ही अल्लाह से डरते हैं। इसलिये कि उनके इल्म ने उनके दिमाग़ों से जहल (अज्ञानता) के पर्दों को दूर कर दिया है। पस वो देखने वालों की मिषाल हैं और जाहिल अंधों की मिषाल हैं। सच है ला यस्तविल आमा वल बस़ीरु।

बाब 1 : इल्म की फ़ज़ीलत के बयान में और

۱- بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ، وَقَوْلِ اللَّهِ

अल्लाह पाक ने (सूरह मुजादला में) फ़र्माया

जो तुममें ईमानदार हैं और जिनको इल्म दिया गया है अल्लाह उनके दरजात बुलन्द करेगा और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है और अल्लाह तआला ने (सूरह त्राहा में) फ़र्माया (कि यूँ दुआ किया करो) परवरदिगार मुझको इल्म में तरक्की अत्रा फ़र्मा।

عَزَّوَجَلَّ:

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿رَبِّ رِذْوَانِي عَلِمًا﴾

हज़रत इमाम क़द्दस सिर्रुहु ने इल्म की फ़ज़ीलत के बारे में कुआन मजीद की उन दो आयात ही को काफ़ी समझा, इसलिये कि पहली आयात में अल्लाह पाक ने खुद अहले इल्म के लिए बुलन्द दरजात की बशारत दी है और दूसरी में इल्मी तरक्की के लिये दुआ करने की हिदायत की गई। नीज़ पहली आयात में ईमान व इल्म का राबता मज़कूर है और ईमान को इल्म पर मुक़द्म किया गया है। जिसमें हज़रत इमाम क़द्दस सिर्रुहु के हुस्ने-तर्तीबे बयान पर भी एक लतीफ़ इशारा है क्योंकि आपने भी पहले किताबुल ईमान फिर किताबुल इल्म का इन्ज़िक़ाद फ़र्माया है। आयात में ईमान व इल्म दोनों को दर्जात की तरक्की के लिये ज़रूरी करार दिया। दर्जात जमा सालिम और नकिरा होने की वजह से ग़ैर मुअय्यन है जिसका मतलब ये है कि उन दर्जात की कोई हद नहीं जो अहले इल्म को हासिल होंगे।

बाब 2 : इस बयान में कि जिस शख्स से इल्म की कोई बात पूछी जाए और वो अपनी किसी दूसरी बात में मशगूल हो बस (अदब का तक्राज़ा है कि) वो पहले अपनी बात पूरी कर ले फिर पूछनेवाले को जवाब दे

(59) हमसे मुहम्मद बिन सिनान ने बयान किया, कहा हमसे फ़ुलैह ने बयान किया, (दूसरी सनद) और मुझसे इब्राहीम बिन मुज़िर ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे बाप (फ़ुलैह) ने बयान किया, कहा हिलाल बिन अली ने, उन्होंने अत्रा बिन यसार से नक़ल किया, उन्होंने हज़रत अबू हु़रैरह (रज़ि.) से कि एक बार आँहज़रत (ﷺ) लोगों में बैठे हुए उनसे बातें कर रहे थे। इतने में एक देहाती आपके पास आया और पूछने लगा कि क़यामत कब आएगी? आप (ﷺ) अपनी बात में मसरूफ़ रहे। बाज़ लोग (जो मजलिस में थे) कहने लगे आप (ﷺ) ने देहाती की बात सुनी लेकिन पसंद नहीं की और कुछ कहने लगे कि नहीं बल्कि आपने उसकी बात सुनी ही नहीं। जब आप अपनी बातें पूरी कर चुके तो मैं समझता हूँ कि आप (ﷺ) ने यूँ फ़र्माया वो क़यामत के बारे में पूछनेवाला कहाँ गया? उसने (देहाती) ने कहा (हुज़ूर) मैं मौजूद

۲- بَابُ مَنْ سُئِلَ عِلْمًا

وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِي حَدِيثِهِ فَأَمَّ الْحَدِيثَ ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ

۵۹- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ. ح. وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنِيرِ: قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ لَمْ يَضَعْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَمْ يَسْمَعْ. حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: ((أَيْنَ أَرَأَاهُ السَّائِلَ عَنِ السَّاعَةِ؟)) قَالَ: مَا أَنَا يَا

हूँ। आपने फ़र्माया कि जब अमानत (ईमानदारी दुनिया से) उठ जाए तो क़यामत क़ायम होने का इंतज़ार कर। उसने कहा ईमानदारी उठने का क्या मतलब है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब (हुकूमत के कारोबार) नालायक लोगों को सौंप दिए जाएँ तो क़यामत का इंतज़ार कर।

(दीगर मक़ाम : 6496)

तशरीह :

आप (ﷺ) दूसरी बातों में मशगूल थे, इसलिये उसका जवाब बाद में दिया। यहीं से हज़रत इमाम का मक्सूदे-बाब प्राबित हुआ और ज़ाहिर हुआ कि इल्मी आदाब में ये ज़रूरी अदब है कि शागिर्द मौक़ा महल देखकर उस्ताद से बात करें। कोई और शख्स बात कर रहा हो तो जब तक वो फ़ारिग न हो दरम्यान में दखल अंदाज़ी न करें। क़स्तलानी (रह) फ़र्माते हैं, 'व इन्नमा लम युजिब्हु अलैहिस्सलातु वस्सलामु लिअन्नहु यहतमिलु अय्यकून लिइन्तिज़ारिल वहि औ यकून मशगूलन बिजवाबि साइलिन आख़र व युखज़ु मिन्हु यम्बग्गी लिल आलिमि वलक़ाज़ी व नहविहिमा रिआयत तक़दुमिल इस्लामि' यानी आप (ﷺ) ने शायद वहल के इंतज़ार में उसका जवाब न दिया या आप दूसरे साइल के जवाब में मसरूफ़ थो इससे ये भी प्राबित हुआ कि आलिम और क़ाज़ी साहिबान को पहले आने वालों की रिआयत करना ज़रूरी है।

बाब 3 : उसके बारे में जिसने इल्मी मसाइल के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया

(60) हमसे अबुन नोअमान ने बयान किया, कहा हमसे अबू अबानाने अबू बशर (रह.) से बयान किया, उन्होंने यूसुफ़ बिन माहिक से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अमर से, उन्होंने कहा एक सफ़र में जो हमने किया था आँहज़रत (ﷺ) हमसे पीछे रह गए थे और आप (ﷺ) हमसे उस वक़्त मिले जब (अस्र की) नमाज़ का वक़्त आ पहुँचा था हम (जल्दी-जल्दी) वुजू कर रहे थे। बस पांव को ख़ूब धोने के बदले हम यूँ ही सा धो रहे थे। (यह हाल देखकर) आप (ﷺ) ने बुलंद आवाज़ से पुकारा देखो! ऐड़ियों की ख़राबी दोज़ख़ से होने वाली है दो या तीन बार आप (ﷺ) ने (यूँ ही आवाज़े बुलंद से) फ़र्माया। (दीगर मक़ाम : 96, 163)

तशरीह :

बुलंद आवाज़ से कोई बात करना शाने नबवी (ﷺ) के खिलाफ़ है क्योंकि आपकी शान में लस बिस्रखाब आया है कि आप शोरो-गुल करने वाले न थे मगर यहाँ हज़रत इमाम क़द्स सिर्हु ने ये बात मुनअक्रिद करके बतला दिया कि मसाइल के बतलाने के लिये आप कभी आवाज़ को बुलंद भी कर देते थे। खुत्बे के वक़्त भी आपकी यही मुबारक आदत थी जैसा कि मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत जाबिर (रज़ि) से मरवी है कि आप (ﷺ) जब खुत्बा देते तो आपकी आवाज़ बुलंद हो जाया करती थी। बाब का तर्जुमा इसी से प्राबित होता है। आपका मक़सद लोगों को आगाह करना था कि जल्दी की वजह से ऐड़ियों को सूखी न रहने दें, ये खुशकी उन ऐड़ियों को दोज़ख़ में ले जाएँगी। ये सफ़र मक्का से मदीना की तरफ़ था।

बाब 4 : मुहदिष का लफ़ज़ हद़षना व अख़बरना

رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: ((إِذَا سَأَلْتُمُ الْمَسْئَلَةَ فَاسْأَلُوا عَنْهَا إِنْ سَأَلْتُمُوهَا عَنْ غَيْرِهَا قَالُوا: «إِذَا وَسَدَّ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاصْتَظِرِ السَّاعَةَ»)). [طرفه : 6496]

۳- بَابُ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ

بِالْعِلْمِ

۶۰- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهِلِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَذْرَكْنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الصَّلَاةَ وَنَحْنُ نَوْرَثًا، فَجَعَلْنَا نَمْسُحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ ((وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. [طرفاه في : 96, 163]

۴- بَابُ قَوْلِ الْمُحَدِّثِ (حَدَّثَنَا) وَ

व अम्बअना इस्ते'माल करना सहीह है

जैसा कि इमाम हुमैदी ने कहा कि इब्ने इययना के नज़दीक हद़्प्रना व अख़बरना व अम्बअना और समीअतु एक ही थे---- और अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने भी यँ ही कहा हद़्प्रना रसूलुल्लाहि (ﷺ) हालांकि आप सच्चों के सच्चे थे। और शक्रीक ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद से नक़ल किया, मैंने आँहज़रत (ﷺ) से यह बात सुनी, और हुज़ैफ़ा ने कहा कि हमसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दो हदीषें बयान की और अबुल आलिया ने रिवायत किया इब्ने अब्बास (रज़ि.) से उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से, आप (ﷺ) ने अपने परवरदिगार से और अनस ने आँहज़रत (ﷺ) से रिवायत की और आप (ﷺ) ने अपने परवरदिगार से। और अबू हुरैरह (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से रिवायत की। कहा आप (ﷺ) इसको तुम्हारे रब तबारक व तआला से रिवायत करते हैं।

तशरीह:

हज़रत इमाम (रह) का मक़सद ये है कि मुहदिषीन की नक़ल दर नक़ल की इस्तिलाह में अल्फ़ाज़ हद़्प्रना व अख़बरना व अम्बअना का इस्ते'माल उनका खुद ईजादकर्दा (उनकी अपनी खोज) नहीं है। बल्कि खुद आँहज़रत (ﷺ) और सहाबा व ताबेईन के पाक ज़मानों में भी नक़ल दर नक़ल के लिये उन ही लफ़्ज़ों का इस्ते'माल हुआ करता था। हज़रत इमाम यहाँ उन छः रिवायात को बग़ैर सनद के लाए हैं। दूसरे मक़ामात पर उनकी इस्नाद मौजूद हैं। इस्नाद का इल्म दीन में बहुत ही बड़ा दर्जा रखता है। मुहदिषीने किराम ने सच फ़र्माया है कि अल इस्नादु मिन हीनि व लौ लल इस्नादु लक़ाल मन शाअ मा शाअ यानी इस्नाद भी दीन ही में दाख़िल है। अगर इस्नाद न होती तो जिसके दिल में जो कुछ आता वो कह डालता। मगर इल्मे-इस्नाद ने स़ेहहत-नक़ल के लिए हदबन्दी कर दी है और यही मुहदिषीने किराम की सबसे बड़ी ख़ूबी है कि वो इल्मुल इस्नाद के माहिर होते हैं और रिजाल के मा लहू व मा अलैहि पर उनकी पूरी नज़र होती है इसीलिए किज़ब व इफ़्तिरा (झूठ व फ़रेब) उनके सामने नहीं ठहर सकता।

(61) हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे इस्माईल बिन जा'फ़र ने बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन दीनार से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से, कहा कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया दरख़्तों में एक दरख़त ऐसा है कि उसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मित्राल उसी दरख़त की सी है बताओ वो कौनसा दरख़त है? यह सुनकर लोगों का खयाल जंगलों के दरख़्तों की तरफ़ दौड़ा। अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि मेरे दिल में आया कि वो ख़जूर का दरख़त है। मगर मैं अपनी (कमसिनी की) शर्म से न बोला। आख़िर सहाबा ने आँहज़रत (ﷺ) से पूछा कि वो कौनसा दरख़त है? आपने फ़र्माया वो ख़जूर

(أَخْبَرَنَا) وَ (أَبَانَا)

وَقَالَ لَنَا الْحَمِيدِيُّ: كَانَ عِنْدَ ابْنِ عَيْنَةَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَبَانَا وَسَمِعْتُ وَاحِدًا. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمُسْتَوَقُّ. وَقَالَ شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَلِمَةً. كَذَا وَقَالَ حُدَيْفَةُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرَوِيهِ عَنْ رَبِّهِ. وَقَالَ أَنَسٌ: عَنْ النَّبِيِّ ﷺ يَرَوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنْ النَّبِيِّ ﷺ يَرَوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ.

٦١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجْرَةَ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، فَعَدَلُونِي مَا هِيَ؟)) فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْتَيْتُ: ثُمَّ قَالُوا: حَدَّثَنَا مَا هِيَ يَا

का दरख्त है।

(दीगर मक़ाम : 62, 72, 131, 2209, 4698, 5444, 5448, 6132, 6144)

رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : ((هِيَ النَّخْلَةُ)).

[أطرافه في : ٦٢, ٧٢, ١٣١, ٢٢٠٩,

٤٦٩٨, ٥٤٤٤, ٥٤٤٨, ٦١٣٢.

[٦١٤٤

तशरीह :

इस रिवायत को हज़रत इमाम क़दस सिर्रुहु इस बाब में इसलिये लाए हैं कि उसमें लफ़्ज़ हद्दयना व हद्दिषूनी खुद आँहज़रत (ﷺ) और आप (ﷺ) के सहाबा किराम (रज़ि) की जुबानों से बोले गये हैं। पस प्राबित हो गया कि ये इज़्तिलाहात अहदे नबवी (ﷺ) से मुरव्वज (प्रचलित) हैं बल्कि खुद कुआन मजीद ही से उन सबका पुबूत है। जैसा कि सूरह तहरीम में है, 'क़ालत् मन अम्बअक हाज़ा क़ाल नब्ब अनियल् अलीमुल् खबीरु' (अत् तहरीम : 3) 'उस औरत ने कहा कि आप (ﷺ) को इस बारे में किसने खबर दी।' आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुझको उसने खबर दी जो जाननेवाला खबर रखने वाला परवरदिगारे-आलम है। पस मुंकिरीने हदीष की ये हफ़्वात कि इल्मे हदीष अहदे नबवी (ﷺ) के बाद की ईजाद है बिलकुल ग़लत और कुआन मजीद के बिलकुल ख़िलाफ़ और वाक़ियात के भी बिलकुल ख़िलाफ़ है।

बाब 5 : इस बारे में कि उस्ताद अपने शागिर्दों का इल्म आजमाने के लिए उनसे कोई सवाल करे (यानी इम्तिहान लेने का बयान)

٥- بَابُ طَرَحِ الْإِمَامِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ

لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

(62) हमसे ख़ालिद बिन मख़्लद ने बयान किया, कहा हमसे सुलैमान बिन बिलाल ने बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से कि (एक बार) आप (ﷺ) ने फ़र्माया दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है कि जिसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की भी यही मिषाल है बताओ वो दरख्त कौनसा है? यह सुनकर लोगों के ख़यालात जंगल के दरख्तों की तरफ़ चले गए। अब्दुल्लाह ने कहा कि मेरे दिल में आया कि बतला दूँ वो ख़जूर का पेड़ है लेकिन (वहाँ बहुत से बुजुर्ग मौजूद थे इसलिये) मुझको शर्म आई। आख़िर सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप ही बयान कर दीजिए। आप (ﷺ) ने बताया कि वो ख़जूर का पेड़ है। (राजेअ : 61)

٦٢- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجْرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، حَدَّثُونِي مَا هِيَ؟)) قَالَ: فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ. ثُمَّ قَالُوا: حَدَّثَنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((النَّخْلَةُ)). [راجع: ٦١]

इस हदीष और वाक़िअ-ए-नबवी से तालिब इल्मों (छात्रों) का इम्तिहान लेना प्राबित हुआ। जबकि ख़जूर के दरख्त से मुसलमान की तशबीह इस तरह हुई कि मुसलमान मुतवक्कल अलल्लाह (अल्लाह पर भरोसा करने वाला) होकर हर हाल में हमेशा खुश व ख़ुरम रहता है।

बाब 6 : शागिर्द का उस्ताद के सामने पढ़ना और उसको सुनाना

بَابُ الْقِرَاءَةِ وَالْعُرْضِ عَلَى الْمُحَدِّثِ

रिवायते हदीष का एक तरीका तो ये है कि शौख अपने शागिर्द को हदीष पढ़कर सुनाए। इसी तरह यँ भी है कि शागिर्द उस्ताद

को पढ़कर सुनाए। कुछ लोग दूसरे तरीकों में कलाम करते थे। इसलिये हज़रत इमाम (रह) ने ये बाब मुनाअकिद करके बतलाया कि दोनों तरीके जाइज़ और दुस्त हैं।

और इमाम हसन बसरी और सुफयान प्रौरी और मालिक ने शागिद के पढ़ने को जाइज़ करार दिया है और बाज़ ने उस्ताद के सामने पढ़ने की दलील ज़िमाब बिन प्रअलबा की हदीष से ली है, उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से कहा था कि क्या अल्लाह ने आपको यह हुक्म फ़र्माया है कि हम लोग नमाज़ पढ़ा करें? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! तो यह (गोया) आँहज़रत (ﷺ) के सामने पढ़ना ही ठहरा। ज़िमाब ने फिर जाकर अपनी क़ौम से यह बयान किया तो उन्होंने उसको जाइज़ रखा। और इमाम मालिक ने दस्तावेज़ से दलील ली जो क़ौम के सामने पढ़कर सुनाई जाती है। वो कहते हैं कि हमको फ़लाँ शख्स ने दस्तावेज़ पर गवाह किया और पढ़नेवाला पढ़कर अपने उस्ताद को सुनाता है फिर कहता है मुझको फ़लाँ ने पढ़ाया।

इब्ने बत्तल ने कहा कि दस्तावेज़ वाली दलील बहुत ही पुख्ता है क्योंकि शहादत तो अखबार से भी ज़्यादा अहम है। मत्तलब ये कि साहिबे-मामला को दस्तावेज़ पढ़कर सुनाई जाए और वो गवाहों के सामने कह दे कि हाँ ये दस्तावेज़ सहीह है तो गवाह उस पर गवाही दे सकते हैं। इसी तरह जब आलिम को किताब पढ़कर सुनाई जाए और वो इसका इकरार कर ले तो उससे रिवायत करना सहीह होगा।

हमसे मुहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमसे मुहम्मद बिन हसन वास्ती ने बयान किया, कहा उन्होंने औरुफ से, उन्होंने हसन बसरी से, उन्होंने कहा आलिम के सामने पढ़ने में कोई क़बाहत नहीं। और हमसे अब्दुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, उन्होंने सुफयान प्रौरी से सुना, वो कहते थे जब कोई शख्स मुहदिष को हदीष पढ़कर सुनाए तो कुछ क़बाहत नहीं अगर यूँ कहे कि उसने मुझसे बयान किया। और मैंने अबू आसिम से सुना, वो इमाम मालिक और सुफयान प्रौरी का क़ौल बयान करते थे कि मुहदिष को पढ़कर सुनाना और मुहदिष का शागिदों के सामने पढ़ना दोनों बराबर हैं।

(63) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमसे लैष ने बयान किया, उन्होंने सईद मक्रबरी से, उन्होंने शरीक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी नमिर से, उन्होंने अनस बिन मालिक से सुना कि एक बार हम मस्जिद में आँहज़रत (ﷺ) के साथ बैठे हुए थे,

ورأى الحسن وسفيان ومالك القراءة جائزة. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي: أله أمرك أن تقيم الصلوات؟ قال: نعم. قال: فلهو قراءة على النبي ﷺ، أخبر ضمام قومه بذلك فاجازوه واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم. ويقرأ على المقرء فيقول القاري: أقرأني فلان.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ. حَدَّثَنَا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: إِذَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَقُولَ: حَدَّثَنِي. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ عَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْعَالِمِ وَقِرَاءَتُهُ سَوَاءٌ.

٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ - هُوَ الْقُبَيْرِيُّ - عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَعْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: بَيْنَمَا نَحْنُ

इतने में एक शख्स ऊँट पर सवार होकर आया और ऊँट को मस्जिद में बिठाकर बाँध दिया। फिर पूछने लगा (भाईयों) तुम लोगों में मुहम्मद (ﷺ) कौन हैं? आँहज़रत (ﷺ) उस वक़्त लोगों में तकिया लगाए हुए बैठे थे। हमने कहा (हज़रत) मुहम्मद (ﷺ) यह सफ़ेद रंग वाले बुजुर्ग हैं जो तकिया लगाए हुए बैठे हैं। तो वो आपसे मुख़ातिब हुआ कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब के फ़रज़न्द! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कहो मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। वो बोला मैं आप (ﷺ) से कुछ दीनी बातें पूछना चाहता हूँ और ज़रा सख़्ती से भी पूछूँगा तो आप अपने दिल में बुरा न मानियेगा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया नहीं जो तुम्हारा दिल चाहे पूछो। तब उसने कहा कि मैं आपको आपके रब और अगले लोगों के रब तबारक व तआला की क़सम देकर पूछता हूँ क्या आपको अल्लाह ने दुनिया के सब लोगों की तरफ़ रसूल बनाकर भेजा है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया हाँ या मेरे अल्लाह! फिर उसने कहा कि मैं आपको अल्लाह की क़सम देता हूँ क्या अल्लाह ने आपको रात-दिन में पाँच नमाज़ें पढ़ने का हुक्म फ़र्माया है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया हाँ या मेरे अल्लाह! फिर कहने लगा कि मैं आपको अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको यह हुक्म दिया है कि साल भर में इस महीने रमज़ान के रोज़े रखो? आप (ﷺ) ने फ़र्माया हाँ या मेरे अल्लाह! फिर कहने लगा कि मैं आप (ﷺ) को अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको यह हुक्म दिया है कि आप हमसे जो मालदार लोग हैं उनसे ज़कात वसूल करके हमारे मुहताजों में बाँट दिया करें? आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया हाँ या मेरे अल्लाह! तब वो शख्स कहने लगा जो हुक्म आप (ﷺ) अल्लाह के पास से लाएँ हैं मैं उन पर ईमान लाया और मैं अपनी क़ौम के लोगों का जो यहाँ नहीं आए हैं, भेजा हुआ (तहक़ीक़े हाल के लिए) आया हूँ। मेरा नाम ज़िमाम बिन अलबा है। मैं बनी सअद बिन बकर के ख़ानदान से हूँ। इस हदी़श को (लैश की तरह) मूसा और अली बिन अब्दुल हमीद ने सुलैमान से रिवायत किया, उन्होंने प्राबित से, उन्होंने अनस से, उन्होंने यही मज़मून आँहज़रत (ﷺ) से नक़ल किया है।

جُلُوسٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ
رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاحَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ
عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ -
وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَكِيَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْنِهِمْ -
فَقَالْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الْأَيْبَسُ الْمُتَكِيُّ، فَقَالَ
لَهُ الرَّجُلُ: ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَقَالَ لَهُ
النَّبِيُّ ﷺ: ((فَدَأَجْتُكَ))، فَقَالَ الرَّجُلُ:
إِنِّي سَأَلْتُكَ فَمَشَدُّكَ عَلَيَّ فِي الْمَسْأَلَةِ،
فَلَا تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ. فَقَالَ: ((سَلْ
عَمَّا بَدَأَ لَكَ)). فَقَالَ: أَسَأَلْتُكَ بِرَبِّكَ
وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ، آتَى اللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ
كُلَّهُمْ؟ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ نَعَمْ)). قَالَ:
أُنشِدُكَ بِاللَّهِ، آتَى اللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ
الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ:
((اللَّهُمَّ نَعَمْ)). قَالَ: أُنشِدُكَ بِاللَّهِ، آتَى اللَّهُ
أَمْرَكَ أَنْ تُصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟
قَالَ: ((اللَّهُمَّ نَعَمْ)). قَالَ: أُنشِدُكَ بِاللَّهِ،
آتَى اللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ
أَغْيَابِنَا فَتَقْسِمَ عَلَيْهَا عَلَيَّ فُقَرَانَا؟ فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: ((اللَّهُمَّ نَعَمْ)). فَقَالَ الرَّجُلُ:
آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُولٌ مِنْ
وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ نَعْلَبَةَ
أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ. رَوَاهُ مُوسَى
وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ
قَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا.

तशरीह:

मुस्लिम की रिवायत में हज्ज का भी जिक्र है। मुस्नद अहमद में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि) की रिवायत में यूँ है, 'फ़ अनाख़ बइरहू अला बाबिल मस्जिदि' यानी उसने अपना ऊँट मस्जिद के दरवाज़े पर बाँध दिया था। उसने बेतकल्लुफ़ी से सवालात किये और आप भी बेतकल्लुफ़ी से जवाब देते रहे और लफ़्ज़े मुबारक अल्लाहुम्म नज़म का इस्ते'माल करते रहे। अल्लाहुम्म तमाम अस्माए हूस्ना के कायम मुक़ाम है, इसलिये गोया आपने जवाब के वक़्त पूरे अस्मा-ए-हूस्ना को शामिल कर लिया। ये अरबों के मुहावरे के मुताबिक़ भी था कि वो वुषूके-कामिल के मुक़ाम पर अल्लाह का नाम बतौरै क्रसम इस्ते'माल करते थे। ज़िमांम का आना 9 हिजरी की बात है जैसा कि मुहम्मद बिन इस्हाक़ और अबू इबैदा वग़ैरह की तहक़ीक़ है, उसकी ताईद तबरानी की रिवायत से होती है जिसके रावी इब्ने अब्बास (रज़ि) हैं और ज़ाहिर है कि वो फ़त्हे-मक्का के बाद तशरीफ़ लाए थे।

हज़रत इमांम बुखारी (रह) का मक़सद ये है कि अर्ज़ व क़िरात का तरीक़ा भी मुअतबर है जैसा कि ज़िमांम ने बहुत सी दीनी बातों को आप (ﷺ) के सामने पेश किया और आप तस्दीक़ फ़र्माते रहे। फिर ज़िमांम अपनी क़ौम के यहाँ गये और उन्होंने उनका ए'तिबार किया और ईमांम लाए।

हाकिम ने इस रिवायत से आली सनद के हूसूल की फ़ज़ीलत पर इस्तिदलाल किया है क्योंकि ज़िमांम ने अपने यहाँ आपके क़ासिद के ज़रिये ये सारी बातें मा'लूम कर ली थीं लेकिन फिर खुद हाज़िर होकर आप (ﷺ) से बिल मुशाफ़ा सारी बातों को मा'लूम किया। लिहाज़ा अगर किसी के पास कोई रिवायत चंद वास्तों से हुआ और किसी शैख़ की इजाज़त से इन वास्तों में कमी आ सकती हो तो मुलाक़ात करके आली सनद हासिल करना बहरहाल बड़ी फ़ज़ीलत की चीज़ है।

हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे सुलैमान बिन मुगीरह ने बयान किया, कहा हमसे ष़ाबित ने अनस से नक़ल किया, उन्होंने फ़र्माया कि हमको कुआने करीम में रसूले अकरम (ﷺ) से सवालात करने से मना कर दिया गया था और हमको इसीलिए यह बात पसंद थी कि कोई होशियार देहाती आए और आपसे दीनी उमूर पूछे और हम सुने। चुनाँचे एक बार एक देहाती आया और उसने कहा कि (ऐ मुहम्मद ﷺ) हमारे यहाँ आपका मुबल्लिग़ा गया था। जिसने हमको ख़बर दी कि अल्लाह ने आपको अपना रसूल बनाकर भेजा है, ऐसा आपका ख़याल है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया उसने बिलकुल सच कहा है। फिर उसने पूछा कि आसमान किसने पैदा किए? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह अज़्ज व जल्ल ने। फिर उसने पूछा कि ज़मीन किसने पैदा की है और पहाड़ किसने? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह अज़्ज व जल्ल ने। फिर उसने पूछा कि इनमें नफ़ा देने वाली चीज़ें किसने पैदा की है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह अज़्ज व जल्ल ने। फिर उसने कहा कि बस उस ज़ात की क्रसम देकर आपसे पूछता हूँ कि जिसने ज़मीन व आसमान और पहाड़ों को पैदा किया और इसमें मुनाफ़े पैदा किए कि क्या अल्लाह अज़्ज व जल्ल ने आपको अपना रसूल बनाकर भेजा है? आप (ﷺ) ने जवाब दिया कि हाँ बिलकुल सच है। (अल्लाह ने मुझको रसूल बनाया है) फिर उसने

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ تَنَا
سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةَ قَالَ تَنَا ثَابِتٌ عَنْ
أَنْسٍ قَالَ نُهِنَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ نَسْأَلَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُعْجِبُنَا
أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلِ
فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ
فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ أَنَا
رَسُولُكَ فَأَخْبَرْنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ
عَزَّوَجَلَّ أَرْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ فَقَالَ مَنْ
خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ
فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالْجِبَالَ قَالَ اللَّهُ
عَزَّوَجَلَّ قَالَ فَمَنْ جَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ
قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ
وَالْجِبَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ فَيَالِدِي
خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ
الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ اللَّهُ

कहा कि आपके मुबल्लिग ने बतलाया है कि हम पर पाँच वक़्त की नमाज़ें और माल से ज़कात अदा करना इस्लामी फ़राइज़ हैं, क्या यह दुरुस्त है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया हूँ उसने बिलकुल सच कहा है। फिर उसने कहा आपको उस ज़ात की क़सम देकर पूछता हूँ जिसने आप (ﷺ) को रसूल बनाया है क्या अल्लाह पाक ही ने आपको इन चीज़ों का हुक्म फ़र्माया है? आपने फ़र्माया हूँ बिलकुल दुरुस्त है। फिर वो बोला आपके क़ासिद का ख़याल है कि हममें से जो त़ाक़त रखता हो उस पर बैतुल्लाह का हज्ज फ़र्ज़ है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया हूँ वो सच्चा है। फिर वो बोला मैं आप (ﷺ) को उस ज़ात की क़सम देकर पूछता हूँ जिसने आप (ﷺ) को रसूल बनाकर भेजा कि क्या अल्लाह ही ने आप (ﷺ) को यह हुक्म फ़र्माया है? आपने जवाब दिया कि हाँ! फिर वो कहने लगा कि क़सम है उस ज़ात की जिसने आपको हज़रत के साथ मबज़ूब फ़र्माया मैं इन बातों पर कुछ ज़्यादा करूँगा न कुछ कम करूँगा। (बल्कि इन्हीं के मुताबिक़ अपनी ज़िंदगी गुज़ारूँगा) आप (ﷺ) ने फ़र्माया अगर उसने अपनी बात को सच कर दिखाया तो वो ज़रूर ज़रूर जन्नत में दाख़िल हो जाएगा।

तशरीह : सन्आनी ने कहा कि ये हदीष इस मुक़ाम पर इसी एक नुस्खे बुखारी में है जो फ़रबरी पर पढ़ा गया और किसी नुस्खे में नहीं है। शरह क़स्तलानी (रह) में भी ये रिवायत यहाँ नहीं है। बहरहाल सहाबा किराम को ग़ैर ज़रूरी सवालात करने से रोक दिया गया था। वो एहतियातन ख़ामोशी इख़्तियार करके मुंतज़िर रहा करते थे कि कोई बाहर का आदमी आकर मसाइल मा'लूम करे और हमको सुनने का मौक़ा मिल जाए। इस रिवायत में भी शायद वही ज़िम्माम बिन अलबा मुराद हैं जिनका ज़िक्र पिछली रिवायत में आ चुका है। इसके तमाम सवालात का ता'ल्लुक उसूल व फ़राइजे दीन के बारे में था। आप (ﷺ) ने भी उसूलों तौर पर फ़राइज़ ही का ज़िक्र किया। नवाफ़िल फ़राइज़ के ताबेअ हैं इसलिये उनके ज़िक्र करने की ज़रूरत न थी इसलिये इस बारे में आप (ﷺ) ने सुकूत फ़र्माया (ख़ामोश) रहे। इससे सुनन व नवाफ़िल की अहमियत जो अपनी जगह पर मुसल्लम है वो कम नहीं हुई।

एक बेजा इल्ज़ाम : साहबे ईज़ाहुल बुखारी जैसे संजीदा मुरतिब को अल्लाह जाने क्या सूझी कि हदीषे त़लहा बिन उबैदुल्लाह जो किताबुल ईमान में बाबुज़ ज़कात मिनल इस्लाम के तहत मज़कूर हुई है उसमें आने वाले शख़्स को अहले नजद से बतलाया गया है। कुछ शारेहीन का ख़याल है कि ये ज़िम्माम बिन अलबा ही हैं। बहरहाल इस ज़ैल में आपने एक अजीब सुख़ी दौरै हाज़िर का एक फ़िल्ना से क़ायम की है। फिर उसकी तौज़ीह यूँ की है कि, अहले हदीष इस हदीष से इस्तिदलाल करते हुए सुनन के एहतिमाम से पहलू तही करते (पहलू बचाते) हैं। (ईज़ाहुल बुखारी जिल्द नं. 4 पेज नं. 386)

अहले हदीष पर ये इल्ज़ाम इस क़दर बेजा है कि इस पर जितनी भी नफ़रीन की जाए कम है। काश! आप ग़ौर करते और सोचते कि आप क्या लिख रहे हैं। जो जमाअत सुन्नते रसूल (ﷺ) पर अमल करने की वजह से आपके यहाँ इतिहाई मअतूब है। वो भला सुनन के एहतिमाम से पहलू तही करे, ये बिलकुल ग़लत है। इफ़िरादी तौर पर अगर कोई शख़्स ऐसा कर गुज़रता है तो उस फ़ेअल का वो खुद ज़िम्मेदार है यूँ कितने मुसलमान खुद नमाज़े फ़र्ज़ ही से पहलू तही करते हैं तो क्या किसी ग़ैर मुस्लिम

का ये कहना दुरुस्त हो जाएगा कि मुसलमानों के यहाँ नमाज़ की कोई अहमियत ही नहीं। अहले हदीष का तो नारा ही ये है।

माआ शक्रीम बेदिल दिलदार मा मुहम्मद मा बुलबुलीम नालाँ गुल्ज़ार मा मुहम्मद (ﷺ)

हाँ! अहले हदीष ये ज़रूर कहते हैं कि फ़र्ज़ व सुनन व नवाफ़िल के मरातिब अलग-अलग हैं। कोई शख्स कभी किसी मअकूल उज़र की बिना (जाइज़ कारणों के आधार) पर अगर सुनन व नवाफ़िल से महरूम रह जाए वो इस्लाम से ख़ारिज नहीं हो जाएगा। न उसकी अदाकर्दा फ़र्ज़ नमाज़ पर उसका कुछ अषर पड़ेगा, अगर अहले हदीष ऐसा कहते हैं तो ये बिलकुल बजा है। इसलिये कि ये तो खुद आपका भी फ़त्वा है। जैसा कि आप खुद उसी किताब में फ़र्मा रहे हैं, आपके लफ़्ज़ ये हैं। आप (ﷺ) उसके बे कम व कास्त अमल करने की क़सम पर दुखूले जन्नत की बशारत दी क्योंकि अगर बिल फ़र्ज़ वो सिर्फ़ उन्हीं ता'लीमात पर इक्तिफ़ा (बस) कर रहा है और सुनन व नवाफ़िल को शामिल नहीं कर रहा है। तब भी दुखूले जन्नत के लिए तो काफ़ी है। (ईज़ाहुल बुखारी जिल्द 5 पेज नं. 31) स़द अफ़सोस! कि आप यहाँ उनको दाखिले-जन्नत फ़र्मा रहे हैं और पिछले मुक़ाम पर आप ही उसे दौरे हाज़िर का एक फ़िल्ना बतलाते हैं। हमको आपकी इंस़ाफ़पसंद तबीअत से पूरी तवक्क़अ है कि आइन्दा एडीशन में इसकी इस्लाह फ़र्मा देंगे।

बाब 7 : मुनावला का बयान और अहले इल्म का इल्मी बातें लिखकर (दूसरे) शहरों की तरफ़ भेजना

और हज़रत अनस (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हज़रत उष्मान (रज़ि.) ने मस़ाहिक (यानी कुआन) लिखवाए और उन्हें चारों तरफ़ भेज दिया। और अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.), यहा बिन सईद और इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक यह (किताबत) जाइज़ है। और बाज़ अहले हुज़ाज ने मुनावला पर रसूलुल्लाह (ﷺ) की इस हदीष से इस्तिदलाल किया है जिसमें आपने अमीरे लश्कर के लिए ख़त लिखा था। फिर (क्रासिद से) फ़र्माया था कि जब तक तुम फ़लाँ फ़लाँ जगह न पहुँच जाओ इस ख़त को मत पढ़ना। फिर जब वो उस जगह पहुँच गए तो उसने ख़त को लोगों के सामने पढ़ा और जो आपका हुक्म था वो उन्हें बतला दिया।

(64) इस्माइल बिन अब्दुल्लाह ने हमसे बयान किया, उनसे इब्राहीम बिन सअद ने झालेह के वास्ते से रिवायत की, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा बिन मसऊद (रज़ि.) से नक़ल किया कि उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख्स को अपना एक ख़त देकर भेजा और उसे यह हुक्म दिया कि हाकिमे बहरीन के पास ले जाए। बहरीन के हाकिम ने वो ख़त किसरा (शाहे ईरान) के पास भेज दिया। जिस वक़्त उसने वो

۷- بَابُ مَا يُذَكَّرُ فِي الْمَنَاقِبِ

وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى

الْبُلْدَانِ

وَقَالَ أَنَسٌ: نَسَخَ عُثْمَانُ الْمَصَاحِفَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الْأَقَاقِ، وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمَالِكٌ ذَلِكَ جَائِزًا. وَأَحْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي الْمَنَاقِبِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ كَتَبَ لِأَمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ: لَا تَقْرَأْهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ.

۶۴- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَذْفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ

ख़त पढ़ा तो चाक कर डाला (रावी कहते हैं) और मेरा ख़याल है कि इब्ने मुसय्यिब ने (उसके बाद) मुझसे कहा कि (इस वाकिये को सुनकर) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अहले ईरान के लिए बहुआ की वो (फाड़े हुए ख़त की तरह) टुकड़े- टुकड़े हो जाएँ।

(दीगर मक़ाम : 2939, 4424, 7264)

الْبَحْرَيْنِ، فَذَقَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى
كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَرَّقَهُ، فَحَسِبْتُ أَنَّ
ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فَذَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ أَنْ يَمَزُقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ.

[أطرافه في: ٢٩٣٩، ٤٤٢٤، ٧٢٦٤].

(65) हमसे अबुल हसन मुहम्मद बिन मुक्रातिल ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह ने, उन्हें शुअबा ने क़तादा से ख़बर दी, वो हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, उन्होंने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (किसी बादशाह के नाम दावते इस्लाम देने के लिए) एक ख़त लिखा या लिखने का इरादा किया तो आप (ﷺ) से कहा गया कि वो बग़ैर मुहर के ख़त नहीं पढ़ते (यानी बेमुहर के ख़त को मुस्तनद नहीं समझते) तब आप (ﷺ) ने चाँदी की अँगूठी बनवाई। जिसमें मुहम्मदुरसूलुल्लाह नक़श था। गोया मैं (आज भी) आप (ﷺ) के हाथ में उसकी सफ़ेदी देख रहा हूँ। (हदीष के रावी शुअबा कहते हैं कि) मैंने क़तादा से पूछा कि यह किसने कहा (कि) उस पर मुहम्मदुरसूलुल्लाह नक़श था? उन्होंने जवाब दिया, अनस (रज़ि.) ने।

(दीगर मक़ाम : 2938, 5870, 5872, 5874, 5875, 5877, 7162)

٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَبُو الْحَسَنِ
قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَتَبَ
النَّبِيُّ ﷺ كِتَابًا - أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ -
فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا
مَحْتَمًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقَشَهُ،
مُحَمَّدَ رَسُولَ اللَّهِ. كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى نِهَايِهِ
فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: مَنْ قَالَ نَقَشَهُ
مُحَمَّدَ رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنَسٌ.

[أطرافه في: ٢٩٣٨، ٥٨٧٠، ٥٨٧٢]

[٧١٦٢، ٥٨٧٧، ٥٨٧٥، ٥٨٧٤]

तशरीह : मुनावला इस्तिलाह- मुहदिप्पीन में उसे कहते हैं अपनी असल मरवियात और मस्मूआत की किताब जिसमें अपने उस्तादों से सुनकर हदीषें लिख रखी हों अपने किसी शागिर्द के हवाले कर दी जाए और उस किताब में दर्जशुदा अह्लादीष को रिवायत करने की उसको इजाज़त भी दे दी जाए, तो ये जाइज़ है और हज़रत इमाम बुखारी (रह) की मुराद यही है। अगर अपनी किताब हवाला करते हुए रिवायत करने की इजाज़त न दे तो इस सूरत में हहषनी या अख़बरनी फ़लानुन कहना जाइज़ नहीं है। हदीष नम्बर 64 में किसरा के लिए बहुआ का ज़िक्र है क्योंकि उसने आप (ﷺ) का नाम-ए-मुबारक चाककर डाला था, चुनाँचे खुद उसके बेटे ने उसका पेट फाड़ डाला। सो जब वो मरने लगा तो उसने दवाओं का ख़ज़ाना खोला और ज़हर के डिब्बे पर लिख दिया कि ये दवा कुव्वते बाह (ताक़ते-मर्दानगी) के लिए अकसीर है। वो बेटा जिमाअ का बहुत शौक़ रखता था जब वो मर गया और उसके बेटे ने दवाख़ाने में उस डिब्बे पर ये लिखा हुआ देखा तो उसको वो खा गया और वो भी मर गया। उसी दिन से इस सल्लनत में तन्नज़ुल (पतन का दौर) शुरू हुआ, आख़िर हज़रत उमर (रज़ि) के अहदे ख़िलाफ़त में उनका नाम व निशान भी बाक़ी नहीं रहा। ईरान के हर बादशाह का लक़ब किसरा हुआ करता था। उस ज़माने के किसरा का नाम परवेज़ बिन हुर्मुज़ नौशीरवाँ था, उसी को खुसरू परवेज़ कहते हैं। उसके क़ातिल बेटे का नाम शीरविया था, ख़िलाफ़त फ़ारूक़ी में सअद बिन अबी वक़्ास (रज़ि) के हाथों ईरान फ़तह हुआ।

मुनावला के साथ बाब में मुकातबत का ज़िक्र है जिससे मुराद ये कि उस्ताद अपने हाथ से ख़त लिखे या किसी और

से लिखवाकर शागिर्द के पास भेजे, शागिर्द उस सूत्र में भी उसको अपने उस्ताद से रिवायत कर सकता है।

हज़रत इमाम बुखारी (रह) ने अपनी खुदादाद कुव्वते-इज्तिहाद की बिना पर दोनों मज़कूरा अहदीष से इन इस्तिलाहात को प्राबित फ़र्माया है फिर तअज़ुब है उन कम-फ़हमों पर जो हज़रत इमाम को ग़ैर फ़कीह और ज़ूदे-रंज और महज़ नाकिल समझकर आपकी तख़फ़ीफ़ के दरपै हैं नज़्ज़ुबिल्लाह मिन शूरुरि अन्फुसिना।

बाब 8 : वो शख्स जो मजलिस के आखिर में बैठ जाए और वो जो बीच में जहाँ जगह देखे बैठ जाए (बशर्ते कि दूसरों को तकलीफ़ न हो)

(66) हमसे इस्माईल ने बयान किया, कहा उनसे मालिक ने इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी त़लहा के वास्ते से ज़िक्र किया, बेशक अबू मुरह मौला अक़ील बिन अबी त़ालिब ने उन्हें अबू वाक्रिद अल्लेघी से ख़बर दी कि (एक बार) रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद में बैठे हुए थे और लोग आप (ﷺ) के आसपास बैठे हुए थे कि तीन आदमी वहाँ आए (उनमें से) दो रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने पहुँच गए और एक वापस चला गया। (रावी कहते हैं कि) फिर वो दोनों रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने खड़े हो गए। इसके बाद उनमें से एक ने (जब) मजलिस में (एक जगह कुछ) जगह देखी तो वहाँ बैठ गया और दूसरा अहले मजलिस के पीछे बैठ गया और तीसरा जो था वो लौट गया। तो जब रसूलुल्लाह (ﷺ) (अपनी बातचीत से) फ़ारिग़ हुए (तो सहाबा रज़ि. से) फ़र्माया क्या मैं तुम्हें तीन आदमियों के बारे में न बताऊँ? तो (सुनो) उनमें से एक ने अल्लाह से पनाह चाही अल्लाह ने उसे पनाह दी और दूसरे को शर्म आई तो अल्लाह भी उससे शर्माया (कि उसे भी बख़्श दिया) और तीसरे शख्स ने उससे मुँह मोड़ा, तो अल्लाह ने (भी) उससे मुँह मोड़ लिया।

(दीगर मक़ाम : 478)

۸- بَابٌ مِّنْ قَعْدَةٍ حَيْثُ يَنْتَهَى بِهِ
الْمَجْلِسُ، وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِي الْخَلْفَةِ
فَجَلَسَ فِيهَا

۶۶- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ
أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ
عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ يَتِمُّنَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ
وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ. قَالَ:
فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا
فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْخَلْفَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا
الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ
فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا. فَلَمَّا فَرَّغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: ((أَلَا أَخْبَرْتُكُمْ عَنِ النَّفْرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا
أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا
الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا
الْآخَرُ فَاعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ)).

[طرفه في : ۴۷۴.]

तशीह : प्राबित हुआ कि मजलिसे-इल्मी में जहाँ जगह मिले बैठ जाना चाहिए। आपने मज़कूरा तीन आदमियों की कैफ़ियत मिशाल के तौर पर बयान फ़र्माई। एक शख्स ने मजलिस में जहाँ जगह देखी वही बैठ गया। दूसरे ने कहीं जगह न पाई तो मजलिस के किनारे जा बैठा और तीसरे ने जगह न पाकर अपना रास्ता लिया। हालाँकि रसूलुल्लाह (ﷺ) की मजलिस से एअराज़ (मुँह मोड़ना) गोया अल्लाह से एअराज़ है। इसीलिए आप (ﷺ) ने उसके बारे में सख़्त अल्फ़ाज़ फ़र्माए इस हदीष से प्राबित हुआ कि मजलिस में आदमी को जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाना चाहिए अगरचे उसको सबसे आखिर में जगह मिले। आज भी वो लोग जिनको कुआन व हदीष की मजलिस पसंद न हो बड़े ही बदबख़्त होते हैं।

बाब 9 : हज़रत रसूले करीम (ﷺ) के उस इर्शाद की तफ़्सील में कि बसाओक़ात वो शख़्स जिसे (हदीष) पहुँचाई जाए सुनने वाले से ज़्यादा (हदीष को) याद रख लेता है

9- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ((رُبُّ مَبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ))

(67) हमसे मुसहद ने बयान किया, उनसे बिशर ने, उनसे इब्ने औन ने इब्ने सीरीन के वास्ते से, उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्रर से नक़ल किया, उन्होंने अपने बाप से रिवायत की कि वो (एक बार) रसूलुल्लाह (ﷺ) का ज़िक्र करते हुए कहने लगे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने ऊँट पर बैठे हुए थे और एक शख़्स ने उसकी नक़ल थाम रखी थी, आप (ﷺ) ने पूछा आज यह कौनसा दिन है? हम ख़ामोश रहे, यहाँ तक कि हम यह समझ रहे थे कि आज के दिन का आप कोई दूसरा नाम उसके नाम के अलावा तजवीज़ फ़र्माएँगे (फिर) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या आज कुर्बानी का दिन नहीं है? हमने कहा, बेशक। (उसके बाद) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यह कौनसा महीना है? हम (इसपर) भी ख़ामोश रहे और यही समझे कि इस महीने का (भी) आप उसके नाम के अलावा कोई दूसरा नाम तजवीज़ करेंगे। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या यह जुलहिज्जा का महीना नहीं है? हमने कहा, बेशक। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तो यक़ीनन तुम्हारी जानें और तुम्हारे माल और तुम्हारी आबरू तुम्हारे बीच उसी तरह हराम जिस तरह आज के दिन की हुर्मत तुम्हारे इस महीने और इस शहर में है। बस जो शख़्स हाज़िर है उसे चाहिए कि ग़ायब को यह (बात) पहुँचा दे, क्योंकि ऐसा मुम्किन है कि जो शख़्स यहाँ मौजूद है वो ऐसे शख़्स को यह ख़बर पहुँचाए जो उससे ज़्यादा (हदीष का) याद रखनेवाला हो। (दीगर मक़ाम: 105, 1741, 3197, 4407, 4662, 5550, 7078, 7447)

67- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بَشَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَدْ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ - أَوْ بِرِمَامِهِ - قَالَ: ((أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟)) فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنْنَا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ سِوَى اسْمِهِ. قَالَ: ((أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟)) قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: ((فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟)) فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنْنَا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: ((أَلَيْسَ بِلَيْلِ الْحِجَّةِ؟)) قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: ((فَلَيْلَ دِمَاءِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَعْرَاضِكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. لِيَبْلُغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يَبْلُغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ)).

[أطرافه في : 105, 1741, 3197, 4407, 4662, 5550, 7078, 7447]

[7447]

तशरीह: इस हदीष से प्राबित हुआ कि ज़रूरत के वक़्त इमाम ख़त़ीब या मुहद्विष या उस्ताद सवारी पर बैठे हुए भी खु़त्बा दे सकता है, वअज़ कह सकता है। शागिर्दों के किसी सवाल को हल कर सकता है। ये भी मा'लूम हुआ कि शागिर्द को चाहिए कि उस्ताद की तशरीह व तफ़्सील का इतिज़ार करे और खुद जवाब देने में जल्दबाज़ी से काम न ले। ये भी मा'लूम हुआ कि कुछ शागिर्द फ़हम और हिफ़ज़ (समझने और याद करने) में अपने उस्तादों से भी आगे बढ़ जाते हैं। ये चीज़ उस्ताद के लिये बाज़िअे मुसरत होनी चाहिए। ये हदीष उन इस्लामी फ़लासफ़रों के लिये भी दलील है जो शारइ हक़ाइक़ को फ़लसफ़ाना तशरीह के साथ प्राबित करते हैं। जैसे हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्विष देहलवी (रह) ने अपनी मशहूर किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में अहक़ामे शरअ के हक़ाइक़ व फ़वाइद बयान करने में बेहतरीन तफ़्सील से काम लिया है।

बाब 10 : इस बयान में कि इल्म (का दर्जा) क्रौल व अमल से पहले है

इसलिये कि अल्लाह तआला का इर्शाद है फ़अलम अन्नहू ला इलाहा इल्लल्लाह (आप जान लीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है) तो (गोया) अल्लाह तआला ने इल्म से इब्तिदा फ़र्माई और (हदीष में है) कि इलमा, अंबिया के वारिष हैं। (और) पैगम्बरों ने इल्म (ही) का वरषा छोड़ा है फिर जिसने इल्म हासिल किया उसने (दौलत की) बहुत बड़ी मिक्दार हासिल कर ली। और जो शख्स किसी रास्ते पर हुसूले इल्म के लिये चले, अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत की राह आसान कर देता है। और अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि अल्लाह से उसके वही बंदे डरते हैं जो इल्म वाले हैं। और (दूसरी जगह) फ़र्माया और उसको अलिमों के सिवा कोई नहीं समझता। और फ़र्माया, और उन लोगों (काफ़िरों) ने कहा अगर हम सुनते या अक्ल रखते तो जहन्नमी न होते। और फ़र्माया, क्या इल्म वाले और जाहिल बराबर हैं? और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख्स के साथ अल्लाह भलाई करना चाहता है तो उसे दीन की समझ अता करता है। और इल्म तो सीखने ही से आता है। और हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) का इर्शाद है कि अगर तुम इस पर तलवार रख दो, और अपनी गर्दन की तरफ़ इशारा किया और मुझे गुमान हुआ कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से जो एक कलिमा सुना है, गर्दन कटने से पहले बयान कर सकूँगा तो यक़ीनन मैं उसे बयान कर ही दूँगा और नबी (ﷺ) का फ़र्मान है कि हाज़िर को चाहिए कि (मेरी बात) ग़ायब (ग़ैर-हाज़िर) को पहुँचा दे और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा है कि कूनू रब्बानिय्यीन से मुराद हुकमा फ़ुक्रहा इलमा हैं। और रब्बानी उस शख्स को कहा जाता है जो बड़े मसाइल से पहले छोटे मसाइल लोगों को समझाकर (इल्मी) तर्बियत करे।

बच्चों को कायदा पारा पढ़ाने वाले हज़रत भी इसी में दाख़िल हैं।

बाब 11 : नबी (ﷺ) का लोगों की रिआयत करते हुए नसीहत फ़र्माने और ता'लीम देने के बयान में ताकि उन्हें नागवार न हो।

١٠- بَابُ: الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ
لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾
﴿فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وِرْثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَرَثُوا الْعِلْمَ، مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَالرِّبِّ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾.

وَقَالَ: ﴿وَمَا يَغْفُلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ﴾.
﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّمِيرِ﴾. وَقَالَ: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَخْلَعُونَ وَالَّذِينَ لَا يَخْلَعُونَ﴾. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالْعِلْمِ)). وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: لَوْ وَضَعْتُمْ الصُّمَّامَةَ عَلَى هَدْيِهِ - وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ - ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنِّي أَنْفَعُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ أَنْ تُحْزِرُوا عَلَيَّ لِأَنْفَعَتِهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُونُوا رَبَّانِيِّينَ حُكَمَاءَ فُقَهَاءَ عُلَمَاءَ. وَيُقَالُ: الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِفَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِتَابِهِ.

١١- بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَمَا لَا يَنْفَرُوا

हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्हें सुफयान ने अअमश से खबर दी, वो अबू वाइल से रिवायत करते हैं, वो अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें नसीहत फ़र्माने के लिये कुछ दिन मुक़र्रर कर दिए थे इस डर से कि कहीं हम कबीदा ख़ातिर (मलिनचित्त/बोर) न हो जाएँ।

(दीगर मक़ाम : 70, 6411)

(69) हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, उनसे यह्या बिन सईद ने, उनसे शुअबाने, उनसे अबुत्तयाह ने, उन्होंने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से नक़ल किया, वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़र्माया, आसानी करो और सख़्ती न करो और ख़ुश करो और नफ़रत न दिलाओ।

(दीगर मक़ाम : 6125)

मुअल्लिमीन (ता'लीम) व असातिज़ा (उस्ताद) व वाइज़ीन व ख़ुतबा (मुक़र्रर व ख़ुत्बा देने वाले) और मुफ़्ती हज़रात सब ही के लिये ये इश़ाद वाजिबुल अमल है।

बाब 12 : इस बारे में कि कोई शख़्स अहले इल्म के लिये कुछ दिन मुक़र्रर कर दे (तो यह जाइज़ है) यानी उस्ताद अपने शागिर्दों के लिये औक़ात मुक़र्रर कर सकता है।

(70) हमसे इब्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, उनसे जरीर ने मंसूर के वास्ते से नक़ल किया, वो अबू वाइल से रिवायत करते हैं कि अब्दुल्लाह (इब्ने मसऊद) हर जुमअेरात के दिन लोगों को वा'ज़ सुनाया करते थे। एक आदमी ने उनसे कहा ऐ अबू अब्दुर्रहमान! मैं चाहता हूँ कि तुम हमें हर रोज़ वा'ज़ सुनाया करो। उन्होंने फ़र्माया, तो सुन लो कि इस अमर से मुझे कोई चीज़ मानेअ है तो यह कि मैं यह बात पसंद नहीं करता कि कहीं तुम तंग न हो जाओ और मैं वा'ज़ में तुम्हारी फुर्सत का वक़्त तलाश किया करता हूँ जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इस ख़याल से कि हम कबीदा ख़ातिर न हो जाएँ, वा'ज़ के लिये हमारे औक़ात फुर्सत का ख़याल रखते थे।

तशरीह : ऊपर वाली हदीषों और इस बाब से मक़सूद असातिज़ा को ये बतलाना है कि वो अपने शागिर्दों के ज़हन का ख़याल

٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ :
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ
يَتَخَوَّنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهَةً
السَّامَةِ عَلَيْنَا.

[طرفاه في : 70, 6411].

٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو
الْتِيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :
(يَسْرُوا وَلَا تُعْسِرُوا، وَتَشْرُوا وَلَا
تُفْرُوا). [طرفه في : 6125].

١٢- بَابُ مَنْ جَعَلَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ
أَيَّامًا مَعْلُومَةً

٧٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ :
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ
قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُدَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ
خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا عَبْدِ
الرُّوحَمَنِ لَوْ دِدْتُ أَنَّكَ ذَكَرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ.
قَالَ : أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ
أَنْ أَمْلِكُكُمْ، وَإِنِّي أَتَخَوَّنُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ
عَلَيْنَا.

रखें, ता'लीम में इस कदर इंहिमाक और शिद्दत सहीह नहीं कि तलबा (छात्रों) के दिमाग थक जाएँ और वो अपने अंदर बेदिली और कम रबती महसूस करने लग जाएँ। इसीलिये हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि) ने अपने दर्स व मवाइज़ के लिये सप्ताह में सिर्फ़ जुमेरात का दिन मुकरर कर रखा था। इससे ये भी प्राबित हुआ कि नफ़ल इबादत इतनी न की जाए कि दिल में बेरबती और मलाल पैदा हो। बहरहाल उसूलो ता'लीम ये है कि यस्सिरू वला तअस्सिरू व बशिशरू वला तन्फिरू।

बाब 13 : इस बारे में कि अल्लाह जिसके साथ भलाई करना चाहता है उसे दीन की समझ अत्रा करता है

(71) हमसे सईद बिन इफ़ैर ने बयान किया, उनसे वहब ने यूनुस के वास्ते से नक़ल किया, वो इब्ने शिहाब से नक़ल करते हैं, उनसे हुमैद बिन अब्दुरहमान ने कहा कि मैंने मुआविया (रज़ि.) से सुना। वो खुत्बे में फ़र्मा रहे थे कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को यह फ़र्माते हुए सुना कि जिस शख्स के साथ अल्लाह तआला भलाई करना चाहता है तो उसे दीन की समझ अत्रा करता है और मैं तो सिर्फ़ बांटने वाला हूँ, देनेवाला तो अल्लाह ही है और यह उम्मत हमेशा अल्लाह के हुक्म पर क़ायम रहेगी और जो शख्स उनकी मुख़ालफ़त करेगा, उन्हें नुक़सान नहीं पहुँचा सकेगा, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म (क़ायामत) आ जाए (और यह आलम फ़ना हो जाए)

(दीगर मक़ाम : 3316, 3641, 7312, 4660)

इशारा इस तरफ़ है कि नासमझ लोग जो मुद्इयाने इल्म और वाइज़ व मुर्शिद बन जाएँ। नीम हकीम ख़तर—ए—जान, नीम मुल्ला, ख़तर—ए—ईमान उन ही के हक़ में कहा गया है।

बाब 14 : इल्म में समझदारी से काम लेने के बयान में

(72) हमसे अली (बिन मदीनी) ने बयान किया, उनसे सुफ़यान ने, उनसे इब्ने अबी नुजैह ने मुजाहिद के वास्ते से नक़ल किया, वो कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन इमर के साथ मदीने तक रहा, मैंने (उस) एक हदीष के सिवा उनसे रसूलुल्लाह (ﷺ) की कोई और हदीष नहीं सुनी, वो कहते थे कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर थे कि आप (ﷺ) के पास ख़जूर का एक गाभा लाया गया। (उसे देखकर) आपने फ़र्माया कि दरख़्तों में एक पेड़ ऐसा है उसकी मिषाल मुसलमान की तरह है। (इब्ने इमर, रज़ि. कहते हैं कि यह सुनकर) मैंने इरादा किया कि अर्ज़ करूँ कि वो (पेड़) ख़जूर का है मगर चूँकि मैं सबमें छोटा था इसलिये ख़ामोश रहा। (फिर) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने खुद ही फ़र्माया कि वो ख़जूर है।

۱۳- بَابُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا

يُفْقَهُ فِي الدِّينِ

۷۱- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي شِهَابٍ قَالَ: قَالَ حَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقَهُ فِي الدِّينِ. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، وَاللَّهُ يُعْطِي. وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ)).

[أطرافه في : ۳۳۱۶، ۳۶۴۱، ۷۳۱۲،

[۷۴۶۰

۱۴- بَابُ الْفَهْمِ فِي الْعِلْمِ

۷۲- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَانِي بِجُمَارٍ فَقَالَ: ((إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجْرَةً مِثْلَهَا كَمَثَلِ الْمُسْلِمِ))، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ، فَإِذَا أَنَا أَصْفَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((هِيَ النَّخْلَةُ)).

(राजेअ: 61)

[راجع: 61].

तशरीह: हदीष (71) के आखिर में जो फ़र्माया, उसका मतलब दूसरी हदीष की वज़ाहत के मुताबिक़ ये है कि उम्मत किस क़दर भी गुमराह हो जाए मगर उसमें एक जमाअत की कुछ परवाह न होगी, उस जमाअते हक्का से जमाअते अहले हदीष मुराद है जिसने तक्लीदे-जामिद (अंधी पैरवी) से हटकर सिर्फ़ किताब व सुन्नत को अपना मदरे अमल करार दिया है।

बाब 15 : इल्म व हिकमत में रश्क करने के बयान में

١٥ - بَابُ الْإِغْتِيَابِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

और हज़रत इमर (रज़ि.) का इशार्द है कि सरदार बनने से पहले समझदार बनो (यानी दीन का इल्म हासिल करो) और अबू अब्दुल्लाह (हज़रत इमाम बुखारी रह.) फ़र्माते हैं कि सरदार बनाए जाने के बाद भी इल्म हासिल करो, क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) के अज़्हाब (रज़ि.) ने बुढ़ापे में भी दीन सीखा।

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تَسُوذُوا. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ تَسُوذُوا وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ كَبْرَ سِنِهِمْ.

(73) हमसे हुमैदी ने बयान किया, उनसे सुफ़यान ने, उनसे इस्माईल बिन अबी ख़ालिद ने दूसरे लफ़्ज़ों में बयान किया, उन लफ़्ज़ों के अलावा वो जो जुहरी ने हमसे बयान किए, वो कहते हैं मैंने क़ैस बिन अबी हाज़िम से सुना, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से सुना, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का इशार्द है कि हसद सिर्फ़ दो बातों में जाइज है। एक तो उस शख़्स के बारे में जिसे अल्लाह ने दौलत दी हो और वो उस दौलत को राहे हक़ में ख़र्च करने पर भी कुदरत रखता हो और एक उस शख़्स के बारे में जिसे अल्लाह ने हिकमत (की दौलत) दी हो और वो उसके ज़रिये से फ़ैसला करता हो और (लोगों को) उस हिकमत की ता'लीम देता हो।

٧٣ - حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ - عَلَى غَيْرِ مَا حَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِيُّ - قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَ عَلَىٰ هَلْكِيهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيَعْلَمُهَا)).

(दीगर मक़ाम: 1409, 7141, 7316)

[أطرافه في: ١٤٠٩، ٧١٤١، ٧٣١٦].

तशरीह: शारेहीने हदीष लिखते हैं, 'इअलम अन्नल मुराद बिल हसदि हा-हुना अलगिब्ततु फ़इन्नल हसद मज्मूमुन क़द बय्यनशशर्द क़बाहतहू' यानी हदीष (73) में हसद के लफ़्ज़ से गिब्तता यानी रश्क करना मुराद है क्योंकि हसद बहरहाल मज्मूम है जिसकी शरअ ने काफ़ी मज्ममत की है। कभी हसद गिब्तता रश्क के मा'नी में भी इस्तेमाल होता है बहुत से नाफ़हम लोग हज़रत इमाम बुखारी (रह) से हसद करके उनकी तौहीन व तख़फ़ीफ़ के दर पे हैं, ऐसा हसद करना मोमिन की शान नहीं। अल्लाहुम्महिफ़ज़्ना आमीन।

बाब 16 : हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के पास दरिया में जाने के

١٦ - بَابُ مَا ذُكِرَ فِي ذَهَابِ مُوسَى ﷺ فِي الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِيرِ

ज़िक्र में

और अल्लाह तआला का इर्शाद (जो हज़रत मूसा का क़ौल है) क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ इस शर्त पर कि तुम मुझे (अपने इल्म से कुछ) सिखाओ।

(74) हमसे मुहम्मद बिन गु़रैर जुहरी ने बयान किया, उनसे यअक़ूब बिन इब्राहीम ने, उनसे उनके बाप (इब्राहीम) ने, उन्होंने सालेह से सुना, उन्होंने इब्ने शिहाब से, वो बयान करते हैं कि उन्हें अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के वास्ते से ख़बर दी कि वो और हुर बिन क़ैस बिन हसन फ़ज़ारी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी के बारे में बहष की, हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि वो ख़िज़्र थे। फिर उनके पास से उबय बिन क़अब गुज़रे तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने उन्हें बुलाया और कहा कि मैं और मेरे यह रफ़ीक़ मूसा अलैहिस्सलाम के उस साथी के बारे में बहष कर रहे हैं जिससे उन्होंने मुलाक़ात चाही थी। क्या आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इसके बारे में कुछ ज़िक्र सुना है। उन्होंने ने कहा, हाँ! मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को यह फ़र्माते हुए सुना है। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राईल की एक जमाअत में बैठे हुए थे कि इतने में एक शख़्स आया और उसने आपसे पूछा कि क्या आप जानते हैं कि (दुनिया में) कोई आपसे भी बड़कर आलिम मौजूद है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़र्माया नहीं! इस पर अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वह्य भेजी कि हाँ! मेरा बंदा ख़िज़्र है (जिसका इल्म तुमसे ज़्यादा है) मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से मिलने की क्या सूरत है? अल्लाह तआला ने एक मछली को उनसे मुलाक़ात की अलामत क़रार दिया और उनसे कह दिया कि जब तुम उस मछली को गुम कर दो तो (वापस) लौट जाओ, तब ख़िज़्र से तुम्हारी मुलाक़ात होगी। तब मूसा अलैहिस्सलाम (चले और) दरिया में मछली की अलामत तलाश करते रहे। उस वक़्त उनके साथी ने कहा जब हम पत्थर के पास थे, क्या आपने देखा था, मैं उस वक़्त मछली का कहना भूल गया और शैतान ही ने मुझे उसका ज़िक्र भूला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उसी जगह की हमें तलाश थी। तब वो अपने निशानाते क़दम पर (पिछले पांव) बातें करते हुए लौटे (वहाँ) उन्होंने ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هَلْ آتَيْتَكَ عَلَىٰ أَنْ تَعَلِّمَنِي مِمَّا﴾

۷۴- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ

قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ

حَدَّثَنَا أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ

ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَبَسٍ

بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيِّ فِي صَاحِبِ مُوسَى،

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ خَضِرٌ. فَمَرَّ بِهِمَا أَبِي

بْنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي

تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ

مُوسَى الَّذِي سَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى

لُقْيِهِ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟

قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:

((بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَأٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَغْلَمَ

مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى: لَا، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى

مُوسَى: يَا بَنِي، عَبَدْنَا خَضِرًا. فَسَأَلَ مُوسَى

السَّبِيلَ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً،

وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَتَدَّتْ الْحُوتُ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ

مُسْتَفَاءٌ. كَانَ يَتَّبِعُ آثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ.

فَقَالَ لِمُوسَى قَبْلَهُ: ﴿هَلْ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى

الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، وَمَا

أَتَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾. قَالَ:

﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَأَرْتَدْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمَا

فَمَضَيْنَا﴾ فَوَجَدَا خَضِرًا، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمْ

مَا قَعَسَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي كِتَابِهِ)).

पाया, फिर उनका वही किस्सा है जो अल्लाह ने अपने कुर्आन में बयान किया है। (दीगर मक़ाम : 78, 122, 2267, 2728, 3248, 3400, 3401, 4725, 4726, 4727, 6672, 7478)

बाब 17 : नबी (ﷺ) का यह फ़र्मान कि अल्लाह उसे कुर्आन का इल्म अत्ता कर

(75) हमसे अबू मअमर ने बयान किया, उनसे अब्दुल वारिष ने, उनसे ख़ालिद ने इकरमा के वास्ते से बयान किया, वो हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं। उन्होंने फ़र्माया कि (एक बार) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे (सीने से) लगा लिया और दुआ देते हुए फ़र्माया कि ऐ अल्लाह! इसे इल्मे किताब (कुर्आन) अत्ता फ़र्मा! (दीगर मक़ाम : 143, 3756, 7270)

बाब 18 : इस बारे में कि बच्चे का (हदीष) सुनना किस उम्र में सहीह है

(76) हमसे इस्माईल ने बयान किया, उनसे मालिक ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन इत्बा ने, वो अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि मैं (एक बार) गधी पर सवार होकर चला, उस ज़माने में, मैं बलूगत (जवाँ होने) के करीब था। रसूलुल्लाह (ﷺ) मिना में नमाज़ पढ़ रहे थे और आपके सामने दीवार (की आड़) न थी, तो मैं कुछ सफ़ों के सामने से गुज़रा और गधी को छोड़ दिया। वो चरने लगी, जबकि मैं सफ़ में शामिल हो गया (मगर) किसी ने मुझे इस बात पर टोका नहीं।

(दीगर मक़ाम : 493, 861, 1757, 4412)

(77) हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उनसे अबू मुसहिर ने, उनसे मुहम्मद बिन हर्ब ने, उनसे जुबैदी ने जुहरी के वास्ते से बयान किया, वो महमूद बिन अर रबीअ से नक़ल करते

[أطرافه في : ٧٨ ، ١٢٢ ، ٢٢٦٧ ، ٢٧٢٨ ،

٣٢٧٨ ، ٣٤٠٠ ، ٣٤٠١ ، ٤٧٢٥ ،

٤٧٢٦ ، ٤٧٢٧ ، ٦٦٧٢ ، ٧٤٧٨] .

١٧- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ((اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا الْكِتَابَ))

٧٥- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ضَمَّنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ : ((اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا الْكِتَابَ)).

[أطرافه في : ١٤٣ ، ٣٧٥٦ ، ٧٢٧٠] .

١٨- بَابُ مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ؟

٧٦- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارِ أَنَانَ - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ لَقَدْ نَافَرْتُ الْإِحْتِلَامَ - وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بَيْنِي إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، وَأَرْمَلْتُ الْأَنَانَ تَرَوَعٌ فَدَخَلْتُ لِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ.

[أطرافه في : ٤٩٣ ، ٨٦١ ، ١٨٥٧] .

[٤٤١٢] .

٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُسَهَّرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ

हैं, उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि (एक बार) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक डोल से मुँह में पानी लेकर मेरे चेहरे पर कुल्ली फ़र्माई और मैं उस वक़्त पाँच साल का था।

(दीगर मक़ाम : 189, 839, 1185, 6354, 6422)

तशरीह :

कुछ बच्चे ऐसे भी ज़हीन, ज़की, फ़हीम होते हैं कि पाँच साल की उम्र ही में उनका दिमाग़ क़ाबिले ए' तिमामद हो जाता है। यहाँ ऐसा ही बच्चा मुराद है इससे प्राबित हुआ कि लड़का या गधा अगर नमाज़ी के आगे से निकल जाए तो नमाज़ फ़ासिद न होगी। हज़रत इमाम बुखारी (रह) ने ये दलील ली है कि लड़के की रिवायत सहीह है चूँकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि) उस वक़्त तक लड़के ही थे। मगर आपकी रिवायत को माना गया है दूसरी रिवायत में महमूद का ज़िक्र है जो बहुत ही कमसिन थे चूँकि उनको ये बात याद रही तो उनकी रिवायत मो' तबर ठहरी। आप (ﷺ) ने ये कुल्ली शफ़क़त और बरकत के लिये डाली थी।

बाब 21 : इल्म की तलाश में निकलने के बारे में

जाबिर बिन अब्दुल्लाह का एक हदीष की खातिर अब्दुल्लाह बिन उनैस के पास जाने के लिये एक माह की मसाफ़त तै करना।

(78) हमसे अबुल क़ासिम ख़ालिद बिन ख़ली क़ाज़ी हिम्स ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन हर्ब ने, औज़ाई कहते हैं कि हमें जुहरी ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल्लाह बिन इत्बा बिन मसऊद (रज़ि.) से ख़बर दी, वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि वो और हुर बिन क़ैस बिन हसन फुज़ारी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी के बारे में झगड़े। (इस दौरान में) उनके पास से उबय बिन कअब गुजरे, तो इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने उन्हें बुला लिया और कहा कि मैं और मेरे साथी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी के बारे में बहस कर रहे हैं जिससे मिलने की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने (अल्लाह से) दुआ की थी। क्या आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) को कुछ उनका ज़िक्र फ़र्माते हुए सुना है? हज़रत उबय ने कहा कि हाँ! मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को उनका हाल बयान फ़र्माते हुए सुना है। आप (ﷺ) फ़र्मा रहे थे कि एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राईल की एक जमाअत में थे कि इतने में एक शख़्स आया और कहने लगा क्या आप जानते हैं कि दुनिया में आपसे भी बढकर कोई आलिम मौजूद है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं! तब अल्लाह

عَنْ مَخْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَجَّةً مَجَّهَا لِي وَجْهِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ ذُلُو.

[أطرافه في : 1185, 839, 1189]

[6422, 6354]

٢١- بَابُ الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ

وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ.

٧٨- حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ خَالِدُ بْنُ خَلِيْفَةَ

قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : قَالَ

الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُنَيْدِ اللَّهِ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسٍ بْنِ

حِصْنِ الْفَزَارِيِّ فِي صَاحِبِ مُوسَى، فَمَرَّ

بِهِمَا أَبِي بَنْ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ

فَقَالَ: إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي

صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى

لِقَائِهِ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ

شَأْنَهُ؟ فَقَالَ أَبِي: نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ يَقُولُ: ((بَيْنَمَا مُوسَى فِي

مَلَأَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ:

تَعْلَمُ أَحَدًا اعْتَمَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى: لَا.

तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वह्य नाज़िल की कि हौं मेरा बंदा ख़िज़्र (इल्म में तुमसे बड़कर) है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे मिलने की राह पूछी, उस वक़्त अल्लाह तआला ने (उनसे मुलाक़ात के लिये) मछली को निशानी करार दिया और उनसे कह दिया कि जब तुम मछली को न पाओ तो लौट जाना, तब तुम ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात कर लोगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में मछली के निशान का इंतज़ार करते रहे। तब उनके ख़ादिम ने उनसे कहा, क्या आपने देखा था जब हम पत्थर के पास थे, तो मैं (वहाँ) मछली भूल गया और मुझे शैतान ही ने ग़ाफ़िल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलामने कहा कि हम उसी (जगह) को तो तलाश कर रहे हैं, तब वो अपने (क़दमों के) निशानों पर बातें करते हुए वापस लौटे। (वहाँ) ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को उन्होंने पाया। फिर उनका क़िस्सा वही है जो अल्लाह तआला ने अपनी किताब में फ़र्माया है। (राजेअ: 74)

बाब 20 : पढ़ने और पढ़ाने वाले की फ़ज़ीलत के बयान में

(79) हमसे मुहम्मद बिन अलाअ ने बयान किया, उनसे हम्माद बिन उसामा ने बुरैद बिन अब्दुल्लाह के वास्ते से नक़ल किया, वो अबी बुर्दा से रिवायत करते हैं, वो हज़रत अबू मूसा और वो नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह ने मुझे जिस इल्म व हिदायत के साथ भेजा है उसकी मिश्राल ज़बरदस्त बारिश की सी है जो ज़मीन पर (ख़ूब) बरसे। कुछ ज़मीनें जो साफ़ होती है वो पानी को पी लेती है और बहुत बहुत सब्ज़ा और घास उगाती है और कुछ ज़मीन जो सख़्त होती है वो पानी को रोक लेती है उससे अल्लाह तआला लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है। वो उससे सैराब होते हैं और सैराब करते हैं। और कुछ ज़मीन के कुछ ख़िचों पर पानी पड़ता है जो बिलकुल चटियल मैदान होते हैं। न पानी रोकते हैं और न ही सब्ज़ा उगाते हैं। तो यह उस शख़्स की मिश्राल है जो दीन में समझ पैदा करे और नफ़ा दे, उसको वो चीज़ जिसके साथ में वो मबज़्र किया गया हों। उसने इल्म-दीन सीखा और सिखाया और उस शख़्स की मिश्राल

فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى مُوسَى: بَلَى، عَبْدُنَا خَصِيرٌ. فَسَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لِقَائِهِ، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا لَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَلَفَاهُ، فَكَانَ مُوسَى ﷺ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ. فَقَالَ قَتَى مُوسَى لِمُوسَى: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْتِنَا إِلَى الصَّخْرَةِ لِنَتَّبِعَ الْحُوتَ، وَمَا أَنْسَيْنَاهُ إِلَّا الشَّيْطَانَ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾. قَالَ مُوسَى: ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي. فَارْتَدْنَا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾، فَوَجَدَا خَصِيرًا. فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ)). [راجع: ٧٤]

٢٠- باب فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ

٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَثَلُ مَا بَعْثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلْبَاءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَفَفَعَّ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قَيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تَنْبِتُ كَلًّا. فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ لَقِيَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعْثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا

जिसने सिर नहीं उठाया (यानी तवज्जुह नहीं की) और जो हिदायत देकर मैं भेजा गया हूँ उसे कुबूल नहीं किया। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) फ़र्माते हैं कि इब्ने इस्हाक़ ने अबू उसामा की रिवायत क़बलतिल मा-अ का लफ़्ज़ नक़ल किया है। क़ाअ ज़मीन के उस ख़ित्ते को कहते हैं जिस पर पानी चढ़ जाए (मगर ठहरे नहीं) और सफ़सफ़ उस ज़मीन को कहते हैं जो बिलकुल हमवार हो।

तशीह: हदीष (78) से इमाम बुखारी (रह) ने ये निकाला कि हज़रत मूसा ने इल्म हासिल करने के लिये कितना बड़ा सफ़र किया। जिन लोगों ने ये हिकायत नक़ल की है कि हज़रत ख़िज़र (अलैहिस्सलाम) ने फ़िक्हे-इनफ़ी सीखी और फिर कुशैरी को सिखाई ये सारा क़िस्सा महज़ झूठ है। इसी तरह कुछ का ये ख़याल कि हज़रत ईसा या इमाम महदी इनफ़ी मज़हब के मुक़ल्लिद होंगे महज़ बेअसल और ख़िलाफ़े क़यास है। हज़रत मुल्ला अली क़ारी ने उसका ख़ूब रद्द किया है। हज़रत इमाम महदी ख़ालिस किताब व सुन्नत के अलमबरदार पुख़्ता अहले हदीष होंगे।

बाब 21 : इल्म के ज़वाल और जहल की इशाअत के बयान में और

रबीअ का क़ौल है जिसके पास कुछ इल्म हो, उसे यह जाइज़ नहीं कि (दूसरे काम में लगकर इल्म को छोड़ दे और) अपने आपको ज़ाया (नष्ट) कर दे।

(80) हमसे इमरान बिन मैसरा ने बयान किया, उनसे अब्दुल वारिष ने अबुत्तय्याह के वास्ते से नक़ल किया, वो हज़रत अनस से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया। अलामते क़यामत में से यह है कि (दीनी) इल्म उठ जाएगा और जहल ही जहल ज़ाहिर हो जाएगा और (ऐलानिया) शराब पी जाएगी और ज़िना फैल जाएगा।

(दीगर मक़ाम : 81, 5231, 5577, 6808)

(81) हमसे मुसहद ने बयान किया, उनसे यह्या ने शुअबा से नक़ल किया, वो क़तादा से और क़तादा हज़रत अनस से रिवायत करते हैं उन्होंने फ़र्माया कि मैं तुमसे एक ऐसी हदीष बयान करता हूँ जो मेरे बाद तुमसे कोई नहीं बयान करेगा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को यह फ़र्माते हुए सुना है कि अलामाते क़यामत में से यह है कि इल्म (दीनी) कम हो जाएगा। जहल ज़ाहिर हो जाएगा। ज़िना बक़रत होगा। और तें बढ जाएँगी और मर्द कम हो जाएँगे। यहाँ तक कि 50

وَلَمَّ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أَرْسَلْتُ بِهِ)).
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ إِسْحَاقُ: وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَبَلَتْ الْمَاءَ فَأَغَّ يَغْلُوهُ الْمَاءُ، وَالصُّفْصَفُ: الْمُسْتَوِي مِنَ الْأَرْضِ.

٢١- بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ، وَظُهُورِ الْجَهْلِ قَالَ رَبِيعَةُ:

لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَضَيِّعَ نَفْسَهُ.

٨٠- حَدَّثَنَا عَمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيُنْبَتِ الْجَهْلُ، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزُّنَا)).

[أطرافه في: ٨١، ٥٢٣١، ٥٥٧٧]

[٦٨٠٨]

٨١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لِأَحَدِكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَظْهَرَ الزُّنَا، وَتُكْثَرَ النِّسَاءُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً

औरतों का निगराँ सिर्फ़ एक मर्द रह जाएगा। (राजेअ : 80)

الْقِيمُ الْوَاحِدُ)). [راجع : ٨٠]

(इस हदीष में) उन लड़ाइयों की तरफ़ भी इशारा है जिनमें मर्द बड़ी तादाद में मौत के घाट उतर गये और औरतें ही औरतें रह गईं।

बाब 22 : इल्म की फ़ज़ीलत के बयान में

(82) हमसे सईद बिन उफ़ैर ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे लैष ने, उनसे अक़ील ने इब्ने शिहाब के वास्ते से नक़ल किया, वो हम्ज़ा बिन अब्दुल्लाह बिन उमर से नक़ल करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को यह फ़र्माते हुए सुना है कि मैं सो रहा था। (उसी हालत में) मुझे दूध का एक प्याला दिया गया। मैंने (ख़ूब अच्छी तरह) पी लिया, यहाँ तक कि मैंने देखा ताज़गी मेरे नाखूनों में से निकल रही है। फिर मैंने अपना बचा हुआ (दूध) उमर बिन ख़त्ताब को दे दिया। सहाबा (रज़ि.) ने पूछा कि आपने उसकी क्या ता'बीर ली? आप (ﷺ) ने फ़र्माया इल्म।

(दीगर मक़ाम : 4671, 7556, 7007, 7027, 7032)

٢٢- بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ

٨٢- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خُمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ ابْنَ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُوتِيتُ بِقَدَحٍ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرُّؤْيَى يَخْرُجُ لِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَغْطَيْتُ فَضْلِي عَمْرٍو بَيْنَ الْخَطَابِ)) قَالُوا: فَمَا أَوْلَتْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((الْعِلْمُ)).

[اطرافه في : ٤٦٨١, ٧٥٥٦, ٧٠٠٧]

[٧٠٢٧, ٧٠٣٢]

बाब 23 : जानवर वगैरह पर सवार होकर फ़त्वा देना जाइज़ है

(83) हमसे इस्माईल ने बयान किया, उनसे मालिक ने इब्ने शिहाब के वास्ते से बयान किया, वो ईसा बिन त़लहा बिन उबैदुल्लाह से रिवायत करते हैं, वो अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस्र से नक़ल करते हैं कि हज़रतुल विदाअ में रसूलुल्लाह (ﷺ) लोगों के मसाइल पूछने की वजह से मिना में ठहर गए। तो एक शख़्स आया और उसने कहा कि मैंने बेख़बरी में जिब्ह करने से पहले सर मुँडवा लिया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया (अब) जिब्ह कर ले और कुछ हर्ज नहीं। फिर दूसरा आदमी आया, उसने कहा कि मैंने बेख़बरी में रमी करने से पहले कुर्बानी कर ली। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, (अब) रमी कर ले। (और पहले कर देने से) कुछ हर्ज नहीं। इब्ने अमर कहते हैं (उस दिन) आप (ﷺ) से जिस चीज़ का सवाल हुआ, जो किसी ने आगे और पीछे कर ली थी। तो आप

٢٣- بَابُ الْفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى

ظَهْرِ الدَّابَّةِ وَغَيْرَهَا

٨٣- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِينَسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ لِي حَجَّةَ الْوَدَاعِ بِمِنَى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ لَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: لِمَ أَشْغَرُ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: ((أَذْبَحْ وَلَا حَرَجَ)) فَجَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ: لِمَ أَشْغَرُ فَحَرَوْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: ((أَرْمِ وَلَا حَرَجَ)) فَمَا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَ وَلَا آخَرَ إِلَّا قَالَ:

(ﷺ) ने यही फ़र्माया कि अब कर ले और कुछ हर्ज नहीं।

(दीगर मक़ाम : 124, 1736, 1737, 1738, 6665)

बाब 24 : उस शख्स के बारे में जो हाथ या सर के इशारे से फ़त्वे का जवाब दे

(84) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उनसे वुहैब ने, उनसे अय्यूब ने इकरिमा के वास्ते से नक़ल किया, वो हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) से आपके (आख़री) हज्ज में किसी ने पूछा कि मैंने रमी करने (यानी कंकर फेंकने) से पहले ज़िब्ह कर लिया, आप (ﷺ) ने हाथ से इशारा किया (और) फ़र्माया कुछ हर्ज नहीं। किसी ने कहा कि मैंने ज़िब्ह से पहले हलक़ करा लिया। आप (ﷺ) ने इशारा फ़र्मा दिया कि कोई हर्ज नहीं।

(दीगर मक़ाम : 1721, 1722, 1723, 1734, 1735, 6666)

(85) हमसे मक्की इब्ने इब्राहीम ने बयान किया, उन्हें हंजला ने सालिम से ख़बर दी, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना, वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत करते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि (एक वक़्त ऐसा आएगा कि जब) इल्म उठा लिया जाएगा। जिहालत और फ़ित्ने फैल जाएँगे और हर्ज बढ़ जाएगा। आपसे पूछा गया कि या रसूलुल्लाह! हर्ज से क्या मुराद है? आप (ﷺ) ने अपने हाथ को हरकत देकर फ़र्माया, इस तरह गोया आप (ﷺ) ने उससे क़त्ल मुराद लिया।

(दीगर मक़ाम : 1036, 1412, 3608, 3609, 4635, 4636, 6037, 6506, 6935, 7161, 7115, 7121)

(86) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उनसे वुहैब ने, उनसे हिशाम ने फ़ातिमा के वास्ते से नक़ल किया, वो अस्मा से

((الْفَعْلُ وَلَا حَرَجَ)).

[أطرافه في : ١٢٤ ، ١٧٣٦ ، ١٧٣٧ ،

١٧٣٨ ، ٦٦٦٥ .]

٢٤ - بَابُ مَنْ أَجَابَ الْفَتْيَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ

٨٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سئلَ فِي حَجَبِهِ فَقَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُرْمِيَ، قَالَ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ قَالَ: ((وَلَا حَرَجَ)) وَقَالَ: حَلَفْتُ قَبْلَ أَنْ أذْبَحَ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ: ((وَلَا حَرَجَ)).

[أطرافه في : ١٧٢١ ، ١٧٢٢ ، ١٧٢٣ ،

١٧٣٤ ، ٦٦٦٦ .]

٨٥ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((يُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَيُظْهِرُ الْجَهْلُ وَالْفِتْنُ، وَيَكْثُرُ الْمَرْجُ)) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْمَرْجُ؟ فَقَالَ: ((هَكَذَا بِيَدِهِ فَحَرَفَهَا)) كَأَنَّهُ يُرِيدُ الْقَتْلَ.

[أطرافه في : ١٠٣٦ ، ١٤١٢ ، ٣٦٠٨ ،

٣٦٠٩ ، ٤٦٣٥ ، ٤٦٣٦ ، ٦٠٣٧ ،

٦٥٠٦ ، ٦٩٣٥ ، ٧١٦١ ، ٧١١٥ ،

٧١٢١ .]

٨٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ

रिवायत करती हैं कि मैं आइशा (रज़ि.) के पास आई, वो नमाज़ पढ़ रही थीं, मैंने कहा कि लोगों का क्या हाल है? तो उन्होंने आसमान की तरफ़ इशारा किया (यानी सूरज को गहन लगा है) इतने में लोग (नमाज़ के लिये) खड़े हो गए। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, अल्लाह पाक है। मैंने कहा, (क्या यह गहन) कोई (खास) निशानी है? उन्होंने सर से इशारा किया यानी हाँ! फिर मैं (भी नमाज़ के लिये) खड़ी हो गई। यहाँ तक कि मुझे ग़श (चक्कर) आने लगा, तो मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। फिर (नमाज़ के बाद) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अल्लाह तआला की ता'रीफ़ बयान की और उसकी सिफ़त बयान फ़र्माई, फिर फ़र्माया, जो चीज़ मुझे पहले दिखलाई नहीं गई थी आज वो सब इस जगह मैंने देख ली, यहाँ तक कि जन्नत और जहन्नम को भी देख लिया और मुझ पर यह वह्य की गई कि तुम अपनी क़ब्रों में आजमाए जाओगे मिश्र या कुर्ब का कौनसा लफ़्ज़ हज़रत अस्मा ने फ़र्माया, मैं नहीं जानती, फ़ातिमा कहती हैं (यानी) फ़िल्न—ए—दज्जाल की तरह (आज़माए जाओगे) कहा जाएगा (क़ब्र के अंदर कि) तुम इस आदमी के बारे में क्या जानते हो? तो जो साहिबे इमान व साहिबे यक़ीन होगा, कौनसा लफ़्ज़ फ़र्माया हज़रत अस्मा ने, मुझे याद नहीं। वो कहेगा वो मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जो हमारे पास अल्लाह की हिदायत और दलीलें लेकर आए तो हमने उनको कुबूल कर लिया और उनकी पैरवी की। तीन बार (इसी तरह कहेगा) फिर (उससे) कह दिया जाएगा कि आराम से सो जा बेशक हमने जान लिया कि तू मुहम्मद (ﷺ) पर यक़ीन रखता था और बहरहाल मुनाफ़िक़ या शक्की आदमी, मैं नहीं जानती कि इनमें से कौनसा लफ़्ज़ हज़रत अस्मा ने कहा। तो वो (मुनाफ़िक़ या शक्की आदमी) कहेगा कि लोगों को मैंने कहते हुए सुना मैंने (भी) वही कह दिया। (बाक़ी मैं कुछ नहीं जानता)

(दीगर मक़ाम : 184, 922, 1053, 1054, 1235, 1373, 2519, 2520, 7287)

فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: أَنْتِ عَائِشَةُ وَهِيَ تُصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، لِإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ. قُلْتُ: آيَةٌ. فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا - أَيْ نَعَمْ - فَقُمْتُ حَتَّى عَلَانِي الْفِئْتِي، لَجَعَلْتُ أَصْبُ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ. فَحَمِدَ اللَّهُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَتَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أَرِيئُهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتَّى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَأَوْحَى إِلَيَّ أَنْكُمْ تَقْتَبُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ، أَوْ قَرِيبٍ - لَا أَذْرِي أَيْ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - ((مِنْ لَيْتَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، يُقَالُ: مَا عَلِمَكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، أَوْ الْمُؤْمِنَةُ)) - لَا أَذْرِي أَيُّهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ - ((فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا. هُوَ مُحَمَّدٌ (ثَلَاثًا). فَيَقَالُ: نَمْ صَالِحًا، قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا بِهِ. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، أَوْ الْمُرْتَابُ)) - لَا أَذْرِي أَيْ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ ((لَا أَذْرِي))، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ.

[أطرافه في : 184, 922, 1053, 1054, 1235, 1373, 2519, 2520, 7287]

1054, 1373, 2519, 2520, 7287

[7287, 2520]

बाब 25 : रसूलुल्लाह (ﷺ) का क़बील—ए—
अब्दुल क़ैस के वपद को इस पर आमादा करना

٢٥ - بَابُ تَحْرِيفِ النَّبِيِّ ﷺ وَفَدِّ
عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الْإِيمَانَ

कि वो ईमान लाएँ और इल्म की बातें याद रखें
और अपने पीछे रह जाने वालों को भी खबर दें

और मालिक बिन अल हुवैरिष ने फ़र्माया कि हमें नबी (ﷺ) ने फ़र्माया कि अपने घर वालों के पास लौटकर उन्हें (दीन) इल्म सिखाओ।

(87) हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, उनसे गुन्द्र ने, उनसे शुअबा ने अबू जमरह के वास्ते से बयान किया कि मैं इब्ने अब्बास (रज़ि.) और लोगों के बीच तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम दिया करता था (एक बार) इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि क़बील-ए-अब्दुलक़ैस का वफ़द रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आया। आप (ﷺ) ने पूछा कि कौनसा वफ़द है? या यह कौन लोग हैं? उन्होंने कहा कि रबीआ ख़ानदान (के लोग हैं) आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुबारक हो क़ौम को (आना) या मुबारक हो इस वफ़द को (जो कभी) न रुस्वा हो न शर्मिदा हो (उसके बाद) उन्होंने कहा कि हम एक दूर दराज़ कोने से आप (ﷺ) के पास आए हैं और हमारे और आपके बीच कुफ़ारे मुज़र का यह क़बीला (पड़ता) है (उसके ख़ौफ़ की वजह से) हम हुर्मत वाले महीनों के अलावा और दिनों में आपके पास नहीं आ सकते। इसलिये हमें कोई ऐसी (क़तई) बात बतला दीजिए कि जिसकी हम अपने पीछे रह जानवाले लोगों को ख़बर दें। (और) उसकी वजह से हम जन्नत में दाख़िल हो सकें। तो आप (ﷺ) ने उन्हें चार बातों का हुक्म दिया और चार से रोक दिया। पहले उन्हें हुक्म दिया कि एक अल्लाह पर ईमान लाएँ। (फिर) कहा कि क्या तुम जानते हो कि एक अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया (एक अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब यह है कि) इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं और यह कि मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और नमाज़ क़ायम करना, ज़कात देना और माहे रमज़ान के रोज़े रखना और यह कि तुम माले ग़नीमत में से पाँचवा हिस्सा अदा करो और चार चीज़ों से मना किया, दुब्बा, हंतुम, और मुज़फ़फ़त के इस्तेमाल से। और (चौथी चीज़ के बारे में) शुअबा कहते हैं कि अबू जमरह बसाओक़ात नक़ीर कहते थे और बसाओक़ात

وَالْعِلْمَ وَيَخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ

وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ: قَالَ لَنَا
النَّبِيُّ ﷺ: ((ارْجِعُوا إِلَىٰ أَهْلِيكُمْ
فَعَلِمُوهُمْ))

۸۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
عُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ
قَالَ: كُنْتُ أُرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ
النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّ وَلَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ اتَّوَأ
النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((مَنْ الْوَلَدُ - أَوْ مَنْ
الْقَوْمُ؟)) - قَالُوا: رَيْبَعَةُ. فَقَالَ: ((مَرْحَبًا
بِالْقَوْمِ - أَوْ بِالْوَلَدِ - غَيْرَ خَرَّابَا وَلَا
نَدَامَى)) قَالُوا: إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شِقَّةٍ بَعِيدَةٍ،
وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كَفَّارٍ مُضَرٍّ،
وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي شَهْرِ حَرَامٍ،
فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَخْبِرُ بِهِ مِنْ وَرَاءِنَا نَدْخُلُ بِهِ
الْجَنَّةَ. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ:
أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخَدَّةِ،
قَالَ: ((هَلْ تَذَرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ
وَخَدَّةُ؟)) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَكْبَرُ. قَالَ:
((شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ
الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَتَعْطُوا الْحُمْسَ
مِنَ الْمَغْنَمِ)). وَنَهَاهُمْ عَنِ الدِّبَاءِ،
وَالْحَتَمِ، وَالْمَرْقَةِ - قَالَ شُعْبَةُ: وَرَبَّمَا
قَالَ النَّبِيُّ، وَرَبَّمَا قَالَ الْمُفَيِّرُ. قَالَ:
((أَخْفِظُوا وَآخِبِرُوا مَنْ وَرَاءَكُمْ)).

मुक़च्चिर। (उसके बाद) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि इन (बातों को) याद रखो और अपने पीछे (रह जाने) वालों को भी इनकी ख़बर कर दो। (राजेअ: 53)

[راجع: ٥٣]

नोट: ये हदीष किताबुल ईमान के अख़ीर में गुज़र चुकी है। हज़रत इमाम ने इससे प्राबित किया है कि उस्ताद अपने शागिदों को तहसीले इल्म के लिये तरगीब व तहरीस से काम ले सकता है। मज़ीद तफ़्सील वहाँ देखी जाए।

बाब 26 : जब कोई मसला दरपेश हो तो उसके लिये सफ़र करना (कैसा है?)

٢٦- بَابُ الرَّحَلَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ
النَّازِلَةِ

(88) हमसे अबुल हसन मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, उन्हें अब्दुल्लाह ने ख़बर दी, उन्हें अम्र बिन सईद बिन अबी हुसैन ने ख़बर दी, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी मुलैका ने उक़बा बिन अल हारिष के वास्ते से नक़ल किया कि उक़बा ने अबू इहाब बिन अज़ीज़ की लड़की से निकाह किया। तो उनके पास एक औरत आई और कहने लगी कि मैंने उक़बा को और जिससे उसका निकाह हुआ है, उसको दूध पिलाया है। न तूने मुझे कभी बताया है (यह सुनकर) उक़बा ने कहा, मुझे नहीं मा'लूम कि तुमने मुझे दूध पिलाया है। तब सवार होकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में मदीना हाज़िर हुए और आपसे इसके बारे में पूछा, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, किस तरह (तुम इस लड़की से रिश्ता रखोगे) हालाँकि (इसके बारे में यह) कहा गया। तब उक़बा बिन हारिष ने उस लड़की को छोड़ दिया और उसने दूसरा शौहर कर लिया।

٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةَ لَأْبِي إِهَابٍ بْنِ غَزِينٍ فَاتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا. فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَغْلَمَ أَنْكَ أَرْضَعْتِنِي، وَلَا أَخْبَرْتِنِي. فَرَكِبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَسَأَلَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟)) فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، وَتَكَحَّتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(दीगर मक़ाम: 2052, 2640, 2659, 2660, 5104)

[أطرافه في: ٢٠٥٢, ٢٦٤٠, ٢٦٥٩]

[٢٦٦٠, ٥١٠٤]

तशीह: उक़बा बिन हारिष ने एहतियातन उसे छोड़ दिया क्योंकि जब शुब्हा पैदा हो गया तो अब शुब्हे की चीज़ से बचना ही बेहतर है। मसला मा'लूम करने के लिये हज़रत उक़बा का सफ़र करके मदीना जाना बाब के तर्जुमा यही मक़सद है। इसी बिना पर मुहद्दिषीन ने तलबे हदीष के सिलसिले में जो-जो सफ़र किये हैं वो इल्म हासिल करने के लिये बेमिघाल सफ़र हैं। आँहज़रत (ﷺ) ने एहतियातन उक़बा की जुदाई करा दी। इससे प्राबित हुआ कि एहतियात का पहलू बहरहाल मुक़दम रखना चाहिए। ये भी प्राबित हुआ कि रज़ाअ सिर्फ़ मुरज़िआ (दूध पिलाने वाली) की शहादत से प्राबित हो जाता है।

बाब 27 : इस बारे में कि (तलबा का हुसूले) इल्म के लिये (उस्ताद की ख़िदमत में) अपनी अपनी बारी

٢٧- بَابُ التَّائِبِ فِي الْعِلْمِ

मुक़रर करना दुरुस्त ह

(89) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्हें शुऐब ने जुहरी से

٨٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا

खबर दी (एक दूसरी सनद से) हज़रत इमाम बुखारी (रह.) कहते हैं कि इब्ने वहब को यूनुस ने इब्ने शिहाब से खबर दी, वो अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह इब्ने अबी प्रौर से नक़ल करते हैं, वो अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से, वो हज़रत उमर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि मैं और मेरा एक अंसारी पड़ोसी दोनों मदीना के पास के एक गांव बनी उमय्या बिन ज़ैद में रहते थे जो मदीना के (पूरब की तरफ) बुलंद गांव में से है। हम दोनों बारी-बारी आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में जाया करते थे। एक दिन वो आता एक दिन मैं आता। जिस दिन मैं आता उस दिन वो वहा की और (रसूलुल्लाह ﷺ की फ़र्मूदा) दीगर बातों की उसको ख़बर दे देता था और जब वो आता तो वो भी उसी तरह करता। तो एक दिन मेरा वो अंसारी साथी बारी के रोज़ हाज़िरे ख़िदमत हुआ (जब वापस आया) तो उसने मेरा दरवाज़ा बहुत जोर से खटखटाया और (मेरे बारे में पूछा कि) क्या उमर यहाँ है? मैं घबराकर उसके पास आया। वो कहने लगा कि एक बड़ा मुआमला पेश आ गया है। (यानी रसूलुल्लाह ﷺ ने अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी है) फिर मैं (अपनी बेटी) हफ़सा के पास गया, वो रो रही थी। मैंने पूछा क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तुम्हें तलाक़ दे दी है? वो कहने लगीं मैं नहीं जानती। फिर मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। मैंने खड़े-खड़े कहा कि क्या आप (ﷺ) ने अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं। (यह अफ़वाह ग़लत है) तब मैंने (तअज़ुब से) कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु ही बड़ा है।

(दीगर मक़ाम : 2467, 4913, 4914, 4915, 5191, 5218, 5743, 7256, 7263)

شَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. ح. قَالَ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ - وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ - وَكُنَّا نَتَأَوَّبُ النَّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا أَنْزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَيْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبِهِ فَضَرَبَ بِيَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا فَقَالَ: أَنْتُمْ هُوَ؟ فَفَرَعْتُ، إِلَيْهِ فَقَالَ: فَمَا حَدَّثَ أَمْرَ عَظِيمٍ. فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: طَلَّقَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: لَا أَدْرِي. ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمَةٌ أَطَلَّقْتَ بَسَاءَكَ؟ قَالَ: ((لَا)). فَقُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ.

أَطْرَافُهُ فِي : ٢٤٦٨ ، ٤٩١٣ ، ٤٩١٤ ،

٤٩١٥ ، ٥١٩١ ، ٥٢١٨ ، ٥٨٤٣

[٧٢٦٣ ، ٧٢٥٦]

उस अंसारी का नाम उल्बान बिन मालिक था। इस रिवायत से प्राबित हुआ कि खबरे वाहिद पर ए'तिमाद करना दुरुस्त है। हज़रत उमर (रज़ि) ने घबराकर इसलिये पूछा कि उन दिनों मदीना पर ग़स्सान के बादशाह के हमला करने की अफ़वाह गर्म थी। हज़रत उमर (रज़ि) समझे कि शायद ग़स्सान का बादशाह आ गया है। इसीलिये आप घबराकर बाहर निकले फिर अंसारी की ख़बर पर हज़रत उमर (रज़ि) को तअज़ुब हुआ कि उसने ऐसी बेअसल बात क्यूँ कही। इसीलिये बेसाख़ता आपकी जुबान पर नारा-ए-तकबीर आ गया। बारी इसलिये मुकर्रर की थी कि हज़रत उमर (रज़ि) तिजारत-पेशा थे और वो अंसारी भाई भी कारोबारी थे। इसलिये बारी मुकर्रर की थी ताकि अपना काम भी जारी रहे और उलूमे नबवी (ﷺ) से भी महरूमी न हो। मा'लूम हुआ कि तलबे मआश (रोज़गार) के लिये भी एहतूमाम ज़रूरी है। इस हदीष की बाक़ि शरह किताबिन्तिकाह में आएगी। इंशाअल्लाह!

बाब 28 : इस बयान में कि उस्ताद शागिर्दों की जब कोई नागवार बात देखे तो वअज़ करते और ता'लीम देते वक़्त उन पर ख़फ़ा हो सकता है

۲۸- بَابُ الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ
وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

(90) हमसे मुहम्मद बिन क़बीर ने बयान किया, उन्हें सुफ़यान ने अबू ख़ालिद से खबर दी, वो क़ैस बिन अबी हाज़िम से बयान करते हैं, वो अबू मसऊद अंसारी से रिवायत करते हैं कि एक शख्स (हज़म बिन अबी कअब) ने (रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में आकर) पूछा। या रसूलुल्लाह (ﷺ)! फ़लाँ शख्स (मुआज़ बिन जबल) लम्बी नमाज़ पढ़ते हैं इसलिये मैं (जमाअत की) नमाज़ में शरीक नहीं हो सकता (क्योंकि मैं दिनभर ऊँट चराने की वजह से रात को थककर चकनाचूर हो जाता हूँ और लम्बी क़िरात सुनने की ताक़त नहीं रखता) (अबू मसऊद रावी कहते हैं) कि उस दिन से ज़्यादा मैंने कभी रसूलुल्लाह (ﷺ) को वअज़ के दौरान इतना ग़ज़बनाक नहीं देखा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ लोगों! तुम (ऐसी शिद्दत इख़्तियार करके लोगों को दीन से) नफ़रत दिलाने लगे हो। (सुन लो) जो शख्स लोगों को नमाज़ पढ़ाए तो वो हल्की पढ़ाए क्योंकि उनमें बीमार, कमज़ोर और हाजत वाले (सब ही क़िस्म के लोग) होते हैं।

(दीगर मक़ाम : 702, 704, 6110, 7159)

गुस्से का कारण ये (रहा होगा) कि आप पहले भी मना कर चुके होंगे; दूसरे ऐसा करने से डर था कि कहीं लोग थक हार कर इस दीन से नफ़रत न करने लग जाएँ। यहीं से बाब का तर्जुमा निकलता है।

۹۰- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَفْيَانٌ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَكَادُ أَذْرِكُ الصَّلَاةَ مِمَّا يُطَوَّلُ بِنَا فُلَانٍ. فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدُّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مُنْفَرُونَ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ)).

[أطرافه في : 702, 704, 6110, 7159].

(91) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने बयान किया, उनसे अबू अमिर अल अक़दी ने, वो सुलैमान बिन बिलाल अल मदीनी से, वो रबीअ बिन अबी अब्दुर्रहमान से, वो यज़ीद से जो मुंबअिष के आज़ादकर्दा थे, वो ज़ैद बिन ख़ालिद अल जुहनी से रिवायत करते हैं कि एक शख्स (उमैर या बिलाल) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पढ़ी हुई चीज़ के बारे में पूछा। आपने फ़र्माया, उसकी बंधन पहचान ले या फ़र्माया कि उसका बर्तन और थैली (पहचान ले) फिर एक साल तक उसकी शिनाख़्त (का ऐलान) कराओ फिर (उसका मालिक न मिले तो) उससे फ़ायदा उठाओ और अगर उसका मालिक आ जाए तो उसे सौंप दो। उसने पूछा कि अच्छा

۹۱- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ الْمَدِينِيُّ عَنِ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى النَّبِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ: ((اعْرِفْ وَكَاءَهَا - أَوْ قَالَ: وَكَاءَهَا - وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً ثُمَّ اسْتَمْتَعَ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رُبُّهَا فَأَدَّهَا

गुमशुदा ऊँट (के बारे में) क्या हुक्म है? आप (ﷺ) को इस क्रूर गुस्सा आ गया कि रुखसारे मुबारक सुख हो गए। या रावी ने यह कहा कि आपका चेहरा सुख हो गया। (यह सुनकर) आप (ﷺ) ने फ़र्माया। तुझे ऊँट से क्या वास्ता? उसके साथ खुद उसकी मशक है और उसके (पाँव के) सम है। वो खुद पानी पर पहुँचेगा और खुद पी लेगा और खुद पेड़ पर चरेगा। लिहाज़ा उसे छोड़ दो यहाँ तक कि उसका मालिक मिल जाए। उसने कहा कि अच्छा गुमशुदा बकरी के (बारे में) क्या इशारा है? आपने फ़र्माया, वो तेरी है या तेरे भाई की, वरना भेड़िये की (ग़िज़ा) है।

(दीगर मक़ाम : 2372, 2427, 2428, 2429, 2436, 2438, 5292, 6112)

तशरीह : गिरी-पड़ी चीज़ को लुक्ता कहते हैं। इस हदीष में उसी का हुक्म बयान किया गया है। आप (ﷺ) के गुस्से का सबब ये हुआ कि ऊँट के बारे में सवाल ही बेकार था। जबकि वो तल्फ़ (बर्बाद) होने वाला जानवर नहीं। वो जंगल में अपना चारा-पानी खुद तलाश कर लेता है, उसे भेड़िये नहीं खा सकते, फिर उसका पकड़ना बेकार है। खुद उसका मालिक ढूँढते हुए उस तक पहुँच जाएगा। हाँ! बकरी के तल्फ़ होने का फ़ौरी ख़तरा है लिहाज़ा उसे पकड़ लेना चाहिए। फिर मालिक आए तो उसके हवाले कर दे। मा'लूम हुआ कि शागिर्दों के नामुनासिब सवालात पर उस्ताद की नाराज़गी सहीह मानी जाएगी। ये भी ज़ाहिर हुआ कि शागिर्दों को सवाल करने से पहले खुद सवाल की अहमियत पर भी गौर कर लेना ज़रूरी है। ऊँट के बारे में आपका जवाब उस ज़माने के माहौल के पेशेनज़र था मगर आजकल का माहौल ज़ाहिर है। (इसलिये ऊँट को भी उसके मालिक के आने तक पकड़कर रखा जा सकता है)

(92) हमसे मुहम्मद बिन अलाने बयान किया, उनसे अबू उसामा ने बुरैद के वास्ते से बयान किया, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से और वो अबू मूसा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से कुछ ऐसी बातें पूछी गईं कि आप (ﷺ) को बुरा मा'लूम हुआ और जब (इस क्रिस्म के सवालात की) आप (ﷺ) पर बहुत ज़्यादाती की गई तो आपको गुस्सा आ गया। फिर आप (ﷺ) ने लोगों से फ़र्माया, (अच्छा अब) मुझसे जो चाहो पूछो। तो एक शख्स ने पूछा कि मेरा बाप कौन है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया तेरा बाप हुआफ़ा है। फिर दूसरा आदमी खड़ा हुआ उसने पूछा या रसूलुल्लाह (ﷺ)! मेरा बाप कौन है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तेरा बाप सालिम शैबा का आज़ादकर्दा गुलाम है। आख़िर हज़रत इमर (रज़ि.) ने आपके चेहर-ए-मुबारक का हाल देखा तो कहा या रसूलुल्लाह (ﷺ)! हम (इन बातों के दरयाफ़्त करने से जो आपको नागवार हों) अल्लाह से तौबा करते हैं। (दीगर मक़ाम : 7291)

إِلَيْهِ)) قَالَ: فَصَلِّةُ الْإِبِلِ؟ فَغَضِبَ حَتَّى
اِحْمَرَّتْ وَجَنَّتْهُ - أَوْ قَالَ: أَحْمَرَّ وَجْهَهُ
- فَقَالَ: ((مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَقَامًا سَفَاوِمًا
وَجِدَاوِمًا تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَرْهَى الشَّجَرَ،
فَلَزِمْنَا حَتَّى يَلْقَانَا رَأْيَهُ)) قَالَ: فَصَلِّةُ
الْقَم؟ قَالَ: ((لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ
لِلذَّئِبِ))

أَطْرَافِهِ فِي: ٢٣٧٢، ٢٤٢٧، ٢٤٢٨

٢٤٢٩، ٢٤٣٦، ٢٤٣٨، ٥٢٩٢

[٦١١٢]

٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ
أَبِي مُوسَى قَالَ: سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ
كَرِهَهَا، فَلَمَّا أُخْبِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ
لِلنَّاسِ، ((سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ)) قَالَ رَجُلٌ:
مَنْ أَبِي؟ قَالَ: ((أَبُوكَ حَدَاثَةً)) فَقَامَ
آخَرَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ:
((أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ)) فَلَمَّا رَأَى
غَمْرًا مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا
نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ

[طَرَفِهِ فِي: ٧٢٩١]

तशरीह:

लायब और बेहूदा सवाल किसी साहिबे इल्म से करना सरासर नादानी है। फिर अल्लाह के रसूल (ﷺ) से इस क्रिस्म का सवाल करना तो गोया बहुत ही बेअदबी है। इसीलिये इस क्रिस्म के बेजा सवालात पर आपने गुस्सा में फ़र्माया कि जो चाहो दरयापत करो। इसलिये कि अगरचे बशर होने के लिहाज़ से आप ग़ैब की बातें नहीं जानते थे। मगर अल्लाह का बरगुज़ीदा पैग़म्बर होने की बिना पर वद्व व इल्हाम से अक़्बुर अहवाल आपको मा'लूम हो जाते थे, या मा'लूम हो सकते थे जिनकी आपको ज़रूरत पेश आती थी। इसीलिये आपने फ़र्माया कि तुम लोग नहीं मानते हो तो अब जो चाहो पूछो, मुझको अल्लाह की तरफ़ से जो जवाब मिलेगा तुमको बतलाऊँगा। आपकी नाराज़गी देखकर हज़रत उमर (रज़ि) ने दीगार हाज़िरीन की नुमाइंदगी फ़र्माते हुए ऐसे सवालात से बाज़ रहने का वा'दा किया।

बाब 29 : उस शख़्स के बारे में जो इमाम या मुहद्दिष के दो ज़ानू (होकर अदब के साथ) बैठे

(93) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्हें शुऐब ने जुहरी से ख़बर दी, उन्हें अनस बिन मालिक ने बतलाया कि (एक दिन) रसूलुल्लाह (ﷺ) घर से निकले तो अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा खड़े होकर पूछने लगे कि हुज़ूर मेरा बाप कौन है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हुज़ाफ़ा। फिर आप (ﷺ) ने बार-बार फ़र्माया कि मुझसे पूछो, तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने दो ज़ानू होकर पूछा कि हम अल्लाह के रब होने पर और मुहम्मद (ﷺ) के नबी होने पर राज़ी हैं (और यह जुम्ला) तीन बार (दुहराया) फिर (यह सुनकर) रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ामोश हो गए।

(दीगार मक़ाम : 540, 749, 4621, 6362, 6468, 6486, 7089, 7090, 7091, 7294, 7295)

۲۹- بَابُ مَنْ بَرَّكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ

عِنْدَ الْإِمَامِ أَوْ الْمُحَدِّثِ

۹۳- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا

شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ

مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ لِقَامِ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ حُدَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ:

((أَبُوكَ حُدَافَةُ)). ثُمَّ أَكْتَرُ أَنْ يَقُولَ:

((سَلُونِي)). فَبَرَّكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ

فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا.

وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا ثَلَاثًا. فَسَكَتَ.

[أَطْرَافُهُ فِي: ۵۴۰، ۷۴۹، ۴۶۲۱،

۷۰۸۹، ۶۴۸۶، ۶۴۶۸، ۶۳۶۲

۷۰۹۰، ۷۲۹۴، ۷۲۹۵.]

तशरीह:

हज़रत उमर (रज़ि) के अर्ज़ करने की मंशा ये थी कि अल्लाह को रब, इस्लाम को दीन और मुहम्मद (ﷺ) को नबी मानकर अब हमें और ज़्यादा कुछ सवालात पूछने की ज़रूरत नहीं। लोग अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा को किसी और का बेटा कहा करते थे। इसीलिये उन्होंने आपसे अपनी तसल्लि हासिल कर ली। हज़रत उमर (रज़ि) के दो ज़ानू होकर बैठने से बाब का तर्जुमा निकला और षाबित हुआ कि शागिर्द को उस्ताद का अदब हर वक़्त मल्हूज़ रखना ज़रूरी है क्योंकि बाअदब बा नस्बीब, बेअदब बेनस्बीब, हज़रत उमर (रज़ि) का मुअदिबाना (सम्मानपूर्वक) बयान सुनकर आप (ﷺ) का गुस्सा जाता रहा और आप (ﷺ) ख़ामोश हो गये।

बाब 30 : इस बारे में कि कोई शख़्स समझाने के लिये (एक) बात को तीन बार दुहराए तो यह ठीक है चुनाँचे रसूलुल्लाह (ﷺ) का इर्शाद है अला व क़ौलुज़ूर इसको

۳۰- بَابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا

لِيَفْهَمَ عَنْهُ

فَقَالَ: ((أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ)) ، لَمَّا زَالَ

तीन बार दुहराते रहे और हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैंने तुमको पहुँचा दिया (यह जुम्ला) आपने तीन बार दुहराया।

(94) हमसे अब्दा ने बयान किया, उनसे अब्दुस्समद ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन मुषत्राना ने, उनसे सुमामा बिन अब्दुल्लाह बिन अनस ने, उनसे हज़रत अनस (रज़ि.) ने बयान किया, वो नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि जब आप (ﷺ) सलाम करते तो तीन बार सलाम करते और जब कोई कलिमा इर्शाद फ़र्माते तो उसे तीन बार दुहराते यहाँ तक कि उसे ख़ूब समझ लिया जाता।

(दीगर मक़ाम : 95, 6244)

(95) हमसे अब्दा ने बयान किया, उनसे अब्दुस्समद ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन मुषत्राना ने, उनसे सुमामा बिन अब्दुल्लाह बिन अनस (रज़ि.) ने, उन्होंने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से बयान किया, वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि जब आप (ﷺ) कोई कलिमा इर्शाद फ़र्माते तो उसे तीन बार लौटाते यहाँ तक कि उसे ख़ूब समझ लिया जाता। और जब कुछ लोगों के पास आप तशरीफ़ लाते और उन्हें सलाम करते तो तीन बार सलाम करते।

(राजेअ : 94)

(96) हमसे मुसद्द ने बयान किया, उनसे अबू अवाना ने अबी बिशर के वास्ते से बयान किया, वो यूसुफ़ बिन मालिक से बयान करते हैं वो अब्दुल्लाह बिन अमर से, वो कहते हैं कि एक सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) हमसे पीछे रह गए। फिर आप (ﷺ) हमारे करीब पहुँचे। तो अम्र की नमाज़ का वक़्त हो चुका था या तंग हो गया था और हम वुजू कर रहे थे। हम अपने पैरों पर पानी का हाथ फेरने लगे तो आपने बुलंद आवाज़ से फ़र्माया कि आग के अज़ाब से इन ऐडियों की (जो खुश्क रह जाएँ) ख़राबी है। यह दो बार फ़र्माया या तीन बार। (राजेअ : 60)

तशरीह :

इन अह्लादीष में हज़रत इमाम बुखारी (रह) ने ये निकाला कि अगर कोई मुहद्दिष समझाने के लिये ज़रूरत के वक़्त हदीष को मुकरर बयान करे या त़ालिबे इल्म ही उस्ताद से दोबारा या तिवारा पढ़ने को कहे तो ये मकरूह नहीं है। तीन बार सलाम इस हालत में है कि जब कोई शख्स किसी के दरवाज़े पर जाए और अंदर आने की इजाज़त तलब करे। इमाम बुखारी (रह) इस हदीष को किताबुल इस्तीज़ान में भी लाए हैं, इससे भी यही निकलता है। वरना हमेशा आपकी ये आदत न

يُكَرِّرُهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ بَلَغْتُمْ)) ؟ لثَلَاثًا.

٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ لثَلَاثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا لثَلَاثًا حَتَّى تَفْهَمَ عَنْهُ.

[طرفاه ني : ٩٥، ٦٢٤٤].

٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا لثَلَاثًا حَتَّى تَفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ لثَلَاثًا. [راجع : ٩٤]

٩٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَرَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهِلِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ سَأَلْنَا، فَأَذْرَكْنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسُحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: ((وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)) مَرَّتَيْنِ أَوْ لثَلَاثًا. [راجع : ٦٠]

थी कि तीन बार सलाम करते, ये इसी सूरत में था कि घर वाले पहला सलाम न सुन पाते तो आप दोबारा सलाम करते अगर फिर भी वो जवाब न देते तो तीसरी दफ़ा सलाम करते, फिर भी जवाब न मिलता तो आप वापस हो जाते।

बाब 31 : इस बारे में कि मर्द का अपनी बांदी और घरवालों को ता'लीम देना (ज़रूरी है)

۳۱- بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

(97) हमसे मुहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें मुहारिबी ने ख़बर दी, वो सलालेह बिन हय्यान से बयान करते हैं, उन्होंने कहा आमिर शअबी ने बयान किया, कहा उनसे अबू बुर्दा ने अपने बाप के वास्ते से नक़ल किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि तीन शख्स हैं जिनके लिये दुगुना अज़्र है। एक वो जो अहले किताब से हो और अपने नबी पर और मुहम्मद (ﷺ) पर ईमान लाए और (दूसरे) वो गुलाम जो अपने आक्रा और अल्लाह (दोनों) का हक़ अदा करे और (तीसरा) वो आदमी जिसके पास कोई लौण्डी हो। जिससे शब-बाशी करता है और उसे तर्बियत दे तो अच्छी तर्बियत दे, ता'लीम दे तो अच्छी ता'लीम दे, फिर उसे आज़ाद करके उससे निकाह कर ले, तो उसके लिये दुगुना अज़्र है। फिर आमिर ने (सलालेह बिन हय्यान से) कहा कि हमने यह हदीष तुम्हें बग़ैर उजरत के सुना दी है (वरना) इससे कम हदीष के लिये मदीना तक सफ़र किया जाता था।

(दीगर मक़ाम : 2544, 2547, 2551, 3011, 3446, 5083)

۹۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ سَلَامٍ - قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُخَارِبِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: قَالَ عَامِرُ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلَاهُ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَاهَا فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ: أَعْظَمْنَا كَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، لَقَدْ كَانَ يُرَكَّبُ لِيَمَانَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ. [أَطْرَافُهُ فِي: ۲۰۵۴، ۲۰۵۴۷، ۲۰۵۵۱]

[۳۰۱۱، ۳۴۴۶، ۵۰۸۳]

तशरीह: हदीष से बाब की मुताबक़त के लिये लौण्डी का ज़िक़रे सरीह मौजूद है और बीवी को इसी पर क़यास किया गया है। अहले किताब से यहूद व नसारा मुराद हैं जिन्होंने इस्लाम कुबूल किया। इस हदीष से ये भी मा'लूम हुआ कि ता'लीम के साथ तादीब यानी अदब सिखाना और उम्दा तर्बियत देना भी ज़रूरी है। अगर इल्म के साथ उम्दा तर्बियत न हो तो ऐसे इल्म से पूरा फ़ायदा हासिल नहीं होगा। ये भी ज़ाहिर हुआ कि अस्लाफ़े उम्मत एक-एक हदीष के हसूल के लिये दूर-दराज़ का सफ़र करते और बेहद मशक़तें उठाया करते थे। शारेहीने बुखारी कहते हैं 'वइन्नमा क़ाल हाज़ा लियकून ज़ालिकल हदीषु इन्दहू बिमंज़िलतिन अज़ीमतिन व यहफ़जुहू बिइहतिमामिन बलीग़िन फ़इन्न मिन आदतिल इन्सानि अन्नश्शयअल्लज़ी यहसुलुहू मिन ग़ैरि मुशक़तिन ला यअरिफ़ु क़दरहू व ला यहतम्मु बिहिफ़ाज़तिही' यानी आमिर ने अपने शागिर्द सलालेह से ये इसलिये कहा कि वो हदीष की क़दर व मंज़िलत को पहचानें और उसे एहतिमाम के साथ याद रखें क्योंकि इंसान की आदत है कि बग़ैर मशक़त (बिना तकलीफ़ उठाए, आसानी से) हासिल होने वाली चीज़ की वो क़दर नहीं करता और न ही पूरे तौर पर उसकी हिफ़ाज़त करता है।

बाब 32 : इस बारे में कि इमाम का औरतों को भी नज़ीहत करना और ता'लीम देना (ज़रूरी है)

(98) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, उनसे शुअबा ने अय्यूब के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अत्ता बिन अबी रिबाह से सुना, उन्होंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सुना कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) पर गवाही देता हूँ, या अत्ता ने कहा कि मैं इब्ने अब्बास पर गवाही देता हूँ कि नबी (ﷺ) (एक बार ईद के मौक़े पर मर्दों की सफ़ों में से) निकले और आपके साथ बिलाल (रज़ि.) थे। आपको ख़याल हुआ कि औरतों को (ख़ुत्बा अच्छी तरह) नहीं सुनाई दिया। तो आपने उन्हें अलग नज़ीहत सुनाई और स़दके का हुक्म दिया (यह वअज़ सुनकर) कोई औरत बाली (और कोई औरत) अंगूठी डालने लगी और बिलाल (रज़ि.) अपने कपड़े के दामन में (यह चीज़ें) लेने लगे। इस हदीष को इस्माइल बिन अलिया ने अय्यूब से रिवायत किया, उन्होंने अत्ता से कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने यूँ कहा कि मैं आँहज़रत (ﷺ) पर गवाही देता हूँ कि (इसमें शक नहीं है) इमाम बुखारी की गर्ज़ यह है कि अगला बाब आम लोगों के बारे में था और यह हाकिम और इमाम के बारे में है कि वो भी औरतों को वअज़ सुनाए।

(दीगर मक़ाम: 863, 962, 964, 975, 977, 979, 989, 1431, 1449, 2895, 5249, 5770, 5771, 5773, 7325)

तशरीह: इस हदीष से मसल-ए-बाब के साथ-साथ औरतों का ईदगाह में जाना भी प्राबित हुआ। जो लोग इसके खिलाफ़ हैं उनको मा'लूम होना चाहिए कि वो ऐसी चीज़ का इन्कार कर रहे हैं जो आँहज़रत (ﷺ) के ज़माने में मुव्वज (प्रचलित) थी। ये अमर ठीक है कि औरतें पर्दा और अदब व शर्म व हया के साथ जाएँ क्योंकि बेपर्दागी बहरहाल बुरी चीज़ है मगर सुन्नते नबवी (ﷺ) की मुखालफ़त करना किसी तरह भी ज़ैबा (शोभनीय) नहीं है।

बाब 33 : इल्मे हदीष हासिल करने की हिर्ष के बारे में

(99) हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने कहा, उन्होंने कहा मुझसे सुलेमान ने अमर बिन अबी अमर के वास्ते से बयान किया। वो सईद बिन अबी सईद अल मक्कबरी के वास्ते से बयान करते हैं, वो हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह (ﷺ)! क़यामत के दिन आपकी शफ़ाअत से सबसे ज़्यादा सआदत किसे हासिल होगी? ता

۳۲- بَابُ عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءِ

وَتَعْلِيمِهِنَّ

۹۸- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ

بْنَ أَبِي رِيَّاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ

قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ - أَوْ قَالَ عَطَاءَ

أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ -

خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ لَفْظًا أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ

النِّسَاءَ، فَوَعَّظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ

فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تَلْقَى الْفَرْطَ وَالْحَتَمَ،

وَبِلَالٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءٍ وَقَالَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

[أطرافه في: ۸۶۳, ۹۶۲, ۹۶۴, ۹۷۵,

۹۷۷, ۹۸۹, ۹۷۹, ۱۴۳۱, ۱۴۴۹,

۲۸۹۵, ۵۲۴۹, ۵۸۸۰, ۵۸۸۱,

۵۸۸۲, ۷۳۲۵.]

۳۳- بَابُ الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ

۹۹- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ أَبِي

عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْقُرَيْبِيِّ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ

أَسْعَدَ النَّاسَ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अबू हुदैरह (रज़ि.)! मुझे यकीन था कि तुमसे पहले इस बारे में मुझसे कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि मैंने हदीष के बारे में तुम्हारी हिर्ष देख ली थी। सुनो! क़यामत में सबसे ज्यादा फ़ैजयाब मेरी शफ़ाअत से वो शख़्स होगा, जो सच्चे दिल से या सच्चे मन से, ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा।

(दीगर मक़ाम : 6570)

तशरीह:

हदीष शरीफ़ का इल्म हासिल करने के लिये आँहज़रत (ﷺ) ने हज़रत अबू हुदैरह (रज़ि) की तहसीन (ता'रीफ़) फ़र्माई। इसी से अहले हदीष की फ़ज़ीलत प्राबित होती है। दिल से कहने का मतलब ये कि शिर्क से बचे, क्योंकि जो शिर्क से न बचा वो दिल से इस कलिमे का क़ाइल नहीं है अगरचे जुबान से उसे पढ़ता हो। जैसा कि आजकल बहुत से क़ब्रों के पुजारी नामनिहाद मुसलमानों का हाल है।

बाब 34 : इस बयान में कि इल्म किस तरह उठा लिया जाएगा

और (पाँचवें ख़लीफ़ा) हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अबूबक्र बिन हज़म को लिखा कि तुम्हारे पास रसूलुल्लाह (ﷺ) की जितनी भी हदीषें हों, उन पर नज़र करो और उन्हें लिख लो, क्योंकि मुझे इल्मे दीन के मिटने और इल्म-ए-दीन के ख़त्म हो जाने का अंदेशा है और रसूलुल्लाह (ﷺ) के सिवा किसी की हदीष कुबूल न करो और लोगों को चाहिए कि इल्म फ़ैलाएँ और (एक जगह जमकर) बैठें ताकि जाहिल भी जान लें और इल्म छुपाने ही से ज़ाया (नष्ट) होता है। हमसे अला बिन अब्दुल जब्बार ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन मुस्लिम ने अब्दुल्लाह बिन दीनार के वास्ते से इसको बयान किया यानी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की हदीष ज़िहाबल इलमा तक।

मक़सद ये है कि पढ़ने-पढ़ाने ही से इल्मे दीन बाक़ी रह सकेगा, उसमें कोताही हर्गिज़ न होनी चाहिए।

(100) हमसे इस्माईल बिन अबी उवैस ने बयान किया, उनसे मालिक ने हिशाम बिन उर्वा से, उन्होंने अपने बाप से नक़ल किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अमर बिन अल आस से नक़ल

رَسُولِ اللَّهِ : ((لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَن لَّا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوْلَ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدَ النَّاسَ بِشِفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ)).

[طرفه في : ٦٥٧٠.]

٣٤- بَابُ كَيْفَ يُفْبَضُ الْعِلْمُ
وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ
بْنِ حَزْمٍ: انظُرْ مَا تَكَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فَاتَّكِبْهُ، لِأَنِّي خِفْتُ ذُرُوسَ الْعِلْمِ
وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ. وَلَا تَهْتَبْ إِلَّا حَدِيثَ
النَّبِيِّ ﷺ. وَلِيَفْشُوا الْعِلْمَ. وَلِيَجْلِسُوا
حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ، لِأَنَّ الْعِلْمَ لَا
يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا. حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ
عَبْدِ الْجُبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِذَلِكَ يَعْنِي
حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى قَوْلِهِ
ذَهَابَ الْعُلَمَاءِ.

١٠٠- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ
قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ

किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप (ﷺ) फ़र्माते थे कि अल्लाह इल्म को इस तरह से नहीं उठा लेगा कि उसको बंदों से छीन ले। बल्कि वो (पुखताकार) इलमाओं को मौत देकर इल्म को उठाएगा। यहाँ तक कि जब कोई आलिम बाक़ी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएँगे और वो बग़ैर इल्म के जवाब देंगे। इसलिये खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। फ़िरबरी ने कहा हमसे अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया, कहा हमसे कुतैबा ने, कहा हमसे जर्री ने, उन्होंने हिशाम से मानिन्द इस हदीष के।

(दीगर मक़ाम : 7307)

तशरीह : पुख़ता आलिम (से मुराद वो आलिम हैं) जो दीन की पूरी समझ भी रखते हों और अहकामे इस्लाम के दक्क़ाइक़ व मवाक़ेअ को भी जानते हों, ऐसे पुख़ता दिमाग़ इलमा ख़त्म हो जाएँगे और इल्म का दा'वा करने वाले स़तही लोग बाक़ी रह जाएँगे जो नासमझी की वजह से महज़ तक्लीदे ज़ामिद की तारीकी (अंधेरे) में ग़िरफ़्तार होंगे और ऐसे लोग अपने ग़लत फ़त्वों से खुद गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। ये राय और क़यास के दिलदादा होंगे। ये अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन यूसुफ़ बिन मत्तर फ़ुरैरी की रिवायत है जो हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) के शागिर्द हैं और सहीह बुख़ारी के अब्वलीन रावी यही फ़ुरैरी (रह) हैं। कुछ रिवायतों में बिग़ैर इल्म की जगह बिरअयहिम आया है। यानी वो जाहिल मुद्इयाने इल्म अपनी राय क़यास से फ़त्वा दिया करेंगे। 'क़ालल अयनी ला यख़तस्सु हाज़ा बिल मुफ़्तियिन वल आममुन लिल कुज़ातिल जाहिलीन' यानी इस हुक्म में न सिर्फ़ मुफ़्ती बल्कि आलिम, जाहिल क़ाज़ी भी दाख़िल हैं।

बाब 35 : इस बयान में कि क्या औरतों की ता'लीम के लिये कोई ख़ास दिन मुक़रर किया जा सकता है?

(101) हमसे आदम ने बयान किया, उनसे शुअबाने, उनसे इब्ने अस्सुब्हानी ने, उन्होंने अबू स़ालेह ज़क्वान से सुना, वो हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि औरतों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा कि (आप ﷺ से फ़ायदा उठाने में) मर्द हमसे आगे बढ़ गए हैं, इसलिये आप अपनी तरफ़ से हमारे (वज़्र के) लिये (भी) कोई दिन ख़ास कर दें। तो आप (ﷺ) ने उनसे एक दिन का वा'दा फ़र्मा लिया। उस दिन औरतों से आपने मुलाक़ात की और उन्हें वाज़ फ़र्माया और (मुनासिब) अहकाम सुनाए जो कुछ आप (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया था उसमें यह बात भी थी कि कोई औरत तुममें से (अपने) तीन (लड़के) आगे भेज देगी तो वो उसके लिये जहन्नम से पनाह बन जाएँगे। इस पर एक औरत ने कहा, अगर दो (बच्चे भेज दे) आपने फ़र्माया हाँ! और दो (का भी यही हुक्म है)

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَلْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضُوتُوا وَأَضَلُّوا)). قَالَ الْفُؤَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ.

[طرفه في : ٧٣٠٧].

٣٥- بَابُ هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ

عَلَى حِدَّةٍ فِي الْعِلْمِ؟

١٠١- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْأَصْتَهَالِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ذَكَوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: قَالَ: قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرَّجَالَ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ. فَوَعَدَنَّهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيهَا قَالَ لَهُنَّ: ((مَا يَنْكُرُ امْرَأَةٌ تَقْلَمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ)). فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَالنِّسَاءِ؟ فَقَالَ: ((وَالنِّسَاءِ)).

(दीगर मक़ाम : 1249, 7310)

[طرفاه في : ١٢٤٩ ، ٧٣١٠]

तशरीह :

यानी दो मा'सूम बच्चों की मौत माँ के लिये बख़्शिश का सबब बन जाएगी। पहली मर्तबा तीन बच्चे फ़र्माया, फिर दो और एक और हदीष में एक बच्चे के इंतिक़ाल पर भी ये बशारत आई है। आँहज़रत (ﷺ) ने औरतों को एक मुकर्ररा दिन में ये वज़अ फ़र्माया। इसीलिये हज़रत इमाम बुखारी (रह) के कायमकर्दा बाब और हदीष में मुताबक़त पैदा हुई। दो बच्चों के बारे में सवाल करने वाली औरत का नाम उम्मे सुलैम था। कच्चे बच्चे (एबॉर्शन, गर्भपात) के लिये भी यही बशारत है।

(102) मुझसे मुहम्मद बिन बशर ने बयान किया, उनसे गुंदुर ने, उनसे शुअबा ने अब्दुरहमान बिन अल अस्बहानी के वास्ते से बयान किया, वो ज़क्वान से, वो अबू सईद से और अबू सईद खुदरी (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) से यही हदीष रिवायत करते हैं। और (दूसरी सनद में) अब्दुरहमान अल अस्बहानी कहते हैं कि मैंने अबू हाज़िम से सुना, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि उन्होंने फ़र्माया कि ऐसे तीन (बच्चे) जो अभी बुलूग़त (जवानी) को न पहुँचे हो।

(दीगर मक़ाम : 1250)

١٠٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ :
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ
الرُّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا . وَعَنْ عَبْدِ
الرُّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا
حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : ((ثَلَاثَةٌ لَمْ
يَبْلُغُوا الْحَيْثُ)).

[طرفه في : ١٢٥٠]

तशरीह :

इमाम बुखारी (रह) ये हदीष पहली हदीष की ताइद और एक रावी इब्नुल अस्बहानी के नाम की वज़ाहत के लिये लाए हैं। बालिग़ होने से पहले बच्चे की मौत का काफ़ी रंज होता है। इसलिये ऐसे बच्चे की मौत माँ की बख़्शिश का ज़रिया करार दी गई है।

बाब 36 : इस बारे में कि एक शख्स कोई बात सुने और न समझे तो दोबारा पूछ ले ताकि वो (अच्छी तरह) समझ ले, ये जाइज़ है

٣٦ - بَابٌ مِنْ مَن سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ
يَفْهَمْهُ فَرَأَجَعَ حَتَّى يَعْرِفَهُ

(103) हमसे सईद बिन अबी मरयम ने बयान किया, उन्हें नाफ़ेअ बिन इमर ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने अबी मुलैका ने बतलाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की बीवी हज़रत आइशा (रज़ि.) जब कोई ऐसी बातें सुनती जिसको वो समझ न पाती तो दोबारा उसको मा'लूम करती ताकि समझ लें। चुनौचे (एक बार) नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिससे हिसाब लिया गया उसे अज़ाब दिया जाएगा। हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि (यह सुनकर) मैंने कहा कि क्या अल्लाह ने यह नहीं फ़र्माया कि बहुत जल्द उससे आसान हिसाब लिया जाएगा? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि यह सिर्फ़ (अल्लाह के दरबार में) पेशी का ज़िक्र है। लेकिन जिसके

١٠٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ :
أَخْبَرَنَا نَالِعٌ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي
مَلِيكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ لَا
تَسْمَعُ شَيْئًا لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى
تَعْرِفَهُ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((مَنْ حُوسِبَ
عَذَبَ)) قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ : أَوْلَيْسَ
يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿فَسَوْفَ يُحَاسِبُ
حِسَابًا يَسِيرًا﴾ قَالَتْ : فَقَالَ ((إِنَّمَا ذَلِكَ

हिसाब में जांच-पड़ताल की गई (समझो) वो ग़ारत हो गया।
(दीगर मक़ाम : 4939, 6536, 6537)

الْعَرَضُ، وَلَكِنْ مَنْ نُوْقِسَ الْحِسَابَ
يَهْلِكُ)) :

[أطرافه في : ٤٩٣٩، ٦٥٣٦، ٦٥٣٧.]

तशरीह : ये हज़रत आइशा (रज़ि) के शौक़े इल्म और समझदारी का ज़िक्र है कि जिस मसले में उन्हें उलझन होती, उसके बारे में वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से बेतकल्लुफ़ दोबारा दरयाफ़्त कर लिया करती थीं। अल्लाह के यहाँ पेशी तो सबकी होगी, मगर हिसाबी पूछताछ जिसकी शुरू हो गई वो ज़रूर गिरफ़्त में आ जाएगा। हदीष से ज़ाहिर हुआ कि कोई बात समझ में न आए तो शागिर्द उस्ताद से दोबारा-तिबारा पूछ ले, मगर कठहुच्चती के लिये बार-बार ग़लत सवालात करने से मुमानअत आई है।

बाब 37 : इस बारे में कि जो लोग मौजूद हैं वो ग़ायब शख्स को इल्म पहुँचाएँ, यह क़ौल हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने जनाब नबी करीम (ﷺ) से नक़ल किया है। (और बुखारी किताबुल हज्ज में यह तअलीक़ सनद के साथ मौजूद है)

٣٧- بَابُ لِيَسْلَغَ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ
الْغَائِبِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

(104) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उनसे लैष ने, उनसे सईद बिन अबी सईद ने, वो अबू शुरैह से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अमर बिन सईद (वाली-ए-मदीना) से जब वो मक्का में (इब्ने जुबैर से लड़ने के लिये) फ़ौजें भेज रहे थे कहा कि ऐ अमीर! मुझे आप इजाज़त दें तो मैं वो हदीष आपसे बयान कर दूँ, जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़तहे मक्का के दूसरे दिन सुनाई थी, उस (हदीष) को मेरे दोनों कानों ने सुना और मेरे दिल ने उसे याद रखा है और जब रसूलुल्लाह (ﷺ) यह हदीष फ़र्मा रहे थे तो मेरी आँखें आप (ﷺ) को देख रही थीं। आप (ﷺ) ने (पहले) अल्लाह की हम्दो-प्रना बयान की, फिर फ़र्माया कि मक्का को अल्लाह ने हराम किया है, इन्सानों ने हराम नहीं किया। तो (सुन लो) कि किसी शख्स को जो अल्लाह पर और यौमे आख़िरत पर इमान रखता हो जाइज़ नहीं कि मक्का में ख़ूरेज़ी करे, या उसका कोई पेड़ काटे, फिर अगर कोई अल्लाह के रसूल (के लड़ने) की वजह से उसका जवाज़ निकाले तो उससे कह दो कि अल्लाह ने अपने रसूल (ﷺ) को इजाज़त दी थी, तुम्हारे लिये नहीं दी और मुझे भी कुछ दिन के कुछ लम्हों के लिये इजाज़त मिली थी। आज उसकी हुर्मत लौट आई, जैसी कल थी। और हाज़िर ग़ायब को (यह बात) पहुँचा दे। (ये हदीष सुनने के बाद हदीष के रावी) अबू शुरैह स

١٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ :
حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ
أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شَرِيحٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرٍو
بْنِ سَعِيدٍ - وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ -
- الْإِذْنَ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَخَذْتُكَ قَوْلًا قَامَ
بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَدَى مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ،
سَمِعْتُهُ أُذْنَيَّ وَوَعَاةَ قَلْبِي، وَأَبْصَرْتُهُ
عَيْنَيَّ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ: حَمْدَ اللَّهِ وَأَتَى
عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ((إِنَّ مَكَّةَ حَرَمَهَا اللَّهُ
وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَجِلُّ لِأَمْرِيءٍ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا
دَمًا، وَلَا يَعْصِدَ بِهَا شَجَرَةً. فَإِنْ أَحَدٌ
تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا فَقُولُوا:
إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدَانَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ،
وَإِنَّمَا أُذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ

पूछा गया कि (आपकी यह बात सुनकर) अम्र ने क्या जवाब दिया? कहा यूँ कि ऐ (अबू शुरैह!) हदीष को मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ मगर हरमे (मक्का) किसी ख़ताकार को या खून करके और फ़ितना फैलाकर भाग आनेवाले को पनाह नहीं देता।

(दीगर मक़ाम : 1832, 4290)

عَادَتْ حَرَمَتُهَا الْيَوْمَ كَحَرَمَتِهَا بِالْأَمْسِ،
وَتَيْلَعُ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ)). لَقِيلَ لِأَبِي
شُرَيْحٍ : مَا قَالَ عَمْرُو؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ
مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ مَكَّةَ لَا تُعِيدُ
عَاصِيًا، وَلَا فَارًا بِدَمٍ، وَلَا فَارًا بِخَرْتِةٍ.

[طرفاه في : 1832, 4290]

तशरीह : अम्र बिन सईद, यज़ीद की तरफ़ से मदीना के गवर्नर थे, उन्होंने हज़रत अबू शुरैह से हदीषे नबवी (ﷺ) सुनकर तावील से काम लिया और अल्लाह के रसूल (ﷺ) के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि) को बागी (विद्रोही) व फ़सादी (उपद्रवी) करार देकर मक्का शरीफ़ पर फ़ौजकशी का जवाज़ निकाला। हालाँकि उनका ख़याल बिलकुल ग़लत था। हज़रत इब्ने जुबैर (रज़ि) न बागी थे, न फ़सादी थे। नज़्ज़ के मुक़ाबले पर राय व क़यास व फ़ासिद तावीलों से काम लेने वालों ने हमेशा इसी तरह फ़सादात बरपा करके अहले हक़ को सताया है। हज़रत अबू शुरैह का नाम खुवेलिद बिन अम्र बिन सख़र है और बुखारी शरीफ़ में उनसे सिर्फ़ तीन अहदादीष मरवी हैं। 68 हिजरी में आपने इतिक़ाल फ़र्माया रहिमहुल्लाहु व रज़ियल्लाहु अन्हु

चूँकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने यज़ीद की बैअत से इंकार करके हरमे मक्का शरीफ़ को अपने लिये जाए पनाह (शरणस्थली) बनाया था। इसीलिये यज़ीद ने अम्र बिन सईद को मक्का पर फ़ौजकशी करने का हुक्म दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि) शहीद किये गये। और हरमे मक्का की सख़्त बेहर्मती की गई। इना लिल्लाह व इना इलैहि राजेऊन। हज़रत जुबैर (रज़ि) रसूलल्लाह (ﷺ) के फूफ़ीज़ाद भाई और हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि) के नवासे थे। आजकल भी अहले बिदअत हदीषे नबवी को ऐसे ही बहाने निकाल कर रद्द कर देते हैं।

(105) हमसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वहाब ने बयान किया, उनसे हम्माद ने अय्यूब के वास्ते से नक़ल किया, वो मुहम्मद से रिवायत करते हैं कि (एक बार) अबूबक्र (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) का ज़िक्र किया कि आप (ﷺ) ने (यूँ) फ़र्माया, तुम्हारे खून और तुम्हारे माल, मुहम्मद कहते हैं कि मेरे ख़याल में आप (ﷺ) ने अअराज़ुकुम का लफ़ज़ भी फ़र्माया। (यानी) और तुम्हारी आबरूएँ तुम पर हराम हैं जिस तरह तुम्हारे आज के दिन की हुर्मत तुम्हारे इस महीने में। सुन लो! यह ख़बर हाज़िर ग़ायब को पहुँचा दे। और मुहम्मद (हदीष के रावी) कहते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सच फ़र्माया। (फिर) दोबारा फ़र्माया कि क्या मैंने (अल्लाह का यह हुक्म) तुम्हें नहीं पहुँचा दिया। (राजेअ : 68)

मक़सद ये कि मैं इस हदीषे नबवी की ता' मील कर चुका हूँ। आँहज़रत (ﷺ) ने हज़्जतुल विदाअ में ये फ़र्माया था, दूसरी हदीष में तप्सूल से इसका ज़िक्र आया है।

बाब 38 : इस बयान में कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पर झूठ बांधने वाले का गुनाह किस दर्जे का है

١٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ
أَبِي بَكْرَةَ عَنْ ذَكَرَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَإِنِ
دِمَاءُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَخْسِيئُهُ
قَالَ وَأَعْرَاضُكُمْ - عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحَرَمَةِ
يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. أَلَا لِيُتْلَعَ
الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبِ)), وَكَانَ مُحَمَّدٌ
يَقُولُ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، كَانَ ذَلِكَ
((أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟)) مَرَّتَيْنِ. [راجع : 68]

٣٨ - بَابُ إِثْمٍ مَنْ كَذَبَ
عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

(106) हमसे अली बिन जअदी ने बयान किया, उन्हें शुअबा ने खबर दी, उन्हें मंसूर ने, उन्होंने रबई बिन हिराश से सुना कि मैंने हज़रत अली (रज़ि.) को यह फ़र्माते हुए सुना है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुझ पर झूठ मत बोलो क्योंकि जो मुझ पर झूठ बांधे वो दोज़ख में दाखिल हो।

١٠٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنصُورٌ قَالَ : سَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ حِرَاشٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((لَا تَكْذِبُوا عَلِيًّا ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلِيًّا فَلْيَلِجِ النَّارَ)) .

यानी मुझ पर झूठ बाँधने वाले को चाहिए कि वो दोज़ख में दाखिल होने को तैयार रहे।

(107) हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअबा ने, उनसे जामेअ बिन शद्दाद ने, वो आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर से और वो अपने बाप अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं। उन्होंने कहा मैंने अपने बाप यानी जुबैर (रज़ि.) से पूछा कि मैंने कभी आपसे रसूलुल्लाह (ﷺ) की अह्दादीष नहीं सुनीं। मैंने आपको यह भी फ़र्माते हुए सुना है कि जो शख्स मुझ पर झूठ बांधेगा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले।

١٠٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ غَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ : إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ فَلَانٌ وَفَلَانٌ . قَالَ : أَمَا إِنِّي لَمْ أَفَارِقْهُ ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ((مَنْ كَذَبَ عَلِيًّا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) .

इसीलिये मैं हदीषे रसूल (ﷺ) बयान नहीं करता कि मुबादा कहीं ग़लत बयानी न हो जाए।

(108) हमसे अबू मअमर ने बयान किया, उनसे अब्दुल वारिष ने अब्दुल अज़ीज़ के वास्ते से नक़ल किया कि अनस (रज़ि.) फ़र्माते थे कि मुझे बहुत सी हदीषें बयान करने से यह बात रोकती है कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख्स मुझपर जान-बूझकर झूठ बांधे तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले।

١٠٨- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : قَالَ أَنَسٌ : إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أَحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((مَنْ تَعَمَّدَ عَلِيًّا كَذِبًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) .

(109) हमसे मक्की इब्ने इब्राहीम ने बयान किया, उनसे यज़ीद बिन अबी उबैद ने सलमा बिन अल अक्वा (रज़ि.) के वास्ते से बयान किया, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़र्माते हुए सुना कि जो शख्स मेरे नाम से वो बात बयान करे जो मैंने नहीं कही तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले।

١٠٩- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ هُوَ بِنِ الْأَسْوَعِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : ((مَنْ يَقُلْ عَلِيًّا مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) .

ये हज़रत इमाम बुखारी (रह) की पहली प्रलाषी हदीष है। प्रलाषी वो हदीष हैं जिनमें रसूले करीम (ﷺ) और इमाम बुखारी (रह) तक दरम्यान में सिर्फ़ तीन ही रावी हों। ऐसी हदीषों को प्रलाषियाते इमाम बुखारी (रह) कहा जाता है। और जामेअ

अस्सहीह में उनकी ता' दाद सिर्फ बाईस है। ये फ़ज़ीलत इमाम बुखारी (रह) के दूसरे हम अस्स उलमा (समकालीन विद्वान) जैसे हज़रत इमाम मुस्लिम वग़ैरह, को हासिल नहीं हुई। साहिबे अन्वारुल बारी ने यहाँ प्रलाषियाते इमाम बुखारी (रह) का ज़िक्र करते हुए प्रनाइयाते इमाम अबू हनीफ़ा के लिये मुस्नदे इमाम आज़म नामी किताब का हवाला देकर हज़रत इमाम बुखारी (रह) पर हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा की बरतरी प्राबित करने की कोशिश की है मगर ये वाक़िया है कि फ़न्ने हदीष में हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा की लिखी हुई कोई किताब दुनिया में मौजूद नहीं है और मुस्नदे इमाम आज़म नामी किताब मुहम्मद ख़वारिज़्मी की जमाकर्दा है जो 674 हिज़री में राइज हुई (बुस्तानुल मुहदिषीन पेज नं. 5)

(110) हमसे मूसा ने बयान किया, उनसे अबू अवाना ने अबी हुसैन के वास्ते से नक़ल किया, वो अबू सालेह से रिवायत करते हैं, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से, वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से कि (अपनी औलाद) का मेरे नाम के ऊपर नाम रखो। मगर मेरी कुत्रियत इख़ितयार न करो और जिस शख़्स ने मुझे ख़्वाब में देखा तो बिलाशुब्हा उसने मुझे देखा क्योंकि शैतान मेरी सूूरत में नहीं आ सकता और जो शख़्स मुझ पर जान-बूझकर झूठ बोले वो जहन्नम में अपना ठिकाना तलाश करे।

(दीगर मक़ाम : 3539, 6188, 6197, 6993)

۱۱۰- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((تَسْمُوا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتُمُوا بِكُنْهِي، وَمَنْ رَأَانِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَانِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ لِي فِي صُورَتِي. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)).

[أطرافه في : ۳۵۳۹، ۶۱۸۸، ۶۱۹۷]

[۶۹۹۳]

तशरीह : इन मुसलसल अह्दादीष का मक़सद ये है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ लोग ग़लत बात मन्सूब करके दुनिया मे ख़ल्क (लोगों) को गुमराह न करें। ये हदीषें बजाते खुद इस बात पर दलालत करती हैं कि आम तौर पर अह्दादीष नबवी (ﷺ) का ज़ख़ीरा मुप्सिद (फ़ासिद, उपद्रवी) लोगों के दस्तेबुर्द से महफूज़ रहा है और जितनी अह्दादीष लोगों ने अपनी तरफ़ से गढ़ लीं थीं उनको उलम-ए-हदीष ने सहीह अह्दादीष से अलग छांट दिया।

इसी तरह आप (ﷺ) ने ये भी वाज़ेह फ़र्मा दिया कि ख़्वाब मे अगर कोई शख़्स मेरी सूूरत देखे तो वो भी सहीह होनी चाहिए क्योंकि शैतान ख़्वाब मे भी रसूलुल्लाह (ﷺ) की सूूरत में नहीं आ सकता।

मौजूअ और सहीह अह्दादीष को परखने के लिये अल्लाह पाक ने जमाअते मुहदिषीन खुसूसन इमाम बुखारी व मुस्लिम (रह) जैसे अकाबिरे उम्मत को पैदा फ़र्माया। जिन्होंने इस फ़न की वो ख़िदमत की कि जिसकी पिछले दौर में नज़ीर नहीं मिल सकती, इल्मुरिजाल व क़वानीने जरह व तअदील ईजाद किये कि क़यामत तक उम्मते मुस्लिमा उन पर फ़ख़र किया करेगी मगर स़द अफ़सोस! कि आज चौदहवीं सदी में कुछ ऐसे भी मुतअस्सिब मुकल्लिदे जामिद वजूद में आ गये हैं जो खुद उन बुजुर्गों को ग़ैर फ़क़ीह नाक़ाबिले ए' तिमाद ठहरा रहे हैं। ऐसे लोग महज़ अपने मज़क़मा तक्लीदी मज़ाहिब की हिमायत में ज़ख़ीर-ए-अह्दादीषे नबवी (ﷺ) को मशकूक (संदिग्ध) बनाकर इस्लाम की जड़ों को खोखला करना चाहते हैं। अल्लाह उनको नेक समझ दे। आमीन!! ये हक़ीक़त है कि हज़रत इमाम बुखारी (रह) को ग़ैर फ़क़ीह ज़ूदो-रंज बतलाने वाले खुद बेसमझ हैं जो छोटा मुँह और बड़ी बात कहकर अपनी कम अक्ली का मुज़ाहि़रा (प्रदर्शन) करते हैं। उसकी मुक़ाम की तफ़्सील में जाते हुए साहिबे अनवारुल बारी ने जमाअते अहले हदीष और अकाबिरे अहले हदीष को बार-बार लफ़ज़ जमाअते ग़ैर मुकल्लिदीन से जिस तंज़ व तौहीन के साथ याद किया है वो हद दर्जा क़ाबिले मज़म्मत है। मगर तक्लीदे जामिद का अप्र ही ये है कि ऐसे मुतअस्सुब हज़रात ने उम्मत में बहुत से अकाबिर की तौहीन व तख़फ़ीफ़ की है। क़दीमुद्दयाम (प्राचीन काल) से ये सिलसिला जारी है। मुआनिदीन (निंदा करने वालों) ने तो सहाबा को भी नहीं छोड़ा। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि), इक़बा बिन आमिर, अनस बिन मालिक (रज़ि) वग़ैरह रज़ियल्लाहु अन्हुम को ग़ैर फ़क़ीह ठहराया है।

बाब 40 : (दीनी) इल्म को क़लमबंद करने के जवाज़ में

(111) हमसे मुहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, उन्हें वक़ीअ ने सुफ़यान से ख़बर दी, उन्होंने मुतरफ़ से सुना, उन्होंने शअबी (रह.) से, उन्होंने अबू जुहैफ़ा से, वो कहते हैं कि मैंने हज़रत अली (रज़ि.) से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई (और भी) किताब है? उन्होंने फ़र्माया कि नहीं, मगर अल्लाह की किताब कुर्आन है या फिर फ़हम है जो वो मुसलमानों को अता करता है। या फिर जो कुछ इस सहीफ़े में है। मैंने पूछा, इस सहीफ़े में क्या है? उन्होंने कहा, दियत और क़ैदियों की रिहाई का बयान है और यह हुक़म है कि मुसलमान, काफ़िर के बदले में क़त्ल न किया जाए।

(दीगर मक़ाम : 1870, 3047, 4172, 3179, 6755, 6903, 6915, 7300)

६० - باب كتابه العلم

١١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لَعَلِّي هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لَا إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَالْكَاكُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

[أطرافه في : ٤١٧٢، ٣٠٤٧، ١٨٧٠، ٣١٧٩، ٦٧٥٥، ٦٩٠٣، ٦٩١٥]

[٧٣٠٠]

बहुत से शिया ये गुमान करते थे कि हज़रत अली (रज़ि) के पास कुछ ऐसे खास अहकाम और पोशीदा बातें किसी सहीफ़े में दर्ज हैं जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके अलावा किसी और को नहीं बताए, इसलिये अबू जुहैफ़ा ने हज़रत अली (रज़ि) से ये सवाल किया और आपने साफ़ लफ़्ज़ों में इस बातिल (झूठे) ख़याल की तदीद फ़र्मा दी।

(112) हमसे अबू नुएम अल फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, उनसे शैबान ने यह्या के वास्ते से नक़ल किया, वो अबू सलमा से, वो अबू हरैरह (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि क़बील-ए-ख़ुज़ाआ (के किसी शख़्स) ने बनू लैष के किसी आदमी को अपने किसी मक़तूल के बदले में मार दिया था, यह फ़तहे मक्का वाले साल की बात है, रसूलुल्लाह (ﷺ) को यह ख़बर दी गई, आपने अपनी ऊँटनी पर सवार होकर ख़ुत्बा पढ़ा और फ़र्माया कि अल्लाह ने मक्का से क़त्ल या हाथी को रोक लिया। इमाम बुखारी (रह.) फ़र्माते हैं इस लफ़्ज़ को शक के साथ समझो, ऐसे ही अबू नुएम वग़ैरह ने अल क़त्ल और अल फ़ील कहा है। उनके अलावा दूसरे लोग अल फ़ील कहते हैं। (फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया) कि अल्लाह ने उन पर अपने रसूल और मुसलमानों को ग़ालिब कर दिया और समझ लो कि वो (मक्का) किसी के लिये हलाल नहीं हुआ। न मुझसे पहले और न (बाद में) कभी होगा और मेरे लिये भी सिर्फ़ दिन के थोड़े हिस्से के लिये हलाल कर दिया गया था।

١١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خِرَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَيْلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ، فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَكِبَ راحلته فخطب فقال : ((إِنَّ اللَّهَ حَسَنَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلِ - أَوْ الْفِيلِ. قَالَ مُحَمَّدٌ وَجَعَلُوهُ عَلَى شِكِّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - وَسَلَطَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ. أَلَا وَإِنِّي لَمْ تَجِلْ لِأَخِي قَبْلِي، وَلَا تَجِلْ لِأَخِي بَعْدِي. أَلَا وَإِنِّي حَلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ. أَلَا وَإِنِّي سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ : لَا يُخْتَلَى

सुन लो कि वो इस वक़्त हराम है। न इसका कोई कांटा तोड़ा जाए, न इसके पेड़ काटे जाएँ और इसकी गिरी-पड़ी चीज़ें भी वही उठाए जिसका मंशा यह हो कि वो उस शै का तआरुफ़ करा देगा। तो अगर कोई शख्स मारा जाए तो (उसके अज़ीज़ों को) इख़्तियार है दो बातों का, या तो दियत लें या बदला। इतने में एक यमनी आदमी (अबू शाह नामी) आया और कहने लगा (यह मसाइल) लिख दो तो एक कुरैशी शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मगर इज़खर (यानी इज़खर काटने की इजाज़त दे दीजिए) क्योंकि उसे हम घरों की छतों पर डालते हैं। (या मिट्टी मिलाकर) और अपनी क़ब्रों में भी डालते हैं (यह सुनकर) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि (हाँ) मगर इज़खर, मगर इज़खर। (दीगर मक़ाम : 2434, 2880)

यानी उसके उखाड़ने की इजाज़त है। आँहज़रत (ﷺ) ने यमनी साइल की दरख्वास्त पर ये सारे मसाइल उसके लिये क़लमबन्द करवा दिये। जिससे मा'लूम हुआ कि तदवीने अह्दादीष व किताबते अह्दादीष की बुनियाद खुद ज़मान-ए-नबवी (ﷺ) से शुरू हो चुकी थी, जिसे हज़रत उमर बिन अब्दुलअज़ीज़ के ज़माने में निहायत एहतिमाम के साथ तरक्की दी गई। पस जो लोग अह्दादीषे नबवी (ﷺ) में ऐसे शुक्क व शुब्हात पैदा करते और ज़खीर-ए-अह्दादीष को कुछ अज्मियों की गद्दी हुई बताते हैं, वो बिलकुल झूठे कज़ाब और मुफ़्तरी बल्कि दुश्मने इस्लाम हैं, उनकी ख़ुराफ़ात पर हर्गिज़ कान न धरना चाहिए। जिस सूत्र में क़त्ल का लफ़्ज़ माना जाए तो मतलब ये होगा कि अल्लाह पाक ने मक्का वालों को क़त्ल से बचा लिया। बल्कि क़त्ल व ग़ारत को यहाँ हराम करार दे दिया। और लफ़्ज़ फ़ील की सूत्र में उस किस्से की तरफ़ इशारा है जो कुर्आन पाक की सूरह फ़ील में मज़कूर है कि आँहज़रत (ﷺ) के विलादत वाले साल में हब्श का बादशाह अब्रहा नामी बहुत से हाथी लेकर ख़ाना कअबा को गिराने आया था मगर अल्लाह पाक ने रास्ते ही में उनको अबाबील परिन्दों की कंकरियों के ज़रिये हलाक कर डाला।

(113) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे सुफ़यान ने, उनसे अमर ने, वो कहते हैं कि मुझे वहब बिन मुनब्बा ने अपने भाई के वास्ते से ख़बर दी, वो कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को यह कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के सहाबा में अब्दुल्लाह बिन अमर (रज़ि.) के अलावा मुझसे ज़्यादा कोई हदीष बयान करने वाला न था, मगर वो लिख लिया करते थे और मैं लिखता नहीं था। दूसरी सनद से मअमर ने वहब बिन मुनब्बा की मुताबअत की, वो हमाम से रिवायत करते हैं, वो हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से।

شوكها، ولا يُعضدُ شجرها، ولا تُلَقَطُ
ساقطها إلا لمنشيد. فمن قِيلَ لَهُ قِيلَ
فهو بخير النظرين إما أن يعقل، وإما أن
يقاد أهل القيل)). فجاء رجل من أهل
اليمن لقال: اكتب لي يا رسول الله.
لقال: ((اكتبوا لأبي فلان)). لقال رجل
من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإننا
نجعل في بيوتنا وقبورنا. لقال النبي ﷺ
((إلا الإذخر)).

[طرفاه في : ٢٤٣٤، ٦٨٨٠.]

١١٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُو قَالَ:
أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي، إِلَّا
مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَإِنَّهُ كَانَ
يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ. تَابِعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

इससे और ज़्यादा वज़ाहत हो गई कि ज़मान-ए-नबवी (ﷺ) में अह्दादीष को भी लिखने का तरीका जारी हो चुका था। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ये समझे कि अब्दुल्लाह बिन अमर ने मुझसे ज़्यादा अह्दादीष रिवायत की होंगी, मगर बाद की तहकीक़ से मा'लूम हुआ कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की मरवि्यात पाँच हज़ार से ज़ाइद अह्दादीष (5376 अह्दादीष) हैं। जबकि अब्दुल्लाह

बिन अमर की मरवि्यात सात सौ (700) से ज़ाइद नहीं हैं। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) को ये इल्मी मर्तबा आँहज़रत (ﷺ) की दुआ के सदके में मिला था।

(114) हमसे यहा बिन सुलैमान ने बयान किया, उनसे इब्ने वहब ने, उन्हें यूनुस से इब्ने शिहाब से खबर दी, वो अबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से, वो इब्ने अब्बास से रिवायत करते हैं कि जब नबी करीम (ﷺ) के मर्ज़ में शिहत हो गई तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मेरे पास सामाने किताबत लाओ ताकि तुम्हारे लिये एक तहरीर लिखवा दूँ, ताकि बाद में तुम गुमराह न हो सको, इस पर हज़रत उमर (रज़ि.) ने (लोगों से) कहा कि इस वक़्त आप (ﷺ) पर तकलीफ़ का ग़लबा है और हमारे पास अल्लाह की किताब कुर्आन मौजूद है जो हमें (हिदायत के लिये) काफ़ी है। इस पर लोगों की राय मुख्तलिफ़ हो गई और शोरो-गुल ज़्यादा होने लगा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया मेरे पास से उठ खड़े हों, मेरे पास झगड़ना ठीक नहीं, इस पर इब्ने अब्बास (रज़ि.) यह कहते हुए निकल आए कि बेशक मुस्लीबत, बड़ी सख़्त मुस्लीबत है (वो चीज़ जो) हमारे और रसूलुल्लाह (ﷺ) के और आपकी तहरीर के बीच हाइल हो गई।

(दीगर मक़ाम : 3053, 3168, 4431, 4432, 5669, 7366)

١١٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُنَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَجَعُهُ قَالَ: ((إِنِّي أَتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوْا بَعْدَهُ)) قَالَ غَمْرٌ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَلَبَهُ الْوَجَعُ، وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا. فَاحْتَفُوا، وَكَثُرَ اللَّغَطُ. قَالَ: ((قَوْمُوا عَنِّي، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ)). فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرُّزِيَّةَ كُلَّ الرُّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ كِتَابِهِ.

[أطرافه في : ٣٠٥٣، ٣١٦٨، ٤٤٣١،

٤٤٣٢، ٥٦٦٩، ٧٣٦٦.]

तशरीह: हज़रत उमर (रज़ि) ने अज़ राहे शफ़क़त आँहज़रत (ﷺ) की सख़्ततरीन तकलीफ़ देखकर ये राय दी थी कि ऐसी तकलीफ़ के वक़्त आप तहरीर की तकलीफ़ क्यों फ़र्माते हैं। हमारी हिदायत के लिये कुर्आन मजीद काफ़ी है। फिर आँहज़रत (ﷺ) ने भी इस राय पर सुकूत फ़र्माया और इस वाक़िये के बाद चार रोज़ आप ज़िन्दा रहे मगर आप (ﷺ) ने दोबारा इस ख़याल का इज़हार नहीं फ़र्माया। अल्लामा क़स्तलानी (रह) फ़र्माते हैं, 'व क़द कान उमरु अप्कह मिन इब्नि अब्बासिन हैषु इक्तफ़ा बिल्कुर्आनि अला अन्नहू यहतमिलु अय्यकून (ﷺ) कान ज़हर लहू हीनहुम बिल किताबि इन्नहू मस्लहतन षुम्म ज़हर लहू औ ऊहिय इलैहि बअद अन्नलमस्लहत फ़ी तर्किही व लौ कान वाजिबन लम यतरूकहू अ लिइख़ितलाफ़िहिम लिअन्नहू लम यतरूकित्तक्लीफ़ बिमुख़ालफ़ति मन ख़ालफ़ व क़द आश बअद ज़ालिक अय्यामन वलम युआविद अम्रहुम बिज़ालिक' खुलासा इस इबारत का ये है कि हज़रत उमर (रज़ि) इब्ने अब्बास (रज़ि) से बहुत ज़्यादा समझदार थे, उन्होंने कुर्आन को काफ़ी जाना। आँहज़रत (ﷺ) ने मस्लहतन ये इरादा ज़ाहिर फ़र्माया था मगर बाद में उसका छोड़ना बेहतर मा'लूम हुआ। अगर ये हुक़म वाजिब होता तो आप लोगों के इख़ितलाफ़ की वजह से उसे तर्क न फ़र्माते। आप (ﷺ) उस वाक़िये के बाद कई रोज़ ज़िन्दा रहे मगर फिर आप (ﷺ) ने उसका इआदा नहीं फ़र्माया। सहीह बुखारी में ये हदीष सात तरीक़ों से मज़कूर हुई है।

बाब 41 : इस बयान में कि रात को ता'लीम देना और वाज़ करना जाइज़ है

(115) सदक़ह ने हमसे बयान किया, उन्हें इब्ने उययना ने

٤١- باب العِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ
١١٥- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ
عَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ عَنْ

मअमर के वास्ते से ख़बर दी, वो जुहरी से रिवायत करते हैं, जुहरी हिन्द से, वो उम्मे सलमा (रज़ि.) से, (दूसरी सनद में) अमर और यहा बिन सईद जुहरी से, वो एक औरत से, वो उम्मे सलमा (रज़ि.) से रिवायत करती हैं कि एक रात नबी करीम (ﷺ) ने जागते ही फ़र्माया कि सुब्हानल्लाह! आज की रात किस क़दर फ़िल्ने उतारे गए हैं और कितने ही ख़ज़ाने भी खोले गए हैं। इन हुजे वालियों को जगाओ क्योंकि बहुत सी औरतें (जो) दुनिया में (बारीक) कपड़ा पहनने वाली हैं वो आख़िरत में नंगी होंगी।

(दीगर मक़ाम : 1126, 3599, 5844, 6218, 7069)

أَمْ سَلَمَةَ. وَعَمْرُو وَيَحْيَىٰ بِنُ سَعِيدٍ عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنِ هِنْدٍ عَنِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ:
(سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّيْلَةَ مِنَ
الْفِتَنِ، وَمَاذَا فَضَحَ مِنَ الْخَزَائِنِ. أَبْقَطُوا
صَوَاحِبَ الْحُجْرِ، فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا
عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ)).

[أطرافه في : 1126, 3599, 5844, 6218, 7069]

[7069, 6218]

तशरीह : मतलब ये है कि नेक बन्दों के लिये अल्लाह की रहमतों के ख़ज़ाने नाज़िल हुए और बदकारों पर उसका अज़ाब भी उतरा। पस बहुत सी औरतें जो ऐसे बारीक कपड़े इस्तेमाल करती हैं जिनसे बदन नज़र आए, आख़िरत में उन्हें रुस्वा किया जाएगा। इस हदीष से रात में वज़्र व नसीहत करना प़ाबित होता है, पस मुताबकते हदीष के तर्जुमे से ज़ाहिर है (फ़त्हूल बारी) औरतों के लिये हद्द से ज़्यादा बारीक कपड़ों का इस्तेमाल जिनसे बदन नज़र आए क़त्अन ह़राम है। मगर आजकल ज़्यादातर यही लिबास चल पड़ा है जो क़यामत की निशानियों में से है।

बाब 42 : इस बारे में कि सोने से पहले रात के वक़्त इल्मी बातें करना जाइज़ है

٤٢ - بَابُ السَّمْرِ بِالْعِلْمِ

(116) सईद बिन उफ़ैर ने हमसे बयान किया, उनसे लैष ने बयान किया, उनसे अब्दुरहमान बिन ख़ालिद बिन मुसाफ़िर ने इब्ने शिहाब के वास्ते से बयान किया, उन्होंने सालिम और अबूबक्र बिन सुलैमान बिन अबी ह़शमा से रिवायत किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि आख़िर उम्र में (एक बार) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें इशा की नमाज़ पढ़ाई। जब आप (ﷺ) ने सलाम फेरा तो खड़े हो गए और फ़र्माया तुम्हारी आज की रात वो है कि इस रात से सौ बरस के आख़िर तक कोई शख़्स जो ज़मीन पर है वो बाक़ी नहीं रहेगा।

(दीगर मक़ाम : 564, 601)

١١٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ:
حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ
سَالِمِ وَأَبِي بَكْرٍ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي خَنَمَةَ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ
ﷺ الْعِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ
قَامَ فَقَالَ: ((أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَبَيْنَ
رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى
ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ)).

[أطرافه في : 564, 601]

तशरीह : मतलब ये है कि आ़म त़ौर पर इस उम्मत की उम्रें सौ बरस से ज़्यादा न होंगी, या ये कि आज की रात में जिस क़दर इंसान ज़िन्दा हैं सौ साल के आख़िर तक ये सब ख़त्म हो जाएँगे। उस रात के बाद जो नस्लें पैदा होंगी उनकी ज़िन्दगी

की नफ़ी मुराद नहीं है। मुहक्किनीन के नज़दीक इसका मतलब यही है और यही ज़ाहिर लफ़्ज़ों से समझ में आता है। चुनाँचे सबसे आखिरी सहाबी अबू तुफैल आमिर बिन वासला का ठीक सौ बरस बाद 110 बरस की उम्र में इंतिकाल हुआ।

समर के मा'नी रात को सोने से पहले बातचीत करना मुराद है। पहले बाब में मुल्लक रात को वअज़ करने का ज़िक्र था और इसमें ख़ास सोने से पहले इल्मी बातों का ज़िक्र है। इसी से वो फ़र्क़ ज़ाहिर हो गया जो पहले बाब में और इसमें है (फ़तहुल बारी)

मक्सद ये है कि दर्स व तदरीस, वअज़ व तज़कीर, बवक़ते ज़रूरत दिन और रात के हर हिस्से में जाइज़ और दुरुस्त है। खुसूसन तलबा के लिये रात का पढ़ना दिल व दिमाग़ पर नक़श हो जाता है। इस हदीष से हज़रत इमाम बुखारी (रह) ने दलील पकड़ी है कि हज़रत ख़िज़र (अलैहिस्सलाम) की ज़िंदगी का ख़याल सहीह नहीं। अगर वो ज़िंदा होते तो आँहज़रत (ﷺ) से ज़रूर मुलाकात करते। कुछ इलमा उनकी हयात के काइल हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।

(117) हमसे आदम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको शुअबा ने ख़बर दी, उनको हक़म ने कहा कि मैंने सईद बिन जुबैर से सुना, वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि एक रात मैंने अपनी ख़ाला मैमूना बिन्ते अल हारिष (रज़ि.) जोज़-ए-नबी करीम (ﷺ) के पास गुज़ारी और नबी करीम (ﷺ) (उस दिन) उनकी रात में उन्हीं के घर थे। आप (ﷺ) ने इशा की नमाज़ मस्जिद में पढ़ी। फिर घर तशरीफ़ लाए और चार रक़अत (नमाज़े नफ़्ल) पढ़कर आप (ﷺ) सो गए, फिर उठे और फ़र्माया कि (अभी तक यह) लड़का सो रहा है या इसी जैसा लफ़ज़ कहा। फिर आप (ﷺ) (नमाज़ पढ़ने) खड़े हो गए और मैं (भी वुजू करके) आपकी बाएँ जानिब खड़ा हो गया। तो आप (ﷺ) ने मुझे दाएँ जानिब (खड़ा) कर लिया, तब आप (ﷺ) ने पाँच रक़अत पढ़ीं। फिर दो पढ़ीं, फिर आप (ﷺ) सो गए। यहाँ तक कि मैंने आप (ﷺ) के ख़रटि की आवाज़ सुनी, फिर आप (ﷺ) खड़े होकर नमाज़ के लिये (बाहर) तशरीफ़ ले आए।

(दीगर मक़ाम: 138, 183, 697, 698, 699, 726, 728, 859, 9924, 1198, 4569, 4570, 4571, 4572, 5919, 6215, 6316, 7452)

۱۱۷- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ:

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا فِي لَيْلِهَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ. ثُمَّ قَامَ، ثُمَّ قَالَ: ((نَامَ الْعَلِيمُ)) - أَوْ كَلِمَةً نُسِبَهَا-- ثُمَّ قَامَ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيظَةً - أَوْ خَطِيظَةً - ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ.

[أطرافه في : ۱۳۸، ۱۸۳، ۶۹۷، ۶۹۸،

۶۹۹، ۷۲۶، ۷۲۸، ۸۵۹، ۹۹۲۴،

۱۱۹۸، ۴۵۷۰، ۴۵۷۱، ۴۵۷۲،

۵۹۱۹، ۶۲۱۶، ۷۳۱۶، ۷۴۵۲.]

तशरीह: किताबुत् तफ़सीर में भी इमाम बुखारी (रह) ने ये हदीष एक दूसरी सनद से नक़ल की है। वहाँ ये अल्फ़ाज़ ज़्यादा हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुछ देर हज़रत मैमूना (रज़ि) से बातें कीं और फिर सो गये, इस जुम्ले से इस हदीष की बाब से मुताबकत सहीह हो जाती है। यानी सोने से पहले रात को इल्मी बातचीत करना जाइज़ दुरुस्त है।

बाब 43 : इल्म को महफूज़ रखने के बयान में

۴۳- باب حفظ العلم

(118) अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने हमसे बयान किया, उनसे मालिक ने इब्ने शिहाब के वास्ते से नक़ल किया, उन्होंने अउरज से, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से, वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अबू हुरैरह (रज़ि.) बहुत हदीषें बयान करते हैं और (मैं कहता हूँ) कुर्आन में दो आयतें न होती तो मैं कोई हदीष बयान न करता। फिर यह आयत पढ़ी, (जिसका तर्जुमा यह है) कि जो लोग अल्लाह की नाज़िल की हुई दलीलों और आयतों को छुपाते हैं (आख़िर आयत) ... रहीम तक। (वाक़िआ यह है कि) हमारे मुहाजिरीन भाई तो बाजार की ख़रीदो-फ़रोख़्त में लगे रहते थे और अंसार भाई अपनी जायदादों में मशगूल रहते और अबू हुरैरह (रज़ि.) रसूलुल्लाह के साथ जी भरकर रहता (ताकि आपकी रफ़ाक़त में पेट भरने से भी बेफ़िक़्री रहे) और (उन मजलिसों में) हाज़िर रहता जिन (मजलिसों) में दूसरे हाज़िर न होते और वो (बातें) महफूज़ रखता जो दूसरे महफूज़ नहीं रख सकते थे।

(दीगर मक़ाम : 119, 2047, 2350, 3648, 7354)

۱۱۸- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَخْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: أَكْثَرُ أَبُو هُرَيْرَةَ. وَلَوْ لَا آيَاتَانِ لِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا. ثُمَّ يَتَلَوْنَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ﴾ - إِلَى قَوْلِهِ: ﴿الرَّحِيمِ﴾. إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانُوا يَشْفَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا يَشْفَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَسْتَعِينُهُ، وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ، وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ.

[أطرافه في : ۱۱۹، ۲۰۴۷، ۲۳۵۰]

[۷۳۵۴، ۳۶۴۸]

'वल मअना अन्नहू कान युलाज़िमु कानिअम्बिल्कूति वला यत्तजिरू वला यज़रउ' (कस्तलानी) यानी खाने के लिये जो मिल जाता उसी पर क़नाअत (सन्न) करते हुए वो हुज़ूर (ﷺ) के साथ चिमटते रहते थे, न खेती करते और न ही तिजारता इल्मे हदीष में इसीलिये आपको फ़ौक़ियत (श्रेष्ठता) हासिल हुई। कुछ लोगों ने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) को ग़ैर फ़क़ीह लिखा और क़यास के मुक़ाबले पर उनकी रिवायत को मरजूह करार दिया है। मगर ये सरासर ग़लत और एक जलीलुल कद्र सहाबी-ए-रसूल (ﷺ) के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। ऐसा लिखने वाले खुद नासमझ हैं।

(119) हमसे अबू मुसअब अहमद बिन अबी बक्र ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन इब्राहीम बिन दीनार ने इब्ने अबी ज़िब के वास्ते से बयान किया, वो सईद अल मक़बरी से, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि मैंने (अबू हुरैरह ने) कहा, या रसूलुल्लाह (ﷺ)! मैं आप (ﷺ) से बहुत बातें सुनता हूँ, मगर भूल जाता हूँ। आपने फ़र्माया अपनी चादर फैलाओ, मैंने अपनी चादर फैलाई, आप (ﷺ) ने अपने दोनों हाथों की चुल्लू बनाई और (मेरी चादर में डाल दी) फ़र्माया कि (चादर को) लपेट लो। मैंने चादर को (अपने बदन पर) लपेट लिया, फिर (इसके बाद) मैं कोई चीज़ नहीं भूला। हमसे इब्राहीम बिन अल मुंज़िर ने बयान

۱۱۹- حَدَّثَنَا أَبُو مُصَافٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنَبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْسَاهُ. قَالَ: ((ابْسُطْ رِدَائِكَ)). فَبَسَطْتُهُ. قَالَ: فَفَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((ضُمَّهُ))، فَضَمَّمْتُهُ، فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ. حَدَّثَنَا

किया, उनसे इब्ने अबी फुदैक ने उसी तरह बयान किया कि (यूँ) फ़र्माया कि अपने हाथ से एक चुल्लू इस (चादर) में डाल दी।

إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
فَدَيْلِكَ بِهَذَا. أَوْ قَالَ: غَرَفَ بِيَدِهِ فِيهِ.

आपकी इस दुआ का ये अषर हुआ कि बाद में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) हिफ़जे हदीष के मैदान में सबसे सबक़त ले गये और अल्लाह ने उनको दीन और दुनिया दोनों से ख़ूब ही नवाज़ा। चादर में आँहज़रत (ﷺ) का चुल्लू डालना नेक फ़ाली (शुभ शगुन) थी।

(120) हमसे इस्माईल ने बयान किया, उनसे उनके भाई (अब्दुलहमीद) ने इब्ने अबी ज़िब से नक़ल किया। वो सईद अल मक्बरी से रिवायत करते हैं, वो हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से, वो फ़र्माते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से (इल्म के) दो बर्तन याद कर लिये हैं, एक को मैंने फैला दिया है और दूसरा बर्तन अगर मैं फैलाऊँ तो मेरा नरख़रा काट दिया जाए। इमाम बुखारी (रह.) ने फ़र्माया कि बलक़म से मुराद वो नरख़रा (नली) है, जिससे खाना (पेट में) उतरता है।

١٢٠- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي
أَخِي عَنْ ابْنِ أَبِي ذُنَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ
الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَفِظْتُ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَاقِبَتَيْنِ: فَأَمَّا أَحَدُهُمَا
فَبَيْتُهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَيْتُهُ قَطَعَ هَذَا
الْبَلْعُومُ. قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْعُومُ مَجْرَى
الطَّعَامِ.

तरीह: इसी तरह जौहरी और इब्ने अषीर ने बयान किया है। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) के इस इशाराद का मतलब मुहक़िकीन उलमा के नज़दीक ये है कि दूसरे बर्तन से मुराद ऐसी हदीषें हैं। जिनमें ज़ालिम व जाबिर हाकिमों के हक़ में वईदें (चेतावनियाँ) आई हैं और फ़िल्नों की ख़बरें हैं। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) ने कभी इशारे के तौर पर उन बातों का ज़िक्र कर भी दिया था। जैसा कि कहा कि मैं 60 हिजरी की शर से और छोकरो की हुकूमत से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। इसी सन में यज़ीद की हुकूमत हुई और उम्मत में कितने ही फ़िल्ने बरपा हुए। ये हदीष भी हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) ने उसी ज़माने में बयान की, जब फ़िल्नों का आगाज़ हो गया था और मुसलमानों की जमाअत में इतिशार पैदा हो चला था, इसीलिये ये कहा कि इन हदीषों के बयान करने से जान का ख़तरा है, लिहाज़ा मैंने मस्लहतन ख़ामोशी इख़्तियार कर ली है।

बाब 44 : इस बारे में कि आलिमों की बात ख़ामोशी से सुनना ज़रूरी है

٤٤- بَابُ الْإِنصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ

(121) हमसे हज़ाज ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझे अली बिन मुदरक ने अबू जुरआ से ख़बर दी, वो ज़ुरै (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि नबी (ﷺ) ने उनसे हज़तुल विदाअ के मौक़े पर फ़र्माया कि लोगों को बिलकुल ख़ामोश कर दो (ताकि वो ख़ूब सुन लें) फिर फ़र्माया, लोगों! मेरे बाद फिर काफ़िर मत बन जाना कि एक-दूसरे की गर्दन मारने लगे।

١٢١- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ حَسَنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُذْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ
عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ: ((اسْتَنْصِبِ
النَّاسَ فَقَالَ: لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفْرًا
يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)).

(दीगर मक़ाम : 4405, 6869, 7080)

[أطرافه في : ٤٤٠٥, ٦٨٦٩, ٧٠٨٠.]

तशीह:

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नज़ीहतें फ़रमाने से पहले ज़रीर को हुक्म दिया कि लोगों को तवज्जह से बात सुनने के लिये खामोश करें, बाब का मक़सद यही है कि शागिर्द का फ़र्ज़ है उस्ताद की तक्ररीर खामोशी और तवज्जह के साथ सुने। हज़रत ज़रीर (रज़ि) 10 हिजरी में हज्जतुल विदाअ से पहले मुसलमान हो चुके थे, काफ़िर बन जाने से मुराद काफ़िरोँ जैसे काम करना मुराद है क्योंकि नाहक़ ख़ूरेज़ी करना मुसलमान का शैवा नहीं। मगर स़द अफ़सोस! कि थोड़े ही दिनों के बाद उम्मत में फ़ितने फ़साद शुरू हो गये जो आज तक जारी हैं। उम्मत में सबसे बड़ा फ़ितना अइम्मा की महज़ तक्लीद के नाम पर इफ़्तिराक़ व इंतिशार पैदा करना है। मुक़ल्लिदीन जुबान से चारों इमामों को बरहक़ कहते हैं। मगर फिर भी आपस में इस तरह लड़ते झगड़ते हैं गोया उन सबका दीन जुदा-जुदा है। तक्लीदे जामिद से बचने वालों को ग़ैर मुक़ल्लिद ला मज़हब के नामों से याद करते हैं और उनकी तहक़ीर व तौहीन करना कारे ष़वाब जानते हैं। व इल्लाहिल मुश्तका।

इक़बाल मरहूम ने सच फ़र्माया है :

अगर तक्लीद बूदे शैवा ख़ूब

पैग़म्बर हम रह अज्दाद रफ़ते

यानी तक्लीद का शैवा अगर अच्छा होता तो पैग़म्बर (ﷺ) अपने बाप दादा की राह पर चलते मगर आपने इस रविश की मज़म्मत फ़र्माई।

बाब 45 : इस बयान में कि जब किसी आलिम से पूछा जाए कि लोगों में कौन सबसे ज़्यादा इल्म रखता है? तो बेहतर यह है कि अल्लाह के हवाले कर दे यानी यह कह दे कि अल्लाह सबसे ज़्यादा इल्म रखता है या यह कि अल्लाह ही जानता है कि सबसे बड़ा आलिम कौन है

(122) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अल मुस्नदी ने बयान किया, उनसे सुफ़यान ने, उनसे अमर ने, उन्हें सईद बिन जुबैर (रज़ि.) ने ख़बर दी, वो कहते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से कहा कि नोफ़ बक़ाली का ये ख़याल है कि मूसा अलैहिस्सलाम (जो ख़िज़्र अलैहि. के पास गय थे वो) मूसा (अलैहि.) बनी इस्राईल से न थे बल्कि दूसरे मूसा थे, (यह सुनकर) इब्ने अब्बास (रज़ि.) बोले कि अल्लाह के दुश्मन ने झूठ कहा है। हमसे उबय इब्ने कअब (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से नक़ल किया कि (एक रोज़) मूसा (अलैहि.) ने खड़े होकर बनी इस्राईल में ख़ुत्बा दिया, तो आपसे पूछा गया कि लोगों में सबसे ज़्यादा माहिबे इल्म कौन है? उन्होंने फ़र्माया कि मैं हूँ। इस वजह से अल्लाह का गुस्सा उन पर हुआ कि उन्होंने इल्म को अल्लाह के हवाले क्यों न कर दिया। तब अल्लाह ने उनकी तरफ़ वहा भेजी कि मेरे बन्दों में से एक बन्दा दरयाओं के

٤٥ - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ

١٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبَكَّالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ مُوسَى نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ، فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((رَأَى مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيئًا فِي نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ. فَعَتَبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ عَبَدًا

संगम पर है। (जहाँ फ़ारस और रूम के समुन्द्र मिलते हैं) वो तुझसे ज्यादा आलिम है, मूसा (अलैहि.) ने कहा, ऐ परवरदिगार! मेरी उनसे मुलाक़ात कैसे हो? हुक्म हुआ कि एक मछली जंबील में रख लो, फिर जहाँ तुम उस मछली को गुम कर दोगे तो वो बन्दा तुम्हें (वहीं) मिलेगा तब मूसा (अलैहि.) चले और साथ अपने खादिम यूशा बिन नून को ले लिया और उन्होंने जंबील में मछली रख ली, जब एक पत्थर के सामने पहुँचे, दोनों अपने सर उस पर रखकर सो गए और मछली जंबील से निकलकर दरिया में अपनी राह बनाती हुई चली गई और यह बात मूसा (अलैहि.) और उनके साथी के लिये बेहद तअज्जुब की थी, फिर दोनों बाक़ी रात और दिन में (जितना वक़्त बाक़ी था) चलते रहे, जब सुबह हुई मूसा (अलैहि.) ने खादिम से कहा, हमारा नाश्ता लाओ इस सफ़र में हमने (काफ़ी) तकलीफ़ उठाई है और मूसा (अलैहि.) बिलकुल नहीं थके थे, मगर जब उस जगह से आगे निकल गए, जहाँ तक उन्हें जाने का हुक्म मिला था, तब उनके खादिम ने कहा, क्या आपने देखा था जब हम स़ख़रा के पास ठहरे थे तो मैं मछली का ज़िक्र भूल गया, (बक़ौल बाज़ स़ख़रा के नीचे आब हयात था, वो उस मछली पर पड़ा, और वो ज़िन्दा होकर बकुदरते इलाही दरिया में चल दी) (ये सुनकर) मूसा (अलैहि.) बोले कि यही वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी, तो वो पिछले पाँव वापस हो गए, जब पत्थर तक पहुँचे तो देखा कि एक शख़्स कपड़ा ओढ़े हुए (मौजूद है) मूसा (अलैहि.) ने उन्हें सलाम किया, ख़िज़्र ने कहा कि तुम्हारी सरज़मीन में सलाम कहाँ? फिर मूसा (अलैहि.) ने कहा कि मैं मूसा हूँ, ख़िज़्र बोले कि बनी इस्राईल के मूसा? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ! फिर कहा कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ, ताकि आप मुझे हिदायत की वो बातें बतलाओ जो अल्लाह ने ख़ास आप ही को सिखलाई है। ख़िज़्र (अलैहि.) बोले कि तुम मेरे साथ स़म्र नहीं कर सकोगे ऐ मूसा (अलैहि.)! मुझे अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है जिसे तुम नहीं जानते और तुमको जो इल्म दिया मैं उसको नहीं जानता। (इस पर) मूसा (अलैहि.) ने कहा कि अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाओगे और मैं किसी बात में आप की नाफ़रमानी नहीं

مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَكْبَرُ مِنْكَ. قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ لِي بِهِ؟ فَوَيْلٌ لَهُ: ائْتِمْ خُوتًا لِي مِكْتَلٍ، فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ نَمٌّ. فَانْطَلِقْ وَانْطَلِقْ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوْشَعَ بْنِ نُونٍ، وَحَمَلًا خُوتًا لِي مِكْتَلٍ، حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا فَنَامَا، فَاِنْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِكْتَلِ ﴿فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾ وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا. فَانْطَلَقَا بِقِيَّةٍ لِيْلَيْهِمَا وَيَوْمَهُمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ: ﴿أَنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾ وَكَمْ يَجِدُ مُوسَى مَسًا مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ. فَقَالَ فَتَاهُ: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ﴾ قَالَ مُوسَى: ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْهِي فَاِذْنَا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ فَلَمَّا اتَّهَبَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسْتَجِبٌ بِرُؤُوسِهِ - أَوْ قَالَ: تَسْتَجِبُ بِرُؤُوسِهِ - فَسَلَّمَ مُوسَى، فَقَالَ الْخَضِرُ: وَأَنْتَ بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ فَقَالَ: أَنَا مُوسَى. فَقَالَ: مُوسَى نَبِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ﴿هَلْ آتَيْتَكَ عَلَى أَنْ تَعَلَّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُؤُوسًا؟﴾ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمْتِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمِ عِلْمَتِهِ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ. قَالَ: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي

करूँगा। फिर दोनों दरिया के किनारे-किनारे पैदल चले, उनके पास कोई कश्ती न थी कि एक कश्ती उनके सामने से गुज़री, तो कश्ती वालों से उन्होंने कहा कि हमें बिठा लो। ख़िज़्र को उन्होंने पहचान लिया और बग़ैर किराए के सवार कर लिया, इतने में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे पर बैठ गई, फिर समुन्द्र में उसने एक या दो चोंचें मारीं (उसे देखकर) ख़िज़्र बोले कि ऐ मूसा! मेरे और तुम्हारे इल्म ने अल्लाह के इल्म में से उतना ही कम किया होगा जितना इस चिड़िया ने समंदर (के पानी) से फिर ख़िज़्र (अलैहि.) ने कश्ती के तख़्तों में से एक तख़्ता निकाल डाला, मूसा (अलैहि.) ने कहा कि इन लोगों ने तो हमें किराए के बग़ैर (मुफ़्त में) सवार कर लिया और आपने कश्ती (की लकड़ी) उखाड़ डाली ताकि यह डूब जाएँ, ख़िज़्र बोले कि क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ स़ब्र नहीं कर सकोगे? (इस पर) मूसा (अलैहि.) ने जवाब दिया कि भूल पर मेरी गिरफ़्त न करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने भूलकर यह पहला ए'तिराज़ किया था। फिर दोनों चले (कश्ती से उतरकर) एक लड़का बच्चों के साथ खेल रहा था, ख़िज़्र (अलैहि.) ने ऊपर से उसका सर पकड़कर हाथ से उसे अलग कर दिया। मूसा (अलैहि.) बोल पड़े कि आपने एक बेगुनाह बच्चे को बग़ैर किसी जानी हक़ के मार डाला (ग़ज़ब हो गया) ख़िज़्र (अलैहि.) बोले कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ स़ब्र नहीं कर सकोगे। इब्ने उयैयना कहते हैं कि इस कलाम में पहले से ज़्यादा ताकीद है (क्योंकि पहले कलाम में लफ़्ज़ लक़ नहीं कहा था, इसमें लक़ ज़ाइद किया, जिससे ताकीद जाहिर है) फिर दोनों चलते रहे। यहाँ तक कि एक गांव वालों के पास आए, उनसे खाना लेना चाहा। उन्होंने खाना खिलाने से मना कर दिया उन्होंने वहीँ देखा कि एक दीवार उसी गांव में गिरने के करीब थी। ख़िज़्र (अलैहि.) ने अपने हाथ के इशारे से उसे सीधा कर दिया। मूसा (अलैहि.) बोल उठे कि अगर आप चाहते तो (गांव वालों से) इस काम की मज़दूरी ले सकते थे। ख़िज़्र (अलैहि.) ने कहा कि (बस अब) हम और तुम में जुदाई का वक़्त आ गया है। जनाब महबूबे किब्रिया रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़माते हैं कि अल्लाह मूसा (अलैहि.) पर रहम करे, हमारी तमन्ना थी कि मूसा (अलैहि.) कुछ

لَكَ أَمْرًا. فَانطَلَقَا ﴿ فَمَشِيَّانَ عَلَى سَاحِلِ
الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ، فَمَرَّتْ بِهِمَا
سَفِينَةٌ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعَرَفَ
الْحَضِيرُ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ تَوْلٍ. فَجَاءَ
عَصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَفَرَّ
نَفْرَةً أَوْ نَفْرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ الْحَضِيرُ:
يَا مُوسَى، مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ
عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا كَنَفْرَةِ هَذَا الْعَصْفُورِ
فِي الْبَحْرِ. فَعَمِدَ الْحَضِيرُ إِلَى لَوْحٍ مِنْ
السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ. فَقَالَ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا
بِغَيْرِ تَوْلٍ عَمَدَتْ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَحَرَقَتْهَا
لَتَفْرِقَ أَهْلُهَا! قَالَ: ﴿ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ
تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ قَالَ: لَا تَوَاحِدْنِي
بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿
قَالَ فَكَانَتْ الْأُولَى مِنْ مُوسَى سَيِّئًا.
﴿فَانطَلَقَا﴾، فَإِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ
الْغُلَمَانِ، فَآخَذَ الْحَضِيرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ
فَأَقْلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ. فَقَالَ مُوسَى: ﴿أَقْبَلْتُ
نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ؟ قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ
إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ ﴿ قَالَ ابْنُ
عَبَّيْنَةَ: ﴿ وَهَذَا أَوْكَدُ ﴾ ﴿فَانطَلَقَا حَتَّى آتَا
أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعْنَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ
يُضَيِّقُواهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ
يَنْقُضَ﴾، قَالَ الْحَضِيرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ. قَالَ لَهُ
مُوسَى: ﴿لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا؟
قَالَ: هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾. قَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى، لَوِ دِدْنَا لَوْ

देर और मज़बूत करते तो मज़ीद वाकिआत इन दोनों के बयान किए जाते (और हमारे सामने रोशनी में आते, मगर हज़रत मूसा (अलैहि.) की इज्जत ने उस इल्मे दीनी के सिलसिले में जल्दी ही मुनक़तअ करा दिया) मुहम्मद बिन यूसुफ़ कहते हैं कि हमसे अली बिन ख़श्म ने यह हदीष बयान की, उनसे सुफ़यान बिन इयैयना ने पूरी की पूरी बयान की। (राजेअ : 74)

तशरीह :

नौफ़ बक्काली ताबेईन में से थे, हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि) ने गुस्से की हालत में उनको अल्लाह का दुश्मन कह दिया क्योंकि उन्होंने साहिबे ख़िज़्र मूसा बिन मैशा को कह दिया था जो कि यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के पोते हैं हालाँकि ये वाक़िया हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) साहब बनी इस्राईल ही का है। इससे मा'लूम हुआ कि कुआन शरीफ़ व हदीष के ख़िलाफ़ राय व क़यास पर चलने वालों पर ऐसा इताब (गुस्सा) जाइज़ है।

हज़रत ख़िज़्र नबी हों या वली मगर हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) से अफ़ज़ल नहीं हो सकते। मगर हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) का ये कहना कि मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ अल्लाह तआला को नागवार हुआ और उनका मुकाबला ऐसे बन्दे से कराया जो उनसे दर्जे में कम थे, ताकि वो आइन्दा ऐसा दा'वान करें, हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) ने जब हज़रत ख़िज़्र को सलाम किया, तो उन्होंने वअलैयकुम अस्सलाम कहकर जवाब दिया, साथ ही वो घबराये भी कि ये सलाम करने वाले साहब कहाँ से आ गये। इससे मा'लूम हुआ कि हज़रत ख़िज़्र (अलैहिस्सलाम) को भी ग़ैब का इल्म न था, लिहाज़ा जो लोग अम्बिया व औलिया के लिये ग़ैबदानी का अक़ीदा रखते हैं वो झूठे हैं। हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) का इल्म ज़ाहिर शरीअत था और हज़रत ख़िज़्र (अलैहिस्सलाम) मसालेहे शरइया के इल्म के साथ ख़ास हुक्मों पर मामूर थे। इसीलिये हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) को उनके काम बज़ाहिर ख़िलाफ़े शरीअत मा'लूम हुए, हालाँकि वो ख़िलाफ़े शरीअत न थे। कश्ती से एक तख़्ते का निकालना इस मस्लिहत के तहत था कि पीछे से एक ज़ालिम बादशाह कश्तियों को बेगार मे पकड़ने के लिये चला आ रहा था, उसने इस कश्ती को ऐबदार देखकर छोड़ दिया। जब वो गुजर गया तो हज़रत ख़िज़्र (अलैहिस्सलाम) ने फिर उसे जोड़ दिया, बच्चे का क़त्ल इसलिये किया कि हज़रत ख़िज़्र को वह्न—ए—इलाही ने बतला दिया था कि ये बच्चा आइन्दा चलकर अपने वालिदैन के लिये सख़्त मुज़िर (नुक़सान पहुँचाने वाला) होगा, इस मस्लिहत के तहत उसका ख़त्म करना ही मुनासिब जाना। ऐसा क़त्ल शायद उस वक़्त की शरीअत में जाइज़ हो फिर अल्लाह इस बच्चे के वालिदैन को नेक बच्चे अता किये और अच्छा हो गया। दीवार को इसलिये आपने सीधा किया कि दो यतीम बच्चों का बाप इंतक़ाल के वक़्त अपने उन बच्चों के लिये इस दीवार के नीचे एक ख़ज़ाना दफ़न कर गया। वो दीवार अगर गिर जाती तो लोग यतीमों का ख़ज़ाना लूटकर ले जाते। इस मस्लिहत के तहत आपने फ़ौरन इस दीवार को बिइज़्ज़िनल्लाह सीधा कर दिया। हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) और ख़िज़्र (अलैहिस्सलाम) के इस वाक़िये से बहुत से फ़वाइद निकलते हैं, जिनकी तपस्वील गहरी नज़र वालों पर वाज़ेह हो सकती है।

बाब 46 : इस बारे में कि खड़े होकर किसी आलिम से सवाल करना जो बैठा हुआ हो (जाइज़ है)

(123) हमसे इज़मान ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने मंसूर के वास्ते से बयान किया, वो अबू वाइल से रिवायत करते हैं, वो हज़रत मूसा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उसने कहा कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! अल्लाह की राह में लड़ाई की क्या मूरत है? क्योंकि हममें से कोई गुस्से की वजह से और कोई ग़ैरत की वजह

صَبَرَ حَتَّى يُقْصَرَ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا)). قَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا بِهِ عَلِيُّ بْنُ
خَشْرَمٍ قَالَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِطَوَلِهِ.

[راجع: 74]

٤٦ - بَابُ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا

جَالِسًا

١٢٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ
عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى
قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَوَيْلٌ
أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَيْمَةً. فَرَفَعَ
إِلَيْهِ رَأْسَهُ - قَالَ: وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا

से जंग करता है तो आप (ﷺ) ने उसकी तरफ सर उठाया, और सर इसीलिये उठाया कि पूछने वाला खड़ा हुआ था, फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया जो अल्लाह के कलिमे को सबुलन्द करने के लिये लड़े, वो अल्लाह की राह में (लड़ता) है। (दीगर मक़ाम : 2810, 3126, 7458)

أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا - فَقَالَ: ((مَنْ قَاتَلَ لِنُكُونِ
كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ لِي سَبِيلِ اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ)).

[أطرافه في : ٢٨١٠، ٣١٢٦، ٧٤٥٨.]

तशरीह : यानी जब मुसलमान अल्लाह के दुश्मनों से लड़ने के लिये मैदाने जंग में पहुँचता है और गुस्से के साथ या गैरत के साथ जोश में आकर लड़ता है तो ये सब अल्लाह ही के लिये समझा जाएगा। चूँकि ये सवाल आप (ﷺ) से खड़े हुए शख्स ने किया था, इसी से तर्जुमे का मक़सद प्राबित हुआ कि मौके के मुताबिक़ खड़े-खड़े भी इल्म हासिल किया जा सकता है। अल्लाह के कलिमे को सबुलन्द करने से क़वानीने इस्लामिया व हूदूदे शरइया का जारी करना मुराद है जो सरासर अदल व इंसाफ़ व बनी नोअे-इंसानी की ख़ैर-ख़वाही पर मब्नी (आधारित) हैं, उनके बरअक्स (विपरीत) सारे क़वानीन इंसानी नस्ल की फ़लाह के खिलाफ़ हैं।

बाब 47 : इस बयान में कि रम्ये जिमार (यानी हज्ज में पत्थर फेंकने) के वक़्त भी मसला पूछना जाइज़ है

٤٧- بَابُ السُّؤَالِ وَالْفَعْيَا عِنْدَ رَمِي

الْحِمَارِ

١٢٤- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ

عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَمْرٍ

قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ الْحُمْرَةِ وَهُوَ

يُسْأَلُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ لَحَرْتُ

قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: ((أَرْمِ وَلَا حَرَجَ))

قَالَ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ

أَنْحَرَ. قَالَ: ((أَنْحَرْ وَلَا حَرَجَ)). لَمَّا

سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَ وَلَا آخَرَ إِلَّا قَالَ:

((الْعَلَّ وَلَا حَرَجَ)). [راجع: ٨٣]

(124) हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी सलमा ने जुहरी के वास्ते से रिवायत किया, उन्होंने ने ईसा बिन तलहा से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अमर से, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को रम्ये जिमार के वक़्त देखा; आप (ﷺ) से पूछा जा रहा था तो एक शख्स ने कहा, या रसूलुल्लाह (ﷺ)! मैंने रमी से पहले कुर्बानी कर ली? आप (ﷺ) ने फ़र्माया (अब) रमी कर लो कुछ हर्ज नहीं हुआ। दूसरे ने कहा, या रसूलुल्लाह (ﷺ)! मैंने कुर्बानी से पहले सर मुँडा लिया? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, (अब) कुर्बानी कर लो कुछ हर्ज नहीं। (उस वक़्त) जिस चीज़ के बारे में जो आगे-पीछे हो गई थी, आपसे पूछा गया, आप (ﷺ) ने यही जवाब दिया (अब) कर लो कुछ हर्ज नहीं। (राजेअ : 83)

तशरीह : (तअस्सुब की हद हो गई) इमाम बुखारी (रह) क़दस सिर्सुहू का मक़सद ज़ाहिर है कि रम्ये जिमार के वक़्त भी मसाइल दरयाफ़्त करना जाइज़ है। इस मौके पर आप (ﷺ) से जो भी सवालात किये गये अहीनु युस्म के तहत आप (ﷺ) ने तक्दीम व ताख़ीर को नज़र-अंदाज़ करते हुए फ़र्मा दिया कि जो काम छूट गये हैं उनको अब कर लो, तो कोई हर्ज नहीं है। बात बिलकुल सीधी और साफ़ है मगर तअस्सुब का बुरा हो साहिबे अनवारुल बारी को हर जगह यही नज़र आता है कि हज़रत इमाम बुखारी (रह) यहाँ भी महज़ अहनाफ़ की तर्दीद के लिये ऐसा लिख रहे हैं। उनके नाक़िस ख़याल में गोया जामेअ सहीह (बुखारी) शुरू से आख़िर तक महज़ अहनाफ़ की तर्दीद के लिये लिखी गई है, आपके अल्फ़ाज़ ये हैं :

अहक़र (साहिबे अनवारुल बारी) की राय है कि इमाम बुखारी (रह) हस्बे आदत जिस राय को इख़ितयार करते हैं चूँकि बक़ौल हज़रत शाह साहब इसी के मुताबिक़ अहदाीप़ लाते हैं और दूसरी जानिब को नज़र-अंदाज़ कर देते हैं। इसलिये तर्तीबे अफ़आले हज्ज के सिलसिले में चूँकि वो इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) की राय से मुख़ालिफ़ हैं इसलिये अपने ख़याल की

ताईद मे जगह जगह हदीषुल्बाब अफ़आल वला हरज को भी लाए हैं। (अनवारुल बारी जिल्द 4 पेज नं. 104)

मा'लूम होता है कि साहिबे अनवारुल बारी को हज़रत इमाम बुखारी (रह) के दिल का पूरा हाल मा'लूम है, इसीलिये तो वह उनके ज़मीर पर ये फ़त्वा लगा रहे हैं। इस्लाम की ता'लीम थी कि मुसलमान आपस में हुस्ने ज़न्न (अच्छे गुमान) से काम लिया करें, यहाँ ये सूअे ज़न्न (बुरा गुमान) है। अस्तग़्फ़िरुल्लाह आगे साहिबे अनवारुल बारी मज़ीद वज़ाहत फ़र्माते हैं।

आज इसी क्रिस्म के तशहूद से हमारे ग़ैर मुक़ल्लिद भाई और हरमैन शरीफ़ेन के नज्दी उलमा अइम्मा हनफ़िया के ख़िलाफ़ महज़ज़ (मोर्चा) बनाते हैं, हनफ़िया को चिढ़ाने के लिये इमाम बुखारी (रह) की इक़तरफ़ा अह्दादीष पेश किया करते हैं। (हवाला मज़कूर)

साहिबे अनवारुल बारी के इस इल्ज़ाम पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है कायदा है, 'अल मरउ यक़ीसु अला नफ़िसही' (इंसान दूसरों को भी अपने नफ़्स पर क़यास किया करता है) चूँकि इस तशहूद और चिढ़ाने का मंज़र किताब अनवारुल बारी के बेशतर मक़ामात पर ज़ाहिर व बाहिर है। इसलिये वो दूसरों को भी इसी ऐनक से देखते हैं, हालाँकि वाक़ियात बिलकुल उसके ख़िलाफ़ हैं। मुक़ामे स़द शुक्र है कि यहाँ आपने अपनी सबसे मअतूब जमाअत अहले हदीष को लफ़ज़ ग़ैर मुक़ल्लिद भाई से तो याद फ़र्माया। अल्लाह करे कि ग़ैर मुक़ल्लिदो को ये भाई बनाना बिरादराने यूसुफ़ की नक़ल न हो और हमारा तो यक़ीन है कि ऐसा हर्गिज़ न होगा। अल्लाह पाक हम सबको नामूसे इस्लाम की हिफ़ाज़त के लिये आपसी इत्तिफ़ाक़ अता फ़र्माए। सहवन ऐसे मौक़ा पर इतनी तक्दीम व ताख़ीर मुआफ़ है। हदीष का यही मंशा है, हनफ़िया को चिढ़ाना हज़रत इमाम बुखारी (रह) का मंशा नहीं है।

बाब 48 : अल्लाह तआला के इस फ़र्मान की तशरीह में कि तुम्हें थोड़ा इल्म दिया गया है

(125) हमसे क़ैस बिन हफ़्सी ने बयान किया, उनसे अब्दुल वाहिद ने, उनसे अअमश सुलैमान बिन मुहरान ने इब्राहीम के वास्ते से बयान किया, उन्होंने ने अलक्रमा से नक़ल किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से रिवायत किया, वो कहते हैं कि (एक बार) मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मदीना के खंडहरात में चल रहा था और आप (ﷺ) खजूर की छड़ी पर सहारा देकर चल रहे थे, तो कुछ यहूदियों का (उधर से) गुज़र हुआ, उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि आपसे रूह के बारे में कुछ पूछो, उनमें से किसी ने कहा मत पूछो, ऐसा न हो कि वो कोई ऐसी बात कह दे जो तुम्हें नागवार गुज़रे (मगर) उनमें से कुछ ने कहा कि हम ज़रूर पूछेंगे, फिर एक शख़्स ने खड़े होकर कहा, ऐ अबुल क़ासिम! रूह क्या चीज़ है? आप (ﷺ) ने ख़ामोशी इख़ितयार फ़र्माई, मैंने (दिल में) कहा कि आप पर वह आ रही है। इसलिये मैं खड़ा हो गया। जब आपसे (वो कैफ़ियत) दूर हो गई तो आप (ﷺ) ने (कुआन की यह आयत जो उस वक़्त नाज़िल हुई थी) तिलावत फ़र्माई (ऐ नबी!) तुमसे ये लोग रूह के बारे में पूछ रहे हैं। कह दो

٤٨- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا

أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

١٢٥- حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ

سَلِيمَانُ بْنُ مَهْرَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي

مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَرَابِ الْمَدِينَةِ - وَهُوَ

يَتَوَكَّمُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ - فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ

الْيَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ

الرُّوحِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ، لَا

يَجِيءُ فِيهِ بَشِيءٌ تَكْرَهُونَهُ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ

لَتَسْأَلَنَّهُ، لِقَامِ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا

الْقَاسِمِ، مَا الرُّوحُ؟ فَسَكَتَ. فَقُلْتُ إِنَّهُ

يُوحَى إِلَيْهِ، فَفُتْتُ. فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ

فَقَالَ: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، قُلِ الرُّوحُ

कि रूह मेरे रब के हुक्म से है। और तुम्हें इल्म का बहुत थोड़ा हिस्सा दिया गया है। (इसलिये तुम रूह की हकीकत नहीं समझ सकते) अअमश कहते हैं कि हमारी किरात में वमा ऊतू है। वमा (ऊतीतुम) नहीं।

(दीगर मक़ाम : 4721, 7297, 7456, 7662)

مِنَ أَمْرِ رَبِّي، وَمَا أَوْيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) « قَالَ الْأَعْمَشُ: هَكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا. وَمَا أَوْتُوا.

[أطرافه في : ٤٧٢١، ٧٢٩٧، ٧٤٥٦]

[٧٤٦٢]

तशरीह : चूँकि तौरात में भी रूह के बारे में यही बयान किया गया है कि वो अल्लाह की तरफ से एक चीज़ है, इसलिये यहूदी मा'लूम करना चाहते थे कि उनकी ता'लीम भी तौरात के मुताबिक है या नहीं? या रूह के सिलसिले में ये भी मुलाहिदे व फलसफ़े की तरह दूर अज़ कार बातें कहते हैं। कुछ रिवायात से मा'लूम होता है कि ये सवाल आपसे मक्का शरीफ में भी किया गया था, फिर मदीना के यहूदी ने भी उसे दोहराया। अहले सुन्नत के नज़दीक रूह जिस्मे लतीफ है जो बदन में इसी तरह सरायत किये हुए है, जिस तरह गुलाब की खुशबू उसके फूल में समाई हुई होती है। रूह के बारे में सत्तर अन्नवाल हैं हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (रह) ने किताबुर रूह में उन पर खूब रोशनी डाली है। वाक़िया यही है कि रूह ख़ालिस एक लतीफ़ शै है, इसलिये हम अपनी मौजूदा ज़िंदगी में जो क़प्ताफ़त से भरपूर है किसी तरह रूह की हकीकत से वाक़िफ़ नहीं हो सकते, अकाबिर अहले सुन्नत की यही राय है कि अदब का तकाज़ा यही है कि रूह के बारे में सुकूत इख़ितयार किया जाए, कुछ उलमा की राय है कि मिन अमि रब्बी से मुराद रूह का आलमे अम्र से होना है जो आलमे मल्कूत है, जम्हूर का इतिफ़ाक़ है कि रूह हादिष है जिस तरह दूसरे तमाम अजज़ा हादिष हैं। हज़रत इमाम क़दस सिर्हु का मंशा—ए—बाब ये है कि कोई शख़्स कितना ही बड़ा आलिम, फ़ाज़िल, मुहदिष, मुफ़स्सिर बन जाए मगर फिर भी इंसानी मा'लूमात का सिलसिला महदूद (सीमित) है और कोई शख़्स नहीं कह सकता कि वो जुम्ला उलूम (सारे ज्ञान) पर हावी हो चुका है, इल्ला मन शाअल्लाह !

बाब 49 : इस बारे में कि कोई शख़्स कुछ बातों को इस ख़ौफ़ से छोड़ दे कि कहीं लोग अपनी कम फ़हमी की वजह से उससे ज़्यादा सख़्त (यानी नाजाइज़) बातों में मुब्तला न हो जाएँ

(126) हमसे अब्दुल्लाह बिन मूसाने इस्राईल के वास्ते से नक़ल किया, उन्होंने अबू इस्हाक़ से अस्वद के वास्ते से बयान किया, वो कहते हैं कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने बयान किया कि हज़रत आइशा (रज़ि.) तुमसे बहुत बातें छुपाकर कहती थीं, तो क्या तुमसे क़ाबा के बारे में भी कुछ बयान किया, मैंने कहा (हाँ) मुझसे उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (एक बार) इशाद फ़र्माया था कि ऐ आइशा! अगर तेरी क़ौम (दौरे जाहिलियत के साथ) क़रीब न होती (बल्कि पुरानी हो गई होती) इब्ने जुबैर (रज़ि.) ने कहा यानी ज़मान—ए—कुफ़्र के साथ (क़रीब न होती) तो मैं क़ाबा को तोड़ देता और उसके लिये दो दरवाज़े बना देता एक दरवाज़े से लोग दाख़िल होते और दूसरे दरवाज़े से बाहर

٤٩- بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْإِخْتِيَارِ
مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ لَهُمْ بَعْضُ النَّاسِ عَنْهُ
فَيَقْعُوا فِي أَشَدِّ مِنْهُ

١٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ
بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ الْأَسْوَدِ
قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ الزُّبَيْرِ: كَانَتْ عَائِشَةُ
تُسِرُّ إِلَيْكَ كَثِيرًا، فَمَا حَدَّثْتِكَ فِي
الْكَتَبَةِ؟ قُلْتُ: قَالَتْ لِي: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
(يَا عَائِشَةُ لَوْ لَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُ
عَهْدِهِمْ - قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: بِكَفْرِ -
لَنَقَضْتُ الْكَتَبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ: بَابٌ
يَدْخُلُ النَّاسُ، وَبَابٌ يَخْرُجُونَ) مِنْهُ

निकलते, (बाद में) इब्ने जुबैर ने यह काम किया।

فَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ.

(दीगर मक़ाम : 1583, 1584, 1585, 1586, 3368, 4484,
7243)

أَطْرَافَهُ فِي : ١٥٨٥ ، ١٥٨٤ ، ١٥٨٣

١٧٢٤٣ ، ٤٤٨٤ ، ٣٣٦٨ ، ١٥٨٦

तशरीह : कुरैश चूँकि क़रीबी ज़माने में मुसलमान हुए थे, इसीलिये रसूले करीम (ﷺ) ने एहतियातन का'बा की नई ता'मीर को मुलतवी रखा, हज़रत इब्ने जुबैर (रज़ि) ने ये हदीष सुनकर का'बा की दोबारा ता'मीर की और उसमें दो दरवाज़े एक शर्की और एक गर्बी जानिब निकाल दिये, लेकिन हज़ाज ने फिर का'बा को तोड़कर उसी शक़ल पर क़ायम कर दिया। जिस पर अहदे जाहिलियत से चला आ रहा था। इस बाब के तहत हदीष लाने का हज़रत इमाम का मंशा ये है कि एक बड़ी मस्लिहत की खातिर का'बा का तोड़ना रसूले करीम (ﷺ) ने मुलतवी फ़र्मा दिया। इससे मा'लूम हुआ कि अगर फ़िल्ना व फ़साद फैल जाने का या इस्लाम और मुसलमानों को नुक़सान पहुँच जाने का अंदेशा हो तो वहाँ मस्लिहतन किसी मुस्तहब काम को तर्क भी किया जा सकता है। सुन्नते नबवी का मामला अलग है, जब लोग उसे भूल जाएँ तो यक़ीनन इस सुन्नत के ज़िंदा करने वालों को सौ शहीदों का प्रवाब मिलता है। जिस तरह हिन्दुस्तानी मुसलमान एक मुद्दत से जहरी नमाज़ों में आमीन बिल जहर जैसी सुन्नते नबवी को भूले हुए थे कि अकाबिरे अहले हदीष ने नये सिरे से इस सुन्नते नबवी को ज़िन्दा किया और कितने लोगों ने इस सुन्नत को रिवाज देने में बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त की, बहुत से नादानों ने इस सुन्नते नबवी का मज़ाक़ उड़ाया और इस पर अमल करने वालों के जानी दुश्मन हो गये, मगर उन बंदगाने मुखलिस्तीन ने ऐसे नादानों की बातों को नज़रअंदाज़ करके सुन्नते नबवी (ﷺ) को ज़िन्दा किया, जिसके अषर में आज अक़रर लोग इस सुन्नत से वाकिफ़ हो चुके हैं और अब हर जगह उस पर अमल दरआमद किया जा सकता है। पस ऐसी सुन्नतों का मस्लिहतन तर्क करना मुनासिब नहीं है। हदीष में आया है, 'मन तमस्सक बिमुन्नती इन्द फ़सादि उम्मती फ़लहू अज्क मिअति शहीदिन' जो कोई फ़साद के वक़्त मेरी सुन्नत को लाज़िम पकड़ेगा उसको सौ शहीदों का प्रवाब मिलेगा।

बाब 50 : इस बारे में कि इल्म की बातें कुछ लोगों को बताना और कुछ लोगों को न बताना इस ख़याल से की उनको समझ में न आएँगी (यह ऐन मुनासिब है क्योंकि) हज़रत अली (रज़ि.) का इशार्द है कि लोगों से वो बातें करो जिन्हें वो पहचानते हों। क्या तुम्हें यह पसंद है कि लोग अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) को झूठला दें?

तशरीह : मंशा ये है कि हर शख़्स से इसके फ़हम के मुताबिक़ बात करनी चाहिए, अगर लोगों से ऐसी बात की जाए जो उनकी समझ से बालातर हो तो ज़ाहिर है कि वो उसको तस्लीम नहीं करेंगे, इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) की साफ़ सरीह हदीषें बयान करो, जो उनकी समझ के मुताबिक़ हों। तफ़्सीलात को अहले इल्म के लिये छोड़ दो।

(127) हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने मअरूफ़ के वास्ते से बयान किया, उन्होंने तुफ़ैल से नक़ल किया, उन्होंने हज़रत अली (रज़ि.) से मज़मूने हदीष 'हदषू अलन्नासि बिमा यअरिफ़ून' अल्अख़ बयान किया, तर्जुमा गुज़र चुका है

(128) हमसे इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे मुआज़ बिन हिशाम ने बयान किया, उसने कहा कि मेरे बाप ने क़तादा के वास्ते से नक़ल किया, वो अनस बिन मालिक से

٥٠- بَابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا

دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةً أَنْ لَا يَفْهَمُوا

وَقَالَ عَلِيٌّ: حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَفْرَوْنَ،

أَتَجِبُونَ أَنْ يَكْذَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟

١٢٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ

مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ بِذَلِكَ.

١٢٨- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ رَمِيحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي

रिवायत करते हैं कि (एक बार) हज़रत मुआज़ बिन जबल रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे सवारी पर सवार थे, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ मुआज़! मैं ने कहा, हाज़िर हूँ या रसूलुल्लाह! आप (ﷺ) ने (दोबारा) फ़र्माया, ऐ मुआज़! मैंने कहा, हाज़िर हूँ ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! आप (ﷺ) ने (तीन) बार फ़र्माया, ऐ मुआज़! मैंने कहा, हाज़िर हूँ, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ), तीन बार ऐसा हुआ। (उसके बाद) आप (ﷺ) ने फ़र्माया जो शख्स सच्चे दिल से इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं है और मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह तआला उसको (जहन्नम की) आग पर हुराम कर देता है। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह (ﷺ)! क्या इस बात से लोगों को बाख़बर न कर दूँ ताकि वो ख़ुश हो जाएँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया (अगर तुम ये ख़बर सुनाओगे) तो लोग इस पर भरोसा कर बैठेंगे (और अमल करना छोड़ देंगे) हज़रत मुआज़ (रज़ि.) ने इंतिक़ाल के वक़्त हदीष इस ख़याल से बयान कर दी कि कहीं हदीषे रसूल (ﷺ) छुपाने के गुनाह पर उनसे आख़िरत में कोई मुवाख़ज़ा (पकड़) न हो। (दीगर मक़ाम : 129)

عَنْ قَادَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - وَمُعَاذَ رَدِيفَهُ عَلَى الرَّحْلِ - قَالَ: ((يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ)) قَالَ: لَتَيْبِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعَدَيْكَ. قَالَ: ((يَا مُعَاذُ)) قَالَ: لَتَيْبِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعَدَيْكَ ((لَلْآثَمِ)) قَالَ: ((مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ)). قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُونَ؟ قَالَ: ((إِذَا يَتَكَلَّمُوا)). وَأُخْبِرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأْتِمًا. [طرفة في : ١٢٩].

(129) हमसे मुसहद ने बयान किया, उनसे मुअतमिर ने बयान किया, उन्होंने अपने बाप से सुना, उन्होंने हज़रत अनस से सुना, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह स. ने एक रोज़ मुआज़ (रज़ि.) से कहा कि जो शख्स अल्लाह से इस कैफ़ियत के साथ मुलाक़ात करे कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न किया हो, वो (यक़ीनन) जन्नत में जाएगा, मुआज़ (रज़ि.) बोले, या रसूलुल्लाह (ﷺ)! क्या मैं इस बात की लोगों को बशारत न सुना दूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया नहीं, मुझे डर है कि लोग इस पर भरोसा कर बैठेंगे। (राजेअ : 128)

١٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاذٍ: ((مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ)) قَالَ: ((أَلَا أَبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: ((لَا: أَخَافُ أَنْ يَتَكَلَّمُوا)). [راجع: ١٢٨]

तशरीह :

और अपनी ग़लतफ़हमी से नेक आमाल में सुस्ती करेंगे। नजाते उख़वी के अस्लल (सब नियमों की जड़) उसूल अक़ीद-ए-तौहीद व रिंसालत का बयान करना आँहज़रत (ﷺ) का मक़सद था, जिनके साथ लाज़िमन आमाले स़ालेह का रब्त है। जिनसे इस अक़ीदे का दुरुस्तगी का षुबूत मिलता है। इसीलिये कुछ रिवायत में कलिम-ए-तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह को जन्नत की कुँजी के लिये दंदानों का होना भी ज़रूरी करार दिया गया है। इसी तरह आमाले स़ालेह इस कुँजी के दंदाने हैं। बग़ैर दंदाने वाली कुँजी से ताला खोलना मह़ाल है ऐसे ही बग़ैर आमाले स़ालेह के दा'वा-ए-ईमान व दुख़ूले जन्नत नामुम्किन, इसके बाद अल्लाह हर लज़िश को मुआफ़ करने वाला है।

बाब 51 : इस बयान में कि हुसूले इल्म में शर्माना मुनासिब नहीं है

٥١ - بَابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ

मुजाहिद कहते हैं कि मुतकब्बिर और शर्मानेवाला आदमी इल्म हासिल नहीं कर सकता। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) का इर्शाद है कि अंसार की औरतें हैं कि शर्म उन्हें दीन में समझ पैदा करने से नहीं रोकती।

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْمِرٌ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْمُ النِّسَاءُ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ، لَمْ يَمْنَعْنَهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ.

मुतकब्बिर अपने तकब्बुर की हिमाक़त में मुब्तला है जो किसी से तहज़ीले इल्म (इल्म हासिल करने को) अपनी शान के खिलाफ़ समझता है और शर्म करने वाला अपनी कम अक्ली से ऐसी जगह हयादार बन रहा है, जहाँ हया व शर्म को कोई मुकाम नहीं।

(130) हमसे मुहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू मुआविया ने ख़बर दी, उनसे हिशाम ने अपने बाप के वास्ते से बयान किया, उन्होंने ज़ैनब बिनते उम्मे सलमा के वास्ते से नक़ल किया, वो (अपनी वालिदा) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से रिवायत करती हैं कि उम्मे सुलेम (नामी एक औरत) रसूले करीम (ﷺ) के पास हाज़िर हुईं और कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह तआला हक़ बात बयान करने से नहीं शर्माता (इसलिये मैं पूछती हूँ कि) क्या एहतिलाम से औरत पर भी गुस्ल ज़रूरी है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि (हाँ) जब औरत पानी देख ले। (यानी कपड़े वग़ैरह पर मनी का अन्नर मा' लूम हो) तो (यह सुनकर) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने (शर्म की वजह से) अपना चेहरा छुपा लिया और कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या औरत को भी एहतिलाम होता है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! तेरे हाथ ख़ाक आलूद हों, फिर क्यूँ उसका बच्चा उसकी सूरत में मुशाबेह होता है। (यानी यही उसके एहतिलाम का शुबूत है)

١٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أُمِّ سَلْمَةَ عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سَلِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا اخْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ)). فَفَطَّتْ أُمُّ سَلْمَةَ - تَعْنِي وَجْهَهَا - وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، تَوَبَّتْ يَمِينُكَ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَذَهَا؟)).

[أطرافه في : ٢٨٢، ٣٢٢٨، ٦٠٩١]

[٦١٢١]

(दीगर मक़ाम : 282, 3228, 6091, 6121)

तशरीह : अंसार की औरतें इन मख़सूस मसाइल के दरयाफ़्त करने में किसी किस्म की शर्म से काम नहीं लेती थीं, जिनका तअल्लुक सिर्फ़ औ रतों से है। ये वाक़िया है कि अगर वो रसूलल्लाह (ﷺ) से ऐन मसाइल को वज़ाहत के साथ पूछा न करतीं तो आज मुसलमान औरतों को अपनी ज़िंदगी के इस गोशे के लिये रहनुमाई कहाँ से मिलती, इसी तरह मज़क़ूरा हदीष में हज़रत उम्मे सुलेम ने निहायत ख़ुबसूरती के साथ पहले अल्लाह तआला की सिफ़त ख़ास बयान की कि वो हक़ बात के बयान में नहीं शर्माता, फिर वो मसला दरयाफ़्त किया जो बज़ाहिर शर्म से तअल्लुक रखता है, मगर मसला होने की हैषियत में अपनी जगह दरयाफ़्त तलब था, पस पूरी उम्मत पर सबसे पहले रसूलल्लाह (ﷺ) का बड़ा एहसान है कि आप (ﷺ) ने ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी वो बातें खोलकर बयान कर दीं जिन्हें आम तौर पर लोग बेजा शर्म के सहारे बयान नहीं करते और दूसरी तरफ़ सहाबिया औरतों की भी ये उम्मत बेहद

मम्नून है कि उन्होंने आपसे सब मसाइल दरयाफ्त कर डाले, जिनकी हर औरत को ज़रूरत पेश आती है।

हज़रत ज़ैनब बन्ते अब्दुल्लाह बिन अल असद मख़जूमी अपने ज़माने की बड़ी फ़ाज़िला आलिमा ख़ातून थीं, उनकी वालिदा माजिदा उम्मे सलमा (रज़ि) अपने शौहर अब्दुल्लाह की ग़ज़्व-ए-उहूद में वफ़ात के बाद इदत गुज़ारने पर आँहज़रत (ﷺ) की ज़ोजियत से मुशरफ़ हुईं तो उनकी तर्बियत आप (ﷺ) ही के पास हुई। हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि) इस्लाम में पहली ख़ातून हैं जिन्होंने मदीना तय्यिबा को हिज़रत की, उनके शौहर अबू सलमा बद्र में भी शरीक थे, उहूद में ये मजरूह (घायल) हुए और बाद में वफ़ात पाई, जिनके जनाजे पर आँहज़रत (ﷺ) ने नौ तकबीरों से नमाज़े जनाज़ा अदा फ़र्माई थी, उस वक़्त उम्मे सलमा हामिला थीं। वज़अे हमल के बाद आँहज़रत (ﷺ) के हरम में उनको शर्फ़ हासिल हुआ। हज़रत उम्मे सुलैम हज़रत अनस की वालिदा मुहतरमा हैं और हज़रत अबू तलहा अंसारी की ज़ोज-ए-मुतहहरा हैं, इस्लाम में उनका भी बड़ा ऊँचा मुक़ाम है रज़ियल्लाहु अन्हुम अज्मईन।

(131) हमसे इस्माइल ने बयान किया, उनसे मालिक ने अब्दुल्लाह बिन दीनार के वास्ते से बयान किया, वो अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलल्लाह स. ने (एक बार) फ़र्माया कि पेड़ों में से एक पेड़ (ऐसा) है। जिसके पत्ते (कभी) नहीं झड़ते और उसकी मिशाल मुसलमान जैसी है। मुझे बतलाओ वो क्या (दरख़त) है? तो लोग जंगली दरख़तों (की सोच) में पड़ गए और मेरे दिल में आया (कि मैं बतलाऊँ) कि वो खज़ूर (का पेड़) है, अब्दुल्लाह कहते हैं कि फिर मुझे शर्म आ गई (और मैं चुप ही रहा) तब लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह! आप ही (खुद) उसके बारे में बतलाइए, आप स. ने फ़र्माया, वो खज़ूर है। अब्दुल्लाह कहते हैं मेरे जी में जो बात थी वो मैंने अपने वालिद (हज़रत उमर रज़ि.) को बतलाई, वो कहने लगे कि अगर तू (उस वक़्त) कह देता तो मेरे लिये ऐसे-ऐसे क़ीमती सरमाया से ज़्यादा महबूब होता। (राजेअ: 31)

۱۳۱- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ مَثَلُ الْمُسْلِمِ، حَدَّثُونِي مَا هِيَ؟)) فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَادِيَةِ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَاسْتَحْيَيْتُ. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((هِيَ النَّخْلَةُ)). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَحَدَّثْتُ أَبِي بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسِي. فَقَالَ: لَأَنْ تَكُونَ فَلَنْهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا. [راجع: ۳۱]

तशरीह: इससे पहले भी दूसरे बाब के तहत ये हदीष आ चुकी है। यहाँ इसलिये बयान की है कि उसमें शर्म का ज़िक्र है। अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि) अगर शर्म न करते तो जवाब देने की फ़ज़ीलत उन्हें हासिल हो जाती, जिसकी तरफ़ हज़रत उमर (रज़ि) ने इशारा फ़र्माया कि अगर तुम बतला देते तो मेरे लिये बहुत बड़ी खुशी होती। इस हदीष से भी मा'लूम हुआ कि ऐसे मौक़े पर शर्म से काम न लेना चाहिए। इससे औलाद की नेकियों और इल्मी सलाहियतों पर वालदेन का खुश होना भी प्राबित हुआ जो एक फ़ित्ती अम्र है।

बाब 52 : इस बयान में कि मसाइले शरइय्या मा'लूम करने में जो शख़्स (किसी मा'कूल वजह से) शर्माए वो किसी दूसरे आदमी के ज़रिए से मसला मा'लूम कर ले

۵۲- بَابُ مَنْ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ

بِالسُّؤَالِ

(132) हमसे मुसहद ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह इब्ने ۱۳۲- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

दाऊद ने अअमश के वास्ते से बयान किया, उन्होंने मुंज़िर प्रौरी से नक़ल किया, उन्होंने मुहम्मद इब्ने अल हनफ़िय्या से नक़ल किया, वो हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि मैं ऐसा शख्स था जिसे ज़ियाने मज़ी की शिकायत थी, तो मैंने (अपने शागिर्द) मिक्दाद को हुक्म दिया कि वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछे तो उन्होंने आप (ﷺ) से इस बारे में पूछा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कि इस (मर्ज़) में गुस्ल नहीं है (हाँ) वुजू फ़र्ज़ है।

(दीगर मक़ाम : 178, 269)

तशरीह : हज़रत अली (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अपने रिश्त-ए-दामादी की वजह से इस मसले के बारे में शर्म महसूस की मगर मसला मा'लूम करना ज़रूरी था तो दूसरे सहाबी के ज़रिये दरयाफ़्त कराया। इसी से बाब का तर्जुमा प्रभावित होता है।

बाब 53 : मस्जिद में इल्मी मुज़ाकरा करना और फ़त्वा देना जाइज़ है

(133) हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमको लैप्र बिन सअद ने ख़बर दी, उनसे नाफ़ेअ मौला अब्दुल्लाह बिन उमर बिन अल ख़त्ताब ने, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत किया कि (एक बार) एक आदमी ने मस्जिद में खड़े होकर पूछा, या रसूलुल्लाह (ﷺ)! आप हमें किस जगह से एहराम बाँधने का हुक्म देते हैं? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, मदीना वाले जुलहुल्लैफ़ा से एहराम बाँधें और अहले शाम जुहफ़ा से और नजद वाले क़र्ने मनाज़िल से। इब्ने उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, कि लोगों का ख़याल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि यमन वाले यलमलम से एहराम बाँधें। और इब्ने उमर (रज़ि.) कहते थे कि मुझे यह (आख़री जुम्ला) रसूलुल्लाह (ﷺ) से याद नहीं।

(दीगर मक़ाम : 1522, 1525, 1527, 1527, 7334)

तशरीह : मस्जिद में सवाल किया गया और मस्जिद में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जवाब दिया। उससे प्रभावित हुआ कि मसाजिद को दारुल हदीष के लिये इस्ते'माल किया जा सकता है।

बाब 54 : साइल को उसके सवाल से ज़्यादा जवाब

اللّٰهُ بِنُ دَاوُدَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ مُنْذِرِ
الْقُورِيِّ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنِ عَلِيٍّ
قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَدَاءً، فَأَمَرْتُ الْمُقَدَّادَ أَنْ
يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: ((لِيهِ
الْوُضُوءُ)).

[طرفاه في : 178, 269]

**53- بَابُ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفَتْيَا فِي
الْمَسْجِدِ**

133- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
اللَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ مَوْلَى
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ
نُهَيْلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يُهَيْلُ أَهْلُ
الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحَلِيفَةِ، وَيُهَيْلُ أَهْلُ الشَّامِ
مِنَ الْجَحْفَةِ، وَيُهَيْلُ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ)).
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ: ((وَيُهَيْلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ
يَلْمَلَمَ)). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ أَلْقَ
هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

[أطرافه في : 1522, 1525, 1527, 1527, 7334]

[1522, 1525, 1527, 1527, 7334]

54- بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرِ

देना (ताकि उसे तपसीली मा'लूमात हो जाएँ)

(134) हमसे आदम ने बयान किया, कहा उनको इब्ने अबी जिब ने नाफ़ेअ के वास्ते से ख़बर दी, वो अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, वो रसूलल्लाह (ﷺ) से और (दूसरी सनद में) जुहरी सालिम से, कहा वो इब्ने उमर (रज़ि.) से, वो नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने आप (ﷺ) से पूछा कि एहराम बाँधने वाले को क्या कहना चाहिए? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कि न क़मीस पहने, न झाफ़ा बाँधे और न पाजामा और न कोई सरपोश ओढ़े और न कोई 'जा' फ़रान और वर्स से रंगा हुआ कोई कपड़ा पहने और अगर जूते न मिलें तो मोज़े पहन ले और उन्हें (इस तरह) काट दे कि टख़नों से नीचे हों जाएँ।

(दीगर मक़ाम : 266, 1542, 1838, 1842, 5794, 5803, 5805, 6585, 7485, 2085)

مِمَّا سَأَلَهُ

۱۳۴- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ : مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ : (لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيْلَ وَلَا الْبُرْتُسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرَسُ أَوْ الزُّعْفَرَانُ ، لِإِنَّ لَمْ يَجِدِ الْعُلَيْنَ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ ، وَلْيَقَطْعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ) .

أطرافه في : ۳۶۶ ، ۱۰۴۲ ، ۱۸۳۸

۱۸۴۲ ، ۵۷۹۴ ، ۵۸۰۳ ، ۵۸۰۵

۲۰۸۵ ، ۷۳۸۵ ، ۲۰۸۵ .

تشریح :

वर्स एक खुशबूदार घास होती है। हज्ज का एहराम बाँधने के बाद उसका इस्तेमाल जाइज़ नहीं। साइल ने सवाल तो मुख्तस़र सा किया था, मगर रसूलल्लाह (ﷺ) ने तपसील के साथ उसको जवाब दिया, ताकि जवाब नामुकम्मल न रह जाए। इससे मा'लूम हुआ कि उस्ताद को मसाइल की तपसील में फ़य्याज़ी से काम लेना चाहिए ताकि तलबा के लिये कोई गोशा पूरा हुए बिना न रह जाए।

अल्हम्दुलिल्लाह कि आज अशर-ए-अव्वल रबीउष्षानी 1387 हिज्री में किताबुल इल्म व हवाशी से फ़रागत हासिल हुई, इस सिलसिले में बवजहे कम इल्मी के खादिम से जो लज़िश हो गई हो अल्लाह तआला उसे मुआफ़ करे। रब्बना ला इल्म लना इल्ला मा अल्लम्तना इन्नक अन्तल अलीमुल हकीम. रब्बिशहली मदरी व यस्सिर ली अम्री आमीन या अरहमुराहिमीन!!

4. किताबुल वुजू

किताब वुजू के बयान में

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

वुजू : वुजू के लग्बी मा'नी सफ़ाई सुथराई और रोशनी के हैं। शरई इस्तिलाह में वुजू मुकर्ररा तरीके के साथ सफ़ाई करना है जिसकी बरकत से क़यामत के दिन अज़ा-ए-वुजू को नूर हासिल होगा। हज़रत इमाम बुखारी क़हस सिर्रहु ने किताबुल वुजू को आयते कुर्आनी से शुरू फ़र्माकर इशारा फ़र्माया कि आइन्दा तमाम तफ़्सीलात को इस आयत की तफ़्सीर समझना चाहिये। आयते शरीफ़ा में सिलसिलेवार वुजू, चेहरा धोना और कुहनियों तक दोनों हाथों को धोना, सर का मसह करना और टखनों तक पैरों का धोना उ़सूले-वुजू के तौर पर बयान किये गये हैं। पूरे सर का मसह एक बार करना यही मसलक राजेह है। जिसकी सू़रत आइन्दा बयान होगी।

लफ़्ज़े वुजू की तहक़ीक़ में अल्लामा कस्तलानी (रह) फ़र्माते हैं, 'व हुव बिज्जम्मि अल्फ़िअलु व बिल्फ़तहि अल्माउल्लज़ी यतवज़्जउ बिही व हुकिय फ़ी कुल्लिल फ़तहि वज़्जम्मि व हुव मुशतक्कुन मिनल वज़्जाअति व हुवल हसनु वत्रिजाफ़तु लिअन्नल मुसल्ली यतनज़्जफ़ु बिही फ़यसीरु वज़्जन' यानी वुजू का लफ़्ज़ वाव के पेश के साथ वुजू करने के मा'नी में है और वाव के ज़बर के साथ लफ़्ज़े वुजू उस पानी पर बोला जाता है जिससे वुजू किया जाता है। ये लफ़्ज़ वज़्जाअत से मुशतक़ है जिसके मा'नी हुस्न और नज़ाक़त के हैं। नमाज़ी इससे नज़ाक़त भी हासिल करता है। पस वो एक तरह से साहिबे हुस्न हो जाता है। इबादत के लिए वुजू का अमल भी उन खुसूसियाते-इस्लाम से है जिसकी नज़ीर मज़ाहिबे आलम में नहीं मिलेगी। वलित्तफ़्सीलि मुक़ामु आख़र

बाब 1 : इस आयत के बयान में कि

١- بَابُ مَا جَاءَ فِي

अल्लाह तआला फ़र्माता है (ऐ इमानवालों! जब तुम नमाज़ के लिए खड़े हो जाओ तो (पहले वुजू करते हुए) अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों तक धो लो। और अपने सरों का मसह करो। और अपने पांव टखनों तक धोओ।

इमाम बुखारी (रह.) कहते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़र्मा दिया कि वुजू में (अज़ा का धोना) एक एक बार फ़र्ज़ है और आप (ﷺ) ने (अज़ा) दो-दो बार (धोकर भी) वुजू किया है और तीन-तीन बार भी। हाँ, तीन बार से ज़्यादा नहीं किया। और इलमाने वुजू

قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦٦].

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَبَيَّنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ فَرَضَ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، وَتَوَضُّأً أَيْضًا مَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثًا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ.

में इसराफ़ (पानी हद से ज़्यादा इस्ते'माल करने) को मकरूह कहा है कि लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़ेअल से आगे बढ़ जाएँ।

وَكْرَهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ، وَأَنْ يُجَاوِزُوا لِعَمَلِ النَّبِيِّ ﷺ.

खास तौर पर हाथ पैरों का तीन-तीन बार से ज़ाइद धोना आँहजरत (ﷺ) से प्राबित नहीं है। अबू दाऊद की रिवायत में है कि आँहजरत (ﷺ) ने वुजू में सब अअज़ा (अंग) तीन-तीन बार धोये फिर फ़र्माया कि जिसने उस पर ज़्यादा या कम किया उसने बुरा किया और जुल्म किया।

इन्ने खुज़ैमा की रिवायत में सिर्फ़ यूँ है कि जिसने ज़्यादा किया, यही सहीह है और पिछली रिवायत में कम करने का लफ़्ज़ ग़ैर सहीह है क्योंकि तीन बार से कम धोना बिल इज्माअ (आम राय से) बुरा नहीं है।

बाब 2 : इस बारे में कि नमाज़ बग़ैर पाकी के कुबूल ही नहीं होती - ۲ بَابُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ

ये तर्जुम-ए-बाब खुद एक हदीष में वारिद है। जिसे तिर्मिज़ी बग़ैरह ने इब्ने उमर (रज़ि) से रिवायत किया है कि नमाज़ें बग़ैर तहारत के कुबूल नहीं होती और चोरी के माल से सद्का कुबूल नहीं होता। इमाम बुखारी (रह) इस रिवायत को नहीं लाए कि वो उनकी शर्त के मुवाफ़िक़ न थी।

(135) हमसे इस्हाक़ बिन इब्राहीम अल हंज़ली ने बयान किया। उन्हें अब्दुरज़ाक़ ने ख़बर दी, उन्हें मअमर ने हम्माम बिन मुनब्बह के वास्ते से बतलाया कि उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना, वो कह रहे थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख़्स हदष करे उसकी नमाज़ कुबूल नहीं होती जब तक कि वो (दोबारा) वुजू न कर ले। हज़रत मौत के एक शख़्स ने पूछा कि हदष होना क्या है? आपने फ़र्माया कि (पाख़ाने के जगह से निकलने वाली) आवाज़ वाली या बिना आवाज़ वाली हवा।

۱۳۵- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مَنْ أَخَذَتْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَةِ مَوْتٍ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضَرَاطٌ.

[الحديث ۱۳۵ طرفاه فی ۶۹۵۴.]

फ़साअ उस हवा को कहते हैं जो हल्की आवाज़ से आदमी के मक़अद से निकलती है और ज़िरात वो हवा जिसमें आवाज़ हो।

बाब 3 : वुजू की फ़ज़ीलत के बयान में (और उन लोगों की फ़ज़ीलत में) जो (क़यामत के दिन) वुजू के निशानात से सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथ-पांव वाले होंगे

(136) हमसे यह्या बिन बुक़ैर ने बयान किया, उनसे लैष ने ख़ालिद के वास्ते से नक़ल किया, वो सईद बिन अबी बिलाल से नक़ल करते हैं, वो नईम अल मुज़्मिर से, वो कहते हैं कि मैं (एक बार) अबू हुरैरह (रज़ि.) के साथ मस्जिद की छत पर चढ़ा तो आपने वुजू किया और कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना था कि आप (ﷺ) फ़र्मा रहे थे कि मेरी उम्मत के लोग वुजू के

۳- بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ، وَالْفَرْغِ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

۱۳۶- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نَعِيمِ الْمُخَمِرِ قَالَ: رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي

निशानात से क्रयामत के दिन सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथ पांव वालों की शकल में बुलाए जाएँगे। तो तुममें से जो कोई अपनी चमक बढ़ाना चाहता है तो वो बढ़ा ले (यानी वुजू अच्छी तरह करे)

जो अज़ा-ए-वुजू में धोए जाते हैं क्रयामत में वो सफ़ेद और रोशन होंगे, उन ही को 'गुरम्मुहज्जलीन' कहा गया है। चमक बढ़ाने का मतलब ये कि हाथों को मुँहों तक और पैरों को घुटनों तक धोये। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) कभी-कभी ऐसा ही किया करते थे।

बाब 4 : इस बारे में कि जब तक पूरा टूटने का यक़ीन न हो महज़ शक की वजह से नया वुजू न करे

(137) हमसे अली ने बयान किया, उनसे सुफ़यान ने, उनसे जुहरी ने सईद बिन अल मुसय्यब के वास्ते से नक़ल किया, वो अब्बाद बिन तमीम से रिवायत करते हैं, वो अपने चचा (अब्दुल्लाह बिन ज़ैद) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने ने रसूले करीम (ﷺ) से शिकायत की कि एक शख्स है जिसे ये खयाल होता है कि नमाज़ में कोई चीज़ (यानी हवा निकलती) मा'लूम होती है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कि (नमाज़ से) न फिरे या न मुड़े, जब तक आवाज़ सुने या बू न पाए।

(दीगर मक़ाम : 177, 2056)

तशरीह : अगर नमाज़ पढ़ते हुए हवा ख़ारिज होने का शक हो तो महज़ शक से वुजू नहीं टूटता। जब तक हवा ख़ारिज होने की आवाज़ या उसकी बदबू मा'लूम न कर ले। बाब का यही मक़सद है। ये हुक्म आम है ख़वाह नमाज़ के अंदर हो या नमाज़ के बाहर। इमाम नववी (रह) ने कहा कि इस हदीष से एक बड़ा क़ायदा कुल्लिया निकलता है कि कोई यक़ीनी काम शक की वजह से ज़ाइल न होगा। मघ़लन हर फ़र्श या हर जगह या हर कपड़ा जो पाक साफ़ और सुथरा हो अब अगर कोई उसकी पाकी में शक करे तो वो शक ग़लत होगा।

बाब 5 : इस बारे में कि हल्का वुजू करना भी दुरुस्त है

इसका मतलब ये कि नमाज़ी पानी अज़ा पर बहा ले, या वुजू में वो अज़ा को सिर्फ़ एक एक बार धो ले या उन पर पानी कम डाले बवज़ते ज़रूरत ये सब सूरतें जाइज़ हैं।

(138) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे सुफ़यान ने अमर के वास्ते से नक़ल किया, उन्हें कुरैब ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से ख़बर दी कि नबी करीम (ﷺ) सोए यहाँ तक कि आप ख़रटि लेने लगे। फिर आपने नमाज़ पढ़ी और कभी (राबी ने यूँ) कहा कि आप (ﷺ) लेट गए, फिर ख़रटि लेने लगे। फिर आप (ﷺ) खड़े हुए उसके बाद नमाज़ पढ़ी। फिर सुफ़यान ने हमसे दूसरी बार यही हदीष बयान की अमर से, उन्होंने कुरैब से,

يُذْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ)).

٤- بَابُ لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

١٣٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَاَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: ((لَا يَنْفَعُ - أَوْ لَا يَنْصَرِفُ - حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ حَا)).

[طرفاه في : ١٧٧، ٢٠٥٦].

٥- بَابُ التَّخْفِيفِ فِي الْوُضُوءِ

١٣٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ صَلَّى - وَرَبَّمَا قَالَ اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى. ثُمَّ

उन्होंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से नक़ल किया कि वो कहते थे कि (एक बार) मैंने अपनी ख़ाला (उम्मुल मोमिनीन) हज़रत मैमूना (रज़ि.) के घर रात गुज़ारी, तो (मैंने देखा कि) रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को उठे। जब थोड़ी रात बाक़ी रह गई। तो आप (ﷺ) ने उठकर एक लटके हुए मशकीज़े से हल्का सा वुजू किया। अम्र उसका हल्कापन और मामूली होना बयान करते थे और आप (ﷺ) खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे, तो मैंने भी उसी तरह वुजू किया। जिस तरह आप (ﷺ) ने किया था। फिर आकर आपके बाएँ तरफ़ खड़ा हो गया। और कभी सुफ़यान ने अन यसारिही की बजाय अन शिमालिही का लफ़ज़ कहा (मत्तलब दोनों का एक ही है) फिर आप (ﷺ) ने मुझे फेर लिया और अपनी दाहिनी तरफ़ कर लिया। फिर नमाज़ पढ़ी जिस क़दर अल्लाह को मंज़ूर था। फिर आप लेट गए और सो गए। यहाँ तक कि ख़राटों की आवाज़ आने लगी, फिर आपकी ख़िदमत में मुअज़्जिन हाज़िर हुआ और उसने आपको नमाज़ की इत्तिला दी। आप (ﷺ) उसके साथ नमाज़ के लिये तशरीफ़ ले गए। फिर आपने नमाज़ पढ़ी और वुजू नहीं किया। (सुफ़यान कहते हैं कि) हमने अम्र से कहा, कुछ लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की आँखें सोती थीं, दिल नहीं सोता था। अम्र ने कहा कि मैंने उबैद बिन उमैर से सुना, वो कहते थे कि अंबिया अलैहिस्सलाम के ख़वाब भी वह्य होते थे। फिर (कुर्आन की ये) आयत पढ़ी। (मैं) ख़वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे जिब्ह कर रहा हूँ (राजेअ : 117)

حَدَّثَنَا بِهِ سَفْيَانُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرٍو
عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَتُّ عِنْدَ
خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ
اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِيُّ
ﷺ قَوَّضًا مِنْ شَنْ مَعْلَقٍ وَضَوْءًا خَفِيفًا
- يُخَفِّفُهُ عَمْرٍو وَيَقَلِّلُهُ - وَقَامَ يُصَلِّي،
فَتَوَضَّاتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأُ، ثُمَّ جِئْتُ
لَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ - وَرَبَّمَا قَالَ سَفْيَانُ:
عَنْ شِمَالِهِ - فَحَوَّلَنِي لَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ.
ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ اضْطَحَّ قَامًا
حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ الْمُنَادِي فَأَذَّنَهُ
بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ
يَتَوَضَّأ. قُلْنَا لِعَمْرٍو: إِنْ نَاسًا يَقُولُونَ إِنْ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَنَامَ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ،
قَالَ عَمْرٍو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عَمْرِئٍ يَقُولُ:
رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَخَيِّ. ثُمَّ قَرَأَ : ﴿إِنِّي أَرَى
فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾

[الصافات: 102]. [راجع: 117]

तशरीह: रसूले करीम (ﷺ) ने रात को जो वुजू फ़र्माया था तो या तो तीन मर्तबा हर अज़्व को नहीं धोया, या धोया तो अच्छी तरह मिला नहीं, बस पानी बहा दिया। जिससे प्राबित हुआ कि इस तरह भी वुजू हो जाता है। ये बात सिर्फ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ख़ास थी कि नींद से आपका वुजू नहीं टूटता था। आपके अलावा किसी भी शख्स को लेट कर यूँ ग़फलत की नींद आ जाए तो उसका वुजू टूट जाता है। तख़फ़ीफ़े वुजू का ये भी मत्तलब है कि पानी कम इस्तेमाल फ़र्माया और अज़ा-ए-वुजू पर ज़्यादा पानी नहीं डाला।

आयत में हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) का क़ौल है जो उन्होंने अपने बेटे से फ़र्माया था। उबैद ने प्राबित किया कि हज़रत इब्राहीम ने अपने ख़वाब को वह्य ही समझा इसीलिए वो अपने लख्ते जिगर की कुर्बानी के लिए मुस्तैद हो गये। मा'लूम हुआ कि पैग़म्बरों का ख़वाब भी वह्ये-इलाही का दर्जा रखता है और ये कि पैग़म्बर सोते हैं मगर उनके दिल जागते रहते हैं। अम्र ने यही पूछा था। जिसे उबैद ने प्राबित फ़र्माया। वुजू में हल्केपन से मुराद ये कि एक-एक दफ़ा धोया और हाथ-पैरों को पानी से ज़्यादा नहीं मला बल्कि सिर्फ़ पानी बहाने पर इत्तिस्ार किया। (फ़त्हुल बारी)

बाब 6 : वुजू पूरा करने के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह

6 - بابُ إِسْبَاغِ الوُضُوءِ

बिन उमर (रज़ि.) का क़ौल है कि वुजू का पूरा करना अअज़ा-ए-वुजू का साफ़ करना है

(139) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने मूसा बिन उक्बा के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कुरैब मौला इब्ने अब्बास से, उन्होंने उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) से सुना, वो कहते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मैदाने अरफ़ात से वापस हुए। जब घाटी में पहुँचे तो आप (ﷺ) उतर गए आप (ﷺ) ने (पहले) पेशाब किया, फिर वुजू किया और ख़ूब अच्छी तरह नहीं किया। तब मैंने कहा, या रसूलुल्लाह (ﷺ)! नमाज़ का वक़्त (आ गया) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नमाज़ तुम्हारे आगे है (यानी मुज़दलिफ़ा चलकर पढ़ेंगे) जब मुज़दलिफ़ा पहुँचे तो आपने ख़ूब अच्छी तरह वुजू किया, फिर जमाअत खड़ी की गई, आप (ﷺ) ने मरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर हर शख़्स ने ऊँट को अपनी जगह बिठाया, फिर इशा की जमाअत खड़ी की गई और आप (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ी और उन दोनों नमाज़ों के बीच कोई नमाज़ नहीं पढ़ी।

(दीगर मक़ाम : 181, 1667, 1669, 1672)

وَقَدْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِسْتَبَاحُ الْوُضُوءِ الْإِنْفَاءُ.

۱۳۹- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ نَزَلَ قِبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسَبِّحِ الْوُضُوءَ. فَقُلْتُ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: ((الصَّلَاةُ أَمَامَكَ)) فَرَكِبَ. فَلَمَّا جَاءَ الْمُرْدَلِقَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَاسْتَبَحَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَقِيَمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ لِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أَقِيَمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا.

[أطرافه في: ۱۸۱، ۱۶۶۷، ۱۶۶۹]

[۱۶۷۲]

पहली मर्तबा आपने वुजू सिर्फ़ पाकीहासिल करने के लिए किया था। दूसरी मर्तबा नमाज़ के लिए किया तो ख़ूब अच्छी तरह किया, हर अअज़ा-ए-वुजू को तीन तीन बार धोया। इस हदीष से ये भी मा'लूम हुआ कि मुज़दलिफ़ा में मरिब व इशा को मिलाकर पढ़ना चाहिये। उस रात में आप (ﷺ) ने आबे ज़मज़म से वुजू किया था। जिससे आबे ज़मज़म से वुजू करना भी प्रामाणिक हुआ। (फ़त्हुल बारी)

बाब 7 : दोनों हाथों से चेहरे का सिर्फ़ एक चुल्लू (पानी) से धोना भी जाइज़ है

۷- بَابُ غَسْلِ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ مِنْ عَرَفَةَ وَاحِدَةً

इस अम्र पर आगाह करना मक़सद है कि दोनों हाथों से इकट्ठे चुल्लू भरना शर्त नहीं है। (फ़त्हुल बारी)

(140) हमसे मुहम्मद बिन अब्दुरहीम ने रिवायत किया, उन्होंने कहा मुझको अबू सलमा अल ख़ुज़ाई मंसूर बिन सलमा ने ख़बर दी, उन्होंने कहा हमको इब्ने बिलाल यानी सुलैमान ने ज़ैद बिन असलम के वास्ते से ख़बर दी, उन्होंने ने अत्ता बिन यसार से सुना, उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से नक़ल किया

۱۴۰- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخَزَاعِيُّ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ بِلَالٍ - يَعْنِي سُلَيْمَانَ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ

कि (एक बार) उन्होंने (यानी इब्ने अब्बास रज़ि. ने) वुजू किया तो अपना चेहरा धोया (इस तरह कि पहले) पानी के एक चुल्लू से कुल्ली की और नाक में पानी डाला। फिर पानी का एक और चुल्लू लिया, फिर उसको इस तरह किया (यानी) दूसरे हाथ को मिलाया। फिर उससे अपना चेहरा धोया। फिर पानी का दूसरा चुल्लू लिया और उससे अपना दाहिना हाथ धोया। फिर पानी का एक और चुल्लू लेकर उससे अपना बायाँ हाथ धोया। उसके बाद अपने सर का मसह किया। फिर पानी का चुल्लू लेकर दाहिने पांव पर डाला और उसे धोया। फिर दूसरे चुल्लू से अपना पांव धोया। यानी बायाँ पांव उसके बाद कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इसी तरह वुजू करते हुए देखा है।

بِنِيسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَعَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ مَضْمُضٍ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى فَعَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَعَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَعَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ لَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَعَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ - يَعْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى - ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ.

व 'फ़्री हाज़ल हदीषि दलीलुल जम्ह बैनल मज़मज़ति वल इस्ति-शाकि बिगुफ़तिन वाहिदतिन' यानी इस हदीष में एक ही चुल्लू से कुल्ली करना और नाक में पानी डालना प्राबित हुआ। (क़स्तलानी रह)

बाब 8 : इस बारे में कि हर हाल में बिस्मिल्लाह पढ़ना यहाँ तक कि जिमाअ के वक़्त भी ज़रूरी है

۸- بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ : وَعِنْدَ الْوِقَاعِ

(141) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने मंसूर के वास्ते से रिवायत किया, उन्होंने सालिम इब्ने अबी अल जअदी से नक़ल किया, वो कुरैब से, वो इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, वो इस हदीष को नबी (ﷺ) तक पहुँचाते थे कि आपने फ़र्माया, जब तुममें से कोई अपनी बीवी से जिमाअ करे तो कहे, अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ। ऐ अल्लाह! हमें शैतान से बचा और शैतान को उस चीज़ से दूर रख जो तू (इस जिमाअ के नतीजे में) हमें अत्ता फ़र्माए। ये दुआ पढ़ने के बाद (जिमाअ करने से) मियाँ-बीवी को जो औलाद मिलेगी उसे शैतान नुक़सान नहीं पहुँचा सकेगा।

۱۴۱- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَنْبَغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: (رَلَوْ أَنْ أَحَدَكُمْ إِذَا آتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، لَقَضِي بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ)).

(दीगर मक़ाम : 3271, 3283, 6165, 6388, 7396)

[أطرافه في : ۳۲۷۱، ۳۲۸۳، ۶۱۶۵]

[۶۳۸۸، ۷۳۹۶]

तशरीह : वुजू के शुरू में बिस्मिल्लाह कहना अहले हदीष के नज़दीक ज़रूरी है। इमाम बुखारी (रह) ने बाब में ज़िक्र की गई हदीष में यही प्राबित फ़र्माया है कि जब जिमाअ के शुरू में बिस्मिल्लाह कहना मशरूअ है तो वुजू में क्यूँकर

मशरूअ न होगा वो तो एक इबादत है। एक रिवायत में हैं 'ला वुजूअ लिमल्लम यज़्कुरिस्मल्लाहि अलैहि' जो बिस्मिल्लाह न पढ़े उसका वुजू नहीं। ये रिवायत हज़रत इमाम बुखारी (रह) की शराइत के मुवाफ़िक़ न थी इसलिए आपने उसे छोड़कर इस हदीष से इस्तिदलाल फ़र्माकर प्राबित किया कि वुजू के शुरू में बिस्मिल्लाह ज़रूरी है। इब्ने जरीर ने जामेउल आप़ार में मुजाहिद से रिवायत किया है कि जब कोई मर्द अपनी बीवी से जिमाअ करे और बिस्मिल्लाह न पढ़े तो शैतान भी उसकी औरत से जिमाअ करता है। आयते कुआनी 'लम यत्मिह्नुना इन्सुन क़ब्लहुम वला जा-न्न' (अर् रहमान : 56) में इसी की नफ़ी है। (क़स्तलानी)

उस्तादुल इलेमा शैख़ुल हदीष हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब मुबारकपुरी 'ला वुजूअ लिमल्लम यज़्कुरिस्मल्लाहु अलैहि' के ज़ेल में फ़र्माते हैं, 'अय ला यसिह्नुल वजूअ व ला यूजदु शरअन इल्ला बित्तस्मिय्यति इज़ा ला मल्ल फ़िन्नफ़िय्यिल हक़ीक़ति वनुक़स्सिह्नुतु अन्नबु इलज़्जाति व अक्फ़रु लुजूमन लिल हक़ीक़ति फ़यस्तल्जिमु अदमुहा अदमज़्जाति व मा लैस बिसहीहिन ला युज़्जा व ला युअतद फ़ल हदीषु नन्सुन अला इफ़्तिराज़ित्तस्मिय्यति इन्द इबितदाइल वुजूइ व इलैहि ज़हब अहमद फ़ी रिवायतिन व हुव क़ौलु अहलिज़्जाहिर व ज़हबतिशशाफ़िइय्यतु वल्हनफ़िय्यतु व मन वाफ़क़हुम इला अन्नत्तस्मियत सुन्नतुन फ़क़त वख़्तार इब्नुल हुमा मिनल हनफ़िय्यति वुजूबुहा.' (मिआत)

इस बयान का खुलासा यही है कि वुजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना फ़र्ज़ है। इमाम अहमद और अस्हाबे ज़वाहिर का यही मज़हब है। हनफ़ी व शाफ़ई वग़ैरह उसे सुन्नत मानते हैं। मगर हनफ़िया में से एक बड़े आलिम इब्ने हम्माम उसके वाजिब होने के काइल हैं। अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने आलाम में बिस्मिल्लाह के वाजिब होने पर पचास से भी ज़्यादा दलाइल पेश किये हैं।

साहिबे अनवारुल बारी का तब्ज़रा : इसमें कोई शक नहीं कि साहिबे अनवारुल बारी ने हर इख़िताफ़ी मुक़ाम पर इमाम बुखारी (रह) की तन्क़ीस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मगर इमाम बुखारी (रह) की जलालते इल्मी ऐसी हक़ीक़त है कि कभी न कभी आपके कट्टर मुखालिफ़ों को भी उसका ए'तिराफ़ करना ही पड़ता है। बहषे मज़क़ूर में साहिबे अनवारुल बारी का तब्ज़रा उसका एक रोशन प्रबूत है। चुनाँचे आप उस्ताद मुहतरम हज़रत मौलाना अनवर शाह साहब (रह) का इर्शाद नक़ल करते हैं कि आपने फ़र्माया।

इमाम बुखारी का मुक़ामे रफ़ीअ : यहाँ ये चीज़ काबिले लिहाज़ है कि इमाम बुखारी (रह) ने अपने बयान किये गये रुज़ान के बावजूद भी तर्जुमतुल बाब में वुजू के लिए तस्मिया का ज़िक़्र नहीं किया ताकि इशारा उन अह्लादीष की तहसीन की तरफ़ न हो जाए जो वुजू के बारे में मरवी हैं। यहाँ तक कि उन्होंने हदीषे तिर्मिज़ी को भी तर्जुमतुल बाब में ज़िक़्र करना मौजूँ नहीं समझा। इससे इमाम बुखारी (रह) की जलालते क़द्र व रिफ़अते मक़ानी मा'लूम होती है कि जिन अह्लादीष को दूसरे मुहदिषीन तहतुल अब्बाब ज़िक़्र करते हैं। उनको इमाम अपने तराजिम और इन्वानाते अब्बाब मे भी ज़िक़्र नहीं करते। फिर यहाँ चूँकि उनके रुज़हान के मुताबिक़ कोई मो'तबर हदीष उनके नज़दीक़ नहीं थी तो उन्होंने उमूमात से तमस्सुक किया और वुजू को उनके नीचे दाख़िल किया और जिमाअ का भी साथ ज़िक़्र किया। ताकि मा'लूम हो कि अल्लाह का इसमे मुअज़्जम ज़िक़्र करना जिमाअ से पहले मशरूअ हुआ तो बदर्ज-ए-औला वुजू से पहले भी मशरूअ होना चाहिये। गोया ये इस्तिदलाल नज़ाइर से हुआ। (अनवारुल बारी जिल्द 4 पेज नं. 161)

मुख़िलसाना मश्विरा : साहिबे अनवारुल बारी ने जगह-जगह हज़रत इमाम क़दस सिरुहु की शान में लबकुशाई करते हुए आपको ग़ैर फ़कीह, ज़ूद रंज वग़ैरह वग़ैरह तंज़ियात से याद किया। क्या अच्छा हो कि हज़रत शाह साहब (रह) के ऊपर लिखे बयान के मुताबिक़ आप हज़रत इमाम क़दस सिरुहु की शान में तन्क़ीस से पहले ज़रा सोच लिया करें कि हज़रत इमाम बुखारी (रह) की जलालते क़द्र और रिफ़अते मक़ानी एक अज़्हर मिनशशम्स हक़ीक़त है। जिससे इंकार करने वाले खुद अपनी ही तन्क़ीस का सामान मुहय्या करते हैं। हमारे मुहतरम नाज़िरीन मे से शायद कोई साहब हमारे बयान को मुबालागा समझें, इसलिए हम एक दो मिश्रालें पेश कर देते हैं। जिनसे अंदाज़ा हो सकेगा कि साहिबे अनवारुल बारी के क़ल्ब मे हज़रत इमामुल मुहदिषीन

कहस सिरुह की तरफ से किस कदर तंगी है।

बुखारी व मुस्लिम में मुब्तदिईन व अस्हाबे अहवाअ की रिवायात : आज तक दुनिय-ए-इस्लाम यही समझती चली आ रही है कि सहीह बुखारी और फिर सहीह मुस्लिम निहायत ही मो'तबर किताबें हैं। खुसूसन कुआन मजीद के बाद असहल कुतुब बुखारी शरीफ है। मगर साहिबे अनवारुल बारी की राय में बुखारी व मुस्लिम में कुछ जगह मुब्तदिईन व अहले अहवाअ जैसे बदतरीन क्रिस्म के लोगों की रिवायात भी मौजूद हैं। चुनाँचे आप फ़र्माते हैं,

हज़रत इमामे आज़म अबू हनीफ़ा (रह) और इमाम मालिक (रह) किसी बिदअती से ख्वाह वो कैसा ही पाकबाज़ व रास्तबाज़ हो हदीष की रिवायत के रवादार नहीं बरखिलाफ़ उसके बुखारी व मुस्लिम में, मुब्तदिईन और कुछ अस्हाबे अहवाअ की रिवायात भी ली गई हैं। अगरचे उनमें प्रिका और सादिकुल लहजा होने की शर्त व रिआयत मल्हूज़ रखी गई है। (अनवारुल बारी जिल्द 4 पेज नं. 53)

मुकामे ग़ौर है कि सीधे-सादे लोग, हज़रत साहिबे अनवारुल बारी के इस बयान के नतीजे में बुखारी व मुस्लिम के बारे में क्या राय कायम करेंगे। हमारा दा'वा है कि आपने महज़ ग़लत बयानी की है, आगे अगर आप बुखारी व मुस्लिम के मुब्तदिईन और अहले अहवाअ की कोई फ़ेहरिस्त पेश करेंगे तो इस बारे में तफ़्सील से लिखा जाएगा और आपके इफ़्तिराअ (लांछन, तोहमत) पर वज़ाहत से रोशनी डाली जाएगी।

हज़रत इमाम बुखारी (रह) और आपकी जामेअ सहीह का मुकाम गिराने की एक और मज़मूम कोशिश : हुब्बुकश़ैयअमर व यमुम्मु किसी चीज़ की हद से ज़्यादा मुहब्बत इंसान को अंधा और बहरा बना देती है। स़द अफ़सोस कि साहिबे अनवारुल बारी ने इस हदीषे नबवी की बिलकुल तस्दीक़ फ़र्मा दी है। बुखारी शरीफ़ का मुकाम गिराने और हज़रत अमीरुल मुहद्विदीन की निव्यत पर हमला करने के लिए आप बड़े ही मुहक्किकाना अंदाज़ से फ़र्माते हैं,

हमने अभी बतलाया कि इमामे आज़म की ज़िक्र की गई किताबुल आषार में सिर्फ़ अह्लादीषे अहकाम की ता'दाद चार हज़ार तक पहुँचती है, इसके मुक़ाबले में जामेअ सहीह बुखारी के तमाम अब्बाब ग़ौर मुकरर मौसूल अह्लादीषे मरविया की ता'दाद 2353 हस्बे तसरीह हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह) है। और मुस्लिम शरीफ़ की कुल अब्बाब की अह्लादीषे मरविया चार हज़ार हैं। अबू दाऊद की 4800 और तिर्मिज़ी शरीफ़ की पाँच हज़ार। इससे मा'लूम हुआ कि अह्लादीषे अहकाम का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा किताबुल आषार इमामे आज़म पर तिर्मिज़ी व अबू दाऊद में है। मुस्लिम में उनसे कम, बुखारी में उन सबसे कम है। जिसकी वजह ये है कि इमाम बुखारी (रह) सिर्फ़ इज्तिहाद के मुवाफ़िक़ अह्लादीषे ज़िक्र करते हैं। (अनवारुल बारी जिल्द 4 पेज नं. 53)

हज़रत इमाम बुखारी (रह) का मुक़ामे रफ़ीअ और उनकी जलालते क़दर व रिफ़अते मकानी का ज़िक्र भी आप साहिबे अनवारुल बारी की क़लम से अभी पढ़ चुके हैं और जामेअ सहीह और खुद हज़रत इमाम बुखारी (रह) के बारे में आपका ये बयान भी नाज़िरीन के सामने है। जिसमें आपने खुले लफ़्ज़ों में बतलाया है कि इमाम बुखारी (रह) ने सिर्फ़ अपने इज्तिहाद को सहीह प्ऱाबित करने के लिए अपनी हस्बे मंशा अह्लादीषे नबवी जमा की हैं। साहिबे अनवारुल बारी का ये हमला इस क़दर संगीन है कि इसकी जिस क़दर भी मज़म्मत (निन्दा) की जाए कम है। ताहम मतानत (गम्भीरता) व संजीदगी से काम लेते हुए हम कोई मुंतकिमाना इंक़िशाफ़ (आक्रामक जवाबी टिप्पणी) नहीं करेंगे। वरना हक्कीक़त यही है कि 'अल इनाउ यतरशशहु बिमा फ़ीहि' बर्तन में जो कुछ होता है वही उससे टपकता है। हज़रत वाला खुद अह्लादीषे नबवी को अपने मफ़रूज़ाते मसलकी के साँचे में ढालने के लिए कमर बाँधे हुए हैं। सो आपको हज़रत इमाम बुखारी (रह) कहस सिरुह भी ऐसे ही नज़र आते हैं। सच है, अल्मरउ यक़ीसु अला नफ़िसही

बाब 9 : इस बारे में कि बैतुल ख़ला जाते वक़्त कौनसी दुआ पढ़नी चाहिये?

۹- بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ

(142) हमसे आदम ने बयान किया, उनसे शुअबा ने अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब के वास्ते से बयान किया, उन्होंने हज़रत अनस (रज़ि.) से सुना, वो कहते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) जब (क़ज़ा—ए—हाजत के लिए) बैतुल ख़ला में दाख़िल होते तो ये (दुआ) पढ़ते। ऐ अल्लाह! मैं नापाक जिन्नों और नापाक जिन्नियों से तेरी पनाह चाहता हूँ। (दीगर मक़ाम : 6322)

۱۴۲- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْغَنِيِّ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْتِ وَالْخَبَائِثِ)). [طرفه في: ۶۳۲۲].

इस हदीष में खुद आँहज़रत (ﷺ) का ये दुआ पढ़ना मज़कूर है और मुस्लिम की एक रिवायत में लफ़्ज़े अमर के साथ है कि जब तुम बैतुल ख़ला में दाख़िल हो तो ये दुआ पढ़ो। बिस्मिल्लाहि अर्रुजू बिल्लाहि मिनल् खुबुषि वल ख्बाइषि इन लफ़्ज़ों में पढ़ना भी जाइज़ है। खुबुष और ख्बाइष से नापाक जिन्न और जिन्नियों मुराद हैं। हज़रत इमाम ने फ़ारिग होने के बाद वाली दुआ की हदीष को इसलिए ज़िक्र नहीं किया कि वो आपकी शर्तों के मुवाफ़िक़ न थी। जिसे इब्ने खुज़ैमा और इब्ने हिब्बान ने हज़रत आइशा (रज़ि) से रिवायत किया है कि आप फ़ारिग होने के बाद गुफ़्रानक पढ़ते और इब्ने माजामे ये दुआ आई है, अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निलअज़ा व आफ़ानी (सब ता'रीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझको आफ़ियत दी और इस गंदगी को मुझसे दूर कर दिया) फ़ारिग होने के बाद आँहज़रत (ﷺ) ये दुआ भी पढ़ा करते थे।

बाब 10 : इस बारे में कि बैतुल ख़ला के पास पानी रखना बेहतर है

۱۰- بَابُ وَضْعِ الْمَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ

(143) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमसे हाशिम इब्ने अल क़ासिम ने, कहा कि उनसे वक्रा बिन शुक्रा ने अब्दुल्लाह बिन अबी यज़ीद से नक़ल किया, वो इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) पाख़ाना के लिये गए। मैंने आपके लिए वुजू का पानी रख दिया। (बाहर निकलकर) आपने पूछा ये किसने रखा? जब आपको बतलाया गया तो आपने (मेरे लिए दुआ की और) फ़र्माया, ऐ अल्लाह! इसको दीन की समझ अत्ता फ़र्मा। (राजेअ : 75)

۱۴۳- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَضَعَتْ لَهُ وَضُوءًا. قَالَ: ((مَنْ وَضَعَ هَذَا؟)) فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ فَقهه في الدين)).

[زاجع: ۷۵]

ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना बिनते हारिष हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि) की ख़ाला के घर का वाक़िया है। आपको ख़बर देने वाली भी हज़रत मैमूना ही थीं। आपकी दुआ की बरकत से हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि) फ़कीहे उम्मत करार पाए।

बाब 11 : इस मसले में कि पैशाब और पाख़ाना के वक्रत क़िब्ले की तरफ़ मुँह नहीं करना चाहिये लेकिन जब किसी इमारत या दीवार वग़ैरह की आड़ हो तो कुछ हर्ज़ नहीं

۱۱- بَابُ لَا تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، إِلَّا عِنْدَ الْبِنَاءِ : جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

(144) हमसे आदम ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्ने ज़िब ने, कहा कि हमसे जुहरी ने अत्ता बिन यज़ीद अल लैषी के वास्ते

۱۴۴- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ ذِي الْأَيْمَنِ بْنِ

से नक़ल किया, वो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से रिवायत करते हैं किरसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुममें से कोई पाख़ाने में जाए तो क़िब्ले की तरफ़ मुँह करे न उसकी तरफ़ पीठ करे (बल्कि) मशिक़ की तरफ़ मुँह कर लो या मरिब की तरफ़।
(दीगर मक़ाम : 394)

يَزِيدُ اللَّيْثِيُّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا أَتَى
أَحَدَكُمْ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا
يُؤَلِّهَا ظَهْرَهُ، شَرَّفُوا أَوْ غَرَّبُوا)).

[طرفه في : 394]

तशरीह :

ये हुक़म मदीना वालों के लिए ख़ास है क्योंकि मदीना मक्का से शिमाल (उत्तर दिशा) की तरफ़ वाक़ेअ है। इसलिए आपने क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त पश्चिम या पूरब की तरफ़ चेहरा करने का हुक़म दिया, ये बैतुल्लाह का अदब है। इमाम बुखारी (रह) ने हदीष के इन्वान से ये प्राबित करना चाहा है कि अगर कोई आड़ सामने हो तो क़िब्ला की तरफ़ चेहरा कर सकता है। आपने जो हदीष इस बाब में ज़िक़र की है वो बाब के तर्जुमा के मुताबिक़ नहीं होती क्योंकि हदीष से मुल्लक़ मुमानअत निकलती है और बाब के तर्जुमा में इमारत को मुस्तज़ना (अलग) किया है। कुछ ने कहा है कि आपने ये हदीष महज़ मुमानअत प्राबित करने के लिए ज़िक़र की है और इमारत का इस्तिज़ना आगे वाली हदीष से निकाला है जो इब्ने उमर से मरवी है। कुछ ने लफ़्ज़े ग़ायत से सिर्फ़ मैदान मुराद लिया है और इस मुमानअत से समझा गया कि इमारत में ऐसा करना दुरुस्त है।

हज़रत अल्लामा शैख़ुल हदीष मौलाना अबैदुल्लाह मुबारकपुरी ने इस बारे में दोनों तरफ़ की दलीलों पर मुफ़स्सल (विस्तारपूर्वक) रोशनी डालते हुए अपना आख़िरी फ़ैसला ये दिया है, 'व इन्दी अल इहतिराज़ु अनिल इस्तिबालि वल इस्तिदबारि फ़िल बुयूति अहवतु वुजूबन ला नुदुबन' यानी मेरे नज़दीक़ भी वजूबन एहतियात का तकाज़ा है कि घरों में भी बैतुल्लाह की तरफ़ पीठ या मुँह करने से परहेज़ किया जाए। (मिआत जिल्द अब्वल पेज नं. 241) अल्लामा मुबारकपुरी (रह) साहिबे तोहफ़तुल अहवज़ी ने भी ऐसा ही लिखा है।

बाब 12: इस बारे में कि कोई शख़्स दो ईंटों पर बैठकर क़ज़ा-ए-हाजत करे (तो क्या हुक़म है?)

(145) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक ने यह्या बिन सईद से ख़बर दी। वो मुहम्मद बिन यह्या बिन हिब्बान से, वो अपने चचा वासेअ बिन हिब्बान से रिवायत करते हैं, वो अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं। वो कहते थे कि लोग कहते थे कि जब क़ज़ा-ए-हाजत के लिए बैठो तो न क़िब्ले की तरफ़ मुँह करो न बैतुल मक्दि़स की तरफ़ (ये सुनकर) अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने कहा कि एक दिन मैं अपने घर की छत पर चढ़ा तो आँहज़रत (ﷺ) को देखा आप बैतुल मक्दि़स की तरफ़ मुँह करके दो ईंटों पर क़ज़ा-ए-हाजत के लिए बैठे हैं। फिर अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने (वासेअ से) कहा कि शायद तुम उन लोगों में से हो जो अपने कूल्हों के बल नमाज़ पढ़ते हैं। तब मैंने कहा, अल्लाह की क़सम! मैं नहीं जानता (कि आपका क्या मतलब है?) इमाम मालिक

۱۲- بَابُ مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبْتَيْنِ

۱۴۵- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ
بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى
حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَتَّ
الْمَقْدِسِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدْ
ارْتَفَيْتَ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ يَتِّ لَنَا، فَرَأَيْتَ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى لَبْتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا يَتَّ
الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ. وَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ
يُصَلُّونَ عَلَى أَوْزَانِهِمْ، فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي

(रह.) ने कहा कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने इससे वो शाख्स मुराद लिया जो नमाज़ में ज़मीन से ऊँचा न रहे, सज्दे में ज़मीन से चिमट जाए।

(दीगर मक़ाम : 148, 149, 3106)

وَاللهُ قَالَ مَالِكٌ: يَغْنَى الْوَلِيُّ يُصَلِّي وَلَا يَرْفَعُ عَنِ الْأَرْضِ، يَسْجُدُ وَهُوَ لَاصِقٌ بِالْأَرْضِ.

[أطرافه ن: ١٤٨، ١٤٩، ٣١٠٢.]

तशरीह : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि) अपनी किसी ज़रूरत से छत पर चढ़े। इतिफ़ाक़िया (अनायास, अचानक) उनकी नज़र आँहज़रत (ﷺ) पर पड़ गई। इब्ने उमर के उस क़ौल का मंशा कि कुछ लोग अपने कूल्हों पर नमाज़ पढ़ते हैं, शायद ये हो कि क़िब्ला की तरफ़ शर्मगाह का रुख़ इस हाल में मना है कि जब आदमी रफ़अे हाज़त वग़ैरह के लिये नंगा हो। वरना लिबास पहनकर फिर ये तकल्लुफ़ करना किसी तरह क़िब्ला की तरफ़ सामना या पुश्त न हो, ये निरा तकल्लुफ़ है। जैसा कि उन्होंने कुछ लोगों को देखा कि वो सज्दा इस तरह करते हैं कि अपना पेट बिलकुल रानों से मिला लेते हैं इसी को युसल्लूना अला औराकिहम से ता'बीर किया गया मगर सहीह तफ़सीर वही है जो मालिक से नक़ल हुई।

साहिबे अनवारुल बारी का अजीब इज्तिहाद : अहनाफ़ में औरतों की नमाज़ मर्दों की नमाज़ से कुछ मुख्तलिफ़ (अलग) क़िस्म की होती है। साहिबे अनवारुल बारी ने लफ़ज़े मज़कूर युसल्लूना अला औराकिहम से औरतों की इस मुर्व्वजा (प्रचलित) नमाज़ पर इज्तिहाद फ़र्माया है। चुनाँचे इशाद है,

युसल्लूना अला औराकिहम से औरतों वाली नशिस्त और सज्दे की हालत बतलाई गई है कि औरतें नमाज़ में कूल्हे और सुरीन पर बैठती हैं और सज्दा भी ख़ूब सिमटकर करती हैं कि पेट रानों के ऊपर के हिस्सों से मिल जाता है ताकि सतर ज़्यादा से ज़्यादा छुप सके लेकिन ऐसा करना मर्दों के लिये ख़िलाफ़े सुन्नत है। उनको सज्दा इस तरह करना चाहिये कि पेट रान वग़ैरह हिस्सों से बिलकुल अलग रहे और सज्दा अच्छी तरह खुलकर किया जाए। रज़ औरतों की नमाज़ में बैठने और सज्दा करने की हालत मर्दों से बिलकुल मुख्तलिफ़ होती है। (अनवारुल बारी जिल्द 4 पेज नं. 187)

साहिबे अनवारुल बारी की इस वज़ाहत से ज़ाहिर है कि मर्दों के लिये ऐसा करना ख़िलाफ़े सुन्नत है और औरतों के लिये ऐन सुन्नत के मुताबिक़ है। शायद आपके इस बयान के मुताबिक़ आँहज़रत (ﷺ) की अज़चाजे मुतहहरात से ऐसी ही नमाज़ प्राबित होगी। काश! आप उन अह्दादीषे नबवी (ﷺ) को भी नक़ल फ़र्मा देते जिनसे औरतों की नमाज़ों में ये तफ़रीक़ (फ़र्क़ या भेद) प्राबित होती है या अज़चाजे मुतहहरात ही का अमल नक़ल फ़र्मा देते। हम दावा से कहते हैं कि औरतों और मर्दों की नमाज़ों में तफ़रीक़े मुजव्वज़ा महज़ साहिबे अनवारुल बारी ही का इज्तिहाद है। हमारे इल्म में अह्दादीषे सहीहा से ये तफ़रीक़ प्राबित नहीं है। मज़ीद तफ़सील अपने मुक़ाम पर आएगी।

बाब 13 : इस बारे में कि औरतों का क़ज़ा-ए-हाज़त के लिए बाहर निकलने का क्या हुक्म है?

١٣- بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْبِرَازِ

(146) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष ने बयान किया, उनसे अक़ील ने इब्ने शिहाब के वास्ते से नक़ल किया, वो इर्वा बिन जुबैर से, वो हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की बीवियाँ रात में मनास्रेअ की तरफ़ क़ज़ा-ए-हाज़त के लिए जाती और मनासेअ एक खुला मैदान है। तो (हज़रत) उमर ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से

١٤٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَرْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ - وَهُوَ صَعِيدٌ أَقْبَحُ - وَكَانَ

कहा करते थे कि अपनी बीवियों को पर्दा कराइये। मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस पर अमल नहीं किया। एक रोज़ रात को इशा के वक़्त हज़रत सौदा बिनते ज़म्आ रसूलुल्लाह (ﷺ) की बीवी जो लम्बे क़द की थीं, (बाहर) गईं। हज़रत उमर (रज़ि.) ने उन्हें आवाज़ दी (और कहा) हमने तुम्हें पहचान लिया और उनकी ख़्वाहिश ये थी कि पर्दे (का हुक्म) नाज़िल हो जाए। चुनाँचे (उसके बाद) अल्लाह ने पर्दा (का हुक्म) नाज़िल फ़र्मा दिया।

(दीगर मक़ाम : 147, 4795, 5237, 6240)

عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: احْجُبْ بِسَاءِكَ. فَلَمْ يَكُنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ. فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَةَ مِثَالِي اللَّيْلِ عِشَاءً، وَكَانَتْ امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَهَذَا مَا عُمَرُ: أَلَا قَدْ عَرَفْتَاكِ يَا سَوْدَةُ. حَرِصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ.

[أطرافه في : 147, 4795, 5237, 6240]

[6240]

(147) हमसे ज़करिया ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू उसामा ने हिशाम बिन इर्वा के वास्ते से बयान किया, वो अपने बाप से, वो आइशा से, वो रसूलुल्लाह स. से नक़ल करती हैं कि आपने (अपनी बीवियों से) कहा कि तुम्हें क़ज़ा-ए-हाज़त के लिए बाहर निकलने की इजाज़त है। हिशाम कहते हैं कि हाज़त से मुराद पाख़ाना के लिए (बाहर) जाना है।

147- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَقَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ)) قَالَ هِشَامُ: يَعْنِي الْبَرَازَ. [راجع: 147]

आयते हिजाब के बाद भी कुछ दफ़ा रात को अंधेरे में औरतों का जंगल में जाना (हदीषों से) प्राबित है (फ़तहूल बारी)

बाब 14 : इस बारे में कि घरों में क़ज़ा-ए-हाज़त करना जाइज़ है

14- بَابُ التَّبَرُّزِ فِي الْبُيُوتِ

हज़रत इमाम बुखारी (रह) की मुराद इस बाब से ये इशारा करना है कि औरतों का हाज़त के लिए मैदान में जाना हमेशा नहीं रहा और बाद में घरों में इतिज़ाम कर लिया गया।

(148) हमसे इब्राहीम बिन अल मुंज़िर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अनस बिन अयाज़ ने अब्दुल्लाह बिन उमर के वास्ते से बयान किया, वो मुहम्मद बिन यह्या बिन हिब्बान से नक़ल करते हैं, वो वासेअ बिन हिब्बान से, वो अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि (एक दिन मैं अपनी बहन और रसूलुल्लाह (ﷺ) की बीवी मुहतरमा) हफ़्सा के मकान की छत पर अपनी किसी ज़रूरत से चढ़ा, तो मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) क़ज़ा-ए-हाज़त करते वक़्त क़िब्ले की तरफ़ पीठ और शाम की तरफ़ मुँह किए हुए नज़र आए। (राजेअ : 145)

148- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَانَ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَرْتَفَعْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِيَقْضِيَ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ. [راجع: 145]

आप उस वक़्त फ़िज़ा (खुले मैदान) में न थे, बल्कि वहाँ पाख़ाना बना हुआ था, उसमें आप बैठे हुए थे (फ़त्हूल बारी)

(149) हमसे यअक़ूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यज़ीद बिन हारून ने बयान किया, उन्होंने कहा, हमें यह्या ने मुहम्मद बिन यह्या बिन हिब्बान से ख़बर दी, उन्हें उनके चाचा वासेअ बिन हिब्बान ने बतलाया, उन्हें अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने ख़बर दी, वो कहते हैं कि एक दिन मैं अपने घर की छत पर चढ़ा, तो मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) दो ईंटों पर (क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त) बैतुल मक़्दिस की तरफ़ मुँह किये हुए नज़र आए।

(राजेअ : 145)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि) ने कभी अपने घर की छत और कभी हज़रत हफ़सा के घर की छत का ज़िक्र किया, इसकी हकीक़त ये है कि घर तो हज़रत हफ़सा (रज़ि) ही का था। मगर हज़रत हफ़सा (रज़ि) के इंतिकाल के बाद वरषे में उन ही के पास आ गया था। इस बाब की अह्दादीष का मंशा ये है कि घरों में पाख़ाना बनाने की इजाज़त है। ये भी मा'लूम हुआ कि मकानों में क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त कअबा शरीफ़ की तरफ़ चेहरा या पीठ की जा सकती है।

बाब 15 : इस बारे में कि पानी से तहारत करना बेहतर है

(150) हमसे अबुल वलीद हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने बयान किया, उनसे शुअबा ने अबू मुआज़ से जिनका नाम अत्ता बिन अबी मैमूना था नक़ल किया, उन्होंने अनस बिन मालिक से सुना, वो कहते थे कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) क़ज़ा-ए-हाजत के लिये निकलते तो मैं और एक लड़का अपने साथ पानी का बर्तन ले आते थे। मतलब ये है कि उस पानी से रसूलुल्लाह (ﷺ) तहारत किया करते थे।

(दीगर मक़ाम : 151, 152, 217, 500)

बाब 16 : इस बारे में कि किसी शख़्स के हमराह

उसकी तहारत के लिए पानी ले जाना जाइज़ है

हज़रत अबू दर्दा ने फ़र्माया कि तुममें जूतों वाले, पाक पानी वाले और तकिया वाले साहब नहीं हैं?

۱۴۹- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ أَنَّ عَمَّهُ وَاسِعَ بْنَ حَبَّانٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَخْبَرَهُ قَالَ: لَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا عَلَى لَبْتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

[راجع : ۱۴۵]

۱۵- بَابُ الْإِسْتِنْبَاءِ بِالْمَاءِ

۱۵۰- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ - وَاسِعَةَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ - قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجِيءُ أَنَا وَغُلَامٌ وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ. يَعْنِي يَسْتَجِمِي بِهِ.

[أطرافه في: ۱۵۱، ۱۵۲، ۲۱۷، ۵۰۰.]

۱۶- بَابُ مَنْ حَمَلَ مَعَهُ الْمَاءَ

لِطَهْوَرِهِ

وَقَالَ أَبُو النَّزْدَاءِ: أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبٌ الْمَلَيْنِ وَالطَّهْوَرِ وَالْوَسَادِ.

ये इशारा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि) की तरफ़ है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) की जूतियाँ, तकिया और वुजू का पानी साथ लिये रहते थे, इसी मुनासबत से आपका ये ख़िताब पड़ गया।

(151) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअबा ने बयान किया, वो अत्ता बिन अबी मैमूना से नकल करते हैं, उन्होंने अनस (रज़ि.) से सुना, वो कहते हैं कि जब नबी करीम (ﷺ) क़ज़ा-ए-हाज़त के लिये निकलते तो मैं और एक लड़का दोनों आप (ﷺ) के पीछे जाते थे और हमारे साथ पानी का एक बर्तन होता था। (राजेअ: 150)

बाब 17: इस बयान में कि इस्तिंजा के लिये पानी के साथ नेज़ा भी ले जाना प्राबित है

(152) हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन जा'फ़र ने, उनसे शुअबा ने अत्ता बिन अबी मैमूना के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अनस बिन मालिक से सुना। वो कहते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पाख़ाने के लिये जाते तो मैं और एक लड़का पानी का बर्तन और एक नेज़ा लेकर चलते थे। पानी से आप त्रहारत करते थे। (दूसरी सनद से) नज़्र और शाज़ान ने इस हदीस की शुअबा से मुताबअत की है। अंज़ा लाठी को कहते हैं जिस पर फ़ल्का लगा हुआ हो।

(राजेअ: 150)

ये डेला तोड़ने के लिए काम में लाई जाती थी और मूज़ी (नुक्सान पहुँचाने वाले) जानवरों को दूर करने के लिये भी।

बाब 18 : इस बारे में कि दाहिने हाथ से त्रहारत करने की मुमानअत है

(153) हमसे मुआज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हिशाम दस्तवाई ने यह्या बिन अबी क़सीर के वास्ते से बयान किया, वो अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा से, वो अपने बाप अबू क़तादा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुममें से कोई पानी पिये तो बर्तन में सांस न लें और जब पाख़ाना में जाए तो अपनी शर्मगाह को दाहिने हाथ से न छुए और न दाहिने हाथ से इस्तिंजा करे।

(दीगर मक़ाम: 154, 5630)

۱۵۱- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ - قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ حَاجِبِيهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنَّا مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ. [راجع: ۱۵۰]

۱۷- بَابُ حَمْلِ الْعَنْزَةِ مَعَ الْمَاءِ فِي الْإِسْتِجَاءِ

۱۵۲- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ وَعَنْزَةٌ، يَسْتَجِي بِالْمَاءِ. تَابِعَهُ النَّضْرُ وَشَادَانَ عَنْ شُعْبَةَ. الْعَنْزَةُ عَصَا عَلَيْهِ رُجٌّ.

[راجع: ۱۵۰]

۱۸- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِسْتِجَاءِ بِالْيَمِينِ

۱۵۳- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ هُوَ الدُّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَفَسَّسْ فِي الْإِنَاءِ، وَإِذَا آتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسْ ذِكْرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ)).

[أطرافه في: ۱۵۴، ۵۶۳۰].

बाब 19 : इस बारे में कि पैशाब के वक़्त अपने अज़्व को अपने दाहिने हाथ से न पकड़े

(154) हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमसे औज़ाई ने यह्या बिन क़प्पीर के वास्ते से बयान किया, वो अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा के वास्ते से बयान करते हैं, वो अपने बाप से रिवायत करते हैं। वो नबी (ﷺ) से कि आपने फ़र्माया जब तुममें से कोई पैशाब करे तो अपना अज़्व अपने दाहिने हाथ से न पकड़े और न दाहिने हाथ से त़हारत करे। न (पानी पीते वक़्त) बर्तन में सांस ले। (राजेअ: 153)

क्योकि ये सारे काम सफ़ाई और अदब के खिलाफ़ हैं।

बाब 20 : इस बारे में कि पत्थरों से इस्तिंजा करना प्राबित है

(155) हमसे अहमद बिन मुहम्मद अल मक्को ने बयान किया, कहा कि हमसे अमर बिन यह्या बिन सईद बिन अमर अल मक्को ने अपने दादा के वास्ते से बयान किया, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से नक़ल करते हैं। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक बार रफ़अे हाज़त के लिए तशरीफ़ ले गए। आपकी आदते मुबारका थी कि आप (चलते वक़्त) इधर-उधर नहीं देखा करते थे तो मैं भी आपके पीछे-पीछे आपके करीब पहुँच गया। (मुझे देखकर) आपने फ़र्माया कि मुझे पत्थर तलाश करके दो ताकि मैं उनसे पाकी हासिल कर लूँ। या इस जैसा (कोई लफ़ज़) फ़र्माया और फ़र्माया कि हड्डी और गोबर न लाना। चुनाँचे मैं अपने दामन में पत्थर (भरकर) आपके पास ले गया और आपके पहलू में रख दिए और आपके पास से हट गया। जब आप (क़ज़ा-ए-हाज़त से) फ़ारिा हुए तो आपने पत्थरों से इस्तिंजा किया। (दीगर मक़ाम: 3860)

तशरीह: हड्डी और गोबर से इस्तिंजा करना जाइज़ नहीं। गोबर और हड्डी जिन्नो की खुराक हैं। जैसा कि इब्ने मसऊद (रज़ि) की रिवायत है कि आपने फ़र्माया गोबर और हड्डी से इस्तिंजा न करो, ये तुम्हारे भाई जिन्नो का तौशा हैं। (रवाहु अबू दाऊद वत् तिरमिज़ी) मा'लूम हुआ कि ढेलों से भी पाकी हासिल हो जाती है। मगर पानी से मज़ीद पाकी हासिल करना अफ़ज़ल है। (देखो हदीष: 152) आपकी आदते मुबारका थी कि पानी से इस्तिंजा करने के बाद अपने हाथों को मिट्टी से ग़ड़-ग़ड़कर धोया करते थे।

बाब 21 : इस बारे में कि गोबर से इस्तिंजा न करें

(156) हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा हमसे जुहैर ने अबू

۱۹- بَابُ لَا يُنْسَبُ ذِكْرُهُ بِمِثْلِهِ
إِذَا بَالَ

۱۵۴- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا
يَأْخُذَنَّ ذِكْرَهُ بِمِثْلِهِ، وَلَا يَسْتَجِ بِمِثْلِهِ،
وَلَا يَتَّقَسُّ فِي الْإِنَاءِ)). (راجع: ۱۵۳)

۲۰- بَابُ الْإِسْتِجَاءِ بِالْحِجَارَةِ

۱۵۵- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
عَمْرُو الْمَكِّيُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ،
فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ:
((ابْنِي أَحْجَارًا أَسْتَفِضُّ بِهَا - أَوْ نَحْوَهُ
- وَلَا تَأْتِنِي بِعِظْمٍ وَلَا رَوْثٍ)). فَاتَيْتُهُ
بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ يَمَانِي فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ
وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى أَتَيْتُهُ بِهِنَّ.
[طرفه ي: ۳۸۶۰]

۲۱- بَابُ لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ

۱۵۶- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ

इस्हाक़ के वास्ते से नक़ल किया, अबू इस्हाक़ कहते हैं कि इस हदीष को अबू उबैदा ने ज़िक्र नहीं किया। लेकिन अब्दुरहमान बिन अल अस्वद ने अपने बाप से ज़िक्र किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से सुना, वो कहते थे कि नबी करीम (ﷺ) रफ़अे हाजत के लिए गए, तो आपने मुझे फ़र्माया कि मैं तीन पत्थर तलाश करके आपके पास लाऊँ। लेकिन मुझे दो पत्थर मिले, तीसरा ढूँढ़ा मगर मिल न सका। तो मैंने खुश्क गोबर उठा लिया। उसको लेकर आपके पास आ गया। आपने पत्थर (तो) ले लिए (मगर) गोबर फेंक दिया और फ़र्माया ये खुद नापाक है। (और ये हदीष) इब्राहीम बिन यूसुफ़ ने अपने बाप से बयान की, उन्होंने अबू इस्हाक़ से सुना, उनसे अब्दुरहमान ने बयान किया।

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : نَسَّ أَبُو عَبيدَةَ ذِكْرَهُ، وَلَكِنْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَنِّ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عِنْدَ اللَّهِ يَقُولُ: أتَى النَّبِيَّ ﷺ الْفَاطِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْقَمِيسَتُ الثَّلَاثُ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَالْقَمِي الرُّوثَةَ وَقَالَ: ((هَذَا رِثَسٌ)). وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عِنْدَ الرَّحْمَنِ.

इसको इसलिए नापाक फ़र्माया कि वो गधे की लीद थी जैसा कि इमाम हाकिम की रिवायत में तशरीह है।

बाब 22 : इस बारे में कि वुजू में हर अज़्व को एक एक बार धोना भी प्राबित है

۲۲- بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

(157) हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उनसे सुफयान ने ज़ैद बिन असलम के वास्ते से बयान किया, वो अत्ता बिन यसार से, वो इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वुजू में हर अज़्व को एक एक बार धोया।

۱۵۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً.

मा'लूम हुआ कि अगर एक एक बार अअज़ाअ को धो लिया जाए तो वुजू हो जाता है। अगरचे वो षवाब नहीं मिलता जो तीन बार धोने से मिलता है।

बाब 23 : इस बारे में कि वुजू में हर अज़्व को दो दो बार धोना भी प्राबित है

۲۳- بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

(158) हमसे हुसैन बिन ईसाने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यूनुस बिन मुहम्मद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे फुलैह बिन सुलैमान ने अब्दुल्लाह बिन अबीबक्र बिन मुहम्मद बिन अमर बिन हज़म के वास्ते से बयान किया, वो अब्बाद बिन तमीम से नक़ल करते हैं, वो अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) के वास्ते से बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने वुजू में अअज़ा को दो-दो बार धोया।

۱۵۸- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ تَعِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ

موتين.

दो-दो बार धोने से भी वुजू हो जाता है। ये भी सुन्नत है मगर तीन-तीन बार धोना ज़्यादा अफ़ज़ल है।

बाब 24 : इस बारे में कि वुजू में हर अज़्व को तीन-तीन बार धोना (सुन्नत है)

٢٤ - بَابُ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

(159) हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह अल उवैसी ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे इब्राहीम बिन सअद ने बयान किया, वो इब्ने शिहाब से नक़ल करते हैं, उन्हें अत्रा बिन यज़ीद ने ख़बर दी, उन्हें हुम्रान हज़रत इब्मान के मौला ने ख़बर दी कि उन्होंने हज़रत इब्मान बिन अफ़फ़ान (रज़ि.) को देखा, उन्होंने (हमरान से) पानी का बर्तन मांगा। (और लेकर पहले) अपनी हथेलियों पर तीन मर्तबा पानी डाला, फिर उन्हें धोया उसके बाद अपना दाहिना हाथ बर्तन में डाला। और (पानी लेकर) कुल्ली की और नाक साफ़ की, फिर तीन बार अपना मुँह धोया और कोहनियों तक तीन बार दोनों हाथ धोए। फिर अपने सर का मसह किया। फिर (पानी लेकर) टखनों तक तीन बार अपने दोनों पांव धोए। फिर कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख्स मेरी तरह ऐसा वुजू करे, फिर दो रकअत पढ़े, जिसमें अपने नफ़स से कोई बात न करे। तो उसके गुज़िशता गुनाह मुआफ़ कर दिये जाते हैं।

(दीगर मक़ाम: 160, 164, 1939, 6433)

١٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَلْفَرَعَ عَلَى كَفِّهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَسَلَّهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ لَمْ يَمْتَمِضْ وَاسْتَنْقَرَهُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).

[أطرافه في: ١٦٠، ١٦٤، ١٩٣٤]

[٦٤٣٣]

(160) और रिवायत की अब्दुल अज़ीज़ ने इब्राहीम से, उन्होंने झालेह बिन कैसान से, उन्होंने इब्ने शिहाब से, लेकिन इब्ना हुम्रान से रिवायत करते हैं कि जब हज़रते इब्मान (रज़ि.) ने वुजू किया तो फ़र्माया। मैं तुमको हदीष सुनात हूँ, अगर कुआन पाक की एक आयत (नाज़िल) न होती तो मैं ये हदीष तुमको न सुनाता। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है कि आप फ़र्माते थे कि जब भी कोई शख्स अच्छी तरह वुजू करता है और (ख़ुलूस के साथ) नमाज़ पढ़ता है तो उसके एक नमाज़ से दूसरी नमाज़ के पढ़ने तक के

١٦٠ - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، وَلَكِنْ غُرُوبَةً يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُمَانَ قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا نَوَى لَا آيَةَ مَا حَدَّثْتُكُمْوه؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وَضُوءَهُ وَيُصَلِّي الصَّلَاةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ

गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। उर्वा कहते हैं वो आयत ये है (जिसका तर्जुमा ये है कि) जो लोग अल्लाह की इस नाज़िल की हुई हिदायत को छुपाते हैं जो उसने लोगों के लिये अपनी किताब में बयान की है। उन पर अल्लाह की लअनत है और (दूसरे) लअनत करनेवालों की लअनत है। (राजेअ: 159)

अअज़ा-ए-वुजू का तीन-तीन बार धोना सुन्नत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का ये ही मा' मूल था। मगर कभी कभी आप एक-एक बार और दो-दो बार भी धो लिया करते थे, ताकि उम्मत के लिये आसानी हो।

बाब 25 : वुजू में नाक साफ़ करना ज़रूरी है, 'इस मसले को इब्मान और अब्दुल्लाह बिन ज़ैद और इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से नक़ल किया है.'

(161) हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा उन्हें यूनस ने जुहरी के वास्ते से ख़बर दी, कहा उन्हें अबू इदरीस ने बताया, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना, वो नबी करीम (ﷺ) से नक़ल करते हैं कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स वुजू करे उसे चाहिये कि नाक साफ़ करे और जो पत्थर से इस्तिंजा करे उसे चाहिये कि त्राक़ अदद (यानी एक या तीन या पाँच ही) से करे।

(दीगर मक़ाम: 162)

मिट्टी के ढेले भी पत्थर ही में शुमार हैं बल्कि उनसे सफ़ाई ज़्यादा होती है।

बाब 26 : त्राक़ अदद (ढेलों) से इस्तिंजा करना चाहिये

(162) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमको मालिक ने अबुज़्ज़िनाद के वास्ते से ख़बर दी, वो अअरज से, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुममें से कोई वुजू करे तो उसे चाहिये कि अपनी नाक में पानी दे फिर (उसे) साफ़ करे, और जो शख़्स पत्थरों से इस्तिंजा करे उसे चाहिये कि बेजोड़े अदद (यानी एक या तीन) से इस्तिंजा करे। और जब तुममें से कोई सोकर उठे, तो वुजू के पानी में हाथ डालने से पहले उसे धो ले क्योंकि तुममें से कोई नहीं

حَتَّى يُصَلِّيَهَا)). قَالَ عُرْوَةُ : الْآيَةُ : ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾
[الْبَقَرَةُ : 109]. [راجع: 109]

٢٥- بَابُ الْإِسْتِجَارِ فِي الْوُضُوءِ
ذِكْرَةُ عَفْمَانَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَابْنِ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

١٦١- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ
قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ الْوُهَيْرِيِّ قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ تَوَضَّأَ
فَلْيَسْتَنْشِرْ، وَمَنْ اسْتَجَمَرَ فَلْيُوتِرْ)).
[طرفه ن: ١٦٢].

٢٦- بَابُ الْإِسْتِجْمَارِ وَتَوَارًا
١٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً
ثُمَّ لِيَنْشِرْ. وَمَنْ اسْتَجَمَرَ فَلْيُوتِرْ. وَإِذَا
اسْتَقْبَلَ أَحَدُكُمْ مِنْ تَوْبِهِ فَلْيَسْبِلْ يَدَهُ
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا فِي وَضْوِيهِ، فَإِنْ أَحَدُكُمْ

जानता कि रात को उसका हाथ कहाँ रहा है। (राजेअ : 161)

बाब 27 : दोनों पाँव धोना चाहिये और क़दमों पर मसह न करना चाहिये

(163) हमसे मूसा ने बयान किया, उनसे अबू अवाना ने, वो अबू बिशर से, वो यूसुफ़ बिन माहिक से, वो अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि (एक बार) रसूलुल्लाह (ﷺ) एक सफ़र में हमसे पीछे रह गए। फिर (थोड़ी देर बाद) आप (ﷺ) ने हमको पा लिया और अम्र का वक़्त आ पहुँचा था। हम वुज्र करने लगे और (अच्छी तरह पाँव धोने के बजाए जल्दी में) हम पाँव पर मसह करने लगे। आपने फ़र्माया 'ऐड़ियों के लिए आग का अज़ाब है।' दो बार या तीन बार फ़र्माया। (राजेअ : 60)

لَا يَدْرِي أَيُّ نَأْتِ يَدُهُ. [راجع: ١٦١]

٢٧- بَابُ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ، وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ

١٦٣- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَرَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: تَخَلَّفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنَّا فِي سَفَرَةٍ فَأَذْرَكْنَا وَقَدْ أَرْمَقْنَا الْعَصْرَ، فَجَعَلْنَا تَوَضُّأً وَتَمَسَحَ عَلَى أَرْجُلِنَا. فَجَاءَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ ((وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

[راجع: ٦٠]

इसमें रवाफ़िज़ का रह है जो क़दमों पर बिला मौज़ों के मसह के काइल हैं। इमाम बुखारी (रह) ने हदीषे बाब से प़ाबित किया है कि जब मौज़े पहने हुए न हो तो क़दमों का धोना फ़र्ज़ है जैसा कि आयते वुज्र में है। इस हदीषे से मा'लूम हुआ कि पैर को भी दूसरे अअज़ा की तरह धोना चाहिये और इस तरह कि कहीं से कोई हिस्सा खुश्क न रह जाए।

बाब 28 : वुज्र में कुल्ली करना

इस मसले को इब्ने अब्बास और अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से नक़ल किया है

(164) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा हमको शुऐब ने जुहरी के वास्ते से, ख़बर दी, कहा हमको अत्ता बिन यज़ीद ने हुम्रान मौला इब्मान बिन अफ़फ़ान (रज़ि.) के वास्ते से ख़बर दी, उन्होंने हज़रत इब्मान (रज़ि.) को देखा कि उन्होंने वुज्र का पानी मंगवाया और अपने दोनों हाथों पर बर्तन से पानी (लेकर) डाला, फिर दोनों हाथों को तीन बार धोया। फिर अपना दाहिना हाथ वुज्र के पानी में डाला। फिर कुल्ली की, फिर नाक में पानी डाला, फिर नाक सफ़ा की। फिर तीन बार अपना मुँह धोया और कुहनियों तक तीन बार हाथ धोये, फिर अपने सर का मसह किया। फिर हर एक पाँव को तीन बार धोया। फिर फ़र्माया मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप मेरे इस वुज्र की तरह ही वुज्र किया करते थे और

٢٨- بَابُ الْمَضْمَضَةِ فِي الْوُضُوءِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ - ﷺ -
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

١٦٤- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُفْمَانَ بْنِ عُفْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُفْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَأَلْوَعَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَسَلَّهَمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوُضُوءِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَهُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا.

आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख्स मेरे इस वुजू जैसा वुजू करे और (हुजुरे क़ल्ब से) दो रकअत पढ़े जिसमें अपने दिल से बातें न करे तो अल्लाह तआला उसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर देता है।

(राजेअ: 159)

इस हदीस से मा'लूम हुआ कि वुजू में कुल्ली करना भी ज़रूरियात से है।

बाब 29 : ऐड़ियों के धोने के बयान में

इमाम इब्ने सीरीन वुजू करते व़क्त अंगूठी के नीचे की जगह (भी) धोया करते थे।

(165) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे मुहम्मद बिन ज़ियाद ने बयान किया, वो कहते हैं कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना, वो हमारे पास से गुजरे और लोग लोटे से वुजू कर रहे थे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया अच्छी तरह वुजू करो क्योंकि अबुल क़ासिम (ﷺ) ने फ़र्माया (खुशक) ऐड़ियों के लिये आग का अज़ाब है।

मंशा ये है कि वुजू का कोई हिस्सा खुशक न रह जाए वरना वही हिस्सा क़यामत के दिन अज़ाबे इलाही में मुब्तला किया जाएगा।

बाब 30 : इस बारे में कि जूतों के अंदर पांव धोना चाहिये और जूतों पर मसह न करना चाहिये

(166) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमको मालिक ने सईद अल मक्बरी के वास्ते से ख़बर दी, वो अब्दुल्लाह बिन जुरैज से नक़ल करते हैं कि उन्होंने अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) से कहा ऐ अबू अब्दुर्रहमान! मैंने तुम्हें चार ऐसे काम करते हुए देखा है जिन्हें तुम्हारे साथियों को करते हुए नहीं देखा। वो कहने लगे, ऐ इब्ने जुरैज! वो क्या है? इब्ने जुरैज ने कहा कि मैंने तवाफ़ के व़क्त आपको देखा कि दो यमानी रुक्नों के सिवा किसी और रुक्न को आप नहीं छूते हो। (दूसरे) मैंने आपको सिबती जूते पहने हुए देखा और (तीसरे) मैंने देखा आप ज़दंग

ثُمَّ قَالَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ نَحْوَهُ وَضُؤِي هَذَا وَقَالَ: ((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَهُ وَضُؤِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). [راجع: ١٥٩]

٢٩- بَابُ غَسْلِ الْأَعْقَابِ

وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْعَتَمِ إِذَا تَوَضَّأَ

١٦٥- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي آيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْمُطَهَّرَةِ - قَالَ: أَسْبَغُوا الْوُضُوءَ، فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ قَالَ: ((وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)).

٣٠- بَابُ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ فِي

التَّغْلِيْنِ، وَلَا يَمْسَحُ عَلَى التَّغْلِيْنِ

١٦٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرَبًا لَمْ أَرِ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا. قَالَ: وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النَّعَالَ السَّجِيَّةَ،

इस्ते'माल करते हो और (चौथी बात) मैंने ये देखी हैं कि जब आप मक्का में थे, लोग (ज़िलहिज्जा का) चाँद देखकर लम्बेक पुकारने लगते हैं। (और) हज्ज का एहराम बाँध लेते हैं और आप आठवीं तारीख तक एहराम नहीं बाँधते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने जवाब दिया कि (दूसरे) अरकान को तो मैं यूनहीं छूता कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को यमानी रुक्नों के अलावा किसी और रुक्नों को छूते हुए नहीं देखा और रहे सिब्टी जूते तो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऐसे जूते पहने हुए देखा कि जिनके चमड़े पर बाल नहीं थे और आप उन्हीं को पहने-पहने वुजू किया करते थे, तो मैं भी उन्हीं को पहनना पसंद करता हूँ और ज़र्द (पीले) रंग की बात ये है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ज़र्द रंग रंगते हुए देखा है तो मैं भी उसी रंग में रंगना पसन्द करता हूँ। एहराम बाँधने का मुआमला ये है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को उस वक़्त तक एहराम बाँधते हुए नहीं देखा। जब तक कि आपकी ऊँटनी आपको लेकर न चल पड़ती। (राजेअ: 1514, 1554, 1609, 2765, 8551)

बाब 31 : वुजू और गुस्ल में दाहिनी जानिब से इब्तिदा करना ज़रूरी है

(167) हमसे मुसहद ने बयान किया, उनसे इस्माईल ने, उनसे खालिद ने हफ़्सा बिनते सीरीन के वास्ते से नक़ल किया, वो उम्मे अन्निय्या से रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी (मरहूमा) साहबज़ादी (हज़रते ज़ैनब) को गुस्ल देने के वक़्त फ़र्माया था कि गुस्ल दाहिनी तरफ़ से दो और अजज़ा-ए-वुजू से गुस्ल की इब्तिदा करो।

(दीगर मक़ाम : 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263)

वुजू और गुस्ल में दाहिनी तरफ़ से काम शुरू करना मस्नून है, उसके अलावा दूसरे कामों में भी ये तरीका मस्नून है।

(168) हमसे हफ़्सा बिन उमर ने बयान किया, उनसे शुअबा ने

وَرَأَيْتُكَ تَصْبِغُ بِالصُّفْرِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهْلَ النَّاسِ إِذَا رَأَوْا أَهْلَ اللَّيْلِ وَلَمْ يُهَلُّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيْنَ. وَأَمَا النَّعَالَ السَّيِّئَةَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ النَّعَالَ الَّتِي لَيْسَ لَهَا شَعْرٌ وَيَعْرِضُ لَهَا، فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَبْسَهَا. وَأَمَا الصُّفْرُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْبِغُ بِهَا، فَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَصْبِغُ بِهَا. وَأَمَا الْإِهْلَالَ فَإِنِّي لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهْلُ حَتَّى تَتِمَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

[أطرافه في : 1014, 1002, 1609]

[5801, 2870]

31- بَابُ التَّيْمَنِ فِي الْوُضُوءِ

وَالغُسْلِ

١٦٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سَبْرَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتَيْهِ: ((أَبْدَانُ يَمَانِيَّتَيْنِهَا وَمَوَاضِعُ الْوُضُوءِ مِنْهَا)).

[أطرافه في : 1202, 1204, 1200]

[1206, 1207, 1208, 1209]

[1261, 1262, 1263]

١٦٨- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ:

बयान किया, उन्हें अशअब्र बिन सुलैम ने खबर दी, उनके बाप ने मसरूक़ से सुना, वो उम्मुल मोमिनीन हज़रते आइशा सिद्दीका (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि वो फ़र्माती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जूता पहनने, कँधी करने, वुजू करने और अपने हर काम में दाहिनी तरफ़ से काम की शुरुआत करने को पसंद करते थे।

(दीगर मक़ाम : 426, 8380, 5854)

बाब 32 : इस बारे में कि नमाज़ का वक़्त हो जाने पर पानी की तलाश ज़रूरी है

'उम्मुल मोमिनीन हज़रते आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि (एक सफ़र में) सुबह हो गई। पानी तलाश किया गया, मगर नहीं मिला तो आयते तयम्मूम नाज़िल हुई।'

(169) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको मालिक ने इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी त़लहा से ख़बर दी, वो अनस बिन मालिक (रज़ि.) से नक़ल करते हैं, वो फ़र्माते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि नमाज़े अज़्र का वक़्त आ गया, लोगों ने पानी तलाश किया, जब उन्हें पानी न मिला, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास (एक बर्तन में) वुजू के लिये पानी लाया गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसमें अपना हाथ डाल दिया और लोगों को हुक्म दिया कि इसी (बर्तन) से वुजू करें। हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने देखा कि आपकी उँगलियों के नीचे से पानी (चश्मे की तरह) उबल रहा था। यहाँ तक कि (क्राफ़िले के) आख़िरी आदमी ने भी वुजू कर लिया।

(दीगर मक़ाम : 195, 200, 3572, 3573, 3578, 3575)

ये रसूलुल्लाह (ﷺ) का मुअज़ज़ा था कि एक प्याला पानी से सब लोगों ने वुजू कर लिया। वुजू के लिये पानी तलाश करना इससे प्राबित हुआ, न मिले तो फिर तयम्मूम कर लेना चाहिये।

बाब 33 : इस बयान में कि जिस पानी से आदमी के बाल धोए जाएँ उस पानी का इस्तेमाल करना जाइज़ है या नहीं?

अत्ता बिन अबी रिबाह आदमियों के बालों से रस्सियाँ या डोरियाँ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سَلِيمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُغِيبُهُ التَّمِيمُ لِي تَتَّعِلِيهِ وَتَرْجُلِيهِ وَطَهْرِيهِ وَلِي شَأْبِهِ كُلِّهِ. [أطرافه في: ٤٢٦, ٥٣٨٠, ٥٨٥٤, ٣٢ - بَابُ التَّمَامِ الْوَضُوءِ إِذَا

حَانَتْ الصَّلَاةُ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَضَرَتِ الصُّبْحُ فَالتَّمِيمِ الْمَاءُ فَلَمْ يُوَجَدْ، فَنَزَلَ التَّمِيمُ.

١٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنَّهُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالتَّمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِوَضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ. قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبَعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ.

[أطرافه في: ١٩٥, ٢٠٠, ٣٥٧٢

. [٣٥٧٥, ٣٥٧٤, ٣٥٧٣

٣٣ - بَابُ الْمَاءِ الَّذِي يُفَسَّلُ بِهِ

شَعْرُ الْإِنْسَانِ

وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَتَّخِذَ مِنْهَا

बनाने में कुछ हर्ज नहीं देखते थे और कुत्तों के जूठे और उनके मस्जिद से गुजरने का बयान। जुहरी कहते हैं कि जब कुत्ता किसी (पानी के भरे) बर्तन में मुँह डाल दे और उसके अलावा वुजू के लिए और पानी मौजूद न हो तो उससे वुजू किया जा सकता है। सुफ़यान कहते हैं कि ये मसला अल्लाह तआला के इस इशार्द से समझ में आता है। जब पानी न पाओ तो तयम्मूम कर लो और कुत्ते का जूठा पानी (तो) है। (मगर) तबीअत उससे नफ़रत करती है। (बहरहाल) उससे वुजू कर ले और (एहतियातन) तयम्मूम भी कर ले।

(170) हमसे मालिक बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे इस्राईल ने आसिम के वास्ते से बयान किया, वो इब्ने सीरीन से नक़ल करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने इब्बैदा (रज़ि.) से कहा कि हमारे पास रसूलुल्लाह (ﷺ) के कुछ बाल (मुबारक) हैं, जो हमें हज़रत अनस (रज़ि.) से या अनस (रज़ि.) के घरवालों की तरफ़ से मिले हैं। (ये सुनकर) इब्बैदाने कहा कि अगर मेरे पास उन बालों में से एक बाल भी होता तो वो मेरे लिए सारी दुनिया और उसकी हर चीज़ से ज़्यादा अज़ीज़ होता। (दीगर मक़ाम : 171)

(171) हमसे मुहम्मद बिन अब्दुर्रहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको सईद बिन सुलैमान ने ख़बर दी, कहा हमसे अब्बाद ने इब्ने औन के वास्ते से बयान किया। वो इब्ने सीरीन से, वो हज़रते अनस बिन मालिक (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने (हज्जतुल विदाअ में) जब सर के बाल मुँडवाए तो सबसे पहले अबू तलहा (रज़ि.) ने आपके बाल लिए थे।

(दीगर मक़ाम : 170)

सय्यदुल मुहदिषीन हज़रत इमाम बुखारी (रह) की गर्ज़ इस हदीष से इंसान के बालों की पाकी और तहारत बयान करना मक़सूद है। फिर इन अह्दादीष से ये भी षाबित होता है कि आप (ﷺ) ने अपने बालों को तबर्क के लिये लोगों में तक्सीम फ़र्माया।

बाब 34 : जब कुत्ता बर्तन में पी ले (तो क्या करना चाहिये?)

(172) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्हें इमाम मालिक ने अबुज्ज़िनाद से ख़बर दी, वो अज़रज से, वो अबू हुसैरह (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब कुत्ता तुममें से किसी के बर्तन में से (कुछ) पी ले ता उसको

الْخَيْطُ وَالْحَبَالُ. وَسُورِ الْكِلَابِ
وَمَمْرَهَا فِي الْمَسْجِدِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا
وَلَعَّ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ نَسِ لَهٗ وَضُوءَ غَيْرَهٗ
يَوْضًا بِهِ. وَقَالَ سُفْيَانُ: هَذَا الْفِقْهُ بِعَرَبِيهِ،
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّ تَجِدُوا مَاءً
فَتَمَسُّوا﴾ وَهَذَا مَاءٌ. وَلِي النَّفْسِ مِنْهُ
شَيْءٌ، يَوْضًا بِهِ وَيَتَمَسُّ.

۱۷۰- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:
حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سَمِينٍ
قَالَ: قُلْتُ لِعَبِيدَةَ. عِنْدَنَا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ
ﷺ أَصْتَبَاهُ مِنْ قَبْلِ أَنَسٍ - أَوْ مِنْ قَبْلِ
أَهْلِ أَنَسٍ - فَقَالَ: لِأَنَّ تَكُونَ عِنْدِي
شَعْرَةً مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.
[طرفه في: ۱۷۱].

۱۷۱- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ أَبِي عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سَمِينٍ
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا خَلَقَ
رَأْسَهُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ
شَعْرِهِ. [راجع: ۱۷۰].

۳۴- بَابُ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ
۱۷۲- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَتَادَةَ
يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنْ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ

सात बार धो लो (तो पाक हो जाएगा)

(173) हमसे इस्हाक़ ने बयान किया, कहा हमको अब्दुस्समद ने खबर दी, कहा हमको अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, उन्होंने अपने बाप से सुना, वो अबू सलहेह से, वो अबू हरैरह (रज़ि.) से, वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से नक़ल करते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि एक शख़्स ने एक कुत्ते को देखा, जो प्यास की वजह से गीली मिट्टी खारहा था। तो उस शख़्स ने अपना मोज़ा लिया और उससे पानी भरकर पिलाने लगा, यहाँ तक कि उसको ख़ूब सैराब कर दिया। अल्लाह ने उस शख़्स के इस काम की क़द्र की और उसे जन्नत में दाख़िल कर दिया। (दीगर मक़ाम : 2363, 2466, 6009)

(174) अहमद बिन शबीब ने कहा कि हमसे मेरे वालिद ने युनुस के वास्ते से बयान किया, वो इब्ने शिहाब से नक़ल करते हैं, उन्होंने कहा मुझसे हम्ज़ा बिन अब्दुल्लाह ने अपने बाप (यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के वास्ते से बयान किया। वो कहते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में कुत्ते मस्जिद में आते जाते थे लेकिन लोग उन जगहों पर पानी नहीं छिड़कते थे।

أَحَدِكُمْ فَلْيَسِلْهُ سَبْعًا)).

١٧٣- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ
اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ صَالِحِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ((أَنَّ رَجُلًا
رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ التُّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَأَخَذَ
الرَّجُلُ خَفَهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى
أَزْوَاهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ)).

[أطرافه في: ٢٣٦٣, ٢٤٦٦, ٦٠٠٩.]

١٧٤- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبِي
عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي
حَمَزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ
الْكِلَابُ تُقْبَلُ وَتُدْبَرُ فِي الْمَسْجِدِ لِي
زَمَانَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَكُونُوا يَرْتُونَ
شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

तशरीह: अल्लामा इब्ने हज़र (रह) फ़तहूल बारी में फ़र्माते हैं कि ये मामला इस्लाम के इब्तिदाई दौर में था जबकि मस्जिद के किवाड़ वगैरह भी न थे, उसके बाद जब मसाजिद के बारे में एहतियाम व एहतिमाम का हुक़म नाज़िल हुआ तो इस तरह की सब बातों से मना कर दिया गया जैसा कि अब्दुल्लाह बिन उमर की रिवायत में है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि) ने बुलंद आवाज़ से फ़र्माया कि लोगों! मस्जिद में बेहूदा बात करने से परहेज़ किया करो, तो जब लख़्ब बातों से रोक दिया गया, तो दूसरे उमूर (कामों) का हाल भी बदर्ज-ए-औला मा' लूम हो गया। इसीलिए इससे पहले हदीष में कुत्ते के जूठे बर्तन को 7 बार धोने का हुक़म आया। अब वही हुक़म बाक़ी है, जिसकी ताईद और बहुत सी अह्दादीष से होती है। बल्कि कुछ रिवायात में कुत्ते के झूठे बर्तन के बारे में इतनी ताकीद आई है कि उसे पानी के अलावा आठवीं बार मिट्टी से स़ाफ़ करने का भी हुक़म है। मिट्टी से अब्वल मर्तबा धोना चाहिये फिर सात बार पानी से धोना चाहिये।

इस मसले में अहनाफ़ और अहले हदीष का इख़ितलाफ़: कुत्ते के झूठे बर्तन को सात बार पानी से धोना और एक बार सिर्फ़ मिट्टी से मांझना वाजिब है। ये अहले हदीष का मज़हब है और सिर्फ़ तीन बार पानी से धोना ये हनफ़िया का मज़हब है। सरताजे इलम-ए-अहले हदीष हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान स़ाहब मुबारकपुरी क़दस सिर्रुहु फ़र्माते हैं, 'क़ालशशौकानि फ़िन्नैलि वल हदीषु यदुल्लु अला वुजूबिल ग़स्तात्सिबइ मिन वुलूगिल कल्बि व इलैहि ज़हबबु अब्बासिन व उर्वतुब्नु ज़ुबैर व मुहम्मदुब्नु सीरीन व तारुस व अम्फ़ुब्नु दीनारिन वल औज़ाई व मालिक व शशाफ़िई व अहमदुब्नु हम्बल व इस्हाक़ व अबू घ़ौर व अबू उबैदत व दाऊद इन्तहा व क़ालत्रववी वजूबु गुस्लि निजासति वुलूगिल क़ल्बि सबअ मर्रातिन व हाज़ा मज़हबुना व मज़हबु मालिक वल जमाहीर व क़ाल अबू हनीफ़त यक्फ़ी ग़स्तुहु प़लाप मर्रातिन इन्तहा व क़ालल हाफ़िज़ु फ़िल्फ़तहि व अम्मल हनफ़िय्यतु फ़लम यकूलू बिबुजूबिस्सबइ वलत्ततीब।' (तुहफ़तुल अहवज़ी जिल्द नं. 1 पेज नं. 93)

खुलासा इस इबारत का यही है कि उन अह्लादीष की बिना पर जुम्हूर उलम—ए—इस्लाम, सहाबा किराम व ताबेईने इजाम व अइम्म—ए—शलाषा (तीनों इमामों) व दीगर मुहदिषीन का मज़हब यही है कि सात मर्तबा धोया जाए। बरखिलाफ़ इसके हनफ़िया सिर्फ़ तीन ही दफ़ा धोने के काइल हैं और उनकी दलील वो हदीष है जिसे तबरानी ने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) से रिवायत किया है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुम्हारे किसी बर्तन में कुत्ता चेहरा डाल दे तो उसे तीन बार या पाँच बार या सात बार धो डालो। जवाब उसका ये है कि ये हदीष ज़ईफ़ है, इसलिए कि शैख़ इब्ने हम्माम हनफ़ी ने फ़त्हुल क़दीर में लिखा है कि हस्बे वज़ाहत इमाम दारे कुत्नी उसकी सनद में एक रावी अब्दुल वट्टाब नामी मतरूक है, जिसने इस्माईल नामी अपने उस्ताद से इस हदीष को इस तरह बयान किया। हालाँकि उन ही इस्माईल से दूसरे रावी इसी हदीष को रिवायत करते हैं। जिन्होंने सात बार धोना नक़ल किया है। दूसरा जवाब ये कि ये हदीष दारे कुत्नी में है जो तबक़—ए—शालिषा की किताब है और सुनन इब्ने माजा में ये रिवायत है, 'अख़रजब्नु माजत अन अबी रिज़ीन क़ाल रायतु अबा हुरैरत यज़िबु ज़हहतु बिद्यदिही व यकूलु या अहलल इराक़ि अन्तुम तज्जमून इन्नी अक़ज़बु अला रसूलिल्लाहि (ﷺ) लियकून लक़मुल हना व अलल इम्मि अशहदु समिअतु रसूलिल्लाहि (ﷺ) यकूलु इज़ा वलगल कल्बु फ़ी इनाइ अहदिकुम फ़ल्यगसिल्हु सबअ मर्रातिन' (तुहफ़तुल अहवज़ी जिल्द नं. 1 पेज नं. 94) यानी अबू रज़ीन कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) को देखा आप इन्हारे अफ़सोस करते हुए अपनी पेशानी पर हाथ मार रहे थे और फ़र्मा रहे थे कि ऐ इराक़ियों! तुम ऐसा ख़याल रखते हो कि मैं तुम्हारी आसानी के लिये रसूले करीम (ﷺ) पर झूठ बाँधूँ और गुनाहगार बनूँ। याद रखो मैं गवाही देता हूँ कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) से सुना, आपने फ़र्माया कि जब कुत्ता तुम्हारे बर्तन में चेहरा डाले तो उसे सात मर्तबा धो डालो। मा'लूम हुआ कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) से तीन बार धोने की रिवायत नाक़ाबिले ए'तिबार है। अल्लामा अब्दुल हई लखनवी (रह) ने बड़ी तफ़्सील से दलाइले ख़िलाफ़िया पर मुंसिफ़ाना रोशनी डाली है। (देखो सआया पेज नं. 451)

कुछ लोगों को वहम हुआ है कि इमाम बुखारी (रह) के नज़दीक कुत्ता और कुत्ते का जूठा पाक है। अल्लामा इब्ने हज़र (रह) फ़त्हुल बारी में फ़र्माते हैं कि कुछ उलम—ए—मालिकिया वगैरह कहते हैं कि उन अह्लादीष से इमाम बुखारी (रह) की गर्ज़ कुत्ते की और उसके जूठे की पाकी प्राबित करना है और कुछ उलमा कहते हैं कि इमाम बुखारी (रह) की ये गर्ज़ नहीं है बल्कि आपने सिर्फ़ लोगों के मज़हब बयान किये हैं। वो खुद उसके काइल नहीं हैं इसलिए कि तर्जुमा में आपने सिर्फ़ कुत्ते के जूठे का नाम लिया। यूँ नहीं कहा कि कुत्ते का जूठा पाक है। हदीषे बुखारी के ज़ेल में शैख़ुल हदीषे हज़रत मौलाना अबैदुल्लाह साहब मुबारकपुरी फ़र्माते हैं, 'व फ़िल हदीषि दलीलुन अला निजासति फ़मिल कल्बि मिन हैषिल अमि बिल गस्लि लिमा व लग फ़ीहि वल इराक़तु लिलमाइ' (मिआत जिल्द नं. 1 पेज नं. 324) यानी इस हदीषे मज़क़ूरा बुखारी में दलील है कि कुत्ते का मुँह नापाक है इसीलिए जिस बर्तन में वो मुँह डाल दे उसे धोने और उस पानी के बहा देने का हुक्म हुआ। अगर उसका मुँह पाक होता तो पानी को इस तौर पर ज़ाया (नष्ट) करने का हुक्म न दिया जाता। मुँह के नापाक होने का मतलब उसके तमाम जिस्म नापाक होना है।

अब्दुल्लाह बिन मअक़ल की हदीष जिसे मुस्लिम व दीगर मुहदिषीन ने नक़ल किया है, इसका मफ़हम ये है कि सात बार पानी से धोना चाहिये और आठवीं बार मिट्टी से। इसकी वज़ाहत करते हुए हज़रत शैख़ुल हदीषे मुबारकपुरी मदज़िल्लुहुल आली फ़र्माते हैं, 'व जाहिरूहु यदुल्लु अला ईजाबि प्रमानि ग़सलातिन व इन्न ग़सलहुत्तीब ग़ैरल ग़सलातिस्सबइ व इन्नत्तीब ख़ारिजुन अन्हा वल हदीषु क़द अजमउ अला सिहति इस्नादिही व हिय ज़्यादतुन शिक़तुन' (मिआत जिल्द 1 पेज नं. 324) यानी इससे आठ बार धोने का वज़ूब प्राबित होता है और ये कि मिट्टी से धोने का मामला सात दफ़ा पानी से धोने के अलावा है। ये हदीष बिल इत्तिफ़ाक़ सहीह है और पहली मर्तबा मिट्टी से धोना भी सहीह है। जो पहले ही होना चाहिये बाद में सात दफ़ा पानी से धोया जाए।

बाकी अहनाफ़ के दीगर के मुफ़स्सल जवाबात शैख़ुल अल्लाम हज़रत मौलाना अब्दुरहमान साहब मुबारकपुरी (रह) ने अपनी माया नाज़ (मशहूर) किताब इब्कारुल मिनन (पेज नं. 29—32) में ज़िक़्र फ़र्माए हैं। उनका यहाँ बयान करना तज़ालत का बाअिष होगा।

मुनासिब होगा कि कुत्ते के लुआब के बारे में हज़रत इमाम बुखारी (रह) के मसलक के बारे में हज़रत अल्लामा मौलाना अनवर शाह साहब देवबन्दी (रह) का क़ौल भी नक़ल कर दिया जाए जो साहिबे अनवारुल बारी की रिवायत से ये है इमाम बुखारी (रह) से ये बात मुस्तब्द है कि वो लुआबे कल्ब (कुत्ते के थूक) की तह़ारत के क़ाइल हों, जबकि इस बाब में क़ट्टइयात से नजासत का धुबूत हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि इमाम बुखारी (रह) ने दोनों तरफ़ की अह्दादीष ज़िक्र कर दी हैं। नाज़िरीन खुद ये फ़ैसला कर लें क्योंकि ये भी उनकी एक आदत है। जब वो किसी बाब में दोनों जानिब कुव्वत देखते हैं तो दोनों तरफ़ की अह्दादीष ज़िक्र कर दिया करते हैं। जिससे ये इशारा होता है कि वो खुद भी किसी एक जानिब का यक़ीन नहीं फ़र्माते वल्लाहु आलम। (अनवारुल बारी जिल्द नं. 5 पेज नं. 107) कल्बि मुअल्लम की हदीष नीचे लाने से भी ज़ाहिर है कि हज़रत इमाम उमूमी तौर पर लुआबे कल्ब की तह़ारत के क़ाइल नहीं हैं।

कल्बि मुअल्लम (सधाया हुआ कुत्ता) वो कुत्ता जिसमें इत्ताअत शिआरी (वफ़ादारी) का माहा बहुत ज़्यादा हो और जब भी वो शिकार करे कभी उसमें से खुद कुछ न खाए। (किरमानी)

(175) हमसे हफ़्म बिन उमर ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने इब्ने अबिस्सफ़र के वास्ते से बयान किया, वो शुअबी से नक़ल फ़र्माते हैं, वो अदी बिन हातिम से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से (कुत्ते के शिकार के बारे में) पूछा तो आपने फ़र्माया कि जब तू अपने सधाए हुए कुत्ते को छोड़ दे और वो शिकार कर ले तो तू उस (शिकार) को खा और अगर वो कुत्ता उस शिकार में से खुद (कुछ) खा ले तो तू (उसको) न खाइयो क्योंकि अब उसने शिकार अपने लिए पकड़ा है। मैंने कहा कि कभी-कभी (शिकार के लिए) अपने कुत्ते छोड़ता हूँ, फिर उसके साथ दूसरे कुत्ते को भी पाता हूँ। आपने फ़र्माया, फिर मत खा क्योंकि तुमने बिस्मिल्लाह अपने कुत्ते पर पढ़ी थी। दूसरे कुत्ते पर नहीं पढ़ी।

(दीगर मक़ाम : 2054, 5475, 5476, 5477, 5483, 5484, 5485, 5486, 5487, 7397)

١٧٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ

الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ

النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ

الْمُعْتَمَ لِقَتْلٍ فَكُنْ، وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ

فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ».

قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ. قَالَ: «فَلَا

تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ

عَلَى كَلْبِ آخَرَ».

[أطرافه في : ٢٠٥٤، ٥٤٧٥، ٥٤٧٦،

٥٤٧٧، ٥٤٨٣، ٥٤٨٤، ٥٤٨٥،

٥٤٨٦، ٧٣٩٧]

इस हदीष की असल बहष किताबुस्सैद में आएगी, इंशाअल्लाहु तआला! मा'लूम हुआ कि आम कुत्ते की नजासत के हुक्म से सधाए हुए कुत्तों के शिकार का इस्तिज़्ना है, बशराइते मा'लूमा मज़क़ूरा।

बाब 35 : इस बारे में कि कुछ लोगों के नज़दीक

सिर्फ़ पेशाब और पाख़ाने की राह से कुछ

निकलने से वुजू टूटता है

क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया है कि जब तुममें से कोई क़ज़ा-ए-हाज़त से फ़ारिग़ होकर आए तो तुम पानी न पाओ तो तयम्मूम कर लो। अता कहते हैं कि जिस शख्स के पिछले हिस्से

← ٣٥- يَابُ مَنْ لَمْ يَرِ الْوُضُوءَ إِلَّا

مِنَ الْمَخْرَجِينَ الْقَبْلَ وَالذَّبِيرَ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ

الْمَوَاطِئِ وَقَالَ غَطَاءٌ فِيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ

ذُبْرِهِ الشُّوْذُ أَوْ مِنْ ذِكْرِهِ حَوْ الْقَمَلَةِ: يَبِيدُ

से (यानी दुबुर से) या अगले हिस्से से (यानी ज़कर या फ़रज से) कोई कीड़ा या जूँ की क्रिस्म का कोई जानवर निकले उसे चाहिये कि वुज़ू लौटाए और जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि जब (आदमी) नमाज़ में हंस पड़े तो नमाज़ लौटाए और वुज़ू न लौटाए और हसन (बसरी) ने कहा कि जिस शख्स ने (वुज़ू के बाद) अपने बाल उतरवाए या नाखून कटवाए या मोजे उतार डाले उस पर वुज़ू नहीं है। हज़रते अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि वुज़ू हदष के सिवा किसी और चीज़ से फ़र्ज़ नहीं है और हज़रत जाबिर से नक़ल किया गया है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ातुरिकाअ की लड़ाई में (तशरीफ़ फ़र्मा) थे। एक शख्स के तीर मारा गया और उस (के जिस्म) से बहुत खून बहा मगर फिर भी उसने रुकूअ और सज्दा किया और नमाज़ पूरी कर ली और हसन बसरी ने कहा कि मुसलमान हमेशा अपने ज़ख़मों के बावजूद नमाज़ पढ़ा करते थे और त्राऊस, मुहम्मद बिन अली और अहले हिजाज़ के नज़दीक खून (निकलने) से वुज़ू (वाजिब) नहीं होता। अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने (अपनी) एक फुंसी को दबा दिया तो उसमें से खून निकला। मगर आपने (दोबारा) वुज़ू नहीं किया और इब्ने अबी औफ़ा ने खून थूका। मगर वो अपनी नमाज़ पढ़ते रहे और इब्ने उमर और हसन (रज़ि.) पछने लगवाने वाले के बारे में ये कहते हैं कि जिस जगह पछने लगे हों उसको धो ले, दोबारा वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं।

(176) हमसे आदम बिन अबी इयास ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्ने अबी ज़िब ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सईद अल मक्बरी ने बयान किया, वो हज़रते अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि बन्दा उस वक़्त तक नमाज़ ही में रहता है जब तक कि मस्जिद में नमाज़ का इतिज़ार करता है। उस वक़्त तक कि वो हदष न करो। एक अज्मी आदमी ने पूछा कि ऐ अबू हुरैरह (रज़ि.)! हदष क्या चीज़ है? उन्होंने फ़र्माया कि हवा जो पीछे से ख़ारिज हो। (जिसे उफ़े आम में गूज़ मारना कहते हैं)

(दीगर मक़ाम : 445, 477, 647, 648, 659, 2119, 3229, 4717)

الْوُضُوءَ. وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا ضَحَكَ فِي الصَّلَاةِ أَحَادَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَعِدِ الْوُضُوءَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلَا وَضُوءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا وَضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ. وَتَذَكَّرَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرَّقَاعِ قَوْمِي رَجُلٌ بِسَنَمِهِمْ لَفَزَهُ الدَّمُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحِهِمْ. وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَطَاءٌ وَأَهْلُ الْحِجَازِ: لَيْسَ فِي الدَّمِ وَضُوءٌ. وَعَصْرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةَ فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وَتَرَقَّ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ دَمًا فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ: فِيمَنْ يَخْتَجِمُ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ مَخَاجِمِهِ.

176- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُحْدِثْ)). فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ: مَا الْخَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: الصَّوْتُ (بِعَنِي الصَّرْطَةَ).

[أطرافه في: ٤٤٥، ٤٧٧، ٦٤٧، ٦٤٨]

[٦٥٩، ٢١١٩، ٣٢٢٩، ٤٧١٧].

(177) हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा हमसे इब्ने उययना ने, वो जुहरी से, वो अब्बाद बिन तमीम से, वो अपने चाचा से, वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि (नमाज़ी नमाज़ से) उस वक़्त तक न फिरे जब तक (कि रिह) की आवाज़ न सुन ले या उसकी बू न पाले।

(राजेअ: 137)

ख़ुलास—ए—हदीष ये है कि जब तक वुजू टूटने का यकीन न हो, उस वक़्त तक महज़ किसी शुब्हा की बिना पर नमाज़ न तोड़े।

(178) हमसे कुतैबा ने बयान किया, कहा हमसे जर्री ने अअमश के वास्ते से बयान किया, वो मुज़िर से, वो अबू यअला प्रौरी से, वो मुहम्मद इब्नुल हनफ़िय्या से नक़ल करते हैं कि हज़रत अली (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैं ऐसा आदमी था जिसको सैलाने मज़ी की शिकायत थी, मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछते हुए मुझे शर्म आई तो मैंने इब्नुल अस्वद को हुक्म दिया, उन्होंने आप (ﷺ) से पूछा, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि इसमें वुजू करना फ़र्ज़ है। इस रिवायत को शुअबा ने भी अअमश से रिवायत किया।

(राजेअ: 133)

(179) हमसे सअद बिन हफ़स ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शैबान ने यह्या के वास्ते से नक़ल किया, वो अत्रा बिन यसार से नक़ल करते हैं, उन्हें ज़ैद बिन ख़ालिद ने ख़बर दी कि उन्होंने हज़रत इब्मान बिन अफ़फ़ान (रज़ि.) से पूछा कि अगर कोई शख्स सुहबत करे और मनी न निकले। फ़र्माया कि वुजू करे जिस तरह नमाज़ के लिए वुजू करता है और अपने अज़्व को धो ले। हज़रते इब्मान (रज़ि.) कहते हैं कि (ये) मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है। (ज़ैद बिन ख़ालिद कहते हैं कि) फिर मैंने इसके बारे में हज़रते अली, जुबैर, तलहा और उबय बिन कअब (रज़ि.) से पूछा। सबने उस शख्स के बारे में यही हुक्म दिया।

(दीगर मक़ाम: 292)

(180) हमसे इस्हाक़ बिन मंसूर ने बयान किया, कहा हमें नज़ ने ख़बर दी, कहा हमको शुअबा ने हुक्म के वास्ते से बतलाया, वो ज़क्वान से, वो अबू सालेह से, वो अबू सईद खुदरी से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक अंसारी को बुलाया। वो आए

۱۷۷- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا)) .

[راجع: ۱۳۷]

۱۷۸- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرِ أَبِي يَعْلَى التُّورِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً فَاسْتَحَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرْتُ الْمُقَدَّادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : ((فِيهِ الْوُضُوءُ)) .

وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ . [راجع: ۱۳۳]

۱۷۹- حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمِنْ؟ قَالَ : عُثْمَانُ : يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذِكْرَهُ . قَالَ عُثْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَأَبِي بَنِي كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ .

[طرفه في: ۲۹۲]

۹۸۰- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ هُوَ ابْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ذُكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي

तो उनके सिर से पानी टपकर रहा था। रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, शायद हमने तुम्हें जल्दी में डाल दिया। उन्होंने कहा, जी हाँ! तब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब कोई जल्दी (का काम) आ पड़े या तुम्हें इंज़ाल न हो तो तुम पर वुजू है (गुस्ल ज़रूरी नहीं)

سَعِيدُ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُرْسِلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَجَاءَ وَرَأْسَهُ يَقَطُرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَمَّا أَغْلَبْنَاكُمْ؟)) فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا أَغْلَبْتُمْ - أَوْ لَحِطْتُمْ - فَعَلَيْكُمُ الْوُضُوءُ)).

तशरीह: ये सब रिवायात इब्तिदाई अहद से मुता'ल्लिक हैं। अब सुहबत के बाद गुस्ल फ़र्ज़ है ख़्वाह इंज़ाल हो या न हो, 'क़ालन्नववी इअलम अन्नल उम्मत मुज्तामिअतुल्लआन अला वुजूबिल गुस्लि बिल्लिजमाइ व इल्लम यकुम्मअहू इन्ज़ालुन व कानत जमाअतुम्मिनस्सहाबति अला अन्नहू ला यजिबु इल्ला बिल इन्ज़ालि घुम्म रजअ बअजुहुम वन्अकदल इज्माउ बदअल आख़रीन इन्तहा कुल्लु ला शक़ फ़ी अन्न मज़हबल जुम्हूरि हुवल हक्कु वष्रवाबु' (तुहफ़तुल अहवज़ी पेज नं. 110-111)

यानी अब उम्मत का इज्माअ है कि जिमाअ करने से गुस्ल वाजिब होता है मनी निकले या न निकले। (हज़रत मौलाना व शैख़ुना अल्लामा अब्दुरहमान मुबारकपुरी (रह) फ़र्माते हैं) कि मैं कहता हूँ यही हक्क व स़वाब है।

बाब 32 : उस शख़्स के बारे में जो अपने साथी को वुजू कराए

۳۲- بَابُ الرَّجُلِ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ

(181) हमसे मुहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमको यज़ीद बिन हारून ने यह्या से ख़बर दी, वो मूसा बिन इब्बा से, वो कुरैब इब्ने अब्बास के आज़ादकर्दा गुलाम से, वो उसामा बिन ज़ैद से नक़ल करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) जब अरफ़ा से लौटे तो (पहाड़ की) घाटी की जानिब मुड़ गए, और रफ़अे हाज़त की उसामा कहते हैं कि फिर (आप ﷺ ने वुजू किया और) मैंने आप (ﷺ) के (अअज़ा) पर पानी डालने लगा और आप (ﷺ) वुजू फ़र्माते रहे। मैंने कहा या रसूलुल्लाह (ﷺ)! आप (अब) नमाज़ पढ़ेंगे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया नमाज़ की जगह तुम्हारे सामने (यानी मुज़दलिफ़ा में) है, वहाँ नमाज़ पढ़ी जाएगी।

۱۸۱- حَدَّثَنَا بَنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَفَاضَ مِنْ غَرَفَةِ عَبْدِ إِلَى الشَّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ. قَالَ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: لَجَعَلْتُ أَصْبُ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ: ((الْمُصَلِّيُ أَمَامَكَ)).

इस हदीष से प्राबित हुआ कि वुजू में दूसरे आदमी की मदद लेना जाइज़ है।

(182) हमसे अमर बिन अली ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल वट्टहाब ने बयान किया, उन्होंने कहा मैंने यह्या बिन सईद से सुना, उन्होंने कहा मुझे सअद बिन इब्राहीम ने नाफ़ेअ बिन जुबैर बिन मुतइम से बतलाया। उन्होंने इर्वा बिन मुगीरह बिन शुअबा से सुना, वो मुगीरह बिन शुअबा (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि वो एक सफ़र में रसूले करीम (ﷺ) के साथ थे। (वहाँ) आप

۱۸۲- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ غُرْوَةَ بْنَ الْمُبَيْرَةِ بْنَ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ

रफ़ा़े हाज़त के लिए तशरीफ़ ले गए (जब आप वापस आए, आप ﷺ ने वुजू शुरू किया) तो मुग़ीरह बिन शुअबा आपके (अअज़ा—ए—वुजू) पर पानी डालने लगे। आप (ﷺ) वुजू कर रहे थे आपने अपने मुँह और हाथों को धोया, सर का मसह किया और मौज़ों पर मसह किया।

(दीगर मक़ाम : 203, 206, 363, 388, 2918, 4421, 5798, 5799)

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَأَنَّهُ ذَهَبَ بِحَاجَةٍ لَهُ وَأَنَّ الْمُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَفَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخَفَيْنِ.

[أطرافه في : ٢٠٣، ٢٠٦، ٣٦٣، ٣٨٨،

٢٩١٨، ٤٤٢١، ٥٧٩٨، ٥٧٩٩.]

٣٧- بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ

الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

وَقَالَ مَتَّوَرٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَامِ، وَيَكْتَبُ الرِّسَالَةَ عَلَى غَيْرِ وَضُوءٍ. وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ إِزَارٌ فَسَلِّمْ، وَإِلَّا فَلَا تَسَلِّمْ.

١٨٣- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - وَهِيَ خَالَتُهُ - فَاصْطَبَحَتْ فِي عَرْضِ الرِّسَادَةِ، وَاصْطَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ - أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ - اسْتَبَقَطَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ. ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِيمِ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ. ثُمَّ قَامَ إِلَى شَيْءٍ مُعْلَقَةٍ

बाब 37 : बेवुजू होने की हालत में तिलावते कुर्आन करना वग़ैरह और जो जाइज़ हैं उनका बयान

मंसूर ने इब्राहीम से नक़ल किया है कि हम्माम (गुस्लखाना) में तिलावते कुर्आन में कुछ हर्ज नहीं, इसी तरह बग़ैर वुजू खत लिखने में (भी) कुछ हर्ज नहीं और हम्माम ने इब्राहीम से नक़ल किया है कि अगर उस (हम्माम वाले आदमी के बदन) पर तहबन्द हो तो उसको सलाम करो, और अगर (तहबन्द) न हो तो सलाम मत करो।

(183) हमसे इस्माईल ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक ने मख़रमा बिन सुलैमान के वास्ते से नक़ल किया, वो कुरैब—इब्ने अब्बास (रज़ि.) के आज़ादकर्दा गुलाम—से नक़ल करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी कि उन्होंने एक रात रसूले करीम (ﷺ) की ज़ोज—ए—मुतहहरा और अपनी ख़ाला हज़रते मैमूना (रज़ि.) के घर में गुज़ारी। (वो फ़माते हैं कि) मैं तकिया के अर्ज़ (यानी गोशे) की तरफ़ लेट गया और रसूले करीम (ﷺ) और आपकी अहलिया ने (मा'मूल के मुत्ताबिक़) तकिये की लम्बाई पर (सर रखकर) आराम फ़र्माया। रसूलुल्लाह (ﷺ) सोते रहे और जब आधी रात हो गई या उससे कुछ पहले या उसके कुछ बाद आप बेदार हुए और अपने हाथों से अपनी नींद को दूर करने के लिए आँखें मलने लगे। फिर आपने सूरह आले इमरान की आख़िरी दस आयतें पढ़ीं, फिर एक मशकीज़े के पास जो (छत में) लटका हुआ था आप खड़े हो गए

हिशाम बिन उर्वा के वास्ते से नक़ल किया, वो अपनी बीवी फ़ातिमा से, वो अपनी दादी अस्मा बिनते अबीबक्र से रिवायत करती हैं, वो कहती हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़ोजा मुहतरमा आइशा (रज़ि.) के पास ऐसे वक़्त आई जबकि सूरज को गहन लग रहा था और लोग खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे, क्या देखती हूँ कि वो भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ रही हैं। मैंने कहा कि लोगों को क्या हो गया है? तो उन्होंने अपने हाथ से आसमान की तरफ़ इशारे से कहा, सुब्हानल्लाह! मैंने कहा (क्या ये) कोई (खास) निशानी है? तो उन्होंने इशारे से कहा कि हाँ! तो भी मैं आपके साथ नमाज़ के लिए खड़ी हो गई। (आपने इतना लम्बा क़याम किया कि) मुझ पर ग़शी तारी होने लगी और मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग हुए तो आपने अल्लाह की हम्दो-प्रना बयान की और फ़र्माया, आज कोई चीज़ ऐसी नहीं रही जिसको मैंने अपनी इसी जगह से न देख लिया हो यहाँ तक कि जन्नत और जहन्नम को भी देख लिया। और मुझ पर ये वह्य की गई है कि तुम लोगों को क़ब्रों में आजमाया जाएगा। दज्जाल जैसी आजमाइश या उसके क़रीब-क़रीब। (रावी का बयान है कि) मैं नहीं जानती कि अस्मा ने कौनसा लफ़्ज़ कहा। तुममें से हर एक के पास (अल्लाह के फ़रिश्ते) भेजे जाएँगे और उससे कहा जाएगा कि तुम्हारा उस शख़्स (यानी मुहम्मद ﷺ) के बारे में क्या ख़याल है? फिर अस्मा ने लफ़्ज़ ईमानदार कहा या यक़ीन रखनेवाला कहा। मुझे याद नहीं। (बहरहाल वो शख़्स) कहेगा कि मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो हमारे पास निशानियाँ और हिदायत की रोशनी लेकर आए थे। हमने (उसे) कुबूल किया, ईमान लाए, और (आपका) इत्तिबा किया। फिर (उससे) कह दिया जाएगा कि तो सो जा दरौं हाली कि ये कि तू मर्दे सालेह है और हम जानते थे कि मोमिन है और बहरहाल मुनाफ़िक़ या शकी आदमी, अस्मा ने कौनसा लफ़्ज़ कहा मुझे याद नहीं (जब उससे पूछा जाएगा) कहेगा कि मैं (कुछ) नहीं जानता, मैंने लोगों को जो कहते सुना, वही मैंने भी कह दिया।

(राजेज़ : 86)

مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ امْرَأَتِهِ
فَاطِمَةَ عَنْ جَدِّهَا اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِي بَكْرٍ
اَنَّهَا قَالَتْ: اَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ،
حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، لِاِذَا النَّاسُ لِيَامٍ
يُصَلُّونَ، وَاِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي. فَقُلْتُ:
مَا لِلنَّاسِ؟ فَاَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ
وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ. فَقُلْتُ: آيَةٌ؟
فَاَشَارَتْ اَنْ نَعَمْ. فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّيْتِ
الْفُشَى، وَجَعَلْتُ اُصْبُ فَوْقَ رَاسِي مَاءً.
فَلَمَّا اَنْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَحَمِدَ اللهُ
وَاَتَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ
لَمْ اَرَهُ اِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى
الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنْكُمْ
تُقْتَلُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ - اَوْ قَرِيْبًا مِنْ -
فِتْنَةِ الدَّرَجَالِ (لَا اُذْرِي اَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ
اَسْمَاءُ) يُؤْتَى اَحَدَكُمْ فَيَقَالُ لَهُ: مَا عَلِمَكَ
بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ (اَوْ الْمُؤْمِنَةُ) لَا
اُذْرِي اَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ) فَيَقُولُ: هُوَ
مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ
وَالْهُدَى، فَاجْبَنَّا وَاَمْنَا وَاَتَبَعْنَا. فَيَقَالُ: نَمَّ
صَالِحًا، فَقَدْ عَلِمْنَا اِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا. وَاَمَّا
الْمُنَافِقُ (اَوْ الْمُنَافِقَةُ) لَا اُذْرِي اَيَّ ذَلِكَ
قَالَتْ اَسْمَاءُ) فَيَقُولُ: لَا اُذْرِي، سَمِعْتُ
النَّاسَ يَقُوْلُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ))

[راجع: ٨٦]

हज़रत इमामुल मुहद्दिप्पिन ने इससे प्राबित किया कि मामूली ग़शी (बेहोशी) के दौर से वुजू नहीं टूटता कि हज़रत अस्मा (रज़ि) अपने सर पर पानी डालती रहीं और फिर भी नमाज़ पढ़ती रहीं।

→ बाब 39 : इस बारे में कि पूरे सर का मसह करना ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह तआला का इर्शाद है कि अपने सरोँ का मसह करो और इब्ने मुसय्यब ने कहा है कि सर का मसह करने में औरत मद की तरह है। वो (भी) अपने सर का मसह करे। इमाम मालिक (रह.) से पूछा गया कि क्या कुछ हिस्सा सर का मसह करना काफ़ी है? तो उन्होंने दलील में अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की (ये) हदीष पेश की, या'नी पूरे सर का मसह करना चाहिये

(185) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको इमाम मालिक ने अम्र बिन यह्या अल माज़िनी से ख़बर दी, वो अपने बाप से नक़ल करते हैं कि एक आदमी ने अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) जो अम्र बिन यह्या के दादा हैं, से पूछा कि क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किस तरह वुजू किया है? अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) ने कहा कि हाँ! फिर उन्होंने पानी का बर्तन मंगवाया पहले पानी अपने हाथों पर डाला और दो बार धोए। फिर तीन बार कुल्ली की, तीन बार नाक साफ़ की, फिर तीन बार अपना चेहरा धोया। फिर कुहनियों तक अपने दोनों हाथ दो-दो बार धोये। फिर अपने दोनों हाथों से अपने सर का मसह किया। इस तौर पर अपने हाथ (पहले) आगे लाए फिर पीछे ले गए। (मसह) सर के इब्तिदाई हिस्से से शुरू किया। फिर दोनों हाथ गुद्दी तक ले जाकर वहीं वापस लाए जहाँ से (मसह) शुरू किया था, फिर अपने पैर धोए।

(दीगर मक़ाम : 186, 191, 196, 197, 199)

۳۹- بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ﴾ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: الْمَرَأَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا. وَسُئِلَ مَالِكٌ: أَيَجْزِيءُ أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ الرَّأْسِ؟ لَأَخْتَجَّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ.

۱۸۵- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى - أَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ. فَذَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ: بَدَأَ بِمَقْدَمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاءَ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

[أطرافه في : ۱۸۶، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۷، ۱۹۹].

तशरीह : इमाम बुखारी (रह) और इमाम मालिक (रह) का मसलक ये है कि पूरे सर का मसह करना ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह पाक ने अपने इर्शाद वम्सहू बिरुऊसिकुम (अल माइदा : 6) में कोई हद्द मुकरर नहीं की कि आधे या चौथाई सर का मसह करो। जैसे हाथों में कोहनियों तक और पैरों में टखनों तक की क़ैद मौजूद है तो मा'लूम हुआ कि सारे सर का मसह फ़र्ज़ है जब सर पर अमामा न हो और अगर अमामा हो तो पेशानी से सर का मसह शुरू करके अमामा पर हाथ फेर लेना काफ़ी है। अमामा उतारना ज़रूरी नहीं। हदीष की रू से यही मसलक सहीह है।

बाब 40 : इस बारे में कि टखनों तक पांव धोना ज़रूरी है

(186) हमसे मूसा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे वहब

۴۰- بَابُ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ إِلَى

الكَعْبَيْنِ

۱۸۶- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ

ने बयान किया, उन्होंने अम्र से, उन्होंने अपने बाप (यह्या) से खबर दी, उन्होंने कहा कि मेरी मौजूदगी में अम्र बिन हसन ने अब्दुल्लाह बिन जैद (रज़ि.) से रसूलुल्लाह (ﷺ) के वुजू के बारे में पूछा तो उन्होंने पानी का तश्त मंगवाया और उन (पूछनेवालों) के लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) जैसा वुजू किया। (पहले तश्त) से अपने हाथों पर पानी डाला। फिर तीन बार हाथ धोये, फिर अपना हाथ तश्त में डाला (और पानी लिया) फिर कुल्ली की, नाक में पानी डाला, नाक साफ़ की, तीन चुल्लुओं से, फिर अपना हाथ तश्त में डाला और तीन बार मुँह धोया। फिर अपने दोनों हाथ कुहनियों तक दो बार धोये। फिर अपना हाथ तश्त में डाला और सर का मसह किया। (पहले) आगे लाए और फिर पीछे ले गए, एक बार। फिर टखनों तक अपने दोनों पांव धोये।

(राजेअ: 185)

बाब 41 : लोगों के वुजू का बचा हुआ पानी

इस्ते'माल करना

जर्रीर बिन अब्दुल्लाह ने अपने घरवालों को ये हुक्म दिया था कि वो उनके मिस्वाक के बचे हुए पानी से वुजू कर लें।

यानी मिस्वाक जिस पानी में डूबी रहती थी, उस पानी से घर के लोगों को बखुशी वुजू करने के लिए कहते थे।

(187) हमसे आदम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हकम ने बयान किया, उन्होंने अबू जुहैफ़ा (रज़ि.) से सुना, वो कहते थे कि (एक दिन) रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास दोपहर के वक़्त तशरीफ़ लाए तो आपके लिए वुजू का पानी हाज़िर किया गया जिससे आपने वुजू फ़र्माया। लोग आपके वुजू का बचा हुआ पानी लेकर उसे (अपने बदन पर) मलने लगे। आप (ﷺ) ने जुहर की दो रकअतें अदा की और अम्र की भी दो रकअतें और आपके सामने (आड़ के लिए) एक नेज़ा था।

(दीगर मक़ाम : 376, 495, 499, 501, 633, 3553, 3566, 5786, 8559)

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَهْدَةَ عَنْ أَبِيهِ سَهْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَنْهُ اللَّهُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ وَضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ، لَدَعَا بِمَوْزٍ مِنْ مَاءٍ فَوَضَا لَهُمْ وَضُوءَ النَّبِيِّ ﷺ: فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْقَوْرِ فَمَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْقَوْرِ فَمَضَمَضَ وَاسْتَشَقَّ وَاسْتَشَقَّرَ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. [راجع: 185].

٤١- بَابُ اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ

النَّاسِ

عَنْهَا أَيُّهَا الْمَلَأَةُ إِنَّهُ يَتَوَضَّؤُا

بِأَيِّهِ يَنْعَفِرُ.

١٨٧- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَحِيفَةَ يَقُولُ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ، فَأَتَى بِوَضُوءٍ فَوَضَا، فَمَجَّلَ النَّاسَ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِهِ وَضُوءِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ رَكَعَتَيْنِ، وَالْمَصْرَ رَكَعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنُودًا. [أطرافه في: ٤٩٩، ٤٩٥، ٣٧٦، ٣٥٦٦، ٣٥٥٣، ٦٣٤، ٦٣٣، ٥٠١]

[٥٨٥٩، ٥٧٨٦]

(188) (और एक दूसरी हदीष में) अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने एक प्याला मंगवाया। जिसमें पानी था। उससे आप (ﷺ) ने अपने हाथ धोये और उसी प्याले में मुँह धोया और उसमें कुल्ली फ़र्माई, फिर फ़र्माया कि, तुम लोग इसको पी लो और अपने चेहरों और सीनों पर डाल लो।

(दीगर मक़ाम : 196, 4328)

इससे मा'लूम हुआ कि इंसान का झूठा पानी नापाक नहीं होता। जैसे कि कुल्ली का पानी कि उसको आप (ﷺ) ने उन्हें पी लेने का हुक्म फ़र्माया। इससे ये भी मा'लूम हुआ कि मुस्तअमल (इस्ते'माल किया हुआ) पानी पाक है।

(189) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे यअक़ूब बिन इब्राहीम बिन सअद ने, कहा हमसे मेरे बाप ने, उन्होंने झालेह से सुना। उन्होंने इब्ने शिहाब से, कहा उन्हें महमूद बिन अरबीअ ने ख़बर दी, इब्ने शिहाब कहते हैं महमूद वही हैं कि जब वो छोटे थे तो रसूले करीम (ﷺ) ने उन्हीं के कुएँ (के पानी) से उनके मुँह में कुल्ली डाली थी और उर्वा ने इसी हदीष को मिस्वर वग़ैरह से भी बयान किया है और हर एक (रावी) उन दोनों में से एक-दूसरे की तस्दीक़ करते हैं कि जब रसूले करीम (ﷺ) वुजू करते तो आपके बच्चे हुए वुजू के पानी पर सहाबा (रज़ि.) झगड़ने के करीब हो जाते थे।

(राजेअ : 77)

तशरीह : ये एक तवील हदीष का हिस्सा है जो किताबुशरूत में नक़ल की है और ये सुलहे हुदैबिया का वाक़िया है जब मुश्किनी की तरफ़ से उर्वा बिन मसऊद प्रक़फी आपसे बातचीत करने आया था। उसने वापस होकर मुश्किनीने मक्का से सहाबा किराम की जाँनिषारी को वालिहाना अंदाज़ में बयान करते हुए बतलाया कि वो ऐसे सच्चे फ़िदाई हैं कि आपके वुजू से जो पानी बच रहता है उसको लेने के लिए ऐसे दौड़ते हैं गोया करीब है कि लड़ मरेंगे। इससे भी आबे मुस्तअमल (इस्ते'माल किये हुए पानी) का पाक होना प्राबित हुआ।

(190) हमसे अब्दुरहमान बिन यूनुस ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हातिम बिन इस्माईल ने जअद से के वास्ते से बयान किया, कहा उन्होंने साइब बिन यज़ीद से सुना, वो कहते थे कि मेरी ख़ाला मुझे नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ले गई और कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरा ये भांजा बीमार है, आपने मेरे सर पर अपना हाथ फेरा, और मेरे लिए बरकत की दुआ की, फिर आपने वुजू किया और मैंने आपके वुजू का बचा हुआ पानी पिया।

۱۸۸- وَقَالَ أَبُو مُوسَى: دَعَا النَّبِيَّ ﷺ بِدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَسَلَّ يَدَيْهِ وَوَجَّهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمَا: ((اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وَجْهِكُمَا وَتُحَوِّرْهُمَا)).

[طرفاه في : ۱۹۶، ۴۳۲۸].

۱۸۹- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِي وَجْهِهُ وَهُوَ غَلَامٌ مِنْ بَنِيهِمْ. وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمَسْوَرِ وَغَيْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ كَادُوا يَقْتِيلُونَ عَلَيَّ وَضَوْئِهِ. [راجع: ۷۷].

۱۹۰- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْجَعْفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَقَعَ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَاتِ. ثُمَّ تَوَضَّأَ

फिर मैं आपकी कमर के पीछे खड़ा हो गया और मैंने मुहरे नुबुव्वत देखी जो आपके मूँदों के बीच ऐसी थी जैसे छप्पर-खट की घुंडी (या कबूतर का अण्डा)।

(दीगर मक़ाम : 3540, 3541, 5670, 6352)

فَشْرَبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كِفْيَيْهِ مِثْلَ زُرِّ الْحَجَلَةِ.

[أطرافه في: ٣٥٤٠، ٣٥٤١، ٥٦٧٠،

٦٣٥٢]

वुजू का बचा हुआ पानी पाक था जब ही तो उसे पिया गया। पस जो लोग इस्ते'माल किये हुए पानी को नापाक कहते हैं वो बिलकुल ग़लत हैं।

बाब 42 : एक ही चुल्लू से कुल्ली करने और नाक में पानी डालने के बयान में

٤٢- بَابُ مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَشَقَّ

مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

(191) हमसे मुसद्द ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे खालिद बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे अम्र बिन यह्या ने अपने बाप (यह्या) के वास्ते से बयान किया, वो अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि (वुजू करते वक़्त) उन्होंने बर्तन से (पहले) अपने दोनों हाथों पर पानी डाला। फिर उन्हें धोया, फिर धोया। (या यूँ कहा कि) कुल्ली की और नाक में एक चुल्लू से पानी डाला। और तीन बार इसी तरह किया। फिर तीन बार अपना चेहरा धोया फिर कुहनियों तक अपने दोनों हाथ दो-दो बार धोये फिर सर का मसह किया। अगली जानिब और पिछली जानिब का और टख़नों तक अपने दोनों पांव धोये, फिर कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का वुजू इसी तरह हुआ करता था। (राजेअ: 185)

١٩١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَلْفَغَ

مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ فَفَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ

أَوْ مَضْمَضَ وَاسْتَشَقَّ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ

فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا. فَفَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ

غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ،

وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَرَ، وَغَسَلَ

رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا

وَضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. [راجع: ١٨٥].

ये शक इमाम बुखारी (रह) के उस्ताद शैख मुसद्द से हुआ है। मुस्लिम की रिवायत में शक नहीं है। साफ़ यूँ मज़कूर है कि अपना हाथ बर्तन में डाला फिर उसे निकाला और कुल्ली की हदीष और बाब में मुताबक़त ज़ाहिर है।

बाब 43 : सर का मसह एक बार करने के बयान में

٤٣- بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً

(192) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे वुहैब ने बयान किया, उनसे अम्र बिन यह्या ने अपने बाप (यह्या) के वास्ते से बयान किया, वो कहते थे कि मेरी मौजूदगी में अम्र बिन हसन ने अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) से रसूले करीम (ﷺ) के वुजू के बारे में पूछा। तो अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) ने पानी का एक त़श्त मंगवाया, फिर उन (लोगों) के दिखाने के

١٩٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ :

حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى

عَنْ أَبِيهِ قَالَ : شَهِدْتُ عَمْرُو بْنَ أَبِي

حَسَنِ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وَضُوءِ

النَّبِيِّ ﷺ، فَذَعَا بِعَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ،

लिए वुजू (शुरू) किया। तशत से अपने हाथ पर पानी गिराया। फिर उन्हें तीन बार धोया। फिर अपना हाथ बर्तन के अंदर डाला, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डालकर नाक साफ़ की, तीन चुल्लुओं से तीन बार। फिर अपना हाथ बर्तन के अंदर डाला और अपने मुँह को तीन बार धोया। फिर अपना हाथ बर्तन में डाला और दोनों हाथ कुहनियों तक दो-दो बार धोये (फिर) सर का मसह किया इस तरह कि (पहले) आगे की तरफ़ अपना हाथ लाए फिर पीछे की तरफ़ ले गए। फिर बर्तन में अपना हाथ डाला और अपने दोनों पांव धोए (दूसरी रिवायत में) हमसे मूसा ने, उनसे वुहैब ने बयान किया कि आपने सर का मसह एक बार किया। (राजेअ: 185)

فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَفَسَلَهُمَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ لَمْضَمُّضٍ وَاسْتَشَقَّ وَاسْتَشَقَّ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ عَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَفَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَفَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ لَمْسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدِهِ وَأَذْبَرَ بِهَا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَفَسَلَ رِجْلَيْهِ . وَحَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ : مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً . [راجع : ١٨٥] .

मा'लूम हुआ कि एक बार तो वुजू में धोये जाने वाले हर हिस्से का धोना फ़र्ज़ है। दो मर्तबा धोना काफ़ी है और तीन मर्तबा धोना सुन्नत है। इसी तरह कुल्ली और नाक में पानी एक चुल्लु से सुन्नत है। सर का मसह एक बार करना चाहिये, दो बार या तीन बार नहीं है।

बाब 44 : इस बारे में कि शौहर का अपनी बीवी के साथ वुजू करना और औरत का बचा हुआ पानी इस्ते'माल करना जाइज़ है

हज़रते इमर (रज़ि.) ने गर्म पानी से और ईसाई औरत के घर के पानी से वुजू किया।

ये दो अलग-अलग अषर हैं पहले को सईद बिन मंसूर ने और दूसरे को शाफ़िई और अब्दुरज़ाक़ ने निकाला है। इमाम बुखारी (रह) की ग़र्ज़ सिर्फ़ ये है कि जैसे कुछ लोग औरत के बचे हुए पानी से तहारत करना मना समझते हैं, इसी तरह गर्म पानी से या काफ़िर के घर के पानी से भी मना समझते थे। हालाँकि ये ग़लत है। गर्म पानी से भी और काफ़िर के घर के पानी से भी बशर्ते कि उसका पाक होना यक़ीनी हो, तहारत की जा सकती है।

(193) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमको मालिक ने नाफ़ेअ से ख़बर दी, वो अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं। वो फ़र्माते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) के ज़माने में औरत और मर्द सब एक साथ (एक ही बर्तन से) वुजू किया करते थे।

٤٤ - بَابُ وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ ، وَفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ وَتَوَضُّأَ عَمْرٍو بِالْحَمِيمِ وَمِنْ بَيْتِ نَضْرَانِيَّةٍ

١٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَةَ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَمِيعًا .

बाब 45 : रसूले करीम (ﷺ) का एक बेहोश आदमी पर अपने वुजू का पानी छिड़कने के बयान में

٤٥ - بَابُ صَبِّ النَّبِيِّ ﷺ وَضُوءَهُ عَلَى الْمَغْمَى عَلَيْهِ

(194) हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअबा ने मुहम्मद बिन मुंकदिर के वास्ते से, उन्होंने हज़रत जाबिर (रज़ि.) से सुना, वो कहते थे कि रसूले करीम (ﷺ) मेरी मिज़ाजपुर्सी के लिये तशरीफ़ लाए। मैं बीमार था ऐसा कि मुझे होश तक नहीं था। आप (ﷺ) ने वुजू किया और अपने वुजू का पानी मुझ पर छिड़का, तो मुझे होश आ गया। मैंने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरा वारिष कौन होगा? मेरा तो सिर्फ़ एक कलाला वारिष है। इस पर आयते मीराष नाज़िल हुई।

(दीगर मक्राम : 4577, 5651, 5664, 5676, 6723, 2743, 7309)

कलाला उसको कहते हैं जिसका न बाप दादा हो, न उसकी औलाद हो। बाब की मुनासबत इससे ज़ाहिर है कि आप (ﷺ) ने वुजू का बचा हुआ पानी जाबिर पर डाला। अगर ये नापाक होता तो आप (ﷺ) न डालते। आयत यूँ है। यस्तपुतुनककुलि़ल्लाहु युप्तीकुम फ़िल कलालति (अन् निसा : 176) तपसीली ज़िक्र किताबुत् तपसीर में आया। इशाअल्लाह तआला

बाब 46 : लगन, प्याले, लकड़ी और पत्थर के बर्तन से गुस्ल और वुजू करने के बयान में

(195) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुनीर ने बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन बक्र से सुना, कहा हमको हुमैद ने ये हदीष बयान की। उन्होंने अनस से नक़ल किया। वो कहते हैं कि (एक बार) नमाज़ का वक़्त आ गया, तो जिस श़ा़इस का मकान करीब ही था वो वुजू करने अपने घर चला गया और कुछ लोग (जिनके मकान दूर थे) रह गए। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास पत्थर का एक लगन लाया गया। जिसमें कुछ पानी था और वो इतना छोटा था कि आप उसमें अपनी हथेली नहीं फैला सकते थे। (मगर) सबने उस बर्तन के पानी से वुजू कर लिया, हमने हज़रत अनस (रज़ि.) से पूछा कि तुम कितने नफ़र (लोग) थे? कहा अस्सी (80) से कुछ ज़्यादा ही थे। (राजेअ : 169)

ये रसूले करीम (ﷺ) का मुअज़ज़ा था कि इतनी कलील मिक्दार (थोड़ी सी मात्रा) से इतने लोगों ने वुजू कर लिया।

(196) हमसे मुहम्मद बिन अल अलाइ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अबू उसामा ने बुरैद के वास्ते से बयान किया, वो अबू बुर्दा से, वो अबू मूसा (रज़ि.) से रिवायत हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ)

۱۹۴- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَكْدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوَدِّي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَغْفِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وُضُوئِهِ، فَعَقَلْتُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنِ الْوَيْثَاءُ، إِنَّمَا يَرْتَبِي كَلَالَةٌ؟ فَتَرَلَّتْ آيَةُ الْفَرَأِضِ.

[أطرافه في : ٥٦٧٧، ٥٦٥١، ٥٦٦٤،

٥٦٧٦، ٦٧٢٣، ٦٧٤٣، ٧٣٠٩.]

۴۶- بَابُ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ فِي الْمِخْضَبِ وَالْقَدْحِ وَالْحَشْبِ وَالْحِجَارَةِ

۱۹۵- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ وَتَقَى قَوْمَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ، فَصَغَرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَسْتِطِيعَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ. قُلْنَا: كَمْ كُنْتُمْ. قَالَ: ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً.

[راجع : ١٦٩.]

۱۹۶- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

ने एक प्याला मंगाया जिसमें पानी था। फिर उसमें आपने अपने दोनों हाथों और चेहरों को धोया और उसी में कुल्ली की।

(राजेअ: 188)

गो इस हदीष में वुजू करने का जिक्र नहीं है। मगर चेहरे और हाथ धोने के जिक्र से मा'लूम होता है कि आप (ﷺ) ने पूरा ही वुजू किया था और रावी ने इख्तिसार से काम लिया है। बाब का मतलब निकलना ज़ाहिर है।

(197) हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल अजीज़ बिन अबी सलमा ने बयान किया, उनसे अमर बिन यह्या ने अपने बाप के वास्ते से बयान किया, वो अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से नक़ल करते हैं, वो कहते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) (हमारे घर पर) तशरीफ़ लाए, हमने आप (ﷺ) के लिये तांबे के बर्तन में पानी निकाला। (उससे) आप (ﷺ) ने वुजू किया। तीन बार चेहरा धोया, दो-दो बार हाथ धोये और सर का मसह किया (इस तरह कि) पहले आगे की तरफ़ (हाथ) लाए, फिर पीछे की जानिब ले गए और पैर धोये। (राजेअ: 185)

मा'लूम हुआ कि तांबे के बर्तन में पानी लेकर उससे वुजू करना जाइज़ है।

(198) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा हमको शुऐब ने जुहरी से खबर दी, कहा मुझे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन इत्बा ने खबर दी तहक्रीक हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जब रसूले करीम (ﷺ) बीमार हुए और आपकी बीमारी ज़्यादा हो गई तो आप (ﷺ) ने अपनी (दूसरी) बीवियों से इस बात की इजाज़त ले ली कि आपकी तीमारदारी मेरे ही घर की जाए। उन्होंने आपको इजाज़त दे दी, (एक दिन) रसूले करीम (ﷺ) दो आदमियों के बीच (सहारा लेकर) घर से निकले। आपके पांव (कमज़ोरी की वजह से) ज़मीन पर घिसटते जाते थे, हज़रत अब्बास (रज़ि.) और एक आदमी के बीच (आप बाहर) निकले थे। अब्दुल्लाह (हदीष के रावी) कहते हैं कि मैंने ये हदीष अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) को सुनाई, तो वो बोले, तुम जानते हो दूसरा आदमी कौन था, मैंने कहा कि नहीं! कहने लगे वो अली (रज़ि.) थे। फिर हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान फ़र्माती थीं कि जब नबी करीम (ﷺ) अपने घर में दाख़िल हुए और आपका मर्ज़ बढ़ गया। तो आपने फ़र्माया मेरे ऊपर ऐसी सात मश्कों का पानी

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِقَدْحٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَسَحَ فِيهِ.

[راجع: ١٨٨]

١٩٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْرَجَنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرِ، فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ. [راجع: ١٨٥]

١٩٨- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُعْرَضَ لِي بَيْتِي، فَأَذِنَ لِي. فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخَطُّ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ: بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ آخَرَ - قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْتَرِي. مِنَ الرَّجُلِ الْآخَرَ؟ فَقُلْتُ: لَا. قَالَ: هُوَ عَلِيُّ - وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ: ((مَرَيْتُكُمْ عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قَرَبٍ لَمْ

डालो, जिनके सरबन्दन खोले गए हों ताकि मैं (सकून के बाद) लोगों को कुछ वसियत करूँ। (चुनाँचे आपको हज़रत हप्सा रसूलुल्लाह ﷺ की (दूसरी) बीवी के लगन में (जो तांबे का था) बैठा दिया गया और हमने आप पर उन मशकों से पानी बहाना शुरू किया। जब आप हमको इशारा फ़र्माने लगे कि बस अब तुमने अपना काम पूरा कर दिया तो उसके बाद आप लोगों के पास बाहर तशरीफ़ ले गए।

(दीगर मक़ाम : 664, 665, 679, 683, 687, 712, 713, 716, 2588, 3099, 3386, 4442, 4445, 5714, 7303)

تَحَلَّلَ أَوْ كَتَبَتْ، لَعَلِّي أَخَعِدُ إِلَى النَّاسِ)).
وَأَجْلَسَ فِي مِغْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
ﷺ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُ عَلَيْهِ مِنْ بِلَاقِ الْقُرْبِ
حَتَّى طَفِقَ يُبَيِّرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْنَا. ثُمَّ
خَرَجَ إِلَى النَّاسِ.

[أطرافه في : ٦٦٤، ٦٦٥، ٦٧٩، ٦٨٣،

٦٨٧، ٧١٢، ٧١٣، ٧١٦، ٧٥٨٨،

٣٠٩٩، ٣٣٨٤، ٤٤٤٢، ٤٤٤٥،

٥٧١٤، ٧٣٠٣.]

कुछ तेज़ बुखारों में ठण्डे पानी से मरीज़ को गुस्ल दिलाना बेहद मुफ़ीद प्राबित हुआ। आजकल बर्फ़ भी ऐसे मवाक़ेअ पर सर और जिस्म पर रखी जाती है। बाब में जिन-जिन बर्तनों का ज़िक्र था बयान की गई अहदीष में उन सबसे वुजू करना प्राबित हुआ।

बाब 47 : तशत से (पानी लेकर) वुजू करने के बयान में

(199) हमसे ख़ालिद बिन मुख़्लद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सुलैमान ने, कहा मुझसे अम्र बिन यह्या ने अपने बाप (यह्या) के वास्ते से बयान किया, वो कहते हैं कि मेरे चचा बहुत ज़्यादा वुजू किया करते थे (या ये कि वुजू में बहुत पानी बहाते थे) एक दिन उन्होंने अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) से कहा कि मुझे बतलाइये रसूलुल्लाह (ﷺ) किस तरह वुजू करते थे। उन्होंने पानी का एक बर्तन मंगवाया। उसको (पहले) अपने हाथों पर झुकाया, फिर दोनों हाथ तीन बार धोये। फिर अपना हाथ बर्तन में डालकर (पानी लिया और) एक चुल्लू से कुल्ली की और तीन बार नाक झाफ़ की। फिर अपने हाथों से एक चुल्लू (पानी लिया और) तीन बार अपना चेहरा धोया। फिर कुहनियों तक अपने दोनों हाथ धोये। फिर हाथ में पानी लेकर अपने सर का मसह किया। तो (पहले अपने हाथ) पीछे ले गए, फिर आगे की तरफ़ लाए। फिर अपने दोनों पैर धोये। और फ़र्माया कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) को इसी तरह वुजू करते हुए देखा है। (राजेअ : 185)

٤٧- بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْوُضُوءِ

١٩٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا سَلْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ
يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَمِي يُكْبِرُ مِنَ
الْوُضُوءِ، فَقَالَ لِمَتَّبِعِ اللَّهُ بْنَ زَيْدٍ: أَخْبَرَنِي
كَتَبَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَنَدَّأَ بِوَجْهِ
مِنْ مَاءٍ فَكَفَّأَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ، ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ فِي الْوُضُوءِ فَغَسَسَ
وَأَسْتَقَرَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ عَرْفِهِ وَاجِدَهُ،
ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ فَاهْتَرَفَ بِهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَغَسَّحَ بِهِ
رَأْسَهُ فَادْبَرَ بِهِ وَالْقَلْبَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ
فَقَالَ: فَكُنَّا رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ.

[راجع: ١٨٥.]

हज़रत इमाम बुखारी (रह) ने ये हदीष लाकर यहाँ तशत से बराहे रास्त (सीधे तौर पर) वुजू करने का जवाज़ प्राबित किया है।

(200) हमसे मुसहद ने बयान किया, कहा हमसे हम्माद ने, वो प्राबित से, वो हज़रते अनस (रज़ि.) से रिवायत करते हैं किरसूले करीम (ﷺ) ने पानी का एक बर्तन त़लब किया तो आपके लिये एक चौड़े मुँह का प्याला लाया गया जिसमें कुछ थोड़ा पानी था, आपने उँगलियाँ उसमें डाल दीं। अनस कहते हैं कि मैं पानी की तरफ़ देखने लगा। पानी आपकी उँगलियों के बीच से फूट रहा था। अनस कहते हैं कि उस (एक प्याले) पानी से जिन लोगों ने वुजू किया वो सत्तर से अस्सी तक थे।

(राजेअ: 169)

ये हदीष पहले भी आ चुकी है, यहाँ उस बर्तन की एक खुसूसियत ये ज़िक्र की है कि वो चौड़े मुँह का फैला हुआ बर्तन था। जिसमें पानी की मिक्दार कम आती है। ये रसूले करीम (ﷺ) का मुअज़ज़ा था कि इतनी कम मिक्दार से अस्सी आदमियों ने वुजू किया।

बाब 48 : मुद् से वुजू करने के बयान में

(201) हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा हमसे मिस्अर ने, कहा मुझसे इब्ने जुबैर ने, उन्होंने हज़रते अनस (रज़ि.) को ये फ़र्माते हुए सुना किरसूलुल्लाह (ﷺ) जब धोते या (ये कहा कि) जब नहाते तो एक साअ से लेकर पाँच मुद् तक (पानी इस्ते'माल करते थे) और जब वुजू करते तो एक मुद् (पानी) से।

तशरीह : एक पैमाना अरब में राइज (चलन में) था जिसमें एक रतल और तिहाई रतल आता था, उसे मुद् कहा करते थे। इस हदीष की रोशनी में सुन्नत ये है कि वुजू एक मुद् पानी से कम से न करे और गुस्ल एक साअ पानी से कम से न करे। साअ चार मुद् का होता है और एक रतल और तिहाई रतल का हमारे मुल्क के वज़न से साअ सवा दो सैर होता है और मुद् आधा सैर से कुछ ज़्यादा। दूसरी रिवायत में है कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया वुजू में दो रतल पानी काफी है। सहीह ये है कि बइख़ितलाफ़ अश्खास व हालात ये मिक्दार मुख्तलिफ़ हुई है। पानी में फ़िज़ूलख़र्ची करना और बेज़रूरत पानी बहाना हर हाल में मना है। बेहतर यही है कि नबी (ﷺ) के फ़ेअल से तजावुज़ (उल्लंघन) न किया जाए।

बाब और रिवायतकर्दा हदीष से ज़ाहिर है कि हज़रत इमाम बुखारी (रह) वुजू और गुस्ल में तअय्युन मिक्दार (निर्धारित मात्रा) के क़ाइल हैं। अइम्म—ए हनफ़िय्या में से हज़रत इमाम मुहम्मद (रह) भी तअय्युने मिक्दार के क़ाइल और इमाम बुखारी (रह) के हमनवा (समर्थक) हैं।

अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने इग़ाप्रतुल्लहफ़ान में बड़ी तफ़्सील के साथ उन वस्वसों वाले लोगों का रद्द किया है जो वुजू और गुस्ल में मिक्दारे नबवी (ﷺ) को बनज़रे तख़्नीफ़ (कमी) देखते हुए तक्ज़ीरे माअ (ज़्यादा पानी) पर आमिल होते हैं। ये शैतान का एक फ़रेब है जिसमें ये लोग बुरी तरह से गिरफ़्तार हुए हैं और बजाए प्रवाब के अज़ाब के मुस्तहिक़ बनते हैं। तफ़्सील के लिए तहज़ीबुल ईमान तर्जुमा इग़ाप्रतुल्लहफ़ान मत्बूआ बरेली का पेज नं. 146 मुलाहिज़ा किया जाए।

ऊपर जिस साअ का ज़िक्र हुआ है उसे साअे हिजाज़ी कहा जाता है, साअ इराकी जो हनफ़िया का मामूल है वो आठ रतल और हिन्दुस्तानी हिसाब से वो साअ इराकी तीन सैर छः छटांक बनता है। नबी करीम (ﷺ) के अहदे मुबारक में साअ हिजाज़ी ही मुर्व्वज (प्रचलित) था। फ़ख़रुल मुहदिप्पीन हज़रत अल्लामा अब्दुरहमान साहब मुब्रकपुरी क़द्स सिर्रुहु फ़र्माते हैं, 'वल हासिल

٢٠٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ لَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَا بِنَاءً مِنْ مَاءٍ، فَأَتَى بِقَدَحٍ رُخْوَاخٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ، قَالَ أَنَسٌ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ. قَالَ أَنَسٌ فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ مِنْهُ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ.

[راجع: ١٦٩]

٤٨ - بَابُ الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

٢٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْرَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَبْرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْسِلُ - أَوْ كَانَ يَفْسِلُ - بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْذَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.

अन्नहू लम यकुम दलीलुन सहीहुन अला मा जहब इलैहि अबू हनीफ्त मिन अन्नल मुद् रतलानि व लिज़ालिक तरकल इमामु अबू यूसुफ़ मज़हबहू वख्तार मा जहब इलैहि जुम्हूर अहलिल इल्मि अन्नल मुद् रतलुन घुलुषु रत्लिन क़ालल बुख़ारी फ़ी सहीहिही बाबु साइल मदीनति व मुद्दिन्नबिद्यि (ﷺ) व बर्कतिही व मा तवारिष अहलुल मदीनति मिन ज़ालिक क़र्नन बअद क़र्निन इन्तहा इला आख़िरिही' (तुहफ़तुज अहवज़ी जिल्द 1 पेज नं. 59,60) खुलासा ये कि मुद् के वज़न दो रतल होने पर जैसा कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह) का मज़हब है कोई सहीह दलील कायम नहीं हुई। इसीलिए हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ (रह) ने जो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह) के अव्वलीन शागिर्द रशीद हैं, उन्होंने साअ के बारे में हनफ़ी मज़हब छोड़कर जुम्हूर अहले इल्म का मज़हब इख़्तियार फ़र्मा लिया था कि बिला शक़ मुद् रतल और घुलुषु रतल का होता है। इमाम बुख़ारी (रह) ने जामेइस्सहीह में साअे अल् मदीना और मुहन्नबी (ﷺ) के इन्वान से बाब मुनअक्किद किया है और बतलाया है कि यही बरकत वाला साअ था जो मदीना में बड़ों से छोटों तक बतौर वरषा के नक़ल होता रहा। हज़रत इमाम यूसुफ़ (रह) जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और इमामे दारुल हिज़रह हज़रत इमाम मालिक (रह) से मुलाक़ात फ़र्माई तो साअ के बारे में ज़िक्र चल पड़ा। जिस पर हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ (रह) ने आठ रतल वाला साअ पेश किया। जिसे सुनकर हज़रत इमाम मालिक (रह) अपने घर तशरीफ़ ले गये, और एक साअ लेकर आए और फ़र्माया कि रसूले करीम (ﷺ) का मामूला साअ यही है। जिसे वज़न करने पर पाँच रतल और घुलुषु का पाया गया। हज़रत इमाम यूसुफ़ (रह) ने उसी वक़्त साअे इराक़ी से रुजूअ फ़र्माकर साअे मदीना को अपना मज़हब क़रार दिया।

तअज्जुब है कि कुछ उलम—ए—अहनाफ़ ने हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ (रह) के इस वाक़िये का इन्कार किया है। हालाँकि हज़रत इमाम बैहक़ी और हज़रत इमाम इब्ने खुज़ैमा और हाकिम ने सहीह सनदों के साथ इसका ज़िक्र किया है और इसके सहीह होने की सबसे बड़ी दलील खुद हज़रत इमाम तहावी (रह) का बयान है जिसे अल्लामा मुबारकपुरी (रह) ने तुहफ़तुल अहवज़ी जिल्द अव्वल पेज नं. 60 पर इन अल्फ़ाज़ में नक़ल किया है, 'अख़रजत्तहावी फ़िल आषारि क़ाल हद्दषनब्नु अबी इम्रान क़ाल अख़बरना अलिय्युब्नु म़ालिहिन व बिशरुब्नुल वलीदु जमीअन अन अबी यूसुफ़ क़ाल कदिम्तुल मदीनत फअख़रुजु इला मन अभुक्कु बिही साअन फ़क़ाल हाज़ा साउन्नबिद्यि (ﷺ) फ़कहदतुहू फ़वजतुहू ख़म्सत अतांलिन व घुलुषु रत्लिन व समिअतुब्नु अबी इमरान यक़ूलु युक़ालु अन्नल्लज़ी उख़रिजु हाज़ा लिअबी यूसुफ़ हुव मालिकब्नु अनसिन।'

यानी हज़रत इमाम तहावी हनफ़ी (रह) ने अपनी सनद के साथ शरहूल आषार में इस वाक़िये को नक़ल किया है। इमाम बैहक़ी (रह) ने हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ (रह) के सफ़र का वाक़िया भी सनदे सहीह के साथ नक़ल किया है कि वो हज़ के मौक़े पर जब मदीना तशरीफ़ ले गये और साअ की तहकीक़ चाही तो अंसार व मुहाजिरीन के पचास बूढ़े अपने अपने घरों से साअ ले लेकर आए, उन सबको वज़न किया गया तो बख़िलाफ़ साअे इराक़ी के वो पाँच रतल और घुलुषु रतल का था। इन जुम्ला बुजुर्गों ने बयान किया कि यही साअ है जो आँहज़रत (ﷺ) के अहदे मुबारक से हमारे यहाँ मुख्वज (प्रचलित) है जिसे सुनकर हज़रत इमाम यूसुफ़ (रह) ने साअ के बारे में अहले मदीना का मसलक इख़्तियार कर लिया।

उलम—ए—अहनाफ़ ने इस बारे में जिन—जिन तावीलात से काम लिया है और जिस—जिस तरह से साअे हिजाज़ी की तर्दीद व तख़फ़ीफ़ करके अपनी तक़लीदे जामिद का घुबूत पेश किया है वो बहुत ही क़ाबिले अफ़सोस है। आइन्दा किसी मौक़े पर और तफ़्सीली रोशनी डाली जाएगी इशाअल्लाह।

अल्हम्दु लिल्लाह कि वर्तमान काल में भी बड़े—बड़े उलम—ए—हदीष के यहाँ साअे—हिजाज़ी सनद के साथ मौजूद है जिसे वो बवक़ते फ़रागत अपने क़ाबिल छात्रों को सनदे सहीह के साथ रिवायत करने की इजाज़त दिया करते हैं। हमारे शौख़ मुहतरम मौलाना अबू मुहम्मद अब्दुल जब्बार साहब शौख़ुल हदीष दारुल इलूम शकरावा के पास भी इस साअ की नक़ल बसनद सहीह मौजूद है। वल्हम्दु लिल्लाहि अला ज़ालिक

बाब 49 : मौज़ों पर मसह करने के बयान में

(202) हमसे अब्बग़ इब्नुल फ़रज ने बयान किया, वो इब्ने वहब से बयान करते हैं, कहा मुझसे अम्र ने बयान किया, कहा मुझसे अबुन्नज़र ने अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान के वास्ते से

٤٩- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ

٢٠٢- حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ عَنْ أَبِي

وَهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو

नक़ल किया, वो अब्दुल्लाह बिन उमर से, वो सअद बिन अबी वक्रास से, वो रसूले करीम (ﷺ) से नक़ल करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने मोज़ों पर मसह किया। अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा (सच है और याद रखो) जब तुमसे सअद रसूलुल्लाह (ﷺ) की कोई हदीष बयान फ़र्माएँ तो उसके बारे में उनके सिवा (किसी) दूसरे आदमी से मत पूछो और मूसा बिन इब्रबा कहते हैं कि मुझे अबुबज़र ने बतलाया, उन्हें अबू सलमा ने ख़बर दी कि सअद बिन अबी वक्रास ने उनसे (रसूलुल्लाह ﷺ की ये) हदीष बयान की। फिर उमर (रज़ि.) ने (अपने बेटे) अब्दुल्लाह से ऐसा कहा।

النَّضِرُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي
وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى
الْحُفْنَيْنِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ
عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا
سَعَدٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ خَيْرًا.
وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ
أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدًا حَدَّثَهُ فَقَالَ
عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ.

तशरीह:

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर जब हज़रत सअद बिन अबी वक्रास (रज़ि) के पास कूफ़ा आए और उन्हें मोज़ों पर मसह करते देखा तो उसकी वजह पूछी, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़ेअल का हवाला दिया कि आप (ﷺ) भी मसह किया करते थे, उन्होंने जब हज़रत उमर (रज़ि) से ये मसला पूछा और हज़रत सअद का हवाला दिया तो उन्होंने फ़र्माया कि हाँ सअद (रज़ि) की रिवायत काबिले ए'तिमाद (विश्वसनीय) है। वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से जो हदीष नक़ल करते हैं वो क़तइन सहीह होती है किसी और से तस्दीक कराने की ज़रूरत नहीं।

मोज़ों पर मसह करना तकरीबन सत्तर सहाबा किराम से मरवी है और ये ख़याल क़तइन ग़लत है कि सूरह माइदा के आयत से ये मंसूख हो चुका है क्योंकि हज़रत मुगीरा बिन शुअबा की रिवायत जो आगे आरही है। ग़ज़ब—ए—तबूक के मौक़े पर बयान की गई है, सूरह माइदा इससे पहले उतर चुकी थी और दूसरे रावी जरीर बिन अब्दुल्लाह भी सूरह माइदा उतरने के बाद इस्लाम लाए बहरहाल तमाम सहाबा के इतिफ़ाक़ से मोज़ों का मसह षाबित है और इसका इन्कार करने वाला अहले सुन्नत से ख़ारिज है।

(203) हमसे अमर बिन ख़ालिद अल हरानी ने बयान किया, कहा हमसे लैष ने यह्या बिन सईद के वास्ते से नक़ल किया, वो सअद बिन इब्राहीम से, वो नाफ़ेअ बिन जुबैर से, वो इवा इब्नुल मुगीरह से वो अपने बाप मुगीरह बिन शुअबा से रिवायत करते हैं वो रसूले करीम (ﷺ) से नक़ल करते हैं। (एक बार) आप (ﷺ) रफ़अे हाज़त के लिए बाहर गए तो मुगीरह पानी का एक बर्तन लेकर आपके पीछे गए, जब आप क़ज़ा-ए-हाज़त से फ़ारिग़ हो गए तो मुगीरह ने (आप ﷺ को वुज़ू कराते हुए) आप (के अअज़ा—ए—मुबारक) पर पानी डाला। आप (ﷺ) ने वुज़ू किया और मोज़ों पर मसह किया।

(204) हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा हमसे शैबान ने यह्या के वास्ते से नक़ल किया, वो अबू सलमा से, उन्होंने जा'फ़र बिन अमर बिन उमय्या अल ज़मरी से नक़ल किया, उन्हें उनके बाप ने ख़बर दी कि उन्होंने रसूले करीम (ﷺ) को मोज़ों पर मसह

٢٠٣- حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ خَالِدِ الْحَرَانِيُّ
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُمَيْرٍ
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُعِيزَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُعِيزَةَ بْنِ
شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ
لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُعِيزَةُ بِإِذَاوَةٍ لِيَهَا مَاءٌ
فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَّغَ مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأَ
وَمَسَحَ عَلَى الْخُفْنَيْنِ. [راجع: ١٨٢].

٢٠٤- حَدَّثَنَا أَبُو نُوَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ
عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
عُمَرُو بْنِ أُمِّةِ الضَّمْرِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ

करते हुए देखा। इस हदीष की मुताबअत में हर्ब और अबान ने यहाा से ये हदीष नक़ल की है।

(दीगर मक़ाम : 205)

(205) हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमें अब्दुल्लाह ने ख़बर दी, कहा हमको औज़ाई ने यहाा के वास्ते से ख़बर दी, वो अबू सलमा से, वो जा'फ़र बिन अमर से, वो अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) को अपने अमामा और मोज़ों पर मसह करते देखा। इसको रिवायत किया मअमर ने यहाा से, वो अबू सलमा से, उन्होंने अमर से मुताबअत की और कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा (आप वाक़ई ऐसा ही किया करते थे)

رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخَفَيْنِ.
وَكَاتِبَةُ حَرْبُ بْنُ شَدَادٍ وَأَبَانٌ عَنْ يَحْيَى.

[طرفه في : 205]

205 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخَفَيْهِ. وَكَاتِبَةُ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمْرٍو رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ.

तशरीह: अमामा पर मसह के बारे में हज़रत अल्लामा शम्सुल हक़ साहब मुहदिष डयानवी क़दस सिरुहु फ़र्माते हैं, 'कुल्लु अह्दादीषुल मस्हि अलल अमामति अख़रजहुल बुखारी व मुस्लिम व त्तिर्मिज़ी व अहमद व नसई व बन्नु माजत व ग़ैर वाहिदिम्मिनल अइम्मति मिन तुरूकिन कविध्यतिन मुत्तसिलतुल असानीदि व ज़हब इलैहि जमाअतुम्मिनस्सलफ़ि कमा अरफ़्तु व क़द ष़बत अनिन्नबिद्यि (ﷺ) अन्नहू मसह अलर्रासि फ़क़त व अलल उमामति फ़क़त व अलर्रासि वल उमामति मअन वल्कुल्लू सहीहुन ष़ाबितुनअन रसूलिल्लाहि (ﷺ) मौजूदुन फ़ी कुतुबिल अइम्मतिस्सिहाहि वन्नबिद्यु (ﷺ) मुबय्यिनुन अनिल्लाहि तबारक व तआला' (औनुल मअबूद जिल्द 1 पेज नं. 56)

यानी अमामा पर मसह की अह्दादीष बुखारी व मुस्लिम तिर्मिज़ी, अहमद, नसाई, इब्ने माजा और भी बहुत से इमामों ने पुख्ता मुत्तसिल सनदों के साथ रिवायत की हैं और सलफ़ की एक जमाअत ने इसे तस्लीम किया है और आँहज़रत (ﷺ) से ष़ाबित है कि आपने ख़ाली सर पर मसह किया और ख़ाली अमामा पर भी मसह किया और सर और अमामा दोनों पर इकठ्ठे भी मसह फ़र्माया। ये तीनों सूरतें रसूले करीम (ﷺ) से सहीह तौर पर ष़ाबित हैं और अइम्मा किराम की कुतुबे सिहाह में ये मौजूद हैं और नबी (ﷺ) अल्लाह पाक के फ़र्मान वमसह बिरुऊसिकुम (अल् माइदा : 6) के बयान फ़र्माने वाले हैं। (लिहाज़ा आपका ये अमल वहो ख़फ़ी के तहत है)

अमामा पर मसह के बारे में हज़रत उमर (रज़ि) से मरवी है कि आपने फ़र्माया, 'मल्लम युत्तहिहुल्मस्हु अलल अमामति फ़ला त़हिरहुल्लाहु र्वाहुल ख़ल्लालु बिइस्नादिही' यानी जिस शख़्स को अमामा पर मसह ने पाक न किया पस अल्लाह भी उसको पाक न करे। इस बारे में ह्नफ़िया ने बहुत सी तावीलात की हैं। कुछ ने कहा कि अमामा पर मसह करना बिदअत है। कुछ ने कहा कि आँहज़रत (ﷺ) ने पेशानी पर मसह करके पगड़ी को दुरुस्त किया होगा। जिसे रावी ने पगड़ी का मसह गुमान कर लिया। कुछ ने कहा कि चौथाई सर का मसह जो फ़र्ज़ था उसे करने के बाद आपने सुन्नत की तक्मील के लिए जाए मसह बक़िया सर के पगड़ी पर मसह कर लिया। कुछ ने कहा कि पगड़ी पर आपने मसह किया था। मगर वो बाद में मसूख़ हो गया।

हज़रतुल अल्लाम मौलाना मुहम्मद अनवर शाह साहब देवबन्दी मरहूम : मुनासिब होगा कि इन जुम्ला एहतिमालाते फ़ासिदा के जवाब में हम सरताजे उलेम—ए—देवबन्द हज़रत मौलाना अनवर शाह साहब (रह) का बयान नक़ल कर दें जिससे अंदाज़ा हो सकेगा कि अमामा पर मसह करने का मसला हक़ व ष़ाबित है या नहीं। हज़रत मौलाना मरहूम फ़र्माते हैं:

मेरे नज़दीक वाज़ेह व हक़ बात ये है कि मसहे अमामा तो अह्दादीष से ष़ाबित है और इसीलिए अइम्म—ए—ष़लाष़ा

(तीनों इमामों) ने भी (जो सिर्फ मसहे अमामा को अदाए फर्ज के लिए काफी नहीं समझते) इस अमर को तस्लीम कर लिया है और इस्तिहबाब या इस्तीआब के तौर पर इस को मशरूअ भी मान लिया है।

पस अगर इसकी कुछ असल न होती तो इसको कैसे इख्तियार कर सकते थे। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सिर्फ अल्फ़ाज़ पर जुमूद (जड़ता) करके दीन बनाते हैं। बल्कि उमूरे दीन की तअय्युन (दीनी कामों के निर्धारण) के लिये मेरे नज़दीक सबसे बेहरत तरीका ये है कि उम्मत का तवारुष और अइम्मा का मसलके मुख्तार मा' लूम किया जाए क्योंकि वो दीन के हादी वरहुनुमा और उसके मीनार व सतून थे और उन ही के वास्ते से हमको दीन पहुँचा है। उन पर उसके बारे में पूरा ए'तिमाद (यक़ीन) करना पड़ेगा और इसके बारे में किसी किस्म की भी बदगुमानी मुनासिब नहीं है।

ग़र्ज मसहे अमामा को जिस हद तक षाबित हुआ हमें दीन का जुज़ मानना है, इसीलिए इसको बिदअत कहने की जुअत भी हम नहीं कर सकते (जो कुछ किताबों में लिख दिया है) (अनवारूल बारी जिल्द 5 पेज नं. 192)

बिरादराने अहनाफ़, जो अहले हदीष से ख्वाह मख्वाह इस किस्म के फुरूई मसाइल में झगड़ते रहते हैं, वो अगर हज़रत मौलाना मरहूम के इस बयान को इस्लाम की नज़र से मुलाहज़ा करेंगे तो उन पर वाज़ेह हो जाएगा कि मसलके अहले हदीष के फुरूई मसाइल ऐसे नहीं हैं कि जिनको आसानी के साथ मत्रुकुल अमल और क़तअी ग़ैर-मक्बूल (अस्वीकार्य) करार दे दिया जाए। मसलके अहले हदीष की बुनियाद ख़ालिस किताब व सुन्नत पर है। जिसमें क़ील व क़ाल व आराए रिजाल से कुछ गुंजाइश नहीं है।

बाब 50 : वुजू करके मोज़े पहनने के बयान में

(206) हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा हमसे ज़करिया ने यह्या के वास्ते से नक़ल किया, वो आमिर से वो इर्वा बिन मुगीरह से, वो अपने बाप (मुगीरह) से रिवायत करते हैं कि मैं एक सफ़र में रसूले करीम (ﷺ) के साथ था, तो मैंने चाहा (कि वुजू करते वक़्त) आपके मोज़े उतार डालूँ। आपने फ़र्माया कि इन्हें रहने दो। चूँकि जब मैंने इन्हें पहना था तो मेरे पांव पाक थे। (यानी मैं वुजू से था) पस आप (ﷺ) ने उन पर मसह किया।

(राजेअ: 204)

۵۰- بَابُ إِذَا أُذْخِلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا

طَاهِرَتَانِ

۲۰۶- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُهَيَّبِ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ

فَأَمَوَيْتُ لِأَتَرَعَّ خَفِيَّ فَقَالَ: ((دَعْهُمَا،

لِيَأْتِيَا أَدْخَلْتَهُمَا طَاهِرَتَيْنِ)) فَمَسَحَ

عَلَيْهِمَا. [راجع: ۲۰۴].

मुक़ीम (स्थानीय) के लिए एक दिन और एक रात और मुसाफ़िर के लिए तीन दिन और तीन रात तक मुसलसल मोज़ों पर मसह करने की इजाज़त है, कम अज़ कम चालीस अस्हाबे नबवी (ﷺ) से मोज़ों पर मसह करने की रिवायत नक़ल हुई है।

बाब 51 : इस बारे में कि बकरी का गोशत और सत्तू खाकर नया वुजू न करना षाबित है

'और हज़रत अबूबक्र, इमर और इब्मान (रज़ि.) ने गोशत खाया और नया वुजू नहीं किया।'

(207) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा

۵۱- بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمٍ

الشَّاةِ وَالسُّونِقِ

وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمْ لَحْمًا فَلَمْ يَتَوَضَّؤُوا.

۲۰۷- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ

हमें इमाम मालिक ने ज़ैद बिन असलम से ख़बर दी, वो अत्ता बिन यसार से, वो अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बकरी का शाना खाया और वुजू नहीं किया।

(दीगर मक़ाम : 5404, 5405)

(208) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा हमें लैप्र ने अक़ील से ख़बर दी, वो इब्ने शिहाब से रिवायत करते हैं, उन्हें जा'फ़र बिन अमर बिन उमय्या ने अपने बाप अमर से ख़बर दी कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप बकरी के शाने से काट-काटकर खा रहे थे, फिर आप नमाज़ के लिए बुलाए गए तो आपने छुरी डाल दी और नमाज़ पढ़ी, नया वुजू नहीं किया।

(दीगर मक़ाम : 675, 2923, 5408, 5422, 5462)

किसी भी जाइज़ और मुबाह चीज़ के खाने से वुजू नहीं टूटता, जिन रिवायत में ऐसे वुजू करने का ज़िक्र आया है वहाँ लगी वुजू यानी सिर्फ़ हाथ मुँह धोना और कुल्ली करना मुराद है।

बाब 52 : इस बारे में कि कोई शख़्स सत्तू खाकर सिर्फ़ कुल्ली करे और नया वुजू न करे

(209) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे इमाम मालिक ने यह्या बिन सईद के वास्ते से ख़बर दी, वो बुशैर बिन यसार — बनी हारिषा के आज़ादकर्दा गुलाम — से रिवायत करते हैं कि सुवैद बिन नोअमान (रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी कि फ़ल्हे ख़ैबर वाले साल वो रसूले करीम (ﷺ) के साथ सहबा की तरफ़, जो ख़ैबर के क़रीब एक जगह है, पहुँचे। आप (ﷺ) ने अम्र की नमाज़ पढ़ी, फिर नाशता मंगवाया गया तो सिवाए सत्तू के और कुछ नहीं लाया गया। फिर आपने हुक्म दिया तो वो भिगो दिया गया। फिर रसूले करीम (ﷺ) ने खाया और हमने (भी) खाया। फिर मरिब (की नमाज़) के लिए खड़े हो गये आपने कुल्ली की और हमने (भी) फिर आपने नमाज़ पढ़ी और नया वुजू नहीं किया।

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ كَيْفَ شَاءَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ.

[طرفاه في : ٥٤٠٤، ٥٤٠٥].

٢٠٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَكْرِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ أُمِّةٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْتَرُ مِنْ كَيْفِ شَاءَ، فَدَعَى إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْفَى السَّكِينِ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأَ.

[أطرفاه في : ٦٧٥، ٢٩٢٢، ٥٤٠٨].

[٥٤٢٢، ٥٤٦٢].

٥٢ - بَابُ مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السُّوْبِقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأَ

٢٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ حَارِثَةَ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ الثَّمَمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصُّهْبَاءِ - وَهِيَ أَدْنَى حَيْبَرَ - فَصَلَّى الْمَضْرُ ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتِ إِلَّا بِالسُّوْبِقِ، فَأَمَرَ بِهِ لِقَوْمِهِ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ.

(दीगर मक्राम : 215, 2981, 4175, 4190, 5384, 5390, 5454, 5455)

أطرافه في : ٢١٥ ، ٢٩٨١ ، ٤١٧٥
٤١٩٥ ، ٥٣٨٤ ، ٥٣٩٠ ، ٥٤٥٤
[٥٤٥٥]

(210) हमसे अम्बग ने बयान किया, कहा मुझे इब्ने वहब ने खबर दी, कहा मुझसे अम् ने बुकैर से, उन्होंने कुरैब से, उनको हज़रत मैमूना जोज-ए-रसूले करीम (ﷺ) ने बतलाया कि आप (ﷺ) ने उनके यहाँ (बकरी का) शाना खाया फिर नमाज़ पढ़ी और नया वुजू नहीं किया।

٢١٠- حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ مِنْهَا كَيْفًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَغُوضًا.

यहाँ हज़रत इमाम (रह) ने प्राबित फ़र्माया कि बकरी का शाना (कंधे का गोश्त) खाने पर आपने वुजू नहीं किया तो सत्तू खाकर भी वुजू नहीं है जैसा कि पहली हदीस में है।

बाब 53 : इस बारे में कि क्या दूध पीकर कुल्ली करनी चाहिये?

(211) हमसे यह्या बिन बुकैर और कुतैबा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष ने बयान किया, वो अक़ील से, वो इब्ने शिहाब से, वो अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन इत्बा से, वो अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दूध पीया, फिर कुल्ली की और फ़र्माया कि इसमें चिकनाई होती है।

٥٣- بَابُ هَلْ يَمْضُوضُ مِنَ اللَّبَنِ
٢١١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيرٍ وَقَتَيْبَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلِ بْنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا لَمَعْمَضٍ وَقَالَ: ((إِنَّ لَهُ دَسْمًا)).
تَابِعَهُ يُونُسُ وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ. [طرفه في : ٥٦٠٩].

(दीगर मक्राम : 5609)

बाब 54 : सोने के बाद वुजू करने के बयान में

और कुछ उलमा के नज़दीक एक या दो बार की ऊँघ से या (नींद का) एक झोंका आ जाने से वुजू नहीं टूटता।

٥٤- بَابُ الْوَضُوءِ مِنَ النَّوْمِ، وَمَنْ لَمْ يَزَ مِنْ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوْ الْخَفَقَةِ وَضُوءًا

(212) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा मुझको इमाम मालिक ने हिशाम से, उन्होंने अपने बाप से खबर दी, उन्होंने आइशा (रज़ि.) से नक़ल किया कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब नमाज़ पढ़ते वक़्त तुममें से किसी को ऊँघ आ जाए, तो चाहिये कि वो सो रहे यहाँ तक कि नींद (का अषर) उससे ख़त्म हो जाए। इसलिए कि जब तुममें से कोई शख्स नमाज़ पढ़ने लगे और वो ऊँघ रहा हो तो वो कुछ नहीं जानेगा कि वो (अल्लाह से) मफ़िरत

٢١٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَذَرِي لَعَلَّهُ يَسْتَفِيرُ فَيَسْبُ

मांग रहा है या अपने नफ़्स को बहुआ दे रहा है।

(213) हमसे अबू मअमर ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वारिष ने, कहा हमसे अय्यूब ने अबू क़िलाबा के वास्ते से नक़ल किया, वो हज़रते अनस (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुम नमाज़ में ऊँघने लगे तो तुम्हें सो जाना चाहिये। फिर उस वक़्त नमाज़ पढ़े जब जान ले कि वो क्या पढ़ रहा है।

फ़र्ज नमाज़ के लिये बहरहाल जागना ही चाहिये कि कुछ मौक़ों पर आँहज़रत (ﷺ) को भी जगाया जाता था।

बाब 55 : बग़ैर हदष के भी नया वुज़ू करना जाइज़ है

(214) हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान ने अम्र बिन आमिर के वास्ते से बयान किया, कहा मैंने हज़रत अनस (रज़ि.) से सुना। (दूसरी सनद से) हमसे मुसहद ने बयान किया, कहा हमसे यह्या ने, वो सुफ़यान से रिवायत करते हैं, उनसे अम्र बिन आमिर ने बयान किया, वो हज़रते अनस (रज़ि.) से रिवायत करते हैं। उन्होंने फ़र्माया कि रसूले करीम (ﷺ) हर नमाज़ के लिये नया वुज़ू करते थे। मैंने कहा तुम लोग किस तरह करते थे, कहने लगे हममें से हर एक को उसका वुज़ू उस वक़्त तक काफ़ी होता, जब तक कोई वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ पेश न आ जाती। (यानी पेशाब, पाख़ाना या नौद बग़ैरह)

(215) हमसे ख़ालिद बिन मुख़लद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सुलैमान ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझे यह्या बिन सईद ने ख़बर दी, उन्हें बुशैर बिन यसार ने ख़बर दी, उन्होंने कहा मुझे सुवैद बिन नोअमान (रज़ि.) ने बतलाया उन्होंने कहा कि हम ख़ैबर वाले साल रसूले करीम (ﷺ) के साथ जब सहबा में पहुँचे तो रसूले करीम (ﷺ) ने हमें अस्त्र की नमाज़ पढ़ाई। जब नमाज़ पढ़ चुके तो आपने खाना मंगवाया। मगर (खाने में) सिर्फ़ सत्तू ही लाया गया। सो हमने (उसी को) खाया और पिया। फिर रसूले करीम (ﷺ) मग़िब की नमाज़ के लिए खड़े हो गए। तो आप (ﷺ) ने कुल्ली की, फिर हमें मग़िब की नमाज़ पढ़ाई और (नया) वुज़ू नहीं किया। (राजेअ: 209)

نفسه)۔

۲۱۳- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((إِذَا نَسَسَ أَحَدُكُمْ لِي الصَّلَاةِ فَلْيَتِمَّ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ)).

۵۵- بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ
۲۱۴- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا . ح . وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ . قُلْتُ : كَيْفَ كُنتُمْ تَصْنَعُونَ ؟ قَالَ : يُجْزِيءُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ .

۲۱۵- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُؤَيْدُ بْنُ النُّعْمَانَ قَالَ : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصُّهْبَاءِ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّمَضُّرَ فَلَمَّا صَلَّى دَعَا بِالْأَطْعِمَةِ فَلَمْ يُوْتِ إِلَّا بِالسُّوْبِيِّ، فَأَكَلْنَا وَشَرَبْنَا، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضَمَضَ ثُمَّ صَلَّى لَنَا الْمَغْرِبَ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ. [راجع: ۲۰۹].

दोनों अह्लादीष से मा'लूम होता है कि अगरचे हर नमाज़ के लिए नया वुजू मुस्तहब है। मगर एक ही वुजू से आदमी कई नमाज़ों भी पढ़ सकता है।

बाब 56 : इस बारे में कि पेशाब के छींटों से न बचना कबीरा गुनाह है

(216) हमसे उम्मान ने बयान किया, कहा हमसे जरिर ने मंसूर के वास्ते से नक़ल किया, वो मुजाहिद से वो इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक बार मदीना या मक्का के एक बाग़ में तशरीफ़ ले गए। (वहाँ) आपने दो शख्सों की आवाज़ सुनी जिन्हें उनकी क़ब्रों में अज़ाब हो रहा था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि इन पर अज़ाब हो रहा है और किसी बहुत बड़े गुनाह की वजह से नहीं, फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया बात ये है कि एक शख्स उनमें से पेशाब के छींटों से बचने का एहतिमाम नहीं करता था और दूसरा शख्स चुगलखोरी किया करता था। फिर आप (ﷺ) ने (खजूर की) एक डाली मंगवाई और उसको तोड़कर दो टुकड़े किए और उनमें से (एक-एक टुकड़ा) हर एक की क़ब्र पर रख दिया। लोगों ने आप (ﷺ) से पूछा कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! ये आपने क्यों किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया इसलिये कि जब तक ये डालियाँ सूखे शायद उस वक़्त तक इन पर अज़ाब कम हो जाए।

(दीगर मक़ाम : 218, 1361, 1378, 6052, 6055)

56- بَابُ مِنَ الْكِبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَرِيَ مِنْ بَوْلِهِ

216- حَدَّثَنَا عُمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِحَائِطٍ مِنْ حَيْطَانِ الْمَدِينَةِ - أَوْ مَكَّةَ - فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يُعَذِّبَانِ، وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ - ثُمَّ قَالَ - بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَرِي مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ)) ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ ((لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَتَّسَبَا)).

[أطرافه في : 218, 1361, 1378, 6052, 6055]

[7000, 6002]

तशरीह : इस हदीष से अज़ाबे क़ब्र प्राबित हुआ। ये दोनों क़ब्रों वाले मुसलमान ही थे और क़ब्रें भी नई थीं। हरी डालियाँ तस्बीह करती हैं इस वजह से अज़ाब मे कमी हुई होगी। कुछ लोग कहते हैं कि अज़ाब का कम होना आप (ﷺ) की दुआ से हुआ था उन डालियों का अप्र न था। वल्लाहु अलम बिस्सवाब!

बाब 57 : पेशाब को धोने के बयान में

और ये कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक क़ब्र वाले के बारे में फ़र्माया था कि वो अपने पेशाब के छींटों से बचने की कोशिश नहीं किया करता था, आप (ﷺ) ने आदमी के पेशाब के अलावा किसी और के पेशाब का ज़िक्र नहीं फ़र्माया।

(217) हमसे यअक़ूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको इस्माईल बिन इब्राहीम ने ख़बर दी, कहा मुझे रौह

57- بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَوْلِ

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ: كَانَ لَا يَسْتَرِي مِنْ بَوْلِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ الْفَاسِ.

217- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي

बिन अल क़ासिम ने बतलाया, कहा मुझसे अत्रा बिन अबी मैमूना ने बयान किया, वो अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) जब रफ़अे हाजत के लिये बाहर तशरीफ़ ले जाते तो मैं आपके पास पानी लाता। आप उससे इस्तिंजा करते। (राजेअ: 150)

बाब

(218) हमसे मुहम्मद बिन अल मुषनना ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे मुहम्मद बिन हाज़िम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अअमश ने मुजाहिद के वास्ते से रिवायत किया, वो त्राऊस से, वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि (एक बार) रसूलुल्लाह (ﷺ) दो क़ब्रों पर गुजरे तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि इन दोनों क़ब्रवालों को अज़ाब दिया जा रहा है और किसी बड़े गुनाह पर नहीं। एक तो उनमें से पेशाब से एहतियात नहीं करता था और दूसरा चुगलखोरी किया करता था, फिर आप (ﷺ) ने एक हरी टहनी लेकर बीच में से उसके दो टुकड़े किए और हर एक क़ब्र पर एक टुकड़ा गाड़ दिया। लोगों ने पूछा कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! आपने (ऐसा) क्यों किया? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, शायद जब तक ये टहनियाँ खुश्क न हो उन पर अज़ाब में कुछ तख़फ़ीफ़ रहे। इब्ने अल मुषनना ने कहा कि इस हदीष को हमसे वकीअ ने बयान किया, उनसे अअमश ने, उन्होंने मुजाहिद से उसी तरह सुना।

(राजेअ: 216)

ला यस्तिरु मिनल बोल का तर्जुमा ये भी है कि वो पेशाब करते वक़्त पर्दा नहीं करता था। कुछ रिवायात में ला यस्तज़िहू आया है जिसका मतलब ये है कि पेशाब के छींटों से परहेज़ नहीं किया करता था। मक़सद दोनों लफ़्ज़ों का एक ही है।

बाब 58 : रसूले करीम (ﷺ) और सहाबा (रज़ि.) का एक देहाती को छोड़ देना जब तक कि वो मस्जिद में पेशाब से फ़ारिग़ न हो गया

(219) हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे हम्माम ने, हमसे इस्हाक़ ने अनस बिन मालिक के वास्ते से नक़ल किया कि रसूले करीम (ﷺ) ने एक देहाती को मस्जिद में पेशाब करते हुए देखा तो लोगों से आप (ﷺ) ने फ़र्माया उसे छोड़ दो जब

رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ آتَيْتُهُ بِمَاءٍ يَغْسِلُ بِهِ. [راجع: ١٥٠].

बाब

٢١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَارِسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: ((إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ لِي كَبِيرٍ، أَمَا أَخَذَهُمَا فَمَا كَانَ لَا يَسْتَرِي مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ)) ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِصَفَيْنِ، فَفَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: ((رَأَيْتَهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَتَّسِرَا)). قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: وَحَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا مِثْلَهُ. [راجع: ٢١٦].

٥٨- بَابُ تَرْكِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسِ الْأَعْرَابِيِّ حَتَّى فَرَّغَ مِنْ بَوْلِهِ لِي الْمَسْجِدِ

٢١٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى أَعْرَابِيًّا يُؤَلِّ

वो फ़ारिग़ हो गया तो पानी मंगवाकर आपने (उस जगह) बहा दिया। (दीगर मक़ाम : 221, 6025)

(अधिक विवरण अगली हदीष में आ रहा है)

बाब 59 : मस्जिद में पेशाब पर पानी बहा देने के बयान में

(220) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें शुऐब ने जुहरी के वास्ते से ख़बर दी, उन्होंने कहा मुझे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन इत्बा बिन मसऊद ने ख़बर दी कि हज़रते अबू हुदैरह (रज़ि.) ने फ़र्माया कि एक अअराबी खड़ा होकर पेशाब करने लगा तो लोग उस पर झपटने लगे। (ये देखकर) रसूले करीम (ﷺ) ने लोगों से फ़र्माया कि उसे छोड़ दो और उसके पेशाब पर पानी का भरा हुआ डोल या कुछ कम भरा हुआ डोल बहा दो क्योंकि तुम नरमी के लिए भेजे गए हो, सख़्ती के लिए नहीं।

(दीगर मक़ाम : 6128)

बीच में रोकने से बीमारी का अंदेशा था, इसलिए आप (ﷺ) ने शफ़क़त के तौर पर उसे फ़ारिग़ होने दिया और बाद में उसे समझा दिया कि आइन्दा ऐसी हरकत न हो और उस जगह को पाक करवा दिया। काश! ऐसे अख़लाक़ आज भी मुसलमानों को हासिल हो जाएँ।

(221) हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमें अब्दुल्लाह ने ख़बर दी, कहा हमें यह्या बिन सईद ने ख़बर दी, कहा मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना, वो रसूले करीम (ﷺ) से रिवायत करते हैं (दूसरी सनद ये है)

हमसे ख़ालिद बिन मुख़लद ने बयान किया, कहा हमसे सुलैमान ने यह्या बिन सईद के वास्ते से बयान किया, कहा मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना, वो कहते हैं कि एक देहाती शख़्स आया और उसने मस्जिद के एक कोने में पेशाब कर दिया। लोगों ने उसको मना किया तो रसूले करीम (ﷺ) ने उन्हें रोक दिया। जब वो पेशाब से फ़ारिग़ हुआ तो आपने उस (के पेशाब) पर एक डोल पानी बहाने का हुक्म दिया। चुनाँचे पानी बहा दिया गया।

बाब का मंशा इन अहदीष से साफ़ रोशन है।

فِي الْمَسْجِدِ لَقَالَ: ((دَعْوَةٌ)). حَتَّى إِذَا فَرَّغَ دَعَا بِمَاءٍ لَصَبَهُ عَلَيْهِ.

[طرفاه في: 221, 6025].

59- بَابُ صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ

220- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتَيْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ قَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَوَلَّى النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: ((دَعْوَةٌ، وَهَرِّقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ - أَوْ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ - فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبْسَرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسَّرِينَ)).

[طرفه في: 6128].

221- وَ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح حَدَّثَنَا خَالِدٌ. قَالَ وَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ قَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَوَجَرَهُ النَّاسُ، فَهَاهُمْ النَّبِيُّ ﷺ. فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذُنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأَهْرَيْقَ عَلَيْهِ.

बाब 60 : बच्चों के पेशाब के बारे में

(222) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमको मालिक ने हिशाम बिन इर्वा से ख़बर दी, उन्होंने अपने बाप (इर्वा) से, उन्होंने हज़रते आइशा उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) के पास एक बच्चा लाया गया। उसने आपके कपड़े पर पेशाब कर दिया तो आप (ﷺ) ने पानी मंगाया और उस पर डाल दिया।

(दीगर मक़ाम : 5468, 6002, 6355)

(223) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमें मालिक ने इब्ने शिहाब से ख़बर दी, वो अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन इत्बा (बिन मसऊद) से ये हदीष रिवायत करते हैं, वो उम्मे क़ैस बिनते मिहस्रन नामी एक ख़ातून से कि वो रसूले करीम (ﷺ) की ख़िदमत में अपना छोटा बच्चा लेकर आई जो खाना नहीं खाता था (यानी शीरख़वार था) रसूले करीम (ﷺ) ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। उस बच्चे ने आप (ﷺ) के कपड़े पर पेशाब कर दिया। आप (ﷺ) ने पानी मंगाकर कपड़े पर छिड़क दिया और उसे नहीं धोया। (दीगर मक़ाम : 5693)

शीरख़वार (दूधपीता) बच्चा जिसने कुछ भी खाना पीना नहीं सीखा है, उसके पेशाब पर पानी के छीटे काफ़ी हैं। मगर ये हुक़्म सिर्फ़ मर्द बच्चों के लिए है बच्चियों का पेशाब बहरहाल धोना ही होगा।

बाब 61 : इस बयान में कि खड़े होकर और बैठकर पेशाब करना (हस्बे मौक़े दोनों तरह से जाइज़ है)

(224) हमसे आदम ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा ने अअमश के वास्ते से नक़ल किया, वो अबू वाइल से, वो हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) किसी क़ौम की क़ड़ी पर तशरीफ़ लाए (पस) आप (ﷺ) ने वहाँ खड़े होकर पेशाब किया। फिर पानी मंगाया, मैं आप (ﷺ) के पास पानी लेकर आया तो आप (ﷺ) ने वुजू किया। (दीगर मक़ाम : 225, 226, 2471)

मा'लूम हुआ कि किसी ज़रूरत के तहत खड़े होकर भी पेशाब किया जा सकता है। और जब ज़रूरत न खड़े होकर पेशाब करना जाइज़ हुआ तो बैठकर तो यकीनन जाइज़ होगा मगर आजकल कोट पतलून वालों ने खड़े होकर करना अंग्रेज़ों से सीखा है एक मर्द मुसलमान के लिए ये सरासर नाजाइज़ और इस्लामी तहज़ीब के खिलाफ़ है क्योंकि उसमें न तो पर्दे का लिहाज़ रखा जाता है और न छींटों से परहेज़ किया जाता है।

६०- بَابُ بَوْلِ الصِّبْيَانِ

٢٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَصِيْبٌ قَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَاتَّبَعَهُ بِهَا.

[أطرافه في : ٥٤٦٨، ٦٠٠٢، ٦٣٥٥.]

٢٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِخْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بَابِي لَهَا صَغِيرٌ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاجْلَسَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حِجْرِهِ، قَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَكَمْ يَغْسِلُهُ.

[طرفه في : ٥٦٩٣.]

٦١- بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

٢٢٤- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ خَدِيفَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ سَبَاطَةُ قَوْمِ قَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَجَسَّهُ بِمَاءٍ فَوَضَّأَ.

[أطرافه في : ٢٢٥٠، ٢٢٦٦، ٢٤٧١.]

बाब 62 : अपने (किसी) साथी के करीब पेशाब करना और दीवार की आड़ लेना

(225) हमसे उप्रमान इब्ने अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे जरिर ने मंसूर के वास्ते से बयान किया, वो अबू वाइल से, वो हुज़ैफ़ा से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि (एक बार) मैं और रसूले करीम (ﷺ) जा रहे थे कि एक क्रौम की कूड़ी (कूड़ा-करकट डालने की जगह) पर (जो) एक दीवार के पीछे (थी) पहुँचे। तो आप इस तरह खड़े हो गए जिस तरह हम तुममें से कोई (शख्स) खड़ा होता है। फिर आपने पेशाब किया और मैं एक तरफ़ हट गया। तब आपने मुझे इशारे किया तो मैं आपके पास (पर्दे की गर्ज से) आपकी ऐड़ियों के करीब खड़ा हो गया। यहाँ तक कि आप पेशाब से फ़ारिग हो गए। (बवक्ते ज़रूरत ऐसा भी किया जा सकता है) (राजेअ : 224)

बाब 63 : किसी क्रौम की कूड़ी पर पेशाब करना

(226) हमसे मुहम्मद बिन अरअराने बयान किया, कहा हमसे शुअबाने मंसूर के वास्ते से बयान किया, वो अबू वाइल से नक़ल करते हैं, वो कहते हैं कि अबू मूसा अशअरी पेशाब (के बारे) में सख़ती से काम लेते थे और कहते थे कि बनी इस्राईल में जब किसी के कपड़े को पेशाब लग जाता तो उसे काट डालते। अबू हुज़ैफ़ा कहते हैं कि काश! वो अपने इस तशहूद से रुक जाते (क्योंकि) रसूलुल्लाह (ﷺ) किसी क्रौम की कूड़ी पर तशरीफ़ लाए और आपने वहाँ खड़े होकर पेशाब किया। (राजेअ : 224)

हज़रत की गर्ज ये थी कि पेशाब से बचने में एहतियात करना ही चाहिये। लेकिन ख्वाह मख्वाह का तशहूद और ज़्यादाती से वहम और वस्वसा पैदा होता है। इसलिये अमल में उतनी ही एहतियात चाहिये जितनी आदमी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकता है।

बाब 64 : हैज़ का खून धोना ज़रूरी है

(227) हमसे मुहम्मद इब्नुल मुषन्ना ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यह्या ने हिशाम के वास्ते से बयान किया, उनसे फ़ातिमा ने अस्मा के वास्ते से, वो कहती हैं कि एक औरत ने रसूले करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि हुज़ूर फ़र्माइये

٦٢- بَابُ الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ،

وَالْتَسْتُرِ بِالْحَائِطِ

٢٢٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ خَدِيفَةَ قَالَ: رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيَّ ﷺ تَعْمَاشِي، فَأَتَى سَبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، لَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ قَبَالَ فَأَتَيْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ، لَقَمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَعْتُ. [راجع: ٢٢٤].

٦٣- بَابُ الْبَوْلِ عِنْدَ سَبَاطَةِ قَوْمٍ

٢٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ يُشَدُّ لِي الْبَوْلِ وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ. فَقَالَ خَدِيفَةُ: لَيْتَهُ أَمْسَكَ، أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبَاطَةَ قَوْمٍ قَبَالَ فَأَيْمًا. [راجع: ٢٢٤]

٦٤- بَابُ غَسْلِ الدَّمِ

٢٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي فاطمة عن أسماء قالت: ((جاءت امرأة ابني النبي ﷺ فقالت: أرأيت إحدانا

हममें से किसी औरत को कपड़े में हैज़ आ जाए (तो) वो क्या करे, आप (ﷺ) ने (कि पहले) उसे खुर्चे, फिर पानी से रगड़े और पानी से धो डाले और उसी कपड़े में नमाज़ पढ़ ले। (दीगर मक़ाम : 307)

मा'लूम हुआ कि नजासत दूर करने के लिये पानी का होना ज़रूरी है दूसरी चीज़ों से धोना दुरुस्त नहीं। अक़्बर उलमा का यही फ़त्वा है। हनफ़िया ने कहा कि हर रक़ीक़ चीज़ जो पाक हो उससे धो सकते हैं जैसे सिरका वग़ैरह, इमाम बुखारी (रह) व जुम्हूर के नज़दीक ये क़ौल सहीह नहीं है।

(228) हमसे मुहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा मुझसे अबू मुआविया ने, कहा हमसे हिशाम बिन उर्वा ने अपने बाप (उर्वा) के वास्ते से, वो हज़रत आइशा (रज़ि.) से नक़ल करते हैं, वो फ़र्माती हैं कि अबू हुबैश की बेटी फ़ातिमा रसूलुल्लाह (ﷺ) की खिदमत में हाज़िर हुई और उसने कहा कि मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसे इस्तिहाज़ा की बीमारी है इसलिए मैं पाक नहीं रहती तो क्या मैं नमाज़ छोड़ दूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया नहीं! ये एक रग (का खून) है हैज़ नहीं है। तो जब तुझे हैज़ आए तो नमाज़ छोड़ दे और जब ये दिन गुज़र जाएँ तो अपने (बदन और कपड़े) से खून को धो डाल फिर नमाज़ पढ़। हिशाम कहते हैं कि मेरे बाप उर्वा ने कहा कि हुज़ूर (ﷺ) ने ये (भी) फ़र्माया कि फिर हर नमाज़ के लिए वुज़ू कर यहाँ तक कि वही (हैज़ का) वक़्त फिर आ जाए।

۲۲۸- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ غُرَؤَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَت فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي خَبِيَشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ اسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ، أَفَأَدْعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، لِإِذَا أَقْبَلْتَ حَيْضَتَكَ فَادْعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرْتَ فَاغْسِلِي غِنِكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي)).
قَالَ: وَقَالَ أَبِي: ((ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ)).

तशीह: इस्तिहाज़ा एक बीमारी है। जिसमें औरत का खून बंद नहीं होता है। उसके लिये हुक्म है कि हर नमाज़ के लिए मुस्तक़िल वुज़ू करे और हैज़ के जितने दिन उसकी आदत के मुताबिक़ होते हों उन दिनों की नमाज़ न पढ़े। इसलिए कि उन अय्याम की नमाज़ मुआफ़ है। इससे ये भी निकला कि जो लोग हवा ख़ारिज होने या पेशाब के क़तरे वग़ैरह की बीमारी में मुब्तला हो जाएँ, वो नमाज़ तर्क न करें बल्कि हर नमाज़ के लिए वुज़ू कर लिया करें। फिर भी हदष वग़ैरह हो जाए तो फिर उसकी परवाह न करें। जिस तरह इस्तिहाज़ा वाली औरत खून आने की परवाह न करे, इसी तरह वो भी नमाज़ पढ़ते रहे। शरीअत हक्का ने इन हिदायात से औरतों की पाकीज़गी और त्तिब्बी ज़रूरियात के पेशेनज़र उनकी बेहतरीन रहनुमाई की है और इस बारे में मा'लूमात को ज़रूरी करार दिया। उन लोगों पर बेहद तअज़ुब है जो इंकारे हदीष के लिये ऐसी हिदायात पर हंसते हैं। और आज के दौर के इस जिंसी लिट्रेचर की सराहना करते हैं जो सरासर उर्यानियत (नंगेपन की बातों) से भरपूर है। क़ातलहुमुल्लाहु अन्न यूफ़कून।

बाब 65 : मनी का धोना और उसका खुरचना
ज़रूरी है नीज़ जो चीज़ औरत से लग जाए
उसका धोना भी ज़रूरी है

۶۵- بَابُ غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفَرْكِهِ،
وَعَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

(229) हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा मुझे अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने ख़बर दी, कहा मुझे अमर बिन मैमून अल जज़री ने बतलाया, वो सुलैमान बिन यसार से, वो हज़रत आइशा (रज़ि.) से। आप फ़र्माती हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के कपड़े से जनाबत को धोती थी। फिर (उसको पहनकर) आप (ﷺ) नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले जाते और पानी के धब्बे आपके कपड़े में होते थे।

(दीगर मक़ाम : 230, 231, 232)

(230) हमसे कुतैबा ने बयान किया, कहा हमसे यज़ीद ने, कहा हमसे अमर ने सुलैमान से रिवायत किया, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से सुना (दूसरी सनद ये है) हमसे मुसहद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वाहिद ने, कहा हमसे अमर बिन मैमून ने सुलैमान बिन यसार के वास्ते से नक़ल किया, वो कहते हैं कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से उस मनी के बारे में पूछा जो कपड़े को लग जाए तो उन्होंने फ़र्माया कि मैं मनी को रसूले करीम (ﷺ) के कपड़े से धो डालती थी फिर आप नमाज़ के लिए बाहर तशरीफ़ ले जाते और धोने का निशान (यानी) पानी के धब्बे आप (ﷺ) के कपड़े में बाक़ी होते। (राजेअ : 229)

तशरीह : बाब में औरत की शर्मगाह से तरी वगैरह लग जाने और उसके धोने का भी ज़िक्र था। मगर बयान की गई अह्दादीष में सराहतन औरत की तरी का ज़िक्र नहीं है। हाँ! हदीष नम्बर 227 में कपड़े पर मुत्लक़न मनी लग जाने का ज़िक्र है। ख़्वाह मर्द की हो या औरत की। इसी से बाब की मुताबक़त होती है। ये भी ज़ाहिर हुआ कि मनी को पहले खुरचना चाहिये फिर पानी से स़ाफ़ कर डालना चाहिये फिर भी अगर कपड़े पर कुछ निशान धब्बे बाक़ी रह जाएँ तो उनमें नमाज़ पढ़ी जा सकती है क्योंकि कपड़ा पाक-स़ाफ़ हो चुका है।

बाब 66 : अगर मनी या कोई नजासत (मषलन हैज़ का ख़ून) धोए और (फिर) उसका अषर न जाए (तो क्या हुक्म है?)

(231) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल वाहिद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अमर बिन मैमून ने, वो कहते हैं कि मैंने उस कपड़े के बारे में जिसमें जनाबत (नापाकी) का अषर आ गया हो, सुलैमान बिन यसार से सुना वो कहते थे कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैं रसूले करीम

۲۲۹- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْكَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونُ الْجَزْرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنْتُ أُغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ تَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنْ بَقِيَ الْمَاءُ فِي تَوْبِهِ)).

[أطرافه في : ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲].

۲۳۰- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ح. وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الْقُرْبَ فَقَالَتْ: كُنْتُ أُغْسِلُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَالرُّغْسُ فِي تَوْبِهِ بَقِيَ الْمَاءِ. [راجع: ۲۲۹]

۶۶- بَابُ إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ

غَيْرَهَا فَلَمْ يَلْغِبْ أَوْ

۲۳۱- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ

مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فِي

الْقُرْبِ يُصِيبُهُ الْجَنَابَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ:

((كُنْتُ أُغْسِلُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ))

(ﷺ) के कपड़े से मनी को धो डालती थी फिर आप नमाज़ के लिए बाहर निकलते और धोने का निशान यानी पानी के धब्बे कपड़े में होते। (राजेअ : 229)

इस हदीस से मा'लूम हुआ कि पाक करने के बाद पानी के धब्बे अगर कपड़े पर बाक़ी रहें तो कुछ हर्ज नहीं।

(232) हमसे अमर बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा हमसे जुहैर ने, कहा हमसे अमर बिन मैमून बिन मेहरान ने, उन्होंने सुलैमान बिन यसार से, वो हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि वो रसूल करीम (ﷺ) के कपड़े से मनी को धो डालती थीं (वो फ़र्माती हैं कि) फिर (कभी) मैं एक धब्बा या कई धब्बे देखती थी।

(राजेअ : 229)

तशरीह : क़स्तलानी (रह) ने कहा कि अगर उसका निशान दूर करना सहल हो तो उसे दूर ही करना चाहिये, मुश्किल हो तो कोई हर्ज नहीं। अगर रंग के साथ बू भी बाक़ी रह जाए तो वो कपड़ा पाक न होगा। हज़रत इमाम बुखारी (रह) क़द्स सिर्हु ने इस बाब में मनी के सिवा और नजासतों का स़राहतन ज़िक्र नहीं फ़र्माया बल्कि उन सबको मनी ही पर क़यास किया, इस तरह सबका धोना ज़रूरी क़रार दिया।

बाब 67 : ऊँट, बकरी और चौपायों का पेशाब और उनके रहने की जगह के बारे में

हज़रत अबू मूसा अश़अरी (रज़ि.) ने दारे बरीद में नमाज़ पढ़ी (हालाँकि वहाँ गोबर था) और एक पहलू में जंगल था। फिर उन्होंने कहा ये जगह और वो जगह बराबर हैं।

दारुल बरीद कूफ़ा में सरकारी जगह थी जिसमें ख़लीफ़ा के ऐलची क़याम किया करते थे। हज़रत उमर और उ़म्रान (रज़ि) के ज़मानों में अबू मूसा (रज़ि) कूफ़ा के हाकिम थे। इसी जगह ऊँट, बकरी वगैरह जानवर भी बाँधे जाते थे। इसलिए हज़रत अबू मूसा ने उसी में नमाज़ पढ़ ली और स़ाफ़ जंगल में जो क़रीब ही था जाने की ज़रूरत न समझी फिर लोगों के पूछने पर बतलाया कि मसले की रू से ये जगह और वो स़ाफ़ जंगल दोनों बराबर हैं और इस क़िस्म के चौपायों का लीद और गोबर नजिस नहीं है।

(233) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, उन्होंने हम्माद बिन ज़ैद से, वो अय्यूब से, वो अबू क़िलाबा से, वो हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि कुछ लोग उक्ल या ज़ैना (क़बीलों) के मदीने में आए और बीमार हो गए। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें लिक्काह में जाने का हुक्म दिया और फ़र्माया कि वहाँ ऊँटों का दूध और पेशाब पिएँ। चुनाँचे वो लिक्काह चले गए और जब अच्छे हो गए तो रसूले करीम (ﷺ) के चरवाहे को क़त्ल करके वो जानवरों को हाँक कर ले गये। अलसुबह रसूले करीम

نَمْ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْفَسْلِ فِيهِ
بُقَعَ الْمَاءِ)). [راجع: ٢٢٩]

٢٢٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ
بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ
عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَفْسِلُ الْمَنَى مِنْ ثَوْبِ
النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةٌ أَوْ بُقْعًا.

[راجع: ٢٢٩]

٦٧- بَابُ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَالذُّوَابِ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

وَصَلَّى أَبُو مُوسَى فِي دَارِ الْبَرِيدِ
وَالسَّرِقِينَ، وَالتَّوْبَةَ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ : هَا
هَذَا أَوْ تَمَّ سَوَاءً.

٢٣٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ
حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ - أَوْ
عَرَبِيَّةَ - فَاجْتَرَا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمْ
النَّبِيُّ ﷺ بِالْفَاحِ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا
وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا. فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا

(ﷺ) के पास (इस वाक़िअे की) ख़बर आई। तो आपने उनके पीछे आदमी दौड़ाए। दिन चढ़े वो हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में पकड़कर लाए गए। आपके हुक्म के मुताबिक़ उनके पांव काट दिए गए और आँखों में गर्म सलाखें फेर दी गईं और (मदीना की) पथरीली ज़मीन में डाल दिए गए। (प्यास की शिद्दत से) वो पानी मांगते थे मगर उन्हें पानी नहीं दिया जाता था।

अबू क़िलाबा ने (उनके जुर्म की संगीनी ज़ाहिर करते हुए) कहा कि उन लोगों ने चोरी की और चरवाहों को क़त्ल किया और (आख़िर) ईमान से फिर गए और अल्लाह और उसके रसूल से जंग की।

(दीगर मक़ाम : 1501, 3018, 4192, 4193, 4610, 5680, 5686, 5727, 6708, 6804, 6805, 6899)

رَأَى النَّبِيَّ ﷺ، وَاسْتَأْفُوا النِّعَمَ. لَجَاءَ
الْغَيْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ.
فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ فُطِّعَ
أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسُمِّرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَالْقَوَا
فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يَسْقُونَ. قَالَ أَبُو
لِلْأَبَةِ : فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا، وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا
بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

[أطرافه في: 1001, 3018, 4192, 4193,

4193, 4610, 5680, 5686, 5727, 6708,

6804, 6805, 6899]

[6899, 6800]

तशरीह: ये आठ आदमी थे चार क़बील—ए—उरैना के और तीन क़बील—ए—उक्ल के और एक किसी और क़बीले का। उनको मदीना से छः मील दूर जुल मजदा नामी मुक़ाम पर भेजा गया। जहाँ बैतुलमाल की ऊँटनियाँ चरती थीं। उन लोगों ने तंदरूस्त होने पर ऐसी ग़दारी की कि चरवाहों को क़त्ल किया और उनकी आँखें फोड़ दीं और ऊँटों को ले भागे। इसलिए क़िसास में उनको ऐसी ही सख़्त सज़ा दी गई। हिक्मत और दानाई और क़यामे अमन (क़ानून व्यवस्था क़ायम करने) के लिये ऐसा ज़रूरी था। उस वक़्त के लिहाज़ से ये कोई वहशियाना सज़ा न थी जो ग़ैर मुस्लिम इस पर ए'तिराज़ करते हैं। ज़रा उनको खुद अपनी तारीख़ हाए क़दीम (पुराने इतिहास) का मुतालआ करना चाहिये कि इस ज़माने में उनके दुश्मनों के लिये उनके यहाँ कैसी कैसी संगीन सज़ाएँ तज्वीज़ की गई हैं।

इस्लाम ने उसूले क़िसास पर हिदायात देकर एक पायेदार अमन क़ायम किया है। जिसका बेहतरीन नमूना आज भी हुकूमते अरबिया सज़ुदिया मे मुलाहज़ा किया जा सकता है। वल् हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिका अयदहुमुल्लाहु बिनस्निहिल अज़ीज़ आमीन

(234) हमसे आदम ने बयान किया, कहा हमसे शुअबाने, कहा मुझे अबुत् तियाह यज़ीद बिन हुमैद ने हज़रत अनस (रज़ि.) से ख़बर दी, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद की ता'मीर से पहले नमाज़ बकरियों के बाड़े में पढ़ लिया करते थे। मा'लूम हुआ कि बकरियों वग़ैरह के बाड़े में बवक़्रते ज़रूरत नमाज़ पढ़ी जा सकती है।

(दीगर मक़ाम : 428, 429, 1868, 2106, 2771, 2774, 2779, 3932)

٢٣٤- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ
أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي—قَبْلَ أَنْ
يُنِيَ الْمَسْجِدَ— فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ.

[أطرافه في: 428, 429, 1868, 2106,

2771, 2774, 2779, 3932]

[3932]

बाब 68 : उन नजासतों के बारे में जो घी और

٦٨- بَابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ

पानी में गिर जाँ

जुहरी ने कहा कि जब तक पानी की बू, जाड़का और रंग न बदले, उसमें कुछ हर्ज नहीं और हम्माद कहते हैं कि (पानी में) मुरदार परिन्दों के पर (पड़ जाने) से कुछ हर्ज नहीं होता। मुर्दों की जैसे हाथी वगैरह की हड्डियाँ इसके बारे में जुहरी कहते हैं कि मैंने पहले लोगों को इलम—ए—सलफ़ में से उनकी कँधियाँ करते और उन (के बर्तनो) में तेल रखते हुए देखा है, वो इसमें कुछ हर्ज नहीं समझते थे। इब्ने सीरीन और इब्राहीम कहते हैं कि हाथी के दांत की तिजारत में कुछ हर्ज नहीं।

(235) हमसे इस्माइल ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझको मालिक ने इब्ने शिहाब के वास्ते से रिवायत की, अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा बिन मसऊद से, वो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से वो उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना से रिवायत करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) से चूहे के बारे में पूछा गया जो घी में गिर गया था। फ़र्माया उसको निकाल दो और उसके आसपास (के घी) को निकाल फेंको और अपना (बाक़ी) घी इस्ते'माल करो।

(दीगर मक़ाम : 236, 5538, 5539, 5540)

(236) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे मअन ने, कहा हमसे मालिक ने इब्ने शिहाब के वास्ते से बयान किया, वो अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल्लाह बिन उत्बा बिन मसऊद से, वो इब्ने अब्बास (रज़ि.) से वो हजरत मैमूना (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) से चूहे के बारे में पूछा गया जो घी में गिर गया था। आपने फ़र्माया कि उस चूहे को और उसके आसपास के घी को निकालकर फेंक दो। मअन कहते हैं कि मालिक ने इतनी बार कि मैं गिन नहीं सकता (ये हदीष) इब्ने अब्बास से और उन्होंने हजरत मैमूना से रिवायत की है।

في السمن والماء

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا بَأْسَ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يَغْيِرَهُ طَعْمَ أَوْ رِيحَ أَوْ لَوْنًا. وَقَالَ حَمَّادٌ: لَا بَأْسَ بِرَيْشِ السَّمْنِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي عِظَامِ الْمَوْتَى - نَحْوِ الْفَيْلِ وَغَيْرِهِ - أَذْرَكْتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَاءِ يَمْتَشِطُونَ فِيهَا وَيُدْهِنُونَ فِيهَا لَا يَرُونَ بِهَا بَأْسًا. وَقَالَ ابْنُ سَيْرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ بِتِجَارَةِ الْعَاجِ.

۲۳۵- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سئِلَ عَنْ فَارَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: ((أَلْقُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهَا، وَكُلُّوا سَمْنَكُمْ)).

[أطرافه في : ۲۳۶، ۵۵۳۸، ۵۵۳۹،

[۵۵۴۰.

۲۳۶- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سئِلَ عَنْ فَارَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: ((خُلِّدُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهَا)). قَالَ مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ مَا لَا أَحْصِيهِ يَقُولُ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ.

तशरीह: पानी कम हो या ज्यादा जब तक गंदगी से उसके रंग या बू या मज़ा (स्वाद) में फ़र्क न आए, वो नापाक नहीं होता। अइम्म-ए-अहले हदीष का यही मसलक है जिन लोगों ने कुल्लतैन दह दर दह की कैद लगाई है उनके दलाइल क़वी नहीं हैं। हदीष अल्माउ त्रहुरुन ला युनजिसुहू शैउन इस बारे में बतौर अइसल के है। मुरदार जानवरों के बाल और पर उनकी हड्डियाँ जैसे हाथी दांत वगैरह ये पानी वगैरह में पड़ जाँते वो पानी वगैरह नापाक न होगा। हज़रत इमाम बुखारी क़दस सिरुहु का मंश-ए-बाब यही है। कुछ उलमा ने ये फ़र्क ज़रूर किया है कि घी अगर जमा हुआ हो तो बक्रिया घी इस्ते'माल में आ सकता है और अगर पिघला हुआ स्याल हो तो सारा ही नाक़ाबिले इस्ते'माल हो जाएगा। ये उस सूत में कि चूहा उसमे गिर जाए।

(237) हमसे अहमद बिन मुहम्मद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें अब्दुल्लाह ने ख़बर दी, उन्होंने कहा मुझे मअमर ने हम्माम बिन मुनब्बा से ख़बर दी और वो हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया हर ज़ख़म जो अल्लाह की राह में मुसलमानों को लगे वो क़यामत के दिन उसी हालत में होगा जिस तरह वो लगा था। उसमें से ख़ून बहता होगा। जिसका रंग (तो) ख़ून का सा होगा और खुशबू मुश्क की सी होगी।

(दीगर मक़ाम : 2803, 5533)

۲۳۷- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ بْنُ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((كُلُّ كَلِمٍ يَكْتَلِمُهُ الْمُسْلِمُ لِي سَبِيلِ اللَّهِ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْبَتِهَا إِذَا طُعِنَتْ تَفَجَّرَ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ)).

[طرفاه في : ۲۸۰۳، ۵۵۳۳].

तशरीह: इस हदीष की उलमा ने मुख्तलिफ़ तौजीहात बयान की हैं। शाह वलीउल्लाह साहब (रह) के नज़दीक इस हदीष से ये प्राबित करना है कि मुश्क पाक है जो एक जमा हुआ ख़ून होता है। मगर उसके जमने और उसमे खुशबू पैदा हो जाने से उसका ख़ून का हुक्म न रहा। बल्कि वो पाक साफ़ मुश्क की शक़ल बन गई ऐसे ही जब पानी का रंग या बू या मज़ा गंदगी से बदल जाए तो वो अइसल हालते तहारत पर न रहेगा बल्कि नापाक हो जाएगा।

बाब 69 : इस बारे में कि ठहरे हुए पानी में पेशाब करना मना है

(238) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा हमको शुऐब ने ख़बर दी, कहा मुझे अबु ज़िजनाद ने ख़बर दी कि उनसे अब्दुर्रहमान बिन हुमुज़ अल अअरज ने बयान किया, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना, उन्होंने रसूले करीम (ﷺ) से सुना। आप फ़र्माते थे कि हम (लोग) दुनिया में पिछले ज़माने में आए हैं (मगर आख़िरत में) सबसे आगे हैं।

(दीगर मक़ाम : 3486, 6624, 6887, 7036)

۶۹- بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

۲۳۸- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمَزَ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ)).

۳۴۸۶، ۶۶۲۴، ۶۸۸۷، ۷۰۳۶

(239) और उसी सनद से (ये भी) फ़र्माया कि तुममें से कोई ठहरे

۲۳۹- وَيَسْنَدُهُ قَالَ: ((لَا يَبُولُ

हुए पानी में जो जारी न हो पेशाब न करे। फिर उसी में गुस्ल करने लगे?

यानी ये अदब और नज़ाफ़त के ख़िलाफ़ है कि उसी पानी में पेशाब करना और फिर उसी से गुस्ल करना।

**बाब 70: जब नमाज़ी की पुश्त पर (अचानक)
कोई नजासत सा मुरदार डाल दिया जाए तो
उसकी नमाज़ फ़ासिद नहीं होती**

और हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) जब नमाज़ पढ़ते वक़्त कपड़े में खून लगा हुआ देखते तो उसको उतार डालते और नमाज़ पढ़ते रहते, इब्ने मुसय्यिब और शअबी कहते हैं कि जब कोई शख्स नमाज़ पढ़े और उसके कपड़े पर नजासत या जनाबत लगी हो, या (भूलकर) क़िब्ले के अलावा किसी और तरफ़ नमाज़ पढ़ी हो या तयम्मूम करके नमाज़ पढ़ी हो, फिर नमाज़ ही के वक़्त में पानी मिल गया हो तो (अब) नमाज़ न दोहराए।

इन आषार को अब्दुरज़ाक़ और सईद बिन मंसूर और इब्ने अबी शैबा ने सहीह असानिद से रिवायत किया है।

(240) हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा मुझे मेरे बाप (इम्रान) ने शुअबा से ख़बर दी, उन्होंने अबू इस्हाक़ से, उन्होंने अमर बिन मैमून से, उन्होंने अब्दुल्लाह से वो कहते हैं कि एक बार रसूले करीम (ﷺ) कअबा शरीफ़ में सज्दा में थे। (एक-दूसरी सनद से) हमसे अहमद बिन इम्रान ने बयान किया, कहा हमसे शुरैह बिन मुस्लिमा ने, कहा हमसे इब्राहीम बिन यूसुफ़ ने अपने बाप के वास्ते से बयान किया, वो अबू इस्हाक़ से रिवायत करते हैं। उनसे अमर बिन मैमून ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने उनसे हदीस बयान की कि एक बार रसूले करीम (ﷺ) कअबा के नज़दीक नमाज़ पढ़ रहे थे और अबू जहल और उसके साथी (भी वहीं) बैठे हुए थे तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि तुममें से कोई शख्स है जो क़बीले की (जो) कैंटनी ज़िबह हुई है (उसकी) ओझड़ी उठा लाए और (लाकर) जब मुहम्मद (ﷺ) सज्दा में जाएँ तो उनकी पीठ पर रख दे। ये सुनकर उनमें से एक सबसे ज़्यादा बदबख़्त (आदमी) उठा और वो ओझड़ी लेकर आया और देखता रहा जब आपने सज्दा किया तो उसने उस ओझड़ी को आपके दोनों कंधों के बीच रख दिया (अब्दुल्लाह

أَحَدَكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي
ثُمَّ يَفْتَسِلُ فِيهِ)).

۷- بَابُ إِذَا أَلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ

الْمُصَلِّي قَذْرًا أَوْ جِنْفَةً لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ
صَلَاتُهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ
دَمًا وَهُوَ يُصَلِّي وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ.
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ: إِذَا صَلَّى
وَلِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ لَغِيرِ الْقِبْلَةِ أَوْ
تَيَمَّمَ لَصَلَّى ثُمَّ أَذْرَكَ الْمَاءَ فِي وَجْهِهِ لَا
يُعِيدُ.

۲۴۰- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي

عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ
مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَا وَرَسُولَ اللَّهِ
ﷺ سَاجِدًا ح. قَالَ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ
عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ
مَيْمُونٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَنَا وَرَسُولَ اللَّهِ
النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ النَّيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ
وَأَصْحَابُ لَهُ جُلُوسٌ إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ أَيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلَى جَزُورٍ نَبِيِّ فَلَانَ
فِيضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ.
فَانْبَعَثَ أَشَقَى الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حَتَّى
إِذَا سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ
كَفَيْهِ وَأَنَا أَنْظُرُ لَا أَغْنِي شَيْئًا، لَوْ كَانَ لِي

बिन मसऊद कहते हैं) मैं ये (सबकुछ) देख रहा था मगर कुछ न कर सकता था। काश! (उस वक़्त) मुझ में रोकने की ताक़त होती। अब्दुल्लाह कहते हैं कि वो हंसने लगे और हंसी के मारे) लोट-पोट होने लगे और रसूलुल्लाह (ﷺ) सज्दे में थे (बोझ की वजह से) अपना सर नहीं उठा सकते थे। यहाँ तक कि हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) आई और वो बोझ आपकी पीठ पर से उतारकर फेंका, तब आप (ﷺ) ने सर उठाया फिर तीन बार फ़र्माया, या अल्लाह! तू कुरैश को पकड़ ले, ये (बात) उन काफ़िरों पर बहुत भारी हुई कि आप (ﷺ) ने उन्हें बह्दुआ दी। अब्दुल्लाह कहते हैं कि वो समझते थे कि इस शहर (मक्का) में जो दुआ की जाए वो ज़रूर कुबूल होती है फिर आपने (उनमें से) हर एक का (अलग-अलग) नाम लिया कि ऐ अल्लाह! इन ज़ालिमों को ज़रूर हलाक कर दे। अबू हजल, इत्बा बिन रबीआ, शैबा बिन रबीआ, वलीद बिन इत्बा, उमय्या बिन ख़लफ़ और इक्बा इब्ने अबी मुईत को सातवें (आदमी) का नाम (भी) लिया मगर मुझे याद नहीं रहा। उस ज़ात की क्रसम! जिसके क़ब्जे में मेरी जान है कि जिन लोगों के (बह्दुआ करते समय) आप (ﷺ) ने नाम लिए थे, मैंने उनकी (लाशों) को बद्र के कुएँ में पड़ा हुआ देखा।

(दीगर मक़ाम : 520, 2934, 3185, 3854, 3960)

مَنَعَةٌ. قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُونَ
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ
ﷺ سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتْهُ
فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ
قَالَ: ((اللَّهُمَّ عَلَيَّ بِقُرَيْشٍ)) ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ. فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ.
قَالَ: وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ
الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ. ثُمَّ سَمَى: ((اللَّهُمَّ عَلَيَّ
بِأَبِي جَهْلٍ، وَعَلَيْكَ بِعُنْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ،
وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَالِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمِّيَّةَ
بِنِ خَلْفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ)) وَعَدَّ
السَّابِعَ فَلَمْ تَحْفَظْهُ. فَوَالِدِي نَفْسِي بَدَلِهِ،
لَقَدْ رَأَيْتُ اللَّيْلِينَ عَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
صَرَخَى فِي الْقَلْبِيبِ، قَلْبِيبِ بَدْرٍ.

[أطرافه في : ٥٢٠، ٢٩٣٤، ٣١٨٥

، ٣٨٥٤، ٣٩٦٠.]

इस हदीष से हज़रत इमाम बुखारी (रह) ये प्राबित करना चाहते हैं कि अगर नमाज़ पढ़ते हुए इतिफ़ाक़न कोई नजासत पुशत पर आ पड़े तो नमाज़ हो जाएगी। ओझड़ी लाने वाला बदबख़्त इक्बा बिन मुईत था। ये सब लोग बद्र की लड़ाई में वासिले जहन्नम हुए। अम्मारा बिन वलीद हब्श के मुल्क में मरा। ये क्यूँकर मुम्किन था कि मज़्लूम रसूल (ﷺ) की दुआ कुबूल न हो।

बाब 71 : कपड़े में थूक और रेंट वगैरह लग जाने के बारे में

इर्बाने मिस्वर और मर्वान से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हूदैबिया के ज़माने में निकले (इस सिलसिले में) उन्होंने पूरी हदीष ज़िक्र की (और फिर कहा) कि नबी (ﷺ) ने जितनी बार भी थूका वो लोगों की हथेली पर पड़ा। फिर वो लोगों ने अपने चेहरों और बदन पर मल लिया।

(241) हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान ने हमीद के वास्ते से बयान किया, वो हज़रत अनस

٧١- بَابُ الثَّرَاقِ وَالْمَخَاطِ وَنَحْوِهِ
فِي الثُّوبِ

وَقَالَ عُرْوَةُ عَنْ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ: خَرَجَ
النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حُدَيْبِيَّةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ : وَمَا
تَنَحَّمَ النَّبِيُّ ﷺ نَحَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ
رَجُلٍ مِنْهُمْ فَذَلِكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدُهُ.

٢٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَمِيدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:

(रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (एक बार) अपने कपड़े में थूका। अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी (रह.) ने फर्माया कि सईद बिन अबी मरयम ने इस हदीष को तवालत के साथ बयान किया उन्होंने कहा हमको खबर दी यह्या बिन अय्यूब ने, कहा मुझसे हुमैद ने बयान किया, कहा मैंने अनस से सुना, वो आँहज़रत (ﷺ) से रिवायत करते हैं।

(405, 412, 413, 417, 531, 532, 822, 1214)

तशरीह:

इस सनद के बयान करने से हज़रत इमाम (रह) की गर्ज ये है कि हुमैद का सिमाअ अनस (रज़ि) से प्राबित हो जाए और यह्या बिन सईद क़त्तान का ये क़ौल ग़लत ठहरे कि हुमैद ने ये हदीष प्राबित से सुनी है उन्होंने अबू नज़रह से उन्होंने अनस से। इससे मा'लूम हुआ कि नमाज़ पढ़ते वक़्त अगर किसी कपड़े पर थूक ले ताकि नमाज़ में खलल भी न वाक़ेअ हो और क़रीब की जगह भी ख़राब न हो तो ये जाइज़ दुरुस्त है।

बाब 72 : नबीज़ से और किसी नशा वाली चीज़ से वुज़ू जाइज़ नहीं

हज़रते हसन बसरी और अबुल आलिया ने इसे मकरूह कहा और अत्ता कहते हैं कि नबीज़ और दूध से वुज़ू करने के मुक़ाबले में मुझे तयम्मूम करना ज़्यादा पसंद है।

(242) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान ने, उनसे जुहरी ने अबू सलमा के वास्ते से बयान किया, वो हज़रत आइशा (रज़ि.) से वो रसूले करीम (ﷺ) से रिवायत करती हैं कि आप (ﷺ) ने फर्माया कि पीने की हर वो चीज़ जो नशा लाने वाली हो, हराम है। (दीगर मक़ाम: 5585, 8886)

तशरीह:

नबीज़ ख़जूर के शरबत को कहते हैं जो मीठा हो और उसमें नशा न आया हो। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह) ने इससे वुज़ू जाइज़ रखा है जब पानी न मिले और इमाम शाफ़िई व इमाम अहमद व दीगर जुम्ला अइम्म—ए—अहले हदीष के नज़दीक नबीज़ से वुज़ू जाइज़ नहीं। इमाम बुखारी (रह) का भी यही फ़त्वा है। हसन के अप्रर को इन्ने अबी शैबा और अबुल आलिया के अप्रर को दारे कुत्नी ने और अत्ता के अप्रर को अबू दाऊद ने मौसूलन रिवायत किया है। हदीष के बाब का मक़सद है कि नशावर चीज़ हराम हुई तो उससे वुज़ू क्यूँकर जाइज़ होगा।

बाब 73 : इस बारे में कि औरत का अपने बाप के चेहरे से ख़ून धोना जाइज़ है

अबुल आलिया ने (अपने लड़कों से) कहा कि मेरे पैरों पर मालिश करो क्योंकि वो मरीज़ हो गए।

بَرَقَ النَّبِيُّ ﷺ لِي تَوْبِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ طَوْلُهُ ابْنُ أَبِي مَرْثَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ: سَوَّغْتُ أَنْسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[أطرافه في: ٤٠٥، ٤١٢، ٤١٣، ٤١٧،

٥٣١، ٥٣٢، ٨٢٢، ١٢١٤.]

٧٢- بَابُ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيِّ وَلَا بِالْمُسْكِرِ

وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَقَالَ عَطَاءٌ: التَّمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيِّ وَاللَّيْنِ.

٢٤٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((كُلُّ شَرَابٍ اسْتَكْرَ فَهُوَ حَرَامٌ)).

[طرفاه في: ٥٥٨٥، ٥٥٨٦.]

٧٣- بَابُ غَسَلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا اللَّحْمَ عَنْ وَجْهِهِ

وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: امْسَحُوا عَلَى رِجْلِي فَإِنَّهَا مَرِيضَةٌ.

(243) हमसे मुहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे सुफयान बिन उययना ने इब्ने अबी हाज़िम के वास्ते से नक़ल किया, उन्होंने सहल बिन सअद साएदी से सुना कि लोगों ने उनसे पूछा और (मैं उस वक़्त सहल के इतना करीब था कि) मेरे और उनके बीच कोई दूसरा हाइल न था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के (उहद के) ज़ख़म का इलाज किस दवा से किया गया था। उन्होंने कहा कि इस बात को जानने वाला (अब) मुझसे ज़्यादा कोई नहीं रहा। अली (रज़ि.) अपनी ढाल में पानी लाते और हज़रते फ़ातिमा (रज़ि.) आपके मुँह से खून धोतीं, फिर एक बोरिया का टुकड़ा जलाया गया और आपके ज़ख़म में भर दिया गया।

(दीगर मक़ाम : 2903, 2911, 3037, 4075, 5248, 5722)

इस हदीस से दवा और इलाज करने का जवाज़ प्राबित हुआ और ये कि ये तवक्कल के मनाफ़ी नहीं। नीज़ ये कि नजासत दूर करने में दूसरों से मदद लेना दुरुस्त है।

बाब 74 : मिस्वाक करने के बयान में

इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने रात रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास गुज़ारी तो (मैंने देखा कि) आप (ﷺ) ने मिस्वाक की।

(244) हमसे अबुन नोअमान ने बयान किया, कहा हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने ग़ैलान बिन जरिर के वास्ते से नक़ल किया, वो अबू बुर्दा से वो अपने बाप से नक़ल करते हैं कि मैं (एक बार) रसूले करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो मैंने आपको अपने हाथ से मिस्वाक करते हुए पाया और आप (ﷺ) के मुँह से अउअ अउअ की आवाज़ निकल रही थी और मिस्वाक आप (ﷺ) के मुँह में थी जिस तरह आप क़ै कर रहे हों।

अगर हलक़ के अंदर से मिस्वाक की जाए तो इस क़िस्म की आवाज़ निकला करती है। आँहज़रत (ﷺ) की उस वक़्त यही कैफ़ियत थी, मिस्वाक करने में मुबालागा करना मुराद है।

(245) हमसे उज़्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे जरिर ने मंसूर के वास्ते से, वो अबू वार्ईल से, वो हज़रत हुज़ैफ़ा से रिवायत करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) जब रात को उठते तो अपने मुँह को मिस्वाक से सफ़ाफ़ करते।

(दीगर मक़ाम : 889, 1136)

٢٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ وَسَأَلَهُ النَّاسُ - وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَحَدٌ - : بِأَيِّ شَيْءٍ دُوِّيَ جُرْحُ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ: مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَكْبَلَ بِهِ مِنِّي: كَانَ عَلِيٌّ يَجِيءُ بِتَرْسِيهِ لِيهِ مَاءٌ، وَفَاطِمَةُ تَفْسِلُ عَن وَجْهِهِ الدَّمَ. فَأَخَذَ حَصِيرًا فَأَحْرَقَ، فَحَشِيَ بِهِ جُرْحَهُ.

[أطرافه في : ٢٩٠٣، ٢٩١١، ٣٠٣٧]

[٥٧٢٢، ٥٢٤٨، ٤٠٧٥]

٧٤ - بَابُ السُّوَاكِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَتُّ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَنْ.

٢٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غِيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: آتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنْ بِسُوَاكِ بِيَدِهِ يَقُولُ: ((أَعْ، أَعْ)) وَالسُّوَاكُ لِي فِيهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ.

٢٤٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ:

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ

مِنَ اللَّيْلِ يَشُورُ فَاةً بِالسُّوَاكِ.

[طرفاه في : ٨٨٩، ١١٣٦]

तशरीह :

मिस्वाक की फ़ज़ीलत के बारे में ये हदीष काफ़ी है कि जो नमाज़ मिस्वाक करके पढ़ी जाए वो बग़ैर मिस्वाक वाली नमाज़ पर सत्ताईस दर्जा फ़ज़ीलत रखती है आप (ﷺ) मिस्वाक का इस क़दर एहतितामाम फ़र्माते कि आख़िर वक़्त भी इससे ग़ाफ़िल न हुए। त्रिब्बी (चिकित्सकीय) लिहाज़ से भी मिस्वाक के बहुत से फ़वाइद हैं। बेहतर है कि पीलू की ताज़ा जड़ से की जाए। मिस्वाक करने से आँखें भी रोशन होती है।

बाब 75 : इस बारे में कि बड़े आदमी को मिस्वाक देना (अदब का तक्राज़ा है)

٧٥- بَابُ دَفْعِ السَّوَاكِ إِلَى الْأَكْبَرِ

(246) अफ़फ़ान ने कहा कि हमसे सख़र बिन जुवैरिया ने नाफ़ेअ के वास्ते से बयान किया, वो इब्ने उमर (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैंने देखा कि (ख़्वाब में) मिस्वाक कर रहा हूँ तो मेरे पास दो आदमी आए। एक उनमें से दूसरे से बड़ा था, तो मैंने छोटे को मिस्वाक दे दी फिर मुझसे कहा गया कि बड़े को दो। तब मैंने उनमें से बड़े को दी। अबू अब्दुल्लाह बुखारी कहते हैं कि इस हदीष को नुऐम ने इब्नुल मुबारक से, वो उसामा से, वो नाफ़ेअ से, उन्होंने इब्ने उमर (रज़ि.) से मुख़्तसर तौर पर रिवायत करते हैं।

٢٤٦- وَقَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((أَرَأَيْتُمْ أَنَسَوَكُ بِسَوَاكِ: لَجَاءَنِي رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، فَتَأَوَّلْتُ السَّوَاكِ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَخْتَصَرَهُ نَعِيمٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ أَسَامَةَ عَنِ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ.

मा'लूम हुआ कि ऐसे मौकों पर बड़े आदमी का एहतितराम मल्हूज़ रखना ज़रूरी है। नीज़ ये भी मा'लूम हुआ कि दूसरे आदमी की मिस्वाक भी इस्ते'माल की जा सकती है।

बाब 76 : रात को वुज़ू करके सोने वाले की फ़ज़ीलत के बयान में

٧٦- بَابُ فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

(247) हमसे मुहम्मद बिन मुक्रातिल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको अब्दुल्लाह ने ख़बर दी, उन्होंने कहा हमें सुफ़यान ने मंसूर के वास्ते से ख़बर दी, उन्होंने सअद बिन इब्बैदा से, वो बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने आओ तो इस तरह वुज़ू करो जिस तरह नमाज़ के लिये करते हो। फिर दाहिनी करवट पर लेट कर चूँ कहो, 'ऐ अल्लाह! मैंने अपना चेहरा तेरी तरफ़ झुका दिया। अपना मुआमला तेरे ही सुपुर्द कर दिया। मैंने तेरे प्रवाब की तवक्क़अ और तेरे अज़ाब के डर से तुझे ही पुशतपनाह बना लिया। तेरे सिवा कहीं पनाह और नजात की जगह नहीं। ऐ अल्लाह! जो किताब तूने नाज़िल की मैं उस पर इमान

٢٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَائِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا آتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَوَضَّأَ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَرَغَبْتُ وَرَهَبْتُ إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا

लाया। जो नबी तूने भेजा मैं उस पर ईमान लाया।' तो अगर इस हालत में इसी तरह मर गया तो फ़ितरत पर मरेगा और इस दुआ को सब बातों के आखिर में पढ़। हज़रते बराअ कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने इस दुआ को दोबारा पढ़ा। जब मैं 'आमन्तु बिकिताबिकल्लज़ी उन्ज़िलत' पर पहुँचा तो मैंने व रसूलक (का लफ़ज़) कह दिया। आपने फ़र्माया नहीं (यूँ कहो) 'व नबियिकल्लज़ी अर्सलत।'

(दीगर मक़ाम : 6311, 6313, 6315, 7488)

إِنَّكَ. اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكَ يَا أَلِيّ أَنْزَلْتَ؛
وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. فَإِنَّ مَتَّ مِنْ لَيْتِكَ
فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ. وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا
تَتَكَلَّمُ بِهِ)). قَالَ: فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ
ﷺ، فَلَمَّا بَلَغْتُ ((اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكَ يَا
الَّذِي أَنْزَلْتَ)) قُلْتُ: وَرَسُولِكَ. قَالَ:
((لَا. وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ)).

[أطرافه بي: ٦٣١١، ٦٣١٣، ٦٣١٥]

[٧٤٨٨]

तशरीह:

सय्यदुल मुहद्दिषीन हज़रत इमाम बुखारी क़द्दस सिर्रुहु ने किताबुल वुजू को आयते करीमा इज़ा कुम्तुम इलस्मलाति (अल् माइदा : 6) से शुरू फ़र्माया था और अब किताबुल वुजू को सोते वक़्त वुजू करने की फ़ज़ीलत पर ख़त्म फ़र्माया है। इस इतिबात के लिये हज़रत इमाम क़द्दस सिर्रुहु की नज़रे ग़ायर बहुत से उमूर पर है और इशारा करना है कि एक मर्दे मोमिन की सुबह व शाम इब्तिदा व इतिहा, बेदारी व शब-बाशी सब कुछ बावुजू ज़िक्रे इलाही पर होनी चाहिये। और ज़िक्रे इलाही भी ऐन उसी नहज, उसी तौर तरीक़े पर हो जो रसूले करीम (ﷺ) की ता'लीमे फ़रमूदा है। इससे अगर ज़रा भी हटकर दूसरा रास्ता इख़्तियार किया गया तो वो अल्लाह के नज़दीक मक्बूल न होगा। जैसा कि यहाँ मज़कूर है कि रात को सोते वक़्त की दुआए मज़कूरा में स़हाबी ने आपके ता'लीमे फ़रमूदा लफ़ज़ को ज़रा बदल दिया तो आपने फ़ौरन उसे टोका और उस कमी व बेशी को गवारा नहीं किया। आयते करीमा या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही (अल् हुजुरात : 1) का यही तकाज़ा और दा'वते अहले हदीष का यही खुलासा है। तअज्जुब है उन मुकल्लिदीन हज़रत पर जो महज अपने मज़कूमा मसालिक की हिमायत के लिए हज़रत सय्यदे मुहद्दिषीन इमाम बुखारी (रह) की दिरायत व फुकाहत पर लबकुशाई करते हैं और आपकी तख़फ़ीफ़ व तन्कीस करके अपनी दुर्दैदा दहनी का षुबूत देते हैं।

किताबुल वुजू ख़त्म करते हुए हम फिर बबांगे दहल ऐलान करते हैं कि फ़न्ने हदीष शरीफ़ में हज़रत इमाम बुखारी (रह) क़द्दस सिर्रुहु उम्मत के अंदर वो मुक़ाम रखते हैं जहाँ आपका कोई मिषाल व नज़ीर नहीं है। आपकी जामेअ उस्सहीह यानी सहीह बुखारी वो किताब है जिस को उम्मत ने बिल इत्तिफ़ाक़ अस्मद्दहल कुतुबि बअद किताबिल्लाहि क़रार दिया है। साथ ही ये हक़ीक़त भी ज़ाहिर है कि अइम्म-ए-मुज्ताहिदीन (रह) का भी उम्मत में एक खुसूसी मुक़ाम है उनकी भी अदना तहक़ीर गुनाहे कबीरा है। सबको अपने-अपने दर्जा पर रखना और सबकी इज्जत करना तकाज़-ए-ईमान है। उनमें से किसको किस पर फ़ज़ीलत दी जाए और उसके लिए दफ़ातिर स्याह किये जाएँ ये एक ख़ब्त है। जो उस चौदहवीं सदी में कुछ मुकल्लिदीने जामेदीन को हो गया है। अल्लाह पाक ने पैग़म्बरों के बारे में भी स़ाफ़ फ़र्मा दिया है। तिल्करूसुलु फ़ज़ल्ला बअज़हुम अला बअज़िन (अल् बक़र : 235) फिर अइम्मा किराम व औलिया-ए-इज़ाम व मुहद्दिषीने ज़वील एहतिराम का तो ज़िक़र ही किया है। उनके बारे में यही उसूल मद्देनज़र रखना होगा।

हर गल्ले रांग व बूए दीगर अस्त

या अल्लाह! किस मुँह से तेरा शुक्र अदा करूँ कि तूने मुझ नाचीज़ हक़ीर फ़कीर गुनाहगार शर्मसार अदनातरीन बन्दे को अपने हबीब पाक गुम्बदे ख़ज़रा के मर्की (ﷺ) की इस मुक़द्दस बाबरकत किताब की ख़िदमत के लिए तौफ़ीक़ अता फ़र्माई, ये महज तेरा फ़ज़ल व करम है वरना मन आनम कि मन दानम।

मौला—ए—करीम!

इस मुकद्दस किताब के तर्जुमा व तशरीहात में नामा'लूम मुझसे किस क़दर लज़िश्ने हुई होंगी। कहाँ—कहाँ मेरा क़लम जाद—ए—ए' तिदाल से हट गया होगा।

इलाहुल आलमीन!

मेरी ग़लतियों को मुआफ़ कर दे और इस ख़िदमत को कुबूल फ़र्माकर मेरे लिए, मेरे वालिदैन व असातिज़ा व औलाद व जुम्ला मुआविनीने किराम व हमददनि इज़ाम के लिये बाअिषे नजात बना दे और इसे कुबूले आम अत्ता करके अपने बन्दों बन्दियों के लिये बाअिषे रुशदो—हिदायत फ़र्मा।

आमीन! या इलाहल आलमीन व सल्लल्लाहु अला ख़ैरि ख़ल्किही मुहम्मदिंव व आलिही व अह्हाबिही अज्मईन।

अल्हम्दुलिल्लाह! कि आज शुरू माह जमादिउष्शानी 1387 हिजरी में बुखारी शरीफ़ के पहले पारा के तर्जुमा व तशरीहात से फ़रागत हासिल हुई। अल्लाह पाक पूरी किताब का तर्जुमा व तशरीहात मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अत्ता फ़र्माए। आमीन और क़द्रदानों को इससे हिदायत और इज्जदादे ईमान (ईमान में बढ़ोतरी) नसीब करे। आमीन!



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

दूसरा पारा

5. किताबुल गुस्ल

गुस्ल के अहकाम व मसाइल

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

और अल्लाह तआला के इस फ़र्मान की वज़ाहत में कि:—

अगर जुनुबी हो जाओ तो ख़ूब अच्छी तरह पाकी हासिल करो और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या कोई तुममें पाख़ाना से आए या तुमने अपनी बीवियों से जिमाअ किया हो फिर तुम पानी न पाओ तो मिट्टी का क़स्द करो और अपने मुँह और हाथों पर उसे मल लो। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर तंगी करे लेकिन चाहता है कि तुमको पाक करे और अपनी नेअमत तुम पर पूरी करे ताकि तुम उसका शुक्र करो। (अल माइदा : 6)

और अल्लाह का दूसरा फ़र्मान है, 'ऐ ईमानवालों! नमाज़ के नज़दीक न जाओ, (उस वक़्त तक कि) जिस वक़्त तुम नशे में हो, यहाँ तक कि समझने लगे जो कहते हो और न उस वक़्त कि गुस्ल की हाजत हो मगर हालते सफ़र में यहाँ तक कि गुस्ल कर लो और अगर तुम मरीज़ हो या सफ़र में या तुममें से कोई क़ज़ा-

٥- كِتَابُ الْغُسْلِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيَمُنَّ عَلَيْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ تَتَشْكُرُونَ ﴿المائدة: ٦﴾.

وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا، وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ

ए-हाजत से आए या तुम औरतों के पास गये हो, फिर तुम पानी न पाओ तो इरादा करो पाक मिट्टी का, पस मलो अपने मुँह और हाथों को, बेशक अल्लाह मुआफ़ करनेवाला और बख़्शने वाला है। (अन् निसा : 43)

عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
غَفُورًا ﴿٤٣﴾ [النساء : ٤٣]

‘क़ालबु हज़र फ़िल्फ़त्हि कज़ा फ़ी रिवायतिना बितक़दीमिल बस्मलति व लिल अक्षरि बिल अक्सि वल अव्वलु जाहिरुन व वजहुः ष्शानी व अलैहि अक्षरुरिवायाति अन्नहु जअलत्तर्जुमत क़ाइमतन मक़ाम तस्मियतिस्सूरति वल अह्दादीषिल मज़कूरति बअदल बस्मलति कलआयाति मुस्तफितहतुन बिल्बस्मलति’ यानी हाफिज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते है कि हमारी रिवायत बुखारी में किताबुल गुस्ल पर बिस्मिल्लाह मुकद्दम है— अक्षर मुअख़्खर भी नक़ल करते है— अव्वल रिवायत जाहिर है गोया हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने तर्जुमा किताबुल गुस्ल को कुआन मजीद की सूरतों में किसी एक सूरत के क़ायम मक़ाम क़रार देकर अह्दादीष बाद को उन आयतों की जगह पर रखा है जो सूरत में बिस्मिल्लाह के बाद आती है— लफ़ज़ गुस्ल (गैन के ज़म्मा के साथ) तमाम बदन के धोने का नाम है— तहारत में पहले क़जा— ए-हाजत से फ़ारिग होकर इस्तिंजा करना फिर वुजू करना फिर ब-वक़्ते ज़रूरत गुस्ल करना— इसी तर्तीब के पेशे नज़र हज़रत इमाम क़द्दस सिरुहु ने किताबुल गुस्ल को दर्ज फ़र्माया और उसको आयाते कुआनी से शुरू किया— जिससे मक़सद ये है कि गुस्ले जनाबत की फ़रज़ियत कुआन मजीद से ष़ाबित है— पहली आयत सूए माइदा की और दूसरी आयत सूए निसा की है— दोनों में तरीक़— ए-गुस्ल की कुछ तफ़्सीलात मज़कूर हुई है— साथ ही में भी बतलाया गया है कि पानी न मिलने की सूरत में वुजू और गुस्ल की जगह तय्युमम बताए गये तरीक़े से कर लेना काफी हो जाता है।

बाब 1 : इस बारे में कि गुस्ल से पहले वुजू कर लेना चाहिए

(248) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें मालिक ने हिशाम से ख़बर दी, वो अपने वालिद से, वो नबी करीम (ﷺ) की बीवी मुत्तहहरा हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) जब गुस्ल करते तो आप पहले अपने दोनों हाथ धोते फिर उसी तरह वुजू करते जिस तरह नमाज़ के लिये आप (ﷺ) वुजू करते थे। फिर पानी में अपनी उँगलियाँ डालते और उनसे बालों की जड़ों का खिलाल करते। फिर अपने हाथों से तीन चुल्लू सर पर डालते फिर पूरे बदन पर पानी बहा लेते।

(दीगर मक़ाम : 262, 272)

(249) हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने हदीष बयान की, उन्होंने कहा हमसे सुफ़यान ने बयान किया अज़मश से रिवायत करके, वो सालिम इब्ने अबी अल् जअद से, वो कुरैब से, वो इब्ने अब्बास (रज़ि.) से, वो मैमूना नबी करीम (ﷺ) की जोज़ः - ए-

١- بَابُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

٢٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ
عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ
إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ
يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَدْخُلُ
أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيَخْلُلُ بِهَا أَصْوَلَ
شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرْفٍ
بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُغِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَلْدِهِ كُلِّهِ.

[طرفاه 3 : ٢٦٢، ٢٧٢]

٢٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ
أَبِي الْجَعْفَرِ عَنْ كُرَيْبِ بْنِ عَبْدِ عُبَّاسٍ عَنْ

मुत्हहरा से रिवायत करते हैं, उन्होंने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) ने नमाज़ के वुजू की तरह एक बार वुजू किया, अल्बत्ता पांव नहीं धोए। फिर अपनी शर्मगाह को धोया और जहाँ कहीं भी नजासत लग गई थी, उसको धोया। फिर अपने ऊपर पानी बहा लिया। फिर पहली जगह से हटकर अपने दोनों पांव को धोया। आपका गुस्ले जनाबत इसी तरह हुआ करता था।

(दीगर मक़ाम : 257, 259, 260, 266, 274, 276, 281)

مَبْمُوتَةٌ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ، وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ الْأَذَى، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، ثُمَّ نَحَى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا. هَذِهِ غُسْلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

أَطْرَافُهُ فِي : ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦٦.

[٢٧٤، ٢٧٦، ٢٨١].

हाफिज़ इब्ने हज़रत (रह.) फ़र्माते हैं कि इस रिवायत में तक्रदीम, ताखीर हो गई है—शर्मगाह और आलाइश को वुजू से पहले धोना चाहिये जैसा कि दूसरी रिवायत में है—फिर वुजू करना मगर पैर न धोना फिर गुस्ल करना फिर बाहर निकलकर पैर धोना यही मसनून तरीक़—ए—गुस्ल है।

बाब 2 : इस बारे में कि मर्द का अपनी बीवी के साथ गुस्ल करना सही है

(250) हमसे आदम बिन अबी अयास ने हदीष बयान की, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने अबी ज़िब ने हदीष बयान की। उन्होंने जुहरी से, उन्होंने इर्वा से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि मैं और नबी करीम (ﷺ) एक ही बर्तन में गुस्ल किया करते थे। उस बर्तन को फ़रक़ कहा जाता था।

(दीगर मक़ाम : 261, 263, 273, 299, 5956, 7339)

٢- بَابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ

٢٥٠- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ.

أَطْرَافُهُ فِي : ٢٦١، ٢٦٣، ٢٧٣، ٢٩٩.

[٥٩٥٦، ٧٣٣٩].

तशरीह: दोनों मियां—बीवी एक ही बर्तन में पानी भरकर गुस्ल कर सकते हैं। यहाँ फ़रक (बर्तन) का ज़िक्र दोनों के लिये मज़कूर है जिन अहदादीष में सिर्फ़ एक साथ पानी का ज़िक्र है वहाँ आँहज़रत (ﷺ) के तन्हा (अकेले) गुस्ल का ज़िक्र है। दो फ़रक का वज़न सोलह रतल यानी आठ सेर के करीब होता है जो तीन साअे हिजाज़ी के बराबर है।

साहिबे औनुल मा' बूद फ़र्माते हैं, 'व लैसल गुस्तु बिस्साइ वल वुजू उ बिल मुद्दि लिच्छदीदि वत्तद्दीरि बल कान रसूलुल्लाहि (ﷺ) व बिमक्तसर बिस्साइ व रुब्बमा ज़ाद रवा मुस्लिम मिन हदीषि आइशत अन्रहा कानत तगतसिलु हिय वन्नबियु (ﷺ) मिन इनाइन वाहिदिन हुवल फ़कु क़ालब्नु उयियनत वशशाफ़िइ व ग़ैरहुमा हुव प्रलाप्रत असुइन' (औनुल मा' बूद जिल्द 1 पेज 35) यानी गुस्ल और वुजू के लिये साअ की तहदीद नहीं है कभी आप (ﷺ) ने एक साअ पर काभी ज़्यादा इक्तिफ़ा (बस) फ़र्माया है।

बाब 3 : इस बारे में कि एक साअ या इसी तरह किसी चीज़ के वज़न भर पानी से गुस्ल करना चाहिये

٣- بَابُ الْغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ

(251) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने हदीष बयान की, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुस्समद ने, उन्होंने कहा हमसे शुअबा ने, उन्होंने कहा हमसे अबूबक्र बिन हफ़स ने, उन्होंने कहा कि मैंने अबू सलमा से ये हदीष सुनी कि मैं (अबू सलमा) और हज़रत आइशा (रज़ि.) के भाई हज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में गये, उनके भाई ने नबी करीम (ﷺ) के गुस्ल के बारे में सवाल किया तो आपने सज़ा जैसा एक बर्तन मंगवाया। फिर गुस्ल किया और अपने ऊपर पानी बहाया। उस वक़्त हमारे बीच और उनके बीच पर्दा हाइल था। इमाम अबू अब्दुल्लाह (बुखारी) कहते हैं कि यज़ीद बिन हारून, बहज़ और जुदी ने शुअबा से क़द्रे सज़ा के अल्फ़ाज़ रिवायत किये हैं।

٢٥١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا أَخْوَاهَا عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَدَعَتُ بِيَانَاءِ نَحْوٍ مِنْ صَاعٍ فَاغْتَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا، وَبَيْنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَالْقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَبِهِزَّ وَالْجُدِيُّ عَنْ شُعْبَةَ: قَدَرِ صَاعٍ.

तशरीह: ये अबू सलमा हज़रत आइशा (रज़ि.) के रज़ाई भाँजे थे और आपके महरम थे। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने पर्दा से गुस्ल फ़र्माकर उनको तरीक़-ए-गुस्ल की ता' लीम फ़र्माई—मसनून गुस्ल यही है कि एक साअ पानी इस्ते' माल किया जाए। साअे हिजाज़ पौने तीन सेर से कुछ कम के क़रीब होता है, जिसकी तफ़सील कुछ पहले गुजर चुकी है।

(252) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने हदीष बयान की, उन्होंने कहा हमसे यह्या बिन आदम ने हदीष बयान की, उन्होंने कहा हमसे जुहैर ने अबू इस्हाक़ के वास्ते से, उन्होंने कहा हमसे अबू जा'फ़र (मुहम्मद बाक़िर) ने बयान किया कि वो और उनके वालिद (जनाब ज़ैनुल आबिदीन) जाबिर बिन अब्दुल्लाह के पास थे और कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। उन लोगों ने आपसे गुस्ल के बारे में सवाल किया तो आपने फ़र्माया कि एक सज़ा काफ़ी है। इस पर एक शख़्स बोला ये मुझे तो काफ़ी न होगा। हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने कहा कि ये उनके लिये काफ़ी होता था जिनके बाल तुमसे ज़्यादा थे और जो तुमसे बेहतर थे (यानी रसूलुल्लाह ﷺ) फिर हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने सिर्फ़ एक कपड़ा पहनकर हमें नमाज़ पढ़ाई। (दीगर मक़ाम: 255, 256)

٢٥٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ وَأَبُوهُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ، فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِيهِ. فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعْرًا وَخَيْرٌ مِنْكَ. ثُمَّ أَمْنَا فِي نَوْبٍ [طرفاه في: ٢٥٥, ٢٥٦].

तशरीह: वो बोलने वाले शख़्स हसन बिन मुहम्मद बिन हनफ़िया थे। हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने उनको सख़्ती से समझाया जिससे मा' लूम हुआ कि हदीष के ख़िलाफ़ फुज़ूल ए' तिराज़ करने वालों को सख़्ती से समझाना चाहिये और हदीष के मुकाबूले पर राय या क्रियासे तावील (अनुमान) से काम लेना किसी तरह भी जाइज़ नहीं। 'वल हनफ़िय्यतु कानत ज़ौजत अलिथियन तज़व्वजहा बअद फ़ातिमत फ़वलदत लहा मुहम्मदन फ़श्तहर बिन्निस्बति इलैहा' (फ़तहल बारी) यानी हनफ़िया नामी औरत हज़रत अली (रज़ि.) की बीवी हैं जो हज़रत फातिमा (रज़ि.) के इन्तिक़ाल के बाद आपके निकाह में आई जिनके बतन (पेट) से मुहम्मद नामी बच्चा पैदा हुआ और वो बजाय बाप के माँ ही के नाम से ज़्यादा मशहूर हुआ।

(253) हमसे अबू नुऐम ने रिवायत की, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उययना ने अमर के वास्ते से बयान किया, वो जाबिर बिन ज़ैद से, वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कि नबी करीम (ﷺ) और हज़रत मैमूना (रज़ि.) एक बर्तन में गुस्ल कर लेते थे। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुखारी (रह.)) कहते हैं कि इब्ने उययना अख़ीर उम्र में इस हदीष को यूँ रिवायत करते थे इब्ने अब्बास से उन्होंने मैमूना से और सहीह वही रिवायत है जो अबू नुऐम ने की।

बाब 4 : इस बारे में जो अपने सर पर तीन बार पानी बहाए

(254) अबू नुऐम ने हमसे बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे जुहैर ने रिवायत की अबू इस्हाक़ से, उन्होंने कहा कि हमसे जुबैर बिन मुतइम (रज़ि.) ने रिवायत की। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया मैं तो अपने सर पर तीन बार पानी बहाता हूँ और आप (ﷺ) ने अपने दोनों हाथों से इशारा किया।

٢٥٣- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمِمُّونَةَ كَانَا يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ أَحْسَبُ: ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مِمُّونَةَ)) وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ.

٤- بَابٌ مِنْ أَقْصَى عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا
٢٥٤- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ صَرْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطَيْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَمَّا أَنَا فَأَلْبِضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا)) وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا.

अबू नुऐम ने मुस्तख़ज में रिवायत किया है कि लोगों ने आँहज़रत (ﷺ) के सामने गुस्ले-जनाबत का ज़िक्र किया, सहीह मुस्लिम में है कि उन्होंने झगड़ा किया तब आप ने ये हदीस बयान फ़र्माई।

(255) मुहम्मद बिन बश्शार ने हमसे हदीष बयान की, उन्होंने कहा हमसे गुंदर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, मख़वल बिन राशिद के वास्ते से, वो मुहम्मद इब्ने अली से, वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से, उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) अपने सर पर तीन बार पानी बहाते थे।

(राजेअ: 252)

(256) हमसे अबू नुऐम (फ़ज़ल बिन दुकैन) ने बयान किया, कहा हमसे मअमर बिन यह्या बिन साम ने रिवायत की, कहा कि हमसे अबू जा'फ़र (मुहम्मद बाक्रि) ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे जाबिर ने बयान किया कि मेरे पास तुम्हारे चचा के बेटे (उनकी मुराद हसन बिन मुहम्मद इब्ने हनफ़िथ्या से थी) आए उन्होंने पूछा कि जनाबत के गुस्ल का क्या तरीक़ा है? मैंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) तीन चुल्लू लेते और उनको अपने सर पर बहाते थे। फिर अपने पूरे बदन पर पानी बहाते थे। हसन ने इस पर

٢٥٥- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مِخْوَلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفَرِّغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا. [راجع: ٢٥٢]

٢٥٦- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ لِي جَابِرٌ: أَتَانِي ابْنُ عَمِّكَ - يُعْرَضُ بِالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ - قَالَ: كَيْفَ الْفَسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَكْفٍ وَيُفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ.

कहा कि मैं तो बहुत बालों वाला आदमी हूँ। मैंने जवाब दिया कि नबी करीम (ﷺ) के बाल तुमसे ज़्यादा थे।

(राजेअ : 252)

चचा के बेटे मजाजन कहा, दरअसल वो उनके बाप यानी जैनुल आबेदीन के चचाजाद भाई थे क्योंकि मुहम्मद इब्ने हनफ़िया जनाब हसन और जनाब हुसैन (रज़ि.) के भाई थे, जो हसन के बाप है, जिन्होंने जाबिर से ये मसला पूछा था। बाब के तर्जुमा और बयान की गई अह्लादीष की मुताबकत से ज़ाहिर है कि आँहज़रत (ﷺ) गुस्ले जनाबत में सरे मुबारक पर तीन चुल्लू पानी बहाते थे। पस मसनून तरीक़ा यही है। इससे ये भी प्राबित हुआ कि रसूले करीम (ﷺ) का तर्जे अमल हर हालत में इतिबा (पैरवी) करने के लाइक है।

बाब 5 : इस बयान में कि सिर्फ़ एक बार बदन पर पानी डालकर अगर गुस्ल किया जाए तो काफ़ी होगा

(257) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल वाहिद ने अअमश के वास्ते से बयान किया, उन्होंने सालिम बिन अबी अल जअद से, उन्होंने कुरैब से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के लिये गुस्ल का पानी रखा तो आपने अपने हाथ दो बार धोए। फिर पानी अपने बाएँ हाथ में लेकर अपनी शर्मगाह को धोया। फिर ज़मीन पर हाथ रगड़ा। उसके बाद कुल्ली की और नाक में पानी डाला और अपने चेहरे और हाथों को धोया। फिर अपने सारे बदन पर पानी बहा लिया और अपनी जगह से हटकर दोनों पांव धोए।

(राजेअ : 249)

यानी गुस्ल में एक ही बार सारे बदन पर पानी डालना काफ़ी है, जो कि बाब की हदीष में एक बार की सराहत नहीं मुतलक़ पानी बहाने का ज़िक्र है जो एक ही बार पर महमूल होगा इसी से बाब का तर्जुमा निकला।

बाब 6 : इस बारे में कि जिसने हिलाब से या खुशबू लगाकर गुस्ल किया तो उसका भी गुस्ल हो गया

(258) मुहम्मद बिन मुषन्नाने बयान किया, कहा कि हमसे अबू आसिम (ज़िहाक बिन मुख्लद) ने बयान किया, वो हज़ला बिन अबी सुफ़यान से, वो क़ासिम बिन मुहम्मद से, वो हज़रत आइशा (रज़ि.) से। आपने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) जब गुस्ले जनाबत करना चाहते तो हिलाब की तरह एक चीज़ मंगाते। फिर

قَالَ لِي الْحَسَنُ: إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعْرِ،
فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَكْثَرَ مِنْكَ شَعْرًا.

[راجع: ٢٥٢]

٥- بَابُ الْغُسْلِ مَرَّةً
وَاحِدَةً

٢٥٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبِ بْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ
ﷺ مَاءً لِلْغُسْلِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ
ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ
مَذَاكِبِرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ
مَضْمَضَ وَاسْتَشَقَّ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ،
ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ
مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ. [راجع: ٢٤٩]

٦- بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالْحِلَابِ أَوْ

الطِّيبِ عِنْدَ الْغُسْلِ

٢٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ وَعَنِ الْقَاسِمِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا
اغتسل من الجنابة دعا بشيء نخو

(पानी का चुल्लू) अपने हाथ में लेते और सर के दाहिने हिस्से से इब्तिदा करते। फिर बाएँ हिस्से का गुस्ल करते। फिर अपने दोनों हाथों को सर के बीच में लगाते थे।

الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ قَبْلًا بِشِقِّ رَأْسِهِ
الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ
رَأْسِهِ.

तशीह: हिलाब के मुता'ल्लिक मजमउल बिहार में है, 'अल हिलाबु बिकस्रि मुहमलतिन व खिफ्रतिलामिन इनाउन यसउ क़द्रु हल्बि नाकतिन अयकान यब्तदी बितल्बि ज़फ़िन व बितल्बि तीबिन औ अराद बिही इनाउत्तीबि यअनी बदअ तारतन बितलबि ज़फ़िन व तारतन बि तलबि नफ़िसत्तीबि व रुविय बिशिदति लामिन व जीम व हुव ख ताउन' (मजमउल बिहार) यानी हिलाब एक बरतन होता था जिसमें एक ऊंटनी का दूध समा सके। आप वो बरतन पानी से पुर करके मंगाते और उससे गुस्ल फ़र्माते या उससे खुशबू रखने का बरतन मुराद लिया है, यानी कभी महज़ आप बरतन मंगाते कभी महज़ खुशबू। बाब का मतलब ये है कि ख्वाह गुस्ल पहले पानी से शुरू करे जो हिलाब जैसे बरतन में भरा हुआ हो फिर गुस्ल के बाद खुशबू लगाए या पहले खुशबू लगाकर बाद में नहाए। यहाँ बाब की हदीष से पहला मतलब प्राबित किया और दूसरे मतलब के लिये वो हदीष है जो आगे आ रही है, जिसमें ज़िक्र है कि आप (ﷺ) ने खुशबू लगाने के बाद अपनी बीवियों से सोहबत की और सोहबत के बाद गुस्ल होता है तो गुस्ल से क़ब्ल (पहले) खुशबू लगाना प्राबित हुआ। शाह वलीउल्लाह मरहूम ने फ़र्माया है कि हिलाब से मुराद से बेजू का एक शीरा है जो अरब लोग गुस्ल से पहले लगाया करते थे, जैसे आजकल साबुन या उबटन (फेस पैक) या तेल और बेसन मिला कर लगाते हैं फिर नहाया करते हैं। कुछ लोगों ने इस लफ़्ज़ को जीम के साथ जिलाब पढ़ा है और इसे गुलाब का मुअरब करार दिया है, वल्लाहु आलमु बिस्सवाबि।

बाब 7 : इस बयान में कि गुस्ले जनाबत करते वक़्त कुल्ली करना और नाक में पानी डालना चाहिये

(259) हमसे उमर बिन हफ़्स बिन ग़ियास ने बयान किया, कहा कि हमसे मेरे वालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे अअमशने, कहा मुझसे सालिम ने कुरैब के वास्ते से, वो इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, कहा हमसे मैमूना ने बयान किया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के लिये गुस्ल का पानी रखा। तो पहले आपने पानी को दाएँ हाथ से बाएँ हाथ पर गिराया। इस तरह अपने दोनों हाथों को धोया। फिर अपनी शर्मगाह को धोया। फिर अपने हाथ को ज़मीन से रगड़कर उसे मिट्टी से मला और धोया। फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला। फिर अपने चेहरे को धोया और अपने सर पर पानी बहाया। फिर एक तरफ़ होकर दोनों पाँव धोए। फिर आपको रुमाल दिया गया। लेकिन आप (ﷺ) ने उससे पानी को खुशक नहीं किया।

(राजेअ: 249)

٧- بَابُ الْمُنْمَصَّةِ وَالْإِسْتِشْقِ فِي
الْجَنَابَةِ

٢٥٩- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ:
حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا مَيْمُونَةُ قَالَتْ: صَبَّتُ لِلنَّبِيِّ
ﷺ غُسْلًا، فَأَفْرَغَ بِيَجِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ
فَفَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ
الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ
تَمَضَّمْنَ وَاسْتَشَقْنَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ
وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ تَتَعَى فَفَسَلَ
قَلَمَيْهِ، ثُمَّ أَتَى بِمِثْلَيْهِ فَلَمْ يَنْقُضْ بِهَا.

[راجع: ٢٤٩]

मा'लूम हुआ कि वुजू और गुस्ल दोनों में कुल्ली करना और नाक में पानी डालना वाजिब है। कज़ा क़ाल अहलुल हदीष व इमाम अहमद बिन हंबल इब्ने क़य्यिम (रह.) ने फ़र्माया कि वुजू के बाद अज़ा के पोंछने के बारे में कोई सहीह हदीष

नहीं आई, बल्कि सहीह अहदीष से यही साबित है कि गुस्ल के बाद आप (ﷺ) ने रूमाल वापस कर दिया, जिस्मे-मुबारक को उससे नहीं पोंछा। इमाम नववी (रह.) ने कहा कि इस बारे में बहुत इख्तिलाफ़ है, कुछ लोग मकरूह जानते हैं तो कुछ मुस्तहब कहते हैं। कुछ कहते हैं कि पोंछना और न पोंछना बराबर है, हमारे नज़दीक यही मुख्तार है।

बाब 8 : इस बारे में कि (गंदगी पाक करने के बाद) हाथ मिट्टी से मलना ताकि वो ख़ूब साफ़ हो जाए

(260) हमसे अब्दुल्लाह बिन जुबैर हुमैदी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सुफ़यान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अअमश ने बयान किया सालिम बिन अबी अल जअद के वास्ते से, उन्होंने कुरैब से, उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से, उन्होंने हज़रत मैमूना (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने गुस्ले जनाबत किया तो पहले अपनी शर्मगाह को अपने हाथ से धोया, फिर हाथ को दीवार पर रगड़कर धोया। फिर नमाज़ की तरह वुजू किया और जब आप अपने गुस्ल से फ़ारिग़ हो गये तो दोनों पांव धोए। (राजेअ: 249)

8- بَابُ مَسْحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ لِتَكُونَ أَنْفَى

٢٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ ذَلِكَ بِهَا الْحَائِطُ ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. [راجع: ٢٤٩]

पहले भी ये हदीष गुजर चुकी है, मगर यहाँ दूसरी सनद से मरवी है। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) एक ही हदीष को कई बार मुख्तलिफ़ मसाइल निकालने के लिये बयान करते हैं मगर अलग-अलग सनदों से ताकि तकरार बेफ़ायदा न हो।

बाब 9 : क्या जुनुबी अपने हाथों को धोने से पहले बर्तन में डाल सकता है?

जबकि जनाबत के सिवा हाथ में कोई गंदगी नहीं लगी हुई हो। इब्ने उमर और बराअ बिन आज़िब ने हाथ धोने से पहले गुस्ल के पानी में अपना हाथ डाला था और इब्ने उमर और इब्ने अब्बास (रज़ि.) उस पानी से गुस्ल में कोई मुज़ाइक़ा नहीं समझते थे जिसमें गुस्ले जनाबत का पानी टपककर गिर गया हो।

9- بَابُ هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي

الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا
إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَدْرٌ غَيْرُ
الْجَنَابَةِ وَأَدْخَلَ ابْنُ عَمْرٍو وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ
يَدَهُ فِي الطُّهُورِ وَلَمْ يَغْسِلَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ.
وَلَمْ يَرَ ابْنَ عَمْرٍو وَابْنَ عَبَّاسٍ بَأْسًا بِمَا
يَتَّبِعُ مِنَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ.

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का मतलब ये है कि अगर हाथ पर और कोई नजासत न हो और हाथ धोने से पहले बर्तन में डाल दें तो पानी नजिस न होगा, क्योंकि जनाबत नजासते हुक्मी है, हकीकी नहीं है। इब्ने उमर (रज़ि.) के अप्पर को सईद बिन मन्सूर ने और बराअ बिन आज़िब के अप्पर को इब्ने अबी शैबा ने निकाला है। उनमें जनाबत का ज़िक्र नहीं है मगर हज़रत इमाम ने जनाबत को हदप्प पर क़यास किया है क्योंकि दोनों हुक्मी नजासत है और इब्ने अबी शैबा ने शुअबी से रिवायत किया है कि बाज़ असहाबे किराम अपने हाथ बग़ैर धोए पानी में डाल देते हालांकि वो जुनुबी होते, ये उसी हालत में कि उनके हाथों पर ज़ाहिर में कोई नजासत लगी हुई न होती थी।

(261) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा हमसे अफ्लह बिन हुमैद ने बयान किया क़ासिम से, वो आइशा (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि मैं और नबी करीम (ﷺ) एक बर्तन में इस तरह गुस्ल करते थे कि हमारे हाथ बारी-बारी उसमें पड़ते थे।

यानी कभी मेरा हाथ और कभी आप (ﷺ) का हाथ कभी दोनों हाथ मिल भी जाते है थे, जैसा कि दूसरी रिवायत में है।

(262) हमसे मुसहद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हम्माद ने हिशाम के वास्ते से बयान किया, वो अपने वालिद से, वो आइशा (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) गुस्ले जनाबत फ़र्माते तो (पहले) अपना हाथ धोते।

(राजेअ: 248)

इस हदीष के लाने से गर्ज ये है कि जब हाथ पर नजासत का अन्देशा हो तो हाथ धोकर बरतन में डालना चाहिये और अगर कोई शुबहान हो तो बग़ैर धोए भी (पानी में हाथ डालना) जाइज़ है।

(263) हमसे अबुल वलीद ने बयान किया। कहा हमसे शुअबा ने अबूबक्र बिन हफ़्म के वास्ते से बयान किया, वो उर्वा से, वो आइशा (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि मैं और नबी करीम (ﷺ) (दोनों मिलकर) एक ही बर्तन में गुस्ले जनाबत करते थे। और शुअबा ने अपने वालिद (क़ासिम बिन मुहम्मद बिन अबीबक्र (रज़ि.) से वो आइशा (रज़ि.) से इसी तरह रिवायत करते हैं।

(राजेअ: 250)

(264) हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअबा ने अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर से। उन्होंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक से सुना कि नबी करीम (ﷺ) और आपकी कोई जोज़ :- ए-मुतहहरा एक बर्तन में (या) नी एक ही बर्तन के पानी से) गुस्ल करते थे। इस हदीष में मुस्लिम बिन इब्राहीम और वहब बिन जर्रीर की रिवायत में शुअबा से मिनल् जनाबत का लफ़्ज़ (ज्यादा) है। (यानी ये जनाबत का गुस्ल होता था)।

हाफ़िज़ ने कहा कि इस्माईल ने वहब की रिवायत को निकाला है, लेकिन उसमें ये ज्यादाती नहीं है। क़स्तलानी (रह.) ने कहा कि ये तअलीक़ नहीं है क्योंकि मुस्लिम बिन इब्राहीम तो इमाम बुखारी (रह.) के शैख़ है और वहब ने भी जब वफ़ात पाई तो इमाम बुखारी (रह.) की उमर उस वक़्त बारह साल की थी, इसमें क्या ता'जुब है कि आपको उनसे समाअत हासिल हो।

۲۶۱- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ
خَبَرَنَا أَلْفُحُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَائِشَةَ
قَالَتْ: كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيَّ ﷺ مِنْ
إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ.

۲۶۲- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ
عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ
يَدَهُ. [راجع: ۲۴۸]

۲۶۳- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصِ بْنِ غَزْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيَّ
ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ. وَعَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
مِثْلَهُ. [راجع: ۲۵۰]

۲۶۴- حَدَّثَنَا أَبُو [راجع: ۲۲۴] الْوَلِيدِ
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
جَبْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ
يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. زَادَ مُسْلِمٌ
وَوَقَفَ بْنُ جَبْرِ عَنْ شُعْبَةَ: مِنْ الْجَنَابَةِ.

बाब 10 : उस शख्स के बारे में जिसने गुस्ल में

۱۰- بَابُ مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى

अपने दाएँ हाथ से बाएँ हाथ पर पानी गिराया

(265) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अबू अवाना ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अअमश ने सालिम बिन अबी अल जअद के वास्ते से बयान किया, वो इब्ने अब्बास (रज़ि.) के मौला कुरैब से, उन्होंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से, उन्होंने मैमूना बिनते हारिषा (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि मैंने आँहज़रत (ﷺ) के लिये (गुस्ल का) पानी रखा और पर्दा कर दिया। आपने (पहले गुस्ल में) अपने हाथ पर पानी डाला और उसे एक या दो बार धोया। सुलेमान अअमश कहते हैं कि मुझे याद नहीं रावी (सालिम बिन अलजअद) ने तीसरी बार का भी ज़िक्र किया या नहीं। फिर दाहिने हाथ से बाएँ पर पानी डाला। और शर्मगाह धोई, फिर अपने हाथ को ज़मीन पर या दीवार पर रगड़ा, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला और चेहरे और हाथों को धोया और सर को धोया। फिर सारे बदन पर पानी बहाया। फिर एक तरफ़ सरककर दोनों पांव धोए। बाद में मैंने एक कपड़ा दिया तो आपने अपने हाथ से इशारा किया कि इस तरह कि इसे हटाओ और आपने उस कपड़े का इरादा नहीं फ़र्माया।

इमाम अहमद की रिवायत में यूँ है कि आपने फ़र्माया मैं नहीं चाहता। आदाबे गुस्ल से है कि दाएँ हाथ से बाएँ हाथ पर पानी डालकर पहले खूब अच्छी तरह से इस्तिंजा कर लिया जाए। बाब का तर्जुमा इस हदीष से ज़ाहिर है।

बाब 11 : इस बयान में कि गुस्ल और वुजू के दरम्यान फ़ुस्ल करना भी जाइज़ है

इब्ने उमर से मन्कूल है कि उन्होंने अपने क़दमों को वुजू कर्दा अज़ा (हिस्सों) के ख़ुशक होने के बाद धोया।

इस अज़ा को इमाम शाफ़िई (रह.) ने अपनी किताबुल उम में रिवायत किया है कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने बाज़ार में वुजू किया, फिर एक जनाज़े में बुलाए गये तो वहाँ आपने मौज़ों पर मसह किया और जनाज़े की नमाज़ पढ़ी। हाफ़िज़ ने कहा उसकी सनद सही है, इमाम बुखारी (रह.) का मन्श-ए-बाब ये है कि गुस्ल और वुजू में मवालात वाजिब नहीं है।

(266) हमसे मुहम्मद इब्ने महबूब ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अअमश ने सालिम बिन अबी अल जअद के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कुरैब मौला इब्ने अब्बास (रज़ि.) से,

شِمَالِهِ فِي الْغُسْلِ

٢٦٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ : وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُسْلًا وَسَمَّرْتُهُ، فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ - قَالَ سَلِيمَانُ : لَا آخِرِي أَذْكَرَ النَّائِلَةَ أَمْ لَا - ثُمَّ أفرغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ذَلِكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ، ثُمَّ تَمَضَّمَضَ وَامْتَشَقَّ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَحَوَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَتَوَلَّاهُ خِرْقَةً فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَلَمْ يُرِدْهَا.

١١- بَابُ تَفْرِيقِ الْغُسْلِ

وَالْوُضُوءِ

وَيَذْكَرُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَ مَا جَفَّ وَضُوءُهُ.

٢٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى

उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से कि मैमूना (रज़ि.) ने कहा कि मैंने आँहज़रत (ﷺ) के लिये गुस्ल का पानी रखा। तो आप (ﷺ) ने पहले पानी अपने हाथ पर गिराकर उन्हें दो या तीन बार धोया। फिर अपने दाहिने हाथ से बाएँ हाथ पर गिराकर अपनी शर्मगाह को धोया। फिर हाथ को ज़मीन पर रगड़ा, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला फिर अपने चेहरे और हाथों को धोया। फिर अपने सर को तीन बार धोया फिर अपने सारे बदन पर पानी बहाया, फिर आप अपने गुस्ल की जगह से अलग हो गये। फिर अपने क़दमों को धोया। (राजेअ: 249)

ابن عباس عن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي ﷺ ماء يتسبل به، فالرغ على يديه فسلهما مرتين أو ثلاثاً، ثم الرغ بيمينه على شماله فسل مذاكيره، ثم ذلك يده بالأرض، ثم تمضمض واستشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثاً، ثم الرغ على جسده، ثم تنحى من مقاميه فسل قدميه. [راجع: ٢٤٩]

यहाँ से हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने ये निकाला है कि मवालात वाजिब नहीं है। यहाँ तक कि आपने सारा वुजू कर लिया, मगर पांव नहीं धोएँ यहाँ तक कि आप गुस्ल से फ़ारिग हुए, फिर आपने पैर धोए।

बाब 12 : जिसने जिमाअ किया और फिर दोबारा किया और जिसने अपनी कई बीवियों से हमबिस्तर होकर एक ही गुस्ल किया उसका बयान

(267) हमसे मुहम्मद इब्ने बश्शार ने हदीष बयान की, कहा हमसे इब्ने अबी अदी और यह्या बिन सईद ने शुअबा से, वो इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन मुंतशिर से, वो अपने वालिद से, उन्होंने कहा कि मैंने आइशा (रज़ि.) के सामने इस मसले का ज़िक्र किया। तो आपने फ़र्माया, अल्लाह अबू अब्दुरहमान पर रहम फ़र्माए मैंने तो रसूलुल्लाह (ﷺ) को खुशबू लगाई फिर आप अपने तमाम अज़्वाजे (मुतहहरात) के पास तशरीफ़ ले गए और सुबह को एहराम इस हालत में बाँधा कि खुशबू से बदन महक रहा था। (दीगर मक़ाम: 270)

हदीष से बाब का तर्जुमा यूँ षाबित हुआ कि अगर आप हर बीवी के पास जाकर गुस्ल फ़र्माते तो आपके जिसमें मुबारक पर खुशबू का निशान बाक़ी न रहता, जुम्हूर के नज़दीक एहराम से पहले इस क़दर खुशबू लगाना कि एहराम के बाद भी उसका अप्रर बाक़ी रहे जाइज़ है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) उसे जाइज़ नहीं जानते थे, इसी पर हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उनका इस्लाह के लिये ऐसा फ़र्माया, अबू अब्दुरहमान उनकी कुनियत है। इमाम मालिक (रह.) का फ़तवा क़ौले इब्ने उमर (रज़ि.) पर ही है, मगर जुम्हूर इसके ख़िलाफ़ है।

(268) हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया। उन्होंने कहा हमसे मुआज़ बिन हिशाम ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे मेर

١٢- باب إذا جامع ثم عاد. ومن دار على نسائه في غسل واحد. ٢٦٧- حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنشير عن أبيه قال: ذكرته لعائشة فقالت: يزحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله ﷺ ليطوف على نسائه ثم يصبح محرماً ينضح طيباً. [طرفه في: ٢٧٠].

٢٦٨- حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي

वालिद ने क़तादा के वास्ते से, कहा हमसे अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम (ﷺ) दिन और रात के एक ही समय में अपनी तमाम अज्वाजे मुतहहरात के पास गए और ये ग्यारह थीं। (नौ निकाहशुदा और दो लौण्डियाँ) रावी ने कहा, मैंने अनस (रज़ि.) से पूछा कि हुज़ूर (ﷺ) उसकी ताक़त रखते थे। तो आपने फ़र्माया कि हम आपस में कहा करते थे कि आपको तीस मर्दों की ताक़त दी गई थी और सईद ने कहा क़तादा के वास्ते से कि हम कहते थे कि अनस ने उनसे नौ बीवियों का ज़िक्र किया।

(दीगर मक़ाम : 284, 5068, 5218)

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ. قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: أَوْ كَانَ يُعْطِيهِمْ؟ قَالَ: كَمَا تَخْدُثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ. وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّا تَخْدُثُ
إِنْ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ: يَسْعُ بِنِسْوَةٍ.

[اطرافه في : ٢٨٤ ، ٥٠٦٨ ، ٥٢١٥.]

तशरीह : जिस जगह रावी ने नौ बीवियों का ज़िक्र किया है, वहाँ आपकी नौ अज्वाजे मुतहहरात ही मुराद हैं और जहाँ 11 का ज़िक्र फ़र्माया है, वहाँ मारिया और रेहाना जो आपकी लौण्डियाँ थीं, उनको भी शामिल कर लिया गया है।

अल्लामा ऐनी फ़र्माते हैं, 'क़ालबनु ख़ुज़ैमत लम यकुल अहदुम्मिन अह्हाबि क़तादत इहदा अशरत इल्ला मअजबनु हिशामिन व क़द रवल बुखारी अरिवायतलउख़रा अन अनसिन तिसअ व जमअ बैनहुमा बिअन्न अज्वाजहू कुन्न फ़ी हाज़ल वक्ति कमा फ़ी रिवायति सईदिन व सरयताहू मारयत व रेहानत ।'

हदीष के लफ़्ज़ फ़िस्साअतिल वाहिदा से तर्जुमतुल बाब षाबित होता है। आप (ﷺ) ने एक ही साअत में जुम्ला बीवियों से मिलाप फ़र्माकर आख़िर में एक ही गुस्ल फ़र्माया है।

कुव्वते मर्दानगी जिसका ज़िक्र हदीष में किया गया है ये कोई ऐब नहीं है बल्कि न मर्दानगी को ऐब शुमार किया जाता है। फ़िलवाक़ेअ आप (ﷺ) में कुव्वते मर्दानगी इससे भी ज़्यादा थी। बावजूद इसके आपने ऐन आलमे शबाब में सिर्फ़ एक मुअम्मर बीवी हज़रत ख़दीजतुल कुबरा (रज़ि.) पर इक्तिफ़ा फ़र्माया, जो आपके कमाले ज़ब्त की एक बय्यिन दलील है। हाँ! मदनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मुल्की व सियासी व अख़लाकी व समाजी मसले थे जिनकी बिना पर आपकी अज्वाजे मुतहहरात की ता'दाद नौ तक पहुँच गई। इस पर ए'तिराज़ करनेवालों को पहले अपने घर की ख़बर लेना चाहिए कि उनके मज़हबी अकाबिर के घरों में सौ-सौ बल्कि हज़ार तक औरतें इतिहास की किताबों में लिखी हुई हैं। किसी दूसरे मुक़ाम पर इसकी तफ़्सील आएगी।

बाब 13 : इस बारे में कि मज़ी का धोना और उसकी वजह से वुज़ू करना ज़रूरी है

(269) हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा हमसे ज़ाइद ने अबू हुसैन के वास्ते से, उन्होंने अबू अब्दुर्रहमान से, उन्होंने हज़रत अली (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि मुझे मज़ी बहुत ज़्यादा आती थी, चूँकि मेरे घर में नबी करीम (ﷺ) की बेटी (हज़रत फ़ातिमा अज़्जुहरा रज़ि.) थीं, इसलिये मैंने एक शख़्स (अपने शागिर्द मिक्दाद बिन अस्वद) से कहा कि वो आप (ﷺ) से इस मसले के बारे में मा'लूम करें। उन्होंने पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि वुज़ू कर और शर्मगाह को धो (यही काफ़ी है)। (राजेअ 132)

١٣- بَابُ غَسْلِ الْمَلْيِ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ

٢٦٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَدَّاءً، فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ - لِمَكَانِ ابْتِيءِ - فَسَأَلَ، فَقَالَ: ((تَوَضَّأَ، وَغَسَلَ ذَكَرَكَ))

[راجع: ١٣٢]

बाब 14 : इस बारे में कि जिसने खुशबू लगाई फिर गुस्ल किया और खुशबू का अघर अब भी बाक़ी रहा

(270) हमसे अबू नोअमान ने बयान किया, कहा हमसे अबू अवाना ने इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन मुंतेशिर से, वो अपने वालिद से, कहा मैंने आइशा (रज़ि.) से पूछा और उनसे इब्ने इमर (रज़ि.) के उस क़ौल का ज़िक्र किया कि मैं उसको गवारा नहीं कर सकता कि मैं एहराम बाँधूँ और खुशबू मेरे जिस्म से महक रही हो तो आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, मैंने खुद नबी करीम (ﷺ) को खुशबू लगाई। फिर आप अपनी तमाम बीवियों के पास गए और उसके बाद एहराम बाँधा। (राजेअ: 267)

हदीष से तर्जुम—ए—बाब इस तरह प्रामित हुआ कि गुस्ल के बाद भी आपके जिस्मे मुबारक पर खुशबू का अघर बाक़ी रहता था। मा'लूम हुआ कि हमबिस्तरी के वक़्त मियाँ-बीवी के लिये खुशबू इस्तेमाल करना सुन्नत है, जैसा कि इब्ने बत्ताल ने कहा है (फ़त्हुल बारी) बाक़ी तफ़्सील हदीष नं. 262 में गुज़र चुका है।

(271) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शुअबाने हदीष बयान की, कहा हमसे हक़म ने इब्राहीम के वास्ते से, वो अस्वद से, वो आइशा (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया गोया कि मैं आँहज़रत (ﷺ) की माँग में खुशबू की चमक देख रही हूँ इस हाल में कि आप एहराम बाँधे हुए हैं।

(दीगर मक़ाम : 1538, 5918, 5923)

١٤- بَابُ مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ،

وَبَقِيَ أَثَرُ الطَّيِّبِ

٢٧٠- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا

أَبُو عَوَالَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ

الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ

فَلَدَكْرَتْ لَهَا قَوْلُ ابْنِ عُتْمَرَ: مَا أَحَبُّ أَنْ

أَصْبِحَ مُغْرَمًا أَنْضَخُ طَيِّبًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ:

أَنَا طَيِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ طَافَ فِي

بَيْتِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُغْرَمًا. [راجع: ٢٦٧]

٢٧١- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى

رَيْبِ الطَّيِّبِ فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ

مُغْرَمٌ.

[أطرافه في: ١٥٣٨، ٥٩١٨، ٥٩٢٣].

हाफ़िज़ इब्ने हज़र फ़र्माते हैं कि ये हदीष मुख्तस़र है, तफ़्सीली वाक़िआ वही है जो ऊपर गुज़रा, बाब का मतलब इस हदीष से यूँ निकला है कि आँहज़रत (ﷺ) ने एहराम का गुस्ल ज़रूर किया होगा। इसी से खुशबू लगाने के बाद गुस्ल करना प्रामित हुआ।

बाब 15 : बालों का खिलाल करना और जब

यक़ीन हो जाए कि खाल तर हो गई तो उस पर

पानी बहा देना (जाइज़ है)

(272) हमसे अब्दान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हिशाम बिन इर्वा ने बयान किया, उन्होंने अपने वालिद के हवाले से कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूले करीम (ﷺ) जनाबत का गुस्ल करते तो पहले अपने हाथों को

١٥- بَابُ تَخْلِيلِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا

ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرَوَى بَشْرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ

٢٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا

عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ،

وَتَوَضَّأَ وَضُوءًا لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ

धोते और नमाज़ की तरह वुजू करते। फिर गुस्ल करते। फिर अपने हाथों से बालों का खिलाल करते और जब यक़ीन कर लेते कि जिस्म गीला हो गया है। तो तीन बार उस पर पानी बहाते, फिर तमाम बदन का गुस्ल करते।

(273) और हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैं और रसूले करीम (ﷺ) एक बर्तन में गुस्ल करते थे। हम दोनों उससे चुल्लू भर-भरकर पानी लेते थे। (राजेअ: 250)

इस हदीष से प्राबित हुआ कि जनाबत के गुस्ल में उँगलियाँ भिगोकर बालों की जड़ों में खिलाल करें, जब यक़ीन हो जाए कि सर और दाढ़ी के बाल भीग गए हैं, तब बालों पर पानी बहाए। ये खिलाल भी आदाबे गुस्ल है। जो इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक वाजिब और जुम्हूर के नज़दीक सिर्फ़ सुन्नत है।

बाब 16 : इस बारे में जिसने जनाबत में वुजू किया फिर अपने तमाम बदन को धोया, लेकिन वुजू के अअज़ा को दोबारा नहीं धोया

(274) हमसे यूसुफ़ बिन ईसाने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे फ़ज़ल बिन मूसाने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अअमशने बयान किया, उन्होंने सालिम के वास्ते से, उन्होंने कुरैब मौला इब्ने अब्बास (रज़ि.) से, उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से बयान किया, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना (रज़ि.) से रिवायत किया, उन्होंने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने गुस्ले जनाबत के लिये पानी रखा, फिर आप (ﷺ) ने पहले दो या तीन बार अपने दाएँ हाथ से बाएँ हाथ पर पानी बहाया। फिर शर्मगाह धोई। फिर हाथ को ज़मीन पर या दीवार पर दो या तीन बार रगड़ा। फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला और अपने चेहरे और बाजूओं को धोया। फिर सर पर पानी बहाया और सारे बदन का गुस्ल किया। फिर अपनी जगह से सरककर पांव धोए। हज़रत मैमूना (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैं एक कपड़ा लाई तो आप (ﷺ) ने उसे नहीं लिया और हाथों ही से पानी झाड़ने लगे। (राजेअ: 249)

बाब 17 : जब कोई शख्स मस्जिद में हो और

يُخَلِّقُ بِيَدِهِ شَعْرَةً، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ لَدَى
أَرْوَى بَشْرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.

٢٧٣- وَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا
وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ
جَمِيعًا. [راجع: ٢٥٠]

١٦- بَابٌ مِّنْ تَوْضِئًا فِي الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ
سَائِرَ جَسَدِهِ وَأَمَّ يُعِدُّ غَسَلَ مَوَاضِعِ
الْوَضُوءِ مِنْهُ مَرَّةً أُخْرَى.

٢٧٤- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيْسَى قَالَ:
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا
الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبِ بْنِ مَوْلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ:
وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَضُوءًا لِلْجَنَابَةِ
فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا،
ثُمَّ غَسَلَ لَوْرَجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ
- أَوْ الْحَائِطِ - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ
مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ
وَذَرَاغِيَهُ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ
غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ
قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ
يَنْفُضُ بِيَدِهِ. [راجع: ٢٤٩]

١٧- بَابٌ إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ

उसे याद आए कि मुझको नहाने की हाजत है तो उसी तरह निकल जाए और तयम्मूम न करे।

أَنَّ جُنْبَ خَرَجَ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَّمُمُ

(275) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, कहा हमसे इब्मान बिन इमर ने बयान किया, कहा हमको यूनस ने खबर दी जुहरी के वास्ते से, वो अबू सलमा से, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि नमाज़ की तक्बीर हुई और सफ़े बराबर हो गई, लोग खड़े थे कि रसूले करीम (ﷺ) अपने हुजे से हमारी तरफ़ तशरीफ़ लाए। जब आप मुसल्ले पर खड़े हो चुके तो याद आया कि आप जुनुबी हैं। बस आपने हमसे फ़र्माया कि अपनी जगह खड़े रहो और आप वापस चले गए। फिर आपने गुस्ल किया और हमारी तरफ़ वापस तशरीफ़ लाए तो सर से पानी के क़त्तरे टपकर रहे थे। आपने नमाज़ के लिये तक्बीर कही और हमने आपके साथ नमाज़ अदा की। (दीगर मक़ाम : 639, 640)

۲۷۵- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَقْبَمَتِ الصَّلَاةُ وَعَدَلْتُ الصُّفُوفَ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا قَامَ لِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنْبٌ فَقَالَ لَنَا ((مَكَانَكُمْ)) ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَسَنَّ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ. [طرفاه في : ۶۳۹، ۶۴۰].

इब्मान बिन इमर से इस रिवायत की मुताबअत की है अब्दुल आला ने मअमर से और वो ज़हरी से। और औज़ाई ने भी ज़हरी से इस हदीस को रिवायत किया है।

تَابِعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَقْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

अब्दुल आला की रिवायत को इमाम अहमद ने निकाला है और औज़ाई की रिवायत को खुद हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने किताबुल अज़ान में ज़िक्र किया है।

बाब 18 : इस बारे में कि गुस्ले जनाबत के बाद हाथों से पानी झाड़ लेना (सुन्नते नबवी है)

۱۸- بَابُ نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغُسْلِ عَنِ الْجَنَابَةِ

(276) हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमसे अबू हम्ज़ा (मुहम्मद बिन मैमून) ने, कहा मैंने अअमश से सुना, उन्होंने सालिम बिन अबी अल जअद से, उन्होंने कुरैब से, उन्होंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से, आपने कहा कि हज़रत मैमूना (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के लिये गुस्ल का पानी रखा और एक कपड़े से पर्दा डाल दिया। पहले आपने अपने दोनों हाथों पर पानी डाला और उन्हें धोया। फिर अपने दाहिने हाथ से बाएँ हाथ पर पानी लिया और शर्मगाह धोई। फिर हाथ को ज़मीन पर मारा और धोया। फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला और चेहरे और बाज़ुओं को धोया। फिर सर पर पानी बहाया और सारे बदन का गुस्ल किया। उसके बाद आप मुक़ामे गुस्ल से एक तरफ़ हो गए, फिर दोनों पांव धोए। उसके बाद मैंने आपको एक कपड़ा

۲۷۶- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمزة قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ عَنْ سَالِمِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ- وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غَسْلًا فَسَرَّتُهُ بِبَوْبٍ وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَسَلَّهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَسَلَّ فَرَجَهُ فَضْرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَسَحَّهَا، ثُمَّ غَسَلَهَا، فَمَضْمَضَ وَاسْتَشَقَّ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَإِزْرَاعِيهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى لَفَسَلَ

देना चाहा तो आपने उसे नहीं लिया और आप हाथों से पानी झाड़ने लगे। (राजेअः 249)

قَدَمَيْهِ، فَتَوَلَّاهُ تَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَانطَلَقَ وَهُوَ يَنْفِضُ يَدَيْهِ. [راجع: ٢٤٩]

बाब और हदीष की मुताबकत जाहिर है, मा'लूम हुआ कि अफ़ज़ल यही है कि वुजू और गुस्ल में बदन कपड़े से न पोंछे।

बाब 19 : उस शख्स के बारे में जिसने अपने सर के दाहिने हिस्से से गुस्ल किया

١٩- بَابُ مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ
الْأَيْمَنِ فِي الْغُسْلِ

(277) हमसे खल्लाद बिन यह्या ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन नाफ़ेअ ने बयान किया, उन्होंने हसन बिन मुस्लिम से रिवायत करके, वो सफ़िया बिनते शैबा से, वो हज़रत आइशा (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि हम बीवियों (मुतहहहरात) में से किसी को अगर जनाबत लाहिक़ होती तो वो हाथों में पानी लेकर सर पर तीन बार डालतीं। फिर हाथ में पानी लेकर सर के दाहिने हिस्से का गुस्ल करतीं और दूसरे हाथ से बाएँ हिस्से का गुस्ल करतीं।

٢٧٧- حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ:
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: كُنَّا إِذَا أَصَابَ إِحْدَانَا جَنَابَةً
أَخَذَتْ يَدَيْهَا ثَلَاثًا فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ
بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الْاَيْمَنِ، وَيَبِيهَا الْاُخْرَى
عَلَى شِقِّهَا الْاَيْسَرِ.

तशरीह: पहला चुल्लू दाएँ जानिब पर दूसरा चुल्लू बाएँ जानिब पर तीसरा चुल्लू सर के बीचों-बीच जैसाकि बाबुन मन बदअ बिल हिलाबि अवितीबि में बयान हुआ। इमाम बुखारी (रह.) ने यहाँ उस हदीष की तरफ़ इशारा किया है और बाब का तर्जुमा इस जुम्ला शुम्म तअख़ुजू बियदिहा अला शिक़िहल अयमनि से निकलता है कि इसमें ज़मीर सर की तरफ़ फिरती है।

यानी फिर सर के दाएँ तरफ़ पर हाथ से पानी डालते और सर के बाएँ तरफ़ पर दूसरे हाथ से। किरमानी ने कहा कि बाब का तर्जुमा इससे निकल आया क्योंकि बदन में सर से लेकर क़दम तक दाख़िल है।

बाब 20 : उस शख्स के बारे में जिसने तन्हाई में नंगे होकर गुस्ल किया

٢٠- بَابُ مَنْ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ
فِي الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسْتَرَّ وَالتَّسْتَرُّ
أَفْضَلُ وَقَالَ يَهْزُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ: ((اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْتَى مِنْهُ مِنَ
النَّاسِ)).

और जिसने कपड़ा बाँधकर गुस्ल किया और कपड़ा बाँधकर गुस्ल करना अफ़ज़ल है और बहज़ बिन हकीम ने अपने वालिद से, उन्होंने बहज़ के दादा (मुआविया बिन हैदा) से वो नबी करीम (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह लोगों के मुक़ाबूले में ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि उससे शर्म की जाए।

तशरीह: इसको इमाम अहमद (रह.) वगैरह अस्हाबे सुनन ने रिवायत किया है। पूरी हदीष यूँ है कि मैंने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम किन शर्मगाहों पर तस्रुफ़ करें और किनसे बचें। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि सिर्फ़ तुम्हारी बीबी और लौण्डी तुम्हारे लिये हलाल है। मैंने कहा हज़ूर जब हम में से कोई अकेला हो तो नंगा गुस्ल कर सकता है। आपने फ़र्माया कि अल्लाह ज़्यादा लायक़ है कि उससे शर्म की जाए।

इब्ने अबी लैला ने अकेले में नंगा नहाने को जाइज़ कहा है। इमाम बुखारी (रह.) ने इनका रद्द किया और बतलाया कि ये जाइज़ है मगर सतर ढाँपकर नहाना अफ़ज़ल है। हदीष में हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) व हज़रत अय्यूब (अलैहिस्सलाम) का नहाना मज़कूर है। इससे बाब का तर्जुमा षाबित हुआ।

(278) हमसे इस्हाक़ बिन नसर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक़ ने बयान किया, उन्होंने मअमर से, उन्होंने हम्माम बिन मुनब्बह से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से, कि आपने फ़र्माया बनी इस्राईल नंगे होकर इस तरह नहाते थे कि एक शख़्स दूसरे को देखता लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा पदों से गुस्ल फ़र्माते। इस पर उन्होंने कहा कि अल्लाह की क़सम! मूसा को हमारे साथ गुस्ल करने में सिर्फ़ ये ही चीज़ मानेअ है कि आपके खुसिये बड़े हुए हैं। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ल करने लगे और आपने अपने कपड़ों को एक पत्थर पर रख दिया। इतने में पत्थर कपड़ों को लेकर भागा और मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके पीछे बड़ी तेज़ी से दौड़े। आप कहते जाते थे। ऐ पत्थर! मेरा कपड़ा दे। ऐ पत्थर! मेरा कपड़ा दे। इस अ़समें में बनी इस्राईल ने मूसा अलैहिस्सलाम को नंगा देख लिया और कहने लगे कि अल्लाह की क़सम! मूसा को कोई बीमारी नहीं और मूसा अलैहिस्सलाम ने कपड़ा लिया और पत्थर को मारने लगे। अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा अल्लाह की क़सम! उस पत्थर पर छः या सात मार के निशान मौजूद हैं।

(दीगर मक़ाम : 3404, 4799)

(279) और इसी सनद के साथ अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत हैं कि वो नबी करीम (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़र्माया कि (एक बार) अय्यूब अलैहिस्सलाम नंगे गुस्ल फ़र्मा रहे थे कि सोने की टिड्डियाँ आप पर गिरने लगीं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उन्हें अपने कपड़े में समेटने लगे। इतने में उनके रब ने उन्हें पुकारा कि ऐ अय्यूब! क्या मैंने तुम्हें उस चीज़ से बेनियाज़ नहीं कर दिया, जिसे तुम देख रहे हो। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया हौं तेरी बुज़ुर्गी की क़सम! लेकिन तेरी बरकत से मेरे लिये बेनियाज़ी क्यूँकर मुम्किन है। और इस हदीष को इब्राहीम ने मूसा बिन उक़्बा से, वो सफ़वान से, वो अता बिन यसार से, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से, वो नबी करीम (ﷺ) से,

۲۷۸- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَتَسَلُّونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَتَسَلَّى وَحْدَهُ. فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَتَسَلَّى مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آذُرٌ. فَذَهَبَ مَرَّةً يَتَسَلَّى، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَكَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَجَمَعَ مُوسَى فِي آثَرِهِ يَقُولُ: تَوْبِي يَا حَجَرُ، تَوْبِي يَا حَجَرُ حَتَّى نَظَرْتَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ. وَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا)) فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَدَبَ بِالْحَجَرِ سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ.

[طرفاه في : ۳۴۰۴، ۴۷۹۹.]

۲۷۹- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((بَيْنَا أَيُّوبُ يَتَسَلَّى عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَخْتَبِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِكَ، وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكِكَ)). وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((بَيْنَا

इस तरह नक़ल करते हैं, 'जबकि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम नंगे होकर गुस्ल कर रहे थे। (आख़िर तक)'

(दीगर मक़ाम : 3391, 7493)

इब्राहीम बिन ज़मान से इमाम बुखारी (रह.) ने नहीं सुना तो ये तअलीक़ हो गई। हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं कि इसको निसाई और इस्माईली ने वस्ल किया है।

बाब 21 : इस बयान में कि लोगों में नहाते समय पर्दा करना ज़रूरी है

(280) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़अनी ने रिवायत की। उन्होंने इमाम मालिक से, उन्होंने उमर बिन अब्दुल्लाह से कि मौला अबू नज़र से कि उम्मे हानी बिन्ते अबी त़ालिब के मौला अबू मुरा ने उन्हें बताया कि उन्होंने उम्मे हानी बिन्ते अबी त़ालिब को ये कहते सुना कि मैं फ़तहे मक्का के दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई मैंने देखा कि आप (ﷺ) गुस्ल फ़र्मा रहे हैं और फ़ातिमा (रज़ि.) ने पर्दा कर रखा है। नबी अकरम (ﷺ) ने पूछा कि कौन है? मैंने कहा कि मैं उम्मे हानी हूँ।

(दीगर मक़ाम : 357, 3171, 6158)

(281) हमसे अब्दान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सुफ़यान ने बयान किया, उन्होंने अअमश से, वो सालिम बिन अबी अल ज़अद से, वो कुरैब से, वो इब्ने अब्बास से, वो मैमूना से, उन्होंने कहा कि जब नबी करीम (ﷺ) गुस्ले जनाबत फ़र्मा रहे थे मैंने आपका पर्दा किया था। तो आपने पहले अपने हाथ धोए फिर दाहिने हाथ से बाएँ हाथ पर पानी बहाया और शर्मगाह धोई और जो कुछ उसमें लग गया था उसे धोया। फिर हाथ को ज़मीन या दीवार पर रगड़कर (धोया) फिर नमाज़ की तरह वुजू किया। पांव के अलावा। फिर पानी अपने सारे बदन पर बहाया और उस जगह से हटकर दोनों क़दमों को धोया। इस हदीष में अबू अवाना और मुहम्मद बिन फ़ुज़ैल ने भी पर्दे का ज़िक्र किया।

(राजेअ : 249)

अबू अवाना की रिवायत इससे पहले खुद इमाम बुखारी (रह.) ज़िक्र फ़र्मा चुके हैं और मुहम्मद बिन फ़ुज़ैल की रिवायत को

أَيُّوبُ يَفْتَسِلُ عَرِيَانًا
[طرفاه في : 3391, 7493]

٢١- بَابُ التَّسْتَرِّ فِي الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

٢٨٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مَرْثَةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَعَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَطَائِمَةٌ نَسْتُرُهُ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِيَةَ.

[أطرفاه في : 3171, 6158, 357]

٢٨١- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبِ بْنِ أَنَسِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: سَوَّتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَسَلَّ يَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَسَلَّ فَرَجَهُ وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ أَوْ الْأَرْضِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرِ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ تَنَحَّى فَسَلَّ قَدَمَيْهِ. تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ فَضَيْلٍ فِي التَّسْتَرِّ. [راجع : 249]

अबू अवाना ने अपनी सहीह में निकाला है। अबू अवाना की रिवायत के लिये हदीष नं. 260 मुलाहजा की जा सकती है।

बाब 22 : इस बयान में कि जब औरत को एहतलाम हो तो उस पर भी गुस्ल वाजिब है

۲۲- بَابُ إِذَا اخْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

(282) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उन्होंने हिशाम बिन उर्वा के वास्ते से, उन्होंने अपने वालिद उर्वा बिन जुबैर से, वो ज़ैनब बन्ते अबी सलमा से, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि उम्मे सुलैम अबू तलहा (रज़ि.) की औरत रसूले करीम (ﷺ) की खिदमत में हाज़िर हुई और कहा कि अल्लाह तआला हक़ से हया नहीं करता। क्या औरत पर भी जबकि उसे एहतलाम हो गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो रसूल (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ अगर (अपनी मनी का) पानी देखे (तो उसे भी गुस्ल करना होगा)

(राजेअ : 130)

इस हदीष से मा'लूम हुआ कि औरत को भी एहतलाम होता है। इसके लिये भी मर्द का सा हुकम है कि जागने पर मनी की तरी अगर कपड़े या जिस्म पर देखे तो ज़रूर गुस्ल कर लें तरी न पाए तो गुस्ल वाजिब नहीं।

बाब 23 : इस बयान में कि जुनुबी का पसीना और मुसलमान नापाक नहीं होता

۲۳- بَابُ عَرَقِ الْجُنُبِ، وَأَنَّ

الْمُسْلِمَ لَا يَنْجَسُ

(283) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने, कहा हमसे हुमैद तवील ने, कहा हमसे बक्र बिन अब्दुल्लाह ने अबू राफ़ेअ के वास्ते से, उन्होंने अबू हरैरह (रज़ि.) से सुना कि मदीना के किसी रास्ते पर नबी करीम (ﷺ) से उनकी मुलाक़ात हुई। उस समय अबू हरैरह जनाबत की हालत में थे। अबू हरैरह (रज़ि.) ने कहा कि मैं पीछे रह कर लौट गया और गुस्ल करके वापस आया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा कि ऐ अबू हरैरह! कहाँ चले गए थे? उन्होंने जवाब दिया कि मैं जनाबत की हालत में था इसलिये मैं आपके साथ बग़ैर गुस्ल के बैठना बुरा समझा। आप (ﷺ) ने इशार्द फ़र्माया, सुबहानल्लाह! मोमिन हर्गिज़ नजिस नहीं हो सकता।

(दीगर मक़ाम : 285)

۲۸۳- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْحَسَتْ مِنْهُ، فَلَقَبَتْ فَاعْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا فَكْرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ. فَقَالَ: ((سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ)).

[أطرافه في : ۲۸۵].

यानी ऐसा नजिस नहीं होता कि उसके साथ बैठा भी न जा सके। उसकी नजासत आरज़ी (अस्थाई) है जो गुस्ल से खत्म हो जाती है, इमाम बुखारी (रह.) ने इस हदीष से ये निकाला कि जुनुबी का पसीना भी पाक है क्योंकि जब बदन पाक है तो बदन से निकलने वाला पसीना भी पाक ही होगा।

बाब 24 : इस तफ्सील में कि जुनुबी घर से बाहर निकल सकता है

और अताने कहा कि जुनुबी पछना लगवा सकता है, नाबून तरशवा सकता है और सर मुँडवा सकता है अगरचे वुजू भी न किया हो।

(284) हमसे अब्दुल आला बिन हम्माद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यज़ीद बिन जुरैइ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सईद बिन अबी अरूबा ने बयान किया, उन्होंने क़तादा से, कि अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने उनसे बयान किया कि नबी (ﷺ) अपनी तमाम बीवियों के पास एक ही रात में तशरीफ़ ले गए। उस समय आपकी बीवियों में नौ बीवियाँ थीं। (राजेअ : 268)

इससे जुनुबी का घर से बाहर निकलना यूँ प्राबित हुआ कि आप (ﷺ) एक बीवी से सोहबत करके घर से बाहर दूसरी बीवी के घर तशरीफ़ ले जाते।

(285) हमसे अयाश ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल आला ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हुमैद ने बक्र के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अबू राफ़ेअ से, वो अबू हरैरह (रज़ि.) से, कहा कि मेरी मुलाक़ात रसूलुल्लाह (ﷺ) से हुई। उस समय मैं जुनुबी था। आपने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं आपके साथ चलने लगा। आखिर आप (ﷺ) एक जगह बैठ गए और मैं धीरे से अपने घर आया और गुस्ल करके हाज़िरे ख़िदमत हुआ। आप अभी बैठे हुए थे, आपने पूछा ऐ अबू हरैरह! कहाँ चले गए थे, मैंने वाक़िआ बयान किया तो आपने फ़र्माया सुब्हानल्लाह! मोमिन तो नजिस नहीं होता। (राजेअ : 283)

इस हदीष की और बाब की मुताबक़त भी ज़ाहिर है कि अबू हरैरह (रज़ि.) हालते जनाबत में राह चलते हुए आँहज़रत (ﷺ) से मिले।

बाब 25 : गुस्ल से पहले जुनुबी का घर में ठहरना जबकि वुजू कर ले (जाइज़ है)

(286) हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा हमसे हिशाम और

۲۴- بَابُ الْجَنْبِ يَخْرُجُ وَيَمْسِي

فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ

وَقَالَ عَطَاءٌ: يَخْتَجِمُ الْجَنْبُ وَيَقْلَمُ أَظْفَارَهُ وَيَخْلِقُ رَأْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ.

۲۸۴- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ

قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ

فِي اللَّيْلِ الْوَاحِدَةِ، وَأَنَّ يَوْمَئِذٍ بَسَعُ

نِسْوَةٍ. [راجع: ۲۶۸]

۲۸۵- حَدَّثَنَا عِيَّاشٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ عَنْ

أَبِي زَالِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقِيتُ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا جُنْبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي

فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلْتُ فَأَتَيْتُ

الرَّحْلَ فَأَغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ

فَقَالَ: ((أَيْنَ كُنْتَ)) فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ:

((سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ

لَا يَنْجَسُ)). [راجع: ۲۸۳]

۲۵- بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجَنْبِ فِي الْبَيْتِ

إِذَا تَوَضَّأَ

۲۸۶- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

शैबान ने, वो यह्या से, वो अबू सलमा से, कहा मैंने आइशा (रज़ि.) से पूछा कि क्या नबी करीम (ﷺ) जनाबत की हालत में घर में सोते थे? कहा हाँ! लेकिन वुजू कर लेते थे।

(दीगर मक़ाम : 288)

तशरीह: एक हदीष में है कि जिस घर में कुत्ता या तस़ीर या जुनुबी हो तो वहाँ फ़रिश्ते नहीं आते। इमाम बुखारी (रह.) ने ये बाब लाकर बतलाया कि वहाँ जुनुबी से वो मुराद है जो वुजू भी न करे और जनाबत की हालत में बेपरवाह बनकर यूँ ही घर में पड़ा रहे।

बाब 26 : इस बारे में कि बग़ैर गुस्ल किये जुनुबी का सोना जाइज़ है

(287) हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष बिन सअद ने बयान किया, उन्होंने नाफ़ेअ से, वो इब्ने उमर (रज़ि.) से कि उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि क्या हममें से कोई जनाबत की हालत में सो सकता है? फ़र्माया हाँ! वुजू करके जनाबत की हालत में भी सो सकते हो।

(दीगर मक़ाम : 289, 290)

बाब 27 : इस बारे में कि जुनुबी पहले वुजू कर ले फिर सोए

(288) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष ने बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी अल् जअद के वास्ते से, उन्होंने मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से, उन्होंने इर्वा से, वो हज़रत आइशा (रज़ि.) से, उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) जब जनाबत की हालत में होते और सोने का इरादा करते तो शर्मगाह को धो लेते और नमाज़ की तरह वुजू करते।

(राजेअ : 286)

(289) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे जुवैरिया ने नाफ़ेअ से, वो अब्दुल्लाह बिन उमर से, कहा उमर (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से पूछा कि क्या हम जनाबत की हालत में सो सकते हैं? आपने फ़र्माया, हाँ! लेकिन वुजू करके।

(290) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन दीनार से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से, उन्होंने कहा हज़रत उमर

وَشَيْبَانَ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْتَدُّ وَهُوَ جُنْبٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. وَيَتَوَضَّأُ.

[طرفه في : 288].

٢٦- بَابُ نَوْمِ الْجُنْبِ

٢٨٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيَرْتَدُّ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنْبٌ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدَكُمْ فَلْيَرْتَدِّدْ وَهُوَ جُنْبٌ)).

[طرفاه في : 289, 290].

٢٧- بَابُ الْجُنْبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ

٢٨٨- حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

اللَّيْثُ عَنْ عُثَيْبِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غُرُورَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنْبٌ غَسَلَ لِرَجْهٍ وَتَوَضَّأَ

لِلصَّلَاةِ. [راجع : 286]

٢٨٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:

حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اسْتَفْتَى عُمَرَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنْبٌ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ)).

٢٩٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ

(रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा कि रात में उन्हें गुस्ल की ज़रूरत हो जाया करती है तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि वुजू कर लिया कर और शर्मगाह को धोकर सो जाओ।

(राजेअ: 287)

الخطاب لرسول الله ﷺ أنه تصيّه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله ﷺ: ((توضأ وأغسل ذكرَكَ ثم نم)).

[راجع: ٢٨٧]

तशरीह:

इन सारी अह्दादीष का यही मक़सद है कि जुनुबी वुजू करके घर में सो सकता है। फिर नमाज़ के वास्ते गुस्ल कर ले क्योंकि गुस्ले जनाबत किये बग़ैर नमाज़ दुरुस्त नहीं होगी। मरीज़ के लिये रुख़सत है जैसा कि मा'लूम हो चुका है।

बाब 28 : इस बारे में कि जब दोनों ख़ितान एक-दूसरे से मिल जाएँ तो गुस्ले जनाबत वाजिब है, हमसे मुआज़ बिन फुज़ाला ने बयान किया, कहा हमसे हिशाम दस्तवाई ने बयान किया

٢٨ - بَابُ إِذَا اتَّقَى الْخِتَانَانِ

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ

ح

(291) (दूसरी सनद से) इमाम बुखारी ने फ़र्माया कि हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, वो हिशाम से, वो क़तादा से, वो इमाम हसन बज़री से, वो अबू राफ़ेअ से, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब मर्द-औरत के चहारज़ानू में बैठ गया और उसके साथ जिमाअ के लिये कोशिश की तो गुस्ल वाजिब हो गया, इस हदीष की मुताबअत अमर ने शुअबा के वास्ते से की है। और मूसा ने कहा कि हमसे अबान ने बयान किया, कहा हमसे क़तादा ने बयान किया, कहा हमसे हसन बज़री ने बयान किया, इसी हदीष की तरह। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुखारी) ने कहा ये हदीष इस बाब की तमाम अह्दादीष में इम्दा और बेहतर है और हमने दूसरी हदीष इफ़्मान और इब्ने अबी कअब की) सहाबा के इख़ितालाफ़ के पेशेनज़र बयान की और गुस्ल करना ज़्यादा बेहतर है।

٢٩١ - وَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شَعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ)). تَابَعَهُ عَمْرُو عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا أَجْوَدُ وَ أَوْكَدُ وَ إِنَّمَا بَيْنَا الْحَدِيثَ لِإِخْتِلَافِهِمْ وَالْفَسْلُ أَحْوَطُ.

तशरीह:

'कालन्नववी मननल हदीषि अन्न इजाबल गुस्लि ला यतवक्कफु अलल इन्जालि बल मता गाबतिल हशफ़तु फ़िल फ़र्ज़ि वजबल गुस्लु अलयहिमा वला ख़िलाफ़ फ़ीहिल यौम।' इमाम नववी (रह.) कहते हैं कि हदीष का मा'नी ये है कि गुस्ल इन्जाले मनी पर मौक़फ़ (आधारित) नहीं है बल्कि जब भी दुखूल हो गया दोनों पर गुस्ल वाजिब हो चुका और अब इस बारे में कोई इख़ितालाफ़ नहीं है।

ये तरीक़ा मुनासिब नहीं :— फ़िक्ही मसालिक में कोई मसलक अगर किसी जुर्इ में किसी हदीष से मुताबिक़ हो जाए तो क़ाबिले कुबूल है। क्योंकि असल मामूल बिही कुआन व हदीष है। इसीलिये हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने फ़र्मा दिया है कि इज़ा सटहल हदीषु फ़हुव मज़हबी। जो भी सहीह हदीष से षाबित हो वही मेरा मज़हब है। यहाँ तक दुरुस्त और क़ाबिले तहसीन है। मगर देखा ये जा रहा है कि मुक़ल्लिदीन अपने मज़हब को किसी हदीष के मुताबिक़ पाते हैं तो अपने मसलक को

मुकद्दम ज़ाहिर करते हुए हदीष को मुअख़्खर करते हैं और अपने मसलक की सिह्त व ऊलूव्वियत पर इसी तरह खुशी ज़ाहिर करते हैं गोया अक्वलीन मुक़ाम उनके मज़क़म—ए—मसलक का है और अह्दादीष का मुक़ाम उनके बाद है। हमारे इस बयान की तस्दीक़ के लिये मौजूदा तराजिमे अह्दादीष ख़ास तौर पर तराजिमे बुखारी को देखा जा सकता है। जो आजकल हमारे बिरादराने अहनाफ़ की तरह से शाए हो रहे हैं।

कुर्आन व हदीष की अज़मत के पेशे—नज़र ये तरीक़ा किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। जबकि ये तस्लीम किये बग़ैर किसी भी मुन्सिफ़ मिजाज़ को चारा नहीं कि हमारे मुख्वजा (प्रचलित) मसलक बहुत बाद की पैदावार है। जिनका कुरूने राशिदा से कोई ता'ल्लुक नहीं है। बल्कि बक़ौल हज़रत शाह वलीउल्लाह (रह.) पूरे चार सौ साल तक मुसलमान सिर्फ़ मुसलमान थे तक्लीदी मज़ाहिब चार स़दियों के बाद पैदा हुए। उनकी हक़ीक़त यही है कि उम्मत के लिये ये सबसे बड़ी मुसीबत है कि इन फ़िक्ही मसलकों को अलाहिदा—अलाहिदा दीन और शरीअत का मुक़ाम दे दिया गया। जिसके नतीजे में वो इक्तिराफ़ व इन्तिशार पैदा हुआ कि इस्लाम मुख्तलिफ़ पार्टियों और बहुत से फ़िक्हों में तक्सीम होकर रह गया और वहदते मिल्ली ख़त्म हो गई और आज तक यही हाल है जिस पर जितना अफ़सोस किया जाए कम है।

दावते अहले हदीष का खुलासा यही है कि इस इन्तिशार को ख़त्म कर मुसलमानों को सिर्फ़ इस्लाम के नाम पर जमा किया जाए, उम्मीद है कि ज़रूर ये दावत अपना रंग लाएगी और ला रही है कि अकषर रोशन दिमाग़ मुसलमान इन खुद साख़्ता पाबन्दियों की हक़ीक़त से वाक़िफ़ हो चुके हैं।

बाब 29 : उस चीज़ का धोना जो औरत की शर्मगाह से लग जाए ज़रूरी है

(292) हमसे अबू मअमर अब्दुल्लाह बिन अमर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल वारिष बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने हुसैन बिन ज़क्वान मुअल्लिम के वास्ते से, उनको यह्या ने कहा मुझको अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन अफ़ ने ख़बर दी, उनको अत्ता बिन यसार ने ख़बर दी, उन्हें ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी ने बताया कि उन्होंने हज़रत इम्रान बिन अफ़फ़ान (रज़ि.) से पूछा कि मर्द अपनी बीवी से हमबिस्तर हुआ लेकिन इंज़ाल नहीं हुआ तो वो क्या करे? हज़रत इम्रान (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नमाज़ की तरह वुजू कर ले और ज़कर को धो ले और हज़रत इम्रान (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये बात सुनी है। मैंने कहा इसके बारे में अली बिन अबी त़ालिब, जुबैर बिन अल अब्वाम, त़लहा बिन इबैदुल्लाह, उबय बिन कअब (रज़ि.) से पूछा तो उन्होंने भी यही फ़र्माया यह्या ने कहा और अबू सलमा ने मुझे बताया कि उन्हें उर्वा बिन जुबैर ने ख़बर दी, उन्हें अबू अय्यूब (रज़ि.) ने किये बात उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी थी। (राजेअ: 179)

۲۹- بَابُ غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

۲۹۲- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ يَحْيَى : وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُمَانَ بْنَ عَطَانَ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُعْمَرْ؟ قَالَ عُمَانُ : (رَبَّوْصًا كَمَا يَبْوْصُونَ لِلصَّلَاةِ وَيَفْسِلُ ذِكْرَهُ) وَقَالَ عُمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عَتِيدٍ وَاللَّيْثِ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ. قَالَ يَحْيَى : وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَزْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. [راجع: ۱۷۹]

हदीष और बाब की मुताबकत जाहिर है। इब्तिदा—ए—इस्लाम में यही हुक्म था, बाद में मन्सूख हो गया।

(293) हमसे मुसहद ने बयान किया, कहा हमसे यह्या ने हिशाम बिन उर्वा से, कहा मुझे खबर दी मेरे वालिद ने, कहा मुझे खबर दी अबू अय्यूब ने, कहा मुझे खबर दी उबय बिन कअब ने कि उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह (ﷺ)! जब मर्द औरत से जिमाअ करे और इंजाल न हो तो क्या करे? आप (ﷺ) ने फर्माया, औरत से जो कुछ उसे लग गया उसे धो ले फिर वुजू करे और नमाज़ पढ़े। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुखारी (रह.)) ने कहा गुस्ल करना ज्यादा अच्छा है और ये आखिरी अहदादीष हमने इसलिये बयान कर दीं (ताकि मा'लूम हो जाए कि) इस मसले में इखितलाफ़ है और पानी (से गुस्ल कर लेना ही) ज्यादा पाक करनेवाला है।

۲۹۳- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي بْنُ كَعْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: ((يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْغُسْلُ أَحْوَطُ وَذَلِكَ الْأَخْيَرُ. إِنَّمَا بَيَّنَّاهُ لِإِخْتِلَافِهِمْ وَالْمَاءُ أَنْقَى.

तश्रीह: यानी गुस्ल कर लेना बहरे—सूरत बेहतर है। अगर बिल्फर्ज वाजिब न भी हो तो यही फ़ायदा क्या कम है कि इससे बदन की सफ़ाई हो जाती है। मगर जुम्हूर का यही फ़तवा है कि औरत—मर्द के मिलाप से गुस्ल वाजिब हो जाता है, इन्जाल हो या ना हो। तर्जुम—ए—बाब यहाँ से निकलता है कि दुखूल की वजह से ज़कर में औरत की फ़रज़ से जो तरी लग गई हो, उसे धोने का हुक्म दिया।

'क्रालब्नु हजर फिलफ़तहि व क्रद ज़हबल जुम्हूर इला अन्न हदीषल इक्तिफ़ाइ बिल वुजूइ मन्सूखुन व रवब्नु अबी शयबत व ग़ैरहु अनिब्नि अब्बासिन अन्नहू हमल हदीषिल माइ मिनल माइ अला सूरतिन मख़सूसतिन मा यक़उ फिल मनामि मिन रुयतिल जिमाइ व हिय तावीलुन यज्मउ बैनल हदीषयनि बिला तअरूज़िन।'

यानी अल्लामा इब्ने हजर (रह.) ने कहा कि जुम्हूर इस तरफ़ गए हैं कि ये अहदादीष जिस में वुजू को काफ़ी कहा गया है, ये मन्सूख हैं और इब्ने अबी शैबा ने हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत किया है कि हदीष अल माउ मिनल माइ ख़बाब से मुता'ल्लिक़ है। जिसमें जिमाअ दिखाया गया हो, इसमें इन्जाल न हो तो वुजू काफ़ी होगा। इस तरह दोनों क्रिस्म की हदीषों में ततबीक़ हो जाती है और कोई तअरूज़ नहीं बाक़ी रहता।

लफ़ज़ जनाबत की लग्बी तहक़ीक़ (शाब्दिक खोजबीन) से मुता'ल्लिक़ हज़रत नवाब सिद्दीक़ हसन साहब फ़माति हैं, क्राल इब्नु हजर फिलफ़तहि व क्रद ज़हबल जुम्हूर इला अन्न हदीषत इक्तिफ़ाइ बिल्वुजूइ मन्सूखुन व रवा इब्नु अबी शैबत व ग़ैरहु अन इब्नि अब्बासिन अन्नहू हमल हदीषलमाइ मिनल माइ अला सूरतिन मख़सूसतिन मा यक़उ फ़िल्मनामि मिन रुयतिलजिमाइ व हिय तावीलुन यज्मउ बैनल हदीषैन बिला तअरूज़िन यानी लफ़ज़ जनब के मुता'ल्लिक़ मस्फ़ी शरह मोता में कहा गया है कि इस लफ़ज़ का माहा दूर होने पर दलादत करता है। जिमाअ भी पोशीदा और लोगों से दूर जगह पर किया जाता है, इसलिये उस शख़्स को जुनुबी कहा गया और जुनुब को जिमाअ पर बोला गया। बक्रौल एक जमाअत जुनुबी ता गुस्ल इबादत से दूर हो जाता है, इसलिये उसे जुनुबी कहा गया। गुस्ले—जनाबत शरीअते—इब्राहीमी में एक सुन्नते क़दीमा है जिसे इस्लाम में फ़र्ज़ और वाजिब करार दिया गया। जुम्आ के दिन गुस्ल करना, मय्यत को नहलाकर गुस्ल करना मस्नून है। (रवाह अबू दाऊद, हाकिम)

जो शख़्स इस्लाम कुबूल करे उसके लिये भी ज़रूरी है कि पहले गुस्ल करे, फिर मुसलमान हो। (मस्कुलिख़ताम, शरह बुलुग़ल मराम, जिल्द अव्वल/सफ़ा: 170)

6. किताबुल हैज

हैज के मसाइल

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

और अल्लाह तआला के इस फ़र्मान की तफ़्सीर में 'और तुझसे पूछते हैं हुक्म हैज का, कह दो वो गंदगी है। सो तुम औरतों से हैज की हालत में अलग रहो। और पास न हो उनके जब तक पाक न हो जाएँ। (यानी उनके साथ जिमाअ न करो) फिर जब ख़ूब पाक हो जाएँ तो जाओ उनके पास और जहाँ से हुक्म दिया तुमको अल्लाह ने (यानी कुबुल मे जिमाअ करो दुबुर में नहीं) बेशक अल्लाह पसंद करता है तौबा करनेवालों को और पसंद करता है पाकीज़गी (सफ़ाई व सुथराई) हासिल करने वालों को।' (अल बकर : 222)

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222].

बाब 1 : इस बयान में कि हैज की इब्तिदा किस तरह हुई और नबी करीम (ﷺ) का फ़र्मान है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ने आदम की बेटियों की तक्दीर में लिख दिया है। कुछ अहले इल्म ने कहा है कि सबसे पहले हैज बनी इस्राईल में आया। अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी (रह.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) की हदीष तमाम औरतों को शामिल है।

١- بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدَأُ الْحَيْضِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ (هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ) وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ أَوَّلُ مَا أَرْسَلَ الْحَيْضُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَحَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثَرُ.

तशरीह : यानी आदम की बेटियों के लफ़्ज़ से मा'लूम होता है कि बनी इस्राईल से पहले भी औरतों को हैज आता था इसलिये हैज की इब्तिदा के मुता'ल्लिक ये कहना कि बनी इस्राईल से इसकी इब्तिदा हुई सही नहीं, हज़रत इमाम बुखारी (रह.) क़द्स सिर्रुहू ने जो हदीष यहां बयान की है इसको खुद उन्होंने इसी लफ़्ज़ से आगे एक बाब में सनद के साथ रिवायत किया है **व काल बअजुहुम** से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) और हज़रत आइशा (रज़ि.) से मुराद है। उनके अग्ररों को अब्दुर्रज्जाक ने निकाला है, अजब नहीं कि उन दोनों ने ये हिकायत बनी इस्राईल से लेकर बयान की हो। कुआन शरीफ में हज़रत इब्राहिम की बीवी सारा के हाल में है कि फजहिकत जिससे मुराद बाज़ ने लिया है कि उनको हैज आगया है और जाहिर

है कि सारा बनी इस्राईल से पहले थी, ये भी हो सकता है कि बनी इस्राईल पर ये हमेशगी के अज़ाब के तौर पर भेजा गया हो।

(294) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफयान ने, कहा मैंने अब्दुरहमान बिन क़ासिम से सुना, कहा मैंने क़ासिम से सुना। वो कहते थे मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से सुना, आप फ़र्माती थीं कि हम हज़ के इरादे से निकले। जब हम मुक़ामे सरिफ़ में पहुँचे तो मैं हाइज़ा हो गई और इस रंज में रोने लगी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाए, आपने पूछा तुम्हें क्या हो गया? क्या हाइज़ा हो गई हो? मैंने कहा, हाँ! आपने फ़र्माया ये एक ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह तआला ने आदम की बेटियों के लिये लिख दिया है। इसलिये तुम भी हज़ के अफ़आल (अहकाम) पूरे कर लो, अल्बत्ता बैतुल्लाह का तवाफ़ न करना। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूले करीम (ﷺ) ने अपनी बीवियों की तरफ़ से गाय की कुर्बानी की। (सरिफ़ एक जगह मक्का से छः सात मील की दूरी पर है)

(दीगर मक़ाम : 305, 316, 317, 319, 328, 1516, 1517, 1556, 1560, 1561, 1562, 1638, 1650, 1709, 1720, 1733, 1757, 1762, 1771, 1772, 1773, 1776, 1787, 1788, 2952, 2984, 4395, 4401, 4408, 5329, 5548, 5559, 6157, 7229)

बाब 3 : इस बारे में कि हाइज़ा औरत का अपने शौहर के सर को धोना और उसमें कंघा करना जाइज़ है

(295) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमें ख़बर दी मालिक ने हिशाम बिन इर्वा से, वो अपने वालिद से, वो आइशा (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि आपने फ़र्माया मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) का सरे मुबारक को हाइज़ा होने की हालत में भी कंघा किया करती थी।

(दीगर मक़ाम : 296, 301, 2028, 2029, 2031, 2046, 2925)

٢٩٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: غَرَجْنَا لَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ. فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفِ حِضْتِ، فَدَخَلَ عَلِيُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَنْكَبِي، فَقَالَ: ((مَالِكٌ أَتَيْتُ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَأَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُولِي بِالنِّسْتِ)) قَالَتْ: وَضَعَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْقُرَى.

[أُطْرَافُهُ فِي : ٣٠٥، ٣١٦، ٣١٧، ٣١٩، ٣٢٨، ١٥١٦، ١٥١٨، ١٥٥٦، ١٥٦٠، ١٥٦١، ١٥٦٢، ١٦٣٨، ١٦٥٠، ١٧٠٩، ١٧٢٠، ١٧٣٣، ١٧٥٧، ١٧٦٢، ١٧٧١، ١٧٧٢، ١٧٨٣، ١٧٨٧، ١٧٨٦، ٢٩٥٢، ٢٩٨٤، ٤٣٩٥، ٤٤٠١، ٤٤٠٨، ٥٣٢٩، ٥٥٤٨، ٥٥٥٩، ٧٢٢٩، ٦١٥٧.]

٣- بَابُ غَسْلِ الْحَايِضِ رَأْسَ

رَوْحِهَا وَتَرْجِيلِهِ

٢٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ غَزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَرْجُلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ.

[أُطْرَافُهُ فِي : ٢٩٦، ٣٠١، ٢٠٢٨، ٢٩٢٥، ٢٠٤٦، ٢٠٣١، ٢٠٢٩]

(296) हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हिशाम बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा इब्ने जुरैज ने उन्हें खबर दी, उन्होंने कहा मुझे हिशाम बिन इर्वा ने इर्वा के वास्ते से बताया कि उनसे सवाल किया गया, क्या हाइज़ा बीवी मेरी ख़िदमत कर सकती है? इर्वा ने फ़र्माया मेरे नज़दीक तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस तरह की औरतें मेरी भी ख़िदमत करती हैं और इसमें किसी के लिये भी कोई हर्ज नहीं। इसलिये कि मुझे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने खबर दी कि वो रसूलुल्लाह (ﷺ) को हाइज़ा होने की हालत में कंघी किया करती थीं और रसूलुल्लाह (ﷺ) उस समय मस्जिद में मुअतकिफ़ होते। आप अपना सरे मुबारक क़रीब कर देते और हज़रत आइशा (रज़ि.) अपने हुज़े ही से कंघा कर देतीं, हालाँकि वो हाइज़ा होतीं।

(राजेअ: 295)

बाब की हदीष से मुताबक़त जाहिर है—अदयाने साबिका (अन्य पुराने धर्मों) में औरत को अय्यामे हैज में बिल्कुल अलाहिदा कैद कर दिया जाता था इस्लाम ने बन्दिशों को हटा दिया।

बाब 4 : इस बारे में कि मर्द का अपनी बीवी की गोद में हाइज़ा होने के बावजूद कुआन पढ़ना जाइज़ है

अबू वाइल अपनी ख़ादिमा को हैज की हालत में अबू रज़ीन के पास भेजे थे और वो उनके यहाँ से कुआन मजीद जुज़दान में लिपटा हुआ अपने हाथ से पकड़कर लाती थी।

इस अषर को इब्ने अबी शैबा ने मौसूलन रिवायत किया है।

(297) हमसे अबू नुऐम फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, उन्होंने जुहैर से सुना, उन्होंने मंसूर बिन सफ़िया से कि उनकी माँ ने उनसे बयान किया कि आइशा (रज़ि.) ने उनसे बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) मेरी गोद में सर रखकर कुआन मजीद पढ़ते, हालाँकि मैं उस समय हैज वाली होती थी। (दीगर मक़ाम: 7549)

हदीष और बाब की मुताबक़त जाहिर है।

बाब 5 : उस शख़्स के बारे में जिसने निफ़ास का

۲۹۶- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ غُرْوَةَ أَنَّهُ سَأَلَ: أَتَأْخُذُمُنِي الْخَائِضُ أَوْ تَذْنُو مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهِيَ حُبٌّ؟ فَقَالَ غُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخَائُمِي وَلَيْسَ عَلَيَّ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ، أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تَرَجُلُ - رَأْسُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - وَهِيَ حَائِضٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جِينِدٌ يُعَاوِرُ فِي الْمَسْجِدِ، يُذْنِي لَهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا فَتَرَجُلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ. [راجع: ۲۹۵]

۴- بَابُ قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرٍ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ يُرْسِلُ خَادِمَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ فَتَاتِيهِ بِالْمُصْحَفِ فَتُصَبِّحُهُ بِعَلَاتِيهِ.

۲۹۷- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ الْفَضْلُ بْنُ دَاكِينٍ سَمِعَ زُهَيْرًا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَكَبَّرُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَفْرَأُ الْقُرْآنَ. [طرفه في: ۷۵۴۹].

۵- بَابُ مَنْ سَمِيَ النَّفَاسَ حَيْضًا

नाम भी हैज रखा

(298) हमसे मक्की बिन अब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हिशाम ने यह्या बिन कप्रीर के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अबू सलमा से कि ज़ैनब बिनते उम्मे सलमा ने उनसे बयान किया और उनसे उम्मे सलमा (रज़ि.) ने कि मैं नबी करीम (ﷺ) के साथ एक चादर में लेटी हुई थी, इतने में मुझे हैज आ गया। इसलिये मैं धीरे से बाहर निकल आई और अपने हैज के कपड़े पहन लिये। आँहज़रत (ﷺ) ने पूछा क्या तुम्हें निफ़ास आ गया है? मैंने कहा, हाँ! फिर आपने मुझे बुला लिया, और मैं चादर में आपके साथ लेट गई। (दीगर मक़ाम : 322, 323, 1929)

۲۹۸- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُضْطَجِعَةً لِي خَمِيصَةً إِذْ حَضَتْ، فَاسْتَلَّتْ فَأَخَذَتْ يَابَ حَيْضَتِي. قَالَ: ((أَنْفِسْتِ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. فَدَعَانِي فَأَضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيصَةِ.

[أطرافه في : ۳۲۲، ۳۲۳، ۱۹۲۹].

तशीह: निफ़ास के मशहूर माना तो ये है कि खून औरत की जचगी (बच्चा जनने के बाद) में आये वो निफ़ास है मगर कभी हैज को भी निफ़ास कह देते हैं ओर निफ़ास को हैज, इस तरह नाम बदलकर ता'बीर करने में कोई हरज कोई मुजाएका नहीं। आँहज़रत (ﷺ) ने खुद यहां हैज के लिये निफ़ास का लफ़्ज़ इस्ते'माल फ़र्माया है।

बाब 6 : इस बारे में कि हाइज़ा के साथ मुबाशरत करना (यानी जिमाअ के अलावा उसके साथ लेटना बैठना जाइज़ है)

۶- بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

(299) हमसे क़बीसा बिन उबबा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सुफ़यान घ़ौरी ने मंसूर बिन मअमर के वास्ते से, वो इबाहीम नखई से, वो अस्वद से, वो हज़रत आइशा (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि उन्होंने फ़र्माया मैं और नबी करीम (ﷺ) एक ही बर्तन में गुस्ल करते थे हालाँकि दोनों जुनुबी होते।

۲۹۹- حَدَّثَنَا قَيْصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلَانَا جُنُبٌ.

(राजेअ : 250)

[راجع: ۲۵۰]

(300) और आप मुझे हुक्म फ़र्माते, बस मैं इज़ार बाँध लेती, फिर आप मेरे साथ मुबाशरत करते, उस समय मैं हाइज़ा होती।

۳۰۰- وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَرُهُ لِيَبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ.

(दीगर मक़ाम : 302, 2030)

[أطرافه في : ۳۰۲، ۲۰۳۰].

(301) और आप अपना सरे मुबारक मेरी तरफ़ कर देते। उस समय आप ए'तिकाफ़ में बैठे हुए होते और मैं हैज की हालत में होने के बावजूद आपका सरे मुबारक धो देती। (राजेअ : 295)

۳۰۱- وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُتَكَبِّفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

[راجع: ۲۹۵]

तशरीह : बाज़ मुन्किरीने हदीष ने इस हदीष पर भी इस्तिहजा करते हुए (मज़ाक़ उड़ाते हुए) इसे कुआन के खिलाफ़ बतलाया है। उनके ख़याल नापाक में मुबाशरत का लफ़्ज़ जिमाअ ही पर बोला जाता है हालांकि ऐसा हर्गिज़ नहीं है। मुबाशरत का मतलब बदन से बदन लगाना और बोसा व किनार मुराद है और इस्लाम में बिल इत्तेफ़ाक़ हाइज़ा औरत के साथ सिर्फ़ जिमाअ हराम है। उसके साथ लेटना बैठना, बोसा व किनार ब-शराएते मा'लूमा मना नहीं है। मुनकिरीने हदीष अपने ख़यालाते फ़ासिदा के लिये महज़ हफ़्वाते बातिला (झूठी और बकवास बातों) से काम लेते हैं। हाँ! ये ज़रूरी है कि जिसको अपनी शहवत पर क़ाबू नहीं उसे मुबाशरत से भी बचना चाहिए।

(302) हमसे इस्माईल बिन खलील ने बयान किया, कहा हमसे अली बिन मुस्हिर ने, हमसे अबू इस्हाक़ सुलैमान बिन फ़िरोज शैबानी ने अब्दुर्रहमान बिन अस्वद के वास्ते से, वो अपने वालिद अस्वद बिन यज़ीद से, वो हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि आपने फ़र्माया हम बीवियों में से जब कोई हाइज़ा होती, उस हालत में रसूलुल्लाह (ﷺ) अगर मुबाशरत का इरादा करते तो आप इज़ार बाँधने का हुक्म दे देते बावजूद हैज़ की ज़्यादाती के। फिर बदन से बदन मिलाते, आपने कहा तुममें ऐसा कौन है जो नबी करीम (ﷺ) की तरह अपनी शहवत पर क़ाबू रखता हो। इस हदीष की मुताबअत ख़ालिद और जरीर ने शैबानी की रिवायत से की है।

۳۰۲- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ قَالَ:
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسَهَّرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو
إِسْحَاقَ - هُوَ الشَّيْبَانِيُّ - عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا
فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبَاشِرَهَا أَمْرَهَا
أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي فُورٍ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يَبَاشِرُهَا.
قَالَتْ: وَإَيْكُمْ يَمْلِكُ رَبُّهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ
ﷺ يَمْلِكُ رَبُّهُ؟ تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنِ
الشَّيْبَانِيِّ

(303) हमसे अबू नोअमान मुहम्मद बिन फ़ज़ल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अबू इस्हाक़ शैबानी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन शदाद ने बयान किया, उन्होंने कहा मैंने मैमूना से सुना, उन्होंने कहा कि जब नबी करीम (ﷺ) अपनी बीवियों में से किसी से मुबाशरत करना चाहते और वो हाइज़ा होती तो आपके हुक्म से वो पहले इज़ार बाँध लेतीं। और सुफ़यान ने शैबानी से इसको रिवायत किया है।

۳۰۳- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَّاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ
مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا
أَرَادَ أَنْ يَبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمْرَهَا
فَأَتَزَوَّجَتْ وَهِيَ حَائِضٌ. رَوَاهُ سُفْيَانٌ عَنِ
الشَّيْبَانِيِّ

इन तमाम अहदीष में हैज़ की हालत में मुबाशरत से औरत के साथ लेटना-बैठना मुराद है। मुन्किरीने हदीष का यहाँ जिमाअ मुराद लेकर इन अहदीष को कुआन का मुआरिज ठहराना बिल्कुल झूठ और इफ़तरा है।

बाब 7 : इस बारे में कि हाइज़ा औरत रोज़े छोड़ दे (बाद में क़ज़ा करे)

۷- بَابُ تَرْكِ الْحَائِضِ

الصَّوْمِ

(304) हमसे सईद बिन अबी मरयम ने बयान किया, उन्होंने

۳۰۴- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ:

कहा हमसे मुहम्मद बिन जा'फ़र ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझे ज़ैद ने और ये ज़ैद असलम के बेटे हैं, उन्होंने इयाज़ बिन अब्दुल्लाह से, उन्होंने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से कि आपने फ़र्माया कि रसूले करीम (ﷺ) ईदुल अज़हा या ईदुल फ़ित्र में ईदगाह तशरीफ़ ले गये। वहाँ आप औरतों के पास से गुज़रे और फ़र्माया ऐ औरतों की जमाअत! इदक्रा करो क्योंकि मैंने जहन्नम में ज़्यादा तुम्हीं को देखा है। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ऐसा क्यों? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम लअन-तअन बहुत करती हो और शौहर की नाशुक्रा करती हो, बावजूद अक्ल और दीन में नाक़िस होने के मैंने तुमसे ज़्यादा किसी को भी एक अक्लमंद और तजुबेकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। औरतों ने कहा हमारे दीन और हमारी अक्ल में नुक़सान क्या है या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप (ﷺ) ने फ़र्माया क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से आधी नहीं है? उन्होंने कहा, जी है! आप (ﷺ) ने फ़र्माया बस यही उसकी अक्ल का नुक़सान है। फिर आपने पूछा क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत हाइज़ा हो तो न नमाज़ पढ़ सकती है और न रोज़े रख सकती है, औरतों ने कहा ऐसा ही है। आपने फ़र्माया यही उसके दीन का नुक़सान है।

(दीगर मक़ाम : 1462, 1951, 2658)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَضْحَى - أَوْ فِطْرِ - إِلَى الْمُصَلَّى، لَمَرًا عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ : ((يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيدُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ)) فَقُلْنَ، وَبِسْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : ((تَكْثِيرَ اللَّغْنِ، وَتَكْفُرَ الْعَشِيرِ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَالِصَاتِ عَقْلِ وَدِينِ أَذْهَبَ لِلْبِّ الرَّجُلِ الْخَازِمِ مِنْ إِخْدَاكُنَّ)). قُلْنَ وَمَا نُقْصَانِ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : ((أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟)) قُلْنَ: بَلَى. قَالَ : ((فَلَيْتُكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا. أَلَيْسَ إِذَا خَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟)) قُلْنَ: بَلَى. قَالَ : ((فَلَيْتُكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا)).

[أطرافه في : ١٤٦٢، ١٩٥١، ٢٦٥٨].

तशरीह : क़स्तलानी ने कहा कि लानत करना उस पर जाइज़ नहीं है जिसके खात्मे की खबर न हो, अलबत्ता जिसका कुफ़्र पर मरना यक़ीनी ष़ाबित हो उस पर लानत जाइज़ है जैसे अबू जहल वगैरह, इसी तरह बगैर नाम लिये हुए ज़ालिमों और काफ़िरों पर भी लानत करनी जाइज़ है।

बाब 8 : इस बारे में कि हाइज़ा बैतुल्लाह के तवाफ़ के अलावा हज्ज के बाक़ी सारे अक़ान को पूरा करेगी

इब्राहीम ने कहा आयत पढ़ने में कोई हर्ज़ नहीं। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) जुनुबी के लिये कुआन मजीद पढ़ने में कोई हर्ज़ नहीं समझते थे। और नबी करीम (ﷺ) हर समय अल्लाह का ज़िक्र किया करते थे। उम्मे अन्निया ने फ़र्माया हमें हुक्म होता था कि हम हैज़ वाली औरतों को भी (ईद के दिन) बाहर निकालें। बस वो मर्दों के साथ तक्बीर कहतीं और दुआ करतीं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि उनसे अबू

٨- بَابُ تَقْضِيِ الْخَائِضِ الْمَنَاسِكَ كُلِّهَا إِلَّا الطَّوَّافَ بِالْبَيْتِ

وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس بالقراءة للخبب بأساً. وكان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيائه. وقالت أم عطية: كنا نؤمّر أن نخرج فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان أن هرقل

सुफयान ने बयान किया कि हिरक्ल ने नबी करीम (ﷺ) के नाम—ए—गिरामी को तलब किया और उसे पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था, शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहमवाला है और ऐ किताबवालों! एक ऐसे कलिमे की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे बीच मुश्तरक (कॉमन) है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करें और उसका किसी को शरीक न ठहराएँ। अल्लाह तआला के क़ौल मुस्लिमून तक। अत्ता ने जाबिर के हवाले से बयान किया कि हज़रत आइशा (रज़ि.) को (हज में) हैज आ गया तो आपने तमाम मनासिक पूरे किये सिवाय बैतुल्लाह के तवाफ़ के और आप नमाज़ भी नहीं पढ़ती थीं और हक़म ने कहा मैं जुनुबी होने के बावजूद ज़िबह करता हूँ। जबकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया है, 'जिस ज़बीहे पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो उसे न खाओ।' (अल अन्आम : 121)

इसलिये हुक़म की मुराद भी ज़बह करने में अल्लाह के ज़िक्र को जुनुबी होने की हालत में करना है।

(305) हमसे अबू नुएम फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, उन्होंने ने कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी सलमान ने बयान किया, उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन क़ासिम से, उन्होंने क़ासिम बिन मुहम्मद से, वो हज़रत आइशा से, आपने फ़र्माया कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज के लिये इस तरह निकले कि हमारी जुबानों पर हज के अलावा और कोई ज़िक्र ही न था। जब हम मुक़ामे सरिफ़ पहुँचे तो मुझे हैज आ गया। (इस ग़म से) मैं रो रही थी कि नबी (ﷺ) तशरीफ़ लाए, आपने पूछा क्यूँ रो रही हो? मैंने कहा काश! मैं इस साल हज का इरादा ही नहीं करती। आपने फ़र्माया, शायद तुम्हें हैज आ गया है। मैंने कहा, जी हाँ! आपने फ़र्माया ये चीज़ तो अल्लाह तआला ने आदम की बेटियों के लिये मुकर्रर कर दी है। इसलिये तुम जब तक पाक न हो जाओ तवाफ़े बैतुल्लाह के अलावा हाजियों की तरह तमाम काम अंजाम दो।

(राजेअ : 294)

دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. ﴿وَيَا أَهْلَ
الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ
بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ
شَيْئًا إِلَى قَوْلِهِ مُسْلِمُونَ﴾ وَقَالَ غَطَّاءُ عَنْ
جَابِرٍ: حَاضَتْ عَائِشَةُ فَسَكَتَ الْمَنَاسِكُ
كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالنَّبِيِّ وَلَا تَصَلَّى.
وَقَالَ الْحَكَمُ: إِنِّي لِأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُبٌ.
وَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ
يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١].

٣٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَذْكُرُ إِلَّا
الْحَجَّ. فَلَمَّا جِئْنَا سَرَفَ طَمِعْتُ، فَدَخَلَ
عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: ((مَا
تُبْكِيكِ؟)) قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ
أَحْجِ الْعَامَ. قَالَ: ((لَعَلَّكَ نَفِسْتِ؟))
قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((لَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ
اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَالْعَلِيِّ مَا يَفْعَلُ
الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُولِي بِالنَّبِيِّ حَتَّى
تَطْهُرِي)). [راجع: ٢٩٤]

तशरीह:

सय्यिदुल मुहद्दिषीन हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का मक़सद ये बयान करना है कि हाइज़ा और जुनुबी के लिये कुआनि करीम की तिलावत की इजाज़त है जैसा कि हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब मुबारकपुरी मरहूम फ़र्माते हैं, 'इअलम अन्नल बुखारी अकद बाबन फ़ी सहीहिही यदुल्लु अला अन्नहू काइलुन बिजवाज़ि किरातिल कुआनि

लिल जुनुबि बिल हाइज़ि' (तुहफतुल अहवज़ी जिल्द 1 पेज नं. 124)

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) की नजर में कोई सहीह रिवायत ऐसी नहीं है जिसमें जुनुबी और हाइज़ा को क़िरअते कुआन से रोका गया हो। इस सिलसिले में मुतअह्दिद (अनेक) रिवायतें हैं और बाज़ की अनेक मुहदिप्पीन ने तस्हीह भी की है लेकिन सही यही है कि कोई सहीह रिवायत इस सिलसिले में नहीं है जैसा कि साहिबे ईज़ाहुल बुखारी ने जुज: 11/ स:94 पर तहरीर फ़र्माया है,

दर्जा—ए—हसन तक रिवायात तो मौजूद है, अलबत्ता उन तमाम रिवायतों का कदरे मुशतरक (कॉमन बात) यही है कि जुनुबी को क़िरअते कुआन की इजाज़त नहीं है लेकिन चूंकि हज़रत इमाम बुखारी (रह.) की नजर में कोई रिवायत सिहत के दर्जे तक पहुंची हुई नहीं है इसलिये उन्होंने जुनुबी और हाइज़ा के लिये क़िरअते कुआन को जाइज़ रखा है। अइम्म—ए—फ़ुकहा में से हज़रत इमाम मालिक (रह.) से दो रिवायतें हैं, एक में जुनुबी और हाइज़ा दोनों को पढ़ने की इजाज़त है और तबरी, इब्ने मुन्ज़िर और बाज़ हज़रात से भी ये इजाज़त मन्कूल है। हज़रत मौलाना अब्दुरहमान मुबारकपुरी क़दस सिर्रुहु फ़र्माते हैं,

'तमस्सकल बुखारी व मन क़ाल बिल जवाज़ि ग़ौरहू कत्तबरी वब्नुल मुन्ज़िर व दाऊद बिउमूमि हदीषि कान यज़कुरुल्लाह अला कुल्लि अहयानिही लिअन्नज्जिकर अअम्मू अय्यकून बिल कुआनि औ बिग़ैरिही' (तुहफतुल अहवज़ी जिल्द 1 पेज नं. 124)

यानी हज़रत इमाम बुखारी (रह.) और आपके अलावा दीगर मुजव्विजीन ने हदीष यज़कुरुल्लाह अला कुल्लि अहयानिही (आँहज़रत ﷺ हर हाल में अल्लाह का ज़िक्र फ़र्माते थे) से इस्तिदलाल किया है इसलिये कि ज़िक्र में तिलावते कुआन भी दाख़िल है मगर जुम्हूर का मजहबे मुख़तार यही है कि जुनुबी और हाइज़ा को क़िरअते कुआन जाइज़ नहीं। तफ़सील के लिये तुहफतुल अहवज़ी का मक़ामे मजकूरा मुतालज़ा किया जाए।

साहिबे ईज़ाहुल बुखारी फ़र्माते हैं— दर हकीकत इन इख़ितालाफ़ात का बुनियादी मंशा इस्लाम का वो तवस्सुअ है जिसके लिये आँहुज़ूर (ﷺ) ने अपनी हयात में भी फ़र्माया था और ऐसे ही इख़ितालाफ़ात के मुताल्लिक आपने खुश होकर पेशीनगोई की थी कि मेरी उम्मत का इख़ितालाफ़ बाइष्रे रहमत होगा (ईज़ाहुल बुखारी जिल्द 2 सफ़ा 32) (उम्मत का इख़ितालाफ़ बाइष्रे रहमत होने की हदीष सहीह नहीं)

बाब 9 : इस्तिहाज़ा के बयान में

— 9 - بَابُ الإِسْتِحَاظَةِ

इस्तिहाज़ा औरत के लिये एक ऐसी बीमारी है जिसमें उसे हर वक़्त खून आता रहता है इसके अहकाम भी हैज़ के अहकाम से मुख़तलिफ़ है।

(306) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इमाम मालिक ने हिशाम बिन उर्वा के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से, आपने बयान किया कि फ़ातिमा अबी हुबैश की बेटी ने रसूले करीम (ﷺ) से कहा मैं तो पाक ही नहीं होती, तो क्या मैं नमाज़ बिलकुल छोड़ दूँ। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये रग का खून है, हैज़ नहीं इसलिये जब हैज़ के दिन (जिनमें कभी पहले तुम्हें आदतन हैज़ आया करता था) आए तो नमाज़ छोड़ दे और जब अंदाज़े के मुताबिक़ वो दिन गुज़र जाए, तो खून धो डाल और नमाज़ पढ़।

٣٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ
أَبِي حَبِشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهَرُ، أَفَأَذُغُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَنَسِ
بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَأَنْزَعِي
الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَنْزَهَا فَاغْسِلِي عَنْكَ
الدَّمَ لَصَلِّي)).

तशरीह :

यानी गुस्ल करके एक रिवायत में इतना और ज़्यादा है कि हर नमाज़ के लिये वुजू करती रहो। मालिकिया उस

औरत के लिये जिसका खून जारी ही रहे या बवासीर वालों के लिये मजबूरी की बिना पर वुजून टूटने के काइल हैं।

बाब 10 : हैज का खून धोने के बयान में

(307) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इमाम मालिक ने बयान किया, उन्होंने हिशाम बिन इर्वा के वास्ते से, उन्होंने फातिमा बिनते मुजिर से, उन्होंने अस्मा बिनते अबीबक्र (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि एक औरत ने रसूले करीम (ﷺ) से सवाल किया। उसने पूछा कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! आप एक ऐसी औरत के बारे में क्या फ़र्माते हैं जिसके कपड़े पर हैज का खून लग गया हो। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर किसी औरत के कपड़े पर हैज का खून लग जाए तो चाहिए कि उसे रगड़ डाले, उसके बाद उसे पानी से धोए, फिर उस कपड़े में नमाज़ पढ़ ले। (राजेअ: 227)

(308) हमसे अस्बग ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे अम् बिन हारिष ने अब्दुर्रहमान बिन क़ासिम के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अपने वालिद क़ासिम बिन मुहम्मद से बयान किया, वो हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि आपने फ़र्माया कि हमें हैज आता तो कपड़े को पाक करते समय हम खून को मल लेते, फिर उस जगह को धो लेते और तमाम कपड़े पर पानी बहा देते और उसे पहनकर नमाज़ पढ़ते।

बाब 11 : औरत के लिये इस्तिहाज़ा की हालत में ए'तिकाफ़

(309) हमसे इस्हाक़ बिन शाहीन अबू बशीर वास्ती ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे ख़ालिद बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने ख़ालिद बिन मेहरान से, उन्होंने इकरिमा से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि नबी (ﷺ) के साथ आपकी कुछ बीवियों ने ए'तिकाफ़ किया, हालांकि वो मुस्तहाज़ा थीं और उन्हें खून आता था। इसलिये खून की वजह से तश्त अक़षर अपने

१०- بَابُ غَسْلِ دَمِ الْمَحِيضِ

٣٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ لَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ امْرَأَةً رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِخْدَانًا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِخْدَاكِنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُضْهُ ثُمَّ لَتَنْضِخْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لَتُصَلِّيْ فِيهِ)). [راجع: ٢٢٧]

٣٠٨- حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِخْدَانًا تَحِيضُ ثُمَّ تَقْرُضُ الدَّمُ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طَهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضِخُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ.

११- بَابُ الْإِعْتِكَافِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ

٣٠٩- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ أَبُو بَشِيرٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ عِكْرَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمُ، فَرُئِمَا وَصَعَتِ الطَّنْطُ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ. وَزَعَمَ عِكْرَمَةَ

नीचे रख लेतीं। और इकरिमा ने कहा कि आइशा (रज़ि.) ने कुसुम का पानी देखा तो फ़र्माया ये तो ऐसे ही मा'लूम होता है जैसे फ़र्लाँ साहिबा को इस्तिहाज़ा का खून आता था। (दीगर मक़ाम: 310, 311, 2037)

तशरीह:

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं कि इस हदीष से प्राबित हुआ कि मुस्तहाज़ा मस्जिद में रह सकती है और उसका ऐतिकाफ व नमाज़ दुरुस्त है और मस्जिद में हदष करना भी दुरुस्त है जबकि मस्जिद के आलुदा होने का डर न हो और जो मर्द दाइमुल हदष हो वे भी मुस्तहाज़ा के हुकम में है या जिसके किसी ज़ख़म से खून जारी रहता हो।

(310) हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे यज़ीद बिन ज़ुरैई ने ख़ालिद से, वो इकरिमा से, वो आइशा (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ आपकी बीवियों में से एक ने ए'तिकाफ़ किया। वो खून और ज़र्दी (निकलते) देखतीं। तशत उनके नीचे होता और नमाज़ अदा करती थीं। (राजेअ: 309)

أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْمُصْفَرِّ فَقَالَتْ: كَانَ هَذَا شَيْءًا كَانَتْ لِفَالَانَةَ تَجِدُهُ.
[أطرافه في: 310, 311, 2037.]

٣١٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اِعْتَكَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ لَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالْمُصْفَرَّةَ وَالطَّنْتِ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي.
[راجع: 309]

ये खून इस्तिहाज़ा की बीमारी का था जिसमें औरतों के लिये नमाज़ मुआफ़ नहीं है।

(311) हमसे मुसहद बिन मुसहिद ने बयान किया, कहा हमसे मुअतमिर बिन सुलैमान ने ख़ालिद के वास्ते से बयान किया, वो इकरिमा से, वो आइशा (रज़ि.) से कि कुछ उम्महातुल मोमिनीन ने ए'तिकाफ़ किया हालाँकि वो मुस्तहाज़ा थीं। (ऊपर वाली रिवायत में इन्हीं का ज़िक्र है) (राजेअ: 309)

٣١١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَعْضَ امْرَأَتِ الْمُؤْمِنِينَ اِعْتَكَفَتْ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ. [راجع: 309]

बाब 12 : क्या औरत उसी कपड़े में नमाज़ पढ़ सकती है जिसमें उसे हैज़ आया हो?

١٢- بَابُ هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ؟

(312) हमसे अबू नुऐम फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन नाफ़ेअ ने बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी नजैह से, उन्होंने मुजाहिद से कि हज़रते आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हमारे पास सिर्फ़ एक कपड़ा होता था, जिसे हम हैज़ के समय पहनते थे। जब उसमें खून लग जाता तो उस पर थूक डाल देते और फिर उसे नाखून से मसल देते थे।

٣١٢- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ: عَائِشَةُ مَا كَانَ لِإِحْدَانًا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ فَإِذَا أَصَابَتْ شَيْءًا مِنْ دَمٍ قَالَتْ بَرَيْقَهَا لِمَصْعَتِهِ بِظَفْرِهَا.

बाब 13 : औरत हैज़ के गुस्ल में

١٣- بَابُ الطَّيْبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ

खुशबू इस्ते'माल करे

(313) हमसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वट्टहाब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने अय्यूब सखितयानी से, उन्होंने हफ़्सा से, वो उम्मे अत्रिया से, आपने फ़र्माया कि हमें किसी मद्यित पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करने से मना किया जाता था। लेकिन शौहर की मौत पर चार महीने दस दिन के शौक का हुक्म था। उन दिनों में हम न सुरमा लगातीं, न खुशबू और न अज़ब (यमन की बनी हुई एक चादर जो रंगीन भी होती थी) के अलावा कोई रंगीन कपड़ा हम इस्ते'माल नहीं करती थीं और हमें (इदत के दिनों में) हैज के गुस्ल के बाद कुस्ते अज़फ़ार इस्ते'माल करने की इजाज़त थी और हमें जनाजे के पीछे चलने से मना किया जाता था। इस हदीष को हिशाम बिन हस्सान ने हफ़्सा से, उन्होंने उम्मे अत्रिया से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया है।
(दीगर मक़ाम: 1278, 1279, 5340, 5341, 5342, 5343)

غُسْلُهَا مِنَ الْمَحِيضِ
٣١٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نَنْهَى أَنْ
نُجِدَّ عَلَى عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ، إِلَّا عَلَى
زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَجِلُ
وَلَا نَتَطَيَّبُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا
ثَوْبَ عَصَبٍ. وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ
إِذَا اغْتَسَلْتَ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نَبْدَةٍ
مِنْ كُنْتِ أَظْفَارٍ. وَكُنَّا نَنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ
الْجَنَائِزِ. قَالَ: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ
حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[أطرافه في: ١٢٧٨، ١٢٧٩، ٥٣٤٠،
٥٣٤١، ٥٣٤٢، ٥٣٤٣.]

तशरीह: औरत जब हैज का गुस्ल करे तो मक़ामे मख़सूस पर बदबू को दूर करने के लिये ज़रूर कुछ खुशबू का इस्ते'माल करे, इसको यहां तक ताकीद है कि सोगवाली औरत को भी इसकी इजाज़त दी गई बशर्ते कि वो एहराम में न हों। कुस्त या अज़फारे कुस्त, ऊद को कहते हैं। बाज़ ने अज़फार से वो शहर मुराद लिया है जो यमन में था। वहां से ऊदे हिन्दी अरबी अरबी ममालिक में आया करता था हिशाम की रिवायत खुद इमाम बुखारी (रह.) ने किताबुत तलाक़ में भी नकल की है।

बाब 14 : इस बारे में कि हैज से पाक होने के बाद औरत को अपने बदन को नहाते समय मलना चाहिए और ये कि औरत कैसे गुस्ल करे, और मुश्क में बसा हुआ कपड़ा लेकर खून लगी हुई जगहों पर उसे फेरे

١٤- بَابُ ذَلِكَ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا
تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ
وَكَيْفَ تَفْسِلُ وَتَأْخُذُ فِرْصَةَ مُسْكَةٍ
فَتَبْعُ بِهَا أَرْثَ الدَّمِ

(314) हमसे यह्या बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान बिन उययना ने मंज़ूर बिन सफ़िया से, उन्होंने अपनी माँ सफ़िया बन्ते शैबा से, वो हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि आपने फ़र्माया कि एक अंसारिया औरत ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि मैं हैज का गुस्ल कैसे करूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुश्क

٣١٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ
عَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ
عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ
غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ. فَأَمَرَهَا كَيْفَ

में बसा हुआ कपड़ा लेकर उससे पाकी हासिल कर। उसने पूछा, उससे किस तरह पाकी हासिल करूँ, आपने फ़र्माया, उससे पाकी हासिल कर। उसने दोबारा पूछा कि किस तरह? आपने फ़र्माया, सुब्हानल्लाह! पाकी हासिल कर। फिर मैंने उसे अपनी तरफ़ खींच लिया और कहा कि उसे खून लगी हुई जगहों पर फेर दिया कर।

(दीगर मक़ाम : 315, 7357)

तशरीह : इस गुस्ल की कैफियत मुस्लिम की रिवायत में यून है कि अच्छी तरह से पाकी हासिल कर फिर अपने सर पर पानी डाल ताकि पानी बालों की जड़ों में पहुँच जाए फिर सारे बदन पर पानी डाल। इमाम बुखारी (रह.) ने इस रिवायत की तरफ़ इशारा करके बतलाया है कि अगरचे यहां न बदन का मलना है, न गुस्ल की कैफियत, मगर खुशबू का फाहा लेना मजकूर है। ता'ज्जुब के वक़्त सुब्हानल्लाहु कहना भी इससे प्राबित हुआ। औरतों से शर्म की बात इशारा किनाया से कहना, औरतों के लिये मर्दों से दीन की बातें पूछना ये सारे उमूर इससे प्राबित हुए। कालहुल हाफ़िज़!

बाब 15 : हैज का गुस्ल क्यूँ कर हो?

(315) हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे वुहैब बिन ख़ालिद ने, कहा हमसे मंसूर बिन अब्दुरहमान ने अपनी वालिदा सफ़िया से, वो आइशा से कि एक अंसारिया औरत ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि मैं हैज का गुस्ल कैसे करूँ? आपने फ़र्माया कि एक मुश्क में बसा हुआ कपड़ा ले और पाकी हासिल कर, ये आप (ﷺ) ने तीन बार फ़र्माया। फिर हुजूर (ﷺ) शर्माए और आपने अपना चेहरा—ए—मुबारक फेर लिया, या फ़र्माया कि उससे पाकी हासिल कर। फिर मैंने उन्हें पकड़कर खींच लिया और नबी करीम (ﷺ) जो बात कहना चाहते थे वो मैंने उसे समझाई।

(राजेअ : 314)

बाब 16 : औरत का हैज के गुस्ल के बाद

कंधा करना जाइज़ है

(316) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहीम बिन सअद ने, कहा हमसे इब्ने शिहाब जुहरी ने उर्वा के वास्ते से कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बतलाया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के साथ हज्जतुल विदा किया, मैं तमत्तोअ करनेवालों में थी और हदी यानी कुर्बानी का जानवर) अपने साथ नहीं ले गई थी। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने अपने बारे में बताया कि फिर वो

تَغَسَّلُ قَالَ: ((خُدِي فِرْصَةً مِنْ مِثْلِكَ فَتَطْهَرِي بِهَا)). قَالَتْ: كَيْفَ أَنْطَهَرُ؟ قَالَ: ((تَطْهَرِي بِهَا)). قَالَتْ كَيْفَ؟ قَالَ: ((سُبْحَانَ اللَّهِ، تَطْهَرِي)) فَاجْتَدِثَهَا إِلَى لَفْلَتْ: تَتَّبِعِي بِهَا أَرَى الدَّمَ.

[طرفاه في : 310, 7357].

١٥ - بَابُ غَسْلِ الْمَحِيضِ

٣١٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: كَيْفَ اغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَ: ((خُدِي فِرْصَةً مِنْ مِثْلِكَ فَتَطْهَرِي بِهَا)). قَالَتْ كَيْفَ؟ قَالَ: ((سُبْحَانَ اللَّهِ، تَطْهَرِي)) فَاجْتَدِثَهَا إِلَى لَفْلَتْ: تَتَّبِعِي بِهَا أَرَى الدَّمَ.

[راجع : 314]

١٦ - بَابُ امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ غَسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ

٣١٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ، فَكُنْتُ مِنْ تَمَتُّعٍ وَتَمَّ بِسِقِي الْمَدِينَةِ. فَزَعَمْتُ أَنَّهَا

हाइज़ा हो गई और अरफ़ा की रात आ गई और अभी तक वो पाक नहीं हुई थी। इसलिये उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा कि हज़ूर आज अरफ़ा की रात है और मैं उमरह की निव्यत कर चुकी थी, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि अपने सर को खोल डाल और कंधा कर और उमरह को छोड़ दे। मैंने ऐसे ही किया। फिर मैंने हज़्ज पूरा कर लिया और लैलतुल हस्बा में अब्दुर्रहमान बिन अबू बक्र को आँहज़रत (ﷺ) ने हुक्म दिया। वो मुझे इस उमरह के बदले में जिसकी निव्यत मैंने की थी तन्ईम से (दूसरा) उमरह करा लायो (राजेअ: 294)

حَاصَتْ وَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى دَخَلْتَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ،
وَأَنَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ: فَقَالَ لَهَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((انْقِصِي رَأْسَكَ وَامْتَشِطِي
وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكَ)) فَقَعَلْتُ. فَلَمَّا
قَضَيْتُ الْحَجَّ أَمَرَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ لَيْلَةَ
الْحَصْبَةِ فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّيْمِيمِ، مَكَانَ
عُمْرَتِي الَّتِي نَسَكْتُ. [راجع: ٢٩٤]

तशरीह: तमत्तोअ उसे कहते हैं कि आदमी मीकात पर पहुंच कर सिर्फ़ उमरा का एहराम बाँधे फिर मक्का पहुंचकर उमरा करके एहराम खोल दे। उसके बाद आठवीं जिलहिज्जा को हज़्ज का एहराम बाँधे।

तर्जुम—ए—बाब इस तरह निकला कि जब एहराम के गुस्ल के लिये कंधी करना मशरूअ हुआ तो हैज के गुस्ल के लिये ऊपर बताए गये तरीके से होगा। तनईम मक्का से तीन मील दूर हरम से करीब है, रिवायत में लैलतुल हस्बा का तज़िकरा है इससे मुराद वो रात है जिसमें मिना से हज़्ज से फारिग होकर लौटते हैं और वादी—ए—मुहस्सब में आकर ठहरते हैं, ये जिलहिज्जा की 13वीं या 14वीं चौदहवीं रात होती है, इसी को लैलतुल हस्बा कहते हैं।

हाफ़िज़ इब्ने हजर और दीगर शारेहीन ने मक़सदे तर्जुमा के सिलसिले में कहा है कि अया हाइज़ा हज़्ज का एहराम बाँध सकती है या नहीं, फिर रिवायत से इसका जवाज़ षाबित किया है। गोया ये भी दुरुस्त है मगर जाहिरी अल्फ़ाज़ से माना ये है कि हाइज़ा किस हालत के साथ एहराम बाँधे या गुस्ल करके एहराम बाँधे या 'नी बगैर गुस्ल ही से दूसरी रिवायत में गुस्ल का ज़िक्र मौजूद है अगरचे पाकी हासिल न होगी, मगर गुस्ले एहराम की जो सुन्नत है उस पर अमल हो जाएगा।

बाब 17 : हैज के गुस्ल के समय औरत का अपने बालों को खोलने के बयान में

(317) हमसे अबैदुल्लाह बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अबू उसामा हम्माद ने हिशाम बिन उर्वा के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने आइशा (रज़ि) से कि उन्होंने फ़र्माया हम ज़िलहिज्जा का चाँद देखते ही निकले। रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसका दिल चाहे तो उसे उमरह का एहराम बाँध लेना चाहिए क्योंकि अगर मैं हदी साथ न लाता तो मैं भी उमरह का एहराम बाँधता। इस पर कुछ सहाबा ने उमरह का एहराम बाँधा और कुछ ने हज़्ज का। मैं भी उन लोगों में से थीं जिन्होंने उमरह का एहराम बाँधा था। मगर अरफ़ा का दिन आ गया और मैं हैज की हालत में थी। मैंने नबी करीम (ﷺ) से इसके बार

١٧- بَابُ نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا عِنْدَ
غَسْلِ الْمَحِيضِ

٣١٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهَا لَيْلِ ذِي
الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ أَحَبَّ
أَنْ يَهْلَلَ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهْلَلْ، فَإِنِّي لَرَأَى أَنِّي
أَهْدَيْتُ لِأَهْلِ بَعْضِهِمْ بِعُمْرَةٍ)) فَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ
بِعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِحَجٍّ، وَكُنْتُ أَنَا
مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. فَأَذْرَكُنِي يَوْمَ عَرَفَةَ

में शिकायत की तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि इम्रह छोड़ और अपना सर खोल और कंधा कर और हज्ज का एहराम बाँध ले। मैंने ऐसा ही किया। यहाँ तक कि जब हस्बा की रात आई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरे साथ मेरे भाई अब्दुरहमान बिन अबीबक्र को भेजा। मैं तन्ईम गई और वहाँ से अपने इम्रह के बदले दूसरे इम्रह का एहराम बाँधा। हिशाम ने कहा कि उनमें से किसी बात की वजह से भी न हदी वाजिब हुई और न रोज़ा और न स़दक़ा। (तन्ईम हदे हरम करीब तीन मील दूर एक जगह का नाम है)

(राजेअ: 294)

बाब 18 : अल्लाह अज़्ज व जल्ल के क़ौल मुहल्लक़ा और ग़ैर मुहल्लक़ा (कामिलुल ख़ल्क़त और नाक़िसुल ख़ल्क़त) के बयान में

(318) हमसे मुसहद बिन मुसरहद ने बयान किया, कहा हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने अबैदुल्लाह बिन अबीबक्र के वास्ते से, वो अनस बिन मालिक (रज़ि.) से, वो नबी करीम (ﷺ) से कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि रहमे मादर (माँ की कोख) में अल्लाह तआला ने एक फ़रिश्ता मुकरर किया। वो कहता है ऐ रब! अब ये नुत्फ़ा है, ऐ रब! अब अल्लका हो गया है, ऐ रब! अब ये मुज़्गा हो गया है फिर जब अल्लाह चाहता है कि उसकी ख़ल्क़त पूरी करे तो कहता है मुज़्कर (नर) या मुअन्नष (मादा), बदबख़्त है या नेकबख़्त, रोज़ी कितनी मुक्रहर है और इम्र कितनी। पस माँ के पेट ही में ये तमाम बातें फ़रिश्ता लिख देता है। (दीगर मक़ाम: 3333, 6595)

तश्रीह: इस बाब के क़ायम करने में हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का मक़सद ये मा'लूम होता है कि हामला के जो खून आ जाए वो हैज़ नहीं है क्योंकि अगर हमल पूरा है तो रहम उसमें मशगूल होगा और जो खून निकला है वो ग़िज़ा का बाक़ी मान्दा है। अगर नाकिस है तो रहम ने पतली बूटी निकाल दी है तो वो बच्चे का हिस्सा कहा जाएगा, हैज़ न होगा।

इब्ने मुनीर ने कहा कि इमाम बुखारी (रह.) ने बाब की हदीष से ये दलील ली है कि हामिला का खून हैज़ नहीं है क्योंकि वहाँ एक फ़रिश्ता मुकरर किया जाता है और वो नजासत के मक़ाम पर नहीं जाता। इब्ने मुनीर के इस इस्तिदलाल को ज़ईफ़ कहा गया है। अहनाफ और हंबलियों और अक़्ब़र हज़रात का मज़हब ये है कि हालते हमल में आने वाला खून बीमारी माना जाएगा हैज़ न होगा। इमाम बुखारी (रह.) भी यही ष़ाबित फ़र्मा रहे हैं। इसी मक़सद के तहत आपने उनवान मुहल्लक़ा व ग़ैर मुहल्लक़ा इख़्तियार फ़र्माया है। रिवायते मज़क़ूरा इसी त़रफ़ इशारा करती है, पूरी आयत सूर: हज्ज में हैं।

बाब 19 : इस बमे में कि हाइज़ा औरत हज्ज और

وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((دَعِي عُمْرَتَكَ وَأَنْقِضِي رَأْسَكَ وَأَمْتَشِطِي وَأَهْلِي بِحَجٍّ)) فَفَعَلْتُ. حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِيَ أَخِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَخَرَجْتُ إِلَى التَّبَعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي. قَالَ هِشَامٌ: وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيِي وَلَا صَوْمٌ وَلَا صَدَقَةٌ. [راجع: ٢٩٤]

١٨- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مُخَلَّفَةٌ وَغَيْرُ مُخَلَّفَةٍ

٣١٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عُبَيْدٍ أَنَّ اللَّهَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَكَلَّ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُولُ: يَا رَبُّ نُطْفَةٍ، يَا رَبُّ عَلَقَةٍ، يَا رَبُّ مُضْغَةٍ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا قَالَ: أَذْكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَمَا الرُّزْقُ، وَالْأَجَلُ؟ فَيَكْتُبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ)). [طرفاه في: ٣٣٣٣، ٦٥٩٥]

١٩- بَابُ كَيْفِ تَهْلُ الْحَائِضُ

उम्रह का एहराम किस तरह बाँधे

(319) हमसे यहा बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष बिन सअद ने बयान किया, उन्होंने अक्रील बिन खालिद से, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने उर्वा बिन जुबैर से, उन्होंने आइशा (रज़ि.) से, उन्होंने कहा हम नबी करीम (ﷺ) के साथ हज्जतुल विदाअ के सफ़र में निकले, हममें से कुछ ने उम्रह का एहराम बाँधा और कुछ ने हज्ज का, फिर हम मक्का आए और आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसने उम्रह का एहराम बाँधा हो और हदी साथ न लाया हो वो हलाल हो जाए और जिसने उम्रह का एहराम बाँधा हो और वो हदी भी साथ लाया हो तो वो हदी की कुर्बानी से पहले हलाल न होगा और जिसने हज्ज का एहराम बाँधा हो तो उसे हज्ज पूरा करना चाहिए। आइशा (रज़ि.) ने कहा कि मैं हाइज़ा हो गई और अरफ़ा का दिन आ गया। मैंने सिर्फ़ उम्रह का एहराम बाँधा था मुझे नबी करीम (ﷺ) ने हुक्म दिया कि मैं अपना सर खोल लूँ, कंधा कर लूँ और हज्ज का एहराम बाँध लूँ और उम्रह छोड़ दूँ, मैंने ऐसा ही किया और अपना हज्ज पूरा कर लिया। फिर मेरे साथ आँहज़रत (ﷺ) ने अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र को भेजा और मुझसे कहा कि मैं अपने छूटे हुए उम्रह के बदले तन्ईम से दूसरा उम्रह करूँ।

(राजेअ : 294)

बाब 20 : इस बारे में कि हैज का आना और उसका ख़त्म होना क्यूँकर है?

औरतें हज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में डिबिया भेजती थीं जिसमें कुर्सुफ़ होता, उसमें ज़र्दी होती थी। हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती कि जल्दी न करो यहाँ तक कि साफ़ सफ़ेदी देख लो। इससे उनकी मुराद हैज से पाकी होती थी। हज़रत ज़ैद बिन श़ाबित (रज़ि.) की साहबज़ादी को मा'लूम हुआ कि औरतें रात की तारीकी में चिराग़ मंगाकर पाकी होने को देखती हैं तो आपने फ़र्माया कि औरतें ऐसा नहीं करती थीं। उन्होंने (औरतों के इस काम को) मअयूब (ऐब की बात) समझा।

بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؟

۳۱۹- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَوَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ. فَقَدِمْنَا مَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يَهْدِ فَلْيَحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يُحِلُّ حَتَّى يُحِلَّ نَحْرَ هَدْيِهِ. وَمَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ فَلْيَتِمَّ حَجَّهُ)). قَالَتْ: فَحِضْتُ، فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَلَمْ أَهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَنْقِضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطُ وَأَهْلُ بِحَجٍّ وَأَتْرِكَ الْعُمْرَةَ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّي، فَبَعَثَ مَعِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتِي مِنَ التَّعْمِيمِ. [راجع: ۲۹۴]

۲۰- بَابُ إِقْبَالِ الْمَحِيضِ

وَأَذْبَارِهِ

وَكُنْ نِسَاءً يَتَمَنَّوْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالرُّجْحَةِ لِيَهِيَ الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُولُ: لَا تَعْلَنَنَّ حَتَّى تَرَيْنَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ، تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ. وَبَلَغَ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ نَابِتٍ أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ فَقَالَتْ: مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا. وَعَابَتْ

क्योंकि शरीअत में आसानी है। फुक्कहा ने इस्तिहाजा के मसाइल में बड़ी बारीकियां निकाली है मगर सहीह मसला यह है कि औरत को पहले खून का रंग देख लेना चाहिए। हैज़ का खून काला होता है, औरतों का अपनी हैज़ की आदत का भी अन्दाज़ा कर लेना चाहिए। अगर रंग और आदत दोनों से तमीज़ न सके तो छः या सात दिन हैज़ के मुकर्रर कर ले क्योंकि हैज़ की अक्षरे मुद्त यही है इसमें नमाज़ तर्क कर दे जिस पर तमाम मुसलमानों का इत्फ़ाक़ है मगर खवारिज इससे इख़्तिलाफ़ करते हैं जो ग़लत है।

(320) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मस्नदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान बिन उययना ने हिशाम बिन इर्वासे, वो अपने बाप से, वो हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि फ़ातिमा बन्ते अबी हुबैश को इस्तिहाजा का खून आया करता था। तो उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से इसके बारे में पूछा। आपने फ़र्माया कि ये रंग का खून है और हैज़ नहीं है। इसलिये जब हैज़ के दिन आएँ तो नमाज़ छोड़ दिया कर और जब हैज़ के दिन गुज़र जाएँ तो गुस्ल करके नमाज़ पढ़ लिया कर।

बाब 21 : इस बारे में कि हाइज़ा औरत

नमाज़ क़ज़ा न करे

और जाबिर बिन अब्दुल्लाह और अबू सईद (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) से रिवायत करते हैं हाइज़ा नमाज़ छोड़ दे।

(321) हमसे मूसा इब्ने इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे हम्माम बिन यह्या ने, कहा हमसे क़तादाने, कहा मुझसे मुआज़ा बन्ते अब्दुल्लाह ने कि एक औरत ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा कि जिस ज़माने में हम पाक रहते हैं। (हैज़ से) क्या हमारे लिये उसी ज़माने की नमाज़ काफ़ी है। इस पर हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि क्या तुम हरूरिया हो? हम नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में हाइज़ा होती थीं और आप हमें नमाज़ का हुक्म नहीं देते थे। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने ये कहा कि हम नमाज़ नहीं पढ़ती थीं।

۳۲۰- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ :
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حَبِيشٍ كَانَتْ
تُسْتَحَاضُ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ ((ذَلِكَ
عِرْقٌ وَآيِسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ
الْحَيْضَةَ فَذَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَذْبَرَتْ
فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي)).

۲۱- بَابُ لَا تَقْضِي الْحَائِضُ

الصَّلَاةِ

وَقَالَ جَابِرٌ وَأَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
((تَدْعُ الصَّلَاةَ)).

۳۲۱- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:
حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ:
حَدَّثَنِي مُعَاذَةُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ:
أَتَجْزِي إِخْدَانًا صَلَاتَهَا إِذَا طَهَّرَتْ؟
فَقَالَتْ : أَحْرُورِيَّةُ أَنْتِ؟ فَذَكْنَا نَحِيضُ مَعَ
النَّبِيِّ ﷺ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ. أَوْ قَالَتْ : فَلَا
نَفَعْلَةٌ.

तशरीह :

शैखुनल मुकर्रम हज़रत मौलाना अब्दुरहमान साहब मुबारकपुरी क़द्दस सिर्रुहु फ़र्माते है,

'अल हरूरी मन्सूबुन इला हरूरा बिफ़त्हिल हाइ व ज़म्मिराइल हमलतैनि व बअदल वाविस्साकिनति राउन अयज़न बलदतुन अला मीलैनि मिनलकुफ़ति व युक्रालु मंध्यअतकिदु मज्हबल खवारिजि हरूरिय्युन लिअन्न अव्वल फ़िर्क़तिम्मिन्हुम ख़रजू अला अलिथ्यिन बिल्बलदतिल मज्कूरति फ़श्तहरू बिन्निस्बति इलयहा व हुम फ़िरकुन क़ज़ीरतुन लाकिन्न मिन उमूलिहिम अल मुत्तफ़कु अलयहा बैनहुमुल अइज्जु बिमा दल्ल अलयहिल कुआनु व रद्द माज़ाद अलयहि मिनल हदीषि मुतलकन.' (तुहफ़तुल अहवज़ी जिल्द अव्वल पेज नं. 123)

यानी हरूरी, हरूर गांव की तरफ निस्बत है जो कूफा से दो मील की दूरी पर था। यहां पर सबसे पहले वो फ़िर्का पैदा हुआ जिसने हज़रत अली के खिलाफ़ बगावत का झण्डा बुलन्द किया। ये खारजी कहलाए, जिनके कई फ़िर्के हैं मगर ये उसूल उन सबमें मुत्तफक (एक समान) है कि सिर्फ़ कुआन को लिया जाये और हदीष को मुतलकन रद्द कर दिया जाए।

चूँकि हाइज़ा पर फ़र्ज़ नमाज़ का मुआफ़ हो जाना सिर्फ़ हदीष से प्रामित है। कुआन में इसके जिक्र नहीं है, इसलिये मुखातब के इस मस्ले का तहक़ीक़ करने पर हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फर्माया कि क्या तुम हरूरी तो नहीं जो इस मस्ले के मुता'ल्लिक तुमको तअम्मुल (भ्रम या असमंजस) है।

बाब 22 : हाइज़ा औरत के साथ सोना जबकि वो हैज के कपड़ों में हो

(322) हमसे सअद बिन हफ़स ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शैबान नह्वी ने बयान किया, उन्होंने यह्या बिन अबी क़रीर से, उन्होंने अबू सलमा से, उन्होंने ज़ैनब बन्ते अबी सलमा से, उन्होंने बयान किया कि उम्मे सलमा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैं नबी करीम (ﷺ) के साथ चादर में लेटी हुई थी कि मुझे हैज आ गया, इसलिये मैं चुपके से निकल आई और अपने हैज के कपड़े पहन लिये। रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम्हें हैज आ गया है? मैंने कहा, जी हाँ! फिर मुझे आपने बुला लिया और अपने साथ चादर में दाख़िल कर लिया। ज़ैनब ने कहा कि मुझसे उम्मे सलमा ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) रोज़े से होते और उसी हालत में उनका बोसा लेते। और मैंने और नबी करीम (ﷺ) ने एक ही बर्तन में जनाबत का गुस्ल किया।

(राजेअ : 298)

बाब 23 : इस बारे में कि जिसने (अपनी औरत के लिये) हैज के लिये पाकी में पहने जाने वाले कपड़ों के अलावा कपड़े बनाए

(323) हमसे मुआज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, कहा हमसे हिशाम दस्तवाई ने यह्या बिन अबी क़रीर से, वो अबू सलमा से, वो ज़ैनब बन्ते अबी सलमा से, वो उम्मे सलमा से, उन्होंने बताया कि मैं नबी करीम (ﷺ) के साथ एक चादर में लेटी हुई थी कि मुझे हैज आ गया, मैं चुपके से चली गई और हैज के कपड़े बदल लिये, आपने पूछा क्या तुझको हैज आ गया है। मैंने कहा,

۲۲- بَابُ النُّومِ مَعَ الْحَائِضِ وَهِيَ فِي ثِيَابِهَا

۳۲۲- حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: حِضْتُ وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْخِمْلَةِ، فَانْسَلْتُ فَخَرَجْتُ مِنْهَا فَأَحَدْتُ ثِيَابَ حَيْضِي فَلَيْسَتْهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَبْسَتْ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. فَدَعَايِي فَأَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الْخِمْلَةِ. قَالَتْ: وَحَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْبَلُهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ. وَكُنْتُ اغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ. [راجع: ۲۹۸]

۲۳- بَابُ مَنْ اتَّخَذَ ثِيَابَ

الْحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطَّهْرِ

۳۲۳- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَصَّالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُنْظَجِمَةً فِي خِمْلَةٍ حِضْتُ، فَانْسَلْتُ فَأَحَدْتُ ثِيَابَ حَيْضِي،

जी हौं! फिर मुझे आपने बुला लिया और मैं आपके साथ चादर में लेट गई।

(राजेअ : 298)

मा'लूम हुआ कि हैज के लिये औरत को अलग से कपड़े बनाना मुनासिब है और तुहर के लिये अलाहिदा ताकि उनको सहूलत हो सके, ये इसराफ (फिजूलखर्ची) में दाखिल नहीं।

बाब 24 : ईदैन में और मुसलमानों के साथ दुआओं में हाइजा औरतें भी शरीक हों और ये औरतें नमाज़ की जगह से एक तरफ़ होकर रहें

(324) हमसे मुहम्मद बिन सलाम बैकंदी ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वट्टहाब ब्रक़फ़ी ने अय्यूब सख़ितयानी से, वो हफ़्सा बिनते सिरीन से, उन्होंने फ़र्माया कि हम अपनी कुंवारी जवान बच्चियों को ईदगाह जाने से रोकती थीं, फिर एक औरत आई और बनी ख़ल्फ़ के महल में उतरिं और उन्होंने अपनी बहन (उम्मे अत्रिया) के हवाले से बयान किया, जिनके शौहर नबी (ﷺ) के साथ बारह लड़ाइयों में शरीक थे और खुद उनकी अपनी बहन अपने शौहर के साथ छः जंगों में गई थीं। उन्होंने बयान किया कि हम ज़ख़मों की मरहम पट्टी किया करती थीं और मरीज़ों की ख़बर गिरी भी करती थीं। मेरी बहन ने एक बार नबी (ﷺ) से पूछा कि अगर हममें से किसी के पास चादर न हो तो क्या उसके लिये इसमें कोई हर्ज़ है कि वो (नमाज़े ईद के लिये) बाहर न निकले? आपने फ़र्माया उसकी साथी औरत को चाहिए कि अपनी चादर का कुछ हिस्सा उसे भी ओढ़ा दे, फिर वो ख़ैर (भलाइयों) के मौक़ों पर और मुसलमानों की दुआओं में शरीक हों, (यानी ईदगाह जाएँ)। फिर जब उम्मे अत्रिया आई तो मैंने उनसे भी यही सवाल किया। उन्होंने फ़र्माया, मेरा बाप आप (ﷺ) पर फ़िदा हो, हौं! आप (ﷺ) ने ये फ़र्माया था। और उम्मे अत्रिया जब भी आँहज़रत (ﷺ) का ज़िक्र करतीं तो ये ज़रूर फ़र्मातीं कि मेरा बाप आप (ﷺ) पर फ़िदा हो। (उन्होंने कहा) मैंने आपको ये कहते हुए सुना कि जवान लड़कियाँ, पदवालियाँ और हाइजा औरतें भी बाहर निकलें और ख़ैर के मौक़ों में और मुसलमानों की दुआओं

لَقَالَ: ((أَلَيْسَتْ؟)) فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَدَعَانِي

لَأَصْطَلِحَتْ مَعَهُ فِي الْخَيْمَةِ.

[راجع: ٢٩٨]

٢٤- بَابُ شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِيْدَيْنِ

وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَرِلْنَ

الْمُصَلِّي

٣٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - ابْنُ سَلَامٍ - قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ عَوَائِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيْدَيْنِ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَزَلَّتْ فَصَرَ بِنِي خَلْفِي فَحَدَّثْتُ عَنْ أُخِيَّتِهَا - وَكَانَ زَوْجُ أُخِيَّتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِنِسِي عَشْرَةَ، غَزْوَةً وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ - أَلَّتْ: كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، فَسَأَلْتُ أُخْتِي النَّبِيَّ ﷺ أَعْلَى إِخْدَانًا بِأَسْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ قَالَ: ((لَتَلْبَسْنَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وَلَتَشْهَدَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ)). فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ؟ قَالَتْ: بِأَبِي نَعَمْ - وَكَانَ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي - سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((تَخْرُجُ الْعَوَائِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحَيْضُ، وَلَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، وَتَعْتَرِلُ الْحَيْضُ

में शरीक हों और हाइज़ा औरत नमाज़ की जगह से दूर रहे। हफ़्सा कहती हैं, मैंने पूछा क्या हाइज़ा भी? तो उन्होंने फ़र्माया क्या वो अरफ़ात में और फ़लाँ—फ़लाँ जगह नहीं जाती। यानी जब वो इन तमाम मुक़दस मुक़ामात (पवित्र स्थानों) में जाती हैं तो फिर ईदगाह में क्यों न जाएँ? (दीगर मक़ाम : 351, 971, 974, 980, 981, 1652)

الْمُصَلَّى)) . لَأَلَّتْ حَفْمَةً: فَلَلَّتْ:
(الْحَيْضُ؟) فَقَالَتْ: أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَلَةَ
وَكَذَا وَكَذَا؟

[أطرافه ن: ٣٥١، ٩٧٤، ٩٧١، ٩٨٠،
[١٦٥٢، ٩٨١]

तशरीह: इज्तिमा—ए—इदैन में औरतें ज़रूर शरीक हों : इज्तिमा—ए—इदैन में औरतों के शरीक होने की इस क़दर ताक़ीद है कि आँहज़रत (ﷺ) ने हाइज़ा औरतों तक के लिये ताक़ीद फ़र्माई कि वो भी इस मिल्ली इज्तिमाअ में शरीक होकर दुआओं में हिस्सा लें और हालते हैज़ की वजह से जाए—नमाज़ से दूर रहें।

उन मस्तूरात (पर्दे वालियों) के लिये जिनके पास ओढ़ने के लिये चादर भी नहीं, आपने उन्हें इज्तिमाअ से पीछे रह जाने की इजाज़त नहीं दी बल्कि फ़र्माया कि उसके साथ वाली दूसरी औरतों को चाहिए कि उसके लिये ओढ़नी का इन्तिज़ाम कर दें। ज़िक्र की गई रिवायत में यहां तक तफ़्सील मौजूद है कि हज़रत हफ़सा ने तअज्जुब के साथ उम्मे अतिया से कहा कि हैज़ वाली औरतें किस तरह निकलेंगी जबकि वो नजासते हैज़ में हैं। इस पर उम्मे अतिया ने फ़र्माया कि हैज़ वाली औरतें हज्ज के दिनों में अरफ़ात में ठहरती है, मुजदलिफा में रहती है, मिना में कंकरियाँ मारती है, ये सब मुक़दस मक़ामात है; जिस तरह वो वहां जाती है उसी तरह ईदगाह भी जायें। बुखारी शरीफ की इस हदीष के अलावा और भी बहुत—सी वाजेह अहदादीष इस सिलसिले में मौजूद है। जिन सबका ज़िक्र विस्तार का कारण होगा। मगर तअज्जुब है, फ़ुक़ह—ए—अहनाफ पर जिन्होंने अपने फ़र्ज़ी शक और वहम के आधार पर सराहतन अल्लाह के रसूल (ﷺ) के इस फ़र्माने आलीशान के ख़िलाफ़ फ़तवा दिया है।

मुनासिब होगा कि फ़ुक़ह—ए—अहनाफ का फ़तवा स़ाहिबे ईज़ाहुल बुखारी के लफ़ज़ों में पेश कर दिया जाए चुनाँचे आप फ़र्माते हैं—अब ईदगाह का हुक्म बदल गया है। ईदगाहें मस्जिद की शक़्ल में न होती थी इसलिये हाइज़ा और जुनुबी को भी अन्दर जाने की इजाज़त थी। अब ईदगाहें मुकम्मल मस्जिद की सूत में होती है इसलिये उनका हुक्म मस्जिद का हुक्म है। इसी तरह दौरे हाज़िर (वर्तमान काल) में औरतों को ईदगाह की नमाज़ में शिरकत से भी रोका गया है। सदरे अब्वल में अब्वल तो इतना फ़ितना व फ़साद का अंदेशा नहीं था, दूसरे ये कि इस्लाम की शान व शौकत जाहिर करने के लिये ज़रूरी था कि मर्द व औरत सब मिलकर ईद की नमाज़ में शिरकत करें। अब फ़ितने का भी ज़्यादा अन्देशा है और इजहारे शान व शौकत की भी ज़रूरत नहीं, इसलिये रोका जायेगा। मुतअख़िबरीन (बाद वालों) का यही फ़ैसला है। इला आख़िरिही (इजाहुल बुखारी जुज: 11/ स.नं. 129)

इन्साफ़—पसन्दी का मिजाज़ रखने वाले नाज़िरीन अन्दाज़ा फ़र्मा सकेंगे कि जुअ्त के साथ अहदादीषे सहीह के ख़िलाफ़ फ़तवा दिया जा रहा है जिसका अगर गहरी नज़र से मुतालआ किया जाये तो ये नतीजा भी निकल सकता है कि अगर ईदगाह खुले मैदान में हो और उसका तामीर मस्जिद जैसी न हो और पर्दे का इन्तज़ाम इतना बेहतर कर दिया जाये कि फ़ितना व फ़साद का मुतलक कोई ख़ौफ़ न हो और मर्दों व औरतों के इस इज्तिमाअ से इस्लाम की शान व शौकत भी मक़सूद हो तो फिर औरतों का ईद के इज्तिमाअ में शिरकत करना जाइज़ होगा। अल्हन्दुल्लिलाह! जमाअते अहले हदीष के यहां अकषर ये तमाम चीज़ें पाई जाती है। वो बेशतर खुले मैदान के अन्दर इन्तिज़ामात के साथ अपने अहलो अयाल के साथ इदैन की नमाज़ अदा करते और इस्लामी शान व शौकत का मुजाहरा (प्रदर्शन) करते हैं। उनकी ईदगाहों में कभी फ़ितना व फ़साद का नाम तक नहीं आया। इसके बरख़िलाफ़ हमारे बहुत से भाईयों की औरतें मेलों और उसों में बिला—हिजाब (बेपर्दा) शरीक होती है और वहां नित नये फ़सादात होते रहते हैं। मगर हमारे मुहतरम फ़ुक़ह—ए—इज़ाम वहाँ औरतों की शिरकत पर कदरे गैज व गजब (गुस्से और नाराज़गी) का इजहार कभी नहीं फ़र्माते, जिस क़दर इज्तिमाअ—ए—इदैन में मस्तूरात की शिरकत पर उनकी फ़काहत की बारीकियां मुख़ालिफाना मंज़रे आम पर आ जाती है। (कहने का मतलब यह है कि जो हनफ़ी फ़ुक़ह—ए—किराम औरतों के

लिये यह पाबन्दी लगाते हैं कि वे फ़ितने—फ़साद के डर से ईदगाह न जाएं, वही इलमा मेलों और उर्सों में औरतों के जाने पर नाराज़गी नहीं जताते हैं, जहाँ फ़ितना—फ़साद और नज़ारेबाज़ियाँ आम बात है।

फिर ये भी तो ग़ौरतलब चीज है कि आँहज़रत (ﷺ) की तमाम मस्तूरात, अस्थाबे किराम, अन्सार व मुहाजिरिन की मस्तूरात शराफ़त के दर्जे में सारी उम्मत की मस्तूरात से अफ़ज़ल हैं। फिर भी वो इदैन की नमाज़ों में शरीक हुआ करती थी जैसा कि खुद फ़ुक़ह—ए—अहनाफ़ को तस्लीम (स्वीकार) है। हमारी मस्तूरात तो बहरहाल उनसे कमतर है, वो अगर पर्दे के साथ शरीक होंगी तो क्योंकि फ़ितना व फ़साद का आग भड़कने लग जाएगी या उनकी इज़त व आबरु पर कौनसा हर्फ़ आ जाएगा? क्या वे कर्ने—अव्वल (शुरूआती दौर) की सहाबियात से भी ज़्यादा इज़त रखती हैं। बाक़ी रहा हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) का इर्शाद— 'लौ राअ रसूलुल्लाहि ﷺ मा अहदघ़न्निसाउ' कि अगर रसूलुल्लाह (ﷺ) आज औरतों के नये पैदा किये हुए हालात को देखते तो ईदगाह से मना कर देते। ये हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) की ज़ाती (व्यक्तिगत) राय है जो उस वक़्त के हालात के पेशेनज़र थी और ज़ाहिर है कि उनकी इस राय से हदीषे नबवी (ﷺ) को ठुकराया नहीं जा सकता। फिर ये बयान लफ़्ज़े लौ (अगर) के साथ है जिसका मतलब ये है कि इर्शाद नबवी (ﷺ) आज भी अपनी हालत पर वाजिबुल अमल है। खुलासा ये है कि ईदगाह में पर्दे के साथ औरतों का शरीक होना सुन्नत है।

बाब 25 : इस बारे में कि अगर किसी औरत को एक ही महीने में तीन बार हैज़ आए?

और हैज़ व हमल से मुता'ल्लिक़ जबकि हैज़ आना मुष्किन हो तो औरतों के बयान की तस्दीक़ की जाएगी क्योंकि अल्लाह तआला ने (सूरह बक़र में) फ़र्माया कि उनके लिये जाइज़ नहीं कि जो कुछ अल्लाह तआला ने उनके रहम में पैदा किया है वो उसे छुपाए। (लिहाज़ा जिस तरह ये बयान क़ाबिले तस्लीम होगा उसी तरह हैज़ के बारे में भी उनका बयान माना जाएगा।)

और हज़रत अली (रज़ि.) और क़ाज़ी शुरैह से मन्कूल है कि अगर औरत के घराने का कोई आदमी गवाही दे और वो दीनदार भी हो कि ये औरत एक महीने में तीन बार हाइज़ा होती है तो उसकी तस्दीक़ की जाएगी और अत्ता बिन अबी रिबाह ने कहा कि औरत के हैज़ के दिन उतने ही क़ाबिले तस्लीम होंगे जितने पहले (उसकी आदत के तहत) होते थे। (यानी तलाक़ वग़ैरह से पहले) इब्राहीम नख़ई ने भी यही कहा है और अत्ता ने कहा कि हैज़ कम से कम एक दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक हो सकता है। मुअतमिर अपने वालिद सुलेमान के हवाले से बयान करते हैं कि उन्होंने इब्ने सिरिन से एक ऐसी औरत के बारे में पूछा जो अपनी आदत के मुताबिक़ हैज़ आ जाने के पाँच दिन बाद खून देखती है तो आपने फ़र्माया कि औरतें उसका ज़्यादा इल्म रखती हैं।

٢٥- بَابُ إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ

ثَلَاثَ حَيْضٍ،

وَمَا يُصَدِّقُ النِّسَاءَ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ
وَلَيْمَّا يُمَكِّنُ مِنَ الْحَيْضِ، لِقَوْلِ اللَّهِ
تَعَالَى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لهنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا
خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾.

وَيَذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشَرِيحٍ : إِنْ جَاءَتْ
بَيِّنَةٌ مِنْ بَطَانَةِ أَهْلِهَا مِنْ يَرْضَى دِينَهُ
أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثًا فِي شَهْرٍ صَدَقَتْ. وَقَالَ
عَطَاءٌ : أَفْرَأُوهَا مَا كَانَتْ. وَبِهِ قَالَ
إِبْرَاهِيمُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: الْحَيْضُ يَوْمٌ إِلَى
خَمْسَةِ عَشَرَ. وَقَالَ مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ :
سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ
بَعْدَ فُرَيْهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ؟ قَالَ : النِّسَاءُ
أَعْلَمُ بِذَلِكَ.

(325) हमसे अहमद बिन अबी रजाअ ने बयान किया, उन्होंने कहा, हमें अबू उसामा ने ख़बर दी, उन्होंने कहा मैंने हिशाम बिन उर्वा से सुना, कहा मुझे मेरे वालिद ने हज़रत आइशा (रज़ि.) के वास्ते से ख़बर दी कि फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) से पूछा कि मुझे इस्तिहाज़ा का ख़ून आता है और मैं पाक नहीं होती, तो क्या मैं नमाज़ छोड़ दिया करूँ? आपने फ़र्माया नहीं। ये तो एक रग का ख़ून है, हाँ! इतने दिनों नमाज़ ज़रूर छोड़ दिया कर जिनमें इस बीमारी से पहले तुम्हें हैज़ आया करता था। फिर गुस्ल करके नमाज़ पढ़ा कर।

۳۲۵- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حَبِشٍ سَأَلَتْ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ: إِنِّي اسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ، أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: ((لَا. إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ. وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ فَلَنْزِ الْأَيَّامِ الْبَاقِي كُنْتُ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسَلِي وَصَلِّي)).

तशरीह: आयते करीमा वला अहिल्लु लहुन्न अय्यक्तुम्न मा ख़लक़ल्लाहु फी अर्हांमिहिन्न (अल बकर : 228) की तफ़सीर में जुहरी और मुजाहिद ने कहा कि औरतों को अपना हैज़ या हमल छुपाना दुरुस्त नहीं। उनको चाहिये कि हकीकते—हाल को सहीह-सहीह बयान कर दें। अब अगर उनका बयान मानने के लायक़ नहीं तो बयान से क्या फायदा? इस तरह इमाम बुखारी (रह.) ने इस आयत से बाब का मतलब निकाला है। हुआ ये था कि क़ाज़ी शुरैह के सामने एक मुक़द्दमा आया। जिसमें तलाक़ पर एक माह की मुद्दत गुजर चुकी थी। खाविन्द रज़ू करना चाहता था लेकिन औरत कहती थी कि मेरी मुद्दत गुज़र गई और एक ही माह में मुझको तीन हैज़ आ गए हैं। तब क़ाज़ी शुरैह ने ये फ़ैसला हज़रत अली (रज़ि.) के सामने सुनाया, इसको दारमी ने सनदे सहीह के साथ मौसूलन रिवायत किया है। क़ाज़ी शुरैह के फ़ैसले को सुनकर हज़रत अली (रज़ि.) ने फ़र्माया कि तुमने अच्छा फ़ैसला किया है। इस वाक़िये को इसी हवाले से इमाम क़स्तलानी (रह.) ने भी अपनी किताब जिल्द 1/स. 295 पर ज़िक्र फ़र्माया है। क़ाज़ी शुरैह बिन हर्ष कूपी है। जिन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) का ज़माना पाया मगर आपसे उनकी मुलाकात नस़ीब न हो सकी। कुज़ात (क़ाज़ियों) में इनका मुक़ाम बहुत बुलन्द है।

हैज़ की मुद्दत कम से कम एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा पन्द्रह दिन तक है। हनफ़िया के नज़दीक हैज़ की मुद्दत कम से कम तीन दिन और ज़्यादा से ज़्यादा पन्द्रह दिन है मगर इस बारे में उनकी दलीलें मज़बूत नहीं हैं। सहीह मजहब अहले हदीष का है कि हैज़ की कोई मुद्दत मुअय्यन (निर्धारित) नहीं। हर औरत की आदत पर इसका इन्हिसार है अगर मुअय्यन भी करें तो छः या सात रोज़ अक़षर मुद्दत मुअय्यन (निर्धारित) होगी जैसा कि सहीह हदीष में मज़कूर (वर्णित) है।

एक महीने में औरत के तीन बार हैज़ नहीं आया करता, तन्दुरुस्त औरत को हर महीने, सिर्फ़ चन्द दिनों के लिये एक ही बार हैज़ आता है, लेकिन अगर कभी शाजो नादिर ऐसा हो जाए और खुद औरत इक़रार करें कि उसको तीन बार एक ही महीने में हैज़ आया है तो उसका बयान तस्लीम (स्वीकार) किया जाएगा, जिस तरह इस्तिहाज़ा के मुता'ल्लिक़ औरत ही के बयान पर फ़तवा दिया जाएगा कि कितने दिन वो हालते हैज़ में रहती है और कितने दिन उसको इस्तिहाज़ा की हालत रहती है। आँहज़रत (ﷺ) ने भी हज़रत फातिमा बिन्त अबी हुबैश ही के बयान पर उनको मसाइले मुता'ल्लिक़ा ता'लीम फ़र्माए।

अल्लामा क़स्तलानी फ़र्माते हैं, 'ब मुनासबतुल हदीषि लिच्छुम्मति फ़ी क़ौलिही क़दरुल अय्यामिलती कुन्ति तहीज़ीन फ़ीहा फ़यूकलुज़्ज़ालिक़ इला अमानतिहा व रुहहा इला आदतिहा.'

यानी हदीष और बाब में मुनासिबत हदीष के इस जुम्ला में हैं कि नमाज़ छोड़ दो उन दिनों के अन्दाजा पर जिनमें तुमको हैज़ आता रहता है। पस इस मुआमला को उसकी अमानतदारी पर छोड़ दिया जाएगा।

बाब 26 : इस बयान में कि ज़र्द और मटमैला रंग

۲۶- بَابُ الصُّفْرَةِ وَالْكَذْرَةِ فِي

हैज के दिनों के अलावा हो (तो क्या हुक्म है?)

(326) हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इस्माईल बिन अलिया ने बयान किया, उन्होंने अय्यूब सखितयानी से, वो मुहम्मद बिन सिरिन से, वो उम्मे अत्रिया से, आपने फ़र्माया कि हम ज़र्द और मटियाले रंग को कोई अहमियत नहीं देती थीं।

तशरीह: यानी जब हैज की मुद्त खत्म हो जाती तो मटमैले या जर्द रंग की तरह के पानी के आने को हम कोई अहमियत नहीं देती थी। इस हदीष के तहत अल्लामा शौकानी फ़र्माते हैं, 'वलहदीषु यदुल्लु अला अत्रसुफरत वलकुदरत बअदतुहरि लैसता मिनल हैजि व अम्मा फ़ी वक्रितल हैजि फ़हुमा हैजुन' (नैलुल औतार) ये हदीष दलालत करती है कि तुहर (पाकी) के बाद अगर मटमैले या जर्द (पीले) रंग का पानी आए तो वो हैज नहीं है लेकिन अय्यामे हैज में इनका आना हैज ही होगा।

बिल्कुल बरअक्स (एकदम विपरीत) : साहिबे तफहीमुल बुखारी (देवबन्द) ने महज अपने मसलके—हनफिया की पासदारी में इस हदीष का तर्जुमा बिल्कुल बरअक्स (उलट) किया है, जो ये है—आपने फ़र्माया कि हम ज़र्द और मटमैले रंग की कोई अहमियत नहीं देते थे (यानी सबको हैज समझते थे)

अल्फ़ाजे हदीष पर जब भी गौर किया जाए तो वाजेह (स्पष्ट) होगा कि ये तर्जुमा बिल्कुल उलट है, इस पर खुद साहिबे तफहीमुल बुखारी ने और ज़्यादा वज़ाहत कर दी है कि हमने तर्जुमे में हनफिया के मसलक की रिआयत की है (तफहीमुल बुखारी जिल्द 2/सफा 44)। इस तरह हर शख्स अगर अपने मजऊमा मसालिक की रिआयतों में हदीष का तर्जुमा करने बैठेगा तो मुआमला कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है मगर हमारे मुअज्ज़ (सम्मानित) फ़ाज़िल (विद्वान) साहिबे तफहीमुल बुखारी का ज़हन महज हिमायते मसलक की वजह से उधर नहीं जा सका। तकलीदे जामिद का नतीजा यही होना चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।

अल्लामा क़स्तलानी फ़र्माते हैं, 'अय मिनल हैजि इज़ा कान फ़ी ग़ैरि ज़मनिल हैजि इम्मा फ़ीहि फ़हुव मिनल हैजि तब्अन व बिही क़ाल सईदुब्नुल मुसय्यिब व अता वल्लैष व अबू हनीफ़त व मुहम्मद व शशाफ़िइ व अहमद'.

यानी जब हैज का समय नहीं हो तो मटमैले या जर्द रंग वाले पानी को हैज नहीं माना जाएगा, हाँ! हैज के दिनों में आने पर उसे हैज ही कहा जाएगा। सईद बिन मुसय्यब और अता और लैष और अबू हनीफा और मुहम्मद और शाफ़िई और अहमद का यही फ़तवा है। खुदा जाने साहिबे तफहीमुल बुखारी ने तर्जुमे में अपने मसलक की रिआयत किस बुनियाद पर की है।

अल्लामा हुम्म वफ़िक्ना लिमा तुहिब्बु व तर्जा, आमीन!

बाब 27 : इस्तिहाज़ा की रग के बारे में

(327) हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर जज़ामी ने बयान किया, उन्होंने कहा हम से मअन बिन ईसा ने बयान किया, उन्होंने अय्यूब बिन अबी ज़िब से, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने इव्रा और अमरह से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से (जो आँहज़रत ﷺ की बीवी हैं) कि उम्मे हबीबा सात साल तक मुस्तहाज़ा रहीं। उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से इसके बारे में पूछा तो आप (ﷺ) ने उन्हें गुस्ल करने का हुक्म दिया और फ़र्माया कि ये एक रग (की वजह से बीमारी) है। पस उम्मे हबीबा हर नमाज़ के लिये गुस्ल करती

۲۷- بَابُ عِرْقِ الْإِسْحَاضَةِ

۳۲۷- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْغَزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ غُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتَحْضَتْ سِتْعَ مِئِينَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَتْ: ((هَذَا عِرْقٌ)) فَكَانَتْ

थीं।

تَغْسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

तशरीह: इस्तिहाज़ा वाली औरत के लिये हर नमाज़ के वक़्त गुस्ल करना वाजिब नहीं है। यहाँ हज़रत उम्मे हबीबा के गुस्ल का ज़िक्र है जो वो हर नमाज़ के लिये किया करती थी। सो ये खुद अपनी मर्ज़ी से था। हज़रत इमाम शाफ़िई (रह.) फ़रमाते हैं, 'व ला अशकु इंशाअल्लाह इन गसलहा कान ततव्वुअन ग़ैर मा अमरतु बिही ज़ालिक वासिउल्लाहा व क्रज़ा क़ाल सुप्प्यानब्नु उययनत वल्लैषुब्नु सअद व ग़ैरहुमा व ज़हब इलैहिल जुम्हूरु मिन अदमि वुजूबिल इग़तिसालि इल्लल अदबारल हैज़त हुवल हक्क लिफ़क्रदिहली लिस्मही हिल्लजी तकूमु बिहिल हुज्जतु' (नैलुल औतार बाबु तुहरिल मुस्तहाज़ा) इंशाअल्लाह! मुझको क़तअन शक नहीं है कि हज़रत उम्मे हबीबा को ये हर नमाज़ के लिये गुस्ल करना महज़ उनकी अपनी खुशी से बतौर नफ़िल के था। जुम्हूर का मज़हबे हक़ यही है कि सिर्फ़ हैज़ के ख़ात्मे पर एक ही गुस्ल वाजिब है। इसके ख़िलाफ़ जो रिवायतें हैं जिनसे हर नमाज़ के लिये वुजूबे गुस्ल प्राबित होता है तो वे क़ाबिले हुज्जत नहीं हैं।

हज़रत अल्लामा शौकानी (रह.) फ़रमाते हैं, 'व जमीअल अहादीषिल्लती फ़ीहा ईजाबुल गुस्लि लि कुल्लि सलातिन क़द ज़करल मुसन्निफ़ु बअज़हा फ़ी हाज़ल बाबि व अक्षरूहा याती फ़ी अबवाबिल हैज़ि व कुल्लु वाहिदिम्मिन्हा ला यख़लू अन मक़ालिन' (नैलुल औतार) यानी वो तमाम अहादीष जिनसे हर नमाज़ के लिये गुस्ल वाजिब मा' लूम होता है उन सबकी सनद ए' तिराज़ात से ख़ाली नहीं है फिर अहीनु युस्रुन (कि दीन आसान है) के तहत भी हर नमाज़ के लिये नया गुस्ल करना किस क़दर बाइषे तकलीफ़ है। खास कर औरत ज़ात के लिये बेहद मुश्किल है। इसलिये, 'ला युकल्लि फुल्लाहु नफ़सन इल्ला वुस्अहा व क़द जमअ बअज़हुम बैनल अहादीषि बिहम्लि अहादीषिल ग़स्लि लि कुल्लि सलातिन अलल इस्तिहबाबि' (नैलुल औतार) यानी बाज हज़रत ने जुम्ला अहादीष में ततबीक देते हुए कहा है कि हर नमाज़ के लिये गुस्ल करने का अहादीष में इस्तिहबाबन कहा गया है। यानी ये गुस्ल मुस्तहब होगा, वाजिब नहीं।

बाब 28 : जो औरत हज्ज में तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद हाइज़ा हो (उसके बारे में क्या हुक्म है?)

(328) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबीबक्र बिन अमर बिन हज़म से, उन्होंने अपने बाप अबूबक्र से, उन्होंने अब्दुरहमान की बेटी अम्रा से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) की बीवी हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि उन्होंने रसूले करीम (ﷺ) से कहा कि हुज़ूर सफ़िया बिनते हुई को (हज्ज में) हैज़ आ गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया शायद कि वो हमें रोकेगी। क्या उन्होंने तुम्हारे साथ तवाफ़े (ज़ियारत) नहीं किया? औरतों ने जवाब दिया कि कर लिया है। आपने इस पर फ़र्माया कि फिर निकलो। (राजेअ: 294)

۲۸- بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ

الِإِذَاصَةِ

۳۲۸- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حَسِيٍّ قَدْ حَاضَتْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَعَلَّهَا تَحِيضًا، أَلَمْ تَكُنْ طَائِفًا مَعَكُنَّ؟)) فَقَالُوا: بَلَى. قَالَ: ((فَاخْرُجِي)).

[راجع: ۲۹۴]

इसी को तवाफ़ुल इफ़ाज़ा भी कहते हैं ये दसवीं तारीख को मीना से आकर किया जाता है। ये तवाफ़ फ़र्ज़ है और हज्ज का एक

रुकन है। लेकिन तवाफुल विदाअ जो हाजी का'बा शरीफ से रुखसती के वक्त करते हैं वो फ़र्ज़ नहीं है इसलिये वो हाइज़ा (हैज वाली औरत) के वास्ते मुआफ़ है।

(329) हमसे मुअल्ला बिन असद ने बयान किया, कहा हमसे वुहैब बिन खालिद ने अब्दुल्लाह बिन त्राऊस के हवाले से, वो अपने बाप त्राऊस बिन क्रेसान से, वो अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि हाइज़ा के लिये (जबकि उसने तवाफ़े इफ़ाज़ा कर लिया हो) रुखसत है कि वो घर जाए (और तवाफ़े विदाअ के लिये न रुकी रहे)

(330) इब्ने उमर इब्तिदा में इस मसले में कहते थे कि इसे (बग़ैर तवाफ़े विदाअ के) जाना नहीं चाहिए। फिर मैंने उन्हें कहते हुए सुना कि चली जाए क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनको इसकी रुखसत (छूट) दी है। (दीगर मक़ाम : 1761)

तशरीह :

इस हदीष के बारे में मौलाना वहीदुज्जमा साहब हैदराबादी मरहूम ने खूब लिखा है, फ़र्माते हैं, तो अब्दुल्लाह बिन उमर को जब हदीष पहुंची उन्होंने अपनी राय और फ़तवे से रज़ूअ कर लिया। हमारे दिन के कुल इमामों और पेशवाओं ने ऐसा ही किया है कि जिधर हक मा'लूम हुआ उधर ही लौट गए। कभी अपनी बात की हठधर्मी नहीं की। इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफ़िई और इमाम मालिक और इमाम अहमद से एक-एक मसले में दो-दो, तीन-तीन, चार-चार क़ौल मन्कूल है। हाँ, एक वो ज़माना था ओर एक ये ज़माना है कि सहीह हदीष देखकर भी अपनी राय और खयाल से नहीं पलटते बल्कि जो कोई हदीष की पैरवी करे उसकी दुश्मनी पर उठ खड़े होते हैं। मुक़ल्लिदीन का आम तौर पर यही स्वैया है—सदा अहले तहक़ीक़ से दिल में बल है, हदीषों पर चलने में दीं का खलल है।

बाब 29 : जब मुस्तहाज़ा अपने जिस्म में पाकी देखे तो क्या करे?

इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि गुस्ल करे और नमाज़ पढ़े अगरचे दिन में थोड़ी देर के लिये ऐसा हुआ हो और उसका शौहर नमाज़ के बाद उसके पास आए। क्योंकि नमाज़ सबसे ज़्यादा अज़मत वाली चीज़ है।

(331) हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे जुबैर बिन मुआविया ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हिशाम बिन इर्वा ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब हैज़ का ज़माना आए तो नमाज़ छोड़ दे और जब ये ज़माना गुज़र जाए तो खून को धो और नमाज़ पढ़।

۳۲۹- حَدَّثَنَا مُعَلَى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رُخِّصَ لِلْمَخَالِصِ أَنْ تَتَفَرَّ إِذَا حَاضَتْ.
[طرفاه ي: ۱۷۰۰، ۱۷۶۰].

۳۳۰- وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ: إِنَّهَا لَا تَتَفَرُّ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تَتَفَرُّ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخِّصَ لَهُنَّ.
[أطرفاه ي: ۱۷۶۱].

۲۹- بَابُ إِذَا رَأَتْ الْمُسْتَحَاضَةَ

الطَّهْرُ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَتَلُوّ سَاعَةً. وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتِ الصَّلَاةَ أَكْبَرُ.

۳۳۱- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَذْعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاعْبِلِي غَنكِ النَّمَّ وَصَلِّي))

यानी जब मुस्तहाजा के लिये गुस्ल करके नमाज़ पढ़ना दुरुस्त हुआ तो ख़ाविन्द को उससे सोहबत करना तो बतरीके औला दुरुस्त होगा। इस हदीष से इमाम बुखारी (रह.) ने यही प्राबित किया है।

बाब 30 : इस बारे में कि निफ़ास में मरनेवाली औरत पर नमाज़े जनाज़ा और उसका तरीक़ा क्या है?

۳۰- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النِّفْسَاءِ

وَسُنَّتِهَا

(332) हमसे अहमद बिन अबी सुरैज ने बयान किया, कहा हमसे शबाबा बिन सवार ने, कहा हमसे शुअबा ने हुसैन से। वो अब्दुल्लाह बिन बुरैदा से, वो समुरह बिन जुंदुब से कि एक औरत (उम्मे क़अब) जचगी में मर गई, तो हुज़ूर (ﷺ) ने उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी, उस समय आप उनके (मच्छित के) वस्त (बीच) में खड़े हुए। (दीगर मक़ाम : 1331, 1332)

۳۳۲- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنِ فَصْلَى عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَ وَسَطَهَا.

[طرفاه في : ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۲]

तशरीह : फी बलन से जचगी की हालत में मरना मुराद है। इससे इमाम बुखारी (रह.) ने ये प्राबित फ़र्माया है कि निफ़ास वाली औरत का हुक्म पाक औरतों का—सा है क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) ने उस जनाज़े की नमाज़ अदा फ़र्माई। इससे उन लोगों के क़ौल की भी तदीद होती है जो कहते हैं कि मौत से आदमी नजिस हो जाता है। यही हदीष दूसरी सनद से किताबुल जनाज़ा में भी है जिसमें निफ़ास की हालत से मरने की सराहत मौजूद है। अबू दाऊद, निसाई, इब्ने माजा ने भी इस हदीष को रिवायत किया है।

बाब 31 :

۳۱- بَابُ

(333) हमसे हसन बिन मुदरिक ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यह्या बिन हम्माद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें अबू अवाना वज़ाह ने अपनी किताब से देखकर ख़बर दी। उन्होंने कहा कि हमें ख़बर दी सुलैमान शैबानी ने अब्दुल्लाह बिन शहाद से, उन्होंने कहा मैंने अपनी ख़ाला मैमूना (रज़ि.) से जो नबी करीम (ﷺ) की बीवी थी सुना कि मैं हाइज़ा होती तो नमाज़ नहीं पढ़ती थी और ये कि आप रसूल (ﷺ) के (घर में) नमाज़ पढ़ने की जगह के क़रीब लेटी होती थी। आप नमाज़ अपनी चटाई पर पढ़ते। जब आप सज्दा करते तो आपके कपड़े का कोई हिस्सा मुझसे लग जाता था।

۳۳۳- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لَا تُصَلِّي وَهِيَ مَفْتَرِشَةٌ بِجِدَاءٍ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرِهِ إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ.

[طرفاه في : ۲۷۹ ، ۲۸۱ ، ۵۱۷ ، ۵۱۸]

(दीगर मक़ाम : 379, 381, 517, 518)

तशरीह : हज़रत इमाम क़दस सिर्रुहु ने यहां ये प्राबित करना चाहा है कि हाइज़ा औरत अगरचे नापाक हो गई है मगर इस क़दर नापाक नहीं है कि उससे किसी का कपड़ा छू जाए तो वो भी नापाक हो जाए ऐसी मुश्किलें अदयाने स़ाबिका

(पुराने धर्मों) में थी, इस्लाम ने इन मुश्किलों को आसानियों से बदल दिया है। मा जअल अलैकुम फिहीन मिन हरज दीन में तंगी नहीं है।

अल्लामा कस्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं, 'वस्तुम्बित मिन्हु अदमु निजासतिल हाइज़ि वत्तवाजुउल मस्कनतु फ़िस्सलाति बिखिलाफ़ि सलामिल मुतकब्बिरीन सजादीद गालियत इम्मानि मुख्तलिफ़तुल अलवानि' (कस्तलानी) इस हदीष में हाइज़ा की अदमे-नजासत पर इस्तिम्बात किया गया है और नमाज़ में तवाज़ोअ और मिस्कीनी पर, बिखिलाफ़ नमाज़े-मुतकब्बिरीन के जो बेशक़ीमती मुसल्लों पर जो मुख्तलिफ़ रंगों से मुज़य्यन होते हैं, तकब्बुर से नमाज़ पढ़ते हैं। (अल्हम्दुलिल्लाह! रमज़ान शरीफ़ 1387 हिजरी में बहालते-क़याम बंगलौर, किताबुल-हैज़ के तर्जुमे से फ़रागत हासिल हुई वल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक।

7. किताबुत तयम्मूम

तयम्मूम के मसाइल

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

और अल्लाह तआला के इस इर्शाद की वज़ाहत कि 'पस न पाओ तुम पानी तो इरादा करो पाक मिट्टी का, पस मल लो मुँह और हाथ उससे।'

(अल माइदा : 6)

وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ:

﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾

[المائدة : 6]

باب - 1

(334) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें मालिक ने अब्दुर्रहमान बिन क़ासिम से ख़बर दी, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) की बीवी मुहतरमा हज़रत आइशा (रज़ि.) से, आपने बतलाया कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ कुछ सफ़र (ग़ज़व-ए-बनी मुस्तलिक़) में थे। जब हम मुक़ामे बैदा या ज़ातुल् जैश पर पहुँचे तो मेरा एक हार ख़ो गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) उसकी तलाश में वहीं ठहर गए और लोग भी आपके साथ ठहर गए। लेकिन वहाँ पानी कहीं करीब में न था।

۳۳۴- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ - أَوْ بَدَاتِ الْخَيْشِ - انْقَطَعَ عَقْدٌ لِي. فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ التَّمَسُّبِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ.

लोग हज़रत अबूबक्र सिद्दीक (रज़ि.) के पास आए और कहा, 'हज़रत आइशा (रज़ि.) ने क्या काम किया? कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और तमाम लोगों को ठहरा दिया है और पानी भी कहीं करीब में नहीं है और न लोगों ही के साथ है।' फिर अबूबक्र सिद्दीक (रज़ि.) तशरीफ़ लाए, रसूलुल्लाह (ﷺ) अपना सरे मुबारक मेरी रान पर रखे हुए सो रहे थे। फ़रमाने लगे कि तुमने रसूलुल्लाह (ﷺ) और तमाम लोगों को रोक लिया। हालाँकि करीब में कहीं पानी भी नहीं है और न लोगों के पास है। हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि वालिदे माजिद (रज़ि.) मुझ पर बहुत ख़फ़ा हुए और अल्लाह ने जो चाहा उन्होंने मुझे कहा और अपने हाथ से मेरी कोख में कचोके लगाए। रसूलुल्लाह (ﷺ) का सरे मुबारक मेरी रान पर था। इस वजह से मैं हरकत भी नहीं कर सकती थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सुबह के वक़्त उठे तो पानी का पता तक न था। पस अल्लाह तआला ने तयम्मूम की आयत उतारी और लोगों ने तयम्मूम किया। इस पर उसैद बिन हुज़ैर (रज़ि.) ने कहा, ऐ आले अबीबक्र! ये तुम्हारी कोई पहली बरकत नहीं है। आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया। फिर हमने उस ऊँट को हटाया जिस पर मैं सवार थी तो हार उसी के नीचे मिल गया।

(दीगर मक़ाम : 336, 3672, 3773, 4573, 4607, 4608, 5164, 5250, 5882, 6844, 6865)

وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. فَأَتَى النَّاسَ إِلَى أَبِي
بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ
عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسِ،
وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَجَاءَ
أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاصْبَحَ رَأْسُهُ عَلَى
فِجْدِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسَتْ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ
مَعَهُمْ مَاءٌ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ
وَقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ
يَطْعَنُنِي بِيَدِهِ لِي خَاصِرَتِي، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنْ
التَّحْرُكِ إِلَّا مَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى
فِجْدِي، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَصْبَحَ
عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ
التَّيْمُمِ، ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ
الْحَضِرِيِّ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَاتِكُمْ يَا آلَ
أَبِي بَكْرٍ. قَالَتْ: لَبَعْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ
عَلَيْهِ، فَأَصَبْنَا الْعَقْدَ تَحْتَهُ.

[أطرافه في: ٣٣٦، ٣٦٧٢، ٣٧٧٣،
٤٥٨٣، ٤٦٠٧، ٤٦٠٨، ٥١٦٤]

[٦٨٤٥، ٦٨٤٤، ٥٨٨٢، ٥٢٥٠]

तशरीह: लुगत (डिक्शनरी) में तयम्मूम के मा'ना क्रस्द व इरादा करने के हैं। शरह में तयम्मूम ये है कि पाक मिट्टी से मुंह और हाथ का मसह करना, हृदय या जनाबत दूर करने की नियत से। हज़रत आइशा (रज़ि.) का हार गले से टूटकर ज़मीन पर गिर गया था। फिर उस पर ऊँट बैठ गया। लोग इधर-उधर दूँढते रहे इसी हालत में नमाज़ का वक़्त आ गया और वहां पानी न था जिस पर तयम्मूम की आयत नाजिल हुई, बाद में ऊँट के नीचे से हार भी मिल गया।

(335) हमसे मुहम्मद बिन सिनान अबुफ़ी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हुशैम ने बयान किया (दूसरी सनद) कहा और मुझसे सईद बिन नज़र ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें ख़बर दी हुशैम ने, उन्होंने कहा हमें ख़बर दी सय्यार ने, उन्होंने कहा हमसे

٣٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ هُوَ
الْعَوَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. ح. قَالَ:
وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا

यज़ीद अल्-फ़कीर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया मुझे पाँच चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो पहले किसी को नहीं दी गई थी। एक महीने की मुसाफ़त (दूरी) से रौब के ज़रिये मेरी मदद की गई है और तमाम ज़मीन मेरे लिये सज्दागाह और पाकी के लायक बनाई गई है। पस मेरी उम्मत का जो इंसान नमाज़ के समय को (जहाँ भी) पाले उसे वहाँ ही नमाज़ अदा कर लेनी चाहिए। और मेरे लिये ग़नीमत का माल हलाल किया गया है। मुझसे पहले किसी के लिये भी ये हलाल न था। और मुझे शिफ़ाअत अत्ता की गई। और तमाम अंबिया अपनी अपनी क़ौम के लिये मबरूज़ होते थे लेकिन मैं तमाम इंसानियत के लिये आम तौर पर नबी बनाकर भेजा गया हूँ। (दीगर मक़ाम : 438, 3132)

مُسْتَمِيمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ
- الْفَقِيرُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((أَعْطَيْتُ خَمْسًا
لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نَصِرْتُ بِالرُّعْبِ
مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ مَسْجِدًا
وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَذْرَكَهُ
الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ، وَأَحْلَيْتُ لِي الْغَنَائِمَ وَلَمْ
تَجَلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأَعْطَيْتُ الشَّفَاعَةَ،
وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً
وَيُبْعَثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً)).

[طرفاه في : ٤٣٨، ٣١٣٢].

तशरीह :

इशादि नबवी जुड़लत लियल अर्ज मस्जिदं व तुहूरा से बाब का तर्जुमा निकलता है चूंकि कुआन मजीद में लफ़्ज़ सईदन तय्यिबा (पाक मिट्टी) कहा गया है, लिहाजा तयम्मुम के लिये पाक मिट्टी ही होनी चाहिए जो लोग इसमें ईंट चूना वगैरह से भी तयम्मुम जाइज़ बतलाते हैं उनका क़ौल सहीह नहीं है।

बाब 2 : इस बारे में कि जब पानी न मिले और न मिट्टी तो क्या करे?

٢- بَابُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً
وَلَا تُرَابًا

(336) हमसे ज़करिया बिन यह्या ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन नुमैर ने, कहा हमसे हिशाम बिन इवाने, वो अपने वालिद से, वो हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि उन्होंने हज़रत अस्मा से हार माँगकर पहन लिया था, वो गुम हो गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी को उसकी तलाश में भेजा जिसे वो मिला गया। फिर नमाज़ का समय हो गया और लोगों के पास (जो हार की तलाश में गए थे) पानी नहीं था। लोगों ने नमाज़ पढ़ ली और रसूलुल्लाह (ﷺ) से इसके बारे में शिकायत की। पस अल्लाह तआला ने तयम्मुम की आयत उतारी जिसे सुनकर उसैद बिन हुज़ैर ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कहा कि आपको अल्लाह बेहतरीन बदला दे। वल्लाह! जब भी आपके साथ कोई ऐसी बात पेश आई जिससे आपको तकलीफ़ हुई तो अल्लाह तआला ने आपके लिये और तमाम मुसलमानों के लिये उसमें ख़ैर पैदा फ़र्मा दी।

٣٣٦- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ
بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا
اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ،
فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا فَوَجَدَهَا،
فَأَذْرَكَهُمْ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ،
فَصَلُّوا، فَشَكَرُوا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيْمُمِ، فَقَالَ أَسِيدُ
بْنُ حَضِرٍ لِعَائِشَةَ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، فَوَ
اللَّهُ مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ تَكْرَهِيهِ إِلَّا جَعَلَ
اللَّهُ ذَلِكَ لَكَ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا.

(राजेअ: 234)

[راجع: ٢٣٤]

तशरीह: हज़रत इमाम शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, 'इस्तदल्ल बिज़ालिक जमाअतम मिनल मुहक्किकीन मिन्हुमुल मुसन्निफ़ु अला वुजूबिस्सलाति इन्द अदमिल मुतहिहरीन अल्माअ वत्तुराब व लैस फ़िल हदीषि अन्नहुम फकदुत्तुराब व इन्नमा फ़ोहि अन्नहुम फकदुल्माअ फ़क़त व लाकिन्न अदमल्माइ फ़ी ज़ालिकल वक़्ित कअदमिलमाइ वत्तुराबि लिअन्नहु ला मिन्नहर सिवाहू व वज्हुल इस्तिदलालि बिही अन्नहुम सल्लू मुअतक्किदीन वुजूब ज़ालिक व लौ कानतिस्सलातु हीनइज़िन मम्नूअतुन ला नकर अलैहिमुन्नबिय्यु (ﷺ) व बिहाज़ा क़ालशशाफ़िइ व अहमद व जुम्हूरुल मुहदिषीन' (नैलुल औतार जुजइ अब्वल / स.267)

यानी अहले तहकीक ने इस हदीष से दलील पकड़ी है कि अगर कहीं पानी और मिट्टी दोनों ही न हो तब भी नमाज़ वाजिब है। हदीष में जिन लोगों का जिक्र है उन्होंने पानी नहीं पाया था। फिर भी नमाज़ को वाजिब जानकर अदा किया, अगर उनका ये नमाज़ पढ़ना मना होता तो आँहज़रत (ﷺ) जरूर उन पर इन्कार फर्माते। पस यही हुकम उसके लिये है जो न पानी पाए न मिट्टी, इसलिये कि तहारत सिर्फ़ उन्हीं दो चीजों से हासिल की जाती है तो उसको नमाज़ अदा करना ज़रूरी होगा। जुम्हूर मुहदिषीन का यही फत्वा है।

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) यही बतलाना चाहते हैं कि जिस तरह उस दौर में जब तक तयम्मूम की मशरूइयत नाज़िल नहीं हुई थी सिर्फ़ पानी के मिलने की सूत में जो हुकम था वही अब पानी और मिट्टी दोनों मिलने की सूत में होना चाहिए।

अल्लामा क़स्तलानी फ़र्माते हैं, 'वस्तदल्ल बिही फ़ाकिदुत्तुहूरैनि युसल्ली अला हालिही व हुव वज्हुल मुताबक़ति बैनत्तर्जुमति वल हदीष' यानी हदीषे मजकूरा दलालत कर रही है कि जो शख्स पानी पाए न मिट्टी, वो उसी हालत में नमाज़ पढ़ले। हदीष और तर्जुमा में यही मुताबक़त है।

बाब 3 : इक्रामत की हालत में भी तयम्मूम करना जाइज़ है

जब पानी न पाओ और नमाज़ फ़ौत होने का डर हो। अत्ता बिन अबी रिबाह का यही क़ौल है और इमाम हसन बज़री ने कहा कि अगर किसी बीमार के नज़दीक पानी हो जिसे वो उठा न सके और कोई शख्स भी वहाँ न हो जो उसे वो पानी (उठाकर) दे सके तो वो तयम्मूम कर ले। और अब्दुल्लाह बिन उमर ज़फ़ की अपनी ज़मीन से वापस आ रहे थे कि अम्र का वक़्त मुक़ामे मरबदिल नज़म में आ गया। आपने (तयम्मूम से) अम्र की नमाज़ पढ़ ली और मदीना पहुँचे तो सूरज अभी बुलन्द था मगर आपने वो नमाज़ नहीं लौटाई।

तशरीह: हज़रत इमाम क़द्स सिर्हू ये प्राबिते फर्मा रहे हैं कि तयम्मूम बवक़्ते ज़रूरत सफ़र में तो है ही मगर हजर में भी अगर पानी न मिल सके और नमाज़ का वक़्त निकला जा रहा हो या मरीज के पास कोई पानी देने वाला न हो तो ऐसी सूत में तयम्मूम से नमाज़ अदा की जा सकती है। इशादि बारी है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ़सन इल्ला वुस्अहा अल्लाह ने हर इन्सान को उसकी ताकत के अन्दर-अन्दर मुकल्लफ बनाया है। (अल बकर : 286)

(337) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष बिन सअद ने बयान किया, उन्होंने जा'फ़र बिन रबीआ से, उन्होंने अब्दुर्रहमान अअरज से, उन्होंने कहा मैंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) के गुलाम उमैर बिन अब्दुल्लाह से सुना, उन्होंने कहा कि मैं और अब्दुल्लाह बिन यसार जो कि नबी करीम की बीवी (ﷺ) हज़रत मैमूना (रज़ि.) के गुलाम थे, अबू जुहैम बिन हारिष बिन

۳- بَابُ التَّيْمُمِ فِي الْحَضَرِ

إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَخَافَ لَوْتَ الصَّلَاةِ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْمَرِيضِ، عِنْدَهُ الْمَاءُ وَلَا يَجِدُ مَنْ يَنَالُهُ: يَتَيَّمُمُ وَأَقْبَلَ ابْنُ عَمْرٍ مِنْ أَرْضِهِ بِالْجُرْفِ فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ بِمَرِيدِ النِّعَمِ فَصَلَّى، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً فَلَمْ يُعِدْ.

۳۳۷- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

اللَيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى

सिमा अंसारी (सहाबी) के पास आए। उन्होंने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) 'बीरे जमल' की तरफ से तशरीफ ला रहे थे, रास्ते में एक शख्स ने आपको सलाम किया (यानी खुद उसी अबू जुहैम ने) लेकिन आप (ﷺ) ने जवाब नहीं दिया। फिर आप दीवार के करीब आए और अपने चेहरे और हाथों का मसह किया फिर उनके सलाम का जवाब दिया।

तशरीह :

इस हदीष से इमाम बुखारी (रह.) ने हालते हज़रत में तयम्मूम करने का जवाज़ प्राबित किया। जब आपने सलाम के जवाब के लिये तयम्मूम कर लिया तो इसी तरह पानी न मिलने की सूरत में नमाज़ के लिये भी तयम्मूम करना जाइज़ होगा। जरफ नामी जगह मदीना से आठ किलोमीटर दूर थी। इस्लामी लश्कर यहां से मुसल्लह (हथियारबंद) हुआ करते थे। यहीं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की ज़मीन भी मरबद नअम नामी जगह, मदीना से तकरीबन एक मील की दूरी पर वाक़ेअ थी। यहाँ आपने अस्र की नमाज़ तयम्मूम से अदा कर ली थी।

बाब 4 : इस बारे में कि क्या मिट्टी पर तयम्मूम के लिये हाथ मारने के बाद हाथों को फूंककर उनको चेहरे और दोनों हथेलियों पर मल लेना काफ़ी है?

(338) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया। उन्होंने कहा हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हकम बिन इययना ने बयान किया, उन्होंने ज़र्र बिन अब्दुल्लाह से, उन्होंने सईद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा से, वो अपने बाप से, उन्होंने बयान किया कि एक शख्स इमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) के पास आया और कहा कि मुझे गुस्ल की हाजत हो गई और पानी नहीं मिला (तो मैं अब क्या करूँ) इस पर अम्मार बिन यासिर (रज़ि.) ने हज़रत इमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से कहा, क्या आपको याद नहीं जब मैं और आप सफ़र में थे, हम दोनों जुनुबी हो गए। आपने तो नमाज़ नहीं पढ़ी लेकिन मैं ज़मीन पर लोटपोट लिया, और नमाज़ पढ़ ली। फिर मैंने नबी करीम (ﷺ) से उसका ज़िक्र किया तो आपने फ़र्माया कि तुझे बस इतना ही काफ़ी था और आपने अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारे, फिर उन्हें फूँके और दोनों से चेहरे और पहुँचों का मसह किया।

(दीगर मक़ाम : 339, 341, 342, 343, 345, 346, 347)

أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصَّمَةِ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: ((أَقْبَلَ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بَيْتِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ)).

— 4 — بَابُ هَلْ يَنْفَعُ فِي يَدَيْهِ ؟

٣٣٨- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ ذُرِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَصِبِ الْمَاءَ. فَقَالَ عُمَارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَمَا تَذَكُرُ أَنَا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَجْنَبْنَا فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا)) فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَيْهِ الْأَرْضَ وَتَفَخَّ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ.

[أطرافه في: ٣٣٩, ٣٤١, ٣٤٢, ٣٤٣]

٣٤٥, ٣٤٦, ٣٤٧]

तशरीह: मुस्लिम वगैरह की रिवायत में इतना ज्यादा है कि हज़रत उमर (रह.) ने उसे कहा कि नमाज़ न पढ़ जब तक पानी न मिले। हज़रत अम्मार ने गुस्ल की जगह सारे जिस्म पर मिट्टी लगाना ज़रूरी समझा, इस पर भी आँहज़रत (ﷺ) ने उनको फर्माया कि सिर्फ तयम्मूम कर लेना काफी था। हज़रत अम्मार ने उस मौके पर अपने इज्तिहाद से काम लिया था मगर दरबारे रिसालत में जब मुआमला आया तो उनके इज्तिहाद की गलती मा'लूम हो गई और फौन उन्होंने रुजूअ कर लिया। सहाब-ए-किराम आजकल के अंधे मुकल्लिदीन की तरह नहीं थे कि सहीह अह्लादीष के सामने भी अपनी राय और क्रियास पर अड़े रहें और किताब व सुन्नत को महज़ तकलीदे-जामिद की वजह से छोड़ दें। इसी तकलीदे-जामिद ने मिल्लत को तबाह कर दिया- फ़ल्यब्कि अलल इस्लामि मन कान बाकियन

बाब 5 : इस बारे में कि तयम्मूम में सिर्फ मुँह और दोनों पहुँचों पर मसह करना काफी है

5- بَابُ التَّيْمُمِ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ

(339) हमसे हज़ाज बिन मिन्हाल ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा ने, कहा कि मुझे हकम बिन उययना ने खबर दी ज़र्र बिन अब्दुल्लाह से, वो सईद बिन अब्दुरहमान बिन अब्जा से, वो अपने बाप से कि अम्मार ने ये वाक़िआ बयान किया (जो पहले गुज़र चुका) और शुअबा ने अपने हाथ को ज़मीन पर मारा। फिर उन्हें अपने मुँह के करीब कर लिया (और फूँका) फिर उनसे अपने चेहरे और पहुँचों का मसह किया और नज़र बिन शुमैल ने बयान किया कि मुझे शुअबा ने खबर दी हकम से कि मैंने ज़र्र बिन अब्दुल्लाह से सुना, वो सईद बिन अब्दुरहमान बिन अब्जा के हवाले से हदीष इब्ने अब्दुरहमान बिन अब्जा से सुनी, वो अपने वालिद के हवाले से बयान करते थे कि अम्मार ने कहा (जो पहले मज़कूर हुआ) (राजेअ: 338)

۳۳۹- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ بِهَذَا، وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ أَذْنَاهُمَا مِنْ فِيهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. وَقَالَ النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ذَرًّا يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيهِ قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَمَّاد. [راجع: ۳۳۸]

सहीह अह्लादीष के आधार पर तयम्मूम में एक ही बार हाथ मारना और मुँह व दोनों पंजों का मसह कर लेना काफी है। अहले हदीष का यही फ़तवा है। इसके खिलाफ़ जो है वो क़ौल मरजूह है। यानी एक बार मुँह का मसह करना फिर हाथ मारकर दोनों हाथों का कोहनियों तक मसह करना, इस बारे की अह्लादीष जईफ़ है। दूसरी सनद के लाने की गर्ज ये है कि हुक्म का सिमाअ जर बिन अब्दुल्लाह से साफ़ मा'लूम हो जाए जिसकी सराहत अगली रिवायत में नहीं है। बाज मुकल्लिदीन निहायत ही दरीदा दहनी के साथ मसह में एक बार का इन्कार करते हैं बल्कि जमाअते अहले हदीष की तख़फ़ीफ़ (कमतरी) व तौहीन के सिलसिले में तयम्मूम को भी ज़िक्र करते हैं, ये उनकी सख़्त ग़लती है।

(340) हमसे सुलैमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा ने हकम के वास्ते से हदीष बयान की, वो ज़र्र बिन अब्दुल्लाह से, वो इब्ने अब्दुरहमान बिन अब्जा से, वो अपने वालिद से कि वो हज़रत उमर (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर थे और हज़रत अम्मार (रज़ि.) ने उनसे कहा कि हम एक लश्कर में

۳۴۰- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ عَمَرَ وَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: كَمَا فِي سَرِيَّةٍ

गये थे। पस हम दोनों जुनुबी हो गए। और (उसमें है कि बजाय नफ़ख फ़ीहिमा के) उन्होंने तफ़ल फ़ीहिमा कहा। (राजेअ: 338)

فَأَجْنَبْنَا. وَقَالَ: تَقَلُّ لِيهِمَا.

[راجع: ٣٣٨]

तफ़ल भी फूंकने ही को कहते हैं लेकिन नफ़ख से कुछ ज़्यादा ज़ोर से जिससे जरा-जरा थूक भी निकल आए।

(341) हमसे मुहम्मद बिन क़बीर ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा ने हक़म से, वो ज़र्र बिन अब्दुल्लाह से, वो सईद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा से, वो अपने वालिद अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा से, उन्होंने बयान किया कि अम्मार (रज़ि.) ने उमर (रज़ि.) से कहा कि मैं तो ज़मीन में लोटपोट हो गया। फिर नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तेरे लिये सिर्फ़ चेहरे और पोहंछों पर मसह करना काफ़ी था (ज़मीन पर लोटने की ज़रूरत न थी) (राजेअ: 338)

٣٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذُرِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ عَمَارٌ لِعُمَرَ: تَمَعَّكْتُ لَأَنْتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((يَكْفِيكَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّانِ)). [راجع: ٣٣٨]

तशरीह:

बाज रावियाने बुखारी ने यहां अल वज्हु वल कफ़फ़ानि नक़ल किया है और उनको यक्फ़ीक़ का फाइल ठहराया है। इस सूत में तर्जुमा ये होगा कि तुझको चेहरे और दोनों पोहंछे काफ़ी थे। फतहुल बारी में इनको यक्फ़ीक़ का मफ़ऊल करार देते हुए अल वज्हु वल कफ़फ़ानि नक़ल किया है। इस सूत में तर्जुमा ये होगा कि तुझको तेरा मुंह और पोहंछों के ऊपर मसह कर लेना काफ़ी था।

‘व क़ालल हाफ़िज़ुब्नु हज़रिन अन्नल अहादीषिल वारिदत फ़ी सिफ़तित्तयम्मूमिलम यस्हिह मिन्हा सिवा हदीषि अबी जुहैमिन व अम्मारिन’

तयम्मूम में सबसे ज़्यादा सही अहादीष अबू जुहैम और अम्मार की है ये हाफ़िज़ इब्ने हज़र ने कहा है। उन दोनों में एक ही दफा मारने और मुंह और हथेलियों पर मल लेने का ज़िक्र है।

(342) हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा ने हक़म से, उन्होंने ज़र्र बिन अब्दुल्लाह से, उन्होंने सईद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा से। उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा से, उन्होंने कहा कि मैं हज़रत उमर (रज़ि.) की ख़िदमत में मौजूद था कि अम्मार (रज़ि.) ने उनसे कहा। फिर उन्होंने पूरी हदीष बयान की। (राजेअ: 338)

٣٤٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذُرِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الرَّحْمَنِ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عَمَارٌ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. [راجع: ٣٣٨]

(343) हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा हमसे गुन्दर ने, कहा हमसे शुअबा ने हक़म के वास्ते से, उन्होंने ज़र्र बिन अब्दुल्लाह से, उन्होंने इब्ने अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा से, उन्होंने अपने वालिद से कि अम्मार (रज़ि.) ने बयान किया, पस नबी करीम (ﷺ) ने अपने हाथों को ज़मीन पर मारा और उससे अपने चेहरे और पोहंछों का मसह किया। (राजेअ: 338)

٣٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذُرِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنِ أَبِي عُبَيْدٍ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ عَمَارٌ: ((فَضْرَبَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ)). [راجع: ٣٣٨]

बाब 6 : इस बारे में कि पाक मिट्टी मुसलमानों

٦- بَابُ الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ وَضَوْءُ

का वुजू है पानी के बदले वो उसको काफ़ी है

और हसन बसरी ने कहा कि जब तक उसको हदष न हो (यानी वुजू तोड़ने वाली चीज़ें न पाई जाएँ) तयम्मूम काफ़ी है और इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने तयम्मूम से इमामत की और यह्या बिन सईद अंसारी ने फ़र्माया कि खारी ज़मीन पर नमाज़ पढ़ने और उससे तयम्मूम करने में कोई बुराई नहीं है।

तशरीह:

हज़रत इमाम हसन बसरी के इस अ़षर को अब्दुरज़ाक ने मौसूलन रिवायत किया है, सुनन में इतने अल्फ़ाज़ और ज़्यादा हैं। व इल्लम यजिदिल माअ अश्रा सिनीन (तिर्मिजी वगैराह) यानी अगरचे वो पानी को दस साल तक न पाए और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के ज़िक्रशुदा अ़षर को इब्ने अबी शैबा और बैहक्की ने रिवायत किया है। इमाम शौकानी मुन्तक़ा के 'बाबुन तअईनुत्तुराबि लिन्नयम्मूमि दून बक्रियतिल जामिदाति' यानी तयम्मूम के लिये जमादात में मिट्टी ही की ताईन है, के तहत हदीष 'व जुइलत तुर्बतुहा लना तहूरन' और इस ज़मीन की मिट्टी हमारे लिये पाकी हासिल करने का ज़रिया बनाई गई है। लिखते हैं, 'वल हदीषु यदुल्लु अला कस्त्तियम्मूमि अलत्तुराबि फ़ीहि' है (नैलुल औतार)

ये हदीष इस अ़षर पर दलील है कि तयम्मूम के लिये मिट्टी ही का होना ज़रूरी है क्योंकि उसमें सराहतन तुराब मिट्टी का लफ़ज़ मौजूद है। पस जो लोग चूना, लोहा और दीगर सारी चीज़ों पर तयम्मूम करना जाइज़ बतलाते हैं, उनका कौल सहीह नहीं। खारी ज़मीन पर तयम्मूम कर नमाज़ पढ़ना, इसकी दलील वो हदीषे आइशा (रज़ि.) है जिसमें ज़िक्र है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, 'रअयतु दारहिज्ति कुम सबखत जाति नखिलन यअनी अल्मदीनत व क़द सम्मन्नबिय्यु (ﷺ) अल मदीनत तथ्यिबत फ़दल्ला अन्नसबखत दाखिलतुन फिन्नय्यिबि' (कस्तलानी) मैंने तुम्हारे हिज़रत के घर को देखा जो उस बस्ती में है जिसकी अक़षर ज़मीन शोर (क्षारीय, खारी) है और वहां खजूरे बहुत होती है। आपने इससे मदीना मुराद लिया, जिसका नाम आपने खुद ही मदीना तथ्यिबा रखा; यानी पाक शहर। पस षाबित हुआ कि शोर ज़मीन भी पाक में दाखिल है। फिर शोर ज़मीन की नापाकी पर कोई दलील किताब व सुन्नत से नहीं है इसलिये उसकी भी पाकी षाबित हुई।

(344) हमसे मुसहद ने बयान किया कि कहा हमसे यह्या बिन सईद ने, कहा कि हमसे औफ़ ने, कहा कि हमसे अबूरजाअ ने इमरान के वास्ते से, उन्होंने कहा कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ एक सफ़र में थे कि हम रात भर चलते रहे और जब रात का आख़री हिस्सा आया तो हमने पड़ाव डाला और मुसाफ़िर के लिये उस समय के पड़ाव से ज़्यादा मर्गूब और कोई चीज़ नहीं होती (फिर हम इस तरह गाफ़िल होकर सो गए) कि हमें सूरज की गर्मी के सिवा कोई चीज़ बेदार न कर सकी। सबसे पहले बेदार होने वाला शख्स फ़लाँ था। फिर फ़लाँ, फिर फ़लाँ। अबूरजाअ ने सबके नाम लिये लेकिन औफ़ को ये नाम थाद नहीं रहे। फिर चौथे नम्बर पर जागने वाले हज़रत इमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) थे और जब नबी करीम (ﷺ) आराम फ़र्माते तो हम आपको जगाते नहीं थे। यहाँ तक कि आप ख़ुद-ब-ख़ुद बेदार हों। क्योंकि हमें कुछ मा'लूम नहीं होता कि आप पर ख़्वाब में क्या ताज़ा वहा आती है। जब

الْمُسْلِمِ يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ
وَقَالَ الْحَسَنُ: يُجْزِيهِ التِّيمُّمُ مَا لَمْ
يُخْذِثْ. وَأَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مَتَيْمٌ. وَقَالَ
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى
السَّبْحَةِ وَالتِّيمُّمِ بِهَا.

٣٤٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى
بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ
مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنَّا أَسْرَيْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا
فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا وَقْعَةً وَلَا وَقْعَةً أَحَلَى
عِنْدَ الْمَسَافِرِ مِنْهَا، فَمَا أَيَقْظَنَا إِلَّا حَرُّ
الشَّمْسِ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ فَلَانَ ثُمَّ
فُلَانَ ثُمَّ فَلَانَ - يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ نَسِي
عَوْفٌ - ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ،
وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَامَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى
يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لِأَنَّا لَا نَذَرِي مَا
يَخْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ. فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ

हजरत उमर जाग गए और ये आमदा आफत देखी और वो एक बेखौफ दिलवाले आदमी थे। पस जोर-जोर से तक्बीर कहने लगे उसी तरह ब-आवाजे बुलन्द, आप उस समय तक तक्बीर कहते रहे जब तक कि नबी करीम (ﷺ) उनकी आवाज़ से बेदार न हो गए। तो लोगों ने पेश आई हुई मुस्लीबत के बारे में आप (ﷺ) से शिकायत की। इस पर आपने फ़र्माया कि कोई हर्ज़ नहीं। सफ़र शुरू करो। फिर आप थोड़ी दूर तक चले, उसके बाद आप ठहर गए और वुजू का पानी त़लब फ़र्माया और अज़ान कही गई। फिर आपने लोगों के साथ नमाज़ पढ़ी। जब आप नमाज़ पढ़ाने लगे तो एक शख्स पर आपकी नज़र पड़ी जो अलग किनारे पर खड़ा हुआ था और उसने लोगों के साथ नमाज़ नहीं पढ़ी थी। आपने उससे फ़र्माया कि ऐ फ़लाँ! तुम्हें लोगों के साथ नमाज़ में शरीक होने से कौनसी चीज़ ने रोका? उसने जवाब दिया कि मुझे गुस्ल की हाज़त हो गई और पानी मौजूद नहीं है। आपने फ़र्माया कि पाक मिट्टी से काम निकाल लो। यही तुझको काफ़ी है। फिर नबी करीम (ﷺ) ने सफ़र शुरू किया तो लोगों ने प्यास की शिकायत की। आप फिर ठहर गए और फ़लाँ (यानी इमरान बिन हुसैन रज़ि.) को बुलाया। अबूरजाअने उनका नाम लिया था लेकिन औफ़ को याद नहीं रहा और हज़रत अली (रज़ि.) को भी त़लब फ़र्माया। इन दोनों से आपने फ़र्माया कि जाओ पानी तलाश करो। ये दोनों निकले, रास्ते में एक औरत मिली जो पानी की दो पखालें (मशकें) अपने ऊँट पर लटकाए हुए बीच में सवार होकर जा रही थी। उन्होंने उससे पूछा कि पानी कहाँ मिलता है? तो उसने जवाब दिया कि कल में इसी समय पानी पर मौजूद थी (यानी पानी इतना दूर है कि कल में इसी समय पानी वहाँ से लेकर चली थी आज यहाँ पहुँची हूँ) और हमारे क़बीले के मर्द लोग पीछे रह गए हैं। उन्होंने उससे कहा। अच्छा, हमारे साथ चलो। उसने पूछा, कहाँ चलूँ? उन्होंने कहा रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में। उसने कहा, अच्छा वही जिनको लोग साबी कहते हैं। उन्होंने कहा, ये वही हैं, जिसे तुम कह रही हो। अच्छा, अब चलो। आख़िर ये दोनों हज़रात उस औरत को आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमते मुबारक में लाए। और

وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ - وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا - فَكَبُرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقِظَ لِصَوْتِهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا اسْتَيْقِظَ شَكَوُوا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ، قَالَ: ((لَا ضَيْرَ - أَوْ لَا يَضِيرُ - ارْتَجِلُوا)). فَارْتَحَلَ، فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ نَزَلَ لَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَوَضَّأَ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْقَلَبَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَرِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ، قَالَ: ((مَا مَنَعَكَ يَا فَلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟)) قَالَ: أَصَابَنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ. قَالَ: ((فَعَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ. فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ)). ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَلَ لَدَعَا فَلَانًا - كَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءَ نَسِيَهُ عَوْفَ - وَدَعَا عَلَيْهِ. فَقَالَ: ((أَذْهَبَا فَابْتَعِيَا الْمَاءَ)), فَانطَلَقَا فَتَلَقِيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَرَادَتَيْنِ - أَوْ سَطِيحَتَيْنِ - مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا فَقَالَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ: عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسَ هَلِوِ السَّاعَةِ، وَنَفَرْنَا خُلُوفًا. قَالَا لَهَا: أَنْطَلِقِي إِذَا. قَالَتْ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَا: إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَتْ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِيءُ. قَالَا: هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ، فَانطَلِقِي. فَجَاءَا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ. قَالَ: فَاسْتَنْزَلُوها عَنْ بَعِيرِهَا، وَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِإِنَاءٍ فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَرَادَتَيْنِ - أَوْ

सारा वाकिआ बयान किया। इमरान ने कहा कि लोगों ने उसे ऊँट से उतार लिया। फिर नबी करीम (ﷺ) ने एक बर्तन तलब फ़र्माया और दोनों पखालों या मशिकज़ों के मुँह उस बर्तन में खोल दिये। फिर उनका ऊपर का मुँह बंद कर दिया। इसके बाद नीचे का मुँह खोल दिया और तमाम लश्करियों में मुनादी कर दी गई कि खुद भी सैर होकर पानी पीयें और अपने तमाम जानवरों वगैरह को भी पिला लें। पस जिसने चाहा पानी पिया और पिलाया (और सब सैर हो गए) आख़िर में उस शख़्स को भी एक बर्तन में पानी दिया जिसे गुस्ल की ज़रूरत थी। आपने फ़र्माया, ले जा और गुस्ल कर ले। वो औरत खड़ी होकर देख रही थी कि उसके पानी से क्या क्या काम लिये जा रहे हैं और अल्लाह की क़सम! जब पानी लिया जाना उनसे बंद हुआ तो हम देख रहे थे कि मशिकज़ों में पानी पहले से भी ज़्यादा मौजूद था। फिर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कुछ उसके लिये (खाने की चीज़) जमा करो। लोगों ने उसके अच्छी क्रिस्म की खजूरें (अज्वा) आटा और सत्तू इकट्ठा किया। यहाँ तक कि बहुत सारा खाना उसके लिये जमा हो गया। तो उसे लोगों ने एक कपड़े में रखा और औरत को ऊँट पर सवार कर के उसके सामने वो कपड़ा रख दिया। रसूलल्लाह (ﷺ) ने उससे फ़र्माया कि तुम्हें मा'लूम है कि हमने तुम्हारे पानी में कोई कमी नहीं की है। लेकिन अल्लाह तआला ने हमें सैराब कर दिया। फिर वो अपने घर आई, देर काफ़ी हो चुकी थी इसलिये घरवालों ने पूछा कि ऐ फ़लानी! क्यों इतनी देर हुई? उसने कहा, एक अजीब बात हुई और वो ये कि मुझे दो आदमी मिले और वो मुझे उस शख़्स के पास ले गए जिसे लोग साबी कहते हैं। वहाँ इस तरह का वाकिआ पेश आया, अल्लाह की क़सम! वो तो उसके और उसके बीच सबसे बड़ा जादूगर है और उसने बीच की उँगली और शहादत की उँगली आसमान की तरफ़ उठाकर इशारा किया। उसकी मुराद आसमान और ज़मीन से थी। या फिर वो वाक़ेई अल्लाह का रसूल है। उसके बाद मुसलमान उस क़बीले के दूर व नज़दीक के मुश्रिकीन पर हमला करते थे। लेकिन उस घराने को जिससे उस औरत का ताल्लुक था कोई नुक़सान नहीं पहुँचाते

السُّطَيْحَتَيْنِ - وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا وَأَطْلَقَ
الْعَزَائِمِيَّ وَتَوَدَّيَ فِي النَّاسِ: اسْتَقُوا
وَاسْتَقُوا. فَسَقَى مَنْ سَقَى وَاسْتَقَى مَنْ
شَاءَ، وَكَانَ آخِرَ ذَلِكَ أَنْ أُعْطِيَ الَّذِي
أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ قَالَ: أَذْهَبَ
فَأَفْرَعُهُ عَلَيْكَ. وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا
يُفْعَلُ بِمَائِهَا. وَأَيُّمَ اللَّهُ لَقَدْ أُفْلِعَ عَنْهَا
وَإِنَّهُ لِيَحْتَلُّ إِلَيْنَا أَنَّهُمَا أَشَدُّ مِلْأَةً مِنْهَا حِينَ
ابْتَدَأَ فِيهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اجْمَعُوا
لَهَا)). فَجَمَعُوا لَهَا - مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ
وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيْقَةٍ - حَتَّى جَمَعُوا لَهَا
طَعَامًا، فَحَقَلُوهُ فِي ثَوْبٍ وَحَمَلُوهَا عَلَى
بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا، فَقَالَ
لَهَا: ((تَعْلَمِينَ مَا رَزَيْنَا مِنْ مَائِكَ شَيْئًا،
وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي اسْتَفَانَا)). فَأَتَتْ
أَهْلَهَا وَقَدْ اخْتَبَسَتْ عَنْهُمْ. قَالُوا: مَا
حَسَبَكَ يَا فُلَانَةَ؟ قَالَتْ: الْعَجَبُ، لَقَيْتِي
رَجُلَانِ فَدَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ
الصَّابِيُّ، فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَوَ اللَّهُ إِنَّهُ
لَأَسْحَرُ النَّاسَ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ -
وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيْهَا الْوُسْطَى وَالسَّبَابَةَ
فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ تَعْنِي السَّمَاءَ
وَالْأَرْضَ - أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا.
فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغَيِّرُونَ عَلَى
مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يُصَيِّبُونَ
الصَّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ. فَقَالَتْ يَوْمًا
لِقَوْمِهَا: مَا أَرَى أَنْ هُوَ لَاءَ الْقَوْمِ

ये अच्छा बर्ताव देखकर उस औरत ने अपनी क्रौम से कहा कि मेरा ख्याल है कि ये लोग तुम्हें जान-बूझकर छोड़ देते हैं। तो क्या तुम्हें इस्लाम की तरफ कुछ रबत है? क्रौम ने औरत की बात मान ली और इस्लाम ले आई।

हज़रत अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी (रह.) ने फ़र्माया कि सब्बा का मतलब है अपना दीन छोड़कर दूसरे दीन में चला गया और अबुल आलिया ने कहा कि साबेईन अहले किताब का एक फ़िक्रान है और सूरह यूसुफ़ में जो असब का लफ़्ज़ है वहाँ भी उसके मअनी अमिलु के हैं। (दीगर मक़ाम : 348, 3571)

तशरीह : यानी हज़रत यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) ने कहा था कि खुदाया! अगर तू मुझे न बचाएगा तो मैं उन औरतों की तरफ झुक जाऊंगा और मैं नादानों में से हो जाऊंगा। पस लफ़्ज़ साबी इसी से बना है जिसके माना दूसरी तरफ झुक जाने के हैं। सफरे मजकूर कौनसा सफर था? बाज़ ने इसे सफरे ख़ैबर, बाज़ ने सफरे हुदैबिया, बाज़ ने सफरे तबूक और बाज़ ने तरीके मक्का का सफर करार दिया है। बहरहाल एक सफर था जिसमें ये वाकिया पेश आया। चूँकि थकान गालिब थी और पिछली रात, फिर उस वक़्त रेगिस्ताने अरब की मीठी-ठण्डी हवाएं, नतीजा ये हुआ कि सबको नीन्द आ गई। आँहज़रत (ﷺ) भी सो गए। यहाँ तक कि सूरज निकल आया और मुजाहिदीन जागे। हज़रत उमर (रज़ि.) ये हाल देखा तो जोर-जोर से नार-ए-तकबीर बुलन्द करना शुरू किया ताकि हुजूर (ﷺ) की आँख भी खुल जाए। चुनान्वे आप (ﷺ) भी जाग उठे और आप (ﷺ) ने लोगों को तसल्ली दिलाई कि जो हुआ अल्लाह के हुकम से हुआ। फिक्र की कोई बात नहीं। फिर आप (ﷺ) ने वहाँ से कूच का हुकम दिया और और थोड़ी दूर आगे बढ़कर फिर पड़ाव लिया गया और आप (ﷺ) ने वहाँ अजान कहलवाकर जमाअत से नमाज़ पढ़ाई और नमाज़ के बाद एक शख्स का अलेहदा बैठे हुए देखा तो मा' लूम हुआ कि उसको गुस्ल की हाजत हो गई है और वो पानी न होने की वजह से नमाज़ न पढ़ सका है। इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि इस हालत में तुझको मिट्टी पर तयम्मूम कर लेना काफी था। बाब का तर्जुमा इसी जगह से प्वाबित होता है। बाद में आप (ﷺ) ने पानी की तलाश में हज़रत अली (रज़ि.) और हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) को मुकरर फ़र्माया और उन्होंने मुसाफिर औरत को देखा कि पानी की पखालें ऊंट पर लटकाए हुए जा रही है, वो उसको बुलाकर हुजूर (ﷺ) के पास लाये, उनकी नियत जुल्म व बुराई की न थी बल्कि औरत से कीमत से पानी हासिल करना या उससे पानी के मुता'ल्लिक मा' लूमात हासिल करना था। आपने उसकी पखालों के मुंह खुलवा दिये और उनमें अपना रीक मुबारक डाला जिसकी बरकत से वो पानी इस कदर ज्यादा हो गया कि मुजाहिदीन और उनके जानवर सब सैराब हो गए और उस जुनुबी शख्स को गुस्ल के लिये भी पानी दिया गया। इसके बाद आपने पखालों के मुंह बन्द करा दिये और वो पानी से बिल्कुल लबरेज़ थी, उनमें जरा भी पानी कम नहीं हुआ था। आपने एहसान के तौर पर उस औरत के लिये खाना गल्ला सहाब-ए-किराम से जमा कराया और उसको इज्जत व एहताराम के साथ रूखसत कर दिया। जिसके नतीजे में आगे चलकर उस औरत और उसके कबीले वालों ने इस्लाम कुबूल कर लिया।

हज़रत इमामुल मुहदिप्पीन (रह.) का मक़सद इस रिवायत की नकल से ये है कि पानी न मिलने की सूरत में मिट्टी पर तयम्मूम कर लेना वुजू और गुस्ल दोनों की जगह काफी है।

बाब 7 : इस बारे में कि जब जुनुबी को (गुस्ल की वजह से) मर्ज़ बढ़ जाने का या मौत होने का

۷- بَابُ إِذَا خَافَ الْجُنْبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوْ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ

या (पानी के कम होने की वजह से) प्यास का डर हो तो तयम्मुम कर ले।

कहा जाता है कि हज़रत अम्र बिन आस (रज़ि.) को एक जाड़े की रात में गुस्ल की हाजत हुई तो आपने तयम्मुम कर लिया और ये आयत तिलावत की 'अपनी जानों को हलाक न करो, बेशक अल्लाह तआला तुम पर बड़ा मेहरबान है।' फिर इसका ज़िक्र नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हुआ तो आप (ﷺ) ने उनको कोई मलामत नहीं फ़र्माई।

तशरीह: आयते करीमा फिर सहाबा किराम के अमल से इस्लाम में बड़ी-बड़ी आसानियां मा'लूम होती है। मगर सदअफसोस कि नामनिहाद उलोमा व फुक्हा ने दीन को एक हौवा बनाकर रख दिया है।

(345) हमसे बिशर बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा मुझे को मुहम्मद ने ख़बर दी जो गुन्दर के नाम से मशहूर हैं, शुअबा के वास्ते से, वो सुलैमान से नक़ल करते हैं और अबुल वाइल से कि अबू मूसा ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद से कहा कि अगर (गुस्ल की हाजत हो और) पानी न मिले तो क्या नमाज़ न पढ़ी जाए। अब्दुल्लाह ने फ़र्माया, हाँ! अगर मुझे एक महीना तक भी पानी न मिलेगा तो मैं नमाज़ न पढ़ूँगा। अगर इसमें लोगों को इजाज़त दे दी जाए तो सदीं मा'लूम करके भी लोग तयम्मुम से नमाज़ पढ़ लेंगे। अबू मूसा कहते हैं कि मैंने कहा कि फिर हज़रत उमर (रज़ि.) के सामने हज़रत अम्मार (रज़ि.) के क़ौल का क्या जवाब होगा, बोले कि मुझे तो नहीं मा'लूम है कि उमर (रज़ि.) अम्मार (रज़ि.) की बातों से मुत्मइन हो गये थे। (राजेअ : 338)

(346) हमसे उमर बिन हफ़स ने बयान किया कि कहा मेरे वालिद हफ़स बिन गयास ने, कहा कि हमसे अअमश ने बयान किया, कहा कि मैंने शक्रीक़ बिन सलमा से सुना, उन्होंने कहा कि मैं अब्दुल्लाह (बिन मसऊद) और अबू मूसा अशअरी की ख़िदमत में था, अबू मूसा ने पूछा कि अबू अब्दुर्रहमान! आपका क्या ख़याल है कि अगर किसी को गुस्ल की हाजत हो और पानी न मिले तो वो क्या करे? अब्दुल्लाह ने फ़र्माया कि उसे नमाज़ न पढ़नी चाहिए, जब तक उसे पानी न मिल जाए। अबू मूसा ने कहा कि फिर अम्मार की उस रिवायत का क्या होगा जो नबी करीम (ﷺ) ने उनसे कहा था कि तुम्हें सिर्फ़ (हाथ और मुँह का तयम्मुम) काफ़ी था। इब्ने मसऊद (रज़ि.) ने फ़र्माया कि तुम उमर को नहीं

الْعَطَشَ تَيْمَمٌ

وَيَذَكُرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَخْتَبَ لِي لَيْلَةً بَارِدَةً فَتَيْمَمٌ وَتَلَا: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء : 29] فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَفِّ.

٣٤٥- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ غُنْتَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَإِلِيَّ : قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ لَا يُصَلِّي . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : نَعَمْ إِنْ لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ أَصَلِّ لَوْ رَخِصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُم الرِّدَّ قَالَ مَكْدًا - يَعْنِي تَيْمَمٌ - وَصَلَّى . وَقَالَ : قُلْتُ : فَأَيُّ قَوْلِ عَمَّارٍ لِعُمَرَ قَالَ : إِنِّي لَمْ أَرِ عُمَرَ قَبْلَ يَقُولِ عَمَّارٍ . [راجع : ٣٣٨]

٣٤٦- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : سَمِعْتُ شَقِيقَ ابْنِ سَلَمَةَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا أَخْتَبَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا يُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ . فَقَالَ أَبُو مُوسَى : فَكَيْفَ يَصْنَعُ يَقُولُ عَمَّارٌ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : ((كَأَنَّ يَكْفِيكَ)) قَالَ : أَلَمْ تَرَ

देखते कि वो अम्मार की इस बात से मुत्तमइन नहीं हुए थे। फिर अबू मूसा ने कहा अच्छा अम्मार की बात को छोड़ो लेकिन उस आयत का क्या जवाब दोगे (जिसमें जनाबत में तयम्मूम करने की वाज़ेह इजाज़त मौजूद है) अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) इसका कोई जवाब न दे सके। सिर्फ़ ये कहा कि अगर हम लोगों को इसकी भी इजाज़त दे दें तो उनका हाल ये हो जाएगा कि अगर किसी को पानी ठण्डा मा'लूम हुआ तो उसे छोड़ दिया करेगा। और तयम्मूम कर लेगा। (अअमश कहते हैं कि) मैंने शक़ीक़ से कहा कि गोया अब्दुल्लाह ने इस वजह से ये सूरात नापसंद की थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ! (राजेअ : 338)

कुआनी आयत औ लामस्तुमुन्निसाअ (अल माइदा : 6) से साफ़ तौर पर जुनुबी के लिये तयम्मूम का षुबूत मिलता है क्योंकि यहां लम्स से जिमा मुराद है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ये आयत सुनकर जवाब न दे सके। हाँ! एक मस्लिहत का ज़िक्र फ़र्माया। मुसनद इब्ने अबी शैबा में है कि बाद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने अपने इस खयाल से रज़ूअ फर्मा लिया था और इमाम नववी (रह.) ने कहा कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने भी अपने कौल से रज़ूअ फर्मा लिया था। इमाम नववी (रह.) फर्माते हैं कि इस पर तमाम उम्मत का इज्माअ है कि जुनुबी और हाइजा और निफ़ास वाली सबके लिये तयम्मूम दुरुस्त है जब वो पानी न पाए या बीमार हो कि पानी के इस्तेमाल से बीमारी बढ़ने का खतरा हो या वो हालते सफर में हो और पानी न पाए तो तयम्मूम करें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये अम्मार (रज़ि.) वाला वाकिया याद नहीं रहा था हालांकि वो सफर में अम्मार (रज़ि.) के साथ थे, मगर उनका शक़ रहा। मगर अम्मार का बयान दुरुस्त था इसलिये उनकी रिवायत पर सारे उलमा ने फ़तवा दिया कि जुनुबी के लिये तयम्मूम जाइज़ है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) के खयालों को छोड़ दिया गया। जब सही हदीष के ख़िलाफ़ ऐसे जलालुल कद्र सहाबा किराम का कौल छोड़ा जा सकता है तो इमाम या मुजतहिद का कौल ख़िलाफ़े हदीष क्यों कर काबिले तस्लीम होगा। इसीलिये हमारे इमाम आजम अबू हनीफ़ा (रह.) ने खुद फर्माया कि— इज़ा सहल हदीषु फ़हुव मज़हबी सही हदीष ही मेरा मज़हब है। पस मेरा जो कौल सहीह हदीष के ख़िलाफ़ पाओ उसे छोड़ देना और हदीष सहीह पर अमल करना।

बाब 8 : इस बारे में कि तयम्मूम में एक बार मिट्टी पर हाथ मारना काफ़ी है

(347) हमसे मुहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमें अबू मुआविया ने ख़बर दी अअमश से, उन्होंने शक़ीक़ से, उन्होंने बयान किया कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) और हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर था। हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से कहा कि अगर एक शख़्स को गुस्ल की हाज़त हो और उसे महीने भर तक पानी न मिले तो क्या वो तयम्मूम करके नमाज़ न पढ़े? शक़ीक़ कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद

عَمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِذَلِكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : لَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَارٍ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ الْآيَةُ؟ لَمَّا دَرَى عَبْدُ اللَّهِ مَا يَقُولُ: فَقَالَ: لَوْ رَخَصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لِأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَدَعَهُ وَيَتَيَمَّمُ. فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ: لِأَمَّا كَرِهَ عَبْدُ اللَّهِ لِهَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. [راجع: ٣٣٨]

8- بابُ التَّيْمُمِ ضَرَبَةً

٣٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحْبَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي؟ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا

(रज़ि.) ने जवाब दिया कि वो तयम्मूम न करे अगरचे वो एक महीने तक पानी न पाए (और नमाज़ न पढ़े) अबू मूसा (रज़ि.) ने इस पर कहा कि फिर सूरह माइदा की उस आयत का क्या मतलब होगा, 'अगर तुम पानी न पाओ तो पाक मिट्टी पर तयम्मूम कर लो।' हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) बोले कि अगर लोगों को इसकी इजाज़त दे दी जाए तो जल्दी ही ये हाल हो जाएगा कि जब उनको पानी ठण्डा मा'लूम होगा तो वो मिट्टी से ही तयम्मूम कर लेंगे। अज़मश ने कहा कि मैंने शक्रीक से कहा कि तुमने जुनुबी के लिये तयम्मूम इसलिये बुरा जाना। उन्होंने कहा हौं! फिर हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) ने फ़र्माया कि क्या आपको हज़रत अम्मार का हज़रत इमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) के सामने ये क़ौल मा'लूम नहीं कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किसी काम के लिये भेजा था। सफ़र में मुझे गुस्ल की ज़रूरत हो गई, लेकिन पानी नहीं मिला। इसलिये मैं मिट्टी में जानवर की तरह लोटपोट लिया। फिर मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इसका ज़िक्र किया तो आपने फ़र्माया कि तुम्हारे लिये सिर्फ़ इतना—इतना करना काफ़ी था। और आपने अपने हाथों को ज़मीन पर एक बार मारा फिर उनको झाड़कर बाएँ हाथ से दाहिने की पुश्त को मल लिया या बाएँ हाथ का दाहिने हाथ से मसह किया। फिर दोनों हाथों से चेहरे का मसह किया। अब्दुल्लाह ने इसका जवाब दिया कि आप इमर को नहीं देखते कि उन्होंने अम्मार की बात पर क्रनाअत नहीं की थी। और यअला इब्ने उबैद ने अज़मश के वास्ते से शक्रीक से रिवायत में ये ज़्यादाती की है कि उन्होंने कहा कि मैं अब्दुल्लाह और अबू मूसा की ख़िदमत में था और अबू मूसा ने फ़र्माया था कि आपने इमर से अम्मार का ये क़ौल सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे और आपको भेजा। पस मुझे गुस्ल की हाज़त हो गई और मैं मिट्टी में लोटपोट लिया। फिर मैं रात रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आप (ﷺ) से सूरतेहाल के बारे में ज़िक्र किया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम्हें सिर्फ़ इतना ही काफ़ी था और अपने चेहरे और हथेलियों का एक ही मर्तबा मसह किया।

(राजेअ: 338)

يَتَيْمُّمُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَجِدْ شَهْرًا فَقَالَ لَهُ
أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهِهِ الْآيَةَ فِي
سُورَةِ الْمَائِدَةِ ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَوْ رُخِّصَ
فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ
يَتَيْمَّمُوا الصَّعِيدَ. قُلْتُ: وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا
لِذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ
تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ:
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ
فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا
تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ
فَقَالَ: ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا
- فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ
نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهَرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، أَوْ
ظَهَرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ)).
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ
بِقَوْلِ عَمَّارٍ؟ وَزَادَ يَغْلَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
شَقِيقٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي
مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ
عَمَّارٍ لِعُمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَنِي أَنَا
وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَكْتُ بِالصَّعِيدِ، فَآتَيْنَا
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ : ((إِنَّمَا
كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا)) وَمَسَحَ وَجْهَهُ
وَكَفَيْهِ وَاحِدَةً.

[راجع: ۳۳۸]

अबू दारूद की रिवायत में साफ़ मजकूर है कि आप (ﷺ) ने तयम्मूम का तरीका बतलाते हुए पहले हथेली को दाएं हथेली और पोहंघों पर मारा फिर दाएं को बाएं पर मारा इस तरह दोनों पोहंघों पर मसह करके फिर मुंह पर फेर लिया। बस यही तयम्मूम है और यही राजेह है। उलम—ए—मुहक्किकीन ने इसी को इखितयार किया है दो बार की रिवायतें सब जईफ़ है—अल्लामा शौकानी

(रह.) हदीषे अम्मार रवाहुत्तिर्मिर्जी के तहत फर्माते हैं,

'वल हदीषु यदुल्लु अला अन्नत्तयम्मुम ज़र्बतुन वाहिदतुन लिल्वजहि वल कफ़ैनि व क्रद ज़हब इला ज़ालिक अता व मकहूल वल औज़ाइ व अहमदुब्नु हंबल व इस्हाक़ वस्सादिक़ वल इमामियत क़ाल फिलफ़तहि व नक़लहुब्नुल मुन्ज़िर अन जुम्हिरल उलमाइ वख़तारहू व हुव क़ौलु आममति अहलिल हदीषि।' (नैलुल औतार)
यानी ये हदीष दलील है कि तयम्मुम में सिर्फ़ एक ही मर्तबा हाथों को मिट्टी पर मारना काफी है और जुम्हूर उलम-ए-मुहदिषीन का यही मसलक है।

बाब 9 :

(348) हमसे अब्दान ने हदीस बयान की, कहा हमें अब्दुल्लाह ने खबर दी, कहा हमें अफ़ ने अबू रजाअ से खबर दी, कहा कि हमसे कहा इमरान बिन हुसैन ख़ुज़ाअी (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी को देखा कि अलग खड़ा हुआ है और लोगों के साथ नमाज़ में शरीक नहीं हो रहा है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ऐ फ़लाँ! तुम्हें लोगों के साथ नमाज़ पढ़ने से किस चीज़ ने रोक दिया?' उसने अर्ज़ किया, 'या रसूलुल्लाह (ﷺ)! मुझे गुस्ल की ज़रूरत हो गई और पानी नहीं है।' आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'फिर तुमको पाक मिट्टी से तयम्मुम करना ज़रूरी था, बस वो तुम्हारे लिये काफ़ी होता।' (राजेअ: 344)

باب - 9

۳۴۸- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ الْخَزَاعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا مُعْتَرِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ. قَالَ: ((عَلَيْكَ بِالصُّعِيدِ لِأَنَّهُ يَكْفِيكَ)). [راجع: ۳۴۴]

8. किताबुस्सलात

नमाज़ के अहकाम व मसाइल

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बाब 1 : इस बारे में कि शबे मेअराज में नमाज़

किस तरह फ़र्ज़ हुई?

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हमसे अबू सुफ़यान बिन हर्ब ने बयान किया हदीषे हिरक़ल के सिलसिले में

۱- بَابُ كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ

فِي الْإِسْرَاءِ؟

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سَفْيَانَ بْنِ خَزِيمٍ فِي حَدِيثِهِ هِرْقَلٌ فَقَالَ: يَا مَرْءَانَا-

कहा कि वो यानी नबी करीम (ﷺ) हमें नमाज़ पढ़ने, सच्चाई इख्तियार करने और हाराम से बचे रहने का हुक्म देते हैं।

यानी जब रुम के बादशाह हिरक्ल ने अबू सुफयान और दूसरे कुपफारे कुरैश को जो तिजारत की गरज़ से रुम गए हुए थे, उनको बुलाकर आँहज़रत (ﷺ) के बारे में पूछा तो अबु सुफयान (रज़ि.) ने ऊपर लिखे हुए के मुताबिक़ जवाब दिया।

तशरीह: सय्युदल फुकहा वल मुहदिप्पीन हज़रत इमाम बुखारी (रह.) मसाइले तहारत बयान फर्मा चुके, लिहाजा अब मसाइले नमाज़ के लिये किताबुस्सलात की इब्तिदा फर्माई। सलात हर वो इबादत है जो अल्लाह की अज़मत और उसकी ख़शियत के पेशेनज़र की जाए, कायनात की हर मखलूक अल्लाह की इबादत करती है जिस पर लफ़्ज़े सलात ही बोला गया है जैसा कि कुआन पाक में है, 'कुल्लुन क्रद अलिम सलातहू व तस्बीहहू' हर मखलूक को अपने तरीके पर नमाज़ पढ़ने और अल्लाह की तस्बीह बयान करने का तरीका मा'लूम है। (अन नूर : 41)

एक आयत में है— 'इन मिन शैइन इल्ला युसबिबहु बिहम्दिही व ला किल्ला तफकहून तस्बीहहुम.' हर एक चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है लेकिन ऐ इन्सानों! तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझ सकते। (अल इसरा : 44)

'क्रालन्नववी फ़ी शर्हि मुस्लिम इख़तलफ़ल उलामाउ फ़ी अस्लिस्सलाति फ़क्रील हियहुआ लिइश्तिमालिहा अलैहि व हाज़ा क्रौलु जमाहीर अहलिल अरबिय्यति वल फ़ुक्रहाइ वग़ैरहुम' (नैलुल औतार) यानी इमाम नबवी (रह.) ने शर्हि मुस्लिम में कहा कि उलमा ने सलात की असल में इख़ितालाफ़ किया है। कहा गया है कि सलात की असल हकीकते दुआ है जबकि जुम्हूर अहले अरब और फुकहा वग़ैरहुम का यही कौल है।

अल्लामा क्रस्तलानी फर्माते हैं, 'वश्तिक्राकुहा मिनस्सल्ला' यानी ये लफ़्ज़ सल्ला से मुशतक है सल्ला किसी टेढ़ी लकड़ी को आग में तैयार कर सीधा करना। पस नमाज़ों भी इसी तरह नमाज़ पढ़ने से सीधा हो जाता है और जो शख्स नमाज़ की आग में तपकर सीधा हो गया वो अब दोजख की आग में दाखिल न किया जाएगा, 'व हिय मिलतुन बैनल अब्दि व रब्बिही' ये अल्लाह और उसके बन्दे के बीच मिलने का एक ज़रिया है जो इबादते नफ़्सानी और बदनी तहारत और सतरे औरत और माल खर्च करने और का'बा की तरफ मुतवज्जह होने और इबादत के लिये बैठने आरैर जवारिह से इजहारे खुशू करने और दिल से निय्यत को ख़ालिस करने और शैतान से जिहाद करने और अल्लाह अज्ज व जल्ल से मुनाजात करने और कुआन शरीफ पढ़ने और कलिप—ए—शहादतैन को जुबान पर लाने और नफस को तमाम पाक व हलाल चीजों से हटाकर एक यादे इलाही पर लगा देने वग़ैरह का नाम है। लुगवी हैषियत से सलात दुआ पर बोला गया है और शर्ई तौर पर कुछ अकवाल और अफआल है जो तकबीरे तहरीमा से शुरू किए जाते हैं और तसलीम यानी सलाम फेरने पर खत्म होते हैं। बन्दों की सलात अल्लाह के सामने झुकना, नमाज़ पढ़ना और फरिश्तों की सलात अल्लाह व इबादत के साथ मोमिनीन के लिये दुआ—ए—इस्तिफ़ार करना और अल्लाह पाक की सलात अपनी मखलूक़ात पर नज़रे रहमत फर्माना। हदीषे मेअराज में आया है कि आप जब सातव आसमान पर तशरीफ ले गए तो आप (ﷺ) से कहा गया कि जरा ठहरिये आपका रब सलात में मसरुफ है यानी उस सलात में जो उसकी शान के लायक है।

नमाज़ (इबादत), हर मजहब, हर शरीअत, हर दीन में थी, इस्लाम ने इसका एक ऐसा जामेअ मुफीदतरीन तरीका पेश किया है कि जिससे ज़्यादा बेहतर और जामेअ तरीका मुमकिन नहीं है। कलिम—ए—तय्यिबा के बाद ये इस्लाम का अक्वलीन रुक्न है जिसे क़ाइम करना दीन को क़ाइम करना है और जिसे छोड़ देना दीन की इमारत गिरा देना है, नमाज़ के बेशुमार फवाएद हैं जो अपने अपने मक़ामात पर बयान किए जाएंगे। इन्शाअल्लाह तआला।

(349) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष बिन सअद ने यूनुस के वास्ते से बयान किया, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने अनस बिन मालिक से, उन्होंने फ़र्माया कि अबू ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि.) ये हदीष बयान करते थे कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि मेरे घर की छत खोल दी गई, उस समय मैं मक्का में था। फिर जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) उतरे और उन्होंने

۳۴۹- حَدَّثَنَا يَعْنِي بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
اللَيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ
أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((فَرُجَ عَنْ سَفْفِ
بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَتَزَلَ جَبْرَيْلُ عَلَيْهِ

मेरा सीना चाक किया। फिर उसे ज़मज़म के पानी से धोया, फिर एक सोने का त़शत लाए जो हिक्मत और ईमान से भरा हुआ था। उसको मेरे सीने में रख दिया, फिर सीने को जोड़ दिया, फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ लेकर चले। जब मैं पहले आसमान पर पहुँचा तो जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने आसमान के दारोगा से कहा खोलो। उसने पूछा, आप कौन हैं? जवाब दिया कि जिब्रईल, फिर उन्होंने पूछा क्या आपके साथ कोई और भी है? जवाब दिया हाँ! मेरे साथ मुहम्मद (ﷺ) हैं। उन्होंने पूछा कि क्या उनको बुलाने के लिये आपको भेजा गया था? कहा, जी हाँ! फिर उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो हम पहले आसमान पर चढ़ गए, वहाँ हमने एक शख्स को बैठे हुए देखा। उनके दाहिनी तरफ कुछ लोगों के झुण्ड थे और कुछ झुण्ड बाईं तरफ थे। जब वो अपनी दाहिनी तरफ देखते तो मुस्कुराते और जब बाएँ तरफ देखते तो रोते। उन्होंने मुझे देखकर फ़र्माया, आओ अच्छे आए हो। स़ालेह नबी और स़ालेह बेटे! मैंने जिब्रईल से पूछा, ये कौन हैं? उन्होंने कहा कि ये आदम अलैहिस्सलाम हैं और इनके दाएँ और बाएँ तो झुण्ड हैं ये उनके बेटों की रूहें हैं। इसलिये जब वो अपने दाएँ तरफ देखते हैं तो खुशी से मुस्कुराते हैं और जब बाएँ तरफ देखते हैं तो (रंज से) रोते हैं। फिर जिब्रईल मुझे लेकर दूसरे आसमान तक पहुँचे और उसके दारोगा से कहा कि खोलो! उस आसमान के दारोगा ने भी पहले आसमान के दारोगा की तरह पूछा फिर खोल दिया। हज़रत अनस ने कहा कि अबूज़र ने ज़िक्र किया कि आप (ﷺ) यानी नबी (ﷺ) ने आसमान पर आदम, इदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मौजूद पाया और अबूज़र (रज़ि.) ने हर एक का ठिकाना नहीं बयान किया। अल्बत्ता इतना बयान किया कि अँहज़रत (ﷺ) ने हज़रत आदम को पहले आसमान पर पाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छठे आसमान पर। अनस ने बयान किया कि जब जिब्रईल अलैहिस्सलाम नबी करीम (ﷺ) के साथ इदरीस अलैहिस्सलाम पर गुज़रे तो उन्होंने ने फ़र्माया कि आओ अच्छे आए हो स़ालेह नबी और स़ालेह भाई। मैंने पूछा, ये कौन हैं?

السَّلَامَ فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بَطَسَتْ مِنْ ذَهَبٍ مُنْتَلِيءٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَلْفَرَفُهُ لِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَفَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِيخَارِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ. قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِيَ مُحَمَّدٌ ﷺ. فَقَالَ: وَارْسِلْ إِلَيَّ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَيَّ يَمِينُهُ أَسْوَدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوَدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قَبْلَ يَمِينِهِ ضَجَّكَ، وَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ شِمَالِهِ بَكَى، فَقَالَ: مَرَحَبًا يَا نَبِيَّ الصَّالِحِ وَالْإِنِّ الصَّالِحِ. قُلْتُ لِحَبْرِيْلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ، وَهَذِهِ الْأَسْوَدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَيْنِهِ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْأَسْوَدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَجَّكَ، وَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ شِمَالِهِ بَكَى. حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِيخَارِنَهَا: افْتَحْ. فَقَالَ لَهَا خَارِنَهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ، فَفَتَحَ. قَالَ أَنَسٌ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَاوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ يُبَيِّنْ كَيْفَ مَنَازِلَهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ

जवाब दिया कि ये इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा उन्होंने फ़र्माया आओ अच्छे आए हो स़ालेह नबी और स़ालेह भाई। मैंने पूछा, ये कौन हैं? जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये मूसा हैं। फिर मैं ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा उन्होंने कहा आओ अच्छे आए हो स़ालेह नबी और स़ालेह भाई। मैंने पूछा, ये कौन हैं? जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये ईसा अलैहिस्सलाम हैं। फिर मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। उन्होंने फ़र्माया आओ अच्छे आए हो स़ालेह नबी और स़ालेह बेटे! मैंने पूछा, ये कौन हैं? जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। इब्ने शिहाब ने कहा कि मुझे अबूबक्र बिन हज़म ने ख़बर दी कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) और अबू हब्बा अल अंसारी (रज़ि.) कहा करते थे कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया फिर मुझे जिब्रईल अलैहिस्सलाम लेकर चढ़े, अब मैं उस बुलन्द मुक़ाम तक पहुँच गया जहाँ मैंने क़लम की आवाज़ सुनी (जो लिखने वाले फ़रिश्तों की क़लमों की आवाज़ थी) इब्ने हज़म ने (अपने शैख़ से) और अनस बिन मालिक ने अबू ज़र्र (रज़ि.) से नक़ल किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया बस अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत पर पचास वक़्त की नमाज़ें फ़र्ज़ कीं। मैं ये हुक्म लेकर वापस लौटा जब मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा तो उन्होंने पूछा कि आपकी उम्मत पर अल्लाह ने क्या फ़र्ज़ किया है? मैंने कहा कि पचास वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ की हैं। उन्होंने कहा आप वापस अपने रब के बारगाह में जाइये क्योंकि आपकी उम्मत इतनी नमाज़ों को अदा करने की ताक़त नहीं रखती है। मैं वापस बारगाहे इलाही में गया तो अल्लाह ने उसमें से एक हिस्सा कम कर दिया, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि एक हिस्सा कम कर दिया है, उन्होंने कहा कि दोबारा जाइये क्योंकि आपकी उम्मत में इसके बर्दाश्त की भी ताक़त नहीं है। फिर मैं बारगाहे इलाही में हाज़िर हुआ। एक हिस्सा कम हुआ। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा तो उन्होंने फ़र्माया कि अपने रब की बारगाह में फिर जाइये। क्योंकि आपकी उम्मत इसको भी बर्दाश्त न कर सकेगी, फिर मैं बार बार आया गया पस अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि ये नमाज़ें (अमल में) पाँच हैं और

بِالنَّبِيِّ ﷺ يَأْتِرِينَ قَال: ((مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ
الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ، لَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟
قَالَ هَذَا إِدْرِيسُ. ثُمَّ مَرَزْتُ بِمُوسَى
لَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ
الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا
مُوسَى. ثُمَّ مَرَزْتُ بِعِيسَى لَقَالَ: مَرْحَبًا
بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ
هَذَا؟ قَالَ هَذَا عِيسَى. ثُمَّ مَرَزْتُ بِإِبْرَاهِيمَ
لَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ
الصَّالِحِ. قُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ
ﷺ)). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَتْمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَا
يَقُولَانِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((ثُمَّ غَرَجَ بِي
حَتَّى ظَهَرَتْ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيْفَ
الْأَقْلَامِ)). قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ أُمَّتِي
خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى
مَرَزْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهُ
لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ
صَلَاةً. قَالَ: فَارْجِعْ إِلَيَّ رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ
لَا تُطِيقُ ذَلِكَ. فَرَأَجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا.
فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا،
لَقَالَ: رَاجِعْ رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ.
فَرَأَجَعْتُ، فَوَضَعَ شَطْرَهَا. فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ
لَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيَّ رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا
تُطِيقُ ذَلِكَ. فَرَأَجَعْتُهُ فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ
وَهِيَ خَمْسُونَ، لَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيْ.

(प्रवाब में) पचास (के बराबर) हैं। मेरी बात बदली नहीं जाती। अब मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने फिर कहा कि अपने रब के पास जाओ। लेकिन मैंने कहा कि मुझे अब अपने रब से शर्म आती है। फिर जिब्रईल मुझे सिदरतुल मुंतहा तक ले गए जिसे कई तरह के रंगों में ढांक रखा था। जिनके बारे में मुझे मा'लूम नहीं हुआ कि वो क्या है उसके बाद मुझे जन्नत में ले जाया गया, मैंने देखा कि इसमें मोतियों के हार हैं और उसकी मिट्टी मुश्क की है। (दीगर मक़ाम : 1636, 3342)

فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ : رَاجِعْ رَبِّكَ.
فَقُلْتُ : اسْتَحَيْتُ مِنْ رَبِّي. ثُمَّ انْطَلَقَ
بِي حَتَّىٰ انْتَهَىٰ بِي إِلَىٰ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ،
وَعَشِيهَا أَلْوَانٌ لَا أُدْرِي مَا هِيَ. ثُمَّ
أَدْخَلْتُ الْجَنَّةَ، لِإِذَا فِيهَا حَبَائِلُ اللُّؤْلُؤِ،
وَإِذَا تَرَائِبُهَا الْمِسْكُ)).

[طرفاه في : 1636, 3342].

तशरीह : मेअराज का वाकिआ कुआन मजीद की सूरह बनी इस्राईल और सूरह नज्म के शुरू में बयान हुआ है और अहदीष में इस क़षरत के साथ इसका ज़िक्र है कि इसे तवातुर का दर्जा दिया जा सकता है। सलफे उम्मत का इस पर इतिफाक है कि आँहज़रत (ﷺ) को मेअराज जाने में बदन और रूह के साथ हुआ। सीन-ए-मुबारक चाक करके आबे जमजम से धोकर हिकमत ओर ईमान से भरकर आपको आसमानी दुनिया की सैर करने के क़ाबिल बना दिया गया, ये शक़े सदर (सीना चाक किया जाना) दो बार है।

एक बार पहले रजाअत (दूध पीने के दौरान) में भी आप का सीना चाक करके इल्मो हिकमत व अनवारे तजल्लियात से भर दिया गया था। दूसरी रिवायात की बिना पर आप (ﷺ) ने पहले आसमान पर हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) से, दूसरे आसमान पर हज़रत यह्या अलैहिस्सलाम से, तीसरे पर हज़रत युसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से, पाँचवे आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से और सातवें आसमान पर सय्यिदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात फर्माई। जब आप मक़ामे आला पर पहुंच गये तो आप (ﷺ) ने वहाँ फरिश्तों की कलमों की आवाज सुनी और मुताबिके आयत शरीफ़ा व लकद रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा (अन् नज्म : 18) आपने मक़ामे-आला में बहुत सी चीज़ें देखी। वहाँ अल्लाह पाक ने आप (ﷺ) की उम्मत पर पचास वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ की। फिर आपके नौ बार आने-जाने के सदके में सिर्फ़ पाँच वक़्त की नमाज़ बाकी रह गई मगर प्रवाब में वो पचास के बराबर है। बाब का तर्जुमा यहां से निकलता है कि नमाज़ मेअराज की रात में इस तफ़्सील के साथ फ़र्ज़ हुई।

सिदरतुल मुन्तहा सातवें आसमान पर एक बेरी का दरख्त है जिसकी जड़ें छठे आसमान तक हैं। फरिश्ते वहीं तक जा सकते हैं, आगे जाने की उनकी मजाल नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) फर्माते हैं कि मुन्तहा उसको इसलिये कहते हैं कि ऊपर से जो अहकाम आते हैं वो वहाँ आकर ठहर जाते हैं और नीचे से जो कुछ जाता है वो भी इससे आगे नहीं बढ़ सकता।

मेअराज की तफ़्सीलात अपने मक़ाम पर बयान की जाएगी आसमानों का वुजूद है जिस पर सारी कुतुबे समाविय्या और तमाम अंबिय-ए-किराम का इतिफाक है, मगर इसकी कैफियत और हक़ीक़त अल्लाह ही बेहतर जानता है। जिस क़दर बतला दिया गया है उस पर ईमान लाना ज़रूरी है और दार्शनिक और आजकल के साइन्स वाले जो आसमान का इन्कार करते हैं, उनके क़ौले बातिल पर हर्गिज कान न लगाने चाहिए।

(350) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें ख़बर दी इमाम मालिक ने झालेह बिन कैसान से, उन्होंने इब्ना बिन जुबैर से, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि अल्लाह तआला ने पहले नमाज़ में दो-दो रक़अत फ़र्ज़ की थी। सफ़र में भी और इक़ामत की हालत में भी। फिर सफ़र की नमाज़ तो अपनी हालत पर बाकी

٢٥٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ
قَالَتْ : فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا
رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ،

रखी गई और हालते इक्रामत की नमाज़ों में ज़्यादाती कर दी गई।

(दीगर मक़ाम : 1090, 3935)

बाब 2 : इस बयान में कि कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ना वाजिब है

(सूरह अत्राफ़ में) अल्लाह अज़्ज व जल्ल का हुक्म है कि तुम कपड़े पहना करो हर नमाज़ के समय और जो एक ही कपड़ा बदन पर लपेटकर नमाज़ पढ़े (उसने भी फ़र्ज़ अदा कर लिया) और सलमाबिन अक्वा से मन्कूल है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि (अगर एक ही कपड़े में नमाज़ पढ़े तो) अपने कपड़े को टाँक ले अगरचे काटे ही से टाँकना पड़े, इसकी सनद में गुफ्तगू है और वो शख्स जो उसी कपड़े में नमाज़ पढ़ता है जिसे पहनकर वो जिमाअ करता है (तो नमाज़ दुरुस्त है) जब तक वो उसमें कोई गंदगी न देखे और नबी करीम (ﷺ) ने हुक्म दिया था कि कोई नंगा बैतुल्लाह का तवाफ़ न करे।

तशीह :

आयते शरीफा 'खुजू ज़ीनतकुम' अलअख़ में मस्जिद से मुराद नमाज़ है। बकौल हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास एक औरत खान-ए-का'बा का तवाफ़ नंगी होकर कर रही थी कि ये आयते शरीफा नाजिल हुई मुशिकीने-मक्का भी उमूमन तवाफ़े का'बा नंगे होकर किया करते थे। इस्लाम ने इस हरकत से सख्ती के साथ रोका और नमाज़ के लिये मस्जिद में आते वक़्त कपड़े पहनने का हुक्म फ़र्माया 'खुजू ज़ीनतकुम' में ज़ीनत से सतरपोशी ही मुराद है जैसा कि मशहूर मुफ़स्सिरे कुआन हज़रत मुजाहिद ने इस बारे में उम्मत का इजमाअ व इत्तिफ़ाक़ नक़ल किया है। लफ़्जे ज़ीनत में बड़ी वुसअत है जिसका मफ़हूम (भावार्थ) ये कि मस्जिद अल्लाह का दरबार है, इसमें हर मुम्किन व जाइज़ जैबो-ज़ीनत के साथ इस नियत से दाख़िल होना कि मैं अल्लाह अहकमुल हाकिमीन बादशाहों के बादशाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दाख़िल हो रहा हूँ, ऐन आदाब दरबारे खुदावन्दी में दाख़िल है। ये बात अलग है कि अगर सिर्फ़ एक ही कपड़े में नमाज़ अदा कर ली जाए बशर्ते उससे सतरपोशी कामिल तौर पर हासिल हो तो ये भी जाइज़ व दुरुस्त है।

ऐसे एक कपड़े को पहन लेने का मतलब ये है कि उसके दोनों किनारे मिलाकर उसे अटकाए। अगर घुण्डी या तुमका (बटन, हुक वगैरह) न हो तो काँट या पिन से अटका ले ताकि कपड़ा सामने से खुलने न पाए और शर्मगाह छुपी रहे। सलमाबिन अक्वा की रिवायत अबू दाऊद और इब्ने खुज़ैमा और इब्ने हिब्बान में हैं उसको सनद में इजतिराब है। इसीलिये हज़रत इमाम उसे अपनी सहीह में नहीं लाए 'व मन सल्ला फ़िफ़्त्रौ बिल्लजी' एक तवील हदीष में वारिद है जिसे अबू दाऊद और निसाई ने निकाला है कि आहज़रत (ﷺ) जिस कपड़े को पहनकर सोहबत करते अगर उसमें कुछ पलीदी न पाते तो उसी में नमाज़ पढ़ लेते थे और हदीष 'अल्ला यत्तव्वफ़ फिल बैति उर्यान' को इमाम अहमद ने रिवायत किया है। इससे मक़सद ये प्राबित करना कि जब नंगे होकर तवाफ़ करना मना हुआ तो नमाज़ ब-तरीके औला के मुताबिक़ मना है।

(351) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे यज़ीद बिन इब्राहीम ने बयान किया, वो मुहम्मद से, वो उम्मे अन्निया से, उन्होंने फ़र्माया कि हमें हुक्म हुआ कि हम ईदैन के दिन हाइज़ा और पर्दानशीन औरतों को भी बाहर ले जाएँ ताकि वो

فَأَيَّرَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ، وَزَيْدٌ فِي صَلَاةِ
الْحَضَرِ:

[طرفاه في : 1090, 3935]

۲- بَابُ وَجُوبِ الصَّلَاةِ فِي

الْغِيَابِ، وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:

﴿ خَلُّوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ وَمَنْ

صَلَّى مُتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَيَذْكَرُ عَنْ

سَلْمَةَ بْنِ الْأَخْوَعِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

((تَزْرُهُ وَكُوْ بِشَوْكَةٍ)) . فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ .

وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ مَا

لَمْ يَرَفِهِ أَذَى، وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لَا

يَطُوفَ بِالنَّبِيِّ عَرِيَانًا .

۳۵۱- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ

عَطِيَّةٍ قَالَتْ: أَمَرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحَائِضَ يَوْمَ

मुसलमानों के इज्तिमाअ और उनकी दुआओं में शरीक हो सकें अल्बत्ता हाइज़ा औरतों को नमाज़ पढ़ने की वजह से दूर रखें। एक औरत ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हममें कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जिनके पास (पर्दा करने के लिये) चादर नहीं होती। आपने फ़र्माया कि उसकी साथी औरत अपनी चादर का एक हिस्सा उसे ओढ़ा दे और अब्दुल्लाह बिन रजाअ ने कहा हमसे इमरान क़त्तान ने बयान किया, कहा हमसे मुहम्मद बिन सीरीन ने, कहा हमसे उम्मे अतिय्या ने, मैंने आँहज़रम (ﷺ) से सुना और यही हदीष बयान की। (राजेअ : 324)

الْعَيْدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَيَسْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، وَتَعْتَرِلُ الْخُيْضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ. قَالَتْ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِخْدَانًا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: ((لَتَلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا)). وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَبْرِينَ قَالَ حَدَّثَنَا أُمُّ عَطِيَّةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِهَذَا.

[راجع: 324]

तशरीह: हदीष के बाब का तर्जुमा अल्फ़ाज़ लि तुलबिसहा साहिबतहा मिन जल्बाबिहा (जिस औरत के पास कपड़ा न हो उसके साथ वाली औरत को चाहिए कि अपनी चादर ही का कोई हिस्सा उसे भी ओढ़ा दे) से निकलता है। मक़सद ये कि मस्जिद में जाते वक़्त, ईदगाह में हाज़री के वक़्त, नमाज़ पढ़ते वक़्त इतना कपड़ा ज़रूर होना चाहिए जिससे मर्द व औरत अपनी-अपनी हैषियत में सतरपोशी कर सके। इस हदीष से भी औरतों का ईदगाह जाना प्राबित हुआ।

इमाम बुखारी (रह.) ने सनद में अब्दुल्लाह बिन रजा को लाकर उस शख्स का रद्द किया जिसने कहा कि मुहम्मद बिन सीरीन ने ये हदीष उम्मे अतिय्या से नहीं सुनी बल्कि अपनी बहन हफ़सा से, उन्होंने उम्मे अतिय्या से, उसे तबरानी ने मुअजम कबीर में वस्ल किया है।

बाब 3 : नमाज़ में गुद्दी पर तहबंद बाँधने के बयान में
और अबू हाज़िम सलमा बिन दीनार ने सहल बिन सअद से रिवायत करते हुए कहा कि लोगों ने नबी (ﷺ) के साथ अपनी तहबंद कैंधों पर बाँधकर नमाज़ पढ़ी।

۳- بَابُ عَقْدِ الْإِزَارِ عَلَى الْفَقَا فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، صَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَا قِدِي أُرْوَاهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ.

(352) हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे आसिम बिन मुहम्मद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे वाक्किद बिन मुहम्मद ने मुहम्मद बिन मुंकदिर के हवाले से बयान किया, उन्होंने कहा कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने तहबंद बाँधकर नमाज़ पढ़ी, जिसे उन्होंने सर तक बाँध रखा था और आपके कपड़े खूँटी पर टंगे हुए थे। एक कहनेवाले ने कहा कि आप एक तहबंद में नमाज़ पढ़ते हैं? आपने जवाब दिया कि मैंने ऐसा इसलिये किया कि तुझ जैसा कोई अहमक़ मुझे देखे। भला रसूलल्लाह (ﷺ) के ज़माने में दो कपड़े भी किसके

۳۵۲- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي وَائِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: صَلَّى جَابِرُ لِي إِزَارًا لَدَى عَقْدِهِ مِنْ قَبْلِ قَفَاهُ وَرِثَانَهُ مَوْضُوعَةً عَلَى الشَّعْبِ. فَقَالَ لَهُ قَاتِلٌ: تَصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيُرَانِي أَحَقُّ مِمَّنْكَ. وَإِنِّي كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَقْدِ

पास थे? (दीगर मक़ाम : 353, 361, 370)

النبي ﷺ ۹.

(353) हमसे अबू मुसअब बिन अब्दुल्लाह बिन मुतरफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुरहमान बिन अबी अल्मवाली ने बयान किया, उन्होंने मुहम्मद बिन मुंकदिर से, उन्होंने कहा कि मैंने जाबिर (रज़ि.) को एक कपड़े में नमाज़ पढ़ते हुए देखा और उन्होंने बतलाया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को भी एक ही कपड़े में नमाज़ पढ़ते देखा था। (राजेअ : 352)

[أطرافه في : ۳۵۳، ۳۶۱، ۳۷۰.]

۳۵۳- حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَبُو مُصَنَّبٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْعَوَالِي عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ

يُصَلِّيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ

ﷺ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبٍ. [راجع : ۳۵۲]

इस हदीष का ज़ाहिर में इस बाब से कोई तअल्लुक नहीं मा'लूम होता। इमाम बुखारी (रह.) ने इसे यहाँ इसलिये नक़ल किया कि अगली रिवायत में आँहज़रत (ﷺ) का एक कपड़े में नमाज़ पढ़ना साफ़ मज़कूर न था, इसमें साफ़-साफ़ मज़कूर है।

तशरीह : रसूले करीम (ﷺ) के जमाने में अक़बर लोगों के पास एक ही कपड़ा होता था, उसी में वो सतरपोशी करके नमाज़ पढ़ते। हज़रत जाबिर (रह.) ने कपड़े मौजूद होने के बावजूद इसीलिये एक कपड़े में नमाज़ अदा की ताकि लोगों को इसका जवाज़ मा'लूम हो जाए। बहुत से देहात में खासतौर पर खाना-बदोश कबाइल में ऐसे लोग अब भी मिल सकते हैं जो सर से पैर सिर्फ़ एक ही चादर या कम्बल का तहबन्द व कुर्ता बना लेते हैं और उसी से सतरपोशी कर लेते हैं। इस्लाम में नमाज़ अदा करने के लिये ऐसे सब लोगों के लिये गुञ्जाइश रखी गई है।

बाब 4 : इस बारे में कि सिर्फ़ एक कपड़े को बदन पर लपेटकर नमाज़ पढ़ना जाइज़ व दुरुस्त है

۴- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

مُتَحِفًا بِهِ

وَ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ : الْمُتَحِفُ

الْمَوْشَعُ، وَهُوَ الْمُخَالَفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى

عَاقِبَتَيْهِ، وَهُوَ الْإِشْتِمَالُ عَلَى مَنْكَبَيْهِ. قَالَ:

قَالَتْ أُمُّ هَانِيَةَ : اتَّحَفَ النَّبِيُّ ﷺ بِثَوْبٍ

وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاقِبَتَيْهِ.

۳۵۴- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ :

أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ

أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي ثَوْبٍ

وَاحِدٍ لَقَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

[أطرافه في : ۳۵۵، ۳۵۶.]

इमाम जुहरी ने अपनी हदीष में कहा कि मुलतहिफ़ मुतवशशह को कहते हैं, जो अपनी चादर के एक हिस्से को दूसरे काँधे पर डाल ले और दूसरे हिस्से को पहले काँधे पर डाल ले और वो दोनों काँधों को (चादर से) ढांक लेता है। उम्मे हानी ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने एक चादर ओढ़ी और उसके दोनों किनारों को उसके मुखालिफ़ तरफ़ के काँधों पर डाला।

(354) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुषन्नाने बयान किया, कहा हमसे हिशाम बिन उर्वाने अपने वालिद के हवाले से बयान किया, वो उमर बिन अबी सलमा से कि नबी करीम (ﷺ) ने एक कपड़े में नमाज़ पढ़ी और आपने कपड़े के दोनों किनारों को मुखालिफ़ तरफ़ के काँधे पर डाल लिया। (दीगर मक़ाम : 355, 356)

(355) हमसे मुहम्मद बिन मुषन्नाने बयान किया, कहा हमसे

۳۵۵- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ:

यह्या ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हिशाम ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे मेरे वालिद ने उमर बिन अबी सलमा से नक़ल करके बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) को उम्मे सलमा के घर में एक कपड़ा में नमाज़ पढ़ते हुए देखा, कपड़े के दोनों किनारों को आपने दोनों काँधों पर डाल रखा था।

(राजेअ: 354)

(356) हमसे अबू उसामा ने हिशाम के वास्ते से बयान किया, वो अपने वालिद से जिनको उमर बिन अबी सलमा ने खबर दी, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) के घर में एक कपड़े में नमाज़ पढ़ते हुए देखा। आप उसे लपेटे हुए थे और उसके दोनों किनारों को दोनों काँधों पर डाले हुए थे। (राजेअ: 354)

(357) हमसे इस्माइल बिन अबी उवैस ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक बिन अनस ने उमर बिन अबैदुल्लाह के गुलाम अबुन नज़र सालिम बिन उमय्या से कि उम्मे हानी बिनते अबी त़ालिब के गुलाम अबू मुरा यज़ीद ने बयान किया कि उन्होंने उम्मे हानी बिनते अबी त़ालिब से ये सुना। वो फ़र्माती थी कि मैं फ़तहे मक्का के मौक़े पर नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई। मैंने देखा कि आप गुस्ल कर रहे हैं और आपकी साहबज़ादी फ़ातिमा (रज़ि.) पर्दा किये हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आँहुज़ूर (ﷺ) को सलाम किया। आपने पूछा कि कौन है? मैंने बताया कि उम्मे हानी बिनते अबी त़ालिब हूँ। आपने फ़र्माया अच्छी आई हो, उम्मे हानी फिर जब (ﷺ) आप नहाने से फ़ारिग हो गये तो उठे और आठ रक़अत नमाज़ पढ़ी, एक ही कपड़े में लिपटकर। जब आप नमाज़ पढ़ चुके तो मैंने कहा कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! मेरी माँ के बेटे (अली बिन अबी त़ालिब) का दावा है कि वो एक शख़्स को ज़रूर क़त्ल करेगा, हालाँकि मैंने उसे पनाह दे रखी है। ये (मेरे शौहर) हुबैरा का फ़लाँ बेटा है। रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि उम्मे हानी जिसे तुमने पनाह दे दी, हमने भी उसे पनाह दी। उम्मे हानी ने कहा ये नमाज़ चाशत थीं। (राजेअ: 280)

حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ لَمَّا أَلْفَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. [راجع: ٣٥٤]

٣٥٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاصِفًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. [راجع: ٣٥٤]

٣٥٧- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مَرْثَةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: دَخَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتَهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ. قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((مَنْ هَذِهِ؟)) فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِيَةَ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ: ((مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيَةَ)) فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَجِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. فَلَمَّا انصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجْرْتُهُ فَلَأَنْ ابْنَ هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قَدْ أَجْرْنَا مَنْ أَجْرْتَ يَا أُمَّ هَانِيَةَ)) قَالَتْ أُمُّ هَانِيَةَ: وَذَلِكَ ضَحَى.

[راجع: 280]

तशीह:

हज़रत अली (रज़ि.) उम्मे हानी के सगे भाई थे। एक बाप, एक माँ। उनको माँ का बेटा इसलिये कहा कि मादरी भाई-बहन एक-दूसरे पर बहुत मेहरबान होते हैं। गोया उम्मे हानी ये जाहिर कर रही है कि हज़रत अली (रज़ि.) मेरे सगे भाई होने के बावजूद मुझ पर मेहरबानी नहीं करते। हुबैरा का बेटा जअदा नाम था जो अभी बहुत छोटा था। उसे हज़रत अली (रज़ि.) मारने का इरादा क्यों करते? इब्ने हिशाम ने कहा उम्मे हानी ने हारिष बिन हिशाम और जुहैर बिन अबी उमय्या या अब्दुल्लाह बिन रबीआ को पनाह दी थी। ये लोग हुबैरा के चचाजाद भाई थे। शायद फलां बिन हुबैरा में रावी की भूल से उम्म का लफ़ज़ छूट गया है यानी दरअसल फलां बिन उम्मे हुबैरा है।

हुबैरा बिन अबी वहब बिन अमर मखजूमि उम्मे हानी बिनते अबी तालिब के खाविन्द थे, जिनकी औलाद में एक बच्चे का नाम हानी भी है जिनकी कुन्नियत से उस खातून को उम्मे हानी से पुकारा गया। हुबैरा हालते शिर्क ही में मर गए उनका बच्चा जअदा नामी था जो उम्मे हानी ही के बतन से है जिनका ऊपर ज़िक्र हुआ, फ़तहे मक्का के दिन उम्मे हानी ने इन्हीं को पनाह दी थी। इनके लिये आँहज़रत (ﷺ) ने इनकी पनाह को कुबूल फ़र्माया। आप उस वक़्त चाशत की नमाज़ पढ़ रहे थे। बाज़ के नज़दीक ये फ़तहे मक्का पर शुक्रिया की नमाज़ थी।

(358) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इमाम मालिक ने इब्ने शिहाब के वास्ते से ख़बर दी, वो सईद बिन मुसय्यिब से नक़ल करते हैं, वो हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि एक पूछने वाले ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से एक कपड़े में नमाज़ पढ़ने के बारे में पूछ तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया (कुछ बुरा नहीं) भला क्या तुम सबमें हर शख़्स के पास दो कपड़े हैं?

(दीगर मक़ाम: 365)

۳۵۸- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَوْ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟)). [طرفه في: 365].

एक ही कपड़ा जिससे सतरपोशी हो सके उसमें नमाज़ जायज दुरूस्त है। जुम्हूरे उम्मत का यही फत्वा है।

जब 5 : एक कपड़े में नमाज़ पढ़े तो उसको मूँटों पर डाले

(359) हमसे अबू आसिम जिहाक बिन मुखलद ने इमाम मालिक (रह.) के हवाले से बयान किया, उन्होंने अबुज्जिनाद से, उन्होंने अब्दुर्रहमान अअरज से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि किसी शख़्स को भी एक कपड़े में नमाज़ इस तरह न पढ़नी चाहिए कि उसके कैंधों पर कुछ न हो। (दीगर मक़ाम: 360)

(360) हमसे अबू नुऐम फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, कहा हमसे शैबान बिन अब्दुर्रहमान ने यह्या बिन अबी क़प्पीर के वास्ते से, उन्होंने इकरमा से यह्या ने कहा मैंने इकरमा से सुना या मैंने उनसे पूछा था। तो इकरमा ने कहा कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना,

۵- بَابُ إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ

الوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

۳۵۹- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ)). [طرفه في: 360].

۳۶۰- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ نَالَ: سَمِعْتُهُ - أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ - قَالَ:

वो फ़र्माते थे। मैं इसकी गवाही देता हूँ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को मैंने ये इशारा दे फ़र्माते हुए सुना है कि जो शख्स एक कपड़े में नमाज़ पढ़ता है उसे कपड़े के दोनों किनारों को मुखालिफ़ सिम्त के काँधों पर डाल लेना चाहिए।

(राजेअ: 359)

इस्तिहाफ और तौशीह और इश्तिमाल सबका एक ही मतलब है यानी कपड़े का वो किनारा जो दाएँ काँधे पर हो उसको बाएँ हाथ की बगल से और जो बाएँ काँधे पर डाला हो उसको दाहिने हाथ की बगल के नीचे से निकालकर दोनों किनारों को मिलाकर सीने पर बाँध लेना। यहां भी मुखालिफ़ सिम्त (विपरीत दिशाओं से) से यही मुराद है।

बाब 6 : जब कपड़ा तंग हो तो क्या क्या जाए?

(361) हमसे यह्या बिन सल्लेह ने बयान किया, कहा हमसे फुलैह बिन सुलैमान ने, वो सईद बिन हारिष से, कहा हमने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से एक कपड़े में नमाज़ पढ़ने के बारे में पूछा तो आपने फ़र्माया कि मैं नबी करीम (ﷺ) के साथ एक सफ़र (गज़व—ए—बवात्त) में गया। एक रात में किसी ज़रूरत की वजह से आपके पास आया। मैंने देखा कि आप (ﷺ) नमाज़ में मशगूल हैं, उस समय मेरे बदन पर सिर्फ़ एक ही कपड़ा था। इसलिये मैंने उसे लपेट लिया और आपके बाज़ू में खड़े होकर मैं भी नमाज़ में शामिल हो गया। जब आप (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग हुए तो पूछा कि जाबिर इस रात के समय कैसे आए? मैंने आप (ﷺ) से अपनी ज़रूरत के बारे में बताया। मैं जब फ़ारिग हो गया तो आप (ﷺ) ने पूछा ये तुमने क्या लपेट रखा था जिसे मैंने देखा। मैंने कहा कि (एक ही) कपड़ा था (इस तरह न लपेटता तो क्या करता) आपने फ़र्माया कि अगर वो कुशादा हो तो अच्छी तरह लपेट लिया कर और अगर तंग हो तो उसको तहबंद के तौर पर बाँध लिया कर।

(राजेअ: 361)

तशरीह:

आँहज़रत (ﷺ) जाबिर पर इस वजह से इन्कार फ़र्माया कि उन्होंने कपड़े को सारे बदन पर इस तरह से लपेट रखा होगा कि हाथ वगैरह सब अन्दर बन्द हो गए होंगे इसी को आप (ﷺ) ने मना फ़र्माया। इसी को इश्तिमाले समाज कहते हैं, मुस्लिम की रिवायत से मा'लूम होता है कि वो कपड़ा तंग था और जाबिर ने उसके दोनों किनारों में मुखालिफ़त की थी और नमाज़ में झुके हुए थे ताकि सतर न खुले। आँहज़रत (ﷺ) ने उनको बतलाया कि ये सूरत जब है जब कपड़ा फराख (कुशादा) हो, अगर तंग हो तो सिर्फ़ तहबन्द कर लेना चाहिए।

(362) हमसे मुसहद ने बयान किया, कहा हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने, उन्होंने सुफ़यान शौरी से, उन्होंने कहा मुझसे अबू

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ صَلَّى لِي تَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ)).

[راجع: ٣٥٩]

٦- بَابُ إِذَا كَانَ التَّوْبُ ضَيِّقًا

٣٦١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْخَارِثِ قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لِي بَعْضُ أَسْفَارِهِ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، وَعَلَى تَوْبٍ وَاحِدٍ فَاشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ إِلَيْهِ جَابِرٍ. فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ: ((مَا السُّرَى يَا جَابِرُ؟)) فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي. فَلَمَّا لَوَغْتُ قَالَ: ((مَا هَذَا الْإِسْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟)) قُلْتُ: كَانَ تَوْبًا قَالَ: ((لَئِنْ كَانَ وَاسِعًا فَاتَّحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّرِزْ بِهِ)).

[راجع: ٣٦١]

٣٦٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

हाज़िम सलमा बिन दीनार ने बयान किया सहल बिन सअद सअदी से, उन्होंने कहा कि कई आदमी नबी करीम (ﷺ) के साथ बच्चों की तरह अपनी गर्दनों पर इज़ारें बाँधे हुए नमाज़ पढ़ते थे और औरतों को (आपके ज़माने में) हुक्म था कि अपने सरों को (सज्दे से) उस समय तक न उठाएँ जब तक कि मर्द सीधे होकर बैठ न जाएँ।

(दीगर मक़ाम : 814, 1215)

क्योंकि मर्दों के बैठ जाने से पहले सर उठाने में कहीं औरतों की नजर मर्दों के सतर पर न पड़ जाए इसीलिये औरतों को पहले सर उठाने से मना फ़र्माया। उस ज़माने में औरतें भी मर्दों के साथ नमाज़ों में शरीक होती थी और मर्दों का लिबास भी इसी किस्म का होता था। आजकल ये सूत्रें नहीं हैं, फिर औरतों के लिये अब ईदगाह में भी पर्दे का बेहतरीन इन्तेजाम कर दिया जाता है।

बाब 7 : शाम के बने हुए चोगे में नमाज़ पढ़ने के बयान में

इमाम हसन बसरी (रह.) ने फ़र्माया कि जिन कपड़ों को पारसी बुनते हैं उसके इस्तेमाल करने में कोई क़बाहत नहीं। मअमर राशिद ने फ़र्माया कि मैंने इब्ने शिहाब जुहरी को यमन के कपड़े को पहने देखा जो (हलाल जानवरों के) पेशाब से रंग जाते थे और अली बिन अबी तालिब ने नए बग़ैर धुले कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ी।

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का मक़सद ये है कि शाम में उन दिनों काफ़िरों की हुक्मत थी ओर वहां से मुख्तलिफ़ किस्मों के कपड़े यहाँ मदीना में आया करते थे, इसलिये इन मसाइल के बयान की ज़रूरत हुई। पेशाब से हलाल जानवरों का पेशाब मुराद है जिसको रंगाई के मसालों में डाला जाता था।

(363) हमसे यह्या बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमसे अबू मुआविया ने अअमश के वास्ते से, उन्होंने ने मुस्लिम बिन सबीह से, उन्होंने मसरूक बिन अज्दअ से, उन्होंने मुगीरह बिन शुअबा से, आपने फ़र्माया कि मैं नबी करीम (ﷺ) के साथ एक सफ़र (गज़व-ए-तबूक) में था। आपने एक मौक़े पर फ़र्माया। मुगीरह! पानी की छागल उठा ले। मैंने उसे उठा लिया। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) चले और मेरी नज़रों से छुप गए। आपने क़ज़ा-ए-हाजत की। उस समय आप शामी जुब्बा पहने हुए थे। आप हाथ खोलने के लिये आस्तीन ऊपर चढ़ाना चाहते थे लेकिन वो तंग थी इसलिये आस्तीन के अंदर से हाथ निकाला। मैंने आपके हाथों

عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَاقِدِي أَرْهَمٍ عَلَى اغْنَائِهِمْ كَهَيْئَةِ الصَّيَّانِ، يُقَالُ لِلنِّسَاءِ: ((لَا تَرَفَعْنَ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرَّجَالُ جُلُوسًا)). [طرفاه في : ٨١٤ ، ١٢١٥].

٧- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْجَبَةِ الشَّامِيَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الثِّيَابِ يَنْسُجُهَا الْمَجُوسُ لَمْ يَرِ بِهَا بَأْسًا، وَقَالَ مَعْمَرٌ: رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ الْيَمَنِ مَا صَبِغَ بِالْبَوْلِ. وَصَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي ثَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُورٍ.

٣٦٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: ((يَا مُغِيرَةَ خُذِ الْإِدَاوَةَ)). فَأَخَذْتُهَا. فَنَاطَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَةٌ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَصَافَتْ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا،

पर पानी डाला। आप (ﷺ) नमाज़ के वुजू की तरह वुजू किया और अपने खुफ़ैन (मौजों) पर मसह किया, फिर नमाज़ पढ़ी। (राजेअ: 182)

बाब 8 : (बेज़रूरत) नंगा होने की कराहियत नमाज़ में हो (या किसी और हाल में)

(364) हमसे मत्तर बिन फ़ज़ल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे रौह बिन उबादा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे ज़करिया बिन इस्हाक़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अमर बिन दीनार ने, उन्होंने कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी (रज़ि.) से सुना, वो बयान करते थे किरसूलुल्लाह (ﷺ) (नुबुव्वत से पहले) का'बा के लिये कुरैश के साथ पत्थर ढो रहे थे। उस समय आप तहबंद बाँधे हुए थे। आप (ﷺ) के चचा अब्बास ने कहा कि भतीजे क्यों नहीं तुम तहबंद खोल लेते और उसे पत्थर के नीचे अपने काँधे पर रख लेते (ताकि तुम पर आसानी हो जाए) हज़रत जाबिर ने कहा कि आप (ﷺ) ने तहबंद खोल लिया और काँधे पर रख लिया। उसी समय ग़श खाकर गिर पड़े। उसके बाद आप (ﷺ) कभी नंगे नहीं देखे गये।

(दीगर मक़ाम: 1582, 3829)

तशरीह:

अल्लाह तआला ने आपको बचपन ही से बेशर्मी और तमाम किस्म की बुराइयों से बचाया था। आप (ﷺ) के गिजाजे अकदस में कुंआरी औरतों से भी ज़्यादा शर्म थी। हज़रत जाबिर (रह.) ने हुज़ूर (ﷺ) से ये वाकिआ सुना और नकल किया। एक रिवायत में ये भी है कि एक फरिश्ता उतरा और उसने फौरन आपका तहबन्द बान्ध दिया। (इर्शादुस्सारी)

ईमान के बाद सबसे बड़ा फरीजा सतरपोशी का है जो नमाज़ के लिये एक ज़रूरी शर्त है। मियां-बीवी का एक दूसरे के सामने बेपर्दा हो जाना अमरे दीगर (अलग काम) है।

बाब 9 : क़मीस और पाजामा और जांघिया और क़बा (चोगा) पहनकर नमाज़ पढ़ने के बयान में

(365) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने अय्यूब के वास्ते से, उन्होंने मुहम्मद से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि एक शख्स नबी (ﷺ) के सामने खड़ा हुआ और उसने एक कपड़ा पहनकर नमाज़

فَصَبَّتْ عَلَيْهِ فَتَرَضًا وَضُوءًا لِلصَّلَاةِ،
وَمَسَحَ عَلَى خَفِيهِ، ثُمَّ صَلَّى.

[راجع: ١٨٢]

8- بَابُ كِبْرَاهِيَةِ التَّعْرِي فِي الصَّلَاةِ

٣٦٤- حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ:
حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ
إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ:
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ
لِلْكَتْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ
عَمُّهُ: يَا ابْنَ أَحِي لَوْ خَلَلْتَ إِزَارَكَ
فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكَبِكَ ذُونَ الْحِجَارَةِ.
قَالَ: فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكَبِيهِ، فَسَقَطَ
مَنْشِيًّا عَلَيْهِ، فَمَا رَأَيْتِي بَعْدَ ذَلِكَ غُرَيَانَا
[طرفاه في: ١٥٨٢، ٣٨٢٩].

9- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ

وَالسَّرَاوِيلِ وَالتَّبَانِ وَالْقَبَاءِ

٣٦٥- حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى

पढ़ने के बारे में सवाल किया। आपने फ़र्माया कि क्या तुम सब ही लोगों के पास दो कपड़े हो सकते हैं? फिर (यही मसला) हज़रत उमर (रज़ि.) से एक शख्स ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जब अल्लाह तआला ने तुम्हें फ़रागत दी है तो तुम भी फ़रागत के साथ रहो। आदमी को चाहिए कि नमाज़ में अपने कपड़े को इकट्ठा कर ले, कोई आदमी तहबंद और चादर में नमाज़ पढ़े, कोई तहबंद और क़मीस, कोई तहबंद और क़बा में, कोई पाजामा और चादर में, कोई पाजामा और क़मीस में, कोई पाजामा और क़बा में, कोई जांघिया और क़बा में, कोई जांघिया और क़मीस में नमाज़ पढ़े। अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा कि मुझे याद आता है कि आपने ये भी कहा कि कोई जांघिया और चादर में नमाज़ पढ़े।

(राजेअ : 358)

النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَّاحِدِ، فَقَالَ: ((أَوْ كَلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ)). ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ، فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا: جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلٍ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلٍ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلٍ وَقَبَاءٍ، فِي ثِيَابٍ وَقَمِيصٍ، - قَالَ: وَأَخْسَبُهُ قَالَ - فِي ثِيَابٍ وَرِدَاءٍ.

[راجع: ٣٥٨]

तशरीह: इसमें हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को शक था कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने ये आखिर का लफ़्ज़ कहा था या नहीं, क्योंकि महज़ जांघिया से सतरपोशी नहीं होती है। उस पर ऐसा कपड़ा हो जिससे सतरपोशी कामिल तौर पर हासिल हो जाए तो जायज़ है और यहां यही मुराद है, फ़स्सत्कू बिही हासिलुन मअल क़बा व मअल क़मीस (क़स्तलानी) चोगा या लम्बी कमीस पहन कर उसके साथ सतरपोशी हो जाती है।

(366) हमसे आसिम बिन अली ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्ने अबी ज़िब ने जुहरी के हवाले से बयान किया, उन्होंने सालिम से, उन्होंने इब्ने उमर (रज़ि.) से, उन्होंने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से एक आदमी ने पूछा कि एहराम बाँधने वाले को क्या पहनना चाहिए। तो आपने फ़र्माया कि न क़मीस पहने न पाजामा, न बारान कोट और न ऐसा कपड़ा जिसमें जा'फ़रान लगा हुआ हो और न वर्स लगा हुआ कपड़ा, फिर अगर किसी शख्स को जूतियाँ न मिलें (जिनमें पांव खुला रहता हो) वो मोज़े काटकर पहन ले ताकि वो टखनों से नीचे हो जाएँ और इब्ने अबी ज़िब ने इस हदीष को नाफ़ेअ से भी रिवायत किया, उन्होंने ऐसा ही आ'हज़रत (ﷺ) से भी रिवायत किया है।

(राजेअ : 134)

٣٦٦ - حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ذُنَبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: ((لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الثَّرَنَسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الزُّعْفَرَانُ وَلَا وَرْسٌ. لَمَنْ لَمْ يَجِدِ الثَّغْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخَفَيْنِ وَلْيَقَطْعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)). وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

[راجع: ١٣٤]

वर्स नामी एक पीले रंग वाली खुश्बूदार घास यमन में होती थी जिससे कपड़े रंगे जाते थे। मुनासबत इस हदीष के बाब से ये है कि मुहरिम को एहराम की हालत में इन चीजों के पहनने से मना फ़र्माया मा'लूम हुआ कि एहराम के अलावा दीगर हालतों में इन सबको पहना जा सकता है। यहाँ तक कि नमाज़ में भी, यही बाब का तर्जुमा है। हाफ़िज़ इब्ने हज़र फर्माते हैं कि इस हदीष को यहां बयान करने से मक़सद ये है कि कमीस और पाजामे के बग़ैर भी (बशर्तों की सतरपोशी हासिल हो) नमाज़ दुरूस्त है क्योंकि मुहरिम इनको नहीं पहन सकता और आखिर वो नमाज़ जरूर पढ़ेगा।

बाब 10 : औरत (यानी सतर) का बयान जिसको ढांकना चाहिये

(367) हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे लैब ने इब्ने शिहाब से बयान किया, उन्होंने अबू सईद खुदरी से कि नबी करीम (ﷺ) ने सम्माअ की तरह कपड़ा बदन पर लपेट लेने से मना किया और इससे भी मना फर्माया कि आदमी एक कपड़े में एहतिबाअ करे और उसकी शर्मगाह पर अलग से कोई दूसरा कपड़ा न हो।

(दीगर मक़ाम : 1991, 2144, 2147, 5820, 5822, 6284)

۱۰- بَابُ مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

۳۶۷- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اسْتِعْمَالِ الصَّمَاءِ، وَأَنْ يَخْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

[أطرافه في : ۱۹۹۱، ۲۱۴۴، ۲۱۴۷،

۵۸۲۰، ۵۸۲۲، ۶۲۸۴.]

तशरीह :

एहतबा का मतलब ये कि उकड़ बैठकर पिण्डलियों और पीठ को किसी कपड़े से बाँध लिया जाए। इसके बाद कोई कपड़ा ओढ़ लिया जाए। अरब अपनी मजलिसों में ऐसे भी बैठा करते थे। चूँकि इस सूत में बे-पर्दा होने का अन्देशा था इसलिये इस्लाम ने इस तरह बैठने की मुमानअत कर दी।

इश्तिमाले सम्माअ ये है कि कपड़े को लपेट ले और एक तरफ से उसको उठाकर कन्धे पर डाल ले। इसमें शर्मगाह खुल जाती है। इसलिये मना हुआ, एक कपड़े में गोटा मारकर बैठना उसको कहते हैं कि दोनों सुरीन (कूल्हों) को जमीन से लगा दे और दोनों पिण्डलियां खड़ी कर दे, इसमें भी शर्मगाह के खुलने का खतरा है, इसलिये इस तरह बैठना भी मना हुआ।

(368) हमसे कुबैसा बिन इब्बा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफयान ने बयान किया, जो अबुज्जिनाद से नक़ल करते हैं, वो अअरज से, वो हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने दो तरह की खरीदो-फ़रोख़्त से मना किया। एक तो छूने की खरीद से, दूसरे फेंकने की खरीद से और इश्तिमाले सम्माअ से (जिसका बयान ऊपर गुज़रा) और एक कपड़े में गोटा मारकर बैठने से।

(दीगर मक़ाम : 584, 588, 1991, 1992, 2145, 2146, 5819, 5821)

۳۶۸- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ عَقْبَةَ قَالَ:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ اسْتِعْمَالِ الصَّمَاءِ، وَأَنْ يَخْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي تَوْبٍ

وَاحِدٍ. [أطرافه في : ۵۸۸، ۵۸۴، ۱۹۹۱،

۱۹۹۲، ۲۱۴۵، ۲۱۴۶، ۵۸۱۹]

[۵۸۲۱]

तशरीह :

अरब में खरीद व फ़रोख़्त का एक तरीक़ा ये भी था कि खरीदने वाला अपनी आँख बन्द करके किसी चीज पर हाथ रख देता, दूसरा तरीक़ा ये है कि खुद बेचने वाला आँख बन्द करके कोई चीज खरीदने वाले की तरफ फेंक देता। इन दोनों सूतों में मुकररह कीमत पर खरीद व फ़रोख़्त हुआ करती थी। पहले को लिमास और दूसरेको नबाज कहा जाता था। ये दोनों सूत इस्लाम में नाजायज़ करार दी गईं और ये उसूल ठहराया गया कि खरीद व फ़रोख़्त में बेचने या खरीदने वाला न जानने की वजह से धोखा न खा जाए (यहां तक फर्माया कि धोखेबाजी से खरीद व फ़रोख़्त करने वाला हमारी उम्मत से नहीं है)

(369) हमसे इस्हाक़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यअकूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझे मेरे भाई इब्ने शिहाब ने अपने चचा के वास्ते से, उन्होंने कहा मुझे हुमैद बिन अब्दुरहमान बिन अफ़ ने ख़बर दी कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने फ़र्माया कि इस हज़ के मौक़े पर मुझे हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने यौमुन्नहर (ज़िलहिज्ज की दसवीं तारीख़) में ऐलान करने वालों के साथ भेजा ताकि हम मिना में इस बात का ऐलान कर दें कि इस साल के बाद कोई मुश्रिक हज़ नहीं कर सकता और कोई शख़्स नंगा होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकता। हुमैद बिन अब्दुरहमान ने कहा इसके बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अली (रज़ि.) को हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के पीछे भेजा और उन्हें हुक्म दिया कि वो सूरह बराअत पढ़कर सुना दे और उसके मज़ामीन का आम ऐलान कर दें। अबू हुरैरह (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि हज़रत अली (रज़ि.) ने हमारे साथ नहर के दिन मिना में दसवीं तारीख़ को ये सुनाया कि इस साल के बाद कोई मुश्रिक न हज़ कर सकेगा और न बैतुल्लाह का तवाफ़ कोई शख़्स नंगे होकर कर सकेगा। (दीगर मक़ाम : 1622, 3177, 4363, 4655, 4656, 4657)

बयान किये गये कामों की मुमानअत इसलिये कर दी गई थी क्योंकि बैतुल्लाह की खिदमत व हिफाज़त अब मुसलमानों के हाथ में आ गई थी।

तशरीह : जब नंगे होकर तवाफ़ करना मना हुआ तो सतरपोशी तवाफ़ में ज़रूर वाजिब होगी। इसी तरह नमाज़ में ऊपर बताए गये तरीके से सतरपोशी वाजिब होगी। सूरह तौबा के नाज़िल होने पर आँहज़रत (ﷺ) ने काफ़िरों की आगाही के लिये पहले सय्यिदिना हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (रज़ि.) को भेजा। फिर आपको ये ख़याल आया कि मुआहदा को तोड़ने का हक़ अरब के दस्तूर के मुताबिक़ उसी को है, जिसने खुद मुआहदा किया है या कोई उसके ख़ास घरवालों से होना चाहिए। इसलिये आपने पीछे से हज़रत अली (रज़ि.) को भी रवाना फ़र्मा दिया। कुरैशे मक्का की बदअहदी की आख़री मिषाल सुलह हुदैबिया थी। तय हुआ था कि एक तरफ़ मुसलमान और उनके हलीफ़ होंगे और दूसरी तरफ़ कुरैश और उनके हलीफ़; मुसलमानों के साथ क़बीला ख़ुजाआ शरीक़ हुआ और कुरैश के साथ बनू बक्र। सुलह की बुनियादी शर्त ये थी कि दस बरस तक दोनों फ़रीक़ सुलह व अमन से रहेंगे। मगर अभी दो साल भी पूरे न हुए थे कि बनू बक्र ने ख़ुजाआ पर हमला कर दिया और कुरैश ने उनकी मदद की। बनू ख़ुजाआ ने का'बा में अल्लाह के नाम पर अमान मांगी। फिर भी वो बेदेरग़ क़त्ल किए गए। सिर्फ़ चालीस आदमी बचकर मदीना पहुंचे और सारा हालज़ार पैग़म्बरे इस्लाम (ﷺ) को सुनाया। अब मुआहिदा की रु से आपके लिये ज़रूरी हो गया कि कुरैश को उनकी बदअहदी की सजा दी जाए। चुनाँचे दस हज़ार मुसलमानों के साथ आप (ﷺ) ने कूच फ़र्माया और बग़ैर किसी ख़ुरैजी के मक्का शरीफ़ फतह हो गया जिसके बाद नौ हिजरी में इस सूरह-ए-शरीफ़ की शुरूआती दस आयतें नाज़िल हुईं और आँहज़रत (ﷺ) ने पहले हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) को मुसलमानों का अमीर बनाकर भेजा। ये हज़तुल विदा से पहले का वाकिआ है। बाद में फिर हज़रत अली (रज़ि.) को मक्का शरीफ़ भेजा ताकि वो सूरह तौबा की इन आयात का खुलेआम ऐलान कर दें। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के दिल में ज़रा-सा ख़याल पैदा हुआ कि कहीं हुज़ूर नबी करीम (ﷺ) मुझ से खफ़ा तो नहीं हो गए जो बाद में हज़रत अली (रज़ि.) का भी इसी मक़सद के लिये भेजना ज़रूरी

۳۶۹- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الْإِنْبِ شَيْهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا بُرَيْدَةَ قَالَ: بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ لِي بِلَيْكِ الْحَجَّةِ لِي مُؤَدِّينَ يَوْمَ النَّخْرِ نُؤَدِّنَ بِمِيفَى: أَنْ لَا يَخُجُ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكًا وَلَا يَطُوفُ بِأَيْتِ غَرِيَّانَ. قَالَ حَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ثُمَّ أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا قَامِرَةً أَنْ يُؤَدِّنَ بِرَاءَةً. قَالَ أَبُو بُرَيْدَةَ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ لِي أَهْلَ مِيفَى يَوْمَ النَّخْرِ: لَا يَخُجُ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكًا وَلَا يَطُوفُ بِأَيْتِ غَرِيَّانَ.

[اطرافه ن : ۱۶۲۲, ۳۱۷۷, ۴۳۶۳]

[۴۶۵۷, ۴۶۵۶, ۴۶۵۵]

समझा। इस पर आपने उनको वाज़ेह फर्माया और बतलाया कि दस्तूरे अरब के तहत मुझको अली (रज़ि.) का भेजना ज़रूरी हुआ वरना आप मेरे यारे गार हैं बल्कि हौजे कौषर पर भी आप ही की दोस्ती रहेगी। रज़ियल्लाहु अन्हुम अज्मईन।

बाब 11 : इस बारे में कि बग़ैर चादर ओढ़े सिर्फ़ एक कपड़े में लिपटकर नमाज़ पढ़ना भी जाइज़ है

۱۱- بَابُ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ

(370) हमसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अज़ीज़ उवैसी ने बयान किया, कहा मुझसे अब्दुर्रहमान बिन अबिल मवाली ने मुहम्मद बिन मुकदिर से, कहा मैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। वो एक कपड़ा अपने बदन पर लपेटे हुए नमाज़ पढ़ रहे थे, हालाँकि उनकी चादर अलग रखी हुई थी। जब आप नमाज़ से फ़ारिग हुए तो हमने कहा ऐ अबू अब्दुल्लाह! आपकी चादर रखी हुई है और आप (उसे ओढ़े बग़ैर) नमाज़ पढ़ रहे हैं। उन्होंने फ़र्माया, मैंने चाहा कि तुम जैसे जाहिल लोग मुझे इस तरह नमाज़ पढ़ते देख लें, मैंने भी नबी करीम (ﷺ) को एक कपड़े में नमाज़ पढ़ते देखा था।

(राजेज़: 352)

۳۷۰- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّمَوَالِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَّحِفًا بِهِ وَرِدَاءَهُ مَوْضُوعٌ. فَلَمَّا انصَرَفَ قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تَصَلِّي وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ قَالَ نَعَمْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الْجَاهِلُونَ مِثْلَكُمْ. رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي كَذَا.

[راجع: ۳۵۲]

बाब 12 : रान के बारे में जो रिवायतें आई हैं

۱۲- بَابُ مَا يُذَكَّرُ فِي الْفَخْدِ

हज़रत इमाम अबू अब्दुल्लाह (बुखारी) ने कहा कि इब्ने अब्बास, जरहद और मुहम्मद बिन जहश ने नबी करीम (ﷺ) से ये नक़ल किया कि रान शर्मगाह है। अनस (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने (जंगे ख़ैबर में) अपनी रान खोली। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुखारी) कहते हैं कि अनस (रज़ि.) की हदीष सनद के ए'तिबार से ज़्यादा सहीह है और जर्हद की हदीष में बहुत एहतियात मल्हूज़ है। इस तरह हम इस बारे में इलमा के बाहमी इख़्तिलाफ़ से बच जाते हैं।

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَرَاهِدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ((الْفَخْدُ عَوْرَةٌ)) وَقَالَ أَنَسٌ: حَسَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَخْدِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدٌ، وَحَدِيثُ جَرَاهِدٍ أَخْوَفٌ، حَتَّى يُخْرَجَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ.

क्योंकि अगर रान बिल फ़र्ज़ सतर नहीं तब भी उसके छुपाने में कोई बुराई नहीं।

और अबू मूसा अश़अरी (रज़ि.) ने कहा कि इब्मान (रज़ि.) आए तो नबी करीम (ﷺ) ने अपने घुटने ढांक लिये और ज़ैद बिन स़ाबित ने कहा कि अल्लाह तआला ने अपने रसूल (ﷺ) पर एक बार वहा नाज़िल फ़र्माई। उस समय आप (ﷺ) की राने मुबारक मेरी रान पर थी, आपकी रान इतनी भारी हो गई थी कि मुझे अपनी रान की हड्डी टूटने का डर पैदा हो गया।

وَقَالَ أَبُو مُوسَى: غَطَى النَّبِيُّ ﷺ رُكْبَتَيْهِ حِينَ دَخَلَ عَمَّانَ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَفَخْدَهُ عَلَى فَخْدِي، فَتَقَلَّتْ عَلَيَّ حَتَّى خِيفْتُ أَنْ تُرْصَنَ فَخْدِي.

तशरीह :

हज़रत इमाम अबू हनीफा (रह.) और हज़रत इमाम शाफ़िई (रह.) वग़ैरह के नजदीक रान शर्मगाह में दाख़िल है, इसलिये उसका छुपाना वाजिब है और इब्ने अबी ज़ाईब (रह.) और इमाम दाऊद जाहिरी (रह.) और इमाम मालिक (रह.) के नजदीक रान शर्मगाह में दाख़िल नहीं है। मुहल्ला में इमाम इब्ने हज़म (रह.) ने कहा कि अगर रान शर्मगाह में दाख़िल होती तो अल्लाह पाक अपने रसूल (ﷺ) की जो मासूम और पाक थे, रान न खोलता न कोई उसको देख लेता। इमाम बुखारी (रह.) का रुज़ान भी इसी तरफ़ मा'लूम होता है, बाब के तहत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का जिस हदीष का ज़िक्र इमाम बुखारी लाए हैं, उसको तिर्मिजी और अहमद ने रिवायत किया है और जरहद की हदीष को इमाम मालिक ने मोअत्ता में और मुहम्मद बिन जहश की हदीष को हाकिम ने मुस्तदरक में और इमाम बुखारी ने तारीख में निकाला है। मगर उन सबकी सनदों में कलाम है। हज़रत अनस बिन मालिक की रिवायत यहां इमाम बुखारी (रह.) खुद लाए हैं और आपका फ़ैसला एहतियातन रान ढांकने का है, वुजूबन नहीं। आपने मुख्तलिफ़ रिवायत में ततबीक देने के लिये ये दर्मियानी रास्ता इख़्तियार फर्माया है जो आपकी कमाले दानाई की दलील है, ऐसे फुरुई इख़्तिलाफात में दर्मियानी रास्ते तलाश किए जा सकते हैं मगर उलमा के दिलों में वुसअत की ज़रूरत है, अल्लाह पैदा करे।

इमाम शौकानी (रह.) ने कहा कि रान का शर्मगाह में दाख़िल होना सही है और दलाएल से षाबित है, मगर नाफ और घटना सतर में दाख़िल नहीं है। आपकी तकरीर ये है— 'क़ालन्नववी ज़हब अक्बुरुल उलमाइ इला अन्नलफ़ख़िज औरतुन व अन अहमद व मालिक फ़ी रिवायतिल औरति अलकुबुल वहुबुरु फ़क़त व बिही क़ाल अहलुज्जाहिरी वब्नु जरीरिन वल अस्तख़री वलहक्कु अन्नल फ़ख़िज औरतुन' (नैलुल औतार जिल्द 2 पेज 62) यानी बेशतर उलमा बकौले इमाम नववी (रह.) इसी के क़ाइल है कि रान भी शर्मगाह में दाख़िल है और इमाम अहमद व इमाम मालिक की रिवायत में सिर्फ़ कुबुल और दुबुर ही शर्मगाह है, रान शर्मगाह में दाख़िल नहीं है। अहले जाहिर और इब्ने जरीर और अस्तख़री वग़ैरह का यही मसलक है। मगर हक़ ये है कि रान भी शर्मगाह में दाख़िल है, 'व क़द तुकुरिर फिल उसूलि अन्नल क़ौल अर्जहु मिनल फ़िअलि' (नैलुल औतार) यानी उसूल में ये मुकर्र हो चुका है कि जहाँ क़ौल और फ़ेअल में ज़ाहिरी तज़ाद नज़र आए वहाँ क़ौल को तरजीह दी जाएगी। पस अनेक रिवायतों में आप (ﷺ) का इश्राद, 'अल फ़ख़िज औरतुन' (यानी रान भी शर्मगाह में दाख़िल है) वारिद है। रहा आपका फ़ेअल तो हज़रत अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं— 'अर्राबिउ ग़ायतुन मा फी हाजिहिल वाकिअति अय्यकून ज़ालिक ख़ास्सन बिन्नबिय्यि (ﷺ) अल अख' यानी चौथी तावील ये भी की गई है कि इस वाक़िये की ग़ायत ये भी हो सकती है कि ये आँहज़रत (ﷺ) की खुसूसियाते तय्यिबात में से हो।

हज़रत जैद बिन षाबित (रज़ि.) जिनका ज़िक्र यहां आया है, ये अन्सारी है जो आँहज़रत (ﷺ) की तरफ से कुआन की वहा लिखने पर मामूर (नियुक्त) थे और हज़रत सिद्दीके अकबर (रज़ि.) के ज़माने में कुआन जमा करने का शफ़ (श्रेय) उनको हासिल हुआ। आँहज़रत (ﷺ) के इश्राद पर उन्होंने कुतुबे यहूद और सिरयानी ज़बान का इल्म हासिल कर लिया था और अपने इल्म व फज़्ल के लिहाज से ये सहाबा में नुमार्याँ मक़ाम रखते थे।

रिवायत में उम्महातुल मोमिनीन में से एक मुहतरमा खातून सफिया बिन्ते हुई का ज़िक्र आया है, जो एक यहूदी सरदार की साहबज़ादी थी। ये जंगे ख़ैबर में जब लौण्डी बनकर गिरफ्तार हुई तो आँहज़रत (ﷺ) ने उनके एहतराम के पेशेनजर उनको आज़ाद कर दिया और उनकी इजाज़त से आपने उनको अपने हरमे मुहतरम में दाख़िल फर्मा लिया। ख़ैबर से रवाना होकर मक़ामे सहबा पर रस्मे ड़रसी (शादी की रस्म) अदा की गई और जो कुछ लोगों के पास खाने का सामान था, उसको जमा करके दावते वलीमा की गई। खाने में सिर्फ़ पनीर, छुहारे और घी का मलीदा था। हज़रत सफिय्या (रज़ि.) सब्र व तहम्मुल और अखलाके हसना में मुमताज़ मक़ाम रखती थी, हुजूर (ﷺ) भी उनसे बेहद मुहब्बत फर्माते थे। साठ साल की उम्र में रमजान 50 हिजरी में आपकी वफात हुई। रज़िअल्लाहु अन्हा।

(371) हमसे यज़कूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे इस्माईल बिन अलिया ने कि कहा हमें अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब

— ३७१ — حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ:

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا

ने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत करके कि नबी करीम (ﷺ) गज़्व-ए-ख़ैबर में तशरीफ़ ले गये। हमने वहाँ फ़ज़्र की नमाज़ अँधेरे ही में पढ़ी। फिर नबी करीम (ﷺ) सवार हुए और अबू तलहा भी सवार हुए। मैं अबू तलहा के पीछे बैठा हुआ था। नबी (ﷺ) ने अपनी सवारी का रुख़ ख़ैबर की गलियों की तरफ़ कर दिया। मेरा घुटना नबी करीम (ﷺ) की रान से छू जाता था। फिर नबी करीम (ﷺ) ने अपनी रान से तहबंद हटाया। यहाँ तक कि मैं नबी करीम (ﷺ) की शफ़फ़ाफ़ और सफ़ेद रानों की सफ़ेदी और चमक देखने लगा। जब आप ख़ैबर की बस्ती में दाख़िल हुए तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ख़ैबर बर्बाद हो गया, जब हम किसी क़ौम के आंगन में उतर जाएँ तो डराये हुए लोगों की सुबह मनहूस हो जाती है। आपने ये तीन बार फ़र्माया, अनस ने कहा कि ख़ैबर के यहूदी लोग अपने कामों के लिये बाहर निकले ही थे कि वो चिल्ला उठे मुहम्मद (ﷺ) आ पहुँचे और अब्दुल अज़ीज़ रावी कहते हैं कि कुछ हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत करने वाले हमारे साथियों ने 'वल ख़मीस' का लफ़्ज़ भी नक़ल किया है (यानी वो चिल्ला उठे कि मुहम्मद ﷺ लश्कर लेकर पहुँच गए) पस हमने ख़ैबर लड़कर फ़तह कर लिया और क़ैदी जमा किये गए। फिर दहिया (रज़ि.) आए और कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़ैदियों में से कोई बांदी मुझे इनायत कीजिए, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जाओ बांदी ले लो। उन्होंने सफ़िया बिन्ते ह्यूथी को ले लिया। फिर एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत मे हाज़िर हुआ और कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! सफ़िया जो कुरैज़ा और नज़ीर के सरदार की बेटी हैं, उन्हें आपने दहिया को दे दिया। वो तो सिर्फ़ आप ही के लिये मुनासिब थीं। इस पर आपने फ़र्माया कि दहिया को सफ़िया के साथ बुलाओ, वो लाये गए। जब नबी करीम (ﷺ) ने उन्हें देखा तो कहा कि क़ैदियों में से कोई और बांदी ले लो। रावी ने कहा कि फिर नबी करीम (ﷺ) ने सफ़िया को आज़ाद कर दिया और उन्हें अपने निकाह में ले लिया। प्राबित बिनानी ने हज़रत अनस (रज़ि.) से पूछा कि अबू हम्ज़ा! उनका मेहर आँहुज़ूर (ﷺ) ने क्या रखा था? हज़रत अनस (रज़ि.) ने फ़र्माया कि खुद उन्हीं की आज़ादी उनका मेहर था और उसी पर आपने निकाह किया। फिर रास्ते में उम्मे सुलैम (रज़ि. हज़रत अनस रज़ि. की वालिदा) ने

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا
عِنْدَهَا صَلَاةَ الْفَدَاةِ بِمَلَسٍ، فَوَكِبَ نَبِيُّ
اللَّهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا وَدَيْفُ أَبِي
طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ لِي زُقَاقُ
خَيْبَرَ وَإِنْ رُكِنْتِي لِمَسٍّ فَيَحْدُ نَبِيُّ اللَّهِ
ﷺ. ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَن فُخْدِهِ حَتَّى إِنِّي
أَنْظُرُ إِلَى بِيَاضِ فُخْدِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ. فَلَمَّا
دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: ((اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ
خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ لَسَاءَ
صَبَاحِ الْمُنْزِلِينَ)). قَالَهَا ثَلَاثًا. قَالَ:
وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ، فَقَالُوا:
مُحَمَّدٌ؟ - قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ
أَصْحَابِنَا - وَالْخَمِيسُ يَعْنِي الْجَيْشَ.
قَالَ: فَاصْتَبَاهَا غَنَوَةٌ، فَجُمِعَ السَّبَاءُ
فَجَاءَ دِحْيَةَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ اغْطِنِي
جَارِيَةً مِنَ السَّبِيِّ. فَقَالَ: ((ادْهَبْ فَخُذْ
جَارِيَةً)). فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُثَيْبٍ. فَجَاءَ
رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ
أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُثَيْبٍ سَيِّدَةَ
قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ، لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ. قَالَ:
((ادْعُوهُ بِهَا)). فَجَاءَ بِهَا. فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا
النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ((خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبِيِّ
غَيْرَهَا)). قَالَ: فَأَعْطَاهَا النَّبِيُّ ﷺ وَ
زَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهُ نَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا
صَدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا، أَعْطَاهَا وَتَزَوَّجَهَا.
حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزْتَهَا لَهُ أُمُّ سَلِيمٍ

उन्हें दुल्हन बनाया और नबी करीम (ﷺ) के पास रात के समय भेजा। अब नबी करीम (ﷺ) दूल्हा थे, इसलिये आपने फ़र्माया कि जिसके पास भी कुछ खाने की चीज़ हो तो यहाँ लाए। आपने एक चमड़े का दस्तरख़वान बिछाया। कुछ स़हाबा ख़जूर लाए, कुछ घी। अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि मेरा ख़याल है हज़रत अनस (रज़ि.) ने सत्तू का भी ज़िक्र किया। फिर लोगों ने उनका हलवा बना लिया, ये रसूलुल्लाह (ﷺ) का वलीमा था।

(दीगर मक़ाम : 610, 947, 2228, 2235, 2889, 2893, 2943, 2944, 2945, 2991, 3085, 3086, 3367, 3647, 4083, 4084, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4211, 4212, 4213, 5085, 5159, 5169, 5387, 5425, 5528, 5968, 6185, 6363, 6369, 7333)

बाब 13 : औरत कितने कपड़ों में नमाज़ पढ़े

और इकरमाने कहा अगर औरत अपना सारा जिस्म एक ही कपड़े से ढांप ले तो भी नमाज़ दुरुस्त है।

(372) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको शुऐब ने जुहरी से ख़बर दी, कहा कि मुझे उर्वा बिन जुबैर ने ख़बर दी कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) फ़ज़्र की नमाज़ पढ़ते और आप (ﷺ) के साथ नमाज़ में कई मुसलमान औरतें अपनी चादरें ओढ़े हुए शरीके नमाज़ होतीं। फिर अपने घरों को वापस चली जाती थीं। उस समय उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था।

(दीगर मक़ाम : 578, 867, 872)

فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ غَرُوسًا، فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ وَبَسَطْ نَطْعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالسَّمْنِ، قَالَ: وَأَخْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السُّوَيْقُ. قَالَ: فَحَاسُوا حَيْسًا، فَكَانَتْ وَليمةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

[أطرافه في: ٦١٠، ٩٤٧، ٢٢٢٨، ٢٢٣٥، ٢٨٨٩، ٢٨٩٣، ٢٩٤٣، ٢٩٤٤، ٢٩٤٥، ٢٩٩١، ٣٠٨٥، ٣٠٨٦، ٣٣٦٧، ٣٦٤٧، ٤٠٨٣، ٤٠٨٤، ٤١٩٧، ٤١٩٨، ٤١٩٩، ٤٢٠٠، ٤٢٠١، ٤٢١١، ٤٢١٢، ٤٢١٣، ٥٠٨٥، ٥١٥٩، ٥١٦٩، ٥٣٨٧، ٥٤٢٥، ٥٥٢٨، ٥٩٦٨، ٦١٨٥، ٦٣٦٩، ٦٣٦٣، ٧٣٣٣.]

١٣- بَابُ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنْ الثِّيَابِ

وَقَالَ عِكْرَمَةُ: لَوْ وَاَرَتْ جَسَدَهَا فِي ثَوْبٍ جَزَاءً.

٣٧٢- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي غُرُورَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْفَجْرَ فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفَعَاتٍ فِي مَرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ. [أطرافه في: ٥٧٨، ٨٦٧، ٨٧٢.]

इस हदीस से बाब का मतलब यूनिकला कि ज़ाहिर में वो औरतें एक ही कपड़े में नमाज़ पढ़ती थी। साबित हुआ कि एक कपड़े से अगर औरत अपना सारा बदन छुपा ले तो नमाज़ दुरुस्त है। मक़सद पर्दा है वो जिस तौर पर मुकम्मल हासिल हो, सही है। कितनी ही गरीब औरतें हैं जिनको बहुत मुख़्तसर (कम) कपड़े मयस्सर होते हैं, इस्लाम में उन सबका लिहाज़ रखा गया है।

बाब 14 : हाशिया (बेल) लगे हुए कपड़ों में नमाज़ पढ़ना व उसके नक़शो—निगार को देखना

(373) हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इब्राहीम बिन सअद ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उन्होंने उर्वा से, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने एक चादर में नमाज़ पढ़ी। जिसमें नक़श व निगार (बेल—बूटे) थे। आप (ﷺ) ने उन्हें एक बार देखा। फिर जब नमाज़ पढ़ चुके तो फ़र्माया मेरी ये चादर अबू जहम (आमिर बिन हुज़ैफ़ा) के पास ले जाओ और उनकी अंबजानिया वाली चादर ले आओ, क्योंकि इस चादर ने अभी नमाज़ से मुझको ग़ाफ़िल कर दिया। और हिशाम बिन उर्वा ने अपने वालिद से रिवायत की, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया मैं नमाज़ में उसके नक़शो—निगार को देख रहा था, पस मैं डरा कि कहीं ये मुझे ग़ाफ़िल न कर दे।

(दीगर मक़ाम : 752, 5817)

तशरीह : हज़रत आमिर बिन हुज़ैफ़ा सहाबी अबू जहम ने ये नक़श व निगार वाली चादर आपको तोहफ़े में पेश की थी। आपने उसे वापस कर दिया और सादा चादर उनसे मंगा ली ताकि उनको रंज न हो कि हुज़ूर (ﷺ) ने मेरा तोहफ़ा वापस कर दिया। मा'लूम हुआ कि जो चीज नमाज़ के अन्दर खलल का सबब बन सके उसको अलेहदा करना (या हटा देना) ही अच्छा है। हिशाम बिन उर्वा की तअलीक़ को इमाम अहमद और इब्ने अबी शैबा और मुस्लिम और अबू दाऊद ने निकाला है।

बाब 15 : ऐसे कपड़े में अगर किसी ने नमाज़ पढ़ी जिस पर सलीब या मूर्ति बनी हो तो नमाज़ फ़ासिद होगी या नहीं और उसकी मुमानअत का बयान

(374) हमसे अबू मअमर ने अब्दुल्लाह बिन अमर (रज़ि.) ने बयान किया कि कहा हमसे अब्दुल वारिष बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब ने अनस (रज़ि.) से नक़ल किया कि हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास एक रंगीन बारीक पर्दा था जिसे उन्होंने अपने घर के एक तरफ़ पर्दा के लिये लटका दिया था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मेरे सामने से

١٤- بَابُ إِذَا صَلَّى فِي تَوْبٍ لَهُ

أَعْلَامٍ، وَنَظَرَ إِلَى عَلِمِهَا

٣٧٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: أَنَا

إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى

فِي خِمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَظَنَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا

نَظْرَةً، فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ: ((ادْهَبُوا

بِخِمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَاتُّوْنِي

بِأَبِيحَابِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آيْفًا عَنْ

صَلَاتِي)). وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((كُنْتُ أَنْظُرُ

إِلَى عَلِمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ

يَفْتِنَنِي)). [طرفاه في : ٧٥٢، ٥٨١٧].

١٥- بَابُ إِنْ صَلَّى فِي تَوْبٍ

مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوِيرَ هَلْ تَفْسُدُ

صَلَاتُهُ؟ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ

٣٧٤- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ

قَالَ: كَانَ قِرَامَ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ

بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَمِيطِي عَنَّا

अपना ये पर्दा हटा दो क्योंकि इस पर नक़शशुदा तस्वीरें बराबर मेरी नमाज़ में खलल-अंदाज़ होती रही है। (दीगर मक़ाम : 5959)

قِرَامِكْ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَرَأَى تَصَاوِيرَهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي. [طرفه في : ٥٩٥٩].

तशीह : गोया इस हदीष में सलीब का ज़िक्र नहीं है मगर इसका हुक्म भी वही है जो तस्वीर का है और जब लटकाने से आपने मना फर्माया तो यक़ीनन ऐसे कपड़ों का पहनना मना होगा और शायद हज़रत इमाम ने किताबुल लिबास वाली हदीष की तरफ इशारा फर्माया है जिसमें ज़िक्र है कि आप अपने घर में कोई ऐसी चीज़ न छोड़ते जिस पर सलीब बनी होती, उसको तोड़ दिया करते थे और बाब की हदीष से ये मसला प्राबित हुआ कि ऐसे कपड़े पहनना या लटकाना मना है लेकिन अगर किसी ने इत्तिफ़ाक़न पहन लिया तो नमाज़ फ़ासिद न होगी क्योंकि आपने उस नमाज़ को दोबारा नहीं लौटाया।

बाब 16 : जिसने रेशम के कोट में नमाज़

पढ़ी फिर उसे उतार दिया

(375) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया कहा कि हमसे लैष बिन सअद ने यज़ीद बिन हबीब से बयान किया, उन्होंने अबुल ख़ैर मर्रद से, उन्होंने इब्रबा बिन आमिर से, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) को एक रेशम की क़बा तोहफ़े में दी गई। उसे आपने पहना और नमाज़ पढ़ी लेकिन जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो बड़ी तेज़ी के साथ उसे उतार दिया। गोया आप उसे पहनकर नागवारी महसूस कर रहे थे। फिर आपने फ़र्माया कि ये परहेज़गारों के लायक़ नहीं है।

(दीगर मक़ाम : 8501)

तशीह : सहीह मुस्लिम की रिवायत में इतना ज़्यादा है कि हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने मुझको इसके पहनने से मना फर्मा दिया। ये कोट आपने उस वक़्त पहना होगा जब तक मर्दों को रेशमी कपड़े की हुर्मत नाजिल नहीं हुई थी। बाद में आपने सोना और रेशम के लिये ऐलान फर्मा दिया कि ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों के लिये हराम है।

बाब 17 : सुर्ख रंग के कपड़े में

नमाज़ पढ़ना

(376) हमसे मुहम्मद बिन अर्ज़रह ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्ने अबी ज़ाइद ने बयान किया और बिन अबी हुज़ैफ़ा से, उन्होंने अपने वालिद अबू जुहैफ़ा वहब बिन अब्दुल्लाह से कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को एक सुर्ख चमड़े के ख़ेमे में देखा और मैंने ये भी देखा कि बिलाल (रज़ि.) औंहुज़ूर (ﷺ) को वुजू करा रहे हैं और हर शख़्स आपके वुजू का पानी हासिल करने के लिये एक-दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी को

١٦- بَابُ مَنْ صَلَّى فِي فُرُوجِ

حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ

٣٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ غُفْبَةَ بْنِ غَامِرٍ قَالَ: أَهْدَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فُرُوجَ حَرِيرٍ فَلَبَسَهُ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَاوِرِ لَهُ وَقَالَ: ((لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ)).

[طرفه في : ٥٨٠١].

١٧- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ

الْأَخْمَرِ

٣٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَعْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جَحْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي قُبَّةِ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَتَبَدَّرُونَ ذَلِكَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ

थोड़ा सा पानी मिल जाता तो वो उसे अपने ऊपर मल लेता और अगर कोई पानी न पा सकता तो अपने साथी के हाथों की तरी ही हासिल करने की कोशिश करता। फिर मैंने बिलाल (रज़ि.) को देखा कि उन्होंने अपनी एक बछ्ठी उठाई जिसके नीचे लोहे का फल लगा हुआ था और उसे उन्होंने गाड़ दिया। नबी करीम (ﷺ) (डेरे में से) एक सुख पोशाक पहने हुए तहबंद उठाए हुए बाहर तशरीफ़ लाए और बछ्ठी की तरफ़ मुँह करके लोगों को दो रकअत नमाज़ पढ़ाई, मैंने देखा कि आदमी और जानवर बछ्ठी के परे से गुज़र रहे थे।

(राजेअ: 187)

तशरीह:

इमाम इब्ने कय़ीम (रह.) ने कहा है कि आपका ये जोड़ा उतना सुख (लाल) न था बल्कि उसमें सुख और काली धारिया थी। सुख रंग के मुता'ल्लिक़ हाफ़िज़ इब्ने हजर ने सात मजहब बयान किए हैं और कहा है कि सही ये है कि काफ़िरो या औरतों की मुशाबहत की नियत से मर्द को सुख रंग वाले कपड़े पहनना दुरुस्त नहीं है और कसम में रंगा हुआ कपड़ा मर्दों के लिये बिल इत्तिफ़ाक़ नाजाज़ है। इसी तरह लाल जीन-पोशों का इस्ते'माल जिसकी मुमानअत में साफ़ हदीष मौजूद है।

डेरे से निकलते वक़्त आपकी पिण्डलियां खुली हुई थी। सहीह मुस्लिम की रिवायत है, गोया मैं आपकी पिण्डलियों की सुफेदी देख रहा हूँ इससे ये भी मा'लूम हुआ कि सुतरा के बाहर से कोई आदमी नमाज़ के आगे से निकले तो कोई गुनाह नहीं और न (इससे) नमाज़ में खलल होता है।

बाब 18 : छत और मिम्बर और लकड़ी पर

नमाज़ के बारे में

हज़रत अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुखारी) ने फ़र्माया कि हज़रत इमाम हसन बसरी बर्फ़ पर और पुलों पर नमाज़ पढ़ने में कोई मुजाइज़ा नहीं समझते थे। ख़वाह उसके नीचे, ऊपर, सामने पेशाब ही क्यों न बह रहा हो बशर्ते कि नमाज़ी और उसके बीच में कोई आड़ हो और अबू हुरैरह (रज़ि.) ने मस्जिद की छत पर खड़े होकर इमाम की इज़्तिदा में नमाज़ पढ़ी (और वो नीचे था) और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने बर्फ़ पर नमाज़ पढ़ी।

तशरीह:

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं कि हज़रत इमाम बुखारी क़दस सिर्रुहू ने इशास फ़र्माया है कि इन सूरतों में नमाज़ दुरुस्त है और ये भी बतलाया है कि नजासत का दूर करना जो नमाज़ी पर फ़र्ज़ है उससे ये गर्ज़ है कि नमाज़ी के बदन या कपड़े से नजासत न लगे। अगर दर्मियान में कोई चीज़ हाएल हो, जैसे—लोहे का बम्बा हो या ऐसा कोई नल हो जिसके अन्दर नजासत बहर रही हो और उसके ऊपर की सतह पर जहां नजासत का कोई अषर नहीं है, वहाँ कोई नमाज़ पढ़े तो ये दुरुस्त है। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) वाले अषर को इब्ने अबी शैबा और सईद बिन मन्सूर ने निकाला है।

(377) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया,

أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصَبِّ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ. ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عَنزَةً لَهُ فَرَكَّزَهَا، وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي خَلَّةِ حَمْرَاءَ مُشَمَّرًا صَلَّى إِلَى الْعَنزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالذُّوَابَ يَمُرُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ الْعَنزَةِ.

[راجع: 187]

18 - بَابُ الصَّلَاةِ فِي السُّطُوحِ

وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَلَمْ يَرِ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجَمْدِ وَالْقَنَاطِيرِ وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ قَوْلَهَا أَوْ أَمَامَهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مَسْرَّةٌ. وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى مَقْفَرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ، وَصَلَّى ابْنُ عَمْرٍو عَلَى الطَّلْحِ.

377 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उययना ने बयान किया, कहा हमसे अबू हाज़िम सलमा बिन दीनार ने बयान किया। कहा कि लोगों ने सहल बिन सअद साएदी से पूछा कि मिम्बरे रसूल (ﷺ) किस चीज़ का था। आपने फ़र्माया कि अब (दुनिय-ए-इस्लाम में) उसके बारे में मुझसे ज़्यादा जानने वाला कोई बाक़ी नहीं रहा है। मिम्बर गाबा के झाव से बना हुआ था। फ़लाँ औरत के गुलाम फ़लाँ ने उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये बनाया था। जब वो तैयार करके (मस्जिद में) रखा गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उस पर खड़े हुए और आपने क़िब्ला की तरफ़ अपना मुँह किया और तक्बीर कही और लोग आपके पीछे खड़े हो गए। फिर आपने कुआन मजीद की आयतें पढ़ीं और रुकूअ किया। आपके पीछे तमाम लोग भी रुकूअ में चले गए। फिर आपने अपना सर उठाया। फिर उसी हालत में आप उलटे पाँव पीछे हटे। फिर ज़मीन पर सज्दा किया। फिर मिम्बर पर दोबारा तशरीफ़ लाए और क़िरअते रुकूअ की, फिर रुकूअ से सर उठाया और क़िब्ला ही की तरफ़ रुख़ किये हुए पीछे लौटे और ज़मीन पर सज्दा किया। ये है मिम्बर का क़िस्सा। इमाम अबू अब्दुल्लाह मदीनी ने कहा कि मुझसे इमाम अहमद बिन हंबल ने इस हदीष को पूछा। अली ने कहा कि मेरा मक्क़सद ये है कि नबी करीम (ﷺ) नमाज़ में लोगों से ऊँचे मुक़ाम पर खड़े होते थे इसलिये इसमें कोई हर्ज़ न होना चाहिए कि इमाम मुक्त्तदियों से ऊँची जगह पर खड़ा हो। अली बिन मदीनी कहते हैं कि मैंने इमाम अहमद बिन हंबल से कहा कि सुफ़यान बिन उययना से ये हदीष अक़र्र पूछी जाती थी, आपने भी ये हदीष उनसे सुनी है तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं।

(दीगर मक़ाम: 448, 917, 2094, 2569)

حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ : سَأَلُوا سَرْجَانَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ أُمَّيِّ شَيْءِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ : مَا بَقِيَ بِالنَّاسِ أَعْلَمُ مِنِّي ، هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ ، عَمِلَهُ فَلَانٌ مَوْلَى فَلَانَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ عَمِلَ وَوَضِعَ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ ، فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ . فَهَذَا بِشَأْنِهِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : فَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَغْلَى مِنَ النَّاسِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ أَغْلَى مِنَ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ : فَقُلْتُ : إِنْ سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كَانَ يُسْأَلُ عَنْ هَذَا كَثِيرًا فَلَمْ نَسْمَعْ مِنْهُ ؟ قَالَ : لَا .

[أطرافه في : ٤٤٨ ، ٩١٧ ، ٢٠٩٤]

[٢٠٦٩]

तशरीह:

गाबा मदीना के करीब एक गांव था। जहां झाव के दरखत बहुत उम्दा हुआ करते थे। इसी से आपके लिये मिम्बर बनाया गया था। हदीष से प्रामित हुआ कि मुक्त्तदियों से ऊँची जगह पर खड़ा हो सकता है और ये भी निकला कि इतना हटना या आगे बढ़ना नमाज़ को नहीं तोड़ता। खत्ताबी ने कहा कि आपका मिम्बर तीन सीढ़ियों का था। आप दूसरी सीढ़ी पर खड़े होंगे तो उतरने में सिर्फ़ दो कदम हुए। इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) ने जब ये हदीष अली बिन मदीनी से सुनी तो अपना मस्लक यही करार दिया कि इमाम मुक्त्तदियों से बुलन्द खड़ा हो तो इसमें कुछ कबाहत नहीं— सुनने की नफी से मुराद ये कि पूरी रिवायत नहीं सुनी। इमाम अहमद ने अपनी सनद से सुफ़यान से ये हदीष नकल की है उसमें सिर्फ़ इतना ही ज़िक्र है कि मिम्बर गाबा के झाव का बनाया गया था।

हनाफिया के यहां भी इस सूत्र में इब्तिदा सही है बशर्ते कि मुक्त्तदी अपने इमाम के रूकू और सज्दा को किसी जरिये

से जान सके उसके लिये इसकी भी ज़रूरत नहीं कि छत में कोई सुराख हो। (तफहीमुल बारी, जि. दोम/स. 77)

(378) हमसे मुहम्मद बिन अब्दुरहीम ने बयान किया, कहा हमसे यज़ीद बिन हारून ने, कहा हमको हुमैद तवील ने ख़बर दी अनस बिन मालिक (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) (5 हिजरी में) अपने घोड़े से गिर गए थे। जिससे आपकी पिण्डली या कंधा ज़ख्मी हो गया था और आपने एक महीने तक अपनी बियों के पास न जाने की क़सम खाई। आप अपने बालाख़ाने पर बैठ गए जिसके ज़ीने ख़ज़ूर के तनों से बनाए गए थे। सहाबा (रज़ि.) मिजाज़पुरी के लिये आए। आपने उन्हें बैठकर नमाज़ पढ़ाई और वो खड़े थे। जब आपने सलाम फेरा तो फ़र्माया कि इमाम इसलिये है कि उसकी पैरवी की जाए। पस जब वो तक्बीर कहे तो तुम भी तक्बीर कहो और जब वो रुकूअ में जाए तो तुम भी रुकूअ में जाओ और जब वो सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो। और अगर खड़े होकर तुम्हें नमाज़ पढ़ाए तो तुम भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ो। और आप 29 दिन बाद नीचे तशरीफ़ लाए, तो लोगों ने कहा, यारसूलल्लाह (ﷺ)! आपने तो एक महीने के लिये क़सम खाई थी। आपने फ़र्माया कि ये महीना 29 दिन का है।

(दीगर मक़ाम : 689, 732, 733, 805, 1114, 1911, 2469, 5201, 5279, 6684)

۳۷۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمِيدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجَحِثَتْ سَاقُهُ - أَوْ كِفْهُ - وَأَلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتَهَا مِنْ جُدُوعٍ، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يُعَوِّدُونَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامَ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا)). وَتَزَلَّ لِتِسْعِ وَعِشْرِينَ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ : ((إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعَ وَعِشْرُونَ)).

[أطرافه في : ٦٨٩، ٧٣٢، ٧٣٣، ٨٠٥،

١١١٤، ١٩١١، ٢٤٦٩، ٥٢٠١،

٥٢٨٩، ٦٦٨٤.]

तशरीह : 5 हिजरी में आप इतिफाकन घोड़े से गिर गए थे और एक मौके पर आपने अजवाजे मुतहहरात से एक महीने के लिये 9 हिजरी में अलग रहने की क़सम खा ली थी। इन दोनों मौकों पर आपने बालाख़ाने में क़ियाम फर्माया था ज़ख्मी होने की हालत में इसलिये कि सहाबा को इयादत में आसानी हो और अजवाजे मुतहहरात से जब आपने मिलना जुलना तर्क किया तो इस खयाल से कि पूरी तरह उनसे अलैहदगी रहे। बहरहाल उन दोनों वाक़िआत के सन व तारीख अलग-अलग है लेकिन रावी इस खयाल से कि दोनों मर्तबा आपने बालाख़ाना पर क़ियाम फर्माया था। उन्हें एक साथ ज़िक्र कर देते हैं। बाज रिवायत में ये भी है कि इमाम अगर बैठकर नमाज़ पढ़ें तो तुम भी बैठकर पढ़ो—क़स्तलानी फर्माते हैं— 'वस्सहीहु अन्नहु मन्सूखुन बिसल्लातिहिम फी आख़िरि उम्रिही अलैहिस्सलात वस्सलाम क़ियामन ख़ल्फुहु व हुव क़ाइदुन' यानी सहीह ये है कि ये मन्सूख है इसलिये कि आख़िरी उमर में (आँहज़रत ﷺ) ने बैठकर नमाज़ पढ़ाई और सहाबा (रज़ि.) आपके पीछे खड़े हुए थे।

बाब 19 : जब सज्दे में आदमी का कपड़ा उसकी औरत से लग जाए तो क्या हुकम है?

۱۹ - بَابُ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّيِ امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ

(379) हमसे मुसहद ने बयान किया खालिद से, कहा कि हमसे सुलैमान शैबानी ने बयान किया अब्दुल्लाह बिन शहाद से, उन्होंने हजरत मैमूना (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि नबी (ﷺ) नमाज़ पढ़ते और हाइज़ा होने के बावजूद में उनके सामने होती, अक़र जब आप सज्दा करते तो आपका कपड़ा मुझसे छू जाता था। उन्होंने कहा कि आप (खजूर के पत्तों से बने हुए एक छोटे से) मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ते थे। (राजेअ: 333)

बाब 20 : बोरिये पर नमाज़ पढ़ने का बयान

और जाबिर और अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने कश्ती में खड़े होकर नमाज़ पढ़ी और इमाम हसन बसरी (रह.) ने कहा कि कश्ती में खड़े होकर नमाज़ पढ़ जब तक कि उससे तेरे साथियों को तक्लीफ़ न हो और कश्ती के रुख के साथ तू भी घूमता जा वरना बैठकर नमाज़ पढ़।

तशरीह :

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के अषर को अबी शैबा ने रिवायत किया है। उसमें ये भी है कि कश्ती चलती रहती और हम नमाज़ पढ़ते रहते, हालांकि हम चाहते तो कश्ती का लंगर डाल सकते थे। इमाम हसन बसरी वाले अषर को इब्ने अबी शैबा ने और इमाम बुखारी ने तारीख में रिवायत किया है। कश्ती के साथ घूमने का मतलब ये है कि नमाज़ शुरू करने के वक़्त क़िबला की तरफ मुंह कर लो, फिर जिधर कश्ती घूमे कुछ हर्ज़ नहीं, नमाज़ पढ़ते रहो। गोया क़िबला रुख बाकी न रहे, इमाम बुखारी ये अषर इसलिये लाये हैं कि कश्ती भी ज़मीन नहीं है जैसा बोरिया ज़मीन नहीं है और उस पर नमाज़ दुस्त है, 'जव्वज अबू हनीफ़तस्मलात फ़िस्सफ़ीनति क़ाइदन मअल कुदरति अलल क्रियामि' (कस्तलानी) यानी हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने कश्ती में बैठकर नमाज़ पढ़ने को जाइज़ करार दिया है अगरचे खड़े होने की कुदरत भी हो। (ये बाब मुनअक्रिद करने से इमाम बुखारी रह. का मक़सद उन लोगों की तर्दीद करना है कि जो मिट्टी के सिवा और किसी भी चीज़ पर सज्दा जाइज़ नहीं जानते)

(380) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी त़लहा से, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से, कि उनकी नानी मुलैका ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को खाना तैयार करके खाने के लिये बुलाया। आपने खाने के बाद फ़र्माया कि आओ तुम्हें नमाज़ पढ़ा दूँ। अनस (रज़ि.) ने कहा कि मैंने अपने घर से एक बोरिया उठाया जो 'ज्यादा इस्ते' माल करने से काला हो गया था। मैंने उस पर पानी छिड़का। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ के लिये (उसी बोरिये पर) खड़े हुए और मैं और एक यतीम (कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के गुलाम अबू ज़मीरा के लड़के ज़मीरा) आपके पीछे मफ़ बाँधकर खड़े हो गए और बूढ़ी औरत (अनस रज़ि. की

۳۷۹- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي تَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ قَالَتْ: وَكَانَ يُصَلِّي عَلَيَّ عَلَى الْحُمْرَةِ. [راجع: ۳۳۳]

۲۰- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

وَصَلَّى جَابِرٌ وَأَبُو سَعِيدٍ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا. وَقَالَ الْحَسَنُ: يُصَلِّي قَائِمًا مَا لَمْ تَشُقَّ عَلَيَّ أَصْحَابِكَ تَدُورُ مَعَهَا، وَإِلَّا فَقَاعِدًا.

۳۸۰- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مَلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيَطْعَمَ صَنَعْتُهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: ((فَوُتُوا فَلَأَصِلَ لَكُمْ)). قَالَ أَنَسٌ: فَفَعَمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَيْسَ، فَصَنَعْتُهُ بِمَاءٍ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَأَاهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا. فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

नानी मुलैका) हमारे पीछे खड़ी हुई। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें दो रकअत नमाज़ पढ़ाई और वापस घर तशरीफ़ ले गए। (दीगर मक़ाम : 727, 860, 871, 874, 1164)

رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ.

[أطرافه في : ٧٢٧، ٨٦٠، ٨٧١، ٨٧٤]

[١١٦٤]

तशरीह: बाज़ लोगों ने मुलैका को हज़रत अनस की दादी बतलाया है। मुलैका बिनते मालिक बिन अदी अनस की मां की वालिदा है। अनस की मां का नाम उम्मे सुलैम और उनकी मां का नाम मुलैका है, 'वजिब्ज़मीरु फ़ी जहतिही यऊदु अला अनसिन नफ़िसिही व बिही जज़म इब्नु सअद' (क़स्तलानी) यहां भी हज़रत इमाम उन लोगों की तदीद कर रहे हैं जो सज्दा के लिये सिर्फ़ मिट्टी ही को बतौर शर्त ख्याल करते हैं।

बाब 21 : खजूर की चटाई पर नमाज़ पढ़ना

(381) हमसे अबुल वलीद हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने बयान किया, कि कहा हमसे शुअबा ने, कहा हमसे सुलैमान शैबानी ने अब्दुल्लाह बिन शदाद के वास्ते से, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन मैमूना (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) सज्दागाह (यानी छोटे मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ा करते थे।)

(राजेअ : 333)

'क़ालल जौहरी अल ख़ुम्रतु बिज्जम्मि सज्जादतुन सगीरतुन तुअमलु मिन सुहुफिन्नख़िल व तुर्मुलु बिल ख़ुयूति व क़ाल झाहिबुन्निहायति हिय मिक्दारुन मा यज़उ अलैहिरजुलु वज्हू फ़ी सुजूदिही मिन हसीरिन औ नसीजति खौज़िन व नहविही मिनष्शियाबि व ला यकूनु ख़ुम्रतन इल्ला फ़ी हाज़ल मिक्दारि' (नैल जिल्द 2 पेज नं. 129) खुलासा ये कि ख़ुमरा छोटे मुसल्ले पर बोला जाता है वो खजूर का हो या किसी और चीज़ का और हसीर तूल-तवील (लम्बा चौड़ा) बोरिया, दोनों पर नमाज़ जाइज़ है, यहाँ भी हज़रत इमाम क़दस सिरूह उन लोगों की तदीद कर रहे हैं जो सज्दा के लिये ज़मीन की मिट्टी को शर्त करार देते हैं।

[راجع : ٣٣٣]

बाब 22 : बिछौने पर नमाज़ पढ़ना (जाइज़ है)

और अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने अपने बिछौने पर नमाज़ पढ़ी और फ़र्माया कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ा करते थे फिर हममें से कोई अपने कपड़े पर सज्दा कर लेता था।

(382) हमसे इस्माईल बिन अबी उवैस ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक ने उमर बिन अब्दुल्लाह के गुलाम अबुनज़र सालिम के हवाले से, उन्होंने अबू सलमा बिन अब्दुरहमान से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) की जोज़: -ए-मुतहहरा हज़रत आइशा (रज़ि.) से। आपने बतलाया कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के आगे सो जाती और मेरे पांव आपके क़िब्ले में होते। जब आप सज्दा करते, तो मेरे पांव को आहिस्ता से दबा देते। मैं अपने पांव समेट लेती और आप जब खड़े हो जाते तो मैं उन्हें फिर फैला देती। उन दिनों

٢٢- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ

وَصَلَّى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى فِرَاشِهِ وَقَالَ أَنَسُ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى نَوْبِهِ.

٣٨٢- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي

مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَيْدٍ اللَّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ عَمَزَلَنِي فَكَبَّضْتُ رِجْلِي، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. قَالَتْ:

घरों में चिराग भी नहीं हुआ करते थे।

(दीगर मक़ाम: 383, 384, 508, 511, 512, 513, 515, 519, 997, 1209, 6276)

(383) हमसे यहाा बिन बुकैर ने बयान किया, कहा हमसे लैष बिन सअद ने अक़ील से, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उनको उर्वा ने ख़बर दी कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उन्हें बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने घर के बिछौने पर नमाज़ पढ़ते और हज़रत आइशा (रज़ि.) आपके और क़िबले के बीच इस तरह लेटी होतीं जैसे (नमाज़ के लिये) जनाज़ा रखा जाता है। (राजेअ: 382)

ऊपर वाली हदीष में बिछौने का लफ़्ज़ न था, इस हदीष से वजाहत हो गई।

(384) हमसे अब्दुलाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया कहा हमसे लैष बिन सअद ने हदीष बयान की यज़ीद से, उन्होंने अराक से, उन्होंने उर्वा बिन जुबैर से कि नबी करीम (ﷺ) उस बिछोने पर नमाज़ पढ़ते जिस पर आप और हज़रत आइशा (रज़ि.) सोते और हज़रत आइशा (रज़ि.) आपके और क़िबले के बीच उस बिस्तर पर लेटीं रहतीं। (राजेअ: 382)

इस हदीष में मज़ीद वज़ाहत (और ज़्यादा खुलासा) हो गया कि जिस बिस्तर पर आप सोया करते थे, उसी पर बाज दफा नमाज़ भी पढ़ लेते। पस मा'लूम हुवा कि सज्दा करने के लिये ज़मीन की मिट्टी का बतौर शर्त होना ज़रूरी नहीं है। सज्दा बहरहाल ज़मीन ही पर होता है। इसलिये कि वो बिस्तर या चटाई या मुसल्ला ज़मीन पर बिछा हुआ है।

बाब 23 : सख़्त गर्मी में कपड़े पर सज्दा करना (जाइज़ है)

और हसन बसरी (रह.) ने कहा कि लोग अमामा और कनटोप पर सज्दा किया करते थे और उनके दोनों हाथ आस्तीनों में होते।

(385) हमसे अबुल वलीद हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे बिशर बिन मुफ़ज़ल ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझे ग़ालिब क़त्तान ने बक्र बिन अब्दुल्लाह के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से कहा कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ते थे। फिर सख़्त

وَأَثْبُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحٌ.

[أطرافه في: 383, 384, 508, 511,

512, 513, 515, 519,

997, 1209, 6276].

383- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

اللَيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:

أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ تَيْنَهُ وَتَيْنَ

الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشٍ أَهْلِهِ اغْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ.

[راجع: 382]

384- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكِ عَنِ

عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ

مُعْتَرِضَةٌ تَيْنَهُ وَتَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ

الَّذِي يَنَامَانِ عَلَيْهِ. [راجع: 382]

23- بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثُّوبِ فِي

شِدَّةِ الْحَرِّ

وَقَالَ الْحَسَنُ: كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى

الْعِمَامَةِ وَالْقَنْسُورَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِهِ.

385- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ

الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَشَرٌ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ:

حَدَّثَنِي غَالِبُ الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ

اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي

गर्मी की वजह से कोई कोई हममें से अपने कपड़े का किनारा सज्दे की जगह रख लेता।

(दीगर मक़ाम : 542, 1208)

बाब 24 : जूतियों समेत नमाज़ पढ़ना (जाइज़ है)

(386) हमसे आदम बिन अबी इयास ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अबू मुस्लिमा सईद बिन यज़ीद अज्दी ने बयान किया, कहा मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा कि क्या नबी करीम (ﷺ) अपनी जूतियाँ पहनकर नमाज़ पढ़ते थे? तो उन्होंने फ़र्माया, कि हाँ! (दीगर मक़ाम : 5850)

तशरीह :

अब दाऊद और हाकिम की हदीष में यूँ है कि यहूदियों के खिलाफ़ करो, वो जूतियों में नमाज़ नहीं पढ़ते। हज़रत उमर (रज़ि.) नमाज़ में जूते उतारना मकरूह जानते थे और अबू अम्र शैबानी कोई नमाज़ में जूता उतारे तो उसे मारा करते थे मगर ये शर्त ज़रूरी है कि जूता पाक साफ़ हो। बाज़ लोग कहते हैं कि नअल अरबों का एक खास जूता था और इन आम जूतों में नमाज़ जाइज़ नहीं। ख़्वाह वो पाक-साफ़ भी हो। दलाइल की रु से ऐसा कहना सही नहीं है। जूतों में नमाज़ बिला कराहत जाइज़ दुरुस्त है। बशर्त कि वो पाक व साफ़ सुथरे हो, गन्दगी का ज़रा भी शुबहा हो तो उनको उतार देना चाहिए।

बाब 25 : मौज़े पहने हुए नमाज़ पढ़ना (जाइज़ है)

(387) हमसे आदम बिन अबी इयास ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा ने अअमश के वास्ते से, उसने कहा मैंने इब्राहीम नख़ई से सुना। वो हम्माम बिन हरिष से रिवायत करते थे, उन्होंने कहा कि मैंने जर्रीर बिन अब्दुल्लाह को देखा, उन्होंने पेशाब किया फिर वुजू किया और अपने मौज़ों पर मसह किया। फिर खड़े हुए और (मौज़ों समेत) नमाज़ पढ़ी। आपसे जब इसके बारे में पूछा गया तो फ़र्माया कि, मैंने नबी करीम (ﷺ) को ऐसा करते हुए देखा है। इब्राहीम नख़ई ने कहा कि ये हदीष लोगों की नज़र में बहुत पसंदीदा थी, क्योंकि जर्रीर (रज़ि.) आख़िर में इस्लाम लाए थे।

(388) हमसे इस्हाक़ बिन नज़्र ने बयान किया, कहा हमसे अबू उसामा ने बयान किया अअमश के वास्ते से, उन्होंने मुस्लिम बिन सबीह से, उन्होंने मसरूक़ बिन अज्दअसे, उन्होंने मुग़ीरह बिन शुअबा से, उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को वुजू कराया। आपने अपने

مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الْقَوْبِ
مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ.

[طرفاه في : ٥٤٢، ١٢٠٨].

٢٤- بَابُ الصَّلَاةِ فِي النَّعَالِ

٣٨٦- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ
سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَزْدِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ
بْنَ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي
نَعْلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ. [طرفه في : ٥٨٥٠].

٢٥- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْخِفافِ

٣٨٧- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ
الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ
عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى
خَفَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَسُئِلَ فَقَالَ: رَأَيْتُ
النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا. قَالَ إِبْرَاهِيمُ
فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ، لِأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنَ الْآخِرِ
مَنْ أَسْلَمَ.

٣٨٨- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ مُسْلِمِ
عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ:
وَضَّأَتِ النَّبِيُّ ﷺ فَمَسَحَ عَلَى خَفَيْهِ

मौजों पर मसह किया और नमाज़ पढ़ी। (राजेअ: 182)

وَصَلَّى. [راجع: ١٨٢]

तशरीह: खुफ की तारीफ़ (परिभाषा) ये है, 'वल खुफ़ुन अलुम्मिन अदमिन युग़त्तिल कअबैनि' (नैलुल औतार) यानी वो चमड़े का एक ऐसा जूता होता है जो टखनों तक सारे पैर को ढांक लेता है, उस पर मसह जाइज़ होने पर जुम्हूरे उम्मत का इतिफ़ाक़ है। 'अनिब्बिल मुबारकि क़ाल लैस फ़िलमस्हि अलल खुफ़ैनि अनिस्सहाबति इख़ितलाफ़ुन' (नैलुल औतार) यानी सहाबा में खुफ़ैन पर मसह करने के जवाज़ में किसी का इख़ितलाफ़ मन्कूल नहीं हुआ। नववी शरहे मुस्लिम में है कि 'मसहु अलल खुफ़ैन' का जवाज़ बेशुमार सहाबा से मरवी है। ये ज़रूरी शर्त है कि पहली दफ़ा जब भी खुफ़ पहना जाए वुजू करके, पैर धोकर पहना जाए, इस सूत में मुसाफ़िर के लिये तीन दिन और तीन रात और मुकीम के लिये एक दिन और एक रात उस पर मसह कर लेना जाइज़ होगा। तर्जुमे में मौजों से यही खुफ़ मुराद है। जुराबों पर भी मसह दुरुस्त है बशर्ते कि वो इस कदर मोटी हो कि उनको हकीकी जुराब कहा जा सके।

बाब 26 : जब कोई पूरा सज्दा न करे (तो उसकी नमाज़ के बारे में क्या फ़त्वा है?)

٢٦- بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمِّ

السُّجُودِ

(389) हमें सल्लत बिन मुहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे महदी बिन मैमून ने वासिल के वास्ते से, वो अबू वाइल शक्रीक़ बिन सलमा से, वो हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से कि उन्होंने एक शख्स को देखा जो रूकूअ और सज्दे पूरी तरह नहीं करता था। जब उसने अपनी नमाज़ पूरी कर ली तो हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी। अबू वाइल रावी ने कहा, मैं खयाल करता हूँ कि हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने ये भी फ़र्माया कि अगर तू ऐसी ही नमाज़ पर मर जाता तो आँहज़रत (ﷺ) की सुन्नत पर नहीं मरता। (दीगर मक़ाम : 791, 808)

٣٨٩- حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ خَدِيفَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لهُ خَدِيفَةُ: مَا صَلَّيْتَ: قَالَ: وَأَخْبَيْتُهُ قَالَ: لَوْ مِتُّ مَتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

[طرفاه في : ٧٩١, ٨٠٨.]

तशरीह: रूकूअ और सज्दा पूरा करने का मतलब ये है कि कम-अज-कम तीन-तीन मर्तबा रूकू और सज्दा की दुआएं पढ़ी जाएं और रूकूअ ऐसा हो कि कमर बिल्कुल सीधी झुक जाए और हाथ उम्दा तौर पर घुटनों पर हो। सज्दों में पेशानी और नाक और दोनों हाथों की हथेलियां और पैरों की किब्ला रुख उंगलियां ज़मीन पर जम जाए। रूकूअ और सज्दा को इन सूतों में पूरा किया जाएगा। जो लोग मुर्गों की तरह ठोंगे मारते हैं, वो इस हदीष की वईद के मिस्दाक़ हैं। सुन्नत के मुताबिक आहिस्ता-आहिस्ता नमाज़ अदा करना जमाअते अहले हदीष का तुर्रए इम्तियाज है, अल्लाह इसी पर क़ाइम व दाइम रखे। आमीन।

बाब 27 : सज्दे में अपनी बग़लों को खुली रखे और अपनी पस्लियों से (दोनों कोहनियों को) जुदा रखे

٢٧- بَابُ يُبَدِي ضَبْعَيْهِ وَثِيَابِي

جَنِيَّتِهِ فِي السُّجُودِ

(390) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा मुझसे हदीष बयान की बुकैर बिन मुज़र ने जा'फ़र से, वो इब्ने हुर्मुज़ से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मालिक बिन बुहैना से कि नबी करीम (ﷺ) जब नमाज़ पढ़ते तो अपने बाजूओं के बीच इस क़दर कुशादगी कर देते

٣٩٠- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ هُرْمُزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ

कि दोनों बगलों की सफ़ेदी दिखने लगती थी और लैज़ ने यूँ कहा कि मुझसे जा'फ़र बिन खबीआ ने इसी तरह हदीज़ बयान की।

(दीगर मक़ाम : 807, 3564)

كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَتَذَوَّ بِبَاطِنِ إِبْطَيْهِ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ مَحْوَاهُ.

[طرفاه في : ٨٠٧، ٣٥٦٤].

ये सब रूकूअ व सुजूद (सज्दों) के आदाब बयान किए गए हैं जिनका मलहूज रखना बेहद ज़रूरी है।

बाब 28 : क़िब्ले की तरफ़ मुँह करने की फ़ज़ीलत

और अबू हूमैद (रज़ि.) सहाबी ने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत की है कि नमाज़ में अपने पाँव की उँगलियाँ भी क़िब्ले की तरफ़ रखो।

٢٨- بَابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ،

يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

तशरीह :

आँहज़रत (ﷺ) कियामे मक्का में और शुरू ज़माने में मदीना में बैतुल मक़दिस ही की तरफ़ मुँह करके नमाज़ अदा करते रहे मगर आपकी तमन्ना थी कि आपका क़िब्ला बैतुल्लाह मक्का शरीफ़ की मस्जिद को मुकर्रर किया जाए। चुनाँचे मदीना में तहवीले क़िब्ला हुआ और आप (ﷺ) ने मक्का शरीफ़ की मस्जिद का 'बा' की तरफ़ मुँह करके नमाज़ शुरू की और कयामत तक के लिये ये तमाम दुनिया—ए—इस्लाम के लिये क़िब्ला मुकर्रर हुआ। अब कलिम—ए—शहादत के साथ क़िब्ला को तस्लीम करना भी ज़रूरियाते ईमान से हैं।

(391) हमसे अम्र बिन अब्बास ने बयान किया, कहा हमसे इब्ने महदी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे मंसूर बिन सअद ने मैमून बिन सियाह के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसने हमारी तरह नमाज़ पढ़ी और हमारी ही तरह क़िब्ला की तरफ़ मुँह किया और हमारे ज़बीहे को खाया तो वो मुसलमान है जिसके लिये अल्लाह और उसके रसूल की पनाह है। पस तुम अल्लाह के साथ उसकी दी हुई पनाह में ख़यानत न करो।

(दीगर मक़ाम : 392, 393)

(392) हमसे नईम बिन हम्माद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह इब्नुल मुबारक ने हुमैद तवील के वास्ते से, उन्होंने रिवायत किया अनस बिन मालिक (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुझे हुक्म हुआ है कि मैं लोगों के साथ जंग करूँ यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहें। पस जब वो इसका इक्रार कर लें और हमारी तरह नमाज़ पढ़ने लगें और हमारे क़िब्ले की तरफ़ नमाज़ में मुँह करें और हमारे ज़बीहा को खाने लगें तो उनका ख़ून और उनके माल हम पर हराम हो गए। मगर किसी

٣٩١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُهَدَّبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ

بْنُ سَعْدٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سَيَّاهٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ

صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ

ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ

وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفَرُوا اللَّهَ فِي

ذِمَّتِهِ)). [طرفاه في : ٣٩٢، ٣٩٣].

٣٩٢- حَدَّثَنَا نَعِيمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

الْمُبَارَكِ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَمِرْتُ

أَنْ أَقْبَلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، وَصَلُّوهَا صَلَاتَنَا،

وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَ أَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا، فَقَدْ

حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَائُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا

हक़ के बदले और (बातनि में) उनका हिसाब अल्लाह पर रहेगा।

(राजेअ: 391)

(393) अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने फ़र्माया कि हमसे ख़ालिद बिन हारिष ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हुमैद तवील ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैमून बिन सियाह ने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा कि ऐ अबू हम्ज़ा! आदमी की जान और माल पर ज़्यादाती को क्या चीज़ें हाराम करती हैं? तो उन्होंने फ़र्माया कि जिसने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई मज़बूद नहीं और हमारे क़िब्ले की तरफ़ मुँह किया और हमारी नमाज़ की तरह नमाज़ पढ़ी और हमारे ज़बीहे को खाया तो वो मुसलमान है। फिर उसके वही हुक़ूक़ हैं जो आम मुसलमानों के हैं और उसकी वही ज़िम्मेदारियाँ हैं जो आम मुसलमानों पर हैं और इब्ने अबी मरयम ने कहा, हमें यह्या बिन अय्युब ने ख़बर दी, उन्होंने कहा हमसे हुमैद ने हदीष बयान की, उन्होंने कहा हमसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से नक़ल करके हदीष बयान की। (राजेअ: 391)

بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ)).

[راجع: ٣٩١]

٣٩٣ - قَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ مِيَاهٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ وَمَا يُحْرَمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ؟ فَقَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلَاتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَهُوَ الْمُسْلِمُ، لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ قَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ٣٩١]

तशरीह: इन अह्लादीष में उन चीज़ों का बयान है जिन पर इस्लाम की बुनियाद कायम (टिकी हुई) है जिनमें अव्वलीन चीज़ कलिम-ए-तय्यिबा पढ़ना और तौहीद व रिसालात की गवाही देना है और इस्लामी ता'लीम के मुताबिक क़िबला रुख़ होकर नमाज़ अदा करना और इस्लाम के तरीक़े पर जबह करना और उसे खाना। ये वो ज़ाहिरी उमूर है जिनके बजा लाने वाले को मुसलमान ही कहा जाएगा। रहा उसके दिल की मुआमला वो अल्लाह के हवाले है चूँकि उसमें क़िबला रुख़ मुँह करना बतौर असल इस्लाम मजकूर है, इसलिये हदीष और बाब में मुताबक़त (समरूपता) हुई।

बाब 29 : मदीना और शाम वालों के क़िबले का बयान और मशरि़क़ का बयान

और (मदीना और शाम वालों का) क़िबला मशरि़क़ व मगरिब की तरफ़ नहीं है क्योंकि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया (ख़ास अहले मदीना के बारे में और अहले शाम भी उसी में दाख़िल हैं) कि पाख़ाना-पेशाब के समय क़िबला रुख़ न करो, अल्बत्ता मशरि़क़ की तरफ़ अपना मुँह कर लो, या मगरिब की तरफ़।

तशरीह: मदीना और शाम से मक्का जुनूब (दक्षिण) में पड़ता है, इसलिये मदीना और शाम वालों को पाख़ाना और पेशाब मशरि़क़ (पूरब) और मगरिब (पश्चिम) की तरफ़ मुँह करके करने का हुक्म हुआ लेकिन जो लोग मक्का से मशरि़क़ या मगरिब में रहते हैं, उनके लिये ये हुक्म है कि वो जुनूब (दक्षिण) या शिमाल (उत्तर) की तरफ़ मुँह करें। इमाम बुखारी की मशरि़क़ और मगरिब में क़िबला न होने से यही मुराद है कि उन लोगों का क़िबला मशरि़क़ और मगरिब नहीं है जो मक्का से जुनूब (दक्षिण) या शिमाल (उत्तर) में रहते हैं।

٢٩ - بَابُ قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَالْمَشْرِقِ، لَيْسَ فِي الْمَشْرِقِ وَلَا فِي الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرُّقُوا أَوْ غَرِّبُوا)).

(394) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफयान ने, कहा हमसे जुहरी ने अता बिन यज़ीद लैषी के वास्ते से, उन्होंने अबू अय्यूब अंसारी (रज़ि.) से सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया जब तुम क़ज़ा-ए-हाजत के लिये जाओ तो उस समय न क़िब्ला की तरफ़ मुँह करो न पीठ करो। बल्कि मशरिफ़ या मशरिब की तरफ़ उस समय अपना मुँह कर लिया करो। अबू अय्यूब अंसारी (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हम जब शाम में आए तो यहाँ के बैतुलख़ला क़िब्ला रुख़ बने हुए थे (जब हम क़ज़ा-ए-हाजत के लिये जाते) तो हम मुड़ जाते और अल्लाह अज़्ज व जल्ल से इस्तिफ़ार करते थे और जुहरी ने अता से इस हदीष को इसी तरह रिवायत किया। उसमें यूँ है कि अता ने कहा मैंने अबू अय्यूब से सुना, उन्होंने इसी तरह आँहज़रत (ﷺ) से सुना। (राजेअ: 144)

असल में ये हदीष एक है जो दो सनदों से मरवी है—इमाम बुखारी (रह.), का मक़सद ये है कि सुफयान ने अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी से ये हदीष दो बार बयान की। एक बार में तो अन अता अन अबी अय्यूब कहा और दूसरी बार में समिअतु अबा अय्यूब कहा तो दूसरी बार में अता के सिमाअ की अबू अय्यूब से वजाहत हो गई।

बाब 30 : अल्लाह अज़्ज व जल्ल का इर्शाद है

कि 'मुक़ामे इब्राहीम को नमाज़ की जगह

बनाओ' (अल बकर: 125)

अल्लाह तआला ने उम्मत मुस्लिमा को इब्राहीमी मुसल्ला पर नमाज़ अदा करने का हुक्म दिया था मगर सद अफ़सोस कि उम्मत ने का'बा को ही तक्सीम कर डाला और चार मुसल्ले हनफी, मालिकी, शाफ़िई और हंबली नामों से ईजाद कर लिये गये। इस तरह उम्मत में वो तफ़रीक पैदा हुई कि जिसकी सज़ा आज तक मुसलमानों को मिल रही है और वो आपसी इत्तिफ़ाक के लिये तय्यार नहीं होते। अल्लाह भला करे नजदी हुक्मत का जिसमें का'बा से इस तफ़रीक को ख़त्म करके तमाम मुसलमानों को एक मुसल्ल-ए-इब्राहीमी पर जमा कर दिया। अल्लाह इस हुक्मत को हमेशा नेक तौफ़ीक दे और क़ाइम रखे, आमीन!

(395) हमसे हुमैदी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सुफयान बिन इयैना ने बयान किया, कहा हमसे अमर बिन दीनार ने, कहा हमने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से एक ऐसे शख़्स के बारे में पूछा जिसने बैतुल्लाह का तवाफ़ उम्रह के लिये किया लेकिन सफ़ा व मरवा की सई नहीं की, क्या ऐसा शख़्स (बैतुल्लाह के तवाफ़ के बाद) अपनी बीवी से सुहबत कर सकता है? आपने जवाब दिया कि नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाए आपने सात बार बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और मुक़ामे इब्राहीम के पास दा

۳۹۴- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا أَنْتُمْ الْفَائِطُ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَذِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرُّوْا أَوْ غَرِّبُوا)) قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِضَ بُيُوتٍ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَتَحَرَّفْنَا وَنَسْتَفِيرُ اللَّهَ تَعَالَى. وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. مِثْلَهُ. [راجع: ۱۴۴]

۳- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾

۳۹۵- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عَمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ وَلَمْ يَطْفِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيُّبَى امْرَأَتِهِ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهَلْفَذَ كَانَ

रकअत नमाज़ पढ़ी, फिर सफ़ा और मरवा की सई की और तुम्हारे लिये नबी करीम (ﷺ) की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। (अल् अहज़ाब : 21)

(दीगर मक़ाम : 1623, 1627, 1645, 1647, 1793)

لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

[أطرافه في : 1623, 1627, 1645]

[1647, 1793]

(396) अम्र बिन दीनार ने कहा, हमने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से भी ये मसला पूछा तो आपने भी यही फ़र्माया कि वो बीवी के क़रीब भी उस समय तक न जाए जब तक सफ़ा और मरवा की सई न कर ले।

(दीगर मक़ाम : 1624, 1646, 1794)

396- وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ :

لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

[أطرافه في : 1624, 1646, 1794]

तशरीह : गोया अब्दुल्लाह बिन उमर (रह.) ने इशारा किया कि आँहज़रत (ﷺ) की पैरवी वाजिब है और ये भी बताया कि सफ़ा और मरवा में दौड़ना वाजिब है और जब तक ये काम न करे, उमरा का एहराम नहीं खुल सकता।

हज़रत इमाम हुमैदी और अइम्म-ए-अहनाफ़ रहिमहुमुल्लाह अजमइन : साहिबे अनवारुल बारी ने हज़रत इमाम हुमैदी (रह.) के मुता'ल्लिक बाज़ जगह बहुत ही ग़ैर मुनासिब अल्फ़ाज़ इस्ते'माल किए हैं। इनको इमाम शाफ़िई (रह.) का रफ़ीके सफर और उनके मजहब का बड़ा अलमबरदार बताते हुए इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का मुखालिफ़ (विरोधी) करार दिया है। (देखें अनवारुल बारी, जिल्द हफतुम, स. 44) चूँकि इमाम हुमैदी, इमाम बुखारी (रह.) के अकाबिर असातिजा (बड़े उस्तादों) में से हैं इसलिये इमाम बुखारी भी अपने बुजुर्ग उस्ताद से काफी मुता'फ़िर और हनफ़ियत के लिये शदीद मुतअस्सिब नजर आते हैं। इस मुनासिब बयान के बावजूद साहिबे अनवारुल बारी ने शाह साहब (मौलाना अनवर शाह रह.) से जो हिदायत नक़ल फ़र्माई है वो अगर हर वक़्त मल्हूज रखने लायक़ रहें तो काफी हद तक तअस्सुब और तकलीदे जामिद से नजात हासिल की जा सकती है। शाह साहब के इशादात साहिबे अनवारुल बारी के लफ़्ज़ों में ये हैं—

हमें अपने अकाबिर की तरफ से किसी हालत में बदगुमान न होना चाहिए। यहाँ तक कि उन हज़रात से भी जिनसे हमारे मुक़दाओं के बारे में सिर्फ़ बुरे कलिमात ही नक़ल हुए हो क्योंकि मुमकिन है उनकी राय आखिर वक़्त में बदल गई हो और वो हमारी उन मुक़तदाओं की तरफ से सलीमुस्सदर (पाक व साफ़ दिल) होकर दुनिया से रखसत हुए हों। गर्ज सबसे बेहतर और असलम तरीक़ा यही है कि, 'क़िस्सा जमी बर सरेजमीं' ख़त्म कर दिया जाए और आखिरत में सब ही हज़रात अकाबिर को पूरी इज्जत और सरबुलन्दी के साथ और आपस में एक-दूसरे से खुश होते हुए मुलैक मुक़तदिर के दरबारे ख़ास में यकजा व मुजतमअ तसव्वुर किया जाए, जहाँ वो सब इशादे खुदावन्दी, 'व नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख़वानन अला सुरूरिमुतक़ाबिलीन' (अल हिज़र : 47) के मजहरे अतम होंगे, इशाअल्लाहुल अजीज। (अनवारुल बारी, जिल्द 7/स. 45)

हमें भी यक़ीन है कि आखिरत में यही मुआमला होगा, मगर शदीद ज़रूरत है कि दुनिया में भी सारे कलिमा-गो मुसलमान एक-दूसरे के लिये अपने दिलों में जगह पैदा करें और एक-दूसरे का एहताराम करना सीखें ताकि वो उम्मतए वाहिदा का नमूना बनकर आने वाले मसाएब का मुकाबला कर सकें। इस बारे में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन्हीं उलम-ए-किराम की है जो उम्मत की इज्जत व जिल्लत के वाहिद जिम्मेदार हैं, अल्लाह उनको नेक समझ अता करें। किसी शाइर ने ठीक कहा है—

'वमा अप्सदहीन इल्लल मुलूक व अहबारु सूइन व रुहबानुहा'

यानी दीन को बिगाड़ने में ज़्यादा हिस्सा ज़ालिम बादशाहों और दुनियादार मौलवियों और मक्कारों दुरवेशों ही का रहा है। अज़ाज़नल्लाहु मिन्हुम।

(397) हमसे मुसहद बिन मुसहद ने बयान किया, कहा हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया सैफुल्लाह इब्ने अबी सुलैमान से, उन्होंने कहा मैंने मुजाहिद से सुना, उन्होंने कहा कि इब्ने उमर की खिदमत में एक आदमी आया और कहने लगा, ऐ लो! ये रसूलुल्लाह (ﷺ) आ पहुँचे और आप का'बा के अंदर दाखिल हो गये। इब्ने उमर ने कहा मैं जब आया तो नबी करीम (ﷺ) का'बा से निकल चुके थे, मैंने देखा कि बिलाल दोनों दरवाज़ों के सामने खड़े हैं। मैंने बिलाल से पूछा कि क्या नबी करीम (ﷺ) ने का'बा के अंदर नमाज़ पढ़ी है? उन्होंने कहा कि हाँ! दो रकअत उन दो सतूनों के बीच पढ़ी थीं, जो का'बा में दाखिल होते समय बाएँ तरफ़ वाक़ेअ हैं। फिर जब बाहर तशरीफ़ लाए तो का'बा के सामने दो रकअत नमाज़ अदा फ़र्माई।

(दीगर मक़ाम : 468; 504, 505, 506, 1167, 1598, 1599, 2988, 4289, 4400)

यानी मक़ामे इब्राहीम के पास, गोया आपने मक़ामे इब्राहीम की तरफ़ मुंह नहीं किया बल्कि का'बा की तरफ़ मुंह किया।

(398) हमसे इस्हाक़ बिन नम्र ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुरज़ाक़ बिन हम्माम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इब्ने जुरैज ने ख़बर पहुँचाई अता इब्ने अबी रिबाह से, उन्होंने कहा मैंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सुना कि जब नबी करीम (ﷺ) का'बा के अंदर तशरीफ़ ले गये तो उसके चारों कोनों में आपने दुआ की और नमाज़ नहीं पढ़ी। फिर बाहर तशरीफ़ लाए तो दो रकअत नमाज़ का'बा के सामने पढ़ी और फ़र्माया कि यही क़िब्ला है।

(दीगर मक़ाम : 1601, 3351, 3352, 4288)

۳۹۷- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَيْفٍ - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِيَّ ﷺ قَدْ خَرَجَ، وَأَجِدُ بِلَالًا قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ، فَسَأَلْتُ بِلَالًا فَقُلْتُ: أَصَلَى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، رَكَعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكَعَتَيْنِ.

[أطرفه في : ٤٦٨، ٥٠٤، ٥٠٥، ٥٠٦، ١١٦٧، ١٥٩٨، ١٥٩٩، ٢٩٨٨]

[٤٤٠٠، ٤٢٨٩]

۳۹۸- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْكَبَّةَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا. فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ فِي قِبْلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ: ((هَذِهِ الْقِبْلَةُ)).

[أطرفه في : ١٦٠١، ٣٣٥١، ٣٣٥٢]

[٤٢٨٨]

और अब ये कभी मन्सूख नहीं होगा यानी मक़ामे इब्राहीम के पास इस तरह ये हदीष बाब के मुताबिक हो गई। हज़रतुल इमाम का इन अह्दादीष के लाने का मक़सद ये है कि आयते शरीफा वत्तख़िज़्जू मिम्मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला (अलबकर : 125) में अम्र व वुजूब के लिये नहीं है। आदमी का'बा की तरफ़ मुंह करके हर जगह नमाज़ पढ़ सकता है। ख़वाह मक़ामे इब्राहीम में पढ़े या किसी और जगह में। इस रिवायत में ये ज़िक्र मौजूद है। ततबीक ये है कि आप का'बा के अन्दर शायद कई दफा दाखिल

हुए बाज दफा आपने नमाज़ पढ़ी, बाज दफा सिर्फ़ दुआ पर काफी किया और का'बा में दाखिल होने के दोनों तरीके जाइज़ हैं।

बाब 31 : हर मुक़ाम और हर मुल्क में मुसलमान जहाँ भी रहे नमाज़ में क़िब्ला की तरफ़ मुँह करे

अबू हुरैरह (रज़ि.) ने रिवायत किया है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया का'बा कि तरफ़ मुँह कर और तक्बीर कह।

۳۱- بَابُ التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ

حَيْثُ كَانَ

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَيْفَ))

इस हदीष को खुद इमाम बुखारी (रह.) ने किताबुल इस्तीजान में निकाला है। मक़सद जाहिर है कि दुनिय-ए-इस्लाम के लिये हर हर मुल्क से नमाज़ में का'बा की दिशा में मुँह करना काफी है इसलिये कि ऐन का'बा की तरफ़ मुँह करना ना-मुमकिन है। हाँ, जो लोग हरम में हो और का'बा नजरोँ के सामने हो उनको ऐन का'बा की तरफ़ मुँह करना ज़रूरी है। नमाज़ में का'बा की तरफ़ तवज्जुह करना और तमाम आलम के लिये का'बा को मर्कज़ बनाना इस्लामी इतिहाद व मर्कज़ियत (केन्द्रीयता) का एक ज़बरदस्त मुजाहिदा है। काश! मुसलमान इस हक़ीक़त को समझे और मिल्ली तौर पर अपने अन्दर मर्कज़ियत पैदा करें।

(399) हमसे अब्दुल्लाह बिन रजाअ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इम्राईल बिन यूनस ने बयान किया, कहा उन्होंने अबू इस्हाक़ से बयान किया, कहा उन्होने हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने सोलह या सत्रह माह तक बैतुल मक्दिदस की तरफ़ मुँह करके नमाज़ें पढ़ीं और रसूलुल्लाह (ﷺ) (दिल से) चाहते थे कि का'बा की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ें। आख़िर अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़र्माई, 'मैं आपका आसमान की तरफ़ बार-बार चेहरा उठाना देखता हूँ। फिर आपने का'बा की तरफ़ मुँह कर लिया और अहमक़ों ने जो यहूदी थे कहना शुरू कर दिया कि इन्हें अगले क़िबले से किस चीज़ ने फेर दिया। आप फ़र्मा दीजिए कि अल्लाह ही की मिल्कियत है मश्कि और मसिब, अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत कर देता है।' (जब क़िब्ला बदला तो) एक शख्स ने नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी फिर नमाज़ के बाद वो चला और अंसार की एक जमाअत पर से उसका गुज़र हुआ जो अम्र की नमाज़ बैतुल मक्दिदस की तरफ़ मुँह करके पढ़ रहे थे, उस शख्स ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के साथ वो नमाज़ पढ़ी है जिसमें आपने मौजूदा क़िब्ला (का'बा) की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ी है। फिर वो जमाअत (नमाज़ की हालत में ही) मुड़ गई और का'बा की तरफ़ मुँह कर

۳۹۹- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ

بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا - أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ -

شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ

يُوجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ:

﴿لَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾

فَتَوَجَّهْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ

النَّاسِ - وَهُمْ الْيَهُودُ - ﴿مَا وَلَاكُمْ عَنْ

قِبَلِهِمْ إِلَهٍ كَانُوا عَلَيْهَا؟ قُلْ اللَّهُ

الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ

رَجُلٌ، ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى لَمَرًا عَلَى

قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ

بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ

लिया। (राजेअ: 40)

الْكُتْبَةِ لَتَحْرُفَ الْقَوْمِ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ

الْكُتْبَةِ [راجع: ٤٠]

बयान करने वाली अब्बाद बिन बिश्र नामी एक सहाबी थे और ये बनी हारिषा की मस्जिद थी जिसको आज भी मस्जिदुल किबलतैन के नाम से पुकारा जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि राकिमुलहुरुफ (लेखक) को एक मर्तबा 1951 ई. और दूसरी मर्तबा 1962 ई. में ये मस्जिद देखने का शर्फ (श्रेय) हासिल हुआ। कुबा वालों को दूसरे दिन खबर हुई थी वो फज्र की नमाज़ पढ़ रहे थे और नमाज़ ही (की हालत) में का'बा की तरफ घूम गए।

(400) हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे हिशाम बिन अब्दुल्लाह दस्तवाई ने, कहा हमसे यह्या बिन अबी कप्पीर ने मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के वास्ते से, उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से, उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) अपनी सवारी पर ख़्वाह उसका रुख़ किसी तरफ़ हो (नफ़िल) नमाज़ पढ़ते थे लेकिन जब फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ना चाहते तो सवारी से उतर जाते और किब्ला की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ते।

(दीगर मक़ाम: 1094, 1099, 4140)

٤٠٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاجِلَيْهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ. لِإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

[أطرافه في: ١٠٩٤, ١٠٩٩, ٤١٤٠.]

तशरीह: नफिल नमाज़ों सवारी पर पढ़ना दुरुस्त हुई और रकूअ सज्दा भी इशारे से करना काफी है। एक रिवायात में है कि ऊंटनी पर नमाज़ शुरू करते वक़्त आप किब्ला की तरफ मुँह करके तकबीर कह लिया करते थे।

(401) हमसे इब्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने मंसूर के वास्ते से, उन्होंने इब्राहीम से, उन्होंने अलक़मा से, कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ाई। इब्राहीम ने कहा मुझे नहीं मा'लूम कि नमाज़ में ज़्यादाती हुई या कमी, फिर जब आपने सलाम फेरा तो आपसे कहा गया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या नमाज़ में कोई नया हुकम आया है? आपने फ़र्माया आख़िर बात क्या है? लोगों ने कहा आपने इतनी इतनी रकअत पढ़ी हैं। ये सुनकर आप (ﷺ) ने अपने दोनों पांव फेरे और किब्ला की तरफ़ मुँह कर लिया और (सह के) दो सज्दे किये और सलाम फेरा। फिर हमारी तरफ़ मुड़े और फ़र्माया कि अगर कोई नया हुकम नाज़िल हुआ होता तो तुम्हें पहले ज़रूर कह देता लेकिन मैं तो तुम्हारे ही जैसा एक आदमी हूँ, जिस तरह तुम भूलते हो मैं भी भूल जाता हूँ। इसलिये जब मैं भूल जाया करूँ तो तुम मुझे याद दिलाया करो और अगर किसी को नमाज़ में शक हो जाए तो उस समय ठीक बात सोच ल

٤٠١ - حَدَّثَنَا عُمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذْتَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءًا؟ قَالَ: ((وَمَا ذَلِكَ؟)) قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا. فَتَنَى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَّجَهُ قَالَ: ((إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَبَأْتَكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ، أَنَسَى كَمَا تَنْسُونَ، لِإِذَا نَسِيتُ فَلَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَحْزِرْ الصَّوَابَ، فَلْيَتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ

और उसी के मुताबिक नमाज़ पूरी करे फिर सलाम फेर कर दो सज्दे (सह के) कर ले। (दीगर मक़ाम : 404, 1226, 6671, 7241)

لَيْسَ لَكُمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ))

[أطرافه في: ٤٠٤، ١٢٢٦، ٦٦٧١]

[٧٢٤٩]

तशरीह : बुखारी शरीफ ही की एक दूसरी हदीष में खुद इब्राहीम से रिवायत है कि आपने बजाय चार के पांच रकअत नमाज़ पढ़ ली थी और ये जुहर की नमाज़ थी। तबरानी की एक रिवायत में है कि ये अस्र की नमाज़ थी, इसलिये मुमकिन है कि दो दफा ये वाकिआ हुआ था। ठीक बात सोचने का मतलब ये कि मसलन तीन या चार में शक हो तो तीन को इख्तियार करें, दो और तीन में शक हो तो दो को इख्तियार करें और ये भी साबित हुआ कि नमाज़ में अगर इस गुमान पर नमाज़ पूरी हो चुकी है, (और किसी से) कोई बात कर ले तो नमाज़ का नए सिरे से लौटाना वाजिब नहीं है क्योंकि आप (ﷺ) ने खुद नए सिरे से (न तो) नमाज़ को लौटाया (और) न लोगों को हुक्म दिया।

बाब 32 : क़िबले के बारे में मज़ीद अहादीष

और जिसने ये कहा कि अगर कोई भूल से क़िबले के अलावा किसी दूसरी तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ ले तो उस पर नमाज़ का लौटाना वाजिब नहीं है। एक बार नबी करीम (ﷺ) ने जुहर की दो रकअत के बाद ही सलाम फेर दिया और लोगों की तरफ़ मुड़ गए, फिर (याद दिलाने पर) बाक़ी नमाज़ पूरी की।

٣٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ،

وَمَنْ لَا يَرَى الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَكْعَتَيْ الظُّهْرِ وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ثُمَّ أَمَّ مَا بَقِيَ.

तशरीह : ये एक हदीष का हिस्सा (टुकड़ा) है जिसे खुद हज़रत इमाम बुखारी ही ने रिवायत किया है। मगर उसमें आपका लोगों की तरफ़ मुँह करने का ज़िक्र नहीं है और ये फिकरा मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत में है। इस हदीष से बाब का तर्जुमा इस तरह निकला कि जब आपने भूले से लोगों की तरफ़ मुँह कर लिया तो क़िबला की तरफ़ आपकी पीठ हो गई। बावजूद इसके आपने नमाज़ को नए सिरे से नहीं लौटाया बल्कि जो बाक़ी रह गई थी उतनी ही पढ़ी।

(402) हमसे अम्र बिन औन ने बयान किया, कहा हमसे हशीम ने हुमैद के वास्ते से, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से कि उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मेरी तीन बातों में जो मेरे मुँह से निकली मेरे रब ने वैसा ही हुक्म फ़र्माया। मैंने कहा था कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर हम मक़ामे इब्राहीम को नमाज़ पढ़ने की जगह बना सकते तो अच्छा होता। इस पर ये आयत नाज़िल हुई, 'और तुम मक़ामे इब्राहीम को नमाज़ पढ़ने की जगह बना लो' दूसरी आयत पर्दा के बारे में है। मैंने कहा था, 'या रसूलल्लाह (ﷺ)! काश! आप अपनी औरतों को पर्दे का हुक्म देते, क्योंकि उनसे अच्छे और बुरे हर तरह के लोग बात करते हैं।' इस पर पर्दे की आयत नाज़िल हुई और एक बार आँहुज़ूर (ﷺ) की बीवियाँ जोशो-ख़रोश में आपकी ख़िदमत में इत्तिफ़ाक़ करके कुछ मुतालबात लेकर

٤٠٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: ((وَأَفَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّيً فَزَلْنَا هُوَ وَأَخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّيً، وَآيَةُ الْحِجَابِ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِسَاءِكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ لِأَنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبُرُ وَالْفَاجِرُ، فَزَلْنَا آيَةَ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ بِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ

हाज़िर हुई। मैंने उनसे कहा कि हो सकता है कि अल्लाह पाक तुम्हें तलाक़ दिला दें और तुम्हारे बदले तुमसे बेहतर मुस्लिमा बीवियाँ अपने रसूल (ﷺ) को इनायत करें, तो ये आयत नाज़िल हुई, 'असा रब्बुहू अन् तलक़ कुन्न अय्युब्दिलहू अज़्वाजन् खैर मिन् कुन्न।' (दीगर मक़ाम : 4483, 479, 4916)

और सईद इब्ने मरयम ने कहा कि मुझे यह्या बिन अय्यूब ने ख़बर दी, कहा कि हमसे हुमैद ने बयान किया, कहा मैं ने हज़रत अनस (रज़ि.) से ये हदीस सुनी।

इस सनद के बयान करने से इमाम बुखारी (रह.) का गर्ज ये है कि हुमैद का सिमाअ अनस से मालूम हो जाए और यह्या बिन अय्यूब अगरचे जईफ़ है मगर इमाम बुखारी (रह.) ने उनकी रिवायत बतौर मुताबअत कुबूल फ़र्माई।

(403) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इमाम मालिक ने अब्दुल्लाह बिन दीनार के वास्ते से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन इमर से, आपने फ़र्माया कि लोग कुबा में फ़ज़्र की नमाज़ पढ़ रहे थे कि इतने में एक आने वाला आया। उसने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पर कल वह्वा नाज़िल हुई है और उन्हें का'बा की तरफ़ (नमाज़ में) मुँह करने का हुक्म हो गया है। चुनाँचे उन लोगों ने भी का'बा की जानिब मुँह कर लिये जबकि उस समय वो शाम की जानिब मुँह किये हुए थे, इसलिये वो सब का'बा की जानिब घूम गए।

(दीगर मक़ाम : 4488, 4490, 4491, 4493, 4494, 7251)

तशरीह :

इब्ने अबी हातिम की रिवायत है कि औरतें मर्दों की जगह आ गई और मर्द औरतों की जगह चले गये। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं कि इसकी सूरत ये हुई कि इमाम जो मस्जिद के आगे की जानिब था, घूमकर मस्जिद के पीछे की जानिब आ गया, क्योंकि जो कोई मदीना में का'बा की तरफ़ मुँह करेगा तो बैतुल मक़दिस उसके पीछे की तरफ़ हो जाएगा और अगर इमाम अपनी जगह पर रहकर घूम जाता तो उसके पीछे सफ़ों की जगह कहाँ से निकलती और जब इमाम घूमा तो मुक़्तदी भी उसके साथ घूम गये और औरतें भी, यहां तक कि वो मर्दों की पीछे आ गई, ज़रूरत के तहत ये किया गया जैसा कि वक़्त आने पर साँप मारने के लिये मस्जिद में बहालते नमाज़ घूमना-फिरना दुरुस्त है।

(404) हमसे मुसहद बिन मुसहिद ने बयान किया कि कहा हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने शुअबा के वास्ते से, उन्होंने इब्राहीम से, उन्होंने अलक़मा से, उन्होंने अब्दुल्लाह से, उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने (भूले से) जुहर की नमाज़ (एक बार) पाँच

أَلْهَنَ: «عَسَى رَأْيُهُ إِنْ طَلَّقَكَ أَنْ يُبَدِّلَهُ
أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ مُسْلِمَاتٍ»، فَتَزَلَّتْ
هَذِهِ الْآيَةُ».

[أطرافه في : ٤٤٨٣، ٤٧٩٠، ٤٩١٦].

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى
بْنُ أَيُّوبَ قَالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ :
سَمِعْتُ أَنَسًا بِهَذَا.

٤٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ :
أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : بَيْنَا
النَّاسُ بَقِيَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمُ
آتٍ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْزَلَ
عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنًا، وَقَدْ أَمَرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ
الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبَلُوهَا. وَكَانَتْ وَجُوهُهُمْ
إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

[أطرافه في : ٤٤٨٨، ٤٤٩٠، ٤٤٩١].

[٧٢٥١، ٤٤٩٤، ٤٤٩٣].

٤٠٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى
عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ
عَلْقَمَةَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ

रकअत पढ़ी हैं। अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने फ़र्माया कि फिर आपने अपने पांव मोड़ लिये और (सह के) दो सज्दे किये।
(राजेअ: 400)

الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقَالُوا: أَرَيْدُ فِي الصَّلَاةِ؟
قَالَ: ((وَمَا ذَلِكَ؟)) قَالُوا: صَلَّيْتُ خَمْسًا،
فَشَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

[راجع: ٤٠٠]

गुजिश्ता हदीष से प्राबित हुवा कि कुछ सहाबा ने बावजूद इसके कुछ नमाज़ का'बा की तरफ पीठ करके पढ़ी मगर उसको दोबारा नहीं लौटाया और इस हदीष से ये निकला कि आपने भूलकर लोगों की तरफ मुँह कर लिया और का'बा की तरफ आपकी पीठ हो गई मगर आप (ﷺ) ने नमाज़ को फिर भी नहीं लौटाया, बाब का यही मकसूद था।

बाब 33 : इस बारे में कि मस्जिद में थूक लगा हो तो हाथ से उसका खुरच डालना ज़रूरी है

(405) हमसे कुतैबा ने बयान किया कि हमसे इस्माईल बिन जा'फ़र ने हुमैद के वास्ते से, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने क़िब्ला की तरफ़ (दीवार पर) बलग़म देखा, जो आपको नागवार गुजरा और ये नागवारी आपके चेहरे मुबारक पर दिखाई देने लगी। फिर आप उठे और खुद अपने हाथ से उसे खुरच डाला और फ़र्माया कि जब कोई शख्स नमाज़ के लिये खड़ा होता है तो गोया वो अपने रब के साथ सरगोशी (बातें) करता है, या यूँ फ़र्माया कि उसका रब उसके और क़िबले के बीच होता है। इसलिये कोई शख्स (नमाज़ में अपने) क़िबले की तरफ़ न थूके। अल्बत्ता बाएँ तरफ़ या अपने क़दमों के नीचे थूक सकता है। फिर आपने अपनी चादर का किनारा लिया, उस पर थूका और उलट-पलट किया और फ़र्माया, या इस तरह कर लिया करो।

(राजेअ: 241)

(406) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इमाम मालिक ने नाफ़ेअ के वास्ते से रिवायत किया, कहा उन्होंने अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़िबले की दीवार पर थूक देखा, आप (ﷺ) ने उसे खुरच डाला फिर (आपने) लोगों से खिताब किया और फ़र्माया कि जब कोई शख्स नमाज़ में हो तो अपने मुँह के सामने न थूके क्योंकि नमाज़ में मुँह के सामने अल्लाह अज़्ज व जल्ल होता है।

٣٣ - بَابُ حَكِّ الْبِرَاقِ بِالْيَدِ

مِنَ الْمَسْجِدِ

٤٠٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُمِيَ لِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ: ((إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يَنَاجِي رَبَّهُ - أَوْ إِنْ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - فَلَا يَزُولُنْ أَحَدُكُمْ قَبْلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنِ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ)) ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَمَضَى فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: ((أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا)).

[راجع: ٢٤١]

٤٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَمُضِقُ قَبْلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَبْلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى))

(दीगर मक़ाम : 753, 1213, 6111)

(407) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इमाम मालिक ने हिशाम बिन उर्वा के वास्ते से, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने हज़रत आइशा उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किब्ला की दीवार पर रेंट या थूक या बल्लाम देखा तो उसे आप (ﷺ) ने खुरच डाला।

बाब 34 : मस्जिद में रेंट को कंकरी से खुरच डालना

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि अगर गीली नजासत पर तुम्हारे पांव पड़ें तो उन्हें धो डालो और अगर नजासत खुश्क हो तो धोने की ज़रूरत नहीं।

तशरीह :

इस अषर को इब्ने अबी शैबा ने निकाला है जिसके आखिर में ये भी है कि अगर भूले से न धोए तो कोई हरज नहीं। दूसरी रिवायत में ये है कि इसके बाद की पाक ज़मीन उसको भी पाक कर देती है। आपने ऐसा एक औरत के जवाब में फ़र्माया था जिसका पल्लू लटकता रहता था। बाब के तर्जुमे से इस अषर की मुताबक़त यँ है कि किबला की तरफ़ थूकने की मुमानअत इसलिये है कि ये अदब के ख़िलाफ़ है, न इसलिये कि थूक नजिस है अगर बिल फ़र्ज़ नजिस भी होता तो सूखी नजासत रौन्दने से कुछ हरज नहीं है।

(408, 409) हमसे सईद बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन सअद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इब्ने शिहाब ने हुमैद बिन अब्दुरहमान के वास्ते से बयान किया कि हज़रत अबू हुरैरह और हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मस्जिद की दीवार पर रेंट देखा, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक कंकरी ली फिर उसे साफ़ कर दिया। फिर फ़र्माया कि जब तुममें से कोई शख्स थूके तो उसे अपने मुँह के सामने या दाईं तरफ़ नहीं थूकना चाहिए, अल्बत्ता बाईं तरफ़ या अपने पांव के नीचे थूक ले।

(दीगर मक़ाम : 410, 411, 414, 416)

[أطرافه في : ٧٥٣، ١٢١٣، ٦١١١.]

٤٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرُورَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مَخَاطًا - أَوْ بَصَاقًا أَوْ نُخَامَةً - فَحَكَهُ.

٣٤ - بَابُ حَكِّ الْمَخَاطِ بِالْخِصْيِ

مِنَ الْمَسْجِدِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ وَطِئْتَ عَلَى قَدْرِ رَطْبٍ فَاعْسِلْهُ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا.

٤٠٨ و ٤٠٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَوَلَّى حِصَاةً فَحَكَهَا فَقَالَ : ((إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قَبْلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَتَنَخَّمَنَّ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ الْيُسْرَى)).

[طرفاه في : ٤١٠، ٤١٦.]

[طرفاه في : ٤١١، ٤١٤.]

तशरीह :

बाब के तर्जुमे में रेंट का ज़िक्र था और हदीष में बलगम का ज़िक्र है चूँकि ये दोनों आदमी के फुज्ले हैं इसलिये दोनों का एक ही हुक्म है, हदीषे मजकूर में नमाज़ की क़ैद नहीं है मगर आगे यही रिवायत आदम बिन अबी अयास

से आ रही है उसमें नमाज़ की कैद है। इमाम नबवी (रह.) फर्माते हैं कि मुमानअत मुतलक है यानी नमाज़ में हो या गैर नमाज़ में, मस्जिद में हो या गैर मस्जिद, किब्ला की तरफ थूकना मना है। पिछले बाब में थूक को अपने हाथ से साफ करने का ज़िक्र था और यहाँ कंकरी से खुरचने का ज़िक्र है जिससे जाहिर है कि आपने कभी ऐसा किया, कभी वैसा किया; दोनों तरह से मस्जिद को साफ करना मक़सद है।

बाब 35 : इस बारे में कि नमाज़ में अपने दाईं तरफ़ न थूकना चाहिए

(410, 411) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष बिन सअद ने बयान किया, उन्होंने उक़ैल बिन ख़ालिद के वास्ते से, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने हुमैद बिन अब्दुरहमान से कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) और हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मस्जिद की दीवार पर बलग़म देखा तो आप (ﷺ) ने उसे कंकरी से खुरच डाला और फ़र्माया कि अगर तुममें से किसी को थूकना हो तो अपने चेहरे के सामने या अपनी दाईं तरफ़ न थूका करो, बल्कि अपने बाएँ तरफ़ या पाँव के नीचे थूक सकते हो।

(राजेअ : 408, 409)

(412) हमसे हफ़स बिन इमर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझे क़तादा ने ख़बर दी, उन्होंने कहा मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम अपने सामने या अपनी दाईं तरफ़ न थूका करो, अल्बत्ता बाईं तरफ़ या बाईं क़दम के नीचे थूक सकते हो। (राजेअ : 241)

बाब 36 : बाईं तरफ़ या बाईं पैर के नीचे थूकने के बयान में

(413) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे क़तादा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मोमिन जब नमाज़ में

۳۵- بَابُ لَا يَنْصُقُ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ

٤١٠ و ٤١١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلِ بْنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نَخَامَةً فِي حَاطِطِ الْمَسْجِدِ، فَتَوَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِصَاةً فَحَثَّهَا ثُمَّ قَالَ: ((إِذَا تَنَخَّمُ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمُ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَنْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ الْيُسْرَى)).

[راجع: ٤٠٨, ٤٠٩]

٤١٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا يَتَفَلَّنُ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى)). [راجع: ٢٤١]

۳۶- بَابُ لِيَنْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ الْيُسْرَى

٤١٣- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ

होता है तो वो अपने रब से सरगोशी (बातें) करता है। इसलिये वो अपने सामने या दाईं तरफ़ न थूके, हाँ! बाईं तरफ़ या अपने पैरों के नीचे थूक ले। (राजेअ : 241)

(414) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफयान बिन उययना ने, कहा हमसे इमाम जुहरी ने हुमैद बिन अब्दुरहमान से, उन्होंने अबू सईद खुदरी से कि नबी करीम (ﷺ) ने मस्जिद के क़िब्ले की दीवार पर बलगम देखा तो आपने कंकरी से खुरच डाला। फिर फ़र्माया कि कोई शख्स सामने या दाईं तरफ़ न थूके, अल्बत्ता बाईं तरफ़ या बाएँ पांव के नीचे थूक लेना चाहिए। दूसरी रिवायत में जुहरी से यूँ है कि उन्होंने हुमैद बिन अब्दुरहमान से अबू सईद खुदरी के वास्ते से इसी तरह ये हदीष सुनी। (राजेअ : 409)

इस सनद के बयान करने से गर्ज ये है कि जोहरी का सिमा हुमैद से मा'लूम हो जाए। ये तमाम अहदीष उस जमाने से ता'ल्लुक रखती है जब मस्जिद कच्ची थीं और फर्श भी रेत का होता था उसमें उस थूक को गायब कर देना (दबा देना) मुम्किन था जैसा कि कफ़फ़ारा तुहा दफ़नुहा में वारिद हुआ, अब पुख्ता फर्श वाली मस्जिदों में सिर्फ़ रुमाल का इस्ते'माल होना चाहिए जैसा कि दूसरी रिवायत में इसका ज़िक्र मौजूद हुआ है।

बाब 37 : मस्जिद में थूकने का

कफ़फ़ारा

(415) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा ने, कहा हमसे क़तादा ने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मस्जिद में थूकना गुनाह है और इसका कफ़फ़ारा उसे (ज़मीन में) छुपा देना है।

बाब 38 : इस बारे में कि मस्जिद में बलगम को

मिट्टी के अंदर छुपा देना ज़रूरी है

(416) हमसे इस्हाक़ बिन नम्र ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें अब्दुरज़ाक़ ने मअमर बिन राशिद से, उन्होंने हम्माम बिन मुनब्बा से, उन्होंने अबू हुरैरह से सुना कि वो नबी करीम (ﷺ) से नक़ल करते हैं कि आपने फ़र्माया कि जब कोई नमाज़ के लिए खड़ा हो तो सामने न थूके क्योंकि वो जब तक अपनी नमाज़ की जगह में

إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْرُؤُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ)). [راجع: ٢٤١]

٤١٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ نَخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ. ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْرُؤَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ الْيَسْرَى. وَعَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ حُمَيْدًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ... نَحْوَهُ. [راجع: ٤٠٩]

٣٧- بَابُ كَفَّارَةِ الْبُرَاقِ فِي

الْمَسْجِدِ

٤١٥- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْبُرَاقُ فِي الْمَسْجِدِ حَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا))

٣٨- بَابُ دَفْنِ النُّخَامَةِ فِي

الْمَسْجِدِ

٤١٦- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ،

होता है तो अल्लाह तआला से सरगोशी करता रहता है और दाईं तरफ भी न थूके क्योंकि उस तरफ फ़रिश्ता होता है, हाँ बाईं तरफ या पैर के नीचे थूक ले और उसे मिट्टी में छुपा दे।

(राजेअ : 408)

तशरीह :

इमाम बुखारी क़द्स सिर्रुहु ने थूक से मुता'ल्लिक़ इन सारे अबवाब और इनमें रिवायतकर्दा अह्लादीष से प़ाबित फ़र्माया कि बववते ज़रूरत थूक, रेंट, खंकार, बलगम सबका आना लाजमी है, मगर मस्जिद का अदब और नमाज़ियों के आराम व राहत का ख्याल ज़रूरी है, इब्तिदा—ए—इस्लाम में मस्जिदें कच्ची होती थीं। फ़र्श बिल्कुल मिट्टी के हुआ करते थे जिनमें थूक लेना और फिर रेत में उस थूक का छुपाना मुमकिन था। आजकल मस्जिदें पुख्ता, उनके फ़र्श पुख्ता फिर उन पर बेहतरीन हसीर होते हैं। इन सूतों और इन हालात में रुमाल का इस्ते'माल ही मुनासिब है। मस्जिद में या उसके दरो—दीवार पर थूकना या रेण्ट या बलगम लगा देना सख्त गुनाह और मस्जिद की बेअदबी है क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) ने ऐसे लोगों पर अपनी सख्ततरीन नाराजगी का इजहार फ़र्माया है, जैसा कि हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर में इसका ज़िक्र गुजर चुका है।

बाब 39 : जब थूक का ग़ल्बा हो तो नमाज़ी अपने कपड़े के किनारे में थूक ले

(417) हमसे मालिक बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे जुहैर बिन मुआविया ने, कहा हमसे हुमैद ने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने क्रिब्ले की तरफ (दीवार पर) बलगम देखा तो आपने ख़ुद उसे खुरच डाला और आपकी नाख़ुशी को महसूस किया गया कि (रावी ने इस तरह बयान किया कि) उसकी वजह से आपकी शदीद नागवारी को महसूस किया गया। फिर आपने फ़र्माया कि जब कोई शख्स नमाज़ के लिये खड़ा हो तो वो अपने रब से सरगोशी करता है, या ये कि उसका रब उसके और क्रिब्ले के बीच होता है। इसलिये क्रिब्ले की तरफ न थूका करो, अल्बत्ता बाईं तरफ या पैरों के नीचे थूक लिया करो। फिर आप अपनी चादर का एक कोना (किनारा) लिया, उसमें थूका और चादर की एक तह को दूसरी तह पर फेर लिया और फ़र्माया, या इस तरह कर लिया करो।

(राजेअ : 24)

तशरीह :

आँहज़रत (ﷺ) ने आने वाले हालात के आधार पर ज़रूरत के वक़्त अपने अमल से हर तरह की आसानी प़ाबित फ़र्माई है। चूँकि आजकल मस्जिदें पुख्ता होती हैं। फ़र्श भी पुख्ता और उन पर मुख्तलिफ़ किस्म की कीमती चीजें (कालीन वगैरह) बिछी होती हैं। लिहाजा आज आपकी यही सुन्नत मल्हूज रखनी होगी कि बववते ज़रूरत रुमाल में थूक लिया जाए और इस मक़सद के लिये खास रुमाल रखे जाएं। कुर्बान जाइये! आपने अपने अमल से हर तरह की सहूलत जाहिर फ़र्मा दी। काश! मुसलमान समझें और उस्व—ए—हसना पर अमल को अपना मक़सदे हयात बना लें।

فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مَصَلَاةٍ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا. وَيُنْصِقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ فَيَذَلُّهَا).

[راجع : ٤٠٨]

٣٩- بَابُ إِذَا بَدَرَهُ الْبَرَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ قُوْبِهِ

٤١٧- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ رَأَى نُحَامَةَ فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَهَا بِيَدِهِ، وَرَأَى مِنْهُ كِرَاهِيَةً - أَوْ رَأَى كِرَاهِيَتَهُ لِذَلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ - وَقَالَ: ((إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ - أَوْ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَلْبِهِ - فَلَا يَنْزِقَنَّ فِي قَلْبِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ)). ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَرَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، قَالَ: ((أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا)). [راجع : ٢٤]

बाब 40 : इमाम लोगों को नसीहत करे कि नमाज़ पूरी तरह पढ़े और क़िबले का बयान

(418) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने अबुज्जिनाद से ख़बर दी, उन्होंने अअरज से, उन्होंने हज़रत अबू हु़रैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया क्या तुम्हारा ये ख़याल है कि मेरा मुँह (नमाज़ में) क़िबले की तरफ़ है, अल्लाह की क़सम! मुझसे न तुम्हारा ख़ुशूअ छुपता है न रुकूअ, मैं अपनी पीठ के पीछे से तुमको देखता रहता हूँ। (दीगर मक़ाम : 741)

(419) हमसे यह्या बिन झालेह ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे फुलैह बिन सुलैमान ने हिलाल बिन अली से, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से, वो कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने हमें एक बार नमाज़ पढ़ाई, फिर आप (ﷺ) मिम्बर पर चढ़े, फिर नमाज़ के बाब में और रुकूअ के बाब में फ़र्माया मैं तुम्हें पीछे से भी इसी तरह देखता रहता हूँ जिस तरह अब सामने से देख रहा हूँ। (दीगर मक़ाम : 742, 6644)

तशरीह : ये आपका मुअजज़ा था कि आप मुहे नुबुव्वत के ज़रिये से पीठ पीछे से भी बराबर देख लिया करते थे। बाज़ दफा वह्य और इलहाम के ज़रिये से भी आपको मा'लूम हो जाया करता था। हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़र्माते हैं कि यहां हक़ीक़तन देखना मुराद है और ये आपके मुअजज़ात में से है कि आप पीठ की तरफ़ खड़े हुए लोगों को भी देख लिया करते थे, मवाहिबुहुनिया में भी ऐसा ही लिखा हुआ है।

बाब 41 : इस बारे में कि क्या यूँ कहा जा सकता है कि ये मस्जिद फ़लाँ खानदान वालों की है

इब्राहीम नखई (रह.) ऐसा कहना कि ये मस्जिद फ़लाँ क़बीला या फ़लाँ शख्स की है; मकरुह जानते थे क्योंकि मसाजिद सब अल्लाह की है। इमाम बुखारी ने ये बाब इसी गर्ज से बाँधा है कि ऐसा कहने में कोई क़बाहत नहीं है। इससे मस्जिद और उसके ता'मीर करने वालों की शनाख़्त (पहचान) मक़सूद होती है वरना तमाम मसाजिद सब अल्लाह ही के लिये हैं और अल्लाह ही की इबादत के लिये ता'मीर की जाती है। इस्लामी फ़िकेँ जो अपने-अपने नामों से मसाजिद को मौसूम करते हैं और उसमें दीगर मसलकों के लोगों, ख़ुसूसन अहले हदीष का दाख़ला ममनूअ रखते हैं और अगर कोई भूला-भटका उनकी मसाजिद में चला जाए तो मस्जिद को गुस्ल देकर अपने तंई पाक स़ाफ़ करते हैं, उन लोगों का ये तर्ज़े-अमल तफ़रीक़ बैनुल मुस्लिमीन (मुसलमानों के बीच भेदभाव) का खुला मुजाहिरा (प्रदर्शन) है, अल्लाह तआला मुसलमानों को हिदायत दे।

४०- بَابُ عِظَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ فِي

إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ

٤١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

((هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا؟ لَوْ أَنَّ اللَّهَ مَا

يَخْفَى عَلَيَّ خَشَوْعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ، إِنِّي

لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي)).

[طرفه في : ٧٤١].

٤١٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ

عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى لَنَا

النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةً، ثُمَّ رَفَعِي الْمُنْبَرِ فَقَالَ لِي

الصَّلَاةُ وَلِي الرُّكُوعُ : ((إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ

وَرَائِي كَمَا أَرَاكُمْ)).

[طرفاه في : ٧٤٢، ٦٦٤٤].

٤١- بَابُ هَلْ يُقَالُ مَسْجِدٌ بِنِي

فُلَانٍ؟

(420) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने खबर दी, उन्होंने नाफेअ के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन घोड़ों की जिन्हें (जिहाद के लिये) तैयार किया गया था मुकामे हफ्याअ से दौड़ कराई, इस दौड़ की हद प्रनिय्यतुल विदाअ से मस्जिद बनी जुरैक तक कराई। अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने भी इस घुड़-दौड़ में शिकत की थी।

(दीगर मकाम : 2868, 2869, 2870, 7336)

٤٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الْخَفِيَاءِ، وَأَمَدَهَا فَيْئَةُ الْوُدَاعِ. وَسَأَلَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ النَّيْبَةِ إِلَى مَسْجِدِ نَبِيِّ رُؤَيْبٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيمَنْ سَأَلَ بِهَا. [أطرافه في: ٢٨٦٨، ٢٨٦٩، ٢٨٧٠، ٧٣٣٦].

तशरीह: खानदानों की तरफ मसाजिद की निस्बत का रिवाज ज़मान-ए-रिसालत ही से शुरू हो चुका था जैसा कि यहाँ मस्जिदे बनी जुरैक का जिक्र है। जिहाद के लिये खास तौर पर घोड़ों को तय्यार करना और उनमें से मशक (प्रेक्टिस) के लिये दौड़ कराना भी हदीषे मजकूर से प्राबित हुआ। आपने जिस घोड़े को दौड़ के लिये पेश किया था उसका नाम सक़ब था। ये दौड़ हफ्या और प्रनिय्यतुल विदाअ से हुई थी जिनका दरमियानी फासला पाँच या छह या ज्यादा से ज्यादा सात मील बतलाया गया है और जो घोड़े अभी नये थे उनकी दौड़ के लिये थोड़ी मसाफ़त (दूर) मुकरर की गई थी, जो प्रनिय्यतुल विदाअ से लेकर मस्जिद बनी जुरैक तक थी।

मौजूदा दौर में रेस के मैदानों में जो दौड़ कराई जाती है, उसकी हार-जीत का सिलसिला सरासर जुआबाज़ी से है, लिहाजा इसमें शिकत किसी मुसलमान के लिये जाइज़ नहीं है।

बाब 42 : मस्जिद में माल तक्सीम करना और मस्जिद में खजूर का खोशा लटकाना

इमाम बुखारी (रह.) कहते हैं कि क़िनू के मा'नी (अरबी जुबान में) इज़क (खोश-ए-खजूर) के हैं। दो के लिये क़िन्वान आता है और जमा के लिये भी यही लफ़्ज़ आता है जैसे सिन्वुन और सिन्वान।

(421) इब्राहीम बिन त्रहमान ने कहा, अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब से, उन्होंने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत किया कि नबी करीम (ﷺ) के पास बहरीन से रक़म आई। आपने फ़र्माया कि उसे मस्जिद में डाल दो और ये रक़म उस तमाम रक़म से ज्यादा थी जो अब तक आपकी ख़िदमत में आ चुकी थी। फिर आप नमाज़ के लिये तशरीफ़ लाए और उसकी तरफ़ कोई

٤٢ - بَابُ الْقِسْمَةِ وَتَغْلِيْقِ الْقِنْوِ فِي الْمَسْجِدِ

الْمَسْجِدِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْقِنْوُ الْعِدْقُ، وَالْإِنْتَانُ قِنْوَانٌ، وَالْجَمَاعَةُ أَيْضًا قِنْوَانٌ. مِثْلُ صِنْوٍ وَصِنْوَانٍ.

٤٢١ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: ((النَّفْرُوهُ لِي الْمَسْجِدِ)). وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أَتَى بِهِ

तवज्जह नहीं फ़र्माई, जब आप नमाज़ पूरी कर चुके तो आकर माल (रक़म) के पास बैठ गए और उसे तक्सीम करना शुरू किया। उस वक़्त जिसे भी आप देखते उसे दे देते। इतने में हज़रत अब्बास (रज़ि.) आए और बोले कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे भी दीजिए क्योंकि मैंने (ग़ज़व-ए-बद्र में) अपना भी फ़िदया दिया था और अक़ील का भी (इसलिये मैं ज़ेरेबार हूँ) रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ले लीजिये। उन्होंने अपने कपड़े में रुपया भर लिया और उसे उठाने की कोशिश की लेकिन (वजन की ज्यादाती की वजह से) वो न उठा सके और कहने लगे या रसूलल्लाह (ﷺ)! किसी को कहें कि वो उठाने में मेरी मदद करे। आपने फ़र्माया नहीं (ये नहीं हो सकता) उन्होंने कहा कि फिर आप ही उठवा दीजिये। आपने इस पर भी इंकार किया, तब हज़रत अब्बास (रज़ि.) ने उसमें से थोड़ा सा गिरा दिया और बाक़ी को उठाने की कोशिश की, (लेकिन अब भी न उठा सके) फिर कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ) किसी को मेरी मदद करने का हुक्म दीजिए। आप (ﷺ) ने इंकार कर दिया तो उन्होंने कहा कि फिर आप ही उठवा दीजिये। लेकिन आपने इससे भी इंकार कर दिया, तब उन्होंने उसमें से थोड़ा सा और रुपया गिरा दिया और उसे उठाकर अपने काँधे पर रख लिया और चलने लगे, रसूलुल्लाह (ﷺ) को उनकी इस हिरष पर इतना तअज्जुब हुआ कि आप उस वक़्त तक उनकी तरफ़ देखते रहे जब तक वो हमारी नज़रों से ग़ायब न हो गए और आप भी वहाँ से उस वक़्त तक न उठे जब तक कि एक चवन्नी भी बाक़ी रही। (दीगर मक़ाम: 3041, 3165)

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَعَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَلْبَسْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَعْنَى الصَّلَاةَ جَاءَ لَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلَّا أَعْضَاهُ. إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي، فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خُذْ». فَحَتَّى فِي تَوْبِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُولُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْمُرْ بَعْضَهُمْ بِرَفْعِهِ إِلَيَّ. قَالَ: ((لَا)). قَالَ: فَارْفَعُهُ أَنْتَ عَلَيَّ. قَالَ: ((لَا)). فَفَتَرَ مِنْهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُولُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْمُرْ بَعْضَهُمْ بِرَفْعِهِ. قَالَ: ((لَا)). قَالَ: فَارْفَعُهُ أَنْتَ عَلَيَّ. قَالَ: ((لَا)). فَفَتَرَ مِنْهُ. ثُمَّ أَحْمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبْعَثُهُ بِصَرَةٍ - حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا - عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ، فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ. [أطرافه في: ٣٠٤٩، ٣١٦٥].

तस्रीह:

हज़रत इमाम बुखारी क़द्दस सिर्रुहु ये प्राबित फर्मा रहे हैं कि मस्जिद में मुख्तलिफ अमवाल (मालों) को तक्सीम के लिये लाना और तक्सीम करना दुरुस्त है जैसा कि आँहज़रत (ﷺ) ने बहरैन से आया हुआ रुपया मस्जिद में रखवाया और फिर मस्जिद ही में तक्सीम फर्मा दिया। बाज़ दफा खेतीबाड़ी करने वाले सहाबा असहाबे सुप्फा के लिये मस्जिदे नबवी (ﷺ) में खजूर का खोशा लाकर लटका दिया करते थे। इसी के लिये लफ्जे सिनवान और किनवान बोले गये हैं और ये दोनों अल्फाज कुर्आनि करीम में भी इस्ते'माल हुए हैं। सिन्व खजूर के उन दरख्तों को कहते हैं जो दो-तीन मिलकर एक ही जड़ से निकलते हैं। इब्राहीम बिन तहमान की रिवायत को इमाम साहब (रह.) ने तालीकन नकल फर्माया है। अबू नईम ने मुस्तखरज में और हाकिम ने मुस्तदरक में इसे मौसूलन रिवायत किया है। अहमद बिन हफ्स से, उन्होंने अपने बाप से, उन्होंने इब्राहीम बिन तहमान से, बहरैन से आने वाला खजाना एक लाख रुपया था जिसे हज़रत अला हज़रमी (रह.) ने खिदमते अक़दस में भेजा था और ये पहला ख़राज (टैक्स) था जो मदीना मुनव्वरा में आपके पास आया। आँहज़रत (ﷺ) ने सारा रुपया मुसलमानों में तक्सीम फर्मा दिया और अपनी जाते (अक़दस) के लिये एक पैसा भी नहीं रखा। हज़रत अब्बास (रज़ि.) के लिये आँहज़रत (ﷺ) ने रुपया उठाने की इजाज़त तो दे दी मगर उसने उठवाने में न तो खुद मदद दी न किसी दूसरे को मदद के लिये इजाज़त दी,

इससे गर्ज ये थी कि अब्बास (रज़ि.) समझ जाए और दुनिया के माल की हद से ज्यादा हिर्स (लालच) न करें।

बाब 43 : जिसे मस्जिद में खाने के लिये कहा जाए और वो उसे कुबूल कर ले

(422) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे मालिक ने इस्हाक बिन अब्दुल्लाह से कि उन्होंने अनस (रज़ि.) से सुना, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को मस्जिद में पाया, आपके पास और भी कई लोग थे। मैं खड़ा हो गया तो आँहज़रत (ﷺ) ने मुझसे पूछा कि क्या तुझको अबू तलहा ने भेजा है? मैंने कहा जी हाँ! आपने पूछा खाने के लिये? (बुलाया है) मैंने कहा कि जी हाँ! तब आपने अपने करीब मौजूद लोगों से फ़र्माया कि चलो, सब हज़रात चलने लगे और मैं उनके आगे-आगे चलने लगा।

(दीगर मक़ाम : 3578, 5381, 5450, 6688)

٤٣- بَابُ مَنْ دُعِيَ لِطَعَامٍ فِي

الْمَسْجِدِ، وَمَنْ أَجَابَ فِيهِ

٤٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

سَمِعَ أَنَسًا قَالَ وَجَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي

الْمَسْجِدِ مَعَهُ نَاسٌ، لَقَمْتُ، فَقَالَ لِي:

((أَرْسَلَكُ أَبُو طَلْحَةَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ.

فَقَالَ: ((لِطَعَامٍ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ لِمَنْ

مَعَهُ: ((قَوْمُوا)). فَأَنْطَلَقَ وَأَنْطَلَقْتُ بَيْنَ

أَيْدِيهِمْ. [أطرافه في: ٣٥٧٨، ٥٣٨١،

٥٤٥٠، ٦٦٨٨.]

यहाँ ये हदीष मुख्तसर (छोटी) है, पूरी हदीष बाब अलामते नुबुव्वत में आगे आएगी। हज़रत अनस (रज़ि.) आगे दौड़कर हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) को खबर करने के लिये गये कि आँहज़रत (ﷺ) इतने आदमियों के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत अनस (रज़ि.) ने मस्जिद में आपको दा'वत दी और आपने मस्जिद ही में दा'वत कुबूल फ़र्माई। यही बाब का तर्जुमा है।

बाब 44 : मस्जिद में फ़ैसले करना और मर्दों और औरतों (शौहर-बीवी) के बीच लिआन कराना (जाइज़ है)

(423) हमसे यह्या बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक ने, कहा हमको इब्ने जुरैज ने, कहा हमें इब्ने शिहाब ने सहल बिन सअद साएदी से कि एक शख्स ने कहा, या रसूलुल्लाह (ﷺ)! उस शख्स के बारे में फ़र्माइये जो अपनी बीवी के साथ किसी ग़ैर मर्द को (बद फ़ेअली करते हुए) देखता है, क्या उसे मार डाले? आख़िर उस मर्द ने अपनी बीवी के साथ मस्जिद में लिआन किया और उस वक़्त मैं मौजूद था।

(दीगर मक़ाम : 4745, 4746, 5259, 5308, 5309, 6854, 7165)

٤٤- بَابُ الْقَضَاءِ وَاللِّمَانِ فِي

الْمَسْجِدِ

٤٢٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ

الرِّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:

أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ:

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا

وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلَاعَنَا فِي

الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ.

[أطرافه في: ٤٧٤٥، ٤٧٤٦، ٥٢٥٩،

٥٣٠٨، ٥٣٠٩، ٦٨٥٤، ٧١٦٥]

[१३०६, ११११]

तशरीह : लिआन ये कि मर्द अपनी औरत को जिना करते देखें मगर उसके पास गवाह न हो, बाद में औरत इन्कार कर जाए इस सूत्र में वो दोनों काज़ी के यहाँ दा'वा पेश करेंगे, काज़ी पहले मर्द से चार दफा क़सम लेगा कि वो सच्चा है और आखिर में कहेगा कि मैं अगर झूठ बोलता हूँ तो मुझ पर अल्लाह तआला की लअनत हो। फिर इसी तरह चार दफा औरत क़सम खाकर आखिर में कहेगी कि अगर मैं झूठी हूँ तो मुझ पर अल्लाह तआला की लअनत हो। फिर काज़ी मियाँ-बीवी के दर्मियान जुदाई का फ़ैसला कर देगा, इसी को लिआन कहते हैं। बाब की हदीष से मस्जिद में ऐसे झगड़ों का फ़ैसला देना प्राबित हुआ। यहाँ जिस मर्द का वाक़िया है उसका नाम उवैमिर बिन आमिर अजलानी था। इमाम बुखारी (रह.) ने इस हदीष को तलाक़, ऐतिसाम और अहकामे मुहारिबीन में भी रिवायत किया है।

बाब 45 : इस बारे में कि जब कोई किसी के घर में दाख़िल हो तो क्या जिस जगह वो चाहे वहाँ नमाज़ पढ़ ले या जहाँ उसे नमाज़ पढ़ने के लिये कहा जाए (वहाँ पढ़े) और फ़ालतस्वाला व जवाब न करे

(424) हमसे अब्दुल्लाह बिन मूसा क़अम्बी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन सअद ने इब्ने शिहाब के वास्ते से बयान किया, उन्होंने महमूद बिन रबीआ से, उन्होंने इत्बान बिन मालिक से (जो नाबीना थे) कि नबी करीम (ﷺ) उनके घर तशरीफ़ लाए। आप (ﷺ) ने पूछा कि तुम अपने घर में कहाँ पसंद करते हो कि मैं तुम्हारे लिये नमाज़ पढ़ूँ। इत्बान ने बयान किया कि मैंने एक जगह की तरफ़ इशारा किया। फिर नबी करीम (ﷺ) ने तक्बीर कही और हमने आपके पीछे सफ़ बाँधी फिर आपने दो रकअत नमाज़ (नफ़ल) पढ़ाई।

(दीगर मक़ाम : 425, 667, 686, 838, 840, 1186, 4009, 4010, 5401, 6423, 6938)

४० - بَابُ إِذَا دَخَلَ بَيْنَا يُصَلِّي
حَيْثُ شَاءَ، أَوْ حَيْثُ أَمْرٌ، وَلَا
يَتَجَسَّسُ

४२६ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ:
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ مَخْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَيْتَانَ بْنِ
مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ:
(أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ؟)
قَالَ: فَأَشْرَفْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ
ﷺ وَصَفَّقَا خَلْفَهُ، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ.

[أطرافه في : ٤٢٥, ٦٦٧, ٦٨٦, ٨٣٨]

٨٤٠, ١١٨٦, ٤٠٠٩, ٤٠١٠

[٦٩٣٨, ٦٤٢٣, ٥٤٠١]

तशरीह : बाब का मतलब हदीष से इस तरह निकला कि आँहज़रत (ﷺ) ने उनके घर में नफिल नमाज़ बाजमाअत पढ़ाकर इस तरह उन पर अपनी नवाजिश फर्माई। फिर उन्होंने (इत्बान) ने अपनी नफली नमाज़ों के लिये इसी जगह को मुकरर कर लिया। मा'लूम हुआ कि ऐसे मौका पर नफिल नमाज़ों को जमाअत से भी पढ़ लेना जाइज़ है। मज़ीद तपसील (विस्तृत जानकारी) आगे आ रही है।

बाब 46 : इस बयान में (कि बवक्ते ज़रूरत) घरों में जाए नमाज़ (मुकरर कर लेना जाइज़ है)

४६ - بَابُ الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ
وَصَلَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَزَابٍ فِي مَسْجِدِهِ فِي

और बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) ने अपने घर की मस्जिद में जमाअत से नमाज़ पढ़ी।

دَارِهِ جَمَاعَةً

(425) हमसे सईद बिन ज़फ़ैर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष बिन सअद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इकैल ने इब्ने शिहाब के वास्ते से बयान किया कि मुझे महमूद बिन रबीआ अंसारी ने कि इत्बान बिन मालिक अंसारी (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) के सहाबी और ग़ज़्व-ए-बद्र के हाज़िर होने वालों में से थे, नबी करीम (ﷺ) की खिदमत में हाज़िर हुए और कहा, या रसूलुल्लाह (ﷺ)! मेरी बीनाई में कुछ फ़र्क आ गया है और मैं अपनी क्रौम के लोगों को नमाज़ पढ़ाया करता हूँ लेकिन जब बरसात का मौसम आता है तो मेरे और मेरी क्रौम के बीच जो वादी है वो भर जाती है और बहने लग जाती है और मैं उन्हें नमाज़ पढ़ाने के लिये मस्जिद तक नहीं जा सकता; या रसूलुल्लाह (ﷺ)! मेरी ख़्वाहिश है कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाएँ और (किसी जगह) नमाज़ पढ़ दें ताकि मैं उसे नमाज़ की जगह बना लूँ। रावी ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इत्बान से फ़र्माया, इंशाअल्लाह तअलाला! मैं तुम्हारी इस ख़्वाहिश को पूरा करूँगा। इत्बान ने कहा कि (दूसरे दिन) जब दिन चढ़ा तब रसूलुल्लाह (ﷺ) और अबूबक्र सिद्दीक (रज़ि.) दोनों तशरीफ़ ले आए और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अंदर आने की इजाज़त चाही, मैंने इजाज़त दे दी। जब आप घर में तशरीफ़ लाए तो बैठे भी नहीं और पूछा कि तुम अपने घर के किस हिस्से में मुझसे नमाज़ पढ़ने की चाहत रखते हो। इत्बान ने कहा कि मैंने घर में एक कोने की तरफ़ इशारा किया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) (उस जगह) खड़े हुए और तक्बीर कही हम भी आपके पीछे खड़े हो गए और स़फ़ बाँधी। पस आपने दो रकअत (नफ़्ल) नमाज़ पढ़ाई फिर सलाम फेरा। इत्बान ने कहा कि हमने आपको थोड़ी देर के लिये रोका और आपकी खिदमत में हलीम पेश किया जो आप ही के लिये तैयार किया गया था। इत्बान ने कहा कि मुहल्ले वालों का एक मजमा घर में लग गया और मजमे में से एक शख्स बोला कि मालिक बिन दुख़ैशिन या (या ये कहा कि

٤٢٥- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ آتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصْرِي وَأَنَا أَصْلِي لِقَوْمِي، لِإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأَصَلِيَ بِهِمْ. وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكَ تَأْتِيَنِي فَتُصَلِّيَ لِي بَعَثِي فَأَتَيْتُهُ مُصَلِّيًا. قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((سَأَعْلَمُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى)). قَالَ عِتْبَانُ: فَقَدَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَذِنَتْ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ: ((أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أَصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟)). قَالَ: فَأَشْرَفْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ، فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، قَالَ: وَحَسَنَاءُ عَلَى خَزِيرَةَ صَفَعْنَاهَا لَهُ، قَالَ فَتَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذُووِ عَدُوٍّ فَاجْتَمَعُوا، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْنِ - أَوْ ابْنُ الدُّخَيْنِ - ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ

इब्ने दुखैशिन दिखाई नहीं देता। इस पर किसी दूसरे ने कह दिया कि वो तो मुनाफ़िक़ है जिसे अल्लाह और रसूल (ﷺ) से कोई मुहब्बत नहीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये सुनकर फ़र्माया कि ऐसा मत कहो, क्या तुम देखते नहीं कि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है और इससे मक्क़सूद ख़ालिस्स अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करना है, तब मुनाफ़िक़त का इल्जाम लगाने वाला बोला कि अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) को ज़्यादा इल्म है और हम तो बज़ाहिर इसकी तवज्जुहात और दोस्ती मुनाफ़िक़ों ही के साथ देखते हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह तआला ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले पर, अगर उसका मक्क़सूद ख़ालिस्स अल्लाह की रज़ा हासिल करना हो जहन्नम की आग़ हराम कर दी है। इब्ने शिहाब ने कहा कि फिर मैंने महमूद से सुनकर हुसैन बिन महमूद अंसारी से जो बनू सालिम के शरीफ़ लोगों में से हैं (इस हदीष) के बारे में पूछा तो उन्होंने उसकी तस्दीक़ की और कहा कि महमूद सच्चा है। (राजेअ: 424)

اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: ((لَا تَقُلْ ذٰلِكَ، اَلَا تَرٰهُ قَدْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ؟)) قَالَ: اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ، قَالَ: فَاِنَا نَرٰى وَجْهَهُ وَنَصِيْحَتَهُ اِلَى الْمُنَافِقِيْنَ. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: ((فَاِنَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلٰى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَتَّبِعِيْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ))، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْاَنْصَارِيَّ - وَهُوَ اَخَذَ بِنَبِيِّ سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَائِهِمْ - عَنْ حَدِيْثِ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَصَدَّقَهُ بِذٰلِكَ.

[راجع: ٤٢٤]

तशरीह:

अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने इस हदीष से बहुत से मसालिह को प्राबित फर्माया है। मषलन (1) अन्धे की इमामत का जाइज़ होना जैसा कि हज़रत इतबान नाबीना होने के बावजूद अपनी क़ौम को नमाज़ पढ़ाते थे। (2) अपनी बीमारी का बयान करना शिकायत में दाख़िल नहीं। (3) ये भी प्राबित हुआ कि मदीना में मस्जिदे नबवी के अलावा दीगर मस्जिद में भी नमाज़ जमाअत से अदा की जाती थी। (4) इतबान जैसे मअजूरों के लिये अंधेरे और बारिश में जमाअत का मुआफ़ होना। (5) बवक़्ते ज़रूरत नमाज़ घर में पढ़ने के लिये एक जगह मुकर्रर कर लेना। (6) सफ़ों का बराबर करना। (7) मुलाक़ात के लिये आने वाले बड़े आदमी की इमामत का जाइज़ होना, बशर्ते कि साहिबेखाना (घर का मुखिया) उसे इजाज़त दे। (8) आँहज़रत (ﷺ) ने जहाँ नमाज़ पढ़ी उस जगह का मुतबरक़ होना। (9) अगर किसी सालेह नेक इन्सान को घर में बरक़त के लिये बुलाया जाए तो उसका जाइज़ होना। (10) बड़े लोगों की छोटे भाइयों की दा'वत कुबूल करना। (11) वादा पूरा करना और उसके लिये इंशाअल्लाह कहना। अगर मेजबान पर भरोसा है तो बग़ैर बुलाए हुए भी अपने साथ दूसरे अहबाब को दा'वत के लिये ले जाना। (12) घर में दाख़िल होने से पहले साहिबे खाना से इजाज़त हासिल करना। (13) मुहल्ले वालों का आलिम या इमाम के पास बरक़त हासिल करने के लिये जमा होना। (14) जिससे दीन में नुक़सान का डर हो उसका हाल इमाम के सामने बयान कर देना। (15) ईमान में सिर्फ़ जुबानी इक़रार काफी नहीं जब तक कि दिल में यकीन और ज़ाहिर में अमले-सालेह न हो। (16) तौहीद पर मरने वाले का हमेशा दोजख़ में न रहना। (17) बरसात में घर में नमाज़ पढ़ लेना। (18) नवाफ़िल जमाअत से अदा करना।

क़स्तलानी ने कहा कि इतबान बिन मालिक अन्सारी सालेमी मदीनी थे जो नाबीना हो गए थे। आँहज़रत (ﷺ) हफ़्ता के दिन आपके घर तशरीफ़ लाए और हज़रत अबू बक्र और उमर (रजि.) भी साथ थे। हलीम ख़ज़ीरा का तर्जुमा है, जो गोशत के टुकड़ों को पानी में पकाकर बनाया जाता था और उसमें आटा भी मिलाया जाता था। मालिक़ बिन दुखैशिन जिस पर निफ़ाक़ का शुबहा ज़ाहिर किया गया था, बाज़ लोगों ने इसे मालिक़ बिन दुख़शुम सही कहा है, बिला इख़िताफ़ बद्र की लड़ाई में शरीक़ थे और सुहैल बिन अमर काफ़िर को उन्होंने ही पकड़ा था। इब्ने इस्हाक़ ने मगाज़ी में बयान किया है कि मस्जिदे ज़रार को जलाने वालों में आँहज़रत (ﷺ) ने इनको भी भेजा था; तो ज़ाहिर हुआ कि ये मुनाफ़िक़ न थे मगर कुछ लोगों को बाज़ हालात की बिना पर उनके बारे में ऐसा ही शुबहा हुआ जैसा कि हातिब बिन अबी बलतआ के बारे में शुबहा पैदा हो गया था जबकि उन्होंने अपने

बीवी और बच्चों की मुहब्बत में आँहज़रत (ﷺ) के इरादा किये हुए लश्कर की जासूसी मक्का वालों से करने की कोशिश की थी जो उनकी ग़लती थी। मगर आँहज़रत (ﷺ) ने उनका उज़र कुबूल फ़र्माकर उस ग़लती को मुआफ़ कर दिया था। ऐसा ही मालिक बिन दुखशुम के बारे में आपने लोगों को मुनाफ़िक़ कहने से मना फ़र्माया, इसलिये भी कि वो मुजाहिदीने बद्र से हैं जिनकी सारी ग़लतियों को अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया है।

इमाम बुखारी (रह.) ने इस हदीष को बीस से भी ज्यादा मक़ामात पर रिवायत किया है और इससे बहुत से मसाइल निकाले हैं जैसा कि ऊपर गुज़र चुका है।

बाब 47 : मस्जिद में दाख़िल होने और दूसरे कामों में भी दाईं तरफ़ से शुरूआत करने के बयान में

अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) मस्जिद में दाख़िल होने के लिये पहले दायाँ पांव रखते और निकलने के लिये पहले बायाँ पांव बाहर निकालते।

(426) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा हमको शुअबा ने ख़बर दी अशअष बिन सुलैम के वास्ते से, उन्होंने मस्रूक़ से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से किरसूलल्लाह (ﷺ) अपने तमाम कामों में जहाँ तक मुम्किन होता दाईं तरफ़ से शुरू करने को पसंद करते थे। त़हारत के वज़त भी, कंधा करने और जूता पहनने में भी। (राजेअ: 168)

बाब 48 : क्या दौरे जाहिलियत के मुश्रिकों की क़ब्रों को ख़ोद डालना और उनकी क़ब्रों की जगह को मस्जिद बनाना जाइज़ है?

क्योंकि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह यहूदियों पर लअनत करे कि उन्होंने अपने अंबिया की क़ब्रों को मस्जिद बना लिया और क़ब्रों में नमाज़ मक्रूह होने का बयान। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने अनस बिन मालिक (रज़ि.) को एक क़ब्र के पास नमाज़ पढ़ते देखा तो फ़र्माया कि क़ब्र है क़ब्र! और आपने उनको नमाज़ लौटाने का हुक्म नहीं दिया।

(427) हमसे मुहम्मद बिन मुषत्रा ने बयान किया, कहा हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने हिशाम बिन उर्वा के वास्ते से बयान किया, कहा कि मुझे मेरे बाप ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से ये ख़बर दी कि उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा (रज़ि.) दोनों ने एक कनीसा का ज़िक्र किया जिसे उन्होंने हब्शा में देखा था उसमें

٤٧- بَابُ: التَّيْمُنُ فِي دُخُولِ

الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى، فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى.

٤٢٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ خَرَّبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سَلِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيْمُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ: فَبِي طَهْوَرِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَتَعْلَمِهِ.

[راجع: ١٦٨]

٤٨- بَابُ: هَلْ يُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي

الْجَاهِلِيَّةِ، وَيَتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِدَ؟ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ))، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْقُبُورِ، وَرَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ: الْقَبْرُ الْقَبْرُ. وَلَمْ يَأْمُرْ بِالْإِعَادَةِ.

٤٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ:

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرْنَا كَيْسَةَ رَأَيْنَاهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ

मूर्तियाँ (तस्वीरें) थीं। उन्होंने उसका तज़िकरा नबी करीम (ﷺ) से भी किया। आपने ये फ़र्माया कि उनका ये क़ायदा था कि अगर उनमें कोई नेकोकार शाख़्स मर जाता तो वो लोग उसकी क़ब्र पर मस्जिद बनाते और उसमें यही मूर्तियाँ (तस्वीरें) बना देते पस ये लोग अल्लाह की बासगाह में क़यामत के दिन तमाम मख़लूक में बुरे होंगे। (दीगर मक़ाम : 434, 1341, 3878)

तशरीह :

ये अषर मौसूलन अबू नुऐम ने किताबुस्सलालात में निकाला है जो हज़रत इमाम बुखारी (रह.) के शूयूख में से हैं। तपस्वील ये है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने हज़रत अनस (रज़ि.) को एक क़ब्र के पास नमाज़ पढ़ते देखा तो क़ब्र क़ब्र कहकर उनको इतिला फ़र्माई, मगर वो कमर समझे। बाद में समझ जाने पर वो क़ब्र से दूर हो गए और नमाज़ अदा की। इससे इमाम बुखारी (रह.) ने ये निकाला कि नमाज़ जाइज़ हो गई अगर फ़ासिद होती तो दोबारा शुरू करते। (फ़त्हुल बारी)

आज के ज़माने में जब क़ब्रपरस्ती आम है बल्कि चिल्लापरस्ती और शुदापरस्ती और ताज़ियापरस्ती सब ज़ोरों पर है, तो इन हालात में आँहज़रत (ﷺ) की हदीष के मुताबिक़ क़ब्रों के पास मस्जिद बनाने से मना करना चाहिए और अगर कोई किसी क़ब्र को सज़्दा करें या क़ब्र की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़े तो उसके मुश्रिक होने में क्या शक़ हो हो सकता है?

(428) हमसे मुसहद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल वारिष ने बयान किया, उन्होंने अबुत तियाह के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि जब नबी करीम (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाए तो यहाँ के बुलन्द हिस्से में बनी अमर बिन अ़ौफ़ के यहाँ आप उतरे और यहाँ चौबीस रातें क़याम फ़र्माया। फिर आपने बनू नज़्जार को बुला भेजा, तो वो लोग तलवारें लटकाए हुए आए। अनस ने कहा, गोया मेरी नज़रों के सामने नबी करीम (ﷺ) अपनी सवारी पर तशरीफ़ फ़र्मा हैं, जबकि अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) आपके पीछे बैठे हुए हैं और बनू नज़्जार के लोग आपके चारों तरफ़ हैं। यहाँ तक कि आप अबू अय्यूब के घर के सामने उतरे और आप ये पसंद करते थे कि जहाँ भी नमाज़ का वक़्त हो जाए फ़ौरन नमाज़ अदा कर लें। आप बकरियों के बाड़ों में भी नमाज़ अदा कर लेते थे, फिर आपने यहाँ मस्जिद बनाने के लिये हुक्म दिया। चुनाँचे बनू नज़्जार के लोगों को आपने बुलवाकर फ़र्माया कि ऐ बनू नज़्जार! तुम अपने इस बाग़ की क़ीमत मुझसे ले लो। उन्होंने जवाब दिया नहीं या रसूलल्लाह (ﷺ)! इसकी क़ीमत हम सिर्फ़ अल्लाह तआला से ही माँगते हैं। अनस (रज़ि.) ने बयान किया कि मैं जैसा कि तुम्हें बता रहा था, यहाँ मुश्रिकीन की क़ब्रें थीं, उस बाग़ में एक वीरान जगह

لذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((إِنَّ أَوْلَيْكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ بِلُكِ الصُّوَرِ، فَأَوْلَيْكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). [أطرافه في : ٤٣٤، ١٣٤١، ٣٨٧٨].

٤٢٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهِمْ أَرْبَعًا عَشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ بِنْتِي النَّجَارِ فَجَاؤُوا مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَاحِلِيهِ وَأَبُو بَكْرٍ رِذْلُهُ وَمَلَأَ بِنْتِي النَّجَارِ حَوْلَهُ، حَتَّى الْفَى بِبِنَاءِ ابْنِ أُيُوبَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَذْرَكَهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ مَلَأٌ مِنْ بِنْتِي النَّجَارِ فَقَالَ: ((يَا بِنْتِي النَّجَارِ فَاْمِنُونِي بِحَايِبِكُمْ هَذَا)). قَالُوا: لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ. فَقَالَ أَنَسٌ: لَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ: قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ،

थी और कुछ खजूर के दरख्त भी थे। पस नबी करीम (ﷺ) ने मुशिकीन की क़ब्रों को उखाड़ दिया। वीराने को साफ़ और बराबर कराया और दरख्तों को कटवाकर उनकी लकड़ियों को मस्जिद के क़िब्ले की जानिब बिछा दिया और पत्थरों के ज़रिये उन्हें मज़बूत बना दिया। सहाबा पत्थर उठाते हुए रजुज़ पढ़ते थे और नबी करीम (ﷺ) भी उनके साथ थे और ये कह रहे थे कि ऐ अल्लाह! आख़िरत के फ़ायदे के अलावा और कोई फ़ायदा नहीं पस अंसार व मुहाजिरीन की मफ़िरत फ़र्माना।

(राजेअ : 234)

وَفِيهِ حَرْبٌ، وَفِيهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِّتَتْ، ثُمَّ بِالْحَرْبِ لَسُوَيْتٍ، وَبِالنَّخْلِ لِقَطْعٍ لَفَصُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ، وَجَعَلُوا عِضَادَتِيهِ الْحِجَارَةَ، وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخَرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ
فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

[راجع: ٢٣٤]

तशीह: बनूनज्जार से आपकी क़राबत (रिश्तेदारी) थी। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब की इन लोगों में ननिहाल थी। ये लोग इज़हारे खुशी और वफ़ादारी के लिये तलवारें बाँधकर आपके इस्तक़बाल के लिये हाज़िर हुवे और खुसूसी शान के साथ आपको ले गए। आपने शुरू में हज़रत अबू अय्यूब के घर क्रियाम फ़र्माया। कुछ दिनों के बाद मस्जिदे नबवी की ता'मीर शुरू हुई और यहाँ से पुरानी क़ब्रों और दरख्तों वगैरह से ज़मीन को साफ़ किया। यहीं से बाब का तर्जुमा निकलता है।

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं कि ख़जूर के उन दरख्तों का लकड़ियों से क़िब्ला की दीवार बनाई गई थी। उनको खड़ी करके ईट और गारे से मज़बूत कर दिया गया था। बाज़ का क़ौल है कि छत के क़िब्ला की जानिब वाले हिस्से में उन लकड़ियों को इस्तेमाल किया गया था।

बाब 41 : बकरियों के बाड़ों में नमाज़ पढ़ना

(429) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअबा ने अबुत तियाह के वास्ते से, उन्होंने अनस बिन मालिक से, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) बकरियों के बाड़ों में नमाज़ पढ़ते थे, अबुत तियाह या शुअबा ने कहा, फिर मैंने अनस को ये कहते हुए सुना कि नबी करीम (ﷺ) बकरियों के बाड़े में मस्जिद की ता'मीर से पहले नमाज़ पढ़ा करते थे। (राजेअ : 234)

٤٩- بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِئِ الْعَنَمِ

٤٢٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ :

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّجَّاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ :

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي مَرَابِئِ الْعَنَمِ ثُمَّ

سَمِعْتُهُ بَعْدَ يَقُولُ: كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِئِ

الْعَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ.

[راجع: ٢٣٤]

तशीह: मा'लूम हुआ कि बकरियों के बाड़ों में बक्ते ज़रूरत एक तरफ़ जगह बनाकर नमाज़ पढ़ ली जाए तो जाइज़ है। इब्तिदा में अहज़रत (ﷺ) खुद भी बकरियों के बाड़ों में नमाज़ पढ़ लिया करते थे। बाद में मस्जिदे नबवी बन गई और ये जवाज़ बक्ते ज़रूरत बाक़ी रहा।

बाब 50 : ऊँटों के रहने की जगह में नमाज़ पढ़ना

(430) हमसे स़दक़ा बिन फ़ज़ल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सुलैमान बिन हय्यान ने, कहा हमसे अब्दुल्लाह ने नाफ़ेअ के

٥٠- بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْإِبِلِ

٤٣٠- حَدَّثَنَا سَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ :

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْثُ

वास्ते से, उन्होंने कहा कि मैंने इमर (रज़ि.) को अपने कैंट की तरफ नमाज़ पढ़ते देखा और उन्होंने फ़र्माया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इसी तरह नमाज़ पढ़ते देखा था।

बाब 51 : अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़े और उसके आगे तन्नूर, या आग, या और कोई ऐसी चीज़ हो जिसे मुश्रिक लोग पूजते हों, लेकिन उस नमाज़ी की निय्यत सिर्फ़ इबादते इलाही हो तो नमाज़ दुरुस्त है
जुहरी ने कहा अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने ख़बर दी कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मेरे सामने दोज़ख़ लाई गई और उस वक़्त मैं नमाज़ पढ़ रहा था।

ये हदीष का एक टुकड़ा है जिसको इमाम बुखारी (रह.) ने बाबु वक़्रितज़ुहर में वस्ल किया है, इससे प्राबित होता है कि नमाज़ी के आगे ये चीज़ें हों और उसकी निय्यत ख़ालिस हो तो नमाज़ बिला कराहत दुरुस्त है।

(431) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उन्होंने इमाम मालिक के वास्ते से बयान किया, उन्होंने ज़ैद बिन असलम से, उन्होंने अत्ता बिन यसार से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से, उन्होंने फ़र्माया कि सूरज ग्रहण हुआ तो नबी करीम (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ी और फ़र्माया कि (मुझे) आज जहन्नम दिखाई गई, उससे ज़्यादा भयानक मंज़र मैंने कभी नहीं देखा। (राजेअ: 29)

٤٣١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((أَرَيْتُمُ النَّارَ فَلَمْ أَرِ مِنْظَرًا كَأَيُّومٍ قَطُّ أَظْفَعُ)). [راجع: ٢٩]

इस हदीष से हज़रत इमाम (रह.) ने ये निकाला कि नमाज़ में आग के अंगारे सामने होने से कुछ नुकसान नहीं है।

बाब 52 : मक्बरों में नमाज़ पढ़ने की कराहत में

(432) हमसे मुसहद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यह्या ने बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन इमर के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे नाफ़ेअ ने अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) के वास्ते से ख़बर दी कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि अपने घरों में भी नमाज़ें पढ़ा करो और उन्हें बिलकुल मक्बरा न बना लो। (दीगरमक़ाम: 1187)

٥٢- بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي

الْمَقَابِرِ

٤٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَجْعَلُوهَا قُبُورًا)). [طرفه في: ١١٨٧].

इस बाब में एक और सरीह हदीष में फ़र्माया है मेरे लिये सारी ज़मीन मस्जिद बनाई गई है मगर क़ब्रस्तान और ह्रमाम, ये हदीष अगरचे सहीह है मगर हज़रत इमाम बुखारी (रह.) की शर्त पर न थी इसलिये आप इसको न लाए, क़ब्रस्तान में नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। सही मसलक यही है, घरों को मक़बरा न बनाओ का यही मतलब है कि नफ़िल नमाज़ें घरों में पढ़ा करो और क़ब्रस्तान की तरह वहाँ नमाज़ पढ़ने से परहेज़ न किया करो।

बाब 53 : धंसी हुई जगहों में या जहाँ कोई और अज़ाब उतरा हो वहाँ नमाज़ (पढ़ना कैसा है?) हज़रत अली से मन्कूल है कि आपने बाबिल की धंसी हुई जगह में नमाज़ को मकरूह समझा

बाबिल कूफ़ा की ज़मीन और उसके इर्द-गिर्द जहाँ नमरुद मरदूद ने बड़ी इमारत बाग़ो इरम के नाम से बनवाई थी। अल्लाह ने उसे ज़मीन में धंसा दिया।

(433) हमसे इस्माईल बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन दीनार के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, उन अज़ाब वालों के आषार से अगर तुम्हारा गुज़र हो तो रोते हुए गुज़रो, अगर तुम उस मौक़े पर रो न सको तो उनसे गुज़रो ही नहीं, ऐसा न हो कि तुम पर भी उनके जैसा अज़ाब आ जाए।

(दीगर मक़ाम : 3380, 3381, 4419, 4420, 4702)

बाब 54 : गिरजा में नमाज़ पढ़ने का बयान

और हज़रत इमर (रज़ि.) ने कहा ओ नसरानियों! हम आपके गिरजाओं में इस वजह से नहीं जाते कि वहाँ मूर्तियाँ होती हैं और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) गिरजा में नमाज़ पढ़ लेते, मगर उस गिरजा में न पढ़ते जहाँ मूर्तियाँ होती हैं।

(434) हमसे मुहम्मद बिन सलाम बैकन्दी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको अब्दह बिन सुलैमान ने ख़बर दी, उन्होंने हिशाम बिन इर्वासे, उन्होंने अपने बाप इर्वाबिन जुबैर से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने

۵۳- بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ
الْحَسْفِ وَالْعَذَابِ وَيُذَكَّرُ أَنْ عَلِيًّا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ بِحَسْفِ
بَابِلَ

۴۳۳- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَا تَدْخُلُوا
عَلَى مَوْلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
بَاكِينَ، لِإِنَّ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا
عَلَيْهِمْ لَا يُصِيْبِكُمْ مَا صَابَهُمْ)).

[أطرافه في : ۳۳۸۰، ۳۳۸۱، ۴۴۱۹،

۴۴۲۰، ۴۷۰۲.]

۵۴- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْعَةِ

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ
كِنَائِسِكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَائِيلِ الَّتِي فِيهَا
الصُّورُ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْبَيْعَةِ
إِلَّا بَيْعَةً فِيهَا تَمَائِيلٌ.

۴۳۴- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ:
أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ

आँहज़रत (ﷺ) से एक गिरजा का ज़िक्र किया जिसको उन्होंने हब्श के मुल्क में देखा उसका नाम मारिया था। उसमें जो मूर्तियाँ देखी थीं वो बयान कीं। उस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया ये ऐसे लोग थे कि अगर उनमें कोई नेक बन्दा (या ये फ़र्माया कि) नेक आदमी मर जाता तो उसकी क़ब्र पर मस्जिद बनाते और उसमें ये बुत रखते। ये लोग अल्लाह के नज़दीक सारी मख़लूक से बदतर हैं। (राजेज़: 426)

तश्रीह: हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं कि तर्जुमा और बाब में मुताबक़त ये है कि इस में ये ज़िक्र है कि वो लोग उसकी क़ब्र पर मस्जिद बना लेते, इसमें इशारा है कि मुसलमान को गिरजा में नमाज़ पढ़ना मना है क्योंकि इहतिमाल है कि गिरजा की जगह पहले क़ब्र हो और मुसलमान के नमाज़ पढ़ने से वो मस्जिद हो जाए।

इन ईसाइयों से बदतर उन मुसलमानों का हाल है जो मज़ारों को मस्जिदों से भी ज़्यादा ज़ीनत देकर वहाँ बुजुर्गों से हाज़त त़लब करते हैं बल्कि उन मज़ारों पर सज़्दा करने से भी बाज़ नहीं आते। ये लोग भी अल्लाह के नज़दीक बदतरनी ख़लाइक़ है।

बाब : 55

(435, 436) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको शुऐब ने ख़बर दी ज़ुहरी से, उन्होंने कहा कि मुझे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा ने ख़बर दी कि हज़रत आइशा और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (सज़ि.) ने बयान किया कि जब नबी करीम (ﷺ) मर्जुल वफ़ात में मुब्तला हुए तो आप अपनी चादर को बार-बार चेहरे पर डालते। जब कुछ इफ़ाक़ा होता तो अपने मुबारक चेहरे से चादर हटा देते। आपने इसी इज़्तिराब और परेशानी की हालत में फ़र्माया, यहूदो-नसारा पर अल्लाह की फ़टक़ार हो कि उन्होंने अपने अंबिया की क़ब्रों को मस्जिद बना लिया। आप ये फ़र्माकर उम्मत को ऐसे कामों से डराते थे।

(दीगर मक़ाम : 1330, 1390, 3453, 4441, 4443, 5815)

(दीगर मक़ाम : 3454, 4444, 5816)

(437) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उन्होंने मालिक के वास्ते से, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने सईद बिन

الله ﷺ كَيْسَةَ رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنَ الصُّورِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَوْلَيْكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ - أَوْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ - بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ بِلُكِّ الصُّورِ، أَوْلَيْكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ)). [راجع: ٤٢٦]

باب - ٥٥

٤٣٥، ٤٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَا: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خِمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ: - وَهُوَ كَذَلِكَ - ((لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَلَّوْا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)) يُحَلِّزُوا مَا صَنَعُوا.

[أطرافه في : ١٣٣٠، ١٣٩٠، ٣٤٥٣،

٤٤٤١، ٤٤٤٣، ٥٨١٥].

[أطرافه في : ٣٤٥٤، ٤٤٤٤، ٥٨١٦].

٤٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

मुसय्यिब से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से किरसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, यहूदियों पर अल्लाह की लअनत हो उन्होंने अपने अंबिया की क़ब्रों को मसाजिद बना लिया।

المَسْبُوبُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)).

तशरीह : आपने उम्मत को इसलिये डराया कि कहीं वो भी आपकी क़ब्र को मस्जिद न बना लें। एक हदीष में आपने फ़र्माया- मेरी क़ब्र पर मेला न लगाना। एक दफ़ा आपने फ़र्माया कि- या अल्लाह! मेरी क़ब्र को बूत न बना देना कि लोग उसे पूजे। यहूद और नसारा दोनों के यहां क़ब्रपरस्ती आम थी और आज भी है। हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम इग़ा़तुल्लहफ़ान में फ़र्माते हैं कि अगर कोई शख़्स मौजूदा आम मुसलमानों का हदीषे नबवी और आपरे स़हाबा व ताबेईन की रोशनी में मुवाज़ना (तुलना) करें तो वो देखेगा कि आज मुसलमानों के एक जम्मे ग़फ़ीर (बड़े झुण्ड) ने भी किस तरह हदीषे नबवी की मुख़ालफ़त करने की ठान ली है। मषलन :-

(1) आँहज़रत (ﷺ) ने नबियों की क़ब्रों पर भी नमाज़ पढ़ने से मना फ़र्माया मगर मुसलमान शौक़ से कितनी ही क़ब्रों पर नमाज़ पढ़ते हैं। (2) आँहज़रत (ﷺ) ने क़ब्रों पर मसाजिद की तरह इमारत बनाने से सख़्ती के साथ रोका मगर आज उन पर बड़ी-बड़ी इमारत बनाकर उनका नाम खानक़ाह, मज़ार शरीफ़ और दरगाह वग़ैरह रखा जाता है। (3) आँहज़रत (ﷺ) ने क़ब्रों पर चिराग़ां से मना फ़र्माया, मगर क़ब्रपरस्त मुसलमान क़ब्रों पर ख़ूब-ख़ूब चिराग़ां करते हैं और इस काम के लिये कितनी ही जायदादें वक़फ़ करते हैं। (4) आँहज़रत (ﷺ) क़ब्रों पर ज़ाइद मिट्टी डालने से भी मना फ़र्माया, मगर ये लोग मिट्टी की बजाय चूना और ईंट से उनको पुख़्ता बनाते हैं। (5) आँहज़रत (ﷺ) ने क़ब्रों पर क़तबे लिखने से मना फ़र्माया, मगर ये लोग शानदार इमारतें बनाकर आयाते कुर्आनी क़ब्रों पर लिखते हैं। गोया कि हुज़ूर (ﷺ) के हर हुक़म के मुख़ालिफ़ और दीन की हर हिदायत के बागी बने हुए हैं।

साहिबे मजालिसुल अबरार लिखते हैं कि ये गुमराह फ़िर्का गुलू (अति/हद से बढ़ने) में यहां तक पहुंच गया है कि बैतुल्लाह शरीफ़ की तरह क़ब्रों के आदाब और अरकान व मनासिक मुक़रर कर डालते हैं जो इस्लाम की जगह खुली हुई बूतपरस्ती है। फिर ता'ज़ुब ये है कि ऐसे लोग अपने आप को इनफ़ी, सुन्नी कहलाते हैं। हालांकि इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने हर्गिज ऐसे उमूर के लिये नहीं फ़र्माया। अल्लाह मुसलमानों को नेक समझ अता करे।

बाब 56 : नबी करीम (ﷺ) का इर्शाद कि मेरे लिये सारी ज़मीन पर नमाज़ पढ़ने और पाकी हासिल करने (यानी तयम्मूम करने) की इजाज़त है

(438) हमसे मुहम्मद बिन सिनान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हुशैम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अबू हक़म सय्यार ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यज़ीद फ़क़ीर ने, कहा हमसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने किरसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया मुझे पाँच ऐसी चीज़ें अज्ञा की गई हैं जो मुझसे पहले अंबिया को नहीं दी गई थी। (1) एक महीने की राह से मेरा डर डालकर मेरी मदद की गई। (2) मेरे लिये तमाम ज़मीन में नमाज़ पढ़ने और पाकी हासिल करने की इजाज़त है इसलिये मेरी उम्मत के जिस आदमी की नमाज़ का वक़्त (जहाँ भी) हो जाए उसे (वहीं) नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए। (3) मेरे लिये माले ग़नीमत हलाल

٥٦- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ

((جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا

وَطَهْرًا))

٤٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ - هُوَ أَبُو

الْحَكَمِ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ:

حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ: ((أَعْطَيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ

مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّغْبِ مَسِيرَةَ

شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا

وَطَهْرًا، وَإِيمًا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ

किया गया। (4) पहले अंबिया ख़ास अपनी क़ौम की हिदायत के लिये भेजे जाते थे लेकिन मुझे दुनिया के तमाम इंसानों की हिदायत के लिये भेजा गया है। (5) मुझे शफ़ाअत अता की गई है। (राजेअ: 335)

الصَّلَاةُ فَلْيَصَلِّ، وَأَجَلْتُ لِي الْفَنَائِمِ،
وَكَانَ النَّبِيُّ يَنْتُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً
وَيَنْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأَعْطِيْتُ
الشَّفَاعَةَ)). [راجع: ٣٣٥]

मा'लूम हुआ कि ज़मीन के हर हिस्से पर नमाज़ और उससे तयम्मुम करना दुरुस्त है बशर्ते कि वो हिस्सा पाक हो। माले गनीमत वो जो इस्लामी जिहाद में फ़तह के नतीजा में हासिल हो। ये आपकी खुसूसियात है जिनकी वजह से आप सारे अंबिया में मुमताज़ हुए। अल्लाह ने आपका रौब इस क़दर डाल दिया था कि बड़े-बड़े बादशाह दूर-दराज बैठे हुए महज आपका नाम सुनकर कांप जाते थे। क़िसरा परवेज़ ने आपका नाम—ए—मुबारक चाक कर डाला था। अल्लाह तआला ने थोड़े ही दिनों बाद उसी के बेटे शेरविया के हाथ से उसका पेट चाक करा दिया। अब भी दुश्मनाने रसूल (ﷺ) का यही हसर होता है कि वो ज़िल्लत का मौत पर मरते हैं।

बाब 57 : औरत का मस्जिद में सोना

(439) हमसे अब्द बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबू उसामा ने हिशाम के वास्ते से, उन्होंने अपने बाप से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से, कि अरब के किसी क़बीले की एक काली लौण्डी थी। उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया था और वो उन्हीं के साथ रहती थीं। उसने बयान किया कि एक बार उनकी एक लड़की (जो दुल्हन थी) नहाने को निकली, उसका कमरबन्द सुख़् तस्मों का था उसने कमरबन्द उतार कर रख दिया या उसके बदन से गिर गया फिर उस तरफ़ से एक चील गुज़री जहाँ कमरबन्द पड़ा था चील उसे (सुख़् रंग की वजह से) गोशत समझकर झपट ले गई। बाद में क़बीला वालों ने उसे बहुत तलाश किया लेकिन वो कहीं न मिला। उन लोगों ने उसकी तोहमत मुझ पर लगा दी और मेरी तलाशी लेनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि उन्होंने उसकी शर्मगाह तक की तलाशी ले ली। उसने बयान किया कि अल्लाह की क़सम! मैं उनके साथ इसी हालत में खड़ी थी कि वही चील आई और उसने उसका वो कमरबन्द गिरा दिया। वो उनके सामने ही गिरा। मैंने (उसे देखकर) कहा यही तो था जिसकी तुम मुझ पर तोहमत लगाते थे। तुम लोगों ने मुझ पर इसका इल्ज़ाम लगाया था। हालाँकि मैं इससे पाक थीं। यही तो है वो कमरबन्द उस (लौण्डी) ने कहा, कि उसके बाद मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और इस्लाम लाई। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि उसके लिये मस्जिदे नबवी में एक बड़ा ख़ैमा

٥٧- بَابُ نَوْمِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ

٤٣٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ
عَائِشَةَ أَنَّ وَلِيدَةَ كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحْيٍ مِنَ
الْعَرَبِ فَأَعْتَقَهَا فَكَانَتْ مَعَهُمْ. فَخَرَجَتْ
صَبِيَّةً لَهُمْ عَلَيْهَا وَشَاخَ أَحْمَرٌ مِنْ سَيْرٍ.
قَالَتْ: فَوَضَعْتُهُ- أَوْ وَقَعَ مِنْهَا - فَمَرَّتْ
بِهِ حُدَيَاةٌ وَهِيَ مُلْقَى، فَحَسِبْتُهُ لَحْمًا
فَخَطَفْتُهُ. قَالَتْ فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ.
قَالَتْ فَاتَّهَمُونِي بِهِ. قَالَتْ فَطَفِقُوا
يَفْتَشُونِي حَتَّى فَتَشَوْا قُبْلَهَا. قَالَتْ:
وَاللَّهِ إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ إِذْ مَرَّتِ الْحُدَيَاةُ
فَأَلْقَتْهُ، قَالَتْ: فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ، قَالَتْ
فَقُلْتُ: هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُونِي بِهِ زَعَمْتُمْ،
وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ وَهِيَ ذَا هُوَ. قَالَتْ فَجَاءَتْ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَلَمَتْ. قَالَتْ
عَائِشَةُ: فَكَانَتْ لَهَا خِيَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ،
أَوْ حِفْشٌ، قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدِّثُ

लगा दिया गया (या ये कहा कि) छोटा सा खैमालगा दिया गया हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि वो लौण्डी मेरे पास आती और मुझसे बातें किया करती थीं। जब भी वो मेरे पास आती तो ये ज़रूर कहती कि कमरबन्द का दिन हमारे रब की अजीब निशानियों मे से है। उसी ने मुझे कुफ़्र के मुल्क से नजात दी। हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि मैंने उससे कहा आख़िर बात क्या है? जब भी तुम मेरे पास बैठती हो तो ये बात ज़रूर कहती हो। आपने बयान किया कि फिर उसने मुझे ये क़िस्सा सुनाया।

तशरीह: प्राबित की रिवायत में इतना ज़्यादा है कि मैंने अल्लाह तआला से दुआ की जो फ़ौरन कुबूल हुई, प्राबित हुआ कि ऐसी नौ मुस्लिमा मज़लूमा औरत अगर कहीं जाए पनाह न पा सके तो उसे मस्जिद में पनाह दी जा सकती है और वो रात भी मस्जिद में गुज़ार सकती है। बशर्ते कि किसी फ़ितने का डर न हो। आम हालात में मस्जिद का अदब व एहताराम पेशे नज़र रखना ज़रूरी है, इससे ये भी प्राबित हुआ कि मज़लूम अगरचे काफ़िर हो फिर भी उसकी दुआ कुबूल होती है।

आजकल की बाज़ क़ौमों में औरतें चाँदी का कमरबन्द बतौर ज़ेवर इस्ते'माल करती हैं। वो भी इसी किस्म का क़ीमती कमरबन्द होगा जो सुख़ रंग का था जिसे चील ने गोशत जानकर उठा लिया मगर (बाद में उसे वापस उसी जगह लाकर डाल दिया, ये उस मज़लूमा की दुआ का अफ़र था वरना वो चील उसे और नामा'लूम जगह डाल देती तो अल्लाह जाने कि वो काफ़िर इस ग़रीब मिस्कीना पर कितने जुल्म दाते। वो नौ मुस्लिमा हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास आकर बैठा करती थी और आपसे अपने ज़ाती वाफ़िआत का ज़िक्र किया करती थी और अक़षर मज़क़ूरा शे'र उसकी जुबानी पर जारी रहा करता था।

बाब 58 : मस्जिदों में मर्दों का सोना

और अबू क़िलाबा ने अनस बिन मालिक से नक़ल किया है कि इब्ल नामी क़बीले के कुछ लोग (जो दस से कम थे) नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आए वो मस्जिद के सायबान में ठहरे। अब्दुरहमान बिन अबीबक्र ने फ़र्माया कि सुफ़्फ़ा में रहने वाले फ़ुक़रा लोग थे।

तशरीह: इस हदीष को खुद इमाम बुखारी (रह.) ने इस लफ़्ज़ से बाबुल मुहारिबीन में बयान किया है और ये सायबान या सुफ़्फ़ा में रहनेवाले वो लोग थे जिनका घर बार कुछ न कुछ था। ये सत्तर आदमी थे। इनको अज़हाबे सुफ़्फ़ा कहा जाता है और ये लोग दारुल उलूम मुहम्मदी के त़लब-ए-किराम थे।

(440) हमसे मुसहद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह्या ने अब्दुल्लाह के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझको नाफ़ेअ ने बयान किया, कहा कि मुझे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने ख़बर दी कि वो अपनी नौजवानी में जबकि उनके

عِنْدِي. قَالَتْ فَلَا تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسًا إِلَّا قَالَتْ: رَوْحُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَايِبِ رَبِّنَا لِأَنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ لَهَا: مَا شَأْنُكَ لَا تَقْعُدِينَ مَعِيَ مَقْعَدًا إِلَّا قَالَتْ هَذَا. قَالَتْ لِحَدِيثِي بِهَذَا الْحَدِيثِ.

۵۸- بَابُ نَوْمِ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَكَانُوا فِي الصُّفَّةِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: كَانَ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ الْفُقَرَاءَ.

۴۴۰- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ

बीवी-बच्चे नहीं थे नबी करीम (ﷺ) की मस्जिद में सोया करते थे।

(दीगर मक़ाम : 1121, 1156, 3738, 3740, 7015, 7028, 7030)

अदब के साथ बवक़ते ज़रूरत जवानों बूढ़ों के लिये मस्जिद में सोना जाइज़ है। सुफ़्फ़ा मस्जिदे नबवी के सामने एक छायादार जगह थी जो आज भी मदीना मुनव्वरा जाने वाले देखते हैं, यहाँ आप (ﷺ) से ता'लीम हासिल करने वाले रहते थे।

(441) हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम ने बयान किया, उन्होंने अपने बाप अबू हाज़िम सहल बिन दीनार से, उन्होंने सहल बिन सअद (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ातिमा (रज़ि.) के घर पर तशरीफ़ लाए देखा कि अली (रज़ि.) घर में मौजूद नहीं है। आपने पूछा कि तुम्हारे चचा के बेटे कहाँ है? उन्होंने बताया कि मेरे और उनके बीच कुछ नागवारी पेश आ गई और वो मुझसे नाराज़ होकर कहीं बाहर चले गए हैं और मेरे यहाँ क़ैलूला भी नहीं किया है। उसके बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख़्स से कहा कि अली (रज़ि.) को तलाश करो कि कहाँ है? वो आए और बताया कि मस्जिद में सोये हुए हैं। फिर नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाए। हज़रत अली (रज़ि.) लेटे हुए थे, चादर आपके पहलू से गिर गई थी और जिस्म पर मिट्टी लग गई थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) जिस्म से धूल झाड़ रहे थे और फ़र्मा रहे थे उठो अबू तुराब! उठो!

(दीगर मक़ाम : 3703, 6204, 6280)

وَهُوَ شَابٌ عَزَبٌ لَا أَهْلَ لَهُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ.

[أطرافه في : 1121, 1156, 3738, 3740, 7015, 7028, 7030].

٤٤١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ: ((أَيْنَ ابْنُ عَمِّكَ؟)) قَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَمَضَيْتُ فَنَجَّحَ فَلَمْ يَقُلْ عِنْدِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِإِنْسَانٍ: ((أَنْظُرْ أَيْنَ هُوَ؟)) فَجَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ وَأَصَابَهُ تَرَابٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: ((قُمْ يَا تَرَابُ، قُمْ يَا تَرَابُ)).

[أطرافه في : 3703, 6204, 6280].

तशरीह : तुराब अरबी में मिट्टी को कहते हैं। आँहज़रत (ﷺ) ने हज़रत अली (रज़ि.) को अज़ राहे मुहब्बत लफ़ज़ अबू तुराब से बुलाया बाद में यही हज़रत अली (रज़ि.) की कुन्नियत हो गई और आप अपने लिये इसे बहुत पसन्द फ़र्माया करते थे। हज़रत अली (रज़ि.) आँहज़रत (ﷺ) के चचाज़ाद भाई थे, मगर अरब के मुहावरे में बाप के अज़ीज़ों को भी चचा का बेटा कहते हैं। आपने अपनी लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) के दिल में हज़रत अली (रज़ि.) की मुहब्बत पैदा कराने के ख़याल से इस तरज़ से गुफ़्तगू फ़र्माईं। मियां-बीवी गाहे-गाहे बाहमी नाराज़गी होना भी एक फ़ितरी चीज़ है, मगर ऐसी ख़फ़गी को दिल में जगह देना ठीक नहीं है। इससे खानगी ज़िन्दगी तल्ख़ हो सकती है। इस हदीष से मस्जिद में सोने का जवाज़ निकला यही इमाम बुखारी (रह.) का मक़सद है जिसके तहत अपने हदीष को यहाँ ज़िक्र फ़र्माया। जो लोग आमतौर पर मस्जिदों में मर्दों के सोने को नाजाइज़ कहते हैं, उनका क़ौल सही नहीं, जैसा कि हदीष से ज़ाहिर है।

(442) हमसे यूसुफ़ बिन ईसा ने बयान किया, कहा हमसे इब्ने

٤٤٢- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَيْسَى قَالَ:

फुजैल ने अपने वालिद के वास्ते से, उन्होंने अबू हाज़िम से, उन्होंने अबू हु़रैरह (रज़ि.) से कि आपने फ़र्माया कि मैंने 70 अम्हाबे सुफ़्फ़ा को देखा कि उनमें कोई ऐसा न था जिसके पास चादर हो। फ़क़त तहबंद होता रात को ओढ़ने का कपड़ा जिन्हें ये लोग अपनी गर्दनो से बाँध लेते। ये कपड़े किसी के आधी पिण्डली तक आते और किसी के टखनों तक। ये हज़रात इन कपड़ों को इस ख़याल से कि कहीं शर्मगाह न खुल जाए अपने हाथों से समेटते रहते थे।

हज़रत इमाम क़द्दस सिर्हू ने इस हदीष से ये निकाला कि मसाजिद में बवक़ते ज़रूरत सोना जाइज़ है।

बाब 59 : सफ़र से वापसी पर नमाज़ पढ़ने के बयान में
क़अब बिन मालिक से नक़ल है कि नबी (ﷺ) जब किसी सफ़र से (लौटकर मदीने में) तशरीफ़ लाते तो पहले मस्जिद में जाते थे और नमाज़ पढ़ते थे।

इस हदीष को खुद इमाम बुखारी (रह.) ने किताबे मग़ाज़ी में बयान किया है।

(443) हमसे यह्या बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा हमसे मिस्अर ने, कहा हमसे मुह़ारिब बिन दिशार ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह के वास्ते से, वो कहते हैं कि मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आप उस वक़्त मस्जिद में तशरीफ़ फ़र्मा थे। मिस्अर ने कहा कि मेरा ख़याल है कि मुह़ारिब ने चाशत का वक़्त बताया था। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि (पहले) दो रकअत नमाज़ पढ़ और मेरा आँहज़रत (ﷺ) पर कुछ क़र्ज़ था। जिसे आपने अदा किया और ज़्यादा ही दिया।

(दीगर मक़ामात : 1801, 2097, 2309, 2385, 2394, 2406, 2470, 2603, 2670, 2603, 2604, 2718, 2861, 2967, 3087, 3089, 3090, 4052, 5079, 5080, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5367, 6387)

बाब 60 : इस बारे में कि जब कोई मस्जिद में दाख़िल हो तो बैठने से पहले दो रकअत नमाज़ पढ़ लेनी चाहिये

(444) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इमाम मालिक ने आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर से ये

حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، إِمَّا أَزَارَ وَإِمَّا كَسَاءَ قَدْ رَطَبُوا لِي أَغْصَانِهِمْ، لَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ بَصْفَ السَّالِقِينَ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبِينَ، لِيَجْمَعَهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةً أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ.

59- بَابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَالَ كَفَبُ بْنُ مَالِكٍ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ.

443- حَدَّثَنَا خَلَادٌ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِقَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - قَالَ مِسْعَرٌ: أَرَأَيْتَ قَالَ ضُحَى - فَقَالَ: ((صَلِّ رَكَعَتَيْنِ)). وَكَانَ لِي عَلَيْهِ ذَيْنِ فَقَضَانِي وَزَادَنِي.

[اطرافه في : 1801, 2097, 2309, 2385, 2394, 2406, 2470, 2603, 2670, 2603, 2604, 2718, 2861, 2967, 3087, 3089, 3090, 4052, 5079, 5080, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5367, 6387].

60- بَابُ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ

الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ

444- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

ख़बर पहुँचाई, उन्होंने अम्र बिन सुलैम जुक्री के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अबू क़तादा सलमी (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुममें से कोई शख्स मस्जिद में दाख़िल हो तो बैठने से पहले दो रक़अत नमाज़ पढ़ ले।

(दीगर मक़ाम : 1163)

الزَّيْبِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ)).

[طرفه بي : 1163]

तशीह :

मस्जिद में आने वाला पहले दो रक़अत नफ़िल पढ़े। फिर बैठे-चाहे कोई भी वक़्त हो और चाहे इमाम जुम्आ का ख़ुतबा ही क्यों न पढ़ रहा हो। जामेअ तिमिज़ी में जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मरवी है, 'बैनमन्नबिय्यि बैनमन्नबिय्यु ﷺ यख़तुबु यौमल जुमअति इज जाअ रजुलुन फ़क़ालन्नबिय्यु ﷺ असल्लयत क़ाल ला क़ाल कुम फ़क़अ क़ाल अबू ईसा व हाज़ल हदीषु हसनन सहीहन अख़रजहुल जमाअतु व फ़ी रिवायतिन इज़ा जाअ अहदुकुम यौमल जुमअति वल इमामु यख़तुबु फ़ल्यर्कअ रकअतैनि वल यतजव्वज फ़ीहिमा रवाहु अहमद व मुस्लिम व अबू दाऊद व फ़ी रिवायतिन इज़ा जाअ अहदुकुम यौमल जुमअति व क़द ख़रजल इमामु फ़ल्युसल्लिल रकअतैनि मुत्फ़क़न अलैहि कज़ा फिल मुन्तक़ा' (तुहफ़तुल अहवज़ी, जि. 1/स. 363) यानी आँहज़रत (ﷺ) जुम्आ का ख़ुतबा सुना रहे थे कि अचानक एक आदमी आया और बैठ गया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि दो रक़अत पढ़कर बैठो और रक़अतों को हलका करके पढ़ो। एक रिवायत में फ़र्माया कि जब भी कोई तुम में से मस्जिद में आए और इमाम ख़ुतबा पढ़ रहा हो चाहिए कि बैठने से पहले दो रक़अत पढ़ ले। हज़रत इमाम तिमिज़ी (रह.) फ़र्माते हैं, 'वल अमलु अला हाज़ा इन्द बअज़ि अहलिल इल्मि व बिही यक़लुशफ़ाइय्यु व अहमदु व इस्हाकु व क़ाल बअज़ुहुम इज़ा दख़ल वल इमामु यख़तुबु फ़इन्नहु यज़िलसु व ला युसल्ली व हुव क़ौलु सुफ़यान प्रौरी व अहलि कूफ़ति वल क़ौलुल अब्वलु असह्ह' यानी अहले इल्म और इमाम शाफ़िअ और इमाम अहमद और इस्हाक का यही फ़तवा है मगर बाज़ लोग कहते हैं कि इस हालत में नमाज़ न पढ़े बल्कि यँ ही बैठ जाए। सुफ़यान प्रौरी (रह.) और अहले कूफ़ा का भी यही क़ौल है। मगर पहला क़ौल ही ज़्यादा सही है और मना करने वालों का क़ौल सही नहीं है।

इमाम नववी (रह.) शरह मुस्लिम में फ़र्माते हैं कि इन अह्लादीषे सरीहा की बिना पर फ़क़हा-ए-मुहदिषीन और इमाम शाफ़िअ वग़ैरहुम का यही फ़तवा है कि ख़वाह इमाम ख़ुतबा ही क्यों न पढ़ रहा हो। मगर मुनासिब है कि मस्जिद में आने वाला दो रक़आत तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ कर बैठे और मुस्तहब है कि उनमें तख़फ़ीफ़ (मुख़्तसर) करें। आँहज़रत (ﷺ) ने जिस आने वाले शख्स को जुम्आ के ख़ुतबा के दौरान दो रक़अतें पढ़ने का हुक्म फ़र्माया था उसका नाम सुलैक था। मौजूदा दौर में बाज़ लोगों की आदत हो गई कि मस्जिद में आते ही पहले बैठ जाते हैं फिर खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं जबकि ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है, सुन्नत ये है कि मस्जिद में बैठने से पहले दो रक़अत पढ़े, फिर बैठे।

बाब 61 : मस्जिद में रियाह (हवा) ख़ारिज करना

٦١- بَابُ الْحَدَثِ فِي الْمَسْجِدِ

इस बाब से हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का गर्ज ये है कि बे-वुजू आदमी मस्जिद में जा सकता है और मस्जिद में बैठ सकता है।

(445) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया कि कहा हमें मालिक ने अबुज्जिनाद से, उन्होंने अअरज से, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तक तुम अपने मुसल्ले पर जहाँ तुमने नमाज़ पढ़ी थी, बैठे रहो और रियाह ख़ारिज न करो तो मलाइका तुम पर बराबर दुरूद भेजते रहते हैं।

٤٤٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَسْجِدِهِ مَا دَامَ فِيهِ مَا لَمْ يُحَدِّثْ،

कहते हैं, 'ऐ अल्लाह! इसकी मफ़िरत कीजिए, ऐ अल्लाह! इस पर रहम कीजिए।' (राजेअ : 176)

تَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ))

[راجع : 176]

मा'लूम हुआ कि हृदय (हवा ख़ारिज) होने की बदबू से फ़रिश्तों को तकलीफ़ होती है और वो अपनी दुआ मौकूफ़ कर देते हैं। इससे प्रामाणिकता हुआ कि मस्जिद में जहाँ तक मुमकिन हो बावजू बैठना अफ़ज़ल है।

बाब 62 : मस्जिद की इमारत

अबू सईद ने कहा कि मस्जिद की छत खजूर की शाखों से बनाई गई थी। इमर (रज़ि.) ने मस्जिद की ता'मीर का हुक्म दिया और फ़र्माया कि मैं लोगों को बारिश से बचाना चाहता हूँ और मस्जिदों पर सुख़ (लाल), ज़र्द (पीला) रंग मत करो कि इससे लोग फ़ितने में पड़ जाएँगे। अनस (रज़ि.) ने फ़र्माया कि (इस तरह पुख़ता बनवाने से) लोग मसाजिद पर फ़ख़र करने लगेंगे। मगर उनको आबाद बहुत कम लोग करेंगे। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि तुम भी मसाजिद की इसी तरह ज़ैबाइश करोगे जिस तरह यहूद और नसारा ने की।

٦٢ - بَابُ بَيَانِ الْمَسْجِدِ

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ. وَأَمَرَ عُمَرُ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ وَقَالَ : أَكِنِ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَحْمَرَ أَوْ تَصْفَرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ. وَقَالَ أَنَسٌ يَتَّهَمُونَ بِهَا فَمَا لَا يَغْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَتُؤَخَّرِفَنَّهَا كَمَا زَخَّرِفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.

तारीह : हज़रत मौलाना वहीदुज्जमा साहब (रह.) फ़र्माते हैं कि मस्जिद की रंग-रोगन और नक्श व निगार देखकर नमाज़ में नमाज़ी का ख़याल के बाब में निकाला। इब्ने माजा ने हज़रत उमर (रज़ि.) से मफ़ूअन रिवायत किया है कि किसी क्रौम का काम उस वक़्त तक कुछ नहीं बिगड़ा जब तक उसने अपनी मस्जिदों को आरास्ता नहीं किया। अक़्बर उलमा ने मस्जिदों को बहुत ज्यादा सजाने को मकरुह जाना है क्योंकि ऐसा करने से एक तो नमाज़ियों का ख़याल नमाज़ से हट जाता है और दूसरा पैसे का बेकार ज़ाए (बर्बाद) करना है। जब मसाजिद का नक्श व निगार बेफ़ायदा मकरुह और मना है तो शादी-ग़ामी में रुपया उड़ाना और फुज़ूल रस्में करना क़ब दुरुस्त होगा? मुसलमानों को चाहिए कि अपनी आँखें खोले और जो पैसा मिले उसको नेक कामों और इस्लाम की तरक्की के सामान में खर्च करे। मषलन दीन की किताबें छपवाएं, ग़रीब तालिबे इल्म लोगो की ख़बरगीरी करें, मदरसे और सराय बनवाएं, मिस्कीनों और मुहताज़ों को खिलाएं, नंगों को कपड़ा पहनाएं, यतीमों और बेवाओं की परवरिश करें।

(446) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यअक़ूब बिन इब्राहीम बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे मेरे वालिद इब्राहीम बिन सईद ने सालेह बिन कैसान के वास्ते से, हमसे नाफ़ेअने, अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी कि नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में मस्जिदे नबवी कच्ची ईंटों से बनाई गई थी। उसकी छत खजूर की शाखों की थी और सुतून उसी की लकड़ियों के। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने उसमें किसी किस्म की ज़्यादती नहीं की। अल्बत्ता हज़रत इमर (रज़ि.) ने उसे बढ़ाया और उसकी ता'मीर रसूलुल्लाह (ﷺ) की बनाई हुई बुनियादों के मुताबिक कच्ची ईंटों और खजूर की शाखों से की

٤٤٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَبْنِيًّا بِاللَّبَنِ وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ وَعَمْدُهُ خَشْبُ النَّخْلِ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَتَنَاهَى عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ

और उसके सुतून भी लकड़ियों ही के रखे। फिर हज़रत उम्रान (रज़ि.) ने इसकी इमारत को बदल दिया और उसमें बहुत सी ज़्यादाती की। उसकी दीवारों मुनक्क़श पत्थरों और गछ से बनाई। उसके सुतून भी मुनक्क़श पत्थरों से बनवाए और छत सागवान से बनाई।

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ وَالْحَرِيدِ وَأَعَادَ
عُمْدَةَ حَشْبًا. ثُمَّ غَيْرَهُ عُفْمَانُ فَرَادَا فِيهِ
زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ
الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصِيَّةِ، وَجَعَلَ عُمْدَهُ مِنَ
الْحِجَارَةِ مَنْقُوشَةٍ، وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ.

तारीह:

मस्जिदे नबवी ज़मान-ए-रिसालत मआब (ﷺ) में जब पहली बार ता' मीर हुई तो उसका तूल व अर्ज़ (क्षेत्रफल) तीस मुरब्बा ग़ज़ (30 वर्ग गज) था। फिर गज्व-ए-खैबर के बाद ज़रूरत के तहत इसका क्षेत्रफल पचास वर्ग ग़ज़ कर दिया गया। हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपने दौर ख़िलाफ़त में मस्जिदे नबवी को कच्ची ईंटों और खजूर की शाखों से मुस्तहकम (मज़बूत) किया और सुतून कड़ियों के बनाए। हज़रत उम्रान (रज़ि.) ने अपने दौर ख़िलाफ़त में इसे पुख्ता करा दिया। इसके बाद हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) मदीना में आए तो आपने नेक हदीषे नबवी सुनाई कि आँहज़रत (ﷺ) ने पेशीनगोई फ़र्माई थी कि एक दिन मेरी मस्जिद की ता' मीर पुख्ता बुनियादों पर होगी। हज़रत उम्रान (रज़ि.) ने ये हदीष सुनकर बतौर खुशी हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को पाँच सौ दीनार पेश किए। बाद के सलातीने इस्लाम (मुस्लिम सुल्तानों) ने मस्जिदे नबवी की ता' मीर व इस्तिहकाम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। मौजूदा दौर हुकूमते सऊदिया (ख़ल्लदहल्लाहु तआला) ने मस्जिद की इमारत को इस क़दर तवील व अरीज (लम्बी चौड़ी) और मुस्तहकम (मज़बूत, सुदढ़) कर दिया है कि देखकर दिल से इस हुकूमत के लिये दुआएं निकलती हैं। अल्लाह तआला इनकी इस बड़ी ख़िदमात को कुबूल करे।

अह्लादीष व आषार की बिना पर हद से ज्यादा मसाजिद की टीपटाप करना अच्छा नहीं है। ये यहूदो-नसारा का दस्तूर था कि वो अपने मज़हब की हक़ीक़ी रूह से ग़ाफ़िल होकर ज़ाहिरी ज़ेबो ज़ीनत पर फरेफता हो गए। यही हाल आजकल मुसलमानों की मसाजिद का है, जिनके मिनारे आसमानों से बातें कर रहे हैं मगर तौहीद और इस्लाम की हक़ीक़ी रूह से उनको खाली पाया जाता है। इल्ला माशाअल्लाह।

बाब 63 : इस बारे में कि मस्जिद

बनाने में मदद करना

(यानी अपनी जान व माल से हिस्सा लेना प्रवाब का काम है) और अल्लाह तआला का इश्राद है, 'मुश्किीन के लिये लायक़ नहीं है कि अल्लाह तआला की मस्जिदों की ता' मीर में हिस्सा लें'

(447) हमसे मुसहद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन मुख्तार ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ालिद हज़ाअ ने इक्मिमा से, उन्होंने बयान किया कि मुझसे और अपने साहबज़ादे अली से इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की ख़िदमत में जाओ और उनकी अह्लादीष सुनो। हम गए। देखा कि अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) अपने बाग़ को दुरुस्त कर रहे थे। हमको देखकर आपने अपनी चादर सभाली और गोट मारकर बैठ गए। फिर हमसे हदीष बयान करने लगे। जब मस्जिदे नबवी के बनाने का ज़िक्र आया तो आप ने बताया कि हम तो (मस्जिद के बनाने में हिस्सा लेते वक़्त) एक-एक ईंट उठाते।

٦٣ - بَابُ التَّعَاوُنِ فِي بِنَاءِ

الْمَسْجِدِ

وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ
أَنْ يَغْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾.

٤٤٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
لُعْزِيزِ بْنِ مُخْتَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ
لِحَدَّثَاءَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ
عَبَّاسٍ وَلَا بِيَّ عَلِيٍّ: أَنْطَلِقَا إِلَى أَبِي سَعِيدٍ
عَسْمَاءَ مِنْ حَدِيثِهِ. فَأَنْطَلَقْنَا، فَإِذَا هُوَ فِي
حَانِطٍ يُصَلِّحُهُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَخْتَبَى، ثُمَّ
نَشَأَ يُحَدِّثُنَا، حَتَّى أَتَى ذِكْرَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ
عَسَاءَ: كُنَّا نَحْمِلُ لَبَنَةً لَبَنَةً وَعَمَّارٌ لَبَنَتَيْنِ

लेकिन अम्मार दो-दो ईंटें उठा रहे थे। आँहज़रत (ﷺ) ने उन्हें देखा तो उनके बदन से मिट्टी झाड़ने लगे और फ़र्माया, अफ़सोस! अम्मार को एक बागी जमाअत क़त्ल करेगी। जिसे अम्मार जन्नत की दा'वत देंगे और वो जमाअत अम्मार को जहन्नम की दा'वत दे रही होगी। अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया कि हज़रत अम्मार (रज़ि.) कहते थे कि मैं फ़िल्नों से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। (दीगर मक़ाम : 2812)

لَبْتَيْنِ. فَرَأَاهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَجَعَلَ يَنْفُضُ
الرَّابَّ عَنْهُ وَيَقُولُ: ((وَبِحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ
الْفَيْئَةُ الْبَاغِيَةُ يَذْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَذْعُونَهُ
إِلَى النَّارِ)) قَالَ يَقُولُ عَمَّارٌ: ((أَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنَ الْفَيْئَةِ)).

[طرفه بي : 2812]

तशीह : यहाँ मज़कूरा अली हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) के बेटे हैं। जिस दिन हज़रत अली (रज़ि.) ने जामे शहादत नोश फ़र्माया। उसी दिन ये पैदा हुए थे इसीलिये इनका नाम अली रखा गया और कुन्नियत अबुल हसना ये कुरैश में बहुत ही हसीन व जमील और बड़े आबिद व जाहिद थे। 120 हिजरी के बाद उनका इन्तक़ाल हुआ। हज़रत अम्मार बिन यासिर बड़े जलीलुलक़द्र सहाबी और आँहज़रत (ﷺ) के जौनिषार थे। इनकी माँ सुमय्या (रज़ि.) भी बड़े अज़म व ईक़ान वाली ख़ातून गुज़री है जिनको शहीद कर दिया गया था।

इस हदीष से मा'लूम हुआ कि बड़े लोगों की सोहबत में बैठना, उनसे दीन की ता'लीम हासिल करना ज़रूरी है। इस हदीष से चन्द बातें वाज़ेह होती हैं। मसलन हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की तरह इल्म व फ़ज़ल के बावजूद खेतीबाड़ी के कामों में मशगूल रहना भी अम्मे-मुस्तहसन (नेक काम) है। आनेवाले मेहमानों के एहताराम के लिये अपने कारोबार वाले लिबास को दुरुस्त करके पहन लेना और उनके लिये काम छोड़ देना और उनसे बातचीत करना भी बहुत ही अच्छा तरीक़ा है। (3) मसाजिद की ता'मीर में खुद पत्थर उठा-उठाकर मदद देना इतना बड़ा षवाब का काम है जिसका कोई अन्दाज़ा नहीं किया जा सकता।

क़स्तलानी ने कहा कि इमाम बुखारी ने इस हदीष को बाबुल जिहाद और बाबुल फितन में भी रिवायत किया है। इस वाकिआ में आँहज़रत (ﷺ) की सदाक़त की भी रोशन दलील है कि आपने इतने असें पहले जो ख़बर दी वो मिन व अन (ज्यों की त्यों) पूरी होकर रही। इसलिये कि 'वमा यन्तिकु अनिल हवा, इन हुव इल्ला वहुंय्युहा' (सूरह नज्म आयत 3-4) यानी आप दीन के बारे में जो कुछ भी फ़र्माते वो अल्लाह के वहां से फ़र्माया करते थे। सच है :—

मुस्तफ़ा हर गिज़ं न गुफ्ते ताना गुफ्ते जिब्रईल - जिब्रईल हरगिज़ं न गुफ्ते ताना गुफ्ते परवरदिगार

बाब 64 : इस बारे में कि बढई और कारीगर से मस्जिद की ता'मीर में और मिम्बर के तख़्तों को बनवाने में मदद हासिल करना (जाइज़ है)

(448) हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया कि कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ ने अबू हाज़िम के वास्ते से, उन्होंने सहल (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने एक औरत के पास एक आदमी भेजा कि वो अपने बढई गुलाम से कहें कि मेरे लिये (मिम्बर) लकड़ियों के तख़्तों से बना दे जिन पर मैं बैठा करूँ। (राजेअ : 377)

٦٤ - بَابُ الإِسْتِعَانَةِ بِالنَّجَّارِ
وَالصَّنَاعِ فِي أَعْوَادِ الْمِئْبَرِ
وَالْمَسْجِدِ

٤٤٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ: بَعَثَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى امْرَأَةٍ أَنْ تُرِي غُلَامَكَ
النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَ.

[راجع : 377]

(449) हमसे ख़लाद बिन यह्या ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल वाहिद बिन ऐमन ने अपने वालिद के वास्ते से बयान किया, उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से कि एक औरत ने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या मैं आपके लिये कोई ऐसी चीज़ न बना दूँ जिस पर आप बैठा करें। मेरा एक बड़ई गुलाम भी है। आपने फ़र्माया कि अगर तू चाहे तो मिम्बर बनवा दे।

(दीगर मक़ाम : 918, 2095, 3584, 3585)

٤٤٩ - حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَابِرٍ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا
أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ؟ فَإِنِّي لِي غُلَامًا
نَجَارًا. قَالَ: ((إِن شِئْتَ)) فَعَمِلْتُ
الْمِمْبَرَ. [أطرافه في : ٩١٨، ٢٠٩٥]

[٣٥٨٥، ٣٥٨٤]

तरीह:

इस बाब की अहदीष में सिर्फ़ बड़ई का ज़िक्र है। मेअमार को इसी पर कियास किया गया। या हज़रत त़लक़ बिन अली की हदीष की तरफ़ इशारा है जिसे इब्ने हिब्बान ने अपनी सहीह में रिवायत किया है कि ता' मीरे मस्जिद के वक़्त ये मिट्टी का गारा बना रहा था और आँहज़रत (ﷺ) ने उनका काम बहुत पसन्द फ़र्माया था। ये हदीष पहली हदीष के खिलाफ़ नहीं है। पहले खुद उस औरत ने मिम्बर बनवाने की पेशकश की होगी बाद में आपकी तरफ़ से उसको याद दिहानी कराई गई होगी। इससे ये मसला भी निकलता है कि हदया बग़ैर सवाल किए आए तो कुबूल कर लें और वा' दा याद दिलाना भी दुरुस्त है और अहलुल्लाह (अल्लाह वालों) की ख़िदमत करके तक्रूरब हासिल करना उम्दा है। हज़रत इमाम ने इस हदीष को अलामते नुबुव्वत और बुयूअ में भी नक़ल किया है।

बाब 65 : जिसने मस्जिद बनाई उसके अज़्रो-प्रवाब का बयान

(450) हमसे यह्या बिन सुलैमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अमर बिन हारिष ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे बुकैर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे आसिम बिन अमर बिन क़तादा ने बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अस्वद ख़ौलानी से सुना, उन्होंने हज़रत उष्मान बिन अफ़फ़ान (रज़ि.) से सुना कि मस्जिद नबवी की ता' मीर के बारे में लोगों की बातें सुनकर आपने फ़र्माया कि तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें की हैं। हालाँकि मैंने नबी अकरम (ﷺ) से सुना है कि जिसने मस्जिद बनाई.... बुकैर रावी ने कहा मेरा ख़याल है कि आपने ये भी फ़र्माया कि, इससे मक्क़मूद अल्लाह तआला की रज़ा हो, तो अल्लाह तआला ऐसा ही एक मकान जन्नत में उसके लिये बनाएगा।

٦٥ - بَابُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

٤٥٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ
حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
بَكْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عَمَرَ بْنِ قَتَادَةَ
حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيَّ أَنَّهُ
سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
يَقُولُ - عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى
مَسْجِدَ الرَّسُولِ ﷺ: - إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ،
وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ
بَنَى مَسْجِدًا - قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ
قَالَ - يَبْتَعِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ
فِي الْجَنَّةِ)).

तरीह:

30 हिजरी हज़रत उष्मान (रज़ि.) ने मस्जिद नबवी की ता' मीरे जदीद (पुनर्निमाण) का काम शुरू कराया। कुछ लोगों ने ये पसन्द किया कि मस्जिद को पहले हाल ही पर बाक़ी रखा जाए। इस पर हज़रत उष्मान (रज़ि.) ने ये

हदीषे नबवी अपनी दलील में पेश फ़र्माई और हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की हदीष से भी इस्तिदलाल किया, जिसका ज़िक्र पहले गुज़र चुका है। बाब और हदीष में मुताबक़त ज़ाहिर है।

बाब 66 : जब कोई मस्जिद में जाए तो अपने तीर के फल को थामे रखे ताकि किसी नमाज़ी को तक्लीफ़ न हो

(451) हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान बिन इययना ने, उन्होंने कहा कि मैंने अम्र बिन दीनार से पूछा क्या तुमने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से ये हदीष सुनी है कि एक शख्स मस्जिदे नबवी में आया और वो तीर लिये हुए था, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे फ़र्माया कि उनकी नोकें थामे रखो।

(दीगर मक़ाम : 7073, 7074)

बाब 67 : मस्जिद में तीर वगैरह लेकर गुज़रना

(452) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद ने कि कहा हमसे अबू बुर्दा बिन अब्दुल्लाह ने। उन्होंने कहा कि मैंने अपने वालिद (अबू मूसा अशअरी सहाबी) से सुना वो नबी करीम (ﷺ) से रिवायत करते हैं थे कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया अगर कोई शख्स हमारी मसाजिद या हमारे बाज़ारों में तीर लिये हुए चले तो उनके फल थामे रहे, ऐसा न हो कि अपने हाथों से किसी मुसलमान को ज़ख़मी कर दे।

(दीगर मक़ाम : 7075)

तशरीह : इन रिवायात और अबवाब से हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ये प्राबित फ़र्मा रहे हैं कि मसाजिद में मुसलमानों को हथियारबन्द होकर आना दुरूस्त है मगर ये ख़याल रखना ज़रूरी है कि किसी मुसलमान भाई को कोई तकलीफ़ या चोट न पहुंचे। इसलिये कि मुसलमान की इज़ज़त व हुर्मत हर हाल में मुक़द्दस है।

बाब 68 : इस बयान में कि मस्जिद में शेर पढ़ना कैसा है?

(453) हमसे अबुल यमान हक़म बिन नाफ़ेअ ने बयान किया, कि हमें शुऐब बिन अबी हम्ज़ा ने जुहरी के वास्ते से, कहा कि मुझे अबू सलमा (इस्माईल या अब्दुल्लाह) इब्ने अब्दुर्रहमान बिन औफ़ने, उन्होंने हस्सान बिन प्राबित अंसारी (रज़ि.) से सुना, वो हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को इस बात पर गवाह बना रहे थे कि मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि क्या तुमने रसूलुल्लाह (ﷺ)

٦٦- بَابُ يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا

مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ

٤٥١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَسَمِعْتَ جَابِرَ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ

وَمَعَهُ سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

((أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا؟))

[طرفاه في : ٧٠٧٣ ، ٧٠٧٤.]

٦٧- بَابُ الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ

٤٥٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ عَنْ

أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ

مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلِ فَلْيَأْخُذْ عَلَى

نِصَالِهَا لَا يَقِرَّ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا)).

[طرفه في : ٧٠٧٥.]

٦٨- بَابُ الشَّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ

٤٥٣- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ

قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَانَ بْنَ ثَابِتٍ

الْأَنْصَارِيِّ يَسْتَشْهَدُ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنْشَدَكَ

को ये कहते हुए नहीं सुना था कि ऐहस्सान! अल्लाह के रसूल (ﷺ) की तरफ से (मुश्किों को अशआर में) जवाब दो और ऐ अल्लाह! हस्सान की रूहुल कुद्स के जरिये मदद कर। अबू हुरैरह (रज़ि.) ने फ़र्माया, हाँ! (मैं गवाही देता हूँ। बेशक मैंने हुज़ूर ﷺ से ये सुना है) (दीगर मक़ाम : 3212, 6152)

तशरीह : ख़िलाफ़ते फ़ारुकी के दौर में एक रोज़ हस्सान मस्जिदे नबवी में दीनी अशआर सुना रहे थे। जिस पर हज़रत उमर (रज़ि.) ने उनको रोकना चाहा तो हस्सान (रज़ि.) ने अपने फ़ेअल (उस काम) के जवाज़ में ये हदीष बयान की। हज़रत हस्सान बिन प्राबित (रज़ि.) दरबारे रिसालत के ख़ूसूरी शाइर थे और आँहज़रत (ﷺ) की तरफ़ से काफ़िरीयों के ग़लत अशआर का जवाब अशआर ही में दिया करते थे, इस पर आपने उनके हक़ में तरक्की की दुआ फ़र्माई।

मा'लूम हुआ कि दीनी अशआर, नज़्में मसाजिद में सुनाना दुस्त है। हाँ, लगव (बेहूदा) और इस्क्रिया अशआर का मस्जिद में सुनाना बिल्कुल मना है।

बाब 69 : छोटे-छोटे नेज़ों (भालों) से मस्जिद में खेलने वालों के बयान में

(454) हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन सअद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे झालेह बिन कैसान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे इर्वा बिन जुबैर ने ख़बर दी कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, मैंने नबी करीम (ﷺ) को एक दिन अपने हुज़े के दरवाज़े पर देखा। उस वक़्त हब्शा के कुछ लोग मस्जिद में (नेज़ों से) खेल रहे थे (हथियार चलाने की प्रेक्टिस कर रहे थे) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे अपनी चादर में छिपा लिया ताकि मैं उनका खेल देख सकूँ।

(दीगर मक़ाम : 455, 950, 988, 2906, 3529, 3931, 5190, 5236)

(455) इब्राहीम बिन मुंज़िर से रिवायत में ज़्यादाती मन्कूल है कि उन्होंने कहा हमसे इब्ने वहब ने बयान किया, कहा कि मुझे यूनस ने इब्ने शिहाब के वास्ते से ख़बर दी, उन्होंने इर्वा से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को देखा जबकि हब्शा के लोग छोटे नेज़ों (भालों) से मस्जिद में खेल रहे थे।

اللَّهُ مَلَّ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((يَا حَسَّانُ أَجِبْ عَن رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ)) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ. [طرفاه في : 3212, 6152].

٦٩- بَابُ أَصْحَابِ الْحِرَابِ فِي

الْمَسْجِدِ

٤٥٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي غُرْوَةُ بْنُ الرَّبِيعِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ. [أطرافه في : 455, 950, 988, 2906, 3529, 3931, 5190, 5236].

٤٥٥- زَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْقَزِيزِ: قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ غُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ

(राजेअ: 454)

[راجع: 454]

तशरीह:

इस बाब का मक़सद ये है कि ऐसे हथियार लेकर मस्जिद में जाना जिनसे किसी को किसी किस्म का नुक़सान पहुंचने का अन्देशा न हो, जाइज़ है और बाज़ रिवायात में है कि हज़रत इमर (रज़ि.) ने उनके इस खेल पर इज़हारे नाराज़गी किया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि नेज़ों से खेलना सिर्फ़ खेलकूद के दरज़े की चीज़ नहीं है बल्कि इससे जंगी सलाहियतें पैदा होती है जो दुश्मनाने इस्लाम की मुदाफ़िमत में काम आएगी। (फतहलुबारी)

बाब 70 : मस्जिद में मिम्बर पर मसाइले ख़रीदो—फ़रोख़्त का ज़िक्र करना सही है

(456) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया कि कहा हमसे सुफ़यान बिन इययना ने यह्या बिन सईद अंसारी के वास्ते से, उन्होंने अम्र बिन अब्दुर्रहमान से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से। आपने फ़र्माया कि बरीरह (रज़ि.) (लौण्डी) उनसे अपनी किताबत के बारे में मदद लेने आई। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मालिकों को ये रक़म दे दूँ (और तुम्हें आज़ाद करा दूँ) और तुम्हारा वला का रिश्ता मुझसे क़ायम हो। और बरीरह के आक्राओं ने कहा (आइशा रज़ि. से) कि अगर आप चाहें तो जो क़ीमत बाक़ी रह गई है वो दे दें और वला का रिश्ता हमसे क़ायम रहेगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) जब तशरीफ़ लाए तो मैंने आपसे इस अम्र का ज़िक्र किया। आपने फ़र्माया कि तुम बरीरह को ख़रीदकर आज़ाद करो और वला का ता'ल्लुक तो उसी को हासिल हो सकता है जो आज़ाद कराए। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) मिम्बर पर तशरीफ़ लाए। सुफ़यान ने (इस हदीष को बयान करते हुए) एक बार यूँ कहा कि फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) मिम्बर पर चढ़े और फ़र्माया। उन लोगों का क्या हाल होगा जो ऐसी शराइत रखते हैं जिनका ता'ल्लुक किताबुल्लाह से नहीं है। जो शख़्स भी कोई ऐसी शर्त रखे जो किताबुल्लाह में न हो उसकी कोई हैषियत नहीं होगी, अगरचे वो सौ मर्तबा कर ले। इस हदीष की रिवायत मालिक ने यह्या के वास्ते से की, वो अम्र से कि बरीरह और उन्होंने मिम्बर पर चढ़ने का ज़िक्र नहीं किया। अल्अख़।

(दीगर मक़ाम : 1493, 2155, 2168, 2536, 2560, 2561, 2563, 2564, 2565, 2578, 2717, 2726, 2729, 2731)

۷۰- بَابُ ذِكْرِ النَّبِيِّ وَالشُّرَاءِ عَلَى

الْمِنْبَرِ فِي الْمَسْجِدِ

۴۵۶- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ عَنْ

عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَيْتَهَا بِرَبِيعَةَ تَسْأَلُهَا فِي

كِتَابِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتَ أُعْطَيْتِ أَهْلَكَ

وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي. وَقَالَ أَهْلُهَا: إِنْ شِئْتَ

أُعْطَيْتَهَا مَا بَقِيَ. وَقَالَ سُفْيَانٌ مَرَّةً: إِنْ

شِئْتَ أُعْطَيْتَهَا وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَنَا. فَلَمَّا

جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَكَرْتُهُ ذَلِكَ فَقَالَ

النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنْتَابِعِيهَا فَأَعْتَبِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ

لِمَنْ أَعْتَقَ)). ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى

الْمِنْبَرِ وَقَالَ سُفْيَانٌ مَرَّةً لَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: ((مَا بَالُ أَلْوَامٍ

يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ)). وَرَوَاهُ

مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَبِيعَةَ. وَكَمْ

يَذَكُرُ صَعِدَ الْمِنْبَرِ.

[أطرافه في: 1493, 2155, 2168, 2536, 2560, 2561,

2563, 2564, 2565, 2578, 2717, 2726, 2729, 2731]

2563, 2564, 2565, 2578, 2717, 2726, 2729, 2731

5097, 5279, 5284, 5430, 6717, 6751, 6754, 6758,
6760)

५०९७, ५२७९, ५२८४, ५४३०, ६७१७, ६७५१, ६७५४, ६७५८

[६७६०, ६७६०८, ६७६०९, ६७६१०]

तशरीह: गुलामी के दौर में ये दस्तूर (नियम) था कि लौण्डी या गुलाम अपने आक्रा का मुँहमांगा रुपया अदा करके आज़ाद हो सकते थे, मगर आज़ादी के बाद उनकी विरासत उन्हीं पहले मालिकों को मिलती थी। इस्लाम ने जहाँ गुलामी को खत्म किया, ऐसे ग़लत-दर-ग़लत रिवाजों को भी खत्म किया और बतलाया कि जो भी किसी गुलाम को आज़ाद कराए उसकी विरासत तर्का वगैरह का (गुलाम की मौत के बाद) अगर कोई उसका वारिष अस्बा न हो तो आज़ाद कराने वाला ही बतौर अस्बा उसका वारिष करार पाएगा। लफ़्ज़ वला का यही मतलब है। अल्लामा इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं कि बाब का तर्जुमा आँहज़रत (ﷺ) के लफ़्ज़ **मा बालु अक्रवामिन अलअख़....** से निकलता है। इमाम बुखारी (रह.) का मक़सद यही है कि बैअव शरअ (ख़रीदने-बेचने) के मसाइल का मिम्बर पर ज़िक्र करना दुरुस्त है। (फ़तहूल बारी)

बाब 71 : क़र्ज़ का तक्राज़ा और क़र्ज़दार का

मस्जिद तक पीछा करना

(457) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इम्रान बिन इमर अब्दी ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझे यूनस बिन यज़ीद ने ज़ुहरी के वास्ते से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन क़अब बिन मालिक से, उन्होंने अपने बाप क़अब बिन मालिक से कि उन्होंने मस्जिदे नबवी में अब्दुल्लाह इब्ने अबी हदरद से अपने क़र्ज़ का तक्राज़ा किया और दोनों की बातचीत बुलन्द आवाजों से होने लगी। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी अपने हुज़्जे से सुन लिया। आप पर्दा हटाकर बाहर तशरीफ़ लाए और पुकारा। क़अब! क़अब (रज़ि.) बोले, हाँ! हुज़ूर फ़र्माइये क्या इशार्द है? आपने फ़र्माया कि तुम अपने क़र्ज़ में से इतना कम कर दो। आपका इशार्द था कि आधा कम कर दें। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह (ﷺ)! मैंने (बख़ुशी) ऐसा कर दिया, फिर आपने इब्ने अबी हदरद से फ़र्माया अच्छा! अब उठो और उसका क़र्ज़ अदा करो। (जो आधा मुआफ़ कर दिया गया है)

(दीगर मक़ाम : 471, 2418, 2424, 2706, 2710)

۷۱- بَابُ التَّقَاضِي وَالْمَلَازِمَةِ فِي

الْمَسْجِدِ

۴۵۷- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ كَعْبِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنُ أَبِي حَنْزَرٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى: ((يَا كَعْبُ)) قَالَ: لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: ((ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا. وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ، أَيِ الشُّطْرِ)) قَالَ: لَقَدْ لَمَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((قُمْ فَاقْضِهِ)).

[أطرافه في : ۴۷۱, ۲۴۱۸, ۲۴۲۴]

[۲۷۱۰, ۲۷۰۶]

बाब 72 : मस्जिद में झाड़ू देना और वहाँ के चीथड़े, कूड़े-करकट और लकड़ियों को चुन लेना

(458) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, उन्होंने कहा

۷۲- بَابُ كَسِّ الْمَسْجِدِ، وَالطَّاقِطِ

الْخِرْقِ وَالْقَدَى وَالْعِيدَانَ

۴۵۸- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ:

हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उन्होंने श्राबित से, उन्होंने अबू राफ़ेअ से, उन्होंने हज़रत अबू हु़रैरह (रज़ि.) से कि एक हब्शी मर्द या हब्शी औरत मस्जिद नबवी में झाड़ू दिया करती थी। एक दिन उसका इतिक़ाल हो गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके बारे में पूछा। लोगों ने बताया कि वो तो इतिक़ाल कर गई। आपने इस पर फ़र्माया कि तुमने मुझे क्यूँ बताया, फिर आप (ﷺ) क़ब्र पर तशरीफ़ लाए और उस पर नमाज़ पढ़ी।

(दीगर मक़ाम : 460, 1337)

तशरीह : बैहकी की रिवायत में है कि उम्मे महज़न नामी औरत थी वो मस्जिद की सफ़ाई सुथराई वगैरह की ख़िदमत अंजाम दिया करती थी, आप उसकी मौत की ख़बर सुनकर उसकी क़ब्र पर तशरीफ़ ले गए और वहाँ उसकी (नमाज़े) जनाज़ा अदा फ़र्माई। बाब और हदीष में मुताबक़त ज़ाहिर है। मस्जिद की इस तरह ख़िदमत करना बड़ा ही श्रावक़ का काम है।

बाब 73 : मस्जिद में शराब की सौदागिरी की हुर्मत का ऐलान करना

(459) हमसे अब्दान बिन अब्दुल्लाह बिन इप्रमान ने अबू हम्ज़ा मुहम्मद बिन मैमून के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अअमश से, उन्होंने मुस्लिम से, उन्होंने मस्रूक़ से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से। आप फ़र्माती हैं कि सूरह बक़रः की सूद से मुता'ल्लिक़ आयात नाज़िल हुई तो नबी (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और उन आयात की लोगों के सामने तिलावत फ़र्माई। फिर फ़र्माया कि शराब की तिजारत ह़राम है।

(दीगर मक़ाम : 2084, 2226, 4540, 4541, 4542, 4543)

बाब और हदीष में मुताबक़त ज़ाहिर है

बाब 74 : मस्जिद के लिये ख़ादिम मुकरर करना

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने (कुर्आन की इस आयत) 'जो औलाद मेरे पेट में है, या अल्लाह! मैंने उसे तेरे लिये आज़ाद छोड़ने की नज़र मानी है' के बारे में फ़र्माया कि मस्जिद की ख़िदमत में छोड़ देने की नज़र मानी थी कि (वो सारी इम्र) उसकी ख़िदमत किया करेगा।

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ - أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ - كَانَ يَقُمُ الْمَسْجِدَ، لَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْهُ فَقَالُوا: مَاتَ. قَالَ: ((أَفَلَا كُنْتُمْ آذِنْتُمُونِي بِهِ، ذُلُونِي عَلَى قَبْرِهِ)) - أَوْ قَالَ قَبْرَهَا - فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا.

[طرفاه في : ٤٦٠، ١٣٣٧]

٧٣- بَابُ تَحْرِيمِ تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ

٤٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَزْزَةَ عَنِ الْإِعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ صُرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أَنْزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّبَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ.

[أطرافه في : ٢٠٨٤، ٢٢٢٦، ٤٥٤٠]

[٤٥٤٣، ٤٥٤٢، ٤٥٤١]

٧٤- بَابُ الْخَلْعِ لِلْمَسْجِدِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (وَنَزَلَتْ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مَحْرُورًا) : لِلْمَسْجِدِ يَخْدُمُهُ.

तशरीह:

सूरह-आले इमरान में हज़रत मरयम की वालिदा का ये किस्सा मज़कूर है। हालते हमल में उन्होंने नज़र मानी थी कि जो बच्चा पैदा होगा मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिये वक्फ़ कर दूंगी। मगर लड़की हज़रत मरयम अलैहिस्सलाम पैदा हुई तो उनको ही नज़र पूरी करने के लिये वक्फ़ कर दिया गया। मा'लूम हुआ कि मसाजिद का एहताराम हमेशा से चला आ रहा है और उनकी खिदमत के लिये किसी को मुक़रर कर देना दुरुस्त है जैसा कि आजकल खुदा मे मसाजिद होते हैं।

(460) हमसे अहमद बिन वाक्रिद ने बयान किया, कि कहा हम्माद बिन ज़ैद ने प्राबित बिनानी के वास्ते से, उन्होंने अबू राफ़ेअ से, उन्होंने हज़रत अबू हु़रैरह (रज़ि.) से कि एक औरत या मर्द मस्जिद में झाड़ू दिया करता था। अबू राफ़ेअ ने कहा, मेरा ख़याल है कि वो औरत ही थी। फिर उन्होंने नबी करीम (ﷺ) की हदीष नक़ल की कि आपने उसकी क़ब्र पर नमाज़ पढ़ी।

(राजेअ : 458)

बाब 75 : कैदी या क़र्जदार जिसे मस्जिद में बाँध दिया गया हो

(461) हमसे इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने हमसे रौह बिन इबादा और मुहम्मद बिन जा'फ़र ने शुअबा के वास्ते से बयान किया, उन्होंने मुहम्मद बिन ज़ियाद से, उन्होंने हज़रत अबू हु़रैरह (रज़ि.) से उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से, आपने फ़र्माया गुज़िश्ता रात एक सरकश जिन्न मेरे पास आया। या इसी तरह की कोई बात आपने फ़र्माई, वो मेरी नमाज़ में ख़लल डालना चाहता था। लेकिन अल्लाह तआला ने मुझे उस पर क़ाबू दे दिया और मैंने सोचा कि मस्जिद के किसी सुतून से बाँध दूँ ताकि सुबह को तुम सब भी उसको देखो। फिर मुझे अपने भाई सुलैमान की वो दुआ याद आ गई (जो सूरह साद में है) ऐ मेरे ख़ब! मुझे ऐसा मुल्क अत्ता करना जो मेरे बाद किसी को हासिल न हो। हदीष के रावी हज़रत रौह ने बयान किया कि आँहज़रत (ﷺ) ने उस शैतान को ज़लील करके धुत्कार दिया।

(दीगर मक़ाम : 1210, 3284, 3423, 4808)

٤٦٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ :

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ نَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً - أَوْ رَجُلًا - كَانَتْ تَقُمُ الْمَسْجِدَ - وَلَا أَرَاهُ إِلَّا امْرَأَةً - فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى عَلَيَّ قَبْرَهَا. [راجع: ٤٥٨]

٧٥- بَابُ الْأَسِيرِ أَوْ الْقَرِينِ يُرْبَطُ

فِي الْمَسْجِدِ

٤٦١- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

أَخْبَرَنَا رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ عَفْرِيَّتًا مِنَ الْجِنِّ تَقْلَعُ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ، فَأَمَكْتَنِي اللَّهُ مِنْهُ، وَارْتَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَيَّ سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كَلِّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَحِي سَلَيْمَانَ ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يُنْهِنِي لِأَخَذِهِ مِنْ بَعْدِي﴾)) قَالَ رَوْحٌ : قُرْؤَةٌ خَاصِيًا. [أطرافه في : ١٢١٠ ، ٣٢٨٤ ، ٤٨٠٨ ، ٣٤٢٣]

तशरीह:

बाब का तर्जुमा यहाँ से प्राबित होता है कि आपने उस जिन्न को बतौर कैदी मस्जिद के सुतून के साथ बाँधना चाहा मगर फिर आपको हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम की वो दुआ याद आ गई जिसकी वजह से जिन्नों पर उनको

इख्तियारे ख़ास हासिल था। आपने सोचा कि अगर मैं इसे क़ैद कर दूंगा तो गोया ये इख्तियार मुझको भी हासिल हो जाएगा और ये उस दुआ के खिलाफ़ होगा।

बाब 76 : जब कोई शख़्स इस्लाम लाए तो उसको गुस्ल कराना और क़ैदी को मस्जिद में बाँधना। क़ाज़ी शुरैह बिन हारिष (कुंदी कूफ़ा के क़ाज़ी) क़र्ज़दार के बारे में हुक़्म दिया करते थे कि उसे मस्जिद के सतून से बाँध दिया जाए

(462) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष बिन सअद ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे सईद बिन अबी सईद मक़बरी ने, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुछ सवार नजद की तरफ़ भेजे (जो ता'दाद में तीस थे) ये लोग अबू हनीफ़ा के एक शख़्स को जिसका नाम धुमामा बिन उषाल था, पकड़कर लाए। उन्होंने उसे एक सुतून से बाँध दिया। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाए और (तीसरे रोज़ धुमामा की नेक तबीअत देखकर) आपने फ़र्माया कि धुमामा को छोड़ दो। (रिहाई के बाद) वो मस्जिदे नबवी से करीब एक बाग़ में गए और वहाँ गुस्ल किया। फिर मस्जिद में दाख़िल हुए और कहा अशहदुअल्ला इलाहा इलल्लाहु व अन्ना मुहम्मदरसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं और ये कि मुहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। (दीगर मक़ाम : 469, 2422, 2423, 4372)

तशरीह : अग़रे क़ाज़ी शुरैह को मअमर ने वस्ल किया अय्यूब से, उन्होंने इब्ने सीरीन से, उन्होंने क़ाज़ी शुरैह से कि वो जब किसी शख़्स पर कुछ हक़ का फ़ैसला करते तो हुक़्म देते कि वो मस्जिद में क़ैद रहे। यहाँ तक कि अपने ज़िम्मे का हक़ अदा करें। अगर वो अदा कर देता तो ख़ैर वरना उसे जेल भेज दिया जाता। ये ऐसा ही है जैसा कि आजकल अदालतों में अदालत ख़त्म होने तक क़ैद का हुक़्म सुना दिया जाता है।

हज़रत धुमामा का ये वाक़िआ दसवीं मोहर्रम 6 हिजरी में हुआ। ये जंगी क़ैदी की हैषियत में मिले थे मगर रसूले अकरम (ﷺ) ने उन पर करम फ़र्माते हुए उन्हें आज़ाद कर दिया जिसका अग़र ये हुआ कि उन्होंने इस्लाम कुबूल कर लिया।

बाब 77 : मस्जिद में मरीज़ों वग़ैरह के लिये

ख़ैमे लगाना

(463) हमसे ज़करिया बिन यह्या ने बयान किया कि कहा हमसे

٧٦- بَابُ الْإِغْسَالِ إِذَا أَسْلَمَ،

وَرَبَطَ الْأَمِيرَ أَيْضًا فِي الْمَسْجِدِ

كَانَ شَرِيحَ يَأْمُرُ الْفَرِيمَ أَنْ يُحْمِسَ

إِلَى سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ.

٤٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي

سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ

ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بَرَجِلٌ مِنْ

بَنِي حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثَمَامَةُ بْنُ أَنَالٍ، فَوَبَّطُوهُ

بِسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَفُتِحَ إِلَيْهِ

النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((اطْلُقُوا ثَمَامَةَ)) فَانْطَلَقَ

إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ

دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

[أطرافه في : ٤٦٩، ٢٤٢٢، ٢٤٢٣]

[٤٣٧٢]

٧٧- بَابُ الْخِيْمَةِ فِي الْمَسْجِدِ

لِلْمَرْضَى وَغَيْرِهِمْ

٤٦٣- حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ يَحْيَى قَالَ:

अब्दुल्लाह बिन नुमैर ने कि कहा हमसे हिशाम बिन इर्वा ने अपने बाप इर्वा बिन जुबैर के वास्ते से बयान किया, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से आपने फ़र्माया कि ग़ज़ब-ए-ख़ंदक में सअद (रज़ि.) के बाज़ू की एक रग (अकहल) में ज़ख़म आया था। उनके लिये नबी करीम (ﷺ) ने मस्जिद में एक ख़ैमा नसब करा दिया ताकि आप करीब रहकर उनकी देखभाल किया करें। मस्जिद ही में बनी गिफ़ार के लोगों का भी ख़ैमा था। सअद (रज़ि.) के ज़ख़म का ख़ून (जो रग से बक़़रत निकल रहा था) बहकर जब उनके ख़ैमे तक पहुँचा तो वो डर गए। उन्होंने कहा कि ऐ ख़ैमेवालों! तुम्हारी तरफ़ से ये कैसा ख़ून हमारे ख़ैमे तक आ रहा है? फिर उन्हें मा'लूम हुआ कि ये ख़ून सअद (रज़ि.) के ज़ख़म से बह रहा है। हज़रत सअद (रज़ि.) का इसी ज़ख़म की वजह से इंतिक़ाल हो गया। (दीगर मक़ाम: 2813, 3901, 4117, 4122)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْاُحُدِّ فِي الْاَكْحَلِ، فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيُؤَدَّهُ مِنْ قَرِيبٍ، فَلَمْ يَرَوْهُمْ - وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي عِمَارٍ - إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ لِإِذَا سَعْدٌ يَغْدُوا جُرْحَهُ دَمًا، فَمَاتَ مِنْهَا.

[أطرافه في: 2813, 3901, 4117, 4122]

[4122]

तशीह: हज़रत सअद बिन मुआज़ (रज़ि.) जीक़अदा 4 हिजरी में जंगे ख़न्दक की लड़ाई में इब्ने अली नामी एक क़ाफ़िर के तीर से ज़ख़मी हो गए थे जो जानलेवा प्रभावित हुआ। आप (ﷺ) ने वक़्त की ज़रूरत के तहत उनका ख़ैमा मस्जिद ही में लगवा दिया था। जंगी हालात में ऐसे उमूर पेश आ जाते हैं और मिल्ली मक़ासिद के लिये मसाजिद तक को इस्तेमाल किया जा सकता है। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का यही मक़सद है। आपकी दूरअन्देश निगाह अह्लादीष की रोशनी में वहाँ तक पहुँचती है जहाँ दूसरे उलमा की निगाहें कम पहुँचती हैं और वो अपनी कोताह-नज़री की वजह से ख़वाह-म-ख़वाह हज़रत इमाम पर ए'तिराज़ात करने लगते हैं। ऐसे लोगों को अपनी अक्लों का इलाज कराना चाहिये। इसी वजह से तमाम फ़ुक़हा व मुहदिषीने किराम में हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) क़दस सिरुहु का मक़ाम बहुत ऊँचा है।

बाब 78 : ज़रूरत से मस्जिद

में ऊँट ले जाना

अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने अपने ऊँट पर बैठकर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया था।

(464) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमें इमाम मालिक (रह.) ने मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन नौफ़ल से ख़बर दी, उन्होंने इर्वा बिन जुबैर से। उन्होंने ज़ैनब बिनते अबी सलमा से, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से, वो कहती हैं कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) से (हज्जतुल विदाअ के मौक़े पर) अपनी बीमारी का शिकवा किया (मैंने कहा कि मैं पैदल तवाफ़ नहीं कर सकती) तो आपने फ़र्माया कि लोगों के पीछे रह

78- بابُ إِدْخَالِ الْبَعِيرِ فِي

الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ((طَافَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ بَعِيرًا)).

464- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي اشْتَكَيْتُ قَالَ: ((طَوَّلِي مِنْ وِرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ

और सवार होकर तवाफ़ कर। पस मैंने तवाफ़ किया और उस वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) बैतुल्लाह के करीब नमाज़ में ये आयत (वज़ूर व किताबिम् मस्तूर) की तिलावत कर रहे थे।

(दीगर मक़ाम : 1619, 1626, 1233, 4853)

رَاكِبَةً. فَطَفْتُ وَرَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي
إِلَى جَنِبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابِ
مَسْطُورٍ. [أطرافه في: ١٦١٩, ١٦٢٦,

١٢٣٣, ٤٨٥٣.]

तशरीह : शायद किसी कोताह (तंग) नज़र को ये बाब पढ़कर हैरत हो मगर सय्यिदुल फुक़हा वल मुहदिप्पीन हज़रत इमाम बुखारी (रह.) की गहरी नज़र पूरी दुनिया-ए-इस्लाम पर है और आप देख रहे हैं कि मुमकिन है बहुत-सी मसाजिद ऐसी भी हो जो एक तूले तवील चार दीवारी की शक़ल में बनाई गई हो। अब कोई देहाती ऊँट समेत आकर वहाँ दाख़िल हो गया तो उसके लिये क्या फ़तवा होगा। हज़रत इमाम बतलाना चाहते हैं कि अहदे रिसालत में मस्जिद द्वारा मका भी यही नक़शा था। चुनाँचे खुद नबी अकरम (ﷺ) ने भी एक मर्तबा ज़रूरत के तहत ऊँट पर सवार होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) को भी बीमारी की वजह से आपने ऊँट पर सवार होकर लोगों के पीछे-पीछे तवाफ़ करने का हुक्म फ़र्माया। इब्ने बत्तलान ने कहा कि हलाल जानवरों का मस्जिद में ले जाना जाइज़ और दुरुस्त है। हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं कि जब मस्जिद के आलूदा (गन्दा) होने का ख़ौफ़ हो तो जानवर को मस्जिद में न ले जाए।

बाब 79 :

باب - ٧٩

(465) हमसे मुहम्मद बिन मुसन्ना ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे मुआज़ बिन हिशाम ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे मेरे वालिद ने क़तादा के वास्ते से बयान किया, कहा हमसे अनस (रज़ि.) ने बयान किया कि दो शख्स नबी करीम (ﷺ) के पास से निकले, एक अब्बाद बिन बिश्र और दूसरे झाहब मेरे ख़याल से उसैद बिन हुज़ैर थे। रात तारीक (अंधेरी) थी और दोनों अज़हाब एक-दूसरे से जुदा हुए तो हर एक के साथ एक-एक चिराग़ रह गया जो घर तक साथ रहा।

(दीगर मक़ाम : 3639, 3805)

٤٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ:
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي
عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ
ﷺ أَحَدُهُمَا عَبَادُ بْنُ بَشِيرٍ وَ أُخْبِيبُ
الثَّانِي أَسِيدُ بْنُ خَضِرٍ لِي لَيْلَةَ مُظْلِمَةٍ
وَمَعَهُمَا بِئْرٌ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيئَانِ تَيْنَ
أَيْدِيهِمَا. فَلَمَّا اقْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى آتَى أَهْلَهُ.

[طرفاه في: ٣٦٣٩, ٣٨٠٥.]

तशरीह : उन सहाबियों के सामने रोशनी होना आँहज़रत (ﷺ) की सोहबत की बरकत थी। आयते मुबारका, 'नूरुहुम यरूआ बैन अयदीहिम' (अत् तहरीम : 8) उनका ईमानी नूर क़यामत के दिन उनके आगे दौड़ेगा। दुनिया ही में नक़शा उनके सामने आ गया। इस हदीष को इमाम बुखारी (रह.) इस बाब में इसलिये लाए कि ये दोनों सहाबी अंधेरी रात में आँहज़रत (ﷺ) के पास से निकले और ये आप (ﷺ) से बातें करके ही निकले थे। पस मस्जिदों में नेक बातों के करने का जवाज़ प्राबित हुआ। (फ़तह वगैरह)

बाब 80 : मस्जिद में खिड़की और

٨٠- بابُ الْخَوَاخِةِ وَالْمَمَرِ فِي

रास्ता रखना

الْمَسْجِدِ

(466) हमसे मुहम्मद बिन सिनान ने बयान किया, कि कहा हमसे फुलैह बिन सुलैमान ने, कहा हमसे अबू नज़्र सालिम बिन अबी उमय्या से उबैद बिन हुनैन के वास्ते से, उन्होंने बसर बिन सईद से, उन्होंने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से, उन्होंने बयान किया कि एक बार रसूले करीम (ﷺ) ने ख़ुत्बा फ़र्माया कि अल्लाह तआला ने अपने एक बन्दे को दुनिया और आख़िरत के रहने में इख़्तियार दिया (कि वो जिसको चाहे इख़्तियार करे) बन्दे ने वो पसंद किया जो अल्लाह के पास है यानी आख़िरत। ये सुनकर अबूबक्र (रज़ि.) रोने लगे, मैंने अपने दिल में कहा कि अगर अल्लाह ने अपने किसी बन्दे को दुनिया और आख़िरत में से किसी को इख़्तियार करने को कहा और उस बन्दे ने आख़िरत पसंद कर ली तो उसमें इन बुजुर्ग के रोने की क्या वजह है। लेकिन ये बात थी कि बन्दे से मुराद रसूलुल्लाह (ﷺ) ही थे और अबूबक्र हम सबसे ज़्यादा जानने वाले थे। आँहुज़ूर (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया। अबूबक्र आप रोइए मत, अपनी सुहबत और अपनी दौलत के ज़रिये तमाम लोगों से ज़्यादा मुझ पर एहसान करनेवाले आप ही हैं और अगर मैं किसी को ख़लील बनाता तो अबूबक्र को ही बनाता। लेकिन (जानी दोस्ती तो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं हो सकती) इसके बदले में इस्लाम की बिरादरी और दोस्ती काफ़ी है। मस्जिद में अबूबक्र (रज़ि.) की तरफ़ के दरवाज़े के सिवा तमाम दरवाज़े बन्द कर दिये जाएँ।

(दीगर मक़ाम : 3654, 3904)

٤٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَيْنَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ سَخَّانُهُ عَمْرٍو عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ. فَكَيْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: مَا يَكْفِي هَذَا الشَّيْخَ، إِنْ يَكُنْ اللَّهُ خَيْرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ؟ فَكَانَ رَسُولُ ﷺ هُوَ الْعَبْدُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَكْلَمَنَا. فَقَالَ: ((يَا أَبَا بَكْرٍ لَا تَبْكُ، إِنْ أَمِنَ النَّاسُ عَلَيَّ فِي صَاحِبِيهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أَخُوهُ الْإِسْلَامِ وَمَوْدُئُهُ. لَا يَتَّقِينَ فِي الْمَسْجِدِ بَابَ إِلَّا سُدًّا، إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ)).

[طرفاه في : ٣٦٥٤، ٣٩٠٤.]

बाज़ रावियाने बुखारी ने यहाँ अत्फ़ लाकर दोनों को हज़रत अबुनज़र का शीख़ करार दिया है और इस सूरत में वो दोनों हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत करते हैं— व क्रद रवाहु मुस्लिम कज़ालिक वल्लाहु अअलम (राज़)

(467) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद जअफ़ी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे वहब बिन ज़रीर ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे मेरे बाप जरीर बिन हाज़िम ने बयान किया, उन्होंने कहा मैंने यअला बिन हकीम से सुना, वो इक्रिमा से नक़ल करते थे, वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से, उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने मज़े वफ़ात में बाहर तशरीफ़ लाए।

٤٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَعْفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ

सर से पट्टी बँधी हुई थी। आप (ﷺ) मिम्बर पर बैठे, अल्लाह की हम्दो-श्रना की और फ़र्माया, कोई शरइस भी ऐसा नहीं जिसने अबूबक्र बिन अबू क़हाफ़ा से ज़्यादा मुझ पर अपनी जानो-माल से एहसान किया हो और अगर किसी को इंसानों में जानी दोस्ती बनाता तो अबूबक्र ((रज़ि.)) को बनाता। लेकिन इस्लाम का ता'ल्लुक अफ़ज़ल है। देखो अबूबक्र (रज़ि.) की खिड़की को छोड़कर इस मस्जिद की तमाम खिड़कियाँ बन्द कर दी जाएँ।

(दीगर मक़ाम : 3656, 3657, 6738)

عاصِبًا رَأْسَهُ بِعَيْرِئِهِ لَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ
فَعَمِدَ اللَّهُ وَأَتَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّهُ لَيْسَ
مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ آمَنَ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ
مِنَ أَبِي بَكْرٍ بِنِ أَبِي لُحَاظَةَ، وَلَوْ كُنْتُ
مُتَعَلِّمًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَأَتَعَدْتُ أَبَا بَكْرٍ
خَلِيلًا، وَلَكِنْ عَهْلَةُ الْإِسْلَامِ الْعَضَلُ. سَدُّوا
عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ
خَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ)).

[طرفاه في : ٣٦٥٦، ٣٦٥٧، ٦٧٣٨.]

तशरीह : मस्जिदे नबवी की इब्तिदाई ता'मीर के वक़्त अहले इस्लाम का क़िब्ला बैतुल मुक़द्दस था। बाद में क़िब्ला बदल गया और काबा मुक़द्दस क़िब्ला क़रार पाया जो मदीना से जानिबे जुनूब (दक्षिण दिशा में) था। चूँकि सहाबा किराम के मकानात की तरफ़ खिड़किया बना दी गई थी। बाद में आपने मशरिक व मगरिब के तमाम दरवाज़ों को बन्द करने का हुक्म दिया। सिर्फ़ शिमाली स़दर दरवाज़ा (उत्तरी मेन गेट) बाक़ी रखा गया और उन तमाम खिड़कियों को भी बन्द करने का हुक्म सादिर फ़र्माया मगर अबू बक्र सिद्दीक (रज़ि.) के मकान की जानिब वाली खिड़की बाक़ी रखी गई। इसमें आपकी खिलाफ़त की तरफ़ भी इशारा था कि खिलाफ़त के ज़माने में नमाज़ पढ़ाते वक़्त इनको आने जाने में सहूलत रहेगी। ख़िलाल से मुराद मुहब्बत का वो आख़री दर्जा है जो सिर्फ़ मोमिन बन्दा अल्लाह ही के साथ काइम कर सकता है, इसलिये आपने ऐसा फ़र्माया। इसके बाद इस्लामी उखुव्वत व मुहब्बत का आख़री दर्जा आपने हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (रज़ि.) के साथ क़रार दिया। आज भी मस्जिदे नबवी में हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (रज़ि.) की उस खिड़की की जगह पर बत्तौर यादगार कतबा लगा हुआ है जिसको देखकर ये सारे वाक़िआत सामने आ जाते हैं।

इन अहदाीष से हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (रज़ि.) की बड़ी फ़जीलत प्राबित होती है। बाब और हदीष का मुताबक़त जाहिर है।

बाब 81 : का'बा और मसाजिद में दरवाज़े और जंजीर रखना

अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुखारी (रह.)) ने कहा मुझसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने कहा कि हमसे सुफ़यान बिन ड़ययना ने अब्दुल मलिक इब्ने जुरैज के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इब्ने अबी मुलैका ने कहा कि ऐ अब्दुल मलिक! अगर तुम इब्ने अब्बास (रज़ि.) की मसाजिद और उनके दरवाज़ों को देखते।

तो तअज्जुब करते, वो निहायत मज़बूत पाएदार थे और वो मसाजिद बहुत ही साफ़ सुथरी हुआ करती थी।

(468) हमसे अबुन नोअमान मुहम्मद बिन फ़ज़ल ने और कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कि कहा हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने

٨١- بَابُ الْأَبْوَابِ وَالْعَلَقِ لِلْكَعْبَةِ

وَالْمَسَاجِدِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : يَا عَبْدَ الْمَلِكِ لَوْ رَأَيْتَ مَسَاجِدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْوَابَهَا.

٤٦٨- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ

अय्यूब सखितयानी के वास्ते से, उन्होंने नाफ़ेअ से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) जब मक्का तशरीफ़ लाए (और मक्का फ़तह हुआ) तो आपने इम्रान बिन तलहा (रज़ि.) को बुलवाया। (जो का'बा के मुतवल्ली, चाबी रखने वाले थे) उन्होंने दरवाज़ा खोला तो नबी करीम (ﷺ), बिलाल, उसामा बिन ज़ैद और इम्रान बिन तलहा चारा अंदर तशरीफ़ ले गए फिर दरवाज़ा बन्द कर दिया गया और वहाँ थोड़ी देर तक ठहरकर बाहर आए। इब्ने उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने जल्दी से आगे बढ़कर बिलाल से पूछा (कि आँहज़रत ﷺ ने का'बा के अंदर क्या किया) उन्होंने बताया कि आँहज़रत (ﷺ) ने अंदर नमाज़ पढ़ी थी। मैंने पूछा किस जगह? कहा कि दोनों सतूनों के बीच। अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि ये पूछना मुझे याद न रहा कि आपने कितनी रक़अतें पढ़ी थीं। (राजेअ: 397)

तशरीह: आँहज़रत (ﷺ) ने का'बा शरीफ़ में दाखिल होकर का'बा का दरवाज़ा इसलिये बन्द करा दिया ताकि और लोग अन्दर न आ जाएं और हुजूम की शक्ल में इबादत का असल मक़सदे इबादत फ़ौत न हो जाए। इससे मा'लूम हुआ कि ख़ान-ए-का'बा के दरवाज़े में ज़न्ज़ीर थी यही बाब का तर्जुमा है। मसाजिद में हिफ़ाज़त के लिये किवाड़ लगाना और उनमें कुण्डी व कुफ़्ल (ताला) वगैरह जाइज है।

बाब 82 : मुश्रिक का मस्जिद में दाखिल होना कैसा है?

(469) हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष बिन सअद ने सईद बिन अबी सईद मज़बरी के वास्ते से बयान किया, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुछ सवारों को नजद की तरफ़ भेजा था। वो लोग बनू हनीफ़ा के एक शख़्स घुमामा बिन उप्पाल को (बतौर जंगी क़ैदी) पकड़ लाए और मस्जिद के एक सतून से बाँध दिया। (राजेअ: 462)

बवक़ते ज़रूरत कुफ़्रार व मुश्रिकीन को भी आदाबे-मसाजिद की शराइत के साथ मसाजिद में दाखिले की इजाज़त दी जा सकती है, यही हज़रत इमाम का मक़सदे-बाब है।

बाब 83 : मसाजिद में आवाज़ बुलन्द करना कैसा है?

(470) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह बिन जा'फ़र ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यहा बिन सईद क़तान ने बयान किया,

نَالِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ لَدَا عُمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَفَتَحَ الْبَابَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَبِلَالٌ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، ثُمَّ أَغْلِقَ الْبَابَ فَلَبَثَ فِيهِ سَاعَةً ثُمَّ غَرَجُوا. قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَبَثْتُ لَسَأَلْتُ بِلَالَ فَقَالَ: صَلَّى فِيهِ، فَقُلْتُ: لِي أَيُّ؟ قَالَ: بَيْنَ الْأَسْطُوَاتَيْنِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَذَهَبَ عَلَيَّ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى؟

[راجع: 397]

82- بَابُ دُخُولِ الْمُشْرِكِ فِي الْمَسْجِدِ

٤٦٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْلًا قَبْلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ كُفَامَةُ بْنُ أُنَالٍ، فَوَطَّأَهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ. [راجع: 462]

83- بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسَاجِدِ

٤٧٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ بْنِ تَجْحِيْبِ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا

उन्होंने कहा कि हमसे जुएद बिन अब्दुरहमान ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे यज़ीद बिन खुमैफ़ा ने बयान किया, उन्होंने साइब बिन यज़ीद से बयान किया, उन्होंने बयान किया कि मैं मस्जिदे नबवी में खड़ा था, किसी ने मेरी तरफ़ कंकरी फेंकी। मैंने जो नज़र उठाई तो देखा कि हज़रत उमर बिन खत्ताब (रज़ि.) सामने हैं। आपने फ़र्माया कि ये सामने जो दो शख्स हैं उन्हें मेरे पास बुलाकर लाओ। मैं बुला लाया। आपने पूछा कि तुम्हारा ता'ल्लुक किस कबीले से है या ये फ़र्माया कि तुम कहाँ रहते हो? उन्होंने बताया कि हम त्राइफ़ के रहने वाले हैं। आपने फ़र्माया कि अगर तुम मदीने के होते तो मैं तुम्हें सज़ा दिये बग़ैर न छोड़ता। रसूले करीम (ﷺ) की मस्जिद में आवाज़ ऊँची करते हो।?

(471) हमसे अहमद बिन मालेह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझे यूनस बिन यज़ीद ने ख़बर दी, उन्होंने इब्ने शिहाब जुहरी के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे अब्दुल्लाह बिन कअब बिन मालिक ने बयान किया, उनको उनके बाप कअब बिन मालिक (रज़ि.) ने ख़बर दी कि उन्होंने अब्दुल्लाह इब्ने अबी हदरद (रज़ि.) से अपने एक क़र्ज़ के सिलसिले में रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में मस्जिदे नबवी में तक्राज़ा किया। दोनों की आवाज़ कुछ ऊँची हो गई यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी अपने हुज़े से सुन लिया। आप उठे और हुज़े पर पड़े हुए पर्दे को हटाया। आपने कअब बिन मालिक को आवाज़ दी, ऐ कअब! कअब बोले। या रसूलुल्लाह (ﷺ)! हाज़िर हूँ। आपने अपने हाथ के इशारे से बताया कि वो अपना आधा क़र्ज़ मुआफ़ कर दे। हज़रत कअब ने कहा कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! मैं ने मुआफ़ कर दिया। आपने इब्ने अबी हदरद से फ़र्माया अच्छा! अब चल उठ इसका क़र्ज़ अदा कर।

(राजेअ: 457)

يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْجَعْفَرِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ حُصَيْنَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ : كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَّنِي رَجُلٌ، فَظَنَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اذْهَبْ قَائِمِي بِهِذَيْنِ، فَجِئْتُهُ بِهِمَا. قَالَ: مَنْ أَنْتَ - أَوْ مِنْ أَيِّنَ أَنْتَ - ؟ قَالَ: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ. قَالَ : لَوْ كُنْتُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمْ، تَرَفَعَانِ أَصْوَابَكُمْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ!

471- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمَوْلَانَا قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنُ أَبِي حَنْزَلَةَ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَابُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى: (يَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، يَا كَعْبُ)). قَالَ: لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشُّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ. قَالَ كَعْبٌ : قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قُمْ لَأَقْضِي)).

[راجع: 457]

तशीह:

ताइफ़ मक्का से कुछ मील के फ़ासले पर मशहूर कस्बा है। पहली रिवायत में हज़रत उमर (रज़ि.) ने उनको मस्जिदे नबवी में शोरो-गुल करने पर झिड़का और बतलाया कि तुम लोग बाहर के रहने वाले और मस्जिद के आदाब से नावाकिफ़ हो इसलिये तुमको छोड़ देता हूँ, कोई मदीना वाला ऐसी हरकत करता तो उसे बग़ैर सज़ा दिए न छोड़ता। इससे इमाम (रह.) ने प्राबित फ़र्माया कि फुज़ूल शोरो-गुल करना आदाबे मस्जिद के ख़िलाफ़ है, दूसरी रिवायत से आपने प्राबित

फ़र्माया कि ता'लीम व रुशदो हिदायत के लिये अगर आवाज़ बुलन्द की जाए तो आदाबे मस्जिद के खिलाफ़ नहीं है। जैसा कि आप (ﷺ) ने उन दोनों को बुलाकर उनको नेक हिदायत फ़र्माई। इस हद्दीष से ये भी मा'लूम हुआ कि क़र्ज़ देने वाला मकरुज़ (क़र्जदार) को जिस क़दर भी रिआयत दे सकता है। बशर्ते कि वो मकरुज़ नादार ही हो तो ये ऐन रज़ा-ए-इलाही का वसीला है। कुअनि करीम की भी यही हिदायत है मगर मकरुज़ का भी फ़र्ज़ है कि जहाँ तक हो सके पूरा क़र्ज़ अदा करके इस बोझ से अपने आपको आज़ाद करे।

बाब 84 : मस्जिद में हल्का बाँधकर बैठना

और यूँ ही बैठना

(472) हमसे मुसहद बिन मुसहिद ने बयान किया कि कहा हमसे बिशर बिन मफ़ज़ल ने अब्दुल्लाह बिन उमर से, उन्होंने नाफ़ेअ से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से कि एक शख़्स ने नबी करीम (ﷺ) से पूछा (जबकि) उस वक़्त आप मिम्बर पर थे कि रात की नमाज़ (यानी तहज़ुद) किस तरह पढ़ने के लिये आप फ़र्माते हैं? आपने फ़र्माया कि दो-दो रकअत करके पढ़ और जब सुबह करीब होने लगे तो एक रकअत पढ़ ले। ये एक रकअत इस सारी नमाज़ को ताक़ बना देगी और आप फ़र्माया करते थे कि रात की आख़िरी नमाज़ को ताक़ रखा करो क्योंकि नबी करीम (ﷺ) ने इसका हुक्म दिया है।

(दीगर मक़ाम : 473, 990, 993, 995, 1173)

(473) हमसे अबुन नोअमान मुहम्मद बिन फ़ज़ल ने बयान किया, कि कहा हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने, उन्होंने अय्यूब सख़ितयानी से, उन्होंने इब्ने उमर से कि एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आप (ﷺ) उस वक़्त ख़ुन्बा दे रहे थे आने वाले ने पूछा कि रात की नमाज़ किस तरह पढ़ी जाए? आपने फ़र्माया दो-दो रकअत, फिर जब तुलूअे सुबह म्नादिक़ का अंदेशा हो तो एक रकअत वित्र की पढ़ ले ताकि तूने जो नमाज़ पढ़ी है उसे ये रकअत ताक़ (विषम) बना दे और इमाम बुख़ारी ने फ़र्माया कि वलीद बिन क़श़ीर ने कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह उमरो ने बयान किया, अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने उनसे बयान किया कि एक शख़्स ने नबी (ﷺ) को आवाज़ दी जबकि आप मस्जिद में तशरीफ़ फ़र्मा थे। (राजेअ : 472)

٨٤- بَابُ الْحَلْقِ وَالْجُلُوسِ فِي

الْمَسْجِدِ

٤٧٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ

بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ

ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ -

وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ - مَا تَرَى فِي صَلَاةِ

اللَّيْلِ؟ قَالَ: ((مَتَى مَتَى. فَإِذَا خَشِيَ

أَحَدَكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ

مَا صَلَّى)) وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اجْعَثُوا آخَرَ

ضَلَابِكُمْ وَرَوَاهُ، لِإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِهِ.

[أطرافه ن: ٤٧٣، ٩٩٠، ٩٩٣، ٩٩٥،

١١٧٣.]

٤٧٣- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا

حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

أَنْ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ

فَقَالَ: كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: ((مَتَى

مَتَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ

تُؤْتِرُكَ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ)). قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ

كَيْسَانَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ

ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّبِيَّ

ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ.

[راجع: ٤٧٢]

(474) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया कि कहा हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह इब्ने अबी तलहा के वास्ते से कि अक़ील बिन अबी तालिब के गुलाम अबू मुरह ने उन्हें ख़बर दी अबू वाक्रिद लैथी हारि़ि़ बिन औफ़ म्हाबी के वास्ते से, उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ रखे थे कि तीन आदमी बाहर से आए। दो तो रसूलुल्लाह (ﷺ) की मज्लिस में हाज़िरी की गर्ज़ से आगे बढ़ गए लेकिन तीसरा चला गया। उन दो में से एक ने बीच में खाली जगह देखी और वहाँ बैठ गया। दूसरा शख़्स पीछे बैठ गया और तीसरा तो वापस ही जा रहा था। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) वज़अ से फ़ारि़ा हुए तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया। क्या मैं तुम्हें इन तीनों के बारे में एक बात न बताऊँ। एक शख़्स तो अल्लाह की तरफ़ बढ़ा और अल्लाह ने उसे जगह दी (यानी पहला शख़्स) रहा दूसरा तो उसने (लोगों में घुसने से) शर्म की, अल्लाह ने भी उससे शर्म की, तीसरे ने मुँह फेर लिया। इसलिये अल्लाह ने भी उसकी तरफ़ से मुँह फेर लिया। (राजेअ: 66)

बाब 85 : मस्जिद में चित्त लेटना कैसा है?

(475) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़अन्बी ने बयान किया इमाम मालिक के वास्ते से, उन्होंने इब्ने शिहाब जुहरी से, उन्होंने अब्बाद बिन तमीम से, उन्होंने अपने चचा (अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम माज़िनी (रज़ि.)) से कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को चित्त लेटे हुए देखा। आप अपना एक पांव दूसरे पर रखे हुए थे। इब्ने शिहाब जुहरी से मरवी है, वी सईद बिन मुसय्यिब से रिवायत करते हैं कि इमर और इब्मान (रज़ि.) भी उसी तरह लेटते थे।

(दीगर मक़ाम : 5969, 6287)

٤٧٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مَرْثَةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي أَبِي وَالِدِ اللَّخْمِيِّ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةَ فَجَلَسَ، وَأَمَّا الْآخَرَ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الْآخَرَ فَأَذْبَرَ ذَائِبًا، فَلَمَّا فَرَّغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((أَلَا أَخْبِرُكُمْ عَنْ نَفَرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَا أَحَدُكُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحَى فَاسْتَحَى اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ)).

[راجع: ٦٦]

٨٥- بَابُ الْإِسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ ،
وَمَدَّ الرَّجْلَ

٤٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ تَعِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (مُسْتَلْقِيًا) فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْآخَرَى).

وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : كَانَ عَمْرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.

[طرفاء في : ٥٩٦٩, ٦٢٨٧].

तशरीह :

चित्त लेटकर एक पाँव दूसरे पर रखने की मुमानअत भी आई है और इस हदीष में है कि आँहज़रत (ﷺ) और हज़रत उमर व उब्मान (रज़ि.) भी इस तरह लेटा करते थे, इसलिये कहा जाएगा कि मुमानअत इस सूरत में है जब शर्मगाह बेपर्दा होने का खतरा हो। कोई शख़्स सतर का पूरा इहतिमाम करता है, फिर इस तरह चित्त लेटकर सोने में कोई मुजाइक़ा (मनाही या आपत्ति) नहीं है।

बाब 86 : आम रास्तों पर मस्जिद बनाना जबकि किसी को उससे नुकसान न पहुँचे (जाइज़ है) और इमाम हसन (बसरी) और अय्यूब और इमाम मालिक (रह.) ने भी यही कहा है

(476) हमसे यहा बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैप्र बिन सअद ने अक्रील के वास्ते से बयान किया, उन्होंने इब्ने शिहाब जुहरी से, उन्होंने कहा मुझे इर्वा बिन जुबैर ने खबर दी कि नबी करीम (ﷺ) की जोज़-ए-मुतहहरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बतलाया कि मैंने जबसे होश संभाला तो अपने माँ बाप को मुसलमान ही पाया और हम पर कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रा जिसमें रसूलुल्लाह (ﷺ) सुबह व शाम दिन को दोनों वक़्त हमारे घर तशरीफ़ न लाए हों। फिर अबूबक्र (रज़ि.) की समझ में एक तरकीब आई तो उन्होंने घर के सामने एक मस्जिद बनवा ली, वो उसमें नमाज़ पढ़ते और कुआन मजीद की तिलावत करते। मुशिकीन की औरतें और उनके बच्चे वहाँ तअजुब से सुनते और खड़े हो जाते और आपकी तरफ़ देखते रहते। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) बड़े रोने वाले आदमी थे। जब कुआने करीम पढ़ते तो आंसुओं पर क़ाबू न रहता, कुरैश के मुशिक सरदार इस सूरते हाल से घबरा गए।

(दीगर मक़ाम : 2138, 2263, 2264, 2297, 3905, 4093, 5807, 6079)

तशरीह : हाफ़िज़ इब्ने हज़र फ़र्माते हैं कि मस्जिद का अपनी मिल्क (निजि सम्पत्ति) में बनाना जाइज़ है और ग़ैर मिल्क में मना है और रास्तों में भी मसाजिद बनाना दुस्त है बशर्ते कि चलने वालों को नुक़सान न हो, बाज़ ने राह में मुतलक़न नाजायज़ का फ़त्वा दिया है हज़रत इमाम इसी फ़तवे की तदीद फ़र्मा रहे हैं।

बाब 87 : बाज़ार की मस्जिद में नमाज़ पढ़ना और अब्दुल्लाह बिन औन ने एक ऐसे घर की मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जिसके दरवाज़े आम लोगों पर बन्द कर दिये गए थे

(477) हमसे मुसहद ने बयान किया, कहा हमसे अबू मुआविया

۸۶- بَابُ الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ فِيهِ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَأَيُّوبُ وَمَالِكٌ.

۴۷۶- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَمْ أَغْفِلْ أَبَوِي إِلَّا وَهَمَّا يَدِينَانَ الدِّينِ، وَلَمْ يَمُرْ عَلَيْنَا يَوْمَ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَرَفِي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً. ثُمَّ بَدَأَ لِأَبِي بَكْرٍ فَأَبْتَنِي مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَقِفُ عَلَيْهِ بِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَاءً وَلَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأَنْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

[أطرافه في: ۲۱۳۸, ۲۲۶۳, ۲۲۶۴,

۲۲۹۷, ۳۹۰۵, ۴۰۹۳, ۵۸۰۷,

]. ۶۰۷۹

۸۷- بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ

السُّوقِ وَصَلَّى ابْنُ عَوْنٍ فِي مَسْجِدِ فِي دَارٍ يُغْلَقُ عَلَيْهِمُ الْبَابُ

۴۷۷- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

ने अअमश के वास्ते से, उन्होंने अबू झालेह जक्वान से, उन्होंने हज़रत अबू हु़रैरह (रज़ि.) से, उन्होंने रसूले करीम (ﷺ) से कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने में घर के अंदर या बाज़ार (दुकान वग़ैरह) में नमाज़ पढ़ने से पच्चीस गुना ज़्यादा षवाब मिलता है क्योंकि जब कोई शख्स तुममें से बुजू करे और उसके आदाब का लिहाज़ रखे फिर मस्जिद में सिर्फ़ नमाज़ की ग़र्ज़ से आए तो उसके हर क़दम पर अल्लाह तआला एक दर्जा उसका बुलन्द करता है और एक गुनाह उससे मुआफ़ करता है। इस तरह वो मस्जिद के अंदर आएगा। मस्जिद में आने के बाद जब तक नमाज़ के इंतज़ार में रहेगा, उसे नमाज़ ही की हालत में शुमार किया जाएगा। और जब तक उस जगह बैठा रहे जहाँ उसने नमाज़ पढ़ी है तो फ़रिश्ते उसके लिये रहमते ख़ुदावन्दी की दुआएँ करते हैं कि ऐ अल्लाह! इसको बख़्श दे, ऐ अल्लाह! इस पर रहम कर, जब तक कि रीह ख़ारिज करके (वो फ़रिश्तों को) तक्लीफ़ न दे। (राजेअ: 176)

तशरीह: बाज़ार की मस्जिद में नमाज़ पच्चीस दर्जा ज़्यादा फ़ज़ीलत रखती है। घर की नमाज़ से इसी से बाब का तर्जुमा निकलता है क्योंकि बाज़ार में अकेले नमाज़ पढ़नी जायज़ हुई तो जमाअत से ऊपर बताए गये तरीक़े से जायज़ हो गई। ख़ुसूसन बाज़ार की मस्जिदों में और आजकल तो शहरों में बेशुमार बाज़ार है जिनमें बड़ी-बड़ी शानदार मसाजिद है। हज़रत इमाम क़द्स सिरहू ने उन सबकी फ़ज़ीलत पर इशारा फ़र्माया। जज़ाहुल्लाहु ख़ैरल जज़ा।

बाब 88 : मस्जिद वग़ैरह में एक हाथ की उँगलियाँ दूसरे हाथ की उँगलियों में दाख़िल करके क़ैची करना दुरुस्त है

(478, 479) हमसे हामिद बिन इमर ने बिश्र बिन मफ़ज़ल के वास्ते से बयान किया, कहा हमसे आसिम बिन मुहम्मद ने, कहा हमसे वाक्रिद बिन मुहम्मद ने अपने बाप मुहम्मद बिन ज़ैद के वास्ते से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन इमर या अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने अपनी उँगलियों को एक-दूसरे में दाख़िल किया। (दीगर मक़ाम: 480)

(480) और आसिम बिन अली ने कहा, हमसे आसिम बिन मुहम्मद ने बयान किया कि मैंने इस हदीज़ को अपने बाप मुहम्मद बिन ज़ैद से सुना। लेकिन मुझे हदीज़ याद नहीं रही थी। तो मेरे भाई वाक्रिद ने उसको दुरुस्ती से अपने बाप से रिवायत करके मुझे बताया। वो कहते थे कि अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.)

مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِيِّ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَرِينُدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ لِي سَوْفَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ، وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِينُدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ. وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَخْبِسُهُ، وَتُصَلِّي - يَغْنِي عَلَيْهِ - الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنَاهُ، مَا لَمْ يُؤْذِ يُخْدِتْ فِيهِ)). [راجع: 176]

۸۸- بَابُ تَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ فِي

الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

۴۷۸، ۴۷۹- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بَشْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَقْدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - أَوْ ابْنِ عُمَرَ - قَالَ شَبَّكَ النَّبِيُّ ﷺ أَصَابِعَهُ.

[طرفه في: ۴۸۰]

۴۸۰- وَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي فَلَمْ أَحْفَظْهُ، فَقَوْمَهُ لِي وَقَادَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ

से रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि अब्दुल्लाह बिन अम्र तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम बुरे लोगों में रह जाओगे इस तरह। (यानी आप (ﷺ) ने एक हाथ की उँगलियाँ दूसरे हाथ में करके दिखाईं) (राजेअ: 475)

يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (بِمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَكَيْفَ بَكَ إِذَا بَقِيَتْ لِي حَخَالَةٌ مِنَ النَّاسِ.. بِهَذَا)).

[راجع: ٤٧٥]

तशरीह: आप (ﷺ) ने हाथों को कैंची करने से इसलिये रोका कि ये एक लजब (बेकार) हरकत है लेकिन अगर किसी मक़सद के पेशेनज़र ऐसा कभी किया जाये तो कोई हर्ज नहीं है जैसा कि इस हदीष में ज़िक्र है कि आँहज़रत (ﷺ) ने अपने मक़सद की वज़ाहत के लिये हाथों को कैंची करके दिखलाया। इस हदीष में आगे यँ है कि न उनके इकरार का ऐतबार होगा, न उनमें अमानतदारी होगी। हाफ़िज़ इब्ने हज़र फ़र्माते हैं कि आसिम बिन अली की दूसरी रिवायत जो इमाम बुखारी (रह.) ने मुअल्लक़न बयान की उसको इब्राहीम हरबी ने गरीबुल हदीष में वसूल किया है, बाब के इन्काद से इमाम बुखारी (रह.) का मक़सद ये है तब्बीक की कराहियत के बारे में जो अहादीष वारिद हुई है वो षाबित नहीं है बाज़ ने मुमानअत को हालते नमाज़ पर महमूल किया है।

(481) हमसे ख़ल्लाद बिन यह्या ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान शौरी ने अबी बुर्दा बिन अब्दुल्लाह बिन अबी बुर्दा से, उन्होंने अपने दादा (अबू बुर्दा) से, उन्होंने अबू मूसा अश़अरी से। उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिये इमारत की तरह है कि उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को कुव्वत पहुँचाता है और आप (ﷺ) ने एक हाथ की उँगलियों को दूसरे हाथ की उँगलियों में दाख़िल किया। (दीगर मक़ाम: 2446, 6026)

٤٨١- حَدَّثَنَا عَلَاذُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْتَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا)) وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ. [طرفاه في: ٢٤٤٦، ٦٠٢٦].

तशरीह: आँहज़रत (ﷺ) ने मुसलमानों को बाहमी तौर पर मिल-जुलकर रहने की मिषाल बयान फ़र्माई और हाथों को कैंची करके बतलाया कि मुसलमान भी बाहमी तौर पर ऐसे ही मिले जुले रहते हैं जिस तरह इमारत के पत्थर एक-दूसरे को थामे रहते हैं। ऐसे ही मुसलमानों को भी एक-दूसरे का कुव्वते बाज़ू होना चाहिए। एक मुसलमान पर कहीं जुल्म हो तो सारे मुसलमानों को उसकी इमदाद के लिये उठना चाहिए। काश! उम्मते मुस्लिमा अपने प्यारे रसूले मक़बूल (ﷺ) की इस प्यारी नसीहत को याद रखती तो आज ये तबाहक़न हालात न देखने पड़ते।

(482) हमसे इस्हाक़ बिन मंसूर ने बयान किया, कहा हमसे नज़्र बिन शुमैल ने, उन्होंने कहा कि हमें अब्दुल्लाह इब्ने औन ने ख़बर दी, उन्होंने मुहम्मद बिन सिरिन से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि रसूले करीम (ﷺ) ने हमें दोपहर के बाद की दो नमाज़ों में से कोई नमाज़ पढ़ाई (जुहर या अज़र की) इब्ने सिरिन ने कहा कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने उनका नाम तो लिया था लेकिन मैं भूल गया। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बतलाया कि आप (ﷺ) ने हमें दो रकअत नमाज़ पढ़ा कर सलाम फेर दिया। इसके बाद एक लकड़ी की लाठी से जो मस्जिद में रखी हुई थी आप (ﷺ) टेक लगाकर खड़े हो गए। ऐसा मा'लूम होता

٤٨٢- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شَمِيلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشِيِّ - قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: قَدْ سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَلَكِنْ نَسِيتُهَا، قَالَ - فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى خَشْبَةٍ مَقْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ

था कि आप बहुत ही ख़फ़ा हों। और आप (ﷺ) ने अपने दाएँ हाथ को बाएँ हाथ पर रखा। और उनकी उँगलियों को एक-दूसरे में दाख़िल किया। और आपने अपने दाएँ रुख़सार को बाएँ हाथ की हथेली से सहारा दिया। जो लोग नमाज़ पढ़कर जल्दी निकल जाया करते थे वो मस्जिद के दरवाज़ों से पार हो गए। फिर लोग कहने लगे कि क्या नमाज़ कम कर दी गई है। हाज़िरीन में अबूबक्र और इमर (रज़ि.) भी मौजूद थे। लेकिन उन्हें भी आपसे बोलने की हिम्मत न हुई। उन्हीं में एक शख़्स थे जिनके हाथ लम्बे थे और उन्हें जुलयदैन कहा जाता था। उन्होंने पूछा या रसूलुल्लाह (ﷺ)! क्या आप (ﷺ) भूल गए या नमाज़ कम कर दी गई है, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि न मैं भूला हूँ और न नमाज़ कम हुई है। फिर आप (ﷺ) ने लोगों से पूछा, क्या जुलयदैन सहीह कह रहे हैं। हाज़िरीन बोले कि जी हाँ! ये सुनकर आप (ﷺ) आगे बढ़े और बाक़ी रकअतें पढ़ीं। फिर सलाम फेरा, फिर तक्बीर कही और सह का सज्दा किया। मअमूल के मुताबिक़ या उससे भी लम्बा सज्दा। फिर सर उठाया और तक्बीर कही। फिर तक्बीर कही और दूसरा सज्दा किया। मअमूल के मुताबिक़ या उससे भी लम्बा फिर सर उठाया और तक्बीर कही, लोगों ने बार-बार इब्ने सिरीन से पूछा कि क्या फिर सलाम फेरा तो वो जवाब देते कि मुझे ख़बर दी गई है कि इमरान बिन हुसैन कहते थे कि फिर सलाम फेरा।

(दीगर मक़ाम : 714, 715, 1227, 1228, 1229, 6051, 7250)

غَضَبَانِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَخَرَجَتْ السَّرْعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلَاةُ. وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طَوْلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسَيْتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: ((لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرَ)) فَقَالَ: ((أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟)) فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَدِمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ. ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ.

[أطرافه في : ٧١٤، ٧١٥، ١٢٢٧،

١٢٢٨، ١٢٢٩، ٦٠٥١، ٧٢٥٠.]

तशरीह: ये हदीष 'हदीषे जुलयदैन' के नाम से मशहूर है। एक बुजुर्ग सहाबी ख़रबाक़ (रज़ि.) नामी के हाथ लम्बे-लम्बे थे इसलिये उनको जुलयदैन कहा जाता था। इस हदीष से प्राबित हुआ कि सहवन बात कर लेने से या मस्जिद से निकल जाने से या नमाज़ की जगह से चले जाने से नमाज़ फ़ासिद नहीं होती। यहाँ भी आँहज़रत (ﷺ) का हाथों की उंगलियों को कैची करना मज़कूर है जिससे इस हालत का जवाज़ मस्जिद और ग़ैर मस्जिद में प्राबित हुआ। यही हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का मक़सद है। बाक़ी इस हदीष के मुता'ल्लिक़ दीगर बहर्षे अपने मक़ामात में आएँगी।

बाब 89 : उन मसाजिद का बयान जो मदीना के रास्ते में वाक़ेअ हैं और वो जगहें जहाँ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ अदा फ़र्माई है

(483) हमसे मुहम्मद बिन अबीबक्र मक़हमी ने बयान किया, कहा हमसे फ़ैज़ल बिन सुलैमान ने, कहा हमसे मूसा बिन इब्रबा

٨٩- بَابُ الْمَسَاجِدِ الَّتِي عَلَى

طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي

صَلَّى فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ

٤٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَقْدَمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ

ने, कहा मैंने सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) को देखा कि वो (मदीना से मक्का तक) रास्ते में कई जगहों को ढूँढ़कर वहाँ नमाज़ पढ़ते और कहते कि उनके बाप हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) भी इन जगहों पर नमाज़ पढ़ा करते थे। और उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को उन जगहों पर नमाज़ पढ़ते हुए देखा है। और मूसा बिन इब्रबा ने कहा कि मुझको नाफ़ेअ ने इब्ने इमर के बारे में बयान किया कि वो इन जगहों पर नमाज़ पढ़ा करते थे। और मैंने सालिम से पूछा तो मुझे ख़ूब याद है कि उन्होंने भी नाफ़ेअ के बयान के मुताबिक़ ही तमाम जगहों का ज़िक्र किया। फ़क़त शफ़े रौहा जगह की मस्जिद के बारे में दोनों ने इख़ितलाफ़ किया।

(दीगर मक़ाम : 1535, 2336, 7345)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَتَحَرَّى أَمَاكِينَ مِنَ الطَّرِيقِ فَيُصَلِّي فِيهَا، وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا، وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي بِلْكَ الْأَمْكِيَةِ. وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي بِلْكَ الْأَمْكِيَةِ وَقَالَ: وَسَأَلْتُ سَالِمًا فَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا وَافِقَ نَافِعًا لِي الْأَمْكِيَةَ كُلَّهَا، إِلَّا أَنَّهُمَا ائْتَفَقَا فِي مَسْجِدِ بَشْرَفِ الرُّوحَاءِ.

[أطرافه في : ١٠٣٥، ٢٣٣٦، ٧٣٤٥].

तशरीह: शफ़ेरौहा मदीना से 30 या 36 मील के फ़ासले पर एक मक़ाम है जिसके बारे में आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि इस जगह सत्तर नबियों ने इबादते इलाही की है और यहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़्ज या उमरे की निय्यत से गुज़रे थे। अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) सुन्नते रसूल (ﷺ) के पेशेनज़र उस जगह नमाज़ पढ़ा करते थे और हज़रत उमर (रज़ि.) ने ऐसी तारीख़ी मकामात को ढूँढ़ने से इसलिये मना किया कि ऐसा न हो कि आगे चलकर लोग उसको ज़रूरी समझ लें। हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) की मुराद ये थी कि खाली इस किस्म के आषार की ज़ियारत करना बग़ैर नमाज़ के बे-फ़ायदा है और इतबान की हदीप्र ऊपर गुज़र चुकी है। उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से दरख्वास्त की थी कि आप (ﷺ) मेरे घर में किसी जगह नमाज़ पढ़ दीजिए ताकि मैं उसको नमाज़ की जगह बना लूँ। आँहज़रत (ﷺ) उनकी दरख्वास्त को मन्ज़ूर फ़र्माया था। इससे मा'लूम हुआ कि सालेहीन के आषार से बईतौर पर बरकत लेना दुरुस्त है। खास तौर पर रसूले अकरम (ﷺ) का हर क़ौल व फ़ेअल व हर नक्शेकदम हमारे लिये बरकत व सआदत का सरमाया है। मगर इस बारे में जो अफ़रात व तफ़रीत से काम लिया गया है वो भी हद दर्जा क़ाबिले मज़म्मत है। मषलन साहिबे अनवारुलबारी (देवबन्दी) ने अपनी किताब मज़कूर जि. 5, स. 157 पर एक जगह हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) की तरफ़ मन्सूब किया है कि वो आप (ﷺ) के पेशाब और तमाम फुजलात को भी ताहिर (पाक) कहते हैं। हम समझते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) जैसे सय्यिदुल फुक़हा ऐसा नहीं कह सकते मगर यही वो गुलू है जो तबरूकाते अंबिया के नाम पर किया गया है। अल्लाह तआला हमको इफ़रात व तफ़रीत से बचाए। आमीन।

(484) हमसे इब्राहीम बिन मुंजिरिल हुज़ामी ने बयान किया, कहा हमसे अनस बिन इयाज़ ने बयान किया, कहा हमसे मूसा बिन इब्रबा ने नाफ़ेअ से, उनको अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने ख़बर दी कि आँहज़रत (ﷺ) जब इम्रह के क्रसद से तशरीफ़ ले गए और हज़्जतुल विदाअ के मौक़े पर जब हज़्ज के लिये निकले तो आप (ﷺ) ने जुलहुलैफ़ा में क़याम फ़र्माया। जुलहुलैफ़ा की मस्जिद के करीब आप (ﷺ) एक बबूल के पेड़ के नीचे उतरे। और जब आप किसी जिहाद से वापस होते और रास्ते में जुलहुलैफ़ा से होकर गुज़रता या हज़्ज या इम्रह से वापसी होती तो वादी—ए—

٤٨٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحُدَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِوَيْ الْحَلِيفَةِ حِينَ يَغْتَمِرُ وَهِيَ حَجَّيْهِ حِينَ تَغْتَمِرُ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الْبَدِيِّ بِالْوَيْ الْحَلِيفَةِ. وَكَانَ إِذَا

अतीक के नशीबी (निचले) इलाक़े में उतरते, फिर जब वादी के नशीब से ऊपर चढ़ते तो वादी के बालाई (ऊँचाई वाले) किनारे के उस मशिकी (पूर्वी) हिस्से पर पड़ाव डालते जहाँ कंकरियों और रेत का कुशादा (चौड़ा) नाला है। (यानी बत्हा में) यहाँ आप (ﷺ) रात से सुबह तक आराम फ़र्माते। ये जगह उस मस्जिद के पास नहीं है जो पत्थरों की बनी है, आप उस टीले पर भी नहीं होते जिस पर मस्जिद बनी हुई है। वहाँ एक गहरा नाला था अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) वहाँ नमाज़ पढ़ते थे। उसके नशीब में रेत के टीले थे। और रसूलुल्लाह (ﷺ) वहाँ नमाज़ पढ़ा करते थे। कंकरियों और रेत के कुशादा नाले की तरफ़ से सैलाब ने आकर उस जगह की आषारो-निशानात को मिटा दिया है, जहाँ हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) नमाज़ पढ़ा करते थे।

(दीगर मक़ाम: 1533, 1799)

رَجَعَ مِنْ غَزْوِ كَانَ فِي بِلَدِ الطَّرِيقِ أَوْ
حَجَّ أَوْ غَمْرَةَ هَبَطَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ، فَيَأْتِي
ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ آتَاخَ بِالنُّطْحَاءِ الَّتِي
عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي الشَّرْقِيَّةِ لَمَرَسَ ثُمَّ
حَتَّى يُصْبِحَ، لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي
بِحِجَاوَةِ وَلَا عَلَى الْأَكْمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا
الْمَسْجِدُ، كَانَ ثُمَّ عَلِيٌّ يُصَلِّي عِنْدَ اللَّهِ
عِنْدَهُ فِي بَطْنِهِ كَتَبَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ ثُمَّ يُصَلِّي، لَدَا فِيهِ السَّبَلُ بِالنُّطْحَاءِ
حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ عِنْدَ
اللَّهِ يُصَلِّي فِيهِ.

[أطرافه في: ١٥٣٢، ١٥٣٣، ١٧٩٩.]

٤٨٥- وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى حَيْثُ الْمَسْجِدِ الْمُنْتَهَى
الَّذِي دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِشَرَفِ
الرُّوْحَاءِ، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُعَلِّمُ الْمَكَانَ
الَّذِي كَانَ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ ثُمَّ
عَنْ يَمِينِكَ حِينَ تَقُومُ فِي الْمَسْجِدِ
تُصَلِّي، وَذَلِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى خَافَةِ
الطَّرِيقِ الَّتِي وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ،
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ رَمِيَّةٌ بِحَجْرٍ،
أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

٤٨٦- وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى
الْعِرْقِ الَّذِي عِنْدَ مُنْتَهَى الرُّوْحَاءِ،
وَذَلِكَ الْعِرْقُ انْتِهَاءُ طَرَفِهِ عَلَى خَافَةِ
الطَّرِيقِ دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ
الْمُنْتَهَى وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، وَقَدْ

(485) और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने नाफ़ेअ से ये भी बयान किया कि नबी (ﷺ) ने उस जगह नमाज़ पढ़ी जहाँ अब शफ़रौहा की मस्जिद के पास एक छोटी मस्जिद है, अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) उस जगह की निशानदेही करते थे जहाँ नबी करीम (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ी थी। कहते थे कि यहाँ तुम्हारे दाईं तरफ़ जब तुम मस्जिद में (क्लिब्ला रू होकर) नमाज़ पढ़ने के लिये खड़े होते हो। जब तुम (मदीना से) मक्का जाओ तो ये छोटी सी मस्जिद रास्ते के दाएँ जानिब पड़ती है। उसके और बड़ी मस्जिद के बीच एक पत्थर के मार का फ़ासला है या उससे कुछ कम या ज़्यादा।

(486) और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) उस छोटी पहाड़ी की तरफ़ नमाज़ पढ़ते जो रौहा के आख़िर किनारे पर है और ये पहाड़ी वहाँ ख़त्म होती है जहाँ रास्ते का किनारा है। उस मस्जिद के पास जो उसके और रूहा आख़िरी हिस्से के बीच में है मक्का को जाते हुए। अब वहाँ एक मस्जिद बन गई है। अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) उस मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ते थे बल्कि उसको अपने

बाएँ तरफ़ मुकाबिल में छोड़ देते थे और आगे बढ़कर खुद पहाड़ी इर्कुतबीह की तरफ़ नमाज़ पढ़ते थे। अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) जब रौहा से चलते तो जुहर की नमाज़ उस वक़्त तक न पढ़ते जब तक उस जगह पर न पहुँच जाते। जब यहाँ आ जाते तो जुहर पढ़ते, और अगर मक्का से आते हुए सुबह सादिक़ से थोड़ी देर पहले या सहर के आख़िर में वहाँ से गुज़रते तो सुबह की नमाज़ तक वहीं आराम करते और फ़ज़्र की नमाज़ पढ़ते।

(487) और अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) रास्ते के दाईं तरफ़ मुकाबिल में एक घने पेड़ के नीचे वसीअ और नरम इलाक़े में क़र्याम करते जो क़र्या रुवैषा के पास है। फिर आप (ﷺ) उस टीले से जो रुवैषा के रास्ते से तक्ररीबन दो मील के फ़ासले पर है, चलते थे। अब उस पेड़ का ऊपर का हिस्सा टूट गया है। और बीच में से दोहरा होकर जड़ पर खड़ा है। उसकी जड़ में रेत के बहुत से टीले हैं।

(488) और अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने नाफ़ेअ से ये बयान किया कि नबी (ﷺ) ने क़र्या अर्ज के पास उस नाले के किनारे पर नमाज़ पढ़ी जो पहाड़ की तरफ़ जाते हुए पड़ता है। उस मस्जिद के पास दो या तीन क़ब्रें हैं, उन क़ब्रों पर ऊपर तले पत्थर रखे हुए हैं, रास्ते के दाएँ जानिब उन बड़े पत्थरों के पास जो रास्ते में हैं। उनके बीच में होकर नमाज़ पढ़ी, अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) क़र्या अर्ज से सूरज ढलने के बाद चलते और जुहर इसी मस्जिद में आकर पढ़ा करते थे।

(489) और अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने नाफ़ेअ से बयान किया कि, रसूलुल्लाह (ﷺ) रास्ते के बाईं तरफ़ उन घने पेड़ों के पास क़र्याम फ़र्माते जो हशी पहाड़ के नशीब में हैं। ये ढलवाँ जगह हशी के एक किनारे से मिली हुई है। यहाँ से आम रास्ते तक पहुँचने के लिये तीर की मार का फ़ासला है। अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.)

اَبْتِيَتْ نَمَ مَسْجِدَ فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ، كَانَ يَرْكُضُهُ عَنْ يَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ وَيُصَلِّي أَمَامَهُ إِلَى الْعِرْقِ نَفْسِهِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الرُّوحَاءِ فَلَا يُصَلِّي الظُّهْرَ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الْمَكَانَ فَيُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ، وَإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ.

٤٨٧- وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ ضَخْمَةٍ دُونَ الرُّوَيْثَةِ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَاهِ الطَّرِيقِ فِي مَكَانٍ بَطْحٍ سَهْلٍ حَتَّى يُفْضِيَ مِنْ أَكْمَةِ دُونِ بَرِيدِ الرُّوَيْثَةِ بِمِائَتَيْنِ وَقَدْ انْكَسَرَ أَغْلَاهَا فَانْتَشَى فِي جَوْفِهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ وَلِي سَاقِهَا كُتُبٌ كَثِيرَةٌ.

٤٨٨- وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي طَرَفِ تَلْعَمَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْعُرْجِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَضْبَةِ عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةَ عَلَى الْقُبُورِ رَضَمَ مِنْ حِجَارَةٍ عَنِ يَمِينِ الطَّرِيقِ عِنْدَ سَلِمَاتِ الطَّرِيقِ، بَيْنَ أَوْلِيكَ السَّلِمَاتِ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الْعُرْجِ بَعْدَ أَنْ تَوَيَّلَ الشَّمْسُ بِالنَّهْجَةِ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ.

٤٨٩- وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ عِنْدَ سَرَاحَاتٍ عَنِ يَسَارِ الطَّرِيقِ فِي مَسِيلٍ دُونَ هَرَشِي، ذَلِكَ الْمَسِيلُ لِأَمِيقِ بَكْرَاعِ هَرَشِي بَيْنَهُ

उस बड़े पेड़ की तरफ नमाज़ पढ़ते थे जो उन तमाम दरख्तों में रास्ते से सबसे ज्यादा करीब है और सबसे ज्यादा लम्बा दरख्त भी यही है।

(490) और अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने नाफ़ेअ से बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) उस नाले में उतरा करते थे जो वादी मरज़ुहरान के नशीब में है। मदीना के मुक्राबिल जबकि मुक्रामे सुफ़रावात से उतरा जाए। नबी करीम (ﷺ) उस ढलान के बिल्कुल नशीब में क्रयाम करते थे। ये रास्ते के बाएँ जानिब पड़ता है जब कोई शख्स मक्का जा रहा हो (जिसको अब बत्ने मर्व कहते हैं) रास्ते और रसूलुल्लाह (ﷺ) की मंज़िल के बीच सिर्फ़ एक पत्थर ही के मार का फ़ासला है।

(491) और अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने नाफ़ेअ से बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) मुक्रामे ज़ी-तवा में क्रयाम फ़र्माते और रात यहीं गुज़ारते थे और सुबह होती तो नमाज़े फ़न्न यहीं पढ़ते, मक्का जाते हुए। यहाँ नबी करीम (ﷺ) के नमाज़ पढ़ने की जगह एक बड़े से टीले पर थी। उस मस्जिद में नहीं जो अब वहाँ बनी हुई है बल्कि उससे नीचे एक बड़ा टीला था।

(दीगर मक़ाम : 1767, 1769)

(492) और अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने हज़रत नाफ़ेअ से बयान किया कि, नबी करीम (ﷺ) ने उस पहाड़ के दोनों कोनों का रुख़ किया जो उसके और जबले त़वील के बीच का 'बा की दिशा में है। आप उस मस्जिद को जो अब वहाँ बनी है अपनी बाईं तरफ़ कर लेते टीले के किनारे। और नबी करीम (ﷺ) के नमाज़ पढ़ने की जगह उससे नीचे काले टीले पर थी टीले से त़क़रीबन दस हाथ छोड़कर पहाड़ की दोनों घाटियों की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ते जो तुम्हारे और का'बा के बीच है।

وَبَيْنَ الطَّرِيقِ قَرْنَبٌ مِنْ غُلُوَّةٍ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى سَرْحَةٍ هِيَ أَقْرَبُ السَّرْحَاتِ إِلَى الطَّرِيقِ وَهِيَ أَطْوَلُهُنَّ.

٤٩٠- وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ فِي الْمَسِيلِ الَّذِي فِي أُذُنِي مَرَّ الظُّهْرَانَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ حِينَ تَهْبِطُ مِنَ الصَّفْرَاوَاتِ يَنْزِلُ فِي بَطْنِ ذَلِكَ الْمَسِيلِ عَنِ يَسَارِ الطَّرِيقِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ لَيْسَ بَيْنَ مَنَزِلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ إِلَّا رَمِيَةٌ بِحَجْرٍ.

٤٩١- وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِوَيْدِي طُوًى وَيَبِيْتُ حَتَّى يُصْبِحَ يُصَلِّي الصُّبْحَ حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةَ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةِ غَلِظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْنِي ثُمَّ وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةِ غَلِظَةٍ.

[طرفاه في : ١٧٦٧، ١٧٦٩]

٤٩٢- وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَقْبَلَ فَرَضَتِي الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بَيْنِي ثُمَّ يَسَارَ الْمَسْجِدِ بِطَرَفِ الْأَكْمَةِ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْأَكْمَةِ السُّودَاءِ تَدْعُ مِنَ الْأَكْمَةِ عَشْرَةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ تُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفَرَضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ

तशरीह:

इमाम क़स्तलानी शारेह बुखारी लिखते हैं कि इन मक़ामात में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की नमाज़ पढ़ना तबर्कन ह़ासिल करने के लिये था और ये उसके ख़िलाफ़ नहीं जो हज़रत उमर (रज़ि.) से मरवी है क्योंकि हज़रत उमर (रज़ि.) ने इस हाल में उसको मकरूह रखा जब कोई वाजिब और ज़रूरी समझकर ऐसा करें। यहाँ जिन-जिन मक़ामात की मसाजिद का ज़िक्र है उनमें से अक़षर अब नापैद हो चुकी है, चन्द बाकी है। जुलहुलैफ़ा एक मशहूर मक़ाम है जहाँ से अहले मदीना एहराम बाँधा करते थे। बतहा वो जगह है जहाँ पानी का बहाव है और वहाँ बारीक-बारीक कंकरिया है। रुवैषा मदीना से सत्रह फर्स के फ़ासले पर एक गाँव का नाम है। यहाँ से अर्ज नामी गाँव तेरह चौदह मील पड़ता है। हज़बह भी मदीना के रास्ते में एक पहाड़ है जो ज़मीन पर फैला हुआ है। हरशी जो हफ़ह के करीब मदीना और शाम के रास्तों में एक पहाड़ का नाम है। मरुज्जहरान एक मशहूर मक़ाम है, सफ़रावात वो नदी नाले और पहाड़ जो मरुज्जहरान के बाद आते हैं।

इस बाब में नौ हदीषें मज़कूर हैं। इनको हसन बिन सुफ़यान ने मुतफरिक् तौर पर अपनी मुसनद में निकाला है मगर तीसरी को नहीं निकाला और मुस्लिम ने आखरी हदीष को किताबुल हज़्ज में निकाला है।

अब उन मसाजिद का पता नहीं चलता, न वो दरख्त और निशानात बाकी है। खुद मदीना मुनव्वरा में आँहज़रत (ﷺ) ने जिन-जिन मसाजिद में नमाज़ पढ़ी है उनको अमर बिन शैबा ने अख़बारे मदीना में ज़िक्र किया है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने अपने अहदे ख़िलाफ़त में उनको मा'लूम करके नक्शरी पत्थरों से ता'मीर करा दिया था उनमें से मस्जिदे कुबा, मस्जिदे फ़ज़ीख़, मस्जिदे बनी कुरैज़ा, मस्जिद बग़ला, मस्जिद बनी मुआविया, मस्जिदे फ़तह, मस्जिद किब्लतैन वग़ैरह अभी तक बाकी है। मौजूदा हुकूमते सऊदिया ने अक़षर मसाजिद को उम्दा तौर पर मुस्तहक़म (मज़बूत, सुदृढ़) कर दिया है।

इस हदीष में जिस सफ़र की नमाज़ों का ज़िक्र है वो सात दिन तक जारी रहा था और आपने उसमें 35 नमाज़ें अदा की थी। रावियाने हदीष ने अक़षर का ज़िक्र नहीं किया। वादी-ए-रौहा की तफ़्सील पहले गुज़र चुकी है।

'क्रालशशैख़ुब्नु हज़र हाज़िहिल मसाजिदु ला युअरफ़ुल यौम हाहुना ग़ैर मस्जिदि ज़िलहलीफ़ति वल मसाजिदिल्लती बिरौहा अहलु तिल्कनाहियति इन्तहा व इन्नमा कानब्नु उमर युसल्ली फ़ी तिल्कल मवाज़िइ तबर्कन बिहा व लम यजलिन्नासु यतबर्कून बिमवाजिअस्मुलहाइ व अम्मा मा रूविय अन उमर अन्नहू करिह ज़ालिक फ़लिअन्नहू ख़शिय अंध्यल्लतजिमन्नासुस्सलात फ़ी तिल्कल मवाज़िअ व यम्बगी लिल आलिमि इज़ा राअन्नास यल्लतजिमून बिन्नवाफ़िली इल्लिज़ामन शदीदन अंध्यन्हाहुम अन्हु'

अल्लामा इब्ने हज़र की इस तक्ररीर का ख़ुलासा वही है जो ऊपर ज़िक्र हुआ है यानी उन मक़ामात पर नमाज़ महज़ तबर्कन पढ़ते थे मगर अवाम इसका इन्तिज़ाम करने लगी तो उलमा के लिये ज़रूरी है कि उनको रोके।

बाब 90 : इमाम का सुतरा मुक्त्तदियों को भी किफ़ायत करता है

(493) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इमाम मालिक ने इब्ने शिहाब के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन इत्बा से कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैं एक गधी पर सवार होकर आया। उस ज़माने में बालिग़ होने वाला ही था। रसूलुल्लाह (ﷺ) मिना में लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे। लेकिन दीवार आप (ﷺ) के सामने न थी। मैं सफ़ के कुछ हिस्से से गुज़र कर सवारी से उतरा। और मैंने गधी को चरने के लिये छोड़ दिया

۹۰- باب سورة الإمام سورة من

خلفه

۴۹۳- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارِ أَنَانَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ لَقَدْ نَاهَزْتُ الْإِخْلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِنِيَّ إِلَى غَيْرِ جَدَارٍ، فَمَرَزْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ

और सफ़ में दाखिल हो गया। पस किसी ने मुझपर ए' तिराज़ नहीं किया। (राजेज़ : 476)

فَرَزْتُ وَأَزَلْتُ الْإِيمَانَ تَرَعُ وَدَخَلْتُ فِي
الصَّفِّ، وَ لَمْ يُبَكِّرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدًا.

[راجع: ٤٧٦]

तशरीह: बजाहिर इस हदीष से बाब का मतलब नहीं निकलता। चूंकि आँहज़रत (ﷺ) की आदतें मुबारका यही थी कि मैदान में बग़ैर सुतरा के नमाज़ न पढ़ते इसलिये आप (ﷺ) के आगे बर्छी गाड़ी जाती तो यकीनन उस वक़्त भी आप (ﷺ) के सामने सुतरा ज़रूर होगा। बाब का मतलब प्राबित हो गया कि इमाम का सुतरा मुक़्तदियों के लिये काफी है।

अल्लामा क्रस्तलानी फ़र्माते हैं, 'इला ग़ैरि जिदारिन क़ालशशाफ़िइय्यु इला ग़ैरि सुतरतिन व हीनइज़िन फ़ला मुताबक़त बैनल हदीषि वत्तजुमति व क़द बव्वब अलैहिल बयहक़ी बाबुन मन सल्ला इला ग़ैरि सुतरतिन लाकिन इस्तम्बत बअजुहुम अल मुताबक़त मिन क़ौलिही इला ग़ैरि जिदारिन लिअन्न लफ़ज़ ग़ैर यशउर बिअन्न प्रम्महू सुतरतुन लिअन्नहा तकउ दाइमन सिफ़तुन व तक्रदीरूहू इला शैइन ग़ैर जिदारिन व हुब अअम्पु मिन अय्यकून असन औ ग़ैर ज़ालिक' यानी इमाम शाफ़िइ (रह.) ने कहा कि आप (ﷺ) बग़ैर सुतरा के नमाज़ पढ़ रहे थे। इस सूत में हदीष और बाब में कोई मुताबक़त नहीं इसीलिये इस हदीष पर इमाम बैहक़ी (रह.) ने यूँ बाब बाँधा कि ये बाब उसके बारे में हैं जो बग़ैर सुतरा के नमाज़ पढ़े लेकिन इसी हदीष से बाज़ उलमा ने लफ़ज़ इला ग़ैरि जिदार से मुताबक़त पर इस्तम्बात किया है। लफ़ज़ ग़ैर बतलाता है कि वहाँ दीवार के अलावा किसी और चीज़ से सुतरा किया गया था। वो चीज़ असा (लाठी) थी या कुछ और हर हाल में आपके सामने सुतरा मौजूद था जो दीवार के अलावा था।

शैखुल हदीष हज़रत मौलाना अबैदुल्लाह साहब मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं, 'कुल्लु हम्मलल बुख़ारी लफ़ज़ल ग़ैरि अलन्नअति वल बैहक़ी अलन्नअफ़ियिलमहज़ि व मख़्तारहुल बुख़ारी हुना औला फ़इन्नअतअरूज़ लिनफ़ियिल जिदारि ख़ासतन यदुल्लु अला अन्नहू कान हुनाक शैउन मुग़ा यिरूल लिल जिदारि' (मिआत जि. 1/स. 515) खुलासा ये है कि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़सद यहाँ ये है कि आपके सामने दीवार के अलावा कोई चीज़ बतौर सुतरा थी। हज़रतुल इमाम ने लफ़ज़ ग़ैर को यहाँ बतौर नअत समझा और इमाम बैहक़ी (रह.) ने इससे नफ़ी-ए-महज़ मुराद ली और जो कुछ यहाँ हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इख़्तियार किया है वही मुनासिब और बेहतर है। हज़रत इब्न अब्बास (रज़ि.) का ये वाकिआ हज्जतुल विदाअ में पेश आया। उस वक़्त में जवानी के करीब थे। वफ़ाते नबवी (ﷺ) के वक़्त इनकी उम्र पन्द्रह साल के लगभग बतलाई गई है।

(494) हमसे इस्हाक़ बिन मंसूर ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन नुमैर ने कहा कि हमसे अब्दुल्लाह ने नाफ़ेअ के वास्ते से बयान किया। उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब ईद के दिन (मदीना से) बाहर तशरीफ़ ले जाते तो छोटा नेज़ा (बर्छी) को गाड़ने का हुक्म देते वो जब आपके आगे गाड़ दिया जाता तो आप (ﷺ) उसकी तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ते। और लोग आप (ﷺ) के पीछे खड़े होते। यही आप (ﷺ) सफ़र में भी किया करते थे। (मुसलमानों के) ख़ुलफ़ा ने इसी वजह से बर्छी साथ रखने की आदत बना ली है। (दीगर मक़ाम : 497, 972, 973)

(495) हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा ने बयान किया औन बिन अबी जुहैफ़ा से, कहा मैंने अपने बाप (वहब बिन अब्दुल्लाह) से सुना कि नबी (ﷺ) ने लोगों को बतहा

٤٩٤- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ
إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرَبَةِ فَوَضَعَ
بَيْنَ يَدَيْهِ فَصَلَّى إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ،
وَكَانَ يَقْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمَنْ لَمْ
أَتَعَلَّمَا الْأَمْرَؤ.

[أطرافه في: ٤٩٧، ٩٧٢، ٩٧٣.]

٤٩٥- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ هَوْنِ بْنِ أَبِي جَحْفَةَ قَالَ:

में नमाज़ पढ़ाई। आपके सामने अंज़ा (डंडा जिसके नीचे फल लगा हुआ हो) गाड़ दिया गया था। (चूँकि आप मुसाफ़िर थे इसलिये) जुहर की दो रकअत और अम्र की दो रकअत अदा कीं। आप (ﷺ) के सामने से औरतें और गधे गुजर रहे थे। (राजेअ: 187)

तशरीह: यहाँ भी हज़रत इमाम क़द्स सिर्रुहु ने यह प्राबित फ़र्माया कि इमाम का सुतरा सारे नमाज़ियों के लिये काफ़ी है। आप (ﷺ) ने बतहा में जुहर व अम्र की दोनों नमाज़ें जमा तक्रदीम के तौर पर पढ़ाईं और आप (ﷺ) के आगे बतौर सुतरा बरछा गाड़ दिया गया था। बरछों से बाहर और नमाज़ियों के आगे से गधे गुजर रहे थे और औरतें भी, मगर आप (ﷺ) का सुतरा सब नमाज़ियों के लिये काफ़ी माना गया। बग़ैर सुतरा के इमाम या नमाज़ियों के आगे से अगर औरतें या गधे व कुत्ते वगैरह गुजरें तो चूँकि उनकी तरफ़ तवज्जुह बंटने का एहतिमाल (अन्देशा) है, इसलिये उनसे नमाज़ टूट जाती है। बाज़ लोग नमाज़ टूटने को नमाज़ में सिर्फ़ ख़लल आ जाने पर महमूल करते हैं।

इसका फ़ैसला ख़ुद नमाज़ी ही कर सकता है इन्नमल आमालु बिन्निय्यात अगर इन चीज़ों पर नजर पड़ने से उसकी नमाज़ में पूरी तवज्जुह उधर हो गई तो यकीनन नमाज़ टूट जाएगी वना ख़लले महज़ भी मायूब है। हज़रत मौलाना अब्दुर्हमान साहब मुबारकपुरी शैख़ुल हदीष फ़र्माते हैं, 'क़ाल मालिक व अबू हनीफ़त व शशफ़िइय्यु रज़ियल्लाहु अन्हुम व जुम्हूर मिनस्सलफ़ि वल ख़लफ़ि ला तब्तिलुस्सलातु बिमुस्सूर शैइम्मिन हाउलाइ वला मिन ग़ैरिहिम व तअव्वल हाउलाइ हाज़ल हदीषु अला अन्नल मुराद बिल्क़तइ नक्सुस्सलाति लिशग़लिल क़ल्बि बिहाज़िहिल अश्याइ व लैसल मुरादु इब्तालुहा' (तोहफ़तुल अहवज़ी जि. 1/स. 276) ख़ुलासा यही है कि कुत्ते और गधे और औरत के नमाज़ी के सामने गुजरने से नमाज़ में नुक़स आ जाता है। इसलिये कि दिल में इन चीज़ों से तअष्पूर (अपूर) आ जाता है। (कहने का मतलब यह है कि नमाज़ी का मन उनके बारे में सोचने-विचारने लगता है)। नमाज़ मुतलक़न बातिल हो जाए ऐसा नहीं है। जुम्हूर उलम-ए-सलफ़ व ख़लफ़ का यही फ़तवा है।

बाब 91 : नमाज़ी और सुतरा में कितना फ़ासला होना चाहिए?

(496) हमसे अम्र बिन जुारह ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम ने अपने बाप अबू हाज़िम सलमा बिन दीनार से बयान किया, उन्होंने सहल बिन सअद से, उन्होंने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) के सज्दा करने की जगह और दीवार के बीच एक बकरी के गुजर सकने जितना फ़ासला रहता था। (दीगर मक़ाम: 7334)

(497) हमसे मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन अबी इबैद ने, उन्होंने सलमा बिन अक़वा (रज़ि.) से बयान किया, उन्होंने फ़र्माया कि मस्जिद की दीवार और मिम्बर के बीच बकरी के गुजर सकने के फ़ासले के बराबर जगह थी।

91- بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ

بَيْنَ الْمُصَلِّيِّ وَالسُّتْرَةِ؟

496- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ: سَأَلْنَا

عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

سَهْلِ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلِّيِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمْرُ الشَّاةِ.

[طرفه في: 7334].

497- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ

بْنُ أَبِي غَيْبٍ عَنْ سَلْمَةَ قَالَ: كَانَ جِدَارُ

الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، مَا كَادَتْ الشَّاةُ

تَجُوزُهَا.

तशरीह: मस्जिदे नबवी में उस वक़्त मेहराब नहीं था और आप (ﷺ) मिम्बर की बाएं तरफ़ खड़े होकर नमाज़ पढ़ते थे। लिहाज़ा मिम्बर और दीवार का फ़ासला उतना ही होगा कि एक बकरी निकल जाए। बाब का यही मतलब है।

बिलाल की हदीष में है कि आप (ﷺ) ने का'बा में नमाज़ पढ़ाई आप में और दीवार में तीन हाथ का फ़ासला था। हदीष से ये भी निकला कि मस्जिद में मेहराब बनाना और मिम्बर बनाना सुन्नत नहीं है, मिम्बर अलैहदा लकड़ी का होना चाहिये। बुखारी शरीफ़ की प्रलाषियात में से ये दूसरी हदीष है और प्रलाषियात की पहली हदीष पहला पारा किताबुल इल्म 'बाबु अघ्रम्मु-मन-कज़ब अलत्रबिद्यि सल्लाहु अलैहि व सल्लम' में मक्की बिन इब्राहीम की रिवायत से गुजर चुका है। प्रलाषियात वो अहदादीष जिनकी सनद में हज़रत इमाम बुखारी (रह.) सिर्फ़ तीन ही असातिज़ा से उसे नक़ल करें। यानी प्रलाषियात से मुराद ये है कि इमाम बुखारी और नबी करीम (ﷺ) के दर्मियान तीन रावियों का वास्ता हो।

बाब 92 : बर्छी की तरफ़ नमाज़ पढ़ना

(498) हमसे मुसहद बिन मुसहिद ने बयान किया, कहा हमसे यहा बिन सईद क्रतान ने अबैदुल्लाह के वास्ते से बयान किया, कहा मुझे नाफ़ेअ ने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के वास्ते से ख़बर दी कि नबी (ﷺ) के लिये बर्छा गाड़ दिया जाता था और आप (ﷺ) उसकी तरफ़ नमाज़ पढ़ते थे।

बाब 93 : अंज़ा (लकड़ी जिसके नीचे लोहे का फल लगा हुआ हो) की तरफ़ नमाज़ पढ़ना

(499) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे औन बिन अबी जुहैफ़ा ने बयान किया, कहा कि मैंने अपने बाप अबू जुहैफ़ा व हब बिन अब्दुल्लाह से सुना उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) दोपहर के वक़्त बाहर तशरीफ़ लाए। आपकी ख़िदमत में वुजू का पानी पेश किया गया, जिससे आप (ﷺ) ने वजू किया। फिर हमें आप (ﷺ) ने जुहर की नमाज़ पढ़ाई और अस्त्र की, आप (ﷺ) के सामने अंज़ा गाड़ दिया गया था। और औरतें और गधे पर सवार लोग उसके पीछे से गुजर रहे थे। (राजेअ: 187)

आपने जुहर और अस्त्र को जमा किया था, इसे जमा-तकदीम कहते हैं।

(500) हमसे मुहम्मद बिन हातिम बिन बज़ीअ ने बयान किया, कहा कि हमसे शाज़ान बिन आमिर ने शुअबा बिन हिजाज के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अत्ता बिन अबी मैमूना से, उन्होंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) जब रफ़अे हाजत के लिये निकलते तो मैं और एक और लड़का आप (ﷺ) के पीछे-पीछे जाते। हमारे साथ उकाज़ह (डंडा जिसके नीचे लोहे का फल लगा हुआ हो) या छड़ी या अंज़ा होता और हमारे साथ एक छागल भी होता था। जब आँहुज़ूर (ﷺ)

92- بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرَبَةِ

498- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُرَكِّزُ لَهُ الْحَرَبَةَ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. [راجع: 494]

93- بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْعِزَّةِ

499- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَاجِرَةِ، فَأَتَى بِرَوْضَةٍ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى بِنَا الظَّهْرَ وَالْمَضْرَ وَيَنْ يَدَيْهِ عِزَّةً وَالْمَرْأَةَ وَالْحِمَارَ يَمْرُونَ مِنْ وَرَائِهَا. [راجع: 187]

500- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ بَرِيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَادَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ وَمَعَنَا عَكَازَةٌ أَوْ عَصَا أَوْ عِزَّةٌ وَمَعَنَا إِذَاوَةٌ، فإِذَا فَرَّغَ مِنْ

हाज़त से फ़ारिग हो जाते तो हम आपको वो छागल दे देते थे।
(राजेअ : 150)

बाब 94 : मक्का और उसके अलावा दूसरे मुकामात में सुतरे का हुक्म

(501) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा ने हकम बिन उययना से, उन्होंने अबू जुहैफ़ा से, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) हमारे पास दोपहर के वक़्त तशरीफ़ लाए और आप (ﷺ) ने बट्हा में जुहर और अ़सर की दो-दो रकअतें पढ़ीं। आप (ﷺ) के सामने अंज़ा गाड़ दिया गया था। और जब आप (ﷺ) ने वुजू किया तो लोग आप (ﷺ) के वुजू का पानी को अपने बदन पर लगा रहे थे। (राजेअ : 187)

तशरीह : इमाम बुखारी (रह.) ये बताना चाहते हैं कि सुतरा के मसला में मक्का और दीगर मुकामात में कोई फ़र्क नहीं। मुसन्नफ़ अब्दुरज़ाक़ में एक हदीष है कि आँहज़रत (ﷺ) मस्जिदे हराम में बग़ैर सुतरा के नमाज़ पढ़ते थे। इमाम बुखारी ने इस हदीष को जईफ़ समझा है। बट्हा मक्का की पथरीली ज़मीन को कहते हैं।

'वल गरज़ु मिन हाज़ल बाबि अरहु अला मन क़ाल यजूज़ुल मुरुकू दूनस्सुतरति लिताइफीन लिज़रुरति ला लिगैरिहिम' जो लोग का'बा के तवाफ़ करने वालों को नमाज़ियों के आगे से गुज़रने के क़ाइल है, हज़रत इमाम (रह.) ये बाब मुनअकिद करके उनका रद्द करना चाहते हैं।

बाब 95 : सतूनों की आड़ में नमाज़ पढ़ना

और हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नमाज़ पढ़नेवाले सतूनों के उन लोगों से ज़्यादा मुस्तहिक हैं जो उस पर टेक लगाकर बातें करें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने एक शख्स को दो सतूनों के बीच में नमाज़ पढ़ते देखा तो उसे सतून के पास कर दिया और कहा कि इसकी तरफ़ नमाज़ पढ़।

(502) हमसे मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे यज़ीद बिन अबी इबैद ने बयान किया, कहा कि मैं सलमा बिन अक्रवा (रज़ि.) के साथ (मस्जिदे नबवी में) हाज़िर हुआ करता था। सलमा (रज़ि.) हमेशा उस सतून को सामने करके नमाज़ पढ़ते जहाँ कुआन शरीफ़ रखा रहता था। मैंने उनसे कहा कि ऐ अबू मुस्लिम! मैं देखता हूँ कि आप (ﷺ) हमेशा इसी सतून को सामने करके नमाज़ पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को देखा आप (ﷺ) ख़ास तौर से इसी सतून को सामने करके नमाज़ पढ़ा करते थे।

حَاجِبِهِ نَوْلَانَةُ الْإِدَاوَةِ.

[راجع: ١٥٠]

٩٤- بَابُ السُّتُورِ بِسُكُونِهَا وَغَيْرِهَا
٥٠١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ
قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ
فَصَلَّى بِالطُّحَاةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ
وَلَصَبَ تَبَنٍ يَدَيْهِ هَنْزَةً وَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ
النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ.

[راجع: ١٨٧]

٩٥- بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْأَسْطُوَانَةِ
وَقَالَ عَمْرٌو: الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسُّوَارِي مِنْ
الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا. وَرَأَى عَمْرٌو رَجُلًا يَصَلِّي
بَيْنَ اسْطُوَانَتَيْنِ فَأَذَنَاهُ إِلَى سَارِيَةٍ فَقَالَ:
صَلِّ إِلَيْهَا.

٥٠٢- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: كُنْتُ أَمِّي
مَعَ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ لَمَّا صَلَّى عِنْدَ
الْأَسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصَحِّفِ، فَقُلْتُ:
يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَأَيْكَ تَعْرَى الصَّلَاةَ عِنْدَ
هَذِهِ الْأَسْطُوَانَةِ، قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ
النَّبِيَّ ﷺ يَعْرَى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا.

हज़रत उष्मान (रज़ि.) के ज़माने में मस्जिदे नबवी में एक सुतून के पास कुर्आन शरीफ़ सन्दूक में रखा रहता था। उसको सुतूने मुस्हफ़ कहा करते थे। यहाँ इसी का ज़िक्र है, प्रलाघ्नियाते बुखारी शरीफ़ में से ये तीसरी हदीष है।

(503) हमसे कुबैसा बिन उक्रबा ने बयान किया, कहा हमसे सुफयान प्रौरी ने अमर बिन आमिर से बयान किया, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के बड़े-बड़े सहाबा किराम (रज़ि.) को देखा कि वो मरिब (की अज़ान) के वक़्त सतूनों की तरफ़ लपकते। और शुअबा ने अमर बिन आमिर से उन्होंने हज़रत अनस (रज़ि.) से (इस हदीष में) ये ज़यादती की है। 'यहाँ तक कि नबी करीम (ﷺ) हुज़े से बाहर तशरीफ़ लाते।' (दीगर मक़ाम : 625)

٥٠٣ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُهَيْبَانٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَامِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَقَدْ أَدْرَكْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَتَعَبَّرُونَ السُّوَارِيَّ عِنْدَ الْمَغْرِبِ. وَزَادَ شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ عَنْ أَنَسٍ : حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ .
[طره في : ٦٢٥]

तशरीह : मरिब की अज़ान और नमाज़ के दरमियान दो हल्की फुल्की रकअतें पढ़ना सुन्नत है। अहदे रिसालत में ये सहाबा (रज़ि.) का आम मामूल था, मगर बाद में नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्मा दिया कि जो चाहे इनको पढ़े जो चाहे न पढ़े इस हदीष से सुतूनों को सुतरा बनाकर नमाज़ पढ़ने का षुबूत हुआ और इन दो रकअतों का भी जैसा कि रिवायत से ज़ाहिर है। शुअबा की रिवायत को ख़ुद इमाम बुखारी (रह.) ने किताबुल अज़ान में वस्ल किया है।

बाब 96 : दो सतूनों के बीच में अगर नमाज़ी अकेला हो तो नमाज़ पढ़ सकता है

٩٦ - بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السُّوَارِيَّ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ

क्योंकि जमाअत में सुतूनों के बीच में खड़े होने से सफ़ में ख़लल पैदा होगा। कुछ लोगों ने कहा कि हर हाल में दो सुतूनों के बीच में नमाज़ मकरूह है क्योंकि हाकिम ने हज़रत अनस (रज़ि.) से मुमानअत की नक़ल की है। इमाम बुखारी (रह.) ने ये बाब लाकर इशारा किया कि वो मुमानअत बाजमाअत नमाज़ पढ़ने की हालत में है।

(504) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे जुवैरिया बिन अस्मा ने नाफ़ेअ से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) बैतुल्लाह के अंदर तशरीफ़ ले गए और उसामा बिन ज़ैद उष्मान बिन त़लहा और बिलाल (रज़ि.) भी आपके साथ थे। आप (ﷺ) देर तक अंदर रहे। फिर बाहर आए। और मैं सब लोगों से पहले आप (ﷺ) के पीछे ही वहाँ आया। मैंने बिलाल (रज़ि.) से पूछा कि नबी करीम (ﷺ) ने कहाँ नमाज़ पढ़ी थी। उन्होंने बताया कि आगे के दो सतूनों के बीच में आपने नमाज़ पढ़ी थी। (राजेअ : 397)

٥٠٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُفَيْفَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلَالٌ فَأَطَّأَ، ثُمَّ خَرَجَ، وَكُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَيَّ أَرَاهُ، فَسَأَلْتُ بِلَالَ: أَيْنَ صَلَّى؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَالْمَقْدَمَيْنِ.

[راجع : ٣٩٧]

(505) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया,

٥٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ :

कहा हमें इमाम मालिक बिन अनस ने ख़बर दी नाफ़ेअ से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से कि आँहज़रत (ﷺ) का'बा के अंदर तशरीफ़ ले गए और उसामा बिन ज़ैद, बिलाल और इब्मान बिन तलहा भी आप (ﷺ) के साथ थे। फिर इब्मान (रज़ि.) ने दरवाज़ा बंद कर दिया। और आप (ﷺ) उसमें ठहरे रहे। जब आप (ﷺ) बाहर निकले तो मैंने बिलाल से पूछा कि नबी करीम (ﷺ) ने अंदर क्या किया? उन्होंने कहा कि आपने एक सतून को तो बाएँ तरफ़ छोड़ा और एक को दाएँ तरफ़ और तीन को पीछे। और उस ज़माने में ख़ान-ए-का'बा में छः सतून थे। फिर आप (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ी। इमाम बुखारी ने कहा कि हमसे इस्माईल बिन इदरीस ने कहा, वो कहते हैं कि मुझसे इमाम मालिक ने ये हदीष यूँ बयान की कि आप (ﷺ) ने अपने दाएँ तरफ़ दो सतून छोड़े थे। (राजेअ: 397)

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ مَلْحَةَ الْحَضْرِيُّ، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا. وَسَأَلْتُ بِلَالَ بْنَ وَحَّاشٍ: مَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ. وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى. وَقَالَ لَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ وَقَالَ: عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ.

[راجع: ٣٩٧]

तशरीह: यहीं से बाब का तर्जुमा निकला कि अगर आदमी अकेला नमाज़ पढ़ना चाहे तो दो सुन्नतों के बीच में पढ़ सकता है। शारेहे हदीष हज़रत मौलाना वहीदुज्जमा (रह.) फ़र्माते हैं कि यही रिवायत सहीह मा'लूम होती है क्योंकि जब ख़ाना काबा छः सुतूनों पर था तो एक तरफ़ ख़वामख़वा दो सुतून रहेंगे और एक तरफ़ एक इमाम अहमद और इस्हाक़ और अहले हदीष का यही मज़हब है कि अकेला शख्स सुतूनों के बीच में नमाज़ पढ़ सकता है लेकिन सुतूनों के बीच में सफ़ बाँधना मकरूह है और हनफ़िय्या, मालकिय्या और शाफ़िय्या ने इसको जाइज़ रखा है। तसहीलुल क़ारी में है कि हमारे इमाम अहमद बिन हम्बल का मज़हब हक़ है और हनफ़िय्या और शाफ़िय्या और मालकिय्या को इस मसले में शायद मुमानअत की हदीषें नहीं पहुंची, वल्लाहु अज़लम।

बाब 97 :

(506) हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू ज़मरह अनस बिन इयाज़ ने बयान किया, कहा हमसे मूसा बिन इब्बान ने बयान किया, उन्होंने नाफ़ेअ से कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) जब का'बा में दाख़िल होते तो सीधे मुँह के सामने चले जाते। दरवाज़ा पीठ की तरफ़ होता और आप आगे बढ़ते जब उनके और सामने की दीवार का फ़ासला करीब तीन हाथ रह जाता तो नमाज़ पढ़ते। इस तरह आप उस जगह नमाज़ पढ़ना चाहते थे जिसके बारे में हज़रत बिलाल (रज़ि.) ने आपको बताया था कि नबी करीम (ﷺ) ने यहीं नमाज़ पढ़ी थी। आप फ़र्माते थे कि बैतुल्लाह में जिस कोने में हम चाहें नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसमें कोई क़बाहत नहीं।

बाब - 97

٥٠٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ، وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ، فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أذْرُعٍ صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيهِ. قَالَ: وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بِأَسَى إِنْ صَلَّى لِي أَوْ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ.

(राजेअ: 397)

[راجع: 397]

बाब 98 : ऊँटनी और ऊँट और पेड़ और पालान को सामने करके नमाज़ पढ़ना

98- بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

وَالْبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ

507- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ
الْمَقْدَمِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ
سُلَيْمَانَ عَنْ غَبِيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ
عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
كَانَ يُعْرَضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. قُلْتُ:
أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ؟ قَالَ: كَانَ
يَأْخُذُ الرَّحْلَ فَيَمُدُّهُ فَيُصَلِّي إِلَى آخِرِهِ -
أَوْ قَالَ مُؤَخَّرِهِ - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ.

(507) हमसे मुहम्मद बिन अबीबक्र मुक़द्दमी बसरी ने बयान किया, कहा कि हमसे मुअतमिर बिन सुलैमान ने बयान किया इब्दुल्लाह बिन उमर से, वो नाफ़ेअ से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आप (ﷺ) अपनी सवारी को सामने अर्ज़ में कर लेते और उसकी तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, इब्दुल्लाह बिन उमर ने नाफ़ेअ से पूछा कि जब सवारी उछलने कूदने लगती तो उस वक़्त आप क्या करते थे? नाफ़ेअ ने कहा कि आप उस वक़्त कज़ावे को अपने सामने कर लेते। और उसके आख़री हिस्से की (जिस पर सवार टेक लगाता है एक खड़ी सी लकड़ी की) तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ते और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) भी इसी तरह किया करते थे।

हज़रत इमाम (रह.) ने ऊँटनी पर ऊँट को और पालान की लकड़ी पर दरख़्त को क्रियास किया है। इस तफ़्सील के बाद हदीष और बाब में मुताबक़त ज़ाहिर है।

बाब 99 : चारपाई की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ना

99- بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى السَّرِيرِ

508- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ
الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعَدْتُمُونَا
بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ؟ لَقَدْ رَأَيْتِنِي مُصْطَجِمَةً
عَلَى السَّرِيرِ فَيَجِيءُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَتَوَسَّطُ
السَّرِيرَ فَيُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَحْهُ، وَ
أَنْسَلُ مِنْ قَبْلِ رِجْلِي السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلُ
مِنْ لِحَائِي. [راجع: 380]

(508) हमसे इब्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन अब्दुल हमीद ने बयान किया मंसूर बिन मुअतमिर से, उन्होंने इब्राहीम नख़ई से, उन्होंने अस्वद बिन यज़ीद से, उन्होंने आइशा (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि तुम लोगों ने हम औरतों को कुत्तों और गधों के बराबर बना दिया। हालाँकि मैं चारपाई पर लेटी रहती थी और नबी (ﷺ) तशरीफ़ लाते। और चारपाई के बीच में आ जाते (या चारपाई को अपने और क़िबले के बीच में कर लेते) फिर नमाज़ पढ़ते। मुझे आपके सामने पड़ा रहना बुरा मा'लूम होता, इसलिये मैं पाइँती की तरफ़ से खिसककर लिहाफ़ के रास्ते से बाहर निकल जाती। (राजेअ: 380)

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने बाबुल इस्तीज़ान में एक हदीष रिवायत फ़र्माई है जिसमें साफ़ मज़कूर है कि आप (ﷺ) नमाज़ पढ़ते और चारपाई आपके और क़िबले के बीच में होती पस फ़यतवस्सतुस्सरीरु का तर्जुमा में सहीह होगा कि आप (ﷺ) चारपाई को अपने और क़िबला के बीच में कर लेते।

बाब 100 : चाहिए कि नमाज़ पढ़नेवाला अपने

100- بَابُ يَرُدُّ الْمُصَلِّيَ مِنْ مَرٍّ

सामने से गुज़रने वाले को रोक दे

और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने का'बा में जबकि आप तशहहूद केलिये बैठे हुए थे रोक दिया था और अगर (गुज़रने वाला) लड़ाई पर उतर आए तो उससे लड़े।

अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के इस अग्र को इब्ने अबी शैबा और अब्दुर्रज़ाक ने निकाला है। इससे इन लोगों का रद्द मकसूद है जो का'बा में नमाज़ी के सामने से गुज़रना मुआफ़ जानते हैं।

(509) हमसे अबू मअमर ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वारिष ने बयान किया, हमसे यूनुस बिन इबैद ने हुमैद बिन हिलाल के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अबू सालेह ज़क्वान सिमान से कि अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया (दूसरी सनद) और हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे सुलैमान बिन मुगीरह ने, कहा हमसे हुमैद बिन हिलाल अदवी ने, कहा मैंने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) को जुम्आ के दिन नमाज़ पढ़ते हुए देखा। आप किसी चीज़ की तरफ़ मुँह किए हुए लोगों की तरफ़ से आड़ बनाए हुए थे। अबू मुईत के बेटों में से एक जवान ने चाहा कि आपके सामने से होकर गुज़र जाए। अबू सईद (रज़ि.) ने उसके सीने पर धक्का देकर बाज़ रखना चाहा। जवान ने चारों तरफ़ नज़र दौड़ाई मगर कोई रास्ता सिवाय, सामने के गुज़रने के न मिला। इसलिये वो फिर उसी तरफ़ से निकलने के लिये लौटा। अब अबू सईद (रज़ि.) ने पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से धक्का दिया। उसे अबू सईद (रज़ि.) से शिकायत हुई और वो अपनी ये शिकायत मरवान के पास ले गया। उसके बाद अबू सईद (रज़ि.) भी तशरीफ़ ले गए, मरवान ने कहा ऐ अबू सईद (रज़ि.)! आपमें और आपके भतीजे में क्या मुआमला पेश आया। आपने फ़र्माया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना है आपने फ़र्माया था कि जब कोई शख्स नमाज़ किसी चीज़ की तरफ़ मुँह करके पढ़े और उस चीज़ को आड़ बना रहा हो फिर भी अगर कोई सामने से गुज़रे तो उसे रोक देना चाहिये, अगर अब भी उसे इस्मरार हो तो उससे लड़ना चाहिए क्योंकि वो शैतान है। (दीगर मक़ाम : 3274)

بَيْنَ يَدَيْهِ

وَرَدَّ اَبْنُ عَمْرٍو النَّبَاَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الشُّهُدِ، وَلِي الْكُتْبِ، وَقَالَ: اِنْ اَبِي اِلَّا اَنْ تُقَابِلَهُ فَمَقَابِلُهُ.

509 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ح. وَحَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُضَيَّرِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ الْقُدَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّيَ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مَعْطَرٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ، فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاحًا اِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَى، قَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ: ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَفَى مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَا بِنِ أَحْبَبْتَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَابِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ خَيْطَانٌ)). [طرفه في : 3274].

तशीह:

नमाज़ी के आगे से गुज़रना सख़्ततरीन गुनाह है। अगर गुज़रने वाला क़सदन (जान-बूझकर) ये हरकत कर रहा है तो वो यकीनन शैतान है जो खुदा और बन्दे के दर्मियान हाएल हो रहा है। ऐसे गुज़रने वाले को हत्तल इमकान रोकना चाहिए। यहाँ तक कि हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की तरह ज़रूरत हो तो उसे धक्का देकर भी बाज़ रखा जा सकता है। बाज़ लोग इशादि नबवी फ़ल्युक़ातिल्हू को मुबालगा पर महमूल करते हैं।

बाब 101 : नमाज़ी के आगे से गुज़रने का कितना गुनाह है?

(510) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इमाम मालिक ने उमर बिन अब्दुल्लाह के गुलाम अबू नज़्र सालिम बिन अबी उमय्या से ख़बर दी। उन्होंने बुस् बिन सईद से कि ज़ैद बिन ख़ालिद ने उन्हें अबू जुहैम अब्दुल्लाह अंसारी (रज़ि.) की ख़िदमत में उनसे ये बात पूछने के लिये भेजा कि उन्होंने नमाज़ पढ़नेवाले के सामने से गुज़रनेवाले के बारे में नबी करीम (ﷺ) से क्या सुना है। अबू जुहैम ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया था कि अगर नमाज़ी के सामने से गुज़रने वाला जान ले कि इसका कितना बड़ा गुनाह है? तो उसके सामने से गुज़रने पर चालीस तक वहीं खड़े रहने को तर्ज़ीह देता। अबुन्नज़र ने कहा कि मुझे याद नहीं कि बुस् बिन सईद ने चालीस दिन कहा या महीना या साल।

बाब 102 : नमाज़ पढ़ते वक़्त एक नमाज़ी का दूसरे शख़्स की तरफ़ रुख़ करना कैसा है?

और हज़रत इब्मन (रज़ि.) ने नापसंद फ़र्माया कि नमाज़ी के सामने मुँह करके बैठे। इमाम बुखारी ने फ़र्माया कि ये कराहियत जब है कि नमाज़ी का दिल उधर लग जाए। अगर दिल न लगे तो ज़ैद बिन प्ऱाबित (रज़ि.) ने कहा कि मुझे इसकी परवाह नहीं। इसलिये कि मर्द की नमाज़ को मर्द नहीं तोड़ता।

(511) हमसे इस्माईल बिन ख़लील ने बयान किया, कहा हमसे अली बिन मुस्हिर ने बयान किया सुलैमान अज़मश के वास्ते से, उन्होंने मुस्लिम बिन प्ऱबीह से, उन्होंने मसरूक़ से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि उनके सामने ज़िक्र हुआ कि नमाज़ को

१०१- بَابُ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ

الْمُصَلِّي

٥١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي، فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَوْ يَخْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَدْفَعَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)). قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَذْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ هَهَذَا أَوْ سَنَةً.

१०२- بَابُ اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

صَاحِبَهُ وَهُوَ يُصَلِّي

وَكَرِهَ غُفْمَانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ وَهُوَ يُصَلِّي، وَإِنَّمَا هَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ. فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغَلْ بِهِ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ أَبِي قَيْسٍ: مَا بَأْتَيْتُ، إِنْ الرَّجُلَ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ.

٥١١- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا

عَلِيُّ بْنُ مُسَهَّرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ - يَحْيَى ابْنِ صَبَّاحٍ - عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ

क्या चीज़ें तोड़ देती हैं, लोगों ने कहा कि कुत्ता, गधा और औरत (भी) नमाज़ को तोड़ देती है। (जब सामने आ जाए) हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि तुमने हमें कुत्तों के बराबर बना दिया, जबकि मैं जानती हूँ कि नबी करीम (ﷺ) नमाज़ पढ़ रहे थे, मैं आपके और आपके क़िबले के बीच (सामने) चारपाई पर लेटी हुई थी। मुझे ज़रूरत पेश आती थी और ये भी अच्छा नहीं मा'लूम होता था कि ख़ुद को आपके सामने कर दूँ। इसलिये मैं धीरे से निकल आती थी। अज़मश ने इब्राहीम से, उन्होंने अस्वद से, उन्होंने आइशा (रज़ि.) से इसी तरह ये हदीष बयान की।

(राजेअ: 382)

हज़रत आइशा (रज़ि.) के बयान में अल्फ़ाज़ अकरहु अन अस्तक़बिलह से बाब का तर्जुमा निकलता है। यानी हज़रत आइशा फ़र्माती है कि मैं आपके सामने लेटी रहती थी मगर उसे मकरूह जानकर इधर-उधर सरक जाया करती थी।

बाब 103 : सोते हुए शख़्स के पीछे नमाज़ पढ़ना

(512) हमसे मुसहद बिन मुसहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम बिन इवान ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे बाप ने हज़रत आइशा (रज़ि.) के वास्ते से बयान किया, वो फ़र्माती थीं कि नबी करीम (ﷺ) नमाज़ पढ़ते रहते और मैं (आप ﷺ के सामने) बिछौने पर आड़ी सोती हुई पड़ी होती। जब आप (ﷺ) वित्र पढ़ना चाहते तो मुझे भी जगा देते और मैं भी वित्र पढ़ लेती थी। (राजेअ: 382)

बाब और हदीष की मुताबक़त ज़ाहिर है। पारिवारिक ज़िन्दगी में बाज़ दफ़ा ऐसे भी मौक़े आ जाते हैं कि एक शख़्स सो रहा है और दूसरे नमाज़ी बुजुर्ग उसके सामने होते हुए नमाज़ पढ़ रहे हैं। ज़रूरत के मद्देनज़र इससे नमाज़ में ख़लल नहीं आता।

बाब 104 : औरत के पीछे नफ़ल नमाज़ पढ़ना

यानी सामने बतौरै-सुतरा के औरत हो तो नमाज़ का क्या हुक्म है।

(513) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी इमर बिन अब्दुल्लाह के गुलाम अबु बज़र से, उन्होंने अबू सलमा अब्दुल्लाह बिन अब्दुरहमान से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) की जोज़-ए-मुतहहरा हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि आप (रज़ि.) ने फ़र्माया, मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने सो जाया करती थी। मेरे पांव आप (ﷺ) के सामने (फैले हुए) होते। जब आप (ﷺ) सज्दा करते तो

عَائِشَةُ أَنَّهُ كَرَّ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، لَقَالُوا: يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرَأَةُ، فَقَالَتْ: لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلَابًا، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي وَإِنِّي لَبَيْنَةٌ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا مُصْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ، لَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُ أَنْسِلًا. وَعَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ.

[راجع: 382]

۱۰۳- بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

۵۱۲- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا رَافِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤْتِرَ أَبْقَيْتَنِي فَأُوتِرْتُ.

[راجع: 382]

۱۰۴- بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرَأَةِ

۵۱۳- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

पांव को हलके से दबा देते और मैं उन्हें सिकोड़ लेती फिर जब क्रयाम फ़र्माते तो मैं उन्हें फैला लेती थी। उस ज़माने में चिराग़ नहीं होते थे। (मा'लूम हुआ कि ऐसा करना भी जाइज़ है)

(राजेअ : 582)

बाब 105 : उस शख़्स की दलील जिसने ये कहा कि नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़ती

(514) हमसे उमर बिन हफ़्स बिन ग़ियाज़ ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, कहा कि हमसे अअमश ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्राहीम ने अस्वद के वास्ते से बयान किया, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से (दूसरी सनद) और अअमश ने कहा कि मुस्लिम बिन सबीह ने मस्क़क़ के वास्ते से बयान किया, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि उनके सामने उन चीज़ों का ज़िक्र हुआ। जो नमाज़ को तोड़ देती हैं यानी कुत्ता, गधा और औरत। इस पर हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि तुम लोगों ने हमें गधों और कुत्तों के बराबर कर दिया, जबकि ख़ुद नबी करीम (ﷺ) इस तरह नमाज़ पढ़ते थे कि मैं चारपाई पर आप (ﷺ) के और क़िबले के बीच में लेटी रहती थी। मुझे कोई ज़रूरत पेश आई और चूँकि ये बात पसंद न थी कि आपके सामने (जबकि आप नमाज़ पढ़ रहे हों) बैठूं और इस तरह आप (ﷺ) को तक्लीफ़ हो। इसलिये मैं आपके पांव की तरफ़ से ख़ामोशी के साथ निकल जाती थी। (राजेअ : 282)

وَرَجُلَايَ فِي قَيْلِيهِ، لَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي
لَقَبَضْتُ رِجْلِي لَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ:
وَالْيُوتُ يَوْمِيذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحٌ.

[راجع : ٥٨٢]

١٠٥ - بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يَقْطَعُ

الصَّلَاةَ شَيْءٌ

٥١٤ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ غِيَاثٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ
عَائِشَةَ ح. قَالَ الْأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ
عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ: ذَكَرَ عِنْدَهَا مَا
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ - الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ
وَالْمَرْأَةُ - فَقَالَتْ: شَهْنَمُونَا بِالْحُمْرِ
وَالْكَلَابِ، وَاللَّهُ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ
يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
مُضْطَجِعَةً، فَتَبَدُّو لِي الْحَاجَةَ فَآكْرَهُ أَنْ
أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَسْلُ مِنْ عِنْدِ
رَجُلَيْهِ.

[راجع : ٣٨٢]

तशरीह : साहिबे तफ़हीमुल बुखारी लिखते हैं कि इमाम बुखारी (रह.) इस हदीष का जवाब देना चाहते हैं कि कुत्ते, गधे और औरत नमाज़ को तोड़ देती है। ये भी सहीह हदीष है लेकिन इससे मक़सद ये बताना था कि उनके सामने से गुज़रने से नमाज़ के खुशू व खुजू में फ़र्क़ पड़ता है। ये मक़सद नहीं था कि वाकई इनका सामने से गुज़रना नमाज़ को तोड़ देता है। चूँकि बाज़ लोगों ने ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ पर ही हुक्म लगा दिया था इसलिये हज़रत आइशा (रज़ि.) ने इसकी तर्दीद की ज़रूरत समझी। इसके अलावा इस हदीष से ये भी शुबहा होता था कि नमाज़ किसी दूसरे के अमल से भी टूट सकती है इसलिये इमाम बुखारी (रह.) ने उनवान लगाया कि नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़ती यानी किसी दूसरे का कोई अमल ख़ास तौर से सामने गुज़रना।

(515) हमसे इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमें यअकूब बिन इब्राहीम ने ख़बर दी, कहा कि मुझसे मेरे भतीजे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उन्होंने अपने चचा से पूछा कि क्या

٥١٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا

يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي

नमाज़ को कोई चीज़ तोड़ देती है? तो उन्होंने फ़र्माया कि नहीं! उसे कोई चीज़ नहीं तोड़ती। क्योंकि मुझे इर्वा बिन जुबैर (रज़ि.) ने ख़बर दी कि नबी (ﷺ) की बीवी मुतहहरह हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) खड़े होकर रात को नमाज़ पढ़ते और मैं आपके सामने आपके क़िबले के बीच अज़्र में बिस्तर पर लेटी रहती थी।

(राजेअ : 382)

तपसील तोहफ़तुल अहवज़ी के हवाले से गुज़र चुका है।

बाब 106 : इस बारे में कि नमाज़ में अगर कोई अपनी गर्दन पर किसी बच्ची को उठा ले तो क्या हुक्म है?

(516) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) से ख़बर दी, उन्होंने अमर बिन सुलैम ज़क़ी से, उन्होंने अबू क़तादा अंसारी (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उमामा बिनते ज़ैनब बिनते रसूलुल्लाह (ﷺ) (कुछ औकात) को नमाज़ पढ़ते वक्रत उठाए होते थे। अबुल आस बिन रबीआ बिन अब्दे शम्स की हदीष में है कि जब सज्दे में जाते तो उतार देते और जब क़याम करते तो उठा लेते।

(दीगर मक़ाम : 5996)

तशरीह : हज़रत उमामा बिनते अबुल आस (रज़ि.) आँहज़रत (ﷺ) की बड़ी महबूब (लाडली) नवासी थी। बाज़ औकात इस फ़ि़तरी मुहब्बत की वजह से आँहज़रत (ﷺ) उनको, जबकि ये बहुत छोटी थी, नमाज़ में कंधे पर बिठा लिया करते थे। हज़रत उमामा का निकाह हज़रत अली कर्महुल्लाहु वज्हु से हुआ जबकि हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) का इन्तिक़ाल हो चुका था और वो उनसे निकाह करने की वसियत भी फ़र्मा गई थी। ये 11 हिजरी का वाक़िआ है। 40 हिजरी में हज़रत अली (रज़ि.) शहीद कर दिये गये तो आपकी वसियत के मुताबिक़ हज़रत उमामा (रज़ि.) का अक़दे शानी मुगीरा बिन नौफल से हुआ जो हज़रत अब्दुल मुतलिब के पोते होते थे। इन्हीं के पास आपने वफ़ात पाई।

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) अहक़ामे इस्लाम में वुसअत के पेशेनज़र बतलाना चाहते हैं कि ऐसे किसी ख़ास मौके पर अगर किसी शख़्स ने नमाज़ में अपने किसी प्यारे मासूम बच्चे को कंधे पर बिठा लिया तो इससे नमाज़ फ़ासिद न होगी।

बाब 107 : ऐसे बिस्तर की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ना जिस पर हाइज़ा औरत हो

ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء؟ فقال: لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: لقد كان رسول الله ﷺ يقوم فيصلي من الليل وإني لمغترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله.

[راجع: 382]

۱۰۶ - بَابُ إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً

صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلَاةِ

۵۱۶ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:

أخبرنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أمّامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. [طرفه ي : ۵۹۹۶].

۱۰۷ - بَابُ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ

فِيهِ حَائِضٌ

(517) हमसे अमर बिन जुरारह ने बयान किया, कहा कि हमसे हुशैम ने शैबानी के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन शदाद बिन हाद से, कहा मुझे मेरी ख़ाला मैमूना बिनतुल हारिष (रज़ि.) ने ख़बर दी कि मेरा बिस्तर नबी करीम (ﷺ) के मुसल्ले के बराबर हुआ करता था। और कुछ मर्तबा आप (ﷺ) का कपड़ा (नमाज़ पढ़ते में) मेरे ऊपर आ जाता और मैं अपने बिस्तर पर ही होती थी। (राजेअ: 333)

(518) हमसे अबू नोअमान बिन फ़ज़ल ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, कहा कि हमसे शैबानी सुलैमान ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन शदाद बिन हाद ने बयान किया, कहा कि हमने हज़रत मैमूना (रज़ि.) से सुना, वो कहती थीं कि नबी (ﷺ) नमाज़ पढ़ रहे होते और मैं आप (ﷺ) के बराबर में सोती रहती। जब आप (ﷺ) सज्दे में जाते तो आपका कपड़ा मुझे छू जाता हालाँकि मैं हाइज़ा होती थी। (राजेअ: 333)

٥١٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ: قَالاَ مُشْتَمًا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: أَخْبَرْتَنِي خَالَيَ مَيْمُونَةَ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ: كَانَ فِرَاشِي حَيْثَ مَضَى النَّبِيُّ ﷺ فَرُبَّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيَّ وَأَنَا عَلَى فِرَاشِي. [راجع: ٣٣٣]

٥١٨- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ تَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ نَائِمَةٌ، فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي ثَوْبُهُ وَأَنَا خَائِضَةٌ.

[راجع: ٣٣٣]

ऊपर की हदीष में हज़रत मैमूना (रज़ि.) के हाइज़ा होने की वज़ाहत न थी इसलिये हज़रत इमाम ने दूसरी हदीष लाए जिसमें उनके हाइज़ा होने की वज़ह मौजूद है इनसे मा'लूम हुआ कि हाइज़ा औरत सामने लेटी हो तो भी नमाज़ में कोई नुक़्स लाज़िम नहीं आता। यही हज़रत इमाम का मक़सदे बाब है।

बाब 108 : इस बयान में कि क्या मर्द सज्दा करते वक़्त अपनी बीवी को छू सकता है?

(519) हमसे अमर बिन अली ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह अमरी ने बयान किया, कहा कि हमसे क़ासिम बिन मुहम्मद ने बयान किया, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि तुमने बुरा किया कि हमको कुत्तों और गधों के हुक्म में कर दिया। खुद नबी करीम (ﷺ) नमाज़ पढ़ रहे थे। मैं आपके सामने लेटी हुई थी। जब सज्दा करना चाहते तो मेरे पांव को छू देते और मैं उन्हें सिकोड़ लेती थी।

(बाब व हदीष की मुताबक़त ज़ाहिर है)

١٠٨- بَابُ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ

أَمْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَيْ يَسْجُدَ؟

٥١٩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ بَسَمًا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْجِمَارِ، لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَرَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِي فَتَقَبَضْتُهُمَا.

[राजेअ: 382]

बाब 109 : इस बारे में कि अगर औरत नमाज़ पढ़ने वाले से गंदगी हटा दे (तो मुजायका नहीं है)

(520) हमसे अहमद बिन इस्हाक़ सरमारी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन मूसाने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इस्राईल ने अबू इस्हाक़ के वास्ते से बयान किया। उन्होंने अम्र बिन मैमून से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से, कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का 'बा के पास खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे। कुरैश अपनी मज्लिस में (पास ही) बैठे हुए थे। इतने में उनमें से एक कुरैशी बोला इस रियाकार को नहीं देखते? क्या कोई है जो फ़लाँ क़बीले के ज़िबह किये हुए ऊँट की गोबर, खून और ओझड़ी उठा लाए, फिर यहाँ इतिज़ार करे। जब ये (हुज़ूर ﷺ) सज्दे में जाए तो गर्दन पर रख दे (चुनाँचे इस काम को अंजाम देने के लिये) उनमें से सबसे ज़्यादा बदबूधत शख़्स उठा। और जब आप (ﷺ) सज्दे में गए तो उसने आप (ﷺ) की गर्दन पर ये ग़लाज़तें डाल दीं। औंहुज़ूर (ﷺ) सज्दे ही की हालत में सर रखे रहे। मुश्रिकीन (ये देखकर) हंसे और मारे हंसी के एक-दूसरे पर लोट-पोट होने लगे। एक शख़्स (ग़ालिबन इब्ने मसऊद रज़ि.) हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) के पास आए। वो अभी बच्ची थीं। आप (रज़ि.) दौड़ती हुई आईं। हुज़ूर (ﷺ) अब भी सज्दे ही में थे। फिर (हज़रत फ़ातिमा रज़ि. ने) उन ग़लाज़तों को आप (ﷺ) के ऊपर से हटाया और मुश्रिकीन को बुरा-भला कहा। औंहुज़ूर (ﷺ) ने नमाज़ पूरी करके फ़र्माया 'या अल्लाह! कुरैश पर अज़ाब नाज़िल कर। या अल्लाह! कुरैश पर अज़ाब नाज़िल कर। या अल्लाह! कुरैश पर अज़ाब नाज़िल कर।' फिर नाम लेकर कहा, ख़ुदाया! अम्र बिन हिशाम, उतबा बिन रबीआ, शैबा बिन रबीआ, वलीद बिन इतबा, उमय्या बिन ख़लफ़, इक़बा बिन अबी मुईज़ और अम्मारा इब्ने वलीद को हलाक कर। अब्दुल्लाह बिन मसऊद

[راجع: 382]

١٠٩- بَابُ الْمَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ

الْمُصَلِّي شَيْئًا مِنَ الْأَذَى

٥٢٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرْمَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: يَنْمُو رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّمَا يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَجَمَعَ مِنْ فَرْنِشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْمُرَائِي؟ أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جُزُورِ آلِ فَلَانَ فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْنِهَا وَذِمِّهَا وَسَلَاهَا فَيَجِيءُ بِهِ، ثُمَّ يَنْهَلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَفَيْهِ؟ فَأَنْبَغَتْ أَشْقَاهُمْ، فَلَمَّا سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَضَعَهُ بَيْنَ كَفَيْهِمَا وَثَبَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا. فَضَجَّكَوْا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ مِنَ الضَّحِكِ. فَأَنْطَلَقَ مُنْطَلِقًا إِلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ - وَهِيَ جُوزِيْرِيَةٌ - فَأَقْبَلَتْ تَسْمَى وَثَبَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ، وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسْبِيحًا. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ ((اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِفَرْنِشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِفَرْنِشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِفَرْنِشٍ)). ثُمَّ سَمَى: ((اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرٍو بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَالْوَالِدِ بْنَ عُتْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلْفٍ وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي

(रज़ि.) ने कहा, अल्लाह की क़सम! मैंने उन सबको बद्र की लड़ाई में मक्त्तूल पाया। फिर उन्हें घसीटकर बद्र के कुँए में फेंक दिया गया। इसके बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि कुँए वाले अल्लाह की रहमत से दूर कर दिये गए। (राजेअ : 240)

مُعِطٍ وَعَمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:
فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرَغَى يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ
سَجَّوْا إِلَى الْقَلْبِ قَلْبِ بَدْرٍ. ثُمَّ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((وَأَنْتَعِ أَصْحَابُ الْقَلْبِ
لَعْنَةً)). [راجع: ٢٤٠]

तशरीह: इब्तिदा-ए-इस्लाम में जो कुछ कुफ़ारे कुरैश ने आप (ﷺ) से बर्ताव किया। उसी में से एक ये वाकिआ भी है। आप (ﷺ) की दुआ अल्लाह ने कुबूल की और वो बदबख्त सबके सब बद्र की जंग में ज़िल्लत के साथ मारे गये और हमेशा के लिये खुदा की लानत में गिरफ़्तार हुए। बाब का मक़सद ये है कि ऐसे मौक़े पर अगर कोई भी औरत नमाज़ी के ऊपर से गन्दगी उठाकर दूर कर दे तो उससे नमाज़ में कोई ख़लल नहीं आता। इससे ये भी मा'लूम हुआ कि अगर क़राइन से कुफ़ार के बारे में मा'लूम हो जाये कि वो अपनी हरकते बद से बाज़ नहीं आएंगे तो उनके लिये बददुआ करना जाइज है बल्कि ऐसे बदबख्तों का नाम लेकर बददुआ की जा सकती है कि मोमिन का यही आख़री हथियार है वो ग़लाज़त लाने वाला इक़्बा बिन मुईत मलऊन था।

अलहम्दुलिल्लाह कि आशूरा मुहर्रम 1388 हिजरी में इस मुबारक किताब के पारा दौम के तर्जुमा और तहशिश्या से फ़रागत हासिल हुई। अल्लाह पाक मेरी लगज़िशों को माफ़ फ़र्माकर इसे कुबूल करे और मेरे लिये, मेरे वालिदैन, औलाद, अहबाब के लिये, तमाम मुआविनीने किराम और नाज़िरीने इज़ाम के लिये वस़ील-ए-नजात बनाए और बकाया पारों को भी अपनी ग़ैबी इमदाद से पूरा कराये। आमीन। बलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। (मुर्तज़िम)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

तीसरा पारा

9. किताबु मवाक़ितिस्सलात

किताब अवक़ाते नमाज़ के बयान में

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बाब 1 : नमाज़ के अवक़ात और उनके फ़ज़ाइल
और अल्लाह तआला के इस फ़र्मान की वज़ाहत

कि मुसलमानों पर नमाज़ वक़्ते मुकर्ररा में फ़र्ज़ है, यानी अल्लाह
ने उनके लिए नमाज़ों के अवक़ात मुकर्रर कर दिए हैं।

(521) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उन्होंने
कहा कि मैंने इमाम मालिक (रह.) को पढ़कर सुनाया इब्ने शिहाब
की रिवायत से कि हज़रत इमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने एक
दिन (अइसर की) नमाज़ में देर की, पस इर्वा बिन जुबैर (रज़ि.) उनके
पास तशरीफ़ ले गए, और उन्होंने बताया कि (इसी तरह) मुगीरह
बिन शुअबा (रज़ि.) ने एक दिन (इराक़ के मुल्क में) नमाज़ में देर
की थी जब वो इराक़ में (हाकिम) थे। पस अबू मसऊद अंसारी
(रज़ि.) (इब्नबा बिन इमर) उनकी ख़िदमत में गए। और फ़र्माया,
मुगीरह (रज़ि.)! आख़िर ये क्या बात है, क्या आपको ये मा'लूम

1- بابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا

وَقَوْلُهُ :

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
مُوقُوتًا ﴾ [النساء: 103] مَوْقَاتًا، وَقَتَهُ
عَلَيْهِمْ

521- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ:

قَرَأْتُ عَلَى عَلِيِّ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ
بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْرَجَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ
عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُفِيرَةَ
بْنَ شُعْبَةَ أَخْرَجَ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْعِرَاقِ،
فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ لَقَالَ:
مَا هَذَا يَا مُفِيرَةُ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ

नहीं कि जब जिब्रईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने नमाज़ पढ़ी और रसूले करीम (ﷺ) ने भी नमाज़ पढ़ी, फिर जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी तो नबी (ﷺ) ने भी नमाज़ पढ़ी, फिर जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी तो नबी (ﷺ) ने भी नमाज़ पढ़ी, फिर जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इसी तरह हुक्म किया गया हूँ। इस पर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज (रह.) ने उर्वा से कहा, मा'लूम भी है आप क्या बयान कर रहे हैं? क्या जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने नबी (ﷺ) को नमाज़ के अवक़ात (अमल करके) बतलाए थे। उर्वा ने कहा कि हाँ इसी तरह बशीर बिन अबी मसऊद (रज़ि.) अपने वालिद के वास्ते से बयान करते थे। उर्वा (रज़ि.) ने कहा कि मुझसे आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अस्त्र की नमाज़ उस वक़्त पढ़ लेते थे जब अभी धूप उनके हुजे में मौजूद होती थी इससे भी पहले की वो दीवार पर चढ़े। (दीगर मक़ाम : 3221, 4007)

جِبْرِيلُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ نَزَلَ
فَصَلَّى؟ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ صَلَّى
فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ بِهَذَا أَمْرًا. فَقَالَ عُمَرُ
لِعُرْوَةَ: اَعْلَمَ مَا تَحَدَّثُ بِهِ، أَوْ إِنَّ جِبْرِيلَ
هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَتَ الصَّلَاةِ؟
قَالَ عُرْوَةَ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي
مَسْنُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ.

[طرفاه في : ٣٢٢١، ٤٠٠٧.]

तशरीह:

हज़रत इमामुदुनिया फ़िल हदीष इमाम बुखारी (रह.) ने अपनी पाकीज़ा किताब के पारा सौम को किताबु मवाक़ीतिस्सलालात से शुरू फ़र्माया। आगे बाबु मवाक़ीतुस्सलालात अलअख़ मुनअक्रिद किया, इन दोनों में फ़र्क़ ये है कि किताब में मुतलक़ अवक़ात मज़कूर होंगे। ख़्वाह फ़ज़ीलत के अवक़ात हो या कराहिय्यत के और बाब में वो वक़्त मज़कूर हो रहे हैं जिनमें नमाज़ पढ़ना अफ़ज़ल है। मवाक़ीत की तहक़ीक़ और आयते करीमा मज़कूरा की तफ़सील में शेखुल हदीष हज़रत उबैदुल्लाह साहब मुबारकपुरी दामत बरकातुहम तहरीर फ़र्माते हैं, 'मवाक़ीतु जम्उ मीक़ातिन व हुव मिफ़आलुन मिनल वक़्रत वल मुरादु बिहिल वक़तुल्लज़ी अय्यनहुल्लाहु लिअदाइ हाज़ि हिल इबादति व हुवलक्रदुल महदूदु लिल फ़िअलि मिनज़मानि क़ाल तआल इन्नस्सलालात कानत अलल मूमिनीन किताबम्मौक़त अय मफ़रूज़ न फ़ी औक़ातिन मुअय्यनतिन मअलुमतिन फ़अज्मल ज़िक्ल औक़ाति फ़ी हाज़िहिल आयति व बय्यनहा फ़ी मवाज़िअ आख़र मिनल किताबि मिन ग़ैरि ज़िक्रि तहदीदि अवाइलिहा व अवाख़िरिहा व बय्यन अला लिसानिरसूलि ﷺ तहदीदहा व मकादीरहा' (मिआत जिल्द 1 स. 383) यानी लफ़ज़ मवाक़ीत का मादा वक़्त है और वो मिफ़आल के वज़न पर है और इससे मुराद वक़्त है जिसे अल्लाह ने इस इबादत की अदायगी के लिये मुतअय्यन फ़र्मा दिया है और वो ज़माने का एक महदूद हिस्सा है। अल्लाह ने फ़र्माया कि नमाज़ ईमानवालों पर वक़ते मुकर्ररा पर फ़र्ज़ की गई है। इस आयत में अवक़ात का मुजमल ज़िक़्र है। कुआन पाक के दीगर मक़ामात पर कुछ तफ़सीलात भी मज़कूर है, मगर वक़्तों का अव्वल व आख़िर अल्लाह ने अपने रसूल (ﷺ) की ज़बाने मुबारक ही से बयान कराया है। आयते करीमा अक्रिमिस्सलालात तरफ़इन्नहारि व जुल्फ़मिनल्लैलि में फ़ज़्र और मग़रिब और इशा की नमाज़ें मज़कूर है। आयते करीमा अक्रिमिस्सलालात लि दुलूकिशशमि में जुहर व अस्त्र की तरफ़ इशारा है। इला ग़सकिल्लैलि में मग़रिब और इशा मज़कूर है, व कुआनल फ़ज्जि में नमाज़े फ़ज़्र का ज़िक़्र है। आयते करीमा फ़ सुबहानल्लाहि हीन तम्मसौन में मग़रिब और इशा मज़कूर है; व हीन तुस्बहून में सुबह का ज़िक़्र है व अशिय्या में अस्त्र और हीन तज़हरून में जुहर और आयते शरीफ़ व सब्बिह बिहमिदि रब्बिक क़ब्ल तुलइशशमि में फ़ज़्र और बल्लत गुरुबिहा में अस्त्र व मिन इनाइल्लयलि आयते करीमा व जुलफ़मिनल्लैलि की तरह है। फ़ सब्बिहहु व अत्राफ़न्नहारि में जुहर का ज़िक़्र है। अलग़र्ज़ नमाज़े पंजगाना की ये मुख्तसर तफ़सील कुआने करीम में ज़िक़्र हुई है, इनके अवक़ात की पूरी तफ़सील अल्लाह के प्यारे रसूल (ﷺ) ने अपने अमल और क़ौल से पेश की है, जिनके मुताबिक़ नमाज़ का अदा करना ज़रूरी है।

आजकल कुछ बदबख्तों ने अहादीषे नबवी का इन्कार करके सिर्फ़ कुआन मजीद पर अमलपैरा होने का दा'वा किया है, चूँकि वो कुआन मजीद की तफ़सीर महज़ अपनी नाक़िस राय से करते हैं इसलिये उनमें कुछ लोग पंजवक़्त नमाज़ों के काइल है, कुछ तीन नमाज़ें बतलाते हैं और कुछ दो नमाज़ों को तस्लीम करते हैं। फिर नमाज़ की अदायगी के लिये उन्होंने अपने नाक़िस दिमाग़ों से जो सूतें तजवीज़ की है वो इन्तिहाई मुज़हकाख़ैज है। अहादीषे नबवी को छोड़ने का यही नतीजा होना चाहिए था, चुनान्चे ये लोग अहले इस्लाम में बदतरीन इन्सान कहे जा सकते हैं जिन्होंने कुआन मजीद की आड़ में अपने प्यारे रसूल (ﷺ) के साथ खुली हुई ग़द्दारी पर कमर बांधी है। अल्लाह तआला उनको हिदायत नसीब फ़र्माए। आयते मज़क़ूरा बाब के तहत इमाम शाफ़िई (रह.) फ़र्माते हैं कि अगर तलवार चल रही हो ठहरने की मुहलत न हो तो तब भी नमाज़ अपने वक़्त पर पढ़ लेनी चाहिए। इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक ऐसे वक़्त नमाज़ में ताख़ीर दुरुस्त है उनकी दलील (राज्व-ए) ख़न्दक की हदीष है जिसमें मज़क़ूर है कि आँहज़रत (ﷺ) ने कई नमाज़ों को ताख़ीर से अदा फ़र्माया, वो हदीष ये है, 'अन जाबिरिब्नि अब्दिल्लाहि अन्न उमर जाअ यौमल ख़ंदकि बअद मा गरबतिशशम्सु फ़जअल यसुब्बु कुफ़फ़ार कुरैशिन व क़ाल या रसूलल्लाहि ﷺ मा कि्तु उसल्लिल अस्र हत्ता कादतिशशम्सु तगरूबु फ़क़ालन्नबिय्यु ﷺ मा सल्लयतुहा फ़तवज्जअ व तवज्जअना फ़सल्लल अस्र बअद मा गरबतिशशम्सु शुम्म सल्ला बअदहल मगरिब' (मुत्फ़कुन अलैहि) यानी ज़ाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) ख़न्दक के दिन सूरज ग़ुब होने के बाद कुफ़फ़ारे कुरैश को बुरा-भला कहते हुए ख़िदमते नबवी में हाज़िर हुए और कहा कि हज़ूर मेरी अस्र की नमाज़ रह गई। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं भी नहीं पढ़ सका हूँ। पस आप (ﷺ) ने और हमने वुजू किया और पहले अस्त्र की नमाज़ पढ़ी, फिर मगरिब की नमाज़ अदा की। मा'लूम हुआ कि ऐसी ज़रूरत के वक़्त ताख़ीर (देरी) होने से मुजायका नहीं है। बाज़ रिवायात से मा'लूम होता है कि उस मौक़े पर आँहज़रत (ﷺ) और सहाबा (रज़ि.) की चार नमाज़ें फ़ौत हो गई थी जिनको मगरिब के वक़्त तर्तीब के साथ पढ़ाया गया।

इस हदीष में जिन बुजुर्ग का ज़िक्र आया है वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ख़लीफ़-ए-ख़ामिस (पाँचवें ख़लीफ़ा) ख़ुलफ़-ए-राशिदीन में शुमार किए गए हैं। एक दिन ऐसा इत्तिफ़ाक़ हुआ कि अस्र की नमाज़ में उनसे ताख़ीर हो गई यानी अव्वल वक़्त में न अदा कर सके जिस पर उर्वा बिन जुबैर (रज़ि.) ने उनको ये हदीष सुनाई, जिसे सुनकर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने उर्वा से मजीद तहक़ीक के लिये फ़र्माया कि ज़रा समझकर हदीष बयान करो, क्या जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने आँहज़रत (ﷺ) के लिये नमाज़ों के अवकात अमलन मुक़रर करके बतलाए थे। शायद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) को इस हदीष की इत्तिला न होगी। इसलिये उन्होंने उर्वा की रिवायत में शुबहा किया, उर्वा ने बयान कर दिया कि मैंने अबू मसऊद की ये हदीष उनके बेटे बशीर बिन अबी मसऊद से सुनी है और दूसरी हदीष हज़रत आइशा (रज़ि.) वाली भी बयान कर दी जिसमें आँहज़रत (ﷺ) की नमाज़े अस्र अव्वल वक़्त में अदा करना मज़क़ूर है।

मुगीरह बिन शुअबा (रज़ि.) इराक़ के हाकिम थे, इराक़ अरब के उस मुल्क को कहते हैं जिसका तूल अबादान से मूसल तक और अर्ज़ कादसिया से हलवान तक है। हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने हज़रत मुगीरह बिन शुअबा (रज़ि.) को यहाँ का गवर्नर मुक़रर किया था। रिवायात में हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने पाँचों नमाज़ें आप (ﷺ) को पहले दिन अव्वल वक़्त और दूसरे आख़िर वक़्त पढ़ाई और बताया कि नमाज़े पंजवक़ता के अव्वल व आख़िर अवकात ये हैं। इमाम शाफ़िई (रह.) की रिवायत में है कि हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने मक़ामे-इब्राहीम के पास आप (ﷺ) को ये नमाज़ें पढ़ाई। आप इमाम हुए और हज़रत नबी करीम (ﷺ) मुक़्तदी हुए। इस तरह अवकाते नमाज़ की ता'लीम बजाय क़ौल के फ़ेअल के ज़रिये की गई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने ये हदीष सुनकर तअम्मुल किया कि क़ौल के ज़रिये वक़्त का तअय्युन की जा सकती थी, अमलन इसकी क्या ज़रूरत थी, इसलिये आपने वज़ाहत से कहा कि क्या जिब्रिल अलैहिस्सलाम ने आँहज़रत (ﷺ) को नमाज़ पढ़ाई थी? जब उर्वा (रज़ि.) ने ये हदीष सुनाई तो उमर (रज़ि.) बिन अब्दुल अज़ीज़ को कुछ और तअम्मुल हुआ। इसको दूर करने के लिये हज़रत उर्वा (रह.) ने इसकी सनद भी बयान कर दी ताकि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को पूरी तरह इत्मीनान हो जाए।

हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब शेख़ुल हदीष फ़र्माते हैं, 'व मक़्सुद उर्वत बिज़ालिक अन्न अम्ल औक़ाति

अजीमुन कद नज़ल लिहदीदिहा जिब्नीलु फ़अल्लमहन्नबिय्य ﷺ बिलल्फ़िअलि फला यम्बगित्तन्नसीरु फ़ी मिस्लिही' (मिर्आत जिल्द 1 / सफ़ा 387) यानी इर्वा का मक़सूद ये था कि अक्काते नमाज़ बड़ी अहमियत रखते हैं। जिनको मुकर्र करने के लिये जिब्रैल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और अमली तौर पर उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) को नमाज़ें पढ़ाकर औकाते सलात (नमाज़ के वक्तों) की ता'लीम फ़र्माई। पस इस बारे में कमज़ोरी मुनासिब नहीं।

बाज़ उलम—अहनाफ़ का ये कहना कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) के ज़माने में अस्स की नमाज़ देर करके पढ़ने का मामूल (रूटीन) था, ग़लत है। रिवायत में स़ाफ़ मौजूद है कि अख़्खरस्सलात यौमन एक दिन इत्तिफ़ाक़ से ताख़ीर हो गई थी, हनफ़िया के जवाब के लिये यही रिवायत काफ़ी है। वल्लाहु अज़लम।

बाब 2 : अल्लाह तआला का इर्शाद है कि 'अल्लाह पाक की तरफ़ रुजूअ करने वाले (हो जाओ) और उससे डरो और नमाज़ क़ायम करो और मुश्रिकीन में से न हो जाओ।' (सूरह रूम)

(523) हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे अब्बाद बिन अब्बाद ने बसरी ने, और ये अब्बाद के लड़के हैं, अबू जम्ह (नस्र बिन इमरान) के ज़रिये से, उन्होंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि अब्दुल कैस का वपद रसूले करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा कि हम इस रबीआ क़बीले से हैं और हम आप (ﷺ) की ख़िदमत में सिर्फ़ हुर्मत वाले महीनों ही में हाज़िर हो सकते हैं, इसलिए आप (ﷺ) हमें किसी ऐसी बात का हुक्म दीजिए, जिसे हम आप (ﷺ) से सीख लें और अपने पीछे रहनेवाले दूसरे लोगों को भी इसकी दा'वत दे सकें, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं तुम्हें चार चीज़ों का हुक्म देता हूँ और चार चीज़ों से रोकता हूँ, पहले अल्लाह पर ईमान लाने का, फिर आप (ﷺ) ने उसकी तफ़्सील बयान फ़र्माई कि इस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और दूसरे नमाज़ क़ायम करने का, तीसरे ज़कात देने का, और चौथे जो माल तुम्हें ग़नीमत में मिले, उसमें से पाँचवाँ हिस्सा अदा करने का और तुम्हें मैं तूम्बड़ी, हन्तम, क्रिसार और नक़ीर के इस्ते'माल से रोकता हूँ। (राजेअ: 53)

۲- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:

﴿مَنْبِيْنِ الْيَوْمِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا

تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الرّوم: ۳۱]

۵۲۳- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

عَبَادٌ - هُوَ ابْنُ عَبَادٍ - عَنْ أَبِي جَمْرَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ وَفَدَّ عَبْدُ الْقَيْسِ

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّا هَذَا الْخَيْ

مِنْ رَيْبَعَةٍ، وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي

الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمَرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ

عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ وَرَاءِنَا. فَقَالَ:

((أَمْرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ:

الإِيمَانُ بِاللَّهِ - ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ - شَهَادَةُ

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ

الصَّلَاةِ، وَإِتْيَانُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُوَدُّوا إِلَيَّ

خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ. وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدَّيْبِ،

وَالْحَتَمِ، وَالْمَقْبَرِ، وَالنَّفِيرِ)).

[راجع: ۵۳]

तशरीह:

वपद अब्दुल कैस पहले 6 हिजरी में फिर फ़तहे मक्का के साल हाज़िरे ख़िदमते नबवी हुआ था। हुर्मत वाले महीने रजब, ज़ीक़अदा, जिलहिज्जा और मुहर्रम है। इनमें अहले अरब लड़ाई मौक़ूफ़ कर देते (टाल देते) और हर तरफ़ अम्नो-अमान हो जाया करता था। इसलिये ये वपद इन्हीं महीनों में हाज़िर हो सकता था। आप (ﷺ) उनको अरकाने इस्लाम की ता'लीम फ़र्माई और शराब से रोकने के लिये उन बर्तनों से भी रोक दिया जिनमें अहले अरब शराब तैयार करते थे। हन्तुम (सब्ज रंग का मर्तबान जैसा घड़ जिस पर रोगन लगा हुआ होता था) और क्रिसार (एक क्रिस्म का तेल जो बसरा से लाया जाता था, लगे हुए बर्तन) और नक़ीर (खजूर की जड़ को खोदकर बर्तन की तरह बनाया जाता था।)

बाब में आयते करीमा लाने से मक़सूद ये हैं कि नमाज़ ईमान में दाखिल है और तौहीद के बाद ये दीन का अहम स्वन है इस आयत से उन लोगों ने दलील ली है जो बेनमाज़ी को काफ़िर कहते हैं।

बाब 3 : नमाज़ दुरुस्त तरीक़े से पढ़ने पर बेअत करना

(524) हमसे मुहम्मद बिन मुषन्ना ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने कहा कि हमसे इस्माईल बिन अबी ख़ालिद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे कैस बिन अबी हाज़िम ने जरीर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) की रिवायत से बयान किया कि जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के दस्ते मुबारक पर नमाज़ क़ायम करने, ज़कात देने, और हर मुसलमान के साथ ख़ैरख़वाही करने पर बेअत की। (राजेअ : 57)

जरीर अपनी क़ौम के सरदार थे, उनको आम ख़ैरख़वाही की नज़ीहत की और अब्दुल कैस के लोग सपाह पेशा (कारोबारी) थे इसलिये इनको पाँचवाँ हिस्सा बैतुलमाल में दाखिल करने की हिदायत फ़र्माई।

बाब 4 : इस बयान में कि गुनाहों के लिए नमाज़ कफ़ारा है

(यानी इससे सग़ीरा गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं)

(525) हमसे मुसहद बिन मुसहिद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने अअमश की रिवायत से बयान किया, अअमश (सुलैमान बिन मेहरान) ने कहा कि मुझसे शक़ीक़ बिन मुस्लिमा ने बयान किया, शक़ीक़ ने कहा कि मैंने हुज़ैफ़ा बिन यमान (रज़ि.) से सुना। हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हम हज़रत उमर (रज़ि.) की ख़िदमत में बैठे हुए थे कि आपने पूछा कि फ़ित्ने से मुता'ल्लिक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) की कोई हदीष तुममें से किसी को याद है? मैं बोला, मैंने इसे (उसी तरह याद रखा है) जैसे आँहुज़ूर (ﷺ) ने इस हदीष को बयान किया था। हज़रत उमर (रज़ि.) बोले, कि तुम रसूलुल्लाह (ﷺ) से फ़ितन को मा'लूम करने में बहुत बेबाक थे। मैंने कहा कि इंसान के घरवाले, माल, औलाद और पड़ोसी सब फ़ितना (की चीज़) हैं। और नमाज़, रोज़ा, स़दक़ा, अच्छी बात के लिये लोगों को हुक्म करना और बुरी बातों से रोकना, इन फ़ितनों का कफ़ारा हैं। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैं तुमसे इसके बारे में नहीं पूछता, मुझे तुम उस फ़ित्ने के बारे में बतलाओ जो समंदर की मौज़ की तरह ठाठें

3- بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ

524- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ:

حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ:

حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِتْيَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

[راجع: 57]

4- بَابُ الصَّلَاةِ كَفَّارَةً

525- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ:

سَمِعْتُ حَذِيفَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ

عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ

قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

الْفِتْنَةِ؟ قُلْتُ: أَنَا، كَمَا قَالَ. قَالَ: إِنَّكَ

عَلَيْهِ! أَوْ عَلَيْهَا - لَجَرِيئَةٍ. قُلْتُ: فِئْتَةُ

الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ

تُكْفَرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ

وَالنَّهْيُ. قَالَ: لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، وَلَكِنْ

الْفِئْتَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ. قَالَ:

لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ،

إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا لَبَابًا مُغْلَقًا. قَالَ: أَيُّكُمْ

أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: يُكْسَرُ. قَالَ: إِذَنْ لَا يُغْلَقُ

मारता हुआ आगे बढ़ेगा। इस पर मैंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन! आप उससे डर न खाइये। आपके और फ़िल्ने के बीच एक बन्द दरवाज़ा है। पूछा क्या वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा या (सिर्फ़) खोला जाएगा। मैंने कहा कि तोड़ दिया जाएगा। हज़रत उमर (रज़ि.) बोल उठे कि फिर तो वो कभी बन्द नहीं हो सकेगा। शक्रीक़ ने कहा कि हमने हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से पूछा, क्या हज़रत उमर (रज़ि.) उस दरवाज़े के बारे कुछ इल्म रखते थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ! बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दिन के बाद रात के आने का। मैंने तुमसे एक ऐसी हदीष बयान की है जो क़त्अन ग़लत नहीं है। हमें इसके बारे में हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से पूछने में डर होता था (कि दरवाज़े से क्या मुराद है) इसलिए हमने मसरूक़ से कहा (कि वो पूछें) उन्होंने पूछा तो आपने बताया कि वो दरवाज़ा खुद हज़रत उमर (रज़ि.) ही थे। (दीगर मक़ाम : 1435, 1890, 3586, 7096)

तशीह : यहां जिस फ़िल्ने का ज़िक्र है वो हज़रत उमर (रज़ि.) की वफ़ात के बाद हज़रत उम्रान (रज़ि.) की ख़िलाफ़त ही से शुरू हो गया था जिसका नतीजा शीअ़ा-सुन्नी की शक़ल में आज तक मौजूद है। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया था कि बन्द दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा। एक मर्तबा फ़िल्ने शुरू होने पर फिर बढ़ते ही जाएंगे। चुनान्वे उम्मत का इफ़्तिराक़ मुहताज़े तफ़्सील नहीं और फ़िक्ही इख़्तिलाफ़ात ने तो बिल्कुल ही बेड़ा ग़र्क़ कर दिया है। ये सब कुछ तक्लीदे-जामिद के नतीजे हैं।

(526) हमसे कुतैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन ज़ुरैअ ने बयान किया, सुलैमान तैमी के वास्ते से, उन्होंने अबू उम्रान नहदी से, उन्होंने इब्ने मसरूद (रज़ि.) से कि एक शख़्स ने किसी ग़ैर औरत का बोसा ले लिया। और फिर नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में आया और आपको इस हरकत की ख़बर दी। इस पर अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़र्माई, कि नमाज़ दिन के दोनों हिस्सों में क़ायम करो और कुछ रात गए भी, और बिला शुब्हा नेकियाँ बुराइयों को मिटा देती हैं। उस शख़्स ने कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या ये सिर्फ़ मेरे लिए है। तो आपने फ़र्माया कि नहीं बल्कि मेरी तमाम उम्मत के लिए यही हुक्म है।

(दीगर मक़ाम : 4687)

बाब और हदीष में मुताबक़त ज़ाहिर है। क़स्तलानी ने कहा कि इस आयत में बुराइयों से स़गीरा (छोटे) गुनाह मुराद है जैसे एक हदीष में हैं कि एक नमाज़ दूसरी नमाज़ तक कफ़रा है गुनाहों का जब तक आदमी कबीरा गुनाहों से बचा रहे।

أَبَدًا. قُلْنَا أَمَا كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ. كَمَا أَنَّ دُونَ الْعَدِ اللَّيْلَةَ. إِنِّي حَدَّثْتُ بِحَدِيثِ لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ. فَهَبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حَدِيثَهُ، فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: الْبَابُ عُمَرُ.

[أطرافه في : ١٤٣٥، ١٨٩٥، ٣٥٨٦، ٧٠٩٦].

٥٢٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّهْدِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزَلْفَانًا مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْ هَذَا؟ قَالَ: ((لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ)).

[طرفه في : ١٤٦٨٧].

बाब 5 : नमाज़ वक़्त पर पढ़ने की फ़ज़ीलत के बारे में

٥- بَابُ فَضْلِ الْإِلَاقَةِ لَوْ قِيَّتْهَا

(527) हमसे अबुल वलीद हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने बयान किया, कहा हमसे शुअबाने, उन्होंने कहा कि मुझे वलीद बिन अय्यार कूफ़ी ने खबर दी, कहा कि मैंने अबू अमर शैबानी से सुना, वो कहते थे कि मैंने उस घर के मालिक से सुना, (आप अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के घर की तरफ़ इशारा कर रहे थे) उन्होंने फ़र्माया कि मैंने नबी (ﷺ) से पूछा कि अल्लाह तआला की बारगाह में कौनसा अमल ज्यादा महबूब है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अपने वक़्त पर नमाज़ पढ़ना, फिर पूछा, उसके बाद, फ़र्माया वालदैन के साथ नेक सुलूक करना। पूछा उसके बाद, आपने फ़र्माया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। इब्ने मसऊद (रज़ि.) ने फ़र्माया कि आँहज़रत (ﷺ) ने मुझे ये तफ़्सील बताई और अगर मैं और सवालात करता तो आप और ज्यादा भी बतलाते। (लेकिन बतौर अदब खामोशी इख़्तियार की)

(दीगर मक़ाम : 2782, 5970, 7534)

٥٢٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : الْوَلِيدُ بْنُ الْعِزَّارِ أَخْبَرَنِي قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِي يَقُولُ : حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ - وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ؟ قَالَ : «الصَّلَاةُ عَلَيَّ وَقِيَّتُهَا» . قَالَ : ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ : «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» . قَالَ : ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ : «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» . قَالَ : حَدَّثَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ اسْتَزِدُّهُ لَزَادَنِي.

[أطرافه في : ٢٧٨٢ ، ٥٩٧٠ ، ٧٥٣٤.]

तशरीह : दूसरी हदीषों में जिन और कामों को अफ़ज़ल बताया है वो इसके ख़िलाफ़ नहीं, आप (ﷺ) हर शख्स की हालत और वक़्त का तकाज़ा देखकर उसके लिये जो काम अफ़ज़ल नज़र आता वो बयान फ़र्माते, जिहाद के वक़्त जिहाद को अफ़ज़ल बतलाते और क़हत (अकाल के दौर) में लोगों को खाना खिलाना वग़ैरह-वग़ैरह; मगर नमाज़ का अमल ऐसा है कि ये हर हाल में अल्लाह को बहुत ही महबूब है जबकि इसे आदाबे मुकर्ररा के साथ अदा किया जाए और नमाज़ के बाद वालदैन के साथ हुस्ने सुलूक बेहतर अमल है।

बाब 6 : इस बयान में कि पाँचों वक़्त की नमाज़ें गुनाहों का कफ़ारा हो जाती हैं जब कोई उनको जमाअत से या अकेला ही अपने वक़्त पर पढ़े

(528) हमसे इब्राहीम बिन हम्ज़ा ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम और अब्दुल अज़ीज़ बिन मुहम्मद दरावदी ने यज़ीद बिन अब्दुल्लाह की रिवायत से, उन्होंने मुहम्मद बिन इब्राहीम तैमी से, उन्होंने अबू सलमा बिन अब्दुरहमान बिन औफ़ (रज़ि.) से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप (ﷺ) फ़र्माते थे कि अगर किसी शख्स के दरवाज़े पर नहर जारी हो, और वो रोज़ाना उसमें पाँच बार नहाए तो तुम्हारा क्या गुमान है। क्या उसके बदन पर कुछ भी मैल बाक़ी रह सकता है? सहाबा ने कहा कि नहीं या रसूलुल्लाह (ﷺ)! हर्गिज़ नहीं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया

٦- يَابُ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا إِذَا صَلَّاهُن بَوَقْتِهِنَّ فِي الْجَمَاعَةِ وَغَيْرَهَا

٥٢٨- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَزْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «رَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِنَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُتَّقَى مِنْ ذَرْبِهِ؟» قَالُوا: لَا يُتَّقَى مِنْ ذَرْبِهِ شَيْئًا. قَالَ :

कि यही हाल पाँचों नमाज़ों का है। कि अल्लाह पाक उनके ज़रिये से गुनाहों को मिटा देता है।

बाब 7 : इस बारे में कि बेवक़्त नमाज़ पढ़ना, नमाज़ को ज़ाया (बर्बाद) करना है

(529) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे महदी बिन मैमून ने ग़यलान बिन जरीर के वास्ते से, उन्होंने हज़रत अनस (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि मैं नबी (ﷺ) के अहद (दौर) की कोई बात इस ज़माने में नहीं पाता। लोगों ने कहा, नमाज़ तो है। फ़र्माया उसके अंदर भी तुमने कर रखा है जो कर रखा है।

(530) हमसे अम्र बिन ज़ुरारह ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें अब्दुल वाहिद बिन वासिल अबू उबैदा हदाद ने ख़बर दी, उन्होंने अब्दुल अज़ीज़ के भाई उष्मान बिन अबी रव्वाद के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने जुहरी से सुना कि मैं दमिशक़ में हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) की ख़िदमत में गया। आप उस वक़्त रो रहे थे। मैंने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) की अहद की कोई चीज़ इस नमाज़ के अलावा अब नहीं पाता और अब इसको भी ज़ाए कर दिया गया है। और बक्र बिन ख़ल्फ़ ने कहा कि हमसे मुहम्मद बिन बक्र बरसानी ने बयान किया कि हमसे उष्मान बिन अबी रव्वाद ने यही हदीष बयान की।

(فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا)۔

۷- بَابُ فِي تَضْيِيعِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا

۵۲۹- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ عَنْ غِيْلَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ. قِيلَ: الصَّلَاةُ. قَالَ: أَلَيْسَ ضَيِّعْتُمْ مَا ضَيِّعْتُمْ فِيهَا.

۵۳۰- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ أَبُو غَيْبَةَ الْحَدَّادُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي رَوَادٍ أَخُو عَبْدِ الْغَزِيرِ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِدَمَشَقٍ وَهُوَ يَبْكِي فَقُلْتُ لَهُ: مَا يَبْكُكَ؟ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةُ، وَهِيَ الصَّلَاةُ قَدْ ضَيِّعَتْ. وَقَالَ بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الرَّسَائِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي رَوَادٍ نَحْوَهُ.

तशरीह: इस रिवायत से ज़ाहिर है कि सहाब-ए-किराम को नमाज़ों का किस क़दर एहतमाम मद्देनज़र था। हज़रत अनस (रज़ि.) ने ताख़ीर से नमाज़ पढ़ने को नमाज़ का ज़ाए (बर्बाद) करना क़रार दिया। इमाम ज़ोहरी ने हज़रत अनस (रज़ि.) से ये हदीष दमिशक़ में सुनी थी। जबकि हज़रत अनस (रज़ि.) हज्जाज की इमारत के ज़माने में दमिशक़ के खलीफ़ा वलीद बिन अब्दुल मलिक से हज्जाज की शिकायत करने आए थे कि वो नमाज़ बहुत देर करके पढ़ाते हैं। ऐसे ही वक़्त में हिदायत की गई है कि तुम अपनी नमाज़ वक़्त पर अंदा कर लो और बाद में जमाअत से भी पढ़ लो ताकि फ़ितने का वुकूअ न हो। ये नफ़िल नमाज़ हो जाएगी।

मौलाना वहीदुज्जमा साहब हैदराबादी ने क्या ख़ूब फ़र्माया कि अल्लाह अकबर जब हज़रत अनस (रज़ि.) के ज़माने में ये हाल था तो बहरहाल हमारे ज़माने के अब तो तौहीद से लेकर शुरू इबादात तक लोगों ने नई बातें और नए ऐतकाद तराश लिए हैं जिनका आँहज़रत (ﷺ) के ज़माने-ए-मुबारक में शाने गुमान भी न था और अगर कोई अल्लाह का बन्दा आँहज़रत (ﷺ) और सहाबा किराम के तरीके के मुताबिक़ चलता है उस पर तरह-तरह की तोहमतें रखी जाती है, कोई उनको वहाबी

कहता है, कोई लामज़हब कहता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।

बाब 8 : इस बारे में कि नमाज़ पढ़नेवाला नमाज़ में अपने रब से पोशीदा तौर पर बातचीत करता है

(531) हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे हिशाम बिन अब्दुल्लाह दस्तवाई ने क़तादा इब्ने दआमा के वास्ते से, उन्होंने हज़रत अनस (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुममें से कोई नमाज़ में होता है तो वो अपने रब से सरगोशी करता रहता है इसलिए अपनी दाहिनी जानिब न थूकना चाहिए लेकिन बाएँ पांव के नीचे थूक सकता है। (राजेअ : 241)

ये हुकम खास उन मसाजिद के लिए था जहाँ थूक ज़रूब हो जाया करता था, अब ज़रूरी है कि बवक़ते ज़रूरत रुमाल में थूक लिया जाए।

(532) हमसे हफ़्स बिन उमर ने बयान किया, कहा हमसे यज़ीद बिन इब्राहीम ने, उन्होंने कहा हमसे क़तादा ने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से बयान किया, आप नबी करीम (ﷺ) से रिवायत करते थे कि आँहुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि सज़्दा करने में ए' तिदाल रखो (सीधी तरह पर करो) और कोई शख़्स तुममें से अपने बाजुओं को कुत्ते की तरह न फैलाए। जब किसी को थूकना ही हो तो सामने या दाईं तरफ़ न थूके, क्योंकि वो नमाज़ में अपने रब से पोशीदा बातें करता रहता है और सईद ने क़तादा (रज़ि.) से रिवायत करके बयान किया कि आगे या सामने न थूके अलबत्ता बाएँ तरफ़ पांव के नीचे थूक सकता है। और शुअबा ने कहा कि अपने सामने और दाएँ जानिब न थूके, बल्कि बाईं तरफ़ या पांव के नीचे थूक सकता है। और हुमैद ने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से वो नबी करीम (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि क़िब्ले की तरफ़ न थूके और न दाईं तरफ़ थूके अलबत्ता बाईं तरफ़ या पांव के नीचे थूक सकता है। (राजेअ : 241)

8- بَابُ الْمُصَلِّيِ يُتَاَجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

531- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُتَاَجِي رَبَّهُ، فَلَا يَتَفَلَّنُ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى)). [رَاجِع: 241]

532- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا تَسْطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعِيهِ كَالْكَلْبِ، وَإِذَا بَرَقَ فَلَا يَتَزَقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّهُ يُتَاَجِي رَبَّهُ وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ لَا يَقْبَلُ قُدَامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ وَقَالَ شُعْبَةُ لَا يَتَزَقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ وَ تَحْتَ قَدَمِهِ وَقَالَ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَتَزَقُ فِي الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ)). [رَاجِع: 241]

तशरीह : सज़्दा में ए' तिदाल ये है कि हाथों को ज़मीन पर रखे, कोहनियों को दोनों पहलू से और पेट को रानों से जुदा रखो। हुमैद की रिवायत को खुद इमाम बुखारी (रह.) ने अबवाबुल मसाजिद में निकाला है। हाफ़िज़ ने कहा कि इमाम बुखारी (रह.) ने इन तअलीक़ात को इस वास्ते ज़िक्र किया कि क़तादा के असहाब का इख़ितालाफ़ इस हदीष की रिवायत में मा'लूम हो और शुअबा की रिवायत सबसे ज्यादा पूरी है मगर उसमें सरगोशी का ज़िक्र नहीं है।

बाब 9 : इस बारे में कि सख्त गर्मी में जुहर को ज़रा ठण्डे वक़्त पढ़ना

(533, 534) हमसे अय्यूब बिन सुलैमान मदनी ने बयान किया, कहा हमसे अबूबक्र अब्दुल हमीद बिन अबी उवैस ने सुलैमान बिन बिलाल के वास्ते से कि झालेह बिन कैसान ने कहा कि हमसे अअरज अब्दुर्रहमान वगैरह ने हदीस बयान की। वो हज़रत अबू हुदैरह (रज़ि.) से रिवायत करते थे, और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) मौला नाफ़ेअ अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से इस हदीस की रिवायत करते थे कि इन दोनों सहाबा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत की कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया जब गर्मी तेज़ हो जाए तो नमाज़ को ठण्डे वक़्त में पढ़ो, क्योंकि गर्मी की तेज़ी जहन्नम की आग के भाप से होती है। (दीगर मक़ाम : 536)

(535) हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा हमसे गुंदर मुहम्मद बिन जा'फ़र ने बयान किया, उनसे शुअबा बिन हिजाज ने मुहाजिर अबुल हसन की रिवायत से बयान किया, उन्होंने ज़ैद बिन वहब हम्दानी से सुना। उन्होंने अबू ज़र (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) के मुअज़्ज़िन (बिलाल) ने जुहर की अज़ान दी तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ठण्डा कर, ठण्डा कर, या ये फ़र्माया कि इंतज़ार कर, इंतज़ार कर, और फ़र्माया कि गर्मी की तेज़ी जहन्नम की आग की भाप से है। इसलिए जब गर्मी सख्त हो जाए तो नमाज़ ठण्डे वक़्त में पढ़ा करो, फिर जुहर की अज़ान उस वक़्त कही गई जब हमने टीलों के साये देख लिए।

(दीगर मक़ाम : 539, 629, 3258)

तशरीह : ठण्डा करने का ये मतलब है कि ज़वाल के बाद पढ़ने के बाद, क्योंकि एक मिस्ल साया हो जाने के बाद, क्योंकि एक मिस्ल साया हो जाने पर तो अस्र का अव्वल वक़्त हो जाता है। जुम्हूर उलमा का यही क़ौल है। ज़वाल होने पर फ़ौरन पढ़ लेना ये तअज़ील है और ज़रा देर करके ताकि गर्मी के मौसम में कुछ खन्की आ जाए, पढ़ना ये इबराद है। इमाम तिमिज़ी (रह.) फ़र्माते हैं, 'वक्रदिख़तार क़ौमुम्मिन अहलिल इल्मि ताख़ीर म़लातिज़्ज़ुहरि फ़ी शिह़तिल हरि व हुव क़ौलुब्नुल मुबारकि व अहमद व इस्हाक़' यानी अहले इल्म की एक जमाअत का मज़हबे मुख़तार यही है कि गर्मी की शिह़त में जुहर की नमाज़ ज़रा देर से पढ़ी जाए। अब्दुल्लाह बिन मुबारक व अहमद व इस्हाक़ का यही फतवा है। मगर इसका मतलब ये हर्गिज नहीं कि जुहर को अस्र के अव्वल वक़्त एक मिस्ल तक के लिए मोअख़्ख़र कर दिया जाए, जबकि मज़बूत दलीलों से प्राबित है कि अस्र का वक़्त एक मिस्ल साया होने के बाद शुरू हो जाता है। खुद इमाम बुखारी (रह.) ने भी इसी मक़ाम पर अनेक रिवायात से अस्र का अव्वल वक़्त बयान फ़र्माया है जो एक मिस्ल साया होने पर शुरू हो जाता है जो कि मुख़तार मज़हब है

9- باب الإبراد بالظهر في شدة الحرّ

٥٣٣، ٥٣٤- حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ: حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَنَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)).

[أطرافه في : ٥٣٦.]

٥٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَدْنَى مُؤَدِّنِ النَّبِيِّ ﷺ الظَّهْرَ فَقَالَ: ((أَبْرِدْ أَبْرِدْ)) - أَوْ قَالَ: ((انْتَظِرْ انْتَظِرْ)) - وَقَالَ: ((شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ)). حَتَّى رَأَيْنَا فِيءَ التَّلْوْلِ.

[أطرافه في : ٥٣٩، ٦٢٩، ٣٢٥٨.]

और दूसरे मक़ाम पर इसकी तपसिल है।

(536) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान बिन इययान ने बयान किया, कहा इस हदीष को हमने जुहरी से सुनकर याद किया, वो सईद बिन मुसय्यिब के वास्ते से बयान करते हैं, वो अबू हुदैरह (रज़ि.) से, वो नबी करीम (ﷺ) से कि जब गर्मी तेज़ हो जाए तो नमाज़ को ठण्डे वक़्त में पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की तेज़ी जहन्नम की आग के भाप की वजह से होती है। (राजेअ: 533)

(537) जहन्नम ने अपने रब से शिकायत की कि ऐ मेरे रब! (आग की शिहत की वजह से) मेरे कुछ हिस्से ने कुछ को खा लिया है इस पर अल्लाह तआला ने उसे दो सांस लेने की इजाज़त दी, एक सांस जाड़े में और एक सांस गर्मी में। अब इतिहाई सख़्त गर्मी और सख़्त सर्दी जो तुम लोग महसूस करते हो वो उसी से पैदा होती है। (दीगर मक़ाम: 3260)

٥٣٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَقِظْنَا مِنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)). [راجع: ٥٣٣]

٥٣٧- حَدَّثَنَا ((وَأَشْتَكَيْتِ النَّارَ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: يَا رَبُّ أَكَلْتُ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ: نَفْسٍ لِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ لِي الصَّيْفِ، وَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهِرِيِّ)). [طرفه في: ٣٢٦٠]

तशरीह: दोज़ख़ ने हक़ीक़त में शिकवा किया, वो बात कर सकती है जबकि आयते शरीफ़ा व यौम नक़ल लि जहन्नम (काफ़: 30) में वारिद है कि हम क़यामत के दिन दोज़ख़ से पूछेंगे कि क्या तेरा पेट भर गया वो जवाब देगी कि अभी तक तो गुन्जाइश बाकी है। 'व क़ाल अयाज़ अन्नहुल अज़्हरू वल्लाहु क़ादिरन अला ख़ल्क़िल हयाति बिजुज़्ज़िमिन्हा हत्ता तकल्लम औ यख़्लुकुल हा कलामन युस्मिउहु मन शाअमिन ख़ल्किही व क़ालल कुर्तुबी ला इहालत फ़ी हम्मिल लफ़िज़ अला हक़ीक़तिही व इज़ा अख़बरस्मादिक्कु बिअमिन जाइज़िन लम यहतज इला तावीलिही फ़हम्लुहु अला हक़ीक़तिही औला' (मिआतुल मफातीह जिल्द 1 / सफा 392) यानी अयाज़ ने कहा कि यही अन्न ज़ाहिर है अल्लाह पाक क़ादिर है कि दोज़ख़ को कलाम करने की ताक़त बख़्शे और अपनी मख़लूक में से जिसे चाहे उसकी बात सुना दे। कुर्तुबी कहते हैं कि इस अन्न को हक़ीक़त पर महमूल करने में कोई इश्काल नहीं है और जब स्मादिक्क व मस्टूक (ﷺ) ने एक जाइज़ अन्न की ख़बर दी है तो इसकी तावील की कोई इजाज़त नहीं है। इसको हक़ीक़त ही पर महमूल किया जाना मुनासिब है।

अल्लामा शौकानी फ़र्माते हैं, 'इख़तलफ़ल इलमाउ फ़ी मअनाहू फ़क़ाल बअज़ुहुम हुव अला ज़ाहिरिही व क़ील बल हुव अला वजिहत्तशबीहि वल इस्तिआरति व तक्दीरूहु अन्न शिहतल हरि तुशब्बिह नारू जहन्नम फ़हज़रूहु वज्तिबू ज़ररू व क़ाल वल अव्वलु अज़्हरू व क़ालन्नववी हुवस्मवाबु लिअन्नहु ज़ाहिरुल हदीषि वला मानिअमिन हम्मिलिही अला हक़ीक़तिही मूजिबुल हुक्मि बिअन्नहु अला ज़ाहिरिही इन्तिहा' (नैल) यानी इसके मा'ने में बाज़ आलिम इसको अपने ज़ाहिर पर रखते हैं। बाज़ कहते हैं कि इस हरात को दोज़ख़ की आग से तशबीह (उपमा) दी गई और कहा गया कि इसके ज़रर से बचो और अव्वल मत्लब ही ज़ाहिर है। इमाम नबवी कहते हैं कि यही सवाब है, इसलिये कि हदीष ज़ाहिर और इसे हक़ीक़त पर महमूल करने में कोई मानिअ नहीं है।

हज़रत मौलाना वहीदुज़्ज़मा साहब मरहूम फ़र्माते हैं कि दोज़ख़ गर्मी में सांस निकालती है, यानी दोज़ख़ की भाप ऊपर को निकलती है और ज़मीन के रहने वालों को लगती है उसको सख़्त गर्मी मा'लूम होती है और जाड़े में अन्दर को सांस लेती है तो ऊपर गर्मी नहीं महसूस होती, बल्कि ज़मीन की ज़ाती सर्दी ग़ालिब आकर रहने वालों को सर्दी महसूस होती है। इससे कोई बात अक्ले सलीम के ख़िलाफ़ नहीं और हदीष में शूबहा करने की कोई वजह नहीं है। ज़मीन के अन्दर दोज़ख़ मौजूद है

। जियालोजी (भू-गर्भ विज्ञान) वाले कहते हैं कि थोड़े फ़ासले पर ज़मीन के अन्दर ऐसी गर्मी है कि वहाँ के तमाम उत्सुर (तत्व) पानी की तरह पिघले रहते हैं। अगर लोहा वहाँ पहुँच जाए तो उसी दम गलकर पानी हो जाए।

सुफयान शैरी की रिवायत जो हदीषे हाज़ा के आखिर में दर्ज है इसे खुद इमाम बुखारी (रह.) ने किताब बदउल ख़ल्क में और यह्या की रिवायत को इमाम अहमद (रह.) ने वस्ल किया है लेकिन अबू अवाना की रिवायत नहीं मिली।

(538) हमसे उमर बिन हफ़्स बिन गयाष ने बयान किया कहा मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, कहा हमसे अअमश के वास्ते से अबू सालेह जक्वान ने अबू सईद खुदरी (रज़ि.) के वास्ते से बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, (कि गर्मी के मौसम में) जुहर को ठण्डे वक़्त में पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की शिहत जहन्नम की भाप से पैदा होती है। इस हदीष की मुताबत सुफयान शैरी, यह्या और अबू अवाना ने अअमश के वास्ते से की है। (दीगर मक़ाम: 3259)

۵۳۸- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)). تَابَعَهُ سَفِيَّانٌ وَيَحْيَى وَأَبُو عَوَّانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ.

[طرفه في: ۳۲۰۹]

बाब 10 : इस बारे में कि सफ़र में जुहर को ठण्डे

वक़्त में पढ़ना

(539) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे बनी तैमुल्लाह के गुलाम मुहाजिर अबुल हसन ने बयान किया, कहा कि मैंने ज़ैद बिन वहब जहनी से सुना, वो अबू ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि.) से नक़ल करते थे कि उन्होंने कहा कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे। मोअज़िन ने चाहा कि जुहर की अज़ान दे। लेकिन आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि वक़्त को ठण्डा होने दो, मुअज़िन ने (थोड़ी देर बाद) फिर चाहा कि अज़ान दे, लेकिन आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ठण्डा होने दो। जब हमने टीले का साया ढला हुआ देख लिया। (तब अज़ान कही गई) फिर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि गर्मी की तेज़ी जहन्नम की भाप की तेज़ी से है। इसलिए जब गर्मी सख़्त हो जाए तो जुहर की नमाज़ को ठण्डे वक़्त में पढ़ा करो। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया, 'यतफ़य्यउ' (कालफ़ज़ जो सूरह नहल में है) के मा'नी 'यतमय्यलू' (झुकना, माइल होना) हैं। (राजेअ 535)

۱۰- بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي

السَّفَرِ

۵۳۹- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُهَاجِرُ أَبُو الْحَسَنِ مَوْلَى لِبْنِي تَيْمٍ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهَبٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ الْمُؤَدِّنُ أَنْ يُؤَدِّنَ لِلظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَبْرِدْ)) ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَدِّنَ فَقَالَ لَهُ: ((أَبْرِدْ)) حَتَّى رَأَيْنَا فِيءَ التَّلْوْلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ)) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَفْيًا يَتَمِيلُ. [راجع: ۵۳۵]

तशरीह:

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) की आदत है कि हदीष में कोई लफ़ज़ ऐसा आ जाए जो कुआन में भी हो तो साथ ही कुआन के लफ़ज़ की भी तपसीर कर देते हैं। यहाँ हदीष में यतफ़य्यउ कालफ़ज़ है जो कुआन मजीद में यतफ़य्यउ मज़कूर हुआ है, मादा दोनों का एक ही है, इसलिये इसकी तपसीर भी नक़ल कर दी। पूरी आयत सूरह नहल में है जिसमें ज़िक्र है कि हर चीज़ का साया अल्लाह तआला को सज्दा करने के लिए कभी दाएँ और कभी बाएँ तरफ़ झुकता रहता है।

बाब 11 : इस बयान में कि जुहर का वक्त सूरज ढलने पर है और हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) दोपहर की गर्मी में (जुहर की) नमाज़ पढ़ते थे

(540) हमसे अबुल यमान हकम बिन नाफ़ेअ ने बयान किया, कहा हमसे शुऐब ने जुहरी की रिवायत से बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने ख़बर दी कि जब सूरज ढला तो नबी (ﷺ) हुजे से बाहर तशरीफ़ लाए और जुहर की नमाज़ पढ़ाई। फिर मिम्बर पर तशरीफ़ लाए और क़यामत का ज़िक्र फ़र्माया। और आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि क़यामत में बड़े अज़ीम उमूर पेश आएँगे। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले। क्योंकि जब तक मैं इस जगह पर हूँ तुम मुझसे जो भी पूछोगे मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। लोग बहुत ज़्यादा रोने लगे। आप (ﷺ) बराबर फ़र्माते जाते थे कि जो कुछ पूछना हो पूछो। अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा सहमी (रज़ि.) खड़े हुए और पूछो कि हुज़ूर (ﷺ) मेरे बाप कौन है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम्हारे बाप हुज़ाफ़ा थे। आप अब भी बराबर कह रहे थे कि पूछा क्या पूछते हो। इतने में उमर (रज़ि.) अदब से घुटनों के बल बैठ गए। और उन्होंने फ़र्माया कि हम अल्लाह तआला के मालिक होने, इस्लाम के दीन होने और मुहम्मद (ﷺ) के नबी होने से राज़ी और खुश हैं (पस इस गुस्ताख़ी से हम बाज़ आते हैं कि आपसे बेजा सवालात करें) इस पर आँहज़रत (ﷺ) ख़ामोश हो गए। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अभी अभी मेरे सामने जन्नत और जहन्नम इस दीवार के कोने में पेश की गई थी। पस मैंने न ऐसी कोई उम्दा चीज़ देखी (जैसी जन्नत थी) और न कोई ऐसी बुरी चीज़ देखी (जैसी जहन्नम थी) (राजेअ: 91)

۱۱- بَابُ وَقْتِ الظُّهْرِ عِنْدَ الزُّوَالِ
وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي

بِالْحَاجِرَةِ

۵۴۰- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: تَنَا شُعَيْبٌ
عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ
الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ، فَقَامَ عَلَى الْعِئْتَرِ
فَلَذَكَرَ السَّاعَةَ، فَلَذَكَرَ أَنَّ فِيهَا أُمُورًا
عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ
شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ، فَلَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا
أَخْبَرْتُكُمْ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا)).
فَأَكْبَرَ النَّاسُ فِي الْبُكَاءِ، وَأَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ:
((سَلُونِي)). فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُدَّافَةَ
السَّهْمِيُّ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: ((أَبُوكَ
حُدَّافَةَ)) ثُمَّ أَكْبَرَ أَنْ يَقُولَ: ((سَلُونِي)).
فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ
رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا.
فَسَكَتَ. ثُمَّ قَالَ: ((عَرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ
وَالنَّارُ آتِفًا فِي عَرَضٍ هَذَا الْحَائِطِ، فَلَمْ
أَرَ كَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ)).

[راجع: ۹۱]

तशरीह: ये हदीष मुख्तसरन किताबुल इल्म में भी गुजर चुकी है। लफ़ज़ ख़रज हीन ज़ागतिशाम्सु से बाब का तर्जुमा निकाला है। जुहर की नमाज़ का वक्त सूरज ढलते ही शुरू हो जाता है। इस हदीष में कुछ सवाल व जवाब का भी ज़िक्र है। आप (ﷺ) को ख़बर लगी थी कि मुनाफ़िक लोग इम्तिहान के तौर पर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं इसलिये आप (ﷺ) को गुस्सा आया और फ़र्माया कि जो तुम चाहो मुझसे पूछो। अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा (रज़ि.) को लोग किसी और का बेटा कहते थे। लिहाज़ा उन्होंने तहक़ीक़ चाही और आप (ﷺ) के जवाब से खुश हुए। लोग आपकी ख़फ़ी देखकर ख़ौफ़ से रोने लगे कि अब खुदा का अज़ाब आयेगा या जन्नत व दोज़ख़ का ज़िक्र सुनकर रोने लगे। हज़रत उमर (रज़ि.) ने आपका गुस्सा मा'लूम करके वो अल्फ़ाज़ कहे जिनसे आप का गुस्सा जाता रहा।

(541) हमने हफ़्स बिन उमर से बयान किया, कहा हमसे शुअबा ने बयान किया अबुल मिन्हाल की रिवायत से, उन्होंने अबू बर्जा (फुज़ला बिन इबैद रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि नबी (ﷺ) सुबह की नमाज़ उस वक़्त पढ़ते थे जब हम अपने पास बैठे हुए शख़्स को पहचान लेते थे। सुबह की नमाज़ में आँहूज़ूर (ﷺ) साठ से सौ तक आयतें पढ़ते। और आप (ﷺ) जुहर उस वक़्त पढ़ते जब सूरज ढल जाता। और अस्र की नमाज़ उस वक़्त कि हम मदीना मुनव्वरा की आख़िरी हद तक (नमाज़ पढ़ने के बाद) जाते लेकिन सूरज अब भी तेज़ रहता था। नमाज़े मरिब का हज़रत अनस (रज़ि.) ने जो वक़्त बताया था वो मुझे याद नहीं रहा। और आँहज़रत (ﷺ) इशा की नमाज़ को तिहाई रात तक देर करने में कोई हर्ज नहीं समझते थे, फिर अबुल मिन्हाल ने कहा कि आधी रात तक (मुअख़्खर करने में) कोई हर्ज नहीं समझते थे। और मुआज़ (रज़ि.) ने कहा कि शुअबा ने फ़र्माया कि फिर मैं दोबारा अबुल मिन्हाल से मिला तो उन्होंने फ़र्माया कि 'या तिहाई रात तक।' (दीगर मक़ाम : 547, 568, 599, 771)

(542) हमसे मुहम्मद बिन मुक्रातिल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्होंने कहा हमसे ख़ालिद बिन अब्दुर्रहमान ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे ग़ालिब क़त्तान ने बक्र बिन अब्दुल्लाह मुज़री के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि जब हम (गर्मियों में) नबी करीम (ﷺ) के पीछे जुहर की नमाज़ दोपहर दिन में पढ़ते थे तो गर्मी से बचने के लिए कपड़ों पर सज्दा किया करते थे। (राजेअ : 385)

मा'लूम हुआ कि शिद्दते गर्मी में जब ऐसी जगह नमाज़ पढ़ने का इत्तेफ़ाक़ हो कि न कोई साया हो और न फ़र्श तो कपड़े पर सज्दा कर लेना जायज़ है।

बाब 12 : इस बारे में कि कभी जुहर की नमाज़ अस्र के वक़्त तक देर करके पढ़ी जा सकती है

(543) हमसे अबू नोअमान ने बयान किया, कहा हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया अमर बिन दीनार से। उन्होंने जाबिर बिन ज़ैद से, उन्होंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से कि नबी (ﷺ) ने मदीने में रहकर

٥٤١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السُّتَيْنِ إِلَى الْمَاءِ. وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةً. وَنَسِيتُ مَا قَالَ لِي الْمَغْرِبِ. وَلَا يُيَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ. - ثُمَّ قَالَ - إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ. وَقَالَ مُعَاذٌ قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ لَقِيتُهُ مَرَّةً فَقَالَ: أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ.

[أطرافه في: ٥٤٧، ٥٦٨، ٥٩٩، ٧٧١].

٥٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَفِي ابْنَ مِقَاتِلٍ - قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: تَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي غَالِبُ الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالظُّهَائِرِ فَسَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ. [راجع: ٣٨٥]

١٢- بَابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ

إِلَى الْعَصْرِ

٥٤٣- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

सात रकअत (एक साथ) और आठ रकअत (एक साथ) पढ़ीं। जुहर और अस्र (की आठ रकअत) और मगरिब और इशा (की सात रकअत) अय्यूब सखितयानी ने जाबिर बिन ज़ैद से पूछा शायद बरसात का मौसम रहा हो। जाबिर बिन ज़ैद ने जवाब दिया कि ग़ालिबन ऐसा ही होगा। (दीगर मक़ाम: 862, 1174)

صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَكَمَائِمًا الظُّهْرَ
وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فَقَالَ أَبُو
بَرْزَةَ: لَمَّا لَمْ يَلِدْ مَطِيرًا؟ قَالَ: عَسَى.

[طرفاه ٧ : ٥٦٢ ، ١١٧٤.]

तशरीह: तिर्मिज़ी ने सईद बिन जुबैर इब्ने अब्बास से इस हदीष पर ये बाब मुनअक्रिद किया है। बाबुन मा जाअ फ़िल जम्इ बैनस्मलातैनि यानी दो नमाज़ों के जमा करने का बयान उस रिवायत में ये वज़ाहत है कि इब्ने अब्बास (रह.) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जुहर और अस्र को और मगरिब और इशा को जमा फ़र्माया, ऐसे हाल में कि आप (ﷺ) मदीना में थे और आप (ﷺ) को न कोई खौफ़ लाहक़ था न बारिश थी। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने बतलाया कि अल्लातहरूज उम्मतहि ताकि आपकी उम्मत मशक़क़त में न डाली जाए। हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी मरहूम फ़र्माते हैं, 'क्रालल हाफ़िज़ु फिलफ़तहि व क़द जहब जमाअतुम्मिनल अडम्मति इला अख़िज़ बिज़ाहिरि हाज़ल हदीषि फ़जज्वज़ुल जम्अ फिल हज़ि मुत्लक़न लाकिन बिशर्ति अल्ला यत्तख़िज़ ज़ालिक आदतुन व मिम्मन क़ाल बिही इब्नु सीरिन व रबीआ व अशहब वब्नुल मुन्ज़िर वल्कुफ़फ़ालुल कबीर व हकाहुल्ख़त्ताबी व ज़हबल जुम्हुरू इला अन्नल जम्अ बिग़ैरि उज़िन ला यज़ु' (तुहफ़तुल अहवज़ी जि. 1/स. 166) यानी हाफ़िज़ इब्ने हज़र ने फतहुलबारी में कहा है कि अइम्मा की एक जमाअत ने इस हदीष के ज़ाहिर ही पर एक फ़तवा दिया है और हज़रत में भी मुत्लक़न उन्होंने जायज़ कहा है कि दो नमाज़ों को जमा कर लिया जाए इस शर्त के साथ कि इसे आदत न बना लिया जाए। इब्ने सीरीनी, रबीअह, अशहब, इब्ने मुन्ज़िर, कुफ़फ़ाल कबीर का यही फ़तवा है और ख़त्ताबी ने अहले हदीष की एक जमाअत से यही मसलक़ नक़ल किया है मगर जुम्हूर कहते हैं कि बग़ैर उज़र जमा करना जायज़ नहीं है। इमाम शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं कि इतने इमामों का इख़िताफ़ होने पर ये नहीं कहा जा सकता कि जमा करना बिल इम्मा नाजायज़ है। इमाम अहमद बिन हंबल और इस्हाक़ बिन राहवै ने मरीज़ और मुसाफ़िर के लिये जुहर और अस्र और मगरिब और इशा में जमा करना मुत्लक़न जायज़ करार दिया है। दलाइल की रू से यही मज़हब क़वी है।

बाब 13 : नमाज़े अस्र के वक़्त का बयान

(544) हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, कहा हमसे अनस बिन अयाज़ लैषी ने हिशाम बिन उर्वा के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अपने वालिद से कहा कि हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी (ﷺ) अस्र की नमाज़ ऐसे वक़्त पढ़ते थे कि उनके हुजे में से अभी धूप बाहर नहीं निकलती थी। (राजेअ: 522)

(545) हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे लैष बिन सअद ने इब्ने हिशाम से बयान किया, उन्होंने उर्वा बिन जुबैर (रज़ि.) से, उन्होंने हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अस्र की नमाज़ पढ़ी तो धूप उनके हुजे में ही थी। साया वहाँ नहीं फैला था। (राजेअ: 522)

١٣- بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ

٥٤٤- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ:

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِيهِ

أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ

خُجْرَتِهَا. [راجع: ٥٢٢]

٥٤٥- حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ

فِي خُجْرَتِهَا، لَمْ يَظْهَرِ الْقَيْءُ مِنْ

خُجْرَتِهَا. [راجع: ٥٢٢]

(546) हमसे अबू नुऐम फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, कहा हमसे मुफ़यान बिन उययना ने इब्ने शिहाब जुहरी से बयान किया, उन्होंने उर्वा से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) जब अस्त्र की नमाज़ पढ़ते तो सूरज अभी मेरे हुजे में झाँकता रहता था। अभी साया न फैला होता था। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुखारी रह.) कहते हैं कि इमामे मालिक और यह्या बिन सईद, शुऐब (रह.) और इब्ने अबी हफ़सा की रिवायतों में (जुहरी से) 'वशशम्सु क़ब्ल अन तज़हर' के अल्फ़ाज़ हैं, (जिनका मतलब ये है कि धूप अभी ऊपर न चढ़ी होती)

(547) हमसे मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्होंने कहा हमें औफ़ ने ख़बर दी सय्यार बिन सलमा से, उन्होंने बयान किया कि मैं और मेरे बाप अबू बज़ा असलमी (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुए। उनसे मेरे वालिद ने पूछा कि नबी करीम (ﷺ) फ़र्ज़ नमाज़ें किन व़क्तों में पढ़ते थे। उन्होंने फ़र्माया कि दोपहर की नमाज़ जिसे तुम 'पहली नमाज़' कहते हो सूरज ढलने के बाद पढ़ते थे। और जब अस्त्र पढ़ते तो उसके बाद कोई शख़्स मदीना के इतिहाई किनारे पर अपने घर वापस जाता तो सूरज अब भी तेज़ होता था। सय्यार ने कहा कि मरिब के व़क्त के बारे में आपने जो कुछ कहा था वो मुझे याद नहीं रहा। और इशा की नमाज़ जिसे तुम 'अतमा' कहते हो इसमें देर को पसंद फ़र्माते थे, और उससे पहले सोने को और उसके बाद बातचीत करने को नापसंद फ़र्माते और सुबह की नमाज़ से उस व़क्त फ़ारिग़ हो जाते जब आदमी अपने पास बैठे हुए दूसरे शख़्स को पहचान सकता और सुबह की नमाज़ में आप (ﷺ) साठ से सौ तक आयतें पढ़ा करते थे।

(राजेअ: 541)

٥٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: قَالا ابْنُ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ غُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ طَالِقَةً لِي حُجْرَتِي، لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ. وَقَالَ الْمَلِكُ وَيَخِي بِنُ سَعِيدٍ وَيُشَعِّبُ وَابْنُ أَبِي حَفْصَةَ: وَالشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.

٥٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَابِي عَلَى أَبِي بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ - الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأَوَّلَى - حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ. وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدَنَا إِلَى رِجْلِهِ فِي أَمْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ. وَنَسِيتُ مَا قَالَ لِي الْمَغْرِبِ. وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ مِنَ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. وَكَانَ يَنْقِطِلُ مِنْ صَلَاةِ الْعَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَتَهُ، وَيَقْرَأُ بِالسُّتَيْنِ إِلَى الْمِائَةِ. [راجع: ٥٤١]

तशरीह: रिवायते मज़कूर में जुहर की नमाज़ को नमाज़े ऊला इसलिये कहा गया कि जिस व़क्त आँहज़रत (ﷺ) को अवक़ाते नमाज़ की ता'लीम देने के लिये हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने पहले आँहज़रत (ﷺ) को जुहर की नमाज़ ही पढ़ाई थी। इसलिये रावियाने अहादीष अवक़ाते नमाज़ के बयान में जुहर की नमाज़ ही से शुरू करते हैं। इस रिवायत और दूसरी रिवायत से साफ़ ज़ाहिर है कि अस्त्र की नमाज़ आँहज़रत (ﷺ) अब्बल व़क्त एक मि़ल साया हो जाने पर ही अदा फ़र्माया करते थे इस हकीकत के इज़हार के लिए उन रिवायात में मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ इस्ते'माल

किए गए हैं। बाज़ रिवायतों में इसे वशशम्सु मुरतफ़िअतुन हय्यतुन से ताबीर किया गया है कि अभी सूरज काफी बुलन्द और ख़ूब तेज़ हुआ करता था। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने इस हक़ीक़त को यूँ बयान फ़र्माया कि, 'धूप मेरे हुज़रे ही में रहती थी।' किसी रिवायत में यूँ मज़कूर हुआ है कि 'नमाज़े अस्त्र के बाद लोग अत्राफ़े मदीना में चार-चार मील तक सफ़र कर जाते और फिर भी सूरज रहता था।' इन तमाम रिवायतों का वाजेह मतलब यही है कि आँहज़रत (ﷺ) के अहदे मुबारक में अस्त्र की नमाज़ अव्वल वक़्त एक मिज़ल साया होने पर अदा कर ली जाती थी। इसलिये भी कि अस्त्र ही की नमाज़ मल्लातुलवुस्ता है। जिसकी हिफ़ाज़त करने का अल्लाह ने ख़ास हुक्म सादिर फ़र्माया है। चुनान्चे इशादि बारी है कि 'हाफ़िज़ू अलस्सलवाति वस्सललातिल वुस्ता व क़ूम लिल्लाहि क़ानितीन' (अल बकरा : 228)

यानी नमाज़ों की हिफ़ाज़त करो और दर्मियानी नमाज़ की ख़ास हिफ़ाज़त करो (जो अस्त्र की नमाज़ है) और अल्लाह के लिये फ़र्माबर्दार बन्दे बनकर (बा वफ़ा गुलामों की तरह अदब के साथ) खड़े हो जाया करो।

इन्हीं अहादीष और आयात की बिना पर अस्त्र का अव्वल वक़्त एक मिज़ल साया होने पर मुकर्रर हुआ है। हज़रत इमाम शाफ़िई (रह.) इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) व दीगर अकाबिर उलम—ए—इस्लाम व अइम्म—ए—किराम का यही मसलक है। मगर मोहतरम उलम—ए—अहनाफ़ अस्त्र की नमाज़ के लिये अव्वल वक़्त के क़ाइल नहीं हैं और मज़कूरा अहादीष की तावीलात करने में उनको बड़ी कोशिश करनी पड़ी है।

वले तावील शाँ दर हैरत अन्दाख़्त
ख़ुदा व जिब्रईल व मुस्तफ़ा रा

अजीब काविश :

ये अजीब काविश है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) के बयान पर जिस में ज़िक्र है कि हुज़ूर (ﷺ) अस्त्र की नमाज़ ऐसे अव्वल वक़्त में पढ़ लिया करते थे कि धूप मेरे हुज़रे से बाहर नहीं निकली थी जिसका मतलब वाज़ेह है कि सूरज काफी बुलन्द होता था मगर बाज़ उलम—ए—अहनाफ़ ने यहाँ अजीब बयान दिया है जो ये है कि

'अज़वाजे मुतहहरात के हुज़रों की दीवारें बहुत छोटी थी इसलिये गुरुब से पहले कुछ-न-कुछ धूप हुज़रे में बाक़ी रहती थी इसलिये अगर आँहज़रत (ﷺ) की नमाज़ अस्त्र के वक़्त हज़रत आइशा (रज़ि.) के हुज़रे में धूप रहती थी तो इससे ये श्राबित नहीं हो सकता कि आप (ﷺ) नमाज़ सवेरे ही पढ़ लेते थे।' (तफ़हीमुल बुखारी 41:3/स. 18)

हिमायते मसलक का ख़ब्त ऐसा होता है कि इन्सान क़ाइल के क़ौल की ऐसी तौजीह कर जाता है, जो क़ाइल के वहम व गुमान में भी नहीं होती। सोचना यहाँ ये था कि बयान करने वाली हज़रत आइशा सिद्दीक़ (रज़ि.) है, जिनका हर लिहाज़ से उम्मत में एक खुसूसी मक़ाम है। इनका इस बयान से असल मंशा क्या है।

वो आँहज़रत (ﷺ) की नमाज़े अस्त्र का अव्वल वक़्त इन लफ़्ज़ों में बयान फ़र्मा रही है या आख़िर वक़्त के लिये ये बयान दे रही है। हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) के बयान में अदना ग़ौर व तअम्मुल से ज़ाहिर हो जाएगा कि मोहतरम साहिबे तफ़हीमुल बुखारी की ये काविश बिल्कुल ग़ैर मुफीद है और इस बयाने सिद्दीक़ा (रज़ि.) से साफ़ ज़ाहिर है कि आँहज़रत (ﷺ) बिना शक व शुबहा अस्त्र की नमाज़ अव्वल वक़्त ही पढ़ लिया करते थे जैसा कि हरमैन शरीफ़ैन का मामूल आज भी दुनिय—ए—इस्लाम के सामने है। ख़ुद हमारे वतन के हज़ारों हाज़ी हरमैन शरीफ़ैन हर साल जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ अस्त्र की नमाज़ कितने अव्वल वक़्त पर अदा की जाती है।

साहिबे तफ़हीमुल बुखारी ने इस बयान से एक सत्र क़ब्बल (एक लाइन पहले) ख़ुद ही इक़रार फ़र्माया है। चुनान्चे आपके अल्फ़ाज़ ये हैं, 'हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायत से बज़ाहिर ये मा'लूम होता है कि आँहज़रत (ﷺ) भी अव्वल वक़्त ही में पढ़ते थे।' (हवाला मज़कूर)

इस हक़ीक़त को तस्लीम करने के बाद क्या ज़रूरत थी कि इमाम तहावी (रह.) का सहारा लेकर, बयाने हज़रत सिद्दीक़ा (रज़ि.) पर ऐसी नाज़ैबा तावील की जाए कि देखने और पढ़ने वालों के लिये हैरत की वजह बन जाए। हुज़र—ए—नबवी (ﷺ) की दीवारें छोटी हो या बड़ी इससे बहष नहीं मगर ये तो एक अम्मे—मुसल्लमा (सर्वमान्य काम) है कि सूरज जिस क़दर भी ऊँचा रहता नबी (ﷺ) के हुज़रों में धूप बाक़ी रहती है और ज्यों—ज्यों सूरज गुरुब होने को जाता वो धूप भी हुज़रों से बाहर

निकल जाती थी। फिर दूसरी रिवायत में मज़ीद वज़ाहत (विस्तृत स्पष्टीकरण) के लिये ये सहीह अल्फ़ाज़ मौजूद हैं कि सूरज बुलन्द और ख़ूब रोशन रहा करता था, इन अल्फ़ाज़ ने इमाम तहावी की पेशकर्दा तौजीह को ख़त्म करके रख दिया। तकलीदे शख़्सी की बीमारी से सोचने और समझने की ताक़त ख़त्म हो जाती है और यहाँ यही माजरा है।

(548) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कअनवी ने बयान किया, वो इमाम मालिक (रह.) से, उन्होंने इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह इब्ने अबी तलहा से रिवायत किया, उन्होंने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से इस हदीष को रिवायत किया, उन्होंने फ़र्माया कि हम अस्र की नमाज़ पढ़ चुकते और उसके बाद कोई बनी अमर बिन औफ़ (कुबा) की मस्जिद में जाता तो उनको वहाँ अस्र की नमाज़ पढ़ते हुए पाता।

(दीगर मक़ाम : 550, 551, 7329)

(549) हमसे मुहम्मद बिन मुक्रातिल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्होंने कहा हमें अबूबक्र बिन इब्मान बिन सहल बिन हनीफ़ ने ख़बर दी, उन्होंने कहा मैंने अबू उमामा (सअद बिन सहल) से सुना, वो कहते थे कि हमने इमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) के साथ जुहर की नमाज़ पढ़ी। फिर हम निकलकर हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो देखा आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि ऐ मुकर्रम चचा! ये कौनसी नमाज़ आपने पढ़ी है? फ़र्माया कि अस्र की और उसी वक़्त हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ भी ये नमाज़ पढ़ते थे।

(550) हमसे अबुल यमान हक़म बिन नाफ़ेअ ने बयान किया कि कहा हमें शुऐब बिन अबी हम्ज़ा ने ज़ुहरी से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया, उन्होंने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब अस्र की नमाज़ पढ़ते तो सूरज बुलन्द और तेज़ रोशन होता था। फिर एक शख़्स मदीना के बालाई (क़ैचाई वाले) इलाक़े की तरफ़ जाता वहाँ पहुँचने के बाद भी सूरज बुलन्द रहता था (ज़ुहरी ने कहा कि) मदीना के बालाई इलाक़े के बाज़ मुक्रामात तक़रीबन चार मील पर या कुछ ऐसे ही वाक़ेअ हैं।

(551) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमें इमाम मालिक (रह.) ने इब्ने शिहाब के वास्ते से ख़बर दी, उन्होंने

٥٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ.

[أطرافه في : ٥٥٠، ٥٥١، ٧٣٢٩.]

٥٤٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ مِقَاتٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنيفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظَّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَقُلْتُ: يَا عَمُّ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْرُ، وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ.

٥٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً حَيْثُ، فَيَذْهَبُ الدَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمُ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً، وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ. [راجع : ٥٤٨]

٥٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से कि आपने फ़र्माया, हम अस् की नमाज़ पढ़ते (नबी करीम ﷺ के साथ) उसके बाद कोई शख्स कुबा जाता और जब वहाँ पहुँच जाता तो सूरज अभी बुलन्द होता था।

مَالِكٌ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَلْقَبُ
الدَّاهِبُ مِنَّا إِلَى قُبَاءٍ لِيَأْتِيَهُمُ وَالشَّمْسُ
مُرْتَفِعَةً. [راجع: ٥٤٨]

तशीह: अवाली उन देहात को कहा गया जो मदीना के अत्राफ़ में बुलन्दी पर वाक़ेअ थे। उनमें बाज़ चार मील, बाज़ छह मील, बाज़ आठ मील के फ़ासले पर थे। इस हदीष से भी साफ़ ज़ाहिर है कि अस् की नमाज़ का वक़्त एक मि़ल साए से शुरू हो जाता है। दो मि़ल साया हो जाने के बाद ये मुमकिन नहीं कि आदमी चार छह मील दूर जा सके और धूप अभी तक ख़ूब तेज़ बाक़ी रहे। इसलिये अस् के लिये अव्वल वक़्त एक मि़ल से शुरू हो जाता है जो हज़रत एक मि़ल का इन्कार करते हैं वो अगर बनज़रे इन्साफ़ इन जुम्ला अह्दादीष पर ग़ौर करेंगे तो ज़रूर अपने ख़याल की ग़लती तस्लीम करने पर मज़बूर हो जाएंगे मगर इन्साफ़ दरकार है।

इस हदीष के तहत अल्लामा शौकानी फ़र्माते हैं, 'व हुव दलीलुन लिमज़हबि मालिक वशशाफ़िइ व अहमद वल जुम्हूरु मिनल अतरति व ग़ैरहुमुल क़ाइलीन बिअन्न अव्वल वक़्तल अस्नि इज़ा सार ज़िल्लु कुल्लि शौइन मि़लुहू व फ़ीहि रहुन लिमज़हबि अबी हनीफ़त फ़इन्नहू क़ाल इन्न अव्वल वक़्तल अस्नि ला यदखुलु हत्ता यसीर जिल्लुशशयइ मि़लैही' (नैलुल औतार) यानी इस हदीष में दलील है कि अस् का अव्वल वक़्त एक मि़ल साया होने पर हो जाता है और इमाम मालिक (रह.), अहमद (रह.), शाफ़िई (रह.) और जुम्हूरे अतरत का यही मज़हब है और इस हदीष में हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के मज़हब की तदीद है जो साया दो मि़ल से क़ब्ल (पहले) अस् का वक़्त नहीं मानते।

बाब 14 : इस बयान में कि नमाज़े अस् छूट जाने पर कितना गुनाह है

(552) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमें इमाम मालिक ने नाफ़ेअ के वास्ते से ख़बर दी, उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसकी नमाज़े अस् छूट गई गोया उसका घर और माल सब लुट गया। इमाम बुखारी (रह.) ने फ़र्माया कि सूरह मुहम्मद में जो (यतिरकुम) का लफ़ज़ आया है वो वित्र से निकाला गया है। वित्र कहते हैं किसी शख्स को मार डालना या उसका माल छीन लेना।

बाब 15 : इस बयान में कि नमाज़े अस् छोड़ देने पर कितना गुनाह है

(553) हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हिशाम बिन अब्दुल्लाह दस्तवाई ने बयान किया, कहा हमें यह्या बिन अबी कषीर ने अबू क़लाबा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से ख़बर दी। उन्होंने अबुल मलीह से, कहा हम बुरैदा (रज़ि.) के साथ एक सफ़रे जंग में थे। अब्रो बारिश का दिन था। आपने फ़र्माया कि अस् की नमाज़ जल्दी पढ़ लो क्योंकि नबी (ﷺ) ने

١٤ - بَابُ إِثْمٍ مِنْ فَاتَةِ الْعَصْرِ

٥٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((الَّذِي تَفَوْتَهُ صَلَاةَ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ)).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَبْرِكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَتَرْتِ الرُّجُلُ قَتَلَتْ لَهُ قَبِيلاً أَوْ أَخَذَتْ لَهُ مَالاً.

١٥ - بَابُ إِثْمٍ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ

٥٥٣ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ:

حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمِ ذِي غَيْمٍ، لَقَالَ: بَكُرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَإِنَّ رَبِّي

फ़र्माया कि जिसने अस् की नमाज़ छोड़ दी, उसका नेक अमल जाये हो गया। (दीगर मक़ाम : 594)

बाब 16 : नमाज़ की फ़ज़ीलत के बयान में

(554) हमसे अब्दुल्लाह बिन जुबैर हुमैदी ने बयान किया, कहा हमसे मरवान बिन मुआविया ने, कहा हमसे इस्माईल बिन अबी ख़ालिद ने क़ैस बिन अबी हाज़िम से। उन्होंने जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि हम नबी (ﷺ) की ख़िदमत में मौजूद थे। आपने चाँद पर एक नज़र डाली फिर फ़र्माया कि तुम अपने रब को (आख़िरत में) इसी तरह देखोगे जैसे इस चाँद को अब देख रहे हो। उसके देखने में तुमको कोई ज़हमत भी नहीं होगी, पस अगर तुम ऐसा कर सकते हो कि सूरज तुलूअ होने से पहले वाली नमाज़ (फ़ज़्र) और सूरज गुरूब होने से पहले वाली नमाज़ (अस्) से तुम्हें कोई चीज़ रोक न सके तो ऐसा ज़रूर करो। फिर आप (ﷺ) ने ये आयत तिलावत फ़र्माई कि 'पस अपने मालिक की हम्द व तस्बीह कर सूरज तुलूअ होने और गुरूब होने से पहले।' इस्माईल (हदीष के रावी) ने कहा कि (अस् और फ़ज़्र की नमाज़ें) तुमसे छूटने न पाएँ। इनका हमेशा ख़ास तौर पर ध्यान रखो। (दीगर मक़ाम : 573, 4751, 7434, 7435, 7436)

(555) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक (रह.) ने अबुज़्ज़िनाद अब्दुल्लाह बिन ज़क्वान से, उन्होंने अब्दुरहमान बिन हुर्मुज़ अज़रज से, उन्होंने हज़रते अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि रात और दिन में फ़रिशतों की ड्यूटियाँ बदलती रहती हैं। और फ़ज़्र और अस् की नमाज़ों में (ड्यूटी पर आने वालों और जाने वालों का) इज्तिमाअ होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फ़रिशते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह तआला पूछता है हालाँकि वो उनसे बहुत ज़्यादा अपने बन्दों के बारे में जानता है, कि मेरे बन्दों को तुमने किस हाल में छोड़ा। वो जवाब देते हैं कि हमने जब उन्हें छोड़ा तो वो (फ़ज़्र की) नमाज़ पढ़ रहे थे और जब उनके पास गए तब भी वो (अस् की) नमाज़ पढ़ रहे थे।

قَالَ: ((مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ لَقَدْ خَبَطَ عَمَلَهُ)). [طرنه في : ٥٩٤].

١٦- بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

٥٥٤- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنَ مَعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَنَنْظُرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً - يَعْنِي الْبَدْرَ - فَقَالَ: ((إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَاهُونَ فِي رُؤْيَيْهِ، لِإِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَالْعَلُوا)). ثُمَّ قَرَأَ: «وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ» ﴿٤﴾ قَالَ إِسْمَاعِيلُ: الْعَلُوا، لَا تَفُوتَكُمْ.

[أطرافه في : ٥٧٣، ٤٧٥١، ٧٤٣٤،

٧٤٣٥، ٧٤٣٦].

٥٥٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَخْتَصِمُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَرْجِعُ الَّذِينَ بَأْتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ -: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: نَرَكَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ)).

(दीगर मक़ाम : 3223, 7429, 7486)

[أطرافه في : ٣٢٢٣ ، ٧٤٢٩ ، ٧٤٨٦]

तशरीह : फ़रिश्तों का ये जवाब उन्हीं ने क बन्दों के लिये होगा जो नमाज़ पाबन्दी के साथ अदा करते थे और जिन लोगों ने नमाज़ को पाबन्दी के साथ अदा ही न किया। अल्लाह के दरबार में फ़रिश्ते उनके बारे में क्या कह सकेंगे। कहते हैं कि इन फ़रिश्तों से मुराद किरामन कातिबीन ही है जो आदमी की मुहाफ़ज़त करते हैं, सुबह व शाम उनकी बदली होती रहती है। कुर्तुबी ने कहा ये दो फ़रिश्ते हैं और परवरदिगार जो सब कुछ जानने वाला है। इसका उनसे पूछना इनको क़ाइल करने के लिये है जो उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक़्त कहा था कि आदमज़ाद ज़मीन में खून और फ़साद करेंगे।

बाब 17 : जो शख़्स अस् की एक रकअत सूरज डूबने से पहले पढ़ सका तो उसकी नमाज़ अदा हो गई

(556) हमसे अबू नुःअैम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शैबान ने यह्या बिन अबी क़प्पिर से, उन्होंने अबू सलमा से, उन्होंने हज़रते अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर कोई अस् की नमाज़ की एक रकअत सूरज गुरूब होने से पहले पा सका तो पूरी नमाज़ पढ़े (उसकी नमाज़ अदा हुई न कि क़ज़ा) इसी तरह अगर सूरज तुलूअ होने से पहले फ़ज़्र की नमाज़ की एक रकअत भी पा सके तो पूरी नमाज़ पढ़े।

(दीगर मक़ाम : 579, 580)

١٧- بَابُ مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنْ

الْفَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ

٥٥٦- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا أَذْرَكَ أَحَدَكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَذْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ صَلَاتَهُ)).

[طرفاه في : ٥٧٩ ، ٥٨٠]

तशरीह : इस हदीष के तहत हज़रतुल अल्लाम मौलाना नवाब वहीदुज्जमा साहब (रह.) के तशरीही अल्फ़ाज़ ये हैं, 'इस पर तमाम अइम्म और उलमा का इजमाअ है मगर हनफ़ियों ने आधी हदीष को लिया है और आधी को छोड़ दिया है। वो कहते हैं कि अस् की नमाज़ तो सहीह हो जाएगी लेकिन फ़ज़्र की सहीह न होगी, उनका क्रियास हदीष के बरखिलाफ़ है और खुद इन्हीं के इमाम की वसियत के मुताबिक़ छोड़ देने के लायक़ है।'

बैहक़ी में मज़ीद वज़ाहत यूँ मौजूद है, 'मन अदरक रकअतमिनस्सुब्हि फलियुस्सल्लि इलैहा उख़रा' जो फ़ज़्र की एक रकअत पा ले और सूरज निकल आए तो वो दूसरी रकअत भी उसके साथ मिला ले उसकी नमाज़े फ़ज़्र सही होगी। शेख़ुल हदीष हज़रत मौलाना अबैदुल्लाह साहब मुबारकपुरी मद़ जिल्लहुल आली फ़र्माते हैं—

'व यूख़ज़ु मिन हाज़ा अर्रहु अलत्तहावी हैषु ख़स्सल इदराक बिइहितिलामिस्सबिय्यि व तुहरिल हाइज़ि व इस्लामिल काफ़िरि व नहविहा व अराद बिज़ालिक नुस्रत मज़हबिही फ़ी अन्न मन अदरक मिनस्सुब्हि रकअतन तप्सुदु सलातुहु लिअन्नहु ला युक्मिलुहा इल्ला फ़ी वस्तिल किराहित इन्तहा वल हदीषु यदुल्लु अला अन्न मन अदरक रकअतमिन सलातिस्सुब्हि वला तब्तिलु बितुलूइहा कमा अन्न मन अदरक रकअतमिन सलातिल अस्त्रि क़ब्ल गुरूबिश्शामि फ़क़द अदरक सलातल अस्त्रि व ला तब्तिलु बिगुरूबिहा व बिही क़ाल मालिक वश्शाफ़िइ व अहमद व इस्हाक़ व हुवल हक्क' (मिर्आतुल मफ़ातीह, जि. 1/स. 398)

इस बयान की गई हदीष से इमाम तहावी का रद्द होता है जिन्होंने हदीषे मज़कूरा को उस लड़के के साथ ख़ास किया है जो अभी-अभी बालिग़ हुआ है या कोई औरत जो अभी-अभी हैज़ से पाक हुई या कोई काफ़िर जो अभी-अभी इस्लाम लाया और उनको फ़ज़्र की एक रकअत सूरज निकलने से पहले मिल गई तो गोया ये हदीष उनके लिये ख़ास है। इस तावील से

इमाम तहावी (रह.) का मक़सद अपने मज़हब की नुसरत (मदद) करना है जो ये है कि जिसने सुबह की एक रकअत पाई और फिर सूरज तुलूअ हो गया तो उसकी नमाज़ बातिल हो गई इसलिये कि वो उसकी तकमील मकरुह वक़्त में कर रहा है। ये हदीष दलील है कि आम तौर पर हर शख्स मुराद है जिसने फ़ज़्र की एक रकअत सूरज निकलने से पहले पा ली उसको सारी नमाज़ का प्रवाब मिलेगा और ये नमाज़ सूरज उगने की वजह से बातिल न होगी जैसा कि किसी ने अस्र की एक रकअत सूरज छिपने से पहले पा ली तो उसने अस्र की नमाज़ पा ली और वो गुरुबे शम्स से बातिल न होगी। इमाम शाफ़िई (रह.) मालिक (रह.) अहमद व इस्हाक (रह.) सबका यही मज़हब है और यही हक़ है।

(557) हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह उवैसी ने बयान किया, कहा मुझसे इब्राहीम बिन सअद ने इब्ने शिहाब से, उन्होंने सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) से, उन्होंने अपने बाप अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) से कि उन्होंने रसूले करीम (ﷺ) से सुना, आप (ﷺ) फ़र्माते थे कि तुमसे पहले की उम्मतों के मुकाबले में तुम्हारी जिंदगी सिर्फ़ इतनी है जितना अस्र से सूरज डूबने तक का वक़्त होता है। तौरात वालों को तौरात दी गई। तो उन्होंने उस पर (सुबह से) अमल किया आधे दिन तक फिर वो आजिज़ आ गए, काम पूरा न कर सके। उन लोगों को उनके अमल का बदला एक एक क़ीरात (बक़ौल बाज़ दीनार का 6/4 हिस्सा और कुछ के क़ौल के मुताबिक़ दीनार का 20वां हिस्सा) दिया गया। फिर इंजील वालों को इंजील दी गई, उन्होंने (आधे दिन से) अस्र तक उस पर अमल किया, और वो भी आजिज़ आ गए। उनको भी एक-एक क़ीरात उनके अमल का बदला दिया गया। फिर (अस्र के वक़्त) हमको कुआन मिला। हमने इस पर सूरज गुरुब होने तक अमल किया (और काम पूरा कर दिया) हमें दो-दो क़ीरात प्रवाब मिला। इस पर इन दोनों किताब वालों ने कहा। ऐ हमारे रब! इन्हें तो आपने दो-दो क़ीरात दिये और हमें सिर्फ़ एक एक क़ीरात। हालाँकि अमल हमने उनसे ज़्यादा किया है। अल्लाह अज़्ज व जल्ल ने फ़र्माया, तो क्या मैंने अज़्र देने में तुम पर कुछ जुल्म किया? उन्होंने कहा, नहीं! अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि फिर ये (ज़्यादा अज़्र देना) मेरा फ़ज़ल है जिसे मैं चाहूँ दे सकता हूँ।

(दीगर मक़ाम : 2267, 2269, 3459, 5021, 7468, 7533)

٥٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ((إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أَوْتِيَ أَهْلَ التَّوْرَةِ التَّوْرَةَ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا. ثُمَّ أَوْتِيَ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا. ثُمَّ أَوْتِيَ الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأَعْطَيْنَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ. فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ: أَيُّ رَبَّنَا أَعْطَيْتَ هَؤُلَاءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَلْ ظَلَمْتُمْ مِنْ أَخْرَاقِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَهُوَ فَضْلِي أَوْتِيهِ مَنْ أَشَاءُ)).

[أطرافه في: ٢٢٦٧، ٢٢٦٩، ٣٤٥٩]

[٧٥٣٣، ٧٤٦٧، ٥٠٢١]

तशीह :

इस हदीष से हनफ़ियों ने ये दलील ली है कि अस्र का वक़्त दो मिस्ल साए से शुरू होता है वर्ना जो वक़्त जुहर से अस्र तक है वो इस वक़्त से ज़्यादा नहीं ठहरेगा जो अस्र से गुरुबे आफ़ताब तक है, हालाँकि मुखालिफ़ ये कह सकता है कि हदीष में अस्र की नमाज़ से गुरुबे आफ़ताब तक का वक़्त उस वक़्त से कम रखा गया है। जो दोपहर दिन से अस्र

की नमाज़ तक है और अगर एक मिस्ल साये पर अस्स की नमाज़ अदा की जाए जब भी नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद से गुरुब तक जो वक़्त होगा वो दोपहर से नमाज़े अस्स से फ़ारिग होने से कम होगा क्योंकि नमाज़ के लिये अज़ान होगी, लोग जमा होंगे, वुजू करेंगे, सुन्नतें पढ़ेंगे, इसके अलावा हदीष का ये मतलब हो सकता है कि मुसलमानों का वक़्त यहूद व नसारा के मजमूई वक़्त से कम था और इसमें कोई शक़ नहीं।

इस हदीष को इमाम बुखारी (रह.) इस बाब में लाये इसकी मुनासबत बयान करना मुश्किल है, हाफ़िज़ ने कहा इससे और इसके बाद वाली हदीष से ये निकलता है कि कभी अमल के एक जुज़ पर पूरी मज़दूरी मिलती है इसी तरह जो कोई फ़ज़ या अस्स की एक रक़अत पा ले, उसको भी अल्लाह सारी नमाज़ वक़्त पर पढ़ने का प्रवाब देने पर कादिर है (इस हदीष में मुसलमानों का ज़िक्र भी हुआ है जिसका मतलब ये है कि काम तो किया सिर्फ़ अस्स से मगरिब तक, लेकिन सारे दिन की मज़दूरी मिली। वजह ये है कि उन्होंने शर्त पूरी की, शाम तक काम किया और काम को पूरा किया अगले दो गिरोहों ने अपना नुकसान आप किया। काम को अधूरा छोड़कर भाग गए, मेहनत मुफ़्त गई।

ये मिषाल यहूद व नसारा और मुसलमानों की है। यहूदियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को माना और तौरात पर चले लेकिन इसके बाद इन्जीले मुकद्दस और कुर्आन शरीफ़ से मुनहरिफ़ हो गए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मुहम्मद (ﷺ) को उन्होंने न माना और नसारा ने इन्जील और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माना लेकिन कुर्आन शरीफ़ और हज़रत मुहम्मद (ﷺ) से मुनहरिफ़ हो गए तो इन दोनों फ़िक्रों की मेहनत बर्बाद हो गई। आख़िरत में जो अज़्र मिलने वाला था, उससे मह़रूम रहे, आख़िर ज़माने में मुसलमान आए और उन्होंने थोड़ी-सी मुद्दत में काम किया मगर काम को पूरा कर दिया। अल्लाह तआला की सब किताबों और सब नबियों को माना, लिहाज़ा सारा प्रवाब इन्हीं के हिस्से में आ गया ज़ालिक फ़ज़लुल्लाहि यूतीहि मय्यंशाउ वल्लाहु जुल्फ़ज़िल अज़ीम (अज़ मौलाना वहीदुज्जमा ख़ाँ साहब मुहदिष हैदराबादी रह.)

(558) हमसे कुरैब मुहम्मद बिन अला ने बयान किया, कहा हमसे अबू उसामा ने बुरैद बिन अब्दुल्लाह के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अबू बुर्दा आमिर बिन अब्दुल्लाह से, उन्होंने अपने बाप अबू मूसा अशअरी अब्दुल्लाह बिन क़ैस (रज़ि.) से। उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुसलमानों और यहूद और नसारा की मिषाल ऐसे शख़्स की सी है कि जिसने कुछ लोगों से मज़दूरी पर रात तक काम करने के लिये कहा। उन्होंने आधे दिन काम किया। फिर जवाब दे दिया कि हमें तुम्हारी उजरत की ज़रूरत नहीं, (ये यहूद थे) फिर उस शख़्स ने दूसरे मज़दूर बुलाए और उनसे कहा कि दिन का जो हिस्सा बाक़ी रह गया है (यानी आधा दिन) उसी को पूरा कर दो। शर्त के मुताबिक़ मज़दूरी तुम्हें मिलेगी। उन्होंने भी काम शुरू किया लेकिन अस्स तक वो भी जवाब दे बैठे। (ये नसारा थे) पस उस तीसरे गिरोह ने (जो अहले इस्लाम हैं) पहले दो गिरोहों के काम की पूरी मज़दूरी ले ली।

(दीगर मक़ाम : 2271)

٥٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي
مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((مَثَلُ
الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ
رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا إِلَى
اللَّيْلِ، فَعَمِلُوا إِلَى بَصْفِ النَّهَارِ، فَقَالُوا:
لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ، فَاسْتَأْجَرَ آخَرِينَ
فَقَالَ: اكْمُلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَلَكُمْ الَّذِي
شَرَطْتُمْ. فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ
صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالُوا: لَكَ مَا عَمَلْنَا.
فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى
غَابَتِ الشَّمْسُ فَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَهُ
[الْفَرِيقَيْنِ]). (طرفه في : ٢٢٧١)

तशरीह:

इस हदीष को पिछली हदीष की रोशनी में समझना जरूरी है जिसमें जिक्र हुआ कि यहूदो नसारा ने थोड़ा काम किया और बाद में बागी हो गए। फिर भी उनको एक-एक क़ीरात के बराबर षबाब दिया गया और उम्मत मुहम्मदिया ने वफ़ादाराना तौर पर इस्लाम को कुबूल किया और थोड़े वक़्त काम किया। फिर भी इनको दोगुना अज़्र मिला। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, उम्मत मुहम्मदिया अपनी आमद के लिहाज़ से आख़िर वक़्त में आई, इसी को अज़्र से मगरिब तक ताबीर किया गया है।

बाब 18 : मगरिब की नमाज़ के वक़्त का बयान

और अता बिन अबी रबाह ने कहा कि मरीज़ इशा और मगरिब दोनों को जमा कर लेगा

इस अषर को अब्दुरज़्ज़ाक ने मुसन्नफ़ में दाख़िल किया गया है।

(559) हमसे मुहम्मद बिन मेहरान ने बयान किया, कहा हमसे वलीद बिन मुस्लिमा ने, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुरहमान बिन अमर औज़ाई ने बयान किया, कहा मुझसे अबुन नज्जाशी ने बयान किया। उनका नाम अता बिन सुहैब था और ये राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) के गुलाम हैं। उन्होंने कहा कि मैंने राफ़ेअ बिन ख़दीज से सुना। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि हम मगरिब की नमाज़ नबी करीम (ﷺ) के साथ पढ़कर जब वापस होते और तीरंदाज़ी करते (तो इतना उजाला बाक़ी रहता था कि) एक शख्स अपने तीर गिरने की जगह को देखता था।

तशरीह:

हदीष से ज़ाहिर हुआ कि मगरिब की नमाज़ सूरज डूबने पर फ़ौरन अदा कर ली जाती थी। बाज़ अहादीष में ये भी आया है कि मगरिब की जमाअत से पहले सहाबा दो रकअत सुन्नत भी पढ़ा करते थे। फिर फ़ौरन जमाअत खड़ी की जाती और नमाज़ से फ़रागत के बाद सहाबा किराम बाज़ दफ़ा तीरंदाज़ी की मशक़ (प्रेक्टिस) भी किया करते थे और उस वक़्त इतना उजाला रहता था कि वो अपने तीर गिरने की जगह को देख सकते थे। मुसलमानों में मगरिब की नमाज़ अब्बल वक़्त पढ़ना तो सुन्नत मुतवारिषा है मगर सहाबा की दूसरी सुन्नत यानी तीरंदाज़ी को वो इस तरह भूल गए, गोया ये कोई काम ही नहीं, हालांकि ता'लीमाते इस्लाम की रु से फ़ौजी ट्रेनिंग की ता'लीमात भी मज़हबी मक़ाम रखती है।

(560) हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा हमसे मुहम्मद बिन जा'फ़र ने, कहा हमसे शुअबा बिन हिजाज ने सअद बिन इब्राहीम से, उन्होंने मुहम्मद बिन अमर बिन हसन बिन अली से, उन्होंने कहा कि हज्जाज का ज़माना आया (और वो नमाज़ देर करके पढ़ाया करता था इसलिये) हमने हज़रते जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) जुहर की नमाज़ ठीक दोपहर में पढ़ाया करते थे। अभी सूरज साफ़ और रोशन होता तो अस्त्र पढ़ाते। नमाज़े मगरिब वक़्त आते ही पढ़ाते और नमाज़ इशा को कभी जल्दी पढ़ाते और कभी देर से। जब देखते कि लोग जमा हो गए हैं तो जल्दी पढ़ा देते

۱۸- بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

وَقَالَ عَطَاءٌ: يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

۵۵۹- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَّاشِيِّ اسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَنْصِيرُ مَوَاقِعَ نَبَلِهِ.

۵۶۰- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَدِمَ الْحُجَّاجُ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةً، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَأَاهُمْ

और अगर लोग जल्दी जमा न होते तो नमाज़ में देर करते। (और लोगों का इंतज़ार करते) और सुबह की नमाज़ सहाबा (रज़ि.) या (ये कहा कि) नबी (ﷺ) अंधेरे में पढ़ते थे।

(दीगर मक़ाम : 565)

(561) हमसे मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यज़ीद बिन अबी उबैद ने बयान किया सलमा बिन अक्ववा (रज़ि.) से, फ़र्माया कि हम नमाज़े मरिब नबी (ﷺ) के साथ उस वक़्त पढ़ते थे जब सूरज पदों में छुप जाता।

(562) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शुअबाने बयान किया, कहा हमसे अमर बिन दीनार ने बयान किया, कहा मैंने जाबिर बिन ज़ैद से सुना, वो इब्ने अब्बास (रज़ि.) के वास्ते से बयान करते थे। आपने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने सात रक़आत (मरिब और इशा की) एक साथ और आठ रक़आत (जुहर और अस्र की नमाज़ें) एक साथ पढ़ीं (राजेअ : 543)

बाब 19 : इस बारे में जिसने मरिब को इशा कहना मकरूह जाना

(563) हमसे अबू मअमर ने बयान किया, जो अब्दुल्लाह बिन अमर हैं, कहा हमसे अब्दुल वारिष बिन सईद ने हुसैन बिन ज़ववान से बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन बुरैदा ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह मज़नी (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐसा न हो कि, 'मरिब' की नमाज़ के नाम के लिए अअराबी (यानी देहाती लोगों) का मुहावरा तुम्हारी जुबानों पर चढ़ जाए। अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़फल (रज़ि.) ने कहा या खुद आँहजरत (ﷺ) ने फ़र्माया कि बदवी मरिब को इशा कहते थे।

तशरीह : बदवी (देहाती) लोग नमाज़े मरिब को इशा और नमाज़े इशा को अत्मा से मौसूम करते थे इसलिये नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि बदवियों की इस्तिलाह ग़ालिब (परिभाषा हावी) न होनी चाहिए बल्कि इनको मरिब और इशा ही के नामों से पुकारा जाये। अत्मा उस बाकी दूध को कहते थे, जो ऊँटनी के थन में रह जाये और थोड़ी रात गुज़रने के बाद उसे निकालते थे। कुछ लोगों ने कहा कि अत्मा का मतलब रात की तारीकी तक देर करना चूँकि इस नमाज़े इशा का यही वक़्त है इसलिये इसे अत्मा कहा गया। बाज़ मौक़ों पर नमाज़े इशा को सलाते अत्मा से ज़िक्र किया गया है। इसलिये उसे जवाज़ का दर्जा दिया गया मगर बेहतर यही कि लफ़्ज़े इशा ही से याद किया जाए।

اجْتَمَعُوا عَجَلًا، وَإِذَا رَأَوْهُمْ أَبْطَأُوا أُخْرًا،
وَالصُّبْحَ - كَانُوا أَوْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ -
يُصَلِّيَهَا بِفَلَسٍ. [طرفه ن : ٥٦٥].

٥٦١ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ قَالَ:
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَغْرِبَ إِذَا
تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.

٥٦٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ
جَاهِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى
النَّبِيُّ ﷺ سَبْعًا جَمِيعًا، وَثَمَانِيًا جَمِيعًا.
[راجع : ٥٤٣]

١٩ - بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ

لِلْمَغْرِبِ الْعِشَاءُ

٥٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ - هُوَ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عَمْرٍو - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ
الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ
قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُرَزِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ قَالَ: ((لَا يَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى
اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِبِ، قَالَ: وَيَقُولُ
الْأَعْرَابُ: هِيَ الْعِشَاءُ)).

हाफ़िज़ इब्ने हज़रत फ़र्माते हैं कि ये मुमान अत आपने इस ख़याल से की कि इशा के माना लुगात में तारीकी के हैं और ये शफ़क़ डूबने के बाद होती है। पस अगर मग़रिब का नाम इशा पड़ जाए तो एहतमाल है कि आइन्दा लोग मग़रिब का वक़्त शफ़क़ डूबने के बाद समझने लगे।

बाब 20 : इशा और अत्मा का बयान

۲۰- بَابُ ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ،

وَمَنْ رَأَاهُ وَسِيعًا

और जो ये दोनों नाम लेने में कोई हर्ज नहीं ख़याल करते। हज़रत अबू हु़रैरह (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से नक़ल करके फ़र्माया, 'मुनाफ़िक्कीन पर इशा और फ़ज्र तमाम नमाज़ों से ज़्यादा भारी है' और आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि काश! वो समझ सकते कि अत्मा (इशा) और फ़ज्र की नमाज़ों में कितना षवाब है। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुखारी रह.) कहते हैं कि इशा कहना ही बेहतर है। क्योंकि इशादे बारी है, 'व मिन बअदि सलालतिल इशा' 'में कुआन ने इसका नाम इशा रख दिया है' अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) से रिवायत है कि हमने इशा की नमाज़ नबी (ﷺ) की मस्जिद में पढ़ने के लिए बारी मुकर्रर कर ली थी। एक बार आपने उसे बहुत रात गए पढ़ा। और इब्ने अब्बास (रज़ि.) और आइशा (रज़ि.) ने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) ने नमाज़े इशा देर से पढ़ी। कुछ ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से नक़ल किया कि नबी करीम (ﷺ) ने 'अत्मा' को देर से पढ़ा। हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) 'इशा' पढ़ते थे। अबू बर्ज़ा असलमी (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) इशा में देर करते थे।

हज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) आख़िरी इशा को देर में पढ़ते थे। इब्ने उमर, अबू अय्यूब और इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि नबी (ﷺ) ने मग़रिब और इशा पढ़ी।

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ)).
وَقَالَ: ((لَوْ يَعْلَمُونَ مَا لِي بِالْعَتَمَةِ وَالْفَجْرِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَالِاخْتِيَارُ أَنْ يَقُولَ الْعِشَاءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾. وَيَذَكُرُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: ((كُنَّا نَتَأَوَّبُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَأَعْتَمَ بِهَا)). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ: (أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعِشَاءِ). وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَائِشَةَ: (أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَتَمَةِ). وَقَالَ جَابِرٌ: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْعِشَاءَ). وَقَالَ أَبُو بَرَزَةَ: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ). وَقَالَ أَنَسٌ: (أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ). وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو أَيُّوبَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: (صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ).

तशरीह :

इमामुल मुहदिधीन (रह.) ने इन तमाम अहदादीष और आधार को यहाँ इस गर्ज़ से नक़ल किया है कि बेहतर है इशा को लफ़्ज़े इशा से मौसूम किया जाए। इस पर भी अगर किसी ने लफ़्ज़े अत्मा इसके लिये इस्ते'माल कर लिया तो ये भी जवाज़ के दर्जे में हैं। सहाबा किराम (रह.) का आम मामूल था कि वो नबी करीम (ﷺ) की हिदायात से आगाह रहना अपने लिए ज़रूरी ख़याल करते थे, जो हज़रत मस्जिदे नबवी से दूर दराज़ सुकूनत (निवास) रखते थे, उन्होंने आपस में बारी मुकर्रर कर रखी थी जो भी हाज़िरे दरबारे रिसालत होता, दीगर सहाबा (रज़ि.) उनसे हालात मा'लूम कर लिया करते थे। अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) भी उन्हीं में से थे। ये हिज़रते हब्शा से वापसी के बाद मदीना में काफ़ी फ़ासले पर रहने लगे और इन्होंने अपने पड़ोसियों से मिलकर दरबारे रिसालत में हाज़री की बारी मुकर्रर कर ली थी। आपने एक रात नमाज़े इशा देर से पढ़े जाने

का जिक्र किया और इसके लिये लफ्जे अत्मा इस्ते' माल किया जिसका मतलब ये कि आपने देर से इस नमाज़ को अदा फ़र्माया बाज़ किताबों में ताख़ीर की वजह ये बतलाई गई है कि आप (ﷺ) मुसलमानों के बाज़ मुआमलात के बारे में हज़रत सिद्दीके अकबर से मशवरा फ़र्मा रहे थे, इसीलिये ताख़ीर हुई।

(564) हमसे अब्दान अब्दुल्लाह बिन उम्मान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें अब्दुल्लाह ने ख़बर दी, उन्होंने कहा हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्होंने कहा हमें यूनुस बिन यज़ीद ने ख़बर दी जुहरी से कि सालिम ने ये कहा कि मुझे (मेरे बाप) अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने ख़बर दी। कि एक रात नबी (ﷺ) ने हमें इशा की नमाज़ पढ़ाई। यही जिसे लोग अत्मा कहते हैं। फिर हमें ख़िताब करते हुए फ़र्माया कि तुम इस रात को याद रखना। आज जो लोग ज़िन्दा हैं एक सौ साल के गुज़रने तक रूप ज़मीन पर इनमें से कोई भी बाक़ी नहीं रहेगा।

(राजेअ: 116)

यानी सौ बरस में जितने लोग आज ज़िन्दा हैं, सब मर जाएंगे और नई नस्ल जुहूर में आती रहेगी। सबसे आख़िरी सहाबी अबुत तुफ़ैल बिन आमिर बिन वास्ला (रज़ि.) हैं, जिनका इन्तिक़ाल 110 हिजरी में हुआ। इमाम बुखारी (रह.) ने इस हदीष से हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर भी दलील पकड़ी है।

बाब 21 : नमाज़े इशा का वक़्त जब लोग (जल्दी) जमा हो जाएँ या जमा होने में देर करें

(565) हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा बिन हिजाज ने सअद बिन इब्राहीम से बयान किया, वो मुहम्मद बिन अमर से जो हसन बिन अली बिन अबी तालिब के बेटे हैं, फ़र्माया कि हमने जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से नबी (ﷺ) की नमाज़ के बारे में पूछा तो आपने फ़र्माया कि आप नमाज़े जुहर दोपहर में पढ़ते थे। और जब नमाज़े अस्र पढ़ते तो सूरज साफ़ और रोशन होता। मरिब की नमाज़ वाजिब होते ही अदा फ़र्माते, और इशा में अगर लोग जल्दी जमा हो जाते तो जल्दी पढ़ लेते और अगर आने वालों की ता' दाद कम होती तो देर करते। और सुबह की नमाज़ मुँह अंधेरे में पढ़ा करते थे।

(राजेअ: 560)

٥٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُمُ أَخْبَرْتَنِي عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: (صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ صَلَاةِ الْمِثَاءِ) - وَهِيَ الَّتِي يَذْغُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ - ثُمَّ انصَرَفَ عَلَيَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: ((أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِنْهُنَّ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدًا)). [راجع: ١١٦]

٥٦٥ - بَابُ وَقْتِ الْمِثَاءِ إِذَا

اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا

٥٦٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو - هُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِهَاجِرَةَ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجِبَتْ، وَالْمِثَاءَ، إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَلًا، وَإِذَا قَلُوا أَخَّرَ. وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ).

[راجع: ٥٦٠]

तशरीह:

ह्राफ़िज़ इब्ने हजर फ़र्माते थे कि इमाम बुखारी (रह.) ने बाब का तर्जुमा और उनमें आने वाली अहादीष से उन लोगों की तर्दीद की है जो कहते हैं कि इशा की नमाज़ अगर जल्दी अदा की जाए तो उसे इशा ही कहेंगे और अगर

देर से अदा की जाए तो उसे अत्मा कहेंगे, गोया इन लोगों ने दोनों रिवायतों में तल्बीक दी है और उन पर रद्द इस तरह हुआ कि इन अहदादीष में दोनों हालतों में उसे इशा ही कहा गया।

बाब 22 : नमाज़े इशा (केलिए इंतज़ार करने) की फ़ज़ीलत

(566) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैस बिन सअद ने अक़ील के वास्ते से बयान किया, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने इर्वा से कि आइशा (रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी कि एक रात रसूले करीम (ﷺ) ने इशा की नमाज़ देर से पढ़ी। ये इस्लाम के फैलने से पहले का वाक़िआ है। आप (ﷺ) उस वक़्त तक बाहर तशरीफ़ नहीं लाए जब तक हज़रत इमर (रज़ि.) ने ये न फ़र्माया कि 'औरतें और बच्चे सो गए।' पस आप (ﷺ) तशरीफ़ लाए और फ़र्माया कि तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई भी इंसान इस नमाज़ का इंतज़ार नहीं करता।

(दीगर मक़ाम : 569, 862, 864)

यानी उस वक़्त तक मदीना के सिवा और कहीं मुसलमान न थे, या ये कि ऐसी शान वाली नमाज़ के इंतज़ार का प्रवाब अल्लाह ने सिर्फ़ उम्मत-मुहम्मदिया ही की किस्मत में रखा है।

(567) हमसे मुहम्मद बिन अला ने बयान किया, कहा हमसे अबू उसामा ने बुरैद के वास्ते से, उन्होंने अबू बुर्दा से उन्होंने हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि मैंने अपने उन साथियों के साथ जो कश्ती में मेरे साथ (हबशा से) आए थे 'बक़ीअे बत्हान' में क्रयाम किया। उस वक़्त नबी (ﷺ) मदीना में तशरीफ़ रखते थे। हम में से कोई न कोई इशा की नमाज़ में रोज़ाना बारी मुकरर करके नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ करता था। इत्तिफ़ाक़ से मैं और मेरा एक साथी एक बार आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए। आप अपने किसी काम में मशगूल थे। (किसी मिल्ली मुआमले में आप (ﷺ) और हज़रत अबूबक्र रज़ि. बातचीत कर रहे थे) जिसकी वजह से नमाज़ में देर हो गई और तक्ररीबन आधी रात गुज़र गई। फिर नबी (ﷺ) तशरीफ़ लाए और नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ पूरी कर चुके तो हाज़िरीन से फ़र्माया कि अपनी अपनी जगह पर वक्रार के साथ बैठे रहो और एक ख़ुशख़बरी सुनो। तुम्हारे सिवा दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो इस वक़्त नमाज़ पढ़ता हो, या आप (ﷺ) ने ये

२२- باب فضل العشاء

٥٦٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: أَغْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الْإِسْلَامُ، فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَالَ عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصَّبِيَانُ. فَخَرَجَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ: ((مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرِكُمْ)).

[أطرافه في : ٥٦٩، ٨٦٢، ٨٦٤.]

٥٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِيَ فِي السَّفِينَةِ نَزُولًا فِي بَيْعِ بَطْحَانَ - وَالنَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ - فَكَانَ يَتَأَوَّبُ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرَ مِنْهُمْ، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَأَصْحَابِي وَ لَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ فَأَغْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى أَبْهَارَ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: ((عَلَى رِسَالِكُمْ أَنْبِئُوا، إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ

फ़र्माया कि तुम्हारे सिवा इस वक़्त किसी (उम्मत) ने भी नमाज़ नहीं पढ़ी थी। ये यक़ीन नहीं कि आपने उन दो जुम्लों में से कौनसा जुम्ला कहा था। फिर रावी ने कहा कि अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) ने फ़र्माया। पस हम नबी करीम (ﷺ) से ये सुनकर बहुत ही ख़ुश होकर लौटे।

غَيْرُكُمْ)) أَوْ قَالَ: ((مَا صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ)) لَا يَنْرِي أَيُّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: فَرَجَعْنَا فَرَحَى بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

तशरीह: हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) ने हिज़रते हब्शा से वापसी के बाद बकीअे बतहान में क़ियाम फ़र्माया। बकी हर उस जगह को कहा जाता था जहाँ मुख्तलिफ़ क्रिस्म के दरख़्त वग़ैरह होते बतहान नाम की वादी मदीना के करीब ही थी। इमाम सुयूती फ़र्माते हैं कि पहले की उम्मतों में इशा की नमाज़ न थी इसलिये आप (ﷺ) ने अपनी उम्मत को ये बशारत फ़र्माई जिसे सुनकर सहाब-ए-किराम (रज़ि.) को निहायत ख़ुशी हासिल हुई। ये मतलब भी हो सकता है कि मदीना शरीफ़ की दीगर मसाजिद में लोग नमाज़े इशा से फ़ारिग हो चुके लेकिन मस्जिदे नबवी के नमाज़ी इन्तज़ार में बैठे हुए थे इसलिये उनको ये फ़ज़ीलत हासिल हुई। बहरहाल इशा की नमाज़ के लिये ताख़ीर मतलूब है। हदीष में आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर मेरी उम्मत पर शाक़ (भारी) न गुज़रता तो मैं इशा की नमाज़ तिहाई रात गुज़रने पर ही पढ़ा करता।

बाब 23 : इस बयान में कि नमाज़े इशा पढ़ने से पहले सोना नापसंद है

(568) हमसे मुहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल वहाब ब्रक़्फ़ी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि ख़ालिद हज़ज़ा ने बयान किया अबुल मिन्हाल से, उन्होंने अबू बर्ज़ा असलमी (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इशा से पहले सोने और इसके बाद बातचीत करने को नापसंद फ़र्माते।

(राजेअ: 541)

۲۳- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ

الْعِشَاءِ

۵۶۸- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرزَةَ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثُ بِغَدَاها).

[راجع: ۵۴۱]

जब खतरा हो कि इशा के पहले सोने से नमाज़ व जमाअत चली जाएगी तो सोना जाइज़ नहीं। दोनों अह्लादीष में जो आगे आ रही है, यही ततबीक़ बेहतर है।

बाब 24 : अगर नींद का ग़लबा हो जाए तो इशा से पहले भी सोना दुरुस्त है

(569) हमसे अय्यूब बिन सुलैमान ने बयान किया, कहा हमसे अबूबक्र ने सुलैमान से, उनसे मालेह बिन कैसान ने बयान कि मुझे इब्ने शिहाब ने उर्वा से ख़बर दी कि हज़रते आइशा (रज़ि.) ने बतलाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक बार इशा की नमाज़ में देर फ़र्माई। यहाँ तक कि इमर (रज़ि.) ने पुकारा, नमाज़! औरतें और बच्चे सो गए। तब आप (ﷺ) घर से बाहर तशरीफ़ लाए, आप

۲۴- بَابُ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ

غَلِبَ

۵۶۹- حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ عَنْ سَلِيمَانَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْعِشَاءِ

(ﷺ) ने फ़र्माया कि रूएजमीन पर तुम्हारे अलावा इस नमाज़ का कोई इंतज़ार नहीं करता। रावी ने कहा, उस वक़्त ये नमाज़ (बाजमाअत) मदीना के सिवा और कहीं नहीं पढ़ी जाती थी। सहाबा इस नमाज़ को शाम की सुखी गायब होने के बाद रात के पहले तिहाई हिस्से तक (किसी वक़्त भी) पढ़ते थे।

(राजेअ : 566)

तशरीह :

हज़रत अमीरुल मुहद्दिषीन फ़िल हदीष ये बतलाना चाहते हैं कि इशा से पहले सोना या इसके बाद बातचीत करना इसलिये नापसन्द है कि पहले सोने में इशा की नमाज़ के फ़ौत होने का ख़तरा है और देर तक बातचीत करने में सुबह की नमाज़ फ़ौत होने का ख़तरा है। हाँ अगर कोई शख्स इन ख़तरात से बच सके तो उसके लिये इशा से पहले सोना भी जाइज़ और बाद में बातचीत भी जाइज़ जैसा कि वारिद हुई रिवायात से ज़ाहिर है और हदीष में ये जो फ़र्माया कि तुम्हारे सिवा इस नमाज़ का कोई इन्तज़ार नहीं करता, इसका मतलब ये है कि पहली उम्मतों में किसी भी उम्मत पर इस नमाज़ को फ़र्ज़ नहीं किया गया और नमाज़ अहले इस्लाम ही के लिये मुकर्रर की गई या ये मतलब है कि मदीना की दूसरी मसाजिद में सब लोग अव्वल वक़्त ही पढ़कर सो गए हैं। सिर्फ़ तुम्ही लोग हो जो कि अभी तक इसका इन्तेज़ार कर रहे हो।

(570) हमसे महमूद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुरज़ाक्र ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे नाफ़ेअ ने ख़बर दी, उन्होंने कहा मुझे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक रात किसी काम में मशगूल हो गए और बहुत देर की। हम (नमाज़ के इंतज़ार में बैठे हुए) मस्जिद ही में सो गए, फिर हम बेदार हुए, फिर हम सो गए, फिर हम बेदार हुए। फिर नबी करीम (ﷺ) घर से बाहर तशरीफ़ लाए। और फ़र्माया कि दुनिया का कोई शख्स भी तुम्हारे सिवा इस नमाज़ का इंतज़ार नहीं करता। अगर नींद का ग़लबा न होता तो इब्ने उमर (रज़ि.) नमाज़ इशा को पहले पढ़ने या बाद में पढ़ने को कोई अहमियत नहीं देते थे। कभी नमाज़ इशा से पहले आप सो भी लेते थे। इब्ने जुरैज ने कहा कि मैंने अत्ता से मा'लूम किया।

(571) तो उन्होंने फ़र्माया कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से सुना था कि नबी करीम (ﷺ) ने एक रात इशा की नमाज़ में देर की जिसके नतीजे में लोग (मस्जिद ही में) सो

حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: الصَّلَاةُ: نَامَ النَّسَاءُ وَالصَّبِيَّانَ. فَخَرَجَ لَقَالَ: ((مَا يَنْتَظِرُهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرِكُمْ)). قَالَ: وَلَا تَصَلِّيْ يَوْمَيْهِ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، قَالَ وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّمْسُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ. [راجع: ٥٦٦]

٥٧٠- حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَبِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخْرَجَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: ((لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرِكُمْ)). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَبَالِي أَقْدَمَهَا أَمْ أَخْرَجَهَا، إِذَا كَانَ لَا يَخْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا. وَقَدْ كَانَ يَرُقُدُ قَبْلَهَا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ.

٥٧١- لَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَعْمَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ بِالْعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا

गए, फिर बेदार हुए फिर सो गए, फिर बेदार हुए। आखिर में उमर बिन खत्ताब (रज़ि.) उठे और पुकारा, 'नमाज़' अत्राने कहा कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने बतलाया कि उसके बाद नबी (ﷺ) घर से तशरीफ़ लाए। वो मंज़र मेरी निगाहों के सामने है जबकि आप (ﷺ) के सरे मुबारक से पानी के क़त्ते टपकर रहे थे और हाथ सर पर रखे हुए थे। आपने फ़र्माया कि अगर मेरी उम्मत के लिए मुश्किल न हो जाती, तो मैं उन्हें हुक्म देता कि इशा की नमाज़ को इस वक़्त में पढ़ें। मैंने अत्रा से मज़ीद तहक़ीक़ चाही कि नबी करीम (ﷺ) के हाथ सर पर रखने की कैफ़ियत क्या थी? इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने इस सिलसिले में किस तरह ख़बर दी थी। इस पर हज़रत अत्रा ने अपने हाथ की उंगलियों थोड़ी सी खोल दीं और उन्हें सर के एक किनारे पर रखा फिर उन्हें मिलाकर वूँ सर पर फेरने लगे कि उनका अंगूठा कान के इस किनारे से जो चेहरे से करीब है और दाढ़ी से जा लगा। न सुस्ती की और न जल्दी, बल्कि इस तरह किया। और कहा कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर मेरी उम्मत पर मुश्किल न गुज़रती तो मैं हुक्म देता कि इस नमाज़ को इसी वक़्त पढ़ा करें।

(दीगर मक़ाम : 7239)

وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ :
الصَّلَاةُ. قَالَ عَطَاءٌ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :
فَخَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ
يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاحِصًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ
فَقَالَ: ((لَوْ لَا أَنِ اشُقُّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ
أَنْ يُصَلُّوْهَا هَكَذَا)) فَاسْتَيْقَظْتُ عَطَاءُ:
كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ كَمَا
أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ
أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْيِيدٍ، ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ
أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ صَمَّمَهَا يُمِرُّهَا
كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِنْهَامَهُ
طَرَفَ الْأُذُنِ مِمَّا يَلِيهِ الرَّوْحَةُ عَلَى الصَّدْعِ
وَنَاحِيَةِ اللَّحْيَةِ لَا يَقْصُرُ وَلَا يَنْطَشُ إِلَّا
كَذَلِكَ، وَقَالَ: ((لَوْ لَا أَنِ اشُقُّ عَلَى
أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ أَنْ يُصَلُّوْا هَكَذَا)).

[طرفه في : 7239].

तशरीह : सहाब-ए-किराम ताख़ीर की वजह से नमाज़ से पहले सो गए। पस मा'लूम हुआ कि ऐसे वक़्त में नमाज़े इशा से पहले भी सोना जाइज़ है बशर्ते कि नमाज़े इशा बा-जमाअत पढ़ी जा सके। जैसा कि यहाँ सहाब-ए-किराम का अमल मन्कूल है। यही बाब का मक़सद है- ला मुक़स्सिर, का मतलब ये कि जैसे मैं हाथ फेर रहा हूँ, इसी तरह फेरना इससे जल्दी फेरना इससे देर में। बाज़ नुस्खों में लफ़ज़ का यअस्सुर है तो तर्जुमा यूँ होगा न बालों को निचोड़ते, न हाथ में पकड़ते बल्कि इसी तरह करते यानी उंगलियों से बालों को दबाकर पानी निकाल रहे थे।

बाब 25 : इस बारे में कि इशा की नमाज़ का वक़्त आधी रात तक रहता है

٢٥- بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ

اللَّيْلِ

وَقَالَ أَبُو بَرَزَةَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَجِيبُ
تَأْخِيرًا.

और अबू बर्ज़ा (रज़ि.) सहाबी ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) इसमें देर करना पसंद फ़र्माया करते थे।

ये उस हदीष का टुकड़ा है जो ऊपर बाबु वक़्तल अस्सुर में मौसूलन गुज़र चुकी है।

572) हमसे अब्दुरहीम मुहारिबी ने बयान किया, कहा हमसे

٥٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمَعَارِيُّ

ज़ाइद ने हुमैद तवील से, उन्होंने हज़रते अनस (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने (एक दिन) इशा की नमाज़ आधी रात गए पढ़ी। और फ़र्माया कि दूसरे लोग नमाज़ पढ़कर सो गए होंगे। (यानी दूसरी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने वाले मुसलमान) और तुम लोग जब तक नमाज़ का इंतज़ार करते रहे (गोया सारे वक़्त) नमाज़ ही पढ़ते रहे। इब्ने मरयम ने इसमें ये ज़्यादा किया कि हमें यहा बिन अय्यूब ने खबर दी। कहा मुझसे हुमैद तवील ने बयान किया, उन्होंने हज़रते अनस (रज़ि.) से ये सुना, 'गोया उस रात आपकी अंगूठी की चमक का नक़शा इस वक़्त भी मेरी नज़रों के सामने चमक रहा है।' (दीगर मक़ाम : 600, 661, 847, 5869)

قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حَمِيدِ الطَّوِيلِ عَنْ
أَنَسِ قَالَ: أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ
إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ: ((قَدْ
صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا، أَمَا إِنَّكُمْ لِي صَلَاةٌ
مَا أَنْتَظِرْتُمُوهَا)) وَزَادَ ابْنُ مَرِيَمَ: أَخْبَرَنَا
يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي حَمِيدٌ أَنَّهُ
سَمِعَ أَنَسًا قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَيْصِ
خَاتَمَةِ لَيْلَيْتِلِدِ. [أطرافه في: ٦٠٠، ٦٦١،
٥٨٦٩، ٨٤٧]

इब्ने मरयम की इस तअलीक के बयान करने से हज़रत इमाम बुखारी (रह.) की गर्ज़ ये है कि हुमैद का सिमाअ हज़रत अनस (रज़ि.) से सराहृतन प्राबित हो जाए।

बाब 26 : नमाज़े फ़ज़्र की फ़ज़ीलत के बयान में

(573) हमसे मुसहद ने बयान किया, कहा हमसे यहा ने इस्माईल से, कहा हमसे क़ैस ने बयान किया, कहा मुझसे जरीर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कि हम नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर थे आप (ﷺ) ने चाँद की तरफ़ नज़र उठाई जो चौदहवीं रात का था। फिर फ़र्माया कि तुम लोग बे रोक-टोक अपने रब को देखोगे जैसे इस चाँद को देख रहे हो (उसे देखने में तुमको किसी क्रिस्म की मुज़ाहमत न होगी) या ये फ़र्माया कि तुम्हें उसके दीदार में मुत्लक़ शुबहा न होगा इसलिए अगर तुमसे सूरज के तुलूअ और गुरुब से पहले (फ़ज़्र और अस्) की नमाज़ों के पढ़ने में कोताही न हो सके तो ऐसा ज़रूर करो। (क्योंकि उन्हीं के तुफ़ैल दीदारे इलाही नज़ीब होगा या इन्हीं वक़्तों में ये रुइयत मिलेगी) फिर आप (ﷺ) ने ये आयत तिलावत फ़र्माई, 'पस अपने रब के हम्द की तस्बीह पढ़ सूरज के निकलने और उसके डूबने से पहले।' इमाम अबू अब्दुल्लाह बुखारी (रह.) ने कहा कि इब्ने शिहाब ने इस्माईल के वास्ते से जो क़ैस से बवास्ता जरीर (रावी हैं) ये ज़्यादती नक़ल करते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया 'तुम अपने रब को स़ाफ़ देखोगे।'

(राजेअ 554)

٢٦- بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

٥٧٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ: قَالَ
لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ
إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: ((أَمَا
إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ هَذَا لَا
تُضَامُونَ - أَوْ لَا تُضَاهُونَ - فِي رُؤْيَيْهِ،
فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَغْلَبُوا عَلَى صَلَاةِ قَبْلِ
طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلِ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا)) ثُمَّ
قَالَ: ((وَلَسَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلِ غُرُوبِهَا)). قَالَ أَبُو عَبْدِ
اللَّهِ زَادَ بْنُ شِهَابٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ
قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَتَرُونَ
رَبَّكُمْ عَيَانًا.

[راجع: ٥٥٤]

जामेअ सग़ीर में इमाम सुयूती फ़र्माते हैं कि अस्त्र और फ़ज़्र की तख़सीस इसलिये की गई कि दीदारे इलाही इन्हीं के अन्दाज़े पर हासिल होगा।

(574) हमसे हुदबा बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा हमसे हम्माम ने, उन्होंने कहा कि हमसे अबू हम्ज़ा ने बयान किया अबूबक्र बिन अबी मूसा अशअरी (रज़ि.) से, उन्होंने अपने बाप से कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसने ठण्डे वक्रत की नमाज़ों (वक्रत पर) पढ़ी (फ़ज़्र और अस्त्र) तो वो जन्नत में दाख़िल होगा। इब्ने रजा ने कहा कि हमसे हम्माम ने अबू जम्मा से बयान किया कि अबूबक्र बिन अब्दुल्लाह बिन कैस (रज़ि.) ने उन्हें इस हदीष की ख़बर दी। हमसे इस्हाक़ ने बयान किया, कहा हमसे हब्बान ने, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माम ने बयान किया, कहा हमसे अबू जम्हने बयान किया अबूबक्र बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से, पहली हदीष की तरह।

٥٧٤- حَدَّثَنَا هَدِيثُ بَنِي خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بِنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ صَلَّى الْهَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ)). وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ بِهَذَا. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ... مِثْلَهُ

मक़सद ये है कि इन दोनों नमाज़ों को वक्रत पर पाबन्दी के साथ अदा किया। चूंकि इन अवकात में अक़षर ग़फ़लत हो सकती है इसलिये इस खुसूसियत से इनका ज़िक्र किया। अस्त्र का वक्रत कारोबार में इन्तिहाई मशगूलियत और फ़ज़्र का वक्रत मीठी नीन्द सोने का वक्रत है, मगर अल्लाह वाले इनकी ख़ास तौर पर पाबन्दी करते हैं। अब्दुल्लाह बिन कैस, अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) का नाम है। इस तअलीक़ से हज़रत इमाम बुखारी की ग़र्ज़ ये है कि अबू बक्र बिन अबी मूसा जो अगली रिवायत में मज़कूर है वो हज़रत अबू मूसा अशअरी के बेटे हैं। इस तअलीक़ को जुहली ने मौसूलन रिवायत किया है।

बाब 27 : नमाज़े फ़ज़्र का वक्रत

(575) हमसे अम्र बिन आसिम ने ये हदीष बयान की, कहा हमसे हम्माम ने ये हदीष बयान की क़तादा से, उन्होंने अनस (रज़ि.) से कि ज़ैद बिन प्राबित (रज़ि.) ने उनसे बयान किया कि उन लोगों ने (एक बार) नबी (ﷺ) के साथ सहरी खाई, फिर नमाज़ के लिए खड़े हो गए। मैंने पूछा कि इन दोनों के बीच किस क्रदर फ़ासला रहा होगा। फ़र्माया कि जितना पचास या साठ आयत पढ़ने में खर्च होता है इतना फ़ासला था। (दीगर मक़ाम : 1921)

पचास या साठ आयतें पाँच दस मिनट में पढ़ी जा सकती है। इस हदीष से ये भी प्राबित हुआ कि सहरी देर से खाना मसनून है, जो लोग सवेरे ही सहरी खा लेते हैं वो सुन्नत के ख़िलाफ़ करते हैं।

(576) हमसे हसन बिन सब्बाह ने ये हदीष बयान की, उन्होंने

٢٧- بَابُ وَقْتِ الْفَجْرِ

٥٧٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ امْرَأَتِهِ أَوْ فِي بَيْتِ جَارِهِ أَوْ فِي بَيْتِ مَسْكِينٍ أَوْ فِي بَيْتِ غَيْرِهِمْ كَانَ لَهُ بِهَا حَقٌّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). قَالَ: قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ أَوْ سِتِينَ. يَعْنِي آيَةَ [طرفه في : ١٩٢١].

٥٧٦- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ سَمِعَ

रौहा बिन इबादा से सुना, उन्होंने कहा हमसे सईद ने बयान किया, उन्होंने क़तादा से रिवायत किया, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) और ज़ैद बिन षाबित (रज़ि.) ने सहरी खाई, फिर जब वो सहरी खाकर फ़ारिग हुए तो नमाज़ के लिए उठे और नमाज़ पढ़ी। हमने अनस (रज़ि.) से पूछा कि आपकी सहरी से फ़ारिग और नमाज़ की इब्तिदा में कितना फ़ासला था? उन्होंने फ़र्माया कि इतना कि एक शख्स पचास आयतें पढ़ सके।

(दीगर मक़ाम : 1134)

(577) हमसे इस्माईल बिन अबी उवैस ने बयान किया, अपने भाई अब्दुल हमीद बिन अबी उवैस से, उन्होंने सुलैमान बिन बिलाल से, उन्होंने अबी हाज़िम सलमा बिन दीनार से कि उन्होंने सहल बिन सअद (रज़ि.) सहाबी से सुना। आपने फ़र्माया कि मैं अपने घर से हरी खाता, फिर नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़े फ़ज़्र पाने के लिए मुझे जल्दी करनी पड़ती थी। (दीगर मक़ाम : 1920)

(578) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें लैष ने ख़बर दी, उन्होंने अक़ील बिन ख़ालिद से, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने कहा कि मुझे इर्वा बिन जुबैर (रज़ि.) ने ख़बर दी कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी, कि मुसलमान औरतें रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ फ़ज़्र पढ़ने चादरों में लिपटकर आती थीं। फिर नमाज़ से फ़ारिग होकर जब अपने घरों को वापस होतीं तो उन्हें अँधेरे की वजह से कोई शख्स पहचान नहीं सकता था। (राजेज़ : 372)

इमामुहुन्या फ़िल हदीष क़द्स सिर्रूहू ने जिस क़दर अह्दाीष यहाँ बयान की है, इनसे यही ज़ाहिर होता है कि नबी करीम (ﷺ) फ़ज़्र की नमाज़ सुबह सादिक़ के तुलूअ होने के फ़ौरन बाद शुरू कर दिया करते थे और अभी काफी अंधेरा रह जाता था आप (ﷺ) की नमाज़ ख़त्म हो जाया करती थी। लफ़ज़ ग़लस का यही मतलब है कि फ़ज़्र की नमाज़ आप अंधेरे ही में अब्वल वक़्त अदा फ़र्माया करते थे। हाँ एक दफ़ा आप (ﷺ) ने अवकाते नमाज़ की ता'लीम के लिये फ़ज़्र की नमाज़ देर से भी अदा की है ताकि इस नमाज़ का भी अब्वल वक़्त 'ग़लस' और आख़री वक़्त 'इसफ़ार' मा'लूम हो जाए। इसके बाद हमेशा आप (ﷺ) ने ये नमाज़ अंधेरे ही में अदा फ़र्माई है। जैसा कि हदीषे ज़ेल से ज़ाहिर है,

رَوْحًا بِنَ عِبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا، فَلَمَّا فَرَّغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى فَلَمَّا لَأَسَ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَذُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: قَدَرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً.

[طرفه في : 1134].

٥٧٧- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي ثُمَّ يَكُونُ سُرْعَةً بِي أَنْ أُذْرِكَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

[طرفه في : 1920].

٥٧٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: كُنْتُ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفَعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضَيْنَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْفَلَاسِ. [راجع : 372]

'अन अबी मस्कूदिल अन्सारी अन्न रसूलल्लाहि ﷺ सल्ला सल्लातः सुब्हि मरतन बि ग़लसिन सुम्म सल्ला मरतन उख़रा फ़अस्फ़र बिहा सुम्म कानत सल्लातुहु बअद ज़ालिकतगलीसि हत्ता मात व लम यउद इला अंय्युस्फ़िर व रिज़ालुहु फ़ी सुननि अबी दाऊद रिज़ालुस्सहीहि'

यानी अबू मसऊद अन्सारी (रह.) से रिवायत है कि रसूल करीम (ﷺ) ने एक दफ़ा नमाज़े फ़ज़ ग़लस (अन्धेरे) में पढ़ाई और फिर एक मर्तबा इसफ़ार (यानी उजाले) में इसके बाद हमेशा आप (ﷺ) हमें नमाज़ अन्धेरे ही में पढ़ाते रहे। यहाँ तक कि अल्लाह से जा मिले फिर कभी आप (ﷺ) ने इस नमाज़ को इसफ़ार यानी उजाले में नहीं पढ़ाया।

हदीष आइशा के ज़ेल में अल्लामा शौकानी फ़र्माते हैं—

'वल हदीषु यदुल्लु अला इस्तिहबाबिल मुबादरति बिस्लालतिल फ़ज़ि फ़ी अब्वलिल वक्रित व क़दिख़तलफल उलमाउ फ़ी ज़ालिक फ़ज़हबल अततु व मालिक वशशाफ़िइ व अहमद व इस्हाक़ व अबू शौर वल औजाइ व दाऊद बिन अली व अबू जा' फ़र अत्तबरी व हुवल मर्वी अन उमर व उम्मान वबनुज्जुबैरि व अनस व अबी मूसा व अबी हुसैर इला अन्नत्तग़लीस अफ़ज़लु व अन्नल इस्फ़ार ग़ैर मन्दूबिन व हुकिय हाज़ल क़ौलुल हाज़मी अन बक्रियतिल खुलफ़ाइल अरबअति वबि मस्कूद व अबी मस्कूद अल अन्सारी व अहलिल हिजाज़ि वहतजू बिल अहादीषिल मज़कूरति फ़ी हाज़ल बाबि व ग़ैरिहा व लितः स्त्रीहि अबी मस्कूदिन फिल हदीषिल आती बिअन्नहा कानत सल्लातुन्नबिय्यि ﷺ अत्तग़लीस हत्ता मात व लम यउद इल्लल इस्फ़ार' (नैलुल औतार जि. 2/स. 19)

खुलासा ये कि इस हदीष और दीगर अहादीष से ये रोज़े रोशन की तरह प्रभावित है कि फ़ज़ की नमाज़ ग़लस यानी अन्धेरे ही में अफ़ज़ल है और खुलफ़—ए—अरबआ और अकषर अइम्म—ए—दीन इमाम मालिक, शाफ़िई, अहमद, इस्हाक़ व अहले बैते नबवी और दीगर मज़कूरा उलम—ए—आलाम का यही फ़त्वा है और अबू मसऊद की हदीष में ये सराहतन मौजूद है कि आँहज़रत (ﷺ) ने आख़िर वक़्त तक ग़लस ही में ये नमाज़ पढ़ाई, चुनान्चे मदीना मुनव्वरा और हरमे मुहतरम और सारे हिजाज में अलहम्दुलिल्लाह अहले इस्लाम का यही अमल आज तक मौजूद है। आँहज़रत (ﷺ) के ज़्यादातर सहाबा का इस पर अमल रहा। जैसा कि इब्ने माज़ा में है, 'अन मुगीषिबि सुमय क़ाल सल्लयतु मअ अब्दिल्लाहिबिन्नुबैरिसुब्ह बिग़लसिन फ़लम्मा सल्लम अक्बलतु अला इब्नि उमर फ़कुलतु मा हाज़िहिस्सल्लातु क़ाल हाज़िही सल्लातुना कानत मअ रसूलिल्लाहि स. व अबी बक्र व उ मर फ़लम्मा तुइन उमरु अस्फ़र बिहा उम्मानु व इस्नादुहु सहीहुन' (तोहफ़तुल अहवजी जि. 1/स. 144) यानी मुगीष बिन सुमय नामी एक बुजुर्ग़ कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) के साथ फ़ज़ की नमाज़ ग़लस में यानी अन्धेरे में पढ़ी। सलाम फेरने के बाद मुक़तदियों में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) भी मौजूद थे। उनसे मैंने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बतलाया कि आँहज़रत (ﷺ) के साथ हमारी नमाज़ इसी वक़्त हुआ करती थी हज़रत अबू बक्र व उमर (रज़ि.) के ज़मानों में भी ये नमाज़ ग़लस ही में अदा की जाती रही मगर जब हज़रत उमर (रज़ि.) पर नमाज़े फ़ज़ में हमला किया गया तो एहतियातन हज़रत उम्मान (रज़ि.) ने उसे उजाले में पढ़ा।

इससे भी ज़ाहिर हुआ कि नमाज़े फ़ज़ का बेहतरीन वक़्त ग़लस यानी अन्धेरे ही में पढ़ना है। हनफ़िया के यहाँ इसके लिये इसफ़ार यानी उजाले में पढ़ना बेहतर माना गया है, मगर दलीलों के आधार पर ये ख़याल दुरुस्त नहीं।

हनफ़िया की दलील राफ़िअ बिन ख़दीज (रज़ि.) की वो हदीष है जिसमें आँहज़रत (ﷺ) का क़ौल मज़कूर है कि असफ़िरु बिल फ़ज़ इन्नहु आजम लिल अज़्र। यानी सुबह की नमाज़ उजाले में पढ़ो इसका प्रवाब ज़्यादा है। इस रिवायत का ये मतलब दुरुस्त नहीं कि सूरज निकलने के करीब होने पर ये नमाज़ अदा करो जैसा कि आजकल हनफ़िया का अमल है। इसका सही मतलब वो है जो इमाम तिर्मिज़ी ने अइम्म—ए—किराम से नक़ल किया है। चुनान्चे इमाम साहब फ़र्माते हैं, 'व क़ालशशाफ़िइ व अहमद व इस्हाक़ मअनल इस्फ़ारि अंय्यजिहल फ़ज़रु फ़ला यशुक़ फ़ीहि व लम यरौ अन्न मअनल इस्फ़ारि ताख़ीरुस्सलालति' यानी इमाम शाफ़िई (रह.) व अहमद व इस्हाक़ फ़र्माते हैं कि यहाँ इस्फ़ार का मतलब ये है कि फ़ज़ ख़ूब वाजेह हो जाए कि किसी को शक़ व शुबहा की गुंजाइश न रहे और ये मतलब नहीं कि नमाज़ को ताख़ीर (देर) करके पढ़ा जाए (जैसा कि हनफ़िया का आम मामूल है) बहुत से अइम्म—ए—दीन ने इसका ये मतलब भी बयान किया है कि नमाज़े फ़ज़ को अन्धेरे में ग़लस में शुरू किया जाए और क़िरअत इस क़दर तवील पढ़ी जाए कि सलाम फेरने के वक़्त ख़ूब उजाला

हो जाए। हज़रत इमामे आज़म अबूहनीफ़ा (रह.) के शागिर्दे रशीद हज़रत इमाम मुहम्मद (रह.) का भी यही मसलक है। (तफ़हीमुल बुखारी पारा 3 स. 33) हज़रत अल्लामा इब्ने क़टियम (रह.) ने ईलामुल मूकिईन में भी यही तफ़्सील बयान की है।

याद रखने की बात :—

ये कि ज़िक्र किया गया इख़ितलाफ़ (मतभेद) महज़ अव्वलियत व अफ़ज़लियत में हैं। वरना इसे हर शख़्स जानता व मानता है कि नमाज़े फ़ज़्र का अव्वल वक़्त ग़लस और आख़िर वक़्त तुलू-ए-शम्स है और दरमियान में सारे वक़्त में ये नमाज़ पढ़ी जा सकती है। इस तफ़्सील के बाद ता'ज़ुब है उन अवाम व ख़्वास बिरादराने अहनाफ़ पर ये कभी-भी ग़लस में नमाज़े फ़ज़्र नहीं पढ़ते बल्कि किसी जगह अगर ग़लस में जमाअत नज़र आए तो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ तक कि हरमैन शरीफ़ैन में भी कितने भाई नमाज़े फ़ज़्र अव्वल वक़्त जमाअत के साथ नहीं पढ़ते, इस ख़याल के आधार पर कि ये उनका मसलक नहीं है। ये अमल और ऐसा ज़हन बेहद ग़लत है। अल्लाह ने क समझ अता करे। खुद अहनाफ़ के बड़े उलमा के यहाँ बाज़ दफ़ा ग़लस का अमल रहा है।

देवबन्द में नमाज़े फ़ज़्र ग़लस में :—

साहिबे तफ़हीमुल बुखारी देवबन्दी फ़माति हैं कि इमाम बुखारी (रह.) ने जिन अह्लादीष का ज़िक्र किया है, इसमें क़ाबिले ग़ौर बात ये है कि तीन पहली अह्लादीष रमज़ान के महीने में नमाज़े फ़ज़्र पढ़ने से मुता'ल्लिक है क्योंकि इन तीनों में है कि हम सहरी खाने के बाद नमाज़ पढ़ते थे। इसलिये ये भी मुमकिन है कि रमज़ान की ज़रूरत की वजह से सहरी के बाद फ़ौरन पढ़ ली जाती रही कि सहरी के लिए जो लोग उठे हैं कहीं रात के बीच की इस बेदारी के नतीजे में वो ग़फ़लत की नीन्द न सो जाएँ और नमाज़ ही फ़ौत हो जाए। चुनान्वे दारुल उलूम देवबन्द में अकाबिर के अहद से इस पर अमल रहा है कि रमज़ान में सहरी के फ़ौरन बाद फ़ज़्र की नमाज़ शुरू हो जाती है। (तफ़हीमुल बुखारी पारा 3 स. 34)

मोहतरम ने यहाँ जिस एहतमाल का ज़िक्र फ़र्माया है इसकी तदीद के लिए हदीषे अबू मसऊद अन्सारी (रज़ि.) काफ़ी है जिसमें साफ़ मौजूद है कि आहज़रत (ﷺ) का नमाज़े फ़ज़्र के बारे में हमेशा ग़लस में पढ़ने का अमल रहा। यहाँ तक कि दुनिया से तशरीफ़ ले गए, इसमें रमज़ान वग़ैरह का कोई इम्तियाज़ (फ़र्क) न था।

बाज़ अहले इल्म ने हदीषे इस्फ़ार की ये तावील भी की है कि गर्मियों में रातें छोटी होती हैं इसलिये इस्फ़ार कर लिया जाये ताकि अक़्बुर लोग शरीके जमाअत हो सकें और सर्दियों में रात तवील होती है इसलिये उनमें ये नमाज़ ग़लस ही में अदा की जाए।

बहरहाल मज़बूत व ठोस दलीलों से प्राबित है कि नमाज़े फ़ज़्र ग़लस में अफ़ज़ल है और इस्फ़ार में जाइज़ है। इस पर लड़ना और झगड़ना और इसे वजहे इफ़्तिराक़ बनाना किसी तरह भी दुस्त नहीं। हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपने अहदे ख़िलाफ़त में आमिलों को लिखा था कि फ़ज़्र की नमाज़ उस वक़्त पढ़ा करो जब तारे गहने हुए आसमान पर साफ़ नज़र आते हो। यानी अव्वल वक़्त में पढ़ा करो।

बाब 28 : फ़ज़्र की एक रक़अत

पाने वाला

(579) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कअनी ने बयान किया इमाम मालिक से, उन्होंने ज़ैद बिन असलम से, उन्होंने अत्ता बिन यसार और बुस्र बिन सईद और अब्दुरहमान बिन हुर्मुज़ अअरज से, इन तीनों ने अबू हुरैरह (रज़ि.) के वास्ते से बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसने फ़ज़्र की नमाज़ की एक

۲۸- بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ

رَكْعَةً

۵۷۹- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنْ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

रकअत (जमाअत के साथ) सूरज तुलूअ होने से पहले पा ली उसने फ़ज़्र की नमाज़ (बाजमाअत का प्रवाब) पा लिया। और जिसने अस्र की एक रकअत (जमाअत के साथ) सूरज डूबने से पहले पा ली, उसने अस्र की नमाज़ (बाजमाअत का प्रवाब) पा लिया। (राजेअ : 556)

قَالَ: ((مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ الْعَصْرَ)).

[راجع: ٥٥٦]

अब उसे चाहिये कि बाक़ी नमाज़ बिला तरद्दुद पूरी कर ले। उसको नमाज़ वक़्त ही में अदा करने का प्रवाब हासिल होगा।

बाब 29 : जो कोई किसी नमाज़ की एक रकअत पा ले, उसने वो नमाज़ पा ली

٢٩- بَابُ مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً

(580) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने इब्ने शिहाब से, उन्होंने अबू सलमाम बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) से उन्होंने हज़रत अबू हु़रैरह (रज़ि.) से कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसने एक रकअत नमाज़ (बजमाअत) पा ली उसने नमाज़ (बजमाअत का प्रवाब) पा लिया। (राजेअ : 556)

٥٨٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ)).

[راجع: ٥٥٦]

तशरीह : अगला बाब फ़ज़्र और अस्र की नमाज़ों से खास था और ये बाब हर नमाज़ को शामिल है जिसका मतलब ये है कि जिस नमाज़ की एक रकअत वक़्त गुज़रने से पहले मिल गई तो गोया उसे सारी नमाज़ मिल गई। अब उसकी भी ये नमाज़ अदा ही मानी जाएगी, क़ज़ा न मानी जाएगी। इमाम नववी (रह.) फ़र्माते हैं कि इस सारे पर मुसलमानों का इजमाअत है कि पस वो नमाज़ी अपनी नमाज़ पूरी कर ले, इस हदीष से ये भी प्रामाणिक हुआ कि अगर किसी नमाज़ का वक़्त एक रकअत पढ़ने तक का बाक़ी हो और उस वक़्त कोई काफ़िर मुसलमान हो जाए या कोई लड़का बालिश हो जाए या कोई दीवाना होश में आ जाए या हाइज़ा औरत पाक हो जाए तो उस नमाज़ का पढ़ना उसके ऊपर फ़र्ज़ होगा।

बाब 30 : इस बयान में कि सुबह की नमाज़ के बाद सूरज बुलंद होने तक नमाज़ पढ़ने के बारे में क्या हुक्म है

٣٠- بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

(581) हमसे हफ़्स बिन उमर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हिशाम दस्तवाई ने बयान किया, उन्होंने क़तादा बिन दमामा से, उन्होंने अबुल आलिया रफ़ीअ से, उन्होंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से, फ़र्माया कि मेरे सामने चंद मुअतबर हज़रात ने गवाही दी, जिनमें सबसे ज़्यादा मोलतबर मेरे नज़दीक हज़रते उमर (रज़ि.) थे, कि नबी (ﷺ) ने फ़ज़्र की नमाज़ के बाद सूरज बुलंद होने तक और अस्र की नमाज़ के बाद सूरज डूबने तक नमाज़ पढ़ने से मना

٥٨١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غَمْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((شَهِدْتُ عِنْدِي رِجَالَ مَرْضِيُونَ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي غَمْرٌ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى

फ़र्माया।

हमसे मुसहद बिन मुसहद ने बयान किया, कहा हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने शुअबा से, उन्होंने क़तादा से कि मैंने अबुल आलिया से सुना, वो इब्ने अब्बास (रज़ि.) से बयान करते थे कि उन्होंने फ़र्माया कि मुझे से चंद लोगों ने ये हदीष बयान की। (जो ऊपर ज़िक्र हुई है)

(582) हमसे मुसहद ने बयान किया, कहा हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने हिशाम बिन उर्वा से, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे वालिद उर्वा ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि नमाज़ पढ़ने के लिये सूरज तुलूअ और गुरुब होने के इंतज़ार न बैठ रहो। (दीगर मक़ाम: 585, 589, 1192, 1629, 3283)

(583) हज़रत उर्वा ने कहा कि मुझे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब सूरज का ऊपर का किनारा तुलूअ होने लगे तो नमाज़ न पढ़ो यहाँ तक कि वो बुलंद हो जाए। और जब सूरज डूबने लगे उस वक़्त भी नमाज़ न पढ़ो, यहाँ तक कि गुरुब हो जाए। इस हदीष को यह्या बिन सईद क़त्तान के साथ अब्दुल बिन सुलैमान ने भी रिवायत किया है। (दीगर मक़ाम: 3272)

(584) हमसे इब्बैद बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने अबी सलमा के वास्ते से बयान किया। उन्होंने इब्बैदुल्लाह बिन उमर से, उन्होंने इब्बैब बिन अब्दुर्रहमान से, उन्होंने हफ़स बिन आसिम से, उन्होंने हज़रत अबू हु़रैरह (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने दो तरह की ख़रीदो—फ़रोख़्त और दो तरह के लिबास और दो वक़्तों की नमाज़ों से मना फ़र्माया। आप (ﷺ) ने नमाज़ फ़ज़्र के बाद सूरज निकलने तक और नमाज़े अस्र के बाद सूरज गुरुब होने तक नमाज़ पढ़ने से मना फ़र्माया (और कपड़ों में) इश्तिमाले स़मा यानी एक कपड़ा अपने ऊपर इस तरह लपेट लेना कि शर्मगाह खुल जाए और (एहतिबा) यानी एक कपड़े में गोटा मारकर बैठने से मना फ़र्माया। (और ख़रीदो—फ़रोख़्त में) आप (ﷺ) ने

تَقَرَّبَ)).

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نَاسٌ بِهَذَا.

٥٨٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تَحْرُزُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا)).

[أطرافه في : ٥٨٥، ٥٨٩، ١١٩٢،

١٦٢٩، ٣٢٧٣.]

٥٨٣- وَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخْرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخْرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ)). تَابِعَهُ عَبْدَةُ.

[طرفه في : ٣٢٧٢.]

٥٨٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لَيْسَتَيْنِ، وَعَنْ صَلَاتَيْنِ: نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَقْرُبَ الشَّمْسُ. وَعَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَاءِ، وَعَنْ الْإِحْتِيَاءِ فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضَى بِفَرْجِهِ

मुनाबज़ा और मुलामसा से मना फ़र्माया।

(राजेअ: 368)

إِلَى السَّمَاءِ وَعَنِ الْمَنَابِذِ، وَ

الْمَلَأَمَسَةِ. [راجع: ٣٦٨]

तशरीह:

दिन और रात में कुछ वक़्त ऐसे है जिनमें नमाज़ अदा करना मकरुह है। सूरज निकलते वक़्त और ठीक दोपहर में और अस्त्र की नमाज़ के बाद गुरुबे शम्स तक और फ़ज़्र की नमाज़ के बाद सूरज निकलने तक हाँ अगर कोई फ़ज़्र की नमाज़ कज़ा हो गई हो उसका पढ़ लेना जाइज़ है और फ़ज़्र की सुन्नतें भी जमाअत होते हुए पढ़ते रहते हैं वो हदीष के खिलाफ़ करते हैं।

दो लिबासों से मुराद एक इश्तिमाले समा है यानी एक कपड़े का सारे बदन पर इस तरह लपेट लेना कि हाथ वग़ैरह कुछ बाहर न निकल सके और इहतिबा एक कपड़े में गोट मारकर इस तरह बैठना कि पाँव पेट से अलग हो और शर्मगाह आसमान की तरफ़ खुली रहे।

दो ख़रीद व फ़रोख्त में अव्वल बैअे मुनाबज़ा ये है कि मुश्तरी (बेचने वाला) या बायेअ जब अपना कपड़ा उस पर फेंक दे तो वो बैअ लाज़िम हो जाए और बैअे मुलामसा ये कि मुश्तरी का या मुश्तरी (बेचने वाले का कपड़ा) छू ले तो बैअ पूरी हो जाए, इस्लाम ने इन सबको बन्द कर दिया।

बाब 31 : इस बारे में कि सूरज छुपने से पहले

क्रुद करके नमाज़ न पढ़े

(585) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया कि कहा हमें इमाम मालिक ने नाफ़ेअ से ख़बर दी, उन्होंने इब्ने उमर (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि कोई तुममें से इंतज़ार में न बैठा रहे कि सूरज तुलूअ होते ही नमाज़ के लिये खड़ा हो जाए। इसी तरह सूरज के डूबने के इंतज़ार में भी न बैठा रहना चाहिए। (राजेअ: 582)

(586) हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन सअद ने बयान किया, उन्होंने मालेह से ये हदीष बयान की, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने कहा मुझसे अत्रा बिन यज़ीद जुदई लैषी ने बयान किया कि उन्होंने हज़रते अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से सुना। उन्होंने फ़र्माया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना। आप (ﷺ) फ़र्मा रहे थे कि फ़ज़्र की नमाज़ के बाद कोई नमाज़ सूरज के बुलंद होने तक न पढ़ी जाए। इसी तरह अस्त्र की नमाज़ के बाद सूरज डूबने तक कोई नमाज़ न पढ़ी जाए।

(दीगर मक़ाम: 1188, 1197, 1864, 1996, 1995)

٣١- بَابُ لَا يَتَحَرَى الصَّلَاةَ قَبْلَ

غُرُوبِ الشَّمْسِ

٥٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَا يَتَحَرَى أَحَدُكُمْ

فِيصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا عِنْدَ

غُرُوبِهَا)). [راجع: ٥٨٢]

٥٨٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُؤْتِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ

يَزِيدَ الْجَنْدَعِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ

الْحُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

قَالَ: ((لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى

تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ

حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ)).

[أطرافه في: ١١٨٨، ١١٩٧، ١٨٦٤،

١٩٩٢، ١٩٩٥].

(587) हमसे मुहम्मद बिन अबान ने बयान किया, कहा कि हमसे गुंदर मुहम्मद बिन जा'फ़र ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने हदीष बयान की अबुत तियाह यज़ीद बिन हमीद से, कहा कि मैंने हम्मान बिन अबान से सुना, वो मुआविया बिन अबी सुफ़यान (रज़ि.) से ये हदीष बयान करते थे कि उन्होंने फ़र्माया कि तुम लोग तो एक ऐसी नमाज़ पढ़ते हो कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुहबत में रहे लेकिन हमने कभी आप (ﷺ) को वो नमाज़ पढ़ते नहीं देखा बल्कि आपने तो उससे मना फ़र्माया था हज़रत मुआविया (रज़ि.) की मुराद अस्र के बाद दो रकअतों से थी। (जिसे आपके ज़माने में कुछ लोग पढ़ते थे) (दीगर मक़ाम : 3766)

इस्माईली की रिवायत में है हज़रत अमीर मुआविया (रज़ि.) ने हमको खुतबा सुनाया, हाफ़िज़ इब्ने हज़र फ़र्माते हैं कि शायद हज़रत मुआविया (रज़ि.) के अस्र के बाद दो सुन्नतों को मना किया लेकिन हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायत से उनका पढ़ना प्राबित होता है मगर आप उनको मस्जिद में नहीं पढ़ा करते थे। अक़्बर उलमा ने इसे खुसूसियाते नबवी में शुमार किया है जैसा वि़साल का रोज़ा आप रखते थे और उम्मत के लिये मना फ़र्माया। इसी तरह उम्मत के लिये अस्र के बाद नफ़िल नमाज़ों की इजाज़त नहीं है।

(588) हमसे मुहम्मद बिन सलमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुह ने बयान किया, उन्होंने अबैदुल्लाह से ख़बर दी, उन्होने खुबैब से, उन्होंने हफ़स बिन आसिम से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने दो वक़्तों की नमाज़ पढ़ने से मना किया। नमाज़े फ़ज़्र के बाद सूरज निकलने तक और नमाज़े अस्र के बाद सूरज गुरुब होने तक। (राजेज़ : 368)

बाब 32 : उस शख़्स की दलील जिसने फ़क़त अस्र और फ़ज़्र के बाद नमाज़ को मकरूह रखा है
इसको हज़रत इमर, इब्ने इमर, अबू सईद ख़ुदरी और अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया।

(589) हमसे अबुन नोअमान मुहम्मद बिन फ़ज़ल ने बयान किया, कहा हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने अय्यूब से बयान किया, उन्होंने नाफ़ेअ से, उन्होंने इब्ने इमर (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि जिस तरह मैंने अपने साथियों को नमाज़ पढ़ते देखा। मैं भी उसी तरह नमाज़ पढ़ता हूँ। किसी को रोकता नहीं। दिन और रात के जिस हिस्से में जी चाहे नमाज़ पढ़ सकता है। अलबत्ता सूरज

٥٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ قَالَ : سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبِي يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : ((إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً لَقَدْ صَحَّحْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهِمَا. وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا)) يَعْنِي الرَّكَعَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
[طرفه في : ٣٧٦٦]

٥٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُنَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ)). [راجع : ٣٦٨]

٣٢- بَابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ

رَوَاهُ عُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ.

٥٨٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْعُقَيْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَلِّيَ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَصَلُّونَ. لَا أَنَّهُمْ أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ مَا شَاءَ. غَيْرَ أَنْ لَا تَحْرُوا طُلُوعَ

के तुलूअ और गुरूब के वक़्त नमाज़ न पढ़ा करो। (राजेअ: 582)

الشمس ولا غروبها. [راجع: ٥٨٢]

ऐन ज़वाल का वक़्त भी नमाज़ पढ़ने की मुमानअत सही अह्लादीष से प्राबित है। मगर मा'लूम होता है कि हज़रत इमाम बुखारी (रह.) को कोई ऐसी रिवायत इस बाब में नहीं मिली जो इनकी शराइत के मुताबिक सही हो।

बाब 33 : अस्र के बाद क़ज़ा नमाज़ें या उसकी तरह मसलन जनाज़े की नमाज़ वग़ैरह पढ़ना

٣٣- بَابُ مَا يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ

الْفَوَائِتِ وَنَحْوَهَا

और कुरैब ने हज़रते उम्मे सलमा (रज़ि.) के वास्ते से बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने अस्र के बाद दो रकआत पढ़ीं, फिर फ़र्माया अबू अब्दुल क़ैस के वप़द से बातचीत की वजह से जुहर की दो रकअतें नहीं पढ़ सका था।

وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: ((شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ)).

चुनान्चे इनको आपने अस्र के बाद अदा फ़र्माया। फिर आप (ﷺ) घर में उनको अदा करते ही रहे और ये आपकी खुसूसियात में से हैं, उम्मत के लिये ये मना है मगर क़स्तलानी ने कहा कि मुहदिषीन ने इससे दलील ली है कि फ़ौतशुदा नवाफ़िल का अस्र के बाद पढ़ना भी दुरुस्त है। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का यही रुज़हान मालूम होता है।

(590) हमसे अबू नुऐम फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, कि कहा हमसे अब्दुल वाहिद बिन ऐमन ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ऐमन ने हदीष बयान की कि उन्होंने आइशा (रज़ि.) से सुना। आपने फ़र्माया कि अल्लाह की क़सम! जिसने रसूलुल्लाह (ﷺ) को अपने यहाँ बुला लिया। आप (ﷺ) ने अस्र के बाद की दो रकअतों को कभी तर्क नहीं फ़र्माया, यहाँ तक कि आप अल्लाह पाक से जा मिले। और आपको वफ़ात से पहले नमाज़ पढ़ने में बड़ी दुश्वारी पेश आती थी। फिर अक़षर आप बैठकर नमाज़ अदा फ़र्माया करते थे। अगरचे नबी करीम (ﷺ) उन्हें पूरी पाबन्दी के साथ पढ़ते थे लेकिन इस डर से कि कहीं (सहाबा भी पढ़ने लगे और इस तरह) उम्मत को गिराँ बारी हो, उन्हें आप (ﷺ) मस्जिद में नहीं पढ़ते थे। आप (ﷺ) को अपनी उम्मत का हल्का रखना पसंद था।

٥٩٠- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ، وَمَا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلَاةِ، وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا - تَغْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ - وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهِمَا، وَلَا يُصَلِّيهِمَا لِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يَثْقَلَ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُجِبُ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ.

[أطرافه في: ٥٩١، ٥٩٢، ٥٩٣]

[١٦٣١]

इससे ये भी मा'लूम हुआ कि ये नमाज़ आप (ﷺ) की खुसूसियात में दाख़िल थी।

(591) हमसे मुसहद बिन मुस्रहिद ने बयान किया, कहा हमसे यह्या क़त्तान ने बयान किया, कहा हमसे हिशाम बिन उर्वा ने बयान किया, कहा कि मुझे मेरे बाप उर्वा ने ख़बर दी, कहा कि आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, मेरे भांजे! नबी करीम (ﷺ) ने अस्र

٥٩١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ: ابْنُ أَخْتِي مَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ

के बाद की दो रकआत मेरे यहाँ कभी तर्क नहीं कीं।
(राजेअ: 590)

यानी आप (ﷺ) घर तशरीफ़ लाकर ज़रूर उनको पढ़ लिया करते थे और ये अमल आपके साथ खास था।

(592) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, कहा हमसे शैबानी ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुरहमान बिन अस्वद ने बयान किया, उन्होंने अपने बाप से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि आपने फ़र्माया कि दो रकआतों को रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कभी तर्क नहीं फ़र्माया। पोशीदा हो या आम लोगों के सामने, सुबह की नमाज़ से पहले दो रकआत और अस्र की नमाज़ के बाद दो रकआत। (राजेअ: 590)

(593) हमसे मुहम्मद बिन अरअराने बयान किया, कहा हमसे शुअबा ने अबू इस्हाक़ से बयान किया, कहा कि हमने अस्वद बिन यज़ीद और मसरूक़ बिन अज्दअ को देखा कि उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) के इस कहने पर गवाही दी कि नबी करीम (ﷺ) जब भी मेरे घर में अस्र के बाद तशरीफ़ लाए तो दो रकआत ज़रूर पढ़ते।

मगर उम्मत के लिये आप (ﷺ) ने अस्र के बाद नफ़िल नमाज़ों से मना फ़र्माया।

बाब 34 : अब्र (बादल या बारिश) के दिनों में नमाज़ के लिए जल्दी करना (यानी सवेरे पढ़ना)

(594) हमसे मुआज बिन फ़ज़ालाने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हिशाम दस्तवाई ने यह्या बिन अबी क़सीर से बयान किया, वो क़िलाबा से नक़ल करते हैं कि अबुल मलीह आमिर बिन उसामा हज़ली ने उनसे बयान किया, उन्होंने कहा कि हम अब्र के दिन एक बार बुरैदा बिन हज़ीब (रज़ि.) सहाबी के साथ थे, उन्होंने फ़र्माया कि नमाज़ सवेरे पढ़ा करो क्योंकि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया है कि जिसने अस्र की नमाज़ छोड़ दी उसका अमल अकारत हो गया। (राजेअ: 553)

यानी उसके आमाल का प्रभाव मिट गया। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने ये हदीष नक़ल करके इस हदीष के दूसरे तरीक़ की तरफ़ इशारा किया है। जिसे इस्माईली ने निकाला है और जिसमें साफ़ यूँ है कि अब्र के दिन नमाज़ सवेरे पढ़ लो क्योंकि जिसने

السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ.

[راجع: ٥٩٠]

٥٩٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَكَعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً: رَكَعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ. [راجع: ٥٩٠]

٥٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: رَأَيْتُ الْأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا شَهِدَا عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكَعَتَيْنِ)).

٣٤- بَابُ التَّبَكُّيرِ بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ

غَيْمٍ

٥٩٤- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْيَى - هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ حَدَّثَهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ: بَكَّرُوا بِالصَّلَاةِ لِإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ)). [راجع: ٥٥٣]

अस्र की नमाज़ छोड़ी, उसके सारे नेक आमाल बर्बाद हो गये। हज़रत इमाम की आदत है कि वो बाब ही उस हदीष पर लाते हैं जिससे आपका मक़सद दूसरे तरीक़ की तरफ़ इशारा करना होता है जिसको आपने बयान नहीं फ़र्माया।

बाब 35 : वक़्त निकल जाने के बाद नमाज़

पढ़ते वक़्त अज़ान देना

(595) हमसे इमरान बिन मैसरा ने रिवायत किया, कहा हमसे मुहम्मद बिन फ़ुज़ैल ने बयान किया, कहा कि हमसे हुसैन बिन अब्दुरहमान ने अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा से, उन्होंने अपने बाप से, कहा हम (ख़ैबर से लौटकर) नबी करमी (ﷺ) के साथ रात में सफ़र कर रहे थे। किसी ने कहा कि हुज़ूर (ﷺ)! आप अब पड़ाव डाल देते तो बेहतर होता। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुझे डर है कहीं नमाज़ के वक़्त भी तुम सोते न रह जाओ। इस पर हज़रत बिलाल (रज़ि.) बोले कि मैं आप सब लोगों को जगा दूँगा। चुनौचे सब लोग लेट गए। और हज़रते बिलाल (रज़ि.) ने भी अपनी पीठ कजावा से लगा ली और उनकी भी आँख लग गई। और जब नबी करीम (ﷺ) बेदार हुए तो सूरज के ऊपर का हिस्सा निकल चुका था। आपने फ़र्माया बिलाल (रज़ि.)! तूने क्या कहा था। वो बोले आज जैसी नींद मुझे कभी नहीं आई। फिर रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह तआला तुम्हारी अरवाह (रूहों) को जब चाहता है क़ब्ज़ कर लेता है और जिस वक़्त चाहता है वापस कर देता है। ऐ बिलाल! उठ और अज़ान दे। फिर आप (ﷺ) ने वुजू किया और जब सूरज बुलंद होकर रोशन हो गया तो आप (ﷺ) खड़े हुए और नमाज़ पढ़ाई।

(दीगर मक़ाम : 7471)

तशरीह: इस हदीष शरीफ़ से क़ज़ा-ए-नमाज़ के लिये अज़ान देना प्राबित हुआ। इमाम शाफ़िई (रह.) का क़दीम क़ौल यही है और यही मज़हब है इमाम अहमद अबू घोर और इब्ने मुन्ज़िर का और अहले हदीष के नज़दीक जिस नमाज़ से आदमी सो जाये या भूल जाये फिर जागे या याद आये और उसको पढ़ ले तो वो अदा होगी न कि क़ज़ा क्योंकि सहीह हदीष में है कि उस का वक़्त वही है जब आदमी जागा या उसको याद आई। (मौलाना वहीदुज्जमाँ मरहूम)

बाब 36 : इस बारे में जिसने वक़्त निकल जाने के

बाद क़ज़ा नमाज़ लोगों के साथ जमाअत से पढ़ी

(596) हमसे मुआज़ बिन फ़ज़ाला ने हदीष नक़ल की, उन्होंने

۳۵- بَابُ الْأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ

الْوَقْتِ

۵۹۵- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَسْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَسْتُمْ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: ((أَخَافُ أَنْ تَتَأَمَّوْا عَنِ الصَّلَاةِ)). قَالَ بِلَالٌ: أَنَا أَوْقِظُكُمْ. فَاضْطَجَعُوا، وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَعَلَبَتُهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ. فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ، وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَالَ: ((يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتُمْ؟)) قَالَ: مَا أَلْقَيْتُ عَلَيَّ نَوْمَةً مِثْلَهَا قَطُّ. قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ. يَا بِلَالُ فَمَ مَاذَا نَبَأُ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ)). فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْتَاسَتْ قَامَ فَصَلَّى.

[طرفه في : ۷۴۷۱].

۳۶- بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً

بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

۵۹۶- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ:

कहा हमसे हिशाम दस्तवाई ने बयान किया, उन्होंने यह्या बिन अबी कसीर से रिवायत किया, उन्होंने अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से, उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ग़ज़व-ए-ख़ंदक के मौक़े पर (एक बार) सूरज गुरुब होने के बाद आए और वो कुफ़रारे कुरैश को बुग़ा भला कह रहे थे। और आपने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! सूरज गुरुब हो गया, और नमाज़े अस्त्र पढ़ना मेरे लिए मुम्किन न हो सका। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि नमाज़ मैंने भी नहीं पढ़ी। फिर हम वादी-ए-बत्हान में गए और आपने वहाँ नमाज़ के लिए वुजू किया, हमने भी वुजू किया। उस वक़्त सूरज डूब चुका था। पहले आप (ﷺ) ने अस्त्र पढ़ाई उसके बाद मरिब की नमाज़ पढ़ी।

(दीगर मक़ाम: 598, 641, 945, 4112)

حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا
غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كَفَّارَ
قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ
أَصَلِّيَ الْفَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ
تَغْرُبُ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَاللَّهِ مَا
صَلَّيْتُهَا)). فَقُمْنَا إِلَى بَطْحَانَ قَوْصًا
لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهُ، (فَصَلَّيْتُ الْفَصْرَ بَعْدَ
مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا
الْمَغْرِبَ). [أطرافه في: ٥٩٨، ٦٤١]

[٤١١٢, ٩٤٥]

तशरीह: जंगे खन्दक या अहज़ाब पाँच हिजरी में हुई। तफ़्सीली ज़िक्र अपनी जगह आयेगा। इस रिवायत में गोया सराह्त नहीं है कि आप (ﷺ) ने जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ी मगर आप (ﷺ) की आदते मुबारका यही थी कि लोगों के साथ जमाअत से नमाज़ पढ़ते। लिहाज़ा ये नमाज़ भी आप (ﷺ) ने जमाअत ही से पढ़ी होगी और इस्माईली की रिवायत में साफ़ यूँ ज़िक्र है कि आप (ﷺ) ने सहाबा (रज़ि.) के साथ नमाज़ पढ़ी।

इस हदीष की शरह में अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, '(क्रौलुहू मा कितु) लफ़्ज़ुहू काद मिन अफ़आलिल मुकारबति फ़इज़ा कुलत काद ज़ैदुन यकूम फुहिम मिन्हु अन्नहू कारिबुल क्रियामि व लम यकुम कमा तकररून फिन्नहवि वल हदीषु यदुल्लु अला वुजूबि क़ज़ाइस्सलातिल मतरुकति लि उज़िल इश्तिग़ालि बिल क्रितालि व क़द वक़अल ख़िलाफु फ़ी सबबि तर्किन्नबिय्यि ﷺ व अस्हाबिही लिहाज़िहिस्सलाति फ़क़ील तरकूहा निस्यानन व क़ील शगलू फ़लम यतमक़नू व हुवल अत्तरबु कमा क़ालल हाफ़िज़ु व फ़ी सुननिन्नसइ अन अबी सईदिन अन्न ज़ालिक क़बल अय्युनज़िल्लाहु फ़ी स़लातिल ख़ौफ़ि फ़रिजालन औ रुक्बानन व सयातिल हदीषु व क़दिस्तुदिल्ल बिहाज़ल हदीषि अला वुजूबित्तरतीबि बैनलफ़वाइतिल मक्किज़य्यति वल मौदाति' (नैलुल औतार जिल्द 2/स. 31)

यानी लफ़्ज़े काद अफ़आले मुकारबा से है। जब तुम काद ज़ैदुन यकूम (यानी ज़ैद करीब हुआ कि खड़ा हो) बोलोगे तो इससे समझा जायेगा कि ज़ैद खड़े होने के करीब तो हुआ मगर खड़ा नहीं हो सका जैसा कि नहव में कायदा मुकरर है पस रिवायत में हज़रत उमर (रज़ि.) के बयान का मक़सद ये कि नमाज़े अस्त्र के लिये उन्होंने आखिर वक़्त तक कोशिश की मगर वो अदा न कर सके। हज़रत मौलाना वहीदुज्जमा मरहूम के तर्जुमे में नफ़ी की जगह इब्बात है कि आखिर वक़्त में उन्होंने अस्त्र की नमाज़ पढ़ ली। मगर इमाम शौकानी की वज़ाहत और हदीष का सियाक़ व सबाक़ बतला रहा है कि नफ़ी ही का तर्जुमा दुरुस्त है कि वो नमाज़े अस्त्र अदा न कर सके थे इसीलिये वो खुद फ़र्मा रहे हैं कि फ़-तवज्जअलिस्सलाति व तवज्जअना लहा कि आपने भी वुजू किया और हमने भी इसके लिये वुजू किया।)

ये हदीष दलील है कि जो नमाज़े जंग व जिहाद की मशगूलियत या और किसी शरई वजह से छूट जाये उनकी क़ज़ा वाजिब है और इसमें इख़िताफ़ है कि नबी (ﷺ) और सहाबा किराम (रज़ि.) से नमाज़ क्यों तर्क हुई। बाज़ भूलचूक की वजह

बयान करते हैं और बाज़ का बयान है कि जंग की तेज़ी और मसरुफियत की वजह से ऐसा हुआ और यही दुरुस्त मा'लूम होता है। जैसा कि हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) ने फ़र्माया है और निसाई से हज़रत अबू सईद (रज़ि.) की रिवायत में है कि ये सल्लाते ख़ौफ़ के नुज़ूल से पहले का वाक़िआ है। जबकि हुक्म था कि हालते जंग में पैदल या सवार जिस तरह भी मुमकिन हो नमाज़ अदा कर ली जाये। इस हदीष से ये भी प्रबित हुआ कि फ़ौत होने वाली नमाज़ों को तर्तीब के साथ अदा करना वाजिब है।

बाब 37 : जो शख़्स कोई नमाज़ भूल जाए तो जब याद आए उस वक़्त पढ़ ले और फ़क़त वही नमाज़ पढ़े और इब्राहीम नख़ई ने कहा जो शख़्स बीस साल तक एक नमाज़ छोड़ दे तो फ़क़त वही एक नमाज़ पढ़ ले

(597) हमसे अबू नुऐम फ़ज़ल बिन दुकैन और मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन दोनों ने कहा कि हमसे हम्माम बिन यह्या ने क़तादा से बयान किया, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया अगर कोई नमाज़ पढ़ना भूल जाए तो जब याद आ जाए उसको पढ़ ले। इस क़ज़ा के सिवा और कोई क़म्फ़ारा उसकी वजह से नहीं होता। और (अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि) नमाज़ मेरे याद आने पर कायम कर। मूसा ने कहा कि हमसे हम्माम ने हदीष बयान की कि मैंने क़तादा (रज़ि.) से सुना यूँ पढ़ते थे नमाज़ पढ़ मेरी याद के लिये। हब्बान बिन हिलाल ने कहा, हमसे हम्माम ने बयान किया, कहा हमसे क़तादा ने, कहा हमसे अनस ने, उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से, फिर ऐसी ही हदीष बयान की।

इससे इमाम बुखारी (रह.) का मक़सद उन लोगों की तर्दीद है जो कहते हैं कि क़ज़ा शुदा नमाज़ दोबारा पढ़े। एक बार जब याद आये और दूसरी बार दूसरे दिन उसके वक़्त पर पढ़े उस मौके पर आँहज़रत (ﷺ) ने आयते शरीफ़ा व अक्रिमिस्सल्लात लिज़िबरी इसलिये तिलावत फ़र्माई कि क़ज़ा नमाज़ जब भी याद आ जाये उसका वही वक़्त है, उस वक़्त उसे पढ़ लिया जाये। शारिहीन लिखते हैं, 'फ़िल्आयति वुजूहुम्मिनल मआनी अक्वबुहा मुनासबतुन बिज़ालिकल हदीषि अय्युकाल अक्रिमिस्सल्लात वक़्त जिक्विहा फ़इन्न जिक्विस्सल्लाति हुव जिक्वल्लाहि तआला औ युक्दरुल मुज़ाफ़ु फ़युकाल अक्रिमिस्सल्लात वक़्त जिक्विस्सल्लाती' यानी नमाज़ याद आने के वक़्त पर कायम करो।

बाब 38 : अगर कई नमाज़ें क़ज़ा हो जाएँ तो उनको तर्तीब के साथ पढ़ना

۳۷- بَابُ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيَصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً عَشْرِينَ سَنَةً لَمْ يُعَدِّ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ.

۵۹۷- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيَصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾)). قَالَ مُوسَى قَالَ هَمَّامٌ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾. وَقَالَ حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

۳۸- بَابُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْأُولَى
فَالأُولَى

(598) हमसे मुसद्द ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने, कहा कि हमसे हिशाम दस्तवाई ने हदीष बयान की, कहा कि हमसे यह्या जो अबी क़रीर के बेटे हैं, ने हदीष बयान की अबू सलमा से, उन्होंने जाबिर (रज़ि.) से, उन्होंने फ़र्माया कि उमर (रज़ि.) ग़ज़व-ए-ख़ंदक़ के मौक़े पर (एक दिन) कुफ़फ़ार को बुरा-भला कहने लगे। फ़र्माया कि सूरज गुरुब हो गया, लेकिन मैं (लड़ाई की वजह से) नमाज़े अस्त्र न पढ़ सका। जाबिर (रज़ि.) ने बयान किया कि फिर हम वादी-ए-बत्तहान की तरफ़ गए। और (आप ﷺ ने अस्त्र की नमाज़) गुरुबे शम्स के बाद पढ़ी उसके बाद मग़रिब पढ़ी। (राजेअ : 596)

हदीष और बाब में मुताबक़त ज़ाहिर है कि आपने पहले अस्त्र की नमाज़ अदा की फिर मग़रिब की। श्राबित हुआ कि फौतशुदा नमाज़ों में तर्तीब का ख़याल ज़रूरी है।

बाब 39 : इशा की नमाज़ के बाद समर यानी दुनिया की बातें करना मकरूह है

सामिर का लफ़ज़ जो कुआन में है समर ही से निकला है। उसकी जमा (बहुवचन) सुम्मार है और लफ़ज़े सामिर इस आयत में जमा के मा'नी में है। समर अस्ल में चांद की रोशनी को कहते हैं, अहले अरब चांदनी रातों में गपशप किया करते थे।

सूरह मोमिनून में ये आयत है मुस्तक़बिरीन बिही सामिरन तहज़रून यानी तुम मेरी आयतों पर अकड़ के बेहूदा बकवास किया करते थे। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) की ये आदत है कि हदीष में कोई लफ़ज़ कुआन शरीफ़ का आ जाए तो उसकी तफ़सीर भी साथ ही बयान कर देते हैं।

(599) हमसे मुसद्द बिन मुसहिद ने बयान किया, कहा हमसे यह्या इब्ने सईद क़त्तान ने, कहा हमसे औफ़ अअराबी ने, कहा कि हमसे अबुल मिन्हाल सय्यार बिन सलमा ने, उन्होंने कहा कि मैं अपने बाप सलमा के साथ बर्जा असलमी (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। उनसे मेरे वालिद स़ाहब ने पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ)! फ़र्ज़ नमाज़ें किस तरह (यानी किन-किन अवक़ात में) पढ़ते थे। हमसे इसके बारे में बयान फ़र्माइये। उन्होंने फ़र्माया कि आप (ﷺ) जहीर (जुहर) जिसे तुम स़लाते ऊला कहते हो सूरज ढलते ही पढ़ते थे और आप (ﷺ) के अस्त्र पढ़ने के बाद कोई शख़्स अपने घर वापस होता और वो भी मदीना सबसे आख़िरी किनारे पर तो सूरज अभी स़ाफ़ और रोशन होता। मग़रिब के बारे

۵۹۸- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ فَقَالَ: يَا مَا كَذَبْتَ أَصَلَى الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ. قَالَ: فَتَرَكْنَا بَطْحَانَ فَصَلَّى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ.

[راجع : ۵۹۶]

۳۹- بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنَ السَّمْرِ بَعْدَ

الْعِشَاءِ

السَّمْرِ فِي الْفَقْدِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ السَّامِرِ وَالْجَمْعِ السَّمَارِ وَالسَّامِرُ هُنَا فِي مَوْضِعِ الْجَمْعِ وَاصْلُ السَّمْرِ ضُلُوكُ الْقَمَرِ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فِيهِ.

۵۹۹- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ: (انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: حَدَّثَنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ - وَهِيَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى - حِينَ تَذْخَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ فِي أَلْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ.

में आपने जो कुछ भी बताया मुझे याद नहीं रहा। और फ़र्माया कि इशा में आप (ﷺ) देर करना पसंद फ़र्माते थे। इससे पहले सोने को और इसके बाद बात करने को पसंद नहीं करते थे। सुबह की नमाज़ से जब आप (ﷺ) फ़ारिग होते तो हम अपने करीब बैठे हुए दूसरे शख्स को पहचान लेते। आप (ﷺ) फ़ज़्र में साठ से सौ तक आयतें पढ़ते थे। (राजेअ : 100)

बाब 40 : इस बारे में कि मसले—मसाइल की बातें और नेक बातें इशा के बाद भी करना दुरुस्त है

(600) हमसे अब्दुल्लाह बिन मब्बाह ने बयान किया, कहा हमसे अबू अली अब्दुल्लाह हनफ़ी ने, कहा हमसे कुरा बिन ख़ालिद सदूसी ने, उन्होंने कहा कि एक दिन हज़रते हसन बसरी (रह.) ने बड़ी देर की। और हम आपका इतिज़ार करते रहे। जब उनके उठने का वक़्त करीब हो गया तो आप आए और (बतौर मज़रत) फ़र्माया कि मेरे इन पड़ोसियों ने मुझे बुला लिया था (इसलिये देर हो गई) फिर बतलाया कि अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कहा था कि हम एक रात नबी करीम (ﷺ) का इतिज़ार करते रहे। तक्ररीबन आधी रात हो गई तो आप (ﷺ) तशरीफ़ लाए, फिर हमें नमाज़ पढ़ाई। उसके बाद ख़ुत्बा दिया। फिर आपने फ़र्माया कि दूसरों ने नमाज़ पढ़ ली और सो गए। लेकिन तुम लोग जब तक नमाज़ के इतिज़ार में रहे हो गोया नमाज़ ही की हालत में रहे हो। इमाम हसन बसरी (रह.) ने फ़र्माया कि अगर लोग किसी ख़ैर के इतिज़ार में बैठे रहें तो वो भी ख़ैर की हालत ही में हैं। कुरा बिन ख़ालिद ने कहा कि हसन का ये क़ौल भी हज़रते अनस (रज़ि.) की ह दीष का है जो उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत की है। (राजेअ : 572)

وَسَيِّئٌ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ الْعِشَاءَ. قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. وَكَانَ يَنْفِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ أَحَدَنَا جَلِيْسَةً، وَيَقْرَأُ مِنَ السُّنَنِ إِلَى الْمِيَاثَةِ.

[راجع: ١٠٠]

٤٠- بَابُ السَّمْرِ فِي الْفِهِ الْخَيْرِ بَعْدَ

الْعِشَاءِ

٦٠٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: انْتَبَهْنَا الْحَسَنَ، وَرَأَتْ عَلَيْنَا حَتَّى قَرَبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ، فَجَاءَ فَقَالَ: دَعَانَا جِرَانًا هَؤُلَاءِ. ثُمَّ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: نَظَرْنَا النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ يَبْلُغُهُ، فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا، ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ: ((أَلَا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا ثُمَّ رَقَدُوا، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَبَهْتُمْ الصَّلَاةَ قَالَ الْحَسَنُ وَإِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا انْتَبَهَرُوا الْخَيْرِ)). قَالَ قُرَّةُ: هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[راجع: ٥٧٢]

तशरीह:

तिर्मिज़ी ने हज़रत उमर (रज़ि.) की एक हदीष रिवायत की है कि नबी करीम (ﷺ) और अबू बक्र सिद्दीक (रज़ि.) रात में मुसलमानों मुआमलात के बारे में गुफ्तगू फ़र्माया करते थे और मैं भी उसमें शरीक रहता था। यानी अगरचे आम हालात में इशा के बाद सो जाना चाहिए लेकिन अगर कोई भलाई का काम पेश आ जाए या इल्मी व दीनी कोई काम करना हो तो इशा के बाद जागने में बशर्ते कि सुबह की नमाज़ छूटने का ख़तरा न हो कोई मुजायका नहीं। इमाम हसन बसरी (रह.) का मामूल था कि रोज़ाना रात में ता'लीम के लिये मस्जिद में बैठा करते थे लेकिन आज आने में देर की और उस वक़्त आये जब ये ता'लीमी मजलिस हस्बे मामूल खत्म हो जानी चाहिए थी। हज़रत हसन (रज़ि.) ने उसके बाद लोगों को नसीहत की

और फ़र्माया कि आँहज़रत (ﷺ) ने एक मर्तबा देर से नमाज़ पढ़ाई और यही फ़र्माया। ये हदीष दूसरी सनदों के साथ पहले भी गुज़र चुकी है इससे ये प्राबित होता है कि इशा के बाद दीन और भलाई की बातें करना ममनूअ नहीं है।

(601) हमसे अबुल यमान हकम बिन नाफ़ेअ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐब बिन अबी हम्ज़ा ने जुहरी से खबर दी, कहा कि मुझसे सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) और अबूबक्र बिन अबी हम्मा ने हदीष बयान की कि अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने इशा की नमाज़ पढ़ी अपनी ज़िंदगी के आख़री ज़माने में। सलाम फेरने के बाद आप (ﷺ) खड़े हुए और फ़र्माया कि इस रात के बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? आज इस रूए ज़मीन पर जितने इंसान ज़िन्दा हैं। सौ साल बाद इनमें से कोई भी बाक़ी नहीं रहेगा। लोगों ने आँहुज़ूर (ﷺ) का कलाम समझने में ग़लती की और मुख्तलिफ़ बातें करने लगे। (अबू मसऊद रज़ि. ने ये समझा कि सौ बरस बाद क़यामत आएगी) हालाँकि आपका मक़सद सिर्फ़ ये था कि जो लोग आज (इस बातचीत के वक़्त) ज़मीन पर बसते हैं। उनमें से कोई भी आज से एक सदी बाद बाक़ी नहीं रहेगा। आप (ﷺ) का मतलब ये था कि सौ बरस में ये क़र्न (ज़माना) गुज़र जाएगा।

(राजेअ: 116)

٦٠١- حَدَّثَنَا أَبُو الِیْمَانِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي حَنَمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنْ رَأَسَ مِائَةِ لَا يَبْقَى مِمنَ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ)). فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ. وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا يَبْقَى مِمنَ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ)). يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهُا تَخْرُمُ ذَلِكَ الْقَرْنُ.

[راجع: 116]

तशरीह: सबसे आखिर में इन्तिक़ाल करने वाले सहाबा अबुतुफैल आमिर बिन वाफ़ला (रज़ि.) है और इनका इन्तिक़ाल 110 हिजरी में हुआ यानी आँहज़रत (ﷺ) की पेशीनगोई के ठीक सौ साल बाद। कुछ लोगों ने इस हदीष को सुनकर ये समझ लिया था कि सौ साल बाद क़यामत आ जायेगी। हालाँकि हदीषे नबवी का मंशा ये न था बल्कि सिर्फ़ ये था कि एक सौ बरस गुज़रने पर एक दूसरी नस्ल वुजूद में आ गई होगी और मौजूदा नस्ल ख़त्म हो चुकी होगी। हदीष और बाब में मुताबक़त ज़ाहिर है।

बाब 41 : अपनी बीवी या मेहमान से रात को

(इशा के बाद) बातचीत करना

(602) हमसे अबुन नोअमान मुहम्मद बिन फ़ज़ल ने बयान किया, कहा कि हमसे मुअतमिर बिन सुलैमान ने बयान किया, उनसे उनके बाप सुलैमान बिन तुरख़ान ने, कहा कि हमसे अबू इम्मान नहदी ने अब्दुरहमान बिन अबीबक्र (रज़ि.) से ये हदीष बयान की कि अस्हाबे सुफ़फ़ा नादार मिस्कीन लोग थे और नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसके घर में दो आदमियों का खाना

٤١- بَابُ السَّمْرِ مَعَ الْأَهْلِ

وَالضَّيْفِ

٦٠٢- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أَنَاسًا فَقْرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ

हो तो वो तीसरे (अइहाब सुफ़्फ़ा में से किसी) को अपने साथ लेता जाए। और जिसके यहाँ चार आदमियों का खाना है तो पांचवें या छठे आदमी को सायबान वालों में से अपने साथ ले जाए। पस अबूबक्र (रज़ि.) तीन आदमियों को अपने साथ लाए और नबी करीम (ﷺ) दस आदमियों को अपने साथ ले गए। अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (रज़ि.) ने बयान किया कि घर के अफ़राद में उस वक़्त बाप, माँ और मैं था। अबू इम्रान रावी का बयान है कि मुझे याद नहीं कि अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र ने ये कहा या नहीं कि मेरी बीवी और एक ख़ादिम जो मेरे और अबूबक्र (रज़ि.) दोनों के घर के लिए था ये भी थे। ख़ैर अबूबक्र (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) के यहाँ ठहर गए। (और गालिबन खाना भी वहीं खाया, सूरत ये हुई कि) नमाज़े इशा तक वहीं रहे। फिर (मस्जिद से) नबी करीम (ﷺ) के हुज़र-ए-मुबारक में आए और वहीं ठहरे रहे इसलिए नबी करीम (ﷺ) ने भी खाना खा लिया। और रात का एक हिस्सा गुज़र जाने के बाद अल्लाह तआला ने चाहा तो आप घर तशरीफ़ लाए तो उनकी बीवी (उम्मे रुम्मान) ने कहा कि क्या बात पेश आई कि मेहमानों की ख़बर भी आपने न ली, या ये कहा कि मेहमान की ख़बर न ली। आपने पूछा, क्या तुमने अभी उन्हें रात का खाना नहीं खिलाया। उम्मे रुम्मान ने कहा कि मैं क्या करूँ? आपके आने तक उन्होंने खाने से मना कर दिया। खाने के लिए उनसे कहा गया था लेकिन वो न माने। अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (रज़ि.) ने बयान किया कि मैं डरकर छुप गया। अबूबक्र (रज़ि.) ने पुकारा ऐ गुंघर! (यानी ओ पाजी!) आपने बुरा-भला कहा और कोसने लगे। फ़र्माया कि खाओ तुम्हें मुबारक न हो! अल्लाह की क़सम! मैं इस खाने को कभी नहीं खाऊँगा। (आख़िर मेहमानों को खाना खिलाया गया (अब्दुर्रहमान रज़ि. ने कहा) अल्लाह गवाह है कि हम इधर एक लुक़्मा लेते थे और नीचे से पहले से भी ज़्यादा खाना हो जाता था, बयान किया कि सब लोग शिकमसेर हो गए (पेट भर गया)। और खाना पहले से भी ज़्यादा बच गया। अबूबक्र (रज़ि.) ने देखा तो खाना पहले ही इतना या इससे भी ज़्यादा था। अपनी बीवी से बोले। बनू फ़रास की बहन! ये क्या बात है? उन्होंने कहा कि मेरी आँख की ठंडक की क़सम! ये तो पहले से तीन गुना है। फिर

اَتَيْنِي فَلْيَلْهَبْ بِثَلَاثٍ، وَإِنْ أَرَبَعَ فَخَامِسٍ
أَوْ سَادِسٍ)). وَإِنْ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ
وَأَنْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشْرَةٍ. قَالَ: فَهُوَ أَنَا
وَأَبِي وَأُمِّي - فَلَا أُذْرِي قَالًا: وَأَمْرَأَتِي -
وَعَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ. وَإِنْ أَبَا
بَكْرٍ تَعَشَى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ
صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى
تَعَشَى النَّبِيُّ ﷺ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ
اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ. قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: وَمَا
حَسْبُكَ عَنْ أَصْيَالِكَ - أَوْ قَالَتْ
ضَيْفِكَ - قَالَ: أَوْ مَا عَشِيْتِهِمْ؟ قَالَتْ:
أَبَوَاتِي تَجِيءُ، قَدْ عَرَضُوا فَأَبُوا. قَالَ:
فَلَدَّيْتُ أَنَا فَاحْتَبَاتُ. فَقَالَ: يَا غَنُورُ -
وَجَدُّعٌ وَسَبٌّ - وَقَالَ: كُلُوا لَا هَيْبَتَنَا
لَكُمْ. فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا. وَأَيُّمُ
اللَّهِ، مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبًّا مِنْ
أَسْفَلِهَا أَكْتَرُ مِنْهَا. قَالَ: حَتَّى شَبِعُوا،
وَصَارَتْ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَظَفَرُ
إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ.
فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا أُخْتُ بَيْتِي لِمَ لِمَ هَذَا؟
قَالَتْ: لَا وَقُرَّةُ عَيْنِي، لِمَ الْآنَ أَكْثَرُ
مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَارٍ. فَأَكَلَ مِنْهَا
أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ
الشَّيْطَانِ - يَعْنِي بَعِيْنَهُ - ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا
لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاصْبَحَتْ
عِنْدَهُ. وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِ عَقْدٍ، فَمَضَى
الْأَجَلَ فَفَرَقْنَا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ

अबूबक्र (रज़ि.) ने भी वो खाना खाया। और कहा कि मेरा क्रसम खाना एक शैतानी वस्वसा था। फिर एक लुक्मा उसमें से खाया, नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में बक्रिया खाना ले गए और आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए। वो सुबह तक आपके पास रखा रहा। अब्दुरहमान ने कहा कि हम मुसलमानों का एक दूसरे क़बीले के लोगों से मुआहदा था और मुआहदा की मुद्दत पूरी हो चुकी थी (इस क़बीले का वफ़्द मुआहदा के बारे में बातचीत करने मदीने में आया हुआ था) हमने उनमें से बारह आदमी अलग किये और हर एक के साथ कितने आदमी थे अल्लाह ही को मा'लूम है उन सबने उसमें से खाया। अब्दुरहमान (रज़ि.) ने कुछ ऐसे ही कहा। (दीगर मक़ाम : 3581, 6140, 6141)

رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَسَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ. أَوْ كَمَا قَالَ.

[أطرافه في : ٣٥٨١، ٦١٤٠، ٦١٤١].

हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (रज़ि.) ने मेहमानों को घर भेज दिया था और घरवालों को कहलवा भेजा था कि मेहमानों को खाना खिला दे लेकिन मेहमान ये चाहते थे कि आप ही के साथ खाना खायें, इधर आप मुत्तमईन (संतुष्ट) थे इसलिये ये सूरत पेश आई फिर आपके आने पर उन्होंने खाना खाया। दूसरी रिवायतों में ये भी है कि सबने पेट भरकर खाना खा लिया और उसके बाद भी खाने में कोई कमी नहीं हुई। ये हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (रज़ि.) की करामत थी। करामते औलिया बरहक़ है। मगर अहले बिदअत ने जो झूठी करामातें गढ़ ली है वो महज़ लायानी हैं अल्लाह तआला उन्हें हिदायत दे।

10. किताबुल अज़ान

अज़ान के मसाइल के बयान में

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बाब 1 : इस बयान में कि अज़ान क्यूँ कर शुरू हुई

١ - بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ

और अल्लाह तआला के इस इर्शाद की वज़ाहत कि 'और जब तुम नमाज़ के लिए अज़ान देते हो, तो वो इसको मज़ाक़ और खेल बना

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُؤًا وَلَعِينًا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا

लेते हैं। ये इस वजह से किये लोग न समझ हैं।' (अल माइदा : 58)
और अल्लाह तआला का इर्शाद है कि जब तुम्हें जुम्अे के दिन नमाज़े जुम्आ के लिए पुकारा जाए। तो (अल्लाह की याद के लिए फ़ौरन चले आओ।) (अल जुमुआ : 9)

(603) हमसे इमरान बिन मैसरा ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिष बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ालिद हज़्जाअ ने अबू क़िलाबा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से, उन्होंने हज़रत अनस (रज़ि.) से कि (नमाज़ के वक़्त के ऐलान के लिए) लोगों ने आग और नाकूस का ज़िक्र किया। फिर यहूदो-नसारा का ज़िक्र आ गया। फिर बिलाल (रज़ि.) को ये हुक्म हुआ कि अज्ञान के कलिमात दो-दो मर्तबा कहें और इक्रामत में एक-एक मर्तबा। (दीगर मक्रामात : 605, 606, 607, 3457)

يَقُولُونَ [المائدة : ٥٨] .

وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ

الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة : ٩] .

٦٠٣ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ

الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ :

ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ ، فَذَكَرُوا الْيَهُودَ

وَالنَّصَارَى ، فَأَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ

وَأَنْ يُؤْتَرَ الْإِقَامَةَ .

[أطرافه في : ٦٠٥ ، ٦٠٦ ، ٦٠٧]

[٣٤٥٧] .

तशरीह :

अमीरुल मुहदिषीन हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने किताबुल अज्ञान काइम फ़र्माकर बाबु बदइल अज्ञान को कुर्आन पाक की दो आयाते मुकद्दसा से शुरू फ़र्माया जिसका मक़सद ये है कि अज्ञान की फ़ज़ीलत कुर्आन शरीफ़ से घ़ाबित है और इस तरफ़ भी इशारा है कि अज्ञान की इब्तिदा मदीना में हुई क्योंकि ये दोनों सूरतें जिनकी आयतें नक़ल की गई है यानी सूरह माइदा और सूरह जुमुआ ये मदीना में नाज़िल हुई है। अज्ञान की तफ़्सीलात के मुता'ल्लिक हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम फ़र्माते हैं—

'व हुव फ़िल्लुग़ाति अल्इलाम व फ़िश्शरइ इअलाम बि वक्रितप्रसलाति बि अलफ़ाज़िन मख़सूसह' यानी लुग़ात (डिक्शनरी) में अज्ञान के माना इत्तिला करना और शरअ में मख़सूस लफ़्ज़ों के साथ नमाज़ों के अवक़ात की इत्तिला करना। हज़रत के बाद मदीना मुनव्वरा में तामीरे मस्जिदे नबवी के बाद सोचा गया कि मुसलमानों को नमाज़ के लिये वक़्ते मुकर्ररा पर किस तरह इत्तिला की जाये। चुनान्चे यहूद व नसारा व मजूस के प्रचलित तरीक़े सामने आये जो वो अपनी इबादत गाह में लोगों को बुलाने के लिये इस्ते'माल करते हैं। इस्लाम में इन सब चीज़ों को नापसन्द किया गया कि इबादते इलाही के बुलाने के लिए घण्टे या नाकूस का इस्ते'माल किया जाये या इसकी इत्तिला के लिये आग रोशन कर दी जाये। ये मसला दरपेश ही था कि एक सहाबी अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अन्सारी खज़रजी (रज़ि.) ने ख़्वाब में देखा कि एक शख़्स उनको नमाज़ के वक़्तों की इत्तिला के लिए मुरव्वजा (जो कही जाती है) अज्ञान के अल्फ़ाज़ सिखा रहा है वो सुबह इस ख़्वाब को आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में पेश करने आए तो देखा गया कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) भी दौड़े चले आ रहे हैं और आप भी हलाफ़िया बयान देते हैं कि ख़्वाब में उनको भी हूबहू इन्हीं कलिमात की तलक़ीन की गई है। आँहज़रत (ﷺ) इन बयानात को सुनकर खुश हुए और फ़र्माया कि ये ख़्वाब बिल्कुल सच्चे हैं। अब यही तरीक़ा राइज़ (प्रचलित) कर दिया गया ये ख़्वाब का वाक़िआ मस्जिदे नबवी की तामीर के बाद पहले साल ही का है। जैसा कि हाफ़िज़ ने तहज़ीबुत्तहज़ीब में बयान किया है कि आपने जनाब अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) से फ़र्माया कि तुम ये अल्फ़ाज़ बिलाल (रज़ि.) को सिखा दो, उनकी आवाज़ बहुत बुलन्द है।

इस हदीष और इसके अलावा और भी अनेक अहदादीष में तकबीर (इक्रामत) के अल्फ़ाज़ एक-एक मर्तबा अदा करने का ज़िक्र है। अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं—

'क़ालल ख़त्ताबी मज़हबु जुम्हूरिल उलमाइ वल्लज़ी जर बिहिल अमलु फ़िल्हरमैनि वल हिजाज़ि

वशशामि वल यमनि व मिस्त्र वल मगरिबि इला अक्सा बिलादिल इस्लामि अन्नल इक्रामत फुरादा' यानी इमाम खताबी ने कहा कि जुम्हूर उलमा का यही फतवा है तकबीरे इक्रामत इकहरी कही जाये। हरमैन और हिजाज़ और शाम और यमन और मिस्त्र और दूरदराज़ तक तमाम ममालिके इस्लामिया ग़रबिया में यही मामूल है कि तकबीरे इक्रामत इकहरी कही जाती है।

अगरचे तकबीरे इक्रामत में जुम्ला अल्फ़ाज़ का दो-दो दफ़ा मिश्ले अज्ञान के कहना भी जाइज़ है मगर तरजीह उसी को है कि तकबीरे इक्रामत इकहरी कही जाये। मगर बिरादराने अहनाफ़ इसका न सिर्फ़ इन्कार करते हैं बल्कि इकहरी तकबीर सुनकर बेशतर चौंक जाते हैं और दोबारा तकबीर अपने तरीक़र पर कहलवाते हैं। ये रवैया किस क़दर ग़लत है कि एक जाइज़ काम, जिस पर दुनिय-ए-इस्लाम का अमल है, उससे इस क़दर नफ़रत की जाये। बाज़ उलम-ए-अहनाफ़ ने इकहरी तकबीर वाली हदीष को मन्सूख़ करार दिया है और कई तरह की हल्के क्रिस्म की तावीलात से काम लिया है। हज़रत अशशैख़ुल कबीर वल मुहदिषुल जलील अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं—'वलहक़्क़ अन्न अहादीष इफ़रादिल इक्रामति सहीहतुन ष़ाबिततुन मुहकमतुन लैस बिमन्सूख़तिन व ला बिमुअल्लतिन' (तोहफ़तुल अहवज़ी) यानी हक़ बात यही है कि इकहरी तकबीर की अहादीष सहीह और ष़ाबित है। इस क़दर मज़बूत है कि न वे मन्सूख़ है और न तावील के काबिल है। इसी तरह तकबीर दो-दो दफ़ा कहने की अहादीष भी मुहकम है। पस मेरे नज़दीक तकबीर इकहरी कहना भी जाइज़ है और दोहरी कहना भी जाइज़ है। तकबीर इकहरी के वक़्त अल्फ़ाज़ क़द क़ामतिस्मलात क़द कामतिस्मलात दो-दो दफ़ा कहने होंगे जैसा कि रिवायात में मज़कूर है।

हज़रत अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं—'व हु व मअ किल्लति अल्फ़ाज़िही मुशतमिलुन अला मसाइलिल अक्काइदि कमा बय्यन ज़ालिकल हाफ़िज़ु फ़िल फ़तहि नक़लन अनिल कुतुबी' यानी अज्ञान में अग़चे अल्फ़ाज़ थोड़े हैं मगर उसमें अक्काइद के बहुत से मसाइल आ गए हैं जैसा कि फ़तहलुबारी में हाफ़िज़ ने कुतुबी से नक़ल किया है जिसका खुलासा ये है कि—

'अज्ञान के कलिमात बावजूद किल्लते अल्फ़ाज़, दीन के बुनियादी अक्काइद और शआइर (निशानियों) पर मुशतमिल (आधारित) है। सबसे पहला लफ़ज़ 'अल्लाहु अकबर' ये बताता है कि अल्लाह तआला मौजूद है और सबसे बड़ा है' ये लफ़ज़ अल्लाह तआला की किबरियाई और अज़मत पर दलालत करता है। 'अशहदुअल्ला-इलाहा इल्ललाह' बजाते खुद एक अक्कीदा है और कलिम-ए-शहादत का जुज़ ये लफ़ज़ बताता है कि अल्लाह तआला अकेला और यक्ता है और वही माबूद है। कलिम-ए-शहादत का दूसरा जुज़ 'अशहदुअन्न मुहम्मदर्सूलुल्लाह' है। जिससे मुहम्मद (ﷺ) की रिसालत व नुबुव्वत की गवाही दी जाती है। 'हय्य अलस्सलाह' पुकार है उसकी जिसने अल्लाह की वहदानियत और मुहम्मद (ﷺ) की रिसालत की गवाही दे दी वो नमाज़ के लिये आये कि नमाज़ काइम की जा रही है। इस नमाज़ के पहचानने वाले और अपने क़ौल व फ़ैअल से उसके तरीक़ों के बतलाने वाले रसूलुल्लाह (ﷺ) ही थे। इसलिये आप (ﷺ) की रिसालत की शहादत के बाद फ़ौरन ही इसकी दावत दी गई और अगर नमाज़ आपने पढ़ ली और एहतिमाम व इकमाल के साथ आपने उसे अदा किया तो ये इस बात की ज़मानत है कि आपने 'फ़लाह' हासिल कर ली। 'हय्य अलल फ़लाह' नमाज़ के लिये आइये, आपको यहाँ फ़लाह यानी दाइमी बक़ा और हज़ाते आख़िरत की ज़मानत दी जायेगी। आइये, चले आइये कि अल्लाह के सिवा इबादत के लायक़ और कोई नहीं उसकी अज़मत व किबरियाई के साथे में आपको दुनिया और आख़िरत के शुरू व आफ़तों से पनाह मिल जायेगी। अव्वल भी अल्लाह है आख़िर भी अल्लाह—ख़ालिके कुल, मालिक यक्ता और माबूद। पस उसकी दी हुई ज़मानत से बढ़कर और कौनसी ज़मानत हो सकती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहा (तफ़हीमुल बुखारी)

(604) हमसे महमूद बिन ग़ैलान ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुर्रज़ाक़ बिन हम्माम ने, कहा कि हमें अब्दुल मलिक इब्ने ज़ुरैज ने ख़बर दी, कहा कि मुझे नाफ़ेअ ने ख़बर दी कि अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) कहते थे कि जब मुसलमान (हिज़रत करके) मदीना पहुँचे तो वक़्त मुक़र्र करके नमाज़ के लिए आते थे। उसके लिए अज्ञान नहीं दी जाती थी। एक दिन इस बारे में मश्वरा हुआ,

٦٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ
يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا
الْمَدِينَةَ يَخْتَمِفُونَ فَيَتَحَيَّرُونَ الصَّلَاةَ لَيْسَ

किसी ने कहा नम्रा की तरह एक घंटा ले लिया जाए और किसी ने कहा कि यहूदियों की तरह नरसिंगा (बिगुल) बना लो, उसको फूंक दिया करो। लेकिन हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि किसी शख्स को क्यूँ न भेज दिया जाए जो नमाज़ के लिए पुकार दिया करे। इस पर अहज़रत (رضي الله عنه) ने (इसी राय को पसंद फ़र्माया और बिलाल से) फ़र्माया कि बिलाल! उठ और नमाज़ के लिए अज्ञान दे।

बाब 2 : इस बारे में कि अज्ञान के कलिमात दो-दो मर्तबा कहे जाएँ

(605) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया सिमाक बिन अतिया से, उन्होंने अय्यूब सख्तियानी से, उन्होंने अबू किलाबा से, उन्होंने अनस (रज़ि.) से कि हज़रत बिलाल (रज़ि.) को हुक्म दिया गया कि अज्ञान के कलिमात दो-दो मर्तबा कहें और सिवा 'क़द क्रमतिस्सला' के तक्बीर के कलिमात एक एक बार कहें। (राजेअ : 603)

(606) हमसे मुहम्मद बिन सलमान ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वहहाब प्रक़फी ने बयान किया, हमसे ख़ालिद बिन मेह्रान हज़्जाअ ने अबू किलाबा अब्दुरहमान बिन ज़ैद हमी से बयान किया, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से कि जब मुसलमान ज़्यादा हो गए तो मश्वरा हुआ कि किसी ऐसी चीज़ के ज़रिये नमाज़ के वक़्त का ऐलान हो जिससे सब लोग समझ लें। कुछ लोगों ने ज़िक्र किया कि आग रोशन की जाए। या नरसिंगा के ज़रिये ऐलान करे। लेकिन अख़ीर में बिलाल को हुक्म दिया गया कि अज्ञान के कलिमात दो-दो बार कहें और तक्बीरात के एक-एक बार। (राजेअ : 603)

तशरीह :

अज्ञान के बारे में बाज़ रिवायात में पन्द्रह कलिमात वारिद हुए हैं जैसा कि अ़वाम में अज्ञान का मुरव्वजा (प्रचलित) तरीका है। कुछ रिवायतों में उन्नीस कलिमात आये हैं और ये इस आधार पर कि अज्ञान तर्जीअ के साथ दी जाये। जिसका मतलब ये है कि शहादत के हर दो कलिमों को पहले दो-दो मर्तबा आहिस्ता-आहिस्ता कहा जाये फिर उन्हीं को दो-दो मर्तबा बुलन्द आवाज़ से कहा जाये।

हज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इन लफ़्ज़ों में बाब मुनअक़िद किया है—बाबु मा जाऊ फ़ित्तरजीअ फ़िल अज्ञाना यानी तर्जीअ के साथ अज्ञान कहने के बयान में। फिर आप यहाँ हदीषे अबू महज़ूरा (रह.) को लाये हैं। जिससे अज्ञान में तर्जीअ प्राबित है। चुनान्चे खुद इमाम तिर्मिज़ी (रह.) फ़र्माते हैं—'क़ाल अबू ईसा हदीषु अबी महज़ूरत फ़िल अज्ञानि हदीषुन सहीहुन व क़द रूविय अन्हु मिन ग़ैर वजिहिन व अलैहिल अमलु बिमक़त व हुव क़ौलुशशाफ़िइ' यानी अज्ञान के

يُنَادِي لَهَا. فَتَكَلِّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِلُوا نَافُوسًا مِثْلَ نَافُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوْقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ. فَقَالَ عُمَرُ: أَوْلَا تَبْعَتُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَا بِلَالُ، فَمَنْ قَنَادَ بِالصَّلَاةِ)).

۲- بَابُ الْأَذَانِ مَثْنِي مَثْنِي

۶۰۵- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُؤْتَرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ. [راجع: ۶۰۳]

۶۰۶- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ - قَالَ: قَالاَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ: ذَكَّرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقَتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَّرُوا أَنْ يُؤْرُوا تَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَافُوسًا، (فَأَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُؤْتَرَ الْإِقَامَةَ). [راجع: ۶۰۳]

बारे में अबू महज़ूरा की हदीष सहीह है जो मुख्तलिफ़ तुरुक से मरवी है। मक्का शरीफ़ में इसी पर अमल है और इमाम शाफ़िई का भी यही क़ौल है। इमाम नववी हदीषे अबू महज़ूरा के तहत फ़र्माते हैं— 'फ़ी हाज़ल हदीषि हुज्जतुन बय्यिनतुन व दलालतुन वाज़िहतुन लिमज़हबि मालिक वशाफ़िइ व जुम्हूरिल उलमाइ अन्नत्तर्जीअ फ़िल अज़ानि प्राबितुन मशरूउन व हुवल ऊदु इलशशाहादतैनि मरतैनि बिर्फ़इस्सौति बअद क़ौलिहिमा मरतैनि बिख़फ़िज़स्सौति' (नववी शरह मुस्लिम) यानी हदीषे अबी महज़ूरा रोशन वाजेह दलील है कि अज्ञान में तर्जीअ मशरूअ है और वो ये है कि पहले कलिमात शहादतैन को आहिस्ता आवाज़ से दो-दो मर्तबा अदा करके बाद में बुलन्द आवाज़ से फिर दो-दो मर्तबा दोहराया जाये। इमाम मालिक और इमाम शाफ़िई और जुम्हूर का यही मज़हब है। हज़रत अबू महज़ूरा की रिवायत तिर्मिज़ी के अलावा मुस्लिम और अबू दाऊद में भी तफ़्सील के साथ मौजूद है। फ़ुक़हा-ए-अहनाफ़ रहिमहुमुल्ला अजमईन तर्जीअ के क़ाइल नहीं है और उन्होंने रिवायत अबू महज़ूरा की मुख्तलिफ़ तौजीहात की है।

तरजीअ के साथ अज्ञान कहने का बयान :

अल मुहदिषुल कबीर हज़रत अब्दुरहमान मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं— 'व अजाब अन हाज़िहिरिवायाति मल्लम यकुल बित्तर्जीइ बिअज्विबतिन कुल्लुहा मख़दूशतुन वाहियतुन' (तोहफ़तुल अहवजी) यानी जो हज़रात तरजीअ के कायल नहीं है उन्हीं रिवायते अबू महज़ूरा (रह.) के मुख्तलिफ़ जवाबात दिए हैं जो सब मख़दूश और वाहियात हैं। कोई उनमें क़ाबिले तवज्जह नहीं। इनकी बड़ी दलील अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की हदीष है जिसमें तरजीअ का ज़िक्र नहीं है।

अल्लामा मुबारकपुरी मरहूम इस बारे में फ़र्माते हैं कि हदीषे अब्दुल्लाह बिन ज़ैद में फ़ज़्र की अज्ञान में कलिमात 'अस्सलातु ख़ैरुमिनन्नौम' का भी ज़िक्र नहीं है और ये ज़्यादती भी हदीषे अबू महज़ूरा ही से प्राबित है जिसे मोहतरम फ़ुक़हा-ए-अहनाफ़ ने कुबूल फ़र्मा लिया है। फिर कोई वजह नहीं कि तरजीअ के बारे में अबू महज़ूरा की ज़्यादती को कुबूल न किया जाये।

'कुल्लु फ़ज़ालिक युकालु अन्नत्तर्जीअ व इल्लम यकुन फ़ी हदीषि अब्दिल्लाहिब्नि जैदिन फ़क्रद अल्लमहुल्लाहु रसूलुल्लाहि ﷺ ज़ालिक अबा महज़ूरत बअद ज़ालिक फ़लम्मा अल्लमहूरसूलुल्लाहि ﷺ. अबा महज़ूरत कान ज़्यादतुन अला मा फ़ी हदीषि अब्दिल्लाहिब्नि जैदिन फ़वजब इस्तिमालुहु' (तोहफ़तुल अहवजी)

यानी अगरचें तरजीअ की ज़्यादती हदीषे अब्दुल्लाह बिन ज़ैद में मज़कूर नहीं है मगर जिस तरह फ़ज़्र में आप ने अबू महज़ूरा (रज़ि.) को अस्सलातु ख़ैरुमिनन्नौम के अल्फ़ाज़ की ज़्यादती ता'लीम फ़र्माई। ऐसे ही आपने तरजीअ की भी ज़्यादती ता'लीम फ़र्माई। पस इसका इस्तेमाल ज़रूरी हुआ, लिहाज़ा एक ही हदीषे के आधे हिस्से को लेना और आधे का इन्कार कर देना करीन-ए-इन्साफ़ नहीं है।

हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी (रह.) : साहिबे तफ़हीमुल बुखारी (देवबन्दी) तरजीअ की अज्ञान के बारे में हज़रत अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी (रह.) का मसलक इन लफ़्ज़ों में बयान फ़र्माते हैं—

“हज़रत अबू महज़ूरा (रज़ि.) जिन्हें आँहज़रत (ﷺ) ने फ़तहे मक्का के बाद मस्जिदुल हुराम का मुअज़िन मुक़र्रर किया था वो इसी तरह (तरजीअ के साथ) अज्ञान देते थे जिस तरह इमाम शाफ़िई (रह.) का मसलक है और उनका ये भी बयान था कि नबी करीम (ﷺ) ने उन्हें इसी तरह सिखाया था। नबी करीम (ﷺ) की हयात में बराबर आप इसी तरह (तरजीअ से) अज्ञान देते रहे और फिर सहाबा किराम (रज़ि.) के तबील दौर में भी आपका यही अमल रहा। किसी ने उन्हें इससे नहीं रोका। इसके बाद भी मक्का में इसी तरह अज्ञान दी जाती रही। लिहाज़ा अज्ञान का ये तरीक़ा मकरुह हरगिज़ नहीं हो सकता। साहिबे बहुर्राइक ने यही फ़ैसला किया है और इस आख़री दौर में शाह साहब कश्मीरी (रह.) ने भी इस फ़ैसला को दुरुस्त कहा है। (तफ़हीमुल बुखारी किताबुलअज्ञान, पा. 3/ स. 50)

ये मुख्तसर तफ़्सील इसलिये दी गई कि हमारे मुअज़ज़ हनफ़ी भाइयों की अक़्बरीयत अव्वल तो तरजीअ की अज्ञान से वाकिफ़ ही नहीं और अगर इतिफ़ाक़न कहीं किसी अहले हदीष मस्जिद में इसे सुन पाते हैं तो हैरत से सुनते हैं बल्कि बाज़

लोग इन्कार करते हुए नाक-भौ भी चढ़ाने लग जाते हैं। उन पर वाजेह होना चाहिए कि वो अपनी नावाक़िफ़ियत के आधार पर ऐसा कर रहे हैं।

रही ये बहष कि तरजीअ के साथ अज्ञान देना अफ़ज़ल है या बग़ैर तरजीअ के जैसा आमतौर पर मुरव्वज है इस लफ़्ज़ी बहष में जाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों तरीक़े जाइज़ व दुरुस्त है। बाहमी इत्तिफ़ाक़ और ख़ादारी के लिये इतना ही समझ लेना काफी वाफ़ी है।

हज़रत मौलाना अबेदुल्लाह शैखुल हदीष मुबारकपुरी फ़र्माते हैं – ‘कुल्लु हाज़ा हुवल हक्कु अन्नल वज्हेनि जाइज़ानि प्राबितानि मशरूआनि सुन्नतानि मिन सुननिन्नबिय्यि ﷺ’ (मिआंतुल मफ़ातीह जि. 1/स. 422) यानी हक्क ये है कि दोनों तरीक़े जायज़ और प्राबित हैं और आँहज़रत (ﷺ) की सुन्नतों में से हैं।

पस इस बारे में बाहमी तौर पर लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं अल्लाह पाक मुसलमानों को नेक समझ अज्ञा करे कि वो इन फ़ुरुई मसाइल पर लड़ना छोड़कर बाहमी इत्तिफ़ाक़ पैदा करें। आमीन।

बाब 3 : इस बारे में कि सिवाए ‘क्रद कामतिस्सलात’ के इक्रामत के कलिमात एक-एक बार कहे जाएँ

۳- بَابُ الْإِقَامَةِ وَاحِدَةً إِلَّا قَوْلَهُ:
(فَقَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ))

(607) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माईल बिन इब्राहीम बिन अलिया ने बयान किया, कहा हमसे ख़ालिद हज़्ज़ाअ ने अबू क़िलाबा से बयान किया, उन्होंने अनस (रज़ि.) से कि बिलाल (रज़ि.) को हुक्म मिला कि अज्ञान के कलिमात दो-दो बार कहें और तकबीर में यही कलिमात एक-एक बार। इस्माईल ने बताया कि मैंने अय्यूब सख़ितयानी से इस हदीष का ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा मगर लफ़्ज़ ‘क्रद कामतिस्सलात’ दो ही बार कहा जाएगा। (राजेअ : 603)

۶۰۷- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا
خَالِدٌ عَنْ أَبِي فَلَانَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَمَرَ
بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُؤَيِّرَ الْإِقَامَةَ.
قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَذَكَرْتُ لِأَيُّوبَ فَقَالَ:
إِلَّا الْإِقَامَةَ. [راجع: ۶۰۳]

तशरीह : इमामुल मुहदिषीन (रह.) ने इकहरी इक्रामत के मसनून होने के बारे में ये बाब मुनअक़िद फ़र्माया है और हदीषे बिलाल (रज़ि.) से उसे मुदल्लल किया है। यहाँ स्रेग-ए-मजहूल उमिर बिलाल वारिद हुआ है। मगर बाज़ तरीक़-ए-सहीह से सराहत के साथ मौजूद है कि अन्नन्नबिय्यि (ﷺ) अमर बिलालन अय्यशफ़अल अज्ञान व यूतिरल इक्रामत (कज़ा ख़ादुन्नसइ) यानी हज़रत बिलाल को इकहरी तकबीर का हुक्म फ़र्माने वाले खुद आँहज़रत (ﷺ) ही थे। मुहदिष मुबारकपुरी साहब (रह.) तोहफ़तुल अहवजी में फ़र्माते हैं-

‘बिहाज़ा ज़हर बुल्लानु क़ौलिल ऐनी फ़ी शर्हील कन्ज़ि ला हुज्जतलहुम फ़ीहि लिअन्नहू लम यज़कुरि ल अम्फ़ फ़यहतमिलु अय्यकून हुवन्नबिय्यु ﷺ औ ग़ैरहु’ (तोहफ़तुल अहवजी)

यानी सुनने निसई में आई हुई तफ़्सील से अल्लामा ऐनी के उस क़ौल का बुतलान ज़ाहिर हो गया जो उन्होंने शरह कन्ज़ में लिखा है कि इस हदीष में एहतेमाल है कि हज़रत बिलाल (रज़ि.) को हुक्म करने वाले रसूले करीम (ﷺ) हो या आपके अलावा कोई और हो। लिहाज़ा इससे इकहरी तकबीर का षुबूत सहीह नहीं है। ये अल्लामा ऐनी साहब मरहूम की तावील किस क़दर बातिल है, मज़ीद वज़ाहत की ज़रूरत नहीं। इकहरी तकबीर के बारे में अहमद, अबूदाऊद, नसई में इस क़दर रिवायात है कि सब को जमा करने की यहाँ गुन्जाइश नहीं है।

मौलाना मुबारकपुरी मरहूम फ़र्माते हैं- ‘क़ालल हाज़मी फ़ी किताबिल इतिबारि रायु अक्शरि अहलिल इल्मि अन्नल इक्रामत फ़ुरादा व इला हाज़ल मज़हबि ज़हब सईदुब्नुल मुयय्यिब व उर्वतुनब्नुज्जुबैरि व ज्जुहरी व मालिक बिन अनस अहलुल हिजाज़ि व शशाफ़िइ व अह्हाबुहु व इलैहि ज़हब इमरुब्नु अब्दिल अज़ीज़ि व मक्हूल वल

औजाई व अहलुशशामि व इलैहि ज़हबल हसनुल बसरी व मुहम्मदुब्नु सीरीन व अहमदुब्नु हम्बल व मन तबिअहुम मिनल इराक़ियीन व इलैहि ज़हब यहाब्नु यहा व इस्हाकुब्नु इब्राहीम अल हंजली मन तबिअहुमा मिनल ख़ुरासानिय्यीन व ज़हबू फ़ी ज़ालिक इला हदीषि अनसिन इन्तहा कलामुल हाज़मी' (तोहफ़तुल अहवज़ी)

यानी इमाम हाज़मी ने किताबुल ए' तिवार में अक़्बर अहले इल्म का यही फ़तवा नक़ल किया है कि तकबीर इक़हरी कहना मसनून है। उलमा में हिजाज़ी, शामी, इराक़ी और ख़ुरासानी ये तमाम उलमा इसके क़ायल है जिनके अस्मा-ए-गिरामी अल्लामा हाज़मी साहब ने पेश फ़र्माये हैं।

आख़िर में अल्लामा मुबारकपुरी मरहूम ने किस क़दर मुन्सिफ़ाना (न्यायपूर्ण) फ़ैसला दिया है। आप फ़र्माते हैं- 'वल हक्कु अन्न अहादीष इफ़्सादिल इक़ामति सहीहतुन प्राबिततुन मुहकमतुन लैसत बिमन्सूख़तिन व ला बिमुअल्लतिन नअम क़द षबत अहादीषु षनिय्यतिल इक़ामति अयज़न व हिय अयज़न मुहकमतुन लैसत बिमन्सूख़तिन व ला बिमुअल्लतिन व इन्दी अल इफ़्सादु वत्तषनिय्यतु किलाहुमा जाइज़ानि वल्लाहु तअाला आलमु' (तोहफ़तुल अहवज़ी, जि. 1/स. 172) यानी हक़ बात यही है कि इक़हरी तकबीर वाली हदीष सहीह, प्राबित, मुहकम है। न वो मन्सूख़ है न काबिले तावील है, इसी तरह दोहरी तकबीर वाली अहादीष भी मुहकम हैं और वो भी मन्सूख़ नहीं है। न काबिले तावील है। पस मेरे नज़दीक दोनों तरह से तकबीर कहना जाइज़ है।

किस क़दर अफ़सोस की बात है- हमारे अ़वाम नहीं बल्कि ख़्वास हनफ़ी हज़रात अगर कभी इतिफ़ाक़न कहीं इक़हरी तकबीर सुन पाते हैं तो फ़ौरन ही मुशतइल हो जाते हैं और बाज़ मुतअस्सिब इस इक़हरी तकबीर को बातिल क़रार देकर दोबारा दोहरी तकबीर कहलवाते हैं। अहले इल्म हज़रात से ऐसी हरक़त इन्तिहाई मज़मूम है जो अपनी इल्मी जिम्मेदारियों को ज़रा भी महसूस नहीं करते। इन्साफ़ की नज़र से देखा जाए तो यही हज़रात उम्मत के बिखराव के मुजरिम हैं जिन्होंने जुज़ई व फ़रुई इख़ितलाफ़ात को हवा देकर इस्लाम में फ़िर्काबन्दी की बुनियाद रखी है दूसरे लफ़्ज़ों में इसी का नाम तक़लीदे जामिद है। जब तक उम्मत इन इख़ितलाफ़ात को भुलाकर इस्लामी ता'लीमात के हर पहलू के लिए अपने दिलों में गुन्जाइश पैदा न करेगी उम्मत में इतिफ़ाक़ मुश्किल है। अगर कुछ मुख़िलसीन जिम्मेदार उलमा इसके लिये तहिय्या (निश्चय) कर लें तो कुछ मुश्किल भी नहीं है। जबकि आज पूरी दुनिया-ए-इस्लाम मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला है, ज़रूरत है कि मुसलमानों के अ़वाम व ख़्वास को बतलाया जाये कि आपसी इतिफ़ाक़ कितनी उम्दा चीज़ है। अलहमुदुलिल्लाह कि आज तक किसी अहले हदीष मस्जिद से मुता'ल्लिक़ ऐसा कोई केस नहीं मिल सकेगा कि वहाँ किसी हनफ़ी भाई ने दोहरी तकबीर कही हो और उस पर किसी अहले हदीष की तरफ़ से कभी बलवा हो गया हो। बरख़िलाफ़ इसके कितनी ही मिषालें मौजूद है। अल्लाह पाक मुसलमानों को नेक समझ अता करे कि वो कलिमा और कुआन और काबा व तौहीद व रिसालत पर मुत्तफ़िक़ होकर इस्लाम को को सरबुलन्द करने की कोशिश करें।

बाब 4 : अज्ञान देने की फ़ज़ीलत के बयान में

(608) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा हमें इमाम मालिक ने अबुज्जिनाद से ख़बर दी, उन्होंने अअरज से, उन्होंने हज़रते अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया जब नमाज़ के लिये अज्ञान दी जाती है तो शैतान पादता हुआ बड़ी तेज़ी के साथ पीठ मोड़कर भागता है। ताकि अज्ञान की आवाज़ न सुन सके और जब अज्ञान ख़त्म हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है। लेकिन ज्यों ही तकबीर शुरू हुई वो फिर पीठ मोड़कर भागता है। जब तकबीर भी ख़त्म हो जाती है तो शैतान दोबारा आ जाता है और नमाज़ी के दिल में वस्वसे डालता

٤- باب فضل التأذين

٦٠٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزَّوَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَأُ الشَّيْطَانَ وَتَهُ ضَرَّاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا تَوَبَّ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قَضَى التَّوْبَةَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ

है। कहता है कि फ़लों बात याद कर फ़लों बात याद कर। उन बातों की शैतान याद देहानी कराता है जिनका उसे ख्याल भी न था और इस तरह उस शख्स को ये भी याद नहीं रहता कि उसने कितनी रकअतें पढ़ी हैं। (दीगर मक़ाम : 1222, 1231, 1232, 3285)

तशरीह :

शैतान अज्ञान की आवाज़ सुनकर इसलिये भागता है कि उसे आदम अलैहिस्सलाम को सच्चा न करने का किस्सा याद आ जाता है लिहाज़ा वो अज्ञान नहीं सुनना चाहता। बाज़ ने कहा इसलिये कि अज्ञान की गवाही आख़िरत में न देनी पड़े। चूँकि जहाँ अज्ञान की आवाज़ जाती है वो सब गवाह बनते हैं। इस डर से वो भाग जाता है कि जान बची, लाखों पाये। कितने ही इन्साननुमा शैतान भी है जो अज्ञान की आवाज़ सुनकर सो जाते हैं या अपने दुनियावी कारोबार में मशगूल हो जाते हैं और नमाज़ के लिये, मस्जिद में हाज़िर नहीं होते। ये लोग भी शैतान मरदूद से कम नहीं है। अल्लाह उनको हिदायत से नवाज़े।

बाब 5 : इस बयान में कि अज्ञान बुलंद आवाज़ से होनी चाहिए

हज़रते इमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ख़लोफ़ा ने (अपने मुअज़्जिन से) कहा कि सीधी—साधी अज्ञान दिया कर वरना हमसे अलग हो जा।

(609) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने अब्दुरहमान बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुरहमान बिन अबी सज़सज़ा अंसारी से ख़बर दी, फिर अब्दुरहमान माज़नी अपने वालिद अब्दुल्लाह से बयान करते हैं कि उनके वालिद ने उन्हें ख़बर दी कि हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) सहाबी ने उनसे बयान किया कि मैं देखता हूँ कि तुम्हें बकरियों और जंगल में रहना पसंद है। इसलिए जब तुम जंगल में अपनी बकरियों को लिये हुए मौजूद हो और नमाज़ के लिये अज्ञान दो तो तुम बुलंद आवाज़ से अज्ञान दिया करो क्योंकि जित्त व इंस बल्कि तमाम ही चीज़ें जो मुअज़्जिन की आवाज़ सुनती हैं क्रयामत के दिन इस पर गवाही देंगी। हज़रत अबू सईद (रज़ि.) ने फ़र्माया कि ये मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है।

(दीगर मक़ाम : 3296, 7548)

तशरीह :

हज़रत ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) के अप्र को इब्ने अबी शैबा ने निकाला है। उस मोअज़्जिन ने ताल और सुर के साथ गाने की तरह अज्ञान दी थी, जिस पर उसको ये चेतावनी दी गई। पस अज्ञान में ऐसी बुलन्द आवाज़ी अच्छी नहीं जिसमें ताल और सुर पैदा हो बल्कि सादी तरह बुलन्द आवाज़ से मुस्तहब है। हदीष से जंगलों, बियाबानों में अज्ञान की आवाज़ बुलन्द करने की फ़ज़ीलत प्राबित हई तो वो गडरिये और मुसलमान चरवाहे बड़े ही खुशानज़ीब हैं जो उस पर अमल करें सच है—

كَذَا لَمَّا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ - حَتَّى يَطَّلُ
الرَّجُلُ لَا يَذْرِي كَمْ صَلَّى.

[أطرافه في : ١٢٢٢ ، ١٢٣١ ، ١٢٣٢]

[٣٢٨٥]

٥- بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْبَدَاءِ

وَقَالَ عَمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَدْنَا
سَمْعًا، وَإِلَّا فَاعْتَرَلْنَا.

٦٠٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ :

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَغَصَةَ

الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ : إِنِّي أَرَاكَ

تُحِبُّ الْفَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي

عَنَمِكَ - أَوْ بَادِيَتِكَ - فَأَذَنْتَ بِالصَّلَاةِ

فَارْفَعُ صَوْتَكَ بِالْبَدَاءِ، لِإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى

صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جُنًّا وَلَا إِنْسًا وَلَا شَيْءَ

إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ:

سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

[طرفاه في : ٣٢٩٦ ، ٧٥٤٨]

दी अज्ञानों कभी यूरूप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहाराओं में।

बाब 6 : अज्ञान की वजह से खूँरजी रुकना

(जान बचना)

(610) हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे इस्माईल बिन जा'फ़र अंसारी ने हुमैद से बयान किया, उन्होंने हज़रत अनस (रज़ि.) से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि जब नबी करीम (ﷺ) हमें साथ लेकर कहीं जिहाद के लिये तशरीफ़ ले जाते, तो फ़ौस ही हमला नहीं करते थे। सुबह होती और फिर आप (ﷺ) इतिज़ार करते अगर अज्ञान की आवाज़ सुन लेते तो हमला का इरादा तर्क कर देते और अगर अज्ञान की आवाज़ न सुनाई देती तो हमला करते थे। अनस (रज़ि.) से कहा कि हम ख़ैबर की तरफ़ गए और रात के वक़्त वहाँ पहुँचे। सुबह के वक़्त जब अज्ञान की आवाज़ नहीं सुनाई दी तो आप अपनी सवारी पर बैठ गए और मैं अबू तलहा (रज़ि.) के पीछे बैठ गया। चलने में मेरे क़दम नबी (ﷺ) के क़दमे मुबारक से छू-छू जाते थे। अनस (रज़ि.) ने कहा कि ख़ैबर के लोग अपने टोक़रों और कुदालों को लिए हुए (अपने काम-काज को) बाहर निकले। तो उन्होंने रसूले करीम (ﷺ) को देखा, और चिल्ला उठे, 'मुहम्मद वल्लाह मुहम्मद (ﷺ) पूरी फ़ौज समेत आ गए।' अनस ने कहा कि जब नबी (ﷺ) ने उन्हें देखा तो आपने फ़र्माया कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर ख़ैबर पर ख़राबी आ गई। बेशक जब हम किसी क़ौम के मैदान में उतर जाएँ तो डराए हुए लोगों की सुबह बुरी होगी। (राजेअ: 371)

٦- بَابُ مَا يُحَقَّنُ بِالْأَذَانِ مِنَ

الدَّمَاءِ

٦١٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حَمْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ. قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا رَكِبَ وَرَكِبَتْ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ، وَإِنْ قَدِمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: فَخَرَجُوا إِلَيْنَا بِمَكَائِلِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ. فَلَمَّا رَأَوْا النَّبِيَّ ﷺ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ. قَالَ فَلَمَّا رَأَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ: إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ لَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ)).

[راجع: ٣٧١]

हज़रत इमाम ख़ताबी फ़र्माते हैं कि अज्ञान इस्लाम की एक बड़ी निशानी है। इसलिये इसका तर्क करना जायज़ नहीं जिस बस्ती से अज्ञान की आवाज़ बुलन्द हो उस बस्ती वालों के लिये इस्लाम जान और माल की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी लेता है। हज़रत अबू तलहा (रज़ि.), हज़रत अनस (रज़ि.) की वालिदा के दूसरे शौहर हैं। गोया हज़रत अनस के सौतेले बाप है। ख़मीस पूरे लश्कर को कहते हैं जिसमें पाँचों टुकड़ियां हों यानी मैमना, मैसरा, क़ल्ब, मुक़दमा, साक़ा। हदीष और बाब में मुताबक़त जाहिर है। इन्ना इज़ान नज़लना सूरह म्नाफ़ात की आयत की इक्तिबास है जो यूँ है फ़इज़ान नज़ल बिसाहतिहिम फ़साअ सबाहुल मुन्ज़रीन (अस्साफ़ात: 177)

बाब 7 : इस बारे में कि अज्ञान का जवाब किस तरह देना चाहिए

(611) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया,

٧- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي

٦١١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ

उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने इब्ने शिहाब जुहरी से खबर दी, उन्होंने अत्रा बिन यज़ीद लैषी से, उन्होंने अबू सईद खुदरी (रज़ि.) से, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कि जब तुम अज्ञान सुनो तो जिस तरह मुअज़्जिन कहता है उसी तरह तुम भी कहो।

यानी मोअज़्जिन ही के लफ़्ज़ों में जवाब दो, मगर ह्य्य अलस्सलाह और ह्य्य अलल फ़लाह के जवाब में ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहना चाहिए जैसा कि आगे आ रहा है।

(612) हमसे मुआज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हिशाम दस्तवाई ने यह्या बिन अबी कफ़ीर से बयान किया, उन्होंने मुहम्मद बिन इब्राहीम बिन हारिष से कहा कि मुझसे ईसा बिन तलहा ने बयान किया कि उन्होंने मुआविया बिन अबी सुफ़यान से एक दिन सुना आप (जवाब में) मुअज़्जिन के ही अलफ़ाज़ को दोहरा रहे थे। अशहदुअत्रा मुहम्मदरसूलुल्लाह तक, हमसे इस्हाक़ बिन राहवै ने बयान किया, कहा कि हमसे वहब बिन जरीर ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम दस्तवाई ने यह्या बिन अबी कफ़ीर से उसी तरह हदीष बयान की।

(दीगर मक़ाम : 613, 914)

(613) यह्या ने कहा कि मुझसे मेरे कुछ भाइयों ने हदीष बयान की कि जब मुअज़्जिन ने ह्य्या अलस्सलाह कहा तो मुआविया (रज़ि.) ने ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहा और कहने लगे कि हमने नबी (ﷺ) से ऐसा ही कहते सुना है।

(राजेअ : 612)

तशरीह : पहली हदीष में वज़ाहत न थी कि सुनने वाला ह्य्य अलस्सलाह व ह्य्य अलल फ़लाह के जवाब में क्या कहें, इसलिये हज़रत इमाम बुखारी दूसरी मुआविया वाली हदीष लाये। जिसमें बतलाया गया कि इन कलिमात का जवाब ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह से देना चाहिए।

बाब 8 : अज्ञान की दुआ के बारे में

(614) हमसे अली बिन अयाश हम्दानी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुऐब बिन अबी हम्ज़ा ने बयान किया, उन्होंने मुहम्मद बिन मुंकदिर से बयान किया, उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख्स अज्ञान सुनकर ये कहे 'अल्लाहुम्ब रब्ब हाज़िहिह अवति-त्ताम्मति वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदनिल् वज़ीलत वल्

بِنِ زَيْدِ الْأَشِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ)).

٦١٢- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَيْسَى بْنُ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مَعَاوِيَةَ يَوْمًا فَقَالَ بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ: ((وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ)). حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى . . نَحْوَهُ.

[طرفاه في : ٦١٣, ٩١٤].

٦١٣- قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنِي بَعْضُ إِخْوَانِنَا أَنَّهُ قَالَ: ((لَمَّا قَالَ حَمِيٌّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ: ((لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)). وَقَالَ: فَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ. [راجع : ٦١٢]

٨- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ النَّدَاءِ

٦١٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاشِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَنْزَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَكَدِّرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النَّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدُّعْوَةُ النَّامَةُ

फ़ज़ीलत वब्अहू मक्रामम्महमूदल्लज़ी वअत्तहू' उसे क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत मिलेगी।

(दीगर मक्रामात : 4719)

وَالصَّلَاةَ الْقَائِمَةَ آتٍ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ
وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثَهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي
وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

[طرفه في : ٤٧١٩].

दुआ का तर्जुमा ये है कि :—ऐ मेरे अल्लाह जो इस सारी पुकार का रब है और क़ाइम होने वाली नमाज़ का भी रब है, मुहम्मद (ﷺ) को क़यामत के दिन वसीला नसीब फ़र्माना और बड़े मर्तबे और मक्रामे महमूद पर उनका क़ियाम फ़र्माइयो, जिसका तूने उनसे वा'दा किया हुआ है।

बाज़ लोगों ने इस दुआ में कुछ अल्फ़ाज़ अपनी तरफ़ से बढ़ा लिये हैं ये तरीका ठीक नहीं है। हदीष में जितने अल्फ़ाज़ वारिद हुए हैं उन पर ज़्यादाती करना मूजिबे गुनाह है। अज्ञान पूरी पुकार है इसका मतलब ये है कि इसके ज़रिये नमाज़ और कामयाबी हासिल करने के लिये पुकारा जाता है। कामयाबी से मुराद दीन और दुनिया की कामयाबी है और ये चीज़ यकीनन नमाज़ के अन्दर मौजूद है कि इसको बाजमाअत अदा करने से बाहमी मुहब्बत और इतिफ़ाक़ पैदा होता है और किसी क़ौम की तरक्की के लिए यही बुनियादे अब्वल है। दावते ताम्मा से दावते तौहीद कलिम—ए—तय्यिबा मुराद है।

बाब 9 : अज्ञान के लिए कुर्आ डालने का बयान

और कहते हैं कि अज्ञान देने पर कुछ लोगों में इख़ितलाफ़ हुआ तो हज़रत सअद बिन अबी वक्रक़ाम ने फ़ैसले (फ़ैसले के लिए) उन्हें कुर्आ डलवाया।

(615) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने सुमय से जो अबूबक्र अब्दुर्हमान बिन हारिष के गुलाम थे ख़बर दी, उन्होंने अबू सलालेह ज़क़वान से, उन्होंने हज़रते अबू हरैरह (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि लोगों को मा'लूम होता कि अज्ञान कहने और नमाज़ पहली स़फ़ में पढ़ने से कितना ष़वाब मिलता है। फिर उनके लिए कुर्आ डालने के सिवा और कोई चारा न बाक़ी रहता, तो अल्बत्ता इस पर कुर्आ-अंदाज़ी ही करते और अगर लोगों को मा'लूम हो जाता कि नमाज़ के लिए जल्दी आने में कितना ष़वाब है तो उसके लिए एक-दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते। और अगर लोगों को मा'लूम हो जाता कि इशा और सुबह की नमाज़ का ष़वाब कितना मिलता है, तो ज़रूर कूल्हों के बल घिसटते हुए उनके लिए आते। (दीगर मक्राम : 654, 721, 2689)

कुर्आ-अन्दाज़ी आपसी मश्वरे से की जाती है जिसे तस्लीम करने का सब लोग वा'दा करते हैं। इसलिये वा'दे को पूरा करने के लिये कुर्आ-अन्दाज़ी से जो फ़ैसला हो उसे तस्लीम करना अख़लाक़न भी बेहद ज़रूरी है।

बाब 10 : अज्ञान के दौरान बात करने के बयान में

9- بَابُ الْإِسْتِهَامِ فِي الْأَذَانِ

وَيُذَكَّرُ أَنْ أَقْوَامًا اخْتَلَفُوا فِي الْأَذَانِ
فَأَفْرَعُ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ.

٦١٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَمِيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ
عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ
وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ
يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَأَسْتَهْمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا
فِي التَّهَجِيرِ لَأَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ
مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهَا وَلَوْ
خَبَرُوا)).

[أطرافه في : ٦٥٤, ٧٢١, ٢٦٨٩].

10- بَابُ الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ

और सुलैमान बिन सुर्द सहाबी ने अज्ञान के दौरान बात की और हज़रते हसन बसरी ने कहा कि अगर एक शख्स अज्ञान या तक्बीर कहते हुए हंस दे तो कोई हर्ज नहीं।

(616) हमसे मुसद्दह बिन मुसद्दह ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने अय्यूब सखितयानी और अब्दुल हमीद बिन दीनार साहब अज़ज़ियादी और आसिम अहवल से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन हारिष बसरी से, उन्होंने कहा कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने एक दिन हमको जुम्आ का ख़ुत्बा दिया। बारिश की वजह से उस दिन अच्छी ख़ास्री कीचड़ हो रही थी। मुअज़्ज़िन जब हथ्या अलसल्लाह पर पहुँचा तो आपने उससे ये कहने के लिए कहा कि लोग नमाज़ अपनी क्रयामगाहों पर पढ़ लें। इस पर लोग एक-दूसरे को देखने लगे। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि इसी तरह मुझसे जो अफ़ज़ल थे, उन्होंने भी किया था और इसमें शक नहीं कि जुम्आ वाजिब है। (दीगर मक़ाम : 668, 901)

तशरीह : मूसलाधार बारिश हो रही थी कि जुम्आ का वक़्त हो गया और मोअज़्ज़िन ने अज्ञान शुरू की जब वो हथ्य अलसल्लाह पर पहुँचा तो हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने उसे फ़ौरन लुकमा दिया कि यँ कहो अससलातु फिरहाल यानी लोगो अपने-अपने ठिकानों पर नमाज़ अदा कर लो। चूँकि लोगों के लिये ये नई बात थी इसलिये उनको तअज्जुब हुआ जिस पर हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने उनको समझाया कि मैंने ऐसे मौक़ा पर रसूले करीम (ﷺ) का यही मामूल देखा है। मा'लूम हुआ कि ऐसे मौक़े पर दौरान अज्ञान कलाम करना दुरुस्त है और इतिफ़ाक़न अगर किसी को अज्ञान के वक़्त हंसी आ गई तो इससे भी अज्ञान में खलल न होगा। ये इतिफ़ाक़ी उमूर है जिनसे इस्लाम में आसानी दिखाना मक़सूद है।

बाब 11 : इस बयान में कि अँधा आदमी अज्ञान दे सकता है अगर उसे कोई वक़्त बताने वाला आदमी मौजूद हो

(617) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया इमाम मालिक से, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) से, उन्होंने अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन इमर से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि बिलाल तो रात रहे अज्ञान देते हैं। इसलिए तुम लोग खाते-पीते रहो। यहाँ तक कि इब्ने उम्मे मक्तूम अज्ञान दें। रावी ने कहा कि वो नाबीना थे और उस वक़्त तक अज्ञान नहीं देते थे जब तक कि उन्हें कहा न जाता था कि सुबह हो गई, सुबह हो गई।

(दीगर मक़ाम : 620, 623, 1918, 2656, 7348)

وَكَلَّمَ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرْدٍ فِي أَذَانِهِ. وَقَالَ
الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ يُؤَدِّنُ
أَوْ يُقِيمُ.

٦١٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ
عَنْ أَيُّوبَ وَعَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ
وَعَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ
قَالَ: ((حَطَبْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ رَزَغَ،
فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَدِّنَ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُ
أَنْ يُنَادِيَ: الصَّلَاةُ فِي الرَّحَالِ، فَظَرَّ
الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: فَعَلَّ مَدًّا
مِنْ هُوَ غَيْرَ مِنْهُ. وَإِنِّهَا عَزْمَةٌ)).

[طرفاه في : ٦٦٨، ٩٠١.]

١١- بَابُ أَذَانِ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ
مَنْ يُخْبِرُهُ

٦١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ
مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنْ
بَلَآ يُؤَدِّنُ بَلِيلًا، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى
يُنَادِيَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ)). قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا
أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يَقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ
أَصْبَحْتَ.

[أطرافه في : ٦٢٠، ٦٢٣، ١٩١٨.]

[७३६८, ७६०६]

तशरीह :

अहदे रिसालत ही से ये दस्तूर था कि सहीरी की अज़ान हज़रत बिलाल दिया करते थे और नमाज़े फ़ज़्र की अज़ान हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना — अहदे ख़िलाफ़त में भी यही तरीक़ा रहा और मदीनअल मुनव्वरा में आज तक यही दस्तूर चला आ रहा है जो लोग अज़ाने सहीरी की मुखालफ़त करते हैं, उनका ख़याल सहीह नहीं है। इस अज़ान से न सिर्फ़ सहीरी के लिए बल्कि नमाज़े तहज़ुद के लिए भी जगाना मक़सूद है। हदीष और बाब में मुताबक़त ज़ाहिर है।

बाब 12 : सुबह होने के बाद अज़ान देना

(618) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने नाफ़ेअ से ख़बर दी, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) से, उन्होंने कहा मुझे उम्मुल मोमिनीन हज़रते हफ़सा (रज़ि.) ने ख़बर दी कि रसूले करीम (ﷺ) की आदत थी कि जब मुअज़िन सुबह की अज़ान सुबह सादिक के तुलूअ होने के बाद दे चुका होता तो आप अज़ान और तक्बीर के बीच नमाज़ कायम होने से पहले दो हल्की सी रकअतें पढ़ते। (दीगर मक़ाम : 1173, 1181)

ये फ़ज़्र की सुन्नत होती थी आप (ﷺ) सफ़र व हज़र हर जगह लाज़िमन इनको अदा फ़र्माते थे।

(619) हमसे अबू नुऐम फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शैबान ने यह्या बिन अबी क़थीर से बयान किया, उन्होंने अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ से, उन्होंने हज़रते आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) से कि नबी (ﷺ) फ़ज़्र की अज़ान और इक्रामत के बीच दो हल्की रकअतें पढ़ते थे। (दीगर मक़ाम : 1159)

(620) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने अब्दुल्लाह बिन दीनार से ख़बर दी, उन्होंने हज़रते अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) से कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया। देखो! बिलाल (रज़ि.) रात को अज़ान देते हैं, इसलिए तुम लोग (सेहरी) खा पी सकते हो। जब तक इब्ने उम्मे मक्तूम अज़ान न दें। (राजेअ : 617)

१२- بَابُ الْأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ

٦١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرْتَنِي حَفْصَةُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَأَ الصُّبْحَ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَقَامَ الصَّلَاةُ).

[طرفاه في : ١١٧٣, ١١٨١]

٦١٩- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ.

[طرفه في : ١١٥٩]

٦٢٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ بِلَالًا يَنَادِي بِلَيْلٍ، فَكَلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ)).

[راجع : ٦١٧]

इन अहदादीष से मा'लूम होता है अहदे नबी में फ़ज़्र में दो अज़ानें दी जाती थी। एक फ़ज़्र होने से पहले इस बात की इत्तिला के लिए

कि अभी सहर्री का और नमाजे तहज्जुद का वक़्त बाक़ी है जो लोग खाना पीना चाहें खा पी सकते हैं, तहज्जुद वाले तहज्जुद पढ़ सकते हैं। फिर फ़ज़्र के लिये अज्ञान उस वक़्त दी जाती जब सुबह स़ादिक़ हो चुकी होती। पहली अज्ञान के लिये हज़रत बिलाल मुकर्रर थे और दूसरी के लिए हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम और कभी इसके बरअक्स भी होता जैसा कि आगे बयान हो रहा है।

बाब 13 : सुबह स़ादिक़ से पहले अज्ञान देने का बयान

(621) हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा कि हमसे जुहैर बिन मुआविया जुअफ़ी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुलैमान बिन त़र्ख़ान तैमी ने बयान किया अबू उम्मान अब्दुरहमान नहदी से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आपने फ़र्माया कि बिलाल की अज्ञान तुम्हें सहर्री खाने से न रोक दे क्योंकि वो रात रहे से अज्ञान देते हैं या (ये कहा कि) पुकारते हैं। ताकि जो लोग इबादत के लिए जागे हैं वो आराम करने के लिए लौट जाएँ और जो अभी सोये हुए हैं वो होशियार हो जाएँ। कोई ये न समझे कि फ़ज़्र या सुबह स़ादिक़ हो गई और आपने अपनी उँगलियों के इशारे से (तुलूअे सुबह की कैफ़ियत) बताई। उँगलियों को ऊपर की तरफ़ उठाया और फिर आहिस्ता से उन्हें नीचे लाए और फिर फ़र्माया कि इस तरह (फ़ज़्र होती है) हज़रते जुहैर रावी ने भी शहादत की उँगली एक-दूसरी पर रखा, फिर उन्हें दाईं बाईं जानिब फैला दिया। (दीगर मक़ाम : 5298, 7247)

यानी बता दिया कि फ़ज़्र की रोशनी इस तरह फैल जाती है।

(622, 623) मुझसे इस्हाक़ बिन राहवै ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें अबू उसामा हम्माद बिन उसामा ने ख़बर दी, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन उमर ने बयान किया, उन्होंने क़ासिम बिन मुहम्मद से और उन्होंने हज़रते आइशा (रज़ि.) से बयान किया और नाफ़ेअ ने इब्ने उमर से ये हदीस बयान की कि रसूलुल्लाह (ﷺ)। (राजेअ : 617)

(दूसरी सनद) इमाम बुखारी (रह.) ने कहा कि मुझसे यूसुफ़ बिन ईसाने ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे फ़ज़ल बिन मूसाने, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन उमर ने क़ासिम बिन मुहम्मद से बयान किया, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि बिलाल रात रहे में

۱۳ - بَابُ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

۶۲۱ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ - أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ - أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحْوَرِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَدِّنُ - أَوْ يُنَادِي - بِبِلَالٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَيُنَبِّئَ نَائِمَكُمْ. وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أَوْ الصُّبْحُ - وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقِ وَطَأَ إِلَى أَسْفَلٍ - حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا)). وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَابَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى، ثُمَّ مَدَّاهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.

[طرفاه في : ۵۲۹۸، ۷۲۴۷].

۶۲۲، ۶۲۳ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ عَيْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ح. [راجع: ۶۱۷]

قَالَ: وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عَيْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ بِلَالَ يُؤَدِّنُ

अज्ञान देते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम की अज्ञान तक तुम
(सहरी) खा पी सकते हो। (दीगर मक़ाम : 1919)

بَنِيْل، فَكَلُوْا وَاَشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤَدِّنَ اَبْنُ اُمِّ
مَكْتُوْمٍ)). [طرفه في : 1919].

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम कैस बिन ज़ाइदा (रज़ि.) कुरैशी, मशहूर नाबीना सहाबी है, जिनके मुता'ल्लिक सूरह अबस नाज़िल हुई। एक दफ़ा कुछ कुरैश के बड़े-बड़े लोग आँहज़रत (ﷺ) से विचार-विमर्श कर रहे थे कि ये वहाँ अचानक पहुँच गये। ऐसे मौक़े पर उनका वहाँ हाज़िर होना आँहज़रत (ﷺ) को ग़ैर-मुनासिब मा'लूम हुआ जिसके बारे में अल्लाह ने बयान की गई सूरह में अपने मुकद्दस रसूल (ﷺ) को फ़हमाइश फ़र्माई और इर्शाद हुआ कि मेरे ऐसे प्यारे ग़रीब मुख़िलस बन्दों का एज़ाज़ व इकराम हर वक़्त ज़रूरी है। चुनान्वे बाद में ऐसा हुआ कि ये जब भी तशरीफ़ लाते आँहज़रत (ﷺ) इनको बड़ी शफ़क़त व मुहब्बत से बिठाते और फ़र्माया कि ये वो हैं कि जिनके बारे में अल्लाह पाक ने मुझको फ़हमाइश फ़र्माई।

ज़िक़्र की गई हदीष में जो कुछ है, बाज़ रिवायात में इसके बरअक्स भी वारिद हुआ है। यानी ये कि अज्ञाने अव्वल अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम और अज्ञाने घ़ानी हज़रत बिलाल (रज़ि.) दिया करते थे। जैसा कि निसाई, इब्ने खुज़ैमा, इब्ने हिब्बान, मुसनद अहमद वग़ैरह में मज़कूर है।

'व क़द जमअ बैनहुमा इब्नु खुज़ैमत वग़ैरहू बिअन्नहू यजूज़ अय्यकून अलैहिस्सलाम जअलल अज्ञान बैन बिलालिन वब्नु उम्मि मक्तूमिन नवाइबु फअमर फ़ी बअज़िल्लयालि बिलालिन अय्युज़न बिलैलिन फ़इज़ा नज़ल सइद इब्नु उम्मि मक्तूम फअज़न फिल वक़ित फ़इज़ा जाअत नौबतुब्नि उम्मि मक्तूम फअज़न बिलैलिन फ़इज़ा नज़ल सइद बिलालुन फअज़न फिल वक़ित फ़कानत मक़ालतुन्नबिय्यि ﷺ अन्न बिलालिन युअज़िनु बिलैलिन फ़ी वक़ित नौबति बिलालिन व कानत मक़ालतुहू अन्नब्न उम्मि मक्तूम युअज़िनु बिलैलिन फ़ी वक़ित नौबतिब्नि उम्मि मक्तूम' (मिर्आतुल मफ़ातीह, जि. 1/स. 443)

यानी मुहदिष इब्ने खुज़ैमा वग़ैरह ने इन वाक़िआत में यूँततबीक दी है कि मुमकिन है आँहज़रत (ﷺ) ने हज़रत बिलाल व हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम को बारी-बारी दोनों अज्ञानों के लिये मुक़र्रर कर रखा हो जिस दिन हज़रत बिलाल (रज़ि.) की बारी थी कि वो रात में अज्ञान दे रहे थे उस दिन आपने उनके मुता'ल्लिक फ़र्माया कि बिलाल की अज्ञान सुनकर खाना पीना सहरी करना वग़ैरह मना नहीं हुआ क्योंकि ये अज्ञान इसी आगाही के लिये दी गई है और जिस दिन इब्ने उम्मे मक्तूम की रात में अज्ञान देने की बारी थी उस दिन उनके लिये फ़र्माया कि इनका अज्ञान सुनकर खाने-पीने से न रुक जाना क्योंकि ये सहरी या तहज़ुद की अज्ञान दे रहे हैं। फिर बाद में हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम को अज्ञाने फज़्र पर मुक़र्रर करके लोगों से कह दिया गया कि फज़्र होने पर उनको आगाह करें और वो अज्ञान दे और हज़रत बिलाल (रज़ि.) को खास सहरी की अज्ञान के लिये मुक़र्रर कर दिया गया। इमाम मालिक व इमाम शाफ़िई व इमाम अहमद व इमाम अबू युसूफ़ (रह.) ने तुलू-ए-फ़ज़्र से कुछ पहले नमाज़े फज़्र के लिये अज्ञान देना जाइज़ करार दिया है। ये हज़रात कहते हैं कि नमाज़े फज़्र ख़ास अहमियत रखती है। हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब शैखुल हदीष मुबारकपुरी दामत बरकातुहुम फ़र्माते हैं

'क़ाल हा उलाइल कानल अज्ञानानि लिमलालि फ़ज़्रि व लम यकुनिल अव्वलु मानिअम्पिनत्तसहुरी व कानघ़ानी मिन क़बीलिल इस्लामि बअदल इलामि व इन्नमख़त्समत सलातुल फ़ज़्रि बिहाज़ा मिम्बैनिस्सलवाति लिमा वरद मिनत्तर्गी बि फ़िस्सलाति अव्वलल वक़ित वस्सुब्हु याती ग़ालिबन अक़ीबत्रौमि फ़नासब अय्युन्सिब मय्यक्रिनुत्तास क़ब्ल दुखूल वक़ितहा लियुताहिबू व युदरिक्कू फ़ज़ीलत अव्वलिल वक़ित' (मिर्आतुल मफ़ातीह, जि. 1/स. 444)

यानी ऊपर जिनका ज़िक़्र हुआ है, वे हज़रात कहते हैं कि दोनों अज्ञानें जिनका ज़िक़्र हदीषे मज़कूरा में है। ये नमाज़े फ़ज़्र ही के वास्ते होती थी। पहली अज्ञान सहरी और तहज़ुद से रोकती न थी। दूसरी अज्ञान मुक़र्रर आगाही के लिये दिलाई जाती थी और बनिस्बत दूसरी नमाज़ों के ये ख़ास नमाज़े फ़ज़्र ही के बारे में हैं इसलिये कि इसे अव्वल वक़्त अदा करने की तरगीब दिलाई गई है। पस मुनासिब हुआ कि एक ऐसा मोअज्जिन भी मुक़र्रर किया जाये जो लोगों को पहले ही होशियार व बेदार कर दे ताकि वो तैयार हो जाये और अव्वल वक़्त की फ़ज़ीलत हासिल कर सके।

बाज़ उलमा कहते हैं कि अज्ञाने बिलाल (रज़ि.) का ता'ल्लुक ख़ास माहे रमज़ान ही से था। बाज़ शुराहि देवबन्द

ने भी ऐसा ही लिखा है। हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह साहब शैखुल हदीष महजिल्लहू फ़र्माते हैं—

‘व फ़ीहि नज़्फ़न लिअन्न क़ौलुहू कुलू वशरबू यताता फ़ी ग़ैरि रमज़ान अयज़न व हाज़ा लिमन कान युरीदु स़ौमत्ततव्वुइ फ़इन्न क़षीरमिन्नस्महाबति फ़ी ज़मनिही स. कानू युकाषिरून स़ियामन्नफ़िल फ़कान क़ौलुहू फ़कुलू वशरबू बिन्नज़ि इला हाउलाइ व यदुल्लु अला ज़ालिक मा र्वाहु अब्दुरज़ाक़ु अनिबिल मुसय्यिबि मुसलन बिलफ़िज़ अन्न बिलालन युअज़िन्नू बिलैलिन फ़मन अरादस्सौम फ़ला यम्नउहू अज़ानु बिलालिन हत्ता युअज़िनुब्नु उम्मि मक्नुम ज़करहु अलल मुत्तक़ी फ़ी क़न्ज़िल इम्मालि’ (फिरअतुल मफ़ातीह जि. 1/स. 444)

यानी ये सही नहीं कि इस अज्ञान का ता’ल्लुक खास रमज़ान से था। ज़मान—ए—नबवी में बहुत से सहाबा ग़ैर रमज़ान में नफ़िल रोज़े भी बक़रत रखा करते थे जैसा कि मुसनद अब्दुरज़ाक़ में इब्ने मुसय्यिब की रिवायत से प्राबित है कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि बिलाल रात में अज्ञान देते हैं। पस जो कोई रोज़ा रखना चाहे उसको ये अज्ञान सुनकर सही से नहीं रुकना चाहिए। ये इशादि नबवी ग़ैर रमज़ान ही से मुता’ल्लिक है पस प्राबित हुआ कि अज्ञाने बिलाल को रमज़ान से मख़सूस करना सही नहीं है।

रहा ये मसला कि अगर कोई शख़्स फ़ज़्र की अज्ञान जानकर या भूलकर वक़्त से पहले पढ़ दे तो वो किफ़ायत करेगी या फ़ज़्र होने पर दोबारा अज्ञान लौटाई जायेगी। इस बारे में हज़रत इमाम तिमिज़ी (रह.) फ़र्माते हैं—‘फ़क़ाल बअज़ु अहलिल इल्मि इज़ा अज़नल मुअज़िनु बिल्लैलि अज़ाहु व ला यूडुदु व हुव क़ौलु मालिक वब्नुल मुबारक वशशाफ़िइ व अहमद व इस्हाक़ व क़ाल बअज़ु अहलिल इल्मि इज़ा अज़न बिल्लैलि अज़ाद व बिही यकूलु सुफ़यानुष़ौरी यानी बाज़ अहले इल्म का क़ौल है कि अगर मुअज़िनु रात में फ़ज़्र की अज्ञान कह देते तो वह काफ़ी होगी और दोबारा लौटाने की ज़रूरत नहीं। ये इमाम मालिक और अब्दुल्लाह बिन मुबारक और इमाम शाफ़िई और अहमद इस्हाक़ वग़ैरह का फ़तवा है। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि वो अज्ञान लौटाई जायेगी, इमाम सुफ़यानुष़ौरी का यही फ़तवा है।

मुहदिषे कबीर हज़रत मौलाना अब्दुरहमान मुबारकपुरी क़द्स सिर्हु फ़र्माते हैं—‘कुल्लु लम अकिफ़ अला हदीषिन स़हीहिन स़रीहिन यदुल्लु अलल इक्तिफ़ाइ फ़ज़ाहिर इन्दी क़ौलुम्मन क़ाल बिअदमिल इक्तिफ़ाइ वल्लाहु तआला आलमु’ (तुहफ़तुल अहवज़ी जि. : 1/स: 180)

यानी मैं कहता हूँ कि मुझे कोई ऐसी स़हीह हदीष नहीं मिली जिससे रात में कही हुई अज्ञान, फ़ज़्र की नमाज़ के लिये काफ़ी हो। पस मेरे नज़दीक़ ज़ाहिर में उन्हीं का क़ौल स़हीह है जो उसी अज्ञान के काफ़ी न होने का मसलक रखते हैं। वल्लाहु आलम।

बाब 14 : इस बयान में कि अज्ञान और तक्बीर के बीच कितना फ़ासला होना चाहिये?

(624) हमसे इस्हाक़ बिन शाहीन वास्ती ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ालिद बिन अब्दुल्लाह तिहान ने सअद बिन अय्यास जरीरी से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन बुरैदा से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़ल मज़नी से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तीन बार फ़र्माया कि हर दो अज्ञानों (अज्ञान और इक्रामत) के बीच एक नमाज़ (का फ़सल) दूसरी नमाज़ से होना चाहिए (तीसरी बार फ़र्माया कि) जो शख़्स ऐसा करना चाहे। (दीगर मक़ाम : 627)

(625) हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुहम्मद बिन जा’फ़र गुंदर ने बयान किया, उन्होंने कहा

۱۴- بَابُ كَمْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ،
وَمَنْ يَنْتَظِرُ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ؟

۶۲۴- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْحَرِيرِيِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ الْمُرْتَبِيِّ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ : (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ -
ثَلَاثًا - لِمَنْ شَاءَ)).

[طرفه في : ۶۲۷].

۶۲۵- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ:

कि हमसे शुअबा बिन हिजाज ने बयान किया, कहा मैंने अमर बिन आमिर अंसारी से सुना, वो हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से बयान करते थे कि आपने फ़र्माया कि (अहदे रिसालत में) जब मुअज़्ज़िन अज्ञान देता तो नबी करीम (ﷺ) के सहाबा सतूनों की तरफ़ लपकते। जब नबी करीम (ﷺ) अपने हुजे से बाहर तशरीफ़ लाते तो लोग उसी तरह नमाज़ पढ़ते हुए मिलते। ये जमाअते मग़रिब से पहले की दो रकअतें थीं। और (मग़रिब में) अज्ञान और तक्बीर में कोई ज़्यादा फ़ासला न होता था। और उम्मान बिन जुब्ला और अबू दाऊद त्रियालिसी ने शुअबा से इस (हदीष में यूँ नक़ल किया है कि) अज्ञान और तक्बीर में बहुत थोड़ा सा फ़ासला होता था। (राजेअ: 503)

سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ عَامِرِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَدَانَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَتَخِدِرُونَ السَّوَارِي حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْئًا. قَالَ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ: (لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَلِيلٌ). [راجع: ٥٠٣]

तशरीह: मग़रिब की जमाअत से पहले दो रकअत सुन्नत पढ़ने का सहाबा किराम में आम मा' मूल था। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का मक़सदे बाब ये भी है कि अज्ञान और तक्बीर के दर्मियान कम-अज़-कम इतना फ़ासला तो होना ही चाहिए कि दो रकअत नमाज़े नफ़िल पढ़ी जा सकें। यहाँ तक कि मग़रिब (की नमाज़) भी इससे अलग नहीं है।

देवबन्द के कुछ फ़ाज़िल हज़रत ने लिखा है कि बाद में इन रकअतों के पढ़ने से रोक दिया गया था। मगर ये वज़ाहत नहीं की कि रोकने वाले कौन साहब थे। शायद आँहज़रत (ﷺ) से मुमानअत के लिये कोई हदीष उनके इल्म में हो। मगर हमारी नज़र से वो हदीष नहीं गुज़री। ये लिखने के बावजूद इन रकअतों को मुबाह भी करार दिया है। (देखो तपहीमुल बुखारी बाब 3 / सफ़ा 59)

बाब 15 : अज्ञान सुनकर जो शख़्स (घर में बैठा) तक्बीर का इन्तिज़ार करे

١٥ - بَابُ مَنْ انْتَظَرَ الْإِقَامَةَ

(626) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐब ने ख़बर दी, उन्होंने जुहरी से, उन्होंने कहा कि मुझे इर्वा बिन जुहैर ने ख़बर दी कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जब मुअज़्ज़िन सुबह की दूसरी अज्ञान देकर चुप हो जाता तो रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े होते और फ़र्ज़ से पहले दो रकअत (सुन्नते फ़ज़्र) हल्की-फुल्की अदा करते सुबह सादिक़ रोशन हो जाने के बाद फिर दाहिनी करवट पर लेटे रहते। यहाँ तक कि मुअज़्ज़िन तक्बीर कहने की इत्तिला देने के लिए आपके पास आता।

٦٢٦- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَيْنِ الْفَجْرُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ.

(दीगर मक़ाम: 994, 1123, 1160, 1170, 2310)

[أطرافه في: ١١٦٠، ١١٢٣، ٩٩٤]

[١١٧٠، ١١٣١٠]

तशरीह : इस हदीष से प्राबित हुआ कि घर में सुन्नत पढ़कर जमाअत खड़ी होने का इन्तेज़ार करते हुए बैठे रहना जाइज़ है। आजकल घड़ी घण्टों का ज़माना है। हर नमाज़ी मुसलमान अपने यहां की जमाअतों के अवकात को जानता है पस अगर कोई शख्स ऐन जमाअत खड़ी होने के वक़्त पर घर से निकलकर शामिले जमाअत हो तो ये भी दुरुस्त है।

बाब 16 : हर अज्ञान और तकबीर के बीच में जो कोई चाहे (नफ़िल) नमाज़ पढ़ सकता है

(627) हमसे अब्दुल्लाह बिन यज़ीद मक़बरी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे कहम्मस बिन ह सन ने बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाहज बिन बुरैदा से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़फल (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि हर दो अज्ञानों (अज्ञान व तकबीर) के बीच में नमाज़ है। हर दो अज्ञानों के बीच नमाज़ है। फिर तीसरी बार आपने फ़र्माया कि अगर कोई पढ़ना चाहे। (राजेअ: 622)

मक़सदे बाब ये कि अज्ञान और तकबीर में कुछ न कुछ फ़ासला होना चाहिए। कम अज़ कम इतना ज़रूरी है कि कोई शख्स दो रकअत सुन्नत पढ़ सके। मगर मगरिब में वक़्त कम होने की वजह से फ़ौरन जमाअत शुरू हो जाती है। हाँ अगर कोई शख्स मगरिब में भी नमाज़े फ़र्ज़ से पहले दो रकअत सुन्नत पढ़ना चाहे तो उसको इजाज़त है।

बाब 17 : जो कहता है कि सफ़र में एक ही शख्स अज्ञान दे

(628) हमसे मुअल्ला बिन सअद असद बसरी ने बयान किया, कहा हमसे वुहैब बिन ख़ालिद ने अबू अय्यूब से बयान किया, उन्होंने अबू क़िलाबा से, उन्होंने मालिक बिन हुवैरिष सहाबी (रज़ि.) से, कहा कि मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में अपनी क्रौम (बनी लैष) के कुछ आदमियों के साथ हाज़िर हुआ और मैंने आपकी ख़िदमत में बीस रातों तक क़याम किया। आप बड़े रहम दिल और मिलनसार थे। जब आपने हमारे अपने घर पहुँचने का शौक़ महसूस कर लिया तो फ़र्माया कि अब तुम जा सकते हो। वहाँ जाकर अपनी क्रौम को दीन सिखाओ और (सफ़र में) नमाज़ पढ़ते रहना। जब नमाज़ का वक़्त आ जाए तो तुममें से एक शख्स अज्ञान दे और जो तुममें सबसे बड़ा हो वो इमामत कराए।

(दीगर मक़ाम : 630, 631, 658, 685, 819, 2848, 6008, 7246)

۱۶- بَابُ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٍ لِمَنْ شَاءَ

۶۲۷- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدَ قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ - ثُمَّ قَالَ لِي النَّبِيُّ: - لِمَنْ شَاءَ)). [راجع: ۶۲۲]

۱۷- بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُؤَدَّنَ فِي السَّفَرِ مُؤَدَّنٌ وَاحِدٌ

۶۲۸- حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي فِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْخُوَيْرِثِ: قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا. فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهْلَانَا قَالَ: ((ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدَّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ)).

[أطرافه في: ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۵۸، ۶۸۵، ۷۲۴۶، ۶۰۰۸، ۲۸۴۸، ۸۱۹]

आदाबे सफ़र में से है कि अमीरे सफ़र के साथ-साथ इमाम व मोअज़िन का भी तक्रर कर लिया जाए ताकि सफ़र में नमाज़े बाजमाअत का एहतमाम किया जा सके। हदीषे नबवी का यही मन्शा है और यही मकसदे बाब है।

बाब 18 : अगर कई मुसाफ़िर हो तो नमाज़ के लिये अज्ञान दें और तकबीर भी कहें और अरफ़ात और मुज़दलिफ़ा में भी ऐसा ही करें

और जब सर्दी या बारिश की रात हो तो मुअज़िन यूँ पुकार दे कि अपने अपने ठिकानों में नमाज़ पढ़ लो।

(629) हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा ने मुहाजिर अबुल हसन से बयान किया, उन्होंने ज़ैद बिन वहब से, उन्होंने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ एक सफ़र में थे। मुअज़िन ने अज्ञान देनी चाही तो आपने फ़र्माया कि ठण्डा होने दे। फिर मुअज़िन ने अज्ञान देनी चाही तो आपने फ़र्माया कि ठण्डा होने दे। फिर मुअज़िन ने अज्ञान देनी चाही और आपने फिर यही फ़र्माया कि ठण्डा होने दे। यहाँ तक कि साया टीलों के बराबर हो गया। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि गर्मी की शिहत दोज़ख़ की भाप से पैदा होती है। (राजेअ : 535)

तशरीह : हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान मुसाफ़िरों की जब एक जमाअत मौजूद हो तो वो भी अज्ञान, तकबीर और जमाअत उसी तरह करें जिस तरह हालते इक्रामत में किया करते हैं। ये भी प्राबित हुआ कि गर्मियों में जुहर की नमाज़ ज़रा देर से पढ़ना मुनासिब है ताकि गर्मी की शिहत कुछ कम हो जाए जो कि दोज़ख़ के सांस लेने से पैदा होती है। जैसी दोज़ख़ है वैसा ही उसका सांस भी है। जिसकी हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। मज़ीद कदो काविश (विस्तारपूर्वक लिखने) की ज़रूरत नहीं।

(630) हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़रयाबी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान प्रौरी ने ख़ालिद हज़ा से, उन्होंने अबू क़िलाबा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से, उन्होंने मालिक बिन हुवैरिष से, उन्होंने कहा कि दो शख़्स नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में आए ये किसी सफ़र में जाने वाले थे। आपने उनसे फ़र्माया कि देखो जब तुम सफ़र में निकलो तो (नमाज़ के वक़्त रास्ते में) अज्ञान देना फिर इक्रामत कहना, फिर जो शख़्स तुममें इमर में बड़ा हो वो नमाज़ पढ़ाए। (राजेअ : 628)

١٨- بَابُ الْأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا

كَانُوا جَمَاعَةً وَالْإِمَامَةَ، وَكَذَلِكَ

بِعَرَفَةِ وَجَمْعٍ

وَقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ: الصَّلَاةُ فِي الرَّحَالِ فِي

اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ.

٦٢٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: كُنَّا

مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ

يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ: ((أَبْرِدْ)). ثُمَّ أَرَادَ أَنْ

يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ: ((أَبْرِدْ)). ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ

فَقَالَ لَهُ: ((أَبْرِدْ))، حَتَّى سَاوَى الظُّلُ

التَّلْوَنَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنْ شِدَّةَ الْحَرِّ

مِنْ قَبْلِ جَهَنَّمَ)). [راجع: ٥٣٥]

٦٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:

حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْخَدَّاءِ عَنْ أَبِي

رِثَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: أَتَى

رَجُلَانِ النَّبِيَّ ﷺ يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ

النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا أَنْتِمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا، ثُمَّ

أَقِيمَا، ثُمَّ يُؤْمِكُمَا أَكْبَرَ كَمَا)).

[راجع: ٦٢٨]

मतलब ये कि सफ़र में नमाज़ बाजमाअत से ग़ाफ़िल न होना

(631) हमसे मुहम्मद बिन मुषत्रा ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल वहाब ने ख़बर दी, कहा कि हमें अबू अय्यूब सख़ितयानी ने अबू क़िलाबा से ख़बर दी, उन्होंने कहा हमसे मालिक बिन हुवैरिष ने बयान किया, कहा कि हम नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए। हम सब हम उम्र और नौजवान ही थे। आपकी ख़िदमत में हमारा बीस दिन और रात क़ायाम रहा। आप बड़े ही रहमदिल और मिलनसार थे। जब आपने देखा कि हमें अपने वतन वापस जाने का शौक़ है तो आप (ﷺ) ने पूछा कि तुम लोग अपने घर किसे छोड़कर आए हो। हमने बताया। फिर आपने फ़र्माया कि अच्छा अब तुम अपने घर जाओ और उन घरवालों के साथ रहो और उन्हें भी दीन सिखाओ और दीन की बातों पर अमल करने का हुक्म करो। मालिक ने बहुत सी चीज़ों का ज़िक्र किया जिनके बारे में अबू अय्यूब ने कहा कि अबू क़िलाबा ने यूँ कहा वो बातें मुझको याद हैं या यूँ कहा मुझको याद नहीं। और आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि इसी तरह नमाज़ पढ़ना जैसे तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा है और जब नमाज़ का वक़्त हो जाए तो कोई एक अज्ञान दे और जो तुममें सबसे बड़ा हो वो नमाज़ पढ़ाए। (राजेअ: 628)

٦٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ أَنِنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابَةٌ مُتَفَارِقُونَ فَأَلَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيمًا رَلِيمًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَا لَدَى اشْتَهَانَا أَهْلَنَا - أَوْ لَدَى اشْتَهَانَا - سَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا، فَأَخْبَرَنَا، فَقَالَ: ((ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَاقْبَلُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ)) - وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا - ((وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَيُؤَمِّمِكُمْ أَكْبَرُكُمْ)).

[راجع: ٦٢٨]

बशर्ते कि वो कुआन शरीफ़ व तरीक—ए—नमाज़ व इमामत जानता हो।

तशरीह: इस हदीस से हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने भी षाबित फ़र्माया है कि हालते सफ़र में अगर चन्द मुसलमान यक़्ज़ा है तो उनको नमाज़ अज्ञान और जमाअत के साथ अदा करनी चाहिए। इन नौ जवानों को आपने बहुत—सी नसीहतों के साथ आख़िर में ये ताकीद फ़र्माई कि जैसे तुमने मुझको नमाज़ पढ़ते हुए देखा है, ऐन इसी तरह मेरी सुन्नत के मुताबिक़ नमाज़ पढ़ना मा'लूम हुआ कि नमाज़ का हर हर रुकन फ़र्ज़ वाजिब मुस्तहब सब रसूल (ﷺ) के बतलाये हुए तरीका पर अदा होना ज़रूरी है, वरना वो नमाज़ सही न होगी। इस मे'यार पर देखा जाये तो आज कितने नमाज़ी मिलेंगे जो बहालते नमाज़ क़ियाम व रुकूअ व सज्दा व क़ौमा में सुन्नते रसूल (ﷺ) को मलहूज़ रखते हैं। सच है—

मस्जिदें मर्षिया-ख्वां है कि नमाज़ी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ़े हिजाजी न रहे।

(632) हमसे मुसहद बिन मुसहिद ने बयान किया, कि हमसे यह्या बिन सईद क़ित्तान ने अब्दुल्लाह बिन इमर अमरी से बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे नाफ़ेअ ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने एक सर्द रात में मुक्राम ज़ज्जान पर अज्ञान दी फिर फ़र्माया कि लोगों! अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ लो और हमें आपने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) मुअज़्जिन से अज्ञान के लिये फ़र्माते और ये भी फ़र्माते थे कि मुअज़्जिन अज्ञान

٦٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ عَيْتِدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ: أَدَّنْ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بِأَدْرَةَ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ. فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ

के बाद कह दे कि लोगों! अपने ठिकानों में नमाज़ पढ़ लो। ये हुक्म सफ़र की हालत में या सर्दी या बरसात की रातों में था।
(दीगर मक़ाम : 666)

क्योंकि इशादि बारी है— 'मा जअल अलैकुम फ़िदीनि मिन हरज' (अल हज्ज : 78) दीन में तंगी नहीं है। ज़जनान मक्का से एक मन्ज़िल के फ़ासले पर एक पहाड़ी का नाम है।

(633) हमसे इस्हाक़ बिन मंसूर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें जा' फ़र बिन औन ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमसे अबुल उमैस ने बयान किया, उन्होंने औन बिन अबी जुहैफ़ा से बयान किया, कहा कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) को अब्तह में देखा कि बिलाल हाज़िर हुए और आपको नमाज़ की ख़बर दी फिर बिलाल (रज़ि.) बछीं लेकर आगे बढ़े और उसे आपके सामने (बतौर सुतरा) मुक़ामे अब्तह में गाड़ दिया और आपने (उसको सुतरा बनाकर) नमाज़ पढ़ाई। (राजेअ : 187)

अब्तह मक्का से कुछ फ़ासले पर एक मशहूर मक़ाम है जहाँ आपने हालते सफ़र में जमाअत से नमाज़ पढ़ाई। पस हदीष और बाब में मुताबकत ज़ाहिर है। ये भी ष़ाबित हुआ कि अगर ज़रूरत हो तो मुअज़्ज़िन इमाम को घर से बुलाकर ला सकते हैं और ये भी कि जंगल में सुतरा का इन्तज़ाम ज़रूरी है, इसका एहतमाम मुअज़्ज़िन को करना है। अन्ज़ा वो लकड़ी है जिसके नीचे लोहे का फल लगा हुआ हो, उसे ज़मीन में आसानी के साथ गाड़ा जा सकता है।

**बाब 19 : क्या मुअज़्ज़िन अज्ञान में अपना मुँह
इधर—उधर (दाएँ—बाएँ) फिराए और क्या
अज्ञान कहते वक़्त इधर—उधर देख सकता है**

और बिलाल (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने अज्ञान में अपनी दोनों उँगलियाँ अपने कानों में दाख़िल कीं। और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) अज्ञान में कानों में उँगलियाँ नहीं डालते थे। और इब्राहीम नख़्ई ने कहा कि बेवजू अज्ञान देने में कोई हर्ज़ नहीं और अज्ञान ने कहा कि अज्ञान में वजू ज़रूरी और सुन्नत है। और हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूले करीम (ﷺ) सब वक़्तों में अल्लाह को याद करते थे।

(634) हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़रयाबी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान श़ौरी ने औन बिन अबी जुहैफ़ा से बयान किया, उन्होंने अपने बाप से कि उन्होंने बिलाल (रज़ि.) को अज्ञान देते हुए देखा। वो कहते हैं मैं भी उनके मुँह के साथ इधर—

مُؤَدَّنَا يُؤَدِّنُ نَمْ يَقُولُ عَلَيَّ إِثْرِهِ: ((أَلَا صَلُّوا لِي فِي الرَّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ لِي السَّفَرِ)). [طرفه في : 666].

٦٣٣- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَزْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْأَبْطَحِ، فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَأَذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ خَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنْزَةِ حَتَّى رَكَزَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْأَبْطَحِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ. [راجع : 187]

١٩- بَابُ هَلْ يَتَّبِعُ الْمُؤَدِّنُ فَاةَ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الْأَذَانِ؟

وَيَذْكُرُ عَنْ بِلَالٍ: أَنَّهُ جَعَلَ يَصْبَغِيهِ فِي أُذُنَيْهِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَجْعَلُ يَصْبَغِيهِ فِي أُذُنَيْهِ. وَقَالَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَدِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضوءٍ. وَقَالَ عَطَاءُ: الْوُضوءُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

٦٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى بِلَالَ يُؤَدِّنُ فَجَعَلَتْ أَتْبَعُ

उधर मुँह फेरने लगा।

فَاهُ مَهْنًا وَمَهْنًا بِالْأَذَانِ.

तशरीह: इस बाब के तहत हजरतुल इमाम ने अनेक मसाइल पर रोशनी डाली है। मषलन मुअज्जिन को ह्य्य अलस्मलाह ह्य्य अलल फ़लाह, के वक़्त दायें बायें मुँह फेरना दुरुस्त है; नीज़ कानों में उंगलियां दाखिल करना भी जाइज़ है ताकि आवाज़ में बुलन्दी पैदा हो। कोई कानों में उंगलियां न डाले तो भी कोई हर्ज नहीं। वुजू करके अज्ञान कहना बेहतर है मगर इसके लिये वुजू शर्त नहीं है, जिन लोगों ने वुजू शर्त करार दिया है, उन्होंने फ़ज़ीलत का पहलू इख़्तियार किया है।

बाब 20 : यूँ कहना कैसा है कि नमाज़ ने हमें छोड़ दिया

इमाम इब्ने सीरीन (रह.) ने इसको मकरूह जाना है कि कोई कहे कि हमें नमाज़ ने छोड़ दिया बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हम नमाज़ को न पा सके और नबी करीम (ﷺ) का फ़र्मान ही ज़्यादा सहीह है।

इब्ने सीरीन के अप्र को इब्ने अबी शैबा ने वस्ल किया। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने इमाम इब्ने सीरीन का रद्द करते हुए बतलाया है कि यूँ कहना दुरुस्त है कि हमारी नमाज़ जाती रही। जब ये क़ौल रसूलुल्लाह (ﷺ) से प्राबित है तो फिर उसे मकरूह करार देना दुरुस्त नहीं है।

(635) हमसे अबू नुऐम फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, कहा कि हमसे शैबान बिन अब्दुर्रहमान ने यहा बिन अबी क़रीर से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा से, उन्होंने अपने वालिद अबू क़तादा (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ में थे। आपने कुछ लोगों के चलने-फिरने और बोलने की आवाज़ सुनी। नमाज़ के बाद आपने पूछा कि क्या हिस्सा है लोगों ने कहा कि हम नमाज़ के लिए जल्दी कर रहे थे। आपने फ़र्माया कि ऐसा न करो। बल्कि जब तुम नमाज़ के लिए आओ तो वक्रार और सुकून का लिहाज़ रखो, नमाज़ का जो हिस्सा पाओ उसे पढ़ो और जो रह जाए उसे (बाद में) पूरा कर लो।

तशरीह: इदीष के लफ़्ज़ वमा फ़ातकुम से हज़रत इमाम ने मकरूह बाब को प्राबित फ़र्माया है और गुफ्तगू का सलीक़ा सिखलाया है कि यूँ कहना चाहिए कि नमाज़ का जो हिस्सा पा सके उसे पढ़ लो और जो रह जाये बाद में पूरा कर लो।

बाब 21 : इस बयान में कि नमाज़ का जो हिस्सा (जमाअत के साथ) पा सको उसे पढ़ लो और जो न पा सको उसे बाद में पूरा कर लो
ये मसला अबू क़तादा ने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया है।

۲۰- بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ فَاتَتْنَا

الصَّلَاةِ

وَكُرْهُ ابْنُ سَيْرِينَ أَنْ يَقُولَ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ وَلَكِنْ لِيَقُلَ: لَمْ نَذَرِكْ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَصَحُّ.

۶۳۵- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ سَمِعَ جَلْبَةَ الرُّجَالِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: ((مَا شَأْنُكُمْ؟)) قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: ((فَلَا تَفْعَلُوا. إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)).

۲۱- بَابُ: مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا

فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ

(636) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िब ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम जुहरी ने सईद बिन मुसय्यिब से बयान किया, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से (दूसरी सनद) और जुहरी ने अबू सलमा से, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से, आपने फ़र्माया कि तुम लोग तकबीर की आवाज़ सुन लो तो नमाज़ के लिए (मा'मूली चाल से) चल पड़ो। सुकून और वक्रार को (बहरहाल) लाज़िम पकड़े रहो और दौड़कर मत आओ। फिर नमाज़ का जो हिस्सा मिले उसे पढ़ लो, और जो न मिल सके उसे बाद में पूरा कर लो। (दीगर मक़ाम : 908)

बाब 22 : नमाज़ की तकबीर के वक़्त जब लोग इमाम को देखे तो किस वक़्त खड़े हों

(637) हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम दस्तवाई ने बयान किया, कहा मुझे यह्या ने अब्दुल वहहाब बिन अबी क़तादा से ये हदीष लिखकर भेजी कि वो अपने बाप से बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब नमाज़ के लिए तकबीर कही जाए तो उस वक़्त तक न खड़े हो जब तक मुझे निकलते हुए न देख लो। (दीगर मक़ाम : 638, 909)

तशरीह :

इस मसले में कई क़ौल है, इमाम शाफ़िई (रह.) के नज़दीक तकबीर ख़त्म होने के बाद मुक़तदियों को उठना चाहिये, इमाम मालिक (रह.) कहते हैं तकबीर शुरू होते ही—इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) कहते हैं कि जब मुअज़्जिन हय्य अल-स्सलाह कहे और जब मुअज़्जिन क़द कामति-स्सलाह कहे तो इमाम नमाज़ शुरू कर दे। इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) फ़र्माते हैं कि हय्य अल-स्सलाह पर उठें। इमाम बुखारी (रह.) ने बाब की हदीष लाकर ये इशारा किया कि जब इमाम मस्जिद में न हो तो मुक़तदियों को चाहिए कि बैठे रहे और जब इमाम को देख ले तब नमाज़ के लिये खड़े हो।

बाब 23 : नमाज़ के लिए जल्दी न उठे बल्कि इत्मीनान और सुकून व सहूलत के साथ उठे

(638) हमसे अबू नुएम फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, कहा कि हमसे शैबान ने यह्या बिन अबी क़प्पीर से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा से, उन्होंने अपने बाप अबू

٦٣٦- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
ح وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَاْمْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأْتِمُوا)).
[طرفه في : ٩٠٨].

٢٢- بَابُ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ؟

٦٣٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي)).
[طرفاه في : ٦٣٨ ، ٩٠٩].

٢٣- بَابُ لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعْجِلًا، وَلَيَقُمُ إِلَيْهَا بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ

٦٣٨- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَيَّانٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

कतादा हारिष बिन रुबई (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि नमाज़ की तकबीर हो तो जब तक मुझे देख न लो खड़े न हो और आहिस्तगी को लाज़िम रखो। शैबान के साथ इस हदीष को यह्या से अली बिन मुबारक ने भी रिवायत किया है। (राजेअ: 637)

जिसे खुद इमाम बुखारी (रह.) ने किताबुल जुमुआ में निकाला है। मा'लूम हुआ कि शिरकते जमाअत के लिये भागदौड़ मुनासिब नहीं बल्कि सुकून और वक्रार के साथ चलकर शरीके जमाअत होना चाहिए। फिर जो नमाज़ छूट जाए वो बाद में पढ़ ले। जमाअत का प्रवाब बहरहाल हासिल होगा, इन्शाअल्लाह।

बाब 24 : क्या मस्जिद से किसी ज़रूरत की वजह से अज्ञान या इक्रामत के बाद भी कोई शख्स निकल सकता है?

(639) हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्राहीम बिन सअद ने बयान किया, वो सालेह बिन कैसान से, वो इब्ने शिहाब से, वो अबू सलमा बिन अब्दुरहमान से, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (एक दिन हुजे से) बाहर तशरीफ़ लाए, इक्रामत कही जा चुकी थी और सफ़े बराबर की जा चुकी थीं। आप जब मुसल्ले पर खड़े हुए तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि अब आप तकबीर कहें। लेकिन आप वापस तशरीफ़ ले गए और फ़र्माया कि अपनी अपनी जगह पर ठहरे रहो। हम उसी हालत में ठहरे रहे यहाँ तक कि आप दोबारा तशरीफ़ लाए, तो सरे मुबारक से पानी टपक रहा था, आपने गुस्ल किया था। (राजेअ: 275)

तशरीह: आप हालते ज़नाबत में थे मगर याद न रहने की वजह से (नमाज़ के लिये) तशरीफ़ ले आए। बाद में मा'लूम हुआ तो वापस तशरीफ़ ले गये। इस हदीष से हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने ये मसला प्राबित किया कि कोई ऐसी ही सख्त ज़रूरत दरपेश आ जाए तो अज्ञान व तकबीर के बाद भी आदमी मस्जिद के बाहर निकल सकता है। जिस हदीष में मुमानअत आई है वहां बिना ज़रूरत महज़ बिना वजहे नफ़सानी ख़्वाहिश के बाहर निकलना मुराद है।

मुमानअत वाली हदीष सही मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत अबू हुरैराह (रज़ि.) से मरवी है और मुसनद अहमद में भी है। इन अहादीष को नक़ल करने के बाद हज़रत अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं—

'वल हदीषानि यदुल्लानि अला तहरीमिल ख़ुरूजि मिनल मस्जिदि बअद सिमाइल अज्ञानि लिग़ैरिल वुजूइ व कज़ाइल हाज़ति व मा तदउज़्ज़रतु इलैहि हत्ता युसल्लिय फ़ीहि तिल्क़ुमलालात लिअन्न ज़ालिकल मस्जिद क़द तअय्युनुन लितिल्क़ुमलालाति' (नैलुल औतार)

यानी मस्जिद से अज्ञान सुनने के बाद निकलना हराम है मगर वुजू या कज़ा—ए—हाज़त या और कोई ज़रूरी काम हो तो इजाज़त है वना जिस मस्जिद में रहते हुए अज्ञान सुन ली अब उसी मस्जिद में नमाज़ की अदायगी लाज़िम है क्योंकि उस नमाज़ के लिये वही मस्जिद मुतअय्यिन (निर्धारित) हो चुकी है। इस हदीष से ये भी प्राबित हुआ कि अहकामे शरीअत व तरीक़—ए—इबादत में भूल हो सकती है ताकि वो वद्वे—आसमानी के मुताबिक़ उस भूल का सुधार कर सकें।

قَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(إِذَا أَيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى
تُرَوْنِي، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ) تَابَعَهُ عَلِيُّ
بْنُ الصَّمْرَكِ. [راجع: ٦٣٧]

٢٤ - بَابُ هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ
لِعِلَّةٍ؟

٦٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ
بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ
وَقَدْ أَيْمَتِ الصَّلَاةَ وَعَدَلَتِ الصُّفُوفُ،
حَتَّى إِذَا قَامَ لِي مُصَلَّاءُ أَنْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ،
انصَرَفَ قَالَ: ((عَلَى مَكَائِبِكُمْ)). فَمَكَتْنَا
عَلَى هَيْئَتِنَا، حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطِفُ رَأْسُهُ
مَاءً وَقَدْ اغْتَسَلَ. [راجع: ٢٧٥]

बाब 25 : अगर इमाम मुक्तदियों से कहे कि तुम लोग इसी हालत में ठहरे रहो तो जब तक वो लौटकर आए उसका इन्तिज़ार करें (और अपनी हालत पर ठहरे रहें)

(640) हमसे इस्हाक़ बिन मंसूर ने बयान किया, कहा कि हमें मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़रयाबी ने ख़बर दी कि कहा हमसे औज़ाई ने इब्ने शिहाब जुहरी से बयान किया, उन्होंने अबू सलमा बिन अब्दुरहमान से उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि उन्होंने फ़र्माया कि नमाज़ के लिए इक्रामत कही जा चुकी थी और लोगों ने सफ़े़ं सीधी कर ली थीं। फिर रसूले करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाए और आगे बढ़े। लेकिन हालते जनाबत में थे (मगर पहले ख़याल न रहा) इसलिए आपने फ़र्माया कि तुम लोग अपनी-अपनी जगहों पर ठहरे रहो। फिर आप (ﷺ) वापस तशरीफ़ लाए तो आप गुस्ल किये हुए थे और सर से पानी टपक रहा था। फिर आप (ﷺ) ने लोगों को नमाज़ पढ़ाई। (राजेअ: 275)

۲۵- بَابُ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ
(مَكَانَكُمْ) حَتَّى يَرْجِعَ أَنْتَظِرُوهُ

۶۴۰- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَيْمَنَتِ الصَّلَاةُ، فَسَوَى النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنْبٌ. ثُمَّ قَالَ: ((عَلَى مَكَانِكُمْ)). فَرَجَعَ فَاعْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَصَلَّى بِهِمْ.

[راجع: ۲۷۵]

तशरीह: हज़रत मौलाना वहीदुज्जमां साहब फ़र्माते हैं कि बाज़ नुस्खों में यहाँ इतनी इबारत ज़ायद (अधिक) है- 'क़ील लिअबी अब्दिल्लाहि अय अल बुखारी अन्न बदअ लिअहदिना मिज़ल हाज़ा यफ़अलु कमा यफ़अलुन्नबिय्यु ﷺ फ़अय्यु शैइन यन्नउ फ़ क़ील यन्तज़िरूनहू क्रियामन औ कुऊदन क़ाल इन कान क़ब्लत्तक्बीरि लिल इहरामि फ़ला बास अय्यक्ऊदू व इन कान बअदत्तक्बीरि इन्तज़िरूहु हाल कौनिहिम क्रियामन'

यानी लोगों ने इमाम बुखारी (रह.) से कहा अगर हममें किसी को ऐसा इतिफ़ाक़ हो तो वो क्या करें? उन्होंने कहा कि जैसा आँहज़रत (ﷺ) ने किया वैसा करें। लोगों ने कहा तो मुक्तदी इमाम का इन्तिज़ार खड़े रहकर करते रहे या बैठ जाये। उन्होंने कहा अगर तकबीर तहरीमा हो चुकी है तो खड़े खड़े इन्तिज़ार करें वना बैठ जाने में कोई क़बाहत नहीं है।

बाब 26 : आदमी यूँ कहे कि हमने नमाज़ नहीं पढ़ी तो इस तरह कहने में कोई क़बाहत नहीं है

(641) हमसे अबू नुरैम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शैबान ने यहा के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अबू सलमा से सुना, वो कहते थे कि हमें जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी (रज़ि.) ने ख़बर दी कि नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ग़ज़व-ए-ख़ंदक़ के दिन हाज़िर हुए और कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़सम अल्लाह की सूरज गुरुब होने को ही था कि मैं अब अस्त्र की नमाज़ पढ़ सका हूँ। आप जब हाज़िरे

۲۶- بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ:

مَا صَلَّيْنَا

۶۴۱- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَاللَّهِ مَا كِدْتُ أَنْ أَصَلِّيَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ،

खिदमत हुए तो इफ्तार का वक़्त हो चुका था। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि क़सम अल्लाह की मैंने भी तो नमाज़े अस्स नहीं पढ़ी है। फिर आप बतहान की तरफ़ गए। मैं आपके साथ ही था। आपने वुजू किया, फिर अस्स की नमाज़ पढ़ी। सूरज डूब चुका था। फिर उसके बाद मरिब की नमाज़ पढ़ी। (राजेअ : 596)

وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَاللَّهِ مَا صَئِمْتُهَا)) فَزَوَّلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى بَطْحَانَ وَأَنَا مَعَهُ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى - الْفَصْرُ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْبَغْرِبُ. [راجع: ٥٩٦]

ये बाब लाकर इमाम बुखारी (रह.) ने हज़र इब्राहीम नखई (रह.) का (क़ौल) रद्द किया है जिन्होंने ये कहना मकरुह करार दिया कि यूँ कहा जाए कि हमने नमाज़ नहीं पढ़ी। हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं कि इब्राहीम ने ये कहना उस शख्स के लिये मकरुह जाना जो नमाज़ का इन्तिज़ार कर रहा हो क्योंकि वो गोया नमाज़ ही में हैं।

बाब 27 : अगर इमाम को तक्बीर हो चुकने के बाद कोई ज़रूरत पेश आए तो क्या करे?

٢٧- بَابُ الْإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ

(642) हमसे अबू मअमर अब्दुल्लाह बिन अमर ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिष बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब ने हज़रते अनस (रज़ि.) से बयान किया, उन्होंने कहा कि नमाज़ के लिए तक्बीर हो चुकी थी और नबी करीम (ﷺ) किसी शख्स से मस्जिद के एक गोशे में चुपके चुपके कान में बातें कर रहे थे। फिर आप नमाज़ के लिए जब तशरीफ़ लाए तो लोग सो रहे थे। (दीगर मक़ाम : 643, 6292)

٦٤٢- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَزَيْرِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُيِّمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِي رَجُلًا فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، لَمَّا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ.

[طرفاه في : ٦٤٣، ٦٢٩٢].

सोने से मुराद ऊँघना है जैसा कि इब्ने हिब्बान और इस्हाक़ बिन राहवै ने रिवायत किया कि बाज़ लोग ऊँघने लगे, चूँकि इशा की नमाज़ के वक़्त में काफ़ी गुन्जाइश है ओर बातें बेहद ज़रूरी थी, इसलिये आपने नमाज़ में देरी कर दी। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का मक़सद उन शरई सहूलतों को बयान करना है जो रवां (प्रचलन में) रखी गई है। आज जबकि मसरुफ़ियाते जिन्दगी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और एक-एक मिनट मसरुफ़ियात का है। हदीषे नबवी (ﷺ) अल इमामु ज़ामिनुन के तहत इमाम को बहरहाल मुक्तदियों का ख़याल करना ज़रूरी होगा।

बाब 28 : तक्बीर हो चुकने के बाद किसी से बातें करना

٢٨- بَابُ الْكَلَامِ إِذَا أُيِّمَتِ الصَّلَاةُ

(643) हमसे अयाश बिन वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल आला ने बयान किया, कहा कि हमसे हमीद तवील ने बयान किया, कहा कि मैंने षाबित बिनानी से एक शख्स के बारे में मसला पूछा जो नमाज़ के लिए तक्बीर होने के बाद बातचीत करता रहे। इस पर उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से बयान

٦٤٣- حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبَنَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تَقَامُ الصَّلَاةُ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ

किया कि उन्होंने फ़र्माया कि तकबीर हो चुकी थी। इतने में एक शख्स नबी करीम (ﷺ) से रास्ता में मिला और आपको नमाज़ के लिए तकबीर कही जाने के बाद भी रोके रखा। (राजेअ : 642)

مَالِكٍ قَالَ: (أَقِيَمَتِ الصَّلَاةُ، فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أَقِيَمَتِ الصَّلَاةُ).

[راجع: ٦٤٢]

ये आपके कमाले अखलाके हसना (अच्छे अखलाक की पूर्णता) की दलील है कि तकबीर हो चुकने के बाद आपने उस शख्स से बातचीत जारी रखी। आपकी आदते मुबारका थी कि जब तक मिलने वाला खुद जुदा न होता आप ज़रूर मौजूद रहते। यहाँ भी यही माजरा हुआ। बहरहाल किसी खास मौके पर अगर इमाम ऐसा करे तो शरअन उस पर मुआखज़ा नहीं है।

बाब 29 : जमाअत से नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है

और इमाम हसन बसरी ने कहा कि अगर किसी शख्स की माँ मुहब्बत की बिना पर इशा की नमाज़ बाजमाअत के लिए मस्जिद में जाने से रोक दे तो उस शख्स के लिए ज़रूरी है कि अपनी माँ की बात न मानें।

٢٩- بَابُ وَجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ الْعِشَاءِ لِي الْجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطْعَمَهَا.

(644) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने अबुज्जिनाद से खबर दी, उन्होंने अअरज से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया उस ज़ात की क़सम! जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है मैंने इरादा कर लिया था कि लकड़ियों के जमा करने का हुक्म दूँ। फिर नमाज़ के लिए कहूँ, उसके लिए अज्ञान दी जाए फिर किसी शख्स से कहूँ कि वो इमामत करे और मैं उन लोगों की तरफ़ जाऊँ (जो नमाज़ बाजमाअत में हाज़िर नहीं होते) फिर उन्हें उनके घरों समेत जला दूँ। उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है अगर ये जमाअत में न शरीक होने वाले लोग इतनी बात जान लें कि उन्हें मस्जिद में एक अच्छे क़िस्म की गोशत वाली हड्डी मिल जाएगी या दो अच्छे खुर ही मिल जाएँगे तो ये इशा की जमाअत के लिए मस्जिद में ज़रूर-ज़रूर हाज़िर हो जाएँ।

٦٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِحَطْبٍ لِيُحَطَّبَ، ثُمَّ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ لِيُؤَدَّنَ لَهَا، ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيُؤَمُّ النَّاسَ، ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُخْرِقَ عَلَيْهِمْ بِيُوتَهُمْ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرَقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهَدَ الْعِشَاءَ)).

[طرافه في: ٦٥٧، ٢٤٢٠، ٧٢٢٤]

(दीगर मक़ाम : 657, 242, 7224)

तशरीह : इस हदीष से नमाज़ जमाअत के साथ अदा करना जिस कदर ज़रूरी मा'लूम होता है वो अल्फ़ाज़े हदीष से ज़ाहिर है कि रसूले करीम (ﷺ) ने जमाअत छोड़ने वालों के लिये उनके घरों को आग लगाने तक का इरादा ज़ाहिर फ़र्माया। इसलिये जिन उलमा ने नमाज़ को जमाअत के साथ फ़र्ज़ करार दिया है ये हदीष अहम दलील है।

अल्लामा शौकानी फ़र्माते हैं, 'वल हदीषुस्तदल्ल बिहिल क़ाइलून बिबुजूबि सलालिल जमाअतिल लिअन्नहा लौ कानत सुन्नतन लम युहदद तारिकुहा बिच्चहरीक' यानी इस हदीष से उन लोगों ने दलील पकड़ी है जो नमाज़ बाजमाअत को वाजिब करार देते हैं। अगर ये महज़ सुन्नत होती तो इसके छोड़ने वाले को आग में जलाने की धमकी न दी जाती।

बाज़ उलमा इसके वुजूब के कायल नहीं है और वो कहते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) ने ये तम्बीह जिन लोगों को फ़र्माई

थी वो मुनाफ़िक़ लोग थे। हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं— 'वल्लज़ी यज़हूरु ली अन्नल हदीष वरद फ़िल मुनाफ़िकीन लिक्वौलिही ﷺ फ़ी सदरिल हदीषि अष्कलुस्मलाति अलल मुनाफ़िकीन व लिक्वौलिही ﷺ लौ यअलमून अल्ख लिअन्न हाज़ल वस्फु यलीकु बिहिम ला बिल मूमनीन लाकिन्नल मुराद निफ़ाकुल मअसिय्यति ला निफ़ाकुल कुफ़िर'

यानी मेरी समझ में ये आता है कि ये हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) खास मुनाफ़िकीन के बारे में है। शुरू के अल्फ़ाज़ साफ़ हैं कि सबसे ज़्यादा भारी नमाज़ मुनाफ़िकीन पर इशा और फ़ज़ की नमाज़ें हैं और आप (ﷺ) का ये इशाद भी यही ज़ाहिर करता है, लौयअलमून अल अख़ यानी इन नमाज़ों का प्रवाब बा-जमाअत पढ़ने का जान लेते तो.... आख़िर तक। पस ये बुरी आदत अहले ईमान की शान से बहुत बर्द है। ये खास अहले निफ़ाक़ ही का शेवा हो सकता है। यहाँ निफ़ाक़ से मुराद निफ़ाके मअसियत है निफ़ाके कुफ़र मुराद नहीं है। बहरहाल जुम्हूर उलमा ने नमाज़ बाजमाअत को सुन्नत करार दिया है। इनकी दलील वो अहादीष हैं जिनमें नमाज़ बा-जमाअत का अकेले की नमाज़ पर सत्ताईस दर्जा ज़्यादा फ़ज़ीलत बतलाई है। मा' लूम हुआ कि जमाअत से बाहर भी नमाज़ हो सकती है मगर प्रवाब में वो इस क़दर कम है कि उसके मुक़ाबले में जमाअत की नमाज़ सत्ताईस दर्जा ज़्यादा फ़ज़ीलत रखती है।

अल्लामा शौकानी फ़र्माते हैं— 'फ़अदलुल अन्नवालि अन्नबुहा इलस्मवाबि अन्नल जमाअत मिनस्सुनिल मुअक़दतिल्लती ला यख़िल्लु बिमुलाज़मतिहा मा अम्कन इल्ला महरूमुन मशरूमुन' (नैल, जुज़ : 3/स. 37)

यानी दुरुस्त तरक़ौल यही मा' लूम होता है कि जमाअत से नमाज़ अदा करना सुनने मोअक़दा से हैं ऐसी सुन्नत कि इम्कानी ताक़त में इससे वही शख़्स सुस्ती बरत सकता है जो इन्तिहाई बदबख़्त बल्कि मनहूस है। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का रुज़हान इस तरफ़ मा' लूम होता है कि नमाज़ बाजमाअत वाजिब है जैसा कि मुनअक़िद बाब से ज़ाहिर है इसीलिये मौलाना मिर्ज़ा हैरत मरहूम फ़र्माते हैं कि 'इन्नल मुहक्किक्कीन ज़हबू इला वुजूबिहा वल हक्कु अहक्कु बिल इत्तिबाइ।'

हदीषे अबू हुरैरह (रह.) मुख्तलिफ़ तुरूक से रिवायत की गई है जिसमें अल्फ़ाज़ की कमीबेशी है। इमाम बुखारी (रह.) की नक़ल की हुई रिवायत में मुनाफ़िकीन का ज़िक़र सरीह लफ़ज़ों में नहीं है दूसरी रिवायत में मुनाफ़िकीन का ज़िक़र सराह्तन आया है जैसा कि ऊपर मज़कूर हुआ।

बाज़ उलमा कहते हैं कि अगर नमाज़ बाजमाअत ही फ़र्ज़ होती तो आप (ﷺ) उनको बग़ैर जलाये न छोड़ते आपका इससे रुक जाना इस अम्र की दलील है कि ये फ़र्ज़ नहीं बल्कि सुन्नते मोअक़दा है। नैलुल औतार में तफ़्सील से इन अहादीष को लिखा गया है। मनशाअ फ़ल युराजिअ इलैह।

बाब 30 : नमाज़ बाजमाअत की फ़ज़ीलत का बयान

अस्वद (रज़ि.) से जब जमाअत फ़ौत हो जाती तो आप किसी दूसरी मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते (जहाँ नमाज़ बाजमाअत मिलने का इम्कान होता) और अनस बिन मालिक (रज़ि.) एक ऐसी मस्जिद में हाज़िर हुए जहाँ नमाज़ हो चुकी थी। आपने फिर अज्ञान दी, इक्रामत कही और जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ी।

(645) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्होंने नाफ़ेअ से, उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जमाअत के साथ नमाज़ अकेले नमाज़ पढ़ने से 27 गुना ज़्यादा फ़ज़ीलत रखती है। (दीगर मक़ाम : 649)

۳۰- بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

وَكَانَ الْأَسْوَدُ: إِذَا فَاتَهُ الْجَمَاعَةُ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ: وَجَاءَ أَنَسٌ إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ: فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةً.

۶۴۵- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)). [طرفه في : ۶۴۹]

(646) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे लैष ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे यज़ीद बिन हाद ने बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन खब्बाब से, उन्होंने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से सुना कि उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से सुना, आप फ़र्माते थे कि जमाअत से नमाज़ अकेले नमाज़ पढ़ने से 25 गुना ज़्यादा फ़ज़ीलत रखती है।

(647) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल्लाह वाहिद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अअमश ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अबू सलालेह से सुना, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि आदमी की जमाअत के साथ नमाज़ घर में या बाज़ार में पढ़ने से 25 गुना ज़्यादा बेहतर है। वजह ये है कि जब एक शख्स वुजू करता है और उसके तमाम आदाब का लिहाज़ रखकर अच्छी तरह वुजू करता है फिर मस्जिद का रास्ता पकड़ता है और सिवा नमाज़ के और कोई दूसरा इरादा न हों तो हर क़दम पर उसका एक दर्जा बढ़ता है और एक गुनाह मुआफ़ किया जाता है और जब नमाज़ से फ़ारिग हो जाता है तो फ़रिश्ते उस वक़्त तक उसके लिए बराबर दुआएँ करते रहते हैं जब तक कि वो अपने मुसल्ले पर बैठा रहे। कहते हैं कि ऐ अल्लाह! इस पर अपनी रहमतें नाज़िल फ़र्मा। ऐ अल्लाह! इस पर रहम कर और जब तक तुम नमाज़ का इंतज़ार करते रहो गोया तुम नमाज़ ही में मशगूल हो। (राजेअ: 176)

٦٤٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ
حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
(«صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدَى
بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»).

٦٤٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا
هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(«صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُصَغِّفُ عَلَى
صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سَوَاقِهِ خَمْسَةَ
وَعِشْرِينَ صَغْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ
فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ
لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا
رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ.
فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ
مَا دَامَ فِي مُصَلَاةٍ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ،
اللَّهُمَّ ارْحَمْنَهُ. وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ
مَا أَنْتَظِرَ الصَّلَاةَ».) [راجع: ١٧٦]

तशरीह:

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की हदीष में पच्चीस दर्जा और इब्ने उमर (रज़ि.) की हदीष में सत्ताईस दर्जा प्रवाब बाजमाअत नमाज़ में बताया गया है। बाज़ मुहद्दिषीन ने ये भी लिखा है कि इब्ने उमर (रज़ि.) की रिवायत ज़्यादा क़वी है इसलिये अदद से मुता'ल्लिक इस रिवायत को तरजीह होगी लेकिन इस सिलसिले में ज़्यादा सही मसलक ये है कि दोनों को सही तस्लीम किया जाये। बाजमाअत नमाज़ बज़ाते ख़ुद वाजिब या सुन्नते मुअक़दा है। एक फ़ज़ीलत की वजह तो यही है। फिर बाजमाअत नमाज़ पढ़ने वालों के इख़लास व तक्रवा में भी तफावुत होगा और प्रवाब भी उसी के मुताबिक़ कमोबेश मिलेगा। इसके अलावा कलामे अरब में ये अदद कषरत के इज़हार के मौक़े पर बोले जाते हैं। गोया मक़सूद सिफ़ प्रवाब की ज़्यादाती को बताना था। (तफ़हीमुल बुखारी)।

इब्ने दक़ीकुल ईद कहते हैं कि मत्तलब ये है कि मस्जिद में जमाअत से नमाज़ अदा करना घरों और बाजारों में नमाज़ पढ़ने से पच्चीस गुना ज़्यादा प्रवाब रखता है ग़े बाज़ार या घर में जमाअत से नमाज़ पढ़े। हाफ़िज़ इब्ने हज़र फ़र्माते हैं कि मैं समझता

हूँ घर में और बाज़ार में नमाज़ पढ़ने से वहाँ अकेले नमाज़ पढ़ना मुराद है। वल्लाहु आलम।

बाब 21 : फ़ज़्र की नमाज़ बाजमाअत पढ़ने की फ़ज़ीलत के बारे में

(648) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुऐब ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे जुहरी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे सईद बिन मुसय्यिब और अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने ख़बर दी कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जमाअत से नमाज़ अकेले नमाज़ पढ़ने से 25 दर्जा ज़्यादा बेहतर है। और रात-दिन के फ़रिश्ते फ़ज़्र की नमाज़ में जमा होते हैं। फिर अबू हुरैरह (रज़ि.) ने फ़र्माया कि अगर तुम पढ़ना चाहो तो (सूरह बनी इस्राईल) की ये आयत पढ़ो, 'इन्ना कुर्आनल फ़ज़्रि कान मशहूदा' यानी फ़ज़्र में कुर्आन पाक की तिलावत पर फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं। (राजेअ: 176)

(649) शुऐब ने फ़र्माया कि मुझसे नाफ़ेअ ने इब्ने उमर (रज़ि.) के वास्ते से इस तरह हदीष बयान की कि जमाअत की नमाज़ अकेले की नमाज़ से 27 दर्जा ज़्यादा फ़ज़ीलत रखती है। (राजेअ: 645)

(650) हमसे उमर बिन हफ़्म ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, कहा कि हमसे अअमश ने बयान किया, कहा कि मैंने सालिम से सुना। कहा कि मैंने उम्मे दर्दा से सुना, आपने फ़र्माया कि (एक बार) अबू दर्दा आए, बड़े ही ख़फ़ा हो रहे थे। मैंने पूछा कि क्या बात हुई, जिसने आपको ग़ज़बनाक बना दिया। फ़र्माया अल्लाह की क्रसम! हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की शरीअत की कोई बात अब मैं नहीं पाता। सिवा इसके कि जमाअत के साथ ये लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं।

(651) हमसे मुहम्मद बिन अलाअ ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू उसामा ने बुरैदा बिन अब्दुल्लाह से बयान किया, उन्होंने अबू बुर्दा से, उन्होंने अबू मूसा (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि नमाज़ में प्रवाब के लिहाज़ से सबसे बढ़कर वो

31- بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي

جَمَاعَةٍ

٦٤٨- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((تَفْضُلُ صَلَاةِ الْجَمِيعِ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحَدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا، وَتَخْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ)) ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَقْرَأُوا إِنِ شِئْتُمْ: هُوَ إِنْ قُرِئَ الْقَجْرُ كَانَ مَشْهُودًا. [راجع: ١٧٦]

٦٤٩- قَالَ شُعَيْبٌ: وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: تَفْضُلُهَا بِسِتِّعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. [راجع: ٦٤٥]

٦٥٠- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ: ((دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ، فَقُلْتُ: مَا أَغْضَبَكَ؟ قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أَمْرِ مُحَمَّدٍ ﷺ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا.))

٦٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ

शख्स होता है, जो (मस्जिद में नमाज़ के लिए) ज़्यादा से ज़्यादा दूर से आए और जो शख्स नमाज़ के इंतज़ार में बैठा रहता है और फिर इमाम के साथ पढ़ता है उस शख्स से अज़्र में बढ़कर है जो (पहले ही) पढ़कर सो जाए।

النَّبِيُّ ﷺ: ((أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَنْبَعُهُمْ فَأَبَعَهُمْ مَنْشَى، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ)).

तशरीह :

पहली हदीष में नमाज़े फ़ज़्र की खास फ़ज़ीलत का ज़िक्र है कि उसमें फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं और किरअते कुआन मजीद सुनते हैं। दूसरी दो हदीषों में मुतलक़ जमाअत की फ़ज़ीलत का ज़िक्र है जिसमें इस तरफ़ इशारा है कि फ़ज़्र की नमाज़ बाजमाअत अदा की जाये ताकि सत्ताइस हिस्सा ज़्यादा प्रवाब हासिल करने के अलावा फ़रिश्तों की भी मद्दय्यत (साथ) नज़ीब हो जो फ़ज़्र में तिलावते कुआन के लिए जमाअत में हाज़िर होते हैं, फिर अर्श पर जाकर अल्लाह पाक के सामने इन नेक बन्दों का ज़िक्रे ख़ैर करते हैं। अल्लाह तआला हमें भी इनमें शामिल फ़र्मा दे। आमीन।

बाब 32 : जुहर की नमाज़ के लिए सवेरे जाने की फ़ज़ीलत के बयान में

(652) मुज़से कुतैबा बिन सईद ने इमाम मालिक से बयान किया, उन्होंने अबूबक्र बिन अब्दुर्रहमान के गुलाम सुमय नामी से, उन्होंने अबू सालेह सम्मान से, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह ने फ़र्माया एक शख्स कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने कांटों की भरी हुई एक टहनी देखी, पस उसे रास्ते से दूर कर दिया। अल्लाह तआला (सिर्फ़ उसी बात पर) राज़ी हो गया और उसकी बख़्शिश कर दी। (दीगर मक़ाम : 2472)

۳۲- بَابُ فَضْلِ التَّهَجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ
۶۵۲- حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَمِيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخْرَجَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ)).

[طرفه في : ۲۴۷۲.]

(653) फिर आपने फ़र्माया कि शुहदा पाँच क्रिस्म के होते हैं। ताऊन में मरने वाले, पेट के आरज़े (हैजे वग़ैरह) में मरने वाले और डूबकर मरने वाले और जो दीवार वग़ैरह किसी भी चीज़ से दबकर मर जाए और अल्लाह के रास्ते में (जिहाद करते हुए) शहीद होने वाले और आपने फ़र्माया कि अगर लोगों को मा'लूम हो जाए कि अज्ञान देने और पहली सफ़्र में शरीक होने का प्रवाब कितना है और फिर इसके सिवा कोई चारा न हो कि कुआँ डाला जाए तो लोग उनके लिए कुआँ ही डाला करें। (दीगर मक़ाम : 720, 2829, 5733)

۶۵۳- ثُمَّ قَالَ: ((الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْمُونُونَ، وَالْمَبْطُونُونَ، وَالغَرِيقُونَ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشُّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) وَقَالَ: ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا لَأَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ)).

[أطرفه في : ۷۲۰، ۲۸۲۹، ۵۷۳۳.]

(654) और अगर लोगों को ये मा'लूम हो जाए कि जुहर की नमाज़ के लिए सवेरे जाने में क्या प्रवाब है तो उसके लिए एक-दूसरे पर सबक़त ले जाने की कोशिश करें और अगर ये जान लें कि इशा और सुबह की नमाज़ के फ़ज़ाइल कितने हैं, तो घुटनों के बल घिसटते हुए उनके लिए आएँ। (राजेअ : 615)

۶۵۴- ((وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهَجِيرِ لَأَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ)) وَوَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا)).

[راجع: ۶۱۵]

तशरीह :

इस हदीष में अब्वल रिफाहे आम के प्रवाब पर रोशनी डाली गई है और बतलाया गया है कि मख़लूके इलाही को फ़ायदा पहुँचाने के लिये अगर कोई छोटा सा क़दम भी उठाया जाये तो इन्दल्लाह इतनी बड़ी नेकी है कि नजाते उख़रवी के लिये सिर्फ़ वही एक काफ़ी हो सकती है। फिर अल्लाह की राह में शहीद होने वालों का बयान किया गया; जिनकी पाँच मज़क़ूरा किस्मे हैं। फिर अज्ञान देना और पहली सफ़ में हाज़िर होकर बाजमाअत नमाज़ अदा करना। फिर जुहर की नमाज़ अब्वल वक़्त अदा करना। फिर सुबह और इशा की नमाज़ों का ख़ास ख़याल रखना वग़ैरह नेकियों पर तवज्जुह दिलाई गई। जुहर की नमाज़ गर्मियों में देर करने की अह्लादीष ज़िक्र में आ चुकी है। यहाँ गर्मियों के अलावा अब्वल वक़्त पढ़ने की फ़ज़ीलत मज़कूर है।

बाब 33 : (जमाअत के लिए) हर क़दम पर प्रवाब मिलने का बयान

(655) हमसे मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन हौशब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल वट्हाब बक्रफ़ी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे हुमैद तवील ने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से बयान किया, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ बनू सलमा वालों! क्या तुम अपने क़दमों का प्रवाब नहीं चाहते। (दीगर मक़ाम : 656, 1887)

(656) और इब्ने अबी मरयम ने बयान में ये ज़्यादा कहा कि मुझे यहा बिन अय्यूब ने ख़बर दी, कहा कि मुझसे हुमैद तवील ने बयान किया, कहा कि मुझसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया कि बनू सलमा वालों ने ये इरादा किया कि अपने मकान (जो मस्जिद से दूर थे) छोड़ दें और आँहज़रत (ﷺ) के पास आ रहें। (ताकि नमाज़ बाजमाअत के लिये मस्जिदे नबवी का प्रवाब हासिल हो) लेकिन आँहज़रत (ﷺ) को मदीना का उजाड़ देना बुरा मा'लूम हुआ। आपने फ़र्माया कि क्या तुम लोग अपने क़दमों का प्रवाब नहीं चाहते? मुजाहिद ने कहा (सूरह यासीन में) 'वआषारहुम' से क़दम मुराद हैं। यानी ज़मीन पर चलने से पांव के निशानात। (राजेअ : 655)

तशरीह :

मदीना के आस-पास जो मुसलमान रहते थे उनकी आरज़ू थी कि वो मस्जिदे नबवी के करीब शहर में सुकूनत (निवास) इख़्तियार कर लें लेकिन रसूले करीम (ﷺ) ने इसकी इजाज़त नहीं दी और फ़र्माया कि तुम लोग जितनी दूर से चल चलकर आओगे और यहाँ नमाज़ बाजमाअत अदा करोगे हर एक क़दम नेकियों में शुमार किया जायेगा। सूरह यासीन की आयते करीमा इन्ना नहनु नुहयिलमौता व नक्तुबु मा क़दमू व आषारहुम में अल्लाह ने इस आम उसूल को बयान फ़र्माया है कि इन्सान का हर वो क़दम भी लिखा जाता है जो वो उठाता है। अगर कदम नेकी के लिये है तो वो नेकियों में लिखा जायेगा और अगर बुराई के लिये कोई क़दम उठा रहा है तो वो बुराईयों में लिखा जाएगा। मुजाहिद के क़ौले मज़कूर को अब्द बिन हुमैद ने मौसूलन रिवायत किया है।

बाब 34 : इशा की नमाज़ बाजमाअत की**۳۳- بَابُ احْتِسَابِ الْاَثَارِ**

۶۵۵- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَا بَنِي سَلَمَةَ أَلَا تَحْتَسِبُونَ اَثَارَكُمْ)). [طرفاه في : ۶۵۶، ۱۸۸۷].

۶۵۶- وَزَادَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ: أَنَّ بَنِي سَلَمَةَ أَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ مَنَازِلِهِمْ فَيَنْزِلُوا قَرِيبًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ فَكَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُغْرُوا الْمَدِينَةَ فَقَالَ: ((أَلَا تَحْتَسِبُونَ اَثَارَكُمْ)). قَالَ مُجَاهِدٌ: خَطَاهُمْ: اَثَارُهُمْ، أَنْ يَمْشِيَ فِي الْأَرْضِ بِأَرْجُلِهِمْ.

[راجع : ۶۵۵]

۳۴- بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي

फ़ज़ीलत के बयान में

الجماعة

(657) हमसे उमर बिन हफ़स बिन गय्याज़ ने बयान किया, कहा कि हमसे मेरे बाप ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अअमश ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अबू सलालेह ज़क्वान ने बयान किया, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत किया, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुनाफ़िकों पर फ़ज़्र और इशा की नमाज़ से ज़्यादा और कोई नमाज़ भारी नहीं और अगर उन्हें मा'लूम होता कि इनका प्रवाब कितना ज़्यादा है (और चल न सकते) तो घुटनों के बल घिसट कर आते और मेरा तो इशारा हो गया था कि मुअज़्ज़िन से कहूँ कि वो तक्बीर कहे, फिर मैं किसी को नमाज़ पढ़ाने के लिये कहूँ और खुद आग की चिंगारियाँ लेकर उन सबके घरों को जला दूँ जो अभी तक नमाज़ के लिए नहीं निकले। (राजेअ: 644)

٦٥٧- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَيْسَ صَلَاةُ الْفَقْرِ عَلَى الْمُتَأَلِّفِينَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْمِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ الْمُؤَدَّنَ فَيَقِيمَ، ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا يُؤْمُ النَّاسَ، ثُمَّ أَخَذَ شِعْلًا مِنْ نَارٍ فَأَحْرَقَ عَلَيَّ مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بِغَدِّ)). [راجع: ٦٤٤]

इस हदीष से इमाम बुखारी ने ये निकाला कि इशा और फ़ज़्र की जमाअत दीगर नमाज़ों की जमाअत से ज़्यादा फ़ज़ीलत रखती है और शरीअत में इन दोनों नमाज़ों का बड़ा एहतमाम है। तभी तो आपने उन लोगों के घरों को जलाने का इशारा किया जो उनमें शरीक न हो। मक़सदे बाब यही है, बाब और हदीष में मुताबक़त ज़ाहिर है।

बाब 35 : दो या ज़्यादा आदमी हो तो जमाअत हो सकती है

٣٥- بَابُ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةً
٦٥٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَدْنَا وَأَقِيمَا، ثُمَّ لِيُؤْمِكُمَا أَكْبَرُكُمْ)). [راجع: ٦٢٨]

(658) हमसे मुसहद बिन मुसहिद ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन ज़रअ ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ालिद हुज़ाअ ने अबू क़िलाबा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से, उन्होंने मालिक बिन हुवैरिष से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आपने फ़र्माया कि जब नमाज़ का वक़्त आ जाए तो तुम दोनों अज्ञान दो और इक्रामत कहो, फिर जो तुममें बड़ा है वो इमाम बने। (राजेअ: 628)

तशरीह: इससे पहले भी ये हदीष गुज़र चुकी है कि दो शख्स नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए जो सफ़र का इरादा रखते थे। इन्हीं दो असहाब को आपने ये हिदायत फ़र्माई थी। इससे ये मसला प्राबित हुआ कि अगर सिर्फ़ दो आदमी हो तो भी नमाज़ के लिए जमाअत करनी चाहिए।

हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं— 'अल मुरादु बिक़ौलिही अज़िना अय मन अहब्बु मिन्कुमा अय्युअज़िन फ़ल युअज़िन व ज़ालिक लिइस्तिवाइहिमा फिल फ़ज़िल व ला युअतबरू फिल अज़ानि अस्सिनु बिख़िलाफ़ल इमामि अल्ख' (फ़तहुल बारी)

हाफ़िज़ इब्ने हज़र लफ़ज़ अज़िना की तफ़सीर करते हैं कि तुममें से जो चाहे अज्ञान देये इसलिये कि वो दोनों फ़ज़ीलत में बराबर थे और अज्ञान में उमर का ए'तिबार नहीं बरख़िलाफ़ इमामत के कि इसमें बड़ी उमर वाले का लिहाज़ रखा गया है।

बाब 36 : जो शख्स मस्जिद में नमाज़ के इंतज़ार

٣٦- بَابُ مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ

में बैठे उसका बयान और मसाजिद की फ़ज़ीलत

(659) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कअनी ने बयान किया इमाम मालिक से, उन्होंने अबुज़्ज़िनाद से, उन्होंने अअरज से, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मलाइका तुममें से उस नमाज़ी के लिये उस वक़्त तक दुआएँ करते रहते हैं। जब तक कि (नमाज़ पढ़ने के बाद) वो अपने मुसल्ले पर बैठा रहे कि ऐ अल्लाह इसकी मफ़िरत कर। ऐ अल्लाह! इस पर रहम कर। तुममें से वो शख़्स जो सिर्फ़ नमाज़ की वजह से रुका हुआ है। घर जाने से सिवाय नमाज़ के और कोई चीज़ उसके लिए मानेअ नहीं, तो उसका (ये सारा वक़्त नमाज़ ही में) शुमार होगा। (राजेअ: 176)

(660) हमसे मुहम्मद बिन बश़ार ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने अब्दुल्लाह बिन इमर अम्री से बयान किया, कहा कि मुझसे खुबैब बिन अब्दुरहमान ने बयान किया हफ़स बिन आसिम से, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आपने फ़र्माया कि सात तरह के आदमी होंगे। जिनको अल्लाह उस दिन अपने साये में जगह देगा, जिस दिन उसके साये के सिवा और कोई साया न होगा। अब्वल इन्साफ़-पसंद हाकिम, दूसरा वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में जवानी की उमंग से (हटकर) मसरूफ़ रहा, तीसरा ऐसा शख़्स जिसका दिल हर वक़्त मस्जिद में लगा रहे, चौथे दो ऐसे शख़्स जो अल्लाह के लिए आपस में मुहब्बत रखते हैं और उनके मिलने और जुदा होने की बुनियाद यही लिल्लाही मुहब्बत है, पाँचवाँ वो शख़्स जिसे किसी बाइज़त हसीन औरत ने (बुरे इरादे से) बुलाया लेकिन उसने कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, छठा वो शख़्स जिसने सदका किया, मगर इतने पोशीदा तौर पर कि बाएँ हाथ को ख़बर नहीं हुई कि दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया। सातवाँ वो शख़्स जिसने तनहाई में अल्लाह को याद किया और (बेसाख़ता) आँखों से आंसू जारी हो गए। (दीगर मक़ाम: 1423, 6479, 6806)

तशरीह:

अल्लामा अबू शामा अब्दुरहमान बिन इस्माईल ने उन सात खुशनसीबों का जिक्र इन शेरों में मन्ज़ूम फ़र्माया है
 व क़ालत्र बिथ्युल मुस्तफ़ा अन्न सबअतु
 मुहिब्बुन अफ़ीफुन नाशी मुतसद्दिकु
 युज़िल्लुहु मुल्लाहुल करीम बिज़िल्लिल्ली
 बाकिन मुसल्लिन वल इमामु बिअदलिही

يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَفَضَلَ الْمَسَاجِدِ
 ٦٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ
 مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((الْمَلَائِكَةُ
 تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي صَلَاةٍ مَا
 لَمْ يُحَدِّثْ: اللَّهُمَّ اطْفِرْهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ.
 لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ
 الصَّلَاةُ تَحِبُّهُ، لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى
 أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ)). [راجع: ١٧٦]

٦٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ:
 حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي
 خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ
 عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
 ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا
 ظِلُّهُ: الإمام العادلُ: وَشَابٌ نَشَأَ فِي
 عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي
 الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا
 عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ
 مَنْصَبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ،
 وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ
 مَا تَنَفَّقَ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا
 ففَاضَتْ عَيْنَاهُ)).

[أطرافه في: ١٤٢٣، ٦٤٧٩، ٦٨٠٦].

अर्श का साया मिले सातों तरह से हश में, मुझको मेरी आल को जो हों क़यामत तक ख़ुदा।

इन सात के अलावा भी और बहुत से नेक अमल हैं जिनके बजा लाने वालों को साय-ए-अशें अज़ीम की बशारत दी गई है। हदीष के लफ़्ज़, 'क़ल्बुहू मुअल्लकुन फिल मसाजिदि' यानी वो नमाज़ी जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ रहता है) इस बाब का मक़सद प्राबित होता है। बाकी उन सातों पर तबस़रा किया जाये तो दफ़ातिर भी नाकाफ़ी है।

मुतसद्दिक के बारे में मुसनद अहमद में एक हदीष मरफूअन हज़रत अनस (रज़ि.) से मरवी है जिसमें मज़कूर है कि फ़रिशतों ने कहा या अल्लाह! तेरी कायनात में कोई मख़लूक पहाड़ों से भी ज़्यादा मज़बूत है? अल्लाह ने फ़र्माया हाँ, लोहा है। फिर पूछा कि कोई मख़लूक लोहे से भी ज़्यादा सख़्त है। फ़र्माया कि हाँ, आग है जो लोहे को भी पानी बना देती है। फिर पूछा—परवरदिगार कोई चीज़ आग से भी ज़्यादा अहमियत रखती है। फ़र्माया हाँ, पानी है जो आग को भी बुझा देता है। फिर पूछा इलाही कोई चीज़ पानी से ज़्यादा अहम है। फ़र्माया हाँ हवा है जो पानी को भी ख़ुशक कर देती है। फिर पूछा कि या अल्लाह! कोई चीज़ हवा से भी ज़्यादा अहम है। फ़र्माया हाँ आदम का वो बेटा जिसने अपने दायें हाथ से स़दका किया कि उसके बाँयें हाथ को भी ख़बर न हुई कि क्या स़दका किया।

हदीषे मज़कूरा में जिन सात खुशनसीबों का ज़िक्र किया गया है उससे मख़सूस तौर पर मर्दों ही को न समझना चाहिए बल्कि औरतें भी इस शरफ़ में दाख़िल हो सकती हैं और सातों औस़ाफ़ (गुणों) में से हर एक वस्फ़ (गुण) उस औरत पर भी स़ादिक आ सकता है जिसके अन्दर वो ख़ूबी पैदा हो। मषलन सातवां इमामे आदिल है, इसमें वो औरत भी दाख़िल है जो अपने घर की मलिका है और अपने मोतहतों पर अदल व इन्साफ़ के साथ हुकूमत करती है। अपने तमाम मुता'ल्लिकीन में से किसी की इक़तल्फ़ी नहीं करती। न किसी की तस्फ़दारी करते हुए रिआयत करती है बल्कि हर वक़्त अदल व इन्साफ़ को मुकद्दस रखती है व अला हाज़ल क्रियास।

(661) हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माइल बिन जा'फ़र ने बयान किया हुमैद तवील से, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा कि क्या रसूलल्लाह (ﷺ) ने कोई अंगूठी पहनी है? आपने फ़र्माया कि हाँ! एक रात इशा की नमाज़ में आपने आधी रात तक देर की। नमाज़ के बाद हमारी तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़र्माया, लोग नमाज़ पढ़कर सो चुके होंगे और तुम लोग इस वक़्त तक नमाज़ ही की हालत में थे जब तक कि तुम इंतिज़ार करते रहे। हज़रत अनस (रज़ि.) ने फ़र्माया जैसे इस वक़्त में आपकी अंगूठी की चमक देख रहा हूँ (यानी आपकी अंगूठी की चमक का समाँ मेरी आँखों में है।) (राजेअ: 572)

٦٦١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَأَلَ أَنَسٌ: هَلِ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، آخِرَ لَيْلَةَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى فَقَالَ: ((صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَزَالُوا لِي صَلَاةً مِنْذُ أَنْتَظَرْتُمُوهَا)) قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَى وَيْصِ خَاتَمِهِ. [راجع: ٥٧٢]

बाब 37 : मस्जिद में सुबह और शाम आने-जाने की फ़ज़ीलत का बयान

(662) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन हारून वास्ती ने बयान किया, कहा कि हमें मुहम्मद बिन मुत्तफ़ ने ज़ैद बिन असलम से ख़बर दी, उन्होंने अता बिन यसार से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से, उन्होंने हज़रत नबी करीम (ﷺ) से, आपने फ़र्माया कि जो शख़्स मस्जिद में

٣٧- بَابُ فَضْلِ مَنْ غَدَا إِلَى

الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

٦٦٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَطْرَفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

सुबह शाम बार-बार हाज़िरी देता है। अल्लाह तआला जन्नत में उसकी मेहमानी का सामान करेगा। वो सुबह शाम जब भी मस्जिद में जाएगा।

قَالَ: ((مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلًا مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ))

बाब 38 : जब नमाज़ की तकबीर होने लगे तो फ़र्ज़ नमाज़ के सिवा और कोई नमाज़ नहीं पढ़ सकता

38- بَابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا يَكُونُ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

(663) हमसे अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्राहीम बिन सअद ने अपने बाप सअद बिन इब्राहीम से बयान किया, उन्होंने हफ़्स बिन आसिम से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मालिक बिन बुहैना से, कहा कि नबी करीम (ﷺ) का गुजर एक शख्स पर हुआ (दूसरी सनद) इमाम बुखारी (रह.) ने कहा कि मुझसे अब्दुरहमान बिन बिश्र ने बयान किया, कहा कि हमसे बहज़ बिन असद ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि मुझे सअद बिन इब्राहीम ने खबर दी, कहा कि मैंने हफ़्स बिन आसिम से सुना, कहा कि मैंने क़बीला अज़द के एक साहब से जिनका नाम मालिक बिन बुहैना (रज़ि.) था, सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की नज़र एक ऐसे नमाज़ी पर पड़ी जो तकबीर के बाद दोरकअत नमाज़ पढ़ रहा था। आँहूज़ूर (ﷺ) जब नमाज़ से फ़ारिग हुए तो लोग उस शख्स के इर्द-गिर्द जमा हो गए और आँहूज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया क्या सुबह की चार रकअतें पढ़ता है? क्या सुबह की चार रकअतें हो गई? इस हदीष की मुताबअत गुंदर और मुआज़ ने शुअबा से की है जो मालिक से रिवायत करते हैं।

663- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بَحِينَةَ قَالَ: ((مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ)) قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَهُزُّ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ مَالِكُ ابْنُ بَحِينَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، فَلَمَّا انصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَاتَ بِهِ النَّاسُ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الصُّبْحُ أَرْبَعًا، الصُّبْحُ أَرْبَعًا)) تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَمُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَالِكٍ.

इब्ने इस्हाक़ ने सअद से, उन्होंने हफ़्स से, वो अब्दुल्लाह बिन बुहैना से और हम्माद ने कहा कि हमें सअद ने हफ़्स के वास्ते से खबर दी और वो मालिक के वास्ते से।

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بَحِينَةَ. وَقَالَ حَمَّادٌ: أَخْبَرَنَا سَعْدٌ عَنْ حَفْصِ بْنِ مَالِكٍ.

तरीह:

हज़रत सय्यिदुना इमाम बुखारी (रह.) ने यहाँ जिन लफ़्ज़ों में बाब मुनअक़िद किया है ये लफ़्ज़ ही खुद इस हदीष में वारिद हुआ है, जिसे इमाम मुस्लिम और सुनन वालों ने निकाला है। मुस्लिम बिन ख़ालिद की रिवायत में इतना ज़्यादा और है कि फ़र्ज़ की सुन्नतें भी न पढ़ें।

हज़रत मौलाना वहीदुज्जमा साहब मुहदिष हैदराबादी (रह.) फ़र्माते हैं- हमारे इमाम अहमद बिन हंबल और अहले हदीष का यही क़ौल है कि जब फ़र्ज़ की तकबीर शुरू हो जाये तो फिर कोई नमाज़ न पढ़े न फ़र्ज़ की सुन्नतें न और कोई सुन्नत या फ़र्ज़, बस उसी फ़र्ज़ में शरीक हो जाये जिसकी तकबीर हो रही है।

और बैहकी की रिवायत में जो भी मज़कूर है इल्ला रकअतयल फ़ज और हनफ़िया ने इससे दलील पकड़ी कि फ़ज्र की जमाअत होते भी सुन्नत पढ़नी ज़रूरी है, वो सही नहीं है। इसकी सनद में हज्जाज बिन नसीर मतरुक और अब्बाद बिन कधीर मरदूद है। अहले हदीष का ये भी क़ौल है कि अगर कोई फ़ज्र की सुन्नतें शुरू कर चुका हो और फ़ज्र की तकबीर हो तो सुन्नत को तोड़ दे और फ़ज्र में शरीक हो जाए।

अल्लामा शौकानी (रह.) ने नैलुल औतार में इस हदीषे बुखारी की शरह में नौ अक़वाल ज़िक्र किए हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का मसलक इन लफ़्ज़ों में बयान फ़र्माया है— 'अन्नहू इन ख़शिय फ़ौतरकअतैन मअन व अन्नहू ला युदरकल इमामु क़ब्ल रफ़इही मिनरकुइ फ़िफ़ानियति दख़ल मअहू व इल्ला फ़ल्थरकअहुमा यअनी रकअतइल फ़ज्रि ख़ारिजल मस्जिदि शुम्म यदख़ुलु मअल इमामि' अगर ये ख़तरा हो कि फ़ज्र की दोनों रकअत हाथ से निकल जाएगी तो फ़ज्र की सुन्नतों को न पढ़े बल्कि इमाम के साथ मिल जाए और अगर इतना भी एहतिमाल है कि दूसरी रकअत के रकूअ में इमाम के साथ मिल सकेगा तो उन दो रकअत सुन्नते फ़ज्र को पढ़ ले, फिर फ़ज्रों में मिल जाये। इस सिलसिले में इमाम साहब (रह.) की दलील ये है जो बैहकी में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत से मरवी है जिसके अल्फ़ाज़ ये है— 'इज़ा उक़ीमतिस्सलातु फ़ला सलात इल्लल मक्तूबत इल्ला रकअतस्सुब्हि' यानी तकबीर हो चुकने के बाद सिवाय इस फ़ज्र नमाज़ के और कोई नमाज़ जाइज़ नहीं मगर सुबह की दो रकअत सुन्नत।

इमाम बैहकी इस हदीष को नक़ल करके खुद फ़र्माते हैं— 'हाज़िहिज़ियादतु ला अस्ल लहा व फ़ी इस्नादिहा हज्जाजुब्नु नसीर व उब्बादुब्नु कधीर व हुमा ज़ईफ़ानि' यानी ये इल्ला रकअतइल फ़ज्र वाली ज़ियादती बिल्कुल बेअसल है जिसका कोई धुबूत नहीं और इसकी सनद में हज्जाज बिन नसीर और अब्बाद बिन कधीर हैं और ये दोनों ज़ईफ़ है इसलिये ये ज़ियादती क़तअन नाकाबिले ए'तिबार (अविश्वसनीय) है। बरख़िलाफ़ इसके खुद इमाम बैहकी ही ने हज़रत अबू हुरैरह की सही रिवायत इन लफ़्ज़ों में नक़ल की है। 'अन अबी हुरैरत क़ाल, क़ाल रसूलुल्लाहि ﷺ इज़ा उक़ीमतिस्सलातु फ़ला सलात इल्लल मक्तूबत क़ील या रसूलुल्लाहि व ला रकअतइल फ़ज्रि क़ाल वला रकअतइल फ़ज्रि फ़ी इस्नादिही मुस्लिमुब्नु ख़ालिद अज़न्जी व हुव मुतकल्लमुन फ़ीहि व क़द वप्प्रक़हुब्नु हब्बान वहतज्ज बिही फ़ी सहीहिही' यानी रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब नमाज़े फ़ज्र की तकबीर हो जाए तो फिर कोई और नमाज़ जायज़ नहीं। कहा गया कि फ़ज्र की सुन्नतों के बारे में क्या इशार्द है। फ़र्माया कि वो भी जाइज़ नहीं। इस हदीष की सनद में मुस्लिम बिन ख़ालिद ज़न्जी है जिसमें कलाम किया गया है। मगर इमाम इब्ने हिब्बान ने इसकी तौषीक़ की है और इसके साथ हुज्जत पकड़ी है। अल्लामा शौकानी (रह.) ने इस बहष में आख़री नवाँ क़ौल इन लफ़्ज़ों में नक़ल किया है,

'अन्नहू इज़ा समिअल इक़मात लम यहिल लहूहु ख़ुलु फ़ी रकअतइल फ़ज्रि वला फ़ी ग़ैरिहा मिनन्नवाफ़िलि सवाउन कान फ़िल मस्जिदि औ ख़ारिजिही फ़इन फ़अल फ़क़द असा व हुव क़ौलु अहलिज्जाहिरि व नक़लहुब्नु हज़म अनिशशाफ़िइ व जुम्हूरिस्सलफ़ि' (नैलुल औतार)

यानी तकबीर सुन लेने के बाद नमाज़ी के लिए फ़ज्र की सुन्नत पढ़ना या और किसी नमाज़े नफ़िल में दाख़िल होना जाइज़ नहीं है। वो मस्जिद में या बाहर अगर ऐसा किया तो वो अल्लाह और रसूल का नाफ़र्मान ठहरा। अहले ज़ाहिर का यही फ़तवा है और अल्लामा इब्ने हज़म ने इमाम शाफ़िई (रह.) और जुम्हूर सलफ़ से इसी मसलक को नक़ल किया है।

एक तारीख़ी मक्तूबे मुबारक : कौन अहले इल्म है जो हज़रत मौलाना अहमद अली साहब मरहूम सहारनपुरी के नामे नामी से वाक़िफ़ नहीं? आपने बुखारी शरीफ़ के हवाशी तहरीर फ़र्माकर अहले इल्म पर एक एहसाने अज़ीम फ़र्माया है मगर इस बहष के मौक़े पर आपका क़लाम भी जाद-ए-ए'तिदाल से हट गया यानी आपने उसी बैहकी वाली हदीष को बतौर दलील नक़ल किया है और उसे अल्लामा मौलाना मुहम्मद इस्हाक़ साहब देहलवी (रह.) की तरफ़ मन्सूब फ़र्माया है। इन्साफ़ का तक्राज़ा था कि इस रिवायत पर रिवायत नक़ल करने वाले बुजुर्ग़ यानी खुद अल्लामा बैहकी का फ़ैसला भी नक़ल कर दिया जाता मगर ऐसा नहीं किया जिस से मुतअप्पिर होकर उस्ताज़ुल असातिज़ा शैख़ुल कुल फ़िल कुल हज़रत मौलाना व उस्ताज़ुना सय्यिद मुहम्मद नजीर हुसैन साहब मुहदिष देहलवी (रह.) ने आपके नाम एक ख़त तहरीर फ़र्माया था चूँकि ये ख़त एक इल्मी दस्तावेज़ है जिससे रोशन ख़याल नौजवान को बहुत से मुफ़ीद उमूर मा'लूम हो सकेंगे— इसलिये इस ख़त का पूरा मतन दर्जे ले

किया जाता है। उम्मीद कि करेईने किराम व उलमा—ए—इजाम इसके मुतालअे से महजूज होंगे।

‘मिनल आजिज़िन्नहीफ़ि मुहम्मद नज़ीर हुसैन इलल मौलवी अहमद अली सलम्महुल्लाहुल क़विय्यु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहु व बअद फ़त्तिबाअन बिहदीषि ख़ैरल अनामि अलैहि अफ़ज़लुत्तहिय्यति वस्सलाम अदीनुन्नसीहतु वब्तिगाउ तासिन बिअहसनिल क़ौलि फ़ा बिल्मद इष्मन अय्युहद्विष बिकुल्लि मा समिअ अज़्हरु बिख़िदमतिमुशरीफ़ति अन्न मा वकअ मिन ज़ालिकल मुकर्रमि फिलहाशिय्यति अला महीहिल बुखारी तहत हदीषि इज़ा उक्रीमतिस्मलातु फ़ला मलात इल्ला मक्तूबत समिअतु उस्ताज़ी मौलाना मुहम्मद इस्हाक़ रहिमहुल्लाहु तआला यकूलु वरद फ़ी रिवायतिल बैहकी इज़ा उक्रीमतिस्मलातु फ़ला मलात इल्ला रकअतअल फ़जि इन्तिहा जअलहू अक्षरु तलबतिल इल्मि बल बअज़ु अकाबिरि ज़मानिना अल्लज़ीन यअतमिदून अला क़ौलिकुम बिमुर्व्वति अन्फ़ुसिहिम युसल्लूस्मुन्नत व ला युबालून फ़ौतल जमाअति व हाज़िहिज़ियादतुल इस्तिफ़्नाउल अख़ीरु इल्ला रकअतइल फ़जि ला अस्ल लहा बल मर्दूदतुन मतरूदतुन इन्दल मुहक्किनीन ला सीमा इन्दल बैहक़िल अमीन व आफ़तुल वज्द अला हाज़ल हदीस्मिहीहि इन्नमा तरउन अन उब्बादिब्नि क़षीरिन व हज़ा जुब्नु नज़ीरिन बिइल्हाकि हाज़िहिज़ियादतुल इस्तिफ़्नाउल अख़ीरु व ज़न्नी अन्नकुम अय्युहल मुमज्जिदु मा समिअतुम नक्ल कलामि उस्ताज़ी अल अल्लामुतुल बहक़ल फ़हहामतुल मुशतर बैनल आफ़ाकि मौलाना मुहम्मद इस्हाक़ रहिमहुल्लाहु तआल ख़ैर रहमतिन फ़ी यौमित्तलाकि मिनल बैहकी बिच्चामि वल कमालि फ़इन्नल बैहकी क़ाल ला अस्ल लहा औ तसामह मिनल मौलाना अल मरहूम लिज़ुअफ़ि मज़ाजिही फ़ी नक्लिलहा व इल्ला फ़ला कलाम इन्दस्त्रिकातिल मुहद्विषीन फ़ी बुल्लानि रकअतल फ़जि कमा अख़रजहुब्नु अदी व सनदुहु हसनुन व अम्मा ज़ियादतुन इल्ला रकअतस्सुब्हि फ़िल हदीषि फ़क़ालल बैहकी हाज़िहिज़ियादतु ला अस्ल लहा इन्तिहा मुख़त्सरन व क़ालतुर्पिश्ती व ज़ाद अहमद बिलफ़िज़ फ़ला मलात इल्लल लती उक्रीमत व हुव अख़स्सु व ज़ादुब्नु अदी बिसनदिन हसनिन क़ीला या रसूलल्लाहि व ला रकअतल फ़जि क़ाल वला रकअतल फ़जि व क़ालशशौक़ानी व हदीषु इज़ा उक्रीमतिस्मलातु फ़ला मलात इल्लल मक्तूबत इल्ला रकअतस्सुब्हि क़ालल बैहकी हाज़िहिज़ियाद ला अस्ल लहा व क़ालशशौख़नरुद्दीन फ़ी मौजूआतिही हदीषु इज़ा उक्रीमतिस्मलातु फ़ला मलात इल्लल मक्तूबत इल्ला रकअतइल फ़जि रवल बैहकी अन अबी हुरैरत व क़ाल हाज़िहिज़ियादतु ला अस्ल लहा व हाक़ज़ा फ़ी कुतुबिल मौजूआतिल उख़्रा फ़ अलैकुम वल हालतु हाज़िही बिस्मियानतिदीनि इम्मा अन तुसहिहल जुम्लतल अख़ीरत मिन कुतुबि शिकातिल मुहद्विषीन औ तर्ज़िऊ व ला तुअल्लिमू तलबतकुम इन्न हाज़िहिज़ियादतु मर्दूदतुन व ला यलाकुल अमलु बिहा व ला यअतक्रिदु व हा व अना अज़ुल जवाब बिस्सवाबि फ़इन्नहू युनब्बिहुल ग़फ़लत व यूक्रिज़ुल ज़हल वस्सलामु मअल इकराम’ (इलामु अहलिल अस्रि बिअकामि रकअतल फ़जि)

तर्जुमा :— ये मुरासला आजिज़ नहीफ़ (विनम्र चिट्ठी) सय्यिद मुहम्मद नज़ीर हुसैन की तरफ़ से मौलवी अहमद अली सल्लमहुल्लाहुल क़वी के नाम है। बाद सलाम मसनून हदीष ख़ैरुल अनाम अलैहित्तहय्यतु वस्सलाम अदीनुन्नसीहा (दीन ख़ैर ख़वाही का नाम है) की इत्तिबाअ (पैरवी) और आँहज़रत (ﷺ) के फ़र्मान, ‘इज़ा उक्रीमतुस्मलात अल्हदीष’ (इन्सान को गुनाहगार बनाने के लिए यही काफ़ी है बग़ैर तहक़ीके कामिल हर सुनी सुनाई बात को नक़ल कर दे) के पेशेनज़र आपकी ख़िदमत शरीफ़ में लिख रहा हूँ कि आप मुकर्रम ने बुखारी शरीफ़ की हदीष इज़ा उक्रीमतिस्मलातु अल हदीष के हाशिया पर बैहकी के हवाले से हज़रतुल उस्ताज़ मौलाना मुहम्मद इस्हाक़ साहब का क़ौल नक़ल फ़र्माया है जिसमें सुन्नते फ़ज़्र का जमाअते फ़र्ज़ की हालत में पढ़ने का जवाज़ निकलता है। आपके इस क़ौल पर भरोसा करके बहुत से तलबा बल्कि बाज़ अकाबिरे अस्रे हाज़िर (आज के दौर के बड़े लोगों) का ये अमल हो गया है कि फ़र्ज़ नमाज़े फ़ज़्र की जमाअत होती रहती है और वो सुन्नते पढ़ते रहते हैं सो वाजेह हो कि रिवायते मज़क़ूरा में बैहकी के हवाले से इल्ला रकअतइल फ़ज़्र वाली ज़ियादती मुहक्किनीन उलमा खासतौर पर हज़रत अल्लामा बैहकी के नज़दीक बिल्कुल मर्दूद और मतरूद है और हदीष सही रिवायतकर्दा हज़रत अबू हुरैरह पर ये इज़ाफ़ा अब्बाद बिन क़षीर व हज़ाज बिन नज़ीर का वज़अकर्दा (गढ़ा हुआ) है और ऐ मुहतरम फ़ाज़िल! मेरा गुमान है कि आपने हज़रत मौलाना व उस्ताज़ुना अल्लामा फ़हहामा मौलाना मुहमाद इस्हाक़ साहब (रह.) का बैहकी से

नक़ल कर्दा कौल पूरे तौर पर नहीं सुना। हालांकि खुद इमाम बैहक़ी वहाँ फ़र्मा रहे हैं कि ये कौल बिल्कुल बेअसल (फ़र्ज़ी) है या फिर हज़रत मौलाना (मुहम्मद इस्हाक़ मरहूम) की तरफ़ से उसके नक़ल में उसके जोअफ़े मिजाज़ की वजह से तसामुह (कन्फ्यूज़न) हुआ है वना इल्ला रकअतल फ़ज्रि के लफ़्ज़ों के बुतलान में धिकाते मुहदिषीन की तरफ़ से कोई कलाम ही नहीं, जैसा कि शैख़ सनाउल्लाह साहब ने मुहल्ला शरहे मोअत्ता में फ़र्माया है कि मुस्लिम बिन खालिद ने अम्र बिन दीनार से नक़ल किया है। जब आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया इज़ा उक़्रीमतिस्मलातु फ़ला मलात इल्लल मक्तूबत तो आपसे पूछा गया कि फ़ज़्र की दो सुन्नतों के बारे में क्या इर्शाद है? आपने फ़र्माया हाँ वला रकअतल फ़ज्रि यानी जब फ़र्ज़ नमाज़ की तकबीर हो गई तो अब कोई नमाज़ हत्ता कि फ़ज़्र की दो सुन्नतों को पढ़ना भी जाइज़ नहीं। इसको इब्ने अदी ने सनदे हसन के साथ रिवायत किया है और नक़लकर्दा ज़ियादती इल्ला रकअतल फ़ज्रि के बारे में इमाम बैहक़ी फ़र्माते हैं कि इस ज़ियादती की कोई अमल नहीं है। तोर पिश्ती ने कहा कि अहमद ने ज़्यादा किया फ़ला मलात इल्लल्लती उक़्रीमत यानी उस वक़्त खुसूसन वही नमाज़ पढ़ी जाएगी जिसकी तकबीर कही गई है और इब्ने अदी ने सनदे हसन के साथ ज़्यादा किया है कि आप (ﷺ) से पूछा गया, क्या नमाज़े फ़ज़्र की सुन्नतों के बारे में भी यही इर्शाद है। आपने फ़र्माया हाँ, बवक़ते जमाअत उनका पढ़ना भी जाइज़ नहीं।

इमाम शौकानी हज़रत इमाम बैहक़ी से हदीष के तहत इज़ा उक़्रीमतिस्मलातु अलअख़ में ज़ियाद की इल्ला रकअतल फ़ज्रि मनघड़त और बेअसल है। शेख़ नूरुद्दीन ने भी इन लफ़्ज़ों को मौजूआत में शुमार किया है और दूसरी कुतुबे मौजूआत में भी ये सराहत मौजूद है।

इन हालात में दीन की हिफ़ाज़त के लिये आप पर लाज़िम हो जाता है कि या तो धिकाते मुहक्किनीन की किताबों से इसकी सिटहत षाबित फ़र्माएं या फिर रुज़ूअ फ़र्माकर अपने तलबा को आगाह फ़र्मा दें कि ये ज़ियादती नाकाबिले अमल और मरदूद है। इनके सुन्नत होने का अक़ीदा बिल्कुल न रखा जाए। मैं जवाब बा सवाब के लिये उम्मीदवार हूँ जिससे गाफ़िलों को तम्बीह होगी और बहुत से जाहिलों के लिए आगाही, वस्सलामु मअल इकराम।

जहाँ तक बाद की मा'लूमात है हज़रत मौलाना अहमद अली (रह.) ने इस मक्तूब का कोई जवाब नहीं दिया न ही इस ग़लती की इस्लाह की बल्कि आज तक जुम्ला मतबूआ बुखारी मअ हवाशी मौलाना मरहूम में ये ग़लत बयान मौजूद है। पस खुलासतुल-मराम ये कि फ़ज़्र की जमाअत होते हुए फ़र्ज़ नमाज़ छोड़कर सुन्नतों में मशगूल होना जायज़ नहीं है।

फिर इन सुन्नतों को कब अदा किया जाये इसके बारे में हज़रत इमाम तिमिज़ी (रह.) ने अपनी सुनन में यूँ बाब मुनअक़िद किया है- बाबुन मा जाअ फ़ीमन तफ़ूतुहुरकअतानि क़ब्लल फ़ज्रि युसल्लीहिमा बअद सलातिस्सुब्हि बाब इस बारे में जिसकी फ़ज़्र की ये दो सुन्नतें रह जायें वो उनको नमाज़े फ़र्ज़ की जमाअत के बाद अदा करें। इस पर इमाम तिमिज़ी ने ये हदीष दलील में पेश की है।

'अन मुहम्मदिब्नि इब्राहीम अन जदिही क़ैस क़ाल ख़रज रसूलुल्लाहि ﷺ फ़उक़्रीमतिस्मलातु फ़सल्लैतु मअहुस्सुब्ह षुम्मन्मरफ़न्नबिय्यु ﷺ फ़वजदनी उसल्ली फ़क़ाल महलन या क़ैस अमलातानि मअन कुल्लु या रसूलुल्लाहि ﷺ इन्नी लम अकुन रकअतु रकअतल फ़ज्रि फ़ला अज़िन' यानी मुहम्मद बिन इब्राहीम अपने दादा क़ैस का वाक़िया नक़ल करते हैं कि एक दिन मैंने रसूले करीम (ﷺ) के साथ फ़ज़्र की नमाज़े फ़र्ज़ जमाअत के साथ अदा की। सलाम फेरने के बाद मैं फिर नमाज़ में मशगूल हो गया। आँहज़रत (ﷺ) ने जब मुझे देखा तो फ़र्माया कि ऐ क़ैस! क्या दो नमाज़ें पढ़ रहे हो? मैंने अर्ज़ की हूज़ूर मुझसे फ़ज़्र की सुन्नत रह गई थी उनको अदा कर रहा हूँ। आपने फ़र्माया, फिर कुछ मुजायका नहीं है।

हज़रत इमाम तिमिज़ी फ़र्माते हैं- 'व क़द क़ाल क़ौमुन मिन अहलि मक़त बिहाज़ल हदीषि लम यरौ बासन अय्युसल्लियरज़ुलु अरकअतैनि बअदल मक्तूबति क़ब्ल अन ततलुअश्शम्सु' यानी मक्का वालों से एक क़ौम ने इस हदीष के पेशेनज़र फ़तवा दिया है कि इसमें कोई हरज नहीं जिसकी फ़ज़्र की सुन्नतें रह जायें वो नमाज़ जमाअत के बाद सूरज निकलने से पहले ही उनको पढ़ लें।

अल मुहदिषुल कबीर मौलाना अब्दुरहमान मुबारकपुरी मरहूम फ़र्माते हैं-

'इअलम अन्न क़ौलहू ﷺ फ़ला अज़िन मअनाहू फ़ला बास अलैक अन तुसल्लियहुमा हीनइज़िन कमा जकर्तुहू व यदुल्लु अ लैहि रिवायतु अबी दाऊद फ़सकत रसूलुल्लाहि ﷺ (इला अन) फ़इज़ा अरफ़्त हाज़ा कुल्लहू जहर

लक बुत्लानु कौलि झाहिबिल उर्फिशज्जी फी तप्सीरि कौलिही फ़ला अज़िन फ़ला तुसल्ली मअ हाज़ल उज़ि अयज़न अय फ़ला अज़िन लिल इन्कारि' (तोहफ़तुल अहवुज़ी)

यानी जान ले फ़मनि नबवी फ़ला अज़िन का मतलब ये है कि कोई हरज नहीं कि तू उनको अब पढ़ रहा है। अब दाऊद में सराहत यूँ है कि रसूले करीम (ﷺ) ख़ामोश हो गये। इस तफ़सील के बाद साहिबे उर्फुशज्जा के कौल का बुतलान तुझ पर जाहिर हो गया। जिन्होंने फ़ला अज़िन के माना इन्कार के बतलाये हैं यानी आँहज़रत (ﷺ) ने इस लफ़्ज़ से उसको उन सुन्नतों के पढ़ने से रोक दिया। हालांकि ये माना बिल्कुल ग़लत है।

हाफ़िज़ इब्ने हज़र फ़र्माते हैं, 'क़ालब्नु अब्दुल बरू व ग़ैरहू अल हुज्जतु इन्दत्तनाजुइस्सुन्नति फ़मन अदला बिहा फ़क़द अप्लह व तर्कुत्तनफ़फ़ुलि इन्द इक्रामतिस्सलाति व तदारुकिहा बअद क़ज़ाइल फ़र्ज़ि अक्खबु इला इत्तिबाइस्सुन्नति व यतायदु ज़ालिक मिन हैषिल मअना बिअन्न क़ौलहू फ़िल इक्रामति हय्य अलस्सलाति मअनाहू हल्लुमु इलस्सलाति अय अल्लती युक्रामु लहा फ़अस्अदुन्नसि बिइम्तिषालि हाज़ल अम्मि मल्लम यताशागल अन्हू बिग़ैरिही वल्लाहु आलमु' यानी इब्ने अब्दुल बरू व ग़ैरहू फ़र्माते हैं कि तनाज़अः (विवाद) के वक़्त फ़ैसलाकुन चीज़ सुन्नते रसूल (ﷺ) है जिसने उसको लाज़िम पकड़ा वो कामयाब हो गया और तकबीर होते ही नफ़िल नमाज़ों को छोड़ देना (जिनमें फ़ज़ की सुन्नतें भी दाख़िल हैं) और उनको फ़र्ज़ों के बाद अदा कर लेना इत्तिबा—ए—सुन्नत के यही करीब है और इक्रामत में जो हय्य अलस्सलाह कहा जाता है मअनवी तौर पर इससे भी उसी अम्र की ताईद होती है क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप उस नमाज़ के लिए आओ जिसके लिये इक्रामत कही जा रही है। पस खुशानसीब वही है जो इस अम्र पर फ़ौरन अमलपैरा हो और इसके सिवा और किसी ग़ैर अमल में मशगूल न हो। खुलासा ये है कि फ़ज़ की नमाज़े फ़र्ज़ की जमाअत होते हुए सुन्नतें पढ़ते रहना और जमाअत को छोड़ देना अक़लन व नक़लन किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। फिर भी हिदायत अल्लाह ही के इख़्तियार में है।

बाब 39 : बीमार को किस हद तक जमाअत में

आना चाहिए

(664) हमसे इमर बिन हफ़स बिन गयाब ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप हफ़स बिन गयाब ने बयान किया, कहा कि हमसे अज़मश ने इब्राहीम नख़ई से बयान किया कि हज़रत अस्वद बिन यज़ीद नख़ई ने कहा कि हम हज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में गए थे। हमने नमाज़ में हमेशगी और उसकी ता'ज़ीम का ज़िक्र किया। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) के मर्जु ल मौत में जब नमाज़ का वक़्त आया और अज्ञान दी गई तो फ़र्माया कि अबूबक्र से कहो कि लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ। उस वक़्त आपसे कहा गया कि अबूबक्र बड़े नर्म दिल हैं। अगर वो आपकी जगह खड़े होंगे तो नमाज़ पढ़ाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपने फिर वही हुक्म दिया, और आपके सामने फिर वही बात दोहराई गई। तीसरी मर्तबा आपने फ़र्माया कि तुम तो बिलकुल यूसुफ़ की साथ वाली औरतों की तरह हो। (कि दिल में कुछ और है और जाहिर कुछ और कर रही

۳۹- بَابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أَنْ يُشْهَدَ

الْجَمَاعَةَ

۶۶۴- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْأَسْوَدُ : قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَذَكَرْنَا الْمَوَاطِئَةَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالنَّعْظِيمِ لَهَا قَالَتْ : لَمَّا مَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَ، فَقَالَ : ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)) فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. وَأَعَادَ. فَأَعَادَ النَّائِلَةَ فَقَالَ : ((إِنْ كُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ

हो) अबूबक्र से कहो कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। आखिर अबूबक्र (रज़ि.) नमाज़ पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए। इतने में नबी करीम (ﷺ) ने मर्ज़ में कुछ कमी महसूस की और दो आदमियों का सहारा लेकर बाहर तशरीफ़ ले गए। गोया मैं उस वक़्त आपके क्रदमों को देख रही हूँ कि तकलीफ़ की वजह से ज़मीन पर लकीर करते जाते थे। अबूबक्र (रज़ि.) ने ये देखकर चाहा कि पीछे हट जाएँ। लेकिन आप (ﷺ) ने इशारे से उन्हें अपनी जगह रहने के लिए कहा फिर उनके पास आए और बाज़ू में बैठ गए। जब अअमश ने ये हदी़ बयान की, उनसे पूछा गया कि क्या नबी करीम (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ाई। और अबूबक्र (रज़ि.) ने आपकी इक़्तिदा की और लोगों ने अबूबक्र (रज़ि.) की नमाज़ की इक़्तिदा की? हज़रत अअमश ने सर के इशारे से बतलाया कि हाँ। अबू दाऊद तयालसी ने इस हदी़ का एक टुकड़ा शुअबा से रिवायत किया है और शुअबा ने अअमश से और अबू मुआविया ने इस रिवायत में ये ज़्यादा किया है कि आँ हज़रत (ﷺ) हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के बाईं तरफ़ बैठे। पस अबूबक्र (रज़ि.) खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे। (राजेअ: 198)

مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيَصِلْ بِالنَّاسِ)). فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ يَصَلِّي، فَوَجَدَ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَةً، فَخَرَجَ يَهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ رِجَالَهُ تَخْطَانِ مِنَ الْوَجْعِ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ، (فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ مَكَانَكَ. ثُمَّ أَتَى بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ). قِيلَ لِلْأَعْمَشِ : وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ؟ فَقَالَ بِرَأْسِهِ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بَعْضُهُ. وَرَوَاهُ أَبُو مَعَاوِيَةَ : جَلَسَ عَنِ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا.

[راجع: ۱۹۸]

(665) हमसे इब्राहीम बिन मूसाने बयान किया, कहा कि हमें हिशाम बिन यूसुफ़ ने ख़बर दी मअमर से, उन्होंने ज़ुह्री से, कहा कि मुझे अबूदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन इत्बा बिन मसऊद ने ख़बर दी कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जब नबी करीम (ﷺ) बीमार हो गए और तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ गई तो आपने अपनी बीवियों से इसकी इजाज़त ली कि बीमारी के दिन मेरे घर में गुज़ारें। उन्होंने इसकी आपको इजाज़त दे दी। फिर आप बाहर तशरीफ़ ले गए। आपके क्रदम ज़मीन पर लकीर कर रहे थे। आप उस वक़्त अब्बास (रज़ि.) और एक और शख़्स के बीच में थे (यानी दोनों हज़रत का सहारा लिए हुए थे) अबूदुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) रावी ने बयान किया कि मैंने ये हदी़ हज़रत आइशा (रज़ि.) की अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से बयान की, तो आपने फ़र्माया कि उस शख़्स को भी जानते हो? जिनका नाम आइशा (रज़ि.) ने नहीं लिया। मैंने कहा कि नहीं! आपने फ़र्माया कि वो दूसरे आदमी हज़रत अली (रज़ि.) थे।

۶۶۵- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَمْرُضَ لِي بَيْتِي، فَأُذِنَ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخْطُ رِجْلَاهُ الْأَرْضَ، وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَرَجُلٍ آخَرَ. قَالَ عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَ لِي : وَهَلْ تَدْرِي مَنْ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قُلْتُ : لَا قَالَ : هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

(राजेअ: 198)

[راجع: 198]

तशरीह: हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का मक़सद बाब मुनअक़िद करने और ये हदीष लाने से ज़ाहिर है कि जब तक भी मरीज़ किसी न किसी तरह से मस्जिद में पहुँच सके यहाँ तक कि किसी दूसरे आदमी के सहारे से जा सके तो जाना ही चाहिए। जैसा कि आँहज़रत (ﷺ) हज़रत अब्बास और हज़रत अली (रज़ि.) के सहारे मस्जिद में तशरीफ़ ले गये।

अल्लामा इब्ने हज़र फ़र्माते हैं— 'व मुनासबतु ज़ालिक मिनल हदीषि ख़ुरूजुहूस. मुवक्क़िअन अला ग़ैरिही मिन शिद्दतिज़्जुअफ़ि फकअन्नहू युशरीरु इला अन्नहू मम बलग इला तिल्कल हालि ला यस्तहिब्बु लहू तकल्लुफल ख़ुरूजि लिल जमाअति इल्ला इज़ा वजद मय्यतवक्क़उ' (फ़तहल बारी)

यानी हदीष से इसकी मुनासबत इस तौर पर है कि आँहज़रत (ﷺ) का घर से निकलकर मस्जिद में तशरीफ़ लाना कमज़ोरी की शिद्दत के बावजूद दूसरे के सहारे मुमकिन हुआ। गोया ये उस तरफ़ इशारा है कि जिस मरीज़ का हाल यहाँ तक पहुँच जाए उसके लिये जमाअत में हाज़री का तकल्लुफ़ मुनासिब नहीं। हाँ अगर वो कोई ऐसा आदमी पा ले जो उसे सहारा देकर पहुँचा सके तो मुनासिब है।

हदीष रोज़े रोशन की तरह वाजेह है कि आँहज़रत (ﷺ) ने अपने आख़री वक़्त में देख लिया था कि उम्मत की बाग़डोर सम्भालने के लिए हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) से ज़्यादा मौजूं (उचित) कोई दूसरा शख़्स इस वक़्त नहीं है, इसलिये आपने बार-बार ताकीद फ़र्माकर हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ही को मुसल्ले पर बढ़ाया। ख़िलाफ़ते सिद्दीकी की हक्कानियत पर इससे ज़्यादा वाजेह दलील नहीं हो सकती बल्कि जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) ने इस सिलसिले में कुछ मअज़रत पेश की और इशारा किया कि मुहतरम वालिद माजिद बेहद रकीकुल क़ल्ब (नर्मदिल) है। वो मुसल्ले पर जाकर रोना शुरू कर देंगे। लिहाज़ा आप हज़रत उमर (रज़ि.) को इमामत का हुक्म फ़र्माइये। हज़रत आइशा (रज़ि.) का ऐसा ख़याल भी नक़ल किया गया है कि वालिदे माजिद मुसल्ला पर तशरीफ़ लाए और बाद में आँहज़रत (ﷺ) का विसाल हो गया तो अवाम उनके वालिद माजिद के मुता'ल्लिक किस्म-किस्म की बदगुमानियां पैदा करेंगे। इसलिये आँहज़रत (ﷺ) ने ये कहकर तुम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का साथ वालियों जैसी हो सबको ख़ामोश कर दिया। जैसा कि जुलैखा की सहेलियों का हाल था कि ज़ाहिर में कुछ कहती थी और दिल में कुछ और ही था। यही हाल तुम्हारा है।

हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं कि इस वाक़िआ से बहुत से मसाइल प्राबित होते हैं। मषलन—

- (1) ऐसे शख़्स की उसके सामने ता'रीफ़ करना जिसकी तरफ़ से अमन हो कि वो खुदपसन्दी में मुब्तला न होगा।
- (2) अपनी बीवियों के साथ नर्मी का बर्ताव करना।
- (3) छोटे आदमी को हक़ हासिल है कि किसी अहम अम्र (काम) में अपने बड़ों की तरफ़ मुराजअत करे।
- (4) किसी उम्मी मसले पर आपसी मश्वरे करना।
- (5) बड़ों का अदब बहरहाल बजा लाना जैसा कि हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.), आँहज़रत (ﷺ) की तशरीफ़ आवरी देखकर पीछे हटने लगे।
- (6) नमाज़ में बक़षरत रोना।
- (7) कुछ मौक़ों पर बोलने के बजाय महज़ इशारे से काम लेना।
- (8) नमाज़ बाजमाअत की ताकीद शदीदे वग़ैरह-वग़ैरह। (फ़तहल बारी)

बाब 40 : बारिश और किसी उज़्र की वजह से घर में नमाज़ पढ़ लेने की इजाज़त का बयान

(666) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने नाफ़ेअ से ख़बर दी कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने एक ठण्डी और बरसात की रात में अज़ान दी,

٤٠ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ

وَالْعَلَةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ

٦٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أذَّنَ

फिर यूँ पुकार कर कह दिया कि लोगों! अपनी क्रयामगाहों पर ही नमाज़ पढ़ लो। फिर फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) सर्दी व बारिश की रातों में मुअज़्जिन को हुक्म देते थे कि वो ऐलान कर दे कि लोगों अपनी क्रयामगाहों पर ही नमाज़ पढ़ लो। (राजेअ: 632)

(667) हमसे इस्माइल बिन अबी उवैस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उन्होंने महमूद बिन रबीअ अंसारी से कि अत्बान बिन मालिक अंसारी (रज़ि.) नाबीना थे और वो अपनी क्रौम के इमाम थे। उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! अँधेरी और सैलाब की रातें होती हैं और मैं अँधा हूँ, इसलिए आप मेरे घर में किसी जगह नमाज़ पढ़ लें ताकि मैं अपनी नमाज़ की जगह बना लूँ। फिर रसूलुल्लाह उनके घर तशरीफ़ लाए और पूछा कि तुम कहाँ नमाज़ पढ़ना पसंद करोगे। उन्होंने घर में एक जगह बतला दी और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वहाँ पढ़ी। (राजेअ: 424)

मक़सद ये है कि जहाँ नमाज़, बाजमाअत की शदीद ताकीद है वहाँ शरीअत ने माकूल उज़रों (उचित कारणों) के आधार पर जमाअत छोड़कर नमाज़ की इजाज़त भी दी है। जैसा कि ऊपर बयान की गई अहदादीष से ज़ाहिर है।

बाब 41 : जो लोग (बारिश या और किसी आफ़त में) मस्जिद में आ जाएँ तो क्या इमाम उनके साथ नमाज़ पढ़ ले और बरसात में जुमुआ के दिन ख़ुत्बा पढ़े या नहीं?

यानी गोया ऐसी आफ़तों में जमाअत में हाज़िर होना मुआफ़ है लेकिन अगर कुछ लोग तकलीफ़ उठाकर मस्जिद में आ जाएँ तो इमाम उनके साथ नमाज़ जमाअत के साथ पढ़ ले क्योंकि घरों में नमाज़ पढ़ लेना रुख़सत है अफ़ज़ल तो यही है कि मस्जिद में हाज़िर हो।

(668) हमसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वहहाब बज़री ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्मद बिन ज़ैद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल हमीद साहब अज़्ज़ियादी ने बयान किया, कहा मैंने अब्दुल्लाह बिन हारि़ बिन नौफ़ल से सुना, उन्होंने कहा हमें एक दिन इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने जब बारिश की वजह से कीचड़ हो

بالصلاة - في ليلة ذات برد وريح - ثم قال: ألا صلوا في الرّحال. ثم قال: إن رسول الله ﷺ كان يأمر المؤذن - إذا كانت ليلة ذات برد ومطر - يقول: ((ألا صلوا في الرّحال)). [راجع: 632]

٦٦٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَخْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ عَتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَوْمَ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسُّتُلُ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرٌ الْبَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي مَكَانًا آتِيخُدُهُ مُصَلِّيً لِفَجَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ((أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أَصَلِّيَ؟)) فَأَشَارَ إِلَيَّ مَكَانًا مِنَ الْبَيْتِ، فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. [راجع: ٤٢٤]

٤١ - بَابُ هَلْ يُصَلِّيُ الْإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ؟ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ؟

٦٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ: خَطَبْنَا

रही थी खुत्बा सुनाया। फिर मुअज़्जिन को हुक्म दिया और जब वो हथ्य अलसल्लात पर पहुँचा तो आपने फ़र्माया कि आज यूँ पुकार दो कि नमाज़ अपनी क़यामगाहों पर पढ़ लो। लोग एक-दूसरे को (हैरत की वजह से) देखने लगे। जैसे उसको उन्होंने नाजाइज़ समझा। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि ऐसा मा'लूम होता है कि तुमने शायद इसको बुरा जाना है। ऐसा तो मुझे से बेहतर ज़ात यानी रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी किया था। बेशक जुमुआ वाजिब है मगर मैंने ये पसंद नहीं किया कि हथ्य अलसल्लात कहकर तुम्हें बाहर निकालूँ (और तक्लीफ़ में मुब्तला करूँ) और हम्माद ने आसिम से, वो अब्दुल्लाह बिन हारि़्म से, वो इब्ने अब्बास (रज़ि.) से, इसी तरह रिवायत करते हैं। अल्बत्ता उन्होंने इतना और कहा कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मुझे अच्छा मा'लूम नहीं हुआ कि तुम्हें गुनाहगार करूँ और तुम इस हालत में आओ कि तुम मिट्टी में घुटनों तक आलूदा हो गए हो। (राजेअ 616)

بُنْ عَبَّاسٍ لِي يَوْمِ ذِي رَجَبٍ، فَأَمَرَ الْمُؤَدِّنَ لِمَا بَلَغَ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ: قُلْ: الصَّلَاةُ فِي الرَّحَالِ، لَنْظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَكَانَهُمْ أَنْكَرُوا لِقَالَ: كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا، إِنَّ هَذَا فَعْلَةٌ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي - يَغْنِي النَّبِيُّ ﷺ - إِنَّهَا عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ.

وَعَنْ حَمَادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ، خَيْرٌ أَنَّهُ قَالَ: كَرِهْتُ أَنْ أُرْتَمِكُمْ، فَسَجِدُونَ تَدُسُّونَ الطَّيْنَ إِلَى رُكْبِكُمْ.

[راجع: ٦١٦]

तशीह: शारहीने बुखारी लिखते हैं- 'मक़ सूदुल मुसन्निफ़ि मिन अक्दि ज़ालिकल बाबि बयानुन अन्नल अम्रा बिस्सल्लाति फिरिहालि लिल इबाहिति ला लिल वुजूबि व ला लिननुदुबि व इल्ला लम यजुज़ औ लम यकुन औला अंच्युसल्लियल इमामु बिमन हज़र' यानी हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का मक़सदे बाब ये है कि बारिश और कीचड़ के वक़्त अपने अपने ठिकाने पर अदा करने का हुक्म वुजूब के लिए होता तो फिर हाज़िरीने मस्जिद के साथ मस्जिद के साथ इमाम का नमाज़ अदा करना भी जायज़ न होता या औला न होता। बारिश में ऐसा होता ही है कि कुछ लोग आ जाते हैं कुछ नहीं आ सकते। बहरहाल शरीअत ने हर तरह से आसानी को पेशेनज़र रखा है।

(669) हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि कि हमसे हिशाम दस्तवाई ने यहा बिन क़़रीर से बयान किया, उन्होंने अबू सलमा बिन अब्दुरहमान से, उन्होंने कहा कि मैंने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से (शबे क़द्रको) पूछा। आपने फ़र्माया कि बादल का एक टुकड़ा आया और बरसा यहाँ तक कि (मस्जिद की छत) टपकने लगी जो खजूर की शाखों से बनाई गई। फिर नमाज़ के लिये तक्बीर हुई। मैंने देखा कि नबी करीम (ﷺ) कीचड़ और पानी में सज्दा कर रहे थे। कीचड़ का निशान आपकी पेशानी पर भी मैंने देखा।

(दीगर मक़ाम : 813, 836, 2016, 2018, 2027, 2036, 2040)

٦٦٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ: جَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ السَّقْفُ - وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ - فَالَيْمَتِ الصَّلَاةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطَّيْنِ، حَتَّى رَأَيْتُ آثَرَ الطَّيْنِ فِي جَبْهِهِ.

أطرافه في : ٨١٣ ، ٨٣٦ ، ٢٠١٦ ، ٢٠١٨ ، ٢٠٢٧ ، ٢٠٣٦ ، ٢٠٤٠ .

इमाम बुखारी (रह.) ने इससे ये प्राबित किया कि आँहज़रत (ﷺ) ने कीचड़ और बारिश में भी नमाज़ मस्जिद में पढ़ी। बाब का यही मक़सद है कि ऐसी आफ़तों में जो लोग मस्जिद में आ जायें उनके साथ इमाम नमाज़ पढ़ ले।

(670) हमसे आदम बिन अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अनस बिन सीरीन ने बयान किया, कहा कि मैंने अनस (रज़ि.) से सुना, कि अंसार में से एक मर्द ने बहाना पेश किया कि मैं आपके साथ नमाज़ में शरीक नहीं हो सकता और वो मोटा आदमी था। उसने नबी करीम (ﷺ) के लिए खाना तैयार किया और आपको अपने घर दा'वत दी और आपके लिए एक चटाई बिछा दी और उसके एक किनारे को (साफ़ करके) धोया। आँहज़ूर (ﷺ) ने उस बोरिये पर दो रकअतें पढ़ीं। आले जारूद के एक शख़्स (अब्दुल हमीद) ने अनस (रज़ि.) से पूछा कि नबी करीम (ﷺ) चाश्त की नमाज़ पढ़ते थे तो उन्होंने फ़र्माया कि उस दिन के सिवा और कभी मैंने आपको पढ़ते हुए नहीं देखा। (दीगर मक़ाम : 1179, 6070)

٦٧٠- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ - وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا - فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَبَسَطَ لَهُ حَصِيرًا، وَنَضَحَ طَرَفَ الْحَصِيرِ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكَعَتَيْنِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُودِ لِأَنَسٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الصُّحَى؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَاةً إِلَّا يَوْمَئِذٍ.

[طرفاه في : ١١٧٩، ٦٠٨٠.]

तशरीह : यहां ये हदीष लाने से हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का मक़सद बजाहिर ये मा'लूम होता है कि मा'जूर (असमर्थ) लोग अगर जुमुआ की जमाअत में न शरीक हो सकें और वो इमाम से दरख्वास्त करें कि उनके घर में उनके लिये नमाज़ की जगह तजवीज़ कर दी जाये तो इमाम को ऐसा करने की इजाजत है। बाब में बारिश के उज़र का जिक्र था और हदीषे हाजा में एक अन्सारी मर्द के मोटापे को उज़र (कारण) के तौर पर ज़िक्र किया गया है। जिससे ये ज़ाहिर करना मक़सद है कि शरअन जो उज़र मा'कूल हो उसके आधार पर जमाअत से पीछे रह जाना जाइज़ है।

बाब 42 : जब खाना हाज़िर हो और नमाज़ की तक्बीर हो जाए तो क्या करना चाहिये?

और इब्ने इमर (रज़ि.) तो ऐसी हालत में पहले खाना खाते थे। और अबू दर्दा (रज़ि.) फ़र्माते थे कि अक्लमंदी ये है कि पहले आदमी अपनी हाजत पूरी कर ले ताकि जब वो नमाज़ में खड़ा हो तो उसका दिल फ़ारिश हो।

(671) हमसे मुसहद बिन मुसहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने हिशाम बिन इर्वा से बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से सुना, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आपने फ़र्माया कि अगर शाम का खाना सामने रखा जाए और इधर नमाज़ के लिये तक्बीर

٤٢- بَابُ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَذَرُ بِالْعِشَاءِ وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مِنْ لَفْهِ الْمَرْءِ إِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ حَتَّى يُقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ وَقَلْبُهُ فَارِعٌ.

٦٧١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ نِسَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا وَضِعَ الْعِشَاءُ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَأُوا

होने लगे तो पहले खाना खा लो। (दीगर मक़ाम : 5465)

(672) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैज़ बिन सअद ने बयान किया, उन्होंने अक़ील से, उन्होंने इब्ने शिहाब से बयान किया, उन्होंने अनस बिन मालिक से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि शाम का खाना हाज़िर किया जाए तो मग़िब की नमाज़ से पहले खाना खा लो और खाने में बेमज़ा भी न होना चाहिए और अपना खाना छोड़ कर नमाज़ में जल्दी न करो। (दीगर मक़ाम : 5463)

तशरीह:

इन जुम्ला आशर और अह्दादीष का मक़सद इतना ही है कि भूख के वक़्त अगर खाना तैयार हो तो पहले उससे फ़ारिग होना चाहिए ताकि नमाज़ पूरे सुकून के साथ अदा की जाये और दिल खाने में न लगा रहे और ये उसके लिये है जिसे पहले ही से भूख सता रही हो।

(673) हमसे इब्बैद बिन इस्माईल ने बयान किया अबू उसामा हम्माद बिन उसामा से, उन्होंने इब्बैदुल्लाह से, उन्होंने नाफ़ेअ से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) से कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुममें से किसी का शाम का खाना तैयार हो चुका हो और तक्वीर भी कही जा चुकी तो पहले खाना खा लो नमाज़ के लिये जल्दी न करो, खाने से फ़राग़त कर लो। और अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) के लिए खाना रख दिया जाता और इधर इक्रामत भी हो जाती लेकिन आप खाने से फ़ारिग होने तक नमाज़ में शरीक नहीं होते थे। आप इमाम की किरअत बराबर सुनते रहते थे।

(दीगर मक़ाम : 674, 5464)

(674) जुहैर और वहब बिन इब्मान ने मूसा बिन इब्बा से बयान किया, उन्होंने नाफ़ेअ से, उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर तुममें से कोई खाना खा रहा हो तो जल्दी न करे बल्कि पूरी तरह खा ले गो नमाज़ खड़ी ही क्यूँ न हो गई हो। अबू अब्दुल्लाह हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने कहा और मुझसे इब्ब्राहीम बिन मुज़िर ने वहब बिन इब्मान से ये हदीष बयान की और वहब मदनी है।

बाब 43 : जब इमाम को नमाज़ के लिए बुलाया जाए

[بالعشاء]. [طرفه في : ٥٤٦٥].

٦٧٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا قَدِمَ الْعِشَاءُ فَأَبْدَأُوا بِوَقْتِهَا أَنْ تَصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عِشَائِكُمْ)). [طرفه في : ٥٤٦٣].

٦٧٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا وَضِعَ عِشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأَقِيَمَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدَأُوا بِالْعِشَاءِ، وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ)). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضِعُ لَهُ الطَّعَامَ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ.

[طرفاه في : ٦٧٤, ٥٤٦٤].

٦٧٤- وَقَالَ زُهَيْرٌ وَوَهْبُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقَيْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِنْ أَقِيَمَتِ الصَّلَاةُ)) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ وَهْبِ بْنِ عُثْمَانَ، وَوَهْبِ مَدِينِيِّ.

٤٣- بَابُ إِذَا دُعِيَ الْإِمَامُ إِلَى

और उसके हाथ में खाने की चीज़ हो तो वो क्या करे?

(675) हमसे अब्दुलअज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्राहीम बिन सअद ने झालेह बिन कैसान से बयान किया, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने कहा कि मुझको जा'फ़र बिन अम्र बिन उमय्या ने ख़बर दी कि उनके बाप अम्र बिन उमय्या ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप बकरी की रान का गोश्त काट-काटकर खा रहे थे। इतने में आप नमाज़ के लिए बुलाए गए। आप खड़े हो गए और छुरी डाल दी, फिर आपने नमाज़ पढ़ाई और वुजू नहीं किया। (राजेअ: 208)

तशरीह: इस बाब और इसके तहत इस हदीष के लाने से हज़रत इमाम बुखारी (रज़ि.) को ये प्राबित करना मन्ज़ूर है कि पिछली हदीष का हुक्म इस्तिहबाबन था वुजूबन न था वर्ना आँहज़रत (ﷺ) खाना छोड़कर नमाज़ के लिए क्यों जाते। बाज़ कहते हैं इमाम का हुक्म अलग है उसे खाना छोड़कर नमाज़ के लिये जाना चाहिए। हदीष से ये भी प्राबित हुआ कि गोश्त खाने से वुजू नहीं टूटता।

बाब 44 : उस आदमी के बारे में जो अपने घर के कामकाज में मसरूफ़ था कि तक्बीर हुई और वो नमाज़ के लिए निकल खड़ा हुआ

(676) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा हमसे हकम बिन इत्बा ने इब्राहीम नखई से बयान किया, उन्होंने अस्वद बिन ज़ैद से, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने घर में क्या-क्या करते रहे थे। आपने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने घर के काम-काज यानी अपने घरवालों की मदद किया करते थे और जब नमाज़ का वक़्त होता तो फ़ौरन (काम-काज छोड़कर) नमाज़ के लिए चले जाते थे। (दीगर मक़ाम: 5363, 6039)

बाब 45 : कोई शख्स सिर्फ़ ये बतलाने के लिए कि आँहज़रत (ﷺ) नमाज़ क्योंकर पढ़ा करते थे और आपका तरीक़ा क्या था नमाज़ पढ़ाए तो कैसा है?

(677) हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे अय्यूब सुख़ितयानी ने अबू क़िलाबा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से बयान किया, उन्होंने कहा कि मालिक बिन हुवैरिष (सहाबी) एक बार हमारी

الصَّلَاةِ وَيَبْدِهِ مَا يَأْكُلُ

٦٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ ذِرَاعًا يَخْتَرُ مِنْهَا، فَدَعَى إِلَى الصَّلَاةِ فَنَامَ فَطَرَحَ السَّكِينِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [راجع: ٢٠٨]

٤٤- بَابُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ

فَأَقِيَمَتِ الصَّلَاةَ فَخَرَجَ

٦٧٦- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ لِي نَيْبِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ لِي مَهْنَةً أَهْلِهِ - نَعْنِي لِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا خَضَرَتِ الصَّلَاةَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. [طرفاه في: ٥٣٦٣, ٦٠٣٩].

٤٥- بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا

يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ وَسُنَّتَهُ

٦٧٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحَوْتِرِثِ لِي

इस मस्जिद में आए और फ़र्माया कि मैं तुम लोगों को नमाज़ पढ़ाऊँगा और मेरी निर्यत नमाज़ की नहीं है। मेरा मक़सद ये है कि तुम्हें नमाज़ का वो तरीक़ा सीखा दूँ जिस तरीक़े से नबी (ﷺ) नमाज़ पढ़ा करते थे। मैंने अबू क़िलाबा से पूछा कि उन्होंने किस तरह नमाज़ पढ़ी थी? उन्होंने बताया कि हमारे शैख़ (उमर बिन सलमा) की तरह। शैख़ जब सज्दे से सर उठाते तो ज़रा बैठ जाते फिर खड़े होते।

(दीगर मक़ाम : 802, 818, 824)

مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ: إِنِّي لِأَصَلِّي بِكُمْ وَمَا أَرِيدُ الصَّلَاةَ، أَصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي. فَقُلْتُ لِأَبِي قَلَابَةَ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟ قَالَ: مِثْلَ شَيْخِنَا هَذَا، قَالَ: وَكَانَ شَيْخِنَا يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى.

[أطرافه في : ٨٠٢، ٨١٨، ٨٢٤.]

तशरीह: दूसरी या चौथी रक़अत के लिए थोड़ी देर बैठकर उठना ये जल्स-ए-इस्तिराहत कहलाता है। इसी का ज़िक्र इस हदीष में आया है। 'क़ालल हाफ़िज़ु फिल फ़तहि व फ़ीहि मशरूइय्यतुन जल्सतुल इस्तिराहति व अख़ज़ बिहिश्शाफ़िइ व ताइफ़तुम्मिन अहलिल हदीषि' यानी फ़तहुल बारी में हाफ़िज़ इब्ने हज़र ने फ़र्माया कि इस हदीष से जल्स-ए-इस्तिराहत की मशरूइय्यत प्राबित हुई और इमाम शाफ़िई (रह.) और अहले हदीष की एक जमाअत का इसी पर अमल है।

मगर अहनाफ़ ने जल्स-ए-इस्तिराहत का इन्कार किया है। चुनान्वे एक जगह लिखा हुआ है— 'ये जल्स-ए-इस्तिराहत है और हनफ़िया के यहाँ बेहतर है कि ऐसा न किया जाए।' (तफ़हीमुल बुखारी, स: 81)

आगे यही हज़रत अपने इस ख़याल की खुद ही तदीद फ़र्मा रहे हैं चुनान्वे इश़ाद होता है, 'यहाँ ये भी मलहूज़ रहे कि इसमें इख़िताफ़ सिर्फ़ अफ़जलियत की हद तक है।'

जिससे साफ़ जाहिर है कि आफ़इसे जवाज़ के दर्जे में मानते हैं। फिर ये कहना कहाँ तक दुरुस्त है कि बाद में इस पर अमल तर्क हो गया था। हम इस बहष को तूल देना नहीं चाहते सिर्फ़ मौलाना अब्दुल हई साहब हनफ़ी लखनवी का तबस़रा नक़ल कर देते हैं आप लिखते हैं— 'इअलम अन्न अक़षर अइहाबिनल हनफ़िय्यति व क़षीरम्मिनल मशाइख़िस्सूफ़िय्यती क़द ज़करू फ़ी कैफ़िय्यति सलातित्तस्बीहि अल कैफ़िय्यतल्लती हक़ाहत्तिर्मिज़ी वल हाकिम अन अब्दिल्लाहिब्बिनल मुबारकि अल्ख़ालियतु अन जल्सतिल इस्तिराहति वश़ाफ़िइय्यतु वल मुहदिषून अक़षरहुमुख़तारुल कैफ़िय्यतल मुश़तमिलत अला जल्सतिल इस्तिराहति व क़द इल्लिम हुमा अस्लपना अन्नल असहू शु बूतन हुव हाज़िहिल कैफ़िय्यतु फ़ल्याख़ुज़ बिहा मय्युसल्लीहा हनफ़िय्यन औ शाफ़िइय्यन' (तुहफ़तुल अहवुज़ी) यानी जान लो कि हमारे अक़षर अहनाफ़ और मशाइख़े-सूफ़िया ने सलातुत्तस्बीह का ज़िक्र किया है जिसे तिमिज़ी और हाकिम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक से नक़ल किया है मगर उसमें जल्स-ए-इस्तिराहत का ज़िक्र नहीं है। जबकि शाफ़िइय्यह और अक़षर मुहदिषीन ने जल्स-ए-इस्तिराहत को मुख़तार करार दिया है और हमारे बयाने गुज़िशता से ज़ाहिर है कि षुबूत के लिहाज़ से सही यही है कि जल्स-ए-इस्तिराहत करना बेहतर है। पस कोई हनफ़ी हो या शाफ़िई उसे चाहिए कि जब भी वो सलाते तस्बीह पढ़े ज़रूर जल्स-ए-इस्तिराहत करे।

मुहदिषे कबीर अल्लामा अब्दुरहमान साहब मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं— 'क़दिअतरज़ल हनफ़िय्यतु व ग़ैरहुम मल्लम यकुल बिजल्सतिल इस्तिराहति अनिल अमलि बिहदीषि मालिकिब्बि लहुवैरिषिल मज़कूरत फिल बाबि बिआज़ारिन कुल्लिहा बारिदतुन' (तोहफ़तुल अहवुज़ी) यानी जो हज़रत जल्स-ए-इस्तिराहत के काइल नहीं अहनाफ़ वग़ैरह उन्होंने मालिक बिन हुवैरिष (रज़ि.) की हदीष, जो यहाँ तिमिज़ी में मज़कूर हुई है (और बुखारी शरीफ़ में भी क़ारेईन के सामने है) पर अमल करने से अनेक उज़र पेश किए हैं जिनमें कोई जान नहीं है और जिनको उज़रे-बेजा ही कहना चाहिए। (मजीद तफ़सील के लिये तुहफ़तुल अहवुज़ी का मुतालआ करना चाहिए)

बाब 46 : इमामत कराने का सबसे ज्यादा हक़दार वो है जो इल्म और (अमली तौर पर भी) फ़ज़ीलत वाला हो

٤٦ - بَابُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ
بِالْإِمَامَةِ

तशरीह : इमाम बुखारी (रह.) की ग़र्ज़ इस बाब के मुनअक़िद करने से उन लोगों की तर्दीद है जो इमामत कराने वालों के लिये इल्म व फ़ज़ल की ज़रूरत नहीं समझते और हर एक जाहिल, कुन्दा, ना-तराश (अनपढ़) को बेतकल्लुफ़ नमाज़ में इमाम बना देते हैं। बाज़ लोगों ने कहा कि इमाम बुखारी का ये मज़हब है कि आलिम इमामत का ज्यादा हक़दार है बनिस्बत क़ारी के क्योंकि सहाबा में उबय बिन कअब को इमाम नहीं बनाया और आँहज़रत (ﷺ) ने अबूबक्र सिद्दीक (रज़ि.) को इमामत का हुक़म दिया और हदीष में जो आया है कि जो ज्यादा तुमसे अल्लाह की किताब का क़ारी हो वो इमामत करें तो इमाम शाफ़िई (रह.) ने उसकी ये तौजीह की है कि ये हुक़म आप ही के ज़मान-ए-मुबारक में था। उस वक़्त जो अकरअ होता वो अफ़क़ह यानी आलिम भी होता था और इमाम अहमद (रह.) ने अकरअ को मुक़द्दम रखा है। अकरअ पर और अगर कोई अफ़क़ह भी हो और अकरअ भी तो वो सब पर मुक़द्दम होगा बिल इतिफ़ाक़ हमारे ज़माने में भी ये बला आम हो गई लोग ज़ाहिलों को पेश इमाम बना देते हैं जो अपनी नमाज़ भी खराब करते हैं और दूसरों की भी। (खुलासा शरह वहीदी)

(678) हमसे इस्हाक़ बिन नम्र ने बयान किया, कहा कि हमसे हुसैन बिन अली बिन वलीद ने ज़ाइदा बिन कुदामा से बयान किया, उन्होंने अब्दुल मलिक बिन इमैर से, कहा कि मुझसे अबू बुर्दा आमिर ने बयान किया, मैंने अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) बीमार हुए और जब बीमार शिद्दत इख़्तियार कर गई तो आपने फ़र्माया कि अबूबक्र (रज़ि.) से कहो कि उन लोगों को नमाज़ पढ़ाए। इस पर हज़रत आइशा (रज़ि.) बोली कि वो नर्मदिल हैं जब आपकी जगह खड़े होंगे तो उनके लिये नमाज़ पढ़ाना मुश्किल होगा। आपने फिर फ़र्माया कि अबूबक्र से कहो कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फिर वही बात कही। आपने फिर फ़र्माया कि अबूबक्र से कहो कि नमाज़ पढ़ाएँ। तुम लोग सवाहिबे यूसुफ़ (ज़ुलैखा) की तरह (बातें बनाती) हो। आख़िर अबूबक्र सिद्दीक (रज़ि.) के पास आदमी बुलाने आया और आपने लोगों को नबी (ﷺ) की ज़िन्दगी में नमाज़ पढ़ाई। (दीगर मक़ाम : 3385)

٦٧٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ:
حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي
مُوسَى قَالَ: ((مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَدَّ
سَرَضُهُ، فَقَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيَصِلْ
بِالنَّاسِ)). قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ،
إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ
بِالنَّاسِ. قَالَ: ((مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيَصِلْ
بِالنَّاسِ)). فَقَادَتْ. فَقَالَ: ((مُرِي أَبَا بَكْرٍ
فَلْيَصِلْ بِالنَّاسِ، لِإِنَّكَ صَوَاحِبُ
يُوسُفَ)). فَأَتَاهُ الرَّسُولُ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ
فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ. [طرفه في : ٣٣٨٥].

(679) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने हिशाम बिन इर्वा से खबर दी, उन्होंने अपने बाप इर्वा बिन ज़ुबैर से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी बीमारी में फ़र्माया कि अबूबक्र से नमाज़ पढ़ाने के लिए कहो।

٦٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي

हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने कहा कि अबूबक्र आपकी जगह खड़े होंगे तो रोते-रोते वो (कुआन मजीद) सुना न सकेंगे, इसलिए आप उमर से कहिए कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। आप फ़र्माती थी कि मैंने हफ़्सा (रज़ि.) से कहा कि वो भी कहें कि अगर अबूबक्र आपकी जगह खड़े हुए तो रोते-रोते लोगों को (कुआन) सुना न सकेंगे। इसलिए उमर (रज़ि.) से कहिये कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। हफ़्सा (रज़ि.) उम्मुल मोमिनीन और हज़रत उमर रज़ि. की बेटी) ने भी इसी तरह कहा तो आपने फ़र्माया कि खामोश रहो। तुम सवाहिबे यूसुफ़ की तरह हो। अबूबक्र से कहो कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ पस हफ़्सा (रज़ि.) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कहा, भला मुझको कहीं तुमसे भलाई पहुँच सकती है? (राजेअ: 198)

مَرْوِيهِ، ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ)).
قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْمَعْ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ لِحَفْصَةَ قَوْلِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْمَعْ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. فَقَالَتْ حَفْصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ، إِنْ كُنَّ لِأَنْتِ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ)). فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لِأَصِيبَ مِنْكَ خَيْرًا. [راجع: ١٩٨]

तरीह:

इस वाकिया से मुता'ल्लिक अहादीष में 'सवाहिबे यूसुफ़' का लफ़्ज़ आता है, लेकिन यहां मुराद सिर्फ़ जुलेखा से है। इसी तरह हदीष में भी सिर्फ़ एक ज़ात आइशा (रज़ि.) की मुराद है। यानी जुलेखा ने औरतों के एतराज़ के सिलसिले को बन्द करने के लिये उन्हें बज़ाहिर दावत दी और एजाज़ व इकराम किया लेकिन मक़सद सिर्फ़ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दिखाना था कि तुम मुझे क्या मलामत करती हो बात ही कुछ ऐसी है कि मैं मज़बूर हूँ जिस तरह उस मौक़े पर जुलेखा ने अपने दिल की बात छुपाए रखी थी। हज़रत आइशा (रज़ि.) भी जिनकी दिली तमन्ना यही थी कि अबू बक्र (रज़ि.), नमाज़ पढ़ाएँ लेकिन आँहज़रत (ﷺ) से मज़ीद तौषीक़ के लिए एक दूसरे उनवान से बार-बार पुछवाती थी। हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने इब्तिदा में ग़ालिबन बात नहीं समझी होगी और बाद में जब आँहज़रत (ﷺ) ने ज़ोर दिया तो वो भी हज़रत आइशा (रज़ि.) का मक़सद समझ गई और फ़र्माया कि मैं भला तुमसे कभी भलाई क्यों देखने लगी? (तफ़हीमुल बुखारी, स: 82/पा: 3)

हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) का मतलब ये था कि आखिर तुम सौकन हो तो कैसी ही सही तुमने ऐसी सलाह दी कि आँहज़रत (ﷺ) को मुझ पर ख़फ़ा कर दिया। इस हदीष से अहले दानिश समझ सकते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) को क़तई तौर पर ये मन्ज़ूर न था कि अबू बक्र (रज़ि.) के सिवा और कोई इमामत करे और बावजूद कि हज़रत आइशा (रज़ि.) जैसी प्यारी बीवी ने तीन बार मअरुज़ा पेश किया मगर आपने एक न सुनी।

पस अगर हदीषुल क़िरतास में भी आपका मन्शा यही होता कि ख्वाहमख्वाह किताब लिखी जाए तो आप ज़रूर लिखवा देते और हज़रत उमर (रज़ि.) के झगड़े के बाद आप कई दिन ज़िन्दा रहे मगर दोबारा किताब लिखवाने का हुक्म नहीं फ़र्माया (वहीदी)

(680) हमसे अबुल यमान हक़म बिन नाफ़ेअ ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब बिन अबी हम्ज़ा ने ज़ुहरी से ख़बर दी, कहा कि मुझे अनस बिन मालिक अंसारी (रज़ि.) ने ख़बर दी। आप नबी करीम (ﷺ) की पैरवी करने वाले ख़ादिम और सहाबी थे कि आँहज़रत (ﷺ) के मरज़ुल मौत में अबूबक्र (रज़ि.) नमाज़ पढ़ाते

٦٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الِیْمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ - وَكَانَ تَبَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَخَدَمَهُ وَصَحْبَهُ - أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي

थे। पीर के दिन जब लोग नमाज़ में सफ़ बाँधे खड़े हुए थे तो आँहजरत (ﷺ) हुज्रे का पर्दा हटाए खड़े हुए हमारी तरफ देख रहे थे। आप (ﷺ) का चेहरा (हुस्नो—जमाल और सफ़ाई में) गोया मुस्हफ़ का वरक़ था। आप मुस्कराकर हंसने लगे। हमें इतनी खुशी हुई कि खतरा हो गया कि कहीं हम सब आपको देखने ही में न मशगूल हो जाएँ और नमाज़ तोड़ दें। हजरत अबूबक्र (रज़ि.) उलटे पांव पीछे हटकर सफ़ के साथ आ मिलना चाहते थे। उन्होंने समझा कि नबी (ﷺ) नमाज़ के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं लेकिन आपने हमें इशारा किया कि नमाज़ पूरी कर लो फिर आपने पर्दा डाल दिया फिर आप (ﷺ) की वफ़ात हो गई। (इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन)

(दीगर मक़ाम : 671, 754, 1205, 4448)

(681) हमसे अबू मज़मर अब्दुल्लाह बिन इमर मनक़री ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिष बिन सईद ने बयान किया। कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब ने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से बयान किया, आपने कहा कि नबी करीम (ﷺ) (अय्यामे बीमारी में) तीन दिन तक बाहर तशरीफ़ नहीं लाए। उन्हीं दिनों में एक दिन नमाज़ क़ायम की गई। हजरत अबूबक्र (रज़ि.) आगे बढ़ने को थे कि नबी करीम (ﷺ) ने (हुज्—ए—मुबारक का) पर्दा उठाया। जब हुज़ूर (ﷺ) का चेहरा मुबारक दिखाई दिया। तो आपके रूप पाक व मुबारक से ज़्यादा हसीन मंज़र हमने कभी नहीं देखा था। (कुर्बान उस हुस्न व जमाल के) फिर आपने हजरत अबूबक्र सिद्दीक (रज़ि.) को आगे बढ़ने के लिए इशारा किया और आपने पर्दा गिरा दिया और उसके बाद वफ़ात तक कोई आपको देखने पर क़ादिर न हो सका। (राजेअ : 680)

(682) हमसे यह्या बिन सुलैमान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, कहा कि मुझसे यूनुस बिन यज़ीद ऐली ने इब्ने शिहाब से बयान किया, उन्होंने हम्ज़ा बिन अब्दुल्लाह से, उन्होंने अपने बाप अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) से ख़बर दी कि जब रसूले करीम (ﷺ) की बीमारी शिहत

بِهِمْ لِي وَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ الَّذِي تُوُفِيَ فِيهِ،
حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ لِي
الصَّلَاةِ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْرَ الْخُجْرَةِ
يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَّةٌ
مُصْحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ، فَهَمَمْنَا أَنْ
نَقْتَبِنَ مِنَ الْفَرْحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَمَصَ
أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِيْبِهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَارِجٌ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَشَارَ
إِلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ أَيْمُوا صَلَاتِكُمْ، وَأَرْخَى
السَّرَّ، تُوُفِيَ مِنْ يَوْمِهِ ﷺ.

[أطرافه في: ٦٨١، ٧٥٤، ١٢٠٥،

[٤٤٤٨

٦٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ
قَالَ: لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثًا، فَأَقِيَمَتِ
الصَّلَاةُ، فَلَقَّبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ، فَقَالَ نَبِيُّ
اللَّهِ ﷺ بِالْحِجَابِ لَوَقَعَهُ، فَلَمَّا وَضَحَ
وَجْهَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا كَانَ
أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ وَضَحَ
لَنَا. فَأَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ
يَتَقَدَّمَ، وَأَرْخَى النَّبِيُّ ﷺ الْحِجَابَ فَلَمْ
يُقَدِّرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ.

[راجع: ٦٨٠]

٦٨٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ
أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا احْتَدَى بِرَسُولِ

इख्तियार कर चुकी और आपसे नमाज़ के लिए कहा गया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अबूबक्र से कहो कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। आइशा (रज़ि.) ने कहा कि अबूबक्र कच्चे दिल के आदमी हैं। जब वो कुआन मजीद पढ़ते हैं तो बहुत रोने लगते हैं। लेकिन आपने कहा कि उन्हीं से कहो नमाज़ पढ़ाएँ। दोबारा उन्होंने फिर वही बहाना दोहराया। आपने फिर फ़र्माया कि उनसे नमाज़ पढ़ाने के लिए कहो। तुम तो बिलकुल सवाहिबे यूसुफ़ की तरह हो। इस हदीष की मुताबअत मुहम्मद बिन वलीद जुबैदी और जुहरी के भतीजे और इस्हाक़ बिन यह्या कल्बी ने जुहरी से की है और अक़ील और मअमर ने जुहरी से, उन्होंने हम्ज़ा बिन अब्दुल्लाह बिन उमर से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से।

اللّٰهُ ﷻ وَجَعَتْ قَيْلَ لَهٗ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: ((مُرُوا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)). قَالَتْ عَائِشَةُ: اِنْ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيْقٌ اِذَا قَرَأَ غَلَبَتْهُ اَبْكَاةٌ. قَالَ: ((مُرُوهُ فَيُصَلِّي)). فَعَاوَدَتْهُ فَقَالَ: ((مُرُوهُ فَيُصَلِّي، اِنْ كُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ)). تَابَعَهُ الرَّبِيْعِيُّ وَابْنُ اَخِي الزُّهْرِيُّ وَاِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ عَقِيْلٌ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ حَمْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ .

तशरीह:

इन जुमला अह्लादीष से इमाम बुखारी (रह.) का मक़सद यही है कि इमामत उस शख्स को करनी चाहिए जो इल्म में मुमताज़ (श्रेष्ठ) हो ये एक अहमतरीन मन्सब है जो हर किसी के लिए मुनासिब नहीं है। हज़रत आइशा सिद्दीका का खयाल था कि वालिदे मुहतरम हुज़ूर की जगह खड़े हों और हुज़ूर की वफ़ात हो जाए तो लोग क्या क्या खयालात पैदा करेंगे। इसलिये बार-बार वो उज़्र पेश करती रही मगर अल्लाह पाक को ये मन्ज़ूर था कि आँहज़रत (ﷺ) के बाद अव्वलीन तौर पर इस मसनद के मालिक हज़रत सिद्दीके अक़बर (रज़ि.) ही हो सकते है, इसलिये आप ही का तक्करर अमल में आया।

जुबैदी की रिवायत को तबरानी ने और ज़ोहरी के भतीजे की रिवायत को इब्ने अदी ने और इस्हाक़ की रिवायत को अबूबक्र बिन शाज़ान ने वस्ल किया अक़ील और मअमर ने इस हदीष को मुरसलन रिवायत किया क्योंकि हम्ज़ा बिन अब्दुल्लाह ने आँहज़रत (ﷺ) को नहीं पाया। अक़ील की रिवायत को इब्ने सअद और अबू लैला ने वस्ल किया है।

बाब 47 : जो शख्स किसी उज़्र की वजह से सफ़ छोड़कर इमाम के बाज़ू में खड़ा हो

(683) हमसे ज़करिया बिन यह्या बल्ख़ी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन नुमैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें हिशाम बिन इर्वा ने अपने बाप इर्वा से ख़बर दी, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से। आपने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी बीमारी में हुक्म दिया कि अबूबक्र लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ इसलिए आप लोगों को नमाज़ पढ़ाते थे। इर्वा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक दिन अपने आपको कुछ हल्का पाया और बाहर तशरीफ़ लाए। उस वक़्त हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) नमाज़ पढ़ा रहे थे। उन्होंने जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को देखा तो पीछे हटना चाहा। लेकिन आँहज़ूर (ﷺ) ने इशारे से उन्हें अपनी जगह क़ायम रहने का हुक्म फ़र्माया। पस रसूले करीम (ﷺ)

٤٧- بَابُ مَنْ قَامَ اِلَى جَنْبِ الْاِمَامِ لِعِلَّةٍ

٦٨٣- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: تَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (اَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷻ اَبَا بَكْرٍ اَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي بِهَمْ. قَالَ عُرْوَةُ: لَوْ جَدَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷻ مِنْ نَفْسِهِ خِفَةٌ فَخَرَجَ، لِاِذَا اَبُو بَكْرٍ يَوْمَ النَّاسِ، فَلَمَّا رَاَهُ اَبُو بَكْرٍ اسْتَاخَرَ، فَاَشَارَ اِلَيْهِ اَنْ كَمَا اَنْتَ،

अबूबक्र सिद्दीक (रज़ि.) के बाजू में बैठ गए। अबूबक्र (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) की इक्तिदा कर रहे थे और लोग अबूबक्र (रज़ि.) की इक्तिदा करते थे। (राजेज़: 198)

गो इमाम के बाजू में खड़ा होना मज़कूर है और हदीष में आँहज़रत (ﷺ) का अबूबक्र (रज़ि.) के बाजू में बैठना बयान हो रहा है मगर शायद आप पहले बाजू में खड़े हो कर फिर बैठ गए होंगे या खड़े होने को बैठने पर क्रियास कर लिया गया है।

बाब 48 : एक शख्स ने इमामत शुरू कर दी फिर पहला इमाम आ गया अब पहला शख्स (मुक्त्तदियों में मिलने के लिए) पीछे सरक गया या नहीं सरका, बहरहाल उसकी नमाज़ जाइज़ हो गई। इस बारे में हज़रत आइशा (रज़ि.) ने आँहज़रत (ﷺ) से रिवायत किया है।

(684) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने अबू हाज़िम सलमा बिन दीनार से ख़बर दी, उन्होंने सहल बिन सअद साएदी (सहाबी रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बनी अम्र बिन औरफ़ में (कुबा में) मुलह कराने के लिए गए, पस नमाज़ का वक़्त हो गया। मुअज़्जिन (हज़रत बिलाल रज़ि.) ने अबूबक्र (रज़ि.) से आकर कहा कि क्या आप नमाज़ पढ़ाएँगे, मैं तक्बीर कहूँ। अबूबक्र (रज़ि.) ने कहा कि हाँ चुनाँचे अबूबक्र सिद्दीक (रज़ि.) ने नमाज़ शुरू कर दी। इतने में रसूले करीम (ﷺ) तशरीफ़ ले आए तो लोग नमाज़ में थे। आप सफ़्रों से गुज़रकर पहली सफ़्र में पहुँचे। लोगों ने एक हाथ को दूसरे पर मारा (ताकि हज़रत अबूबक्र रज़ि.) आँहज़ूर (ﷺ) की आमद पर आगाह हो जाएँ) लेकिन अबूबक्र (रज़ि.) नमाज़ में किसी तरफ़ तवज्जह नहीं देते थे। जब लोगों ने लगातार हाथ पर हाथ मारना शुरू कर दिया तो सिद्दीके अकबर (रज़ि.) मुतवज्जह हुए और रसूले करीम (ﷺ) को देखा। आपने इशारे से उन्हें अपनी जगह रहने के लिए कहा। (कि नमाज़ पढ़ाए जाओ) लेकिन उन्होंने अपना हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनको इमामत का ऐजाज़ बख़शा, फिर भी वो पीछे हट गए और सफ़्र में शामिल हो गए। इसलिए नबी करीम (ﷺ) ने आगे बढ़कर नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ से फ़ारिग होकर आपने

فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ. [راجع: ١٩٨]

٤٨- بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَوْمِ النَّاسِ فَجَاءَ الْإِمَامَ الْأَوَّلُ فَتَأَخَّرَ الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ جازتْ صَلَاتُهُ. فِيهِ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

٦٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصَلِّحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ الْمُؤَدِّدُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: أَصَلِّي لِلنَّاسِ فَأَتَيْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ. فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ انْفَتَحَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ لِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى مَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ

फर्माया कि अबूबक्र जब मैंने आपको हुक्म दिया था। फिर आप प्राबित कदम क्यों न रहे। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) बोले कि अबू क़हाफ़ा के बेटे (यानी अबूबक्र) की ये हैषियत न थी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने नमाज़ पढ़ा सके। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लोगों की तरफ़ खिज़ाब करते हुए फ़र्माया कि अजीब बात है। मैंने देखा कि तुम लोग बक़्दरत तालियाँ बजा रहे थे। (याद रखो) अगर नमाज़ में कोई बात पेश आ जाए तो सुब्हानल्लाह कहना चाहिए जब वो ये कहेगा तो उसकी तरफ़ तवज्जह की जाएगी और ये ताली बजाना औरतों के लिए है। (दीगर मक़ाम : 1201, 1204, 1218, 1234, 2690, 2693, 7190)

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى، فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ: ((يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَتَّبِعَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟)) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قَحْفَالَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيقَ؟ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْتَبِحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التَّغَيْتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ)).

[أطرافه في : ١٢٠١، ١٢٠٤، ١٢١٨،

١٢٣٤، ٢٦٩٠، ٢٦٩٣، ٧١٩٠.]

तशरीह : कुबा के रहने वाले बनी अम्र बिन औफ़, क़बील—ए—औस की एक साख़ थी। उनमें आपस में तकरार हो गई। उनमें सुलह कराने की गर्ज़ से आँहज़रत (ﷺ) वहां तशरीफ़ ले गये और चलते वक़्त बिलाल (रज़ि.) से फ़र्मा गए थे कि अगर अज़र का वक़्त आ जाए और मैं न आ सकू तो अबूबक्र (रज़ि.) से कहना वो नमाज़ पढ़ा देंगे। चुनान्वे ऐसा ही हुआ कि आपको वहां काफ़ी वक़्त लग गया। यहाँ तक कि जमाअत का वक़्त आ गया और हज़रत सिद्दीके अकबर (रज़ि.) मुसल्ला पर खड़े कर दियेगये। इतने ही में आँहज़रत (ﷺ) तशरीफ़ ले आए और मा'लूम होने पर हज़रत सिद्दीके अकबर (रज़ि.) पीछे हो गये और आँहज़रत (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ाई। हज़रत सिद्दीके अकबर (रज़ि.) ने तवाज़ुअ और कमतरे नफ़्सी की बिना पर अपने आपको अबू क़हाफ़ा का बेटा कहा क्योंकि उनके बाप अबू क़हाफ़ा को दूसरे लोगों पर कोई ख़ास फ़ज़ीलत न थी। इस हृदीष से मा'लूम हुआ कि अगर मुकर्ररा इमाम के अलावा कोई दूसरा शख्स इमाम बन जाए और नमाज़ शुरू करते ही फ़ौरन दूसरा इमामे मुकर्ररा आ जाए तो उसको इख़्तियार है कि ख्वाह खुद इमाम बन जाए और दूसरा शख्स जो इमामत शुरू करा चुका था वो मुक्तदी बन जाए या नए इमाम का मुक्तदी रहकर नमाज़ अदा करे। किसी हाल में नमाज़ में खलल न होगा और न नमाज़ में कोई ख़राबी आएगी। ये भी मा'लूम हुआ कि मर्दों को अगर इमाम को लुक़्मा देना पड़े तो बाआवाज़े बुलन्द सुब्हानल्लाह कहना चाहिए। अगर कोई औरत लुक़्मा दे तो उसे ताली बजा देना काफ़ी होगा।

बाब 49 : इस बारे में कि अगर जमाअत के सब लोग क़िरअत में बराबर हों तो इमामत बड़ी उम्र वाला करे

(685) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा कि हमें हम्माद बिन ज़ैद ने ख़बर दी अथ्यूब सुख़ितयानी से, उन्होंने अबू क़िलाबा से, उन्होंने मालिक बिन हुवैरिष सहाबी (रज़ि.) से, उन्होंने बयान किया कि हम नबी करीम (ﷺ) के पास अपने मुल्क से आए। हम सब हम उम्र नौजवान थे। तक्ररीबन बीस रात हम आपके पास ठहरे रहे। आप (ﷺ) बड़े ही रहमदिल थे। (आपने

٤٩- بَابُ إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ

فَلْيُؤَمِّمَهُمْ أَكْبَرُهُمْ

٦٨٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي فَلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابَةٌ فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ رَجِيمًا فَقَالَ: ((لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَيَّ

हमारी गुर्बत का हाल देखकर) फ़र्माया कि जब तुम लोग अपने घरों को जाओ तो अपने क़बीले वालों को बताना और उनसे नमाज़ पढ़ने के लिए कहना कि फ़लाँ नमाज़ फ़लाँ वक़्त और फ़लाँ नमाज़ फ़लाँ वक़्त पढ़ें और जब नमाज़ का वक़्त हो जाए तो कोई एक अज्ञान दे और तुममें सबसे जो इम्र में बड़ा हो वो इमामत कराए। (राजेअ : 628)

बाब और हदीष में मुताबक़त ज़ाहिर है। हदीष में अकबरुहुम से उमर में बड़ा होना मुरादा है।

बाब 50 : इस बारे में कि जब इमाम किसी क़ौम के यहाँ गया और उन्हें (उनकी फ़र्माइश पर) नमाज़ पढ़ाई (तो ये जाइज़ होगा)

(686) हमसे मुआज़ बिन असद ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि हमें मअमर ने जुहरी से ख़बर दी, कहा कि मुझे महमूद बिन रबीआ ने ख़बर दी, कहा कि मैंने इत्बान बिन मालिक अंसारी (रह.) से सुना, उन्होंने बयान किया कि रसूले करीम (ﷺ) ने (मेरे घर तशरीफ़ लाने की) इजाज़त चाही और मैंने आपको इजाज़त दी, आप (ﷺ) ने पूछा कि तुम लोग अपने घर में जिस जगह पसंद करो मैं नमाज़ पढ़ूँ। मैं जहाँ चाहता था उसकी तरफ़ मैंने इशारा किया। फिर आप (ﷺ) खड़े हो गए और हमने आप (ﷺ) के पीछे सफ़ बाँध ली। फिर आप (ﷺ) ने जब सलाम फेरा तो हमने भी सलाम फेरा। (राजेअ : 424)

तशरीह : दूसरी हदीष में मरवी है कि किसी शख्स को इजाज़त नहीं कि दूसरी जगह जाकर उनके इमाम की जगह खुद इमाम बन जाए मगर वो लोग खुद चाहे और उनके इमाम भी इजाज़त दें तो फिर मेहमान भी इमामत करा सकता है। साथ ही ये भी है कि बड़ा इमाम जिसे ख़लीफ़-ए-वक़्त या सुलतान कह जाए चूँकि वो खुद आमिर है, इसलिये वहाँ इमामत करा सकता है।

बाब 51 : इमाम इसलिए मुकरर किया जाता है कि लोग उसकी पैरवी करे

और रसूले करीम (ﷺ) ने अपने मज्रें वफ़ात में लोगों को बैठकर नमाज़ पढ़ाई (लोग खड़े हुए थे) और अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) का क़ौल है कि जब कोई इमाम से पहले सर उठा ले (रुकूअ में सज्दे में) वो फिर वो रुकूअ या सज्दे में चला जाए और उतनी देर ठहरें जितनी देर सर उठाए रहा था फिर इमाम की पैरवी

بِلَادِكُمْ فَلَعَلَّمْتُمُوهُمْ، مُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا
صَلَاةَ كَذَا لِي حِينَ كَذَا، وَصَلَاةَ كَذَا لِي
حِينَ كَذَا، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةَ فَلْيُؤَدِّنْ
لَكُمْ أَحَدَكُمْ، وَلْيُؤَمِّكُمْ أَحَبُّكُمْ))

[راجع: ٦٢٨]

٥٠- بَابُ إِذَا زَارَ الْإِمَامُ قَوْمًا

فَأَمَّهُمْ

٦٨٦- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا
عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ:
سَمِعْتُ عِيَّانَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:
اسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَقَالَ: ((أَيْنَ
تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟)) فَأَمَرْتُ لَهُ
إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَحِبُّ، فَقَامَ وَصَفَّقَنَا
خَلْفَهُ، ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا.

[راجع: ٤٢٤]

٥١- بَابُ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

وَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ لِي مَرَضَهُ الَّذِي تُوَفِّي
لِيهِ بِالنَّاسِ وَهُوَ جَالِسٌ. وَقَالَ ابْنُ
مَسْعُودٍ: إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ يَفُودُ
فَمَنْكُثٌ بِقَدْرٍ مَا رَفَعَ ثُمَّ يَتَّبِعُ الْإِمَامَ. وَ
قَالَ الْعَسَنُ - لِيَمَنْ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ

करे। और इमाम हसन बम्ररी (रह.) ने कहा कि अगर कोई शख्स इमाम के साथ दो रकअत पढ़े लेकिन सज्दा न कर सके, तो वो आखरी रकअत के लिए दो सज्दे करे। फिर पहली रकअत सज्दे समेत दोहराए और जो शख्स सज्दे किये बगैर भूलकर खड़ा हो गया तो वो सज्दे में चला जाए।

(687) हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा कि हमें ज़ाइदा बिन कुदामा ने मूसा बिन अबी आइशा से खबर दी, उन्होंने इब्नुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन इत्बा से, उन्होंने कहा कि मैं हज़रत आइशा (रज़ि.) की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहा, काश! रसूलुल्लाह (ﷺ) की बीमारी की हालत आप हमसे बयान करतीं, (तो अच्छा होता) उन्होंने कहा कि हाँ ज़रूर सुन लो। आपका मर्ज़ बढ़ गया। तो आपने पूछा कि क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली? हमने कहा, जी नहीं या रसूलुल्लाह (ﷺ)! लोग आपका इतिज़ार कर रहे हैं। आपने फ़र्माया कि मेरे लिए एक लगन में पानी रखो। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा कि हमने पानी रख दिया आप (ﷺ) ने बैठकर गुस्ल किया। फिर आप उठने लगे, लेकिन आप बेहोश हो गए। जब होश हुआ तो फिर आपने पूछा कि क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है। हमने कहा नहीं या रसूलुल्लाह (ﷺ)! लोग आपका इतिज़ार कर रहे हैं। आपने (फिर) फ़र्माया कि लगन में मेरे लिए पानी रख दो। हज़रते आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि हमने फिर पानी रख दिया और आप (ﷺ) ने बैठकर गुस्ल फ़र्माया। फिर उठने की कोशिश की लेकिन (दोबारा) फिर आप बेहोश हो गए। जब होश आया तो आपने फिर यही फ़र्माया कि क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है। हमने कहा नहीं या रसूलुल्लाह (ﷺ)! लोग आपका इतिज़ार कर रहे हैं। आपने फिर फ़र्माया कि लगन में पानी लाओ और आपने बैठकर गुस्ल किया। फिर उठने की कोशिश की लेकिन आप बेहोश हो गए। फिर जब होश हुआ तो आपने पूछा कि क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है। हमने कहा कि नहीं या रसूलुल्लाह (ﷺ)! वो आपका इतिज़ार कर रहे हैं। लोग मस्जिद में इशा की नमाज़ के लिए बैठे हुए थे। आखिर आप (ﷺ) ने हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के पास आदमी भेजा और हुक्म दिया

رَكَعَتَيْنِ وَلَا يَقْبِرُ عَلَى السُّجُودِ: يَسْجُدُ
لِلرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْضِي
الرُّكْعَةَ الْأُولَى بِسُجُودِهَا. وَبِمَنْ نَسِيَ
سَجْدَةً حَتَّى قَامَ يَسْجُدُ.

687- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ:
أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَلَا تُحَدِّثُنِي
عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: بَلَى.
ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((أَصَلَّى النَّاسُ؟))
قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: ((ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ)).
قَالَتْ: فَفَعَلْنَا. فَاغْتَسَلَ فَلَذَبَ لِيْنُوءَ
فَأَغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ ﷺ: ((أَصَلَّى
النَّاسُ؟)) قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: ((ضَعُوا لِي مَاءً فِي
الْمِخْضَبِ)). قَالَتْ: فَفَعَدْتُ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ
ذَهَبَ لِيْنُوءَ فَأَغْمِيَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ:
((أَصَلَّى النَّاسُ؟)) قُلْنَا: لَا، هُمْ
يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: ((ضَعُوا
لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ)). فَفَعَدْتُ فَاغْتَسَلَ،
ثُمَّ ذَهَبَ لِيْنُوءَ فَأَغْمِيَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَفَاقَ
فَقَالَ: ((أَصَلَّى النَّاسُ؟)) قُلْنَا: لَا، هُمْ
يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - وَالنَّاسُ
عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ
الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ لِمُصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ -
فَارْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ

कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। भेजे हुए शख्स ने आकर कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आपको नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दिया है। अबूबक्र (रज़ि.) बड़े नरमदिल इंसान थे। उन्होंने हज़रत उमर (रज़ि.) से कहा कि तुम नमाज़ पढ़ाओ। लेकिन हज़रत उमर (रज़ि.) ने जवाब दिया कि आप इसके ज़्यादा हक़दार हैं। आख़िर (बीमारी के) दिनों में हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) नमाज़ पढ़ाते रहे। फिर जब नबी करीम (ﷺ) को मिज़ाज कुछ हल्का मा'लूम हुआ तो दो आदमियों का सहारा लेकर जिनमें से एक हज़रत अब्बास (रज़ि.) थे जुहर की नमाज़ के लिये घर से बाहर तशरीफ़ लाए और अबूबक्र (रज़ि.) नमाज़ पढ़ा रहे थे। जब उन्होंने आँहजूर (ﷺ) को देखा तो पीछे हटना चाहा। लेकिन नबी (ﷺ) ने इशारे से उन्हें रोका कि पीछे न हटो! फिर आपने उन दोनों मदों से फ़र्माया कि मुझे अबूबक्र के बाजू में बिठा दो। चुनाँचे दोनों ने आपको अबूबक्र (रज़ि.) के बाजू में बिठा दिया। रावी ने कहा कि फिर हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) नमाज़ में नबी करीम (ﷺ) की पैरवी कर रहे थे और लोग अबूबक्र (रज़ि.) की नमाज़ की पैरवी कर रहे थे। नबी करीम (ﷺ) बैठे-बैठे नमाज़ पढ़ रहे थे। अब्दुल्लाह ने कहा कि फिर मैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) के पास आया और उनसे कहा कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने आँहज़रत (ﷺ) की बीमारी के बारे में जो हदीष बयान की है क्या मैं वो आपको सुनाऊँ? उन्होंने फ़र्माया कि ज़रूर सुनाओ। मैंने ये हदीष उनको सुना दी। उन्होंने किसी बात का इन्कार नहीं किया। सिर्फ़ इतना कहा कि आइशा (रज़ि.) ने उन साहब का नाम भी तुमको बताया जो हज़रत अब्बास (रज़ि.) के साथ थे। मैंने कहा नहीं। आपने फ़र्माया वो हज़रत अली (रज़ि.) थे। (राजेअ: 198)

بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا - يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ بِنِكَ الْأَيَّامِ. ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِيفَةً، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ - أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ - لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَأَى أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ، قَالَ: ((أَجْلَسَايَ إِلَى جَنْبِهِ)). فَاجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ يَأْتُمُ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدٌ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثْتَنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: هَاتِي. فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا. فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّيْتَ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ.

[راجع: ١٩٨]

तशरीह: इमाम शाफ़िई ने कहा कि मजें मौत में आपने लोगों को यही नमाज़ पढ़ाई वो भी बैठकर बाज़ ने गुमान किया कि ये फ़ज़ थी क्योंकि दूसरी रिवायत में है कि आपने वहीं से क़िरअत शुरू की जहां तक अबू बक्र पहुंचे थे मगर ये सही नहीं है क्योंकि जुहर में भी आयत का सुनना मुमकिन है जैसे एक हदीष में है कि आप सिर्री (ख़ामोश तिलावत वाली) नमाज़ में भी इस तरह से क़िरअत करते थे कि एक आध आयत हमको सुनाई देती यानी पढ़ते-पढ़ते एक-आध आयत ज़रा हल्की आवाज़ से पढ़ देते कि मुक्तदी उसको सुन लेते। (मौलाना वहीदुज़्ज़मा मरहूम)

तर्जुमतुल बाब के बारे में हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं- 'हाज़िहित्तर्जुमत क़ितअतुम्मिनल हदीषिल्लाती फ़िल्बाबि वल मुरादु बिहा अन्नल इतिमाम यक्तज़ी मुताबअतल मामूमि लि इमामिही अलख' (फ़तह) यानी ये

बाब हदीष ही का एक टुकड़ा है जो आगे मज़कूर है मुराद ये है कि इक्तिदा करने का इक्तिजा ही ये है कि मुक्तदी अपने इमाम की नमाज़ में पैरवी करे उस पर सबक़त न करे। मगर दलीले शरई से कुछ प्राबित हो तो वो अलग बात है। जैसा कि ज़िक्र किया गया कि आहज़रत (ﷺ) ने बैठकर नमाज़ पढ़ाई और लोग आपके पीछे खड़े हुए थे।

(688) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया कहा कि हमसे इमाम मालिक (रह.) ने हिशाम बिन इर्वा से बयान किया। उन्होंने अपने बाप इर्वा से, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि आपने बतलाया कि रसूले करीम (ﷺ) ने एक बार बीमारी की हालत में मेरे ही घर में नमाज़ पढ़ी। आप बैठकर नमाज़ पढ़ रहे थे और लोग आपके पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे। आपने उनको बैठने का इशारा किया और नमाज़ पढ़ लेने के बाद फ़र्माया कि इमाम इसलिए है कि उसकी पैरवी की जाए। इसलिए जब वो रुकूअ में जाए तो तुम भी रुकूअ में जाओ और जब वो सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ और जब वो समिअल्लाहुलिमन हमिदह कहे तो तुम रब्बना व लकल हम्दु कहो और जब वो बैठकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी बैठकर नमाज़ पढ़ो। (दीगर मक़ाम : 1113, 1236, 5657)

٦٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: (صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا). فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا اجْتَمَعُونَ)).

[أطرافه في: ١١١٣، ١٢٣٦، ٥٦٥٨].

तश्रीह:

क़स्तलानी ने कहा कि इस हदीष से हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने दलील ली कि इमाम फ़क़त समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहे और मुक्तदी रब्बना लकल हम्द या रब्बना व लकल हम्द या अल्लाहुम् रब्बना लकल हम्द कहे और इमाम शाफ़ेई (रह.) और इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) का ये क़ौल है कि इमाम दोनों लफ़ज़ कहे और इसी तरह मुक्तदी भी दोनों लफ़ज़ कहे। (मौलाना वहीदुज्जमा)

(689) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने इब्ने शिहाब से ख़बर दी, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक घोड़े पर सवार हुए तो आप उस पर से गिर पड़े। उससे आपके दाएँ पहलू पर ज़ख़्म आए। तो आप (ﷺ) ने कोई नमाज़ पढ़ी, जिसे आप बैठकर पढ़ रहे थे, इसलिए हमने भी आपके पीछे बैठकर नमाज़ पढ़ी। जब आप फ़ारिग़ हुए तो फ़र्माया कि इमाम खड़े होकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ो और जब वो रुकूअ करे तो तुम भी रुकूअ करो। और जब वो रुकूअ से सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ और जब वो समिअल्लाहुलिमन हमिदह कहे तो तुम रब्बना व लकल हम्द कहो और जब वो

٦٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجَحِشَ شِقَّةُ الْأَيْمَنِ، فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا

बैठकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी बैठकर नमाज़ पढ़ो। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुखारी रह.) ने कहा कि हुमैदी ने आपके इस क़ौल, 'जब इमाम बैठकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी बैठकर पढ़ो।' के बारे में कहा कि ये शुरु में आपकी पुरानी बीमारी का वाक़िआ है। उसके बाद आख़री बीमारी में आपने खुद बैठकर नमाज़ पढ़ी थी और लोग आपके पीछे खड़े होकर इक़्तिदा कर रहे थे। आपने उस वक़्त लोगों को बैठने की हिदायत नहीं की और असल ये है कि जो फ़ेअल आपका आख़री हो उसको लेना चाहिए, और फिर जो उससे आख़री हो। (राजेअ: 378)

तशरीह:

साहिबे औनुल मा'बूद फ़र्माते हैं— 'क़ालल ख़त्ताबी कुल्लु व फ़ी इक्रामति रसूलिल्लाहि ﷺ अबा बकिरिन अन्थमीनिही व हुव मक़ामल मामूमि व फ़ी तकबीरिही बिन्नासि व तकबीरु अबी बकिरिन बितकबीरिही बयानुन वाज़िहुन अन्नल इमाम फ़ी हाज़िहिस्सलाति रसूल ﷺ व क़द सल्ला क़ाइदन वन्नासु मिन ख़लिफ़िही क्रियामुन व हिय आख़िरु सल्लातिन सल्लहा बिन्नासि फ़दलीलुन अल्ला अन्न हदीष अनसिन व जाबिरिन मन्सूखुन व यज़ीदु मा कुल्लाहु वुज़ूहन मा रवाहु अबू मुआवियत अनिल आमशि अन इब्राहीम अनिल अस्वदि अन आइशत क़ालत लम्मा प्रकुल रसूलुल्लाहि ﷺ व ज़करल हदीष फ़जाअ रसूलुल्लाहि ﷺ युसल्ली बिन्नासि जालिसन व अबू बकर क़ाइदन यक़तदी बिही वन्नासु यक़तदून बि अबी बकर हदषूना बिही अन यहाब्नि यहा क़ालु अख़बरना मुसद्स क़ाल अख़बरन अबू मुआवियत वल क्रियासु यशहदु लिहाज़ल क़ौलि लिअन्नल इमाम ला यस्किंतु अनिल क़ौमि शैअन मिन अक़ानिस्सलाति मअल कुदरति अलैहि अला तरा अन्नहू ला यहीलुरूकुउ वस्सुजूदु इलल इमाइ व क़ज़ालिक यहीलुल क्रियामु इल्ल कुऊदि व इला हाज़ा ज़हब सुफ़यानुष़ौरी व अस्हाबुराई वशशाफ़िइ व अबू शौर व क़ाल मालिकब्नु अनसिन ला यम्बगी लिअहदिन अन्थयम्मन्नास क़ाइदन व ज़हब अहमदुब्नु हम्बल व इस्हाकुब्नु राहवैय व नफ़रुम्मिन अहलिल हदीषि इला ख़बरि अनसिन फ़इन्नल इमाम इज़ा सल्ला क़ाइदन सल्लु मिन ख़लिफ़िही कुऊदन व जमअ बअज़ु अहलिल हदीषि अन्नरिवायाति इख़तलफ़त फ़ी हाज़ा फ़रवल अस्वदु अन आइशत अन्नबिथ्य ﷺ कान इमामन व रवा शक़ीकुन अन्हा अन्नल इमाम कान अबू बकर फ़लम यजुज़ अन्थुतरक बिही हदीषु अनसिन व जाबिरिन' (औनुल माबूद, जि: 1/स: 234)

यानी इमाम ख़त्ताबी ने कहा कि ज़िक्र की गई हदीष में जहां हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) का आँहज़रत (ﷺ) का दायें जानिब खड़े होने का ज़िक्र है जो मुक़्तदी की जगह है और उनका लोगों को तकबीर कहना और अबू बक्र (रज़ि.) की तकबीरों का आँहज़रत (ﷺ) की तकबीर के पीछे होना, में वाज़ेह बयान है कि इस नमाज़ में इमाम रसूले करीम (ﷺ) ही थे और आप बैठकर नमाज़ पढ़ रहे थे और सारे सहाबा आपके पीछे खड़े होकर पढ़ रहे थे और ये आख़री नमाज़ है जो रसूले करीम (ﷺ) ने पढ़ाई। जो इस बात पर दलील है कि हज़रत अनस और जाबिर की अहादीष जिनमें इमाम बैठा हो तो मुक़्तदियों को भी बैठना लाज़िम मज़कूर है, वो मन्सूख है और हमने जो कहा है इसकी मज़ीद वुज़ूहत उस रिवायत से हो गई है जिसे अबू मुआविया ने आमश से, उन्होंने इब्राहीम से, उन्होंने असवद से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत किया है कि जब आप (ﷺ) ज़्यादा बीमार हो गये तो आप तशरीफ़ लाये और अबू बक्र की बायें जानिब बैठ गये और आप बैठकर ही लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे और अबू बक्र खड़े होकर आपकी इक़्तिदा (पैरवी, अनुसरण) कर रहे थे और क्रियास भी यही चाहता है कि इमाम अरकाने सलात में से मुक़्तदियों से जब वो उन पर क़ादिर हो किसी रुकन को साकित नहीं कर सकता। न वो रुकूअ, सुजूद ही को महज़ इशारों से अदा कर सकता है तो फिर क्रियाम जो एक रुकने नमाज़ है इसे क़ऊद से कैसे बदल सकता है। इमाम सुफ़यान शौरी और अस्हाबे राय और इमाम शाफ़िई और अबू शौर वग़ैरह का यही मसलक है और हज़रत इमाम मालिक बिन अनस कहते हैं कि मुनासिब नहीं कोई बैठकर लोगों की इमामत कराये और इमाम अहमद बिन हंबल व इस्हाक़ बिन राहवैय और एक ग़िरोह अहले हदीष का यही मसलक है जो हदीषे अनस में मज़कूर है कि जब

صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ))

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: قَوْلُهُ: إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا هُوَ فِي مَرْثِيهِ الْقَدِيمِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا، لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُودِ، وَإِنَّمَا يُؤَخِّدُ بِالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ٣٧٨]

इमाम बैठकर नमाज़ पढ़ाए तो मुक़्तदी भी बैठकर ही पढ़े। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।

लेखक कहता है कि मैं इस तफ़्सील के लिये सख़्त हैरान था, तुहफ़तुल अहवुज़्ज़ी, नैलुल औतार, फ़तहुल बारी वग़ैरह सारी किताबें सामने थी मगर किसी से तशार्फ़ी न हो रही थी कि अचानक अल्लाह से अमरे हक़ के लिए दुआ करके औनुल माबूद को हाथ में लिया और खोलने के लिए हाथ बढ़ाया कि पहली ही दफ़ा फ़िल फ़ौर ऊपर बयान गई तफ़्सील सामने आ गई जिसे यक़ीनन ताइदे ग़ैबी कहना ही मुनासिब है। वल हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। (राज़)

बाब 52 : इमाम के पीछे मुक़्तदी कब

सज्दा करें?

और हज़रत अनस (रज़ि.) ने नबी करीम से रिवायत किया कि जब इमाम सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो (ये हदीष पीछे गुज़र चुकी है)

(690) हमसे मुसहद बिन मुसहिद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह्या बिन सईद ने सुफ़यान से बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अबू इस्हाक़ ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन यज़ीद ने बयान किया, कहा कि मुझसे बराअ बिन अज़िब (रज़ि.) ने बयान किया, वो झूठे नहीं थे (बल्कि निहायत ही सच्चे थे) उन्होंने कहा कि जब नबी (ﷺ) समिअल्लाहुलिमन हमिदह कहते तो हम में से कोई भी उस वक़्त तक न झुकता जब तक कि आँहुज़ूर (ﷺ) सज्दे में न चले जाते फिर हम लोग सज्दे में जाते। हमसे अबू नुरैम ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ग़ौरी ने, उन्होंने अबू इस्हाक़ से जैसे ऊपर गुज़रा।

(दीगर मक़ाम : 747, 811)

۵۲- بَابُ مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ

الإمام؟

قَالَ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لَإِذَا سَجَدَ لَأَسْجُدُوا.

۶۹۰- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ سَفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) لَمْ يَخِنْ أَحَدًا مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا، ثُمَّ نَفَعَ سُجُودًا بَعْدَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نَحْوَهُ بِهَذَا.

[طرفاه في : ۷۴۷، ۸۱۱].

बाब 53 : (रुकूअ या सज्दे में) इमाम से पहले सर उठाने वाले का गुनाह कितना है?

(691) हमसे हुज़ाज बिन मिन्हाल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने मुहम्मद बिन ज़ियाद से बयान किया, कहा कि मैंने हज़रत अबू हु़रैरह (रज़ि.) से सुना कि वो नबी करीम (ﷺ) से रिवायत करते थे कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया क्या तुममें से वो शख्स जो (रुकूअ या सज्दे में) इमाम से पहले अपना सर उठा लेता है इस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह पाक उसका सर गधे के सर की तरह बना दे या उसकी मूरत को

۵۳- بَابُ إِمَامٍ مَنِ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ

الإمام

۶۹۱- حَدَّثَنَا حُجَّاجُ بْنُ مِهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((أَمَّا يَخْشَى أَحَدُكُمْ - أَوْ لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ

गधे की सी मूरत बना दे।

बाब 54 : गुलाम की और आज्ञाद किए हुए गुलाम की इमामत का बयान

और हजरत आइशा (रज़ि.) की इमामत उनका गुलाम ज़कवान कुआन देखकर किया करता था और वलदुज़िना और गंवार और नाबालिग लड़के की इमामत का बयान क्योंकि नबी करीम (ﷺ) का इर्शाद है कि किताबुल्लाह का सबसे बेहतर पढ़नेवाला इमामत कराए और गुलाम को बग़ैर किसी ख़ास उजर के जमाअत में शिर्कत से न रोका जाएगा।

तशरीह: मक्सदे बाब ये है कि गुलाम अगर कुआन शरीफ़ का ज़्यादा आलिम हो तो वो इमामत करा सकता है। हजरत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) के गुलाम ज़कवान उनको नमाज़ पढ़ाया करते थे और ज़हरी नमाज़ों में मुसहफ़ देखकर किरअत किया करते थे। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं— 'वसलहू अबू दाऊद फ़ी किताबिल मुसाहिफ़ि मिन तरीक़ि अय्यूब अनिब्नि अबी मुलैकत अनन्न आइशत कान यउम्महा गुलामुहा ज़कवानु फ़िल मुसहफ़ि व वसलहुबु अबी शैबत क़ाल हदथना वकीअ अन हिशामिब्नि उरवत अनिब्नि अबी मुलैक़त अन आइशत अनन्नहा इअतक़त गुलामन लहा अन दुबुरिन फ़कान यउम्महा फ़ी रमज़ान फ़िल मुसहफ़ि व वसलहुशशाफ़िइ व अब्दुरज़ाक़ मिन तरीक़िन उख़्रा अनिब्नि अबी मुलैक़त अनन्नहू कान याती आइशत बिआलल वादी हुव व अबूहु व उबैदिब्नि उमैरिन वल मिस्वरुब्नि मख़रमत व नासुन क़रीरुन फ़यउम्महुम अबू अम्र मौला आइशत व हुव यौमइज़िन गुलामुन लम युअतक अबू अम्र अल मज़क़ूर हुव ज़कवानु' (फ़तहुल बारी)

खुलासा इस इबारत का यही है कि हजरत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) के गुलाम अबू अम्र ज़कवान नामी रमज़ान शरीफ़ में शहर से दूर वादी से आते उनके साथ उनका बाप होता उबैद बिन उमैर मिस्वर बिन मखरमा और भी बहुत से लोग जमा हो जाते और वो गुलाम ज़कवान मुसहफ़ देखकर किरअत करते हुए नमाज़ पढ़ाया करते थे। हजरत आइशा (रज़ि.) ने उनको बाद में आज्ञाद भी कर दिया था और चूँकि रिवायत में रमज़ान का ज़िक्र है लिहाज़ा एहतिमाल है कि वो तरावीह की नमाज़ पढ़ाया करते थे और उसमें कुआन शरीफ़ देखकर किरअत किया करते हों। इस रिवायत को अबू दाऊद ने किताबुल मसाहिफ़ में और इब्ने अबी शैबा ने और इमाम शाफ़िई और अब्दुरज़ाक़ ने मौसूलन रिवायत किया है।

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़र्माते हैं— 'उस्तुदिल्ल बिही अला जवाज़िल मुसल्ली मिनल मुसहफ़ि व मनअ अन्हु आख़रून लिक्ौनिही अमलन क़रीरुन फ़िस्सलाति' (फ़तहुल बारी) यानी इससे दलील ली गई है कि मुसल्ली (नमाज़ पढ़ाने वाला) कुआन शरीफ़ देखकर किरअत जवाज़न कर सकता है और दूसरे लोगों ने इसे जायज़ नहीं समझा क्योंकि उनके ख़याल के मुताबिक़ ये नमाज़ में अमले क़पीर है जो मना है।

तहरीफ़ (फेरबदल) का एक नमूना— हमारे मुहतरम उलमा—ए—देवबन्द रहिमहुमुल्लाह अजमईन जो बुखारी शरीफ़ का तर्जुमा और शरह शाए फ़र्मा रहे हैं उनकी ज़ुरअत कहिये या हिमायते मसलक कि कुछ—कुछ जगह ऐसी तशरीह (व्याख्या) कर डालते हैं जिससे सराहतन तहरीफ़ (फेरबदल) ही कहना चाहिए जिसका एक नमूना यहां भी मौजूद है चुनान्चे साहिबे तफ़हीमुल बुखारी देवबन्दी इसकी तशरीह यूँ फ़र्माते हैं कि हजरत ज़कवान के नमाज़ में कुआन मजीद के किरअत का मतलब ये है कि दिन में आयतों को याद कर लेते थे और रात के वक़्त उन्हें नमाज़ में पढ़ते। (तफ़हीमुल बुखारी, पा: 3/स: 92)

ऐसा तो सारे ही हाफ़िज़ करते हैं कि दिन भर दौर फ़र्माते हैं और रात को सुनाया करते हैं। अगर हजरत ज़कवान ऐसा ही करते थे तो खुसूसियत के साथ इनका ज़िक्र करने की रावियों को क्या जरूरत थी। फिर रिवायत में साफ़ फ़िल मुसहफ़ का लफ़ज़ मौजूद है जिसका मतलब ज़ाहिर है कि कुआन शरीफ़ देखकर किरअत किया करते थे चूँकि मसलके हनफ़िया में ऐसा

اللّهُ صُورَتُهُ صُورَةُ حِمَارٍ)) .

٥٤ - بَابُ إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى

وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَوْمَهَا عَبْدَهَا ذَكْوَانَ مِنَ الْمُصْنَحَفِ وَوَلَدَ الْبَغِيِّ وَالْأَعْرَابِيِّ وَالغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((يَوْمُهُمْ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ)) وَلَا يُنْعَمُ الْعَبْدُ مِنَ الْجَمَاعَةِ بِغَيْرِ عِلَّةٍ.

करने से नमाज़ फासिद हो जाती है इसीलिये तफ़हीमुल बुखारी को इस रिवायत की तावील करने के लिये इस ग़लत तशरीह का सहारा लेना पड़ा अल्लाह पाक उलम—ए—दीन को तौफ़ीक दे कि वो अपनी इल्मी जिम्मेदारियों को महसूस फ़र्माये, आम्मीन!

अगर मुक्तदियों में सिर्फ़ कोई नाबालिग़ लड़का ही ज़्यादा कुर्आन शरीफ़ जानने वाला हो तो वो इमामत करा सकता है। मगर फुकह—ए—हनफिया इसके खिलाफ़ हैं वो मुतलक़न मना का फतवा देते हैं जो कि ग़लत है।

(692) हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर हुज़ामी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अनस बिन इयाज़ ने बयान किया, उन्होंने उबैदुल्लाह अमर से, उन्होंने हज़रत नाफ़े अ से उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से कि जब पहले मुहाजिरीन रसूलुल्लाह (ﷺ) की हज़रत से भी पहले कुबा के मुकामे उस्बा में पहुँचे तो उनकी इमामत अबू हज़ैफ़ा के गुलाम सालिम (रज़ि.) किया करते थे। आपको कुर्आन मजीद सबसे ज़्यादा याद था। (दीगर मक़ाम : 7175)

(693) हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमसे यहा बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबुत तियाह यज़ीद बिन हमीद ज़ब्ई ने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से बयान किया, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आपने फ़र्माया (अपने हाकिम की) सुनो और इत्ताअत करो, ख़वाह एक ऐसा हब्शी (गुलाम तुम पर) क्यूँ न हाकिम बना दिया जाए जिसका सर सूखे हुए अंगूर के बराबर हो। (दीगर मक़ाम : 696, 7142)

तशरीह : इससे बाब का मतलब यँ निकलता है कि जब हब्शी गुलाम की जो हाकिम हो, इत्ताअत का हुक्म हुआ तो उसकी इमामत यक़ीनन सही होगी क्योंकि उस ज़माने में जो हाकिम होता वही इमामत भी नमाज़ में किया करता था। इस हदीष से ये दलील भी ली है कि बादशाहे वक़्त से गो वो कैसा ही ज़ालिम, बेवकूफ़ हो लड़ना और फ़साद करना दुरुस्त नहीं है बशर्ते कि वो जायज़ खुलफ़ा यानी कुरैश की तरफ़ से बादशाह बनाया गया हो इसका मतलब ये नहीं है कि हब्शी गुलाम की खिलाफ़त है क्योंकि खिलाफ़त सिवाए कुरैशी के और किसी क़ौम वाले की दुरुस्त नहीं है जैसे दूसरी हदीष से प़ाबित है। (मौलाना वहीदुज्जमा मरहूम)

बाब 55 : अगर इमाम अपनी नमाज़ को पूरा न करे और मुक्तदी पूरा करें

(694) हमसे फ़ज़ल बिन सहल ने बयान किया, कहा कि हमसे हसन बिन मूसा अश्यब ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुरहमान बिन अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया ज़ैद बिन असलम से, उन्होंने अत्ता बिन यसार से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह

٦٩٢- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوْلُونَ الْعَصَبَةَ - مَوْضِعَ بَقْيَاءَ - قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْمَهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا. [طرفه في : ٧١٧٥].

٦٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّيْحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتَعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسَهُ زَبِيئَةً)). [طرفاه في : ٦٩٦, ٧١٤٢].

٦٩٤- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْبِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ

(रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि इमाम लोगों को नमाज़ पढ़ाते हैं। पस अगर इमाम ने ठीक नमाज़ पढ़ाई तो उसका प्रवाब तुम्हें मिलेगा और अगर ग़लती की तो भी (तुम्हारी नमाज़ का) प्रवाब तुमको मिलेगा और ग़लती का वबाल उन पर रहेगा।

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ)).

यानी इमाम की नमाज़ में नुक्स रह जाने से मुक्तदियों की नमाज़ में कोई ख़लल न होगा जब उन्होंने तमाम शरायत और अरकान को पूरा किया हो।

बाब 56 : बागी और बिदअती की इमामत का बयान

और बिदअती के ब रें में इमाम हसन बसरी (रह.) ने कहा कि तू उसके पीछे नमाज़ पढ़ ले उसकी बिदअत उसके सर रहेगी।

٥٦ - بَابُ إِمَامَةِ الْمَقْتُونِ

وَالْمُبْتَدِعِ

وَقَالَ الْحَسَنُ: صَلَّى وَعَلَيْهِ بَدْعُهُ.

(695) इमाम बुखारी (रह.) ने कहा कि हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़र्याबी ने कहा कि हमसे इमाम औज़ाई ने बयान किया, कहा हमसे इमाम जुहरी ने हुमैद बिन अब्दुरहमान से नक़ल किया। उन्होंने अबैदुल्लाह बिन अदी बिन ख़ियार से कि वो खुद हज़रत इम्रान ग़नी (रज़ि.) के पास गए। जबकि बाग़ियों ने उनको घेर रखा था। उन्होंने कहा कि आप ही आम मुसलमानों के इमाम हैं मगर आप पर जो मुसीबत है वो आपको मा'लूम है। इन हालात में बाग़ियों का मुक़रर किया हुआ इमाम नमाज़ पढ़ा रहा है। हम डरते हैं कि उसके पीछे नमाज़ पढ़कर गुनहगार न हो जाएँ। हज़रत इम्रान (रज़ि.) ने जवाब दिया नमाज़ तो जो लोग काम करते हैं उन कामों में सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम है। तो वो जब अच्छा काम करें तुम भी उनके साथ मिलकर अच्छा काम करो और जब वो बुरा काम करें तो तुम उनकी बुराई से अलग रहो और मुहम्मद बिन यज़ीद जुबैदी ने कहा कि इमाम जुहरी ने फ़र्माया हम तो ये समझते हैं कि हिजड़े के पीछे नमाज़ न पढ़ें। मगर ऐसी ही लाचारी हो तो और बात है जिसके बग़ैर कोई चारा न हो।

٦٩٥ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بْنِ خِيَارٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَخْضُورٌ فَقَالَ: إِنَّكَ إِمَامٌ عَامَّةٌ، وَتَزَلُ بِكَ مَا تَرَى، وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامٌ فِتْنَةٌ وَتَتَحَرَّجُ. فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنَ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاؤُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ. وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا تَرَى أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْمَخْتَبِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا.

तशरीह: मफ़्तून का तर्जुमा बागी किया है जो सच्चे बरहक़ इमाम से फिर जाये और बिदअती से आम बिदअती मुराद है ख्वाह उसकी बिदअत ए'तिकादी हो जैसे शीआ, ख़वारिज, मुर्जिया, मुअतज़ला वग़ैरह की, ख्वाह अमली हो जैसे सेहरा बान्धने वाले, तीजा, दसवां करने वाले, ता'ज़िया या अलम उठाने वाले, क़ब्रों पर चरागां करने वाले, मीलाद या गिना या मरषिया की मजलिस करने वाले की, बशर्ते कि उनकी बिदआत कुफ़्र और शिर्क की हद तक न पहुँचे। अगर कुफ़्र या शिर्क के दर्जे पर पहुँच जाए तो उनके पीछे नमाज़ दुरुस्त नहीं। तसहील में हैं कि सुन्नत कहते हैं हदीष को और जमाअत से मुराद सहाबा और ताबेईन हैं जो लोग हदीष शरीफ़ पर चलते हैं और ए'तिकाद और अमल में सहाबा और ताबेईन के तरीक़ पर है वह अहले सुन्नत वल जमाअत है बाक़ी सब बिदअती हैं। (मौलाना वहीदुज्जमा)

(696) हमसे मुहम्मद बिन अबान ने बयान किया, कहा कि हमसे गुंदर मुहम्मद बिन जा'फ़र ने बयान किया शुअबा से, उन्होंने अबुत तियाह से, उन्होंने अनस बिन मालिक से सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने अबू जर से फ़र्माया (हाकिम की) सुन और इत्ताअत कर। ख़वाह वो एक ऐसा हब्शी गुलाम ही क्यूँ न हो जिसका सर मुनक्के के बराबर हो। (राजेअ: 693)

٦٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَأَبِي ذَرٍّ: ((اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيَّةٌ)). [راجع: ٦٩٣]

बाब 57 : जब सिर्फ़ दो ही नमाज़ी हो तो मुक्त्तदी इमाम के दाईं जानिब उसके बराबर खड़ा हो

٥٧- بَابُ يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ

(697) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने हकम से बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने सईद बिन जुबैर से सुना, वो हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से बयान करते थे कि उन्होंने बतलाया कि एक रात में अपनी ख़ाला उम्मुल मोमिनीन मैमूना (रज़ि.) के घर पर रह गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) इशा की नमाज़ के बाद जब उनके घर तशरीफ़ लाए तो यहाँ चार रकअत नमाज़ पढ़ी। फिर आप सो गए फिर (नमाज़े तहज्जुद के लिए) आप उठे (और नमाज़ पढ़ने लगे) तो मैं भी उठकर आपकी बाईं तरफ़ खड़ा हो गया। लेकिन आपने मुझे अपनी दाहिनी तरफ़ कर लिया। आपने पाँच रकअत नमाज़ पढ़ी। फिर दो रकअत (सुन्नते फ़ज़्र) पढ़कर आप सो गए। और मैंने आपके ख़रटि की आवाज़ भी सुनी। फिर आप फ़ज़्र की नमाज़ के लिए हाज़िर हुए। (राजेअ: 118)

بِحَدَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَ الثَّانِي

٦٩٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَتُّ لِي بَيْتَ خَالَتِي مِمُونَةَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَجَنَّتْ لَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيظَةً - أَوْ قَالَ خَطِيظَةً - ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ.

[راجع: ١١٧]

तशरीह: इस हदीष से साबित हुआ कि जब इमाम के साथ एक ही आदमी हो तो वो इमाम के दाहिनी तरफ़ खड़ा हो, जवान हो या नाबालिग, फिर कोई दूसरा आ जाए तो वो इमाम के बायें तरफ़ नियत बांध ले। फिर इमाम आगे बढ़ जाये या मुक्त्तदी पीछे हट जायें।

बाब 58 : अगर कोई शख्स इमाम के बाईं तरफ़ खड़ा हो और इमाम उसे फिराकर दाईं तरफ़ कर ले तो दोनों में से किसी की भी नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी

٥٨- بَابُ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ فَحَوَّلَهُ الْإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمَا

(698) हमसे अहमद बिन म्नालेह ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, कहा कि हमसे अमर बिन हारिष मिस्री ने अब्दे रब्बिही बिन सईद से बयान किया, उन्होंने

٦٩٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ

मखरमा बिन सुलैमान से, उन्होंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) के गुलाम कुरैब से उन्होंने इब्ने अब्बास से। आपने बतलाया कि मैं एक रात उम्मुल मोमिनीन मैमूना (रज़ि.) के यहाँ सो गया। उस रात नबी करीम (ﷺ) की भी वहीं सोने की बारी थी। आपने वुजू किया और नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो गये। मैं आपके बाईं तरफ़ खड़ा हो गया। इसलिए आपने मुझे पकड़कर दाईं तरफ़ कर दिया। फिर तेरहरकअत (वित्र समेत) नमाज़ पढ़ी और सो गए। यहाँ तक कि खरटि लेने लगे और नबी करीम (ﷺ) जब सोते तो खरटि लेते थे फिर मुअज़्जिन आया तो आप बाहर तशरीफ़ ले गए। आपने उसके बाद (फ़ज़्र की) नमाज़ पढ़ी और वुजू नहीं किया। अम्र ने बयान किया कि मैंने ये हदीष बुकैर बिन अब्दुल्लाह के सामने बयान की तो उन्होंने फ़र्माया कि ये हदीष मुझसे कुरैब ने भी बयान की थी।

(राजेअ: 117)

سَعِيدٌ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبِ
مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ: نَمَتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيِّ
ﷺ عِنْدَهَا بِلَيْلَةِ اللَّيْلِ، فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ قَامَ
يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي
فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ
رَكْعَةً، ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ
نَفَخَ، ثُمَّ آتَاهُ الْمُؤَدَّنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ
يَتَوَضَّأْ. قَالَ عَمْرُو فَحَدَّثْتُ بِهِ بُكَيْرًا
فَقَالَ: حَدَّثَنِي كُرَيْبٌ بِذَلِكَ.

[راجع: ۱۱۷]

बाब 59 : नमाज़ शुरू करते वक़्त इमामत की निर्यत न हो, फिर कुछ लोग आ जाएँ और वो उनकी इमामत करने लगे (तो क्या हुक्म है)

(699) हमसे मुसहद बिन मुसहिद ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माइल बिन इब्राहीम ने अय्यूब सुखितयानी से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन सईद बिन जुबैर से, उन्होंने अपने बाप से, उन्होंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से कि आपने बतलाया कि मैंने एक बार अपनी खाला मैमूना (रज़ि.) के घर रात गुज़ारी। नबी करीम (ﷺ) रात में नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हुए तो मैं भी आपके साथ नमाज़ में शरीक हो गया। मैं (ग़लती से) आपके बाईं तरफ़ खड़ा हो गया था। फिर आपने मेरा सर पकड़कर दाईं तरफ़ कर दिया (ताकि सहीह तौर पर खड़ा हो जाऊँ)। (राजेअ: 117)

۵۹- بَابُ إِذَا لَمْ يَتَوَّأِ الْإِمَامُ أَنْ

يَوْمٌ، ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ

۶۹۹- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: قَالَ حَدَّثَنَا

إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ: بَتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ
النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ أُصَلِّي
مَعَهُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي
فَأَلْفَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

[راجع: ۱۱۷]

बाब 60 : अगर इमाम लम्बी किरअत शुरू कर दे और किसी को काम हो वो अकेले नमाज़ पढ़कर चल दे तो ये कैसा है?

(700) हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने अम्र बिन दीनार से बयान किया, उन्होंने जाबिर

۶۰- بَابُ إِذَا طَوَّلَ الْإِمَامُ وَكَانَ

لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى

۷۰۰- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ

बिन अब्दुल्लाह से कि मुआज़ बिन जबल नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ते फिर वापस आकर अपनी क़ौम की इमामत किया करते थे।

(दीगर मक़ाम : 701, 705, 711, 6106)

(701) (दूसरी सनद) और मुझसे मुहम्मद बिन बश़ार ने बयान किया, कहा कि हमसे गुंदर मुहम्मद बिन जा'फ़र ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने अमर से बयान किया, कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से सुना, आपने फ़र्माया कि मुआज़ बिन जबल नबी करीम (ﷺ) के साथ (फ़र्ज़) नमाज़ पढ़ते फिर अपनी क़ौम में वापस जाकर लोगों को (वही) नमाज़ पढ़ाया करते थे। एक बार इशा की नमाज़ में उन्होंने सूरह बकर: शुरू की (मुक्तदियों में से) एक शख़्स नमाज़ तोड़कर चल दिया। मुआज़ उसको बुरा कहने लगे। ये ख़बर आँहज़रत (ﷺ) को पहुँची (उस शख़्स ने मुआज़ की शिकायत की) आपने मुआज़ को फ़र्माया तू बला में डालने वाला है, बला में डालने वाला, बला में डालने वाला तीन बार कहा। या यूँ फ़र्माया कि तू फ़सादी है, फ़सादी, फ़सादी। फिर आपने मुआज़ को हुक्म दिया कि मुफ़सल के बीच की दो सूरतें पढ़ा करे। अमर बिन दीनार ने कहा कि मुझे याद न रहा (कि कौन-सी सूरतों का आपने नाम लिया) (राजेअ : 700)

तशरीह : इससे इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद और अहले हदीष का मज़हब षाबित हुआ कि फ़र्ज़ पढ़ने वाले की इक़तिदा नफ़िल पढ़ने वाले के पीछे दुरुस्त है। हनफ़िया ने यहां भी दूर अज़कार तावीलात की हैं। जो सब महज़ तअस्सुबे मसलक का नतीजा है। मषलन हज़रत मुआज़ के ऊपर आँहज़रत (ﷺ) की ख़फ़ी के बारे में लिखा है कि मुमकिन है कि इस वजह से भी आप ख़फ़ा हुए हों कि दोबारा क्यों जाकर पढ़ाई (देखो तफ़हीमुल बुखारी, पा:3/ स:97) ये ऐसी तावील है जिसका इस वाक़िआ से दूर तक भी ता'ल्लुक नहीं।

क्रियास कुन ज़गुलिस्ताने मन बहार मुरा।

बाब 61 : इमाम को चाहिए कि क़याम हल्का करे (मुख्तसर सूरतें पढ़ें) और रुकूअ और सज्दे पूरे पूरे अदा करे

(702) हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा कि हमसे जुहैर बिन मुआविया ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माईल बिन अबी ख़ालिद ने बयान किया, कहा कि मैंने क़ैस बिन अबी हाज़िम से सुना, कहा कि मुझे अबू मसऊद अंसारी ने ख़बर दी कि एक शख़्स ने कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़सम अल्लाह की

مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ لِقَوْمِهِ قَوْمَهُ.

[أطرافه في: ٧٠١, ٧٠٥, ٧١١]

[٦١٠٦]

٧٠١- قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ لِقَوْمِهِ قَوْمَهُ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالْبَقْرَةِ، فَانصَرَفَ الرَّجُلُ فَكَانَ مُعَاذًا يَبَاوِلُ مِنْهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ((فَتَانٌ، فَتَانٌ، فَتَانٌ)) (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) أَوْ قَالَ: ((فَاتِنَا، فَاتِنَا، فَاتِنَا)) وَأَمْرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفْصَلِ. قَالَ عَمْرٍو: لَا أَحْفَظُهُمَا.

[راجع: ٧٠٠]

٦١- بَابُ تَخْفِيفِ الْإِمَامِ فِي

الْقِيَامِ، وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٧٠٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ:

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ:

سَمِعْتُ قَيْسًا قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ:

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي

मैं सुबह की नमाज़ में फ़लाँ की वजह से देर से जाता हूँ, क्योंकि वो नमाज़ को बहुत लम्बा कर देते हैं। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को नसीहत के वक़्त उस दिन से ज़्यादा (कभी भी) ग़ज़बनाक नहीं देखा। आपने फ़र्माया कि तुम में से कुछ लोग ये चाहते हैं कि (अवाम को इबादत से या दीन से) नफ़रत दिला दें, ख़बरदार! तुममें लोगों को जो शख़्स भी नमाज़ पढ़ाए तो हल्की पढ़ाए। क्योंकि नमाज़ियों में कमज़ोर, बूढ़े और ज़रूरत वाले सब ही तरह के लोग होते हैं। (राजेअ: 90)

बाब 62 : जब अकेला नमाज़ पढ़े तो जितनी चाहे लम्बी कर सकता है

(703) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने अबुज़्ज़िनाद से ख़बर दी, उन्होंने अअरज से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया। जब कोई तुममें से लोगों को नमाज़ पढ़ाए तो तख़फ़ीफ़ करे। क्योंकि जमाअत में बूढ़े, बीमार और ज़इफ़ (सब ही तरह के लोग होते हैं)। लेकिन अकेला पढ़े तो जिस क़दर जी चाहे तूल दे सकता है। (बाब और हदीष में मुताबक़त ज़ाहिर है)

बाब 63 : उसके बारे में जिसने इमाम से नमाज़ का लम्बा हो जाने की शिकायत की

एक सहाबी अबू उसैद (मालिक बिन रबीआ) ने अपने बेटे (मुज़िर) से फ़र्माया। बेटा तूने नमाज़ को हम पर लम्बा कर दिया।

(704) हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़र्याबी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान शौरी ने बयान किया इस्माईल बिन अबी ख़ालिद से, उन्होंने क़ैस बिन अबी हाज़िम से, उन्होंने अबू मसऊद अंसारी (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! मैं फ़ज़्र की नमाज़ में देर करके इसलिए शरीक होता हूँ कि फ़लाँ साहब फ़ज़्र की नमाज़ बहुत लम्बी कर देते हैं। इस पर आप इस क़दर गुस्सा

لَا تَأْخُرُ عَنْ صَلَاةِ الْفَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فَلَانٍ
مِمَّا يُطِيلُ بِنَا. فَمَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ عَضْبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ. ثُمَّ
قَالَ: ((إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفَرِينَ، فَأَيْكُمْ مَا صَلَّى
بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ
وَالكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ)).

[راجع: 90]

٦٢- بَابُ إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيَطْوِلْ

مَا شَاءَ

٧٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ
فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ
وَالكَبِيرَ. وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ
فَلْيَطْوِلْ مَا شَاءَ)).

٦٣- بَابُ مَنْ شَكََا إِمَامَهُ

إِذَا طَوَّلَ

وَقَالَ أَبُو اسْتَيْدٍ طَوَّلْتَ بِنَا يَا بَنِي.

٧٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ
عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ
قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأْخُرُ
عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَلَانٍ
فِيهَا. فَغَضِبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا رَأَيْتُ

हुए कि मैंने नज़ीहत के वक़्त उस दिन से ज़्यादा गुस्से में आपको कभी नहीं देखा। फिर आपने फ़र्माया कि लोगों! तुममें कुछ लोग (नमाज़ से लोगों को) दूर करने का बाअि़प्र हैं। पस जो शख़्स इमाम हों उसे हल्की नमाज़ पढ़नी चाहिए इसलिए उसके पीछे कमज़ोर, बूढ़े और ज़रूरतमंद सब ही होते हैं। (राजेअ: 90)

غَضِبَ لِي مَوْضِعَ كَانَ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ
يَوْمَئِذٍ. ثُمَّ قَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ
مُنْفَرِينَ، فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَحَوَّزْ، فَإِنَّ
خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَّةِ)).

[راجع: 90]

(705) हमसे आदम बिन अबी इयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे मुहारिब बिन दिप्रार ने बयान किया, कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से सुना, आपने बतलाया कि एक शख़्स पानी उठानेवाले दो ऊँट ले आया, रात तारीक (अंधेरी) हो चुकी थी। उसने मुआज़ को नमाज़ पढ़ाते हुए पाया। इसलिए अपने ऊँटों को बिठाकर (नमाज़ में शरीक होने के लिए) मुआज़ (रज़ि.) की तरफ़ बढ़ा। मुआज़ (रज़ि.) ने नमाज़ में सूरह बक्रर या सूरह निसा शुरू की। चुनाँचे वो शख़्स निय्यत तोड़कर चल दिया। फिर उसे मा'लूम हुआ कि मुआज़ (रज़ि.) ने तुझको बुरा-भला कहा है। इसलिए वो नबी करीम (ﷺ) के पास आया और मुआज़ की शिकायत की, नबी करीम (ﷺ) ने उससे फ़र्माया, मुआज़! क्या तुम लोगों को फ़ित्ने में डालते हो। आपने तीन बार (फ़त्तान या फ़ातिन) फ़र्माया, सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, वशशमिस व जुहाहा, वल्लैलि इज़ा यशशा (सूरतें) तुमने क्यूँ न पढ़ीं क्योंकि तुम्हारे पीछे बूढ़े, कमज़ोर और हाजतमंद नमाज़ पढ़ते हैं। शुअबा ने कहा कि मेरा ख़याल है कि ये आख़री जुम्ला (क्योंकि तुम्हारे पीछे अल्ख) हदीष में दाख़िल है। शुअबा के साथ उसकी मुताबअत सईद बिन मसरूक़, मिस्अर और शैबानी ने की है। और अम्र बिन दीनार, अब्दुल्लाह बिन मिक़्सम और अबुज्जुबैर ने भी इस हदीष को जाबिर के वास्ते से बयान किया है कि मुआज़ ने इशा में सूरह बक्रर पढ़ी थी और शुअबा के साथ इस रिवायत की मुताबअत अअमश ने मुहारिब के वास्ते से की है।

٧٠٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِنَارٍ
قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ
قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاصِحِينَ! وَقَدْ جَنَحَ
اللَّيْلُ - فَوَالِقَ مُعَاذًا يُصَلِّي، فَتَرَكَ
نَاصِحِيهِ وَأَقْبَلَ إِلَيَّ مُعَاذٍ، فَقَرَأَ سُورَةَ
الْبَقَرَةِ - أَوْ النِّسَاءِ - فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ،
وَبَلَغَنِي أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ، فَآتَى النَّبِيَّ ﷺ
فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَا
مُعَاذُ، أَفَأَنْتَ أَنْتَ - أَوْ أَفَأَيْنَ أَنْتَ -
ثَلَاثَ مِرَارٍ)، فَلَوْلَا صَلَّيْتُ بِسْمِ اللَّهِ اسْمَ
رَبِّكَ وَالشَّمْسِ وَضَحَاخَا وَاللَّيْلِ إِذَا
يَفْسَى، فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ
وَالضَّعِيفُ وَذَا الْحَاجَّةِ)). . أَخْبَرَنِي
هَذَا فِي الْحَدِيثِ. تَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ
وَمِسْرَمُ وَالشَّيْبَانِيُّ. قَالَ عَمْرُو وَعَبِيدُ اللَّهِ
بْنُ مِقْسَمٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ (قَرَأَ مُعَاذًا
فِي الْعِشَاءِ بِالْبَقَرَةِ) وَتَابَعَهُ الْأَعْمَشُ عَنْ
مُحَارِبٍ.

[راجع: 700]

तशरीह:

इमाम बुखारी (रह.) ने इन अह्दाीष से निहायत अहम मसले की तरफ़ तवज्जुह दिलाई है कि क्या किसी ऐसे काम के बारे में जो महज़ ख़ैर हो, शिकायत की जा सकती है या नहीं। नमाज़ हर तरह ख़ैर ही ख़ैर है, किसी बुराई

का इसमें कोई पहलू नहीं। इसके बावजूद इस सिलसिले में एक शख्स ने नबी करीम (ﷺ) से शिकायत की और आँहज़रत (ﷺ) ने उसे सुना और शिकायत की तरफ़ भी तवज्जह फ़र्माई। इससे मा'लूम होता है कि इस तरह के मुआमलात में भी शिकायत बशर्ते कि मा'कूल और मुनासिब हो जायज़ है। (तफ़हीमुल बुखारी)

दूसरी रिवायत में है कि सूरह अत्तारिक़ और वशशम्मि व जुहाहा या सब्बिहिस्मा या इक्तरबतिस्सा अतु पढ़ने का हुक्म फ़र्माया। मुफ़स्सल कुर्आन की सातवीं मन्ज़िल का नाम है यानी सूरह क़ाफ़ से आख़िर कुर्आन तक। फिर इनमें तीन टुकड़े हैं— तिवाल यानी क़ाफ़ से सूरह अम्म तक औसात यानी बीच की अम्मा से वज्जुहा तक क़िसार यानी छोटी वज्जुहा से आख़िर तक। अइम्मा को इन हिदायात का मद्देनज़र रखना ज़रूरी है।

बाब 64 : नमाज़ हल्की और पूरी पढ़ना (यानी रुकूअ व सुजूद अच्छी तरह करना)

(706) हमसे अबू मअमर अब्दुल्लाह बिन अमर ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिष बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब ने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) नमाज़ को हल्की और पूरी पढ़ते थे।

बाब 65 : जिसने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर नमाज़ को हल्का कर दिया

(707) हमसे इब्राहीम बिन मूसाने बयान किया, कहा कि हमसे वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम अब्दुर्रहमान बिन अमर औज़ाई ने यह्या बिन अबी क़थीर से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा से, उन्होंने अपने बाप अबू क़तादा हारिष बिन रुई से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आपने फ़र्माया कि मैं नमाज़ देर तक पढ़ने के इरादे से खड़ा होता हूँ। लेकिन किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर नमाज़ को हल्की कर देता हूँ। क्योंकि उसकी माँ को (जो नमाज़ में शरीक होगी) तक्लीफ़ में डालना बुरा समझता हूँ। वलीद बिन मुस्लिम के साथ इस रिवायत की मुताबअत बिशर बिन बक्र, बक्रिया बिन वलीद और इब्ने मुबारक ने औज़ाई के वास्ते से की है। (दीगर मक़ाम : 868)

(708) हमसे ख़ालिद बिन मुख़लद ने बयान किया, कहा कि हमसे सुलैमान बिन बिलाल ने बयान किया, कहा कि हमसे शरीक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी नम्र कुरैशी ने बयान किया, कहा कि मैं ने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना, उन्होंने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) से ज़्यादा हल्की लेकिन कामिल नमाज़ मैंने

٦٤- بَابُ الْإِيحَازِ فِي الصَّلَاةِ

وَإِحْمَالِهَا

٧٠٦- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا).

٦٥- بَابٌ مِّنْ أَخْفِ الصَّلَاةِ عِنْدَ

بُكَاءِ الصَّبِيِّ

٧٠٧- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنِّي لِأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أَطُولَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَمْجُزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ)).
تَابَعَهُ بَشْرُ بْنُ بَكْرٍ وَتَيْفَةُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَتَيْفَةُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ.

[طرفه في : ٨٦٨].

٧٠٨- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُرَيْثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ

किसी इमाम के पीछे कभी नहीं पढ़ी। आपका ये हाल था कि अगर आप बच्चे के रोने की आवाज़ सुन लेते तो इस ख्याल से कि उसकी माँ कहीं परेशानी में न पड़ जाए नमाज़ हल्की कर देते।

أَخْفُ صَلَاتًا وَلَا أَتَمُّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ.

यानी आपकी नमाज़ किरअत के ए'तिबार से तो हल्की होती, छोटी-छोटी सूरतें पढ़ते और अरकान यानी रूकूअ, सज्दा वगैरह पूरे तौर पर अदा फ़र्माते। जो लोग सुन्नत की पैरवी करना चाहें, उनको इमामत की हालत में ऐसी ही नमाज़ पढ़ानी चाहिए।

(709) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन ज़ुरैअ ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन अबी अरूबा ने बयान किया। कहा कि हमसे क्रतादा ने बयान किया कि अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने उनसे बयान किया कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया कि नमाज़ शुरू कर देता हूँ। इरादा ये होता है कि नमाज़ लम्बी करूँ। लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर हल्की कर देता हूँ। क्यों कि मुझे मा'लूम है माँ के दिल पर बच्चे के रोने से कैसी चोट पड़ती है।

٧٠٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطْلَاقَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ)).

(710) हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमें मुहम्मद बिन इब्राहीम बिन अदी ने सईद बिन अबी अरूबा के वास्ते से ख़बर दी, उन्होंने क्रतादा से, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आपने फ़र्माया कि मैं नमाज़ की निव्यत बाँधता हूँ, इरादा ये होता है कि नमाज़ को लम्बा करूँगा। लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर हल्की कर देता हूँ क्यों कि मैं उस दर्द को जानता हूँ जो बच्चे के रोने की वजह से माँ को हो जाता है। और मूसा बिन इस्माईल ने कहा हमसे अबान बिन यज़ीद ने बयान किया, कहा हमसे क्रतादा ने, कहा हमसे अनस ने आँहज़रत (ﷺ) से यही हदीष बयान की। (राजेअ: 709)

٧١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَأُرِيدُ إِطْلَاقَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ)). وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. مِثْلَهُ.

[راجع: ٧٠٩]

तशरीह: इन सारी अहादीष से आपकी शफ़क़त ज़ाहिर होती है। ये भी मा'लूम हुआ कि अहदे रिसालत में औरतें भी शरीके जमाअत हुआ करती थी। इन्हे अबी शैबा में है कि एक दफ़ा आपने पहली रकअत में साठ आयतों को पढ़ा। फिर बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर आपने इतना अषर लिया कि दूसरी रकअत में सिर्फ़ तीन आयतें पढ़कर पूरा कर दिया।

बाब 66 : एक शख़्स नमाज़ पढ़कर दूसरे लोगों की इमामत करे

(711) हमसे सुलैमान बिन हर्ब और अबुन नोअमान मुहम्मद

٦٦- بَابُ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا

٧١١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو

बिन फ़ज़ल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उन्होंने अय्यूब सुखितयानी से, उन्होंने अमर बिन दीनार से, उन्होंने जाबिर से फ़र्माया कि मुआज़ नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ते फिर वापस आकर अपनी क़ौम को नमाज़ पढ़ाते थे। (राजेअ: 700)

बाब 67 : उसके बारे में जो मुक्तदियों को इमाम की तक्बीर सुनाए

(712) हमसे मुसद्दद बिन मुसहहद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन दाऊद ने बयान किया, कहा कि हमसे अअमश ने इब्राहीम नखई से बयान किया, उन्होंने अस्वद से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि आपने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) मर्ज़ुल वफ़ात में हज़रत बिलाल (रज़ि.) नमाज़ की इत्तिला देने के लिए हाज़िरे ख़िदमत हुए। आपने फ़र्माया कि अबूबक्र से नमाज़ पढ़ाने के लिए कहो। मैंने कहा कि अबूबक्र कच्चे दिल के आदमी हैं अगर आपकी जगह खड़े होंगे तो रो देंगे और क़िरअत न कर सकेंगे। आपने फिर फ़र्माया कि अबूबक्र से कहो वो नमाज़ पढ़ाएँ। मैंने वही इज़्र फिर दोहराया। फिर आपने तीसरी या चौथी बार फ़र्माया कि तुम लोग तो बिलकुल सवाहिबे यूसुफ़ की तरह हो। अबूबक्र से कहो कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। ख़ैर अबूबक्र (रज़ि.) ने नमाज़ शुरू करा दी। फिर नबी करीम (ﷺ) (अपना मिज़ाज ज़रा हल्का पाकर) दो आदमियों का सहारा लिए हुए बाहर तशरीफ़ लाए। गोया मेरी नज़रों के सामने वो मंज़र है कि आपके क़दम ज़मीन पर निशान कर रहे थे। अबूबक्र आपको देखकर पीछे हटने लगे। लेकिन आपने इशारे से उन्हें पढ़ाने के लिए कहा। अबूबक्र पीछे हट गए और नबी करीम (ﷺ) उनके बाज़ूमें बैठे। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) लोगों को नबी करीम (ﷺ) की तक्बीर सुना रहे थे। अब्दुल्लाह बिन दाऊद के साथ इस हदीष को मुहाज़िर ने भी अअमश से रिवायत किया है। (राजेअ: 198)

النُّعْمَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ :
كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِي
قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ . [راجع : ٧٠٠]
٦٧ - بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ

الإمام

٧١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ مَرَضَةً
الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَنَاهُ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ :
(مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ) . قُلْتُ : إِنَّ أَبَا
بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ ، إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَتَكَبَّرُ
فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ . قَالَ : (مُرُوا أَبَا
بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ) . فَقُلْتُ مِثْلَهُ . فَقَالَ لِي
الدَّيْلِيُّ - أَوْ الرَّابِعَةُ - : ((إِنَّكُمْ صَوَابُ
يُوسُفَ ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ) . فَصَلَّى .
وَوَجَّحَ النَّبِيُّ ﷺ يَهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ ،
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْطُ بِرِجْلَيْهِ الْأَرْضَ .
فَلَمَّا رَأَاهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ
أَنْ صَلِّ ، فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَوَقَعَ الْأَعْمَشُ : ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُسْمَعُ
النَّاسَ التَّكْبِيرَ . تَابِعَهُ مُخَاصِرٌ عَنْ
الْأَعْمَشِ . [راجع : ١٩٨]

जब मुक्तदी ज़्यादा हो तो दूसरा शख्स तक्बीर ज़ोर से पुकारे ताकि सबको आवाज़ पहुंच जाये। आजकल इस मक़सद के लिये एक आला (लाउड स्पीकर) वजूद में आ गया है जिसे आवाज़ पहुंचाने के लिये इस्तेमाल किया जाता है और ये अकषर उलमा के नज़दीक जायज़ है।

बाब 68 : एक शख्स इमाम की इक्तिदा करे
और लोग उसकी इक्तिदा करें (तो कैसा है?)

और आँहज़रत (ﷺ) से मरवी है कि आपने (पहली सफ़्र वालों से) फ़र्माया, तुम मेरी पैरवी करो और तुम्हारे पीछे जो लोग हैं वो तुम्हारी पैरवी करें।

(713) हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू मुआविया मुहम्मद बिन हाज़िम ने बयान किया, उन्होंने अउमश के वास्ते से बयान किया, उन्होंने इब्राहीम नखई से, उन्होंने अस्वद से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से। आपने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) ज़्यादा बीमार हो गए थे तो बिलाल (रज़ि.) आपको नमाज़ की ख़बर देने आए। आपने फ़र्माया कि अबूबक्र (रज़ि.) से नमाज़ पढ़ाने के लिए कहो। मैंने कहा या रसूलुल्लाह (ﷺ)! अबूबक्र (रज़ि.) नरमदिल आदमी हैं और जब भी वो आपकी जगह खड़े होंगे तो लोगों को (शिद्दते गिर्या की वजह से) आवाज़ नहीं सुना सकेंगे। इसलिए अगर आप उमर (रज़ि.) से कहते तो बेहतर था। आपने फ़र्माया कि अबूबक्र से नमाज़ पढ़ाने के लिए कहो। फिर मैंने हज़रत (रज़ि.) से कहा कि तुम कहो कि अबूबक्र नरमदिल आदमी हैं और अगर आपकी जगह खड़े हुए तो लोगों को अपनी आवाज़ नहीं सुना सकेंगे। इसलिए अगर उमर से कहें तो बेहतर होगा। इस पर आपने फ़र्माया कि तुम लोग सवाहिबे यूसुफ़ से कम न हो। अबूबक्र से कहो कि नमाज़ पढ़ाएँ। जब अबूबक्र (रज़ि.) नमाज़ पढ़ाने लगे तो आँहुज़ूर (ﷺ) ने अपने मर्ज़ में कुछ हल्कापन महसूस किया और दो आदमियों का सहारा लेकर खड़े हो गए। आपके पाँव ज़मीन पर निशान कर रहे थे। इस तरह चलकर आप मस्जिद में दाखिल हुए। जब अबूबक्र ने आपकी आहट सुनी तो पीछे हटने लगे इसलिए रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इशारे से रोका फिर नबी करीम (ﷺ) अबूबक्र (रज़ि.) की बाईं तरफ़ बैठ गए तो अबूबक्र खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे और रसूलुल्लाह (ﷺ) बैठकर। अबूबक्र (रज़ि.)

٦٨- بَابُ الرَّجُلِ يَأْتُمُ بِالْإِمَامِ،

وَيَأْتُمُ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ

وَيَذَكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((اتَّمُوا بِي،
وَيَأْتِمُ بِكُمْ مَن بَعْدَكُمْ))

٧١٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ جَاءَ بِلَالٌ بِأَنَّ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ)) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يَسْمَعُ النَّاسُ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ. فَقَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّيَ)). فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يَسْمَعُ النَّاسُ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ فَقَالَ: ((إِنَّكَ لَأَتْنِ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ)) فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً، فَقام يَهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرَجُلَاةٍ يَخْطَانِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَةً ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّيَ قَائِمًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيَ قَاعِدًا

रसूलुल्लाह (ﷺ) की इक़्तिदा कर रहे थे और लोग अबूबक्र (रज़ि.) की इक़्तिदा। (राजेअ: 198)

يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ. [راجع: ١٩٨]

इसी जुम्ले से बाब का तर्जुमा निकलता है क्योंकि हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) खुद मुक़्तदी थे लेकिन दूसरे मुक़्तदियों ने उनकी इक़्तिदा की।

बाब 69 : इस बारे में कि अगर इमाम को शक हो जाए तो क्या मुक़्तदियों की बात पर अमल कर सकता है?

(714) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कअनी ने बयान किया, उन्होंने हज़रत इमाम मालिक बिन अनस से बयान किया, उन्होंने अय्यूब बिन अबी तमीमा सुखितयानी से उन्होंने मुहम्मद बिन सीरीन से, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (जुहर की नमाज़ में) दो रकअत पढ़कर नमाज़ खत्म कर दी तो आपसे जुलयदैन ने कहा कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! क्या नमाज़ कम हो गई है या आप भूल गए हैं। इस पर आप (ﷺ) ने (और लोगों की तरफ़ देखकर) पूछा क्या जुलयदैन सहीह कहते हैं? लोगों ने कहा हाँ! फिर आप उठे और दूसरी दो रकअतें भी पढ़ीं। फिर सलाम फेरा। फिर तक्बीर कही और सज्दा किया पहले की तरह या उससे भी कुछ लम्बा सज्दा।

(राजेअ: 182)

٦٩- بَابُ هَلْ يَأْخُذُ الْإِمَامُ إِذَا شَكَّ
بِقَوْلِ النَّاسِ

٧١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ
مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَيْمَةَ
السُّخْتِيَّانِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْصَرَفَ مِنْ
الْإِتْنَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقْصُرْتَ
الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَصْدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟))
فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ (فَقَامَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى الْإِتْنَيْنِ أُخْرَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ
كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ).

[راجع: ١٨٢]

तशरीह :

ये बाब लाकर इमाम बुखारी (रह.) ने शाफ़िइय्या का रद्द किया है जो कहते हैं कि इमाम मुक़्तदियों की बात न सुने। बाज़ ने कहा इमाम बुखारी (रह.) का गर्ज़ ये है कि इस मसले में इख़िताफ़ उस हालत में है जब इमाम को खुद शक हो लेकिन अगर इमाम को एक अम्र का यक़ीन हो तो बिल इतिफ़ाक़ मुक़्तदियों की बात न सुननी चाहिए। जुलयदैन का असल नाम ख़रबाक था। उनके दोनों हाथ लम्बे लम्बे थे इसलिये लोग उनको जुलयदैन कहने लगे। इस हदीष से भी निकला कि हद दर्जा यक़ीन हासिल करने के लिये और लोगों से भी शहादत ली जा सकती है, ये भी मा'लूम हुआ कि अपने हक़ का इज़हार एक अदना आदमी भी कर सकता है।

(715) हमसे अबुलवलीद हिशाम बिन अब्दुलमलिक ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने सअद बिन इब्राहीम से बयान किया, वो अबू सलमा बिन अब्दुरहमान से, वो हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से, आपने बतलाया कि नबी (ﷺ) ने (एक बार) जुहर की सिर्फ़ दो रकअतें पढ़ीं (और भूल से सलाम फेर दिया) फिर कहा गया कि आपने सिर्फ़ दो ही रकअतें पढ़ीं हैं। पस आपने दो रकअतें

٧١٥- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ
الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، فَقِيلَ: صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ،
فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ

और पढ़ीं फिर सलाम फेरा, फिर दो सज्दे किए। (राजेअ: 482)

बाब 70 : जब इमाम नमाज़ में रो दे (तो कैसा है?)

और अब्दुल्लाह बिन शदाद (रह.) (ताबेई) ने बयान किया कि मैंने नमाज़ में उमर (रज़ि.) के रोने की आवाज़ सुनी हालाँकि मैं आख़री सफ़ में था। आप आयते शरीफ़ा 'इन्नमा अश्कू बष्षी व हुज़्नी इलल्लाहि' पढ़ रहे थे।

ये सूरह यूसुफ़ की आयत का एक जुमला है जिस का तर्जुमा ये है कि मैं अपने ग़म और फ़िक्र की शिकायत अल्लाह ही से करता हूँ, ये हज़रत या'कूब अलैहिस्सलाम ने फ़र्माया था।

(716) हमसे इस्माइल बिन अबी उवैस ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक बिन अनस ने हिशाम बिन उर्वा से बयान किया, उन्होंने अपने बाप से, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मर्ज़ुल वफ़ात में फ़र्माया कि अबूबक्र से लोगों को नमाज़ पढ़ाने के लिए कहो। हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि मैंने कहा कि अबूबक्र अगर आपकी जगह खड़े होंगे तो रोने की वजह से लोगों को अपनी आवाज़ नहीं सुना सकेंगे। इसलिए आप उमर (रज़ि.) से कहें कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। आपने फिर फ़र्माया कि नहीं अबूबक्र ही से नमाज़ पढ़ाने के लिए कहो। आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने हफ़्सा (रज़ि.) से कहा कि तुम भी तो आँहज़रत (ﷺ) से कहो कि अगर अबूबक्र आपकी जगह खड़े हुए तो आपको याद करके गिरया व ज़ारी की वजह से लोगों को कुआन न सुना सकेंगे। इसलिए उमर (रज़ि.) से कहिए कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने भी कह दिया। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, बस चुप रहो। तुम लोग सवाहिबे यूसुफ़ से किसी तरह कम नहीं हो। अबूबक्र से कहो कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। बाद में हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कहा। भला मुझको तुमसे कहीं भलाई होनी है। (राजेअ: 198)

سَجَدَتَيْنِ). [راجع: ٤٨٢]

٧- بَابُ إِذَا بَكَى الْإِمَامُ فِي

الصَّلَاةِ

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَادٍ: سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ يَقْرَأُ: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَخُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾.

٧١٦- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي مَرْحَبِهِ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ)). قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ. فَقَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ)). قَالَتْ عَائِشَةُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. فَفَعَلْتُ حَفْصَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَهْ، إِنَّكَ لَأَتْنَنُ صَوَابِ يُونُسَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ)) قَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكَ خَيْرًا.

[راجع: ١٩٨]

तशरीह:

मक़सदे बाब ये है कि रोने से नमाज़ में कोई ख़राबी नहीं आती। जन्नत या दोज़ख के ज़िक्र पर रोना तो ऐन मतलूब है। कई अहादीष से आँहज़रत (ﷺ) की नमाज़ में रोना प्राबित है। ये हदीष पहले भी कई जगह गुजर चुकी है और इमामुल मुहदिषीन (रह.) ने इससे बहुत से मसाइल अख़ज़ किए हैं। आँहज़रत (ﷺ) ने सिदीके अकबर (रज़ि.) के रोने का

ज़िक्र सुना फिर भी आपने इनको नमाज़ के लिये हुक्म फ़र्माया। पस दा'वा प्राबित हुआ कि रोने से नमाज़ नहीं टूट सकती। सवाहिबे यूसुफ़ की तफ़सीर पहले गुज़र चुकी है। जुलैखा और उसके साथ वाली औरतें मुराद है जिनकी जुबान पर कुछ था और दिल में कुछ और। हज़रत हफ़सा (रज़ि.) अपने कहने पर पछताई और इसीलिये हज़रत आइशा (रज़ि.) पर इज़हारे ख़फ़ी फ़र्माया (रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन)

बाब 71 : तकबीर होते वक़्त और तकबीर होने के बाद सफ़ों का बराबर करना

(717) हमसे अबुल वलीद हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अम्र बिन मुरह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने सालिम बिन अबुल जअद से सुना, उन्होंने कहा कि मैंने नोअमान बिन बशीर से सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया। नमाज़ में अपनी सफ़ों को बराबर कर लो, नहीं तो अल्लाह तुम्हारे मुँह उलट देगा।

۷۱- بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ

الْإِقَامَةِ وَبَعْدَهَا

۷۱۷- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَرْثَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((تَسْوُوا صُفُوفَكُمْ، أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)).

तशरीह :

यानी मसख़ कर देगा। बाज़ ने ये मुराद ली कि फूट डाल देगा। बाब की हदीषों में ये मज़मून नहीं है कि तकबीर के बाद सफ़ों को बराबर करो लेकिन इमाम बुखारी ने इन हदीषों को दूसरे तरीकों की तरफ़ इशारा किया चुनान्वे आगे चलकर खुद इमाम बुखारी ने इस हदीष को इस तरह निकाला है नमाज़ की तकबीर होने के बाद आप हमारी तरफ़ मुतवज्जह हुए और ये फ़र्माया और मुस्लिम की रिवायत में है कि आप तकबीर कहकर नमाज़ शुरू करने को थे कि ये फ़र्माया। इमाम इब्ने हज़म ने हदीषों के ज़ाहिर से ये कहा है कि सफ़ें बराबर करना वाजिब है और जुम्हूर उलमा के नज़दीक सुन्नत है और ये वईद इसलिये फ़र्माई कि लोग इस सुन्नत का ख़याल रखे। बराबर रखने से ये गर्ज है कि एक ख़त्ते मुस्तक़ीम पर खड़े हो आगे पीछे न खड़े हो या सफ़ में जो जगह ख़ाली रहे उसको भर दें (मौलाना वहीदुज्जमां मरहूम)।

अल्लामा इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं, 'यहतमिलु अय्यकूनल बुखारी अख़ज़ल वुजूब मिन मीगतिल अमि फ़ी क़ौलिही सव्वू सुफूफ़कुम व मिन उमूमि क़ौलिही मल्लू कमा राइतुमूनी उसल्ली व मिन वुरूदिल वईद अला तर्किही' (फ़तहुल बारी) यानि मुमकिन है कि इमाम बुखारी (रह.) ने हदीष के सिगा अम्र सव्वू सुफूफ़ कुम (अपनी सफ़ों को सीधा करो) से वुजूब निकाला हो और हदीषे नबवी के इस उमूम से भी जिसमें आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि ऐसी नमाज़ पढ़ो जैसी नमाज़ पढ़ते हुए तुमने मुझको देखा है।

सही रिवायत से प्राबित है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने अबू उषमान नहदी के क़दम पर मारा जबकि वो सफ़ में सीधे खड़े नहीं हो रहे थे। हज़रत बिलाल (रज़ि.) का भी यही दस्तूर था कि जिसको वो सफ़ में टेढ़ा देखते वो उनके क़दमों को मारना शुरू कर देते। अलगाज़ सफ़ों को सीधा करना बेहद ज़रूरी है।

(718) हमसे अबू मअमर ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिष ने अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब से बयान किया, उन्होंने हज़रत अनस (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया,

۷۱۸- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((أَقِيمُوا الصُّفُوفَ

सफ़े स़ीधी कर लो, मैं तुम्हें अपनी पीठ के पीछे से देख रहा हूँ।
(दीगर मक़ाम : 719, 725)

فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي))
[طرفه في : ٧١٩، ٧٢٥]

तशरीह : ये आपके मोअज़ज़ात में से है कि जिस तरह आप सामने से देखते इसी तरह पीछे मोहरे नुबुव्वत की वजह से आप (ﷺ) देख लिया करते थे। सफ़ों को दुरुस्त करना इस क़दर अहम है कि आप और आपके बाद ख़लफ़-ए-राशिदीन का भी यही दस्तूर रहा कि जब तक सफ़ बिल्कुल दुरुस्त न हो जाती ये नमाज़ शुरू नहीं किया करते थे। अहदे फ़ारूकी में इस मक़सद के लिये लोग मुक़र्रर थे जो सफ़बन्दी कराये, मगर आजकल सबसे ज़्यादा मतरूक यही चीज़ है जिस मस्जिद में भी चले जाओ सफ़े इस क़दर टेढ़ी नज़र आयेगी कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह पाक मुसलमानों को नबी (ﷺ) के तरीक़े पर अमल करने की तौफ़ीक़ बख़शे।

बाब 72 : सफ़े बराबर करते वक़्त इमाम का लोगों की तरफ़ मुँह करना

(719) हमसे अहमद बिन अबी रिजाअने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुआविया बिन अमर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ज़ाइद बिन कुदामा ने बयान किया, कहा कि हमसे हुमैद तवील ने बयान किया, कहा कि हमसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया, उन्होने कहा कि नमाज़ के लिए तक्बीर कही गई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपना मुँह हमारी तरफ़ किया और फ़र्माया कि अपनी सफ़े बराबर कर लो और मिलकर खड़े हो जाओ। मैं तुमको अपनी पीठ के पीछे से भी देखता रहता हूँ।
(राजेअ : 718)

٧٢- بَابُ إِقْبَالِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ
عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

٧١٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ :
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ
بْنُ قُدَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمِيدُ الطَّوِيلِ قَالَ
حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : أَقِيَمَتِ الصَّلَاةُ
فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَوَّجْهَهُ فَقَالَ :
(اأَيْمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَوَاصُوا، فَإِنِّي أَرَاكُمْ
مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي)) . [راجع : ٧١٨]

तशरीह : तरासौ का मफ़हूम ये कि चुनाई की हुई दीवार की तरह मिलकर खड़े हो जाओ। कन्धे से कन्धा, क़दम से क़दम, टखने से टखना मिला लो। सूरह सफ़ में अल्लाह तआला ने फ़र्माया, 'इन्नल्लाह युहिबुल्लज़ीन युक्रातिलून फ़ी सबीलिलही सफ़फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम्मर्सूस' (अस्सफ़, आयत-4) अल्लाह पाक उन लोगों को दोस्त रखता है जो अल्लाह की राह में सीसा पिलाई हुई दीवारों की तरह मुतहिद होकर लड़ते हैं, जब नमाज़ में ऐसी कैफ़ियत नहीं कर पाते तो मैदाने जंग में क्या ख़ाक कर सकेंगे। आजकल के अहले इस्लाम का यही हाल है।

बाब 73 : पहली सफ़ (के प्रवाब के बयान में)

(720) हमसे अबू आसिम ज़िहाक बिन मुख़लद ने इमाम मालिक से बयान किया, उन्होंने सुमय से, उन्होंने अबू सालेह ज़क्वान से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि डूबने वाले, पेट की बीमारी में मरने वाले, त़ाज़न में मरने वाले और दबकर मरने वाले शहीद हैं। (राजेअ : 653)

٧٣- بَابُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ

٧٢٠- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ
سَمِيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((الشَّهْدَاءُ : الْفَرِيقُ،
وَالْمَبْطُوثُونَ، وَالْمَطْعُونُونَ، وَالْهَدِيمُ)) .

[راجع : ٦٥٣]

(721) फ़र्माया कि अगर लोग जान लें कि जो प्रवाब नमाज़ के

٧٢١- وَقَالَ : ((لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي

लिए जल्दी आने में है तो एक-दूसरे से आगे बढ़ें और अगर इशा और सुबह की नमाज़ के प्रवाब को जान लें तो उसके लिए ज़रूर आएँ। ख्वाह सुरीन के बल आना पड़े और अगर पहली सफ़ के प्रवाब को जान लें तो उसके लिए कुआं अंदाज़ी करें। (राजेअ: 615)

तशरीह:

इतिफ़ाकन कोई मुसलमान मर्द औरत किसी पानी में डूबकर मर जाये या हैज़ा वगैरह अमराज़े शिकम (पेट की बीमारियों) का शिकार हो जाये या तारुन (प्लेग) की बीमारी से फ़ीत हो जाये या किसी दीवार वगैरह के नीचे दबकर मर जाये इन सबको शहीदों में शुमार किया गया है। पहली सफ़ से इमाम के करीब वाली सफ़ मुराद है। क़स्तलानी (रह.) ने कहा कि आगे की सफ़ दूसरी सफ़ को भी शामिल है इसलिये कि वो तीसरी सफ़ से आगे है। इस तरह तीसरी सफ़ को भी क्योंकि वो चौथी से आगे है। ये हदीष पहले भी गुज़र चुकी है।

बाब 74 : सफ़ बराबर करना नमाज़ का पूरा करना है

(722) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको अब्दुरज़ाक्र ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमें मअमर ने हम्माम बिन मुनब्बह के वास्ते से ख़बर दी, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि इमाम इसलिए होता है ताकि उसकी पैरवी की जाए, इसलिए तुम इससे इख़ितलाफ़ न करो। जब वो रुकूअ करे तो तुम भी रुकूअ करो और जब वो समिअल्लाहुलिमन हमिदह कहे तो तुम रब्बना व लकल हम्द कहो और वो सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो। और जब वो बैठकर नमाज़ पढ़े तो तुम सब भी बैठकर पढ़ो और नमाज़ में सफ़ें बराबर रखो क्योंकि नमाज़ का हुस्न सफ़ों के बराबर रखने में है। (दीगर मक़ाम: 734)

मा'लूम हुआ कि नमाज़ में सफ़ दुरुस्त करने के लिये आदमी आगे या पीछे सरक जाये या सफ़ मिलाने के वास्ते किसी तरफ़ हट जाये या किसी को खींच ले तो उससे नमाज़ में खलल नहीं आयेगा बल्कि प्रवाब पायेगा क्योंकि सफ़ बराबर करना नमाज़ का एक अदब है। इमाम के साथ बैठकर नमाज़ पढ़ना पहले या बाद में आपके आख़री फ़ेअल से ये मन्सूख हो गया।

(723) हमसे अबुल वलीद हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने बयान किया, कहा कि हमको शुअबा ने क़तादा के वास्ते से ख़बर दी, उन्होंने हज़रत अनस (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि सफ़ें बराबर रखो क्योंकि सफ़ों का बराबर रखना नमाज़ को कायम करने में दाख़िल है।

التَّهَجِيرِ لَا سَبَقُوا، إِلَيْهِ وَكُو يَعْلَمُونَ مَا فِي الْقَتْمَةِ وَالصَّبْحِ لِأَتَوْهَمَا وَكُو حَتَوَا، وَكُو يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لِاسْتَهْمُوا)). [راجع: ٦١٥]

٧٤- بَابُ إِقَامَةِ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

٧٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، وَإِئْتَمُوا الصَّفِّ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ)). [طرفه في: ٧٣٤].

٧٢٣- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((سَوُّوا صُفُوفَكُمْ لِأَنَّ تَسْوِيَةَ الصُّوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ)).

बाब 75 : इस बारे में कि सफ़े पूरी न करने वालों पर (कितना गुनाह है)

(724) हमसे मुआज़ बिन असद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे फ़ज़ल बिन मूसा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सईद बिन इब्बैद ताई ने बयान किया बिशर बिन यसार अंसारी से, उन्होंने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से कि जब वो (बसरा से) मदीना आए, तो आपसे पूछा गया कि नबी करीम (ﷺ) के अहदे मुबारक और हमारे इस दौर में आपने क्या फ़र्क पाया। फ़र्माया कि और तो कोई बात नहीं सिर्फ़ लोग सफ़े बराबर नहीं करते।

और इब्बा बिन इब्बैद ने बशीर बिन यसार से य़ूँ रिवायत किया कि अनस (रज़ि.) हमारे पास मदीना आए। फिर यही हदीष बयान की।

तशरीह : इमाम बुखारी (रह.) ने ये हदीष लाकर सफ़ बराबर करने का वुजूब षाबित किया क्योंकि सुन्नत के तर्क को हज़रत रसूले करीम (ﷺ) के खिलाफ़ करना नहीं कह सकते और हज़रत रसूले करीम (ﷺ) के खिलाफ़ करना कुआन की रोशनी में सज़ा का मुस्तहिक्क होगा। 'फ़ल्यहज़रिल्लज़ीन युरखालिफून अन अम्मिही अन तुस्नीबहुम फ़िल्लतुन औ युस्नीबुहुम अज़ाबन अलीमुन' (सूरह नूर : 63) तसहीलुल क़ारी में ह कि हमारे ज़माने में लोगों ने सुन्नत के मुवाफ़िक़ सफ़े बराबर करना छोड़ दी है। कहीं तो ऐसा होता है कि आगे पीछे बेतरतीब खड़े होते हैं, कहीं बराबर भी करते हैं तो मोँढे से मोँढा और टखने से टखना नहीं मिलाते बल्कि ऐसा करने को नाज़ेबा जानते हैं। खुदा की मार उनकी शक़ल और तहज़ीब पर। नमाज़ी लोग परवरदिगार की फ़ौज हैं। फ़ौज में जो कोई कायदे की पाबन्दी न करे वो सख़्त सज़ा के क़ाबिल होता है। (मौलाना वहीदुज़्जमा मरहूम)

बाब 76 : सफ़ में मोँढा और क़दम से क़दम मिलाकर खड़े होने का बयान

और नोअमान बिन बशीर सहाबी ने कहा कि मैंने देखा (सफ़ में) एक आदमी हममें से अपना टखना अपने पास वाले दूसरे आदमी के टखने से मिलाकर खड़ा होता।

(725) हमसे अम्र बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे जुहैर बिन मुआविया ने हमीद से बयान किया, उन्होंने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से, उन्होंने नबी अकरम (ﷺ) से कि आपने फ़र्माया, सफ़े बराबर कर लो। मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता रहता हूँ और हममें से हर शख़्स ये करता कि (सफ़ में)

۷۵- بَابُ إِمِّ مَنْ لَمْ يُعَمِّ

الصُّفُوفِ

۷۲۴- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّالِبِيِّ عَنِ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الرَّاسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ لَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَقِيلَ لَهُ، مَا أَنْكَرْتَ مِنَّا مِنْذُ يَوْمِ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إِلَّا أَنْكُمْ لَا تَقِيمُونَ الصُّفُوفَ.

وَقَالَ عَقْبَةُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ: لَدِمَ عَلَيْنَا أَسْ الْمَدِينَةَ.. بِهَذَا.

۷۶- بَابُ إِرْزَاقِ الْمُتَكَبِّبِ

بِالْمُنْكَبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ
وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ: رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كَتَبَهُ بِكَتْفِ صَاحِبِهِ.

۷۲۵- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((أَتَيْتُمَا صُفُوفَكُمْ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وِرَاءِ ظَهْرِي. وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ

अपना मोंढा अपने साथी के मोंढे से और अपना क़दम उसके क़दम से मिलाता था। (राजेअ : 718)

مَنْكِبَةٌ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَةٌ بِقَدَمِهِ))

[راجع: ٧١٨]

तशरीह:

हज़रत इमामुद्दुन्या फ़िल हदीष इमाम बुखारी (रह.) ने यहाँ मुतफ़र्रिक़ अबवाब मुनअक्रिद फ़र्माकर और उनके तहत अनेक अहादीष लाकर सफ़ों को सीधा करने की अहमियत पर रोशनी डाली है। इस सिलसिले का ये आख़री बाब है जिसमें आपने बतलाया है कि सफ़ों की सीधी करने का मतलब ये है कि सफ़ में हर नमाज़ी अपने करीब वाले नमाज़ी के मोंढे से मोंढा और क़दम से क़दम और टख़ने से टख़ना मिलाकर खड़ा हो जैसा कि हज़रत नोअमान बिन बशीर (रज़ि.) का बयान नक़ल हुआ कि हम अपने साथी के टख़ने से टख़ना मिलाकर खड़े हुआ करते थे। हज़रत अनस (रज़ि.) का बयान भी मौजूद है।

नीज़ फ़तहलबारी, जिल्द 2/स: 176 पर हज़रत अनस (रज़ि.) ही के ये अल्फ़ाज़ भी मन्कूल है कि 'लौ फ़अलतु ज़ालिक बिअहदिहि मिल यौम लि नफ़र कअन्नहू बग़लुन शमूसुन' अगर मैं आज के नमाज़ियों के साथ क़दम से क़दम और टख़ने से टख़ना मिलाने की कोशिश करता हूँ तो वो इससे सरकश खचर की तरह दूर भागते हैं। इससे मा' लूम होता है कि अहदे सहाबा के खत्म होते होते मुसलमान इस दर्जा ग़ाफ़िल होने लगे थे कि हिदायते नबवी के मुताबिक़ सफ़ों को सीधा करने और क़दमों से क़दम मिलाने का अमल एक अजनबी अमल बनने लग गया था। जिस पर हज़रत अनस (रज़ि.) को ऐसा कहना पड़ा। इस बारे में और भी कई अहादीष वारिद हुई हैं,

'रवा अबू दाऊद वल इमामु अहमद अनिब्नि इमर अन्नहू अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाल अक्रीमू सुफ़ूफ़ुकुम व हाज़ू बैनल मनाकिबि व सहूलख़िलल व लय्यिनु बिअयदी इख़वानिकुम ला तज़िरु फ़ुरूजातिशैतानि मन वसल सफ़फ़न व वसलहुल्लाहु व मन क़तअ सफ़फ़न क़तअहुल्लाहु व रवलब्ज़ारु बिइस्नादिन हसनिन अन्हु अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन सह फ़ुर्जतमिनसफ़फ़ि ग़ाफ़रल्लाहु लहू व फ़ी अबी दाऊद अन्हु अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाल ख़ियारुकुम अल्यनुकुम मनाकिबि फ़िस्सलाति' यानो अबू दाऊद और मुसनद अहमद में अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से मरवी है कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि सफ़ों सीधी करो और कन्धों को बराबर करो। यानो कन्धे से कन्धा मिलाकर खड़े हो जाओ और जो सुराख़ दो नमाज़ियों के दर्मियान नज़र आये उसे बन्द कर दो और अपने भाईयों के साथ नमी इख़ितयार करो और शैतान के घुसने के लिये सुराख़ की जगह न छोड़ो। याद रखो जिसने सफ़ को मिलाया अल्लाह उसको भी मिला देगा और जिसने सफ़ को क़तअ किया खुदा उसको भी काट देगा। बज़ार में सनद हसन से है कि जिसने सफ़ की दरार को बन्द किया अल्लाह उसको बख़्शे। अबू दाऊद में है कि तुममें वही बेहतर है जो नमाज़ में कन्धों को नरमी के साथ मिलाये रखे।

'व अनिन्नूअमानिब्नि बशीरिन क़ाल कान रसूल ﷺ युसव्वी सुफ़ूफ़ना कअन्नमा युसव्वी बिहिलक़दाहु हत्ता राअ इन्न क़द अक़ल्ला अन्हु शुम्म ख़रज यौमन फ़क़ाम हत्ता क़ाद अय्युकब्बिर फ़राअ रजुलन बादियन सदरहू मिनसफ़फ़ि फ़क़ाल इबादल्लाहि लतुसव्वुन सुफ़ूफ़ुकुम औ लियुख़ालिफ़न्नल्लाहु बैन वुजूहिकुम रवाहुल जमाअतु इल्लल बुख़ारी फ़इन्न लहू मिन्हु लतुसव्वुन सुफ़ूफ़ुकुम औ लियुख़ालिफ़न्नल्लाहु बैन वुजूहिकुम व लि अहमद व अबी दाऊद फ़ी रिवायतिन क़ाल फ़राइतुरजुल युल्लिक्कु कअबहू बिकअबि ग़ाहिबिही व रुक्बतहू बिरुक्बतिही व मन्कबहू बिमन्किबिही' (नैलुल औतार जिल्द 3 स. 199)

यानो नोअमान बिन बशीर से रिवायत है कि रसूले करीम (ﷺ) हमारी सफ़ों को इस तरह सीधा कराते, गोया उसके साथ तीर को सीधा किया जायेगा। यहाँ तक कि आपको इत्मीनान हो गया कि हमने इस मसले को आपसे खूब समझ लिया है। एक दिन आप मुसल्ला पर तशरीफ़ लाये और एक आदमी को देखा कि उसका सीना सफ़ से बाहर निकला हुआ है। आपने फ़र्माया, अल्लाह के बन्दों! अपनी सफ़ों को बराबर कर लो वना अल्लाह तआला तुम्हारे बाहमी तौर पर इख़िताफ़ डाल देगा। बुख़ारी शरीफ़ में यूँ कि अपनी सफ़ों को बिल्कुल बराबर कर लिया करो। वना तुम्हारे चेहरों में आपस में अल्लाह मुखालफ़त डाल देगा और अहमद और अबू दाऊद की रिवायत में है मैंने देखा कि हर नमाज़ी अपने साथी के कन्धे से कन्धा और क़दम से क़दम और टख़ने से टख़ना मिलाया करता था।

इमाम मुहम्मद किताबुल आप्रार बाबु इक्रामतिस्सुफुफ में लिखते हैं,

‘अन इब्राहीम अन्नहू कान यकूलु सव्वव सुफुफुकुम व सव्वव मनाकिबकुम तरासौ व लियतखल्ललन्नकुमुशैतानु अल्लख. क़ाल मुहम्मद व बिही नारुजु ला यम्बगी अय्यतरूकस्सफ़ व फीहिल खिलल हत्ता युसव्वू व हुव क़ौलु अबी हनीफ़त’ यानो इब्राहीम नख़ई फ़र्माते हैं कि सफ़ और शाना बराबर करों और गच करो ऐसा न हो कि शैतान बकरी के बच की तरह तुम्हारे दर्मियान दाखिल हो जाये। इमाम मुहम्मद कहते हैं कि हम भी इसी को लेते हैं कि सफ़ में खलल छोड़ देना मुनासिब नहीं जब तक उनको दुरुस्त न कर किया जाये। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का भी यही मज़हब है।

नीज़ बहर्सायक़ व आलमगीरी व दुर्रे मुख़्तार में भी यही है कि ‘यम्बगी लिल मामूमिन अय्यतरासौ व अय्यसुहुल खिलल फ़िस्सुफ़ि व युसव्वू मनाकिबहुम व यम्बी लिल इमामि अय्यापुरहुम बिज़ालिक व अय्यकिफ़ वस्तहुम’ यानी मुक्तदियों को चाहिए कि सफ़ों को चूना गच करे सफ़ों में दराज़ को बन्द कर दें और शानों को हमवार रखें बल्कि इमाम के लिये लायक़ है कि मुक्तदियों को इसका हुक्म करें फिर बीच में खड़ा हो। फ़तावा तातारख़ानिया में है कि जब सफ़ों में खड़े हो तो गच करे और कन्धे हमवार कर लें। (शामी जि: 1/स5595)

ये तफ़सील इसलिये पेश की गई है कि सफ़ों को सीधा करना, पैर से पैर मिलाकर खड़ा होना ऐसा मसला है जिसमें किसी को भी इख़िताफ़ नहीं है। इसके बावजूद आजकल मसाजिद में सफ़ों का मन्ज़र ये होता है कि हर नमाज़ी दूसरे नमाज़ी से दूर बिल्कुल ऐसे खड़ा होता है जैसे कुछ लोग अछूतों से अपना जिस्म दूर रखने की कोशिश करते हैं, अगर क़दम से क़दम मिलाने की कोशिश की जाये तो ऐसे सरककर अलग हो जाते हैं जैसे कि किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। इसी का नतीजा है कि आज मिल्लत के बाहमी तौर पर दिल नहीं मिल रहे हैं। आपसी मुहब्बत जैसे क़ैदख़ाने में है। सच है—

सफ़े कज, दिल परेशान, सजदा बेज़ोक्र। कि अन्दाज़े जुनूँ बाक़ी नहीं है।।

अजीब फ़तवा : हमारे मुहतरम देवबन्दी हज़रात फ़र्माते हैं कि इससे मक़सद पूरी तरह सफ़ों को दुरुस्त करना है ताकि दर्मियान में किसी किस्म की कोई कुशादगी बाक़ी न रहे। (तफ़हीमुल बुखारी, पा: 3/स: 108) बिल्कुल दुरुस्त और बजा है कि शरीअत का यही मक़सद है और लफ़ज़ तरासौ का यही मतलब है कि नमाज़ियों की सफ़ें चूना-गच दीवारों की तरह होनी ज़रूरी है। दर्मियान में हर्गिज-हर्गिज कोई सुराख़ बाक़ी न रह जाये मगर उसी जगह आगे इर्शाद होता है। फ़ुक़ह-ए-अरबअ के यहां भी यही मसला है कि दो आदमियों के दर्मियान चार अंगुलियों का फ़र्क़ होना चाहिए। (हवाला मज़कूर)

ऊपर बयान की गई तफ़सीलात में शरीअत का मक़सद ज़ाहिर हो चुका है कि सफ़ में हर नमाज़ी का दूसरे नमाज़ी के क़दम से क़दम, टख़ने से टख़ना, कन्धे से कन्धा मिलाना मक़सूद है। अकाबिरे अहनाफ़ का भी यही इर्शाद है, फिर ये ‘दो आदमियों के दर्मियान चार अंगुल के फ़र्क़ का फ़तवा’ समझ में नहीं आया कि क्या मतलब रखता है। साथ ही ये भी कमाल है कि न इसके लिये कोई सही हदीष बतौर दलील पेश की जा सकती है, न किसी सहाबी व ताबेईन का क़ौल। फिर ये चार अंगुल के फ़ासले का इख़ितराअ क्या वुज़ून रखती है?

इसी फ़तवे का शायद ये नतीजा है कि मसाजिद में जमाअतों का अज़ब हाल है। चार अंगुल की गुंजाइश पाकर लोग एक-एक फुट खड़े होते हैं और बाहमी क़दम मिल जाने के इन्तिहाई खतरनाक तसव्वुर करते हैं और इस परहेज़ के लिए खास एहतमाम किया जाता है। क्या हमारे इन्साफ़ पसन्द व हक़ीक़त शानास उलम-ए-किराम इस सूरेते हाल पर मुहक़िक़ाना नज़र डालकर इस्लाहे हाल की कोशिश फ़र्मा सकेंगे। वर्ना इर्शादि नबवी आज भी पुकार-पुकार कर ऐलान कर रहा है—‘लि तुसव्वन्न सुफ़ुकुम औ लियुख़ालिफ़न्नल्लाहु बैन कुलूबिकुम स़दक रसूलुल्लाहि (ﷺ)’ यानी सफ़ बराबर करो वर्ना अल्लाह तआला तुम्हारे दिलों में बाहमी इख़िताफ़ डाल देगा।

बाब 77 : अगर कोई शख़्स इमाम के बाएँ तरफ़ खड़ा हो और इमाम अपने पीछे से उसे दाईँ तरफ़

**۷۷- بَابُ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنِ يَسَارِ
الإِمَامِ وَحَوْلَةَ الإِمَامِ خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ نَمَتَ**

कर दे तो नमाज़ हो जाएगी

صَلَاةٌ

(726) हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे दाऊद बिन अब्दुरहमान ने उर्वा बिन दीनार से बयान किया, उन्होंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) के गुलाम कुरैब से, उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से, आपने बतलाया कि एक रात मैंने नबी करीम (ﷺ) के साथ (आपके घर में तहज्जुद की) नमाज़ पढ़ी। मैं आपके बाएँ तरफ़ खड़ा हो गया इसलिए आपने पीछे से मेरा सर पकड़कर मुझे अपने दाएँ तरफ़ कर दिया। फिर नमाज़ पढ़ी और आप सो गए और जब मुअज्जिन (नमाज़ की ख़बर देने) आया तो आप नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़े हुए और वुजू नहीं किया। (राजेअ : 117)

۷۲۶- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ لَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي لَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى وَرَقَدَ، فَجَاءَهُ الْمُؤَدُّونَ فَقَامَ وَيُصَلِّي وَتَمَّ يَوْضًا). [راجع: ۱۱۷]

सो जाने पर आपका वुजू बाक़ी रहता था इसलिये कि आपका दिल जागता और ज़ाहिर में आँखें सो जाती थी। ये खुसूसियाते नबवी में से हैं। बाब और हदीष में मुताबक़त ज़ाहिर है।

बाब 78 : इस बारे में कि औरत अकेली एक सफ़ का हुकम रखती है

(727) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, उनसे सुफयान बिन इययना ने बयान किया, उनसे इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह इब्ने अबी तलहा ने, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बतलाया कि मैंने और एक यतीम लड़के (ज़मीरा बिन अबी ज़मीरा) ने जो हमारे घर में था, आँहज़रत (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ी और मेरी वालिदा उम्मे सुलैम हमारे पीछे थीं। (राजेअ : 380)

۷۸- بَابُ الْمَرْأَةِ وَحَدَهَا تَكُونُ صَفًا

۷۲۷- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَتَيْمٌ لِي بَيْنَنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأُمِّي خَلْفَنَا - أُمِّ سَلِيمٍ - [راجع: ۳۸۰]

यहीं से बाब का तर्जुमा निकलता है क्योंकि उम्मे सुलैम अकेली थी मगर लड़कों के पीछे अकली सफ़ में खड़ी हुई।

बाब 79 : मस्जिद और इमाम की दाहिनी जानिब का बयान

(728) हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे श्राबित बिन यज़ीद ने बयान किया, कहा कि हमसे आसिम अहवल ने आमिर शअबी से बयान किया, उन्होंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से, आपने बतलाया कि मैं एक रात नबी करीम (ﷺ) की बाईं तरफ़ (आपके घर में) नमाज़ (तहज्जुद) पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। इसलिए आपने मेरा सर या बाजू पकड़कर मुझको अपनी दाईं तरफ़ खड़ा कर दिया। आपने अपने हाथ से इशारा किया कि पीछे से घूम आओ।

۷۹- بَابُ مَيْمَنَةِ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامِ
۷۲۸- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُمْتُ لَيْلَةً أُمَّتِي عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخَذَ بِيَدِي - أَوْ بَعْضِي - حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِي.

(राजेअ 117)

[راجع: 117]

तशरीह: इस हदीष में फ़क़त इमाम की दाहिनी तरफ़ का बयान है और शायद इमाम बुखारी (रह.) ने उस हदीष की तरफ़ इशारा किया जिसको निसाई ने बराअ से निकाला है कि हम जब आपके पीछे नमाज़ पढ़ते तो दाहिनी जानिब खड़ा होना पसन्द करते थे और अबू दाऊद ने निकाला कि अल्लाह रहमत उतारता है और फ़रिश्ते दुआ करते हैं सफ़ों के दाहिने जानिब वालों के लिए और ये उसके ख़िलाफ़ नहीं जो दूसरी हदीष में है कि जो कोई मस्जिद की बांयी जानिब मामूर करे तो उसको इतना प्रवाह है, क्योंकि अब्बल तो ये हदीष ज़ईफ़ है दूसरे ये आपने उस वक़्त फ़र्माया जब सब लोग दाहिने ही खड़े होने लगे और बांयी जानिब बिल्कुल उजड़ गया। (वहीदी)

बाब 80 : जब इमाम और मुक्तदियों के बीच कोई दीवार या पर्दा हाइल हो (तो कुछ क़बाहत नहीं)

और हज़रत इमाम हसन बस्री ने फ़र्माया कि अगर इमाम के और तुम्हारे बीच नहर हो तब भी नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज़ नहीं और अबू मिज़लज़ ताबेई ने फ़र्माया कि अगर इमाम और मुक्तदी के बीच कोई रास्ता हाइल हो तब भी इक्रिता कर सकता है बशर्ते कि इमाम की तक्बीर सुन सकता हो।

(729) हमसे मुहम्मद बिन सलाम बैकुन्दी ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुह बिन सुलैमान ने यह्या बिन सईद अंसारी से बयान किया, उन्होंने अब्दुह बिनते अब्दुरहमान से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से, आपने बतलाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात में अपने हुजे के अंदर (तहज्जुद की) नमाज़ पढ़ते थे। हुजे की दीवारें पस्त (नीची) थीं इसलिए लोगों ने नबी करीम (ﷺ) को देख लिया और कुछ लोग आप की इक्रिता में नमाज़ के लिये खड़े हो गए। सुबह के वक़्त लोगों ने उसका ज़िक्र दूसरों से किया। फिर जब दूसरी रात आप जब खड़े हुए तो कुछ लोग आपकी इक्रिता में इस रात भी खड़े हो गए। ये सूरत दो या तीन रात तक रही। उसके बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) बैठे रहे नमाज़ की जगह पर तशरीफ़ नहीं लाए, फिर सुबह के वक़्त लोगों ने इसका ज़िक्र किया तो आपने फ़र्माया कि मैं डरा कि कहीं रात की नमाज़ (तहज्जुद) तुम पर फ़र्ज़ न हो जाए (इस ख़याल से मैंने यहाँ का आना नागा कर दिया)

(दीगर मक़ाम : 730, 924, 1129, 2011, 2012, 8561)

۸۰- بَابُ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْإِمَامِ
وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سِتْرَةٌ
وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَتَبْنِكَ
وَتَبْنَةَ نَهْرٍ. وَقَالَ أَبُو مِخْلَزٍ: يَأْتُمُّ بِالْإِمَامِ
- وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ - إِذَا
سَمِعَ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ.

۷۲۹- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: لَنَا
عَبْدَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ
عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ
الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ، فَرَأَى النَّاسَ شَخْصَ
النَّبِيِّ ﷺ، فَقَامَ أَنَسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ،
فَأَصْبَحُوا فَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَقَامَ لَيْلَةً
التَّالِيَةَ فَقَامَ مَعَهُ أَنَسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ،
صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ، حَتَّى إِذَا
كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنَمِّ
يَخْرُجُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ
فَقَالَ: ((إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ
صَلَاةُ اللَّيْلِ)).

[أطرافه في : ۷۳۰، ۹۲۴، ۱۱۲۹]

[۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۸۵۶۱]

बाब 81 : रात की नमाज़ का बयान

(730) हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, कहा कि हमसे मुहम्मद बिन इस्माईल बिन अबी फुदै क ने बयान किया, कहा कि हमसे मुहम्मद बिन अब्दुरहमान बिन अबी ज़िब ने बयान किया, मक्बरी के वास्ते से, उन्होंने अबूसलमा बिन अब्दुरहमान से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) के पास एक चटाई थी। जिसे आप दिन में बिछाते थे और रात में उसी का पर्दा कर लेते थे। फिर कुछ लोग आपके पास खड़े हुए आपकी तरफ झुके और आपके पीछे नमाज़ पढ़ने लगे। (राजेज़: 729)

(731) हमसे अब्दुलआला बिन हम्माद ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब बिन खालिद ने बयान किया, कहा हमसे मूसा बिन उक्बा ने बयान किया, अबुन्नज़र सालिम से, उन्होंने बुस् बिन सईद से, उन्होंने ज़ैद बिन प्राबित (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रमज़ान में एक हुजरा या ओट (पर्दा) बना लिया। बुस् बिन सईद ने कहा कि मैं समझता हूँ कि वो बोरिये का था। आपने कई रातें उसमें नमाज़ पढ़ी। सहाबा में से कुछ हज़रात ने इन रातों में आपकी इक़्तिदा की। जब आपको इसका पता चला तो आपने बैठे रहना शुरू किया (नमाज़ मौकूफ रखी) फिर हाज़िर हुए और फर्माया तुमने जो किया वो मुझको मालूम है। लेकिन लोगों! तुम अपने घरों में नमाज़ पढ़ते रहो क्योंकि बेहतर नमाज़ आदमी की वही है जो उसके घर में हो। मगर फ़र्ज़ नमाज़ (मस्जिद में पढ़ना ज़रूरी है) और अफ़फ़ान बिन मुस्लिम ने कहा कि हमसे वुहैब ने बयान किया, कहा कि हमसे मूसा बिन उक्बा ने बयान किया, कहा कि मैंने अबुन्नज़र बिन अबी उमर्या से सुना, वो बुस् बिन सईद से रिवायत करते थे, वो ज़ैद बिन प्राबित से, वो नबी करीम (ﷺ) से।

(दीगर मक़ाम: 6113, 7290)

इस सनद के बयान से हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का गर्ज़ ये है कि मूसा बिन उक्बा का सिमा (सुनना) अबुन्नज़र से प्राबित करें जिसकी इस रिवायत में तसरीह है।

81- بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ

729- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَيْبٍ عَنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَهُ حَصِيرٌ يَسْتَطُهُ بِالنَّهَارِ وَيَتَحَجَّرُهُ بِاللَّيْلِ، فَكَانَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَصَلُّوا وَرَأَاهُ. [راجع: 729]

730- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً - قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ حَصِيرٍ - فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيْلِي، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: ((قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُمْ مِنْ صَنِيْعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةَ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ)). قَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[طرفاه في: 6113, 7290]

बाब 82 : तक्बीरे तहरीमा का वाजिब होना

82- بَابُ إِنْجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِاحِ

और नमाज़ का शुरू करना

(732) हमसे अबुल यमान हकम बिन नाफ़ेअ ने ये बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुऐब ने जुहरी के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अनस बिन मालिक अंसारी (रज़ि.) ने ख़बर दी, कि रसूलुल्लाह (ﷺ) घोड़े पर सवार हुए और (गिर जाने की वजह से) आपके दाएँ पहलू में ज़ख़म आ गए। हज़रत अनस (रज़ि.) ने बतलाया कि उस दिन आपने हमें एक नमाज़ पढ़ाई, चूँकि आप बैठे हुए थे, इसलिये हमने भी आपके पीछे बैठकर नमाज़ पढ़ी। फिर सलाम के बाद आपने फ़र्माया कि इमाम इसलिए है कि उसकी पैरवी की जाए। इसलिए जब वो खड़े होकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी खड़े होकर पढ़ो और जब वो रुकूअ करे तो तुम भी रुकूअ करो और जब वो सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ और जब वो सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो और जब वो समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहे तो तुम रबबना व लकल हम्द कहो। (राजेअ: 378)

الصَّلَاةُ

٧٣٢- حَدَّثَنَا أَبُو الِیْمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَجَحِشَ جِحْثَهُ الْأَيْمَنُ - وَقَالَ أَنَسٌ ﷺ - فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ فَعُودًا). ثُمَّ قَالَ لَمَّا سَلَّمَ. ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى فَلْيَمَّا فَصَلُّوا لِيَمَّا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)). [راجع: ٣٧٨]

तशीह:

जब इमाम बुखारी (रह.) जमाअत और इमामत के जिक्र से फ़ारिग हुए तो अब सिफ़ते नमाज़ का बयान शुरू किया। बाज़ नुस्खों में बाब के लफ़्ज़ के पहले ये इबारत है। अब्बाबु सिफ़तिस्सलाति लेकिन अकषर नुसखों में ये इबारत नहीं है। हमारे इमाम अहमद बिन हम्बल और शाफ़ेइय्या और मालिकिय्या सबके नज़दीक नमाज़ के शुरू में अल्लाहु अकबर कहना फ़र्ज़ है और कोई लफ़्ज़ काफ़ी नहीं और हनफ़िया के नज़दीक कोई लफ़्ज़ जो अल्लाह की ताज़ीम पर दलालत करे काफ़ी है, जैसे— अल्लाहु अजल्लु या अल्लाहु आज़मु (वहीदी) मगर अहादीषे वारिदा की बिना पर ये ख़याल सही नहीं है।

(733) हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैप्र बिन सअद ने बयान किया, उन्होंने इब्ने शिहाब जुहरी से बयान किया, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से, उन्होंने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) घोड़े से गिर गए और आप ज़ख़मी हो गए, इसलिए आपने बैठकर नमाज़ पढ़ी और हमने भी आपकी इज़्तिदा में बैठकर नमाज़ पढ़ी। फिर नमाज़ पढ़कर आपने फ़र्माया कि इमाम इसलिए है कि उसकी पैरवी की जाए। इसलिए जब वो तक्बीर कहे तो तुम भी तक्बीर कहो। जब वो रुकूअ करे तो तुम भी रुकूअ करो। जब वो सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ और जब वो सज्दा करे तो तुम भी करो। (राजेअ: 378)

٧٣٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شَيْهَابٍ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: (خَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْفَرَسِ فَجَحِشَ، فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ فَعُودًا). ثُمَّ انصَرَفَ فَقَالَ: ((إِنَّمَا الْإِمَامُ - أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ - لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا)). [راجع: ٣٧٨]

(734) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शूऐब ने खबर दी, उन्होंने कहा कि अबुज्जिनाद ने मुझसे बयान किया अउरज के वास्ते से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, इमाम इसलिए है कि उसकी पैरवी की जाए, इसलिए जब वो तक्बीर कहे तो तुम भी तक्बीर कहो। जब वो रुकूअ करे तो तुम भी रुकूअ करो और जब वो समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहे तो तुम रबबना व लकल हम्द कहो और जब वो सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो और जब वो बैठकर नमाज़ पढ़े तो तुम सब भी बैठकर नमाज़ पढ़ो।

(राजेअ: 722)

तशरीह:

इस बारे में भी कदरे इख़्तिलाफ़ है बेहतर यही है कि इमाम व मुक्तदी दोनों समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहे और फिर दोनों रबबना व लकल हम्द कहे। हज़रत मौलाना अबैदुल्लाह साहब शौखुल हदीष मुबारकपुरी हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) 'धुम्मा यकूलु समिअल्लाहु लिमन हमिदहू हीन यफ़उ सुल्बहू मिनरकअति धुम्मा यकूलु व हुम क्राइमुन रबबना व लकल हम्द' के तहत फ़र्माते हैं।

'रबबना लकल हम्दु बिहज्ज़िफ़्लवावि व फ़ी रिवायतिन बिइष्बातिहा व क्रद तक्रहम अन्नरिवायत बिषुबूतिल वावि अर्जहू व हिय आतिफ़तुन अला मुक़द्दरिन अय रबबना अतअनाक व हमदनाक व लकल हम्दु व क़ील ज़ाइदतुन क़ालल अस्मई सअलतु अबा अम्मिन मिन्हा फ़क़ाल ज़ाइदतुन तकूलुल अरबु यअनी हाजा फ़यकूलुल मुखातबु नअम व हुव लक बिदिरहमिन फ़ल्लवावु ज़ाइदतुन व क़ील हिय वावुल हालि क़ालहुबुनुल अघ़ीर व ज़अअफ़ मा अदाहू व फ़ीहि अन्नत्स्मीअ ज़िक्रुनुहूज़ि वरफ़इ वत्तहमीदु ज़िक्रुल इअतिदालि वस्तुदिल्ल बिही अला अन्नहू युशरिउल जम्अ बैनत्स्मीइ वत्तहमीदि लिकुल्लि मुसु ल्लिन मिन इमामिन व मुन्फ़रिदिन व मुतमिन इज़ हुव हिक्कायतु लिमुतलक्रि मलातिही ﷺ' (मिआंतुल मफ़ातीह जि: 1/स: 559) रबबना लकद हम्द हज़्फ़े वाव के साथ और बाज़ रिवायात में इष्बाते वाव के साथ मरवी है और तरजीह इष्बाते वाव को ही है जो वावे-अत्फ़ है और मअतूफ़ अलैह मुक़द्दर है। यानी ऐरब हमारे! हमने तेरी इताअत की, तेरी ता' रीफ़ की और ता' रीफ़ तेरे ही लिए है। बाज़ लोगों ने अरब के मुहावरे के मुताबिक़ इसे वावे ज़ाइद भी कहा है। बाज़ ने वाव हाल के लिए माना है, इस हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) से मा'लूम हुआ कि समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहना, ये रुकूअ में झुकने और इससे सर उठाने का ज़िक़र है और रबबना व लकल हम्द कहना ये खड़े होकर ए'तिदाल पर आ जाने के वक़्त का ज़िक़र है। इसीलिए मशरूअ है कि इमाम हो या मुक्तदी या मुन्फ़रिद सब ही समिअल्लाहु लिमन हमिदह फिर रबबना व लकल हम्द कहे। इसलिये कि हज़रत (ﷺ) की नमाज़ इसी तरह नक़ल की गई है और आपका इर्शाद है कि तुम उसी तरह नमाज़ पढ़ो जैसे तुमने मुझको पढ़ते हुए देखा है।

बाब तक्बीर तशरीमा में नमाज़ शुरू करते ही बराबर
दोनों हाथों का (कंधों या कानों तक) उठाना

(735) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उन्होंने इमाम मालिक से, उन्होंने इब्ने शिहाब ज़ुहरी से, उन्होंने सालिम बिन अब्दुल्लाह से, उन्होंने अपने बाप (अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह नमाज़ शुरू करते वक़्त अपने दोनों

٧٣٤- حَدَّثَنَا أَبُو الْهَمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا
شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّنَادِ عَنْ
الْأَخْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ
ﷺ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا
كَبَّرَ لَكَبْرًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا
قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا:
رَبَّنَا وَتِلْكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا،
وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا
أَجْمَعُونَ)). [راجع: ٧٢٢]

٨٢- بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَةِ

الأولى مع الإفتاح سواء

٧٣٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ
مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ

हाथों को मोंढों तक उठाते, उसी तरह जब रुकूअ के लिए अल्लाहु अकबर कहते और जब अपना सर रुकूअ से उठाते तो दोनों हाथ भी उठाते और रुकूअ से सर मुबारक उठाते हुए समिअल्लाहुलिमन हमिदह रब्बना व लकल हम्द कहते थे। सज्दे में जाते वक़्त रफ़ड़ल यदैन नहीं करते थे।

(दीगर मक़ाम : 736, 738, 739)

يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا تَوَسَّعَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا) وَقَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)). (وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ).

[أطرافه في : ٧٣٦، ٧٣٨، ٧٣٩].

٨٤- بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ، <

وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ

٧٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ الرَّفْعِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَا مَنْكِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.

[راجع: ٧٣٥]

बाब 84 : रफ़ड़ल यदैन तक्बीरे तहरीमा के वक़्त, रुकूअ में जाते और रुकूअ से सर उठाते वक़्त (सुन्नत है)

(736) हमसे मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, कहा कि हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी। कहा कि हमको यूनुस बिन यज़ीद ऐली ने ज़ुहरी से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से ख़बर दी, उन्होंने बतलाया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि जब आप नमाज़ के लिए खड़े हुए तो तक्बीरे तहरीमा के वक़्त आपने रफ़ड़ल यदैन किया। आपके दोनों हाथ उस वक़्त मोंढों तक उठे और उसी तरह जब आप रुकूअ के लिए तक्बीर कहते उस वक़्त भी रफ़ड़ल यदैन करते और जब रुकूअ से सर उठाते उस वक़्त भी करते। उस वक़्त आप कहते समिअल्लाहु लिमन हमिदह। अलबत्ता सज्दे में आप रफ़ड़ल यदैन नहीं करते थे। (राजेअ : 735)

(737) हमसे इस्हाक़ बिन शाहीन वास्ती ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ालिद बिन अब्दुल्लाह त्रिहान ने बयान किया ख़ालिद हुज़्ज़ाअ से। उन्होंने अबू क़िलाबा से कि उन्होंने मालिक बिन हुवैरिष सहाबी को देखा कि जब वो नमाज़ शुरू करते तो तक्बीरे तहरीमा के साथ रफ़ड़ल यदैन करते, फिर जब रुकूअ में जाते तो उस वक़्त भी रफ़ड़ल यदैन करते और जब रुकूअ से सर उठाते तब भी करते और उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) भी इसी

٧٣٧- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي قِلَابَةَ: أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْخُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَسَّعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ

तरह किया करते थे।

बाब 85 : हाथों को कहाँ तक उठाना चाहिए

और अबू हुमैद सअदी (रज़ि.) ने अपने साथियों से कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने अपने दोनों हाथों को मोंढों तक उठाया

(738) हमसे अबुल यमान हकम बिन नाफ़ेअ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐब ने जुहरी से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने ख़बर दी कि अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने कहा कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को देखा कि आप नमाज़ तक्बीरे तहरीमा से शुरू करते और तक्बीर कहते वक़्त अपने दोनों हाथों को मोंढों तक उठा कर ले जाते और जब रुकूअ के लिये तक्बीर कहते तब भी उसी तरह करते और जब समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहते तब भी उसी तरह करते और रब्बना व लकल हम्द कहते। सज्दा करते वक़्त या सज्दा से सर उठाते वक़्त इस तरह रफ़़ल यदैन नहीं करते थे।

(राजेअ : 735)

बाब 86 : (चार रकअत नमाज़ में) क़अदा

ऊला से उठने के बाद रफ़़ल यदैन करना

(739) हमसे अयाश बिन वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल आला बिन अब्दुल आला ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह इमरी ने नाफ़ेअ से बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) जब नमाज़ में दाख़िल होते तो पहले तक्बीरे तहरीमा कहते और साथ ही रफ़़ल यदैन करते। इसी तरह जब वो रुकूअ करते तब और जब समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहते तब भी दोनों हाथों को उठाते और जब क़अद-ए-ऊला से उठते तब भी रफ़़ल यदैन करते। आपने इस काम को नबी करीम (ﷺ) तक पहुँचाया। (कि आँहज़रत ﷺ इसी तरह नमाज़ पढ़ा करते थे) (राजेअ : 735)

اللّٰهُ ﻟَ ﻤَﻨَﻊَ ﻫَﻜْذَا.

۸۵- بَابُ إِلَىٰ أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ؟

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ لِمَىٰ أَصْحَابِهِ: ((رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ)).

۷۳۸- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَمَا افْتَسَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكْبِرُ حَتَّىٰ يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ لَعَلَّ مِثْلَهُ، وَإِذَا قَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) لَعَلَّ مِثْلَهُ وَقَالَ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.

[راجع: ۷۳۵]

۸۶- بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ

الرُّكُوعَيْنِ

۷۳۹- حَدَّثَنَا عِيَّاشُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ: (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرُّكُوعَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَىٰ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ).

[راجع: ۷۳۵]

तशरीह:

तक्बीरे तहरीमा के वक़्त और रुकूअ में जाते और रुकूअ से सर उठाते वक़्त और आख़री रकअत के

लिए उठने के वक़्त और तीसरी रकअत के लिए उठने के वक़्त दोनों हाथों को कन्धों या कानों तक उठाना रफ़उलयदैन कहलाता है, तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़उलयदैन पर सारी उम्मत का इजमा है मगर बाद के मक्रामात पर हाथ उठाने में इख़ितलाफ़ है। अइम्म-ए-किराम उलम-ए-इस्लाम की अकषरियत यहाँ तक कि अहले बैत सब बिल इत्तिफ़ाक़ इन मक्रामात पर रफ़उलयदैन के क़ायल हैं मगर हनफ़िया के यहां मक्रामाते मज़कूरा पर रफ़उलयदैन नहीं है। कुछ उलम-ए-अहनाफ़ इसे मन्सूख़ करार देते हैं, कुछ रफ़उलयदैन को बेहतर जानते हैं, कुछ दिल से क़ायल हैं मगर ज़ाहिर में अमल नहीं है।

फ़रीक़ैन ने इस बारे में काफ़ी तबअ आज़माई की है। दोनों जानिब से ख़ास तौर पर आज के दौर पुरफ़ितन में बहुत से काग़ज़ काले किए गए हैं। बड़े-बड़े मुनाज़रे हुए हैं मगर बात अभी तक जहां थी वहीं पर मौजूद है। एक ऐसे जुजई मसले पर इस क़दर तशहूद बहुत ही अफ़सोसनाक है। कितने अवाम हैं जो कहते हैं कि शुरू इस्लाम में लोग बग़लों में बुत रख लिया करते थे, इसलिये रफ़उलयदैन का हुक्म हुआ ताकि उनके बग़लों के बुत गिर जाया करें, अस्तग़फ़िल्लाह! ये ऐसा झूठ है जो शायद इस्लाम की तारीख़ में इसके नाम पर सबसे बड़ा झूठ कहा जा सकता है। कुछ लोग इसे सुन्नते नबवी को मक्खी उड़ाने से तशबीह देकर तौहीने सुन्नत के मुर्तकिब होते हैं।

काश! उलम-ए-अहनाफ़ ग़ौर करते और उम्मत के सवादे आज़म को देखकर जो उसके सुन्नत के क़ायल हैं कम-अज़-कम ख़ामोशी इख़ितयार कर लेते तो ये फ़साद यहां तक न बढ़ता। हुज्जतुल हिन्द हज़रत शाह वलिउल्लाह मुहदिष देहलवी ने बड़ी तफ़्सीलात के बाद फ़ैसला दिया है। 'वल्लजी यफ़उ अहब्बु इलय्य मिम्मन ला यफ़उ' रफ़उलयदैन करने वाला मुज़को न करने वाले से ज़्यादा प्यारा है इसलिये कि अहादीषे रफ़अ बक़रत हैं और सहीह हैं जिनके आधार पर इन्कार की गुंजाइश नहीं है। महज़ बदगुमानियों के दूर करने के लिए कुछ तफ़्सीलात नीचे दी जाती हैं। उम्मीद है कि नाज़िरीने किराम तअस्सुब से हटकर इनका मुतालआ करेंगे और ताक़त से भी ज़्यादा सुन्नते रसूल (ﷺ) का एहताराम मदेनज़र रखते हुए मुसलमानों में बाहमी इत्तिफ़ाक़ के लिए कोशां होंगे कि वक़्त का यही फ़ौरी तकाज़ा है।

हज़रत इमाम शाफ़िई फ़र्माते हैं- 'मअनाहु तअज़ीमुन लिल्लाह वत्तिबाइन लिसुन्नतिन्नबिद्यि ﷺ' कि शुरू नमाज़ में और रकू में जाते वक़्त और सर उठाने पर रफ़उलयदैन करने से एक तो अल्लाह की ताज़ीम और दूसरे अल्लाह के रसूल की सुन्नत की इत्तिबाअ मुराद है। (नबवी, स: 168 वग़ैरह)

और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) फ़र्माते हैं, 'रफ़उलयदैन मिन ज़ीनतिस्सलाति' कि ये रफ़उलयदैन नमाज़ की ज़ीनत है। (ऐनी, जि.:3/स:7 वग़ैरह)

और हज़रत नोअमान बिन अबी अयास (रह.) फ़र्माते हैं, 'लि कुल्लि शैइन ज़ीनतुन व ज़ीनतुस्सलाति अन्तर्फ़अ यदैक इज़ा कब्बरत व रकअत व इज़ा रफ़अत रासक मिनरूकूइ' कि हर चीज़ के लिए एक ज़ीनत है और नमाज़ की ज़ीनत शुरू नमाज़ में रकूअ में जाते और रकूअ से सर उठाते वक़्त रफ़उलयदैन करना है। (जुज़् बुखारी, स.21)

और इमाम इब्ने सीरीन (रह.) फ़र्माते हैं- 'हुव मिन तमामिस्सलाति' कि नमाज़ में रफ़उलयदैन करना नमाज़ की तकमील का बाइष है। (जुज़् बुखारी, स:17)

और अब्दुल मालिक फ़र्माते हैं, 'सअलतु सईदब्न जुबैरिन अन रफ़इलयदैन फ़िस्सलाति फ़क्राल हुव शैउन तज़य्यनु बिही सलातुक' (बैहकी, जि:2/स:75) कि मैंने सईद बिन जुबैर से नमाज़ में रफ़उलयदैन करने के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा ये वो चीज़ है कि तेरी नमाज़ को मुज़य्यन कर देती है।

और हज़रत उक़बा बिन आमिर (रज़ि.) फ़र्माते हैं- 'मन रफ़अयदैहि फ़िस्सलाति लहू बि कुल्लि इशारतिन अशर हसनतिन' कि नमाज़ में एक दफ़ा रफ़उलयदैन करने से दस नेकियों का षवाब मिलता है। (फ़तावा इमाम इब्ने तैमिया, स:376) गोया दो रकअत में पचास और चार रकअत में सौ नेकियों का इज़ाफ़ा हो जाता है।

मरवियाते बुखारी के अलावा नीचे लिखी रिवायते सहीहा से भी रफ़उलयदैन का सुन्नत होना प्राबित है, 'अन अबी

बकिस्मिदीक काल मल्लैतु खल्फ रसूलिल्लाहि (ﷺ) फ्र कान यरफउ यदैहि इजा इफ्ततहःसलात व इजा रकअ व इजा रफअ रासहू मिनरूकूअ' हजरत अबू बकर सिद्दीक (रज़ि.) फ्रमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी आप हमेशा शुरू नमाज़ में और रूकूअ में जाने और रूकूअ से सर उठाने के वक़्त रफउलयदेन किया करते थे। (बैहकी, जि:2/स:73)

इमाम बैहकी, इमाम सुबुकी, इमाम इब्ने हजर फ्रमाते हैं – 'रिजालुहू षिक्रातुन' की इस हदीष के सब रावी षिकह हैं। (बैहकी, जि:2/स:73, तलखीस, स:82, सुबुकी स:6)

'वक्रालल हाकिम अन्नहू महफूज़न' हाकिम ने कहा ये हदीष महफूज़ है। (तलखीसुल हबीर, स:82)

'अन उमरिब्निल खत्ताबि अन्नहू काल राइतु रसूल्लाहि (ﷺ) कान यरफउ यदैहि इजा कब्बर व इजा रफअ रासहू मिनरूकूइ' (रवाहुदारकुत्नी, जुज़इ सुब्की : स:6)

'व अन्हु अनिन्नबिद्यि ﷺ कान यरफउ यदैहि इन्दरूकुइ व इजा रफअ रासहू' (जुज़इ बुखारी, स:13)

इमाम बैहकी और हाकिम फ्रमाते हैं – 'फकद रुविय हाज़िंहिसुन्नतु अन अबी बकिन व उमर व उष्मान व अली रज़ियल्लाहु अन्हुम' कि रफउलयदेन की हदीष जिस तरह हजरत अबू बकर व उमरे फारूक (रज़ि.) ने बयान की है उसी तरह हजरत उष्मान (रज़ि.) से भी मरवी है। (ता'लीकुल मुग़नी, स:111) नीज़ हजरत अली (रज़ि.) से भी मरवी है।

अल्लामा सुबुकी फ्रमाते हैं, 'अल्लज़ीन नक़ल अन्हुम रिवायत अनिन्नबिद्यि (ﷺ) अबू बकर व उमर व उष्मान व अली व ग़ैरहुम रज़ियल्लाहुअन्हुम' कि जिन सहाबा ने अल्लाह के रसूल (ﷺ) से रफउलयदेन की रिवायत नक़ल की है, हजरत अबू बकर, उमर, उष्मान और अली वग़ैरह (रज़ि.) भी उन्हीं में से हैं जो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) शुरू नमाज़ और रूकूअ में जाने और रूकूअ से सर उठाने के वक़्त रफउलयदेन करते थे। (जुज़इ सुब्की, स:9)

'व अन अलिद्यिब्नि अबी तालिबिन अन्न रसूलल्लाहि ﷺ कान यरफउ यदैहि इजा कब्बर लिःसलाति हज्व मन्कबैहि व इजा अराद अय्यकअ व इजा रफअ रासहू मिनरूकूइ व इजा क़ाम मिनरकअतैनि फ़अल मिःल ज़ालिक' (जुज़इ बुखारी, स:6) हजरत अली (रज़ि.) फ्रमाते हैं कि बेशक अल्लाह के रसूल (ﷺ) हमेशा तकबीरे तहरीमा के वक़्त कन्धों तक हाथ उठाया करते थे और जब रूकू में जाते और रूकू से सर उठाते और जब दो रकअतों से खड़े होते तो तकबीरे तहरीमा की तरह हाथ उठाया करते थे। (अबू दाऊद, जि:1/स:198) मुसनद अहमद, जि:3/स:165), इब्नेमाजा, स:62 वग़ैराह)

'अनिब्नि उमर (रज़ि.) अन्न रसूलल्लाहि (ﷺ) कान यरफउ यदैहि हज्व मन्कबैहि इजा इफ्ततहःसलात व इजा कब्बर लिःसलात व इजा रफअ रासहू मिनरूकूइ रफअहुमा कज़ालिक' फ्रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) जब नमाज़ शुरू करते तो हमेशा अपने दोनों हाथों को मोंढों तक उठाया करते। फिर जब रूकूअ के लिए तकबीर कहने और जब रूकू से सर उठाते तब भी इस तरह अपने हाथ उठाया करते थे। (मुस्लिम, स:168, अबू दाऊद, जि:1/स:192, तिर्मिज़ी, स:36 वग़ैरह) इनके अलावा इब्नीस किताबों में ये हदीष मौजूद है।

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) आशिके सुन्नत ने 'कान यरफउ यदैहि' फ्रमाकर और बैहकी की रिवायत आख़िर में 'हत्ता लक्रियल्लाह' लाकर ये प्रामाणित कर दिया कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) इब्तिदा-ए-नुबुव्वत से लेकर अपनी उमर शरीफ़ की आख़री नमाज़ तक रफउलयदेन करते रहे।

हदीष इब्ने उमर (रज़ि.) 'कान यरफउ यदैहि अलअख' के तहत शैख़ुल हदीष हजरत उबैदुल्लाह साहब मुबारकपुरी जाद फ़ज़्लुहू फ्रमाते हैं,

'हाज़ा दलीलुन सरीहुन अला अन्न रफ़अल यदैनि फ़ी हाज़िहिल मवाज़िइ सुन्नतुन व हुवल हक्क वस्सवाबु नक़लल बुखारी फ़ी सहीहिही अक्ब हदीषिब्नि उमर हाज़ा अन शैख़िही अलिथ्यिब्नि मदीनी अन्नहू क़ाल हक्कुन अलल मुस्लिमीन अय्यफ़उ अयदियहुम इन्दरूकूइ वरफ़इ मिन्हु लिहदीषिब्नि उमर हाज़ा व हाज़ा फ़ी रिवायतिब्नि असाकिर व क़द ज़करहूल बुखारी फ़ी जुज़इ रफ़इलदैनि व ज़ाद व कान आलमु अहल ज़मानिहि इन्तहा

कुलतु व ज़हब आममतु अहलिल इल्मि मिन अस्हाबिन्नबिय्यि ﷺ वत्ताबिइन व ग़ैरहुम क़ाल मुहम्मदुब्नु नस्रल मर्वज़ी अज्मअ उलमाउलअम्सारि अला मशरूइय्यति ज़ालिक इल्ला अहलल कूफ़ति व क़ालल बुखारी फ़ी जुज़इ रफ़इलदैनि क़ालल हसनु व हुमैदुब्नु हिलाल अस्हाबु रसूलिल्लाहि ﷺ कानू यफ़ऊन

व रवब्नु अब्दिल बर बिसनादिही अनिल हसनिल बसरी क़ाल कान अस्हाबु रसूलिल्लाहि ﷺ यफ़ऊन अयदीहिम फ़िस्सलाति इज़ा रक़उ व इज़ा रफ़उ कअन्नहल मराविहु व रवल बुखारी अन हुमैदिब्नि हिलालिन क़ाल कान अस्हाबु रसूलिल्लाहि ﷺ कअन्नमा अयदीहिमिल मराविह यफ़ऊनहा इज़ा रक़ऊ व इज़ा रफ़उ रुऊसहुम क़ालल बुखारी व लम यस्तफ़नल हसनु अहदम्मिन्हुम मिन अस्हाबिन्नबिय्यि ﷺ अन्नहू लम यफ़अ यदैहि शुम्म ज़करल बारी अन इदति मिन उलमाइ अहलिमक़त व अहलिल हिजाज़ि व अहलिल इराक़ि वशशामि वल बस्रति वल्यमनि व इदतिम्मिन अहलि ख़ुरासान व आममति अस्हाबिब्नि मुबारकि व मुहदिषी अहलि बुखारा वग़ैरहुम मिम्मन ला युहसा इन्नहुम कानू यफ़ऊन अयदीहिम इन्दरूकूइ वरफ़इ मिन्हु ला इख़ितालाफ़ मिन्हुम फ़ी ज़ालिक अल्ख़' (मिर्आत जिल्द 1 स. 529)

ख़ुलासा इस इबारत का ये कि हदीष इस अन्न पर सरीह दलील है कि इन मक़ामात पर रफ़उलयदैनि सुन्नत है और यही हक्क और सवाब है और इमाम बुखारी (रह.) ने अपने उस्ताद अली बिन अल मदीनी से नक़ल किया है कि मुसलमानों के लिये ज़रूरी है कि वो रकूअ में जाते और सर उठाते वक़्त अपने दोनों हाथों को (कन्थों या कानों की लौ तक) उठाएं। असहाबे रसूल (ﷺ) से आम अहले इल्म का यही मसलक है और मुहम्मद बिन नस्र मरवुज़ी कहते हैं कि सिवाये अहले कूफ़ा के तमाम उलम—ए—अमसार ने इसकी मशरूइयत पर इजमा किया है। तमाम असहाबे रसूल (ﷺ) रकूअ में जाते वक़्त और रकूअ से सर उठाते वक़्त रफ़उल यदैनि किया करते थे। इमाम हसन बसरी (रह.) ने अस्हाबे नबवी (ﷺ) में से इस बारे में किसी को अलग नहीं किया या फिर बहुत से अहले मक्का व हिजाज़ व अहले इराक़ व अहले शाम और बसरा और यमन और बहुत से अहले ख़ुरासान और जालअ शागिर्दान अब्दुल्लाह बिन मुबारक और जुम्ला मुहदिषीने बुखारा वग़ैरह जिनकी ता' दाद शूमार में भी नहीं आ सकती, इन सबका यही अमल नक़ल किया है कि वो रकूअ में जाते और रकूअ से सर उठाते वक़्त रफ़उलयदैनि किया करते थे।

नीचे लिखी अहादीष में मजीद वुज़ूहत मौजूद है— 'अन अनसिन अन्न रसूलिल्लाहि ﷺ कान यफ़ऊ यदैहि इज़ा दख़ल फ़िस्सलाति व इज़ा रक़अ व इज़ा रफ़अ व इज़ा रफ़अ रासहू मिनरूकूइ' (रवाहु इब्ने माजा) हज़रत अनस (रज़ि.) (जो दस साल दिन रात आप ﷺ की ख़िदमत में रहे) फ़र्माते हैं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) जब भी नमाज़ में दाख़िल होते और रकूअ करते और रकूअ से सर उठाते तो रफ़उलयदैनि करते व सनदुहू सहीहुन, सुबकी ने कहा, सनद उसकी सही है। (इब्ने माजा स:62, बैहक़ी 2/स:74, दार कुतनी स:108, जुज़इ बुखारी स:9, तलख़ीस स:82, जुज़इ सुबकी स:4)

हज़रत अनस (रज़ि.) ने कान यफ़ऊ फ़र्माकर वाज़ेह कर दिया कि हुज़ूर (ﷺ) ने दस साल में ऐसी कोई नमाज़ नहीं पढ़ी जिसमें रफ़उलयदैनि न किया हो (तख़रीज ज़ेल जि:1/स:110)

'अनिब्नि अब्बासिन अनिन्नाबिय्यि (ﷺ) कान यफ़ऊ यदैहि इन्दरूकूइ व इज़ा रफ़अ रासहू' (जुज़इ बुखारी, स:13) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि रसूले ख़ुदा (ﷺ) हमेशा ही रकू में जाने और रकू से सर उठाने के वक़्त रफ़उलयदैनि किया करते थे। (इब्नेमाजा स:63)

इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कान यफ़ऊ फ़र्माया जो दवाम और हमेशागी पर दलालत करता है।

'अन अबिज्जुबैरि अन्न जाबिरब्न अब्दिल्लाहि कान इजा इफ्ततहऱ्मलात रफअ यदैहि व इजा रकअ व इजा रफअ रासहू मिनरुकूइ फअल मिऱ्ल जालिक व यकूलु राइतु रसूलल्लाहि ۞ फअल जालिक' (रवाहुब्नु माजा पेज नं. 62)

'व अन्हु अनिन्नबिथ्यि ۞ कान यर्फउ यदैहि इन्दरुकूइ व इजा रफअ रासहू' (जुजइ बुखारी, पेज नं. 13)

हज़रत जाबिर (रज़ि) हमेशा रफ़इल यदैन किया करते थे और फ़र्माया करते थे कि मैं इसलिए रफ़इल यदैन करता हूँ कि मैंने खुद अपनी आँखों से रसूलुल्लाह (ﷺ) को रकूअ में जाते और रकूअ से सर उठाते वक़्त रफ़इल यदैन करते देखा करता था। (बैहक्की, जिल्द : 2/ पेज नं. 74, जुज सुब्की, पेज नं. 5, बुखारी : पेज नं. 13)

इस हदीष में भी कान यर्फ़उ मौजूद है जो हमेशगी पर दलालत करता है।

'अन अबी मूसा क़ाल हल उरीकुम मलात रसूलिल्लाहि ۞ फ़कब्बर व रफ़अ यदैहि घुम्म क़ाल समिअल्लहु लिमन हमिदा व रफ़अ यदैहि घुम्म क़ाल हाजा फ़स्नऊ रवाहुद्दारमी' (जुजइ रफ़इल यदैन सुबुकी, पेज नं. 5)

व अन्हु अनिन्नबिथ्यि स क़ाल कान यर्फ़उ यदैहि इन्दरुकूइ व इजा रफ़अ रासहू हज़रत अबू मूसा (रज़ि) ने मज्मअे आम में कहा, आओ मैं तुम्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरह नमाज़ पढ़कर दिखाऊँ। फिर अल्लाहु अकबर कहकर नमाज़ शुरू की। जब रकूअ के लिए तक्बीर कही तो दोनों हाथ उठाए, फिर जब उन्होंने समिअल्लाहु लिमन् हमिदह कहा तो दोनों हाथ उठाए और फ़र्माया, लोगों! तुम भी इसी तरह नमाज़ पढ़ा करो क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमेशा रकूअ में जाने से पहले और सर उठाने के वक़्त रफ़इल यदैन किया करते थे। (दारमी, दारे कुत्नी, पेज नं. 109, तल्खीसुल हबीर पेज नं. 81, जुज बुखारी, पेज नं. 13, बैहक्की पेज नं. 74)

इस हदीष में भी कान यर्फ़उ मौजूद है जो दवाम (हमेशगी) के लिए है।

मौलाना अनवर शाह साहब (रह) फ़र्माते हैं। हिय सहीहतुन ये हदीष सहीह है (अल् अरफ़ुश्शाजी, पेज नं. 125)

'अन अबी हुरैरत अन्नहू क़ाल कान रसूलुल्लाहि ۞ इजा कब्बर लिऱ्मलाति जअल यदैहि हज्व मन्कबैहि व इजा रकअ फ़अल मिऱ्ल जालिक व इजा रफ़अ लिस्सुजूदि फ़अल मिऱ्ल जालिक व इजा क़ाम मिनरकअतैनि फ़अल मिऱ्ल जालिक' (रवाहु अबू दाऊद)

'व अन्हु अनिन्नबिथ्यि ۞ कान यर्फ़उ यदैहि इन्दरुकूइ व इजा रफ़अ रासहू' हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब भी नमाज़ के लिए अल्लाहु अकबर कहते हैं तो अपने हाथ कंधों तक उठाते और इसी तरह जब रकूअ में जाते और रकूअ से सर उठाते तो हमेशा कंधों तक हाथ उठाया करते थे। इसमें भी काना यर्फ़उ सैग-ए-इस्तिमारी मौजूद है। (अबू दाऊद, जिल्द : 1/ पेज नं. 197, बैहक्की, जिल्द : 2, पेज नं. 74, व रिजालुहू रिजालुन सहीहुन (तल्खीस जेलई, जिल्द 1 पेज नं. 215)

'अन अबैदिब्नि उमैरिन अन अबीहि अनिन्नबिथ्यि ۞ कान यर्फ़उ यदैहि इन्दरुकूइ व इजा रफ़अ रासहू' (जुजइ बुखारी, पेज नं. 3) हज़रत अबेद बिन उमेर अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमेशा रकूअ में जाते और उठते रफ़इल यदैन किया करते थे।

इस हदीष में भी काना यर्फ़उ सैग-ए-इस्तिमारी मौजूद है जो दवाम (हमेशगी) पर दलालत करता है।

'अनिल बराइब्नि आजिबिन क़ाल राइतु रसूलल्लाहि ۞ इजा इफ्ततहऱ्मलात रफ़अ यदैहि व इजा अराद अय्यर्कअ व इजा रफ़अ रासहू मिनरुकूइ' (रवाहुल हाकिम वल् बैहक्की)

बराअ बिन आजिब (रज़ि) फ़र्माते हैं कि मैंने खुद अपनी आँखों से रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि हुज़ूर (ﷺ) शुरू नमाज़ और रकूअ में जाने और रकूअ से सर उठाने के वक़्त रफ़इल यदैन किया करते थे। (हाकिम, बैहक्की, जिल्द 2 पेज नं. 77)

'अन क़तादत अन्न रसूलल्लाहि ۞ कान यर्फ़उ यदैहि इजा रकअ व इजा रफ़अ' (सुबुकी पेज नं. 8) व क़ालत्तिर्मिज़ी व फिलबाबि अन क़तादत. हज़रत क़तादा (रज़ि) फ़र्माते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह (ﷺ) हमेशा ही रकूअ

में जाने और रकूअ से सर उठाने के वक़्त रफ़उल यदैन किया करते थे। (तिर्मिज़ी : पेज नं. 36)

इस हदीष में भी काना यरफ़उ आया है जो दवाम और हमेशगी की दलील है।

'अन सुलैमान बिन यसार अत्रा रसूलुल्लाहि (ﷺ) काना यरफ़उ यदैहि फ़िस्सलाति' (रवाहु मालिक फ़िल मौता जिल्द 1 पेज नं. 98, सबकी पेज नं. 8) हज़रत सुलैमान बिन यसार (रज़ि) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमेशा ही नमाज़ में रफ़उल यदैन किया करते थे और इसी तरह उमेर लैषी से भी रिवायत आई है (इब्ने माजा : पेज नं. 62 जुज़ सुबुकी, पेज नं. 7)

'व फ़िल बाबि अन उमैरिल्लैषी' (तिर्मिज़ी, पेज नं. 36, तुहफ़तुल अहवज़ि, जिल्द 1 पेज नं. 219)

'अन वाइलिब्नि हुज़्रिन क़ाल कुल्लु लअन्जुरन्न इला सलाति रसूलिल्लाहि ﷺ कैफ़ युसल्ली फ़नज़र्तु इलैहि क़ाम फ़कब्बर अलल्युस्रा अला स़दरिही फ़लम्मा अराद अंय्यर्कअ रफ़अ यदैहि मिस्लहा फ़लम्मा रफ़अ रासहू मिनर्कूइ रफ़अ यदैहि मिस्लहा' (रवाहु अहमद) हज़रत वाइल बिन हुज़्र (जो एक शहज़ादे थे) फ़र्माते हैं कि मैंने इरादा किया कि देखूँ रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ किस तरह पढ़ते हैं। फिर मैंने देखा कि जब आप अल्लाह अकबर कहते तो रफ़उल यदैन करते और सीने पर हाथ रख लेते। फिर जब रकूअ में जाने का इरादा करते और रकूअ से सर उठाते तो रफ़उल यदैन करते। (मुस्नद अहमद वग़ैरह) सीने पर हाथ रखने का ज़िक्र मुस्नद इब्ने खुज़ैमा में है।

'अन अबी हुमैदिन क़ाल फ़ी अशरतिम्मिन अऱहाबिन्नबिय्यि ﷺ अना आलमुकुम बिसलाति रसूलिल्लाहि ﷺ क़ालू फ़ज्कर क़ाल कानन्नबिय्यु ﷺ इजा काम इलस्सलाति रफ़अ यदैहि व इजा रकअ व इजा रफ़अ रासहू मिनर्कूइ रफ़अ यदैहि' हज़रत अबू हुमैद ने दस स़हाबा की मौजूदगी में फ़र्माया कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, उन्होंने कहा अच्छा बताओ। अबू हुमैद ने कहा। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ के लिये खड़े होते तो रफ़उल यदैन किया करते थे और जब रकूअ करते और रकूअ से सर उठाते तब भी अपने हाथ उठाया करते थे। ये बात सुनकर तमाम स़हाबा ने कहा स़दवन्न हाक़जा कान युसल्ली बेशक तू सच्चा है, रसूलुल्लाह (ﷺ) इसी तरह नमाज़ में रफ़उल यदैन किया करते थे। (जुज़इ सुबुकी, पेज नं. 4)

इस हदीष में कान युसल्ली क़ाबिले ग़ौर है जो दवाम और हमेशगी पर दलालत करता है। (जुज़इ बुखारी पेज नं. 8, अबू दाऊद पेज नं. 194)

'अन अब्दिल्लाहिब्निज़ुबैर अन्नहू सल्ला बिहिम यूशीरु बिकफ़ैहि हीन यकूमु व हीन यर्कउ व हीन यस्जुदु व हीन यन्हज़ु फ़क़ालब्नु अब्बासिन मन अहब्ब अंय्यन्ज़ुर इला सलाति रसूलिल्लाहि ﷺ फ़ल्यन्नदि बिब्निज़ुबैरि' हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि) ने लोगों को नमाज़ पढ़ाई और खड़े होने के वक़्त और रकूअ में जाने और रकूअ से सर उठाने और दो रकअतों से खड़े होने के वक़्त दोनों हाथ उठाए। फिर हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि) ने फ़र्माया, लोगों! जो शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ पसंद करता हो उसको चाहिए कि अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि) की तरह नमाज़ पढ़े क्योंकि ये बिल्कुल रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरह नमाज़ पढ़ते हैं। (अबू दाऊद पेज नं. 198)

'अनिल हसन अनन्नबिय्यि ﷺ कान इजा अराद अंय्युकब्बिर रफ़अ यदैहि व इजा रफ़अ रासहू मिनर्कूइ रफ़अ यदैहि' (रवाहु अबू नुऐम, जुज़इ सुबुकी पेज नं. 8) हज़रत हसन (रज़ि) फ़र्माते हैं कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा (ﷺ) रकूअ करने और रकूअ से सर उठाने के वक़्त रफ़उल यदैन किया करते थे (रवाहु अब्दुर्रज़ाक़, तल्ख़ीसुल हबीर, पेज नं. 82)

स़हाबा किराम भी रफ़उल यदैन किया करते थे जैसा कि नीचे लिखी तफ़्सीलात से ज़ाहिर है।

हज़रत अबूबक्र सिद्दिक़ (रज़ि) रफ़उल यदैन किया करते थे : 'अन अब्दिल्लाहिब्निज़ुबैरि क़ाल सल्लैतु ख़ल्फ़ अबी बक्क़र फ़कान यरफ़उ यदैहि इजा इफ़्ततहस्सलात व इजा रकअ व इजा रफ़अ रासहू मिनर्कूइ व क़ाल सल्लैतु ख़ल्फ़ रसूलिल्लाहि ﷺ फ़ज्कर मिस्लहू' (रवाहुल बैहक्की व रिजालुहू षिकातुन, जिल्द 2 पेज नं. 73)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि) कहते हैं कि मैंने सिद्दीक़े अकबर (रज़ि) के साथ नमाज़ अदा की। आप हमेशा शुरू नमाज़ और रकूअ में जाने और रकूअ से सर उठाने के वक़्त रफ़ड़ल यदैन किया करते थे और फ़र्माते थे अब ही नहीं बल्कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ भी आपको रफ़ड़ल यदैन करते देखकर इसी तरह ही नमाज़ पढ़ा करता था। (तल्ख़ीस पेज नं. 82 सुबुकी पेज नं. 6) इस हदीष में भी सैगा इस्तिमारी काना यर्फ़ड़ मौजूद है।

हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि) भी रफ़ड़ल यदैन किया करते थे : 'वअन उमर नहवुहू रवाहुदारकुल्नी फ़ी ग़ाइबिं मालिक वल बैहक़ी व क़ाल हाकिमु अन्नहू महफूजुन' (तल्ख़ीसुल हबीर इब्नि हज़र पेज नं. 82) हज़रत सिद्दीक़े अकबर (रज़ि) की तरह हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि) भी रफ़ड़ल यदैन किया करते थे।

अब्दुल मलिक बिन क़ासिम फ़र्माते हैं, 'बैनमा युसल्लून फ़ी मस्जिदि रसूलिल्लाहि ﷺ इज़ा ख़रज फ़ीहिम उमरू फ़क़ाल अक्बिलू अलय्य बिबुजूहिकुम उमल्लि बिकुम मलात रसूलिल्लाहि ﷺ अल्लती युसल्ली व यामुरू बिहा फ़क़ाम व रफ़अ यदैहि हत्ता हाज़ा बिहिमा मन्कबैहि शुम्म कब्बर शुम्म रफ़अ व रकअ व कज़ालिक हीन रफ़अ' कि लोग मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ रहे थे, हज़रत उमर आए और फ़र्माया, मेरी तरफ़ तवज्जह करो मैं तुमको रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरह नमाज़ पढ़ाता हूँ, जिस तरह हज़ूर (ﷺ) पढ़ा करते थे और जिस तरह पढ़ने का हुक्म दिया करते थे। फिर हज़रत उमर (रज़ि) क़िब्ला रू खड़े हो गये और तक्बीर तहरीमा और रकूअ में जाते और सर उठाते हुए अपने हाथ कंधों तक उठाए। 'फ़ क़ालल क़ौमु हाक़ज़ा रसूलुल्लाहि ﷺ युसल्ली बिना' फिर सब सहाबा ने कहा बेशक हज़ूर (ﷺ) ऐसा ही करते। 'अख़रज़हुल बैहक़ी फिल ख़िलाफ़ियाति तख़रीजि ज़ैलई व क़ालशशैरुबु तक्रियुद्दीन रिजालु इस्नादिही मअरूफ़ुन' (तहक़ीक़ुर्रासिख़ पेज नं. 38)

हज़रत उमर फ़ारूक़, हज़रत अली व दीगर पन्द्रह सहाबा (रज़ि) : इमाम बुखारी (रह) फ़र्माते हैं, (1) उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि) (2) अली बिन अबी त़ालिब (रज़ि) (3) अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि) (4) अबू क़तादा (रज़ि) (5) अबू उसैद (रज़ि) (6) मुहम्मद बिन मुस्लिमा (रज़ि) (7) सहल बिन सअद (रज़ि) (8) अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि) (9) अनस बिन मालिक (रज़ि) (10) अबू हुरैरह (रज़ि) (11) अब्दुल्लाह बिन अम् (रज़ि) (12) अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि) (13) वाइल बिन हुप् (रज़ि) (14) अबू मूसा (रज़ि) (15) मालिक बिन हुवेरिष (रज़ि) अबू हमीद अस् साअदी (रज़ि) (17) उम्मे ददा इन्नहुम कानू यर्फ़ऊन अयदियहुम इन्दरूकूइ (जुजइ बुखारी पेज नं. 6) कि ये सबके सब मैं रकूअ जाने और सर उठाने के वक़्त रफ़ड़ल यदैन किया करते थे।

ताऊस व अत्ता बिन रबाह की शहादत : अत्ता बिन रबाह फ़र्माते हैं, मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन जुबैर, अबू सईद और जाबिर (रज़ि) को देखा, 'यर्फ़ऊन अयदियहुम इज़ा इफ़ततहुस्सलात व इज़ा रकऊ' कि ये शुरू नमाज़ और इन्दरूकूअ रफ़ड़ल यदैन किया करते थे। (जुजइ बुखारी पेज नं. 11)

हज़रत ताऊस कहते हैं राइतु अब्दल्लाहि व अब्दल्लाहि व अब्दल्लाहि यर्फ़ऊन अयदियहुम कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि) और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि) और अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि) को देखा, ये तीनों नमाज़ में रफ़ड़ल यदैन किया करते थे। (जुजइ बुखारी पेज नं. 13)

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि) : 'अन आसिमिन क़ाल राइतु अनसबन मालिकिन इज़ा इफ़ततहः सलात कब्बर व रफ़अ यदैहि व यर्फ़ऊ कुल्लमा रकअ व रफ़अ रासहू मिनरूकूइ' आसिम कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस (रज़ि) को देखा कि जब तक्बीर तहरीमा कहते और रकूअ करते और रकूअ से सर उठाते तो रफ़ड़ल यदैन किया करते थे। (जुजइ बुखारी पेज नं. 12)

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) : 'अन्नहू कान इज़ा कब्बर रफ़अ यदैहि व इज़ा रकअ व इज़ा रफ़अ रासहू मिनरूकूइ' अब्दुरहमान कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) जब तक्बीर तहरीमा कहते और जब रकूअ में जाते और जब रकूअ से सर उठाते तो रफ़ड़ल यदैन किया करते थे। (जुजइ बुखारी : पेज नं. 11)

हज़रत उम्मे ददा (रज़ि) : सुलेमान बिन उमैर (रज़ि) फ़र्माते हैं, 'राइतु उम्म ददा तर्फ़उ यदैहा फ़िस्मलाति हज़्व मन्कबैहा हीन तफ़ततहुस्मलात व हीन तर्कउ फ़इज़ा क़ालत समिअल्लाहु लिमन हमिदहु रफ़अ यदैहा' कि मैंने उम्मे ददा को देखा वो शुरू नमाज़ में अपने कंधों तक हाथ उठाया करती थी और जब रुकूअ करती और रुकूअ से सर उठाती और समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहती तब भी अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाया करती थी। (जुज़उ रफ़उलयदैन, इमाम बुखारी पेज नं. 12)

नाज़िरीने किराम को अंदाज़ा हो चुका होगा हज़रत इमाम बुखारी (रह) ने रफ़उल यदैन के बारे में आँहज़रत (ﷺ) का जो फ़ेअल नक़ल किया है दलाइल की रू से वो किस क़दर सहीह है। जो हज़रात रफ़उल यदैन का इंकार करते और उसे मन्सूख़ करार देते हैं। वो भी ग़ौर करेंगे तो अपने ख़याल को ज़रूर वापस लेंगे। चूँकि मुंकिरीने रफ़उल यदैन के पास भी कुछ न कुछ दलाइल हैं। इसलिए एक हल्की सी नज़र उन पर भी डालनी ज़रूरी है ताकि नाज़िरीने किराम के सामने तस्वीर के दोनों ख़ूब आ जाएँ और वो खुद अम्मे हज़्र के लिए अपनी खुदादाद अक्ल व बस्तीरत के आधार पर फ़ैसला कर सकें।

मुंकिरीने रफ़उल यदैन के दलाइल और उनके जवाबात :

(1) जाबिर बिन समुरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाए और फ़र्माया, 'मा ली अराकुम राफ़िइ अयदियकुम कअन्नहा अज़्नाबु ख़ैलिन शम्सिन उस्कूनू फ़िस्मलाति' (सहीह मुस्लिम बाबुल अम्रि बिस्सुकूनि फ़िस्मलाति वन्नहयु अनिल इशारति बिल्यदि रफ़उहुमा इन्दस्सलामि) ये क्या बात है कि मैं तुमको सरकश घोड़ों की दुमों की तरह हाथ उठाते हुए देखता हूँ, नमाज़ में हरकत न किया करो। मुंकिरीने रफ़उल यदैन की ये पहली दलील है जो इसलिए सहीह नहीं कि

(अ) अव्वल तो मुंकिरीन को इमाम नववी ने बाब बाँधकर ही जवाब दे दिया कि ये हदीष तशह्दुद के बारे में है जबकि कुछ लोग सलाम फेरते वक़्त हाथ उठाकर इशारा करते थे, उनको देखकर आँहज़रत (ﷺ) ने ये फ़र्माया। भला इसको रुकूअ में जाते और सर उठाते वक़्त रफ़उल यदैन से क्या ता'ल्लुक है? मज़ीद वुजूहात के लिए ये हदीष मौजूद है।

(ब) जाबिर बिन समुरा कहते हैं कि हमने हुज़ूर (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी, जब हमने अस्सलामु अलैयकुम कहा, व अशार बियदिही इलल्जानिबैनि और हाथ से दोनों तरफ़ इशारा किया तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया मा शानुकुम तुशीरून बिअयदिकुम कअन्नहा अज़्नाबु ख़ैलिन शम्सिन तुम्हारा क्या हाल है कि तुम शरीर (बिगडैल) घोड़ों की दुमों की तरह हाथ हिलाते हो। तुमको चाहिये कि अपने हाथ रानों पर रखो व युसल्लिमु अला अख़ीहि मन अला यमीनिही व शिमालिही और अपने भाई पर दाएँ बाएँ सलाम कहो इज़ा सल्लम अहदुकुम फ़ल्यल्तफ़ित इला म्हाहिबिही वला यूमी (यमी) बियदिही जब तशह्दुद में तुम सलाम कहने लगे तो सिर्फ़ चेहरा फेरकर सलाम कहा करो, हाथों से इशारा मत करो। (मुस्लिम शरीफ़)

(स) तमाम मुहद्दिषीन का मुत्तफ़का बयान है कि ये दोनों हदीषें दरअसल एक ही हैं। इख़ितलाफ़े अल्फ़ाज़ फ़क़त ता' दादे रिवायात की बिना पर है कोई अक्लमन्द इस सारी हदीष को पढ़कर इसको रफ़उल यदैन इन्दरूकूअ के मना पर दलील नहीं ला सकता। जो लोग अहले इल्म होकर ऐसी दलील पेश करते हैं उनके हज़्र में हज़रत इमाम बुखारी (रह) फ़र्माते हैं। 'मनिहतज्ज बिहदीषि जाबिरिब्नि समुरत अला मन्डरफ़इ इन्दरूकुइ फ़लैस लहु हज़्जुम्पिनल इल्मि' कि जो शख़्स जाबिर बिन समुरा की हदीष से रफ़उल यदैन इन्दरूकूअ मना समझता है, वो जाहिल और इल्मे हदीष से नावाकिफ़ है क्योंकि 'उस्कूनू फ़िस्मलाति फ़इन्नमा कान फ़ित्तशह्दुदि ला फ़िल क्रियामि' हुज़ूर (ﷺ) ने उस्कूनू फ़िस्मलात तशह्दुद में इशारा करते देखकर फ़र्माया था न कि क्रियाम की हालत में। (जुज़उ रफ़इलयदैन, बुखारी पेज नं. 16, तल्ख़ीस, पेज नं. 83 तुहफ़ा पेज नं. 223)

इस तफ़्सील के बाद ज़रा सी भी अक्ल रखने वाला मुसलमान समझ सकता है कि इस हदीष को रफ़उल यदैन के इन्कार पर पेश करना अक्ल और इन्साफ़ और दयानत के किस क़दर ख़िलाफ़ है।

(2) मुंकिरीन की दूसरी दलील ये कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि) ने नमाज़ पढ़ाई फ़लम यफ़अ यदैहि इल्ला मर्तन और एक ही बार हाथ उठाए (अबू दाऊद, जिल्द 1 पेज नं. 199, तिर्मिज़ी पेज नं. 36)

इस अप्र को भी बहुत ज़्यादा पेश किया जाता है। मगर फ़त्रे हदीष के बहुत बड़े इमाम हज़रत अबू दाऊद फ़र्माते हैं 'व लैष हुव बिसहीहिन अला हाज़ल्लफ़िज़' ये हदीष इन लफ़्ज़ों के साथ सहीह नहीं है।

और तिरिज़ी में है। 'यकूलु अब्दुल्लाहिब्बिल मुबारक व लम यफ़्बुत हदीषुब्बि मस्ऊद', अब्दुल्लाह बिन मुबारक फ़र्माते हैं कि हदीष अब्दुल्लाह बिन मसऊद की स्नेहत ही प्राबित नहीं। (तिरिज़ी पेज नं. 36, तल्ख़ीस पेज नं. 83)

और हज़रत इमाम बुखारी (रह), इमाम अहमद, इमाम यहया बिन आदम और अबू हातिम ने उसको ज़ईफ़ कहा है (मुस्नद अहमद, जिल्द : 3 पेज नं. 16) और हज़रत इमाम नववी (रह) ने कहा कि इसके जुअफ़ पर तमाम मुहदिषीन का इत्तिफ़ाक़ है। लिहाज़ा ये क़ाबिले हुज्जत नहीं। लिहाज़ा इसे दलील में पेश करना सहीह नहीं है।)

(3) तीसरी दलील बरा बिन आज़िब की हदीष कि हुज़ूर (ﷺ) ने पहली बार रफ़ड़ल यदैन किया। 'धुम्म ला यरूदु' फिर नहीं किया। इस हदीष के बारे में भी हज़रत इमाम अबू दाऊद फ़र्माते हैं। 'हाज़ल हदीषु लैस बिसहीहिन' कि ये हदीष ही सहीह नहीं (अबू दाऊद जिल्द 1 पेज नं. 200)

'व क़द रहहुब्नुल मदीनी व अहमदु वहारकुत्नी व ज़अअफ़हुल बुखारी' इस हदीष को बुखारी (रह) ने ज़ईफ़ और अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी, इमाम अहमद और दारे कुत्नी ने मरदूद कहा है लिहाज़ा क़ाबिले हुज्जत नहीं। (तनवीर पेज नं. 16)

(4) चौथी दलील अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि) की तरफ़ मन्सूब करते हैं कि उन्होंने पहली बार हाथ उठाए (तहावी) इसके बारे में सरताजे उलम—अहनाफ़ हज़रत मौलाना अब्दुल हय्य साहब लखनवी फ़र्माते हैं कि ये अप्र मरदूद है क्योंकि उसकी सनद में इब्ने अयाश है जो मुतकल्लम फ़ीह (मश्कूक/संदिग्ध) है।

नीज़ यही हज़रत मज़ीद फ़र्माते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि) खुद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमेशा इन्दरूकूअ रफ़ड़ल यदैन किया करते थे। 'फ़मा ज़ालत तिल्क़ सलातुहू हत्ता लक्रियल्लाहु तआला' यानी इब्तिदा—ए—नुबुव्वत से अपनी उम्र की आख़िरी नमाज़ तक आप रफ़ड़ल यदैन करते रहे। वो इसके ख़िलाफ़ किस तरह कर सकते थे और उनका रफ़ड़ल यदैन करना सहीह सनद से प्राबित है। (तअलीकुल मुम्जिद पेज नं. 193)

इसाफ़ पसन्द उलमा का यही शैवा होना चाहिए कि तअस्सुब से बुलन्द व बाला होकर (ऊपर उठकर) अम्रे हक़ का ए'तिराफ़ करें और इस बारे में किसी भी मलामत करने वाले की मलामत से न डरें।

(5) पाँचवीं दलील कहते हैं अबूबक्र सिदीक़ (रज़ि) और उमर फ़ारूक़ (रज़ि) पहली बार ही करते थे। (दारे कुत्नी)

दारे कुत्नी ने खुद इसे ज़ईफ़ और मरदूद कहा है। और इमाम इब्ने हज़र (रह) ने फ़र्माया कि इस हदीष को इब्ने जौज़ी (रह) ने मौज़ूआत में लिखा है। लिहाज़ा क़ाबिले हुज्जत नहीं। (तल्ख़ीसुल हबीर पेज नं. 83)

उनके अलावा अनस, अबू हुरैरह, इब्ने जुबैर (रज़ि) के जो आप्रार पेश किये जाते हैं। सबके सब मौज़ूअ लाव और बातिल हैं ला असल लहुम इनका असल व षबूत नहीं। (तल्ख़ीसुल मुम्जिद पेज नं. 83)

आख़िर में हुज्जतुल हिन्द हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब मुहदिष देस्लवी क़दस सिरंहु का फ़ैसला भी सुन लीजिए। आप फ़र्माते हैं, 'वल्लज़ी यफ़्रड अहब्बु इलधय मिम्मन ला यफ़्रड' यानी रफ़ड़ल यदैन करने वाला मुझको न करने वाले से ज़्यादा महबूब है क्योंकि इसके बारे में दलील बक़रत और सहीह हैं। (हुज्जतुल्लाहिल बालिगा जिल्द नं. 2 पेज नं. 8)

इस बहस को ज़रा तूल (विस्तार) इसीलिए दिया गया कि रफ़ड़ल यदैन न करने वाले भाई, रफ़ड़ल यदैन करने वालों से झगड़ा न करें और ये समझें कि करने वाले सुन्नते रसूल के आमिल हैं। हालाते ज़माना का तक्राज़ा है कि ऐसे फ़रूई मसाइल में वुस्अते क़ल्बी से काम लेकर रवादारी इख़्तियार की जाए और मसाइले मुत्तफ़क़ अलैह में इत्तिफ़ाक़ करके इस्लाम को सर बुलन्द करने की कोशिश की जाए। अल्लाह पाक हर कलिमा गो मुसलमान को ऐसी समझ अत्ता करे, आमीन या रब्बल आलमीन।

बाब 87 : नमाज़ में दायों हाथ

बाएँ पर रखना

(740) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़अनी ने बयान किया इमाम मालिक (रह.) से, उन्होंने अबू हाज़िम बिन दीनार से, उन्होंने सहल बिन सअद (रज़ि.) से कि लोगों को हुक्म दिया जाता था कि नमाज़ में दायों हाथ बाईं कलाई पर रखें। अबू हाज़िम बिन दीनार ने बयान किया कि मुझे अच्छी तरह याद है कि आप उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) तक पहुँचाते थे। इस्माईल बिन अबी उवैस ने कहा ये बात आँहज़रत (ﷺ) तक पहुँचाई जाती थी यूनहीं कहा कि पहुँचाते थे।

87- بَابُ وَضْعِ الْيَمْنَى عَلَى

الْيَسْرَى فِي الصَّلَاةِ

٧٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيَمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيَسْرَى فِي الصَّلَاةِ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا بِنَوْءٍ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ: ((يُنْمَى ذَلِكَ)) وَتَمَّ يَقُلُ ((يُنْمَى)).

तारीह:

शौखुल हदीष हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह साहब महज़िल्लुह फ़र्माते हैं, 'लम यज़्कुर सहलुब्नु सअदिन फ़ी हदीषिही महल्ल वज़्ज़ल्यदैनि मिनल जसहि व हुव इन्दना अलस्सदरि लिमा वरद फ़ी ज़ालिक मिन अहादीष सरीहतिन क़विय्यतिन फ़मिन्हा हदीषु वाइलिब्नि हुज़ क़ाल सल्लैतु मअन्नबिय्यि ﷺ फ़वुजूअ यदहुल्युम्ना अला यदिहिल्युम्ना अला सदर्हिही अखरजहुब्नु खुज़ैमत फ़ी सहीहिही ज़करहुल्हाफ़िज़ु बुलूगुल्मरामि वहिरायति वत्तलख़ीसि व फ़तहिल बारी वन्नववी फ़िल्खुलासति व शर्हिल्मुहज़बि व शर्हि मुस्लिम लिल इहतिजाजि बिही अला मा ज़हबत इलैहिश्शाफ़िइय्यतु मिन वज़्ज़ल्यदैनि अलस्सदरि व ज़िकरुहुमा हाज़ल हदीष फ़ी मअरज़िल इहतिजाजि बिही सुकूतुहुमा अनिल कलामि फ़ीहि यदुल्लु अला अन्न हदीष वाइलिन हाज़ा इन्दुमा सहीहुन औ हसनुन क़ाबिलुन लिलइहतिजाजि अलख़' (मिआतुल मफ़ातीह)

यानी हज़रत सहल बिन सअद ने इस हदीष में हाथों के बाँधने की जगह का ज़िक्र नहीं किया और वो हमारे नज़दीक सीना है। जैसा कि इस बारे में कई अहादीष क़वी और सरीह मौजूद हैं। जिनमें एक हदीष वाइल बिन हुज़ की है। वो कहते हैं कि मैंने आँहज़रत (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ी। आपने अपना दायों, हाथ बाएँ के ऊपर बाँधा और उनको सीने पर रखा। इस रिवायत को मुहद्विष इब्ने खुज़ैमा ने अपनी सहीह में नक़ल किया है और हाफ़िज़ इब्ने हज़र ने अपनी किताब बुलूगुल मराम और दिराया और तलख़ीस और फ़तहूल बारी में ज़िक्र फ़र्माया है। और इमाम नववी (रह) ने अपनी किताब खुलासा और शरहे मुहज़ब और शरहे मुस्लिम में ज़िक्र किया है और शाफ़िय्या ने इसी से दलील पकड़ी है कि हाथों को सीने पर बाँधना चाहिए। हाफ़िज़ इब्ने हज़र और अल्लामा नववी (रह) ने इस बारे में हदीष से दलील ली है और इस हदीष की सनद में उन्होंने कोई कलाम नहीं किया, लिहाज़ा ये हदीष उनके नज़दीक सहीह या हसन हुज़त पकड़ने के क़ाबिल है।

इस बारे में दूसरी दलील वो हदीष है जिसे इमाम अहमद ने अपनी मुस्नदे अहमद में रिवायत किया है। चुनाँचे फ़र्माते हैं, 'हद्वषना यह्यब्नु सइदिन अन सुफ़यान हद्वषना सम्माक अ न क़बीसा इब्नि हल्ब अन अबीहि क़ाल राइतु रसूलुल्लाहि ﷺ यन्सरिफ़ अन यमीनिही व अन यसरिही व राइतुहू यज़उ हाज़िही अला सदर्हिही व वसफ़ यह्या अल्युम्ना अलल युस्रा फ़ौ क़ल्मफ़स लि व रुवातु हाज़ल हदीषि कुल्लुहुम शिकातुन व इस्नादुह मुत्तसिलुन' (तुहफ़तुल अहवुज़ी पेज नं. 216)

यानी हमसे यह्या बिन सइद ने सुफ़यान शौरी से बयान किया। वो कहते हैं कि हमसे सिमाक ने कुबैसा इब्ने वहब से बयान किया। वो अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) को देखा। आप अपने दाएँ और बाएँ जानिब सलाम

फेरते थे और मैंने आपको देखा कि आपने अपने दाएँ हाथ को बाएँ पर सीने के ऊपर रखा था। इस हदीष के रावी सब शिक्कह हैं और इसकी सनद मुत्तसिल है।

तीसरी दलील वो हदीष है जिसे इمام अबू दाऊद ने मरासिल में इस सनद के साथ नक़ल किया है, 'हद्वषना अबू तौबत हद्वषनल हैषमु यअनी इब्ने हुमैद अन प्रौरिन अन सुलैमानब्नि मूसा अन ताउसिन क़ाल कान रसूलुल्लाहि ۞ यज़उ यदहुल्युम्ना अला यदिहिल्युस्रा शुम्म यशुहु बैनहुमा अला म्दिरिही' (हवाला मज़कूर) यानी हमसे अबू तौबा ने बयान किया, वो कहते हैं कि हमसे हैशम यानी इब्ने हुमैद ने प्रौर से बयान किया, उन्होंने सुलेमान बिन मूसा से, उन्होंने ताउस से, वो नक़ल करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) नमाज़ में अपना दायाँ हाथ बाएँ हाथ पर रखते और उनको ख़ूब मज़बूती के साथ मिलाकर सीने पर बाँधा करते थे।

औनुल मा'बूद शरह अबू दाऊद के सफ़ा : 275 पर ये हदीष इसी सनद के साथ मौजूद है।

इمام बैहक्की (रह) फ़र्माते हैं कि ये हदीष मुरसलन है। इसलिए कि ताउस रावी ताबेई हैं और इसकी सनद हसन है और हदीषे मुरसल हज़रत इمام अबू हनीफ़ा (रह) इمام मालिक व इمام अहमद (रह) के नज़दीक मुत्तलक़न हुआ है। इمام शाफ़ई (रह) ने इस शर्त के साथ तस्लीम किया है। जब इसकी ताईद में कोई दूसरी रिवायत मौजूद हो। चुनाँचे इसकी ताईद हदीषे वाइल बिन हुज़र और हदीषे हलबताई से होती है जो ऊपर गुज़र चुकी हैं। पस इस हदीष से इस्तिदलाल बिलकुल दुरुस्त है कि नमाज़ में सीने पर हाथ बाँधना सुन्नत नबवी है।

चौथी दलील वो हदीष है जिसे हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि) ने आयते करीमा 'फ़मल्लि लि रब्बिक वन्हर' की तफ़्सीर में रिवायत किया है यानी 'ज़अ यदकल्युम्ना अलशिशमालि इन्दन्नहरि' यानी अपना दायाँ हाथ अपने बाएँ हाथ पर रखकर सीने पर बाँधो।

हज़रत अली (रज़ि) से भी इस आयत की तफ़्सीर इसी तरह मन्कूल है।

बैहक्की और इब्ने मुंज़िर और इब्ने अबी हातिम और दारे कुत्नी व अबुशशैख़ व हाकिम और इब्ने मदवैह ने उन हज़रात की इस तफ़्सीर को इन लफ़्ज़ों में नक़ल किया है।

हज़रत इمام तिर्मिज़ी (रह) ने इस बारे में फ़र्माया है, 'व राअ बअज़ुहुम अय्यज़हुमा फ़ौक़स्सुरति व राअ बअज़ुहुम अय्यजअहुमा तहतस्सुरति व कुल्लु ज़ालिक वासिअतुन इन्दहुम' यानी सहाबा (रज़ि) व ताबेईन में कुछ ने नाफ़ के ऊपर हाथ बाँधना इख़ितयार किया। कुछ ने नाफ़ के नीचे और इस बारे में उनके नज़दीक गुंजाइश है।

इख़ितालाफ़े मज़कूर अफ़ज़ लियत के बारे में है और इस बारे में ऊपर की तफ़्सील से ज़ाहिर हो गया कि अफ़ज़लियत और तरजीह सीने पर हाथ बाँधने को हासिल है।

नाफ़ के नीचे हाथ बाँधने वालों की बड़ी दलील हज़रत अली (रज़ि) का वो क़ौल है। जिसे अबू दाऊद और अहमद और इब्ने अबी शैबा और दारे कुत्नी और बैहक्की ने अबू जुहैफ़ा (रज़ि) से रिवायत किया है। कि 'इन्न अलिय्यन क़ाल अस्सुन्नतु वज़्जल्कफ़िफ़ तहतस्सुरति' यानी सुन्नत ये है कि दाएँ हाथ की कलाई को बाएँ हाथ की कलाई पर नाफ़ के नीचे रखा जाए।

अल्ल मुहहिषुल कबीर मौलाना अब्दुर्रहमान साहब मुबारक पूरी (रह) फ़र्माते हैं, 'कुल्लु फ़ी इस्नादि हाज़ल हदीषि अब्दुर्रहमानिब्नि इस्हाक़ अल वास्ती व अलैहि मदारु हाज़ल हदीषि व हुव ज़ईफ़ुन ला यस्लुहु लिल इहतिजाजि' यानी मैं कहता हूँ कि इस हदीष की सनद में अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ वास्ती है जिन पर इस रिवायत का दारोमदार है और वो ज़ईफ़ है। इसलिए ये रिवायत दलील पकड़ने के काबिल नहीं है।

इمام नववी (रह) फ़र्माते हैं, 'हुव हदीषुन मुत्तफ़कुन अला तज़ईफ़िही फ़अन्न अब्दर्रहमानिब्नि इस्हाक़ ज़इफ़ुन बिल इत्तिफ़ाक़' यानी इस हदीष के ज़ईफ़ होने पर सबका इत्तिफ़ाक़ है।

इन हज़रात की दूसरी दलील वो रिवायत है जिसे इब्ने अबी शैबा ने रिवायत किया है जिसमें रावी कहते हैं कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) को देखा आपने नमाज़ में अपना दायाँ हाथ बाएँ पर रखा और आपके हाथ नाफ़ के नीचे थे। इसके बारे में हज़रत

अल्लामा शैख मुहम्मद हयात सिंधी अपने मशहूर मकाला 'फतहुल गफूर फी वज्जल अयदी अलस्सुदूर' में फ़रमाते हैं कि इस रिवायत में ये तहतुस्सुरह (नाफ़ के नीचे) वाले अल्फ़ाज़ किताब के रावी ने भूल से लिख दिये हैं वरना मैंने मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा का सहीह नुस्खा खुद मुतालआ किया है और इस हदीष को इस सनद के साथ देखा है मगर उसमें तहतुस्सुरह के अल्फ़ाज़ मज़कूर नहीं हैं। उसकी मज़ीद ताईद मुस्नद अहमद की रिवायत से होती है जिसमें इब्ने अबी शैबा ही की सनद के साथ इसे नक़ल किया गया है और इसमें ये ज़्यादती लफ़ज़ तहतुस्सुरह वाली नहीं है, मुस्नद अहमद की पूरी हदीष ये है।

'हदःना वकीअ हदःना मूसब्नु इमैरिल अम्बरी अन अल्क़मतिब्नि वाइलिल हज़मी अन अबीहि क़ाल राइतु रसूलल्लाहि ﷺ वाज़िअन यमीनहु अला शिमालिही फ़िस्सलाति' यानी अल्क़मा बिन वाइल अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को नमाज़ में अपना दायाँ हाथ बाएँ पर रखे हुए देखा।

दारे कुत्नी में भी इब्ने अबी शैबा ही की सनद से ये रिवायत मज़कूर है, मगर वहाँ भी तहतुस्सुरह के अल्फ़ाज़ नहीं हैं। इस बारे में कुछ और आधार व रिवायात भी पेश की जाती हैं, जिनमें से कोई भी क़ाबिले हज़त नहीं है।

पस खुलासा ये कि नमाज़ में सीने पर हाथ बाँधना ही सुन्नत नबवी है और दलाइल की रू से उसी को तरजीह हासिल है। जो हज़रात इस सुन्नत पर अमल नहीं करते न करें मगर उनको चाहिए कि इस सुन्नत के अमल करने वालों पर ए' तिराज़ न करें, उन पर जुबाने तंज़ न खोलें। अल्लाह पाक जुम्ला मुसलमानों को नेक समझ अता करे कि वो इन फ़ुरूई मसाइल पर उलझने की आदत से ताइब होकर अपने दूसरे कलिमा गो भाईयों के लिए अपने दिलों में गुंजाइश पैदा करें। वल्लाहु हुवल मुवफ़िफ़क़

बाब 88 : नमाज़ में खुशूअ का बयान

٨٨- بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

(741) हमसे इस्माईल बिन अबी उवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक (रह.) ने अबुज़्ज़िनाद से बयान किया, उन्होंने अअरज से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम समझते हो कि मेरा मुँह उधर (क़िब्ले की तरफ़) है। अल्लाह की क़सम! तुम्हारा रुकूअ और तुम्हारा खुशूअ मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता रहता हूँ। (राजेअ: 418)

٧٤١- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((عَلَّ تَرَوْنَ قِبَلِي مَا هُنَا؟ وَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ، وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي)).

[راجع: ٤١٨]

आप मुझे नुबुव्वत से देख लिया करते थे और ये आपके मुअजिज़ात मे से हैं।

(742) हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे गुंदर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि मैंने क़तादा से सुना, वो अनस बिन मालिक (रज़ि.) से बयान करते थे और वो नबी करीम (ﷺ) से कि आपने फ़र्माया रुकूअ और सुजूद पूरी तरह किया करो। अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता रहता हूँ या इस

٧٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي - وَرَبَّمَا

तरह कहा कि पीठ पीछे से जब तुम रुकूअ करते हो और सज्दा करते हो (तो मैं तुम्हें देखता हूँ) (राजेअ : 419)

बाब 89 : इस बारे में कि तक्बीरे तहरीमा के बाद क्या पढ़ा जाए

(743) हमसे हफ़्स बिन उमर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअबा ने क़तादा (रज़ि.) के वास्ते से बयान किया, उन्होंने हज़रत अनस (रज़ि.) से कि नबी (ﷺ) और अबूबक्र और उमर (रज़ि.) नमाज़ (अल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन) से शुरू करते थे।

तशरीह : यानी कुआन की क़िरात सूरह फ़ातिहा से शुरू करते थे तो ये मनाफ़ी न होगी इस हदीष के जो आगे आती है। जिसमें तक्बीरे तहरीमा के बाद दुआ-ए-इस्तिफ़ताह पढ़ना मन्कूल है और अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन से सूरह फ़ातिहा मुराद है। उसमें उसकी नफ़ी नहीं है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम नहीं पढ़ते थे क्योंकि बिस्मिल्लाह सूरह फ़ातिहा की जुज़ है। तो मक्सूद ये है कि बिस्मिल्लाह पुकारकर नहीं पढ़ते थे। जैसे कि निसाई और इब्ने हिब्बान की रिवायत में है कि बिस्मिल्लाह को पुकारकर नहीं पढ़ते थे। रौज़ा में है कि बिस्मिल्लाह सूरह फ़ातिहा के साथ पढ़ना चाहिए। जहरी नमाज़ों में पुकारकर और सिरी नमाज़ों में आहिस्ता और जिन लोगों ने बिस्मिल्लाह का न सुनना नक़ल किया है वो आँहज़रत (ﷺ) के ज़माने में कमसिन थे जैसे अनस (रज़ि) और अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़ल और ये आख़िर सफ़ में रहते होंगे, शायद उनको आवाज़ न पहुँची होगी और बिस्मिल्लाह के जहर में बहुत हदीषें वारिद हैं। गो उनमें कलाम भी हो मगर इष्बात मुक़द्दम है नफ़ी पर। (वहीदी)

(744) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अम्पारा बिन क़अक्राअ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू जुआ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया, उन्होंने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तक्बीरे तहरीमा और क़िरात के बीच थोड़ी देर चुप रहते थे। अबू जुआ ने कहा मैं समझता हूँ अबू हुरैरह (रज़ि.) ने यूँ कहा या रसूलुल्लाह (ﷺ)! आप पर मेरे माँ-बाप फ़िदों हों। आप उस तक्बीर और क़िरात के दरम्यान की ख़ामोशी के बीच में क्या पढ़ते हैं? आपने फ़र्माया कि मैं पढ़ता हूँ (तर्जुमा) ऐ अल्लाह! मेरे और मेरे गुनाहों के दरम्यान इतनी दूरी कर जितनी मश्रिक और मरिब में है। ऐ अल्लाह! मुझे गुनाहों से इस तरह पाक कर जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल से पाक होता है। ऐ अल्लाह! मेरे गुनाहों को

قَالَ - مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ). [راجع: 419]

٨٩- بَابُ مَا يُقْرَأُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

٧٤٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غَمْرٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَتَّخِذُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدِ لَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

٧٤٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ

إِسْكَاتَةً - قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ هُنَيْةٌ فَقُلْتُ:

يَا أَيُّهَا أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِسْكَاتِكَ بَيْنَ

التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ أَقُولُ:

((اللَّهُمَّ بَاعِذْ بَيْنِي وَبَيْنَ عَطَايَايَ كَمَا

بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ

نَقِّنِي مِنَ الْعَطَايَا كَمَا نَقِّنِي مِنَ النَّوْبِ

الْأَيْتِئِينَ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَطَايَايَ

पानी, बर्फ और ओले से धो डाल।

بِالنَّاءِ وَالْفَلَجِ وَالْبَرْدِ)).

तरीह: दुआए इस्तिफ्ताह कई तरह पर वारिद है मगर सबसे सहीह दुआ यही है और सुबहानकल्लाहुम्मा जिसे उमूमन पढ़ा जाता है वो भी हज़रत आयशा (रज़ि) से मरवी है। मगर उस रिवायत की सनद में जुअफ़ है, बहरहाल इसे भी पढ़ा जा सकता है। मगर तरजीह इसी को हासिल है, और अहले हदीष का यही मा'मूल है।

बाब 90 :

(745) हमसे सईद बिन अबी मरयम ने बयान किया, कहा कि हमें नाफ़ेअ बिन उमर ने ख़बर दी, कहा कि मुझसे इब्ने अबी मुलैकाने अस्मा बिनते अबीबक्र से बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने सूरज गहन की नमाज़ पढ़ी। आप जब खड़े हुए तो देर तक खड़े रहे फिर रुकूअ में गए तो देर तक रुकूअ ही में रहे। फिर रुकूअ से सर उठाया तो देर तक खड़े ही रहे। फिर (दोबारा) रुकूअ में गए और देर तक रुकूअ की हालत में रहे और फिर सर उठाया, फिर सज्दा किया और देर तक सज्दा में रहे। फिर सर उठाया और फिर सज्दा किया और देर तक सज्दे में रहे फिर खड़े हुए और देर तक खड़े ही रहे। फिर रुकूअ किया और देर तक रुकूअ ही में रहे। फिर आपने सर उठाया और देर तक खड़े रहे। फिर (दोबारा) रुकूअ किया और आप देर तक रुकूअ की हालत में रहे। फिर सर उठाया, फिर आप सज्दे में चले गए और देर तक सज्दे ही में रहे। फिर सर उठाया फिर सज्दे में चले गए और देर तक सज्दे में रहे। जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो फ़र्माया कि जन्नत मुझसे इतनी नज़दीक हो गई थी कि अगर मैं चाहता तो उसके खोशों में से कोई खोशा तुमको तोड़कर ला देता और मुझसे दोज़ख़ भी इतनी करीब कर दी गई थी कि मैं बोल पड़ा कि मेरे मालिक मैं तो इसमें से नहीं हूँ? मैंने वहाँ एक औरत को देखा। नाफ़ेअ बयान करते हैं कि मुझे ख़याल है कि इब्ने अबी मुलैकाने बतलाया कि उस औरत को एक बिल्ली नोच रही थी, मैंने पूछा कि उसकी क्या वजह है? जवाब मिला कि उस औरत ने उस बिल्ली को बाँधे रखा था यहाँ तक कि वो भूख की वजह से मर गई, न तो उसने उसे खाना दिया और न छोड़ा कि वो खुद कहीं से खा लेती। नाफ़ेअ ने बयान किया कि मेरा ख़याल है कि इब्ने अबी मुलैकाने यँ कहा कि न छोड़ा कि वो ज़मीन के कीड़े वगैरह खा लेती।

(दीगर मक़ाम : 2364)

باب - ٩٠

٧٤٥- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الْكُوفِ، فَقَامَ قَائِمًا الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ قَائِمًا الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ قَائِمًا الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ قَائِمًا الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ قَائِمًا السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ رَكَعَ قَائِمًا الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ قَائِمًا الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ قَائِمًا الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ قَائِمًا السُّجُودَ، ثُمَّ انصَرَفَ فَقَالَ: ((قَدْ دَنَّتْ مِنِّي الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ بِقَطَافٍ مِنْ فِطَافِهَا. وَدَنَّتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ: أَيُّ رَبِّ أَوْ أَنَا مَعَهُمْ؟ فَإِذَا امْرَأَةٌ - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - تَحْدِثُهَا هِرَّةٌ، قُلْتُ: مَا شَأْنُ هِرَّةٍ؟ قَالُوا: حَسِبْتُهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، لَا أَطْعَمْتُهَا، وَلَا أَرْسَلْتُهَا تَأْكُلُ)) - قَالَ نَافِعٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - : مِنْ خَشْيَتِي أَوْ خَشْيَتِي.

[طرفه ن : ٢٣٦٤].

तशरीह:

सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण दोनों मौक़े पर नमाज़ का यही तरीक़ा है। नमाज़ के बाद ख़ुत्बा और दुआ भी प्राबित है। इस रिवायत से ये भी मा'लूम हुआ कि जो जानवरों पर जुल्म करेगा आख़िरत में उसे इसका भी बदला लिया जाएगा। हाफ़िज़ ने इब्ने रशीद से हदीष और बाब में मुताबक़त यूँ नक़ल की है कि आप (ﷺ) की मुनाजात और मेहरबानी की दरख़वास्त ऐन नमाज़ के अंदर मज़कूर है तो मा'लूम हुआ कि नमाज़ में हर किस्म की दुआ करना दुरुस्त है। बशर्त कि वो दुआएँ शरई हूदूद में हों।

बाब 91 : नमाज़ में इमाम की

तरफ़ देखना

और हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने सूरज गहन की नमाज़ में फ़र्माया कि मैंने जहन्नम देखी। उसका कुछ हिस्सा कुछ को खाए जा रहा था। जब मैंने देखा तो मैं (नमाज़ में) पीछे सरक गया।

(746) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वाहिद ने बयान किया, कहा कि हमसे अज़मश ने इमारा बिन इमैर से बयान किया, उन्होंने (अब्दुल्लाह बिन मुन्ज़िर) अबू मअमर से, उन्होंने बयान किया कि हमने ख़ब्बाब बिन अरत (रज़ि.) सहाबी से पूछा क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) जुहर और अस् की रकअतों में (फ़ातिहा के सिवा) और कुछ क़िरअत करते थे? उन्होंने फ़र्माया कि हाँ! हमने कहा कि लोग ये बात किस तरह समझ जाते थे। फ़र्माया कि आपकी दाढ़ी मुबारक के हिलने से। (दीगर मक़ाम : 760, 761, 777)

तशरीह:

यहीं से बाब का तर्जुमा निकला क्योंकि दाढ़ी का हिलना उनको बग़ैर इमाम की तरफ़ देखे क्यूँकर मा'लूम हो सकता था। बहरहाल नमाज़ में नज़र इमाम पर रहे या मुक़ामे सज्दा पर रहे इधर-उधर न झांकना चाहिए।

(747) हमसे हज़ाज बिन मिन्हाल ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमें अबू इस्हाक़ अम्र बिन अब्दुल्लाह सबीई ने ख़बर दी, कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन यज़ीद (रज़ि.) से सुना कि आप ख़ुत्बा दे रहे थे। आपने बयान किया, कि हमसे बराअ बिन अज़िब (रज़ि.) ने बयान किया—और वो झूठे नहीं थे—कि जब वो (सहाबा) नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ते तो आँहज़रत (ﷺ) के रूकूअ से सर उठाने के बाद उस वक़्त तक खड़े रहते जब तक देखते कि आप सज्दे में चले गए हैं (उस वक़्त वो भी सज्दे में जाते) (राजेअ : 690)

91- بَابُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الْإِمَامِ

فِي الصَّلَاةِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْكُوفِ : ((فَرَأَيْتُمْ جَهَنَّمَ يَخْطِمْ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأْخُذُ)).

٧٤٦- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْنَا لِسَعْدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو: أَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْنَا: بِمَ كُتِّمْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلِكَ؟ قَالَ: بِأَضْطِرَابٍ لِحَيْبِهِ. [أطرافه في: ٧٦٠، ٧٦١، ٧٧٧].

٧٤٧- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أُنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَخْطُبُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَرَفَعُوا رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا: قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ لَدَى سَجْدَةٍ.

[راجع: ٦٩٠]

(748) हमसे इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे इमाम मालिक ने जैद बिन असलम से बयान किया, उन्होंने अत्ता बिन यसार से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से, उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) के अहद में सूरज गहन हुआ तो आपने गहन की नमाज़ पढ़ी। लोगों ने पूछा कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! हमने देखा कि (नमाज़ में) आप अपनी जगह से कुछ लेने को आगे बढ़े थे फिर हमने देखा कि कुछ पीछे हटे। आपने फ़र्माया कि मैंने जन्नत देखी तो उसमें से एक ख़ोशा लेना चाहा और अगर मैं ले लेता तो उस वक़्त तक तुम उसे खाते रहते जब तक दुनिया मौजूद है।

۷۴۸- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ غَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَصَلَّى، فَأَلْوَا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأْيَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَيْتَاكَ تَكْتَعِمُ. فَقَالَ: ((إِنِّي أُرَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عِنُقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُه لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيََتِ الدُّنْيَا)).

वो कभी फ़ना न होता क्योंकि जन्नत को खुलूद है। बाब का तर्जुमा इस क़ौल से निकलता है कि हमने आपको देखा।

(749) हमसे मुहम्मद बिन सिनान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे फुलैह बिन सुलैमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे बिलाल बिन अली ने बयान किया अनस बिन मालिक (रज़ि.) से। आपने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने हमको नमाज़ पढ़ाई। फिर मिम्बर पर तशरीफ़ लाए और अपने हाथ से क़िब्ला की तरफ़ इशारा करके फ़र्माया कि अभी जब मैं नमाज़ पढ़ा रहा था तो जन्नत और जहन्नम को उस दीवार पर देखा। उसकी तस्वीरें उस दीवार में क़िब्ले की तरफ़ नमूदार हुईं तो मैंने आज की तरह ख़ैर और शर कभी नहीं देखी। आपने क़ौले मज़कूर तीन बार फ़र्माया। (राजेअ: 93)

۷۴۹- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالٌ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ رَفَى الْمِنْبَرَ فَأَشَارَ بِيَدَيْهِ لِقِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ: ((لَقَدْ رَأَيْتُ الْآنَ - مِنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمْ - الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مُسْتَلْتِنِينَ فِي قِبْلَةِ هَذَا الْجِدَارِ، فَلَمْ أَرْ كَأَنِّي لَمْ أَرِ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ)). ثَلَاثًا. [راجع: ۹۳]

ख़ैर जन्नत और शर दोज़ख़ मतलब ये कि बहिश्त से बेहतर कोई चीज़ मैंने नहीं देखी और दोज़ख़ से बुरी कोई चीज़ नहीं देखी। इस हदीष में इमाम के आगे देखना मज़कूर है और जब इमाम को आगे देखना जाइज़ हुआ तो मुक्तदी को भी अपने आगे यानी इमाम को देखना जाइज़ होगा। हदीष और बाब में यही मुताबक़त है।

बाब 92 : नमाज़ में आसमान की तरफ़ नज़र

उठाना कैसा है?

(750) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सईद बिन मेह्रान इब्ने अबी इरूबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे क़तादा ने बयान किया कि अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने उनसे बयान किया कि नबी करीम

۹۲- بَابُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ

فِي الصَّلَاةِ . . .

۷۵۰- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُرْوَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا

(ﷺ) ने फ़र्माया। लोगों का क्या हाल है जो नमाज़ में अपनी नज़रें आसमान की तरफ़ उठाते हैं। आपने उससे निहायत सख्ती से रोका। यहाँ तक कि आपने फ़र्माया कि लोग इस हरकत से बाज़ आ जाएँ वरना उनकी बीनाई उचक ली जाएगी।

بَانَ الْقَوْمِ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ؟)) فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ: ((لَيْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَعَطْفَنَ أَبْصَارَهُمْ)).

फ़रिश्ते अल्लाह के हुक्म से उसकी बीनाई (आँखों की रोशनी) छीन लेंगे। हाफ़िज़ (रह) ने कहा ये कराहत महमूल है इस हालत पर जब नमाज़ में दुआ की जाए जैसे मुस्लिम में इन्दद दुआ का लफ़्ज़ ज्यादा है। ऐनी ने कहा कि ये मुमानअत है नमाज़ में दुआ के वक़्त हो या और किसी वक़्त। इमाम इब्ने हज़म ने कहा ऐसा करने से नमाज़ बातिल हो जाती है।

बाब 93 : नमाज़ में इधर-उधर देखना कैसा है?

(751) हमसे मुसहद बिन मुसहिद ने बयान किया, कहा कि हमसे अबुल अहवस सलाम बिन सुलैम ने बयान किया, कहा कि हमसे अशअष बिन सुलैम ने बयान किया अपने वालिद के वास्ते से, उन्होंने मसरूक़ बिन अज़दअ से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से आपने बतलाया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से नमाज़ में इधर-उधर देखने के बारे में पूछा। आपने फ़र्माया कि ये तो डाका है जो शैतान बन्दे की नमाज़ पर डालता है।

(दीगर मक़ाम : 3291)

इसको इल्तिफ़ात कहते हैं यानी बग़ैर गर्दन या सीना मोड़े इधर उधर झांकना नमाज़ में ये सख्त मना है। पहले सहाबा नमाज़ में इल्तिफ़ात किया करते थे जब आयते करीमा क्रद अफ़्लह मूमिनूनल्लज़ीन हुम फ़ी मलातिहिम खाशिऊन (अल् मोमिनून : 1) नाज़िल हुई तो वो इससे रुक गये और नज़रों को मुक़ामे सज्दा पर रखने लगे। हदीष में आया है कि जब नमाज़ी बार बार इधर उधर देखता है तो अल्लाह पाक भी अपना चेहरा उसकी तरफ़ से फेर लेता है रवाहुल बज़ार अन जाबिर।

(752) हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उययना ने जुहरी से बयान किया, उन्होंने इर्वा से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने एक धारीदार चादर में नमाज़ पढ़ी। फिर फ़र्माया कि उसके नक़शो-निगार ने मुझे गाफ़िल कर दिया। इसे ले जाकर अबू जहम को वापस कर दो और उनसे (बजाए इसके) सादी चादर माँग लाओ। (राजेअ : 373)

ये चादर अबू जहम ने आपको तोहफ़े में दी थी। मगर उसके नक़श व निगार आपको पसंद नहीं आए क्योंकि उनकी वजह से नमाज़ के खुशूअ व खुजूअ में फ़र्क़ आ रहा था। इसलिये आपने उसे वापस करा दिया। मा'लूम हुआ कि नमाज़ में गाफ़िल करने वाली कोई चीज़ न होनी चाहिए।

93- بَابُ الْإِطْفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

٧٥١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْإِطْفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: ((هُوَ إِخْلَاصٌ يَخْتَلِصُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ)).

[طرفه في : 3291].

٧٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ غُرَّةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى لِي خِيَصَةَ لَهَا أَعْلَامٌ فَقَالَ: ((شَفَلْتِي أَعْلَامٌ هَذِهِ، اذْفَرُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأَتَوَيْ بِأَنْبِجَانِي)).

[راجع : 373]

बाब 94 : अगर नमाज़ी पर कोई हादसा हो या नमाज़ी कोई बुरी चीज़ देखे या क़िब्ले की दीवार पर थूक देखे (तो इल्तिफ़ात में कोई क़बाहत नहीं)

और सहल बिन सअद ने कहा अबूबक्र (रज़ि.) ने इल्तिफ़ात किया तो आँहज़रत (ﷺ) को देखा।

(753) हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष बिन सअद ने नाफ़ेअ से बयान किया, उन्होंने इब्ने उमर (रज़ि.) से आपने बतलाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मस्जिद में क़िब्ले की दीवार पर रेंट देखी। आप उस वक़्त लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे। आपने (नमाज़ ही में) रेंट को खुरच डाला। फिर नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद आपने फ़र्माया कि जब कोई नमाज़ में होता है तो अल्लाह तआला उसके मुँह के सामने होता है। इसलिए कोई शख्स सामने की तरफ नमाज़ में न थूके। इस हदीष की रिवायत मूसा बिन उक्बरा और अब्दुल अज़ीज़ इब्ने अबी रव्वाद ने नाफ़ेअ से की। (राजेअ : 406)

बाब और हदीष में मुताबक़त ये है कि आँहज़रत (ﷺ) ने बहालते नमाज़ मस्जिद की क़िब्ला रुख़ दीवार पर बलग़म देखा और आपको उसकी नागवारी का बहुत सख़्त एहसास हुआ, ऐसी हालत में आपने उसकी तरफ़ इल्तिफ़ात फ़र्माया तो ऐसा इल्तिफ़ात (कनखियों से देखना) जाइज़ है। हदीष से साफ़ ज़ाहिर है कि हालते नमाज़ ही में आपने उसको साफ़ कर डाला था।

(754) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष बिन सअद ने बयान किया, उन्होंने अक़ील बिन ख़ालिद से बयान किया, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने कहा कि मुझे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने ख़बर दी कि (हुज़ूर ﷺ के मर्जुल वफ़ात में) मुसलमान फ़ज़्र की नमाज़ पढ़ रहे थे, अचानक रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) के हुज़े से पर्दा हटाया, आपने सहाबा को देखा। सब लोग सफ़े बौंधे हुए थे। आप (ख़ुशी से) ख़ूब ख़ुलकर मुस्कुराए और अबूबक्र (रज़ि.) ने (आपको देखकर) पीछे हटना चाहा ताकि सफ़ में मिल जाएँ। आपने समझा कि आँहज़रत (ﷺ) तशरीफ़ ला रहे हैं। सहाबा (आपको देखकर ख़ुशी से इस क़द्र बेकरार हुए कि गोया) नमाज़ ही छोड़ देंगे। लेकिन आँहज़रत (ﷺ) ने इशारा किया कि अपनी

۹۴- بَابُ هَلْ يَلِغْتُ لِأَمْرِ يَنْزِلُ بِهِ، أَوْ يَرَى شَيْئًا أَوْ بَصَافًا فِي

الْقِبْلَةِ

وَقَالَ سَهْلٌ: لَقِيَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَأَى النَّبِيَّ ﷺ.

۷۵۳- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نُحَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ فَحَثَّهَا، ثُمَّ قَالَ حِينَ أَنْصَرَفَ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ قَبَلَ وَجْهَهُ، فَلَا يَتَسَخَّمَنَّ أَحَدٌ قَبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ)). رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ أَبِي رَوَادٍ عَنْ

نَافِعٍ. [راجع: ۴۰۶]

۷۵۴- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْبِ بْنِ أَبِي شَيْهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: بَيْنَمَا الْمُسْلِمُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ لَمْ يَفْجَأَهُمْ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ، فَتَسَمَّ بِضَحْكَ، وَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عَقْبَيْهِ لِيَصِلَ لَهُ الصَّفُّ، فَظَنَّ أَنَّهُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ، وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ

नमाज़ पूरी कर लो और पर्दा डाल लिया। उसी दिन चाश्त को आपने वफ़ात पाई।

(राजेअ: 680)

तशरीह:

बाब का तर्जुमा यूँ निकला कि सहाबा ने ऐन नमाज़ में इल्तिफ़ात किया क्योंकि अगर वो इल्तिफ़ात न करते तो आपका पर्दा उठाना क्यूँकर देखते और उनका इशारा कैसे समझते। बल्कि खुशी के मारे हाल ये हुआ कि करीब था वो नमाज़ को भूल जाएँ और आँहज़रत (ﷺ) के दीदार के लिए दौड़ें। इसी हालत को उन लफ़्ज़ों से ता'बीर किया गया कि मुसलमानों ने ये क्रुद (इरादा) किया कि वो फ़िल्ने में पड़ जाएँ। बहरहाल ये मख़सूस हालात हैं। वरना आम तौर पर नमाज़ में इल्तिफ़ात जाइज़ नहीं जैसा कि हदीषे साबिका में गुज़रा। कुर्आन मजीद में इशादि बारी है वक़ूम लिह्लाहि क्रानित्तीन (अल् बकर: 238) यानी नमाज़ में अल्लाह के लिए दिली तवज्जह के साथ फ़र्माबरदार बन्दे बनकर खड़े हुआ करो। नमाज़ की रूह यही है कि अल्लाह को हाज़िर नाज़िर यक़ीन करके उससे दिल लगाया जाए। आयते शरीफ़ा अल्लज़ीन हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन (अल् मोमिनून: 2) का यही तकाज़ा है।

बाब 95 इمام और मुक्तदी के लिए क़िरअत ← **۹۵- بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ**
का वाजिब होना, हज़र और सफ़र हर हालत में,
सिरी और जहरी सब नमाज़ों में
وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي
الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَمَا يُجَهَّرُ فِيهَا
وَمَا يُخَافَتُ

क़िरअत से सूरह फ़ातिहा का पढ़ना मुराद है। जैसा कि अगली हदीस में आ रही है कि सूरह फ़ातिहा पढ़े बग़ैर नमाज़ नहीं होती (755) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू अवाना वज्जाह यश्करी ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल मलिक बिन इमर ने जाबिर बिन समुरा (रज़ि.) से बयान किया, कहा कि अहले कूफ़ा ने हज़रत सअद बिन अबी वक्रास (रज़ि.) की हज़रत इमर फ़ारूक़ (रज़ि.) से शिकायत की। इसलिए हज़रत इमर (रज़ि.) ने उनको अलग करके हज़रत अम्मार (रज़ि.) को कूफ़ा का हाकिम बनाया, तो कूफ़ा वालों ने सअद के बारे में यहाँ तक कह दिया कि वो तो अच्छी तरह नमाज़ भी नहीं पढ़ा सकते। चुनौचे हज़रत इमर (रज़ि.) ने उनको बुला भेजा। आपने उनसे पूछा कि ऐ अबू इस्हाक़! इन कूफ़ावालों का ख़याल है कि तुम अच्छी तरह नमाज़ नहीं पढ़ा सकते हो। इस पर आपने जवाब दिया कि अल्लाह की क्रसम! मैं तो इन्हें नबी करीम (ﷺ) ही की तरह नमाज़ पढ़ाता था, उसमें कोताही नहीं करता इशा की नमाज़ पढ़ाता तो उसकी पहली दो रकअत में (क़िरअत) लम्बी करता और दूसरी दो रकअतें हल्की पढ़ाता। हज़रत इमर (रज़ि.) ने कहा कि ऐ अबू इस्हाक़! मुझको तुमसे उम्मीद भी यही थी। फिर आपने हज़रत सअद (रज़ि.) के साथ एक या कई

يَفْتَبُوا فِي صَلَاتِهِمْ، فَلَشَارَ إِلَيْهِمْ أَيْمُوا
 صَلَاتِكُمْ، فَأَزْحَى السَّرَّ، وَتَوَلَّى مِنْ
 آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ. [راجع: ٦٨٠]

۷۵۵- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
 عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ
 عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: شَكَأ أَهْلُ
 الْكُوفَةِ مَعْنًا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
 فَعَزَلَهُ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَارًا، فَشَكُوا
 حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي. فَأَرْسَلَ
 إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ هَؤُلَاءِ
 يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّي. قَالَ أَمَا
 أَنَا وَاللَّهِ فَإِنِّي كُنْتُ أَصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَخْرَمَ عَنْهَا، أَصَلِّي
 صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَأَرْكَدُ فِي الْأَوْتَيْنِ وَأَخِيفُ
 فِي الْأَخْرَتَيْنِ. قَالَ: ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا
 إِسْحَاقَ. فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا - أَوْ رَجُلًا -

आदमियों को कूफ़ा भेजा। क़ासिद ने हर मस्जिद में जाकर उनके बारे में पूछा। सबने आपकी ता'रीफ़ की लेकिन जब मस्जिद बनी अबस में गए तो एक शख़्स जिसका नाम उसामा बिन क़तादा और कुत्रियत अबू सअदा थी खड़ा हुआ। उसने कहा कि जब आपने अल्लाह का वास्ता देकर पूछा है तो (सुनिये कि) सअद न फ़ौज के साथ खुद जिहाद करते थे, न माले ग़नीमत की तक्रसीम सहीह करते थे और न फ़ैसले में अदलो-इंसाफ़ करते थे। हज़रत सअद (रज़ि.) ने (ये सुनकर) फ़र्माया कि अल्लाह की क़सम! मैं (तुम्हारी इस बात पर) तीन दुआएँ करता हूँ। ऐ अल्लाह! अगर तेरा ये बन्दा झूठा है और सिर्फ़ रिया व नुमूद के लिए खड़ा हुआ है तो उसकी उम्र दराज़ (लम्बी) कर और उसे ख़ूब मुहताज बना और उसे फ़िल्लों में मुब्तला कर। उसके बाद (वो शख़्स इस दर्जा बदहाल हुआ कि) जब उससे पूछा जाता तो कहता कि एक बूढ़ा बदहाल इंसान हूँ मुझे सअद (रज़ि.) की बद्दुआ लग गई। अब्दुल मलिक ने बयान किया कि मैंने उसे देखा उसकी भवें बुढ़ापे की वजह से आँखों पर आ गई थीं। लेकिन अब भी रास्तों में वो लड़कियों को छेड़ता।

(दीगर मक़ाम : 758, 770)

إِلَى الْكُوفَةِ تَسْأَلُ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ، وَلَمْ يَدْغُ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثَوِّنُ عَلَيْهِ مَعْرُوفًا. حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبَسَ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أَسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ قَالَ: أَمَا إِذْ نَشَدْنَا فَإِن سَعَدًا لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلَا يَقْسِمُ بِالسُّوِيَّةِ، وَلَا يَغْدُلُ فِي الْقَضِيَّةِ. قَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللَّهِ لَأَدْعُونَ بِثَلَاثٍ: اللَّهُمَّ إِن كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسَمْعَةً فَأَطِلْ عَمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرَضْهُ بِالْفِتَنِ. وَكَانَ بَعْدَ إِذَا سِيلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَثِيرٌ مَقْتُونٌ، أَصَابَنِي دَعْوَةُ سَعْدِ. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدَ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ، وَإِنَّ لِيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطَّرِيقِ يَغْمِزُهُنَّ.

[طرفاه في : ٧٥٨، ٧٧٠.]

तशरीह :

हज़रत सअद (रज़ि) ने नमाज़ की जो तफ़्सील बयान की और उसको नबी (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब किया इसी से बाब के तमाम मक़ासिद प्राबित हो गये। हज़रत सअद बिन अबी वक्कास (रज़ि) अशर-ए-मुबशशरा में से हैं, ये मुस्तजाबुद्अवात थे, आँहज़रत (ﷺ) ने उनके लिए दुआ फ़र्माई थी। अहदे फ़ारूकी में ये कूफ़ा के गवर्नर थे। मगर कूफ़ा वालों की बेवफ़ाई मशहूर है। उन्होंने हज़रत सअद (रज़ि) के ख़िलाफ़ झूठी शिकायतें कीं। आख़िर हज़रत उमर (रज़ि) ने वहाँ के ह़ालात का अंदाज़ा फ़र्माकर हज़रत अम्मार (रज़ि) को नमाज़ पढ़ाने के लिए और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसरूद (रज़ि) को बैतुलमाल की हिफ़ाज़त के लिए मुकर्रर फ़र्माया। हज़रत सअद (रज़ि) की फ़ज़ीलत के लिए ये काफ़ी है कि जंगे उहूद में उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) के बचाव के लिए बेनज़ीर जुअत का षुबूत दिया। जिससे खुश होकर आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ सअद! तीर चला, तुझ पर मेरे माँ बाप फ़िदा हों। ये फ़ज़ीलत किसी और सहाबी को नज़ीब नहीं हुई। जंगे ईरान में उन्होंने शुजाअत के वो जौहर दिखलाए जिनसे इस्लामी तारीख़ भरपूर है। सारे ईरान पर इस्लामी परचम लहरा दिया। रुस्तेमे प्राणी को मैदाने कारज़ार में बड़ी आसानी से मार लिया। जो अकेला हज़ार आदमियों के मुकाबले पर समझा जाता था।

हज़रत सअद (रज़ि) ने उसामा बिन क़तादा कूफ़ी के हक़ में बद्दुआ की जिसने आप पर इल्ज़ामात लगाए थे। अल्लाह तआला ने हज़रत सअद (रज़ि) की दुआ कुबूल की और वो नतीजा हुआ जिसका यहाँ ज़िक्र मौजूद है।

मा'लूम हुआ कि किसी पर नाहक़ कोई इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसी ह़ालत में मज़लूम की बद्दुआ से डरना इमान की ख़ासियत है।

(756) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफयान बिन उययना ने बयान किया, कहा कि हमसे जुहरी ने बयान किया महमूद बिन रबीआ से, उन्होंने हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) से कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख्स ने सूरह फ़ातिहा न पढ़ी उसकी नमाज़ नहीं हुई।

٧٥٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ مَخْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)).

तशरीह: इमाम के पीछे जहरी और सिरी नमाज़ों में सूरह फ़ातिहा पढ़ना एक ऐसा मसला है जिसके शुबूत बहुत सी अहदादीषे सहीहा से प्राबित है। बावजूद इस हकीकत के फिर ये एक मअरका आरा बहष चली आ रही है। जिस पर बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं। जो हज़रत इसके क़ाइल नहीं है। उनमें कुछ का ग़ुलू तो यहाँ तक बढ़ा हुआ है कि वो इसे हरामे मुत्लक़ करार देते हैं और इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा पढ़ने वालों के बारे में यहाँ तक कह जाते हैं कि क़यामत के दिन उनके मुँह में आग के अंगारे भरे जाएँगे। नरज़ुबिल्लाह मिन्हु। इसीलिए मुनासिब मा'लूम हुआ कि इस मसले की कुछ वज़ाहत कर दी जाए ताकि क़ाइलीन और मानेईन के दरम्यान निफ़ाक़ की ख़लीज़ कुछ न कुछ कम हो सके।

यहाँ हज़रत इमाम बुखारी (रह) जो हदीष लाए हैं उसके ज़ेल में हज़रत मौलाना अबैदुल्लाह साहब शैखुल हदीष मुबारकपुरी महज़िल्लुहू फ़र्माते हैं,

'व सुम्मियत फ़ातिहतुल किताबि लिअन्नहू युब्दउ बिकिताबतिहा फ़िलमुसाहिफ़ि व युब्दउ बिकिरअतिहा फ़िस्सलाति व फ़ातिहतु कुल्लि शैइन मब्दउहूल्लज़ी युफ्तहु बिही मा बअदहू इफ्ततह फ़ुलानुन कज़ा इब्दअ बिही क़ालबु ज़रीर फ़ी तफ़सीरिही (जिल्द 1 स. 25) व सुम्मियत फ़ातिहतुल किताबि लिअन्नहू युफ्ततहु बिकिताबतिहल मुसाहिफ़ि व युक्नर बिहा फ़िस्सलाति फ़हिय फ़वातिहु लिमा यतलूहा मिन सुवरिल कुआनि फ़िल किताबि वल किराति व सुम्मियत उम्मुल कुआनि लितकहुमिहा अला सुवरि साइरिल कुआनि ग़ैरहा व तअख़बरा मा सिवाहा फ़िल किराति वल किताबति अल्ख़' (अल् मिआत जिल्द नं. पेज नं. 583)

ख़ुलासा इस इबारात का ये कि सूरह अल्हन्दु शरीफ़ का नाम फ़ातिहातुल किताब इसलिए रखा गया कि कुआन मजीद की किताबत इसी से शुरू होती है और नमाज़ में क़िरात की इब्तिदा भी इसी से की जाती है। अल्लामा इब्ने ज़रीर ने भी अपनी तफ़सीर में यही लिखा है। इसको उम्मुल कुआन इसलिए कहा गया कि किताबत और क़िरात में ये इसकी तमाम सूरतों पर मुकद्दम है और सारी सूरतें इसके बाद हैं। ये हदीष इस अमर पर दलील है कि नमाज़ में सूरह फ़ातिहा फ़र्ज़ है और ये नमाज़ के अरकान में से है। जो इसे न पढ़े उसकी नमाज़ सहीह न होगी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिष देह्लवी ने भी अपनी मशहूर किताब हज्जतुल्लाहिल बालिगा (जिल्द 2 पेज नं. 4) पर इसे नमाज़ का अहम रुकन तस्लीम किया है। इसलिए कि ये हदीष आम है। नमाज़ चाहे फ़र्ज़ हो चाहे नफ़्ल, और वो शख्स इमाम हो या मुक्तदी, या अकेला। यानी किसी शख्स की कोई नमाज़ भी बग़ैर फ़ातिहा पढ़े नहीं होगी।

चुनाँचे मशहूर शारेहे बुखारी हज़रत अल्लामा क़स्तलानी (रह) शरह सहीह बुखारी जिल्द 2 पेज नं. 439 में इस हदीष की वज़ाहत करते हुए लिखते हैं। 'अय फ़ी कुल्लि रकअतिन मुन्फ़रिदन औ इमामन औ मामूमन सवाउन असर्ल्इमामु औ जहर' यानी इस हदीष का मक़सद ये है कि हर रकअत में (हर नमाज़ी को) ख़वाह अकेला हो या इमाम, या मुक्तदी, ख़वाह आहिस्ता पढ़े या बुलन्द आवाज़ से सूरह फ़ातिहा पढ़ना ज़रूरी है।

नीज़ इसी तरह अल्लामा किरमानी (रह) फ़र्माते हैं,

'व फ़िल हदीषि (अय हदीषु उबादत) दलीलुन अला अन्न क़िरातलफ़ातिहति वाजिबतुन अलल इमामि वल मुन्फ़रिदि वल मामूमि फ़िस्सलवाति कुल्लिहा' (उम्दतुल क़ारी शरह सहीह बुखारी जिल्द नं. 3 पेज नं. 63) यानी हज़रत उबादा (रज़ि) की ये हदीष इस अमर पर साफ़ दलील है कि सूरह फ़ातिहा का पढ़ना इमाम और अकेले और मुक्तदी सबके लिए तमाम नमाज़ों में वाजिब है। नीज़ उम्दतुल क़ारी शरह सहीह बुखारी जिल्द 3 पेज नं. 64 में लिखते हैं। हन्फ़ियों के मशहूर शारेह

बुखारी इमाम महमूद अहमद ऐनी मुतवफ्फा 855 हिजरी

'इस्तदल्ल बिहाज़ल हदीषि अब्दुल्लाहिब्निल मुबारक वल औजाई व मालिक वशशाफ़िड व अहमद व इस्हाक़ व अबू शौर व दाऊद अला वुजूबि किरातिल फ़ातिहति खल्फल इमामि फ़ी जमीइस्सलवाति' यानी इस हदीष (हज़रत उबादह रज़ि) से इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक, इमाम औजाई, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद, इमाम इस्हाक़, इमाम अबू शौर, इमाम दाऊद (रह) ने (मुक्तदी के लिए) इमाम के पीछे तमाम नमाज़ों में सूरह फ़ातिहा पढ़ने के वजूब पर दलील पकड़ी है।

इमाम नववी (रह) अल मज्मूआ शरह मुहज़ब जिल्द 3 पेज नं. 326 मिस्री में फ़र्माते हैं।

'व किरातुल फ़ातिहति लिल क़ादिर अलैहा फ़र्ज़ुमिन फ़रूज़िस्सलाति व रुक्नुमिन अक़ानिहा व मुतअय्यनतुन लि यक़ूम मक़ामहा तर्जमतुहा बिग़ैरिल अरबिय्यति व ला किराति ग़ैरिहा मिनल कुआनि व यस्तवी फ़ी तअय्युनिहा जमीअस्सलवाति फ़र्ज़हा व नज़लुहा जहरुहा व सिरुहा वरज़ुलु वल्मरातु वल्मुसाफ़िरु, वस्सबिय्यु वल्काइमु वल्काइदु वल्मुज्तज़िउ व फ़ी हालि शिदतिल ख़ौफ़ि व ग़ैरिहा सवाउन फ़ी तअय्युनिहा अल इमामु वल्मामूमु वल्मुन्फ़रिदु' यानी जो शख्स सूरह फ़ातिहा पढ़ सकता है (यानी इसको ये सूरह याद है) उसके लिये इसका पढ़ना नमाज़ के फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ और नमाज़ के अरकान में से एक रुकन है और ये सूरह फ़ातिहा नमाज़ में ऐसी मुअय्यन (निर्धारित) है कि न तो उसकी बजाय ग़ैर अरबी में इसका तर्जुमा कायम मुक़ाम हो सकता है और न ही कुआन मजीद की कोई दीगर आयत और इस तअय्युने फ़ातिहा में तमाम नमाज़ें बराबर हैं फ़र्ज़ हों या नफ़्ल, जहरी हों, या सिरी और मर्द, औरत, मुसाफ़िर लड़का (नाबालिग़) और खड़ा होकर नमाज़ पढ़ने वाला और बैठकर या लेटकर नमाज़ पढ़ने वाला सब इस हुकम में बराबर हैं और इस तअय्युने फ़ातिहा में इमाम, मुक्तदी और अकेला नमाज़ पढ़ने वाला (भी) बराबर हैं।

हदीष और शारेहीने हदीष की इस क़दर खुली हुई वज़ाहत के बावजूद कुछ हज़रात कह दिया करते हैं कि इस हदीष में इमाम या मुक्तदी या मुफ़रिद का ज़िक्र नहीं। इसलिए इससे मुक्तदी के लिये सूरह फ़ातिहा की फ़र्ज़ियत प्राबित नहीं होगी। इसके जवाब के लिए नीचे लिखी हदीष मुलाहज़ा हो, जिसमें साफ़ लफ़्ज़ों में मुक्तदियों का ज़िक्र मौजूद है।

'अन उबादतब्निस्सामिति क़ाल कुत्रा खल्फ़रसूलिल्लाहि ﷺ फ़ी सलातिल फ़ज्रि फ़करअरसूलुल्लाहि ﷺ फ़फ़कुलत अलैहिल किरातु फ़लम्मा फ़रग क़ाल लअल्लकुम तक़रऊन खल्फ़ इमामिकुम कुलना नअम हाज़ा या रसूलुल्लाहि ﷺ क़ाल ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहतिल किताबि फ़इन्नहू ला सलात लिमल्लम यक़रा बिहा.' (अबू दाऊद जिल्द 1 पेज नं. 119, तिर्मिज़ी जिल्द 1 पेज नं. 41, व क़ाल हसन)

हज़रत उबादह बिन स़ामित (रज़ि) कहते हैं कि फ़ज्र की नमाज़ में हम रसूले करीम (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे आपने जब कुआन शरीफ़ पढ़ा तो आप पर पढ़ना मुश्किल हो गया। जब आप (नमाज़ से) फ़ारिग़ हुए तो फ़र्माया कि शायद तुम अपने इमाम के पीछे (कुआन पाक से कुछ) पढ़ते रहते हो। हमने कहा, हाँ या रसूलुल्लाह (ﷺ)! हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं आपने फ़र्माया कि याद रखो सूरह फ़ातिहा के सिवा कुछ न पढ़ा करो क्योंकि जो शख्स सूरह फ़ातिहा न पढ़े उसकी नमाज़ नहीं होती और हज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रह) ने इसको हसन कहा है।

इस हदीष के ज़ैल में इमाम तिर्मिज़ी (रह) फ़र्माते हैं : 'वल्अमलु अला हाज़िहिल हदीषि फ़िल्किराति खल्फ़इमामि इन्द अक्षरि अहलिल इल्मि मिन अस्थाबिन्नबिय्यि ﷺ वत्ताबिईन व हुव क़ौलु मालिकिब्नि अनस वब्निल मुबारकि वशशाफ़िड व अहमद व इस्हाक़ यरौनल किरात खल्फल इमामि' (तिर्मिज़ी जिल्द 1 पेज नं. 41)

यानी इमाम के पीछे (सूरह फ़ातिहा) पढ़ने के बारे में अक़षर अहले इल्म, स़हाबा किराम और ताबेईन का इसी हदीष (उबादा रज़ि) पर अमल है और इमाम मालिक, इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक (शागिर्द इमाम अबू हनीफ़ा) इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद, इमाम इस्हाक़ (भी) इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा पढ़ने के काइल थे।

इमाम खत्ताबी मअालिमुस्सुनन शरह अबू दाऊद जिल्द 1 पेज नं. 205. में लिखते हैं,

‘हाज़ल हदीषु नस्सुन सरीहुन बिअन्न क़िरातल फ़ातिहति वाजिबतुन अला मन सल्ल ख़ल्फल इमामि सवाउन जहरल इमामु बिल्किराति औ ख़ाफ़तबिहा व इस्नादुहु जय्यिदुन ला तअन फ़ीहि’ (मिअत जिल्द 1 पेज नं. 619)

यानी ये हदीष नस्से सरीह है कि मुक्तदी के लिए सूरह फ़ातिहा का पढ़ना वाजिब है। ख़वाह इमाम क़िरात बुलन्द आवाज़ से करे या आहिस्ता से क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ास मुक्तदियों को ख़िताब करके सूरह फ़ातिहा पढ़ने का हुक्म दिया और उसकी वजह ये बयान की कि सूरह फ़ातिहा पढ़े बग़ैर किसी की नमाज़ नहीं होती। इस हदीष की सनद बहुत ही पुख़्ता है, जिसमें तअन की कोई गुंजाइश नहीं। इस बारे में दूसरी दलील ये हदीष है,

‘अन अबी हरैरत अनिन्नबिय्यि क़ाल मन सल्ल सलातन लम यकरा फ़ीहा बिउम्मिल्कुआनि फ़हिय ख़िदाजुन पलाषन ग़ैर तमामिन फ़क़ील लिअबी हरैरत इन्ना नकूनु वराअल्इमामि फ़क़ाल इकर: फ़ी नफ़्सिक फ़इत्री समिअतु रसूलुल्लाहि ﷺ यकूलु क़ालल्लाहु तअला क़स्सन्तुसल्लात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैनि अल हदीष’ (सहीह मुस्लिम जिल्द नं. 1 पेज नं. 169)

हज़रत अबू हरैरह (रज़ि) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया। जो शख्स कोई नमाज़ पढ़े और उसमें सूरह फ़ातिहा न पढ़े तो वो नमाज़ नाक़िस (मुर्दा) है, नाक़िस (मुर्दा) है, नाक़िस (मुर्दा) है, पूरी नहीं है। हज़रत अबू हरैरह (रज़ि) से कहा गया कि हम लोग इमाम के पीछे होते हैं। (जब भी पढ़ें) हज़रत अबू हरैरह (रज़ि) ने फ़र्माया, (हाँ) इसको आहिस्ता पढ़ा करो, क्योंकि मैंने रसूले करीम (ﷺ) को फ़र्माते हुए सुना है कि अल्लाह तअला ने फ़र्माया कि मैंने नमाज़ को अपने और बन्दे के दरम्यान दो हिस्सों में तक्सीम कर दिया है। (आख़िर तक)

इस हदीष में सूरह फ़ातिहा ही को नमाज़ कहा गया है क्योंकि नमाज़ की असल रूह सूरह फ़ातिहा ही है। दो हिस्सों में बांटने का मतलब ये कि शुरू सूरत से इय्याकनस्तईन तक मुख्तलिफ़ तरीकों से अल्लाह की हम्दो-षना है। फिर आख़िर सूरत तक दुआएँ हैं जो बन्दा अल्लाह के सामने पेश कर रहा है। इस तरह ये सूरत शरीफ़ा दो हिस्सों में मुंकासिम (बंटी हुई) है।

इमाम नववी (रह) शरह मुस्लिम जिल्द 1 पेज नं. 170 में लिखते हैं,

‘फ़फ़ीहि वुजूबि क़िरातिल फ़ातिहति व इन्नहा मुतअय्यनतुन ला यज्जी ग़ैरहा इल्ला लिआजिज़िन अन्हा व हाज़ा मज़हबु मालिक वशशाफ़िइ व जुम्हूरिल उलमा मिनस्महाबति वत्ताबिईन व मिम्बअदिहिम.’

यानी इस हदीष (अबू हरैरह रज़ि) में सूरह फ़ातिहा के फ़र्ज़ होने का षुबूत है और आजिज़ के सिवा सूरह फ़ातिहा नमाज़ में मुतअय्यन है। कोई दूसरी आयत उसकी जगह किफ़ायत नहीं कर सकती और यही मज़हब इमाम मालिक और इमाम शाफ़िई और जुम्हूर सहाबा किराम और ताबेईन और उनके बाद उलेमा व अइम्म-ए-इज़ाम का है।

इस हदीष में सूरह फ़ातिहा पढ़े बग़ैर नमाज़ के लिए लफ़्जे ख़िदाज का इस्तेमाल किया गया है। चुनाँचे इमाम खत्ताबी मअालिमुस्सुनन शरह अबू दाऊद, जिल्द 1 पेज नं. 213 पर फ़हिया ख़िदाज का मा’नी लिखते हैं, ‘मअनाहु नाक़िसतुन नक्सु फ़सादिन व बुल्लानिन यकूलुल अरबु अख़दजन्निकातु इज़ा अल्क़त वलदहा व हुव दमुन लम यस्तब्नि ख़ल्कुहु फ़हिय मुख़दजुन वल ख़िदाजु इस्मुन मब्निय्युन अन्हु’ (मिरआत जिल्द नं. 1 पेज नं. 58)

हासिल इसका ये है कि जिस नमाज़ में सूरह फ़ातिहा न पढ़ी जाए, वो फ़ासिद और बातिल है। अहले अरब अख़दजतिन्नाक़तु उस वक़्त बोलते हैं जब ऊँटनी अपने बच्चे को उस वक़्त गिरा दे कि वो खून हो और उसकी ख़िल्क़त व पैदाइश ज़ाहिर न हुई हो और इसी से लफ़्जे ख़िदाज लिया गया है। प्राबित हुआ कि ख़िदाज वो नुक़सान है जिससे नमाज़ नहीं होती और इसकी मिषाल ऊँटनी के मुर्दा बच्चे जैसी है।

इकर: बिहा फ़ी नफ़्सिक इसका मा’नी दिल में तदब्बुर व तफ़क़ुर और ग़ैर करना नहीं है बल्कि इसका मतलब ये है कि जुबान के साथ आहिस्ता आहिस्ता सूरह फ़ातिहा पढ़ा कर।

इमाम बैहक्की (रह) फ़र्माते हैं,

'वलमुरादु बिक्कौलिही इक्करा बिहा फ़ी नफ़िसक अंग्यतलफ़फ़ज बिहा सिरन दूनल जहरि बिहा व ला यजूजु ह्म्लुहू अला जिक्किहा बिक्कलिबही दूनत्तलफ़फ़जि बिहा लिइज्माइ अहलिल लिसानि अला अन्न ज़ालिक ला युसम्मा क़िरातुन व लिइज्माइ अहलिल इल्मि अला अन्न ज़िकरहा बिक्कलिबही दूनत्तलफ़फ़जि बिहा लैस बिशतिन व ला मस्नूनिन फ़ला यजूजु ह्म्लुल ख़बि अला मा ला यक्कलु बिही अहदुन व ला युसाइदुहू लिसानुल अरबि' (किताबुल क़िरात पेज नं. 17)

यानी इस क़ौल 'इक्कर: बिहा फ़ी नफ़िसक' से मुराद ये है कि जुबान से आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ और उसको ज़िक्रे क़ल्ब यानी तदब्बुर व तफ़क़ुर व गौर पर महमूल करना जाइज़ नहीं क्योंकि अहले लुगत का इस पर इज्माअ है कि उसको क़िरात नहीं कहते और अहले इल्म का इस पर भी इज्माअ है कि जुबान से तलफ़फ़ज किये बग़ैर सिर्फ़ दिल से ज़िक्र करना नमाज़ की सेहत के लिए न शर्त है और न ही सुन्नत। लिहाज़ा हदीष को ऐसे मा'नी पर महमूल करना जिसका कोई भी क़ाइल नहीं और न ही लुगते अरब इसकी ताईद करे जाइज़ नहीं।

तफ़सीरे जलालैन, जिल्द 1 पेज नं. 147 मिस्री में 'वज़कुर रब्बक फ़ी नफ़िसक' का मा'नी लिखा है, अय सिरन यानी अल्लाह तआला को जुबान से आहिस्ता याद कर।

इमाम नववी (रह) शरह मुस्लिम जिल्द नं. 1 पेज नं. 170 में 'इक्कर: बिहा फ़ी नफ़िसक' का मा'नी लिखते हैं, 'फ़मअनाहू इक्कर: बिहा सिरन बिहैषु तस्मउ नफ़सुक व अम्मा मा ह्म्लुहू अलैहि बअज़ुल मालिकिय्यति व ग़ैरहुम अन्नल मुराद तदब्बुर ज़ालिक व तज़क़रहु फ़ला युक्कबलु लिअन्नल क़िरात ला तुत्लकु इल्ला अला हर्कतिल्लिसानि बिहैषु यस्मउ नफ़सुदु'

और हदीष में क़िरात (पढ़ने) का हुक्म है। लिहाज़ा जब तक मुक्तदी फ़ातिहा को जुबान से नहीं पढ़ेगा, उस वक़्त तक हदीष पर अमल नहीं होगा।

हिदाया, जिल्द 1 पेज नं. 98 में है, 'लिअन्नल क़िरात फ़िअलुल्लिसानि' क्योंकि क़िरात (पढ़ना) जुबान का काम है। किफ़ाया, जिल्द नं. 1 पेज नं. 64 में है, 'फ़युसल्लिल्लिस्सामिउ फ़ी नफ़िसही अय युसल्ली बिलिसानिही ख़फ़ियन' यानी जब ख़तीब आयत, 'या अय्युहल लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा' (अल अहज़ाब : 56) पढ़े तो सामेईन (सुनने वालों) को चाहिए कि अपनी जुबान से आहिस्ता दुरूद पढ़ लें। यानी फ़ी नफ़िसही का मा'नी जुबान से आहिस्ता और पोशीदा पढ़ना है। इन हवालाजात से वाज़ेह हो गया कि फ़ी नफ़िसक का मा'नी दिल में तदब्बुर व ग़ौर व फ़िक्र करना, लुगत और अहले इल्म और खुद फ़ुक़हा की तसरीहात के ख़िलाफ़ है और सहीह मा'नी है कि जुबान से आहिस्ता पढ़ा कर और यही हदीष का मन्सूद है।

तीसरी हदीष ये है,

'अन आइशत रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि ﷺ मन सल्ला सलातन लम यक्कर: फ़ीहा बिफ़ातिहतिल किताबि फ़हिय ख़िदाजुन ग़ैर तमामिन' (जुज़ उल क़िरात पेज नं. 8 दिहली किताबुल क़िरात पेज नं 31) हज़रत आयशा सिदीका (रज़ि) कहती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया जिस शख़्स ने किसी नमाज़ में सूरह फ़ातिहा न पढ़ी वो नमाज़ नाक़िस है पूरी नहीं। ख़िदाज की तफ़सीर ऊपर गुज़र चुकी है।

इस बारे में चौथी ये है,

'अन अनसिन रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाहि ﷺ सल्ल बिअस्हाबिही फ़लम्मा क़ज़ा सलातहू अक्कबल अलैहिम बिवज़िही फ़क़ाल अ तक्करऊन फ़ी सलातिकुम ख़ल्फ़ल इमामि वल इमामु यक्करउ फ़सकतू फ़क़ाल लहा सलाष मर्रातिन फ़क़ाल क़ाइलून औ क़ाइलुन इन्ना लनफ़अलु क़ाल फ़ला तफ़अलू वल्यक् अहदुकुम फ़ातिहतल्किताबि फ़ी नफ़िसही' (किताबुल क़िरात, पेज नं. 48, 49, 50, 55 जुज़उल क़िरात देहली पेज नं. 28)

हज़रत अनस (रज़ि) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सहाबा किराम (रज़ि) को नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ पूरी करने के बाद आपने सहाबा किराम (रज़ि) की तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़र्माया, जब इमाम पढ़ रहा हो तो तुम भी अपनी नमाज़

में इमाम के पीछे पढ़ते हो? सहाबा किराम (रज़ि) खामोश हो गये। तीन बार आपने यही फ़र्माया। फिर एक से ज़्यादा लोगों ने कहा हाँ! हम ऐसा करते हैं। आपने फ़र्माया ऐसा न करो। तुममें से हर एक सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा आहिस्ता पढ़ा करो।

इस हदीष से इमाम के पीछे मुक्तदी के लिये सूरह फ़ातिहा पढ़ने की फ़र्ज़ियत साफ़ षाबित है। इस बारे में मज़ीद वज़ाहत (और अधिक स्पष्टीकरण) के लिए पाँचवीं हदीष ये है,

'अन अबी क़लाबत अन्न रसूलुल्लाहि ﷺ क़ाल लअल्ल अहदुकुम यक़्रउ ख़ल्फ़ल इमामि वल्इमामु यक़्रउ फ़क़ाल रज़ुलुन इन्ना लनफ़अलु ज़ालिक क़ाल फ़ला तफ़अलू व लाकिन लियक़्रा अहदुकुम बिफ़ातिहतिल किताबि' (किताबुल क़िरात पेज नं. 50)

अबू क़लाबा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, शायद जब इमाम पढ़ रहा हो तो तुम में से हर एक इमाम के पीछे पढ़ता है। एक आदमी ने कहा बेशक हम ऐसा करते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया ऐसा मत करो और लेकिन तुम में से हर एक (इमाम के पीछे) सूरह फ़ातिहा पढ़ा करे।

इन अहदीष से रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो गया कि मुक्तदी के लिए सूरह फ़ातिहा ज़रूरी है क्योंकि इन अहदीष में ख़ास लफ़ज़ फ़ातिहा और ख़ल्फ़ इमाम मौजूद है और भी वज़ाहत के लिये छठी हदीष ये है,

'अन अब्दिल्लाहिब्नि सौदा अल कुशैरी अन रज़ुलिम्मिन अहलिब्बादियति अन अबीहि व कान अबूहु असीरन इन्द रसूलि ﷺ क़ाल समिअतु मुहम्मद ﷺ क़ाल लिअस्हाबिही तक़्रऊन ख़ल्फ़ियल कुअर्न फ़क़ालू या रसूलुल्लाहि ﷺ नहुज्जुहू हाज़ा क़ाल ला तक़्रऊ इल्ला बिफ़ातिहतिल्किताबि' (किताबुल क़िरात पेज नं. 53)

अब्दुल्लाह बिन सवाद एक देहाती थे, वो अपने बाप से रिवायत करते हैं और उसका बाप रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास असीर (क़ैदी) था। उसने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को अपने सहाबा (रज़ि) को फ़र्माते हुए सुना, क्या तुम नमाज़ में मेरे पीछे कुअर्न पढ़ते हो? सहाबा (रज़ि) ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। आपने फ़र्माया, सिवाय सूरह फ़ातिहा के कुछ न पढ़ा करो।

इमाम बुखारी (रह) फ़र्माते हैं,

'व तवातुरुल ख़ब्बि अन रसूलिल्लाहि ﷺ ला मलात इल्ला बिक़िराति उम्मिल कुअर्नि.' (जुज़उल क़िरात पेज नं. 4 देहली)

यानी इस बारे में कि बग़ैर सूरह फ़ातिहा पढ़े नमाज़ नहीं होती। रसूलुल्लाह (ﷺ) से तवातुर (यानी जम्मे ग़फ़ीर रिवायत करते हैं) के साथ अहदीष मरवी हैं।

इमाम अब्दुल वहहाब शअरानी मीज़ाने कुब्रा जिल्द 1 पेज नं. 166 तबअ देहली में फ़र्माते हैं,

'मन क़ाल बिताअय्युनिलफ़ातिहति व अन्नहू ला यज़्नी किरातु ग़ैरिहा क़द दार मअ ज़ाहिरिल अहादीषिल्लती कादत तब्लुगु हदत्तवातुरि मअ ताइदि ज़ालिक बिअमलिस्सलफ़ि वल्ख़ल्फ़ि'

यानी जिन उलमा ने सूरह फ़ातिहा को नमाज़ में मुताअय्यन किया है और कहा कि सूरह फ़ातिहा के सिवा कुछ और पढ़ना किफ़ायत नहीं कर सकता। अब्वलन तो उनके पास अहदीषे नबविया इस क़षरत (अधिकता) से हैं कि तवातुर को पहुँचने वाली हैं। ग्रानियन सल्फ़ व ख़ल्फ़ (सहाबा किराम रज़ि. व ताबेईन व तबे ताबेईन व अइम्म-ए-इज़ाम) का अमल भी तअय्युने फ़ातिहा दर नमाज़ की ताईद करता है।

'मिस्कुल ख़ितामि शरहु बुलूग़िल मरामि' जिल्द नं. 1 पेज नं. मुत्तबअ निज़ामी में है। वई हदीष रा शवाहिद बिस्वारस्त, यानी क़िराते फ़ातिहा ख़ल्फ़ुल इमाम की हदीष के शवाहिद बहुत ज़्यादा हैं।

तफ़सीर इब्ने क़षीर पेज नं. 12 में है। 'वल अहादीषु फ़ी हाज़ल्बाबि क़षीरतुन' यानी क़िराते फ़ातिहा की अहादीष बक़षरत हैं।

इन्हीं अहादीषे क़षीरा की बिना पर बहुत से मुहक्किनीन उलम-ए-अहनाफ़ भी क़िराते फ़ातिहा ख़ल्फ़ुल इमाम के काइल हैं, जिसकी तफ़सील के सिलसिले में अल मुहद्दिषुल कबीर हज़रत मौलाना अब्दुरहमान साहब मुबारकपुरी मरहूम फ़र्माते हैं,

अल्लामा शअरानी ने लिखा है कि इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद (रह) का ये क़ौल कि मुक्तदी को अल्हम्दु नहीं पढ़ना चाहिए उनका पुराना क़ौल है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह) और इमाम मुहम्मद (रह) ने बाद में अपने इस पुराने क़ौल से रूजूअ कर लिया था और मुक्तदी के लिये अल्हम्दु पढ़ने को सिरीं नमाज़ में मुस्तहसन और मुस्तहब बताया। चुनाँचे अल्लामा मौसूफ़ लिखते हैं,

‘लि अबी हनीफ़त व मुहम्मद कौलानि अहदुहुमा अदमु वुजूबिहा अलल्लामूमि बल वला तसुनु व हाज़ा कौलुहुमुल क़दीमु व अदख़लहू मुहम्मद फ़ी तसानीफ़िहिल क़दीमति वन्तशरतिनुसख़ु इलल अतराफ़ि व घ़ानीहुमा इस्तिहसानुहा अला सबीलिल इहतियाति अदमु कराहतिहा इन्दल मख़ाफ़तति अल हदीषुल मर्फ़ुड़ ला तफ़्फ़अलू इल्ला बिउम्मिल कुआनि व फ़ी रिवायतिन ला तक्फ़रू बिशैइन इज़ा ज़हरतु इल्ला बिउम्मिल कुआनि व क़ाल अता कानू यरौन अलल मामूमिल्लिकरात फ़ी मा यज़हरू फ़ीहिलइमामु व फ़ी मा यसिर्रु फ़रजअ मिन क़ौलिहिमल अव्वलु इलघ़ानी इहतियातन इन्तिहा कज़ा फ़ी ग़ैषिलगामामि स. 156 हाशिया इमामुल कलाम.’ 156 हाशिया इमामुल कलाम।

ख़ुलास—ए—तर्जुमा :— इस इबारत का ये है कि इमाम अबू हनीफ़ा (रह) और इमाम मुहम्मद (रह) के दो क़ौल हैं। एक ये कि मुक्तदी को अल्हम्दु पढ़ना न वाजिब है और न सुन्नत और इन दोनों इमामों का ये क़ौल पुराना है और इमाम मुहम्मद (रह) ने अपनी क़दीम तस्नीफ़ात (पुरानी किताबों) में इसी क़ौल को दर्ज किया है और उनके नुस्खे अतराफ़ व जवानिब (आसपास के इलाक़ों) में मुंतशिर हो गये (फैल गये) और दूसरा क़ौल ये है कि मुक्तदी को नमाज़े सिरीं में अल्हम्दु पढ़ना मुस्तहसन है अला सबीलिल एहतियात। इस वास्ते कि हदीषे मर्फ़ुअ में वारिद हुआ है कि न पढ़ो मगर सूरह फ़ातिहा और एक रिवायत में है कि जब मैं बाआवाज़े बुलन्द क़िरात करूँ तो तुम लोग कुछ न पढ़ो मगर सूरह फ़ातिहा। और अता (रह) ने कहा कि (यानी सहाबा रज़ि व ताबेईन (रह) कहते थे कि नमाज़े सिरीं व जहरी दोनों में मुक्तदी को पढ़ना चाहिए। पस इमाम अबू हनीफ़ा (रह) और मुहम्मद (रह) ने एहतियातन अपने पहले क़ौल से दूसरे क़ौल की तरफ़ रूजूअ किया।

लो अब बक़ौले अल्लामा शअरानी, इमाम अबू हनीफ़ा (रह) के नज़दीक भी इमाम के पीछे अल्हम्दु पढ़ना जाइज़ हुआ बल्कि मुस्तहसन व मुस्तहब।

ऐनाज़िरीन! जिस हदीष को अल्लामा शअरानी ने ज़िक्र किया है और जिसकी वजह से इमाम अबू हनीफ़ा (रह) का अपना क़ौल से रूजूअ करना लिखा है। इसी हदीष और इसके मिफ़्ल और अहादीषे सहीहा को देखकर ख़ुद मज़हबे इनफ़ी के बड़े-बड़े फ़ुक़हा व उलमा इमाम अबू हनीफ़ा (रह) के क़ौले क़दीम को छोड़कर इमाम के पीछे अल्हम्दु पढ़ने के क़ाइल व फ़ाइल हो गये। कुछ ने तो नमाज़ सिरीं और जहरी दोनों में और कुछ फ़क़त नमाज़े सिरीं में।

अल्लामा ऐनी शरहे बुखारी में लिखते हैं : ‘बअज़ु अस्हाबिना यस्तहसिनून ज़ालिक अला सबीलिल इहतियाति फ़ी जमीइस्सलवाति व बअज़ुहुम फ़िस्सिरीं यति फ़क़त व अलैहि फ़ुक़हाउल हिजाज़ि वशशामि.’ (कज़ा फ़ी ग़ैषिल गामामि पेज नं. 156) यानी कुछ फ़ुक़ह—ए—हन्फ़िया हर नमाज़ में ख़्वाह सिरीं हो ख़्वाह जहरी इमाम के पीछे अल्हम्दु पढ़ने को एहतियातन मुस्तहसन बताते हैं और कुछ फ़ुक़हा फ़क़त नमाज़े सिरीं में और मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरह और मुल्के शाम के फ़ुक़हा का इसी पर अमल है।

उम्दतुरिआया पेज नं. 173 में मौलाना अब्दुल हथियि स़ाहब लिखते हैं : ‘व रूविय अन मुहम्मद अन्नहुस्तहसन क़िरातुल फ़ातिहति ख़ल्फ़ल इमामि फ़िस्सिरियति व रूविय मिफ़्लुहु अन अबी हनीफ़त मरीहुन बिही फ़िल हिदायति वल मुज्तबा शर्हु मुख़्तसरल कुदूरी व ग़ौरुमा व हाज़ा हुव मुख़्तारुन क़षीरुम्मिम मशाइख़िना’ यानी इमाम मुहम्मद (रह) से मरवी है कि उन्होंने इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा पढ़ने को नमाज़े सिरीं में मुस्तहसन बताया है और इसी त रह इमाम अबू हनीफ़ा (रह) से रिवायत किया गया है। और इसी को हमारे बहुत से मशाइख़ ने इख़्तियार किया है।

हिदाया में है, ‘व यस्तहसिनू अला सबीलिल इहतियाति फ़ी मा युवा अन मुहम्मद’ यानी इमाम मुहम्मद (रह) से मरवी है कि इमाम के पीछे अल्हम्दु पढ़ना एहतियातन मुस्तहसन है।

मौलवी अब्दुल हथियि स़ाहब इमामुल कलाम में लिखते हैं : ‘व हुव इन कान ज़ईफ़न रिवायतन लाकिन्नहू

दिरायतन कविव्युन व मिनल मअलूम अलमुस्रिह फ़ी गुनतिल मुस्तमली शर्हु मनिव्यतुल मुसल्ली वगैरुह अन्नहू ला यअदिलु अनिरिवायति इजा वाफ़क्तहा दिरायतुन' यानी इमाम मुहम्मद (रह) का ये क़ौल कि, इमाम के पीछे अलहम्दु पढ़ना मुस्तहसन है, अगरचे रिवायतन ज़ईफ़ है लेकिन दलील के ए'तिबार से क़वी है। और मनिव्यतुल मुस्तमली शरह मनिव्यतुल मुसल्ली में इस बात की तस्रीह की गई है कि जब रिवायत दलील के मुवाफ़िक़ हो तो इससे उदूल (इन्कार) नहीं करना चाहिए और अल्लामा शअरानी के कलाम से ऊपर मा'लूम हो चुका है कि इमाम मुहम्मद (रह) व नीज़ इमाम अबू हनीफ़ा (रह) का भी अख़ीर क़ौल है और उन दोनों इमामों ने अपने पहले क़ौल से रुजूअ कर लिया है।

और शैख़ुल इस्लाम निज़ामुल मिल्लत वहीन मौलाना अब्दुरहीम जो शैख़ुत तस्लीम के लक़ब से मशहूर हैं और रईसे अहले तहक़ीक़ के नाम से भी आप याद किये गये हैं और बइतफ़ाक़े उलम—ए-मावरा उन्नहर व ख़ुरासान मज़हबे हनफ़ी के एक मुज्ताहिद हैं। आप हनफ़ियतुल मज़हब होने के बावजूद इमाम अबू हनीफ़ा (रह) के मसलके क़दीम को छोड़कर इमाम के पीछे अलहम्दु पढ़ने को मुस्तहब कहते हैं और खुद भी पढ़ते और फ़र्माते थे 'लौ कान फ़ी फ़मी यौमल क्रियामति जम्तुन अहब्बु इला मन अंय्युकाल ला सलात लक' यानी अगर क़यामत के रोज़ मेरे मुँह में अंगारा हो तो मेरे नज़दीक़ ये बेहतर है इससे कि कहा जाए कि तेरी तो नमाज़ ही नहीं हुई। (इमामुल कलाम पेज नं. 20)

ऐ नाज़िरीन! ये हदीष कि जिसने सूह फ़ातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज़ नहीं हुई निहायत सहीह है और ये हदीष कि जो शख़्स इमाम के पीछे पढ़े उसके मुँह में क़यामत के रोज़ अंगारा होगा मौजूअ (गढ़ी हुई) और झूठी है। शैख़ुत तस्लीम ने अपने क़ौल में पहली हदीष के सहीह होने और दूसरी हदीष को मौजूअ और झूठी होने की तरफ़ इशारा किया है।

और इमाम अबू हफ़स कबीर (रह) जो मज़हबे हनफ़ी के एक बहुत बड़े मशहूर फ़कीह हैं और इमाम मुहम्मद (रह) के तलामिज—ए-किबार (नामी शागिर्दों) में से हैं। आपने भी इसी मसलक को इख़ितयार किया है। यानी ये भी नमाज़े सिरी में इमाम के पीछे अलहम्दु पढ़ने के काइल थे और उनके सिवा और बहुत से फ़ुक़हा ने भी इसी मसलक को इख़ितयार किया है। जैसा कि गुज़र चुका है और मशाइख़े हन्फ़िया और जमाअते सूफ़िया के नज़दीक़ भी यही मसलके मुख़्तार है।

मुल्ला जीवन ने तफ़सीरे अहमदी में लिखा है, 'फ़इन राइत्ताइफ़तःसूफ़ियत वल मशाइख़ीन तराहुम यस्तहसिनून क़िरातल फ़ातिहति लिलमूतमि' यानी अगर जमाअते सूफ़िया और मशाइख़ीने हनफ़िया को देखोगे तो तुम्हें मा'लूम होगा कि ये लोग इमाम के पीछे अलहम्दु पढ़ने को मुस्तहसन बताते थे। जैसा कि इमाम मुहम्मद (रह) एहतियातन इस्तेहसान के काइल थे।

और मौलाना शाह वलीउल्लाह साहब (रह) देहलवी ने भी बावजूद हनफ़ी मज़हब होने के इमाम के पीछे अलहम्दु पढ़ने को औलुल अक्वाल बताया है। देखें हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। और जनाब शाह साहब के वालिद माजिद मौलाना शाह अब्दुरहीम साहब (रह) भी इमाम के पीछे अलहम्दु पढ़ने के काइल थे। चुनाँचे शाह साहब अन्निफ़ासुल आरिफ़ीन में अपने वालिदे माजिद के हाल में लिखते हैं कि वो (यानी मौलाना शाह अब्दुरहीम साहब रह) अक़भर मसाइले फ़ुरूइया में मज़हबे हनफ़ी के मुवाफ़िक़ थे। लेकिन जब किसी मसले में हदीष से या विज्दान से मज़हबे हनफ़ी के सिवा किसी और मज़हब की तरजीह और कुव्वत ज़ाहिर होती तो इस सूरत में हनफ़ी मज़हब का मसला छोड़ देते। अज़ाँ जुम्ला एक ये है कि इमाम के पीछे अलहम्दु पढ़ते थे और नमाज़े जनाज़ा में भी सूह फ़ातिहा पढ़ते थे। (ग़यषुल ग़माम पेज नं. 175)

मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब (रह) ने भी इमाम के पीछे अलहम्दु पढ़ने की फ़र्ज़ियत को तरजीह दी है। चुनाँचे आप एक इस्तिफ़्ता के जवाब में तहरीर फ़र्माते हैं कि मुक्तदी को इमाम के पीछे अलहम्दु पढ़ना इमाम अबू हनीफ़ा (रह) के नज़दीक़ मना है और इमाम मुहम्मद (रह) के नज़दीक़ जिस वक़्त इमाम आहिस्ता पढ़े जाइज़ है। और इमाम शाफ़ई (रह) के नज़दीक़ बग़ैर अलहम्दु पढ़े नमाज़ जाइज़ नहीं। और नज़दीक़ इस फ़क़ीर के भी क़ौले इमाम शाफ़ई (रह) को तरजीह रखता है और बेहतर है क्योंकि इस हदीष के लिहाज़ से कि नहीं नमाज़ होती मगर सूह फ़ातिहा से, नमाज़ का बुल्लान षाबित होता है और क़ौले इमाम अबू हनीफ़ा (रह) का भी जा बजा वारिद है कि जिस जगह हदीष सहीह वारिद हो और मेरा क़ौल उसके ख़िलाफ़ पड़े तो मेरे क़ौल को छोड़ देना चाहिए और हदीष पर अमल करना चाहिए। इन्तिहा मुतर्जमन बिकदरिल हाजति

और मौलवी अब्दुल हक़िय साहब लखनवी ने इस मसले में ख़ास एक रिसाला तस्नीफ़ किया है जिसका नाम इमामुल

कलाम है इस रिसाले में आपने बावजूद हनफियुल मज़हब होने के ये फ़ैसला किया है कि इमाम के पीछे अल्हम्दु पढ़ना नमाज़े सिर्री में मुस्तहसन व मुस्तहब है और नमाज़ जहरी में भी सकताते इमाम के वक़्त ।

‘फ़इज़न ज़हर हक्कु जुहूरु अन्न अक्वल मसालिकिल्लती सलक अलैहा अज़हाबुना हुव मस्लकु इस्तिहसानिल क़िराति फ़िस्सिरियति कमा हुव रिवायतुन अन मुहम्मदिब्बिल हसनि वख़तारहा जमीउम्मिन फुक़हाइज़मनि व अर्जू रिजाअन मूषिकन अन्न मुहम्मदल माज़ूज़ल्किरात फ़िस्सिरियति वस्तहसनहा ला बुद अय्यजूज़ल्किरात फ़िल्जहरिय्यति फ़िस्सक्ताति इन्द विज्दानिहा लिअदमिल फ़र्कि बैनहू व बैनहू इन्तहा मुख़तसरन’ यानी अब निहायत अच्छी तरह ज़ाहिर हो गया कि जिन मसलकों को हमारे फुक़ह—ए—अहनाफ़ ने इख़ितयार किया है, उन सब में ज़्यादा क़बी यही मसलक है कि इमाम के पीछे अल्हम्दु पढ़ना नमाज़े सिर्री में मुस्तहसन है। जैसा कि रिवायत में है इमाम मुहम्मद (रह) से और इसी मसलक को फुक़ह—ए—ज़माना की एक जमाअत ने इख़ितयार किया है। और मैं (यानी मौलवी अब्दुल हय्यि स़ाहब (रह) उम्मीदे वाषिक़ रखता हूँ कि इमाम मुहम्मद (रह) ने जब नमाज़े सिर्री में इमाम के पीछे अल्हम्दु पढ़ने को मुस्तहसन कहा है तो ज़रूर नमाज़े जहरी में भी सकताते इमाम के वक़्त मुस्तहसन होने के क़ाइल होंगे क्योंकि नमाज़े जहरी में सकताते इमाम की हालत में और नमाज़े सिर्री में कुछ फ़र्क़ नहीं है और मौलवी स़ाहब मौसूफ़ ने अपना यही फ़ैसला सआया शरह विक़ाया में भी लिखा है।

मुल्ला अली क़ारी हनफ़ी (रह) ने मिरकात शरहे मिशकात में ये लिखा है कि नमाज़े सिर्री में इमाम के पीछे अल्हम्दु पढ़ना जाइज़ है और नमाज़े जहरी में मना। मौलवी अब्दुल हय्यि स़ाहब ने मुल्ला स़ाहब के इस क़ौल को रद्द कर दिया है। चुनाँचे सआया में लिखते हैं कि मुल्ला अली क़ारी का ये क़ौल ज़ईफ़ है। क्या मुल्ला अली क़ारी को ये नहीं मा’लूम है कि उबादा (रज़ि) की हदीष से नमाज़े जहरी में इमाम के पीछे अल्हम्दु पढ़ने का जवाज़ सराहतन ष़ाबित है।

फ़त्हूल क़दीर वग़ैरह कुतुबे फुक़हा में लिखा है कि मना की दलीलों के लेने में ज़्यादा एहतियात है। मौलवी अब्दुल हय्यि स़ाहब ने उसको भी रद्द कर दिया है। चुनाँचे सआया पेज नं. 304. में लिखते हैं, ‘व कज़ा जुअफुन मा फ़ी फ़तहिल क़दीरि व ग़ैरहू अन्नल अख़ज बिल्मन्ड अहवतु फ़इन्नहू ला मनअ हाहुना इन्द दक्कीक़िन्नज़ि’ यानी फ़त्हूल क़दीर वग़ैरह में जो ये लिखा है कि मना की दलीलों के लेने में ज़्यादा एहतियात है, सो ये ज़ईफ़ है क्योंकि दक्कीक़ नज़र से देखा जाए तो यहाँ मना की कोई रिवायत ही नहीं है और मौलवी स़ाहब मौसूफ़ तअलीकुल मुज्जिद पेज नं. 101 में लिखते हैं, ‘लम यरिद फ़ी हदीषिन मफ़ूइन स़हीहिन अन्नहयु अन क़िरातिल फ़ातिहति ख़ल्फल इमामि व कुल्ल मा जकरूहु मफ़ूअन फ़ीहि अम्मा ला अस्ल लहू व अम्मा ला यस्लुहू इन्तिहा’ यानी इमाम के पीछे अल्हम्दु पढ़ने की मुमानअत किसी हदीषे मफ़ूअ स़हीह में वारिद नहीं हुई है और मुमानअत के बारे में इलम—ए—अहनाफ़ जिस क़दर मफ़ूअ हदीषे बयान करते हैं या तो उनकी कुछ असल ही नहीं है या वो स़हीह नहीं हैं।

ऐ नाज़िरीन! देखो और तो और खुद मज़हबे हनफ़ी के बड़े फुक़हा व इलमाने क़िराते फ़ातिहा, ख़ल्फ़े इमाम की हदीषों को देखकर इमाम अबू हनीफ़ा (रह) के मसलके मशहूर को छोड़कर इमाम के पीछे अल्हम्दु पढ़ने को मुस्तहसन व मुस्तहब बताया है और खुद भी पढ़ा है। कुछ फुक़हा ने हर नमाज़ में सिर्री हो या जहरी और कुछ ने फ़क़त सिर्री में। और बक़ौल अल्लामा शअरानी खुद इमाम अबू हनीफ़ा स़ाहब (रह) व इमाम मुहम्मद (रह) ने भी उन ही हदीषों की वजह से अपने पहले क़ौल से रुजूअ करके नमाज़े सिर्री में इमाम के पीछे अल्हम्दु पढ़ने को मुस्तहब व मुस्तहसन बताया है और मौलवी अब्दुल हय्यि स़ाहब लखनवी हनफ़ी ने इस मसले में जो कुछ फ़ैसला किया और लिखा है। आप लोगों ने इसको भी सुन लिया।

मगर अभी तक कुछ हनफ़िया का यही ख़याल है कि इमाम के पीछे अल्हम्दु पढ़ना हर नमाज़ में सिर्री हो ख़्वाह जहरी, (हर हालत में) नाजाइज़ व हराम है। और इमाम स़ाहब (रह) के उसी मशहूर मसलक को (जिसकी कैफ़ियत मज़कूर हो चुकी है) शाहराह (राजमार्ग, हाइवे) समझकर उसी पर चले जाते हैं। ख़ैर अगर इसी मसलक को शाहराह समझते थे, समझते और इसी पर चुपचाप जाते। लेकिन हैरत तो ये है कि साथ उसके क़िराते फ़ातिहा ख़ल्फ़े इमाम की इन हदीषों का भी स़ाफ़ इंकार किया जाता है। जिनकी वजह से और तो और खुद मज़हबे हनफ़ी के अइम्मा व फुक़हा व इलमाने इमाम के पीछे अल्हम्दु पढ़ने को इख़ितयार कर लिया। या अगर इंकार नहीं किया जाता है तो उनकी मुत्मल और नाजाइज़ तावीलें की जाती हैं। और ज़्यादा

हैरत तो उन उलम—ए—हनफिया से है जो रिवायाते मौजूअ व काज़िबा (गढ़ी हुई व झूठी रिवायात) और आप्तरे मुख्तलिफ़ा व बातिला को अपनी तफ़्सीलात में दर्ज करके और बयान करके अपने अबाम और जाहिल लोगों को फ़ित्ने में डालते हैं और उनकी जुबान से और तो और खुद अपने अइम्मा व फुक़हा की शान में कलिमाते नाशाइस्ता और अल्फ़ाज़े नागुफ़्ताब (अशोभनीय बातें) निकलवाते हैं। कोई जाहिल बकता है कि इमाम के पीछे अल्हम्दु पढ़ेगा वो गुनाहगार है। वल इयाज़ु बिल्लाहि। कबुरत कलिमतन तख़रजु मिन अप्वाहिहिम (अल कहफ़: 5)

अगरचे ग़ौर से देखा जाए तो इन जाहिलों का ये कुसूर नम्बर दो में है और नम्बर अव्वल का कुसूर उन्हीं उलम—ए—हनफ़िया का है, जो रिवायाते काज़िबा व मौजूआ को ज़िक्र करके इन जाहिलों को फ़ित्नों में डालते और उनकी जुबान से अपने बुजुर्गाने दीन के मुँह में आग व पत्थर भरवाते हैं और जो चाहते हैं उनसे कहलवाते हैं। अगर ये लोग रिवायाते काज़िबा व मौजूआ का बयान न करते या बयान करते मगर उनका किज़ब व मौजूअ होना भी साफ़—साफ़ ज़ाहिर करते और साथ इसके इस मज़मून को भी वाज़ेह तौर पर बयान करते जो ऊपर हमने बयान किया है तो इन जाहिलों की जुबान से ऐसे नागुफ़्ताब कलिमात हरिज़ न निकलते।

आँचमी पुर्सी के ख़ुस्तू राकिहे कुशत

ग़मज़हे तु चश्म तु अबरूए तु

(तहकीकुल कलाम, द्विस्ता अव्वल पेज नं. 7)

हमारे मुहतरम उलम—ए—अहनाफ़ के पास भी कुछ दलाइल हैं जिनकी तफ़्सीली हक़ीक़त मा'लूम करने के लिये मुहद्विषे कबीर हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब मुबारकपुरी की मशहूर किताब तहकीक़ का मुतालआ किया जा सकता है। यहाँ हम इम्माली तौर पर उन दलाइल की हक़ीक़त हज़रत मौलाना अब्दुल हय्यि हनफ़ी लखनवी मरहूम के लफ़्ज़ों में पेश कर देना चाहते हैं। मौसूफ़ उलम—ए—अहनाफ़ के चोटी के आलिम हैं। मगर अल्लाह पाक ने आपको जो बसीरत अता फ़र्माई वो काबिले सद ता'रीफ़ है। चुनाँचे आपने नीचे लिखे बयान में इस बहस का बिल्कुल ख़ात्मा कर दिया है। आप फ़र्माते हैं, 'लम यरिद फ़ी हदीषिन मफ़ूइन सहीहिन अन्नह्य अन किरातिल फ़ातिहति ख़ल्फ़ल इमामि व कुल्ल मा ज़करूहु मफ़ूअन फ़ीहि अम्मा ला अस्त लहु व अम्मा ला यस्मिहू' (तअलीकुल मुम्जिद अला मुअत्ता इमाम मालिक पेज नं. 101 तबअ यूसुफ़ी)

यानी किसी मफ़ूअ हदीष में इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा पढ़ने की नही (मना) वारिद नहीं हुई और इसके बारे में उलम—ए—अहनाफ़ जिस क्रदर दलाइल ज़िक्र करते हैं या तो वो बिलकुल बेअसल और मनघड़ंत हैं, या वो सहीह नहीं।

'फ़ज़हर अन्नह्य ला यूजदु मुआरिजुन लिआदीषि तज्वीज़िल किराति ख़ल्फ़ल इमामि मफ़ूअन' (तअलीकुल मुम्जिद पेज नं. 101 तबअ यूसुफ़ी) यानी इमाम के पीछे (सूरह फ़ातिहा) पढ़ने की अहादीष के मुआरिज़ व मुखालिफ़ कोई मफ़ूअ हदीष नहीं पाई जाती।

हनफ़िया के दलाइल के जवाब ज़िक्र करने के बाद फ़र्माते हैं, 'व बिल जुम्लति ला यज़ हरू लिअहादीषि तज्वीज़िल किराति ख़ल्फ़ल इमामि मुआरिजुन युसावीहा फ़िहरजति व यदुल्लु अलल्मनइ' (तअलीकुल मुम्जिद पेज नं. 101) यानी बातचीत का खुलासा ये है कि इमाम के पीछे (सूरह फ़ातिहा) पढ़ने की अहादीष के दर्जे की कोई मुआरिज़ व मुखालिफ़ हदीष नहीं है और न ही (इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा पढ़ने के) मना पर कोई हदीष दलालत करती है।

उम्मीद है कि नाज़िरीने किराम के इत्मीनान ख़ातिर के लिए इसी क्रदर काफ़ी होगा। अपना मक़सद सिर्फ़ यही है कि सूरह फ़ातिहा ख़ल्फ़ल इमाम पढ़ने वालों से हसद बुज़ रखना, उनको ग़ैर मुकल्लिद, ला मज़हब कहना ये किसी तरह भी ज़ेबा नहीं है। ज़रूरी है कि ऐसे फ़रूई मबाहिष में वुस्तअते क़ल्बी से काम लेकर बाहमी इतिफ़ाक़ के लिये कोशिश की जाए जिसकी आज सख़्त ज़रूरत है। वबिल्लाहितौफ़ीक़।

नोट :- कुछ लोग इस आयत को 'व इज़ा कुरिअल्कुआन' से सूरह फ़ातिहा न पढ़ने की दलील पकड़ते हैं हालाँकि ये आयत मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई जबकि नमाज़ बा जमाअत का सिलसिला ही न था, लिहाज़ा इस्तिदलाल बातिल है। तफ़्सीले मज़ीद के लिए फ़नाई तर्जुमा वाले कुआन मज़ीद के आख़िर में मक़ाला फ़नाई का मुतालआ किया जाए। (राज़)

(757) हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने उबैदुल्लाह उमरी से बयान किया,

۷۵۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي

कहा कि मुझसे सईद बिन अबी सईद मक्बरी ने अपने बाप अबू सईद मक्बरी से बयान किया, उन्होंने हज़रत अबू हुऱैरह (रज़ि.) से किरसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ लाए उसके बाद एक और शख्स आया। उसने नमाज़ पढ़ी, फिर नबी करीम (ﷺ) को सलाम किया। आपने सलाम का जवाब देकर फ़र्माया कि वापस जा और नमाज़ पढ़, क्योंकि तूने नमाज़ नहीं पढ़ी। वो शख्स वापस गया और पहले की तरह नमाज़ पढ़ी और फिर आकर सलाम किया। लेकिन आपने इस बार भी यही फ़र्माया कि वापस जा और दोबारा नमाज़ पढ़, क्योंकि तूने नमाज़ नहीं पढ़ी। आपने इस तरह तीन बार किया। आख़िर उस शख्स ने कहा कि उस ज़ात की क़सम! जिसने आपको हज़क के साथ मबज़ूज़ किया है। मैं इसके अलावा और कोई अच्छा तरीक़ा नहीं जानता, इसलिये आप मुझे नमाज़ सिखा दीजिए। आपने फ़र्माया कि जब नमाज़ के लिए खड़े हो तो पहले तक्बीर कह। फिर आसानी के साथ जितना कुर्आन तुझको याद है पढ़। उसके बाद रुकूअ कर, अच्छी तरह से रुकूअ हो ले तो फिर सर उठाकर पूरी तरह खड़ा हो जा। उसके बाद सज्दा कर पूरे इत्मीनान के साथ। फिर सर उठा और अच्छी तरह बैठ जा। इसी तरह अपनी तमाम नमाज़ पूरी कर।

(दीगर मक़ाम : 793, 6251, 6252, 6667)

سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ وَقَالَ: ((ارْجِعْ فَصَلِّ لِإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ))، فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّيْتُ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: ((ارْجِعْ فَصَلِّ لِإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ))، (ثَلَاثًا). فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِمْتَنِي: فَقَالَ: ((إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَالْفِعْلُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا)).

أَطْرَافُهُ فِي : ٧٩٣، ٦٢٥١، ٦٢٥٢

[٦٦٦٧]

आँहज़रत (ﷺ) को हर बार ये उम्मीद रही कि वो खुद दुरुस्त कर लेगा। मगर तीन बार देखकर आपने उसे ता'लीम फ़र्माई। अबू दाऊद की रिवायत में यँ है कि तक्बीर कह फिर सूरह फ़ातिहा पढ़। इमाम अहमद व इब्ने हिब्बान की रिवायात में यँ है कि जो तू चाहे वो पढ़ यानी कुर्आन में से कोई सूत। यहीं से बाब का तर्जुमा निकला कि आपने उसको किराते कुर्आन का हुक्म फ़र्माया। कुर्आन मजीद में सबसे ज़्यादा आसानी के साथ याद होने वाली सूत सूरह फ़ातिहा है। इसी के पढ़ने का आपने हुक्म दिया और आयते कुर्आन 'फ़क्वरऊ मा तयस्सर मिन्हु' (अल् मुजम्मिल : 20) में भी सूरह फ़ातिहा ही का पढ़ना मुराद है।

बाब 96 : नमाज़े जुहर में किरअत का बयान

(758) हमसे अबुन नोअमान मुहम्मद बिन फ़ज़ल ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू अवाना वज़ाह यश्करी ने अब्दुल मलिक बिन इमैर से बयान किया, उन्होंने जाबिर बिन समुरह से कि सअद बिन अबी वक़्ास (रज़ि.) ने हज़रत इमर (रज़ि.) से कहा। मैं उन (कूफ़ा वालों) को नबी करीम (ﷺ) की तरह नमाज़ पढ़ाता था। जुहर और अस्त्र की दोनों नमाज़ें, किसी क़िस्म का

٩٦- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

٧٥٨- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ سَعْدٌ: ((كُنْتُ أَصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاتِي الْعَشِيِّ لَا آخِرِمُ عَنْهَا. كُنْتُ أَرْكُدُ فِي الْأَوَّلِينَ

नुक्स उनमें नहीं छोड़ता था। पहली दो रकअतें लम्बी और दूसरी दो रकअतें हल्की। तो हज़रत इमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मुझको तुमसे उम्मीद भी यही थी। (राजेअ : 755)

(759) हमसे अबू नुऐम फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शौबान ने बयान किया, उन्होंने यह्या बिन अबी कषीर से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी क्रतादा से, उन्होंने अपने बाप अबू क्रतादा (रज़ि.) से कि नबी अकरम (ﷺ) जुहर की पहली दो रकअतों में सूरह फ़ातिहा और हर रकअत में एक-एक सूरा पढ़ते थे, उनमें भी क़िरअत करते थे लेकिन आख़री दो रकअतें हल्की पढ़ाते थे कभी-कभी हमको भी कोई आयत सुना दिया करते थे। अस्र में आप (ﷺ) सूरह फ़ातिहा और सूरतें पढ़ते थे, उसकी भी पहली दो रकअतें लम्बी पढ़ते। इसी तरह सुबह की नमाज़ की पहली रकअत लम्बी करते और दूसरी हल्की।

(दीगर मक़ाम : 762, 776, 778, 779)

(760) हमसे इमर बिन हफ़स ने बयान किया कि कहा हमसे मेरे वालिद ने, उन्होंने कहा कि हमसे सुलैमान बिन मेह्रान अअमश ने बयान किया, कहा कि मुझसे अम्मारा बिन इमैर ने बयान किया अबू मअमर अब्दुल्लाह बिन मुख़बरह से, कहा कि हमने ख़ब्बाब बिन अरत से पूछा, क्या नबी करीम (ﷺ) जुहर और अस्र में क़िरअत किया करते थे? तो उन्होंने बतलाया कि हाँ! हमने पूछा कि आप लोगों को किस तरह मा'लूम होता था? फ़र्माया कि आपकी दाढ़ी मुबारक के हिलने से।

बाब 97 : नमाज़े अस्र में क़िरअत का बयान

(761) हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ बैकुन्दी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन इययना ने अअमश से, उन्होंने अम्मारा बिन इमैर से, उन्होंने अबू मअमर से कि मैंने ख़ब्बाब बिन अल अरत से पूछा कि क्या नबी करीम (ﷺ) जुहर और अस्र की नमाज़ों में क़िरअत किया करते थे? तो उन्होंने कहा कि हाँ! मैंने

وأخلف في الآخرتين. فقال عمر رضي
الله عنه: ذلك الظن بك.

[راجع: 700]

759- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ
فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ
بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي
الْأُولَى وَيَقْصُرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيَسْمَعُ الْآيَةَ
أَحْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي
الْأُولَى وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكَعَةِ الْأُولَى
مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيَقْصُرُ فِي الثَّانِيَةِ.

[أطرافه ن: 762, 776, 778, 779].

760- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ
حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْنَا
نَبَابًا: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ
الْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْنَا: بِأَيِّ شَيْءٍ
كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ.

97- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعَصْرِ

761- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ
مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِخَبَّابِ
بِالْأُرْتِ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ

कहा कि आँहज़रत (ﷺ) की क़िरअत करने को आप लोग किस तरह मा'लूम कर लेते थे? फ़र्माया कि आपकी दाढ़ी मुबारक के हिलने से।

(762) हमसे मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने हिशाम दस्तवाई से, उन्होंने यहाह बिन अबी क़प्रीर से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा से, उन्होंने अपने बाप हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) से कि नबी (ﷺ) जुहर और अस्र की दो रकआत में सूह फ़ातिहा और एक-एक सूत पढ़ते थे। और आप (ﷺ) कभी कभी कोई आयत हमें सुना भी दिया करते।

(राजेज़: 759)

तशरीह: मज़सूद ये है कि जुहर और अस्र की नमाज़ में भी इमाम मुक्तदी दोनों के लिए क़िराते सूह फ़ातिहा और उसके बाद पहली दो रकआत में कुछ और कुआन पढ़ना ज़रूरी है। सूह फ़ातिहा का पढ़ना तो इतना ज़रूरी है कि इसके पढ़े बग़ैर नमाज़ हीन होगी और कुछ आयत का पढ़ना बस मस्नून तरीका है। ये भी मा'लूम हुआ कि सिरि नमाज़ों में मुक्तदियों को मा'लूम कराने के लिए इमाम अगर कभी किसी आयत को आवाज़ से पढ़ दे तो उससे सज्द-ए-सह लाज़िम नहीं आता। निसाई की रिवायत में है कि हम सहाबा आपसे सूह लुक्मान और सूह वुजू ज़ारियात की आयत कभी कभार सुन लिया करते थे। कुछ रिवायतों में सूह सब्बिहिस्मा और सूह हल अताका हदीधुल गाशिया का ज़िक्र आया है। बहरहाल इस तरह कभी कभार कोई आयत आवाज़ से पढ़ दी जाए तो कोई हर्ज नहीं।

बाब 98 : नमाज़े मग़िब में क़िरअत का बयान

(763) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने इब्ने शिहाब के वास्ते से ख़बर दी, उन्होंने अबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन इत्बा से बयान किया, उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से बयान किया, उन्होंने कहा कि उम्मे फ़ज़ल (रज़ि.) (उनकी माँ) ने उन्हें वल मुसलाति इफ़्रा पढ़ते हुए सुना। फिर कहा कि ऐ बेटे! तुमने इस सूत की तिलावत करके मुझे याद दिला दिया। मैं आख़िर उम्र में आँहज़रत (ﷺ) को मग़िब में यही सूत पढ़ते हुए सुनती थी।

(दीगर मक़ाम: 4429)

(764) हमसे अबू आसिम नबील ने बयान किया, उन्होंने अब्दुल मलिक इब्ने जरीह से, उन्होंने इब्ने अबी मुलैका (जुहैर

وَالْقَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ بَأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قِرَاءَتَهُ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ.

٧٦٢- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْقَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةِ سُورَةٍ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا. [راجع: ٧٥٩]

٩٨- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

٧٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ غَيْبِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ سَمِعْتَهُ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿هُوَ الْمُرْسَلَاتِ غُرْلًا﴾ فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ، لَقَدْ ذَكَرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ إِنَّهَا لِأَخَيْرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

[طرنه ي: ٤٤٢٩].

٧٦٤- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

बिन अब्दुल्लाह) से, उन्होंने उर्वा बिन जुबैर से, उन्होंने मरवान बिन हकम से, उसने कहा जैद बिन प्राबित ने मुझे टोका कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मरिब में छोटी छोटी सूरतें पढ़ते हो। मैंने नबी करीम (ﷺ) को दो लम्बी सूरतों में से एक सूरत पढ़ते हुए सुना।

बाब 99 : मरिब की नमाज़ में बुलन्द आवाज़ से कुर्आन पढ़ना (चाहिए)

(765) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने इब्ने शिहाब से खबर दी, उन्होंने मुहम्मद बिन जुबैर बिन मुत्तइम से, उन्होंने अपने बाप से, उन्होंने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को मरिब में सूरह तूर पढ़ते हुए सुना था। (दीगर मक़ाम : 3050, 4023, 4754)

तशरीह :

मरिब की नमाज़ का वक़्त थोड़ा होता है, इसलिए इसमें छोटी छोटी सूरतें पढ़ी जाती हैं। लेकिन अगर कभी कोई बड़ी सूरत भी पढ़ ली जाए तो ये भी मसून तरीक़ा है। ख़ास तौर पर सूरह तूर पढ़ना कभी सूरह मुर्सलात।

बाब 100 : नमाज़े इशा में बुलन्द आवाज़ से कुर्आन पढ़ना

(766) हमसे अबुन नोअमान मुहम्मद बिन फ़ज़ल ने बयान किया, कहा कि हमसे मुअतमिर बिन सुलैमान ने बयान किया अपने बाप से, उन्होंने अबूबक्र बिन अब्दुल्लाह से, उन्होंने अबू राफ़ेअ से, उन्होंने बयान किया कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) के साथ इशा की नमाज़ पढ़ी। उसमें आपने इज़स्समाउन् शक्रत पढ़ी और सज्द-ए- (तिलावत) किया। मैंने उनसे इसके बारे में मा'लूम किया तो उसने बतलाया कि मैंने अबुल क़ासिम (ﷺ) के पीछे भी (इस आयत में तिलावत का) सज्दा किया है और ज़िन्दगी भर मैं उसमें सज्दा करूँगा, यहाँ तक कि मैं आपसे मिल जाऊँ। (दीगर मक़ाम : 768, 1074, 1078)

(767) हमसे अबुल वलीद हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया अदी बिन प्राबित से, उन्होंने बयान किया कि मैंने बराअ बिन आज़िब से सुना कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) से सुना। आप सफ़र में थे कि इशा की दो पहली रकअत में से किसी एक रकअत में आपने वत्तीनि वज़ैतून पढ़ी। (दीगर मक़ाम : 769, 4952, 7546)

عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارٍ، وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ بِطَوِيلِي الطَّوِيلِينَ.

99- بَابُ الْجَهْرِ فِي الْمَغْرِبِ

765- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطَّوْرِ.

[أطرافه في : 3050, 4023, 4754].

100- بَابُ الْجَهْرِ فِي الْعِشَاءِ

766- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا

مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ لِقَرَأَ:

﴿إِذِ السَّمَاءُ انشَقَّتْ فَسَجَدَ، فَقُلْتُ

لَهُ، قَالَ: سَجَدْتُ خَلْفَ أَبِي

الْقَاسِمِ ﷺ فَلَا أَرَأَى أَنْ أُسْجِدَ بِهَا حَتَّى

أَقْدَأَ.

[أطرافه في : 768, 1074, 1078].

767- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ أَنَّ

النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ

فِي إِحْدَى الرَّكَعَتَيْنِ بِالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ.

[أطرافه في : 769, 4952, 7546].

बाब 101 : नमाज़े इशा में सज्दा की सूरत पढ़ना

(768) हमसे मुसहद बिन मुसहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन ज़ुरैअ ने बयान किया, कहा कि हमसे तैमी ने अबूबक्र से, उन्होंने अबू राफ़ेअ से, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत अबू हु़रैरह (रज़ि.) के साथ इशा पढ़ी, आपने इज़स्समाउन्न शक्रत पढ़ी और सज्दा किया। इस पर मैंने कहा कि ये सज्दा कैसा है? आपने जवाब दिया कि इस सूरत में मैंने अबुल कासिम (ﷺ) के पीछे सज्दा किया था। इसलिए मैं भी हमेशा इसमें सज्दा करूँगा, यहाँ तक कि आपसे मिल जाऊँ। (राजेअ: 766)

बाब 102 : नमाज़े इशा में क़िरअत का बयान

(769) हमसे ख़ल्लाद बिन यह्या ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मिस्अर बिन कुदाम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अदी बिन ग़ाबित ने बयान किया। उन्होंने बराअ (रज़ि.) से सुना, उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इशा में 'वत्तीनि वज़्जतून' पढ़ते सुना। मैंने आपसे ज़्यादा अच्छी आवाज़ और अच्छी क़िरअत वाला किसी को नहीं पाया। (राजेअ: 767)

बाब 103 : इशा की पहली दो रकअतें लम्बी और आख़िरी दो रकअतें हल्की करनी चाहिए

(770) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने अबू औन मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह प्रक्फ़ी से बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने जाबिर बिन समुरा से सुना, उन्होंने बयान किया कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर (रज़ि.) ने हज़रत सअद बिन अबी वक्रास (रज़ि.) से कहा कि आपकी शिकायत कूफ़ा वालों ने तमाम ही बातों में की है, यहाँ तक कि नमाज़ में भी। उन्होंने कहा कि मेरा अमल तो ये है कि पहली दो रकअत में क़िरअत लम्बी करता हूँ और दूसरी दो रकअतें हल्की जिस तरह मैंने नबी करीम (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ी थी उसमें किसी किसिम की कमी नहीं करता। हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा कि सच कहते

١٠١- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

بِالسُّجْدَةِ

٧٦٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ، فَقَرَأَ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ فَسَجَدَ، فَقُلْتُ، مَا هَلِهِ؟ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ، فَلَا أَرَأَى أَنْسُجُدَ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ. [راجع: ٧٦٦]

١٠٢- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

٧٦٩- حَدَّثَنَا خَلَادٌ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ: ﴿وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ﴾ فِي الْعِشَاءِ، مَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ أَوْ قِرَاءَةً. [راجع: ٧٦٧]

١٠٣- بَابُ يُطَوَّلُ فِي الْأَوَّلَيْنِ،

وَيُخَفَّفُ فِي الْأَخْرَيْنِ

٧٧٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ غَمْرٌ لِسَعْدٍ: لَقَدْ شَكَّوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الصَّلَاةِ. قَالَ: أَمَا أَنَا فَأَمْدُ الْأَوَّلَيْنِ وَأَخَفِّفُ فِي الْأَخْرَيْنِ، وَلَا أَلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: صَدَقْتَ، ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ، أَوْ ظَنِّي بِكَ.

हो। तुमसे उम्मीद भी इसी की है।

तशरीह: पहली दो रकआत में लम्बी क़िरात करना और दूसरी दो रकआत में मुख्तसर करना यानी सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पर क़िफ़ायत करना यही मस्नून तरीक़ा है। हज़रत उमर (रज़ि) ने हज़रत सअद (रज़ि) का बयान सुनकर इज़हारे इत्मीनान क़िया मगर कूफ़ा के हालात के पेशे नज़र हज़रत सअद (रज़ि) को वहाँ से बुला लिया। जो हज़रत उमर (रज़ि) की कमाले दूरअंदेशी की दलील है। कुछ मवाक़ेअ पर ज़िम्मेदारों को ऐसा इक़दाम करना ज़रूरी हो जाता है।

बाब 104 : नमाज़े फ़ज़्र में कुआन शरीफ़ पढ़ना और उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने सूरह तूर पढ़ी

(771) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे सय्यार इब्ने सलामा ने बयान किया, उन्होंने बयान किया कि मैं अपने बाप के साथ अबू बर्जा असलमी सहाबी (रज़ि.) के पास गया। हमने आपसे नमाज़ के वक़्तों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) जुहर की नमाज़ सूरज ढलने पर पढ़ते थे। अस्पर जब पढ़ते तो मदीना के इन्तिहाई किनारे तक एक शख़्स चला जाता, लेकिन सूरज अब भी बाक़ी रहता। मग़िब के बारे में जो कुछ आपने कहा वो मझे याद नहीं रहा और इशा के लिए तिहाई रात तक देर करने में काई हर्ज महसूस नहीं करते थे और आप इससे पहले सोने को और बाद में बातचीत करने को नापसंद करते थे। जब नमाज़े सुबह से फ़ारिग होते तो हर शख़्स अपने पास बैठे हुए को पहचान सकता था। आप दोनों रकआत में या एक में साठ से सौ तक आयतें पढ़ते थे। (राजेअ : 541)

तशरीह: हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह) ने कहा कि ये शुअबा ने शक किया है। तबरानी में इसका अंदाज़ा सूरह अल्हाक्का मज़कूर है। इब्ने अब्बास (रज़ि) की हदीष में है कि रसूले करीम (ﷺ) जुम्आ के दिन सुबह की नमाज़ में पहली रकआत में अलिफ़ लाम मीम तनज़ीलुल किताब और दूसरी रकआत में सूरह अद् दह्र पढ़ा करते थे। जाबिर बिन समुरा की रिवायत में आपका फ़ज़्र की नमाज़ में सूरह क़ाफ़ पढ़ना भी आया है। कुछ रिवायात में वस् साफ़ात और सूरह वाक़िया पढ़ना भी मज़कूर हुआ है। बहरहाल फ़ज़्र की नमाज़ में क़िराते कुआन तवील करना मक़सूद है। ये वो मुबारक नमाज़ है जिसमें क़िराते कुआन सुनने के लिए ख़ुद फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं।

(772) हमसे मुसहद बिन मुस्रहिद ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माईल बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमें

١٠٤ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ
وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِالطُّورِ .
٧٧١ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
قَالَ : حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ : دَخَلْتُ
أَنَا وَأَبِي عَلِيٍّ أَبِي بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيَّ ،
فَسَأَلْتَاهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ : كَانَ
النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ
الشَّمْسُ ، وَالْعَصْرَ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى
أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةً ، وَنَسِيتُ
مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ . وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ
العِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَلَا يُجِبُ النَّوْمَ
قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا ، وَيُصَلِّي الصُّبْحَ
فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ . وَكَانَ
يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ
السُّتَيْنِ إِلَى الْمِائَةِ . [راجع : ٥٤١]

٧٧٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ

अब्दुल मलिक इब्ने जुरैज ने खबर दी, कहा कि मुझे अता बिन अबी रबाह ने खबर दी कि उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना, वो फ़र्माते थे कि हर नमाज़ में कुर्आन मजीद की तिलावत की जाएगी। जिनमें नबी करीम (ﷺ) ने हमें कुर्आन सुनाया था हम भी तुम्हें उनमें सुनाएँगे और जिन नमाज़ों में आपने आहिस्ता क़िरअत की हम भी उसमें आहिस्ता ही क़िरअत करेंगे और अगर सूरह फ़ातिहा ही पढ़ो जब भी काफ़ी है। लेकिन अगर ज़्यादा पढ़ लो तो और बेहतर है।

बाब 105 : फ़ज़्र की नमाज़ में बुलन्द आवाज़ से कुर्आन मजीद पढ़ना

और उम्मे सलमा (रज़ि.) ने कहा कि मैंने लोगों के पीछे होकर का'बा का तवाफ़ किया। उस वक़्त नबी करीम (ﷺ) (नमाज़ में) सूरह तूर पढ़ रहे थे।

(773) हमसे मुसद्द बिन मुस्रहिद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू अवाना वज़ाह यशकरी ने अबू बिशर से बयान किया, उन्होंने अबू सईद बिन जुबैर से, उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) एक बार कुछ सहाबा (रज़ि.) के साथ उकाज़ के बाज़ार की तरफ़ गए, उन दिनों शयातीन को आसमान की ख़बरें लेने से रोक दिया गया था और उन पर अंगारे (शिहाबे षाक़िब) फेंके जाने लगे थे तो वो शयातीन अपनी क़ौम के पास आए और पूछा कि बात क्या हुई? उन्होंने कहा कि हमें आसमान की ख़बरें लेने से रोक दिया गया है और (जब हम आसमान की तरफ़ जाते हैं तो) हम पर शिहाबे षाक़िब फेंके जाते हैं। शयातीन ने कहा कि आसमान की ख़बरें लेने से रोकने की कोई नई वजह हुई है। इसलिए तुम मशिक़ व मरिब में हर तरफ़ फैल जाओ और इस सबब को मा'लूम करो जो तुम्हें आसमान की ख़बरें लेने से रोकने का सबब हुआ है। वजह मा'लूम करने के लिए निकले हुए शयातीन तिहामा की तरफ़ गए जहाँ नबी करीम (ﷺ) उकाज़ के बाज़ार को जाते हुए मक़ामे नख़ला में अपने अस्हाब के साथ नमाज़े फ़ज़्र पढ़ रहे थे। जब कुर्आन मजीद उन्होंने सुना तो ग़ौर से उसकी तरफ़ कान लगा दिए फिर कहा। अल्लाह की क़सम! यही है जो आसमान की

جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ. وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمَّ الْقُرْآنِ أَجْزَاءَ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ.

۱۰۵ - بَابُ الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ

الْفَجْرِ

وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: طَفْتُ وَرَاءَ النَّاسِ وَالنَّبِيِّ ﷺ يُصَلِّي يَقْرَأُ بِالطُّورِ.

۷۷۳ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سَوْقِ عَكَاظَ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ وَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ فَقَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ. قَالُوا مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا شَيْءٌ حَدَّثَ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ. فَانصَرَفَ أَوْلِيكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ يَهَامَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِنَخْلَةَ عَامِدِينَ إِلَى سَوْقِ عَكَاظَ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ

ख़बरें सुनने से रोकने का बाज़ि़र बना है। फिर वो अपनी क़ौम की तरफ़ लौटे और कहा क़ौम के लोगों! हमने हैरत अंगेज़ कुआन सुना जो सीधे रास्ते की तरफ़ हिदायत करता है। इसलिए हम उस पर ईमान लाते हैं और अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। इस पर नबी करीम (ﷺ) पर ये आयत नाज़िल हुई 'कुल ऊहिया इलय्य' (आप कहिए कि मुझे वहा के ज़रिये बताया गया है) और आप पर जिन्नों की बातचीत वहा की गई थी।

(दीगर मक़ाम : 4921)

الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمْعُوا لَهُ
لِقَالُوا: هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي خَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ
خَبْرِ السَّمَاءِ. فَهَذَا لَكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى
قَوْمِهِمْ وَقَالُوا: ﴿يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا
عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ
نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى
نَبِيِّهِ ﷺ: ﴿قُلْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَوْحَىٰ
إِلَيْهِ قَوْلَ الْغَيْنِ﴾. [طرفه في : ٤٩٢١].

तशरीह :

उकाज़ एक मण्डी का नाम था, जो मक्का शरीफ़ के करीब क़दीम ज़माने से चली आ रही थी, आँहज़रत (ﷺ) अपने अज़हाब समेत ऐसे आम इज्तिमाज़ात में तशरीफ़ ले जाते और तब्लीगे इस्लाम फ़र्माया करते थे। चुनाँचे आप उस जगह जा रहे थे कि बलून नख़ला वादी में फ़ज्र का वक़्त हो गया और आपने सहाबा किराम (रज़ि) को फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई। जिसमें जिन्नों की एक जमाअत ने कुआन पाक सुना और मुसलमान हो गये। सूरह जिन्न में उन ही जिन्नों का ज़िक्र है। हदीष और बाब में मुताबक़त ज़ाहिर है कि आँहज़रत (ﷺ) ने नमाज़े फ़ज्र में बा आवाज़े बुलन्द क़िरात फ़र्माई। मरिब और इशा और फ़ज्र इन वक़्तों की नमाज़ें जहरी कहलाती हैं कि उनकी शुरू वाली रकअतों में बुलन्द आवाज़ से क़िरात की जाती है।

(774) हमसे मुसहद बिन मुस्रहद ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माईल बिन अलिया ने बयान किया, कहा कि हमसे अय्यूब सुखितयानी ने इकिमा से बयान किया, उन्होंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से, आपने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) को जिन नमाज़ों में बुलन्द आवाज़ से कुआन मजीद पढ़ने का हुक्म हुआ था उनमें आपने बुलन्द आवाज़ से पढ़ा और जिनमें आहिस्ता पढ़ने का हुक्म हुआ था उनमें आहिस्ता से पढ़ा और तेरा रब भूलने वाला नहीं और रसूलुल्लाह (ﷺ) की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है।

बाब 106 : एक रकअत में दो सूरतें

एक साथ पढ़ना

और सूरत के आख़िरी हिस्सों का पढ़ना और तर्तीब के ख़िलाफ़ सूरतें पढ़ाना या किसी सूरत को (जैसा कि कुआन शरीफ़ की तर्तीब है) उससे पहले की सूरत से पहले पढ़ना और किसी सूरत के पहले हिस्से का पढ़ना ये सब दुरस्त है। और अब्दुल्लाह बिन साइब से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने सुबह की नमाज़ में सूरह

٧٧٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا
أَمْرًا، وَسَكَتَ فِيمَا أَمْرًا ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ
نَسِيًّا﴾. ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.

١٠٦- بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ

فِي الرَّكْعَةِ

وَالْقِرَاءَةَ بِالْخَوَاتِيمِ، وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ،
وَبِأَوَّلِ سُورَةٍ. وَيَذَكُرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
السَّائِبِ: قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُؤْمِنُونَ فِي
الصُّبْحِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى

मुअमिनून तिलावत फ़र्माई, जब आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पर पहुँचे या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पर पहुँचे तो आपको खंसी होने लगी, इसलिए रुकूअ फ़र्मा दिया और हज़रत उमर (रज़ि.) ने पहली रकअत में सूरह बक्र की एक सौ बीस आयतें पढ़ीं और दूसरी रकअत में मघानी (जिसमें तक्रीबन सौ आयतें होती हैं) में से कोई सूरत तिलावत की और हज़रत अहनफ़ (रज़ि.) ने पहली रकअत में सूरह कहफ़ और दूसरी रकअत में सूरह यूसुफ़ या सूरह यूनस पढ़ी और कहा कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने सुबह की नमाज़ में ये दोनों सूरतें पढ़ी थीं। इब्ने मसज़द (रज़ि.) ने सूरह अन्फ़ाल की चालीस आयतें (पहली रकअत में) पढ़ीं और दूसरी रकअत में मुफ़स्सल की कोई सूरत पढ़ीं और क़तादा (रज़ि.) ने उस शख़्स के बारे में जो एक रकअत में तक्सीम करके पढ़े या एक सूरह दो रकअतों में बार-बार पढ़े, फ़र्माया कि सारी ही किताबुल्लाह में से हैं। (लिहाज़ा कुछ हर्ज नहीं)

وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرَ عِيسَى أَخَذَهُ سَغْلَةٌ فَرَكَعَ. وَقَرَأَ عُمَرُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ، وَفِي الثَّانِيَةِ سُورَةَ مِنَ الْمَثَانِي. وَقَرَأَ الْأَخْنَفُ بِالْكَهْفِ فِي الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ يُونُسَ أَوْ يُونُسَ. وَذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الصُّبْحَ بِهِمَا. وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِأَرْبَعِينَ آيَةً مِنَ الْأَنْفَالِ، وَفِي الثَّانِيَةِ سُورَةَ مِنَ الْمُفَصَّلِ. وَقَالَ قَتَادَةَ - فَيَمَنْ يَقْرَأُ سُورَةَ وَاحِدَةً فِي رَكْعَتَيْنِ، أَوْ يَرُدُّ سُورَةَ وَاحِدَةً فِي رَكْعَتَيْنِ -: كُلُّ كِتَابِ اللَّهِ.

(774ब) इब्नेदुल्लाह बिन उमर ने घ़ाबित (रज़ि.) से उन्होंने हज़रत अनस (रज़ि.) से नक़ल किया कि अंसारी में से एक शख़्स (कुलषुम बिन हिदम) कुबा की मस्जिद में लोगों की इमामत किया करता था। वो जब भी कोई सूरह (सूरह फ़ातिहा के बाद) शुरू करता तो पहले कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लेता। फिर कोई दूसरी सूरह पढ़ता। हर रकअत में उसका यही अमल था। उसके साथियों ने इस सिलसिले में उस पर ए'तिराज़ किया और कहा कि तुम पहले ये सूरह पढ़ते हो और सिर्फ़ उसी को काफ़ी ख़याल नहीं करते बल्कि दूसरी सूरह भी (उसके साथ) ज़रूर पढ़ते हो। या तो तुम्हें सिर्फ़ उसी को पढ़ना चाहिए वरना उसे छोड़ देना चाहिए और बजाए उसके कोई दूसरी सूरह पढ़नी चाहिए। उस शख़्स ने कहा कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता अब अगर तुम्हें पसंद है कि मैं नमाज़ पढ़ाऊँ तो बराबर पढ़ाता रहूँगा। वरना मैं नमाज़ पढ़ाना छोड़ दूँगा, लोग समझते थे कि ये उन सबसे अफ़ज़ल हैं इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनके अलावा कोई और नमाज़ पढ़ाए। जब नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाए तो उन लोगों ने आपको वाक़िए की

٧٧٤ - وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَائِبٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُؤْمَهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ، وَكَانَ كُلَّمَا فَتَحَ سُورَةَ يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ الْفَتْحَ بِقَوْلِ اللَّهِ أَحَدًا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةَ أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا: إِنَّكَ تَفْتَحُ بِهَذِهِ السُّورَةَ ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى، فَإِنَّمَا أَنْ تَقْرَأَ بِهَا وَإِنَّمَا أَنْ تَدْعَهَا وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى، فَقَالَ: مَا أَنَا بِبَارِكِهَا، إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أُوْمَكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ: وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ. وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ وَكَرِهَهُ هُوَ

खबर दी। आप (ﷺ) ने उनको बुलाकर पूछा कि ऐ फ़लाँ! तुम्हारे साथी जिस तरह कहते हैं इस पर अमल करने से तुमको कौनसी रुकावट है और हर रकअत में इस सूरह को ज़रूरी करार देने का सबब क्या है। उन्होंने कहा कि हुज़ूर! मैं इस सूरह से मुहब्बत करता हूँ। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि इस सूरह की मुहब्बत तुम्हें जन्नत में ले जाएगी।

आपने उनके इस फ़ेअल पर सुकूत फ़र्माया बल्कि तहसीन फ़र्माई। ऐसी अह्लादीष को तक़रीरी कहा गया है।

(775) हमसे आदम बिन अबी अयासने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अमर बिन मुरह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अबुल वाइल शक्रीक बिन मुस्लिम से सुना कि एक शख्स अब्दुल्लाह बिन मसरूद (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा कि मैंने रात एक रकअत में मुफ़्स्ल की कोई सूत पढ़ी। आपने फ़र्माया कि क्या इस तरह (जल्दी-जल्दी) पढ़ी जैसे शे'र पढ़े जाते हैं। मैं उन हम-मा'नी सूतों को जानता हूँ जिन्हें नबी करीम (ﷺ) एक साथ मिलाकर पढ़ते थे। आपने मुफ़्स्ल की बीस सूतों का ज़िक्र किया। हर रकअत के लिए दो-दो सूतें।

(दीगर मक़ाम : 4996, 5043)

बाब 107 : पिछली दो रकअत में सिर्फ़

सूरह फ़ातिहा पढ़ना

(776) हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माम बिन यह्या ने बयान किया, उन्होंने यह्या बिन अबी क़रीर के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा से, उन्होंने अपने बाप अबू क़तादा (रज़ि.) से कि नबी (ﷺ) जुहर की पहली दो रकअतों में सूरह फ़ातिहा और दो सूतें पढ़ते थे और आख़िरी दो रकअतों में सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पढ़ते। कभी-कभी हमें एक आयत सुना भी दिया करते थे और पहली रकअत में क़िरअत दूसरी रकअत से ज़्यादा करते थे। अस् और सुबह की नमाज़ों में भी आपका यही मअमूल था (हदीष और बाब में मुताबक़त ज़ाहिर है)

ان يَوْمَهُمْ عَمْرُوهُ - فَلَمَّا آتَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ
أَخْبَرُوهُ النَّخْبِرَ، فَقَالَ: ((يَا فَلَانُ، مَا
يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ،
وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي
كُلِّ رَكْعَةٍ؟)) فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا. قَالَ:
((حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ)).

۷۷۵- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: قَرَأْتُ
الْمُفْصَّلَ اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ. فَقَالَ: هَذَا
كَهَذَا الشَّعْرِ. لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ بِبَيْنَهُنَّ. فَلَذَكَرَ عِشْرِينَ
سُورَةً مِنَ الْمُفْصَّلِ، سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ
رَكْعَةٍ.

[طرفاه في : ۴۹۹۶، ۵۰۴۳.]

۱۰۷- بَابُ يَقْرَأُ فِي الْأَخْرَتَيْنِ

بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

۷۷۶- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:
حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ
فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأَمِّ الْكِتَابِ
وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخْرَتَيْنِ بِأَمِّ
الْكِتَابِ، وَيَسْمَعُنَا الْآيَةَ، وَيَطْوِلُ فِي
الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطْوِلُ فِي الرَّكْعَةِ
الثَّانِيَةِ، وَمَكَدًا فِي الْعَصْرِ، وَمَكَدًا فِي

(राजेअ: 759)

बाब 108 : जिसने जुहर और अस्र में आहिस्ता से किरअत की

(777) हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे जर्री बिन अब्दुल हमीद ने अअमश से बयान किया, वो अम्मार बिन उमैर से, वो अबू मअमर अब्दुल्लाह बिन मुंजिर से, उन्होंने बयान किया कि हमने खब्बाब बिन अरत (रज़ि.) से कहा कि क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) जुहर और अस्र में कुर्आन मजीद पढ़ते थे? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ! हमने पूछा कि आपको मा'लूम किस तरह होता था। उन्होंने बतलाया कि आप (ﷺ) की रीशे मुबारक के हिलने से।

बाब 109 : अगर इमाम सिरीं नमाज़ में कोई आयत पुकार कर पढ़ दे कि मुक्तदी सुन लें, तो कोई क़बाहत नहीं

(778) हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़र्याबी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इमाम अब्दुर्रहमान औज़ाई ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे यह्या बिन अबी क़प्रीर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा ने बयान किया, वो अपने वालिद अबू क़तादा (रज़ि.) से कि नबी (ﷺ) जुहर और अस्र की पहली दो रकअ तों में सूरह फ़ातिहा और कोई सूरह पढ़ते थे। कभी कभी आप कोई आयत हमें सुना भी दिया करते थे। पहली दो रकअत में क़िरअत ज़्यादा लम्बी करते थे। (राजेअ: 759)

बाब 110 : पहली रकअत (में क़िरअत)

लम्बी होनी चाहिए

(779) हमसे अबू नुऐम फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हिशाम दस्तवाई ने बयान किया, उन्होंने यह्या बिन अबी क़प्रीर से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा से, उन्होंने अपने वालिद अबू क़तादा (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) जुहर की पहली रकअत में (क़िरअत)

[راجع: 709]

١٠٨- بَابُ مَنْ خَافَتْ الْفِرَاءَةَ فِي

الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ

٧٧٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ هُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ: قَالَ لَقْنَا لِحَبَابٍ: (أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ؟ قَالَ: نَعَمْ. لَقْنَا: مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابٍ لِحَبَابٍ لِحَبَابِهِ).

١٠٩- بَابُ إِذَا سَمِعَ

الإِمَامَ الْآيَةَ

٧٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْرَأُ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةَ مَعَهَا فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكَعَةِ الْأُولَى). [راجع: 709]

١١٠- بَابُ يُطَوَّلُ فِي الرَّكَعَةِ

الْأُولَى

٧٧٩- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُطَوَّلُ فِي الرَّكَعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ،

लम्बी करते थे और दूसरी रकअत में हल्की। सुबह की नमाज़ में भी आप उसी तरह करते थे। (राजेअ : 759)

बाब 111 : (जहरी नमाज़ों में) इमाम का बुलन्द आवाज़ से आमीन कहना

मस्नून है और अता बिन अबी रबाह ने कहा कि आमीन एक दुआ है और अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) और उन लोगों ने जो आपके पीछे (नमाज़ पढ़ रहे) थे, इस ज़ोर से आमीन कही कि मस्जिद गूँज उठी और हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) इमाम से कह दिया करते थे कि आमीन से हमें महरूम न रखना और नाफ़ेअने कहा कि इब्ने उमर (रज़ि.) आमीन कभी नहीं छोड़ते थे और लोगों को उसकी तर्गीब भी दिया करते थे। मैंने आपसे उसके बारे में एक हदीष भी सुनी थी।

(780) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने सईद बिन मुसय्यिब और अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान के वास्ते से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो क्योंकि जिसकी आमीन मलाइका की आमीन के साथ हो गई उसके तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिये जाएँगे। इब्ने शिहाब ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) आमीन कहते थे।

(दीगर मक़ाम : 2402)

बाब 112 : आमीन कहने की फ़ज़ीलत

(781) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने अबुज़्ज़िनाद से ख़बर दी, उन्होंने अअरज से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब कोई तुममें से आमीन कहे और फ़रिश्तों ने भी उसी वक़्त आसमान पर आमीन कही। इस तरह एक की आमीन दूसरे की आमीन के साथ मिल गई तो उसके

وَيَقْصُرُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ. [راجع: ٧٥٩]

١١١ - بَابُ جَهْرِ الْإِمَامِ بِالْأَمِينِ وَقَالَ عَطَاءٌ: آمِينَ دُعَاءُ. أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّىٰ إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لِلْجَهْرِ. وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُنَادِي الْإِمَامَ: لَا تَغْتَبِي بِأَمِينٍ. وَقَالَ نَالِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَدَعُهُ، وَيَحْضُهُمْ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا.

٧٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا، فَإِنَّهُ مِنَ الْوَأَقِّ تَأْمِينُهُ تَأْمِينُ الْمَلَائِكَةِ غَيْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((آمِينَ)).

[طرفه بي : ٢٤٠٢].

١١٢ - بَابُ فَضْلِ التَّامِينِ

٧٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ، وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं।

ذنبه))۔

अलहन्दु शरीफ़ के खात्मे पर फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं। सिरि में पस्त आवाज़ से और जहरी में बुलन्द आवाज़ से, पस जिस नमाज़ी की आमीन फ़रिश्तों की आमीन के साथ मिल गई, उसका बेड़ा पार हो गया। अल्लाह पाक हर मुसलमान का बेड़ा पार लगाए।

बाब 113 : मुक्तदी का आमीन बुलन्द आवाज़ से कहना

۱۱۳- بَابُ جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالْأَمِينِ ←

(782) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़अनीने बयान किया, उन्होंने इमाम मालिक (रह.) से, उन्होंने अबू बक्र बिन अब्दुर्रहमान के गुलाम सुमय से, उन्होंने अबू मालेह सम्मान से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब इमाम 'ग़ैरिल मरज़ूबि अलैहिम वलज़ालीन' कहे तो तुम भी आमीन कहो क्योंकि जिसने फ़रिश्तों के साथ आमीन कही उसके पीछे के तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिये जाते हैं। सुमय के साथ इस हदीष को मुहम्मद बिन अमर ने भी अबू सलमा से, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया। और नुएम मज्मर ने भी अबू हुरैरह (रज़ि.) से, उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से।

(दीगर मक़ाम: 4475)

۷۸۲- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَمِيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). تَابَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَنَعِمَ الْمَجْمَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[طرفه في: ۴۴۷۵].

मुक्तदी इमाम की आमीन सुनकर आमीन कहेंगे, इसी से मुक्तदियों के लिए आमीन बिल जहर का इफ़्बात हुआ। बनज़रे इस्फ़ाफ़ मुतालआ करने वालों के लिए यही काफ़ी है। तअस्सुबे मसलकी का दुनिया में कोई इलाज नहीं।

तश्रीह: जहरी नमाज़ों में सूरह फ़ातिहा के इख़ितमाम पर इमाम और मुक्तदियों के लिए बुलन्द आवाज़ से आमीन कहना ये भी एक ऐसी बहष है जिस पर फ़रीक़ेन ने कितने ही सफ़हात स्याह (कागज़ काले) कर डाले हैं। यही नहीं बल्कि इस पर बड़े-बड़े फ़सादात भी हो चुके हैं। मुहतरम बिरादराने अहनाफ़ ने कितनी मसाजिद से आमीन बिल जहर के आमिलीन को निकाल दिया, मारा-पीटा और मामला सरकारी अदालतों तक पहुँचा है। यही वजह हुई कि इस जंग को ख़त्म करने के लिए अहले हदीष हज़रत ने अपनी मसाजिद अलग ता'मीर कीं और इस तरह ये फ़साद कम हुआ। अगर ग़ौर किया जाए तो अक्लन व नक्लन ये झगड़ा हर्गिज़ न होना चाहिए था। लफ़ज़े आमीन का मतलब ये है कि ऐ अल्लाह! मैंने जो दुआएँ तुझसे की हैं उनको कुबूल फ़र्मा ले। ये लफ़ज़ यहूद व नसारा में भी मुस्तअमल (प्रयुक्त Used) रहा और इस्लाम में भी इसे इस्ते'माल किया गया। जहरी नमाज़ों में इसका ज़ोर से कहना कोई अम्रे क़बीह न था। मगर स़द अफ़सोस कि कुछ उलम-ए-सूने राई को पहाड़ बना दिया। नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों में सर फ़ुटव्वल हुई और अर्से के लिये दिलों में काविश पैदा हो गई।

सय्यदना हज़रत इमाम बुखारी (रह) ने यहाँ बाब मुनअक़िद करके और उसके तहत अहदादीष लाकर इस बहष का खात्मा कर दिया। फिर भी बहुत से लोग तफ़्सीलात का शौक़ रखते हैं। लिहाज़ा हम इस बारे में एक तफ़्सीली मक़ाला पेश कर रहे हैं जो मुत्तहिदा (अखण्ड) भारत के एक ज़बरदस्त फ़ाज़िल उस्ताज़ हज़रत मौलाना हाफ़िज़ अब्दुल्लाह साहब रोपड़ी (रह) के ज़ोरे क़लम का नतीजा है। इसमें दलाइल के साथ साथ उन पर ए'तिराज़ाते वारिदा के भी काफ़ी शाफ़ी जवाबात दिये गये हैं। चुनाँचे हज़रत मौलाना साहब क़दस सिरुहु फ़र्माते हैं:

बुलन्द आवाज़ से आमीन कहने के बारे में अह्दादीष व आषार और उलम-ए-अहनाफ़ के फ़तावे

अह्दादीष : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) फ़र्माते हैं, 'कान रसूलुल्लाहि (ﷺ) इज़ा तला ग़ैरिल मग्ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन क़ाल आमीन हत्ता यस्मअ मय्यलीहि मिनःस्सफ़िफ़ल अब्वलि' (अबू दाऊद पेज नं. 134 तबअ देहली)

तर्जुमा : रसूलुल्लाह (ﷺ) जब ग़ैरिल मग्ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन पढ़ते तो आमीन कहते। यहाँ तक कि जो पहली सफ़ में आपके नज़दीक थे, वो सुन लेते।

इस हदीष पर हनफ़िया की तरफ़ से दो ए' तिराज़ होते हैं,

एक ये कि इस हदीष की इस्नाद में बिशर बिन राफ़ेअ अल हारिषी अबुल अस्बात एक रावी है। इसके बारे में नस्बुराया जिल्द 1 पेज नं. 371 में अल्लामा ज़ेलई हनफ़ी लिखते हैं, 'ज़अअफ़हुल् बुखारी वत्तिर्मिज़ी वन्नसइ व अहमद वब्नु मईन वब्नु हिब्बान' इसको इमाम बुखारी, तिर्मिज़ी, नसाई, अहमद, इब्ने मुईन और इब्ने हिब्बान (रह) ने ज़ईफ़ कहा है।

दूसरा ए' तिराज़ ये है कि एक रावी अबू अब्दुल्लाह इब्ने अम्मे अबू हुरैरह (रज़ि) है। जो बिशर बिन राफ़ेअ का उस्ताज़ है, इसके बारे में ज़ेलई (रह) लिखते हैं : कि उसका ह्वाल मा' लूम नहीं और बिशर बिन राफ़ेअ के सिवा उससे किसी ने रिवायत नहीं की। यानी ये मज्हूलुल ऐन है, उसकी शख़्सियत का पता नहीं।

जवाब ए' तिराज़े अब्वल : खुलासा तज़हीबुल कमाल के पेज नं. 41 में बिशर बिन राफ़ेअ के बारे में लिखा है, वष़कहू इब्नु मईन व इब्नु अदी व कालल बुखारी वला युताबउ अलैहि यानी इब्ने मुईन और इब्ने अदी ने इसको ष़िका कहा है और इमाम बुखारी (रह) ने कहा है। इसकी मुवाफ़क़त नहीं की जाती।

इससे मा' लूम हुआ कि कोई ज़ईफ़ कहता है और कोई ष़िका और ये भी मा' लूम हुआ कि ज़ईफ़ कहने वालों ने जुअफ़ की वजह बयान नहीं की और ऐसी जरह को जरहे मुब्हम कहते हैं और उसूल का कायदा है :

ष़िका कहने वालों के मुक़ाबले में ऐसी जरह का ए' तिबार नहीं। हाँ अगर वजह जुअफ़ बयान कर दी जाती तो ऐसी जरह बेशक तअदील पर मुक़दम होती और ऐसी जरह को जरहे मुफ़स्सर कहते हैं।

फिर इमाम बुखारी (रह) का कहना कि इसकी मुवाफ़क़त नहीं की जाती। ये बहुत हल्की जरह है। ऐसे रावी की हदीष हसन दर्जे से नहीं गिरती। ग़ालिबन इसी लिए अबू दाऊद (रह) और मुंजरी ने इस पर सुकूत किया है और इससे दूसरे ए' तिराज़ का जवाब भी निकल आया क्योंकि अबू दाऊद जिस हदीष पर सुकूत करते हैं। वो उनके नज़दीक अच्छी होती है और मज्हूलुल ऐन की रिवायत ज़ईफ़ होती है। पस अबू अब्दुल्लाह मज्हूलुल ऐन न हुआ, वरना सुकूत न करते। अलावा उसके अल्लामा ज़ेलई (रह) को ग़लती लगी है, ये मज्हूल नहीं। हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह) तक्रीब में लिखते हैं। मक़बूल यानी उसकी हदीष मोतबर है।

इमाम दारे कुतनी (रह) कहते हैं। इस हदीष की इस्नाद हसन है। मुस्तदरक हाकिम में है कि ये हदीष बुखारी मुस्लिम की शर्त पर सहीह है। इमाम बैहकी कहते हैं। हसन सहीह है। (नैलुल औतार जिल्द 2 पेज नं. 117 तबअ मिस्र)

तम्बीह : नसबुराया जिल्द 1 पेज नं. 371 के हाशिये में लिखा है कि इसकी इस्नाद में इस्हाक़ बिन इब्राहीम बिन अलअला जुबैदी ज़ईफ़ है।

मगर जो जरह मुफ़स्सर ष़ाबित नहीं हुई। इसलिए दारे कुतनी ने इसको हसन कहा है और हाकिम ने सहीह और बैहकी

ने हसन सहीह और मीज़ानुल ए' तिदाल में जो औफ़ त्राई से इसका झूठा होना ज़िक्र है। हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह) ने तक्रीब में इसकी तर्दीद कर दी है और खुलासा तफ़हीबुल कमाल में औफ़ताई के इन अल्फ़ाज़ को नक़ल ही नहीं किया। हालाँकि वो खुलासा वाले मीज़ानुल ए' तिदाल से लेते हैं।

(2) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) फ़र्माते हैं : 'अन अबी हुरैरत क़ाल तरकन्नसुत्तामीन कान रसूलुल्लाहि ﷺ इज़ा क़ाल ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन क़ाल आमीन हत्ता यस्मअहा अहलुस्सफ़िफल अब्वलि'

तर्जुमा : अबू हुरैरह (रज़ि) कहते हैं, लोगों ने आमीन छोड़ दी। रसूलुल्लाह (ﷺ) जब ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन कहते तो आमीन कहते। यहाँ तक कि पहली सफ़ सुन लेती। पस (बहुत आवाज़ों के मिलने से) मस्जिद गूँज जाती। (इब्ने माजा पेज नं. 62 तबअ देहली)

इस हदीष की सेहत भी वैसी ही है। जैसी पहली हदीष की। मुलाहज़ा हो नैलुल औतार जिल्द 2 पेज नं. 117 तबअ मिस्र)

(3) 'अन उम्मिल्हुसैन अन्रहा कानत तुसल्ली ख़ल्फ़न्नबिद्यि ﷺ फ़ी सफ़फ़ीन्निसाइ फ़समिअतुहू यक़ूलुअल्हम्दुल्लिहाहि रब्बिल आलमीनररह्मानिररहीम मालिकि यौमिदीनि हत्ता इज़ा बलाग़ ग़ैरिलमग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन क़ाल आमीन' (मज्मउज़्ज़वाइद हैषमी जिल्द 2 पेज नं. 114 तख़रीज हिदाया हाफ़िज़ इब्ने हज़र पेज नं. 78)

तर्जुमा : उम्मलु हुसैन (रज़ि) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे औरतों की सफ़ में नमाज़ पढ़ा करती थीं (वो कहती हैं) मैंने आपको ये पढ़ते हुए सुना। अल्हम्दुल्लिहाहि रब्बिल आलमीन. अररह्मानिररहीम. मालिकि यौमिदीनि। यहाँ तक कि ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन पर पहुँचते तो आमीन कहते। यहाँ तक कि मैं सुनती और मैं औरतों की सफ़ में होती।

मज़क़ूरा बाला हदीष में एक रावी इस्माईल बिन मुस्लिम मक्की है। इस पर ज़ेलई (रह) ने और हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह) ने तो सुकूत किया। मगर हैषमी ने उसको ज़ईफ़ कहा है। ख़ैर अगर ज़ईफ़ हो तो दूसरी रिवायतें मज़क़ूरा बाला और आने वाली रिवायतें इसको तक्वियत देती हैं।

तम्बीह : कभी पहली सफ़ का सुनना और कभी पिछली सफ़ों तक आपकी आवाज़ का पहुँच जाना। इसकी वजह ये है कि कभी आप आमीन फ़ातिहा की आवाज़ के बराबर कहते और कभी मामूली आवाज़ से।

(4) 'अख़रजहू अबू दाऊद वत्तिर्मिज़ी अन सुफ़यान अन सल्मतब्नि कुहैलिन अन हज़िब्नि अम्बस अन वाइलिब्नि हज़िन वल्लफ़ज़तु लिअबी दाऊद क़ाल कान रसूलुल्लाहि ﷺ इज़ा करअ वलज़्ज़ालीन क़ाल आमीन व रफ़अ बिहा सौतहू इन्तिहा व लफ़ज़ुत्तिर्मिज़ी व मद् बिहा सौतहू व क़ाल हदीषुन हसनुन' (तख़रीज हिदाया ज़ेलई जिल्द 1 पेज नं. 370)

तर्जुमा : अबू दाऊद और तिर्मिज़ी में है, वाइल बिन हज़र (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब वलज़्ज़ालीन पढ़ते तो बुलन्द आवाज़ से आमीन कहते। ये अबू दाऊद के लफ़ज़ हैं और तिर्मिज़ी के ये लफ़ज़ हैं व मद् बिहा सौतहू यानी आमीन के साथ आवाज़ को खींचते और तिर्मिज़ी ने इस हदीष को हसन कहा है।

तम्बीह : कुछ लोग व मद् बिहा सौतहू के मा'नी करते हैं कि आमीन के वक़्त अलिफ़ को खींचकर पढ़ते लेकिन अबू दाऊद के लफ़ज़ रफ़अ बिहा सौतहू और नम्बर 5 की रिवायत ज़हर बिआमीन ने वज़ाहत कर दी कि मद् बिहा से मुराद आवाज़ की बुलन्दी है और ये अरब का आम मुहावरा है और अहादीष में भी बहुत आया है। चुनाँचे तिर्मिज़ी में अबूबक्र (रज़ि) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया। शिफ़ार, असलम और मुज़ैना तीनों क़बीले तमीम, असद, ग़त्फ़ान और बनी आमिर सअसआ से बेहतर हैं। यमुहु बिहा सौतहू यानी बुलन्द आवाज़ से कहते और बुखारी में बराअ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अहज़ाब के दिन खंदक़ खोदते और ये कलिमात कहते।

'अल्लाहुम्म लौ ला अन्त महतदैना व ला तसद्क़ना व ला सल्लैना फ़अन्ज़िल सकीनतन अलैना व प्रब्बितिल अक्दाम इन लाक़ीना इन्नल ऊला रगिबू अलैना व इज़ा अरादू फ़ित्नतन अबैना क़ाल यमुहु सौतहू बिआख़रिहा.'

या अल्लाह! अगर तेरा एहसान न होता तो न हम हिदायत पाते, न सद्क़ा ख़ैरात करते, न नमाज़ पढ़ते, पस अगर हम.

दुश्मनों से मिलें तो हमारे दिलों को ढारस दे और हमारे क्रदमों को मज़बूत रख। ये लोग हम पर दुश्मनों को चढ़ा कर ले आए। जब उन्होंने हमसे मुश्रिकाना अक्रोदा मनवाना चाहा, हमने इंकार कर दिया। बराअ कहते हैं। अख़ीर कलिमा (अबैना यानी हमने इंकार कर दिया) के साथ दूसरे कलिमात की निस्बत आवाज़ बुलन्द करते।

और अबू दाऊद वग़ैरह में तरजीअे अज्ञान के बारे में अबू महज़ूर की हदीष है। उसमें ये अल्फ़ाज़ फ़मह मिन सौतिक यानी अपनी आवाज़ को (पहले की निस्बत) बुलन्द कर।

(5) 'अख़रज अबू दाऊद वत्तिर्मिज़ी अन अलिथ्यिब्नि म्मालिहिन व युक्रालु अल अलाउब्नु म्मालिहिन अल असदी अन सल्मतब्नि कुहैलिन अन हजरिब्नि अम्बस अन वाइलिब्नि हुज़िन अनिन्नबिथ्यि ۞ अन्नहू सल्ला फजहर बिआमीन'

तर्जुमा : वाइल बिन हुजर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ में बुलन्द आवाज़ से आमीन कही।

तम्बीह : वाइल बिन हुजर (रह) की इस हदीष के रावी शुअबा भी हैं, जो सलमा बिन कुहैल के शागिर्द हैं, उन्होंने अपनी रिवायत में व ख़फ़ज़ बिहा सौतहू यानी रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आहिस्ता आमीन कही। हनफ़िया इसी को लेते हैं। और सुफ़यान शौरी (रह) ने जो अपनी रिवायत में सलमा बिन कुहैल से व मह बिहा सौतहू या रफ़अ बिहा सौतहू कहा है उसको तर्क कर दिया है। हालाँकि फ़तहूल क़दीर शरहे हिदाया और इनाया शरहे हिदाया, जिल्द 1 पेज नं. 219) पर रफ़उल यदैन की बहष में लिखा है कि ज़्यादा फ़कीह की रिवायत को तरजीह होती है। और सुफ़यान शौरी (रह) बिल इत्तिफ़ाक़ शुअबा (रह) से ज़्यादा फ़कीह हैं। इस बिना पर सुफ़यान की रिवायत को तरजीह होनी चाहिए और मुहद्दिषीन का उसूल है कि ज़्यादा ह्राफ़ज़ा वाले को तरजीह होती है और सुफ़यान (रह) ह्राफ़ज़ा में भी शुअबा (रह) से ज़्यादा हैं। इसी बिना पर हनफ़िया ने कई मक़ामात पर सुफ़यान (रह) को शुअबा (रह) की रिवायत पर तरजीह दी है। (तप्सूल के लिए मुलाहज़ा हो तिमिज़ी की शरह तुहफ़तुल अहवुज़ी जिल्द नं. 1 पेज नं. 210 व पेज नं. 211)

फिर लुत्फ़ की बात ये है कि सलमा बिन कुहैल के दो शागिर्द और हैं। एक अलाअ बिन सालेह ये षिक्का हैं और उनको अली बिन सालेह भी कहते हैं। दूसरे मुहम्मद बिन सलमा ये ज़ईफ़ हैं। इन दोनो से अलाअ की रिवायत में जहर बिआमीन है और मुहम्मद बिन सलमा की रिवायत में रफ़अ बिहा सौतहू है। बल्कि खुद शुअबा ने भी एक रिवायत में सलमा बिन कुहैल से राफ़िअन बिहा सौतहू रिवायत किया है। और सनद भी इसकी सहीह है। मुलाहज़ा हो नसबुराया जिल्द 1 पेज नं. 369 और तल्ख़ीसुल ह़िबर पेज नं. 89 और तुहफ़तुल अहवुज़ी जिल्द 1 पेज नं. 211। मगर बावजूद इसके हनफ़िया ने शुअबा (रह) की रिवायत ख़फ़ज़ बिहा सौतहू ही को लिया है। लेकिन सारे हनफ़िया एक से नहीं। कई इस कमज़ोरी को महसूस करके आमीन बिल जहर के क़ाइल हैं। चुनाँचे इसका ज़िक्र आगे आएगा इंशाअल्लाह।

(6) 'अन अब्दिल जब्बारिब्नि वाइलिन अन अबीहि क़ाल सल्लैतु ख़ल्फ़ रसूलिल्लाहि ۞ फ़लम्मा इफ़्ततहस्सलात कब्बार व रफ़अ यदैहि हत्ता हाज़ता उज़नैहि भुम्म करअ बिफ़ातिहतिल किताबि फ़लम्मा फ़रग़ मिन्हा क़ाल आमीन यफ़़उ सौतहू' (स्वाहुत्रिसाई तख़रीज ज़ेलई जिल्द 1 पेज नं. 371)

तर्जुमा : अब्दुल जब्बार बिन वाइल (रह.) अपने बाप वाइल बिन हुजर से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ी। जब नमाज़ शुरू की तो तकबीर कही और हाथ उठाए यहाँ तक कि कानों के बराबर हो गये। फिर सूरह फ़ातिहा पढ़ी, फिर जब फ़ातिहा से फ़ारिग़ हुए तो बुलन्द आवाज़ से आमीन कही। इस हदीष को इमाम नसई ने रिवायत किया। नसबुराया जिल्द : अब्वल पेज नं. 371 के हाशिया में इमाम नववी (रह) से बहवाला शरह लिल नववी लिखा है कि अइम्मा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अब्दुल जब्बार ने अपने वालिद से नहीं सुना और एक जमाअत ने कहा है कि वो अपने बाप की वफ़ात के छः माह बाद पैदा हुआ है। पस ये हदीष मुन्क़तअ हुई।

इसका जवाब ये है कि हज़र बिन अम्बस ने भी वाइल बिन हुजर से ये हदीष रिवायत की है और उसने वाइल से सुनी है। इसलिए मुन्क़तअ होने का शुब्हा दूर हो गया। नीज़ कुतुबे अस्माउर्रिजाल में अब्दुल जब्बार का उस्ताद ज़्यादातर इसका भाई अल्क़मा

लिखा है। इसलिए गालिब ज़न है कि उसने ये हदीष अपने भाई अल्क़मा से सुनी हो। नरबुर्या जिल्द 1 पेज नं. 370 पर जो लिखा है कि अल्क़मा ने अपने बाप से नहीं सुना, वो अपने बाप की वफ़ात के छः माह बाद पैदा हुआ है, ये नक़ल करने वालों की ग़लती है और यहीं से हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह) को भी ग़लती लगी है। वो भी तक्रीब में लिखते हैं कि अल्क़मा बिन वाइल ने अपने बाप से नहीं सुना। हालाँकि वो अब्दुल जब्बार है और वही अपने बाप की वफ़ात के छः माह बाद पैदा हुआ है, चुनाँचे अभी गुज़रा है।

तिर्मिज़ी बाबुल मअति इस्तक्वहत अलज़िना में तस्रीह की है कि अल्क़मा ने अपने बाप से सुना है, और वो अब्दुल जब्बार से बड़ा है और अब्दुल जब्बार ने अपने बाप से नहीं सुना।

और मुस्लिम बाबु मनइ सब्बिहहरि में अल्क़मा की हदीष जो उसने अपने बाप से रिवायत की है, लाये हैं और मुस्लिम मुन्क़तअ हदीष नहीं ला सकते क्योंकि वो ज़ईफ़ होती है।

और अबू दाऊद बाबुन मन हलफ़ लियक्वततिअ बिहा माला में इसकी हदीष इसके बाप से लाये हैं और इस पर सुकूत किया है। हालाँकि उनकी आदत है कि वो इंक़िताअ वग़ैरह बयान करते हैं।

बहरसूरत अल्क़मा के सिमाअ में शुब्हा नहीं। यही वजह है कि खुलासा तज़हीबुल कमाल में तक्रीब की ये इब़ारत कि, उसने अपने बाप से नहीं सुना, ज़िक्र नहीं की। खुलासा वाले तक्रीब से लेते हैं। पस जब अल्क़मा का सिमाअ षाबित हो गया और ज़न्न (गुमान) ग़ालिब है कि अब्दुल जब्बार ने ये हदीष अल्क़मा से ली है। पस हदीष मुत्तसिल हो गई और हनफ़िया के नज़दीक तो ताबेई की हदीष वैसे ही मुत्तसिल के हुक्म में होती है। ख़्वाह अपने उस्ताद का नाम ले या न ले तो उनको तो इस पर ज़रूर अमल करना चाहिए।

(7) 'अन अलिथ्यिन रज़ियल्लाहु अन्हू क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि ﷺ इज़ा क़ाल वलज़्ज़ाल्लीन क़ाल आमीन' (इब्ने माजा, बाबुल जहरि बिआमीन पेज नं. 62)

तर्जुमा : हज़रत अली (रज़ि) फ़र्माते हैं मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना कि जब आप वलज़्ज़ाल्लीन कहते तो आमीन कहते

इस हदीष में मुहम्मद बिन अब्दुरहमान बिन अबी लैला एक रावी है। इसके बारे में मज़्मइज़्ज़वाइद में लिखा है। जुम्हूर इसको ज़ईफ़ कहते हैं और अबू हातिम कहते हैं मक़ाम इसका स़दक़ है।

मज़्मइज़्ज़वाइद में जुम्हूर के ज़ईफ़ कहने की वजह नहीं बताई। तक्रीबुतहज़ीब में इसकी वज़ाहत की है। चुनाँचे लिखते हैं। स़दक़ून सीउल हिफ़िज़ जिद्दा यानी सच्चा है, हाफ़िज़ा बहुत ख़राब है।

इससे मा'लूम हुआ कि जुअफ़ की वजह हाफ़िज़ा की कमज़ोरी है। वैसे सच्चा है, झूठ नहीं बोलता। पस ये हदीष भी किसी क़दर अच्छी हुई और दूसरी हदीषों के साथ मिलकर निहायत क़वी हो गई।

तुहफ़तुल अहवुज़ी जिल्द 1 पेज नं. 608 में है:

'व अम्मा हदीषु अलिथ्यिन रज़ियल्लाहु अन्हू फ़अख़रजहुल हाकिमु बिलफ़िज़ क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि ﷺ यकूलु आमीन इज़ा क़रअ ग़ैरिल्मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन व अख़रज अयज़न अन्हू अन्ननबिय्य (ﷺ) इज़ा करअ वलज़्ज़ाल्लीन रफ़अ स़ौतहू बिआमीन क़ज़ा फ़ी इअलामुल मुवक्किईन.'

तर्जुमा : मुस्तदरक़ हाकिम में है, हज़रत अली (रज़ि) फ़र्माते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को आमीन कहते सुना जब आपने ग़ैरिल्मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन पढ़ा। नीज़ मुस्तदरक़ हाकिम में हज़रत अली (रज़ि) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) जब वलज़्ज़ाल्लीन पढ़ते तो बुलन्द आवाज़ से आमीन कहते। इअलामुल मुक्किईन में इसी तरह है।

(8) तुहफ़तुल अहवुज़ी के इसी सफ़ह (पेज) पर है,

'व लि अबी हुरैरत हदीषुन आख़र फिलजहरि बित्तामीन रवाहुन्निसाइ अन नईमिल्मुज्मिर क़ाल सल्लैतु वराअ अबी हुरैरत फ़क़रअ बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम षुम्म क़रअ बिउम्मिल कुआनि हत्ता बलग़ ग़ैरिल्मग़ज़ूबि अलैहिम

वलज्जाल्लीन क़ाल आमीन फ़क़ालनासु आमीन अल्हदीष व फ़ी आख़िरिही क़ाल वल्लज़ी नफ़्सु मुहम्मदिन बियहिही इन्नी लअशबहुकुम मलात बिरसूलिल्लाहि ﷺ व इस्नादुहू सहीहून'

तर्जुमा : अबू हुरैरह (रज़ि) से आमीन बिल जहर के बारे में एक और हदीष है जो नसाई में है। नईम मुज्मर (रह) ने कहा कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि) के पीछे नमाज़ पढ़ी। उन्होंने पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, फिर फ़ातिहा पढ़ी जब ग़ैरिल मरज़ूबि अलैहिम वलज्जाल्लीन पर पहुँचे, तो आमीन कही। पस लोगों ने भी आमीन कही। इस हदीष के आख़िर में है कि अबू हुरैरह (रज़ि) ने फ़र्माया। मुझे उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद (ﷺ) की जान है। बेशक में नमाज़ में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ तुमसे ज़्यादा मुशाबहत रखता हूँ और उसकी इस्नाद सहीह है।

(9) नस्बुराया ज़ेलई जिल्द 1 पेज नं. 371 में है,

'व रवाहुब्नु हिब्बान फ़ी सहीहिही फ़िन्नौइर्राबिइ मिनल्किस्मिल्खामिसि व लफ़जुहू कान रसूलुल्लाहि ﷺ इज़ा फ़रग़ा मिन किराति उम्मिल कुर्आनि रफ़अ बिहा सौतहू व क़ाल आमीन'

तर्जुमा : इब्ने हिब्बान ने अपनी सहीह में अबू हुरैरह (रज़ि) से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब फ़ातिहा से फ़ारिग़ होते तो बुलन्द आवाज़ से आमीन कहते। (ज़ेलई रह. ने इस हदीष पर कोई जरह नहीं की)

(10) इब्ने माजा बाबुल जेहर बिआमीन पेज नं. 63 में है :

'अन आइशत अनिन्नबिय्यि ﷺ मा हसदतकुमुल्हदु अला शौइन मा हसदतकुम अलस्सलामि वत्तामीन'

तर्जुमा : हज़रत आयशा (रज़ि) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया यहूद जितना सलाम और आमीन से हसद करते हैं, इतना किसी और चीज़ पर हसद नहीं करते।

बुलन्द आवाज़ से आमीन कहने में जब बहुत सी आवाज़ें मिल जातीं तो उसमें इस्लामी नुमाइश पाई जाती। इसलिए यहूद को हसद आता। वरना आहिस्ता में हसद के कुछ मा'नी ही नहीं क्योंकि जब सुना ही कुछ नहीं तो हसद किस बात पर। इस हदीष की इस्नाद सहीह है। जैसे मुज़िरी (रह) ने सरीह की है और इब्ने ख़ुज़ैमा (रह) इसको अपनी सहीह में लाए हैं और इमाम अहमद (रह) ने अपने मुस्नद में और बैहकी (रह) ने भी अपनी सुनन में इसको सनदे सहीह के साथ रिवायत किया है।

तिल्क अशरतुन कामिलतुन ये दस अहदादीष हैं। इनके अलावा और रिवायतें भी हैं। मिस्कुल ख़िताम शरह बुलुग़ुल मराम में 17 ज़िक्र की हैं। और आप़र तो बेशुमार हैं। दो सौ सहाबा (रज़ि) का ज़िक्र तो अता ताबेई (रह) के क़ौल ही में गुज़र चुका है और अबू हुरैरह (रज़ि) के पीछे भी लोग आमीन कहते थे। चुनाँचे नम्बर 8 की हदीष गुज़र चुकी है। बल्कि हनफ़िया के तरीक़ पर इज्माअ प्रभावित है। हनफ़िया का मज़हब है कि कुएँ में गिरकर कोई मर जाए तो सारा कुआँ साफ़ कर देना चाहिए। दलील उसकी कुएँ ज़मज़म में एक हब्शी गिरकर मर गया तो अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि) ने सहाबा (रज़ि) की मौजूदगी में कुएँ में सारा पानी निकलवा दिया और किसी ने इंकार नहीं किया।

पस ये इज्माअ हो गया। ठीक इसी तरह आमीन का मसला है। अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि) ने मस्जिदे मक्का में सहाबा (रज़ि) की मौजूदगी में आमीन कही और उनके साथ लोगों ने भी कही। यहाँ तक कि मस्जिद गूँज उठी और किसी ने इस पर इंकार नहीं किया। पस ये भी इज्माअ हो गया। फिर हनफ़िया के पास आहिस्ता आमीन के बारे में एक हदीष भी नहीं। सिर्फ़ शुअबा की रिवायत है जिसका जुअफ़ ऊपर बयान हो चुका है और हिदाया में अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि) के क़ौल से इस्तिदलाल किया है कि इमाम चार चीज़ें आहिस्ता कहे।

सुब्हानकल्लाहुम्म, अरुज़ु, बिस्मिल्लाह, आमीन मगर इसका भी कोई षुबूत नहीं। मुलाहज़ा हो दिराया तख़रीजे हिदाया ह्वाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह) पेज नं. 71 और नस्बुराया तख़रीजे हिदाया ज़ेलई (रह) जिल्द 1 पेज नं. 325। और फ़त्हूल क़दीर शरहे हिदाया, जिल्द 1 पेज नं. 204 वग़ैरह।

हाँ इब्राहीम नख़ई ताबेई का ये क़ौल है कि इमाम चार चीज़ें आहिस्ता कहे। मगर मफूअ अहदादीष और आप़ारे सहाबा

के मुकाबले में एक ताबेई के कौल की क्या वक्रअत है। खासकर जब खुद इससे इसके खिलाफ रिवायत मौजूद है। चुनाँचे ऊपर गुजर चुका है कि वो आयते करीमा व ला तज्हर बिस्मलातिक में सल्लात के मा'नी दुआ करते हैं। इस बिना पर आमीन उनके नज़दीक दरम्यानी से कहनी चाहिए, न बहुत चिल्लाकर न बिलकुल आहिस्ता और यही अहले हदीष का मज़हब है।

हनफ़िया के बक्रिया दलाइल : कुछ हनफ़िया ने इस मसले में कुछ और आधार भी पेश किये हैं। हम चाहते हैं कि वो भी ज़िक्र कर दें।

शाह अब्दुल हक़ मुहद्विष देहलवी (रह) सफ़रुस्सआदत में लिखते हैं,

अज़ अमीरुल मोमिनीन इमर बिन ख़त्ताब (रज़ि) रिवायत कर्दा अन्द कि इख़फ़ा कुनद इमाम चहार चीज़ रा तअव्वज़ु बिस्मिल्लाह, आमीन सुब्हानक अल्लाहुम्म व बिहन्दिक्। व अज़ इब्ने मसऊद (रज़ि) नीज़ मिस्ल ई आमदा व सियूती (रह) दर जम्उलजवामेअ में अबी वाइल से रिवायत लाए हैं कि वह कहते हैं कि (इब्ने जरीर तह्हावी)

तर्जुमा : हज़रत इमर (रज़ि) से रिवायत है कि इमाम चार चीज़ आहिस्ता कहे, अर्रुज़ुबिल्लाहि, बिस्मिल्लाह, आमीन सुब्हानक अल्लाहुम्म और इसी की मिस्ल अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि) से भी आया है। और सियूती (रह) जम्उल जवामेअ में अबी वाइल (रह) से रिवायत लाए हैं, वो कहते हैं कि हज़रत इमर (रज़ि) और हज़रत अली (रज़ि) बिस्मिल्लाह, अर्रुज़ु और आमीन बुलन्द आवाज़ से नहीं कहते थे। इब्ने जरीर और तह्हावी ने इसको रिवायत किया है।

और इब्ने माजा तबअ हिन्द के पेज नं. 62 के हाशिया में लिखा है।

'व रूविय अन उमरबन्लख़त्ताबि क़ाल युख़िफ़लइमामु अर्बअत अश्याअ अत्तअव्वुज वल्बस्मलत व आमीन व सुब्हानक अल्लाहुम्म व अनिब्नि मस्ऊदिन मिस्लुहू व रवस्सुयूती फ़ी जम्इलजवामिइ अन अबी वाइलिन क़ाल कान इमरू व अली रज़ियल्लाहु अन्हुम ला यज़हरानि बिल्बस्मलति व ला बित्तअव्वुज़ि व ला बिआमीन रवाहुब्नु जरीर वत्तहावी वब्नु शाहीन'

इस अरबी इबारत का तर्जुमा बऐनिही शरहे सफ़रुस्सआदत की फ़ारसी इबारत का तर्जुमा है। हनफ़िया की सारी पूँजी यही है जो इन दोनों इबारतों में है। इन दोनों इबारतों (अरबी, फ़ारसी) में हज़रत इमर (रज़ि) और हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि) के कौल का तो कोई हवाला नहीं दिया कि किसने इसको रिवायत किया है और हज़रत इमर (रज़ि) और हज़रत अली (रज़ि) का फ़ेअल कि वो अर्रुज़ु, बिस्मिल्लाह, आमीन बुलन्द आवाज़ से नहीं कहते थे। इसके बारे में कहा है कि इब्ने जरीर, तह्हावी और इब्ने शाहीन ने इसको रिवायत किया है। लेकिन इसकी इस्नाद में सईद बिन मरज़बान बक़ाल है। जिसके बारे में मीज़ानुल ए'तिदाल में लिखा है कि इमाम फ़लास ने इसे तर्क कर दिया है और इब्ने मुईन कहते हैं इसकी हदीष लिखने के क़ाबिल नहीं। और बुखारी (रह) कहते हैं मुंकिरुल हदीष है। और अबान बिन ह्वीला कूफ़ी के तर्जुमा में मीज़ानुल ए'तिदाल में इब्नुल क़त्तान ने नक़ल किया है बुखारी कहते हैं जिसके हक़ में मैं मुंकरुल हदीष कह दूँ इससे रिवायत लेनी हलाल नहीं। पस ये रिवायत बिलकुल रद्दी हो गई। अलावा इसके उन किताबों के बारे में जिनकी ये रिवायत है शाह वलीउल्लाह साहब (रह) हुज्जतुल्लाहिल बालिगा और शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब (रह) उजाल-ए-नाफ़िआ में लिखते हैं, कि उनकी रिवायतें बग़ैर जांच पड़ताल के नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये एहतियात नहीं करते। झूठी सच्ची, सहीह, ज़ईफ़ सब उन्होंने ख़लत मलत (मिक्स) कर दी हैं।

पस हनफ़िया का बग़ैर तज़हीह के उनकी रिवायतें पेश करना दोहरी ग़लती है। खास कर जब खुद हज़रत अली (रज़ि) से आमीन बिल जेहर की रिवायत आ गई है जो नम्बर 27 में गुजर चुकी है और बिस्मिल्लाह भी जहरन उनसे प्राबित है। चुनाँचे सुबुलुस्सलाम और दारे कुहनी में मंज़ूर है। (मुलाहज़ा हो मिस्कुल ख़िताम शरहे बुलूगुल मराम पेज नं. 230)

अलावा इसके मफूअ अहादीष के मुकाबले में किसी का कौल व फ़ेअल कोई ह्यैषियत नहीं रखता। ख़वाह कोई बड़ा हो या छोटा। मुसलमान की शान ये होनी चाहिए।

मुसव्विर खींच वो नक़शा जिसमें ये सफ़ाई हो,

इधर हुक्मे पैग़म्बर हो उधर गर्दन झुकाई हो

मज़ीद घुबूत और उलम—ए—अहनाफ़ की शहादत : कुछ इख़्तिलाफ़ी मसाइल में जानिबीन (पक्षकारों) के पास दलाइल का कुछ न कुछ सहारा होता है। मगर यहाँ तो दूसरे पलड़े में कुछ भी नहीं और जो कुछ है इसका अंदाज़ा कारेईने किराम को हो चुका होगा। अब इसकी मज़ीद वज़ाहत उलम—ए—अहनाफ़ के फ़ैसलों से मुलाहज़ा फ़र्माएँ।

इमाम इब्नुल हुमाम (रह) : अहनाफ़ के ज़दे अमजद हैं। हनफ़ी मज़हब की मशहूर किताब शामी (रहुल मुख्तार) की जिल्द 4 पेज नं. 388 में लिखा है, 'कमालुब्नुल हुमामु बलग रुबुहुल्ज़िहाद' यानी इमाम इब्नुल हुमाम मर्तब-ए-इज्तिहाद को पहुँच गये। वो अपनी किताब फ़तहूल क़दीर में लिखते हैं,

'व लौ कान इलय्य फ़ी हाज़ा शैइन लवफ़क्रतु बिअन्न रिवायतलख़फ़िज़ युरादु बिहा अदमुल्क रइलअफ़ीफ़ि व रिवायतुल्जहरि बिमअना क़ौलिही फ़ी ज़ैरिस्मौति व ज़ैलिही' (फ़तहूल क़दीर जिल्द 1 पेज नं. 117)

तर्जुमा : अगर फ़ैसला मेरे सुपुर्द होता तो मैं यूँ मुवाफ़क़त करता कि आहिस्ता कहने की हद्दीष से ये मुराद है कि चिल्लाकर न कहे और जेहर की हद्दीष से दरम्यानी आवाज़ है।

इमाम इब्ने अमीरुल हाज (रह) : ये इमाम इब्नुल हुमाम (रह) के अरशद तलामिज़ा (योग्य छात्रों) में से हैं। ये अपने उस्ताद के फ़ैसले पर साद फ़र्माते हैं। चुनाँचे अपनी किताब हुलिया में लिखते हैं।

'वरजह मशाइख़ुना बिमा ला यअरी अन शैइन लिमुतअम्मिलिही फ़ला जरम अन्न क़ाल शैख़ुना इब्नुल हुमामि व लौ कान इलय्य शैउन अल्ख़' (तअलीकुल मज्जिद अला मुअत्ताअल इमामुल मुहम्मद स. 109)

तर्जुमा : हमारे मशाइख़ ने जिन दलाइल से अपने मज़हब को तरजीह दी है वो ता'म्मूल से ख़ाली नहीं। इसलिए हमारे शैख़ुल हुमाम (रह) ने फ़र्माया है। अगर फ़ैसला मेरे सुपुर्द होता.... अल्ख़

शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिष देह्लवी (रह) : जिनकी फ़ारसी इबारात शरहे सफ़रुस्सआदत के हवाले से अभी गुजरी है। ये शाह वलीउल्लाह साहब (रह) से बहुत पहले हुए हैं। उन्होंने हनफ़ी मज़हब के तर्क का इरादा किया। लेकिन उलम—ए—मक्का ने मशिवरा दिया कि जल्दी न करो, हनफ़ी मज़हब के दलाइल पर ग़ौर करो। चुनाँचे इसके बाद उन्होंने फ़तह सिरूल मन्नान लिखी। इसमें हनफ़ी मज़हब के दलाइल जमा किये। मसल—ए—आमीन के बारे में यही इबारात लिखी जो इमाम इब्नुल हुमाम (रह) ने लिखी और इमाम इब्नुल हुमाम (रह) वाला ही फ़ैसला किया।

मौलाना अब्दुल हय्यि साहब लखनवी (रह) : हनफ़ी मज़हब के मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं। वो लिखते हैं, 'वल इन्साफ़ु अन्नल जहर क़विय्युम्मिन हैषिहलीलि' (अत्तअलीकुल मुज्जिद अला मुअत्ता अल्इमाम मुहम्मद स. 105)

मौलाना सिराज अहमद साहब (रह) : ये भी हनफ़ी मज़हब के मशहूर बुजुर्ग हैं। शरहे तिरिमीज़ी में लिखते हैं,

'अहादीषुल जहरि बितामीनि अक्षरु व असहह' (तर्जुमा) यानी बुलन्द आवाज़ से आमीन कहने की अह्दादीष अक़षर हैं और ज़यादा सहीह हैं।

उनके अलावा मौलाना अब्दुल आला बहरूल उलूम लखनवी हनफ़ी (रह) भी, अरकानुल इस्लाम में यही लिखते हैं कि आमीन आहिस्ता कहने की बाबत कुछ षाबित नहीं हुआ। और दीगर उलमा भी इसी तरह लिखते हैं। मगर हम इसी पर इक्तिफ़ा (बस) करते हैं क्योंकि जब आहिस्ता कहने का कोई घुबूत ही नहीं, तो बहुत भरमार से फ़ायदा ही किया। तसल्ली व इत्मीनान के लिये जो कुछ लिखा गया। अल्लाह इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ बख़शे और ज़िद व तअस्सुब से महफूज़ रखे आमीन। (मक़ाला आमीन व रफ़उल यदन हज़रत हाफ़िज़ अब्दुल्लाह साहब रोपड़ी नूरुल्लाह क़ब्रुह व बरद मज़अहू आमीन)

आजकल के शारेहीने बुखारी जिनका ता'ल्लुक़ देवबन्द से है। ऐसे इख़्तिलाफ़ी उमूर पर जो बेतुकी राय ज़नी फ़र्मा रहे हैं वो सख़्त हैरत अंगेज़ हैं। मध़लन इमाम बुखारी (रह) ने पिछले बाब में हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि) और उनके साथियों का फ़ैअल नक़ल फ़र्माया कि वो इस क़दर बुलन्द आवाज़ से आमीन कहा करते थे कि मस्जिद गूँज उठती थी। इस पर ये शारेहीन

फर्मा रहे हैं।

गालिबन उस ज़माने का वाक़िया है कि जब आप फ़ज्र में अब्दुल मलिक पर कुनूत पढ़ते थे। अब्दुल मलिक भी इब्ने जुबैर (रज़ि) पर कुनूत पढ़ता था और जिस तरह के हालात इस ज़माने में थे उसमें मुबालगा और बेएहतियात उम्मन हो जाया करती है। (तफ़हीमुल बुखारी पारा 3 पेज नं. 135)

इस बेतुकी राय ज़नी पर अहले इस्लाम ख़ुद नज़र डाल सकेंगे कि ये कहाँ तक दुरुस्त है। अब्दुल तो अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि) का आमीन बिल जेहर कहना खास नमाज़े फ़ज्र में किसी रिवायत में मज़कूर नहीं है। हो सकता है कि इस वाक़िये का ता'ल्लुक मरिब या इशा से भी हो। फिर अल्हम्दु शरीफ़ के ख़ात्मे पर आमीन बिल जेहर का अब्दुल मलिक पर कुनूत पढ़ने से क्या ता'ल्लुक? कुनूत का महल दूसरा है फिर मुबालगा और बे एहतियाती को हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि) जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी की तरफ़ मन्सूब करना एक बड़ी जुर्अत है और भी इसी किस्म की बेतुकी बातों की जाती हैं। अल्लाह पाक ऐसे उलम-ए-किराम को नेक हिदायत दे कि वो अम्मे हक़ को तस्लीम करने के लिए दिल खोलकर तैयार हों और बेजा तावीलात से काम लेकर आज के ता'लीमयाफ़ता रोशन ख़याल लोगों को हंसने का मौक़ा न दें अल्लाहुम्म वफ़िफ़वना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा, आमीन।

बाब 114 : जब सफ़ तक पहुँचने से पहले ही किसी ने रूकूअ कर लिया (तो उसके बारे में क्या हुक्म है?)

۱۱۴ - بَابُ إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ

(783) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माम बिन यद्य़ा ने ज़ियाद बिन हस्सान अअलम से बयान किया, उन्होंने हज़रत हसन (रह.) से, उन्होंने हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) से कि वो रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ (नमाज़ पढ़ने के लिए) गए, आप उस वक़्त रूकूअ में थे। इसलिए सफ़ तक पहुँचने से पहले ही उन्होंने रूकूअ कर लिया, फिर इसका ज़िक्र नबी करीम (ﷺ) से किया तो आपने फ़र्माया कि अल्लाह तुम्हारा शौक़ और ज़्यादा करे लेकिन दोबारा ऐसा न करना।

۷۸۳ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:
حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنِ الْأَعْلَمِ - وَهُوَ زِيَادٌ -
عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ : أَنَّهُ أَتَاهُ
إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ
يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ
لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا
تَعُدْ)).

तशरीह : तबरानी की रिवायत में यँ है कि अबूबक्र उस वक़्त मस्जिद में पहुँचे कि नमाज़ की तकबीर हो चुकी थी, ये दौड़े और तहावी की रिवायत में है कि दौड़ते हुए हांपने लगे, उन्होंने मारे जल्दी के सफ़ में शरीक होने से पहले ही रूकूअ कर दिया। नमाज़ के बाद जब आँहज़रत (ﷺ) को ये हाल मा'लूम हुआ तो आपने फ़र्माया कि आइन्दा ऐसा न करना।

कुछ अहले इल्म ने इससे रूकूअ में आने वालों के लिए रकअत के हो जाने पर दलील पकड़ी है। औनुल मा'बूद शरहे अबू दाऊद पेज नं. 332 में है, 'क़ालशशौकानी फ़िन्नैलि लैस फ़ीहि मा यदुल्लु अला मा ज़हबू इलैहि लिअन्नहू कमा लम यामुहु बिल आदति लम युन्क़ल अयज़न अन्नहू इअतह बिहा वहुआउ लहू बिल्हिर्सि ला यस्तलज़िमुल इअतिदादु बिहा लिअन्नलक़ौन मअइमामि मामूरुन बिही सवाउन कानशशौउल्लज़ी युदरिकुहुल्मूतिम मुअतहद न बिही अम ला कमा फ़िल्हदीष इजाजिअतुम इलस्सलाति व नहनु सुजुदुन फ़स्जुदु औ ला तउहूहा शौअन अला अन्नन्नबिय्यु कद नहा अबा बक़रत अनिल्उदि इला मिज़्लि ज़ालिक वल्इहतिजाजु बिशौइन कद नहा अन्हु ला यस्तिह व क़द अज़ाब इब्नु हज़म फिल्मुहल्ला अन हदीषि अबी बक़रत फ़क़ाल अन्नहू ला हुज्जत लहुम फ़ीहि लिअन्नहू लैस फ़ीहि इज्तिराउन बितिल्करअति'

ख़ुलासा ये कि बक़ौले अल्लामा शौकानी इस हदीष से ये इस्तिदलाल सहीह नहीं है क्योंकि अगर हदीष में ये सराहत नहीं है कि आपने इसे उस रकअत के लौटाने का हुक्म नहीं फ़र्माया तो साथ ही मन्कूल ये भी नहीं कि इस रकअत को काफ़ी

समझा। आपने अबूबक्र (रज़ि) को इसकी हिस्स पर दुआ-ए-खैर ज़रूर दी मगर इससे ये लाज़िम नहीं आता कि इस रकअत को भी काफ़ी समझा और जब आँहज़रत (ﷺ) ने अबूबक्र (रज़ि) को इस फ़ेअल से मुत्लक़न मना फ़र्मा दिया तो ऐसी मन्जूआ चीज़ से इस्तिदलाल पकड़ना सहीह नहीं। अल्लामा इब्ने हज़म ने भी मुहल्ला में ऐसा ही लिखा है।

हज़रत साहिबे औनुल मा'बूद (रह) फ़र्माते हैं :

'फ़हाज़ा मुहम्मदुब्नु इस्माईल अल्बुख़ारी अहदुल्मुज्तहिदीन व वाहिदुम्मिन अर्कानिल्लज़ीन कद ज़हब इला' अन्न मुदरिक्न लिर्कूइ ला यकूनु मुदरिक्न लिर्कअति हत्ता यक्नअ फ़ातिहतल किताब फ़मन दख़ल मअल इमामि फिरकूइ फ़लहू अय्यक्जिय तिल्करकअत बअद सलामिल इमामि बल हकल्बुख़ारी हाज़ल मज़हब अन कुल्लिम्मन जहब इला वुजूबिल किराति ख़ल्फ़ इमामि' (औनुल मा'बूद पेज नं. 334)

यानी हज़रत इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (रह) जो मुज्तहिदीन में से एक ज़बरदस्त मुज्तहिद बल्कि मिल्लते इस्लाम के अहमतरीन रुक्न हैं, उन्होंने रकूअ पाने वाले की रकअत को तस्लीम नहीं किया बल्कि उनका फ़त्वा ये है कि ऐसे शख़्स को इमाम के सलाम के बाद ये रकअत पढ़नी चाहिए। बल्कि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) ने ये हर उस शख़्स का मज़हब नक़ल फ़र्माया है जिसके नज़दीक इमाम के पीछे सूह फ़ातिहा पढ़नी वाजिब है और हमारे शैख़ुल अरब वल अजम हज़रत मौलाना सय्यद मुहम्मद नज़ीर हुसैन साहब मुहदिष देहलवी (रह) का भी यही फ़त्वा है। (हवाला मज़कूर)

इस तफ़्सील के बाद ये अमर भी मल्हूज़ रखना ज़रूरी है कि जो हज़रत बिला तअस्सुब महज़ अपनी तहकीक़ की बिना पर रकूअ की रकअत के क़ाइल हैं वो अपने फ़ेअल के खुद ज़िम्मेदार हैं। उनको भी चाहिए कि रकूअ की रकअत न मानने वालों के खिलाफ़ जुबान को तअरीज़ से रोके और ऐसे मुख्तलफ़ फ़ीह फ़ुरूई मसाइल में वुस्अत से काम लेकर आपसी इत्तिफ़ाक़ को ज़र्ब (चोट) न लगाएँ कि सल्फ़ सलैहीन का यही तरीक़ा यही तर्ज़ अमल रहा है। ऐसे उमूर में क़ाइलीन व मुंकिरीन में से हदीष अल्आमालु बिन् निय्यात के तहत हर शख़्स अपनी निय्यत के मुताबिक़ बदला पाएगा। इसीलिए अल्मुज्तहिद कद युख़ती व युसीब का उसूल वुजूअ किया गया है। वल्लाहु आलमु बिस्सुवाब व इलैहिल मर्जअ वल्मआब दलाइल की रू से सहीह यही है कि रकूअ में मिलने से उस रकअत का लौटाना ज़रूरी है।

बाब 115 : रकूअ करने के वक़्त भी तक्बीर कहना

ये इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने नबी अकरम (ﷺ) से नक़ल किया है और मालिक बिन हुवैरिष (रज़ि.) ने भी इस बाब में रिवायत की है।

(784) हमसे इस्हाक़ बिन शाहीन वास्ती ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ख़ालिद बिन अब्दुल्लाह त्रिहान ने सईद बिन अयास हरीरी से बयान किया, उन्होंने अबुल अला यज़ीद बिन अब्दुल्लाह से, उन्होंने मुत्रिफ़ बिन अब्दुल्लाह से, उन्होंने इमरान बिन हुसैन से कि उन्होंने हज़रत अली (रज़ि.) के साथ बसरा में एक बार नमाज़ पढ़ी। फिर कहा कि हमें उन्होंने वो नमाज़ याद दिला दी जो हम नबी (ﷺ) के साथ पढ़ा करते थे। फिर कहा कि हज़रत अली (रज़ि.) जब सर उठाते और जब सर झुकाते उस वक़्त तक्बीर कहते। (दीगर मक़ाम : 786, 826)

(785) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने इब्ने शिहाब से ख़बर दी,

١١٤ - بَابُ إِنْشَاءِ التَّكْبِيرِ فِي الرَّكْعَةِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَابْنُ مَالِكٍ
بْنِ الْحَوَيْثِ.

٧٨٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنِ أَبِي الْعَلَاءِ
عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ ٠٢ عِمْرَانَ بْنِ حِصَيْنٍ
قَالَ: (صَلَّى مَعَ عَلِيٍّ ﷺ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ:
ذَكَرْنَا هَذَا الرَّجُلَ صَلَاةً كَمَا نَصَلَّيْهَا مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْبِّرُ
كَلِمًا رَفَعَ وَكَلِمًا وَضَعُ).

[طرفاه: ٧٨٦, ٨٢٦].

٧٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي

उन्होंने अबू सलमा बिन अब्दुरहमान से, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि आप लोगों को नमाज़ पढ़ाते थे तो जब भी वो झुकते और जब भी वो उठते तो तक्बीर ज़रूर कहते। फिर जब फ़ारिग होते तो कहते कि मैं नमाज़ पढ़ने में तुम सब लोगों से ज़्यादा रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ से मुशाबिहत रखनेवाला हूँ। (दीगर मक़ाम: 789, 795, 803)

तशरीह: हज़रत इमाम बुखारी (रह) का मक़सद उन लोगों की तर्दीद करना है जो रूकूअ और सज्दा क़ौरह में जाते हुए तक्बीर नहीं कहते। बनी उमय्या ख़ानदान के कुछ बादशाह ऐसा ही किया करते थे। बाब का तर्जुमा यँ भी किया गया है कि तक्बीर को रूकूअ में जाकर पूरा करना। मगर बेहतर तर्जुमा वही है जो ऊपर हुआ।

बाब 116 सज्दे के वक़्त भी पूरे तौर पर

तक्बीर कहना

(786) हमसे अबुन नोअमान मुहम्मद बिन फ़ज़ल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उन्होंने ग़ैलान बिन जरीर से बयान किया, उन्होंने मुत्रिफ़ बिन अब्दुल्लाह बिन शुख़ैर से, उन्होंने कहा कि मैंने और इमरान बिन हुसैन ने अली बिन अबी त़ालिब (रज़ि.) के पीछे नमाज़ पढ़ी। तो वो जब भी सज्दा करते तो तक्बीर कहते। इसी तरह जब सर उठाते तो तक्बीर कहते। जब दो रक़अत के बाद उठते तो तक्बीर कहते। जब नमाज़ ख़त्म हुई तो इमरान बिन हुसैन ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि हज़रत अली (रज़ि.) ने आज हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की नमाज़ याद दिला दी, या ये कहा कि उस शख़्स ने हमको आँहज़रत (ﷺ) की नमाज़ की तरह आज नमाज़ पढ़ाई।

(राजेअ: 784)

(787) हमसे अम्र बिन औन ने बयान किया, कहा कि हमें हुशैम बिन बशीर ने अबू बिशर हफ़स बिन अबी वहैश से ख़बर दी, उन्होंने इक्रिमा से, उन्होंने बयान किया कि मैंने एक शख़्स को मुक़ामे इब्राहीम में (नमाज़ पढ़ते हुए) देखा कि हर झुकने और उठने पर वो तक्बीर कहता था। इसी तरह खड़े होते वक़्त और बैठते वक़्त भी। मैंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) को इसकी इत्तिला दी। आपने फ़र्माया, अरे! तेरी माँ मरे! क्या ये रसूलुल्लाह (ﷺ) की

سَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : (أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيَكْبِرُ كُلَّمَا خَفِضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا انصَرَفَ قَالَ: إِنِّي لِأَشْتَهُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ).

[أطرافه في: ٧٨٩، ٧٩٥، ٨٠٣].

١١٦ - بَابُ إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي

السُّجُودِ

٧٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ مُطْرِفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: (صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرُّكُوعَيْنِ كَبَّرَ. فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ - أَوْ قَالَ - لَقَدْ صَلَّيْنَا بِهَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ).

[راجع: ٧٨٤]

٧٨٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: (رَأَيْتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمَقَامِ يُكْبِرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفَعٍ، وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ. فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَوْ لَيْسَ بِتِلْكَ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ لَا أَمَّ

सी नमाज़ नहीं है।

لَكَ؟. [طرفه في : ٧٨٨].

तशरीह :

यानी ये नमाज़ तो आँहज़रत (ﷺ) की नमाज़ के ऐन मुताबिक़ है और तू इस पर तअज्जुब करता है। ला उम्म लक अरब लोग ज़र व तौबीख के वक्त बोलते हैं। जैसे प्रकुल तक उम्मुक यानी तेरी माँ तुझ पर रोये। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि) इकिरमा पर ख़फ़ा हुए कि तू अब तक नमाज़ का पूरा तरीका नहीं जानता और अबू हुरैरह (रज़ि) जैसे फ़ाज़िल पर इंकार करता है।

बाब 117 : जब सज्दा करके उठे तो

तक्बीर कहे

(788) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माम बिन यह्या ने क़तादा से बयान किया, वो इकिरमा से, कहा कि मैं ने मक्का में एक बूढ़े के पीछे (ज़ुहर की) नमाज़ पढ़ी। उन्होंने (तमाम नमाज़ में) बाईस तक्बीर कहीं। इस पर मैंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से कहा कि ये बूढ़ा बिलकुल बेअक़ल मा'लूम होता है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया तुम्हारी माँ तुम्हें रोये ये तो अबुल क़ासिम (ﷺ) की सुन्नत है। और मूसा बिन इस्माईल ने यँ भी बयान किया, कि हमसे अबान ने बयान किया, कि कहा हमसे क़तादाने, उन्होंने कहा कि हमसे इकिरमाने ये हदीष बयान की। (राजेअ: 787)

(789) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष बिन सअद ने अक़ील बिन ख़ालिद के वास्ते से बयान किया, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने कहा कि मुझे अबूबक्र बिन अब्दुरहमान बिन हारिष ने ख़बर दी कि उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना, उन्होंने बतलाया कि आँहज़रत (ﷺ) जब नमाज़ के लिए खड़े होते तो तक्बीर कहते। फिर जब रुकूअ करते तब भी तक्बीर कहते थे। फिर जब सर उठाते तो समिअल्लाहुलिमन हमिदह कहते और खड़े ही खड़े रबबना व लकल कहते। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए (सज्दे के लिए) झुकते, फिर जब सर उठाते तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर जब (दूसरे) सज्दे के लिए झुकते तब तक्बीर कहते और जब सज्दे से सर उठाते तक भी तक्बीर कहते। इसी तरह आप तमाम नमाज़ पूरी कर लेते थे। क़अदा ऊला से उठने पर भी तक्बीर कहते थे। (इस हदीष में) अब्दुल्लाह बिन सालेह ने लैष के वास्ते से (बजाए रबबना लकल हम्द के रबबना व लकल हम्द) नक़ल किया है। (रबबना लकल हम्द कहे या व लकल हम्द

١١٧ - بَابُ التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ

السُّجُودِ

٧٨٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ، فَكَبَّرَ ثَلَاثِينَ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ أَحَقُّ، فَقَالَ: تَكَلَّمَ أُمُّكَ، سَنَةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ. وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ.

[راجع: ٧٨٧]

٧٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرُكِعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صَلَاتَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثَّلَاثِينَ بَعْدَ

वाव के साथ दोनों तरीके से दुरुस्त है) (राजेअ: 785)

الْجُلُوسِ وَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ
الْثَّبْتِ وَ لَكَ الْحَمْدُ. [راجع: ٧٨٥]

तशरीह: चार रकअत नमाज़ में कुल बाईस तक्बीरें होती हैं हर रकअत में पाँच तक्बीरें, एक तक्बीर तहरीमा, दूसरी पहले तशहूद के बाद उठते वक़्त सब बाइस हुई और तीन रकअत नमाज़ में सत्रह और दो रकअत में ग्यारह होती हैं और पाँचों नमाज़ों में चौरानवे तक्बीरें होती हैं। मूसा बिन इस्माईल की सनद के बयान से हज़रत इमाम की गर्ज ये है कि क़तादा से दो शख्सों ने इसको रिवायत किया है। हम्माम और अबान ने और हम्माम की रिवायत उसूल में इमाम बुखारी (रह) की शर्त है और अबान की रिवायत मुताबआत में। दूसरा फ़ायदा है कि क़तादा का सिमाअ इक्वामा से मा'लूम हो जाए।

बाब 118 : इस बारे में कि रुकूअ में हाथ

घुटनों पर रखना

और अबू हुमैद ने अपने साथियों के सामने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने रुकूअ में अपने दोनों हाथ घुटनों पर जमाए।

(790) हमसे अबुल वलीद हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया अबू यअफ़ूर अकबर से, उन्होने बयान किया कि मैंने मुसअब बिन सअद से सुना, उन्होंने कहा कि मैंने अपने वालिद के पहलू में नमाज़ पढ़ी और अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर रानों के बीच रख लिया। इस पर मेरे बाप ने मुझे टोका और फ़र्माया कि हम भी पहले उसी तरह करते थे। लेकिन बाद में उससे रोक दिये गए और हुक्म हुआ कि हम अपने हाथों को घुटनों पर रखें।

तशरीह: हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि) से रुकूअ में दोनों हाथों की उँगलियाँ मिलाकर दोनों रानों के बीच में रखना मन्कूल है। हज़रत इमाम बुखारी (रह) ने ये बाब लाकर इशारा फ़र्माया कि ये हुक्म मन्सूख हो गया है।

बाब 119 : अगर रुकूअ अच्छी तरह इत्मीनान से न करे तो नमाज़ न होगी

(791) हमसे हफ़स बिन उमर ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा ने बयान किया सुलैमान अअमश के वास्ते से, कहा मैंने ज़ैद बिन वहब से सुना, उन्होंने बयान किया कि हुज़ैफ़ा बिन यमान (रज़ि.) ने एक शख्स को देखा कि न रुकूअ पूरी तरह करता है न सज्दा। इसलिए आपने उससे कहा कि तुमने नमाज़ ही नहीं पढ़ी और अगर तुम मर गए तो तुम्हारी मौत उस सुन्नत पर नहीं होगी जिस पर अल्लाह

١١٨ - بَابُ وَضْعِ الْأَكْفِ عَلَى

الرُّكُوعِ

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ: أَمَكَّنَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ مِنْ رُكُوعِهِ.

٧٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا

شُعْبَةَ عَنْ أَبِي يَغْفُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُصَنَّبَ

بَنِ سَعْدٍ قَالَ: (صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي

فَطَلَفْتُ بَيْنَ كَفِّيْ ثُمَّ وَضَعْتُهَا بَيْنَ فِعْدَيْ،

فَهَيَّأَنِي أَبِي وَقَالَ: نَكُنَّا نَفْعَلُهُ فَهَيَّأْنَا عَنْهُ

وَأَمَرْنَا أَنْ نَضَعُ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكُوعِ).

١١٩ - بَابُ إِذَا لَمْ يُعَمَّ

الرُّكُوعِ

٧٩١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غَمْرٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ

زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: رَأَى حُدَيْفَةَ رَجُلًا لَا

يُعَمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ،

وَلَوْ مَتَّ مَتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَّرَ

तअलाला ने मुहम्मद (ﷺ) को पैदा किया था। (राजेअ: 389)

اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ. [راجع: 389]

यानी तेरा ख़ात्मा मआज़ल्लाह कुफ़र पर होगा। जो लोग सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) की मुखालफ़त करते हैं उनको इस तरह ख़राबी ख़ात्मे से डरना चाहिए। सुब्हानल्लाह अहले हदीष का जीना और मरना दोनों अच्छा। मरने के बाद आँहज़रत (ﷺ) के सामने कुछ शर्मिन्दगी नहीं। आपकी हदीष पर चलते रहे जब तक जिये ख़ात्मा भी हदीष पर हुआ। (मौलाना वहीदुज़्जमाँ मरहूम रह)

बाब 120 : रुकूअ में पीठ को बराबर करना। (सर ऊँचा-नीचा न रखना) अबू हमद (रज़ि.) ने अपने साथियों से कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने रुकूअ किया, फिर अपनी पीठ पूरी तरह झुका दी।

बाब 121 : रुकूअ पूरी तरह करने की और उसमें ए'तिदाल व त्तमानियत की (हद क्या है?)

कुछ नुस्खों में ये बाब अलग नहीं है और दरहकीकत ये अगले ही बाब का एक जुज है और अबू हुमैद (रज़ि) की तअलीक़ इसके अव्वल जुज़ के बारे में है और बराअ की हदीष पिछले जुज से। अब इब्ने मुनीर का ए'तिराज़ दूर हो गया कि हदीष बाब के मुताबिक़ नहीं है, कज़ा क़ालल ह्राफ़िज़।

(792) हमसे बदल बिन महब्बर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे हक़म ने इब्ने अबी लैला से ख़बर दी, उन्होंने बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) से, उन्होंने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) के रुकूअ व सुजूद, दोनों सज्दों के बीच का वक्रफ़ा और जब रुकूअ से सर उठाते तो तवरीबन सब बराबर थे। सिवा क़ियाम और तशहहूद के कुऊद के। (दीगर मक़ाम: 801, 820)

क़ियाम से मुराद क़िरात का क़ियाम है और तशहहूद का क़ऊद, लेकिन बाक़ी चार चीज़ें यानी रुकूअ और सज्दा और दोनों सज्दों के बीच में क़अदा और रुकूअ के बाद क्रोमा ये सब क़रीब क़रीब बराबर होते। हज़रत अनस (रज़ि) की रिवायत में है कि आप (ﷺ) रुकूअ से सर उठाकर इतनी देर तक खड़े रहते कि कहने वाला कहता आप भूल गये हैं। हदीष के मुताबक़त बाब के तर्जुम से इस तरह है कि इससे रुकूअ में देर तक ठहरना प्राबित होता है। तो बाब का एक जुज़ यानी इत्मीनान इससे निकल आया और ए'तिदाल यानी रुकूअ के बाद सीधा खड़ा होना वो भी इस रिवायत से प्राबित हो चुका। ह्राफ़िज़ फ़र्मते हैं कि इस हदीष के कुछ तरीक़ों में जिनको मुस्लिम ने निकाला है ए'तिदाल लम्बा करने का ज़िक़र है। तो इससे तमाम अरकान का लम्बा करना प्राबित हो गया।

बाब 122 : नबी करीम (ﷺ) का उस शख़्स को नमाज़ दोबारा पढ़ने का हुक़म देना जिसने रुकूअ पूरी तरह नहीं किया था

۱۲۰- بَابُ اسْتِوَاءِ الظُّهْرِ فِي الرُّكُوعِ وَقَالَ أَبُو حَمِيدٍ فِي أَصْحَابِهِ: رَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ هَضَرَ ظَهْرَهُ
۱۲۱- بَابُ حَدِّ إِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالْإِعْتِدَالِ فِيهِ، وَالْإِطْمَانِيَّةِ

۷۹۲- حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمَحْبَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ - مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ - قَرِيبًا مِنَ السُّوَاءِ).

[طرفاه في: 801, 820].

۱۲۲- بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ بِالْإِعَادَةِ

(793) हमसे मुसहद बिन मुसहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यहा बिन सईद क़त्तान ने उबैदुल्लाह उमरी से बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे सईद बिन अबी सईद मक्बरी ने अपने वालिद से बयान किया, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि .) से कि नबी करीम (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। इतने में एक शख्स आया और नमाज़ पढ़ने लगा। नमाज़ के बाद उसने आकर नबी करीम (ﷺ) को सलाम किया। आप (ﷺ) ने सलाम का जवाब देकर कहा कि वापस जाकर दोबारा नमाज़ पढ़, क्योंकि तूने नमाज़ नहीं पढ़ी। चुनाँचे उसने दोबारा नमाज़ पढ़ी और वापस आकर फिर आपको सलाम किया। आपने इस बार भी यही फ़र्माया कि दोबारा जाकर नमाज़ पढ़, क्योंकि तूने नमाज़ पढ़ी। तीन बार इसी तरह हुआ। आख़िर उस शख्स ने कहा कि उस ज़ात की क्रसम! जिसने आपको हक़ के साथ मबरज़्ज़ फ़र्माया। मैं तो इससे अच्छी नमाज़ नहीं पढ़ सकता। इसलिए आप मुझे सिखलाइए। आपने फ़र्माया जब तू नमाज़ के लिए खड़ा हो तो (पहले) तक्बीर कह फिर कुआन मजीद में से जो कुछ तुझसे हो सके पढ़, उसके बाद रुकूअ कर और पूरी तरह रुकूअ में चला जा। फिर सर उठा और पूरी तरह खड़ा हो जा। फिर जब तू सज्दा करे तो पूरी तरह सज्दा में चला जा। फिर (सज्दा से) सर उठाकर अच्छी तरह बैठ जा। दोबारा भी इसी तरह सज्दा कर। यही त़रीक़ा नमाज़ की तमाम (रक़अतों में) रख। (राजेअ: 757)

٧٩٣- حَدَّثَنَا مَسَدُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ
بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي
سَعِيدُ الْمُقْبَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ
فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ،
فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ السَّلَامَ فَقَالَ: ((ارْجِعْ
فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ))، فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ
فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((ارْجِعْ فَصَلِّ
فإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)) (ثَلَاثًا) فَقَالَ: وَاللَّيْلِ
بِعَثَاكَ بِالْحَقِّ لِمَا أَحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِمَنِي.
قَالَ: ((إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ
اقْرَأْ مَا تَسْرَمُ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ
حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَعْتَدِلَ
قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا،
ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ
حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي
صَلَاتِكَ كُلِّهَا)). (راجع: ٧٥٧)

तशरीह:

इसी हदीष को बरिवायत रिफ़ाआ बिन राफ़ेअ इब्ने अबी शैबा ने यूँ रिवायत किया है कि उस शख्स ने रुकूअ और सज्दा पूरे तौर पर अदा नहीं किया था। इसलिए आँह ज़रत (ﷺ) ने उसे नमाज़ लौटाने का हुक्म फ़र्माया। यही बाब का तर्जुमा है। प्राबित हुआ कि ठहर ठहरकर इल्मीनान से हर रुकन का अदा करना फ़र्ज़ है। उस रिवायते बुखारी में ये है कि आपने उसे फ़र्माया कि पढ़ जो तुझे कुआन से आसान हो। मगर रिफ़ाआ बिन राफ़ेअ की रिवायत इब्ने अबी शैबा में साफ़ यूँ मज़कूर है, पुम्म इक्वर: बिउम्मिल कुआन व माशाअल्लाहु यानी पहले सूरह फ़ातिहा पढ़ फिर जो आसान हो कुआन की तिलावत कर। इस तफ़्सील के बाद इस रिवायत से सूरह फ़ातिहा की अदमे रुक्नियत पर दलील पकड़ने वाला या तो तफ़्सीली रिवायात से नावाक़िफ़ है या फिर तअस्सुब का शिकार है।

बाब 123 : रुकूअ की दुआ का बयान

(794) हमसे हफ़्स् बिन उमर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने मंसूर बिन मुअतमिर से बयान किया, उन्होंने अबुजुहा मुस्लिम बिन मबीह से, उन्होंने

١٢٣- بَابُ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ
٧٩٤- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غَمْرٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى
عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

मसरूक से, उन्होंने आइशा (रज़ि.) से, उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) रुकूअ और सज्दे में (सुब्हानकल्लाहुम्म वबिहम्दिक् अल्लाहुम्मफ़िरली) पढ़ा करते थे।

(दीगर मक़ाम : 817, 4293, 4967, 4968)

قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ لِي رُكُوعِهِ
وَسُجُودِهِ. ((سُبْحَانَكَ. اللَّهُمَّ رَبَّنَا
وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)).

[أطرافه في : ٨١٧، ٤٢٩٣، ٤٩٦٧،
٤٩٦٨.]

तशरीह : रुकूअ और सज्दे में जो तस्बीह पढ़ी जाती है इसमें किसी का भी कोई इख्तिलाफ़ नहीं। अल्बत्ता इस हदीष के पेशेनज़र कि रुकूअ में अपने रब की ता'ज़ीम करो और बन्दा सज्दे की हालत में अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब होता है, इसलिए सज्दे में दुआ किया करो कि सज्दे की दुआ के कुबूल होने की ज़्यादा उम्मीद है। कुछ अइम्मा ने सज्दे की हालत में दुआ जाइज़ करार दी है और रुकूअ में दुआ को मकरूह कहा है। इमाम बुखारी (रह) ये बताना चाहते हैं कि मज़क़ूर हदीष में दुआ का एक मख़सूसतरीन वक़्त हालते सज्दा को बताया गया है। इसमें रुकूअ में दुआ करने की कोई मुमानज़त नहीं है बल्कि हदीष से प्राबित है कि नबी करीम (ﷺ) रुकूअ और सज्दा दोनों हालतों में दुआ करते थे। इब्ने अमीरुल हाज़ ने तमाम दुआएँ जमाअत तक में इस शर्त पर जाइज़ करार दी हैं कि मुक्तदियों पर उससे कोई गिराँ बारी न हो (यानी मुक्तदियों को बोझिल महसूस न हो)। (तफ़्हीमुल बुखारी)

बाब 124 : इमाम और मुक्तदी रुकूअ से सर उठाने पर क्या कहें?

(795) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने ज़िब ने बयान किया, उन्होंने सईद मक्बरी से बयान किया, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) जब समिअल्लाहुलिमन हमिदह कहते तो उसके बाद अल्लाहुम्म रब्बना व लकल हम्द भी कहते। इसी तरह जब आप रुकूअ करते और सर उठाते तो तक्बीर कहते। दोनों सज्दों से खड़े होते वक़्त भी आप अल्लाहु अकबर कहा करते थे। (राजेअ : 785)

तशरीह : हदीष से इमाम का कहना तो प्राबित हुआ लेकिन मुक्तदी का ये कहना इस तरह प्राबित होगा कि मुक्तदी पर इमाम की पैरवी ज़रूरी है। जैसा कि दूसरी रिवायत में मज़क़ूर है। इसी हदीष के दूसरे तरीक़ों में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) से मरवी है कि जब इमाम समिअल्लाह कहे तो पीछे वाले भी इमाम के साथ साथ रब्बना लकल हम्द अलअख़ भी कहें।

बाब 125 : अल्लाहुम्म रब्बना व लकल हम्द पढ़ने की फ़ज़ीलत

(796) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया,

١٢٤- بَابُ مَا يَقُولُ الْإِمَامُ وَمَنْ
خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ

٧٩٥- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
ذُنَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ
لِي مِنْ حَمْدِهِ قَالَ: ((اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَوَلَكَ
الْحَمْدُ)). وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَفَعَ وَإِذَا
رَفَعَ رَأْسَهُ يُكْبِرُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودَيْنِ
قَالَ: ((اللَّهُ أَكْبَرُ)). [راجع: ٧٨٥]

١٢٥- بَابُ فَضْلِ ((اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ
الْحَمْدُ))

٧٩٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:

उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने सुमय से खबर दी, उन्होंने अबू मालेह जक्वान के वास्ते से बयान किया, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया जब इमाम समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम अल्लाहुम्म रब्बना व लकल हम्द कहो क्योंकि जिसका ये कहना फ़रिश्तों के कहने के साथ होगा उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिये जाएँगे।

(दीगर मक़ाम : 3228)

बाब : 126

(797) हमसे मुआज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, उन्होंने हिशाम दस्तवाई से, उन्होंने यहा बिन अबी क़रीर से, उन्होंने अबू सलमा से, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि लो मैं तुम्हें नबी करीम (ﷺ) की नमाज़ के करीब-करीब कर दूँगा। चुनाँचे हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) जुहर, इशा और सुबह की आखिरी रकअत में कुनूत पढ़ा करते थे। समिअल्लाहु लिमन हमिदह के बाद। यानी मोमिनीन के हक़ में दुआ करते और काफ़िरों पर लअनत भेजते।

(दीगर मक़ाम : 804, 1006, 2932, 3381, 4560, 4598, 6200, 6393, 6940)

तशीह : कुछ ग़द्दारों ने चन्द मुसलमानों को धोखे से बीरे मरूना पर शहीद कर दिया था। आँहज़रत (ﷺ) को इस हादसे से सख़्त स़दमा हुआ और आपने एक माह तक उन पर बद्दुआ की और उन मुसलमानों की रिहाई के लिये भी दुआ फ़र्माई जो कुफ़ार के यहाँ कैद थे। यहाँ उसी कुनूत का ज़िक़र है। जब मुसलमानों पर कोई मुसीबत आए तो हर नमाज़ में आखिर रकअत में रकूअ के बाद कुनूत पढ़ना मुस्तहब है।

(798) हमसे अब्दुल्लाह बिन अबी अल अस्वद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इस्माईल बिन अलिया ने बयान किया, उन्होंने ख़ालिद हज़्जाअ से बयान किया, उन्होंने अबू क़िलाबा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से, उन्होंने अनस (रज़ि.) से कि आपने फ़र्माया कि दुआ-ए-कुनूत फ़ज्र और मरिब की नमाज़ों में पढ़ी जाती है। (राजेअ : 1004)

(799) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़अनी ने बयान किया

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّ مِنْ وَاقِعِ قَوْلِهِ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غَيْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

[أطرافه في : 3228].

باب - 126

٧٩٧- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ لُصَّالَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لأقربن صلاة النبي ﷺ فكان أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْتَتُ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَصَلَاةِ العِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الكُفَّارَ. [أطرافه في : ٨٠٤, ١٠٠٦, ٢٩٣٢, ٣٣٨١, ٤٥٦٠, ٤٥٩٨, ٦٢٠٠, ٦٣٩٣, ٦٩٤٠].

٧٩٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدِ الحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ القُّنُوتُ فِي المَغْرِبِ وَالْفَجْرِ. [طرفه في : ١٠٠٤].

٧٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَلِّمَةَ عَنْ

इमाम मालिक (रह.) से, उन्होंने नुऐम बिन अब्दुल्लाह मुज्जिर से, उन्होंने अली बिन यह्या बिन खालिद जर्की से, उन्होंने अपने बाप से, उन्होंने रिफ़ाअ बिन राफ़ेअ जर्की से, उन्होंने कहा कि हम नबी करीम (ﷺ) की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ रहे थे। जब आप रुकूअ से सर उठाते तो समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहते। एक शख्स ने पीछे से कहा रबबना व लकल हम्द हम्दन कषीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीहि आप (ﷺ) ने नमाज़ से फ़ारिग होकर पूछा कि किसने ये कलिमात कहे हैं, उस शख्स ने जवाब दिया कि मैंने। इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैंने तीन से ज़्यादा फ़रिशतों को देखा कि वो इन कलिमात के लिखने में एक-दूसरे पर सबक़त ले जाना चाहते थे (इससे इन कलिमात की फ़ज़ीलत प्राबित होती है)।

बाब 127 : रुकूअ से सर उठाने के बाद इत्मीनान से सीधा खड़ा होना

और अबू हुमैद (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने (रुकूअ से) सर उठाया तो सीधे इस तरह खड़े हो गए कि पीठ का हर जोड़ अपनी जगह पर आ गया।

(800) हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने प्राबित बिनानी से बयान किया, उन्होंने बयान किया कि हज़रत अनस (रज़ि.) हमें नबी करीम (ﷺ) की नमाज़ का तरीक़ा बतलाते थे, चुनाँचे आप नमाज़ पढ़ते और जब अपना सर रुकूअ से उठाते तो इतनी देर तक खड़े रहते कि हम सोचने लगते कि आप भूल गए हैं। (दीगर मक़ाम: 821)

क़स्तलानी ने कहा इससे स़ाफ़ मा'लूम होता है कि ए'तिदाल यानी रुकूअ के बाद सीधा खड़ा होना एक लम्बा रुकन है। जिन लोगों ने इसका इंकार किया उनका क़ौल फ़ासिद और नाक़ाबिले तवज्जह है।

(801) हमसे अबुल वलीद हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने हक़म से बयान किया, उन्होंने इब्ने अबी लैला से, उन्होंने बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) के रुकूअ, सज्दा, रुकूअ से सर उठाते वक़्त और दोनों सज्दों के बीच बैठना तक्ररीबन बराबर बराबर होता था।

مَالِكٍ عَنْ نَعِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَادٍ الزُّرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرْقِيِّ قَالَ: كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ))، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَتِلْكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ: ((مَنْ الْمُتَكَلِّمُ؟)) قَالَ: أَنَا. قَالَ: ((رَأَيْتُ بَضْعَةَ وَتِلَاثِينَ مَلَكًا يَتَدَرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوْلَى)).

١٢٧- بَابُ الْإِطْمَائِنَةِ حِينَ يَرْفَعُ

رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ لِقَارٍ مَكَانَهُ.

٨٠٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَابِتٍ قَالَ: (كَانَ أَنَسٌ يَنْعَتُ لَنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ يُصَلِّي، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَ). [طرفه في: ٨٢١].

٨٠١- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُودُهُ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السُّجُودَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ).

(राजेअ : 792)

[راجع : 792]

मुराद ये कि आपकी नमाज़ मुअतदिल (संतुलित) हुआ करती थी। अगर क़िरात में तूल करते तो इसी निस्बत से और अरकान को भी तवील करते थे। अगर क़िरात में तख़्फ़ीफ़ करते तो और अरकान को भी हल्का करते।

(802) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हम्माद बिन जैद ने बयान किया, उन्होंने अट्यूब सुखितयानी से, उन्होंने अबू क़िलाबा से कि मालिक बिन हुवैरिष (रज़ि.) ने हमें (नमाज़ पढ़कर) दिखलाते कि नबी करीम (ﷺ) किस तरह नमाज़ पढ़ते थे और ये नमाज़ का वक़्त नहीं था चुनाँचे आप (एक बार) खड़े हुए और पूरी तरह खड़े रहे। फिर जब रुकूअ किया और पूरी तमानियत के साथ। सर उठाया तब भी थोड़ी देर सीधे खड़े रहे। अबू क़िलाबा ने बयान किया कि मालिक (रज़ि.) ने हमारे इस शैख़ अबू यज़ीद की तरह नमाज़ पढ़ाई। अबू यज़ीद जब दूसरे सज्दे से सर उठाते तो पहले अच्छी तरह बैठते फिर खड़े होते।

बाब 128 : सज्दे के लिए अल्लाहु अकबर कहता हुआ झुके

और नाफ़ेअ ने बयान किया कि इब्ने उमर (रज़ि.) (सज्दा करते वक़्त) पहले हाथ ज़मीन पर टेकते फिर घुटने टेकते।

इस तअलीक़ को इब्ने खुज़ैमा और तहावी ने मौसूलन ज़िक्र किया है। इमाम मालिक (रह) का यही क़ौल है। लेकिन बाक़ी तीनों इमामों ने ये कहा कि पहले घुटने टेके फिर हाथ ज़मीन पर रखे। नववी ने कहा दलील की रू से दोनों मज़हब बराबर हैं और इसीलिए इमाम अहमद (रह) से एक रिवायत ये है कि नमाज़ी को इख़्तियार है, चाहे घुटने पहले रखे चाहे हाथ और इब्ने क़य्यिम ने वाइल बिन हुज़र की हदीष को तरजीह दी है, जिसमें मज़कूर है कि जब आँहज़रत (ﷺ) सज्दा करने लगते तो पहले घुटने ज़मीन पर रखते फिर हाथ (मौलाना वहीदुज़्जमाँ मरहूम)

दुरुस्त ये है कि हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि) राजेह और ज़्यादा सहीह है जो मुस्लिम में मौजूद है और उसमें हाथ पहले और घुटने बाद में टेकने का मसला बयान किया है।

(803) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐब ने ख़बर दी, उन्होंने जुहरी से, उन्होंने कहा कि मुझको अबूबक्र बिन अब्दुर्रहमान बिन हारिष बिन हिशाम और अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने ख़बर दी कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) तमाम नमाज़ों में तक्बीर कहा करते थे ख़वाह फ़र्ज़ हो या न हो।

٨٠٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحَوَيْثِ يُرِينَا كَيْفَ كَانَ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَذَلِكَ لِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ : لَقَامَ فَأَمَكَنَّ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَمَكَنَّ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَنْصَبَ مُنْبِتَهُ . قَالَ : أَبُو قِلَابَةَ : فَصَلَّى بِنَا صَلَاةَ شَيْخِنَا هَذَا أَبِي يَزِيدٍ ، وَكَانَ أَبُو يَزِيدٍ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ الْآخِرَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا ، ثُمَّ نَهَضَ .

١٢٨- بَابُ يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ

وَقَالَ نَافِعٌ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكُوعِهِ .

٨٠٣- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (أَنَّ

रमजान का महीना हो या कोई और महीना हो। चुनाँचे जब आप नमाज़ के लिए खड़े होते तो तक्बीर कहते। फिर समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहते और उसके बाद रब्बना व लकल हम्द सज्दे से पहले। फिर जब सज्दे के लिए झुकते तो अल्लाहु अकबर कहते फिर सज्दे से सर उठाते तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर दूसरा सज्दा करते तो अल्लाहु अकबर कहते। इसी तरह सज्दे से सर उठाते तो अल्लाहु अकबर कहते। दो रकअत के बाद क़अदा ऊला करने के बाद जब खड़े होते तब भी तक्बीर कहते और आप हर रकअत में ऐसा ही किया करते। यहाँ तक कि नमाज़ से फ़ारिग होने तक। नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद फ़र्माते कि उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है। मैं तुममें से सबसे ज़्यादा नबी करीम (ﷺ) की नमाज़ से मुशाबेह हूँ और आप (ﷺ) इसी तरह नमाज़ पढ़ते रहे यहाँ तक कि आप (ﷺ) दुनिया से तशरीफ़ ले गए।

(राजेअ: 785)

(804) अबूबक्र और अबू सलमा दोनों ने कहा कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बतलाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सरे मुबारक (रुकूअ से) उठाते तो समिअल्लाहु लिमन हमिदह, रब्बना व लकल हम्द कहकर कुछ लोगों के लिए दुआएँ करते और नाम लेकर फ़र्माते या अल्लाह! वलीद बिन वलीद, सलमा बिन हिशाम, व अयाश बिन अबी रबीआ और तमाम कमज़ोर मुसलमानों को (कुफ़रार से) नजात दे। ऐ अल्लाह! क़बील-ए-मुज़र के लोगों को सख्ती के साथ कुचल दे और उन पर ऐसा क्रहत्त मुसल्लत कर जैसा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में आया था। उन दिनों पूरब वाले क़बील-ए-मुज़र के लोग मुखालिफ़ीन में थे। (राजेअ: 798)

इस हदीष से मा'लूम हुआ कि नमाज़ में दुआ या बददुआ किसी मुस्तहिके हकीक़ी का नाम लेकर भी की जा सकती है।

(805) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा

أَبَاهُزَيَّةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنْ
الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ
فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ،
ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَقُولُ
رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، ثُمَّ
يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ
يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، ثُمَّ
يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ
رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ
الْجُلُوسِ فِي الْاِثْنَيْنِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي
كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ
يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ: وَاللَّيْلِ نَفْسِي بِيَدِهِ،
إِنِّي لِأَقْرَبُكُمْ شَيْهَا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ. إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاةً حَتَّى فَارَقَ

الدُّنْيَا. [راجع: ٧٨٥]

٨٠٤- قَالَ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ: وَكَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ:
(سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ
- يَدْعُو لِرِجَالِ فَيْسَمِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ
فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ
وَسَلْمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَيْثَةَ
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ
وَطَأَتِكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِينِينَ
كَمَا جَعَلْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ. وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ
مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ لَهُ. [راجع: ٧٩٧]

٨٠٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

कि हमसे सुफयान बिन डययना ने बार-बार जुहरी से ये बयान किया कि उन्होंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि .) को ये कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) घोड़े से ज़मीन पर गिर गए। सुफयान ने अक़सर (बजाय अन फ़रस) के मिन फ़रस कहा। उस गिरने से आपका दायँ पहलू ज़ख़मी हो गया तो हम आपकी ख़िदमत में इयादत की गर्ज़ से हाज़िर हुए। इतने में नमाज़ का वक़्त हो गया और आपने हमें बैठकर नमाज़ पढ़ाई और हम भी बैठ गए। सुफयान ने एक बार कहा कि हमने भी बैठकर नमाज़ पढ़ी। जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हो गए तो फ़र्माया कि इमाम इसलिए है कि उसकी इक्तिदा की जाए। इसलिए जब वो तक्बीर कहे तो तुम भी तक्बीर कहो, जब रुकूअ करे तो तुम भी रुकूअ करो। जब सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ और जब वो समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहे तो तुम रब्बना व लकल हम्द कहो। और जब सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो। (सुफयान ने अपने शागिर्द अली बिन मदीनी से पूछा कि) क्या मअमर ने भी इसी तरह हदीष बयान की थी। (अली कहते हैं कि) मैंने कहा जी हाँ! इस पर सुफयान बोले कि मअमर को हदीष याद थी। जुहरी ने यूँ कहा व लकल हम्द। सुफयान ने ये भी कहा कि मुझे याद है कि जुहरी ने यूँ कहा आपका दायँ बाजू छिल गया था। जब हम जुहरी के पास से निकले इब्ने जुरैज ने कहा मैं जुहरी के पास मौजूद था तो उन्होंने यूँ कहा कि आपकी दाहिनी पिंडली छिल गई। (राजेअ : 378)

तशरीह : जुहरी ने कभी तो पहलू कहा, कभी पिण्डली। कुछ ने यूँ तर्जुमा किया है सुफयान ने कहा जब हम जुहरी के पास से निकले तो इब्ने जुरैज ने इस हदीष को बयान किया। मैं उनके पास था इब्ने जुरैज ने पहलू के बदले पिण्डली कहा। हाफ़िज़ ने इस तर्जुमे को तरजीह दी है। इस हदीष में ये मज़कूर है कि जब इमाम तक्बीर कहे तो तुम भी तक्बीर कहो और जब सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो और ज़ाहिर है कि मुक़तदी इमाम के बाद सज्दा में जाता है तो उसकी तक्बीर भी इमाम के बाद ही होगी और जब दोनों फ़ैअल उसके इमाम के बाद हुए तो तक्बीर उसी वक़्त पर आ कर पड़ेगी जब मुक़तदी सज्दा के लिए झुकेगा और यही बाब का तर्जुमा है।

बाब 129 : सज्दे की फ़ज़ीलत का बयान

(806) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा हमें शुऐब ने जुहरी से ख़बर दी, उन्होंने बयान किया कि हमसे सईद बिन मुसय्यिब और अता बिन यज़ीद लैषी ने ख़बर दी कि अबू हुरैरह

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَرْوَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَقَطَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ - وَرَبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ فَرَسٍ - فَجَحِشَ حَيْثُ حَقَّتْ الْأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوذُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا وَقَعَدْنَا. وَلَمَّا قَالَ سُفْيَانُ مَرْوَةَ: صَلَّيْنَا نَعُوذًا، فَلَمَّا لُغِيَ الصَّلَاةُ قَالَ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِوَأْتَمِّ بِهٖ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا)). كَذَا جَاءَ بِهِ مَعْمَرٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: لَقَدْ حَفِظْتُ مِنْ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَكَ الْحَمْدُ، حَفِظْتُ مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ. فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَنَا عِنْدَهُ: فَجَحِشَ سَأَلَةَ الْأَيْمَنِ. [راجع: ٣٧٨]

١٢٩- بَابُ فَضْلِ السُّجُودِ

٨٠٦- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسْتَبِيبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ

(रज़ि.) ने उन्हें खबर दी कि लोगों ने या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या हम अपने रब को क़यामत में देख सकेंगे? आपने (जवाब के लिए) पूछा क्या तुम्हें चौदहवीं रात के चाँद के देखने में जबकि उसके पास कहीं बादल भी न हों शक होता है? लोग बोले हर्गिज़ नहीं या रसूलल्लाह (ﷺ)! फिर आपने पूछा और क्या तुम्हें सूरज के देखने में जबकि उसके करीब बादल भी न हो कोई शक होता है। लोगों ने कहा कि नहीं या रसूलल्लाह! फिर आपने फ़र्माया कि रब्बुल इज़त को तुम इसी तरह देखोगे। लोग क़यामत के दिन जमा किये जाएँगे। फिर अल्लाह तआला फ़र्माएगा जो जिसे पूजता था वो उसके साथ हो जाए। चुनाँचे बहुत से लोग सूरज के पीछे हो लेंगे, बहुत से चाँद और बहुत से बुतों के साथ हो लेंगे। ये उम्मत बाक़ी रह जाएगी। इसमें मुनाफ़िक़ीन भी होंगे। फिर अल्लाह तआला एक नई सूरात में आएगा और उनसे कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। वो मुनाफ़िक़ीन कहेंगे कि हम यहीं अपने रब के आने तक खड़े रहेंगे। जब हमारा रब आएगा तो हम उसे पहचान लेंगे। फिर अल्लाह अज़्ज व जल्ल उनके पास (ऐसी सूरात में जिसे वो पहचान ले) आएगा और कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। वो भी कहेंगे कि बेशक तू हमारा रब है। फिर अल्लाह तआला बुलाएगा पुल सिरात जहन्नम के बीचो-बीच रखा जाएगा और आँहज़रत (ﷺ) फ़र्माते हैं कि मैं अपनी उम्मत के साथ उससे गुज़रने वाला सबसे पहला रसूल होऊँगा। उस दिन सिवाय अंबिया के और कोई भी बात न कर सकेगा और अंबिया भी सिर्फ़ ये कहेंगे कि ऐ अल्लाह! मुझे महफूज़ रखियो, ऐ अल्लाह! मुझे महफूज़ रखियो और जहन्नम में सअदान के कांटों की तरह आंकस होंगे। सअदान के कांटे तो तुमने देखे होंगे। सहाबा (रज़ि.) ने कहा हौं! (आपने फ़र्माया) तो वो सअदान के कांटों की तरह होंगे। अलबत्ता उनकी लम्बाई और चौड़ाई को अल्लाह तआला के सिवा और कोई नहीं जानता।

أَبَاهُتِيَّةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: ((هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ ذُوْنَهُ سَحَابٌ؟)) قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: ((فَهَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ ذُوْنَهَا سَحَابٌ؟)) قَالُوا: لَا. قَالَ: ((فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، يُخَشِرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيْتِ، وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ. فَيَأْتِيهِمْ اللَّهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَدْعُوهُمْ فَيَضْرِبُ الصِّرَاطَ بَيْنَ ظَهْرَانِي جَهَنَّمَ، فَاكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأَمِيهِ، وَلَا يَتَكَأُّ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلَ، وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيْبٌ مِثْلُ شَوْكِ السَّغْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّغْدَانِ؟)) قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: ((مِثْلُ شَوْكِ السَّغْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عَظَمِيَّتِهَا إِلَّا اللَّهُ، تَخَطَّفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ: فَمِنْهُمْ مَنْ يُوقِنُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْرَدَلُ ثُمَّ يَنْجُو. حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَةً مِنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ

ये आंकस लोगों को उनके आमाल के मुताबिक़ खींच लेंगे। बहुत से लोग अपने अमल की वजह से हलाक होंगे। बहुत से टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे, फिर उनकी नजात होगी। जहन्नमियों में से अल्लाह तआला जिस पर रहम फ़र्माना चाहेगा तो मलाइका को हुक्म देगा कि जो ख़ालिफ़ अल्लाह ही की इबादत करते थे उन्हें बाहर निकाल लो। चुनाँचे उनको वो बाहर निकालेंगे और मुवहिद्दों (तौहीद-परस्तों) को सज्दे के निशानात से पहचानेंगे। अल्लाह तआला ने जहन्नम पर सज्दे के आघार का जलाना हाराम कर दिया है। चुनाँचे ये जब जहन्नम से निकाले जाएँगे तो सज्दे के निशानात के अलावा जिस्म के तमाम हिस्सों को आग जला चुकी होगी। जब जहन्नम से बाहर होंगे तो बिलकुल जल चुके होंगे। इसलिए उन पर आबे ह्यात डाला जाएगा। जिससे वो इस तरह उभर आएँगे। जैसे सैलाब के कूड़े-करकट पर सैलाब के थमने के बाद सब्ज़ा उभर आता है। फिर अल्लाह तआला बन्दों के हिसाब से फ़ारिग़ हो जाएगा। लेकिन एक शख्स जन्नत और जहन्नम के बीच अब भी बाक़ी रह जाएगा। ये जन्नत में दाख़िल होने वाला आख़िरी दोज़ख़ी शख्स होगा। उसका मुँह जहन्नम की तरफ़ होगा। इसलिए कहेगा कि ऐ मेरे रब! मेरे मुँह को दोज़ख़ की तरफ़ से फेर दे क्योंकि इसकी बदबू मुझको मारे डालती है और उसकी चमक मुझे जलाए डालती है। अल्लाह तआला पूछेगा अगर तेरी ये तमन्ना पूरी कर दूँ तो तू दोबारा कोई नया सवाल तो नहीं करेगा? बन्दा कहेगा नहीं! तेरी बुजुर्गी की क़सम! और जैसे जैसे अल्लाह चाहेगा वो क़ौल व क़रार करेगा। आख़िर अल्लाह तआला जहन्नम की तरफ़ से उसका मुँह फेर देगा। जब वो जन्नत की तरफ़ मुँह करेगा और उसकी शादाबी नज़रों के सामने आई तो अल्लाह तआला ने जितनी देर चाहा वो चुप रहेगा। लेकिन फिर बोल पड़ेगा ऐ अल्लाह! मुझे जन्नत के दरवाज़े के पास पहुँचा दे। अल्लाह तआला पूछेगा क्या तूने अहदो-पैमान नहीं बाँधा था कि इस एक सवाल के सिवा कोई और सवाल तू नहीं करेगा। बन्दा कहेगा कि ऐ मेरे रब! मुझे तेरी मख़्लूक़ में सबसे ज़्यादा बदनसूीब न होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्जत फ़र्माएगा कि फिर क्या ज़मानत है कि अगर तेरी ये तमन्ना पूरी कर दी गई तो दूसरा कोई सवाल तू नहीं करेगा। बन्दा कहेगा नहीं तेरी इज़्जत की क़सम!

يَعْبُدُ اللَّهَ، فَيُخْرِجُونَهُمْ، وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ آثَرَ السُّجُودِ. فَيُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا آثَرَ السُّجُودِ، فَيُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَيْبِلِ السَّيْلِ. ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَتَقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ - وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةِ - مُقْبِلًا بَوَجهِهِ قِبَلَ النَّارِ، يَقُولُ: يَا رَبِّي اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَقَدْ قَسَيْتَنِي رَيْنَهَا وَأَخْرَقْتَنِي ذَكَوْهَا. يَقُولُ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ؟ يَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ. فَيُعْطِي اللَّهُ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَأَى بَهْجَتَهَا، سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبُّ قَدَّمْتَنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ. يَقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أُعْطِيتَ الْهُودَى وَالْمِيثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ؟ يَقُولُ: يَا رَبُّ، لَا أَكُونُ أَشَقَى خَلْقِكَ. يَقُولُ: فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَهُ، يَقُولُ: لَا، وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ. فَيُعْطِي رَبُّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيَقْدُمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ بِأَبِيهَا فَرَأَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنْ

अब दूसरा कोई सवाल तुझसे नहीं करूँगा। चुनाँचे अपने रब से हर तरह अहदो-पैमान बाँधेगा और जन्नत के दरवाजे तक पहुँचा दिया जाएगा। दरवाजे पर पहुँचकर जब जन्नत की पहनाई, ताज़गी और मुसरतों को देखेगा तो जब तक अल्लाह तआला चाहेगा वो बन्दा चुप रहेगा। लेकिन आख़िर बोल पड़ेगा कि ऐ अल्लाह! मुझे जन्नत के अंदर पहुँचा दे। अल्लाह तआला फ़र्माएगा, अफ़सोस ऐ इब्ने आदम! तू ऐसा दगाबाज़ क्यों बन गया? क्या (अभी) तूने अहदो-पैमान नहीं बाँधा था कि जो कुछ मुझे दे दिया गया, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं माँगूंगा। बन्दा कहेगा ऐ रब! मुझे अपनी सबसे ज़्यादा बदनज़ीब मख़लूक न बना। अल्लाह पाक हंस देगा और उसे जन्नत में भी दाख़िले की इजाज़त दे देगा और फिर फ़र्माएगा माँग क्या है तेरी तमन्ना। चुनाँचे वो अपनी तमन्नाएँ (अल्लाह तआला के सामने) रखेगा और जब तमाम तमन्नाएँ ख़त्म हो जाएंगी तो अल्लाह तआला फ़र्माएगा कि फ़लों चीज़ और माँगो, फ़लों चीज़ का मज़ीद सवाल करो। खुद अल्लाह पाक ही याददेहानी कराएगा और जब वो तमाम तमन्नाएँ पूरी हो जाएंगी तो फ़र्माएगा कि तुम्हें ये सब और इतनी ही और दी गई। हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि.) ने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया ये और इससे दस गुना और ज़्यादा तुम्हें दी गई। इस पर हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की यही बात मुझे याद है तुम्हें ये तमन्नाएँ और इतनी ही और दी गई। लेकिन हज़रत अबू सईद (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने आपको ये कहते हुए सुना था कि ये और इसकी दस गुना तमन्नाएँ तुझको दी गई।

(दीगर मक़ाम : 6573, 7437)

النَّصْرَةَ وَالسُّورِ فَسَكْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ
يَسْكُتَ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ.
فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : وَيَحْكُ يَا ابْنَ آدَمَ، مَا
أَغْنِيكَ! أَلَيْسَ قَدْ أُعْطِيتَ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ
أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ :
يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشَقَى خَلْقِكَ.
فَيَضْحَكُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْهُ ، ثُمَّ يَأْذُنُ لَهُ
فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ لَهُ : تَمَنَّ،
فَيَتَمَنَّى. حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أَمْنِيَّتُهُ قَالَ اللَّهُ:
رِذْمٌ مِنْ كَذَا وَكَذَا - أَقْبَلْ يَذْكُرُهُ رَبُّهُ عَزَّ
وَجَلَّ - حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ
اللَّهُ: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ)). قَالَ أَبُو
سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((قَالَ
اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: لَكَ ذَلِكَ وَعَشْرَةٌ أَمْثَالَهُ)).
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَمْ أَحْفَظْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ إِلَّا قَوْلَهُ : ((لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ)).
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ : إِنِّي سَمِعْتُهُ
يَقُولُ : ((ذَلِكَ لَكَ وَعَشْرَةٌ أَمْثَالَهُ)).

[طرفاه في : ٦٥٧٣ ، ٧٤٣٧.]

तशरीह : इमामुल मुहदिषीन हज़रत इमाम बुखारी (रह) सच्चे की फ़ज़ीलत बयान करने के लिए इस तवील हदीष को लाए हैं। इसमें एक जगह मज़कूर है कि अल्लाह पाक ने दोज़ख़ पर ह़राम किया है कि वो उस पेशानी को जलाए जिस पर सच्चे के निशानात हैं। उन्ही निशानात की बिना पर बहुत से गुनाहगारों को ढूँढ़-ढूँढ़कर दोज़ख़ से निकाला जाएगा बाब और हदीष में यही मुताबक़त है। बाक़ी हदीष में और भी बहुत सी बातें मज़कूर हैं। एक ये कि अल्लाह का दीदार बरहक़ है जो इस तरह हासिल होगा जैसे चौदहवीं रात के चाँद का दीदार आम होता है। नोज़ इस हदीष में अल्लाह पाक का आना और अपनी सूत पर जलवा अफ़रोज़ होना और अहले इमाम के साथ शफ़क़त के साथ कलाम करना। कुआन मज़ीद की बहुत सी आयात और बहुत सी अहादीषे सहीहा जिनमें अल्लाह पाक की सिफ़ात मज़कूर हैं। उनकी बिना पर अहले हदीष इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अल्लाह पाक इन जुम्ला सिफ़ात से मौसूफ़ है। वो हक़ीकतन कलाम करता है। जब वो चाहता है फ़रिश्ते उसकी आवाज़ सुनते हैं और वो अपने अर्श पर है। उसकी ज़ात के लिये जहत फ़ाक़़ प्राबित है। उसका इल्म और समअ व बस्र हर एक चीज़ को घेरे हुए है। उसको इख़्तियार है कि वो जब चाहे

जहाँ चाहे जिस तरह चाहे आए जाए। जिससे चाहे बात करे उसके लिए कोई अमर मानेअ नहीं।

इस हदीष में दोज़ख का भी ज़िक्र है। सअदान नामी घास का ज़िक्र है जिसके काटे बड़े सख्त हैं और फिर दोज़ख का सअदान जिसकी बड़ाई और ज़र-रसानी अल्लाह ही जानता है कि किस हद तक होगी। नीज हदीष में माउल हयात (आबे हयात/अमृत) का ज़िक्र है, जो जन्नत का पानी होगा और उन दोज़खियों पर डाला जाएगा जो दोज़ख में जलकर कोयला बन चुके होंगे। उस पानी से उनमें जिन्दगी लौट आएगी। आखिर में अल्लाह पाक का एक गुनाहगार से मुकालमा (वार्तालाप) ज़िक्र किया गया है। जिसे सुनकर अल्लाह पाक हंसेगा, उसका ये हंसना भी बरहक़ है।

अल्ग़र्ज हदीष बहुत से फ़वाइद पर मुश्तमिल है। हज़रत इमाम की आदते मुबारक है कि एक हदीष से बहुत से मसाइल का इस्तिख़राज करते हैं। एक मुज्तहिदे मुत्लक़ की शान यही होनी चाहिए। फिर हैरत है उन हज़रात पर जो हज़रत इमाम बुखारी (रह) जैसे फ़ाज़िले इस्लाम को मुज्तहिदे मुत्लक़ तस्लीम नहीं करते। ऐसे हज़रात को बनज़रे इस्लाम अपने ख़याल पर नज़रे पानी की ज़रूरत है।

बाब 130 : सज्दे में दोनों बाजू खुले और पेट रानों से अलग रखे

(807) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि मुझसे बक्र बिन मुजर ने जा'फ़र बिन रबीआ से बयान किया, उन्होंने अब्दुरहमान बिन हुमुज़ से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मालिक बिन बुहैना से कि नबी करीम (ﷺ) जब नमाज़ पढ़ते तो सज्दे में अपने दोनों बाजूओं को इस क़द्र फैला देते कि बग़ल की सफ़ेदी जाहिर हो जाती थी। लैष बिन सअद ने बयान किया कि मुझसे भी जा'फ़र बिन रबीआ ने इसी तरह हदीष बयान की।

(राजेअ : 390)

इमाम शाफ़ई (रह) ने किताबुल उम्म में कहा है कि सज्दे में कोहनियाँ पहलू से अलग रखना और पेट को रानों से जुदा रखना सुन्नत है।

बाब 131 : सज्दे में पांव की उँगलियों को क़िब्ले की तरफ़ रखना चाहिए। इस बात को अबू हुमैद सहाबी (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से बयान किया है

बाब 132 : सज्दा पूरी तरह न करें तो कैसा है?

(808) हमसे सुलत बिन मुहम्मद बसरी ने बयान किया, कहा हमसे महदी बिन मैमून ने वासिल से बयान किया, उन्होंने अबू वाइल से, उन्होंने हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से कि उन्होंने एक शख़्स को देखा जो रुकूअ और सज्दा पूरी तरह नहीं करता था। जब वो नमाज़ पढ़ चुका तो उन्होंने उससे फ़र्माया कि तूने नमाज़ ही नहीं पढ़ी। अबू वाइल ने कहा कि मुझे याद आता है कि हुज़ैफ़ा ने

۱۳۰ - بَابُ يُنْدِي ضَبْعِيهِ وَيُجَافِي

فِي السُّجُودِ

۸۰۷ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ هُرْمَزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَجَّ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَدُوَ بِيَاضِ إِبْطَيْهِ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ.

[راجع: ۳۹۰]

۱۳۱ - بَابُ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ

رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ قَالَ أَبُو حَمِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ

۱۳۲ - بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

۸۰۸ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُدَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُدَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ. قَالَ وَأَخْسِيئَهُ قَالَ:

फ़र्माया कि अगर तुम मर गए तो तुम्हारी मौत मुहम्मद (ﷺ) की सुन्नत पर नहीं होगी। (राजेअ: 389)

बाब 133 : सात हड्डियों पर सज्दे करना

(809) हमसे क़बीसा बिन इब्बा ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान घ़ौरी ने अमर बिन दीनार से बयान किया, उन्होंने त्राऊस से, उन्होंने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से, आपने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) को सात अज़ा पर सज्दे का हुक्म दिया गया था। इस तरह कि न बालों को आप समेटते न कपड़े को (वो सात हिस्से ये हैं) पेशानी (नाक के साथ) दोनों हाथ, दोनों पांव और दोनों घुटने। (दीगरमक़ाम: 810, 812, 815, 816)

(810) हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअबाने, उन्होंने अमर से, उन्होंने त्राऊस से, उन्होंने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से, उन्होंने रसूले करीम (ﷺ) से कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि हमें सात हिस्सों पर इस तरह सज्दे का हुक्म हुआ है कि हम न बाल समेटें न कपड़े।

(राजेअ: 809)

(811) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्राईल ने अबू इस्हाक़ से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन यज़ीद से, उन्होंने कहा कि हमसे बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) ने बयान किया, वो झूठ नहीं बोल सकते थे। आपने फ़र्माया कि हम नबी करीम (ﷺ) की इत्कि तदा में नमाज़ पढ़ते थे। जब आप समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहते (यानी रुकूअ से सर उठाते) तो हममें से कोई उस वक़्त तक अपनी पीठ न झुकाता जब तक कि आप अपनी पेशानी ज़मीन पर न रख देते।

(राजेअ: 690)

وَلَوْ مُتُّ مَتٌ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ .

[راجع: 389]

۱۳۳- بَابُ السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ

أَعْظَمَ .

۸۰۹- حَدَّثَنَا قَيْصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ((أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءَ، وَلَا يَكْفُ شَعْرًا، وَلَا تَوْبًا: الْجَبْهَةَ وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرُّجْلَيْنِ)).

[أطرافه في: ۸۱۰، ۸۱۲، ۸۱۵، ۸۱۶].

۸۱۰- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((أَمَرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمَ وَلَا نَكْفُ شَعْرًا وَلَا تَوْبًا)).

[راجع: ۸۰۹]

۸۱۱- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ - وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ - قَالَ: كُنَّا نَصَلِّيْ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، لِيَأْذَا قَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) لَمْ يَخْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ.

[راجع: 690]

तशरीह:

असल में पेशानी ही ज़मीन पर रखना सज्दा करना है और नाक भी पेशानी ही में दाखिल है। इसलिये नाक और पेशानी दोनों का ज़मीन से लगाना वाजिब है। फिर दोनों हाथों और दोनों घुटनों का ज़मीन पर टेकना और दोनों पैरों की उँगलियों को क़िब्ला रुख मोड़कर रखना। ये कुल सात हिस्से हुए जिन पर सज्दा होता है।

बाब 134 : सज्दे में नाक भी ज़मीन से लगाना

(812) हमसे मुअल्ला बिन असद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे वहब बिन ख़ालिद ने बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन ताऊस से, उन्होंने अपने बाप से, उन्होंने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया मुझे सात हिस्सों पर सज्दा करने का हुक्म हुआ है। पेशानी पर और अपने हाथ से नाक की तरफ़ इशारा किया और दोनों हाथ और दोनों घुटनों और दोनों पांव की उँगलियों पर। इस तरह कि हम न कपड़े समेटें न बाल। (राजेअ: 809)

बाब 135 : सज्दा करते वक़्त कीचड़ में भी नाक ज़मीन पर लगाना

(813) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माम बिन यहाा बिन अबी क़शीर से बयान किया, उन्होंने अबू सलमा बिन अब्दुरहमान से, उन्होंने बयान किया कि मैं अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) के पास गया। मैंने कहा कि फ़लाँ नलिख़लस्तान में क्यों न चलें, सैर भी करेंगे और कुछ बातें भी करेंगे। चुनाँचे आप तशरीफ़ ले चले। अबू सलमा ने बयान किया कि मैंने राह में कहा कि शबे क़द्र के बारे में आपने अगर कुछ नबी करीम (ﷺ) से सुना है तो उसे बयान कीजिए। उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने रमज़ान के पहले अशरे में ए' तिकाफ़ किया और हम भी आपके साथ ए' तिकाफ़ में बैठ गए। लेकिन जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने आकर बताया कि आप जिसकी तलाश में है (शबे क़द्र) वो आगे है। चुनाँचे आपने दूसरे अशरे में भी ए' तिकाफ़ किया और आपके साथ हमने भी। जिब्रईल अलैहिस्सलाम दोबारा आए और फ़र्माया कि आप जिसकी तलाश में हैं वो (रात) आगे है। फिर आपने बीसवीं रमज़ान की सुबह को ख़ुत्बा दिया। आपने फ़र्माया कि जिसने मेरे साथ ए' तिकाफ़ किया वो दोबारा करे क्योंकि शबे क़द्र मुझे मा' लूम

۱۳۴- بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ

۸۱۲- حَدَّثَنَا مُعَلَى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ. وَلَا نَكَفَتِ الْيَابِ وَالشَّعْرَ)).

[راجع: ۸۰۹]

۱۳۵- بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ

وَالسُّجُودِ فِي الطِّينِ

۸۱۳- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ

عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقُلْتُ أَلَا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ تَتَحَدَّثُ؟ فَخَرَجَ. فَقَالَ: قُلْتُ حَدَّثَنِي مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ قَالَ: اغْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ. فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ. قَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَطِيئًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ: ((مَنْ كَانَ اغْتَكَفَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلْيَرْجِعْ فَإِنِّي أَرَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّي نَسِيْتُهَا، وَإِنهَا فِي أَثَمْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وَتْرِ، وَإِنِّي رَأَيْتُ

हो गई। लेकिन मैं भूल गया और वो आखिरी अशरे की त्राकरातों में है और मैंने खुद को कीचड़ में सज्दा करते देखा। मस्जिद की छत खजूर की डालियों की थी। आसमान मत्लअबिलकुल साफ़ था कि इतने में एक पतला सा बादल का टुकड़ा आया और बरसने लगा। फिर नबी करीम (ﷺ) ने हमको नमाज़ पढ़ाई और मैंने रसूले करीम (ﷺ) की पेशानी और नाक पर कीचड़ का अषर देखा। आपका ख़वाब सच्चा हो गया। (राजेअ: 669)

كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ. وَكَانَ
مَنْفَعُ الْمَسْجِدِ جَرِيدَ النَّعْلِ وَمَا نَزَى فِي
السَّمَاءِ شَيْئًا، فَجَاءَتْ قُرْعَةٌ فَأَمْطَرْنَا،
(لَصَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى رَأَيْتُ أَوْرَ
الطِّينِ وَالْمَاءِ عَلَى جَنْهَةِ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ أَوْ رَبِّيهِ تَصْدِيقَ رُؤْيَاهُ)).

[راجع: ٦٦٩]

कि मैं उस शब में पानी और कीचड़ में सज्दा कर रहा हूँ। बाब का तर्जुमा यहीं से निकलता है कि आपने पेशानी और नाक पर सज्दा किया। हुमैदी ने इस हदीष से दलील ली कि पेशानी और नाक में अगर मिट्टी लग जाए तो नमाज़ में न पोंछे। हज़रत इमाम बुखारी (रह) का मक़सदे बाब ये है कि सज्दे में नाक को ज़मीन पर रखना ज़रूरी है क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) ने ज़मीन तर होने के बावजूद नाक ज़मीन पर लगाई और कीचड़ की कुछ परवाह न की।



मुनाजात (दुआएं)

हकीम मुहम्मद सिद्दीक गौरी

रखे-आजम अर्थे-आजम पर है तेरा इस्तवा,
तू है आली, तू है आला, तू ही है रखुलउला।

हम्द, पाकी कबेरियाई मेरे सुल्हानो-हमीद
सिर्फ है तेरे लिये जितनी तू चाहे कबेरिया।

लामकां, बेखानमां, तू है नही हरगिज़ रफ़ीअ
अर्थ पर है तू यकीनन, है पता मुझको तेरा।

अर्थ पर होकर भी तू मेरी रने-जां से करीब
इतना मेरे पास है मैं कह नही सकता ज़रा।

अर्थ पर है ज़ात तेरी, इल्मो-कुदरत से करीब
तू हमारे पास है ऐ हाज़िरो-नाज़िर खुदा।

अर्थ पर है तू यकीनन और वह 'मकतूब' भी
'तेरी रहमत है फ़जू तेरे ग़ज़ब से ऐ खुदा।

अरबो खरबो रहमतो हो, बरकते लाखो सलाम,
उन पर उनकी आल पर जो है मुहम्मद मुस्ताफ़ा।

क्राबिले-तारीफ़ तू है मेरे रखुल आलमीन
तू है रहमानो-रहीमो-मालिके-यौमे-जज़ा॥

हम तुझी को पूजते हैं तू ही इक माबूद है
हम मदद चाहते नही, हरगिज़ कभी तेरे सिवा।

तू है ज़ाहिर, तू है बातिन, अव्वलो-आख़िर है तू
फ़र्र भी तू दूर कर दे कर्ज़ भी या रब मेरा।

मैं ज़मीनो-आसमां पर डालता हूँ जब नज़र
कोई भी पाता नही हूँ मैं 'खुदा' तेरे सिवा।

चौद-तारे दे रहे हैं अपने सानेअ की खबर
तेरी कुदरत से अया है बिलयकीन होना तेरा।

मैं तुझे कुछ जानता हूँ, तेरे कुछ औसाफ़ भी
तू कयामत में भी होगा जाना-पहचाना मेरा।

तू मेरा ज़ाकिर रहे मैं भी रहूँ ज़ाकिर तेरा
हो ज़मी पर ज़िक्र तेरा आसमां में हो मेरा।

कल्बे-मुज्तर को सुकू मिल जाए तेरी याद से
और तेरे ज़िक्र से हो मुत्मइन ये दिल मेरा।

रोज़ो-शब, सुबह मसा, आठो पहर, चौसठ घड़ी
तू ही तू दिल में रहे कोई न हो तेरे सिवा।

मैं हमेशा याद रखूँ अपनी मजलिस में तुझे
तू भी मुझको याद रखे अपनी मजलिस में सदा।

बन्द तेरी याद से मेरी जुबां या रब न हो
मरते दम तक, मरते दम भी ज़िक्र हो लब पर तेरा।

ज़िन्दगी दुश्वार हो तेरी मुहब्बत के बग़ैर
माही-ए-बेआब हो बे-ज़िक्र ये बन्दा तेरा।

मैं दुआ के वक़्त तुझ से इतना हो जाऊँ करीब
गोया तहतुलअर्थ में हूँ तेरे क़दमों में पड़ा।

हालते सद-यास में भी ऐ खुदा तेरी क़सम
जी न हारूँ और मैं करता रहूँ तुझसे दुआ।

बह रही हो मेरी आँखें मेरी मर्दन हो झुकी
नाक रगड़े, पस्त होकर, तुझसे मैं माँगूँ दुआ।

तेरे आगे आजिज़ाना, दस्त बस्ता, सर नगूँ
मैं रहूँ या रब खड़ा भी तेरे क़दमों में पड़ा।

हर मेरी ऐसी दुआ हो तेरी नेअमत की क़सम
जैसे कोई तीर हो अपने निशाने पे लगा।

हर मेरी ऐसी दुआ हो जिस से टल जाए पहाड़
गार वालो से भी बढ़कर तेरी रहमत से खुदा।

हर मेरी तौबा हो ऐसी जो अगर तक्सीम हो
तेरे बन्दो पर तो बस्थे जाए लाखो बे-सज़ा।

नेकियों में तू बदल दे और उनको बस्थ दे
उम्र मर के अगले पिछले सब गुनाहों को खुदा।

हज़ मेरे मबरूर हो सब कोशिशें मशकूर हो
दे तिज़ारत तू भी वह जिसमें न हो घाटा ज़रा।

तेरी मर्जी के मुवाफ़िक़ हो मेरी कुल ज़िन्दगी
खाना पीना, चलना फिरना, बैठना उठना मेरा।

जो क़सम खाई या खाऊँ तुझ पे करके ऐतमाद
मअ फ़लाहे दोज़हं के साथ पूरी हो खुदा।

मैं न छोड़ूँ, मैं न छोड़ूँ सगे-दर तेरा कमी
आ गया हूँ, आ पड़ा हूँ, तेरे दर पर ऐ खुदा।

हर नज़ाई कोई शय हो मैं तेरी तौफ़ीक़ से
सिर्फ़ चाहूँ तुझसे या तेरे नबी से फ़ैसला।

उम्र भर मेरी नज़र इस पर रहे हो मुस्तफ़ू
तूने या ख़ब क्या कहा? मुस्तफ़ा ने क्या कहा?

आख़िरत में अपनी या ख़ब कितनी ही मख़्लूक़ पर
मुझ को मेरी आल को तू फ़ौक़ियत करना अता।

उम्र मेरी आख़री है दिन है मरने के करीब
मैं रहूँ गिरयाँ के तू ख़न्दा मिले मुझसे खुदा।

फ़ज़ल फ़रमा मरते दम तक मैं रहूँ इस हाल में
तुझ से हो उम्मीद बेहद डर भी हो मुझको तेरा।

मैं रहूँ बेचैन बेहद तुझसे मिलने के लिये
जान जब निकले तो तड़पे कब वह हो तन से जुदा।

मौत की ताख़ीर भी हो मौत ही मेरे लिए
हो दमे-आख़िर मुझे इतना तेरा शौक़े लिका।

बख़्श दे तू, रहम कर, आला रफ़ीको से मिलूँ
हो मुझे उस वक़्त बेहद शौक़ मिलने का तेरा।

'क़ौल साबित' पर रहूँ साबित खुदाया हो नसीब
ला इलाहा इल्ला अन्तल्लाह पे मरना मेरा।

आख़री हिचकी मुझे दे तेरी रहमत की ख़बर
औंख़ जब बन्द हो तो देखूँ तेरी जन्नत की फ़िज़ा।

तेरी रहमत की तरफ़ हो मेरा दुनिया से ख़ुरुज
जाकनी के वक़्त पाऊँ मुज़दा हाए जाफ़िज़ा।

वया मेरा मस्कन ज़मीनो-आसमां तक रो पड़े
मेरे मरने पर खुदाया अर्श हिल जाए तेरा।

'रब्बे राज़ी की तरफ़ चल हो के राज़ी तू निकल'
रुह से मेरी फ़रिशते यह कहे वक़ते कज़ा।

तेरी रहमत के फ़रिशते मुझको लेने के लिए
आए वह, लेकर चढ़े, मुझको जहाँ है तू खुदा।

रुह का जब आसमां में हो फ़रिशतो पर वरूद
हो यही उनकी सदाएँ 'मरहबा सद मरहबा।'

'क़दे मुनी, क़दे मुनी ले चलो जल्दी चलो'
जब जनाज़ा ले चले कहता रहे बन्दा तेरा।

तू मुसल्ली हो मलाइक़ भी तेरे हो बिलख़ुसूस
मुझ ग़रीबो-बेनवा का जब जनाज़ा हो पड़ा।

हो मेरा मस्कन वह, तुझ को जहाँ भी हो पसन्द
जो ज़मी हो तुझको पियारी वह बने मदफ़न मेरा।

कर चुके जब दफ़न मुझको आए जब मुन्कर नकीर
'रब्बे सब्बित रब्बे सब्बितनी' हो लब पर ऐ खुदा।

क़ब्र हो मुश्ताक़ मेरी उसका बेहतर हो सुलूक़
पाऊँ मैं आग़ोश मादर की तरह उसको खुदा।

ज़िन्दगी के इस सफ़र में तू मेरा साहिब रहे
कुल मेरे पसमान्दगां में तू ख़लीफ़ा हो मेरा।

तू सफ़र में भी 'हज़र मे' क़ब्र में भी हशर में
मेहरबां मुझ पर रहे बेहद निग़हबां भी मेरा।

जाकनी हो, क़ब्र हो या हशर हो या पुल-सिरात
सहल तेरे फ़ज़ल से हो मरहला इक़ इक़ मेरा।

'रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम हसबुना नेअमुल-वकील'
हशर के कुल मरहलो में हो यही कलमा मेरा।

रोज़े महशर हो तेरे रूए मुबारक़ पर नज़र
जब तेरी पिण्डली खुले सज्दे में हो बन्दा तेरा।

अर्श का साया मिले सातो तरह से हश्र में
मुझको, मेरी आल को जो हो क़यामत तक खुदा।

गो पलक़ झपके न झपके मुझसे तै हो पुल-सिरात
इस कठिन मंज़िल में मेरी मेरे मौला काम आ।

'जल्द इसको पार कर यह सर्द कर देगा मुझे'
जब जहन्नूम पर से गुज़रूँ वह कहे तुझको खुदा।

आएगा बन्दा तेरा इक़ दिन कफ़न पहने हुए
तेरे आगे, बख़्श देना आफ़ियत करना अता।

रास्ता सीधा दिखा, इन्आम कर हम पर मदाम
उम्मत-अहमद में मुझको ख़ास दर्जा कर अता।

उम्र भर की कुल ख़ताएँ उनकी गाफ़िर बख़्श दे
तू मेरे मां-बाप की कर मन्फ़िरत बेइज्जिता।